

निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ ।



त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2017 - 2018
भाग-3

जिससे विकास के वांछित लक्ष्यों की पूर्ति न हो सकी। दिनांक 31.03.2017 तक अप्रयुक्त धनराशि शासन को वापस नहीं की गयी। जो अपेक्षित है। विवरण संलग्न है :-

क्रमांक	मद	दिनांक 31.03.2017 तक अप्रयुक्त धनराशि
1.	सांसद निधि	95952.00
2.	ब्याज	562737.00
3.	राज्यांश	41000.00
4.	जे.आर.बाई./दस साल कूप योजना	64640.00
5.	विधायक निधि	1064963.00
6.	बारहवां	99921.00
7.	पूर्वांचल विकास निधि	82113.17
8.	राज्य वित्त तृतीय किस्त	573110.00
9.	बायो गैस अनुदान	—
10.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	117144.00
11.	प्रशासनिक मद	11650400
12.	ग्रामीण पेय जल	8700.00
13.	डा० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती	1000.00
14.	प्रशासनिक मद/इन्दिरा आवास	705.00
15.	आर्थिक सामाजिक जनगणना	15.00
16.	तृतीय राज्य वित्त	1646.00
योग		2830050.17

(मूल आ०सं०-17)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2830050.17	2830050.17

प्रस्तर सं० :66 लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त/तृतीय राज्य वित्त से निम्नांकित व्यय किये गये हैं। व्यय से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण संलग्न है :-

चेक संख्या/दिनांक	धनराशि	नाम भुगतान प्राप्तकर्ता
038215 / 25.11.2015.	5000.00	श्री विनय कुमार पाण्डेय, स०ले०
038220 / 18.12.2015	2933.00	बब्लू पेन्टर
151117 / 15.03.2016	70000.00	श्री विनय कुमार पाण्डेय, स०ले०
151116 / 15.03.2016.	10000.00	श्री विनय कुमार पाण्डेय, स०ले०
151118 / 18.03.2016	24000.00	श्री उमेश कुमार मिश्र
151119 / 18.03.2016	36000.00	श्री उमेश कुमार मिश्र
992861 / 21.03.2016.	37500.00	श्री उमेश कुमार मिश्र
992866 / 26.03.2016	16200.00	श्री विनय कुमार पाण्डेय
992867 / 26.03.2016.	24000.00	श्री संदीप कुमार गुप्ता क०आ०
992869 / 07.04.2016	9066.00	एम/एस बब्लू पेन्टर
992870 / 07.04.2016.	28546.00	एम/एस बब्लू पेन्टर
992871 / 12.04.2016	30795.00	एम/एस बब्लू पेन्टर
992872 / 12.04.2016.	82119.00	एम/एस बब्लू पेन्टर
992879 / 23.04.2016	3000.00	एम/एस बब्लू पेन्टर
992881 / 20.05.2016.	60881.00	एम/एस बब्लू पेन्टर
992883 / 28.05.2016	36441.00	एम/एस बब्लू पेन्टर
992891 / 08.09.2016.	47000.00	एम/एस बब्लू पेन्टर
992892 / 08.09.2016.	43000.00	एम/एस बब्लू पेन्टर
992896 / 30.09.2016	16412.00	एम/एस बब्लू पेन्टर
992910 / 08.12.2016.	3000.00	एम/एस बब्लू पेन्टर
992912 / 09.12.2016	11017.00	एम/एस बब्लू पेन्टर
992884 / 07.06.2016.	16000.00	श्री संदीप कुमार गुप्ता क०आ०
992895 / 09.09.2016.	24000.00	श्री संदीप कुमार गुप्ता क०आ०
992897 / 27.10.2016	8000.00	श्री संदीप कुमार गुप्ता क०आ०
992917 / 20.12.2016.	16000.00	श्री संदीप कुमार गुप्ता क०आ०

992924 / 04.02.2017	16000.00	श्री संदीप कुमार गुप्ता क०आ०
992915 / 14.12.2016.	16000.00	श्री उमेश कुमार मिश्र
योग	776910.00	

(मूल आ०सं०-10)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
776910.00	—	—	776910.00

प्रस्तर सं० :67 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्षों में इन्दिरा आवास/ प्रशासनिक मद में निम्नांकित व्यय किये गये। जिनसे सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, सम्बंधित व्यय प्रमाण पत्र के अभाव में व्यय की पुष्टि न की जा सकी। प्रमाणक के अभाव में राजकीय धन के अपहरण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण संलग्न है :-

व्यक्ति जिसे भुगतान की गयी	चेक संख्या/दिनांक	धनराशि
श्री विनय कुमार मिश्र	649268 / 22.01.2016	15000.00
श्री विनय कुमार मिश्र	649269 / 29.01.2016	15000.00
श्री विनय कुमार मिश्र	649276 / 07.03.2016	100000.00
श्री विनय कुमार मिश्र	649277 / 10.03.2016	66500.00
श्री विनय कुमार मिश्र	649280 / 26.06.2016	15000.00
श्री उमेश कुमार यादव	649270 / 29.01.2016	3500.00
बब्लू पुत्र रफीक	649279 / 16.04.2016	21000.00
श्री उमेश कुमार मिश्र आ०	650862 / 08.09.2016	30570.00
श्री संतोष कुमार क०आ०	650863 / 08.09.2016	31920.00
श्री रामकृपाल गुप्ता	650864 / 09.09.2016	20160.00
श्री रामकृपाल गुप्ता	650865 / 07.10.2016	7000.00
श्री उमेश कुमार मिश्र क०लि०	650867 / 27.10.2016	25715.00
श्री उमेश कुमार मिश्र क०लि०	650870 / 08.11.2016	14450.00
श्री रामकृपाल गुप्ता	650871 / 13.01.2017	14450.00
योग		380265.00

(मूल आ०सं०-11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
380265.00	—	—	380265.00

प्रस्तर सं० :68 क्षेत्र पंचायत खड़ड़ा की वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त/विधायक निधि से कराये गये निर्माण कार्यों पर सामग्री आपूर्तिकर्ता से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(सी.) के अनुसार 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत् है

क्रमांक	वर्ष	शीर्ष अनुदान	सामग्री की कुल धनराशि	आयकर कटौती की गयी है	आयकर कटौती योग्य धनराशि	आयकर कटौती कम की गयी है
1.	2014-15	राज्य वित्त	6707768.00	130380.00	150254.00	19874.00
2.	2015-16	राज्य वित्त	3225718.00	69046.00	72256.00	3210.00
3.	2015-16	विधायक निधि	2989818.00	62081.00	66972.00	4891.0
योग						27975.00

सामग्री आपूर्तिकर्ता से नियमानुसार आयकर की बटौती न करके रु० 27975.00 राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। आयकर की कटौती निमित्त कटौती नहीं किये जाने के निमित्त तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से रु० 27975.00 की ब्याज सहित वसूली कर आयकर विभाग में जमा कराये जाने की पुष्टि आगामी लेखा परीक्षा में कराई जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०सं०-12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	27975.00	27975.00

प्रस्तर सं० :69 क्षेत्र पंचायत खड़डा के वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त व विधायक निधि से कराये गये निर्माण कार्यो पर सामग्री आपूर्तिकर्ता से सामग्री की भुगतानित राशि पर 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है। जबकि उ०प्र० सरकार की अधिसूचना सं०-के.ए.एन. आई.-2-1315/सी.-4-10/08 यू०पी० वैट एक्ट 2008 आर्डर (101)/2013 दिनांक 7 अक्टूबर 2013 के द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ता की भुगतानित धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से वैट काटना चाहिए। विवरण संलग्न है :-

क्रमांक	वर्ष	अनुदान शीर्ष	सामग्री की कुल धनराशि	वैट की कटौती धनराशि	वैट की कटौती होना चाहिए	वैट की कम कटौती की गयी
1.	2014-15	राज्य वित्त	6707768.00	---	268311.00	268311.00
2.	2014-15	विधायक निधि	1684014.00	6893.00	67361.00	60468.00
3.	2015-16	राज्य वित्त	3225718.00	---	129029.00	129029.00
4.	2015-16	विधायक निधि	2989818.00	23803.00	119592.00	95789.00
5.	2016-17	राज्य वित्त	1986142	54945.00	79446.00	24501.00
योग						578098.00

वैटकर की कटौती रु० 578098.00 की न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से धनराशि की ब्याज सहित वसूली कर व्यापार कर विभाग में जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आ०सं०-13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
	---	578098.00	578098.00

प्रस्तर सं० :70 लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था के ग्राण्ट-2 सांसद निधि के पृष्ठ संख्या 23 के अनुसार माह जनवरी 2016 में कोई व्यय नहीं हुआ है। यहाँ अवशेष में से बिना कारण के रु० 36400.00 घटा दी गयी है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ०सं०-14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
36400.00	---	---	36400.00

प्रस्तर सं० :71 तृतीय राज्य वित्त के ग्राण्ट-2 के पेज संख्या 16 पर अवशेष रु० 82654.00 को रु० 71646.00 बनाकर बिना कारण के रु० 11008.00 कम दर्शाकर समाप्त कर दी गयी है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार विनय कुमार पाण्डेय उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ०सं०-15)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
11008.00	---	---	11008.00

प्रस्तर सं० :72 वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट रजिस्टर जांच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2017 को जमानत देय की धनराशि रु० 110000.00 दर्शायी गयी है। क्षेत्र पंचायत द्वारा लेनदार की जमानत राशि वापस न कर अनियमित रूप से दायित्व दर्शाया गया है। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। अतः इस जमानत राशि को सम्बंधित ठेकेदारों को वापस कर दायित्व समाप्त किया जाना अपेक्षित है। (मूल आ०सं०-16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	110000.00	110000.00

प्रारूप : 03

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से 2016-17

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत : विशुनपुरा की वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड : विशुनपुरा

प्रस्तर सं० :73 क्षेत्र पंचायत विशुनपुरा की वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त अवधि में श्रीमती लालती यादव पत्नी श्री लल्लन यादव क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के

पद पर पदासीन नहीं तथा इनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के लिए अपने पति के सगे ज्येष्ठ भाई श्री परमानन्द यादव के स्वामित्व वाली फर्म मै० यादव ईट उद्योग, पिपरापाती एवं श्री सुरेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री परमानन्द यादव के स्वामित्व की फर्म मै० आकाश बिल्डिंग मटेरियल से ईंटे एवं निर्माण सामग्री एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स की आपूर्ति की गयी। जांच में पाया गया कि आमन्त्रित निविदाएं/कोटेशन मुहरबन्द प्राप्त न कर खुली निविदाएं प्राप्त की गयी। विकास खण्ड प्रमुख का पद एक संवैधानिक पद है तथा संवैधानिक पद पर किसी सदस्य के लिए विधायिका उसे किसी ऐसे पद को धारण करने से रोकती है जिससे उसे वित्तीय लाभ प्राप्त हो। लेखा परीक्षा अवधि में उक्त फर्मों द्वारा कुल रु० 11570178.00 की ईंटों एवं निर्माण सामग्री की आपूर्ति अनियमित रूप से कर लाभ अर्जित किया गया तथा पद का दुरुपयोग कर राजकीय धन का स्पष्ट अनियमित दुर्विनियोग किया गया। अतः इस सम्बंध में लेखा परीक्षा अवधि में तैनात खण्ड विकास अधिकारी श्री रामबाबू वर्मा (26.06.2014 से 31.03.2015 तक), श्री भवनाथ राम (01.04.2015 से 28.02.2016 तक), श्री राजेन्द्र प्रसाद (01.03.2016 से 31.03.2016 तक) तथा ब्लाक प्रमुख श्रीमती लालती यादव एवं अवर अभियन्ता श्री डी. के. कन्नौजिया के विरुद्ध अधिभार की कार्यवाही कर राज्य सरकार को हुयी क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार से है :-

भुगतान तिथि	कार्य का विवरण	मै० यादव ईट उद्योग द्वारा आपूर्ति	मै० आकाश बिल्डिंग मैटे० द्वारा आपूर्ति	कुलयोग
1	2	3	4	5
01.03.2015	चैरी मुसहरी के नौका टोला में गरीब प्रसाद के घर से शंकर गौड़ के घर तक खड़जा निर्माण कार्य	332940.00	—	332940.00
27.12.2014	अहिरौली के कनौरा अहीर टोला जान मोहम्मद के घर से इजराइल के घर तक खड़जा निर्माण कार्य	153611.00	—	153611.00
16.02.2015	बुंईया भेड़ियाहारी टोला में ब्रजभान के घर से सरला के घर तक नाली निर्माण कार्य	74681.00	—	74681.00
27.01.2015	खेसिया में मेन रोड शिवमन्दिर से ईदगाह तक इण्टरलाकिंग व खड़जा तथा बीज भण्डार वाउण्ड्री वाल	148480.00	237505.00	385985.00
11.01.2015	मिटहा माफी मुख्य सड़क से तपन नारायण के घर तक खड़जा निर्माण कार्य	112536.00	—	112536.00
13.01.2015	पकडियार के बरकन्डी में जू०हा० से रेलवे लाईन तक खड़जा निर्माण कार्य	174933.00	—	174933.00
01.03.2015	पुर्नहा मिश्र में रहमद अजली के खेत से मन रोड तक खड़जा निर्माण कार्य	227354.00	—	227354.00
01.03.2015	नरचोचवां में पी.डब्लू.डी. त्रिवेणी के खेत से राधेश्याम के खेत तक खड़जा निर्माण कार्य	230826.00	—	230826.00
20.02.2015	काठी छपरा वनहवा टोला में रुदल यादव के घर के पास काठी छपर माइनर पर पुलिया निर्माण	17670.00	58494.00	76164.00
06.01.2015	अरनहवा के कचहरी टोला में लक्ष्मण के घर से हंसराज के घर तक नाली निर्माण	167882.00	78907.00	246789.00
13.05.2015	खेसिया हरिजन बस्ती में हरि के घर से सीताराम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	241626.00	61465.00	303091.00
11.02.2015	मनिकौरा भेड़ियाहारी टोला पिच से गुलहरिया हरिजन टोला पिच तक खड़जा निर्माण कार्य	287370.00	—	287370.00
04.01.2015	मैजाहिंद में लक्ष्मण के घर के पास पश्चिम पोखरा तक नाली निर्माण	112230.00	61792.00	174022.00
02.01.2015	मिश्रौली के विश्राम पट्टी में अरविन्द के घर से मुहम्मद अली के घर होते हुए	106400.00	56835.00	163235.00

	वाजिद के घर तक नाली निर्माण			
06.01.2015	लीलाधर छापर से पुलिया तक खडंजे के किनारे नाली निर्माण	68420.00	29842.00	98262.00
26.12.2014	काठी छपरा वनहवा टोला में चन्द्रिका यादव के दरवाजे से जितई यादव के घर तक नाली निर्माण	102602.00	79017.00	181619.00
26.12.2014	शाहपुर में चमनिया माई स्थान पर आर.सी. सी. पुलिया निर्माण	247320.00	158013.00	405333.00
17.01.2015	मघी कोठिलवा में भेरिक राम के घोठा से मास्टर के घर तक खडंजा निर्माण कार्य	109988.00	—	109988.00
12.12.2014	सोनवल में रामवृक्ष के घर से रामजीत के घर तक खडंजा निर्माण	119430.00	—	119430.00
07.01.2015	जरार में थाना के पास पिच रोड से उत्तरी नहर तक इण्टरलाकिंग कार्य	97160.00	303808.00	400968.00
12.01.2015	दुबौली बभनौली बसन्ती नट के दरवाजे से नटवलिया तक खडंजा निर्माण कार्य	174840.00	—	174840.00
29.01.2016	मठिया प्रसिद्ध तिवारी में संतोष तिवारी के खेत से दक्षिण में खडंजा निर्माण कार्य	92008.00	—	92008.00
12.01.2016	लीलाधर छापर में बिहारी के घर से श्रीकान्त के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	37985.00	143611.00	181586.00
01.05.2015	परगन छपरा नहर पार से सेखुई मिश्र पश्चिम टोला सम्पर्क मार्ग तक खडंजा निर्माण कार्य	340690.00	—	340690.00
25.12.2015	ब्लाक परिसर में मिट्टी कार्य	152208.00	—	152208.0
01.01.2016	ब्लाक परिसर में मिट्टी कार्य	152208.00	—	152208.00
08.01.2016	ब्लाक परिसर में मिट्टी कार्य	146772.00	—	146772.00
27.04.2015	बघपरना सीताराम टोला में मोतीपुर पूर्वी पिच तक खडंजा निर्माण कार्य	290160.00	—	290160.00
29.05.2015	विकास खण्ड कार्यालय में वाउण्ट्री वाल व गेट निर्माण	182280.00	51015.00	233295.00
14.01.2016	विकास खण्ड कार्यालय में वाउण्ट्री वाल व गेट निर्माण	17692.00	162175.00	179867.00
20.09.2015	मनिकौरा जुड़वनिया नाली निर्माण कार्य	39770.00	79332.00	119102.00
16.01.2016	सोहनपुर में धर्मवीर कुशवाहा के घर से पूर्वी खडंजे तक नाली निर्माण कार्य	34630.00	21635.00	56265.00
11.01.2016	विकास खण्ड कार्यालय परिसर में चबूतरा व वाउण्ट्री वाल निर्माण कार्य	83085.00	85755.00	168840.00
06.06.2015	विकास खण्ड कार्यालय परिसर में चबूतरा व वाउण्ट्री वाल निर्माण कार्य	119122.00	34586.00	153708.00
20.01.2016	सोहनपुर में डा० क्यूम के घर से श्रीनाथ के घर तक खडंजा निर्माण	165719.00	—	165719.00
14.09.2015	अरनहवों मौड़ टोली में से दक्षिणी मुख्य मार्ग तक खडंजा निर्माण कार्य	100440.00	—	100440.00
13.09.2015	अरनहवों मौड़ टोली में से दक्षिणी मुख्य मार्ग तक खडंजा निर्माण कार्य	49600.00	—	49600.00
25.03.2015	बेतिया में भगिनी धोबी के घर से नहर तक खडंजा निर्माण कार्य	151280.00	—	151280.00
12.01.2016	त्रिलोकपुर बुजुर्ग टोला लालगंज में ब्रह्मजी के स्थान पर चबूतरे का निर्माण	94256.00	128936.00	223192.00
15.01.2016	पटेरा बुजुर्ग मस्जिद टोला में मस्जिद से उत्तरी खडंजे तथा राकेश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	199235.00	528026.00	727261.00
21.11.2015	बबुइया हरपुर में भेडियारी में मुख्य खडंजे से श्रीकान्त चौहान के खेत तक खडंजा	61107.00	—	61107.00

	निर्माण कार्य			
14.09.2015	बबुइया हरपुर में भेड़ियारी में मुख्य खड्गजे से श्रीकान्त चौहान के खेत तक खड्गजा निर्माण कार्य	86800.00	—	86800.00
15.09.2015	बाजू पट्टी में बन्धन हरिजन के घर से सुखी हरिजन के घर तक खड्गजा निर्माण कार्य	156240.00	—	156240.00
13.09.2015	गम्भीरिया फरिदन मियों के घोटा से त्रिलोकपुर नहर तक खड्गजा निर्माण कार्य	62000.00	—	62000.00
18.09.2015	गम्भीरिया फरिदन मियों के घोटा से त्रिलोकपुर नहर तक खड्गजा निर्माण कार्य	182900.00	—	182900.00
13.09.2015	खेसिया पाण्डेय टोला से रामचन्द्र पाण्डेय के घर से पूर्वी मुख्य सड़क तक खड्गजा निर्माण कार्य	24800.00	—	24800.00
21.09.2015	खेसिया पाण्डेय टोला से रामचन्द्र पाण्डेय के घर से पूर्वी मुख्य सड़क तक खड्गजा निर्माण कार्य	23498.00	—	23498.00
14.09.2015	बिथुनपुरा बुजुर्ग में मनोज रौनियार के घर से प्रा० वि० तक नाली निर्माण	76000.00	6566.00	82566.00
15.09.2015	बिथुनपुरा बुजुर्ग में मनोज रौनियार के घर से प्रा० वि० तक नाली निर्माण	45278.00	—	45278.00
14.09.2015	मनकौरा गोलाघाट में कैलाश बीन के घर से पूर्वी पिच तक खड्गजा निर्माण कार्य	93000.00	—	93000.00
20.09.2015	मनकौरा गोलाघाट में कैलाश बीन के घर से पूर्वी पिच तक खड्गजा निर्माण कार्य	31210.00	—	31210.00
13.09.2015	पिपरा निरंकारी चौड़ाहे पिच से पिपरा साहिर मार्ग पर खड्गजा निर्माण कार्य	62000.00	—	62000.00
18.09.2015	पिपरा निरंकारी चौड़ाहे पिच से पिपरा साहिर मार्ग पर खड्गजा निर्माण कार्य	19486.00	—	19486.00
13.09.2015	बिथुनपुरा नोनिया पट्टी में नूर लेन के दरवाजे से दक्षिणी पिच तक खड्गजा निर्माण	31000.00	—	31000.00
14.09.2015	बिथुनपुरा नोनिया पट्टी में नूर लेन के दरवाजे से दक्षिणी पिच तक खड्गजा निर्माण	32240.00	—	32240.00
14.09.2015	बबुइया हरपुर में अशोक शर्मा के घर से पूर्वी खड्गजे तक खड्गजा निर्माण कार्य	18600.00	—	18600.00
15.09.2015	बबुइया हरपुर में अशोक शर्मा के घर से पूर्वी खड्गजे तक खड्गजा निर्माण कार्य	9176.00	—	9176.00
14.09.2015	बिरठई में इण्टरलाकिंग कार्य	52800.00	199802.00	252602.00
21.09.2015	बिरठई में इण्टरलाकिंग कार्य	19624.00	48310.00	67934.00
02.01.2016	बिरठई में इण्टरलाकिंग कार्य	17924.00	—	17924.00
13.09.2015	पड़री पिपरापाती में शम्भू हज्जाम के घर से मस्जिद तक नाली निर्माण	24800.00	88243.00	113043.00
01.12.2015	पड़री पिपरापाती में शम्भू हज्जाम के घर से मस्जिद तक नाली निर्माण	140760.00	—	140760.00
13.09.2015	लीलाधर छपरा में मुख्य सड़क से गोविन्द चौबे के घर तक नाली निर्माण कार्य	152392.00	78784.00	231176.00
14.01.2016	सिरसिया में जग्गू के घर से प्रभुनाथ के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	155973.00	411303.00	567276.00
18.09.2015	चिरहवों सिसहन टोला में नारायण यादव के घर से नन्दलाल के घर तक खड्गजा निर्माण कार्य	31000.00	—	31000.00
14.09.2015	चिरहवों सिसहन टोला में नारायण यादव के घर से नन्दलाल के घर तक खड्गजा	40800.00	—	40800.00

	निर्माण कार्य			
14.09.2015	सरपतही खुर्द अरपटिया टोला से सरपतही बुजुर्ग तक खड़जा निर्माण कार्य	136400.00	—	136400.00
15.09.2015	सरपतही खुर्द अरपटिया टोला से सरपतही बुजुर्ग तक खड़जा निर्माण कार्य	111600.00	—	111600.00
14.09.2015	अकबरपुर में सलाउद्दीन के घर से बाड़ी नाला तक नाली निर्माण	96000.00	76621.00	172621.00
28.02.2016	अकबरपुर में सलाउद्दीन के घर से बाड़ी नाला तक नाली निर्माण	42679.00	—	42679.00
13.09.2015	पड़री पिपरापाती टोला नौगावां में भावत यादव के घर से बब्बन कुशवाहा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	52800.00	251712.00	304512.00
28.09.2015	पड़री पिपरापाती टोला नौगावां में भावत यादव के घर से बब्बन कुशवाहा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	37451.00	—	37451.00
18.01.2016	ब्लाक परिसर में आर.सी.सी. कार्य	—	66349.00	66349.00
31.07.2015	विकास खण्ड परिसर में इण्टरलाकिंग कार्य	—	95962.00	95962.00
योग		7885777.00	3684401.00	11570178.00

(मूल आपत्ति सं० 13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	..11570178.00	..—	11570178.00

प्रस्तर सं० :74 क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में आपूर्तिकर्ताओं के बिलों का भुगतान करते समय अनेकों बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. एवं वैट की कम कटौती की गयी है अथवा कटौती ही नहीं की गयी। जिससे राजस्व की भारी हानि हुयी है। लेखा परीक्षा में कुल रु० 127406.44 टी.डी.एस. एवं रु० 474773.44 वैट की कटौती न किये जाने से कुल रु० 602179.88 की हानि हुयी। जिसकी क्षतिपूर्ति खण्ड विकास अधिकारी, श्री डी.एन.झा , श्री बाबूराम वर्मा, श्री भवनाथ राम, श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री रघुनाथ सिंह व श्री गंगाराम एवं लेखाकार श्री दुर्गेश शुक्ला तथा सम्बंधित कार्य प्रभारियों से अधिभार के अन्तर्गत कार्यवाही के तहत की जानी अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र. सं.	भुगतान तिथि	आपूर्तिकर्ता का नाम	बिल का राशि	काटा गया टीडीएस	काटा गया वैट	भारित टीडीएस	भारित वैट	शेष टीडीएस	शेष वैट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01.03.15	मै० यादव ईंट उद्योग	332,940.0	7,457.0	—	6,658.8	13,317.6	—	13,317.6
2	27.12.14	मै० यादव ईंट उद्योग	153,611.0	3,440.0	—	3,072.2	6,144.4	—	6,144.4
3	16.02.15	मै० यादव ईंट उद्योग	74,681.0	1,575.0	—	1,493.6	2,987.2	—	2,987.2
4	27.01.15	मै० यादव ईंट उद्योग	148,480.0	3,325.0	—	2,969.6	5,939.2	—	5,939.2
5	11.01.15	मै० यादव ईंट उद्योग	112,536.0	2,520.0	—	2,250.7	4,501.4	—	4,501.4
6	13.01.15	मै० यादव ईंट उद्योग	174,933.0	3,918.0	—	3,498.7	6,997.3	—	6,997.3
7	01.03.15	मै० यादव ईंट उद्योग	227,354.0	5,092.0	—	4,547.1	9,094.2	—	9,094.2
8	01.03.15	मै० यादव ईंट उद्योग	230,826.0	5,170.0	—	4,616.5	9,233.0	—	9,233.0
9	20.02.15	मै० यादव ईंट उद्योग	17,670.0	395.0	—	353.4	706.8	—	706.8
10	06.01.15	मै० यादव ईंट उद्योग	167,882.0	1,310.0	—	3,357.6	6,715.3	2,047	6,715.3

11	13.05.15	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	241,626.0	5,412.0	—	4,832.5	9,665.0	—	9,665.0
12	11.02.15	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	287,370.0	6,437.0	—	5,747.4	11,494.8	—	11,494.8
13	04.01.15	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	112,230.0	2,513.0	—	2,244.6	4,489.2	—	4,489.2
14	02.01.15	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	106,400.0	2,383.0	—	2,128.0	4,256.0	—	4,256.0
15	06.01.15	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	68,420.0	1,532.0	—	1,368.4	2,736.8	—	2,736.8
16	26.12.14	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	102,602.0	2,298.0	—	2,052.0	4,104.1	—	4,104.1
17	26.12.14	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	247,320.0	5,539.0	—	4,946.4	9,892.8	—	9,892.8
18	17.01.15	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	109,988.0	2,463.0	—	2,199.8	4,399.5	—	4,399.5
19	12.12.14	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	119,430.0	2,675.0	—	2,388.6	4,777.2	—	4,777.2
20	07.01.15	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	97,160.0	2,176.0	—	1,943.2	3,886.4	—	3,886.4
21	12.01.15	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	174,840.0	3,916.0	—	3,496.8	6,993.6	—	6,993.6
22	29.01.16	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	92,008.0	2,060.0	—	1,840.2	3,680.3	—	3,680.3
23	12.01.16	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	37,985.0	850.0	—	759.7	1,519.4	—	1,519.4
24	01.05.15	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	340,690.0	7,631.0	—	6,813.8	13,627.6	—	13,627.6
25	25.12.15	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	152,208.0	3,409.0	—	3,044.2	6,088.3	—	6,088.3
26	01.01.16	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	152,208.0	3,409.0	—	3,044.2	6,088.3	—	6,088.3
27	08.01.16	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	146,772.0	3,287.0	—	2,935.4	5,870.9	—	5,870.9
28	27.04.15	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	290,160.0	6,499.0	—	5,803.2	11,606.4	—	11,606.4
29	29.05.15	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	182,280.0	4,083.0	—	3,645.6	7,291.2	—	7,291.2
30	14.01.16	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	17,692.0	396.0	—	353.8	707.7	—	707.7
31	20.09.15	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	39,770.0	890.0	—	795.4	1,590.8	—	1,590.8
32	16.01.16	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	34,630.0	484.0	—	692.6	1,385.2	208.6	1,385.2
33	11.01.16	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	83,085.0	1,861.0	—	1,661.7	3,323.4	—	3,323.4
34	06.06.15	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	119,122.0	2,668.0	—	2,382.4	4,764.9	—	4,764.9
35	20.01.16	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	165,719.0	3,712.0	—	3,314.4	6,628.8	—	6,628.8
36	14.09.15	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	100,440.0	2,249.0	—	2,008.8	4,017.6	—	4,017.6
37	13.09.15	મે૦ યાદવ ઈંટ ઉઘોગ	49,600.0	1,111.0	—	992.0	1,984.0	—	1,984.0
38	25.03.15	મે૦ યાદવ	151,280.0	—	—	3,025.6	6,051.	3,025.6	6,051.2

		ईट उद्योग							
39	12.01.16	मै0 यादव ईट उद्योग	94,256.0	—	—	1,885.1	3,770.2	1,885.1	3,770.2
40	15.01.16	मै0 यादव ईट उद्योग	199,235.0	—	—	3,984.7	7,969.4	3,984.7	7,969.4
41	21.11.15	मै0 यादव ईट उद्योग	61,107.0	—	—	1,222.1	2,444.3	1,222.1	2,444.3
42	14.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	86,800.0	—	—	1,736.0	3,472.0	1,736.0	3,472.0
43	15.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	156,240.0	—	—	3,124.8	6,249.6	3,124.8	6,249.6
44	13.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	62,000.0	—	—	1,240.0	2,480.0	1,240.0	2,480.0
45	18.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	182,900.0	—	—	3,658.0	7,316.0	3,658.0	7,316.0
46	13.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	24,800.0	—	—	496.0	992.0	496.0	992.0
47	21.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	23,498.0	—	—	470.0	939.9	470.0	939.9
48	14.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	76,000.0	—	—	1,520.0	3,040.0	1,520.0	3,040.0
49	15.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	45,278.0	—	—	905.6	1,811.1	905.6	1,811.1
50	14.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	93,000.0	—	—	1,860.0	3,720.0	1,860.0	3,720.0
51	20.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	31,210.0	—	—	624.2	1,248.4	624.2	1,248.4
52	13.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	62,000.0	—	—	1,240.0	2,480.0	1,240.0	2,480.0
53	18.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	19,486.0	—	—	389.7	779.4	389.7	779.4
54	13.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	31,000.0	—	—	620.0	1,240.0	620.0	1,240.0
55	14.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	32,240.0	—	—	644.8	1,289.6	644.8	1,289.6
56	14.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	18,600.0	—	—	372.0	744.0	372.0	744.0
57	15.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	9,176.0	—	—	183.5	367.0	183.5	367.0
58	14.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	52,800.0	—	—	1,056.0	2,112.0	1,056.0	2,112.0
59	21.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	19,624.0	—	—	392.5	785.0	392.5	785.0
60	02.01.16	मै0 यादव ईट उद्योग	17,924.0	—	—	358.5	717.0	358.5	717.0
61	13.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	24,800.0	—	—	496.0	992.0	496.0	992.0
62	01.12.15	मै0 यादव ईट उद्योग	140,760.0	—	—	2,815.2	5,630.4	2,815.2	5,630.4
63	13.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	152,392.0	—	—	3,047.8	6,095.7	3,047.8	6,095.7
64	14.01.16	मै0 यादव ईट उद्योग	155,973.0	—	—	3,119.5	6,238.9	3,119.5	6,238.9
65	18.09.15	मै0 यादव ईट उद्योग	31,000.0	—	—	620.0	1,240.0	620.0	1,240.0

66	14.09.15	मै0 यादव ईंट उद्योग	40,800.0	—	—	816.0	1,632.0	816.0	1,632.0
67	14.09.15	मै0 यादव ईंट उद्योग	136,400.0	—	—	2,728.0	5,456.0	2,728.0	5,456.0
68	15.09.15	मै0 यादव ईंट उद्योग	111,600.0	—	—	2,232.0	4,464.0	2,232.0	4,464.0
69	14.09.15	मै0 यादव ईंट उद्योग	96,000.0	—	—	1,920.0	3,840.0	1,920.0	3,840.0
70	28.02.16	मै0 यादव ईंट उद्योग	42,679.0	—	—	853.6	1,707.2	853.6	1,707.2
71	13.09.15	मै0 यादव ईंट उद्योग	52,800.0	—	—	1,056.0	2,112.0	1,056.0	2,112.0
72	28.09.15	मै0 यादव ईंट उद्योग	37,451.0	—	—	749.0	1,498.0	749.0	1,498.0
73	27.01.15	मै0 आकाश बिल्डिंग	237,505.0	—	—	4,750.1	9,500.2	4,750.1	9,500.2
74	20.02.15	मै0 आकाश बिल्डिंग	58,494.0	—	—	1,169.9	2,339.8	1,169.9	2,339.8
75	06.01.15	मै0 आकाश बिल्डिंग	78,907.0	—	—	1,578.1	3,156.3	1,578.1	3,156.3
76	13.05.15	मै0 आकाश बिल्डिंग	61,465.0	—	—	1,229.3	2,458.6	1,229.3	2,458.6
77	04.01.15	मै0 आकाश बिल्डिंग	61,792.0	—	—	1,235.8	2,471.7	1,235.8	2,471.7
78	02.01.15	मै0 आकाश बिल्डिंग	56,835.0	—	—	1,136.7	2,273.4	1,136.7	2,273.4
79	06.01.15	मै0 आकाश बिल्डिंग	29,842.0	—	—	596.8	1,193.7	596.8	1,193.7
80	26.12.14	मै0 आकाश बिल्डिंग	79,017.0	—	—	1,580.3	3,160.7	1,580.3	3,160.7
81	26.12.14	मै0 आकाश बिल्डिंग	158,013.0	—	—	3,160.3	6,320.5	3,160.3	6,320.5
82	07.01.16	मै0 आकाश बिल्डिंग	303,808.0	—	—	6,076.2	12,152.3	6,076.2	12,152.3
83	12.01.16	मै0 आकाश बिल्डिंग	143,611.0	—	—	2,872.2	5,744.4	2,872.2	5,744.4
84	29.05.15	मै0 आकाश बिल्डिंग	51,015.0	—	—	1,020.3	2,040.6	1,020.3	2,040.6
85	14.01.16	मै0 आकाश बिल्डिंग	62,224.0	—	—	1,244.5	2,489.0	1,244.5	2,489.0
86	14.01.16	मै0 आकाश बिल्डिंग	99,951.0	—	—	1,999.0	3,998.0	1,999.0	3,998.0
87	20.09.15	मै0 आकाश बिल्डिंग	79,332.0	—	—	1,586.6	3,173.3	1,586.6	3,173.3
88	16.01.16	मै0 आकाश बिल्डिंग	21,635.0	—	—	432.7	865.4	432.7	865.4
89	10.01.16	मै0 आकाश बिल्डिंग	85,755.0	—	—	1,715.1	3,430.2	1,715.1	3,430.2
90	06.06.15	मै0 आकाश बिल्डिंग	34,586.0	—	—	691.7	1,383.4	691.7	1,383.4
91	12.01.16	मै0 आकाश बिल्डिंग	128,936.0	—	—	2,578.7	5,157.4	2,578.7	5,157.4
92	15.01.16	मै0 आकाश बिल्डिंग	528,026.0	—	—	10,560.5	21,121.0	10,560.5	21,121.0
93	14.09.15	मै0 आकाश	6,566.0	—	—	131.3	262.6	131.3	262.6

		बिल्डिंग							
94	14.09.15	मै० आकाश बिल्डिंग	199,802.0	—	—	3,996.0	7,992.1	3,996.0	7,992.1
95	21.09.15	मै० आकाश बिल्डिंग	48,310.0	—	—	966.2	1,932.4	966.2	1,932.4
96	13.09.15	मै० आकाश बिल्डिंग	88,243.0	—	—	1,764.9	3,529.7	1,764.9	3,529.7
97	13.09.15	मै० आकाश बिल्डिंग	45,193.0	—	—	903.9	1,807.7	903.9	1,807.7
98	13.09.15	मै० आकाश बिल्डिंग	33,591.0	—	—	671.8	1,343.6	671.8	1,343.6
99	14.01.16	मै० आकाश बिल्डिंग	411,303.0	—	—	8,226.1	16,452.1	8,226.1	16,452.1
100	14.09.15	मै० आकाश बिल्डिंग	76,621.0	—	—	1,532.4	3,064.8	1,532.4	3,064.8
101	13.09.15	मै० आकाश बिल्डिंग	251,712.0	—	—	5,034.2	10,068.5	5,034.2	10,068.5
102	18.01.16	मै० आकाश बिल्डिंग	66,349.0	—	—	1,327.0	2,654.0	1,327.0	2,654.0
103	31.07.15	मै० आकाश बिल्डिंग	95,962.0	—	—	1,919.2	3,838.5	1,919.2	3,838.5
104	02.04.17	मै० मिश्रा ट्रेडर्स कन्स—	294,429.0	6,595.0	—	5,888.6	11,777.2	—	11,777.2
105	30.03.17	मै० मिश्रा ट्रेडर्स कन्स—	78,000.0	1,747.0	3,120.0	1,560.0	3,120.0	—	—
106	01.04.17	मै० मिश्रा ट्रेडर्स कन्स—	220,460.0	4,938.0	8,818.0	4,409.2	8,818.4	—	0.4
107	07.04.17	मै० मिश्रा ट्रेडर्स कन्स—	231,394.0	5,077.0	9,067.0	4,627.9	9,255.8	—	188.8
108	30.03.17	मै० मिश्रा ट्रेडर्स कन्स—	160,100.0	3,586.0	6,404.0	3,202.0	6,404.0	—	—
		योग	12,554,561.0	138,088.0	27,409.0	251,091.2	502,182.4	127,406.4	474,773.4

(मूल आ०सं०-14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	602179.88	602179.88

प्रस्तर सं० :75 क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा अवधि के दौरान विभिन्न निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान में से आयकर प्रावधान के अन्तर्गत टी.डी.एस. की कटौती कर रु० 138088.00 तथा वैट कटौती रु० 27409.00 करके कोषागार में जमा नहीं किया गया है। यह स्थिति नितान्त आपत्तिजनक एवं आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपराधिक मामला है। इस हेतु आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पैनल्टी का प्रावधान है। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण एवं वितरण अधिकारी अर्थात् खण्ड विकास अधिकारी श्री गंगाराम का है। वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

(मूल आ०सं०-15)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	165497.00	165497.00

प्रस्तर सं० :76 क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में विकास कार्य हेतु विभिन्न तिथियों में मिट्टी की आपूर्ति करायी गयी, किन्तु आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से नियमानुसार खनन रायल्टी की ब्याज सहित वसूली

नहीं की गयी। जिससे राजस्व की हानि हुयी। निम्न विवरणानुसार रु० 72888.00 की रायल्टी स्वरूप राजस्व की हानि हुयी। जिसकी क्षतिपूर्ति खण्ड विकास अधिकारी श्री डी.एन.झा, श्री बाबूराम वर्मा व श्री भवनाथ राम एवं लेखाकार श्री दुर्गेश शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

क्र.सं.	तिथि	मिट्टी आपूर्तिकर्ता का नाम	मात्रा घनमीटर	रायल्टी की धनराशि जो नहीं काटी गयी।
1.	01.03.2015	श्री नागेन्द्र यादव	256.70	1838.00
2.	27.12.2014	श्री सुरेन्द्र यादव	143.50	2009.00
3.	13.01.2015	श्री जाकिर	157.50	2205.00
4.	01.03.2015	श्री आनन्द गुप्ता	231.00	3234.00
5.	01.03.2015	श्री जयेन्द्र उपाध्याय	217.00	3038.00
6.	12.01.2015	श्री जयेन्द्र उपाध्याय	143.50	2009.00
7.	29.01.2016	श्री नगेन्द्र तिवारी	84.00	1176.00
8.	10.05.2015	श्री राजेश्वर शुक्ला	122.50	1715.00
9.	10.05.2015	श्री गुप्ता	122.50	1715.00
10.	10.05.2015	श्री इन्देश	122.50	1715.00
11.	25.12.2015	मै० यादव ईट उद्योग	1176.00	16464.00
12.	01.01.2016	मै० यादव ईट उद्योग	1176.00	16464.00
13.	08.01.2016	मै० यादव ईट उद्योग	1134.00	15876.00
14.	20.01.2016	श्री क्यूमुहीन	245.00	3430.00
योग			5331.70	72888.00

(मूल आ०सं०-16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	72888.00	72888.00

प्रस्तर सं० :77 दिनांक 31.03.2017 को क्षेत्र पंचायत के ग्राण्ट रजिस्टर तीन के अनुसार विभिन्न मदों के अन्तर्गत रु० 9043647.00 का अनुदान अनुप्रयुक्त था। जिसे राज्य सरकार/सम्बंधित विभागों को वापस न कर अनियमित रूप से क्षेत्र पंचायत के खातों में पड़ा है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से राजकीय धन का दुरुपयोग है। जिसके लिए खण्ड विकास अधि०, विशुनपुरा श्री गंगाराम व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	मद का नाम	अप्रयुक्त राशि
1.	पूर्वांचल विकास योजना	208596.00
2.	विधायक निधि योजना	439445.00
3.	राज्य वित्त	7010533.00
4.	बारहवां वित्त	115112.00
5.	ग्राम प्रधान/ग्राम वि० अधि० प्रशिक्षण	83133.00
6.	एस.जी.एस.वाई. बहु० भवन निर्माण	192221.00
7.	क्षेत्र निधि	33449.00
8.	सांसद निधि	10515.00
9.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	615985.00
10.	तेरहवां वित्त	232059.00
11.	राष्ट्रीय ग्रा० गा० यो०	45000.00
12.	अन्य विविध मदों में	57599.00
योग		9043647.00

(मूल आ०सं०-17)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	9043647.00	9043647.00

प्रस्तर सं० :78 दिनांक 07.04.2017 में ग्राम घुर छपरा में लाला टोला नहर पुल से हीरालाल के खेत तक इण्टरलाकिंग का कार्य श्री रामअवध, ए.डी.ओ.(कृषि)/कार्यप्रभारी की देख-रेख में कराया गया। कार्य हेतु निर्माण सामग्री मै० मिश्रा ट्रेडर्स कन्स० द्वारा बिल संख्या-119 दिनांक 07.04.2017 अंकन रु० 231394.00 तथा बिल संख्या-112 दिनांक 30.03.2017 अंकन रु० 160100.00 अर्थात् कुल रु० 391494.00 की आपूर्ति की गयी। आपूर्तिकर्ता के भुगतान से निम्न गुणवत्ता के सामान अपूर्ति करने के एवज में रु० 4716.00 की कटौती कर ली गयी तथा निम्न स्तर के सामग्री को वापस न कर स्वीकार कर लिया गया तथा राजकीय

धन का दुरुपयोग हुआ। राज्य सरकार को रु० 386778.00 की क्षति हुयी। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व श्री रामअवध, ए.डी.ओ.(कृषि)/कार्यप्रभारी का है। अतः रु० 386778.00 की क्षतिपूर्ति/अधिभार की कार्यवाही करते हुए श्री रामअवध, ए.डी.ओ.(कृषि)/कार्यप्रभारी से की जानी अपेक्षित है। (मूल आ०सं०-19)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	386778.00	—	386778.00

प्रारूप : 03

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से 2016-17

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत : तमकुही की वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड : तमकुही।

प्रस्तर सं० :79 वर्ष 2014-15 राज्य वित्त की फाईल की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम सभा भटवलिया में फतेह मेमोरियल इण्टर कालेज के प्रांगण में इण्टरलाकिंग कार्य के प्रभारी श्री अनिरुद्ध कुमार पाल (ग्राम विकास अधिकारी) द्वारा परियोजना की स्वीकृति धनराशि रु० 500000.00 के सापेक्ष रु० 504459.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार अन्तर की धनराशि रु० (504459 - 500000) = 4459.00 अनियमित व्यय करके धन का दुरुपयोग किया गया है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय रु० 4459.00 निमित्त खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार श्रीवास्तव तथा लेखाकार श्री ब्यास प्रसाद से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आ०सं०-08)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	4459.00	—	4459.00

प्रस्तर सं० :80 वर्ष 2014-15 के राज्य वित्त परियोजना के अन्तर्गत ग्राम सभा लटवा मुरलीधर में एन.एच. -28 से मिसकारी टोला तक इण्टरलाकिंग कार्य लम्बाई 180 मीटर के कार्यप्रभारी श्री अनिरुद्ध कुमार पाल (ग्राम विकास अधिकारी) द्वारा दिनांक 10.06.2015 के चेक संख्या-26808 से रु० 61180.00 का निकासी कर फर्जी मस्टररोल बिना क्रमांक, दिनांक एवं मजदूरों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा/एवं मस्टररोल पर नाम न अंकित कर उपरोक्त धनराशि रु० 61180.00 का अपहरण कर लिया गया है। अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार श्री ब्यास प्रसाद तथा कार्यप्रभारी श्री अनिरुद्ध कुमार पाल (ग्राम विकास अधिकारी) से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आ०सं०-09)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
61180.00	—	—	61180.00

प्रस्तर सं० :81 वर्ष 2014-15 की राज्य वित्त की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि राज्य वित्त/शासन के मानकों/निर्देशों के विपरीत स्मारक निर्माण (पलवा पट्टी के तार विशुनपुर) में नहर के पास स्व० मोहर प्रसाद (स्मृति द्वार का निर्माण) कार्यप्रभारी श्री अक्षयवर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा कुल रु० 217903.00 का व्यय कर धन का दुरुपयोग किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ०सं०-10)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	217903.00	—	217903.00

प्रस्तर सं० :82 टी.डी.एस. एवं वैट कटौती व जमा की वर्षवार स्थिति :- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 में वर्षवार आयकर की देय धनराशि, कटौती की धनराशि तथा वैट की देय व अवशेष की स्थिति निम्नवत् रही :-

वर्ष	सामग्री पर भुगतान की धनराशि प्रारूप-3	देय आयकर 2.24 प्रतिशत	आयकर की की गयी कटौती	देय वैट कर 4 प्रतिशत	वैट कर की गयी कटौती
2014-15	14476139.00	324265.51	317188.00	579045.56	—
2015-16	6531795.00	146312.20	144032.00	261271.80	—
2016-17	7446646.00	166804.87	172136.00	297865.80	302108.00
योग		637382.58	633356.00	1138183.20	302108.00

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 में कुल देय आयकर की धनराशि रु० 637382.58 तथा देय वैट कर की धनराशि रु० 1138183.20 रही, इसके सापेक्ष रु० 307107.00 वाणिज्यकर (वैटकर) तथा रु० 171986.00 आयकर का जमा चालान का वाउचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कियरा गया, शेष धनराशि रु० 465396.58 आयकर एवं रु० 831076.20 वैटकर को जमा न कर कुल रु० 1296472.78 की हानि की गयी है। वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

(मूल आ०सं०-11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	1296472.78	—	1296472.78

प्रस्तर सं० :83 वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में कुल रु० 6985188.00 की धनराशि व्यय प्रमाणकों के अभाव में अपुष्ट रही, जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	ग्रांट रजिस्टर के अनुसार कुल व्यय की गयी धनराशि रुपये में	प्रारूप-1 के अनुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व्यय प्रमाणकों की धनराशि रुपये में	बिना व्य प्रमाणक के अपुष्ट धनराशि रुपये में
2014-15	18599950.00	17735649.00	864301.00
2015-16	12642127.00	7658226.00	4983901.00
2016-17	9620092.00	8483106.00	1136986.00
योग			9685188.00

इस प्रकार कुल रु० 6985188.00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने से धनराशि के अपहरण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, जिससे लिये खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (मूल आ०सं०-12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
6985188.00	—	—	6985188.00

प्रस्तर सं० :84 दिनांक 31.03.2017 को अवशेष धनराशि रु० 3246430.63 में (रु० 591991.15 ब्याज मद एवं शेष रु० 2654439.48 अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि रही) से ब्याज मद कर धनराशि रु० 591991.15 को उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 10/2015 /ए-1-502/दस/ 2015-10 -(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए, इस प्रकार ब्याज की धनराशि रु० 591991.15 राजकीय कोषागार में जमा न कर अनियमितता की गयी है तथा वर्षान्त में अवशेष अनुदान रु० 2654439.48 को अनुदानदाता को वापस न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इस ओर विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आ०सं०-13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	3246430.63	3246430.63

प्रस्तर सं० :85 शासनादेश संख्या-6512/38-7-701-10 एन.आर.जी.एफ./05 पी.सी. दिनांक 25.08.2010 के प्रस्तर-2 के अनुसार क्षेत्र पंचायत के कार्यों के कार्यप्रभारी यदि क्षेत्र पंचायत कार्यदायी संस्था हो तो ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/कार्यप्रभारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं तथा इस स्थिति में ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी तथा इन्हें कार्यप्रभारी के रूप में नियुक्त करने वाले खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष : 2014-15

क्र.सं.	प्रारूप-1 के क्रमांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1.	1	58929.00	श्री जितेन्द्रनाथ सिंह (ग्रा.वि.अ.)
2.	2	107986.00	श्री जितेन्द्रनाथ सिंह (ग्रा.वि.अ.)
3.	3	99625.00	श्री जितेन्द्रनाथ सिंह (ग्रा.वि.अ.)
4.	4	544576.00	श्री शेष सलाउद्दीन (ग्रा.पं.अ.)
5.	5	483114.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
6.	6	496560.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
7.	7	382720.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)

8.	8	492060.00	श्री जितेन्द्रनाथ सिंह (ग्रा.वि.अ.)
9.	9	70685.00	श्री हरेन्द्र मोर्य (ग्रा.वि.अ.)
10.	10	158993.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
11.	11	186101.00	श्री जितेन्द्रनाथ सिंह (ग्रा.वि.अ.)
12.	12	259089.00	श्री जितेन्द्रनाथ सिंह (ग्रा.वि.अ.)
13.	13	140477.00	श्री जितेन्द्रनाथ सिंह (ग्रा.वि.अ.)
14.	14	344760.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
15.	15	476535.00	श्री अनिरुद्ध कुमार पाल(ग्रा.वि.अ.)
16.	16	504459.00	श्री अनिरुद्ध कुमार पाल(ग्रा.वि.अ.)
17.	17	323838.00	श्री हरेन्द्र मोर्य (ग्रा.वि.अ.)
18.	18	331281.00	श्री हरेन्द्र मोर्य (ग्रा.वि.अ.)
19.	19	259805.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
20.	20	238164.00	श्री अनिरुद्ध कुमार पाल(ग्रा.वि.अ.)
21.	21	312066.00	श्री जितेन्द्रनाथ सिंह (ग्रा.वि.अ.)
22.	22	164019.00	श्री रामबड़ाई प्रसाद (ग्रा.वि.अ.)
23.	23	80962.00	श्री रामबड़ाई प्रसाद (ग्रा.वि.अ.)
24.	24	390392.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
25.	25	272668.00	श्री अनिरुद्ध कुमार पाल(ग्रा.वि.अ.)
26.	26	423434.00	श्री जितेन्द्रनाथ सिंह (ग्रा.वि.अ.)
27.	27	375102.00	श्री रामबड़ाई प्रसाद (ग्रा.वि.अ.)
28.	28	404596.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
29.	29	62671.00	श्री हरेन्द्र मोर्य (ग्रा.वि.अ.)
30.	30	162508.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
31.	31	134022.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
32.	32	338981.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
33.	33	111999.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
34.	34	376175.00	श्री हरेन्द्र मोर्य (ग्रा.वि.अ.)
35.	35	357006.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
36.	36	699939.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
37.	37	550006.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
38.	38	491621.00	श्री अनिरुद्ध कुमार पाल(ग्रा.वि.अ.)
39.	40	33600.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
40.	42	149182.00	श्री अनिरुद्ध कुमार पाल(ग्रा.वि.अ.)
41.	43	460229.00	श्री अनिरुद्ध कुमार पाल(ग्रा.वि.अ.)
42.	44	232176.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
43.	45	413340.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
44.	46	430434.00	श्री जितेन्द्रनाथ सिंह (ग्रा.वि.अ.)
45.	47	392119.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
46.	48	459653.00	श्री रामबड़ाई प्रसाद (ग्रा.वि.अ.)
47.	49	258467.00	श्री रामबड़ाई प्रसाद (ग्रा.वि.अ.)
48.	50	468262.00	श्री रामबड़ाई प्रसाद (ग्रा.वि.अ.)
49.	51	451411.00	श्री अनिरुद्ध कुमार पाल(ग्रा.वि.अ.)
50.	52	271490.00	श्री रामबड़ाई प्रसाद (ग्रा.वि.अ.)
51.	53	457714.00	श्री रामबड़ाई प्रसाद (ग्रा.वि.अ.)
52.	54	249954.00	श्री जितेन्द्रनाथ सिंह (ग्रा.वि.अ.)
53.	55	235755.00	श्री रामबड़ाई प्रसाद (ग्रा.वि.अ.)
54.	56	479241.00	श्री जितेन्द्रनाथ सिंह (ग्रा.वि.अ.)
	योग	17380718.00	

वर्ष : 2015-16

क्र.सं.	प्रारूप-1 के अनुसार क्रमांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1.	1	375798.00	श्री सुनील सिंह (ग्रा.पं.अ.)
2.	2	254532.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
3.	3	169796.00	श्री अनिरुद्ध कुमार पाल(ग्रा.वि.अ.)
4.	4	310161.00	श्री अनिरुद्ध कुमार पाल(ग्रा.वि.अ.)

5.	5	176401.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
6.	6	527776.00	श्री ओमप्रकाश सिंह (ग्रा.पं.अ.)
7.	7	428366.00	श्री हरेन्द्र मौर्य (ग्रा.वि.अ.)
8.	8	117859.00	श्री ओमप्रकाश सिंह (ग्रा.पं.अ.)
9.	9	137032.00	श्री हरेन्द्र मौर्य (ग्रा.वि.अ.)
10.	10	405333.00	श्री रामबड़ाई प्रसाद (ग्रा.वि.अ.)
11.	11	409958.00	श्री रामबड़ाई प्रसाद (ग्रा.वि.अ.)
12.	12	165375.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
13.	13	541387.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
14.	14	783417.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
15.	15	319050.00	श्री अक्षयवर सिंह (ग्रा.पं.अ.)
16.	16	119515.00	श्री रामबड़ाई प्रसाद (ग्रा.वि.अ.)
17.	17	179786.00	श्री जितेन्द्रनाथ सिंह (ग्रा.वि.अ.)
18.	18	538328.00	श्री रामबड़ाई प्रसाद (ग्रा.वि.अ.)
19.	19	226989.00	श्री सतीश सिंह (ग्रा.वि.अ.)
20.	20	498606.00	श्री अनिरुद्ध कुमार पाल(ग्रा.वि.अ.)
21.	21	972761.00	श्री सतीश सिंह (ग्रा.वि.अ.)
	योग	7658226.00	

(मूल आ०सं०-14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	25038944.00	25038944.00

प्रारूप - 3 (क्षेत्र पंचायत से सम्बंधित आपत्तियाँ)

जनपद-महाराजगंज

क्षेत्र पंचायत :- परतावल

लेखा परीक्षा वर्ष :-2011-12 से 13-14

प्रस्तर सं० 1- आलोच्य वर्षों 2011-12 से 13-14 की लेखा परीक्षा के समय बार-बार मांगे जाने के पश्चात् भी वर्तमान लेखाकार द्वारा बीआरजीएफ अनुदान से कृत निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया । अस्तु अनुदान पंजी द्वितीय पर वर्षवार अंकित विवरणानुसार निर्माण कार्य पर व्यय की गई समस्त धनराशियों की जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी । विवरण निम्नवत है :-

वित्तीय वर्ष

व्यय की गई धनराशि

2011-12

शून्य

2012-13

4105913.00

2013-14

1649655.00

योग

5755568.00

इस प्रकार लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत न कर अनियमित कार्य किया गया है, पत्रावली अनुपलब्ध होने से कार्य संदिग्ध प्रतीत हुआ । जिसके लिए वर्तमान लेखाकार श्री प्रसिद्ध नारायण यादव व खंड विकास अधिकारी श्री आनंद कुमार गुप्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं । अतः सम्बंधित से स्पष्टीकरण प्राप्त कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 1)

प्रस्तर सं० 2- निम्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 से 13-14 में ब्याज की आय हुई है जिसे ब्याज शीर्ष में अंकित न कर विभिन्न अनुदानों के मद में ही आय दर्शा कर एवं व्यय कर शासन के निर्देशों के प्रतिकूल कार्य किया गया है । जो अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा । विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	मद का नाम	वित्तीय वर्ष	ब्याज की धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
1.	राज्य वित्त	2011-12	123693.00	श्री जनार्दन, ख०वि०अधि० व श्री चतुरानन पति त्रिपाठी, लेखाकार
2.	तेरहवां वित्त	2011-12	31961.00	श्री जनार्दन, ख०वि०अधि० व श्री चतुरानन पति त्रिपाठी, लेखाकार
3.	बीआरजीएफ	2011-12	185.00	श्री जनार्दन, ख०वि०अधि० व श्री चतुरानन पति त्रिपाठी, लेखाकार

4. बीआरजीएफ	2011-12	77783.00	श्री जनार्दन, ख० वि० अधि० व श्री चतुरानन पति त्रिपाठी, लेखाकार
5. बीआरजीएफ	2012-13	131436.00	श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण, ख० वि० अधि०, श्री वी० के० मोहन, ख० वि० अधि० व श्री चतुरानन पति त्रिपाठी, लेखाकार
6. बीआरजीएफ	2012-13	90351.00	श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण, ख० वि० अधि०, श्री वी० के० मोहन, ख० वि० अधि० व श्री चतुरानन पति त्रिपाठी, लेखाकार

योग 455409.00

उत्तरदायी व्यक्तियों से अनियमित ढंग से किये गए व्यय की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 2)

प्रस्तर सं० 3— अनुदान पंजी द्वितीय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 के माह सितम्बर 11 में रु० 76153.00 अन्य ग्रामीण विकास मद में व्यय किया गया है जो ब्याज शीर्ष की धनराशि है । अनुदान पंजी तृतीय में सितम्बर 11 में कोई धनराशि व्यय मद में अंकित नहीं है तथा अवशेष रु० 76153.00 दर्शित है जबकि माह अक्टूबर 11 का प्रारंभिक शेष शून्य अंकित है । स्पष्ट है कि मद परिवर्तन की प्रक्रिया को छुपाने के उद्देश्य से यह कार्यवाही लेखाकार द्वारा की गई है । लेखा परीक्षा के समय उक्त अवधि के लेखाकार का नाम अवगत नहीं कराया गया, जिस कारण उत्तरदायित्व निर्धारण में लेखाकार का नाम अंकित नहीं किया गया । तत्कालीन ख० वि० अधि० श्रीमती सविता सिंह रही हैं । अभिलेखों में भ्रामक तथ्य अंकित कर एवं ब्याज शीर्ष की धनराशि को अन्य मद में व्यय कर अनियमित कार्य किया गया है जो आपत्तिजनक रहा । उक्त धनराशि रु० 76153.00 की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित खंड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 4)

प्रस्तर सं० 4— निम्न विवरणानुसार राज्य वित्त की धनराशि से प्रशासनिक/कार्यालय व्यय को अनुदान पंजी द्वितीय पर अंकित किया गया है स जिसकी पुष्टि में समायोजन प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा । वर्षवार विवरण निम्नवत है:—

वित्तीय वर्ष 2011-12

क्र०सं०	व्यय का विवरण	चेक सं०/तिथि	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1.	मानदेय विवरणहीन	067394 / 18.04.11	7200.00	लेखाकार स्वयं
2.	आयकर जमा	062143 / 05.03.11	21908.00	लेखाकार स्वयं
3.	शपथ ग्रहण समारोह	062144 / 05.03.11	20753.00	श्री प्रसिद्ध नारायण यादव
4.	आयकर, वैट	042138 / 31.10.11	74157.00	लेखाकार स्वयं
5.	प्रमुख मानदेय	042140 / 12.03.12	34354.00	श्री राम प्रसाद, प्रमुख
6.	विवरणहीन	042139 / 03.11.11	103136.00	एम० एक्वा फिल्टेक लखनऊ

वित्तीय वर्ष 2012-13

7.	मोटर मरम्मत अग्रिम	087306 / 26.06.12	12695.00	श्री प्रसिद्ध नारायण यादव
8.	मानदेय बीडीसी	062895 / 18.05.11	15200.00	लेखाकार स्वयं
9.	आयकर, वैट	062898 / 05.09.12	154458.00	लेखाकार स्वयं
10.	प्रचार	062900 / 26.10.12	3155.00	स्वतंत्र चेतना
11.	प्रचार	484562 / 23.03.13	9464.00	स्वतंत्र चेतना
12.	प्रचार	484563 / 23.03.13	16710.00	सहारा इंडिया
13.	आयकर, वैट	484564 / 23.03.13	35699.00	लेखाकार स्वयं
14.	मानदेय	484579 / 31.03.13	39000.00	श्री राम प्रसाद, प्रमुख
15.	प्रचार	484560 / 26.02.13	4589.00	स्वतंत्र चेतना
16.	प्रचार	484561 / 26.02.13	2485.00	सहारा इंडिया
17.	प्रचार	087872 / 05.09.12	12619.00	स्वतंत्र चेतना
18.	मानदेय विवरणहीन	087878 / 09.10.13	9000.00	लेखाकार स्वयं

वित्तीय वर्ष 2013-14

19.	डीजल क्रय	484580 / 15.04.13	33903.00	मे० आइडियल फ्यूल
20.	कार्यालय कार्य	484581 / 24.04.13	15000.00	श्री प्रसिद्ध नारायण यादव
21.	आयकर, वैट	484592 / 01.05.13	118376.00	लेखाकार स्वयं

22.	प्रचार	402718 / 24.06.13	3442.00	स्वतंत्र चेतना
23.	प्रचार	402719 / 24.06.13	3250.00	सहारा इंडिया
24.	डीजल जेनरेटर	402730 / 03.08.13	29062.00	मे० आइडियल फ्यूल
25.	कार्यालय कार्य	402736 / 30.09.13	3271.00	श्री रामकिशोर, एडीओ(पी)
26.	कार्यालय कार्य	402737 / 30.09.13	24922.00	मे० अशोक स्टील इंड०
27.	डीजल	402742 / 22.10.13	14784.00	मे० आइडियल फ्यूल
28.	डीजल	402744 / 03.01.14	31117.00	मे० आइडियल फ्यूल
29.	इन्टरनेट व्यय	402745 / 03.01.14	4995.00	श्री रामकिशोर, एडीओ(पी)
30.	विद्युत सामग्री	402746 / 03.01.14	27225.00	मे० शाईन इलेक्ट्रिक
31.	कार्यालय कार्य	402747 / 03.01.14	17432.00	श्री प्रसिद्ध नारायण यादव
32.	मानदेय अंगद सिंह	402759 / 21.01.14	50170.00	श्री रामकिशोर, एडीओ(पी)
33.	क्षे० पंचा० बैठक	402760 / 21.01.14	16000.00	लेखाकार स्वयं
34.	प्रचार	402761 / 21.01.14	12237.00	सहारा इंडिया
35.	प्रचार	402762 / 21.01.14	19112.00	स्वतंत्र चेतना
36.	मानदेय अंगद सिंह	402779 / 19.03.14	13920.00	श्री रामकिशोर, एडीओ(पी)
37.	मानदेय अंगद सिंह	402772 / 28.03.14	13920.00	श्री रामकिशोर, एडीओ(पी)
38.	आयकर, वैट अंकित नहीं	/ 01.08.13	25542.00	लेखाकार स्वयं
39.	सोलर लाइट क्रय	402713 / 21.06.13	386291.00	मे० आकाश सोलर इं०
40.	सोलर लाइट क्रय	402724 / 10.07.13	289718.00	मे० आकाश सोलर इं०
41.	सोलर लाइट क्रय	402725 / 25.07.13	482864.00	मे० आकाश सोलर इं०
42.	आयकर, वैट	402729 / 03.08.13	117310.00	लेखाकार स्वयं
43.	सोलर लाइट क्रय	402731 / 03.08.13	289718.00	मे० आकाश सोलर इं०
44.	सोलर लाइट क्रय	402732 / 16.08.13	482864.00	मे० आकाश सोलर इं०
45.	सोलर लाइट क्रय	402735 / 20.09.13	309033.00	मे० आकाश सोलर इं०
46.	आयकर, वैट	402780 / 28.03.14	142652.00	लेखाकार स्वयं

योग 3554802.00

लेखा परीक्षा के समय बार-बार मांगे जाने के पश्चात भी उक्त व्ययों से संबंधित व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने का उत्तरदायित्व प्रमुख रूप से वर्तमान लेखाकार श्री प्रसिद्ध नारायण यादव के साथ वर्तमान खंड विकास अधिकारी श्री आनंद कुमार गुप्ता का रहा । प्रमाणक उपलब्ध न होने की दशा में व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है । अस्तु उक्त व्ययों की पुष्टि नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 5)

प्रस्तर सं० 5- वित्तीय वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्य पत्रावली पिपरिया मंदरसे के अन्दर बाउंड्री वाल में सोलिंग कार्य में दिनांक 20.09.12 से 10.10.12 तक अवधि के मस्टर रोल का भुगतान रु० 72492.00 चेक सं० 87876 दिनांक 28.10.12 द्वारा श्री हेमंत कुमार ग्रा० वि० अधि०, कार्यप्रभारी को किया गया है । पत्रावली में मात्र रु० 45160.00 का ही मस्टर रोल समायोजन हेतु संलग्न है । इस प्रकार रु० 27332.00 का अधिक भुगतान कर अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है । तत्कालीन लेखाकार श्री चतुरानन पति त्रिपाठी, खंड विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण, कार्यप्रभारी श्री हेमंत कुमार ग्रा० वि० अधि० व अवर अभियन्ता से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 6 क)

प्रस्तर सं० 6- सिरसिया मलमलिया से सोनिया तक खडंजा मरम्मत कार्य पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर 17 मजदूर कार्यरत हैं । क्रमांक 17 पर श्रमिक का नाम दर्ज नहीं है और न ही हस्ताक्षर है । इस प्रकार रु० 875.00 का फर्जी भुगतान किया गया है । तत्कालीन लेखाकार श्री चतुरानन पति त्रिपाठी, खंड विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण, कार्यप्रभारी श्री हेमंत कुमार ग्रा० वि० अधि० व अवर अभियन्ता से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 6 ख)

प्रस्तर सं० 7- वित्तीय वर्ष 2011-12 से 13-4 की लेखा परीक्षा के दौरान राज्य वित्त अनुदान के अतिरिक्त अन्य मदों में किए गए व्ययों एवं प्रशासनिक व्ययों से संबंधित अभिलेख/व्यय प्रमाणकों को प्रस्तुत न कर लेखाकार ने अनियमित कार्य किया है । अभिलेख अप्राप्त रहने से संबंधित व्ययों की जांच व समीक्षा न की

जा सकी । प्रमाणक उपलब्ध न होने की दशा में व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है । अस्तु उक्त व्ययों की पुष्टि/नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	/मद का नाम	व्यय की धनराशि
1.	2011-12	एनआरपी वेतन	26155.00
2.	2011-12	आदर्श जलाशय	43240.00
3.	2011-12	पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण	1111.00
4.	2011-12	बायोगैस अनुदान	10500.00
5.	2012-13	बायोगैस अनुदान	48000.00
6.	2012-13	पेयजल स्वच्छता	75210.00
7.	2012-13	सा० आ० जनगणना	18588.00
8.	2013-14	बायोगैस अनुदान	16000.00
9.	2013-14	सा० आ० जनगणना	2438730.00
10.	2013-14	पेयजल स्वच्छता	45000.00
11.	2013-14	बायोगैस अनुदान	234107.0
योग			2956641.00

(मूल आ० सं० 2ब 8)

प्रस्तर सं० 8- वित्तीय वर्ष 12-13 में राज्य वित्त अनुदान से कृत निर्माण कार्य पत्रावली ग्राम नटवा में मिठाई के घर से भरत हरिजन के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य (550 मी०) हेतु श्री गिरिजेश प्रसाद, ग्राम विकास अधिकारी को पत्रांक 278/19.06.12 द्वारा कार्यप्रभारी नियुक्त कर मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया गया है । जिस पर रु० 307993.00 सामग्री एवं रु० 98995.00 मजदूरी पर कुल रु० 406988.00 का व्यय किया गया है । पुनः मिठाई के घर से भरत हरिजन के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य (350 मी०) हेतु श्री बिकाऊ प्रसाद को पत्रांक 1136/20.03.13 द्वारा कार्यप्रभारी नियुक्त कर रु० 207718.00 सामग्री एवं रु० 100050.00 मजदूरी पर कुल रु० 307768.00 का व्यय दर्शाया गया है । इस प्रकार एक ही वित्तीय वर्ष में एक ही कार्य को दो बार किया जाना दर्शाया गया है । उक्त प्रकरण में निम्न तथ्य विचारणीय हैं:-

(1) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के अनुसार प्रथम बार 20.06.12 को कार्य प्रारंभ करा कर 05.08.12 में कार्य पूर्ण कराया गया है एवं द्वितीय बार में 19.04.13 को कार्य प्रारंभ करा कर 03.06.13 में कार्य पूर्ण कराया गया है । यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ऐसे कौन से कारण रहे जिसके फलस्वरूप मात्र 8 माह बाद खडंजा मरम्मत कार्य दोबारा कराया गया है ।

(2) यदि प्रथम बार खडंजा मरम्मत कार्य कराए जाने पर उसकी गुणवत्ता दोषपूर्ण रही तो एम०बी० के दौरान अवर अभियन्ता द्वारा कोई टिप्पणी क्यों नहीं की गई एवं तत्समय स्थलीय निरीक्षण करा कर विधिक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ।

(3) यदि प्रथम बार का खडंजा मरम्मत कार्य गुणवत्तापरक नहीं था तथा मानकों के अनुकूल कार्य नहीं कराया गया था तो द्वितीय बार मरम्मत कार्य कराए जाने के पूर्व प्रभारी श्री गिरिजेश प्रसाद को नोटिस दे कर कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं प्राप्त किया गया । दोनों निर्माण कार्य पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र एवं एम०बी० की छायाप्रति संलग्न नहीं है । खडंजा मरम्मत कार्य को पूर्ण हुए लगभग 5 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में स्थलीय निरीक्षण का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । उपरोक्त तथ्यों के आधार पर लेखा परीक्षा के अनुसार खडंजा मरम्मत की द्वितीय पत्रावली के समस्त व्यय रु० 307768.00 स्पष्ट रूप से काल्पनिक एवं अव्यावहारिक हैं तथा अपहरण की श्रेणी के अंतर्गत हैं । अस्तु उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी श्री बिकाऊ प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री वी० के० मोहन, लेखाकार श्री चतुरानन पति त्रिपाठी एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है । (मूल आ० सं० 2ब 9)

प्रस्तर सं० 9- वित्तीय वर्ष 11-12 से 13-14 के निर्माण कार्य पत्रावली राज्य वित्त से संबंधित की जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य सामग्री के बिलों का भुगतान करते समय लेखाकार द्वारा नियमानुसार आयकर व वैट की कटौती न कर कम कटौती करते हुए अनियमित ढंग से फर्मों को लाभान्वित किया गया है । अस्तु अंकन रु० 29458.00 की ब्याज सहित वसूली संबंधित लेखाकार/खंड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है । विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०/निर्माण कार्य का नाम बिल सं०/तिथि/फर्म का नाम धनराशि कटौती लेखाकार द्वारा वास्तविक कटौती/उत्तरदायी व्यक्ति ले०प० अनुसार कम श्री वी० के० मोहन

1. मंगलपुर में नरसिंह के खेत के 413/07.01.14 शर्मा बिल्डिंग 282986.00 13902 18526/4624 ख० वि० अधि० पास 2 मी० स्पान की 902/03.06.14 मटेरियल 13902.00 व श्री मुरलीधर मिश्रा, आरसीसी पुलिया पिपरा लाला लेखाकार
2. अहिरौली में नहर से पश्चिम 1/08.03.14 शर्मा बिल्डिंग 115580.00 721 7212/6491 श्री दिग्विजय नाथ तिवारी, लाखन के खेत के पास 3 मी०मटेरियल ख० वि० अधि०स्पान आरसीसी पुलिया पिपरा लाल व श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार
3. ळड मार्ग से रुद्रापुर पक्की 55/05.01.13 जनता लौह उद्योग 2600.00-172/172 श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण, सड़क पर बड़ी पोखरी के ख० वि० अधि०पास ध्वस्त पुलिया निर्माण व श्री चतुरानन पति त्रिपाठी, लेखाकार
4. सिरसिया में काली स्थान -/04.01.14 न्यू जनता सीमेंट 289886.00-18089/18089 श्री वी० के० मोहन ख० के सामने नाले पर 2 मी०स्पान पुलिया स्टोर्स वि० अधि० व श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार
5. क्षेत्र पंचायत परिसर में पक्की -रघुनाथ सैनितरी -1228.00.82/82 श्री जनार्दन, ख० वि० अधि० नाली, सोकपिट निर्माण व गेट मरम्मत हार्डवेयर व श्री चतुरानन पति त्रिपाठी, लेखाकार

(मूल आ० सं० 2ब 10)

प्रस्तर सं० 10. आलोच्य वर्ष 11.12 से 13.14 की निर्माण कार्य पत्रावलियों में संलग्न मस्टर रोल की जांच में निम्नवत गंभीर तथ्य पाए गए:

क्र०सं०कार्य का नाम आपत्ति का विवरण धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति

1. (क) पिपरा खादर में रामचंद्र शुक्ला के पत्रावली में संलग्न 4 मस्टर रोल 9828.00 श्री वी० के० मोहन/श्री दिग्विजय खेत के पास 2 मी० स्पान आरसीसी में से 2 मस्टर रोल रु० 19768.00 नाथ त्रिपाठी, ख० वि० अधि० पुलिया (वर्ष 13-14) के हैं जिन पर 16 श्रमिक कार्यरत हैं व श्री मुरलीधर मिश्रा/श्री राणा प्रताप जबकि मात्र 13 के हस्ताक्षर भुगतान सिंह, लेखाकार, श्री पारस नाथ हेतु हैं ।
(अ) किशुन/दुर्गा कुशवाहा, कार्यप्रभारी व अवर अभियन्ता
(ब) पिंटू/किशुन (स) सुरेश/झकरी के हस्ताक्षर/नि० अ० नहीं हैं ।
1. (ख) पिपरा खादर में रामचंद्र शुक्ला संलग्न मस्टर रोल रु० 2682.00 802.00 श्री वी० के० मोहन/श्री दिग्विजय खेत के पास 2 मी० स्पान आरसीसी पर 15 मजदूर कार्यरत हैं जबकि नाथ त्रिपाठी, ख० वि० अधि० पुलिया (वर्ष 13-14) मात्र 12 के हस्ताक्षर हैं । व श्री मुरलीधर मिश्रा/श्री राणा प्रताप
(अ) किशुन/दुर्गा (ब) पिंटू/किशुन सिंह, लेखाकार, श्री पारस नाथ
(स) सुरेश/झकरी के हस्ताक्षर/नि० अ० नहीं हैं । कुशवाहा, कार्यप्रभारी व अवर अभियन्ता
2. नटवा ग्राम पंचायत में रामाशीष के संलग्न मस्टर रोल रु० 19768.00 994.00 श्री वी० के० मोहन, ख० वि०अधि० व खेत के पास 2 मी० स्पान आरसीसी पर 16 मजदूर कार्यरत हैं जबकि श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार, पुलिया (वर्ष 13-14) मात्र 15 के हस्ताक्षर हैं श्री पारस नाथ कुशवाहा, कार्यप्रभारी मिठाई/रामबदन के ह०/नि० अ० नहीं हैं । व अवर अभियन्ता
3. उटीखास में पंचायत भवन से बडहरा पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर सीवान तक खडंजा कार्य किसी भी श्रमिक के ह०/नि० अ० नहीं हैं 16330.00 श्री दिग्विजय नाथ त्रिपाठी, ख०वि०(वर्ष13-14)अधि० व श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार, श्री अशोक कुमार पटेल, कार्यप्रभारी व अवर अभियन्ता
4. ळड मार्ग से बनकटिया पुल खडंजा पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर 26880.00 श्री जनार्दन, ख० वि० अधि० मरम्मत कार्य (वर्ष 12-13) किसी भी श्रमिक के ह०/नि० अ० नहीं हैं । श्री चतुरानन पति त्रिपाठी, लेखाकार, श्री हेमंत कुमार, कार्यप्रभारी व अवर अभियन्ता
5. ळड मार्ग से रुद्रापुर आने वाली पक्की पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के सड़क पर बड़ी पोखरी के पास ध्वस्त क्रमांक 13 पर श्रमिक राहुल/रमाकांत 1200.00 श्री जनार्दन, ख० वि० अधिकारी, श्री पुलिया निर्माण (वर्ष 12-13) के ह०/नि० अ० नहीं हैं। चतुरानन पति त्रिपाठी, लेखाकार, श्री हरिश्चन्द्र सिंह, कार्यप्रभारी व अवर अभियन्ता

योग 56034.00

इस प्रकार रु० 56034.00 का फर्जी भुगतान दिखा कर अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उपरोक्तानुसार की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 11)

प्रस्तर सं० 11- लेखा परीक्षा वर्ष 11-12 से 13-14 की प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि शासनादेश के अनुसार कार्टेज/मिट्टी ढुलाई पर रॉयल्टी की कटौती न कर अनियमित कार्य किया

गया है । जिस हेतु लेखाकार, ख० वि० अधिकारी, कार्यप्रभारी व अवर अभियन्ता (आरईएस) उत्तरदायी हैं ।
विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं० कार्य का नाम कार्टेज/मिट्टी ढुलाई का विवरण ले०प० अनुसार रॉयल्टी कटौती उत्तरदायी व्यक्ति

1. पिपरिया मदरसे के अन्दर 411 घ०मी० 4932.00 श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण, ख० वि० बाउंड्री में सोलिंग कार्य (वर्ष 12-13) अधिकारी, श्री चतुरानन पति त्रिपाठी, लेखाकार, श्री हेमंत कुमार, कार्यप्रभारी अवर अभियन्ता

2. बसहिया बुजुर्ग डेड मार्ग से 639.75 घ०मी० 7677.00 श्री वी० के० मोहन, ख० मुरारी चौराहा तक खडंजा 889.71 घ०मी० 10677.00 वि० अधिकारी, श्री चतुरानन पति मरम्मत कार्य (वर्ष 12-13) त्रिपाठी, लेखाकार, श्री हरिश्चंद्र सिंह, कार्यप्रभारी व अवर अभियन्ता

3. मिठाई के घर से भरत हरिजन 577.28 घ०मी० 6927.00 श्री वी० के० मोहन, ख० के घर तक खडंजा मरम्मत 117.60 घ०मी० 1411.00 वि० अधिकारी, श्री चतुरानन पति कार्य (वर्ष 12-13) त्रिपाठी, लेखाकार, श्री बिकाऊ प्रसाद, कार्यप्रभारी व अवर अभियन्ता

योग 31624.00

इस प्रकार रु० 31624.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गई है। नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 12)

प्रस्तर सं० 12- निम्न विवरणानुसार इस्टीमेट से अधिक सामग्री क्रय कर अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। संबंधित पक्षों से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

क्र०सं० कार्य का नाम एस्टीमेट के अनुसार क्रय सामग्री अधिक क्रय धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति

1. महम्मदा में कुबेर के खेत के 28300 ईट 28765 ईट 4652464.00 श्री हरिश्चंद्र सिंह, पास चक रोड पर 2 मी० कार्यप्रभारी, लेखाकार स्पान पुलिया निर्माण (वर्ष 13-14) श्री वी० के० मोहन, ख० वि० अधि०, श्री मुरलीधर मिश्रा व अवर अभियन्ता

2. डेरवा रजवाहा से गायत्री देवी रु० 306820.00 की ईट रु० 319470.00 की ईट 12650.00 के खेत से गुलाब सिंह के खेत तक पक्की नाली निर्माण (वर्ष 12-13)

3. नटवा में मिठाई के घर से 34200 ईट 35150 ईट 9504209.00 श्री बिकाऊ प्रसाद भरत हरिजन के घर तक कार्यप्रभारी, खडंजा मरम्मत (350 मी०) (वर्ष 12-13) श्री वी० के० मोहन, ख० वि० अधि०, श्री चतुरानन पति त्रिपाठी लेखाकार व अवर अभियन्ता

योग 19323.00

(मूल आ० सं० 2ब 13)

प्रस्तर सं० 13- सिरसिया में काली स्थान के सामने नाले पर 2 मी० स्पान पुलिया निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि मे० न्यू जनता सीमेंट स्टोर्स द्वारा कार्यस्थल पर कार्टेज मिट्टी ढुलाई का रु० 22072.00 का बिल प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त किया गया है । उक्त प्रमाणक का भुगतान करते समय न ही आयकर, वैट और न ही रॉयल्टी की कटौती की गई है । चूँकि प्रमाणक पर मापन घ० मी० में अंकित नहीं है । अस्तु रॉयल्टी का आकलन संभव नहीं हो सका । आकलन कर संबंधित अवर अभियन्ता, कार्यप्रभारी श्री अशोक कुमार पटेल तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री वी० के० मोहन एवं लेखाकार श्री मुरलीधर त्रिपाठी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 15)

क्षेत्र पंचायत :- परतावल

लेखा परीक्षा वर्ष :-2014-15 से 16-17

प्रस्तर सं० 14- वित्तीय वर्ष 15-16 के राज्य वित्त अनुदान से संबंधित निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि पूरे वर्ष 15-16 में राज्य वित्त, बी० आर० जी० एफ०, मनरेगा इत्यादि मद में निर्माण कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति करने हेतु निविदा आमंत्रित करते हुए न्यूनतम दर वाली फर्म को सामग्री आपूर्ति करने का आदेश निर्गत किया गया है । परन्तु लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कतिपय पत्रावली में टेन्डर/निविदा की स्वीकृत दर से अधिक मूल्य पर सामग्री का बिल कार्य प्रभारियों द्वारा प्रस्तुत करते हुए विकास खंड स्तर से फर्मों को भुगतान कराया गया है । पत्रावली में पुनरीक्षित/बढ़े हुए दर से संबंधित फर्म का कोई आवेदन पत्र तथा अधिशासी अभियन्ता (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा) एवं खंड विकास अधिकारी/उच्च विभागीय अधिकारियों की स्वीकृति से संबंधित कोई प्रपत्र संलग्न नहीं है । इस प्रकार बिना नियम कोई कार्यवाही के बढ़े दर से प्रस्तुत बिल का भुगतान कर अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है । जिस हेतु अवर अभियन्ता, कार्य प्रभारी, लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं । विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं० कार्य का नाम सामग्री/टेन्डर की दर भुगतान दर अधिक भुगतान उत्तरदायी व्यक्ति का नाम

1. बसहिया बुजुर्ग में नारायणी ईट— 24600 5800.00/हजार 6400.00 14760.00 श्री बाबूलाल, कार्यप्रभारी, नहर से जी० एम० मार्ग तक मोरंग बालू—15.70 घ०मी०, 2586.00/घ०मी० 2796.25 3300.93 श्री अशोक कुमार मौर्या/जाने वाले मार्ग पर आशीष गुप्ता महीन बालू— 7.2 घ०मी०, 1248.00/घ०मी० 1404.00 1123.20 श्रीमती बसंती देवी, के पिट के पास 2 मी० स्पान ईट गिट्टी 20.50 घ०मी० 1129.50/घ०मी० 1679.50 11275.00 खंड विकास अधिकारी, पुलिया का निर्माण श्री मुरलीधर मिश्र, लेखाकार (कार्य प्रभारी— श्री बाबू लाल ग्रा० वि० अधि०) व अवर अभियन्ता (वर्ष 15—16) **योग 30459.13**

2. बसहिया बुजुर्ग टोला नेवाजी ईट— 11500 5800.00/हजार 6400.00 6900.0 श्री मिठाई लाल यादव, बारी में प्रजापति के घर से महीन बालू— 33घ०मी० 1248.00/घ०मी० 1404.00 5148.00 कार्यप्रभारी, श्री अशोक कुमार रामजी के घर होते ब्रह्मदेव के लोकल बालू— 15.78घ०मी० 780.00/घ०मी० 795.60 246.1 मौर्या, घर तक इंटरलॉकिंग कार्य ईट गिट्टी— 48.02घ०मी० 1129.50/घ०मी० 1679.50 26411.00 खंड विकास अधिकारी, (कार्य प्रभारी— श्री मिठाई लाल सीमेंट ईट— 18500 16.60/नग 16.64 740.00 श्री राणा प्रताप, लेखाकार व यादव एडीओ एजी) (वर्ष 15—16) अवर अभियन्ता

योग 39445.17

3. बेलवा में सुरेन्द्र सिंह के घर ईट— 24800 5800.00/हजार 6400.00 14880.00 श्री राम किशोर, कार्यप्रभारी, के पास 2 मी० स्पान पुलिया मोरंग बालू— 15.52 घ०मी० 2586.00/घ०मी० 2700.00 1769.28 श्री अशोक कुमार मौर्या, निर्माण कार्य (कार्यप्रभारी महीन बालू— 7.2 घ०मी० 1248.00/घ०मी० 1404.00 1123.20 खंड विकास अधिकारी, श्री राम किशोर एडीओ पी) ईट गिट्टी 20.50 घ०मी० 1129.50/घ०मी० 1679.50 11275.00 श्री राणा प्रताप, लेखाकार (वर्ष 15—16) पत्थर गिट्टी 4.85 घ०मी० 3009.00/घ० मी० 3441.64 2098.30 व अवर अभियन्ता **योग 31145.78**

4. खंड विकास अधिकारी आवास ईट 2000 5800.00/हजार 6400.00 1248.00 श्री प्रसिद्ध नारायण यादव, मरम्मत कार्य, महीन बालू 3.8 घ०मी० 1248.00/घ०मी० 1404.00 592.80 कार्यप्रभारी अशोक कुमार मौर्या, नारायण यादव, भंडार लिपिक) खंड विकास अधिकारी, श्री राणा प्रताप, लेखाकार व अवर अभियन्ता

योग 2271.30

(क) अतएव उपरोक्तानुसार रु० 30459.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री बाबूलाल, ग्रा० वि० अधि०, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार मौर्या/श्रीमती बसंती देवी, लेखाकार श्री मुरलीधर मिश्र एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है ।

(ख) अतएव उपरोक्तानुसार रु० 39445.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री मिठाई लाल यादव, एडीओ एजी, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार मौर्या, लेखाकार श्री राणा प्रताप एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है ।

(ग) अतएव उपरोक्तानुसार रु० 31146.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री राम किशोर एडीओ पी, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार मौर्या, लेखाकार श्री राणा प्रताप एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है ।

(घ) अतएव उपरोक्तानुसार रु० 2271.30 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री प्रसिद्ध नारायण यादव, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार मौर्या, लेखाकार श्री राणा प्रताप एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है । ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । (कुल सन्नि० धनराशि 30459.00+39445.00+31146.00+2271.30=103321.30) **(मूल आ० सं० 2ब 1)**

प्रस्तर सं० 15— (क) वित्तीय वर्ष 2015—16 की निर्माण कार्य पत्रावली रुदलापुर में गणेश केवट/गायत्री के खेत के पास सिंचाई नाली पर साईफन कार्य की जांच में पाया गया कि एस्टीमेट के अनुसार ह्युम पाइप 450 एमएम एनपी—3 दो अदद /450.00 से लगना है । पत्रावली में मे० सिंह बिल्डिंग मटेरियल बिल सं० 41/28.06.15 कुल रु० 39327.00 में आरसीसी ह्युम पाइप 450 एमएम एनपी —3 तीन अदद /5103.00 से चार्ज कर भुगतान प्राप्त किया गया है । वर्ष हेतु सामग्री आपूर्ति के निविदा में इसका उल्लेख नहीं है और न तो पुनः कोई निविदा आमंत्रित किया गया है । स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से एस्टीमेट पर अंकित दर से अत्यधिक मूल्य पर सामग्री क्रय कर अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है । अस्तु रु० 13959.00 (5103.00 – 450.00 = 4653.00 ×3) की ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी श्री हेमंत कुमार, ग्रा० वि०

अधिकारी, खंड विकास अधिकारी श्रीमती बसंती देवी, लेखाकार श्री मुरलीधर मिश्र एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है ।
(मूल आ० सं० 2ब 2क)

प्रस्तर सं० 16— उपरोक्त पत्रावली में संबंधित कार्य के फोटोग्राफ तथा साईन बोर्ड का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है जबकि फोटोग्राफी एवं साईन बोर्ड पर रु० 3000.00 का भुगतान किया गया है । बिना साक्ष्य के प्रमाणक प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त करना अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा है । उपरोक्तानुसार संबंधित से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।
(मूल आ० सं० 2ब 2ख)

प्रस्तर सं० 17— वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के राज्य वित्त अनुदान से संबंधित निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि संलग्न एस्टीमेट में अंकित सामग्री से अधिक मात्रा में निर्माण सामग्री क्रय कर बिल प्रस्तुत कर कार्य प्रभारियों द्वारा मनमाने ढंग से भुगतान करा लिया गया है । किसी भी पत्रावली में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर कार्य प्रभारियों द्वारा अधिक सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार खंड विकास अधिकारी/सक्षम अधिकारी की संस्तुति तथा स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है । उल्लेखनीय है कार्य प्रभारियों द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल अवर अभियन्ता द्वारा प्रमाणित किया गया है तथा लेखाकार ने खंड विकास अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद भुगतान भी कर दिया गया है । उक्त प्रकरणों से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर नियमों की अनदेखी करते हुए तथा बिना सम्यक जांच के अवर अभियन्ता द्वारा बिल प्रमाणित कर दिया गया है एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । इस प्रकार के समस्त भुगतान अनुदान के दुरुपयोग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं । आवश्यक कार्यवाही उपरान्त नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । वर्षवार विवरण निम्नवत है:—

1. 2014-15 छातीराम नायक टोला नायक के खेत से आद्या तिवारी के खेत होते हुए नायक टोला तक नाली निर्माण एस्टीमेट के अनुसार सामग्री—सीमेंट 241 बोरीए महीन बालू 37.74 घ०मी०ए ईट 31609 क्रय की गई सामग्री— सीमेंट 253 बोरीए महीन बालू 39 घ०मी०ए ईट 32300 अधिक क्रय (मात्रा)—सीमेंट 12 बोरीए महीन बालू 1.26 घ०मी०ए ईट 700 अधिक क्रय (मूल्य)— सीमेंट 4020.00, महीन बालू 1414.98ए ईट 4060.00
योग 9494.98

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री हेमंत कुमार, कार्यप्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार व अवर अभियन्ता

2. 2014-15 पीडब्लूडी रोड से शांति शंकर के मकान के पास इंटरलॉकिंग कार्य एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— ईट गिट्टी 79 घ०मी०ए लोकल बालू 32.50 घ०मी०ए इंटरलॉकिंग ईट 22750 क्रय की गई सामग्री— ईट गिट्टी 80.70 घ०मी०ए लोकल बालू 33.80 घ०मी०ए इंटरलॉकिंग ईट 23700 अधिक क्रय (मात्रा)— ईट गिट्टी 1.70 घ०मी०ए लोकल बालू 1.30 घ०मी०ए इंटरलॉकिंग ईट 95 अधिक क्रय (मूल्य)— ईट गिट्टी 1870.00, लोकल बालू 912.60ए इंटरलॉकिंग ईट 15808.00
योग 18590.60

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री सुनील कुमार गौड़, कार्यप्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार व अवर अभियन्ता

3. 2014-15 मलमलिया उर्फ सिरसिया में नारायणी नहर से मसीद के खेत तक नाली निर्माण एस्टीमेट के अनुसार सामग्री—सीमेंट 283 बोरीए ईट 36875ए कालर—शून्यए ह्यूम पाइप 150 एमएम—शून्यए एच पी कालर—शून्य क्रय की गई सामग्री— सीमेंट 288 बोरीए ईट 37600ए कालर—1ए ह्यूम पाइप 150 एमएम—4ए एच पी कालर—1 अधिक क्रय (मात्रा — सीमेंट 5 बोरीए ईट 725ए कालर—1ए ह्यूम पाइप 150 एमएम—4ए एच पी कालर—1 अधिक क्रय (मूल्य)— सीमेंट 1675.00, ईट 4205.00, कालर—334.00, ह्यूम पाइप 150 एमएम—2488.00, एच पी कालर—181.00
योग 8883.00

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री अशोक पटेल, कार्यप्रभारी, श्रीमती बसंती देवी/श्री अशोक कुमार मौर्या, खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा/श्री राणा प्रताप सिंह, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता

4. 2014-15 रुद्रापुर में लुटावन क घर से नरसिंह के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली उच्चीकरण एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— सीमेंट 239 बोरीए सादा बालू 67.19 घ०मी०ए ईट गिट्टी 66.68 घ०मी०क्रय की गई सामग्री— सीमेंट 244 बोरीए सादा बालू 68.30 घ०मी०ए ईट गिट्टी 69.30 घ०मी० अधिक क्रय (मात्रा — सीमेंट 5 बोरीए सादा बालू 1.11 घ०मी०ए ईट गिट्टी 2.62 घ०मी० अधिक क्रय (मूल्य)— सीमेंट 1625.00, सादा बालू 1090.90ए ईट गिट्टी 2697.29
योग 5413.19

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री राम किशोर एडीओ पी, कार्य प्रभारी, श्री अशोक कुमार मौर्या, खंड विकास अधिकारी, श्री राणा प्रताप सिंह, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता

5. 2015-16 भटगावां उर्फ तरकुलवा में जू० हा० स्कूल से राम जानकी मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— सीमेंट ईट 15050ए लोकल बालू 21.50 घ०मी०ए ईट गिट्टी 44.08 घ०मी०
क्रय की गई सामग्री— सीमेंट ईट 15650ए लोकल बालू 22 घ०मी०ए ईट गिट्टी 44.40 घ० मी० अधिक क्रय
(मात्रा — सीमेंट ईट 600ए लोकल बालू 0.50 घ०मी०ए ईट गिट्टी 0.32 घ०मी० अधिक क्रय (मूल्य)— सीमेंट
ईट 9984.00, लोकल बालू 388.50ए ईट गिट्टी 361.44

योग 10733.94

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री राम किशोर एडीओ पी, कार्य प्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता

6. 2015-16 परसा बुजुर्ग बनकटिया टोला में तूफानी के घर से नहर तक इंटरलॉकिंग कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— सीमेंट ईट 6300ए लोकल बालू 9 घ०मी०

क्रय की गई सामग्री— सीमेंट ईट 6700ए लोकल बालू 9.52 घ०मी०

अधिक क्रय (मात्रा)— सीमेंट ईट 400ए लोकल बालू 0.52 घ०मी०

अधिक क्रय (मूल्य)— सीमेंट ईट 6656.00, लोकल बालू 404.04

योग 7060.04

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री अशोक पटेल, कार्यप्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता

7. 2015-16 परतावल के भवसगरा में पूरब टोला चक रोड पर रामदवन एवं लालबहादुर के खेत के पास पुलिया निर्माण

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— मोरंग बालू 15.84 घ०मी०ए मिट्टी 440.78 घ०मी०

क्रय की गई सामग्री— मोरंग बालू 16.15 घ०मी०ए मिट्टी 490 घ०मी०

अधिक क्रय (मात्रा)— मोरंग बालू 0.31 घ०मी०ए मिट्टी 49.22 घ०मी०

अधिक क्रय (मूल्य)— मोरंग बालू 751.28ए लोकल बालू 2141.07

योग 2892.35

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री हेमंत कुमार, कार्यप्रभारी, श्री अशोक कुमार मौर्या, खंड विकास अधिकारी, श्री राणा प्रताप, लेखाकार व अवर अभियन्ता

8. 2015-16 पिपरा खादर में नोहर के बगीचे के पास कच्चा मार्ग पर आरसीसी पुलिया निर्माण

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— मोरंग बालू 15.84 घ०मी० क्रय की गई सामग्री— मोरंग बालू 16.37 घ०मी०

अधिक क्रय (मात्रा)— मोरंग बालू 0.53 अधिक क्रय (मूल्य)— मोरंग बालू 1284.50

योग 1284.50

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री सुनील कुमार गौड़, कार्यप्रभारी, श्री अशोक कुमार मौर्या, खंड विकास अधिकारी, श्री राणा प्रताप, लेखाकार व अवर अभियन्ता

9. 2015-16 पकड़ी दीक्षित में केशव पटेल के घर से पीडब्लूडी सड़क तक इंटरलॉकिंग कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— लोकल बालू 33.75 घ०मी०, सीमेंट ईट 23625 क्रय की गई सामग्री— लोकल बालू 34.

28 घ०मी०, सीमेंट ईट 24000 अधिक क्रय (मात्रा)— लोकल बालू 0.53, सीमेंट ईट 375 अधिक क्रय

(मूल्य)— लोकल बालू 412.00, सीमेंट ईट 6240.00

योग 6652.00

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री राम किशोर एडीओ पी, कार्य प्रभारी, श्री अशोक कुमार मौर्या, खंड विकास अधिकारी, श्री राणा प्रताप सिंह, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता

10. 2015-16 धर्मपुर में महातम के घर से दुलारे के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— सीमेंट 272 बोरी, सादा बालू 51.10 घ०मी०, ईट 23488 क्रय की गई

सामग्री— सीमेंट 307 बोरी, सादा बालू 54.80 घ०मी०, ईट 32000 अधिक क्रय (मात्रा)— सीमेंट 35

बोरी, सादा बालू 3.70 घ०मी०, ईट 8512 अधिक क्रय (मूल्य) सीमेंट 11725.00, सादा बालू 4599.00, ईट

49369.60

योग 65693.60

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री अशोक पटेल, कार्य प्रभारी, श्री अशोक कुमार मौर्या, खंड विकास अधिकारी, श्री राणा प्रताप सिंह, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता

11. 2015-16 लखिमा में शंकर गुप्ता के घर से सुकई के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— लोकल बालू 23.75 घ०मी०, सीमेंट ईट 16625

क्रय की गई सामग्री— लोकल बालू 24.40 घ०मी०, सीमेंट ईट 17100

अधिक क्रय (मात्रा)— लोकल बालू 0.65 घ०मी०, सीमेंट ईट 475

अधिक क्रय (मूल्य)— लोकल बालू 505.00, सीमेंट ईट 7904.00

योग 8409.00

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री सुनील कुमार गौड़, कार्य प्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता

12. 2015—16 बसहिया बुजुर्ग में उर्दहनी टोला पर पंचायत भवन से विनोद पटेल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— लोकल बालू 37.50 घ०मी०, सीमेंट ईट 26250

क्रय की गई सामग्री— लोकल बालू 38.40 घ०मी०, सीमेंट ईट 26900

अधिक क्रय (मात्रा)— लोकल बालू 0.90 घ०मी०, सीमेंट ईट 650

अधिक क्रय (मूल्य)— लोकल बालू 699.00, सीमेंट ईट 10816.00

योग 11515.00

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री सुनील कुमार गौड़, कार्य प्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता

13. 2015—16 महम्मदा में भिखारी के खेत के सामने कच्चा मार्ग पर 2 मी० स्पान पुलिया निर्माण

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— मोरंग बालू 15.84 घ०मी०, मिट्टी 440.78 घ०मी०

क्रय की गई सामग्री— मोरंग बालू 16.07 घ०मी०, मिट्टी 480 घ०मी०

अधिक क्रय (मात्रा)— मोरंग बालू 0.23 घ०मी०, मिट्टी 39.22 घ०मी०

अधिक क्रय (मूल्य)— मोरंग बालू 557.00, मिट्टी 1706.00

योग 2263.00

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री सुनील कुमार गौड़, कार्य प्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता

14. 2015—16 बसवार में राम अवध के घर से राम सेवक के घर होते हुए राम सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य एस्टीमेट के अनुसार सामग्री—महीन बालू 25.71 घ०मी०, लोकल बालू 21.25 घ०मी०, ईट गिट्टी 39.55 घ०मी०, सीमेंट ईट 4875 क्रय की गई सामग्री— महीन बालू 26 घ०मी०, लोकल बालू 22.40 घ०मी०, ईट गिट्टी 41.80 घ०मी०, सीमेंट ईट 15700 अधिक क्रय (मात्रा)— महीन बालू 0.29 घ०मी०, लोकल बालू 1.15 घ०मी०, ईट गिट्टी 2.25 घ०मी०, सीमेंट ईट 825 अधिक क्रय (मूल्य)— महीन बालू 361.05, लोकल बालू 893.55, ईट गिट्टी 2541.38, सीमेंट ईट 13278.00

योग 17073.98

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री हेमंत कुमार, कार्य प्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता

15. 2015—16 छातीराम में कौशल तिवारी के घर से दुलारे यादव के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य

इस्टीमेट के अनुसार सामग्री— सीमेंट 93 बोरी, महीन बालू 18.15 घ०मी०, ईट गिट्टी 27.91 घ०मी०, मिट्टी 27.79 घ०मी० क्रय की गई सामग्री— सीमेंट 95 बोरी, महीन बालू 18.80 घ०मी०, ईट गिट्टी 29.02 घ०मी०, मिट्टी 28.50 घ०मी० अधिक क्रय (मात्रा)— सीमेंट 2 बोरी, महीन बालू 0.65 घ०मी०, ईट गिट्टी 1.29 घ०मी०, मिट्टी 0.71 घ०मी० अधिक क्रय (मूल्य)— सीमेंट 670.00, महीन बालू 807.95, ईट गिट्टी 1457.06, मिट्टी 46.15

योग 2981.16

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री राम किशोर एडीओ पी, कार्य प्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता

16. 2015—16 लखिमा में पतरू के घर से ध्रुव नारायण के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— ईट गिट्टी 25.20 घ०मी०, सीमेंट ईट 8505, मिट्टी 14.91 घ०मी०

क्रय की गई सामग्री— ईट गिट्टी 25.60 घ०मी०, सीमेंट ईट 8850, मिट्टी 15.50 घ०मी०

अधिक क्रय (मात्रा)— ईट गिट्टी 0.40 घ०मी०, सीमेंट ईट 345, मिट्टी 0.59 घ०मी०

अधिक क्रय (मूल्य)— ईट गिट्टी 431.80, सीमेंट ईट 5740.80, मिट्टी 38.35 घ०मी०

योग 6230.95

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री सुनील कुमार गौड़, कार्य प्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता

17. 2015–16 धरमौली में सौदागर के घर से माँ वैष्णो देवी स्थान तक इंटरलॉकिंग कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— मिट्टी 168.95 घ०मी०

क्रय की गई सामग्री— मिट्टी 190 घ०मी०

अधिक क्रय (मात्रा)— मिट्टी 21.05 घ०मी०

अधिक क्रय (मूल्य)— मिट्टी 1368.25

योग 1368.25

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री सुनील कुमार गौड़, कार्य प्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता

18. 2015–16 खंड विकास अधिकारी आवास मरम्मत कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— ईंट गिट्टी 0.87 घ०मी०, पत्थर गिट्टी 0.69 घ०मी०, मिट्टी 2.73 घ०मी० क्रय की गई सामग्री— ईंट गिट्टी 1.00 घ०मी०, पत्थर गिट्टी 0.70 घ०मी०, मिट्टी 3.00 घ०मी० अधिक क्रय (मात्रा)— ईंट गिट्टी 0.13 घ०मी०, पत्थर गिट्टी 0.01 घ०मी०, मिट्टी 0.27 घ०मी० अधिक क्रय (मूल्य)— ईंट गिट्टी 218.34, पत्थर गिट्टी 300.37, मिट्टी 17.55

योग 536.26

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री प्रसिद्ध नारायण यादव, स्टोर कीपर कार्य प्रभारी, श्री अशोक कुमार मौर्या, खंड विकास अधिकारी, श्री राणा प्रताप सिंह, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता

19. 2015–16 रुदलापुर में गणेश केवट के खेत के पास सिंचाई नाली पर साईफन निर्माण कार्य एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— महीन बालू 1.98 घ०मी०, ईंट 1794, ह्युम पाइप 2 नग क्रय की गई सामग्री— महीन बालू 2.00 घ०मी०, ईंट 1800, ह्युम पाइप 3 नग अधिक क्रय (मात्रा)— महीन बालू 0.02 घ०मी०, ईंट 6 नग, ह्युम पाइप 1 नग अधिक क्रय (मूल्य)— महीन बालू 24.86, ईंट 34.80, ह्युम पाइप 450.00

योग 509.66

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री हेमंत कुमार, कार्य प्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता

20. 2015–16 बसहिया बुजुर्ग टोला नेवाजी बारी में प्रजापति के घर से राम जी के घर होते हुए ब्रह्मदेव गुप्ता के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— महीन बालू 33 घ०मी०, 40 एमएम गिट्टी 48.02 घ०मी०

क्रय की गई सामग्री— महीन बालू 33.72 घ०मी०, 40 एमएम गिट्टी 52.00 घ०मी०

अधिक क्रय (मात्रा)— महीन बालू 0.72 घ०मी०, 40 एमएम गिट्टी 3.98 घ०मी०

अधिक क्रय (मूल्य)— महीन बालू 1010.88, 40 एमएम गिट्टी 6684.41 घ०मी०

योग 7695.29

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री मिठाई लाल गुप्ता, एडीओ एजी कार्य प्रभारी, श्री अशोक कुमार मौर्या, खंड विकास अधिकारी, श्री राणा प्रताप सिंह, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता

21. 2015–16 बेलवा में सुरेन्द्र सिंह के खेत के पास आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— ईंट 23730

क्रय की गई सामग्री— ईंट 24800

अधिक क्रय (मात्रा)— ईंट 1070

अधिक क्रय (मूल्य)— ईंट 6848.00

योग 6848.00

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री राम किशोर, एडीओ पी कार्य प्रभारी, श्री अशोक कुमार मौर्या, खंड विकास अधिकारी, श्री राणा प्रताप सिंह, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता

22. 2016–17 बनकटिया में रंगी के घर से चंद्रभूषण तिवारी के चक तक नाली मरम्मत कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— ईंट गिट्टी 14.38 घ०मी०, ईंट 12793

क्रय की गई सामग्री— ईट गिट्टी 16 घंमी०, ईट 13000
अधिक क्रय (मात्रा)— ईट गिट्टी 1.62 घंमी०, ईट 207
अधिक क्रय (मूल्य)— ईट गिट्टी 2720.79 घंमी०, ईट 1324.80

योग 4045.59

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री सुनील कुमार गौड़, कार्य प्रभारी, श्री आनंद कुमार गुप्ता, खंड विकास अधिकारी, श्री राणा प्रताप सिंह, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता

23. 2016—17 विकास खंड परिसर में शौचालय निर्माण कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री— महीन बालू 13.71 घंमी०, ईट गिट्टी 10.89 घंमी०, ईट 10364, ग़िल 172 किलो, चाइना टाइल्स 24.12 वंमी० क्रय की गई सामग्री— महीन बालू 14.80 घंमी०, ईट गिट्टी 11.00 घंमी०, ईट 11200, ग़िल 188 किलो, चाइना टाइल्स 39.42 वंमी० अधिक क्रय (मात्रा)— महीन बालू 1.09 घंमी०, ईट गिट्टी 0.11 घंमी०, ईट 836, ग़िल 16 किलो, चाइना टाइल्स 7.30 वंमी० अधिक क्रय (मूल्य)— महीन बालू 1530.36, ईट गिट्टी 184.75, ईट 5350.40, ग़िल 848.00, चाइना टाइल्स 8249.00

योग 16162.51

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री राम किशोर कार्य प्रभारी, श्री आनंद कुमार गुप्ता, खंड विकास अधिकारी, श्री राणा प्रताप सिंह, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता

कुल सन्निहित धनराशि रु० 222336.85

(मूल आ० सं० 2ब 3)

प्रस्तर सं० 18— वित्तीय वर्ष 16—17 में विकास खंड परिसर में सभागार कक्ष/प्रमुख कक्ष मरम्मत एवं विस्तार कार्य श्री विजय नारायण पाण्डेय एडीओ एजी, कार्य प्रभारी द्वारा कराया गया है जिसकी पत्रावली में संलग्न इस्टीमेट के सापेक्ष रु० 8916.00 की सामग्री अधिक क्रय कर भुगतान किया गया है। यद्यपि क्रय अधिक सामग्री के अनुरूप एम०बी० की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न की गयी है। तथापि एस्टीमेट से अधिक सामग्री क्रय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी/ख० वि० अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न कर अनियमित कार्य किया गया है। विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ब 4)

प्रस्तर सं० 19— वित्तीय वर्ष 14—15 से 16—17 तक के राज्य वित्त अनुदान से कृत निर्माण कार्य पत्रावलियों में संलग्न मस्टर रोलों की जांच में निम्नवत गंभीर प्रकरण पाए गए—

1. 2014—15 पकड़ी दीक्षित में पीडब्लूडी सड़क से सटे त्रियुगी के खेत के पास 2 मी० स्पान पुलिया निर्माण धनराशि— 23064.00

आपत्ति का विवरण— पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में कार्य अवधि अंकित नहीं है तथा मजदूरी भुगतान प्राप्त करने के निमित्त श्रमिकों के हस्ताक्षर मस्टर रोल पर नहीं हैं।

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री पारसनाथ कुशवाहा, कार्यप्रभारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद कुंवर, ख०वि०अधि०, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार व तत्कालीन अवर अभियन्ता, आरईएस

2. 2014—15 रुद्रापुर झुंगवा संपर्क मार्ग पर बौलिया पोखरी पर रामविलास के खेत के पास 3 मी० स्पान पुलिया निर्माण धनराशि— 30852.00

आपत्ति का विवरण— पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल दिनांक 05.04.15 से 19.04.15 पर किसी भी श्रमिक के मजदूरी प्राप्त करने के निमित्त हस्ताक्षर नहीं हैं।

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री राम किशोर, कार्यप्रभारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद कुंवर, ख०वि०अधि०, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार व तत्कालीन अवर अभियन्ता, आरईएस

3. 2014—15 रुद्रापुर झुंगवा संपर्क मार्ग पर बौलिया पोखरी पर रामविलास के खेत के पास 3 मी० स्पान पुलिया निर्माण धनराशि— 21840.00

आपत्ति का विवरण— पत्रावली में दिनांक 24.06.15 से 30.06.15 तक की कार्य अवधि के दो मस्टर रोल संलग्न हैं, जिसमें सभी मजदूर एक समान हैं, एक ही तिथि में एक ही श्रमिक को दो बार कार्यरत दर्शा कर फर्जी मजदूरी भुगतान किया गया है।

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री राम किशोर, कार्यप्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, ख०वि०अधि०, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार व तत्कालीन अवर अभियन्ता, आरईएस

4. 2014—15 नटवा में राजकिशोर एवं भरोसा के खेत के पास ड्रेन पर 2 मी० स्पान पुलिया निर्माण धनराशि— 17220.00

आपत्ति का विवरण— पत्रावली में दिनांक 08.05.15 से 21.05.15 तक की कार्य अवधि के दो मस्टर रोल संलग्न हैं, दोनों पर कार्यरत श्रमिक एक ही हैं स इस प्रकार एक ही तिथि में एक ही प्रकार के श्रमिकों को दो बार मजदूरी भुगतान करना दर्शाया गया है ।

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री पारसनाथ कुशवाहा, कार्यप्रभारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद कुंवर, ख०वि०अधि०, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार व तत्कालीन अवर अभियन्ता, आरईएस

5. 2014-15 छपिया में ट्रांसफार्मर से तवरेज के खेत तक इंटरलॉकिंग कार्य

धनराशि— 26496.00 एवं 22596.00

आपत्ति का विवरण— पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर श्रमिकों के मजदूरी भुगतान प्राप्ति के निमित्त हस्ताक्षर नहीं हैं ।

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री अशोक पटेल, कार्यप्रभारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद कुंवर, ख०वि०अधि०, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार व तत्कालीन अवर अभियन्ता, आरईएस

6. 2014-15 ग्राम पंचायत परतावल में चन्द्रशेखर के घर से उग्रसेन एवं कल्लू के घर तक आरसीसी एवं पक्की नाली निर्माण **धनराशि**— 3588.00

आपत्ति का विवरण— पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल कार्य अवधि 25.09.14 से 09.10.14 तक में श्रमिक मोती एवं पलटू के हस्ताक्षर नहीं हैं, अस्तु मोती को रु० 1716.00 (936.00+780.00) व पलटू को रु० 1872.00 (936.00+936.00) का भुगतान फर्जी है ।

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री पारसनाथ कुशवाहा, कार्यप्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, ख०वि०अधि०, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार व तत्कालीन अवर अभियन्ता, आरईएस

7. 2014-15 ग्राम पंचायत के टोला बभनौली में महंत विश्वकर्मा के घर से जोखू के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य **धनराशि**— 57348.00

आपत्ति का विवरण— पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल दिनांक 12.03.15 से 26.03.15 तक की कार्य अवधि के रु० 17220.00 एवं 17220.00 तथा दिनांक 28.03.15 से 11.04.15 की कार्य अवधि के दो मस्टर रोल रु० 11844.00 एवं रु० 11064.00 पर कार्यरत श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं हैं । **उत्तरदायी व्यक्ति**— श्री पारसनाथ कुशवाहा, कार्यप्रभारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद कुंवर, ख०वि०अधि०, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार व तत्कालीन अवर अभियन्ता, आरईएस

2014-15 ग्राम पंचायत बरियारपुर टोला बेलहिया राजीपुर डोम दशरथ के घर के सामने आरसीसी पुलिया निर्माण **धनराशि**— 1952.00

आपत्ति का विवरण— पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में कार्यरत श्रमिक श्री पारस एवं श्री प्रेम के हस्ताक्षर धन प्राप्ति के निमित्त नहीं हैं, अस्तु श्री पारस को भुगतान रु० 392.00 तथा श्री प्रेम को भुगतान रु० 1560.00 (1092.00+468.00) फर्जी है । **उत्तरदायी व्यक्ति**— श्री पारसनाथ कुशवाहा, कार्यप्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, ख०वि०अधि०, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार व तत्कालीन अवर अभियन्ता, आरईएस

2014-15 ग्राम पंचायत परसा बुजुर्ग में बनकटिया टोला पर नाली निर्माण **धनराशि**— 43008.00

आपत्ति का विवरण— पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर श्रमिकों के मजदूरी भुगतान प्राप्ति के निमित्त हस्ताक्षर नहीं हैं । **उत्तरदायी व्यक्ति**— श्री अशोक पटेल, कार्यप्रभारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद कुंवर, ख०वि०अधि०, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार व तत्कालीन अवर अभियन्ता, आरईएस

10. 2014-15 ग्राम पंचायत बसहिया बुजुर्ग में नागू यादव के घर से प्रा० विद्यालय तक इंटरलॉकिंग कार्य **धनराशि**— 141636.00

आपत्ति का विवरण— पत्रावली में कुल सात मस्टर रोल संलग्न हैं जिसमे से पांच मस्टर रोल दिनांक 15.03.15 से 16.04.15 तक के हैं शेष दो मस्टर रोल पर कार्य अवधि अंकित नहीं हैं । समस्त मस्टर रोल पर कार्यरत श्रमिकों के मजदूरी भुगतान प्राप्ति के निमित्त हस्ताक्षर नहीं हैं । **उत्तरदायी व्यक्ति**— श्री राम किशोर, कार्यप्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, ख०वि०अधि०, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार व तत्कालीन अवर अभियन्ता, आरईएस

11. 2015-16 भटगावां उर्फ तरकुलवा में जू० हा० स्कूल से राम जानकी मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य

धनराशि— 9177.00 **आपत्ति का विवरण**— पत्रावली में दिनांक 08.07.15 से 15.07.15 तथा 16.07.15 से 22.07.15 की अवधि के मस्टर रोल पर कुल 17 श्रमिक कार्यरत हैं । जबकि भुगतान प्राप्ति के निमित्त मात्र 15 श्रमिक के हस्ताक्षर हैं । दिनांक 24.07.15 से 30.07.15 तक के मस्टर रोल पर कार्यरत 17 श्रमिकों में से

14. श्रमिकों के हस्ताक्षर हैं । दिनांक 01.08.15 से 04.08.15 के मस्टर रोल पर कार्यरत 17 श्रमिकों में से 15 श्रमिकों के हस्ताक्षर हैं । इस प्रकार $2 \times 7 + 2 \times 7 + 3 \times 7 + 2 \times 4 = 57$ दिन की मजदूरी रु० 161.00 की दर से कुल 9177.00 का भुगतान फर्जी है । **उत्तरदायी व्यक्ति**— श्री राम किशोर, कार्यप्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, ख०वि०अधि०, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार व तत्कालीन अवर अभियन्ता, आरईएस

12. **2015-16 परतावल के टोला भवसगरा में पूरब टोला चक रोड पर राम दवन एवं लालबहादुर के खेत के पास पुलिया निर्माण** धनराशि— 4900.00 आपत्ति का विवरण— पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल की जांच में पाया गया कि कार्य अवधि 25.10.15 से 31.10.15 एवं 02.11.15 से 08.11.15 पर कुसहर श्रमिक श्री मतीवर पुत्र चोकट का नाम अंकित है जबकि हस्ताक्षर मतुभर के हैं । इसी पत्रावली में दो मस्टर रोल में उक्त श्रमिक ने मतीवर अंकित कर रु० 23224.00 प्राप्त किया है । स्पष्ट है कि दिनांक 25.10.15 से 31.10.15 एवं 02.11.15 से 08.11.15 पर फर्जी रूप से मिस्त्री को दर्शा कर 14 दिवस की / 350.00 रु० 4900.00 का अपहरण किया गया है । **उत्तरदायी व्यक्ति**— श्री हेमंत कुमार, कार्यप्रभारी, श्री अशोक कुमार मौर्या, ख०वि०अधि०, श्री राणा प्रताप सिंह, लेखाकार व अवर अभियन्ता, आरईएस

13. **2015-16 ग्राम पंचायत महम्मदा में भिखारी के खेत के सामने कच्चा मार्ग पर 2 मी० स्पांन पुलिया निर्माण** धनराशि— 3381.00 आपत्ति का विवरण— पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल 05.07.15 से 10.08.15 तक के तीन मस्टर रोल पर क्रमांक 15 पर श्रमिक विपत पुत्र चोकट का भुगतान श्रमिक दीपक को किया गया है । मस्टर रोल के साथ श्री विपत का कोई अधिकार पत्र नहीं है कि भुगतान दीपक को किया जाए । इस प्रकार 21 दिनों की मजदूरी / 161.00 रु० 3381.00 का भुगतान फर्जी है ।

उत्तरदायी व्यक्ति— श्री सुनील कुमार गौड़, कार्यप्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, ख०वि०अधि०, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार व तत्कालीन अवर अभियन्ता, आरईएस

14. **2015-16 बसवार में राम अवध के घर से राम केवल के घर होते हुए राम सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य** धनराशि— 76090.00 आपत्ति का विवरण— प्रस्तुत पत्रावली में दिनांक 16.07.15 से 07.08.15 तक कुल 6 मस्टर रोल संलग्न हैं जिसके सापेक्ष रु० 76090.00 का भुगतान किया गया है । भुगतान प्राप्ति के निमित्त श्रमिकों के हस्ताक्षर समस्त मस्टर रोल पर नहीं हैं । अस्तु भुगतान फर्जी प्रतीत होता है । **उत्तरदायी व्यक्ति**— श्री हेमंत कुमार, कार्यप्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, ख०वि०अधि०, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार व तत्कालीन अवर अभियन्ता, आरईएस

15. **2015-16 लखिमा में पतरू के घर से हनुमान के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य** धनराशि— 1127.00 आपत्ति का विवरण— पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल दिनांक 11.09.15 से 17.09.15 में अंकित 15 श्रमिकों में से क्रमांक 15 पर अंकित श्री राम अवध पुत्र गुमई के हस्ताक्षर नहीं हैं । अतः भुगतानित धनराशि रु० 1127.00 काल्पनिक एवं फर्जी है । **उत्तरदायी व्यक्ति**— श्री हेमंत कुमार, कार्यप्रभारी, श्री अशोक कुमार मौर्या, ख०वि०अधि०, श्री राणा प्रताप सिंह, लेखाकार व अवर अभियन्ता, आरईएस

16. **2014-15 ग्राम पंचायत छातीराम नायक टोला में नायक के खेत से आद्य तिवारी के खेत होते हुए नायक टोला तक नाली निर्माण** धनराशि— 37086.00 आपत्ति का विवरण— पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल दिनांक 08.08.15 से 14.08.15 एवं दिनांक 21.08.15 से 27.08.15 तक कुल रु० 37086.00 पर कार्यरत श्रमिकों के भुगतान प्राप्ति के निमित्त हस्ताक्षर नहीं हैं । अस्तु भुगतान फर्जी है । **उत्तरदायी व्यक्ति**— श्री हेमंत कुमार, कार्यप्रभारी, श्री अशोक कुमार मौर्या, ख०वि०अधि०, श्री राणा प्रताप सिंह, लेखाकार व अवर अभियन्ता, आरईएस

17. **2014-15 लखिमा में पीडब्लूडी रोड से शांति शंकर के मकान के पास तक इंटरलॉकिंग कार्य** धनराशि— 12012.00 आपत्ति का विवरण— पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल की जांच में पाया गया कि दिनांक 22.03.15 से 28.03.15 व दिनांक 01.04.15 से 07.04.15 तथा 09.04.15 से 15.04.15 के मस्टर रोल पर कुल 19 श्रमिक कार्यरत हैं । जबकि 23.03.15 से 28.03.15 तथा 01.04.15 से 07.04.15 के मस्टर रोल पर मात्र 15 श्रमिकों के एवं 09.04.15 से 15.04.15 के मस्टर रोल पर मात्र 16 श्रमिकों ने भुगतान प्राप्ति के निमित्त हस्ताक्षर किया है । इस प्रकार $3 \times 7 + 4 \times 7 + 4 \times 7 = 77$ दिनों की मजदूरी / 161.00 रु० 12012.00 का भुगतान श्रमिकों को न कर प्रभारी द्वारा अपहरण किया गया है । **उत्तरदायी व्यक्ति**— श्री सुनील कुमार गौड़, कार्यप्रभारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण, ख०वि०अधि०, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार व अवर अभियन्ता, आरईएस

योग 533373.00

इस प्रकार कूटरचित तरीके से एवं बिना श्रमिकों को भुगतान किए ही रु० 533373.00 का अपहरण संबंधित कार्यप्रभारियों द्वारा किया गया है । मजदूरी भुगतान के बाद समायोजन स्वरूप मस्टर रोल कार्यप्रभारी ने लेखाकार को प्रस्तुत किया जिसे बिना किसी जांच पड़ताल के ही लेखाकार ने पत्रावली में संलग्न कर लिया । उल्लेखनीय तथ्य है कि प्रमानाकों का भुगतान खंड विकास अधिकारी एवं प्रमुख महोदय की स्वीकृति के उपरांत किया जाता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रकरण से स्पष्ट है कि खंड विकास कार्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली भुगतान प्रक्रिया को संदेहास्पद बनाता है । वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान उक्त के निमित्त विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है । नियमानुसार संबंधितों से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 5)

प्रस्तर सं० 20— वित्तीय वर्ष 16—17 में विकास खंड परिसर में बाउंड्री वाल मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य हेतु श्री मिठाई लाल एडीओ एजी को कार्यालय पत्रांक 973/28.10.16 द्वारा कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है । श्री यादव के स्थानांतरण होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं होना बताया गया । पत्रावली लेखा परीक्षा तिथि तक अपूर्ण है । ऐसी स्थिति में भी मे० सोनू ट्रेडर्स के बिल सं० 529/22.02.17 के सापेक्ष चेक सं० 461779 दिनांक 09.03.17 द्वारा रु० 100374.00 का भुगतान भी कर दिया गया है । प्रमाणक को अवर अभियन्ता ने प्रमाणित किया है तथा प्रमाणक पर कार्य प्रभारी ने सामग्री 07.03.17 को प्राप्त होना अंकित किया है । प्रमाणक के अनुसार 50 बोरी सीमेंट रु० 16750.00, सफेद बालू 50 घ०मी० रु० 14040.00 तथा ईट प्रथम श्रेणी 12000 नग रु० 76800.00 कुल रु० 107590.00 की सामग्री क्रय की गयी है, जिसमें वैट 4:रु० 4282.00 एवं आयकर 2.24:2391.00 की कटौती कर रु० 100374.00 का भुगतान है । उल्लेखनीय तथ्य यह है कि उक्त भुगतान प्राप्त होने के बाद भी कार्य प्रभारी ने प्रमाणक खंड विकास अधिकारी के कार्यालय पत्रांक 1741/07.03.18 के पत्र प्रेषित किए जाने के बाद भी समायोजन हेतु प्रस्तुत किया है । खंड विकास अधिकारी महोदय ने सामग्री के बारे में कोई आख्या कार्य प्रभारी से प्राप्त नहीं किया है और न ही लेखा परीक्षा में उक्त क्रय स्टॉक की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया । विकास खंड परिसर बाउंड्री वाल मरम्मत के कारण कार्य स्थल विकास खंड परिसर ही हुआ । ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी ने बिना सामग्री क्रय किए ही बिल/प्रमाणक प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त किया है । निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ और क्रय सामग्री का कोई अता पता ही नहीं है जबकि सामग्री क्रय लगभग 15 माह पूर्व की गई है । स्पष्ट है कि उक्त कृत्य के परिणाम स्वरूप रु० 107590.00 के अनुदान का दुरुपयोग किया गया है । जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री मिठाई लाल यादव, अवर अभियन्ता, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री आनंद कुमार गुप्ता एवं लेखाकार श्री राणा प्रताप सिंह से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 7)

प्रस्तर सं० 21— वित्तीय वर्ष 14—15 में राज्य वित्त अनुदान से संबंधित निर्माण कार्य पत्रावली ग्राम पंचायत लखिमा में पीडब्लूडी रोड से चक रोड पर भोलानाथ उपाध्याय व बिकाऊ चौहान के खेत के बीच पुलिया निर्माण कार्य की जांच में पाया गया कि इस कार्य हेतु श्री उमेश तिवारी ग्रा० वि० अधिकारी को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है । जिस हेतु श्री तिवारी कार्य प्रभारी द्वारा मे० सिंह बिल्डिंग मटेरियल से रु० 249715.00 के निर्माण सामग्री का बिल प्रस्तुत कर बिल सं० 75/27.09.14 के सापेक्ष चेक सं० 409009 दिनांक 04.10.14 द्वारा भुगतान करा लिया गया है जबकि उक्त पत्रावली में दिनांक 06.09.14 को श्रीमती चुल्हई पत्नी स्व० लाला एवं उसके नाबालिग बच्चे अजय व विजय द्वारा यह आवेदन दिया गया है कि यह पुलिया वास्तव में मेरे खेत के सामने बनाया जा रहा है, जहाँ इसकी न तो कोई आवश्यकता है और न ही मेरी सहमति है । स्पष्ट है कि वास्तविक रूप से स्वीकृत कार्य स्थल के स्थान पर अन्य स्थान का निर्धारण कार्य प्रभारी द्वारा स्वयं के स्तर से किया गया है, जिस कारण विकास कार्य बाधित हुआ । इसकी कोई पूर्व सूचना कार्य प्रभारी ने सक्षम अधिकारी को देने की पुष्टि में पत्रावली में कोई प्रपत्र नहीं है । पत्रावली में कोई मस्टर रोल न होना स्वतः प्रमाणित करता है कि यह कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है । अतः क्रय सामग्री के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है, अस्तु रु० 249715.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री उमेश तिवारी, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री दिग्विजय नाथ तिवारी एवं लेखाकार श्री मुरलीधर मिश्रा से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 9)

प्रस्तर सं० 22— वित्तीय वर्ष 15—16 के निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में संलग्न टेन्डर के तुलनात्मक चार्ट की छायाप्रतियों से स्पष्ट है कि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान इंटरलॉकिंग सीमेंट ईट की आपूर्ति दर/16.60 प्रति ईट की निविदा स्वीकृत की गई है । मे० सिंह बिल्डिंग मटेरियल, परतावल ने निविदा शर्तों के विपरीत/16.64 प्रति ईट की दर से ईट का बिल प्रस्तुत कर कार्य प्रभारी के माध्यम से भुगतान प्राप्त किया

गया है । अस्तु रु० 6618.00 की ब्याज सहित वसूली संबंधित फर्म से की जानी चाहिए । अन्यथा की स्थिति में निम्न विवरणानुसार उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है:-

1. **कार्य का नाम— भटगावाँ में जू० हा० स्कूल के पास इंटरलॉकिंग कार्य**
 आपूर्ति ईट की संख्या— 15650 नग अधिक भुगतान— 626.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम— श्री राम किशोर, कार्यप्रभारी, अवर अभियन्ता आरईएसए श्रीमती बसंती देवी खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार
2. **कार्य का नाम— परसा बुजुर्ग बनकटिया टोला में तूफानी के घर से नहर तक इंटरलॉकिंग कार्य**
 आपूर्ति ईट की संख्या— 6700 नग अधिक भुगतान— 268.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम— श्री अशोक पटेल, कार्यप्रभारी, अवर अभियन्ता आरईएसए श्रीमती बसंती देवी खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार
3. **कार्य का नाम— पकड़ी दीक्षित में केशव पटेल के घर से सड़क तक इंटरलॉकिंग कार्य**
 आपूर्ति ईट की संख्या— 24000 नग अधिक भुगतान— 960.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम— श्री राम किशोर, कार्यप्रभारी, अवर अभियन्ता आरईएसए श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण/श्रीमती बसंती देवी/श्री अशोक मौर्य खंड विकास अधिकारी, श्री राणा प्रताप सिंह/श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार
4. **कार्य का नाम— धर्मपुर में महातम के घर से दुलारे के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य**
 आपूर्ति ईट की संख्या— 22800 नग अधिक भुगतान— 912.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम— श्री अशोक पटेल, कार्यप्रभारी, अवर अभियन्ता आरईएसए श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण/श्रीमती बसंती देवी/श्री अशोक मौर्य खंड विकास अधिकारी, श्री राणा प्रताप सिंह/श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार
5. **कार्य का नाम— लखिमा में शंकर के घर से सुकई के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य एवं नाली निर्माण**
 आपूर्ति ईट की संख्या— 17100 नग अधिक भुगतान— 684.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम— श्री सुनील कुमार गौड़, कार्यप्रभारी, अवर अभियन्ता आरईएसए श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण/श्रीमती बसंती देवी खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार
6. **कार्य का नाम— बसहिया बुजुर्ग में उरदहनी टोला पर पंचायत भवन से विनोद पटेल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य**
 आपूर्ति ईट की संख्या— 26900 नग अधिक भुगतान— 1076.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम— श्री सुनील कुमार गौड़, कार्यप्रभारी, अवर अभियन्ता आरईएसए श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण/श्रीमती बसंती देवी खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार
7. **कार्य का नाम— बसवार में राम अवध के घर से राम सेवक के घर होते हुए राम सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य**
 आपूर्ति ईट की संख्या— 15700 नग अधिक भुगतान— 628.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम— श्री हेमंत कुमार, कार्यप्रभारी, अवर अभियन्ता आरईएसए श्रीमती बसंती देवी खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार
8. **कार्य का नाम— छातीराम में कौशल तिवारी के घर से दुलारे यादव के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य**
 आपूर्ति ईट की संख्या— 10250 नग अधिक भुगतान— 410.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम— श्री राम किशोर, कार्यप्रभारी, अवर अभियन्ता आरईएसए श्रीमती बसंती देवी खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार
9. **कार्य का नाम— लखिमा में पतरू के घर से ध्रुव नारायण के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य**
 आपूर्ति ईट की संख्या— 8850 नग अधिक भुगतान— 354.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम— श्री सुनील कुमार गौड़, कार्यप्रभारी, अवर अभियन्ता आरईएसए श्रीमती बसंती देवी खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार
10. **कार्य का नाम— धरमौली में सौदागर के घर से माँ वैष्णो स्थान तक इंटरलॉकिंग कार्य**
 आपूर्ति ईट की संख्या— 17500 नग अधिक भुगतान— 700.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम— श्री सुनील कुमार गौड़, कार्यप्रभारी, अवर अभियन्ता आरईएसए श्रीमती बसंती देवी खंड विकास अधिकारी, श्री मुरलीधर मिश्रा, लेखाकार

योग

6618.00

(मूल आ० सं० 2ब 10)

प्रस्तर सं० 23— लेखा परीक्षा में मांगोपरांत भी बीआरजीएफ अनुदान से कृत निर्माण कार्य पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं किया गया । अस्तु वर्षवार कृत निर्माण कार्यों की जांच व समीक्षा नहीं की जा सकी ।

वर्ष	व्यय की गई धनराशि
2014-15	985855.00
2015-16	2046518.00
2016-17	828493.00
योग	3860866.00

बीआरजीएफ निर्माण कार्य पत्रावलियों को लेखा परीक्षा में उपभोग की पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाना अनियमित रहा । इस हेतु वर्तमान लेखाकार श्री प्रसिद्ध नारायण यादव एवं श्री आनंद कुमार गुप्ता, खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं । पत्रावली उपलब्ध न होने की दशा में व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है । अस्तु उक्त व्ययों की पुष्टि/नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 12)

प्रस्तर सं० 24- राज्य वित्त अनुदान एवं अन्य मदों से प्रशासनिक व्ययों की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए । अस्तु तत्संबंधी समस्त व्यय अपुष्ट रहे हैं स बिना प्रमाणक व्यय अपहरण की श्रेणी के अंतर्गत है अतएव संबंधित ख० वि० अधि०, लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

वित्तीय वर्ष 2014-15

क्र०सं० व्यय का विवरण	चेक सं०/ दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1. इन्टरनेट व स्टेशनरी 4	02795 / 24.06.14	6865.00	श्री राम किशोर, एडीओ पी
2. अंगद सिंह कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय	402796 / 25.06.14	19720.00	श्री राम किशोर, एडीओ पी
3. इन्टरनेट व डीजल	402797 / 25.06.14	3192.00	श्री अवनीश शुक्ल, एपीओ
4. प्रकाशन व प्रचार	402799 / 01.07.14	19063.00	सहारा इंडिया
5. प्रकाशन व प्रचार	402800 / 01.07.14	5802.00	स्वतंत्र चेतना
6. मानदेय भुगतान	409008 / 03.07.14	73000.00	श्री राम प्रसाद, प्रमुख
7. मानदेय भुगतान	409006 / 15.09.14	14500.00	श्री राम किशोर, एडीओ पी
8. विज्ञापन	409010 / 04.10.14	21501.00	स्वतंत्र चेतना
9. स्टेशनरी	409011 / 04.10.14	4775.00	श्री राम किशोर, एडीओ पी
10. इन्टरनेट केबल	409013 / 19.11.14	3235.00	स्वयं लेखाकार
11. अल्टरनेटर	409014 / 27.11.14	10500.00	स्वयं लेखाकार
12. जेरोक्स मशीन मरम्मत एवं इन्टरनेट किराया	409015 / 18.12.14	5302.00	श्री प्रसिद्ध नारायण यादव
13. इन्टरनेट किराया	409016 / 14.01.15	2684.00	श्री प्रसिद्ध नारायण यादव
14. डीजल	409017 / 16.01.15	2000.00	श्री प्रसिद्ध नारायण यादव
15. मानदेय	409021 / 10.02.15	49000.00	श्री राम प्रसाद, प्रमुख
16. इन्टरनेट	409022 / 10.02.15	4047.00	श्री प्रसिद्ध नारायण यादव
17. मानदेय, कंप्यूटर ऑपरेटर	409023 / 12.02.15	40310.00	श्री अंगद सिंह
18. मानदेय, कंप्यूटर ऑपरेटर	409024 / 04.03.15	6960.00	श्री अंगद सिंह
19. आयकर एवं वैट	409037 / 24.03.15	71395.00	स्वयं लेखाकार
20. आयकर एवं वैट	409038 / 24.03.15	103030.00	स्वयं लेखाकार
21. आयकर एवं वैट	409004 / 23.07.14	140110.00	स्वयं लेखाकार
योग		606991.00	

वित्तीय वर्ष 2015-16:- (क)

क्र०सं० व्यय का विवरण	चेक सं० दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1. डाक टिकट	409045 / 18.04.15	1000.00	श्री बल्केश्वर सिंह, क० लि०
2. मानदेय	409081 / 11.06.15	21170.00	श्री अंगद सिंह
3. प्रचार	000010 / 03.08.15	5119.00	स्वतंत्र चेतना
4. आयकर एवं वैट	000016 / 16.03.16	26476.00	शाखा प्रबंधक, एसबीआई
5. आयकर एवं वैट	000017 / 16.03.16	40536.00	शाखा प्रबंधक, एसबीआई
6. कार्यालय व्यय	409097 / 03.07.15	12079.00	श्री राम किशोर, एडीओ पी

7. प्रकाशन	015473 / 03.08.15	21969.00	स्वतंत्र चेतना
8. आयकर एवं वैट	015479 / 06.08.15	86716.00	शाखा प्रबंधक, एसबीआई
9. आयकर एवं वैट	015480 / 06.08.15	154857.00	शाखा प्रबंधक, एसबीआई
10. कार्यालय व्यय	015483 / 03.08.15	62230.00	मे० नवनीत इलेक्ट्रॉनिक्स — इलेक्ट्रिकल्स
11. कार्यालय व्यय	015484 / 13.08.15	20335.00	मे० सूरज चन्दन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स
12. कार्यालय व्यय	015485 / 13.08.15	29817.00	मे० जी० एस० गुडविल फर्निचर उद्योग
13. डीजल अग्रिम	015494 / 26.08.15	5000.00	श्री प्रसिद्ध नारायण यादव
14. मानदेय	015507 / 02.09.15	14500.00	श्री अंगद सिंह
15. विवरणहीन	015508 / 02.09.15	7190.00	श्री प्रसिद्ध नारायण यादव
16. मानदेय	015518 / 05.11.15	63000.00	श्री राम प्रसाद, प्रमुख
17. मानदेय	015526 / 17.12.15	14500.00	श्री अंगद सिंह
18. मानदेय	015515 / 05.11.15	13920.00	श्री अंगद सिंह
19. आयकर व वैट	015541 / 11.01.16	119739.00	शाखा प्रबंधक, एसबीआई
20. आयकर व वैट	015542 / 11.01.16	211043.00	शाखा प्रबंधक, एसबीआई
21. कार्यालय व्यय	015543 / 11.01.16	13050.00	श्री राम किशोर, एडीओ पी
22. आयकर व वैट	015550 / 05.02.16	58179.00	शाखा प्रबंधक, एसबीआई
23. आयकर व वैट	461741 / 05.02.16	101402.00	शाखा प्रबंधक, एसबीआई
24. मानदेय	461742 / 05.02.16	14500.00	श्री अंगद सिंह
25. विज्ञापन	461751 / 06.02.16	22752.00	सहारा इंडिया
26. आयकर	461752 / 29.02.16	8820.00	शाखा प्रबंधक, एसबीआई
27. वैट	461753 / 29.02.16	15753.00	शाखा प्रबंधक, एसबीआई
28. प्रकाशन / विज्ञापन	461754 / 07.03.16	30459.00	सहारा इंडिया
29. मानदेय	461755 / 09.03.16	7250.00	श्री अंगद सिंह
30. फोटो कॉपी	461758 / 17.03.16	6458.00	श्री राणा प्रताप सिंह
31. मानदेय	461759 / 17.03.16	31825.00	श्री राम प्रसाद, प्रमुख
32. विवरणहीन भुगतान	461756 / 17.03.16	84750.00	मे० शक्ति फोम हाउस
33. मानदेय बीडीसी	461760 / 29.03.16	91500.00	लेखाकार
34. स्टेशनरी —		1412.00	

योग 1419306.00

(ख) दिनांक 28.03.16 को चेक सं० 825060 द्वारा स्वच्छ पेय जल योजना के अंतर्गत अनुदान पंजी द्वितीय के पृष्ठ सं० 50 पर श्री प्रसिद्ध नारायण यादव, भंडार लिपिक को रु० 19500.00 दिया जाना अंकित है ।
समायोजन प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण दर्शित व्यय अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा ।

वित्तीय वर्ष 2016-17:- (राज्य वित्त)

<u>क्र०सं० व्यय का विवरण</u>	<u>चेक सं०/दिनांक</u>	<u>धनराशि</u>	<u>प्राप्तकर्ता</u>
1. टेन्डर	461774 / 18.11.16	5814.00	सहारा इंडिया
2. टेन्डर	461775 / 18.11.16	4641.00	हिंदुस्तान मीडिया
3. विवरणहीन	461776 / 03.01.17	2400.00	मे० लक्ष्मी सेल्स कारपोरेशन
4. आयकर	461782 / 16.03.17	21033.00	शाखा प्रबंधक, एसबीआई
5. वैट	461783 / 16.03.17	37654.00	शाखा प्रबंधक, एसबीआई
6. मानदेय बीडीसी	461784 / 23.03.17	85500.00	श्री प्रसिद्ध नारायण यादव
बीआरजीएफ			
7. आयकर	564417 / 31.08.16	39114.00	शाखा प्रबंधक, एसबीआई
8. वैट	564418 / 31.08.16	69848.00	शाखा प्रबंधक, एसबीआई

इंदिरा आवास प्रशासनिक मद

9. फोटो कॉपी एवं डिजिटल

फोटो	825061 / 24.11.16	35500.00	मे० आजाद डिजिटल फोटो एवं फोटो कॉपी
10. डीजल आदि	825062 / 24.11.16	3750.00	आइडियल फ्यूल
11. स्टेशनरी	825063 / 24.11.16	9302.00	मे० पुस्तक निकेतन
12. फोटो कॉपी	825064 / 27.02.17	5000.00	मे० आजाद डिजिटल फोटो एवं फोटो कॉपी
13. स्टेशनरी	825065 / 20.03.17	698.00	मे० पुस्तक निकेतन
14. डीजल	825066 / 20.03.17	1250.00	आइडियल फ्यूल
योग		321504.00	

(अ) लेखाकार द्वारा स्वयं प्राप्ति दर्शा कर चेक सं० 825051/26.09.14 द्वारा रु० 234107.00 ब्याज की धनराशि को संबंधित लेखा शीर्ष में जमा करने हेतु लिया गया है । लेखा परीक्षा में जमा चालान प्रस्तुत नहीं की गई । दर्शित भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा ।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में प्रशासनिक/कार्यालय व्यय मद में (रु० 606991.00 + 1419306.00 + 321504.00 + 234107.00 + 19500.00) रु० 2601408.00 के दर्शित व्ययों की पुष्टि में समायोजन प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उक्त व्यय अपहरण की श्रेणी में आकलित किए जाते हैं । प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने हेतु वर्तमान लेखाकार श्री प्रसिद्ध नारायण यादव एवं खंड विकास अधिकारी श्री आनंद कुमार गुप्ता जिम्मेदार हैं । प्रमाणक उपलब्ध न होने की दशा में व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है । अस्तु उक्त व्ययों की पुष्टि/नियमानुसार ब्याज सहित वसूली सम्बंधित से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 13)

प्रस्तर सं० 25— लेखा परीक्षा में अन्य मदों में अंकित व्ययों की पुष्टि में संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जो अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा । बिना प्रमाणक व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है । अस्तु संबंधित से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

वर्ष	मद	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
2014-15	सामान्य आर्थिक जनगणना	18300.00	श्री प्रसिद्ध नारायण यादव, लेखाकार व श्री आनंद कुमार गुप्ता, ख० वि० अधि०
2015-16	इंदिरा आवास प्रशासनिक मद	61595.00	श्री प्रसिद्ध नारायण यादव, लेखाकार व श्री आनंद कुमार गुप्ता, ख० वि० अधि०
2015-16	बायोगैस अनुदान	4500.00	श्री प्रसिद्ध नारायण यादव, लेखाकार व श्री आनंद कुमार गुप्ता, ख० वि० अधि०

योग 84395.00

(मूल आ० सं० 2ब 18)

प्रस्तर सं० 26— अनुदान पंजिका द्वितीय के पृष्ठ सं० 53 पर सामाजिक आर्थिक गणना के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी, महाराजगंज के चेक सं० 984821/04.01.2016 द्वारा 333500.00 की धनराशि प्राप्त है । दिनांक 21.01.2016 को चेक सं० 825052 द्वारा लेखाकार ने स्वयं के नाम से चेक प्राप्त कर प्रगणकों को मानदेय देने हेतु अंकित किया है । इस प्रकार यह धनराशि अग्रिम हुई । अनुदान पंजिका तृतीय पर माह जनवरी, 2016 में इस आय व्यय को संबंधित शीर्ष में अंकित न कर लेखाकार ने भ्रामक स्थिति उत्पन्न की है । लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मानदेय वितरण पंजी के अनुसार 18 पर्यवेक्षक को/3000.00 रु० 54000.00 तथा 173 प्रगणकों को/1500.00 रु० 259500.00 का भुगतान किया गया है जिसके संबंध में निम्न आपत्तियां रहीं ।

(अ) वितरित मानदेय का योग 313500.00 मात्र होता है । इस प्रकार अंतर कि धनराशि रु० 20000.00 का समायोजन प्रमाणक अप्राप्त रहा । पुष्टि अपेक्षित है ।

(ब) मानदेय पंजी पर क्रमांक 82, 83, 75, 156 पर कैलाशी (आ० सं०) को चार बार मानदेय दिया जाना अंकित है । इसी प्रकार 38, 56 श्री चन्दन कुमार (स० क०) क्रमांक 114 व 115 पर श्री किशुन यादव (स० क०) क्रमांक 111 व 126 पर श्रीमती सुनीता देवी (स० क०) क्रमांक 127 व 128 पर श्री बलिकरण (स० क०), क्रमांक 107 व 171 पर श्रीमती अनीता सिंह (स० अ०) को दो बार मानदेय/1500.00 की दर से भुगतान किया गया है । एक ही प्रगणक को कई बार मानदेय भुगतान करने के निमित्त कोई स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिस कारण दोबारा भुगतान की गई धनराशि 11×1500.00=

16500.00+ 20000.00 (आ० सं० 19अ) कुल रु० 36500.00 के अपहरण की प्रबल सम्भावना है । मानदेय वितरण की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।
(मूल आ० सं० 2ब 28)

क्षेत्र पंचायत लक्ष्मीपुर लेखा परीक्षा वर्ष— 2011-12 से 13-14

प्रस्तर सं० 27— आलोच्य वर्ष 2011-12 से 13-14 में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मदों से कार्यालय व्यय/प्रशासनिक व्यय अनुदान पंजी ।। के अनुसार किए गए हैं । व्ययों की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में मांगोपरांत भी प्रमाणक/समायोजन प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए । बिना प्रमाणक अंकित व्यय अपहरण की श्रेणी के अंतर्गत है । नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है:—

क्र०सं०	नाम मद	चेक सं०/तिथि	विवरण	धनराशि
1.	राज्य वित्त	976711 / 03.06.11	आयकर जमा 10-11	1866.00
2.	राज्य वित्त	976715 / 25.06.11	शकुंतला पाण्डेय, प्रमुख मानदेय	36000.00
3.	राज्य वित्त	750804 / 31.03.12	आयकर जमा 11-12	6696.00
4.	राज्य वित्त	750803 / 31.03.12	बिक्रीकर जमा 11-12	5495.00
5.	राज्य वित्त	750805 / 21.05.12	ठक सदस्य बैठक भत्ता	60800.00
6.	राज्य वित्त	750806 / 21.05.12	ऑडिट फीस जमा 99-00 से 04-05	40000.00
7.	राज्य वित्त	750817 / 21.01.13	बिक्रीकर जमा	18445.00
8.	राज्य वित्त	976710 / 03.06.11	आयकर जमा 10-11	2956.00
9.	राज्य वित्त	085343 / 31.03.12	आयकर जमा 11-12	2401.00
10.	राज्य वित्त	085346 / 31.03.12	बिक्रीकर जमा 11-12	16675.00
11.	राज्य वित्त	085342 / 26.03.12	नेडा प्रोजेक्ट सोलर लाइट	102570.00
12.	राज्य वित्त	085344 / 31.03.12	आयकर जमा 11-12	20166.00
13.	राज्य वित्त	085345 / 31.03.12	बिक्रीकर जमा 11-12	23391.00
14.	राज्य वित्त	085347 / 27.04.12	फर्नीचर मार्ट गोरखपुर, कुर्सी 150	74399.00
15.	राज्य वित्त	085348 / 27.04.12	शकुंतला पाण्डेय, प्रमुख मानदेय	34355.00
16.	राज्य वित्त	123861 / 24.01.13	बिक्रीकर जमा	37226.00
17.	राज्य वित्त	123863 / 31.03.13	बीडीसी सदस्य बैठक भत्ता, अग्रिम लेखाकार	33600.00
18.	राज्य वित्त	123865 / 31.03.13	आयकर जमा	20822.00
19.	राज्य वित्त	074312 / 21.02.13	बिक्रीकर जमा	22150.00
20.	राज्य वित्त	074321 / 21.03.13	आयकर जमा	12403.00
21.	राज्य वित्त	074326 / 22.03.13	अमर उजाला टेन्डर	4796.00
22.	राज्य वित्त	074322 / 21.03.13	आयकर जमा	12872.00
23.	राज्य वित्त	074323 / 21.03.13	बिक्रीकर जमा	18620.00
24.	बीआरजीएफ	085379 / 02.07.13	आयकर जमा	3920.00
25.	राज्य वित्त	593230 / 01.08.13	पुस्तक निकेतन स्टेशनरी	9990.00
26.	राज्य वित्त	593233 / 16.08.13	पुस्तक निकेतन स्टेशनरी	5000.00
27.	राज्य वित्त	593234 / 16.08.13	आयकर जमा	11583.00
28.	राज्य वित्त	593235 / 16.08.13	बिक्रीकर जमा	3209.00
29.	राज्य वित्त	593237 / 31.10.13	कार्यालय व्यय वीरेन्द्र प्रताप	1245.00
30.	राज्य वित्त	593238 / 13.11.13	कार्यालय व्यय वीरेन्द्र प्रताप	2985.00
31.	राज्य वित्त	593239 / 13.11.13	हिंदुस्तान मीडिया टेन्डर	6883.00
32.	राज्य वित्त	593240 / 13.11.13	विनोद त्रिपाठी संगणक	19484.00
33.	राज्य वित्त	593241 / 07.12.13	हिंदुस्तान मीडिया टेन्डर	4788.00
34.	राज्य वित्त	593242 / 07.12.13	सतीश पाण्डेय प्रमुख मानदेय	60000.00
35.	राज्य वित्त	593243 / 21.12.13	पुस्तक निकेतन स्टेशनरी	5000.00
36.	राज्य वित्त	593244 / 21.12.13	कार्यालय व्यय विनोद पाण्डेय	1600.00
37.	राज्य वित्त	593245 / 01.01.14	विनोद त्रिपाठी संगणक	12800.00
38.	राज्य वित्त	593246 / 01.02.14	पुस्तक निकेतन स्टेशनरी	5000.00

39.	राज्य वित्त	593247 / 01.03.14	विनोद त्रिपाठी संगणक	13567.00
40.	पेड़ नीलामी	593321 / 01.07.13	शा० प्र० पीजीबी लक्ष्मीपुर रिसीट हेड में जमा	19900.00
41.	13वा वित्त	013091 / 31.03.14	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा आयकर जमा	30829.00
42.	13वा वित्त	013092 / 31.03.14	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा बिक्रीकर जमा	51498.00
43.	13वा वित्त	647741 / 10.06.13	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा बिक्रीकर जमा	33438.00
44.	13वा वित्त	647742 / 10.06.13	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा बिक्रीकर जमा	54411.00
45.	13वा वित्त	013038 / 28.01.14	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा बिक्रीकर जमा	117964.00
46.	13वा वित्त	013041 / 28.01.14	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा आयकर जमा	82495.00
47.	राज्य वित्त	647738 / 10.06.13	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा आयकर जमा	33523.00
48.	राज्य वित्त	647739 / 10.06.13	शा० प्र० एसबीआई बिक्रीकर जमा	48446.00
49.	राज्य वित्त	013037 / 28.01.14	शा० प्र० एसबीआई बिक्रीकर जमा	84291.00
50.	राज्य वित्त	013039 / 28.01.14	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा आयकर जमा	4820.00
51.	राज्य वित्त	013086 / 31.03.14	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा आयकर जमा	55937.00
52.	राज्य वित्त	013040 / 28.01.14	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा आयकर जमा	67586.00
53.	राज्य वित्त	013090 / 31.03.14	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा बिक्रीकर जमा	81066.00
54.	पेयजल स्वच्छता	717801 / 17.07.13	श्री मिलिंद चौधरी एडीओ आईएसबी	17500.00
55.	पेयजल स्वच्छता	717802 / 26.07.13	पुस्तक निकेतन विवरणहीन	17784.00
56.	पेयजल स्वच्छता	717803 / 03.08.13	श्री मिलिंद चौधरी एडीओ आईएसबी	13015.00
57.	सा० आ० गणना	267751 / 04.12.13	प्रगणक मानदेय पीएनबी नौतनवा	444000.00
58.	सा० आ० गणना	267752 / 18.12.13	प्रगणक मानदेय एसबीआई लक्ष्मीपुर	1024800.00
59.	सा० आ० गणना	267753 / 18.12.13	प्रगणक मानदेय पीजीबी लक्ष्मीपुर	164700.00
60.	सा० आ० गणना	267754 / 18.12.13	प्रगणक मानदेय एनएसबी समरधीरा	682800.00
61.	सा० आ० गणना	267756 / 01.01.14	प्रगणक मानदेय पीजीबी मरुपाकड़	18300.00
62.	सा० आ० गणना	267757 / 20.02.14	प्रगणक मानदेय पीजीबी लक्ष्मीपुर	29600.00
63.	बीआरजीएफ	947788 / 16.07.13	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा आयकर जमा	58580.00
64.	बीआरजीएफ	947835 / 13.02.14	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा बिक्रीकर जमा	123082.00
65.	बीआरजीएफ	947836 / 13.02.14	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा आयकर जमा	98278.00
66.	बीआरजीएफ	947853 / 31.03.14	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा आयकर जमा	18620.00
67.	बीआरजीएफ	947854 / 31.03.14	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा बिक्रीकर जमा	16341.00
योग				4458462.00
				(मूल आ० सं० 2ब 1)

प्रस्तर सं० 28— अनुदान पंजी ।। के अनुसार ब्याज से अर्जित आय को रिसीट हेड में जमा करने का व्यय अंकित किया गया है । विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	चेक सं०/तिथि	विवरण	धनराशि
1.	242710 / 20.09.11	शौचालय मद का ब्याज शा० प्र० लक्ष्मीपुर को जारी, जमा करने हेतु	43872.00
2.	976719 / 20.09.11	राज्य वित्त/बारहवाँ वित्त के ब्याज की धनराशि जमा करने हेतु शा० प्र० लक्ष्मीपुर को जारी	61853.00
3.	339910 / 20.09.11	सांसद निधि के ब्याज की धनराशि जमा करने हेतु शा० प्र० लक्ष्मीपुर को जारी	13849.00
योग			119574.00

उक्त जमा की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में जमा की रसीद एवं पुष्टि पत्र/सीटीआर प्रस्तुत नहीं किया गया । बिना प्रमाणक व्यय का अंकित किया जाना अपहरण की श्रेणी के अंतर्गत आता है । जिस हेतु लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं । ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित हैं ।

(मूल आ० सं० 2ब 4)

प्रस्तर सं० 29— क्षेत्र पंचायत के वर्ष 11-12 से 13-14 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि कतिपय निर्माण कार्य पत्रावली में कार्य विस्तार किया गया है तथा दो बार एस्टीमेट तैयार करा कर स्वीकृत करते हुए व्यय का भुगतान किया गया है । विवरण निम्नवत है:-

(क) पुरन्दरपुर सोनबरसा परसा पाण्डेय टोला डीहवा के दक्षिण सलाम के घर से पुलिया तक इंटरलॉकिंग कार्य—

- (I) प्रथम बार 200मी०— कार्यप्रभारी श्री दिनेश राय, प्रभारी एडीओ पी नियुक्ति पत्रांक 470/23.10.13, अनुमानित लागत रु० 5.75 लाख कार्यावधि 06.11.13 से 31.12.13 तथा व्यय धनराशि रु० 560269.00
(II) द्वितीय बार 130 मी०— कार्यप्रभारी श्री दिनेश राय, प्रभारी एडीओ पी नियुक्ति पत्रांक 584 ए/06.12.13, अनुमानित लागत रु० 3.71 लाख कार्यावधि 24.12.13 से 13.01.14 तथा व्यय धनराशि रु० 364782.00

(ख) एकमा पैसिया पीडब्लूडी सड़क गया के घर से मस्जिद होते हुए प्रा० पा० तक इंटरलॉकिंग कार्य—

- (I) प्रथम बार 300 मी०— कार्यप्रभारी श्री मिलिंद चौधरी एडीओ आईएसबी नियुक्ति पत्रांक 470/23.10.13, अनुमानित लागत रु० 8.72 लाख कार्यावधि 27.10.13 से 03.12.13 तथा व्यय धनराशि रु० 851748.00
(II) द्वितीय बार 90 मी०— कार्यप्रभारी श्री मिलिंद चौधरी एडीओ आईएसबी नियुक्ति पत्रांक 584 ए/06.12.13, अनुमानित लागत रु० 3.61 लाख कार्यावधि 01.01.14 से 14.01.14 तथा व्यय धनराशि रु० 276427.0

(ग) गुजरौलिया शंकर मिश्र में बिल्लू के घर से प्रभु के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य—

- (I) प्रथम बार 200 मी०— कार्यप्रभारी श्री दिनेश राय, प्रभारी एडीओ पी नियुक्ति पत्रांक 820/21.02.14, अनुमानित लागत रु० 5.95 लाख कार्यावधि 05.03.14 से 11.03.14 तथा व्यय धनराशि रु० 585487.00
(II) द्वितीय बार 12 मी०— कार्यप्रभारी श्री दिनेश राय, प्रभारी एडीओ पी नियुक्ति पत्रांक 356 ए/30.09.14, अनुमानित लागत रु० 0.33 लाख कार्यावधि 01.11.14 से 10.11.14 तथा व्यय धनराशि रु० 32553.00

(घ) पिपरहवा में बुध्दिराम के घर से चरणजीत के घर होते हुए बुन्ने के घर के आगे तक इंटरलॉकिंग कार्य—

- (I) प्रथम बार 200मी०— कार्यप्रभारी श्री दिनेश राय, प्रभारी एडीओ पी नियुक्ति पत्रांक 584 ए/06.12.13, अनुमानित लागत रु० 5.75 लाख कार्यावधि 12.12.13 से 08.01.14 तथा व्यय धनराशि रु० 563171.00
(II) द्वितीय बार 9 मी०— कार्यप्रभारी श्री दिनेश राय, प्रभारी एडीओ पी नियुक्ति पत्रांक 643/16.01.14, अनुमानित लागत रु० 0.21 लाख कार्यावधि 17.01.14 से 23.01.14 तथा व्यय धनराशि रु० 20729.00

(च) राजधानी में त्रिलोकी के घर होते हुए प्रकाश के घर हो कर मेन सड़क तक इंटरलॉकिंग कार्य—

- (I) प्रथम बार 200मी०— कार्यप्रभारी श्री श्रीराम एडीओ एजी नियुक्ति पत्रांक 470/22.10.13, अनुमानित लागत रु० 5.75 लाख कार्यावधि 01.11.13 से 28.11.13 तथा व्यय धनराशि रु० 562245.00
(II) द्वितीय बार 140 मी०— कार्यप्रभारी श्री श्रीराम एडीओ एजी नियुक्ति पत्रांक 584 ए/06.12.13, अनुमानित लागत रु० 4.48 लाख कार्यावधि 10.12.13 से 30.12.13 तथा व्यय धनराशि रु० 444627.00

उपरोक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियों की जांच में निम्न आपत्तियाँ प्रमुख हैं:—

- (अ) कराए गए विस्तारीकरण कार्य वर्ष की वित्तीय कार्ययोजना में था या नहीं, कार्ययोजना अप्राप्त रहने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी ।
(ब) ऐसे क्या कारण थे कि एक ही कार्य को तोड़ कर दो बार एस्टीमेट तैयार करा कर कार्य संपन्न कराया गया इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया ।
(स) यदि जनहित में कार्य विस्तार आवश्यक था तो स्थानीय नागरिकों के कार्य विस्तार हेतु खंड विकास अधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र, कार्यप्रभारी का उक्त प्रार्थना पत्रों के साथ कार्य विस्तार हेतु आवेदन पत्र, अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय जांच करते हुए कार्य विस्तार के औचित्य हेतु निरीक्षण रिपोर्ट आदि का पत्रावली में होना आवश्यक था । एतदर्थ कोई प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है ।
(द) प्रथम बार के कार्यों के कोटेशन के आधार पर ही द्वितीय पार्ट में भी संबंधित फर्मों से निर्माण कार्य सामग्री प्राप्त कर भुगतान किया गया है । कार्य विस्तार हेतु फर्मों की पुनः निविदा एवं उन्हें सामग्री आपूर्ति के आदेश निर्गमन से संबंधित कोई प्रपत्र पत्रावली में नहीं है ।
(य) पत्रावली में टेन्डर/कोटेशन से संबंधित समस्त प्रपत्र संलग्न नहीं हैं वरन टेन्डर पत्रावली अलग से तैयार किया गया है जो कदापि उचित नहीं है ।
(र) पत्रावली में कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है ।
(ल) नियमानुसार प्रस्तावित कार्यस्थल का सम्यक निरीक्षण करने के बाद ही विकास खंड स्तर से अनुमानित लागत का प्रस्ताव करके स्वीकृत एवं अनुमोदन हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाता है । ऐसे में स्पष्ट है कि या तो बिना स्थलीय जांच किए ही अनुमानित लागत तैयार किया गया है या फिर निहित लाभार्थ कार्य विस्तार करते हुए द्वितीय पार्ट में कार्य कराने की औपचारिकता पूर्ण की गई है । इस

संबंध में लेखाकार द्वारा कोई तथ्यपरक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

(व) क्रमांक 5 पर अंकित कार्य को कार्य पंजिका में अंकित भी नहीं किया गया है ।

उपरोक्त के आधार पर यह स्वतः स्पष्ट है कि द्वितीय पार्ट में कार्य विस्तार करते हुए निर्माण कार्यो पर व्यय की गई धनराशि रु० 1139118.00 (364782.00+276427.00+32553.00+20729.00+444627.00) अवास्तविक रही है। अस्तु संबंधित कार्यप्रभारी, लेखाकार, अवर अभियन्ता एवं खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही एवं ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है । (मूल आ० सं० 2ब 5)

प्रस्तर सं० 30— वित्तीय वर्ष 13-14 की राज्य वित्त की निर्माण कार्य पत्रावली पुरन्दरपुर सोनबरसा परसा पाण्डेय टोला डीहवा के दक्षिण सलाम के घर से पुलिया तक इंटरलॉकिंग कार्य (200 मी०+130मी०) में संलग्न मस्टर रोल की जांच में पाया गया कि मस्टर रोल क्रमांक 15432 पर कार्यावधि 25.12.13 से 31.12.13 अंकित है जिसके अनुसार 14 श्रमिकों को 86 मानव दिवस की मजदूरी रु० 14808.00 का भुगतान किया गया है । इसी कार्य के दूसरे पार्ट में मस्टर रोल क्रमांक 15433 पर कार्यावधि 24.12.13 से 30.12.13 अंकित है तथा रु० 17220.00 की मजदूरी भुगतान की गई है तथा मस्टर रोल क्रमांक 15434 पर कार्यावधि 31.12.13 से 06.01.14 तक मजदूरों को कार्यरत दर्शाते हुए रु० 17220.00 भुगतान किया गया है । उक्त तीनों मस्टर रोलों पर कार्यरत समस्त 14 श्रमिकों (मिस्त्री एवं मजदूर) के नाम एक समान पाए गए । विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं० नाम श्रमिक मस्टर रोल 15433 मस्टर रोल 15434 दिन/दर भुगतान 24 से 30.12.

1331.12 से 06.01.14

1. राजेन्द्र, मिस्त्री	617 / 260.00	1820.00
2. शिव शंकर, मिस्त्री	617 / 260.00	1820.00
3. मो० हसन, मिस्त्री	617 / 260.00	1820.00
4. मेहंदी, मिस्त्री	1-1 / 260.00	260.00
5. सूरज, मजदूर	617 / 142.00	994.00
6. भोला, मजदूर	617 / 142.00	994.00
7. रामअवतार, मजदूर	617 / 142.00	994.00
8. रामचरण, मजदूर	617 / 142.00	994.00
9. रामस्वरूप, मजदूर	617 / 142.00	994.00
10. मेवा, मजदूर	617 / 142.00	994.00
11. बादल, मजदूर	617 / 142.00	994.00
12. पीर मोहम्मद, मजदूर	617 / 142.00	994.00
13. लालतू, मजदूर	617 / 142.00	994.00
14. शहबान, मजदूर	1 -1 / 142.00	142.00

योग 14808.00

उपरोक्त समस्त श्रमिक प्रथम पार्ट में मस्टर रोल क्रमांक 15432 पर भी कार्यरत दर्शाए गए हैं । जिससे स्पष्ट है कि द्वितीय पार्ट में मस्टर रोल द्वारा भुगतान की गई धनराशि रु० 14808.00 फर्जी है एवं अपहरण की श्रेणी के अंतर्गत आती है। अस्तु उक्त की कार्यप्रभारी श्री दिनेश राय, लेखाकार श्री रामसंत प्रसाद, अवर अभियन्ता श्री शिव कुमार सिंह एवं खंड विकास अधिकारी श्री दिग्विजय नाथ तिवारी से नियमानुसार कार्यवाही एवं ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ० सं० 2ब 6)

प्रस्तर सं० 31— लेखा परीक्षा में मांगोपरांत भी मनरेगा से संबंधित समस्त अभिलेख यथा निर्माण कार्य पत्रावली, अनुदान पंजी कार्य पंजी, प्रशासनिक व्ययों से संबंधित प्रमाणकए समायोजन प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण अनुदान पंजी पर अंकित मनरेगा से संबंधित समस्त आय एवं व्ययों की जांच व समीक्षा न की जा सकी। अभिलेख प्रस्तुत न करने हेतु वर्तमान लेखाकार श्री रामसंत प्रसाद एवं खंड विकास अधिकारी श्रीमती बसंती देवी मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। अनुदान पंजी के अनुसार वर्षवार एवं मदवार व्यय निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम मद	2011-12	2012-13	2013-14
1.	मनरेगा क्षेत्र पंचायत अंश	2685439.00	2664628.00	2169267.89

2. मनरेगा प्रशासनिक	1776164.00	1514446.00	584270.00
3. मनरेगा बोरिंग मजदूरी	1846300.00	537975.00	6413.00
योग	6307903.00	4717049.00	2759951.49

मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत व्यय की धनराशि रु० 13784903.49 के आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है । अस्तु उक्त व्ययों की पुष्टि/नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 7)

प्रस्तर सं० 32— वित्तीय वर्ष 13-14 की तेरहवाँ वित्त अनुदान से कृत निर्माण कार्य पत्रावली मदरहा ककटही में उत्तम के घर से काली स्थान तक इंटरलॉकिंग कार्य (200 मी०) की जांच में पाया गया कि अनुमानित लागत में उल्लिखित सामग्री से अधिक निर्माण सामग्री क्रय कर भुगतान किया गया है । विवरण निम्नवत है:—

क्र०सं०	सामग्री अनुमानित लागत की मात्रा	क्रय की मात्रा	अंतर मात्रा व दर	अधिक भुगतान
1.	इंटरलॉकिंग ईंट 16520 नग	16800 नग	280 नग/18.50	5180.00
2.	महीन बालू 27.30घनमी०	28घनमी०	0.70घनमी०/980.00	686.00
योग				5866.00

इस प्रकार सक्षम अधिकारियों को बिना सूचित किए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के ही अनुमानित लागत से अधिक सामग्री क्रय कर रु० 5866.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु कार्यप्रभारी श्री श्रीराम एडीओ एजी, अवर अभियन्ता श्री शिव कुमार सिंह, लेखाकार श्री रामसंत प्रसाद एवं खंड विकास अधिकारी श्री दिग्विजय नाथ तिवारी उत्तरदायी हैं । नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 9)

प्रस्तर सं० 33— वित्तीय वर्ष 13-14 की तेरहवाँ वित्त निर्माण कार्य पत्रावली सोढ़ी में बिहारी के घर के आगे तक इंटरलॉकिंग कार्य (200 मी०) की जांच में पाया गया कि अनुमानित लागत में मजदूरी की लागत रु० 67192.00 मात्र है जबकि संलग्न मस्टर रोल क्रमांक 15424 से 15427 दिनांक 06.11.13 से 25.12.13 तक के द्वारा मजदूरी मद में रु० 67674.00 का भुगतान किया गया है । इस प्रकार लागत से अधिक रु० 482.00 मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारी श्री मिलिंद चौधरी एडीओ आईएसबी द्वारा किया गया है । जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री मिलिंद चौधरी एडीओ आईएसबी से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 10)

प्रस्तर सं० 34— वित्तीय वर्ष 13-14 की तेरहवाँ वित्त निर्माण कार्य पत्रावली एकमा पैसिया पीडब्लूडी सड़क गया के घर से मस्जिद होते हुए प्रा० पा० तक इंटरलॉकिंग कार्य (200 मी० 90 मी०) की पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल की जांच में पाया गया कि प्रथम बार 200 मी० की कार्यावधि दिनांक 27.10.13 से 03.12.13 तक के मस्टर रोल रु० 97672.00 पर कार्यरत श्रमिक श्री मुकेश पुत्र राजमन ने अगूठे की निशानी लगा कर भुगतान प्राप्त किया गया है जबकि द्वितीय बार की कार्यावधि दिनांक 01.01.14 से 14.01.14 तक के मस्टर रोल रु० 32452.00 पर श्रमिक श्री मुकेश पुत्र राजमन के स्पष्ट हस्ताक्षर हैं । इस प्रकार 27.10.13 से 03.12.13 की कार्यावधि कुल 35 दिनों तक श्री मुकेश पुत्र राजमन को कार्यरत दर्शा कर भुगतान का किया जाना अवास्तविक एवं फर्जी है । क्योंकि मात्र एक माह के अन्दर ही कोई इतना साक्षर कैसे हो गया इसका कोई स्पष्टीकरण लेखाकार द्वारा नहीं दिया जा सका । अस्तु रु० 260.00 की दर से मिस्त्री श्री मुकेश को भुगतान की गई धनराशि रु० 9100.00 की ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी श्री मिलिंद चौधरी एडीओ आईएसबी, अवर अभियन्ता श्री शिव कुमार सिंह, लेखाकार श्री रामसंत प्रसाद एवं खंड विकास अधिकारी श्री दिग्विजय नाथ तिवारी से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 11)

प्रस्तर सं० 35— राज्य वित्त अनुदान से संबंधित वर्ष 13-14 के निर्माण कार्य पत्रावली बैरवा जंगल में पाँचों पांडव टोला के सामने 3 मी० स्पांन आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि संलग्न भुगतान प्रमाणकों के अनुसार निर्माण सामग्री दिनांक 22.12.13 से 10.01.14 के मध्य क्रय की जा चुकी थी तथा दिनांक 24.12.03 से 23.01.14 की कार्यावधि का मस्टर रोल प्रस्तुत कर रु० 43358.00 मजदूरी वितरण करने का भुगतान कार्यप्रभारी श्री मिलिंद चौधरी एडीओ आईएसबी ने प्राप्त किया था । पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल क्रमांक 15467 द्वारा कार्यावधि दिनांक 22.11.14 से 28.11.14 में मजदूरों को कार्यरत दर्शा कर रु० 11928.00 का भुगतान कार्यप्रभारी द्वारा प्राप्त किया गया है । दिनांक 23.01.14 के लगभग 10 माह बाद पुलिया निर्माण से संबंधित कौन सा अवशेष कार्य पूर्ण कराया गया इसका न तो

मस्टर रोल पर उल्लेख है और न ही इसका कोई स्पष्टीकरण ही प्रस्तुत किया गया कि बिना सामग्री क्रय किए कौन सा अवशेष कार्य कराया गया है । इस कार्य के अनुमानित लागत में श्रमांश पर अनुमानित व्यय रु० 0.68 लाख रही है । लेखा परीक्षा के अनुसार संभवतः अनुमानित लागत में दर्शित श्रमांश की धनराशि के सापेक्ष मजदूरी पर व्यय कम होने के कारण फर्जी मस्टर रोल तैयार कर मजदूरी भुगतान करते हुए आपसी मिलीभगत कर अनुदान की धनराशि (2328.00+11928.00) कुल रु० 14256.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु कार्यप्रभारी श्री श्रीराम एडीओ एजी (रु० 2328.00) के लिए व कार्यप्रभारी श्री मिलिंद चौधरी एडीओ आईएसबी (रु० 11928.00) के लिए तथा अवर अभियन्ता श्री शिव कुमार सिंह, लेखाकार श्री रामसंत प्रसाद एवं खंड विकास अधिकारी श्री दिग्विजय नाथ तिवारी उत्तरदायी रहे हैं । नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 13)

प्रस्तर सं० 36— राज्य वित्त अनुदान से संबंधित वर्ष 13-14 के निर्माण कार्य पत्रावली पुरन्दरपुर में खडंजा रोड पर रामचंदर के घर से आगे 2 मी० स्पान आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि संलग्न अनुमानित लागत में जल निकासी हेतु कोई प्रावधान नहीं है जबकि श्री सूबेदार पुत्र मंसूर को जल निकासी हेतु रु० 4000.00 का भुगतान किया गया है तथा संबंधित व्यय प्रमाणक पर कार्यप्रभारी श्री दिनेश राय एडीओ पी ने भुगतान देना अंकित कर हस्ताक्षर किया है । उल्लेखनीय है खंड विकास अधिकारी कार्यालय से निर्गत आदेश में स्पष्ट अंकित है कि अनुमानित लागत से अधिक क्रय/भुगतान की जिम्मेदारी कार्यप्रभारी की होगी । इसके बाद भी बिना पूर्व स्वीकृति के एवं संशोधित लागत के व्यय किया गया है जो आपत्तिजनक है । यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यप्रभारी को रु० 54764.00 का भुगतान चेक सं० 013025 से दिनांक 21.01.14 को किया गया है जिसमें रु० 50764.00 मजदूरी एवं रु० 4000.00 जल निकासी का भुगतान है तथा कार्य पंजिका पर उक्त समस्त भुगतान रु 54764.00 को मजदूरी मद में अंकित किया गया है । स्पष्ट है कि उक्त रु० 4000.00 का भुगतान अवास्तविक तथा फर्जी है तथा वास्तविकता को छुपाने के उद्देश्यों से कार्य पंजिका पर वास्तविक व्यय के स्थान पर मजदूरी भुगतान दर्शाया गया है । अस्तु कार्यप्रभारी श्री दिनेश राय, अवर अभियन्ता श्री शिव कुमार सिंह, लेखाकार श्री रामसंत प्रसाद एवं खंड विकास अधिकारी श्री दिग्विजय नाथ तिवारी से नियमानुसार रु० 4000.00 की अवास्तविक भुगतान की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 14)

प्रस्तर सं० 37— लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान पंजी ।।। पर बीआरजीएफ अनुदान से संबंधित व्ययों की अंकित धनराशि की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किए गए । व्यय प्रमाणक, स्वीकृत आदेश, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र आदि के लेखा परीक्षा में मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं होने के कारण बीआरजीएफ अनुदान से सम्बंधित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी । इस हेतु वर्तमान लेखाकार श्री रामसंत प्रसाद एवं खंड विकास अधिकारी श्रीमती बसंती देवी उत्तरदायी हैं । अस्तु विभागीय कार्यवाही एवं ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । विवरण निम्नवत है:—

क्र०सं० वित्तीय वर्ष **अनुदान पंजी ।।। के अनुसार व्यय**

1.	2011-12	4005653.00
2.	2012-13	4682684.00
3.	2013-14	6279685.00

योग **14968022.00**

(मूल आ० सं० 2ब 15)

प्रस्तर सं० 38— तेरहवाँ वित्त 13-14 के निर्माण कार्य पत्रावली राजधानी में त्रिलोकी के घर होते हुए प्रकाश के घर से हो कर मेन सड़क तक इंटरलॉकिंग कार्य के अनुसार कार्य को दो पार्ट में तोड़ कर प्रथम बार 200 मी० पर व्यय रु० 562245.00 तथा द्वितीय बार में 140 मी० कार्य पर व्यय रु० 444627.00 किया गया है । इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य पर कुल व्यय रु० 1006872.00 किया गया है । उक्त पत्रावली में कार्यस्थल पर साइन बोर्ड का फोटो नहीं लगाया गया है । साथ ही पत्रावली में साइन बोर्ड पर हुए व्यय के भुगतान का प्रमाणक भी संलग्न नहीं है । उक्त निर्माण कार्य को कार्य पंजिका पर अंकित नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक निर्माण कार्य को कार्य पंजिका एवं परिसंपत्ति पंजिका पर अंकित किया जाना चाहिए । कार्य पंजी पर प्रमाणकवार उक्त कार्य को अंकित न किए जाने से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य अवास्तविक एवं काल्पनिक है तथा दर्शित समस्त व्यय रु० 1006872.00 की धनराशि फर्जी है । उक्त प्रकरण हेतु कार्यप्रभारी श्री श्रीराम प्रभारी एडीओ एजी, अवर अभियन्ता श्री शिव कुमार सिंह, लेखाकार श्री

रामसंत प्रसाद एवं खंड विकास अधिकारी श्री दिग्विजय नाथ तिवारी उत्तरदायी हैं । अतएव नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।
(मूल आ० सं० 2ब 16)

प्रस्तर सं० 39— अनुदान पंजी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में सा० आ० जनगणना मद से निम्न विवरणानुसार रु० 18500.00 का व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	चेक सं०/तिथि	धनराशि	व्यय का विवरण
1.	593317 / 16.12.12	1967.00	श्री विनोद पाण्डेय, लेखाकार को भुगतान
2.	593319 / 31.01.13	8780.00	श्री मिलिंद चौधरी, एडीओ आईएसबी को भुगतान
3.	593320 / 19.03.13	7753.00	श्री मिलिंद चौधरी, एडीओ आईएसबी को भुगतान
योग		18500.00	

उक्त से संबंधित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । बिना व्यय प्रमाणक/पुष्टिपत्र के व्यय अपहरण के अंतर्गत आता है। अस्तु कार्यवाही एवं ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। प्रमाणक प्रस्तुत न करने हेतु लेखाकार श्री रामसंत प्रसाद एवं वर्तमान खंड विकास अधिकारी श्रीमती बसंती देवी उत्तरदायी हैं ।
(मूल आ० सं० 2ब 17)

प्रस्तर सं० 40— लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किराया पंजी के अनुसार वर्ष 11-12 में रु० 3734.00 वर्ष 12-13 में रु० 11682.00 तथा वर्ष 13-14 में रु० 3960.00 नकद किराया ब्याज सहित वसूली किया गया है । किराया प्राप्त के निमित्त निर्गत रसीद की कार्यालय प्रति एवं नकद रोकड़ बही उक्त की पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में प्रश्न करने पर लेखाकार ने बताया कि धनराशि नकद प्राप्त कर क्षेत्र निधि खाता में जमा कर दी जाती है। उक्त कथन की पुष्टि में क्षेत्र निधि खाता पासबुक एवं जमा रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वर्ष में प्राप्त किराया रु० 19376.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस हेतु लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है
(मूल आ० सं० 2ब 18)

प्रस्तर सं० 41— लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किराया पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 13-14 से किराए में तीन गुना वृद्धि की गई तथा उसके अनुसार किराया वसूल किया जा रहा है । शासनादेश सं० 260(दो) ई.जी./23.05.13-5050(71) ई.जी./13.03.18 के अनुसार अप्रैल 13 से समस्त आबंटित मकानों का किराया तीन गुने आधार पर वसूल किया जाना है । परन्तु कतिपय कर्मचारी से तीन गुना किराया की ब्याज सहित वसूली न कर क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुंचाई गई है । इस हेतु लेखाकार श्री रामसंत प्रसाद एवं खंड विकास अधिकारी श्रीमती मंजू त्रिवेदी व श्री दिग्विजय नाथ तिवारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम कर्मचारी	विवरण	धनराशि
1.	श्री परशुराम मणि त्रिपाठी पुराना दर/210.00 नया दर/630.00	अप्रैल 13 से मार्च 14 तक 12 माह रु० 5040.00	
2.	श्री राजेन्द्र चौधरी पुराना दर/120.00 नया दर/360.00	अप्रैल 13 से मार्च 14 तक 12 माह रु० 2880.00	
3.	श्री दिनेश राय, प्रभारी एडीओ पी पुराना दर/120.00 नया दर/360.00	अप्रैल 13 से दिसम्बर 13 तक 9 माह रु० 2160.00	योग 10080.00

अस्तु उपरोक्त विवरणानुसार मांग लगा कर संबंधित कर्मचारी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए । अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए । ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।
(मूल आ० सं० 2ब 19)

क्षेत्र पंचायत लक्ष्मीपुर लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 16-17

प्रस्तर सं० 42— लेखा परीक्षा में मांगोपरांत भी बीआरजीएफ अनुदान से संबंधित निर्माण कार्य पत्रावली एवं समायोजन प्रमाणक तथा मनरेगा क्षेत्र पंचायत अंश, मनरेगा प्रशासनिक मद से किए गए व्ययों से संबंधित पुष्टि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए इस हेतु वर्तमान लेखाकार श्री रामसंत प्रसाद एवं खंड विकास अधिकारी श्रीमती बसंती देवी उत्तरदायी हैं । बिना प्रमाणक, पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं स्वीकृत आदेश आदि के व्यय अपहरण की श्रेणी के अंतर्गत आता है । विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं० मद का नाम	वर्ष 14-15	वर्ष 15-16	वर्ष 16-17
1. बीआरजीएफ	6042538.00	5623449.00	234567.00
2. मनरेगा क्षेत्र पंचायत अंश	—	10234.00	—

3. मनरेगा प्रशासनिक मद	2905786.00	970802.00	3500761.00
योग	8948324.00	6604485.00	3735328.00

उपरोक्त धनराशि रु० 19288137.00 के व्ययों के औचित्य की पुष्टि हेतु सघन जांच की आवश्यकता है ।
उत्तरदायित्व का निर्धारण कर संबंधित खंड विकास अधिकारी, लेखाकार, कार्यप्रभारी एवं अवर अभियन्ता से
ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है (मूल आ० सं० 2ब 1)

प्रस्तर सं० 43— अनुदान पंजिका— ।। पर अंकित प्रशासनिक एवं अन्य मदों से संबंधित व्ययों की पुष्टि हेतु
समायोजन प्रमाणक/पुष्टिपत्र मांगोपरांत भी पटल प्रभारी द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।
अंकित व्ययों का विवरण निम्नवत है :—

क्र०सं०	मद का नाम	भुगतान का विवरण	चेक सं० तिथि	धनराशि
1.	राज्य वित्त	विनोद कुमार त्रिपाठी, संगणक	593248 / 05.05.14	13119.00
2.	राज्य वित्त	दिनेश राय, एडीओ पी, इन्टरनेट बिल	593249 / 17.05.14	4231.00
3.	राज्य वित्त	लेखाकार बीडीसी सदस्यों को बैठक भत्ता	593250 / 13.06.14	58800.00
4.	राज्य वित्त	लेखाकार बीडीसी सदस्यों को बैठक भत्ता	268951 / 13.06.14	6200.00
5.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन, महाराजगंज, स्टेशनरी क्रय	268952 / 16.06.14	5000.00
6.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन, महाराजगंज, स्टेशनरी क्रय	268953 / 20.06.	145000.00
7.	राज्य वित्त	हिंदुस्तान मीडिया, टेन्डर	268963 / 07.01.15	4778.00
8.	राज्य वित्त	हिंदुस्तान मीडिया, टेन्डर	268964 / 06.04.15	1138.00
9.	राज्य वित्त	विनोद कुमार त्रिपाठी, संगणक	268954 / 21.06.14	6452.00
10.	राज्य वित्त	विनोद कुमार त्रिपाठी, संगणक	268955 / 02.08.14	13377.00
11.	राज्य वित्त	दिनेश राय, एडीओ पी, फोन बिल	268956 / 02.08.14	1732.00
12.	राज्य वित्त	दिनेश राय, एडीओ पी, डीजल	268957 / 27.08.14	2240.00
13.	राज्य वित्त	दिनेश राय, एडीओ पी, फोन बिल	268958 / 15.09.14	1011.00
14.	राज्य वित्त	दिनेश राय, एडीओ पी, फोन बिल	268960 / 20.10.14	1060.00
15.	राज्य वित्त	दिनेश राय, एडीओ पी, इन्टरनेट बिल	268962 / 07.01.15	7978.00
16.	राज्य वित्त	विनोद कुमार त्रिपाठी, संगणक	268959 / 04.10.14	13119.00
17.	राज्य वित्त	विनोद कुमार त्रिपाठी, संगणक	268961 / 10.12.14	13901.00
18.	राज्य वित्त	सतीश पाण्डेय, प्रमुख मानदेय	702539 / 31.03.15	112000.00
19.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन, महाराजगंज, स्टेशनरी क्रय	702540 / 31.03.15	5000.00
20.	राज्य वित्त	विनोद कुमार त्रिपाठी, संगणक	702542 / 31.03.15	7142.00
21.	राज्य वित्त	मे० बंका ऑटो, आनंदनगर	702479 / 20.10.14	12700.00
22.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन, महाराजगंज, स्टेशनरी क्रय	702480 / 20.10.14	5000.00
23.	राज्य वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, आयकर	702485 / 01.11.14	7321.00
24.	राज्य वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, बिक्रीकर	702486 / 01.11.14	11081.00
25.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन, महाराजगंज, स्टेशनरी क्रय	702493 / 07.12.14	5000.00
26.	राज्य वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, आयकर	702487 / 01.11.14	54328.00
27.	राज्य वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, बिक्रीकर	702488 / 01.11.14	89554.00
28.	राज्य वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, आयकर	702537 / 31.03.15	22869.00
29.	राज्य वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, बिक्रीकर	702538 / 31.03.15	33035.00
30.	बीआरजीएफ	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, आयकर	448544 / 01.11.14	52304.00
31.	बीआरजीएफ	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, बिक्रीकर	448543 / 01.11.14	70401.00
32.	बीआरजीएफ	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, आयकर	433944 / 31.03.15	17208.00
33.	बीआरजीएफ	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, बिक्रीकर	433945 / 31.03.15	22812.00
34.	राज्य वित्त	दिनेश राय, एडीओ पी, इन्टरनेट बिल	702505 / 06.02.15	1090.00
35.	राज्य वित्त	विनोद कुमार त्रिपाठी, संगणक	702512 / 16.02.15	14452.00
36.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन, महाराजगंज, स्टेशनरी क्रय	702513 / 16.02.15	5000.00
37.	राज्य वित्त	दिनेश राय, एडीओ पी, वाईमैक्स कनेक्शन	702526 / 13.03.15	2264.00
38.	राज्य वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, आयकर	702535 / 31.03.15	88474.00

39.	राज्य वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, बिक्रीकर	702536 / 31.03.15	120334.00
40.	पेयजल स्वच्छता	मिलिंद चौधरी, एडीओ आईएसबी	717804 / 15.09.14	16536.00
41.	राज्य वित्त	विनोद कुमार त्रिपाठी, संगणक	702547 / 21.04.15	7226.00
42.	राज्य वित्त	दिनेश राय, एडीओ पी, इन्टरनेट बिल	702548 / 21.04.15	2257.00
43.	राज्य वित्त	दिनेश राय, एडीओ पी, इन्टरनेट बिल	702549 / 02.05.15	2286.00
44.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन, महाराजगंज, स्टेशनरी क्रय	702552 / 08.05.15	5000.00
45.	राज्य वित्त	लेखाकार बीडीसी सदस्यों को बैठक भत्ता	702554 / 22.05.15	68000.00
46.	राज्य वित्त	बंका ओटो, आनंदनगर	702558 / 26.05.15	4700.00
47.	राज्य वित्त	विनोद कुमार त्रिपाठी, संगणक	702559 / 26.05.15	7200.00
48.	राज्य वित्त	दिनेश राय, एडीओ पी, इन्टरनेट बिल	702560 / 02.06.15	1882.00
49.	राज्य वित्त	विजयपाल इलेक्ट्रिक एण्ड इलेक्ट्रॉनिक	278804 / 16.06.15	19300.00
50.	राज्य वित्त	विनोद कुमार त्रिपाठी, संगणक	278807 / 17.06.15	6968.00
51.	राज्य वित्त	दिनेश राय, एडीओ पी, इन्टरनेट बिल	278808 / 06.07.15	2279.00
52.	राज्य वित्त	लेखाकार मस्टर रोल छपाई	278810 / 06.07.15	2300.00
53.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन, महाराजगंज, स्टेशनरी क्रय	278814 / 08.07.15	10000.00
54.	राज्य वित्त	वीरेंद्र प्रताप यादव, कार्यालय कार्य	278815 / 08.17.15	1500.00
55.	राज्य वित्त	विनोद कुमार त्रिपाठी, संगणक	278818 / 24.07.15	7467.00
56.	राज्य वित्त	दिनेश राय, एडीओ पी, इन्टरनेट बिल	278819 / 03.08.15	2279.00
57.	राज्य वित्त	हिंदुस्तान मीडिया, टेन्डर	278821 / 26.08.15	3868.00
58.	राज्य वित्त	ज्ञान मंडल लि० टेन्डर	278822 / 26.08.15	4000.00
59.	राज्य वित्त	विनोद कुमार त्रिपाठी, संगणक	278820 / 19.08.15	7226.00
60.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन, महाराजगंज, स्टेशनरी क्रय	278824 / 27.08.15	5000.00
61.	राज्य वित्त	दिनेश राय, एडीओ पी, इन्टरनेट बिल	278825 / 10.09.15	2319.00
62.	राज्य वित्त	लेखाकार, वाटर कूलर/आर०ओ० मरम्मत	278826 / 16.09.15	6700.00
63.	राज्य वित्त	विनोद कुमार त्रिपाठी, संगणक	278828 / 21.09.15	6968.00
64.	राज्य वित्त	दिनेश राय, एडीओ पी, इन्टरनेट बिल	278832 / 03.10.15	2319.00
65.	राज्य वित्त	विनोद कुमार त्रिपाठी, संगणक	278833 / 03.10.15	7467.00
66.	राज्य वित्त	दिनेश राय, एडीओ पी, इन्टरनेट बिल	278834 / 03.11.15	2319.00
67.	राज्य वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, आयकर	278838 / 04.11.15	44130.00
68.	राज्य वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, बिक्रीकर	278839 / 04.11.15	59298.00
69.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन, महाराजगंज, स्टेशनरी क्रय	278842 / 04.11.15	10000.00
70.	राज्य वित्त	विनोद कुमार त्रिपाठी, संगणक	278845 / 03.12.15	14684.00
71.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन, महाराजगंज, स्टेशनरी क्रय	278854 / 26.01.15	5000.00
72.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन, महाराजगंज, स्टेशनरी क्रय	278863 / 18.01.16	5000.00
73.	राज्य वित्त	दिनेश राय, एडीओ पी, इन्टरनेट बिल	278864 / 18.01.16	4618.00
74.	राज्य वित्त	विनोद कुमार त्रिपाठी, संगणक	278867 / 20.01.16	6968.00
75.	राज्य वित्त	विनोद कुमार त्रिपाठी, संगणक	278868 / 03.02.16	7226.00
76.	राज्य वित्त	दिनेश राय, एडीओ पी, इन्टरनेट बिल	278870 / 04.02.16	2329.00
77.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन, महाराजगंज, स्टेशनरी क्रय	278871 / 04.02.16	5000.00
78.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन, महाराजगंज, स्टेशनरी क्रय	278873 / 02.03.16	5000.00
79.	राज्य वित्त	विजयपाल इलेक्ट्रिक एण्ड इलेक्ट्रॉनिक	278872 / 11.02.16	9650.00
80.	राज्य वित्त	दिनेश राय, एडीओ पी, इन्टरनेट बिल	278874 / 02.03.16	2329.00
81.	राज्य वित्त	लेखाकार सदस्यों को बैठक भत्ता	278875 / 17.03.16	103500.00
82.	राज्य वित्त	सतीश पाण्डेय, प्रमुख मानदेय	278876 / 18.03.16	80838.00
83.	राज्य वित्त	विनोद कुमार त्रिपाठी, संगणक	278877 / 18.03.16	7448.00
84.	राज्य वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, आयकर	278892 / 31.03.16	24563.00
85.	राज्य वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, बिक्रीकर	278893 / 31.03.16	29489.00
86.	तेरहवाँ वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, आयकर	278840 / 04.11.15	14595.00

87.	तेरहवाँ वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, बिक्रीकर	278841 / 04.11.15	26175.00
88.	तेरहवाँ वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, आयकर	278894 / 31.03.16	18680.00
89.	तेरहवाँ वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, बिक्रीकर	278895 / 31.03.16	25652.00
90.	बीआरजीएफ	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, आयकर	434000 / 29.03.16	14801.00
91.	बीआरजीएफ	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, बिक्रीकर	434001 / 29.03.16	12051.00
92.	इंदिरा आवास	प्र० म० शर्मा कंप्यूटर एण्ड फोटोकॉपी फोटोग्राफी का भुगतान	270808 / 28.01.16	18600.00
93.	इंदिरा आवास	प्र० म० शर्मा कंप्यूटर एण्ड फोटोकॉपी फोटोग्राफी का भुगतान	270808 / 08.02.16	18480.00
94.	इंदिरा आवास	प्र० म० फोटोस्टेट कॉपी स्कैनर व प्रिंटर	270810 / 14.02.16	19980.00
95.	इंदिरा आवास	प्र० म० मे० सनराइज इन्फोटेक, गोरखपुर कंप्यूटर प्रिंटर एवं मॉडेम का भुगतान	270811 / 02.03.16	16000.00
96.	इंदिरा आवास	प्र० म० विजयपाल इलेक्ट्रिक एण्ड इलेक्ट्रॉनिक	270812 / 04.03.16	9650.00
97.	इंदिरा आवास	प्र० म० पुस्तक निकेतन विवरणहीन	270813 / 14.03.16	10000.00
98.	इंदिरा आवास	प्र० म० क्त्वा को वापस	270814 / 21.03.16	43440.00
99.	सा० आ० गणनामिलिंद चौधरी, एडीओ आईएसबी प्रशिक्षण हेतु		267769 / 08.05.15	7800.00
100.	इंदिरा आवास	प्र० म० शर्मा कंप्यूटर एण्ड फोटोकॉपी फोटोग्राफी का भुगतान	270819 / 22.10.16	17220.00
101.	इंदिरा आवास	प्र० म० पुस्तक निकेतन स्टेशनरी	270825 / 22.02.17	5000.00
102.	इंदिरा आवास	प्र० म० शर्मा कंप्यूटर एण्ड फोटोकॉपी फोटोग्राफी का भुगतान	626476 / 22.02.17	15540.00
103.	राज्य वित्त	विनोद कुमार त्रिपाठी, संगणक	771532 / 04.05.16	5419.00
104.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन स्टेशनरी	771534 / 04.05.16	5000.00
105.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन स्टेशनरी	771545 / 02.07.16	10000.00
106.	राज्य वित्त	राम प्रवेश मिश्र, एडीओ पी, इन्टरनेट भुगतान	771548 / 09.08.16	1306.00
107.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन स्टेशनरी	771549 / 09.08.16	5000.00
108.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन स्टेशनरी	771550 / 30.08.16	5000.00
109.	राज्य वित्त	राम प्रवेश मिश्र, एडीओ पी, इन्टरनेट भुगतान	771552 / 03.09.16	2322.00
110.	राज्य वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, आयकर	771554 / 14.10.16	32849.00
111.	राज्य वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, बिक्रीकर	771555 / 14.10.16	40794.00
112.	राज्य वित्त	राम प्रवेश मिश्र, एडीओ पी, इन्टरनेट भुगतान	771556 / 02.11.16	4678.00
113.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन स्टेशनरी	771557 / 02.11.16	5000.00
114.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन प्रिंटर	771560 / 26.11.16	20000.00
115.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन स्टेशनरी	771563 / 04.01.17	5000.00
116.	राज्य वित्त	ज्ञानमंडल, टेन्डर	771562 / 17.12.16	4000.00
117.	राज्य वित्त	सहारा इंडिया, टेन्डर	771564 / 04.01.17	4000.00
118.	राज्य वित्त	लेखाकार बीडीसी सदस्यों को बैठक भत्ता	771565 / 28.01.17	24000.00
119.	राज्य वित्त	लेखाकार बीडीसी सदस्यों को बैठक भत्ता	771566 / 28.01.17	24000.00
120.	राज्य वित्त	लेखाकार बीडीसी सदस्यों को बैठक भत्ता	771567 / 28.01.17	24000.00
121.	राज्य वित्त	लेखाकार बीडीसी सदस्यों को बैठक भत्ता	771568 / 28.01.17	20000.00
122.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन स्टेशनरी	771569 / 28.01.17	5000.00
123.	राज्य वित्त	सतीश पाण्डेय, प्रमुख मानदेय	771574 / 06.03.17	80613.00
124.	राज्य वित्त	पुस्तक निकेतन स्टेशनरी	771575 / 31.03.17	5000.00
125.	राज्य वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, आयकर	771559 / 26.11.16	3847.00
126.	राज्य वित्त	शा० प्र० एसबीआई फरेन्दा, बिक्रीकर	771558 / 26.11.16	5141.00

127.	राज्य वित्त लेखाकार जलापूर्ति मरम्मत कार्य	771561 / 03.12.16	3541.00
128.	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान रिसीट हेड में जमा	270818 / 03.10.16	14975.00
129.	पंचायत निर्वाचन शा० प्र० एसबीआई लक्ष्मीपुर	270816 / 20.07.16	27000.00
130.	पंचायत निर्वाचन शा० प्र० एनएसबी समरधीरा	270817 / 20.07.16	25000.00
131.	पंचायत निर्वाचन शा० प्र० पीजीबी लक्ष्मीपुर	270821 / 27.11.16	2000.00
132.	आंबेडकर जयंती महो० लेखाकार	270820 / 07.11.16	2500.00

योग 2275770.00

बिना प्रमाणक व्यय अपहरण की श्रेणी के अंतर्गत आता है । उक्त धनराशि रु० 2275770.00 के व्यय के औचित्य की पुष्टि हेतु प्रमाणक/समायोजन प्रमाणक प्रस्तुत न करने हेतु वर्तमान लेखाकार श्री रामसंत प्रसाद एवं खंड विकास अधिकारी श्रीमती बसंती देवी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार संबंधित कर्मचारी तथा खंड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 4)

प्रस्तर सं० 44— वित्तीय वर्ष 15-16 के राज्य वित्त से संबंधित निर्माण कार्य पत्रावली ग्राम पंचायत सूरपार में मुबारक के घर से फारेस्ट चौकी तक इंटरलॉकिंग कार्य (250 मी०×2.6 मी०), जिसके कार्यप्रभारी श्री मिलिंद चौधरी एडीओ आईएसबी रहे, की जांच में निम्न तथ्य पाए गए:—

(I) उक्त पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल क्रमांक 15616 से रु० 23058.00 का भुगतान किया गया है स मस्टर रोल पर 18 श्रमिकों को कार्यरत दर्शाया गया है जबकि भुगतान प्राप्ति के निमित्त मात्र 16 श्रमिकों के हस्ताक्षर निशानी अंगूठा है । इस प्रकार दो श्रमिकों को फर्जी भुगतान किया गया है ।

(II) मस्टर रोल क्रमांक 15617 से रु० 23912.00 का भुगतान किया गया है जिस पर 26 श्रमिक कार्यरत हैं जबकि भुगतान प्राप्त करने के निमित्त मात्र 24 श्रमिकों के ही हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा है । इस प्रकार दो श्रमिकों को फर्जी भुगतान किया गया है । उक्त मस्टर रोल पर निशानी अंगूठा पर क्रमांकन कर कार्यप्रभारी ने प्रमाणित नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किस श्रमिक को फर्जी कार्यरत दर्शाया गया है । अस्तु फर्जी भुगतान की धनराशि रु० 4508.00 (2×2×7×161.00) की ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी श्री मिलिंद चौधरी, एडीओ आईएसबी से की जानी अपेक्षित है । **(मूल आ० सं० 2ब 6ग)**

प्रस्तर सं० 45— अनुदान पंजिका ।। पर अंकित विवरण के अनुसार माह जनवरी 17 में रु० 5618.00 ब्याज की धनराशि को रिसीट हेड में जमा करने का व्यय अंकित है जिसकी पुष्टि में जमा चालान की प्रति व सीटीआर प्रस्तुत नहीं किया गया, अस्तु व्यय अपुष्ट है । इसी प्रकार माह जुलाई में बिना किसी आधार के जून 14 को बैंक समाधान में अंतर की धनराशि रु० 880.45 को ब्याज मद में व्यय अंकित करते हुए अंतर की धनराशि को समाप्त किया गया है । उक्त व्यय रु० 880.45 का न तो व्यय प्रमाणक है और न ही लेखा परीक्षा के समय लेखाकार द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया । स्पष्ट है लेखाकार ने कूटरचित लेखांकन करते हुए अंतर को समाप्त किया है । अस्तु वर्तमान लेखाकार श्री संतराम से रु० 880.45 की ब्याज सहित वसूली तथा रु० 5618.00 की पुष्टि प्रमाणक न होने की स्थिति में तत्कालीन लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारी से रु० 5618.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । **कुल सन्निहित धनराशि रु० 6498.45**

(मूल आ० सं० 2ब 9)

प्रस्तर सं० 46— दिनांक 04.01.16 में पिछड़ी जाती रैपिड सर्वे हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी से रु० 306500.00 का अनुदान प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष निम्न विवरणानुसार अनुदान पंजी ।। पर व्यय दर्शित है:—

क्र०सं०	चेक सं०/तिथि	व्यय का विवरण	धनराशि
1.	270801 / 27.01.16	प्रगणक मानदेय शा० प्र०, एनएसबी, समरधीरा	120000.00
2.	270802 / 27.01.16	शा० प्र० एसबीआई, लक्ष्मीपुर	106500.00
3.	270803 / 27.01.16	शा० प्र० एसबीआई, लक्ष्मीपुर	30000.00
4.	270804 / 27.01.16	शा० प्र०, एनएसबी, समरधीरा	18000.00
5.	270805 / 27.01.16	शा० प्र०, पीजीबी, लक्ष्मीपुर	6000.00
6.	270806 / 27.01.16	जगदीश यादव, किसान सहायक	3000.00
7.	270807 / 27.01.16	श्रीमती शोभावती देवी, मुख्य सेविका	3000.00
8.	270808 / 27.01.16	बंका ऑटो, आनंदनगर, विवरणहीन	5290.00
योग			291790.00

उपरोक्त व्यय रु० 291790.00 की पुष्टि हेतु प्रगणक मानदेय पंजी/बैंक एडवाईज की प्रति एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया । बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी के अंतर्गत है । अतएव रु० 291790.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । प्रमाणक/समायोजन प्रमाणक प्रस्तुत न करने हेतु वर्तमान लेखाकार श्री रामसंत प्रसाद एवं खंड विकास अधिकारी श्रीमती बसंती देवी उत्तरदायी हैं ।

(मूल आ० सं० 2ब 10)

प्रस्तर सं० 47— आलोच्य वर्षों में टेन्डर के उपरांत स्वीकृत होने की स्थिति में फर्मों से जमानत जमा कराई गई है जिसे बैंक में जमा किया गया है, किन्तु उक्त जमानत में किस फर्म से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है इसका न तो कोई सूची/विवरण प्रस्तुत किया गया और न ही जमानत पंजी प्रस्तुत की गई । आलोच्य वर्षों में फर्मों की जमा जमानत राशि को वापस भी किया गया है किन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि हेतु फर्मों से रसीद प्राप्त कर नहीं रखा गया है जिससे जमानत वापसी की धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी । जमानत पंजी/सूची के अनुपलब्ध रहने के कारण जमानत वापसी की सत्यता भी संदिग्ध प्रतीत होती है तथा इस प्रकरण में वित्तीय अनियमितता की प्रबल संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । विवरण निम्नवत है:—

क्र०सं०	ले० परीक्षा वर्ष	जमानत प्राप्त धनराशि	जमानत वापसी धनराशि	वर्षांत में शेष
1.	2013—14	251000.00	—	251000.00
2.	2014—15	113400.00	230100.00	135100.00
3.	2015—16	80800.00	98900.00	117000.00
4.	2016—17	22250.00	103600.00	35650.00
योग				432600.00

अस्तु फर्मों की जमानत वापसी की धनराशि रु० 432600.00 की पुष्टि हेतु एवं पुष्टि न होने की स्थिति में सम्बंधित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । इस हेतु लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।

(मूल आ० सं० 2ब 11)

प्रस्तर सं० 48— क्षेत्र पंचायत के राज्य वित्त अनुदान के निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि एक ही कार्यस्थल पर दो बार एस्टीमेट तैयार करा कर कार्य कराया गया है । विवरण निम्नवत है:—

वित्तीय वर्ष 2015—16 में ग्राम पंचायत सिसवनिया विशुन में मल्लू धोबी के घर से रामचंदर के दूकान तक इंटरलॉकिंग कार्य—प्रथम बार— 125 मी० हेतु श्री मिलिंद चौधरी को पत्रांक 542/17.12.15 द्वारा कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया । जिसकी अनुमानित लागत रु० 3.40 लाख (सामग्री रु० 3.06 लाख एवं श्रमांश रु० 0.24 लाख) रही । उक्त कार्य दिनांक 18.03.16 से 24.03.16 की अवधि में संपन्न कराई गई जिसमें सामग्री पर रु० 319070.00 तथा श्रमांश पर रु० 19873.00 कुल रु० 338943.00 का व्यय करा कर कार्य पूर्ण कराया गया है । **द्वितीय बार—** 70 मी० हेतु श्री श्रीराम एडीओ एजी को पत्रांक 1081/31.03.16 द्वारा कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया । जिसकी अनुमानित लागत रु० 1.99 लाख (सामग्री रु० 1.76 लाख एवं श्रमांश रु० 0.23 लाख) थी । जिसके सापेक्ष रु० 193193.00 (सामग्री पर रु० 171745.00 एवं श्रमांश पर रु० 21448.00) का व्यय दर्शा कर कार्य पूर्ण कराया गया है तथा कार्य अवधि दिनांक 25.04.16 से 08.05.16 रही ।

उपरोक्त कार्य के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं:—

- (1) कराए गए विस्तारीकरण कार्य वर्ष की वित्तीय कार्ययोजना में था या नहीं, कार्ययोजना अप्राप्त रहने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी ।
- (2) ऐसे क्या कारण थे कि एक ही बार में 195 मी० (12570) का अनुमानित लागत रिपोर्ट तैयार करने के स्थान पर एक ही कार्य को तोड़ कर दो बार एस्टीमेट तैयार करा कर कार्य संपन्न कराया गया इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया ।
- (3) यदि जनहित में कार्य विस्तार कराया गया तो स्थानीय नागरिकों के कार्य विस्तार हेतु खंड विकास अधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र, कार्यप्रभारी का उक्त प्रार्थना पत्रों के साथ कार्य विस्तार हेतु आवेदन पत्र, अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय जांच करते हुए कार्य विस्तार के औचित्य हेतु निरीक्षण रिपोर्ट आदि का पत्रावली में होना आवश्यक था । एतदर्थ कोई प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है ।
- (4) प्रथम बार के कार्यों के कोटेशन के आधार पर ही द्वितीय पार्ट में भी संबंधित फर्मों से निर्माण कार्य सामग्री प्राप्त कर भुगतान किया गया है । कार्य विस्तार पर फर्मों की पुनः निविदा एवं उन्हें सामग्री आपूर्ति के आदेश निर्गमन से संबंधित कोई प्रपत्र पत्रावली में नहीं है ।

(अ) पत्रावली में कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है ।

(आ) प्रथम पार्ट के अनुमानित लागत रिपोर्ट में सफेद द्रव्य का प्रयोग कर कार्य की लम्बाई 115 मी० के स्थान पर 125 मी० की गई है एवं तदनुसार धनराशियों को भी सफेद द्रव्य लगा कर प्रभावित किया गया है ।

(इ) नियमानुसार प्रस्तावित कार्यस्थल का सम्यक निरीक्षण करने के बाद ही विकास खंड स्तर से अनुमानित लागत का प्रस्ताव करके स्वीकृत एवं अनुमोदन हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाता है । ऐसे में स्पष्ट है कि या तो बिना स्थलीय जांच किए ही अनुमानित लागत तैयार किया गया है या फिर निहित लाभार्थ कार्य विस्तार करते हुए मात्र कागजी तौर पर कार्य कराने की औपचारिकता पूर्ण की गई है । इस संबंध में लेखाकार द्वारा कोई तथ्यपरक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया । उपरोक्त

के आधार पर यह स्वतः स्पष्ट है कि द्वितीय पार्ट में कार्य विस्तार करते हुए निर्माण कार्य पर व्यय की गई धनराशि रु० 193193.00 अवास्तविक रही है । अस्तु संबंधित कार्यप्रभारी श्री श्रीराम एडीओ एजी, लेखाकार श्री रामसंत प्रसाद, अवर अभियन्ता श्री शिव कुमार सिंह एवं खंड विकास अधिकारी श्री रामकुमार उपाध्याय के विरुद्ध नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । (मूल आ० सं० 2ब 12)

प्रस्तर सं० 49— उपरोक्त निर्माण कार्य पत्रावली प्रथम पार्ट 125 मी० में अनुमानित लागत के अनुसार इंटरलॉकिंग ईट के प्रयुक्त होने की संख्या 10500 नग है किन्तु कार्यप्रभारी ने 12000 नग ईट का बिल प्रस्तुत करते हुए भुगतान कराया है । इस प्रकार बिना पूर्व स्वीकृति के लागत से 1500 नग ईट अधिक क्रय कर भुगतान है । अस्तु रु० 24900.00 (1500×16.60) कार्यप्रभारी श्री मिलिंद चौधरी, लेखाकार श्री रामसंत प्रसाद, अवर अभियन्ता श्री शिव कुमार सिंह एवं खंड विकास अधिकारी श्री रामकुमार उपाध्याय से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । (मूल आ० सं० 2ब 13)

प्रस्तर सं० 50— वित्तीय वर्ष 14-15 के निर्माण कार्य पत्रावली मल्हनी फुलवरिया में हाईमाक्स से राजेंदर पाण्डेय के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य (250 मी०) में संलग्न मस्टर रोल की जांच में पाया गया कि एक ही कार्य दिवस में दोनों मस्टर रोल पर एक ही श्रमिक को कार्यरत दर्शा कर मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारी द्वारा प्राप्त किया गया है । विवरण निम्नवत है:—

प्रथम मस्टर रोल क्रमांक 15568 रु० 17720.00 दिनांक 04.05.15 से दिनांक 10.05.15

क्र०सं०	नाम श्रमिक	दिवस
1.	श्री राम प्रसाद पुत्र शीतल, मिस्त्री	7 दिन
2.	मोल्हू पुत्र सोमई, मिस्त्री	7 दिन
3.	शैलेन्द्र पुत्र रामलाल, मिस्त्री	7 दिन
4.	संदीप पुत्र सुरेश, मजदूर	7 दिन
5.	दुर्गेश पुत्र मोल्हू, मजदूर	7 दिन
6.	बैजू पुत्र लालमन, मजदूर	7 दिन
7.	रामवृक्ष पुत्र ललई, मजदूर	7 दिन
8.	मनीष पुत्र घनश्याम, मजदूर	7 दिन
9.	तेजमन पुत्र घुरहू, मजदूर	7 दिन
10.	नंदकिशोर पुत्र दर्शन, मजदूर	7 दिन

द्वितीय मस्टर रोल क्रमांक 15569 रु० 12702.00 दिनांक 06.05.15 से दिनांक 12.05.15

क्र०सं०	नाम श्रमिक	दिवस
1.	श्री राम प्रसाद पुत्र शीतल, मिस्त्री	7 दिन
2.	मोल्हू पुत्र सोमई, मिस्त्री	7 दिन
3.	शैलेन्द्र पुत्र रामलाल, मिस्त्री	7 दिन
4.	संदीप पुत्र सुरेश, मजदूर	7 दिन
5.	दुर्गेश पुत्र मोल्हू, मजदूर	7 दिन
6.	बैजू पुत्र लालमन, मजदूर	7 दिन
7.	रामवृक्ष पुत्र ललई, मजदूर	2 दिन 06 व 07.05.15
8.	मनीष पुत्र घनश्याम, मजदूर	7 दिन
9.	तेजमन पुत्र घुरहू, मजदूर	7 दिन
10.	नंदकिशोर पुत्र दर्शन, मजदूर	7 दिन

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त श्रमिकों को दूसरे मस्टर रोल पर दिनांक 06.05.15 से 10.05.15 तक कार्यरत दर्शा कर निम्न विवरणानुसार फर्जी मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारी ने प्राप्त करते हुए रु० 8444.00 का अपहरण किया है। क्रमांक 1 से 3 तक तीन मिस्त्री $5 \times 3 \times 260.00 = 3900.00$, क्रमांक 4 से 6 व क्रमांक 8 से 10 तक छह श्रमिक $6 \times 5 \times 142.00 = 4260.00$ एवं क्रमांक 7 पर एक श्रमिक $2 \times 142.00 = 284.00$ कुल रु० 8444.00 की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति, कार्यप्रभारी श्री मिलिंद चौधरी, अवर अभियन्ता श्री शिव कुमार सिंह, लेखाकार श्री रामसंत प्रसाद एवं खंड विकास अधिकारी श्री रामकुमार उपाध्याय से किए जाना अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ब 14)

प्रस्तर सं० 51— लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किराया पंजी के अनुसार वर्ष 14-15 में रु० 3540.00, वर्ष 15-16 में रु० 26640.00 एवं वर्ष 16-17 में रु० 18360.00 की ब्याज सहित वसूली की गई है जिसमें रु० 15480.00 चेक द्वारा श्री बृजेश कुमार त्रिपाठी की जमा धनराशियाँ हैं, जिसे अनुदान पंजी ।।। पर आवास किराया के मद में आय दर्शित है। शेष धनराशि रु० 33060.00 के आय की पुष्टि हेतु कोई रसीद, पुष्टिपत्र, जमा रसीद आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखाकार ने अवगत कराया कि किराया नकद प्राप्त कर के क्षेत्र पंचायत निधि में जमा कर दिया जाता है। उक्त कथन की पुष्टि में क्षेत्र निधि पासबुक, नकद रोकड़ बही, जमा रसीद की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया। अस्तु उक्त कुल आय रु० 48540.00 ($3540.00 + 26640.00 + 18360.00$) की पुष्टि नहीं हो सकी। इस हेतु लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारी प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। लेखा परीक्षा में वेतन बिल/वेतन पंजी प्रस्तुत न होने से आवास आबंटन से संबंधित कर्मचारियों के आवास भत्ता कटौती की स्थिति स्पष्ट न हो सकी। अस्तु धनराशि रु० 48540.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ब 16)

प्रस्तर सं० 52— लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किराया पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 13-14 में माह अप्रैल 13 से ही पुराने किराए दर में वृद्धि कर शासनादेश सं० 260(दो) ई.जी./23.05.13-5050(71) ई.जी./13.03.18 के अनुसार अप्रैल 13 से पुराने दर का तीन गुणा किराया वसूल किया जाना है, किन्तु निम्नलिखित कर्मचारियों से पुराने दर पर ही किराया वसूल करके क्षेत्र पंचायत को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। इस हेतु लेखाकार श्री रामसंत प्रसाद एवं खंड विकास अधिकारी श्री दिग्विजय नाथ तिवारी/श्रीमती मंजू त्रिवेदी एवं श्री रामकुमार उपाध्याय संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। विवरण निम्नवत है:

क्र०सं०	नाम कर्मचारी	विवरण	धनराशि
1.	श्री परशुराम मणि त्रिपाठी	पुराने दर/210.00 नया दर/630.00 माह रु० 5040.00	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक 12
2.	श्री राजेन्द्र चौधरी	पुराने दर/120.00 नया दर/360.00 माह रु० 2880.00	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक 12
	योग	7920.00	

अस्तु रु० 7920.00 की ब्याज सहित वसूली संबंधित कर्मचारियों से की जानी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार लेखाकार/संबंधित खंड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ब 17)

क्षेत्र पंचायत परतावल लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18

प्रस्तर सं० 53— आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194(सी) के अंतर्गत शासकीय निर्माण कार्यों में क्रय सामग्री पर भुगतान के पूर्व की कटौती (टी० डी० एस०) कर रु० 200742.00 का राजस्व एकत्र किया गया स आयकर अधिनियम 1961 की धारा-274(बी) के अनुसार काटे गए कर को जमा न करना आपराधिक कृत्य है। लेखा परीक्षा में काटे गए आयकर के नियमानुसार राजकीय कोष में जमा करने का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त धनराशि को ख० वि० अधि० श्री आनंद कुमार तथा लेखाकार श्री प्रसिद्ध नारायण यादव से ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 19)

प्रस्तर सं० 54— क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में आपूर्तिकर्ताओं का बिल भुगतान करते समय अनेकों बिलों पर नियमानुसार वैट की कटौती नहीं की गई है। जिससे राजस्व की भारी हानि हुई है। लेखा परीक्षा में कुल रु० 364724.00 की वैट कटौती नहीं किये जाने से राजस्व की हानि हुई है। उक्त/धनराशि की ब्याज सहित वसूली संबंधित ख० वि० अधि० श्री आनंद कुमार तथा लेखाकार श्री प्रसिद्ध नारायण यादव एवं संबंधित कार्यप्रभारियों से किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	बिल सं०/तिथि	धनराशि वैट जो नहीं काटा गया	
1	मे० सोनू ट्रेडर्स	528 / 26-09-17	583647.00	23345.00
2	मे० सोनू ट्रेडर्स	560 / 01-11-17	268904.00	10756.00
3	मे० सोनू ट्रेडर्स	563 / 15-11-17	258157.00	10326.00
4	मे० सोनू ट्रेडर्स	559 / 02-11-17	201714.00	8068.00
5	मे० सोनू ट्रेडर्स	535 / 28-10-17	429832.00	17193.00
6	मे० सोनू ट्रेडर्स	569 / 14-11-17	397146.00	15885.00
7	मे० सोनू ट्रेडर्स	568 / 04-12-17	276792.00	11071.00
8	मे० सोनू ट्रेडर्स	575 / 12-01-18	32435.00	1297.00
9	मे० सोनू ट्रेडर्स	570 / 04-12-17	530174.00	21206.00
10	मे० सोनू ट्रेडर्स	573 / 06-12-17	276748.00	11069.00
11	मे० सोनू ट्रेडर्स	771 / 06-12-17	558002.00	22320.00
12	मे० सोनू ट्रेडर्स	574 / 12-01-18	476599.00	19063.00
13	मे० सोनू ट्रेडर्स	582 / 13-01-18	301502.00	12060.00
14	मे० सोनू ट्रेडर्स	577 / 12-01-18	287027.00	11481.00
15	मे० सोनू ट्रेडर्स	591 / 23-01-18	37054.00	1482.00
16	मे० सोनू ट्रेडर्स	587 / 20-01-18	580544.00	23221.00
17	मे० सोनू ट्रेडर्स	583 / 14-01-18	603056.00	24122.00
18	मे० सोनू ट्रेडर्स	464 / 10-02-18	280884.00	11235.00
19	मे० सोनू ट्रेडर्स	298 / 22-02-18	196713.00	7868.00
20	मे० सोनू ट्रेडर्स	596 / 04-02-18	348550.00	13942.00
21	मे० सोनू ट्रेडर्स	470 / 03-02-18	293902.00	11756.00
22	मे० सोनू ट्रेडर्स	1008 / 01-05-18	67782.00	2711.00
23	मे० सोनू ट्रेडर्स	455 / 22-02-18	289753.00	11590.00
24	मे० सोनू ट्रेडर्स	598 / 10-02-18	300935.00	12037.00
25	मे० सोनू ट्रेडर्स	458 / 13-02-18	311256.00	12450.00
26	मे० सोनू ट्रेडर्स	469 / 08-02-18	577610.00	23104.00
27	मे० सोनू ट्रेडर्स	495 / 17-02-18	351673.00	14066.00
योग			9118391.00	364724.00

(मूल आ० सं० 2ख 20)

प्रस्तर सं० 55- आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार रु० 785409.90 व्यय किया जाना दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय पत्रावली अनुपलब्ध रही ।

क्र०सं०	मद का नाम	व्यय की गई धनराशि
1	पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि	569804.00
2	प्रशासनिक मद	5600.00
3	मा० मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	210005.90
योग		785409.90

इस प्रकार व्यय पत्रावली के अभाव में उक्त व्यय धनराशि रु० 785409.90 अपुष्ट रही स व्यय पत्रावली अनुपलब्ध रहने के कारण व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है । अस्तु ख० वि० अधि० श्री आनंद कुमार तथा लेखाकार श्री प्रसिद्ध नारायण यादव से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 23)

क्षेत्र पंचायत फरेंदा लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18

प्रस्तर सं० 56- आयकर अधिनियम 1961 की धारा- 194(सी) के अंतर्गत शासकीय निर्माण कार्यों में क्रय सामग्री पर भुगतान के पूर्व की कटौती (टी० डी० एस०) कर रु० 40272.00 का राजस्व एकत्र किया गया स आयकर अधिनियम 1961 की धारा- 274(बी) के अनुसार काटे गए कर को जमा न करना आपराधिक कृत्य है । लेखा परीक्षा में काटे गए आयकर के नियमानुसार राजकीय कोष में जमा करने का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । अतः उक्त धनराशि को ख० वि० अधि० श्री राम कुमार उपाध्याय तथा

लेखाकार श्री अरविन्द कुमार पाठक से ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ख 19)

प्रस्तर सं० 57— क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में आपूर्तिकर्ताओं का बिल भुगतान करते समय अनेकों बिलों पर नियमानुसार वैट की कटौती नहीं की गई है । जिससे राजस्व की भारी हानि हुई है । लेखा परीक्षा में कुल रु० 72044.07 की वैट कटौती नहीं किये जाने से राजस्व की हानि हुई है । उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली संबंधित ख० वि० अधि० श्री राम कुमार उपाध्याय तथा लेखाकार श्री अरविन्द कुमार पाठक एवं संबंधित कार्यप्रभारियों से किया जाना अपेक्षित है । विवरण निम्नवत है:—

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	बिल सं०	तिथि	धनराशि	वैट जो नहीं काटा गया
1	मे० विकास फर्टिलाइजर्स	186	14-03-18	82141.00	3286.00
2	मे० शिव ईट भट्टा	31	14-03-18	51150.00	2046.00
3	मे० राम मोहन फ़ैब्रिकेशंस	3	20-03-18	3500.00	140.00
4	मे० विकास फर्टिलाइजर्स	187	14-03-18	65003.74	2600.07
5	मे० शिव ईट भट्टा	32	14-03-18	52893.00	2116.00
6	मे० राम मोहन फ़ैब्रिकेशंस	1	20-03-18	3500.00	140.00
7	मे० शिव ईट भट्टा	33	14-03-18	165788.00	6632.00
8	मे० विकास फर्टिलाइजर्स	189	14-03-18	124629.00	4985.00
9	मे० राम मोहन फ़ैब्रिकेशंस	2	20-03-18	3500.00	140.00
10	मे० शिव ईट भट्टा	34	14-03-18	69641.00	2786.00
11	मे० जगदम्बा ह्युम पाइप	97	14-03-18	99320.00	3973.00
12	मे० विकास फर्टिलाइजर्स	188	14-03-18	55275.00	2211.00
13	मे० राम मोहन फ़ैब्रिकेशंस	4	13-01-18	3500.00	140.00
14	मे० शिव ईट भट्टा	35	12-01-18	113690.00	4548.00
15	मे० विकास फर्टिलाइजर्स	199	23-01-18	80262.00	3210.00
16	मे० जगदम्बा ह्युम पाइप	113	20-01-18	207168.00	8287.00
17	मे० राम मोहन फ़ैब्रिकेशंस	5	14-01-18	3200.00	128.00
18	मे० जगदम्बा ह्युम पाइप	22	10-02-18	123968.00	4959.00
19	मे० विकास फर्टिलाइजर्स	47	22-02-18	114674.00	4587.00
20	मे० शिव ईट भट्टा	44	04-02-18	123977.00	4959.00
21	मे० राम मोहन फ़ैब्रिकेशंस	473	03-02-18	3500.00	140.00
22	मे० शिव ईट भट्टा	43	01-05-18	80746.00	3230.00
23	मे० विकास फर्टिलाइजर्स	39	22-02-18	54880.00	2195.00
24	मे० जगदम्बा ह्युम पाइप	16	10-02-18	111696.00	4468.00
25	मे० राम मोहन फ़ैब्रिकेशंस	474	13-02-18	3500.00	140.00
		योग	1801101.74	72044.07	

(मूल आ० सं० 2ख 20)

प्रस्तर सं० 58— आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत में अनुदान पंजी तृतीय में राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त के अंतर्गत रु० 6050080.00 का व्यय दर्शित है परन्तु लेखा परीक्षा में इसमें से केवल रु० 2165926.74 के व्यय की पुष्टि हेतु ही व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियाँ प्रस्तुत की गई । रु० 3884153.26 का व्यय अपुष्ट रहा । व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती हैं । अस्तु ख० वि० अधि० श्री राम कुमार उपाध्याय तथा लेखाकार श्री अरविन्द कुमार पाठक से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ख 24)

क्षेत्र पंचायत मिठौरा लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18

प्रस्तर सं० 59— आयकर अधिनियम 1961 की धारा— 194(सी) के अंतर्गत शासकीय निर्माण कार्यों में क्रय सामग्री पर भुगतान के पूर्व की कटौती (टी० डी० एस०) कर रु० 166899.00 का राजस्व एकत्र किया गया । आयकर अधिनियम 1961 की धारा— 274(बी) के अनुसार काटे गए कर को जमा न करना आपराधिक कृत्य है । लेखा परीक्षा में काटे गए आयकर के नियमानुसार राजकीय कोष में जमा करने का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । अतः उक्त धनराशि को ख० वि० अधि० श्री विमलेश्वर तिवारी तथा

लेखाकार श्री महेंद्र प्रताप सिंह से ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है
(मूल आ० सं० 2ख 19)

प्रस्तर सं० 60— आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत में अनुदान पंजी तृतीय में राज्य वित्तधरेहवाँ वित्त के अंतर्गत रु० 9602129.76 का व्यय दर्शित है परन्तु लेखा परीक्षा में इसमें से केवल रु० 8391300.24 के व्यय की पुष्टि हेतु ही व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियाँ प्रस्तुत की गईं । शेष रु० 1210829.52 का व्यय अपुष्ट रहा । व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती हैं । जिसके लिए ख० वि० अधि० श्री सूर्य नारायण मिश्र तथा लेखाकार श्री राणा प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं । अस्तु ख० वि० अधि० श्री सूर्य नारायण मिश्र तथा लेखाकार श्री राणा प्रताप सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ० सं० 2ख 24)

प्रस्तर सं० 61— ग्राम पंचायत नारायणपुर में सिन्दुरिया-शिकारपुर मार्ग के पूरब दुर्गा मंदिर के बगल में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य में, जिसकी अनुमानित लागत रु० 2.98 लाख है, रु० 103376.00 की निर्माण सामग्री क्रय दर्शाई गई है किन्तु उक्त कार्य पर मजदूरी पर व्यय को दर्शित करता कोई मस्टर रोल आदि व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा । इससे यह प्रतीत होता है कि कार्य कराये बिना ही निर्माण सामग्री क्रय की कूट रचना कर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है । इसके लिए कार्यप्रभारी श्री राजेश त्रिपाठी (ग्रा० वि० अधि०) तथा लेखाकार श्री राणा प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं । संबंधित से स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार रु० 103376.00 की ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 25)

क्षेत्र पंचायत सिसवालेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 13-14

प्रस्तर सं० 62— लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 13-14 तक राज्य वित्त योजना के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार दर्शाया गया है:-

क्र०सं०	वर्ष	व्यय धनराशि
1	2011-12	3582863.00
2	2012-13	5319556.00
3	2013-14	4028646.00
योग		12931065.00

उक्त से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम० बी०, उपभोग प्रमाण पत्र, एस्टीमेट, अनुमानित व्यय, सृजित परिसम्पत्तियों का रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, टेंडर/कोटेशन, क्रयादेश, सत्यापन रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे दर्शित व्यय रु० 12931065.00 की पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं होती है । तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार श्री महेंद्र सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 13)

प्रस्तर सं० 63— लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 13-14 तक 12वा/13वाँ वित्त आयोग से व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार दर्शाया गया है:-

क्र०सं० वर्ष	व्यय धनराशि
1 2011-12	775179.00
2 2012-13	63828.00
3 2013-14	5402176.00
योग	6241183.00

उक्त धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं कार्य की पुष्टि में अनुमानित व्यय, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सत्यापन रिपोर्ट, सृजित परिसम्पत्तियों का रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, क्रयादेश, टेंडर/कोटेशन, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, एस्टीमेट, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे दर्शित व्यय रु० 12931065.00 की पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं होती है । तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार श्री महेंद्र सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ० सं० 2ख 14)

क्षेत्र पंचायत सिसवा**लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 16-17**

प्रस्तर सं० 64— निम्न कार्य पत्रावलियों में मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया है । किन्तु मजदूरी प्राप्त करने के प्रमाण स्वरूप मजदूरों का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा नहीं पाया गया। स्पष्ट रूप से मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न कर उसका अपहरण किया गया है ।

(क) वर्ष 2016-17 में ग्रा० पंचा० हरखपुरा में सोनबरसा नहर पुल से परशुराम दुबे के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य में मस्टर रोल रु० 154760.00 पर मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए ।

(ख) वर्ष 2016-17 में राजदेव गुप्ता के घर से जनार्दन पटेल के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य में मस्टर रोल रु० 122562.00 पर मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री महेंद्र सिंह मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं ।

अतः तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री महेंद्र सिंह से रु० 277322.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आ० सं० 2ख 7)**

प्रस्तर सं० 65— लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 16-17 तक बीआरजीएफ योजना के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि का विवरण अनुदान रजिस्टर द्वितीय में निम्न प्रकार दर्शाया गया है:-

क्र०सं०	वर्ष	व्यय धनराशि
1	2014-15	7131966.00
2	2015-16	13680231.00
3	2016-17	347243.00
योग		21159440.00

उक्त से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम० बी०, उपभोग प्रमाण पत्र, एस्टीमेट, अनुमानित व्यय, सृजित परिसम्पत्तियों का रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, टेंडर/कोटेशन, क्रयादेश, सत्यापन रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे दर्शित व्यय रु० 21159440.00 की पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं होती है । तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार श्री महेंद्र सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 8)

प्रस्तर सं० 66— राज्य वित्त के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि में से रु० 5207747.00 की कार्य पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम० बी०, उपभोग प्रमाण पत्र, एस्टीमेट, अनुमानित व्यय, सृजित परिसम्पत्तियों का रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, टेंडर कोटेशन, क्रयादेश, सत्यापन रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं होती है स व्यय अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने से अपहरण की श्रेणी में आता है । अस्तु तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार श्री महेंद्र सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 9)

प्रस्तर सं० 67— निम्न तिथियों में सोलर लाइट क्रय स्नेही इंटरप्राइजेज, सिसवा बाजार से क्रय किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	व्यय धनराशि
1	10-11-2014	526819.00
2	10-11-2014	526819.00
3	30-12-2014	526819.00
योग		1580457.00

उक्त से संबंधित अवस्थापना रिपोर्ट, स्थल का नाम, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, सत्यापन रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, टेंडर/कोटेशन, क्रयादेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं होती है । व्यय अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने से अपहरण की श्रेणी में आता है । अस्तु तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार श्री महेंद्र सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 12)

प्रस्तर सं० 68— ग्राम पंचायत मेहंदिया में पूरब टोला से भुजौली सीवान तक खडंजा मरम्मत कार्य 490 मी० में प्रयुक्त 5वाँ मस्टर रोल दिनांक 07-11-2016 से 13-11-2016 में कुल 23 मजदूर कार्यरत हैं जिस पर

योग रु० 40536.00 अंकित है जबकि योग रु० 39318.00 (2240×111280×11218×11) होना चाहिए । अंतर रु० 1218.00 का अधिक भुगतान दर्शित किया गया है जो ब्याज सहित वसूली योग्य है । अस्तु तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार श्री महेंद्र सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ० सं० 2ख 15)

क्षेत्र पंचायत घुघली लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 13-14

प्रस्तर सं० 69— लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 13-14 तक बीआरजीएफ योजना के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि का विवरण अनुदान रजिस्टर द्वितीय में निम्न प्रकार दर्शाया गया है:—

क्र०सं० वर्ष	व्यय धनराशि
1 2011-12	3972604.00
2 2012-13	1222682.00
3 2013-14	1032145.00
योग	6227431.00

उक्त से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं कार्य की पुष्टि में अनुमानित व्यय, एम० बी०, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, एस्टीमेट, सृजित परिसम्पत्तियों का रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, टेंडर/कोटेशन, क्रयादेश, सत्यापन रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्गत पुष्टि प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे दर्शित व्यय रु० 6227431.00 की पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं होती है । व्यय अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने से अपहरण की श्रेणी में आता है । तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार श्री प्रेम सागर पटेल से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ० सं० 2ख 5)

प्रस्तर सं० 70— लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 13-14 तक राज्य वित्त आयोग/12वाँ वित्त आयोग के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि में निम्न धनराशि की कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा । जिसका विवरण निम्न प्रकार दर्शाया गया है:—

क्र०सं० वर्ष	व्यय धनराशि
1 2011-12	1411461.00
2 2012-13	81561.00
3 2013-14	670031.00
योग	2163053.00

उक्त से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम० बी०, उपभोग प्रमाण पत्र, एस्टीमेट, अनुमानित व्यय, सृजित परिसम्पत्तियों का रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, टेंडर/कोटेशन, क्रयादेश, सत्यापन रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे दर्शित व्यय रु० 2163053.00 की पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं होती है । व्यय अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने से अपहरण की श्रेणी में आता है । तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार श्री प्रेम सागर पटेल से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ० सं० 2ख 6)

प्रस्तर सं० 71— वर्ष 2011-12 में निम्न शीर्षों में दर्शित व्यय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा:—

क्र०सं० शीर्ष का नाम	धनराशि
1 विधायक निधि	4209.00 (परियोजना निदेशक को वापस)
2 ब्याज	108068.00
योग	110277.00

उपरोक्त व्यय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा । जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है । तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार श्री प्रेम सागर पटेल से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ० सं० 2ख 7)

प्रस्तर सं० 72— ग्राम पंचायत गोपाला में प्रधान के घर से जाजिर के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य में मस्टर रोल सं० 24644 दिनांक 01-04-2013 से 03-04-2013 रु० 2484.00 पर मजदूरी प्राप्त करने के प्रमाण

स्वरूप श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए जबकि मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा कार्य प्रभारी श्री गोपाल प्रसाद एडीओ एजी को किया गया है । उक्त से स्पष्ट है कि मजदूरों को मजदूरी भुगतान न कर रु० 2484.00 का अपहरण किया गया है । जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री गोपाल प्रसाद एडीओ एजी, खंड विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार मिश्रा एवं लेखाकार श्री प्रेम सागर पटेल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । कार्य प्रभारी श्री गोपाल प्रसाद एडीओ एजी, खंड विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार मिश्रा एवं लेखाकार श्री प्रेम सागर पटेल से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 9)

क्षेत्र पंचायत घुघली लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 16-17

प्रस्तर सं० 73- वित्तीय वर्ष 2014-15 में योजना के अंतर्गत रु० 240600.00 व्यय किया गया है । किन्तु इससे संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं कार्य की पुष्टि हेतु अनुमानित व्यय, माप पुस्तिका, सृजित परिसम्पत्तियों का रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, क्रयादेश, टेंडर/कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सत्यापन रिपोर्ट, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रदत्त पुष्टि प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे दर्शित व्यय रु० 240600.00 की पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं होती है । व्यय अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने से अपहरण की श्रेणी में आता है । अस्तु तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार श्री प्रेम सागर पटेल से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए रु० 240600.00 का नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 4)

प्रस्तर सं० 74- लेखा परीक्षा वर्षों में विधायक निधि के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि का विवरण अनुदान रजिस्टर द्वितीय के अनुसार निम्न प्रकार है:-

क्र०सं० वर्ष	व्यय धनराशि
1 2014-15	298486.00
2 2015-16	199376.00
योग	497862.00

उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं कार्य की पुष्टि हेतु अनुमानित व्यय, माप पुस्तिका, सृजित परिसम्पत्तियों का रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, क्रयादेश, टेंडर/कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सत्यापन रिपोर्ट, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रदत्त पुष्टि प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे दर्शित व्यय रु० 497862.00 की पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं होती है । व्यय अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने से अपहरण की श्रेणी में आता है । अस्तु तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार श्री प्रेम सागर पटेल से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए रु० 497862.00 का नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 5)

प्रस्तर सं० 75- वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत बेलवा टीकर में जयराम के घर से बड़ी नहर जाने वाले मार्ग पर रामचंद्र साहनी के मुर्गी फार्म तक इंटरलॉकिंग कार्य एवं नाली निर्माण कार्य हेतु मे० ओम प्रकाश जायसवाल द्वारा दिनांक 27-09-2014 को टेंडर के आधार पर स्वीकृत दर पर सामग्री आपूर्ति में असमर्थता व्यक्त करते हुए पीडब्लूडी द्वारा स्वीकृत दर पर सामग्री आपूर्ति का आवेदन दिया गया जो गंभीर आपत्तिजनक है । लेखा परीक्षा के समय टेंडर की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई । विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं० सामग्री	पूर्व स्वीकृत दर	नवीन स्वीकृत दर
1 ईट प्रथम श्रेणी	5300.00 प्रति हजार	5800.00 प्रति हजार
2 सीमेंट	325.00 प्रति बैग	335.00 प्रति बैग
3 सरिया	4600.00 प्रति क्विंटल	5000.00 प्रति क्विंटल
4 मोटा बालू	2365.00 प्रति घन मी०	2583.00 प्रति घन मी०
5 पत्थर गिट्टी	2646.00 प्रति घन मी०	3092.00 प्रति घन मी०
6 ईट गिट्टी	1000.00 प्रति घन मी०	1100.00 प्रति घन मी०
7 महीन बालू	982.00 प्रति घन मी०	1123.00 प्रति घन मी०

नियमानुसार यदि न्यूनतम दर वाला फर्म सामग्री आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो द्वितीय न्यूनतम दर वाले फर्म को सामग्री आपूर्ति करने हेतु आदेशित करना चाहिए था । टेंडर पत्रावली प्रस्तुत न करना संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है । स्पष्ट है कि आपसी मिली-भगत कर राजकीय

राजस्व का दुरुपयोग किया गया है । उक्त स्वीकृति के कारण रु० 46785.00 का अधिक भुगतान किया गया है । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री देवेश चन्द्र उत्तरदायी हैं । तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री देवेश चन्द्र से रु० 497862.00 का नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 6)

प्रस्तर सं० 76— ग्राम पंचायत पटखौली में उत्तर धोबी के खेत से दक्षिणी घुघली माइनर पुल तक खडंजा मरम्मत कार्य 500 मी० में मस्टर रोल कार्य अवधि दिनांक 13-06-2014 से 18-06-2014 तक रु० 4680.00 पर भुगतान प्राप्तकर्ता श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए जबकि मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा कार्य प्रभारी को किया गया है । उक्त से स्पष्ट है कि मजदूरों को मजदूरी भुगतान न कर रु० 4680.00 का अपहरण किया गया है । जिसके लिए कार्य प्रभारी, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री प्रेम सागर पटेल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । कार्य प्रभारी, खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री प्रेम सागर पटेल से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 7)

प्रस्तर सं० 77— बेलवा टीकर पीडब्लूडी रोड से प्रभावती देवी महाविद्यालय तक इंटरलॉकिंग कार्य में मे० ओम प्रकाश जायसवाल से बिल सं० 0141 दिनांक 20-10-2014 द्वारा रु० 156246.00 की सामग्री क्रय की गई है । प्रमाणक पर रु० 3531.00 टी० डी० एस० एवं रु० 6250.00 वैट कटौती का अंकन किया गया है । किन्तु चेक सं० 19003 दिनांक 09-01-2015 द्वारा रु० 156246.00 का भुगतान किया गया है जो गंभीर आपत्तिजनक है । इससे स्पष्ट है कि रु० 9781.00 की कटौती जान-बूझ कर नहीं की गई है तथा संबंधित फर्म को लाभ पहुँचाया गया है । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी हैं । खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री प्रेम सागर पटेल से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए रु० 9781.00 का नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 8)

प्रस्तर सं० 78— लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक राज्य वित्त योजना के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि में धनराशि रु० 6915324.00 की कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	वर्ष	व्यय धनराशि
1	2014-15	4685407.00
2	2015-16	1838794.00
3	2016-17	391123.00
योग		6915324.00

उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं कार्य की पुष्टि में अनुमानित व्यय, माप पुस्तिका, सृजित परिसम्पत्तियों का रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, क्रयादेश, टेंडर/कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सत्यापन रिपोर्ट, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे दर्शित व्यय रु० 6915324.00 की पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं होती है । व्यय अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने से अपहरण की श्रेणी में आता है । अस्तु तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार श्री प्रेम सागर पटेल से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए रु० 6915324.00 का नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 9)

क्षेत्र पंचायत बृजमनगंज

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 16-17

प्रस्तर सं० 79— लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 16-17 तक बीआरजीएफ योजना के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि का विवरण अनुदान रजिस्टर द्वितीय एवं तृतीय में निम्न प्रकार दर्शाया गया है:-

क्र०सं०	वर्ष	व्यय धनराशि
1	2013-14	168880.00
2	2014-15	1232255.00
3	2015-16	777548.00
4	2016-17	46883.00
योग		2225566.00

उक्त से संबंधित व्यय प्रमाणक, अनुमानित व्यय, एम० बी०, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, एस्टीमेट, सृजित परिसम्पत्तियों का रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, टेंडर/कोटेशन, क्रयादेश, सत्यापन रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्गत पुष्टि प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे दर्शित व्यय रु० 2225566.00 की पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं होती है । व्यय अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने से अपहरण की श्रेणी मंन आता है, जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, कार्यप्रभारियों एवं लेखाकार श्री अरविन्द कुमार पाठक व श्री संतोष कुमार अवस्थी से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 2)

प्रस्तर सं० 80— ग्राम पंचायत मटीहनवा टोला भगवानपुर में बबलू सिंह के खेत के पास नाले पर 3 मी० स्पान की आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य हेतु दिनांक 06-11-2013 को रसीद सं० 1४40 द्वारा रु० 443053.00 की सामग्री का क्रय अनजानी कंस्ट्रक्शन सप्लाय कं० फरेंदा को किया गया है । इस क्रय में ईट गिट्टी 4 घन मी०/929.50 मूल्य रु० 31603.00 अंकित किया गया है । जबकि यह $4 \times 929.50 = 3718.00$ होना चाहिए । स्पष्ट है कि अंतर रु० 27885.00 का अधिक भुगतान कर अपहरण किया गया है । जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री विजयकांत मिश्र, ग्रा० वि० अधि०, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार राय एवं लेखाकार श्री संतोष कुमार अवस्थी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । कार्य प्रभारी श्री विजयकांत मिश्र, ग्रा० वि० अधि०, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार राय एवं लेखाकार श्री संतोष कुमार अवस्थी से अपहृत धनराशि रु० 27885.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 6)

प्रस्तर सं० 81— लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में मटीहनवा में रतन की चाय की दूकान से रेलवे सीमा तक इंटरलॉकिंग कार्य 70 मी० का एस्टीमेट रु० 220000.00 है । कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र में 62 मी० निर्माण का उल्लेख है । एस्टीमेट के अनुसार $220000 / 70 \times 62 = 194857.00$ रु० का व्यय होना चाहिए । किन्तु उक्त कार्य पर रु० 215343.00 व्यय किया गया है । अंतर रु० 20486.00 अधिक व्यय दर्शा कर अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार राय, लेखाकार श्री संतोष कुमार अवस्थी एवं कार्यप्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार राय एवं लेखाकार श्री संतोष कुमार अवस्थी से अपहृत धनराशि रु० 20486.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 8)

प्रस्तर सं० 82— पुनः लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में फुलमनहा में खडंजे से लार्ड कृष्णा डिग्री कॉलेज तक इंटरलॉकिंग कार्य 200 मी० का एस्टीमेट रु० 785000.00 है । कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र में 168.70 मी० निर्माण का उल्लेख है । एस्टीमेट के अनुसार $785000 / 200 \times 168.70 = 662148.00$ रु० का व्यय होना चाहिए । किन्तु उक्त कार्य पर रु० 776221.00 व्यय किया गया है । अंतर रु० 114073.00 अधिक व्यय दर्शा कर अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार राय, लेखाकार श्री संतोष कुमार अवस्थी एवं कार्यप्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार राय एवं लेखाकार श्री संतोष कुमार अवस्थी से अपहृत धनराशि रु० 114073.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 9)

प्रस्तर सं० 83— लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में विधायक निधि योजना के अंतर्गत रु० 199825.00 का व्यय किया गया है । उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक, अनुमानित व्यय, माप पुस्तिका, सृजित परिसम्पत्तियों का रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, क्रयादेश, टेंडर/कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सत्यापन रिपोर्ट, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रदत्त पुष्टि प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे दर्शित व्यय रु० 199825.00 की पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं होती है । व्यय अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने से अपहरण की श्रेणी में आता है । अस्तु तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार श्री संतोष कुमार अवस्थी से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए रु० 199825.00 का नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 10)

प्रस्तर सं० 84— लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में फुलमनहा में खडंजे से लार्ड कृष्णा डिग्री कॉलेज तक इंटरलॉकिंग कार्य की पत्रावली में 254.33 घन मी० मिट्टी श्री योगेश्वरधर दुबे/जनार्दन प्रसाद दुबे के ट्रैक्टर से डाला गया है । किन्तु इसका रॉयल्टी रु० 14.00 प्रति घन मी० की दर से रु० 3561.00 आकलन कर

भुगतान के समय नहीं काटा गया है जो आपत्तिजनक है । राजस्व हानि रु० 3561.00 के लिए कार्यप्रभारी श्री रामानुज शुक्ल, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार राय तथा लेखाकार श्री अरविन्द कुमार पाठक व श्री संतोष कुमार अवस्थी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । अस्तु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार राय, लेखाकार श्री अरविन्द कुमार पाठक व श्री संतोष कुमार अवस्थी तथा कार्यप्रभारी श्री रामानुज शुक्ल से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए रु० 3561.00 का नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ख 7)

क्षेत्र पंचायत धानीलेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 13-14

प्रस्तर सं० 85—ग्राम पंचायत करमहा में नूरुल्लाह के भट्टे के बगल में ब्रह्मपुर रोड पर 2 मी० स्पान पुलिया निर्माण कार्य में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये । (1) ग्राम पंचायत में स्थित परिसम्पत्तियों जैसे नाली/सड़क/पुलिया आदि के मरम्मत/निर्माण का अधिकार ग्राम पंचायत का है जिसके लिए राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवाँ वित्त आयोग योजना के अंतर्गत अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है ऐसे में उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया जाना असत्य है क्योंकि:— (अ) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि संबंधित पत्रावली से नहीं की जा सकी जो अति आवश्यक था । (ब) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने के लिए अधिकृत किये जाने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था । (स) उक्त कार्य को कराये जाने के पश्चात उक्त संपत्ति को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था । क्योंकि ये संपत्ति वास्तव में ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति है । (द) ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराये गए कार्य को करने हेतु स्वीकार करने एवं कार्य को पूरा करने के पश्चात ग्राम पंचायत को वापस करने संबंधित प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही पंजी में नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था । (2) उपरोक्त वर्णित कार्य की मजदूरी पर राज्य वित्त से अनुदान रु० 56960.00 भुगतान किया गया है जो मजदूरों को न कर कार्यप्रभारी को किया गया है । पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों पर मस्टर रोल सं० अंकित पाया गया जो खंड विकास कार्यालय से निर्गत किया गया था जबकि उसे क्षेत्र पंचायत कार्यालय से निर्गत किया जाना चाहिए था । साथ ही उक्त मस्टर रोलों पर जो अंगूठा निशान अंकित था वह भी प्रमाणित नहीं पाया गया जो आपत्तिजनक रहा । स्पष्ट है कि फर्जी एवं काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावली से संलग्न कर मजदूरी मद में वर्ष 2011-12 में योजनाबद्ध तरीके से रु० 56960.00 का अपहरण कर लिया गया है । (3) उपरोक्त वर्णित कार्य में प्रयुक्त सामग्री पर राज्य वित्त से रु० 220067.00 व्यय किया गया है । पत्रावली में सामग्री क्रय का भुगतान व्यय प्रमाणक के आधार पर किया गया है जिस पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं पाया गया । सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यप्रभारी द्वारा कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और ना ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है । सामग्री के आमद, उपयोग एवं अवशेष का स्टॉक पंजी भी नहीं बनाया गया है । इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही । स्पष्ट है कि फर्म की मिली-भगत से मात्र कच्चा बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया है । उपरोक्त से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त से रु० 277027.00 का कार्य कराया ही नहीं गया है । अभिलेख में उक्त कार्य पर अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण कर लिया गया है । रु० 277027.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 15)

प्रस्तर सं० 86— आलोच्य वर्ष 2011-12 में अनुदान पंजी के अनुसार राज्य वित्त आयोग से अनुदान रु० 893705.00 व्यय किया गया है जबकि लेखा परीक्षा में रु० 680543.00 के व्यय की पत्रावलियाँ ही पायी गईं । अंतर रु० 213162.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण कर लिया गया है । रु० 213162.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 16)

प्रस्तर सं० 87—कार्य पंजी में वर्ष 2012-13 में अनुदान पंजी के अनुसार राज्य वित्त आयोग से एकमात्र कार्य कार्यालय परिसर की बाउंड्री वाल मरम्मत एवं उच्चीकरण पूरब एवं दक्षिण की तरफ कराया गया है । जिस पर सामग्री पर रु० 397698.00 एवं मजदूरी पर रु० 114850.00 कुल रु० 512548.00 व्यय किया गया है जिसमें निम्न कमियाँ पाई गईं:—

(अ) क्षेत्र पंचायत में परिसम्पत्ति पंजी नहीं बनाई गई है, ऐसे में उक्त बाउंड्री निर्माण की तिथि, उम्र की जानकारी नहीं हो सकी । उक्त के अभाव में बाउंड्री वाल के मरम्मत के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जो अति आवश्यक था ।

(ब) उपरोक्त कार्य में मजदूरी पर रु० 114850.00 व्यय किया गया है जो मजदूरों को भुगतान न कर कार्य प्रभारी को किया गया है । पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों पर मस्टर रोल सं० अंकित पाया गया जो खंड विकास कार्यालय से निर्गत किया गया था जबकि उसे क्षेत्र पंचायत कार्यालय से निर्गत किया जाना चाहिए था । साथ ही उक्त मस्टर रोलों पर जो अंगूठा निशान अंकित था वह भी प्रमाणित नहीं पाया गया जो आपत्तिजनक रहा । स्पष्ट है कि फर्जी एवं काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावली से संलग्न कर मजदूरी मद में योजनाबद्ध तरीके से रु० 114850.00 का अपहरण कर लिया गया है ।

(स) उपरोक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री पर रु० 397698.00 व्यय किया गया है । पत्रावली में सामग्री क्रय का भुगतान व्यय प्रमाणक के आधार पर किया गया है जिस पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं पाया गया । सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यप्रभारी द्वारा कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और ना ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है । सामग्री के आमद, उपयोग एवं अवशेष का स्टॉक पंजी भी नहीं बनाया गया है । इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही । स्पष्ट है कि फर्म की मिली-भगत से मात्र कच्चा बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2012-13 में उक्त कार्य कार्यालय परिसर की बाउंड्री वाल मरम्मत एवं उच्चीकरण पूरब एवं दक्षिण की तरफ वास्तव में कराया ही नहीं गया है । उक्त कार्य पर सामग्री पर रु० 397698.00 एवं मजदूरी पर रु० 114850.00 कुल रु० 512548.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण कर लिया गया है । रु० 512548.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 17)

प्रस्तर सं० 88— आलोच्य वर्ष 2012-13 में अनुदान पंजी के अनुसार राज्य वित्त आयोग से अनुदान रु० 2633015.00 व्यय किया गया है जबकि लेखा परीक्षा में रु० 512548.00 की व्यय पत्रावली पायी गई । शेष रु० 2120467.00 का निर्माण मरम्मत पत्रावली नहीं पाई गई । स्पष्ट है कि बिना पत्रावली तैयार किये अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार कर लिया गया है । रु० 2120467.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 18)

प्रस्तर सं० 89— आलोच्य वर्ष 2012-13 में अनुदान पंजी के अनुसार तेरहवाँ वित्त आयोग से अनुदान रु० 232899.00 व्यय किया गया है जिसके व्यय प्रमाणक अथवा निर्माण/मरम्मत पत्रावली नहीं पाया गया । स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक अथवा निर्माण/मरम्मत पत्रावली तैयार किये अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार कर लिया गया है । रु० 232899.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 19)

प्रस्तर सं० 90— कार्य पंजी के अनुसार आलोच्य वर्ष 2013-14 में निम्न निर्माण/मरम्मत कार्यों पर व्यय दर्शाया गया है:—

1 राज्य वित्त

कार्य का नाम—कार्यालय परिसर के बाउंड्री वाल मरम्मत कार्य उत्तर एवं पश्चिम

कार्य प्रभारी— श्री कमलेश्वर सिंह एडीओ पी

कुल लागत— 3.41 लाख

सामग्री पर व्यय— 217619.00

मजदूरी पर व्यय— 118128.00

2 राज्य वित्त

कार्य का नाम—बरगाहपुर में शिवनाथ जोत व चेतारा के बीच 2 मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी—श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत—4.55 लाख

सामग्री पर व्यय—357087.00

मजदूरी पर व्यय—84168.00

3 राज्य वित्त

कार्य का नाम—ग्रा०पंचा० करमहा में बृजमनगंज धानी मुख्य मार्ग से मैनहिया वाले मार्ग पर 2 मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी—श्री वंशराज सिंह एडीओ

कुल लागत—4.415 लाख

सामग्री पर व्यय—359591.00

मजदूरी पर व्यय—80675.00

4 राज्य वित्त

कार्य का नाम—ग्रा०पंचा० नौसागर में मन्दुरवा से तेलिया भट वाले मार्ग पर 2 मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी—श्री अवनींद्र कुमार पाण्डेय (ग्रा०वि०अधि०)

कुल लागत—3.75 लाख

सामग्री पर व्यय—310289.00

मजदूरी पर व्यय—63822.00

5 राज्य वित्त

कार्य का नाम—वि० ख० कार्यालय की रंगाई पुताई एवं मरम्मत

कार्य प्रभारी—श्री मिश्री लाल (ग्रा०वि०अधि०)

कुल लागत—1.82 लाख

सामग्री पर व्यय—163132.00

मजदूरी पर व्यय—17640.00

6 राज्य वित्त

कार्य का नाम—प्रा० वि० नौसागर से नौसागर खास को मिलाने वाली सड़क पर 1.5 मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी—श्री राम कृष्ण गुप्ता (ग्रा०वि०अधि०)

कुल लागत—3.49 लाख

सामग्री पर व्यय—286048.00 मजदूरी पर व्यय—62544.00

7 राज्य वित्त

कार्य का नाम—प्रमुख कक्ष का मरम्मत एवं रंगाई पुताई

कार्य प्रभारी—श्री अवनींद्र कुमार पाण्डेय (ग्रा०वि०अधि०)

कुल लागत—0.77 लाख

सामग्री पर व्यय—57810.00

मजदूरी पर व्यय—9200.00

8 राज्य वित्त

कार्य का नाम—द्वारका भवन की मरम्मत एवं रंगाई पुताई

कार्य प्रभारी—श्री मिश्री लाल (ग्रा०वि०अधि०)

कुल लागत—1.78 लाख

सामग्री पर व्यय—143763.00

मजदूरी पर व्यय—21625.00

9 राज्य वित्त

कार्य का नाम—ग्रा०पंचा० नौसागर में बंगला चौराहे से भैसासुर होते लेहड़ा मार्ग पर 2 मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी—श्री मिश्री लाल (ग्रा०वि०अधि०)

कुल लागत—3.24 लाख

सामग्री पर व्यय—267024.00

मजदूरी पर व्यय—56864.00

10 राज्य वित्त

कार्य का नाम—ग्रा०पंचा० करमहा में बृजमनगंज धानी पीडब्लूडी मार्ग से मीरपुर वाले मार्ग पर 2 मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी—श्री राम कृष्ण गुप्ता (ग्रा०वि०अधि०)

कुल लागत—4.38 लाख

सामग्री पर व्यय—350638.00

मजदूरी पर व्यय—86258.00

योग कुल लागत—31.605 लाख सामग्री पर व्यय—2513001.00 मजदूरी पर व्यय—600924.00

(अ) क्रमांक 1.5.7 व 8 विकास खंड परिसर में मरम्मत कार्य कराये गए हैं। क्षेत्र पंचायत में परिसंपत्ति पंजी तैयार नहीं किया गया है, जिसके कारण विकास खंड कार्यालय के मरम्मत कार्य के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जो अति आवश्यक था।

(ब) उपरोक्त दर्शित कार्यों में शेष कार्य (क्रमांक 2,3,4,6,9 व 10) ग्राम पंचायतों में कराये गए हैं जिसमें निम्न कमियाँ पाई गईं:—

(क) ग्राम पंचायत में स्थित परिसम्पत्तियों जैसे नाली/सड़क/पुलिया आदि के मरम्मत/निर्माण का अधिकार ग्राम पंचायत का है जिसके लिए राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवाँ वित्त आयोग योजना के अंतर्गत अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है ऐसे में उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया जाना असत्य है क्योंकि:—

(1) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि संबंधित पत्रावली से नहीं की जा सकी जो अति आवश्यक था।

(2) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने के लिए अधिकृत किये जाने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था।

(3) उक्त कार्य को कराये जाने के पश्चात उक्त संपत्ति को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था। क्योंकि ये संपत्ति वास्तव में ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति है।

(4) ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराये गए कार्य को करने हेतु स्वीकार करने एवं कार्य को पूरा करने के पश्चात ग्राम पंचायत को वापस करने संबंधित प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही पंजी में नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था।

(ख) उपरोक्त वर्णित निर्माण/मरम्मत कार्यों की मजदूरी पर राज्य वित्त से अनुदान रु० 600924.00 भुगतान किया गया है जो मजदूरों को न कर कार्यप्रभारी को किया गया है। पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों पर मस्टर रोल सं० अंकित पाया गया जो खंड विकास कार्यालय से निर्गत किया गया था जबकि उसे क्षेत्र पंचायत कार्यालय से निर्गत किया जाना चाहिए था। साथ ही उक्त मस्टर रोलों पर जो अंगूठा निशान अंकित था वह भी प्रमाणित नहीं पाया गया जो आपत्तिजनक रहा। स्पष्ट है कि फर्जी एवं काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावली से संलग्न कर मजदूरी मद में वर्ष 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से रु० 600924.00 का अपहरण कर लिया गया है।

(ग) उपरोक्त वर्णित कार्य में प्रयुक्त सामग्री पर राज्य वित्त अनुदान से रु० 2513001.00 व्यय किया गया है। पत्रावलियों में सामग्री क्रय का भुगतान व्यय प्रमाणक के आधार पर किया गया है जिस पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं पाया गया। सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यप्रभारी द्वारा कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और ना ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री के आमद, उपयोग एवं अवशेष का स्टॉक पंजी भी नहीं बनाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। स्पष्ट है कि फर्म की मिली-भगत से मात्र कच्चा बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त योजना से प्राप्त अनुदान से रु० 3113925.00 का कार्य कराया ही नहीं गया है। अभिलेख में उक्त कार्य पर अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण कर लिया गया है। रु० 3113925.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ब 20)

प्रस्तर सं० 91— आलोच्य वर्ष 2013-14 में अनुदान पंजी के अनुसार तेरहवाँ वित्त आयोग से अनुदान रु० 471142.00 व्यय किया गया है। अनुदान पंजी के अनुसार लेखा परीक्षा में कार्य पंजी में उक्त व्यय का उल्लेख नहीं पाया गया और ना ही कोई व्यय पत्रावली पाया गया। स्पष्ट है कि अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार द्वारा कर लिया गया है। रु० 471142.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आ० सं० 2ब 21)

क्षेत्र पंचायत धानीलेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 16-17

प्रस्तर सं० 92— कार्य पंजी के अनुसार आलोच्य वर्ष 2014-15 में निम्न निर्माण मरम्मत कार्यों पर व्यय दर्शाया गया है:—

1 राज्य वित्त

कार्य का नाम—विकास खंड बाउंड्री वाल मरम्मत एवं रंगाई पुताई

कार्य प्रभारी— श्री राम कृष्ण गुप्ता (ग्रा०वि०अधि०)

कुल लागत— 1.43 लाख

सामग्री पर व्यय— 106629.00

मजदूरी पर व्यय— 32300.00

2 राज्य वित्त

कार्य का नाम—ग्रा०पंचा० नौसागर में बृजमनगंज धानी मुख्य मार्ग से लेदवा वाले मार्ग पर 2 मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी—श्री प्रदीप कुमार दुबे (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत—4.71 लाख

सामग्री पर व्यय—388262.00

मजदूरी पर व्यय—81200.00

3 राज्य वित्त

कार्य का नाम—ग्रा०पंचा० नौसागर में लेदवा पिच रोड से मठिया भवनिया मार्ग पर 2 मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी—श्री प्रदीप कुमार दुबे (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत—4.71 लाख

सामग्री पर व्यय—255382.00

मजदूरी पर व्यय—87200.00

4 राज्य वित्त

कार्य का नाम—ग्रा०पंचा० नौसागर में लेहड़ा पिच रोड से चौकिया वाले कच्चे मार्ग पर 2 मी० आरसीसी पुलिया

कार्य प्रभारी—श्री प्रदीप कुमार दुबे (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत—4.71 लाख

सामग्री पर व्यय—387319.00

मजदूरी पर व्यय—93312.00

5 राज्य वित्त

कार्य का नाम—प्रा० वि० नौसागर में टोला कुलाडाडी में बृजमनगंज पिच रोड से कब्रिस्तान वाले कच्चे मार्ग पर 2 मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी—श्री प्रदीप कुमार दुबे (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत—4.71 लाख

सामग्री पर व्यय—378738.00

मजदूरी पर व्यय—91840.00

6 राज्य वित्त

कार्य का नाम—बरगाहपुर में शिवनाथ जोत व चेतारा के बीच 2 मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी—श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत—4.55 लाख

सामग्री पर व्यय—357087.00

मजदूरी पर व्यय—84168.00

7 राज्य वित्त

कार्य का नाम—ग्रा०पंचा० नौसागर में लेदवा पिच रोड से मटिहनिया वाले कच्चे मार्ग पर 2 मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी—श्री प्रदीप कुमार दुबे (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत—4.71 लाख

सामग्री पर व्यय—383982.00

मजदूरी पर व्यय—81000.00

योग— कुल लागत— 29.53 लाख
551020.00

सामग्री पर व्यय— 2257399.00

मजदूरी पर व्यय—

8 बीआरजीएफ

कार्य का नाम—ग्रा०पंचा० नौसागर में टोला कोहरपुरवा से टोला हरिजनपुर तक सीसी रोड 160 मी०

कार्य प्रभारी—श्री प्रदीप कुमार दुबे (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत—5.00 लाख

सामग्री पर व्यय—438604.00

मजदूरी पर व्यय—61260.00

योग— कुल लागत— 5.00 लाख सामग्री पर व्यय— 438604.00 मजदूरी पर व्यय— 61260.00

उपरोक्त राज्य वित्त आयोग एवं बीआरजीएफ के अनुदान से कराये गए निर्माण/मरम्मत कार्यों में निम्न कमियाँ पाई गईं:—

(अ) क्रमांक 1 पर विकास खंड परिसर में बाउंड्री वाल मरम्मत एवं रंगाई पुताई कराया गया है । क्षेत्र पंचायत में परिसंपत्ति पंजी तैयार नहीं किया गया है, जिसके कारण विकास खंड कार्यालय के मरम्मत कार्य के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जो अति आवश्यक था ।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 12-13 में कार्यालय परिसर का बाउंड्री वाल मरम्मत एवं उच्चीकरण पूरा एवं दक्षिण रु० 512548.00 में तथा वर्ष 13-14 में भी कार्यालय परिसर का बाउंड्री वाल मरम्मत एवं उत्तर व दक्षिण रु० 335747.00 में कराया गया है । ऐसे में वर्ष 14-15 में पुनः बाउंड्री वाल मरम्मत कार्य करना असत्य है । उक्त कार्य लगातार तीन वर्ष 12-13, 13-14 व 14-15 में कराया गया है । नियमानुसार किसी भवन/दीवार का मरम्मत कम से कम तीन वर्षों के अंतराल पर कराया जाना चाहिए । लगातार तीन वर्षों तक बाउंड्री वाल का मरम्मत कराया जाना, कार्य के होने को असत्य सिद्ध करता है ।

(क) उपरोक्त दर्शित कार्यों में शेष कार्य (क्रमांक 2,3,4,5 व 6) तथा बीआरजीएफ अनुदान से कराया गया कार्य ग्राम पंचायतों में कराये गए हैं जिसमें निम्न कमियाँ पाई गईं:—

(अ) ग्राम पंचायत में स्थित परिसम्पत्तियों जैसे नाली/सड़क/पुलिया आदि के मरम्मत/निर्माण का अधिकार ग्राम पंचायत का है जिसके लिए राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवाँ वित्त आयोग योजना के अंतर्गत अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है ऐसे में उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया जाना असत्य है क्योंकि:—

(1) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि संबंधित पत्रावली से नहीं की जा सकी जो अति आवश्यक था ।

(2) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने के लिए अधिकृत किये जाने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था ।

(3) उक्त कार्य को कराये जाने के पश्चात उक्त संपत्ति को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था । क्योंकि ये संपत्ति वास्तव में ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति है ।

(4) ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराये गए कार्य को करने हेतु स्वीकार करने एवं कार्य को पूरा करने के पश्चात ग्राम पंचायत को वापस करने संबंधित प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही पंजी में नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था ।

(ख) उपरोक्त वर्णित निर्माण/मरम्मत कार्यों की मजदूरी पर राज्य वित्त आयोग से अनुदान रु० 551020.00 तथा बीआरजीएफ से रु० 61260.00 कुल रु० 612280.00 भुगतान किया गया है जो मजदूरों को न कर कार्यप्रभारी को किया गया है । पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों पर मस्टर रोल सं० अंकित पाया गया जो खंड विकास कार्यालय से निर्गत किया गया था जबकि उसे क्षेत्र पंचायत कार्यालय से निर्गत किया जाना चाहिए था । साथ ही उक्त मस्टर रोलों पर जो अंगूठा निशान अंकित था वह भी प्रमाणित नहीं पाया गया जो आपत्तिजनक रहा । स्पष्ट है कि फर्जी एवं काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावली से संलग्न कर मजदूरी मद में वर्ष 2014-15 में योजनाबद्ध तरीके से रु० 612280.00 का अपहरण कर लिया गया है ।

(ग) उपरोक्त वर्णित कार्य में प्रयुक्त सामग्री पर राज्य वित्त आयोग अनुदान से रु० 2257399.00 तथा बीआरजीएफ अनुदान से रु० 438604.00 कुल रु० 2696003.00 व्यय किया गया है । पत्रावलियों में सामग्री क्रय का भुगतान व्यय प्रमाणक के आधार पर किया गया है जिस पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं पाया गया । सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यप्रभारी द्वारा कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और ना ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है । सामग्री के आमद, उपयोग एवं अवशेष का स्टॉक

पंजी भी नहीं बनाया गया है । इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही । स्पष्ट है कि फर्म की मिली-भगत से मात्र कच्चा बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त योजना से प्राप्त अनुदान से रु० 2808419.00 तथा बीआरजीएफ अनुदान से रु० 499864.00 कुल रु० 3308283.00 का कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है। अभिलेख में उक्त कार्य पर अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण कर लिया गया है। रु० 3308283.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है । (मूल आ० सं० 2ब 15- I)

प्रस्तर सं० 93- आलोच्य वर्ष 2014-15 में अनुदान पंजी के अनुसार तेरहवाँ वित्त आयोग से अनुदान रु० 983600.00 व्यय किया गया है । लेखा परीक्षा में उक्त व्यय की पत्रावली नहीं पाई गई । स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार द्वारा कर लिया गया है । रु० 983600.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 16)

प्रस्तर सं० 94- आलोच्य वर्ष 2014-15 में अनुदान पंजी के अनुसार बीआरजीएफ अनुदान से रु० 637819.00 व्यय किया गया है । लेखा परीक्षा में मात्र रु० 499864.00 की ही व्यय पत्रावली प्रस्तुत रही । शेष रु० 137955.00 की व्यय पत्रावली नहीं पाई गई । स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार द्वारा कर लिया गया है । रु० 137955.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 17)

प्रस्तर सं० 95- कार्य पंजी के अनुसार आलोच्य वर्ष 2015-16 में निम्न निर्माण/मरम्मत कार्यों पर व्यय दर्शाया गया है:-

1 राज्य वित्त

कार्य का नाम-विकास खंड परिसर में स्थित केन्द्रीय सहकारी समिति कानापार का रंगाई पुताई

कार्य प्रभारी- श्री प्रदीप कुमार दुबे (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत- 0.998 लाख

सामग्री पर व्यय- 55921.00

मजदूरी पर व्यय- 43764.00

2 राज्य वित्त

कार्य का नाम-क्षे० युवा कल्याण खेल कूद कक्ष मरम्मत एवं रंगाई पुताई

कार्य प्रभारी- श्री प्रदीप कुमार दुबे (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत- 0.40 लाख

सामग्री पर व्यय- 33454.00

मजदूरी पर व्यय- 6489.00

3 राज्य वित्त

कार्य का नाम-ग्रा०पंचा० नौसागर में बंगला चौराहे से मिनी स्टेट बैंक तक नाली निर्माण के अवशेष कार्य

कार्य प्रभारी- श्री प्रदीप कुमार दुबे (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत- 0.62 लाख

सामग्री पर व्यय- 50210.00

मजदूरी पर व्यय- 8258.00

4 राज्य वित्त

कार्य का नाम-विकास खंड परिसर में बाउंड्री वाल से सटे नाली निर्माण

कार्य प्रभारी- श्री प्रदीप कुमार दुबे (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत- 0.99 लाख

सामग्री पर व्यय- 76519.00

मजदूरी पर व्यय- 22092.00

5 राज्य वित्त

कार्य का नाम—विकास खंड परिसर स्थित टाइप 1 चतुर्थ श्रेणी भवन का मरम्मत एवं रंगाई पुताई

कार्य प्रभारी—श्री प्रदीप कुमार दुबे (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत—0.99 लाख

सामग्री पर व्यय—69590.00 मजदूरी पर व्यय—29408.00

6 राज्य वित्त

कार्य का नाम—कूआडाडी से पश्चिम मंदुरवा गाँव जाने वाले मार्ग पर पुलिया

कार्य प्रभारी—श्री प्रदीप कुमार दुबे (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत—4.48 लाख

सामग्री पर व्यय—358641.00

मजदूरी पर व्यय—89143.00

7 राज्य वित्त

कार्य का नाम—विकास खंड परिसर के अभिलेखागार कक्ष का निर्माण

कार्य प्रभारी—श्री मिश्री लाल (ग्रा०वि०अधि०)

कुल लागत—3.91 लाख

सामग्री पर व्यय—341577.00

मजदूरी पर व्यय—45143.00

योग कुल लागत— 12.388 लाख सामग्री पर व्यय— 985912.00 मजदूरी पर व्यय— 244302.00

उपरोक्त राज्य वित्त आयोग एवं बीआरजीएफ के अनुदान से कराये गए निर्माणधर्ममत कार्यों में निम्न कमियाँ पाई गईं—

(1) क्रमांक 1,2,4 व 5 पर विकास खंड परिसर में निर्माण/मरम्मत कार्य कराया गया है । क्षेत्र पंचायत में परिसंपत्ति पंजी तैयार नहीं किया गया है, जिसके कारण विकास खंड कार्यालय के मरम्मत कार्य के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जो अति आवश्यक था ।

(2) उपरोक्त दर्शित कार्यों में शेष कार्य (क्रमांक 3,6 व 7) ग्राम पंचायतों में कराये गए हैं जिसमें निम्न कमियाँ पाई गईं—

(क) ग्राम पंचायत में स्थित परिसम्पत्तियों जैसे नाली/सड़क/पुलिया आदि के मरम्मत/निर्माण का अधिकार ग्राम पंचायत का है जिसके लिए राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवाँ वित्त आयोग योजना के अंतर्गत अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है ऐसे में उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया जाना असत्य है क्योंकि—

(अ) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि संबंधित पत्रावली से नहीं की जा सकी जो अति आवश्यक था ।

(ब) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने के लिए अधिकृत किये जाने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था ।

(स) उक्त कार्य को कराये जाने के पश्चात उक्त संपत्ति को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था । क्योंकि ये संपत्ति वास्तव में ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति है ।

(द) ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराये गए कार्य को करने हेतु स्वीकार करने एवं कार्य को पूरा करने के पश्चात ग्राम पंचायत को वापस करने संबंधित प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही पंजी में नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था ।

(ख) उपरोक्त वर्णित निर्माण/मरम्मत कार्यों की मजदूरी पर राज्य वित्त आयोग से अनुदान रु० 244302.00 भुगतान किया गया है जो मजदूरों को न कर कार्यप्रभारी को किया गया है । पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों पर मस्टर रोल सं० अंकित पाया गया जो खंड विकास कार्यालय से निर्गत किया गया था जबकि उसे क्षेत्र पंचायत कार्यालय से निर्गत किया जाना चाहिए था । साथ ही उक्त मस्टर रोलों पर जो अंगूठा निशान अंकित था वह भी प्रमाणित नहीं पाया गया जो आपत्तिजनक रहा । स्पष्ट है कि फर्जी एवं काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावली से संलग्न कर मजदूरी मद में वर्ष 2014-15 में योजनाबद्ध तरीके से रु० 244302.00 का अपहरण कर लिया गया है ।

(ग) उपरोक्त वर्णित कार्य में प्रयुक्त सामग्री पर राज्य वित्त आयोग अनुदान से रु० 985912.00 व्यय किया गया है । पत्रावलियों में सामग्री क्रय का भुगतान व्यय प्रमाणक के आधार पर किया गया है जिस पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं पाया गया । सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यप्रभारी द्वारा कोई मांग पत्र

प्रेषित नहीं किया गया है और ना ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है । सामग्री के आमद, उपयोग एवं अवशेष का स्टॉक पंजी भी नहीं बनाया गया है । इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही है । स्पष्ट है कि फर्म की मिली-भगत से मात्र कच्चा बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त योजना से प्राप्त अनुदान से रु० 1230214.00 का कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है । अभिलेख में उक्त कार्य पर अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण कर लिया गया है । रु० 1230214.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 18)

प्रस्तर सं० 96— आलोच्य वर्ष 2015-16 में अनुदान पंजी के अनुसार राज्य वित्त आयोग से अनुदान रु० 1361955.00 व्यय किया गया है जबकि लेखा परीक्षा में रु० 1230214.00 की व्यय पत्रावली पायी गई । शेष रु० 131741.00 की निर्माण मरम्मत पत्रावली नहीं पाई गई । स्पष्ट है कि बिना पत्रावली तैयार किये अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार कर लिया गया है । रु० 131741.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 19)

प्रस्तर सं० 97— आलोच्य वर्ष 2015-16 में अनुदान पंजी के अनुसार तेरहवाँ वित्त आयोग से अनुदान रु० 560358.00 व्यय किया गया है जिसके व्यय प्रमाणक अथवा निर्माण/मरम्मत पत्रावली नहीं पाया गया । स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक अथवा निर्माण/मरम्मत पत्रावली तैयार किये अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार कर लिया गया है । रु० 560358.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 20)

प्रस्तर सं० 98— आलोच्य वर्ष 2015-16 में अनुदान पंजी के अनुसार बीआरजीएफ अनुदान से रु० 51000.00 व्यय किया गया है जिसके व्यय प्रमाणक नहीं पाया गया । स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार कर लिया गया है । रु० 51000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 21)

प्रस्तर सं० 99— कार्य पंजी के अनुसार आलोच्य वर्ष 2016-17 में निम्न निर्माण/मरम्मत कार्यों पर व्यय दर्शाया गया है:—

1 राज्य वित्त

कार्य का नाम—विकास खंड परिसर में स्थित सभा कक्ष का मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण

कार्य प्रभारी— श्री अखिलेश कुमार द्विवेदी (ग्रा०वि०अधि०)

कुल लागत— 6.00 लाख

सामग्री पर व्यय—213635.00

मजदूरी पर व्यय—77745.00

2 राज्य वित्त

कार्य का नाम—ग्रा० पंचा० कानापार में हरिहर के घर से काली मंदिर तक नाली मरम्मत

कार्य प्रभारी— श्री एजाज अहमद एडीओ सी

कुल लागत— 0.959 लाख

सामग्री पर व्यय—78463.00

मजदूरी पर व्यय—13235.00

3 राज्य वित्त

कार्य का नाम—ग्रा०पंचा० नगवा के पुल से सुबाष के घर तक इंटरलॉकिंग 200 मी०

कार्य प्रभारी— श्री एजाज अहमद एडीओ सी

कुल लागत— 5.094 लाख

सामग्री पर व्यय—571574.00

मजदूरी पर व्यय—74289.00

योग **कूल लागत—12.053 लाख** **सामग्री पर व्यय—863672.00** **मजदूरी पर व्यय—165269.00**
 उपरोक्त राज्य वित्त आयोग के अनुदान से कराये गए निर्माण/मरम्मत कार्यों में निम्न कमियाँ पाई गईं:—

(1) क्रमांक 1 पर विकास खंड परिसर में सभा कक्ष का मरम्मत कार्य कराया गया है । क्षेत्र पंचायत में परिसंपत्ति पंजी तैयार नहीं किया गया है, जिसके कारण विकास खंड कार्यालय के मरम्मत कार्य के वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जो अति आवश्यक था ।

(2) उपरोक्त दर्शित कार्यों में शेष कार्य (क्रमांक 2 व 3) ग्राम पंचायतों में कराये गए हैं जिसमें निम्न कमियाँ पाई गईं:—

(क) ग्राम पंचायत में स्थित परिसम्पत्तियों जैसे नाली/सड़क/पुलिया आदि के मरम्मत/निर्माण का अधिकार ग्राम पंचायत का है जिसके लिए राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवाँ वित्त आयोग योजना के अंतर्गत अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है ऐसे में उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया जाना असत्य है क्योंकि:—

(अ) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि संबंधित पत्रावली से नहीं की जा सकी जो अति आवश्यक था ।

(ब) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने के लिए अधिकृत किये जाने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था ।

(स) उक्त कार्य को कराये जाने के पश्चात उक्त संपत्ति को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था । क्योंकि ये संपत्ति वास्तव में ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति है ।

(द) ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराये गए कार्य को करने हेतु स्वीकार करने एवं कार्य को पूरा करने के पश्चात ग्राम पंचायत को वापस करने संबंधित प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही पंजी में नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था ।

(ख) उपरोक्त वर्णित निर्माणधरम्मत कार्यों की मजदूरी पर राज्य वित्त आयोग से अनुदान रु० 165269.00 भुगतान किया गया है जो मजदूरों को न कर कार्यप्रभारी को किया गया है । पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों पर मस्टर रोल सं० अंकित पाया गया जो खंड विकास कार्यालय से निर्गत किया गया था जबकि उसे क्षेत्र पंचायत कार्यालय से निर्गत किया जाना चाहिए था । साथ ही उक्त मस्टर रोलों पर जो अंगूठा निशान अंकित था वह भी प्रमाणित नहीं पाया गया जो आपत्तिजनक रहा । स्पष्ट है कि फर्जी एवं काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावली से संलग्न कर मजदूरी मद में वर्ष 2016-17 में योजनाबद्ध तरीके से रु० 165269.00 का अपहरण कर लिया गया है ।

(ग) उपरोक्त वर्णित कार्य में प्रयुक्त सामग्री पर राज्य वित्त आयोग अनुदान से रु० 863672.00 व्यय किया गया है । पत्रावलियों में सामग्री क्रय का भुगतान व्यय प्रमाणक के आधार पर किया गया है जिस पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं पाया गया । सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यप्रभारी द्वारा कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और ना ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है । सामग्री के आमद, उपयोग एवं अवशेष का स्टॉक पंजी भी नहीं बनाया गया है । इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही है । स्पष्ट है कि फर्म की मिली-भगत से मात्र कच्चा बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त योजना से प्राप्त अनुदान से रु० 1028941.00 का कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है । अभिलेख में उक्त कार्य पर अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण कर लिया गया है । रु० 1028941.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है

(मूल आ० सं० 2ब 22)

प्रस्तर सं० 100— आलोच्य वर्ष 2016-17 में अनुदान पंजी के अनुसार राज्य वित्त आयोग से अनुदान रु० 1900789.00 व्यय किया गया है । लेखा परीक्षा अवधि में रु० 1028941.00 का ही व्यय प्रमाणक पाया गया । शेष रु० 871848.00 का व्यय पत्रावली/प्रमाणक नहीं पाया गया । स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक अथवा निर्माण/मरम्मत पत्रावली तैयार किये अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार कर लिया गया है । रु० 871848.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 23)

प्रस्तर सं० 101— आलोच्य वर्ष 2015-16 में अनुदान पंजी के अनुसार बीआरजीएफ अनुदान से रु० 30542.00 व्यय किया गया है जिसके व्यय प्रमाणक नहीं पाया गया । स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार कर लिया गया है । रु० 30542.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 24)

प्रस्तर सं० 102— वर्ष 2016-17 में अनुदान पंजी के अनुसार लकड़ी नीलामी से रु० 10000.00 की आय प्राप्त हुई है जिसे उक्त सत्र में व्यय कर दिया गया है तथा इसका व्यय प्रमाणक नहीं पाया गया । स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार कर लिया गया है । रु० 10000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 25)

क्षेत्र पंचायत फरेंदा लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 13-14

प्रस्तर सं० 103— आलोच्य वर्ष 2011-12 में निम्न अनुदानों से निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराये गए हैं जिसमे पत्रावली लेखा परीक्षा में नहीं पाया गया:-

क्र०सं० अनुदान मद व्यय धनराशि (लाख)

1	बारहवाँ वित्त	4.01
2	तेरहवाँ वित्त	8.354
3	राज्य वित्त	19.165

योग 31.529

बिना व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम० बी०, उपभोग प्रमाण पत्र, एस्टीमेट, अनुमानित व्यय, सृजित परिसम्पत्तियों का रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, टेंडर/कोटेशन, क्रयादेश, सत्यापन रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाणपत्र आदि तैयार किये धन का व्यय अवास्तविक व्यय की श्रेणी में आता है अर्थात् उक्त अवास्तविक व्यय दर्शा कर रु० 31.529 लाख का अपहरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, प्रमुख एवं लेखाकार श्री राम जी गुप्ता द्वारा कर लिया गया है । अस्तु तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, प्रमुख एवं लेखाकार श्री राम जी गुप्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ख 13)

प्रस्तर सं० 104— आलोच्य वर्ष 2012-13 में निम्न निर्माण/मरम्मत कार्य कराये गए हैं:-

1 राज्य वित्त

कार्य का नाम—परसिया सिवान से पिपराबारी बुजुर्ग तक खडंजा निर्माण 472 मी०

कार्य प्रभारी— श्री राम प्रवेश मिश्र (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत— 4.19 लाख

सामग्री पर व्यय— 365872.00

मजदूरी पर व्यय— 49920.00

2 राज्य वित्त

कार्य का नाम—बडहरा देवी स्थान चक रोड पर 1'2 मी० स्पान पुलिया निर्माण

कार्य प्रभारी— श्री राम प्रवेश मिश्र (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत— 3.01 लाख

सामग्री पर व्यय— 250106.00

मजदूरी पर व्यय— 47760.00

3 राज्य वित्त

कार्य का नाम—बडहरा देवी स्थान के बीच कल्पनाथ के खेत के पास 2 मी० स्पान पुलिया निर्माण

कार्य प्रभारी— श्री राम प्रवेश मिश्र (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत— 3.21 लाख

सामग्री पर व्यय— 264795.00

मजदूरी पर व्यय— 53040.00

4 राज्य वित्त

कार्य का नाम—परसिया बुजुर्ग मौजा देउरवा शंकर जी के स्थान पर चारों तरफ बाउंड्री वाल एवं गेट
कार्य प्रभारी— श्री राम प्रवेश मिश्र (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत— 6.76 लाख

सामग्री पर व्यय— 476260.00

मजदूरी पर व्यय— 140032.00

5 राज्य वित्त

कार्य का नाम—परसिया बुजुर्ग में पंचायत भवन, बारात घर मरम्मत एवं बाउंड्री वाल निर्माण

कार्य प्रभारी— श्री राम प्रवेश मिश्र (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत— 1.57 लाख

सामग्री पर व्यय— 123390.00

मजदूरी पर व्यय— 33508.00

6 राज्य वित्त

कार्य का नाम—ग्रा०पंचा० मथुरानगर में फरेंदा—गोरखपुर मार्ग से ओम फर्नीचर के आवास तक खडंजा कार्य

कार्य प्रभारी— श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत— 0.76 लाख

सामग्री पर व्यय— 60998.00

मजदूरी पर व्यय— 14875.00

7 राज्य वित्त

कार्य का नाम फरेंदा—महाराजगंज मार्ग से अजय के मकान तक 48 मी० इंटरलॉकिंग कार्य 14.30 मी०

प्रभारी— श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत— 2.85 लाख

सामग्री पर व्यय— 249120.00

मजदूरी पर व्यय— 35227.00

8 राज्य वित्त

कार्य का नाम—छितही बुजुर्ग फरेंदा— धानी मार्ग के दक्षिण छितही मुख्य मार्ग पर जंगल किनारे 3 मी०

स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी— श्री जाकिर अली (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत— 5.62 लाख

सामग्री पर व्यय— 473641.00

मजदूरी पर व्यय— 87528.00

9 राज्य वित्त

कार्य का नाम—परसिया बुजुर्ग देउरवा टोला पर मंदिर के पास कूप मरम्मत, चबूतरा निर्माण एवं स्थल विकास कार्य

कार्य प्रभारी— श्री जाकिर अली (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत— 2.38 लाख

सामग्री पर व्यय— 196374.00

मजदूरी पर व्यय— 40102.00

योग कुल लागत—30.35 लाख सामग्री पर व्यय—2460556.00 मजदूरी पर व्यय—501992.00

1 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम फरेंदा—महाराजगंज पिच रोड कम्हरिया सिवान मार्ग से उत्तर बडहरा देवी पूरब टोला पर

आरसीसी पुलिया

कार्य प्रभारी— श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत— 4.78 लाख

सामग्री पर व्यय— 408073.00

मजदूरी पर व्यय— 69600.00

2 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम फरेंदा— महाराजगंज पिच रोड सेखुई मार्ग बडहरा देवी में पुलिया 2 मी०

कार्य प्रभारी— श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत— 3.52 लाख

सामग्री पर व्यय— 290447.00

मजदूरी पर व्यय— 61200.00

3 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम—छितही बुजुर्ग का महवा टोला पर 3 मी० स्पान पुलिया निर्माण

कार्य प्रभारी— श्री जाकिर अली (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत— 4.67 लाख

सामग्री पर व्यय— 393066.00

मजदूरी पर व्यय— 73680.00

4 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम—ग्रा०पंचा० फरेंदा खुर्द में दुर्गा यादव के घर से जैनुल के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण

कार्य प्रभारी— श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत— 2.69 लाख

सामग्री पर व्यय— 229450.00

मजदूरी पर व्यय— 36852.00

5 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम—ग्रा०पंचा० फरेंदा खुर्द में रामनयन पासवान के दूकान से मेन रोड खैराती के घर तक नाली एवं एक अदद आरसीसी पुलिया

कार्य प्रभारी— श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत— 2.44 लाख

सामग्री पर व्यय— 200564.00

मजदूरी पर व्यय— 43556.00

योग कुल लागत—18.11 लाख सामग्री पर व्यय—1521600.00 मजदूरी पर व्यय—284888.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि राज्य वित्त आयोग के अनुदान से कराये गए निर्माणधर्ममत कार्य क्रमांक 1 से 9 रु० 2962548.00 तथा तेरहवाँ वित्त अनुदान से कराये गए निर्माणधर्ममत कार्य क्रमांक 1 से 5 रु० 1806488.00 में निम्न कमियाँ पाई गईं:—

(क) ग्राम पंचायत में स्थित परिसम्पत्तियों जैसे नाली/सड़क/पुलिया आदि के मरम्मत/निर्माण का अधिकार ग्राम पंचायत का है जिसके लिए राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवाँ वित्त आयोग योजना के अंतर्गत अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है ऐसे में उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया जाना असत्य है क्योंकि:—

(अ) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि संबंधित पत्रावली से नहीं की जा सकी जो अति आवश्यक था ।

(ब) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने के लिए अधिकृत किये जाने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था ।

(स) उक्त कार्य को कराये जाने के पश्चात उक्त संपत्ति को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था । क्योंकि ये संपत्ति वास्तव में ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति है ।

(द) ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराये गए कार्य को करने हेतु स्वीकार करने एवं कार्य को पूरा करने के पश्चात ग्राम पंचायत को वापस करने संबंधित प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही पंजी में नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था ।

(ख) उपरोक्त राज्य वित्त आयोग के कार्यों पर रु० 501992.00 तथा तेरहवाँ वित्त आयोग के कार्यों पर रु० 284888.00 कुल रु० 786880.00 मजदूरी पर भुगतान किया गया है जो मजदूरों को न कर कार्यप्रभारी को किया गया है । पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों पर मस्टर रोल सं० अंकित पाया गया जो खंड विकास कार्यालय से निर्गत किया गया था जबकि उसे क्षेत्र पंचायत कार्यालय से निर्गत किया जाना चाहिए था ।

(ग) उपरोक्त राज्य वित्त के कार्यों में प्रयुक्त सामग्री मद में रु० 2460556.00 तथा तेरहवाँ वित्त आयोग के कार्यों पर रु० 1521600.00 कुल रु० 3982156.00 व्यय किया गया है । पत्रावलियों में सामग्री क्रय का भुगतान व्यय प्रमाणक के आधार पर किया गया है जिस पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं पाया गया । सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यप्रभारी द्वारा कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और ना ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है । सामग्री के आमद, उपयोग एवं अवशेष का स्टॉक पंजी भी नहीं बनाया गया है । इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही । स्पष्ट है कि फर्म की मिली-भगत से मात्र कच्चा बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया है ।

प्रस्तर सं० 105— आलोच्य वर्ष 2011-12 में अनुदान पंजी के अनुसार राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान में से रु० 3112392.00 व्यय दर्शाया गया है जबकि उक्त अवधि के कार्य पंजिका में कुल रु० 19.165 लाख का ही निर्माण/मरम्मत कार्य अंकित पाया गया । अंतर रु० 11.958 लाख के कार्य निर्माण/मरम्मत कार्य पंजी में नहीं पाया गया । अंतर रु० 11.958 लाख का अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण कर लिया गया है । रु० 11.958 लाख की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है (मूल आ० सं० 2ब 15)

(मूल आ० सं० 2ब 17)

1 राज्य वित्त

कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार (ग्रा०वि०अधि०)

कूल लागत 1.62 लाख

सामग्री पर व्यय 140256.00

मजदूरी पर व्यय 21551.00

2 राज्य वित्त

कार्य का नाम महदेवा बुजुर्ग में लालचंद चौरसिया के घर से महाबल प्रसाद के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण 46 मी०

कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार (ग्रा०वि०अधि०)

कूल लागत 1.637 लाख

सामग्री पर व्यय 141362.00

मजदूरी पर व्यय 22176.00

3 राज्य वित्त

कार्य का नाम महदेवा ब्रजूरुग में इंटरलॉकिंग कार्य

कार्य प्रभारी श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव (ट.ट.) उच्च,

कूल लागत 3.96 लाख

सामग्री पर व्यय 341089.00

मजदूरी पर व्यय 51940.00

4 राज्य वित्त

कार्य का नाम वि० ख० परिसर में कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन मरम्मत व रंगाई पुताई

कार्य प्रभारी श्री दिनेश कुमार (ग्रा०वि०अधि०)

कुल लागत 0.99 लाख

सामग्री पर व्यय 52737.00

मजदूरी पर व्यय 46062.00

5 राज्य वित्त

कार्य का नाम मथुरानगर में दिनेश चन्द्र मिश्र के घर के पास 1.50 मी० स्पान पुलिया निर्माण

कार्य प्रभारी श्री राम प्रवेश मिश्र (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 3.02 लाख

सामग्री पर व्यय 262454.00

मजदूरी पर व्यय 36120.00

6 राज्य वित्त

कार्य का नाम महदेवा बुजुर्ग में आंगनबाड़ी केंद्र मरम्मत कार्य

कार्य प्रभारी श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 1.34 लाख

सामग्री पर व्यय 103886.00

मजदूरी पर व्यय 29588.00

7 राज्य वित्त

कार्य का नाम वि० ख० परिसर में आवासीय भवन मरम्मत आदि कार्य

कार्य प्रभारी श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 2.027 लाख

सामग्री पर व्यय 139132.00

मजदूरी पर व्यय 93740.00

8 राज्य वित्त

कार्य का नाम वि० ख० सूचना केंद्र के कम्प्यूटर कक्ष एवं अन्य कक्ष का निर्माण

कार्य प्रभारी श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 4.51 लाख

सामग्री पर व्यय 400006.00

मजदूरी पर व्यय 449840.00

9 राज्य वित्त

कार्य का नाम ग्रा०पंचा० सेखुई में सभापति चौबे के खेत के पास पुलिया निर्माण

कार्य प्रभारी श्री कृष्ण देव शुक्ल (पट्ट)

कुल लागत 3.40 लाख

10 राज्य वित्त

कार्य का नाम ग्रा०पंचा० चौतरवा में चन्द्रकेश के शौचालय से मुनीराम के खेत तक ७७ रोड निर्माण 197 मी०

कार्य प्रभारी श्री जाकिर अली (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 4.61 लाख

11 राज्य वित्त

कार्य का नाम गोपलापुर दुबे सह० स० का गोदाम मरम्मत कार्य

कार्य प्रभारी श्री राम प्रवेश मिश्र (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 2.91 लाख

12 राज्य वित्त

कार्य का नाम गोपलापुर शाह में पिच रोड से पश्चिम बरई टोला तक ८ रोड निर्माण 141 मी०

कार्य प्रभारी श्री कृष्ण देव शुक्ल

कुल लागत 3.42 लाख

13 राज्य वित्त

गोपलापुर शाह में पिच रोड से पश्चिम बरई टोला तक ८ रोड निर्माण 76 मी०

कार्य प्रभारी श्री कृष्ण देव शुक्ल

कुल लागत 1.83 लाख

14 राज्य वित्त

कार्य का नाम ख० वि० अधि० आवास भवन की रंगाई पुताई

कार्य प्रभारी श्री राम गुप्ता लेखाकार

कुल लागत 0.62 लाख

15 राज्य वित्त

कार्य का नाम चौतरवा में आंगनबाड़ी केंद्र मरम्मत कार्य

कार्य प्रभारी श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव

कुल लागत 0.86 लाख

सामग्री पर व्यय 62701.00

मजदूरी पर व्यय 22660.00

16 राज्य वित्त

कार्य का नाम गोपलापुर दुबे में आंगनबाड़ी केंद्र मरम्मत कार्य

कार्य प्रभारी श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव

कुल लागत 0.98 लाख

सामग्री पर व्यय 73690.00

मजदूरी पर व्यय 23938.00

17 राज्य वित्त

कार्य का नाम परसिया बुजुर्ग में गोरख सिंह खेत के पास आरसीसी से मस्जिद होते बकरीदन के मकान तक रोड निर्माण 172 मी०

कार्य प्रभारी श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव,

कुल लागत 4.56 लाख

सामग्री पर व्यय 401545.00

मजदूरी पर व्यय 53508.00

18 राज्य वित्त

कार्य का नाम परसिया बुजुर्ग मातिवर हरिजन के घर से मुन्नीलाल हरिजन के घर के पीछे हैण्ड पंप तक ८ रोड निर्माण 122 मी०

कार्य प्रभारी श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव

कुल लागत 2.60 लाख

सामग्री पर व्यय 231491.00

मजदूरी पर व्यय 27464.00

19 राज्य वित्त

कार्य का नाम परसिया बुजुर्ग खलील के माकन से आजाद के मकान तक ८ रोड निर्माण 11 मी०

कार्य प्रभारी श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव (ठ.व.)

कुल लागत 2.925 लाख

सामग्री पर व्यय 256803.00

मजदूरी पर व्यय 34320.00

20 राज्य वित्त

कार्य का नाम मनिक्कौरा में गाँव के अन्दर गेट से शिव मंदिर तक व प्रा० वि० तक इंटरलॉकिंग कार्य 91 मी०

कार्य प्रभारी श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव (ठ.व.)

कुल लागत 3.42 लाख

सामग्री पर व्यय 303601.00

मजदूरी पर व्यय 38864.00

21 राज्य वित्त

कार्य का नाम उदितपुर सैनिक टोला पर बहादुर थापा के घर से पिच रोड तक ७ रोड निर्माण 157 मी०

कार्य प्रभारी श्री कृष्ण देव शुक्ल

कुल लागत 3.26 लाख

सामग्री पर व्यय 287557.00

मजदूरी पर व्यय 38264.00

योग कुल लागत— 54.499 सामग्री पर व्यय— 3198307.00 मजदूरी पर व्यय— 590035.00

1 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम फरेंदा-सोनौली मार्ग पर परसा महंथ मुख्य मार्ग से राममिलन के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण 175 मी०

कार्य प्रभारी श्री राम प्रवेश मिश्र (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 4.82 लाख

सामग्री पर व्यय 414900.00

मजदूरी पर व्यय 66276.00

2 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम मथुरानगर फुलवरिया टोला विश्वकर्मा के घर से पिच रोड तक भूमिगत नाली व पिच रोड से उमाशंकर के घर तक खडंजा निर्माण 116.90 मी०

कार्य प्रभारी श्री राम प्रवेश मिश्र (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 4.02 लाख

सामग्री पर व्यय 352868.00

मजदूरी पर व्यय 45462.00

3 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम निरनाम पश्चिमी में पिच रोड से पीताम्बर यादव के घर तक मिट्टीखडंजा कार्य 152 मी०

कार्य प्रभारी श्री राम प्रवेश मिश्र (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 0.988 लाख

सामग्री पर व्यय 79488.00

मजदूरी पर व्यय 19312.00

4 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम महदेवा बुजुर्ग में श्री प्रकाश के घर से फारेस्ट रोड तक इंटरलॉकिंग 29 मी०

कार्य प्रभारी श्री राम प्रवेश मिश्र (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 0.952 लाख

सामग्री पर व्यय 82584.00

मजदूरी पर व्यय 12640.00

5 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम फरेंदा-महाराजगंज मार्ग से उत्तर सोनबरसा चौतरवा मार्ग पर 2 मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी श्री राम प्रवेश मिश्र (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 3.07 लाख

सामग्री पर व्यय 259616.00

मजदूरी पर व्यय 46882.00

6 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम सिधवारी में धानी मार्ग से संजय यादव के मकान से रमाशंकर यादव के घर तक ७ रोड निर्माण 114 मी०

कार्य प्रभारी श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 2.69 लाख

सामग्री पर व्यय 233825.00

मजदूरी पर व्यय 34102.00

7 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम कम्हरिया खुर्द में फरेंदा-महराजगंज मुख्य मार्ग से फूलमती देवी उ० मा० वि० तक ७ रोड निर्माण 95 मी०

कार्य प्रभारी श्री जाकिर अली (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 2.95 लाख

सामग्री पर व्यय 256852.00

मजदूरी पर व्यय 37226.00

8 तेरहवाँ वित्त कार्य का नाम अल्हदिया महदेवा में चन्द्रिका के घर से दक्षिण 2 मी० स्पान पुलिया निर्माण

कार्य प्रभारी श्री जाकिर अली (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 3.32 लाख

सामग्री पर व्यय 279932.00

मजदूरी पर व्यय 56792.00

9 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम पिपरा विश्वम्भरपुर च्च महाराजगंज सड़क से उत्तर गुजरपुरवा टोला मार्ग पर 2 मी० स्पान पुलिया कार्य प्रभारी श्री राम प्रवेश मिश्र (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 4.268 लाख

सामग्री पर व्यय 359600.00

मजदूरी पर व्यय 66164.00

10 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम उदितपुर में भैया फरेंदा से पिपरिली रोड पर श्री बहादुर गुरुंग के खेत के पास 3 मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी श्री जाकिर अली (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 5.41 लाख

सामग्री पर व्यय 387393.00

मजदूरी पर व्यय 150668.00

11 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम चौतरवा में आंगनबाड़ी केंद्र से पारस साधु के घर तक नाली मरम्मत व पिच रोड से रामचंदर के घर तक सीसी रोड 180 मी० व नाली निर्माण 38 मी०

कार्य प्रभारी श्री जाकिर अली (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 1.67 लाख

सामग्री पर व्यय 143757.00

मजदूरी पर व्यय 22376.00

12 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम मथुरानगर में प्रा० वि० एवं कन्या वि० का उच्चीकरण कार्य 163 मी०

कार्य प्रभारी श्री कृष्ण देव शुक्ल एडीओ (आईएसबी)

कुल लागत 1.38 लाख

सामग्री पर व्यय 115992.00

मजदूरी पर व्यय 21602.00

13 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम मधवापुर बीआरजीएफसीसी रोड से आगे सुखारी हरिजन के घर तक सीसी रोड निर्माण 125 मी०

कार्य प्रभारी श्री कृष्ण देव शुक्ल एडीओ (आईएसबी)

कुल लागत 3.50 लाख

सामग्री पर व्यय 308580.00

मजदूरी पर व्यय 40222.00

14 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम परसिया बुजुर्ग में मोती हरिजन के मकान से शिव पूरन के मकान तक सीसी रोड 67 मी०

कार्य प्रभारी श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव (बीओ.) पीआरडी,

कुल लागत 1.40 लाख

सामग्री पर व्यय 94180.00

मजदूरी पर व्यय 12900.00

15 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम सोनबरसा में पिच रोड से सोहरत के खेत जाने वाले मार्ग पर शेषदत्त पाण्डेय खेत के पास 2 मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी श्री कृष्ण देव शुक्ल एडीओ (आईएसबी)

कुल लागत 4.158 लाख

सामग्री पर व्यय 330431.00

मजदूरी पर व्यय 83994.00

16 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम सोनबरसा में इजरही टोला से पूरब टोला मार्ग पर 2 मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी श्री कृष्ण देव शुक्ल एडीओ (आईएसबी)

कुल लागत 4.16 लाख

सामग्री पर व्यय 323081.00

मजदूरी पर व्यय 41884.00

योग कुल लागत— 48.456 सामग्री पर व्यय— 4023009.00 मजदूरी पर व्यय— 758502.00

(1) राज्य वित्त आयोग के अनुदान से कराये गए निर्माण/मरम्मत कार्य क्रमांक 9 से 14 पर दर्शित कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई । बिना पत्रावली तैयार किये रु० 16.79 लाख का अवास्तविक व्यय दर्शा कर तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार द्वारा अपहरण कर लिया गया है ।

(2) इसी प्रकार क्रमांक 4,7 व 8 पर दर्शित कार्य विकास खंड कार्यालय परिसर में कराये गए हैं । लेखा परीक्षा में इन कार्यों की परिसंपत्ति पंजी प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण उक्त निर्माण/मरम्मत कार्य के विधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जो अति आवश्यक था ।

(3) राज्य वित्त आयोग से कराये गए निर्माण/मरम्मत के शेष कार्य क्रमांक 1,2,3,5,6,15,16,17,18,19,20 एवं 21 ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गए हैं । इसी प्रकार तेरहवाँ वित्त आयोग के अनुदान वर्ष 13-14 के समस्त 16 निर्माण/मरम्मत कार्य भी ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गए हैं जिन में निम्न कमियाँ पाई गई:-

(क) ग्राम पंचायत में स्थित परिसम्पत्तियों जैसे नाली/सड़क/पुलिया आदि के मरम्मतधनिर्माण का अधिकार ग्राम पंचायत का है जिसके लिए राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवाँ वित्त आयोग योजना के अंतर्गत अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है ऐसे में उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया जाना असत्य है क्योंकि:-

(अ) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि संबंधित पत्रावली से नहीं की जा सकी जो अति आवश्यक था ।

(ब) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने के लिए अधिकृत किये जाने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था ।

(स) उक्त कार्य को कराये जाने के पश्चात उक्त संपत्ति को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था । क्योंकि ये संपत्ति वास्तव में ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति है ।

(द) ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराये गए कार्य को करने हेतु स्वीकार करने एवं कार्य को पूरा करने के पश्चात ग्राम पंचायत को वापस करने संबंधित प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही पंजी में नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था ।

(ख) क्रमांक 2 व 3 पर वर्णित निर्माण/मरम्मत कार्यों की मजदूरी पर राज्य वित्त आयोग से रु० 590035.00 तथा तेरहवाँ वित्त आयोग से रु० 758502.00 कुल रु० 1348537.00 भुगतान किया गया है जो मजदूरों को न कर कार्यप्रभारी को किया गया है । पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों पर मस्टर रोल सं० अंकित पाया गया जो खंड विकास कार्यालय से निर्गत किया गया था जबकि उसे क्षेत्र पंचायत कार्यालय से निर्गत किया जाना चाहिए था । साथ ही उक्त मस्टर रोलों पर जो अंगूठा निशान अंकित था वह भी प्रमाणित नहीं पाया गया जो आपत्तिजनक रहा । स्पष्ट है कि फर्जी एवं काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावली से संलग्न कर वर्ष 13-14 में मजदूरी मद में योजनाबद्ध तरीके से रु० 1348537.00 का अपहरण कर लिया गया है ।

(ग) क्रमांक 2 व 3 पर वर्णित निर्माण/मरम्मत कार्यों की सामग्री मद में राज्य वित्त रु० 3198307.00 तथा तेरहवाँ वित्त आयोग से रु० 4023009.00 कुल रु० 7221316.00 व्यय किया गया है । पत्रावलियों में सामग्री क्रय का भुगतान व्यय प्रमाणक के आधार पर किया गया है जिस पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं पाया गया । सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यप्रभारी द्वारा कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और ना ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है । सामग्री के आमद, उपयोग एवं अवशेष का स्टॉक पंजी भी नहीं बनाया गया है । इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही । स्पष्ट है कि फर्म की मिली-भगत से मात्र कच्चा बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2013-14 में कार्य पंजिका में दर्शित राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रु० 16.7937.88= 54.67 लाख तथा तेरहवाँ वित्त से रु० 47.82 लाख का कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है । अभिलेख में उक्त कार्य पर अवास्तविक व्यय दर्शा कर रु० 54.67 लाख एवं रु० 47.82 लाख कुल 102.49 लाख क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण कर लिया गया है । रु० 102.49 लाख की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 18)

क्षेत्र पंचायत फरेंदा लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 16-17

प्रस्तर सं० 108- आलोच्य वर्ष 2014-15 में निम्न निर्माण/मरम्मत कार्यों कराये गए हैं:-

1 राज्य वित्त

कार्य का नाम भवन मरम्मत व बाउंड्री वाल निर्माण

कार्य प्रभारी श्री कृष्ण देव शुक्ल एडीओ आईएसबी

कुल लागत 2.51 लाख

सामग्री पर व्यय 211982.00

मजदूरी पर व्यय 38912.00

2 राज्य वित्त

कार्य का नाम परसिया बुजुर्ग में श्री कौशल सिंह के मकान के सामने सीसी रोड निर्माण

कार्य प्रभारी श्री राम प्रवेश मिश्र (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 1.62 लाख

सामग्री पर व्यय 142839.00

मजदूरी पर व्यय 19006.00

3 राज्य वित्त

कार्य का नाम हरमंदिर खुर्द में पिच रोड से रामसमुझ के खेत के पास नाले पर 3 मी० स्पान पुलियाकार्य

प्रभारी श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 5.81 लाख

सामग्री पर व्यय 479596.00

मजदूरी पर व्यय 99120.00

4 राज्य वित्त

कार्य का नाम वि० ख० कार्यालय भवन व बाउंड्री वाल सफाई पुताई कार्य

कार्य प्रभारी श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 0.994 लाख

सामग्री पर व्यय 59430.00

मजदूरी पर व्यय 39480.00

5 राज्य वित्त

कार्य का नाम परसिया बुजुर्ग में नन्दलाल के मकान से ब्रह्मचारी गिरी के मकान तक खडंजा मरम्मत 1000 मी०

कार्य प्रभारी श्री कृष्ण देव शुक्ल एडीओ आईएसबी

कुल लागत 4.79 लाख

सामग्री पर व्यय 249400.00

मजदूरी पर व्यय 229164.00

6 राज्य वित्त

कार्य का नाम निरनाम पश्चिमी में जंगल गुलरिहा टोला से नगेसर मल्ल तक खडंजा मरम्मत 630 मी०

कार्य प्रभारी श्री कृष्ण देव शुक्ल एडीओ आईएसबी

कुल लागत 3.58 लाख

सामग्री पर व्यय 217168.00

मजदूरी पर व्यय 138840.00

7 राज्य वित्त

कार्य का नाम करहिया मेन रोड से केवल के घर तक तथा रामा के घर से पिच रोड तक सीसी रोड 201 मी०

कार्य प्रभारी श्री राम प्रवेश मिश्र (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 4.28 लाख

सामग्री पर व्यय 376795.00

मजदूरी पर व्यय 47988.00

8 राज्य वित्त

कार्य का नाम पोखरभिंडा गाँव के दक्षिण ट्रान्सफार्मर के पास अनु० जाती बस्ती में नाली मरम्मत व 1 मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी श्री जाकिर अली (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 3.06 लाख

सामग्री पर व्यय 261977.00

मजदूरी पर व्यय 40968.00

9 राज्य वित्त

कार्य का नाम परसिया बुजुर्ग में शंकर जी के स्थान के पास नाली पर एप्रोच व खडंजा निर्माण 300 मी०

कार्य प्रभारी श्री राम प्रवेश मिश्र (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 6.17 लाख

सामग्री पर व्यय 445389.00

मजदूरी पर व्यय 170352.00

10 राज्य वित्त

कार्य का नाम ग्रा०पंचा० महदेवा बुजुर्ग फारेस्ट रोड से सत्येन्द्र के घर तक मिट्टी/खडंजा कार्य 70 मी०

कार्य प्रभारी श्री कृष्ण देव शुक्ल एडीओ आईएसबी

कुल लागत 0.8780 लाख

सामग्री पर व्यय 69310.00

मजदूरी पर व्यय 18096.00

11 राज्य वित्त

कार्य का नाम महदेवा में रामनरेश गुप्ता के मकान से ब्रह्मदेव मणि के मकान तक सीसी रोड 157 मी०

कार्य प्रभारी श्री कृष्ण देव शुक्ल एडीओ आईएसबी

कुल लागत 5.31 लाख

12 राज्य वित्त

कार्य का नाम वि० ख० कार्यालय परिसर में तकनीकी सहा० कक्ष का मरम्मत एवं अन्य कार्य

कार्य प्रभारी श्री कृष्ण देव शुक्ल एडीओ आईएसबी

कुल लागत 2.155 लाख

सामग्री पर व्यय 149166.00

मजदूरी पर व्यय 43235.00

13 राज्य वित्त

कार्य का नाम महुआवा महुई में पिच रोड से जयराम प्रजापति के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य 313 मी०

कार्य प्रभारी श्री जाकिर अली (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 8.98 लाख

सामग्री पर व्यय 789715.00

मजदूरी पर व्यय 106584.00

14 राज्य वित्त

कार्य का नाम महदेवा बुजुर्ग पीडब्लूडी रोड से फरेंदा-बृजमनगंज मार्ग पर जयपुरिया स्कूल के सामने श्रीराम के घर तक इंटरलॉकिंग व पुलिया 417 मी०

कार्य प्रभारी श्री राम अवध पाल एडीओ एजी

कुल लागत 11.93 लाख

सामग्री पर व्यय 1064699.00

मजदूरी पर व्यय 125562.00

योग कुल लागत— 62.067 सामग्री पर व्यय— 4517466.00 मजदूरी पर व्यय— 1117313.00

1 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम निरनाम पूर्वी में टोला जनक जोत में काली स्थान से रामानंद के घर होते मल्लू की चाय की दूकान तक इंटरलॉकिंग 262.50 मी०

कार्य प्रभारी श्री जाकिर अली (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 7.26 लाख

सामग्री पर व्यय 638746.00

मजदूरी पर व्यय 86488.00

2 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम कम्हरिया खुर्द में पिच रोड से कोदई यादव के घर होते हुए जाने वाले मार्ग पर इंटरलॉकिंग 196 मी०

कार्य प्रभारी श्री राम प्रवेश मिश्र (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 6.88 लाख

सामग्री पर व्यय 607686.00

मजदूरी पर व्यय 79978.00

3 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम बडहरा देवी स्थान में अग्रहरी मेवालाल के सामने 2 मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी श्री जाकिर अली (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 4.44 लाख

सामग्री पर व्यय 378961.00

मजदूरी पर व्यय 64470.00

4 तेरहवाँ वित्त कार्य का नाम वि० ख० परिसर में आवासीय मकानों के सामने बाउंड्री वाल निर्माण

कार्य प्रभारी श्री जाकिर अली (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 2.09 लाख
सामग्री पर व्यय 182616.00
मजदूरी पर व्यय 26395.00

5 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम वि० ख० परिसर में पशु अस्पताल भवन का मरम्मत तथा अन्य कार्य

कार्य प्रभारी श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 3.32 लाख
सामग्री पर व्यय 286519.00
मजदूरी पर व्यय 44596.00

6 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम बारातगाड़ा ब रोड से विजय सिंह के खेत तक मिट्टी/खडंजा व नाली निर्माण

कार्य प्रभारी श्री राम प्रवेश मिश्र (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 0.62 लाख
सामग्री पर व्यय 53925.00
मजदूरी पर व्यय 7929.00

योग कुल लागत— 24.61 सामग्री पर व्यय— 2148453.00 मजदूरी पर व्यय— 309856.00

उपरोक्त राज्य वित्त आयोग अनुदान एवं तेरहवाँ वित्त आयोग अनुदान से कराये गए निर्माण/मरम्मत कार्यों में निम्न कमियाँ पाई गई:-

(1) राज्य वित्त आयोग के अनुदान से क्रमांक 11 पर दर्शित कार्य "महदेवा बुजुर्ग में रामनरेश गुप्ता के मकान से ब्रह्मदेव मणि के मकान तक सीसी रोड निर्माण 157 मी० कार्य पंजी में अंकित पाया गया परन्तु उसकी पत्रावली (एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल आदि) नहीं पाया गया । बिना पत्रावली तैयार किये धन का व्यय अवास्तविक व्यय कहलाता है । अर्थात् उक्त अवास्तविक व्यय दर्शा कर रु० 5.31 लाख का अपहरण तत्कालीन प्रमुख, ख० वि० अधि० एवं लेखाकार द्वारा कर लिया गया है । जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना है ।

(2) राज्य वित्त आयोग अनुदान से क्रमांक 4 व 12 तथा तेरहवाँ वित्त आयोग से क्रमांक 4 वि० ख० कार्यालय परिसर में मरम्मत कार्य कराया गया है । लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत की परिसंपत्ति पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उक्त मरम्मत कार्य के वैधता की पुष्टि नहीं किया जा सका जो अति आवश्यक था । कार्यवाही पंजी में भी उक्त कार्य का प्रस्ताव एवं अनुमोदन नहीं पाया गया । अस्पष्ट है कि उक्त मरम्मत कार्य पर अवास्तविक व्यय दर्शा कर रु० 5.239 लाख का अपहरण तत्कालीन प्रमुख, ख० वि० अधि० एवं लेखाकार द्वारा कर लिया गया है । जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना है ।

(3) राज्य वित्त आयोग से कराये गए निर्माण/मरम्मत के शेष कार्य क्रमांक 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13 व 14 तथा तेरहवाँ वित्त आयोग से क्रमांक 1,2,3 व 6 कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गए हैं । जिस पर निम्न आपत्तियाँ उठाई जाती हैं:-

(क) ग्राम पंचायत में स्थित परिसम्पत्तियों जैसे नाली/सड़क/पुलिया आदि के मरम्मतधनिर्माण का अधिकार ग्राम पंचायत का है जिसके लिए राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवाँ वित्त आयोग योजना के अंतर्गत अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है ऐसे में उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया जाना असत्य है क्योंकि:-

(अ) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि संबंधित पत्रावली से नहीं की जा सकी जो अति आवश्यक था ।

(ब) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने के लिए अधिकृत किये जाने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था ।

(स) उक्त कार्य को कराये जाने के पश्चात उक्त संपत्ति को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था । क्योंकि ये संपत्ति वास्तव में ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति है ।

(द) ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराये गए कार्य को करने हेतु स्वीकार करने एवं कार्य को पूरा करने के पश्चात ग्राम पंचायत को वापस करने संबंधित प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही पंजी में नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था ।

(ख) क्रमांक 2 व 3 पर वर्णित निर्माण/मरम्मत कार्यों की मजदूरी पर राज्य वित्त आयोग से रु० 1117313.00 तथा तेरहवाँ वित्त आयोग से रु० 309856.00 कुल रु० 1427169.00 भुगतान किया गया है जो मजदूरों

को न कर कार्यप्रभारी को किया गया है । पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों पर मस्टर रोल सं० अंकित पाया गया जो खंड विकास कार्यालय से निर्गत किया गया था जबकि उसे क्षेत्र पंचायत कार्यालय से निर्गत किया जाना चाहिए था । साथ ही उक्त मस्टर रोलों पर जो अंगूठा निशान अंकित था वह भी प्रमाणित नहीं पाया गया जो आपत्तिजनक रहा । स्पष्ट है कि फर्जी एवं काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावली से संलग्न कर वर्ष 14-15 में मजदूरी मद में योजनाबद्ध तरीके से रु० 1427169.00 का अपहरण कर लिया गया है ।

(ग) क्रमांक 2 व 3 पर वर्णित निर्माण/मरम्मत कार्यों की सामग्री मद में राज्य वित्त रु० 4517466.00 तथा तेरहवाँ वित्त आयोग से रु० 2148453.00 कुल रु० 6665919.00 व्यय किया गया है । पत्रावलियों में सामग्री क्रय का भुगतान व्यय प्रमाणक के आधार पर किया गया है जिस पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं पाया गया । सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यप्रभारी द्वारा कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और ना ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है । सामग्री के आमद, उपयोग एवं अवशेष का स्टॉक पंजी भी नहीं बनाया गया है । इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही । स्पष्ट है कि फर्म की मिली-भगत से मात्र कच्चा बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2014-15 में कार्य पंजिका में दर्शित राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रु० 56.345.31= 61.65 लाख तथा तेरहवाँ वित्त से रु० 24.58 लाख का कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है । अभिलेख में उक्त कार्य पर अवास्तविक व्यय दर्शा कर रु० 61.65 लाख एवं रु० 24.58 लाख कुल 86.23 लाख क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण कर लिया गया है । रु० 86.23 लाख की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 13)

प्रस्तर सं० 109— आलोच्य वर्ष 2014-15 में अनुदान पंजी के अनुसार राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान में से रु० 71.60 लाख व्यय दर्शाया गया है जबकि उक्त अवधि के कार्य पंजिका में कुल रु० 61.65 लाख का ही निर्माण/मरम्मत कार्य अंकित पाया गया स अंतर रु० 9.95 लाख के कार्य निर्माण/मरम्मत कार्य पंजी में नहीं पाया गया स अंतर रु० 9.95 लाख का अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण कर लिया गया है । रु० 9.95 लाख की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 14)

प्रस्तर सं० 110— आलोच्य वर्ष 2014-15 में अनुदान पंजी के अनुसार तेरहवाँ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान में से रु० 28.04 लाख व्यय दर्शाया गया है जबकि उक्त अवधि के कार्य पंजिका में कुल रु० 24.58 लाख का ही निर्माण/मरम्मत कार्य अंकित पाया गया स अंतर रु० 3.46 लाख के कार्य निर्माण/मरम्मत कार्य पंजी में नहीं पाया गया । अंतर रु० 3.46 लाख का अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण कर लिया गया है । रु० 3.46 लाख की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 15)

प्रस्तर सं० 111— आलोच्य वर्ष 2015-16 में निम्न निर्माण/मरम्मत कार्यों कराये गए हैं:-

1 राज्य वित्त

कार्य का नाम ग्रा०पंचा० भैसहिया में त्रिमोहानी घाट पर शवदाह गृह तक सड़क से नीचे उतरने हेतु सीढ़ी निर्माण

कार्य प्रभारी श्री राम अवध पाल एडीओ एजी

कुल लागत 4.56 लाख

सामग्री पर व्यय 364153.00

मजदूरी पर व्यय 88977.00

2 राज्य वित्त

कार्य का नाम वि० ख० परिसर में अभिलेखागार कक्ष का निर्माण

कार्य प्रभारी श्री राम अवध पाल एडीओ एजी

कुल लागत 3.68 लाख

सामग्री पर व्यय 332786.00

मजदूरी पर व्यय 44294.00

3 राज्य वित्त

कार्य का नाम त्रिमोहानी घाट पर खडंजा मरम्मत एवं स्थल विकास कार्य

कार्य प्रभारी श्री राम अवध पाल एडीओ एजी

कुल लागत 4.72 लाख

सामग्री पर व्यय 316201.00

मजदूरी पर व्यय 154399.00

4 राज्य वित्त

कार्य का नाम ग्रा०पंचा० गोपलापुर में अहमद के घर से गाँव के दक्षिण भोला के खेत तक पक्की नाली निर्माण 457 मी०

कार्य प्रभारी श्री राम अवध पाल एडीओ एजी

कुल लागत 7.74 लाख

सामग्री पर व्यय 659255.00

मजदूरी पर व्यय 111874.00

5 राज्य वित्त

कार्य का नाम ग्रा०पंचा० बारातगाड़ा में तमकुहवा मार्ग पर अरुनहिया नाले पर 2 मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी श्री राम अवध पाल एडीओ एजी

कुल लागत 4.75 लाख

सामग्री पर व्यय 375542.00

मजदूरी पर व्यय 97832.00

6 राज्य वित्त

कार्य का नाम बडहरा देवीचरण में लालजी यादव के घर के सामने इंटरलॉकिंग

कार्य प्रभारी श्री कृष्ण देव शुक्ल एडीओ एजी

कुल लागत 8.27 लाख

सामग्री पर व्यय 773506.00

मजदूरी पर व्यय 88977.00

योग कुल लागत— 33.72 सामग्री पर व्यय— 2821443.00 मजदूरी पर व्यय— 586353.00

1 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम सोलर स्ट्रीट लाइट क्रय 22 अदद

4.598 लाख

2 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम सोलर स्ट्रीट लाइट क्रय 18 अदद

3.762 लाख

3 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम पिपराबारी मधवापुर में परसिया मधवापुर मुख्य मार्ग पर रामाज्ञा यादव के खेत के पास 1.5 मी० पुलिया

कार्य प्रभारी श्री राम अवध पाल एडीओ एजी

कुल लागत 2.92 लाख

सामग्री पर व्यय 2.15 लाख

मजदूरी पर व्यय 0.77 लाख

4 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम परसिया बुजुर्ग में गुजरपुरवा टोला पर नाली निर्माण 54 मी०

कार्य प्रभारी श्री राम अवध पाल एडीओ एजी

कुल लागत 0.84 लाख

सामग्री पर व्यय 0.73 लाख

मजदूरी पर व्यय 0.11 लाख

5 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम परसिया बुजुर्ग में कौशला सिंह के मकान से केशव सिंह के मकान तक इंटरलॉकिंग निर्माण 82 मी०

कार्य प्रभारी श्री राम प्रवेश मिश्र (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 3.28 लाख

सामग्री पर व्यय 2.90 लाख

मजदूरी पर व्यय 0.38 लाख

6 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम मथुरानगर में गुलाब यादव के मकान के पीछे मौर्या आटा चक्की के दाहिने तरफ चौधरी के खेत तक इंटरलॉकिंग निर्माण 140 मी०

कार्य प्रभारी श्री राम अवध पाल एडीओ एजी

कुल लागत 1.90 लाख

सामग्री पर व्यय 1.38 लाख

मजदूरी पर व्यय 0.32 लाख

7 तेरहवाँ वित्त

कार्य का नाम इन्वर्टर क्रय

2.95 लाख

योग कुल लागत— 18.032 सामग्री पर व्यय— 7.16 लाख मजदूरी पर व्यय— 1.53 लाख

उपरोक्त राज्य वित्त आयोग अनुदान एवं तेरहवाँ वित्त आयोग अनुदान से कराये गए निर्माण/मरम्मत कार्यों में निम्न कमियाँ पाई गई:-

(1) राज्य वित्त आयोग से विकास खंड परिसर में अभिलेखागार कक्ष का निर्माण कराया गया है, जो कार्य पंजी अंकित है । लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत की परिसंपत्ति पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः उक्त की जांच एवं पुष्टि नहीं किया जा सका जो अति आवश्यक था ।

(2) तेरहवाँ वित्त आयोग अनुदान से वर्ष 15-16 में निम्न खरीद किया गया है:-

क्र०सं० सामग्री का विवरण

धनराशि

1	सोलर स्ट्रीट लाइट 22 अदद	4.598 लाख
2	सोलर स्ट्रीट लाइट 18 अदद	3.762 लाख
3	इन्वर्टर	0.732 लाख

योग

9.092 लाख

लेखा परीक्षा में उक्त क्रय की पत्रावली नहीं पाई गई । बिना व्यय प्रमाणक के क्रय अवास्तविक कहलाता है । कार्यवाही पंजी में उक्त क्रय से संबंधित प्रस्ताव एवं अनुमोदन नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था । रु० 73200.00 में इन्वर्टर स्वाभाविक रूप से एक से अधिक संख्या में खरीदा गया होगा । स्टॉक पंजी के अभाव में उक्त सोलर लाइट एवं इन्वर्टर की प्राप्ति एवं उचित स्थानों पर लगाने की स्थिति अज्ञात रही । लेखा परीक्षा में मृत स्कंध पंजी भी प्रस्तुत नहीं की गई जिससे उक्त क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी । स्पष्ट है कि रु० 9.092 लाख का 40 अदद सोलर स्ट्रीट लाइट एवं इन्वर्टर की खरीद की ही नहीं गई है । उक्त खरीद पर अवास्तविक व्यय दर्शा कर रु० 9.092 लाख का अपहरण कर लिया गया है । जिसके लिए तत्कालीन प्रमुख, खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है ।

(3) राज्य वित्त आयोग से कराये गए निर्माण/मरम्मत के शेष 5 कार्य क्रमांक 1,3,4,5 व 6 तथा तेरहवाँ वित्त आयोग से वर्ष 15-16 में 4 कार्य क्रमांक 3,4,5 व 6 कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गए हैं । जिस पर निम्न आपत्तियाँ उठाई जाती है:-

(क) ग्राम पंचायत में स्थित परिसम्पत्तियों जैसे नाली/सड़क/पुलिया आदि के मरम्मतधनिर्माण का अधिकार ग्राम पंचायत का है जिसके लिए राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवाँ वित्त आयोग योजना के अंतर्गत अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है ऐसे में उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया जाना असत्य है क्योंकि:-

(अ) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि संबंधित पत्रावली से नहीं की जा सकी जो अति आवश्यक था ।

(ब) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने के लिए अधिकृत किये जाने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था ।

(स) उक्त कार्य को कराये जाने के पश्चात उक्त संपत्ति को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था । क्योंकि ये संपत्ति वास्तव में ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति है ।
(द) ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराये गए कार्य को करने हेतु स्वीकार करने एवं कार्य को पूरा करने के पश्चात ग्राम पंचायत को वापस करने संबंधित प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही पंजी में नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था ।

(ख) क्रमांक 3 में वर्णित निर्माण/मरम्मत कार्यों की मजदूरी पर राज्य वित्त आयोग से रु० 586353.00 तथा तेरहवाँ वित्त आयोग से रु० 1.58 लाख कुल रु० 7.44 लाख भुगतान किया गया है जो मजदूरों को न कर कार्यप्रभारी को किया गया है । पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों पर मस्टर रोल सं० अंकित पाया गया जो खंड विकास कार्यालय से निर्गत किया गया था जबकि उसे क्षेत्र पंचायत कार्यालय से निर्गत किया जाना चाहिए था । साथ ही उक्त मस्टर रोलों पर जो अंगूठा निशान अंकित था वह भी प्रमाणित नहीं पाया गया जो आपत्तिजनक रहा । स्पष्ट है कि फर्जी एवं काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावली से संलग्न कर वर्ष 15-16 में मजदूरी मद में योजनाबद्ध तरीके से रु० 7.44 लाख का अपहरण कर लिया गया है ।

(ग) क्रमांक 3 में वर्णित निर्माण/मरम्मत कार्यों की सामग्री मद में राज्य वित्त रु० 28.21 लाख तथा तेरहवाँ वित्त आयोग से रु० 7.16 लाख कुल रु० 35.37 लाख व्यय किया गया है । पत्रावलियों में सामग्री क्रय का भुगतान व्यय प्रमाणक के आधार पर किया गया है जिस पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं पाया गया । सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यप्रभारी द्वारा कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और ना ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है । सामग्री के आमद, उपयोग एवं अवशेष का स्टॉक पंजी भी नहीं बनाया गया है । इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही । स्पष्ट है कि फर्म की मिली-भगत से मात्र कच्चा बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2015-16 में कार्य पंजिका में दर्शित राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रु० 34.07 लाख तथा तेरहवाँ वित्त से रु० 17.832 लाख का कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है । अभिलेख में उक्त कार्य पर अवास्तविक व्यय दर्शा कर रु० 34.07 लाख एवं रु० 17.832 लाख कुल 51.902 लाख क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण कर लिया गया है । रु० 86.23 लाख की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 16)

प्रस्तर सं० 112— आलोच्य वर्ष 2016-17 में निम्न निर्माण/मरम्मत कार्यों कराये गए हैं:—

1 राज्य वित्त

कार्य का नाम मथुरानगर में छोटापुर टोले पर स्कॉलर्स विद्यालय के मार्ग से सुनील जायसवाल के मकान से चौरसिया के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य 211 मी०

कार्य प्रभारी श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 8.23 लाख

सामग्री पर व्यय 733098.00.00

मजदूरी पर व्यय 88398.00

2 राज्य वित्त

कार्य का नाम ग्रा०पंचा० कम्हरिया खुर्द में मारवाड़ी टोला पर सतरंग मौर्या के मकान से मंदिर तक इंटरलॉकिंग 293 मी०

कार्य प्रभारी श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 8.91 लाख

सामग्री पर व्यय 791962.00

मजदूरी पर व्यय 97461.00

3 राज्य वित्त

कार्य का नाम बाजारडीह में परसौनी मार्ग से शिव मंदिर तक इंटरलॉकिंग 116 मी०

कार्य प्रभारी श्री राम कृष्ण गुप्ता (ग्रा०वि०अधि०)

कुल लागत 5.395 लाख

सामग्री पर व्यय 465031.00

मजदूरी पर व्यय 72858.00

4 राज्य वित्त

कार्य का नाम ग्रा०पंचा० सिधवारी टोला मंजनपुर में पीडब्लूडी रोड से गंगा राम यादव के घर तक इंटरलॉकिंग 116 मी०

कार्य प्रभारी श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 4.598 लाख

सामग्री पर व्यय 409248.00

मजदूरी पर व्यय 48384.00

5 राज्य वित्त

कार्य का नाम इन्वर्टर क्रय

0.27 लाख

6 राज्य वित्त

कार्य का नाम ग्रा०पंचा० हरमंदिर खुर्द में एच० जी० पब्लिक स्कूल का बाउंड्री वाल व गेट निर्माण

कार्य प्रभारी श्री राम कृष्ण गुप्ता (ग्रा०वि०अधि०)

कुल लागत 2.86 लाख

सामग्री पर व्यय 245599.00

मजदूरी पर व्यय 39870.00

7 राज्य वित्त

कार्य का नाम वि० ख० परिसर में आवासीय भवन की मरम्मत व रंगाई पुताई (कार्यालय भवन, सभाकक्ष)

कार्य प्रभारी श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 2.91 लाख

सामग्री पर व्यय 209690.00

मजदूरी पर व्यय 79380.00

8 राज्य वित्त

कार्य का नाम वि० ख० परिसर में जर्जर भवनों का मरम्मत, सफाई व रंगाई पुताई

कार्य प्रभारी श्री गुलाब प्रसाद पाठक (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 3.03 लाख

सामग्री पर व्यय 220441.00

मजदूरी पर व्यय 69951.00

9 राज्य वित्त

कार्य का नाम ग्रा०पंचा० परसिया बुजुर्ग देउरवा टोला में शंकर जी के स्थान से कमाल नाला तक खडंजा मरम्मत

कार्य प्रभारी श्री उत्तरी चंद (ग्रा०वि०अधि०)

कुल लागत 2.24 लाख

सामग्री पर व्यय 131200.00

मजदूरी पर व्यय 75000.00

10 राज्य वित्त

कार्य का नाम ग्रा०पंचा० सेमरा महाराज में विद्यालय के पास पोखरी किनारे संपर्क मार्ग पर 2मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी श्री उत्तरी चंद (ग्रा०वि०अधि०)

कुल लागत 5.02 लाख

सामग्री पर व्यय 411465.00

मजदूरी पर व्यय 89425.00

11 राज्य वित्त

कार्य का नाम मथुरानगर में फरेंदा-महाराजगंज पिच रोड से सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य कार्यालय तक इंटरलॉकिंग

कार्य प्रभारी श्री उत्तरी चंद (ग्रा०वि०अधि०)

कुल लागत 1.887 लाख

12 राज्य वित्त

कार्य का नाम ग्रा०पंचा० ओड़वलिया में पिच रोड से फूलचंद के खेत के पास 2मी० स्पान पुलिया

कार्य प्रभारी श्री प्रकाशचंद (ग्रा०पंचा०अधि०)

कुल लागत 4.90 लाख

योग कुल लागत— 50.250 सामग्री पर व्यय— 3617683.00 मजदूरी पर व्यय— 660727.00

उपरोक्त राज्य वित्त आयोग अनुदान से कराये गए निर्माण/मरम्मत कार्यों में निम्न कमियाँ पाई गई:—

राज्य वित्त आयोग निम्न निर्माण/मरम्मत कार्य कार्य—रजिस्टर में पाया गया जिसकी पत्रावली (स्टीमेट) व्यय प्रमाणक ए मस्टर रोल आदि) नहीं पाया गया ।

क्र०सं० कार्य का नाम

कुल लागत

1 मथुरानगर में फरेंदा—महाराजगंज पिच रोड से सरस्वती शिशु मंदिर से प्रधानाचार्य कार्यालय तक इंटरलॉकिंग 1.887 लाख

2 ओड़वलिया में पिच रोड से फूल के खेत के पास 2 मी० स्पान पुलिया 4.90 लाख

3 इन्वर्टर 0.27 लाख

योग 7.057 लाख

बिना पत्रावली तैयार किये धन का व्यय अवास्तविक व्यय कहलाता है । अर्थात् उक्त अवास्तविक व्यय दर्शा कर रु० 7.057 लाख का अपहरण तत्कालीन प्रमुख, खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(2) राज्य वित्त आयोग से कराये गए निर्माण/मरम्मत कार्य क्रमांक 7 व 8 विकास खंड कार्यालय परिसर में कराया गया है । लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत की परिसंपत्ति पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः उक्त की जांच एवं पुष्टि नहीं किया जा सका जो अति आवश्यक था ।

जर्जर भवन कौन सा तथा कितना पुराना है यह भी अंकित नहीं पाया गया । जर्जर क्यूँ घोषित किया गया और किसने घोषित किया यह भी क्षेत्र पंचायत अभिलेखों में नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था । भवन जब जर्जर घोषित कर दिया गया तो फिर उसके मरम्मत का कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया । उल्लेखनीय है कि क्षेत्र पंचायत परिसर में मरम्मत कार्य 2013—14 व 2014—15 में भी कराया गया है परन्तु मरम्मत किये भवन का क्रमांक/पहचान अंकित नहीं किया गया और न ही मरम्मत के लिए मानक निर्धारित किया गया है जो अति आवश्यक था ।

(3) राज्य वित्त आयोग के अनुदान से वर्ष 2016—17 के शेष कार्य क्रमांक 1,2,3,4,6,9,10,11 व 12 ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गए हैं स जिस पर निम्न आपत्तियाँ उठाई जाती है:—

(क) ग्राम पंचायत में स्थित परिसम्पत्तियों जैसे नाली/सड़क/पुलिया आदि के मरम्मत/निर्माण का अधिकार ग्राम पंचायत का है जिसके लिए राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवाँ वित्त आयोग योजना के अंतर्गत अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है ऐसे में उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया जाना असत्य है क्योंकि:—

(अ) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि संबंधित पत्रावली से नहीं की जा सकी जो अति आवश्यक था ।

(ब) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने के लिए अधिकृत किये जाने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था ।

(स) उक्त कार्य को कराये जाने के पश्चात उक्त संपत्ति को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने संबंधित पत्र भी नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था । क्योंकि ये संपत्ति वास्तव में ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति है ।

(द) ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराये गए कार्य को करने हेतु स्वीकार करने एवं कार्य को पूरा करने के पश्चात ग्राम पंचायत को वापस करने संबंधित प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही पंजी में नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था ।

(ख) उपरोक्त सूची में दर्शित निर्माण/मरम्मत कार्यों में प्रयुक्त सामग्री मद में रु० 3617683.00 व्यय किया गया है । पत्रावलियों में सामग्री क्रय का भुगतान व्यय प्रमाणक के आधार पर किया गया है जिस पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं पाया गया । सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यप्रभारी द्वारा कोई मांग पत्र

प्रेषित नहीं किया गया है और ना ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है । सामग्री के आमद, उपयोग एवं अवशेष का स्टॉक पंजी भी नहीं बनाया गया है । इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही है । स्पष्ट है कि फर्म की मिली-भगत से मात्र कच्चा बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2016-17 में कार्य पंजिका में दर्शित राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रु० 50.250 लाख का कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है । अभिलेख में उक्त कार्य पर अवास्तविक व्यय दर्शा कर रु० 50.250 लाख क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण कर लिया गया है । रु० 50.250 लाख की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 17)

प्रस्तर सं० 113- आलोच्य वर्ष 2016-17 के अनुदान पंजियों में राज्य वित्त आयोग अनुदान से व्यय रु० 5427823.00 अंकित है जबकि कार्य पंजी में मात्र रु० 50.250 लाख के कार्य ही अंकित पाए गए । अंतर रु० 4.28 लाख का अवास्तविक व्यय दर्शा कर तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार द्वारा अपहरण कर लिया गया है । रु० 4.28 लाख की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आ० सं० 2ब 18)

प्रारूप-3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

जनपद का नाम-झांसी

मण्डल का नाम-झांसी

क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ

क्षेत्र पंचायत- मउरानीपुर

प्रस्तर 1 ब्याज की धनराशि शासनादेश संख्या -1-122/10-2012-10(33)/2010 दिनांक - 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक म रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो ब्याज संस्था की आय ना होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। ऐसा ना करने पर शासनादेश के विपरीत जाना है। जबकि वित्तीय वर्ष 2017 में अर्जित ब्याज मद में रुपए 113852.41 दिनांक 31.03.2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अवशेष हैं। जो कि शासनादेश का उल्लंघन है। जिसके लिए श्री रामबाबू पहारीया (लेखाकार) एवं खंड विकास अधिकारी श्री रामवंत उत्तरदाई है। इस धनराशि को तात्कालिक रूप से राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 02

प्रस्तर 2 आलोच्य वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015 एवं 1639/33-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। जिस के प्रस्तर - 2 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक राजस्व ग्रामों के लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जाएं। शासनादेश - 1639/33-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 के प्रस्तर 2.5 में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत संक्रमित धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों का आच्छादित करने वाले पूर्व के विकास कार्यों का संपत्ति के रखरखाव एवं इसी प्रकार के कार्यों पर किया जाएगा। परंतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपरोक्त शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015 एवं 1639/33-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के प्रस्तर 6 अनुसार क्षेत्र पंचायत को संकलित की जाने वाली धनराशि के 50 प्रतिशत तक का क्षेत्र पंचायतों या उसको हस्तांतरित संपत्ति के मरम्मत पर खर्च किया जाए। परंतु संस्था द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में उपरोक्त शासनदेशों का उल्लंघन कर राज्य के अंतर्गत रुपए 5956152.35 व्यय किए गए हैं। जो भी गंभीर अनियमितता है। इसके लिए संस्था के लेखाकार श्री राम बाबू पहारीया, खंड विकास अधिकारी श्री रामवंत एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमति हेमलता आर्य उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 03

क्षेत्र पंचायत - बंगरा

प्रस्तर 3 13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान धनराशि रुपये 176456.19 को समय से उपभोग नहीं करके वर्षांत में अनुप्रयोगित अवशेष को जमा (राजकोष) वापस नहीं किया गया है। जबकि 13वें वित्त आयोग को समाप्त हुए अनेक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अतः उक्त धनराशि रुपये 176456.19 को तत्काल भारत सरकार को वापस किया जाना चाहिए। जिसके लिए श्री रवि शंकर पांडे (खंड विकास अधिकारी बंगरा) एवं शिव

कुमार सिंघल (तत्कालीन लेखाकार) उत्तरदाई होते हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 03

प्रस्तर 4 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कतिपय अनुदान मद धनराशियों का वर्ष दौरान बिल्कुल भी या आंशिक रूप से उपभोग किया गया है। पूरी की पूरी धनराशि वर्षांत में अवशेष रही है। जिसका विवरण निम्नवत हैं—

क्र.सं.	मद का नाम	प्र.शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में उपयोग	वर्षांत में अवशेष
1	विधायक निधि	343599	13010	—	356609.00
2	बु. खंड विकास निधि	229421	8112	42166.35	195366.65
3	पेय जल गुणवत्ता	18520	—	—	18520
4	आंगनवाड़ी	324461.30	12562	—	337023.30
5	रैपिड सर्वे	5000	.	—	5000
6	मानरेगा चेक डैम	631573	24107	—	655680.00
	योग	1552574.30	57791.00	42166.35	1568198.95

उपरोक्त धनराशि रुपये 1568198.95 को वर्ष दौरान उपभोग ना करके अपने पास (खातों में) रोककर रखना गंभीर आपत्ति का विषय है। जिसके लिए श्री रवि शंकर पांडे (खंड विकास अधिकारी) एवं श्री शिव कुमार सिंघल (तत्कालीन लेखाकार) उत्तरदाई होते हैं। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 04

प्रस्तर— 5 आलोच्य वर्ष में अनुदानों पर प्राप्त होने वाली अर्जित ब्याज धनराशि रुपए 478770.10 को वर्षांत में समय अंतर्गत शासकीय राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है। जिस का विवरण निम्नवत है —

क्र.	नाम अनुदान	अर्जित ब्याज धनराशि
1	राज्य वित्त/चतुर्थ वित्त	69021
2	तेरहवाँ वित्त आयोग	83421
3	आंगनवाड़ी	12562
4	बुंदेलखंड विकास निधि	8112
5	मनरेगा चेक डैम	24107
6	मनरेगा प्रशासनिक मद	11147
7	ब्याज (विभिन्न मदों से प्राप्त)	270400.10
	योग	478770.10

उपरोक्त रुपये 478770.10 अर्जित ब्याज को वर्षांत में नियमानुसार राजकोषागार में जमा कराया जाना चाहिए था। उक्त गया जमाना कराए जाने के उत्तरदाई व्यक्ति श्री रविशंकर पांडेय (खंड विकास अधिकारी) एवं श्री शिव कुमार सिंघल (लेखाकार) होते हैं। उनके प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 06

प्रस्तर —6 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न अनुदानों से प्राप्त ब्याज धनराशि में से रुपए 2250 को मनमाने तरीके से नियम विरुद्ध बायोमेट्रिक मशीन मरम्मत पर खर्च किया गया है। जिसे समयान्तर्गत राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए था। अनियमित भुगतान किया गया है। जिसके उत्तरदाई व्यक्ति से शिवकुमार सिंगल लेखाकार होते हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 09

क्षेत्र पंचायत — चिरगांव

प्रस्तर —7 आलोच्य वर्ष 2017—18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत को विभिन्न मदों में प्राप्त होने वाले अनुदान पर अर्जित ब्याज का विवरण अलग से नहीं रखा गया है। संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरण के अनुसार संस्था के विभिन्न बैंकों में 8 खाते संचालित किए जा रहे हैं। विभिन्न बैंक खातों की जांच के अनुसार उक्त 8 खातों में अर्जित व्याज का विवरण निम्न है —

क्रम	बैंक का नाम	खाता संख्या	संस्था द्वारा अर्जित ब्याज की धनराशि
1	एस बी आई चिरगाँव	74245	18874.00
2	सी बी आई सेमरी	3455	364.00
3	एस यू पी जी बी चिरगाँव	5388	10702.00
4	एस यू पी जी बी चिरगाँव	70212	4324.00
5	एस बी आई झाँसी	214209	882.00

6	एस बी आईआईसी	214196	230.00
7	पी एन बी चिरगाँव	3663	2016.00
8	पी एन बी पारीक्षा	62028	158292.00
योग			195684.00

इस प्रकार संस्था द्वारा संचालित उपरोक्त खातों में वर्ष 2017-18 में कुल रु. 195684.00 ब्याज अर्जित हुआ था। किन्तु संस्था द्वारा वर्ष 2017-18 में अर्जित व्याज रु. 195684.00 को राजकीय कोष में जमा नहीं कराया गया है। जब कि नियमानुसार उक्त विभिन्न मदों से प्राप्त होने वाले ब्याज को प्रति वर्ष वर्षांत में कोषागार में संबन्धित हेड में जमा कराया जाना चाहिए थे। यहाँ उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29-05-2015 के अनुसार अनुदान के सापेक्ष अर्जित/प्राप्त ब्याज की धनराशि संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी एवं इस प्रकार अर्जित ब्याज/आय को राजकोष में जमा कराना होगा। इस प्रकार उक्त मद में अर्जित व्याज को वर्षांत में ही जमा किया जाना चाहिए था। संस्था द्वारा अर्जित व्याज को राजकोष में जमा नहीं किया गया है। अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा न कराया जाना वित्तीय अनियमितता है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुभाष नेमा एवं तत्कालीन लेखाकार श्री रामकृष्ण स्वर्णकार तथा जमालउद्दीन (प्रभारी) उत्तरदायी हैं। संस्था द्वारा विभिन्न मदों में अर्जित व्याज की धनराशि का विवरण अलग से रखा जाना भी अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या - 7

प्रस्तर 8 शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं जिसके प्रस्तर 2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें तथा शासनादेश संख्या 1639/33-32015-03/2015/ दिनांक 19 जून 2015 के प्रस्तर 2.5 में व्यवस्था दी गयी है कि चतुर्थ आयोग के अंतर्गत संक्रमित धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख रखाव तथा इसी प्रकार के नए निर्माण कार्यों पर किया जाएगा। किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्नवत ऐसे कार्य कराये गए जो केवल एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित थे।

क्रम	निर्माण कार्य का नाम	टीडीएस कटौती	शुद्ध भुगतान	कुल व्यय
1	ग्राम गढूका में गणेश के मकान से चंद्रभान के मकान तक अपेक्स/नाली निर्माण	63102.00	487659.00	550761.00
2	ग्राम पाइरी में विनोद के मकान से माखन के मकान तक अपेक्स/नाली निर्माण	45773.00	360786.00	406559.00
3	ग्राम गुलारा में हरिओम के मकान से प्रमोद के मकान तक अपेक्स/नाली निर्माण	54462.00	441444.00	495906.00
	कुल योग	163337.00	1289889.00	1453226.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2017-18 में क्षेत्र पंचायत द्वारा एक ही ग्राम पंचायत में कराये गए निर्माण कार्यों में कुल रु. 1453226.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जब कि शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कराये जाने चाहिए थे। शासनादेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत उक्त कराये गए कार्य अनियमित हैं। लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि उक्त कार्यों को ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में कार्य के दोहराव से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही जिस तथ्य की ओर शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 में भी उल्लेख किया गया है शासनादेश की उस व्यवस्था के विपरीत अनियमित रूप से कार्य कराने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री लल्लू प्रसाद एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती रामदेवी उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 10

प्रस्तर 9 उत्तर प्रदेश जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 में क्षेत्र पंचायत का बजट तैयार करने एवं पारित करने की विस्तृत व्यवस्था निर्धारित की गयी है तथा नियम 17 में

बजट पारित करने का कलेंडर भी तय किया गया है। जिसके अनुसार अगले वर्ष का बजट 20 मार्च तक क्षेत्र पंचायत द्वारा पारित किया जाएगा। नियम 19 में स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि कोई भी व्यय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसके लिए बजट में व्यवस्था न किया गया हो। वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा पारित बजट की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। आलोच्य वर्ष 2017-18 में संस्था द्वारा कुल 6474933.10 रुपया व्यय किया जाना दर्शित है। आपत्ति संख्या 10 में शासनादेश की व्यवस्था के प्रतिकूल किए गए अनियमित व्यय रु. 1453226.00 का उल्लेख किया जा चुका है। शेष धनराशि रु. 5021707.10 भी बजट संबंधी पत्रावली प्रस्तुत न किए जाने के कारण विधि विरुद्ध है। बजट पारित किए बिना क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया सम्पूर्ण व्यय अनियमित और विधि विरुद्ध व्यय की श्रेणी में माना जाता है। इसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 19

क्षेत्र पंचायत – बामौर

प्रस्तर 10 निम्नलिखित अनुदान से सम्बन्धित खातों में ब्याज प्राप्त हुआ –

क्र०	अनुदान का नाम	दिनांक	प्राप्त ब्याज	
1	राज्य वित्त	04.06.2017	30,779.00	
	खाता पीएनबी71465	03.09.2017	30,540.00	
		03.12.2017	27,174.00	
		04.03.2018	27,110.00	
			1,15,603.00	1,15,603.00
2.	चतुर्थ राज्य वित्त	04.06.2017	27,778.00	
	खाता 159084	03.09.2017	17,697.00	
		03.12.2017	23,626.00	
		04.03.2018	28,726.00	
			97,827.00	97,827.00
3	प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण			
	खाता 167782			1,845.00
4	टेण्डर बिक्री/ जमानत में अवशेष धनराशि पर ब्याज			640.00
5	ब्याज मद में प्राप्त अवशेष ब्याज			1,154.00
	योग			2,17,069.00

इस प्रकार उक्त अनुदान से सम्बन्धित खातों में कुल रु 2,17,069.00 ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। वित्त(लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1-502 / दस -2015 -10(33)/2010 दनांक 29 मई 2015 एवं मुख्यालय पत्रांक सी-457 / ले०प०दो/ बैठक/पी-43(डी)/ 2017 दिनांक 21. 03.2017 के अनुसार अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये। अतः रु 2,17,069.00 अर्जित ब्याज को कोषागार में जमा किया जाना चाहिये। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 08

प्रस्तर 11 वर्ष दौरान कराये गये निम्नलिखित कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कराये गये हैं जबकि पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/ 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाने चाहिये। इस प्रकार समस्त कार्य अनियमित रूप से एवं उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुये कराये गये। वर्ष दौरान कराये गये कार्य एवं उनमें व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है –

क्र०	कार्य विवरण	धनराशि
1	ग्राम गढवई में गुरसराय रोड से जूवहाईस्कूल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण एवं पुलिया निर्माण	7,61,130.00
2	ग्राम कुडरी में बडेलाल के मकान से राजा मास्टर के मकान तक सीसी रोड	7,25,584.00

3	ग्राम परसुआ में हनजू के मकान से प्रमोद कोरी के मकान की ओर सीसी रोड	6,02,927.00
4	ग्राम रिया में राजेन्द्र सिंह भदौरिया के खलिहान से सन्तोष लुहार के मकान तक सीसी रोड का निर्माण	7,90,048.00
	योग	28,79,689.00

इस गंभीर अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 10

प्रस्तर 12 वर्ष दौरान रु 9,30,590.00 विकास खण्ड कार्यालय की मरम्मत एवं रंगाई पुताई में व्यय किये गये जब कि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत व्यय क्षेत्र पंचायतों की स्वयं की एवं उन्हें हस्तांतरित सम्पत्तियों के मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय किया जाना चाहिये। क्षेत्र पंचायत की संपत्ति का कोई भी रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मरम्मत एवं रंगाई पुताई में जो भी व्यय किया गया वह विकास खण्ड कार्यालय में किया गया न कि क्षेत्र पंचायत की संपत्ति पर। अतः विकास खण्ड कार्यालय के मरम्मत पर व्यय अनियमित रूप से किया गया। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 11

क्षेत्र पंचायत – गुरसरौंय

प्रस्तर 13 आलोच्य वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत को विभिन्न मदों में प्राप्त होने वाले अनुदानों पर अर्जित ब्याज का विवरण अलग नहीं रखा गया। संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार निम्न मदों के भिन्न खातों में अर्जित ब्याज का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	मद का नाम	खाता संख्या	अर्जित ब्याज की धनराशि
1	तेरहवां वित्त आयोग	29417	13115.00
2	किटिकल गैस योजना	21135	2531.00
3	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	29426	231158.00
4	आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण	96260	16758.00
5	इंदिरा आवास योजना	86519	173.00
6	1 मनरेगा प्रशा0 मद	82559	7672.00
7	ब्याज मद में अवशेष	96528	715.00
	कुल योग		2,72,122.00

इस प्रकार उक्त अनुदान से समबन्धित खातों में कुल रु0 272122.00 ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। वित्त लेखा अनुभाग - 2 के शासनादेश सं0 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 एवं मुख्यालय पत्रांक सी-457/ले०प०दो०/बैठक/पी-43 (डी)/2017 दिनांक 21.03.2017 के अनुसार अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। अर्जित ब्याज को राजकीय कोष में जमा न कराया जाना वित्तीय अनियमितता है। इसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रंजीत सिंह व तत्कालीन लेखाकार श्री प्रेमनारायण पाल उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 04

प्रस्तर 14 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तेरहवे वित्त आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2017 को प्रारम्भिक शेष रु0 622021.54 था जिसमें से वर्ष दौरान रु0 457995.35 उपभोग करने के उपरान्त दिनांक 31.03.2018 को रु0 177141.19 वर्षान्त में अवशेष रही जबकि तेरहवे वित्त आयोग को समाप्त हुये अनेक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में इस मद में अवशेष धनराशि को सही समय पर भारत सरकार को वापस कर देना चाहिये था जो लेखा परीक्षा काल तक नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि तेरहवे वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का सही समय से उपयोग न होने से क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हुआ जो कि शासन की मंशा के प्रतिकूल है। अतः इसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री प्रेमनारायण पाल उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 05

प्रस्तर 15 आलोच्य वर्ष 2017-18 के दौरान कराये गये निम्नवत कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कराये गये हैं। जबकि पंचायती राज अनुभाग -3 के शासनादेश सं0 - 1838 / 33-3-2015 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उसके एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाने चाहिये, इस प्रकार समस्त कार्य अनियमित रूप से व उक्त शासनादेश का उलंघन करते हुये कराये गये जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रंजीत सिंह व तत्कालीन लेखाकार श्री प्रेमनारायण पाल उत्तरदायी है। आवश्यक

कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है । वर्ष दौरान कराये गये कार्यो व उसमे व्यय धनराशियो का विवरण निम्नवत है ।

क्र.	कार्य विवरण	धनराशि
1	ग्राम रानापुरा में हनुमान मंदिर से सी0सी0 नाला की ओर	457925.00
2	ग्राम पूछी में हीरालाल कुश्वाह के मकान से मनोहर लाल के मकान तक (सी0सी0 रोड व नाली निर्माण)	551947.00
3	ग्राम चतुरताई में पूछी मेन रोड से वाया प्रा0 विधालय से गांव की पुलिया तक (पुलिया निर्माण)	913320.00
4	ग्राम चतुरताई में मन्दू पाल से काली मंदर की ओर (सी0सी0 रोड निर्माण)	545796.00
5	ढिपकई में रज्जन खाँ से गौण बाबा तक(सी0सी0रोड)	582111.00
6	ग्राम शहपुरा खुर्द में दीवान साहाब से प्रेम चन्द्र यादव के दरवाजे तक (सी0सी0 रोड व नाली निर्माण)	143160.00
	कुल योग	3194259.00

मूल आपत्ति संख्या 06

क्षेत्र पंचायत – मोंठ

प्रस्तर 16 वर्ष 2017–18 में संस्था को विभिन्न मदों में रु 659086.00 की ब्याज की प्राप्ति हुई तथा इसमें से रु 52.65 एस०एम०एस० कटौती तथा रु 275519.00 आंगनवाडी मद में ब्याज वापसी कुल रु 275571.65 व्यय दर्शाया गया है । इस प्रकार उक्त अनुदान से सम्बन्धित खातों में कुल रु 383514.35 ब्याज मद में शेष है।

वित्त(लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1-502/दस-2015 -10(33) /2010 दिनांक 29 मई 2015 एवं मुख्यालय पत्रांक सी-457/ ले०प०दो/ बैठक/पी-43(डी)/ 2017 दिनांक 21.03.2017 के अनुसार अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये । अतः रु 383514.35 अर्जित ब्याज को कोषागार में जमा किया जाना चाहिये ।

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम –खंड विकास अधिकारी श्री मुकेश कुमार एवं लेखाकार श्री आनंद कुमार सक्सेना उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 11

प्रस्तर 17 शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्नस्त्रोतों से उपलब्ध होन वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तनिर्धारित किये गये हैं जिसके प्रस्तर 2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाये तथा शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015-03/2015/दिनांक 19 जून 2015 के प्रस्तर 2.5 में व्यवस्था दी गयी है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हूयें विकास कार्योसृजित सम्पत्तियों के रख रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यो पर किया जायेगा । परन्तु उक्त शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत मोंठ जनपद झांसी द्वारा निम्नवत ऐसे कार्य कराये गये जो एक ग्राम पंचायत तक सीमित थे ।

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम – खंड विकास अधिकारी श्री मुकेश कुमार एवं लेखाकार श्री आनंद कुमार सक्सेना उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

सन्निहित धनराशि – 6294465.00

मूल आपत्ति संख्या 13

प्रस्तर 18 क्षेत्र पंचायत के ग्रांट रजि० 3 में अप्रैल माह में अनटैस्ड अमाउन्ट रु (-)4526.00 दर्शाया जा रहा है। अभिलेख के अनुसार रु 4526.00 की धनराशि टैण्डर धरोहर राशि के रूप में प्राप्त हुई है जिसे ग्रांट रजि० 1 के अनुसार आर आर बी मोंठ के खाता संख्या 23619 में जमा दर्शाया गया है। प्रथम दृष्टया विदित होता है कि यह धनराशि बैंक में जमा नहीं की गयी है जिससे यह अन्तर पैदा हुआ। धनराशि बैंक में जमा न होने की स्थिति में धनराशि का अपहरण किया जाना संभावित है। निर्गत अंतरिम आपत्ति के परिपालन में कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ , मात्र तत्कालीन सहायक लेखाकार श्री महेन्द्र कुमार खरे को पत्र निर्गत किए जाने का उल्लेख किया गया है। स्पष्ट परिपालन के अभाव में रु 4526.00 की ब्याज सहित वसूली श्री महेन्द्र कुमार खरे से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 07

प्रस्तर 19 दि० 08-08-2017 को राज्य वित्त आयोग मद से 50000.00 का भुगतान श्री एम०आर०अन्सारी कैशियर को क्षेत्र पंचायत बैठक दि० 09-08-2017 को सदस्यों एवं प्रधानों को मानदेय भुगतान हेतु किया गया है। प्रस्तुत कार्यवाही रजि० के अनुसार 63 सदस्य बैठक में उपस्थित थे जिन पर रु 500.00/सदस्य की दर से रु 31500.00 देय होता है परन्तु रु 33000.00 का भुगतान करते हुए रु 17000.00 की वापसी श्री अन्सारी द्वारा की गयी है। इस प्रकार रु 1500.00 अधिक भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री एम०आर०अन्सारी से किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या 08**

क्षेत्र पंचायत – बबीना

प्रस्तर 20 31.03.2018 को अनकैशेड चेक कुल रुपये 36307.50 जो कि बहुत पुरानी है इसका समायोजन अतिथि तक नहीं हुआ ऐसी स्थिति में सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

अनकैश चौक का विवरण		
104879	12.06.2010	41.00
931485	22.02.2012	6489.50
929619	—	600.00
303555	14.11.2014	29177.00
	योग	36307.50

मूल आपत्ति संख्या 11

प्रारूप— 3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

जनपद का नाम— ललितपुर मण्डल का नाम—झाँसी क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ—

क्षेत्र पंचायत— जखौरा विकास खण्ड: जखौरा

प्रस्तर—1 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में अनुदानों पर अर्जित ब्याज को शासन को वापस नहीं किया गया था। जबकि इस सम्बन्ध में शासनादेश सं० 10/2015/ए-1/502/दस 2015-10 (33) 2015 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार वर्ष में अनुदानों पर अर्जित ब्याज संस्था का नहीं बल्कि शासन का होता है जिसे वर्षान्त में शासन को वापस किया जाना चाहिए। संस्था द्वारा अर्जित ब्याज की धनराशि को शासन को वापस न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार उत्तरदायी है। अतः अर्जित ब्याज की धनराशि मु० 463458.00 को अविलम्ब शासन को वापस किया जाना चाहिए। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या— 08

क्षेत्र पंचायत— बार विकास खण्ड: बार

प्रस्तर— 2 संस्था द्वारा वर्ष 2017-18 में अनुदानों पर अर्जित ब्याज रु० 281752.00 प्राप्त हुआ। जिस संस्था द्वारा शासनादेश सं० 10/2015/ए-1/502/दस 2015-10 (33) 2015 दिनांक 29.05.2015 के निहित व्यवस्था के अनुसार ब्याज शासन को वापस किया जाना चाहिए था। किन्तु संस्था द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है गत वर्षों के अनुदानों पर अर्जित ब्याज रु० 252491.49 या जिस पर विगत वर्ष अधिभार की कार्यवाही की गई है। आलोच्य वर्ष में प्राप्त ब्याज रु० 281752.00 पर अधिभार की कार्यवाही प्रस्तावित है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या— 13

क्षेत्र पंचायत— बिरधा विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर— 3 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान रु० 404858.00 ब्याज की प्राप्ति अनुदानों पर हुई जिसके सापेक्ष रु० शून्य व्यय किया गया एवं वर्षान्त में शेष धनराशि रु० 2385918.00 के रूप में दर्शित है। जबकि शासनादेश सं० 10/2015/ए-1/502/दस 2015-10 (33) 2015 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज शासन को वापस न किया जाना गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अनुदानों पर ब्याज संस्था का न होकर शासन का होता है। अतः वर्ष 2017-18 में वर्ष में प्राप्त धनराशि रु० 404858.00 को शासनादेश अविलम्ब राजकीय कोष में जमा करते हुए शासन का वापस किया जाये। इस ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या— 19

क्षेत्र पंचायत— महारौनी**विकास खण्ड: महारौनी**

प्रस्तर— 4 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश के द्वारा प्रदत्त अनुदान पर अर्जित ब्याज शासनादेश सं० 10/2015/ए-1/502/दस 2015-10 (33) 2015 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार संस्था का नहीं है। वरन शासन का होता है। जिससे संस्था द्वारा राजकीय कोष में सम्बन्धित शीर्ष में जमा करते हुए शासन को वापस करना चाहिए। लेकिन लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹0 642688=00 वर्ष में अर्जित ब्याज प्राप्त रहा। जिसे ब्याज में वापस न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी श्री अजय कुमार खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री देवेन्द्र कुमार सहायक लेखाकार के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

मूल आपत्ति संख्या— 12**क्षेत्र पंचायत— मड़वरा****विकास खण्ड: मड़वरा**

प्रस्तर— 5 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश के द्वारा प्रदत्त अनुदान पर अर्जित ब्याज शासनादेश सं० 10/2015/ए-1/502/दस 2015-10 (33) 2015 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार संस्था का नहीं है। वरन शासन का होता है। जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोष में सम्बन्धित शीर्ष में जमा करते हुए शासन को वापस करना चाहिए। लेकिन लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹0 221365.00 वर्ष में प्राप्त ब्याज रहा है। एवं वर्ष दौरान ₹0 18248.96 वर्ष में ब्याज की मद से व्यय किया गया जो कि अनियमितता एवं गलत है। जिसे ब्याज में वापस कर शासन के उक्त शासनादेश अनुसार सम्बन्धित शीर्ष में ₹0 221365.00 जमा न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी श्री वी०पी० शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री सुरेन्द्र कुमार जैन सहायक लेखाकार के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

मूल आपत्ति संख्या— 16**क्षेत्र पंचायत— तालबेहट****विकास खण्ड: तालबेहट**

प्रस्तर— 6 आलोच्य वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष के दौरान 232385=00 के अनुदान पर ब्याज की प्राप्ति हुई जिसके सापेक्ष ₹0 214313.00 का व्यय किया गया एवं व्यय उपरान्त शेष ₹0 18072.00 (31.03.2018) के रूप में व्यय है व्यय में ₹0 116119.0 को राज्य वित्त अनुदान मद में स्थानान्तरित कर व्यय किया गया है एवं ₹0 66084.00 बुन्देलखण्ड विकास निधि का सम्बन्धित संस्था को चैन सं० 04705 दिनांक 21.01.2018 द्वारा वापस किया गया एवं विधायक निधि पर अर्जित ब्याज ₹0 14303.00 चैक सं० 047054 दिनांक 27.01.2018 द्वारा जिला पंचायत ग्राम्य विकास अभिकरण को वापस किया गया इस प्रकार कुल व्यय ₹0 196506.00 रहा जो शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है जबकि शासन द्वारा उक्त अनुदान पर अर्जित ब्याज शासनादेश संख्या— 10/2015/ए-1/502/दस 2015-10 (33) 2015 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार ब्याज संस्था का नहीं है वरन शासन का होता है उक्त ब्याज का न तो आप अनुदान में स्थानान्तरित कर सकते हैं और न ही व्यय कर सकते हैं। अतः उपरोक्त वार्षिक ब्याज की राशि एवं वर्षान्त में शेष धनराशि को शासना देशानुसार राजकीय कोष में सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित करें, इस ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या— 10**वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18****जनपद का नाम— जालौन****मण्डल का नाम—झांसी****क्षेत्र पंचायत— जालौन****विकास खण्ड— जालौन।**

प्रस्तर सं०-01— लेवर सेस— असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 जो 04 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है के नियम 4(3)के अनुसार ठेकेदारों के विल से कार्य की कुल लागत का 01 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेवर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटा जायेगा। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी चाहिये। लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है।

वर्ष में ठेकेदारों को निर्माण कार्य हेतु निम्न धनराशि भुगतान की गयी जिस पर 01 प्रतिशत सेस नहीं काटा गया जिससे ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया तथा राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई गयी है।

2017-18 1428584.00 14286 8908.00 5378.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मु0- 5378.00 की कटौती कम की गयी है। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार एवं श्री सुदामाशरण तथा श्री सन्तराम पाल ज्येष्ठ लेखाकार का है। अतः मु0 5378.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0- 11 (2)

प्रस्तर सं0-02-वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्न मदों उसे संबंधित पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने से मु0- 2074897.00 धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अभिलेखों को उपलब्ध न कराया जाना गंभीर अनियमितता की ओर इंगित करता है। ज्येष्ठ लेखाकार श्री गोविन्द नारायण वर्मा द्वारा यह कहा गया कि आपको निम्न मदों की लेखा परीक्षा का अधिकार नहीं है। ऐसा आदेश है। परन्तु लेखा परीक्षा में कोई आदेश/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि अन्तरिम आपत्ति में भी उक्त अभिलेखों की मांग की गयी थी। परन्तु किसी आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया जाना राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है। जिसके लिये ज्ये0 लेखाकार श्री गोविन्द नारायण वर्मा पूर्ण रूपेण जिम्मेदार है। पत्रावली प्रस्तुत कर पुष्ट कराये अन्यथा की स्थिति में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0- 12

प्रस्तर सं0-03-वर्ष 2017-18 में दिनांक 06.04.2017 को मु0 370000.00 की धनराशि का भुगतान चैक सं0- 017081 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम उरई को किया गया जिसकी पुष्टि हेतु पत्रावली लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके लिये ज्ये0 लेखाकार श्री गोविन्द नारायण वर्मा पूर्ण उत्तरदायी है। उपरोक्त धनराशि की पुष्टि न कराया जाना गंभीर अनियमितता की ओर इशारा करता है। भुगतान की पुष्टि कराये अन्यथा की स्थिति में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0- 13

प्रस्तर सं0-04-वर्ष 2017-18 में दिनांक 23.05.2017 को मु0- 10800.00 की बायोमैट्रिक मशीन क्रय की गयी जिसका भुगतान चैक सं0- 017082 द्वारा किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त बायोमैट्रिक मशीन का प्रमाणक अप्राप्त रहा। जिससे उक्त भुगतान संदिग्ध लगता है। जिसका फर्जी भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास विकास अधिकारी श्री चित्रसेन एवं लेखाकार श्री संतराम पाल से ब्याज सहित की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति सं0- 04

क्षेत्र पंचायत- कोंच

विकास खण्ड- कोंच।

प्रस्तर सं0-05-आलोच्य वर्ष 2017-18 में मनरेगा प्रशाननिक व्यय मद के अर्न्तगत दिनांक 04.10.2017 को चेक सं0- 106293 के द्वारा लेखन सामग्री हेतु आनन्द पुस्तक भण्डार को रु0- 5005.00 का भुगतान किया गया है। लेखन सामग्री का क्रय का रु0- 5005.00 का व्य प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रमोद सिंह चन्दौल व लेखाकार श्री रामचन्द्र श्रीवास से की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति संख्या- 16

प्रारूप-3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2017-18

जनपद का नाम : औरैया

मण्डल : कानपुर

विकास खण्ड - अजीतमल

क्षेत्र पंचायत - अजीतमल वर्ष 2017-18

प्रस्तर- 1 शासनादेश संख्या-ए-1-122/10-2012-10-33/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार- यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी किन्तु आलोच्य वर्ष में संस्था के आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए ब्याज की कुल धनराशि रु 58466.00 का राज्य वित्त मद में अनियमित रूप से व्यय कर लिया गया है जबकि नियमानुसार उक्त धनराशि को शासन को वापिस किया जाना चाहिए। अतः अनियमित व्यय के लिए आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए धनराशि रु 58466.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी- करुणकर अदीप से सुनिश्चित कर उक्त धनराशि रु 58466.00 को राजकोश में

जमा किया जाना अपेक्षित है। साथ ही संस्था के ब्याज खाता में ब्याज की अवशेष धनराशि रु 292409.00 को भी राजकोष में यथाशीघ्र जमा कर शासन को वापिस किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-3

जनपद का नाम—फर्रुखाबाद

मण्डल का नाम—कानपुर

लेखा परीक्षा वर्ष—2018—19

क्षेत्र पंचायत—बढ़पुर—2012—13से 2017—18

वर्ष—2012—13

प्रस्तर-1—वर्ष 2012—13 में राज्य वित्त/13 वॉ वित्त से कराये गये निम्नांकित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कतिपय भुगतानों पर वैट की कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत हैं—

क्र० सं०	कार्य का नाम	वाउचर नम्बर	वाउचर दिनांक	समग्री की धनराशि	वैट की धनराशि 4 प्रतिशत
1	रम्पुरा में अरविन्द कटियार के ट्यूबवेल से रामपाल कटियार के घर तक इण्टरलाकिंग से पक्की गली निर्माण	9/406	15.03.2013	16980.00	679.00
		1/2	15.03.2013	97300.00	3892.00
		05	15.03.2013	31098.00	1243.00
		08	29.03.2013	7417.00	297.00
		01/6	29.03.2013	4813.00	192.00
		04	29.03.2013	5535.00	221.00
2	रम्पुरा में पंचायत घर से भगवान दास के घर तक इण्टरलाकिंग से पक्की गली निर्माण	1/4	16.03.2013	132050.00	5282.00
		06	15.03.2013	41160.00	1646.00
		09	29.03.2013	6793.00	272.00
		05	29.03.2013	27516.00	1100.00
		26	03.08.2013	6646.00	266.00
		31	03.08.2013	4317.00	173.00
	योग		—	—	15263.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार रु0—15263.00 का वैट नहीं काटा गया जिससे राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह सोमवंशी एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2—दिनांक 31.03.2013 को राज्य वित्त योजना में रु0—4083761.00, 12वॉ वित्त योजना में रु0—89831.00, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में रु0—341233.0 एवं 13वॉ वित्त योजना में रु0—2916446.00 अवशेष दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान का शत-प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया जिससे क्षेत्र पंचायत को विकास कार्यों का पूर्ण लाभ नहीं मिल सका। अनुदान का शत-प्रतिशत उपयोग अपेक्षित रहा। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह सोमवंशी उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3—आलोच्य वर्ष में वायोगेस अनुदान रु0—56000.00 का उपभोग अनुदान रजिस्टर में दर्शित है किन्तु इससे सम्बन्धित पत्रावली लेखा-परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः दर्शित उपभोग अपुष्ट रहा। पत्रावली एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव में दर्शित व्यय को गवन की श्रेणी में मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह सोमवंशी एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार से की जाय।

प्रस्तर-4—वर्ष 2012—13 में रम्पुरा में अरविन्द कटियार के ट्यूबवेल से रामपाल कटियार के घर तक इण्टरलाकिंग से पक्की गली निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि दिनांक 26.04.2013 को मिटटी ढुलाई 13.78 घन मीटर का भुगतान रु0—3500.00 का किया गया है किन्तु उस पर निर्धारित दर 14/घन मीटर से रायल्टी नहीं काटी गयी। इस प्रकार सम्बन्धित रायल्टी की धनराशि रु0—193.00 न काटकर राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह सोमवंशी एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5—वर्ष 2012-13 में रम्पुरा में पंचायत घर से भगवान दास के घर तक इण्टरलाकिंग से पक्की गली निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि दिनांक 26.04.2013 को मिट्टी ढुलाई 17.60 घन मीटर का भुगतान ₹0-4900.00 का किया गया है किन्तु उस पर निर्धारित दर 14/घन मीटर से रायल्टी नहीं काटी गयी। इस प्रकार सम्बन्धित रायल्टी की धनराशि ₹0-246.00 न काटकर राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह सोमवंशी एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

वर्ष-2013-14

प्रस्तर-6—वर्ष 2013-14 में तेरहवां वित्त योजना से प्राप्त अनुदान से ग्राम धन्सुआ में पन्नालाल के मकान से हरिश्चन्द्र के मकान तक नाला निर्माण हेतु ₹0 727500.00 की तकनीकी लागत स्वीकृत की गयी तथा कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार शुक्ला ग्रा0वि0अधि0 को नियुक्त किया गया। उक्त कार्य से सम्बन्धित निम्नांकित आपत्तियां पायी गयी:-

2(अ) उक्त कार्य हेतु कुल ₹0-414412.00 की सामग्री आपूर्ति होना विभिन्न बिलों द्वारा दर्शाया गया है। ₹0-414412.00 के बिलों पर 2.26: की दर से ₹0-9366.00 आयकर की कटौती कर सामग्री की धनराशि का भुगतान किया गया है। किन्तु विभिन्न बिलों से काटी गयी आयकर की धनराशि ₹0-9366.00 में से ₹0-6165.00 ही जमा किया गया, शेष ₹0-3201.00 आयकर कटौती की धनराशि जमा न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री सुनील कुमार कमठान एवं तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री महेन्द्र सिंह सोमवंशी उत्तरदायी है। अतः ₹0-3201.00 की ब्याज सहित वसूली कर धनराशि राज्य सरकार को प्रेषित की जानी अपेक्षित है।

2(ब) ₹0-414412.00 सामग्री आपूर्ति की धनराशि पर 4: की दर से ₹0-16576.00 के व्यापार कर की कटौती न कर सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को ₹0-16576.00 के व्यापार कर की कटौती न कर सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को ₹0-16576.00 का लाभ पहुँचाया गया तथा ₹0-16576.00 की राजकीय राजस्व को आर्थिक क्षति पहुँचायी जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री सुनील कुमार कमठान तथा तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री महेन्द्र सिंह सोमवंशी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः ₹0-16576.00 की ब्याज सहित वसूली कर धनराशि राज्य सरकार को प्रेषित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7—वर्ष 2013-14 में ₹0-16000.00 बायोगैस संयंत्र अनुदान लाभार्थियों को भुगतान करना दर्शाया गया है। उक्त भुगतान से संबंधित निम्नांकित आपत्तियां रही:-

(अ) उक्त योजना के चयनित लाभार्थियों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

(ब) उक्त धन का वितरण किन-किन व्यक्तियों को किया गया अभिलेखों से ज्ञात नहीं हो सका।

(स) लाभार्थियों द्वारा बायोगैस प्लांट पूर्ण कर लिया गया है, इस बात का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

(द) वर्ष 2013-14 में बायोगैस की पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं करायी गयी।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि बायोगैस योजना के अंतर्गत वितरित उक्त अनुदान काल्पनिक है। अतः काल्पनिक दर्शित उक्त व्यय ₹0-16000.00 तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह सोमवंशी एवं तत्कालीन लेखक श्री सुनील कुमार कमठान से संयुक्त रूप से ब्याजसहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-8—वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त योजना के धन से रम्पुरा में जागेश्वर बाबा के मकान से हरिनंदन के मकान तक इंटरलॉकिंग ब्रिक सोलिंग व नाली निर्माण का कार्य कराए जाने का कार्य प्रभारी श्री शशि देव सिंह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को नियुक्त किया गया। उक्त कार्य में ट्रैक्टर द्वारा 161.20 घन मीटर ₹0-54.00 प्रति घन मीटर की दर से मिट्टी पुराई का कार्य किया जाना दर्शाया गया है। ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी पुराई का भुगतान ₹0-8704.00 का चेक संख्या-00004 द्वारा कार्य प्रभारी श्री शशि देव सिंह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को किया गया, उक्त से संबंधित निम्नांकित आपत्तियां हैं:-

(अ) मिट्टी पुराई हेतु खनन विभाग की स्वीकृति नहीं ली गई जो अपेक्षित रही।

(ब) मिट्टी पुराई का ट्रैक्टर नंबर-न्च76ध2766 द्वारा कराया जाना दर्शाया गया है। जबकि मिट्टी पुराई का कार्य श्रमिकों द्वारा कराया जाना चाहिए।

(स) मिट्टी कहां से लाई गई अभिलेखों से स्पष्ट नहीं होता है।

(द) जिस ट्रैक्टर से मिट्टी लाया जाना दर्शाया गया है उसका कामर्शियल रजिस्ट्रेशन पत्रावली में संलग्न नहीं है।

जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह सोमवंशी एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9—वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त योजना के धन से रम्पुरा में जागेश्वर बाबा के मकान से हरिनंदन के मकान तक इण्टरलाकिंग ब्रिक सोलिंग व नाली निर्माण कार्य कराया गया है। जिसमें श्री सर्वेश द्वारा ट्रैक्टर नं०—न्च6६2766 से 161.20 घन मी० मिट्टी पुराई का कार्य किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु मिट्टी कार्य पर रू०—14.00 प्रति घन मी० की दर से रू०—2257.00 की रॉयल्टी की कटौती न कर राजकीय राजस्व को रू०—2257.00 से आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह सोमवंशी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री सुनीत कुमार कमठान उत्तरदायी है। अतः रू०—2257.00 की ब्याज सहित वसूली कर धनराशि राज्य सरकार को प्रेषित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10—वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त योजना के धन से रम्पुरा में जागेश्वर बाबा के मकान से हरिनंदन के मकान तक इण्टरलाकिंग ब्रिक सोलिंग व नाली निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु श्री शशि देव सिंह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया। उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न मजदूरी के 4 मस्टर रोलों पर मस्टर रोल क्रमांक अंकित नहीं है। उक्त 4 मस्टर रोलों पर मजदूरी का कुल भुगतान रू०—74570.00 दर्शित है। मस्टर रोलों पर दर्शित कुल मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी श्री शशि देव सिंह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को दिनांक 28.11.2013 को चेक सं०—000004 द्वारा किया गया। मस्टर रोलों पर दर्शित भुगतान प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षर/निशान अंगूठा कार्य प्रभारी द्वारा प्रमाणित नहीं किये गये हैं एवं मस्टर रोलों पर अधिकांशतः भुगतान प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति द्वारा किये गये प्रतीत होते हैं। जो गंभीर आपत्तिजनक है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह सोमवंशी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री सुनीत कुमार कमठान उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

वर्ष-2014-15

प्रस्तर-11—वर्ष 2014-15 में दिनांक 06.09.2014 को बिल सं०—52 द्वारा राज्य वित्त योजना के धन से ऊषा इण्टर प्राइजेज राजेपुर तिराहा फर्रुखाबाद से 10 एच०पी० डीजल जनरेटर रू०—42000.00 में एवं 1.5 के०वी०ए० अल्टीनेटर किलोस्कर इलेक्ट्रिक, रू०—23000.00 में कुल रू०—65000.00 में क्रय करना दर्शाया गया है। उक्त क्रय की धनराशि रू०—65000.00 में से रू०—1469.00 की टी०डी०एस० कटौती कर शेष धनराशि रू०—63531.00 का भुगतान दिनांक 12.09.2014 को चेक सं०—0039 द्वारा ऊषा इण्टर प्राइजेज को किया गया है। रू०—65000.00 में से 4: की दर से व्यापार कर की रू०—2600.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। अतः रू०—2600.00 ऊषा इण्टरप्राइजेज से वसूल कर जमा करायी जानी अपेक्षित है। वसूल न हो पाने की स्थिति में तत्कालीन ख०वि०अ० श्री जनार्दन प्रसाद यादव एवं लेखाकार श्री सुनीत कुमार कमठान से संयुक्त रूप से वसूल कर रू०—2600.00 की राजकीय राजस्व की क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त स्टॉक से सम्बन्धित स्टॉक का लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो अपेक्षित रहा।

वर्ष-2015-16

प्रस्तर-12—वर्ष 2015-16 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना से बिना कार्य योजना के प्राइमरी पाठशाला आमिलपुर से गुचिलियाई (कुबेरपुर घाट) रोड तक संपर्क मार्ग पर खंडजा निर्माण कार्य हेतु रू०—184000.00 तकनीकी लागत स्वीकृत की गई। उक्त कार्य में सामग्री आपूर्ति करने हेतु मेसर्स एम०डी० कन्सट्रक्शन रम्पुरा सेंट्रल जेल फतेहगढ़ को स्वीकृति दी गई। उक्त फर्म द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु दिनांक 05.09.2015 को बिल सं०—152 द्वारा रू०—58000.00 की 10000 ईट आपूर्ति करना दर्शाया गया है। जिसमें से क्षेत्र पंचायत द्वारा रू०—1311.00 की आयकर कटौती एवं रू०—2320.00 की व्यापार कर कटौती कर शेष रू०—54369.00 चेक सं०—11653 दिनांक 16.09.2015 को फर्म को भुगतान किया गया। उक्त कीमत की ईट का न तो कहीं उपभोग किया गया और न ही ईट स्टॉक में अवशेष दर्शायी गयी है।

अतः ऐसा प्रतीत होता है कि बिना कार्य योजना के सुनियोजित ढंग से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के धन का ईट क्रय पर व्यय दर्शाकर रु0-58000.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरण की धनराशि रु0-58000.00 में से रु0-29000.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह से एवं रु0-29000.00 तत्कालीन लेखाकार श्री सुनीत कुमार कमठान से ब्याजसहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-13—वर्ष 2015-16 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना से बिना कार्य योजना के ग्राम गुचिलियाई (कुबेरपुर घाट) में ग्राम सचिवालय से देवेन्द्र सिंह के घर के सामने तिराहे तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य में सामग्री आपूर्ति करने हेतु मे0 एम0डी0 कन्सट्रक्शन रम्पुरा सेन्ट्रल जेल फतेहगढ़ को स्वीकृति दी गई। उक्त कार्य हेतु रु0-4.00 लाख की तकनीकी लागत स्वीकृति की गई। उक्त कार्य हेतु उक्त फर्म द्वारा दिनांक 05.09.2015 को बिल सं0-151 द्वारा रु0-39600.00 की सामग्री आपूर्ति करना दर्शाया गया है। जिसमें से क्षेत्र पंचायत द्वारा रु0-895.00 की आयकर कटौती एवं रु0-1584.00 की व्यापार कर कटौती कर शेष रु0-37129.00 का चेक सं0-011652 द्वारा दिनांक 16.09.2015 को फर्म को भुगतान किया गया। उक्त कीमत की सामग्री का न तो स्टॉक अवशेष दर्शाया गया और न ही उक्त क्रय की गयी सामग्री का उपभोग कर विवरण ही लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि सुनियोजित ढंग से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के धन का सामग्री क्रय पर व्यय दर्शाकर रु0-39600.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन लेखाकार श्री सुनीत कुमार कमठान उत्तरदायी है। अतः रु0-39600.00 में से रु0-19800.00 श्री देवेन्द्र सिंह खण्ड विकास अधिकारी से एवं रु0-19800.00 लेखाकार श्री सुनीत कुमार कमठान से ब्याजसहित वसूल कर जमा कराये जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-14—वर्ष 2015-16 में बिना कार्य योजना स्वीकृत किये पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के धन से रोशनाबाद रोड से नगला गुमटी तक पक्का संपर्क मार्ग खडंजा निर्माण कार्य की तकनीकी लागत रु0-400000.00 दर्शायी गयी है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर रु0-307400.00 एवं मजदूरी का भुगतान रु0-84896.00 कुल व्यय रु0-392296.00 व्यय किया गया है।

इस प्रकार उक्त कार्य पर बिना कार्य योजना के मनमाने ढंग से रु0-392296.00 का पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के धन का अनियमित व्यय किया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह एवं श्री सुरेश चन्द्र तथा तत्कालीन लेखाकार श्री सुनीत कुमार कमठान संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः रु0-392296.00 में से रु0-34800.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह से एवं रु0-161348.00 श्री सुरेश चन्द्र से एवं रु0-196148.00 तत्कालीन लेखाकार श्री सुनीत कुमार कमठान से ब्याजसहित वसूल कर जमा कराये जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-15—वर्ष 2015-16 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के धन से बुढ़नामऊ में महादेव मंदिर से रामशंकर यादव के खेत तक इण्टरलॉकिंग ब्रिक सोलिंग कार्य हेतु रु0-1058000.00 की तकनीकी लागत स्वीकृत की गयी। उक्त कार्य की सामग्री आपूर्ति हेतु मे0 एम0डी0 कन्सट्रक्शन रम्पुरा सेन्ट्रल जेल फतेहगढ़ को स्वीकृति दी गई तथा कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार शुक्ला ग्रा0वि0अ0 को नियुक्त किया गया। उक्त कार्य हेतु रु0-821333.00 सामग्री पर तथा मजदूरी पर रु0-112692.00 सहित कुल रु0-934025.00 का व्यय किया गया। उक्त कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयी:-

(अ) निर्माण कार्य पत्रावली में क्रमांक रहित मस्टर रोल संलग्न है। मस्टर रोल पर दिनांक 22.04.2015 से 06.05.2015 तक 22 श्रमिकों (6मिस्त्री+16 लेबर) द्वारा कार्य करना दर्शाया गया है।

(ब) उक्त कार्य हेतु दिनांक 26.04.2015 को बिल सं0-66 द्वारा फर्म द्वारा सामग्री आपूर्ति की गई है। इस प्रकार यदि उक्त कार्य हेतु दिनांक 26.04.2015 को सामग्री आपूर्ति की गई तो दिनांक 22.04.2015 से 6 मिस्त्री और 16 लेबर द्वारा कार्य किये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं होता है।

(स) मस्टर रोलों पर दर्शित भुगतान प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा एक ही व्यक्ति द्वारा किये गये प्रतीत होते हैं।

(द) मस्टर रोलों पर मस्टर रोल क्रमांक अंकित नहीं होने के कारण कार्यवार निर्गत मस्टर रोलों की स्थिति अज्ञात रही है।

(य) निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार व प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

(र) निर्माण कार्य प्रारम्भ, मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के समय ली गई फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(ल) निर्माण कार्य पत्रावली व वर्क रजिस्टर में कार्य की माप, लंबाई, चौड़ाई अंकित नहीं किया गया है।

(व) पत्रावली में रु0-21160.00 जमानत जमा धनराशि की रसीद संलग्न नहीं की गयी है।

उक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि दर्शित निर्माण कार्य कराया ही नहीं गया है। मात्र कागजी औपचारिकता पूरी कर राजकीय अनुदान अपहरण किया गया है। अतः अपहरण की धनराशि रु0-934025.00 में से रु0-467012.50 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह से एवं रु0-467012.25 तत्कालीन लेखाकार श्री सुनीत कुमार कमठान से ब्याजसहित वसूल कर जमा कराये जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-16—नेडा के पत्रांक 105 दिनांक 10.09.2015 के द्वारा मांगी गयी 43 सोलर लाइटों की धनराशि रु0-952020.00 क्षेत्र पंचायत द्वारा तेहरवां वित्त योजना के अनुदान से दिनांक 15.09.2015 को चेक सं0-172324 नेडा को हस्तांतरित किया जाना दर्शाया गया है। इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं:—

(अ) पत्रावली में सोलर लाइटों के लगाये जाने संबंधी क्षेत्र पंचायत का कोई प्रस्ताव संलग्न नहीं है।

(ब) नेडा को हस्तांतरित धनराशि के हस्तांतरण की पुष्टि में कोई प्राप्ति रसीद अथवा अन्य प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(स) दिनांक 07.09.2016 को खण्ड विकास अधिकारी बड़पुर द्वारा नेडा को लिखे गये पत्र से स्पष्ट है कि दिनांक 07.09.2016 तक सोलर लाइट लगाने का कार्य सम्पन्न नहीं हुआ था।

(द) पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा तिथि तक भी उक्त कार्य नहीं हुआ था क्योंकि पत्रावली में कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, कार्य के प्रारम्भ, मध्य व कार्य के पूर्ण होने के बाद का फोटो संलग्न नहीं है।

(य) सोलर लाइट के लगे होने की दशा में उनका भौतिक सत्यापन कर सक्षम अधिकारी की सत्यापन रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है, कि सोलर लाइटों के लगाने पर दर्शाया गया उक्त व्यय काल्पनिक है तथा विकास खण्ड व नेडा द्वारा मिली भगत से रु0-952020.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरण की धनराशि रु0-952020.00 में से रु0-476010.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह से एवं रु0-476010.00 तत्कालीन लेखाकार श्री सुनीत कुमार कमठान से ब्याजसहित वसूल कर जमा कराये जाने अपेक्षित है।

प्रस्तर-17—दिनांक 31.03.2016 को निम्नांकित विवरण के अनुसार अनुदान शेष दर्शाया गया है:—

क्र० सं०	योजना का नाम	धनराशि
1	राज्य वित्त योजना	2662457.00
2	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना	813800.00
3	तेरहवां वित्त योजना	116180.00
	योग	3592437.00

ज्ञातव्य है कि राज्य वित्त, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना, तेरहवां वित्त आयोग योजना अनुदान का आवंटन क्षेत्र पंचायत के परिक्षेत्र में विकास कार्य कराने, राजकीय सम्पत्तियों के सृजन करने राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में तेजी लाने हेतु किया जाता है किन्तु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों श्री महेन्द्र सिंह सोमवंशी, श्री जनार्दन प्रसाद यादव, श्री देवेन्द्र सिंह, श्री सुरेश चन्द्र एवं तत्कालीन लेखाकार श्री सुनीत कुमार कमठान द्वारा अनुदान का समय से उपभोग न कर राष्ट्र निर्माण में अपेक्षित दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अतः उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों एवं तत्कालीन लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

वर्ष-2016-17

प्रस्तर-18—वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम समई नगला में श्रीराम के घर होते हुए ग्राम महलई संपर्क मार्ग तक मरम्मत कर पेवर ब्रिक कार्य कराया गया है। जिसमें श्री भूपेन्द्र पुत्र श्री राम लड़ाइते ट्रेक्टर नं०-यूपी 76/ओके 0358 निवासी जनैया द्वारा 57.42 घन मीटर मिट्टी रु0-63.60 प्रति घन मीटर की दर से मिट्टी पुराई का कार्य किया गया है जिसका भुगतान रु0-3652.00 किया गया। उक्त मिट्टी पुराई कार्य पर रु0-14.00 प्रति घन मीटर की दर से रु0-804.00 की रायल्टी की कटौती न कर राजकीय राजस्व को रु0-804.00 से क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अतुल कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री अशोक बाथम उत्तरदायी हैं। अतः रु0-804.00 की ब्याज सहित वसूली कर धनराशि को राजस्व विभाग में प्रेषित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-19—वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम समई नगला में श्रीराम के घर होते हुए ग्राम महलई संपर्क मार्ग तक मरम्मत कर पेवर ब्रिक कार्य कराया गया है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार शुक्ला ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को नियुक्त किया गया है। उक्त कार्य में ट्रैक्टर द्वारा 57.42 घन मीटर रु0-63.60 प्रति घन मीटर की दर से मिट्टी पुराई का कार्य किया जना दर्शाया गया है। ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी पुराई का भुगतान रु0-3652.00 किया गया है उक्त से सम्बन्धित निम्नांकित आपत्तियां रही—

(अ) मिट्टी पुराई हेतु खनन विभाग की स्वीकृति नहीं ली गयी।

(ब) मिट्टी पुराई कार्य ट्रैक्टर सं0-यूपी76/ओके 0358द्वारा कराया गया है जबकि मिट्टी पुराई कार्य मस्टर रोल द्वारा कराया जाना चाहिए।

(स) मिट्टी कहां से लायी गयी अभिलेखों से स्पष्ट नहीं होता हैं

(द) जिस ट्रैक्टर से मिट्टी लाया जाना दर्शाया गया है उसका कामर्शियल रजिस्ट्रेशन पत्रावली में संलग्न नहीं है।

जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह सोमवंशी एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-20—वर्ष 2016-17 में दिनांक 13.05.2016 को यूनिक फर्नीचर नियर अम्बेडकर तिराहा पातीराम धर्मशाला फतेहगढ़ से एक स्टील अलमारी आफिस टाईप क्रय की गयी हैं जिसकी कीमत का भुगतान रु0-7980.00 दिनांक 13.05.2016 को इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद से खाता सं0-0016 से चेक सं0-022128 द्वारा किया गया है। उक्त अलमारी क्रम का लेखा मृत स्कन्ध रजिस्टर में नहीं किया गया है। इस प्रकार रु0-7980.00 अलमारी खरीद पर व्यय दर्शाकर स्टाक का मृत पंजी में लेखा न कर रु0-7980.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरण की धनराशि रु0-7980.00 में से रु0-3990.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र एवं रु0-3990.00 तत्कालीन लेखाकार श्री सुनीत कुमार कमठान से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2017-18

प्रस्तर-21—दिनांक 31.03.2018 को निम्नांकित विवरण के अनुसार अनुदान शेष दर्शाया गया है:—

क्र0 सं0	योजना का नाम	धनराशि
1	राज्य वित्त योजना	11586296.00
2	तेरहवां वित्त योजना	26652.00
	योग	11612948.00

ज्ञातव्य है कि राज्य वित्त, तेरहवां वित्त आयोग योजना अनुदान का आवंटन क्षेत्र पंचायत के परिक्षेत्र में विकास कार्य कराने, राजकीय सम्पत्तियों के सृजन करने राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में तेजी लाने हेतु किया जाता है किन्तु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों एवं तत्कालीन लेखाकार द्वारा अनुदान का समय से उपभोग न कर राष्ट्र निर्माण में अपेक्षित दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अतः उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र, श्रीमती विमला देवी, श्री शिवप्रकाश, श्री अतुल कुमार, श्री श्यामनरायन सिंह, श्री रामजी जायसवाल, श्री ओमप्रकाश पाण्डेय एवं तत्कालीन लेखाकार श्री सुनीत कुमार कमठान एवं श्री अशोक कुमार बाथम के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-राजेपुर-2012-13 से 2017-18 वर्ष-2012-13

प्रस्तर-22—वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय एकीकरण गोष्ठी पर रु0-3000/- व्यय दर्शाया गया है, किन्तु सम्बन्धित प्रमाणक, कार्यवाही पंजिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा, व्यय प्रमाणक के अभाव में उपरोक्त धनराशि को गबन की श्रेणी में मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार मोहम्मद आसिफ एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह चौहान से की जाय।

प्रस्तर-23—वर्ष 2012-13 में पंचायत उप निर्वाचन पर व्यय रु0-5400.00 दर्शाया गया है, किन्तु सम्बन्धित प्रमाणक, कार्यवाही पंजिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा, व्यय प्रमाणक के अभाव में उपरोक्त धनराशि को गबन की श्रेणी में मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार मोहम्मद आसिफ एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह चौहान से की जाय।

वर्ष-2013-14

प्रस्तर-24-वर्ष 2013-14 में ₹0-24000.00 बायोगैस अनुदान वितरित दर्शित है, किन्तु उससे सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षामें अप्राप्त रही है। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। चयन सम्बन्धित आवेदन एवं उनकी स्वीकृति से सम्बन्धित स्थिति भी अज्ञात रही। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अंकित अग्रवाल से इसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-25-वर्ष 2013-14 में बरेली इटावा रोड पर श्री राजेन्द्र सिंह पेट्रोल पम्प के पास खडंजा एवं मिट्टी तथा पुलिया निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि खण्ड विकास अधिकारी, राजेपुर के कार्यालय पत्रांक-1575/कुटेशन/नोटिस दिनांक 23.11.2013 के द्वारा केवल मात्र ईट द्वितीय श्रेणी हेतु ही कुटेशन आमंत्रित किये गये एवं तदनुसार ही मॉ वैणो भट्टा राजेपुर के स्वीकृत किये गये किन्तु सम्बन्धित ईट भट्टा से दिनांक 15.01.2014 को पुस्तक सं0-03 क्रम सं0-146 द्वारा 5700 ईट प्रथम श्रेणी की ₹0-5200.00 की दर से कुल ₹0-29640.00 की क्रय की गयी। इस प्रकार बिना निविदा आमंत्रित किये प्रथम श्रेणी की ईट मूल्य ₹0-29640.00 की क्रय किया जाना अनियमित रहा, जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अंकित अग्रवाल उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-26-वर्ष 2013-14 में बरेली इटावा रोड पर श्री राजेन्द्र सिंह पेट्रोल पम्प के पास खडंजा एवं मिट्टी तथा पुलिया निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि दिनांक 18.02.2014 को मॉ वैणो ईट भट्टा को चेक सं0-71921212 द्वारा बिल सं0-3 क्रम सं0-146 मूल्य 170255.00 के भुगतान करते समय 4 प्रतिशत वैट की कटौती नहीं की गई इस प्रकार ₹0-4690.00 के राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामनारायन मिश्रा से की जाय।

प्रस्तर-27-वर्ष 2013-14 में कराये गये कार्य ताजपुर नगला हूसा के बीच ताजपुर में पुलिया व होली से श्याम लाल के मकान तक सी0सी0 व नाली निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि श्री शशांक सक्सेना सरस्वती स्ट्रीट फर्रुखाबाद को पुस्तक सं0-01 क्रमांक-0005 मूल्य ₹0-236839.00 का भुगतान चेक सं0-002662 दिनांक 05.03.2014 से करते समय 4 प्रतिशत वैट की कटौती नहीं की गयी। अतः ₹0-9474.00 से राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामनारायन मिश्रा से की जाय।

प्रस्तर-28-वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत तुषौर में राजकुमार पाल बी0डी0सी0 से तालाब तक सी0सी0 व नाली निर्माण सम्बन्धित कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य पर ₹0-430710.00 की सामग्री क्रय की गयी किन्तु सम्बन्धित भुगतान से ₹0-17228.00 की वैट की कटौती नहीं की गयी। अतः ₹0-17228.00 से राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामनारायन मिश्रा से की जाय।

प्रस्तर-29-वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत दहेलिया में मैन रोड से होली तक निर्माण सम्बन्धित कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य पर ₹0-101292.00 की सामग्री क्रय की गयी किन्तु सम्बन्धित भुगतान से ₹0-4052.00 की वैट की कटौती नहीं की गयी। अतः ₹0-4052.00 से राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामनारायन मिश्रा से की जाय।

वर्ष-2014-15

प्रस्तर-30-आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.03.2015 को धूम रहित चूल्हा शीर्ष में ₹0-11804.50, स्वच्छता कार्यक्रम में ₹0-6208.00, इन्दिरा आवास शौचालय में ₹0-165000.00, वारहवॉ वित्त में ₹0-77686.00, राज्य वित्त योजना में ₹0-2367130.00, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में ₹0-1148388.00 तेहरवॉ वित्त में ₹0-93902.00, विधायक निधि में ₹0-437863.00 अवशेष दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान का शत-प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया जिससे क्षेत्र पंचायत को विकास कार्यों का पूर्ण लाभ नहीं मिल सका। अनुदान का शत-प्रतिशत उपभोग अपेक्षित रहा।

वर्ष-2015-16

प्रस्तर-31-वर्ष 2015-16 में विधायक निधि से कराये गये कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि ग्राम-उम्मेरपुर में देवी सिंह के मकान से मौजीराम के घर होते हुए छोटे लाल के घर तक 60

मीटर सी0सी0 रोड निर्माण कराया गया। सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न रसीद अनुसार 37.48 मीटर की मिट्टी कार्य कर रु0-55/ मीटर³ की दर से रु0-2061.00 का भुगतान चेक सं0-003580 दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय के माध्यम से भुगतान किया गया। प्राप्ति रसीद में भुगतान प्राप्तकर्ता में श्री पातीराम के हस्ताक्षर हैं। इस सम्बन्ध में आपत्ति यह है कि स्वीकृत निविदा सॉई गंगा इण्टरप्राइजेज का था जिसमें बिल आफ क्वांटिटी में मिट्टी कार्य दर्शित है। अतः श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय को चेक जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। वस्तुतः सॉई गंगा इण्टरप्राइजेज द्वारा कोई मिट्टी कार्य नहीं कराया गया। अतः उसका भुगतान भी नहीं लिया गया। चूँकि स्टीमेट में मिट्टी कार्य प्रस्तावित था अतः फर्जी ढग से रसीद संलग्न कर रु0-2061.00 अपहरण किया गया। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार उत्तरदायी हैं। कार्य प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-32—वर्ष 2015-16 में विधायक निधि से कराये गये निर्माण कार्यों की जांच में पाया गया कि ग्राम अमृतपुर में मुख्य गली में 100 मी0 सी0सी0 रोड से सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न रसीद अनुसार मिट्टी ढुलाई का भुगतान रु0-14072.00 राकेश पुत्र मुंशी को किया गया। इस सम्बन्ध में मुख्य आपत्ति यह है सम्बन्धित भुगतान चेक नम्बर-003577 दिनांक 09.09.2016 द्वारा कार्य प्रभारी श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय को किया गया। चूँकि निविदा सॉई कांस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स के नाम स्वीकृत थी एवं उसमें मिट्टी ढुलाई भी सम्मिलित थी। अतः यह कार्य सॉई कांस्ट्रक्शन द्वारा ही पूर्ण किया जाना चाहिए था जबकि सॉई कांस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत बिलों में मिट्टी ढुलाई का कहीं उल्लेख नहीं है इसी प्रकार फर्जी ढग से रवीन्द्र कुमार पाण्डेय को चेक निर्गत कर धनराशि का अपहरण किया गया। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार उत्तरदायी हैं। कार्य प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-33—वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य हरिहरपुर में झबू सिंह की मडैइया कडक्का बौध पर अखिलेश के मकान से सोनपाल के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयीं।

क. निविदा कर्ताओं से सम्बन्धित संलग्न पत्रावली की जांच में पाया गया कि तीन निविदा कर्ताओं में से एक अवस्थी कॉन्स्ट्रक्शन दर्शित है लेकिन उनसे सम्बन्धित प्रपत्र न तो लेटर पैड पर है न ही अवस्थी कॉन्स्ट्रक्शन की मोहर लगी है। केवल हाथ से अवस्थी कॉन्स्ट्रक्शन लिखा गया है। जिससे यह भी पता नहीं चलता कि सम्बन्धित फर्म को टिन नम्बर आवंटित था अथवा नहीं।

ख. सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न कन्जम्शन आफ मटेरियल में नेम आफ वर्क कन्स्ट्रक्शन आफ सी सी रोड एण्ड इन विजेल पखना फ्रम राजेन्द्रनगर टू नगला दूबे अंकित है एवं उसी को आधार मानते हुए सामग्री क्रय दर्शायी गयी है। सम्बन्धित कन्जम्शन आफ मटेरियल अवर अभियन्ता एवं बी0डी0ओ0 द्वारा भी स्वीकृत है। इस प्रकार सामग्री क्रय का औचित्य आधार हीन रहा इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर रु0-436645.00 की सामग्री अनियमित रूप से क्रय की गई।

जिसके लिए अवर अभियन्ता श्री अरविन्द त्रिपाठी एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। अवर अभियन्ता श्री अरविन्द त्रिपाठी एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-34—वर्ष 2015-16 में विधायक निधि से कराये गये कार्य ग्राम राजेपुर में प्रधान वाली गली से संजय गुप्ता के मकान तक सी0सी0 व नाली निर्माण पत्रावली की जांच में निम्नांकित त्रुटियाँ पायी गयीं—

क. फाइल में संलग्न कोटेशन नोटिस में कोटेशन सबमिट करने की तिथि ही अंकित नहीं है।

ख. निविदा आमंत्रित करने का विज्ञापन किसी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं कराया गया।

ग. सामग्री आपूर्ति कर्ताओं से 2 प्रतिशत जमानत की धनराशि भी जमा नहीं करायी गयी।

इस प्रकार अनियमित रूप से रु0-484006.00 की सामग्री क्रय की गई। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम नारायण मिश्रा, श्री विपिन कुमार एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार उत्तरदायी हैं। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम नारायण मिश्रा, श्री विपिन कुमार एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-35—वर्ष 2015-16 में विधायक निधि से कराये गये कार्यों की पत्रावली की जांच में पाया गया कि निम्नांकित कार्यों में वेट की कटौती नहीं की गयी। साथ ही जमानत की धनराशि भी सम्बन्धित निविदाकर्ताओं से नहीं ली गयी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	वैट की धनराशि / 4:	जमानत की धनराशि / 2:
1	ग्राम बहादुरपुर में खडण्जा व नाली निर्माण	219766.00	8790.00	6060.00
2	ग्राम राजेपुर में प्रधान वाली गली से संजय गुप्ता तक सी०सी० निर्माण	484006.00	19360.00	12900.00
3	अमृतपुर में शीशराम यादव के मकान तक सी०सी० व नाली निर्माण	130500.00	5220.00	—
4	ग्राम गुडैरा में मेन रोड से नेकराम के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	97007.00	3880.00	—
5	ग्राम खाकिन में महेश के घर से राममोहन के घर तक सी०सी० व नाली निर्माण	135751.00	5430.00	—
6	ग्राम खुटिया में मेन रोड मन्दिर से अखिलेश तिवारी के घर होते हुए कल्लू तिवारी के घर तक सी०सी० निर्माण	401921.00	16076.00	—
7	ग्राम अम्मरपुर में चित्रकूट देवी सिंह के मकान से मौजी लाल के घर तक सी०सी० व नाली निर्माण	126749.00	5070.00	—
8	मिश्रनपुरवा में शम्भूदयाल के मकान से दिनेश के मकान होते हुए रामविलास के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण	438513.00	17450.00	—
9	निविया में मेन रोड से रामवीर के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण	430625.00	17225.00	—
10	ग्राम भरखा में संजीव सिंह (बाबा) वाली गली में सी०सी० रोड व नाली निर्माण	592294.00	23691.00	—
11	अमृतपुर मुख्य गली में सी०सी० रोड	435962.00	17438.00	—
	योग	3493094.00	139720.00	18960.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार रू०—139720.00 का नहीं काटा गया जिससे राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार, श्री शिवकुमार, श्री विपिन कुमार एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार, श्री शिवकुमार, श्री विपिन कुमार एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-36—वर्ष 2015-16 में 13 वॉ वित्त से कराये गये कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि नियमानुसार सामग्री की धनराशि से ट।ज नहीं काटा गया। विवरण निम्नवत् है:—

क्र० सं०	कार्य का नाम	वैट की धनराशि / 4:	सामग्री की धनराशि
1	ग्राम महेशपुर में मानसिंह के घर से अखिलेश के घर तक सी०सी० निर्माण	26066.00	651653.00
2	राजेपुर मेन रोड से हमीरपुर सोमवंशी सी०सी० के अवशेष भाग में सी०सी० व पुलिया निर्माण	9647.00	241182.00
3	हरिहरपुर झब्बूसिंह की मडइया कडक्का बॉध सोनपाल सिंह के खेत से इमादपुर तक खडण्जा कार्य	40993.00	1024830.00
4	हरिहरपुर झब्बूसिंह की मडइया कडक्का बॉध पर अखिलेश के मकान से सोनपाल सिंह के घर तक सी०सी० कार्य	17465.00	436645.00
5	ग्राम खुटिया में मेन रोड से राधाकृष्ण की दूध डेरी तक मिट्टी एवं खडण्जा कार्य	12298.00	307449.00
	योग	106469.00	

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार ₹0-106469.00 का ट।ज नहीं काटा गया जिससे राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार, श्री शिवकुमार, श्री विपिन कुमार एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार, श्री शिवकुमार, श्री विपिन कुमार एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-37—वर्ष 2015-16 में विधायक निधि से कराये गये निर्माण कार्यों की जांच में पाया गया कि ग्राम बहादुरपुर में सोलिंग व नाली निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली में निविदा आमंत्रित करने का विज्ञापन (समाचार पत्र में प्रकाशित) संलग्न नहीं है। सम्बन्धित फर्मों से जमानत की धनराशि भी जमा नहीं करायी गयी। पत्रावली में संलग्न कोटेशन सम्बन्धित प्रपत्रों पर सामग्री का नाम एवं दर भी अंकित नहीं है।

क्र० सं०	सामग्री प्रदायकर्ता का नाम	स्वीकृत/अस्वीकृत
1	लक्ष्मीशंकर अवस्थी लाल दरवाजा फर्रू०	न्यूनतम/स्वीकृत
2	शिवम् कांस्ट्रक्शन आवास विकास फर्रू०	अधिकतम/अस्वीकृत
3	मै० अवस्थी कांस्ट्रक्शन कम्पनी लालदरवाजा फर्रू०	अधिकतम/अस्वीकृत

बिना दरें अंकित किये प्रपत्रों पर अधिकतम/न्यूनतम, स्वीकृत/अस्वीकृत अंकित किया जाना एवं उन पर खण्ड विकास अधिकारी का हस्ताक्षर होना गम्भीर आपत्तिजनक है। सम्बन्धित मस्ट्रोल पर चेक — ब्दबमससमकके नीचे तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है। उपरोक्त कार्य पर कुल ₹0-219766.00 की सामग्री क्रय की गयी। जो अनियमित रूप से क्रय की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार, श्री शिवकुमार, श्री विपिन कुमार एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार, श्री शिवकुमार, श्री विपिन कुमार एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-38—आलोच्य वर्षों में क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सामग्रियों के क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये गये। टेण्डर फार्मों की बिक्री प्रारूप-385 की रसीद निर्गत किये बिना ही की गयी। टेण्डर फार्मों की बिक्री से होने वाली आय ग्राण्ट रजिस्ट्रों में भी नहीं दर्शायी गयी जबकि यह शासकीय आय है। अतः इसे क्षेत्र पंचायत की आय में दर्शाया जाना चाहिए था वर्ष 2015-16 में विभिन्न योजनाओं से कुल 21 कार्य कराये गये इस प्रकार टेण्डर फार्मों की बिक्री से ₹0-1500.00 (500×3) की दर से कुल ₹0-31500.00 की आय हुई जिसके सापेक्ष मात्र ₹0-13500.00 ही निर्धारित शीर्ष में जमा कराये गये। लेखाकार द्वारा अवगत कराया गया कि शेष 18000.00 क्षेत्र पंचायत के खातों में ही जमा कराया गया है। जो कि अनियमित है। इस प्रकार ₹0-18000.00 को क्षेत्र पंचायत के खातों से निकालकर निर्धारित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार, श्री शिवकुमार, श्री विपिन कुमार एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार, श्री शिवकुमार, श्री विपिन कुमार एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

वर्ष-2016-17

प्रस्तर-39—वर्ष 2016-17 में 13 वॉ वित्त से कराये गये कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि नियमानुसार सामग्री की धनराशि सेट।ज नहीं काटा गया। विवरण निम्नवत् है:—

क्र० सं०	कार्य का नाम	वैट की धनराशि / 4%	सामग्री की धनराशि
1	अमैयापुर में मेन रोड से सुरेश बाल्मीकि के दरवाजे तक सी०सी० व नाली निर्माण	16691.00	417274.00
2	कुम्हारौर के मजरा खुशाली नगला में सुन्दर सिंह की चौपाल से वीरे के घर तक नाली दोनों तरफ	13002.00	325053.00
3	अलीगढ़ में जगदीश के घर से युसुफ पटेल के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	16836.00	420909.00
	योग	46529.00	

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार ₹0-46529.00 का वैट नहीं काटा गया जिससे राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय शर्मा, श्री विपिन कुमार एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय शर्मा, श्री विपिन

कुमार एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

वर्ष-2017-18

प्रस्तर-40-वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजनान्तर्गत 13 लाभार्थियों हेतु रु0-20000.00 की दर से कुल रु0-260000.00 प्राप्त हुये थे जिसमें से आलोच्य वर्ष में 11 लाभार्थियों को रु0-220000.00 का भुगतान कर दिया। शेष रु0-40000.00 अवशेष है जिसे राज्य सरकार को अविलम्ब वापस किया जाना अपेक्षित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-41-वर्ष 2017-18 में 13 वॉ वित्त से कराये गये कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि नियमानुसार सामग्री की धनराशि सेट। जन्ही काटा गया। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	वैट की धनराशि / 4:	सामग्री की धनराशि
1	ग्राम गुडरा में वीरसिंह के घर से तालाब तक नाला निर्माण (कार्य हस्तगत)	25781.00	644534.00
2	ग्राम शेराखार गौटिया में सिंह राज के दरवाजे से महावीर सिंह के दरवाजे तक सी०सी० निर्माण (कार्य हस्तगत)	16764.00	419092.00
3	ग्राम दुर्जनपुरवा में नरौधा रोड से सुधीर यादव के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण (कार्य हस्तगत)	18456.00	461394.00
	योग	61001.00	

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार रु0-61001.00 का वैट नहीं काटा गया जिससे राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय शर्मा, आशीष पात्रा, श्री रामसेवक, श्री कमलेश कुमार एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय शर्मा, आशीष पात्रा, श्री रामसेवक, श्री कमलेश कुमार एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-42-दिनांक 31.03.2018 को इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद में रु0-55179.00 अवशेष दर्शित है। इस सम्बन्ध में आपत्ति यह है कि चूँकि सम्बन्धित योजना विगत वर्षों में समाप्त हो चुकी है। अतः उक्त धनराशि को अविलम्ब सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है। सम्बन्धित धनराशि ए०जी०बी० खाता सं०-00192 में जमा दर्शायी गयी है किन्तु सम्बन्धित पासबुक दिनांक 21.06.2017 तक ही पूर्ण कराकर रखी गयी है। अतः दर्शित अवशेष अपुष्ट रहा। पासबुक पूर्ण कराकर अवशेष की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-कमालगंज-2004-05 से 2006-07 एवं 2011-12 से 2016-17 वर्ष-2004-05

प्रस्तर-43-वर्ष 2004-05 में अनुदान रजिस्टर अनुसार सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत रु0-10067591.00 का व्यय दर्शाया गया है किन्तु संबंधित निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा जिससे गबन की श्रेणी में मानते हुए रु0-10067591.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एम०एल० पटेल एवं श्री कामता प्रसाद से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-44-वर्ष 2004-05 में अनुदान रजिस्टर अनुसार बायोगैस संयंत्र निर्माण योजना के तहत रु0-23515.00 व्यय दर्शाया गया है जो संबंधित पत्रावली/प्रमाणक के अभाव में अपुष्ट रहा प्रमाणकों एवं पत्रावली के अभाव में संबंधित धनराशि को गबन की श्रेणी में मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एम०एल० पटेल एवं श्री कामता प्रसाद से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष-2005-06

प्रस्तर-45-वर्ष 2005-06 में अनुदान रजिस्टर अनुसार 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति (सं०ग्रा०रो०योजना) के तहत रु0-455000.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु संबंधित निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा जिसे गबन की श्रेणी में मानते हुए रु0-455000.00 की ब्याज सहित

वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कामता प्रसाद, श्री रामरतन वर्मा एवं श्री रामशिरोमणि मौर्य से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-46—वर्ष 2005-06 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष रु0-2320133.00 व्यय दर्शित है जो विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु दिखाया गया है संबंधित निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यय अपुष्ट रहा जिसे गबन की श्रेणी में मानते हुए ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कामता प्रसाद, श्री रामरतन वर्मा एवं श्री रामशिरोमणि मौर्य से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-47—वर्ष 2005-06 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत रु0-7724031.00 का व्यय दर्शाया गया है किंतु संबंधित निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा जिसे गबन की श्रेणी में मानते हुये रु0-7724031.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कामता प्रसाद, श्री रामरतन वर्मा एवं श्री रामशिरोमणि मौर्य से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-48—वर्ष 2005-06 में अनुदान रजिस्टर अनुसार बायोगैस संयंत्र निर्माण योजना के तहत रु0-5400.00 व्यय दर्शाया गया है जो संबंधित पत्रावली/प्रमाणक के अभाव में अपुष्ट रहा प्रमाणकों एवं पत्रावली के अभाव में संबंधित धनराशि को गबन की श्रेणी में मानते हुये रु0-5400.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कामता प्रसाद, श्री रामरतन वर्मा एवं श्री रामशिरोमणि मौर्य से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-49—वर्ष 2005-06 में अनुदान रजिस्टर अनुसार रैपिड सर्वे पंचायत योजना के तहत रु0-89600.00 का व्यय दर्शित है जो संबंधित पत्रावली/प्रमाणक के अभाव में अपुष्ट रहा प्रमाणकों एवं पत्रावली के अभाव में संबंधित धनराशि को गबन की श्रेणी में मानते हुये रु0-89600.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कामता प्रसाद, श्री रामरतन वर्मा एवं श्री रामशिरोमणि मौर्य से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष-2006-07

प्रस्तर-50—वर्ष 2006-07 में अनुदान रजिस्टर अनुसार 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति (सं0ग्रा0रो0योजना) के तहत रु0-395000.00 व्यय दर्शाया गया है किंतु संबंधित निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा जिसे गबन की श्रेणी में मानते हुए रु0-395000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार एवं श्री रामशिरोमणि मौर्य से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-51—वर्ष 2006-07 में अनुदान रजिस्टर अनुसार बायोगैस संयंत्र निर्माण योजना के तहत रु0-14300.00 व्यय दर्शाया गया है जो संबंधित पत्रावली/प्रमाणक के अभाव में अपुष्ट रहा प्रमाणकों एवं पत्रावली के अभाव में संबंधित धनराशि को गबन की श्रेणी में मानते हुये रु0-14300.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार एवं श्री रामशिरोमणि मौर्य से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-52—वर्ष 2006-07 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष रु0-92803.00 व्यय दर्शित है जो विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु दिखाया गया है संबंधित निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यय अपुष्ट रहा जिसे गबन की श्रेणी में मानते हुए ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार एवं श्री रामशिरोमणि मौर्य से की जानी अपेक्षित है। वर्ष 2006-07 के वर्क रजिस्टर के आधार पर तैयार की गयी राज्य वित्त आयोग में निम्नांकित कार्यों पर व्यय किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	लागत	सामग्री की धनराशि	श्रमांश
1	विकास खण्ड कार्यालय एवं खण्ड विकास अधिकारी आवास की रंगाई पुताई एवं मरम्मत कार्य	0.504 लाख	34448.00	13491.00
2	ग्राम नसरतपुर में तालाब के किनारे रिटेनिंग वाल निर्माण एवं पुलिया निर्माण	4.45 लाख	336467.00	100486.00
3	ग्राम अजीजलपुर में जुल्फकार खों के मकान से उरमान खों के मकान तक सड़क के दोनों ओर नाली/पुलिया निर्माण	5.726 लाख	47600.00	93734.00
	योग		418515.00	207711.00

प्रस्तर-53—वर्ष 2006-07 में अनुदान रजिस्टर अनुसार सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत रु0-9625443.00 व्यय दर्शित है किन्तु संबंधित निर्माण पत्रावलियां लेखा परीक्षा में नहीं की गई अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा जिसे गबन की श्रेणी में मानते हुये रु0-9625443.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार एवं श्री रामशिरोमणि मोर्य से की जानी अपेक्षित है। वर्ष 2006-07 के वर्क रजिस्टर के आधार पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में निम्नांकित कार्यों पर निम्नवत् व्यय किया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	लागत	सामग्री की धनराशि	श्रमांश
1	फर्रुखाबाद जहानगंज मार्ग पर घटमापुर से करीमगंज तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य	7.49 लाख	—	333500.00
2	निनौरा से महमदपुर अचला तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य	5.86 लाख	—	257984.00
3	विश्व बैंक रोड से कन्झाना तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य	2.874 लाख	—	81200.00
4	घटमापुर करीमगंज मार्ग से उदिनगला तक वाया बहोरना सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य	3.283 लाख	—	146160.00
5	उगरापुर से निनौरा तक सम्पर्क निर्माण कार्य	1.453 लाख	—	59276.00
6	जहानगंज मोहम्मदाबाद सम्पर्क मार्ग से सरैदा तक सम्पर्क निर्माण कार्य	5.73 लाख	—	137808.00
7	अभयपुर नगरिया से गोनसहाय नगला तक सम्पर्क मार्ग	2.22 लाख	42940.00	85354.00
8	बन्थल शाहपुर से अजीजलपुर तक सम्पर्क मार्ग	20.41 लाख	—	390452.00
9	ग्राम निनौरा में डामर रोड से ईदगाह तक सम्पर्क मार्ग	2.125 लाख	121537.00	49728.00
10	कुडरी खेडा से नौसारा तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य	10.26 लाख	505845.00	440356.00
11	ग्राम बन्थल शाहपुर में (मस्जिद के पास) तालाब भराव रिटर्निंग वाल निर्माण कार्य	1.50 लाख	87758.00	23574.00
12	डुंगरपुर से महोई तक से मार्ग निर्माण कार्य	4.74 लाख	—	470194.00
13	बेहटा से बहोरिकपुर मोहम्मदाबाद मार्ग होकर नदी घाट तक सम्पर्क मार्ग	4.74 लाख	—	365168.00
14	श्रृंगीरामपुर मे रामसरन यादव के खेत से निम्मी नगला कोठा तक सम्पर्क मार्ग	3.30 लाख	—	218760.00
15	ग्राम जहांगीरपुर में तालाब का जीर्णोधार	2.56 लाख	2246.00	126904.00
16	रजीपुर श्रृंगीरामपुर प्रा0पाठशाला के सामने सिंह की बगिया से चमन नगरिया तक सम्पर्क मार्ग	2.74 लाख	—	163096.00
17	ग्राम पट्टिया छेदा सिंह में एक तालाब का निर्माण कार्य	1.61 लाख	1610.00	15502.00
18	ग्राम बर्नाखुर्द मे एक तालाब का निर्माण	1.17 लाख	1645.00	71050.00
19	ग्राम कन्धरापुर में एक तालाब का निर्माण कार्य	3.29 लाख	350.50	280140.00
20	ग्राम बिडैल में एक तालाब का निर्माण कार्य	2.72 लाख	1610.00	221154.00
21	ग्राम खुरु नगला (बिडैल) में एक तालाब का निर्माण कार्य	1.78 लाख	700.00	132530.00
22	ग्राम बीबीपुर में एक तालाब का निर्माण कार्य	2.54 लाख	840.00	204856.00
23	ग्राम टडा नगाल (बन्दरखेडा) में एक तालाब का निर्माण कार्य	2.59 लाख	—	215064.00
24	ग्राम अजीजलपुर में एक तालाब निर्माण कार्य	1.005 लाख	1610.00	65134.00
25	ग्राम भडौसा में शरफुद्दीन के मकान से जमालुद्दीन के मकान तक नाला पर पुलिया निर्माण	1.686 लाख	138335.00	26830.00
	योग		907026.00	4581774.00

वर्ष-2011-12

प्रस्तर-54—क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त/तेरहवों वित्त से निम्नांकित कार्य कराए गए (वर्क रजिस्टर अनुसार) किन्तु सम्बन्धित पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा।

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	मजदूरी/श्रमांश
1	माडल शंकरपुर में मन्दिर से तालाब तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण	310558.00	48000.00
2	भडौसा में शकील के घर से वहीद के घर तक सी०सी० व नाली निर्माण	454232.00	46920.00
3	निनौरा में मेन रोड से मस्जिद होता हुआ दिलशाद के घर तक सी०सी० व नाली निर्माण	489301.00	74400.00
4	शरफुद्दीनपुर के बहोरा में कल्लू चौकीदार के घर से दीपसिंह के घर तक सी०सी० व नाली निर्माण	322606.00	48960.00
5	ग्राम अजीजलपुर में मेन रोड से ईदगाह तक सी०सी० निर्माण	666328.00	63360.00
6	मोहनपुर दीनारपुर नई बस्ती में अशफीलाल के घर तक इण्टरलॉक व नाली निर्माण	84598.00	11880.00
7	राजेपुर टप्पामंडल में जावेद के घर से शाक्य नगला तक सी०सी० व नाली निर्माण	395349.00	34980.00
8	गौसपुर में फसीउद्दीन के घर से मेन रोड तक सी०सी० व नाली निर्माण	334922.00	36960.00
9	ग्राम जरारी से जिरऊ मुल्लाजी के घर से जमील नम्बरदार के घर तक सी०सी० निर्माण	383388.00	26280.00
10	टाडा बहरामपुर में पूरन सिंह के मकान से जगदीश सिंह के घर तक सी०सी० निर्माण	271982.00	31620.00
	योग	3713264.00	423360.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार कुल ₹0-4136624.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान से की जाय।

प्रस्तर-55-वर्ष 2011-12 में पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि से प्राप्त धनराशि से निर्माण कार्यो पर ₹0-802211.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु वर्क रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया अतः कराए गए कार्यो का विवरण अप्राप्त रहा। साथ ही सम्बन्धित पत्रावलियों भी उपलब्ध न कराए जाने से दर्शित व्यय भी अपुष्ट रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह चौहान उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान से की जाय।

वर्ष-2012-13

प्रस्तर-56-क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 में वर्क रजिस्टर के अनुसार राज्य वित्त/बारहवों वित्त/तेरहवों वित्त से निम्नांकित कार्य कराए गए किन्तु सम्बन्धित पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	मजदूरी/श्रमांश
1	सिलार चौरा (गगनी) में बादशाह के घर से महेश के घर तक सी०सी० व नाली निर्माण	210224.00	18840.00
2	न्यायामतपुर कुर्मियान में (नरायन गढ़िया) में प्रा० पाठशाला से मस्जिद के तरफ शकील के घर तक सी०सी० व नाली निर्माण	203009.00	18240.00
3	न्यायामतपुर कुर्मियान में (नरायन गढ़िया) में जमील के घर से मस्जिद तक सी०सी० व नाली निर्माण	201901.00	18780.00
4	राजेपुर सराय मेदा में मेनरोड से हाफिज खुशीद के मकान तक इण्टरलॉकिंग ब्रिक का कार्य	622963.00	69190.00
5	नगला दाउद में प्रा० पाठशाला से मस्जिद के आगे तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण	724925.00	86100.00
6	नगला भीखा में मेन रोड स्कूल के पास से अतीक के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण	531423.00	52625.00
7	सिरौज में कैलाश के घर से गोपाल दीक्षित के घर तक सी०सी० निर्माण	414683.00	37020.00
8	फुसवकापुर में मेनरोड से राकेश के घर तक सी०सी० व नाली निर्माण	180414.00	16440.00

9	कुण्डपुरा में सी0सी0 रोड से प्रधान के घर की तरफ सी0सी0 व नाली निर्माण	367243.00	43500.00
10	ताजपुर में मजरा टिलियन में अनार सिंह के घर से रामविलास के हैण्डपम्प तक सी0सी0 व नाली निर्माण	199833.00	18780.00
11	निनौरा श्रृंखलापुर में नरायनपुर गढ़िया निनौरा मार्ग से समीर के घर तक इण्टरलॉकिंग ब्रिक निर्माण	308470.00	44100.00
12	ईसापुर में सी0सी0 रोड से सईद के घर तक इण्टरलॉकिंग ब्रिक निर्माण	44770.00	6240.00
13	ईसापुर में दरगाह से तारिक सेठ के घर तक इण्टरलॉकिंग ब्रिक निर्माण	371912.00	63600.00
14	गौसपुर फसीउददीन के मोड़ से छंगे के घर तक इण्टरलॉकिंग ब्रिक निर्माण	64760.00	6780.00
15	नगरिया में राकेश सिंह के मकान से कश्मीर सिंह के मकान तक सी0सी0 व नाली निर्माण	202240.00	25125.00
16	करीमगंज में मेनरोड से दिलशाद के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण	131370.00	15000.00
17	करीमगंज में मेनरोड से दिलशाद के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण पार्ट-द्वितीय	97907.00	11750.000
18	बहरोनपुर टप्पाहवेली में रामशरन के घर से बृजेश के घर तक इण्टरलॉकिंग व सड़क निर्माण	132533.00	15625.00
19	बहरोनपुर टप्पाहवेली में रामशरन के घर से बृजेश के घर तक इण्टरलॉकिंग व सड़क निर्माण पार्ट-द्वितीय	100847.00	15125.00
20	जलालपुर में अजयपाल के घर से शिवाकान्त के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण	131921.00	15250.00
21	जलालपुर में अजयपाल के घर से शिवाकान्त के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण पार्ट-द्वितीय	137109.00	18500.00
	योग	5380457.00	616610.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार कुल रु0-5997067.00.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान एवं लालाराम गुप्ता से की जाय।

प्रस्तर-57-वर्ष 2012-13 में रु0-80000.00 बायोगैस अनुदान वितरित किया गया दर्शित है किन्तु सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गई। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह चौहान एवं लालाराम गुप्ता उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान एवं लालाराम गुप्ता से की जाय।

प्रस्तर-58-वर्ष 2012-13 में लेखा परीक्षा में पाया गया कि विधायक निधि योजना से प्राप्त धराशि से निर्माण कार्य पर रु0-44110.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु सम्बन्धित वर्क रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने से कार्य का विवरण अज्ञात रहा। सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने से दर्शित व्यय भी अपुष्ट रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह चौहान एवं लालाराम गुप्ता उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान एवं लालाराम गुप्ता से की जाय।

वर्ष-2013-14

प्रस्तर-59-क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2013-14 में वर्क रजिस्टर के अनुसार राज्य वित्त/बारहवों वित्त/तेरहवों वित्त से निम्नांकित कार्य कराए गए किन्तु सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	मजदूरी/श्रमांश
1	मोहनपुर नई बस्ती में हसीन के घर से महमूद अली के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	153688.00	11820.00
2	मोहनपुर में मजीद के घर से मुन्ना बाल्मीकी के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	136576.00	10820.00
3	ऊगरपुर सुल्तानपट्टी में रामसिंह राठौर के घर से डामर रोड की तरफ इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण	297925.00	37480.00

4	गुलरिया में यासीन के घर से मुश्ताक के घर तक इण्टरलॉकिंग सडक व नाली निर्माण	285236.00	36006.00
5	मोहनपुर दीनारपुर नई बस्ती में खडंजे से जाकिर की घर की तरफ इण्टरलॉकिंग सडक निर्माण	244323.00	35160.00
6	मोहनपुर दीनारपुर नई बस्ती में खडंजे से जाकिर की घर की तरफ इण्टरलॉकिंग सडक व नाली निर्माण	243141.00	34876.00
7	बहोरन टप्पा हवेली में गजाली नगला रोड से बाबा ब्रम्हदेव के आश्रम तक सी0सी0 व नाली निर्माण	193574.00	15098.00
8	गदनपुर तुरा के ग्राम अनवोला में दलवीर के घर से नरेन्द्र के घर की तरफ इण्टरलॉकिंग सडक व नाली निर्माण	294872.00	37122.00
9	अनवोला में सतीश के घर से मेनरोड तक व खण्डजा से हैण्डपम्प तक इण्टरलॉकिंग सडक व नाली निर्माण	230413.00	30108.00
10	पत्थौरा में गढ़िया में मो0 यद्यासी के घर से शाने मो0 के घर तक इण्टरलॉकिंग सडक व नाली निर्माण	328932.00	41664.00
11	भडौसा में नवाब के घर से सइया के घर तक इण्टरलॉकिंग सडक व नाली निर्माण	417926.00	62772.00
12	क्षेत्र पंचायत कार्यालय बाउण्ड्रीवाल निर्माण	101012.00	20326.00
13	विकास खण्ड परिसर में इण्टरलॉकिंग अवशेष कार्य	321154.00	42960.00
14	विकास खण्ड कार्यालय में प्रमुख कक्ष का सौन्दर्यीकरण	391471.00	24863.00
15	विकास खण्ड कार्यालय की मरम्मत व टाइल्स कार्य	420522.00	—
16	विकास खण्ड कार्यालय में स्वान केन्द्र का मरम्मत कार्य	78888.00	432.00
17	विकास खण्ड कार्यालय बी0डी0ओ0 कक्ष के साथ शौचालय निर्माण	92094.00	2580.00
18	विकास खण्ड कार्यालय के मुख्य बरामदे की मरम्मत व कार्यालय बिजली फिटिंग कार्य	80151.00	17870.00
19	जरारी में भडौसा रोड से ईदगाह तक सी0सी0 निर्माण	249267.00	41041.00
20	जरारी में भडौसा रोड से कब्रिस्तान तक सी0सी0 निर्माण	151614.00	24024.00
21	शेखपुर रुस्तमपुर में अन्नू मियों के घर से शेखजी की तरफ सी0सी0 व नाली निर्माण	270767.00	60060.00
22	सुल्तानपुर से हाजी नगला रोड होते हुए रजीपुर रोड तक सी0सी0 व नाली निर्माण	488648.00	95434.00
23	भडौसा में अशफाक के घर से नाला तक सी0सी0 व नाली निर्माण	164592.00	11142.00
24	भडौसा में जब्बार के घर से नाला तक सी0सी0 व नाली निर्माण	189340.00	14716.00
25	नगला भीखा में जफरुद्दीन के घर के पीछे से स्कूल तक नाला निर्माण	129551.00	15196.00
26	भटपुरा आजाद नगर में सुनहरी मस्जिद से इकरार के घर तक इण्टरलॉकिंग सडक व नाली निर्माण	278282.00	35800.00
27	भटपुरा में आजाद नगर में जामा मस्जिद से मीर मोहम्मद के घर तक इण्टरलॉकिंग सडक व नाली निर्माण	325318.00	41256.00
28	रैगाई में वकील के घर से मेनरोड मस्जिद तक सी0सी0 व नाली निर्माण भाग—एक	174028.00	28900.00
29	सदरिया में मेन रोड से मस्जिद के तरफ सी0सी0 व नाली निर्माण	404823.00	72908.00
30	निनौरा में रजीपुर उधरनपुर रोड से दुर्विजय के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	287161.00	46298.00
31	अमानाबाद में मेन रोड ग्राम की तरफ से कब्रिस्तान तक सी0सी0 व नाली निर्माण	261619.00	45990.00
32	गुलरिया में हनीफ के घर से नौरंग के घर होते हुए मस्जिद तक सी0सी0 व नाली निर्माण	286611.00	48002.00
33	बहोरनपुर टप्पा हवेली में मेन रोड से पप्पू प्रधान के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	275059.00	11970.00
34	शेखपुर रुस्तमपुर मजरा नगले में मेन रोड से बी0डी0सी चमन के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	112836.00	19882.00
35	उस्मानगंज में रामपाल के घर से खुशीराम के घर तक सी0सी0	132686.00	22872.00

	व नाली निर्माण		
36	जलालपुर में डामर रोड से कछियाना मोहल्ला तक सी0सी0 व नाली निर्माण	233418.00	39816.00
37	ग्राम भोजपुर के ढपलपुर में मेनरोड से मस्जिद तक सी0सी0 व नाली निर्माण	429960.00	80664.00
38	निनौरा में साजिद के घर से शमीम के घर तक इण्टरलॉकिंग सडक व नाली निर्माण	316002.00	38912.00
39	शेखपुर में मखदूमशाह की मजार के सामने चबूतरा निर्माण/इण्टरलॉकिंग	506112.00	67304.00
	योग	9979592.00	1324144.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार कुल रू0-11303736.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी लालाराम गुप्ता एवं हरिचरण राही से की जाय।

प्रस्तर-60-वर्ष 2013-14 में रू0-32000.00 बायोगैस अनुदान वितरित किया गया दर्शित है किन्तु सम्बन्धित पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गई। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार कुल रू0-32000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री लालाराम गुप्ता एवं श्री हरिचरण राही से की जाय।

प्रस्तर-61-वर्ष 2013-14 में बी0पी0एल0 स्थायी सूची पेंटिंग पर व्यय रू0-15000.00 दर्शाया गया है किन्तु सम्बन्धित बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा अतः उपरोक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिचरण राही एवं लालाराम गुप्ता से की जाय।

प्रस्तर-62-वर्ष 2013-14 में पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि से प्राप्त धनराशि से निर्माण कार्यो पर रू0-4265801.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु वर्क रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया अतः कराए गए कार्यो का विवरण अप्राप्त रहा। साथ ही सम्बन्धित पत्रावलियों भी उपलब्ध न कराए जाने से दर्शित व्यय भी अपुष्ट रहा।

इस प्रकार रू0-4265801.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री लालाराम गुप्ता एवं हरिचरण राही से की जाय।

प्रस्तर-63-वर्ष 2013-14 में लेखा परीक्षा में पाया गया कि विधायक निधि योजना से प्राप्त धनराशि से निर्माण कार्यो पर रू0-157433.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु सम्बन्धित वर्क रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने से कार्यो का विवरण अज्ञात रहा। सम्बन्धित पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने से दर्शित व्यय भी अपुष्ट रहा। इस प्रकार रू0-157433.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री लाला राम गुप्ता एवं हरिचरण राही से की जाय।

प्रस्तर-64-वर्ष 2013-14 में स्वच्छ शौचालय प्रचार प्रसार गोष्ठी पर रू0-20120.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु सम्बन्धित बिल/वाउचर तथा पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने से दर्शित व्यय अपुष्ट रहा।

अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिचरण राही एवं लालाराम गुप्ता से की जाय।

वर्ष-2014-15

प्रस्तर-65-क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त से निम्नांकित कार्य कराए गए (वर्क रजिस्टर अनुसार) किन्तु सम्बन्धित पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	मजदूरी/श्रमांश
1	करीमगंज में आफताब के घर से अब्दुल हफीज के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	227042.00	38124.00
2	महरूपुर बीजल के सरवर आलमपुर में रामसरन के घर से जयवीर के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	245704.00	40752.00
3	खुदागंज में मेन रोड से मस्जिद तक सी0सी0 व नाली निर्माण	52265.00	7740.00
4	जरारी में नईम के घर से अख्तर झंसी वाले के घर तक	271075.00	44928.00

	इण्टरलॉकिंग सडक व नाली निर्माण		
5	जरारी में जरारी भडौसा मार्ग पर ईदगाह के सामने चबूतरा निर्माण	954377.00	203592.00
6	जरारी में पहाड बाबा अंसार के खेत से होते हुए कब्रिस्तान तक गॉव के बाहर गुलरिया तक सी0सी0 व नाली निर्माण	481847.00	92832.00
7	भडौसा में मेन रोड से मुन्ने के दरवाजे से होते हुए कब्रिस्तान की तरफ सी0सी0 व नाली निर्माण	297859.00	50832.00
8	ईशापुर में अनवार के घर से गुड़डू के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	140929.00	24930.00
9	श्रृंगीरामपुर के चौपेडा में रामेश्वर के दरवाजे से रामसरन के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	283263.00	47088.00
10	नगला भीखा में रिजवान के स्कूल से दरगाह तक सी0सी0 व नाली निर्माण	190662.00	34668.00
11	महमदपुर अचला के नवादा मेन रोड से कब्रिस्तान के तरफ सी0सी0 व नाली निर्माण	251232.00	44280.00
12	दरौरा के डेरी में मेन रोड से रामपाल के दरवाजे होते हुए रनवीर सिंह के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	254923.00	39528.00
13	श्रृंगीरामपुर के सरैया मजरा में गॉव होते हुए श्रृंगीरामपुर चौराहे तक सी0सी0 व नाली निर्माण	687626.00	123600.00
14	रठौरा नगला नींव में पातीराम के खेत से होते हुए विद्याराम के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	413251.00	66228.00
15	ईशापुर में बशीरुद्दीन के स्कूल से ट्यूबवेल होते हुए मीठापुर सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0 व नाली निर्माण	2999430.00	539964.00
16	ढपलपुर मेन रोड से भोजपुर मेन रोड की तरफ सी0सी0 व नाली निर्माण	509505.00	94700.00
17	रैगाई में वकील के घर से कन्हैयालाल के कोने से होते हुए मस्जिद की तरफ इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण	673384.00	94704.00
18	नसरतपुर में दीन मोहम्मद के घर से नई मस्जिद तक सी0सी0 व नाली निर्माण	263593.00	46932.00
19	भडौसा में वकील के घर से जब्बार के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण	227982.00	37992.00
20	जरारी में दस्तगीर के घर से अन्सार के खेत तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण	542485.00	55444.00
21	जरारी में खलोल के घर से पहाडबाबा तक इण्टरलॉकिंग सडक व नाली निर्माण	843242.00	109152.00
22	शरफाबाद में सलीम के घर से शहनूर के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	299296.00	47598.00
23	नगला अनूप में प्रा0 पाठशाला से ग्राम की तरफ सी0सी0 व नाली निर्माण	435092.00	67908.00
24	सेलर लाइटें	581000.00	—
	योग	12127064.00	1953516.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार कुल ₹0-14080580.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी हरिचरण राही, श्री प्रहलाद सिंह, श्री रामानन्द भार्गव, श्री राजाराम एवं तत्कालीन लेखाकार विनोद कुमार चतुर्वेदी एवं राजेश कुमार से की जाय।

प्रस्तर-66—वर्ष 2014-15 में पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि से प्राप्त धनराशि से निर्माण कार्यो पर ₹0-2984965.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु वर्क रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया अतः कराए गए कार्यो का विवरण अप्राप्त रहा। साथ ही सम्बन्धित पत्रावलियों भी उपलब्ध न कराए जाने से दर्शित व्यय भी अपुष्ट रहा।

इस प्रकार ₹0-2984965.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह, हरिचरण राही, प्रहलाद सिंह, रामानन्द भार्गव, श्री राजाराम एवं तत्कालीन लेखाकार विनोद कुमार चतुर्वेदी एवं राजेश कुमार से की जाय।

प्रस्तर-67—वर्ष 2014-15 में लेखा परीक्षा में पाया गया कि विधायक निधि योजना से प्राप्त धराशि से निर्माण कार्यो पर रु0-157433.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु सम्बन्धित वर्क रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने से कार्यो का विवरण अज्ञात रहा। सम्बन्धित पत्रवालियो लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने से दर्शित व्यय भी अपुष्ट रहा।

इस प्रकार रु0-157433.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिचरण राही, प्रहलाद सिंह रामानन्द भार्गव, श्री राजाराम एवं तत्कालीन लेखाकार विनोद कुमार चतुर्वेदी एवं राजेश कुमार से की जाय।

प्रस्तर-68—वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय पेयजल जागरूकता गोष्ठी पर रु0-50000.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु सम्बन्धित बिल/वाउचर तथा पत्रावली लेखा परीक्षा मे उपलब्ध न कराए जाने से दर्शित व्यय अपुष्ट रहा।

अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिचरण राही, श्री प्रहलाद सिंह, श्री रामानन्द भार्गव, श्री राजाराम तत्कालीन पटल प्रभारी से की जाय।

वर्ष-2015-16

प्रस्तर-69—क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2015-16 में वर्क रजिस्टर के अनुसार राज्य वित्त/तेरहवों वित्त से निम्नांकित कार्य कराए गए किन्तु सम्बन्धित पत्रावलियो लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। विवरण निम्नवत् है:—

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	मजदूरी/श्रमांश
1	अलाउददीनपुर स्कूल के पीछे से रसूलपुर रोड तक सी०सी० व नाली निर्माण	1289668.00	208233.00
2	कनकौली बाग से खुदागंज मेनरोड की तरफ नाला निर्माण	271919.00	27153.00
3	गदनपुर तुरा के मझगवों में मेनरोड से अनन्तराम बी०डी०सी० के घर की तरफ सी०सी० व नाली निर्माण	225886.00	40968.00
4	कतरौली पट्टी में अमर सिंह के दरवाजे से विमल के दरवाजे तक सी०सी० व नाली निर्माण	229013.00	53340.00
5	निनौरा श्रृंखलापुर में भूरे फौजी के दरवाजे से मस्जिद की तरफ सी०सी० व नाली निर्माण	328448.00	52572.00
6	हिसामपुर के नगला डाल में सुग्रीव के घर से लेकर शाहूकार के घर से होते हुए रामफेरे के घर तक सी०सी० व नाली निर्माण	593803.00	107101.00
7	नसरतपुर में चुन्ने के दरवाजे से मस्जिद तक सी०सी० व नाली निर्माण	401051.00	62653.00
8	नसरतपुर में मस्जिद से शमीम के दरवाजे तक सी०सी० व नाली निर्माण	250096.00	42033.00
9	सिरौंज में जहानगंज कमालगंज मेन रोड से जगदीश नारायण दीक्षित के घर तक सी०सी० व नाली निर्माण	414180.00	63966.00
10	जरारी में नायाब के दरवाजे से अली मोहम्मद के दरवाजे तक सी०सी० व नाली निर्माण	264441.00	58591.00
11	अलाउददीनपुर में मेनरोड से बदरुनिशा स्कूल तक सी०सी० व नाली निर्माण	79838.00	15654.00
12	जहानगंज में जहानगंज फरूखाबाद रोड से डा० संजय कटियार के अस्पताल होते हुए गैस गोदाम की तरफ सी०सी० व नाली निर्माण	98754.00	23964.00
13	रुनी चुरसई में नयी बस्ती से तकिया मस्जिद तक सी०सी० व नाली निर्माण	504691.00	82035.00
	योग	4951788.00	838263.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार कुल रु0-5790051.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राजाराम, श्री शिवप्रकाश एवं तत्कालीन लेखाकार विनोद कुमार चतुर्वेदी एवं राजेश कुमार से की जाय।

प्रस्तर-70—वर्ष 2015-16 में पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि से प्राप्त धनराशि से निर्माण कार्यो पर रु0-5273224.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु वर्क रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गया अतः

कराए गए कार्यों का विवरण अप्राप्त रहा। साथ ही सम्बन्धित पत्रावलियों भी उपलब्ध न कराए जाने से दर्शित व्यय भी अपुष्ट रहा।

इस प्रकार रु०-5273224.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजाराम, शिव प्रकाश एवं तत्कालीन लेखाकार विनोद कुमार चतुर्वेदी एवं राजेश कुमार से की जाय।

प्रस्तर-71-वर्ष 2015-16 में लेखा परीक्षा में पाया गया कि विधायक निधि योजना से प्राप्त धराशि से निर्माण कार्यों पर रु०-5729324.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु सम्बन्धित वर्क रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने से कार्यों का विवरण अज्ञात रहा। सम्बन्धित पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने से दर्शित व्यय भी अपुष्ट रहा।

इस प्रकार रु०-5729324.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजाराम, शिवप्रकाश एवं तत्कालीन लेखाकार विनोद कुमार चतुर्वेदी एवं राजेश कुमार से की जाय।

प्रस्तर-72-वर्ष 2015-16 में मनरेगा कांटीजेंसी मद में रु०-1036753.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु सम्बन्धित पत्रावली के अभाव में दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजाराम, शिवप्रकाश एवं तत्कालीन लेखाकार विनोद कुमार चतुर्वेदी एवं राजेश कुमार से की जाय।

प्रस्तर-73-वर्ष 2015-16 में इंदिरा आवास कांटीजेंसी मद में रु०-18690.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु सम्बन्धित पत्रावली के अभाव में दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजाराम, शिव प्रकाश एवं तत्कालीन लेखाकार विनोद कुमार चतुर्वेदी एवं राजेश कुमार से की जाय।

प्रस्तर-74-वर्ष 2015-16 में सोशल ऑडिट मानदेय पर रु०-49000.0 व्यय दर्शाया गया है जो संबंधित पत्रावली के अभाव में अपुष्ट रहा अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवप्रकाश, श्री राजाराम एवं तत्कालीन पटल प्रभारी से की जाय।

प्रस्तर-75-वर्ष 2015-16 में ग्रामीण रोजगार सेवक मानदेय पर रु०-1176865.0 व्यय दर्शाया गया है किन्तु सम्बन्धित बिल/वाउचर तथा पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजाराम, श्री शिवप्रकाश एवं तत्कालीन पटल प्रभारी से की जाय।

वर्ष-2016-17

प्रस्तर-76-क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में वर्क रजिस्टर के अनुसार राज्य वित्त योजना से निम्नांकित कार्य कराए गए किन्तु सम्बन्धित पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	मजदूरी/श्रमांश
1	नसरतपुर में कमलगंज नौगवां सम्पर्क मार्ग से प्रा०पाठशाला होते हुए देवधरापुर सम्पर्क मार्ग तक सी०सी० निर्माण भाग-एक	2092287.00	366792.00
2	नसरतपुर में कमलगंज नौगवां सम्पर्क मार्ग से प्रा०पाठशाला होते हुए देवधरापुर सम्पर्क मार्ग तक सी०सी० निर्माण भाग-दो	2019055.00	354264.00
3	निनौरा में राजेपुर उगरापुर सम्पर्क मार्ग से निनौरा सम्पर्क मार्ग तक सी०सी० व नाली निर्माण	159437.00	23316.00
4	सफीबाद में ईदगाह के चारों तरफ सी०सी० निर्माण	346177.00	71695.00
5	अभिलेखालय का निर्माण	207156.00	22678.00
6	बीबीपुर में कमलगंज जहानगंज रोड से पाल नगला के तालाब तक सी०सी० व नाली निर्माण	479929.00	93133.00
7	रजीपुर में मेन रोड विनोद दीक्षित मेडिकल स्टोर से रजीपुर श्रृंगीरामपुर वाईपास श्रीनिवास के घर तक सी०सी० व नाली निर्माण	366585.00	77727.00
8	गदनपुर तुरा में मुन्ना लाल बाथम के घर से मनोज दुबे के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण	229526.00	53240.00
9	मूसाखिरिया में देवपाल सिंह इण्टर कालेज से मनोज के घर तक सी०सी० निर्माण	428769.00	104270.00

10	भडौसा में न्यामत नगला मेन रोड से मामत नगला तक सी0सी0 निर्माण कार्य	223690.00	—
11	ईशेपुर में नरसिंह के घर से जगपाल के घर तक सी0सी0 निर्माण	357874.00	83781.00
12	महोई में अनूप दीक्षित के घर से सामुदायिक स्वस्थ केन्द्र तक सी0सी0 निर्माण	229841.00	54611.00
	योग	7140326.00	1305507.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार कुल रु0-8445833.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवप्रकाश, श्री संजय वर्मा, श्री रामजी प्रसाद जायसवाल एवं तत्कालीन लेखाकार विनोद कुमार चतुर्वेदी से की जाय।

प्रस्तर-77—वर्ष 2016-17 में लेखा परीक्षा में पाया गया कि विधायक निधि योजना से प्राप्त धराशि से निर्माण कार्य पर रु0-156254.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु सम्बन्धित वर्क रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने से कार्य का विवरण अज्ञात रहा। सम्बन्धित पत्रवालिओं लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने से दर्शित व्यय भी अपुष्ट रहा।

इस प्रकार रु0-156254.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवप्रकाश, संजय वर्मा, रामजी प्रसाद जायसवाल एवं तत्कालीन लेखाकार विनोद कुमार चतुर्वेदी से की जाय।

प्रस्तर-78—वर्ष 2016-17 में मनरेगा कांटीजेंसी मद में रु0-367430.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु सम्बन्धित पत्रावली के अभाव में दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवप्रकाश, संजय वर्मा, रामजी प्रसाद जायसवाल एवं तत्कालीन पटल प्रभारी से की जाय।

प्रस्तर-79—वर्ष 2016-17 में इंदिरा आवास कांटीजेंसी मद में रु0-32932.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु सम्बन्धित पत्रावली के अभाव में दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवप्रकाश, संजय वर्मा, रामजी प्रसाद जायसवाल एवं तत्कालीन लेखाकार विनोद कुमार चतुर्वेदी से की जाय।

प्रस्तर-80—वर्ष 2016-17 में ग्रामीण रोजगार सेवक मानदेय पर रु0-1655400.0 व्यय दर्शाया गया है किन्तु सम्बन्धित बिल/वाउचर तथा पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवप्रकाश, संजय वर्मा, श्री रामजीप्रसाद जायसवाल एवं तत्कालीन पटल प्रभारी से की जाय।

प्रस्तर-81—वर्ष 2016-17 में रैपिड सर्वे में रु0-280000.0 व्यय दर्शाया गया है किन्तु सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवप्रकाश, संजय वर्मा, श्री रामजीप्रसाद जायसवाल एवं तत्कालीन पटल प्रभारी से की जाय।

क्षेत्र पंचायत—शमसाबाद—2010-11 से 2016-17

वर्ष—2010-11

प्रस्तर-82—वर्ष 2010-11 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा विधायक निधि से कतिपय कार्य कराये गये जिनकी पत्रावली में संलग्न प्रमाणको के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सम्बन्धित भुगतान से वेट की धनराशि नहीं काटी गयी जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	वैट जो नहीं काटा गया
1	ग्राम बछलैया में नरवीर के घर से आशाराम के घर तक मिट्टी व खडण्जा कार्य	168388.00	6736.00
2	ग्राम नगला कलार में मिट्टी एवं खण्डजा कार्य एवं पुलिया निर्माण	196805.00	7872.00
3	ग्राम मिल्क सुल्तान में मिट्टी खडण्जा व नाली निर्माण	119587.00	4784.00
4	ग्राम टुडियापुर राम प्रकाश के घर तक पेपर सोलिंग कार्य	486854.00	19474.00
5	ग्राम तुकीपुर में मकसूद के घर से सब्बन खों के घर तक खडण्जा पुलिया से अयूब के घर तक नाली/खडण्जा कार्य	163228.00	6529.00
	योग	1134862.00	45395.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार रु0-45395.00 का वैट नहीं काटा गया जिससे राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0एस0 गौतम एवं लेखाकार श्री जवाहर लाल शाक्य उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0एस0 गौतम एवं लेखाकार श्री जवाहर लाल शाक्य से वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

प्रस्तर-83-वर्ष 2010-11 में पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि से कराये गये कार्य ग्राम गुटैटी में सचिवालय निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि कुल रु0-345969.00 की सामग्री प्रयुक्त की गयी किन्तु इनसे सम्बन्धित भुगतानों पर रु0-13839.00 की वैट कटौती नहीं की गयी जिके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0एस0 गौतम एवं लेखाकार श्री जवाहर लाल शाक्य उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0एस0 गौतम एवं लेखाकार श्री जवाहर लाल शाक्य के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-84-वर्ष 2010-11 में राज्य वित्त योजना से कराये गये कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री से सम्बन्धित भुगतानों से निम्न विवरणानुसार वैट की कटौती नहीं की गयी है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	समग्री की धनराशि	वैट जो नहीं काटा गया
1	ग्राम धमगवाँ में डामर रोड के किनारे तालाब से फरुखाबाद-कायमगंज रोड पर नाला निर्माण	194936.00	7797.00
2	ग्राम बकसुरी में रामऔतार के घर से भोजपाल के घर होते हुए लखमीचन्द के कोल्हू तक मुनीम के घर से बेदराम के घर तक सी0सी0 रोड	354515.00	14180.00
3	ग्राम परतापुर मार्ग से रामस्वरूप सावित्री देवी उ0मा0 परतापुर तक पेपर सोलिंग क्रास निर्माण	66766.00	2671.00
	योग	616217.00	24648.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार रु0-24648.00 का वैट नहीं काटा गया जिससे राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0एस0 गौतम एवं लेखाकार श्री जवाहर लाल शाक्य उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0एस0 गौतम एवं लेखाकार श्री जवाहर लाल शाक्य से वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

वर्ष-2011-12

प्रस्तर-85-वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त योजना से कराये गये कार्य ग्राम महमदपुर मूसेपुर मन्दिर से मुख्य सडक तक खडण्जा व पुलिया निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया कि कुल रु0-491393.00 की सामग्री प्रयुक्त की गयी किन्तु इनसे सम्बन्धित भुगतानों पर रु0-19655.00 की वैट की कटौती नहीं की गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0एस0 गौतम, श्री रामजुगन एवं लेखाकार श्री जवाहर लाल शाक्य उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0एस0 गौतम, श्री रामजुगन एवं लेखाकार श्री जवाहर लाल शाक्य से वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

प्रस्तर-86-वर्ष 2011-12 में पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि से कराये गये कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री से सम्बन्धित भुगतानों से निम्न विवरणानुसार वैट की कटौती नहीं की गयी है-

क्र0सं0	कार्य का नाम	समग्री की धनराशि	वैट जो नहीं काटा गया
1	मुज्जफर पट्टी में (कुइयाधीर में) खडण्जा निर्माण कार्य	302687.00	12107.00
2	दलेलगंज में मुज्जफर पट्टी में खडण्जा निर्माण कार्य	391900.00	15676.00
	योग		27783.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार रु0-27783.00 का वैट नहीं काटा गया जिससे राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0एस0 गौतम, श्री रामजुगन एवं लेखाकार श्री जवाहर लाल शाक्य उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0एस0 गौतम, श्री रामजुगन एवं लेखाकार श्री जवाहर लाल शाक्य से वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

वर्ष-2012-13

प्रस्तर-87-वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त योजना से कराये गये कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री से सम्बन्धित भुगतानों से निम्न विवरणानुसार वैट की कटौती नहीं की गयी है-

क्र०सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	वैट जो नहीं काटा गया
1	ग्राम बेला सराय गजा में संतोषपुर मार्ग से मौनी बाबा मन्दिर तक खडण्जा व पुलिया निर्माण	246992.00	9880.00
2	ग्राम घुमइया रसूलपुर में पक्की सड़क से मास्टर जयसिंह के घर होते हुए प्राइमरी पाठशाला तक मिट्टी, नाली, पुलिया व खडण्जा निर्माण	388550.00	15542.00
3	ग्राम न्यामतपुर भुक्सी बेहटा मार्ग से हाकिमसिंह के खेत से दादूपुर ग्राम की पक्की सड़क तक मिट्टी, खडण्जा पुलिया तथा नाली निर्माण	905577.00	36223.00
4	ग्राम मंझना में सरनाम सिंह इण्टर कालेज से भारत नगर तक मिट्टी, खडण्जा व पुलिया निर्माण	707568.00	28303.00
5	ग्राम सुल्तानपुर में सर्वेन्द्र के घर से मन्दिर तक नाला निर्माण	352304.00	14092.00
6	ग्राम महमदपुर मूसेपुर में नेकराम के घर से जवाहर लाल के घर होते हुए कश्मीर के खेत तक मिट्टी व खडण्जा कार्य	445938.00	17837.00
	योग		121877.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार रू०-121877.00 का वैट नहीं काटा गया जिससे राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्रीश मिश्रा, श्री रामजुगन एवं लेखाकार श्री जवाहर लाल शाक्य उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्रीश मिश्रा, श्री रामजुगन एवं लेखाकार श्री जवाहर लाल शाक्य से वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

प्रस्तर-88-आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.03.2013 को राज्य वित्त योजना में रू०-4000695.00, 12वाँ वित्त योजना में रू०-313038.00 एवं 13वाँ वित्त आयोग में रू०-3023093.00 अवशेष दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान का शत-प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया जिससे क्षेत्र पंचायत को विकास कार्यों का पूर्ण लाभ नहीं मिल सका। अनुदान का शत-प्रतिशत उपभोग अपेक्षित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्रीश मिश्रा उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्रीश मिश्रा के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-89-आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्यों से सम्बन्धित भुगतानों से टी०डी०एस० तो काटा गया है किन्तु किसी भी वर्ष में टी०डी०एस० जमा नहीं किया गया है टी०डी०एस० वर्ष दौरान जमा न करने से दिनांक 31.03.2011 को रू०-68451.00, 31.03.2012 को रू०-115835.00 एवं 31.03.2013 को रू०-159656.00 की धनराशि टी०डी०एस० मद में अवशेष रही। नियमानुसार टी०डी०एस० कटौती के अगले माह की 10 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए। टी०डी०एस० की धनराशि राजकीय कोष में जमा न किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर०एस० गौतम, श्री रामजुगन, श्री ग्रीश मिश्रा एवं लेखाकार श्री जवाहर लाल शाक्य उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर०एस० गौतम, श्री रामजुगन, श्री ग्रीश मिश्रा एवं लेखाकार श्री जवाहर लाल शाक्य के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

वर्ष-2013-14

प्रस्तर-90-वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त से कराये गये कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण समस्त व्यय को गबन की श्रेणी में माना जाता है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्रीश मिश्र, श्री रामनारायन मिश्र, श्री रामजुगन, श्री जनार्दन प्रसाद यादव एवं श्रीमती विमला देवी उत्तरदायी है। कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	मजदूरों की धनराशि
1	ग्राम घुमइया रसूलपुर में बृजनन्दन के घर से स्कूल तक खण्डजा निर्माण।	34456.00	8130.00
2	ग्राम बेहटा के मलू नगला में विनोद से बलराम नाई के घर तक खण्डजा निर्माण।	465690.00	133210.00
3	ग्राम मुरैठी में कश्मीर सिंह व जयबरन के खेत से श्योगराम के खेत तक खण्डजा निर्माण।	414296.00	125125.00
4	ग्राम पपड़ी मिल्किया में मेन रोड के किनारे नाली खण्डजा निर्माण।	78506.00	8245.00
5	ग्राम बरझाला में ब्रम्हसरन से प्रेमचरन तक सी०सी० रोड निर्माण।	239892.00	50600.00
6	ग्राम शंकर नगला में दयाराम के घर से कायमगंज ढाईघाट पक्की सड़क तक मिट्टी खण्डजा पुल निर्माण।	123075.00	119570.00
7	ग्राम कुआंखेडा में आलम खों के घर से होली मैदान में रामभरोसे के फाटक होता हुआ पक्की सड़क निर्माण।	216888.00	100530.00
8	ग्राम सुल्तानगंज खरैटा में हवलदार के घर से श्याम के घर तक नाली खण्डजा निर्माण।	247644.00	59555.00
9	ग्राम सुल्तानगंज खरैटा में तोताराम के घर से मुरली के घर तक नाली खण्डजा निर्माण।	260744.00	29535.00
10	ग्राम सुल्तानगंज खरैटा में दिनेश के घर से आशाराम के घर तक नाली खण्डजा निर्माण।	377047.00	43285.00
11	विकास खण्ड कालोनी में बाँउण्डी बाल निर्माण व खण्डजा कार्य।	232926.00	67330.00
12	कुआं खेड़ा में बाबूराम के घर से अमर सिंह के घर तक नाली व खण्डजा निर्माण।	344271.00	67330.00
	योग	3025375.00	860900.00
	कुल योग (सामग्री+मजदूरी)	3886275.00	

अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्रीश मिश्र, श्री रामनरायन मिश्र, श्री रामजुगन, श्री जनार्दन प्रसाद यादव एवं श्रीमती विमला देवी से की जाय।

प्रस्तर-91-वर्ष 2013-14 में तेहरवाँ वित्त से कराये गये कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण समस्त व्यय को गबन की श्रेणी में माना जाता है, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्रीश मिश्र, श्री रामनरायन मिश्र, श्री रामजुगन, श्री जनार्दन प्रसाद यादव एवं श्रीमती विमला देवी उत्तरदायी है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्रीश मिश्र, श्री रामनरायन मिश्र, श्री रामजुगन, श्री जनार्दन प्रसाद यादव एवं श्रीमती विमला देवी से की जाय। कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	मजदूरों की धनराशि
1	ग्राम पपड़ी मिल्किया में कश्मीर के घर से तालाब होता हुआ श्याम किशोर की दुकान तक नाला खण्डजा निर्माण।	461205.00	82450.00
2	ग्राम सुल्तानगंज खरैटा में नरेश के मकान तक नाली निर्माण।	206967.00	30965.00
3	ग्राम मोहम्मदपुर भूसेपुर में जवाहर लाल के मकान से श्रीकृष्ण के मकान तक नाला निर्माण।	61521.00	63985.00
	योग	1283383.00	1297400.00
	कुल योग (सामग्री+मजदूरी)	1480783.00	

प्रस्तर-92-वर्ष 2013-14 में तेहरवाँ वित्त के द्वारा ग्राम अहमदगंज में अवधेश के घर से विजय जाटव के घर तक नाली निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता मेसर्स अजीत सिंह कांस्ट्रक्शन को निम्न विवरणानुसार वैट व शैश की धनराशि काटे बिना भुगतान कर दिया गया जो कि आर्थिक अनियमितता के साथ-साथ आपत्तिजनक भी है, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्रीश मिश्र, श्री रामनरायन मिश्र, श्री रामजुगन, श्री जनार्दन प्रसाद यादव एवं श्रीमती विमला देवी उत्तरदायी है:-

क्र० सं०	सामग्री की धनराशि	वैट जो जमा किया जाना चाहिये था	शैश जो काटा जाना चाहिये था
1	219752.00	8790.00	2198.00

2	237785.00	9511.00	2378.00
	योग	18301.00	4576.00
	कुल योग (वैट+शैश)	22877.00	

अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्रीश मिश्र, श्री रामनरायन मिश्र, श्री रामजुगन, श्री जनार्दन प्रसाद यादव एवं श्रीमती विमला देवी से की जाय।

प्रस्तर-93—वर्ष 2013-14 में तेहरवों वित्त से कराये गये कार्य ग्राम खुड़िना वैध में मंदिर में तालाब तक नाली निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता मेसर्स अजीत सिंह कांस्ट्रक्शन को किये गये कुल भुगतान से नियमानुसार वैट व शैश की धनराशि नहीं काटा गया, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्रीश मिश्र, श्री रामनरायन मिश्र, श्री रामजुगन, श्री जनार्दन प्रसाद यादव एवं श्रीमती विमला देवी उत्तरदायी है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	सामग्री की धनराशि	वैट जो जमा किया जाना चाहिये था	शैश जो काटा जाना चाहिये था
1	175727.00	7029.00	1757.00
2	65271.00	2611.00	653.00
	योग	9640.00	2410.00
	कुल योग (वैट+शैश)	12050.00	

अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्रीश मिश्र, श्री रामनरायन मिश्र, श्री रामजुगन, श्री जनार्दन प्रसाद यादव एवं श्रीमती विमला देवी से की जाय।

प्रस्तर-94—वर्ष 2013-14 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से कराये गये कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि फर्म को किये गये भुगतान से नियमानुसार वैट नहीं कटाया गया, साथ ही निविदाकर्ताओं से रु०-379969.00 जमानत धनराशि कम जमा करायी गयी जिससे राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्रीश मिश्र, श्री रामनरायन मिश्र, श्री रामजुगन, श्री जनार्दन प्रसाद यादव एवं श्रीमती विमला देवी उत्तरदायी है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	जमानत जो जमा करायी जानी चाहिये थी	जमानत जो जमा करायी गयी	जमानत धनराशि जो कम जमा करायी गयी	समग्री की धनराशि	वैट जो नहीं काटा गया
1	परमनगर में ऑगनवाड़ी केन्द्र निर्माण	4.21	42100.00	7282.00	34818.00	367191.00	14712.00
2	ग्राम चिलसरा में मुन्नू जाटव के घर से टिकूरियन नगला तक मिट्टी खडण्जा कार्य।	12.04	120000.00	16080.00	103920.00	787950.00	3151.00
3	ग्राम समस्तपुर भिखारी में पुस्तकालय भवन निर्माण	3.83	38300.00	6429.00	31871.00	313459.00	12538.00
4	ग्राम रोशनाबाद से बेला सरागजा से ललौर राजपूतान होकर चिल्सरा मार्ग तक मिट्टी खडण्जा कार्य	22.01	220100.00	32200.00	18979.00	1541800.00	61672.00
5	ग्राम इमादपुर घमरई में पुलाई निर्माण	2.71	27100.00	5640.00	21460.00	205107.00	8204.00
	योग				379969.00		128644.00
	कुल योग				508613.00		

अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्रीश मिश्र, श्री रामनरायन मिश्र, श्री रामजुगन, श्री जनार्दन प्रसाद यादव एवं श्रीमती विमला देवी से की जाय।

प्रस्तर-95—आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ब्याज, टी0डी0एस तथा निविदा बिक्री की धनराशियों को नियमतः राजकीय कोष में जमा किया जाना चाहिये था, जो कि न करके राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्रीश मिश्र, श्री रामनरायन मिश्र, श्री रामजुगन, श्री जनार्दन प्रसाद यादव एवं श्रीमती विमला देवी उत्तरदायी है। साथ ही शासन का ध्यान इस ओर विशेष आकृष्ट किया जाता है।

मद	धनराशि
ब्याज	394741.00
टी0डी0एस0	4341.00
निविदा बिक्री	10509.00
योग	409591.00

अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्रीश मिश्र, श्री रामनरायन मिश्र, श्री रामजुगन, श्री जनार्दन प्रसाद यादव एवं श्रीमती विमला देवी से की जाय।

वर्ष-2014-15

प्रस्तर-96—वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त से कराये गये कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि फर्म को किये गये भुगतान से नियमानुसार वैट नहीं काटा गया है, साथ ही जमानत धनराशि भी नियमानुसार जमा नहीं करायी गयी, जो कि गम्भीर आपत्तिजनक है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती विमला देवी, डा0 डी0आर0 विश्वकर्मा, श्री जनार्दन प्रसाद यादव एवं श्री रामानन्द भार्गव उत्तरदायी है। कार्यों का विवरण निम्नवत् है:—

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	जमानत जो जमा करायी जानी चाहिये थी	जमानत जो जमा करायी गयी	जमानत धनराशि जो कम जमा करायी गयी	समग्री की धनराशि	वैट जो नहीं काटा गया
1	विकास खण्ड में बाउण्ड्री बाल, प्लास्टर व मरम्मत कार्य।	9.52	95200.00	16820.00	78380.00	753780.00	30151.00
2	पशु चिकित्सालय रोशनाबाद में बाउण्ड्री बाल, खडण्जा निर्माण कार्य।	9.62	56200.00	9140.00	47062.00	328561.00	13142.00
3	पशु चिकित्सालय फेजबाग में बाउण्ड्री बाल, भवन मरम्मत व रंगार्ड पुतार्ड कार्य।	3.31	33100.00	अप्राप्त	33100.00	361411.00	1456.00
	योग				158540.00		44449.00
	कुल योग				203289.00		

तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती विमला देवी, डा0 डी0आर0 विश्वकर्मा, श्री जनार्दन प्रसाद यादव एवं श्री रामानन्द भार्गव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-97—वर्ष 2014-15 में विधायक निधि से कराये गये कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि फर्म को किये गये भुगतान से नियमानुसार वैट नहीं काटा गया है साथ ही जमानत धनराशि भी नियमानुसार जमा नहीं करायी गयी, जो कि गम्भीर आपत्तिजनक है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती विमला देवी, डा0 डी0आर0 विश्वकर्मा, श्री जनार्दन प्रसाद यादव एवं श्री रामानन्द भार्गव उत्तरदायी है। कार्यों का विवरण निम्नवत् है:—

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	जमानत जो जमा करायी जानी चाहिये थी	जमानत जो जमा करायी गयी	जमानत धनराशि जो कम जमा करायी गयी	समग्री की धनराशि	वैट नहीं काटा गया
1	ग्राम कोहरी नगला में खरैटा दादपुर महेन्द्र सिंह के घर तक सी०सी० नाली निर्माण।	8.13	81300.00	अप्राप्त	81300.00	633046.00	25322.00
2	ग्राम मिल्क सुल्तान में ग्रीश की चौपाल से नाहर सिंह के घर तक मिट्टी खडण्जा कार्य।	5.95	59500.00	8477.00	51023.00	417600.00	16704.00
3	ग्राम भुक्सी में लज्जाराम के घर से मेन रोड तक सी०सी० नाली निर्माण।	5.525	55250.00	8889.00	46361.00	397219.00	15888.00
4	ग्राम दादपुर में राजपाल के घर से बादाम सिंह के घर तक सी०सी० नाली निर्माण।	10.42	104200.00	16598.00	87602.00	824646.00	32986.00
5	ग्राम बेला सरायगजा मार्ग से कैचिया ग्राम तक लेपन कार्य।	10.81	108100.00	16787.00	91313.00	818034.00	32721.00
	योग				357599.00		123621.00
	कुल योग				481220.00		

तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती विमला देवी, डा० डी०आर० विश्वकर्मा, श्री जनार्दन प्रसाद यादव एवं श्री रामानन्द भार्गव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-98—आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ब्याज, टी०डी०एस तथा निविदा बिक्री की धनराशियों को नियमतः राजकीय कोष में जमा किया जाना चाहिये था, जो कि न करके राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती विमला देवी, डा० डी०आर० विश्वकर्मा, श्री जनार्दन प्रसाद यादव एवं श्री रामानन्द भार्गव उत्तरदायी हैं साथ ही शासन का ध्यान इस ओर विशेष आकृष्ट किया जाता है।

मद	धनराशि
ब्याज	833179.00
टी०डी०एस०	191875.00
निविदा बिक्री	27620.00
योग	1052674.00

तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती विमला देवी, डा० डी०आर० विश्वकर्मा, श्री जनार्दन प्रसाद यादव एवं श्री रामानन्द भार्गव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

वर्ष-2015-16

प्रस्तर-99—वर्ष 2015-16 में तेहरवाँ वित्त से कराये गये कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि फर्म को किये गये भुगतान से नियमानुसार वैट नहीं काटा गया है, साथ ही जमानत धनराशि भी नियमानुसार जमा नहीं करायी गयी, जो कि गम्भीर आपत्तिजनक है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामानन्द भार्गव, श्रीमती विमला देवी, एवं डा० विपिन कुमार उत्तरदायी हैं। कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	जमानत जो जमा करायी जानी चाहिये थी	जमानत जो जमा करायी गयी	जमानत धनराशि जो कम जमा करायी गयी	समग्री की धनराशि	वैट जो नहीं काटा गया
1	रोशनाबाद में मॉडल स्कूल के पीछे नाला पर पुलिया व खडण्जा निर्माण।	4.63	46300.00	7169.00	39131.00	351780.00	14071.00
2	रजलामई में ठण्डी कुइयां से शमसाबाद पक्के रोड पर बम्बा व पुलिया निर्माण।	3.11	31100.00	4216.00	26884.00	270620.00	10825.00
3	ग्राम दोषपुर में छोटी गुलरिया में नरेश बाल्मिकी के घर के पर बडी पुलिया रोड दीवार व खडण्जा निर्माण।	24.72	247200.00	49440.00	197760.00	1729518.00	69180.00
	योग				263775.00		94076.00
	कुल योग				357851.00		

जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामानन्द भार्गव, श्रीमती विमला देवी, एवं डा० विपिन कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-100—वर्ष 2015-16 में विधायक निधि से कराये गये कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि फर्म को किये गये भुगतान से नियमानुसार वैट नहीं काटा गया है, साथ ही जमानत धनराशि भी नियमानुसार जमा नहीं करायी गयी, जो कि गम्भीर आपत्तिजनक है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामानन्द भार्गव, श्रीमती विमला देवी, एवं डा० विपिन कुमार उत्तरदायी है। कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	जमानत जो जमा करायी जानी चाहिये थी	जमानत जो जमा करायी गयी	जमानत धनराशि जो कम जमा करायी गयी	समग्री की धनराशि	वैट जो नहीं काटा गया
1	ग्राम नगला कलार में नन्हें लाल के घर से सड़क तक मिट्टी खडण्जा कार्य।	2.59	25900.00	4000.00	21900.00	198586.00	7943.00
2	ग्राम पसियापुर में डामर रोड से राजीव के घर से सी०सी० नाली निर्माण।	3.95	39500.00	6700.00	32800.00	311535.00	12461.00
3	ग्राम दुर्गा नगला में सी०सी० व नाली निर्माण।	3.43	34300.00	7000.00	27300.00	314845.00	12594.00
4	ग्राम पपड़ी में चिल्सरी रोड तिराहे से रामलडैते के घर होते हुये मंदिर तक सी०सी० नाली निर्माण।	8.59	85900.00	14701.00	71199.00	692537.00	27701.00
	योग				153199.00		60699.00
	कुल योग				213898.00		

जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामानन्द भार्गव, श्रीमती विमला देवी, एवं डा० विपिन कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

प्रस्तर-101—वर्ष 2015-16 में विधायक निधि से रोशनाबाद में मॉडल स्कूल के पीछे पुलिया व खडण्जा निर्माण में कुल रुपये 32400.00 की मिट्टी भराव के कार्य का भुगतान चेक सं0-127661 द्वारा किया गया किन्तु 14 रुपये प्रति घन मीटर से मिट्टी की रॉयल्टी नहीं काटी गयी सम्बन्धित प्रमाणकों पर मिट्टी की मात्रा भी अंकित नहीं की गयी। स्टीमेट के अनुसार 567 घन मीटर मिट्टी कार्य होना था इस प्रकार कुल रुपये 7938.00 (567×14) की रॉयल्टी नहीं काटी गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामानन्द भार्गव, श्रीमती विमला देवी, एवं डा0 विपिन कुमार उत्तरदायी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामानन्द भार्गव, श्रीमती विमला देवी, एवं डा0 विपिन कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-102—आलोच्यवर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ब्याज, टी0डी0एस तथा निविदा बिक्री की धनराशियों को नियमतः राजकीय कोष में जमा किया जाना चाहिये था, जो कि न करके राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामानन्द भार्गव, श्रीमती विमला देवी, एवं डा0 विपिन कुमार उत्तरदायी है। साथ ही शासन का ध्यान इस ओर विशेष आकृष्ट किया जाता है।

मद	धनराशि
ब्याज	1181157.00
टी0डी0एस0	4699.00
निविदा बिक्री	32553.00
योग	1218409.00

जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामानन्द भार्गव, श्रीमती विमला देवी, एवं डा0 विपिन कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

वर्ष-2016-17

प्रस्तर-103—वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त से कराये गये कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि फर्म को किये गये भुगतान से नियमानुसार वैट नहीं काटा गया है, साथ ही जमानत धनराशि भी नियमानुसार जमा नहीं करायी गयी, जो कि गम्भीर आपत्तिजनक है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार एवं श्री श्याम नारायण सिंह उत्तरदायी है। कार्यों का विवरण निम्नवत् है:—

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	जमानत जो जमा करायी जानी चाहिये थी	जमानत जो जमा करायी गयी	जमानत धनराशि जो कम जमा करायी गयी	समग्री की धनराशि	वैट जो नहीं काटा गया
1	ग्राम नटवारा में टोको नगला मोड़ से गड़रियन नगला होते हुये शंकर जी के मंदिर तक मिट्टी खडण्जा पुनर्निर्माण।	11.86	18600.00	16475.00	102125.00	821411.00	32856.00
	योग				102125.00		32856.00
	कुल योग				134981.00		

तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार एवं श्री श्याम नारायण सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-104—दिनांक 31.03.2017 को राज्य वित्त की धनराशि रुपये 6843678.00 एवं तेरहवें वित्त की धनराशि रुपये 646072.00 की संकलित धनराशि रुपये 7489750.00 का समुचित प्रयोग न करके उसे वर्षान्त तक अनियमित रूप से रोक कर रखा गया जिससे क्षेत्र पंचायत के विकास कार्य बाधित हुये। अतः यह गम्भीर आर्थिक अनियमितता का परिचायक है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार, श्री श्याम नारायण सिंह उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार एवं श्री श्याम नारायण सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-105—आलोच्यवर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ब्याज, टी0डी0एस तथा निविदा बिक्री की धनराशियों को नियमतः राजकीय कोष में जमा किया जाना चाहिये था, जो कि न करके राजकीय धन का

दुरुपयोग किया गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार एवं श्री श्याम नरायन सिंह उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार एवं श्री श्याम नरायन सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही शासन का ध्यान इस ओर विशेष आकृष्ट किया जाता है।

मद	धनराशि
ब्याज	1402909.00
ण्टी0डी0एस0	28553.00
निविदा बिक्री	48616.00
योग	1480078.00

क्षेत्र पंचायत-मोहम्मदाबाद-2012-13 से 2016-17 वर्ष-2012-13

प्रस्तर-106-वर्ष 2012-13 में बायोगैस संयंत्र निर्माण योजना के तहत रू0-24000.00 का व्यय दर्शित है जो सम्बन्धित पत्रावली के अभाव में अपुष्ट रहा। प्रमाणको एवं पत्रावली के अभाव में सम्बन्धित धनराशि को गबन की श्रेणी में मानते हुये राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाये जाने के कारण खण्ड विकास अधिकारी श्री आदित्य कुमार, श्री रामनरायण मिश्र एवं लेखाकार श्री हरिप्रकाश श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-107-वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष विभिन्न निर्माण कार्यों में रू0-2452291.00 का व्यय हुआ। सम्बन्धित निर्माण पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से दर्शित व्यय अपुष्ट रहा जिसे गबन की श्रेणी में मानते हुये राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाये जाने के कारण खण्ड विकास अधिकारी श्री आदित्य कुमार, श्री रामनरायण मिश्र एवं लेखाकार श्री हरिप्रकाश श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। सम्बन्धित कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	धनराशि
1	ग्राम भटकुसी में मुख्य सड़क से रेलवे क्रासिंग तक जाने वाली सड़क पर मानसिंह के घर पर मिट्टी खडंजा व सड़क निर्माण	1003944.00
2	ग्राम सितवनपुर पिथू मे नन्हें के घर तक मिट्टी खडंजा कार्य	55000.00
3	ग्राम भटकुसी से मुख्य सड़क तक मिट्टी खडंजा कार्य	226310.00
4	ग्राम कान्हेपुर में खडंजा निर्माण कार्य	323400.00
5	भटकुसी ग्राम सभा से मुख्य सड़क तक मिट्टी खडंजा कार्य	843637.00
	योग	2452291.00

वर्ष-2013-14

प्रस्तर-108-वर्ष 2013-14 में बायोगैस संयंत्र निर्माण योजना के तहत रू0-24000.00 का व्यय दर्शित है जो सम्बन्धित पत्रावली के अभाव में अपुष्ट रहा। प्रमाणको एवं पत्रावली के अभाव में सम्बन्धित धनराशि को गबन की श्रेणी में मानते हुये राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाये जाने के कारण खण्ड विकास अधिकारी श्री रामनरायण मिश्र एवं लेखाकार श्री हरिप्रकाश श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-109-वर्ष 2013-14 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से अनुदान पंजिका 2 के अनुसार किये गये कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां अप्राप्त रहने से दर्शित व्यय रू0-790993.00 अपुष्ट रहा। प्रमाणकों एवं पत्रावली के अभाव में सम्बन्धित धनराशि को गबन की श्रेणी में मानते हुये राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाये जाने के कारण खण्ड विकास अधिकारी श्री रामनरायण मिश्र एवं लेखाकार श्री हरिप्रकाश श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। सम्बन्धित कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	धनराशि
1	बबना गुढिना मार्ग से हिलकी नगला होते हुए नया नगला तक मिट्टी व पुलिया निर्माण कार्य	423225.00
2	उपर्युक्त कार्य से सम्बन्धित विज्ञप्ति का प्रकाशन	28768.00
3	राजेन्द्र नगर में स्टेडियम निर्माण हेतु सामग्री की आपूर्ति	33900.00
	योग	790993.00

प्रस्तर-110—वर्ष 2013-14 में विधायक निधि से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष रू0-1033679.00 व्यय किये गये सम्बन्धित समस्त निर्माण कार्य पत्रावलियों लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, जिससे दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणकों एवं पत्रावली के अभाव में सम्बन्धित धनराशि को गबन की श्रेणी में मानते हुये राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाये जाने के कारण खण्ड विकास अधिकारी श्री रामनरायण मिश्र एवं लेखाकार श्री हरिप्रकाश श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। सम्बन्धित कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	धनराशि
1	पी०एस० डिग्री कॉलेज में नाला निर्माण सम्बन्धी सामग्री आपूर्ति	435150.00
2	पमरखिरिया ग्राम में सी०सी० रोड व नाली निर्माण	510679.00
3	संकिसा में नाला निर्माण	87850.00
	योग	1033679.00

प्रस्तर-111—वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष रू0-759591.50 का व्यय दर्शित है। प्रमाणको एवं पत्रावली के अभाव में सम्बन्धित धनराशि को गबन की श्रेणी में मानते हुये राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाये जाने के कारण खण्ड विकास अधिकारी श्री रामनरायण मिश्र एवं लेखाकार श्री हरिप्रकाश श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। सम्बन्धित कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	योजना का नाम	धनराशि
1	मदनपुर मानदाता मार्ग पर संग्राम सिंह के मकान से रामदास के मकान तक खडंजा निर्माण व ईंट आपूर्ति	482077.00
2	मदनपुर मानदाता मार्ग पर वीरेन्द्र सिंह के मकान तक मिट्टी खडंजा नाली निर्माण कार्य श्रमांश का भुगतान	40400.00
3	प्राथमिक विद्यालय देवी नगला से सुधा सिंह के घर तक मिट्टी खडंजा व नाली सामग्री आपूर्ति	237114.50
	योग	759591.50

वर्ष-2014-15-शून्य वर्ष-2015-16-शून्य वर्ष-2016-17

प्रस्तर-112—चतुर्थ राज्य वित्त योजना 2016-17 के अन्तर्गत कराये गये कार्य—जाजपुर गोवा में मुख्य सड़क पर रुखमंगल के मकान से जूनियर हाईस्कूल तक नाला निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में निम्नांकित आपत्तियां पायी गयी—

1. सम्बन्धित पत्रावली में कार्यवाही रजिस्टर का सम्बन्धित कार्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव संलग्न नहीं है। अतः उपर्युक्त कार्य का क्षेत्र पंचायत से प्रस्ताव पारित किया गया या नहीं, की स्थिति अज्ञात रही।
2. उपर्युक्त कार्य से सम्बन्धित कार्य प्रभारी श्री अनुपम बाजपेयी द्वारा दिनांक 02.01.2017 से 25.01.2017 तक हुय कार्य सम्बन्धी दो मस्टर रोलों के आधार पर कुल 24 श्रमिकों को रू0-142875.00 का भुगतान चेक सं०-007907 दिनांक 19.04.2017 के माध्यम से किया गया परन्तु दोनो मस्टर रोलों पर न ही श्रमिकों के हस्ताक्षर है और न ही अँगूठे के निशान है। अतः इस आर्थिक अनियमितता के लिए कार्य प्रभारी श्री अनुपम बाजपेयी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री अतुल कुमार उत्तरदायी है। कार्य प्रभारी श्री अनुपम बाजपेयी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री अतुल कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-113—राज्य वित्त योजना 2016-17 के अन्तर्गत कराये गये कार्य ग्राम करथिया में कृष्ण अवतार के घर से श्रीपाल श्रीवास्तव के दरवाजे तक नाला निर्माण हेतु कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी मोहम्मदाबाद के पत्रांक-748/दिनांक 16.04.2016 के द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी इस हेतु दिनांक 01.02.2017 से 13.02.2017 तक कुल श्रमांश 18500.00 का भुगतान चेक सं०-007911 दिनांक 15.09.2017 द्वारा कार्यप्रभारी श्री अनुपम बाजपेयी द्वारा किया गया। परन्तु सम्बन्धित मस्टर रोलो पर श्रमिकों/मिस्त्रियों के हस्ताक्षर/अँगूठे के निशान अंकित नहीं है। अतः इस आर्थिक अनियमितता के लिए कार्य प्रभारी श्री अनुपम बाजपेयी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री अतुल कुमार उत्तरदायी है। कार्य प्रभारी श्री अनुपम बाजपेयी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री अतुल कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-नवाबगंज-2007-08 से 2017-18 वर्ष-2007-08

प्रस्तर-114 वर्ष 2007-08 में राज्य वित्त के अन्तर्गत ग्राम इजौर में रामस्वरूप के घर से सुखवीर सिंह के मंदिर तक पेवर ब्रिक/सी0सी0 निर्माण हेतु रू0-960401.00 की सामग्री की धनराशि व्यय हुई जिसके संगत रू0-38416.00 का वैट नहीं काटा गया जिससे राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामानन्द भार्गव एवं लेखाकार श्री अवनीश सक्सेना उत्तरदायी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामानन्द भार्गव एवं लेखाकार श्री अवनीश सक्सेना के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

वर्ष-2008-09

प्रस्तर-115 वर्ष 2008-09 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त योजना से कराये गये कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न प्रमाणकों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सम्बन्धित भुगतान से वैट की धनराशि नहीं काटी गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	वैट जो नहीं काटा गया
1	ग्राम तुर्क ललैया में दुर्गेश शाक्य के अस्पताल से खडण्जा तक सी0सी0 नाली निर्माण।	106692.00	4268.00
2	ग्राम नौली में नाहर सिंह के मकान से अजय पाल के मकान तक मिट्टी, नाली व सी0सी0 निर्माण।	460782.00	18431.00
	योग	567474.00	22699.00

उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

प्रस्तर-116 वर्ष 2008-09 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा 12वें वित्त आयोग से कराये गये कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न प्रमाणकों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सम्बन्धित भुगतान से वैट की धनराशि नहीं काटी गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	वैट जो नहीं काटा गया
1	रशीदपुर गाँव से पक्की सड़क तक नाला निर्माण।	130435.00	5217.00
2	ग्राम नगला चम्पत में मुख्य मार्ग के किनारे नाली एवं क्रॉस निर्माण।	131052.50	5242.00
3	ग्राम पंचायत गनीपुर जोगपुर में सीतापुर पाल के मकान के सामने हैण्डपम्प से चौराहे तक नाली व पुलिया निर्माण।	176801.00	7072.00
	योग	438288.50	17531.00

उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

वर्ष-2009-10

प्रस्तर-117 वर्ष 2009-10 में राज्य वित्त आयोग से कराये गये कतिपय कार्य कराये गये जिनकी पत्रावली में संलग्न प्रमाणकों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सम्बन्धित भुगतान से वैट की धनराशि नहीं काटी गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	वैट जो नहीं काटा गया
1	ब्लॉक परिसर में सी0सी0 निर्माण, विकलांग रैम्प एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण।	58538.00	2342.00
2	ग्राम कोकापुर में लाखन बाथम के मकान से मानिक चन्द्र जाटव के मकान तक सी0सी0 निर्माण।	115666.00	4627.00
	योग	174204.00	6969.00

उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

प्रस्तर-118 वर्ष 2009-10 में 12वें वित्त आयोग से कराये गये कार्य ग्राम रशीदपुर से पुलिया तक नाला निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि कुल रू0-229616.00 की सामग्री प्रयुक्त की गयी जिसके सापेक्ष रू0-9185.00 का वैट नहीं काटा गया। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विशम्भर दयाल एवं लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

प्रस्तर-119—वर्ष 2009-10 में विधायक निधि से कराये गये कार्य ग्राम सिरमौरा बांगर में रनवीर सिंह के मकान तक नाली/पेवर ब्रिक सोलिंग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि कुल ₹0-556608.00 की सामग्री प्रयुक्त की गयी जिसके सापेक्ष ₹0-22264.00 की वैट कटौती नहीं की गयी। इससे राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी, इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विशम्भर दयाल एवं लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

वर्ष-2010-11

प्रस्तर-120—वर्ष 2010-11 में 12वें वित्त से कराये गये कतिपय कार्य कराये गये जिनकी पत्रावली में संलग्न प्रमाणों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सम्बन्धित भुगतान से वैट की धनराशि नहीं काटी गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:—

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	वैट जो नहीं काटा गया
1	ग्राम नगला केल में मस्जिद से तालाब तक नाली निर्माण।	205919.00	8237.00
2	ग्राम नगला चम्पत में मुख्य मार्ग पर रामेश्वर के घर से अतर सिंह के मंदिर तक नाली निर्माण।	391668.00	15667.00
	योग	596587.00	23904.00

उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

वर्ष-2011-12

प्रस्तर-121 वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त योजना से कराये गये कतिपय कार्य कराये गये जिनकी पत्रावली में संलग्न प्रमाणों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सम्बन्धित भुगतान से वैट की धनराशि नहीं काटी गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:—

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	वैट जो नहीं काटा गया
1	ग्राम उमरैल से बसईखेडा सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खडण्जा कार्य	872815.00	34912.00
2	ग्राम ब्रम्हपुरी में राकेश के घर करन सिंह के मंदिर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	771408.00	30856.00
	योग	1644223.00	65768.00

उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

प्रस्तर-122—वर्ष 2011-12 में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत किये गये कार्य ग्राम बराबिकू में रामनाथ के घर से तालाब तक नाला निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि इस हेतु ₹0-222051.00 की सामग्री प्रयुक्त की गयी जिसके सापेक्ष ₹0-8888.00 का वैट नहीं काटा गया जिससे राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ए०के० सिंह चंद्रौल, श्री विशम्भर दयाल एवं लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

प्रस्तर-123—दिनांक 31.03.2012 को बायोगैस संयंत्र निर्माण योजना में ₹0-48600.00, राज्य वित्त योजना में ₹0-837013.00, 13वें वित्त में ₹0-1582306.00, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में ₹0-1109640.00 व विधायक निधि में ₹0-381785.00 अवशेष रखा गया। जिससे क्षेत्र पंचायत के विकास कार्य प्रभावित हुये तथा विकास कार्यो को इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल सका। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ए०के० चंद्रौल उत्तरदायी है। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

वर्ष-2012-13

प्रस्तर-124—वर्ष 2012-13 में ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार निम्नांकित व्यय क्षेत्र पंचायत द्वारा किए गए हैं:—

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि
1	बायोगैस संयंत्र अनुदान	40000.00
2	राज्य वित्त योजना	2506174.00
3	तेरहवाँ वित्त योजना	2356425.00
4	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना	1109640.00

5	विधायक निधि	381785.00
	योग	6394024.00

उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, पत्रावली अथवा अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिस कारण उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्ययों की पुष्टि न कराये जाने से उक्त समस्त धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त धनराशि रु०-6394024.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ए०के० सिंह चन्द्रौल एवं श्री रामजुगन भारती एवं तत्कालीन सहायक लेखाकार श्री शिव किशोर रावत से संयुक्त रूप से ब्याजसहित जमा करायी जानी अपेक्षित है।

वर्ष-2013-14

प्रस्तर-125-वर्ष 2013-14 में तेरहवां वित्त योजना के धन में ग्राम पिपरा मोजी से नन्द किशोर के घर सेतालाब तक नाली निर्माण कार्य करना दर्शाया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर रु०-50106.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर रु०-6435.00 कुल रु०-56541 का व्यय किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयी:-

(अ) उक्त कार्य की पत्रावली में स्टीमेट (प्राक्कलन पुस्तिका) संलग्न नहीं पायी गयी। अतः बिना स्टीमेट स्वीकृति के उक्त निर्माण कार्य कराया जाना दर्शाया गया है।

(ब) ग्राम सभा के अंदर नाली निर्माण कराने हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

(स) निर्माण कार्य प्रारम्भ, मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के समय ली गयी फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(द) पत्रावली में जमानत जमा धनराशि की रसीद संलग्न नहीं की गयी है।

(य) पत्रावली में उक्त निर्माण कार्य से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

उक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि नाली निर्माण कार्य कराया ही नहीं गया। मात्र कागजी औपचारिकता कर राजकीय कोष का अपहरण किया गया है। अतः अपहरण की धनराशि रु०-56541.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामजुगन भारती एवं तत्कालीन सहायक लेखाकार श्री शिव किशोर रावत से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल कर जमा करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-126-वर्ष 2013-14 में निम्नांकित विवरण के अनुसार तेरहवां वित्त योजना के धन से निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय की गयी। जिसका भुगतान सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों को किया गया किन्तु सामग्री की कीमत पर आयकर व व्यापार कर की कटौती न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्यप्रभारी का नाम	सामग्री क्रय की धनराशि	आयकर कटौती	व्यापार कर कटौती	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम
1	ग्राम वीरपुर में मजरा कछपुरा में रमेश के घर से सोनपाल के मकान तक नाली निर्माण कार्य	प्रदीप कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी	168463.00	3807.00	6739.00	राजबहादुर सिंह राजकीय ठेकेदार एण्ड सप्लायर नगलादीना फतेहगढ़
2	ग्राम बरतल में रामदास के घर से मेवाराम के घर तक मिट्टी नाली खडण्जा कार्य	प्रदीप कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी	50732.00	1147.00	2029.00	राजबहादुर सिंह राजकीय ठेकेदार एण्ड सप्लायर नगलादीना फतेहगढ़
3	ग्राम ज्योना में बुद्धसेन के घर से विनोद कुमार के घर तक नाली निर्माण	प्रदीप कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी	94168.00	2128.00	3767.00	राजबहादुर सिंह राजकीय ठेकेदार एण्ड सप्लायर नगलादीना फतेहगढ़
	योग			7082.00	12535.00	

(अ) उपरोक्त कार्यों पर सामग्री क्रय की कीमत पर रु०-7082.00 की आयकर की कटौती न कर सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों को रु०-7082.00 से आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है तथा रु०-7082.00 से राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है। अतः रु०-7082.00 की ब्याज सहित वसूली कर धनराशि भारत सरकार को प्रेषित की जानी अपेक्षित है।

(ब) उपरोक्त कार्यों पर सामग्री क्रय की कीमत पर रु०-12535.00 की व्यापार कर की कटौती न कर सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों को रु०-12535.00 से आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है तथा रु०-12535.00 से

राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है अतः रु0-12535.00 की ब्याज सहित वसूली कर धनराशि राज्य सरकार को प्रेषित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-127-वर्ष 2013-14 में तेरहवां वित्त योजना के धन से ग्राम- हादीदादपुर मई में जूनियर हाईस्कूल से लेकर खरूआ नाला तक निर्माण कार्य करना दर्शाया गया है। उक्त कार्य की सामग्री आपूर्ति हेतु राज बहादुर राजकीय ठेकेदार फतेहगढ़ को स्वीकृति दी गयी तथा कार्य प्रभारी श्री प्रदीप कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी को नियुक्त किया गया है। उक्त कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयी -

(अ) निर्माण कार्य पत्रावली में क्रमांक रहित मस्टर रोल संलग्न है। मस्टररोल पर डट क्रमांक अंकित नहीं होने के कारण कार्यवार निर्गत मस्टर रोल की स्थिति अज्ञात रही।

(ब) नाला निर्माण कार्य कराने से पूर्व अवर अभियंता की कार्य स्थल की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गयी जिससे निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व की कार्य स्थल की स्थिति का ज्ञान नहीं हो सका।

(स) ग्राम सभा में नाला निर्माण कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी।

(द) पत्रावली में संलग्न क्रमांक रहित मस्टर रोल पर मजदूरों द्वारा कार्य करना दर्शाया गया है। मस्टर रोल पर दर्शित कुल 149 सृजित मानव दिवसों का भुगतान रु0 29205.00 चेक सं०-628185 द्वारा दिनांक 03.07.2013 को कार्य प्रभारी श्री प्रदीप कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी को किया गया है मस्टर रोल पर मजदूरों द्वारा कार्य करने की अवधि दिनांक 12.06.2013 से 31.06.2013 तक दर्शायी गयी है। जबकि जून माह में 31 तारीख होती ही नहीं है। अतः स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य मस्टर रोल द्वारा कराया ही नहीं गया है।

(य) मस्टर रोल पर दर्शित मजदूरों के नाम एवं भुगतान प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए प्रतीत होते हैं।

(र) नाला निर्माण कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं पूर्ण होने के समय ली गयी फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(ल) निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार व प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि दर्शित नाला निर्माण कार्य कराया ही नहीं गया है मात्र कागजी औपचारिकता कर राजकीय अनुदान का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरण की धनराशि रु0-218226.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम जुगन भारती एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शिव किशोर रावत से ब्याज सहित वसूल कर जमा करायी जानी अपेक्षित है।

वर्ष-2014-15

प्रस्तर-128-वर्ष 2014-15 में निम्नांकित विवरण के अनुसार तेरहवां वित्त योजना के धन से निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय की गयी जिनका भुगतान सामग्री आपूर्ति कर्ता फर्मों को किया गया किन्तु सामग्री की कीमत पर व्यापार कर की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्यप्रभारी का नाम	समग्री क्रय की धनराशि	व्यापार कर कटौती	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम
1	ग्राम परिउली में बघार नाला निर्माण कार्य	ब्रजनन्दन लाल वर्मा ग्राम विकास अधिकारी	585337.00	23413.00	मे० एस०आर० कंस्ट्रक्शन, फतेहगढ़
2	अन्वरा चौराहे से तालाब तक पक्का नाला निर्माण	मोहित कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी	694070.00	27763.00	मे० एस०आर० कंस्ट्रक्शन, फतेहगढ़
3	रमापुर में पक्का नाला निर्माण कार्य	मोहित कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी	488006.00	19520.00	मे० एस०आर० कंस्ट्रक्शन, फतेहगढ़
	योग			70696.00	

इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर सामग्री की कीमत पर रु0-70696.00 की व्यापार कर को कटौती न कर सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को रु०-70696.00 से आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है तथा रु०-70696.00 से राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है। अतः रु0-70696.00 की ब्याज सहित वसूली कर धनराशि राज्य सरकार को प्रेषित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-129-वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम बसन्तापुर में पक्की सड़क से जगदीश घर तक मिट्टी खड़जा निर्माण कार्य हेतु रु0-7.379 लाख की तकनीकी लागत स्वीकृत की गयी। उक्त कार्य की

सामग्री आपूर्ति हेतु मे० एस०आर० कन्स्ट्रक्शन-फतेहगढ़ को स्वीकृति दी गई तथा कार्य प्रभारी श्री आदित्य कुमार ग्राम विकास अधिकारी को नियुक्त किया गया। उक्त कार्य हेतु सामग्री पर रु०-535370.00 तथा मजदूरी पर रु०-199815.00 कुल रु०-735185.00 व्यय किया गया उक्त कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयी

(अ) निर्माण कार्य पत्रावली में क्रमांक रहित मस्टर रोल संलग्न है। पत्रावली में संलग्न तीन मस्टर रोलों पर 44 श्रमिकों (20+20+4=44) द्वारा रु०-165.00 की दर से कुल 1211 सृजित मानव दिवसों का कुल रु०-199815.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। क्रमांक रहित मस्टर रोल होने के कारण कार्यवार निर्गत मस्टर रोलों की स्थिति अज्ञात रही।

(ब) मस्टर रोलों द्वारा कार्य कब से कब तक कराया गया, मस्टर रोलों पर कार्य कराये जानेकी अवधि अंकित नहीं है।

(स) निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न किसी भी मस्टर रोल पर मजदूरों की उपस्थिति अंकितनही है।

(द) मस्टर रोलों पर एक ही व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए प्रतीत होते हैं।

(य) रु०-199815.00 मजदूरी की धनराशि कार्य प्रभारी श्री आदित्य कुमार ग्राम विकास अधिकारी को चेक सं०-000052 द्वारा दिनांक 26.03.2015 को किया गया।

(र) निर्माण कार्य कराने से पूर्व अवर अभियंता की कार्य स्थल की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गयी। जिससे निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व की कार्य स्थल की स्थिति का ज्ञाननहीं हो सका।

(ल) निर्माण कार्य के प्रारंभ, मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के समय ली गयी फोटो पत्रावली मेंसंलग्न नहीं है।

(व) निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार व प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि दर्शित निर्माण कार्य कराया ही नहीं गया। मात्र कागजी औपचारिकता कर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है अतः अपहरण को धनराशि रु०-735185.00 में से रु०-367592.50 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामानन्द भार्गव से एवं रु०-367592.50 तत्कालीन सहायक लेखाकार श्री शिव किशोर रावत से ब्याजसहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-130-वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त योजना के धन से विकास खण्ड कार्यालय परिसर में झाड़ी कटाई व सफाई कार्य कराया गया जिसमें श्री कृपाल सिंह पाल द्वारा ट्रेक्टर न० यू०पी०-760634 से 127.54 घनमीटर मिट्टी पुराई का कार्य किया गया। किन्तु मिट्टी पुराई कार्य पर रु०-14 प्रतिघन मीटर की दर से रु०-1786.00 की रायल्टी की कटौती न करके राजकीय राजस्व को रु०-1786.00 से आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामानन्द भार्गव एवं तत्कालीन सहायक लेखाकार श्री शिव किशोर रावत संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-131-वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त योजना के धन से विकास खण्ड कार्यालय परिसर में झाड़ी कटाई व सफाई कार्य कराये जाने का कार्य प्रभारी श्री विजेन्द्र पाल सिंह सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नियुक्त किया गया। उक्त कार्य में ट्रेक्टर द्वारा रु०-127.54 घन मीटर मिट्टी पुराई का कार्य करना दर्शाया गया है ट्रेक्टर द्वारा मिट्टी पुराई का भुगतान रु०-17345.00 का चेक सं०-004076 द्वारा दिनांक 13.01.2015 को कार्य प्रभारी श्री विजेन्द्रपाल सिंह सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को किया गया है। उक्त से संबंधित निम्नांकित आपत्तियां हैं-

(अ) उक्त कार्य हेतु मिट्टी कहां से लायी गयी अभिलेखों से स्पष्ट नहीं होता है।

(ब) मिट्टी पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति नहीं ली गयी जो अपेक्षित है।

(स) मिट्टी पुराई कार्य ट्रेक्टर सं०-यू०पी०-60634 द्वारा कराया जाना दर्शाया गया है जब कि मिट्टी पुराई कार्य श्रमिकों द्वारा कराया जाना चाहिए।

(द) जिस ट्रेक्टर से मिट्टी लाया जाना दर्शाया गया है उसका कामर्शियल रजिस्ट्रेशन पत्रावलीमें संलग्न नहीं है। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-132-वर्ष 2014-15 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के धन से राममूर्ति के दरवाजे से गनीपुर जाने वाले संपर्क मार्ग पर सी०सी० व नाली निर्माण कार्य हेतु रु०-6.47 लाख की तकनीकी लागत स्वीकृत की गयी। उक्त कार्य की सामग्री आपूर्ति हेतु मे सुनिधि कंस्ट्रक्शन नवदिया फतेहगढ़ को स्वीकृति दी गई तथा कार्य प्रभारी श्री विजेन्द्र पाल सिंह सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नियुक्त किया गया। उक्त

कार्य हेतु सामग्री पर रु०-437818.00 तथा मजदूरी पर रु०-125961.00 कुल रु०-563779.00 व्यय किया गया। उक्त कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयीं—

(1) निर्माण कार्य कराने से पूर्व अवर अभियंता की कार्य स्थल की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गयी। जिससे निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व की कार्य स्थल की स्थिति का ज्ञान नहीं हो सका।

(2) उक्त निर्माणकार्य कराये जाने हेतु दिनांक 26.07.2014 को पत्रांक-637 द्वारा कार्य प्रभारी श्री विजेन्द्र पाल सिंह सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नियुक्त किया गया। किन्तु निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर दिनांक 20.04.2015 से उक्त निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना दर्शाया गया है।

(3) निर्माण कार्य के प्रारंभ, मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के समय ली गयी फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(4) निर्माण कार्य पत्रावली में क्रमांक रहित मस्टर रोल संलग्न है। मस्टर रोल पर 38 श्रमिकों द्वारा दिनांक 20.04.2015 से 04.05.2015 तक कार्य कराया जाना दर्शाया गया है उक्त अवधि में कुल 15 कार्य दिवस होते हैं। किन्तु मस्टर रोल में उक्त अवधि में 16 कार्य दिवसों में उपस्थिति दर्शाकर मस्टर रोल पर कुल मजदूरी के रूप में रु०-95946.00 का भुगतान दर्शाया गया है।

(5) उक्त निर्माण कार्य पर रु०-133.00 प्रति घन मी० की दर से रु०-225.68 घन मी० ट्रेक्टर द्वारा मिट्टी पुराई का कार्य कराया जाना दर्शाया गया है। ट्रेक्टर द्वारा रु०-225.68 घन मी० मिट्टी पुराई कार्य पर रु०-14.00 प्रति घन मी० की दर से रु०-3160.00 की रायल्टी की कटौती न कर राज्य सरकार को राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है मिट्टी पुराई का रु०-30015.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री बिजेन्द्र पाल सिंह सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 10.05.2015 को चेक सं०-006104 द्वारा किया गया है ट्रेक्टर मालिक की भुगतान प्राप्ति की रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(6) मिट्टी कहा से लायी गयी अभिलेखों से स्पष्ट नहीं होता है एवं मिट्टी पुराई हेतु खनन विभाग की स्वीकृति नहीं ली गयी जो अपेक्षित थी।

(7) जिस ट्रेक्टर से उक्त कार्य हेतु मिट्टी लायी गयी उसका कामशियल रजिस्ट्रेशन पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(8) उक्त निर्माण कार्य की सामग्री आपूर्ति करने हेतु फर्म को दिनांक 05.08.2014 को स्वीकृति दी गई। किन्तु में सुनिधि कंस्ट्रक्शन द्वारा दिनांक 17.01.2015 को सामग्री आपूर्ति करना दर्शाया गया है।

(9) फर्म के बिल के अनुसार उक्त निर्माण कार्य हेतु सामग्री दिनांक 17.01.2015 को आपूर्ति की गई पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के अनुसार कार्य 20.04.2015 को प्रारंभ कराया गया। इसप्रकार सामग्री का स्टॉक लेखा भी तैयार नहीं किया गया।

(10) मस्टररोल पर दर्शित भुगतान प्राप्त कर्ताओं के हस्ताक्षर/नि०अगूठा एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए प्रतीत होते हैं।

(11) मस्टर रोल पर दर्शित मजदूरी का कुल भुगतान रु०-95946.00 एवं ट्रेक्टर द्वारा मिट्टी पुराई का भुगतान रु०-30015.00 कुल रु०-125961.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री विजेन्द्र पाल सिंह सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को किया गया।

(12) निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार व प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

(13) निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय पर रु०-437818.00 का भुगतान किया गया किन्तु सामग्री क्रय कीमत पर 4 प्रतिशत की दर से रु०-17513.00 की व्यापार कर कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है।

उक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि दर्शित निर्माण कार्य कराया ही नहीं गया है। मात्र कागजी औपचारिकता कर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है। अतः अपहरण की धनराशि रु०-563779.00 में से रु०-437818.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामानन्द भार्गव एवं तत्कालीन सहायक लेखाकार श्री शिव किशोर रावत से संयुक्त रूप से एवं रु०-125961.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी डा० पुष्प कुमार एवं तत्कालीन सहायक लेखाकार श्री शिव किशोर रावत से संयुक्त रूप से ब्याजसहित वसूल कर जमा कराये जाने अपेक्षित है।

प्रस्तर-133-वर्ष 2014-15 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के धन से बसईखेडा मुख्य मार्ग से प्राथमिक पाठशाला तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य की सामग्री आपूर्ति हेतु मे एस. आर.कंस्ट्रक्शन फतेहगढ़ को स्वीकृत दी गई तथा उक्त निर्माण कार्य का प्रभारी श्री मोहित कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी को नियुक्त किया गया। उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि पत्रावली में संलग्न कार्यदेश पत्रांक: 772 दिनांक 14.08.2014 के क्रमांक 08 पर अंकित रु०-6.00 प्रति घन मी० की दर से पालीथीन की आपूर्ति

की जानी थी। किंतु उक्त कार्य हेतु मे एस०आर० कंस्ट्रक्शन का दिनांक रहित पत्रावली में संलग्न बिल सं०-30 पर रु०-60 प्रति घन मी० की दर से 680.75 मी० आपूर्ति करना दर्शाया गया है। जिसका भुगतान रु० 680.75×60=40845 किया गया। जबकि वर्क आर्डर के अनुसार रु०680.75×6=4085.00 का भुगतान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार उक्त कार्य हेतु पालीथीन खरीद पर रु० 40845-4085=36760.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिसके नए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामानन्द भार्गव एवं तत्कालीन सहायक लेखाकार शिव किशोर रावत उत्तरदायी है।

अतः निर्माण कार्य हेतु पालीथीन खरीद पर अधिक भुगतान की गयी धनराशि में से रु०-18380.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामानन्द भार्गव से एवं रु०-18380.00 तत्कालीन सहायक लेखाकार श्री शिव किशोर रावत से ब्याजसहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-134-दिनांक 31.03.2015 को निम्नांकित विवरण के अनुसार अनुदान शेष दर्शाया गया है।

क्र०सं०	योजना का नाम	31.03.2015 को शेष धनराशि
1	बायोगैस संयंत्र अनुदान	16600.00
2	राज्य वित्त आयोग	17061.00
3	तेरहवाँ वित्त आयोग	3299475.00
4	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	3006333.00
5	विधायक निधि	526635.00
	योग	6866104.00

ज्ञातव्य है कि राज्य वित्त आयोग अनुदान, तेरहवाँ वित्त आयोग अनुदान, बायोगैस संयंत्र अनुदान पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि एवं विधायक निधि अनुदान का आवंटन क्षेत्र पंचायत के परिक्षेत्र में विकास कार्यों को कराने, राजकीय संपत्तियों के सृजन करने व राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में तेजी लाने हेतु किया जाता है किन्तु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों श्री ए०के० सिंह चन्द्रौल, श्री रामजुगन भारती, डा० डी०आर० विश्वकर्मा, डा० पुष्प कुमार, श्रीमती विमला देवी, श्री रामानन्द भार्गव, एवं तत्कालीन सहायक लेखाकार श्री शिव किशोर रावत द्वारा अनुदान का समय से उपभोग न कर राष्ट्र निर्माण में अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है। अतः उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों एवं तत्कालीन सहायक लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

वर्ष-2015-16

प्रस्तर-135-वर्ष 2015-16 में निम्नांकित विवरण के अनुसार राज्य वित्त योजना के धन से निर्माण कार्यों हेतु सामग्री क्रय की गयी जिनका भुगतान सामग्री आपूर्ति कर्ता फर्मों को किया गया किन्तु सामग्री की कीमत पर व्यापार कर की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्यप्रभारी का नाम	सामग्री क्रय की धनराशि	व्यापार कर कटौती	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम
1	ग्राम नगला केल के रसीदपुर में नाली एवं सी०सी० निर्माण कार्य	विजेन्द्र पाल सिंह ग्राम विकास अधिकारी (पंचायत)	292081.00	11683.00	मे० एस०आर० कंस्ट्रक्शन, फतेहगढ़
2	ग्राम पंचायत पिलखना के मजरा ब्रम्हपुरी में मुशीलाल के घर से शिव सिंह के घर तक सी०सी० नाली निर्माण	विजेन्द्र पाल सिंह ग्राम विकास अधिकारी (पंचायत)	609067.00	24363.00	मे० एस०आर० कंस्ट्रक्शन, फतेहगढ़
3	विकास खण्ड कार्यालय एवं मकानों की रंगाई पुताई।	विजेन्द्र पाल सिंह ग्राम विकास अधिकारी (पंचायत)	107133.00	4285.00	मे० एस०आर० कंस्ट्रक्शन, फतेहगढ़
	योग			40331.00	

इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर सामग्री की कीमत पर रु०-40331.00 की व्यापार कर को कटौती न कर सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को रु०-40331.00 से आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है तथा रु०-40331.00 से राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है। अतः रु०-40331.00 की ब्याज सहित वसूली कर धनराशि राज्य सरकार को प्रेषित की जानी अपेक्षित है।

वर्ष-2017-18

प्रस्तर-136—दिनांक 31.03.2018 को निम्नांकित विवरण के अनुसार अनुदान शेष दर्शाया गया है।

क्र०सं०	योजना का नाम	31.03.2018 को शेष धनराशि
1	बायोगैस संयंत्र अनुदान	600.00
2	राज्य वित्त आयोग	13014021.00
3	तेरहवाँ वित्त आयोग	1904901.00
4	विधायक निधि	964473.00
5	सामूहिक विवाह योजना	60000.00
	योग	15943995.00

ज्ञातव्य है कि राज्य वित्त आयोग अनुदान, तेरहवाँ वित्त आयोग अनुदान, बायोगैस संयंत्र अनुदान एवं विधायक निधि अनुदान का आवंटन क्षेत्र पंचायत के परिक्षेत्र में विकास कार्यों को कराने, राजकीय संपत्तियों के सृजन करने व राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में तेजी लाने हेतु किया जाता है किन्तु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों एवं तत्कालीन सहायक लेखाकार द्वारा अनुदान का समय से उपभोग न कर राष्ट्र निर्माण में अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है। अतः उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों एवं तत्कालीन सहायक लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

जनपद कन्नौज

मण्डल कानपुर

जनपद कन्नौज की क्षेत्र पंचायतों में अधिभार योग्य पायी गई आपत्तियों का विवरण

क्षेत्र पंचायत सौरिख (वर्ष 2011-12 से 2013-14)

प्रस्तर 1. आलोच्य वर्षों में संस्था द्वारा विभिन्न मदों में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शाये गये हैं:—

वर्ष	मद का विवरण	व्यय की धनराशि
2011-12	कार्यालय मरम्मत	1799.00
	खण्ड विकास अधिकारी आवास मरम्मत	7668.00
	प्रशासनिक मद	549.00
	पंचायत चुनाव	848.00
योग		10864.00

उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि उक्त अनुदान का काल्पनिक व्यय दर्शाया गया है। अतः काल्पनिक दर्शित व्यय रु० 10864.00 तत्कालीन लेखाकार श्री विनय कुमार मिश्रा एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अतः रु० 10864.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय तथा तत्कालीन लेखाकार श्री विनय कुमार मिश्रा से ब्याज सहित जमा कराया जाये एवं राजकीय धन के अपहरण के लिये उनके विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करायी जाये।

(मूल आपत्ति सं० 1)

प्रस्तर 2. आलोच्य वर्षों में बायोगैस योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान का निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है:—

वर्ष	व्यय की धनराशि
2011-12	33000.00
2013-14	16000.00
योग	49000.00

उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई लाभार्थी सूची, पत्रावली अथवा अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि उक्त अनुदान का काल्पनिक व्यय दर्शाया गया है। अतः काल्पनिक दर्शित व्यय रु० 49000.00 में से रु० 16500.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती शीला देवी से रु० 8000.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ए०के० सिंह से तथा रु० 24500.00 तत्कालीन लेखाकार श्री विनय कुमार मिश्रा से ब्याज सहित जमा कराया जाये एवं राजकीय धन के अपहरण के लिये उनके विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करायी जाये।

(मूल आपत्ति सं0 2)

प्रस्तर 3. आलोच्य वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार हैंडपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाये गये हैं:-

क्रमांक	वर्ष	उत्तरदायी व्यक्ति	धनराशि
1	11-12	श्री सतीश कुमार पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी, श्री विनय कुमार मिश्रा, लेखाकार	82500.00
2	13-14	श्री ए0के0 सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, श्री विनय कुमार मिश्रा, लेखाकार	20015.00
योग			102515.00

क्रमांक (1) की धनराशि वि0ख0 की 55 ग्राम पंचायतों को रू0 1500.00 प्रति ग्राम पंचायत की दर से वितरित किया जाना अनुदान पंजी में दर्शित है। इससे सम्बंधित कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है। जिससे स्पष्ट न हो सका कि धनराशि किन-किन ग्राम पंचायतों को वितरित की गयी। धनराशि नकद दी गयी अथवा चेक द्वारा यह भी स्पष्ट न हो सका। अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जाती है। व्यय की पुष्टि करायी जाये पुष्टि न हो पाने की दशा में रू0 82500.00 में से 41250.00 तत्कालीन ख0वि0 अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय से तथा रू0 41250.00 तत्कालीन लेखाकार श्री विनय कुमार मिश्रा से ब्याज सहित जमा कराया जाये।

क्रमांक (2) की धनराशि की पुष्टि में कोई प्रमाणक, पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे दर्शित व्यय काल्पनिक प्रतीत हुआ। अतः काल्पनिक दर्शित व्यय रू0 20015.00 में से रू0 10008.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ए0के0 सिंह से तथा रू0 10007.00 तत्कालीन लेखाकार श्री विनय कुमार मिश्रा से ब्याज सहित जमा कराया जाये।

(मूल आपत्ति सं0 3)

प्रस्तर 4. वर्ष 2011-12 में आदर्श जलाशय योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान खाते पर अर्जित ब्याज रू0 9686.00 व्यय किया जाना अनुदान पंजी में दर्शित है। इस व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक अथवा पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे स्पष्ट है कि यह व्यय काल्पनिक दर्शाया गया है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अनुदान खाते पर अर्जित ब्याज राजकीय कोष में जमा किया जाना चाहिए।

अतः उक्त अनियमित व काल्पनिक दर्शित व्यय रू0 9686.00 में से रू0 4843.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय तथा रू0 4843.00 तत्कालीन लेखाकार श्री विनय कुमार मिश्रा से ब्याज सहित जमा कराया जाये।

(मूल आपत्ति सं0 4)

प्रस्तर 5. आलोच्य वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार संस्था द्वारा अनुदान खातों में ब्याज अर्जित किया गया है:-

क्रमांक	खाता विवरण	अर्जित ब्याज
1	विधायक निधि खाता	1759.00
2	सांसद निधि खाता	53046.00
3	इंदिरा आवास खाता	2316.00
4	आदर्श जलाशय योजना खाता	64199.00
5	तेरहवाँ वित्त खाता	8593.00
6	राज्य वित्त खाता	274961.00
7	क्षेत्र निधि खाता	10540.00
योग		415414.00

शासनादेश सं ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त अनुदान को बैंक में रखकर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर केन्द्र/राज्य सरकार की आय होगी और इस आय को उसी वित्तीय वर्ष में राजकोष में जमा किया जाएगा।

(मूल आपत्ति सं0 5)

प्रस्तर 6. वर्ष 2013-14 में अनुदान पंजी में रू0 8495087.00 के व्यय दर्शाये गये है उक्त दर्शित व्ययों के सापेक्ष प्रिया सॉफ्ट में मात्र रू0 336929.00 के व्यय ही फीड कराये गये है अर्थात रू0 3158158.00 के व्यय प्रिया साफ्ट में फीड नहीं कराये गये हैं। स्पष्ट है कि रू0 3158158.00 के काल्पनिक व्यय दर्शाये गये हैं।

इस व्ययों के काल्पनिक होने की पुष्टि इस बात से भी होती है कि इन व्ययों की पुष्टि में संस्था द्वारा कोई पत्रावली अथवा अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः काल्पनिक दर्शित व्यय रु० 3158158.00 में से रु० 1579079.00 तत्कालीन लेखाकार श्री विनय कुमार मिश्रा से रु० 1579079.00 तत्कालीन ख०वि० अधिकारी श्री ए०के० सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाये एवं राजकीय धन के अपहरण के लिये उनके विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाये।

(मूल आपत्ति सं० 6)

प्रस्तर 7. आलोच्य वर्षों में राज्य वित्त अनुदान खाता में वर्षान्त में बैंक व अनुदान पंजी के अवशेष में निम्न अन्तर विद्यमान रहा:-

क्रमांक	दिनांक	बैंक के अनुसार	अनुदान पंजी	अन्तर
1	31.03.2012	2093358.00	2090358.00	3000.00
2	31.03.2013	4816853.00	4463811.00	353042.00
3	31.03.2014	13643479.00	9315758.00	4327721.00

उक्त अन्तरों के संबंध में बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं किये गये हैं बैंक समाधान विवरण तैयार कर उक्त अन्तरों का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 8)

प्रस्तर 8. आलोच्य वर्षों के अंत में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान निम्न विवरण के अनुसार उपभोग हेतु शेष रहा:-

दिनांक	अवशेष अनुदान
31.03.2012	2048290.00
31.03.2013	4295913.00
31.03.2014	9040797.00
योग	15385000.00

ज्ञातव्य है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा क्षेत्र पंचायतों को अनुदान का आबंटन क्षेत्र पंचायत के परिक्षेत्र में विकास कार्य कराने राजकीय संपत्तियों के सृजन करने व राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में तेजी लाने हेतु किया जाता है किन्तु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अनुदान का समय से उपभोग न कर राष्ट्र निर्माण में अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है। अतः ऐसे खण्ड विकास अधिकारियों के विरुद्ध ठोस अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मूल आपत्ति सं० 9)

2. क्षेत्र पंचायत सौरिख (वर्ष 2014-15 से 2016-17)

प्रस्तर 9. आलोच्य वर्षों में संस्था द्वारा विभिन्न मदों में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शाये गये हैं:-

वर्ष	मद का विवरण	व्यय की धनराशि
2014-15	बायोगोस	15000.00
2015-16	राजीव गाँधी ऊर्जा योजना	3000.00
	इन्दिरा आवास	10000.00
	आदर्श जलाशय योजना	418935.00
	खेलकूद	30000.00
	गोदाम भण्डार किराया	37264.00
	टेण्डर बिक्री की आय	25000.00
योग		539199.00

उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, पत्रावली अथवा अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा में माँगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। स्पष्ट है कि उक्त प्रमाण रहित व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः अपहरण की राशि रु० 539199.00 में से रु० 269599.50 तत्कालीन लेखाकार श्री विनय कुमार मिश्रा से तथा रु० 7500.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रवीन्द्रनाथ सिंह से तथा रु० 262099.50 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देव कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाय साथ ही राजकीय धन के अपहरण के आरोप में उक्त के विरुद्ध भा०दं०सं० धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाये।

(मूल आपत्ति सं० 1)

प्रस्तर 10. आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के अनुसार खातों पर अर्जित व्याज का उपभोग दर्शाया गया है:-

वर्ष	मद का विवरण	व्यय की धनराशि
2015-16	इन्दिरा आवास योजना ब्याज	11705.00
	आदर्श जलाशय योजना ब्याज	102599.00
	क्षेत्र निधि ब्याज	15006.00
योग		129310.00

उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, पत्रावली अथवा अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा में माँगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। स्पष्ट है कि उक्त प्रमाण रहित व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या- ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या- 10/2019/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त अनुदान, संस्था की आय न होकर राजकीय आय मानी जायेगी तथा इस आय को उसी वित्तीय वर्ष में राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जायेगा। इस प्रकार उक्त अर्जित ब्याज का अनियमित एवं प्रमाण रहित व्यय दर्शाने के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है अतः अपहरण की राशि रु0 129310.00 में से रु0 64655.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रवीन्द्रनाथ सिंह, श्री इन्द्रपाल, श्री देवकुमार से तथा रु0 64655.00 तत्कालीन लेखाकार श्री विनयकुमार मिश्रा से ब्याज सहित वसूलकर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाये।

(मूल आपत्ति सं0 2)

प्रस्तर 11. वर्ष 2016-17 में निम्न विवरण के अनुसार राजकीय अनुदान का निर्माण कार्यों में उपभोग दर्शाया गया है:-

क्रमांक	योजना का नाम	व्यय की धनराशि
1	तेरहवाँ वित्त आयोग	337749.00
2	राज्य वित्त आयोग	3723911.00
3	विधायक निधि	117796.00
4	सांसद निधि	496689.00
5	चौदहवाँ वित्त आयोग	1171462.00
योग		5847607.00

वर्ष 2016-17 की कोई भी निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में पत्रावली माँगे जाने पर लेखाकार श्री विनय कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि पत्रावलियाँ अभी अपूर्ण हैं पूर्ण कर बाद में दिखा दी जायेगी। स्पष्ट है कि निर्माण कार्यों पर दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि में संस्था के पास पर्याप्त प्रमाण नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त व्ययों को प्रमाणित नहीं किया जाता है अतः प्रमाण रहित व्यय की धनराशि रु0 5847607.00 में से रु0 2923803.50 तत्कालीन लेखाकार श्री विनय कुमार मिश्रा तथा रु0 2923803.50 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवकुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाये, साथ ही राजकीय धन के गबन के लिए उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 409 के तहत पुलिस में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाये। उल्लेखनीय है कि 2016-17 में प्रियासॉफ्ट में कोई भी व्यय फीड नहीं कराया गया जिससे भी स्पष्ट होता है कि व्यय काल्पनिक खारिज किये गये हैं।

(मूल आपत्ति सं0 3)

प्रस्तर 12. ग्रांट रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2015-16 में रु0 7056626.00 व्यय किया गया है किन्तु प्रियासॉफ्ट में रु0 4411792.00 का व्यय ही फीड कराया गया है इस प्रकार रु0 2644834.00 व्यय के काल्पनिक होने से इंकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह राशि प्रियासॉफ्ट में फीड नहीं करायी गयी है। तदनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 4)

प्रस्तर 13. वर्ष 2015-16 में ग्राम लालपुर में लालसिंह के मकान से बलसटर के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य का प्राकलन रु0 1111900.00 दिनांक 15.1.2015 को अधिशाषी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विकास प्रखण्ड कन्नौज द्वारा स्वीकृत किया गया एवं दिनांक 16.1.2015 की खण्ड विकास अधिकारी सौरिख द्वारा अपने पत्र संख्या 1734 द्वारा श्री जय प्रकाश ग्राम विकास अधिकारी को कार्यालय आदेश जारी किया गया। इस कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी हैं:-

क. निर्माण कार्यस्थल की स्टीमेट तैयार करने से पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं है जिससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य स्थल पर पूर्व में कोई निर्माण कार्य था अथवा नहीं।

- ख. कार्यस्थल पर जनपद की अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा लोक निर्माण विभाग, जिला पंचायत, समाज कल्याण विभाग आदि द्वारा विगत पाँच वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- ग. निर्माण कार्य हेतु सामग्री की आपूर्ति दिनांक 5.05.2015 को प्राप्त कर ली गयी जिसमें 600 बोरी सीमेन्ट, महीन बालू, मोरंग, गिट्टी, आदि शामिल थी। पुनः बिना कार्य प्रारम्भ हुए ही दिनांक 07.09.2015 को 184 बोरी सीमेन्ट सहित अन्य सामग्री की आपूर्ति प्राप्त कर ली गयी।
- घ. निर्माण कार्य 1 दिसम्बर 2015 से 24 मार्च 2016 तक (मस्टररोल में दर्शित) कराया गया है। इस प्रकार सामग्री आपूर्ति इतना पूर्व लिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं रहा। सीमेन्ट 6 माह बाद उपयोग योग्य नहीं रहती है। इस प्रकार कालातीत सीमेन्ट का निर्माण कार्य में उपयोग किया गया है अर्थात् अधोमानक निर्माण कार्य कराया गया है।
- च. पत्रावली में कार्यस्थल की निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, मध्य व पूर्ण होने के बाद की फोटो संलग्न नहीं है।
- छ. पत्रावली में सक्षम अधिकारी का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य अधोमानक व संदिग्ध रहा। अतः अधोमानक व संदिग्ध कार्य पर दर्शित व्यय रु० 974416.00 में से रु० 221469.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र नाथ सिंह से रु० 48440.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री इन्द्रपाल से रु० 54896.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवकुमार, रु० 324805.00 तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री सत्यप्रकाश से तथा रु० 324805.00 कार्यप्रभारी श्री जय प्रकाश (ग्राम विकास अधिकारी) से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं० 5)

प्रस्तर 14. ग्राम कायमपुर में वेयरहाऊस से बम्बा तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य का रु० 2085800.00 का स्टीमेट दिनांक 27.07.2015 को अधिशाषी अभिन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड कन्नौज द्वारा स्वीकृत किया गया एवं दिनांक 31.08.2015 को खण्ड विकास अधिकारी सौरिख द्वारा अपने पत्र संख्या 656 द्वारा श्री प्रेमचन्द्र आर्य (ग्राम पंचायत अधिकारी) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया। इस कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी है—

- क. निर्माण कार्यस्थल की स्टीमेट तैयार करने से पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं है जिससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य स्थल पर पूर्व में कोई निर्माण कार्य था अथवा नहीं।
- ख. कार्यस्थल पर जनपद की अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा लोक निर्माण विभाग, जिला पंचायत, समाज कल्याण विभाग आदि द्वारा विगत पाँच वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- ग. स्वीकृत टेण्डर के अनुसार दिनांक 02.09.2015 को मेसर्स शिद्दीकी टेडर्स विधूना रोड सौरिख, कन्नौज को सामग्री आपूर्ति हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री इन्द्रपाल द्वारा आदेश जारी किया गया तथा निम्न विवरण के अनुसार सामग्री आपूर्ति प्राप्त भी कर ली गयी :-

दिनांक	सामग्री का विवरण	धनराशि
15.09.2015	सीमेन्ट, मोरंग, गिट्टी आदि	114346.00
10.12.2015	60 घन मी० पत्थर खरीदा	105780.00
28.01.2016	सीमेन्ट, मोरंग, गिट्टी आदि	918435.00
योग		1138561.00

उक्त धनराशि को फर्म को दे दिया गया।

- घ. मस्टररोलो के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 01.05.2017 से प्रारम्भ होकर 30.6.2017 को समाप्त हुआ। इस प्रकार क्रमांक 3 में दर्शित सामग्री का इतना पूर्व में क्रय किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं रहा। क्रय की गयी सीमेन्ट कालातीत होने के बाद उपयोग की गयी। कार्य स्थल पर सामग्री के सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गयी, पत्रावली से स्पष्ट नहीं हो सका।
- च. पत्रावली में कार्य स्थल की निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, मध्य व कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो संलग्न नहीं है।
- छ. पत्रावली में सक्षम अधिकारी का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य अधोमानक व संदिग्ध रहा। अतः अधोमानक व संदिग्ध कार्य पर दर्शित व्यय रु० 1606123.00 से रु० 38115.00 खण्ड विकास अधिकारी श्री इन्द्र पाल सिंह से रु० 497259.00 खण्ड विकास

अधिकारी से तथा रु. 535374.00 कार्य प्रभारी श्री प्रेमचन्द्र आर्य से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं० 6)

प्रस्तर 15. वर्ष 2015-16 में निम्न सीसी रोड व नाली निर्माण कार्यों में कालातीत सीमेन्ट का प्रयोग किया गया है:-

क्रमांक	कार्य का नाम	व्यय धनराशि	सीमेन्ट तिथि	आपूर्ति तिथि	सीमेन्ट उपयोग की तिथि
1	ग्राम सरवाई में धीरज के मकान से दिनेश के मकान तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण	1115732.00	7/9/2015		01.03.2016 से 27.05.2016
2	वीरपुर में शिवपाल के मकान से होरीलाल के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण	775817.00	5/5/2015		01.01.2016 से 05.04.2016
3	वीरपुर में अस्पताल से पन्ना लाल के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण	1109755.00	7/9/2015		01.09.2016 से 30.09.2016
4	ग्राम शंकरपुर में रामलीला सीसी रोड से अशोक के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण	981313.00	27/01/2016		01.06.2016 से 27.07.2016
योग		3982617.00			

इस प्रकार उक्त व्यय अधोमानक कार्यों में किया गया है। इन कार्यों में मजदूरी भुगतान, मजदूरों के बैंक खाते में न कर, कार्य प्रभारी को वियरर चेक के माध्यम से किया गया है जो कार्यों को संदिग्ध बनाता है। तदनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं० 7)

क्षेत्र पंचायत गुगरापुर (वर्ष 2014-15 से 2016-17)

प्रस्तर 16. वित्तीय वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत पीरनपुरवा श्रीकृष्ण के घर से तलैया तक सीसी रोड कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयी:-

- क. वार्षिक कार्य योजना लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कार्य, क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित था।
- ख. उक्त कार्य श्रमांश पर रु. 83322.00 व्यय किया गया है इस व्यय धनराशि का मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- ग. कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र सं. 7399 एम0टी0/सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक 16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जाएगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया।
- घ. लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण इस कार्य हेतु क्रय, इस कार्य में उपभोग और इस कार्य के उपरांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- च. कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं की गई।
- छ. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।
- ज. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु 08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जांच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किन्तु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जांच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई।

- झ. उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण—पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। संबंधित विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाता है।
- ज. सीसी निर्माण में प्रयुक्त स्टोन ग्रीड आपूर्ति की पुष्टि में एम एम.11उपलब्ध नहीं रहा, जिस कारण रॉयल्टी के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- ट. निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है जो आपत्तिजनक रहा।

उक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्त निर्माण कार्य में गम्भीर अनियमितताएं की गई हैं कार्य अधोमानक कराया गया है एवं भुगतान करने में शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन नहीं किया गया अतः शासन द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि रु0 410921.00 का व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएं की गई, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार , सहायक अभियंता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। तदनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 11)

- प्रस्तर 17.** वित्तीय वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत, ईसापुर पट्टी से गौरीबांगर तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयी—
- क. वार्षिक कार्य योजना लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कार्य, क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित था।
- ख. उक्त कार्य श्रमांश पर रु. 114792.00 व्यय किया गया है इस व्यय धनराशि का मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- ग. कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र सं. 7399 एम0टी0/सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक 16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जाएगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया।
- घ. लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण इस कार्य हेतु क्रय, इस कार्य में उपभोग और इस कार्य के उपरांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- च. कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं की गई।
- छ. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।
- ज. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम—36 के बिंदु 08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत—प्रतिशत जांच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किन्तु उक्त निर्माण कार्य परिमाप पुस्तिका की जांच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई।
- झ. उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण—पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। संबंधित विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाता है।
- ज. निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है जो आपत्तिजनक रहा।

उक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्त निर्माण कार्य में गम्भीर अयिमितताएं की गई हैं कार्य अधोमानक कराया गया है एवं भुगतान करने में शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन नहीं किया गया अतः शासन द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि रु0 622066.00 का व्यय करने

में गम्भीर अनियमितताएं की गई, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार , सहायक अभियंता एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। तदनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 12)

प्रस्तर 18. वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में रु० 2436297.00 व्यय के रूप में दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

क्र.सं.	मद	कार्य विवरण	वर्ष	धनराशि
1	राज्य वित्त	बदलेपुर्वा बांकलाल के घर से बलवंत के घर तक	2015-16	503958.00
2	राज्य वित्त	इस्माइलपुर डिंगन में सी०सी रोड से उदयभान के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	2015-16	231742.00
3	राज्य वित्त	वर्ष 16-17 में राज्य वित्त के अंतर्गत व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि का कोई विवरण नहीं	2016-17	1529722.00
4	13वाँ वित्त	विवरण अप्राप्त	2016-17	66555.00
5	जमानत/टेंडर बिक्री	विवरण अप्राप्त	2015-16	18000.00
6	इंद्रा आवास (प्रा.मद)	विवरण अप्राप्त	2014-15	36320.00
7	पेयजल गुणवत्ता	विवरण अप्राप्त	2014-15	50000.00
योग				2436297.00

इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए बिना प्रमाणक या पत्रावली के व्यय धनराशि रु० 2436297.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 13)

प्रस्तर 19. आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में वर्ष 2014-15 के वर्षांत शेष एवं 2015-2016 के प्रारंभिक अवशेष में रु० 284947.00 का अंतर पाया गया—

क्र.सं.	मद	2015-16 के प्रारंभिक अवशेष	वर्ष 2014-15 के वर्षांत शेष	धनराशि
1	ब्याज	208453.00	291335.00	82882.00
2	बी.आर.जी.एफ.	0.00	860.00	860.00
3	बायो गैस	0.00	8000.00	8000.00
4	इंद्रा आवास (प्रा.मद)	0.00	193205.00	193205.00
योग				284947.00

ब्याज मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रारंभिक अवशेष में रु० 82882.00 कम दर्शाए गए हैं, एवं उक्त वर्ष के बी.आर.जी.एफ. बायो गैस, इंद्रा आवास (प्रा.मद.) मद के प्रारंभिक अवशेष को शून्य दर्शाया गया है। इस प्रकार कुल धनराशि रु० 284947.00 का संबंधित खातों से आहरण कर गबन कर लिया गया है अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान रूप से तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 14)

प्रस्तर 20. आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में वर्ष 2014-15 के वर्षांत शेष एवं 2015-2016 के प्रारंभिक अवशेष में रु० 788784.00 का अंतर पाया गया—

क्र.सं.	मद	2015-16 के प्रारंभिक अवशेष	वर्ष 2014-15 के वर्षांत शेष	धनराशि
1	राज्य वित्त आयोग	1610670.00	1192670.00	418000.00
2	तेरहवा वित्त	2009013.00	1650097.00	358916.00
3	टी०डी०एस०	40535.00	28667.00	11868.00
योग				788784.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य वित्त आयोग तेरहवा वित्त एवं टीडीएस में वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रारंभिक अवशेष में कुल रु. 788784.00 की काल्पनिक वृद्धि दर्शाकर गम्भीर अनियमितता की गयी है। अतः संस्था द्वारा काल्पनिक आय-व्यय फीड करा कर उचाधिकारियों को भ्रमित करने एवं वास्तविक सूचनाओं को छुपाने का प्रयास किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 467 एवं 468 के आलोक में अपराध है। अतः तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 15)

प्रस्तर 21. आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में वर्ष 2015-16 के वर्षांत शेष एवं 2016-2017 के प्रारंभिक अवशेष में रु0 270.00 का अंतर पाया गया—

क्र.सं.	मद	2015-16 के प्रारंभिक अवशेष	वर्ष 2014-15 के वर्षांत शेष	धनराशि
1	ब्याज	265340.00	265610.00	270.00

ब्याज मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रारंभिक अवशेष में रु0 270.00 कम दर्शाए गए हैं अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान रूप से तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं0 17)

क्षेत्र पंचायत तालग्राम (वर्ष 2011-12 से 2013-14)

वर्ष 2011-2012 की आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर 22. ग्राम जय सिंह पुर्वा में मूलचन्द्र के मकान से तालाब तक नाला निर्माण पत्रावली में मस्टर रोल से 19800.00का भुगतान चेक सं0 38428 दिनांक 27.05.2011 द्वारा कार्यप्रभारी श्री दिनेश चन्द्र, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बैंक से मजदूरों के खाते में सीधे स्थानान्तरित न कर नगद आहरित कर भुगतान किया जाना दर्शित है जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र से रु0 19800.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.06)

प्रस्तर 23. ग्राम जयसिंह पुर्वा में प्रमोद के मकान से वेदप्रकाश के मकान तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण का मस्टर रोल से 6480.00का भुगतान चेक सं0 38425 दिनांक 27.05.2011 बैंक से सीधे मजदूरों के खाते में सीधे स्थानान्तरित न कर कार्य प्रभारी श्री दिनेश चन्द्र, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नगद प्राप्त कर मजदूरों को भुगतान दर्शाया गया है। जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र से रु0 64480.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.13)

प्रस्तर 24. ग्राम रौतामई के मजरा सिमरापार में नाली निर्माण एवं तीन आरसीसी पुलिया का निर्माण कार्य का कोई कोटेशन उपलब्ध नहीं है इस कार्य को सीधे जान मोहम्मद ट्रेडर्स एवं मुश्ताक बिक्र फील्ड के सामग्री क्रय करके नहीं कराया गया है जो नियम विपरीत रहा। कार्य प्रभारी श्री लाल सिंह, ग्रा0वि0 अधिकारी द्वारा सीधे कार्य करवाया गया। कार्य का मस्टर रोल 11400.00, चेक सं0 7084 दिनांक 07.07.2011 एवं मस्टर रोल 15400.00, चेक सं0 7085 दिनांक 07.07.2011 का भुगतान मजदूरों के खाते में सीधे स्थानान्तरित न कर बैंक से नगद आहरित कर भुगतान किया गया है। जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र से रु0 26800.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.07)

प्रस्तर 25. ग्राम जुनैदपुर पटकनपुर्वा सम्पर्क मार्ग पर नाले पर आरसीसी पुलिया का निर्माण कार्य का मस्टर रोल 52280.00चेक सं0 348326 दिनांक 29.02.2012 एवं रुपये 24120.00, चेक सं0348326 दिनांक 29.02.2012 का भुगतान बैंक से मजदूरों के खाते में सीधे स्थानान्तरित न कर कार्य प्रभारी द्वारा स्वयं नगद आहरित कर भुगतान खारिज किया गया है जो अनियमित रहा। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री लाल सिंह से रु0 76400.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.09)

प्रस्तर 26. ग्राम नरुइया चकमार्ग पर 600एम0एम0 एवं 900एम0एम0 तीन आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य के 2 मस्टर रोल 6120.00कुल धनराशि 12240.00 चेक सं0 348328 दिनांक 26.03.2012 द्वारा कार्य प्रभारी श्री लालसिंह ग्रा0वि0 अधिकारी द्वारा मजदूरों के खाते में सीधे स्थानान्तरित न कर बैंक से नगद आहरित कर भुगतान खारिज किया गया है जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री लाल सिंह से रु0 12240.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.10)

प्रस्तर 27. ग्राम सिंघमपुर में परिक्रमा मार्ग पर सीसी रोड एवं नाली निर्माण मस्टर रोल 61200.00चेक सं0 7059 दिनांक 17.06.2011 का भुगतान बैंक से सीधे मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्य प्रभारी श्री लाल सिंह ग्रा0वि0 अधिकारी द्वारा नगद अहरित कर भुगतान खारिज किया गया है जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री लाल सिंह से रु0 61200.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.12)

प्रस्तर 28. ग्राम रौतामई में जीटी रोड सदरपुर मार्ग से सिमरा पार संपर्क मार्ग सीसी रोड का मस्टर रोल 84000.00 चेक सं० 87067 दिनांक 18.06.2011 एवं रुपये 30720.00, चेक सं० 7081 दिनांक 07.07.2011 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्यप्रभारी श्री लाल सिंह ग्रा०वि० अधिकारी द्वारा नगद प्राप्त करते हुए भुगतान खारिज किया गया है जो अनियमित रहा। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री लाल सिंह से रु० 1,14,720.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.14)

प्रस्तर 29. ग्राम गदौरा में प्रा० स्कूल से तालाब पर पक्का नाला निर्माण कार्य का मस्टर रोल 87520.00 चेक सं० 348329 दिनांक 27.03.12 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्यप्रभारी श्री युवराज सिंह ग्रा०वि० अधिकारी द्वारा बैंक से नगद आहरित कर भुगतान किया गया है। जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री युवराज सिंह से रु० 87520.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.08)

प्रस्तर 30. मुसाफिरपुर परिक्रमा मार्ग पर 3 आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य के मस्टर रोल 18080.00 चेक सं० 348327 दिनांक 29.02.2012 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न बैंक से सीधे कार्यप्रभारी द्वारा नगद प्राप्त कर भुगतान खारिज किया गया है जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री युवराज सिंह से रु० 18080.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.11)

प्रस्तर 31. वि०खण्ड परिसर तालग्राम में आवासीय एवं अनावासीय भवनों की रंगाई पुताई कार्य का मस्टर रोल 59220.00 चेक सं० 7118 दिनांक 26.03.2012 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर बैंक से कार्यप्रभारी श्री रामकुमार वर्मा ए०डी०ओ०(एस०टी०) द्वारा नगद आहरित कर भुगतान खारिज किया जाना अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी सहायक विकास अधिकारी (एस०टी०) श्री राम कुमार वर्मा से रु० 59220.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.15)

प्रस्तर 32. वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत के पंचायत द्वारा ग्राम जय सिंह पुर्वा (राजलामऊ) में बृजेश बाथम के मकान से भगवान दास के मकान तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण हेतु स्वीकृत लागत रु० 4.596 लाख हेतु पत्रांक 1713 दिनांक 12.10.2011 द्वारा श्री लाल सिंह ग्रा०वि० अधिकारी को कार्य प्रभारी नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। परन्तु पत्रावली में कार्य शुरू करने समाप्त, सामग्री, सप्लाई, कोटेशन आदि कुछ भी उपलब्ध नहीं था। पत्रावली में बैंक ऑफ इंडिया, गुरु सहायगंज के खाता संख्या 21830 का स्टेटमेंट संलग्न पाया गया जिसमें दिनांक 05.11.2012 को चेक संख्या 7133 द्वारा ओम साईं बिल्डिंग मैटीरियल को रु० 61750.00 भुगतान दर्शाया गया है। जबकि पत्रावली में कोई भी प्रमाणक संलग्न नहीं है। इस हेतु उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री दयाराम यादव एवं तत्कालीन लेखाकार से रु० 61750.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.40)

वर्ष 2012-2013 की आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर 33. ग्राम चौदापुर में हाशिम के घर से प्रा० स्कूल तक नाला निर्माण कार्य में कार्य प्रभारी श्री युवराज सिंह द्वारा यह अवगत कराया गया कि ईट आपूर्तिकर्ता कार्य रौनक बिक्र फील्ड एवं सामग्री सप्लायर निखिल ट्रेडिंग कम्पनी के द्वारा पूर्व निर्धारित दरों पर आपूर्ति करने से मना कर दिया गया है। कार्य प्रभारी द्वारा अपने पत्र में तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है तथा फर्म द्वारा मना किये जाने संबंधी पत्र भी पत्रावली में संलग्न नहीं है। तथा नए कोटेशन 2012(4) दिनांक 05.07.2012 द्वारा पुनः आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही निर्माण कार्य का मस्टर रोल 32200.00 चेक सं० 7135 दिनांक 15.09.2012 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर बैंक से नगद आहरित कर कार्य प्रभारी श्री युवराज सिंह ग्रा०वि० अधिकारी द्वारा भुगतान खारिज किया जाना अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री युवराज सिंह से रु० 32200.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.16)

प्रस्तर 34. ग्राम जयसिंह पुर्वा में मानसिंह के मकान से हेमराज के मकान तक नाली निर्माण कार्य का मस्टर रोल 5400.00 चेक सं० 7128 दिनांक 30.06.2012 द्वारा भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्य प्रभारी श्री लाल सिंह ग्रा०वि० अधिकारी द्वारा बैंक से नगद आहरित कर भुगतान खारिज किया गया है जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री लाल सिंह से रु० 5400.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.17)

प्रस्तर 35. नरुइया बूडा सम्पर्क मार्ग पर 600 एम0एम0 तथा 900 एम0एम0 तीन आर0सी0सी पुलिया निर्माण कार्य का मस्टर रोलरू 20480.00 दिनांक 30.06.2012 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्यप्रभारी श्री रामकुमार ए0डी0ओ0(एस0टी0) द्वारा बैंक से नगद प्राप्त कर भुगतान खारिज किया गया है जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री रामकुमार ए0डी0ओ0(एस0टी0) से रू0 20480.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। **(मूल आपत्ति सं.18)**

प्रस्तर 36. ग्राम सरायप्रयाग नराईया मार्ग से हेम शाक्य के ट्यूबेल मार्ग पर आर0सी0सी0पुलिया निर्माण कार्य का मस्टर रोल 6080.00 चेक सं0 7127 दिनांक 30.06.2012 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्य प्रभारी श्री रामकुमार ए0डी0ओ0(एस0टी0) द्वारा बैंक से नगद प्राप्त कर भुगतान खारिज किया गया है जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री रामकुमार ए0डी0ओ0(एस0टी0) से रू0 6080.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं.19)

प्रस्तर 37. ग्राम रौरा में श्री अनोखे लाला के घर से वीरपाल के घर तक इन्टरलाकिंग तथा नाली निर्माण कार्य का मस्टर रोल 60515.00 चेक सं0 7164 दिनांक 06.03.2013, मस्टर रोल 72760.00 चेक सं0 7166 दिनांक 06.03.2013, मस्टर रोल 26070.00 चेक सं0 7186 एवं मस्टर रोल 40700.00 चेक सं0 7187 दिनांक 26.04.2013 के भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर सीधे कार्य प्रभारी श्री रामकुमार ए0डी0ओ0(एस0टी0) द्वारा बैंक से नगद प्राप्त कर भुगतान खारिज किया गया है जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री रामकुमार ए0डी0ओ0(एस0टी0) से रू0 200045.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं.20)

वर्ष 2013-2014 की आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर 38. डॉ राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम अनीभोज में श्री रमेश चन्द्र के मकान से तालाब तक नाला निर्माण कार्य का मस्टर रोल 10615.00 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर श्री सेवाराम ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) द्वारा बैंक से नगद आहरित कर श्रमिकों को भुगतान किया गया है जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री सेवाराम ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) से रू0 10615.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं.21)

प्रस्तर 39. डॉ राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम अनीभोज में लालू पाण्डेय के मकान के पास पुलिया निर्माण कार्य का मस्टर रोल 11000.00 चेक सं0 7313 दिनांक 03.03.2014 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्य प्रभारी श्री सेवाराम सिंह ए0डी0ओ0(एस0टी0) द्वारा बैंक से नगद आहरित किया गया है जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री सेवाराम ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) से रू0 11000.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं.22)

प्रस्तर 40. रनवा मुसाफिरपुर मार्ग पर दोआर0सी0सी0 पुलिया निर्माण के मस्टर रोल 4345.00 चेक सं0 दिनांक 06.03.2014 एवं मस्टर रोल 9295.00 चेक सं0 7337 दिनांक 06.03.2014 एवं दोनों चेकों का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्य प्रभारी श्री सेवाराम सिंह ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) द्वारा बैंक से नगद आहरित किया गया है जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री सेवाराम ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) से रू0 136400.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं.24)

प्रस्तर 41. ग्राम विश्वम्भरपुर में बेचेलाल के दुआरे पर सीसी रोड पर एक आर0सी0सी पुलिया निर्माण कार्य के मस्टर रोल 10560.00 चेक सं0 7303 दिनांक 18.02.14 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्यप्रभारी श्री सेवाराम सिंह ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) द्वारा बैंक से नगद प्राप्त कर भुगतान किया जाना दर्शित है जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री सेवाराम ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) से रू0 10560.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं.25)

प्रस्तर 42. ग्राम डुडवा बुजुर्ग में कयामुद्दीन के मकान से डामर रोड शमीम के मकान तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण मस्टर रोल (1) रुपये 29810.00, मस्टर रोल (2) रू0 31790.00, एवं मस्टर रोल (3) रू0 52360.00, तीनों का एक चेक संख्या 7275 दिनांक 27.12.2013 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्य प्रभारी श्री सेवाराम सिंह ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) द्वारा बैंक से नगद प्राप्त कर खारिज किया गया है जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री सेवाराम ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) से रू0 113960.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं.27)

प्रस्तर 43. ग्राम भुडहा के मजरा मैरा में श्री सत्येन्द्र के घर से श्री शतानेन्द्र के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण मस्टररोल (1) रू0 21175.00, मस्टररोल(2)रू0 12100.00, मस्टररोल (3)रू0 23100.00(दिनांक 20.08.2013) तीनों का एक चेक संख्या 7233 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्य प्रभारी श्री सेवाराम सिंह ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) द्वारा बैंक से नगद प्राप्त किया गया है जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री सेवाराम ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) से रू0 56375.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। **(मूल आपत्ति सं.31)**

प्रस्तर 44. ग्राम पंचायत पनगवाँ में ग्राम विश्वम्भरपुर में तालग्राम रोड से बेचेलाल के घर तक सीसी रोड एवं नाला निर्माण मस्टररोल(1)रू0 14850.00, चेक सं0 7295 दिनांक 31.01.2014, मस्टररोल (2)रू0 31460.00, चेक सं0 7296 दिनांक 04.02.2014 मस्टररोल(3)रू0 2860.00, चेक सं0 7302 दिनांक 05.02.2014 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्य प्रभारी श्रीसेवाराम सिंह ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) द्वारा बैंक से नगद आहरित कर भुगतान दर्शाया गया है। जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री सेवाराम ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) से रू0 49170.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। **(मूल आपत्ति सं.34)**

प्रस्तर 45. खण्ड विकास अधिकारी परिसर में आवासी भवन में फर्श निर्माण एवं दरवाजा फिटिंग कार्य का मस्टररोल 6380.00, चेक सं0 7342 दिनांक 19.03.2014 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्य प्रभारी सेवाराम सिंह ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) द्वारा बैंक से नगद प्राप्त कर भुगतान किया जाना दर्शित है जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री सेवाराम ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) से रू0 6380.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। **(मूल आपत्ति सं.38)**

प्रस्तर 46. ग्राम डुडवा बुजुर्ग में डामर रोड अब्दुल गफ्फार के घर से पुराने नाले तक नाला निर्माण कार्य में मस्टररोल में रू0 16335.00, चेक सं0 7346 दिनांक 19.03.2014 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्य प्रभारी श्री राम कुमार ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) द्वारा बैंक से सीधे नगद प्राप्त कर भुगतान दर्शित है। जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री राम कुमार ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) से रू0 16335.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। **(मूल आपत्ति सं.23)**

प्रस्तर 47. ग्राम डुडवा बुजुर्ग में मुन्नेदादा के घर से पुराने नाले पर निर्माण कार्य का मस्टररोल (1)रू0 34705.00 चेक 7349 दिनांक 22.03.2014 एवं मस्टररोल (2)रू0 8085.00 चेक सं0 7404 का दिनांक 26.05.2014 भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्य प्रभारी श्री राम कुमार ए0डी0ओ0 (सांख्यिकी) द्वारा बैंक से नगद प्राप्त कर भुगतान वितरण दर्शित है। जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री राम कुमार ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) से रू0 42790.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। **(मूल आपत्ति सं.26)**

प्रस्तर 48. ग्राम जयसिंह पूर्वा में मनोज के घर से गुरु दयाल के घर एवं घर से राना प्रताप के घर तक सीसी रोड निर्माण मस्टर रोल (1) रू0 22000, मस्टर रोल(2)38940, चेक सं0 7252, मस्टर रोल (3) 41470 चेक सं0 7265, मस्टर रोल (4) 58905 चेक सं0 7266 दिनांक 09.12.2013 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्य प्रभारी श्री राम कुमार ए0डी0ओ0(सांख्यिकी) द्वारा बैंक से नगद प्राप्त कर भुगतान वितरण दर्शित है। जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री राम कुमार ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0)से रू0 161315.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। **(मूल आपत्ति सं.29)**

प्रस्तर 49. ग्राम टिकरी कल्सान के मजरा कुकरी पूर्वा में नाले के ऊपर पुलिया का निर्माण का मस्टर रोल(1) रू052635 चेक सं0 7360 दिनांक 15.04.2014, मस्टर रोल(2) रू064185 चेक सं0 7363 दिनांक 02.05.2014, मस्टर रोल(3) रू04245 चेक सं0 7364 दिनांक 02.05.2014 एवं मस्टर रोल(4) रू0 37785 चेक सं0 7412 दिनांक 26.05.2014, का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्य प्रभारी श्री राम कुमार ए0डी0ओ0 (सांख्यिकी) द्वारा बैंक से नगद आहरित कर वितरित किया गया है। जो अनियमित रहा। जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री राम कुमार ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) से रू0 158850.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। **(मूल आपत्ति सं.30)**

प्रस्तर 50. ग्राम इंदुआगंज में श्री बलराम के घर से अजीत के घर तक सीसी रोड निर्माण एवं नाली निर्माण का मस्टर रोल(1) रू021780 चेक सं0 7201 एवं मस्टर रोल(2) रू047905 चेक सं0 7203 दिनांक 29.05.

2013, का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्य प्रभारी श्री राम कुमार ए0डी0ओ0(सांख्यिकी) द्वारा बैंक से नगद प्राप्त कर भुगतान खारिज किया गया है। जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री राम कुमार ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) से रू0 69685 .00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.32)

प्रस्तर 51. ग्राम डुडवा बुजुर्ग में शरीफ के घर से मुन्नू के मकान से होकर बिलन्दपुर मार्ग पर सीसी रोड एवं नाली निर्माण का मस्टर रोल(1) रू066000 चेक सं0 7338 दिनांक 10.03.2014 एवं मस्टर रोल (2) रू035400 चेक सं0 7339 दिनांक 19.03.2014, का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्य प्रभारी श्री राम कुमार ए0डी0ओ0 (सांख्यिकी) द्वारा नकद प्राप्त कर भुगतान खारिज किया गया है। जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री राम कुमार ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) से रू0 101400.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.37)

प्रस्तर 52 विकास खण्ड अधिकारी परिसर में क्षतिग्रस्त वाउण्ट्री वाल का पुनः निर्माण कार्य का मस्टर रोल(1)रू010560 चेक सं0 7190 दिनांक 30.04.2013 एवं मस्टर रोल(2)रू033055 चेक सं0 7208 दिनांक 09.07.2013, का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्य प्रभारी श्री राम कुमार ए0डी0ओ0(सांख्यिकी) द्वारा नगद बैंक से लिया गया है जबकि श्रमिकों को सीधे चेक से भुगतान किया जाना चाहिए था। किया गया भुगतान अनियमित रहा अतः इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्री राम कुमार ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) से रू0 43615 .00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.39)

प्रस्तर 53. ग्राम मझपुरवा में श्री अजमल के घर से होकर मोहम्मद के घर तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य का मस्टर रोल 72930 चेक सं0 7236 दिनांक 27.09.2013 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर कार्य प्रभारी श्रीमती मुन्नी देवी ए0डी0ओ0(लघु सिचाई) द्वारा बैंक से नगद प्राप्त कर भुगतान खारिज किया गया है। जो अनियमित है। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती मुन्नी देवी ए0डी0ओ0(लघु सिचाई) से रू0 72930 .00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.28)

प्रस्तर 54. ग्राम पंचायत रजलामऊ के मजरा जयसिंहपुरवा के सीसी रोड एवं नाली निर्माण के मस्टर रोल 28820 चेक सं0 7204 दिनांक 30.05.2013 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर बैंक से नगद आहरित कर भुगतान खारिज किया गया है। जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती मुन्नी देवी ए0डी0ओ0(लघु सिचाई) से रू0 28820 .00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.33)

प्रस्तर 55. ग्राम पंचायत रजलामऊ के ग्राम जयसिंहपुरवा में सुरेन्द्र के मकान से रामवीर के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण का मस्टर रोल 28490 चेक सं0 7324 दिनांक 04.03.2014 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर श्रीमती मुन्नी देवी ए0डी0ओ0(लघु सिचाई) द्वारा बैंक से आहरित किया गया है। जो अनियमित है। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती मुन्नी देवी ए0डी0ओ0(लघु सिचाई) से रू0 28490 .00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.35)

प्रस्तर 56. ग्राम पंचायत रजलामऊ में बेंटी के घर से पंचम लाल के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण का मस्टर रोल 22935 चेक सं0 7375 दिनांक 04.03.2014 का भुगतान मजदूरों के खाते में स्थानान्तरित न कर श्रीमती मुन्नी देवी ए0डी0ओ0(लघु सिचाई) द्वारा बैंक से नगद आहरित कर भुगतान खारिज किया गया है। जो अनियमित है। इस हेतु उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती मुन्नी देवी ए0डी0ओ0(लघु सिचाई) से रू0 22935 .00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.36)

क्षेत्र पंचायत कन्नौज (वर्ष 2014-15 से 2016-17)

वर्ष 2014-2015 की आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर 57. मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को

वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन रू0 591723.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सतानन्द दीक्षित, पदनाम सहा0 विकास अधिकारी को रू0 138740.00 श्री राजेश कुमार दुबे, पदनाम स0 विकास अधिकारी को रू0 192074.00 एवं श्री राम अनन्त सिंह, सहा0 विकास अधिकारी को रू0 260909.00 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। और न ही मस्टर रोल निर्गम कर्त्ता की मोहर व हस्ताक्षर

ही है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायतों के हैं तथा प्रत्येक मजदूरों का मनरेगा के अन्तर्गत जॉबकार्ड बना हुआ होता है तथा बैंक खाता भी है। अतः मजदूरी का भुगतान उनके मस्टर रोल प्राप्त होने पर उनके खातों के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 591723.00 का वर्ष 2014.15 की निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये श्रीमती साधना सिंह खण्ड विकास अधिकारी, एवं श्री रामउदरेज यादव, खण्ड विकास अधिकारी, श्री यादराम पाल, लेखाकार एवं संतोष कुमार पाल, लेखाकार, एवं तत्कालीन, जे0ई0 तथा सम्बन्धित कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं.3)

प्रस्तर 58. रु0 110621.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने

वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रामाणिको के भुगतान के समय अंकन रु0 110621.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 110621.00 की जमा की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि चालान/दाखिल रिटर्न प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में श्रीमती साधना सिंह, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं.5)

प्रस्तर 59. आलोच्य वर्ष 2014-15 में व्यापार कर कुल सामग्री क्रय रु0 4859312.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 198372.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 72854.00 की कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 125518.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये व्यापार कर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्रीमती साधना सिंह, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये व्यापार कर अंकन रु0 72854.00 की जमा की पुष्टि में चालान उपलब्ध नहीं कराया गया है। जमा चालान से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं.6)

प्रस्तर 60. निम्नानुसार चेको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। (वर्तमान लेखाकार श्री अरुणेश कुमार यादव द्वारा बताया गया कि सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावली चार्ज में प्राप्त नहीं हुयी है।) पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशि रु0 3666190.00 की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही श्रीमती साधना सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, श्री यादराम पाल लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

वित्तीय वर्ष 2014-15 (राज्य वित्त) खाता संख्या 760210100014004 बैंक ऑफ इंडिया कन्नौज।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	स्टेटमेंट में पाने वाले का नाम
04.04.14	55964	92532.00	मेसर्स शांति कंट्रैक्टर
04.04.14	55963	96514.00	मेसर्स शांति कंट्रैक्टर
04.04.14	55962	92046.00	मेसर्स शांति कंट्रैक्टर
04.04.14	55966	96366.00	मेसर्स शांति कंट्रैक्टर
04.04.14	55961	85029.00	मेसर्स शांति कंट्रैक्टर
04.04.14	55965	93153.00	मेसर्स शांति कंट्रैक्टर
04.04.14	55967	48000.00	मेसर्स शांति कंट्रैक्टर
22.07.14	100552	233212.00	मेसर्स शांति कंट्रैक्टर
16.10.14	100571	186776.00	मेसर्स शांति कंट्रैक्टर
22.07.14	100555	9243.00	सहारा इंडिया
22.07.14	100556	156328.00	संदीप कुमार ग्राम विकास अधिकारी
01.08.14	100559	10863.00	शांति
01.08.14	100560	111659.00	शांति
01.08.14	100561	142701.00	शांति
22.07.14	100557	17450.00	नरेन्द्र स्वरूप (तिर्वा)

22.07.14	100558	7960.00	सुरजीत सिंह
01.09.14	100565	8880.00	गुरुनानक
29.08.14	100562	77500.00	सुरजीत सिंह
21.12.14	103429	77500.00	नगद
06.11.14	100573	48371.00	भारतीय स्टेट बैंक
06.11.14	100574	46104.00	भारतीय स्टेट बैंक
01.01.15	103438	16600.00	नगद
01.03.15	103446	374346.00	यादव ट्रेडर्स
01.03.15	103448	800.00	यादराम पाल
16.03.15	103452	84000.00	कुसुम
20.03.15	103453	47164.00	भारतीय स्टेट बैंक
20.03.15	103454	50865.00	भारतीय स्टेट बैंक
02.02.15	103440	8249.00	मेसर्स शांति कंस्ट्रक्टर
02.02.15	103441	80620.00	रमाकान्त
02.02.15	103439	37639.00	मेसर्स शांति कंस्ट्रक्टर
01.03.15	103451	10632.00	नगद
योग		2449102.00	

वित्तीय वर्ष 2014-15 (तेरहवॉ वित्त) खाता संख्या- 4591000100023078 पंजाब नेशनल बैंक सरायमीरा, कन्नौज।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	स्टेटमेंट में पाने वाले का नाम
11.04.14	291890	21331.00	भारतीय स्टेट बैंक
11.04.14	291889	5918.00	भारतीय स्टेट बैंक
05.07.14	291894	225423.00	आशाराम
05.07.14	291895	151181.00	यादराम पाल
16.07.14	291899	323752.00	एन0इ0एफ0टी0 यू0पी0 कोन
20.08.14	291901	58123.00	सदानंद दीक्षित
11.02.14	291908	69652.00	भारतीय स्टेट बैंक
12.02.15	291912	10341.00	अमर उजाला
10.03.15	291913	344883.00	पुनीत कुमार
17.03.15	291911	6484.00	सहारा इंडिया
योग		1217088.00	

(मूल आपत्ति सं.8)

वर्ष 2015-2016 की आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर 61. मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 788038.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सतानन्द दीक्षित, पदनाम सहा0 विकास अधिकारी को रु0 160958.00 श्री ओमप्रकाश कुशवाह, पदनाम स0 विकास अधिकारी को रु0 185106.00 श्री विमलेश कुमार, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 192818.00 श्री राम औतार गौतम, स0वि0अधि0 को रु0 47060.00, श्री राम अनन्त सिंह, सहा0 विकास अधिकारी को रु0 28931.00, श्री विनीत कुमार, ग्राम विकास अधिकारी को रु0 14382.00 एवं श्री राजेश दुबे, पदनाम स0वि0 अधिकारी को रु0 158783.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। और न ही मस्टर रोल निर्गम कर्ता की मोहर व हस्ताक्षर ही है। कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायतों के हैं तथा प्रत्येक मजदूरों का मनरेगा के अन्तर्गत जॉबकार्ड बना हुआ होता है तथा बैंक खाता भी है। अतः मजदूरी का भुगतान उनके मस्टर रोल प्राप्त होने पर उनके खातों के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 788038.00 का वर्ष 2015.16 की निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये श्रीमती साधना सिंह खण्ड विकास अधिकारी,

श्री यादराम पाल, लेखाकार एवं तत्कालीन, जे0ई0 तथा सम्बन्धित कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं.3)

प्रस्तर 62. रू0 66353.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने

वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रामाणिको के भुगतान के समय अंकन रू0 66353.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 66353.00 की जमा की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि चालान/दाखिल रिटर्न प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में श्रीमती साधना सिंह, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से जमा कराया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं.5)

प्रस्तर 63. आलोच्य वर्ष 2015-16 में व्यापार कर कुल सामग्री क्रय रू0 2912347.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 116493.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 43814.00 की कटौती की गई है। इस प्रकार रू0 72679.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये व्यापार कर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्रीमती साधना सिंह, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये व्यापार कर अंकन रू0 43814.00 की जमा की पुष्टि में चालान उपलब्ध नहीं कराया गया है। जमा चालान से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं.6)

प्रस्तर 64. निम्नानुसार चेको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। (वर्तमान लेखाकार श्री अरुणेश कुमार यादव द्वारा बताया गया कि सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावली चार्ज में प्राप्त नहीं हुयी है।) पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशि रू0 3763794.00 की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही श्रीमती साधना सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, श्री यादराम पाल लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

वित्तीय वर्ष 2015-16 (राज्य वित्त) खाता संख्या 760210100014004 बैंक ऑफ इंडिया कन्नौज।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	स्टेटमेंट में पाने वाले का नाम
01.05.15	103457	17893.00	मेसर्स यादव
01.05.15	103458	115109.00	सदानंद दीक्षित
23.05.15	103456	157775.00	मेसर्स यादव
11.06.15	103452	84000.00	कुसुम
01.07.15	103462	46000.00	ए0पी0 सर्विस
01.08.15	103463	77500.00	सुरजीत
12.09.15	103467	323677.00	नमना
12.09.15	103470	331794.00	नमन कंट्रैक्टर
03.01.16	103466	134447.00	नमना
12.09.15	103468	148910.00	मेसर्स यादव
12.09.15	103469	199335.00	मेसर्स यादव
03.01.16	101965	197539.00	मेसर्स यादव
12.09.15	103471	27850.00	जागरण प्रकाशन
02.01.16	101960	60572.00	नगद
02.01.16	101961	122533.00	नगद
03.01.16	101967	41927.00	अमित इलेक्ट्रिकल्स
28.01.16	101953	1417000.00	पंजाब नेशनल बैंक
03.01.16	101972	70000.00	कुसुम
योग		3573861.00	

वित्तीय वर्ष 2015-16 (तेरहवॉ वित्त) खाता संख्या 4591000100023078 पंजाब नेशनल बैंक सरायमीरा कन्नौज।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	स्टेटमेंट में पाने वाले का नाम
16.04.15	291907	26081.00	भारतीय स्टेट बैंक
16.04.15	291920	8613.00	भारतीय स्टेट बैंक
11.04.15	754921	19278.00	भारतीय स्टेट बैंक
01.09.15	754929	50867.00	योगेन्द्र कुमार
12.10.15	754937	37187.00	भारतीय स्टेट बैंक
12.10.15	754936	14194.00	भारतीय स्टेट बैंक
12.09.15	754934	15339.00	अमर उजाला
12.09.15	754938	12108.00	पुनीत कुमार
06.01.16	145664	2325.00	भारतीय स्टेट बैंक
06.01.16	145665	3941.00	भारतीय स्टेट बैंक
योग		189933.00	

(मूल आपत्ति सं.8)

वर्ष 2016-2017 की आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर 65. मस्टर रोल मजदूरी का और भुगतान कार्य प्रभारियों को

वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्य पर अंकन रु0 1449046.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सूर्यनाथ यादव, पदनाम सहाय विकास अधिकारी (ई0सी0) को रु0 537732.00, श्री सतानन्द दीक्षित, पदनाम सहाय विकास अधिकारी (आई.एस.बी.) को रु0 257596.00 श्री जितेन्द्र सिंह तोमर पदनाम सहाय विकास अधिकारी (ए.जी.) को रु0 122794.00, श्री राजीव कुमार दीक्षित, पदनाम ग्रामवि0 अधिकारी को रु0 135828.00, श्री विकास कुमार यादव, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 356224.00 एवं श्री सुरजीत सिंह, पदनाम स्टोर कीपर को रु0 38872.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर प्रिंट (पेन से 1 2 3 अंकित किये गये हैं।) नहीं हैं। और न ही मस्टर रोल निर्गम कर्त्ता की मोहर व हस्ताक्षर ही है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अँगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायतों के हैं तथा प्रत्येक मजदूरों का मनरेगा के अन्तर्गत जॉबकार्ड बना हुआ होता है तथा बैंक खाता भी है। अतः मजदूरी का भुगतान उनके मस्टर रोल प्राप्त होने पर उनके खातों के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 1449046.00 का वर्ष 2016.17 की निर्माण कार्य की पत्रावलियों में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये श्रीमती साधना सिंह खण्ड विकास अधिकारी, श्री रामउदरेज यादव, खण्ड विकास अधिकारी, श्री यादराम पाल, श्री संतोष कुमार पाल, लेखाकार एवं तत्कालीन, जे0ई0 तथा सम्बन्धित कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं.3)

प्रस्तर 66. रु0 132706.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 11901.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु0 132706.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 8457679.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रु0 191143.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 58437.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्रीमती साधना सिंह, एवं श्री रामउदरेज यादव, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 132706.00 की जमा की पुष्टि में चालान/दाखिल रिटर्न प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं.5)

प्रस्तर 67. आलोच्य वर्ष 2016-17 में व्यापार कर कुल सामग्री क्रय रु0 8457679.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 338307.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 132366.00 की कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 205941.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये व्यापार कर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्रीमती साधना सिंह, एवं श्री रामउदरेज यादव, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये व्यापार

कर अंकन रु0 132366.00 की जमा की पुष्टि में चालान उपलब्ध नहीं कराया गया है। जमा चालान से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं.6)

प्रस्तर 68. निम्नानुसार चेकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। (वर्तमान लेखाकार श्री अरुणेश कुमार यादव द्वारा बताया गया कि सम्बंधित अभिलेख/पत्रावली चार्ज में प्राप्त नहीं हुयी है।) बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान दर्शाकर धनराशि रु0 351087.00 का अपहरण किया गया है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही श्रीमती साधना सिंह, श्री रामउदरेज यादव, खण्ड विकास अधिकारी, श्री यादराम पाल, श्री संतोष कुमार पाल, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

वित्तीय वर्ष 2016-17 (राज्य वित्त) खाता संख्या 760210100014004 बैंक ऑफ इंडिया कन्नौज।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	स्टेटमेन्ट में पाने वाले का नाम
30.11.16	2241	117500.00	सुरजीत सिंह
02.02.17	25551	36950.00	सुरजीत सिंह
13.02.17	25554	7336.00	मेसर्स शांति कंटेनर
14.03.17	25571	22959.00	भारतीय स्टेट बैंक
14.03.17	25570	133178.00	भारतीय स्टेट बैंक
योग		317923.00	

वित्तीय वर्ष 2016-17 (तेरहवॉ वित्त) खाता संख्या 4591000100023078 पंजाब नेशनल बैंक सरायमीरा कन्नौज।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	स्टेटमेन्ट में पाने वाले का नाम
14/03/17	145679	8974.00	भारतीय स्टेट बैंक
14/03/17	145678	24190.00	भारतीय स्टेट बैंक
योग		33164.00	

(मूल आपत्ति सं0 7)

क्षेत्र पंचायत जलालाबाद (वर्ष 2014-15 से 2016-17)

वित्तीय वर्ष – 2014-15

प्रस्तर 69. फर्जी मस्टर रोल बनवाकर एवं बिना मस्टर रोल के कार्य प्रभारियों का मजदूरी/श्रमांश धनराशि का भुगतान:—

वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 759545.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अमर सिंह यादव ग्राम विकास अधिकारी को रु0 351788.00 श्री अशोक कुमार प्रजापति, ग्राम विकास अधिकारी रु0 266430.00 श्री राजकमल कटियार ग्राम विकास अधिकारी को रु0 111327.00 एवं श्री मुकेश कटियार, ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 30000.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये हैं उनमें से तालिका-1 क0सं0 3 पर अंकित निर्माण पत्रावली में मस्टर रोल क्रमांक एवं अवधि अंकित नहीं है। तालिका 1 के क्रम संख्या 4,5,6,10 एवं 11 पर अंकित निर्माण पत्रावली में मस्टर रोल संलग्न नहीं है, इन्हे लेखा परीक्षा दौरान बारम्बार माँगे जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बिना मस्टर रोल के श्रमांश एवं मजदूरी व्यय दर्शाकर रोकड़ खारिज की गयी है। इसके अतिरिक्त तालिका 1 के अनुसार इन निर्माण पत्रावलियों में कायपूर्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं पाए गए एवं माँगे जाने के बावजूद प्रस्तुत भी नहीं किया गया। प्रस्तुत मस्टर रोल पर मजदूरों के अंगूठा निशानी प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही-कहीं हस्ताक्षर हैं वे मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त सभी बिन्दुओं की यह पाया गया कि मस्टर रोल कार्यवाही निर्गत नहीं है। इन्हे फर्जी तरीके तैयार करके पत्रावलियों में संलग्न किया गया है। और मजदूरी में अंकन कुल रु0 759545.00 का वर्ष 2014-15 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं0 3)

प्रस्तर 70. रु0 45556.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 43390.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि:-

वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु0 45556.00 की आयकर कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 3918342.35 की दर्शित है। जिस पर 2.27 प्रतिशत की दर से रु0 88946.00 आयकर होता है। इस प्रकार रु0 43390.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 45556.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/ बैंक स्टेटमेन्ट/ चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 4)

प्रस्तर 71. बैंक खातों के अनुसार निम्नानुसार चेकों से कतिपय व्यक्तियों/ फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत व्यय प्रमाणक, अभिलेख एवं पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतान की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी सहायक लेखाकर एवं श्री जितेन्द्र कुमार, श्री ए0के0 सिंह कुशवाहा, श्री राजेश कुमार एवं श्री कृष्ण बिहारी शुक्ला (सभी खण्ड विकास अधिकारी) से कार्यकाल अनुसार की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।

बैंक नाम/ शाखा तथा खाता संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	स्टेटमेन्ट में पाने वाले का नाम
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा जलालाबाद, कन्नौज। खाता सं0 1878976391	03.01.15	614996	9000.00	थनोद
आर्यावर्त ग्रामीण बैंक जलालाबाद। खाता सं0 050610100011593	09.07.14	351981	3996.00	अज्ञात
	11.07.14	351980	10000.00	अज्ञात
	31.07.14	351983	10000.00	अज्ञात
	27.08.14	नकद	10000.00	अज्ञात
	26.12.14	नकद	27500.00	अज्ञात
	19.01.15	नकद	30000.00	अज्ञात
	28.01.15	नकद	30000.00	अज्ञात
जिला सहकारी बैंक, जलालाबाद खाता सं0 7101	10.09.14	नकद	27000.00	विनय
	10.09.14	नकद	42000.00	अपठनीय
योग			169496.00	

(मूल आपत्ति सं0 6)

प्रस्तर 72. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी एक ही फर्म मेसर्स नीरज ट्रेडर्स को भुगतान कर फर्म से सॉट-गाठ कर धन का अपहरण निर्माण सामग्री क्रय हेतु मेसर्स नीरज ट्रेडर्स को कुल दर्शित भुगतान रु0 3872687.00 बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। प्रस्तुत व्यय प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/ कच्चे बिल/ कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/ उपभाग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। निर्माण कार्य विवरण तालिका 1 के अनुसार कुछ पत्रावलियों में टेण्डर स्वीकृति के तुलनात्मक विवरण पर विकास खण्ड अधिकारी/ जेई/सहायक लेखाकार/लेखाकार/ प्रमुख द्वारा बिना तिथि के हस्ताक्षर किये गये हैं जिससे टेण्डर खुलने के दिनांक की पुष्टि भी नहीं होती है। इससे दृष्टिगत होता है कि टेण्डर प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया। तालिका 1 के अनुसार क्र0सं0 06.10.11 में न ही निविदा एवं न ही कोटेशन किये जाने के कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। तालिका-1 से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014-15 में कुछ पत्रावलियों में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र श्री संलग्न नहीं थे। निर्माण कार्य के मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। इससे स्पष्ट होता है वर्ष 2014-15 में दर्शाये गये सभी निर्माण कार्य काल्पनिक है। पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। किसी भी निर्माण कार्य पत्रावली की एम0बी0 भी लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं की

गयी। पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी है। वर्ष 24-15 के सभी कार्य हेतु एक ही फर्म मेसर्स नीरज ट्रेडर्स द्वारा सामग्री आपूर्ति दर्शाया गया है। मेसर्स नीरज ट्रेडर्स जसोदा से सॉटगाठ कर सामग्री क्रय की समस्त धनराशि रु0 3872687.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए पूर्ण रूप से श्री जितेन्द्र कुमार, श्री ए0के0सिंह कुशवाहा, श्री राजेश कुमार एवं श्री कृष्णा बिहारी शुक्ला सभी खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री अरविन्द्र कुमार श्री सतीश चन्द्र गौतम श्री राम महेश वर्मा सभी जेई एवम् श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी, सहायक लेखाकार एवम् श्री चन्द्रशेखर यादव, ब्लाक प्रमुख एवं फर्म नीरज ट्रेडर्स उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। (मूल आपत्ति सं0 7)

प्रस्तर 73. अनुदान पंजिका अनुसार माइक सिस्टम क्रय हेतु दिनांक 27.08.14 को चेक सं0 351986 से रु0 10000.00 श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी द्वारा बैंक से आहरित किया गया है। इसकी पुष्टि चेक इश्यू रजिस्टर एवं बैंक स्टेटमेंट से भी होती है। रु0 10000.00 आहरण के सापेक्ष किसी भी माइक सिस्टम क्रय के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये इसके अतिरिक्त माइक सिस्टम क्रय हेतु प्रस्ताव, कोटेशन इत्यादि भी अप्रस्तुत रहे। अतः स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी सहायक लेखाकार द्वारा रु0 10000.00 का अपहरण कर लिया गया। सहायक लेखाकार के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही एवं ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0 9)

प्रस्तर 74. आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 3918342.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 156734.00 की व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 13420.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 143314.00 कटौती कम की गई है। ऐसे में न काटे गये व्यापार कर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से व्यापार कर काट कर संबंधित खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0 11)

वित्तीय वर्ष 2015-16

प्रस्तर 75. फर्जी मस्टर रोल बनवाकर एवं बिना मस्टर रोल के कार्य प्रभारियों का मजदूरी/श्रमांश धनराशि का भुगतान:-

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 839932.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री शिवनारायण यादव सहायक विकास अधिकारी (प0) को रु0 112228.00 श्री अमर सिंह यादव, ग्राम विकास अधिकारी को रु0 251248.00 श्री संदीप कुमार, विकास अधिकारी को रु0 379203.00 एवं मो0 शमीम अशरफ ग्राम विकास अधिकारी को रु0 972530.00 का भुगतान कर दिया गया और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये हैं उनमें से तालिका-1 क्र0स0-2 पर अंकित निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर क्रमांक अंकित नहीं इसी प्रकार तालिका-1 के क्रम सं0 4,5,6,7, एवं 8 पर अंकित निर्माण कार्य पत्रावली में मस्टर रोल संलग्न नहीं है, इन्हें लेखा परीक्षा दौरान बार-बार मॉगे जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बिना मस्टर रोल के श्रमांश एवं मजदूरी व्यय दर्शाकर रोकड़ खारिज की गयी है। इसके अतिरिक्त तालिका-1 के अनुसार इन निर्माण पत्रावलियों में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं पाए गए एवं जांच हेतु मॉगे जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रस्तुत मस्टर रोल पर मजदूरों के अंगूठा निशानी प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही-कही हस्ताक्षर हैं वे मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाव के हैं यह श्री उल्लेख नहीं है। उपरोक्त सभी बिन्दुओं की यह पाया गया कि मस्टर रोल कार्यवाही निर्गत नहीं है। इन्हें फर्जी तरीके से तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी में अंकन कुल रु0 839932.00 का वर्ष 2015-16 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए बी0डी0ओ0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। (मूल आपत्ति सं0 15)

प्रस्तर 76. रु0 79022.00 टीडी0एम0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 44275.00 की टीडी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि:-

वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु0 79022.00 की टीडी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 5454845.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रु0 123279.00 टीडी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 44257.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टीडी0एस0 अंकन रु0 79022.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक

न0 / बैंक स्टेटमेन्ट / चालक / दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं0 16)

प्रस्तर 77. बैंक खातों के अनुसार निम्नानुसार चेकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत व्यय प्रमाणक, अभिलेख एवं पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपष्ट भुगतान की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी, सहायक लेखाकार एवं श्री कृष्ण बिहारी शुक्ला, खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

बैंक नाम/ शाखा तथा खाता संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	स्टेटमेन्ट में पाने वाले का नाम
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा जलालाबाद, कन्नौज। खाता सं0 31878976391	14.08.15	615010	63000.00	रजनी कान्त
	04.09.15	615014	169855.00	अज्ञात
	11.09.15	615013	152378.00	ट्रॉसफर- 0010892441194
	30.06.15	6115004	6100.00	विनोद कुमार चतुर्वेदी
	02.02.16	615029	18407.00	अज्ञात
आर्यावर्त ग्रामीण बैंक जलालाबाद। खाता सं0 050610100011593	06.04.15	नकद	345211.00	अज्ञात
	15.04.15	नकद	111327.00	अज्ञात
	07.07.15	नकद	63000.00	अज्ञात
	08.08.15	आर0टी0जी0एस0	363185.00	अज्ञात
योग-			1298463.00	

(मूल आपत्ति सं0 18)

प्रस्तर 78. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होनेपर भी एक ही फर्म मेसर्स नीरज ट्रेडर्स को भुगतान कर फर्म से सॉठ- गौठ कर धन का अपहरण:- वर्ष 2015-16 में तालिका -1 के क्र0सं0 2,3,5,6,7,8 पर अंकित कार्य पत्रावली निर्माण सामग्री क्रय हेतु मेसर्स नीरज ट्रेडर्स को कुल दर्शित भुगतान रू0 4155170.00 बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। प्रस्तुत व्यय प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/ कच्चे बिल/ कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/ उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली- भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। निर्माण कार्य विवरण तालिका-1 के अनुसार कुछ पत्रावलियों में टेण्डर स्वीकृति के तुलनात्मक विवरण पर खण्ड विकास अधिकारी/ जेई/सहायक लेखाकार/लेखाकार/प्रमुख द्वारा बिना तिथि के हस्ताक्षर किये गये हैं जिससे टेण्डर खुलने के दिनांक की पुष्टि भी नहीं होती है। इससे दृष्टिगत होता है कि टेण्डर प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया। तालिका-1 के अनुसार क्र0सं0 04 में न ही निविदा एवं न ही कोटेशन किये जाने के कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। तालिका-1 से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015-16 में कुछ पत्रावलियों में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं थे। निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है इससे स्पष्ट होता है वर्ष 2014-15 में दर्शाये गये सभी निर्माण कार्य काल्पनिक है। पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। किसी भी निर्माण कार्य पत्रावली की एम0बी0 भी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गयी। पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं। वर्ष 2014-15 के सभी कार्य हेतु एक ही फर्म मेसर्स नीरज ट्रेडर्स द्वारा सामग्री आपूर्ति दर्शाया गया है। मेसर्स नीरज ट्रेडर्स जसोदा से सॉठगाठ कर सामग्री क्रय की समस्त धनराशि रू0 4155170.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए पूर्ण रूप से श्री कृष्ण बिहारी शुक्ला, खण्ड विकास अधिकारी, श्री राम महेश, जेई, श्री संतोष कुमार, जेई, श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी, सहायक लेखाकार, श्री चन्द्रशेखर यादव, ब्लाक प्रमुख एवं फर्म- नीरज ट्रेडर्स उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं0 19)

प्रस्तर 79. आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 5454845.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 218194.00 की व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 139248.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 78946.00 कटौती कम की गई है। ऐसे में न काटे गये व्यापार कर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से व्यापार कर काट कर संबंधित खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं0 21)

वित्तीय वर्ष 2016-17

प्रस्तर 80.फर्जी मस्टर रोल बनवाकर एवं बिना मस्टर रोल के कार्य प्रभारियों का मजदूरी/ श्रमांश धनराशि का भुगतान:—वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 42526.00 मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारी श्री अशोक कुमार प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी को रु0 23222.00 श्री अमर सिंह यादव, ग्राम विकास अधिकारी को रु0 15588.00 एवं श्री संदीप कुमार, ग्राम विकास अधिकारी को रु0 3716.00 का भुगतान कर दिया गया। ये सभी भुगतान दिनांक 25.05.16 को एक ही क्रम की चेक से किसे गये है। (जिनका क्रम है— चेक सं0 617353,617354, 617355,617356,617357) इनके सापेक्ष तालिका— 1 के अनुसार क्रम संख्या— 5 पर अंकित निर्माण कार्य पत्रावली का मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया एवं क्रामंक—2 पर अंकित पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर क्रमांक एवं अवधि भी अंकित नहीं है। तालिका—1 के अनुसार ही क्रम संख्या—3 एवं 4 पर अंकित पत्रावलियों में अवधि एवं क्रमांक अंकित है जिसके अनुसार वर्ष 2014 में कार्य कराया जाना दर्शाया गया है।जबकि इस मजदूरी का भुगतान दिनांक 25.05.2016 अर्थात एक वर्ष छः माह बाद किया जाना दर्शाया गया है। अर्थात मजदूरी मद में दर्शायी गयी ये धनराशि पूर्णतः फर्जी एवं काल्पनिक है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि वर्ष 2016-17 में सभी कार्यों का सामग्री भुगतान दिनांक 25.05.16 को ही किया गया है। अतः उक्त अपहरण की गयी धनराशि रु0 42526.00 के लिए श्री कृष्ण बिहारी शुक्ला, बी0डी0ओ0, श्री ए0के0 सिंह कुशवाहा, बीडी0ओ0, श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी, सहायक लेखाकार, श्री संतोष कुमार, जेई, श्री मो0 हमीद शेख, जेई एवं ब्लाक प्रमुख श्री चन्द्रशेखर यादव समान रूप से उत्तरदायी है।ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं0 24)

प्रस्तर 81. रु0 1029.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 1838.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि:— वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु0 1029.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 126843.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रु0 2867.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 1838.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 1029.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/ चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं करागया हैं। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं0 25)

प्रस्तर 82. बैंक खातों के अनुसार निम्नानुसार चेकों से कतिपय व्यक्तियों/ फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत व्यय प्रमाणक, अभिलेख एवं पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतान की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी, सहायक लेखाकार एवं, श्री कृष्ण बिहारी शुक्ला, एवं श्री ए0के0 सिंह कुशवाहा, खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:—

बैंक नाम/ शाखा तथा खाता संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	स्टेटमेन्ट में पाने वाले का नाम
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा जलालाबाद, कन्नौज। खाता सं0 31878976391	04.05.16	617345	122454.00	अज्ञात
	06.05.16	617344	69491.00	अज्ञात
	25.05.16	617346	25500.00	राणा प्रताप
	22.07.16	617347	5100.00	राहुल गुप्ता
	24.11.16	नकद	46629.00	अज्ञात
	22.03.17	617361	140000.00	अज्ञात
	योग—		409174.00	

(मूल आपत्ति सं0 27)

प्रस्तर 83. सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी एक ही फर्म मेसर्स नीरज ट्रेडर्स, को भुगतान कर फर्म से सॉट-गॉट कर धन का अपहरण-वर्ष 2016-17 में कोई कार्य नहीं कराया गया है। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच दौरान ज्ञात हुआ कि उन्ही कार्यों के सापेक्ष फर्जी सामग्री क्रय दर्शाकर एक ही दिनांक 25.05.16 को एक ही सीरियल के चेक बुक सं० 611748 ,611749 ,611750,611751,611752 से फर्म को भुगतान किया गया है। जबकि वर्ष 2014-15 में यदि निविदा निर्गत हुयी थी तो नियमतः अधिकतम तीन महीनो में कार्य को पूर्ण हो जाना चाहिए। लेकिन कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुसार कार्य वर्ष 2016 में समाप्त हुआ। जबकि कुछ मस्टर रोलो का भुगतान वर्ष 2014-15 में किया जाना दर्शाया गया है। अतः ताकिक रूप से विचार करने पर यह स्पष्ट है कि बिना सामग्री के कार्य कराना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त आपत्ति सं० 24 पर भी यह स्पष्ट बताया गया हैकि मजदूरी मद में व्यय फर्जी एवं काल्पनिक है। अतः उक्त अपहरण की गयी धनराशि रु०126843.00 के लिए श्री कृष्ण बिहारी शुक्ला, बी०डी०० श्री ए०के० सिंह कुशवाहा, बी०डी०० श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी, सहायक लेखाकार, श्री संतोष कुमार ,जेई श्री मो० हमीद शेख, जेई एवं ब्लाक प्रमुख श्री चन्द्रशेखर यादव समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। (मूल आपत्ति सं० 28)

प्रस्तर 84. अनुदान पंजिका अनुसार रु० 12023.00 का फर्नीचर "स्टाइल फर्नीचर, गाँधीनगर,कानपुर नगर से क्रय दर्शाकर रोकड़ खारिज किया गया है। बैंक स्टेट मेन्ट अनुसार दिनांक 27.10.16 को चेक सं० 617358 से धनराशि रु० 12023.00 का भुगतान उक्त फर्म को हुआ है। अनुदान पंजिका अनुसार ही रु० 38755.00 प्लास्टिक कुर्सी दि नारायण मार्केटिंग, एजेन्सी कानपुर नगर से क्रय दर्शाकर खारिज की गयी है। बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार दिनांक 26.10.2016 को चेक सं० 617360 से रु० 38755.00 का भुगतान फर्म को हुआ है। लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित पत्रावली, व्यय प्रमाणक, कोटेशन एवं एवं स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे फर्नीचर क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त फर्म से सॉटगॉट कर फर्जी फर्नीचर, क्रय दर्शाकर रु० 50778.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी, सहायक लेखाकार एवं श्री ए०के० सिंह कुशवाहा, खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। (मूल आपत्ति सं० 29)

प्रस्तर 85. अनुदान पंजिका अनुसार रु० 36000.00 का इन्वर्टर चन्द्रा बैट्रीज आर० के नगर कानपुर नगर से क्रय दर्शाकर रोकड़ खारिज किया गया है बैंक स्टेट मेन्ट अनुसार दिनांक 26.10.16 को चेक सं० 617359 से 36000.00 का भुगतान उक्त फर्म को हुआ है। लेखा परीक्षा दौरान उक्त से संबंधित पत्रावली, व्यय प्रमाणक, कोटेशन एवं स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इन्वर्टर क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त फर्म से सॉटगाट कर फर्जी फनीचर क्रय दर्शाकर रु० 36000.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी, सहायक लेखाकार एवं श्री ए०के० सिंह कुशवाहा, खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। (मूल आपत्ति सं० 30)

प्रस्तर 86. आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 126842.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 5072.00 की व्यापार कर कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु० 1814.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रु० 3260.00 कटौती कम की गई है। ऐसे में न काटे गये व्यापार कर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी से व्यापार कर काट कर संबंधित खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं० 31)

क्षेत्र पंचायत कन्नौज-(वर्ष 2011-12 से 2013-14)

प्रस्तर 87.मस्टर रोल मजदूरी का और भुगतान कार्य प्रभारियों को

वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 301920.00 मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राजीव कुमार दीक्षित, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु० 32640.00 श्री सुधीर कुमार दुवे, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु० 50680.00 श्री राजेश कुमार दुवे पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु० 2280.00 एवं श्री राम अनन्त सिंह, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु० 166320.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। और न ही मस्टर रोल निर्गम कर्त्ता की मोहर व हस्ताक्षर ही है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर का भुगतान उनके मस्टर रोल प्राप्त होने पर उनके खातों के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए। था जो नहीं किया गया है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि कराये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक किये जाने का आदेश है। जबकि मस्टर रोल 15 दिन के तैयार किये गये हैं तथा उसका भुगतान 01 माह से 06 माह बाद तक कार्य प्रभारी को किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। ओर मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 301920.00 का वर्ष 2011-12 की निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये डा0 राम कुमार गौतम, खण्ड विकास अधिकारी, एवं श्रीमती साधना सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, श्री यादराम पाल, लेखाकार एवं तत्कालीन जे0ई0 तथा सम्बन्धित कार्य प्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं0 3)

प्रस्तर 88. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी भुगतान कर अपहरण:-

राज्य वित्त आयोग मद से दिनांक 18.05.12 को ₹0 35725.00 का भुगतान श्री मुबारक अली, कैशियर द्वारा बैंक से प्राप्त किया गया है जो विकास खण्ड कार्यालय की रंगाई पुताई बावत किया गया है जबकि सामग्री क्रय व्यय प्रमाणक श्री राम हार्डवेयर एवं पेन्ट्स तथा में0 पवन विल्डर्स एवं सप्लायर्स के लेटर पैड पर तैयार किये गये हैं। सामग्री क्रय के पक्के बिल न प्राप्त करने एवं उसका भुगतान फर्म को बैंक से न किये जाने से स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। अतः धनराशि ₹0 35725.00 की ब्याज सहित वसूली डा0 राम कुमार गौतम खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री मुबारक अली, कैशियर से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 4)

प्रस्तर 89. ₹0 33220.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं ₹0 11901.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन ₹0 33220.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय ₹0 1996523 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से ₹0 45121.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार ₹0 11901.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ डा0 राम कुमार गौतम एवं साधना सिंह, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन ₹0 33220.00 की जमा की पुष्टि में चालान/ दाखिल रिटर्न प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 5)

प्रस्तर 90. आलोच्य वर्ष में व्यापार कर कुल सामग्री क्रय ₹0 1996523.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 79860.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में ₹0 26515.00 की कटौती की गई है। इस प्रकार ₹0 53345.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये व्यापार कर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ डा0 राम कुमार गौतम एवं श्रीमती साधना सिंह आहरण वितरण अधिकारी/बी0डी0ओ0 से जमा कराया जाना अपेक्षित है साथ ही काटे गये व्यापार कर अंकन ₹0 26515.00 की जमा की पुष्टि में चालान उपलब्ध नहीं कराया गया है। जमा चालान से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन ₹0 53345.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ डा0 राम कुमार गौतम एवं साधना सिंह, आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 6)

प्रस्तर 91. बैंक खाता सं0 760210100014004 के अनुसार निम्नानुसार बैंको का नकद भुगतान प्राप्त किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/ पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। वर्तमान लेखाकार श्री अरुणेश कुमार यादव द्वारा बताया गया कि सम्बन्धित अभिलेख/ पत्रावली चार्ज में प्राप्त नहीं हुयी है। बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान दर्शा कर धनराशि ₹0 43000.00 का अपहरण किया गया है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही डा0 राम कुमार गौतम, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री यादराम पाल, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेंट में पाने वाले का नाम
19.10.11	55893	31000	नगद
27.07.11	68000	12000	नगद
योग		43000	

(मूल आपत्ति सं0 8)

प्रस्तर 92. आलोच्य वर्ष 2011-12 में चैक सं 55895 दिनांक 01.12.11 द्वारा श्री राम अनन्त सिंह, ग्राम विकास अधिकारी को रू 16560-00 का भुगतान बावत मजदूरी का किया जाना दर्शाया गया है जबकि निर्माण कार्य पत्रावली में उक्त से सम्बन्धित मस्टर रोल/व्यय प्रमाणक संलग्न नहीं पाया गया। बिना व्यय प्रमाणक के उक्त धनराशि का भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। जिसके लिये डा० राम कुमार गौतम, बी०डी०ओ०, श्री यादराम, लेखाकार श्री रामअनन्त सिंह, कार्य प्रभारी, सम्बन्धित जे०ई०/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं० 9)

प्रस्तर 93.मस्टर रोल मजदूरी का और भुगतान कार्य प्रभारियों को

वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यो पर अंकन रू 863260.00 मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री विमलेश कुमार, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रू 186235.00 श्री सतानन्द दीक्षित, पदनाम सहायक विकास अधिकारी आई०एस०बी० को रू 148668.00 श्री राम अनन्त सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी/प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (पं०) को रू 241451.00 एवं श्री राजेश कुमार दुवे, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रू 286906.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। और न ही मस्टर रोल निर्गम कर्त्ता की मोहर व हस्ताक्षर ही है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर का भुगतान उनके मस्टर रोल प्राप्त होने पर उनके खातों के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि कराये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक किये जाने का आदेश है। जबकि मास्टर रोल 15 दिन के तैयार किये गये है तथा उसका भुगतान 01 माह से 06 माह बाद तक कार्य प्रभारी को किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रू 863260.00 का वर्ष 2012-13 की निर्माण कार्यो की पत्रावलियों में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये श्रीमती साधना सिंह, , खण्ड विकास अधिकारी, श्री यादराम पाल लेखाकार एवं तत्कालीन जे०ई० तथा सम्बन्धित कार्य प्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। (मूल आपत्ति सं० 3)

प्रस्तर 94. रू 87101.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू 8444.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रू 87101.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू 4227656.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रू 95545.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रू 8444.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्रीमती साधना सिंह, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन रू 87101.00 की जमा की पुष्टि में चालान/ दाखिल रिटर्न प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 5)

प्रस्तर 95. आलोच्य वर्ष में व्यापार कर कुल सामग्री क्रय रू 4227656.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू 169106.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू 66273.00 की कटौती की गई है। इस प्रकार रू 102833.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये व्यापार कर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्रीमती साधना सिंह आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी से जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये व्यापार कर अंकन रू 66273.00 की जमा की पुष्टि में चालान उपलब्ध नहीं कराया गया है। जमा चालान से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू 102833.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ श्रीमती साधना सिंह, आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 6)

प्रस्तर 96. बैंक खाता सं 760210100014004 के अनुसार निम्नानुसार चैको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/ पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। वर्तमान लेखाकार श्री अरुणेश कुमार यादव द्वारा बताया गया कि सम्बन्धित अभिलेख/ पत्रावली चार्ज में प्राप्त नहीं हुयी है। बिना व्यय प्रमाणक के

भुगतान दर्शा कर धनराशि रू0 401515.00 का अपहरण किया गया है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही श्रीमती साधना सिंह खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री यादराम पाल, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेंट में पाने वाले का नाम
19.07.12	55901	40355	नाद
16.08.12	55914	31000	लेखाकार
21.08.12	55913	16320	नाद
25.08.12	55912	31710	ट्रान्सफर 760625100030088
15.03.13	25085	6175	इलाहाबाद बैंक
योग		401515	

(मूल आपत्ति सं0 9)

प्रस्तर 97. मस्टर रोल मजदूरी का और भुगतान कार्य प्रभारियों को

वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यो पर अंकन रू0 1185015.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री विमलेश कुमार पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रू0 155677.00 श्री सतानन्द दीक्षित, पदनाम सहायक विकास अधिकारी आई0एस0बी0 को रू0 235408.00 श्री राम अनन्त सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी/प्रभारी सहायक विकास अधिकारी पं0 को रू0 430169.00 व श्री विनीत कुमार, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रू0 185725.00 श्री योगेन्द्र सिंह सहायक विकास अधिकारी एजी को रू0 20988.00 एवं श्री राजेश कुमार दुवे पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रू0 157048.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। और न ही मस्टर रोल निर्गम कर्त्ता की मोहर व हस्ताक्षर ही है। जिससे स्पष्ट है कि मास्टर रोल कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर का भुगतान उनके मस्टर रोल प्राप्त होने पर उनके खातों के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि कराये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक किये जाने का आदेश है। जबकि मस्टर रोल 15 दिन के तैयार किये गये हैं तथा उसका भुगतान 01 माह से 06 माह बाद तक कार्य प्रभारी को किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 11.85015.00 का वर्ष 2013-14 की निर्माण कार्यो की पत्रावलियों में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये श्रीमती साधना सिंह, , खण्ड विकास अधिकारी, श्री यादराम पाल लेखाकार एवं तत्कालीन जे0ई0 तथा सम्बन्धित कार्य प्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। (मूल आपत्ति सं0 3)

प्रस्तर 98. सेलइनवाइस में कटिंग कर/ फर्म को चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य के बचत खाते में करना

विकास खण्ड परिसर में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के आवास में एक कक्ष एवं एक बरामदा निर्माण की सामग्री में0 साहब बक्श ठेकेदार से लाना दर्शाया गया है। जिसमें सेल इनवाइस में0 साहब बक्श ठेकेदार की है, जिनमें से निम्न सेलइनवाइस में में0 एवं ठेकेदार को पेन से काट कर काला कर दिया गया है। तथा बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/ खाते में है:-

सेल इनवाइस			टी0डी0एस0 एवं व्यापार कर कटौती के उपरान्त भुगतान की गयी धनराशि	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
न0	दिनांक	धनराशि		
01/64	22.09.2013	154579.00	147086.00	बचत खाता सं0- 21187
01/67	05.10.2013	89630.00	84844.00	बचत खाता सं0- 21187
01/68,69	02.12.2013	93665	91543.00	बचत खाता सं0- 21187
	योग		323473.00	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 323473.00 का भुगतान सेल इनवाइस में कटिंग कर, भुगतान फर्म के खाते में न कर अन्य के बचत खाता में किया गया है। जो बैंक स्टेटमेंट से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रमक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 323473.00 का अपहरण किया गया है। जिसके

लिये श्रीमती साधना सिंह, बी०डी०ओ० श्री यादराम पाल लेखाकार, श्रीराम अनन्त सिंह कार्य प्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। (मूल आपत्ति सं० 4)

प्रस्तर 99. रू० 126106.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू० 12570.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रू० 126106.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू० 6136107.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रू० 138676.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रू० 12570.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्रीमती साधना सिंह, आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन रू० 126106.00 की जमा की पुष्टि में चालान/ दाखिल रिटर्न प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं० 5)

प्रस्तर 100. आलोच्य वर्ष में व्यापार कर कुल सामग्री क्रय रू० 6136107.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू० 245444.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू० 84678.00 की कटौती की गई है। इस प्रकार रू० 160766.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये व्यापार कर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ श्रीमती साधना सिंह आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी से जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये व्यापार कर अंकन रू० 84678.00 की जमा की पुष्टि में चालान उपलब्ध नहीं कराया गया है। जमा चालान से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू० 53345.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ श्रीमती साधना सिंह, आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं० 6)

प्रस्तर 101. बैंक खाता सं० 760210100014004 के अनुसार निम्नानुसार चैको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/ पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। वर्तमान लेखाकार श्री अरुणेश कुमार यादव द्वारा बताया गया कि सम्बन्धित अभिलेख/ पत्रावली चार्ज में प्राप्त नहीं हुयी है। बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान दर्शा कर धनराशि रू० 941289.00 का अपहरण किया गया है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही श्रीमती साधना सिंह खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री यादराम पाल, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेंट में पाने वाले का नाम
27.05.2013	055931	31000	नाद
26.06.2013	055936	68536	ईट भट्टा
10.08.2013	055947	240217	यादव
13.09.2013	055948	31000	नाद
12.12.2013	055950	174300	मे० पंचायत
11.12.2013	055978	63276	मे० आश्रम
16.12.2013	055979	117685	मे० यादव ट्रेडर्स
16.12.2013	055980	2377	मे० यादव ट्रेडर्स
28.12.2013	055990	16600	सुरजीत सिंह
03.02.2014	055995	31000	नाद
07.03.2014	055998	112752	विमलेश कुमार
12.03.2014	055959	4546	सुरजीत सिंह
09.04.2014	055967	48000	कुसुम
	योग	941289	

(मूल आपत्ति सं० 9)

क्षेत्र पंचायत गुगरापुर (वर्ष 2011-12 से 2013-14)

प्रस्तर 102. वित्तीय वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत सयोगिता मार्ग राजपुर से लालपुर तक इंटरलॉकिंग कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तिया प्रकाश में आयी-

क. वार्षिक कार्ययोजना लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कार्य, क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित था।

ख. उक्त कार्य सामग्री क्रय — इंटरलॉकिंग ईट क्रय पर रू0 835924.00 व्यय किया गया। जिस पर टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। शासनादेश सं0 ए-1864 (1)दस- 2008-15 (1)86 दिनांक 23 सितंबर 2008 के अनुसार रू0 20000.00 से अधिक व रू0 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और रू0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किये जाने चाहिए, किन्तु इंटरलॉकिंग ईट क्रय खरीद में उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ग. उक्त कार्य में श्रमांश पर रू0 104560.00 व्यय किया गया है। इस व्यय धनराशि को कार्य प्रभारी श्री चन्द्र सैनी द्वारा वियरर चेक संख्या 846127 के माध्यम से दिनांक 05.03.2012 को स्वयं आहरित किया गया, जबकि श्रमांश की धनराशि श्रमिकों के खाते में सीधे हस्तांतरित की जानी चाहिए थी। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (महात्मा गाँधी नरेगा) दिशा निर्देश 2013 चौथा संस्करण के अध्याय 8 (मजदूरी का भुगतान) में 8 :1 के द्वितीय पैरा में उल्लेखित है कि अनुसूची 2 के पैरा 31 में यह कहा गया है कि मजदूरी का भुगतान कामगारों के व्यक्तिगत एवं संयुक्त बचत खातों के जरिये किया जायगा। अध्याय 8 मजदूरी का भुगतान में 8:2 (नकद भुगतान) से सम्बंधित दिशा निर्देशों का उल्लेख किया गया है जिसका पालन कार्य प्रभारी द्वारा नहीं किया गया।

घ. कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र सं0 7399 एम0टी0/ सामान्य वर्ग 60/ एम् टी./2008 दिनांक 16.09.2008 के बिन्दु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायेगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पादरर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया।

ड. लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण वर्ष में क्रय , वर्ष में उपभोग और वर्षांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि नहीं की जा सकी।

च. क्रय की गई इंटरलॉकिंग का स्ट्रेन्थ प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है, ऐसी दशा में अधोमानक इंटरलॉकिंग के इस्तेमाल से इंकार नहीं किया जा सकता है।

छ. कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं की गई।

ज. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिन्दु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त इंटरलॉकिंग की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

झ. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के बिंदु 08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जांच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किन्तु उक्त निर्माण कार्य परिमाप पुस्तिका की जांच लेखाकार क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं की गई।

ञ. उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण पत्र संदर्भित संस्थाओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता सम्बंधित विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाता है।

ट. निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है जो आपत्तिजनक रहा

उक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्त निर्माण कार्य में गम्भीर अनियमितताएँ की गई हैं कार्य अधोमानक कराया गया है एवं भुगतान करने में शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन नहीं किया गया। अतः शासन द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि रू0 810484.00 का व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गई, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। (मूल आपत्ति सं0 11)

प्रस्तर 103. वित्तीय वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त के अंतर्गत रू0 5400.00 व्यय किया गया जिसका विवरण ग्रांट रजिस्टर-2 में भी अनुपलब्ध रहा उपरोक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/ पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। बिना प्रमाणक या पत्रावली के व्यय की गई

धनराशि रु0 5400.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं0 12)

प्रस्तर 104 वित्तीय वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम चौदापुर में मुन्ना लाल के घर से कुवर काछी के घर तक सी0सी0 रोड मरम्मत एवं नाली निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तिया प्रकाश में आयी—

क. वार्षिक कार्य योजना लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कार्य, क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित था।

ख. उक्त कार्य में श्रमांश पर रु0 91260.00 व्यय किया गया। इस व्यय धनराशि को कार्य प्रभारी श्री संतोष कुमार वर्मा ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 द्वारा वियरर चेक संख्या 371796 के माध्यम के दिनांक 10.09.2013 को स्वयं आहरित किया गया, जबकि श्रमांश की धनराशि श्रमिकों के खाते में सीधे हस्तांतरित की जानी चाहिए थी। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 महात्मा गाँधी नरेगा दिशा निर्देश 2013 चौथा संस्करण के अध्याय 8 मजदूरी का भुगतान में 8:1 के वित्तीय पैरा में उल्लेखित है कि अनुसूची 2 के पैरा 31 में यह कहा गया है कि मजदूरी का भुगतान कामगारों के व्यक्तिगत एवं संयुक्त बचत खातों के जरिये किया जायेगा। अध्याय 8 मजदूरी का भुगतान में 8:2 (नकद भुगतान) से संबंधित दिशा निर्देशों का उल्लेख किया गया है जिसका पालन कार्य प्रभारी द्वारा नहीं किया गया।

ग. कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र सं0 7399 एम0टी0/ सामान्य वर्ग 60/ एम् टी./2008 दिनांक 16.09.2008 के बिन्दु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायेगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायेगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पादरश्मिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया।

घ. लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण वर्ष में क्रय, वर्ष में उपभोग और वर्षांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ड. कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं की गई।

च. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिन्दु 01 के अनुसार दैनिक मजदूरी द्वारा कराये गए सभी कार्यों की सम्यक रीति से माप की जाएगी और प्राप्त हुई सभी सामग्री को यथोचित रूप से माप पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा। माप पुस्तिका में समस्त कार्य की माप भी अंकित की जाएगी तथा कार्य की माप के उपरांत ही व्ययों के भुगतान की संस्मृति की जाएगी। किंतु उक्त निर्माण कार्य की मात्र पुस्तिका मांगे जाने पर भी उपलब्ध नहीं करायी गई।

छ. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के बिंदु 08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जांच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किन्तु उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका मांगे जाने पर भी उपलब्ध नहीं करायी गई।

ज. उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण पत्र संदर्भित संस्थओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता संबंधित विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाता है।

झ. निर्माण कार्य पूर्ण होने पर समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है जो आपत्तिजनक रहा

उक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्त निर्माण कार्य में गम्भीर अनियमितताएँ की गई हैं कार्य अधोमानक कराया गया है एवं भुगतान करने में शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन नहीं किया गया अतः शासन द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि रु0 545698.00 का व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गई, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।
(मूल आपत्ति सं0 13)

प्रस्तर 105. वित्तीय वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत रु0 67583.00 क्षेत्र पंचायत गुगरापुर कार्यालय व्यय के रूप में दर्शित किया गया उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी पत्रावली/ व्यय

प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे बिना प्रमाणक या पत्रावली के व्यय धनराशि रु0 67583.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 14)

प्रस्तर 106. वित्तीय वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत गुणीचन्द्र के मकान से दयाराम के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तिया प्रकाश में आयी—

क. वार्षिक कार्ययोजना लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कार्य क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित था।

ख. उक्त कार्य सामग्री क्रय पर रु0 882263.00 व्यय किया गया। जिस पर टेडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। शासनादेश सं0 ए-1-864(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु0 20000.00 से अधिक व रु0 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और रु0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किये जाने चाहिए, किन्तु इंटरलॉकिंग ईट क्रय खरीद में उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ग. उक्त कार्य श्रमांश पर रु0 181209.00 व्यय किया गया है। इस व्यय धनराशि को कार्य प्रभारी श्रीसंतोष कुमार वर्मा ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 द्वारा वियरर चेक सं0 000657 के माध्यम से दिनांक 20.02.2014 को स्वयं आहरित किया गया, अबकि श्रमांश की धनराशि श्रमिकों के खाते में सीधे हस्तांतरिक की जानी चाहिए थी। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (महात्मा गाँधी नरेगा) दिशा निर्देश 2013 चौथा संस्करण के अध्याय 8 मजदूरी का भुगतान में 8:1 के द्वितीय पैरा में उल्लेखित है कि अनुसूची- 2 के पैरा 31 में यह कहा गया है कि मजदूरी की भुगतान कामगारों के व्यक्तित्व एवं संयुक्त बचत खातों के जरिये किया जायगा। अध्याय 8 मजदूरी का भुगतान में 8:2 नकद भुगतान से सम्बंधित दिशा निर्देशों का उल्लेख किया गया है जिसका पालन कार्य प्रभारी द्वारा नहीं किया गया।

घ. कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र सं0 7399 एम्0टी0/ सामान्य वर्ग/60 एम्0टी0/2008 दिनांक 16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायेगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया।

ड. लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण वर्ष में क्रय , वर्ष में उपभोग और वर्षांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि नहीं की जा सकी।

च. कार्य से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं की गई।

छ. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

ज. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के बिन्दु 08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जांच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किंतु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जांच लेखा क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं की गई।

झ. उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता सम्बंधित विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाता है।

ट. निर्माण कार्य पूर्ण होने पर समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रावली में संलग्न नहीं है जो आपत्तिजनक रहा

उक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्त निर्माण कार्य में गम्भीर अनियमितताएँ की गई कार्य अधोमानक कराया गया है एवं भुगतान करने में शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन नहीं किया अतः शासन द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि रु0 943243.00 का व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की

गई, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता एवं कार्यप्रभारी समान रूप उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं० 15)

प्रस्तर 107. वित्तीय वर्ष 2013.14 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्रा० पीरनपुरवा श्रीकृष्ण के घर से तलैया तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तिया प्रकाश में आयी।

क. वार्षिक कार्ययोजना लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कार्य क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित था।

ख. उक्त कार्य सामग्री क्रय पर रु० 186251.00 व्यय किया गया। जिस पर टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। शासनादेश सं० ए-1-864(1)/दस 2008 15 (1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु० 20000.00 से अधिक व रु० 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और रु० 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किये जाने चाहिए, किन्तु इंटरलॉकिंग ईट क्रय खरीद में उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ग. कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र सं० 7399 एम०टी०/सामान्य वर्ग/60 एम०टी०/2008 दिनांक 16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायेगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया।

घ. लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण वर्ष में क्रय, वर्ष में उपभोग और वर्षांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ड. कार्य से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं की गई।

च. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

छ. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के बिन्दु 08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जांच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किंतु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जांच लेखाकार क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं की गई।

ज. उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता सम्बंधित विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाता है।

ट. निर्माण कार्य पूर्ण होने पर समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाने वाला कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रावली में संलग्न नहीं है जो आपत्तिजनक रहा

उक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्त निर्माण कार्य में गम्भीर अनियमितताएँ की गई कार्य अधोमानक कराया गया है एवं भुगतान करने में शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन नहीं किया अतः शासन द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि रु० 186251.00 का व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गई, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता एवं कार्यप्रभारी समान रूप उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं० 16)

प्रस्तर 108. वित्तीय वर्ष 2013.14 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अंतर्गत रु० 8000.00 व्यय के रूप में दर्शित किया गया इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/ पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए बिना प्रमाणक या पत्रावली के व्यय धनराशि रूपए 8000.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 17)

प्रस्तर 109. वित्तीय वर्ष 2013.14 की लेखा परीक्षा में तेरहवें वित्त के अंतर्गत करीमपुर संपर्क मार्ग से धन्ना सिंह के विद्यालय तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तिया प्रकाश में आयी।

क. वार्षिक कार्ययोजना लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त कार्य क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित था।

ख. इंटरलॉकिंग ईट क्रय पर रु0 212158.00 व्यय किया गया। जिस पर टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। शासनादेश सं0 ए-1-864(1)/दस 2008 15 (1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु0 20000.00 से अधिक व रु0 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और रु0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किये जाने चाहिए, किन्तु इंटरलॉकिंग ईट क्रय खरीद में उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ग. कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र सं0 7399 एम0टी0/सामान्य वर्ग/60 एम0टी0/2008 दिनांक 16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शा व लाइन डायग्राम तैयार किया जायेगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायेगा। किन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, नजरी नक्शा, लाइन डायग्राम व फोटो संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक आगणन तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई एवं आगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया।

घ. लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। इस कारण वर्ष में क्रय, वर्ष में उपभोग और वर्षांत अवशेष स्टॉक की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ड. कार्य से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं की गई।

च. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 के बिंदु 01 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री की गिनती या माप कर माप पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका में प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सामग्री का अंकन माप पुस्तिका में नहीं किया गया।

छ. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के बिन्दु 08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्त मापों की शत-प्रतिशत जांच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसके पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। किंतु उक्त निर्माण कार्य परिमाण पुस्तिका की जांच लेखाकार क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं की गई।

ज. उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य निर्माणकारी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में नहीं कराया गया है इस बात का प्रमाण-पत्र संदर्भित संस्थओं से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससे निर्माणकार्य में डुप्लीकेसी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता सम्बंधित विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाता है।

झ. निर्माण कार्य पूर्ण होने पर समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाने वाला कार्यपूर्ति पत्र प्रमाण पत्रावली में संलग्न नहीं है।

उक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्त निर्माण कार्य में गम्भीर अनियमितताएँ की गई कार्य अधोमानक कराया गया है एवं भुगतान करने में शासनादेशों में निहित निर्देशों का पालन नहीं किया अतः शासन द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि रु0 212158.00 का व्यय करने में गम्भीर अनियमितताएँ की गई, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता एवं कार्यप्रभारी समानरूप उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं0 18)

प्रस्तर 110. बी0आर0जी0एफ खाते की जांच में पाया गया वित्तीय वर्ष 2011-12 में रु0 105988.00 व्यय किया गया है। इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही ग्रांट रजिस्टर 2 में संबंधित व्यय का विवरण भी अप्राप्त रहा। जिससे यह ज्ञात न हो सका कि उक्त धनराशि किस क्षेत्र एवं किस मद में व्यय की गई। बिना प्रमाणक या पत्रावली के व्यय धनराशि रूपए 105988.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी लेखाकार कार्य प्रभारी एवं अवर अभियंता से की जाए।

(मूल आपत्ति सं0 19)

प्रस्तर 111. क्षेत्र निधि खाते की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में 39696.00 व्यय किया गया। उपरोक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। बिना

प्रमाणक या पत्रावली के व्यय की गई धनराशि रु 39696.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 20)

प्रस्तर 112. बायोगैस खाते की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु0 8000.00 व्यय किया गया इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/ पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार प्रमाणरहित व्यय दर्शाकर य0 8000.00 का गबन किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 21)

प्रस्तर 113. पाइका स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 30,000.00 व्यय किए गए। इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/ पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार प्रमाणरहित व्यय दर्शाकर रु0 30,000.00 का गबन किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 22)

प्रस्तर 114. पेयजल गुणवत्ता स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 11400 रु0 व्यय किए गए। इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार प्रमाणरहित व्यय दर्शाकर रूपए 11400 का गबन किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 23)

प्रस्तर 115. आर्थिक गणन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 2000.00 व्यय किया गया इस व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली वित्तीय लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार प्रमाणरहित व्यय दर्शाकर रु0 2000.00 का गबन किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 24)

प्रस्तर 116. आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में निम्न धनराशि से सम्बंधित व्यय प्रामाणिक नहीं पाए गए।

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	कार्य का नाम
01	07.12.2011	178427	130000.00	संयोगिता मार्ग राजपुर से लालपुर तक इंटरलॉकिंग
02	20.02.2014	000654	120229.00	गुणीचन्द्र के मकान से दयाराम के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण
योग			250229.00	

इस प्रकार प्रमाणरहित व्यय दर्शाकर रु0 250229.00 का गबन किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 25)

क्षेत्र पंचायत हसेरन (वर्ष 2011-12 से 2016-17)

प्रस्तर 117. वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक कोई भी अभिलेख/पत्रावलियों लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई है। जब कि प्रिया साफ्ट के अनुसार निम्न व्यय किया गया है।

वर्ष	व्यय की गई धनराशि
2011-12	रु0 2316305.00
2012-13	रु0 1117010.00
2013-14	रु0 4864858.00
2014-19	रु0 162793.00
योग	रु0 8460966.00

इन व्ययों के सापेक्ष किसी भी प्रकार का अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जो अनियमित रहा। इस हेतु उत्तर दायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के विरुद्ध विभागी कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं0 14)

प्रस्तर 118. क्षेत्र पंचायत हसेरन द्वारा श्री इकवाल के घर से हुस्न आरा के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य हेतु रु0 10.78 लाख कुल व्यय क्या गया। इस कार्य को कार्य प्रभारी श्री प्रभुशरण सिंह (सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता) द्वारा कराया गया। उक्त कार्य पर श्रमांश पर व्यय रु0 76750.00 का भुगतान चेक नम्बर 497326 दिनांक 08.03.2018 को कार्य प्रभारी श्री प्रभुशरण सिंह द्वारा स्वयं आहरित किया गया है।

जब कि उक्त धनराशि को श्रमिकों के खाते में बैंक द्वारा सीधे भुगतान किया जाना चाहिये था। इस प्रकार उक्त व्यय अनियमित रहा। इस हेतु उत्तर दायी कार्य प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं० 8)

प्रस्तर 119. क्षेत्र पंचायत हसेरन द्वारा इंदरगढ़ में दिनेश वहेलिया के घर से राजू सविता के दरवाजे तक इंटर लाकिंग कार्य हेतु रु० 9.32 लाख कुल व्यय किया गया। इस कार्य को कार्य प्रभारी श्री प्रभुशरण सिंह (सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता) द्वारा कराया गया। उक्त कार्य पर श्रमांश पर व्यय रु० 109530.00 का भुगतान चेक नम्बर 497324 दिनांक 03.01.2018 को कार्य प्रभारी श्री प्रभुशरण सिंह द्वारा स्वयं आहरित किया गया है। जब कि उक्त धनराशि को श्रमिकों के खाते में बैंक द्वारा सीधे भुगतान किया जाना चाहिये था। इस प्रकार उक्त व्यय अनियमित रहा। इस हेतु उत्तर दायी कार्य प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं० 9)

प्रस्तर 120. क्षेत्र पंचायत हसेरन द्वारा इंदरगढ़ में उधमपुर बहौसी मार्ग से रामरतन वहेलिया के घर तक इंटर लाकिंग कार्य हेतु रु० 9.71 लाख कुल व्यय किया गया। इस कार्य को कार्य प्रभारी श्री प्रभुशरण सिंह (सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता) द्वारा कराया गया। उक्त कार्य पर श्रमांश पर व्यय रु० 119495.00 का भुगतान चेक नम्बर 497321 दिनांक 03.01.2018 को कार्य प्रभारी श्री प्रभुशरण सिंह द्वारा स्वयं आहरित किया गया है। जब कि उक्त धनराशि को श्रमिकों के खाते में बैंक द्वारा सीधे भुगतान किया जाना चाहिये था। इस प्रकार उक्त व्यय अनियमित रहा। इस हेतु उत्तर दायी कार्य प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं० 10)

प्रस्तर 121. क्षेत्र पंचायत हसेरन द्वारा इंदरगढ़ में रामप्रकाश पाण्डेय के घर से रमाकान्त कमल के दरवाजे तक इंटर लाकिंग कार्य हेतु रु० 9.34 लाख कुल व्यय किया गया। इस कार्य को कार्य प्रभारी श्री प्रभुशरण सिंह (सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता) द्वारा कराया गया। उक्त कार्य पर श्रमांश पर व्यय रु० 129635.00 का भुगतान चेक नम्बर 497323 दिनांक 03.01.2018 को कार्य प्रभारी श्री प्रभुशरण सिंह द्वारा स्वयं आहरित किया गया है। जब कि उक्त धनराशि को श्रमिकों के खाते में बैंक द्वारा सीधे भुगतान किया जाना चाहिये था। इस प्रकार उक्त व्यय अनियमित रहा। इस हेतु उत्तर दायी कार्य प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं० 11)

प्रस्तर 122. क्षेत्र पंचायत हसेरन में ग्रांट रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2015-16 में प्रशासनिक व्ययों के अन्तर्गत चेक नम्बर 000054 दिनांक 22.03.2016 रु० 74463.00 का भुगतान/ व्यय विभिन्न मदों में दर्शया गया हैं। उक्त चेक की धनराशि को श्री बीरेन्द्र कुमार सहायक लेखाकार द्वारा स्वयं आहरित कर लिया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष किसी भी प्रकार का कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि उक्त धनराशि रु० 74463.00 का आहरण दर्शाकर श्री बीरेन्द्र कुमार सहायक लेखाकार द्वारा गबन कर लिया गया। अतः इस हेतु उत्तर दायी सहायक लेखाकार श्री बीरेन्द्र कुमार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बालेश्वर प्रसाद कुशवाहा से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधी की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति सं० 12)

प्रारूप -3

जनपद- कानपुर देहात सम्भाग- कानपुर

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत- सन्दलपुर जनपद- कानपुर देहात सम्भाग- कानपुर लेखा परीक्षा वर्ष - 2017-18

प्रस्तर सं०-1-क्षेत्र पंचायत सन्दलपुर में वर्ष 2017-18 में विभिन्न खड्जा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त 1880.66 घनमीटर मिट्टी खनन में रु०-56419.00 की रायल्टी का भुगतान न कर राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप कुमार, खण्ड विकास अधिकारी श्री सौरभ बर्नवाल तथा पटल प्रभारी श्री प्रदीप त्रिवेदी से करके राजस्व का अदा किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०-16

क्षेत्र पंचायत- मलासा जनपद- कानपुर देहात सम्भाग- कानपुर लेखा परीक्षा वर्ष - 2017-18

प्रस्तर सं०-2-वर्ष 2017-18 में विकासखण्ड मलासा के कार्यालय के जीर्णोद्धार हेतु रु 208090.00 की निर्माण सामग्री व अन्य सामग्री क्रय की गयी। सामग्री के उपभोग की पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः कल्पित सामग्री क्रय दर्शाकर रु०-208090.00 का गबन किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री राजमणि त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०-12

प्रारूप-3
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2017-18

क्षेत्र पंचायत – बिल्हौर जनपद- कानपुर नगर

प्रस्तर संख्या-1 तेरहवां वित्त/राज्य वित्त आयोग मद से आलोच्य वर्ष में विकासखण्ड परिसर का सुन्दरीकरण एवं जल निकासी का कार्य स्वीकृत प्राक्कलन रु० 26.79 लाख से कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार एडीओ (एस टी) द्वारा कराया गया है। आलोच्य वर्ष में उक्त कार्य पर कुल रु 12502.00 का भुगतान में एस.एन वर्मा कन्सल्टेशन को किया गया है। उक्त कार्य का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं सामग्री आपूर्ति का चालान लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जिससे उक्त भुगतान अपुष्ट रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार एडीओ (एस टी) से करायी जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपति संख्या-1)

क्षेत्र पंचायत – भीतरगाँव

प्रस्तर संख्या-2 वर्ष-2017-18 में निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा फर्म को पूरे कार्य का ठेका दिया गया। साथ ही सम्पूर्ण कार्य का टेण्डर होने की दशा में फर्म के बिलों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती क्षेत्र पंचायत द्वारा करनी चाहिये थी जो नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	दिनांक	बिल धनराशि	1 प्रतिशत लेबर सेस जो काटा जाना चाहिये	फर्म का नाम
1.	नरायणपुर साढ़ में सतीश के मकान से उपेन्द्र के बगीचे तक सी.सी. रोड निर्माण	19.04.17	752499.00	7525.00	सारिका ट्रेडिंग कं०
2.	हरबंशपुर में झण्डा बाबा तक खड़जा निर्माण कार्य	22.05.17 17.06.17	535006.00 462799.00	5350.00 4628.00	आसना इण्टरप्राइजेज आसना इण्टरप्राइजेज
3.	सीहूपुर में मंझिल पासी के मकान से प्रकाश कोरी के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण	01.04.17	1181017.00	11810.00	आसना इण्टरप्राइजेज
4.	बीहूपुर में सुभाष सोनी के मकान से मेन रोड तक सी.सी. रोड निर्माण	22.06.17 30.06.17	894458.00 15152.00	8945.00 152.00	आसना इण्टरप्राइजेज आसना इण्टरप्राइजेज
	योग		3840931.00	38410.00	

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष दौरान फर्मों द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों अंकन रु० 3840931.00 पर क्षेत्र पंचायत द्वारा 1 प्रतिशत की दर से रु० 38410.00 की लेबर सेस की कटौती कर जमा कराया जाना चाहिये थी जो नहीं की गयी है। इस प्रकार रु० 38410.00 की अनियमितता क्षेत्र पंचायत द्वारा की गयी है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एश्वर्य यादव तथा लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त के लिए उत्तरदायी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या-3 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि टेण्डर प्रस्तुत करने वाली फर्मों से रसीद काटकर लेखाकार द्वारा धनराशि प्राप्त की गयी है (फर्मों की रसीद संलग्न) जिसे क्षेत्र पंचायत में नहीं पकड़ा गया है और न ही रसीद बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी जिससे यह भी ज्ञात न हो सका कि निम्न लिखित के अतिरिक्त और कितनी रसीदे काटी गयी है। अतः रसीद द्वारा प्राप्त धनराशि रु० 8850.00 का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	रसीद संख्या	फर्म का नाम	धनराशि
20.01.18	174051	आसना इण्टरप्राइजेज	800.00
20.01.18	174052	आसना इण्टरप्राइजेज	800.00
20.01.18	174053	आसना इण्टरप्राइजेज	700.00
20.01.18	174054	आसना इण्टरप्राइजेज	650.00
20.01.18	174055	गगन कान्सल्टेशन	800.00
20.01.18	174056	गगन कान्सल्टेशन	800.00
20.01.18	174057	गगन कान्सल्टेशन	700.00

20.01.18	174058	गगन कान्सट्रक्सन	650.00
20.01.18	174059	पी0आर0 कान्सट्रक्सन	800.00
20.01.18	174060	पी0आर0 कान्सट्रक्सन	800.00
20.01.18	174061	पी0आर0 कान्सट्रक्सन	700.00
20.01.18	174062	पी0आर0 कान्सट्रक्सन	650.00
	योग		8850.00

(मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर संख्या-4 वर्ष 2017-18 में भुगतान के समय अंकन रु 143932.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में अनुदान पंजी के अनुसार कुल टी0डी0एस0 रु 86050.00 कटौती किया जाना दर्शाया गया है इस प्रकार रु 57882.00 टी0डी0एस0 मद में कम जमा दर्शा कर राजस्व की हानि की गयी है। अतः टी0डी0एस0 मद में कम दर्शित धनराशि रु 57882.00 को टी0डी0एस0 मद में अंकित किया जाना चाहिए। तथा आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी द्वारा लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही जमा कराये गये टी0डी0एस0 अंकन रु 85100.00 की जमा की पुष्टि में चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसे प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-06)

प्रस्तर संख्या-5 ग्राण्ड रजिस्टर द्वितीय में कन्टीजेन्सी राष्ट्रीय ग्रामीण प्रासंगिक व्यय मद के अनुसार निम्नानुसार चेकों से कतिपय कर्म0/अधि0 को भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि में श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार द्वारा संगत अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान दर्शाकर धनराशि रु 30806.00 का अपहरण किया गया है। इस प्रति उत्तरदायी श्री देवेन्द्र सिंह लेखाकार, श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ऐश्वर्य यादव तथा भुगतान प्राप्तकर्ता सम्बन्धित कर्मचारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	ग्राण्ट रजि0 के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
02.07.17	600584	4700.00	श्री मयंक पटेल, डीजल क्रय हेतु अग्रिम भुगतान
02.08.17	600590	5000.00	श्री मयंक पटेल, स्टेशनरी क्रय हेतु अग्रिम भुगतान
22.02.18	600596	17843.00	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, गाड़ी मरम्मत का कार्य
22.02.18	600597	3263.00	श्री मयंक पटेल, टोनर भरवाने एवं मरम्मत का कार्य
	योग	30806.00	

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर संख्या-6 ग्राण्ड रजिस्टर द्वितीय में पी0एम0आर0वाई0 कन्टीजेन्सी के अनुसार निम्नानुसार चेको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि में श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार द्वारा संगत अभिलेख/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान दर्शाकर धनराशि रु 180785.00 का अपहरण किया गया है। इस प्रति उत्तरदायी श्री राम किशोर दुवे, लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ऐश्वर्य यादव तथा भुगतान प्राप्तकर्ता सम्बन्धित कर्मचारी से ब्याजसहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है :-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	ग्राण्ट रजि0 के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
23.08.17	600200	5000.00	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर, कार्यालय व्यय हेतु
23.10.17	600204	9000.00	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर, स्टेशनरी क्रय हेतु अग्रिम
15.12.17	600207	12489.00	श्री अवनीश कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, टोनर रिप्लिंग
15.12.17	600208	6235.00	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर, कार्यालय व्यय हेतु फोटोकॉपी
26.12.18	600209	2000.00	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर, डी0एस0सी0 बनवाने हेतु क्षेत्र पंचायत
29.12.17	600210	6750.00	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर, डी0एस0सी0 क्षेत्र पंचायत के कार्यों की
17.01.18	606711	13410.00	दिनेश जनसेवा केन्द्र, मनरेगा में जी0ओ टैग करवाने हेतु
17.01.17	606712	5000.00	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर, डी0एस0सी0 बनवाने हेतु

17.01.17	606713	10000.00	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर, गाड़ी में डीजल डलवाने हेतु
12.02.18	606714	8700.00	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर, गाड़ी डीजल एवं जनरेटर डीजल
12.02.18	606715	3175.00	श्री राजकिशोर द्विवेदी, फोटोकॉपी व्यय
12.02.18	606716	25000.00	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर, गाड़ी डीजल एवं कार्यालय स्टेशनरी
12.02.18	606718	11550.00	दिनेश जनसेवा केन्द्र, पी0एम0ए0वाई0 फीडिंग के सम्बन्ध में
19.02.18	600211	9925.00	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर, कम्प्यूटर टोनर, मोहर पेपर
17.02.18	600212	1320.00	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर, गाड़ी मरम्मत का व्यय
26.02.18	600213	14331.00	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर, जनरेटर मरम्मत, डीजल
26.03.18	600214	20750.00	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर, टोनर क्रय करने हेतु
26.03.18	600215	11500.00	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर, स्टेशनरी क्रय हेतु
26.03.18	600216	4650.00	श्री राम किशोर द्विवेदी, जी0ओ0 टैग, नेट कार्य, कम्प्यूटर टाइपिंग
	योग	180785.00	

(मूल आपति संख्या-10)

क्षेत्र पंचायत – घाटमपुर,

प्रस्तर संख्या-7 संस्था की लेखा-परीक्षा वर्ष 2017-18 की उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर की गई। उपलब्ध कराई गयी ग्रांट पंजिका (अनुदान रजि0) 3 में मनरेगा प्रासंगिक मद के अंतर्गत दि0 31.03.2017 की अवशेष धनराशि रू0 149994.00 दर्शित रही जिसमें की रू0 143256.30 मनरेगा प्रासंगिक मद के अंतर्गत व रू0 6738.00 मनरेगा प्रासंगिक मद के ब्याज खाता संख्या 3875 में दर्शित है। जबकि उपलब्ध कराई गयी संबन्धित बैंक पासबुक में यह धनराशि रू0 66623.30 दर्शायी गई है। अंतर की धनराशि रू0 76632.70 के संबंध में स्थिति अस्पष्ट रही। संबन्धित पासबुक में केवल क्रमांक 257 से 316 तक की प्रविष्टियाँ दर्शित रही। अन्य बैंक पासबुक यदि कोई है तो उपलब्ध कराकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए अन्यथा की स्थिति में दायित्व निर्धारित कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही बी0 डी0 ओ0 गंगाराम यादव एवं कपिल कुमार लेखाकार से की जानी चाहिए।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या-8 मनरेगा प्रासंगिक मद से आलोच्य वर्ष में रू0 749117.00 व्यय हुआ है, किन्तु व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध नहीं हो सके। प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय को गबन (अपहरण) मानते हुए रू0 749117.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी.डी.ओ. गंगाराम यादव तथा पटल श्री कपिल कुमार लेखाकार प्रभारी से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

(मूल आपति संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-9 आलोच्य वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना प्रासंगिक मद में रू0 174308/- व्यय हुआ है, किन्तु व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध नहीं हो सके जिससे उक्त व्यय की धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय को गबन (अपहरण) मानते हुए रू0 174308.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी.डी.ओ. श्री गंगाराम यादव व पटल प्रभारी श्री कपिल कुमार लेखाकार से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

(मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या-10 ग्रा0 पंचायत निमधा में नून नदी पर आर.सी सी. पुलिया निर्माण कार्य में आलोच्य वर्ष दौरान श्रमिकों के श्रमांश का भुगतान किया गया। उक्त निर्माण कार्य में निम्नांकित आपतियाँ पाई गई :—

(क) निर्माण कार्य संबन्धित कार्ययोजना स्वीकृति दिनांक पत्रांक 2107/9.11.2016 को ही प्राप्त हुई जबकि निर्माण कार्य हेत तकनीकी स्वीकृति पत्रांक 04/16.4.16 को ही प्राप्त हो गई थी। निर्माण कार्य के प्रारम्भ की तिथि 4.7.2016 अंकित रही। स्पष्ट है कि कार्ययोजना स्वीकृति दिनांक 9.11.16 के पूर्व ही दिनांक 4.7.16 को निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया जो कि पूर्णतया समझ से परे है। स्पष्ट किया जाना अपेक्षित रहा। वित्तीय स्वीकृति दि0 16.12.16 को प्राप्त हुई।

(ख) कार्य संबन्धित मस्टरोल जो लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत किया गया उस पर मस्टरोल संख्या व निर्माण कार्य का नाम अंकित नहीं रहा।

(ग) मस्टरोल भुगतान विवरण निम्नवत रहा –

	समयावधि	धनराशि	मानव दिवस
मस्टरोल 2	10.07.2016–30.07.2016	रु0 32996.00	174
मस्टरोल 4	01.01.2017–16.01.2017	रु0 75520.00	384
मस्टरोल 6	17.01.2017–31.01.2017	रु0 55050.00	282
	कुल	रु0 163566.00	840

(घ) मस्टरोल भुगतान ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रकांत मिश्रा को चेक संख्या 000227/20.4.17 को किया गया, जबकि मजदूरों को सीधा उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाना चाहिए था। अतः उक्त भुगतान अनियमित रहा।

नियमानुसार निश्चित समयावधिगत श्रमिकों को उनके श्रमांश का भुगतान ना कर समस्त भुगतान दि0 2.2.2017 को अत्यधिक विलम्ब से किया गया जिसका वास्तविक कारण अज्ञात रहा। कार्य प्रभारी श्री चन्द्रकांत मिश्रा व जेईआरईडी श्री देवजीत तथा श्री बी0 डी0 ओ0 गंगाराम यादव के प्रति उत्तरदायित्व निर्धारित कर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर संख्या-11 ग्राम पंचायत शीतलपुर में मच्छू सिंह के दरवाजे से हंसराज के दरवाजे तक सी.सी. /नाली निर्माण कराया गया जिसके प्रभारी श्री पंकज सचान रहे।

जिसमें निम्न लेखा-आपत्तियाँ पाई गई :-

(क) आलोच्य वर्ष में निर्माण कार्य का आंशिक भुगतान किया गया है। धनराशि रु0 339163 का भुगतान में गोरखनाथ सप्लायर्स को चेक संख्या 000226/ दि0 10.04.17 को किया गया है निर्माण सामग्री क्रय के सापेक्ष जबकि स्टॉक पंजिका, टेण्डर पत्रावली इत्यादि लेखा-परीक्षा में अप्राप्य रही। उक्त भुगतान बिल संख्या 3/1/1.4.17 के सापेक्ष किया गया है।

(ख) रु0 8457 का भुगतान गोरखनाथ सप्लायर्स को बिल संख्या 4/1/20.04.17 को चेक संख्या 000229 द्वारा दि0 24.06.2017 को भुगतान किया गया है। स्टॉक पंजिका अप्राप्य रहने से क्रय की सामग्री की स्टोर में पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ग) निर्माण सामग्री पर कुल व्यय धनराशि रु0 369269/= 65 के सापेक्ष श्रमिकों के श्रमांश भुगतान पर व्यय रु0 128400.00 का रहा। स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में सामग्री तथा श्रम पर किया जाना चाहिए था, किन्तु यहाँ श्रमांश पर भुगतान मात्र 35 प्रतिशत रहा जो विभागीय निर्देशों के विपरीत रहा जिस हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। भुगतान रु0 128400.00 अनियमित रहा। बी.डी.ओ. श्री गंगाराम यादव व कार्य प्रभारी पंकज सचान से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(घ) मस्टरोलों पर महिला श्रमिकों की संख्या अगण्य रही। मस्टरोल भुगतान रु0 128400.00 का भुगतान श्रमिकों के बैंक खाते में सीधे न करके कार्य प्रभारी पंकज सचान को किया गया, जो नियमों के विपरीत है।

(ड) मस्टरोल भुगतान विवरण निम्नवत रहा:

मस्टरोल सं0	अवधि	मजदूर	धनराशि	सृजित मानव दिवस
1	22.04.2017–30.04.2017	12	25920.00	108
2	22.04.2017–30.04.2017	12	22680.00	108
3	02.05.2017–04.05.2017	12	6600.00	28
4	02.05.2017–04.05.2017	12	5040.00	24
5	01.04.2017–15.04.2017	12	36660.00	154
6	02.04.2017–15.04.2017	12	31500.00	150
		योग	128400.00	572

- मस्टरोलों पर मस्टरोल संख्या अंकित नहीं रही।
- मस्टरोलों पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं रहे।
- श्रमिकों की कैटेगरी (कुशल/अकुशल) अंकित नहीं रही।
- श्रमिकों का भुगतान समयांतर्गत नहीं करके एक साथ निर्माण कार्य समाप्ति के बाद किया गया है।
- श्रमिकों के श्रमांश का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में नहीं करके कार्य प्रभारी पंकज सचान को किया गया है जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। जिससे भुगतान अनियमित रहा। रु0 128400.00 मस्टरोल

भुगतान की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी.डी.ओ. गंगाराम यादव व कार्य प्रभारी पंकज सचान से की जानी चाहिए।
(मूल आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर संख्या-12 आलोच्य वर्ष 2017-2018 में धनराशि ₹ 50000.00 का भुगतान श्री हरिस्वरूप सचान वरिष्ठ सहायक को चेक संख्या 000223/10.1.18 को ग्राम प्रधान/बी.डी.सी. भत्ता के मद में किया गया है जिससे सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-06)

क्षेत्र पंचायत -पतारा

प्रस्तर संख्या-13 क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2017-18 में निम्न विवरणानुसार राज्य वित्त से निर्माण कार्य कराया गया है

क्रं 0	कार्य का नाम व स्थान	सामग्री पर व्यय (₹0 में)	मजदूरी पर व्यय (₹0 में)	कुल व्यय (₹0 में)	टेण्डर खुलने का दिनांक व समय	कार्य प्रभारी का नाम	टेण्डर समिति के सदस्यों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक विकास अधिकारी (पं०) कक्ष का निर्माण।	445314.00	147458.00	592772.00	01.12.16(सांय 5 बजे)	श्री रामबाबू कनौजिया, ए०डी०ओ० (एस०के०)	श्री गंगाराम यादव, बी०डी०ओ० श्री रवि सिंह, ए०डी०ओ० (सहकारिता) श्री देवजीत सिंह, जे०ई० (आर०ई०डी०) श्री रामऔतार कनौजिया, लेखाकार
2	बनहरी के मजरा बम्हौरा में सागर के मकान से मुलायम सिंह के मकान तक सी०सी० रोड/नाली निर्माण।	206306.00	68516.00	274822.00	01.12.16(सांय 5 बजे)	श्री रवि सिंह, ए०डी०ओ० (सहकारिता)	श्री गंगाराम यादव, बी०डी०ओ० श्री रवि सिंह, ए०डी०ओ० (सहकारिता) श्री देवजीत सिंह, जे०ई० (आर०ई०डी०) श्री रामऔतार कनौजिया, लेखाकार
3	विकास खण्ड पतारा के गेट बाउण्ड्री आदि का निर्माण कार्य।	231081.00	62885.00	293906.00	01.12.16(सांय 5 बजे)	श्री रवि सिंह, ए०डी०ओ० (सहकारिता)	श्री गंगाराम यादव, बी०डी०ओ० श्री रवि सिंह, ए०डी०ओ० (सहकारिता) श्री देवजीत सिंह, जे०ई० (आर०ई०डी०) श्री रामऔतार कनौजिया, लेखाकार
	योग			1161500.00			

उपरोक्त कार्यों के लिए एक ही पेपर में निविदा विज्ञापित की गयी थी, और वह पेपर जन संदेश टाइम्स भी स्थानीय ही था। दिनांक 19.11.16 को निविदा विज्ञापित की गयी, और पेपर के निविदा विज्ञापन में यह लिखा था कि दिनांक 01.12.16 को सांय 5 बजे निविदा खोली जायेगी। टेण्डर समिति में खण्ड विकास अधिकारी श्री गंगाराम यादव, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) श्री रवि सिंह, अवर अभियन्ता (ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग) श्री देवजीत सिंह एवं लेखाकार श्री रामऔतार कनौजिया थे। निविदा पत्रावली के

अनुसार समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति दिनांक 01.12.16 को सांय 5 बजे निविदा खोली गयी और उसकी सारी कार्यवाही पूर्ण की गयी।

उपरोक्त निविदा समिति के एक सदस्य सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) श्री रवि सिंह, विकास खण्ड पतारा की उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार, दिनांक 30.11.16 को कानपुर भ्रमण पर गये थे, जो दि० 01.12.16 को भी कानपुर भ्रमण पर ही थे तथा दिनांक 02.12.16 को निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद विकास खण्ड पतारा के कार्यालय वापस आये। (उपस्थिति रजिस्टर के दिसम्बर 2016 के उपस्थिति वाले पेज की फोटो कापी संलग्न है। (पृष्ठ सं०-13) निविदा के उपरान्त सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता), श्री रवि सिंह द्वारा महज, कागजी खाना पूर्ति के लिए निविदा पत्रावली पर हस्ताक्षर कर दिया गया है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि निविदा हेतु आवश्यक न्यूनतम तीन फर्मों द्वारा ही टेण्डर फार्म क्रय किये गये हैं और सभी निर्माण कार्यों में आपूर्ति हेतु निविदा एक ही फर्म माँ कात्यायनी डेवलपर्स, हँसपुरम नौबस्ता, कानपुर नगर को ही स्वीकृत हुई है और सभी निविदायें प्राक्कलन लागत पर ही स्वीकृत हुई हैं।

अतः पत्रावली में दर्शित उपरोक्त तीन निर्माण कार्यों की धनराशि टेण्डर प्रक्रिया का दिखावा करके, ले-देकर, गबन कर लिए जाने के उद्देश्य से कूट रचना की गयी है। यह वास्तविक नहीं है। सम्पूर्ण दर्शित व्यय रू० 1181500.00 (यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कार्य की सामग्री के रू० 241319.00 का भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 में भी हुआ है। अतः 31.03.18 तक कार्य का सम्पूर्ण भुगतान आलोच्य धनराशि में समाहित है। जिसके सापेक्ष दर्शित अपुष्ट कार्य संदिग्ध होने के कारण टेण्डर समिति के उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों खण्ड विकास अधिकारी श्री गंगाराम यादव, से रू० 260736.40, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) श्री रवि सिंह से रू० 260736.40, अवर अभियन्ता (ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग) श्री देवजीत सिंह से रू० 260736.40, लेखाकार श्री रामऔतार कनौजिया से रू० 260736.40 एवं सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) श्री रामबाबू कनौजिया से रू० 118554.40 की ब्याज सहित वसूली ता-तारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-14

क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2017-18 में निम्न विवरणानुसार राज्य वित्त से निर्माण कार्य कराया गया है-

क्र०	कार्य का नाम व स्थान	सामग्री पर व्यय (रू० में)	मजदूरी पर व्यय (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)	टेण्डर खुलने का दिनांक व समय	कार्य प्रभारी का नाम	टेण्डर समिति के सदस्यों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्राम गिरसी से दहेली सम्पर्क मार्ग में बम्बी के पास नरेश द्विवेदी के टयूबवेल से बम्बी पुलिया तक खण्डजा निर्माण।	497031.00	117600.00	614631.00	11.09.17 (सांय 5 बजे)	श्री रामबाबू कनौजिया, ए०डी०ओ० (एस०के०)	श्री श्याम नारायण सिंह, बी०डी०ओ० श्री रवि सिंह, ए०डी०ओ० (सहकारिता) श्री अशोक कुमार सचान, जे०ई० (आर०ई०डी०) श्री रामऔतार कनौजिया, लेखाकार
2	ग्राम संचितपुर में नगेलिन बम्बा से लल्लन मिश्रा के मन्दिर से राधेश्याम के टयूबवेल तक खण्डजा निर्माण।	236287.00	53900.00	290187.00	11.09.17 (सांय 5 बजे)	श्री रामबाबू कनौजिया, ए०डी०ओ० (एस०के०)	श्री श्याम नारायण सिंह, बी०डी०ओ० श्री रवि सिंह, ए०डी०ओ० (सहकारिता) श्री अशोक कुमार सचान, जे०ई० (आर०ई०डी०) श्री रामऔतार कनौजिया, लेखाकार

3	ग्राम चतुरीपुर में गौरवन बम्बा चतुरीपुर मार्ग में राधासिंह के मकान से गौरवन बम्बा सरहद तक खण्डजा निर्माण।	254753.00	53375.00	308128.00	11.09.17 (सांय 5 बजे)	रवि सिंह, ए0डी0ओ0 (सहकारिता)	श्री श्याम नारायण सिंह, बी0डी0ओ0 श्री रवि सिंह, ए0डी0ओ0 (सहकारिता) श्री अशोक कुमार सचान, जे0ई0 (आर0ई0डी0) श्री रामऔतार कनौजिया, लेखाकार
4	ग्राम इटरी के मजरा मोहनपुर में कान्हा के घर से देवीदीन के मकान तक सी0सी0 रोड/नाली निर्माण।	363488.00	118150.00	481638.00	11.09.17 (सांय 5 बजे)	अमरपाल सिंह, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी)	श्री श्याम नारायण सिंह, बी0डी0ओ0 श्री रवि सिंह, ए0डी0ओ0 (सहकारिता) श्री अशोक कुमार सचान, जे0ई0 (आर0ई0डी0) श्री रामऔतार कनौजिया, लेखाकार
5	ग्राम हथेई में राजन शुक्ला के मकान से गोपाल के मकान से होते हुए शुक्ला जी तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	481820.00	153975.00	635795.00	11.09.17 (सांय 5 बजे)	अमरपाल सिंह, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0)	श्री श्याम नारायण सिंह, बी0डी0ओ0 श्री रवि सिंह, ए0डी0ओ0 (सहकारिता) श्री अशोक कुमार सचान, जे0ई0 (आर0ई0डी0) श्री रामऔतार कनौजिया, लेखाकार
6	पतरसा में मुन्ना सचान के दरवाजे से पप्पू सचान के दरवाजे तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण।	375977.00	123000.00	498977.00	11.09.17 (सांय 5 बजे)	रवि सिंह, ए0डी0ओ0 (सहकारिता)	श्री श्याम नारायण सिंह, बी0डी0ओ0 श्री रवि सिंह, ए0डी0ओ0 (सहकारिता) श्री अशोक कुमार सचान, जे0ई0 (आर0ई0डी0) श्री रामऔतार कनौजिया, लेखाकार
7	विकास खण्ड के पीछे तालाब की ओर क्षतिग्रस्त बाउन्ड्री का निर्माण।	146502.00	40950.00	187452.00	11.09.17 (सांय 5 बजे)	रवि सिंह, ए0डी0ओ0 (सहकारिता)	श्री श्याम नारायण सिंह, बी0डी0ओ0 श्री रवि सिंह, ए0डी0ओ0 (सहकारिता) श्री अशोक कुमार सचान, जे0ई0 (आर0ई0डी0) श्री रामऔतार कनौजिया, लेखाकार
	योग			3016808.00			

उपरोक्त कार्यों के लिए एक ही पेपर में निविदा विज्ञापित की गयी थी, और वह पेपर जन संदेश टाइम्स स्थानीय ही था। दिनांक 02.09.17 को निविदा विज्ञापित की गयी, और पेपर के निविदा विज्ञापन में यह लिखा था कि दिनांक 11.09.17 को सांय 5 बजे निविदा खोली जायेगी। टेण्डर समिति में खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) श्री रवि सिंह, अवर अभियन्ता (ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग) श्री अशोक कुमार सचान एवं लेखाकार श्री रामऔतार कनौजिया थे। निविदा पत्रावली के अनुसार समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 11.09.17 को सांय 5 बजे निविदा खोली गयी और उसकी सारी कार्यवाही पूर्ण की गयी।

पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के शासनादेश संख्या- 1067/78-2-2017-42 आई०टी०/2017, दिनांक 12 मई 2017 द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में छण्ड के ई-प्रोक्योरमेन्ट प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध (रनिंग कान्ट्रैक्ट) एवं दर अनुबन्ध हेतु ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गयी थी तथा दिनांक 01, सितम्बर, 2017 के उपरान्त इसे बाध्यकारी कर दिया गया था। ई-टेण्डरिंग प्रणाली में नियमों और प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अपितु प्रचलित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत ही केवल इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग करते हुए टेण्डरिंग की कार्यवाही की जाती है।

वित्त (लेखा अनुभाग-1) उ०प्र० के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86, दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के अनुरूप रू० 100000.00 से अधिक मूल्य के सामान/सेवाएँ टेण्डर आमन्त्रित करके क्रय किये जाते हैं, और उक्त वित्तीय सीमा से अधिक की सभी निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली द्वारा आमन्त्रित की जानी थी। किन्तु दिनांक 01.09.17 से ई-टेण्डरिंग प्रणाली बाध्यकारी होने के बावजूद भी क्षेत्र पंचायत पतारा में दिनांक 02.09.17 को जनसंदेश टाइम्स समाचार पत्र में सामान्य निविदा विज्ञापित कराकर दिनांक 11.09.17 को सांय 5 बजे निविदा की सारी कार्यवाही पूर्ण की गयी है। जो कि शासनादेश का खुला उल्लंघन है।

लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी से मौखिक रूप से यह पूछा गया कि रू० एक लाख के अधिक के निर्माण सामग्री आपूर्ति की निविदा ई-टेण्डरिंग द्वारा कराया जाना बाध्यकारी होने के शासनादेश के बावजूद आप द्वारा ई-टेण्डरिंग से निविदा क्यों नहीं करायी गयी, तो उन्होंने 10 लाख तक की वित्तीय सीमा तक की निविदाओं को ई-टेण्डरिंग प्रणाली से छूट होने का आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 अप्रैल 2018 को निर्गत शासनादेश सं०-6/2018/256/78-02-2018-42 आई०टी०/2017 टी०सी० का हवाला देते हुए ई-टेण्डरिंग से छूट की बात कही। जबकि सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 24, अप्रैल 2018 को हुआ है। तो ई-टेण्डरिंग से छूट भी 24 अप्रैल 2018 या इस तिथि के बाद ही, 10 लाख तक की वित्तीय सीमा वाले टेण्डरों पर ही लागू होगी। जबकि क्षेत्र पंचायत पतारा के टेण्डर हेतु विज्ञापन निविदा दिनांक 02.09.17 को विज्ञापित हुयी तथा टेण्डर दिनांक 11.09.17 को खोला गया। दिनांक 01.09.17 के बाद रू० एक लाख से अधिक की आपूर्ति ई-टेण्डरिंग द्वारा करायी जानी बाध्यकारी थी।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि निविदा हेतु आवश्यक न्यूनतम तीन फर्मों द्वारा ही टेण्डर फार्म क्रय किये गये हैं। और सभी निर्माण कार्यों में आपूर्ति हेतु निविदा एक ही फर्म माँ कात्यायनी डेवलपर्स, हंसपुरम, नौबस्ता, कानपुर नगर को ही स्वीकृत हुई है और सभी निविदायें प्राक्कलन लागत पर ही स्वीकृत हुई है। जो कि सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को ही संदेहास्पद बनाता है।

अतः पत्रावली में दर्शित उपरोक्त सातों निर्माण कार्यों की धनराशि टेण्डर प्रक्रिया का दिखावा करके, ले-देकर गबन कर लिए जाने के उद्देश्य से कूट रचना की गयी है। यह वास्तविक नहीं है। सम्पूर्ण दर्शित व्यय रू० 3016808.00 जिसके सापेक्ष दर्शित अपुष्ट कार्य संदिग्ध होने के कारण टेण्डर समिति के उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम नारायण सिंह से रू० 653089.45, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) श्री रवि सिंह से रू० 653089.45 अवर अभियन्ता (ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग) श्री अशोक कुमार सचान से 653089.45 (लेखाकार श्री रामऔतार कनौजिया के सेवानिवृत्त होने के कारण सम्पूर्ण भुगतान लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान द्वारा किया गया है व श्री सचान द्वारा रू० एक लाख से अधिक के टेण्डर ई-टेण्डरिंग द्वारा कराये जाने की बात भुगतान से पूर्व पत्रावली की नोट शीट पर अंकित नहीं की गयी है। अतः लेखाकार श्री रामप्रकाश सचान से रू० 653089.45, सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) श्री रामबाबू कनौजिया से रू० 180963.60 एवं श्री अमरपाल

सिंह, सहा0 विकास अधि0 (आई०एस०बी०) से रू0 223486.60 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर संख्या-15 दिनांक 20.06.17 को चेक सं0-000232 द्वारा रू0 1500.00 का भुगतान क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2015-16 की प्रिया सॉफ्ट फीडिंग हेतु डी०पी०आर०ओ० के यहाँ सम्बद्ध सफाई कर्मी श्री विष्णु शंकर को किया गया है, जो कि अनियमित है, क्योंकि प्रिया सॉफ्ट में फीडिंग हेतु जनपद व पंचायत स्तर पर मानदेय पर अनुबंध के आधार पर लेखाकार व कम्प्यूटर आपरेटर्स नियुक्त है। अतः उपरोक्त कार्य उनके द्वारा कराया जाना था। अतः अनियमित रूप से व्यय किये गये धनराशि रू0 1500.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री गंगाराम यादव से ता-तारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

क्षेत्र पंचायत – ककबन

प्रस्तर संख्या-16 ग्राम रहीमपुर विषधन में रवी सुनार के घर से बम्बी तक इण्टरलाकिंग कार्य में चेक सं0 000066/17.05.17 से रू0 57773.00 सामग्री का भुगतान जगदेव कुरील एण्ड कं० को किया गया। उक्त कार्य 11.02.2017 को पूर्ण हो गया था। म०रो० का भुगतान भी 21.03.17 को किया गया। किन्तु सामग्री का भुगतान इतने दिनों के बाद किये जाने का औचित्य अस्पष्ट रहा। जबकि सामग्री की आपूर्ति प्रमाणक सं० 13.03.2017 को की गयी दर्शित है। साथ ही प्रमाणक कैश मीमो/सेल इनवाइस पर है। देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। कार्य प्रभारी द्वारा कार्ड भी मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री आमद, उपभोग व अवशेष का रजि० यहीं रखा गया है। अतः आपूर्ति संदिग्ध रही। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मेवालाल, बी०डी०ओ, श्रीमती निर्मला ब्लाक प्रमुख, श्री सुधीर रस्तोगी व श्री राकेश कुमार ए०डी०ओ० (सी०) से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या-17 विकास खण्ड कार्यालय भवन की मरम्मत एवं परिसर में पंचायत कक्ष एवं ए०डी०ओ०(पं०) के ऑफिस के निर्माण हेतु प्रमाणक सं० 14/03.04.17, 15/03.04.17, 16/10.04.17 व 17/10.04.17 का भुगतान चेक सं० 000063/15.05.17 को रू0 299603.00 का किया गया। साथ ही प्रमाणक कैश मीमो/सेल इनवाइस पर है। देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। कार्य प्रभारी द्वारा कोई भी मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री आमद, उपभोग व अवशेष का रजि० यही रखा गया है, अतः आपूर्ति संदिग्ध रही। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मेवालाल बी०डी०ओ, श्रीमती निर्मला ब्लाक प्रमुख, श्री सुधीर रस्तोगी व श्री राकेश कुमार ए०डी०ओ० (सी०) से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-18 विकास खण्ड कार्यालय की मरम्मत एवं परिसर में पंचायत कक्ष एवं ए०डी०ओ०(पं०) के ऑफिस के निर्माण हेतु चेक सं० 000064/15.05.17 को रू0 49250.00 की धनराशि मजदूरों को न देकर कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार, ए०डी०ओ० (सी०) को दी गयी जो कि अनियमित है। उक्त म०रो० पर नम्बर अंकित नहीं है स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं किया गया तथा अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं है। अतः अनियमित भुगतान की ब्याज सहित वसूली श्री मेवालाल बी०डी०ओ, श्रीमती निर्मला ब्लाक प्रमुख, श्री सुधीर रस्तोगी व श्री राकेश कुमार ए०डी०ओ० (सी०) से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-03)

प्रारूप-3

क्षेत्र पंचायत जनपद हरदोई से सम्बंधित प्रस्तर

जनपद- हरदोई मण्डल -लखनऊ

क्षेत्र पंचायत – कोथावां जनपद – हरदोई (रू0 4817561.00)

प्रस्तर-1—वर्ष 2011-12 में विभिन्न कार्यों पर रू0 2094301.00 सामग्री क्रय पर तथा रू0 2723260.00 मस्टररोलों पर कुल रू0 4817561.00 का व्यय दर्शित है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पायी गयी—

1—वर्ष 2011-12 में कार्य पत्रावलियों में किये गये कार्य एवं भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्य पर मस्टररोल की धनराशि एवं प्रयुक्त सामग्री का उपभोग विभिन्न तिथियों में होता है। उक्त तिथियों में माप पुस्तिका में निकाले गये एब्सट्रैक्ट आफ कास्ट से पुष्टि होनी चाहिये मांगोपरान्त माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किये जाने से कार्य एवं भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी जो निर्माण कार्यों में धन के गम्भीर दुरुपयोग का प्रकट करता है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता तथा सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

2—वर्ष 2011-12 में उपलब्ध करायी गयी कार्य पत्रावलियों में संलग्न प्राक्कलन में स्वीकृत कार्ययोजना का क्रमांक तथा स्वीकृत कार्ययोजना की प्रति संलग्न नहीं पायी गयी कतिपय प्राक्कलनों में खण्ड विकास अधिकारी तथा ब्लाक प्रमुख की हस्ताक्षरित कार्ययोजना की प्रति संलग्न की गयी है जबकि शासनादेश संख्या-1719/33-3-2010-48/2007 दिनांक 1 सितम्बर 2010 लखनऊ के अनुसार क्षेत्र पंचायतें कार्यों का प्राक्कलन एवं कार्ययोजना जिला पंचायत राज अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही योजना के अन्तर्गत कार्य करायेंगे इस प्रकार स्वीकृत कार्ययोजना के अभाव में कराये गये कार्यों पर किया गया व्यय धन के दुरुपयोग एवं गम्भीर अनियमितता को दर्शाता है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

3—कराये गये कार्यों के कार्यादेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति पर फोटो ग्राफ अवश्य प्राप्त किया जाये जिसे कार्य पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया जिससे कार्य कराये जाने के औचित्य/कारण, कार्य की गुणवत्ता तथा कार्य होने की पुष्टि नहीं की जा सकी जो धन के अपहरण एवं दुरुपयोग की सम्भावना को दर्शाता है। जिसके लिये अवर अभियन्ता सहायक लेखाकार तथा कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है।

4—वर्ष 2011-12 में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों में कार्य समाप्ति के पश्चात् का सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय तीन के नियम संख्या 38 का उल्लंघन है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है।

5—क्षेत्र पंचायत वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि मस्टररोलों में कार्य एवं भुगतान की पुष्टि में ग्राम प्रधान सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा निर्माण समिति के सदस्यों से मस्टररोलों को प्रमाणित नहीं कराया गया है। जिससे कार्य एवं भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके प्रति कार्य प्रभारी एवं सहायक लेखाकार उत्तरदायी है।

6—वर्ष 2011-12 को उपलब्ध करायी गयी कार्य पत्रावलियों के कार्यादेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि कार्य से पूर्व कार्य स्थल पर एक बोर्ड लगवाकर जिसमें प्राक्कलन से सम्बन्धित सूचनाओं का प्रदर्शन किया जाये तथा जिसका फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न किया जाये। लेखा परीक्षा में किसी भी कार्य पत्रावली में सम्बन्धित फोटोग्राफ तथा खर्च का प्रमाणक संलग्न नहीं पाया गया जबकि सभी प्राक्कलनों में रु0 3000.00 का व्यय सूचना बोर्ड पर प्रस्तावित है। उक्त कृत्य धन के दुरुपयोग की सम्भावना को दर्शाता है। जिसके लिये कार्य प्रभारी अवर अभियन्ता तथा सहायक लेखाकार उत्तरदायी है।

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (1) से (6) के संदर्भ में व्यय की गयी धनराशि 4817561.00 के अपहरण एवं दुरुपयोग को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड दो के नियम जहां अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो के अधीन ब्याज सहित वसूली योग्य है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रीकृष्णा, श्री मोतीलाल एवं श्री प्रवीण कुमार राय अवर अभियन्ता श्री मूलचन्द यादव लेखाकार, श्री सन्तोष कुमार सिंह एवं श्री कश्मीर सिंह कार्य प्रभारी श्री बृजराज सिंह (ए0डी0ओ0 एस बी), श्री रामदास ए0डी0ओ0 कृषि एवं श्री नीरज मिश्रा ग्रा0वि0अधि0 से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-12)

क्षेत्र पंचायत – कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 4060118)

प्रस्तर-2— वर्ष 2012-13 में विभिन्न कार्यों पर रु0 2151801.00 सामग्री एवं रु0 1908317.00 कुल रु0 4060118.00 राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शित है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पायी गयी—

1—वर्ष 2012-13 में कार्य पत्रावलियों में किये गये कार्य एवं भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी कार्य पर मस्टररोल की धनराशि एवं प्रयुक्त सामग्री का उपयोग विभिन्न तिथियों में होता है उक्त तिथियों में माप पुस्तिका में निकाले गये ऐम्स ट्रेक्ट आफ कास्ट से पुष्टि होनी चाहियें मांगोपरान्त माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किये जाने से कार्य एवं भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी जो निर्माण कार्यों में धन के दुरुपयोग को प्रकट करता है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता तथा सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

2—वर्ष 2012-13 में उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों में संलग्न प्राक्कलन में स्वीकृत कार्ययोजना का क्रमांक तथा स्वीकृत कार्ययोजना की प्रति संलग्न नहीं पायी गयी कतिपय प्राक्कलनों में खण्ड विकास अधिकारी तथा ब्लाक प्रमुख की हस्ताक्षरित कार्ययोजना की प्रति संलग्न की गयी है। जबकि शासनादेश

संख्या-1719/33-3-2010-48/2007 दिनांक 1 सितम्बर 2010 लखनऊ के अनुसार क्षेत्र पंचायतों के कार्यों का प्राक्कलन एवं कार्ययोजना जिला पंचायत राज अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही योजना के अन्तर्गत कार्य करायेगी इस प्रकार स्वीकृत कार्ययोजना के अभाव में कराये गये कार्यों पर किया गया व्यय धन के दुरुपयोग एवं गम्भीर अनियमितता को दर्शाता है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी अवर अभियन्ता एवं सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

3-कराये गये कार्यों के कार्यादेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति पर फोटो ग्राफ अवश्य प्राप्त किया जाये जिसे कार्य पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया जिससे कार्य कराये जाने के औचित्य/कारण, कार्य की गुणवत्ता तथा कार्य के होने की पुष्टि नहीं की जा सकी जो धन के अपहरण एवं दुरुपयोग की सम्भावना को दर्शाता है जिसके लिये अवर अभियन्ता सहायक लेखाकार तथा कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है।

4-वर्ष 2012-13 में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों में कार्य समाप्ति के पश्चात् का सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय तीन के नियम संख्या 38 का उल्लंघन है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है।

5-क्षेत्र पंचायत वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि मस्टररोलों में कार्य एवं भुगतान की पुष्टि में ग्राम प्रधान तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा निर्माण समिति के सदस्यों से मस्टररोलों को प्रमाणित नहीं कराया गया है जिससे कार्य एवं भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके प्रति कार्य प्रभारी, अवर अभियन्ता एवं सहायक लेखाकार उत्तरदायी है।

6-वर्ष 2012-13 में उपलब्ध करायी गयी कार्य पत्रावलियों के कार्यादेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि कार्य से पूर्व कार्य स्थल पर एक बोर्ड लगवाकर जिसमें प्राक्कलन से सम्बन्धित सूचनाओं का प्रदर्शन किया जाये तथा जिसका फोटो ग्राफ पत्रावली में संलग्न किया जाये लेखा परीक्षा में किसी भी कार्य पत्रावली में सम्बन्धित फोटोग्राफ तथा खर्च का प्रमाणक संलग्न नहीं पाया गया जबकि सभी प्राक्कलनों में रु0 3000.00 का व्यय सूचना बोर्ड पर प्रस्तावित है। जो धन के दुरुपयोग की सम्भावना को दर्शाता है। जिसके लिये अवर अभियन्ता, कार्य प्रभारी तथा सहायक लेखाकार उत्तरदायी है।

इस प्रकार व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 4060118.00 उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (1) से (6) के संदर्भ में धन के दुरुपयोग एवं गम्भीर अनियमितता को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड-दो के नियम जहां अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो के अधीन ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव, श्री संजय कुमार शुक्ला एवं श्री अनिल कुमार अवर अभियन्ता श्री मूलचन्द्र यादव सहायक लेखाकार श्री कश्मीर सिंह एवं श्री शिव कुमार तथा कार्य प्रभारी श्री राम दास ए0डी0ओ0 कृषि एवं श्री बृजराज सिंह (ए0डी0ओ0 एस बी) से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-16)

क्षेत्र पंचायत – कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 8909921100)

प्रस्तर-3-वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्यों पर रु0 4359297.00 सामग्री तथा रु0 4550624.00 श्रमांश पर कुल रु0 8909921.00 व्यय किया जाना दर्शित है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पायी गयीं-

1-वर्ष 2013-14 में कार्य पत्रावलियों में किये गये कार्य एवं भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी कार्य पर मस्टर रोल की धनराशि एवं प्रयुक्त सामग्री का उपयोग विभिन्न तिथियों में होता है उक्त तिथियों में माप पुस्तिका में निकाले गये ऐब्स ट्रेक्ट आफ कास्ट से पुष्टि होनी चाहिये मांगोपरान्त माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किये जाने से कार्य एवं भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो निर्माण कार्यों में धन के दुरुपयोग को दर्शाता है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी अवर अभियन्ता एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

2-वर्ष 2013-14 में उपलब्ध पत्रावलियों में संलग्न प्राक्कलन में स्वीकृत कार्य योजना की प्रति संलग्न नहीं पायी गयी कतिपय प्राक्कलनों में खण्ड विकास अधिकारी तथा ब्लाक प्रमुख की हस्ताक्षरित कार्य योजना की प्रति संलग्न की गयी है जबकि शासनादेश संख्या-1719/33-3-2010-48/2007 दिनांक 1 सितम्बर 2010 लखनऊ के अनुसार राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतों कार्यों का प्राक्कलन एवं कार्ययोजना जिला पंचायत राज अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही योजना के अन्तर्गत कार्य

करायेगी इस प्रकार स्वीकृत कार्य योजना के अभाव में कराये गये कार्यों पर किया गया व्यय धन के दुरुपयोग एवं गम्भीर अनियमितता को दर्शाता है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी अवर अभियन्ता एवं सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

3-वर्ष 2013-14 में कराये गये कार्यों के कार्यादेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफ अवश्य प्राप्त किया जायें, जिसे कार्य पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया। जिससे कार्य कराये जाने के औचित्य/कारण, कार्य की गुणवत्ता तथा कार्य के होने की पुष्टि नहीं की जा सकी जो धन के अपहरण एवं दुरुपयोग को दर्शाता है जिसके लिये अवर अभियन्ता सहायक लेखाकार तथा कार्यप्रभारी समान रूप से जिम्मेदार है।

4-वर्ष 2013-14 में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों में कार्य समाप्ति के पश्चात् का सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय तीन के नियम संख्या 38 का उल्लंघन है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है।

5-क्षेत्र पंचायत वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि मस्टररोलों में कार्य एवं भुगतान की पुष्टि में सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा निर्माण समिति के सदस्यों से मस्टररोलों पर प्रमाणित नहीं कराया गया है जिससे कार्य एवं भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके प्रति कार्यप्रभारी अवर अभियन्ता एवं सहायक लेखाकार उत्तरदायी है।

6-वर्ष 2013-14 में प्रस्तुत कार्यपत्रावलियों के कार्यादेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि कार्य से पूर्व कार्य स्थल पर एक बोर्ड लगवाकर जिसमें प्राक्कलन से सम्बन्धित सूचनाओं का प्रदर्शन किया जाये तथा जिनका फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न किया जाये। लेखा परीक्षा में किसी भी कार्य पत्रावली में सम्बन्धित फोटोग्राफ तथा सूचना बोर्ड का प्रमाणक संलग्न नहीं पाया गया जबकि सभी प्राक्कलनों में रु० 3000.00 का आयोजन सूचना बोर्ड पर प्रस्तावित है। जो शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता का अभाव रहा जो धन के दुरुपयोग की सम्भावना को दर्शाता है जिसके लिये अवर अभियन्ता कार्य प्रभारी तथा सहायक लेखाकार उत्तरदायी है।

उपरोक्त बिन्दु 1 से 6 के संदर्भ में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 8909921.00 धन के दुरुपयोग को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड दो के नियम जहां अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये। नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो के अधीन ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार एवं श्री विनोद कुमार अवर अभियन्ता, मूलचन्द्र यादव सहायक लेखाकार श्री शिव कुमार तथा कार्य प्रभारी श्री रामदास ए०डी०ओ० कृषि श्री रामचन्द्र कनौजिया स०वि०अधि० समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-24)

क्षेत्र पंचायत – कोथावां जनपद – हरदोई (रु० 1655280.00)

प्रस्तर-4- लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियों की जांच अनुदान रजि० भाग-2 से करने पर निम्न विवरणानुसार चेके जो अनुदान रजि० भाग-2 में निर्गत है उनकी पुष्टि में कार्य पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी-

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अनुदान रजि० द्वितीय में अंकित विवरण	बैंक स्टेटमेन्ट में आहरितकर्ता का विवरण	दिनांक आहरित
1	16.12.2011	660025	1481040.00	एस०बी०आई०, बेनीगंज	बालाजी इन्टरप्राइजेज	07.01.2012
2	05.01.2012	11042	174240.00	बैंक आफ इण्डिया	डी०डी० लखनऊ सर्विस	07.01.2012
		योग	1655280.00			

उपरोक्त निर्गत चेकों से सम्बन्धित पत्रावली जिसमें कार्य के सम्बन्ध में समस्त प्रपत्र लगे होने चाहिये थे। अप्रस्तुत रही उक्त पत्रावली अन्तरिम आपत्ति निर्गत करने के पश्चात् भी आडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी जो नियमों अधिनियम शासनादेशों एवं विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है आडिट में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक सहित कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः सन्निहित धनराशि रु० 1655280.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री मोतीलाल एवं लेखाकार श्री सन्तोष कुमार सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 13)

क्षेत्र पंचायत – कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 47331.00)

प्रस्तर-5—वर्ष 2011-12 में रु0 2094301.00 की ईटा, मिट्टी ट्राली एवं निर्माण सामग्री क्रय की गयी जिस पर प्रमाणकों के भुगतान के समय टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गयी है। जिससे 2.26 की दर से रु0 47331.00 राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रीकृष्णा, श्री मोतीलाल, श्री प्रवीण कुमार राय तथा लेखाकार श्री सन्तोष कुमार सिंह से जमा कराया जाना अपेक्षित है। जिस कारण उपरोक्तानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-14)

क्षेत्र पंचायत— कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 33200.00)

प्रस्तर-6—वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान समय कतिपय प्रमाणकों पर रु0 15787.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी है जबकि संलग्न कार्यवार सामग्री तथा श्रमांश पर व्यय एवं भुगतान का विवरण पत्र के अनुसार वर्ष 2012-13 में रु0 2167588.00 की सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है जिस पर 2.26 की दर से रु0 48987.00 टी0डी0एस0 होता है इस प्रकार रु0 33200.00 से कम कटौती कर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री अजित कुमार श्रीवास्तव, श्री संजय कुमार शुक्ला एवं श्री अनिल कुमार एवं लेखाकार श्री कश्मीर सिंह, श्री शिव कुमार से जमा कराया जाना अपेक्षित है (सा0आ0सं0-19)

क्षेत्र पंचायत – कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 57099.00)

प्रस्तर-7—वर्ष 2013-14 में सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय कतिपय प्रमाणकों पर रु0 42379.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी है जबकि संलग्न कार्यवार सामग्री तथा श्रमांश पर व्यय एवं भुगतान विवरण पत्र के अनुसार वर्ष 2013-14 में रु0 4401676.00 की सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रु0 99478.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 57099.00 से कम कटौती कर राजस्व की हानि की गयी है ऐसे में आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार एवं लेखाकार श्री शिव कुमार से जमा कराया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-25)

क्षेत्र पंचायत – कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 83772.00)

प्रस्तर-8—वर्ष 2011-12 में रु0 2094301.00 की सामग्री क्रय की गयी जिस पर प्रमाणकों का भुगतान करते समय 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है इस प्रकार रु0 83772.00 पर 4 प्रतिशत की दर से रु0 83772.00 के राजस्व की हानि हुयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरण वितरण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रीकृष्णा, श्री मोतीलाल एवं श्री प्रवीण कुमार राय तथा सहायक लेखाकार श्री सन्तोष कुमार सिंह से कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-15)

क्षेत्र पंचायत— कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 86704.00)

प्रस्तर-9—वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय विधिक कटौती व्यापार कर वैटकर के उपरान्त ही भुगतान किया जाना था जबकि संलग्न कार्यवार सामग्री तथा श्रमांश पर व्यय एवं भुगतान विवरण पत्र वर्ष 2012-13 में रु0 2167588.00 सामग्री क्रय पर 4 प्रतिशत की दर से रु0 86704.00 की कटौती न करके राजस्व की हानि की गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार श्री कश्मीर सिंह एवं श्री शिव कुमार तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव एवं श्री अनिल कुमार से करते हुये पेनाल्टी सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 176067.00)

प्रस्तर-10—वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय विधिक कटौती व्यापार कर/वैटकर के उपरान्त ही भुगतान किया जाना था जबकि संलग्न कार्यवार सामग्री तथा श्रमांश पर व्यय एवं भुगतान विवरण पत्र वर्ष 2013-14 में रु0 4401676.00 सामग्री क्रय पर 4 प्रतिशत की दर से रु0 176067.00 की कटौती न करके राजस्व की हानि की गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार तथा लेखाकार श्री शिवकुमार से करते हुये पेनाल्टी सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-26)

क्षेत्र पंचायत – कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 210928.00)

प्रस्तर-11—लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त तथा तेरहवां वित्त से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियों की जांच अनुदान रजि0 भाग-2 से करने पर निम्न विवरणानुसार चेके अनुदान रजि0 भाग-2 में निर्गत है। उनकी पुष्टि में कार्य पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी—

दिनांक निर्गमन	चेक संख्या	धनराशि	अनुदान रजि0-2 में अंकितविवरण	बैंक स्टेटमेंट में आहरितकर्ता का नाम	बैंक से आहरित दिनांक
26.07.2012	5387	24800.00	सर्वेश कुमार कैशियर	नकद भुगतान	27.07.2012
07.02.2013	0397	20000.00	कश्मीर सिंह यादव	नकद भुगतान	11.02.2013
12.03.2013	403	89671.00	श्रीरामदास ए0डी0ओ0(कृषि)	नकद भुगतान	22.03.2013
30.03.2013	406	54257.00	गजरानी ब्रिक फील्ड	गजरानी ब्रिक फील्ड	18.04.2013
30.03.2013	414	22200.00	श्रीरामदास ए0डी0ओ0(कृषि)	नकद भुगतान	25.04.2013
	योग	210928.00			

उपरोक्त निर्गत चेकों से सम्बन्धित पत्रावली जिसमें कार्य के सम्बन्ध में समस्त प्रपत्र लगे होने चाहिये उक्त पत्रावली अन्तरिम आपत्ति निर्गत करने के पश्चात् भी आडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी जो नियमों, अधिनियमों, शासनादेशों एवं विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है आडिट में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक सहित कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना ब्याज सहित वसूली योग्य है अतः उक्त सन्निहित रु0 210928.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार लेखाकार श्री कश्मीर सिंह, कैशियर श्री सर्वेश कुमार, लेखाकार श्री शिवकुमार एवं कार्य प्रभारी श्री रामदास ए0डी0ओ0 कृषि से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-17)

क्षेत्र पंचायत – कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 16249.00)

प्रस्तर-12—वर्ष 2012-13 में कतिपय सामग्री आपूर्ति बिलों में टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है। जिसे निम्न विवरणानुसार जमा कराना दर्शाया गया है—

चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित धन का विवरण
385	23.12.2012	7688.00	नकद भुगतान
390	07.01.2013	2038.00	नकद भुगतान
419	30.03.2013	6523.00	एस0बी0आई0 को भुगतान
	योग	16249.00	

लेखा परीक्षा में टी0डी0एस0 जमा की चालान प्रति तथा रिटर्न दाखिल मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं की गयी प्रमाणक के अभाव में रु0 16249.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार एवं लेखाकार श्री शिवकुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-18)

क्षेत्र पंचायत – कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 22563.00171)

प्रस्तर-13—वर्ष 2013-14 में कतिपय सामग्री आपूर्ति बिलों टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है जिसे निम्न विवरणानुसार जमा करना दर्शाया गया है—

चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित धन का विवरण	तथा दिनांक
660028	09.09.2013	6118.00	एस0बी0आई0 सण्डीला	04.10.2013
523	28.03.2014	16445.00	कश्मीर सिंह यादव	03.04.2014
	योग	22563.00		

लेखा परीक्षा में टी0डी0एस0 जमा की चालान प्रति तथा रिटर्न दाखिल की प्रति मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं की गयी प्रमाणक के अभाव में रु0 22563.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार तथा लेखाकार श्री शिव कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-29)

क्षेत्र पंचायत – कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 400000.00)

प्रस्तर-14—अनुदान रजि0 भाग-3 की जांच में पाया गया कि वर्ष 2012-13 में एस0जी0एस0वाई0 अनुदान का रु0 400000.00 व्यय हुआ है। अनुदान रजि0 भाग-2 के अनुसार निम्न विवरणानुसार चेके निर्गत है।

चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	अनुदान रजि० के अनुसार आहरित धन का विवरण
011153	01.02.2013	167500.00	19 व्यक्तिगत शौचालय बी०ओ०आई० कल्याणमल
599889	01.02.2013	22500.00	03 व्यक्तिगत शौचालय ए०जी०बी० कोथावां
579419	01.02.2013	77500.00	03 व्यक्तिगत शौचालय इलाहाबाद बैंक थानगांव
96220	18.03.2013	32500.00	04 व्यक्तिगत शौचालय इलाहाबाद बैंक थानगांव
599890	30.03.2013	100000.00	ए०जी०बी० कोथावां
	योग	400000.00	

उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई पत्रावली व्यय विवरण एवं व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे रू० 400000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त के सम्बन्ध में अन्तरिम आपत्ति निर्गत करने के पश्चात् भी आडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी। जो नियमों एवं शासनादेशों को उल्लंघन है। आडिट में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक एवं कार्य पत्रावली का प्रस्तुत नहीं किया जाना ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार तथा लेखाकार श्री शिवकुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-21)

क्षेत्र पंचायत – कोथावां जनपद – हरदोई (रू० 628200.00)

प्रस्तर-15—अनुदान रजि० भाग-3 जांच में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में सांसद निधि का रू० 471150.00 तथा वर्ष 2012-13 में रू० 157050.00 कुल रू० 628200.00 प्राप्त हुआ। अनुदान रजि० भाग-2 में निम्न विवरणानुसार चेके निर्गत है—

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
16.03.2012	183583	200000.00	श्री गया प्रसाद गौतम ग्राम विकास अधिकारी
02.04.2012	183584	2440.00	श्री गया प्रसाद गौतम ग्राम विकास अधिकारी
02.04.2012	183585	153654.00	श्री गया प्रसाद गौतम ग्राम विकास अधिकारी
26.04.2012	183586	67200.00	श्री गया प्रसाद गौतम ग्राम विकास अधिकारी
13.07.2012	183591	143214.00	श्री गया प्रसाद गौतम ग्राम विकास अधिकारी
06.08.2012	183593	39000.00	श्री गया प्रसाद गौतम ग्राम विकास अधिकारी
06.08.2012	183594	13877.00	श्री गया प्रसाद गौतम ग्राम विकास अधिकारी
06.08.2012	183595	840.00	श्री गया प्रसाद गौतम ग्राम विकास अधिकारी
06.08.2012	183598	7000.00	श्री गया प्रसाद गौतम ग्राम विकास अधिकारी
		975.00	अनुदान वापस
	योग	628200.00	

उपरोक्त निर्गत चेकों से सम्बन्धित पत्रावली जिसमें कार्य के सम्बन्ध में समस्त प्रपत्र लगे होने चाहिये थे आडिट में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण रू० 628200.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जो नियमों अधिनियमों तथा भासनादेशों एवं विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। आडिट में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक सहित कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार राय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार शुक्ला तथा लेखाकार श्री कश्मीर सिंह तथा श्री गया प्रसाद गौतम ग्राम विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-22)

क्षेत्र पंचायत – कोथावां जनपद – हरदोई (रू० 117500.00)

प्रस्तर-16—अनुदान रजि० भाग-3 की जांच में पाया गया कि वर्ष 2012-13 में अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना में रू० 117500.00 का अनुदान प्राप्त तथा रू० 117500.00 का उपयोग दर्शित है अनुदान रजि० भाग-2 के अनुसार निम्न विवरणानुसार चेके निर्गत है—

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
30.03.2013	599892	15000.00	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक कोथावां
30.03.2013	599894	102500.00	बैंक आफ इण्डिया कल्याण मल
	योग	117500.00	

उपरोक्त निर्गत चेकों से सम्बन्धित पत्रावली जिसमें कार्य के सम्बन्ध में समस्त प्रपत्र लगे होने चाहिये थे आडिट में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण रू० 117500.00 के व्यय/उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकी जो नियमों अधिनियमों शासनादेशों एवं विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है आडिट में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक सहित कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज

सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार तथा लेखाकार श्री शिवकुमार से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-23)

क्षेत्र पंचायत – कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 903204.00)

प्रस्तर-17—अनुदान रजि0 भाग-3 की जांच में पाया गया कि वर्ष 2013-14 में बी0आर0 जी0एफ0 योजनान्तर्गत रु0 903204.00 का व्यय हुआ है अनुदान रजि0 भाग-2 के अनुसार निम्न विवरणानुसार चेके निर्गत है—

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
03.02.2014	601204	258239.00	गजरानी ब्रिक फील्ड
03.02.2014	601205	182687.00	आदर्श ह्यूम पाइप
03.02.2014	601206	258239.00	गजरानी ब्रिक फील्ड
03.02.2014	601207	182687.00	आदर्श ह्यूम पाइप
28.03.2014	601208	21352.00	टी0डी0एस0
	योग	903204.00	

उपरोक्त निर्गत चेको से सम्बन्धित पत्रावली जिसमें कार्य के सम्बन्ध में समस्त प्रपत्र लगे होने चाहिये थे आडिट में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण रु0 903204.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जो नियमों अधिनियमों शासनादेशों एवं विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक सहित कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना ब्याज सहित वसूली योग्य है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार तथा लेखाकार श्री शिवकुमार से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-27)

क्षेत्र पंचायत – कोथावां जनपद – हरदोई

(रु0 34428.00)

प्रस्तर-18—लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियों की जांच अनुदान रजि0-2 से करने पर निम्न विवरणानुसार चेके जो अनुदान रजि0 भाग-2 में निर्गत है उनकी पुष्टि में कार्य पत्रावलियों/प्रमाणक प्रस्तुत नहीं की गयी—

दिनांक चेक निर्गमन	चेक संख्या	धनराशि	अनुदान रजि0-2 में अंकित विवरण	बैंक स्टेटमेंट में आहरितकर्ता का नाम	बैंक से आहरित दिनांक
04.12.2013	476	9628.00	श्रीरामचन्द्र कनौजिया ए0डी0ओ0 (पी0)	नकद निकासी	07.12.13
06.02.2014	504	24800.00	श्री कश्मीर सिंह यादव क0लि0	नकद निकासी	08.12.14
	योग	34428.00			

सन्निहित धनराशि रु0 34428.00 से सम्बन्धित प्रमाणक/कार्य पत्रावली आडिट में अप्रस्तुत रही जो नियमों, अधिनियमों, शासनादेशों तथा विभागीय निर्देशों के विपरीत है। आडिट में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक सहित कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु0 34428.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार तथा लेखाकार श्री शिवकुमार से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-28)

क्षेत्र पंचायत – कोथावां जनपद – हरदोई

(रु0 327258.00)

प्रस्तर-19—संस्था द्वारा वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 में विभिन्न योजनाओं में प्राप्त अनुदानों को बैंक में जमा धनराशि पर ब्याज अर्जित किया गया है। अनुदान रजि0 भाग-3 के अनुसार शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33) 2010 दिनांक 21 मार्च 2012 वित्त लेखा अनुभाग-1 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा करा दिया जायेगा। इस प्रकार रु0 327258.00 को शासन की मंशा के अनुरूप राजकोष में जमा नहीं किया गया है। नियमों का पालन न करना गम्भीर अनियमितता को दर्शाता है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार राय, श्री अनिल कुमार तथा श्री विनोद कुमार एवं सहायक लेखाकार श्री सन्तोष कुमार सिंह, श्री कश्मीर सिंह एवं शिव कुमार उत्तरदायी है, जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-31)

क्षेत्र पंचायत – बेंहन्दर जनपद – हरदोई (रु0 5938796.00)

प्रस्तर-20—वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त योजना मद अन्तर्गत किया गया कुल व्यय रु0 6523556.00 है। जबकि इसकी पुष्टि में ले0प0 में मात्र एक निर्माण कार्य पत्रावली (रु0 584760.00) जांच हेतु सुलभ करायी गयी। शेष रु0 (6523556.00-584760.00= 5938796.00) की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियां जांच हेतु असुलभ रही। साथ ही साथ कई बार अन्तरिम आपत्तियां जारी करने पर भी बैंक स्टेटमेन्ट फोटोप्रति सुलभ नहीं करायी गयी। जिससे ले0प0 में स्पष्ट होता है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा रु0 5938796.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। सुलभ करायी गयी मात्र एक पत्रावली (क्र0सं016) में फोटोग्राफ भी पुष्टि हेतु संलग्न नहीं है। तालिकानुसार मात्र रु0 456000.00 के सामग्री क्रय तथा रु0 128760.00 के श्रमांश की ही पुष्टि लेखा परीक्षा में हो रही है। इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री मुकुल कुमार श्रीवास्तव (तत्कालीन), श्री सुशील कुमार (तत्कालीन सहायक लेखाकार) तथा अवर अभियन्ता (ए0अहमद) तथा श्री नन्हे लाल (प्रमुख) समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है। (ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय अनुसार, भुगतान की गयी राशियों की सूची संलग्न)

(गम्भीर आपत्ति संख्या-3/2011-12)

क्षेत्र पंचायत— बेंहन्दर जनपद – हरदोई (रु0 584760.00)

प्रस्तर-21—क्षे0पं0 बेहन्दर, हरदोई की वर्ष 2011-12 की ले0प0 में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त योजना 'मद अन्तर्गत किया गया कुल व्यय रु0 6523556.00 है। जबकि इसकी पुष्टि में ले0प0 में मात्र एक निर्माण कार्य पत्रावली "एस0के0बी0 रोड स दलन के खेत तक मिट्टी/खडंजा कार्य" (रु0 584760.00) जांच हेतु सुलभ करायी गयी। जिसमें लेखा परीक्षा में निम्न कमियां पायी गयी—

- 1—उक्त पत्रावली से सम्बन्धित भुगतानों की पुष्टि में बैंक स्टेटमेन्ट जांच हेतु अप्राप्त रही।
 - 2—उक्त पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (डी0पी0सी0-9) संलग्न नहीं था।
 - 3—उक्त पत्रावली में कार्य से पूर्व, कार्य के मध्य तथा कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ, पुष्टि हेतु संलग्न नहीं है। जो संलग्न किये जाये।
 - 4—उक्त पत्रावली से कार्य के सूचना प्रदर्शक बोर्ड (जिसमें कार्य का वर्ष, अनुमानित लागत, कार्य प्रभारी का नाम आदि अंकित हो) के प्रयोग की पुष्टि नहीं हो रही है।
- जिससे लेखा परीक्षा में स्पष्ट होता है कि क्षे0पं0 द्वारा वर्ष 2011-12 में, उक्त कार्यपर रु0 584760.00 का अनियमित व्यय किया गया है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री मुकुल कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार, अवर अभियन्ता मो0 ए0 अहमद तथा ब्लाक प्रमुख श्री नन्हे लाल समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-3।/2011-12)

क्षेत्र पंचायत – बेंहन्दर जनपद – हरदोई (रु0 857730.00)

प्रस्तर-22—क्षेत्र पंचायत वर्क रजिस्टर अनुसार, वर्ष 2012-13 में कोई भी कार्य राज्य वित्त योजना मद अन्तर्गत नहीं कराया गया है। मात्र एक निर्माण कार्य पत्रावली (विकास खण्ड कार्यालय की मरम्मत व पुताई कार्य) वर्ष 2012-13 सम्बन्धी जांच में सुलभ करायी गयी। जिसका भुगतान वर्ष 2013-14 में हुआ है। यहां भुगतान देर से चेक संख्या-004585/15.05.2013(रु0 68906.00), चेक संख्या 004593/26.08.2013 (रु0 27377.00) द्वारा किया गया है। वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किये गये—

क्र0सं0	व्यय का ब्यौरा	धनराशि
1	श्री विमलेश कुमार, ए0डी0ओ0 (एस0टी0)	174830.00
2	मे0 असही ब्रिक फील्ड, हरदलमऊ, सण्डीला	590900.00
3	श्री सुशील कुमार, सहायक लेखाकार	47000.00
4	श्री नन्हे लाल, प्रमुख	45000.00
	योग	रु0 857730.00

ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय अनुसार, वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त योजना मद अन्तर्गत कुल रु0 857730.00 व्यय किया गया। उक्त दर्शित व्ययों को किस उद्देश्य हेतु/विकास कार्य हेतु उपयोग किया गया का स्पष्ट निराकरण कर पाना ले0प0 में असम्भव रहा क्योंकि पंचायत कार्य का नाम/उद्देश्य का उल्लेख नहीं कर रही है। चूंकि क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त व्ययों की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियां अथवा पुष्टि प्रमाणक बिल्कुल भी नहीं सुलभ कराये है।

अतः उक्त दर्शित व्यय ले0प0 में पूर्णतयः अपुष्ट रहे। इनकी पुष्टि में बैंक स्टेटमेन्ट फोटोप्रति भी जांच में सुलभ नहीं करायी गयी है। जिससे ले0प0 में स्पष्ट होता है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा रू0 857730.00 का अपहरण किया गया है। तालिकानुसार रू0 61398.80 की सामग्री क्रय तथा रू0 34885.00 के श्रमांश की ही पुष्टि लेखा परीक्षा में हो रही है। जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जी0पी0 सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार तथा श्री नन्हेलाल, प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। इनके अतिरिक्त उक्त पार्टियां तथा व्यक्ति भी अपहरण करने के लिये उनके सम्मुख अंकित राशि के अनुसार, उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-2/2012-13)

क्षेत्र पंचायत — बेंहन्दर जनपद — हरदोई

(रू0 4457187.00)

प्रस्तर-23—वित्तीय वर्ष 2013-14 में, राज्य वित्त योजना मद अन्तर्गत किया गया कुल व्यय रू0 4497628.00 है। जबकि इसकी पुष्टि में ले0प0 में मात्र एक निर्माण कार्य पत्रावली (रू0 40441.00) जांच हेतु सुलभ करायी गयी। शेष रू0 (4497628.00-40441.00=4457187.00) की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियां जांच हेतु असुलभ रही। साथ ही साथ कई बार अन्तरिम आपत्तियां जारी करने पर भी बैंक स्टेटमेन्ट फोटो प्रतियां सुलभ नहीं करायी गयी। जिससे ले0प0 में स्पष्ट होता है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा रू0 4457187.00 का अपहरण किया गया है। सुलभ करायी गयी मात्र एक पत्रावली (क्र0सं0-2) में फोटोग्राफ भी पुष्टि हेतु संलग्न नहीं है। तालिकानुसार रू0 21711.00 के सामग्री क्रय तथा रू0 18730.00 के श्रमांश की ही पुष्टि लेखा परीक्षा में हो रही है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जी0पी0 सिंह, श्री सिकन्दर राम, श्री सचिदानन्द निगम एवं श्री सुशील कुमार तथा श्री रमेश कुमार सहायक लेखाकार तथा अवर अभियन्ता श्री ए0 अहमद तथा श्री नन्हे लाल, प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिनसे उक्त धनराशि रू0-4457187.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-3/2013-14)

क्षेत्र पंचायत — बेंहन्दर जनपद — हरदोई

(रू0 40441.00)

प्रस्तर-24—क्षेत्र पंचायत बेंहन्दर, हरदोई की वर्ष 2013-14 की ले0प0 में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त योजना 'मद अन्तर्गत किया गया कुल व्यय रू0 4497628.00 है। जबकि इसकी पुष्टि में ले0प0 में संलग्न सूची के अनुसार मात्र एक निर्माण कार्य पत्रावली विकास खण्ड परिसर में मीटिंग हाल के सामने बी0डी0ओ0 आवास के सामने बाउन्ड्री वॉल एवं पुताई कार्य (रू0 40441.00) जांच हेतु सुलभ करायी गयी। जिसमें लेखा परीक्षा में निम्न कमियां पायी गयी—

1—उक्त पत्रावली से सम्बन्धित भुगतानों की पुष्टि में बैंक स्टेटमेन्ट जांच हेतु अप्राप्त रही।

2—उक्त पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त कार्यपूर्ति प्रमाण (डी0पी0सी0-9) पत्र संलग्न नहीं था।

3—उक्त पत्रावली में कार्य से पूर्व, कार्य के मध्य तथा कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ, पुष्टि हेतु संलग्न नहीं है। जो संलग्न किये जाये।

4—उक्त पत्रावली से कार्य के सूचना प्रदर्शक बोर्ड (जिसमें कार्य का वर्ष, अनुमानित लागत, कार्य प्रभारी का नाम आदि अंकित हो) के प्रयोग की पुष्टि नहीं हो रही है।

जिससे लेखा परीक्षा में स्पष्ट होता है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2013-14 में, उक्त कार्यों पर रू0 40441.00 का अनियमित व्यय किया गया है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री जी0पी0 सिंह, श्री सिकन्दर राम, श्री सचिदानन्द निगम, सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार तथा श्री रमेश कुमार, अवर अभियन्ता मो0 ए0 अहमद तथा श्री नन्हे लाल, प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-3।/2013-14)

क्षेत्र पंचायत — बेंहन्दर जनपद — हरदोई

(रू0 277274.00)

प्रस्तर-25—स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत बेंहन्दर, विकास खण्ड बेंहन्दर, हरदोई द्वारा वर्ष 2011-12 की विकास कार्य पत्रावलियां तथा बैंक स्टेटमेंट ले0प0 में जांच हेतु सुलभ नहीं करायी है। जिससे राज्य वित्त आयोग मद अन्तर्गत कराये गये कार्यों हेतु क्रय की गयी सामग्री की स्थिति ले0प0 में अस्पष्ट रही। फिर भी आपत्ति संख्या-4 से स्पष्ट है कि निम्न पार्टियों से सामग्री क्रय की गयी—

मे0 असही ब्रिक फील्ड, हरदलमऊ, सण्डीला — रू0 4277516.00 (ईंट क्रय)

गोयल स्टील फर्नीचर्स, लखनऊ— रू0 144713.00

योग— रू0 4422229.00

उक्त क्रय सामग्री पर,

वैट कटौती 4 प्रतिशत होती है—

रू0 176889.00

टी0डी0एस0 कटौती 2.27 प्रतिशत होती है—

रु0 100385.00

योग—

रु0 277274.00

परन्तु वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय में उक्त कटौतियों सम्बन्धी खाता नहीं खोला गया है। जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा यह कटौतियां नहीं की गयी है। साथ ही इसकी जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक जमा चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त कटौती न कर रु0 277274.00 की राजस्व हानि की गयी है। जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मुकुल कुमार श्रीवास्तव, श्री जी0पी0 सिंह तथा सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार उत्तरदायी है। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-6/2011-12)

क्षेत्र पंचायत — बेहन्दर जनपद — हरदोई

(रु0 37049.00)

प्रस्तर-26—स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत बेहन्दर विकास खण्ड बेहन्दर हरदोई द्वारा वर्ष 2012-13 की विकास कार्य पत्रावलियां तथा बैंक स्टेटमेन्ट लेखा परीक्षा में जांच हेतु सुलभ नहीं करायी है। जिससे राज्य वित्त आयोग मद अन्तर्गत कराये गये कार्यों हेतु क्रय की गयी सामग्री की स्थिति लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रही। फिर भी आपत्ति संख्या-2 से स्पष्ट है कि निम्न पार्टियों से सामग्री क्रय की गयी—

मे0 असही ब्रिक फील्ड, हरदलमऊ, सण्डीला —रु0 590900.00 (ईट क्रय)

उक्त क्रय सामग्री पर

वैट कटौती 4 प्रतिशत होती है—

रु0 23636.00

टी0डी0एस0 कटौती 2.27 प्रतिशत होती है—

रु0 13413.00

योग—

रु0 37049.00

परन्तु वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 के ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय में उक्त कटौतियों सम्बन्धी खाता नहीं खोला गया है। जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा यह कटौतियां नहीं की गयी है। साथ ही इसकी जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/बैंक चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त रु0 37049.00 की कटौती न कर राजस्व हानि की गयी है। जिस प्रति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री जी0पी0सिंह तथा सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार उत्तरदायी है। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-4/2012-13)

क्षेत्र पंचायत — बेहन्दर जनपद — हरदोई

(रु0 167173.00)

प्रस्तर-27—स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत बेहन्दर, वि0खण्ड बेहन्दर हरदोई द्वारा वर्ष 2013-14 की विकास कार्य पत्रावलियां तथा बैंक स्टेटमेन्ट ले0प0 में जांच हेतु सुलभ नहीं करायी है। जिससे राज्य वित्त आयोग मद अन्तर्गत कराये गये कार्यों हेतु क्रय की गयी सामग्री की स्थिति ले0प0 में अस्पष्ट रही। फिर भी आपत्ति संख्या-4 से स्पष्ट है कि निम्न पार्टियों से सामग्री क्रय की गयी—

मे0 असही ब्रिक फील्ड (ईट क्रय)	2588432.00
मे0 पुरवायां मशीनरी स्टोर	43000.00
बालाजी ट्रेडर्स	34800.00
योग	2666232.00

उक्त क्रय सामग्री पर,

वैट कटौती 4 प्रतिशत होती है—

रु0 106650.00

टी0डी0एस0 कटौती 2.27 प्रतिशत होती है—

रु0 60523.00

योग—

रु0 167173.00

परन्तु वर्ष 2010-11, 2011-12, 2013-14 के ग्राण्ट रजिस्टर—तृतीय में उक्त कटौतियों सम्बन्धी खाता नहीं खोला गया है। जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा यह कटौतियां नहीं की गयी है। साथ ही इसकी जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक जमा चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त रु0 167173.00 की कटौती न कर राजस्व हानि की गयी है। जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जी0पी0सिंह, श्री सिकन्दर राम, श्री सचिदानन्द निगम तथा सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार एवं श्री रमेश कुम समान रूप से उत्तरदायी है। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-6/2013-14)

क्षेत्र पंचायत – बेहन्दर जनपद – हरदोई (रु0 106000.00)

प्रस्तर-28— क्षेत्र पंचायत बेहन्दर विकास खण्ड— बेहन्दर, हरदोई की वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में विभिन्न मदों अन्तर्गत हुये निम्न व्ययों की पुष्टि प्रमाणकों के अभाव में एवं योजना पत्रावलियां अप्राप्त रहने के कारण नहीं की जाती है—

क्र0 सं0	अनुदान का नाम/2011-12	ग्राण्ट रजि0 तृतीय में व्यय अंकित	ग्राण्ट रजि0 तृतीय 31.03.12 का अवशेष	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	धनराशि
1	बायोगैस ग्राण्ट रजि0 द्वितीय/ पृ0 24	56000.00	20391.85	08.09.11 08.09.11 29.02.12	003577 003578 003579	शिवबालक पुत्र बलेदवरमेष पुत्र दुर्गाबेचेलाल पुत्र भीखा	8000.00 8000.00 8000.00 योग—24000.00
2	वि0खण्ड बाउन्ड्रीवाल ग्राण्ट रजि0 द्वितीय/ पृ0 18	50000.00	6562.00	अंकित नहीं	अंकित नहीं	<u>विवरणहीन/अंकित नहीं</u> (ग्राण्ट रजि0द्वितीय में)	50000.00

उक्त तालिका से स्पष्ट है —

1—बायोगैस 'मद अन्तर्गत, वर्ष 2011-12 में, ग्राण्ट रजि0 द्वितीय (पृष्ठ 24) अनुसार कुल व्यय रु0 24000.00 हुआ है, जो ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय अनुसार रु0 56000.00 होता है। इस प्रकार दोनों में रु0 32000.00 का अन्तर विद्यमान है। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा रु0 32000.00 का अधिक व्यय ग्राण्ट रजि0 तृतीय में दर्शाकर अनुदान राशि का अपहरण किया गया है। साथ ही उक्त कुल रु0 56000.00 के व्ययों की पुष्टि में प्रमाणक तथा योजना पत्रावलियां एवं योजना बैंक पासबुक पूर्णतया: लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। जिस कारण उक्त मद में रु0 56000.0 के व्यय लेखा परीक्षा में अपुष्ट रहें। स्पष्ट है कि रु0 56000.00 के अनुदान का अपहरण हुआ है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री मुकुल कुमार श्रीवास्तव तथा श्री जी0पी0सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार सामान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

2—विकास खण्ड बाउन्ड्रीवाल, मद अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में कुल व्यय रु0 50000.00 की ग्राण्ट रजि0 द्वितीय में विवरणहीन/निराधार रूप से प्रविष्टि पारित की गयी है। जिस कारण व्यय ले0प0 में अपुष्ट रहा। स्पष्ट है कि रु0 50000.00 के अनुदान का अपहरण हुआ है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री मुकुल कुमार श्रीवास्तव, श्री जी0पी0 सिंह तथा सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार सामान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-5/2011-12)

क्षेत्र पंचायत – बेहन्दर जनपद – हरदोई (रु0 46980.00)

प्रस्तर-29—क्षेत्र पंचायत बेहन्दर, विकास खण्ड बेहन्दर, हरदोई की वर्ष 2012-13 की ले0प0 में विभिन्न मदों अन्तर्गत हुये निम्न व्ययों की पुष्टि प्रमाणकों के अभाव में एवं योजना पत्रावलियां अप्राप्त रहने के कारण नहीं की जाती है—

क्र0 सं0	अनुदान का नाम	ग्राण्ट रजि0 तृतीय में व्यय अंकित	ग्राण्ट रजि. तृतीय/ 31.03.2013 का अवशेष	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	धनराशि (रु0 में)
1	बायोगैस (पृष्ठ 24)ग्राण्ट रजि0 द्वितीय	24000.00	52391.85	21.04.12 22.04.12 27.07.12	003580 007401 007402	रामदास पुत्र पुत्तुलाल इदरीश पुत्र मो0 रजा रामपाल पुत्र श्यामलाल	8000.00 8000.00 8000.00
						योग	24000.00
2	किसान क्रेडिट कार्ड मानदेय (पृष्ठ 70)/ ग्राण्ट रजि0 द्वितीय	22980.00	—	18.07.12	179308 30.04.12	ग्राण्ट रजि0 द्वितीय में प्राप्तियां पक्ष में उ0प0 कृषि निदेशक, हरदोई चेक निरस्त अंकित	22980.00
	योग	46980.00					46980.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है –

1—बायोगैस मद अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में ग्राण्ट रजि० द्वितीय (पृष्ठ 24) अनुसार, रू० 24000.00 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में प्रमाणक, योजना पत्रावलियां तथा योजना बैंक पासबुक जांच में अप्राप्त रहे हैं। जिस कारण उक्त व्यय रू० 24000.00 जांच में अपुष्ट रहा। स्पष्ट है कि क्षे०प० द्वारा उक्त राशि का अपहरण किया गया है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री जी०पी० सिंह तथा सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

2—किसान क्रेडिट कार्ड मानदेय मद अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय (पृष्ठ 70) अनुसार प्राप्ति पक्ष में ही उप० कृषि निदेशक, हरदोई का चेक 179308/दिनांक 30.04.12 (रू० 22980.00) निरस्त दर्शाया जा रहा है। इस प्रकार कोई व्यय न होने के पश्चात् भी ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय में व्यय रू० 22980.00 दर्शाया गया, जो त्रुटियुक्त है। उक्त व्यय लेखा परीक्षा में अपुष्ट रहा। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा रू० 22980.00 का अपहरण किया गया है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री जी०पी० सिंह तथा सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है। (गम्भीर आपत्ति संख्या-5/2012-13)

क्षेत्र पंचायत – बेहन्दर जनपद – हरदोई (रू० 132080.00)

प्रस्तर-30—क्षेत्र पंचायत बेहन्दर विकास खण्ड बेहन्दर हरदोई की वर्ष 2013-14 की ले०प० में विभिन्न मदों अन्तर्गत हुय निम्न व्ययों की पुष्टि प्रमाणकों के अभाव में एवं योजना पत्रावलियां अप्राप्त रहने के कारण, नहीं की जाती है—

क्र० सं०	अनुदान का नाम	ग्राण्ट रजि० तृतीय में व्यय अंकित	ग्राण्ट रजि. तृतीय / 31.03.2013 का अवशेष	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	धनराशि (रू० में)
1	किसान क्रेडिट कार्ड मानदेय (पृष्ठ 70)/ग्राण्ट रजि० द्वितीय	22980.00	— —	17.04.13	874847	सुशील कुमार, सहा० ले०	22980.00
					दिनांक अस्पष्ट		
2	जनसंख्या सर्वे ग्राण्ट रजि० द्वितीय / पृष्ठ संख्या 12	48900.00		22.04.13	874848 / 22.04.13	सुशील कुमार, सहा० ले०	48900.00
3	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रशिक्षण/ग्राण्ट रजि० द्वितीय (पृष्ठ 44)	34200.00	40000.0	08.05.13	874849	सुशील कुमार, सहा० ले०	15000.00
				01.07.13	874850	सुशील कुमार, सहा० ले०	19200.00
	योग						106080.00

क्र० सं०	अनुदान का नाम	ग्राण्ट रजि० तृतीय में व्यय अंकित	ग्राण्ट रजि. तृतीय / 31.03.2014 का अवशेष	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	धनराशि (रू० म)
1	एस०जी०एस०वाई० जमानत (पृष्ठ अस्पष्ट)	26000.00	अस्पष्ट	—	—	मद का खाता ग्राण्ट रजि० द्वितीय में नहीं खुला है।	

उक्त तालिका से स्पष्ट है –

1—क्रमांक 1 से 3 तक के अनुदान मदों के व्ययों का कुल योग रु0 106080.00 है। इस राशि की पुष्टि में लेखा परीक्षा में प्रमाणक योजना पत्रावलियां तथा योजना बैंक पासबुक अप्राप्त रहे। जिस कारण उक्त व्यय ले0प0 में अपुष्ट रहा। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त राशि का अपहरण किया गया है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री जी0पी0 सिंह, श्री सिकन्दर राम, श्री सचिदानन्द निगम तथा सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार एवं श्री रमेश कुमार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

2—एस0जी0एस0वाई0 मद अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय अनुसार व्यय रु0 26000.00 होता है। जिसका ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में खाता नहीं खोला गया है। यह अपवाद का विषय है। उक्त व्यय ले0प0 में अपुष्ट रहा। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त राशि का अपहरण किया गया है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री जी0पी0 सिंह, श्री सिकन्दर राय, श्री सचिदानन्द निगम तथा सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार एवं श्री रमेश कुमार समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-5/2013-14)

क्षेत्र पंचायत — बेहन्दर जनपद — हरदोई

(रु0 4234137.00)

प्रस्तर-31-(1)क्षेत्र पंचायत बेहन्दर की वर्ष 2011-12 की मनरेगा योजना की ले0प0 में निम्न स्थिति पायी गयी—

क्र0 सं0	अनुदान का नाम	ग्राण्ट तृतीय अनुसार रजि0 दर्शित व्यय (रु0 में)	जांची गयी राशि (अभिलेख सुलभ)	अपुष्ट राशि (अभिलेख अप्राप्त)
		1	2	(1-2)
1	मनरेगा क्षेत्र पंचायत अंश	1803150.00	751800.00	1051350.00
2	रोजगार सेवक मानदेय	5933.00	—	5933.00
3	तकनीकी सहायक मानदेय	800000.00	—	800000.00
4	कार्यालय व्यय	1170054.00	—	1170054.00
5	लघु सिंचाई श्रमांश	1492080.00	286440.00	1205640.00
6	ब्याज	1160.0	—	1160.00
	योग	5272377.00	1038240.00	4234137.00

(जांची गयी राशि की पुष्टि में प्रारूप 1 से 4 तक पर सूचनायें तैयार कर संलग्न—)

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत का मनरेगा योजनान्तर्गत कुल व्यय रु0 5272377.00 है। जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट के अभाव में नहीं की जाती है। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा रु0 1038240.00 की राशि की पुष्टि में पत्रावलियां जांच हेतु सुलभ करायी। शेष रु0 4234137.00 की राशि की पुष्टि में अभिलेख जांच हेतु अप्राप्त रहे।

अतः यह राशि पूर्णतयः ले0प0 में अपुष्ट रही। जिससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2011-12 दौरान रु0 4234137.00 की राशि का अपहरण किया गया है। तालिकानुसार रु0 751800.00 के क्षेत्र पंचायत अंश तथा रु0 286440.00 के निःशुल्क बोरिंग व्यय की ही पुष्टि लेखा परीक्षा में हो रही है। जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मुकुल कुमार श्रीवास्तव, श्री जी0पी0 सिंह तथा सहायक लेखाकार श्री सुनील कुमार समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-10/2011-12)

क्षेत्र पंचायत — बेहन्दर जनपद — हरदोई

(रु0 1038240.00)

प्रस्तर-32—क्षेत्र पंचायत बेहन्दर, हरदोई की वर्ष 2011-12 की ले0प0 में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में मनरेगा योजना 'मद अन्तर्गत किया गया कुल व्यय रु0 5272377.00 है। जबकि इसकी पुष्टि में ले0प0 में संलग्न सूची के अनुसार निर्माण कार्य पत्रावलियां (रु0 1038240.00) जांच हेतु सुलभ करायी गयी। जिसमें लेखा परीक्षा में निम्न कमियां पायी गयी—

1—उक्त पत्रावलियां से सम्बन्धित भुगतानों की पुष्टि में बैंक स्टेटमेन्ट जांच हेतु अप्राप्त रही।

2—उक्त पत्रावलियां में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था।

3—उक्त पत्रावलियां में कार्य से पूर्व, कार्य के मध्य तथा कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ, पुष्टि हेतु संलग्न नहीं है। जो संलग्न किये जाये।

4—उक्त पत्रावलियां से कार्य के सूचना प्रदर्शक बोर्ड (जिसमें कार्य का वर्ष, अनुमानित लागत, कार्य प्रभारी का नाम आदि अंकित हो) के प्रयोग की पुष्टि नहीं हो रही है।

जिससे लेखा परीक्षा में स्पष्ट होता है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2011-12 में उक्त कार्यों पर रू0 1038240.00 का अनियमित व्यय किया गया है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री मुकुल कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार तथा सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(गम्भीर आपत्ति संख्या-10।/2011-12)

क्षेत्र पंचायत – बेहन्दर जनपद – हरदोई

(रू0 2648500.00)

प्रस्तर-33—क्षेत्र पंचायत बेहन्दर की वर्ष 2012-13 की मनरेगा योजना की ले0प0 में निम्न स्थिति पायी गयी—

क्र0 सं0	अनुदान का नाम	ग्राण्ट तृतीय अनुसार रजि0 दर्शित व्यय (रू0 में)	जांची गयी राशि (अभिलेख सुलभ)	अपुष्ट राशि(अभिलेख अप्राप्त)
		1	2	(1-2)
1	मनरेगा क्षेत्र पंचायत अंश	853590.00	143880.00	709710.00
2	रोजगार सेवक मानदेय	275092.00		275092.00
3	तकनीकी सहायक मानदेय	736871.00		736871.00
4	कार्यालय व्यय	526817.00		536817.00
5	लघु सिंचाई श्रमांश	816000.00	416000.00	400000.00
6	ब्याज	10.00		10.00
	योग	3208380.00	559880.00	2648500.00

(जांची गयी राशि की पुष्टि में प्रारूप 1 से 4 तक पर सूचनायें तैयार कर संलग्न—)

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत का मनरेगा योजनान्तर्गत कुल व्यय रू0 3208380.00 है। जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट के अभाव में नहीं की जाती है। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा रू0 559880.00 की राशि की पुष्टि में पत्रावलियां जांच हेतु सुलभ करायी। शेष रू0 2648500.00 की राशि की पुष्टि में अभिलेख जांच हेतु अप्राप्त रहे।

अतः यह राशि पूर्णतयः लेखा परीक्षा में अपुष्ट रही। जिससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 दौरान रू0 2648500.00 की राशि का अपहरण किया गया है। तालिकानुसार रू0 416000.00 के निःशुल्क बोरिंग व्यय की ही पुष्टि लेखा परीक्षा में हो रही है। जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जी0पी0 सिंह तथा सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-8/2012-13)

क्षेत्र पंचायत— बेहन्दरजनपद – हरदोई

(रू0 559880.00)

प्रस्तर-34— क्षेत्र0 बेहन्दर, हरदोई वर्ष 2012-13 की ले0प0 में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में मनरेगा योजना 'मद अन्तर्गत किया गया कुल व्यय रू0 3208380.00 है। जबकि इसकी पुष्टि में ले0प0 में संलग्न सूची के अनुसार निर्माण कार्य पत्रावलियां (रू0 559880.00) जांच हेतु सुलभ करायी गयी। जिसमें लेखा परीक्षा में निम्न कमियां पायी गयी—

1—उक्त पत्रावलियों से सम्बन्धित भुगतानों की पुष्टि में बैंक स्टेटमेन्ट जांच हेतु अप्राप्त रही।

2—उक्त पत्रावलियों में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था।

3—उक्त पत्रावलियों में कार्य से पूर्व, कार्य के मध्य तथा कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ, पुष्टि हेतु संलग्न नहीं है। जो संलग्न किये जाये।

4—उक्त पत्रावलियों से कार्य के सूचना प्रदर्शक बोर्ड (जिसमें कार्य का वर्ष, अनुमानित लागत, कार्य प्रभारी का नाम आदि अंकित हो) के प्रयोग की पुष्टि नहीं हो रही है।

जिससे लेखा परीक्षा में स्पष्ट होता है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 में उक्त कार्यों पर रू0 559880.00 का अनियमित व्यय किया गया है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री जी0पी0 सिंह, सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार तथा सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(गम्भीर आपत्ति संख्या-8।/2012-13)

क्षेत्र पंचायत – बेहन्दर जनपद – हरदोई

(रू0 1341807.00)

प्रस्तर-35—क्षेत्र पंचायत बेहन्दर, हरदोई की वर्ष 2013-14 की मनरेगा योजना की लेखा परीक्षा में निम्न स्थिति पायी गयी—

क्र० क्र०	अनुदान का नाम	ग्राण्ट तृतीय अनुसार रजि० दर्शित व्यय (रु० में)	जांची गयी राशि (अभिलेख सुलभ)	अपुष्ट राशि (अभिलेख अप्राप्त)
		1	2	(1-2)
1	मनरेगा क्षेत्र पंचायत अंश	201214.00	—	201214.00
2	रोजगार सेवक मानदेय	153765.00	—	153765.00
3	तकनीकी सहायक मानदेय	188000.00	—	188000.00
4	कार्यालय व्यय	460078.00	—	460078.00
5	लघु सिंचाई श्रमांश	—	—	—
6	ब्याज	3101.00	—	3101.00
7	अवशेष सीडमनी की धनराशि	335649.00	—	335649.00
	योग	1341807.00	—	1341807.00

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2013-14 में क्षेत्र पंचायत का मनरेगा योजनान्तर्गत कुल व्यय रु० 1341807.00 है। जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव में नहीं की जाती है। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा रु० 1341807.00 की राशि की पुष्टि में अभिलेख जैसे- पत्रावलियों/प्रमाणक बैंक स्टेटमेंट आदि जांच हेतु सुलभ नहीं कराये गये हैं। अतः यह राशि पूर्णतः ले०प० में अपुष्ट रही। जिससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2013-14 दौरान रु० 1341807.00 की राशि का अपहरण किया है। जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जी०पी० सिंह, श्री सिकन्दरराम, श्री सचिदानन्द निगम तथा सहायक लेखाकार श्री सुनील कुमार तथा श्री रमेश कुमार समान रूप से उत्तदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-11/2013-14)

क्षेत्र पंचायत – बेहन्दर जनपद – हरदोई

(रु० 2028584.00)

प्रस्तर-36—क्षेत्र पंचायत बेहन्दर, हरदोई के मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय माह मार्च 2014 अनुसार पंचायत के विभिन्न बैंक खातों में अवशेष धनराशि का विवरण निम्न है

क्र० सं०	बैंक खातों का विवरण	मार्च 2014 में अवशेषधनराशि (रु० में)	इन्स्ट्रुमेंट जिससे धन उपायुक्त, श्रम रोजगार हरदोई को वापस किया गया	ग्राण्ट रजि० तृतीय माह मार्च 2014 में दर्शित अन्तिम अवशेष
1	ए०जी०बी० बेहन्दर खाता संख्या- 10750	21492.50	डी डी न० 10567/29.03. 14	शून्य
2	बैंक आफ इण्डिया कासिमपुर खाता संख्या- 9372	197638.00	डी डी न० 715474/04.04. 14	शून्य
3	बैंक आफ इण्डिया कासिमपुर खाता संख्या-10768	774617.00	डी डी न० 715442/04.04. 14	शून्य
4	बैंक आफ इण्डिया कासिमपुर खाता संख्या-10954	423041.00	डी डी न० 715475/04.04. 14	शून्य
5	बैंक आफ इण्डिया शाहपुर चमरहा खातासंख्या-10216	25330.00	डी डी न० 001962/24.03. 14	शून्य
6	बैंक आफ इण्डिया रैसों खाता संख्या- 5412	117390.00	डी डी न० 001887/24.02.14	शून्य
	योग	1559508.00		

ग्राण्ट रजिस्टर-तृतीय अनुसार

समस्त मदों के अवशेषों का योग—

रु० 1689834.50

बैंक खातों के अवशेषों/31.03.14 का योग—

रु० 1559508.00

अन्तर—

रु० 130326.00

उक्त अन्तर का समाधान निम्न रूप से किया गया—

क्षे०प० ग्राण्ट रजि० द्वितीय/पृष्ठ 68 पर ट्रांसफर—

रु० 10408.00

क्षे०प० ग्राण्ट रजि० द्वितीय पृष्ठ 71 पर ट्रांसफर—

रु० 100000.00

भुगतान किया—

रु० 19918.00

उक्त बैंक समाधान विवरण पत्र में निम्न दो बैंक खातों के अवशेषों दिनांक 31.03.14 को नहीं शामिल किया गया है तथा इनसे धनराशि को डी0डी0 माध्यम से उपायुक्त श्रम एवं रोजगार हरदोई को वापस (धन) कर दिया गया है। यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है, कि निम्न बैंक खातों के अवशेषों को उक्त बैंक समाधान विवरण पत्र में क्यों नहीं शामिल कर अन्तिम समाधान विवरण पत्र तैयार किया गया—

क्र० सं०	बैंक खातों का विवरण	इन्स्टरमेन्ट संख्या	धनराशि वापस
1	ए0जी0बी0 बेहन्दर खाता संख्या— 14086	डी डी न० 105672 / 24.02.14	3101.00
2	बैंक आफ इण्डिया रैसो खाता संख्या— 630	डी डी न० 001888 / 24.02.14	335649.00
	योग		338750.00

उक्त बैंक खाते किस योजना से सम्बन्धित है तथा इनके अवशेषों/दिनांक 31.03.14 की उक्त धनराशि वापस करने के उपरान्त क्या स्थिति रही, (ग्राण्ट रजि० तृतीय में अस्पष्ट) ले०प० में स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत ग्राण्ट रजि० तृतीय माह मार्च 2014 में अंकित उक्त ब्यौरों की पुष्टि में बैंक स्टेटमेन्ट का अभाव रहा, जिस कारण समस्त बैंक खातों के अवशेषों का योग रू० 1559508.00, अन्तर धनराशि रू० 130326.00 तथा अन्य दो खातों की धनराशि रू० 338750.00 कुल रू० 2028584.00 की धनराशि लेखा परीक्षा में अपुष्ट रही। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द निगम तथा सहायक लेखाकार श्री रमेश कुमार समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या—12/2013—14)

क्षेत्र पंचायत — भरखनी जनपद — हरदोई

(रू० 46194.00)

प्रस्तर—37—क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2011—12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में कराये गये खडंजा निर्माण कार्यों पर सामग्री अंश पर रू० 762280.00 की चेक जारी करते समय टी0डी0एस0रू० 15703.00 एवं वैट रू० 30491.00 कुलधनराशि रू० 46194.00 की ब्याज सहित वसूली न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। इस प्रकार रू० 46194.00 की ब्याज सहित वसूली आयकर अधिनियम एवं बैट अधिनियम के अनुसार ब्याज के साथ—साथ उत्तरदायी लेखाकार श्री सफी सरवर अनसारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, श्री वी०के० श्रीवास्तव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या—9)

क्षेत्र पंचायत — भरखनी जनपद — हरदोई

(रू० 1410474.00)

प्रस्तर—38—क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2011—12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा खंडजा मिट्टी कार्य पर राज्य वित्त/तेरवां वित्त बैंक खाते से रू० 1015840.00 व्यय किया गया है। बैंक खातों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बिना कार्य के खाते से नकद/अन्तरण किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है—

क्र० सं०	चेक संख्या	दिनांक	अन्तरित धनराशि	अन्तरित/नकद आहरित धनराशि	सम्बन्धित जिसके पक्ष में जारी चेक का नाम
1	999516	01.06.2011	—	17194.00	श्री सतीशचन्द्र
2	999517	27.07.2011	—	31600.00	श्री सफी सरवर अनसारी
3	999518	29.08.2011	81700.00	—	भरखनी ब्रिक फील्ड
4	999520	24.11.2011	50200.00	—	एस०बी० खाता—7863
5	999523	09.12.2011	47400.00	—	भरखनी ब्रिक फील्ड
6	999521	09.12.2011	210200.00	—	भरखनी ब्रिक फील्ड
7	999524	09.12.2011	15970.00	—	सिंह सीमेन्ट स्टोर
8	999522	09.12.2011	61900.00	—	सिंह सीमेन्ट स्टोर
9	489607	24.12.2011	81100.00	—	सिंह सीमेन्ट स्टोर
10	489604	24.12.2011	54660.00	—	सिंह सीमेन्ट स्टोर
11	489602	24.12.2011	188000.00	—	भरखनी ब्रिक फील्ड
12	469603	24.12.2011	12750.00	—	भरखनी ब्रिक फील्ड
13	489605	24.12.2011	319800.00	—	भरखनी ब्रिक फील्ड
14	489609	13.03.2011	—	40000.00	श्री सफी सरवर अनसारी
15	489610	30.03.2011	198000.00	—	माधव इन्डस्ट्रीज
			1321680.00	88794.00	कुल धनराशि— 1410474.00

इस प्रकार राज्य वित्त/तेरहवां वित्त से रु0 1410474.00 व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षामें सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में जारी अन्तरिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परिपालन नहीं किया गया। इससे परिलक्षित होता है कि दर्शाये गये व्ययों के सापेक्ष न तो कोई पत्रावली तैयार की गयी और न ही शेषणादेशों एवं विभागीय प्रपत्रों के अनुसार जारी निर्देशों का पालन न करके मनमाने ढंग से राजकीय धनराशि की हेरा-फेरी करके क्षति पहुँचाई गयी है। इससे स्पष्ट है कि धन आहरण कर लिया गया है। अतः आहरित धनराशि रु0 1410474.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, श्री वी०के० श्रीवास्तव लेखाकार श्री सफी अन्सारी एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीतू सिंह से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – भरखनी जनपद – हरदोई

(रु0 421960.00)

प्रस्तर-39—सवायजपुर में दिनेश के मकान से गदनापुर मार्ग तक मिट्टी खण्डजा कार्य— कार्य की लम्बाई 700मी० चौ० 3.30मी० उक्त कार्य हेतु निम्नानुसार ईट खरीद तथा मजदूरी भुगतान किया गया विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	बउचर बुक नं०	बउचर क्रमांक	दिनांक	दर	ईट सं०	धनराशि	चैक संख्या	दिनांक	भुगतान की स्थिति
1	5	224	27.11.2011	3800	86000	326800.00	999525	24.12.2011	मे० भगवान ब्रिक फील्ड
2	एम०आर०	—	—	—	—	80040.00	489613	14.03.2012	धर्मेन्द्र पाल ए०डी०ओ० आई०एस०बी०
3	एम०आर०	—	—	—	—	15120.00	489624	05.06.2012	धर्मेन्द्र पाल ए०डी०ओ० आई०एस०बी०

योग-421960.00

उक्त खण्डजा निर्माण में निम्न आपत्तियां पायी गयी—

1—शासनादेश संख्या 1276 भू०प्र०प०/एवं/स-प्र०/सकुलर ग्रा०वि०/1106 दिनांक 16.10.2006 के अनुसार 500 मी० खण्डजा आदि निर्माण पर 900 एम०एम० व्यास की पुलिया का निर्माण जल निकासी हेतु आवश्यक है। इस प्रकार उक्त कार्य शासन की अपेक्षानुसार नहीं है। जिससे धन का उपयोग निष्फल रहा।

2—ईट क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया न अपनाये जाने के कारण ईट खरीद संदिग्ध रही।

3—एम०आर० बाजार से खरीद कर एवं एम०आर० के सभी कालम नहीं भरे गये हैं। स्पष्ट है कि एम०आर०फर्जी बनाये गये हैं।

4—कुल ईट 86000 क्रय की गयी जबकि 700मी० लम्बाई तथा 3.30 चौड़ाई हेतु 136290 ईट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार 50290 ईट कम क्रय की गयी खण्डजा कार्य पूर्ण करने हेतु 50290 ईट और अधिक चाहिए थी। परन्तु खण्डजा निर्माण 700 मी० पूर्ण दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट है कि एम०वी० फर्जी बनायी गयी।

5—स्टीमेट में रॉयटी का प्राक्कलन किया गया है। शासनादेश संख्या 495(I)77-5-2006-506/05 दिनांक 05.10.2006 के अनुसार रोयलटी बिलो के भुगतान से की जायेगी। यदि कार्य के बगल में मिट्टी होती तो रोयलटी का प्राक्कलन नहीं किया जाता है। बिना मिट्टी के कार्य सम्भव ही नहीं है। अतः खण्डजा निर्माण काल्पनिक रहा है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ईट बिना पूर्ण संख्या के बिना मिट्टी के खण्डजा निर्माण काल्पनिक रहा है एम०वी० में 86000 ईट मात्र से 700 मी० खण्डजा पूर्ण दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट है कि खण्डजा निर्माण काल्पनिक रहा। स्पष्ट है कि ईट बिना पूर्ण संख्या के एवं बिना मिट्टी के कार्य पूर्ण दर्शाकर रु0 421960.00 का अपहरण किया गया।

अतः रु0 421960.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी धर्मेन्द्र पाल ए०डी०ओ०आई०एस०बी० लेखाकार श्री सफी सरवर अन्सारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री वी०के० श्रीवास्तव एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीतू सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-11)

क्षेत्र पंचायत – भरखनी जनपद – हरदोई

(रु0 289132.00)

प्रस्तर-40—चक पुलिया से ग्राम सदरपुर तक खण्डजा मिट्टी कार्य वर्ष 2012-13 उक्त खण्डजा निर्माण पर निम्नानुसार भुगतान किया गया विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	बुक नम्बर	बाऊचर क्रमांक	दिनांक	धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	चेक जिनके पक्ष में निर्गत की गयी
1	—	300	22.01.2012	98212.00	1816	01.12.2012	मे० भगवान ब्रिक फील्ड
2	—	297	22.01.2012	96320.00	1821	22.01.2013	मे० भगवान ब्रिक फील्ड
3	—	299	22.01.2012	94600.00	1824	22.01.2013	मे० भगवान ब्रिक फील्ड
4	एम आर	—	—	शून्य	—	—	—
कुल योग				289132.00			

उपरोक्त खण्डजा निर्माण में मात्र सामग्री अंश पर रू० 289132.00 व्यय किया गया। जिसमें मजदूरी अंश पर व्यय नहीं किया गया स्पष्ट है कि बिना मजदूरी व्यय किये खण्डजा कार्य काल्पनिक रहा।

इस प्रकार संस्था से दुरभि सन्धि करके रुपया 289132.00 का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित तत्कालीन कार्य प्रभारी धर्मेन्द्र पाल ए०डी०ओ०आई० एस०बी०, लेखाकार श्री सफी सरवर अन्सारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री वी०के० श्रीवास्तव एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीतू सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-12)

क्षेत्र पंचायत – भरखनी जनपद – हरदोई

(रू० 900000.00)

प्रस्तर-41- 100 सोलर लाइट का टेंडर अवध की आवाज अंक 156 पृष्ठ 08 पर दो नवम्बर 2012 पत्रांक मेमों/स०वि०/तेरहवों वित्त/2012-13/सोलर लाइट निविदा मूल्य रू० 300.00 कार्य की अवधि 01 माह टेण्डर दाता क्रमशः

1- बाला जी सेल्स कारपोरेशन गुरु गोविन्द मार्ग लालकुआँ रू० 9445.00

2- एन०ए० इण्टर प्राइजेज पाटा नाला चौक लखनऊ रू० 9475.00

3- मे० नव भारत इण्टर प्राइजेज सिविल लाइन गोण्डा रू० 9000.00

उपरोक्त में से मे० नवभारत इण्टर प्राइजेज सिविल लाइन गोण्डा को टेण्डर स्वीकृत किया गया।

उपरोक्त सोलर लाइट खरीद में निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयीं-

1-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ऐसी किसी भी खरीद के लिए नेडा को ऐजेन्सी नामित किया गया है। इस प्रकार राजकीय निर्देशों का उल्लंघन करके खरीद की गयी।

2-टेण्डर अतिशूक्ष्म प्रसार अवध की आवाज में प्रकाशित किया गया जो जनपद हरदोई में नहीं मिलता है।

3-मेसर्स नव भारत इण्टर प्राइजेज द्वारा प्रस्तुत बाऊचर संख्या 845, 846 दिनांक 31.11.2012 पर क्रम सं० हस्तलिपि में पाया गया।

4-मेसर्स नव भारत इण्टर प्राइजेज के बाऊचर पर अंकित टिन नं० 9955304865 टिन नं० न होकर एक मोबाइल नम्बर है। जो किसी पूनम बिहार का नम्बर है। काल करके देखा जा सकता है। इस प्रकार मे० नव भारत इण्टर प्राइजेज व्यापार कर द्वारा पंजीकृत संस्था न होकर फर्जी संस्था है।

5-दिनांक 08.11.2012 को चेक संख्या 1811 रू० 450000.00 मे० नव भारत इण्टर प्राइजेज के नाम जारी की गयी। दिनांक 08.11.2012 को चेक संख्या 1815 रू० 450000.00 अन्य को निर्गत की गयी। स्पष्ट है कि एक फर्जी संस्था से दुरभि सन्धि करके धन अपहरण किया गया।

6-अभिलेखों में 100 सोलर लाइट की स्टॉक सामग्री प्राप्त होने की पुष्टि दर्ज नहीं पायी गयी। स्थान जहाँ पर स्थापित किया जाना था कि तकनीकी रिपोर्ट नहीं पायी गयी। पत्रावली में फोटो ग्राफ भी नहीं पाये गये।

7-टेण्डर दाताओं से टेण्डर मूल्य रू० 300.00 एवं वैट टैक्स की ब्याज सहित वसूली नहीं की गयी। इस प्रकार रू० 936.00 की राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। इस प्रकार पूरी टेण्डर प्रक्रिया नियमों के विपरीत की गयी। संस्था से आयकर व्यापार कर वैट नहीं वसूला गया।

इस प्रकार एक फर्जी संस्था से दुरभि सन्धि करके काल्पनिक टेण्डर प्रक्रिया अपनाकर राजकीय धन रू० 900000.00 अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री वी०के० श्रीवास्तव एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीतू सिंह से की जानी अपेक्षित है साथ ही विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-13)

क्षेत्र पंचायत – भरखनी जनपद – हरदोई

(रू० 1800000)

प्रस्तर-42- 200 सोलर लाइट की खरीद वर्ष 2012-13 सोलर लाइट का टेण्डर अवध की आवाज अंक 156 पृष्ठ पर 16 मार्च 2013 पत्रांक-मेमो राज्य वित्त/तेरहवों वित्त/2012-13 सोलर लाइट निविदा मूल्य 300.00 कार्य अवधि 01 माह टेण्डर दाता क्रमशः

1—बाला जी सेल्स कारपोरेशन गुरु गोविन्द मार्ग लाल कुआँ लखनऊ रु0 9445.00

2—एन0ए0 इण्टर प्राइजेज पाटा नाला चौक लखनऊ रु0 9475.00

3—में0 नव भारत इण्टर प्राइजेज सिविल लाइन गोण्डा रु0 9000.00

उपरोक्त में से में0 नव भारत इण्टर प्राइजेज सिविल लाइन गोण्डा का टेण्डर स्वीकृत किया गया। उपरोक्त खरीद पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयीं।

1—उ0प्र0 शासन द्वारा ऐसी किसी खरीद के लिए नेडा को ऐजेन्सी नामित नहीं किया गया है। इस प्रकार राजकीय निर्देशों का उल्लंघन करके खरीद की गयी है।

2—टेण्डर अति शूक्ष्म प्रसार अवध की आवाज में प्रकाशित किया गया। जो जनपद हरदोई में नहीं मिलता है।

3—में0 नव भारत इण्टर प्राइजेज द्वारा प्रस्तुत बाउचर सं0 869 दिनांक 18.03.2013 रु0 450000.00 870 दिनांक 20.03.2013 रु0 450000.00 के सापेक्ष जारी चेक संख्या 1831 दिनांक 18.03.2013 रु0 450000.00 चेक संख्या 1832 दिनांक 20.03.2013 रु0 450000.00 किसी अन्य के नाम अंकित की गयी। बाउचर संख्या 872 दिनांक 20.03.2013 रु0 450000.00 बाउचर संख्या 883 दिनांक 04.05.2013 रु0 450000.00 के सापेक्ष चेक संख्या 1839 दिनांक 20.03.2013 चेक संख्या 1840 दिनांक 04.05.2013 रु0 450000.00 में0 नव भारत इण्टर प्राइजेज गोण्डा के नाम निर्गत की गयी। इस प्रकार रु0 900000.00 अन्य को एवं रु0 900000.00 संस्था में0 नव भारत इण्टर प्राइजेज को ट्रांसफर किया गया।

4—में0 नव भारत इण्टर प्राइजेज के द्वारा प्रस्तुत बाउचर पर अंकित टिन नं0 व्यापार कर द्वारा पंजीकृत न होकर एक मोबाइल नम्बर है 09955304865 जो विहार की किसी पूनम का मोबाइल नम्बर है। इस प्रकार में0 नव भारत इण्टर प्राइजेज गोण्डा एक फर्जी संस्था है।

5—200सोलर लाइट स्टॉक की प्राप्ति दर्ज नहीं पायी गयी स्पष्ट है कि सामग्री आयी ही नहीं।

6—टेण्डर दाताओं से टेण्डर शुल्क रु0 300.00 एवं वैट की ब्याज सहित वसूली नहीं की गयी। इस प्रकार रु0 936.00 की राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। इस प्रकार एक फर्जी संस्था से दुरभि सन्धि करके काल्पनिक टेण्डर प्रक्रिया अपना कर राजकीय धन 1800000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री सफी सरवर अन्सारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री वी0के0 श्रीवास्तव एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीतू सिंह से की जानी अपेक्षित है साथ ही विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-1)

क्षेत्र पंचायत – भरखनी जनपद – हरदोई (रु0 227845.00)

प्रस्तर-43—वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में कराये गये खण्डजा निर्माण कार्य पर सामग्री अंश पर रु0 3759813.00 के चेक जारी करते समय टी0डी0एस0 और वैट टैक्स की नियमानुसार कटौती नहीं की गयी। जिससे टी0डी0एस0 रु0 77452.00 एवं वैट टैक्स रु0 150393.00 कुल धनराशि रु0 227845.00 की राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। इस प्रकार रु0 227845.00 की ब्याज सहित वसूली आयकर अधिनियम एवं वैट अधिनियम के अनुसार ब्याज के साथ उत्तरदायी लेखाकार श्री सफी सरवर अन्सारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री वी0के0 श्रीवास्तव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-15)

क्षेत्र पंचायत – भरखनी जनपद – हरदोई (रु0 538160.00)

प्रस्तर-44—क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में कराये गये खण्डजा नि0 कार्य पर राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त आयोग से सामग्री अंश पर रु0 3759813.00 तथा मजदूरी अंश पर रु0 230246.00 कुल धनराशि रु0 3990159.00 व्यय किया। जबकि बैंक खाते से इससे अधिक धनराशि आहरित एवं अन्तरित की गयी। जिसके अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये। इसका विवरण निम्नवत् है –

क्र0सं0	चेक संख्या	दिनांक	अन्तरित धनराशि	अन्तरित नकद आहरित धनराशि	सम्बन्धित जिसके पक्ष में जारीचेक का नाम
1	1795	13.10.2012	60286.00	—	में0 भगवान ब्रिक फील्ड
2	1796	13.10.2012	60802.00	—	में0 भगवान ब्रिक फील्ड
3	1812	12.11.2012	98212.00	—	में0 भगवान ब्रिक फील्ड
4	1813	12.11.2012	96320.00	—	में0 भगवान ब्रिक फील्ड
5	1791	22.11.2012	26116.00	—	74251CC120003
6	1816	03.12.2012	98212.00	—	में0 भगवान ब्रिक फील्ड

7	1818	03.12.2012	98212.00	—	मे0 भगवान ब्रिक फील्ड
		योग	538160.00		

इस प्रकार राज्य वित्त/तेरहवों वित्त से रु0 538160.00 व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष्य लेखा परीक्षा में सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे परिलक्षित होता है कि दर्शाये गये व्ययों के सापेक्ष्य कोई पत्रावली तैयार नहीं की गयी। विभागीय निर्देशों एवं परिपत्रों का पालन न करके मनमाने ढंग से कार्य करना दर्शित है।

अतः आहरित/अन्तरित धनराशि रु0 538160.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री सफी सरवर अन्सारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री वी0के0 श्रीवास्तव एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीतू से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-16)

क्षेत्र पंचायत – भरखनी जनपद – हरदोई

(रु0 554994.00)

प्रस्तर-45—वी0एस0ए0 रोड से मदनपाल के घर से होते हुये डामर रोड तक मिट्टी खण्डजा कार्य—कार्य की लम्बाई—515 मी0 चौ0 3.30 मी0

उपरोक्त खण्डजा कार्य पर निम्नानुसार ईट खरीद एवं मजदूरी व्यय किया गया विवरण निम्नवत् है—

क्र0 सं0	बउचर बुक नं0	बाउचर क्रमांक	दिनांक	दर	ईट सं0	धनराशि	चेंक संख्या	दिनांक	भुगतान की स्थिति
1	6	269	22.08.2013	5300	18480	97944.00	1874	22.08.2013	मे0 भगवान ब्रिक फील्ड
2	6	270	22.08.2013	5300	18540	98262.00	1875	22.08.2013	मे0 भगवान ब्रिक फील्ड
3	6	274	28.08.2013	4800	18820	90336.00	1880	06.09.2013	मे0 भगवान ब्रिक फील्ड
4	6	275	28.08.2013	4800	18100	86880.00	1881	06.09.2013	मे0 भगवान ब्रिक फील्ड
5	6	276	28.08.2013	4800	18950	90960.00	1882	06.09.2013	मे0 भगवान ब्रिक फील्ड
6	एम0आर0	—	—	—	—				
				योग	92890	554994.00			

उपरोक्त मि0 खण्डजा निर्माण में निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयीं।

1. शासनादेश संख्या 1276 भू0प्र0प0/एत/स0प्र0/स—प्र0/सरकुलर ग्रा0वि0/1106 दिनांक 16.10.2006 के अनुसार 500मी0 खण्डजा आदि निर्माण पर 900 एम0एम0 ब्यास की पुलिया का निर्माण जल निकासी हेतु आवश्यक है। इस प्रकार उक्त कार्य शासन की अपेक्षानुसार नहीं है। जिससे धन का उपयोग निष्फल रहा।

2. ईट क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया न अपनाये जाने के कारण ईट खरीद संदिग्ध रही।

3. एम0आर0 बाजार से खरीद कर एवं एम0आर0 के सभी कालम नहीं भरे गये हैं। स्पष्ट है कि एम0आर0 फर्जी बनाये गये हैं।

4. कुल ईट 92890 क्रय की गयी जबकि 515मी0 लम्बाई तथा 3.30मी0 चौड़ाई हेतु 100270 ईट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार 7380 ईट क्रय कम की गयी खण्डजा कार्य पूर्ण करने हेतु 7380 और ईट चाहिए थी। परन्तु खण्डजा निर्माण 515 मी0 पूर्ण दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट है कि एम0वी0 फर्जी बनायी गयी।

5. स्टीमेट में रायलटी का प्राक्कलन किया गया है। शासनादेश संख्या 495(1)77-5-2006-506/05 दिनांक 05.10.2006 के अनुसार रायलटी बिलों के भुगतान से की जायेगी। यदि कार्य के बगल में मिट्टी होती तो रायलटी का प्राक्कलन नहीं किया जाता है। बिना मिट्टी के कार्य सम्भव नहीं ही है। अतः खण्डजा निर्माण काल्पनिक रहा है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ईट बिना पूर्ण संख्या के तथा बिना मिट्टी के खण्डजा निर्माण काल्पनिक रहा है ए0वी0 में ईट बिना पूर्ण संख्या के कार्य पूर्ण दर्शाकर रु0 554994.00 का अपहरण किया गया है।

अतः रु0 554994.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्यप्रभारी अजय कुमार ए0डी0ओ0ए0जी0 लेखाकार श्री सफी सरवर अन्सारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री वी0के0 श्रीवास्तव एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीतू सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-17)

क्षेत्र पंचायत – भरखनी जनपद – हरदोई**(रु0 1683000.00)**

प्रस्तर-46-51 सोलर लाइट की खरीद वर्ष 2013-14 में उपरोक्त 51 सोलर लाइट कोटेशन के आधार पर खरीदी गयी कोटेशनदाता निम्नवत् रहे-

1.में0 नव भारत इण्टर प्राइजेज सिविल लाइन गोंडा रु0-34000.00

2.में0 सन्तोष कुमार सिंह गर्वन मेन्ट सप्लायर सवायजपुर रु0-33000.00

3.में0 एम0ए0 इण्टर प्राइजेज जनरल सप्लायर 234/9 थवई टोला चौक लखनऊ रु0 34500.00

उपरोक्त में में0 सन्तोष कुमार सिंह गर्वनमेन्ट सप्लायर सवायजपुर का कोटेशन स्वीकृत किया गया। जिसमें निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयीं -

1.रु0 1683000.00 की सोलर लाइट खरीद हेतु नियमों के विपरीत निविदा न आमंत्रित करके कोटेशन के आधार पर की गयी खरीद पूर्णतः संदिग्ध है।

2.क्रमांक 1 पर अकिंत में0 नव भारत इण्टर प्राइजेज सिविल लाइन गोंडा व्यापार कर द्वारा पंजीकृत संस्था नहीं है से कोटेशन प्राप्त किये गये। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध ही नहीं अपितु की गयी कार्यवाही पूर्णतः संदिग्ध है।

3.सोलर लाइट कहाँ स्थापित की जानी है। कितने वॉट की है गारन्टी, वारन्टी आदि पेपर पत्रावली में नहीं पाये गये। न ही फोटो ग्राफ पाये गये। इस प्रकार सामग्री प्राप्त हुई पूर्णतः संदिग्ध रही।

4.51 सोलर लाइट स्टॉक की प्राप्ति दर्ज नहीं।

5.उपरोक्त सोलर लाइट का भुगतान निम्नानुसार किया गया।

क्र0 सं0	बउचर बुक नं0	बउचर क्रमांक	दिनांक	दर	सोलर लाइट सं0	धनराशि	चैक संख्या	दिनांक
1	1	21	15.10.2013	33000	25	825000.00	1886	01.10.2013
2	बाउचर नहीं है	-	-	33000	25	825000.00	1897	16.10.2013
3	बाउचर नहीं है	-	-	33000	1	33000.00	1931	02.05.2014
योग				33000.00	51	1683000.00	-	-

51 सोलर लाइट खरीद हेतु दूषित प्रक्रिया, निविदा के बजाय कोटेशन आमंत्रित किये गये। उसमें भी में0 नव भारत इण्टर प्राइजेज सिविल लाइन गोंडा फर्जी क0 का भी कोटेशन लिया गया। इस कम्पनी का टिन नं0 9955304865 व्यापार कर द्वारा पंजीकृत न होकर एक मोबाइल नम्बर है। जो बिहार की किसी पूनम का नम्बर है।

इस प्रकार नियमों का खुला उल्लंघन करके रु0 1683000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री सफी सरवर अन्सारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री वी0के0 श्रीवास्तव एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीतू सिंह से की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-18)**

क्षेत्र पंचायत – भरखनी जनपद – हरदोई**(रु0 295969.00)**

प्रस्तर-47-क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में कराये गये कार्यों पर कुल सामग्री अंश पर रु0 4928981.00 व्यय किया गया। जिसपर चेक जारी करते समय नियमानुसार टी0डी0एस0 एवं वैट टैक्स की कटौती नहीं की गयी। जिससे टी0डी0एस0 रु0 100610.00 एवं वैट टैक्स रु0 195339.00 कुल धनराशि रु0 295969.00 राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री सफी सरवर अन्सारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री वी0के0 श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या- 19)**

क्षेत्र पंचायत – भरखनी जनपद – हरदोई (रु0 1753017.00)

प्रस्तर-48-क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में सामग्री अंश पर रु0 4928981.00 मजदूरी अंश पर रु0 654314.00 कुल धनराशि रुपया 5583295 व्यय किया गया है। बैंक खाते अनुसार इसके अतिरिक्त धनराशि आहरित/अन्तरित की गयी है। इसके सुसंगत अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	चेक संख्या	दिनांक	अन्तरित धनराशि	अन्तरित नकद आहरित धनराशि	सम्बन्धित जिसके पक्ष में जारी चेक का नाम
1	1834	04.04.2013	55200.00	-	में0 भगवान ब्रिक फील्ड
2	1835	04.04.2013	76320.00	-	में0 भगवान ब्रिक फील्ड

3	1843	09.05.2013	—	40000.00	नकद आहरित
4	1849	27.06.2013	99000.00	—	मे० भगवान ब्रिक फील्ड
5	1851	29.06.2013	83000.00	—	टोम
6	1852	29.06.2013	83000.00	—	टोम
7	1853	29.06.2013	58000.00	—	टोम
8	1854	29.06.2013	85710.00	—	संतोष कुमार सिंह
9	1855	28.06.2013	96669.00	—	संतोष कुमार सिंह
10	1856	10.07.2013	97255.00	—	मे० भगवान ब्रिक फील्ड
11	1858	10.07.2013	98898.00	—	मे० भगवान ब्रिक फील्ड
12	1860	10.07.2013	55120.00	—	मे० भगवान ब्रिक फील्ड
13	1861	10.07.2013	94088.00	—	संतोष
14	1863	10.07.2013	119525.00	—	संतोष
15	1865	02.08.2013	73488.00	—	संतोष कुमार सिंह
16	1898	27.11.2013	87000.00	—	आर०के०
17	1899	12.12.2013	90000.00	—	आर०के० प्रोडक्स
18	1900	13.12.2013	14795.00	—	संजय बाजपेयी पाली
19	1901	13.12.2013	15100.00	—	संजय बाजपेयी पाली
20	1906	26.12.2013	94658.00	—	संजय बाजपेयी पाल
21	1908	26.12.2013	—	50000.00	सफी सरवर अन्सारी
22	1910	01.01.2014	—	8900.00	सफी सरवर अन्सारी
23	1914	01.01.2014	86920.00	—	मे० भगवान ब्रिक फील्ड
24	1909	01.01.2014	98661.00	—	आर०के०
25	1916	01.01.2014	96460.00	—	मे० भगवान ब्रिक फील्ड
			1654117.00	98900.0	कुल रूपया 1753017.00

इस प्रकार राज्य वित्त/तेरहवों वित्त से रू० 1753017.00 व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष्य लेखा परीक्षा में सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये इस सम्बन्ध में जारी अन्तरिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परिपालन नहीं किया गया है इससे स्पष्ट है कि रू० 1753017.00 का अपहरण कर लिया गया है। इससे परिलक्षित होता है कि दर्शाये गये व्ययों के सापेक्ष्य न तो कोई पत्रावली तैयार की गयी और शासनादेशों एवं विभागीय परिपत्रों के अनुसार जारी निर्देशों का पालन न करके मनमाने ढंग से राजकीय धनराशि की हेराफेरी करके क्षति पहुँचायी गयी है।

अतः आहरित धनराशि रू० 1753017.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री सफी सरवर अन्सारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री वी०के० श्रीवास्तव एवं श्री निवास मिश्रा एवं ब्लॉक प्रमुख नीतू सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-20)

क्षेत्र पंचायत — भरखनी जनपद — हरदोई

(रू० 2049042.00)

प्रस्तर-49—क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत मद वी०आर०जी०एफ० निधि भरखनी की लेखा परीक्षा में पाया गया कि इस मद के बैंक खाते से धनराशि आहरित एवं अन्तरित की गयी है। जिसके सुसंगत अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र० सं०	चेक संख्या	दिनांक	अन्तरित धनराशि	अन्तरित नकद आहरित धनराशि	सम्बन्धित जिसके पक्ष में जारी चेक का नाम
1	10883	01.06.2011	—	20450.00	श्री सतीश चन्द्र अग्निहोत्री
2	11884	08.06.2011	360000.00	—	मे० भगवान ब्रिक फील्ड
3	10885	08.06.2011	200000.00	—	सिंह सीमेन्ट स्टोर
4	10886	10.06.2011	—	207067.00	ब्रम्हानन्द दीक्षित
5	10887	23.06.2011	320000.00	—	मे० भगवान ब्रिक फील्ड
6	10888	23.06.2011	177720.00	—	सिंह सीमेन्ट स्टोर
7	437401	12.07.2011	148566.00	—	सिंह सीमेन्ट स्टोर
8	10889	12.07.2011	—	111600.00	श्री सतीश चन्द्र अग्निहोत्री
9	437402	20.07.2011	23674.00	—	सिंह सीमेन्ट स्टोर
10	437403	20.07.2011	—	84600.00	श्री सतीश चन्द्र अग्निहोत्री
11	437404	29.08.2011	—	51955.00	बृह्मानन्द दीक्षित
12	437405	19.10.2011	132710.00	—	सिंह सीमेन्ट स्टोर

13	437406	19.10.2011	50400.00	—	मे० भगवान ब्रिक फील्ड
14	437407	04.11.2011	—	27300.00	श्री सतीश चन्द्र अग्निहोत्री
15	437408	24.11.2011	93000.00	—	एस०बी० एकाउन्ट — 7863
16	437409	24.11.2011	40000.00	—	मे० भगवान ब्रिक फील्ड
कुल योग			1546070.00	502972.00	कुल योग 2049042.00

इस प्रकार क्षेत्र पंचायत बी०आर०जी०एफ० निधि से रू० 2049042.00 व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष्य लेखा परीक्षा में सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में जारी अन्तरिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परिपालन नहीं किया गया। इससे परिलक्षित होता है कि दर्शाये गये व्ययों के सापेक्ष्य न तो कोई पत्रावली तैयार की गयी और न ही शासनादेशों एवं विभागीय परिपत्रों का पालन न करके मनमाने ढंग से राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धनराशि रू० 2049042.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री सफी सरवर अन्सारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा वी०के० श्रीवास्तव एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीतू सिंह से की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति संख्या -21)

क्षेत्र पंचायत — भरखनी जनपद — हरदोई (रू० 936.00)

प्रस्तर-50—वर्ष 2012-13 में 100 सोलर लाइट खरीद हेतु अवध की आवाज में निविदा प्रकाशित की गयी। जिसके सापेक्ष्य तीन निविदा प्राप्त हुई निविदा जिसपर निविदा शुल्क रू० 300.00 रखा गया। निविदा शुल्क की ब्याज सहित वसूली न करके रू० 900.00 एवं वैट टैक्स रू० 36 कुल रू० 936.00 की राजकीय क्षति की गयी। रू० 936 को ग्रांट रजिस्टर तृतीय में आय नहीं पकड़ी गयी जिससे ग्रांट रजिस्टर तृतीय में अन्तर रहा जिससे अपवाद की स्थिति बनी। इस प्रकार रू० 936.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री सफी सरवर अन्सारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री वी०के० श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत— भरखनीजनपद — हरदोई (रू० 936.00)

प्रस्तर-51—वर्ष 2013-14 में 200 सोलर लाइट खरीद हेतु अवध की आवाज में निविदा प्रकाशित की गयी। जिसके सापेक्ष्य तीन निविदा प्राप्त हुई निविदा शुल्क रू० 300.00 रखा गया। निविदा शुल्क की ब्याज सहित वसूली न करके रू० 900.00 एवं वैट टैक्स रू० 36.00 कुल रू० 936.00 की राजकीय क्षति की गयी। रू० 936.00 को ग्रांट रजिस्टर तृतीय में आय नहीं पकड़ी गयी जिससे ग्रांट रजिस्टर में अन्तर रहा जिससे अपवाद की स्थिति बनी। इस प्रकार रू० 936.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री सफी सरवर अन्सारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री वी०के० श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति संख्या-23)

क्षेत्र पंचायत — भरखनी जनपद — हरदोई (रू० 1685000.00)

प्रस्तर-52—वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत मद बी०आर०जी०एफ० निधि से धनराशि आहरित और अंतरित करके व्यय किया गया है जिसके सुसंगत अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिनका विवरण निम्नवत् है।

क्र० सं०	चेक संख्या	दिनांक	अन्तरित धनराशि	अन्तरित नकद आहरित धनराशि	सम्बन्धित जिसके पक्ष में जारी चेक का नाम
1	437413	22.07.2013	825000.00	—	संतोष कुमार सिंह
2	437414	13.08.2013	825000.00	—	संतोष कुमार सिंह
3	437415	01.01.2014	35000.00	—	संतोष कुमार सिंह
योग			1685000.00		

इस प्रकार बी०आर०जी०एफ० निधि से रू० 1685000.00 की धनराशि व्यय की गयी है उक्त के व्यय बाउचर प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे स्पष्ट है कि धनराशि का अपहरण कर लिया गया इस सम्बन्ध में जारी अन्तरिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परिपालन नहीं किया गया। इससे परिलक्षित होता है कि दर्शाये गये व्ययों के सापेक्ष्य न तो कोई पत्रावली तैयार की गयी है न ही शासन के निर्देशों का पालन न करके मनमाने ढंग से राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धनराशि रू० 1685000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री सफी सरवर अन्सारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री वी०के० श्रीवास्तव एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीतू सिंह से की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति संख्या-24)

क्षेत्र पंचायत— भरखनी जनपद — हरदोई**(रु0 659250.00)**

प्रस्तर-53—नया गाँव में गुलशन के मकान से परागू लाल इण्टर कॉलेज कुवरापुर तक मिट्टी खण्डजा निर्माण कार्य— लम्बाई 500मी0 चौ0 3.30 मी0 (2013-14)उपरोक्त निर्माण कार्य में ईट कृय तथा मजदूरी भुगतान निम्नानुसार किया गया विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	बउचर बुक नं0	बउचर क्रमांक	दिनांक	दर	ईट सं0	धनराशि	चैक संख्या	दिनांक	भुगतान की स्थिति
1	6	251	01.06.2013	5300.00	18000	95400.00	1844	01.06.2013	में0 भगवान ब्रिक फील्ड
2	6	252	01.06.2013	5300.00	18500	92750.00	1846	01.06.2013	में0 भगवान ब्रिक फील्ड
3	6	253	01.06.2013	5300.00	17500	98050.00	1845	01.06.2013	में0 भगवान ब्रिक फील्ड
4	6	260	06.07.2013	5300.00	18480	97944.00	1857	06.07.2013	में0 भगवान ब्रिक फील्ड
5	6	261	09.07.2013	5300.00	12000	63600.00	1859	09.07.2013	में0 भगवान ब्रिक फील्ड
6	6	268	20.07.2013	5300.00	9570	50700.00	1890	04.10.2013	में0 भगवान ब्रिक फील्ड
7	6	281	20.07.2013	5300.00	9450	50000.00	1872	30.07.2013	में0 भगवान ब्रिक फील्ड
8	—	एम0आर0	—	—	—	30340.00	1870	30.07.2013	अजय कुमार
9	—	एम0आर0	—	—	—	50268.00	1869	30.07.2013	अजय कुमार
10	—	एम0आर0	—	—	—	30198.00	1873	30.07.2013	अजय कुमार
					103500	659250.00			

उपरोक्त खण्डजा निर्माण में निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयीं।

1.शासनादेश संख्या-1276/भू0प्र0पं0/एत/स-प्र0/सरकुलर (ग्रा0वि0)/1106 दिनांक 16.10.2006 के अनुसार 500 मी0 खण्डजा आदि निर्माण पर 900 एम0एम0 व्यास की पुलिया का निर्माण जल निकासी हेतु आवश्यक है। इस प्रकार उक्त कार्य शासन की अपेक्षा अनुसार नहीं है। जिसमें धन का उपयोग निष्फल रहा।

2.ईट कृय हेतु टेण्डर प्रक्रिया न अपनाये जाने के कारण ईट खरीद संदिग्ध रही।

3.एम0आर0 बाजार से खरीद कर एवं एम0आर0 के सभी कालम नहीं भरे गये स्पष्ट है एम0आर0 फर्जी बनाये गये।

4.कुल ईट 103500 कृय की गयी जबकि नियमानुसार 500 मी0 लम्बाई 3.30मी0 चौड़ाई हेतु खण्डजा निर्माण में कुल 97350 ईट लगेगी जबकि एम0बी0 में 103500 प्रयुक्त दर्शाई गयी है इस प्रकार 6150 ईट अधिक प्रयुक्त दर्शाई गयी उक्त से स्पष्ट है कि एम0बी0 फर्जी एवं काल्पनिक है।

5.स्टीमेट में रायलटी का प्राक्कलन किया गया है शासनादेश संख्या 495(1)/77-5-2006-506/05 दिनांक 05.10.2006 के अनुसार रायलटी बिलों के भुगतान से की जायेगी। यदि कार्य के बगल में मिट्टी उपलब्ध होती तो रायलटी का प्राक्कलन नहीं किया जाता। स्पष्ट है कि मिट्टी आई ही नहीं बिना मिट्टी के कार्य सम्भव नहीं है।

अतः खण्डजा कार्य काल्पनिक रहा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी खण्डजा कार्य दर्शाकर फर्जी एम0वी0 बनाकर संस्था से दुरभि सन्धि करके रु0 659250.00 का अपहरण किया गया। अतः रु0 659250.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी अजय कुमार ए0डी0ओ0एस0टी0 लेखाकार श्री सफी सरवर अन्सारी, खण्ड विकास अधिकारी श्री वी0के0 श्रीवास्तव एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नीतू सिंह से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत — हरियावां जनपद — हरदोई**(रु0 49709.00)**

प्रस्तर-54—क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में कराये गये निर्माण कार्य पर सामग्री अंश पर रु0 820280 की चेक जारी करते समय टी0डी0एस0 रु0 16898.00 एवं वैट टैक्स रु0 32811.00 कुल धनराशि रु0 49709.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे राजकीय क्षति हुयी। इस प्रकार रु0 49709.00 की ब्याज सहित वसूली आयकर अधिनियम वैट टैक्स अधिनियम वैट टैक्स

अधिनियम के अनुसार ब्याज के साथ उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती शीला देवी, श्री प्रभु दयाल एवं लेखाकार राजाबक्श वर्मा से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-7)

क्षेत्र पंचायत – हरियावां जनपद – हरदोई

(रू0 3123420.00)

प्रस्तर-55—क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में खण्डजा निर्माण कार्य राज्य वित्त तेरहवों वित्त से रू0 3123420.00 व्यय किया गया है। बैंक खाते के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि बिना कार्य के खाते से नकद/अन्तरण किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है—

क्र0सं0	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	सम्बन्धी पक्ष जिसके नाम चेक जारी हुआ
1	3201	02.04.2011	41520.00	श्री रामेन्द्र कुमार कैशियर
2	3207	23.05.2011	231420.00	शुभम् ब्रिक फील्ड कपूरापुर
3	3210	19.09.2011	304000.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
4	3211	19.09.2011	323000.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
5	3212	19.09.2011	190000.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
6	3213	19.09.2011	342000.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
7	3214	26.09.2011	477000.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
8	3215	04.10.2011	117840.00	अवधेश सिंह सोमवंशी
9	3216	04.10.2011	146640.00	विरीधी चॉद ए0डी0ओ0
10	3217	12.10.2011	123720.00	विरीधी चॉद ए0डी0ओ0
11	3218	12.10.2011	99000.00	अवधेश सिंह सोमवंशी
12	3219	03.12.2011	190000.00	में0 अनुभव ब्रिक फील्ड
13	3222	23.12.2011	79040.00	में0 अनुभव ब्रिक फील्ड
14	3223	26.12.2011	39480.00	विरीधी चॉद ए0डी0ओ0
15	3224	26.12.2011	38760.00	विरीधी चॉद ए0डी0ओ0
16	3225	23.03.2012	380000.00	में0 अनुभव ब्रिक फील्ड
योग	3123420.00			

इस प्रकार राज्य वित्त/तेरहवों वित्त से रू0 3123420.00 का व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष्य लेखा परीक्षा में सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में जारी अन्तरिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परिपालन नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि रू0 3123420.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती शीला देवी, श्री प्रभूदयाल लेखाकार श्री राजाबक्श वर्मा ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सरोज सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-8)

क्षेत्र पंचायत – हरियावां जनपद – हरदोई

(रू0 233270.00)

प्रस्तर-56—क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में कराये गये खण्डजा निर्माण कार्यों पर सामग्री अंश पर रू0 610964.00 चेक जारी करते समय टी0डी0एस0 रू0 12586.00 एवं 5504514.00 के भुगतान करते समय वैट टैक्स की कटौती नहीं की गयी। जिससे टी0डी0एस0 रू0 12586.00 एवं वैट टैक्स रू0 220684.00 कुल धनराशि रू0 233270.00 की राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। इस प्रकार रू0 233270.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रभूदयाल लेखाकार श्री राजाबक्श वर्मा से आयकर, वैट टैक्स अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-9)

क्षेत्र पंचायत – हरियावां जनपद – हरदोई

(रू0 1273590.00)

प्रस्तर-57—क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में खण्डजा निर्माण कार्यों पर बैंक खाते से रू0 1273590.00 व्यय किया गया है। बैंक खाते के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बिना कार्य के खाते से नकद / अन्तरण किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है—

क्र0सं0	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	सम्बन्धी पक्ष जिसके नाम चेक जारी हुआ
1	7122	12.04.2012	20000.00	नकद
2	7121	17.04.2012	36000.00	डी0डी0 हरदोई
3	7123	19.04.2012	114000.00	में0 अनुभव ब्रिक फील्ड
4	7124	26.04.2012	76920.00	अवधेश सिंह सोमवंशी
5	7126	23.05.2012	75540.00	अवधेश सिंह सोमवंशी
6	7127	24.05.2012	29640.00	में0 अनुभव ब्रिक फील्ड
7	7912	31.08.2012	111446.00	में0 अनुभव ब्रिक फील्ड

8	7913	15.09.2012	176287.00	फील्ड
9	7917	12.12.2012	127049.00	मे0 अनुभव ब्रिक फील्ड
10	7916	13.12.2012	59128.00	कैश
11	7919	21.12.2012	432099.00	मे0 अनुभव ब्रिक फील्ड
12	2833	21.03.2013	15481.00	कैश
योग			1273590.00	

इस प्रकार राज्य वित्त/तेरहवां वित्त से रू0 1273590.00 का व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में जारी अन्तरिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परिपालन नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि रू0 1273590.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीश्रीमती शीला देवी, श्री प्रभूदयाल लेखाकार श्री राजाबक्श वर्मा ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सरोज सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-10)

क्षेत्र पंचायत – हरियावां जनपद – हरदोई

(रू0 266806.00)

प्रस्तर-58—क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में कराये गये खण्डजा निर्माण कार्यो पर सामग्री अंश वैट टैक्स रू0 266806.00 की कटौती नहीं की गयी। इस प्रकार रू0 266806.00 की राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। इस प्रकार राजकीय क्षति की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रभूदयाल, श्री श्रीराम लेखाकार श्री राजाबक्श वर्मा से वैट अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – हरियावां जनपद – हरदोई

(रू0 3413076.00)

प्रस्तर-59—क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि खण्डजा कार्य पर राज्य वित्त/तेरहवां वित्त उसे रू0 3413076.00 व्यय किया गया। बैंक खाते के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बिना कार्य के खाते से नकद/अन्तरण किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	सम्बन्धी पक्ष जिसके नाम चेक जारी हुआ
1	2839	20.04.2013	290934.00	मे0 अनुभव ब्रिक फील्ड
2	2840	20.04.2013	281549.00	मे0 अनुभव ब्रिक फील्ड
3	2838	22.04.2013	20000.00	कैश
4	2841	29.04.2013	9385.00	मे0 अनुभव ब्रिक फील्ड
5	2842	30.04.2013	76815.00	रमेश चन्द्र श्रीवास्तव
6	2844	30.04.2013	76190.00	रमेश चन्द्र श्रीवास्तव
7	2845	09.05.2013	113655.00	हरदोई
8	2847	31.05.2013	206215.00	सी0डी0ओ0
9	2846	01.06.2013	36000.00	हरदोई
10	2848	19.06.2013	36226.00	रमेश चन्द्र श्रीवास्तव
11	2850	10.07.2013	4725.00	टण्डौर
12	2853	19.07.2013	46860.00	सुनील कुमार
13	2873	16.11.2013	362690.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
14	2875	02.12.2013	15433.00	कैश
15	2902	11.12.2013	120952.00	सुनील कुमार
16	2904	11.12.2013	129232.00	सुनील कुमार
17	2901	11.12.2013	83419.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
18	2903	11.12.2013	126423.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
19	2905	31.12.2013	4806.00	सेल्फ
20	2906	31.12.2013	11813.00	सेल्फ
21	2872	18.01.2014	52874.00	यू0पी0
22	2908	20.01.2014	362690.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
23	2909	31.01.2014	16027.00	कैश
24	2912	06.02.2014	133159.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
25	2915	28.02.2014	382690.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
26	2917	03.03.2014	22314.00	कैश
27	2918	10.03.2014	251292.00	सी0डी0

28	2921	12.03.2014	158706.00	सुनील कुमार
योग	3413076.00			

इस प्रकार राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त से रु0 3413076.00 का व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में जारी अन्तरिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परिपालन नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि रु0 3413076.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रभुदयाल, श्री श्रीराम लेखाकार, श्री राजाबक्श वर्मा ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सरोज सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-12)

क्षेत्र पंचायत – मल्लावां जनपद – हरदोई (रु0 237989.00)

प्रस्तर-60-क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में खडंजा निर्माण कार्य पर राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त से रु0 237989.00 व्यय किया गया है। बैंक खाते के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि खाते से नगद/आहरण किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	सम्बन्धी पक्ष जिसके नाम चेक जारी हुआ
1	5789	12-10-2012	27144.00	कैश सेल्फ
2	5792	17-10-2012	134361.00	टी. आर0
3	5795	02-11-2012	55355.00	टी. आर0
4	5791	02-11-2012	8249.00	सेल्फ
5	5793	02-11-2012	3079.00	सेल्फ
6	5804	14-01-2012	6134.00	कैश सेल्फ
7	5809	14-01-2013	3667.00	कैश सेल्फ
		योग	237989.00	

इस प्रकार राज्य वित्त से रु0 237989.00 का व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। इस सम्बन्ध में जारी अंतर्निमित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परिपालन नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि रु0 237989.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार झा, श्री संजय कुमार शुक्ला एवं ब्लॉक प्रमुख श्री वृजेश सिंह लेखाकार श्री रूप नारायण से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-8)

क्षेत्र पंचायत – मल्लावां जनपद – हरदोई

(रु0 200793.00)

प्रस्तर-61-क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष खडंजा निर्माण व्ययों पर बैंक खाते से रु0 200793.00 व्यय किया गया है। बैंक खाते के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि खाते से नगद/आहरण किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	सम्बन्धी पक्ष जिसके नाम चेक जारी हुआ
1	5839	17-05-2013	19079.00	मे इण्डिया ट्रेडर्स मल्लावां
2	5847	12-06-2013	9950.00	सोनू इलेक्ट्रिक
3	5852	29-06-2013	10000.00	कैश अजेश
4	5885	04-10-2013	58940.00	किरण वर्मा
5	5886	07-10-2013	36349.00	राम सरन
6	5863	21-10-2013	14028.00	आज
7	5887	12-11-2013	15391.00	सवंत
8	5893	19-02-2014	2768.00	एस0बी0-26741
9	5895	25-02-2014	34288.00	कैश शिव कुमार
		योग	200793.00	

इस प्रकार राज्य वित्त से रु0 200793.00 का व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। इस सम्बन्ध में जारी अंतर्निमित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परिपालन नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि रु0 200793.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री वृजेन्द्र शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख श्री वृजेश सिंह लेखाकार श्री रूप नारायण से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-9)

क्षेत्र पंचायत – मल्लावां जनपद – हरदोई (रु0 298344.00)

प्रस्तर-62-क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि खडंजा निर्माण व्ययों पर बैंक खाते से रु0 298344.00 व्यय किया गया है। बैंक खाते के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि खाते से नगद/आहरण किया गया है। विवरण निम्नवत् है –

क्र0सं0	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	सम्बन्धी पक्ष जिसके नाम चेक जारी हुआ
1	5913	17-04-2014	5691.00	कैश सेल्फ
2	5917	21-08-2014	50500.00	कैश सेल्फ
3	5922	09-03-2015	13710.00	मे0 इण्डिया ट्रेडर्स
4	5918	09-03-2015	8381.00	मे0इण्डिया ट्रेडर्स
5	5920	12-03-2015	47062.00	पटेल ट्रेडर्स
6	5923	17-03-2015	173000.00	मे0 गुड ब्रिक फील्ड
		योग	298344.00	

इस प्रकार राज्य वित्त से रु0 298344.00 का व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष्य लेखा परीक्षा में सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। इस सम्बन्ध में जारी अंतरिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परिपालन नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि रु0 298344.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री एस0 कृष्णा, ब्लाक प्रमुख श्री वृजेश सिंह लेखाकार श्री रूप नारायण से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-10)

क्षेत्र पंचायत –कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 525158.00)

प्रस्तर-63- वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार रु0 525158.00 सामग्री क्रय का प्रमाणक पत्रावली में लेटर पैड पर कच्चे बिल पर संलग्न है जिसका फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालन निर्गत नहीं किया गया है जो आपत्तिजनक है। जबकि नियमानुसार व्यापार कर में रजिस्टर्ड टिन न0 आवंटित फर्मों से ही सामग्री क्रय की जानी चाहिए थी इस प्रकार ऐसी सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। जिसमें रु0 2591193.00 का भुगतान जो सम्बंधित फर्म को दर्शित किया गया है। वह बैंक स्टेटमेंट द्वारा पुष्ट पाया गया तथा रु0 266045.00 की चेकें तो फर्म को निर्गत किया गया है। किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और खाते में ट्रांसफर किया गया है। इस प्रकार कच्चे बिल लेटर पैड पर सामग्री क्रय दर्शाकर तथा आपूर्ति कर्ता फर्म को फर्जी चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य खाते में कर रु0 525158.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियंता लेखाकार तथा कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम जिसके नाम चेक इश्यू दर्शित है	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता एवं दिनांक	सही फर्म को रु0 धनराशि	अन्य फर्म को रु0 धनराशि
589	17-11-14	40306	जय किसान भट्टा ईट	जय किसान भट्टा ईट 01.12.14	40306.00	—
605	04-02-15	74855	जय किसान भट्टा ईट	जय किसान भट्टा ईट 09.02.2015	74855.00	—
606	04-02-15	71976	जय किसान भट्टा ईट	जय किसान भट्टा ईट 09.02.2015	71976.00	—
604	04-02-15	71976	जय किसान भट्टा ईट	जय किसान भट्टा ईट 09.02.2015	71976.00	—
611	25-05-15	188887	जय किसान भट्टा ईट	एन0ई0एफ0टी0न्यू इन्टर मिडियेट09.07.2015	—	188887.00
615	15-06-15	77158	जय किसान भट्टा ईट	टी0 आर0 / 19-06-15	—	77158.00
	योग	525158			259113.00	266045.00

(सा0आ0सं0-14 I)

क्षेत्र पंचायत –कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 447807.00)

प्रस्तर-64- वर्ष 2015-16 में निम्न विवरणानुसार रु0 447807.00 सामग्री क्रय का प्रमाणक पत्रावली में लेटर पैड पर कच्चे बिल पर संलग्न है जिसका फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालन निर्गत नहीं किया गया है। जो आपत्तिजनक है जबकि नियमानुसार व्यापार कर कर में रजिस्टर्ड टिन न0 आवंटित फर्मों से ही सामग्री

क्रय की जानी चाहिए थी इस प्रकार ऐसी सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। उक्त धनराशि रु0 477807.00 में से रु0 162418.00 का भुगतान जो सम्बंधित फर्म में किया जाना दर्शित है। वह बैंक स्टेटमेंट द्वारा पुष्ट पाया गया तथा रु0 315389.00 की चेकें तो फर्म को निर्गत किया गया है। किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और खाते में ट्रांसफर किया गया है। इस प्रकार कच्चे बिल लेटर पैड पर सामग्री क्रय दर्शाकर तथा आपूर्ति कर्ता फर्म को फर्जी चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य खाते में कर रु0 477807.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियंता लेखाकार तथा कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम जिसके नाम चेक इश्यू दर्शित है	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता एवं दिनांक	सही फर्म को रु0 धनराशि	अन्य फर्म को रु0 धनराशि
634	29-07-15	71976	जय किसान भट्टा ईट	सन सीआर099/27-08-15	—	71976.00
635	04-08-15	84383	जय किसान भट्टा ईट	सन सीआर099/27-08-15	—	84383.00
647	14-08-15	84068	जय किसान भट्टा ईट	सन सीआर099/27-08-15	—	84068.00
669	07-10-15	74962	जय किसान भट्टा ईट	एन0ई0एफ0टी0/आर्यावर्त ग्रामीण बैंक 15-10-15	—	74962.00
694	23-11-15	78710	जय किसान भट्टा ईट	जय किसान भट्टा ईट 05-12-15	78710.00	—
692	23-11-15	83708	जय किसान भट्टा ईट	जय किसान भट्टा ईट 05-12-15	83708.00	—
	योग	477807			162418.00	315389.00

(सा0आ0सं0-21)

क्षेत्र पंचायत —कोथावां जनपद — हरदोई (रु0 3311009.00)

प्रस्तर-65— वर्ष 2014-15 में सामग्री मद में कुल रु0 2190977.00 में से रु0 525158.00 आपत्ति क्रमांक 14(ए) में अंकित करने के उपरान्त रु0 1665819.00 सामग्री मद में तथा रु0 1645190.00 का व्यय मस्टर रोलों पर कुल रु0 3311009.00 का व्यय दर्शित है, जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पायी गयी है।

(क) वर्ष 2014-15 में कार्य पत्रावलियों में किये गये कार्य एवं भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्य पर मस्टर रोल की धनराशि एवं प्रयुक्त सामग्री का उपयोग विभिन्न तिथियों में होता है। उक्त तिथियों में माप पुस्तिका में निकाले गये ऐब्स ट्रेक्ट आफ कास्ट से पुष्टि होनी चाहिए मांगोपरान्त माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किये जाने से कार्य एवं भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी जो निर्माण कार्यों में धन के दुरुपयोग को प्रकट करता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियंता तथा लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

(ख) वर्ष 2014-15 में उपलब्ध करायी गयी कार्य पत्रावलियों में संलग्न प्राक्लन में स्वीकृत कार्य योजना की प्रति संलग्न नहीं पायी गयी कतिपय प्राक्लनों में खण्ड विकास अधिकारी तथा ब्लाक प्रमुख की हस्ताक्षरित कार्य योजना की प्रति संलग्न की गयी है जबकि शासनादेश 1719/33-3-2010-48/2007 दिनांक सितम्बर 2010 लखनऊ के अनुसार क्षेत्र पंचायतें कार्यों का प्राक्लन एवं कार्य योजना जिला पंचायत राज अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही योजना के अन्तर्गत कार्य करायेगें इस प्रकार स्वीकृत कार्य योजना के अभाव में कराये गये कार्यों पर किया गया व्यय धन के दुरुपयोग को दर्शाता है, जिसके लिये सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी एवं अभियंता एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

(ग) कराये गये कार्यों के कार्यादेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कार्य प्रारम्भ करने से पूर्ण कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफ अवश्य प्राप्त किया जाये जिसे कार्य पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया जिससे कार्य कराये जाने का औचित्य/कारण, कार्य की गुणवत्ता तथा कार्य होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो धन के अपहरण एवं दुरुपयोग की संभावना को दर्शाता है। जिसके लिए अवर अभियंता, सहायक लेखाकार तथा कार्य प्रभारी समान रूप उत्तरदाई हैं।

(घ) वर्ष 2014-15 में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों में कार्य समाप्ति के पश्चात् का सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पायी गयी। उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य

नियमावली 1984 के अध्याय 3 के नियम संख्या 38 का उल्लंघन है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं।

(च) क्षेत्र पंचायत वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि मस्टररोलों में कार्य एवं भुगतान की पुष्टि में ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा निर्माण समिति के सदस्यों से मस्टररोलों को प्रमाणित नहीं कराया गया है। जिससे कार्य एवं भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए कार्य प्रभारी एवं लेखाकार उत्तरदाई हैं।

(छ) वर्ष 2014-15 में उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों के कार्यादेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि कार्य से पूर्ण कार्य स्थल पर एक बोर्ड लगाकर जिसमें प्राक्लन से सम्बंधित सूचनाओं का प्रदर्शन किया जाये जिसका फोटोग्राफ पत्रावली से संलग्न किया जाये लेखा परीक्षा में किसी भी पत्रावली में सम्बंधित फोटोग्राफ तथा खर्च का प्रमाणक संलग्न नहीं पाया गया जबकि सभी प्राक्लों में रु0 3000.00 का व्यय सूचना बोर्ड पर प्रस्तावित है उक्त कृत्य धन के दुरुपयोग को दर्शाता है। जिसके लिए कार्य प्रभारी, अवर अभियंता तथा लेखाकार उत्तरदाई हैं।

उपरोक्त बिंदु क्रमांक (क) से (छ) तक के सन्दर्भ में व्यय की गयी धनराशि रु0 3311009.00 धन के दुरुपयोग को दर्शाता है उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड दो के नियम जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उलंघन कर के व्यय किया गया हो के अधीन ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियंता, लेखाकार कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-14ठ)

क्षेत्र पंचायत -कोथावां जनपद - हरदोई

(रु0 4879366.00)

प्रस्तर-66-वर्ष 2015-16 में सामग्री मद में कुल रु0 2511810.00 भुगतान में से रु0 477807.00 आपत्ति क्रमांक 21(ए) में अंकित करने के उपरान्त रु0 2034003.00 सामग्री मद में तथा रु0 2845363.00 का व्यय मस्टररोलों पर कुल रु0 4879366.00 का व्यय दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पायी गयी -

(क) वर्ष 2015-16 में कार्य पत्रावलियों में किये गये कार्य एवं भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्य पर मस्टर रोल की धनराशि एवं प्रयुक्त सामग्री का उपयोग विभिन्न तिथियों में होता है। उक्त तिथियों में माप पुस्तिका में निकाले गये ऐब्स ट्रेक्ट आफ कास्ट से पुष्टि होनी चाहिए। मांगोप्रान्त माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किये जाने से कार्य एवं भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी जो निर्माण कार्यों में धन के दुरुपयोग को दर्शाता है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियंता तथा लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

(ख) वर्ष 2015-16 में उपलब्ध करायी गयी कार्य पत्रावलियों में संलग्न प्राक्लन में स्वीकृत कार्य योजना की प्रति संलग्न नहीं पायी गयी। कतिपय प्राक्लों में खण्ड विकास अधिकारी तथा ब्लाक प्रमुख की हस्ताक्षरित कार्य योजना की प्रति संलग्न की गयी है जबकि शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 लखनऊ पंचायती राज अनुभाग-3 के पैरा 2.5 के अनुसार क्षेत्र पंचायत के कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही करायेगी। इस प्रकार स्वीकृत कार्य योजना के अभाव में कराये गये कार्यों पर किया गया व्यय धन के दुरुपयोग को दर्शाता है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, एवंम् अवर अभियंता एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

(ग) कराये गये कार्यों के कार्यादेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफ अवश्य प्राप्त किया जाये जिसे कार्य पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया जिससे कार्य कराये जाने का औचित्य कारण, कार्य की गुणवत्ता तथा कार्य के होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो धन के अपहरण एवं दुरुपयोग की संभावना को दर्शाता है। जिसके लिए अवर अभियंता, लेखाकार तथा कार्य प्रभारी समान रूप उत्तरदाई हैं।

(घ) वर्ष 2015-16 में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों में कार्य समाप्ति के पश्चात् का सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया। उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 3 के नियम संख्या 38 का उल्लंघन है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं।

(च) क्षेत्र पंचायत वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि मस्टररोलों में कार्य एवं भुगतान की पुष्टि में ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा निर्माण

समिति के सदस्यों से मस्टररोलों को प्रमाणित नहीं कराया गया है। जिससे कार्य एवं भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए कार्य प्रभारी,अवर अभियंता एवं लेखाकार उत्तरदाई हैं।

(छ) वर्ष 2015-16 में उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों के कार्यादेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि कार्य से पूर्वकार्य स्थल पर एक बोर्ड लगाकर जिसमें प्राक्लन से सम्बंधित सूचनाओं का प्रदर्शन किया जाये जिसका फोटोग्राफ पत्रावली से संलग्न किया जाये लेखा परीक्षा में किसी भी पत्रावली में सम्बंधित फोटोग्राफ तथा खर्च का प्रमाणक संलग्न नहीं पाया गया जबकि सभी प्राक्लनों में रु0 3000.00 का व्यय सूचना बोर्ड पर प्रस्तावित है उक्त कृत्य धन के दुरुपयोग को दर्शाता है जिसके लिए कार्य प्रभारी अवर अभियंता तथा लेखाकार उत्तरदाई हैं।

उपरोक्त बिंदु क्रमांक (क) से (छ) तक के सन्दर्भ में व्यय की गयी धनराशि रु0 4879366.00 धन के दुरुपयोग को दर्शाता है उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड दो के नियम जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन कर के व्यय किया गया हो के अधीन ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी अवर अभियंता, लेखाकार कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-21ठ)

क्षेत्र पंचायत –कोथावां जनपद – हरदोई

(रु0 285161.00)

प्रस्तर-67- वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्यों पर रु0 1344235.00 सामग्री क्रय पर भुगतान तथा रु01507377.00 मस्टररोलों पर कुल रु0 2851612.00 व्यय किया जाना दर्शित है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पायी गयी-

(क) वर्ष 2016-17 में कार्य पत्रावलियों में किये गये कार्य एवं भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्य पर मस्टर रोल की धनराशि एवं प्रयुक्त सामग्री का उपयोग विभिन्न तिथियों में होता है। उक्त तिथियों में माप पुस्तिका में निकाले गये ऐब्स ट्रैक्ट आफ कास्ट से पुष्टि होनी चाहिए। मांगोपरान्त माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किये जाने से कार्य एवं भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी जो निर्माण कार्यों में धन के दुरुपयोग को दर्शाता है। जिसके लिए सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियंता तथा लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

(ख) वर्ष 2016-17 में उपलब्ध करायी गयी कार्य पत्रावलियों में संलग्न प्राक्लन में स्वीकृत कार्य योजना की प्रति संलग्न नहीं पायी गयी। कतिपय प्राक्लनों में खण्ड विकास अधिकारी तथा ब्लाक प्रमुख की हस्ताक्षरित कार्य योजना की प्रति संलग्न की गयी है जबकि शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 लखनऊ पंचायती राज अनुभाग-3 के अनुसार राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कार्य योजना जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त ही स्वीकृति कार्य योजना के कार्य करायेगें। इस प्रकार स्वीकृत कार्य योजना के अभाव में कराये गये कार्यों पर किया गया व्यय धन के दुरुपयोग को दर्शाता है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी, एवं अवर अभियंता व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

(ग) वर्ष 2016-17 में कराये गये कार्यों के कार्यादेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफ अवश्य प्राप्त किया जाये जिसे कार्य पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया जिससे कार्य कराये जाने का औचित्य कारण, कार्य की गुणवत्ता तथा कार्य के होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो धन के दुरुपयोग को दर्शाता है। जिसके लिए अवर अभियंता, लेखाकार तथा कार्य प्रभारी समान रूप उत्तरदाई हैं।

(घ) वर्ष 2016-17 में कार्य समाप्ति के पश्चात् का सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया। उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 3 के नियम संख्या 38 का उल्लंघन है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं।

(च) क्षेत्र पंचायत वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि मस्टररोलों में कार्य एवं भुगतान की पुष्टि में ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा निर्माण समिति के सदस्यों से मस्टररोलों को प्रमाणित नहीं कराया गया है। जिससे कार्य एवं भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए कार्य प्रभारी,अवर अभियंता एवं लेखाकार उत्तरदाई हैं।

(छ) वर्ष 2016-17 में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों के कार्यादेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि कार्य से पूर्ण कार्य स्थल पर एक बोर्ड लगाकर जिसमें प्राक्लन से सम्बन्धित सूचनाओं का प्रदर्शन किया जाये जिसका फोटोग्राफ पत्रावली से संलग्न किया जाये लेखा परीक्षा में किसी भी पत्रावली में सम्बंधित फोटो सूचना बोर्ड का प्रमाणक संलग्न नहीं पाया गया जबकि सभी प्राक्लनों में रु0 3000.00 का आयोजन सूचना बोर्ड पर

प्रस्तावित है। जो शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता का अभाव रहा जो धन के दुरुपयोग की संभावना को दर्शाता है जिसके लिए कार्य प्रभारी, अवर अभियंता तथा लेखाकार उत्तरदाई हैं।

इस प्रकार उपरोक्त बिंदु क्रमांक (क) से (छ) तक के सन्दर्भ में व्यय की गयी धनराशि रु0 2851612.00 धन के दुरुपयोग को दर्शाता है उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड दो के नियम जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उलंघन कर के व्यय किया गया हो के अधीन ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी अवर अभियंता, लेखाकार एवं कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-26)

क्षेत्र पंचायत –कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 912906.00)

प्रस्तर-68- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियों की जांच अनुदान रजि-2 से करने पर निम्न विवरणानुसार चेकें जो अनुदान रजि0 भाग-2 में निर्गत हैं उसकी पुष्टि में कार्य पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी-

चेक संख्या	दिनांक	चेकें जिनके पक्ष में निर्गत हैं	कार्य का विवरण	धनराशि
537	02-06-2014	गजरानी ब्रिक फिल्ड	कोथावां अतरौली मार्ग पर भटपुरवा तक	222375.00
538	02-06-2014	श्रीरामदास ए0डी0ओ0 कृषि	कोथावां अतरौली मार्ग पर भटपुरवा तक	90880.00
539	02-06-2014	श्रीरामदास ए0डी0ओ0 कृषि	कोथावां अतरौली मार्ग पर भटपुरवा तक	71312.00
541	09-06-2014	गजरानी ब्रिक फिल्ड	कोथावां अतरौली मार्ग पर भटपुरवा तक	38786.00
542	09-06-2014	श्रीरामदास ए0डी0ओ0 कृषि	कोथावां अतरौली मार्ग पर भटपुरवा तक	45040.00
556	26-07-2014	श्रीरामदास ए0डी0ओ0 कृषि	कोथावां अतरौली मार्ग पर भटपुरवा तक	129504.00
557	26-07-2014	श्रीरामदास ए0डी0ओ0 कृषि	विवरण अंकित नहीं	15617.00
558	26-07-2014	गजरानी ब्रिक फिल्ड	विवरण अंकित नहीं	34548.00
559	26-07-2014	श्रीरामदास ए0डी0ओ0 कृषि	विवरण अंकित नहीं	8591.00
560	26-07-2014	श्रीरामदास ए0डी0ओ0 कृषि	विवरण अंकित नहीं	5417.00
561	26-07-2014	गजरानी ब्रिक फिल्ड	विवरण अंकित नहीं	44913.00
562	26-07-2014	श्रीरामदास ए0डी0ओ0 कृषि	विवरण अंकित नहीं	101530.00
563	26-07-2014	श्रीरामदास ए0डी0ओ0 कृषि	विवरण अंकित नहीं	48566.00
564	26-07-2014	गजरानी ब्रिक फिल्ड	विवरण अंकित नहीं	38003.00
565	28-07-2014	श्रीरामदास ए0डी0ओ0 कृषि	विवरण अंकित नहीं	5326.00
566	28-07-2014	श्रीरामदास ए0डी0ओ0 कृषि	विवरण अंकित नहीं	5610.00
567	28-07-2014	श्रीरामदास ए0डी0ओ0 कृषि	विवरण अंकित नहीं	6886.00
			योग	912906.00

उपरोक्त निर्गत चेकों से सम्बन्धित पत्रावली जिससे कार्य के सम्बन्ध में समस्त प्रपत्र लगे होने चाहिये थे अप्रस्तुत रही उक्त पत्रावली अन्तरिम आपत्ति निर्गत करने के पश्चात् भी आडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी जो नियमों, अधिनियम, शासनादेशों एवं विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उलंघन है आडिट में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक सहित कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः सन्निहित धनराशि रु0 912906.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार तथा लेखाकार श्री शिव कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-15)

क्षेत्र पंचायत –कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 427687.00)

प्रस्तर-69- लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियों की जांच अनुदान रजि-2 से करने पर निम्न विवरणानुसार चेकें जो अनुदान रजि0 भाग-2 में निर्गत हैं उसकी पुष्टि में कार्य पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अनुदान रजि0-2 में अंकित विवरण
22-08-2016	722	46857.00	गजरानी ब्रिक फिल्ड
22-08-2016	723	173130.00	जगत सिंह ग्राम विकास अधिकारी (एस0के0)
03-09-2016	724	51156.00	जगत सिंह ग्राम विकास अधिकारी (एस0के0)
28-10-2016	727	7348.00	जगत सिंह ग्राम विकास अधिकारी (एस0के0)
10-01-2017	743	144196.00	मार्डन फर्नीचर
13-01-2017	748	5000.00	सर्वेश कुमार कुर्सी खरीद का भाडा
	योग	427687.00	

उपरोक्त निर्गत चेकों से सम्बन्धित पत्रावली जिसमें कार्य से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र लगे होने चाहिये थे अप्रस्तुत रही। उक्त पत्रावली अन्तरिम आपत्ति निर्गत करने के पश्चात् भी आडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी जो नियमों, अधिनियम, शासनादेशों एवं विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उलंघन है। आडिट में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक सहित कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः सन्निहित धनराशि रु0 427687.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार अवर अभियन्ता कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-15)

क्षेत्र पंचायत -कोथावां जनपद - हरदोई (रु0 2734296.00)

प्रस्तर-70- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कार्य पत्रावलियों की जांच अनुदान रजि-2 से करने पर निम्न विवरणानुसार चेकें जो तेरहवे वित्त मद से खारिज हैं उनकी पुष्टि में प्रमाणक/कार्य पत्रावलियां अप्रस्तुत रही।

चेक संख्या	दिनांक	चेकें जिनके पक्ष में निर्गत हैं	कार्य का विवरण	धनराशि
544	16-06-2014	आदर्श ह्यूम पाइप	सैफू खेड़ा पुलिया	285948.00
545	16-06-2014	गजरानी ब्रिक फिल्ड	सैफू खेड़ा पुलिया	258575.00
546	16-06-2014	रामदास ए0डी0ओ0 कृषि	सैफू खेड़ा पुलिया	149100.00
547	21-06-2014	गोयल बिल्डर्स	सैफू खेड़ा पुलिया	409360.00
550	25-06-2014	गजरानी ब्रिक फिल्ड	सैफू खेड़ा पुलिया	273239.00
552	25-06-2014	आदर्श ह्यूम पाइप	सैफू खेड़ा पुलिया	309606.00
553	02-07-2014	रामदास ए0डी0ओ0 कृषि	सैफू खेड़ा पुलिया	234404.00
554	07-07-2014	आदर्श ह्यूम पाइप	सैफू खेड़ा पुलिया	310535.00
568	28-07-2014	रामदास ए0डी0ओ0 कृषि	सैफू खेड़ा पुलिया	158488.00
569	28-07-2014	गजरानी ब्रिक फिल्ड	सैफू खेड़ा पुलिया	109296.00
570	28-07-2014	आदर्श ह्यूम पाइप	सैफू खेड़ा पुलिया	235745.00
			योग	2734296.00

उपरोक्त निर्गत चेकों से सम्बन्धित पत्रावली जिसमें कार्य के सम्बन्ध में समस्त प्रपत्र लगे होने चाहिये थे। अप्रस्तुत रही उक्त पत्रावली अन्तरिम आपत्ति निर्गत करने के पश्चात् भी आडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी जो नियमों, अधिनियमों, शासनादेशों एवं विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उलंघन है। आडिट में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक सहित कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः सन्निहित धनराशि रु0 2734296.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीनखण्ड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार, तथा लेखाकार श्री शिव कुमार से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-16)

क्षेत्र पंचायत -कोथावां जनपद - हरदोई (रु0 4010.00)

प्रस्तर-71- वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय कतिपय प्रमाणकों पर रु0 46557.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी है, जबकि संलग्न कार्यवार सामग्री तथा श्रमांश पर व्यय एवं भुगतान विवरण पत्र के अनुसार वर्ष 2014-15 में रु0 2237495.00 की सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रु0 50567.00 टी0डी0एस0 की कटौती होनी चाहिये थी। इस प्रकार रु0 4010.00 से कम कटौती करके राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से जमा कराया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-17)

क्षेत्र पंचायत -कोथावां जनपद - हरदोई (रु0 18301.00)

प्रस्तर-72- वर्ष 2015-16 में सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय रु0 39335.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी है, जबकि संलग्न कार्यवार सामग्री तथा श्रमांश पर व्यय एवं भुगतान का विवरण पत्र के

अनुसार वर्ष 2015-16 में रु0 2551145.00 की सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रु0 57656.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 18301.00 से कम कटौती करके राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से जमा कराया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-22)

क्षेत्र पंचायत -कोथावां जनपद - हरदोई (रु0 6213.00)

प्रस्तर-73-वर्ष 2016-17 में सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय रु0 24702.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी है, जबकि संलग्न कार्यवार सामग्री तथा श्रमांश पर व्यय एवं भुगतान का विवरण पत्र के अनुसार वर्ष 2016-17 में रु0 1367937.00 की सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रु0 30915.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 6213.00 से कम कटौती करके राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से जमा कराया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-28)

क्षेत्र पंचायत -कोथावां जनपद - हरदोई (रु0 89500.00)

प्रस्तर-74- वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय विधिक कटौती व्यापार कर/वैट कर के उपरान्त ही भुगतान किया जाना था जबकि संलग्न कार्यवार सामग्री तथा श्रमांश पर व्यय एवं भुगतान विवरण पत्र के अनुसार वर्ष 2014-15 में रु0 2237495.00 सामग्री क्रय पर 4 प्रतिशत की दर से रु0 89500.00 की कटौती न करके राजस्व की हानि की गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी से करते हुये पेनाल्टी सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-18)

क्षेत्र पंचायत -कोथावां जनपद - हरदोई (रु0 102046.00)

प्रस्तर-75- वर्ष 2015-16 में सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय विधिक कटौती व्यापार कर/वैट कर के उपरान्त ही भुगतान किया जाना था जबकि संलग्न कार्यवार सामग्री तथा श्रमांश पर व्यय एवं भुगतान विवरण पत्र वर्ष 2015-16 में रु0 2551145.00 सामग्री क्रय पर 4 प्रतिशत की दर से रु0 102046.00 की कटौती न करके राजस्व की हानि की गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी से करते हुये पेनाल्टी सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-23)

क्षेत्र पंचायत -कोथावां जनपद - हरदोई (रु0 54717.00)

प्रस्तर-76- वर्ष 2016-17 में सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय विधिक कटौती व्यापार कर/वैट कर के उपरान्त ही भुगतान किया जाना था जबकि संलग्न कार्यवार सामग्री तथा श्रमांश पर व्यय एवं भुगतान विवरण पत्र वर्ष 2016-17 में रु0 1367937.00 सामग्री क्रय पर 4 प्रतिशत की दर से रु0 54717.00 की कटौती न करके राजस्व की हानि की गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी से करते हुये पेनाल्टी सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-29)

क्षेत्र पंचायत -कोथावां जनपद - हरदोई (रु0 546788.00)

प्रस्तर-77- अनुदान रजि0 भाग-3 की जांच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 में बी0आर0जी 0एफ0 अनुदान का रु0 956788.00 व्यय हुआ है। अनुदान रजि0-2 के अनुसार निम्न विवरणानुसार चेकें निर्गत हुयी हैं।

चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	अनुदान रजि0 के अनुसार आहरित धन का विवरण
601209	04-04-2014	143613.00	आदर्श ह्यूम पाइप
601210	04-04-2014	80505.00	गजरानी ब्रिक फिल्ड
601211	04-04-2014	143613.00	आदर्श ह्यूम पाइप
601212	04-04-2014	80505.00	गजरानी ब्रिक फिल्ड
601213	05-05-2014	84342.00	रामदास ए0डी0ओ0 कृषि
601214	09-06-2014	83514.00	रामदास ए0डी0ओ0 कृषि
601215	07-07-2014	41723.00	आदर्श ह्यूम पाइप
601216	07-07-2014	59566.00	गजरानी ब्रिक फिल्ड
601217	07-07-2014	41723.00	आदर्श ह्यूम पाइप
601218	07-07-2014	59566.00	गजरानी ब्रिक फिल्ड
601219	26-07-2014	42988.00	रामदास ए0डी0ओ0 कृषि
601220	26-07-2014	43414.00	रामदास ए0डी0ओ0 कृषि
601221	15-11-2014	25858.00	गजरानी ब्रिक फिल्ड

601222	15-11-2014	25858.00	गजरानी ब्रिक फिल्ड
	योग	956788.00	

उपरोक्त के सम्बन्ध में पत्रावली व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे रु0 956788.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त के सम्बन्ध में अन्तरिम आपत्ति निर्गत करने के पश्चात् भी आडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी जो नियमों एवं शासनादेशों का उलंघन है। आडिट में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक एवं कार्य पत्रावली का प्रस्तुत नहीं किया जाना ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार, तथा लेखाकार श्री शिव कुमार से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-20)

क्षेत्र पंचायत –कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 247467.00)

प्रस्तर-78- अनुदान रजि0 भाग-3 की जांच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में बी0आर0जी0एफ0 अनुदान का रु0 119686.00 तथा वर्ष 2016-17 में रु0 127771.00 व्यय दर्शित है। अनुदान रजि0-2में निम्न विवरणानुसार चेकें निर्गत हैं।

चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	अनुदान रजि0 के अनुसार आहरित धन का विवरण
601223	04-11-2015	22604.00	रामदास ए0डी0ओ0 कृषि, पुलिया निर्माण
601224	04-11-2015	58956.00	रामदास ए0डी0ओ0 कृषि, पुलिया निर्माण
601225	04-11-2015	38126.00	आदर्श ह्यूम पाइप, पुलिया निर्माण
30926	23-02-2017	32012.00	श्री गुरु प्रसाद पदनाम अंकित नहीं
30927	23-02-2017	81280.00	श्री गुरु प्रसाद पदनाम अंकित नहीं
—	—	14479.00	टी0डी0एस0
	योग	247457.00	

उपरोक्त निर्गत चेकों से सम्बन्धित पत्रावली जिसमें कार्य के सम्बन्ध में समस्त प्रपत्र लगे होने चाहिये थे। आडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये जाने के कारण रु0 247457.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो नियमों, अधिनियमों, शासनादेशों तथा विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उलंघन है। आडिट में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक सहित कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री जियालाल, लेखाकार श्री शिव कुमार, लेखाकार श्री सच्चिदानंद तथा कार्य प्रभारी श्री रामदास ए0डी0ओ0 कृषि तथा कार्य प्रभारी श्री गुरु प्रसाद से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-30)

क्षेत्र पंचायत –कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 48617.00)

प्रस्तर-79- वर्ष 2014-15 में कतिपय सामग्री आपूर्ति बिलों से टी0डी0एस0 की कटौती की गयी जिसमें चेक संख्या 295001 दिनांक 04-02-2015 द्वारा रु0 48617.00 जमा किया जाना दर्शित है।लेखा परीक्षा में टी0डी0एस0 जमा की चालन प्रति तथा रिटर्न दाखिल मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं की गयी। प्रमाणक के आभाव में रु0 48617.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार तथा लेखाकार श्री शिव कुमार से की जानी अपेक्षित है
(सा0आ0सं0-19)

क्षेत्र पंचायत –कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 92106.00)

प्रस्तर-80- वर्ष 2015-16 में सामग्री आपूर्ति बिलों से टी0डी0एस0 की कटौती की गयी जिसे निम्न विवरणानुसार जमा कराया जाना दर्शित है।

चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	अनुदान रजि0 के अनुसार
295002	07-07-2015	54176.00	ट्रान्सफर
295003	23-11-2015	37930.00	ट्रान्सफर
	योग	92106.00	

लेखा परीक्षा में टी0डी0एस0 जमा की चालन प्रति तथा रिटर्न दाखिल मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः प्रमाणक के आभाव में रु0 92106.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-24)

क्षेत्र पंचायत –कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 43559.00)

प्रस्तर-81- वर्ष 2016-17 में सामग्री आपूर्ति बिलों का भुगतान करते समय टी0डी0एस0 की कटौती की गयी जिसे निम्न विवरणानुसार जमा कराया जाना दर्शित है।

चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	अनुदान रजि० के अनुसार आहरित धन का विवरण
765	28-02-2017	43559.00	सर्वेश कुमार कैशियर द्वारा नगद निकासी दिनांक 28-03-2017

लेखा परीक्षा में टी०डी०एस० जमा की चालन प्रति तथा रिटर्न दाखिल मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं की गयी। प्रमाणक के आभाव में रु० 43559.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-27)

क्षेत्र पंचायत –कोथावां जनपद – हरदोई

(रु० 43559.00)

प्रस्तर-82- 2014-15 में अनुदान रजि० भाग-3 की जांच में पाया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण मद में रु० 1900000.00 का अनुदान प्राप्त होना दर्शित है। जिसके सापेक्ष निम्न विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शाया गया है –

वर्ष	व्यय की गयी धनराशि
2014-15	979198.00
2015-16	811181.00
योग	1790379.00

उपरोक्त व्यय रु० 1790379.00 के सम्बन्ध में कार्य पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त के सम्बन्ध में अंतरिम आपत्ति निर्गत करने के पश्चात् भी पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी जो नियमों एवं शासनादेशों का उल्लंघन है। आडिट में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक एवं कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-25)

क्षेत्र पंचायत –कोथावां जनपद – हरदोई (रु० 3000.00)

प्रस्तर-83- वर्ष 2016-17 में संलग्न कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण पत्र में कार्य क्रमांक 2 तथा 4 तथा तथा कुल दो कार्यों पर निविदायें प्राप्त की गयी हैं। प्रत्येक निर्माण कार्य पर तीन-तीन निविदायें प्राप्त हुयी। जिनमे दोनों कार्यों पर गजरानी ब्रिक फिल्ड की निविदाये स्वीकार की गयी हैं। प्रत्येक निविदा कार्य का मूल्य रु० 500.00 है। इस प्रकार 2016-17 में (2×3×500) कुल रु० 3000.00 की आय होनी चाहिए। जिसे नहीं दर्शाया गया है इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा टेन्डर मूल्य की धनराशि रु० 3000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-32)

क्षेत्र पंचायत –कोथावां जनपद – हरदोई (रु० 517754.00)

प्रस्तर-84- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि में उपलब्ध करायी गयी कार्य पत्रावलियों में पाया गया कि सामग्री क्रय का भुगतान सीधे फार्म को रेखांकित चेक से न करके कार्य प्रभारी के माध्यम से नगद किया गया है। जबकि कार्य प्रभारी के माध्यम से मजदूरी का भुगतान ही किया जाना था तथा सामग्री क्रय एक मुश्त नहीं करके छोटे – छोटे भाग में कई बार की गयी है। इस प्रकार सामग्री क्रय में वित्तीय औचित्य के सिद्धांत वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिए गये निर्देशों तथा स्टोर परचेज के नियमों का पालन नहीं किया गया है जो उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम “भुगतान चेक के सिवाय नहीं किया जा सकेगा ” के विपरीत है उदाहरणार्थ –

कार्य का नाम	कार्य प्रभारी	वर्ष	धनराशि	चेक संख्या	दिनांक
गौरा से कलिका देवी मार्ग पर पुलिया निर्माण	रामदास ए०डी०ओ० कृषि	2014-15	88614.00	610	25-03-2015
बेरुआ हथौडा रोड पर बेरुआ मंदिर के पास पुलिया निर्माण	रामदास ए०डी०ओ० कृषि	2015-16	91859.00	631	29-07-2015
थानगाँव जालिहा मार्ग पर नाले पर पुलिया निर्माण	रामदास ए०डी०ओ० कृषि	2015-16	128157.00	636	04-08-2015
सिकन्दरपुर से मढपाई मार्ग पर पुलिया निर्माण	रामदास ए०डी०ओ० कृषि	2015-16	105614.00	688	09-11-2015
कृषि रक्षा ईकाई भवन की मरम्मत	जगत सिंह, ग्रा०वि०अ०,एस०के०	2016-17	103510.00	726	28-10-2016
		योग	517754.00		

इस प्रकार नियमों अधिनियमों एवं राज्य वित्त तथा केन्द्रीय वित्त के विपरीत एवं अनियमित है इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी, लेखाकार तथा अवर अभियंता जिम्मेदार हैं। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-33)

क्षेत्र पंचायत –कोथावां जनपद – हरदोई

प्रस्तर-85- शासनादेश संख्या-ए-1-864/10-08-15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 वित्त (लेखा अनुभाग -1) के अनुसार 20000.00 तक सामग्री बिना कोटेशन आमन्त्रित किये तथा निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के लिए एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेन्डर आमन्त्रित करना अनिवार्य होगा। लेखा परीक्षा वर्षों 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में एक लाख से अधिक सामग्री निम्न विवरणानुसार उदाहरणार्थ क्रय की गयी है-

वर्ष	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	फर्म का नाम	चेक संख्या
2014-15	25-05-2015	सजन नगर नाला पर पुलिया निर्माण	98454.00	आदर्श ह्यूम पाइप	612
2014-15	09-01-2015	त्योना माइनर पुलिया से झपल खेड़ा तक ईट सोलिंग कार्य	253355.00	गजरानी ब्रिक फिल्ड	601
2015-16	26-10-2015	उगपुर डामर रोड से बेलाबबा नहर पुलिया तक खडंजा मरम्मत	112092.00	गजरानी ब्रिक फिल्ड	682
2015-16	18-08-2015	बिराहिमपुर खडंजा से बेरुआ डामर तक खडंजा मरम्मत	112444.00	गजरानी ब्रिक फिल्ड	648
2016-17	10-01-2017	ब्लाक कैम्पस से कवाटर मरम्मत	178491.00	आदर्श ह्यूम पाइप	738

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामग्री क्रय करते समय शासनादेश का पालन न करते हुये मनमाने ढंग से नियम विरुद्ध सामग्री क्रय की गयी है। क्योंकि सभी सामग्री क्रय मैनेज्ड प्रक्रिया के अन्तर्गत कोटेशन द्वारा क्रय की गयी है क्योंकि सभी सामग्री की आपूर्ति लगभग एक या दो फर्मों से आपूर्ति की गयी है। जो जान बूझकर नियमों के विपरीत लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से किया गया है उक्त प्रक्रिया शासनादेशों का स्पष्ट उलंघन है जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियंता तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-34)

क्षेत्र पंचायत –कोथावां जनपद – हरदोई (रु0 402467.00)

प्रस्तर-86- संस्था द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में विभिन्न योजनाओं में प्राप्त अनुदानों को बैंक में जमा धनराशि पर ब्याज अर्जित किया गया है। अनुदान रजि0 भाग-3 के अनुसार ब्याज की आय रु0 402467.00 दर्शित है। शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33) 2010 दिनांक 21-03-2012 वित्त लेखा अनुभाग-1 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया गया है। जो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा करा दिया जायगा इस प्रकार रु0 402467.00 को शासन की मंशा के अनुरूप राजकोष में जमा नहीं किया गया है। नियमों का पालन न करना गम्भीर अनियमितता को दर्शाता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-38)

क्षेत्र पंचायत – बेंहदर जनपद – हरदोई

प्रस्तर-87- वित्तीय वर्ष 2014-15 में, राज्य वित्त योजना मद अन्तर्गत किया गया कुल व्यय रु0 5444221.00 है। जबकि इसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा में मात्र नौ निर्माण कार्य पत्रावलियाँ (रु0 1550308.00) जाँच हेतु सुलभ करायी गयी। शेष (रु0 5444221.00-1550308 = 3893913.00) की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियाँ जाँच हेतु असुलभ रही। साथ ही साथ कई बार अन्तरिम आपत्तियाँ जारी करने पर भी बैंक स्टेटमेंट फोटो प्रति सुलभ नहीं करायी गयी। जिससे लेखा में स्पष्ट होता है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा रु0 3893913.00 की धनराशि का अपहरण किया गया। सुलभ करायी गयी मात्र नौ पत्रावलियों में फोटोग्राफ भी पुष्टि हेतु संलग्न नहीं है। तालिकानुसार रु0 1791796.00 के सामग्री का क्रय तथा रु0 628884.00 के श्रमांश की ही पुष्टि लेखा परीक्षा में हो रही है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द निगम तथा श्रीमती इं0 रिचा सिंह, सहायक लेखाकार श्री रमेश चन्द्र तथा श्री सुशील कुमार, अवर अभियन्ता मो0 ए0 अहमद तथा श्री नन्हेलाल प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है (गम्भीर आपत्ति संख्या-2/2014-15)

क्षेत्र पंचायत – बेंहदर जनपद – हरदोई

प्रस्तर-88—वित्तीय वर्ष 2014-15 में, राज्य वित्त आयोग मद अर्न्तगत किया गया कुल व्यय रु० 5444221.00 है। जिसका ग्राण्ट रजिस्टर-द्वितीय अनुसार विवरण निम्न है—

क्र०सं०	व्यय का ब्यौरा	धनराशि (रु० में)
1	श्री विमलेश कुमार ए०ओ०डी० एस०टी०	1490558.00
2	मे० असही ब्रिक फिल्ड, हरदलमऊ, संडीला	2211803.00
3	सी०एम०वाई०के० प्रिन्टेक, लखनऊ	8041.00
4	श्री रमेश चन्द्र वर्मा, ए०डी०ओ०(प०)	33828.00
5	मे० नगीना ईट उद्योग	556750.00
6	श्री रमेश चन्द्र, ए०डी०ओ०(एस०के०)	16000.00
7	आयकर कटौती	385228.00
8	व्यापार कर कटौती	181784.00
9	जमानत प्राप्त	520850.00
10	श्री रमेश चन्द्र वर्मा, कैशियर	70300.00
11	श्री नन्हेलाल, प्रमुख	98000.00
12	श्री रवीन्द्र श्रीवास्तव, ए०डी०ओ० (एस०के०)	50000.00
13	मो० अब्दुल शमीम, कम्प्यूटर आप०	12000.00
14	श्री सुशील कुमार, सहायक लेखाकार	67500.00
	योग	5702642.00

आपत्ति संख्या-2 अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा रु० 3893913.00 की धनराशि का अपहरण तथा रु० 1550308.00 की राशि की गम्भीर अनियमितता की है। यह राशि ग्राण्ट रजिस्टर-द्वितीय अनुसार उक्त व्यय का ब्यौरा कालम में क्रम संख्या 1 से 14 तक अंकित पार्टियों/व्यक्तियों के द्वारा निकाली गई। अतः यह पार्टियां तथा व्यक्ति भी अपहरण तथा गम्भीर अनियमितता करने के लिये उनके आगे अंकित राशि के अनुसार उत्तरदायी हैं। वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त योजनार्न्तगत कुल व्यय रु० 5444221.00 है, जबकि उक्त व्यय का ब्यौरा अनुसार व्यय रु० 5702642.00 हो रहा है। इस प्रकार दोनों में 258421.00 का अन्तर विद्यमान है। जिसका निराकरण करना लेखा परीक्षा में अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार से ब्याज सहित वसूली / विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-3/2014-15)

क्षेत्र पंचायत – बेंहदर जनपद – हरदोई

प्रस्तर-89—क्षेत्र पंचायत बेंहदर, हरदोई द्वारा वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में वर्क रजिस्टर जांच हेतु सुलभ नहीं कराया है। जिस कारण कराये गये समस्त कार्यों का विवरण लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा है। साथ ही पंचायत द्वारा ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय के कालम 8 में कार्यों का विवरण भी अंकित नहीं किया गया है। ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय अनुसार, राज्य वित्त मद अर्न्तगत किया गया कुल व्यय रु० 18443957.00 है, जबकि इसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा में मात्र ग्यारह (11) पत्रावलियां (मूल्य = 9285418.00) जांच हेतु सुलभ करायी गयी। शेष रु०(18443957.00-9285418.00 = 9158539.00) की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियां जांच हेतु असुलभ रही हैं। संस्था द्वारा सुलभ करायी गयी बैंक स्टेटमेंट खाता संख्या 0052 अनुसार, रु० 9150529.00 निकासी ले०प० में अपुष्ट रही जिससे लेखा परीक्षा में स्पष्ट होता है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा रु० 9158539.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। सुलभ करायी गयी मात्र ग्यारह (11) पत्रावलियों में फोटोग्राफ भी पुष्टि हेतु संलग्न नहीं है। तालिकानुसार रु० 7057657.60 के सामग्री क्रय तथा रु० 2173698.00 के श्रमांश की ही पुष्टि लेखा परीक्षा में हो रही है। इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती इं० रिचा सिंह, श्री वृजेन्द्र कुमार तथा श्री एस० कृष्णा एवं सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार, अवर अभियन्ता श्री ए० अहमद, श्री नन्हे लाल एवं मो० अब्दुल राफे प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-2/2015-16)

क्षेत्र पंचायत – बेंहदर जनपद – हरदोई

प्रस्तर-90—क्षेत्र पंचायत बेंहदर, हरदोई द्वारा वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग मद अर्न्तगत कुल रु० 18443957.00 व्यय किया गया। जिसका ग्राण्ट रजिस्टर-द्वितीय अनुसार विवरण निम्न है—

क्र०सं०	व्यय का ब्यौरा	धनराशि ग्रांट रजि०(में रु०) द्वितीय अनुसार	तालिकाओं से पुष्ट भुगतान	अपुष्ट भुगतान
1	2	3	4	3-4
1	श्री विमलेश कुमार ए०ओ०डी० एस०टी०	1740118.00	419361.00	1320757.00
2	असही ब्रिक फिल्ड, हरदलमऊ, संडीला	12096133.00	5783489.00	6312644.00
3	श्री नन्हेलाल, प्रमुख	91000.00	—	91000.00
4	सी०एमवाई०के० प्रिन्टेक, लखनऊ	51461.00	—	51461.00
5	जनमाध्यम, लखनऊ	7083.00	—	7083.00
6	श्री रवीन्द्र श्रीवास्तव, ए०डी०ओ० (एस०के०)	216128.00	—	216128.00
7	श्री कृष्ण कुमार, ग्राम विकास अधिकारी	1479156.00	233474.00	1245682.00
8	अनिल कुमार, ग्राम विकास अधिकारी	1266481.00	289499.00	976982.00
9	जे०पी० ईट उद्योग	639612.00	225254.00	414358.00
10	अरगस मशीन प्रा०लि०लखनऊ	22743.00	—	22743.00
11	एस०बी०आई०संडीला (विवरणहीन)	867722.00	—	867722.00
	योग	18477637.00	6951077.00	11526560.00

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय अनुसार कुल व्यय 18443957.00 होता है, जबकि ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय अनुसार कुल व्यय 18477637.00 है। इस प्रकार दोनों में रु० 33680.00 अन्तर विद्यमान है। जिसका निराकरण करना लेखा परीक्षा में अपेक्षित है। आपत्ति संख्या 2 तथा 2 (1) अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा रु० 9158539.00 की राशि का अपहरण तथा रु० 9285418.00 की राशि की गम्भीर अनियमितता की गयी है। यह राशि ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय के अनुसार उक्त व्यय का ब्यौरा कालम में क्रम संख्या 1 से 11 तक अंकित पार्टियों/व्यक्तियों द्वारा निकाली गयी है। अतः यह पार्टियां तथा व्यक्ति भी अपहरण तथा गम्भीर अनियमितता करने के लिये उनके आगे अंकित राशि के अनुसार (कालम 3-4) उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-3/2015-16)

क्षेत्र पंचायत — बेंहदर जनपद — हरदोई

प्रस्तर-91—क्षेत्र पंचायत बेंहदर, हरदोई द्वारा वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में वर्क रजिस्टर जांच हेतु सुलभ नहीं कराया है। जिस कारण कराये गये समस्त कार्यों का विवरण लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा है। साथ ही पंचायत द्वारा ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय के कालम 8 में कार्यों का विवरण भी अंकित नहीं किया गया है। ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय अनुसार राज्य वित्त आयोग मद अर्न्तगत किया गया कुल व्यय रु० 3316840.00 है, जबकि इसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा में मात्र (02) पत्रावलियां (मूल्य=रु० 3203648.00) जांच हेतु सुलभ करायी गयी। शेष रु० (3316840.00-3203648.00 = 113192.00) की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियां जांच हेतु असुलभ रहीं। संस्था द्वारा सुलभ करायी गयी बैंक स्टेटमेंट खाता संख्या 0052 अनुसार रु० 113192.00 की निकासियां लेखा परीक्षा में अपुष्ट रहीं। जिससे लेखा परीक्षा में स्पष्ट होता है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा रु० 113192.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। सुलभ करायी गयी मात्र दो पत्रावलियों में फोटोग्राफ भी पुष्टि हेतु संलग्न नहीं है। तालिकानुसार रु० 2199088.00 के सामग्री क्रय तथा रु० 1004560.00 के श्रमांश की ही पुष्टि लेखा परीक्षा में हो रही है। इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती इ० रिचा सिंह, एवं सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार, अवर अभियन्ता श्री ए० अहमद एवं मो० अब्दुल राफे, प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित अधिकारी /कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-2/2016-17)

क्षेत्र पंचायत — बेंहदर जनपद — हरदोई

प्रस्तर-92—क्षेत्र पंचायत बेंहदर, हरदोई द्वारा वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग मद अर्न्तगत कुल रु० 3316840.00 व्यय किया गया। जिसका ग्राण्ट रजिस्टर-द्वितीय अनुसार विवरण निम्न है—

क्र०सं०	व्यय का ब्यौरा	धनराशि ग्रांट रजि०(में रु०) द्वितीय अनुसार	तालिकाओं से पुष्ट भुगतान	अपुष्ट भुगतान
1	2	3	4	3-4
1	सी०एमवाई०के० प्रिन्टेक, लखनऊ	49317.00	—	49317.00
2	श्री नन्हेलाल, प्रमुख	3839.00	—	3839.00
3	श्री अब्दुल राफे, प्रमुख	45161.00	—	45161.00
4	श्री कृष्ण कुमार, ग्राम विकास अधिकारी	1004560.00	1004560.00	—
5	असही ब्रिक फिल्ड, हरदलमऊ, संडीला	2199088.00	2199088.00	—

6	रजिस्टर में अंकित नहीं	14875.00	—	14875.00
	योग	3316840.00	3203648.00	113192.00

आपत्ति संख्या-2 तथा 2 (अ) अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा रु० 113192.00 की धनराशि का अपहरण तथा रु० 3203648.00 की राशि की गम्भीर अनियमितता की है। यह राशि ग्राण्ट रजिस्टर-द्वितीय अनुसार उक्त व्यय का ब्योरा कालम में क्रम संख्या 1 से 6 तक अंकित पार्टियों/व्यक्तियों के द्वारा निकाली गई। अतः यह पार्टियां तथा व्यक्ति भी अपहरण तथा गम्भीर अनियमितता करने के लिये उनके आगे अंकित राशि के अनुसार (कालम 3-4) उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-3/2016-17)

क्षेत्र पंचायत — बेंहदर जनपद — हरदोई

प्रस्तर-93—क्षेत्र पंचायत बेंहदर, हरदोई द्वारा वर्ष 2014-15 की ले० प० में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त योजना मद अर्न्तगत किया गया कुल व्यय रु० 5444221.00 है। जबकि इसकी पुष्टि में ले०प० में मात्र नौ निर्माण कार्य पत्रावलियां (रु० 1550308.00) जांच हेतु सुलभ करायी गयी। जिसमें लेखा परीक्षा में निम्न कमियां सामान्य रूप से पायी गयी—

1—उक्त पत्रावलियों से सम्बन्धित भुगतानों की पुष्टि में बैंक स्टेटमेंट जांच हेतु अप्राप्त रही।

2—उक्त पत्रावलियों में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त कार्यपूति प्रमाण पत्र (डी०पी०सी०-9) संलग्न नहीं था।

3—उक्त पत्रावलियों में कार्य से पूर्व, कार्य के मध्य तथा कार्य समाप्ति के पश्चात के फोटोग्राफ, पुष्टि हेतु संलग्न नहीं हैं। जो संलग्न किये जायें।

4—उक्त पत्रावलियों से कार्य के सूचना प्रदर्शक बोर्ड (जिसमें कार्य का वर्ष, अनुमानित लागत, कार्य प्रभारी का नाम आदि अंकित हो) के प्रयोग की पुष्टि नहीं हो रही है।

तालिकानुसार रु० 1791796.00 के सामग्री क्रय तथा रु० 628884.00 के श्रमांश की ही पुष्टि लेखा परीक्षा में हो रही है। जिससे लेखा परीक्षा में स्पष्ट होता है कि क्षेत्र० द्वारा वर्ष 2014-15 में उक्त कार्यों पर रु० 1550308.00 का अनियमित व्यय किया गया है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द निगम तथा श्रीमती रिचा सिंह, सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार तथा श्री रमेश चन्द्र, अवर अभियन्ता मो० ए० अहमद तथा ब्लाक प्रमुख श्री नन्हेलाल समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-2।/2014-15)

क्षेत्र पंचायत — बेंहदर जनपद — हरदोई

प्रस्तर -94—क्षेत्र पंचायत बेंहदर, हरदोई द्वारा वर्ष 2015-16 की ले० प० में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त योजना मद अर्न्तगत किया गया कुल व्यय रु० 18443957.00 है। जबकि इसकी पुष्टि में ले०प० में मात्र ग्यारह निर्माण कार्य पत्रावलियां (रु० 9285418.00) जांच हेतु सुलभ करायी गयी। जिसमें लेखा परीक्षा में निम्न कमियां सामान्य रूप से पायी गयी—

1—उक्त पत्रावलियों में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त कार्यपूति प्रमाण पत्र (डी०पी०सी०-9) संलग्न नहीं था।।

2—उक्त पत्रावलियों में कार्य से पूर्व, कार्य के मध्य तथा कार्य समाप्ति के पश्चात के फोटोग्राफ, पुष्टि हेतु संलग्न नहीं हैं। जो संलग्न किये जायें।

3—उक्त पत्रावलियों से कार्य के सूचना प्रदर्शक बोर्ड (जिसमें कार्य का वर्ष, अनुमानित लागत, कार्य प्रभारी का नाम आदि अंकित हो) के प्रयोग की पुष्टि नहीं हो रही है।

तालिकानुसार रु० 7057657.00 के सामग्री क्रय तथा रु० 2173698.00 के श्रमांश की ही पुष्टि लेखा परीक्षा में हो रही है। जिससे लेखा परीक्षा में स्पष्ट होता है कि क्षेत्र० द्वारा वर्ष 2015-16 में उक्त कार्यों पर रु० 9285418.00 का अनियमित व्यय किया गया है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती इ० रिचा सिंह, श्री बृजेन्द्र कुमार तथा श्री एस० कृष्णा सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार तथा अवर अभियन्ता मो० ए० अहमद तथा ब्लाक प्रमुख श्री नन्हेलाल एवं मो० अब्दुल राफे समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-2।/2015-16)

क्षेत्र पंचायत — बेंहदर जनपद — हरदोई

प्रस्तर-95—क्षेत्र पंचायत बेंहदर, हरदोई द्वारा वर्ष 2016-17 की ले० प० में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त योजना मद अर्न्तगत किया गया कुल व्यय रु० 3316840.00 है। जबकि इसकी पुष्टि में ले०प० में मात्र दो निर्माण कार्य पत्रावलियां (रु० 3203648.00) जांच हेतु सुलभ करायी गयी। जिसमें लेखा परीक्षा में निम्न कमियां सामान्य रूप से पायी गयी—

1—उक्त पत्रावलियों में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त कार्यपूति प्रमाण पत्र (डी०पी०सी०-9) संलग्न नहीं था।।

2—उक्त पत्रावलियों में कार्य से पूर्व, कार्य के मध्य तथा कार्य समाप्ति के पश्चात के फोटोग्राफ, पुष्टि हेतु संलग्न नहीं हैं। जो संलग्न किये जायें।

3— उक्त पत्रावलियोंसे कार्य के सूचना प्रदर्शक बोर्ड (जिसमें कार्यका वर्ष, अनुमानित लागत, कार्य प्रभारी का नाम आदि अंकित हो) के प्रयोग की पुष्टि नहीं हो रही है।

तालिकानुसार रु० 2199088.00 के सामग्री क्रय तथा रु० 1004560.00 के श्रमांश की ही पुष्टि लेखा परीक्षा में हो रही है। जिससे लेखा परीक्षा में स्पष्ट होता है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2016—17 में रु० 3203648.00 का अनियमित व्यय किया गया है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती इं० रिचा सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार, अवर अभियन्ता मो० ए० अहमद तथा ब्लाक प्रमुख मा० अब्दुल राफीक समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या—2।/2016.17)

क्षेत्र पंचायत — बेहंदर जनपद — हरदोई

प्रस्तर—96—तालिका अनुसार वर्ष 2014—15 हेतु नौ निर्माण कार्य के आधार पर टी०डी०एस० कटौती रु० 36615.00 व्यापार कर कटौती रु० 227232.00 की ही पुष्टि लेखा परीक्षा में हो रही है। समस्त निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में अप्राप्त रहने के कारण टी०डी०एस० कटौती तथा व्यापार कर कटौती की वास्तविक स्थिति लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रही है। आपत्ति संख्या 3 अनुसार व्यापार कर कटौती रु० 181784.00 तथा टी०डी०एस० कटौती रु० 385228.00 है। सामग्री क्रय पर व्यापार कर कटौती 4प्रतिशत की दर से तथा आयकर कटौती 2.27 प्रतिशत की दर से की जाती है। इस प्रकार व्यापार कर कटौती, आयकर कटौती से अधिक होती है। जबकि उक्त प्रकरण में व्यापार कर कटौती (रु० 181784.00) आयकर कटौती (रु० 385228.00)से कम है। यह आपत्ति का विषय है। जिसका कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए। साथ ही उक्त कटौतियां कुल रु० 567012.00 के जमा की पुष्टि में चेक नंबर/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे लेखा परीक्षा में स्पष्ट होता है कि उक्त राशि जमा न करके क्षेत्र पंचायत द्वारा राजस्व की हानि की गई है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानंद निगम एवं इं० रिचा सिंह सहायक लेखाकार रमेश चंद्र तथा सुशील कुमार समान रूप से उत्तरदाई हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या—10 2014.15)

क्षेत्र पंचायत — बेहंदर जनपद — हरदोई

प्रस्तर—97—क्षेत्र पंचायत बेहंदर हरदोई की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जांची गई 11 पत्रावलियों के अनुसार सरकारी कटौतियां (टी०डी०एस०, वैट) की गई। समस्त पत्रावलियां जांच में अप्राप्त रहने के कारण कटौतियां वर्ष दौरान अस्पष्ट रहीं। साथ ही साथ ग्रांट रजिस्टर तृतीय अनुसार सरकारी कटौतियों के खाते भी नहीं खोले गए हैं। जिस कारण भी वर्ष दौरान कुल सरकारी कटौतियां लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रही हैं। फिर भी आपत्ति संख्या—3 से स्पष्ट है कि निम्न पार्टियों से सामग्री क्रय की गई—

मे०असही ब्रिक फिल्ड, हरदलमऊ, संडीला (ईट क्रय)	12096133.00
मे० जै० पी० ईट उद्योग, सरेहरी	639612.00
अरगस मशीन प्रा० लि०, लखनऊ	22743.00
योग	12758488.00

उक्त क्रय सामग्री पर,

वैट कटौती 4 प्रतिशत होती है—रु० 510340.00

टी०डी०एस० कटौती 2.27 प्रतिशत होती है —रु० 289618.00

योग— रु० 799958.00

परंतु वर्ष 2015—16 की ग्रांट रजिस्टर तृतीय में उक्त कटौतियां संबंधी खाता नहीं खोला गया। जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा यह कटौतियां नहीं की गई हैं। साथ ही इसकी जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नंबर/बैंक स्टेटमेंट/बैंक जमा चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा रु० 799958.00 की राजस्व हानि की गई है। तालिका अनुसार रु० 281989.00 वैट राशि तथा रु० 160068.00 की टी०डी०एस० राशि कुल रु० 442057.00 सरकारी कटौतियों की ही पुष्टि लेखा परीक्षा में हो रही हैं। जिस प्रति तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती रिचा सिंह, श्री बृजेन्द्र कुमार तथा श्री एस० कृष्णा एवं सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं। वर्ष दौरान की गई सरकारी कटौतियों की वास्तविक स्थिति भी लेखा परीक्षा में स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। जिनसे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या—10 2015.16)

क्षेत्र पंचायत – बेंहदर जनपद – हरदोई

प्रस्तर-98—क्षेत्र पंचायत बेंहदर हरदोई वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जांची गई दो पत्रावलियों के अनुसार सरकारी कटौतियां (टी०डी०एस०, वैंट) की गयी। समस्त पत्रावलियां जांच में अप्राप्त रहने के कारण कुल सरकारी कटौतिया अस्पष्ट रहीं। साथ ही साथ ग्रांट रजिस्टर तृतीय अनुसार सरकारी कटौतियों के खाते भी नहीं खोले गए हैं। जिस कारण भी वर्ष दौरान कुल सरकारी कटौतियां लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रही हैं। फिर भी आपत्ति संख्या-3 से स्पष्ट है कि निम्न पार्टियों से सामग्री क्रय की गई—

मे० असही ब्रिक फिल्ड, हरदलमऊ, संडीला (ईंट क्रय)	रु० 2557940.00
योग	रु० 2557940.00

उक्त क्रय सामग्री पर, (तालिकानुसार)

वैंट कटौती 4 प्रतिशत होती है—रु० 102603.00

टी०डी०एस० कटौती 2.27 प्रतिशत होती है —रु० 51040.00

योग— रु० 153643.00

परंतु वर्ष 2016-17 की ग्रांट रजिस्टर तृतीय में उक्त कटौतियां संबंधी खाता नहीं खोला गया। जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा यह कटौतियां नहीं की गई हैं। साथ ही इसकी जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नंबर/बैंक स्टेटमेंट/बैंक जमा चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा रु० 153643.00 की राजस्व हानि की गई है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती रिचा सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-8.2016.17)

क्षेत्र पंचायत – बेंहदर जनपद – हरदोई

प्रस्तर-99—तालिका अनुसार वर्ष 2015-16 में रु० 7057657.00 की सामग्री क्रय तथा रु० 21733698.00 श्रमांश की ही पुष्टि लेखा परीक्षा में हो रही है। खाता संख्या 52 के अनुसार उक्त श्रमांश रु० 21733698.00 के संबंधित मजदूरों के खाते में स्थानांतरित होने की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं हो रही है। स्पष्ट रूप से क्षेत्र पंचायत बेंहदर, हरदोई द्वारा इस राशि का अपहरण किया गया है। इस प्रति खंड विकास अधिकारी श्रीमती इं० रिचा सिंह, श्री बृजेंद्र कुमार तथा श्री एस० कृष्णा एवं सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार, अवर अभियंता श्री ए० अहमद तथा श्री नन्हे लाल एवं मो० अब्दुल्ल राफे समान रूप से उत्तरदाई हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-2ठ 2015.16)

क्षेत्र पंचायत – बेंहदर जनपद – हरदोई

प्रस्तर-100—तालिका अनुसार वर्ष 2016-17 में रु० 2199088.00 की सामग्री क्रय तथा रु० 1004560.00 के श्रमांश की ही पुष्टि लेखा परीक्षा में हो रही है। खाता संख्या 52 के अनुसार उक्त श्रमांश रु० 1004560.00 के संबंधित मजदूरों के खातों में स्थानांतरित होने की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं हो रही है। स्पष्ट रूप से क्षेत्र पंचायत बेंहदर, हरदोई द्वारा इस राशि का अपहरण किया गया है। इस प्रति खंड विकास अधिकारी श्रीमती इं० रिचा सिंह सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार, अवर अभियंता श्री ए० अहमद तथा मो० अब्दुल्ल राफे प्रमुख समान रूप से उत्तरदाई हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-2/2016.17)

क्षेत्र पंचायत – बेंहदर जनपद – हरदोई

प्रस्तर-101—क्षेत्र पंचायत बेंहदर, हरदोई में वर्ष 2014-15 के दौरान इंदिरा आवास कंटीन्जेसी मद अंतर्गत रु० 101667.00, एस०जी०एस०वाई० मद अंतर्गत रु० 4000.00 सामग्री आपूर्ति पर जमानत मद अंतर्गत रु० 511750.00 का व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में पुष्टि प्रमाणक/चेक इश्यू/रजि० बैंक स्टेटमेंट/जमानत रजिस्टर जांच हेतु सुलभ नहीं कराए हैं। अतः उक्त व्यय लेखा परीक्षा में अपुष्ट रहे। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त धनराशि कुल रु० 617417.00 का अपहरण किया गया है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानंद निगम, श्रीमती इं० रिचा सिंह तथा सहायक लेखाकार श्री रमेश चन्द्र तथा श्री सुशील कुमार समान रूप से उत्तरदाई हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-4/2014.15)

क्षेत्र पंचायत – बेंहदर जनपद – हरदोई

प्रस्तर –102—क्षेत्र पंचायत बेंहदर, हरदोई की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में विभिन्न मदों के अर्न्तगत हुए निम्न व्ययों की पुष्टि प्रमाणकों के अभाव में एवं बैंक स्टेटमेंट तथा योजना पत्रावलियां अप्राप्त रहने के कारण नहीं की जाती है—

क्र०सं०	अनुदान का नाम	धनराशि (रु० में)
1	बायोगैस अनुदान	8000.00
2	इंदिरा आवास कंटीन्जेसी	147277.00
3	राष्ट्रीय पेयजल का धन	40000.00
4	जे०ई० बीमारी जागरुकता का प्रचार	8000.00
5	आंगनवाड़ी कंन्द्र, नेवादा नरपति	373324.00
6	पंचायत निर्वाचन/क्षेत्र पंचायत	17599.00
7	पंचायत मतगणना	52000.00
	योग	646200.00

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा 646200.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती इ० रिचा सिंह, बृजेन्द्र कुमार तथा श्री एस० कृष्णा एवं सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार, समान रूप से उत्तरदाई हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित अधिकारी /कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।
(गम्भीर आपत्ति संख्या-4 2015.16)

क्षेत्र पंचायत – बेंहदर जनपद – हरदोई

प्रस्तर-103—क्षेत्र पंचायत बेंहदर, हरदोई की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में विभिन्न मदों के अर्न्तगत हुए निम्न व्ययों की पुष्टि प्रमाणकों के अभाव में एवं बैंक स्टेटमेंट तथा योजना पत्रावलियां अप्राप्त रहने के कारण नहीं की जाती है—

क्र०सं०	अनुदान का नाम	धनराशि (रु० में)
1	पिछड़ी जाति सर्वे	3000.00
2	इंदिरा आवास कंटीन्जेसी	67376.00
3	सामग्री आपूर्ति पर जमानत	34906.00
4	आंगनवाड़ी कंन्द्र, नेवादा नरपति	152631.00
5	पंचायत निर्वाचन/क्षेत्र पंचायत	19961.00
6	पंचायत मतगणना	28000.00
	योग	305874.00

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा रु० 305874.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती इ० रिचा सिंह तथा सहायक लेखाकार श्री सुशील कुमार, समान रूप से उत्तरदाई हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(गम्भीर आपत्ति संख्या-4.2016.17)

क्षेत्र पंचायत— हरपालपुर जनपद— हरदोई

प्रस्तर-104—आलोच्य वर्ष 2014-15 में कुल क्रय की गई निर्माण सामग्री की धनराशि रु 4732703/- पर 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती की धनराशि रु 189308/- की जानी चाहिए थी परन्तु लेखा परीक्षा में व्यापार कर की धनराशि 4 प्रतिशत की दर से कटौती किए जाने का कोई भी प्रमाण विवरण जमा कराए जाने की पुष्टि में निर्गत चेक/बैंक स्टेटमेंट/चालान एवं आई०टी०आर० की प्रति लेखा परीक्षा में सम्मुख नहीं रखी गई जिससे कि रु 189308 व्यापार कर की धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा करने की पुष्टि लेखा परीक्षा में न की जा सकी। इस प्रकार रु 189308/- व्यापार कर की कटौती न करके राजस्व की हानि हुई। जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत—हरपालपुर जनपद— हरदोई

प्रस्तर-105—आलोच्य वर्ष 2015-16 में कुल क्रय की गई निर्माण सामग्री की धनराशि रु 8374264/-पर 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती की धनराशि रु 334971 की जानी चाहिए थी। परन्तु लेखा परीक्षा में व्यापार कर की धनराशि 4 प्रतिशत की दर से कटौती किए जाने का कोई भी प्रमाण विवरण जमा कराए जाने की पुष्टि में निर्गत चेक/बैंक स्टेटमेंट/चालान एवं आई०टी०आर० की प्रति लेखा परीक्षा में सम्मुख नहीं रखी गई, जिससे कि रु 334971/- व्यापार कर की धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा करने

की पुष्टि लेखा परीक्षा में न की जा सकी। इस प्रकार रु 334971/- व्यापार कर की कटौती न करके राजस्व की हानि हुई। जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-हरपालपुर जनपद- हरदोई

प्रस्तर-106-आलोच्य वर्ष 2016-17 में कुल क्रय की गई निर्माण सामग्री की धनराशि रु 2572311/- पर 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती की धनराशि रु 102892 की जानी चाहिए थी परन्तु लेखा परीक्षा में व्यापार कर की धनराशि 4 प्रतिशत की दर से कटौती किए जाने का कोई भी प्रमाण विवरण जमा कराए जाने की पुष्टि में निर्गत चेक बैंक स्टेटमेंट चालान एवं आईटीआर की प्रति लेखा परीक्षा में सम्मुख नहीं रखी गई जिससे कि रु 102892/- व्यापार कर की धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा करने की पुष्टि लेखा परीक्षा में न की जा सकी। इस प्रकार रु 102892/- व्यापार कर की कटौती न करके राजस्व की हानि हुई। जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- हरपालपुर जनपद- हरदोई

प्रस्तर-107- वर्ष 2014-15 में अनुदान रजिस्टर 3 में फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी (इंदिरा आवास योजना) में रु० 67383 का व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त धनराशि इंदिरा आवास योजना की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी के मद में व्यय न कर अनुदान पंजिका 2 के अनुसार प्रासंगिक व्यय के मद में धनराशि व्यय कर दी गई। जिसकी पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। साथ ही एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए संबंधित लेखाकार सहायक लेखाकार श्री सुनील कुमार एवं तत्कालीन विकास खंड अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- हरपालपुर जनपद- हरदोई

प्रस्तर-108-आलोच्य वर्ष में मार्च 2014 15 में लेखा परीक्षा के दौरान जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत में सोलर लाइटक्रय पर कुल धनराशि रु० 871035.00 व्यय की गयी। क्षेत्र पंचायत द्वारा जिस फार्म को लाइट लगाने का ठेका दिया गया जोकि ग्रीन के नाम से दिल्ली की एक कंपनी है। पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि सोलर लाइट लगाने से संबंधित सभी औपचारिकताएं यथा टेंडर/कोटेशन, सोलर लाइट की क्वालिटी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध था परन्तु 14वें वित्त आयोग के शासनादेशों के क्रम में उपरोक्त सोलर लाइट को नेडा से लगाए जाने का आदेश है। अतः आदेशों की अवहेलना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इस संबंध में तत्कालीन विकास खंड अधिकारी से सुभाष चंद्र त्रिपाठी एवं सुश्री वंदना जौहरी तथा सहायक लेखाकार श्री सुनील कुमार समान रूप से उत्तरदाई हैं। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- हरपालपुर जनपद- हरदोई

प्रस्तर-109-आलोच्य वर्ष 2015-16 में लेखा परीक्षा की जांच में पाया गया कि ग्राम बर्ग में सी०सी०रोड से तालाब तक इंटरलॉकिंग कार्य की सामग्री के मद में वेद इंटरप्राइजेज को वाउचर संख्या 1411 दिनांक 08-03-16 द्वारा रु० 176407/- की धनराशि का भुगतान चेक संख्या 5675 दिनांक 08-03-16 द्वारा किया गया एवं खड़गपुर मार्ग से शिवपुरी तक ह्यूम पाईप पुलिया निर्माण हेतु सामग्री कीमत में रु० 389215/-का भुगतान गणपति ईट उद्योग को वाउचर संख्या 01 दिनांक 18-09-15 को चेक संख्या 5665, दिनांक 01-10-15 द्वारा देना दर्शित है परन्तु पत्रावली और अनुदान रजिस्टर की जांच में पाया गया कि उपरोक्त कुल धनराशि रुपए 565622/- सामग्री क्रय पर तो व्यय दर्शित है परन्तु श्रमांश पर किसी प्रकार का व्यय दर्शित नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य कराया ही नहीं गया, क्रय सामग्री का भी उपयोग नहीं किया गया जिससे कि व्यय की गई धनराशि 565622/- अपहरण की श्रेणी में आती है। इस सम्बन्ध में संबंधित खंड विकास अधिकारी सुश्री वंदना जौहरी एवं सहायक लेखाकार सुनील कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- हरपालपुर जनपद- हरदोई

प्रस्तर-110-वर्ष 2014-15 में पृष्ठ संख्या 16 से 19 तक क्रमांक 05 से 08 तक कराए गए कार्य कार्यों को मैसर्स बलराम सिंह यादव ठेकेदार राजकीय द्वारा कराया गया, जिसमें निम्न प्रकार की कमियां पाई गई-

1-ठेकेदार द्वारा जो भी प्रमाण पत्र यथा पहचान पत्र, पैन कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र, एवं ठेकेदारी की वैधता का प्रमाण पत्र एवं फोटो किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं कराए गये।

2-कार्यालय द्वारा भुगतान की गई उपरोक्त के कार्यों के अनुसार कुल धनराशि रु० 3026981 सामग्री पर एवं रु० 525698/- श्रमांश पर, धनराशि रु० 3552697/- का भुगतान में बलराम सिंह यादव ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्यों पर किया गया जिसमें रु० 3026981/- की धनराशि के बिल का भुगतान पक्के बिल न देकर मात्र ठेकेदार के सादे पैड पर कर दिया गया है। जो कि वित्तीय नियमों की एवं व्यापार कर नियमों की अवहेलना है। चूँकि जो भी कार्य राजकीय ठेकेदार/ठेकेदार से कराया जाता है उस बिल में बिल बुक /रसीद संख्या एवं वैट का नम्बर अंकित होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि का भुगतान वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त भुगतान की धनराशि रु० 3552679/- को संदिग्ध मानते हुए सम्बन्धित सहायक लेखाकार श्री सुनील कुमार कार्य प्रभारी श्री हिम्मत लाल (ग्रा०पं०अ०) एवं श्री सुभाष सिंह (ए०डी०ओ०एस०टी०) तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार एवं श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी समान रूप से उत्तदायी है। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- हरपालपुर जनपद- हरदोई

प्रस्तर-111-अनुराग ब्रिक फील्ड को दिनांक 08-04-2017 को चेक संख्या 001322 से रु० 315526/- का भुगतान किया गया। जिसमें रु० 2435/- का टी०डी०एस० कटौती नहीं करके अधिक भुगतान किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सुनील कुमार लेखाकारसे की जाये।

क्षेत्र पंचायत - हरियावाँ जनपद- हरदोई

प्रस्तर-112-क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में कराये गये निर्माण कार्य पर सामग्री अंश पर चेक संख्या 2923 दिनांक 02.04.2014 रु 371000.00 चेक संख्या 2931 दिनांक 22.05.2014 रु० 336783.00 से टी०डी०एस० रु० 14581.00 की कटौती नहीं की गयी। रु० 6792427.00 भुगतान की गयी सामग्री अंश पर वैट टैक्स रु० 271697.00 की कटौती नहीं की गयी। इस प्रकार कुल धनराशि रु० 286278.00 की टैक्स धनराशि की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। अतः उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रीराम, लेखाकार श्री राजाबक्श वर्मा से रु०-386278.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-7)

क्षेत्र पंचायत - हरियावाँ जनपद- हरदोई

प्रस्तर-113-क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में खडजा निर्माण कार्य पर राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त से रु० 1247610.00 व्यय किया गया है। बैंक खाते के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बिना कार्य के खाते से नकद/अन्तरण किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	सम्बन्धी पक्ष जिसके नाम चेक जारी हुआ
1	2922	03.04.2014	11172.00	कैश
2	2927	28.04.2014	234578.00	सी०डी०
3	2934	02.06.2014	10234.00	कैश
4	2932	03.06.2014	109843.00	सी०डी०
5	2939	28.08.2014	23035.00	हरदोई
6	2940	09.09.2014	192356.00	शुभम ब्रिक फील्ड
7	2942	01.10.2014	76203.00	हरदोई
8	2943	01.10.2014	75968.00	यू०पी०
9	2944	04.10.2014	4468.00	कैश
10	2947	29.10.2014	206144.00	शुभम ब्रिक फील्ड
11	2948	01.11.2014	15868.00	कैश
12	2949	11.11.2014	45000.00	हरदोई
13	2950	19.01.2015	100000.00	कैश
14	2952	31.01.2015	111000.00	सरोज
15	2954	02.02.2015	9375.00	सेल्फ
16	2960	02.03.2015	22366.00	कैश
योग			1247610.00	

इस प्रकार राज्य वित्त से रु० 1247610.00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष्य लेखा परीक्षा में सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में जारी अन्तरिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परिपालन नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि रु०1247610.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री उग्रसेन सिंह यादव, श्री श्रीराम, ब्लाक प्रमुख श्री सर्वेश लेखाकार श्री राजाबक्श वर्मा से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-8)

क्षेत्र पंचायत— हरियावाँ जनपद— हरदोई

प्रस्तर-114—क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि खड़जा निर्माण कार्यो पर बैंक खाते से व्यय किया गया है। बैंक खाते के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बिना कार्य के खाते से नकद/आहरण किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	सम्बन्धी पक्ष जिसके नाम चेक जारी हुआ
1	2967	06.04.2015	26076.00	कैश
2	2968	06.04.2015	61741.00	हरदोई
3	2969	11.04.2015	40824.00	यू०पी०
4	2973	06.05.2015	17438.00	कैश
5	3001	02.09.2015	2000.00	श्राम
6	3008	03.10.2015	15034.00	कैश
7	3010	09.10.2015	55267.00	मो०शफी
8	3013	05.11.2015	6625.00	सेल्फ
9	3009	07.11.2015	2000.00	श्राम
10	3015	30.03.2016	30874.00	कैश
योग			257879.00	

इस प्रकार राज्य वित्त से रु० 257879.00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष्य में लेखा परीक्षा में सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में जारी अन्तरिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परिपालन नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि रु० 257879.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री उग्रसेन सिंह यादव, ब्लाक प्रमुख श्री सर्वेश लेखाकार श्री राजाबक्श वर्मा से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-9)

क्षेत्र पंचायत — हरियावाँ जनपद— हरदोई

प्रस्तर-115—क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि खड़जा निर्माण कार्यो पर राज्य वित्तरु० 4497615.00 किया गया है। बैंक खाते के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बिना कार्य से खाते से नकद अन्तरण किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	सम्बन्धी पक्ष जिसके नाम चेक जारी हुआ
1	3020	04.05.2016	439040.00	में०शुभम् ब्रिक फील्ड
2	3018	04.05.2016	260337.00	में०शुभम् ब्रिक फील्ड
3	3019	04.05.2016	499480.00	में०शुभम् ब्रिक फील्ड
4	3017	06.05.2016	56202.00	दीक्षित ट्रेडिंग क०
5	2016	06.05.2016	33535.00	दीक्षित ट्रेडिंग क०
6	3022	13.05.2016	180995.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
7	3023	13.05.2016	56160.00	चन्द्रिका प्रसाद
8	3025	23.05.2016	117117.00	चन्द्रिका प्रसाद
9	3024	23.05.2016	152936.00	चन्द्रिका प्रसाद
10	1053	25.05.2016	375130.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
11	1051	25.05.2016	282240.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
12	1054	27.05.2016	29067.00	चन्द्रिका प्रसाद
13	1052	27.05.2016	19363.00	चन्द्रिका प्रसाद
14	1059	21.06.2016	38863.00	चन्द्रिका प्रसाद
15	1060	21.06.2016	47961.00	हरदोई
16	1061	12.08.2016	384087.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
17	1063	12.08.2016	85000.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
18	1064	12.08.2016	511440.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
19	1062	16.08.2016	35322.00	चन्द्रिका प्रसाद

20	1065	16.08.2016	55854.00	चन्द्रिका प्रसाद
21	1066	09.09.2016	60673.00	बैरियस ब्रान्च
22	1067	12.09.2016	108012.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
23	1071	20.09.2016	455940.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
24	1070	26.09.2016	164500.00	शुभम् ब्रिक फील्ड
25	1072	26.10.2016	48361.00	बैरियस ब्रान्च
		योग	4497615.00	

इस प्रकार राज्य वित्त से रु० 4497615.00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष में लेखा परीक्षा में सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में जारी अन्तरिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का पालन नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि रु० 4497615.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री उग्रसेन सिंह यादव, श्री श्रीराम, ब्लाक प्रमुख श्री सर्वेश लेखाकार श्री राजाबक्श वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-10)

क्षेत्र पंचायत –भरखनी जनपद– हरदोई

प्रस्तर-116—क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि खड़जा मिट्टी कार्य पर राज्य वित्त/तेरहवां वित्त बैंक खाते से 3002006.00 व्यय किया गया है। बैंक खाते के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बिना कार्य के खाते से नकद/आहरण किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	चेक संख्या	दिनांक	अन्तरिम धनराशि	नगद आहरित धनराशि	सम्बन्धित पक्ष जिसके नाम से जारी चेक संख्या
1	1932	28-05-2014	—	50000.00	कैश
2	1943	11-07-2014	96406.00	—	मे० सन्तोष कुमार सिंह
3	1952	01-08-2014	97350.00	—	मे० सन्तोष कुमार सिंह
4	1951	01-08-2014	98058.00	—	मे० सन्तोष कुमार सिंह
5	1957	26-08-2014	9203.00	—	टमर
6	1972	29-08-2014	29580.00	—	अजय कुमार
7	1973	29-08-2014	13520.00	—	अजय कुमार
8	1974	29-08-2014	75750.00	—	अजय कुमार
9	1977	29-08-2014	8750.00	—	अजय कुमार
10	1978	29-08-2014	63816.00	—	अजय कुमार
11	1979	29-08-2014	68814.00	—	अजय कुमार
12	1966	29-08-2014	62625.00	—	अजय कुमार
13	1967	29-08-2014	14750.00	—	अजय कुमार
14	1968	29-08-2014	7000.00	—	अजय कुमार
15	1969	29-08-2014	62500.00	—	अजय कुमार
16	1970	29-08-2014	53125.00	—	अजय कुमार
17	1971	29-08-2014	65250.00	—	अजय कुमार
18	1980	03-09-2014	9203.00	—	टमर
19	1976	15-09-2014	60200.00	—	भगवान
20	1991	24-09-2014	177000.00	—	सन्तोष कुमार सिंह
21	1994	24-09-2014	177000.00	—	सन्तोष कुमार सिंह
22	1997	24-09-2014	82600.00	—	सन्तोष कुमार सिंह
23	2000	21-10-2014	123368.00	—	अजय कुमार
24	2006	21-10-2014	206500.00	—	मे० सन्तोष कुमार सिंह
25	2007	21-10-2014	206500.00	—	मे० सन्तोष कुमार सिंह
26	2008	07-11-2014	65000.00	—	सफी सरवर अन्सारी
27	2012	22-11-2014	49644.00	—	अजय कुमार
28	2044	22-11-2014	188000.00	—	मे० सन्तोष कुमार सिंह
29	2045	12-12-2014	6000.00	—	मरियम
30	2049	02-02-2015	59068.00	—	ओम प्रकाश वर्मा
31	2050	02-02-2015	25030.00	—	ओम प्रकाश वर्मा
32	2055	02-02-2015	67860.00	—	ओम प्रकाश वर्मा
33	2051	02-02-2015	140420.00	—	मे० सन्तोष कुमार सिंह
34	2052	02-02-2015	100300.00	—	मे० सन्तोष कुमार सिंह

35	2054	02-02-2015	159300.00	—	मे० सन्तोष कुमार सिंह
36	2057	03-02-2015	178300.00	—	नीतू सिंह
37	2060	12-03-2015	16400.00	—	ओम प्रकाश वर्मा 754110110002737
38	2059	14-03-2015	22816.00	—	सन्तोष कुमार सिंह
39	5058	17-03-2015	5000.00	—	अवध
		योग	2952006.00	50000.00	3002006.00

इस प्रकार राज्यवित्त /तेरहवां वित्त से रु० 3002006.00 व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में जारी अन्तरिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परिपालन नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि धन का अपहरण कर लिया गया। अतः अपहरित धनराशि रु० 3002006.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री निवास मिश्रा एवं ब्लाक प्रमुख कु० नीतू सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-9)

क्षेत्र पंचायत —भरखनी जनपद— हरदोई

प्रस्तर-117—क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2014-15 में क्षेत्र पंचायत वी०आर०जी०एफ० निधि कीलेखा परीक्षा में पाया गया कि इस मद के बैंक खाते से आहरित एवं स्थानान्तरित की गयी है, जिसके सुसंगत अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसका विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	चेक संख्या	दिनांक	अन्तरिम धनराशि	नगद आहरित धनराशि	सम्बन्धित पक्ष जिसके नाम से जारी चेक संख्या
1	437555	30-05-2014	798269.00	—	सन्तोष कुमार सिंह
2	437556	13-06-2014	780153.00	—	सन्तोष कुमार सिंह
	437557	28-06-2014	742112.00	—	सन्तोष कुमार सिंह
	437558	09-07-2014	156778.00	—	सन्तोष कुमार सिंह
		योग	2477312.00	—	

इस प्रकार क्षेत्र पंचायत वी०आर०जी०एफ० निधि से रु० 2477312.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में जारी अन्तरिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परिपालन नहीं किया गया इससे परिलक्षित होता है कि दर्शाये गये व्ययों के सापेक्ष न तो कोई पत्रावली तैयार की गई है, न ही शासनादेशों एवं विभागीय परिपत्रों का पालन करके मनमाने ढंग से राजकीय धन का अपहरण किया गया। अतः अपहरित धनराशि रु० 2477312.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री निवास मिश्रा एवं ब्लाक प्रमुख कु० नीतू सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-10)

क्षेत्र पंचायत —भरखनी जनपद— हरदोई

प्रस्तर-118—क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि खड़जा मिट्टी कार्य पर राज्य वित्त/तेरहवां वित्तबैंक खाते से 5071248.00 व्यय किया गया है। बैंक खाते के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बिना कार्य के खाते से नकद/आहरण किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	चेक संख्या	दिनांक	अन्तरिम धनराशि	नगद आहरित धनराशि	सम्बन्धित पक्ष जिसके नाम से जारी चेक संख्या
1	2021	18-04-2015	256766.00	—	अजय कुमार
2	2016	18-04-2015	21000.00	—	नीतू सिंह
3	2022	18-04-2015	8260.00	—	मे० सन्तोष कुमार सिंह
4	2025	20-04-2015	101062.00	—	ओम प्रकाश वर्मा
5	2023	20-04-2015	155664.00	—	ओम प्रकाश वर्मा
6	2019	20-04-2015	148530.00	—	ओम प्रकाश वर्मा
7	2017	15-05-2015	5000.00	—	मरियम
8	2027	30-05-2015	65000.00	—	सफी सरवर अन्सारी
9	2029	19-06-2015	189845.00	—	मे० सन्तोष कुमार सिंह
10	2028	19-06-2015	340590.00	—	मे० सन्तोष कुमार सिंह
11	2033	23-06-2015	65220.00	—	अजय कुमार
12	2032	23-06-2015	127400.00	—	अजय कुमार
13	2037	30-06-2015	206500.00	—	भगवान ब्रिक फिल्ड
14	2036	30-06-2015	265500.00	—	भगवान ब्रिक फिल्ड
15	2035	30-06-2015	33597.00	—	सन्तोष कुमार सिंह

16	2034	30-06-2015	67194.00	—	सन्तोष कुमार सिंह
17	2031	02-07-2015	20000.00	—	अवध की आवाज
18	2038	16-07-2015	215345.00	—	मे० सन्तोष कुमार सिंह
19	2039	20-07-2015	49843.00	—	टू-टीआर
20	2067	25-07-2015	72128.00	—	अजय कुमार
21	2068	25-07-2015	88635.00	—	अजय कुमार
22	2066	25-07-2015	206500.00	—	भगवान ब्रिक फिल्ड
23	2040	25-07-2015	118000.00	—	भगवान ब्रिक फिल्ड
24	2074	20-10-2015	166170.00	—	अजय कुमार
25	2070	20-10-2015	165200.00	—	सन्तोष कुमार सिंह
26	2071	20-10-2015	5635.00	—	सन्तोष कुमार सिंह
27	2073	23-10-2015	133902.00	—	ओम प्रकाश
28	2093	20-11-2015	24964.00	—	अजय कुमार
29	2091	20-11-2015	25461.00	—	अजय कुमार
30	2095	20-11-2015	10968.00	—	अजय कुमार
31	2092	20-11-2015	86700.00	—	सन्तोष कुमार सिंह
32	2094	20-11-2015	45410.00	—	सन्तोष कुमार सिंह
33	2069	16-01-2016	8590.00	—	विज्ञापन
34	2097	25-01-2016	280009.00	—	अजय कुमार
35	2096	25-01-2016	94272.00	—	सन्तोष कुमार सिंह
36	2098	08-03-2016	77000.00	—	कु० नीतू सिंह
37	2099	17-03-2016	168000.00	—	सन्तोष कुमार सिंह
38	2100	17-03-2016	192000.00	—	सन्तोष कुमार सिंह
39	2107	17-03-2016	100000.00	—	सफी सरवर अन्सारी
40	2109	17-03-2016	22440.00	—	सेल्फ
41	2110	17-03-2016	40960.00	—	सेल्फ
42	2108	21-03-2016	120000.00	—	मे० सन्तोष कुमार सिंह
43	2106	21-03-2016	168530.00	—	अजय कुमार
44	2105	21-03-2016	150204.00	—	अजय कुमार
45	2111	29-03-2016	150000.00	—	मे० सन्तोष कुमार सिंह
46	2112	29-03-2016	112312.00	—	सेल्फ
47	2114	29-03-2016	131022.00	—	अजय कुमार
48	2115	29-03-2016	15920.00	—	सफी सरवर अन्सारी
		योग	5323248.00		

इस प्रकार राज्यवित्त/तेरहवां वित्त से रु० 5323248.00 व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में जारी अन्तरिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परिपालन नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि धन का अपहरण कर लिया गया। अतः अपहरित धनराशि रु० 5323248.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती नीरज कुमारी से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-11)

क्षेत्र पंचायत—भरखनी जनपद— हरदोई

प्रस्तर-119—क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि खड़जा मिट्टी कार्य पर राज्य वित्त/तेरहवां वित्तबैंक खाते से 2036078.00 व्यय किया गया है। बैंक खाते के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बिना कार्य के खाते से नकद/आहरण किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	चेक संख्या	दिनांक	अन्तरिम धनराशि	नगद आहरित धनराशि	सम्बन्धित पक्ष जिसके नाम से जारी चेक संख्या
1	2119	19-07-2016	32400.00	—	सफी सरवर अन्सारी
2	2129	28-07-2016	96000.00	—	सेल्फ
3	2120	04-08-2016	93148.00	—	अजय कुमार
4	2128	05-08-2016	31348.00	—	सफी सरवर अन्सारी
5	5177	26-09-2016	70992.00	—	अजय कुमार
6	5180	26-09-2016	18560.00	—	अजय कुमार
7	5182	26-09-2016	11454.00	—	सफी सरवर अन्सारी

8	5183	04-10-2016	24267.00	—	नीरज कुमारी
9	5186	14-10-2016	15313.00	—	सफी सरवर अन्सारी
10	5184	14-10-2016	138750.00	—	मे0 सन्तोष कुमार सिंह
11	5185	14-10-2016	90937.00	—	मे0 सन्तोष कुमार सिंह
12	5188	04-11-2016	720241.00	—	मे0 सन्तोष कुमार सिंह
13	5189	04-11-2016	113219.00	—	सफी सरवर अन्सारी
14	5193	04-11-2016	209272.00	—	मे0 सन्तोष कुमार सिंह
15	5191	05-11-2016	29290.00	—	सफी सरवर अन्सारी
16	5195	09-12-2016	85000.00	—	सफी सरवर अन्सारी
17	5196	13-01-2017	239890.00	—	मे0 सन्तोष कुमार सिंह
18	5198	03-03-2017	15997.00	—	742510110001845
		योग	2036078.00		

इस प्रकार राज्यवित्त/तेरहवां वित्त से रु० 2036078.00 व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में जारी अन्तरिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परिपालन नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि धन का अपहरण कर लिया गया। अतः अपहरित धनराशि रु० 2036078.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती प्रवीणा शुक्ला, विद्याशंकर कटियार एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती नीरज कुमारी से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-12)

क्षेत्र पंचायत -भरखनी जनपद- हरदोई

प्रस्तर-120- क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा वर्षों में आय का वैट टैक्स की नियमानुसार कटौती नहीं की गयी है। जिसका विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	वर्ष	कटौती नहीं की गयी		कटौती की गयी		कुलकर		जमाकर		शेष	
		टी०डी० एस०	वैट टैक्स	टी०डी० एस०	वैट टैक्स	टी०डी० एस०	वैट टैक्स	टी०डी० एस०	वैट टैक्स	टी०डी० एस०	वैट टैक्स
1	2014-15	124014	240805	—	—	124014	240805	—	—	124014	240805
2	2015-16	1945	3776	13651	17101	15596	20877	—	—	15596	20877
3	2016-17	—	—	27072	48130	27072	48130	—	40768	27072	7362
		125959	244581	40723	65231	166682	309812	—	40768	166682	269044

इस प्रकार वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 लेखा परीक्षा अनुसार एवं कटौती से प्राप्त आयकर रु० 166682-00 वैट टैक्स से रु० 309812-00 रही जिसके सापेक्ष मात्र वैट टैक्स की मद में रु० 40768-00 जमा किया गया। दिनांक 31-03-2017 को आयकर की मद में रु० 166682-00 एवं वैट टैक्स की मद में रु० 269044-00 कुल रु० 435726-00 रही। अतः रु० 435726-00 आयकर अधिनियम एवं वैट अधिनियम के अनुसार ब्याज के साथ उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री निवास मिश्रा, श्री राजेश कुमार, श्री प्रवीण शुक्ला, श्री विद्याशंकर शुक्ला एवं श्री सफी सरवर अन्सारी लेखाकार व श्री रुद्र प्रताप सिंह लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-13)

क्षेत्र पंचायत -बिलग्राम जनपद - हरदोई

प्रस्तर-121-आलोच्य वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय कुल देय धनराशि से रु० 233402.00/- टी०डी०एस० की कटौती की गई, परन्तु काटे गये टी०डी०एस० की धनराशि की आयकर विभाग की जमा की पुष्टि में कोई भी चेक/कोषागार चालान प्रमाणक के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। जमा न होने के कारण राजस्व की हानि की सम्भावना प्रतीत होती है। टी०डी०एस० जमा की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली कर टी०डी०एस० की धनराशि राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

क्षेत्र पंचायत – बिलग्राम जनपद – हरदोई

प्रस्तर-122—आलोच्य वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय कुल देय धनराशि से रु० 103466.00/- टी०डी०एस० की कटौती की गई, जिसका विवरण संलग्न तालिका में अंकित है, परन्तु काटे गये टी०डी०एस० धनराशि की आयकर विभाग में जमा की पुष्टि में कोई भी चेक/बैंक विवरण/कोषागार चालान प्रमाणक के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। जमा की पुष्टि न होने के कारण राजस्व की हानि की सम्भावना प्रतीत होती है। टी०डी०एस० जमा की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली कर टी०डी०एस० की धनराशि राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-21)

क्षेत्र पंचायत –बिलग्राम जनपद – हरदोई

प्रस्तर-123—आलोच्य वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय कुल देय धनराशि से रु० 97986.00/- टी०डी०एस० की कटौती की गई, जिसका विवरण संलग्न तालिका में अंकित है, परन्तु काटे गये टी०डी०एस० की धनराशि की आयकर विभाग की जमा की पुष्टि में कोई भी चेक/बैंक विवरण/कोषागार चालान प्रमाणक के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। जमा की पुष्टि न होने के कारण राजस्व की हानि की सम्भावना प्रतीत होती है। टी०डी०एस० जमा की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली कर टी०डी०एस० की धनराशि राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-28)

क्षेत्र पंचायत – बिलग्राम जनपद – हरदोई

प्रस्तर-124—आलोच्य वर्ष 2013-14 में लेखा परीक्षा में 27 निर्माण कार्यों की पत्रावलियों के जांच के दौरान पाया गया कि निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु जो टेण्डर आमन्त्रित किया गये थे, उसमें 53 ग 8 त्र 159 निविदायें प्राप्त हुई थी परन्तु निविदा आवेदन हेतु राजकीय लेखा नियमों के अर्न्तगत प्रत्येक निविदाकर्ता द्वारा टेण्डर फार्म रु० 500.00 प्रति की दर से फर्मा द्वारा जमा कराया जाना अनिवार्य था। जिसकी कुल धनराशि की दर से फर्मा द्वारा जमा कराया जाना अनिवार्य था। जिसकी कुल धनराशि 500.00 ग 159.00 त्र 79500.00 होती है। इस प्रकार वर्ष 2013-14 में रु० 79500.00 की आय क्षेत्र पंचायत में नहीं दर्शायी गयी। इस प्रकार परोक्ष रूप से सम्बन्धित पटल प्रभारी/अधिकारी टेण्डर मूल्य की धनराशि रु० 79500.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-14)

क्षेत्र पंचायत-बिलग्राम जनपद- हरदोई

प्रस्तर-125—आलोच्य वर्ष 2014-15 में लेखा परीक्षा में 8 निर्माण कार्यों की पत्रावलियों के जांच के दौरान पाया गया कि निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु जो टेण्डर आमन्त्रित किया गये थे, उसमें $17 \times 3 = 51$ निविदायें प्राप्त हुई थी परन्तु निविदा आवेदन हेतु राजकीय लेखा नियमों के अर्न्तगत प्रत्येक निविदाकर्ता द्वारा टेण्डर फार्म रु० 500.00 प्रति की दर से फर्मा द्वारा जमा कराया जाना अनिवार्य था। जिसकी कुल धनराशि $500.00 \times 51.00 = 25500.00$ होती है। इस प्रकार वर्ष 2013-14 में रु० 25500.00 की आय क्षेत्र पंचायत में नहीं दर्शायी गयी। इस प्रकार परोक्ष रूप से सम्बन्धित पटल प्रभारी/अधिकारी द्वारा टेण्डर मूल्य की धनराशि रु० 25500.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-23)

क्षेत्र पंचायत –बिलग्राम जनपद – हरदोई

प्रस्तर-126—आलोच्य वर्ष 2016-17 में लेखा परीक्षा में 7 निर्माण कार्यों की पत्रावलियों के जांच के दौरान पाया गया कि निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु जो टेण्डर आमन्त्रित किया गये थे, उसमें $10 \times 3 = 30$ निविदायें प्राप्त हुई थी परन्तु निविदा आवेदन हेतु राजकीय लेखा नियमों के अर्न्तगत प्रत्येक निविदाकर्ता द्वारा टेण्डर फार्म रु० 500.00 प्रति की दर से फर्मा द्वारा जमा कराया जाना अनिवार्य था। जिसकी कुल धनराशि $500.00 \times 30.00 = 15000.00$ होती है। इस प्रकार वर्ष 2016-17 में रु० 15000.00 की आय क्षेत्र पंचायत में नहीं दर्शायी गयी। इस प्रकार परोक्ष रूप से सम्बन्धित पटल प्रभारी/अधिकारी द्वारा टेण्डर मूल्य की धनराशि रु० 15000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-29)

क्षेत्र पंचायत – बिलग्राम जनपद – हरदोई

प्रस्तर-127—आलोच्य वर्ष 2013-14 में कुल क्रय की गई निर्माण सामग्री रु० 10366523.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वैट कटौती रु० 414661.00 की जानी चाहिये थी, परन्तु लेखा परीक्षा में वैट की धनराशि काटे जाने के सम्बन्ध में कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही वैट धनराशि राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने की पुष्टि में निर्गत चेक/बैंक स्टेटमेंट/चालान एवं दाखिल रिटर्न लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया गया। जिससे रु० 414661.00 वैट धनराशि की राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने की पुष्टि लेखा परीक्षा में न की जा सकी। रु० 414661.00 वैट की कटौती न करके राजस्व की हानि की गयी जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से कराते हुये राजकीय कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-13)

क्षेत्र पंचायत – बिलग्राम जनपद – हरदोई

प्रस्तर-128—आलोच्य वर्ष 2014-15 में कुल क्रय की गई निर्माण सामग्री रु० 4558838.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वैट कटौती रु० 182353.00 की जानी चाहिये थी, परन्तु लेखा परीक्षा में वैट की धनराशि काटे जाने के सम्बन्ध में कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही वैट की धनराशि राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने की पुष्टि में निर्गत चेक/बैंक स्टेटमेंट/चालान एवं दाखिल रिटर्न लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया गया। जिससे रु० 182353.00 वैट की धनराशि की राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने की पुष्टि लेखा परीक्षा में न की जा सकी। रु० 182353.00 वैट की कटौती न करके राजस्व की हानि की गयी जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से कराते हुये राजकीय कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-22)

क्षेत्र पंचायत – बिलग्राम जनपद – हरदोई

प्रस्तर-129—आलोच्य वर्ष 2013-14 में दिनांक 18.05.2013 को चेक संख्या 146462 बी०आर०जी०एफ० मद के खाते से रु० 20 लाख की धनराशि मुख्य विकास अधिकारी महोदय हरदोई के दूरभाष पर दिये गये निर्देश के क्रम में वापस कर दी गयी जो कि अपर मुख्य विकास अधिकारी (जिला पंचायत) के बैठक कक्ष निर्माण हेतु आवंटित थी। दिनांक 31.03.2012 के पूर्व से बी०आर०जी०एफ० के खाते में अवशेष चली आ रही थी। बैठक कक्ष का निर्माण न होने से लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। साथ ही रु० 20 लाख की धनराशि को वापस मंगाये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय से लिखित आदेश प्राप्त करने के पश्चात ही धनराशि को वापस किया जाना चाहिए था। धनराशि वापस करने का कोई भी कार्यादेश एवं सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। साथ ही इतनी अधिक धनराशि लम्बी अवधि तक शासन द्वारा जिस कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी थी, लम्बे समय तक बैंक खाते में निष्प्रयोज्य पड़ी रही। जिसका औचित्य भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः इस धनराशि को किस मद में वापस किया गया, बैंक खतों में भी स्पष्ट अंकित नहीं है। अन्यथा की स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-16)

क्षेत्र पंचायत – बिलग्राम जनपद – हरदोई

प्रस्तर-130—आलोच्य वर्ष 2013-14 लेखा परीक्षा में पाया गया कि बी०आर०जी०एफ० योजना के खाते से दिनांक 01.08.2013 को चेक संख्या 146464 द्वारा रु० 1015000.00 की धनराशि राज्यवित्त के मध्य में स्थानान्तरित कर दी गयी, जबकि शासन के वित्तीय नियमों के अर्न्तगत जिस मद हेतु धनराशि आवंटित है उसी मद में उपभोग न होने की दशा में शासन को वापस किया जाना चाहिए। शासकीय नियमों के अर्न्तत किसी एक मद से दूसरे मद में स्थानान्तरित करने का नियम नहीं है। स्थानान्तरित की गयी धनराशि का औचित्य एवं तत्सम्बन्धी स्थानान्तरित करने हेतु आदेश भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा है। जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। औचित्य एवं स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि का प्रमाण लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु अनिवार्य है। अतः ऐसी स्थिति में रु० 1015000.00 की वित्तीय अनियमितता के लिये तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी समान रूप से उत्तरदायी है। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-18)

क्षेत्र पंचायत – बिलग्राम जनपद – हरदोई

प्रस्तर-131—अनुदान रजिस्टर-03 के सम्परीक्षण के दौरान अप्रैल 2013 को ब्याज मद में प्रारंभिक अवशेष रुपए 867035.00 पाया गया। वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 में विभिन्न मदों पर ब्याज की आय के पश्चात वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिनांक 31.03.2017 को ब्याज की अवशेष धनराशि रु० 1854582.00 दर्शित रही जबकि शासन के नियमों के अंतर्गत ब्याज की धनराशि कोषागार में वापस किया जाना

अनिवार्य है। ब्याज की धनराशि को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात शासन को वापस न किया जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है जिसके लिए संबंधित लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदाई हैं। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सांआंसं-18)

क्षेत्र पंचायत – बिलग्राम जनपद – हरदोई

प्रस्तर-132- अप्राप्त कार्य की पत्रावलियों के विवरण पत्र के अनुसार वर्ष 2013-14 में रु० 2630240.00 एवं श्रमांश पर रु० 939679.00(कुल धनराशि 3569919.00) व्यय की गई दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में कोई भी विवरण यथा पत्रावली, प्रमाणक, मस्टरोल, कार्ययोजना, कार्यदेश लेखा परीक्षा में पूर्ण रूप से अप्राप्त रहा है। इस क्रम में लेखा परीक्षा दल द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त पत्रावलियों की मांग पत्रांक-05 दिनांक 13.06.2018 द्वारा तत्कालीन लेखाकार श्री सत्येंद्र कुमार वर्मा से की गयी थी, परंतु उनके द्वारा कोई भी पत्रावली उपरोक्त के अनुसार उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जोकि लेखा परीक्षा की दृष्टि से लेखा नियमों का उल्लंघन है। इस प्रकार व्यय प्रमाणकों/साक्ष्यों के अभाव में उपरोक्त व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित धनराशि रु० 2630240.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रुद्र प्रताप सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है एवं श्रमांश पर व्यय दर्शित कुल धनराशि रु० 939679.00 में से रु० 543459.00 की धनराशि श्री नीलेश कुमार सहायक विकास अधिकारी (एस०टी०)(कार्य प्रभारी) एवं शेष धनराशि रु० 396220.00 श्री संतराम शर्मा, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)(कार्य प्रभारी) से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (सांआंसं-15)

क्षेत्र पंचायत – बिलग्राम जनपद- हरदोई

प्रस्तर-133-अप्राप्त कार्य की पत्रावलियों का विवरण 2014-15-

कार्य का विवरण	सामग्री का विवरण				श्रमांश का विवरण			
	धनराशि	चेक सं०	दिनांक	प्राप्तकर्ता	धनराशि	चेक सं०	दिनांक	प्राप्तकर्ता
साण्डी सेमरा मार्ग से भीखपुर तक इण्टरलाकिंग	9192.00 103632.00 357447.00	156657 156658 156659	07.04.15 07.04.15 07.04.15	जय मां दुर्गा बिल्डिंग मैटे0 जे0 पी0 ब्रिक फील्ड अनुपम पाइप प्लान्ट एण्ड सप्लायर्स	205380.00	156656	07.04.15	श्री सन्तराम शर्मा
योग	470271.00				205380.00			

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2014-15 में सामग्री की धनराशि रु० 470271.00 एवं श्रमांश की धनराशि रु० 205380.00 के व्यय से संबंधित प्रमाणक एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जो कि लेखा नियमों की दृष्टि से अपहरण की श्रेणी में आता है। इस क्रम में लेखा परीक्षा दल द्वारा पत्रांक-05 दिनांक 13.06.2018 द्वारा उपरोक्त पत्रावली की मांग की गई थी जो अप्राप्त रही। ऐसी परिस्थिति में सामग्री पर व्यय दर्शित धनराशि रु० 470271.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी डॉ संजय कुमार (जि०प्र०अ०) एवं लेखाकार श्री देवेंद्र पाल से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। और श्रमांश पर व्यय दर्शित धनराशि रु० 205380.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री संतराम शर्मा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से की जानी अपेक्षित है। (सांआंसं-24)

क्षेत्र पंचायत – बिलग्राम जनपद – हरदोई

प्रस्तर-134-अप्राप्त कार्य की पत्रावलियों का विवरण 2015-16-

कार्य का विवरण	सामग्री का विवरण				श्रमांश का विवरण			
	धनराशि	चेक सं०	दिनांक	प्राप्तकर्ता	धनराशि	चेक सं०	दिनांक	प्राप्तकर्ता
लालपुर कन्हरी में आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग	48960.00 43510.00 324950.00	861904 861905 861906	16.04.16 16.04.16 16.04.16	सारिका ब्रिक फील्ड जय मां दुर्गा बिल्डिंग मै0 अनुपम पाइप प्लान्ट एण्ड सप्लायर्स	—	—	—	—
योग	417420.00							

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2015-16 में सामग्री की धनराशि रु० 417420.00 के व्यय से संबंधित प्रमाणक एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि लेखा नियमों की दृष्टि से अपहरण की श्रेणी में आता है। इस क्रम में लेखा परीक्षा दल द्वारा पत्रांक-05 दिनांक 13.06.2018 द्वारा उपरोक्त पत्रावली की मांग की गई थी। ऐसी स्थिति में उपरोक्त कार्य पर व्यय की गई धनराशि रु० 417420.00 की पुष्टि साक्ष्यों के अभाव में लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती प्रवीणा शुक्ला एवं सहायक लेखाकार/लेखाकार श्री देवेन्द्र पाल से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। चूँकि व्यय के साक्ष्य न प्रस्तुत किए जाने की दशा में रु० 417420.00 की धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है।

(सा०आ०सं०-26)

क्षेत्र पंचायत – बिलग्राम जनपद – हरदोई

प्रस्तर-135—आलोच्य वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित व्यय की गई धनराशियों का विवरण एवम् पत्रावली/प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जिसकी सूचना तालिका निम्नवत् है—

व्यय मद का विवरण अनुदान पंजिका 2 के अनुसार	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि (रु० में)	चेक सं०/ दिनांक	टिप्पणी
रिसोर्स सेन्टर हेतु भुगतान	श्री रवीन्द्र कुमार गुजराती	33845.00	251306 / 10.07.13	व्यय प्रमाणक एवम् विवरण अप्राप्त
रिसोर्स सेन्टर हेतु इनवर्टर	श्री किशोरी इले० हरदोई	38700.00	251321 / 19.10.13	व्यय प्रमाणक एवम् पत्रावली अप्राप्त
रिसोर्स सेन्टर हेतु इन्टरनेट भुगतान	श्रीरुद्र प्रताप सिंह	15383.00	251322 / 19.10.13	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
प्लास्टिक कुर्सी क्रय	दयाल फर्नीचर	65000.00	914504 / 11.02.14	व्यय प्रमाणक एवम् पत्रावली अप्राप्त
अज्ञात	दुल्ली बाबू एण्ड सन्स	31620.00	914505 / 11.02.14	क्रय सामग्री का विवरण एवम् पत्रावली अप्राप्त
	योग	184548.00		

अनुदान पंजिका-02 की जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2013-14 में उपरोक्त तालिका के अनुसार रु० 184548.00 के व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, साथ ही उपरोक्त धनराशि बैंक से भी आहरित दर्शित है। इस संबंध में लेखा परीक्षा दल द्वारा पत्रांक-05 दिनांक 13.06.2018 द्वारा उपरोक्त व्यय की पत्रावलियों/प्रमाणकों की मांग की गई थी, जो अप्राप्त रही। इस प्रकार लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि में साक्ष्यों का प्रस्तुत न किया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः रु० 184548.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रुद्र प्रताप सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-19)

क्षेत्र पंचायत – बिलग्राम जनपद – हरदोई

प्रस्तर-136—आलोच्य वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित व्यय की गयी धनराशियों का विवरण एवम् पत्रावलियों प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जिसकी सूचना तालिकानुसार निम्नवत् है—

क्र०सं०	व्यय मद का विवरण अनुदान पंजिका 2 के अनुसार	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि(रु० में)	चेक सं०/ दिनांक	टिप्पणी
1	रिसोर्स सेन्टर को भुगतान	श्री देवेन्द्र पाल	3476.00	861965 / 30.09.14	व्यय प्रमाणक एवम् प्रमाणक अप्राप्त
2	इकवा गार्ड क्रय भुगतान	यूरो लाइफ इन्टरप्राइजेज लखनऊ	14000.00	861983 / 13.11.14	व्यय प्रमाणक एवम् पत्रावली अप्राप्त
3	रिसोर्स सेन्टर को भुगतान	श्री देवेन्द्र पाल	11527.00	861984 / 31.12.14	व्यय प्रमाणक एवम् प्रमाणक अप्राप्त
4	रिसोर्स सेन्टर भुगतान	श्री देवेन्द्र पाल	3569.00	156647 / 02.03.15	व्यय प्रमाणक एवम् प्रमाणक अप्राप्त
5	कूलर क्रय	किशोरी इलेक्ट्रानिक्स हरदोई	38500.00	861931 / 11.06.14	व्यय प्रमाणक एवम् पत्रावली अप्राप्त
6	रिसोर्स सेन्टर भुगतान	श्रीरुद्र प्रताप सिंह	11989.00	861933 / 11.06.14	व्यय का विवरण एवम्

योग		83061.00	प्रमाणक अप्राप्त

अनुदान पंजिका-2 की जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2014-15 में उपरोक्त तालिका के अनुसार रु० 83061.00 के व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। चूँकि उपरोक्त धनराशि बैंक से भी आहरित दर्शित है, ऐसी स्थिति में रु० 83061.00 का सीधे तौर पर अपहरण कर लिया गया है। उपरोक्त क्रमांक 1 से 4 तक व्यय दर्शित धनराशि रु० 32572.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री देवेन्द्र पाल से समान रूप से की जानी अपेक्षित है एवं क्रमांक-05 से 06 तक दर्शित व्यय धनराशि रु०-50489.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रुद्र प्रताप सिंह से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-25)

क्षेत्र पंचायत – बिलग्राम जनपद – हरदोई

प्रस्तर-137—बी०आर०जी०एफ० योजना के मद में दिनांक 31.03.2017 तक रु० 284531.00 की धनराशि अवशेष दर्शित है। जो कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से अवशेष चली आ रही थी, जबकि शासनादेश के अंतर्गत तत्सम्बन्धी धनराशि वित्तीय वर्ष में उपभोग न होने की स्थिति में समयांतर्गत शासन को वापस किया जाना चाहिए था। उपरोक्त धनराशि को समय में उपभोग न किया जाना संबंधित कर्मचारी/अधिकारी का कार्य के प्रति उदासीन रहने का द्योतक है। इसी प्रकार सांसद निधि खाते में दिनांक 27.07.2015 से रु० 4691.00 दर्शित था, जिसकी यथावत स्थिति दिनांक 31.03.2017 तक बनी रही। सांसद निधि की अवशेष धनराशि रु० 4691.00 समय से शासन को वापस ना किया जाना लापरवाही का द्योतक है। जिसके लिये संबंधित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-17)

प्रारूप-3

क्षेत्र पंचायत— मोहनलालगंज

जनपद—लखनऊ

वर्ष—2017-18

प्रस्तर-1 वर्ष 2017-18 में विकास खण्ड कार्यालय में ब्लॉक परिसर में वर्कसेड में सी०सी० फर्श निर्माण के कार्य पर रु० 182256.00 का भुगतान मेसर्स शिवम् इण्टरप्राइजेज को चेक सं०-040143 दिनांक 06/07/2017 द्वारा अनुदान पंजिका में भुगतान किया जाना दर्शित है। उक्त कार्य राज्य वित्त आयोग द्वारा विकास कार्य हेतु आवंटित की जाने वाली धनराशि से भुगतान कराया गया है, जबकि शासनादेश सं० 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान से क्षेत्र के लिए अनुमन्य विकासात्मक कार्य ही कराये जा सकते हैं, प्रशासनिक मदों से ही कार्यालय निर्माण कराया जाना चाहिए था, फिर कार्य विशेष के लिए प्राप्त विशिष्ट अनुदान से क्यों? जो कि गम्भीर अनियमितता है जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख एवं लेखाकार द्वारा अनियमितता बरती गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2012 को जारी शासनादेश संख्या ए-1-22/दस-2012-10(33)/2010 के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया हो तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज की आय को राजकोष में जमा कर दिया जाए। क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 497722.50 ब्याज अर्जित किया है। राजकोष में जमा नहीं किया गया। यह एक वित्तीय अनियमितता है जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अनियमितता बरती गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत— बख्शी का तालाब

जनपद—लखनऊ

वर्ष—2017-18

प्रस्तर-3 क्षेत्र पंचायत बी०के०टी० का वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ वित्त आयोग की अनुशंसा से संक्रमित धनराशि के उपयोग से निम्न विवरणानुसार कार्य किया गया जिसके सापेक्ष कुल रु० 4943048.00 का भुगतान किया गया।

क्र०सं०	कार्य	आच्छादित ग्राम पंचायत	धनराशि
1	शिवपुरी में मंहगीलाल के खेत से महावीर के घर तक खड़जा निर्माण	शिवपुरी	932560.00
2	परसऊ में पहाड़पुर बेहटा डामरोड से आयुश के घर तक सीसी रोड	परसऊ	475028.00

3	कुम्हरावा कुशी रोड से रमपुरवा तक सीसी रोड	कुम्हरावा	866979.00
4	लुधौली में भगौतापुर रोड जमखनवा रोड तकसीसी रोड	लुधौली	538940.00
5	अस्ती रोड से नन्दनी गौशाला तक खड़जा निर्माण	मानपुर लाला	380431.00
6	लुधौली में भगौतापुर मार्ग से बगहा तक नाली निर्माण	लुधौली	122177.00
7	अमीनीगंज मार्ग से अरम्बा रोड तक खड़न्जा	अरम्बा	1070289.00
8	नगवामऊ में असगर के घर से कब्रिस्तान तक खड़न्जा	नगवामऊ	556644.00
	योग		4943048.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि सभी कार्य से मात्र एक-एक गांव आच्छादित हो रहे हैं, जबकि चतुर्थ वित्त आयोग के उपयोग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1839/33.03.2015-03/2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जायेगा। अतः रु0 4943048 से सापेक्ष किया गया निर्माण कार्य उक्त शासनादेश (मार्ग दर्शन सिद्धान्त) से स्पष्ट विचलन है, इस प्रकार उक्त व्यय में गम्भीर अनियमितता बरती गई है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, श्री राजीव गुप्ता एवं ब्लाक प्रमुख श्री मोहित सिंह जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत— काकोरी जनपद—लखनऊ वर्ष—2017—18

प्रस्तर—4 वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत सरोसा भरोसा में नाला निर्माण कार्य पर रुपया 3,07,199.00 का भुगतान चेक संख्या 115128 दिनांक 24.04.2017 द्वारा सूरज कॉन्स्ट्रक्शन कम्पनी को किया जाना अनुदान रजिस्टर में दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य कराये जाने से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। फलस्वरूप सक्षम स्तर से कराये जाने हेतु प्राप्त अनुमोदन/अनुमानित लागत एवं उक्त पर हुये कुल व्यय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं रहा तथा उक्त कार्य पर किये गये समस्त व्यय/भुगतान पूर्णतः संदिग्ध रहा। जिस हेतु तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

प्रस्तर—5 वर्ष 2017-18 में विकास खण्ड कार्यालय काकोरी में अभिलेखागार कक्ष के निर्माण पर व्यय रु0 3,18,582.00 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि से किया गया है। उक्त प्राप्त अनुदान से क्षेत्र के विकास सम्बन्धी कार्य न कराकर, प्रशासनिक मद में किया गया व्यय, अनियमित रहा। उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली यथा-वार्षिक कार्ययोजना, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, रनिंग भुगतान बिल, माप पुस्तिका आदि जांच हेतु अनुपलब्ध रही, जबकि निर्माण कार्य कराए जाने हेतु सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन/अनुमानित लागत आदि की स्थिति की अज्ञात रही। अतः उक्त व्यय/भुगतान लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से पूर्णतः संदिग्ध रहा, जिस हेतु तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली करके क्षतिपूर्ति करायी जाए।

प्रस्तर—6 वर्ष 2017-18 में विकास खण्ड कार्यालय काकोरी में मरम्मत के कार्य पर रु0 66,630.00 प्रधान कॉन्स्ट्रक्शन कम्पनी को चेक संख्या 115132 दिनांक 01.07.17 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से अनुदान पंजिका में भुगतान किया जाना दर्शित है। उक्त प्राप्त अनुदान से क्षेत्र के विकास सम्बन्धी कार्य न कराकर प्रशासनिक मद में किया गया व्यय अनियमित रहा। उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली जांच हेतु अनुपलब्ध रही जबकि निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन/अनुमानित लागत आदि की भी जानकारी न हो सकी। जिसके लिये तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—7 वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत सरोसा भरोसा में नाली/खड़न्जा निर्माण पर रु0 11,799.00 का अवशेष चेक सं0 115133 दिनांक 01.07.2017 को बी0एन0 इन्टरप्राइजेज को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से भुगतान किया जाना अनुदान पंजिका में दर्शाया गया है। उक्त कार्य पर हुए व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र/व्यय प्रमाणक/पत्रावली यथा-वार्षिक कार्ययोजना, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, रनिंग भुगतान बिल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध न कराए जाने के कारण, इस कार्य पर हुआ व्यय रु0 11799.00 संदिग्ध रहा। जिसके लिये तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत गोहरामऊ-करझन रोड से तालाब तक नाला निर्माण पर रू0 2,43,875.00 प्रधान कान्सटेक्शन कम्पनी को चेक सं0 115135 दिनांक 03.07.2017 द्वारा चतुर्थ राज वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से भुगतान किया जाना अनुदान पंजिका में दर्शित है। उक्त कार्य पर हुए व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र/व्यय प्रमाणक/पत्रावली यथा-वार्षिक कार्ययोजना, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, रनिंग भुगतान बिल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने के कारण इस कार्य पर हुआ व्यय रू0 243875.00 संदिग्ध रहा। जिसके लिये तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत सलेमपुर पतौरा से तिवारी नगर तक नाली व खड़न्जा निर्माण एवं जमानत धनराशि का रू0 1,41,861.00 बी0एन0 इण्टरप्राइजेज को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिनांक 03.01.2018 को अनुदान पंजिका से भुगतान किया जाना दर्शित है। उक्त कार्य पर हुये व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र/व्यय प्रमाणक/पत्रावली यथा-वार्षिक कार्ययोजना, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, रनिंग भुगतान बिल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने के कारण, इस कार्य पर हुआ व्यय रू0 141861.00 संदिग्ध रहा। जिसके लिये तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत गोहरामऊ-करझन रोड से तालाब तक नाला निर्माण पर रू0 88,315.00 प्रधान कान्सटेक्शन कम्पनी को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिनांक 04.01.2018 द्वारा अनुदान पंजिका में भुगतान किया जाना दर्शित है। उक्त कार्य पर हुए व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र/व्यय प्रमाणक/पत्रावली यथा-वार्षिक कार्ययोजना, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, रनिंग भुगतान बिल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने के कारण इस कार्य पर हुआ व्यय रू0 88,315.00 संदिग्ध रहा। जिसके लिये तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 वर्ष 2017-18 में विकास खण्ड कार्यालय का जीर्णोद्धार के कार्य पर रू0 1,10,946.00 प्रधान कान्स्ट्रक्शन कम्पनी को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिनांक 19.01.2018 द्वारा अनुदान पंजिका में भुगतान किया जाना दर्शित है अतः कार्य पर हुए व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र/व्यय प्रमाणक/पत्रावली यथा-वार्षिक कार्ययोजना, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, रनिंग भुगतान बिल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने के कारण इस कार्य पर हुआ व्यय रू0 1,10,946.00 संदिग्ध रहा। जिसके लिये तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 वर्ष 2017-18 में विकास खण्ड कार्यालय में सोलर प्लान के कार्य पर रू0 7,38,072.00 का भुगतान उ0प्र0 लघु उद्योग को चेक सं0 037403 दिनांक 21.02.2018 द्वारा अनुदान पंजिका में भुगतान किया जाना दर्शित है। उक्त कार्य राज्य वित्त आयोग द्वारा विकास कार्य हेतु आवंटित की जाने वाली धनराशि से भुगतान किया गया है, जो कि अनियमित है। उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र/व्यय प्रमाणक/पत्रावली यथा-वार्षिक कार्ययोजना, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, रनिंग भुगतान बिल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने के कारण इस कार्य पर हुआ व्यय रू0 7,38,072.00 संदिग्ध रहा। जिसके लिये तत्कालीन ब्लॉक एवं खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-चिनहट

जनपद-लखनऊ

वर्ष-2017-18

प्रस्तर-13 शासनादेश संख्या-ए-1-22/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज की धनराशि संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राजकोष में यथाशीघ्र जमा कराया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि ब्याज खाते में 31 मार्च 2018 को रू0 506781.00 एवं मनरेगा में रू0 2868.97 ब्याज प्राप्त दर्शित है। जिसे राजकोष में लेखा शीर्षमें चालान द्वारा जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 क्षेत्र पंचायत चिनहट के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा प्रासंगिक मद से जीप मरम्मत/अनुरक्षण पर विभिन्न तिथियों में कुल 17710.00 व्यय किया गया है। जो मनरेगा दिशा निर्देश 2013 के प्रस्तर 12.05.06 के विपरीत है। अतः मनरेगा प्रासंगिक मद से जीप मरम्मत में किया गया व्यय धन का दुरुपयोग/अनियमितता है। जिसके उत्तरदायी संस्कृत मिश्रा खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री विजय प्रकाश सिंह सहायक लेखाकार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	चेक सं०	धनराशि	भुगतान
14.12.17	034624	15803.00	एस0आर0एम0 मोटर्स प्रा0लि0 लखनऊ
27.03.18	072056	1907.00	एस0आर0एम0 मोटर्स प्रा0लि0 लखनऊ
	योग	17710.00	

प्रस्तर-15 क्षेत्र पंचायत चिनहट के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा प्रासंगिक मद से विभिन्न तिथियों में पेट्रोल/डीजल क्रय पर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में वाहन संख्या, वाहन का लाग बुक, यात्रा का उद्देश्य भ्रमण पंजिका, निरीक्षण आख्या आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त व्यय मनरेगा दिशा निर्देश वर्ष 2013 के प्रस्तर 12.05.16 के विपरीत है। मनरेगा प्रासंगिक मद में पेट्रोल/डीजल पर व्यय कर उस मद के धन का दुरुपयोग/अनियमितता की गयी है। जिसके लिए श्री विजय कुमार चौधरी, श्री अरुण कुमार संस्कृत मिश्रा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों एवं श्री विजय प्रकाश सिंह सहायक लेखाकार उत्तरदायी थे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	चेक सं०	धनराशि	भुगतान
13.06.17	004652	33163.00	अग्रवाल ब्रदर्स लखनऊ
05.10.17	034610	6000.00	मो0 अतीक चालक
06.10.17	034615	5670.00	मो0 अतीक चालक
14.12.17	034625	10380.00	मो0 अतीक चालक
27.03.18	072055	2845.00	मो0 अतीक चालक
27.03.18	072057	20000.00	मो0 अतीक चालक
	योग—	78058.00	

प्रस्तर-16 क्षेत्र पंचायत चिनहट के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्नांकित ग्राम पंचायतों में खड़न्जा कार्य किया गया है तथा निम्न विवरण के अनुसार धनराशियाँ व्यय किया गया है। जिस पर निम्न प्रकार आपत्तियाँ दर्शित है।

क्र०सं०	नाम ग्राम पंचायत	व्यय धनराशि
1—	ग्राम पंचायत रैथा में रैथा रोड से भोलइत बाबा स्थान तक खड़न्जा कार्य	1669570.00
2—	ग्राम पंचायत सैरपुर में सरौरा डामर रोड से लोधमऊ डामर रोड तक खड़न्जा कार्य	1096865.00
	योग—	2766435.00

(क) शासनादेश संख्या-4/आर0जी0पी0एस0ए0/211/2016-17/81/2015 लखनऊ दिनांक 22.07.2016 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को राज्य वित्त से संक्रमित की जाने वाली धनराशि का व्यय एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर किया जायेगा। जबकि उपरोक्त कार्यों से मात्र एक-एक ही ग्राम पंचायत आच्छादित हो रही है। अतः उक्त शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है।

(ख) ग्राम पंचायत रैथा एवं सैरपुर में क्रमशः 3115.92 क्यूबिक मीटर (घनमीटर) एवं 1298.14 क्यूबिक मीटर (घनमीटर) मिट्टी का प्रयोग किया गया है। लेकिन मिट्टी आपूर्ति के सम्बन्ध में रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित कोई प्रमाणक (एम0एम0-11)लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि शासनादेश संख्या-4020/71-5-2003-1(216)/93 दि० 12.08.2003 एवं शा०सं०-1951(11)77-5-06-506/106 दि० 05.10.2006 के अनुसार उपखनिजों की आपूर्ति में नियमानुसार रायल्टी का भुगतान किया जाना आवश्यक है।

(ग) उक्त कार्य वर्ष 2017-18 की कार्य योजना में शामिल नहीं था। जबकि संलग्न प्रमाणकों के अनुसार यह वर्ष 2016-17 की कार्य योजना में शामिल था। लेकिन वर्ष 2017-18 में कराये जाने के सम्बन्ध में

कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार शासनादेश संख्या-4/आर0 जी0 पी0 एम0 ए0/211/2016-17/81/2015/लखनऊ दिनांक 22.07.2016 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि निर्माण कार्यों पर व्यय धन का दुरुप्रयोग/अनियमितता की गई है जिसके उत्तरदायी श्री विजय कुमार चौधरी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री अरुण कुमार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं विजय प्रकाश सिंह सहायक लेखाकार तथा तत्कालीन ब्लाक प्रमुख हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 क्षेत्र पंचायत चिनहट के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्नांकित ग्राम पंचायतों में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य किया गया है। जिससे निम्नांकित आपत्तियाँ की जाती हैं।

क्र0सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1-	ग्राम पंचायत मुतक्कीपुर में सलीम के घर के मकान से मदरसे वाली मस्जिद तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	406834.00
2-	ग्राम पंचायत रायपुर में डा0 वीरेन्द्र प्रताप इण्टर कालेज से मंजू सिंह एडवोकेट एवं माता जी मंदिर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	929290.00
3-	ग्राम पंचायत घैला में सहजराम के घर से राजेन्द्र के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	341156.00
	योग-	1677280.00

(क) उक्त कार्य से केवल एक-एक ही गांव आच्छादित हो रहा है। जबकि शासनादेश सं0-17119/33-3-2010/48/2007/दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 के अनुसार राज्य वित्त के अनुदान से प्राप्त धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले मार्गों के निर्माण पर व्यय किया जायेगा।

अतः उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त कार्य के सम्पन्न होने में हुए व्यय रू0 1677280.00 हेतु शासनादेशों एवं शासन की मंशा का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार तथा ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख) उक्त कार्य वर्ष 2017-18 की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं था। जबकि संलग्न प्रमाणकों के अनुसार यह वर्ष 2016-17 की कार्य योजना में शामिल था। लेकिन वर्ष 2017-18 की कार्य योजना की प्राथमिकता में इस कार्य को वर्ष 2017-18 में कराये जाने के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं है। इस प्रकार शासनादेश सं0-4/आर0जी0पी0एस0ए0/2016-17/81/2015 लखनऊ दिनांक 22.07.2016 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त कार्य के सम्पन्न होते हुए व्यय रू0 1677280.00 शासनादेशों एवं शासन की मंशा का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि रू0 1677280.00 की धनराशि का व्यय अनियमित तरीके से किया गया है। जिसके उत्तरदायी श्री विजय कुमार चौधरी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री अरुण कुमार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, संस्कृत मिश्रा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री विजय प्रकाश सिंह सहायक लेखाकार एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-मलिहाबाद

जनपद-लखनऊ

वर्ष-2017-18

प्रस्तर-18 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद की वर्ष 2017-18 की पत्रावली सं0 672 जो मोहम्मद नगर पुलिया से मुर्गीफार्म नई बस्ती धनेवा तक खड़न्जा कार्य से सम्बन्धित है, जिसके निर्माण पर अनुमानित व्यय रू0 6.42 लाख आंकलित की गई। इस कार्य हेतु कार्यालय विज्ञप्ति संख्या 1026 दिनांक 07.10.2016 द्वारा दिनांक 07.11.16 को टेण्डर आमंत्रित किये गये जिसमें से मेसर्स अवध कान्स्ट्रक्शन को कार्य हेतु टेण्डर आवंटित किया गया। यह कार्य 11.11.2016 को प्रारम्भ हुआ एवं 10.01.2017 को समाप्त हुआ। निर्माण कार्य की वास्तविक लागत समस्त कटौती उपरान्त रू0 503305.00 हुई, जिसे मेसर्स अवध कान्स्ट्रक्शन को भुगतान किया गया। पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त निम्न कमियाँ प्रकाश में आईं।

(क) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी मलिहाबाद लखनऊ के आदेश संख्या 1108/चतुर्थ राज्य वित्त/2016-17 दिनांक 08.11.2016 द्वारा मेसर्स अवध कान्स्ट्रक्शन को आवंटित किया गया कि उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्य को कराने हेतु वांछित जमानत की धनराशि एफ0डी0आर0 प्रपत्र तीन दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि आपका निविदा अनुबंध गठित कर कार्य को कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से आदेश निर्गत किया जा सके, परन्तु ऐसा न कर कार्य पूर्ण होने के बाद वास्तविक लागत की धनराशि रू0 592952.00 में से जमानत की धनराशि रू0 46966.00 की कटौती की गई है जबकि कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व ही सम्बन्धित फर्म अथवा ठेकेदार से जमानत राशि जमा कराई जानी चाहिए थी और उक्त राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने के छः माह के उपरान्त वापस की जानी चाहिए थी किन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

(ख) मेसर्स अवध कान्स्ट्रक्शन द्वारा पत्रावली में जो प्रमाणक प्रस्तुत किये गये हैं वह अधूरे हैं। जैसे-हैसियत प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आदि।

(ग) लेखा परीक्षा के समय कराये गये कार्य के साथ-क्षेत्र पंचायत सम्पत्ति पंजिका नहीं प्रस्तुत की गई जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त सृजित सम्पत्ति को अपनी परिसम्पत्ति पंजिका में दर्शित कर लिया गया है अथवा नहीं। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के विविध नियमों का उल्लंघन किया गया है। लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा की जांच में पत्रावली सं0-702 जो बेलगढ़ा मार्ग से सत्येन्द्र सिंह की बाग तक खड्डन्जा कार्य से सम्बन्धित है, जिसके निर्माण पर अनुमानित मूल्य रू0 654800.00 आंकलित की गई। इस कार्य हेतु कार्यालय विज्ञप्ति सं0 2353 दिनांक 28.02.2018 द्वारा मेसर्स एस0के0 बिल्डर्स को कार्य आवंटित किया गया। कार्य दिनांक 18.04.2018 को समाप्त हुआ। निर्माण कार्य की वास्तविक लागत कटौतियों के उपरान्त रू0 436333.00 + 146595.00 कुल रू0 582928.00 हुई जिसका प्रथम भुगतान मेसर्स एस0के0 बिल्डर्स को किया गया। उपरोक्त किये गये भुगतान में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

(क) फर्म द्वारा कराये जाने वाले कार्य के सापेक्ष जमा की जाने वाली जमानत की धनराशि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम संख्या-24 के अनुसार कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व ही सम्बन्धित फर्म अथवा ठेकेदार से जमा कराई जानी चाहिये थी और उक्त राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने के छः माह के उपरान्त वापस की जानी चाहिये थी किन्तु ऐसा नहीं किया गया। जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के बाद वास्तविक लागत भुगतान की धनराशि रू0 592952.00 में से जमानत की धनराशि रू0 46966.00 की कटौती की गई जो नियमानुसार नहीं है।

(ख) मेसर्स एस0के0 बिल्डर्स व्यय की पत्रावली में टेण्डर के साथ जो प्रपत्र प्रस्तुत किये हैं, इनकी सभी प्रविष्टियों को सम्पूर्णतः के साथ नहीं भर कर खाली छोड़ दिया गया है, जिन्हें पूर्ण किया जाये। साथ ही हैसियत प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र आदि संलग्न नहीं हैं, जिन्हें संलग्न किया जाये।

(ग) लेखा परीक्षा के दौरान कराये गये कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि कहीं भी यह अंकित नहीं पाया गया कि जो कार्य कराया गया है वह दो व दो से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करता है, जबकि शासनादेश संख्या 5/-866/33-2-14-93जी/2004टी0सी0 दिनांक 24.06.2014 के अनुसार राज्य वित्त के अनुसंशा से प्राप्त धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले निर्माण कार्यों पर व्यय किया जायेगा। उक्त कार्य में शासनादेशों एवं शासन की मंशा को स्पष्ट विचलन किया गया है।

(घ) लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त कराये गये कार्य पर रू0 51841.00 (कटौती) जी0एस0टी0 12 प्रतिशत की दर से काटी गई दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कटौती के लिये कोई नियम, शासनादेश प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही 12 प्रतिशत की दर से की गई कटौती की धनराशि जमा करने के प्रमाण स्वरूप चालान/रिटर्न दाखिल प्रस्तुत किया गया।

सम्बन्धित कार्य परसम्पत्ति पंजिका नहीं प्रस्तुत की गई, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त सृजित सम्पत्ति को अपनी परिसम्पत्ति पंजिका में दर्शित कर लिया गया है अथवा नहीं।

(ङ) दिनांक 07.10.2018, पत्राक संख्या 1026 में निविदा प्रकाशित की गई परन्तु निविदा प्रकाशन में पेनाल्टी का उल्लेख नहीं किया गया है कि यदि कार्य समय से पूर्ण नहीं किया गया तो सम्बन्धित या ठेकेदार की क्या जिम्मेदारी होगी। क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के विविध

नियमों का उल्लंघन किया गया है। लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पत्रावली संख्या 705 जो बेलवा से ग्राम चन्दी तक खण्डजा कार्य से सम्बन्धित है, जिसके निर्माण पर रू0 50070.00 व्यय आंकलित किया गया कार्यालय खण्ड वि0अ0 मलिहाबाद के आदेश सं0 2353 दिनांक 20.02.2018 को उपरोक्त कार्य मेसर्स एस0के0 बिल्डर्स को टेण्डर न्यूनतम दर पर पाये जाने के फलस्वरूप स्वीकृति किया गया तथा रू0 374009.00 का प्रथम भुगतान चेक संख्या 10935 दिनांक 27.03.2018 को किया है। इसमें निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आई।

(क) निविदा प्रकाश में कही भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि जमानत की धनराशि कार्य प्रारम्भ होने के पहले जमा की जाये। ऐसा नहीं किया गया है।

(ख) निविदा प्रकाशन में पेनाल्टी का भी उल्लेख नहीं किया गया कि यदि कार्य समय से पूर्व नहीं किया गया तो यह जिम्मेदारी किस पर और कैसे आंकलित की जायेगी।

(ग) कराये गये कार्य के सापेक्ष रू0 40072.00 जी0एस0टी0 12 प्रतिशत की दर से काटी गई दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कटौती के लिये कोई नियम, शासनादेश प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही 12 प्रतिशत की दर से की गई कटौती की धनराशि जमा करने के प्रमाण स्वरूप चालान/रिटर्न दाखिल प्रस्तुत नहीं किया गया।

(घ) उपरोक्त कार्य केवल एक ही गाँव में कराया गया है, जबकि शासनादेश संख्या 5/-866/33-2-14-93जी/2004टी0सी0 दिनांक 24.06.2014 के अनुसार राज्यवित्त के अनुशंसा से प्राप्त धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायत को आच्छादित करने वाले मार्गों के रख-रखाव पर व्यय किया जायेगा। उक्त कार्य शासनादेशों एवं शासन की मंशा से स्पष्ट विचलन को इंगित करता है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के विविध नियमों का उल्लंघन किया गया है। लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पत्रावली संख्या 703 जो अहमदाबाद कटौली में हरिश्चन्द्र की बाग से कान्हा लाल की बाग तक खण्डजा निर्माण से सम्बन्धित है, जिसके निर्माण पर रू0 653600.00 अनुमानित मूल्य आंकलित किया गया। खण्ड वि0अ0 मलिहाबाद द्वारा अपने पत्रांक 2353 दिनांक 23.02.2018 को उपरोक्त कार्य मेसर्स एस0के0 बिल्डर्स को टेण्डर न्यूनतम पर पाये जाने के फल स्वरूप स्वीकृत किया गया, जिसमें निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आई—

(क) निविदा प्रकाशन में कही भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि जमानत की धनराशि कार्य प्रारम्भ होने के पहले जमा की जाये, जबकि कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व ही सम्बन्धित फर्म अथवा ठेकेदार से जमा कराई जानी चाहिये थी और उक्त धनराशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने के छः माह के बाद ही किया जाना चाहिये था, किन्तु ऐसा न कर नियमों की अवहेलना की गई है। साथ ही यदि कार्य समय से पूर्ण नहीं हो पाता है तो यह किसकी जिम्मेदारी होगी तथा इसका किस पर और कितना भार और किस तरह आंकलित किया जायेगा यह भी अंकित नहीं किया गया है।

(ख) कराये गये कार्य के सापेक्ष प्रथम बिल के भुगतान के समय जी0एस0टी0 12 प्रतिशत की दर से रू0 54422.00 काटी गई दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कटौती के लिये कोई नियम, शासनादेश प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही 12 प्रतिशत की दर से कटौती की धनराशि जमा करने के प्रमाण स्वरूप चालान/रिटर्न दाखिल प्रस्तुत किया गया।

(ग) उक्त कार्य से केवल एक ही गाँव आच्छादित हो रहा है जबकि शासनादेश संख्या 5/-866/33-2-14-93जी/2004टी0सी0 दिनांक 24.06.2014 के अनुसार राज्य वित्त के अनुशंसा से प्राप्त धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायत को आच्छादित करने वाले निर्माण कार्यों पर व्यय किया जायेगा। अतः उपरोक्त आपत्तियाँ के आलोक में लेखा परीक्षा में उक्त कार्य के सम्पन्न होने में शासनादेशों एवं शासन की मंशा से स्पष्ट विचलन किया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के विविध नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह, लेखाकार श्री शिशुपाल, ब्लाक प्रमुख श्रीमती निशा सिंह चौहान उत्तरदायी है। लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—22 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद की वित्तीय वर्ष 2017—18 में मनरेगा प्र० व्यय मद में रु० 3597230.00, इंदिरा आवास प्र० व्यय मद में रु० 6099980.00, बायोगैस अनुदान मद में रु० 8000.00, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व्यय मद (प्रशा० मद की धनराशि) में रु० 243939.50 आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण आई०सी०डी०एस० में रु० 705509.00, तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में रु० 105578.70 व्यय दर्शित है परन्तु उक्त सभी व्ययों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के अभिलेख/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार उक्त सभी योजनाओं से सम्बन्धित कुल रु० 10760236.70 का व्यय अपुष्ट रहा जिस हेतु लेखाकार श्री आनन्द श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी (तत्कालीन) व ब्लाक प्रमुख श्री नरेन्द्र कुमार रावत उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—23 क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज द्वारा ग्राम पंचायत मस्तेमऊ में राम लखन के घर से हरि प्रसाद यादव के घर तक खण्डजा निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त कार्य की स्वीकृत लागत रु० 4,98,000.00 थी तथा कार्य दिनांक 16.12.2016 को प्रारम्भ होकर दिनांक 15.02.2017 को समाप्त हुआ। उक्त कार्य हेतु सामग्री पर रु० 3,25,000.00 तथा श्रम पर रु० 69,784.00 का भुगतान कुल रु० 3,94,784.00 किया गया है। कार्य पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयी—

(क) उक्त कार्य में एक ही गांव आच्छादित हो रहा है जो राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धन के उपभोग से सम्बन्धित मार्गदर्शन सिद्धान्त शासनादेश संख्या 17/10/33-3-2010-48/2007 दिनांक 01.09.2010 के अनुसार राज्य वित्त उक्त धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले निर्माण कार्यों पर व्यय किया जायेगा जबकि उक्त कार्य में एक ग्राम सभा ही आच्छादित हो रही है।

(ख) उक्त कार्य हेतु विमल कन्स्ट्रक्शन द्वारा दिनांक 16.12.2016 को कार्य प्रारम्भ किया गया तथा कार्य से सम्बन्धित पत्रावली के अवलोकन में यह तथ्य प्रकाश में आया कि बिल पर न तो तिथि अंकित है और न ही बिल नं० अंकित है जो गम्भीर आपत्तिजनक है। बिना बिल संख्या व तिथि के अंकन वाले बिलों का भुगतान गम्भीर अनियमित रहा।

(ग) उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2016—17 के कार्य योजना से सम्बन्धित था जबकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् भी सम्बन्धित कार्य के व्ययों का भुगतान गया जो कार्ययोजना का उल्लंघन है। कार्य से सम्बन्धित संशोधित कार्य योजना भी प्रस्तुत नहीं की गयी अतएव किया गया कार्य गम्भीर अनियमित रहा जिस हेतु किया गया भुगतान रु० 394784.00 जिसमें सामग्री पर किया गया व्यय रु० 325000.00 तथा श्रम पर किया गया भुगतान रु० 69784.00 गम्भीर अनियमित रहा जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री संजय निगम, जे०ई० लेखाकार श्री आनन्द श्रीवास्तव, भुगतान स्वीकृतकर्ता खण्ड विकास अधिकारी तथा ब्लाक प्रमुख श्री नरेन्द्र कुमार रावत उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—24 ममईमऊ के सिरौना से आदमपुर इंदिरा नहर तक खण्डजा मरम्मत कार्य किया गया है जो दिनांक 03.12.2016 को प्रारम्भ होकर दिनांक 03.02.2017 को समाप्त हुआ। उक्त कार्य प्रकाश इन्टरप्राइजेज द्वारा सम्पादित किया गया है। कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में तथ्य प्रकाश में आया कि कार्य से सम्बन्धित बिलों पर न तो तिथि अंकित है और न ही बिल नं० इस प्रकार बिना बिल नं० तथा दिनांक के बिलों का भुगतान गम्भीर अनियमित रहा।

उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2016—17 की कार्य योजना संबन्धित सम्बन्धित था परन्तु भुगतान वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद किया गया है जो अनियमित रहा। कार्य से सम्बन्धित संशोधित कार्य योजना भी प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः इस कार्य पर किया गया भुगतान रु० 462659.00 (सामग्री पर रु० 276410.00 तथा श्रम पर रु० 186259.00) गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री संजय निगम, जे०ई०, लेखाकार श्री आनन्द श्रीवास्तव भुगतान स्वीकृतकर्ता खण्ड विकास अधिकारी, तथा ब्लाक प्रमुख श्री नरेन्द्र कुमार रावत उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—25 शेखनापुर में परमेश्वर कन्नौजिया के घर से रामनरेश के घर तक सी०सी० रोड का कार्य विमल कन्स्ट्रक्शन द्वारा किया गया। उक्त कार्य दिनांक 08.12.2016 को प्रारम्भ कर दिनांक 09.10.2017 को समाप्त हुआ। उक्त कार्य को पत्रावली की जांच में तथ्य प्रकाश में आये कि कार्य से सम्बन्धित बिलों पर न तो नम्बर अंकित है और न ही तिथि अंकित की गयी है जो गम्भीर अनियमित है। बिल नं० व तिथि न होने के कारण बिल पूर्णतया अमान्य है।

कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् भी कई माह तक चलता रहा तथा उसका भुगतान भी दूसरे वित्तीय वर्ष में किया गया है। संशोधित कार्ययोजना भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। उक्त कार्य में एक ही गांव का आच्छादन हो रहा है। जबकि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धन के उपभोग से सम्बन्धित मार्गदर्शन सिद्धान्त शासनादेश संख्या 17/10/33-3-2010-48/2007 दिनांक 01.09.2010 के अनुसार राज्य वित्त उक्त धनराशि का उपयोग डाक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले निर्माण कार्य पर व्यय किया जायेगा जबकि उक्त कार्य में एक ग्राम सभा ही आच्छादित हो रही है।

पत्रावली की जांच से तथ्य प्रकाश में आया कि बिना बिल नं० व तिथि के बिलों का भुगतान करने के कारण किया गया भुगतान रू० 1120136.00 (सामग्री पर रू० 728088.00 तथा श्रम पर रू० 392048.00) गम्भीर अनियमित रहा। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री संजय निगम, जे०ई० लेखाकार श्री आनन्द श्रीवास्तव, श्री विजय कुमार चौधरी खण्ड विकास अधिकारी तथा ब्लाक प्रमुख श्री नरेन्द्र कुमार रावत उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 बक्कास में श्री दर्शन के घर से मस्तेमऊ तक खण्डजा मरम्मत कार्य कराया गया है। कार्य दिनांक 15.12.2016 को प्रारम्भ कर दिनांक 14.03.2017 को समाप्त किया गया है। उक्त कार्य प्रकाश इन्टरप्राइजेज द्वारा कराया गया है तथा फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल रू० 518859.00 में से वैट कटौती रू० 20754.00, टी०डी०एस० कटौती रू० 11622.00, जमानत रू० 25943.00 गुणवत्ता दोष सम्बन्धी कटौती (पुअर वर्कमैनशिप डिडक्शन) रू० 6908.00 तथा रोकी गयी धनराशि रू० 46054.00 कम करके चेक सं० 02439 दिनांक 27.04.2017 द्वारा रू० 407578.00 का भुगतान किया गया है तथा बाद में चेक सं० 17729 दिनांक 23.10.2017 द्वारा रोकी गई धनराशि रू० 46054.00 का भी भुगतान कर दिया गया है।

उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रस्तुत बिलों पर बिल संख्या तथा दिनांक अंकित नहीं है। जिसके अभाव में बिल पूर्णतया अमान्य है जिस कारण से किया गया भुगतान रू० 460540.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री संजय निगम जे०ई०, लेखाकार श्री आनन्द श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी, श्री भोलानाथ कन्नौजिया (चेक सं०-02439 दिनांक 27.04.2017 को किये गये भुगतान रू० 407578.00 हेतु) श्री विजय कुमार चौधरी (चेक सं० 17729 दिनांक 23.10.2017 को किये गये भुगतान रू० 46054.00 हेतु) तथा ब्लाक प्रमुख श्री नरेन्द्र रावत उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 अकरहदू ग्राम सभा से हुसैनाबाद तक खण्डजा निर्माण कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री संजय निगम जे०ई० को कार्य प्रदत्त किया गया था। उक्त कार्य में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी—

(क) खण्डजे का पुननिर्माण किया गया है परन्तु स्पष्ट न हो सका कि सही पायी गई ईंटों का पुनः उपयोग किया गया तो कितनी मात्रा में किया गया।

(ख) ग्राम पंचायत अकरहदू में उक्त कार्य में क्षेत्र पंचायत द्वारा दिनांक 22.03.2017 को 15 ट्राली मलवा कार्य प्रभारी द्वारा प्रधान श्रीमती सुशीला तथा सचिव श्री अजय कुमार पटेल को प्राप्त कराया गया परन्तु स्टाक/सम्पत्ति रजिस्टर अनुपलब्ध रहने के कारण वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं हो सकी।

(ग) उपरोक्तानुसार ही 10 ट्राली मलवा क्षेत्र पंचायत कार्य प्रभारी द्वारा ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती तथा तत्कालीन सचिव को दिनांक 22.03.2017 को प्राप्त कराया गया परन्तु स्टाक रजिस्टर/सम्पत्ति पंजिका अनुपलब्ध होने के कारण वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं हो सकी।

(घ) कार्य की स्वीकृति लागत रू० 1928500.00 थी तथा कार्य हेतु विमल कन्स्ट्रक्शन चौरासी लखनऊ को अधिकृत किया गया था उक्त कार्य हेतु चेक सं० 02435 दिनांक 17.03.2017 को रू० 892520.00 तथा चेक सं० 17749 दिनांक 20.01.2018 को रू० 98577.00 कुल रू० 991097.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य के प्रस्तुत बिलों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बिल पर कोई भी क्रमांक तथा दिनांक अंकित नहीं पाया गया साथ ही बिल प्रस्तुतिकरण की तिथि का अंकन भी नहीं है। इस प्रकार कार्य पर किया गया भुगतान गम्भीर अनियमित रहा जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री संजय निगम, अवर अभियन्ता, लेखाकार श्री आनन्द श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी श्री भोलानाथ कन्नौजिया (दिनांक 17.03.2017 के भुगतान हेतु) व श्री विजय कुमार चौधरी (दिनांक 20.01.2018 के भुगतान हेतु) तथा ब्लाक प्रमुख श्री नरेन्द्र कुमार रावत उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-28 (क) क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज द्वारा निम्न विवरणानुसार कार्य एवं भुगतान कार्ययोजना अनुमोदन की प्रत्याशा में समापन भी कराया अपितु उसका भुगतान भी कर दिया गया जो गम्भीर आपत्तिजनक रहा।

क्र०सं०	कार्य का नाम	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	कार्यालय हाल में खिड़कियों शीशे तथा अल्युमिनियम प्रागल कार्य	58679.00	श्री भोलानाथ कन्नौजिया (तत्कालीन खण्ड वि०अ०) श्री नरेन्द्र कुमार रावत (ब्लाक प्रमुख)
2	केन्ट आर०ओ० तथा वोल्टास वाटर कूलर	87500.00	श्री भोलानाथ कन्नौजिया (तत्कालीन खण्ड वि०अ०) श्री नरेन्द्र कुमार रावत (ब्लाक प्रमुख)
3	सभागार में विद्युत वाइरिंग कार्य	93484.00	श्री भोलानाथ कन्नौजिया (तत्कालीन खण्ड वि०अ०) श्री नरेन्द्र कुमार रावत (ब्लाक प्रमुख)
	योग	239663.00	

(ख) उक्त कार्य के अलावा स्वर्ण जयंती सभागार का अवशेष भुगतान किया गया है। जबकि उक्त कार्य कार्ययोजना अनुमोदन के पहले ही सम्पन्न करा लिया गया था जो गम्भीर आपत्तिजनक रहा। स्वर्ण जयंती सभागार का अवशेष भुगतान रु० 720772.00 किया गया है जिस हेतु श्री विजय कुमार चौधरी (तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी) तथा ब्लाक प्रमुख श्री नरेन्द्र कुमार रावत, ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी है।

उक्त सभी कार्य से सम्बन्धित कार्य योजना जिलाधिकारी लखनऊ को उक्त प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है जो लम्बित था। अनुमोदन लम्बित होने की दशा में किया गया भुगतान गम्भीर अनियमित रहा। जिला पंचायत राज अधिकारी के पत्र सं० 2099/प०/यो०/2017-18 दिनांक 20.09.2017 द्वारा जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज की अनुमोदित कार्ययोजना प्रेषित की गई है जबकि ये कार्य उससे पहले ही करा लिये गये थे इस प्रकार किये गये कुल भुगतान रु० 960435.00 गम्भीर अनियमित रहे। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व ब्लाक प्रमुख श्री नरेन्द्र कुमार रावत श्री आनन्द श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-सरोजनीनगर

जनपद-लखनऊ

वर्ष-2017-18

प्रस्तर-29 क्षेत्र पंचायत सरोजनी नगर का वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ वित्त आयोग की अनुशंसा से संक्रमित धनराशि के उपयोग से निम्न विवरणानुसार कार्य किया गया जिसके सापेक्ष कुल रु० 703809.00 का भुगतान किया गया।

क्र०सं०	कार्य का नाम	फर्म का नाम	आच्छादित ग्राम पंचायत	धनराशि
1	जैती खेड़ा से पिपरी बाबा मन्दिर मार्ग तक खड़न्जा निर्माण	रामानन्द ट्रेडर्स	जैती खेड़ा	465620.00
2	दयाराम के ट्यूबेल से मोहनलालगंज सम्पर्क मार्ग तक खड़न्जा निर्माण	रामानन्द ट्रेडर्स	खटोला	238189.00
				703809.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि सभी कार्य से मात्र एक-एक ग्राम पंचायत आच्छादित हो रही है। जबकि चतुर्थ वित्त आयोग के उपयोग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1839/33.03.2015-03/2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जायेगा। अतः रु० 703809.00 से सापेक्ष किया गया निर्माण कार्य उक्त शासनादेश (मार्ग दर्शन सिद्धान्त) से स्पष्ट विचलन है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 क्षेत्र पंचायत सरोजनी नगर के वित्तीय वर्ष 2017-18 ग्रांट रजिस्टर-2 में निम्न विवरणानुसार मनरेगा प्रशासनिक निधि से व्यय किया जाना दर्शित है।

क्र०सं०	दिनांक	कार्य का उद्देश्य	फर्म का नाम	धनराशि
1	05.09.17	शासकीय जीप की सर्विसिंग	एस०आर०एम० मोटेल सरोजनीनगर	8094.00
2	03.10.17	डीजल का भुगतान	सुल्तानपुर सर्विस स्टेशन	1013119.00
3	26.12.17	डीजल का भुगतान	सुल्तानपुर सर्विस स्टेशन सरोजनीनगर	54820.00

(क) उपरोक्त व्यय क्रम सं०-1 के संदर्भ में आपत्ति का प्रमुख बिन्दु यह है कि मनरेगा दिशा निर्देश पुस्तिका 2013 के प्रस्तर 12.5.6 के पैरा.(1) के अनुसार मनरेगा निधि में प्राप्त धनराशि से वाहनों की खरीद तथा पुराने वाहनों की मरम्मत का व्यय प्रतिबन्धित है। किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा दिनांक 05.09.2017 को पुराने वाहन की मरम्मत पर रु० 8094.00 व्यय किया गया है, जोकि गम्भीर प्रकार की अनियमितता है जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनेश चन्द्र एवं लेखाकार श्री अजीत कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख) इसी प्रकार उपरोक्त क्रमांक-2 एवं 3 पर “आकस्मिक व्यय” से सम्बन्धित डीजल व्यय का उल्लेख किया गया है। लेकिन उपरोक्त व्यय की पुष्टि के सन्दर्भ में अनिवार्य प्रपत्र यथा-निरीक्षण कार्य योजना एवं उद्देश्य, गाड़ी की लॉग बुक, निरीक्षण आख्या, डीजल व्यय का व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। फलतः उपरोक्त व्यय संदिग्ध रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं लेखाकार उत्तरदायी है। इन सबसे समान मात्रा में रु0 1076033.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-31 क्षेत्र पंचायत मनरेगा आकस्मिक निधि व्यय मद से रु0 22369.00 का चेक स्वयं के नाम से लेखाकार के द्वारा आहरित कर खर्च करना दिखाया गया है लेकिन इस व्यय की पुष्टि में कोई सुसंगत व्यय प्रमाणक प्रपत्र प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश, आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार यह व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का उद्देश्य	फर्म/व्यक्ति का नाम	धनराशि	चेक संख्या
1	11.10.17	विभिन्न मदों में व्यय का भुगतान	अजीत कुमार लेखाकार	22369.00	16000

अतः उपरोक्त व्यय धनराशि रु0 22369.00 में से रु0 11184.50 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार अजीत कुमार से एवं रु0 11184.50 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनेश चन्द्र से की जानी अपेक्षित है। इनके इस कृत्य से क्षेत्र पंचायत मनरेगा आकस्मिक निधि में क्षति पहुंची है।

क्षेत्र पंचायत-माल

जनपद-लखनऊ

वर्ष-2017-18

प्रस्तर-32 क्षेत्र पंचायत माल जनपद लखनऊ की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से संक्रमित धनराशि के उपयोग में निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्य किया गया जिसके सापेक्ष रु0 4314895.00 का भुगतान किया गया।

क्र0सं0	क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत किये गये निर्माण कार्य	आच्छादित पंचायत	ग्राम	धनराशि व्यय
1	अजय के घर से बच्चू के घर तक खड़जा निर्माण	अमलौली		988512.00
2	सत्ती देवी सरथरा रोड से पिकू यादव के घर तक खड़जा निर्माण-	सरथरा		623349.00
3	शौचालय निर्माण व सैप्टिक टैंक निर्माण	वि0ख0 माल		290378.00
4	भगौरा से मलखानपुर तक खड़जा निर्माण	गहदो		611056.00
5	राजकुमार के घर से दूलम के खेत तक खड़जा निर्माण	गोपालपुर माल		205621.00
6	बंगाली के घर से राधेश्याम के घर तक खड़जा निर्माण-	गहदो		514048.00
7	शिवकुमार के घर से दीपचंद्र के घर तक खड़जा निर्माण/मरम्मत	भानपुर		282913.00
8	सोलर लाइट की स्थापना	वि0ख0 माल		799018.00
				4314895.00

उक्त भुगतान के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियां पायी गई:-

(क) क्र0सं0 01 से 08 तक क्षेत्र पंचायत माल द्वारा कराये गये कार्य के विवरण से स्पष्ट होता है कि सभी कार्य से मात्र एक-एक ग्राम पंचायत ही आच्छादित हो रही है। जबकि शासनादेश सं0 1838/33-03-2015-03/2015 दि0 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं। जिसके प्रस्तर-2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जायेंगे।

परन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत क्षेत्र पंचायत माल द्वारा रु0 4314895.00 की धनराशि से निर्माण कार्य करवाये गये हैं जो कि शासनादेश (मार्गदर्शक सिद्धान्त) से स्पष्ट विचलन है अतः उक्त कराये गये निर्माण कार्य अनियमित है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री भोला नाथ कन्नौजिया एवं अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख) उक्त निर्माण कार्यों की पत्रावलियों से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त कार्यों को ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं नहीं कराया गया है ऐसी स्थिति में कार्यों की डुप्लीकेसी की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रस्तर-33 क्षेत्र पंचायत माल की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में वि0ख0 माल कार्यालय की पुताई एवं अन्य कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि श्री मुकेश कुमार अग्निहोत्री को कार्यालय

पत्रांक 1638ए/रा.वि./2017-18 दि० 25.01.2018 के द्वारा कार्यादेश जारी किया गया जिसमें निम्न तथ्य/आपत्ति पायी गई—

1. उक्त कार्य प्रस्तावित कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।
2. कार्य कोटेशन के आधार पर करवाया जाना दर्शित है। परन्तु पत्रावली में कोई कोटेशन संलग्न नहीं पाया गया।

अतः बिना कार्य योजना में सम्मिलित व बिना कोटेशन प्राप्त किये करवाया गया कार्य व किया गया भुगतान रु० 64902.00 अनियमित व ब्याज सहित वसूली योग्य है जिस हेतु तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री भोलानाथ कन्नौजिया व लेखाकार श्री सुनील कुमार अवस्थी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री भोला नाथ कन्नौजिया तत्कालीन बी०डी०ओ० व श्री सुनील कुमार अवस्थी तत्कालीन लेखाकार से अपेक्षित है।

जबकि पुनः उसी कार्यादेश नाम से कूटरचित प्रपत्र तैयार कर रु० 87695.00 का भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जबकि उक्त दोनों कार्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं थे। अतः कार्य कार्यालय की पुताई एवं अन्य कार्य के सापेक्ष रु० 64902.00 व्यय बिल कार्य योजना के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा मीटिंग हाल में पुताई एवं अन्य कार्य के नाम पर आभासी/कूटरचित प्रपत्र तैयार कर रु० 87695.00 का भुगतान श्री मुकेश अग्निहोत्री को करते हुए रु० 87695.00 का अपहरण किया गया है। जिस हेतु तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री भोलानाथ कन्नौजिया व लेखाकार श्री सुनील कुमार अवस्थी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री भोला नाथ कन्नौजिया तत्कालीन बी०डी०ओ० व श्री सुनील कुमार अवस्थी तत्कालीन लेखाकार से अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन 2017 – 18

प्रस्तर – 1 क्षेत्र पंचायत – रोहनिया जनपद – रायबरेली (आपत्ति संख्या – 2.1)

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में वर्षवार सामग्री की खरीद व उन पर की गयी आयकर कटौती का विवरण इस प्रकार है –

क्रम सं०	लेखा परीक्षित वर्ष	वर्ष में सामग्री खरीद पर भुगतान की गयी कुल धनराशि रु०.	टी०डी०एस० कटौती, जो की जानी थी (2.24)	टी०डी०एस० कटौती, जो की गयी	अवशेष टी०डी०एस० कटौती, जो जमा करायी जानी अपेक्षित है
1.	2011-12	640884	14356	2217	12139
2.	2012-13	1444885	32366	22139	10227
3.	2013-14	2535507	56795	27310	29485
	योग	4621275	103517	51666	51851

इस प्रकार स्पष्ट है कि आलोच्य वर्षों में कुल रु० 51851.00 की कर कटौती नहीं की गयी अतः आयकर विभाग में टी०डी०एस० जमा कर कुल रु० 51851.00 के राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है, जो अनियमितता है। ऐसे में जमा न किये गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखापरीक्षा 0021 में जमा कराया जाना अनेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 2 क्षेत्र पंचायत – रोहनिया जनपद – रायबरेली (आपत्ति संख्या – 2.2)

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में सामग्री खरीद पर किये गये व्यय भुगतान पर की गयी वैट कटौती का विवरण इस प्रकार है –

क्रमांक	लेखा परीक्षित वर्ष	वर्ष में सामग्री खरीद पर भुगतान की गयी कुल धनराशि	वर्ष में की गयी कुल वैट कटौती	वर्ष में अवशेष वैट कटौती
1.	2011-12	640884	शून्य	32044
2.	2012-13	1440885	शून्य	72244
3.	2013-14	2535507	शून्य	126775
	योग	4621275	शून्य	231063

इस प्रकार आलोच्य वर्षों में कुल रु० 231063.00 की वैट की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु० 231063.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर – 3 क्षेत्र पंचायत – रोहनिया जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 2.3)

क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2011-14 तक की लेखा परीक्षा में फण्ड रजि.-2 के अनुसार – समीक्ष्य वर्षों में विभिन्न मदों में प्राप्त अनुदान धनराशियों के सापेक्ष विभिन्न मदों में वर्षवार निम्न विवरणानुसार कुल रू0 1,05,19,503 का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है –

किन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई भी पत्रावली एवं व्यय-प्रमाणक आदि लेखापरीक्षा में जांच-समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे समीक्ष्य वर्षों में फण्ड रजि.-2 व 3 में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान की कुल धनराशि रू0 1,05,19,503.00 अपुष्ट रही/ अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में लेखा सिद्धान्तों के अनुसार गबन मानते हुए, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से इसकी ब्याज सहित वसूली की जाने की जानी अपेक्षित है।

क्रम सं०	योजना/मद का नाम	फण्ड रजि.-2 व 3 के अनुसार दर्शित व्यय-भुगतान की धनराशि			कुल धनराशि
		2011-12	2012-13	2013-14	
1.	एसजीएसवाई –अनुदान	1834871	2129177	6165939	10129987
2.	एसजीएसवाई- अवस्थापना	120316	59000	—	179316
3.	इंदिरा आवास कंटीजेंसी	38800	—	9100	47900
4.	बायोगैस अनुदान	1800	8000	—	9800
5.	अम्डकर विशेष रोजगार योजना	92500	15000	45000	152500
6.	सम्पूर्ण योग	20,88,287	22,11,177	62,20,039	1,05,19,503

प्रस्तर – 4 क्षेत्र पंचायत – रोहनिया जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 2.4)

आलोच्य वर्ष 2012-13 में मनरेगा योजनान्तर्गत खड़न्जा मरम्मत रघुनाथपुर में निम्न विवरणानुसार व्यय भुगतान अनुदान पंजिका-2 में दर्शाया गया है –

दिनांक	चेक संख्या	मद	धनराशि
06.06.2012	340851	मजदूरी	58320
06.06.2012	340852	मजदूरी	3400
06.06.2012	340853	मजदूरी	3400
17.07.2012	340855	ईट	76961
01.08.2012	—	मजदूरी	2400
योग			144481

किन्तु उक्त व्यय भुगतान धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक-खरीद बिल, मास्टर रोल, एम0बी0, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक पंजिका सहित कोई भी प्रमाणक बार-बार माँगे जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा सिद्धान्तों के अनुसार व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर व्यय की धनराशि रू0 1,44,481.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 5 क्षेत्र पंचायत – रोहनिया जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 2.5)

आलोच्य वर्ष 2013-14 में तेरहवें वित्त खाता संख्या 746322 से चेक संख्या 963117 दिनांक 05.02.2014 (आहरण तिथि 12.02.2014) द्वारा रू0 240936 का भुगतान राहत ब्रिक फील्ड को किया जाना अनुदान पंजिका-2 में अंकित है, किन्तु उक्त खरीद सामग्री का उपभोग किस कार्य में हुआ संबंधी कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी, न ही खरीद बिल व स्टॉक पंजिका ही प्रस्तुत रहा (कार्य का नाम अनुदान पंजिका-2 में भी अंकित नहीं है)। जिससे स्पष्ट है कि फर्जी भुगतान कर व फर्म से मिलीभगत कर धनराशि रू0 240936 का अपहरण किया गया है। लेखा सिद्धान्तों के अनुसार जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से की जाने की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 6 क्षेत्र पंचायत – रोहनिया जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 2.1)
आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में सामग्री की खरीद व उन पर की गयी आयकर कटौती का विवरण इस प्रकार है –

क्रम सं०	लेखा परीक्षित वर्ष	वर्ष में सामग्री खरीद पर भुगतान की गयी कुल धनराशि रू०.	टी०डी०एस० कटौती, जो की जानी थी (2.24)	टी०डी०एस० कटौती, जो की गयी	अवशेष टी०डी०एस० कटौती, जो जमा कराया जानी अपेक्षित है
1.	2014-15	5250248	117606	104481	104481
2.	2015-16	459296	102935	100329	102935
3.	2016-17	3400448	76170	65760	76170
	योग	13245992.00	296711.00	270570.00	296711.00

इस प्रकार स्पष्ट है कि आलोच्य वर्षों में कुल रू० 26141.00 की स्रोत पर कर कटौती मनमाने तरीके से नहीं कर एवं कटौती की गयी टी०डी०एस० सहित सम्पूर्ण धनराशि रू० 296711.00 की कटौती को आयकर विभाग में जमा न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है, जो अनियमितता है। ऐसे में न जमा किये गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 7 क्षेत्र पंचायत – रोहनिया जनपद –रायबरेली आपत्ति संख्या – 2.2)
आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में सामग्री खरीद पर किये गये व्यय भुगतान पर की गयी वैट कटौती का विवरण इस प्रकार है –

क्रम सं०	लेखा परीक्षित वर्ष	वर्ष में सामग्री खरीद पर भुगतान की गयी कुल धनराशि रू०.	वर्ष में वांछित कुल वैट कटौती 4:1:	वर्ष में की गयी कुल वैट कटौती	वर्ष में अवशेष वैट कटौती
1.	2014-15	5250248	262512	शून्य	262512
2.	2015-16	4595296	229776	शून्य	229776
3.	2016-17	3400448	170022	शून्य	170022
	योग	13245992	662300	शून्य	6,62,310

इस प्रकार आलोच्य वर्षों में कुल रू० 662310.00 की वैट की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू० 662310.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ के तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर – 8 क्षेत्र पंचायत – रोहनिया जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 2.3)
क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2011-14 तक की लेखापरीक्षा में फण्ड रजि.-2 के अनुसार – समीक्ष्य वर्षों में विभिन्न मदों में प्राप्त अनुदान धनराशियों के सापेक्ष विभिन्न मदों में वर्षवार निम्न विवरणानुसार कुल रू० 10,16,482 का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है –

क्रम सं०	योजना/मद का नाम	फण्ड रजि.-2 व 3 के अनुसार दर्शित व्यय-भुगतान की धनराशि			कुल धनराशि
		2014-15	2015-16	2016-17	
1.	अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना	30000	—	—	30000
2.	इंदिरा आवास कंटीजेंसी	155182	189900	105522	450304
3.	बायोगैस अनुदान	4500	—	—	4500
4.	डैड अवस्थापना	274460	—	—	274460
5.	मनरेगा कंटीजेंसी	—	—	257218	257218
6.	योग	4,64,142	1,89,900	3,62,440	10,16,482

जिससे समीक्ष्य वर्षों में फण्ड रजि.-2 व 3 में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान की उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू० 10,16,482.00 अपुष्ट रही। अतएव सम्यक् अभिलेखों से उक्त की पुष्टि कराया जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में लेखा सिद्धान्तों के अनुसार गबन मानते हुए तत्कालीन खण्ड विकास

अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से इसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 9 क्षेत्र पंचायत – सतांव जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 24)

वर्ष 2011–12 में विकास खण्ड परिसर में तृतीय राज्य वित्त योजनान्तर्गत इण्टरलॉकिंग कार्य कराया गया है, जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा चेक सं० 501707 दिनांक 19.04.2011 से रु० 160468.00 स्वयं के नाम आहरित कर फर्म को नगद भुगतान सामग्री क्रय दर्शाया गया है जो क्रय के वित्तीय नियमों के विपरीत है। उक्त अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री शम्भू दयाल वर्मा, ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री माता प्रसाद वर्मा उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 10 क्षेत्र पंचायत – सतांव जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या –25)

एस०जी०एस०वाई० योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में रु० 1899073.00 व वर्ष 2012–13 में रु० 2482500.00 तथा 2013–14 में रु० 4216279.50 व्यय का अंकन अनुदान पंजिका ।।। में किया गया है किन्तु व्यय से सम्बन्धित कोई पंजिका व अन्य व्यय के साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जा सका जिससे रु० 8597852.00 का व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि अथवा अन्यथा की स्थिति में ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री माता प्रसाद वर्मा एवं लेखाकार श्री सलमान हसन खान उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर – 11 क्षेत्र पंचायत – सतांव जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 26)

वर्ष 2013–14 व 2014–15 में विधायक निधि के अन्तर्गत इण्टर लॉकिंग कार्य (वैषम्य का पुरवा में अषोक सिंह के दरवाजे होते हुए रज्जन सिंह के घर तक) करवाया जाना दर्शित है। इण्टर लॉकिंग कार्य के श्रमांश विवरण में मस्टर रोल क्रमांक 135 धनराशि रूपया 78000.00 व मस्टर रोल क्रमांक 136 में धनराशि रु० 54992.00 (कुल धनराशि रु० 132992.00) की मजदूरी देना अंकित है किन्तु मस्टर रोल पर श्रमिकों का नाम पता, अगूँठा निषानी व हस्ताक्षर अंकित नहीं है इससे प्रतीत होता है फर्जी मस्टर रोल बनाकर धनराशि का अपहरण किया गया है उक्त व्यय की पुष्टि अन्यथा की स्थिति में ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं लेखाकार/पटल प्रभारी उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर – 12 क्षेत्र पंचायत – ऊँचाहार जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 2.1)

आयकर कटौती – आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समय में प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी से न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर धनराशि ब्याज सहित वसूली किये जाने का प्रावधान है एवं कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। 01 अप्रैल, 2009 से आयकर की कटौती 2.24 पतिषत की दर से सुनिश्चित की जानी है। आलोच्य वर्षों में लेखा परीक्षा में वर्षवार सामग्री की खरीद व उन पर की गयी आयकर कटौती का विवरण इस प्रकार है

क्रम सं०	लेखा परीक्षित वर्ष	वर्ष में सामग्री खरीद पर भुगतान की गयी कुल धनराशि रु०.	टी०डी०एस० कटौती, जो की जानी थी (2.24%)	टी०डी०एस० कटौती, जो की गयी	अवशेष टी०डी०एस० कटौती, जो जमा कराया जानी अपेक्षित है
1.	2011–12	3846828	86168	57290	22502
2.	2012–13	121140	2714	2714	शून्य
	योग				22502

इस प्रकार स्पष्ट है कि आलोच्य वर्षों में कुल रु० 22502.00 की स्रोत पर कर कटौती मनमाने तरीके से नहीं कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है, जो अनियमितता है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 13 क्षेत्र पंचायत – ऊँचाहार जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 2.2)

वैट कटौती – उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत वर्क कॉन्ट्रैक्ट के भुगतान की दषा में किसी ठेकेदार से निर्धारित दर 4%+1% (04 मार्च 2008 से लागू) से मूल्य संवर्धित कर की कटौती की जानी है। वैट अधिनियम की धारा 2 (एयू) के अनुसार, शासनादेश संख्या ए-1-351/10-2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टी0डी0एस0 सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है। इसके तहत टेंडर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना है कि संविदाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नं0 जारी किया गया है। संविदाकार के बिल को नियमानुसार भुगतान हेतु कोशागार को प्रस्तुत करते समय अथवा चेक के माध्यम से सीधे धनराशि आहरित करने वाले विभाग/निगम को चेक जारी करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा देयक चेक पर यह प्रमाणपत्र अंकित किया गया है, वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत/टिन धारक है एवं संविदा से सम्बन्धित किये जा रहे भुगतान पर प्राविधानित कटौती कर ली गयी है।

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में सामग्री खरीद पर किये गये व्यय भुगतान पर की गयी वैट कटौती का विवरण इस प्रकार है –

क्रम सं0	लेखा परीक्षित वर्ष	वर्ष में सामग्री खरीद पर भुगतान की गयी कुल धनराशि रू0.	वर्ष में की गयी कुल वैट कटौती	वर्ष में अवशेष वैट कटौती
1.	2011-12	3846828	शून्य	192341
2.	2012-13	121140	शून्य	6057
3.	2013-14	6264505	शून्य	313225
	योग	1,02,32,473	शून्य	5,11,623

इस प्रकार आलोच्य वर्षों में कुल रू0 511623.00 की वैट की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 511623.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ के तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर – 14 क्षेत्र पंचायत – ऊँचाहार जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 2.3)

क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2011-14 तक की लेखापरीक्षा में फण्ड रजि.-2 के अनुसार – समीक्ष्य वर्षों में विभिन्न मदों में प्राप्त अनुदान धनराशियों के सापेक्ष विभिन्न मदों में वर्षवार निम्न विवरणानुसार कुल रू0 1,20,75,540 का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है –

किन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई भी पत्रावली एवं व्यय-प्रमाणक आदि लेखापरीक्षा में जांच-समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे समीक्ष्य वर्षों में फण्ड रजि.-2 व 3 में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान की उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0 1,20,75,540.00 अपुष्ट रही। अतएव सम्यक् अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में लेखा सिद्धान्तों के अनुसार गबन मानते हुए सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से इसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्रम सं0	योजना/मद का नाम	फण्ड रजि.-2 व 3 के अनुसार दर्शित व्यय-भुगतान की धनराशि			कुल धनराशि
		2011-12	2012-13	2013-14	
1.	एसजीएसवाई अनुदान	1375600	5189200	3634565	10199365
2.	एसजीएसवाई – अनुदान	75200	114855	79496	269551
3.	इंदिरा आवास	—	—	129087	129087
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	—	—	1135407	1135407
5.	बायोगैस अनुदान	24000	50630	—	74630
6.	अम्डकर विशेष रोजगार योजना	60000	—	57500	117500
7.	पंचायत निर्वाचन	—	140000	—	140000
8.	निर्मल भारत अभियान	—	—	10000	10000
	सम्पूर्ण योग	1534600	5494685	5046055	12075540

प्रस्तर – 15 क्षेत्र पंचायत – ऊँचाहार जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 2.1)

आयकर कटौती – आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समय में प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी से न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर धनराशि ब्याज सहित वसूली किये जाने का प्रावधान है एवं कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। 01 अप्रैल, 2009 से आयकर की कटौती 2.24 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित की जानी है। आलोच्य वर्षों में लेखा परीक्षा में वर्षवार सामग्री की खरीद व उन पर की गयी आयकर कटौती का विवरण इस प्रकार है

क्रम सं०	लेखा परीक्षित वर्ष	वर्ष में सामग्री खरीद पर भुगतान की गयी कुल धनराशि रू०.	टी०डी०एस० कटौती, जो की जानी थी (2.24:)	टी०डी०एस० कटौती, जो की गयी	अवशेष टी०डी०एस० कटौती, जो जमा कराया जानी अपेक्षित है
1.	2015-16	12700364	284488	235712	48776
	योग				48776

इस प्रकार स्पष्ट है कि आलोच्य वर्षों में कुल रू० 48776.00 की स्रोत पर कर कटौती मनमाने तरीके से नहीं कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है, जो अनियमितता है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखापरीक्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 16 क्षेत्र पंचायत – ऊँचाहार जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 2.2)

वैट कटौती – उ०प्र० वैट अधिनियम 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत वर्क कॉन्ट्रैक्ट के भुगतान की दशा में किसी ठेकेदार से निर्धारित दर 4%+1% (04 मार्च 2008 से लागू) से मूल्य संवर्धित कर की कटौती की जानी है। वै अधिनियम की धारा 2 शासनादेश संख्या ए-1-351/10-2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टी०डी०एस० सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है। इसके तहत टेंडर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना है कि संविदाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नं० जारी किया गया है। संविदाकार के बिल को नियमानुसार भुगतान हेतु कोशागार को प्रस्तुत करते समय अथवा चेक के माध्यम से सीधे धनराशि आहरित करने वाले विभाग/निगम को चेक जारी करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा देयक चेक पर यह प्रमाणपत्र अंकित किया गया है, वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत/टिन धारक है एवं संविदा से सम्बन्धित किये जा रहे भुगतान पर प्राविधानित कटौती कर ली गयी है।

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में सामग्री खरीद पर किये गये व्यय भुगतान पर की गयी वैट कटौती का विवरण इस प्रकार है – क्रम सं०	लेखा परीक्षित वर्ष	वर्ष में सामग्री खरीद पर भुगतान की गयी कुल धनराशि रू०.	वर्ष में वांछित कुल वैट कटौती 5%	वर्ष में की गयी कुल वैट कटौती	वर्ष में अवशेष वैट कटौती
1.	2015-16	1,27,00364	5,08,015	33,005	6,02,013.00

इस प्रकार आलोच्य वर्षों में कुल रू० 6020.13.00 की वैट की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू० 6020.13.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ के तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर - 17 क्षेत्र पंचायत - ऊँचाहार जनपद -रायबरेली (आपत्ति संख्या - 2.3)

क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2011-14 तक की लेखा परीक्षा में फण्ड रजि.-2 के अनुसार - समीक्ष्य वर्षों में विभिन्न मदों में प्राप्त अनुदान धनराशियों के सापेक्ष विभिन्न मदों में वर्षवार निम्न विवरणानुसार कुल रु0 13,44,979 का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है -

क्रम सं०	योजना/मद का नाम	फण्ड रजि.-2 व 3 के अनुसार दर्शित व्यय-भुगतान की धनराशि			कुल धनराशि
		2014-15	2015-16	2016-17	
1.	बायोगैस अनुदान	8000	-	-	8000
2.	सोशल आडिट	103700	-	-	163700
3.	इंदिरा आवास	252272	981007	-	1233279
	सम्पूर्ण योग	363972	981007	-	1344979

किन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई भी पत्रावली एवं व्यय-प्रमाणक आदि लेखापरीक्षा में जांच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे समीक्ष्य वर्षों में फण्ड रजि.-2 व 3 में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान की उक्त सम्पूर्ण धनराशि रु0 13,44,979.00 अपुष्ट रही। अत एव सम्यक् अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में लेखा सिद्धान्तों के अनुसार गबन मानते हुए सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से इसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 18 क्षेत्र पंचायत - ऊँचाहार जनपद -रायबरेली (आपत्ति संख्या - 2.4)

आलोच्य वर्ष 2016-17 में विधायक निधि से संपादित कार्य ग्राम दौलत पुर में सीताराम व गयादीन की स्मृति में निर्मित शहीद द्वार का निर्माण 13वाँ वित्त से संपादित कार्य विकास खण्ड परिसर में निर्मित कार्यालयों की मरम्मत - में निम्नानुसार सामग्री खरीद पर किये गये भुगतानों पर वैट की कटौती नहीं की गयी है, न ही सम्बन्धित फर्म से वैट जमा किये जाने का प्रमाण ही प्रस्तुत किया गया है। विवरण इस प्रकार है -

कार्य का नाम	फर्म का नाम	बिल नं०/तिथि	भुगतान की गयी धनराशि रुपये में	चेक सं०/तिथि	वैट की वांछित धनराशि जो नहीं काटी गई
दौलत पुर में शहीद द्वार का निर्माण	सहिल ब्रिक फील्ड इरफान ट्रेडर्स	30 / 06.01.2016	47700	824878 / 14.01.2016	1908
		115 / 06.01.2017	128823	824879 / 14.01.2016	5153
विकास खण्ड परिसर में निर्मित कार्यालयों की मरम्मत	मे० अनुराग कन्सट्रक्शन	37 / 04.02.2017	110810	115662 / 07.03.2017	7774
		36 / 02.01.2017	85550		

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2016-17 में कुल रु0 14835.00 (1908 + 5153 + 7774) की वैट की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गई है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 14835.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर - 19 क्षेत्र पंचायत - महाराजगंज जनपद -रायबरेली (आपत्ति संख्या - 2.1)

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में सामग्री की खरीद व उन पर की गयी आयकर कटौती का विवरण इस प्रकार है -

क्रम सं०	लेखा परीक्षित वर्ष	वर्ष में सामग्री खरीद पर भुगतान की गयी कुल धनराशि रु०.	टी०डी०एस० कटौती, जो की जानी थी (2.24%)	टी०डी०एस० कटौती, जो की गयी	अवशेष टी०डी०एस० कटौती, जो जमा करायी जानी अपेक्षित है
1.	2011-12	-	-	-	-
2.	2012-13	1993322.00	44650.00	44467.00	183.00
	योग	1993322.00	44650.00	44467.00	183.00

इस प्रकार स्पष्ट है कि आलोच्य वर्षों में कुल ₹0 183.00 की स्रोत पर कर कटौती मनमाने तरीके से नहीं कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है, जो अनियमितता है। ऐसे में न जमा किये गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखापीर्शक 0021 में जमा की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 20 क्षेत्र पंचायत – महाराजगंज जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 2.2)

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में सामग्री खरीद पर किये गये व्यय भुगतान पर की गयी वैट कटौती का विवरण इस प्रकार है –

क्रमांक	लेखा परीक्षित वर्ष	वर्ष में सामग्री खरीद पर भुगतान की गयी कुल धनराशि	वर्ष में की गयी कुल वैट कटौती	वर्ष में अवशेष वैट कटौती
1.	2011-12	पत्रावलियां अनुपलब्ध रही।	—	—
2.	2012-13	1993322.00	शून्य	99666.00
3.	2013-14	90015.00	शून्य	4500.00
	योग	2083337.00	शून्य	104166.00

इस प्रकार आलोच्य वर्षों में कुल ₹0 104166.00 की वैट की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन ₹0 104166.00 की प्रतिपूर्ति के प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं लेखाकार/पटल प्रभारी उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

प्रस्तर – 21 क्षेत्र पंचायत – महाराजगंज जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 2.3)

क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की लेखा परीक्षा में फण्ड रजि.-2 के अनुसार – समीक्ष्य वर्षों में विभिन्न मदों में प्राप्त अनुदान धनराशियों के सापेक्ष विभिन्न मदों में वर्षवार निम्न विवरणानुसार कुल ₹0 4541761.00 का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है किन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई भी पत्रावली एवं व्यय-प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में जांच-समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे समीक्ष्य वर्षों में फण्ड रजि.-2 व 3 में निम्नानुसार दर्शित व्यय-भुगतान की कुल धनराशि ₹0 4541761.00 अपुष्ट रही। अतएव सम्यक् अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में लेखा सिद्धान्तों के अनुसार गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। –

क्रमांक	योजना/मद का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	धनराशि
1.	12वां वित्त	2011-12	नाली निर्माण कार्य	288964.00
2.	राज्य वित्त	2011-12	ख0नि0 जनई से भौसी आश्रम	318443.00
3.	राज्य वित्त	2011-12	कैर गांव ख0नि0 में ह्यूम पाइप	445044.00
4.	राज्य वित्त	2011-12	ख0नि0 पोखरनी	721646.00
5.	12वां वित्त	2012-13	चित्रवेष इलेक्ट्रिकल्स	658136.00
6.	12वां वित्त	2012-13	कृष्णा इण्टरप्राइजेज शोभवापुर	442975.00
7.	राज्य वित्त	2013-14	कक्केपुर सोलिंग	458434.00
8.	राज्य वित्त	2013-14	अतरेहटा सोलिंग	3180.00
9.	13वां वित्त	2013-14	डोमापुर नाली निर्माण	182787.00
10.	13वां वित्त	2013-14	मोन नाली निर्माण	32789.00
11.	13वां वित्त	2013-14	कैर बार्डर से गणेशपुर तक ख0नि0 हलोर	927736.00
12.	13वां वित्त	2013-14	स0मा0 से नन्हे यादव के घर तक ख0नि0	61627.00
	योग			4541761.00

जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं लेखाकार/पटल प्रभारी उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर – 22 क्षेत्र पंचायत – महाराजगंज जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 2)

ग्रान्ट रजि.-3 के अनुसार वर्ष 2016-17 के माह अप्रैल, 2016 में मनरेगा कन्टीन्जेन्सी मद में व्यय उपरान्त अवशेष ₹0 41992.00 के स्थान पर ₹0 38506.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार ₹0 3486.00 कम अंकित

कर नकद अपहरण किया गया है। ग्रान्ट रजि.-3 के अनुसार ही माह फरवरी, 2017 के मासान्त का अवशेष रू0 149642.00 को माह मार्च, 2017 के प्रारम्भिक अवशेष रू0 148278.00 अंकित कर अंतर की धनराशि रू0 1364.00 का नकद अपहरण किया गया है।

उपर्युक्तानुसार कुल रू0 4850.00 के नकद अपहरण के प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं लेखाकार/पटल प्रभारी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 23 क्षेत्र पंचायत – महाराजगंज जनपद – रायबरेली (आपत्ति संख्या – 3)
आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में सामग्री खरीद पर किये गये व्यय भुगतान पर की गयी वैट कटौती का विवरण इस प्रकार है –

क्रमांक	लेखा परीक्षित वर्ष	वर्ष में सामग्री खरीद पर भुगतान की गयी कुल धनराशि	वर्ष में की गयी कुल वैट कटौती	वर्ष में अवशेष वैट कटौती
1.	2014-15	2139691.00	शून्य	106984.55
2.	2015-16	1159499.00	शून्य	57974.95
3.	2016-17	—	—	—
	योग	3299190.00	—	164959.50

इस प्रकार आलोच्य वर्षों में कुल रू0 164959.50 की वैट की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 164959.50 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर – 24 क्षेत्र पंचायत – महाराजगंज जनपद – रायबरेली (आपत्ति संख्या – 4)
क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में फण्ड रजि.-2 के अनुसार – समीक्ष्य वर्षों में विभिन्न मदों में प्राप्त अनुदान धनराशियों के सापेक्ष विभिन्न मदों में वर्षवार निम्न विवरणानुसार कुल रू0 9147406.00 का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है किन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई भी पत्रावली एवं व्यय-प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में जांच-समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे समीक्ष्य वर्षों में फण्ड रजि.-2 व 3 में निम्नानुसार दर्शित व्यय-भुगतान की कुल धनराशि रू0 9147406.00 अपुष्ट रही। अतएव सम्यक् अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में लेखा सिद्धान्तों के अनुसार गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है –

क्रमांक	योजना/मद का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	धनराशि
1.	राज्य वित्त	2014-15	टेण्डर विज्ञापन पत्रावली	91476.00
2.	राज्य वित्त	2014-15	विकासखण्ड परिसर में इण्टरलॉकिंग	1899143.00
3.	राज्य वित्त	2014-15	ख0नि0 पूरे सीताराम के पुल से जनई दौतरा	168913.00
4.	राज्य वित्त	2014-15	जग प्रसाद के खेत से बदलिहा तालाब तक नाला निर्माण	332393.00
5.	राज्य वित्त	2014-15	इण्टर0 रामकिषोर के दरवाजे से शिवलाल के दरवाजे तक	218443.00
6.	13वाँ वित्त	2014-15	नरायनपुर मोन ख0 निर्माण	215679.00
7.	13वाँ वित्त	2014-15	ख0नि0 पाराकला	1011931.00
8.	13वाँ वित्त	2014-15	हलोर स0मा0 से नन्हे के घर तक ख0नि0	211513.00
9.	13वाँ वित्त	2014-15	ख0 से पूरे धौकल तक ख0नि0	88603.00
10.	13वाँ वित्त	2014-15	ख0वि0 कार्यालय की रंगाई	45113.00
11.	13वाँ वित्त	2014-15	सुल्तानपुर में नाला निर्माण	134272.00
12.	13वाँ वित्त	2014-15	जग प्रसाद के खेत से बदलिहा तालाब तक नाला निर्माण	204536.00
13.	राज्य वित्त	2015-16	सीताराम के पुल से जनई दौतरा ख0नि0 पर पाइप	14302.00
14.	राज्य वित्त	2015-16	इण्टरलॉकिंग अनूप की दुकान से मन्दिर तक	509286.00

क्रमांक	योजना/मद का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	धनराशि
15.	राज्य वित्त	2015-16	इण्टरलॉकिंग पूरेशिवदीन के दरवाजे से छेदू के दरवाजे तक	1017988.00
16.	राज्य वित्त	2015-16	रतीपाल के घर से रामू पासी के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	460256.00
17.	राज्य वित्त	2015-16	शिव सागर के दरवाजे से रतीपाल के दरवाजे तक इण्टरलॉकिंग	376363.00
18.	राज्य वित्त	2015-16	लालू के पालेसर से शिव मंदिर तक इण्टरलॉकिंग	902574.00
19.	राज्य वित्त	2015-16	इण्टरलॉकिंग योगेन्द्र मोहन के दरवाजे से कोटेदार के दरवाजे तक	1189085.00
20.	राज्य वित्त	2015-16	नाली निर्माण आनन्द के दरवाजे से रमेश के दरवाजे तक	26412.00
21.	राज्य वित्त	2015-16	ब्लाक परिसर में बाउण्ड्री वाल मरम्मत	29125.00
		योग		9147406.00

जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं लेखाकार/पटल प्रभारी उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर - 25 क्षेत्र पंचायत - महाराजगंज

जनपद - रायबरेली (आपत्ति संख्या - 5)

निम्नानुसार कराये गये कार्यों में क्रय सामग्री पर निविदा प्रक्रिया के पालन की पुष्टि से सम्बन्धित प्रपत्र व क्रय से सम्बन्धित वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जा सके -

सम्बन्धित क्र०सं०	नाम योजना	वर्ष	कार्य का नाम	धनराशि
1.	तेरहवां वित्त	2014-15	100 सोलर लाइट क्रय	5397031.00
2.	तेरहवां वित्त	2015-16	सी०एफ०एल०लाइट क्रय	1761292.00
3.	तेरहवां वित्त	2015-16	नाली निर्माण आनन्द के दरवाजे से रमेश पाण्डेय के दरवाजे तक में सामग्री क्रय	200441.00
	योग			7358764.00

उपरिदर्शित अनियमितता के प्रकरण को कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं लेखाकार/पटल प्रभारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 26 क्षेत्र पंचायत - राही

जनपद - रायबरेली (आपत्ति संख्या - 1)

गोदवारा में लोधवारी माइनर से जंग बहादुर के खेत तक नाली निर्माण के कार्य में दिनांक 25.11.2011 को चेक सं० 906689 से रु० 28800.00 का मजदूरी भुगतान हेतु कार्य प्रभारी श्री राधाकृष्ण नायर ग्राम पंचायत अधिकारी को निर्गत किया गया। किन्तु उक्त की पुष्टि में लेखा परीक्षा में मस्टर रोल उपलब्ध नहीं रहा, जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः जांच कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। विपरीत स्थिति में कार्य प्रभारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 27 क्षेत्र पंचायत - राही

जनपद - रायबरेली (आपत्ति संख्या - 2)

वर्ष 2012-13 में शारदा नहर से प्राइमरी पाठशाला स्कूल तक खंडजा मरम्मत कार्य की पत्रावली के अवलोकन से निम्न आपत्तियां पायी गई -

(क). कार्य का प्राक्कलन 885 मीटर का किया गया था। जिस पर व्ययगत धनराशि रु० 480200.00 आकलित थी। कार्य 211.50 मीटर ही क्यों कराया गया स्पष्ट किया जाये।

(ख). ईंट क्रय में रु० 18340.00 नकद कार्य प्रभारी द्वारा ईंट आपूर्तिकर्ता को क्यों किया गया। स्पष्ट किया जाये।

(ग). उक्त कार्य में ईंट की आपूर्ति कौशल ईंट उद्योग धुलवासा का निविदा स्वीकृत किया गया था जबकि आपूर्ति विशाल ब्रिक फील्ड द्वारा किया गया, जिसके बिल पर टिन नं० अंकित नहीं, स्पष्ट किया जाये।

उपरोक्त के लिए तत्कालीन कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 28 क्षेत्र पंचायत – राही जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 3)

अलाभकारी योजना पर व्यय – खंडजा मरम्मत दरियापुर रामशंकर के दरवाजे से हमीरमऊ मजरे बेला भेला तक का प्राक्कलन स्टीमेट नं० 46 दिनांक 17.10.2012 के अनुसार रू० 550200.00 जिसमें मजदूरी रू० 177280.80 एवं सामग्री पर रू० 372295.50 कुल रू० 550206.30 अर्थात् रू० 550200.00 का कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 17.04.2014 को दे दी गयी। कार्य प्रभारी श्री कौशलकुमार यादव ग्रा०प० अधिकारी द्वारा दिनांक 04.04.2013 को कार्य प्रारम्भ किया गया। उक्त कार्य से सम्बन्धित मस्टररोल का भुगतान चेक सं० 04558 दिनांक 10.06.2017 को रू० 12496.00 कार्य प्रभारी को कर दिया गया। इसके पश्चात् न तो सामग्री क्रय की गयी न ही कार्य की कोई प्रगति हुई। उक्त कार्य न कराये जाने से सम्बन्धित कोई आदेश भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं रहा। अतः दुरुपयोगित धनराशि रू० 12496.00 की स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। उक्त के लिए तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री कौशल कुमार यादव उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 29 क्षेत्र पंचायत – राही जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 1)

रू० 100000.00 से अधिक की सामग्री बिना टेण्डर के क्रय किया जाना अनियमित रहा, जो निम्नवत् है—

(क) सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना – रू० 2335000.00

(ख) सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना – रू० 179000.00

शा०सं० ए-1-864/दस-8-(1)-85 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रू० 100000.00 से अधिक की सामग्रियों के क्रय के लिए टेण्डर अनिवार्य है। शासनादेश के विरुद्ध बिना टेण्डर के आपूर्ति की गयी। जिससे प्रतिस्पर्धा न होने के कारण न्यूनतम दरों का लाभ नहीं मिल सका। अतः उक्त भुगतान अनियमित रहा। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 30 क्षेत्र पंचायत – राही जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 2)

ग्राम सभा लोधवारी खंडजा निर्माण रामअचल यादव के घर से रामनरेश पासी के घर तक निर्माण हेतु रू० 744830.00 की ईंट क्रय मे० ओम ब्रिक फील्ड से बिल सं० 521 दिनांक 29.11.2014 को चेक सं० 39466 दिनांक 15.12.2014 द्वारा क्रय किया गया। यह क्रय बिना टेण्डर प्रक्रिया अपनाये क्रय किया गया जो अनियमित रहा। प्रकरण विभागीय उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 31 क्षेत्र पंचायत – राही जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 3)

अकबरपुर कछवाह में रामऔतार के घर से मुंशीराम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य, उक्त कार्य मो० अषरफ खान द्वारा कराया गया जिसमें चेक सं० 14342 दिनांक 23.05.2015 द्वारा रू० 546128.00 का भुगतान किया गया अंकित है, जबकि बिल फर्म द्वारा दिनांक 29.06.2015 को प्रस्तुत किया गया तो भुगतान दिनांक 23.05.2015 को किन परिस्थितियों में किया गया, स्थिति स्पष्ट कीजिये। प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 32 क्षेत्र पंचायत – शिवगढ़ जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 10)

क्षेत्र पंचायत की लेखापरीक्षा में फण्ड रजि.-2 के अनुसार – समीक्ष्य वर्षों 2011-12 से 2013-14 में निम्नांकित मदो/योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में निम्न विवरणानुसार कुल रू० 9,56,088.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है –

क्र०	वर्ष	योजना/मद	कार्य का नाम व विवरण	धनराशि
1.	2011-12	रा.वि.आ. 13वाँ वित्त आयोग	बार्डर से नरेशुवा-अच्छई मार्ग तक खंडजा मरम्मत।	4,81,258.00
2.	2011-12	रा.वि.आ. 13वाँ वित्त आयोग	रामपुर खास में नाली निर्माण	1,62,670.00
3.	2012-13	रा.वि. आयोग	रामपुर सिवान में मातादीन के दरवाजे से मौनी बाबा की कुटी से	3,12,160.00

		चौडिया मार्ग तक खड़जा निर्माण।	
	योग		9,56,088.00

किन्तु उपरोक्तानुसार कराये गये कार्यों एवं उन पर किये गये व्यय-भुगतानों कुल रू0 9,56,088.00 की पुष्टि में निर्माणकार्य पत्रावलियों – कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय-प्राक्कलन, प्रशासनिक-स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर, व्यय प्रमाणक- कैशमेमो/बिल बाउचर व मस्टर रोल तथा एम0बी0 व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र- डी0पी0टी0-9 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच/समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतएव उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतानों की पुष्टि समस्त सम्यक् अभिलेखों से करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में लेखा सिद्धान्तों के अनुसार गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 33 क्षेत्र पंचायत – शिवगढ़ जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 11)
क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2011-14 तक की लेखापरीक्षा में फण्ड रजि.-2 के अनुसार – समीक्ष्य वर्षों – 2011-12 से 2013-14 में निम्नांकित मदों में प्राप्त अनुदान धनराशियों के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार कुल रू0 82,59,511.00 व्यय- भुगतान किया जाना दर्शाया गया है –

क्रम सं०	योजना/मद का नाम	फण्ड रजि.-2 व 3 के अनुसार दर्शित व्यय-भुगतान की धनराशि			कुल योग
		2011-12	2012-13	2013-14	
1.	मनरेगा निःशुल्क बोरिंग	3,22,430.00	3,46,770.00	5,37,613.00	12,06,813.00
2.	मनरेगा क्षे०प०	1,05,083.00	—	—	1,05,083.00
3.	एसजीएसवाई— अनुदान-1	6,10,000.00	1,35,000.00	3766427.00'	45,11,427.00
4.	एसजीएसवाई— अनुदान-2	2,15,000.00	77,556.00	4,93,521.00'	7,86,077.00
5.	अम्बेडकर विषेश रोजगार योजना	2,67,611.00	1,92,500.00	65,000.00	5,25,111.00
6.	राष्ट्रीय ग्रा०आजी० मिषन	—	—	11,25,000.00	11,25,000.00'
	सम्पूर्ण योग	15,20,124.00	7,51,826.00	5987561.00	82,59,511.00

किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतानों की धनराशि कुल रू0 82,59,511.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय-प्रमाणक व पत्रावली आदि लेखापरीक्षा में जांच-समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान की धनराशियाँ अपुष्ट रही। अतएव सम्यक् अभिलेखों से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में लेखा सिद्धान्तों के अनुसार गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-34 क्षेत्र पंचायत – शिवगढ़ जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 12)
निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि – समीक्ष्य वर्षों में कतिपय क्रय निर्माण सामग्री सम्बन्धी आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से नियमानुसार – आयकर – 2.24 प्रतिशत, व्यापार की – वैट – 4 प्रतिशत व सैट-1 प्रतिशत आदि की कटौती किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं के बिलों के भुगतान किये गये हैं। जबकि आयकर अधि०-1961 की धारा-194-सी० एवं व्यापार कर अधि० की धारा-34 के अन्तर्गत शासकीय नि० कार्यों में सामग्री आपूर्ति-कर्ताओं के द्वारा की जाने वाली सामग्री आपूर्ति के भुगतान से पूर्व निर्धारित दर से स्रोत पर कर की कटौती (टी०डी०एस०) करने के उपरान्त ही सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं के बिल का भुगतान किया जाना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त के नियमों एवं निर्देशों के विपरीत सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के बिलों कुल रू0 से आयकर व व्यापार कर आदि की कटौती न किये जाने अथवा कम किये जाने के परिणाम स्वरूप समीक्ष्य वर्षों में निर्माण-सामग्री पर किये गये कुल व्यय-भुगतान की धनराशि कुल रू0 23,65,994.00 पर आय कर-2.24 प्रतिशत की दर से कुल रू0 18,242.00, व्यापार-कर- वैट 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 94,640.00 तथा सैट-1 प्रतिशत की दर से कुल रू0 23,660.00 इस प्रकार कुल रू0 1,36,542.00 की कम किये जाने/कटौती न किये जाने के परिणामस्वरूप शासकीय-राजस्व की हानि हुई है। जिसकी प्रतिपूर्ति तत्कालीन बी०डी०ओ० तथा पटल प्रभारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 35 क्षेत्र पंचायत – शिवगढ़ जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 13)

समीक्ष्य वर्षों – 2011-12/2012-13 में रा0वि0आयोग मद में बार्डर से नरेशुवा-अच्छई मार्ग तक खड़जा मरम्मत हेतु श्रम पर कुल रू0 2,08,200.00 सामग्री पर कुल रू0 2,72,900.00 इस प्रकार कुल रू0 481100.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। जिसके सम्बन्ध में निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न अभिलेखों की प्रमाणिकता निम्न तथ्य प्रकाश में आये –

उक्त निर्माण कार्य चूँकि रूपया एक लाख से अधिक का है, टेण्डर के माध्यम से न कराकर, संस्था कर्मचारी/ कार्यप्रभारी – श्री अनिल कुमार, ग्रा0पं0/वि0अधि0 द्वारा श्री आर0के0मिश्रा, जे0इं0 की देखरेख में कराया गया है ईट क्रय सम्बन्धी संलग्न कोटेशन भी एक हस्तलेख में पाये गये, जो फर्जी व संदिग्ध लगते हैं।

1. उक्त निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री – ईट आदि के क्रय सम्बन्धी शंकर ब्रिक फील्ड के कच्चे बिल, जिन पर टिन नं0 भी अंकित नहीं है – बिल नं0 1069/दिनांक 25.03.2012 द्वारा 40 हजार ईट रू0 3800.00 की दर से कुल रू0 1,52,000.00 तथा बिल नं0 1074 दिनांक 16.04.2012 द्वारा 30500 ईट कुल रू0 1,15,900.00, इस प्रकार कुल रू0 2,67,900.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। बिलों पर आयकर व व्यापार कर – वैट, सैट आदि की धनराशि भी अंकित नहीं है तथा इनके भुगतान बिना एम0बी0 बुक व स्टॉक पंजिका आदि में लेखांकन के किये गये हैं। चूँकि एम0बी0 की तिथि 10.06.2012 अंकित है। संलग्न बिल भी प्रथम दृष्टया संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होते हैं।
2. संलग्न एम0बी0 बुक के अनुसार कार्य ग्रा0 तिथि – 10.04.2012, पूर्ण होने की तिथि – 10.05.2012 तथा एम0बी0 की तिथि – 10.06.2012 अंकित है। जबकि म0रोल के अनुसार कार्य ग्रा0 – 19.03.2012, पूर्ण – 10.05.2012 अंकित है। एम0बी0 में श्रम व सामग्री सम्बन्धी व्यय-प्रमाणकों – बिल व म0रोल आदि का उल्लेख नहीं है। एम0बी0 में साइन बोर्ड रू0 5000.00 अंकित है, जबकि पत्रावली में कोई व्यय-प्रमाणक व भुगतान नहीं। अतएव एम0बी0 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है।
3. उक्त नि0 कार्य सम्बन्धी संलग्न म0रोलो के अनुसार निम्न विवरणानुसार मजदूरी भुगतान किया जाना दर्शाया गया है, जिनके सम्बन्ध में जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आये –

म0रोल नं0	भुग0 दिनांक	कार्यावधि	मा0दिवस-दर	धनराशि	अभ्युक्ति
72	—	19.03.2012 से 31.03.2012 तक	215 – 120.00	25800.00	किसी भी म0रोल में श्रमिकों के नि0अं0/ हस्ताक्षर नहीं। भुगतान तिथि अंकित नहीं। सभी अकुषल श्रमिक, कोई कुषल-राज नहीं/ म0रोल के अनुसार – कार्य ग्रा0 19.03.2012 पूर्ण 10.05.2012
73	—		87 – 120.00	10440.00	
74	—	01.04.2012 से 14.04.2012 तक	314 – 120.00	37680.00	
75	—		216 – 120.00	25920.00	
76	—	15.04.2012 से 24.04.2012 तक	265 – 120.00	31800.00	
77	—		196 – 120.00	23520.00	
78	—		70 – 120.00	8400.00	
79	—	25.04.2012 से 30.04.2012 तक	158 – 120.00	18960.00	
80	—		48 – 120.00	5760.00	
81	—	01.05.2012 से 10.05.2012 तक	166 – 120.00	19920.00	
		कुल योग	1735 – 120.00	208200.00	

उक्त के सम्बन्ध में म0रोलों की जांच में पाया गया कि – किसी भी म0रोल में श्रमिकों के नि0अंगूठा/ हस्ताक्षर नहीं है। सभी अकुषल श्रमिक हैं। कोई भी कुषल-राज नहीं है। म0रोल में भुगतान तिथि भी अंकित नहीं। किन्तु खण्ड वि0 अधि0 द्वारा “पेड एण्ड कैसिल्ड” है। अतएव सभी म0रोल फर्जी हैं। अतएव उक्त निर्माण कार्य व दर्शित व्यय-भुगतान संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होते हैं।

4. नि0 कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र-रूपपत्र-41 भी संलग्न नहीं पाया गया। अतएव उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त निर्माण कार्य तथा इस हेतु दर्शित सम्पूर्ण व्यय-भुगतान की धनराशि कुल रू0 4,81,100.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 36 क्षेत्र पंचायत – शिवगढ़ जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 10)

क्षेत्र पंचायत की लेखापरीक्षा में फण्ड रजि.-2 के अनुसार –समीक्ष्य वर्षों 2014-15 से 2016-17 में निम्नांकित मदों/योजनानर्गत कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में निम्न विवरणानुसार कुल रु० 8762597.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है –

वर्ष	योजना/मद	क्र०	कार्य का नाम व विवरण	धनराशि
2014-15	रा०वि०आयोग	1	वि०खण्ड परिसर में इन्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण	1125813.00
	13वां वित्त आयोग	2	गूढ़ा में मस्जिद से वीर बाबा पुलिया एवं गांधी चबूतरा तक नाला निर्माण	1513641.00
	13वां वित्त आयोग	3	सहगो-हिडौली मार्ग – नाली एवं सी०सी०रोड निर्माण	2054586.00
	योग			4694040.00
2015-16	रा०वि०आयोग	4	मदाखेड़ा से लाल बहादुर के पुरवा तक खड़जा निर्माण	464567.00
	रा०वि०आयोग	5	बेडारू में रामशरण के घर से महन्त के घर तक इन्टर०	361657.00
	रा०वि०आयोग	6	शिवगढ़-ढेकवा मार्ग से बरखण्डी विद्यालय तक इन्टरलॉकिंग	387835.00
	रा०वि०आयोग	7	रामपुर नेरुवा डामर रोड से बसन्तपुरखेड़ा तक खड़जा निर्माण	525168.00
	कुल योग			1739227.00
2016-17	रा०वि० आयोग	1	गुलेही से कुकहा-रामपुर तक खड़जा निर्माण	398026.00
	रा०वि० आयोग	2	हैदरगढ़-बछरावां मार्ग से वि०खण्ड परिसर तक सी०सी०रोड	970226.00
	रा०वि० आयोग	3	नि० मनऊखेड़ा प्रा०वि० के सामने से मुन्ना के दरवाजे तक सी०सी०रोड	961078.00
	कुल योग			2329330.00
	सम्पूर्ण योग			8762597.00

किन्तु उपरोक्तानुसार कराये गये कार्यों एवं उन पर किये गये व्यय-भुगतानों कुल रु० 8762597.00 की पुष्टि में निर्माण कार्य पत्रावलियों – कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय-प्राक्कलन, प्रशासनिक-स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर, व्यय प्रमाणक- कैशमेमो/बिल बाउचर व मस्टर रोल तथा एम०बी० व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र – डी०पी०टी०-9 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच/समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतएव उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतानों की पुष्टि समस्त सम्यक् अभिलेखों से करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में लेखा सिद्धान्तों के अनुसार गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 37 क्षेत्र पंचायत – शिवगढ़ जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 11)

क्षेत्र पंचायत की समीक्ष्य वर्षों में लेखा परीक्षा में फण्ड रजि.-2 /बैंक खाता रा०वि० एवं 13वाँ वित्त आयोग की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि –समीक्ष्य वर्षों में उक्त मदों से सम्बन्धित बैंकखाता-बी०ओ०बी०- खा०सं० 9217 से समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में कुल रु० 5,77,736.00, 2015-16 में कुल रु० 4,57,415.00 तथा वर्ष 2016-17 में कुल रु० 73,909.00 इस प्रकार कुल रु० 11,09,060.00 इकाई द्वारा उक्त खातों से अर्जित ब्याज जो कि राज्य सरकार की आय है, राजकीय कोश में जमा अथवा विभाग को वापस नहीं की गयी है जबकि यह धनराशि शासनादेश सं० ए-1-122/10-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा शासन अवमुक्त धनराशि के बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है, तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकीय कोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार इकाई द्वारा उक्त खातों से ब्याज की अर्जित धनराशि कुल रु० 11,09,060.00 राजकीय कोश में जमा न करके अनियमित रूप से संस्था में रोक कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही

अपेक्षित है। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं पटल प्रभारी/लेखाकार उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर – 38 क्षेत्र पंचायत – शिवगढ़ जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 12)

समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में रा0वि0 आयोग मद से खडंजा मरम्मत शिवगढ़ – हैदरगढ़ रोड से बैती तक निम्न विवरणानुसार कुल रु0 7,10930.00 व्यय भुगतान किया गया दर्शाया गया है –

1. खडंजा डिसमेटलिंग – 3465 वर्गमी – रु0 470/	कुल रु0 –	16286.00
2. मिट्टी कार्य – इम्बैकमेंट – 3465 वर्गमी – रु0 92.00/	कुल रु0 –	97934.00
3. बी0ई0ओ0सोलिंग – 3465 वर्गमी – रु0 60/	कुल रु0 –	207900.00
4. ईट आपूर्ति 65900' रु 5900/	हजार कुल रु0 –	388810.00'
कुल योग		710930.00

किन्तु उक्त के सम्बन्ध में निर्माण कार्य पत्रावली में पाया गया कि – उक्त खडंजा मरम्मत हेतु प्राक्कलन में कुल 4455 वर्गमी (1350 ग 3.3मी.) हेतु कुल 46332 नई ईट (लगभग 18 प्रतिषत) तथा शेष 82 प्रतिषत पुरानी ईट प्रयुक्त होगी जबकि उक्त खडंजा मरम्मत एम0बी0 के अनुसार 4455 वर्गमी के बजाए 3465 वर्गमी (1050 ग 3.3मी.) जिसमें नई ईट – 18 प्रतिषत कुल 36175.00 रु0 5900.00 प्रति हजार की दर से कुल रु0 2,13,438.00 के बजाए 65900 रु0 5900/ की दर से कुल रु0 3,88,810.00 इस प्रकार नयी ईटे कुल 29725 रु0 5900/ की दर से कुल रु0 1,75,372.00 अधिक व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण की एम0बी0 के अनुसार – कुल 1815 वर्गमी0 खडंजा मरम्मत कार्य, जिसमें कुल 22319 नयी ईटे (21प्रतिषत) तथा शेष 79 प्रतिषत पुरानी ईट प्रयोग की गई है। इस प्रकार प्रथम चरण की एम0बी0 के अनुसार भी कुल 3465 वर्गमी0 खडंजा मरम्मत कार्य हेतु 21 प्रतिषत नयी ईट कुल 42200 5900/ की दर से कुल रु0 2,48,980.00 प्रयुक्त होगी। इस प्रकार उक्त खडंजा मरम्मत कार्य में कुल 23700 नयी ईट रु0 5900/ की दर से कुल 1,39,830.00 लेखों में हेराफेरी व फर्जी ढंग से व्यय भुगतान दर्शा कर शासकीय अनुदान धनराशि का अपहरण किया गया है। अतएव इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे0इं0 एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 39 क्षेत्र पंचायत – शिवगढ़ जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 13)

समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में रा0वि0आयोग मद में इन्टरलॉकिंग- 100 ग 3 वर्ग मी0 मुख्य मार्ग के अजीत के दरवाजे से सुत्तन के दरवाजे तक हेतु – निम्न विवरणानुसार कुल रु0 2,58,827.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है –

क्र. सं.	व्यय विवरण	प्राक्कलन/अनुबन्ध के अनुसार			एम0बी0/बिल के अनुसार			अन्तर
		फजल वर्ग मी0	दर	धनराशि	फजल वर्गमी0	दर	धनराशि	धन
1.	ई एम 1.5 एम	7.58मी.2	92.00	697.36	15.62	92.00	1437.00	-740.0
2.	लेव लिंग	47.25	80.00	3780.00	48.44	80.00	3875.00	-95.00
3.	सी सी वर्क	54.90मी.3	32600	178974	49.96	3260.00	162870.00	16104
4.	बिक्र.150	19.40	5050	961520	18.71	5050.0	94485.00	1667.0
5.	एम ई	360	125.00	45000.0	369	125.00	46125.00	-1125
6.	लोकलसैंड	18.00	400.00	7200.00	18.45	400.00	7380.00	-180.00
7.	इंटरलागिंग टाइल	4200	21.37	89754.0	4200	21.37	89754.00	—
		—	—		8400'	21.37	'179508.00	'179508
8.	शाइन बोर्ड	01	5000.00	5000.00		5000.0	5000.00	—
9.	फोटोकापी	—	—	500.00			500.00	—
	कुल योग			427057			590934	163877

उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्माणकार्य पत्रावली में पाया गया कि – उक्त निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलन/अनुबन्ध के अनुसार उपरोक्तानुसार मदवार कुल रु04,27057.00 के सापेक्ष, एम0बी0/बिल के अनुसार कुल रु0 590934.00 इस प्रकार कुल रु0 1,63,877.00 अधिक व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। जिसके सम्बन्ध में जांच में यह गम्भीर तथ्य प्रकाश में आया कि – इन्टरलॉकिंग टाइल्स छोड़ कर अन्य मदों में अन्तर की धनराशि कम होने के कारण, विचारणीय है। किन्तु क्र.-7 पर अंकित इन्टरलॉकिंग टाइल्स

प्राक्कलन/अनुबन्ध में कुल 4200 रु0 31.37 की दर से कुल रु0 89754.00 है। जबकि एम0बी0/बिल के अनुसार इन्टरलॉकिंग टाइल्स हेतु क्रमशः 4200 रु0 21.37 की दर रु0 89754.00 तथा 8400 रु0 21.37 की दर से रु01,79,508.00 इस प्रकार कुल रु0 2,69,262.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य में इन्टरलॉकिंग टाइल्स मद में लेखा में हेराफेरी व फर्जी ढंग से कुल रु0 1,79,508.00 दर्शाकर, धनराशि का अपहरण किया गया है। अतएव इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे0इं0 एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 40 क्षेत्र पंचायत – बछरावाँ जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 10)

क्षेत्र पंचायत की लेखापरीक्षा में फण्ड रजि.-2 के अनुसार – समीक्ष्य वर्षों 2011-12 से 2013-14 तक में निम्नांकित विभिन्न मदों में प्राप्त अनुदान धनराशियों के सापेक्ष विभिन्न मदों/योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में वर्षवार निम्न विवरणानुसार व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है –

वर्ष	योजना/मद	क्र0	कार्य का नाम व विवरण	धनराशि
2012-13	रा0वि0आयोग	1	खड़जा नि0- नीवा से सिकन्दरा तक	5,20,084.00
		2.	खड़जा निर्माण – विनायकपुर रोड से सी0सी0 रोड तक	9,80,606.00
	12/13वां वित्त	3.	अमावा में नाली निर्माण – फूल चन्द्र के घर से पुल तक	3,46,427.00
		4.	मदाखेड़ा में नाली नि0- शिव प्यारे के घर से राम सेवक के मकान तक	1,61,606.00
2013-14	12/13वां वित्त	5.	नाली निर्माण – आदर्श तालाब से गांव के बाहर तक	5,48,403.00
		6.	पक्का नाला नि0- राम निहोर के दरवाजे से तालाब तक	2,10,938.00
	अवस्था	7.	रैन में कैटिल पेड़निर्माण	6,92,100.00
	सम्पूर्ण योग			3460,164.00

किन्तु समीक्ष्य वर्षों में उपरोक्तानुसार कराये गये कार्यों एवं उन पर किये गये व्यय-भुगतानों कुल रु0 3460,164.00 की पुष्टि में निर्माणकार्य पत्रावलियों – कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय-प्राक्कलन, प्रशासनिक-स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर, व्यय प्रमाणक- कैशमेमो/बिल बाउचर व मस्टर रोल तथा एम0बी0 व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र – डी0पी0टी0-9 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच/समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतएव उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतानों की पुष्टि समस्त सम्यक् अभिलेखों से करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में लेखा सिद्धान्तों के अनुसार गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर –41 क्षेत्र पंचायत – बछरावाँ जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 11)

क्षेत्र पंचायत की प्रथम चरण की लेखा परीक्षा में फण्ड रजि.-2 के अनुसार – समीक्ष्य वर्षों विभिन्न मदों में प्राप्त अनुदान धनराशियों के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार कुल रु0 74,21,419.00 व्यय- भुगतान किया जाना दर्शाया गया है –

क्रम सं0	योजना/मद का नाम	फण्ड रजि.-2 व 3 के अनुसार दर्शित व्यय-भुगतान की धन.			कुल योग
		2011-12	2012-13	2013-14	
1.	एसजीएसवाई अनुदान-1	2,97,500.00	20,000.00	11,35,777.00	14,53,277.00
2.	एसजीएसवाई अनुदान-2	17,00,000.00	5,25,000.00	4,80,752.00	27,05,752.00
3.	मनरेगा निःशुल्क बोरिंग	17,56,240.00	—	—	17,56,240.00
4.	मनरेगा लघु सिंचाई	6,11,890.00	7,92,849.00	1,01,411.00	15,06,150.00
	सम्पूर्ण योग	43,65,630.00	13,37,849.00	17,17,940.00	74,21,419.00

किन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई भी व्यय-प्रमाणक व पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में जांच-समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे समीक्ष्य वर्षों में फण्ड रजि.-2 में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान की कुल धनराशि रु0 74,21,419.00 अपुष्ट रही। अतएव सम्यक् अभिलेखों से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

अन्यथा स्थिति में लेखा सिद्धान्तों के अनुसार गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 42 क्षेत्र पंचायत – बछरावाँ जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 12)
आलोच्य वर्ष 2013-14 में 13वां वित्त आयोग मद में क्षेत्रों अन्तर्गत विभिन्न स्थलों पर सोलरलाइट स्थापना हेतु विवरणानुसार कुल रु0 19,16,399.00 व्यय- भुगतान किया जाना दर्शाया गया है –

क्र०सं०	कार्य का नाम	धनराशि	फर्म का नाम
1.	वि०खण्ड परिसर में सोलर पावर सिस्टम स्था०	592783.00	मे० एलीट
2.	सोलर लाइट स्था०-23	527128.00	मे० एलीट
3.	सोलर लाइट स्था०-23	527128.00	मे० एलीट
4.	सोलर लाइट स्था०- देवपुरी-1	20720.00	मे० रोहित
5.	सोलर लाइट स्था०- मजार के पास	20720.00	मे० रोहित
6.	सोलर लाइट स्थाप०- विकास खण्ड परिसर-4	82880.00	मे० एलीट
7.	सोलर लाइट स्थाप०- विनायकपुर-3	62160.00	मे० एलीट
8.	सोलर लाइट स्थाप०- सहगो-4	82880.00	मे० एलीट
	कुल योग	1916399.00	

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों की जांच में पाया गया कि – उक्त के भुगतान सम्बन्धित फर्म के बिल के आधार पर उपरोक्तानुसार किया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार कराये गये कार्य एवं उन पर किये गये व्यय भुगतान की कुल धनराशि रु0 1916399.00 के औचित्य की पुष्टि में अन्य आवश्यक एवं अपेक्षित अभिलेख- वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, टेण्डर, एम०बी०- स्थापना व फोटोग्राफी, कारन्टी-पत्र तथा कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख निर्माणकार्य पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाये गये और न ही लेखापरीक्षा में जांच-समीक्षा में प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार इकाई द्वारा उ०प्र० पं० राज० अधि० 1947 यथा संशोधित निर्माणकार्यों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय हस्त-पुस्तिका-खण्ड-6 भाग-1 के प्रस्तर 434 व 435 में दिये गये नियमों व निर्देशों के विपरीत उपरोक्तानुसार दर्शित सम्पूर्ण भुगतान की धनराशि रु0 19,16,399.00 माप-पुस्तिका में बिना मापी तथा अन्य अपेक्षित कार्यवाही/अभिलेखों के अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय-भुगतान कर दी गयी है। अतएव समस्त सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त अनियमिता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार/पटल प्रभारी उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर –43 क्षेत्र पंचायत – बछरावाँ जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 10)
क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में फण्ड रजि.-2 के अनुसार – आलोच्य वर्षों में विभिन्न मदों में प्राप्त अनुदान धनराशिया के सापेक्ष विभिन्न मदों/योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में वर्षवार निम्न विवरणानुसार व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है –

वर्ष	योजना/मद	क्र०	कार्य का नाम व विवरण	धनराशि
2014-15	12/13वां वित्त	1	नाला नि०- कसरावां ड्रेन से राज कुमार के घर तक	4,18,100.00
		2.	नाला नि०- रामपाल के घर से केशन पाल के घर तक	7,26,280.00
		3.	नाली नि०- परागखेड़ा में नहर से तालाब तक	5,17,542.00
		4.	नाला नि०- समोधा हरिजनबस्ती से रघुनाथखेड़ा कुटी तक	5,87,925.00
	बी०आर०जी०एफ०	5.	इन्टरलॉकिंग- जगतपाल के घर से भवानी मंदिर तक	6,08,416.00
		6.	सी०सी०रोड –उमरपुर-बमनपुरखेड़ा	10,28,224.00
		7.	सी०सी०रोड एवं नाली निर्माण – उमरपुर – गुमानखेड़ा	13,30,078.00
		8.	खड़जा निर्माण – मदाखेड़ा-बरचन्दा से उन्नाव बार्डर तक	14,13,903.00
2015-16	रा०वि० आयोग	9.	इन्टरलॉकिंग – मुख्य मार्ग से गोलगंज	9,19,296.00

वर्ष	योजना/मद	क्र०	कार्य का नाम व विवरण	धनराशि
			तक	
		10.	खड़जा नि० – मुख्य मार्ग से नेवाजखेड़ा तक	7,98,361.00
	12/13वां वित्त	11.	सी०सी०रोड – हनुमान मंदिर से हरिष्वन्द्र के घर तक – सहगो	16,67,830.00
		12.	इन्टरलॉकिंग व नाली नि० – सरौरा – महाजन के घर से गहणा तालाब तक	6,38,382.00
	सम्पूर्ण योग			1,06,54,337.00

किन्तु समीक्ष्य वर्षों में उपरोक्तानुसार कराये गये कार्यों एवं उन पर किये गये व्यय-भुगतानों की पुष्टि में निर्माणकार्य पत्रावलियों – कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय-प्राक्कलन, प्रशासनिक-स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर, व्यय प्रमाणक-कैशमेमो/बिल बाउचर व मस्टर रोल तथा एम०बी० व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र – डी०पी०टी०-9 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच/समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतएव उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतानों की पुष्टि समस्त सम्यक् अभिलेखों से करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में लेखा सिद्धान्तों के अनुसार गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 44 क्षेत्र पंचायत – बछरावाँ जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 11)

क्षेत्र पंचायत की समीक्ष्य वर्षों में लेखा परीक्षा में फण्ड रजि.-2 /बैंक खाता रा०वि० एवं 13वाँ वित्त आयोग की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि – समीक्ष्य वर्षों में उक्त मदों से सम्बन्धित बैंक खातों – सेन्ट्रल बैंक- खा०सं० 97928 से कुल रु० 12,37,736.00 तथा इला० बैंक खाता सं०- 95688 से कुल रु० 2,93,123.00 इस प्रकार कुल रु० 15,16,868.00 ब्याज अर्जन हुआ है, जो कि राज्य सरकार की आय होगी। जिसमें से मात्र रु० 5,91,305.00 की धनराशि दिनांक 26,07,2013 को जि०पं०रा०अधि० रायबरेली को वापस की गई है। दिनांक 20.03.2015 को चेक सं० – 005426 द्वारा रु० 6,26,610.00 की वापस की गयी धनराशि चेक निरस्त होने के कारण वापस नहीं हुई। इस प्रकार इकाई द्वारा उक्त खातों से अर्जित ब्याज की शेष धनराशि कुल रु० 9,25,554.00 जो कि राज्य सरकार की आय है, राजकीय कोश में जमा अथवा विभाग को वापस नहीं की गयी है। जबकि यह धनराशि शासनादेश सं०-ए71-122 /10-2012 -10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा शासन अवमुक्त धनराशि के बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है, तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राजकीय कोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार इकाई द्वारा उक्त खातों से ब्याज की अर्जित धनराशि कुल रु० 9,25,554.00 राजकीय कोश में जमा न करके अनियमित रूप से संस्था में रोक कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। इस प्रति समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त अनियमिता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार/पटल प्रभारी उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर – 45 क्षेत्र पंचायत – बछरावाँ जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 12)

आलोच्य वर्ष 2014-15 में 13वां वित्त आयोग मद में – नाला निर्माण – फूलचन्द्र के बंगला से गोले सिंह के मकान तक निम्न विवरणानुसार कुल रु० 3,19,022.00 व्यय- भुगतान किया जाना दर्शाया गया है –

क्रम सं०	व्यय विवरण	धनराशि	कटौती की धनराशि	भुगतानित धनराशि
1.	राम आसरे ब्रिक फील्ड – ईट – 27500 / 5580	1,53,450.00	15753.00	137697.00
2.	मे० राम कुमार ट्रेडर्स- सीमेंट, मोरंग आदि बिल नं० 29, दिनांक 24.05.2014.	76,937.00	8479.00	68458.00
3.	मजदूरी भुगतान- म०रोल-121 कार्यावधि – 23.05.2014 से 30.05.2014	14,840.00	—	14840.00
	मजदूरी भुगतान- म०रोल-123 कार्यावधि – 01.06.2014 से 07.06.2014	10450.00	—	10450.00
	मजदूरी भुगतान- म०रोल-136 कार्यावधि – 08.10.2014 से 14.10.2014	17,142.00	—	17142.00

क्रम सं०	व्यय विवरण	धनराशि	कटौती की धनराशि	भुगतानित धनराशि
	कुल योग मजदूरी	42,432.00		
4.	मे० राम कुमार ट्रेडर्स – सीमेंट, मोरंग आदि बिल नं०- 29 दिनांक 24.05.2014	16,140.00	1896.00	14244.00
5.	आमआसरे ब्रिक फील्ड – ईट 4800 / 5580 बिल नं० 319 दिनांक 25.08.2014	27,063.00	2778.00	24285.00
6.	राम जी षिल्पकार – पत्थर – 2 – 2.5”	3000.00	—	3000.00
	सम्पूर्ण योग	3,19,022.00	28906.00	290116.00

अन्य विवरण :- 1. कार्य प्रभारी श्री मंजुल मयंक— ग्रा०वि० अधि०, 2. जे०ई० श्री एम०के० चौधरी, 3. स्वीकृति—मेमो – 07.02.2014 , 4. एम०बी० के अनुसार – कार्य प्रा० – दिनांक 14.05.2014, पूर्ण – दिनांक 24.05.2014, एम०बी० तिथि – 28.05.2014, 5. टेण्डर – 01.03.2014

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों की जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आये –

1. पत्रावली के अनुसार – कार्य की स्वीकृति – 07.02.2014 तथा टेण्डर – 01.03.2014 जबकि कार्य—प्रारम्भ – म०रोल के अनुसार काफी विलम्ब से 14.05.2014 तथा पूर्ण होने की तिथि – 14.10.2014 अंकित है। एम०बी० व म०रोल के अनुसार – कार्य प्रा० तथा पूर्ण होने की तिथि में अन्तर रहा तथा एम०बी० की तिथि 28.05.2014 अंकित है। अतएव तिथियाँ फर्जी व काल्पनिक हैं।
2. निर्माण सामग्री क्रय व म०रोल के अनुसार कार्य कराने की तिथियों में काफी अन्तर है। म०रोल – 136 के अनुसार कार्य दौरान कोई भी निर्माण सामग्री क्रय नहीं की गयी है। जिसके बिना कार्य होना सम्भव नहीं है।
3. म०रोल – 136 जिसमें तीन राज व 12 अकुषल श्रमिकों में किसी के भी हस्ताक्षर/नि०अंगूठा नहीं पाये गये। म०रोल नं० 121 व 123 में भी श्रमिकों के हस्ताक्षर/नि० अंगूठा एक जैसे पाये गये। अतएव म०रोल के अनुसार दर्शित मजदूरी भुगतान संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है।
4. ईट व सीमेंट—मोरंग आदि क्रय सम्बन्धी कच्चे बिल निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न पाये गये, जो कि प्रथम दृष्टया संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होते हैं।
5. एम०बी० व म०रोल की तिथियों में अन्तर होने के कारण उक्त कार्य की एम०बी० भी संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है।

अतः एवं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर फण्ड रजि.—2 के अनुसार उपरोक्तानुसार दर्शित सम्पूर्ण व्यय—भुगतान की धनराशि कुल रु० 3,19,022.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जे०ई० एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 46 क्षेत्र पंचायत – बछरावाँ जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 13)

आलोच्य वर्ष 2014–15 में 13वां वित्त आयोग मद में – नाला निर्माण – राधे प्याम के घर से तालाब तक निम्न विवरणानुसार कुल रु० 3,34,442.00 व्यय— भुगतान किया जाना दर्शाया गया है –

क्रम सं०	व्यय विवरण	बिल धनराशि की	कटौती की धन० की	भुगतान धनराशि
1.	मोहनी ब्रिक फील्ड—ईट—22500 / 5580 बिल नं० 166 / 1714	125550.00	12889.00	112661.00
2.	मे० हफीज ट्रेडर्स— सीमेंट, मोरंग आदि बिल नं०—87 / 01.07.2014	71697.00	8321.00	63376.00
3.	मजदूरी भुगतान— म०रोल—104, कार्यावधि 01.08.2014 से 08.08.2014	21510.00	—	21510.00
	मजदूरी भुगतान— म०रोल—105, कार्यावधि 01.03.2015 से 16.03.2015	29336.00	—	29336.00
	कुल योग मजदूरी	50846.00		50846.00
4.	मे० हफीज ट्रेडर्स— सीमेंट, मोरंग आदि बिल नं० 102, दिनांक 26.02.2015	45405.00	5742.00	39663.00
5.	मोहनी ब्रिक फील्ड—ईट—6800 / 5580 बिल नं० 325 / 25.08.2014	37944.00	860.00	37084.00
6.	राम जी षिल्पकार – पत्थर – 2 – 2.5”	3000.00	—	3000.00

क्रम सं०	व्यय विवरण	बिल की धनराशि	कटौती की धन०	भुगतान धनराशि
	सम्पूर्ण योग	334442.00	27412.00	306630.00

अन्य विवरण :- 1. कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार— ग्रा०वि० अधि०, 2. जे०ई० श्री एम०के०चौधरी, 3. स्वीकृति—मेमो — 07.02.2014 , 4. एम०बी० के अनुसार — कार्य प्रा० — दिनांक 26.06.2014, समाप्त — दिनांक 16.03.2015, एम०बी० तिथि — 26.02.2015, 5. टेण्डर — 01.03.2014

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों की जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आये —

1. पत्रावली के अनुसार — कार्य की स्वीकृति — 07.02.2014 तथा टेण्डर — 01.03.2014 जबकि कार्य—प्रारम्भ — म०रोल के अनुसार काफी विलम्ब से 01.08.2014 तथा पूर्ण होने की तिथि — 16.03.2015 अंकित है। एम०बी० व म०रोल के अनुसार — कार्य प्रा० तथा पूर्ण होने की तिथि में अन्तर रहा तथा एम०बी० की तिथि 26.06.2014 अंकित है। अतएव तिथियाँ फर्जी व काल्पनिक हैं।
2. निर्माण सामग्री क्रय व म०रोल के अनुसार कार्य कराने की तिथियों में काफी अन्तर है। म०रोल — 105 के अनुसार कार्य दौरान कोई भी निर्माण सामग्री क्रय नहीं की गयी है। जिसके बिना कार्य होना सम्भव नहीं है।
3. म०रोल — 104 व 105 श्रमिकों के हस्ताक्षर/नि०अंगूठा नहीं पाये गये। म०रोल नं० 121 व 123 में भी श्रमिकों के हस्ताक्षर/नि०अंगूठा एक जैसे पाये गये। अतएव म०रोल के अनुसार दर्शित मजदूरी भुगतान संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है।
4. ईट व सीमेन्ट—मोरंग आदि क्रय सम्बन्धी कच्चे बिल निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न पाये गये, जो कि प्रथम दृष्टया संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होते हैं।
5. एम०बी० व म०रोल की तिथियों में अन्तर होने के कारण उक्त कार्य की एम०बी० भी संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों के आधार पर फण्ड रजि.—2 के अनुसार उपरोक्तानुसार दर्शित सम्पूर्ण व्यय—भुगतान की धनराशि कुल रु० 3,34,442.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जे०ई० एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 47 क्षेत्र पंचायत — हरचन्दपुर जनपद —रायबरेली (आपत्ति संख्या — 1)

विधायक निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011—12 में कराये गये कार्य लालूपुर स्थित आस्तीक स्वामी मन्दिर के समीप कार्यशाला पेड़ों के निर्माण में की गयी आयकर की कटौती रूपया 10813.00 को आयकर विभाग में जमा किये जाने की पुष्टि में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा। जिससे जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। आयकर न जमा किा जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। रु० 10813.00 आयकर विभाग में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 48 क्षेत्र पंचायत — हरचन्दपुर जनपद —रायबरेली (आपत्ति संख्या — 2)

आयकर कम काटकर राजस्व की हानि —

योजना	वर्ष	सामग्री पर व्यय	आयकर जो काटा जाना था	आयकर जो काटा गया	अन्तर
विधायक निधि	2011—12	774649.00	17352.00	14620.00	2732.00
राज्य वित्त आयोग	2011—12	1354998.00	30352.00	27266.00	3086.00
राज्य वित्त आयोग	2012—13	1365911.00	30596.00	29370.00	1226.00
राज्य वित्त आयोग	2013—14	247282.00	5539.00	4355.00	1184.00
बारहवा/तेरहवां वित्त आयोग	2011—12	854501.00	19140.00	10536.00	8604.00
बारहवा/तेरहवां वित्त आयोग	2012—13	1082493.00	24248.00	12263.00	11985.00
बारहवा/तेरहवां वित्त आयोग	2013—14	1003144.00	22470.00	14087.00	8383.00
बी०आर०जी०एफ०	2011—12	72420.00	1622.00	—	1622.00

योजना	वर्ष	सामग्री पर व्यय	आयकर जो काटा जाना था	आयकर जो काटा गया	अन्तर
	योग				38822.00

उपरोक्तानुसार आयकर रूपया 38822.00 की कम कटौती की गई जिसे सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति से वसूल किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में राजस्व की हुई हानि की प्रतिपूर्ति लेखाकार श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा, श्री संजय शुक्ला एवं सुन्दर लाल तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, श्री अमरनाथ राय एवं श्रीमती आषा देवी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 49 क्षेत्र पंचायत – हरचन्दपुर जनपद – रायबरेली (आपत्ति संख्या – 3)

समीक्ष्य वर्षों में कराये गये कार्यों का व्यापार कर के प्राविधान के अनुसार निर्माण सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर की कटौती की जानी थी। परन्तु समीक्ष्य वर्षों में क्रय सामग्रियों पर सम्बन्धित कटौती नहीं की गयी जो कि आपत्तिजनक है। विवरण निम्न प्रकार है –

योजना	वर्ष	सामग्री पर व्यय	आयकर जो काटा जाना था	आयकर जो काटा गया	अन्तर
विधायक निधि	2011-12	774649.00	30986.00	—	30986.00
राज्य वित्त आयोग	2011-12	1354998.00	54200.00	—	54200.00
राज्य वित्त आयोग	2012-13	1365911.00	54200.00	—	54200.00
राज्य वित्त आयोग	2013-14	247282.00	9891.00	—	9891.00
बारहवा/तेरहवा वित्त आयोग	2011-12	854501.00	34180.00	—	34180.00
बारहवा/तेरहवा वित्त आयोग	2012-13	1082493.00	43300.00	—	43300.00
बारहवा/तेरहवा वित्त आयोग	2013-14	1003144.00	40125.00	—	40125.00
बी0आर0जी0एफ0	2011-12	72420.00	2897.00	—	2897.00
	योग				270215.00

उपरोक्तानुसार व्यापार कर रूपया 270215.00 की कम कटौती की गई जिसे सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति से वसूल किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में राजस्व की हुई हानि की प्रतिपूर्ति लेखाकार श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा, श्री संजय शुक्ला एवं सुन्दर लाल तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, श्री अमरनाथ राय एवं श्रीमती आषा देवी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 50 क्षेत्र पंचायत – हरचन्दपुर जनपद – रायबरेली (आपत्ति संख्या – 24)

शा0सं0 ए-1-122/दस-2012-2013-1033/2010 दिनांक 21 मार्च, 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा शासन अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है, तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। समीक्ष्य वर्षों में अर्जित ब्याज का विवरण निम्न है –

योजना – एकाउन्ट नं०	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18
तेरहवा वित्त आयोग 3818100000270	20659.00	36756.00	73810.00	71726.00	18470.00	241421.00
तेरहवा वित्त आयोग 09760100024925	9175.00	26498.00	20428.00	9240.00	15529.00	80870.00
राज्य वित्त आयोग 50170100002071	43966.00	92053.00	—	—	—	53219.00
दस लाख कूप योजना 50170100021143	4105.00	1127.00	8795.00	7555.00	1199.00	22781.00
राज्य वित्त आयोग 50170100007804	—	—	82566.00	80681.00	101762.00	265009
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि 38180100008212	—	—	11188.00	20905	15836.00	47929.00
	77905.00	73634.00	196787.00	190107.00	152796.00	691229.00

उपरोक्तानुसार दर्शित बैंक खातों के स्टेटमेंट के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि कतिपय खातों में दर्शित अवशेष अर्जित ब्याज से कम है, जिसका विवरण निम्नवत् है –

- (क). तेरहवां वित्त आयोग से सम्बन्धित एकाउन्ट नं० 3818100000270 में दिनांक 03.01.2017 को अवशेष रु० 25904.25 दर्शित है जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 में अर्जित ब्याज का रु० 221421.00 में से $(221421.00 - 25904.25) = 195516.75$ का अनियमित भुगतान किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री सुन्दरलाल एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती आषा देवी, श्री दिनेश कुमार यादव, निषान्त पाण्डेय तथा श्रीमती सरिता गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।
- (ख). तेरहवां वित्त आयोग से सम्बन्धित एकाउन्ट नं० 09760100024925 में दिनांक 06.01.2017 को अवशेष रु० 10381.00 दर्शित है जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 में अर्जित ब्याज का रु० 80870.00 में से $(80870.00 - 10381.00) = 70489.00$ का अनियमित भुगतान किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री सुन्दरलाल एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती आषा देवी, श्री दिनेश कुमार यादव, निषान्त पाण्डेय तथा श्रीमती सरिता गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।
- (ग). पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि एकाउन्ट नं० 38180100008212 में दिनांक 16.02.2017 को अवशेष रु० 42488.00 दर्शित है जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 में अर्जित ब्याज का रु० 47929.00 में से $(47929.00 - 42488.00) = 5433.75$ का अनियमित भुगतान किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री सुन्दरलाल एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती आषा देवी, श्री दिनेश कुमार यादव, निषान्त पाण्डेय तथा श्रीमती सरिता गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।
- (घ). दस लाख कूप योजना से सम्बन्धित एकाउन्ट नं० 50170100021143 में दिनांक 18.03.2017 को अवशेष रु० 6374.00 दर्शित है जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 में अर्जित ब्याज का रु० 22781.00 में से $(22781.00 - 6374.00) = 16407.00$ का अनियमित भुगतान किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री सुन्दरलाल एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती आषा देवी, श्री दिनेश कुमार यादव, निषान्त पाण्डेय तथा श्रीमती सरिता गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 51 क्षेत्र पंचायत – हरचन्दपुर जनपद – रायबरेली (आपत्ति संख्या – 25)

आयकर कम काटकर राजस्व की हानि –

योजना	वर्ष	सामग्री पर व्यय	आयकर जो काटा जाना था	आयकर जो काटा गया	अन्तर
राज्य वित्त आयोग	2014-15	3812192.00	85393.00	70515.00	14878.00
तेरहवां वित्त आयोग	2014-15	417570.00	9353.00	6856.00	2497.00
	योग				17375.00

उपरोक्तानुसार आयकर रूपया 17375.00 की कम कटौती की गई जिसे सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति से वसूल किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में राजस्व की हुई हानि की प्रतिपूर्ति लेखाकार श्री सुन्दरलाल, खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 52 क्षेत्र पंचायत – हरचन्दपुर जनपद – रायबरेली (आपत्ति संख्या – 26)

शासनादेश संख्या क०नि०-2-1315/ग्यारह-09(10)/08 उ०प्र० अधिनियम-5-2008 आदेश- (10)/ 2013 दिनांक 07.10.2013 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार निर्माण सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय पर 4 प्रतिशत वैट की कटौती की जानी थी किन्तु समीक्ष्य वर्ष में क्रय सामग्रियों पर सम्बन्धित कटौती नहीं की गयी है, जो कि आपत्तिजनक है –

योजना	वर्ष	सामग्री पर व्यय	व्यापार कर जो काटा जाना था	व्यापार जो काटा गया	अन्तर
राज्य वित्त आयोग	2014-15	3812192.00	152488.00	9996.00	142492.00
तेरहवां वित्त आयोग	2014-15	417570.00	16703.00	—	16703.00
	योग				159195.00

उपरोक्तानुसार व्यापार कर रूपया 159195.00 की कम कटौती की गई जिसे सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति से वसूल किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में राजस्व की हुई हानि की प्रतिपूर्ति लेखाकार श्री सुन्दरलाल, खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 53 क्षेत्र पंचायत – जगतपुर जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 24)

राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत पालकी हार में विजय बहादुर के घर से तालाब तक जल निकासी नाली निर्माण के कार्य में सामग्री पर व्यय एम0बी0 के अनुसार रू0 458439.00 होता है जबकि भुगतान रू0 459704.00 का किया गया है। इस प्रकार रू0 1265.00 का भुगतान अधिक किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 54 क्षेत्र पंचायत – जगतपुर जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 25)

समीक्ष्य वर्ष 2011-12 में कराये गये निर्माण कार्य (पालकी हार में विजय बहादुर के घर से तालाब तक नाली निर्माण) पर रू0 456200.00 के ईट सीमेंट एवं मोरंग क्रय पर भुगतान किया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियाँ पायी गयीं –

(क). समस्त भुगतान नकद किया गया है, जो अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

(ख). क्रय सामग्री रू0 456200.00 पर आयकर रू0 10218.00 की कटौती नहीं की गई है जिससे राजकीय धनराशि की क्षति हुई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(ग). क्रय सामग्री रू0 456200.00 पर व्यापार कर रू0 18248.00 की कटौती नहीं की गई है जिससे राजकीय धनराशि की क्षति हुई। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 55 क्षेत्र पंचायत – जगतपुर जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 26)

समीक्ष्य वर्ष 2012-13 में किये गये व्ययों का विवरण निम्नवत् है –

(क). राज्य वित्त/बारहवां वित्त	—	रू0 555551.00
(ख). राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	—	रू0 2700402.00
(ग). कैटिल पेड निर्माण	—	रू0 313663.00
(घ). निःशुल्क बोरिंग योजना	—	रू0 8 14181.00
(ड.) राज्य वित्त/तेरहवां वित्त	—	रू0 1029681.00
योग	—	रू0 5413478.00

दर्शित व्यय रू0 5413478.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों के अनुपलब्ध रहने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि न होने की दशा में रू0 5413478.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 56 क्षेत्र पंचायत – जगतपुर जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 27)

समीक्ष्य वर्ष 2013-14 में सोलर लाईट स्थापना कार्य पर व्यय रू0 407000.00 से सम्बन्धित टेण्डर खुलने का दिनांक 13.08.2013 अंकित है जबकि स्टाम्प निर्गमन की तिथि 21.10.2013 है। जिससे स्पष्ट है कि टेण्डर प्रक्रिया पूर्णतः फर्जी प्रतीत होती है। अतः सोलर लाईट पर व्यय रू0 407000.00 का भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 57 क्षेत्र पंचायत – जगतपुर जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 26)

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड को समीक्ष्य वर्ष में निम्न प्राप्तियाँ दर्शित हैं –

वर्ष	अनुदान	ब्याज	योग
2014-15	1133000.00	36920.00	1169920.00
2015-16	—	26944.00	26944.00
2016-17	—	19002.00	19002.00

अनुदान पंजिका-11 के अनुसार समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में किये गये व्ययों का विवरण निम्न है –

मे0 माँ वैश्यों ब्रिक फील्ड बेहीखोर—	441837.00
जय माँ वैश्यों इन्टर प्राइजेज —	386229.00
श्री जय प्रकाश, ग्रा0वि0अधि0—	307779.00
योग	1135845.00

बैंक चार्ज 90.00

योग 1135935.00

दर्शित व्यय में निम्न आपत्तियाँ दृष्टिगत हुईं –

(क) शा0सं0-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च, 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा शासन अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकीय कोशागार में जमा करा दिया जाना चाहिए। समीक्ष्य वर्षों में रु0 82866.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे राजकीय कोश में जमा न किया जाना आपत्तिजनक है। राजकीय कोश में जमा किया जाना अपेक्षित है। लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख) टेण्डर फार्म की बिक्री की आय दर्शित नहीं है।

(ग) सामग्री प्रदायकर्ताओं की जमानत जमा नहीं की गयी है।

(घ) टेण्डर के समय अर्नेस्ट मनी प्राप्त नहीं की गयी है।

(ङ.) समीक्ष्य वर्ष में रु0 1133000.00 प्राप्त धनराशि के सापेक्ष रु0 1135845.00 व्यय की गयी है जो रु0 2845.00 अधिक है जिसकी ब्याज सहित वसूली आंकिक श्री रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव एवं गंगा प्रसाद तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 दीक्षित से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(च) समीक्ष्य वर्ष में व्यय रु0 1135845.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों के अनुपलब्ध रहने के कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में धनराशि रु0 1133000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव एवं गंगा प्रसाद तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 दीक्षित से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 58 क्षेत्र पंचायत – जगतपुर जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 27)

राज्य वित्त एवं तेरहवाँ वित्त आयोग के अन्तर्गत विकास खण्ड को प्राप्त धनराशि का विवरण निम्न है –

वर्ष	नकद	अनुदान	ब्याज	योग
2014-15	12600.00	3995823.00	148131.00	4156554.00
2015-16	0.00	2896986.00	121394.00	3018380.00
2016-17	26300.00	2755556.00	114413.00	2896269.00

अनुदान पंजिका के अनुसार समीक्ष्य वर्षों में किये गये व्ययों का विवरण निम्न है –

वर्ष 2014-15 –

(1) मानदेय प्रमुख (जनवरी 14 से नवम्बर 2014)	—	77000.00
(2) इन्वर्टर क्रय	—	57000.00
(3) कुसी मेज क्रय	—	67250.00
(4) सी0एफ0एल0 सोलर लाईट	—	4936881.00
(5) जय प्रकाश ग्रा0वि0अधि0 स0 मार्ग चौड़ीकरण	—	73511.00
(6) बैंक चार्ज	—	112.00
(7) क्षेत्र पंचायत सदस्य मानदेय	—	25500.00
योग	—	5302254.00

आपत्तियां –

(क) शा0सं0-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च, 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा शासन अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकीय कोशागार में जमा करा दिया जाना चाहिए। समीक्ष्य वर्षों में रु0 383938.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे राजकीय कोश में जमा न किया जाना आपत्तिजनक है। राजकीय कोश में जमा किया जाना अपेक्षित है। लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख) प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई, 2015 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि से 50 प्रतिशत की मरम्मत एवं रख रखाव पर अवश्य किया जाय। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। परन्तु समीक्ष्य वर्ष में 2014-15 में क्षेत्र पंचायत को रु0 3995823.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष अनियमित रूप से रु0 4936881.00 सी0एफ0एल0 सोलर लाईट लगवाने पर व्यय किया गया है। अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(ग) सी0एफ0एल0 सोलर लाईट प्रदायकर्ता (चिता वेष्ठा) से जमानत राशि जमा नहीं करायी गयी है।

(घ) टेण्डर फार्म की बिक्री की आय दर्शित नहीं है।

(ड.) समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में किये गये व्यय रू0 5199642.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों के अनुपलब्ध रहने के कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में धनराशि रू0 5199642.00 की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव एवं गंगा प्रसाद तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 दीक्षित से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 59 क्षेत्र पंचायत - जगतपुर जनपद -रायबरेली (आपत्ति संख्या - 28)

राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त आयोग वर्ष (2015-16) -

(1) मानदेय प्रमुख	—	105000.00
(2) आनन्द टाइम्स विज्ञान	—	12303.00
(3) जय प्रकाश ग्रा0वि0अधि0 को स्वान कक्ष मरम्मत अग्रिम-	—	80000.00
(4) आयकर का भुगतान	—	113000.00
(5) इण्टरलॉकिंग से सम्बन्धित व्यय		
(क) भारत टाइल्स सलोन	—	1210484.00
(ख) भारत ब्रिक फील्ड	—	516690.00
(ग) भारत ट्रेडर्स सलोन	—	557227.00
(घ) मजदूरी जय प्रकाश ग्रा0वि0अधि0	—	602048.00
(6) बैंक चार्ज	—	48.00
योग	—	3196899.00

उक्त व्यय के क्रम में निम्न आपत्ति दृष्टिगत हुई-

(क) टेण्डर फार्म की बिक्री का पैसा जमा नहीं किया गया है।

(ख) धरोहर राशि एवं जमानत राशि नहीं ली गयी है।

(ग) समीक्ष्य वर्ष में कराये गये इण्टरलॉकिंग कार्य सुदामापुर एवं चिचौली से सम्बन्धित व्यय पत्रावली, व्यय अनुमान, प्रमाणक, एम0बी0 आदि अनुपलब्ध नहीं।

(घ) इण्टरलॉकिंग मनिहर शर्मा, भनुवामऊ, जिगना एवं कुसुमी से सम्बन्धित एम0बी0 नहीं है।

(ड.) समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में रू0 2896986.00 प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष में नये फार्म इण्टरलॉकिंग पर रू0 2886429.00 व्यय किया गया है जबकि नियमानुसार 50 प्रतिशत राशि रू0 1448493.00 ही नये कार्य पर व्यय किया जा सकता है। अधिकारियों का ध्यान जाचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

उपरोक्तानुसार बिना एम0बी0 के इण्टरलॉकिंग पर व्यय रू0 2886429.00 का भुगतान किया गया। उक्त भुगतान की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री गंगा प्रसाद एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री ए0के0 सक्सेना से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 60 क्षेत्र पंचायत - जगतपुर जनपद -रायबरेली (आपत्ति संख्या - 29)

राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त आयोग वर्ष (2016-17) -

(1) बी0डी0सी0 बैठक पर व्यय	—	42500.00
(2) प्रमुख मानदेय	—	80160.00
(3) विकास खण्ड कार्यालय मरम्मत कार्य	—	155916.00
(4) विकास खण्ड कार्यालय के आवास की मरम्मत एवं रंगाई पुताई-	—	108942.00
(5) प्रिया साफ्ट 2010-11 से 2015-16 पर व्यय	—	11700.00
(6) टेण्डर प्रकाश हेतु	—	20000.00
(7) 15 स्ट्रीट लाइट पर व्यय	—	57017.00
(8) बैंक चार्ज	—	910.00
(9) उपलब्ध पत्रावली के अनुसार व्यय	—	2014899.00
योग	—	2492044.00

दर्शित व्यय में निम्न आपत्ति दृष्टिगत हुई-

(क) समीक्ष्य वर्ष में स्ट्रीट लाईट लगवाने पर कुल रू0 462000.00 व्यय किया गया। स्ट्रीट लाईट लगवाने से सम्बन्धित विद्युत विभाग की अनुमति नहीं ली गई। बिना विद्युत विभाग की अनुमति लिये स्ट्रीट लाईट लगवाना आपत्तिजनक है क्योंकि स्ट्रीट लाईट से होने वाले विद्युत व्यय की धनराशि से विद्युत विभाग को हानि हो रही है।

(ख) टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण नहीं है तथा जमानत राशि नहीं ली गयी। लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ग) विकास खण्ड कार्यालय की मरम्मत एवं रंगाई पुताई पर व्यय रू0 108942.00 के व्यय से सम्बन्धित प्रमाणकों के अनुपलब्ध रहने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जाय। अन्यथा की स्थिति में व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री गंगा प्रसाद एवं खण्ड विकास अधिकारी ए0के0सक्सेना से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 61 क्षेत्र पंचायत – जगतपुर जनपद – रायबरेली (आपत्ति संख्या – 30)

विधायक निधि के अन्तर्गत विकास खण्ड को समीक्ष्य वर्षों में निम्न धनराशि प्राप्त हुई है—

वर्ष	निधि से प्राप्त	ब्याज	योग
2014–15	1885864.00	34233.00	1920097.00
2015–16	984300.00	48341.00	1032641.00
2016–17	357000.00	31474.00	388474.00

अनुदान पंजिका— II के अनुसार वर्ष 2014–15 में किये गये व्ययों का विवरण निम्न है —

(1) प्रारूप का अंकित व्यय	—	1485714.00
(2) जगतपुर डलमऊ रोड पर वल्लभ भाई पटेल द्वार के निर्माण पर व्यय	—	67542.00
(3) बैंक चार्ज	—	365.00
(4) ग्रा0पं0 दौलतपुर में खण्डजा निर्माण पर व्यय	—	201833.00
(5) ग्रा0पं0 उडवा में खण्डजा निर्माण पर व्यय	—	201833.00
योग	—	1957287.00

दर्शित व्यय में निम्न आपत्ति पायी गयी —

(क) जगतपुर डलमऊ रोड वल्लभ भाई पटेल द्वार के निर्माण पर व्यय रू0 67542.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों के अनुपलब्ध रहने के कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी। प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि करायी जाय। लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(ख) समीक्ष्य वर्ष 2014–15 ईंट क्रय रू0 916282.00 पर व्यापार कर रू0 36651.00 नहीं काटा गया है। इस प्रकार रू0 36651.00 की राजकीय क्षति हुई। जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव एवं गंगा प्रसाद तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 62 क्षेत्र पंचायत – जगतपुर जनपद – रायबरेली (आपत्ति संख्या – 31)

विधायक निधि (वर्ष 2015–16) से कराये गये सी0सी0 निर्माण कार्य (ग्राम सभा तेजी का पुरवा में लल्लू से रामनरेश के दरवाजे तक) निर्माण कार्य पर व्यय रू0 710928.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री गंगा प्रसाद एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से की जानी चाहिए।

प्रस्तर – 63 क्षेत्र पंचायत – जगतपुर जनपद – रायबरेली (आपत्ति संख्या – 33)

समीक्ष्य वर्ष 2016–17 में ग्राम सभा उडवा में श्री रामनरेश माली के दरवाजे से श्री रामभरोसे के दरवाजे तक कराये गये खण्डजा निर्माण कार्य से सम्बन्धित आपत्तियां निम्नवत् हैं —

(क) दिनांक 17.06.2016 को एम0बी0 के अनुसार मजदूरी रू0 65533.00 दर्शित है जबकि रू0 65575.00 का भुगतान किया गया जो रू0 42.00 से अधिक है। जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री गंगा प्रसाद एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) दिनांक 23.11.2016 को रू0 44484.00 मजदूरी का भुगतान किया गया है जिसकी माप एम0बी0 में अंकित नहीं है। बिना एम0बी0 के भुगतान किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है, जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री गंगा प्रसाद एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 64 क्षेत्र पंचायत – खीरो जनपद – रायबरेली (आपत्ति संख्या – 25)

राज्य वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में चक गजराज से जगदीष के घर से रज्जन लोधी के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य कराया जाना दर्शित है। इस कार्य के निमित्त क्षेत्र पंचायत द्वारा रू0 390544.00 की सामग्री का भुगतान किया गया है व मजदूरी के मद में रू0 67951.00 देय दर्शित है। इस प्रकार कुल रू0 458495.00 इण्टरलॉकिंग कार्य में व्यय हुआ। किन्तु इस कार्य के सापेक्ष कोई भी निर्माण पत्रावली, मस्टर

रोल, एम0बी0, व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जो आपत्तिजनक रहा। इस प्रकार कुल रु0 458495.00 का व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि अथवा अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं पटल प्रभारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 65 क्षेत्र पंचायत – खीरो जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 26)

राज्य वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में दुकनाहा में रामनरेश चौरसिया के घर के पास से शिवबरन के घर तक सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलॉकिंग कार्य कराने हेतु कार्य प्रभारी श्री कृष्ण मोहन द्वारा चेक संख्या 589810 दिनांक 25.11.2011 को रु0 115650.00 स्वयं के नाम आहरित करके अनियमितता की गयी है। इस अनियमितता की ओर समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं पटल प्रभारत/लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 66 क्षेत्र पंचायत – खीरो जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 27)

राज्य वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में अजीतपुर से संतोश धोबी के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य कराने हेतु कार्य प्रभारी श्री सतीष चन्द्र (ग्राम विकास अधिकारी) द्वारा चेक संख्या 585046 दिनांक 02.02.2011 को रु0 140150.00 स्वयं के नाम आहरित करके अनियमितता की गयी है। इस अनियमितता की ओर समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं पटल प्रभारत/लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 67 क्षेत्र पंचायत – खीरों जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 26)

वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत द्वारा रु0 56279.00 ब्याज की धनराशि को विभिन्न मदों में व्यय करके शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 का उल्लंघन किया गया है। इस अनियमितता की ओर समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं पटल प्रभारत/लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 68 क्षेत्र पंचायत – खीरों जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 27)

वर्ष 2016-17 में ग्रांट 2 रजिस्टर के अनुसार जमादार के पुरवा से महाराजी के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य कराया जाना दर्शित है जिसमें रु0 525012.00 व्यय किया जाना दर्शित है। किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई भी निर्माण पत्रावली, व्यय प्रमाणक, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। धनराशि के अपहरण के प्रकरण को ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 69 क्षेत्र पंचायत – खीरों जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 28)

वर्ष 2016-17 में विधायक निधि के अन्तर्गत सिमरी चौराहा लालगंज रोड से खीरों रोड पर शिवषरण सिंह के दरवाजे होते हुए खंडजा निर्माण कार्य हेतु रु0 510806.00 का व्यय ग्रांट 2 रजिस्टर के अनुसार दर्शित है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई भी निर्माण पत्रावली, व्यय प्रमाणक, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। धनराशि के अपहरण के प्रकरण को ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 70 क्षेत्र पंचायत – खीरों जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 29)

वित्तीय वर्ष 2015-16 में विधायक निधि के अन्तर्गत भीतरगांव में डामर रोड से मस्जिद तक इण्टरलॉकिंग कार्य ग्रांट 2 रजिस्टर के अनुसार कराया जाना दर्शित है जिसमें कुल धनराशि रु0 366687.00 व्यय हुआ है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई भी निर्माण पत्रावली, व्यय प्रमाणक, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। धनराशि के अपहरण के प्रकरण को ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 71 क्षेत्र पंचायत – खीरों जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 30)

वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवां वित्त योजनान्तर्गत अजीतपुर में आदर्श जलाशय से सिंगराहा तालाब तक पक्का नाला निर्माण में ₹0 382963.00 व्यय हुआ है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई भी निर्माण पत्रावली, व्यय प्रमाणक, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। धनराशि के अपहरण के प्रकरण को ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 72 क्षेत्र पंचायत – खीरों जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 31)

वित्तीय वर्ष 2015-16 में झल्लू के घर से गढ़वा ताल के आगे तक इण्टरलॉकिंग कार्य में श्रमांश मद का ₹0 153422.00 का मापन मूल्यांकन पुस्तिका (एम0बी0) में अंकन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त सामग्री मद में व्यय धनराशि ₹0 826396.00 के इतर एम0बी0 धनराशि ₹0 472875.00 का ही अंकन करके फर्जी प्रपत्र तैयार करके ₹0 979800.00 का अपहरण किया गया है। धनराशि के अपहरण के प्रकरण को ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर –73 क्षेत्र पंचायत – खीरों जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 32)

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त योजनान्तर्गत महावीर खेड़ा से पक्की सड़क तक सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलॉकिंग हेतु दिनांक 18.05.2016 को मेसर्स दिलीप कुमार दीक्षित से ₹0 134264.00 की इण्टरलॉकिंग ईट क्रय की गयी किन्तु पूरे वित्तीय वर्ष में मजदूरी के मद में धनराशि (इण्टरलॉकिंग लगवायी) दर्शित न करके वास्तविक कार्य कराया ही नहीं गया है और न ही स्टाक रजिस्टर में सामग्री क्रय अंकित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त कार्य फर्जी एवं संदिग्ध प्रतीत होता है अतएव ₹0 134264.00 का फर्जी व्यय प्रमाणक तैयार कर धनराशि के अपहरण के प्रकरण को ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं पटल प्रभारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर –74 क्षेत्र पंचायत – अमांवा जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 23)

₹0 100000.00 से अधिक की सामग्री बिना टेण्डर के क्रय किया जाना अनियमित रहा, जो निम्नवत् है –

(क) सी0एफ0एल0 स्ट्रीट लाईट क्रय 100 सी0एफ0एल0 – ₹0 529000.00

(ख) सोडियम स्ट्रीट लाईट की स्थापना 50 सोडियम लाईट – ₹0 572500.00

(ग) नवोदय नरई रोड से पवन श्रीवास्तव के घर तक खड़जा – ₹0 560204.00

निर्माण में ईट की आपूर्ति ईट एम0 275 सीधा खंजड़

(घ) पहाड़पुर से चुनौटा तक खड़जा निर्माण ईट की आपूर्ति – ₹0 527820.00

शा0सं0 ए-1-864/दस-8-(1)-85 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार ₹0 100000.00 से अधिक की सामग्रियों के क्रय के लिए टेण्डर अनिवार्य है। शासनादेश के विरुद्ध बिना टेण्डर के आपूर्ति की गयी, जिससे प्रतिस्पर्धा न होने के कारण न्यूनतम दरों का लाभ नहीं मिल सका। अतः उक्त भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 75 क्षेत्र पंचायत – अमांवा जनपद –रायबरेली (आपत्ति संख्या – 23)

₹0 100000.00 से अधिक की सामग्री बिना टेण्डर के क्रय किया जाना अनियमित रहा, जो निम्नवत् है –

(क) सोलर स्ट्रीट लाईट क्रय – ₹0 3358056.00

(ख) सी0एफ0एल0 स्ट्रीट लाईट क्रय – ₹0 3128320.00

(ग) सोलर पम्प प्लांट ब्लाक परिसर में – ₹0 830190.00

शा0सं0 ए-1-864/दस-8-(1)-85 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार ₹0 100000.00 से अधिक की सामग्रियों के क्रय के लिए टेण्डर अनिवार्य है। शासनादेश के विरुद्ध बिना टेण्डर के आपूर्ति की गयी, जिससे प्रतिस्पर्धा न होने के कारण न्यूनतम दरों का लाभ नहीं मिल सका। अतः उक्त भुगतान अनियमित रहा। अतः उक्त भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-3

क्षेत्र पंचायत-औरास जनपद- उन्नाव 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर-01 क्षेत्र पंचायत के मनरेगा कंटीजेन्सी मद 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कतिपय व्ययों का भुगतान क्षेत्र पंचायत के कर्मचारियों को किया गया है। देखे

1	मनोज कुमार श्रीवास्तव कैशियर को कार्यालय व्यय	328601 / 10.10.11	12000.00
2	राबिया बेगम खं0वि0अ0 स्वयं	328610 / 17.11.11	10000.00
3	श्री छेदी लाल, लेखन सामग्री	328626 / 18.01.12	5000.00
4	श्री छेदी लाल, लेखन सामग्री	328629 / 27.02.12	10000.00
5	श्री छेदी लाल, लेखन सामग्री	328640 / 30.03.12	30000.00
6	श्री छेदी लाल, लेखन सामग्री	328641 / 30.03.12	70000.00
7	श्री छेदी लाल, फोटो कॉपी व कम्प्यूटर टोनर	328643 / 30.03.12	15000.00
8	श्री छेदी लाल, कूलर का भुगतान	329203 / 19.06.12	10525.00
9	श्री छेदी लाल, कम्प्यूटर का भुगतान	328634 / 12.03.12	3450.00
10	श्री छेदी लाल, कम्प्यूटर का भुगतान	329201 / 06.07.12	10000.00
11	श्री छेदी लाल, एडवांस	329228 / 02.11.11	25000.00
12	श्री छेदी लाल अलमारी हेतु	313509 / 10.10.11	40000.00
13	श्री छेदी लाल स्टेशनरी	313510 / 10.10.11	12000.00
14	दीपक सिंह, क0लि0 कम्प्यूटर आदि	329240 / 10.10.11	15620.00
15	कुलदीप सिंह वरिष्ठ लिपिक एडवांस	329245 / 10.10.11	5000.00
210595.00			

उक्त पर निम्न आपत्तियां हैं।

1. यह कि उपरोक्त भुगतान से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे तथा यह एक प्रकार से , एडवांस दिया गया धन है।
2. यह कि उक्त भुगतान संबंधित फर्म या दुकान को किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है। अब छेदीलाल एकाउन्टेन्ट को ही देखा जाये तो वह एसी अलमारी व कूलर क्रय हेतु भी स्वयं अपने नाम से ही भुगतान प्राप्त करता है। इससे यह साबित नहीं होता कि उसने उक्त चीजों का क्रय किया ही होगा। ये समस्त धनराशि एक प्रकार से इन कर्मचारियों को एडवांस के रूप में दी गयी जिनका कोई विवरण इनके पास नहीं है।
3. यह कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर कंटीजेन्सी का मतलब यह नहीं कि उक्त धनराशि का दुरुपयोग या गबन कर लिया जाये। इस धनराशि को यदि नियमानुसार व्यय किया जाता तो यह धनराशि खत्म नहीं होती क्योंकि आवश्यकतानुसार कार्यालय के उपयोग के लिये सामग्री समय-समय पर क्रय की गयी तथा उसका भुगतान संबंधित दुकान को या फर्म को या कारीगर को किया गया है। देखे-

1. राम बुक डिपो को स्टेशनरी भुगतान	328173 / 04.05.11	7249.00
राम बुक डिपो को स्टेशनरी भुगतान	328195 / 06.09.11	6006.00
राम बुक डिपो को स्टेशनरी भुगतान	328642 / 30.03.12	2281.00
2. फूल मिया को कम्प्यूटर मरम्मत का भुगतान	328164 / 25.04.11	700.00
फूल मिया को कम्प्यूटर मरम्मत का भुगतान	328183 / 04.05.11	4880.00
फूल मिया को कम्प्यूटर मरम्मत का भुगतान	328612 / 04.05.11	3450.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जरूरत की सामग्री क्रय की जाती रही तथा उसका भुगतान संबंधित पक्षों को किया जाता रहा। इसके बावजूद प्रश्नगत धनराशि का आहरण स्वयं करके उक्त धनराशि को व्यय दर्शित किया गया जो कि सीधे तौर पर अपहरण है तथा इसकी ब्याज सहित वसूली व प्रशासनिक कार्यवाही संबंधित पक्ष के साथ-साथ तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राबिया बेगम व श्री यशवंत सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

संबद्ध धनराशि- 210595.00

प्रस्तर-02 इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद व मनरेगा कंटीजेन्सी योजना पर निम्न व्यय पाये गये। (2011-12 से 2013-14)

क्र०सं०	विवरण	चेक / दिनांक	धनराशि
1	डीजल व ईंधन व्यय बाबत अजयपाल किसान सेवा केन्द्र सीमउ माह फरवरी 2011 व मार्च 2011	328161 / 11.01.11	53545.00
2	अजयपाल किसान सेवा केन्द्र सीमउ बाबत डीजल भुगतान	328172 / 04.05.11	20599.00
3	अजयपाल किसान सेवा केन्द्र सीमउ बाबत डीजल भुगतान	328177 / 13.06.11	23517.00
4	अजयपाल किसान सेवा केन्द्र सीमउ बाबत डीजल भुगतान	328184 / 08.08.11	52111.00
5	अजयपाल किसान सेवा केन्द्र सीमउ बाबत डीजल भुगतान	328198 / 06.09.11	25976.00
6	अजयपाल किसान सेवा केन्द्र सीमउ बाबत डीजल भुगतान	328609 / 22.10.11	21344.00
7	अजयपाल किसान सेवा केन्द्र सीमउ बाबत डीजल भुगतान माह अक्टूबर 2011	328611 / 22.10.11	19845.00
8	मेसर्स त्रिपाठी फिलिंग सेंटर, बाबूगज, उन्नाव	328613 / 22.11.11	9410.00
9	श्री अजय पाल जेनरेटर ईंधन माह नवम्बर 2011	328615 / 13.12.11	15295.00
10	श्री अजय पाल डीजल क्रय	329201 / 05.06.12	19048.00
11	श्री अजय पाल डीजल क्रय माह मई जून 2012	329207 / 10.07.12	32620.00
12	मेसर्स के०एस० सीमउ ईंधन भुगतान माह जुलाई 2012	329215 / 30.08.12	24151.00
13	श्री अजय पाल प्रबन्धक के०एस०के० सीमउ मोटर / जीप ईंधन भुगतान	329217 / 25.09.12	28696.00
14	श्री अजय पाल प्रबन्धक के०एस०के० सीमउ मोटर / जीप ईंधन भुगतान	329221 / 08.10.12	24424.00
15	श्री अजय पाल प्रबन्धक के०एस०के० सीमउ मोटर / जीप ईंधन भुगतान	329231 / 08.11.12	33615.00
16	श्री अजय पाल प्रबन्धक के०एस०के० सीमउ मोटर / जीप ईंधन भुगतान	329235 / 12.12.12	12775.00
17	श्री अजय पाल प्रबन्धक के०एस०के० सीमउ मोटर / जीप ईंधन भुगतान	329245 / 13.02.13	23914.00
18	श्री अजय पाल जेनरेटर ईंधन	313504 / 21.03.13	8124.00
19	श्री अजय पाल जेनरेटर ईंधन	313511 / 31.03.13	22221.00
20	श्री अजय पाल जेनरेटर ईंधन	313515 / 27.04.13	18000.00
21	श्री अजय पाल जेनरेटर ईंधन माह अप्रैल 2013	313524 / 07.06.13	7600.00
22	श्री अजय पाल जेनरेटर ईंधन माह अप्रैल 2013	313525 / 07.06.13	10346.00
23	श्री अजय पाल जेनरेटर ईंधन माह अप्रैल 2013	313527 / 05.07.13	14162.00
24	श्री अजय पाल जेनरेटर ईंधन माह अप्रैल 2013	313530 / 15.07.13	9797.00
25	श्री अजय पाल जेनरेटर ईंधन	313532 / 05.08.13	15049.00
26	श्री अजय पाल धन० माह जुलाई अगस्त 2013	313534 / 08.09.13	18007.00
27	श्री अजय पाल धन० माह जुलाई अगस्त 2013	313536 / 12.09.13	24464.00
28	श्री अजय पाल धन० माह सितम्बर अगस्त 2013	313543 / 29.11.13	8549.00
29	श्री अजय पाल	319954 / 12.02.14	61342.00
30	श्री अजय पाल	313542 / 23.11.13	26239.00
	कुल	684785.00	

उपरोक्त व्यय माह फरवरी 2011 से अक्टूबर 2013 तक के यानी कि 34 माह का है जिसमें जीप डीजल व जनरेटर ईंधन दो मदें शामिल हैं। उक्त पर निम्न बिन्दु विचारणीय है।

1. यह कि एक विकास खण्ड में कुल कार्य दिवस आठ घंटे का होता है जिसमें मोटे तौर पर छः घंटे बिजली व 1 घंटे इनवर्टर का प्रयोग साधारण रूप से किया जा सकता है। जबकि जनरेटर का प्रयोग एक घंटा प्रति दिवस की दर से हुआ हो तो एक महीने में 20 दिवस प्रति कार्य दिवस की दर से 34 माह के लिये 680 लीटर डीजल का प्रयोग अधिक से अधिक किया जा सकता है। इस प्रकार कुल 34 माहों के लिये 680 लीटर डीजल 70 रु० प्रति लीटर की दर से 47600.00 का होगा। जो अधिकतम होगा।

2. यह कि विकास खण्ड कार्यालय में समस्त कर्मचारियों सहित खण्ड विकास अधिकारी का कुल कार्य दिवस 08 घंटे का होता है। जिसमें यदि दो घंटे जनता दर्शन व 02 घंटे क्षेत्र पंचायत के कार्य सहित कुल 04 घंटे खण्ड विकास अधिकारी व उसके कर्मचारियों की क्षेत्र पंचायत स्तर पर उपस्थिति मान ली जाये जो अधिकतम होगी तथा शेष चार घंटे भ्रमण के लिये मान लिये जाये तो उन चार घंटों में एक घंटे से ज्यादा जीप नहीं चलेगी। क्षेत्र पंचायत और उस के क्षेत्राधिकार को देखते हुए जिसमें मात्र 56 ग्राम सभाएं हैं में विकास कार्यों के लिये भ्रमण के लिये प्रतिदिन औसतन 50 किमी से ज्यादा जीप से यात्रा माना संभव नहीं होगा। इस प्रकार प्रति कार्य दिवस की दर से 34 माह के लिये (20 प्रतिमाह की दर से) 680 कुल कार्य दिवस होंगे जिस पर 50 किमी प्रति कार्य दिवस की दर से अधिकतम से अधिक की यात्रा संभव होगी जिसमें 3400 किमी 70 रु0 प्रति लीटर भी दर से जिसमें एक लीटर में 20 किमी तक डीजल गाड़ी का माइलेज अनुमन्य है पर कुल 1700 लीटर डीजल का खर्च आयेगा जिसकी कुल कीमत 119000 से अधिक नहीं होगी।

अतः इन 680 दिनों के लिये डीजल का प्रयोग जीप व जनरेटर दोनों पर निम्न होगा।

1. जनरेटर पर व्यय डीजल – 47600.00
 2. जीप पर व्यय डीजल – 11900.00
- कुल – 166600.00**

इसके विपरीत मोटे तौर पर 684700 इस मद में व्यय किये गये हैं। जिसका 70रु0 प्रति लीटर डीजल की दर के हिसाब से 9780 लीटर डीजल होगा और 9780 लीटर डीजल में 20किमी प्रति लीटर की दर से 195600 किलो मीटर की यात्रा संभव होगी। जिसका प्रति कार्य दिवस (680 कुल कार्य दिवस के आधार पर) 287 किलो मीटर की यात्रा प्रतिदिन आती है। जो किसी भी दशा में व्यवहारिक नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर मनरेगा कंटीजेन्सी का जमकर दुरुपयोग किया गया है या कहें कि यह दुरुपयोग के नाम पर घन का अपहरण है। इसकी पुष्टि में कोई लागबुक, भ्रमण के विवरण आदि भी प्रस्तुत नहीं किये गये और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डीजल के नाम पर चेक फर्म को कटनी चाहिए थी काटी गयी है। अतय पाल डीजल उपलब्ध कराने के निमित्त मात्र थे डीजल बेचने का अधिकृत अधिकार फर्म के पास था।

अतः जब डीजल बेचने का अधिकार फर्म के पास था तो चेक अजय पाल के नाम से क्यों काटी गयी। इससे यह स्पष्ट है कि इस धनराशि का मोटे तौर पर अपहरण किया गया है दुरुपयोग के नाम पर अपहरण।

अतः इनकी ब्याज सहित वसूली संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों से बराबर-बराबर श्रीमती राबिया बेगम, श्री यशवंत सिंह व श्री सूबेदार सिंह से की जाये और यदि यह साबित हो जाता है कि श्री अजयपाल को डीजल बेचने का अधिकार था अजय पाल डीजल बेचने की फर्म थे तो उक्त धनराशि 684787 में से अंतर की धनराशि 116600 को घटाते हुए शेष धनराशि म0 568185 की ब्याज सहित वसूली उक्त संबंधित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

संबंधित धन0 684785.00

प्रस्तर-03 वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अनुदान से संबंधित निर्माण कार्य हेतु क्रय की गयी सामग्री पर 4प्रतिशत वैट की कटौती नहीं की गयी है। देखे-

क्र0सं0	मद	कार्य का विवरण	क्रय सामग्री का विवरण		4प्रतिशत वैट जिसकी कटौती नहीं की गयी
1	राज्य वित्त	जिला खेड़ा मजरा बयरी गाँव में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	फर्म का नाम/चेक मेसर्स गुप्ता टेडर्स 459501/18.11.11	धनराशि 27311	1092.00
2	राज्य वित्त	जिला खेड़ा मजरा बयरी गाँव में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	मे0 रामा ब्रिक फील्ड 459202/18.11.11	127414	5097
3	राज्य वित्त	ब्लॉक परिसर में खण्ड वि0अ0 आवास परिसर की मरम्मत	मे0 गुप्ता टेडर्स 459803/18.11.11	137300	5492
4	राज्य वित्त	ब्लॉक परिसर में खण्ड वि0अ0 आवास परिसर की मरम्मत	मे0 रामा ब्रिक फील्ड 459202/18.11.11	14320	573

5	राज्य वित्त	ब्लॉक परिसर में खण्ड वि०अ० आवास परिसर की मरम्मत	गुप्ता टेडर्स बस स्टॉप औरास 459512/06.01.12	9042	362
6	राज्य वित्त	लेखा टीकर में राजेन्द्र पासी के घर से गला पासी के घर तक सी०सी० रोड	शर्मा टेडिंग कम्पनी नगर पं० औरास 459570/31.12.11	290700	11628
7	राज्य वित्त	लेखा टीकर में राजेन्द्र पासी के घर से गला पासी के घर तक सी०सी० रोड	मे० दुर्गा जी ग्रामो 459511/31.12.12	109071	4363
8	राज्य वित्त	जिलाई खेड़ा मजरा खयारी गांव में सी०सी० रोड/नाली निर्माण	मे० शर्मा टेडिंग क०नगर पं० 459514/06.01.12	289977	11599
9	राज्य वित्त	जिलाई खेड़ा मजरा खयारी गांव में सी०सी० रोड/नाली निर्माण	मे० श्री दुर्गा जी ग्रामोद्योग सी०सी० उन्नाव 459515/06.01.12	27502	1100
10	राज्य वित्त	जिलाई खेड़ा मजरा खयारी गांव में सी०सी० रोड/नाली निर्माण	मे० श्री दुर्गा जी ग्रामोद्योग सी०सी० उन्नाव 459586/03.03.12	63367	2535
11	राज्य वित्त	जिलाई खेड़ा मजरा खयारी गांव में सी०सी० रोड/नाली निर्माण	मे० श्री दुर्गा जी ग्रामोद्योग सी०सी० उन्नाव 459487/03.03.12	104696	4188
12	राज्य वित्त	लोघाटी कर में राजेन्द्र पासी के घर से गमा पासी के घर तक सी०सी० 459489 28.03.12 लोधा टीकुर के घर से	..	340450	13618
13	राज्य वित्त	लोघाटी कर में राजेन्द्र पासी के घर से गमा पासी के घर तक सी०सी० 4594901 28.03.12 लोधा टीकुर के घर से	..	79079	3163
14	राज्य वित्त	जिलाई खेड़ा में बयारी गाँव में नहर से रमेश ` घर तक अवशेष सी०सी० निर्माण	श्री शर्मा टेडिंग कम्पनी 459492/31.03.12	266428	10657
15	राज्य वित्त	जिलाई खेड़ा में बयारी गाँव में नहर से रमेश ` घर तक अवशेष सी०सी० निर्माण	मे० श्री दुर्गा जी ग्रामोद्योग सी०सी० उन्नाव 459493/31.03.12	84935	3597
16	राज्य वित्त	रिपवल मेन रोड से लालता के घर तक सी०सी० नाली	मे०शर्मा टेडिंग के० औरास 459496/08.06.12	172255	6890
17	राज्य वित्त	रिपवल मेन रोड से लालता के घर तक सी०सी० नाली	महाबली ग्रामो बेहदर, हरदोई 459497/08.06.12	67651	2706
18	राज्य वित्त	मुसलखों में पुलिया निर्माण	श्री दुर्गा जी ग्रामो सी०सी० 330003/11.06.12	14625	585
19	राज्य वित्त	मुसलखों में पुलिया निर्माण	एवन ब्रिक फील्ड 330008/20.09.12	7352	294
20	राज्य वित्त	मुसलखों में पुलिया निर्माण	शर्मा टेडिंग क० औरास 30009/20.09.12	3473	139
21	राज्य वित्त	रिपवल मेन रोड से लालता के घर तक सी०सी० नाली	एवन ब्रिक फील्ड 330008/20.09.12	129124	5165

22	राज्य वित्त	रिपवल मेन रोड से लालता के घर तक सी0सी0 नाली	एवन ब्रिक फील्ड 330019/14.10	27590	1104
23	राज्य वित्त	रिपवल मेन रोड से लालता के घर तक सी0सी0 नाली	एवन ब्रिक फील्ड 330022/18.11.12	56411	2256
24	राज्य वित्त	रिपवल मेन रोड से लालता के घर तक सी0सी0 नाली	एवन ब्रिक फील्ड 330023/08.11.12	86437	3457
25	राज्य वित्त	रिपवल मेन रोड से लालता के घर तक सी0सी0 नाली	शर्मा टेडिंग कं0 औरास 33008/03.01.12	56628	2265
26	राज्य वित्त	श्रीराम रोड से राजेन्द्र के घर तक सी0सी0 रोड	शर्मा टेडिंग कं0 औरास 330030/24.01.13	9484	379
27	राज्य वित्त	अहमदपुर कासिमपुर रोड से बब्लू में घर तक सी0सी0	शर्मा टेडिंग कं0 औरास330032/24.01.13	72421	2897
28	राज्य वित्त	अहमदपुर कासिमपुर रोड से बब्लू में घर तक सी0सी0	एवन ब्रिक फील्ड 330033/08.04.13	25900	1036
29	राज्य वित्त	शरीफाबाद में रोड से गुरु के घर तक खडन्जा	शर्मा टेडिंग कं0 औरास 330036/08.04.13	7025	281
30	राज्य वित्त	शरीफाबाद में रोड से गुरु के घर तक खडन्जा	एवन ब्रिक फील्ड 330037/08.04.13	58929	2357
31	राज्य वित्त	अहमदपुर कासिमपुर रोड से बब्लू में घर तक सी0सी0	एवन ब्रिक फील्ड 330043/03.08.13	19741	790
32	राज्य वित्त	अहमदपुर कासिमपुर रोड से बब्लू में घर तक सी0सी0	शर्मा टेडिंग कं0 औरास 330044/03.08.13	58660	2346
33	तेरहवां वित्त	कमतोश के घर से सई नदी तक नाला	मेसर्स शर्मा टेडिंग कं0 औरास 454519/03.06.12	49629	1985
34	तेरहवां वित्त	कमतोश के घर से सई नदी तक नाला	मेसर्स शर्मा टेडिंग कं0 माता लखनऊ 454519/03.06.12	23444	938
35	तेरहवां वित्त	कमतोश के घर से सई नदी तक नाला (गंगाड़ी ककड़ा में)	महालक्ष्मी ग्रामो बेहदर, हरदोई 330001/03.06.12	5379	215
36	तेरहवां वित्त	कमतोश के घर से सई नदी तक नाला (गंगाड़ी ककड़ा में)	एवन ब्रिक फील्ड 330010/20.09.12	10626	425
37	तेरहवां वित्त	कमतोश के घर से सई नदी तक नाला (गंगाड़ी ककड़ा में)	शर्मा टेडिंग कं0 औरास 330011/20.09.12	2637	105
38	तेरहवां वित्त	कमतोश के घर से सई नदी तक नाला (गंगाड़ी ककड़ा में)	एवन ब्रिक फील्ड 330012/08.10.12	32891	1316
39	तेरहवां वित्त	कमतोश के घर से सई नदी तक नाला (गंगाड़ी ककड़ा में)	शर्मा टेडिंग कं0 औरास 330013/08.10.12	18840	754
40	तेरहवां वित्त	कमतोश के घर से सई नदी तक नाला (गंगाड़ी ककड़ा में)	शर्मा टेडिंग कं0 औरास 330015/19.10.12	36109	1444
41	तेरहवां वित्त	कमतोश के घर से सई नदी तक नाला (गंगाड़ी ककड़ा में)	एवन ब्रिक फील्ड 330016/19.10.12	66965	2679
42	तेरहवां वित्त	अल्दौ बाजार से भगवानदास के घर तक पक्का नाला	श्रपान वाल टेडर्स औरास 330025/03.01.13	80328	3213
43	तेरहवां वित्त	अल्दौ बाजार से भगवानदास	एवन ब्रिक फील्ड	104439	4178

		के घर तक पक्का नाला	330026/03.01.13		
44	बीआरजीएफ	प्रा0प0+सू0हा0 स्कूल अदौरा की बाउंड्री निर्माण	शर्मा टेडर्स कं0 औरास 328116/01.08.11	110317	4413
45	बीआरजीएफ	प्रा0प0+सू0हा0 स्कूल अदौरा की बाउंड्री निर्माण	गुप्ता टेडर्स कं0 औरास 328117/01.08.11	85317	3413
46	बीआरजीएफ	प्रा0प0+सू0हा0 स्कूल अदौरा की बाउंड्री निर्माण	गुप्ता टेडर्स कं0 औरास 328119/17.08.11	72380	2895
47	बीआरजीएफ	प्रा0प0+सू0हा0 स्कूल अदौरा की बाउंड्री निर्माण	रामा ट्रेडर्स औरास 328120/17.08.11	47743	1910
48	बीआरजीएफ	प्रा0प0+सू0हा0 स्कूल अदौरा की बाउंड्री निर्माण	रामा ट्रेडर्स औरास 459402/15.09.11	23730	949
49	बीआरजीएफ	प्रा0प0+सू0हा0 स्कूल अदौरा की बाउंड्री निर्माण	गुप्ता ट्रेडर्स औरास 459402/15.09.11	64463	2579
50	बीआरजीएफ	प्रा0प0+सू0हा0 स्कूल अदौरा की बाउंड्री निर्माण	रामा ट्रेडर्स औरास 459415/01.10.11	38487	1559
51	बीआरजीएफ	प्रा0प0+सू0हा0 स्कूल अदौरा की बाउंड्री निर्माण	रामा ट्रेडर्स औरास 459480/01.10.11	47893	1916
52	मनरेगा क्षेत्र0पं0अंश	इनायतपुर बर्रा से छेदी लाल के घर से संडीला उन्नाव रोड तक मिट्टी व खडन्जा	अंकित ब्रिक फील्ड 461276/10.10.11	385756	15430
53	मनरेगा क्षेत्र0पं0अंश	इनायतपुर बर्रा से छेदी लाल के घर से संडीला उन्नाव रोड तक मिट्टी व खडन्जा	अंकित ब्रिक फील्ड 461286/05.11.11	406612	16264
54	मनरेगा क्षेत्र0पं0अंश	डीएस सिंदूर ने वाली खेड़ा से बासू शुक्ला के घर से नेवरा उदद तक खडन्जा	मे0 रामा ब्रिक फील्ड 461275/10.10.11	385756	15430
55	मनरेगा क्षेत्र0पं0अंश	डीएस सिंदूर ने वाली खेड़ा से बासू शुक्ला के घर से नेवरा उदद तक खडन्जा	मे0 रामा ब्रिक फील्ड 461279/26.11.11	103003	4120
					202111

उपरोक्त पर निम्न टिप्पणी है।

यह कि नियमानुसार क्रय की गयी सामग्री पर 04 प्रतिशत वैट कर लगाया जाना था जो आयकर के अतिरिक्त होता। अतः उपरोक्त क्रय सामग्री पर वैट 4 प्रतिशत न लगाकर सरकार के राजस्व को हानि पहुँचायी गयी है। इसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुखेदार सिंह, यशवंत सिंह व राबिया बेगम के साथ-साथ एकाउन्टे छेदी लाल जिम्मेदार है। अतः सरकारी राजस्व को हानि पहुँचाये जाने के लिये उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

सम्बद्ध धन0 202111.00

प्रस्तर-4 वर्ष 2013-14 के ग्राम निधि-1 तेरहवे वित व ब्याज की लेखा परीक्षा में बैंक विवरण निम्न पाया गया

	प्रा0शेष	वर्ष में प्राप्त	कुल	आहरण	अं0अव0
एसी 22591	2818840.42	8304090	1,11,22930.42	230913	108,92017.42

जबकि ग्रेट रजिस्टर 2 के अनुसार यह विवरण निम्न रहा:

	प्रा0शेष	वर्ष में प्राप्त	कुल	आहरण	अं0अव0
तेरहवें वित	855067	3982267	4837334	2869	4834465
राज्य वित-1	2148074	4104500	6252574	234078	6018496
कुल	3003141	8086767	11089908	236947	10852961

बैंक विवरण के अनुसार वर्ष में प्राप्त अनुदान का मदवार विवरण निम्न रहा।

1. तेरहवां वित - 3982267.00
2. राज्य वित्त - 4104500.00

3. ब्याज — 217323.00

कुल— 8304090.00

ब्याज का विवरण—

1. दिनांक 03.05.13 — 1414.00
2. दिनांक 04.09.13— 74576.00
3. दिनांक 02.03.14— 141333.00

कुल— 217323.00

जबकि वर्ष 2013-14 में ब्याज मद खाता संख्या 22951 में मात्र रु0 141333 ही पकड़ें गये हैं। यानी की रु0 217323-14333- रु0 75990 को ब्याज के मद में नहीं पकड़ा गया है।

स्पष्ट है कि इस धनराशि को अनुदान के रूप में प्रयुक्त कर लिया गया है जो अनियमित है तथा धनराशि रु0 75990 जो सरकार की आय है को व्यय करके सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है।

अतः उक्त की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री यशवंत सिंह श्री सुखेदार यादव व लेखाकार श्री छेदी लाल से किया जाये तथा ब्याज सहित वसूली की धनराशि को शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10 (33)/2010 के अधीन को राजकीय कोषागार में जमा कराया जाये। **सम्बद्ध धन0 75990.00**

प्रस्तर-5 ग्रांट रजिस्टर व बैंक पासबुक के अनुसार 31.03.2014 को अंतिम अवशेष पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये:

1.	बीआरजीएफ	अनुदान ब्याज कुल	ग्रांट रजि0 2 के अनुसार 1161012.00 498403.42 1659415.42	बैंक पासबुक के अनुसार एकाउन्ट नं0 68724 1695641.00	अंतर 36225.58
2.	राज्य वित्त तेरहवाँ वित्त ब्याज	6018496 4834465 623206 11476167		एकाउन्ट नं0 22591 10892017.42	584149.58
3	मनरेगा क्षेत्र पं0 अंश	28489.05		28489.05	—

उपरोक्त पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

1. बी आर जी एफ के मद में दिनांक 31.03.2014 को रु0 326225.58 ग्रांट रजिस्टर में कम दर्शित है। उक्त पर नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
2. राज्य वित्त व 13वाँ वित्त मद में ग्रांट रजि0 2 व बैंक विवरण के मद पाये अंतर की धनराशि रु0 584149.58 ग्रांट रजिस्टर में अधिक दर्शित है जबकि बैंक में नहीं है। अर्थात् मु0 584149.58 का अनुदान बैंक खाते नहीं है। निश्चित तौर पर इस अनुदान को कपट पूर्वक अपहरण करके अंतिम शेष बैंक पासबुक में कम किया या है। इसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राबिया बेगम व लेखाकार छेदी लाल को जिम्मेदार मानते हुए ब्याज सहित वसूली तथा प्रशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **सम्बद्ध —584149.58**

प्रस्तर-6 2011-12 से 2013-14 तक की बी आर जी एफ की लेखा परीक्षा में विवरण व ग्रांट रजिस्टर 2 की जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आये:

1. बी आर जी एफ के खाता 68724 में दिनांक 31.03.2011 को अंतिम अव0 — 241710.00

दिनांक	प्राप्ति	व्यय	अंति0 शेष
02.04.11	—	05.00 कटौती	241705.00
04.05.11	246240	—	487945.00
04.08.11 / 328118	टू वीके यादव	20000	467945.00
04.08.11 / 328117	टू गुप्ता ट्रेडर	85317	382628.00
04.08.11 / 328116	टू रामबिक्र फील्ड	110317	272311.00
23.08.11 / 328119	टू टी आर गुप्ता	72380	199931.00
23.08.11 / 328121	टू वीके यादव	29625	170306.00
04.09.11	8848		179154.00
13.09.11 / 328120	टू रामबिक्र फील्ड	47743	131411.00

14.10.11	912000 बाइबिल	—	1043411.00
09.03.12	16576 बाइ ब्याज	—	1059987.00
20.03.12	.	4042	10559455
07.09.12	21301 ब्याज	—	1077246
06.03.12	21368 ब्याज	—	109864
31.07.13	54000 बाइचेक	—	1638614
04.09.13	24047 बाइ ब्याज	—	1662661
02.03.14	32980 बाइ ब्याज	—	1695641
1823360— 2065070—369429 1 ग्रांट — 1698240 1 ईट— 125120			1695641.00

जबकि ग्रांट 2 में इस मद में स्थिति निम्नवत् पायी गयी:

प्रा०अपा०	प्राप्त	कुल प्राप्त	व्यय
1202362	7 / 13 540000 9 / 13 84717	1827079	666067
कुल	624717.00	अंतिम शेष	1161012

व्यय का विवरण

	110317	}	365382
	85317		
	20000		
	72380		
उपरोक्त बैंक के अनुसार	47743	}	289313
	29625		
459481 / 15.09.11	23730		
459482 / 15.09.11	64463		
459484 / 15.09.11	23640	}	289313
459479 / 01.10.11	38487		
459480 / 01.10.11	47893		
459485 / 01.10.11	91100		
आयकर	11372		
	666067		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि—

1. बैंक पास बुक में चेक संख्या 459481.82847980 व 85 से संबंधित धनराशियों का आहरण नहीं है। चूँकि ग्राम निधि 2 में इनपर आयकर काटा गया है अतः यह खरीद तो हुई है। लेकिन अनुदान का आहरण खाता सं० 68724 से नहीं है व न ही इसमें संबंधित कोई पत्रावलियाँ प्रस्तुत की गयी अतः ऐसा लगता है कि अनुदान का वृहद पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है। इसलिये प्रा०पा० + जू०हा० स्कूल अदौरा से संबंधित समस्त पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के आधार पर तथा उपरोक्त निर्दिष्ट छः चेकों द्वारा आहरित धनराशि मु० 284313 बैंक स्टेटमेंट में न पाये जाने के आधार पर इनको गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड अधिकारी राबिया बेगम तथा लेखाकार थी छेदीलाल से करायी जानी अपेक्षित हैं।

सम्बद्ध धन० — 289313.00

प्रस्तर—7 निम्नलिखित धनराशियाँ संबंधित व्यक्तियों द्वारा आहरित की गयी जिसकी कोई प्रमाण इनके पास नहीं है खाता जनगणना — एसी 82344

1. छेदीलाल चेक सं०	330401 / 16.07.12	3631.00	}	खाता संख्या
2. छेदीलाल चेक सं०	330402 / 16.07.12	8000.00		82344
3. अजयपाल चेक सं०	330403 / 13.12.12	12634.00		जनगणना मद

फर्जी है—329235 / 12.12.12 द्वारा पहले आहरित है (मनरेगा कंटीजेंसी से)

4. अजयपाल चेक सं० 320210/29.03.14 24445/48710.00 (मनरेगा कंटीजेंसी से)
फर्जी है क्योंकि जनगणना मद में इसका भुगतान नहीं हो सकता तथा इ०आ० कंटी० से चेक संख्या 319963/02.05.14 को भुगतान दुबारा हुआ है।

अतः उपरोक्त की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री यशवंत सिंह व श्रीमती राबिया बेगम से की जानी अपेक्षित है चूंकि यह मद जनगणना है इसे जनगणना प्रशिक्षण पर व्यय न कर धनराशि का अपहरण किया गया है।

प्रस्तर-8- क्षेत्र पंचायत अंश के मनरेगा खाते से ए०सी० 69583 निम्न विवरणानुसार धन अन्य खातों में स्थानान्तरित किया गया जिनकी पुष्टि नहीं की गयी।

क्र०सं०	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	
1	461296	14.01.12	500000.00	इलाहाबाद बैंक इन अकाउंट 4496
2	461298	14.01.12	500000.00	इलाहाबाद बैंक इन अकाउंट 5876
3	461297	14.01.12	500000.00	इलाहाबाद बैंक इन अकाउंट 8983

अतः उपरोक्त धनराशियों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख/प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे इस धनराशि के कपट पूर्वक धन आहरित किये जाने के पबल प्रमाण हैं अतः उक्त की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री यशवंत सिंह व एकाउन्टेन्ट छेदीलाल से की जानी अपेक्षित है। **सम्बद्ध धन० 1500000.00**

प्रस्तर-9-वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक ब्याज में प्राप्त धन का निम्न विवरण के अनुसार उपयोग किया गया है।

वर्ष	व्यय ब्याज
2012-13	532863.00
2013-14	880000.93
कुल	1412863.93

लेकिन शासन के आदेश संख्या 10/2015/ए-1-502 (1)दस 2015-10 (33) 2010 के अनुसार अनुदानों पर प्राप्त ब्याज राज्य सरकार की आय मानी जायेगी और उसे सरकार के मद राजकीय कोषागार में जमा किया जायेगा। लेकिन क्षेत्र पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस धनराशि को गलत तरीके से व्यय किया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री यशवंत व श्रीमती राबिया बेगम से की जानी अपेक्षित है। **सम्बद्ध धन० 1412863.93**

क्षेत्र पंचायत औरास - 2014-15 से 2016-17 तक

प्रस्तर-10 राज्य वित्त से संबंधित कार्य रानी खेड़ा मजरा अजिगौव में लाखनपासी के घर से बैजनाथ के घर तक सी०सी०/पक्की नाली निर्माण कार्य में पाया गया कि निर्माण सामग्री का क्रय बाद में हुआ है तथा उस पर श्रमिक व्यय पहले हो गया। देखें

क्र०सं०	विवरण	चेक	धनराशि
1	गोस्वामी ट्रेडर्स से क्रय दिनांक 22.05.17 को	282934 / 26.08.15	119520.20
2	एवन ब्रिक फील्ड से ई क्रय दिनांक 22.05.17 को	282935 / 28.08.15	67488.00
3	एम०आर पर श्रमिक कार्य दिनांक 09.05.15 से 22.5.15 दिनांक 22.05.15 तक 2019 मानव दिवस	—	45284.00
		कुल व्यय	232292.00

स्पष्ट है कि जिस कार्य पर मजदूरी व्यय मु० 45284.00 दिनांक 09.05.15 से 22.05.15 तक द्वारा एमआर व्यय दर्शित है उस पर सामग्री क्रय 22.05.17 को कैसे संभव है। अतः यह फर्जी भुगतान है। इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राबिया बेगम व कार्य प्रभारी श्री रघुवीर सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 राज्य वित्त से संबंधित कार्य रामपुर खंडाडी में रमेश मौर्य के घर से राम औतार चौरसिया के घर तक सी०सी० रोड पर निम्न तथ्य पाये गये।

क्र०सं०	विवरण	चेक	धनराशि
1	ईट क्रय एवन ब्रिक फील्ड दिनांक 22.05.15 को	282938 / 26.08.15	67488.00
2	सामग्री क्रय गोस्वामी ट्रेड्स से दिनांक 20.05.15	282937 / 26.08.15	119500.00
3	उस पर एम०आर पर व्यय दिनांक 08.05.15 से 20.5.15 तक	282936 / 26.08.15	45445.00
		कुल व्यय	232433.00

अतः यह कैसे सम्भव है कि निर्माण कार्य पर सामग्री क्रय बाद में की गयी हैं तथा उक्त पर श्रमिकों द्वारा श्रम कार्य पहले ही दर्शित हो। अतः यह फर्जी भुगतान है उक्त की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राबिया बेगम व कार्यप्रभारी श्री महिपाल सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 औरास मिर्जापुर मार्ग से महा खेड़ा ग्राम में देबिन मंदिर तक सी०सी० रोड/नाली निर्माण पर लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये। (राज्य वित्त)

क्र०सं०	सामग्री का विवरण	चेक	धनराशि
1	अंकिता ब्रिक फील्ड दिनांक 20.05.15 को	282944 / 28.08.15	67488.00
2	गोस्वामी ट्रेड्स से दिनांक 20.05.15 को	282943 / 26.08.15	119500.00
3	उस पर श्रमांश व्यय दिनांक 09.05.15 से 21.5.15 तक	282942 / 26.08.15	45284.00
		कुल व्यय	232272.00

स्पष्ट है कि सामग्री दिनांक 20.05.15 को क्रय की गयी उस पर श्रम व्यय दिनांक 19.05.15 से दिनांक 21.05.15 तक कैसे संभव हो सकता है। अतः यह फर्जी तरीके से धन का अपहरण है। उक्त की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राबिया बेगम व कार्य प्रभारी श्री रघुवीर सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 राज्य वित्त से संबंधित कार्य शाहपुर तोंदा मजरा मुंशी खेड़ा में रोहित के घर से राम स्वरूप के घर तक सी०सी० रोड के अभिलेखीय परीक्षण में निम्न तथ्य प्रकाश में आये:

क्र०सं०	सामग्री क्रय	चेक	धनराशि
1	विक्रय अंकित ब्रिक फील्ड दिनांक 28.05.15 को	282587 / 13.08.15	67488.00
2	सामग्री क्रय गोस्वामी ट्रेड्स से दिनांक 20.05.15 को	282586 / 13.08.15	119520.00
3	उस पर मजदूरी भुगतान दिनांक 02.05.15 से 15.5.15 तक	282585 / 13.08.15	45445.00
		कुल व्यय	232453.00

अतः यह कैसे सम्भव हो सकता है कि जिस कार्य पर श्रमकार्य पहले हो चुका हो उसमें बात सामग्री क्रय बाद में किया जाये। यह धन का फर्जी अपहरण है उक्त की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राबिया बेगम व तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री हरि नारायण सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में ग्राम बरादेव से रामबली लोहार के घर के पीछे से पृथ्वी पाल सिंह के गोंडा तक सी०सी० रोड पर निम्न आपत्तियाँ पायी गयी।

क्र०सं०	सामग्री क्रय	धनराशि
1	गास्वामी ट्रेडर्स से सामग्री क्रय दिनांक 15.05.15 को	119520.00
2	राहुल ब्रिक फील्ड से ईट क्रय दिनांक 15.05.15 को	67488.00
3	उक्त पर श्रम व्यय दिनांक 02.05.15 से दिनांक 14.05.15 तक	45445.00
	210 मानव दिवस	232453.00

अतः यह कैसे सम्भव हो सकता है कि जिस कार्य पर सामग्री क्रय की नहीं गयी उस पर मानव श्रम कैसे संभव हो चुका है। यह फर्जी अपहरण है उक्त की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राबिया बेगम व तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री हरि नारायण सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में मुन्नीलाल के दरवाजे से मुखन खेडत्रा तक खडन्जा निर्माण में लेखा परीक्षा द्वारा निम्न आपत्तियाँ पायी गयी।

क्र०सं०	सामग्री विवरण	धनराशि	
1	ईट क्रय रामा ईट उद्योग से दिनांक 22.05.15 को	72000.00	787 / 16
2	ईट क्रय रामा ईट उद्योग से दिनांक 22.05.15 को	230400.00	786 / 16

3	उस कार्य पर मजदूरी व्यय दिनांक 08.05.15 से 22.5.15 तक	50990.00	चेक सं0 2822772 / 069.08.15 255 मानव दिवस
4.	उस कार्य पर मजदूरी व्यय दिनांक 11.08.15 से 21.8.15 तक 162 कार्य दिवस	32347.00	चेक सं0 282980 / 03.11.15

उपरोक्त में तीन नंबर पर दर्शित व्यय बाबत एमआर 08.05.15 से 22.05.15 तक रु0 50990.00 फर्जी है। क्योंकि उक्त तिथि तक ईट क्रय नहीं की गयी और जब 22.05.15 को ईट क्रय की गयी तो उसे दिनांक 11.08.15 तक रोकें रखा गया। यानी कि विक्रय की गयी ईटे 02 माह 20 दिवस तक अप्रयुक्त रही तथा इसके पहले ही रु0 50990.00 फर्जी रूपये से एमआर पर भुगतान दर्शित करके फर्जी तरीके से अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राबिया बेगम व तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री हरि नारायण सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। **धन रु0-50990.00**

प्रस्तर-16 वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम निधि-1 मद गागन में राजाराम के घर के पास से मनिक राज के घर के पास तक सी0सी0 रोड कार्य कराया गया। लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

क्र0सं0	सामग्री विवरण	धनराशि
1	दिनांक 19.05.15 सीमेन्ट क्रय गोस्वामी टेडर्स	119520.00
2	दिनांक 19.05.15 ईट क्रय अंकित ब्रिक फील्ड	67488.00
3	दिनांक 07.05.15 से दिनांक 19.05.15 तक मजदूरी कार्य	50990.00
	कुल	232453.00

उपरोक्तानुसार यह कैसे संभव है कि जिस कार्य के लिये सामग्री दिनांक 19.05.15 को क्रय की जाती है उस पर मजदूरी व्यय दिनांक 09.05.15 से दिनांक 19.05.15 के मध्य हो गया हो। स्पष्ट है कि यह धन का अपहरण है तथा उक्त कार्य पूर्ण करने के लिये दिनांक 22.05.15 व दिनांक 28.05.15 को जो सामग्री क्रय की गयी उसे दिनांक 21.05.15 से दिनांक 30.05.15 के मध्य प्रयुक्त किया गया और इस प्रकार रु0 232453.00 का अपहरण कर लिया गया।

अतः उक्त की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राबिया बेगम व तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री हरि नारायण सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम निधि-1 मद से सुखवीर सिंह के घर से सिदीक के घर तक के सी ड्रेन व सी0सी0 रोड निर्माण कराया गया। उक्त पर लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में पाये गये।

क्र0सं0	सामग्री क्रय व मजदूरी व्यय का विवरण	धनराशि
1	दिनांक 15.05.15 राहुल ब्रिक फील्ड से ईट क्रय	67488.00
2	दिनांक 15.05.15 गोस्वामी टेडर्स से सीमेन्ट आदि क्रय	119520.00
3	दिनांक 03.05.15 से दिनांक 15.05.15 तक मजदूरी व्यय	44445.00
	कुल	231433.00
4	दिनांक 07.09.15 राहुल ब्रिक फील्ड से ईट क्रय	11386.00
5	दिनांक 07.09.15 राहुल ब्रिक फील्ड से ईट क्रय	97632.00
6	दिनांक 27.08.15 से 07.09.15 तक मजदूरी व्यय 120 मानव दिवस	35425.00
		144463.00
	कुल	375896.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि समस्त धनराशि का अपहरण किया। क्योंकि जो सामग्री दिनांक 15.05.15 को क्रय की गयी उसका श्रम व्यय 03.05.15 से 15.05.15 तक के मध्य कैसे व्यय हो सकता है तथा जो सामग्री दिनांक 07.09.15 को क्रय की गयी उस पर मजदूरी व्यय दिनांक 27.05.15 से दिनांक 07.09.15 के मध्य कैसे हो सकता है। अतः यह स्पष्ट रूप से धन का अपहरण है। उक्त की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राबिया बेगम व तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री हरि नारायण सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। **सम्बद्ध धन0 375896.00**

प्रस्तर-18- वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम निधि -1 मद में मिर्जापुर अजिगॉव में पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से जालिम पासी के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य कराया गया। लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

क्र0सं0	सामग्री विवरण	धनराशि
1	दिनांक 25.05.15 ईट क्रय अंकित ब्रिक फील्ड	67488.00
2	दिनांक 19.05.15 सामग्री क्रय गोस्वामी टेडर्स	119520.00

3	मजदूरी व्यय दिनांक 08.05.15 से दिनांक 20.05.15 के मध्य (208)	45123.00
	कुल	232131.00

उपरोक्त से सिद्ध है कि जो सामग्री 20.05.15 को क्रय की गयी उस पर मजदूरी व्यय 08.05.15 से 20.05.15 तक कैसे सम्भव हुआ। अतः यह फर्जी है। उक्त की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राबिया बेगम व कार्य प्रभारी श्री रघुवीर सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

सम्बद्ध धन0 232131.00

प्रस्तर-19 वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम निधि-1 से ग्राम बैरी में हसनपुर सम्पर्क मार्ग पर अँगनू के घर से राम औतार के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण की लेखा परीक्षा में पाया गया कि देखें

क्र०सं०	सामग्री व मजदूरी का विवरण	धनराशि
1	दिनांक 20.05.15 प्रकाश टेडर्स से सामग्री क्रय	119520.00
2	दिनांक 20.05.15 अंकित ब्रिक फील्ड से ईट क्रय	67488.00
3	उक्त पर मजदूरी व्यय दिनांक 08.05.15 से दिनांक 20.05.15 तक	45445.00फर्जी
4	अशोक टेडर्स से सामग्री क्रय दिनांक 21.08.15 को	18000.00फर्जी
5	दिनांक 21.08.15 जमुना आयरन स्टोर से बोर्ड क्रय	5000.00
6	अंकित ब्रिक फील्ड से सामग्री ईट क्रय दिनांक 10.08.15	20640.00
7	प्रकाश टेडर्स से सामग्री क्रय दिनांक 20.08.15	95444फर्जी
8	फोटो दिनांक 20.08.15	500
9	एम0आर0 दिनांक 10.08.15 से दिनांक 20.08.15 तक 138 मानव दिवस	29378.00
	कुल	401415.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि:-

1. यह कि जो सामग्री 20.05.15 को क्रय की गयी उस पर मजदूरी व्यय दिनांक 08.05.15 से दिनांक 20.05.15 के महज कैसे हो गया। फिर जब दूसरी बार मजदूरी व्यय दिनांक 10.08.15 से दिनांक 20.08.15 के मध्य किया गया यानी कि दिनांक 20.08.15 तक समस्त कार्य समाप्ति हो गये थे तो उक्त पर दिनांक 21.08.15 को अशोक टेडर्स से सामग्री क्रय करने की जरूरत नहीं थी।
2. दूसरी बार काम लगभग ढाई माह बाद शुरू किया गया जिसके लिये सामग्री दिनांक 20.05.15 की क्रय कर ली गयी थी। अतः ढाई माह तक क्रय की गयी सामग्री बेकार पड़ी रही।
3. जब दूसरी बार कार्य 20.08.15 को समाप्त हुआ तो उसी दिन प्रकाश टेडर्स से सामग्री क्रय करने की आवश्यकता थी। अतः रू0 95444.00 की ईट एक दिन में प्रयुक्त नहीं की जा सकती।

इससे सिद्ध है कि क्रम सं. 3,4, व 7 में दर्शित धनराशियां अपहरण हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राबिया बेगम व कार्य प्रभारी श्री चन्द्रपाल से कराया जाना अपेक्षित है। सम्बद्ध धनराशि-45445+18000+95444-रू0 158889.00

प्रस्तर-20 वर्ष 2014-15 से 16-17 तक की ग्राम निधि-1 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत, मिचलौला में राम सिंह के घर के पास से सुरेश कुरील के घर तक सी0सी0रोड निर्माण में निम्न आपत्तियां पायी गयी।

क्र०सं०	सामग्री व मजदूरी का विवरण	धनराशि
1	दिनांक 20.05.15 राहुल ब्रिक फील्ड से ईट क्रय	67488.00
2	दिनांक 15.05.15 गोस्वामी टेडर्स से सामग्री क्रय	119520.00
3	उक्त पर एमआर दिनांक 03.05.15 तक (208)	45123.00
4	दिनांक 16.08.15 राहुल ब्रिक फील्ड से ईट क्रय	21500.00
5	दिनांक 16.08.15 गोस्वामी टेडर्स से सामग्री क्रय	94443.00
6	उक्त पर एमआर दिनांक 16.08.15 से दि० 26.08.15 तक (138)	29378.00
7	दिनांक 28.08.15 अशोक टेडर्स रहिमाबाद से विधि	18000.00
	कुल	395452.00

उपरोक्त पर टिप्पणी

1. यह कि जब सामग्री दिनांक 15.05.15 को क्रय की गयी तो उसके पहले कार्य कैसे शुरू हुआ। उक्त पर एमआर दिनांक 03.05.15 से दिनांक 13.05.15 तक प्रयुक्त रहा जो फर्जी पाया गया। रू0 45123.00
2. जब कार्य दूसरी बार 16.08.15 से 28.08.15 तक सम्पन्न हुआ तो दिनांक 28.08.15 को अशोक टेडर्स ने सामग्री लेने की जरूरत क्या थी। धन0 18000.00

3. यह कि जो सामग्री 1.05.15 को क्रय की गयी उसे 16.08.15 से 28.05.15 के मध्य लगाया गया।
अतः खरीद के लगभग 2.5 माह बाद। उक्त का औचित्य क्या था।

अतः कुल धन का अपहरण— 45123.00

18000.00

कुल 63123.00

अतः उपरोक्त रु0 63123.00 भी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राबिया बेगम व कार्य प्रभारी श्री चन्द्रपाल से कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 वर्ष 2014-15 से 2016-17 के मध्य किसान सेवा केन्द्र सीमऊ को डोगल भुगतान हेतु इन्दिरा आवास कंटीजेन्सी से निम्न भुगतान किये गये:-

1	फरवरी 2014 का	319963 / 02.05.14	रु0 19510.00
2	मार्च व अप्रैल 2014 का कुल रु0	28026.00 / 47536.00	

उक्त भुगतान फर्जी है। क्योंकि जनगणना मद से चेक संख्या 320210 / 29.03.14 को बाबत फरवरी व मार्च 2014 का भुगतान किया जा चुका है। धनराशि 24425.00

अतः कुल अपहरित धनराशि

फरवरी 2014 की धनराशि — 19510.00

मार्च 2014 की धनराशि — 14013

28026 / 2 — 14013

कुल योग— 33523.00

अतः उपरोक्त भुगतान 33523.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राबिया बेगम से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 किसान सेवा केन्द्र सीमऊ को ईंधन क्रय के लिये वर्ष 2014-15 से 2016-17 के मध्य इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद व मनरेगा प्रशासनिक मद से निम्न धनराशियाँ व्यय की गयी/दी गयी।

क्र0सं0	विवरण	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि
1	इंरिश आवास प्रशासनिक मद फरवरी 14 से अप्रैल 14 तक	319963	02.05.14	48536.00
2	मई 14	319968	09.06.14	31312.00
3	मई 14	319980	14.08.14	25411.00
4	मई 14	399985	18.09.14	34046.00
5	मई 14	319989	16.10.14	20741.00
6	मई 14	319994	19.01.14	16680.00
7	मार्च 15 से नवम्बर 15	446383	04.08.15	35032.00
8	मार्च 15 से नवम्बर 15	446384	13.09.14	38276.00
9	मार्च 15 से नवम्बर 15	286662	11.03.16	80127.00
	मनरेगा कंटीजेन्सी			
10	नवम्बर 14 से फरवरी 15 तक	443235	31.03.15	106146.00
11	नवम्बर 14 से फरवरी 15 तक	287098	15.01.16	154674.00
				590981.00

उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 से 16-'17 तक यानि कि 36 माहों के है। जिन पर जीप व जेनेरेटर पर ईंधन क्रय हेतु व्यय किया गया है उक्त पर निम्न तथ्य विचारकीय है।

- यह कि क्षेत्र पंचायत का कार्य दिवस आठ घंटों का होता है जिस पर मोटे तौर पर 06 घंटे बिजली व 1 घंटे इनवर्टर का उपयोग प्रति दिवस किया जाता है। आडिट टीम को एक भी दिन जनरेटर चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। फिर भी मोटे तौर पर यदि यह मान लिया जाये कि प्रति दिवस 01 घंटे के औसत से जनरेटर का प्रयोग किया गया तो भी 720 कार्य दिवसों (240 कार्य दिवस प्रतिवर्ष की दर से) के लिये 01 लीटर प्रति 01 घंटे की दर से 720 लीटर डीजल से ज्यादा का उपयोग संभव नहीं है। अतः कुल 36 माहों के लिये जिनके कार्य दिवस 720 होंगे प्रति 70रु0 लीटर की दर से डीजल क्रय पर मात्र रु0 50400 ही व्यय आयेगा। जो अपरिहार्य स्थिति को देखते हुए अधिकतम होगा।

2. यह कि क्षेत्र पंचायत कार्यालय में समस्त कर्मचारियों सहित खण्ड विकास अधिकारी का कुल कार्य दिवस 08 घंटे का होता है। जिसमें यदि दो घंटे जनता दिवस, व दो घंटे क्षेत्र पंचायत के कार्य सहित कुल चार घंटे खण्ड विकास अधिकारी व उसके कर्मचारियों की क्षेत्र पंचायत स्तर पर उपस्थिति मान ली जाये जो अधिकतम होगी तथा शेष चार घंटे भ्रमण पर मान लिये जाये जो फिलहाल प्रतिदिन संभव नहीं है तो भी उन चार घंटे के भ्रमण पर जीप एक घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी। एक घंटे का मतलब कम से कम 80 किमी प्रतिदिन जबकि क्षेत्र पंचायत औरास के क्षेत्राधिकार को देखते हुए, जिसमें मात्र 56 ग्राम समाये है तथा जहाँ पर विकास कार्यों के भ्रमण के लिये प्रतिदिन औसतन 50 किलो मीटर से ज्यादा यात्रा करना संभव नहीं होगा।

इस प्रकार प्रति कार्य दिवस की दर से 36 माह के लिये (20 दिवस प्रति माह की दर से) 720 कुल काग्र दिवस होंगे जिन पर 50 किलोमीटर प्रति कार्य दिवस की दर से 720 50 – 36000 हजार किलोमीटर से अधिक की यात्रा सम्भव नहीं होगी और यदि 36000 किलोमीटर पर 70 रु० प्रति लीटर की दर से जिसमें 01 लीटर में 20 किलोमीटर तक गाड़ी का माइलेज अनुमन्य है पर कुल 1800 लीटर डीजल व्यय होगा जिसकी कीमत रुपये 126000.00 से ज्यादा नहीं होगी।

अतः इन 720 कुल कार्य दिवसों के लिये डीजल का उपयोग जीप व जनरेटर पर निम्न से अधिक नहीं होगा:

1. जीप पर व्यय — 126000.00
2. जनरेटर ईंधन व्यय — 50400.00

कुल ईंधन व्यय — 176400.00

लेकिन इसके विपरीत इन 36 माह के लिये कुल व्यय 590981.00 किया गया है जिस का 70 रुपये प्रति लीटर डीजल की दर से कुल 8443 लीटर डीजल क्रय किया जा सकता था एवं उक्त पर 20 किमी प्रति लीटर की दर से 168860 किलोमीटर की मात्रा संभव होगी। जिसका प्रति कार्य दिवस की दर से 234 किलो मीटर प्रति दिन का औसत होता है। अतः 324 किलोमीटर प्रति कार्य दिवस की मात्रा तभी संभव है जब हम बिना रुके गाड़ी प्रतिदिन 4 घंटे से अधिक चलाएं। जो क्षेत्र पंचायत के क्रिय । कलापों के देखते हुए कतई संभव नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर कंटीजेन्सी का जमकर दुरुपयोग किया गया है या यूँ कहें कि यह दुरुपयोग के नाम पर धन का अपहरण है। उसकी पुष्टि में कोई भी लाग बुक, भ्रमण के विवरण आदि प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त समस्त व्यय फर्जी तरीके से अपहरित किया गया ऐसा सिद्ध हुआ।

अतः उक्त की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राबिया से करायी जानी अपेक्षित है। **सम्बद्ध धनराशि— 590981.00**

प्रस्तर—23 वर्ष 2014—15 से 2016—17 के मध्य ब्या जमद में भिन्न—भिन्न मदों से रु० 1460452.00 धनराशियाँ इनके संबंधित विभागों को वापिस की गयी:

क्र०सं०	मद	विवरण	धनराशि
1	इन्द्रा आवास प्रशासनिक मद पी०डी०,डीआरडीए, उन्नाव	डी०डी०नं० 148237 / 17.10.14	6900.00
2	मनरेगा कटीजेन्सी, सी०डी०ओ० उन्नाव	डी०डी०नं० 148235 / 17.10.14 डी०डी०नं० 148236 / 17.10.14	41851.00
3	डी०पी०आर०ओ० उन्नाव राज्य वित्त डी०डी०नं० 148232 / 17.10.14 तोहवा वित्त: डी०डी०नं० 148233 / 17.10.14		400000.00 463100.00
4	एएमए० उन्नाव डी०डी०नं० 148234 / 17.10.14		527600.00
		कुल व्यय	1460451.00

लेकिन शासन के आदेश संख्या 10/2015/ए-1-502 (1) दस 2015-10 (33) 2010 के अनुसार अनुदान पर प्राप्त ब्याज राज्य सरकार की आय मानी जायेगी और इसे सरकार के निर्धारित मद में द्वारा राजकीय कोषागार सीधे जमा किया जायेगा। लेकिन क्षेत्र पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस धनराशि को गलत तरीके से व्यय किया गया।

अतः वर्ष के ब्याजमद में दिनांक 31.03.127 को दर्शित अंतिम अवशेष रु० 1165754.86 सहित उपरोक्त धनराशि रु० 1460451.00 जो कुल 2626205.86 होता है को गलत तरीके से व्यय किये जाने व अपने पास रोके जाने से आधार पर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

अतः लेखा परीक्षा द्वारा उक्त धनराशि को सरकार की आय मानते हुए इसे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

सम्बद्ध धनराशि – 2626205.86

उत्तरदायी – श्रीमती राबिया बेगम (खण्ड विकास अधिकारी)

क्षेत्र पंचायत-मियागंज वर्ष 2006-07 से 2016-17

प्रस्तर-24 उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 में दिनांक 17.12.2016 को 06 कार्यों हेतु निविदाये आमंत्रित की गयी। परन्तु वर्ष 2016-17 में टेण्डर बिक्री से कोई आय नहीं दर्शायी गयी है यदि प्रत्येक कार्य हेतु न्यूनतम 03 ठेकेदारों द्वारा टेण्डर में शामिल होना माना जाये तो न्यूनतम 18 ठेकेदार द्वारा निविदाये डाली गयी होगी। निविदा मूल्य रु0 520.00 की दर से रु0 9360.00 की आय निविदा बिक्री से होनी चाहिए। जिसे संस्था के अभिलेखों में जमा न करके अपहरण कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजू यादव कैशियर से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 सरकारी अनुदान की बैंक में जमा धनराशियों पर आलोच्य वर्ष में प्राप्त ब्याज और ब्याज की धनराशि के व्यय का विवरण निम्नवत है—

क्र०सं०	वर्ष	वर्ष में प्राप्त ब्याज	वर्ष में वापिस/व्यय ब्याज	वर्षान्त में शेष ब्याज
1	2006-07	54085	52915	237547.36
2	2007-08	76929	189785	124691.36
3	2008-09	9137.50	806.00	133022.86
4	2009-10	359567.98	—	492590.84
5	2010-11	172698.00	665217.29	71.55
6	2010-12	380833.00	380833.00	71.55
7	2012-13	285725.00	625	285171.55
8	2013-14	650633.27	12888.00	922916.82
9	2014-15	664349.00	58077.27	1529188.55
10	2015-16	467063.00	639324.00	1356927.55
11	2016-17	439011.00	123.75	1795814.80
	योग	3560031.75	2000594.31	

शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस 2015-10 (33)2010 दिनांक 29 मई 2015 के प्रस्तर 3 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा किया जायेगा। अतः आलोच्य वर्षों में अर्जित आय रु0 3560031.75 को राजकोष में जमा न करके अन्य मदों में व्यय करके, वापिस करके अथवा रोककर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है उक्त ब्याज की अर्जित धनराशि शीघ्र राजकीय कोषागार में जमा करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 वर्ष 2014-15 में तेरहवों वित्त शीर्ष से रु0 4590998.00 निर्माण कार्यों पर व्यय किये गये हैं। परन्तु इस व्यय की पुष्टि में निर्माण कार्यों की पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावलियों के अभाव में कार्य की स्वीकृति, एस्टीमेन्ट, व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 आदि अप्राप्त रही। नियमानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जायेगी। अतः पत्रावलियों के अभाव में धनराशियों की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 वर्ष 2014-15 में बी0आर0 जी0एफ0 शीर्ष से 1026234.00 निर्माण कार्यों पर व्यय किये गये हैं परन्तु इस व्यय की पुष्टि में निर्माण कार्यों की पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहं करायी गयी। पत्रावलियों के अभाव में कार्य की स्वीकृति, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एमबी आदि अप्राप्त रही। नियमानुसार प्रमाणकों के अभाव में दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-28 क्रिकेट गैप्स मद से वर्ष 2015-16 में रु0 74503.00 का भुगतान विकासखण्ड कार्यालय में टाइल्स आदि लगाने हेतु में सुशील देवी (चेक संख्या 004906 दिनांक 13.08.2015 रु0 636804.00 और चेक संख्या 004907 दिनांक 13.08.2015 रु0 106699.00) को किया गया है। इसके अतिरिक्त रु0 63755.

00 का भुगतान श्री राजू यादव को (चेंक संख्या 4912 दिनांक 16.03.2016) किया गया है राज्य वित्त से भी रु0 237845.00 (चेक सं0 5372 दिनांक 13.08.2015) का भुगतान सुशीला देवी को उक्त कार्य हेतु किया गया है उक्त कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावली के अभाव में टेण्डर, स्वीकृति सटीमेट बिल/प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एमबी आदि अप्राप्त रहे। नियमानुसार यदि दर्शायी धनराशि के सापेक्ष कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से की जायेगी। अतः पत्रावली के अभाव में उक्त धनराशि से 1045103.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावली के अभाव में व्यय धनराशियों के सापेक्ष प्रमाणक बिल/कैशमेमों, मस्टररोल) अप्राप्त रहे।

क्र०सं०	कार्य का नाम	शीर्ष	श्रमांश	समग्री	टी०डी०एस०	योग	कार्य प्रणाली का नाम
1	असीवनतरफ लोकमन मजरा सकल गद्दी में लखनऊ मार्ग से प्रा० प्रा० तक सी०सी० रोड	राज्य वित्त	112259	278581	10909	401749	श्री आनन्द सिंह
2	मल्हौली सरदार नगर में इन्द्रपाल से शम्भू के घर होकर पृथ्वी के घर तक सी०सी० रोड	राज्य वित्त	171780	318346	7692	497818	श्री आनन्द सिंह
3	चम्पतपुर के मजरा सीपरपुर में डामर रोड से राजकुमार के घर तक खड़जा	राज्य वित्त	93225	242801	5629	341655	श्री आनन्द सिंह
4	कनिगांव में चन्द्रशेखर से लाल जी एवं विजय पंडित से लल्लू के घर तक सी०सी० रोड	बीआरजीएफ	161885	421651	9776	593312	श्री आनन्द सिंह
5	म० सरदार नगर में डामर रोड से ज्ञान चन्द्र के मकान तक सी०सी० व नाली	बीआरजीएफ	265107	755616	17519	1038242	श्री आनन्द सिंह
6	पाठकपुर मजरा बसोखा मा०पुर में राजेन्द्र के दरवाजे	बीआरजीएफ	186561	496199	11505	694265	श्री आनन्द सिंह
7	म०सरदार नगर में इन्द्रपाल के घर से मक्कू यादव के घर तक सी०सी०	बीआरजीएफ	264124	655962	15904	935990	श्री आनन्द सिंह
8	म०सरदार नगर में राई पाल के घर से मक्कू	बीआरजीएफ	—	88780	15220	104000	श्री आनन्द सिंह
9	औराई के मजरा शाहाबाद में राम बहादुर से छेदा	13 वॉ वित्त	85471	402029	9321	496821	श्री आनन्द सिंह

	के घर तक नाली						
10	मिर्जापुर कला में रामश्री इन्टर कालेज के सामने नाला	13 वॉ वित्त	68445	320418	7429	396292	श्री आनन्द सिंह
11	अकबरपुर के मजरा मोहनीखेड़ा में जंगली के घर से मेन रोड तक नाली निर्माण	13 वॉ वित्त	57553	263965	5120	326638	श्री आनन्द सिंह
12	खानपुर पीर अली में डामर रोड तक नाली निर्माण	13 वॉ वित्त	42697	157106	3442	203445	श्री आनन्द सिंह
13	फखरुद्दीन के मजरा राजापुर में नरेश से छोटे लाल के घर तक नाली	13 वॉ वित्त	87840	258770	5603	352213	श्री आनन्द सिंह
	योग	13 वॉ वित्त	1596947	4660224	125269	6382440	श्री आनन्द सिंह

उक्त कार्यों की पत्रावलियों के अभाव में कार्य की स्वीकृति स्टीमेट, व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल, कार्य-पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 आदि अप्राप्त रहें। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8 (क) में दिये गये प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की ब्याज सहित उत्तदायी व्यक्ति को की जायेगी। अतः उक्त पावलियों के अभाव में व्यय दर्शायी गयी धनराशियों की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-30. चौदहवाँ वित्त कन्टीजेन्सी खाते में पाया गया है कि वर्ष 2016-17 में रु0 140919.00 बिना किसी विवरण के सीधे अन्तिम अवशेष में कम कर दिये गये हैं। जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः विवरण रहित/प्रमाणक रहित भुगतान को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री राम भजन से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत हिलौली 2009-10

प्रस्तर-31 ब्याज की धनराशि रु0 281469.00 को रोककर सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचाई। अतः यह धनराशि अनियमितता के अन्तर्गत आती है। जिसको जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 विधायक निधि— इस मद में

प्रारम्भिक शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष
276000.00	—	70044.00	205956.00

इस मद में वर्ष 2009-10 में रु0 70044.00 व्यय किए गए किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः प्रमाणक विहीन व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री महत्व प्रसाद से वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-33 राज्य वित्त आयोग— 2009-10

प्रारम्भिक शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष
8018430.00	29543449.00	2126808.00	1629384.00

इस मद में वर्ष 2009-10 में रु0 2126808.00 व्यय किए गए किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः प्रमाणकविहीन व्यय धनराशि रु0 2126808.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी डी ओ व एकाउन्टेन्ट श्री महन्त प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-34 बारहवाँ वित्त— वर्ष 2009-10

प्रारम्भिक शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष
704475.00	1438061.00	42125.00	2100411.00

उक्त मद में वर्ष 2009-10 में रू0 42125.00 व्यय किए गए किन्तु उक्त व्यय की पुश्ति में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः प्रमाणक विहीन व्यय धनराशि रू0 2126808.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी डी ओ व लेखाकार से अपेक्षित है।

प्रस्तर-35 राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना-

प्रारम्भिक शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष
15391.00	395578.00	316272.00	94697.00

उक्त मद में वर्ष 2009-10 में रू0 316272.00 व्यय किए गए किन्तु उक्त व्यय की पुश्ति में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः प्रमाणकविहीन व्यय धनराशि रू0 316272.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी डी ओ व एकाउन्टेन्ट से अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 रा. रोजगार ग्राम योजना (तकनीकी सहायक)-वर्ष 2009-10 में

प्रारम्भिक शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष
84646.00	137019.00	177361.00	44304.00

वर्ष 2009-10 में उक्त मद में रू0 177361.00 व्यय किए गए किन्तु उक्त व्यय की पुश्ति में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः प्रमाणकविहीन व्यय धनराशि रू0 177361.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी डी ओ व लेखाकार से अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना (क्षेत्र पंचायत)-वर्ष 2009-10 में

प्रारम्भिक शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष
6403162.00	13691451.00	14137756.00	5956857.00

वर्ष 2009-10 में उक्त मद में रू0 14137756.00 व्यय किए गए किन्तु उक्त व्यय की पुश्ति में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः प्रमाणकविहीन व्यय धनराशि रू0 14137756.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी डी ओ व सचिव से अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 सांसद निधि

प्रारम्भिक शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष
180917.00	—	150430.00	30487.00

वर्ष 2009-10 में उक्त मद में रू0 150430.00 व्यय किए गए किन्तु उक्त व्यय की पुश्ति में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः प्रमाणकविहीन व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी डी ओ व एकाउन्टेन्ट से अपेक्षित है।

प्रस्तर-39 अम्बेडकर विषेश रोजगार योजना-वर्ष 2009-10

प्रारम्भिक शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष
3750.00	177500.00	173750.00	7500.00

वर्ष 2009-10 में उक्त मद में रू0 173750.00 व्यय किए गए किन्तु उक्त व्यय की पुश्ति में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः प्रमाणकविहीन व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी डी ओ व लेखाकार से अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 पिछड़ा अनुदान निधि-वर्ष 2009-10

प्रारम्भिक शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष
—	1060245.00	655855.00	404390.00

वर्ष 2009-10 में उक्त मद में रू0 655855.00 व्यय किए गए किन्तु उक्त व्यय की पुश्ति में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः प्रमाणक विहीन व्यय धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। अतः दर्शित व्यय की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री महन्त प्रसाद चौरसिया से अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 रिवाल्विंग फंड मनरेगा-वर्ष 2009-10

प्रारम्भिक शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष
—	50,00000.00	2195578.00	2804422.00

वर्ष 2009-10 में उक्त मद में रू0 2195578.00 व्यय किए गए किन्तु दर्शित व्यय प्रमाणकविहीन रहा। अतः दर्शित व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी डी ओ व लेखाकार श्री महन्त प्रसाद चौरसिया से अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 दुग्ध संग्रह निर्माण केन्द्र-वर्ष 2009-10

प्रारम्भिक शेष	आय	व्यय	अन्तिम शेष
411000.00	—	411000.00	—

वर्ष 2009-10 में उक्त मद में ₹0 411000.00 प्रमाणक विहीन रहा। व्यय किए गए किन्तु दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन रहा जोकि अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री महन्त प्रसाद चौरसिया से अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत हिलौली, जनपद उन्नाव वर्ष 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर-43 मनरेगा के अन्तर्गत निःशुल्क बोरिंग के मद में व्यय की स्थिति लेखा परीक्षा में निम्नवत् रही :-

क्रम	वर्ष	ग्रान्ट रजि०, 3 के अनुसार व्यय	जे०ई०(एम आई)के प्राप्त अभिलेखों / सूचनाओं के अनुसार			
			सा०/ पि०जा०	अनु० जाति	कुल लाभार्थी सं०	उपभोग/फीडिंग
1.	2011-12	3,97,040	450		450	10,26,000
2.	2012-13	11,75,360	197	46	243	3,94,000
3.	2013-14	79,000		—	—	1,38,000
4.	योग	16,51,400				15,58,000

क्षेत्र पंचायत हिलौली के वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि में मनरेगा निःशुल्क बोरिंग के मद में व्यय कुल धनराशि 16,51,400 की श्रमांश व्यय पुष्टि में पटल सहायक जेई एम आई के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों / सूचनाओं के अनुसार ₹0 15,58,000 का उपभोग/फीडिंगप्रस्तुत किया गया है अन्तर धनराशि ₹0 93,400 के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक समाधान लेखा परीक्षा में नहीं किया गया। सम्बन्धित योजना में अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त इस प्रकार व्यय का अन्तर की धनराशि अपुष्ट है। उक्त धनराशि कूटरचित तरीके से तत्कालीन ख० वि० अ०/अवर अभि० (ल० सि०) एवं लेखाकार की संलिप्तता में अपहरित की गई है। जो कि उच्च स्तरीय जांच का विषय है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कार्य सत्यापन सूची के अभाव में वर्षवार योजना का लक्ष्य, पूर्ति एवं श्रेणीवार लाभार्थियों की संख्या आंकलन नहीं किया जा सका, हर प्रकार से अनियमितताएं संभावित है। निःशुल्क बोरिंग के मद की कार्य पत्रावलियों में कार्य पूर्ण होने के उपरान्त लाभार्थी से प्राप्त सन्तुष्टि प्रमाण पत्र नहीं संलग्न किया गया है। नियमानुसार समस्त लाभार्थी से सन्तुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त कर पत्रावलियों में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-44 वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि में क्षेत्र पंचायत हिलौली द्वारा तृतीय राज्य वित्त व बारहवां/तेहरवां वित्त, अनुदान से कराये गये निर्माण कार्य में धनराशि ₹0 91,65,043 तथा मनरेगा के अर्न्तगत ₹0 6,15,587 निर्माण सामग्री क्रय का भुगतान सम्बन्धित फर्मों एवं बिक्र फील्ड को किया गया है परन्तु नियमानुसार भुगतानित बिलों से निर्धारित व्यापार कर (वेट) 4:की कटौती न करने से लेखापरीक्षा की गणनानुसार ₹0 3,66,602 ₹0 24,623 कुल ₹0 3,91,225 के राजस्व प्राप्ति की क्षति हुई जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

प्रस्तर-45 वर्ष 2012-13 में सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना कार्य प्रशिक्षण / भर्तों के मद में प्राप्त धनराशि ₹0 50,000 के सापेक्ष ₹0 39,640 की धनराशि उक्त कार्यक्रम के आयोजन हेतु व्यय की गई है, परन्तु प्रशिक्षण के आयोजन सम्बन्धित को भर्तों के भुगतान पर व्यय धनराशि ₹0 39,640 तथा अवशेष धनराशि ₹0 10,360 की पुष्टि में सम्बन्धित बाउचर लेखा परीक्षा में सुलभ न होने पर संतोषजनक समाधान नहीं कराया गया ऐसी स्थिति में उक्त दर्शित व्यय संदिग्ध है तथा ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-46 क्षेत्र पंचायत हिलौली में 2012-13 व 2013-14 की अवधि में मनरेगा (क्षे० पं० अंश) के अन्तर्गत निम्न कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कार्य अपूर्ण है इन कार्यों का प्रारम्भ किया गया है परन्तु कार्य अपूर्ण है कार्य के अपूर्ण / अवरुध होने का स्पष्ट कारण अज्ञात रहा :-

क्रम	योजना	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (लाख)	व्यय/ आंशिक भुगतान	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य प्रमारी का नाम
1.	मनरेगा	2012-13	उम्मेदखेड़ा से सरैया डामर रोड तक मिट्टी	4.14	3,84,688	14.12.2012	श्री सर्वेश बाजपेयी

			एवं खडण्जा कार्य —1कि०मी०				ग्रा.वि.अ. 20.12.13 तक श्री संजय पाण्डेय 21.2.13तक
2.	मनरेगा	2012-13	गुजौली में बढुवा तक संपक मार्ग 1कि०मी०	2.88	1,24,125	12.8.2011	श्री हरिशंकर यादव ग्रा.प.अ.
3.	मनरेगा	2013-14	बेहटा मुख्य मार्ग सेप्रा० वि० मुसण्डी तक मिट्टी एवं खडण्जा कार्य —1500मी०	12.68	5,53,105	22.7.2013	श्री रमेश चन्द्र सिंह जे०ई० एम.आई.
योग—					10,61,918	दुरुपयोग/अनियमित भुगतान	

क्रम० सं० 1 से 3 में अंकित अपूर्ण कार्यों की पत्रावली में निम्न न्यूनताएं प्रकाश में आयीं हैं जिसके कारण उक्त कार्यों की स्थिति संदिग्ध है तथा अनियमित भुगतान परिलक्षित होता है।

1—उपरोक्त पत्रावलियों में कार्य प्रारम्भ होने तथा कृत कार्यों का फोटोग्राफ/साइन बोर्ड प्रमाणक संलग्न नहीं है।

2—वित्तीय स्वीकृति पत्र में दर्शित स्थान, नाप, एवं धनराशि में कटिंग/ओवरराइटिंग का प्रयोग किया गया है।

3—सामग्री क्रय हेतु क्रयादेश उपलब्ध नहीं है। निर्माण कार्यसे सम्बन्धित ईट प्रदायकर्ताओं से कोटेशन आमंत्रित नहीं किए गए।

4—कार्यों की एम०बी० बुक नहीं उपलब्ध करायी गई है।

5—संलग्न मस्टररोल एक ही व्यक्ति द्वारा एक साथ तैयार किया जाना तथा श्रमिकों के अंगूठों के निशान भी प्रमाणित नहीं किए गये हैं।

उपरोक्त कार्य पत्रावली के अवलोकन से ज्ञातव्य है कि क्रम० सं० 1 से 3 में वर्णित कार्यों में रु० 10,61,918 की धनराशि भुगतानित है, जिसका अनियमित भुगतान कर दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री संजय पाण्डेय अवर अभि० (आर.ई.एस) श्री रमेश चन्द्र सिंह जे०ई० एम.आई ब्लॉक प्रमुख तथा कार्य प्रभारी के साथ लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-47 शा० सं० 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 की व्यवस्था के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया गया है, तो उक्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा किया जाना था। जिसके अनुपालन में क्षेत्र पंचायत खातों में दि० 31.3.2017 तक अर्जित/जमा ब्याज की धनराशि रु० 4,99,433.77 को राजकोष में जमा नहीं कराया गया। यह स्थिति शासकीय आदेशों का उल्लंघन एवं वित्तीय अनुशासन के विपरीत अनियमितता के अर्न्तगत है। ब्याज की धनराशि रु० 4,99,433.77 को राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-48 क्षेत्र पंचायत हिलौली की वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में तृतीय रा० वि०/ 13वां वित्त तथा मनरेगा कार्यों के व्यय के सम्बन्ध में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों में संलग्न निम्नांकित प्रमाणों/मस्टर रोल लेखा नियमों के विपरीत व आपत्तिजनक हैं, व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है, कॉलम-4 में उक्त के सम्बन्ध में अंकित कारणों के परिपेक्ष्य में व्यय धनराशि को अपहरण के अर्न्तगत आंकलित किया जाता है अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है:—

1	2	3	4
योजना	कार्य का नाम	सन्निहित धनराशि	आपत्ति का विवरण
तृतीय रा० वि० 2011-12	1—खेरवा में विश्रामपासी के दरवाजे से प्रेमशंकर के दरवाजे तक सी.सी. रोड निर्माण— 400 मी०	10,992	ग्रान्ट रजि० 2में चेक सं० 199417 दि० 20.12.2011 भुगतानित धनराशि रु० 2,55,436 में श्रेयजल ट्रेडिंग कं० के नामे दर्शित है, जबकि उक्त फर्म का वास्तविक भुगतान 2,38,855 ही था फर्म के बिल सं० 1/21 दि० 15.9.2011 की धनराशि में ख० वि० अ० द्वारा अपर लेखन कर संशोधित किया गया जिसमें दरों का मनमाने ढंग से हेर-फेर कर अधिक भुगतान किया गया है।
	उक्त कार्य से सम्बन्धित	53,400	म० र० पर सभी श्रमिकों के अंगूठा निशान एक जैसे हैं, म० र०

	म०रो० दि०1.8.11 से 16.8.11 म०रो० दि०16.9.11से 30.9.11	1,03,680	साप्ताहिक आधार पर नहीं हैं । काल्पनिक मस्टररोल का भुगतान कार्यप्रभारी शिवबरन सिंह को किया गया है।
तृतीय रा०वि० 2011-12	भाटन खेड़ा से बक्श पुर तक खडण्जा निर्माण-500 मी० मिट्टी कार्य१०.३.१२से २३.३.१२	30,300	पत्रावली के अनुसार कार्यसमाप्ति दि०23.3.12 के लगभग 2 वर्ष बाद कार्य प्रभारी सर्वेश बाजपेई को चेंक सं० 192336 दि०1.1.2014 द्वारा भुगतान किया जाना।
13वां वित्त 2011-12	श्री शेरबहादुर सिंह के ट्यूबवेल से डामर रोड तक नाली निर्माण 350मी०	1,08,548	मे० चौधरी बिक्र फील्ड बिल सं०4/164दि० 25.6.11 रू० 1,21,250 के सापेक्ष चेक सं० 199408 दि० 30.8.11 द्वारा रू०1,08,548 का संदिग्ध भुगतान । ईट क्रय /उपभोग का स्टॉक लेखा अप्राप्त है।
13वां वित्त 2011-12	मौरावां रसूल पुर मे गुलाबसिंह के खेत से ओमप्रकाश के खेत तक नाली निर्माण 350मी०	73,700 1,31,950	मे० चौधरी बिक्र फील्ड के अनधिकृत कैश मैमो बिलसं०3/128 दि० 20.5.2011 रू० 73,300 तथा 3/127 दि०3.7.11रू० 1,31,950 विभिन्न तिथियों में क्रय ईट सम्बन्धी कैशमेमों क्रमवार होने से प्रथम दृष्टया स्थिति सन्देहात्मक है वास्तविक क्रय की पुष्टि के अभाव धनराशि का अपहरण प्रमाणित होता है।
तृतीय रा०वि० 2012-13	हिलोली में बढनीखेडा मे गुरुप्रसाद के घर तक सी.सी. रोड निर्माण- 340 मी०	31,000	पत्रावली में संलग्न नोट सीट के अनुसार मस्टररोल दि० 9.3.13 से 24.3.13 का भुगतान रू० 18,960 तथा 31,000 की धनराशि ट्रेक्टर किराया एवं कंक्रीट मशीन किराया कार्यप्रभारी संजय पाण्डेय जे.इ.को चेक सं० 192293 दि० 22.6.2013 द्वारा रू० 49,860 भुगतान किया गया है।रू० 31,000 का भुगतान दुरभिसंधि से बिना व्यय प्रमाणक प्राप्त किए किया गया है। म०रो० की धनराशि रू० 18,960 एवं भुगतानित धनराशि रू०18,860 में 100 रू० का अन्तर है।
तृतीय रा०वि० 2013-14	करदहा मे राजेश सोनी के घर से लाला के घर तक सी.सी. रोड निर्माण- 300 मी०	18,000 6,500 9,240	कार्य मे ब्राइवेटर का भुगतान सादे कागज पर विश्राम व चन्द्रप्रकाश के नामे फर्जी रसीद बनाकर कार्यप्रभारी शिवबरन सिंह ग्रा०वि० अ० द्वारा प्राप्त कर लिया गया है दोनो प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर की लिपि एक जैसी है।इसी क्रम में चेक सं० 192326 दि०19.12.13 द्वारा रू० 6,500 व 9,240 का भुगतान कार्यप्रभारी शिवबरन सिंह ग्रा०वि० अ० अनधिकृत रूप से किया गया है।
तृतीय रा०वि० 2013-14	उम्मेदखेडा से सरैया डामर रोड तक मिट्टी एवं खडण्जा कार्य -1कि०मी०	98,800 99,840	मे० हिन्दुस्तान बिक्र फील्डके अनधिकृत क्रय ईट कैश मैमो सं०202- दि० 25.3.2013 रू० 98,800 तथा 206-दि० 22.3.13रू० 99,840 विरोधाभाषी एवं प्रथम दृष्टया सन्देहात्मक है वास्तविक क्रय की पुष्टि के अभाव धनराशि का अपहरण प्रमाणित होता है। ईट क्रय /उपभोग का स्टॉक लेखा अप्राप्त है
तृतीय रा०वि० 2013-14	लालाकेदारनाथ खेडा मे हरिराम के खेत से प्रा० वि० खजुहा तक सी.सी. रोड निर्माण- 350 मी०	72,000 40,720	मे० जायसवाल बिक्र फील्डके अनधिकृत क्रय ईट कैश मैमो सं०23- दि० 1.10.2013 रू० 72,000 विरोधाभाषी है एवं प्रथम दृष्टया सन्देहात्मक है क्योंकि उक्त फर्म का कैश मैमो सं०142- दि० 14.8.2013व 161दि० 18.9.13 पूर्व की तिथियों मे प्रयुक्त हैं वास्तविक क्रय की पुष्टि के अभाव धनराशि का अपहरण प्रमाणित होता है। ईट क्रय /उपभोग का स्टॉक लेखा अप्राप्त। चेक सं० 192323 दि०19.11.13 द्वारा कार्यप्रभारी राम प्रसाद अरुण ग्रा०वि० अ० से संलिप्तता के कारण रू० 40,720 का कूटरचित फर्जी भुगतान किया गया है।
13वां वित्त 2013-14	हिलोली में बढनीखेडा मे गुरुप्रसाद के घर तक नाली निर्माण 500मी०	20,832	म०रो० दि० 21.6.13 से 30.6.13 पर किसी श्रमिकों के अंगूठा निशान व कार्य प्रभारी के हस्ताक्षर न होने पर भी तत्कालीन लेखाकार उदयभान सिंह ने कार्यप्रभारी से संलिप्तता के कारण चेक सं० 192296 दि०8.7.13 द्वारा रू० 20,832 का कूटरचित फर्जी भुगतान किया गया है।
मनरेगा 2012-13	उम्मेदखेडा से सरैया डामर रोड तक मिट्टी एवं खडण्जा कार्य	2,800	चेक सं० 386849 दि० 31.3.2013 धनराशि रू० 2,800दो राजगीरों वीरपाल पुत्र रामप्यारें एवं शिवबोधन पुत्र शिवपाल के भुगतान से सम्बन्धित है जबकि पत्रावली में संलग्न

	—1कि०मी०		म०रो० क्रमांक 12 तिथि 1.4.13 से 7.4.13की अवधि का है कार्य के पूर्व ही किया गया भुगतान संदिग्ध है।
मनरेगा 2013-14	अकोहरी(ठकुराईन खेडा)प्रा० पा० से पढई डामर रोड तक स० मार्ग 600मी०	1,18,002	कार्यपूति प्रमाण— पत्र व एम०बी० के अभाव में कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। संलग्न काल्पनिक मस्टर रोल के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया गया है म०रो० पर सभी श्रमिकों के अंगूठा निशान एक जैसे हैं। म०रो० स० 854-55 दि०16.6.13 से 17.6.13 के द्वारा दर्शाई गई श्रमिकों की उपस्थिति संदिग्ध है।
	योग—रु०	10,30,304	भुगतानित धनराशि अपहरण के अर्न्तगत है।

प्रस्तर-49 शा० सं० : 1964/38-7-2010-369 एन०आर०जी०ए०/2008, दिनांक 26 मई 2010 के अनुसार अनुमन्य प्रशासनिक व्यय मद हेतु क्षेत्र पंचायत स्तर पर मनरेगा कॉन्टीजेन्सी में धनराशि का उपभोग लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बाउचर/ व्यय प्रमाणको की गणनानुसार वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा वर्ष 2013-14 में निम्न विवरणानुसार है:-

क्रम	विवरण	धनराशि		
	वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14
1.	मनरेगा कार्मिकों का मानदेय	7,45,400	5,15,094	6,25,987
2.	जीपकिराया/जीप मरम्मत	1,07,592	27,560	—
3.	पी०एल०ओ०/जीप, जनरेटर	1,89,859	1,64,280	58,157
4.	बिजली/टेलीफोन	33,964	23,985	40,265
5.	फोटोस्टेट/स्टेशनरी	43,954	25,785	36,052
6.	मनरेगा प्रचार प्रसार एम०आइ०एस०फीडिंग	86,285	22,228	2,265
7.	फर्नीचर,अन्य कार्यालय व्यय	1,12,462	82,704	33,171
	योग	13,19,516	8,61,636	7,95,897
8.	ग्रान्ट रजि०, 3में दर्शित संकलित व्यय —	13,37,385	1,11,00,34	7,95,897
9.	अन्तर की धनराशि (8-7)	17,869	2,48,398	—

उपरोक्त तालिका के क्र० सं० 3 में लिखित पी० एल० ओ० ईंधन व व्यय शासकीय कार्यों के हित में विकास खण्ड की जीप एवं जनरेटर के संचालन हेतु दर्शित है, परन्तु लेखा परीक्षा में इससे सदुपयोग की पुष्टि में प्रयुक्त ईंधन की लागबुक /उपभोग रजिस्टर अप्राप्त रहने से इस मद की व्यय धनराशि अपुष्ट रही है।

इसी प्रकार क्र० सं० 9 में लिखित वर्ष 2011-12 रु० 17,869 व 2012-13 रु० 2,48,398 कुल धनराशि 2,66,267 मनरेगा कॉन्टीजेन्सी के व्यय प्रमाणक अनुपब्ध होना गंभीर आपत्ति है। उक्त धनराशि का आहरण फर्जीतौर पर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा किया गया है, प्रमाणक विहीन दर्शित व्यय के अनुसार अपहरण की पुष्टि होती है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत हिलौली 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर-50 टेण्डर वर्क के भुगतान बिल मैनुअल फार्म 123/18 उ० प्र० पब्लिक वर्क डिपार्टमेन्ट चैप्टर 6 पैरा 144 की जांच में पाया गया कि नियमानुसार उ० प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनिमय) नियमावली 2009 नियम 4(3)के अनुसार ठेकेदारों के बिलों से 1 प्रतिशत की धनराशि लेबरसेस की कटौती नहीं की गई। क्षेत्र पंचायत हिलौली, वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि में विभिन्न योजनाओं (राज्य वित्त, तेरहवां वित्त, वी०आर०जी०एफ०) के अर्न्तगत आलोच्य वर्षों में वर्ष 2014-15से 2016-17 की अवधि में आपत्ति सं० 6 के अनुसार कराये(टेण्डर वर्क) के भुगतान लगभग रु० 97.10 का 1: रु० 97,100 का नियम विपरीत अधिक भुगतान सम्बन्धित ठेकेदारों को किये जाने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं। अधिक भुगतानकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-51 शा० सं० 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 की व्यवस्था के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया गया है, तो उक्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा किया जाना

था । जिसके अनुपालन में क्षेत्र पंचायत खातों में दि० 31.3.2017 तक अर्जित/जमा ब्याज की धनराशि रु० 13,03,089.38 को राजकोष में जमा नहीं कराया गया। यह स्थिति शासकीय आदेशों का उल्लंघन एवं वित्तीय अनुशासन के विपरीत अनियमितता के अन्तर्गत है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-52 क्षेत्र पंचायत हिलौली की वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में तृतीय रा०वि०/ 13वां वित्त तथा बी०आर०जी० एफ० व्यय के सम्बन्ध में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों जो तत्कालीन ब्लाक स्तर पर तैनात ग्राम पंचायत अधिकारियों /कार्यप्रभारियों द्वारा कराये गये हैं, में संलग्न निम्नांकित प्रमाणकों/मस्टर रोल मानकों के अनुसार शासकीय आदेशों का उल्लंघन एवं वित्तीय अनुशासन के विपरीत व आपत्तिजनक हैं, व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है, कॉलम-4 में उक्त के सम्बन्ध में अंकित कारणों के परिपेक्ष्य में तत्सम्बन्धी व्यय धनराशि को अपहरण के अन्तर्गत आंकलित किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है:-

कार्य का नाम-1 .हिलौली सरैया मार्ग से मोतीखेड़ा तक खडण्जा निर्माण- 450 मी० तृतीय रा०वि०

1	2	3	4
योजना	व्यय का मद	सन्निहित धनराशि	आपत्ति का विवरण
तृतीय रा०वि० 2014-15 कार्य प्रभारी श्री बेचे लाल, ग्रा०पं० अ० तकनीकी पर्यवेक्षक श्री आर०के० तिवारी आर.ई.एस. जे०ई०	ईट क्रय	18,000	—चेक सं० 566761 दि०21.01.2015 रु० 18,000 कैश मेमो 23/दि० 28.1.2015—मे० शारदा बिक्र फील्डके नामे भुगतान दर्शित है, अनधिकृत कैश मेमो है। ईट क्रय /उपभोग का स्टाक लेखा अप्राप्त। कैशमेमों एक ही व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाना गंभीर अनियमितता है तथा गबन करने का आसान तरीका है।
	उक्त कार्य श्रमांश, म०रो० दि०06.01.15 से 19.1.2015 म०रो० दि० 28.01.15 से 11.2.2015	54,132 28,080	म०रो० पर सभी श्रमिकों के अंगूठा निशान एक जैसे हैं, म०रो साप्ताहिक आधार पर नहीं हैं। काल्पनिक मस्टररोल का भुगतान कार्यप्रभारी बेचेलाल ग्रा०पं० अ० द्वारा प्राप्ते किया गया है। संलग्न काल्पनिक मस्टर रोल के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया गया।
	उक्त कार्य मेंट्रालीमिट्टी डुलाई कार्य .52 ट्राली दर 300/ .50 ट्राली दर 300/	15,600 15,000	नकद भुगतान प्राप्ति रसीद सादे कागज पर है, भुगतान प्राप्तकर्ता व्यवसायिक आपूर्तिकर्ता नहीं है। बाउचर पर ट्रैक्टर/ ट्राली नं० अंकित नहीं है। दर्शित व्यय फर्जी है। निर्माण समिति द्वारा कार्य/भुगतान का सत्यापन नहीं है।
	योग—	1,30,612	भुगतानित धनराशि अपहरण के अन्तर्गत है।
2— श्री रमेश दीक्षित के घर से संदाना रोड तक नाला निर्माण 350मी० तेरहवां वित्त			
13वां वित्त 2014-15	ईट क्रय	1,35,803 76,587	उक्त कार्य में ग्रांट रजि० 2के अनुसार क्रय ईट भुगतान क्रमशः — —चेक सं० 596775 दि० 3.03.2015 रु० 1,35,803 मे० भावना बिक्र फील्ड के नामे पुष्टि में कैशमेमो अप्राप्त रहा। —चेक सं० 596777 दि० 3.03.2015 रु० 76,587 मे० प्रिन्स ट्रेडर्स के नामे पुष्टि में

कार्य प्रभारी— श्री राम बरन सिंह ग्रा0पं0 अ0 तकनीकी पर्यवेक्षक श्री संजय पाण्डेय आर.ई.एस. जे0ई0	उक्त कार्य में सामग्री क्रय	1,98,918	कैशमेमो अप्राप्त रहा। चेक सं0 596748 दि0 1.09.2014 रू0 1,98,918 मे0 जय अम्बे ट्रेडर्स के नामे कार्य में सामग्री आपूर्ति का क्रयादेश का पालन नहीं हुआ है। अपंजीकृत फर्म के कैशमेमो सं0 अस्पष्ट दि0 14.8.2014के साथ ही वैट की कटौती न किया जाना।
	उक्त कार्य से सम्बन्धित म0रो0 दि0 1.8.14 से 31.08.14,	86,160	चेक सं0 596752, 596752 दि0 1.09.2014 क्रमशःरू0 46,800 व 39,360 कुल रू0 86,160 का भुगतान कार्य प्रभारी—श्री राम बरन सिंह ग्रा0पं0 अ0 को किया गया है। म0रो0 पर सभी श्रमिकों के अंगूठा निशान एक जैसे हैं, नियम विपरीत म0रो पूरा एक साथ बनाया गया हैं। म0रो0 पर कार्य एवं कार्यमापन व कार्यवधि का अंकन नहीं है।
योग—		4,97,468	भुगतानित धनराशि अपहरण के अर्न्तगत है।
3.संदाना स्वयंवरखेड़ा में सी0सी0 रोड निर्माण प्रा0 पा0 से बरदहा खडण्जा तक 117 मी0 13वां वित्त			
13वां वित्त 2014—15 कार्य प्रभारी— श्री बेचे लाल, ग्रा0पं0 अ0 तकनीकी पर्यवेक्षक श्री आर0के0 तिवारी आर.ई.एस. जे0ई0	उक्त कार्य से सम्बन्धित म0रो0 दि0 1.2.15 से 10.02.15,	34,360	म0रो0 पर सभी श्रमिकों के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं है। चेक सं0 596780दि0 3.03.2015 द्वारा रू0 34,360 मस्टररोल का भुगतान कार्यप्रभारी बेचेलाल को किया गया है। म0रो0 पर सभी श्रमिकों के अंगूठा निशान एक जैसे हैं, नियम विपरीत म0रो पूरा एक साथ बनाया गया हैं।
	म0रो0 दि0 11.02.15 से 2.3..2015		म0 रो0 त्रुटिपूर्ण है, म0रो पर योग 37,442 अंकित है गणना के अनुसार योग 37,716 आता है रू0 274 से कम अंकित है।
	म0रो0 दि0 3.3.15 से 9.3..2015	37,442	म0 रो0 त्रुटिपूर्ण है, म0रो पर योग 37,442 अंकित है गणना के अनुसार योग 37,716 आता है रू0 274 से कम अंकित है।
योग—		1,41,759	फर्जी आहरण अर्न्तगत है।
(क्र0 सं0 1+2+3)		7,69,839	भुगतानित धनराशि अपहरण के अर्न्तगत है।

उपरोक्त कार्य पत्रावली के अवलोकन से ज्ञातव्य है कि क्रम0 सं0 1 से 3 में वर्णित कार्यों में कुल रू0 **7,69,839** की धनराशि का भुगतान संदिग्ध है, इस हेतु भुगतानित धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री संजय पाण्डेय व श्री आर0 के0 तिवारी अवर अभि0 (आर.ई.एस) ब्लाक प्रमुख तथा सम्बन्धित कार्यप्रभारी के साथ लेखाकार उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—53 31.03.2017 तक निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न मदों से सम्बन्धित पक्षों को निर्गतचेकों का खातोंसे आहरण समयान्तर्गत न हो पाने के कारण कालातीत हो गई।

चेक सं0 888966 दि016.3.2016	रू0 25,000
चेक सं0 820237 दि011.4.2016	12,692
चेक सं0 165494 दि025.4.2016	14,965
चेक सं0 165495 दि025.4.2016	50,760
चेक सं0 165500 दि030.5.2016	1,238
चेक सं0 165503 दि020.7.2016	19,480
चेक सं0 165511 दि015.9.2016	12,099
चेक सं0 820243 दि018.10.2016	3,541
चेक सं0 820243 दि018.11.2016	5,792
कालातीत चैकों की धनराशि	योग—
	रू0 1,45,567

उक्त कालातीत चेकों की धनराशि रू0 1,45,567 के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। समयावधि समाप्त होने पर चेकों का निरस्तीकरण कर सम्बन्धित मदों में लेखा सुधार कर वापसी दर्शित नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में उक्त दर्शित व्यय संदिग्ध है। समाधान/लेखा सुधार किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-54 ग्रान्ट रजि0 में वर्ष 2015-16 पंचायत निर्वाचन कार्य हेतु डीडीओ/डीईओ द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि रू0 2,85,830 में पंचायत निर्वाचन कार्य में निम्न विवरणानुसार धनराशि सम्बन्धित को अग्रिम के रूप में दिया जाना दर्शित है, व्यय पुष्टि हेतु कोई अभिलेख अथवा बाउचर उपलब्ध नहीं रहे, विवरण इस प्रकार है:-

आहरण	धनराशि	प्राप्त कर्ता	कार्य
चेक सं0 363917 दि0 29.10.2015	रू0 36,000	श्री हरिशंकर यादव ग्रा0वि0अ0	पं0 निर्वाचन व्यवस्था
चेक सं0 363915 दि0 6.11.2015	15,000	श्री रत्नेश कुमार कम्प्यूटर आपरेटर	पं0 निर्वाचन व्यवस्था
चेक सं0 333924 दि0 2.1.2016	27,120	श्री राजेश चौरसिया ए0डी0ओ0(पं0)	पं0 निर्वाचन व्यवस्था
चेक सं0 363927 दि0 27.1.2016	36,000	श्री हरिशंकर यादव ग्रा0वि0अ0	पं0 निर्वाचन व्यवस्था
चेक सं0 363929 दि0 27.1.2016	35,000	श्री विनीत कुमार कैशियर	पं0 निर्वाचन व्यवस्था
चेक सं0 363938 दि0 26.2.2016	10,000	श्री हरिशंकर यादव ग्रा0वि0अ0	पं0 निर्वाचन व्यवस्था
चेक सं0 165500 दि0 15.09.2016	10,000	श्री हरिशंकर यादव ग्रा0वि0अ0	पं0 निर्वाचन व्यवस्था
योग-	1,69,120	रू0 1,69,120 ब्याज सहित वसूली	योग्य

सम्बन्धित द्वारा प्राप्त अग्रिम धनराशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय प्रमाणक/प्रतिपूर्ति बिल अथवा बाउचर प्रस्तुत न किए जाने से लेखा नियमों के अन्तर्गत सकल धनराशि रू0 1,69,120 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

प्रस्तर-55 ग्रान्ट रजि0 पृ0सं0 12 में अंकित चेक सं0 363843 दिनांक 2.8.2014 इंदिरा आवास प्रा0 व्यय मद से रू0 3,180 का भुगतान कम्प्यूटर कार्टेज क्रय का भुगतान तथा दिनांक 2.8.2014 को मनरेगा कान्टीजेन्सी से भी रू0 2,000 चेक सं0 363843 से सीलिंग फैन को भुगतान श्री संजय पाण्डेय जे0ई0 (आर ई0एस) को किया जाना दर्शित है, एक ही चेक संख्या की प्रविष्टि अलग अलग धनराशियों हेतु ग्रान्ट रजिस्टर में अंकन त्रुटिपूर्ण है, उक्त व्यय पूर्ति से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अनुपब्ध होना गंभीर आपत्ति है। उक्त धनराशि रू0 5,180 का आहरण फर्जीतौर पर तत्कालीन श्री संजय पाण्डेय जे0ई0 आर ई0एस वश्री उदय भान सिंह, लेखाकार द्वारा किया गया है, प्रमाणक विहीन दर्शित व्यय के अनुसार अपहरण की पुष्टि होती है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-पुरवा वर्ष 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर-56 सरकारी अनुदान की बैंक में जमा धनराशियों पर आलाच्य वर्षों के प्राप्त ब्याज और ब्याज की धनराशियों के व्यय/वापसी का विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	वर्ष	वर्ष में प्राप्त ब्याज	वर्ष में वापिस व्यय ब्याज	वापिस की गयी धनराशि का विवरण
1.	2011-12	224682.63	2368.00	-
2.	2012-13	367924.00	368953.00	156810= डीपीआरओ 211898= एएमए
3.	2013-14	382384.00	544151.00	63588= डीपीआरओ 102791= एएमए
	योग-	974990.63	1059472.00	377772= डीपीआरओ 144000= शासन

शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1-502-दस 2015-16 (33) 2010 दि0 29 मई 2015 के प्रस्तर 33 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो इस अर्जित ब्याज को संख्या की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज को राज्यकोष में जमा

किया जायेगा। अतः आलोच्य वर्षों में अर्जित ब्याज रु0 974990.00 को राजकोष में जमा न करके, अन्यमदों में व्यय करके, वापिस करके अथवा रोककर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है। उक्त ब्याज की अर्जित धनराशि शीघ्र राजकीय कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-57 वर्ष 2011-12 में दुग्ध संग्रह केन्द्र मद से रु0 21000.00 का भुगतान दुग्ध संग्रह केन्द्र त्रिपुरारपुर के निर्माण में श्रमिकों के भुगतान हेतु श्री अनिल कुमार ग्रा0वि0अव को चेक सं0 380363 दि0 02.07.11 द्वारा किया गया है। परन्तु व्यय की पुष्टि में उक्त मास्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री अनिल कुमार से की जाए।

उक्त फर्मों के कैश मेमो/बिलों पर भी वैट की धनराशि का कोई उल्लेख नहीं है। भुगतान के पूर्व भुगतानकर्ता द्वारा वैट की कटौती करके कोशागार में जमा न करने के कारण हुयी रु0 154722.00 की राजस्व क्षति की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों और लेखाकारों से करके कोशागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-58 वर्ष 2011-12 से 13-14 के मनरेगा कंटीजेंसी खाते की जांच को पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार अग्रिम का भुगतान किया गया है। परन्तु अग्रिम दी गयी धनराशियों का कोई समायोजन लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया।

क्र0सं0	अग्रिम प्राप्तकर्ता	उद्देश्य	धनराशि	चेक सं0/तिथि
1.	कुलदीप कुमार कैशियर	डीजल क्रय हेतु	5000.00	470585 / 19.04.11
2.	कुलदीप कुमार कैशियर	डीजल क्रय हेतु	5200.00	470586 / 19.04.11
3.	कुलदीप कुमार कैशियर	डीजल क्रय हेतु	5000.00	470590 / 03.05.11
4.	मिथिलेश कुमार (एनआरईपी)	प्रधान प्रशिक्षण हेतु	5000.00	470593 / 13.03.11
5.	कुलदीप कुमार कैशियर	डीजल क्रय हेतु	5000.00	470529 / 24.05.11
6.	कुलदीप कुमार कैशियर	कार्यालय में फर्नीचर हेतु	5000.00	380987 / 29.06.11
7.	कुलदीप कुमार कैशियर	डीजल क्रय हेतु	5000.00	380989 / 02.07.11
8.	कुलदीप कुमार कैशियर	डीजल क्रय हेतु	5000.00	380996 / 16.07.11
9.	कुलदीप कुमार कैशियर	डीजल क्रय हेतु	5000.00	972938 / 03.08.11
10.	कुलदीप कुमार कैशियर	डीजल क्रय हेतु	5000.00	972945 / 19.08.11
11.	कुलदीप कुमार कैशियर	डीजल क्रय हेतु	8000.00	973071 / 13.09.11
12.	कुलदीप कुमार कैशियर	डीजल क्रय हेतु	5500.00	973079 / 03.10.11
13.	कुलदीप कुमार कैशियर	डीजल क्रय हेतु	4500.00	973533 / 01.11.11
14.	कुलदीप कुमार कैशियर	डीजल क्रय हेतु	10000.00	973534 / 02.11.11
15.	कुलदीप कुमार कैशियर	डीजल क्रय हेतु	5100.00	973540 / 25.11.11
16.	कुलदीप कुमार कैशियर	डीजल क्रय हेतु	5000.00	323496 / 23.12.11
17.	कुलदीप कुमार कैशियर	डीजल क्रय हेतु	11500.00	323741 / 04.01.12
18.	कुलदीप कुमार कैशियर	डीजल क्रय हेतु	7600.00	950851 / 20.03.12
19.	राजीव दीक्षित	बीडीओ आवास की रंगाई पुताई	6000.00	522196 / 30.11.12
	योग-		113400.00	

समायोजन लेखा, क्रय के प्रमाणक आदि के अभाव में अग्रिम दी गयी राशि क्रमशः रु0 102400.00 श्री कुलदीप कुमार कैशियर, रु0 5000.00 श्री मिथिलेश कुमार और रु0 6000.00 श्री राजीव दीक्षित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-59 दिनांक 21.03.12 को चेक सं0 323104 द्वारा एसजीएसवाई रिवा0 फण्ड शीर्ष से रु0 2720.00 का भुगतान श्री कुलदीप कुमार कैशियर को यात्रा भत्ता के रूप में किया गया। उक्त शीर्ष से लाभार्थियों को अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। प्रशासनिक व्यय का कोई नियम नहीं है। अतः अनियमित रूप से किए गये भुगतान रु0 2720.00 की ब्याज सहित वसूली श्री कुलदीप सैंगर से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-60 वर्ष 2011-12 में वी0आर0जी0एफ0 मद से ग्राम पंचायत अठौली पंचायत भवन निर्माण की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि रु0 11 47.00 का भुगतान एम आर उक्त एम आर क्रमशः रु0 60.00 और रु0 00.00 कुल 106560.00 मात्र की ही पायी गयी। इस प्रकार रु0 5187.00 अधिक भुगतान की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री राजीव दीक्षित कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-61 वर्ष 2011-12 और 2012-13 में बी0आर0जी0एफ0 शीर्ष से मिनी सचिवालय छूलामऊ निर्माण की पत्रावलीकी जाँच में पाया गया कि क्रमषः रू0 94160.00 का भुगतान एम आर न0 51493 हेतुचेक सं0 14.12.13 द्वारा) और रू0 176660.00 का भुगतान एम आर न0 3905 व 3906 हेतु चेक सं0 165704 दिनांक 24.02.12 द्वारा किया गया है। जबकि जांच में उक्त मस्टर रोल्स क्रमषः रू0 44180.00 और 122640.00 मात्र की ही पायी गयी। इस प्रकार रू0 49980.00 और 54020.00 और 104000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री सर्वेष दीक्षित कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-62 बी0आर0जी0एफ0 मद से मिनी सचिवालय छूलामऊ निर्माण की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि चेक सं0 165725 दि0 25.05.12 को रू0 85933.00 और चेक सं0 165723 दि0 25.05.12 रू0 33622.00 का भुगतान क्रमषः जयषंकर हार्डवेयर और रामचन्द्र इलेक्ट्रानिक्स पुरवा को किया गया है। उक्त भुगतान के सापेक्ष प्रस्तुत कैश मेमो/बिलो पर बिल क्रमांक अंकित नहीं है। साथ ही इस पर बिक्री कर पंजीकृत सं0 भी अंकित नहीं है। जबकि क्रय नियमों के अनुसार रू0 1000.00 से अधिक के बिल/कैशमेमों पर पंजीकरण संख्या अनिवार्य है। क्रय हेतु कोई कोटेशन भी नहीं ली गयी है। अतः उपरोक्त बिल/कैशमेमों कूट रचित/फर्जी पाये गये। अतः फर्जी बिलों के आधार पर अपहरण कर ली गयी धनराशि रू0 119555.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री सर्वेष दीक्षित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-63 राज्य वित्त योजना मद की जाँच में पाया गया कि दिनांक 28.03.12 को चेक सं0 161999 द्वारा रू0 10000.00 का भुगतान श्री राजीव दीक्षित कार्य प्रभारी को बीडीओ आवास की रंगाई पुताई हेतु अग्रिम दिया गया है। वाद में ग्रांट रजिस्टर 2 पर उक्त चेक निरस्त अंकित कर दी गयी है। परन्तु अवशेष में सुधार नहीं किया गया अग्रिम का समायोजन लेखा भी नहीं किया गया। अतः उक्त धनराशि रू0 10000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राजीव दीक्षित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-64 लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार निर्माण कार्यो हेतु क्रय की गयी सामग्री पर 4 प्रतिशत वैट की कटौती नहीं की गयी, जिस कारण राजस्व की क्षति हुयी और फर्मो अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

क्र0सं0	मद	कार्य का विवरण	क्रय सामग्री का विवरण		4 % वैट की कटौती
			फर्म का नाम	धनराशि	
1.	बीआरजीएफ	ग्राम सभा सचिवालय छूलामऊ	अम्बे ब्रिक फील्ड अचैना ट्रेडर्स पुरवा सहयोगी ट्रेडर्स मेडीपाल दीपाली ट्रेडर्स राजेरा बैट्रीज माँ कल्याणी ट्रेडर्स राम चन्द्र इलेक्ट्रानिक्स जयषंकर हार्डवेयर	336600.00 79800.00 62764.00 457587.00 29697.00 23945.00 33622.00 85993.00	13464.00 3192.00 2511.00 18303.00 1188.00 958.00 1345.00 3440.00
2.	बीआरजीएफ	ग्राम सभा सचिवालय अठौली	जैन ईटा उद्योग वारसी ट्रेडर्स	493.00 81155.00	20.00 3246.00
3.	बीआरजीएफ	ग्राम सभा सचिवालय उचगाँव किला	वारसी ट्रेडर्स	36620.00	1465.00
4.	बीआरजीएफ	ग्राम सभा सचिवालय हिम्मत खेड़ा	बाहुबली ब्रिक फील्ड माँ कल्याणी ट्रेडर्स	14413.00 36333.00	577.00 1453.00
5.	राज्य वित्त	कसरौर में डामर रोड से बृज भान सिंह के घर तक इंटर लाकिंग	माँ कल्याणी ट्रेडर्स बाहुबली ब्रिक फील्ड वारसी ट्रेडर्स	29652.00 31600.00 22926.00	11861.00 1264.00 917.00
6.	विधायक निधि	कटरा में केषन से रज्जन से घर तक सी0सी0 रोड	वारसी ट्रेडर्स बाहुबली ट्रेडर्स	109682.00 62413.00	4387.00 2496.00
7.	मनरेगा	चमियानी गढ़ा कोला में मिट्टी व खंडजा निर्माण कार्य	बाहुबली ब्रिक फील्ड	340064.00	13602.00
		योग-			85689.00

उक्त फर्मों के कैश मेमो/बिलों पर भी वैट की धनराशि का कोई उल्लेख नहीं है। भुगतान के पूर्व भुगतानकर्ता द्वारा वैट की कटौती करके कोशागार में जमा न करने के कारण हुयी रु0 85689.00 की राजस्व क्षति केब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों और लेखाकारों से करके कोशागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-65 लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार निर्माण कार्यो हेतु क्रय की गई सामग्री पर 4% वैट की कटौती नहीं की गयी। जिससे आंकलित धनराशि से राजस्व की क्षति हुयी।

क्र०सं०	मद	कार्य का विवरण	क्रय सामग्री का विवरण		4% वैट की कटौती
			फर्म का नाम	धनराशि	
1.	रा०वि०	टोपरा में रामदास के घर से मन्दिर तक सीसी रोड	न्यू महाराजा ब्रिक आषा सेल्स कार०	45787.00 376062.00	1831.48 15042.48
2.	रा०वि०	कुटीखेड़ा में प्रताप-बिरजू सीसी रोड	कमलेश कुमार न्यू महाराजा ब्रिक फील्ड	330722.00 28600.00	13228.00 1144.00
3.	रा०वि०	पूरवा उन्नाव मार्ग से उचगांव किला में कमलेश गौड़ के घर तक सीसी रोड	बाहुबली ब्रिक फील्ड कल्याणी ट्रेडर्स	71500.00 476390.00	2860.00 19055.00
4.	रा०वि०	गोकुल पुरवा में चांद अली-राम प्रकाश द्विवेदी के घर तक सीसी रोड	दीपाली ट्रेडर्स माँ कल्याणी ट्रेडर्स	310360.00 88287.00	12414.00 3531.43
5.	बीआरजीएफ	ग्रा०पं० सचिवालय असेहरु का निर्माण	सनी ट्रेडर्स बाहुबली ब्रिक फील्ड दीपाली ट्रेडर्स कल्याणी ट्रेडर्स राजेश वैट्रीज राम चन्द्र इले० जयषंकर हार्डवेयर रोहित फर्नीचर	510757.00 349351.00 76524.00 9187.00 29700.00 34802.00 65717.00 31336.00	20430.28 13974.04 3060.96 367.48 1188.00 1392.08 2628.68 1253.44
6.	बीआरजीएफ	ग्रा०पं० सचिवालय भवन अटवट	बाहुबली ब्रिक फील्ड दीपाली ट्रेडर्स कल्याणी ट्रेडर्स	294529.00 529983.00 339329.00	11781.16 21199.32 13573.16
7.	मनरेगा	मोहनलालगंज से कुटीखेड़ा तक मिट्टी व खड़जा कार्य	न्यू महाराजा ब्रिक फील्ड	922500.00	36900.00
8.	मनरेगा	हीराखेड़ा से नहर पुलिया तक मिट्टी व खड़जा कार्य	न्यू महाराजा ब्रिक फील्ड	67470.00	2698.80
		योग			199555.72

उक्त फर्मों के कैश मेमो/बिलों पर वैट की धनराशि का कोई उल्लेख नहीं पाया गया। भुगतान से पूर्व भुगतानकर्ता द्वारा वैट की कटौती करके राजकोश में जमा न करने के कारण रु0 199555.72 राजस्व की क्षति की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों एवं लेखाकारों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-66 क्षे०पं० पुरवा द्वारा वर्ष 2012-13 में वी०आर०जी०एफ० मद से पंचायत भवन असेहरु की पत्रावली में चेक सं० 165734 दि० 25.05.12 द्वारा रोहित फर्नीचर पुरवा को बिल सं० 4 दि० 07.04.12 रु0 31336.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी सर्वेक्ष दीक्षित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-67 वी०आर०जी०एफ० मद से पंचायत भवन असेहरु के निर्माण की जाँच में पाया गया कि स्वीकृत प्राक्कलन रु0 1484000.00 से अधिक कुल रु0 1511124.00 व्यय किया गया। जिसकी पृथक से कोई स्वीकृति नहीं ली गयी। बिना स्वीकृति के अधिक भुगतान की गयी राशि रु0 27124.00 की ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी सर्वेक्ष दीक्षित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-68 वी०आर०जी०एफ० मद से पंचायत भवन असेहरु अटवट के निर्माण में मजदूरी भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत एम आर रु0 44014.00 (दि० 01.06.15 से 15.06.15 तक 15 मजदूर) एवं रु0 49937.00 (दि० 01.07.15 से 25.07.15 तक 12 मजदूर) अपूर्ण एवं काल्पनिक पाये गये। मस्टर रोलस पर मजदूरी की निषानी

अंगूठा और एम आर क्रमांक अंकित नहीं पाये गये। इस प्रकार रु0 44014.00 और रु0 49937.00 की पुश्ति में प्रस्तुत प्रमाणक (एम आर) त्रुटिपूर्ण होने के कारण रु0 93951.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी राजीव दीक्षित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-69 वी0आर0जी0एफ0 मद से पंचायत भवन अटवट के निर्माण कुल मजदूरी रु0 206726.00 और सामग्री हेतु रु0 116384.00 कार्य आदेश दिनांक 20.10.11 के उपरान्त दिनांक 04.08.2015 तक व्यय किया गया किन्तु कार्य अपूर्ण रहा। उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत बजट एवं सामान्य नियमावली 1965 के नियमानुसार विलम्ब से कार्य पूर्ण होने पर 1% प्रतिदिन प्रतिकर अधिकतम 10 प्रतिकर ब्याज सहित वसूली का प्राविधान है। अतः कार्य समयान्तर्गत पूर्ण न होने के कारण प्राक्कलित धनराशि 1484000.00 का 10% रु0 148400.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी राजीव दीक्षित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-70 मनरेगा शीर्ष से मोहनलालगंज रोड से कुटीखेड़ा तक मिट्टी व खड़जा कार्य में अभिलेखानुसार रु0 154700.00 की मजदूरी भुगतान की गयी। जबकि इसकी पुश्ति में मात्र रु0 119700.00 के मस्टर रोल्स जाँच हेतु पाये गये। शेष रु0 35000.00 मजदूरी भुगतान की पुश्ति में प्रमाणक (एम आर) अप्राप्त रहे। अतः अपुश्ति व्यय रु0 35000.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी भानु प्रताप सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-71 मनरेगा शीर्ष से तुरकहा सरहद से ठोकोपुर सरहद तक नाला निर्माण कार्य की जाँच में पाया गया कि दिनांक 20.12.13 को चेक नम्बर 001156 द्वारा रु0 22862.00 और इसी तिथि को चेक नम्बर 001157 से भी रु0 22862.00 का भुगतान ग्रांट रजि0 2 में दर्शाया गया। किन्तु पत्रावली में मात्र एक मस्टर रोल (क्रमांक 3512 से 3515 तक) उक्त धनराशि का पाया गया। एक मस्टर रोल्स हेतु दोहरा भुगतान करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली रु0 22862.00 श्री राजाराम यादव से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-पुरवा वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर-72 राजकीय अनुदानों की बैंक में जमा धनराशियों पर आलोच्य वर्षों में प्राप्त ब्याज और ब्याज की धनराशियों के व्यय/वापिसी का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	वर्ष	वर्ष में प्राप्त ब्याज	वर्ष में व्यय/ वापिस ब्याज	वापिस की गई धनराशि का विवरण
1.	2014-15	440058.00	274190.00	215008 शासकीय प्राप्ति से 59122.00 सी0डी0ओ0 को
2.	2015-16	136347.00	122610.00	10188.00 शासकीय प्राप्ति 112422.00 ए0एम0ए0 को
3.	2016-17	109332.00	11416.00	11416.00 शासकीय प्राप्ति से
		685737.00	408216.00	408216.00

शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1-502-दस 2015-16 (33) 2010 दि0 29 मई 2015 के प्रस्तर 33 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो इस अर्जित ब्याज को राजकीय कोष में जमा किया जायेगा। अतः आलोच्य वर्षों में अर्जित ब्याज रु0 6.86 लाख में से रु0 4.49 लाख को राजकीय में जमा न करके, अन्य मदों में व्यय करके, संबंधित विभाग को वापिस न करके या रोककर रखा जाना वित्तीय अनियमितता हैं। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार दोषी है। उक्त ब्याज की अर्जित धनराशि शीघ्र राजकीय कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है। (रु0 449065.00)

प्रस्तर-73 ग्रांट रजिस्ट्रर में 2 में वर्ष 2016-17 के राज्यवित्त अनुदान की शीर्ष की जाँच में पाया गया कि दिनांक 27.12.2016 को खाते में प्रारम्भिक शेष रु0 2612563.70 था। जिसमें से चेक संख्या 249 रु0 13163.00 डेबिट करने के पश्चात् अन्तिम शेष रु0 2599400.70 के स्थान पर त्रुटिपूर्ण तरीके से रु0 2595094.70 कर दिया गया जिसका सुधार वर्षान्त तक नहीं किया गया। इस प्रकार अवशेष में रु0 4306.00 कम करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-74 वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त शीर्ष अन्तर्गत ग्रांट रजिस्ट्रर द्वितीय में दिनांक 02.06.2016 को चेक संख्या 00239 द्वारा रु0 60000.00 का अग्रिम सहायक विकास अधिकारी पंचायत को रिसोर्स सेन्टर की

व्यवस्था हेतु किया गया है। इस अग्रिम का समायोजन वर्षान्त तक नहीं कराया गया। इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया गया, पुष्टि नहीं करायी गयी। अतः असमायोजित अग्रिम की धनराशि रु0 60000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-75 राज्य वित्त शीर्ष से वर्ष 2016-17 में दिनांक 14.10.2016 को चेक संख्या-000245 द्वारा रु0 59596.00 का भुगतान ग्रांट रजिस्टर 2 में श्री शिव दत्त तिवारी ग्राम्य विकास अधिकारी को किया गया है। जोकि क्षे0 पं0 परिसर में वी0डी0ओ0 आवास तक खड़जा हेतु है। भुगतान की पुष्टि में उक्त कार्य की पत्रावली अप्राप्त रही, जिस कारण कार्य की स्वीकृति, एस्टीमेट, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0वी0 आदि अप्राप्त रहे/अपुष्ट/प्रमाणक रहित भुगतान की ब्याज सहित वसूली श्री शिव दत्त तिवारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-76 अराज्य वित्त शीर्ष से दिनांक 17.06.2016 को चेक संख्या -000241 द्वारा रु0 17490.00 का भुगतान ग्रांट रजिस्टर 2 में प्रमुख कक्ष हेतु आर0ओ0 क्रय हेतु में धरा कन्स्ट्रक्शन शुक्लागंज को क्रय किया जाना दर्शित है। क्रय की पुष्टि में प्रमाणक (कैशमैमो/बिल) अप्राप्त रहा। क्रय सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टी भी अवलोकित नहीं करायी गयी। कन्स्ट्रक्शन कम्पनी से आर0ओ0 क्रय का औचित्य स्पष्ट नहीं है। प्रमाणक/स्टॉक में प्रविष्टी के अभाव में उक्त धनराशि रु0 17490.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-77 जी0पी0डी0पी0 प्रषिक्षण मद से वर्ष 2016-17 में रु0 120740.00 का भुगतान निम्नलिखित विवरणानुसार ग्रांट रजिस्टर 2 में दर्शित है।

क्र0सं0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
1.	24.09.2016	0002469	36200.00	प्रधानों का मानदेय
2.	24.09.2016	0002470	6975.00	स्टेशनरी
3.	24.09.2016	0002471	18400.00	टेन्ट आदि का किराया
4.	24.09.2016	0002472	56240.00	लंचपैक
5.	03.10.2016	0002474	2925.00	फोटोग्राफी
	योग-		120740.00	

उक्त व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रधानों को मानदेय ग्राम पंचायतों से दिया जाता है। पुनः मानदेय देने का क्या औचित्य है। उक्त अनुदान के उपभोग सम्बन्धी षर्तें/दिषा निर्देश भी लेखा परीक्षा में अप्राप्जत रहे। प्रमाणकों के अभाव में अपुष्ट व्यय की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-78 वर्ष 2016-17 ग्रांट रजिस्टर 2 के अनुसार विधिक आय शीर्ष में दिनांक 06.04.2016 को चेक संख्या-0002762 द्वारा रु0 10000.00 का अग्रिम का भुगतान श्री विवेक आनन्द कैशियर का प्रधान व सदस्यों को जलपान हेतु किया गया है। व्यय से संबंधित प्रमाणक प्रस्तुत न करके अग्रिम का वर्षान्त तक समायोजन नहीं कराया गया। असमायोजित अग्रिम रु0 10000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री विवेक आनन्द से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-79 वी0आर0जी0एफ0 मद से वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में सेमरी मऊ में प्रा0 पा0 से लल्लू पासी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण पर निम्नानुसार भुगतान किये गये हैं।

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	विवरण	भुगतान
1.	22.04.2014	491276	120129	सामग्रीक्रय	मै0 माँ कल्याणी ट्रेडर्स
2.	22.04.2014	491278	2581	टी0डी0एस0	बैंक ए.जी.बी. पुरवा
3.	22.04.2014	491277	21986	लेबर भुगतान	राजीव दीक्षित
4.	15.12.2014	491287	227534	सामग्री क्रय	माँ कल्याणी ट्रेडर्स
5.	17.06.2015	491307	8680	ईट क्रय	न्यू महाराजा ब्रिक फील्ड
6.	15.12.2014	491289	24004	लेबर भुगतान	राजीव दीक्षित
7.	15.12.2014	491290	5275	टी0डी0एस0	बैंक ए.जी.बी. पुरवा
	योग-		410189		

पत्रावली की जाँच में पाया गया कि जिला पंचायत के पत्रांक-117 दिनांक 08.08.2014 द्वारा जे0ई0 जिला पंचायत से उक्त कार्य का स्थलीय सत्यापन में प्रस्तावित मार्ग पर खड़जा पुराना पाया गया स्पष्ट है कि

पुराने कार्य को पुनः दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली रु0 410189.00 कार्य प्रभारी राजीव दीक्षित एवं जे0ई0 अनिल कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-80 लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार निर्माण कार्यो हेतु क्रय गयी सामग्री पर 4 प्रतिशत वैट की कटौती नहीं की गयी। जिस कारण राजस्व क्षति पहुँचाकर फर्मो के अनियमित लाभ पहुँचाया गया।

क्र0सं0	मद	कार्य का विवरण	क्रय सामग्री का विवरण		4 % वैट की कटौती
			फर्म का नाम	धनराशि	
1.	13 वाँ वित्त	मझिगवा सटकू में कहैया तालाब से नहर तक नाला निर्माण	1. न्यू महाराजा ब्रिक फील्ड 2. वारसी ट्रेडर्स	128639.00 203560.00	5145.00 8142.00
2.	बी0आर0जी0एफ0	सेमरीमऊ में प्रा0प0 से लल्लू पासी के दरवाजे तक सीसी रोड	1. माँ कल्याणी ट्रेडर्स 2. न्यू महाराजा ब्रिक फील्ड	355318.00 8881.00	14212.00 355.00
			योग-		27854.00

उक्त फर्मो के केश मेमो/बिलों पर भी वैट की धनराशि का कोई उल्लेख नहीं है। भुगतान के पूर्व भुगतानकर्ता द्वारा वैट की कटौती करके कोशागार में जमा न करने के कारण हुयी रु0 27854.00 की राजस्व क्षति की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों और लेखाकारों से करके कोशागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-81 मझिगवाँ सडक में कन्हैया तालाब से नहर तक नाला निर्माण (13 वाँ वित्त) की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि दिनांक 13.08.2014 चेक संख्या-00013 द्वारा रु0 41048.00 का भुगतान मस्टर रोल्स हेतु श्री राजीव दीक्षित कार्य प्रभारी को किया गया है। जबकि भुगतान की पुष्टि में पत्रावली में मस्टर रोल्स संख्या-34458 रु0 28548.00 मात्र की पायी गयी इस कारण रु0 12500.00 का मस्टर रोल्स कम पाये गये। अतः अधिक भुगतान रु0 12500.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री राजीव दीक्षित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-82 उक्त कार्य दिनांक 01.04.2013 को प्रारम्भ किया गया और कार्य पूर्ण दिनांक 12.02.2018 को किया गया। जबकि कार्य की अवधि मात्र 3 माह थी। उ0प्र0 जिला एवं क्षेत्र पंचायत बजट एवं सामान्य नियमावली 1965 के नियमानुसार विलम्ब से कार्य पूर्ण होने पर 1 प्रतिशत प्रतिदिन अधिकतम 10 प्रतिकर ब्याज सहित वसूली का प्राविधान है। उक्त कार्य विलम्ब से पूर्ण होने पर भी कोई प्रतिकर नहीं लगाया गया। अतः 10 प्रतिशत प्रतिकर रु0 69600.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री राजीव दीक्षित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-83 क्षेत्र पंचायत द्वारा राज वित शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 22.04.2015 को चेक नं0-000217 एवं चेक नं0 218 द्वारा क्रमशः रु0 50,000/- एवं रु0 50,000/- इसी प्रकार दिनांक 20.10.2015 को चेक नं0 167960 द्वारा रु0 56,000/- एवं चेक नं0 167961 दिनांक 26.11.2015 रु0 50,000/- का भुगतान ग्रांट रजिस्टर 2 में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को रिसोर्स सेन्टर में उपकरण क्रय हेतु अग्रिम दर्शाया गया है।

उक्त अग्रिम का समायोजन किस व्यय के विरुद्ध किया गया है। पुष्टि नहीं कराया जा सका। पुष्टि के अभाव में सहायक विकास अधिकारी पंचायत से कुल अग्रिम भुगतान 2,06,000/- की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-84 क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 19.09.2015 को चेक सं0 000229 द्वारा श्री कमलेश कुमार काग्र प्रभारी को रु0 83,442/- क्षेत्र पंचायत कार्यालय पुताई/मरम्मत हेतु भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि में पत्रावली में इस कार्य से सम्बन्धित कोई स्वीकृति एवं प्रमाणक उपलब्ध न होने से व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। भुगतान अपुष्टि होने के कारण रु0 83,442/- की ब्याज सहित वसूली श्री कमलेश कुमार कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-85 उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत बजट एवं सामान्य नियमावली 1965 के नियमानुसार विलम्ब से कार्य पूर्ण होने पर 1 प्रतिशत प्रतिदिन प्रतिकर अधिकतम 10 प्रतिशत प्रतिकर ब्याज सहित वसूली का प्रतिदान है। क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न कार्य निर्धारित अवधि 2 माह से अधिक समय में पूर्ण

किये गये हैं। फलतः अधिकतम निर्धारित 10 प्रतिशत प्रतिकर धनराशि अवर अभियंता श्री ए.के.सिंह एवं ठेकेदार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य प्रारम्भ	कार्य समाप्त	नाम ठेकेदार	कार्य पर व्यय	प्रतिकर राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	मंसकी कसरौरपुरवा में उन्नाव पुरवा रोड से मन्दिर तक सी०सी०रोड	23.08.2016	24.0.2016	श्री ब्रजभान सिंह	819707	81970
2.	छेदा खेड़ा में पकरा बुजुर्ग में जागेलाल के घर से अगनू के घर तक मुख्य कार्य एवं शेष कार्य	30.1.2015	10.05.2015	श्री संदीप शुक्ला	524012	52401
3.	रम्भाखेड़ा सम्पर्क मार्ग पर एक पुलिया निर्माण	30.04.2015	10.07.2015	श्री कमलेश कुमार	82076	8207
4.	सरसौ में मिन्दू तिवारी के घर से बाबू लाल गुप्ता के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण	31.01.2015	29.04.2015	श्री बृजभान सिंह	462988	46298
5.	गढ़ाकोला में मुन्नी देवी बी. डी.सी. के घर से अयोध्या धानुक के घर तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण	31.03.2015	13.12.2015	श्री कमलेश कुमार	370557	37055
6.	पठना तालाब से लल्लू मुंषी के घर तक नाली निर्माण	30.01.2015	09.04.2015	श्री कमलेश कुमार	335002	30150.00 9:
योग प्रतिकर राशि ब्याज सहित वसूली योग						256081. 00

प्रस्तर-86 क्षेत्र पंचायत द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि शीर्ष अंतर्गत कराये गये निम्न कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। फलतः इन कार्यों पर किये गये रू० 1130878.00 अपुष्ट रहा। पुष्टि के अभाव में वर्ष 2015-16 में किये गये व्यय रू० 1130878.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख० वि० अधिकारी एवं एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	कार्यों का नाम	व्यय धनराशि
1.	हीराखेड़ा के लखमदेमऊ गजी लखदेमऊ में सुखदीन पाल के दरवाजे से पश्चिम की ओर पुलिया तक नाली	रू० 61333/-
2.	मुरैतानवमि में बिकका खेड़ा में अयोध्या यादव के घर से सुन्दर बढई के घर तक सी०सी० कार्य	रू० 5,97,892/-
3.	त्रिपुरारपुर के पूरनदास खेड़ा में राजकुमार कुरील के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	रू० 4,71,655/-
	योग-	रू० 11,30,878.00/-

प्रस्तर-87 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि शीर्ष अंतर्गत मिनी सचिवालय अटवट के निर्माण कार्य में वर्ष 2015-16 में चेक नं०- 491318 दिनांक 29.11.2015 द्वारा रू० 99248.00 मै० कल्याणी ट्रेडिंग कं० को सामग्री क्रय हेतु भुगतान किया गया है। पत्रावली से उक्त व्यय के प्रमाणक अप्राप्त रहने से व्यय अपुष्टि रहा। अपुष्टि व्यय की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी राजीव दीक्षित/लेखाकर/ख.वि.अधि. से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-88 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि शीर्ष अंतर्गत दिनांक 26.11.2015 को चेक संख्या- 491321 द्वारा रू० 43556.00 एवं दिनांक 15.01.2016 को चेक संख्या - 491324 द्वारा रू० 69676.00 किये गये भुगतान का विवरण ग्रांट रजिस्टर 2 में अस्पष्ट रहा एवं लेखा परीक्षा में इसकी पुष्टि भी नहीं करायी जा सकी। अतः अपुष्टित व्यय की ब्याज सहित वसूली कुल रू० 113232.00 तत्कालीन ख.वि.अधि. एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-89 इन्दिरा आवास कन्टीजेंसी शीर्ष अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार किये गये व्ययों की पुष्टि व्यय प्रमाणकों से नहीं करायी जा सकी-

दिनांक	चेक नं०	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	व्यय का विवरण
26.12.2015	002734	24000.00	श्री मिथलेश कुमार सिंह	फर्नीचर क्रय
30.03.2016	0002752	90500.00	मै० सुपर बैट्री उन्नाव	इनवर्टर बैटरी क्रय
	योग—	1114500.00		

फलतः अपुष्टित व्यय रू० 114500/— की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख.वि.अ. लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—90 क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न कार्यों पर अनुमानित लागत से अधिक व्यय किया गया है। जिसकी स्वीकृति पुनः प्राप्त नहीं की गयी है। अनुमानित लागत से अधिक भुगतान हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अंतर की राशि हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

शीर्ष	कार्य का नाम	स्वी० कृ० लागत (रू० लाख में)	वास्तविक व्यय (रू० लाख में)	अंतर (रू० लाख में)
तेरहवाँ वित्त	प्रढ़वा तालाब से लल्लू मुंषी के घर तक नाली निर्माण	3.26	3.35	0.09
राज्यवित्त	ऊर्चाँ गाँव सानी में शिवपाल से वीरेन्द्र सिंह के घर तक सी०सी०रोड व नाली निर्माण	6.58	6.84	0.26
योग—		9.84	10.19	0.35

अतः अधिक भुगतान की धनराशियों की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—91 क्षेत्र पंचायत द्वारा विधायक निधि शीर्ष के अंतर्गत कराये गये कार्यों में क्रय हेतु किये गये भुगतान में से 4 प्रतिशत वैट की कटौती न करके राजस्व की हानि की गयी एवं फर्म को लाभ पहुंचाया गया अवलोकित धनराशि की उत्तरदायी व्यक्तियों/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली कर कोशागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	मद	कार्य का विवरण	क्रय सामग्री का विवरण		4 : की धनराशि
			फर्म का नाम	धनराशि	
1.	विधायक निधि	ग्राम गुलाबखेड़ा से जंगली खेड़ा तक खड़जा कार्य	1.वर्मा ब्रिक फील्ड	352500	14100.00
2.	विधायक निधि	ऊर्चाँ गाँव सानी में शिव बहादुर पटेल के घर तक खड़जा निर्माण	1.बाहुबली ब्रिक फील्ड 2. राजपूत ट्रेडर्स	214800 4000	8592.00 160.00
			योग—		22852.00

उक्त फर्मों के कैश मैमो/बिलों पर भी वैट की धनराशि का कोई उल्लेख नहीं है। भुगतान के पूर्व भुगतानकर्ता द्वारा वैट की कटौती करके कोशागार में जमा न करने के कारण हुयी रू० 22852.00 की राजस्व क्षति की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से करके जमा करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—92 भारत सरकार ने भवन एवं उच्च सन्निर्माण कार्य कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों विनियम) अधिनियम, 1996 एवं राज्य सरकार ने उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों विनियम) नियमावली 2009 लागू किया। नियम 4(3) के प्रावधानानुसार ठेकेदार से बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकार सैस के रूप में नियोक्ता से काटी जायेगी। अर्थात् 1 प्रतिशत सेस की धनराशि ठेकेदार को वहन करनी है न कि संस्था/ सरकार को। जाँच में पाया गया कि बिलों से सेस की कटौती कर ली गयी है। इस कारण इस राशि का भार सरकार पर पड़ गया है। जो कि अनियमित है। विवरण निम्नवत है:—

कार्य का विवरण	सेस की धनराशि	ठेकेदार का नाम
मुसकी कसरौर पुरवा में उन्नाव पुरवा रोड से मंदिर तक सी०सी० रोड	4198.00 3198.00	श्री बृजभान सिंह
मुरैता नवीन में अयोध्या यादव के घर से सुन्दर बड़ई के घर तक अवशेष सी०सी० रोड	1346.00	श्री कमलेश कुमार
मुरैता प्राचीन में अनील बी.डी.सी. के घर से राम दयाल पाल के घर तक सी०सी० रोड व नाली	844.00	श्री संदीप शुक्ला
छेदाखेड़ा पकरा बुजुर्ग में जागे लाल के घर से अगनू के	4455.00	श्री संदीप शुक्ला

घर तक सी0सी0 रोड मुख्य व शीर्ष कार्य	734.00	
ऊँचागाँव सानी में शिवपाल की चक्की से वीरेन्द्र सिंह के घर तक सी0सी0 रोड व नाला निर्माण	6776.00	श्री बृजभान सिंह
रम्भाखेड़ा सम्पर्क मार्ग पर पुलिया कार्य	813.00	श्री कमलेश कुमार
गढ़ा कोला मुन्नी देवी बी.डी.सी. के घर से अयोध्या धानु के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	2282.00	श्री कमलेश कुमार
सरसों में मिन्दू तिवारी के घर से बाबू गुप्ता के घर तक शेष सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	4584.00	श्री बृजभान सिंह
पढ़वा तालाब से लल्लू मुंषी के घर तक नाली निर्माण	2802.00 515.00	श्री कमलेश कुमार
ऊँच्चगाँव सानी में ब्राविन के घर से राम सागर पटेल तक सी0सी0 रोड व नाली	5808.00 8653.00	कृष्णा कन्स्ट्रक्शन
	47728.00	

उपरोक्तानुसार 1 प्रतिशत सेस की धनराशि को बिल में जोड़कर पत्पच्चात् कटौती करके ठेकेदार को अनियमित लाभ पहुँचाया गया। जिसके लिए तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली करके धनराशियाँ जमा की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-93 वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त मद में पिंजरा ग्राम पंचायत से साधन सह0 समिति लि0 की बाउड्रीवाल व गेट का निर्माण ग्राण्ट रजिस्टर 2 में दिखाया जा रहा है। जिसमें निम्नलिखित निकासी की गयी है।

दिनांक	चेक नं0	भुगतान	रूपये
05.04.2014	000075	मे0 न्यू महाराजा ब्रिक फील्ड मौरावा	72695
05.04.2014	000076	मे0 वीरेन्द्र सिंह ट्रेडर्स मोहिददीनपुर	36572
10.04.2014	000078	शाखा प्रबंधक ए.जी.बी. बैंक पुरवा टी.डी.एस.	2533
10.04.2014	000079	शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया पुरवा सैस	1267
10.04.2014	000077	श्री अषोक भारती मजदूरों को भुगतान	24298
		योग-	137365.00

पत्रावलियों के अभाव में कार्य की स्वीकृति, एस्टीमेट व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण- पत्र एम-बी0 आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे।

अतः वित्त एवं लेखा भुगतान के अध्याय 8 के बिन्दु क के अनुसार धनराशि 137365.00 को गबन मानते हुए। रु0 137365.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अषोक भारती से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-94 वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित कार्यों की निम्नलिखित निकासी की गयी है।

कार्य का नाम- सी0सी0 रोड चामियानी में पंचायत भवन से पुरानी बाजार तक राज्य वित्त योजना से।

दिनांक	चेक नं0	भुगतान	रूपये
17.04.2014	000080	मे0 न्यू महाराजा ब्रिक फील्ड मौरावा	71678
17.04.2014	000081	मे0 अर्चना ट्रेडर्स पनहन	116313
10.06.2014	000096	मे0 अर्चना ट्रेडर्स पनहन	106681
10.06.2014	000083	शाखा प्रबंधक ए.जी.बी. बैंक पुरवा टी.डी.एस.	7833
05.06.2014	000092	मे0 न्यू महाराजा ब्रिक फील्ड मौरावा	3025
05.06.2014	000095	शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया पुरवा	3595
17.04.2014	000082	श्री सर्वेष दीक्षित	19638
05.06.2014	000094	श्री सर्वेष दीक्षित	34415
		योग-	363178.00

उपरोक्त पत्रावलियों के अभाव से कार्यों के स्टीमेट व्यय प्रमाण, मास्टर रोल, कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एम.बी. आदि लेखा परीक्षा अप्राप्त रही। अतः वित्त एवं लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु क के अनुसार कार्यों की निकासी 3,63,178 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री सर्वेष दीक्षित से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-95 कार्य का नाम- शिवकरन धोबी के बंगले से प्रेमषंकर के घर तक सी0सी0 रोड राज्य वित्त योजना से।

दिनांक	चेक नं0	भुगतान	रूपये
28.05.2014	000088	मे0 न्यू महाराजा ब्रिक फील्ड मौरावा	110498
28.05.2014	000089	मे0 अर्चना ट्रेडर्स पनहन	81997
26.07.2014	000103	मे0 न्यू महाराजा ब्रिक फील्ड मौरावा	43238
26.07.2014	000104	मे0 अर्चना ट्रेडर्स पनहन	393976
26.07.2014	000090	श्री सर्वेष दीक्षित ग्रा0 नि0 अ0	24830
28.05.2014	000105	शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया पुरवा	45760
03.09.2014	000123	श्री सर्वेष दीक्षित	20878
03.09.2014	000124	श्री सर्वेष दीक्षित	10460
03.09.2014	000125	श्री सर्वेष दीक्षित ग्रा0 नि0 अ0	34789
03.09.2014	000126	शाखा प्रबंधक ए.जी.बी.पुरवा टी.डी.एस.	5047
26.07.2014	000106	शाखा प्रबंधक ए.जी.बी.पुरवा	10136
		योग-	781589.00

उपरोक्त आपूर्ति क्रमांक 57 ख के कार्यों की पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः पत्रावलियों के अभाव में कार्यों की स्वीकृति, कार्यों के स्टीमेट, व्यय प्रमाणक/ मास्टर रोल, कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व एम0बी0 आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय के बिन्दु क के अनुसार 57 ख के कार्य की निकासी-781509.00 को गबन मानते हुए रू0 781509.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री सर्वेष दीक्षित से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-96 वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त योजना से निम्नलिखित कार्यों की निम्नलिखित निकासी की गयी।
क. कार्य का नाम- इण्टर लॉकिंग मोहिद्दीनपुर चौराह से लड्डू के घर तक।

दिनांक	चेक नं0	भुगतान	रूपये
03.09.2014	000116	मौ कल्याण ट्रेडर्स उन्नाव	91728
23.05.2014	000084	मे0 न्यू महाराजा ब्रिक फील्ड मौरावा	126116
23.05.2014	000085	मौ कल्याण ट्रेडर्स उन्नाव	384936
23.05.2014	000087	शाखा प्रबंधक ए.जी.बी.पुरवा	11849
23.05.2014	000086	श्री राजीव दीक्षित ग्रा0न0अ0	32178
30.09.2014	000117	श्री राजीव दीक्षित ग्रा0न0अ0	23124
30.09.2014	000118	शाखा प्रबंधक ए.जी.बी.पुरवा	2187
		योग-	672118.00

उपरोक्त पत्रावलियों के अभाव से कार्यों के स्टीमेट व्यय प्रमाण, मास्टर रोल, कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एम.बी. आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु क के अनुसार कार्यों की निकासी 6,72,118 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री राजीव दीक्षित से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-97 ग्रान्ट रजिस्टर 2 में कार्य का नाम स्पष्ट नहीं।

दिनांक	चेक नं0	भुगतान	रूपये
13.08.2014	000111	मे0 न्यू महाराजा ब्रिक फील्ड मौरावा	124220
13.08.2014	000112	वारसी ट्रेडर्स पुरवा	115030
13.08.2014	000113	शाखा प्रबंधक ए.जी.बी.पुरवा	5547
13.08.2014	000114	श्री राजीव दीक्षित ग्रा0न0अ0	41048
13.08.2014	000115	वारसी ट्रेडर्स पुरवा	30500
		योग-	316345.00

उपरोक्त पत्रावलियों के अभाव में कार्य की स्वीकृति, कार्य का स्टीमेट, व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः वित्त एवं लेखा भुगतान के अध्याय 8 के बिन्दु क के अनुसार अपरोक्त अप्राप्ति क्रमांक 58 क के कार्य की निकासी 316345.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री राजीव दीक्षित से ब्याज सहित ली जाए।

प्रस्तर-98 वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त योजना से निम्नलिखित चेकों के माध्यम से निकासी की गयी है।

दिनांक	चेक नं०	भुगतान	रूपये
16.09.2014	000128	मे० न्यू महाराजा ब्रिक फील्ड मौरावा	73180
16.09.2014	000129	मे० वीरेन्द्र ट्रेडर्स मोहिद्दीनपुर	6100
16.09.2014	000130	शाखा प्रबंधक ए.जी.बी.पुरवा	11849
		योग-	91129.00

उपरोक्त निकासी की पत्रावली के अभाव में कार्य की स्वीकृति, कार्य का स्टीमेट, व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे एवं उपरोक्त निकासी का कोई कार्य भी नहीं कराया गया है एवं स्टाक रजिस्टर में उपरोक्त सामग्री दर्ज नहीं है। अतः उपरोक्त निकासी रु० 91129.00 को गबन मानते हुए रु० 91129.00 की निकासी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-99 वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त योजना मद से विकास खण्ड के हाल व प्रमुख कक्ष की मरम्मत हेतु निम्नलिखित चेकों के माध्यम से निकासी की गयी।

दिनांक	चेक नं०	भुगतान	रूपये
05.08.2014	000107	मौ कल्याणी ट्रेडर्स	96798
05.08.2014	000108	मे० न्यू महाराजा ब्रिक फील्ड मौरावा	40931
05.08.2014	000109	श्री राजीव दीक्षित ग्रा० वि० अ०	24942
05.08.2014	000110	शाखा प्रबंधक ए.जी.बी.पुरवा	3193
22.01.2015	000150	मौ कल्याणी ट्रेडर्स	145805
22.01.2015	000151	मे० न्यू महाराजा ब्रिक फील्ड मौरावा	20862
22.01.2015	000152	श्री राजीव दीक्षित ग्रा० वि० अ०	26876
22.01.2015	000153	शाखा प्रबंधक ए.जी.बी.पुरवा	2261
		योग-	361668.00

उपरोक्त पत्रावली के अभाव में कार्य की स्वीकृति एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम०बी० आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के बिन्दु क के अनुसार उपरोक्त धनराशि के गबन मानते हुए रु० 361668.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री राजीव दीक्षित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-100 वर्ष 2014-15 में तेहरवाँ वित्त योजना से नाला निर्माण अगुनवाँ खेड़ा में चमियानी ग्राम पंचायत में धनीराम के घर से सैय्यद बाबा की मजार तक का निर्माण ग्रांट रजिस्टर 2 में दिखाया जा रहा है। जिसमें निम्नलिखित निकासी की गयी है।

दिनांक	चेक नं०	भुगतान	रूपये
05.07.2014	000097	मे० न्यू महाराजा ब्रिक फील्ड मौरावा	221153
05.07.2014	000098	अर्चना ट्रेडर्स	115426
05.07.2014	000099	श्री सर्वेश दीक्षित	51558
05.07.2014	000100	शाखा प्रबंधक ए.जी.बी.पुरवा	7803
03.09.2015	000119	अर्चना ट्रेडर्स	68269
03.09.2015	000120	मे० न्यू महाराजा ब्रिक फील्ड मौरावा	38996
03.09.2015	000121	श्री सर्वेश दीक्षित	16770
03.09.2015	000122	टी.डी.एस. शाखा प्रबंधक ए.जी.बी.पुरवा	2487
		योग-	522462.00

उपरोक्त निकासी के सापेक्ष में कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में नहीं रखी गयी है। अतः कार्य की स्वीकृति, एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक/कार्यपूर्ति प्रमाण, मास्टर रोल, एम०बी० आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः वित्त एवं लेखा मैन्युअल गबन के अध्याय 8 के बिन्दु क के अनुसार धनराशि 522462.00 को गबन मानते हुए रु० 522462.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री सर्वेश दीक्षित से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-101 वर्ष 2014-15 बी०आर०जी०एफ० से हीराखेड़ा लेखाभेद में नाली निर्माण सुखपाल के दरवाजे से पुलिया तक में निम्नलिखित निकासी की गयी।

दिनांक	चेक नं०	भुगतान	रुपये
20.10.2014	491283	माँ कल्याणी ट्रेडर्स	72235
20.10.2014	491284	न्यू महाराज ट्रेडर्स	87257
20.10.2014	491285	श्री राजीव दीक्षित ग्रा० वि० अ०	28368
20.10.2014	491286	शाखा प्रबंधक ए.जी.बी.पुरवा	3767
		योग—	194627.00

उपरोक्त कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में नहीं रखी गयी है। अतः कार्य की स्वीकृति एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षण में अप्राप्त मिला। अतः 194627.00 की ब्याज सहित वसूली काग्र प्रभारी श्री राजीव दीक्षित से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—102 वर्ष 2014—15 राज्य वित्त योजना से दिनांक 23.07.2014 को चेक नं० 102 में बी०डी०सी० की बैठक में प्रधानों को यात्राभत्ता 0025500.00 दिया गया। जोकि नियमों के विपरीत है। क्योंकि प्रधानों को मानदेय दिया जाता है। अतः यह अनियमित भुगतान है। अतः रु० 25500.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व तत्कालीन लेखाकार से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—103 वर्ष 2014—15 दिनांक 05.04.2014 को चेक नं० 74 से रिसोर्स सेन्टर के रूप में रु० 50000.00 व दिनांक 16.09.2014 को चेक नं०— 127 से रिसोर्स सेन्टर के रूप में रु० 40000.00 है। अतः कुल रु० 90000.00 ए०डी०ओ० पंचायत, श्री अरुण कुमार को दिये गये हैं। अतः इसके व्यय बाउचर व किस कार्य के लिए दिए गए हैं। यह लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः ए०डी०ओ० पंचायत के द्वारा रु० 90000.00 का गबन किया गया है। अतः रु० 90000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अरुण कुमार ए०डी०ओ० पंचायत से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—104 वर्ष 2014—15 में निम्नलिखित कार्यों की सेस की धनराशि 1 प्रतिशत बिल में पहले जोड़ी गयी है। इसके बाद काटी गयी है जो कि गलत है।

क्र.सं.	पद	कार्य का नाम	सेस की धारा
1.	राज्य वित्त योजना	सी०सी० निर्माण अटवां में—रामऔतार के दरवाजे से गंदा नाला तक	2653.00
2.	राज्य वित्त योजना	सी०सी० निर्माण— विकास खण्ड परिसर में	1801.00
3.	राज्य वित्त योजना	सी०सी० निर्माण— मिटौली क्षेत्र बोदे के घर से मिट्टू के घर तक	5339.00
4.	राज्य वित्त योजना	सी०सी० निर्माण— छूलामऊ में धीरेन्द्र के दरवाजे से मंदिर तक	3558.00
5.	राज्य वित्त योजना	सी०सी० निर्माण — टोपरा में मंदिर से देवनारायण तिवारी	11256.00
6.	राज्य वित्त योजना	सी०सी० निर्माण — तुसरौर में रजनू के घर से कृपाशंकर के घर तक	4811.00
7.	राज्य वित्त योजना	सी०सी० निर्माण — गिददाखेड़ा में बराती के घर से डामर रोड़	4208.00
8.	तेहरवाँ वित्त योजना	मुरैता प्राचीन में अनिल बी.डी.सी. के घर से रामदयाल के घर तक	4208.00
9.	तेहरवाँ वित्त योजना	मझिगवाँ में मुरली के घर से शिवबक्श के घर तक	5544.00
10.	तेहरवाँ वित्त योजना	सी०सी० व नाली निर्माण — सलेयू में गुरु प्रसाद के घर से प्रेमनारायण के घर तक	4258.00
11.	तेहरवाँ वित्त योजना	सी०सी० व नाली निर्माण — ममरेजपुर में मंदिर से धोबी के घर तक	3150
12.	तेहरवाँ वित्त योजना	सी०सी० व नाली निर्माण— टोपरा में कंषन पासी के घर से राकेश धोबी के घर तक	2689.00
13.	तेहरवाँ वित्त योजना	नाली निर्माण— मोहिदीपुर लड्डू मिर्जा के दरवाजे से जुगल किशोर के घर तक	752.00
14.	तेहरवाँ वित्त योजना	सी०सी० निर्माण— पुरन्दरपुर में रोड़ से राकेश के घर तक	5304.00
15.	तेहरवाँ वित्त योजना	सी०सी० व नाली निर्माण— रोड़ से भगवानदीन के घर के मिर्जापुर खुम्हारी	8582.00
16.	तेहरवाँ वित्त योजना	सी०सी० व नाली निर्माण— मंषाखेड़ा में ग्रा० पाठशाल से नसीर के घर तक	8356.00

17.	तेहरवाँ वित्त योजना	नाली निर्माण- छुलामऊ में धीरेन्द्र के दरवाजे से नाली तक	1543.00
18.	तेहरवाँ वित्त योजना	सी0सी0 व नाली निर्माण- विष्णुखेड़ा में परपुराम से राजकुमार तक	5059.00
		योग-	83071.00

अतः भवन एवं अन्य कार्य कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्त विनिमय) 2009 के नियम 4(3) के तहत सेस 1 प्रतिशत धनराशि ठेकेदार से काटी जानी चाहिए। परन्तु बिल पर पहले 1 प्रतिशत से जोड़ा गया है। अतः रु0 83071.00 का भार संस्था पर अधिक पड़ा है। अतः 83071.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-105 वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि निम्नलिखित विवरणानुसार निर्माण कार्य हेतु क्रय की गयी सामग्री पर 4 प्रतिशत वैट की कटौती नहीं की गयी जिस कारण राजस्व की क्षति हुयी।

क्र0सं0	मद	कार्य का विवरण	क्रय सामग्री का विवरण		4%की धनराशि
			फर्म का नाम	धनराशि	
1.	विधायक निधि	खड़जा निर्माण- उचगांवसानी में मार्ग से शिव बहादुर पटेल तक	बाहुबली ब्रिक फील्ड	304930	12197.00
2.	विधायक निधि	खड़जा निर्माण- गुलाब खेड़ा से नगेली खेड़ा तक	वर्मा ब्रिक फील्ड वर्मा ब्रिक फील्ड	351842	14074.00
3.	बी0आर0जी0एफ0	मिनी सचिवालय -अटवट	बाहुबली ब्रिक फील्ड माँ कल्याणी ट्रेडर्स वारसी ट्रेडर्स	80352 303154 161233	3214 12126 6449.00
			योग-		51403.00

उपरोक्त फर्मों के कैश बुक मेमो/बिलों पर वैट की धनराशि का कोई उल्लेख नहीं है। भुगतान के पूर्व भुगतानकर्ता द्वारा वैट की कटौती करके कोशागार में जमा न करने के कारण हुई रु0 51403.00 की राजस्व क्षति की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों और लेखाकारों से करके कोशागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- सुमेरपुर वर्ष 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर-106 संस्था द्वारा प्राप्त राजकीय अनुदान की बैंक में जता धनराशियों पर आलोच्य वर्षों में प्राप्त ब्याज और मद से व्यय का विवरण निम्नांकित प्रकार है।

क्रमांक	वर्ष	वर्ष में प्राप्त ब्याज	वर्ष में व्यय/वापस ब्याज	वर्षान्त शेष ब्याज
1.	2011-12	288837	24434	475412.81
2.	2012-13	279786	388092	367105.81
3.	2013-14	480945	173549	674502.81
	योग-	1049568.00	586075.60	

शासनादेश सं0-10/2015/ए-1-502/दस 2015-10 (33)2010 दिनांक 29 मई 2015 के प्रस्तर 3 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है वह अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी इसे राजकीय कोष में जमा किया जायेगा। परन्तु संस्था द्वारा ऐसा नहीं किया जायेगा। अतः आलोच्य वर्षों में अर्जित ब्याज की धनराशि रु0 10.49 लाख को राजकीय कोष में जमा कर, अन्य मदों में व्यय करना। रोक कर रखना अनियमितता की श्रेणी में है। उक्त अर्जित ब्याज की धनराशि को शीघ्र राजकीय कोष में जमा की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-107 आलोच्य वर्ष के इन्दिरा आवास कंटीजेंसी खाते की जांच में पाया गया कि संस्था द्वारा निम्नांकित विवरण के अनुसार फर्मों को धनराशि का भुगतान किया गया है।

क्रमांक	नाम कर्मचारी	अग्रिम की धनराशि	चेक सं0/दिनांक	उद्देश्य/मद
1.	दिनेश कुमार	3240.00	651348/19.04.2011	जलपान/चायनाश्ता
2.	जितेंद्र कुमार	5087.00	651349/19.04.2011	बिजली मेन स्टार्टर्स
3.	रामचन्द्र पेंटर	30000.00	651355/25.05.2011	वॉल पेंटिंग
4.	शिवषंकर पेंटर	30000.00	830537/03.08.2011	वॉल पेंटिंग
5.	आतेन्द्र कुमार	9000.00	776486/21.11.2012	जनरेटर किराया

6.	विष्णु कुमार	21000.00	776488 / 21.11.2012	जीप डीजल
7.	बसंत कुमार	4220.00	771757 / 06.01.2014	कार्यालय सामग्री
8.	कुलदीप कुमार	3650.00	776506 / 05.03.2013	खण्ड विकास अधि० को
9.	चंद्रशेखर	14390.00	830575 / 01.02.2012	जीप डीजल
10.	चंद्रशेखर	8043.00	830581 / 04.03.2012	जनरेटर मरम्मत
11.	चंद्रशेखर	5000.00	830594 / 07.05.2012	जीप डीजल
12.	कुलदीप कुमार	10000.00	776493 / 08.01.2013	डीजल क्रय जनरेटर
13.	चंद्रशेखर यादव	4000.00	830600 / 11.06.2012	जनरेटर मरम्मत
	योग—	147630.00		

उक्त धनराशियों का समायोजन लेखा और व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उनकी जांच व पुष्टि न की जा सकी। फलस्वरूप अग्रिम के रूप में दी गयी धनराशियों क्रमशः रू० 31433.00 चंद्रशेखर से रू० 13650.00 कुलदीप कुमार से रू० 4220.00 बसंत कुमार से रू० 21000.00 विष्णु कुमार से रू० 9000.00 आतेन्द्र कुमार से रू० 30000.00 शिवशंकर से रू० 30000.00 रामचन्द्र से रू० 5087.00 जितेन्द्र कुमार से, रू० 3240.00 दिनेश कुमार से ब्याज सहित वसूली कर उक्त खाते में जमा की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—108 इंदिरा आवास कंटीजेन्सी खाते की जांच में पाया गया कि निम्नांकित विवरण के अनुसार कर्मचारियों को अग्रिम का भुगतान किया गया है।

क्रमांक	नाम कर्मचारी	अग्रिम धनराशि रू०	चैक सं०/दि०	उद्देश्य/मद
1.	उमेश बाजपेई सहा० लेखाकार	15000.00	828382 / 12.02.2014	कम्प्यूटर/मद
2.	बसंत कुमार कैशियर	23050.00	828383 / 05.03.2014	सी०पी०यू०/प्रिंटर हेतु
3.	बसंत कुमार कैशियर	10000.00	828384 / 07.03.2014	डीजल क्रय

उक्त धनराशियों का समायोजन तथा व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे अतः उनकी पुष्टि न की जा सकी। फलस्वरूप अग्रिम के रूप में दी गयी धनराशियों रू० 15000.00 श्री उमेश बाजपेई से तथा रू० 33050.00 श्री बसंत कुमार से वसूली कर उक्त खाते में जमा की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—109 लेखा परीक्षा दौरान निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जांच में नहीं उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों के आभाव में व्यय की गयी धनराशियों की पुष्टि में प्रमाणक/बिल/कैशमेमो/मस्टर रोल आदि अप्राप्त रहे कार्य की स्वीकृति इस्टीमेट, एम०बी० कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि भी नहीं उपलब्ध हुए जिससे किये गये व्यय अपुष्ट रहे। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) में दिये गये प्रावधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में इकाई द्वारा कोई प्रमाण पत्र/पुष्टि पत्र नहीं उपलब्ध कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से की जानी अपेक्षित है। फलस्वरूप निम्नांकित/अग्रलिखित पत्रावलियों में व्यय की गयी धनराशियों की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	वर्ष	शीर्ष	व्यय की गयी धनराशि				कार्यप्रभारी/ उत्तरदायी व्यक्ति
				श्रमांश	सामग्री	टी०डी० एस०	योग	
1.	ब्लाक कैपस में रंगाई पुताई	2011-12	राज्य वित्त	169620	117569	3840	291029	गंगाबक्श भारती ग्रा०वि० अधि०
2.	तकिया से आटमनू खेड़ा तक सी०सी०रोड	—	राज्य वित्त	183600	1125560	26096	1335256	हजारी लाल वर्मा ग्रा०वि० अधि०
3.	पोखरी से रामनाथ खेड़ा सी०सी० रोड	—	राज्य वित्त	26206	608076	16163	650445	हजारी लाल वर्मा ग्रा०वि० अधि०
4.	वि० खण्ड कार्यालय	2012-13	राज्य वित्त	13758			13758	हजारी लाल वर्मा ग्रा०वि० अधि०

	बाउण्डरी वॉल							
5.	तकिया मजार के पास सी0सी0रोड	2012-13	राज्य वित्त	34525	488379	7467	530371	राम कुमार श्रीवास्तव ए0डी0ओ0
6.	अनूप तिवारी के घर से विद्दादीन की चक्की तक सी0सी0रोड0	2013-14	राज्य वित्त	79455	708844	20876	809175	रमेश प्रसाद श्रीवास्तव ए0डी0ओ0
7.	विकास खण्ड परिसर में पानी सप्लाई कार्य/मरम्त कार्य	2013-14	राज्य वित्त	54004	83047	2024	139075	रमेश प्रसाद श्रीवास्तव ए0डी0ओ0
8.	विकास खण्ड परिसर/कार्यालय मरम्त	2013-14	राज्य वित्त	44960	113014	1636	159610	राम कुमार श्रीवास्तव ए0डी0ओ0
9.	गड़रिया खेड़ा चौद पुर में सी0सी0रोड	2011-12	13वाँ वित्त	123240	712101	16523	851864	गंगाबक्श भारतीग्रा0वि0अधि0
10.	छरियापुर मौजा गौरा में नाली निर्माण	2011-12	13वाँ वित्त	128840	474569	10299	613708	धीरेन्द्र श्रीवास्तव जे0ई0
11.	मिनी सचिवालय भदेवरा	2011-12	बी0आर0 जी0एफ0	72000	379104	8000	459104	गंगाबक्श भारती ग्रा0वि0अधि0
	मिनी सचिवालय डोकरई	2011-12	बी0आर0 जी0एफ0	72960	392338	8268	473566	राम बहादुर जी0वी0ओ0
	बाजपेई खेड़ा	2011-12	बी0आर0 जी0एफ0	154010	354879	8130	517019	शैलेन्द्र कुमार जी0वी0ओ0
योग-				1157178	5557480	129322	6843980	

प्रस्तर-110 वर्ष 2013-14 में मनरेगा क्षेत्र पं० शीर्ष के अनतर्गत ग्राम पं० बजौरा में राम सिंह के घर से दिलीप सिंह के दरवाजे तक नाली निर्माण (200मी०) कराया गया पत्रावली जांच में पाया गया की मस्टर रोल सं० 2320, 2321 तथा 2324 के द्वारा कुल रू० 11681.00 का भुगतान श्रमिकों को किया गया दर्शित है परन्तु उक्त मस्टर रोलों पर किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर/नि०आ० नहीं पाये गये। बिना कार्य किया गया भुगतान फर्जी हैं। बिना श्रमिक द्वारा कार्य किये ही भुगतान कर दिया गया जिस प्रति कार्यप्रभारी श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार जिम्मेदार हैं, जिनसे रू० 11681.00 को ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-110(अ) मनरेगा शीर्ष के अनतर्गत वर्ष 2013-14 में ग्राम पं० बिहार में गिरजाशंकर सरला देवी पब्लिक स्कूल के पास से भारत गैस गोदाम तक पक्का नाला निर्माण एवं सफाई कार्य कराया गया। जिसके प्रभारी धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव जे०ई० थे। पत्रावली जांच में पाया गया कि निम्नांकित मस्टर रोलों के द्वारा श्रमिकों को भुगतान किया गया दर्शित है परन्तु सम्बन्धित मस्टर रोलों का श्रमिकों के हस्ताक्षर/नि०आ० नहीं पाये गये। बिना श्रमिकों के हस्ताक्षर/नि०आ० किया गया भुगतान रू० 99718.00 फर्जी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्रमांक	मस्टर रोल संख्या	धनराशि रू०
1.	22144 से 2147 तक 2614 से 2619 तक 2668 से 2669 तक	79972.00
2.	2870 से 2872 तक	19746.00
योग-		99718.00

प्रस्तर-111 वर्ष 2011-12 में बी0आर0जी0एफ0 मद के अनतर्गत ग्राम जप्सरा में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण कराया गया जिसके कार्य प्रभारी गंगा बक्श भारती ने कराये गये कार्य में मजदूरी हेतु किये गये भुगतान रु0 111272.00 (चेक सं0 147118 दिनांक-02.01.2012) के सापेक्ष मात्र रु0 29051.00 के मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्राप्त हुए अपुष्ट रहा। धनराशि रु0 82221.00 की ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी से की जानी चाहिए कराये गये कार्य से सम्बन्धित प्रमाण पत्र खण्ड विकास अधि0 द्वारा प्रमाणित/हस्ताक्षरित नहीं पाया गया जो अपेक्षित है।

प्रस्तर-112 मनरेगा योजना के अनतर्गत वर्ष 2013-14 में देवारा नाला की सफाई का कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव थे। पत्रावली की जांच में पाया गया कि रु0 55980.00 का भुगतान श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव को निम्नांकित विवरण के अनुसार किया गया है परन्तु सम्बन्धित मस्टर रोल 1856 से 1863 में किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर/नि0अ0 नहीं पाये गये।

क्र0सं0	चेक/दिनांक	धनराशि रु0	सम्बन्धित मस्टर रोल सं0
1.	412770/06.08.2013	30530.00	1856 से
2.	412771/06.08.2013	24850.00	1863
योग-		55380.00	

बिना श्रमिकों के हस्ताक्षर/नि0अ0 कराये किया गया भुगतान फर्जी है जिसके प्रति कार्य प्रभारी/लेखाकार जिम्मेदार है जिसकी ब्याज सहित वसूली मय ब्याज कार्यप्रभारी श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव ए0डी0ओ0 व तत्कालीन लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-113 संस्था द्वारा प्राप्त राजकीय अनुदान की बैंक में जता धनराशियों पर आलोच्य वर्षों में प्राप्त ब्याज और मद से व्यय का विवरण निम्नांकित प्रकार है।

क्रमांक	वर्ष	वर्ष में प्राप्त ब्याज	वर्ष में व्यय/वापस ब्याज	वर्षान्त शेषब्याज
1.	2014-15	457735	—	1132239.81
2.	2015-16	524667	334826	1322078.81
3.	2016-17	440164	218306.81	1543936.00
योग-		1422566.00	553132.81	

शासनादेश सं0-10/2015/ए-1-502/दस 2015-10 (33)2010 दिनांक 29 मई 2015 के प्रस्तर 3 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है वह अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी इसे राजकीय कोष में जमा किया जायेगा। परन्तु संस्था द्वारा ऐसा नहीं किया जायेगा। अतः आलोच्य वर्षों में अर्जित ब्याज की धनराशि रु0 1422566.00 को राजकीय कोष में जमा कर, अन्य मदों में व्यय करना। रोक कर रखना अनियमितता की श्रेणी में है। उक्त अर्जित ब्याज की धनराशि को शीघ्र राजकीय कोष में जमा किया जाये।

प्रस्तर-114 आलोच्य वर्ष के इन्दिरा आवास कंटीजेंसी खाते की जांच में पाया गया कि संस्था द्वारा निम्नांकित विवरण के अनुसार फर्मों को धनराशि का भुगतान किया गया है।

क्रमांक	फर्म का नाम	धनराशि	चेक संख्या/दिनांक	उद्देश्य
1.	मे0फिलिमिस्तान फर्नीचर नई बाजार लालगंज रायबरेली	99500.00	766928/11.08.2016	फर्नीचर क्रय
2.	तदैव	3600.00	766929/11.08.2016	तदैव
3.	मे0 कृष्णा प्रिन्टर्स कैसरबाग उन्नाव	66140.00	605181/10.03.2016	अज्ञात
योग-		201640.00		

उपरोक्त भुगतान रु0 201640.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे फलस्वरूप भुगतान अपुष्ट रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त प्रमाणक विहीन भुगतान रु0 20164.00 को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-115 निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावलियों लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी पत्रावलियों के आभाव में व्यय की गयी धनराशियों के सापेक्ष रसीदें/प्रमाणक,कैशमैमों,मस्टर रोल,स्वीकृति इस्टीमेट, व्यय प्रमाणक एम0 बी0 कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अप्राप्त रहें।

क्रमांक	कार्य का नाम	वर्ष	शीर्ष	व्यय की गयी धनराशि				कार्य/प्रभारी/उत्तरदायी
				श्रमांश	सामग्री	टी0डी0एस0	योग	
1.	भगवंत नगर से गड़ारी मार्ग से जगेश्वर मन्दिर तक सी0सी0रोड	2014-15	राज्य वित्त	82988	460860	7963	551811	रमेश प्रसाद श्रीवास्तव ए0डी0ओ0
2.	बजौर में सोनू के घर से देवदत्त के घर तक सी0सी0रोड	—	—	62835	311669	7226	381730	धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव जे0ई0
3.	बिहार में अनूप तिवारी के घर से विद्दीन की चक्की तक सी0सी0रोड	—	—	19604	165323	3833	188760	रमेश प्रसाद श्रीवास्तव ए0डी0ओ0
4.	बजौर में सोनू के घर से देवदत्त के घर तक सी0सी0रोड	—	13 वां वित्त	14180	44255	545	58984	धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव जे0ई0
5.	जमीरपुर में मेन रोड से विजय के दरवाजे से पासी खेड़ा तक सी0सी0रोड व नाली निर्माण	2016-17	बी0आर0 जी0एफ0	492055	789111	—	1281166	धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव जे0ई0
	योग—			671662	1771222	19567	2462451.00	

वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्रावधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक/पुष्टि पत्र प्राप्त नहीं होता प्राप्त रहता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से की जाएगी। अतः उपरोक्त पत्रावलियों में दर्शित व्यय की धनराशि रु0 2462451.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—116 लेखा परीक्षा में पाया गया की निम्नलिखित विवरणानुसार निर्माण कार्य हेतु क्रय की गयी सामग्री पर 4 प्रतिशत वैट की कटौती नहीं की गयी है जिसमें राजस्व की क्षति हुई तथा फर्मों को अनुचित/अनियमित लाभ पहुंचाया गया है।

क्रमांक	मद/शीर्ष	कार्य का विवरण	क्रय की गयी सामग्री का विवरण		4 प्रतिशत वैट की धनराशि
			फर्म का नाम	धनराशि	
1.	राज्यवित्त	आटमन्नु खेड़ा में शिव जी के मन्दिर से वासुदेव सिंघ के गोडा तक सी0सी0रोड निर्माण	मे0 महादेव टंडर्स उन्नाव अनुराग ब्रिक फील्ड उन्नाव	745478 179726	29820 7185
2.	13वाँ वित्त	पाटन से खोजइया तालाब से कुम्हार गढ़ तालाब तक नाला निर्माण	अनुराग ब्रिक फील्ड उन्नाव मे महादेव टंडर्स उन्नाव	427354 394567	17095 15783
		योग—	—	1747125.00	69887.00

उपरोक्त फर्मों के कैश मेमो/प्रमाणको पर वैट की धनराशि का उल्लेख नहीं पाया गया और न ही वैट की कटौती की गयी है। भुगतान करते समय वैट की कटौती न कर रु0 69887.00 राजस्व की क्षति की गयी है तथा इस प्रति लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

प्रस्तर—117 वर्ष 2016-17 में इंदिरा आवास कंटेजेंसी मद में चेक संख्या 766922 दि0 08.06.2016 को कम्प्यूटर में रिफ्लिंग एवं जनरेटर सर्विसिंग आदि कार्य का भुगतान रु0 23855.00 का किया गया। उक्त भुगतान के सापेक्ष कुल रु0 21755.00 के ही प्रमाणक प्राप्त हुए। रु0 2100.00 के प्रमाणक लेखा परीक्षा में

अप्राप्त रहें। अतः रु0 2100.00 की ब्याज सहित वसूली कम्प्यूटर आपरेटर श्री अश्वपति गुप्ता तथा कैशियर श्री हीरालाल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-118 इंदिरा आवास कंटीजेन्सी मद मे वर्ष 2016-17 मे दिनांक-08.09.2016 को चेक संख्या-766936 द्वारा रु0 4500.00 का अग्रिम भुगतान अश्वपति गुप्ता/हीरा लाल को किया गया है। जिसके सापेक्ष रु0 4430.00 के प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत किये गये शेष 70.00 रु0 के प्रमाणक अप्राप्त रहे फलस्वरूप 70.00रु0 की ब्याज सहित वसूली कम्प्यूटर आपरेटर श्री अश्वपति गुप्ता कैशियर हीरा लाल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-119 संस्था द्वारा प्रपत्र सरकारी अनुदान की बैंक में जमा धनराशियों पर आलोच्य वर्षों में प्राप्त ब्याज और ब्याज की धनराशियों के व्यय का विवरण –

क्र0सं0	वर्ष	वर्ष में प्राप्त ब्याज	वर्ष में व्यय/वापस ब्याज	वर्षांत में शेष ब्याज
1	2011-12	455281	590788.90	682953.64
2	2012-13	580063	1200327.00	626889.64
3	2013-14	276872	30.00	339531.64
4	2014-15	349463	—	688994.64
5	2015-16	289944.82	899765.00	79174.46
6	2016-17	156292.18	829.00	234637.14
	योग	2107916.00	2691740.40	

शासनादेश संख्या -101/2015/ए-1-502/दस 2015-10(33)2010 दिनांक 29 मई 2015 के प्रस्तर 3 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकीय कोष में जमा किया जाएगा। फलस्वरूप आलोच्य वर्षों में अर्जित ब्याज की धनराशि 2107916-00लाख को राजकीय कोष में जमा न करके अन्य मदों में व्यय करके वापस करके या रोककर रखा जाना अनियमितता है उक्त ब्याज की अर्जित धनराशि शीघ्र राजकीय कोष में जमा करायी जाये।

प्रस्तर-120 निम्नलिखित निर्माण कार्य की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में नहीं उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों के अभाव में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में प्रमाणक यथा बिल, कैश मैमो, मस्टररोल आदि अप्राप्त रहे पत्रावलियों के अभाव में कार्य की स्वीकृति इस्टीमेट व्यय प्रमाणक एम बी इत्यादि अप्राप्त रहे। वित्त एवम् लेखा मैनुअल के अध्याय 8 दुके बिं (क) में दिए गये प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में इकाई द्वारा यदि कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से की जाएगी।

अतः निम्नांकित पत्रावलियों में व्यय की गई धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से की जानी चाहिए।

क्र0 स0	कार्य का नाम	वर्ष	शीर्ष	व्यय की गयी धनराशि				उत्तरदायी व्यक्ति
				श्रमांश	सामग्री	टीडीएस	योग	
1	ग्राम पंचायत मवाई में मैकू के दरवाजे तक पंचायत घर से इंटरलाकिंग	2011.12	राज्य वित्त	34165	545840	12657	592662	आनंद प्रकाश दीक्षित
2	ग्राम घटोरी में इंटरलाकिंग	"	राज्य वित्त	18185	156441	3628	178254	विनोद कुमार सिंह
3	शिवपुर के पुरवा अचलगंज से मरोई तक इंटरलाकिंग	2012.13	राज्य वित्त	40255	386841	8970	436066	अमरेश कुमार मिश्रा
4	ग्राम पंचायत जमुका के मझरा सिंधा खेड़ा में रामनारायण के घर तक इंटरलाकिंग	"	राज्य वित्त	27864	291094	6750	325708	रणजय सिंह
5	पवाई में पंचायत घर से मैकू के दरवाजे तक	2013.14	राज्य वित्त	97710	683783	15853	797346	अमित दमन दीक्षित

	इंटरलाकिंग							
6	लालपुर में मेनरोड से सुरेंद्र बहादुर के घर से द्वारपाल के घर तक इंटरलाकिंग	"	राज्य वित्त	49648	532298	12341	594287	विनोद कुमार यादव
7	नेवरना अजीतखेड़ा में राजेश्वर के दरवाजे से पड़री रोड तक इंटरलाकिंग	"	राज्य वित्त	55872	604503	14943	675318	आनंद प्रकाश दीक्षित
8	पड़री खुर्द में संजय गुप्ता के दरवाजे से रघुनाथ कुशवाहा के दरवाजे तक इंटरलाकिंग	"	राज्य वित्त	24948	273874	6350	305172	अरुण प्रकाश दीक्षित
9	पड़री कलां मझरा मिल्लुर खेड़ा में देशराज पासी के घर तक	2014.15	राज्य वित्त	44022	261370	6060	311518	अरुण प्रकाश दीक्षित
10	सुराय कटियान के ग्राम वसीरतगंज में पक्की नाली	2013.14	13 वां वित्त	11628	70644	1585	83857	रणजय सिंह
11	पड़री कलां के ग्राम पाड़नखेड़ा में नाली निर्माण	"	13 वां वित्त	23964	172320	3995	200279	विनोद सिंह यादव
12	ग्राम टीकर चौराहे से जू हाईस्कूल की पुलिया तक पक्का नाला निर्माण	2014.15	13 वां वित्त	40514	126271	2927	169712	अनिल दमन दीक्षित
13	ग्राम पंचायत बिछिया में बहना तालाब से पशु चिकि तक पक्का नाला	"	13 वां वित्त	49258	335352	7775	392385	अरुण प्रकाश
14	ग्राम पंचायत सकरन में रेउरी तालाब तक पक्का नाला	"	13 वां वित्त	52930	318910	7394	379234	राजेन्द्र प्रसाद मौर्य
15	उन्नाव बाईपास रोड से शेरकली खेड़ा के	"	13 वां वित्त	76500	508045	11779	596324	अनिल दमन दीक्षित

प्रस्तर-121 आलोच्य वर्ष में इंदिरा आवास कंटेनरों की जांच में पाया गया कि निम्नांकित विवरणानुसार अग्रिम धनराशि का भुगतान किया गया –

क्र०सं	नाम कर्मचारी	अग्रिम धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	उद्देश्य
1	मेसर्स दीप गंगा फिलिंग स्टेशन मंगत खेड़ा उन्नाव	48886.00	676204	25.03.14	जनरेटर हेतु डीजल
2	अशोक कुमार गुप्ता	1216.00	676209	04.09.14	प्रिंटर मरम्मत
3	मधुसूदन पाण्डेय कौशियर	5710.00	676210	04.09.14	जनरेटर मरम्मत
4	मे०गोपाल पुस्तक निकेतन उन्नाव	16237.00	676216	04.01.15	स्टेशनरी क्रय

5	मधुसूदन पाण्डेय	21999.00	00951	18.05.15	अलमारी ,टोनर मोबाइल जनरेटर मरम्मत
6	अशोक कुमार गुप्ता	00972.00	00972	10.08.16	डीजल भुगतान
	योग				

उपरोक्त धनराशियों का समायोजन लेखा तथा व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये अतः अग्रिम के रूप में दी गई धनराशियों की पुष्टि न की जा सकी जिनकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से करके खाते में धनराशियां जमा की जानी चाहिए ।

4 आलोच्य वर्षों में मनरेगा कंटीजेंसी के खाते की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार अग्रिम का भुगतान किया गया है

प्रारूप-03

जनपद का नाम— बागपत

मण्डल का नाम—मेरठ ।

(क्षेत्र पंचायत बड़ौत की वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक की सम्बन्धित आपत्तियाँ)

वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-01 क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2011-12 में व्यय धनराशि रु. 5665913.00 के सापेक्ष कोई भी विवरण/प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय संदिग्ध/गबन किया गया प्रतीत होता है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-02 संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर अर्जित ब्याज को राजकीय कोषागार में जमा न कर शासनादेश का उल्लंघन कर रु. 75438.00 की गम्भीर अनियमितता की, जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-03 दिनांक 27-12-2012 को रु. 28000.00 का नगद आहरण कर 12000 बी0डी0सी0 सदस्यों को मानदेय व रु. 16000 अज्ञात व्यय के सापेक्ष कोई प्राप्ति रसीद, प्रमाणक, मानदेय रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर आदि अप्राप्त रहें व्यय संदिग्ध/ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है।

(मूल आपत्ति संख्या-10)

प्रस्तर संख्या-04 वर्ष 2012-13 में कराये गये निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में अपूर्ण निर्माण पत्रावलियों संदिग्ध टेण्डर प्रक्रिया तथा एम0बी0 अनुपलब्ध रही। राजू कं. कम्पनी को अलग-अलग नामों से भुगतान के कारण स्थिति संदिग्ध, व्यय धनराशि रु. 3499408.00 गबन प्रतीत होती है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है

वर्ष 2013-14 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-05 संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर अर्जित ब्याज को राजकीय कोषागार में जमा न कर शासनादेश का उल्लंघन कर रु. 72722.00 की गम्भीर अनियमितता की गई। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-06 दिनांक 16-05-2013 को सेल्फ चैक संख्या 255170 द्वारा आहरित धनराशि रु. 30000.00 बी0डी0सी0 सदस्यों को मानदेय का भुगतान दर्शित जिसके सापेक्ष प्राप्ति रसीद, प्रमाणक, बी0डी0सी0 सदस्य रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर आदि अप्राप्त/व्यय संदिग्ध रहा। तत्कालीन बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-14)

प्रस्तर संख्या-07 विकास खण्ड मुख्यालय भवन रंगाई/पुताई पर रु. 73040.00 तथा प्रमुख कक्ष रंगाई/पुताई पर दर्शित व्यय रु. 21189.00 के सापेक्ष विभागीय स्वीकृति, व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली/प्रमाणक अप्राप्त रहें व्यय संदिग्ध रहा जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-16)

प्रस्तर संख्या-08 एस0जी0एस0वाई0 अनुदान रु. 143500.00 तथा एस0जी0एस0वाई0 ब्याज मद से रु. 27181.00 दर्शित व्यय की पुष्टि से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाणक अनुपलब्ध व्यय संदिग्ध रहा। जिसके लिये

तत्कालीन बी०डी०ओ० व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-17)

प्रस्तर संख्या-09 मनरेगा प्रशासनिक मद में व्यय धनराशि रुपये 106368.00 के सापेक्ष सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाणक अनुपलब्ध रहें। जिसके लिये तत्कालीन बी०डी०ओ० व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर संख्या-10 बायोगैस मद में व्यय धनराशि रु. 64000.00 के सापेक्ष वांछित प्रपत्र/प्रमाणक अनुपलब्ध रहें, जिसके लिये तत्कालीन बी०डी०ओ० व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-19)

प्रस्तर संख्या-11 वर्ष 2013-14 में कराये गये निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में अपूर्ण पत्रावलियों एम०बी० टेण्डर से सम्बन्धित प्रपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, ठेकेदार की अनुबन्ध पत्रावली आदि के अभाव में व्यय संदिग्ध रहा। 12 निर्माण कार्यों का भुगतान राजू कं. कम्पनी को 9 अलग-अलग नामों से भुगतान निर्माण कार्य तथा व्यय को संदिग्ध बनाता है व सम्पूर्ण धनराशि रु. 9275162.00 का गबन प्रतीत होता है। जिसके लिये तत्कालीन बी०डी०ओ० व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-21)

वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-12 संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर अर्जित ब्याज को राजकीय कोषागार में जमा न कर शासनादेश का उल्लंघन कर रु. 51798.00 की गम्भीर अनियमितता की गई। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-13 दिनांक 18-06-2014 को चैक संख्या 285653 द्वारा रु. 75500.00 का आहरण कर बी०डी०सी० सदस्यों को मानदेय का भुगतान किया गया दर्शित है। जिसके सापेक्ष प्राप्ति रसीद, मानदेय रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त रहा। भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। तत्कालीन बी०डी०ओ० व एकाउन्टेन्ट से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-22)

प्रस्तर संख्या-14 दिनांक 24-06-2014 को रु. 20170.00 का भुगतान एकाउन्टेन्ट आवास मरम्मत पर व्यय जिसके सापेक्ष कोई भी प्रमाणक, प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। व्यय संदिग्ध रहा। तत्कालीन बी०डी०ओ० व एकाउन्टेन्ट से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-23)

प्रस्तर संख्या-15 दिनांक 26-03-2015 को चैक संख्या 285719 द्वारा रु. 123922.00 फर्नीचर क्रय के सापेक्ष कोई प्रमाणक/प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय संदिग्ध रहा, तत्कालीन बी०डी०ओ० व एकाउन्टेन्ट से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-24)

प्रस्तर संख्या-16 मनरेगा प्रशासनिक मद में व्यय धनराशि रु. 189414.00 से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं, तत्कालीन बी०डी०ओ० व एकाउन्टेन्ट से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-25)

प्रस्तर संख्या-17 ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम पर व्यय रु. 10000.00 की पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय संदिग्ध रहा, तत्कालीन बी०डी०ओ० व एकाउन्टेन्ट से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-26)

प्रस्तर संख्या-18 राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता मद में व्यय रु. 11040.00 की पुष्टि हेतु कोई अभिलेख/प्रपत्र प्रस्तुत नहीं। व्यय संदिग्ध रहा। तत्कालीन बी०डी०ओ० व एकाउन्टेन्ट से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-27)

प्रस्तर संख्या-19 वर्ष 2014-15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये सभी 15 कार्य राजू कं. कम्पनी से कराये गये। अपूर्ण पत्रावली व अन्य प्रपत्र, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मुहर बन्द निविदायें एवं बन्द लिफाफें अप्राप्त रहना स्थिति को संदिग्ध बनाता है, साथ ही राजू कं. कम्पनी को विभिन्न नामों से भुगतान के कारण कराया गया। कार्य व व्यय रु. 3895510.00 गबन प्रतीत होता है। तत्कालीन बी०डी०ओ० व एकाउन्टेन्ट से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-28)

प्रस्तर संख्या-20 क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्यों पर 01 प्रतिशत लेबर सैस ठेकेदार के बिल से न काटकर क्षेत्र निधि से जमा कराने पर क्षेत्र निधि को रु. 113870.00 की हानि पहुँचाई गयी। क्षति की पूर्ति बी0डी0ओ0 व जे0ई0 से करायी जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-29)

(क्षेत्र पंचायत बडौत की वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक की सम्बन्धित आपत्तियाँ)

वर्ष 2015-16 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-21 बी0डी0सी0 सदस्यों को रु. 72500.00 का भुगतान क्षेत्र पंचायत बडौत द्वारा किया गया, जिसके सापेक्ष धन प्राप्ति रसीदें, कार्यवाही रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर आदि अप्राप्त। इनके अभाव में भुगतान संदिग्ध रहा। उक्त ब्याज सहित वसूली लेखाकार/बी0डी0ओ0 से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर संख्या-22 दिनांक 19-05-2015 को रु. 52842.00 के फर्नीचर क्रय के सापेक्ष प्रमाणक, स्वीकृति, फर्नीचर के विवरण, स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में संदिग्ध रहा तत्कालीन बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-06)

प्रस्तर संख्या-23 संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर अर्जित ब्याज रु. 41064.00 को राजकीय कोषागार में जमा न कर शासनादेश का उल्लंघन किया गया। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-24 दिनांक 28-09-2015 को रु. 27900.00 इन्वॉयस व बैट्री क्रय के सापेक्ष प्रमाणक, स्वीकृति पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में संदिग्ध रहा, पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा तत्कालीन बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-09)

प्रस्तर संख्या-25 वर्ष 2015-16 में कराये गये निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में अपूर्ण निर्माण पत्रावली संदिग्ध टेण्डर प्रक्रिया जिसमें समस्त निर्माण कार्य एक ही कन्ट्रैक्शन कम्पनी से कराये गये, एम0बी0 अनुपलब्ध, स्थलीय निरीक्षण पत्रावली अनुपलब्ध। व्यय की गई धनराशि रु. 3755501.00 गबन की गई प्रतीत होती है। तत्कालीन बी0डी0ओ0, जे0ई0 व एकाउन्टेन्ट से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-12)

प्रस्तर संख्या-26 क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत लेबर सैस ठेकेदार के बिल से न काटकर क्षेत्र निधि से जमा कराने पर क्षेत्र निधि को रु. 21243.00 की हानि पहुँचाई गई। क्षति की पूर्ति बी0डी0/जे0ई0 व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-14)

प्रस्तर संख्या-27 मनरेगा प्रशासनिक व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय रु.185069.00 अपुष्ट रहा। धनराशि की ब्याज सहित वसूली बी0डी0ओ0 व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-16)

प्रस्तर संख्या-28 विधान परिषद निधि के अन्तर्गत कराये गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः व्यय रु. 968000.00 अपुष्ट रहा। धनराशि की ब्याज सहित वसूली बी0डी0ओ0/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-17)

वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-29 बी0डी0सी0 सदस्यों को मानदेय का भुगतान धन प्राप्ति रसीदें, मानदेय रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर आदि के अभाव में संदिग्ध रहा। रु. 77500.00 की ब्याज सहित वसूली लेखाकार/बी0डी0ओ0 से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर संख्या-30 क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्यों का 1 प्रतिशत लेबर सैस ठेकेदार के बिल से न काटकर क्षेत्र निधि से जमा कराने पर क्षेत्र निधि के धन को रु. 114712.00 की हानि पहुँचाई गई। क्षति की पूर्ति बी0डी0ओ0/जे0ई0 व एकाउन्टेन्ट की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-21)

प्रस्तर संख्या-31 मनरेगा प्रशासनिक व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय रु. 123475.00 अपुष्ट रहा। धनराशि की ब्याज सहित वसूली बी0डी0ओ0 व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-23)

प्रस्तर संख्या-32 संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर अर्जित ब्याज रु. 105089.00 को राजकीय कोषागार में जमा ने शासनादेश का उल्लंघन किया गया है, जिसके लिये तत्कालीन

बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-33 विधायक निधि के अन्तर्गत कराये गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः व्यय रु. 1576312.00 अपुष्ट रहा। बी0डी0ओ0 व लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-24)

वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-34 क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत लेबर सैस ठेकेदार के बिल से न काटकर क्षेत्र निधि से जमा कराने पर क्षेत्र निधि के धन को रु. 37563.00 की हानि पहुँचाई गई। क्षति की पूर्ति बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-26)

प्रस्तर संख्या-35 श्री यशवीर सिंह को बी0डी0सी0 सदस्यों के मानदेय का भुगतान किया गया, जिसके सापेक्ष रसीदें/कार्यवाही रजिस्टर/मानदेय रजिस्टर अप्राप्त रहें, जिस कारण रु.120000.00 का भुगतान सदिग्ध रहा। बी0डी0ओ0/लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-27)

प्रस्तर संख्या-36 वर्ष 2017-18 की निर्माण पत्रावलियों में ठेकेदार के बिल से 8 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 का भुगतान किया। ठेकेदार का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नम्बर अज्ञात रहा तथा जी0एस0टी0 राजकीय कोषागार में जमा कराने का प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। रु. 222026.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0, जे0ई0 व एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-28)

प्रस्तर संख्या-37 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय रु. 198800.00 अपुष्ट रहा। बी0डी0ओ0/लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-29)

प्रस्तर संख्या-38 शासनादेश के निर्देश के विपरीत शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर रु. 96391.00 का ब्याज अर्जित किया परन्तु राजकोष में जमा न कराना। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-08)

(क्षेत्र पंचायत पिलाना की वर्ष 2016-17 से 2017-18 तक की सम्बन्धित आपत्तियाँ)

वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-39 राज्य वित्त के अन्तर्गत नेड़ा प्रोजेक्ट की सोलर लाईट क्रय से सम्बन्धित स्थापना पत्रावली, ग्राम पंचायतों की सूची तथा स्टॉक लेखों के अभाव में रु. 873200.00 का व्यय अनियमित प्रतीत होता है। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0, जे0ई0 व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-06)

प्रस्तर संख्या-40 क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्यों पर 01 प्रतिशत लेबर सैस ठेकेदारों के बिल से न काटकर क्षेत्र निधि से जमा कराने पर क्षेत्र निधि के धन को रु. 62730.00 की हानि पहुँचाई गयी, क्षति की पूर्ति बी0डी0ओ0, जे0ई0 व एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-41 चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का 50 प्रतिशत का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व हुये विकास कार्यों, सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के निर्माण कार्यों पर किये जाने के शासनादेश का उल्लंघन कर रु. 5724400.00 अनियमित रूप से कार्य कराये गये। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0, जे0ई0 व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-12)

वर्ष 2017-18 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-42 क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्यों पर 01 प्रतिशत लेबर सैस ठेकेदारों के बिल से काट कर क्षेत्र निधि से जमा कराने पर क्षेत्र निधि के धन को हानि पहुँचाई गई, रु. 25110.00 की क्षति की पूर्ति बी0डी0ओ0, जे0ई0 व एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-43 चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का 50 प्रतिशत का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व हुये विकास कार्यों, सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के निर्माण कार्यों पर किये जाने के शासनादेश का उल्लंघन कर रु. 215000.00

अनियमित रूप से कार्य कराये गये। जिसके लिये तत्कालीन बी०डी०ओ०, जे०ई० व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है।**(मूल आपत्ति संख्या-12)**

प्रस्तर संख्या-44 जी०एस०टी० की धनराशि रु.15435.00 की रसीद/चालान ठेकेदार से अप्राप्त, जिसका भुगतान ठेकेदार के बिल के साथ कर, जमा कराने का कार्य ठेकेदार का दिया गया था। जिसके लिये तत्कालीन बी०डी०ओ० व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-17)

प्रस्तर संख्या-45 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत रु. 438800.00 व्यय की गई धनराशि अपुष्ट। जिसके लिये तत्कालीन बी०डी०ओ०, जे०ई० व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर संख्या-46 श्री दीपक तोमर एकाउन्टेन्ट के खाते में जमा धनराशि रु. 82600.00 के सापेक्ष रसीद/कार्यवाही रजिस्टर आदि अप्राप्त व्यय/संदिग्ध। जिसके लिये तत्कालीन बी०डी०ओ० व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-19)

प्रस्तर संख्या-47 विकास खण्ड परिसर की चारदीवारी निर्माण/मरम्मत पर रु. 1825486.00 व्यय अनियमित, जिसके लिये तत्कालीन बी०डी०ओ०, जे०ई० व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-24)

प्रस्तर संख्या-48 राज्य वित्त के अन्तर्गत नेडा प्रोजेक्ट की सोलर लाईट क्रय से सम्बन्धित स्थापना पत्रावली, ग्राम पंचायतों की सूची तथा स्टॉक लेखों के अभाव में रु. 2288000.00 का व्यय अनियमित प्रतीत होता है। जिसके लिये तत्कालीन बी०डी०ओ०, जे०ई० व एकाउन्टेन्ट उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-26)

प्रारूप 03 वर्ष 2017-18

जनपद का नाम-गाजियाबाद। मण्डल का नाम-मेरठ।

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर 01-क्षेत्र पंचायत रजापुर जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में अंकन रु० 87204.00 की सेस की धनराशि की कटौती नियमानुसार नहीं की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 02-क्षेत्र पंचायत रजापुर जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में टीडीएस अंकन रु० 179389.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न०/बैंक स्टेटेमेन्ट/दाखिल रिटर्न/चालान उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 03-क्षेत्र पंचायत रजापुर जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में वैट/जीएसटी की धनराशि अंकन रु० 44299.00 की कटौती नहीं की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 04-क्षेत्र पंचायत रजापुर जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में अंकन रु० 186535.00 जमा किये जाने की पुष्टि नहीं की गयी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 05-क्षेत्र पंचायत रजापुर जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में सेस मद में अंकन रु० 89694.00 जमा की जाने की पुष्टि में इश्यू चैक न०/बैंक स्टेटेमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-3

वर्ष 2011-12 से 2013-14

जिला-गाजियाबाद

मण्डल का नाम-मेरठ

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या-6 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2010-11 में मनरेगा योजना के अवशेष धनराशि रु0 6030.00 थी। जिसे वर्ष 2011-12 में प्रारम्भिक अवशेष में नहीं दिखाया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-7 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में 31.03.2012 में जो धनराशि अवशेष है। उस बैंक में पासबुक व ग्रांट रजिस्टर में अंकन पृथक-2 है। इस प्रकार इसमें रु0 429665.50 कर अन्तर पाया गया। जो गम्भीर अनियमितता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-8 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2014-15 को 13वा वित्त आयोग की अवशेष धनराशि में बैंक खाते में जमा राशि व अनुदान पंजिका में दर्शित राशि में रु0 73197.50 का अन्तर परिलक्षित होता है। अतः यह प्रत्यक्ष अपहरण है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-9 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2014-15 में 31.03.2012 को विधायक निधि को अवशेष धनराशि में बैंक खाते व ग्रांट रजिस्टर रु0 8045.00 का अन्तर पाया गया। जोकि निश्चित रूप से धन का दुरुपयोग है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक बैंक के विभिन्न खातों में जमा अनुदान राशि पर अर्जित ब्याज रु0 242469.00 शासन को वापिस न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-11 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 बैंक से आहरण की गयी धनराशि रु0 345275.00 को व्यय किये जाने सम्बन्धित विवरण उपलब्ध न कराया जाना तथा रु0 2345611.00 विभिन्न कार्यों पर हुये खर्च से सम्बन्धित पत्रावलियों उपलब्ध न कराया जाना उक्त धनराशि का अनियमितता व्यय है। जबकि रु0 345275.00 का विवरण न होना धन का अपहरण है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2011-12 से 2014-15 राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कराये गये विभिन्न कार्यों का स्रोत पर आयकर की कटौती न किया जाना / अथवा कम किया जाना गम्भीर अनियमितता है। इस प्रकार रु0 13846.00 की गम्भीर अनियमितता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक विभिन्न निर्माण कार्यों पर काटे गये आयकर रु0 73630.00 का कोषागार में जमा किये जाने की पुष्टि में प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उक्त जमा अपुष्ट रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक में रु0 561267.00 का निर्माण कार्य कराया गया। जिसमें शासनादेशानुसार प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति लिये जाने से बचने के लिये एक ही कार्य को दो टुकड़ों में कराया गया। जो कि गम्भीर अनियमितता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-15 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2014-15 में बैंक से आहरण की गयी धनराशि में से केवल 06 कार्यों पर हुये खर्च का विवरण है। अन्तर की राशि रु0 344101.00 को व्यय किये जाने से सम्बन्धी कोई भी विवरण उपलब्ध न होने के कारण उक्त रु0 344101.00 का व्यय अपुष्ट रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में रु0 1097599.00 के कराये गये निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलिया वर्क रजिस्टर व प्रमाणक अनुपलब्ध रहने के कारण पुष्टि नहीं हो सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में विकास खण्ड कार्यालय के चैनल की मरम्मत दो माह से भी कम की अवधि में दो बार करना दिखाया गया है। इस प्रकार दो बार में रु0 12851.00 अनियमित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक युवक मंगल दल हेतु प्राप्त अनुदान के रू0 20000.00 व्यय की पुष्टि में प्रमाणक पत्रावलियां उपलब्ध न होने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में ग्रान्ट रजिस्टर 03 में माह सितम्बर 2012 का ब्याज अवशेष रू0 52079.50 अक्टूबर 2012 में कम ग्रांट फारवर्ड किया गया। जो कि अनियमित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-20 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में ग्रांट रजिस्टर 03 में विधायक निधि माह नवम्बर 2012 में रू0 49823.00 कम ग्रांट फारवर्ड किया गया। तथा रू0 41273.00 से कराये गये कार्यों की पत्रावलियां उपलब्ध न होने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जोकि धन का दुरुपयोग है। तथा रू0 49823.00 की धनराशि को अपहरण किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-21 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में कराये गये निर्माण कार्यों में काटे गये आयकर की धनराशि रू0 1986.00 को राजकोष में जमा करने सम्बन्धी अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में शासन से अवमुक्त धनराशि से प्राप्त ब्याज रू0 323572.00 को शासन को वापिस न किया जाना गम्भीर अनियमितता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-23 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में राज्य वित्त आयोग व 13वा वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान रू0 144199.00 के व्यय सम्बन्धी प्रमाणक व पत्रावली अनुपलब्ध रही। (अपहरण) ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-24 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में मनरेगा कन्टीजेन्सी व्यय की गयी धनराशि रू0 43992.00 की पुष्टि न होना (अपहरण) ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-25 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में ग्रान्ट रजिस्टर में रू0 11731.00 व्यय दिखाकर अवशेष शून्य कर दिया गया है। परन्तु उसकी पुष्टि में प्रमाणक पत्रावली प्राप्त न होने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-26 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 रू0 30000.00 के बायोगैस कार्यक्रम बायोगैस व युवक मंगल प्रोत्साहन भत्ते की राशि के उपभोग की पुष्टि में प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-27 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में रू0 17400.00 पेयजल निगरानी मद के उपभोग में लाये गये हैं। परन्तु इसकी पुष्टि में प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-28 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में रू0 25000.00 पेयजल सप्ताह दिवस हेतु प्राप्त अनुदान में से उपभोग किया गया। परन्तु उक्त धनराशि की पुष्टि में प्रमाणक/पत्रावली अनुपलब्ध न रहने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-29 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में कराये गये निर्माण कार्यों में से राज्य सरकार की स्वीकृति से बचने के लिये 1000000.00 की लागत से अधिक का कार्य टुकड़ों में कराया गया। इस प्रकार रू0 1035838.00 का कार्य अनियमित रूप से कराया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-30 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में रु0 1706943.00 की धनराशि के कार्य कराये गये। जिसमें सभी कार्य पाँच लाख कार्यों की स्वीकृति जिलाधिकारी से नहीं ली गयी। जो कि अनियमित रहा इस प्रकार रु0 1706943.00 का भुगतान अनियमित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-31 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2011-12 से 2013-14 में कराये गये निर्माण कार्यों पर काटे गये टीडीएस/वैट को विभाग के खाते में जमा की पुष्टि में रु0 299695.00 टीडीएस व्यय रु0 401144.00 वैट इस प्रकार कुल धनराशि रु0 700839.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-32 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2017-18 से 2018-19 में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों पर टीडीएस वैट एवं सेस की कटौती की गयी है। परन्तु उन कटौती की संगत शीर्ष में जमा करने सम्बन्धी अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण रु0 996037.00 वर्ष 2017-18 रु0 539728.00 व 2018-19 में रु0 456309.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-33 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2018-19 को कार्य योजना में निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि रु0 83598.00 व्यय किया जाना। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-34 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2017-18 से 2018-19 में क्रमशः 10303084.39 व रु0 12859007.39 कुल रु0 23162091.78 की धनराशि अवशेष रही। अतः शासन से प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग न करके व अनुदान की धनराशि को वापस न करके अवशेष के रूप में रख कर की गयी अनियमितता दृष्टिगत होती है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष 2014-15 प्रारूप-3

जिला-गाजियाबाद मण्डल का नाम-मेरठ

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या-35 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 का जे आर वाई का प्रारम्भिक अवशेष की धनराशि रु0 2896.00 थी। जिसे प्रारम्भिक अवशेष में नहीं दिखाया गया जबकि 31.03.2014 अन्तिम अवशेष में दर्शित था। अतः अभिलेख में सुधार के साथ सम्बन्धित से वसूल कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित था। जोकि अनियमित रहा।

प्रस्तर संख्या-36 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 में पेयजल निगरानी मद में गत वर्ष का शेष रु0 7450.00 व्यय दिखाकर अवशेष शून्य कर दिया गया। तथा पेयजल सप्ताह दिवस मद का रु0 24900.00 वर्ष 2013-14 में उपभोग दिखाकर धनराशि शून्य दिखा दी गयी। परन्तु इससे सम्बन्धित प्रमाणक न मिलने के कारण दर्शित कुल व्यय रु0 32400.00 की स्थिति संदिग्ध है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-37 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय भूमि संसाधन संरक्षण सप्ताह मद में प्राप्त धनराशि रु0 4000.00 का उपयोग साल दौरान ही दिखाकर अवशेष शून्य दिखाया गया है। परन्तु इसकी पुष्टि में प्रमाणक/पत्रावली अनुपलब्ध रहने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-38 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 में बैंक में जमा रही धनराशि पर प्राप्त ब्याज रु0 41046.00 सरकार को वापिस नहीं किया गया व प्राप्त ब्याज की धनराशि रु0 174054.00 को अनियमित रूप से व्यय किया गया, जोकि अनियमित रहा। धन का दुरुपयोग रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-39 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2015-16 में मनरेगा कन्टीजेन्सी व्यय दिखाकर धनराशि रु0 23052.00 का व्यय दिखाकर अवशेष शून्य कर दिया गया। परन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली अनुपलब्ध रहने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-40 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2015-16 में बैंक में जमा अवशेष अनुदान की धनराशि पर अर्जित ब्याज रु0 177632.00 सरकार को वापस न किया जाना जो अनियमित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-41 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2015-16 व 2016-17 में 207209.00 की सेस की कटौती की गयी। परन्तु उक्त धनराशि कोषागार में जमा करने सम्बन्धी अभिलेख पत्रावली अनुपलब्ध रहने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-42 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2016-17 में शासन से व्यय निमाण हेतु प्राप्त रु0 20000.00 को साल दौरान ही करवाया गया। परन्तु पत्रावली/प्रमाणक के अभाव में उक्त धनराशि अपुष्ट रही। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-43 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में रु0 500000.00 से अधिक आगणन वाले 08 कार्य रु0 5978893.00 में कराये गये। परन्तु इनके कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गयी। जोकि अनियमित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-44 क्षेत्र पंचायत लोनी जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2016-17 में रु0 1000000.00 से अधिक आगणन के नौ कार्य रु0 14157674.00 में कराये गये। परन्तु इन कार्यों की स्वीकृति राज्य सरकार से नहीं ली गयी। अतएव उक्त निर्माण कार्य अनियमित रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-45 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2011-12 में रु0 113568.00 की मजदूरी/श्रमांश का भुगतान बिना मास्टर रोल के कार्य प्रभारी को किया गया। जोकि अनियमित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-46 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2011-12 में कराये गये निर्माण कार्यों पर टीडीएस की कटौती रु0 59684.00 की गयी। उक्त धनराशि को कोषागार में जमा होने सम्बन्धी अभिलेख/पत्रावली अपुष्ट रहने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-47 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2011-12 में जो टीडीएस की कटौती की गयी, वह निर्धारित धनराशि से रु0 6805.00 कम कटौती की गयी। अतः राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-48 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर की जाने वाली वैट की कटौती निर्धारित धनराशि से रु0 5710.00 कम की गयी। जोकि प्रत्यक्ष राजस्व की क्षति है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-49 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2011-12 में कराये गये मिट्टी खंडजा कार्य के दौरान की जाने वाली रायल्टी की कटौती रु0 54024.00 नहीं की गयी। जो अपेक्षित थी। इस प्रकार रायल्टी न काटकर राजस्व की हानि की गयी। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-50 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2012-13 में कराये गये निर्माण कार्यों पर रु0 54084.00 की टीडीएस की कटौती की गयी। परन्तु उक्त धनराशि को कोषागार में जमा हेतु सम्बन्धी अभिलेख/पत्रावली अनुपलब्ध रहने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-51 क्षेत्र पंचायत रजापुर, जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2012-13 में जो टीडीएस की कटौती की गयी है। वह निर्धारित धनराशि से रु0 3325.00 कम की गयी है। इस प्रकार राजस्व को क्षति पहुँचाई गयी है। इसी क्रम में वैट की कटौती भी रु0 53.00 की गयी है। जोकि राजस्व की क्षति है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-52 क्षेत्र पंचायत रजापुर,जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2012-13 में कराये गये निर्माण कार्य मिटटी पर रायल्टी की कटौती रू0 119923.00 की जानी थी। परन्तु उक्त रायल्टी की कटौती नहीं की गयी तथा राजस्व की हानि हुई। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-53 क्षेत्र पंचायत रजापुर,जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2013-14 में निर्माण सम्बन्धी सामग्री मद के भुगतान पर रू0 51898.00 की टीडीएस की कटौती की गयी। परन्तु उक्त धनराशि को कोषागार में जमा होने सम्बन्धी पत्रावली/अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण जमा होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-54 क्षेत्र पंचायत रजापुर,जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2013-14 में टीडीएस की जो कटौती की गयी है। वह निर्धारित कटौती से रू0 11717.00 कम की गयी। इस प्रकार कम कटौती कर राजस्व की हानि पहुचाई गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-55 क्षेत्र पंचायत रजापुर,जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2013-14 में आपूर्ति की गयी मिटटी पर रू0 76470.00 रायल्टी की कटौती की जानी अपेक्षित थी। उक्त धनराशि की कटौती न कर राजस्व की हानि की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-56 क्षेत्र पंचायत रजापुर,जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 में कराये गये निर्माण कार्यों में सामग्री भुगतान पर काटे गये टीडीएस की धनराशि के जमा होने सम्बन्धी अभिलेख अप्राप्त होने के कारण व टीडीएस की धनराशि कम जमा करने के कारण रू0 (21300056+27458)=2157514.00 की धनराशि अनियमित रही। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-57 क्षेत्र पंचायत रजापुर,जनपद-गाजियाबाद में सामग्री भुगतान पर काटी गयी टीडीएस की धनराशि के जमा होने सम्बन्धी अभिलेख/पत्रावली अप्राप्त होने के कारण उक्त धनराशि अपुष्ट रही। टीडीएस की धनराशि कम जमा करने के कारण (क्रमश रू0 17281738282)=211099 की धनराशि अनियमित रही। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-58 क्षेत्र पंचायत रजापुर,जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2016-17 में सामग्री भुगतान पर काटी गयी टीडीएस की धनराशि 126500 के जमा होने सम्बन्धी अभिलेख पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण धनराशि अपुष्ट रही। तथा टीडीएस की धनराशि रू0 18241.00 कम जमा की गयी है। जिससे राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रकार कुल रू0 199741.00 की धनराशि अनियमित रही। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-59 क्षेत्र पंचायत रजापुर,जनपद-गाजियाबाद की वर्ष 2014-15 की कुल सामग्री क्रय पर रू0 218786.00 की कटौती की गयी। परन्तु उक्त धनराशि के कोषागार में जमा होने सम्बन्धी अभिलेख/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण धनराशि अपुष्ट रही। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-60 क्षेत्र पंचायत रजापुर,जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2015-16 में कुल सामग्री क्रय पर रू0 350673.00 की कटौती की गयी। परन्तु उक्त धनराशि के कोषागार में जमा सम्बन्धी अभिलेख/पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण उक्त धनराशि अपुष्ट रही। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-61 क्षेत्र पंचायत रजापुर,जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2016-17 में कुल सामग्री क्रय पर रू0 856179.00 की गयी। परन्तु उक्त धनराशि के कोषागार में जमा होने सम्बन्धी अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-62 क्षेत्र पंचायत रजापुर,जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 में सिक्कोरिटी मनी के रूप में अंकन रू0 475008.00 राज्य वित्त आयोग एवं 13वा वित्त आयोग से क्रमशः (260152214256) की कटौती की गयी। जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को किस मद से की गयी। इससे सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली अनुपलब्ध रहने के कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-63 क्षेत्र पंचायत रजापुर,जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2015-16 में सिक्कोरिटी मनी के रूप में अंकन रु0 7273336.00 (राज्य वित्त आयोग एवं 13वा वित्त आयोग) से क्रमशः (64905178285) की कटौती की गयी। जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को किस मद से की गयी। इससे सम्बन्धित प्रमाणक/ पत्रावली अनुपलब्ध रहने के कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-64 क्षेत्र पंचायत रजापुर,जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2016-17 में सिक्कोरिटी मनी के रूप में अंकन रु0 514511.00 (राज्य वित्त आयोग एवं 13वा वित्त आयोग) की कटौती की गयी। परन्तु इसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को किस मद से की गयी। इससे सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली अनुपलब्ध रहने के कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-65 क्षेत्र पंचायत रजापुर,जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 में कराये गये निर्माण कार्यो पर मिटटी की रायल्टी रु0 163733.00 काटी जानी चाहिये थी। परन्तु रायल्टी की कटौती नहीं करके राजस्व की क्षति की गयी है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-66 क्षेत्र पंचायत रजापुर,जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2016-17 में कराये गये निर्माण कार्यो पर मिटटी की रायल्टी रु0 50457.00 काटी जानी अपेक्षित थी। परन्तु उक्त धनराशि की कटौती नहीं की गयी इससे राजस्व की हानि हुई। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-67 क्षेत्र पंचायत रजापुर,जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 में कराये गये निर्माण कार्यो पर निविदा फर्म क धनराशि कुल रु0 37500.00 (253500) प्राप्त हुई। परन्तु उक्त धनराशि को आय में सम्मिलित नहीं किया गया। तथा इस प्रकार धन का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-68 क्षेत्र पंचायत रजापुर,जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2016-17 में कराये गये 17 निर्माण कार्यो पर निविदा फर्म की धनराशि कुल रु0 25500.00 (17×3×500) प्राप्त हुई। परन्तु उक्त प्राप्त धनराशि को आय में सम्मिलित नहीं किया गया। जोकि धन का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-69 क्षेत्र पंचायत रजापुर,जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 में रु0 84000.00 की लागत से इन्डिया मार्क-2 हैडपंप कोटेशन के आधार पर नियम विरुद्ध क्रय किये गये। जोकि पूर्णतः अनियमित भुगतान है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-70 क्षेत्र पंचायत रजापुर,जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2014-15 में रु0 546000.00 की लागत से इन्डिया मार्क-2 हैडपंप कोटेशन के आधार पर नियम विरुद्ध तरीके से क्रय किये गये। जोकि पूर्णतः अनियमित भुगतान है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप - 4

क्षेत्र पंचायतों से संबंधित आपत्तियां

जनपद - अमरोहा

अनुभाग - पंचायत

(1) क्षेत्र पंचायत का नाम - हसनपुर

वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर संख्या- 01 वर्ष 2014.15 में कराये गये कार्यो से सम्बन्धित मात्र चार पत्रावलियां ही जांच हेतु उपलब्ध कराई गयी। इनके अतिरिक्त उक्त अवधि में अन्य कराये गये कार्यो के सम्बन्ध में वर्क रजिस्टर बार-बार मांगने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उपलब्ध कराई गयी पत्रावलियों का विवरण निम्नानुसार हैं-

क्रमांक	कार्या का नाम	धनराशि	फर्म जिनकी निविदा स्वीकृत हुई
1-	ढक्का में सलामत के मकान से नहर कीओर सी.सी. रोड निर्माण	658848.00	मै. शिव कन्स्ट्रक्टर
2-	लताबपुरा में तालाब से लाल सिंह के मकान तक व छुट्टन के मकान से छोटे के मकान तक इन्टरलॉकिंग	758496.00	मै. शिव कन्स्ट्रक्टर
3	कूबी के नगलिया जट में जयपाल के मकान से	540280.00	मै. शिव कन्स्ट्रक्टर

4	देहरा मिलक में यामीन के मकान से मस्जिद तक सी.सी. व इंटरलाकिंग	479783.00	मै. शिव कन्ट्रैक्टर
	योग	2437407.00	

आलोच्य वर्ष में बैंक से कुल आहरण रु -7808097-00 का किया गया था। जिसके सापेक्ष रु -2437407-00 केवल उक्त वर्णित 4 कार्यों पर व्यय किया गया था। शेष रु -5370690-00 के कराये गये कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां ऑडिट में उपलब्ध नहीं करायी गयी। वर्क रजिस्टर का न बनाया जाना व अवशेष राशि से सम्बन्धित पत्रावलियां न होना रु - 5370690-00 का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। जिसके लिए श्री बलराम कुमार / श्री सुखन सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार श्री मकसूदअहमद जे.ई., श्रीमती निर्देश देवी / श्री मति माया देवी ब्लाक प्रमुख व सम्बन्धित कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-1(1(क)) सम्बन्धित धनराशि-5370690.00

प्रस्तर संख्या-02- चारों उक्त कार्य मै. शिव कन्ट्रैक्टर से ठेके पर कराये गये थे। इस किसी भी कराये गये कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ण प्रमाणपत्र नहीं पाया गया। जिस कारण कृत कार्यों की सही स्थिति व उन पर हुए वास्तविक खर्चों की जानकारी नहीं हो सकी। कार्यपूर्ण प्रमाणपत्र मिट्टी पर हुआ व्यय रायल्टी चार्ज न होना। किसी भी पत्रावली में सक्षम प्राधिकारी की कोई नोटिंग नहीं पायी गयी। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित कार्यों पर हुआ व्यय रु -2437407-00 फर्जी है। जिसके लिए श्री बलराम कुमार / श्री सुखन सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार श्री मकसूदअहमद जे.ई., श्रीमती निर्देश देवी / श्री मति माया देवी ब्लाक प्रमुख व सम्बन्धित कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-1(1(ख)) सम्बन्धित धनराशि-2437407-00

प्रस्तर संख्या-03 बैंक से आहरण किये गये धन से हुए व्यय की पुष्टि पत्रावली न पाया जाना। जिसके लिए श्री बलराम कुमार / श्री सुखन सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-1(2) सम्बन्धित धनराशि-1922976-00

प्रस्तर संख्या-04 इन्द्रा आवास कन्टीजेन्सी हेतु प्राप्त अनुदान के व्यय के प्रमाणक न होना। जिसके लिए श्री बलराम कुमार / श्री सुखन सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार श्री मकसूदअहमद जे.ई., उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-1(3) सम्बन्धित धनराशि-18112-00

प्रस्तर संख्या-05 पेयजल योजना पर हुए व्यय के प्रमाणक / पत्रावली न पाया जाना। जिसके लिए श्री बलराम कुमार / श्री सुखन सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-1(4) सम्बन्धित धनराशि-176999-00

प्रस्तर संख्या-06 मनरेगा कन्टीजेन्सी हेतु प्राप्त अनुदान के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख / पत्रावली न प्रस्तुत किया जाना। जिसके लिए श्री बलराम कुमार / श्री सुखन सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-1(5) सम्बन्धित धनराशि-3173027-00

प्रस्तर संख्या-07 टी.डी.एस. की राशि कोषागार में जमा किये जाने का चालान न पाया जाना। लेवर शेष चार्ज न किया जाना। जिसके लिए श्री बलराम कुमार / श्री सुखन सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2 सम्बन्धित धनराशि-118840-00

प्रस्तर संख्या-08 बिक्रीकर वाणिज्यकर विभाग में जमा किये दिखाये धन की पुष्टि में चालान / प्रमाणक न होना। जिसके लिए श्री बलराम कुमार / श्री सुखन सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार उत्तरदायी है।

उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी है

आपत्ति संख्या-3 सम्बन्धित धनराशि-87373-00

प्रस्तर संख्या-09 वर्ष 2015-16में कराये गये कार्यों से सम्बन्धित मात्र 13 पत्रावलियां ही जांच हेतु उपलब्ध कराई गयी। इनके अतिरिक्त उक्त अवधि में अन्य कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में वर्क रजिस्टर बार-बार मांगने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उपलब्ध कराई गयी पत्रावलियों का विवरण निम्नानुसार हैं-

क्रमांक	कार्या का नाम	धनराशि	फर्म जिनकी निविदा स्वीकृत हुई
1-	ढक्का में नौशाद के मकान से कल्लू के मकान तक व ग्रीन गार्डन स्कूल से नगली रोड तक सी.सी व रोड निर्माण	511282.00	मै. शिव कन्स्ट्रैक्टर
2-	ब्लाक में स्टाफ क्वाटर कार्यालय मरम्मत कार्य	50961.00	मै. शिव कन्स्ट्रैक्टर
3	डुंगरौली में वोनावली में जीत चन्द्र के मकान से रामधर के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण	817013.00	मै. शिव कन्स्ट्रैक्टर
4	ग्राम सोहरका में प्रभु के मकान से चन्द्रपाल के मकान तक सी.सी. रोड	2534330.00	मै. शिव कन्स्ट्रैक्टर
5	सोहरका में चुन्नी की दुकान से किशोर के मकान तक सी.सी. रोड	966972.00	मै. शिव कन्स्ट्रैक्टर
6	नवाबपुरा में सुनील के मकान से रामफल के मकान तक	405131.00	मै. शिव कन्स्ट्रैक्टर
7	ढक्का में कलुवा धोबी के मकान से इकबाल सलमानी के मकान तक	261984.00	मै. शिव कन्स्ट्रैक्टर
8	लुहारी खादर में नैन सिंह के मकान से टीटा के मकान तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण	438516.00	मै. शिव कन्स्ट्रैक्टर
9	ढक्का में छुन्नन के मकान से निजात के मकान तक नाली व सी.सी. रोड	196232.00	मै. शिव कन्स्ट्रैक्टर
10	छकड़ी में तालाब से गजराज के मकान तक मिट्टी खड़जा	192232.00	मै. शिव कन्स्ट्रैक्टर
11	हथियाखेड़ा के स्कूल से ग्राम के अन्दर सी.सी. रोड व नाली निर्माण	771020.00	मै. शिव कन्स्ट्रैक्टर
12	तसिया में नेतराम के मकान से गोपी के मकान की ओर इन्टरलाकिंग टाईल्स	401525.00	मै. शिव कन्स्ट्रैक्टर
13	दयावली खालसा में ग्राम से बांध तक मिट्टी खड़जा	487636.00	मै. शिव कन्स्ट्रैक्टर
	योग	5754134.00	

आलोच्य वर्ष 2015-16 में बैंक से कुल आहरण रू0-6276088-00 किया गया। इसके सापेक्ष रू -5754134-00 केवल उक्त 13 कार्यों पर व्यय किया गया था। शेष 521954-00 के कराये गये कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां उपलब्ध न होना रू- 521954-00 का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। जिसके लिए श्री बलराम कुमार /श्री सुखन सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार श्री मकसूदअहमद जे.ई., श्रीमती निर्देश देवी/ श्री मति माया देवी ब्लाक प्रमुख व सम्बन्धित कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-4(1) सम्बन्धित धनराशि-521954-00

प्रस्तर संख्या-10 तेरहवां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान मध्य बैंक से आहरण की गई धनराशि के व्यय की पुष्टि में प्रमाणक/पत्रावली न होना। जिसके लिए श्री बलराम कुमार /श्री सुखन सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-4(2) सम्बन्धित धनराशि-1830827-00

प्रस्तर संख्या-11- मनरेगा क्षेत्र निधि की व्यय की गई धनराशि के प्रमाणक/पत्रावली न होना। जिसके लिए श्री बलराम कुमार /श्री सुखन सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या-4(3) सम्बन्धित धनराशि-35108-00

प्रस्तर संख्या-12 वर्ष 2015-16 में इन्दिरा आवास योजना कन्टीजेन्सी का गत वर्ष 31-03-2015 का शेष रु -89609-00 था जो दौरान साल ही व्यय दिखाया गया है। व्यय का कोई विवरण नहीं है और न ही पुष्टि में कोई प्रमाणक है। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट है। जिसके लिए श्री बलराम कुमार/श्री सुखन सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार श्री मकसूदअहमद जे.ई. उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या-4(4) सम्बन्धित धनराशि-89609-00

प्रस्तर संख्या-13 आंगनवाडी योजना पर हुए व्यय से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावली न होना जिसके लिए श्री बलराम कुमार /श्री सुखन सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या-4(5) सम्बन्धित धनराशि-590031-00

प्रस्तर संख्या-14 मनरेगा कन्टीजेन्सी हेतु प्राप्त अनुदान के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावली न प्रस्तुत किया जाना जिसके लिए श्री बलराम कुमार /श्री सुखन सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या-4(6) सम्बन्धित धनराशि-4278422-00

प्रस्तर संख्या-15 बिक्रीकर वाणिज्यकर विभाग में जमा किये दिखाये धन की पुष्टि में चालान/प्रमाणक न होना जिसके लिए श्री बलराम कुमार /श्री सुखन सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या-4(7) सम्बन्धित धनराशि-398819-00

प्रस्तर संख्या-16 वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त व तेरहवा वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का खर्च क्रमशः रु -6976415-50 व रुपये 1830827-00 दिखाया गया है। यह राशि ठेकेदारों को भुगतान की गयी है। किन्तु ठेकेदार मै. शिव कान्हेक्टर से आयकर की कटौती नहीं की गयी है। जो काटी जानी चाहिये थी। लैवर शेष भी नहीं काटा गया। इस टी.डी.एस. व लैवर शेष की कटौती न किये जाने के लिए श्री बलराम कुमार /श्री सुखन सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या-4(8)

प्रस्तर संख्या 17 वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग से रु -7041526.61 अनुदान प्राप्त हुआ था। गत शेष अनुदान रु -4395916.02 जोड़ने पर कुल राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान रु -11437444.63 थ। जिसके सापेक्ष रु -5302056.66 व्यय किया गया। लेखा परीक्षा में वर्क रजिस्टर देखने को नहीं मिला और न ही उक्त धनराशि से सम्बन्धित कराये गये कार्यों की पत्रावलियां जांच हेतु सुलभ करायी गयी। पत्रावलियां न मिलने के कारण कराये गये कार्यों की की जानकारी नहीं हो सकी। पत्रावलियों का न पया जाना व वर्क रजिस्टर न बनाया जाना उक्त अनुदान राशि रु -5302056.66 का अपहरण किया जाना प्रकट करता है।

जिसके लिए श्री बलराम कुमार /श्री सुखन सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार श्री मकसूदअहमद जे.ई., श्रीमती निर्देश देवी/ श्री मति माया देवी ब्लाक प्रमुख व सम्बन्धित कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या-5(1) सम्बन्धित धनराशि- 5302056-66

प्रस्तर संख्या-18 तेरहवां/ चोदहवां वित्त आयोग से प्राप्त राशि के व्यय से सम्बन्धित पत्रावली न सुलभ कराया जाना जिसके लिए श्री बलराम कुमार /श्री सुखन सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार श्री मकसूदअहमद जे.ई., श्रीमती निर्देश देवी/ श्री मति माया देवी ब्लाक प्रमुख व सम्बन्धित कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-5(2) सम्बन्धित धनराशि-21998-00

प्रस्तर संख्या-19 शौचालय निर्माण खर्च सम्बन्धित पत्रावली के अभाव में गत वर्षों से इस हेतु चली आ रही अनुदान राशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए श्री मदन वर्मा/ राजेन्द्र प्रताप सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार श्री मकसूदअहमद जे.ई.उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-5(3) सम्बन्धित धनराशि-10000-00

प्रस्तर संख्या-20 आंगनवाड़ी योजना पर हुये व्यय से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावली न होना जिसके लिए श्री मदन वर्मा/ राजेन्द्र प्रताप सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-5(4) सम्बन्धित धनराशि-147698-00

प्रस्तर संख्या-21 मनरेगा कन्टीजेन्सी हेतु प्राप्त अनुदान के व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली न होना। जिसके लिए श्री मदन वर्मा/ राजेन्द्र प्रताप सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-5(5) सम्बन्धित धनराशि-3222742-00

प्रस्तर संख्या-22 आलोच्य वर्षों में जमा अनुदान पर बैंक से प्राप्त ब्याज सरकार को न भेजा जाना जिसके लिए श्री मदन वर्मा/ राजेन्द्र प्रताप सिंह बी.डी.ओ. श्री नत्थूलाल लेखाकार उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-5(6) सम्बन्धित धनराशि-7205-26

(2) क्षेत्र पंचायत का नाम – अमरोहा वर्ष –2014-15 से 2016-17

प्रस्तर संख्या-23 वर्ष 2014-15 में 100000-00 से अधिक वास्तविक मूल्य की सामग्री टुकड़ो-2 में क्रय दिखाकर टेन्टर प्रक्रिया से बचने के उद्देश्य से अनियमित एवं मनमानी दरो पर उक्त कराये गये कार्यों में क्रमांक 1 से 08 तक पर दर्शित क्रय सामग्री जो 100000-00 से अधिक मूल्य की थी मनमीनी दरो पर खरीदी गयी थी। जबकि उ.प्र. सरकार के शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री क्रय के नियमों के अन्तर्गत कोटेशन/टेन्डर आमन्त्रित करके सामग्री क्रय करने हेतु वित्तीय सीमा निर्धारित की गयी थी। क्षेत्र पंचायत अमरोहा द्वारा इस शासनादेश के अनुसार निर्देशों का पालन नहीं किया गया। क्षेत्र पंचायत द्वारा निविदायें आमन्त्रित न करके, मनमाने ढंग से सामग्री क्रय करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसेसे प्रतियोगी दरो के लाभ की सीमा तक क्षेत्र पंचायत को आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(1) सम्बन्धित धनराशि-8616731-00

प्रस्तर संख्या-24 टीडीएस कम कटौती करके राजस्व की हानि पहुंचाना व काटी गयी धनराशि की पुष्टि में प्रमाण न होना जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-3(2) सम्बन्धित धनराशि-37031-00

प्रस्तर संख्या-25 वैट की कटौती न करके राजस्व को हानि पहुंचाना जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-3(3) सम्बन्धित धनराशि-127283-00

प्रस्तर संख्या-26 श्रमांश मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया जाना जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-3(4) सम्बन्धित धनराशि-657068-00

प्रस्तर संख्या-27 बैंक से आहरण की गई धनराशि से कम व्यय की पत्रावलीयां प्रस्तुत की गईं जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-4 सम्बन्धित धनराशि-2313290-00

प्रस्तर संख्या-28 राज्य वित्त आयोग व 13 वां व 14 वां वित्त आयोग की वर्षान्त में शेष रही धनराशि का ससमय उपभोग न होना। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-5 सम्बन्धित धनराशि-5440854-00

प्रस्तर संख्या-29 वर्ष 2015-16 में उपलब्ध कराई गई निर्माण कार्यों से सम्बन्धित 10 पत्रावलियों के अनुसार सामग्री आदि पर कुल व्यय रु -5303524-00 किया गया था। जिस पर नियमानुसार स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की गयी थी। अतः 2-26 की दर से रु -119860-00 टी.डी.एस. काटा जाना था। इस प्रकार टी.डी.एस. न काटकर राजस्व की हानि की गयी है ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ख.वि.अधि से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-6(1) सम्बन्धित धनराशि-119860-00

प्रस्तर संख्या-30 वर्ष 2015-16 में कुल निर्माण सामग्री रु -5303524-00 की क्रय की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला वाणिज्य कर(वैट) क्रय सामग्री के प्रमाणकों पर चार्ज नहीं किया गया था और न ही वैट काटकर संस्था द्वारा विक्रेता को मूल्य भुगतान किया गया था। वैट न काटकर राज्य सरकार को 4 प्रतिशत की दर से रुपये 212141-00 राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति का सही-सही आंकलन करके इसकी प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/ख.वि.अधि. से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-6(2) सम्बन्धित धनराशि-212141-00

प्रस्तर संख्या-31 वर्ष 2015-16 में उपलब्ध कराई गई निर्माण कार्यों से सम्बन्धित 10 पत्रावलियों जांच में पाया गया कि जे.ई. को अर्थात् एक ही व्यक्ति को सभी कराये गये कार्यों का कार्य प्रभारी साजिश के तहत बनाया गया तथा कार्यों की प्रारम्भ व समाप्ति तिथि 21-09-2015 एक ही थी जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-6(3) सम्बन्धित धनराशि-286879-00

प्रस्तर संख्या-32 शासनादेश के अनुसार एक लाख रुपये से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया से बचने के लिये सामग्री टुकड़ों-टुकड़ों में क्रय किया जाना। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-6(4)**

प्रस्तर संख्या-33 वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग की वर्षान्त में दिनांक 31-03-2017 को रुपये 5295093-00 अवशेष राशि अप्रयुक्त रही। अनुदान की राशि निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत शासनादेश के अनुसार उपभोग कर लिया जाना चाहिये। ऐसा न करने पर अवशेष अप्रयुक्त राशि शासन को वापस कर दिया जाना चाहिये। परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया। जो कि गम्भीर आपत्तिजनक है। इस प्रति तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-7 सम्बन्धित धनराशि-5295093-00

प्रस्तर संख्या-34 वर्ष 2016-17 में सामग्री क्रय रु -8572518-00 पर वाणिज्य कर (वैट) की कटौती की गई धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चौक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान एवं दाखिल रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि गम्भीर आपत्तिजनक है। इस प्रति तत्कालीन लेखाकार व

खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-9(1)**

प्रस्तर संख्या-35 वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय की टी.डी.एस. कटौती की गयी है काटे गये टी.डी.एस. की जमा की पुष्टि में इश्यू चौक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे टी.डी.एस. मद में की गयी कटौती की जमा की स्थिति अपुष्ट है। सम्बन्धित फर्म को कटौती के सम्बन्ध में स्थिति से लिखित में अवगत कराये जाने की जानकारी ऑडिट को नहीं हो सकी। इस सम्बन्ध में साक्ष्य सहित स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-9(2)**

प्रस्तर संख्या-36 शासनादेश के अनुसार एक लाख रुपये से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया से बचने के लिये सामग्री टुकड़ों-टुकड़ों में क्रय किया जाना। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-9(3)**

प्रस्तर संख्या-37

क्र.	कार्य का नाम	कार्य प्रभारी का नाम	कार्य की कुल लागत(कर व जमानत कटौती के बाद)	सामग्री का मूल्य	चौक संख्या
1	ग्राम मिलक में हुसैनपुर मार्ग पर ढाल गोपाल सिंह के मकान से चामुण्डा देवी तक टाईल्स का कार्य	श्री राजीव कुमार जे.ई.	1258984.00	1050593.00	51255.00
2	ग्राम बसेड़ातगा में नगली पथवारी मार्ग पर विशेष सिंह के स्कूल से गजराम दिवाकर एवं विजय सिंह के मकान तक इंटरलाकिंग, सी.सी. टाईल्स निर्माण कार्य	श्री राजीव कुमार जे.ई.	1096332.00	928593.00	51243..

उक्त तालिका के देखने से विदित होता है कि जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1960 एवं उ.प्र. जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत निर्माण नियमावली 1965 के नियम संख्या 16 के अनुसार रु - 1000000-00 से अधिक के निर्माण कार्य हेतु खर्च के सम्बन्ध में सरकार से स्वीकृति ली जानी थी किन्तु क्षेत्र पंचायत में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृति नहीं ली गयी थी और अपने स्तर से अन्य कार्यों के समान ही 10 लाख रुपये से अधिक के कार्यों को भी कराया गया। इस प्रकार शासनादेश का पालन न करके सम्बन्धित ख.वि.अधि. द्वारा गम्भीर अनियमिता की गयी है जो कि गम्भीर आपत्तिजनक है। इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-9(4) सम्बन्धित धनराशि-2355316-00

प्रस्तर संख्या-38 श्रमांश/मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी/जे.ई. को किया गया जो सभी कराये गये कार्यों के कार्य प्रभारी रहे। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-9(5)**

प्रस्तर संख्या-39 बैंक में जमा रही अनुदान राशि पर अर्जित ब्याज शासनादेश के अनुसार शासन को न प्रेषित किया जाना। इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-23 सम्बन्धित धनराशि-492468-00

(3) क्षेत्र पंचायत का नाम - धनौरा वर्ष -2014-15 से 2016-17

प्रस्तर संख्या-40 आलोच्य वर्ष में बैंक से राज्य वित्त वे तेरहां वित्त के खाते से रु - 1113371-09 आहरण किया गया था। जिसके सापेक्ष रु - 10942377-00 केवल 20 कार्यों पर व्यय किया गया था। जिसमें रु - 7823044-00 सामग्री क्रय पर तथा रु-3119333-00 मजदूरी पर व्यय किया गया था। शेष रु -170994-09 के कराये गये कार्यों स सम्बन्धित पत्रावलियां ऑडिट में उपलब्ध नहीं करायी गयी। कार्य रजिस्टर का न बनाया जाना व अवशेष राशि से सम्बन्धित पत्रावलियां न होना रु - 170994-09 का अपहरण किया जाना प्रकट करता है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विकास कुमार/रामपाल सिंह, लेखाकार श्री जयदेव सिंह, अवर अभियन्ता श्री निमेश रस्तोगी, ब्लाक प्रमुख श्री मुनव्वर हसन व

सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(1) सम्बन्धित धनराशि-170994-09

प्रस्तर संख्या-41 इन्द्रा आवास कन्टीजेन्सी हेतु प्राप्त अनुदान के व्यय के प्रमाणक न होना जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विकास कुमार/रामपाल सिंह, लेखाकार श्री जयदेव सिंह, अवर अभियन्ता श्री निमेश रस्तोगी सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(2) सम्बन्धित धनराशि-28614-00

प्रस्तर संख्या-42 मनरेगा कन्टीजेन्सी हेतु प्राप्त अनुदान के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावली न प्रस्तुत किया जाना जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विकास कुमार/रामपाल सिंह, लेखाकार श्री जयदेव सिंह, अवर अभियन्ता श्री निमेश रस्तोगी सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(3) सम्बन्धित धनराशि-1680648-30

प्रस्तर संख्या-43 पेयजल योजना पर हुए व्यय के प्रमाणक/पत्रावली न पाया जाना जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विकास कुमार/रामपाल सिंह, लेखाकार श्री जयदेव सिंह, अवर अभियन्ता श्री निमेश रस्तोगी सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(4) सम्बन्धित धनराशि-20785-00

प्रस्तर संख्या-44 आलोच्य वर्ष 2014-15 में उपलब्ध करायी गयी 20 पत्रावलियों में दर्शित कार्या हेतु रु एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय की गयी थी। जबकि उ.प्र. सरकार के शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-1-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार टेन्डर आमन्त्रित करके सामग्री क्रय की जानी चाहिए थी। बिना टेन्डर आमन्त्रित किये क्षेत्र पंचायत द्वारा रुपये एक लाख से अधिक का माल क्रय करके शासनादेश का उल्लंघन करते हुये गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिससे क्षेत्र पंचायत को प्रतियोगी दरों के लाभ की सीमा तक आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री विकास कुमार/रामपाल सिंह, लेखाकार श्री जयदेव सिंह, उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(5) सम्बन्धित धनराशि-

प्रस्तर संख्या-45 टी.डी.एस. की राशि कोषागार में जमा किये जाने का चालान न पाया जाना। लेवर शेष चार्ज न किया जाना। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री विकास कुमार/रामपाल सिंह, लेखाकार श्री जयदेव सिंह, उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(6(अ)) सम्बन्धित धनराशि-

प्रस्तर संख्या-46 वर्ष 2014-15 में कुल निर्माण सामग्री रु -7823044-00 की क्रय की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला वाणिज्य कर(वैट) क्रय सामग्री के प्रमाणकों पर चार्ज नहीं किया गया था और न ही वैट काटकर संस्था द्वारा विक्रेता को मूल्य भुगतान किया गया था। वैट न काटकर राज्य सरकार को 4 प्रतिशत की दर से रुपये 312922-00 राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति का सही-सही आंकलन करके इसकी प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/ख.वि.अधि. से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(6(ब)) सम्बन्धित धनराशि-312922-00

प्रस्तर संख्या-47 आलोच्य वर्ष 2015-16 में बैंक खाते से कुल आहरण रु -9809335-03 आहरण किया गया था। जिसके सापेक्ष रु -2897943-00 केवल 08 कार्यों पर व्यय किया गया था। शेष रु -6911392-00 के कराये गये कार्यों स सम्बन्धित पत्रावलियां ऑडिट में उपलब्ध नहीं करायी गयी। कार्य रजिस्टर का न बनाया जाना व अवशेष राशि से सम्बन्धित पत्रावलियां न होना रु -6900392-00 का अपहरण किया जाना प्रकट करता है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामपाल सिंह/श्री

विद्याशंकर कटिहार, लेखाकार श्री जयदेव सिंह/जितेन्द्र, अवर अभियन्ता श्री निमेश रस्तोगी, ब्लाक प्रमुख श्री मुनवर हसन व सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-3(2) सम्बन्धित धनराशि-6911392-00

प्रस्तर संख्या-48 आलोच्य वर्ष 2015-16 में तेरहवां वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग से क्रमशः रु - 813522-00 व रु -1789357-00 कुल रु -2602879-00 अनुदान प्राप्त हुआ था। जिसके सापेक्ष रु -8191568-00+1656343-00 = 9847911-00 आहरण कर व्यय किये गये। जिसकी पुष्टि में प्रमाणक पत्रावलियां नहीं पाई गयी थी। व्य की पुष्टि में प्रमाणक न होना गबन की श्रेणी में आता है। अतः जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामपाल सिंह/श्री विद्याशंकर कटिहार, लेखाकार श्री जयदेव सिंह/जितेन्द्र, अवर अभियन्ता श्री निमेश रस्तोगी, ब्लाक प्रमुख श्री मुनवर हसन व सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-3(3) सम्बन्धित धनराशि-9847911-00

प्रस्तर संख्या-49 मनरेगा कन्टीजेन्सी हेतु प्राप्त अनुदान के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावली न प्रस्तुत किया जाना। अतः जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामपाल सिंह/श्री विद्याशंकर कटिहार, लेखाकार श्री जयदेव सिंह/जितेन्द्र, प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-3(4) सम्बन्धित धनराशि-5622653-00

प्रस्तर संख्या-50 इन्द्रा आवास कन्टीजेन्सी हेतु प्राप्त अनुदान के व्यय के प्रमाणक न होना। अतः जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामपाल सिंह/श्री विद्याशंकर कटिहार, लेखाकार श्री जयदेव सिंह/जितेन्द्र, अवर अभियन्ता श्री निमेश रस्तोगी, ब्लाक प्रमुख श्री मुनवर हसन व सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-3(5) सम्बन्धित धनराशि-5622653-00

प्रस्तर संख्या-51 श्रमांश/मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी/जे.ई. को किया गया जो सभी कराये गये कार्यों के कार्य प्रभारी रहे। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-3(6) सम्बन्धित धनराशि-723730-00

प्रस्तर संख्या-52 वैट की कटौती न करके राजस्व को हानि पहुंचाना। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-4 सम्बन्धित धनराशि-97840-00

प्रस्तर संख्या-53 टी.डी.एस. की राशि कोषागार में जमा किये जाने का चालान न पाया जाना। लेवर शेष चार्ज न किया जाना। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-5 सम्बन्धित धनराशि-47023-00

प्रस्तर संख्या-54 आलोच्य वर्ष 2016-17 में बैंक खाते से कुल आहरण रु -5716958.00 आहरण किया गया था। जिसके सापेक्ष रु -9191099-00 केवल 09 कार्यों पर व्यय किया गया था। शेष रु -3474141-00 के कराये गये कार्यों स सम्बन्धित पत्रावलियां ऑडिट में उपलब्ध नहीं करायी गयी। कार्य रजिस्टर का न बनाया जाना व अवशेष राशि से सम्बन्धित पत्रावलियां न होना रु -3474141.00 का अपहरण किया जाना प्रकट करता है जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-6(1) सम्बन्धित धनराशि-3474141-00

प्रस्तर संख्या-55 आलोच्य वर्ष 2016-17 म तेरहवां चौदहवां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान शून्य है। गत वर्ष 31-03-2016 को अप्रयुक्त अनुदान रु -188016.00 था जो वर्ष 2016-17 में भी उपभोग नहीं किया गया और दिनांक 31-03-2017 को अप्रयुक्त रहा। शर्तों के अनुसार समयान्तर्गत अनुदान का उपभोग न किया जाना अत्यन्त गम्भीर आपत्तिजनक है। शासन से प्राप्त अनुदान का ससमय उपभोग न किये जाने से क्षेत्र के विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। तत्काल इस सम्बन्ध में अनुदान की अप्रयुक्त राशि शासन को वापिस की जानी अपेक्षित है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-6(2) सम्बन्धित धनराशि-188016-00

प्रस्तर संख्या-56 आलोच्य वर्ष 2016-17 में मनरेगा प्रशासनिक मद हेतु रु -2226793.00 सरकार से प्राप्त हुआ था। गत सेष रु -8413-12 था इस प्रकार कुल रूपये 2235206-12 में से रु-2232457.93 वर्ष 2016-17 में ही व्यय किये गये हैं व्यय से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिस कारण व्यय अपुष्ट है। व्यय की पुष्टि में प्रमाणकों सहित विवरण व पत्रावली सुलभ कराई जानी अपेक्षित है। प्रमाणक अथवा पत्रावली न होने की स्थिति में उपभोग की गई दिखाई राशि रु -2232457-93 की उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-6(3) सम्बन्धित धनराशि-2232457-93

प्रस्तर संख्या-57 आलोच्य वर्ष 2016-17 में उपलब्ध करीगी 9 पत्रावलियों में से स्रोत पर आयकर की कटौती रु -172511-00 की गयी थी जिसे वर्ष 2016-17 में ही कोषागार में जमा किया दिखाया गया है। जिसकी पुष्टि में प्रमाणकध्वलान नहीं पाया गया। अतः दर्शित भुगतान अपुष्ट है। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि न हो सकने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-8(अ) सम्बन्धित धनराशि-172511-00

प्रस्तर संख्या-58 वैट कोषागार में जमा किये जाने की पुष्टि में चालान न होना। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि न हो सकने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-8(ब) सम्बन्धित धनराशि-

प्रस्तर संख्या-59 वर्षान्त में शेष अप्रयुक्त अनुदान सरकार का वापिस न किया जाना। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि न हो सकने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-9 सम्बन्धित धनराशि-

प्रस्तर संख्या-60 बैंक में जमा अनुदान पर अर्जित ब्याज शासनादेस अनुसार सरकार के न दिया जाना। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि न हो सकने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-9 सम्बन्धित धनराशि-419128-52

(4) क्षेत्र पंचायत का नाम -जोया वर्ष -2014-15 से 2016-17

प्रस्तर संख्या-61 वर्ष 2014-15 में विधायक निधि के रु -249100.00 प्राप्त हुए थे तत्ता रु - 48525.00 गतवर्ष के अप्रयुक्त शेष थे। इस प्रकार कुल रु-2297625.00 मध्य वर्ष ऑडिट में रु - 2297602.00 व्यय किया गया व रु -23-00 अवशेष रहा। व्यय राशि रु -2297602.00 से कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा अपने स्तर से कराए गे अथवा ठेकेदार के माध्यम से कराए गए। इसकी जानकारी उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से नहीं होती है। कराए गए कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां सुलभ कराई जानी अपेक्षित है

अन्यथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उक्त व्यय के लिए उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-1(1) सम्बन्धित धनराशि-2297602-00

प्रस्तर संख्या-62 इन्दिरा आवास कन्टिजेन्सी योजना में रु -308730.00 वर्ष 2014-15 में प्राप्त हुए थे। गतसेष रु -70-00 को जोड़कर इस योजना में कुल रु -308800.00 में से रु -181263.00 व्यय करके रु -127537.00 शेष दिखाये गये। रु -181263-00 व्यय से सम्बन्धित अभिलेख नहीं देखने को मिले। अतः दर्शित व्यय की पुष्टि न हो सकी अभिलेख प्रस्तुत कर व्यय की जांच करी जानी अपेक्षित है। अन्यथा

इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार, उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-1(2) सम्बन्धित धनराशि-181263-00

प्रस्तर संख्या-63 पेयजल योजना पर हुए व्यय के प्रमाणक/पत्रावली न पाया जाना। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, अवर अभियन्ता सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-1(3) सम्बन्धित धनराशि-205261-00

प्रस्तर संख्या-64 तेहरवां वित्त आयोग व विधायक निधि में प्राप्त अनुदार बैंक में जमा रहने पर प्राप्त ब्याज शासनादेश अनुसार सरकार को न दिया जाना। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार, उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-1(4) सम्बन्धित धनराशि-33298-00

प्रस्तर संख्या-65 वर्ष 2014-15 एस.एम.डी.पी. में रु -90750.00 प्राप्त हुआ था जो वर्ष में ही व्यय कर दिया गया। इस व्यय सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावलियां नहीं पायी गयी। अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है। पत्रावलियां प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार, उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-1(5) सम्बन्धित धनराशि-90750-00

प्रस्तर संख्या-66 टी.डी.एस. की राशि कोषागार में जमा किये जाने का चालान न पाया जाना। लेवर शेष चार्ज न किया जाना। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2 सम्बन्धित धनराशि-438495-00

प्रस्तर संख्या-67 काल्पनिक कार्य कराया दिखाकर अपहरण किया गया। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-3(1) सम्बन्धित धनराशि-388205-00

प्रस्तर संख्या-68 फर्जी कार्य कराया दिखाकर अपहरण किया गया। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-3(2) सम्बन्धित धनराशि-475414-00

प्रस्तर संख्या-69 वैट व रायल्टी कटौती की राशिराज्य कोष में जमा का प्रमाण न होना। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-3(3) सम्बन्धित धनराशि-178253-00

प्रस्तर संख्या-70 टी.डी.एस. की राशि कोषागार में जमा किये जाने का चालान न पाया जाना। लेवर शेष चार्ज न किया जाना। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-3(4) सम्बन्धित धनराशि-57544-00

प्रस्तर संख्या-71 लेवर शेष चार्ज न किया जाना। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-3(4) सम्बन्धित धनराशि-252-00

प्रस्तर संख्या-72 वर्ष 2015-16 में विधायक निधि के रु -326200.00 प्राप्त हुए थे जो दौरान साल में ही व्यय किये गये। लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां नहीं। कराए गए कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां सुलभ कराई जानी अपेक्षित है अन्यथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उक्त व्यय के लिए उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-4(1) सम्बन्धित धनराशि-326200-00

प्रस्तर संख्या-73 इन्दिरा आवास कन्टिजेन्सी योजना में रु -127535.00 व्यय किया गया था। व्यय से सम्बन्धित अभिलेख नहीं देखने को मिले। अतः दर्शित व्यय की पुष्टि न हो सकी अभिलेख प्रस्तुत कर व्यय की जांच करी जानी अपेक्षित है। अन्यथा इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार, उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-4(2) सम्बन्धित धनराशि-127535-00

प्रस्तर संख्या-74 वर्ष 2015-16 में लेवर सेस कटौती का रु -75897.00 था जो ड्राफ्ट द्वारा उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में भेजी जानी थी। लेखा परीक्षा में ड्राफ्ट का सन्दर्भ अथवा उसकी छाया प्रति आदि प्रमाण नहीं देखने को मिला। अतः इसके प्रेषण की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-4 (3) सम्बन्धित धनराशि-75897-00

प्रस्तर संख्या-75 टी.डी.एस. की राशि कोषागार में जमा किये जाने का चालान न पाया जाना। लेवर शेष चार्ज न किया जाना। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-4(4) सम्बन्धित धनराशि-328276-00

प्रस्तर संख्या-76 वर्ष 2015-16 में पचायत निर्वाचन हेतु रु -20000.00 तथा बूथ निर्माण हेतु रु -91530-00 कुल रु -111530-00 प्राप्त व व्यय हुए थे। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक नहीं पाया गया। अतः दर्शित व्यय संदिग्ध है। पुष्टि हेतु प्रमाणक प्रस्तुत किये जाये अन्यथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-4(5) सम्बन्धित धनराशि-111530-00

प्रस्तर संख्या-77 आंगनवाड़ी योजना पर हुये व्यय से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावली न होना जिसके लिए बी.डी.ओ, लेखाकार उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-4(6) सम्बन्धित धनराशि-1425000-00

प्रस्तर संख्या-78 वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की बैंक में जमा धनराशि पर प्राप्त ब्याज रु -223390.11 तथा विधायक निधि पर बैंक से प्राप्त ब्याज रु -22740.00 कुल रु -246130-11 खर्च किया दिखाया है। जबकि शासनादेश संख्या ए-1-112/दस-2012-30(30)/2010 दिनांक 21-03-2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में जमा रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तब अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है। जिसे राज्यकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। ऐसा न करके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। जिसके लिए उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-4(7) सम्बन्धित धनराशि-246130-11

प्रस्तर संख्या-79 स्ट्रीट लाईट क्रय खर्च पर वैट व टी.डी.एस. न काटा जाना। ऐसा न करके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। जिसके लिए उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-5(2) सम्बन्धित धनराशि-13459-00

प्रस्तर संख्या-80 कार्य योजना की स्वीकृति जिला अधिकारी से न प्राक्कलन का परीक्षण अभियन्ता से कराया नहीं पाया गया। ऐसा न करके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। जिसके लिए उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-5(3) सम्बन्धित धनराशि-

प्रस्तर संख्या-81 जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1960 एवं उ.प्र. जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत निर्माण नियमावली 1965 के नियम संख्या 16 के अनुसार रु - 1000000.00 से अधिक के निर्माण कार्य हेतु खर्च के सम्बन्ध में सरकार से स्वीकृति ली जानी थी किन्तु क्षेत्र पंचायत में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृति नहीं ली गयी थी और अपने स्तर से अन्य कार्यों के समान ही 10 लाख रुपये से अधिक के कार्यों को भी कराया गया। इस प्रकार शासनादेश का पालन न करके सम्बन्धित ख.वि.अधि. द्वारा गम्भीर अनियमितता की गयी है जो कि गम्भीर आपत्तिजनक है। इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-5(4) सम्बन्धित धनराशि-

प्रस्तर संख्या-82 वर्ष 2016-17 में विधायक निधि के रु -1002919-27 व्यय किये गये थे लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां उपलब्ध नहीं करायी गयी जबकि कराए गए कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां सुलभ कराई जानी अपेक्षित है अन्यथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उक्त व्यय के लिए उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-6(1) सम्बन्धित धनराशि-1002919-27

प्रस्तर संख्या-83 लेवर शेष प्रेषण का प्रमाण न पाया जाना। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-6(2) सम्बन्धित धनराशि-138942-00

प्रस्तर संख्या-84 टी.डी.एस. तथा वैट कटौती की राशि कोषागार में जमा किये जाने का चालान न पाया जाना। लेवर शेष चार्ज न किया जाना। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-6(3) सम्बन्धित धनराशि-686135-00

प्रस्तर संख्या-85 वर्ष 2016-17 में विधायक निधि पर बैंक से प्राप्त ब्याज रु -8999-91 था गत वर्ष का शेष रु -0-14 था। जिसमें से 1229-67 वर्ष में खर्च किया दिखाया है। शेष रु -7770-38 था। जबकि शासनादेश संख्या ए-1-112/दस-2012-30(30)/2010 दिनांक 21-03-2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में जमा रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तब अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है। जिसे राज्यकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। ऐसा न करके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। जिसके लिए उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ व्यय की गयी राशि 1229-67 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-6(4) सम्बन्धित धनराशि-1229-67

प्रस्तर संख्या-86 शासनादेश के विरुद्ध कार्य राजस्व ग्रामों के अन्दर की कराये गये जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-7(1) सम्बन्धित धनराशि-

प्रस्तर संख्या-87 जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1960 एवं उ.प्र. जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत निर्माण नियमावली 1965 के नियम संख्या 16 के अनुसार रु - 1000000-00 से अधिक के निर्माण कार्य हेतु खर्च के सम्बन्ध में सरकार से स्वीकृति ली जानी थी किन्तु क्षेत्र पंचायत में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृति नहीं ली गयी थी और अपने स्तर से अन्य कार्यों के समान ही 10 लाख रुपये से अधिक के कार्यों को भी कराया गया। इस प्रकार शासनादेश का पालन न करके सम्बन्धित ख.वि.अधि. द्वारा

गम्भीर अनियमिता की गयी है जो कि गम्भीर आपत्तिजनक है। इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-7(2) सम्बन्धित धनराशि-

प्रस्तर संख्या-88 रुपये पांच लाख से अधिक लागत के कार्यों को कार्य योजना का जिला अधिकारी का अनुमोदन नहीं पाया गया और न ही तकनीकी स्वीकृति अभियन्ता जिला पंचायत की पायी गयी। इस प्रकार शासनादेश का पालन न करके सम्बन्धित ख.वि.अधि. द्वारा गम्भीर अनियमिता की गयी है जो कि गम्भीर आपत्तिजनक है। इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-7(3) सम्बन्धित धनराशि-

प्रस्तर संख्या-89 समान प्रकृति के कार्य टुकड़ो-टुकड़ो में कराए गए व टेन्डर आमन्त्रण व खुलने की स्थित अस्पष्ट रही। कराए दिखाए कार्य में अनियमितताएं किया जाना। इस प्रकार शासनादेश का पालन न करके सम्बन्धित ख.वि.अधि. द्वारा गम्भीर अनियमिता की गयी है जो कि गम्भीर आपत्तिजनक है। इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-7(3) सम्बन्धित धनराशि-70270-00

प्रस्तर संख्या-90 सोलर क्रय खर्च पर वैट व टी.डी.एस. न काटा जाना। ऐसा न करके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। जिसके लिए उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-5(2) सम्बन्धित धनराशि-42255-00

(5) क्षेत्र पंचायत का नाम -गंगेश्वरी वर्ष -2014-15 से 2016-17

प्रस्तर संख्या-91 ग्रान्ट रजिस्टर 3 की जांच करने पर पाया गया कि माह नवम्बर 2015 में 14 वां वित्त आयोग का अवशेष अनुदान रु -937123-00 था इस 14 वें वित्त आयोग की अवशेष/अप्रयुक्त राशि को वापस न भेजकर मनमाना माह दिसम्बर 2015 का प्रारम्भिक अवशेष 14 वां वित्त आयोग का अवशेष न लिखकर चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद लिखा है। इस 14 वां वित्त आयोग की राशि को राज्य वित्त आयोग की राशि दिखाकर रु -690109-00 व्यय भी कर दिया गया है। 14वें वित्त आयोग की अवशेष राशि को राज्य वित्त आयोग की राशि में परिवर्तन करने हेतु सम्बन्धित आयोग अथवा जिलाधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गयी थी। इस रु -690109-00 के दर्शित व्यय का विवरण/प्रमाणक/पत्रावली नहीं पायी गयी। आगे माह जनवरी, फरवरी व मार्च 2016 में यह अवशेष राशि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग शीर्षक अन्तर्गत ही आय-व्यय किया गया। इस मनमानी कार्यवाही व रु -690109-00 के दिखाए व्यय के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उक्त व्यय के लिए उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-1(1) सम्बन्धित धनराशि-937123-00

प्रस्तर संख्या-92 वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का रु -5487729-00 बैंक से आहरण करके उपभोग किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में शुद्ध भुगतान किये रु -5142130-00 के कराए गए कार्यों की 16 पत्रावलियां उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार अन्तर रु -345599-00 के दिखाए खर्च सम्बन्धित पत्रावलियां/प्रमाणकों के अभाव में 345599-00 के खर्च की पुष्टि नहीं होती है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, व अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-1(2) सम्बन्धित धनराशि-345599-00

प्रस्तर संख्या-93 शासनादेश के विरुद्ध निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर ही कराया जाना। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, व अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(1) सम्बन्धित धनराशि-

प्रस्तर संख्या-94 लेवर शेष चार्ज न किया जाना। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(2) सम्बन्धित धनराशि-60830-00

प्रस्तर संख्या-95 वर्ष 2014-15 में किये गये भुगतान से वैट की कटौती नहीं की गयी थी जो कि 4 प्रतिशत की दस से 6083000-00 पर रु -243320-00 काटा जाना था। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति का सही-सही आंकलन करके इसकी प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/ख.वि.अधि. से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(3) सम्बन्धित धनराशि-243320-00

प्रस्तर संख्या-96 वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय की टी.डी.एस. रु -115690-00 की कटौती की गयी थी काटे गये टी.डी.एस. की जमा की पुष्टि में इश्यू चौक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे टी.डी.एस. मद में की गयी कटौती की जमा की स्थिति अपुष्ट है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, व अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(4) सम्बन्धित धनराशि-115690-00

प्रस्तर संख्या-97 लेबर शेष कटौती न किया जाना जबकि खर्च के एस्टीमेट में लेबर सैस काटा जाना दर्शाया गया है जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-4(1) सम्बन्धित धनराशि-56878-00

प्रस्तर संख्या-98 वर्ष 2015-16 में शासनादेश के विरुद्ध निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर की कराये गये जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-4(2) सम्बन्धित धनराशि-

प्रस्तर संख्या-99 ग्राम आदमपुर में कराए गए कार्य के बिल से लेबर से रु-456-00 टी.डी.एस. रु -912-00 व वैट रु -228-00 न काटा जाना। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-4(3) सम्बन्धित धनराशि-1596-00

प्रस्तर संख्या-100 टी.डी.एस. की राशि कोषागार में जमा किये जाने का चालान न पाया जाना। लेबर शेष चार्ज न किया जाना। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-5 सम्बन्धित धनराशि-106310-00

प्रस्तर संख्या-101 वर्ष 2016-17 में किये गये भुगतान से वैट की कटौती नहीं की गयी थी जो रु -356900-00 काटा गया था। काटे गये वैट को कोषागार में जमा किया जाने की पुष्टि में चालान आदि नहीं देखने को मिला। अतः कोषागार में जमा का प्रमाण न होने के कारण वास्तविक स्थिति अज्ञात रही। जिसकी ब्याज सहित वसूली सहित तत्कालीन ख.वि.अधि. से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-6 सम्बन्धित धनराशि-227513-00

प्रस्तर संख्या-102 वर्ष 2016-17 में शासनादेश के विरुद्ध निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर की कराये गये जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-9 सम्बन्धित धनराशि-

प्रस्तर संख्या-103 टी.डी.एस. की राशि कोषागार में जमा किये जाने का चालान न पाया जाना। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-10 सम्बन्धित धनराशि-188050-00

प्रस्तर सख्या-104 वर्ष 2016-17 में किये गये भुगतान से वैट की कटौती के जमा की पुष्टि में प्रमाण न होना जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति का सही-सही आंकलन करके इसकी प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन ख.वि.अधि. से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-11 सम्बन्धित धनराशि-356900-00

प्रस्तर सख्या-105 भुगतान की गई धनराशि से काटे गए वैट रु -852-00 व जी.एस.टी. रु -5150-00 के कोषागार में जमा के प्रमाण न पाया जाना। जिससे गम्भीर अनियमितता दर्शित होती है धनराशि रु -6002-00 की ब्याज सहित वसूली ब्याज के साथ तत्कालीन ख.वि.अधि. से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-12 सम्बन्धित धनराशि-6002-00

प्रस्तर सख्या-106 लेवर शेष कटौती न किया जाना जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-13 सम्बन्धित धनराशि-81440-00

(6) क्षेत्र पंचायत का नाम -गजरौला वर्ष -2014-15 से 2016-17

प्रस्तर सख्या-107 वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त योग का रु -6897911-00 व तेरहवा वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का बैंक से रु -2586000-00 कुल रु -9483911-00 बैंक से आहरण किया गया था। इस धनराशि के व्यय से सम्बन्धित केवल 22 पत्रावलियां लेखा परीक्षा में सुलभ कराई गयी। इन पत्रावलियों के अनुसार रु -9901950 व्यय हुआ था। इस प्रकार रु -503953-00 बैंक से आहरण की गयी धनराशि से अधिक व्यय किये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। रु -503953-00 के व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली ऑडिट में जाच हेतु सुलभ नहीं कराई गयी। अतः रु -503953-00 का शेष व्यय अपुष्ट है। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी है। इनसे अनुपलब्ध कराई गई पत्रावलियों से सम्बन्धित व्ययों की धनराशि रु -503953-00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-1 सम्बन्धित धनराशि-503953-00

प्रस्तर सख्या-108 सामग्री क्रय की पुष्टि में प्रमाणक न होना तथा श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को करना। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ अपहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(1) सम्बन्धित धनराशि-172146-00

प्रस्तर सख्या-109 श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया जाना व सामग्री क्रय हेतु निविदाएं न लिया जाना अपितु कोटेशन लिया जाना। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(2) सम्बन्धित धनराशि-165974-00

प्रस्तर सख्या-110 श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया जाना व सामग्री क्रय हेतु निविदाएं न लिया जाना कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र न होना। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(3) सम्बन्धित धनराशि-138763-00

प्रस्तर सख्या-111 श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया जाना व सामग्री टुकड़ों-टुकड़ों में वास्तविक लागत छुपाने के लिए क्रय किया जाना, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र न होना व निविदाएं न आमंत्रित किया जाना जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(4) सम्बन्धित धनराशि-632303-00

प्रस्तर सख्या-112 श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया जाना, मस्टर रोल न होना, कतिपय विक्रेता के वाउचर्स पर तिथि अंकित नहीं है तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं है। जिसके लिये

सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी ,लेखाकार जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(5) सम्बन्धित धनराशि-148451-00

प्रस्तर संख्या-113 मस्टर रोल व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र में दर्शित मजदूरी की राशि में अन्तर है। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी ,लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(6) सम्बन्धित धनराशि-874-00

प्रस्तर संख्या-114 दर्शित कार्य के कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र पर कार्य प्रभारी श्री सुरेन्द्र सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। शासनादेशानुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गए। भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा प्राप्त किया गया है। अतः दर्शित व्यय रु -260700-00 की स्थिति संदेहात्मक है। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी ,लेखाकार जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(7) सम्बन्धित धनराशि-260700-00

प्रस्तर संख्या-115 दर्शित कार्य से सम्बन्धित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में कराये गये कार्य की स्थिति संदेहात्मक है। इस कार्य पर ईट क्रय पर शुद्ध भुगतान रु. -159759-00 हुआ है। भट्टे का नकासी चालान नहीं है। श्रमांश रु -45940-00 मजदूरों को न देकर कार्य प्रभारी को दिया गया। शासनादेश के अनुसार ईट क्रय से पूर्व निविदाएं आमंत्रित करना अनिवार्य है। जबकि आमंत्रित नहीं की गयी थीं। उक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय रु- 159759-00 व 45940-00 कुल रु -205699-00 संदिग्ध है जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी ,लेखाकार जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(8) सम्बन्धित धनराशि-205699-00

प्रस्तर संख्या-116 श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया जाना, मस्टर रोल न होना, कार्ययोजना का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति कार्य की नहीं ली गयी। सामग्री क्रय हेतु टेण्डर नहीं मांगे गए। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी ,लेखाकार जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(9) सम्बन्धित धनराशि-650522-00

प्रस्तर संख्या-117 श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया। शासनादेशानुसार प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गयी। कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र नहीं है। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी ,लेखाकार जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(10) सम्बन्धित धनराशि-614273-00

प्रस्तर संख्या-118 शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रु एक लाख से अधिक की सामग्री टेण्डर आमंत्रित करके क्रय की जानी थी किन्तु कोटेशन के आधार पर क्रय की गयी थी। 1- दर्शित श्रमांश रु - 24058-00 श्री महीपाल सिंह 2- दर्शित श्रमांश 61264-00 श्री कुलदीप सिंह 3-दर्शित श्रमांश रु -155090-00 श्री सुरेन्द्र सिंह नामक कार्य प्रभारियों/ग्राम विकास अधिकारियों को किया गया था। जबकि मजदूरों को किया जाना चाहिए था। क्रमांक 03 पर दर्शित कार्य पर सामग्री पर हुए खर्च से रु - 10852-00 टी.डी.एस. कटौती किये जाने के प्रमाण में न तो चौक विवरण है और न ही चौक निर्गत किये जाने की दिनांक अंकित है। स टी.डी.एस. भुगतान की स्थिति संदिग्ध है। अतः उक्त कार्यों से सम्बन्धित सामग्री क्रय पर दिखाये शुद्ध भुगतान क्रमशः रु -115000-00 रु- 318037-00 व रु -65687-00 कुल रु - 1089624-00 की स्थिति संदिग्ध है। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी ,लेखाकार जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(11) सम्बन्धित धनराशि-1089624-00

प्रस्तर संख्या-119 में पुनीत ट्रेडर्स को दिनांक 15-05-2014 को रु -4500-00 नकद दिया गया है। वुचर नं.-127/15-5-14 के आधार पर टी.डी.एस. बिना वैट काटे भुगतान दिखाया है। कार्य की लागत रु -334500-00 थी। शासनादेश के अनुसार सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित न करके कोटेशनस लिए दिखाए हैं। रु -53783-00 मजदूरी भुगतान मजदूरों को न कर कार्य प्रभारी श्री अमरजीत सिंह ग्रा.वि.अ. को ही किया गया था। उक्त तथ्यों के आधार पर उक्त कार्य पर किये शुद्ध भुगतान रु -328705-00 की पुष्टि होती है। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(12) सम्बन्धित धनराशि-328705-00

प्रस्तर संख्या-120 श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया जाना, मस्टर रोल न होना, जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(13) सम्बन्धित धनराशि-38832-00

प्रस्तर संख्या-121 श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया जाना, मस्टर रोल न होना, कार्ययोजना का सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति कार्य की नहीं ली गयी। सामग्री क्रय हेतु टेण्डर नहीं मांगे गए। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(14) सम्बन्धित धनराशि-700484-00

प्रस्तर संख्या-122 ग्राम जमानाबाद में मैन रोड से टीकम के घर तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया जिसका कार्यदेश पर दिनांक अंकित नहीं है तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी नहीं है। श्रमांश रु -20282-00 का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अरविन्द कुमार को किया गया है। किन्तु कराये गये कार्य से सम्बन्धित मस्टर रोल नहीं है बिल वाउचर न 103123 व 44 तीनों वाउचर्स पर दिनांक अंकित नहीं है शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 अनुसार निविदाएं आमंत्रित नहीं की गयी थी। स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर किया गया शुद्ध भुगतान रु -110461-00 एवं श्रमांश 20282-00 रु-130743-00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये तत्कालीन सम्बन्धित श्री रामपाल सिंह खण्डविकास अधिकारी, लेखाकार, जे.ई., ब्लाक प्रमुख, तथा कार्य प्रभारी, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(15) सम्बन्धित धनराशि-130743-00

प्रस्तर संख्या-123 कार्य ग्राम लखनिया की मढैया में मैन सड़क से मंदिर तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं है मै. फ्रेन्ड्स ब्रिक वर्क्स से वाउचर दिनांक 29-07-2014 का क्रय ईट रु -55389-00 का वाउचर तो है किन्तु वाउचर पर नम्बर अंकित नहीं है। भट्टे का ईट निकासी का चालान नहीं है। सामग्री क्रय हेतु शासनादेश निविदाएं आमंत्रित नहीं की गयी हैं। कराये गये कार्य के मस्टर रोल में क्रम संख्या 16 व 18 तक मजदूरों का नाम अंकित नहीं है। जबकि उन्हें भुगतान क्रमशः रु -4200-00 4200-00 व रु -4800-00 किया दिखाया गया है। स्पष्ट है कि यह कार्य कराया ही नहीं गया है और भुगतान दिखाकर कुल श्रमांश 72866-00 व सामग्री क्रय का शुद्ध भुगतान रु -344043-00 रु-416909-00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(16) सम्बन्धित धनराशि-416909-00

प्रस्तर संख्या-124 श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया जाना, मस्टर रोल न होना, कार्ययोजना का सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति कार्य की नहीं ली गयी। सामग्री क्रय हेतु टेण्डर नहीं मांगे गए। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(17) सम्बन्धित धनराशि-152672-00

प्रस्तर संख्या-125 श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया जाना, मस्टर रोल न होना, कार्ययोजना का सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति कार्य की नहीं ली गयी। सामग्री क्रय हेतु टेण्डर नहीं मांगे गए। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी ,लेखाकार जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(18) सम्बन्धित धनराशि-913423-00

प्रस्तर संख्या-126 श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया जाना, मस्टर रोल न होना, कार्ययोजना का सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति कार्य की नहीं ली गयी। सामग्री क्रय हेतु टेण्डर नहीं मांगे गए। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी ,लेखाकार जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(19) सम्बन्धित धनराशि-642436-00

प्रस्तर संख्या-127 श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया जाना, मस्टर रोल न होना, कार्ययोजना का सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति कार्य की नहीं ली गयी। सामग्री क्रय हेतु टेण्डर नहीं मांगे गए। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी ,लेखाकार जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-2(17) सम्बन्धित धनराशि-152922-00

प्रस्तर संख्या-128 वर्ष 2014-15 में सामग्री क्रय के प्रमाणकों से भुगतान के समय रु - 167636.00 की टी.डी.एस. की कटौती की गयी है। लेखा परीक्षा में टी.डी.एस. कोषागार में जमा की पुष्टि में चालान/वैंक स्टेटमेंट/ दाखिल रिटर्न नहीं पाया गया। जमा की पुष्टि न हो सकने पर आहरण वितरण अधिकारी / रु. वि.अधि. से इस राशि को वसूल कर नियमानुसार लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-3 सम्बन्धित धनराशि-167636-00

प्रस्तर संख्या-129 वर्ष 2014-15 में कुलसामग्री व्यय रु -82272790.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वैट रु- 329091-16 की कटौती की जानी हिए थी। जबकि वर्ष में रु - शून्य कटौती की गयी है इस प्रकार रु -329091-16 की कटौती नहीं की गयी जिससे राजस्व की क्षति हुई है। जिसके समबन्ध में विधिक कार्याही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति पूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी / रु.वि.अधि. से वसूल कर नियमानुसार लेखा जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-4(1) सम्बन्धित धनराशि-329091-16

प्रस्तर संख्या-130 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1966 के अन्तर्गत सभी निर्माण कार्यो पर निर्माण कार्यो पर निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर देय था किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 में कराये दिखाए 22 कार्यो की लागत रु -8227279-00 व 1546049-00 साथ ही राजस्व क्षति पूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी / रु.वि.अधि. से वसूल कर नियमानुसार लेखा जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-4(2) सम्बन्धित धनराशि-329091-16

प्रस्तर संख्या-131

क्र.	कार्य का नाम	लागत/धनराशि	सामग्री	श्रमांश	टी.डी.एस.	नाम कार्य प्रभारी
1	ग्राम मोहरकापट्टी में सिराजुद्दीन के मकान से मंसूर के मकान तक इण्टर लाकिंग सीसी टाईल्स कार्य	557000.00	468422.00	85066.00	10120.00	श्री सतेन्द्र कुमार ग्रा.वि.अधि.
2	ग्राम कांकाठेर में मंगला के घर से किशनलाल के घर तक खडंजा निर्माण	226900.00	148179.00	74306.00	3529.00	श्री कुलदीप सिंह ग्रा.वि.अधि.
3	ग्राम सलेमपुर में मेन रोड से	499500.00	355479.00	144062.00	8051.00	श्री सतेन्द्र कुमार

टावर तक सीसीरोड एवं नाली निर्माण कार्य					ग्रा.वि.अधि.

क्रमांक 1 से 3 तक दर्शित कार्यों की मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को किया गया है। मस्टर रोल भी नहीं है अतः दर्शित मजदूरी भुगतान क्रमशः रु— 85066+74306+144062= 303434-00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये कार्य प्रभारी क्रमांक 1 व 2 पर कराये दिखाये कार्य के लिये श्री सतेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी व क्रमांक-3 पर दिखाये कार्य के लिये श्री कुलदीप सिंह ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है। क्रमांक 1 व 3 पर दर्शित कार्य बड़ी लागत के थे जिनके लिये सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गयी थी। शासनादेश सं— ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए थीं किन्तु ऐसी नहीं किया गया। जिसके लिये श्री विद्या शंकर कटियार ख.वि.अधि. तत्कालीन लेखाकार जे.ई. ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। श्रमांश के साथ-साथ शुद्ध भुगतान क्रमशः 441726-00+154036.00+351378.00 =947140.00 का भी उनके द्वारा अपहरण किया गया है। अतः कुल रु - 303434.00 + 947140.00 =1216890.00 की उनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-5(1) सम्बन्धित धनराशि-1216890.00

प्रस्तर संख्या-132 दर्शित कार्यों की मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को किया गया है। मस्टर रोल भी नहीं है जिसके लिये कार्य प्रभारी द्वारा कराये दिखाये कार्य के लिये श्री सतेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। दर्शित कार्य बड़ी लागत के थे जिनके लिये सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गयी थी। शासनादेश सं— ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए थीं किन्तु ऐसी नहीं किया गया। जिसके लिये श्री विद्या शंकर कटियार ख.वि.अधि. तत्कालीन लेखाकार जे.ई. ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-5(2) सम्बन्धित धनराशि-598832-00

प्रस्तर संख्या-133 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान रु -48387-00 का श्रमिकों को न करके कार्य प्रभारीको किया गया है। मैसर्स चड्ढा सिमेन्ट के रु— 42365-00 के कैशमेमो/बिल सं0-122 पर तिथि अंकित नहीं है। जिससे वाउचर का संदग्ध होना प्रकट होता है। मै0 पवनसिमेन्ट इण्टरलाकिंग फर्म के कैशमेमो/बिल सं0176 से रु -96000.00 तथा बिल सं0- 177 से रु0- 71040.00 कुल रु0- 167040-00 की सामग्री दि0- 30-03-2015 को एक ही तिथि में क्रय की गयी थी जिसका मूल्य भुगतान भी दिनांक 16-04-2015 को एक ही तिथि में दो अलग-अलग चेकों से किया गया था। स्पष्ट है कि रु0-100000.00 से अधिक की सामग्री एक ही दिन टुकड़ों-टुकड़ों में क्रय करके शासनादेश सं— ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार टेण्डर प्रक्रिया से बचा गया है। कार्य से सम्बन्धित कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र पर कार्य प्रभारी श्री सुरेन्द्र सिंह ग्रा.वि.अधि. के ही हस्ताक्षर नहीं है। जिनके पर्यवेक्षण में कार्य सम्पादित हुआ दिकाया है। उक्त तथ्यों से यह विदित होता है कि सामग्री क्रय एवं मजदूरी कुल रु - 215427.00 के भुगतान में गोलमाल किया गया है। जिसके लिये श्री रामपाल सिंह ख. वि.अधि. अशोक कुमार लेखाकार, संजीव कुमार जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-5(3) सम्बन्धित धनराशि-215427-00

प्रस्तर संख्या-134 दर्शित कार्यों की मजदूरी क्रमशः रु— 67538-00 रु— 58979.00 व रु— 69450.00 कुल रु - 195967.00 का भुगतान भी मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सुरेन्द्र सिंह ग्रा.वि.अधि. को किया गया है। यह अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। जिसेक लिए तत्कालीन ख.वि.अधि. लेखाकार, जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी श्री सुरेन्द्र सिंह ग्रा.वि.अधि. उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-5(4) सम्बन्धित धनराशि-195967-00

प्रस्तर संख्या-135 कार्य की लागत रु -569700-00 थी किन्तु शासनादेश सं0-1838 /33-03-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 के बिन्दु -4(घ) के अनुसार इससे सम्बन्धित कार्य योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी से तथा शासनादेश के बिन्दु -5 के अनुसार तकनीकी परीक्षण अभियन्ता जिला पंचायत से नहीं कराया गया था। शासनादेश सं— ए-1-864 /दस-08-15(1)/86

दिनांक 23-09-2008 के अनुसार टेण्डर आमन्त्रित न करके सामग्री क्रय की गयी थी। मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को न करके कार्य प्रभारी श्री अमरजीत सिंह ग्रा.वि.अधि. को किया गया था। मजदूरी भुगतान व सामग्री मूल्य भुगतान हेतु निर्गत चेकों की तिथि नहीं अंकित की गयी है। मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी को किया जाना, कार्य योजना की अपेक्षित स्वीकृति न लिया जाना, सामग्री क्रय हेतु टेण्डर न आमन्त्रित किया जाना व निर्गत चेकों की तिथि न अंकित करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसेक लिए तत्कालीन ख.वि.अधि. लेखाकार, जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी श्री अमरजीत सिंह ग्रा.वि.अधि. उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या-5(5) सम्बन्धित धनराशि-341882-00

प्रस्तर संख्या-136 दर्शित कार्यों की मजदूरी क्रमशः रु- 51050.00 रु-30868.00 रु-34668.00 व रु-75930-00 कुल रु- 192516.00 का अपहरण किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यों पर क्रय सामग्र से सम्बन्धित प्रमाणकों पर वाउचर नम्बर तो है किन्तु तिथि अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि सामग्री खरीद की स्थिति भी संदिग्ध है। अतः इन कार्यों पर किये गये शुद्ध भुगतान क्रमशः रु-159550.00+141862.00+231335.00+143453.00=676200.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख.वि.अधि. लेखाकार, जे.ई., ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या-5(6) सम्बन्धित धनराशि-676200-00

प्रस्तर संख्या-137 दर्शित कार्य करने वाले मजदूरों का मस्टर रोल नहीं है। श्री सतेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी इस कार्य के कार्य प्रभारी रहे हैं। उनका नियुक्त पत्र एवं नियुक्ति की दिनांक व कार्य समाप्ति की तिथि की जानकारी नहीं हो सकी। श्रमांश रु -90338.00 का भुगतान मजदूरों को न करके स्वयं उनके द्वारा प्राप्त किया गया है। क्रय सामान के वाउचर पर तिथि अंकित नहीं है। जिससे उन्हें विक्रेता के अधिकृत वाउचर नहीं कहा जा सकता। टी.डी.एस. के चौक का विवरण नहीं है। जिससे टी.डी.एस. कटौती किये जाने व बैंक में जमा किये जाने की स्थिति अपुष्ट है। अतः दर्शित शुद्ध भुगतान रु-257841.00 व श्रमांश रु-90238.00 कुल रु-348079.00 का अपहरण किया जाना प्रकट होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख.वि.अ. श्री विद्या शंकर कटियार, लेखाकार जे.ई. ब्लाक प्रमुख व कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या-5(7) सम्बन्धित धनराशि-348079-00

प्रस्तर संख्या-138 वर्ष 2015-16 में सामग्री क्रय पर रु- 99010.60 टी.डी.एस. की कटौती की गयी थी जिसके कोषागार में जमा की पुष्टि में चालान स्टेटमेंट दाकिल रिटर्न नहीं पाया गया। जिसके लिए आहरण वितरण अधिकारी/ख.वि.अ. उत्तरदायी है। टी.डी.एस. कोषागार में जमा किये जाने की दशा में उनसे ब्याज सहित वसूली कर नियमानुसार जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपति संख्या-6 सम्बन्धित धनराशि-99010-00

प्रस्तर संख्या-139 वर्ष 2015-16 में कुल सामग्री क्रय 3740006.00 पर 4 प्रतिशत की दर स रु-149600-00 की कटौती की जानी चाहिए थी। जबकि क्षेत्र पंचायत में वैट केवल एक कार्य पर रु-22895-60 काटा गया दिखाया है जिसके जमा किये जाने की पुष्टि का प्रमाण नहीं पाया गया। वैट कटौती न करके राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। इस सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति रु- 149600.00- 22896.00 = 126704.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/ ख.वि.अधि. से की जानी व कोषागार में जमा करायी जानी अपेक्षित है। साथ ही रु- 22896.00 कोषागार में न जमा होने पर इसकी भी ब्याज सहित वसूली कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपति संख्या-7(1) सम्बन्धित धनराशि-126704-00

प्रस्तर संख्या-140 क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2015-16 में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर की 14 निर्माण कार्यों में से केवल एक कार्य पर रु -5723-95 की कटौती की गयी है। जबकि लागत रु- 3740006-00+1378381.00 =5118387.00 पर एक प्रतिशत की दर से रु- 51184.00 कटौती की जानी थी जिसमें से रु-5723.95 अर्थात रु- 5724-00 की गयी कटौती घटाने पर रु- 45460.00 की उपकर की कटौती न करके भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1966 का उल्लंघन किया गया है। अतः रु- 45460.00 न काटे गये उपकर की उत्तरदायी आहरण वितरम अधिकारी/ ख.वि.अधि. से ब्याज सहित वसूली करके उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण के

खाते में बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा कराया जाना अपेक्षित है। यदि पूर्व में काटी दिकायी राशि रु— 5724.00 न भेजी गयी हो तब इस रु— 5724-00 को भी भेजा जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-7(2) सम्बन्धित धनराशि-51184-00

प्रस्तर संख्या-141 शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21-03-2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में जमा रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है। तब अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होता है। जिसे राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश का उल्लंघन है। वर्ष 2015-16 में तेहरवां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान ग्राम निधि 2 के अनुसार रु— 43631.00 व तेहरवां वित्त आयोग के जमा अनुदान पर रु— 22928.48 कुल रु— 66559.48 ब्याज अर्जित किया गया था। उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अर्जित ब्याज राज्य कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-8 सम्बन्धित धनराशि-66559-48

वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गया 7 कार्यों से सम्बन्धित निर्माण कार्यों की निम्नलिखित पत्रावलियां उपलब्ध कराई गयीं—

क्रं	कार्य का नाम	लागत	सामग्री	श्रमांश	लेवरसैस	टी.डी. एस.	वैट	शुद्ध भु.	नाम ठेकेदार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	विकास खण्ड कार्यालय का मरम्मत कार्य	85626.00	63630.00	21996.00	—			63630	श्री संजीव कुमार जे.ई. द्वारा
2	ग्राम रखेड़ा में लाला के घर तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण	415968.00	कार्य टेन्डर द्वारा		4908				
834	10993								
1868	19630								
3335		मै. के.जी. कान्ट्रेक्ट							
3	शहवाजपुर डोर में फ़िरासत के घर से वसैली मार्ग तक इन्टर लागिक कार्य	49000			417	935	1670		मै लोकेन्द्र सिंह
4	ग्राम जगदीसपुर में हुकम सिंह के घर से डालचन्द्र के घर तक काकाठेर मार्ग तक इन्टर लाकिंग एवं नाली निर्माण	622695			6282	14074	25132		मै के.जी. कान्ट्रेक्ट
5	ग्राम घौरियां में जितेन्द्र के घर से सोमपाल के घर तक इन्टर लाकिंग एवं नाली निर्माण	671770			2285				

उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं:-

प्रस्तर संख्या-142 क्रमांक -1 पर विकासखण्ड कार्यालय मरम्मत कार्य दिखाया है जिसकी लागत रु0— 85626.00 है जिसमें सामग्री क्रय का भुगतान रु0— 63630.00 तथा श्रमांश पर भुगतान रु0— 21996.00 हुआ दिखाया है। कार्य प्रभारी के रूप में श्री संजीव कुमार अवर अभियन्ता द्वारा स्वयं यह कार्य कराया गया है। और स्वयं ही चौक सं०— 026973ध०.4.17 द्वारा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रु0— 43245.00 शुद्ध भुगतान सामग्री क्रय का प्राप्त किया है। जबकि निम्नलिखित विवरणानुसार सामग्री क्रय की गयी थी:-

क्रं	वाउचर नं.दिनांक	विक्रेता फर्म	सामग्री की धनराशि	शुद्ध भुगतान	चौक सं. दिनांक
1	671/31-12-2016	मै. कुलदीप एग्रीकल्चरल	2870.00		
870/28.2.17	7880.00				
491/28.2.17	026973/19.4.17				

2	491 / 28.2.17	मै. सत्या ट्रेडर्स गुलशन	12775.00	12775.00	
3	— / 28.2.17	मै. हार्डवेयर एंड प्लाईवुड	3580.00	358.00	
4	24 / 26 / 2017	मै. अग्रवाल मार्बल	6240.00	6240.00	
5	492 / 31.12.2016	मै. सत्या ट्रेडर्स	9500.00	9500.00	
		योग—	43245.00	43245.00	
6	70 / 24.3.17		6460.00	6460.00	

क्रमांक -4 पर क्रय सामग्री मै. हार्डवेयर एंड प्लाईवुड से क्रय दिखाई है। प्रमाणक पर नम्बर नहीं है। केवल तिथि 28.2.17 अंकित है। क्रमांक 7,8 व 9 पर विक्रेता फर्म का नाम नहीं है। प्रमाणक सं.8 पर नम्बर नहीं है। केवल दिनांक 23-3-17 लिखी है। सामग्री का मूल्य भुगतान सीधे फर्म को चौक द्वारा न करके जे.ई. द्वारा स्वयं भुगतान लिया गया है। क्रय सामग्री का स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा गया है। टी.डी.एस. व वैट नहीं काटा गया था।

ब्लाक कार्यालय मरम्मत कार्य वर्ष 2016-17 के अन्त में दिनांक 14-3-17 को कार्य प्रारम्भ व अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में दिनांक 12-4-17 को समाप्त किया दिखाया है। जिसमें 5 मजदूरों को मजदूरी रुपये 11046-00 भुगतान चौक सं-026924 दिनांक 29-4-2017 को तथा 5 मजदूरों की मजदूरी का भुगतान अगले वर्ष 1-4-2017 से 12-4-2017 तक किये दिखाये कार्य का भुगतान चौक सं-050832 दिनांक 20-5-2017 द्वारा दोनों चौकों का भुगतान मजदूरों को न करके स्वयं श्री संजय कुमार जे. ई. द्वारा प्राप्त किया गया था। यह मरम्मत कार्य जब ठेके पर न देकर स्वयं ही कराना था तब माह मार्च 2017 में ही प्रारम्भ करके समाप्त किया जा सकता था।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अवर अभियन्ता महोदय द्वारा स्वयं सामग्री का मूल्य व मजदूरी का भुगतान प्राप्त करके क्रय सामग्री का हिसाब न रखकर के टी.डी.एस. व वैट कटौती न करके दर्शित खण्ड विकास कार्यालय मरम्मत खर्च रु0- 85626.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ख.वि.अ. श्री राजीव कुमार वर्मा अवर अभि. श्री संजीव कुमार तत्कालीन लेखाकार एवं ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही एवं रु0- 85626.00 की उनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 9(1) सम्बन्धित धनराशि-85626.00

प्रस्तर संख्या-143 क्रमांक 4 पर दिखाये कार्य से सम्बन्धित टेन्डर पत्र पर टेन्डर डालने वाले ठेकेदार के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पर केवल अवर अभियन्ता के ही हस्ताक्षर हैं। अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। टेन्डर आमन्त्रण हेतु कम से कम 2 समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाना था। विज्ञापन दिये समाचार पत्र की प्रति पत्रावली में नहीं पायी गयी। टेन्डर स्वीकृत करने वाली समिति एवं टेन्डर स्वीकृत करने की दिनांक की जानकारी नहीं हो सकी। टेन्डर आमन्त्रण की दिनांक 13-06-2016 थीं टेन्डर खुलने का दिनांक 08-07-2016 था किन्तु कार्य दिनांक 04-07-2016 को ही 4 दिन पूर्व में प्रारम्भ हो चुका था। स्पष्ट है कि टेन्डर प्रक्रिया एक दिखावा मात्र थी। मै. के.जी. कन्स्ट्रक्शन से पूर्व में ही मिलकर मनमानी शर्तों पर काम कराया जाना सिद्ध है। कार्य की लागत रु0- 622695.00 थी अतः शासनादेश सं0- 1838ध33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 के बिन्दु-4(घ) के अनुसार इस कार्य से सम्बन्धित कार्य योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी से कराया जाना था एवं बिन्दु-5 के अनुसार तकनीकी परीक्षण अभियन्ता जिला पंचायत से कराया जाना था जो नहीं कराया गया। उक्त कार्य पर शुद्ध भुगतान रु0- 570238.00 किया गया था। जिसके लिए श्री विद्या शंकर किटायार ख.वि.अ. एवं लेखाकार व श्री सजीव कुमार अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 9(2) सम्बन्धित धनराशि-570238.00

प्रस्तर संख्या-144 क्रमांक 5 पर दर्शित कार्य से सम्बन्धित कार्यालय आदेश पर दिनांक अंकित नहीं है। टेन्डर पत्र पर टेन्डर डालने वाले ठेकेदार के हस्ताक्षर नहीं हैं। केवल एक ही ठेकेदार मै. एम.ए. कान्स्ट्रक्टर को निविदा प्राप्त हुई दिखाई थी। टेन्डर खुलने की तिथि 08.07.2016 थी उसी दिन कार्य प्रारम्भ होना दिखाया है जो बिना मिली भगत के सम्भव नहीं है। स्पष्ट है कि निविदा प्रक्रिया औपचारिकता मात्र थी। निविदा पत्र पर निविदाकर्ता ठेकेदार के हस्ताक्षर नहीं हैं। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पर केवल जे.ई. के ही हस्ताक्षर हैं जो कार्य प्रभारी भी हैं। अन्य किसी कर्मचारी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। शासनादेश के अनुसार इस कार्य से सम्बन्धित कार्य योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी से नहीं कराया गया था और न ही तकनीकी स्वीकृति अभियन्ता जिला पंचायत अमरोहा से ली गयी थी। अतः कार्य की कुल लागत रु

671770.00 मध्य शुद्ध भुगतान रू0— 207345.00 की स्थिति संदेहात्मक है। विस्तृत विभागीय जांचोपरान्त इस व्यय के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री विद्या शंकर किटायार ख.वि.अ. एवं लेखाकार व श्री सजीव कुमार अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 9(3) सम्बन्धित धनराशि—207345.00

प्रस्तर संख्या—145 क्रमांक 6 व 7 पर दर्शित कार्य पत्रावलि या देखने से विदित है कि क्रमांक 6 पर दर्शित कार्य की पत्रावली के अनुसार टेन्डर केवल एक ही ठेकेदार मै. एम.ए. कान्स्ट्रक्टर को निविदा प्राप्त हुई दिखाई थी। निविदा पत्र पर निविदा कर्ता के हस्ताक्षर ही नहीं हैं। क्रमांक 7 पर दर्शित कार्य से सम्बन्धित आमंत्रित निविदाये ही पत्रावली में नहीं हैं। जबकि मै. एम. ए. कान्स्ट्रक्टर को ही चौक सं. 0508318 25—9—17 द्वारा भुगतान किया गया है। ठेके पर दिखाये उक्त कार्ट की कुल लागत रू0— 1388100.00 है जबकि क्रमांक 7 पर दर्शित कार्य की कुल लागत रू0— 1613993.00 है। रू0— 1000000.00 से अधिक की परियोजनाओं की लागत अधिक होने पर उ.प्र. क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के पैरा 16 में प्राविधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार आगणन प्रस्तुत कर तकनीकी स्वीकृति शासन से ली जानी चाहिए किन्तु उक्त दोनों कार्यों के कराये जाने हेतु शासन से स्वीकृति नहीं ली गयी थी और मनमाने तरीके से एक ही ठेकेदार से निविदाये प्राप्त किये बिना कार्य सम्पादित किया दिखाकर निम्नलिखित विवरणानुसार अपहरण किया गया है। क्रमांक 6 पर दर्शित कार्य से सम्बन्धित रू 1140078.00—11400.00 लेवर सैस 25537.00 टी.डी.एस 45603.00 वैट 1057538.00 क्रमांक 7 पर दर्शित कार्य से सम्बन्धित रू 1613993.00 दृ 16133.00 लेवर सैस 36140.00 टी.डी.एस. 64535.00 वैट 1497185.00 दोनों कार्यों से सम्बन्धित कुल भुगतान रू0— 2554723.00 जो मै. एम.ए. कन्सट्रक्शन द्वारा प्राप्त किया गया कि ब्याज सहित वसूली श्री राजीव कुमार वर्मा ख.वि.अ. एवं लेखाकार व श्री सजीव कुमार अवर अभियन्ता तत्कालीन लेखाकार व ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 9(4) सम्बन्धित धनराशि—2554723.00

प्रस्तर संख्या—146 वर्ष 2016—17 में लेवर सैस टी.डी.एस. तथा वैट की कटौती की गयी धनराशियां क्रमशः रू 46429.00 रू 185724.00 कुल रू 336158.00 के जमा की पुष्टि मैं चालान आदि कोई प्रमाण नहीं पाया गया। अतः जमा की पुष्टि न कराये जा सकने पर उत्तरदायी आहरण वितरण अधिकारी/ ख.वि.अ. से नियमानुसार यह राशियां वसूल कर सम्बन्धित कोष में जमा कराया जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 10 सम्बन्धित धनराशि—336158.00

प्रस्तर संख्या—147 शासनादेश संख्या ए—1—122/दस—2012—10(33)/2010 दिनांक 21—03—2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अतिरिक्त धनराशि को बैंक में जमा रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तब अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है आलोच्य वर्षों में निम्नलिखित विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा ओ.बी.सी. के खाता सं. 119120101004006 में प्राप्त अनुदान पर ब्याज 242992.00 अर्जित किया गया था। उपरोक्त शासनादेश की अवहेलना करके अनुदान की राशियों पर प्राप्त ब्याज को वर्षान्त में शासन विभाग को वापिस न करने के लिये तत्कालीन लेखाकार एवं श्री रामपाल सिंह/ श्री विद्या शंकर कटिहार /श्री राजीव कुमार वर्मा ख.वि.अ. उत्तरदायी से प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 11 सम्बन्धित धनराशि—242992.00

(7) क्षेत्र पंचायत का नाम .. गंगेश्वरी वर्ष .. 2011—12 से 2013—14

प्रस्तर संख्या—148 वर्ष 2011—12 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का रू0— 6390212.00 बैंक से आहरण करके उपभोग किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में रू0— 5852156.00 के कराए गए कार्यों की 10 पत्रावलियां ही उपलब्ध कराई गयी। इस प्रकार अन्तर रू0— 538056.00 के दिखाए खर्च से सम्बन्धित पत्रावलियां/ प्रमाणकों के अभाव में रू0— 538056.00 के खर्च की पुष्टि नहीं होती है। जिसके लिए ख.वि.अ. लेखाकार व अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं। इस अपुष्ट व्यय की प्रमाणकों सहित पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा उत्तरदायी व्यक्तियों से इस राशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 1(1) सम्बन्धित धनराशि—538056.00

प्रस्तर संख्या-149 वर्ष 2011-12 में एस.जी.आर.वाई. से प्राप्त अनुदान का रू0- 5665.00 व्यय किया गया था। जिसमें से रू0- 100.00 मई 2011 में तत्ता रू0- 5565.00 जून 2011 में व्यय किया गया था। इससे सम्बन्धित पत्रावली/ प्रमाणक नहीं पाया गया। अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है। पत्रावली उपलब्ध न हो पाने के लिए तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है।

आपत्ति संख्या- 1(2) सम्बन्धित धनराशि-5665.00

प्रस्तर संख्या-150 वर्ष 2011-12 में मनरेगा क्षेत्र पंचायत योजना में प्राप्त अनुदान रू0- 1208800.00 एस. जी.एस.वाई. रू0- 3071900.00 मनरेगा कन्टीजेन्सी हेतु प्राप्त अनुदान मध्य रू0- 1532704.00 कुल रू0- 5813404.00 व्यय किया गया था। इन व्ययों से सम्बन्धित पत्रावलियां नहीं पायी गयी। अतः दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं होती है। पत्रावलियां न होने की दशा में इस व्यय के लिए तत्कालीन ख.वि.अ. व लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 1(3) सम्बन्धित धनराशि-5813404.00

प्रस्तर संख्या-151 वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	कार्य का नाम	कुल खर्च	नाम विक्रेता फर्म	क्रय सामग्री	टी. डी. एस.	श्रमांश	श्रमांश भुगतान चेक नं.	कार्य प्रभारी का नाम
1	ग्राम सखालू में जतौली सड़क स मन्दिर तक मिट्टी खड़जा नाली निर्माण	465957.00	मै. न्यू किसान वर्क्स मै. सुरेश सिंह	276599.00				
87508.00								
364107.00	8343.00	101850.00	376297 / 22-11-12	श्री खुशींद अहमद				
2	ग्राम करनपुर मे नाली खड़जा निर्माण	249353.00	मै. शंकर ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज ख्वाजा सिमेन्ट स्टोर	139700.00				
51573.00								
191273.00	4284.00	58080.00	12236509-08-11	श्री भूपेन्द्र कश्यप, ग्राम विकास अधिकारी				
3	ग्राम भुकरा में बी.डी.सी. मेम्बर शीशपाल के घर से अम्बेडकर पार्क तक मिट्टी खड़जा नाली निर्माण कार्य	455915.00	मै. फौजी ब्रिक्स					
कुज्जा सीमेंट स्टोर	237571.00							
91984.00								
329555.00	7552.00	126360.00	122361 / 22-01-11	तदैव				
4	ग्राम ढबारसी में मुअली के घर ससे सी.	100240.00	मै. गौतम सीमेंट स्टोर मै. शिव ईट उद्योग मै. ओम	18447.00				

	सी. रोड तक इन्टरलाकिंग टाइल्स		टाइल्स उद्योग					

क्रमांक 1,2,3,5,6,7,8,9 व 10 पर दिखाए निर्माण कार्यो हेतु रू0- 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय की गयी थी। शासनादेश सं. ए-1-864/दस08-15(1)86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रू0- 100000.00 से अधिक लागत के कार्यो हेतु निर्माण सामग्री निविदाएं आमंत्रित करके क्रय की जानी चाहिए तौ किन्तु ऐसा न करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है तथा संस्था को प्रतियोगी दरों के लाभ से वांचित रहना पड़ा है। निविदाएं आमंत्रित करके सामग्री न क्रये करने के लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 2(1) सम्बन्धित धनराशि-00

प्रस्तर संख्या-152 क्षेत्र पंचायत गंगेश्वरी में वर्ष 2011-12 में टी.डी.एस. कटौती रू0- 91445.00 की गयी थी। काटे गए टी.डी.एस. रू0- 91445.00 के जमा का पुष्टि में लेखापरीक्षा में इश्यू चैक नं./बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस धनराशि के जमा किये जाने की पुष्टि में प्रमाण न होने की दसा में सम्बन्धित आहरणवितरण अधिकारी/ ख.वि.अ. से इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली कर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 2(2) सम्बन्धित धनराशि-00

प्रस्तर संख्या-153 वर्ष 2011-12 में रू 877510.00 श्रमांश का भुगतान किया गया था जिसमें रू0- 101850.00 श्री खुर्शीद अहमद कार्य प्रभारी को व रू0- 126360.00 श्री सत्या को भुगतान किया गया था तथा शेष श्री भूपेन्द्र कश्यप को 8 निर्माण कार्यो पर हुए मजदूरी खर्च रू0- 649300.00 का भुगतान चौको द्वारा किया गया था। जबकि मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से सम्बन्धित मजदूरों को ही किया जाना चाहिए था। इस प्रकार मजदूरी भुगतान में बड़ी हेरा-फेरी किया जाना स्पष्ट है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. लेखाकार अवर अभियन्ता व सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही एवं उनसे धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 2(3) सम्बन्धित धनराशि-00

प्रस्तर संख्या-154 वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का रू0- 2963026.00 बैंर से आहरण करके उपभोग किया गया था। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में रू0- 3615288 . 76543 = 3691831.00 के कराए गए कार्यो की 11 पत्रावलियां ही उपलब्ध करायी गयी। इस प्रकार अन्तर रू0- 698805.00 के दिखाए खर्च से सम्बन्धित पत्रावलियां / प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। जिनके अभाव में दर्शित उपभोग की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. लेखाकार अवर अभियन्ता व सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही एवं उनसे धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 3 सम्बन्धित धनराशि-698805.00

वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराये गये कार्यो का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	कार्य का नाम	शुद्ध भुगतान	ठेकेदारों को भुगतान की गयी राशि	चेक नं. व दिनांक	टी.डी. एस.	ठेकेदार फर्म	कार्य प्रभारी का नाम
1	वाल पेन्टिंग	6949.00					श्री भूपेन्द्र कश्यप ग्रा.वि.अ.
2	लोहे की जाली ब्लाक कार्यालय पर	29575.00		075716 / 01-05-12			तदैव
3	ख.वि.अ. के आवास का फर्श किवाड़ मरम्मत कार्य	15260.00		075708 / 28-04-12			
4	ख.वि.अ. कक्ष की रंगाई पुताई व बिजली फिटिंग	31825.00		075707 / 23-04-12			
5	ग्राम गंगवार में मेन रोड से शेर अली के	65156.00	75723.00	75723 / 03-01-13	1482.00	मै. भूपेन्द्र	

	मकान तक सी.सी. रोड टाइल्स					पटेल	
6	रहरा रोड में नूर हसन के घर तक सी.सी. टाइल्स रोड निर्माण	629829.00	425095.00				
140334.00							
64400.00	07572403-01-13						
075725 / 10 -01-13							
075728 / 21 -01-13	12853.00	तदैव					
7	ग्राम आदमपुर मुख्य काली सड़क से यादराम के घर तक सी.सी. रोड टाइल्स	352301.00	316301.00				
36000.00	075726 / 15-01-13						

उक्त कराए गए कार्यों से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

प्रस्तर सख्या-155 क्रमांक 1 से 4 तक दर्शित कुल रू0- 83609.00 लागत के कार्य लगभग 1 माह के अन्दर श्री भूपेन्द्र कश्यप कार्य प्रभारी / ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से करवाए गए थे तथा चेक द्वारा भुगतान भी उन्हीं को किए गए थे। जबकि यह सभी कार्य विधिवत निविदाएं आमंत्रित करके ठेके पर करवाए जा सकते थे तथा भुगतान भी चेक से सीधे ठेकेदार को किया जा सकता था। यदि ठेका नहीं भी दिया गया था तब भी भुगतान श्री भूपेन्द्र कश्यप को न करके सम्बन्धित कार्य करने वाले व्यक्ति को चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा न करके अलग-अलग छोटे-छोटे कार्य कराकर संस्था को प्रतियोगी दरों के लाभ से वंचित रखा गया है। इस अनियमितता के लिए तत्कालीन ख.वि.अ. व लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस प्रति उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 4(1) सम्बन्धित धनराशि-83609.00

प्रस्तर सख्या-156 क्रमांक 10 पर बी.डी.ओ. आवास का समरसेबिल पम्प बोरिंग खर्च रू0- 21415.00 किया गया था जिसका भुगतान चेक सं. 075734 दिनांक 08-03-13 द्वारा श्री भूपेन्द्र कश्यप ग्रा.वि.अ. को किया गया था। जबकि चेक सम्बन्धित पार्टी को निर्गत किया जाना चाहिए था। ऐसा न किए जाने से दर्शित खर्च संदिग्ध है। इसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. व लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस प्रति उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 4(2) सम्बन्धित धनराशि-21415.00

प्रस्तर सख्या-157 वर्ष 2012-13 में टी.डी.एस. कटौती रू0- 73543.00 की की गयी थी। काटे गए टी.डी. एस. रू0- 73543.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं.६ बैंक स्टेटमेंट / चालान / दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः आयकर कटौती की राशि जमा किए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। इसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी हैं। इस प्रति उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 5 सम्बन्धित धनराशि-73543.00

प्रस्तर सख्या-158 वर्ष 2012-13 में क्रय सामग्री पर वैट की कटौती नहीं की गयी है। जबकि रू0- 3520831.00 के ठेकेदार के भुगतान पर 4 प्रतिशत की दर से रू0- 140833.00 वैट काटा जाना चाहिए था। ऐसा न करके राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। उत्तरदायी ख.वि.अ. से इसकी ब्याज सहित वसूली करके नियमानुसार कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 6 सम्बन्धित धनराशि-140833.00

प्रस्तर सख्या-159 वर्ष 2012-13 में रू0- 3520831.00 ठेकेदारों को भुगतान की गयी राशि से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1996 के अनुसार एक प्रतिशत की दर से रू0- 35208.00 उपकर वसूल कर उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में जमा नहीं

किया गया है जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. व लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस प्रति उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 7 सम्बन्धित धनराशि—35208.00

प्रस्तर संख्या—160 वर्ष 2013—14 में राज्य वित्त आयोग व 12 वां 13वां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान रु0— 8393797.00 151660.00 4415290.00 = 12960747.00 बैंक से आहरण करके उपभोग किया गया था। जिसके सापेक्ष रु0— 8698582.00 के कराये गये निर्माण कार्यों की ही पत्रावलियां ऑडिट में सुलभ करायी गयी। शेष रु0— 4262165.00 के उपभोग से सम्बन्धित पत्रावलियां प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिसने न प्राप्त होने के कारण यह राशि अपुष्ट रही। इस राशि की पुष्टि में पत्रावलियां प्रमाणक न होने की स्थिति में तत्कालीन ख.वि.अ. व लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस प्रति उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 8 सम्बन्धित धनराशि—4262165.00

प्रस्तर संख्या—161 12वां वित्त आयोग का माह सितम्बर 2011 में प्राप्त रु0— 151660.00 अनुदान लगातार अप्रयुक्त रहा जिसे माह दिसम्बर 2013 में ग्रांट रजिस्टर—3 में शून्य कर दिया गया है। इसे उपभोग के कालम में नहीं दिखाया गया है। 12 वां वित्त आयोग का अवशेष अनुदान सरकार को वापस न करके तथा अनुदान रजिस्टर 3 में खर्च भी न दिखाकर तथा खर्च की पुष्टि में प्रमाण भी प्रस्तुत न करके इस अनुदान राशि का अपहरण किया गया है। जिसकी तत्कालीन ख.वि.अ. व लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस प्रति उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 9 सम्बन्धित धनराशि—151660.00

प्रस्तर संख्या—162 वर्ष 2013—14 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है—

विवरण	भुगतान की गयी धनराशि
ग्राम बास्का में तालाब से लड्डन के घर तक टाइल्स निर्माण कार्य	140592.00
ढबारसी में इन्तजार के घर से शराफत के घर तक सी.सी. कार्य	272482.00
निर्माण कार्य अपठनीय	549336.00
ग्राम ढबारसी में नौबत अहमद के मकान से सी.सी. रोड	97853.00
योग—	1060263.00

आपत्ति संख्या— 10(1) सम्बन्धित धनराशि—1060263.00

प्रस्तर संख्या—163 क्रमांक 21 पर दर्शित कार्य विकास खण्ड कार्यालय की रंगाई पुताई मरम्मत से सम्बन्धित है। जिस पर रु0— 14200.00 व्यय किया गया था। यह कार्य श्री विपिन कुमार त्यागी, स्टोर कीपर की देखरेख में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराया गया दिखाया है। इससे सम्बन्धित भुगतान प्रपत्रों पर ब्लाक प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं है। ख.वि.अ. कक्ष के बिना व्यय किया जाना आपत्तिजनक रहा। इस अनियमित भुगतान के लिए तत्कालीन ख.वि.अ. व लेखाकार उत्तरदायी है। ख.वि.अ. कक्ष की रंगाई पुताई कार्य वर्ष 2012—13 में भी कराया गया था। जिसका भुगतान गतवर्ष चेक द्वारा श्री भूपेन्द्र कश्यप ग्रा.वि.अ. को किया गया था। उसी समय विकास खण्ड कार्यालय की रंगाई पुताई का कार्य न कराए जाने का कोई कारण नहीं था। ब्लाक प्रमुख को यह कार्य जानकारी में नहीं था जैसा कि प्रपत्रों पर उनके हस्ताक्षर न होना प्रकट करता है। अतः यह व्यय मनमाना दिखाकर रु0— 14200.00 का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। जिसके लिए उत्तरदायी ख.वि.अ. व लेखाकार अवर अभियन्ता व सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही एवं उनसे धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 10(2)सम्बन्धित धनराशि—14200.00

प्रस्तर संख्या—164 वर्ष 2013—14 में टी.डी.एस. कटौती रु0— 162669.00 की की गयी थी। काटे गए टी.डी.एस. रु0— 162669.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं./ बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः आयकर कटौती की राशि जमा किए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। इसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी हैं। इस प्रति उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—11 सम्बन्धित धनराशि—162669.00

प्रस्तर संख्या-165 वर्ष 2013-14 में लेवर सैस रु0- 68746.00 काटा गया था। जिसे उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में जमा किया गया है। अथवा नहीं। पुष्टि में प्रमाणक देखने को नहीं मिला। प्रमाणक न होने की दशा में तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी हैं। इस प्रति उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या-12 सम्बन्धित धनराशि-68746.00

प्रस्तर संख्या-166 वर्ष 2013-14 में क्रय सामग्री पर वैट की कटौती नहीं की गयी है। जबकि रु0- 8698582.00 के टेकेदार के भुगतान पर 4 प्रतिशत की दर से रु0- 347943.00 वैट काटा जाना चाहिए था। ऐसा न करके राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। उत्तरदायी ख.वि.अ. से इसकी ब्याज सहित वसूली करके नियमानुसार कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपति संख्या- 13 सम्बन्धित धनराशि-347943.00

प्रस्तर संख्या-167 राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान पर बैंक द्वारा वर्ष 2011-12 में रु0- 81880.00 कुल रु 141783.00 तथा वर्ष 2012-13 में रु0- 30093.00 व रु0- 39451.00 कुल रु0- 69544.00 इन दोनों वर्षों में कुल ब्याज रु0- 211327.00 प्राप्त हुआ था जिसे शासनादेश ए-1-122 /दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21-03-2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अतिरिक्त धनराशि को बैंक में जमा रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तब अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है उत्तरदायी ख.वि.अ. व लेखाकार से इसकी ब्याज सहित वसूली करके नियमानुसार कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपति संख्या- 14अ सम्बन्धित धनराशि-211327.00

प्रस्तर संख्या-168 वर्ष 2013-14 का राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान सम्बन्धित पी.एन.बी. खाता सं. 31073905175 का बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्ष 2013-14 में बैंक में जमा रही अनुदान राशि पर प्राप्त ब्याज की जानकारी न हो सकी। इस अवधि में भी प्राप्त ब्याज शासन को न भेजकर गम्भीर अनियमितता की गयी। उल्लेखनीय है कि शासनादेश के अनुसार शासन से अवमुक्त राशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है।

आपति संख्या- 14 ब सम्बन्धित धनराशि-.00

(8) क्षेत्र पंचायत का नाम ..गजरौला वर्ष .. 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर-169 वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित योजनाओं का अनुदान उपभोग में लाया गया दिखाया है। लेखा परीक्षा में इनसे सम्बन्धित पत्रावलियां/ प्रमाणक नहीं पाए गए। अतः इनके उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति लेखाकार व ख.वि.अ. उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

1-	एस.जी.एस.वाई. का	3233944.00
2-	मनरेगा क्षेत्र पंचायत का	2250954.00
3-	मनरेगा कन्टीजेन्सी का	1368064.00
4-	ट्रेजरी कन्टीजेन्सी	646.00
योग		6853608.00

आपति संख्या- 1(1) सम्बन्धित धनराशि-.6853608.00

प्रस्तर-170 वर्ष 2011-12 में बायोगैस योजना में रु 9500.00 प्राप्त हुए थे। तथा गतशेष रु0-4900.00 थे। इस प्रकार कुल रु 14400.00 में से रु0- 11044.00 वर्ष दौरान उपभोग किए गए। लेखा परीक्षा में उक्त उपभोग की गयी दिखाई राशि की पुष्टि में कोई प्रमाणक/ पत्रावली नहीं पाई गयी। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट है। इसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या- 1(2) सम्बन्धित धनराशि-.11044.00

प्रस्तर-171 वर्ष 2011-12 में पी.ओ.स. व जीप मरम्मत हेतु रु 12343.00 कार्यालय व्यय हेतु रु 2000.00 टेलीफोन हेतु रु 6000.00 क्रिटिकल गैप्स हेतु रु 324000.00 एस.पी.एस. टिकट हेतु रु 1000.00 तथा पंचायत निर्वाचन व्यवस्था हेतु रु0- 18300.00 कुल रु0- 363643.00 सरकार से प्राप्त हुए थे। जो दौरान

साल ही व्यय दिखे गए हैं। लेखी परीक्षा के समय इनसे सम्बन्धित प्रमाणक / पत्रावलियां नहीं प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः इन व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रति लेखाकार व ख.वि.अ. उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 1(3) सम्बन्धित धनराशि—363643.00

वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त आयोग तेरहवा वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है..

क्र	कार्य का नाम	लागत धनराशि	सामग्री	श्रमांश	टी.डी. एस.	शुद्ध भुगतान	नाम कार्य प्रभारी
1	दरियापुर बुजुर्ग में प्रा. पाठशाला से मन्दिर होते हुए खचेडू के मकान तक खड़न्जा	488000.00	382768.00	98150.00	7655.00	375113.00	श्री इकबाल अहमद ग्रा. वि.अ.
2	ब्लाक गजरौला में कैम्पस में मरम्मत एवं सेनेटरी फिटिंग का कार्य	62800.00	53924.00	8800.00	1208.00	52716.00	तदैव
3	ब्लाक गजरौला में सेनेटरी फिटिंग का कार्य	27100.00	27100.00	0.00	542.00	26558.00	तदैव
4	धनौरा मार्ग से जोगीपुरा की मढैया तक खड़न्जा निर्माण	221000.00	162432.00	19000.00	1625.00	160807.00	तदैव
5	बहलोलपुर बछरायू मार्ग से कलुआ के ट्यूबवेल तक खड़न्जा निर्माण	308800.00	248000.00	55700.00	5555.00	242445.00	तदैव
6	बैरमपुर में महीपाल सिंह के मकान के पीछे से खड़न्जा तक मिट्टी / खड़न्जा निर्माण	198200.00	138524.00	38690.00	3034.00	135490.00	तदैव
7	ग्राम कांकाटेर में वीर बगत सिंह के मकान से रमेश के मकान तक नाली निर्माण	224000.00	111301.00	37275.00	2438.00	108863.00	तदैव
8	भगवानपुर भूड में लम्बिया मार्ग से हाजी इलियास के मकान तक खड़जाधमिट्टी कार्य	373700.00	298475.00	66300.00	5970.00	292505.00	तदैव
9	सगरथली में काले के मकान से चामुण्डा होते हुए तालाब तक मिट्टी खड़न्जा निर्माण कार्य	245309.00	186084.00	54200.00	3722.00	182362.00	तदैव
10	सलेमपुर के मन्दिर से तालाब तक नाला निर्माण	642300.00	449829.00	68300.00	8995.00	440834.00	तदैव
	योग—	2791209.00	2058437.00	446415.00	40744.00	2017693.00	

प्रस्तर— 172 वर्ष 2011-12 में उक्त सभी कार्य एक ही कार्यप्रभारी श्री इकबाल पदनाम ग्रा.वि.अ. से कराए गए थे। क्रमांक 1,2,3,5,8,9 व 10 पर दर्शित कार्य माह दिसम्बर 2011 में विभिन्न तिथियों में एक साथ चल रहे थे। ऐसी स्थिति में एक कार्य प्रभारी द्वारा एक से अधिक कार्यों को एक ही समय में भली प्रभारी देकना सम्भव नहीं है। स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 में कार्य प्रभारी की नियुक्त करने में पक्षपात किया गया था। इससे तत्कालीन ख.वि.अ. द्वारा एक ही कर्मचारी को सभी कार्यों का कार्यप्रभारी बनाकर मनमाने तरीके से कार्य कराए जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता। ज्ञातव्य है कि सभी दर्शित कराए कार्यों की मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया था। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 2(1) सम्बन्धित धनराशि—00

प्रस्तर—173 क्रमांक 1,4,5,6 व 7 से 10 तक दिखे कार्यों की लागत रु0— एक लाख से अधिक ती किन्तु सामग्री क्रय से पूर्व टेन्डर्स आमन्त्रित नहीं किए गए थे जबकि शासनादेश सं.— ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रु एक लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु निविदाएं आमन्त्रित करके क्रय की जानी चाहिए थीं ऐसा न करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। तथा संस्था को प्रतियोगी दरों के लाभ से वंचित रहना पड़ा है। निविदाएं आमन्त्रित करके सामग्री

न क्रय करने के लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 2(2) सम्बन्धित धनराशि—00

प्रस्तर—174 क्रमांक 10 पर दर्शित कार्य सलेमपुर के मन्दिर से तालाब तक नाला निर्माण की लागत रु 642300.00 थी जिसकी कार्य योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी का नहीं पाया गया और न ही जिला पंचायत के अभियन्ता का इस कार्य के प्राक्कलन का टेक्नीकल परीक्षण किया पाया गया। जिलाधिकारी का कार्य योजना का अनुमोदन व अभियन्ता का प्राक्कलन का परीक्षण न होने की स्थिति में तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। इस प्रति उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 2(3) सम्बन्धित धनराशि—642300.00

प्रस्तर 175 क्रमांक 2 पर गजरौला ब्लॉक कैम्पस में मरम्मत एवं सैनेटरी फिटिंग का लागत रु0— 62800.00 का कार्य कराया गया था जिसमें सामग्री रु0— 53924.00 की व श्रमांस रु 8800.00 व्यय किया गया था। इस कार्य के प्रभारी श्री इकबाल की नियुक्ति दिनांक 29-11-2011 को किया गया था। मैसर्स सुमित बिल्डिंग मैटेरियल एवं हार्डवेयर से उनके वाउचर नं 379 दिनांक 15-12-2011 के द्वारा सामग्री रु— 53924.00 की क्रय की गयी थी जिसमें रु0— 1208.00 आयकर कटौती करके शुद्ध रु0— 52716.00 का भुगतान किया गया था। मजदूरी 13 मजदूरों द्वारा की गयी थी जिसका भुगतान रु 8800.00 मजदूरों को न करके चौक सं. 701303 दिनांक 28-12-11 द्वारा श्री इकबाल कार्यप्रभारी को किया गया था। क्रमांक 3 पर दर्शित कार्य भी सैनेटरी फिटिंग का ही था। जिसकी लागत रु 27100.00 थी। इस एक ही प्रकार के कार्य को लगभग एक ही अवधि में टुकड़ों में कराये जाने का की औचित्य नहीं था जिसके लिए इस प्रति लेखाकार व ख.वि.अ. अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 4(अ) सम्बन्धित धनराशि—62800.00

प्रस्तर—176 क्रमांक 03 पर ब्लॉक कार्यालय गजरौला में सैनेटरी फिटिंग का कार्य फ्लम्बर से न कराकर मैसर्स सुमित बिल्डिंग मैटेरियल एवं हार्डवेयर से कराया दिखाया गया है। सैनेटरी फिटिंग का ही ब्लॉक परिसर में लगभग 1) माह पूर्व कार्य कराया गया था। कार्य श्री इकबाल ग्रा.वि.अ. द्वारा ही कराया गया था क्रमांक 3 पर दिखाये कार्य हेतु श्री इकबाल की विधिवत कार्यप्रभारी के रूप में नियुक्त नहीं की गयी थी जैसा कि उनका नियुक्ति पत्र न उपलब्ध होने से विदित है। सैनेटरी फिटिंग के कार्य का भुगतान मैसर्स सुमित बिल्डिंग मैटेरियल एवं हार्डवेयर को उनके वाउचर नं. 68628-01-12 के आधार पर किया गया था कार्य की लागत रु0— 271000.00 थी जिस पर टी.डी.एस. रु0— 542.00 काटकर शुद्ध भुगतान रु0— 26558.00 उक्त फर्म को किया गया दिखाया है उल्लेखनीय है कि इस कार्य को ठेके पर नहीं कराया गया था। लेकिन मजदूरी भी नहीं भुगतान की गयी थी और न ही कोई मस्टर रोल पाया गया। बिना मजदूरी पर व्यय के केवल सामग्री क्रय खर्च किया जाना क्रय सामग्री का उक्त फर्म से साठ-गाठ करके अपहरण किया जाना व करे गए कार्य का फर्जी दिखाया जाना प्रकट करता था। अतः दिखाए भुगतान रु0— 26558.00 की ब्याज सहित वसूली श्री इकबाल ग्रा.वि.अ. श्री वी.बी.एल. भारतीय ख.वि.अ. श्रीमती मंजू चौधरी ब्लॉक प्रमुख व श्री राजीव यादव अवर अभियन्ता तथा तत्कालीन लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 4(ब) सम्बन्धित धनराशि—26558.00

प्रस्तर—177 वर्ष 2012-13 में एस.जी.एस.वाई. का अनुदान रु0— 3711902.00 प्राप्त हुआ था गतवर्ष का शेष रु0— 1293167.28 था। इस प्रकार कुल इस मद का अनुदान 5005069.28 था इसमें से रु0— 3145804.00 दौरान साल व्यय किया गए। इस व्यय राशि से सम्बन्धित कोई विवरण एवं सम्बन्धित प्रमाणक / पत्रावलियां नहीं प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः इन व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रति लेखाकार व ख.वि.अ. उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 4(1) सम्बन्धित धनराशि—3145804.00

प्रस्तर 178 वर्ष 2012-13 में जनगणना व्यय हेतु सरकार से रु0— 20294.00 प्राप्त हुए थे जिसमें से रु0— 1042.00 व्यय किये दिखाए हैं। इस व्यय की पुष्टि में प्रमाणक नहीं पाए गए। अतः इन व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रति लेखाकार व ख.वि.अ. उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 4(2) सम्बन्धित धनराशि—1042.00

प्रस्तर—179 वर्ष 2012-103 में मनरेगा क्षेत्र पंचायत के रू0— 300290.00 तथा मनरेगा कन्टीजेन्सी के रू0— 1467867.00 व्यय किये गये थे इन व्ययों से सम्बन्धित कोई पत्रावली नहीं प्रस्तुत की गयी। जिस कारण इन मदों पर हुए दिखाए कुल व्यय रू0— 1768157.00 की ऑडिट में पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति लेखाकार, ब्लाक प्रमुख व ख.वि.अ. उत्तरदायी है के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 4(3) सम्बन्धित धनराशि—1768157.00

प्रस्तर—180 वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग का रू0— 1254869.00 बैंक से आहरण किया गया था। जबकि करे गए दो कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां ही ऑडिट में उपलब्ध रही जिनके अनुसार कुल रू0— 563893.00 की सामग्री तथा रू0— 146385.00 श्रमांश पर कुल रू0— 710278.00 व्यय किया गया था। इस प्रकार अन्तर की राशि रू0— 5445691.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई विवरण एवं सम्बन्धित प्रमाणक / पत्रावलियां नहीं प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः इन व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रति लेखाकार ब्लाक प्रमुख व ख.वि.अ. उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 4(4) सम्बन्धित धनराशि—544591.00

वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित 2 कराए गए कार्यों की पत्रावलियां ऑडिट में जांच हेतु प्रस्तुत की गयी—

क्र	कार्य का नाम	लागत/धनराशि	सामग्री	श्रमांश	टी.डी.एस.	शुद्ध भुगतान	नाम कार्य प्रभारी
1	आलमपुर में प्रेम के मकान से प्राथमिक पाठशाला तक मिट्टी खड़जा निर्माण	130200.00	98544.00	26110.00	2207.00	96337.00	श्री सतेन्द्र कुमार ग्रा. वि.अ.
2	लम्बिया में कटकुरा चौराहे से ककराला मार्ग तक मिट्टी / खड़जा निर्माण	597100.00	465349.00	120257.00	9377.00	464098.00	श्री अरविन्द कुमार ग्रा. वि.अ.
	योग	727300.00	563893.00	146385.00	11584.00	560435.00	

प्रस्तर—181 सामग्री क्रय से पूर्व टेन्डर्स आमन्त्रित नहीं किए गए थे जबकि शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रु एक लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित करके क्रय की जानी चाहिए थीं ऐसा न करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। तथा संस्था को प्रतियोगी दरों के लाभ से वंचित रहना पड़ा है। निविदाएं आमंत्रित करके सामग्री न क्रय करने के लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 5(4) सम्बन्धित धनराशि—0.00

प्रस्तर—182 क्रमांक 2 पर दर्शित कार्य की लागत रू0— 5 लाख से अधिक थी। जिसकी कार्य योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी का नहीं पाया गया और प्राक्कलन का टेक्नीकल परीक्षण अवर अभियन्ता द्वारा कराया जाना चाहिए था। जिलाधिकारी का कार्य योजना का अनुमोदन व अभियन्ता का प्राक्कलन का परीक्षण न होने की स्थिति में तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। इस प्रति उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 5(2(अ)) सम्बन्धित धनराशि—54200.00

प्रस्तर—183 क्रमांक 2 पर दर्शित कार्यों हेतु सामग्री रू0— 465349.00 की क्रय की गयी थी जिस पर आयकर कटौती रू0— 9377.00 की गयी थी जबकि 2.24 प्रतिशत की दर से रू0— 10424.00 कटौती की जानी चाहिए थी इस प्रकार रू0— 1047.00 कम कटौती करके राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ख.वि.अ. से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 5(2(ब)) सम्बन्धित धनराशि—1047.00

प्रस्तर—184 राज्य वित्त व तेरहवां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान रू0— 3624000.00 व रू0—5666508.00 कुल रू0— 9290508.00 बैंक से आहरण किया गया था। जबकि करे गए 10 कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां लागत कुल रू0— 4272416.00 की पायी गयी। शेष रू0— 5018092.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई विवरण

एवं सम्बन्धित प्रमाणक / पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः इन व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रति लेखाकार ब्लाक प्रमुख व ख.वि.अ. उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 6(1) सम्बन्धित धनराशि—5018092.00

प्रस्तर—185 एस.जी.एस.वाई. का अनुदान रु0— 459955.00 प्राप्त हुआ था गतवर्ष का शेष रु0— 1859265.28 था। इस प्रकार कुल इस मद का अनुदान 2319220.28 वर्ष 2013—14 में ही व्यय किया गए। इस व्यय राशि से सम्बन्धित कोई विवरण एवं सम्बन्धित प्रमाणक / पत्रावलियां नहीं प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः इन व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रति लेखाकार व ख.वि.अ. उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 6(2) सम्बन्धित धनराशि—2319220.00

प्रस्तर—186 मनरेगा क्षेत्र पंचायत के रु0— 421424.00 तथा मनरेगा कन्टीजेन्सी के रु0— 1417165.00 कुल रुपये 1838589.00 व्यय किये गये थे इन व्ययों से सम्बन्धित कोई पत्रावली नहीं प्रस्तुत की गयी। जिस कारण इन मदों पर हुए दिखाए कुल व्यय 1838589.00 की ऑडिट में पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति लेखाकार, ब्लाक प्रमुख व ख.वि.अ. उत्तरदायी है के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 6(3) सम्बन्धित धनराशि—1838589.00

प्रस्तर—187 पेयजल प्रशिक्षण पर रु0— 40200.00 व्यय किया गया था। इसका कोई विवरण व पुष्टि में प्रमाणक नहीं उपलब्ध कराया गया। अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है। व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 6(4) सम्बन्धित धनराशि—40200.00

वर्ष 2013—14 में निम्नलिखित 10 कराये गये कार्यों की पत्रावलियां ऑडिट में जांच हेतु प्रस्तुत की गयी

क्र	कार्य का नाम	लागत धनराशि	सामग्री	श्रमांश	टी.डी. एस.	शुद्ध भुगतान	नाम कार्य प्रभारी
1	शहबाजपुर डोर में होली चौक से अम्बेडकर पार्क तक सी.सी. टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य	781700.00	643278.00	107375.00	14404.00	628874.00	श्री अमरजीत सिंह ग्रा.वि. अ.
2	ग्राम सहसौली में अमरौला रोड पर नाला निर्माण	208000.00	157262.00	31112.00	3035.00	154227.00	श्री धर्मेन्द्र सिंह ग्रा.वि. अ.
3	पप्पसरा खादर में अली वारिस के मकान से तालाब तक एव कबूल से रियासत तक इंटर लाकिंग एवं सी.सी. टाइल्स एवं नाली निर्माण	861400.00	678096.00	124922.00	15190.00	662906.00	श्री सुरेन्द्र सिंह ग्रा.वि. अ.
4	विकासखण्ड गजरौला कार्यालय परिसर एवं आवासीय कालोनी में मरम्मत कार्य	435400.00	341749.00	0.00	7655.00	285592.00	टेन्डर द्वारा
5	जोगीपुरा में चन्द्रपाल के घर से शूरवीर के घर तक मेन रोड से समरपाल के घर तक इंटरलाकिंग सी.सी.टाइल्स कार्य	548600.00	464756.00	79600.00	10461.00	454295.00	श्री अरविन्द कुमार ग्रा.वि. अ.
6	ग्राम ककराला में नेमपाल के घर से कृपाल के मकान तक इंटरलाकिंग	819200.00	690288.00	121690.00	15463.00	674825.00	श्री सतेन्द्र कुमार ग्रा.वि. अ.
7	ककराला में कटपुरा लम्बिया चौराहे से ककराला मार्ग पर परम सिंह के मकान तक मिट्टी एवं खड़जा कार्य	424700.00	540645.00	163334.00	12111.00	529935.00	श्री अरविन्द कुमार ग्रा.वि. अ.
8	रहदरा में महीपाल यादव के घर से मन्दिर की ओर चिरन्जी के घर तक इंटरलाकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण	821946.00	821946.00	0.00	18412.00	700008.00	टेन्डर द्वारा

9	शहबाजपुर डोर में नवी घर से मंसूर के घर तक एवं मदरसे के कोने से अरशद के मकान तक इंटरलाकिंग सी.सी. टाइल्स व नाली निर्माण	357349.00	301331.00	55988.00	6750.00	294598.00	श्री अमरजीत सिंह ग्रा.वि. अ.
10	तिगरी में पंचायत से चामुण्डा तक नाला इंटर लाकिंग/ सी. सी. निर्माण	135600.00	109261.00	19530.00	2451.00	106810.00	श्री अमरजीत सिंह ग्रा.वि. अ.
	योग—	5393895.00	4750030.00	703551.00	105932.00	4492072.00	

प्रस्तर-188 क्रमांक 1 पर दर्शित कार्य की लागत रु०- 5 लाख से अधिक थी। जिसकी कार्य योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी का नहीं पाया गया और प्राक्कलन का टेक्नीकल परीक्षण अवर अभियन्ता द्वारा किया नहीं पाया गया। सामग्री क्रय से पूर्व टेन्डर्स आमन्त्रित नहीं किए गए थे जबकि शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रु एक लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित करके क्रय की जानी चाहिए थीं ऐसा न करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। तथा संस्था को प्रतियोगी दरों के लाभ से वंचित रहना पड़ा है। निविदाएं आमंत्रित करके सामग्री न क्रय करने के लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 7(1) सम्बन्धित धनराशि-628874.00

प्रस्तर-189 क्रमांक 2 प्र दर्शित कार्य की लागत रु०- 208000.00 थी जिसकी सामग्री क्रय से पूर्व शासनादेश के अनुसार टेन्डर आमंत्रित नहीं किए गए थे। मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारी को किया गया था। कराए गे इस कार्य का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं है। व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 7(2) सम्बन्धित धनराशि-208000.00

प्रस्तर-190 क्रमांक 4 पर विकास खण्ड गजरौला कार्यालय परिसर एवं आवासीय कालोनी में मरम्मत कार्य दिखाया है। उक्त कार्य ठेके पर निविदा आमंत्रित करके कराया गया दिखाया है। किन्तु कार्य की निविदा सूचना पत्र पर निविदा खुलने एवं बन्द होने की तिथि अंकित नहीं है। अल्पकालीन निविदा सूचना पर कार्यालय का पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं है। ठेके हेतु तीन निविदा प्रपत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से दो निविदा फार्म पर ठेका लेने वाले ठेकेदार के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं पाए गए। निविदा स्वीकार किए जाने वाले फार्म पर कहीं भी दिनांक अंकित नहीं है। अर्नेस्ट मनी रु०- 8708.00 तथा सिक्वोरिटी मनी रु०- 34832.00 कुल रु०- 43540.00 कार्य समाप्ति पर ठेकेदार को वापस किया गया। किन्तु भुगतान से सम्बन्धित चेक का विवरण पत्रावली में नहीं पया गया। अनियमित व मनमाना ठेका दिया दिखाकर तथा फर्जी बिल जिस पर कोई संख्य अंकित नहीं है, से टी.डी.स. वैट व जमानत की कटौती के बाद शुद्ध भुगतान रु०- 285592.00 किया गया है। इस प्रकार ठेकेदार से साठ-गांठ करके ब्लाक परिसर की मरम्मत पर व्यय दिखाकर रु०- 285592.00 का अपहरण किया गया है। इस कृत्य के लिए संयुक्त रूप से तत्कालीन ख.वि.अ. लेखाकार व अवर अभियन्ता उत्तरदायी है।

आपत्ति संख्या- 7(3) सम्बन्धित धनराशि-285592.00

प्रस्तर-191 क्रमांक 5 पर दर्शित कार्य की लागत रु०- 5 लाख से अधिक थी। जिसकी कार्य योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी का नहीं पाया गया और प्राक्कलन का टेक्नीकल परीक्षण अवर अभियन्ता द्वारा किया नहीं पाया गया। सामग्री क्रय से पूर्व टेन्डर्स आमन्त्रित नहीं किए गए थे जबकि शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रु एक लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित करके क्रय की जानी चाहिए थीं शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। मजदूरी रुपये 79600-00 का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारी श्री अरविंद कुमार को किया गया तथा टीडीएस कटौती के बाद रुपये 454295-00 का भुगतान किया गया है पत्रावली में मस्टररोल तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं है जिसके लिए तत्कालीन ख-वि-अ- , ए ई , कार्यप्रभारी तथा लेखाकार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है

आपत्ति संख्या- 7(4) सम्बन्धित धनराशि-533895.00

प्रस्तर-192 क्रमांक 8 पर दर्शित रू0- 821946.00 लागत का कार्य ठेके पर कराया दिखाया है। कार्य की लागत रू0- 821946.00 थी किन्तु कार्य योजना की जिलाधिकारी से स्वीकृति और प्राक्कलन का टेक्नीकल परीक्षण अवर अभियन्ता द्वारा किया नहीं पाया गया। प्रस्तावित कार्य की निविदा खुलने व बन्द होने की तिथि निविदा सूचना पत्र में नहीं लिखी है। निविदा पत्र ६ आवंटन पत्र पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं है। उक्त कार्य के लिए 3 निविदाएं आईं जिनमें से 2 निविदाओं पर निविदा कर्ता का नाम नहीं लिखा है। और न ही उनके हस्ताक्षर हैं। सिक्योरिटी मनी रू0- 70648.00 की वापसी से सम्बन्धित चौक का की विवरण नहीं पाया गया। बिल पर संख्या अंकित नहीं है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विधिवत ठेका दिया ही नहीं गया था। तथा अनियमित रूप से मैसर्स मनोज कुमार शर्मा को ठेका देकर मनमाने तरीके से कार्य कराया गया था। जिसके लिए इस प्रति लेखाकार, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता व ख.वि.अ. उत्तरदायी है।

आपत्ति संख्या- 7(5) सम्बन्धित धनराशि-821946.00

प्रस्तर-193 क्रमांक 10 पर दिखाए कार्य की लागत एक लाख से अधिक थी किन्तु शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रू एक लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित करके क्रय की जानी चाहिए थीं ऐसा न करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके श्री कुलदीप सिंह कार्य प्रभारी को चेक संख्या 507524/11-10-13 द्वारा किया गया था। पत्रावली में मस्टर रोल नहीं पाए गए। मस्टर रोल का न होना व मजदूरी मजदूरों को न देकर कार्य प्रभारी को देकर श्रमांश की राशि रू0- 19530.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए इस प्रति लेखाकार, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता व ख.वि.अ. उत्तरदायी है।

आपत्ति संख्या- 7(6) सम्बन्धित धनराशि-128791.00

प्रस्तर-194 दर्शित 10 कार्य पत्रावलियों के अनुसार रू0- 4750030.00 की सामग्री क्रय की गयी थी जिस पर आयकर कटौती रू0- 105932.00 की गयी थी जबकि 2.24 प्रतिशत की दर से रू0- 106401.00 कटौती की जानी चाहिए थी इस प्रकार रू0- 469.00 कम कटौती करके राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ख.वि.अ. से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 8 सम्बन्धित धनराशि-469.00

प्रस्तर-195 वर्ष 2013-14 में सामग्री क्रय रू0- 4750030.00 की गयी थी जिस पर वैट 4 प्रतिशत से रू0- 190001.00 बनता है। जबकि केवल दो ठेके पर कराए कार्यों से रू0- 46548.00 वैट काटा गया था। अन्तर रू0- 143453.00 वैट नहीं काटा गया था। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 9 सम्बन्धित धनराशि-143453.00

प्रस्तर-196 वर्ष 2013-14 में उपलब्ध कराई गयी दस पत्रावलियों के अनुसार कराए गए कार्यों हेतु रू0- 4750030.00+4492072.00 = 9242102.00 कुल लागत /खर्च पर भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर नियमावली 1996 के अनुसार एक प्रतिशत की दर से रू0- 92421.00 उपकर वसूल कर उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण के खाते में जमा की जानी चाहिए थी जो जमा नहीं किए गये जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 10 सम्बन्धित धनराशि-92421.00

(9) क्षेत्र पंचायत का नाम धनौरा वर्ष 2011-12 से 2013-14

वर्ष 2011-12 में कराये गये कार्यों से सम्बन्धित कतिपय पत्रावलियां जांच हेतु उपलब्ध करायी गयी। उक्त अवधि में अन्य कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में वर्क रजिस्टर बार-बार मांगने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों का विवरण निम्नानुसार है

क्रं	कार्य का नाम	लागत/धनराशि	सामग्री की धनराशि	मजदूरी/श्रमांश	नाम फर्म स्वीकृत हुई	नाम कर्मचारी
1	चन्द्रा में जरार सिंह के डेरे के पास से रम्पुरा खेड़ा वाले रास्ते पर खड़जा निर्माण	148170.00	114890.00	33280.00	न्यू शर्मा ब्रिक्स वर्क्स सेलपुरा बछरायूं	श्री ऋषिपाल सिंह बी.ओ.
2	सुनगढ़ माफी में मन्दिर से डामर रोड तक नाली	82463.00	72493.00	9970.00	मैसर्स केशव आयरन ट्रेडर्स	श्री ऋषिपाल

	निर्माण				धनौरा न्यू शर्मा ब्रिक्स वर्क्स सेलपुरा बछरायूं मै. सुरेश सिंह कान्द्रेक्टर	सिंह बी.ओ
3	ग्राम सुजमना में डामर रोड से बिट्टू की दुकान तक सी.सी. रोड निर्माण	124626.00	100171.00	24455.00	मैसर्स केशव आयरन ट्रेडर्स धनौरा मै. सुरेश सिंह कान्द्रेक्टर	श्री शेर सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)
4	सुनगढ़ माफी में जफरुद्दीन के मकान से हर प्रसाद के मकान तक खड़जा नाली निर्माण	640576.00	494296.00	146280.00	न्यू शर्मा ब्रिक्स वर्क्स सेलपुरा बछरायूं	श्री ऋषिपाल सिंह बी.ओ
5	सुजमना में डामर रोड से बिट्टू की दुकान तक सी. सी. रोड निर्माण	506638.00	398918.00	107720.00	मैसर्स केशव आयरन ट्रेडर्स धनौरा	श्री शेर सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)
6	वासीपुर में इन्साप अली के मकान से फरजन्द अली के खेत तक खड़जा निर्माण	653309.00	500164.00	153145.00	अज्ञात	श्री शेर सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)
7	चांदरा में पक्की सड़क से प्यारे के डेरे तक खड़जा निर्माण	916686.00	675836.00	240850.00	न्यू शर्मा ब्रिक्स वर्क्स सेलपुरा बछरायूं	श्री शेर सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)
8	कादराबाद में स्कूल तक खड़जा निर्माण	171504.00	127104.00	44400.00	न्यू शर्मा ब्रिक्स वर्क्स सेलपुरा बछरायूं	श्री ऋषिपाल सिंह बी.ओ
	योग	3243452.00	2483872.00	760100.00		

प्रस्तर-197 मै. न्यू शर्मा ब्रिक्स वाउचर नं. 282 दिनांक 09-10-2011 टिन नं.09459401299 द्वारा रु0-110390.00 की ईट क्रय की गयी थी वाउचर में टी.डी.एस.2208.00 काटा गया था। कटौती किए गए टी.डी.एस. रु0- 2208.00 के कोषागार में जमा किए जाने का चालान आदि प्रमाणक नहीं है। जिसके लिए ख.वि.अ. उत्तरदायी है। इस प्रति भी अपेक्षित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 1(1(1)) सम्बन्धित धनराशि-2208.00

प्रस्तर-198 उ.प्र.सरकार शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रु एक लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित करके क्रय की जानी चाहिए थीं ऐसा न करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। तथा संस्था को प्रतियोगी दरों के लाभ से वंचित रहना पड़ा है। निविदाएं आमंत्रित करके सामग्री न क्रय करने के लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 1(1(2)) सम्बन्धित धनराशि-00

प्रस्तर-199 मै. सुरेश सिंह कान्द्रेक्टर गजरौला से रु0- 4500 का शिलापट नेम वाला खरीदा गया था। जिसकी पुष्टि में कोई वाउचर नहीं है। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक न होना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए ख.वि.अ. व लेखाकार उत्तरदायी है। इस प्रति भी अपेक्षित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 1(1(3)) सम्बन्धित धनराशि-4500.00

प्रस्तर-200 क्रमांक 2 पर दर्शित कार्य हेतु 3 फर्म से सामग्री आदि के लिए भुगतान किया गया था। टी.डी.एस. रु0- 1450.00 काटा गया है किन्तु कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि में चालान अथवा अन्य कोई प्रमाण नहीं पाया गया। अतः टी.डी.एस. के कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है।

आपत्ति संख्या- 1(2) सम्बन्धित धनराशि-1450.00

प्रस्तर-201 क्रमांक 3पर दर्शित कार्य हेतु 2 फर्म से सामग्री आदि के लिए भुगतान किया गया था। टी.डी.एस. रु0- 2004.00 काटा गया है किन्तु कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि में चालान अथवा अन्य

कोई प्रमाण नहीं पाया गया। अतः टी.डी.एस. के कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है।

आपत्ति संख्या— 1(3) सम्बन्धित धनराशि—2004.00

प्रस्तर—202 क्रमांक 4 पर दर्शित कार्य हेतु मै. न्यू शर्मा ब्रिक्स वाउचर नं. 3088-10-2011 द्वारा रू0-185707.00 की ईट क्रय की गयी थी इसी फर्म से दिनांक 29-10-2011 को रू0-232750.00 की भी ईट क्रय की गयी थी। ईट क्रय करने से पूर्व टेन्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जब कि उ.प्र.सरकार शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रू एक लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित करके क्रय की जानी चाहिए थीं ऐसा न करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। तथा संस्था को प्रतियोगी दरों के लाभ से वंचित रहना पड़ा है। निविदाएं आमंत्रित करके सामग्री न क्रय करने के लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। इस प्रति भी अपेक्षित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 1(4(1)) सम्बन्धित धनराशि—418457.00

प्रस्तर—203 टी.डी.एस. रू0-9795.00 काटा गया है किन्तु कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि में चालान अथवा अन्य कोई प्रमाण नहीं पाया गया। अतः टी.डी.एस. के कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है।

आपत्ति संख्या— 1(4(2)) सम्बन्धित धनराशि—9795.00

प्रस्तर—204 क्रमांक 5 पर दर्शित कार्य हेतु टी.डी.एस. रू0-7978.00 काटा गया है किन्तु कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि में चालान अथवा अन्य कोई प्रमाण नहीं पाया गया। अतः टी.डी.एस. के कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है।

आपत्ति संख्या— 1(5(1)) सम्बन्धित धनराशि—7978.00

प्रस्तर—205 मै. केशव आयरन ट्रेडर्स धनौरा के वाउचर नं. 128/20-11-2011 द्वारा सीमेंट, बजरपुट, रोड़ी रू0-143105.00 की क्रय की गयी थी तथा वाउचर नं. 129/23-11-2011 द्वारा रू0-105552.00 की भी सामग्री क्रय की गयी थी। किन्तु उ.प्र.सरकार शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रू एक लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित करके क्रय की जानी चाहिए थीं ऐसा न करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। तथा संस्था को प्रतियोगी दरों के लाभ से वंचित रहना पड़ा है। निविदाएं आमंत्रित करके सामग्री न क्रय करने के लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। इस प्रति भी अपेक्षित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 1(5(2)) सम्बन्धित धनराशि—248651.00

प्रस्तर—206 रू 150261.00 की क्रय सामग्री का कोई विवरण एवं वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया अतः इस दिखाए व्यय की ऑडिट में पुष्टि नहीं होती है। वाउचर न होना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः इस विवरण रहित व्यय राशि की तत्कालीन ख.वि.अ. से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 1(5(3)) सम्बन्धित धनराशि—150261.00

प्रस्तर 207 क्रमांक 06 पर दर्शित कार्य हेतु रू 500164.00 की क्रय सामग्री का कोई प्रमाण नहीं पाया गया अतः इस दिखाए व्यय की ऑडिट में पुष्टि नहीं होती है। वाउचर न होना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः इस विवरण रहित व्यय राशि की तत्कालीन ख.वि.अ., लेखाकार व कार्य प्रभारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 1(6) सम्बन्धित धनराशि—500164.00

प्रस्तर—208 क्रमांक 7 पर दर्शित कार्य के सम्बन्ध में मै. न्यू शर्मा ब्रिक्स के वाउचर नं. 279/16-05-11 द्वारा रू0-157500.00 वाउचर नं.281/18-05-2011 द्वारा रू0-196875.00 वाउचर नं. 287/20-5-11 द्वारा रू 183750.00 तथा वाउचर नं.288/22-5-11 द्वारा रू 133612.00 कुल रू0-671737.00 की ईट क्रय की गयी थी। संदर्भित वाउचर पर टिन नं. नहीं है। क्रय से पूर्व टेन्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जो उ.प्र.सरकार शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रू एक लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित करके क्रय की जानी चाहिए थीं ऐसा न करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। टी.डी.एस. रू0-13517.00 काटा गया है। किन्तु कोषागार में जमा का चालान अथवा अन्य प्रमाण देखने को नहीं मिला। अभियन्ता की स्वीकृति भी नहीं पाई गयी। उक्त

अनियमितताओं के लिए तत्कालीन ख.वि.अ., लेखाकार व ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी है। इस प्रति भी अपेक्षित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 1(7) सम्बन्धित धनराशि-685254.00

प्रस्तर-209 क्रमांक 8 पर दर्शित कार्य से सम्बन्धित सामग्री क्रय मध्य रु0- 122604.00 मै. न्यू शर्मा ब्रिक्स से सामग्री क्रय की गयी थी जिसकी पुष्टि में कोई वाउचर नहीं पाया गया अतः इस दिखाए व्यय की ऑडिट में पुष्टि नहीं होती है। वाउचर न होना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः इस विवरण रहित व्यय राशि की तत्कालीन ख.वि.अ., लेखाकार व कार्य प्रभारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 1(8) सम्बन्धित धनराशि-122604.00

वर्ष 2011-12 तेरहवां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान धनराशि मध्य निम्नलिखित कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां उपलब्ध करायी गयी-

क्रं	कार्य का नाम	लागत/धनराशि	सामग्री की धनराशि	मजदूरी/श्रमांश	नाम फर्म स्वीकृत हुई	नाम कर्मचारी
1	ग्राम चौखट में राजू के मकान से तालाब तक नाला निर्माण	437049.00	365249.00	71800.00	न्यू शर्मा ब्रिक्स वर्क्स सेलपुरा बछरायू	श्री ऋषिपाल सिंह बी.ओ.
2	सुजमना में डामर रोड से बिट्टू की दुकान तक नाला निर्माण	265740.00	231000.00	34740.00	मैसर्स केशव आयरन ट्रेडर्स धनौरा	श्री ऋषिपाल सिंह बी.ओ.
3	सुनगढ माफी में भगवान सिंह के मकान से शीशों वाली तालाब तक नाला निर्माण	497939.00	418329.00	79610.00	मैसर्स केशव आयरन ट्रेडर्स धनौरा मैसर्स केशव ईट उद्योग सुजमना मै. सुरेश सिंह कान्हेक्टर	श्री अमित यादव
4	ग्राम मुढांखेड़ा में कय्यूम के मकान से मंगल के मकान तक नाला निर्माण	685157.00	599752.00	85405.00		श्री ऋषिपाल सिंह बी.ओ.
	योग	1885385.00	365249.00	271555.00		

प्रस्तर-210 मै. न्यू शर्मा ब्रिक वर्क्स जिसका टिन नं. 09459401299 है से रु0- 127294.00 की ईट पर रु0- 2546.00 तथा मै. केशव आयरन ट्रेडर्स धनौरा से क्रय सामग्री रु0- 47457.00 व रु0- 31200.00 की क्रय सामग्री पर क्रमशः रु0- 949.00 व रु0- 624.00 कुल रु0- 4119.00 टी.डी.एस. काटा गया था। लेखा परीक्षा में कोषागार में उक्त धनराशि के जमा किए जाने के प्रमाण में चालान आदि कुल रु0- 4119.00 टी.डी.एस. काटा गया था। किन्तु कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि में चालान अथवा अन्य कोई प्रमाण नहीं पाया गया। अतः टी.डी.एस. के कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है।

आपत्ति संख्या- 2(1(1)) सम्बन्धित धनराशि-4119.00

प्रस्तर-211 शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रु एक लाख से अधिक लागत ईट क्रय से पूर्व निविदाएं आमंत्रित करके क्रय की जानी चाहिए थीं अतः मनमानी दर पर ईट क्रय करके क्षेत्र पंचायत को प्रतियोगी दरों के लाभ से वंचित रखा गया है। इस प्रति तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है।

आपत्ति संख्या- 2(1(2)) सम्बन्धित धनराशि-00

प्रस्तर 212 मै. केशव आयरन ट्रेडर्स धनौरा के वाउचर नं. 327ध12-06-11 द्वारा रु0- 50010.00 तथा वाउचर नं.311ध05-06-11 द्वारा रु0- 48007.00 की क्रय सामग्री पर टी.डी.एस. नहीं काटा गया जो 2 प्रतिशत की दर से रु0- 1000.00 व रु0- 960.00 कुल रु0- 1960.00 काटा जाना चाहिए था। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है

आपत्ति संख्या- 2(1(3)) सम्बन्धित धनराशि-1960.00

प्रस्तर-213 क्रमांक 2 पर दर्शित कार्यस्थल पर राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि से सी.सी. रोड 180 मी. का निर्माण प्रभारी श्री शेर सिंह के द्वारा कराया गया था जिसकी अनुमानित लागत रु0- 550000.00 थी कार्यस्थल पर वर्ष 2011-12 में ही नाला 350 मी. निर्माण कार्य प्रभारी श्री ऋषिपाल सिंह के द्वारा कराया गया जिसकी अनुमानित लागत 300000.00 थी। इस प्रकार इसी स्थल पर सी.सी. रोड व नाला निर्माण कार्य अलग-अलग टुकड़ों में क्रमशः राज्य वित्त व तेरहवां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराया गया। जिससे रु0- 850000.00 लागत के एक ही स्थल के कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारियों से न लेनी पड़े। इस अनियमितता के लिए तत्कालीन ख.वि.अ., लेखाकार व ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी है। इस प्रति भी अपेक्षित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 2(2(1)) सम्बन्धित धनराशि-850000.00

प्रस्तर- 214 टी.डी.एस. रु0- 4620.00 काटा गया है किन्तु कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि में चालान अथवा अन्य कोई प्रमाण नहीं पाया गया। अतः टी.डी.एस. के कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है।

आपत्ति संख्या- 2(2(2)) सम्बन्धित धनराशि-4620.00

प्रस्तर-215 क्रमांक 3 पर दर्शित कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं है। मै. केशव आयरन ट्रेडर्स धनौरा से क्रय सामग्री रु0- 98877.00 पर रु 1978.00 व रु0- 97352.00 पर रु0- 1947.00 तथा मैसर्स केशव ईट उद्योग सुजमना से ईट क्रय रु0- 98483.00 पर रु0- 1970.00 व रु0- 118417.00 पर रु0- 2368.00 कुल रु0- 8367.00 टी.डी.एस. काटा गया था। जिसे कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि में चालान अथवा अन्य कोई प्रमाण नहीं पाया गया। अतः टी.डी.एस. के कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है।

आपत्ति संख्या- 2(2(3)) सम्बन्धित धनराशि-497939.00

प्रस्तर-216 क्रमांक 4 पर दर्शित कार्य हेतु रु0- 599752.00 की सामग्री क्रय दिखाई है। जिस पर टी.डी. एस. 2 प्रतिशत की दर रु0- 11995.00 बनता है। जबकि रु0- 7131.00 अर्थात् रु0- 4864.00 कम टी. डी.एस. काटा गया है। इस पर रु7131.00 कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि में चालान अथवा अन्य कोई प्रमाण नहीं पाया गया। अतः टी.डी.एस. के कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है।

आपत्ति संख्या- 2(2(4)) सम्बन्धित धनराशि-11995.00

प्रस्तर-217 वर्ष 2011-12 में लेखा परीक्षा में निम्नलिखित योजनाओं पर हुए व्ययों से सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।

1- एस.जी.एस.वाई. पंचायत योजना 8338500.00

2- बायोगैस अनुदान 60600.00

योग- 8399100.00

उक्त मदों हेतु बैंक से आहरण कर व्यय की गयी धनराशियों की पुष्टि में पत्रावलियां/ प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। आगामी लेखा परीक्षा में इन्हें प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है अन्यथा व्ययों को काल्पनिक मानते हुए तत्कालीन ख.वि.अ. व लेखाकार के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 3 सम्बन्धित धनराशि-8399100.00

वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराये गये कार्यों से सम्बन्धित कतिपय पत्रावलियां जांच हेतु उपलब्ध करायी गयी। उक्त अवधि में अन्य कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में वर्क रजिस्टर बार-बार मांगने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों का विवरण निम्नानुसार है

क्र.	कार्य का नाम	लागत धनराशि	सामग्री की धनराशि	मजदूरी/ श्रमांश	नाम फर्म स्वीकृत हुई	नाम कर्मचारी
1	हैबतपुर में शमशाद के मकान से उपेन्द्र के मकान तक सी. सी. रोड का निर्माण	293974.00	211869.00	82105.00	मैसर्स केशव आयरन ट्रेडर्स धनौरा	श्री जे.डी. सारस्वत ए.डी. (आई.एस.वी.)
2	विकासखण्ड कार्यालय का	176230.00	147510.00	28720.00	—	श्री शेर सिंह ए.

	मरम्मत कार्य					डी.ओ. (एस.टी)
3	झुझैला चक में प्राथमिक स्कूल से कब्रिस्तान तक खण्डजा निर्माण	290096.00	212316.00	77780.00	दुर्गा ब्रिक्स मै.	
	श्री शेर सिंह ए.डी.ओ. (एस. टी)				सुदेश सिंह कान्स्ट्रक्टर	
4	कपसुआ में स्कूल के पास से नहर की ओर धर्मवीर के खेत के पास तक खण्डजा निर्माण	586095.00	429795.00	156300.00	दुर्गा ब्रिक्स	
	श्री शेर सिंह ए.डी.ओ. (एस. टी)				मै. सुदेश सिंह कान्स्ट्रक्टर	

प्रस्तर-218 क्रमांक 1 पर दर्शित कार्य हेतु मै. केशव आयरन ट्रेडर्स के बिल सं. 150/09-02-2013 से रू0- 98313.00 की क्रय सामग्री पर रू0- 1966.00 व बिल सं. 156/13-02-2013 से रू0- 111030.00 की क्रय सामग्री पर रू0- 2221.00 कुल रू0- 4187.00 टी.डी.एस. काटा गया था। जिसे कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि में चालान अथवा अन्य कोई प्रमाण नहीं पाया गया। अतः टी.डी.एस. के कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या- 4(1) सम्बन्धित धनराशि-4187.00

प्रस्तर-219 क्रमांक 2 पर दर्शित कार्य हेतु रू0- 2950.00 टी.डी.एस. काटा गया था। जिसे कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि में चालान अथवा अन्य कोई प्रमाण नहीं पाया गया। अतः टी.डी.एस. के कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या- 4(2) सम्बन्धित धनराशि-2950.00

प्रस्तर-220 क्रमांक 3 पर दर्शित कार्य हेतु शासनादेश के अनुसार निविदाएं आमंत्रित नहीं की गयी थीं अतः मनमानी दर पर ईट क्रय करके क्षेत्र पंचायत को प्रतियोगी दरों के लाभ से वंचित रखा गया है। दुर्गा ब्रिक्स व मै. सुदेश सिंह कान्स्ट्रक्टरसे क्रय सामग्री पर रू0- 212316.00 पर रू0- 4122 व रू 4500 पर रू0- 90.00 कुल रू0- 4212.00 टी.डी.एस. काटा गया था। जिसे कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि में चालान अथवा अन्य कोई प्रमाण नहीं पाया गया। अतः टी.डी.एस. के कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या- 4(3) सम्बन्धित धनराशि-216528.00

प्रस्तर-221 क्रमांक 4 पर दर्शित कार्य की लागत रू0- 586095.00 थी जिस हेतु मै. दुर्गा ब्रिक्स वर्क्स के वाउचर दिनांक 03-01-2013 से क्रय सामग्री मूल्य रू0- 99962.00 पर रू0- 1999.00 दिनांक 08-01-2013 के वाउचर द्वारा क्रय सामग्री मूल्य रू0- 99962.00 पर रू0- 1999.00 तथा दिनांक 12-01-2013 के वाउचर द्वारा क्रय सामग्री मूल्य रू0- 99962.00 पर रू0- 1999.00 तथा दिनांक 16-01-2013 के वाउचर द्वारा क्रय सामग्री मूल्य रू0- 125407.00 पर रू0- 2508.00 कुल रू0- 8505.00 टी.डी.एस. काटा गया था। इसके अतिरिक्त मै. सुदेश सिंह कान्स्ट्रक्टर से क्रय सामग्री पर रू0- 4500.00 पर रू0- 90.00 टी.डी.एस. काटा गया था। इस प्रकार कुल 8595.00 टी.डी.एस. की कटौती की गयी थी। किन्तु यह राशि कोषागार में जमा किये जाने का प्रमाणक नहीं है। मै. दुर्गा ब्रिक्स वर्क्स से खरीदी गयी उक्त धनराशि की ईटों के सन्दर्भित दिनाकों के वाउचर पर वाउचर नं. अंकित नहीं है। अतः ईटों की स्थिति संदिग्ध है। श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारी को किया गया था 5 लाख रू से अधिक लागत का कार्य होने पर प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गयी थी। उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार टेन्डर प्रक्रिया से बचने हेतु ईट खरीद टुकड़ों में की गयी थी। इस प्रकार रू0- 586095.00 के व्यय से सम्बन्धित गम्भीर अनियमितताओं के लिए तत्कालीन ख.वि.अ. व लेखाकार के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या- 4(4) सम्बन्धित धनराशि-586095.00

प्रस्तर-222 क्रमांक 5 पर दर्शित कार्य पहाड़पुर इनायत में हरी सिंह के मकान से सादा सिंह के खेत तक मिट्टी / खड़जा निर्माण 600 मी. रू0- 6 लाख की अनुमानित लागत से होना था। इस प्रकार कार्य योजना के अनुसार कार्य नहीं हुआ। व वास्तव में कराये गये कार्य में अन्तर पाया गया। सामग्री वर्क से पूर्व टेन्डर आमन्त्रित नहीं किये गये थे। मै. गुरु नानक ब्रिक्स वर्क्स से रू0- 282660.00 की क्रय मूल्य पर रू0- 5653.00 व दिनांक 25-09-12 को क्रय ईट रू0- 92369.00 पर रू0- 1847.00 टी.डी.एस. काटा गया था। किन्तु यह राशि कोषागार में जमा किये जाने का प्रमाणक नहीं है। मै. गुरु नानक ब्रिक्स वर्क्स के दोनो प्रमाणकों पर वाउचर नं. अंकित नहीं है। खड़जा बनाने में मिट्टी कार्य का उल्लेख है किन्तु मिट्ट की रायल्टी का नहीं है। कार्य हेतु प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गयी थी। श्रमांश का भुगतान मजदूरो को न करके कार्यप्रभारी को किया गया था उक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित कराए कार्य की स्थिति संदेहात्मक है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. , लेखाकार, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या- 4(5) सम्बन्धित धनराशि-521369.00

प्रस्तर-223 क्रमांक 6 पर रू0- 734535.00 लागत का दर्शित कार्य क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2012-13 की कार्य योजना में नहीं है। 5 लाख रु से अधिक लागत का कार्य होने पर प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गयी थी। अतः कराया गया कार्य मनमाना है। श्रमांश का भुगतान मजदूरो को न करके कार्यप्रभारी को किया गया मै. न्यू शर्म ब्रिक्स वर्क्स से विभिन्न वाउचर द्वारा क्रय सामग्री मूल्य रू0- 168250.00 पर कुल रू0- 10968.00 टी.डी.एस. काटा गया था जिसे कोषागार में जमा करने का कोई प्रमाण नहीं है। सामग्री क्रय से पूर्व शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार टेन्डर आमन्त्रित नहीं किये गये थे जिससे संस्था प्रतियोगी दरों से होने वाले लाभ से भी वंचित रही है। इस प्रति उत्तरदायी तत्कालीन ख.वि.अ. अवर अभियन्ता कार्य प्रभारी व लेखाकार के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या- 4(6) सम्बन्धित धनराशि-734535.00

वर्ष 2012-13 में तेरहवां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराये गये कार्यों से सम्बन्धित कतिपय पत्रावलियां जांच हेतु उपलब्ध करायी गयी। उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों का विवरण निम्नानुसार है-

क्रं	कार्य का नाम	लागत/ धनराशि	सामग्री की धनराशि	मजदूरी/ श्रमांश	नाम फर्म स्वीकृत हुई	नाम कर्मचारी
1	चुचौला खुर्द में बुद्ध दर्जी के मकान से तालाब तक नाला निर्माण	72854.00	61374.00	11480.00	मै. अमन ब्रिक वर्क्स धनौरा कौशल जैन स्टील धनौरा सुदेश सिंह कान्द्रेक्टर	श्री जे.डी. सारस्वत ए.डी. (आई.एस.वी.)
2	मिठनपुर में सौनाथ के घर से जूनियर हाईस्कूल के पास तक नाला निर्माण	373306.00	311541.00	61765.00	मै. अमन ब्रिक वर्क्स धनौरा कौशल जैन स्टील धनौरा सुदेश सिंह कान्द्रेक्टर	श्री जे.डी. सारस्वत ए.डी. (आई.एस.वी.)
3	ताजपुर में कलुवा सैफील के मकान से प्रभु के मकान तक नाला निर्माण	181125.00	142865.00	38260.00	मै. गुरुनानक ब्रिक वर्क्स दौलतपुर भूड	
	श्री शेर सिंह ए.डी. (आई. एस.वी.)				कौशल जैन स्टील धनौरा सुदेश सिंह कान्द्रेक्टर	
4	मौहिदीनपुर में प्राइमरी पाठशाला से पुलिया तक नाला निर्माण	191622.00	14917.00	46205.00	मै. गुरुनानक ब्रिक वर्क्स दौलतपुर भूड	
	श्री शेर सिंह ए.डी. (आई. एस.वी.)				कौशल जैन स्टील धनौरा सुदेश सिंह कान्द्रेक्टर	
5	कमालपुर काजी में अम्बेडकर पार्क से तालाब तक नाला निर्माण	483963.00	401748.00	82215.00	केशव आयरन ट्रेडर्स लक्ष्मी ईट उद्योग डींगरा सुदेश सिंह कान्द्रेक्टर	श्री शेर सिंह ए. डी. (आई.एस.वी.)

प्रस्तर-224 क्रमांक 1 पर रू0- 72854.00 लागत का दर्शित कार्यमै. अमन ब्रिक वर्क्स धनौरा कौशल जैन स्टील धनौरा सुदेश सिंह कान्द्रेक्टर से दिनांक 07-02-2013 को क्रय सामग्री पर रू0- 1227-00 टी.डी. एस. काटा गया था। जिसके कोषागार में जमा किये जाने का प्रमाणक नहीं है। श्रमांश का भुगतान मजदूरो को न करके कार्यप्रभारी को किया गया था जिस कारण रू0- 72854.00 कुल भुगतान की स्थिति संदिग्ध है। इस प्रति उत्तरदायी तत्कालीन ख.वि.अ. अवर अभियन्ता कार्य प्रभारी व लेखाकार के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 5(1) सम्बन्धित धनराशि-72854.00

प्रस्तर-225 क्रमांक 2 पर दर्शित कार्यहेतु मै. अमन ब्रिक वर्क्स धनौरा कौशल जैन स्टील धनौरा सुदेश सिंह को क्रय सामग्री पर रू0- 6231-00 टी.डी.एस. काटा गया था। जिसके कोषागार में जमा किये जाने का प्रमाणक नहीं है। उत्तरदायी ख.वि.अ. से ब्याज सहित वसूली करके कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 5(2) सम्बन्धित धनराशि-6231.00

प्रस्तर-226 क्रमांक 3 व 4 पर दर्शित कार्य की क्रय सामग्री पर रू0- 2857-00 व रू0- 2980.00 कुल रू0- 5837.00 आयकर की कटौती की गयी थी। जिसके कोषागार में जमा किये जाने का प्रमाणक नहीं है। उत्तरदायी ख.वि.अ. से ब्याज सहित वसूली करके कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 5(3) सम्बन्धित धनराशि-6231.00

प्रस्तर-227 क्रमांक 5 पर दर्शित कार्य हेतु केशव आयरन ट्रेडर्स धनौरा से क्रय सामग्री रू0- 169054-00 पर र0- 997.00 रू0- 87359.00 पर र0- 14447.00 पर र0- 49424.00 पर रू0- 980.00 लक्ष्मी ईट उद्योग डींगरा से क्रय सामग्री रू0- 169054.00 पर रू0- 3381.00 सुदेश सिंह कान्द्रेक्टर से क्रय रू0- 41553.00 पर रू0- 831.00 तथा रू0- 4500.00 पर रू0- 90.00 कुल रू0- 8026.00 की आयकर की कटौती की गयी थी। जिसके कोषागार में जमा किये जाने का प्रमाणक नहीं है। प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गयी थी। शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार टेन्डर आमन्त्रित नहीं किये गये थे। श्रमांश का भुगतान मजदूरो को न करके कार्यप्रभारी को किया गया था। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं है। अतः दर्शित खर्च रू0- 483963.00 संदिग्ध है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. अवर अभियन्ता कार्य प्रभारी व लेखाकार के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 5(4) सम्बन्धित धनराशि-541670.00

प्रस्तर-228 क्रमांक 6 पर दर्शित कार्य हेतु शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार टेन्डर आमन्त्रित नहीं किये गये थे। जिसमें क्षेत्र पंचायत को प्रतियोगी दरों पर सामग्री खरीद में लाभ नहीं मिला था। टी.डी.एस. रू0- 6203.00 क्रय सामग्री पर काटा गया था जिसके कोषागार में जमा किये जाने का प्रमाणक नहीं है। श्रमांश का भुगतान मजदूरो को न करके कार्यप्रभारी को किया गया था। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. अवर अभियन्ता कार्य प्रभारी व लेखाकार व ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उनसे कार्य पर हुए कुल खर्च रू0- 378246.00 को ब्याज सहित वसूली व इस प्रति उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 5(5) सम्बन्धित धनराशि-378246.00

प्रस्तर-229 वर्ष 2013-14 में कराये गये कार्यों से सम्बन्धित कतिपय पत्रावलियां जांच हेतु उपलब्ध करायी गयी। उक्त अवधि में अन्य कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में वर्क रजिस्टर बार-बार मांगने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों का विवरण निम्नानुसार है

क्रं	कार्य का नाम	लागत/ धनराशि	सामग्री की धनराशि	मजदूरी/ श्रमांश	काटा गया		नाम फर्म स्वीकृत हुई	नाम कर्मचारी
					टी.डी.एस	वैट		
1	ग्राम अब्दुल्लापुर में सी.सी. रोड से दलजीत के खेत तक मिट्टी /खड़जा कार्य	583629.00	210185.00	173444.00	8204.00	—	मै. केशव ईट उद्योग सुजमना सुदेश सिंह कान्द्रेक्टर	श्री शेर सिंह ए. डी. (आई. एस.वी.)
2	ग्राम पथवारी में जाकिर के मकान	767387.00	619739.00	147648.00	12395.00	—	मै. मां शारदे जैन आयरन	श्री संजीव शर्मा

	से कामिल के मकान तक सी.सी. रोड नाली निर्माण						ट्रेडर्सबछरायूं मै. केशव ईंट उद्योग सुदेश सिंह कान्हेक्टर मै. राहत बिल्डिंग मैटेरियल्स धनौरा	
3	मिलक अख्तियार मे चौराहे से कपसुआ तक मिट्टी खडंजा निर्माण	567007.00	389955.00	177052.00	7695.00	---		श्री शेर सिंह ए.डी. (आई.एस.वी.)
4	ग्राम शहजादपुर में मास्टर रामचरन के मकान से वेदपाल के खेत तक मिट्टी /खडंजा कार्य	175861.00	118806.00	57055.00				श्री जे.डी. सारस्वत ए.डी. (आई.एस.वी.)
5	जैथल में प्राइमरी पाठशाला से मन्दिर के पास तक मिट्टी खडंजा कार्य	274734.00	135940.00	410674.00	5498.00			श्री जे.डी. सारस्वत ए.डी. (आई.एस.वी.)
6	ग्राम मुसल्लेपुर में आश्रम से रघुवीर के घर तक मिट्टी /खडंजा कार्य	317894.00	266844.00	51050.00	5337.00			श्री शेर सिंह ए.डी. (आई.एस.वी.)
7	ग्राम वाजिदपुर में वसन्ता के मकान से बन्धे तक मिट्टी /खडंजा कार्य	444019.00	290125.00	153894.00	5498.00			श्री शेर सिंह ए.डी. (आई.एस.वी.)
	योग	3130531.00	2031594.00	1170817.00	44627.00	---		

उपरोक्त तालिका से विदित है कि उपरोक्त कराये गये कार्य हेतु क्रय सामग्री पर रू0- 44627.00 टी.डी. एस. की कटौती की गयी थी। किन्तु कोषागार में इस राशि के जमा किये जाने के प्रमाण में चालान आदि नहीं पाया गया। उक्त सभी कराये गये कार्य हेतु श्रमांश रू0- 1170817.00 मजदूरों को भुगतान न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। क्रमांक 4 पर दर्शित कार्य की कार्य योजना नहीं है। कार्य योजना में कार्य के न होने पर भी कोई कार्य कराया जाना गम्भीर अनियमितता है। टी.डी.एस. 2 प्रतिशत की दर से रू0- 2376.00 की कटौती नहीं की गयी थी। सामग्री विक्रेता का नाम अज्ञात रहा अतः दर्शित कुल व्यय रू0- 175861.00 संदिग्ध है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। क्रमांक 5 पर दिखाए गये कार्य पर हुए सामग्री के व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। प्रमाणकों के अभाव में दर्शित व्यय रू0- 274737.00 संदिग्ध है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। क्रमांक 3 से 7 तक दर्शित कार्यों से सम्बन्धित फर्मों की जानकारी नहीं हो सकी। क्रय सामान का कोई फर्म के नाम सहित विवरण नहीं पाया गया। उक्त गम्भीर अनियमितताओं के लिए ख.वि.अ. अवर अभियन्ता कार्य प्रभारी व लेखाकार व ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

आपत्ति संख्या- 6(6) सम्बन्धित धनराशि-274734.00, व 44627.00

प्रस्तर-230 वर्ष 2012-13 में तेरहवां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से निम्नलिखित कार्य कराये गये थे-

क्रं	कार्य का नाम	लागत/ धनराशि	सामग्री की धनराशि	मजदूरी/ श्रमांश	वैट	नाम फर्म स्वीकृत हुई	नाम कर्मचारी
1	इब्राहिमपुर में ओमपाल के मकान से जयपाल के खेत	343613.00	291988.00	55630.00	5841.00	मै. चौधरी ईंट उद्योग पेलीतगा मै. राहत अल्वी	श्री शेर सिंह ए.डी. (आई.एस.वी.)

	तक व रोहताश के मकान से वाहे के पास तक नाला निर्माण					धनौरा शकुन ट्रेडर्स सुदेश कान्द्रेक्टर	वी.)
2	खण्ड विकास कार्यालय व बी.डी. ओ. आवास में वाटर सप्लाई समर सेविल, सेनेटरी का कार्य	129360.00	—	—	2587.00	मै अरिहन्त एग्रीकल्चर धनौरा	श्री शेर सिंह ए.डी. (आई.एस. वी.)
3	ग्राम हैवतपुर में प्राइमरी स्कूल से इरफान के मकान तक चक्की से हनीफ के घर तक मोहित से ज्ञानेन्द्र के मकान तक मेन रोड से तालाब तक नाला निर्माण	557591.00	457487.00	100104.00	9149.00	मै. केशव ईट उद्योग सुजमना केशव आयरन ट्रेडर्स सुदेश सिंह कान्द्रेक्टर	श्री दिग्विजन सिंह ए.डी. (आई.एस. वी.)
4	ग्राम हैवतपुर में शमशाद के मकान से उपेन्द्र के मकान तक नाली निर्माण	72200.00	62180.00	10020.00	1244.00	अमन ब्रिक वर्क्स मै. केशव ईट उद्योग सुजमनासुदेश सिंह कान्द्रेक्टर	
	श्री शेर सिंह ए.डी. (आई.एस.वी.)						
5	ग्राम लाडनपुर में भोलु के मकान से राजपाल के मकान तक नाला निर्माण	15628287.00	128815.00	27472.00	2576.00	मै. केशव ईट उद्योग सुजमना केशव आयरन ट्रेडर्स सुदेश सिंह कान्द्रेक्टर	श्री डी.बी सिंह ए.डी. (आई.एस. वी.)
6	ताजपुर में शाहबुद्दीन के मकान से हफीस के मकान तक नाली निर्माण	69276.00	57898.00	11378.00	1158.00	मै. केशव ईट उद्योग सुजमना मै. शारदा जैन आयरन स्टोर	श्री दिग्विजन सिंह ए.डी. (आई.एस. वी.)
7	वाजिदपुर में छत्तर के मकान से तालाब तक व फत्ते के मकान से बुन्दु के मकान तक पूर्व निर्मित नाले पर आर.सी.सी. क्रासिंग का कार्य	305782.00	245442.00	60340.00	5400.00		श्री शेर सिंह ए.डी. (आई.एस. वी.)
8	चौहरपुर बगड़ में प्रा.वि. से तालाब तक नाला निर्माण	449623.00	355081.00	94572.00	7060.00	मै. केशव ईट उद्योग सुजमना मै. शारदा जैन आयरन स्टोर मै. राहत अल्वी धनौरा	श्री दिग्विजन सिंह ए.डी. (आई.एस. वी.)
9	ग्राम सला नगला में देवेन्द्र के मकान से तालाब तक नाला निर्माण	364148.00	282074.00	82074.00	2872.00		श्री दिग्विजन सिंह ए.डी. (आई.एस. वी.)
10	अख्तियारपुर भूड में	205900.00	172450.00	33450.00	3449.00	लक्ष्मी ईट उद्योग	श्री जे.डी.

	मिट्टू के मकान से नसरे के मकान तक नाला निर्माण					डींगरा मै. केशव ईट उद्योग सुजमना सुदेश सिंह कान्हेक्टर	सारस्वत ए.डी. (आई.एस. वी.)

क्रमांक 1,2,4, व 10 पर दर्शित कार्य वर्ष 2013-14 की कार्य योजना में नहीं है। रू0- 41336.00 टी.डी.एस की कटौती की गयी थी। किन्तु यह राशि कोषागार में जमा किये जाने का प्रमाणक नहीं है। श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारी को किया गया था। शासनादेश संख्या ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रू0- एक लाख से अधिक की सामग्री टेण्डर आमंत्रित करके क्रय की जानी थी किन्तु ऐसा न करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। क्रमांक 1,2 व 7 पर दर्शित कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं है। अतः इन तीनों कार्यों पर व्यय कुल रू0- 778755.00 फर्जी है। क्रमांक 8 पर दर्शित कार्य के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार सामग्री रू0- 355081.00 की क्रय दिखाई है। जबकि वाउचर रू0- 352971.00 के हैं। अतः रू0- 2110/- का वाउचर अप्राप्त है। अन्तर रू0- 2110/- का है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित कार्यों पर किया गया दिखाया खर्च सन्देहात्मक है। विस्तृत विभागीय जांच के बाद उत्तरदायी ख.वि.अ. अवर अभियन्ता कार्य प्रभारी व लेखाकार व ब्लाक प्रमुख से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 7(7) सम्बन्धित धनराशि-778755.00, 2110.00 व 41336.00

प्रस्तर संख्या-231 शासनादेश सं0 ए-1-122 /दस-2012-10(33) 2010 दिनांक 21-03-2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में जमा रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है। तब अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होता है। जिसे राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश का उल्लंघन है। आलोच्य वर्षों में खाता संख्या 85842200113167 पर कुल रू0- 289814.88 ब्याज अर्जित किया गया।

उपरोक्त शासनादेश की अवहेलना करके अनुदान की राशियों पर प्राप्त ब्याज को वर्षान्त में शासन /विभाग को वापस न करने के लिए तत्कालीन ख.वि.अ. व लेखाकार उत्तरदायी है। इस प्रति उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 8(9) सम्बन्धित धनराशि-289814.88

(10) क्षेत्र पंचायत का नाम -अमरोहा वर्ष - 2011-12 से 2013-14

वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान स कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है-

क्रं	कार्य का नाम	कार्य प्रभारी का नाम	सामग्री	श्रमांश	टी.डी.एस.
1	आर.बी. से लाल नंगला चक्कालीलेट मार्ग से मोड़ी पटरी मार्ग से बन्टी के घर तक मिट्टी खडंजा निर्माण कार्य	गौरव गन्धर्व ग्रा. वि.अ.	92137.00	50850.00	2119.00
2	आर.बी. ग्राम जुडेरना से सुन्दर के घर से सुरेन्दरी के घर तक मिट्टी /खडंजा कार्य	गौरव गन्धर्व ग्रा. वि.अ.	159994.00	72390.00	3680.00
3	आर.बी. इब्राहीमपुर से मुडा कांकर खेड़ा मार्ग पर खडंजा कार्य	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	53156.00	21140.00	1222.00
4	आर.बी. रतपुरखुर्द से भेड़ा भरतपुर मार्ग पर पुलियो का निर्माण	मदनपाल सिंह ए. डी.ओ. (एस.टी.)	46305.00	26920.00	1065.00
5	आर.बी. भेड़ा भरतपुर में नगला रोड से मन्दिर तक सी.सी. कार्य।	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	209193.00	67880.00	4811.00
6	ग्राम खालकपुर कला में शेखों वाली चक्की से तालाब तक नाला निर्माण कार्य।	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	322155.00	79560.00	7410.00
7	ग्राम भेड़ा भरतपुर में तालाब तक आउटरफाल निर्माण धनाला निर्माण कार्य।	तेजपाल सिंह स. वि.अ. (सा.) विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	193805.00	37720.00	7457.00
8	आर.बी. मुकारी में अमरोहा धनौरा रोड से उधमसिंह के मकान तक सी.सी. कार्य	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	28418.00	92400.00	11113.00
9	आर.बी. बुडेरना में सरेन्डी वाले खडंजे से	विजयपाल सिंह	79537.00	17760.00	1829.00

	चामुन्डा तक खडंजा व नाली निर्माण	ए.डी.ओ. (एस.टी.)			
10	आर.बी. प्रांगण आवासीय परिसर में पडंजा निर्माण कार्य	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	36519.00	14160.00	840.00
11	आर.बी. पीपली घोसी से कूरी मार्ग पर खडंजा निर्माण कार्य	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	817413.00	704580.00	18799.00
12	आर.बी. ग्राम मखदूमपुर में श्री राम जू हाईस्कूल में इण्टरलाकिंग कार्य	सुनील कुमार त्यागी ग्रा.वि.अ.	124129.00	21200.00	187.00
13	आर.बी. गांव शाहिदपुर में गांव के उत्तर पश्चिम पुलिया से शाहबाजपुर व बीवड़ा खुर्द रास्ते पर खडंजा कार्य	सुनील कुमार त्यागी ग्रा.वि.अ.	126658.00	34960.00	2913.00
14	आर.बी. जनरेटर की सुरक्षा हेतु जाल एवं चबुतरा निर्माण एवं कार्यालय स्टाफ रूम में लोहे के दरवाजे का निर्माण कार्य।	सुनील कुमार त्यागी ग्रा.वि.अ.	16548.00	—	—
15	आर.बी. शेखपुरा में मंदिर स मेन रास्ते तक सी.सी. रोड ६ नाली निर्माण कार्य	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	1512771.00	107320.00	8702.00
16	आर.बी. इब्राहीमपुर में मंदिर के सामने इण्टर लाकिंग कार्य	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	56180.00	9020.00	1292.00
17	गालिबबाड़ा में ओमप्रकाश के घर के आगे तालाब की दीवार का निर्माण कार्य	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	90844.00	11760.00	2089.00
18	ग्राम ताजपुरया की मे प्रा. स्कूल के पीछे तालाब की दीवार कार्य।	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	100420.00	20000.00	2310.00

प्रस्तर-232 वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर कार्य करने वा ले मजदूरों को सीधे मजदूरी भुगतान न करके रु0- 908240.00 सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया था। मजदूरी प्राप्तकर्ता कार्य प्रभारियों का नाम उपरोक्त तालिका में कालम क्रमांक 3 में दिखाया गया है अपवाद स्वरूप क्रमांक 15 पर दर्शित सामग्री क्रय के अतिरिक्त जिसका भुगतान मै. अमीन अहमद कान्स्ट्रक्टर सेदपुर इम्मा अमरोहा को चौक के माध्यम से किया गया था। सभी खरीद का मै. साई कान्स्ट्रक्शन कं. को भुगतान किया गया है। मजदूरों को सीधे मजदूरी भुगतान बैंक के माध्यम से न किया जाना तथा एक ही आपूर्तिकर्ता फर्म से सामग्री आपूर्ति कराया जाना मजदूरी भुगतान व सामग्री क्रय में मनमाने ढंग से भुगतान किया जाना दर्शाता है। क्रमांक 15 पर दिखाया शेखपुरा में मंदिर से मैन रास्ते तक सी.सी. रोड/नाली निर्माण पर 10 लाख रुपये से अधिक व्यय हुआ दिखाया है। जिसके लिये जिला पंचायत / क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1980 एवं उ.प्र. जिला पंचायत / क्षेत्र पंचायत निर्माण नियमावली 1965 के नियम संख्या 16 के अनुसार 10 लाख से अधिक के आगणन के लिये सरकार से कार्य की स्वीकृति ली जानी चाहिए थी जो नहीं ली गयी। अतः सभी दिखाया व्यय संदिग्ध है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ., लेखाकार जे.ई. व कार्यप्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 1(4(1)) सम्बन्धित धनराशि-3119906.00

प्रस्तर-233 क्षेत्र पंचायत अमरोहा की लेखा परीक्षा के समय वर्ष 2011-12 में 100000.00 रु0 से अधिक वास्तविक मूल्य की सामग्री टुकड़ो-2 में वर्ग दिखाकर टेन्डर प्रक्रिया से बचने के उद्देश्य से अनियमित एवं मनमानी दरों पर उक्त कराये गये कार्यों में क्रमांक 2,5,6,7,8,11,12,13, व 18 पर दर्शित क्रय सामग्री जो 1 लाख रुपये से अधिक मूल्य की थी मनमानी दरों पर खरीदी गयी थी। जबकि उ.प्र.सरकार शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रु एक लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित करके क्रय की जानी चाहिए थीं ऐसा न करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। तथा संस्था को प्रतियोगी दरों के लाभ से वंचित रहना पड़ा है। निविदाएं आमंत्रित करके सामग्री न क्रय करने के लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। इस प्रति अपेक्षित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 1(4(2)) सम्बन्धित धनराशि-00

प्रस्तर 234 क्षेत्र पंचायत अमरोहा की लेखा परीक्षा के समय वर्ष 2011-12 में टी.डी.एस. रु0- 73381.00 काटा गया है किन्तु कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि में चालान अथवा अन्य कोई प्रमाण नहीं पाया गया। अतः टी.डी.एस. के कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। जिसके लिए तत्कालीन ख. वि.अ. व लेखाकार उत्तरदायी है।

आपत्ति संख्या- 1(3(अ)) सम्बन्धित धनराशि-73381.00

प्रस्तर 235 उपरोक्त तालिका के अनुसार टी.डी.एस कटौती रु0— 4327182.00 की सामग्री खरीद पर रु0— 73381.00 की गयी थी जबकि 2.24 प्रतिशत की दर से रु0— 96321.00 कटौती की जानी चाहिए थी इस प्रकार रु0— 23548.00 कम कटौती करके राजस्व की क्षति पहुचाई गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ख.वि.अ. से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 1(3(ब)) सम्बन्धित धनराशि—23548.00

प्रस्तर 236 वर्ष 2012—13 में राज्य वित्त आयोग व तेरहवां वित्त आयोग की बैंक में जमा अनुदान राशि में से रु0— 3679629.00 राज्य वित्त आयोग व रु0 726691.00 तेरहवां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान कुल रु0— 4416320.00 आहरण किये गये थे। जिसमें से उपलब्ध करायी गयी 6 कार्यों की पत्रावलियों के अनुसार रु0— 1544456.00 सामग्री पर व रु0— 304460.00 मजदूरी पर कुल रु0— 1848916.00 व्यय हुआ था। बैंक से आहरण की गयी राशि रु0— 4416320.00 के सापेक्ष रु0— 1544456.00 की ही अर्थात् रु0— 1848916.00 के कार्यों की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी जिसके लिये ख.वि.अ. श्री रनवीर सिंह व तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। इनसे पत्रावलियों से सम्बन्धित व्यय रु0— 1848916.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 2(5) सम्बन्धित धनराशि—1848916.00

वर्ष 2012—13 में राज्य वित्त आयोग व तेरहवां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है—

क्रं	कार्य का नाम	कार्य प्रभारी का नाम	सामग्री	श्रमांश	टी एस डी
1	गजस्थल में डाबर रोड से काली के मंदिर तक सीमेन्ट इन्टरलाकिंग टाइल्स कार्य	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	240762.00 43144.00	16800.00 22082.00	5538.00 992.00
2	जमना केल बकरी मार्ग से मनवीर चिकारा तक	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	84000.00 75801.00 2352.00	35800.00 20400.00	1952.00 1743.00 54.00
3	ग्राम बहलोलपुर में शिव मंदिर के सामने पूरब की ओर सुरक्षा दीवार कार्य	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	84283.00 11514.00	14040.00	1939.00 265.00
4	महमूदपुर में प्रा.वि. के तालाब की दीवार	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	260305.00 197132.00 33600.00	76320.00 10800.00	5987.00 4534.00 773.00
5	मकदूमपुर पीपली घोसी मार्ग पर पी.डब्ल्यू.डी. रोड से के.वी.एम. इंटर कालिज तक सी.सी. रोड	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	252720.00 216098.00 5485.00	40080.00 54640.00 13500.00	5813.00 4970.00 126.00
6	साइन बोर्ड स्थापना पत्रावली/ निर्माण कार्य पर साइन बोर्ड एव फोटो ग्राफी पर व्यय	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	37260.00	--	--
	योग		1544456.00	304460.00	35543.00

प्रस्तर 237 वर्ष 2012—13 में मजदूरों की मजदूरी का भुगतान सीधे न करके श्री विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.) को किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाया गये उस पर लगे निशान अंगूठा/ हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं है। कार्य में लगे मजदूर किस गांव के है उनका पता नहीं लिखा है। स्पष्ट है कि मस्टररोल काल्पनिक तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये है। और मजदूरी मद में रु0— 304460.00 का वर्ष 2012—13 में योजनाबद्ध तरीके से निजी हित में दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ., लेखाकार जे.ई. व कार्यप्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 3(1) सम्बन्धित धनराशि—304460.00

प्रस्तर 238 वर्ष 2012-13 में उपलब्ध कराई गयी 6 पत्रावलियों के अनुसार टी.डी.एस कटौती रु0- 35543.00 की गयी थी जबकि 2.24 प्रतिशत की दर से रु0- 37067.00 कटौती की जानी चाहिए थी इस प्रकार रु0- 1524.00 कम कटौती करके राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ख.वि.अ. से की जानी अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी.डी.एस. रु0- 35543.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं. / बैंक स्टेटमेंट / चालान / दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 3(2) सम्बन्धित धनराशि-1524.00, 35543.00

प्रस्तर 239 वर्ष 2012-13 में कुल निर्माण सामग्री रु0- 1544456.00 की क्रय की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला वाणिज्य कर (वैट) क्रय सामग्री के प्रमाणकों पर चार्ज नहीं किया गया था। और न ही वैट काटकर संस्था द्वारा विक्रेता को मूल्य भुगतान किया गया था। वैट न काटकर राज्य सरकार को 4 प्रतिशत की दर से 61778.00 रु राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति रु0- 61778.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन ख.वि.अ.से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 3(3) सम्बन्धित धनराशि-61778.00

प्रस्तर 240 क्षेत्र पंचायत के कार्यों के सम्पादन हेतु श्री विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.) की नियुक्ति की गयी थी। पत्रावलियों के अवलोकन से यह प्रकाश में आया कि एक कार्य प्रभारी एक समय में एक से अधिक कार्यों हेतु प्रभारी बनाया गया था। जबकि एक समय में अनेक कार्यों की जांच व निष्पादन सम्बन्धी कार्य सम्भव नहीं है। उदाहरणार्थ ग्राम गजस्थल में डाबर रोड से काली के मन्दिर तक इन्टरलाकिंग का कार्य दिनांक 12-03-2013 को प्रारम्भ किया गया था। और दिनांक 25-03-2013 को समाप्त किया गया था। जबकि इसी अवधि में दिनांक 11-03-2013 को ग्राम बहलोलपुर में शिव मंदिर के सामने पूरब की ओर सुरक्षा दीवार का कार्य कराया गया था। दिनांक 18-03-2013 को समाप्त हुआ था। इसमें कार्य प्रभारी व अधिकारियों के मध्य साजिश के तहत कार्य सम्पादित कराया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार कार्य प्रभारी के चयन में समय व कार्य के महत्व को भी ध्यान में नहीं रखा गया जिसके लिये तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 3(4)

प्रस्तर -241 वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत द्वारा 1 लाख से अधिक की धनराशि का निम्नलिखित क्रय खर्च बिना टेण्डर आमन्त्रित किये ही किया गया था। जबकि उ.प्र. सरकार के शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार टेन्डर आमन्त्रित करके ही खर्च किया जाना चाहिए था।

- 1- 451435 / 12-09-2012 260305.00
- 2- 451437 / 24-09-2012 252720.00
- 3- 451422 / 30-10-2012 216098.00
- 4- 014681 / 16-03-2013 235224.00

उक्त चौकों के द्वारा क्रय सामग्री रु0- 1 लाख से अधिक मूल्य की बिना टेन्डर आमन्त्रित किये ही उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए मनमानी दरो पर क्रय की गयी थी। जिससे क्षेत्र पंचायत को प्रतियोगी दरो के लाभ की सीमा तक आर्थिक क्षति पहुंची है। जिसके लिये तत्कालीन ख.वि.अ., ब्लाक प्रमुख, लेखाकार जे.ई. व कार्यप्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 4(7) सम्बन्धित धनराशि-

प्रस्तर 242 वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है-

क्रं	कार्य. का नाम	कार्य प्रभारी का नाम	सामग्री	श्रमांश	टी.डी.एस.
1	मूडाखेड़ा में मंदिर से वीरेन्द्र सिंह के मकान तक इन्टरलाकिंग टाइल्स कार्य	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	64690.00	135310.00 4500.00	14940.00
2	विकासखण्ड कैम्पस में स्थित पी.डी. आवास की रंगाई पुताई व अन्य कार्य	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	91040.00	.	..
3	विकासखण्ड कैम्पस में स्थित सभा कक्ष की रंगाई पुताई आदि का कार्य	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	43749.00	..	1006.00

4	विकासखण्ड कैम्पस में पश्चिम साईड में चार दीवारी व सोफपीट आदि कार्य	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	133660.00	21595.00 11915.00	3073.00
5	विकासखण्ड कार्यालय में समलसेविल पम्प का मरम्मत कार्य	विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.)	15034.00	..	..
	योग		933173.00	173320.00	19019.00

वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त आयोग व 13 वां वित्त आयोग की बैंक में जमा अनुदान राशि में से रु0-8658091.00 आहरण किये गये थे। इस आहरण की गयी धनराशि में से उपलब्ध करायी गयी 5 कार्यों की पत्रावलियों के अनुसार 5 कार्यों पर रु0- 933173.00 सामग्री खरीद पर तथा रु0- 173320.00 श्रमांश पर कुल रु0- 1106493.00 व्यय किया गया था। अन्तर की राशि रु0- 7551598.00 के कराये गये कार्यों की पत्रावलियां क्षेत्र पंचायत में न होने की दशा में अनुदान की बैंक से आहरण की गयी धनराशि का दुरुपयोग है। जिसके लिये तत्कालीन ख.वि.अ., श्री रनवीर सिंह/श्री शौकत अली व पदमकान्त शुक्ल श्री चरन सिंह व सम्बन्धित लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 5(8) सम्बन्धित धनराशि-7551598.00

प्रस्तर 243 वर्ष 2013-14 में कुल निर्माण सामग्री रु0- 933173.00 की क्रय की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला वाणिज्य कर (वैट) क्रय सामग्री के प्रमाणकों पर चार्ज नहीं किया गया था। और न ही वैट काटकर संस्था द्वारा विक्रेता को मूल्य भुगतान किया गया था। वैट न काटकर राज्य सरकार को 4 प्रतिशत की दर से 37327.00 रु राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति रु0- 37327.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन ख.वि.अ.से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 6(1) सम्बन्धित धनराशि-37327.00

प्रस्तर 244 उपरोक्त तालिका के अनुसार टी.डी.एस कटौती रु0- 933173.00 की सामग्री खरीद पर रु0- 19019.00 की गयी थी जबकि 2.24 प्रतिशत की दर से रु0- 20903.00 कटौती की जानी चाहिए थी इस प्रकार रु0- 1884.00 कम कटौती करके राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ख. वि.अ. से की जानी अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी.डी.एस. रु0- 19019.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं./बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 6(2) सम्बन्धित धनराशि-20903.00, 19019.00

प्रस्तर 245 वर्ष 2013-14 में उक्त सभी 5 कार्यों के कार्य प्रभारी विजयपाल सिंह ए.डी.ओ. (एस.टी.) रहे हैं। श्रमांश का भुगतान भी उन्ही को किया गया। विकासखण्ड कैम्पस में स्थित पी.डी. आवास की रंगाई पुताई व विकासखण्ड कैम्पस में स्थित सभा कक्ष की रंगाई पुताई आदि का कार्य तथा कैम्पस में पश्चिम साईड में चार दीवारी व सोफपीट आदि कार्य समान अवधि में सम्पादित हुए हैं जिन कार्यों पर क्रमशः रु0- 91040.00 व रु0- 43749.00 तथा रु0- 133660.00 की सामग्री क्रय की गयी थी। क्रमांक 2 व 3 पर दर्शित दोनो कार्य समान प्रकृति के थे. निर्माण सामग्री रु0- 133660.00 की टुकड़ो-2 में क्रय की गयी थी। दोनो कार्यों के समान की आपूर्तिकर्ता मै. साईं कंस्ट्रक्शन कं. नामक एक ही फर्म ती. क्रमांक 1 पर दर्शित 5 लाख रु से अधिक लागत का कार्य होने पर प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गयी थी। उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार टेन्डर प्रक्रिया से बचने हेतु ईट खरीद टुकड़ो में की गयी थी। इस प्रकार रु0- 586095.00 के व्यय से सम्बन्धित गम्भीर अनियमितताओं के लिए तत्कालीन ख.वि.अ. व लेखाकार के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 6(3) सम्बन्धित धनराशि-1106493.00

प्रस्तर संख्या-246 शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21-03-2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में जमा रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है। तब अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होता है। जिसे राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश का उल्लंघन है। आलोच्य वर्षों में कुल रु0- 276407 ब्याज अर्जित किया गया।

उपरोक्त शासनादेश की अवहेलना करके अनुदान की राशियों पर प्राप्त ब्याज को वर्षान्त में शासन / विभाग को वापस न करने के लिए तत्कालीन ख.वि.अ. व लेखाकार उत्तरदायी है। इस प्रति उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 7(23) सम्बन्धित धनराशि—276407.00

(11) क्षेत्र पंचायत का नाम —जोया वर्ष —2011—12 से 2013—14

प्रस्तर संख्या—247 एस.जी.एस.वाई के बैंक में गतवर्ष के शेष रू0— 446789.37 थे। वर्ष 2011—12 में रू0— 1507500.00 और प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल जमा धनराशि रू0— 1954289.37 का आहरण दौरान साल ऑडिट किया गया था। लेखा परीक्षा में इस धनराशि के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत कर आगामी ऑडिट में जांच कराई जानी अपेक्षित है। अभिलेख न होने की दशा में उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 1(1) सम्बन्धित धनराशि—1954289.37

प्रस्तर संख्या—248 राज्य वित्त आयोग व 13 वां वित्त आयोग की बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज रू0— 223456.71.00 खर्च किये गये थे। खर्च से सम्बन्धित विवरण व प्रमाणक नहीं पाए गए। जो अगले ऑडिट के समय प्रस्तुत कर जांच करायी जानी अपेक्षित है। ब्याज की राशि खर्च किये जाने से सम्बन्धित विवरण व प्रमाणक न उपलब्ध कराने के लिए ख.वि.अ. व लेखाकार उत्तरदायी है।

आपत्ति संख्या— 1(2) सम्बन्धित धनराशि—223456.71

प्रस्तर संख्या—249 विधायक निधि का वर्ष 2011—12 में रू0— 1032565.00 बैंक से आहरण करके व्यय किया गया था। लेखा परीक्षा में इस निधि से कराये गये किसी भी कार्य की पत्रावली नहीं उपलब्ध करायी गयी। व्यय से सम्बन्धित पत्रावली न होने की दशा में तत्कालीन ख.वि.अ. व लेखाकार उत्तरदायी है। इस प्रति उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 1(3) सम्बन्धित धनराशि—1032565.00

प्रस्तर संख्या—250 वर्ष 2011—12 में टी.डी.एस. रू0— 99664.00 काटा गया है किन्तु कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि में चालान अथवा अन्य कोई प्रमाण नहीं पाया गया। अतः टी.डी.एस. के कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. व लेखाकार उत्तरदायी है।

आपत्ति संख्या— 1(4) सम्बन्धित धनराशि—99664.00

प्रस्तर संख्या—251 वर्ष 2011—12 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि में से रू0— 5253549.00 बैंक से आहरण किये गये थे। जिसमें से रू0— 3337557.00 8 कार्यों पर दौरान साल खर्च किये गए शेष रू0— 3737557.00 व्यय से सम्बन्धित कोई विवरण / पत्रावली आदि नहीं पायी गयी। जिसके अभाव में इस धनराशि के अपहरण किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये तत्कालीन ख.वि.अ., ब्लाक प्रमुख व सम्बन्धित लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 2 सम्बन्धित धनराशि—3337557.00

वर्ष 2011—12 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से निम्नलिखित कार्य कराये गये थे—

क्र	कार्य का नाम	कुल खर्च / लागत	सामग्री की धनराशि	मजदूरी / श्रमांश	टी.डी.एस.	कार्य प्रभारी का नाम
1	सरकड़ा कमाल में सी.सी. रोड / नाली निर्माण कार्य	449215.00	355495.00	93720.00	..	श्री मगफूर अहमद, ग्रा. वि.अ.
2	सिनौरा में सी.सी. रोड / नाली निर्माण कार्य	563485.00	438085.00	125400.00	8282.00	श्री मगफूर अहमद, ग्रा. वि.अ.
3	श्यामपुर में कांकर सराय तक मिट्टी / खड्जा निर्माण	847388.00	626828.00	220560.00	13939.00	श्री मगफूर अहमद, ग्रा. वि.अ.
4	श्योनाली में सी.सी. रोड / नाली निर्माण	490872.00	396672.00	94200.00	8789.00	श्री मगफूर अहमद, ग्रा. वि.अ.
5	रायपुर खुर्द में हाजी भूरे प्रधान	458565.00	369165.00	89400.00	8163.00	श्री

	सामने मास्टर वाली गली में सी.सी. रोड/नाली निर्माण कार्य.					पारसनाथ यादव ग्रा.वि. अ.
6	ग्राम सिनौरा में नाली निर्माण कार्य	234707.00	197027.00	37680.00	..	श्री मगफूर अहमद, ग्रा. वि.अ.
7	ग्राम नरी में मिट्टी खड्जा निर्माण	261555.00	188475.00	73080.00	4121.00	श्री मगफूर अहमद, ग्रा. वि.अ.
8	कार्यालय में पंखे, साउण्ड फिटिंग व टंकी फिटिंग कार्य	31770.00	..	..	..	
	योग	3337557.00	2571747.00	734040.00	43294.00	

प्रस्तर सख्या-252 क्रमांक 5 पर दर्शित कार्य की लागत रु०- 458565.00 थी जिसमें रु०- 3369165.00 की सामग्री टी.डी.एस. काटने के उपरान्त शुद्ध भुगतान रु०- 355996.00 की क्रयच की गयी थी सामग्री क्रय से पूर्व शासनादेश के अनुसार टेन्डर आमंत्रित नहीं किये गये थे। मूल्य भुगतान चेक द्वारा किया गया था। किन्तु किसी भी चौक के नं. व दिनांक का उल्लेख पत्रावली में नहीं किया गया था। मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके श्री पारस नाथ यादव , कार्यप्रभारी को किया गया था। एक साइन बोर्ड बनवाई खर्च रु०- 4500.00 किया गया था। उपलब्ध वाउचर पर नाम, दिनांक एवं हस्ताक्षर नहीं है। रबर स्टैम्प तक नहीं लगी है। एक अन्य फर्म के वाउचर नं. 13 पर तिथि नहीं लिखी है। क्षेत्र पंचायत में निर्माण सामग्री का स्टॉक रजिस्टर नहीं पाया गया। तथ्यों से स्पष्ट है कि क्रय सामग्री खर्च संदिग्ध है जिसके लिये तत्कालीन ख.वि.अ.,ब्लाक प्रमुखव सम्बन्धित लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 3(1) सम्बन्धित धनराशि-355996.00

प्रस्तर सख्या-253 उपरोक्त तालिका में दर्शित कार्य क्रमांक 2 पर वाउचर नं. 16/10-09-11 रु०- 4500-00 का भुगतान किसको किया गया नहीं दिखाया है। इस पर टी.डी.एस. भी नहीं काटा गया था। क्रमांक 3 पर वाउचर नं. 20808-10-12 रु०- 4500-00 का, क्रमांक 6 पर वाउचर नं. 11/15-03-11 रु०- 4500-00 का, क्रमांक 7 पर वाउचर नं. नहीं है 23-10-11 रु०- 4500-00 का कुल रु०-18000.00 का भुगतान श्री मगफूर अहमद, ग्रा.वि.अ. कार्य प्रभारी को किया गया था। इस धनराशि से कोई वस्तु क्रय नहीं की गयी थी। जैसा कि टी.डी.एस. न काटे जाने से भी विदित है। इस फर्जी दिखाए व्यय की प्रभारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। उनसे ब्याज सहित वसूली न हो सकने पर तत्कालीन ख.वि. अ.,ब्लाक प्रमुखव सम्बन्धित लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 3(2) सम्बन्धित धनराशि-18000.00

प्रस्तर सख्या-254 क्रमांक 2 पर कार्यालय में पंखे, साउण्ड सिस्टम व टंकी फिटिंग कार्य पर रु०- 31770.00 व्यय दिखाया है इस कार्य को कराए जाने हेतु किसी कार्य प्रभारी की नियुक्ति नहीं की गयी थी। कार्य कुटेशन के आधार पर मै. एम.टी इलैक्ट्रिकल्स जोया से कराया गया दिखाया था। दिनांक 17-11-2011 के तीन वाउचर पाए गए किन्तु किसी पर भी वाउचर नं. नहीं लिखा है। फर्म बिजली के सामान की है। जबकि टंकी फिटिंग का कार्य प्लम्बर का है। साउण्ड फिटिंग भी बिजली कार्य से सम्बन्धित नहीं है। वाउचर पर वाउचर नं. न होना एम.टी. इलैक्ट्रिकल्स का वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत न होना प्रकट करता है। पंखे, साउण्ड सिस्टम व टंकी फिटिंग कार्य संदिग्ध है। इस प्रति ख.वि.अ.,ब्लाक प्रमुखव सम्बन्धित लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 3(3) सम्बन्धित धनराशि-31770.00

प्रस्तर- 255 क्रमांक 1 से 7 तक कराए गए कार्यों हेतु सामग्री रु०- 2571747.00 की क्रय दिखाई गयी है। जिस पर टी.डी.एस कटौती रु०- 43294.00 की गयी थी जबकि 2.26 प्रतिशत की दर से रु०- 58121.00 कटौती की जानी चाहिए थी इस प्रकार रु०- 14827.00 कम कटौती करके राजस्व की क्षति पहुचाई गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ख.वि.अ. से की जानी अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी.डी. एस. रु०- 43294.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं./बैंक स्टेटमेंट/चालान /दाखिल रिटर्न

उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार उत्तरदायी ख.वि.अ. के विरुद्ध कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 3(2) सम्बन्धित धनराशि-14827.00

वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित कार्यों पर भी हुए खर्चों से सम्बन्धित पत्रावलियां उपलब्ध कराई गयी थी-

क्रं	कार्य का नाम	कुल खर्च/ लागत	सामग्री की धनराशि	मजदूरी/ श्रमांश	टी.डी.एस.
1	फरासपुरा में सी.सी. रोड व नाली निर्माण कार्य	468640.00	365440.00	103200.00	
2	मवालपर माफ़ी में सी.सी. रोड व नाली निर्माण कार्य	551840.00	427100.00	124740.00	
3	सिरसाखुमार में तालाब की दीवार निर्माण कार्य	1093615.00	925855.00	167760.00	8986.00
4	अतरासी कलां में तालाब की दीवार निर्माण कार्य	300640.00	253480.00	47160.00	1162.00
5	दीपपुर में नाला निर्माण	178527.00	150567.00	27960.00	..
6	पतेई में बुढनपुर रोड पर मिट्टी खड़जा	653740.00	501400.00	152340.00	11070.00
7	विकासखण्ड परिसर में रंगाई-पुताई	30985.00	13825.00	17160.00	..
8	हसनपुर कलां में सी.सी. रोड व नाली निर्माण कार्य	856285.00	519845.00	136440.00	11543.00
9	तावाई में नाला निर्माण कार्य	276590.00	233750.00	42840.00	..
10	नसीरपुर में पक्की सड़क से इस्लाम के घर तक मिट्टी / खड़जा	293767.00	208987.00	84780.00	..
11	कांकर सराय में तालाब दीवार	736545.00	620115.00	116430.00	1155.00
12	माली खेड़ा में मस्जिद से तालाब तक सी. सी. रोड नाली	574000.00	434590.00	139410.00	9628.00
13	सिक्ख इ.का. नारंगपुर में खेल मैदान	314925.00	259545.00	55380.00	2468.00
	योग		4914499.00	1215600.00	43012.00

प्रस्तर संख्या-256 उपरोक्त दर्शित कार्य में निम्नलिखित कार्यों पर सामग्री क्रय पर हुए भुगतान के चेक नं. / तिथि अंकित नहीं है। जिससे उनके भुगतान नकद किए गए थे अथवा चेक के द्वारा किये गये थे जिसकी जानकारी नहीं हो सकी।

क्र	कार्य का नाम	लागत	सामग्री मूल्य जिसका चेक सन्दर्भ नहीं	वाउचर नं व दिनांक	अभ्युक्ति
1	फरासपुरा में सी.सी. रोड व नाली निर्माण कार्य	468640.00	2100.00	16 / 28.05.11	...
2	दीपपुर में नाला निर्माण	178527.00	4500.00 4577.00 11740.00	/ 13.03.11 8 / 10.03.11 14 / 09.03.11	चेक नं. अंकित नहीं है
3	तावाई में नाला निर्माण कार्य	276590.00	34300.00 27450.00 71750.00 95750.00	06 / 08.06.11 65 / 08.06.11 / 17.06.11 / 14.06.11	..
4	कांकर सराय में तालाब दीवार	736545.00	4500.00	/ 27.09.11	चेक नं. व वाउचर नं. अंकित नहीं है
5	माली खेड़ा में मस्जिद से तालाब तक सी.सी. रोड नाली	574000.00	110.00	/ 08.12.11 / 09.12.11	वाउचर नं. नहीं है शेष सभी वाउचर की सं. व दिनांक तो है किन्तु क्रय सामग्री के भुगतान से सम्बन्धित चेकों का नं. व दिनांक नहीं है।
6	सिक्ख इ.का. नारंगपुर में खेल मैदान	314925.00	4500.00	...	सभी क्रय सामग्री हेतु निर्गत हेतु निर्गत चेकों का नं. व दिनांक नहीं अंकित है।

			261277.00		

उपरोक्तानुसार रू0— 261277.00 की सामग्री जिन वाउचर्स के आधार पर क्रय की गयी थी उनमें कतिपय वाउचर नं. नहीं है। जिससे विक्रेता का अधिकृत वाउचर न होना प्रकट होता है। यह सभी भुगतान नकद हुए हैं अथवा चौक के माध्यम से किए गये हैं इसकी जानकारी हेतु सम्बन्धित चेक नं. अंकित नहीं है। टी. डी.एस. कटौती नहीं की गयी है। जिससे स्पष्ट होता है कि दर्शित क्रय सामग्री काल्पनिक है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ., ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता कार्य प्रभारी व सम्बन्धित लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 4(1) सम्बन्धित धनराशि—261277.00

प्रस्तर संख्या—257 क्रमांक 2,6,8,11 व 12 पर दर्शित कार्यों की लागत रू0— 5 लाख से अधिक थी किन्तु उनकी कार्य योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी से कराया गया नहीं पाया गया तथा प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण भी सक्षम तकनीकी अधिकारी का नहीं पाया गया। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 4(2) सम्बन्धित धनराशि—00

प्रस्तर संख्या—258 क्रमांक 3 पर दर्शित कार्यों की लागत रू0— 1093615.00 थी। जिला पंचायत/ क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1960 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत / क्षेत्र पंचायत निर्माण नियमावली 1965 के नियम 16 के अनुसार रू 10 लाख से अधिक के आंगणन की तकनीकी स्वीकृति राज्य सरकार से ली जानी आवश्यक है। किन्तु उक्त कार्य हेतु सरकार से स्वीकृति न लेकर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 4(3) सम्बन्धित धनराशि—1093615.00

प्रस्तर संख्या—259 क्रमांक 1 से तक व 8 से 13 तक दर्शित क्रय सामग्री जो 1 लाख रुपये से अधिक मूल्य की थी मनमानी दरो पर खरीदी गयी थी। जबकि उ.प्र.सरकार शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रू एक लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित करके क्रय की जानी चाहिए थीं ऐसा न करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। तथा संस्था को प्रतियोगी दरो के लाभ से वंचित रहना पड़ा है। निविदाएं आमंत्रित करके सामग्री न क्रय करने के लिए तत्कालीन क्षेत्र पंचायत सचिव उत्तरदायी है। इस प्रति भी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 4(4) सम्बन्धित धनराशि—

प्रस्तर— 260 वर्ष 2011-12 में टी.डी.एस कटौती रू0— 46012.00 की गयी थी जबकि उपरोक्त 13 कार्यों हेतु क्रय सामग्री रू0— 4914499.00 पर 2.26 प्रतिशत की दर से रू0— 111067.00 कटौती की जानी चाहिए थी इस प्रकार रू0— 65055.00 कम कटौती करके राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ख.वि.अ. से की जानी अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी.डी.एस. रू0— 46012.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं./बैंक स्टेटमेंट/चालान /दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार उत्तरदायी ख.वि.अ. के विरुद्ध कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 4(5) सम्बन्धित धनराशि—111067.00

प्रस्तर— 261 वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग का रू0— 4220670.00 व तेरहवां वित्त आयोग का रू0— 2596870.00 कुल रू0— 6817540.00 बैंक से आहरण किया गया जिसमें से 9 कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां ही उपलब्ध कराई गयी सम्बन्धित कार्यों पर खर्च रू0— 1587470.00 सामग्री पर व रू0— 578300.00 श्रमांश पर कुल खर्च रू0— 2165770.00 ही हुआ था। शेष रू0— 4651770.00 के खर्च से सम्बन्धित पत्रावलियां उपलब्ध नहीं करायी गयी। जिनसे सम्बन्धित कार्यों पर हुए खर्च की जांच न की जा सकी। पत्रावलियां न उपलब्ध कराये जाने के लिये सम्बन्धित लेखाकार व ख.वि.अ. के विरुद्ध कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 5(1) सम्बन्धित धनराशि—4651770.00

प्रस्तर संख्या—262 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना हेतु रू0— 2500.00 विगत वर्षों का शेष था जिसका उपभोग वर्ष 2012-13 में किया दिखाया है। लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि में विवरण/ प्रमाणक/ पत्रावली नहीं पायी गयी। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट है। प्रमाणक न होने की दशा में इस राशि की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ख.वि.अ. से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 5(2) सम्बन्धित धनराशि-2500.00

प्रस्तर संख्या-263 एस.जी.एस.वाई योजना में वर्ष में रु0- 8761050.72 प्राप्त हुए। जिसमें से रु0- 7319187.45 वर्ष में व्यय किया गया था। शेष रु0- 1441863.27 अप्रयुक्त रहा। इस प्राप्त अनुदान से सम्बन्धित शर्तें देखने को नहीं मिली। व्यय दर्शित राशि रु0- 7319187.45 से सम्बन्धित प्रमाणक / पत्रावलियां अप्राप्त रहीं। व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। अभिलेख न होने की दशा में उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 5(3) सम्बन्धित धनराशि-7319187.45

प्रस्तर संख्या-264 सांसद निधि का वर्ष 2012-13 में रु0- 237000.00 प्राप्त हुआ था। जिसमें से रु0- 227670.00 दौरान साल व्यय किया गया। शेष अप्रयुक्त अनुदान रु0- 9330.00 सरकार को वापस किया जाना चाहिए। जो वापस न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है।

सांसद निधि के खर्च से सम्बन्धित पत्रावलियां देखने को नहीं मिली जिन्हें अगले ऑडिट के समय प्रस्तुत कर ऑडिट कराया जाना अपेक्षित है। पत्रावलियां / प्रमाणक न होने की दशा में व्यय दिखायी राशि रु0- 227667.00 की तत्कालीन उत्तरदायी अधिकारियों व कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 5(4) सम्बन्धित धनराशि-227667.00

प्रस्तर संख्या-265 वर्ष 2012-13 में इन्दिरा आवास योजना हेतु रु0- 56250.00 प्राप्ते हुए थे जो वर्ष दौरान ही व्यय किए दिखाए हैं। इस व्यय से सम्बन्धित की पत्रावलियां / प्रमाणक नहीं पाई गई। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट है। इस व्यय की पुष्टि न होने की दशा में इस राशि की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ख.वि.अ. से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 5(5) सम्बन्धित धनराशि-56250.00

प्रस्तर संख्या-266 वर्ष 2012-13 में विधायक निधि पर ब्याज रु0- 8531.72 प्राप्त हुआ था। रु0- 9306.26 गतवर्ष का शेष था। इस प्रकार कुल रु0- 17837.98 में से 9475.00 वर्ष 2012-13 में ही व्यय किया गए। शेष रु0- 8362.98 सरकार को वापस न भेजकर अगले वर्ष 2013-14 में खर्च किए गए। शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21-03-2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में जमा रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है। तब अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होता है। जिसे राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश का उल्लंघन है। जिसके लिए उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही के साथ व्यय की गयी राशि रु0- 9475.00 की उनसे ब्याज सहित वसूली कर शासन को भेजा जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 5(6) सम्बन्धित धनराशि-9475.00

वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से निम्नलिखित कार्य कराये गये थे-

क्र	कार्य का नाम	कुल खर्च/लागत	सामग्री की धनराशि	मजदूरी/श्रमांश	टी.डी.एस.	कार्य प्रभारी का नाम
1	विकासखण्ड कार्यालय में मरम्मत / निर्माण कार्य	141275.00	121235.00	20040.00	2714.00	श्री मगफूर अहमद, ग्रा.वि.अ.
2	ग्राम कमालपुर में मिट्टी / खड्जा कार्य	211995.00	152325.00	59670.00	3412.00	श्री मगफूर अहमद
3	ग्राम चोटीपुरा में सी.सी. रोड / नाली निर्माण कार्य	427290.00	350915.00	76375.00	7860.00	श्री मगफूर अहमद
4	धनौरा मुरादनगर में मिट्टी / खड्जा नाली निर्माण कार्य	350550.00	272875.00	77675.00	3612.00	श्री मगफूर अहमद
5	मूढाइम्मा में जोगीपुरा चौराहे से रियाजुल के बाग तक	296720.00	207780.00	88940.00	4654.00	श्री मगफूर अहमद
6	ग्राम टिकिया में बदलू के मकान से मिट्टी खड्जा कार्य	405885.00	214140.00	191745.00	4696.00	श्री मगफूर अहमद
7	ग्राम खड़या माफी में तालाब की रिटेनिंग दीवार	262290.00	209560.00	52730.00	4592.00	श्री मगफूर अहमद

	एवं पुलिया निर्माण					
8	ग्राम डिडौली में प्रा.वि. के निकट ड्रेन क्रासिंग निर्माण कार्य	68451.00	58640.00	11125.00	1314.00	श्री मगफूर अहमद
9	विकासखण्ड जोया में समरसेविल की स्थापना कार्य	32500.00	---	---	---	श्री जगदीश कुमार
	योग		1587470.00	578300.00	32855.00	

प्रस्तर संख्या— 267 क्रमांक 1 से 7 तक दर्शित सभी कार्यो रू0— 1 लाख से अधिक लागत के थे किन्तु सामग्री क्रय हेतु शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार टेन्डर आमन्त्रित नहीं किये गये थे। क्षेत्र पंचायत द्वारा निविदाएं आमन्त्रित न करके मनमाने ढंग से सामग्री क्रय करके गम्भीर अनियमितता की गयी थी। जिससे प्रतियोगी दरों के लाभ की सीमा तक क्षेत्र पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ.,ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता कार्य प्रभारी व सम्बन्धित लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 6(1) सम्बन्धित धनराशि—0.00

प्रस्तर संख्या—268 क्रमांक 1 से 8 तक कराए गए कार्यो हेतु सामग्री रू0—1587470.00 की क्रय दिखाई गयी है। जिस पर टी.डी.एस कटौती रू0— 32855.00 की गयी थी जबकि 2.26 प्रतिशत की दर से रू0—35877.00 कटौती की जानी चाहिए थी इस प्रकार रू0— 3022.00 कम कटौती करके राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ख.वि.अ. से की जानी अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी.डी.एस. रू0— 32855.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चौक नं./बैंक स्टेटमेंट/चालान /दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार उत्तरदायी ख.वि.अ. के विरुद्ध कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 6(2) सम्बन्धित धनराशि—3022.00

प्रस्तर संख्या—269 क्रमांक 1 पर दर्शित कार्य हेतु सामग्री क्रय से पूर्व टेन्डर आमन्त्रित नहीं किया गये थे दिनांक 23-04-2013 को गले वित्तीय वर्ष में बिना वाउचर नं. लिखा वाउचर पाया गया। जबकि कार्य गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में ही दिनांक 07-02-12 को समाप्त हो चुका था। एक वर्ष से भी अधिक समय पश्चात भुगतान किए जाने का कोई औचित्य नहीं था। विकासखण्ड कार्यालय मरम्मत ६ निर्माण कार्य वर्ष 2011-12 में दिनांक 20-12-11 को प्रारम्भ हुआ था। व दिनांक 07-02-12 को वर्ष 2011-12 में ही समाप्त हो चुका था। इस कार्य को वर्ष 2012-13 में दिखाए जाने का की औचित्य नहीं था। इस कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी नहीं है। अतः दर्शित कार्य फर्जी दिखाकर क्रय सामग्री से काटे गए टी.डी.एस. रू0—2714.00 को कम करके शुद्ध दिखाए सामग्री मूल्य रू0— 118521.00 का अपहरण किया गया था। मजदूरी भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया था जिसके सम्बन्ध में पूर्व में आपत्ति की जा चुकी है। इस अपहरण के लिए तत्कालीन ख.वि.अ.,ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता कार्य प्रभारी व सम्बन्धित लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 6(3) सम्बन्धित धनराशि—118521.00

प्रस्तर संख्या—270 वर्ष 2013-14 में एस.जी.एस.वाई योजना हेतु रू0— 1875668.09 प्राप्त हुए थे। गत शेष रू0— 1441863.27 कुल रू0— 3317531.36 में से रू0— 2909948.36 व्यय दिखाकर शेष शून्य दिखाया है जबकि रू0— 3317531.36—2909948.36 = 407583.00 एस.जी.एस.वाई का शेष अनुदान अप्रयुक्त बचता है। इस रू0— 407583.00 शेष धनराशि को न दिखाने के लिए तत्कालीन लेखाकार व ख.वि.अ. उत्तरदायी है। उनसे इस राशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त रू0— 2909848.36 उपयोग में लाई गई राशि से सम्बन्धित प्रमाणक / पत्रावलियां अप्राप्त रहीं। व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। अभिलेख न होने की दशा में उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 7(1) सम्बन्धित धनराशि—407583.00, 2909948.36

प्रस्तर संख्या—271 वर्ष 2012-13 में विधायक निधि पर ब्याज रू0— 11486.00 खर्च किया गया था। शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21-03-2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में जमा रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है। तब अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होता है। जिसे राज्य कोष में जमा कर

दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश का उल्लंघन है। जिसके लिए उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही के साथ व्य की गयी राशि रु0- 11486.00 की उनसे ब्याज सहित वसूली कर शासन को भेजा जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 7(2) सम्बन्धित धनराशि-11486.00

प्रस्तर संख्या-272 वर्ष 2012-13 में आयकर प्राप्त रु0- 316981.00 दिखाया है। रु0- 3356.00 आयकर गतवर्ष का शेष था। इस प्रकार कुल रु0- 320337.00 आयकर था जिसमें रु0- 137096.00 जमा किया दिखाकर शेष रु0- 183241.00 दिखाया है। रु0- 137096.00 आयकर कोषागार में जमा किए जाने के प्रमाण में इश्यू चेक नं./बैंक स्टेटमेंट/ चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। शेष रु0- 183241.00 आयकर को भी कोषागार में न जमा किए जाने का कोई औचित्य नहीं था। इसके कोषागार में न जमा किए जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। आयकर की राशि कोषागार में न जमा किए जाने की दशा में उत्तरदायी ख.वि.अ. व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 7(3) सम्बन्धित धनराशि-137096.00, 183241.00

प्रस्तर संख्या-273 निम्नलिखित योजनाओं हेतु प्राप्त धनराशियां वर्ष 2013-14 में व्यय की गयी दिखायी है-

- 1- सा.आ. गणना 20000.00
- 2- इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी 137522.00

योग 157522.00

उक्त सरकार से प्राप्त राशियों के खर्च से सम्बन्धित प्रमाणक/ पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं होती है। सम्बन्धित व्यय प्रमाणक / पत्रावलियां सुलभ कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा उत्तरदायी ख.वि.अ. व लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 7(4) सम्बन्धित धनराशि-157522.00

प्रस्तर संख्या-274 वर्ष 2012-13 में सांसद निधि में रु0- 157200.00 प्राप्त हुए थे तथा रु0- 9330.00 गत शेष थे। इस प्रकार कुल रु0- 166530.00 खर्च किये गये। इस राशि के खर्च से सम्बन्धित विवरण/ प्रमाणक/ पत्रावलियां अप्राप्त रही। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 7(5(अ)) सम्बन्धित धनराशि-166530.00

प्रस्तर संख्या-275 वर्ष 2012-13 में विधायक निधि में रु0- 1893300.00 प्राप्त हुए थे तथा रु0- 1549600.00 गत शेष थे। इस प्रकार कुल रु0- 3394375.00 खर्च किये गये। इस राशि के खर्च से सम्बन्धित विवरण/ प्रमाणक/ पत्रावलियां अप्राप्त रही।

अतः किये दिखाये व्यय की जांच सम्भव न हो सकी। उक्त से सम्बन्धित पत्रावलियां उपलब्ध कारीय जाए अन्यथा इस प्रति उत्तरदायी लेखाकार व ख.वि.अ. से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 7(5(ब)) सम्बन्धित धनराशि-166530.00

वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से निम्नलिखित कार्य कराये गये थे-

क्र	कार्य का नाम	कुल खर्च/लागत	सामग्री की धनराशि	मजदूरी/ श्रमांश	टी.डी.एस.	कार्य प्रभारी का नाम
1	दीपपुर में सी.सी. रोड/नाली निर्माण कार्य	766545.00	552043.00	214500.00	12365.00	श्री मगफूर अहमद, ग्रा.वि.अ.
2	जलालपुर घना में बाबूराम के मकान से श्री काशीराम की दुकान तक सी.सी. रोड/ नाली निर्माण कार्य	530800.00	401650.00	129150.00	8997.00	श्री मगफूर अहमद
3	पांयतीकला मढैया में नवाब के मकान से कब्रिस्तान तक सी.सी. रोड/नाली निर्माण कार्य	546495.00	411645.00	134850.00	9221.00	श्री मगफूर अहमद
4	रसूलपुर में प्रा.वि. के पास से सी.सी. रोड नाली निर्माण कार्य	688590.00	555325.00	133265.00	12725.00	श्री मगफूर अहमद

5	इकौंदा में डामर रोड से इमरान के मकान तक सी.सी. रोड/नाली निर्माण कार्य	1160994.00	804544.00	356450.00	18015.00	श्री मगफूर अहमद
6	कालाखेड़ा में सी.सी. रोड/ नाली निर्माण कार्य	783971.00	557621.00	226350.00	12490.00	श्री मगफूर अहमद
7	मीटिंग हाल में फाइबर सीट कार्य विकासखण्ड जोया	17675.00	11675.00	6000.00	—	श्री मगफूर अहमद
8	चक पायती में क्षेत्र पंचायत सदस्य मोईन के मकान के पास सी.सी. रोड/ नाली निर्माण कार्य	414100.00	322950.00	91150.00	7228.00	श्री मगफूर अहमद
9	ग्राम नरथों में कपासी मस्जिद से शरीफ की फ़ैक्ट्री तक सी.सी. रोड/नाली निर्माण कार्य	551455.00	418105.00	133350.00	9365.00	श्री मगफूर अहमद
10	पतेई खालसा में गुलाम मुहम्मद के मकान के पास सी.सी. रोड/ नाली निर्माण कार्य	460772.00	357272.00	103500.00	7891.00	श्री मगफूर अहमद
11	ब्लाक कार्यालय एवं आवास मरम्मत	381200.00	286558.00	94620.00	4623.00	श्री मगफूर अहमद
12	सलारपुर खालसा में मस्जिद मार्ग पर सी.सी. रोड/ नाली निर्माण कार्य	960000.00	697450.00	262550.00	12995.00	श्री मगफूर अहमद
13	दासीपुर मजरा रामपुर घना में सी.सी. रोड/नाली निर्माण कार्य	1033300.00	856700.00	176600.00	13580.00	श्री मगफूर अहमद
14	ग्राम कांकर सराय में मदरसे के रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य	715800.00	549100.00	166700.00	10390.00	श्री मगफूर अहमद
	योग—		6782638.00	2229035.00	139885.00	

प्रस्तर सख्या-276 वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग का रु०- 8491786.00 तथा तेरहवां वित्त आयोग का रु०-5383261.00 कुल रु०- 10150196.00 बैंक से आहरण किया गया जिसमें से 14 कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां ही उपलब्ध कराई गयी। सम्बन्धित कार्यों पर खर्च रु०- 6782638.00 सामग्री पर रु०- 2229035.00 श्रमांश पर कुल खर्च रु०- 9011673.00 ही हुआ था। शेष रु०- 1138523.00 के खर्च से सम्बन्धित पत्रावलियां उपलब्ध नहीं करायी गयी जिनसे सम्बन्धित कार्यों पर हुए खर्च की जांच न की जा सकी। पत्रावलियां न उपलब्ध कराये जाने के लिए सम्बन्धित लेखाकार व ख.वि.अ. उत्तरदायी है। अन्य अनुपलब्ध पत्रावलियों से सम्बन्धित व्ययों की धनराशि रु०- 1138523.00 की जांच हेतु पत्रावलियों का सुलभ कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा इन अप्राप्त पत्रावलियों द्वारा दिखाये व्यय के प्रति दायित्व का निर्धारण करके सम्बन्धित अधिकारियों /कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 8(1) सम्बन्धित धनराशि-1138523.00

प्रस्तर सख्या-277 क्रमांक 2 पर दर्शित कार्य की लागत रु०- 530800.00 थी। सामग्री क्रय हेतु टेन्डर आमन्त्रित नहीं किये गये थे। जबकि उ.प्र.सरकार शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रु एक लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु निविदाएं आमन्त्रित करके क्रय की जानी चाहिए थीं किन्तु ऐसा नहीं किया गया था। निर्माण कार्य हेतु कोटेशन लिए गए थे। किन्तु कोटेशन किस तिथि तक देना था यह कोटेशन आमन्त्रण में नहीं लिखा गया था। पत्रावली में कोई कोटेशन भी नहीं पाया गया। कार्य प्रभारी श्री मगफूर अहमद की नियुक्ति का आदेश भी पत्रावली में नहीं है। किए गए भुगतान से वैट नहीं काटा गया था। टी.डी.एस कटौती उपरान्त कुल शुद्ध भुगतान रु०- 392653.00 का किया दिखाया है। जबकि चेक सं. 876467/20-07-13 रु०- 307797.00 का कुल भुगतान का एक ही चौक निर्गत किया गया था। सामग्री मूल्य का टी.डी.एस. कटौती उपरान्त शुद्ध भुगतान रु०- 392653.00

का दिखाया था। तब रु०— 307797.00 अर्थात् रु०— 84856.00 कम का एक चेक निर्गत किए जाने का कारण अस्पष्ट है। अतः रु०— 84856.00 सामग्री मूल्य भुगतान की स्थिति संदिग्ध है। जिसके तत्कालीन ख. वि.अ., ब्लाक प्रमुख अवर अभियन्ता व सम्बन्धित लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 8(2) सम्बन्धित धनराशि—84856.00

प्रस्तर संख्या— 278 क्रमांक 3,4,6,8,9,10,11,12 व 14 पर दर्शित सभी कार्यों रु०— 1 लाख से अधिक लागत के थे किन्तु सामग्री क्रय हेतु शासनादेश सं. ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार टेन्डर आमन्त्रित नहीं किये गये थे। क्षेत्र पंचायत द्वारा निविदाएं आमन्त्रित न करके मनमाने ढंग से सामग्री क्रय करके गम्भीर अनियमितता की गयी थी। जिससे प्रतियोगी दरों के लाभ की सीमा तक क्षेत्र पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ., ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता कार्य प्रभारी व सम्बन्धित लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 8(3) सम्बन्धित धनराशि—00

प्रस्तर संख्या—279 क्रमांक 3 व 10 पर दर्शित कार्यों की लागत क्रमशः रु०— 1160994.00 व रु०— 1033300.00 थी। जिला पंचायत/ क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1960 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत / क्षेत्र पंचायत निर्माण नियमावली 1965 के नियम 16 के अनुसार रु 10 लाख से अधिक के आंगणन की तकनीकी स्वीकृति राज्य सरकार से ली जानी आवश्यक है। किन्तु उक्त कार्य हेतु सरकार से स्वीकृति न लेकर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 8(4) सम्बन्धित धनराशि—2194294.00

प्रस्तर संख्या—280 क्रमांक 1,2,3,4,6,9,12 व 14 पर दर्शित कार्यों की लागत रु०— 5 लाख से अधिक थी किन्तु उनकी कार्य योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी से कराया गया नहीं पाया गया तथा मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया। ऐसा न करने के लिए तत्कालीन ख.वि.अ., ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता कार्य प्रभारी व सम्बन्धित लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 8(5) सम्बन्धित धनराशि—00

प्रस्तर संख्या—281 आलोच्य वर्ष 2013-14 में कुल सामग्री क्रय रु०— 6782638.00 पर 4 प्रतिशत की दर से रु०— 271305.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी। जबकि वर्ष में क्रय सामग्री के मूल्य से कुल कटौती नहीं की गयी इस प्रकार रु०— 6782638.00 पर रु०— 231305.00 कटौती न करके राजस्वकी हानि की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति रु०— 271305.00 की प्रति पूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/ ख.वि.अ., से की जानी व कोषागार में जमा की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 8(6) सम्बन्धित धनराशि—271305.00

प्रस्तर संख्या—282 आलोच्य वर्ष में क्रय सामग्री के मूल्य से टी.डी.एस कटौती रु०— 139885.00 की गयी थी। जबकि कुल क्रय सामग्री रु०— 6782638.00 पर 2.26 प्रतिशत की दर से रु०— 153287.00 टी.डी.एस. कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार रु०— 13402.00 कम टी.डी.एस. काचा गया था। जिसकी प्रति पूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/ ख.वि.अ., से पैनल्टी सहित करके राज्य कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। लेखा परीक्षा में काटे गए टी.डी.एस रु०— 139885.00 के कोषागार में जमा किए जाने के प्रमाण में इश्यू चौक नं./ बैंक स्टेटमेंट/ चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। आयकर की राशि कोषागार में न जमा किए जाने की दशा में उत्तरदायी ख.वि.अ. के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 8(7) सम्बन्धित धनराशि—13402.00

प्रस्तर संख्या—283 क्रमांक 7 पर मिटिंग हाल में फाइवर सीट कार्य विकासखण्ड जोया में कराया दिखाया है। जिस पर रु०— 11675.00 सामग्री खरीद पर तथा रु०— 6000.00 मजदूरी पर कुल लागत रु०— 17675.00 दिखाई है। लेखा परीक्षा में सामग्री क्रय की पुष्टि में कोई प्रमाणक नहीं पाया गया और न ही रु०— 6000.00 मजदूरी भुगतान की पुष्टि में कोई मस्टर रोल देखने को मिला। कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि अंकित नहीं है। प्रमाणकों के अभाव में दर्शित फाइवर सीट खरीद व उसकी लगाई मजदूरी खर्च

फर्जी दिखाया है। जिसके लिए श्री विजेन्द्र पाल सिंह कार्य प्रभारी एवं तत्कालीन ख.वि.अ. , लेखाकार, अवर अभि.. ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही एवं उनसे फर्जी दिखाए व्यय की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 8(8) सम्बन्धित धनराशि—17675.00

प्रारूप—3

जनपद का नाम— रामपुर

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

क्षेत्र पंचायत— स्वार

लेखा परीक्षा वर्ष—2011-12 से 2013-14

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

विकास खण्ड — स्वार

प्रस्तर 1—(I) शासनादेशों के विपरीत निर्माण कार्य करना तथा मस्टररोल से मजदूरों को भुगतान न कर निर्माण कार्य प्रभारियों को भुगतान करना रु0 74,70,583.00

क्र० सं०	वर्ष	कुल कार्यों की संख्या	धनराशि
1	2011-12	21	1462662.00
2	2012-13	26	2175955.00
3	2013-14	46	3831966.00
4	योग	93	7470583.00

उक्त मस्टररोल से भुगतान मजदूरों को न कर निर्माण प्रभारी को किये गये हैं, जो गम्भीर आपत्ति है। पत्रावलियों में जो मस्टररोल पाये गये हैं उन पर मस्टररोल नं० भी अंकित नहीं है और कतिपय मजदूरों के सामने अगूठा निषान पाये तो वह भी प्रमाणित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड द्वारा निर्गत नहीं है। अतः मस्टररोल संदिग्ध प्रतीत होते हैं।

(II) उपरोक्त निर्माण कार्य राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान से कराया गया है, में निम्न शासनादेशों व नियमों व अधिनियमों का भी पालन नहीं किया गया है—

शासनादेश सं० 866/23-2-14-93जी/2004 टी०सी० पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24.06.2014 में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के लिए दिशा-निर्देश स्पष्ट किये गये हैं जिसमें जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या अधिक क्षेत्रपंचायत को जोड़ने वाले मार्गों का कार्य सम्पादित करेगी। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या अधिक ग्राम पंचायत को जोड़ने वाले मार्गों का कार्य सम्पादित करेगी।

परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा गांव की सड़कों का वर्गीकरण नहीं किया गया था फलस्वरूप क्षेत्र पंचायत द्वारा गांव के अन्दर की सड़कों का निर्माण (ग्राम पंचायत द्वारा जो निर्माण किया जाना चाहिए था) कर रहा था। जो उक्त नियमों के विपरीत है।

संप्रेशा में इंगित करने पर बताया गया कि बोर्ड से प्रस्ताव के अनुरूप कार्य कराये गये हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा शासनादेशों का पालन नहीं किया गया है।

प्रकरण शासन तथा उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(III) राज्य वित्त आयोग की धनराशि का अनियन्त्रित व्यय किया जाना

उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 1830/33-3-2004-100-61/2004 दिनांक 16.7.2004 के अनुसार क्षेत्रपंचायतों द्वारा एक से अधिक ग्राम पंचायतों को अच्छादित करने वाले कार्यों का क्रियान्वयन किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतें ऐसे कार्यों का चयन नहीं करेंगी जो जिला पंचायत या ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में हों। परन्तु क्षेत्र पंचायत के अभिलेखों के सम्प्रेक्षा (कुल 93 कार्यों) में पाया गया है कि राज्यवित्त आयोग की अनुदान की राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों के अन्दर सी०सी०मार्ग व नाली निर्माण पर व्यय किया गया है, जो उक्त नियमों के विपरीत है। खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आ०सं० 03)

प्रस्तर -2 (I) आपूर्ति कर्त्ताओं के देयकों से टी०डी०एस०(आयकर)वैट तथा रायल्टी की निर्धारित दर से कटौती न करने के कारण रु० 962407.00 +37187.00=999594.00 के राजस्व की हानि—

आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 194सी के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी (ब)स्थानीय प्राधिकारी या (फ) महानगर एवं ग्रामों के विकास योजना एवं बेहतरी के लिए किसी नियम के अन्तर्गत स्थापित किये गये प्राधिकारी एवं किसी ठेकेदार के मध्य हुए ठेके के लिए भुगतान करता है तो उसे भुगतान की जाने वाली से निर्धारित दर से आयकर की कटौती करनी होगी।

केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड के सर्कुलर सं0558 दिनांक 28.3.90 के अनुसार ठेकेदार में आपूर्ति कर्ता भी शामिल है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 271 सी के अनुसार यदि भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भुगतान करते समय पूर्ण या आंशिक आयकर की कटौती नहीं करता है तो उस पर उतनी ही राशि की वसूली आरोपित की जायेगी, जितनी की उसके द्वारा कटौती की जानी है और उसने नहीं की।

इसी प्रकार वैट अधिनियम 2008 की धारा 24 के अनुसार वैट की कटौती भी समय समय पर प्रचलित दर से नियमानुसार की जायेगी।

लेखापरीक्षण में पाया गया है कि ठेकेदार तथा आपूर्ति कर्ता से आयकर के रूप में 2.24 प्रतिशत कटौती की गयी दर्शित है और वैट में 4.00 प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्न है—

क्षेत्र पंचायत द्वारा भुगतान/कटौती लेखा परीक्षा के अनुसार

क्र० सं०	वर्ष	सामग्री का मूल्य	कटौती की गयी वैट	रायल्टी कटौती	शुद्ध फर्म को भुगतान	कटौती की गयी टी0डी0एस0	शून्य
1	2011-12	3655656.00	—	10585.00	3545230.00	80654.00	—
2	2012-13	6192475.00	—	12192.00	6047094.00	135184.00	—
3	2013-14	14570149.64	14324.00	133328.00	14141870.81	268300.20	12026.63
4	योग	24418280.64	14324.00	156105.00	23734194.81	484138.20	12026.63

उक्तानुसार सामग्री पर व्यापारकर से सम्बन्धित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त कुल सामग्री पर 4 प्रतिशत की दर से वैट रु0 976731.00 होता है जिसमें से रु0 14324.00 ही वैट कटौती की गयी दर्शित है। अतः रु0 976731.00 – 14324.00 = रु0 962407.00 न तो वैट की कटौती की गयी है और न ही राजकीय कोषागार में जमा किया गया दर्शित है। जिससे रु0 962407.00 से राजस्व की हानि की गयी है। ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(2) उक्त सामग्री में से वैट व रायल्टी आदि के घटाने के बाद भुगतान पर टी0डी0एस0 2.24प्रतिशत की दर से रु0 521325.00 होता है परन्तु कटौती रु0 484138.00दर्शित है, अन्तर रु0 37187.00 की कटौती कम कर राजस्व की हानि की गयी है। खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 04)

प्रस्तर (3) राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवें वित्त आयोग की प्राप्त ब्याज की धनराशि को शासकीय राजकोष में न जमा किया जाना, धनराशि रु0 250108,00 शासनादेश सं0 ए-1-122/10-2012-10(33) 2010 वित्त (लेखा अनुभाग-1) लखनऊ दिनांक 21.03.2012 एवं वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 बी-1-564/10-7/97 दिनांक 02.03.1998 के अनुसार विभिन्न सरकारी उपक्रमों एवं निगमों को शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियां बैंक में जमा की जाती हैं तो उन जमा राशियों पर अर्जित ब्याज की धनराशि संस्था/निकाय की आय न होकर राज्य सरकार की आय मानी जाती है एवं अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए।

क्र० सं०	वर्ष	ब्याज
1	2011-12	10257.00
2	2012-13	87540.00
3	2013-14	152311.00
4	योग	250108.00

उक्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा नहीं किया गया। उक्त की ओर इंगित करने पर बताया गया कि जमा करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं0 05)

प्रस्तर 4— बैंक खाता संख्या 14720100004157 अनुसार निम्नानुसार चैको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली / विधिक कार्यवाही ब्लाक प्रमुख /खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेन्ट में पाने वाले का नाम
2011-12	7-4-11	505116	21925.00	सुरेश सिंह
	11-4-11	505112	37880.00	दयानन्द
	11-4-11	505115	15380.00	दयानन्द

	13-4-11	505123	1760.00	सुरेश
	13-4-11	505118	121793.00	असलम खान
	13-4-11	505120	195539.00	असलम खान
	15-4-11	505122	65300.00	सुरेश
	19-4-11	505121	26415.00	147302 / 268
	19-4-11	505119	133583.00	147302 / 268
	19-4-11	505117	49975.00	आशीष कुमार
	21-4-11	505111	39668.00	सेवरी ट्रेडर्स
	3-6-11	505124	25640.00	सुरेश सिंह
	1-7-11	505127	48960.00	दयानंद
	1-7-11	505130	4800.00	दयानंद
	5-7-11	103341	32500.00	राजेश सक्सेना
	7-7-11	505125	47088.00	टूट्रांसफर
	7-7-11	505128	16948.00	टूट्रांसफर
	6-9-11	505129	8478.00	सहारा वर्क्स
	6-9-11	505126	12114.00	सहारा वर्क्स
	9-9-11	103348	16301.00	राजेश सक्सेना
	12-12-11	105617	3440.00	राजकुमार
	16-12-11	105618	11400.00	दयानंद वर्मा
	29-12-11	507323	179967.00	नैनीताल बैंक
	16-1-12	105620	27323.00	सी ए / 1012
	30-1-12	507330	79723.00	राजेश
2012-13	12-4-12	507335	32500.00	टूकैश
	19-7-12	111458	44384.00	राजेश
	26-7-12	111460	27000.00	टूट्रांसफर
	27-8-12	111459	100000.00	राजेश सक्सेना
	30-10-12	115074	20580.00	टूकैश
	26-11-12	115075	33400.00	सुरेश
	15-2-13	511090	87210.00	सुरेश मिश्रा
	1-3-13	512558	45046.00	सेल्फ
2013-14	14-3-13	512566	27898.00	टूकैश
	8-4-13	512569	151253.00	टूट्रांसफर
	8-4-13	512570	115888.00	टूट्रांसफर
	8-4-13	513231	139327.00	टूट्रांसफर
	8-4-13	513232	224682.00	टूट्रांसफर
	29-4-13	514281	33400.00	राजेश सक्सेना
	30-4-13	513233	14889.00	राजेश सक्सेना
	17-5-13	514290	11280.00	रमेश
	11-6-13	508006	11542.00	राजेश सक्सेना
	11-6-13	508004	980.00	राजेश सक्सेना
	11-6-13	508005	3405.00	राजेश सक्सेना
	4-7-13	508013	263986.00	राहुल
	18-7-13	508016	2000.00	सुरेश सिंह
	19-8-13	000003	6813.00	कुलदीप भटनागर
	29-8-13	508017	354734.00	राहुल
	29-8-13	508018	370265.00	राहुल
	9-9-13	508019	83392.00	राजेश सक्सेना
	23-10-13	000062	1850.00	राहुल
	25-10-13	000064	32000.00	राजेश सक्सेना
	31-10-13	000039	41902.00	राजेश सक्सेना
	27-11-13	000067	13458.00	एसशरन
	19-12-13	000063	47074.00	राजेश सक्सेना
	23-12-13	000046	369694.00	एसशरन
	27-12-13	000050	335469.00	एसशरन

	2-1-14	000051	51860.00	राजेश सक्सेना
	22-1-14	000069	4486.00	रहमत
	27-1-14	000052	15262.00	राजेश सक्सेना
	26-2-14	000085	132872.00	रणधीर
	28-2-14	000086	4486.00	एसशरन
	28-2-14	000088	4486.00	एसशरन
	11-3-14	000101	415450.00	हरिओम
	11-3-14	000103	297145.00	हरिओम
	11-3-14	000105	235220.00	हरिओम
	13-3-14	000096	33744.00	राजेश सक्सेना
	21-3-14	000097	22023.00	राजेश
		योग	5488235.00	

प्रस्तर 5— कर का निर्धारण और ब्याज सहित वसूली

(1) उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (विभव और सम्पत्ति कर का आरोपण, निर्धारण और ब्याज सहित वसूली नियमावली, 1994, के अध्याय-चार के नियम-8 (अतः प्रत्येक वर्ष 15 दिसम्बर को या उसके पूर्व कर निर्धारण अधिकारी ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो कर के देनदार हों, एक सूची तैयार करेगा या तैयार करायेगा। तत्पश्चात् वह सूची में दर्ज प्रत्येक व्यक्ति के और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के जो सूची में न दर्ज किये गये हों, किन्तु कर के देनदार प्रतीत होते हों, विभव और सम्पत्ति कर पर विचार करेगा, और ऐसे कर की धनराशि को अवधारण करेगा जिसे ऐसे व्यक्ति नियम-6 के उपबन्धों के अनुसार देनदार होंगे। ऐसे व्यक्ति का नाम और निर्धारित की गयी कर की धनराशि इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र क में कर निर्धारण सूची में दर्ज की जायेगी। कर का निर्धारण प्रति वर्ष नये सिरे से किया जायेगा किन्तु गत वर्ष की कर सूची का भी ध्यान रखा जायेगा। परन्तु उक्त कर सूची अप्राप्त रही। सूची उपलब्ध कराते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम— रामपुर

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

क्षेत्र पंचायत— स्वार लेखा परीक्षा वर्ष—2014-15 से 2016-17

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

विकास खण्ड — स्वार

प्रस्तर (6) —शासनादेशों के विपरीत निर्माण कार्य करना तथा मस्टररोल से मजदूरों को भुगतान न कर निर्माण कार्य प्रभारियों को भुगतान करना रु० 46,85,055.00

क्र० सं०	वर्ष	कुल कार्यों की संख्या	धनराशि
1	2014-15	32	2552811.00
2	2015-16	45	2132249.00
3	2016-17	0	—
4	योग	77	4685055.00

उक्त मस्टररोल से भुगतान मजदूरों को न कर निर्माण प्रभारी को किये गये हैं, जो गम्भीर आपत्ति है।

पत्रावलियों में जो मस्टररोल पाये गये हैं उन पर मस्टररोल नं० भी अंकित नहीं है और कतिपय मजदूरों के सामने अगूठा निषान पाये तो वह भी प्रमाणित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड द्वारा निर्गत नहीं है। अतः मस्टररोल संदिग्ध प्रतीत होते हैं।

(।।) उपरोक्त निर्माण कार्य राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान से कराया गया है, में निम्न शासनादेशों व नियमों व अधिनियमों का भी पालन नहीं किया गया है—

शासनादेश सं० 866/23-2-14-93जी/2004 टी०सी० पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24.06.2014 में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के लिए दिशा-निर्देश स्पष्ट किये गये हैं जिसमें जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या अधिक क्षेत्रपंचायत को जोड़ने वाले मार्गों का कार्य सम्पादित करेगी। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या अधिक ग्राम पंचायत को जोड़ने वाले मार्गों का कार्य सम्पादित करेगी।

परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा गांव की सड़कों का वर्गीकरण नहीं किया गया था फलस्वरूप क्षेत्र पंचायत द्वारा गांव के अन्दर की सड़कों का निर्माण (ग्रामपंचायत द्वारा जो निर्माण किया जाना चाहिए था) कर रहा था। जो उक्त नियमों के विपरीत है।

संप्रेक्षा में इंगित करने पर बताया गया कि बोर्ड से प्रस्ताव के अनुरूप कार्य कराये गये हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा शासनादेशों का पालन नहीं किया गया है। प्रकरण शासन तथा उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(11)राज्य वित्त आयोग की धनराशि का अनियन्त्रित व्यय किया जाना उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 1830/33-3-2004-100-61/2004 दिनांक 16.7.2004के अनुसार क्षेत्रपंचायतों द्वारा एक से अधिक ग्राम पंचायतों को अच्छादित करने वाले कार्यों का क्रियान्वयन किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतें ऐसे कार्यों का चयन नहीं करेंगी जो जिला पंचायत या ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में हों। परन्तु क्षेत्र पंचायत के अभिलेखों के सम्प्रेक्षा (कुल 77 कार्यों) में पाया गया है कि राज्यवित्त आयोग की अनुदान की राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों के अन्दर सी0सी0मार्ग व नाली निर्माण पर व्यय किया गया है, जो उक्त नियमों के विपरीत है।

(आ0सं0 3)

प्रस्तर (7) (1) आपूर्ति कर्त्ताओं के देयकों से वैट तथा टी0डी0एस0 की निर्धारित दर से कटौती न करने के कारण रु 680162.90+49234.34=729397.24 का राजस्व हानि—

आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 194सी के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी (ब)स्थानीय प्राधिकारी या (फ) महानगर एवं ग्रामों के विकास योजना एवं बेहतरी के लिए किसी नियम के अन्तर्गत स्थापित किये गये प्राधिकारी एवं किसी ठेकेदार के मध्य हुए ठेके के लिए भुगतान करता है तो उसे भुगतान की जाने वाली से निर्धारित दर से आयकर की कटौती करनी होगी।

केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड के सर्कुलर सं0558 दिनांक 28.3.90 के अनुसार ठेकेदार में आपूर्ति कर्ता भी सामिल है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 271 सी के अनुसार यदि भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भुगतान करते समय पूर्ण या आंशिक आयकर की कटौती नहीं करता है तो उस पर उतनी ही राशि की षस्ति आरोपित की जायेगी, जितनी की उसके द्वारा कटौती की जानी है और उसने नहीं की।

इसी प्रकार वैट अधिनियम 2008 की धारा 24 के अनुसार वैट की कटौती भी समय समय पर प्रचलित दर से नियमानुसार की जायेगी। लेखा परीक्षण में पाया गया है कि ठेकेदार तथा आपूर्ति कर्ता से आयकर के रूप में 2.24 प्रतिशत कटौती की गयी दर्शित है और वैट में 4.00 प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी है। खण्ड विकास अधिकारी / लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है विवरण निम्न है—

क्र0 सं0	वर्ष	सामग्री का मूल्य	कटौती की गयी वैट	रायल्टी कटौती	शुद्ध फर्म को भुगतान	कटौती की गयी टी0डी0एस0	शून्य
1	2014-15	9256498.00	7652.10	34662.00	8964192.35	169556.66	80434.99
2	2015-16	9313785.00	54996.00	38075.00	9267704.00	177114.00	—
3	2016-17	0	—	0	0	0	—
4	योग	18570283.00	62648.00	72737.00	18231896.35	346670.66	80434.99

वर्ष	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेन्ट में पाने वाले का नाम
2014.15	2.4.14	000106	15140.00	राजेश सक्सेना
	2.5.14	000114	3405.00	राज कुमार
	5.5.14	000115	2000.00	दिशाइन्फटेक
	21.5.14	525658	3867.00	राजेश सक्सेना
	23.5.14	525659	39000.00	ब्रिजकुमारी
	24.5.14	525660	400.00	सुरेश सिंह
	3.6.14	525661	33400.00	राजेश कुमार
	4.6.14	525672	50000.00	राजेश कुमार
	4.6.14	525666	4498.00	हरिओम
	24.6.14	525677	6214.00	राजेश कुमार
	10.7.14	525678	69449.00	राजेश कुमार
	8.8.14	525679	37000.00	ब्रिज कुमारी
	11.9.14	525700	74626.00	राजेश कुमार
	20.9.14	000132	85927.00	रामबीर सिंह
	13.10.14	000147	58513.00	रामबीर सिंह
	13.11.14	000159	138807.00	रनधीर सिंह

	13.11.14	000161	13496.00	रनधीर सिंह
	14.11.14	000157	12177.00	हरिओमकांस
	29.11.14	000163	80000.00	राजेश कुमार
	11.12.14	000167	69632.00	देवराज
	16.12.14	000176	13043.00	हरिओमकांस
	17.12.14	000166	5114.00	रामपुर
	18.12.14	000164	2587.00	राजेश कुमार
	18.12.14	000162	24650.00	राजेश कुमार
	23.1.15	000186	3040.00	सुरेश सिंह
2015.16	8.4.15	000194	40130.00	राजेश
	9.4.15	000196	80000.00	राजेश कुमार
	29.4.15	000195	9876.00	राजेश कुमार
	30.4.15	000214	375000.00	बीडीटेकइंडिया
	5.5.15	000215	3440.00	सुरेश सिंह
	5.5.15	000216	63000.00	ब्रिजकुमारी
	12.5.15	000217	155000.00	न्यू डायमंडटेक -
	5.6.15	000230	70020.00	राजेशकुमार
	16.6.15	000240	2000.00	सुरेशसिंह
	25.6.15	000261	43095.00	हरिओमकांस
	25.6.15	000267	24568.00	हरिओमकांस
	25.6.15	000258	11108.00	हरिओमकांस
	3.7.15	000246	36868.00	अब्दुल वहाबकान
	8.7.15	000248	155400.00	बादाम सिंह
	14.7.15	000271	33848.00	जगदीश सरन
	14.7.15	000255	38686.00	जगदीश सरन
	27.8.15	000305	79451.00	हरिओम
	23.9.15	000323	2864.00	जगदीश सरन
	23.9.15	000324	36783.00	जगदीश सरन
	6.11.15	000329	3790.00	जगदीश सरन
	14.1.16	000286	1332.00	सेल्फ
2016.17				
योग			2112244.00	

उक्तानुसार सामाग्री पर व्यापारकर से सम्बन्धित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त कुल सामाग्री पर 4 प्रतिशत की दर से वैट रु0 742811.00 होता है जिसमें से रु0 62648.10 ही वैट कटौती की गयी दर्शित है। अतः रु0 742811.00 – 62648.10 = रु0 680162.90 न तो वैट की कटौती की गयी है और न ही राजकीय कोषागार में जमा किया गया है। जिससे रु0 680162.90 से राजस्व की हानि की गयी है। ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(2) उक्त सामग्री में से वैट व रायल्टी घटाने के बाद रु0 अवशेष धनराशि पर टी0डी0एस0 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 395905.00 होता है परन्तु कटौती रु0 346670.66 ही की गयी दर्शित है अन्तर रु0 49234.34 की कटौती कम कर राजस्व की हानि की गयी है। खण्ड विकास अधिकारी / लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 4)

प्रस्तर (8)– राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवें वित्त आयोग की प्राप्त ब्याज की धनराशि को शासकीय राजकोष में न जमा किया जाना, धनराशि रु0 516852.00 शासनादेश सं0 ए–1–122/10–2012–10(33) 2010 वित्त (लेखा अनुभाग–1) लखनऊ दिनांक 21.03.2012 एवं वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–1 के शासनादेश सं0 बी–1–564/10–7/97 दिनांक 02.03.1998 के अनुसार विभिन्न सरकारी उपक्रमों एवं निगमों को शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियां बैंक में जमा की जाती हैं तो उन जमा राशियों पर अर्जित ब्याज की धनराशि संस्था/निकाय की आय न होकर राज्य सरकार की आय मानी जाती है एवं अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए।

क्र0 सं0	वर्ष	ब्याज
1	2014–15	154144.00
2	2015–16	64252.00

3	2016-17	298456.00
4	योग	516852.00

उक्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा नहीं किया गया। उक्त की ओर इंगित करने पर बताया गया कि जमा करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं05)

प्रस्तर 9— बैंक खाता संख्या 14720100004157 अनुसार निम्नानुसार चैको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र० सं०	दिनांक	चेक नं०	धनराशि	पक्ष में
1	4.4.16	000293	1378.00	सेल्फ
2	4.4.16	000292	1319.00	सेल्फ
3	13.4.16	000294	113460.00	बिस्मिल्लाह
4	5.8.16	000295	31390.00	कुबेराबेगम
5	20.1.17	000296	35000.00	कुबेराबेगम

6 योग 182547.00

अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली/ विधिक कार्यवाही ब्लाक प्रमुख /खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 10—कर का निर्धारण और ब्याज सहित वसूली

(I) उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (विभव और सम्पत्ति कर का आरोपण, निर्धारण और ब्याज सहित वसूली नियमावली, 1994 के अध्याय—चार के नियम—8(1) प्रत्येक वर्ष 15 दिसम्बर को या उसके पूर्व कर निर्धारण अधिकारी ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो कर के देनदार हों, एक सूची तैयार करेगा या तैयार करायेगा। तत्पश्चात वह सूची में दर्ज प्रत्येक व्यक्ति के और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के, जो सूची में न दर्ज किये गये हों, किन्तु कर के देनदार प्रतीत होते हों, विभव और सम्पत्ति कर पर विचार करेगा, और ऐसे कर की धनराशि को अवधारण करेगा जिसे ऐसे व्यक्ति नियम—6 के उपबन्धों के अनुसार देनदार होंगे। ऐसे व्यक्ति का नाम और निर्धारित की गयी कर की धनराशि इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र “क” में कर निर्धारण सूची में दर्ज की जायेगी। कर का निर्धारण प्रति वर्ष नये सिरे से किया जायेगा किन्तु गत वर्ष की कर सूची का भी ध्यान रखा जायेगा। परन्तु उक्त कर सूची आप्राप्त रही।

(II) राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि को व्यय किये जाने हेतु निर्गत दिशा निर्देशों तथा उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 3082/33-3-2005-100-77/2005 दिनांक 15.12.2005 तथा निदेशक पंचायतीराज के पत्रांक 5/शा०/741/05-5/19/02 दिनांक 03.01.2005 में निर्देशित किया गया था कि राज्य वित्त आयोग की आबंटित धनराशि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर नागरिक सुविधाएं यथा पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव तथा उन्नयन पर व्यय किया जायेगा। जिला पंचायत के अभिलेखों के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि को पूंजीगत कार्यों पर व्यय की गयी थी, आबंटित धनराशि का व्यय मार्ग दर्शिका के अनुसार नहीं किया था।

प्रस्तर 11— क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न प्रकार वर्ष 2016-17 में खाता नं० 15710100009332 से आहरण किया गया है परन्तु उसका समायोजन वाउचर प्रस्तुत नहीं किया —

विल वाउचर अप्राप्त होने से उक्त भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। खण्ड विकास अधिकारी/ लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आ०सं००८)

जनपद का नाम— रामपुर

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

क्षेत्र पंचायत— सैदनगर

लेखा परीक्षा वर्ष—2011-12 से 2013-14

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

विकास खण्ड —सैदनगर

प्रस्तर 12 (I) शासनादेशों के विपरीत निर्माण कार्य करना तथा मस्टररोल से मजदूरों को भुगतान न कर निर्माण कार्य प्रभारियों को भुगतान करना रु० 40,72,431.00

क्र०सं०	वर्ष	कुल कार्यों की संख्या	धनराशि

1	2011.12	10	1080575.70
2	2012.13	07	1237068.00
3	2013.14	14	1754788.00
4	योग	31	4072431.70

उक्त उपरोक्त निर्माण कार्य राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान से कराया गया है ,में निम्न शासनादेशों व नियमों व अधिनियमों का भी पालन नहीं किया गया है—

(।।) शासनादेश सं० 866/23-2-14-93जी/2004 टी०सी० पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24.06.2014 में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के लिए दिशा-निर्देश स्पष्ट किये गये हैं जिसमें जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या अधिक क्षेत्रपंचायत को जोड़ने वाले मार्गों का कार्य सम्पादित करेगी। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या अधिक ग्राम पंचायत को जोड़ने वाले मार्गों का कार्य सम्पादित करेगी। परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा गांव की सड़कों का वर्गीकरण नहीं किया गया था फलस्वरूप क्षेत्र पंचायत द्वारा गांव के अन्दर की सड़कों का निर्माण (ग्रामपंचायत द्वारा जो निर्माण किया जाना चाहिए था) कर रहा था। जो उक्त नियमों के विपरीत है। संप्रेश में इंगित करने पर बताया गया कि बोर्ड से प्रस्ताव के अनुरूप कार्य कराये गये हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा शासनादेशों का पालन नहीं किया गया है। प्रकरण शासन तथा उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(।।।)राज्य वित्त आयोग की धनराशि का अनियन्त्रित व्यय किया जाना

उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 1830/33-3-2004-100-61/2004 दिनांक 16.7.2004के अनुसार क्षेत्र पंचायतों द्वारा एक से अधिक ग्राम पंचायतों को अच्छादित करने वाले कार्यों का क्रियान्वयन किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतें ऐसे कार्यों का चयन नहीं करेंगी जो जिला पंचायत या ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में हों। परन्तु क्षेत्र पंचायत के अभिलेखों के सम्प्रेक्षा (कुल 33 कार्यों) में पाया गया है कि राज्यवित्त आयोग की अनुदान की राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों के अन्दर सी०सी०मार्ग व नाली निर्माण पर व्यय किया गया है, जो उक्त नियमों के विपरीत है।

उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 1830/33-3-2004-100-61/2004 दिनांक 16.7.2004के अनुसार क्षेत्रपंचायतों द्वारा एक से अधिक ग्राम पंचायतों को अच्छादित करने वाले कार्यों का क्रियान्वयन किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतें ऐसे कार्यों का चयन नहीं करेंगी जो जिला पंचायत या ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में हों। परन्तु क्षेत्र पंचायत के अभिलेखों के सम्प्रेक्षा (कुल 31 कार्यों) में पाया गया है कि राज्यवित्त आयोग की अनुदान की राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों के अन्दर सी०सी०मार्ग व नाली निर्माण पर व्यय किया गया है, जो उक्त नियमों के विपरीत है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर (13) आपूर्ति कर्त्ताओं के देयकों से टी०डी०एस०(आयकर)वैट तथा रायल्टी की निर्धारित दर से कटौती न करने के कारण रू० 4,88,560..00 का राजस्व हानि

क्षेत्र पंचायत द्वारा भुगतान एवं कटौती							ऑडिट के अनुसार कटौती होनी चाहिए
क्र०सं०	वर्ष	सामाग्री का मूल्य	टी०डी०एस०	वैट	रायल्टी	शुद्ध फर्म को भुगतान	सामाग्री पर 4प्रतिशत की दर से वैट
1	2011-12	3036752.00	58721.00	.	.	2978031.00	121470.00
2	2012-13	3553811.00	81023.00	.	.	3472788.00	142152.00
3	2013-14	5623453.18	125520.00	.	14579.00	5483354.00	224938.00
4	योग	12214016.00	265264.00	.	14579.00	11934173.00	488560.00

उक्तानुसार पूर्व सामाग्री पर न तो व्यापाकर से सम्बन्धित वाउचर प्रस्तुत किये और न ही 4 प्रतिशत की दर से वैट रू० 4,88,560.00 की कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा न कर राजस्व की हानि की गयी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(।।) उक्त टी०डी०एस० कटौती रू० 281456.00 से सम्बन्धित अभिलेख भी प्रस्तुत किये गये। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर (14) राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवें वित्त आयोग की प्राप्त ब्याज की धनराशि को शासकीय राजकोष में न जमा किया जाना, धनराशि रू० 1,13,827.00

शासनादेश सं० ए-1-122/10-2012-10(33) 2010 वित्त (लेखा अनुभाग-1) लखनऊ दिनांक 21.03.2012 एवं वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं० बी-1-564/10-7/97 दिनांक 02.03.1998 के अनुसार विभिन्न सरकारी उपक्रमों एवं निगमों को शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियां बैंक में जमा की जाती हैं तो उन जमा राशियों पर अर्जित ब्याज की धनराशि संस्था/निकाय की आय न होकर राज्य सरकार की आय मानी जाती है एवं अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए।

क०सं०	वर्ष	ब्याज
1	2011.12	12562.00
2	2012.13	39543.00
3	2013.14	61722.00
4	योग	113827.00

उक्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा नहीं किया गया। उक्त की ओर इंगित करने पर बताया गया कि जमा करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश का पालन नहीं किया गया है।

प्रस्तर 15—बैंक खाता संख्या 14720100004157 अनुसार निम्नानुसार चैको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली/ विधिक कार्यवाही ब्लाक प्रमुख/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेन्ट में पाने वाले का नाम
2011.12	4.01.12	50577	82639.00	एम एन के
	28.3.12	501870	56790.00	सेल्फ
	6.1.12	501559	51138.00	एम एन के
2012.13	15.5.12	502194	67636.00	मेजर
	28.5.12	502197	92383.00	एस के
	28.5.12	510362	134509.00	एन के टी
	6.6.12	510373	37300.00	सेवम
	27.7.12	510379	240789.00	मेजर
	27.7.12	510378	292900.00	मेजर
	27.7.12	510380	156946.00	मेजर
	24.8.12	502315	24000.00	टूकेश
	24.8.12	502312	58500.00	महिपालसिंह
	25.8.12	502313	26809.00	ए के
	18.1.13	502568	65880.00	अफसरअली
	18.1.13		196320.00	नावेदखान
	18.1.13	502561	59875.00	मो
	18.1.13	502569	50021.00	मो
	18.1.13	502562	75993.00	मो
	18.1.13	502567	89159.00	मो
	25.3.13	503226	34619.00	बाबूराम
	28.3.13	503228	88475.00	सीमान आलमखान
	28.3.13	503227	263059.00	मेजर
2013.14	2.4.13	503632	66238.00	बाबूराम
	28.5.13	503635	228427.00	मो
	4.6.13	503639	187927.00	मो
	2.9.13	510602	165134.00	मो
	11.9.13	510610	51000.00	डीडी
	16.9.13	510611	41880.00	—
	18.11.13	510616	70460.00	एन के
	20.2.14	505542	67128.00	एसबीआई
	5.3.14	506316	399909.00	एन के

	14.3.14	506318	59022.00	सेल्फ
योग			3582865.00	

जनपद का नाम— रामपुर

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

क्षेत्र पंचायत— सैदनगर

लेखा परीक्षा वर्ष—2014—15 से 2016—17

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

विकास खण्ड —सैदनगर

प्रस्तर 16(1) शासनादेशों के विपरीत निर्माण कार्य करना तथा मस्टररोल से मजदूरों को भुगतान न कर निर्माण कार्य प्रभारियों को भुगतान करना रु0 24,16,314.00

क्र०सं०	वर्ष	कुल कार्य की संख्या	धनराशि
1	2014—15	10	1350180.00
2	2015—16	07	716244.00
3	2016—17	03	349890.00
4	योग	20	24, 16, 314.00

उक्त मस्टररोल से भुगतान मजदूरों को न कर निर्माण प्रभारी को किये गये हैं, जो गम्भीर आपत्ति है।

पत्रावलियों में जो मस्टररोल पाये गये हैं उन पर मस्टररोल नं० भी अंकित नहीं है और कतिपय मजदूरों के सामने अगूठा निशान पाये तो वह भी प्रमाणित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड द्वारा निर्गत नहीं है। अतः मस्टररोल संदिग्ध प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त निर्माण कार्य राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान से कराया गया है, में निम्न शासनादेशों व नियमों व अधिनियमों का भी पालन नहीं किया गया है—

(11) शासनादेश सं० 866/23-2-14-93जी/2004 टी०सी० पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24.06.2014 में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के लिए दिशा-निर्देश स्पष्ट किये गये हैं जिसमें जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या अधिक क्षेत्रपंचायत को जोड़ने वाले मार्गों का कार्य सम्पादित करेगी। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या अधिक ग्राम पंचायत को जोड़ने वाले मार्गों का कार्य सम्पादित करेगी। परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा गांव की सड़कों का वर्गीकरण नहीं किया गया था फलस्वरूप क्षेत्र पंचायत द्वारा गांव के अन्दर की सड़कों का निर्माण (ग्रामपंचायत द्वारा जो निर्माण किया जाना चाहिए था) कर रहा था। जो उक्त नियमों के विपरीत है। संप्रेशा में इंगित करने पर बताया गया कि बोर्ड से प्रस्ताव के अनुरूप कार्य कराये गये हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा शासनादेशों का पालन नहीं किया गया है। प्रकरण शासन तथा उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(111) राज्य वित्त आयोग की धनराशि का अनियन्त्रित व्यय किया जाना

उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 1830/33-3-2004-100-61/2004 दिनांक 16.7.2004 के अनुसार क्षेत्रपंचायतों द्वारा एक से अधिक ग्राम पंचायतों को अच्छादित करने वाले कार्यों का क्रियान्वयन किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतें ऐसे कार्यों का चयन नहीं करेंगी जो जिला पंचायत या ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में हों। परन्तु क्षेत्र पंचायत के अभिलेखों के सम्प्रेक्षा (कुल 20 कार्यों) में पाया गया है कि राज्यवित्त आयोग की अनुदान की राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों के अन्दर सी०सी०मार्ग व नाली निर्माण पर व्यय किया गया है, जो उक्त नियमों के विपरीत है।

उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 1830/33-3-2004-100-61/2004 दिनांक 16.7.2004 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों द्वारा एक से अधिक ग्राम पंचायतों को अच्छादित करने वाले कार्यों का क्रियान्वयन किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतें ऐसे कार्यों का चयन नहीं करेंगी जो जिला पंचायत या ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में हों। परन्तु क्षेत्र पंचायत के अभिलेखों के सम्प्रेक्षा (कुल 20 कार्यों) में पाया गया है कि राज्यवित्त आयोग की अनुदान की राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों के अन्दर सी०सी०मार्ग व नाली निर्माण पर व्यय किया गया है, जो उक्त नियमों के विपरीत है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ०सं० 03)

प्रस्तर (17) (1) आपूर्ति कर्ताओं के देयकों से टी०डी०एस०(आयकर)वैट तथा रायल्टी की निर्धारित दर से कटौती न करने के कारण रु 363214.00 का राजस्व हानि—

आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 194सी के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी (ब) स्थानीय प्राधिकारी या (क्यू) महानगर एवं ग्रामों के विकास योजना एवं बेहतरी के किसी नियम के अन्तर्गत स्थापित किये गये प्राधिकारी एवं किसी ठेकेदार के मध्य हुए ठेके के लिए भुगतान करता है तो उसे भुगतान की जाने वाली से निर्धारित दर से आयकर की कटौती करनी होगी। केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड के सर्कुलर सं० 558 दिनांक 28.3.90 के अनुसार ठेकेदार में आपूर्ति कर्ता भी सामिल है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 271 सी के अनुसार यदि भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भुगतान करते समय पूर्ण या आंशिक आयकर की कटौती नहीं करता है तो उस पर उतनी ही राशि की वसूली आरोपित की जायेगी, जितनी की उसके द्वारा कटौती की जानी है और उसने नहीं की। इसी प्रकार वैट अधिनियम 2008 की धारा 24 के अनुसार वैट की कटौती भी समय समय पर प्रचलित दर से नियमानुसार की जायेगी। परीक्षण में पाया गया है कि ठेकेदार तथा आपूर्ति कर्ता से आयकर के रूप में 2.24 प्रतिशत कटौती की गयी दर्शित है। और वैट में 4.00 प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्न है।

क्र० सं०	वर्ष	सामग्री का मूल्य	क्षेत्र पंचायत द्वारा की गयी कटौती एवं भुगतान				ऑडिट के अनुसार वैट 4 प्रतिशत की दर से
			टी०डी०एस०	कटौती की गयी वैट	रायल्टी	शुद्ध फर्म को भुगतान	
1	2014.15	5389049.00	127942.00	9320.00	17211.00	5240576.00	215562.00
2	2015.16	2344157.38	38785.00	.	7726.00	2297646.38	93766.00
3	2016.17	1347160.00	30175.00	53887.00	3606.00	1259492.00	53886.00
4	योग	9080366.38	196902.00	63207.00	28543.00	8797714.38	363214.00

उक्तानुसार पूर्व सामग्री पर न तो व्यापाकर से सम्बन्धित वाउचर प्रस्तुत किये और 4 प्रतिशत की दर से वैट रु० 363214.00 होता है जबकि कटौती रु० 63207.00 की गयी है अतः अन्तर रु० 300007.00 कटौती न कर राजस्व की हानि की गयी है।

(।।) उक्त वैट कटौती रु० 63207.00 से सम्बन्धित अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः उक्त $363214.00 + 63207.00 = 363214.00$ सम्बन्धित से वसूल कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। है। खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आ० सं० 24)

प्रस्तर (18) राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवें वित्त आयोग की प्राप्त ब्याज की धनराशि को शासकीय राजकोष में न जमा किया जाना, धनराशि रु० 2,89,111.00 शासनादेश सं० ए-1-122/10-2012-10(33) 2010 वित्त (लेखा अनुभाग-1) लखनऊ दिनांक 21.03.2012 एवं वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं० 64/10-7/97 दिनांक 02.03.1998 के अनुसार विभिन्न सरकारी उपक्रमों एवं निगमों को शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियां बैंक में जमा की जाती हैं तो उन जमा राशियों पर अर्जित ब्याज की धनराशि संस्था/निकाय की आय न होकर राज्य सरकार की आय मानी जाती है एवं अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए।

क्र०सं०	वर्ष	ब्याज
1	2014.15	88269.00
2	2015.16	44962.00
3	2016.17	155880.00
4	योग	289111.00

उक्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा नहीं किया गया। उक्त की ओर इंगित करने पर बताया गया कि जमा करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। का उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि शासनादेश का पालन नहीं किया गया है।

(आ०सं० 05)

प्रस्तर 19— बैंक खाता संख्या 14720100004157 अनुसार निम्नानुसार चैको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली/विधिक कार्यवाही ब्लाक प्रमुख/खण्ड विकास अधिकारी, से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेंट में पाने वाले का नाम
2014.15	9.4.14	520243	110611.00	एन के
	10.4.14	520242	117246.00	लियाकतअली
	10.4.14	520241	93398.00	लियाकतअली
	29.5.14	520513	37182.00	लियाकतअली
	18.6.14	520517	30000.00	बाबूराम
	21.6.14	520871	290346.00	मजीदखानकांस
	21.6.14	520520	330180.00	मजीदखानकांस
	21.8.14	520880	14975.00	बिलीडायमंड
	21.8.14	520912	167908.00	मजीदखानकांस
	10.12.14	514103	384906.00	मजीदखानकांस
	18.12.14	514106	35463.00	बाबूराम
	27.12.14	514105	123568.00	एसबीआई
	28.1.15	514113	80163.00	बिलीडायमंड
2015.16	15.4.15	515213	22299.00	वसीम
	15.4.15	515210	23551.00	वसीम
	16.4.15	515212	60122.00	डायमंड
	5.5.15	514112	78048.00	लियाकतअली
	5.5.15	514111	41960.00	अफसरअली
	8.5.15	514114	60904.00	एन केकांस
	28.9.15	522774	27073.00	—
	30.9.15	522777	305295.00	मजीदखानकांस
	30.9.15	522776	370931.00	मजीदखानकांस
	14.3.16	522788	213044.00	लियाकतअली
	15.3.16	522787	71729.00	मजीदखानकांस
	18.3.16	515481	136387.00	रमैओलैमखान
	22.3.16	515483	24430.00	सेल्फ
	29.3.16	515482	85066.00	मैनेजरबॉब
2016.17	20.6.16	515484	400637.00	अफसरअली
	29.6.16	515486	165790.00	अफसरअली
	18.7.16	515487	23935.00	मो आरिफ
	23.11.16	515491	6750.00	सदाकतअली
	17.12.16	515492	35000.00	मो आरिफ
	25.1.17	515494	3696.00	मोफ्रूक
	21.2.17	515495	5051.00	अमरउजाला
	20.3.17	524412	124565.00	चमन
	29.3.17	515499	56661.00	एसबीआई
	29.3.17	524414	4716.00	एसबीआई
	29.3.17	524413	33568.00	एसबीआई
	31.3.17	524416	66780.00	कमल सिंह
योग			4263934.00	

(आ0सं0 06)

प्रस्तर 20— कर का निर्धारण और ब्याज सहित वसूली

(i) उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (विभव और सम्पत्ति कर का आरोपण, निर्धारण और ब्याज सहित वसूली नियमावली, 1994 के अध्याय—चार के नियम—8 (प्रत्येक वर्ष 15 दिसम्बर को या उसके पूर्व कर निर्धारण अधिकारी ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो कर देनदार हों, एक सूची तैयार करेगा या तैयार करायेगा। तत्पश्चात् वह सूची में दर्ज प्रत्येक व्यक्ति के और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के, जो सूची में न

दर्ज किये गये हों, किन्तु कर के देनदार प्रतीत होते हों, विभव और सम्पत्ति कर पर विचार करेगा, और ऐसे कर की धनराशि को अवधारण करेगा जिसे ऐसे व्यक्ति नियम-6 के उपबन्धों के अनुसार देनदार होंगे। ऐसे व्यक्ति का नाम और निर्धारित की गयी कर की धनराशि इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र क में कर निर्धारण सूची में वर्ज की जायेगी कर का निर्धारण प्रति वर्ष नये सिरे से किया जायेगा। किन्तु गत वर्ष की कर सूची का भी ध्यान रखा जायेगा। परन्तु उक्त कर सूची अप्राप्त रही।

(11) राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि को व्यय किये जाने हेतु निर्गत दिशा निर्देशों तथा उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 3082/33-3-2005-100-77/2005 दिनांक 15.12.2005 तथा निदेशक पंचायतीराज के पत्रांक 5/शा0/741/05-5/19/02 दिनांक 03.01.2005 में निर्देशित किया गया था कि राज्य वित्त आयोग की आवंटित धनराशि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर नागरिक सुविधाएं तथा पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव तथा उन्नायन पर व्यय किया जायेगा।

जिला पंचायत के अभिलेखों के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को पूंजीगत कायो। पर व्यय की गयी थी, आबंटित धनराशि का व्यय मार्ग दर्शिका के अनुसार नहीं किया था। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम— रामपुर

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

क्षेत्र पंचायत— विलासपुर

लेखा परीक्षा वर्ष—2011-12 से 2013-14

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ विकास खण्ड —विलासपुर

उपरोक्त वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में तालिका 1 व 2 के आलोक में निम्न आपत्तियां पायी गयी।

प्रस्तर 21— संस्था द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान कोषवही उपलब्ध नहीं कराई गयी। नियमानुसार अनिवार्य है। लेखा परीक्षा में सिर्फ ग्रांट रजिस्टर, बैंक स्टेटमेन्ट, निर्माण कार्य पत्रावली, प्रस्तुत किये गये अधिकांश अभिलेख या तो तैयार नहीं किये गये हैं या पूर्ण नहीं हैं। लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं स्थिति गंभीर आपत्ति पूर्ण है। समस्त अभिलेख तैयार कर रखवाये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

1—वार्षिक रिपोर्ट रूप पत्र !

2— रशीद बही

3— कार्यवाही रजिस्टर

4— अचल सम्पत्ति का रजिस्टर

5— करदाताओं की सूची का रजिस्टर

6— कर की मांग ब्याज सहित वसूली का रजिस्टर

7— सार्वजनिक निर्माण कार्यों का रजिस्टर

8— स्टॉक बुक वस्तुओं का रजिस्टर

9— कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र रूप पत्र

10 क्षेत्र पंचायत का वार्षिक आय—व्ययक

11— एजेण्डा रजिस्टर

12— निरीक्षण रजिस्टर

13— सृजित परिसम्पत्तियों का रजिस्टर

14— कोषवही

15—चेक इश्यु रजिस्टर

लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट रहा कि क्षेत्र पंचायत पर कार्यरत लेखाकार को वित्तीय प्रक्रिया, शासना देशों एवं नियमावली की पूर्ण जानकारी नहीं है और न ही जनपद स्तर से ही इस बाबत पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार द्वारा वित्तीय नियम के सिद्धान्त का उचित पालन नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस प्रति विशेष रूप से आकर्षित है।

प्रस्तर 22—किसी भी निर्माण कार्य पत्रावली में किसी भी अधि0/ कर्म0 द्वारा हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि आहरण व भुगतान के दृष्टिगत बाद में पत्रावली

तैयार की गई है। यहां तक की पत्रावली में जो नोटशीट पायी गई वह प्रिन्टेड है उसी में केवल रिक्त स्थान छोड़ दिये गये हैं। जो नाम और चैक नम्बर तथा सामग्री मूल्य व नाम सामान बाद में भर दिया गया है। भाषा शब्द सब एक समान है। प्रिन्टेड नोटशीट में ये उल्लिखित है कि कार्य प्रगति का स्थितीय निरीक्षण व माप कराई गई और उसी आधार पर पेमेन्ट किये गये हैं। किन्तु किसी भी पत्रावली में किसी भी भुगतान के सापेक्ष कोई भी निरीक्षण रिपोर्ट माप आख्या संलग्न नहीं है। और समय-समय पर प्राप्त प्रमाणकों का भुगतान किया गया है।

प्रस्तर 23— मस्टर रोल के मजदूरों का भुगतान कार्य प्रभारियों को:— वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में निर्माण कार्यों पर निम्नांकित विवरण के अनुसार अंकन 4692665.00 रु० मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके संलग्न तालिका 02 (प्रत्येक वर्ष) के अनुसार सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां की हस्ताक्षर है व मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 3724195.00 जो कि वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में योजना बद्ध तरीकेसे अनियमित भुगतान किया गया है और रु० 968470.00 श्रमांश की पत्रावलियां लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रही जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख आदि समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष	धनराशि श्रमांश	धनराशि पत्रावली अप्राप्त	अवशेष धनराशि
2011-12	1422195.00	25930.00	1396265.00
2012-13	775070.00	26705.00	748365.00
2013-14	2495400.00	915835.00	1579565.00
योग	4692665.00	968470.00	3724195.00

प्रस्तर 24— निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों का लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने पर रु० 2293399.00 का अपहरण:—

वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में निर्माण कार्यों पर निम्नांकित विवरण के अनुसार अंकन रु० 2293399.00 सामग्री का भुगतान फर्म/ संस्था को संलग्न तालिका 02 (प्रत्येक वर्ष) के अनुसार किया गया है। पत्रावलियों लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रही जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष	धनराशि अप्राप्त	चैक सं०
2011-12	47692.00	506497

2013-14	356991.00 346014.00 25259.00 19491.00 187846.00 153021.00 53251.00 35821.00 106037.00 26789.00 27325.00 79913.00 91231.00 614231.00 97748.00 24734.00	518658 518659 518933 518934 518937 518938 518939 518940 000016 000019 000025 000053 000004 000049 000083 000176
योग	2293399.00	

प्रस्तर 25— रू0 264043.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 2417.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की क्षति

वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में निर्माण कार्यों पर निम्नांकित विवरण के अनुसार सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 264043.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्षों में कुल सामग्री क्रय रू0 12934934.00 की दर्शित है। जिस पर 2.06 की दर से रू0 266460.00 टी0डी0एस0 होता है जबकि रू0 264043.00 का ही टी0डी0एस0 काटा गया है। इस प्रकार रू0 2417.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये टी0डी0एस0 की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूली पेनाल्टी के साथ सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 264043.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालन/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

वर्ष	कुल सामग्री क्रय धनराशि	टी0डी0एस0 कटौती	टी0डी0एस0 वाजिव	अन्तर
2011-12	3651633.00	73079.00	75224.00	2145.00
2012-13	2064278.00	42524.00	42524.00	—
2013-14	7219023.00	148440.00	148712.00	272.00
योग	12934934.00	264043.00	266460.00	2417.00

प्रस्तर 26— शासनादेश संख्या ए-1-122/ दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है। किन्तु वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में अनुदान पंजी के अनुसार शासकीय अनुदानों पर क्रमशः रू0 72779.00 रू0 147639.00 व रू0 13321.00 कुल रू0 232739.00 का ब्याज कमाया गया है। जिसे उपरोक्तानुसार जमा किये जाने की पुष्टि में अपेक्षित साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम— रामपुर

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

क्षेत्र पंचायत— विलासपुर

लेखा परीक्षा वर्ष—2014-15 से 2016-17

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ विकास खण्ड —विलासपुर

प्रस्तर 27— मस्टर रोल के मजदूरों का भुगतान कार्य प्रभारियों को:— वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में निर्माण कार्यों पर निम्नांकित विवरण के अनुसार अंकन 2330717.00 रू0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके संलग्न तालिका 02 (प्रत्येक वर्ष) के अनुसार सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर

अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां की हस्ताक्षर है व मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 1357865.00 जो कि वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अनियमित भुगतान किया गया है और रु0 972852.00 श्रमांश की पत्रावलियां लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रही जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/ प्रमुख आदि समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष	धनराशि श्रमांश	धनराशि पत्रावली अप्राप्त	अवशेष धनराशि
2014-15	1140737.00	-----	1140737.00
2015-16	1163340.00	946212.00	217128.00
2016-17	26640.00	26640.00	-----
योग	2330717.00	972852.00	1357865.00

प्रस्तर 28— निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों का लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने पर रु0 9180460.00 का अपहरण:-

वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में निर्माण कार्यों पर निम्नांकित विवरण के अनुसार अंकन रु0 9180460.00 सामग्री का भुगतान फर्म/संस्था को संलग्न तालिका 02 (प्रत्येक वर्ष) के अनुसार किया गया है। पत्रावलियों लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रही जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष	धनराशि अप्राप्त पत्रावलियों से सम्बन्धित
2014-15	1622700.00
2015-16	4763412.00
2016-17	2794348.00
योग	9180460.00

प्रस्तर 29— रु0 302769.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 29030.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में निर्माण कार्यों पर निम्नांकित विवरण के अनुसार सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 302769.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्षों में कुल सामग्री क्रय रु0 16106783.00 की दर्शित है। जिस पर 2.06 की दर से रु0 331799.00 टी0डी0एस0 होता है जबकि रु0 302769.00 का ही टी0डी0एस0 काटा गया है। इस प्रकार रु0 29030.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये टी0डी0एस0 की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूली पेनाल्टी के साथ सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 302769.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालन/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार से याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

वर्ष	कुल सामग्री क्रय धनराशि	टी0डी0एस0 कटौती	टी0डी0एस0 वाजिव	अन्तर
2014-15	7403543.00	121097.00	152513.00	31416.00
2015-16	5841094.00	114774.00	120326.00	5552.00
2016-17	2862146.00	66898.00	58960.00	7938.00
योग	16106783.00	302769.00	331799.00	29030.00

प्रस्तर 30— शासनादेश संख्या ए-1-122/ दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो

अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है। किन्तु वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में अनुदान पंजी के अनुसार शासकीय अनुदानों पर क्रमशः ₹ 528103.00 ₹ 173056.00 व ₹ 230544.00 का ब्याज प्राप्त हुआ। जिसमें से 31.03.2017 को ₹ 108699.00 खातों में अवशेष था। जिसे सम्बन्धित विभाग को वर्षान्त में वापस नहीं किया गया है। जो कि शासनादेशों का उल्लंघन है और जमा किये गये ब्याज की पुष्टि में अपेक्षित साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 31- वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में बैंक खाता संख्या 33630100000410 बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार वर्षान्त में क्रमशः ₹ 5079536.00, ₹ 4493759.00 व ₹ 10647330.00 का वर्षान्त में उपभोग नहीं किया गया और न ही सम्बन्धित विभाग को वर्षान्त में वापस किया गया है। जो कि शासनादेशों का उल्लंघन है। जिसे वापस कर या पुनः व्यय की स्वीकृति प्राप्त करके ही उपभोग किया जाना था। जिसका पालन नहीं किया गया है। जो आपत्तिजनक है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम- रामपुर मण्डल का नाम-मुरादाबाद क्षेत्र पंचायत- मिलक
लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12 क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ
विकास खण्ड -मिलक

प्रस्तर 32- मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का:-वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹ 741930.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री उमेश कुमार तिवारी पदनाम ए0डी0ओ0(सी0) को ₹ 636390.00 श्री मनोहरलाल पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी, को ₹ 20640.00 एवं श्री चन्द्रपाल सिंह को ₹ 84900.00 का भुगतान किया गया।

पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। अतः कार्यपूर्ण करने में वास्तविक मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। फर्जी मस्टर रोल दर्शाकर अधिक मजदूरी निर्धारित कर आहरण की सम्भावना बनती है।

मजदूरी/श्रमांश भुगतान हेतु कार्य फाईल प्रमाण से ज्ञात होता है कि श्री उमेश कुमार तिवारी कार्य प्रभारी को चैक सं0 525563,525561,525567,525566 से क्रमशः ₹ 26760.00, 29760.00, 25680.00,14760.00 कुल ₹ 96960.00 एवं श्री चन्द्रपाल सिंह को चैक सं0 519430 से 17760.00 ₹ 0 का भुगतान किया।

उपरोक्त को कुल ₹ 114720.00 का भुगतान किया गया है, जबकि बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउन्ट के अनुसार उपरोक्त ₹ 114720.00 धनराशि नकद आहरित की गयी है, अतः इस धनराशि ₹ 114720.00 को अपहरण की श्रेणी में रखा जाता है। इसको योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, जिसके लिए कार्य प्रभारी/लेखाकार/बी0डी0ओ0/जे0ई0 समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 33- आपूर्तिकर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल ₹ 2580349.00 भुगतान में से ₹ 185207.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खातों में है:-

चैक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
519429	26.03.12	15856.00	सैफ ब्रिक फिल्ड	ट्रान्सफर
525562	27.03.12	82679.00	साई कन्सट्रक्शन कं0	ट्रान्सफर
525564	27.03.12	45121.00	श्री बालाजी ट्रेडर्स	ट्रान्सफर
525565	27.03.12	9106.00	सैफ ब्रिक फिल्ड	ट्रान्सफर
512997	28.09.12	32445.00	श्री बालाजी ट्रेडर्स	पी.बी.एल.सी 1248
	योग	185207.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन ₹ 185207.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक

और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 185207.00 का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 34— रु0 57800.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 515.88 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 57800.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2580349.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रु0 58315.88 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 515.88 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी को साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 57800.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेंट /चालान /दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 35— बैंक खाता संख्या 07220100018129 के अनुसार निम्नानुसार चैको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेंट में पाने वाले का नाम
03.05.11	512991	58760.00	श्री अमर ऑवर सीज
09.06.11	512992	234500.00	डी0 ओ0
17.10.11	513000	236831.00	डी0 ओ0
26.12.11	518012	27980.00	श्री चन्द्रपाल सिंह
27.12.11	518013	226534.00	ट्रान्सफर
27.12.11	518011	28223.00	ट्रान्सफर
योग		812828.00	

जनपद का नाम— रामपुर मण्डल का नाम—मुरादाबाद क्षेत्र पंचायत— मिलक
लेखा परीक्षा वर्ष—2012-13 क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ
विकास खण्ड —मिलक

प्रस्तर 36— मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का:—वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 341660.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार शाह पदनाम (जी0पी0ए0) को रु0 66120.00 श्री राजेन्द्र पदनाम (जी0पी0ए0) को रु0 175580.00, श्री यशपाल सिंह पदनाम (जी0पी0ए0) को रु0 31320.00, एवं श्री निजामुद्दीन पदनाम (जी0पी0ए0) को रु0 68640.00 का भुगतान किया गया और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। अतः कार्यपूर्ण करने में वास्तविक मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। फर्जी मस्टर रोल दर्शाकर अधिक मजदूरी निर्धारित कर अपहरण की सम्भावना बनती है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 37— आपूर्तिकर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना सामग्री मद में कुल रु0 1275022.00 भुगतान में से रु0 717282.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:—

चैक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
525570	08.08.12	114960.00	सैफ ब्रिक फिल्ड	एल0/सी0 242
525571	08.08.12	180013.00	स्नेहिल सीमेन्ट एजेन्सी	एल0/सी0 341

000010	20.02.13	12148.00	सैफ ब्रिक फिल्ड	एल0/सी0 201
525574	14.09.12	245694.00	साई कन्सट्रक्शन कं0	एल0/सी0 2894
525573	14.09.12	50662.00	किसान ब्रिक फिल्ड	062100/07
525577	29.11.12	56765.00	श्री बालाजी ट्रेडर्स	एल0/सी0 1112
525579	29.11.12	45690.00	श्री बालाजी ट्रेडर्स	एल0/सी0 1113
525578	29.11.12	11350.00	संगम ब्रिक फिल्ड	एल0/सी0 1108
	योग	717282.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 717282.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 717282.00 का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 38— रु0 28701.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 763.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 28701.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 1303723.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रु0 29464 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 763.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी को साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 28701.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। खण्ड विकास अधिकारी / लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 39— बैंक खाता संख्या 07220100018129 के अनुसार निम्नानुसार चैको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेंट में पाने वाले का नाम
04.04.12	525568	59677.00	नकद
10.07.12	525569	40000.00	सैल्फ (स्वयं)
03.11.12	525576	257425.00	बी0ओ0बी0 टू सी0 डी0
19.12.12	000007	442771.00	ट्रान्सफर टै रामपुर डी0ओ0
15.01.13	000008	92673.00	डी0 ओ0 इश्यू
28.02.13	000011	788500.00	बी0 ओ0 बी0 मिलक
21.03.13	000016	13330.00	श्री राजेन्द्र सिंह
22.03.13	000015	21089.00	एल0/सी0 1629
30.03.13	000018	6758.00	पी0 के0 शर्मा
30.03.13	000017	21943.00	पी0 के0 शर्मा
योग		1744166.00	

जनपद का नाम— रामपुर मण्डल का नाम—मुरादाबाद क्षेत्र पंचायत— मिलक
लेखा परीक्षा वर्ष—2013-14 क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियों
विकास खण्ड —मिलक

प्रस्तर 40—मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का:— वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर अंकन 2035729.00 रु0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र सिंह पदनाम (जी0पी0ए0) को रु0 66180.00, श्री यशपाल सिंह पदनाम (जी0पी0ए0) को रु0 154830.00, श्री राजाराम पदनाम (जी0पी0ए0) को रु0 59580.00, श्री निजामुद्दीन पदनाम (जी0पी0ए0) को रु0 77888.00, श्री अनिल कुमार शाह पदनाम (जी0पी0ए0) को रु0 52985.00, श्री चन्द्रमोहन विश्णोई को रु0 126066.00, श्री दिनेश सिंह को रु0 507178.00, श्री उमेश कुमार तिवारी पदनाम ए0डी0ओ0(सी0) को रु0 250024.00, श्री चन्द्रपाल सिंह पदनाम (ए0डी0ओ0पी0) को रु0 153498.00 एवं श्री वीरपाल सिंह पदनाम ए0डी0ओ0 (ए0जी) को रु0 587500.00 का भुगतान किया गया।

पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया। अतः कार्यपूर्ण करने में वास्तविक मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। फर्जी मस्टर रोल दर्शाकर अधिक मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। फर्जी मस्टर रोल दर्शाकर अधिक मजदूरी निर्धारित कर आहरण की सम्भावना बनती है।

मजदूरी/श्रमांश भुगतान हेतु कार्य फाईल प्रमाण से ज्ञात होता है कि श्री अनिल कुमार शाह पदनाम (जी0पी0ए0) को चैक सं0 000036, से रू0 52985.00, श्री चन्द्रमोहन विश्‍नोई को चैक सं0 000066 से रू0 72714.00 श्री दिनेश सिंह को चैक सं0 000090 से रू0 155760.00 का भुगतान किया गया है। उपरोक्त तीनों को कुल रू0 281459.00 का भुगतान किया गया है, जबकि बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउन्‍ट के अनुसार उपरोक्त रू0 281459.00 धनराशि नकद आहरित की गयी है, अतः इस धनराशि रू0 281459.00 को अपहरण की श्रेणी में रखा जाता है। इसको योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, जिसके लिए कार्य प्रभारी/लेखाकार/बी0डी0ओ0/जे0ई0 सामान रूप से उत्‍तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 41— आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल रू0 7811453.00 भुगतान में से रू0 262592.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:-

चैक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
000055	23.09.13	11218.00	संगम ब्रिक फिल्ड	ए0/सी0 टू0 एल0सी0 न0 704
000071	28.01.14	3746.00	श्री बालाजी प्लाईवुड एण्ड हार्डवेयर	ए0/सी0 टू0 02/52
000073	28.01.14	36000.00	यू0पी0 ट्रेडर्स	ए0/सी0 टू0 02/52
000116	08.05.14	213628.00	नेहा सीमेन्ट स्टोर	ए0/सी0 टू0 02/52
	योग	264592.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 264592.00 को चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 264592.00 का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 42— रू0 169717.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 10520.14 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 169717.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 7975094.75 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रू0 180237.14 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 10520.14 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बाबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 169717.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 43— बैंक खाता संख्या 07220100018129 के अनुसार निम्नानुसार चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेन्ट में पाने वाले का नाम
10.10.13	000058	505884.00	एस0बी0आई0

07.11.13	000059	51000.00	श्री संजय कुमार
25.11.13	000060	94355.00	01 / 13300
05.02.14	000070	14060.00	श्री दिनेश सिंह
19.03.14	000093	114816.00	ब्रान्च मैनेजर एस0बी0आई0
योग		780115.00	

प्रस्तर 44— आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 4818421.75 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 192736.87 की वैट कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 17781.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 174955.87 कटौती नहीं की गई है। जिससे रु0 174955.87 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 174955.87 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है

जनपद का नाम— रामपुर मण्डल का नाम—मुरादाबाद क्षेत्र पंचायत— मिलक
लेखा परीक्षा वर्ष—2014—15 क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ
विकास खण्ड —मिलक

प्रस्तर 45— मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का:—वर्ष 2014—15 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 2542380.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री पुनीत कुमार गुप्ता पदनाम ए0डी0ओ0 (एस0टी0) को रु0 204870.00 श्री दिनेश सिंह पदनाम ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) को रु0 1172662.0000, श्री वीरपाल सिंह पदनाम ए0डी0ओ0 (ए0 जी0)को रु0 800878.00, श्री अलोक कुमार सक्सेना पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 23880.00 एवं श्री उमेश कुमार तिवारी पदनाम ए0डी0ओ0 (सी) को रु0 340090.00 का भुगतान किया गया और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। अतः कार्यपूर्ण करने में वास्तविक मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। फर्जी मस्टर रोल दर्शाकर अधिक मजदूरी निर्धारित कर अपहरण की सम्भावना बनती है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 46— रु0 192400.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 23829.61 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2014—15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 192400.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 9567682.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रु0 216229.61 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 23829.61 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी को साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 192400.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेंट /चालान /दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 47— बैंक खाता संख्या 07220100018129 के अनुसार निम्नानुसार चैको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेंट में पाने वाले का नाम
29.08.14	00148	121418.00	नकद
26.02.15	000188	2000000.00	दी न्यु आर्बन को0 बैंक
27.03.15	000192	300000.00	बलू डायमण्ड टच
योग		2421418.00	

प्रस्तर 48— आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 9567682.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 382707.00 की वैट कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 शून्य की कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 382707.28 कटौती नहीं की गई है। जिससे रु0 382707.28 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 382707.28 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

जनपद का नाम— रामपुर मण्डल का नाम—मुरादाबाद क्षेत्र पंचायत— मिलक
लेखा परीक्षा वर्ष—2015-16 क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ
विकास खण्ड —मिलक

प्रस्तर 49—मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का:— वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन 2599761.00 रु0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अलोक कुमार सक्सेना पदनाम ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 560660.00, श्री असलम हुसैन पदनाम ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 438067.00, श्री दिनेश सिंह राणा पदनाम ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) को रु0 1396374.00, श्रीमती मीरा शाहू पदनाम ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 70090.00, श्री शाकिव खां पदनाम ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 26652.00, श्री उमेश कुमार तिवारी पदनाम ए0डी0ओ0(सी0) को रु0 107918.00, का भुगतान किया गया।

पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया। अतः कार्यपूर्ण करने में वास्तविक मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। फर्जी मस्टर रोल दर्शाकर अधिक मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। फर्जी मस्टर रोल दर्शाकर अधिक मजदूरी निर्धारित कर आहरण की सम्भावना बनती है।

मजदूरी/श्रमांश भुगतान हेतु कार्य फाईल प्रमाण से ज्ञात होता है कि श्री शाकिव खां पदनाम ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 26652.00, श्री अलोक कुमार सक्सेना पदनाम ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 59131.00, श्री दिनेश सिंह राणा पदनाम ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) को रु0 172011.00 एवं श्री असलम हुसैन पदनाम ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 173331.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त को कुल रु0 431125.00 का भुगतान किया गया है, जबकि बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउन्ट के अनुसार उपरोक्त रु0 431125.00 धनराशि नकद आहरित की गयी है, अतः इस धनराशि रु0 431125.00 को अपहरण की श्रेणी में रखा जाता है। इसको योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, जिसके लिए कार्य प्रभारी/लेखाकार/बी0डी0ओ0/जे0ई0 समान रूप से उत्तरदायी है। वर्ष 2015-16 में मजदूरी भुगतान हेतु कार्य प्रभारियों को फाईल पत्रावली के अनुसार रु0 539061.00 का पेमेन्ट निम्न प्रकार से किया गया है।

क्र0 सं0	नाम कार्य प्रभारी	चैक संख्या	धनराशि
01	श्री असलम हुसैन (जी0पी0ए0)	018131,08144,018153	19939.0025668.00127724.00-173331.00
02	श्री आलोक कुमार सक्सेना (जी0पी0ए0)	018135,018137	59131.0018137.00-77268.00
03	श्री शाकिव खां	018140, 018148	13600.0013052.00-26652.00
04	श्री दिनेश सिंह राणा ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0)	018132,018133,018143	79750.0092261.0089799.00-261810.00
योग			

रु0 539061.00 के भुगतान सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउन्ट/पासबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः धनराशि अपुष्ट रहने के कारण अपहरण की श्रेणी में आती है, संबंधित कर्मचारियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 50— आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल ₹0 10088834.00 भुगतान में से ₹0 1145100.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:-

चैक न०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
018146	11.01.16	78904.00	सॉई कन्सट्रक्शन कं०	अप्राप्त
018129	30.10.15	122289.00	अब्दुल्ला ब्रिक फिल्ड	अप्राप्त
018127	01.09.15	32406.00	ओम सॉई कन्सट्रक्शन कं०	अप्राप्त
018128	01.09.15	54509.00	ओम सॉई कन्सट्रक्शन कं०	अप्राप्त
018152	16.06.15	71862.00	ओम सॉई कन्सट्रक्शन कं०	अप्राप्त
018150	18.01.16	937447.00	ओम सॉई कन्सट्रक्शन कं०	अप्राप्त
018188	30.10.15	92265.00	ओम सॉई कन्सट्रक्शन कं०	अप्राप्त
018130	28.12.15	256608.00	ओम सॉई कन्सट्रक्शन कं०	अप्राप्त
018126	01.09.15	38810.00	ओम सॉई कन्सट्रक्शन कं०	अप्राप्त
योग		1145100.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 1145100.00 को चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक आफर फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में ₹0 1145100.00 का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 51- ₹0 202925.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं ₹0 29668.75 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन ₹0 202925.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय ₹0 10291759.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर कसे ₹0 232593.75 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार ₹0 29668.75 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बाबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन ₹0 202925.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। खण्ड विकास अधिकारी / लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 52- बैंक खाता संख्या 07220100018129 के अनुसार निम्नानुसार चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेन्ट में पाने वाले का नाम
04.04.15	000214	924959.00	बैंक मैनेजर एस0बी0आई0 मिलक
09.04.15	000215	219400.00	बलू डायमण्ड टच
22.04.15	000216	71473.00	सॉई कन्सट्रक्शन कं०
27.04.15	000219	115000.00	श्रीमती अर्चना गंगवार
30.05.15	000238	50050.00	सॉई कन्सट्रक्शन कं०
07.07.15	000239	120257.00	बैंक मैनेजर एस0बी0आई0 मिलक
18.08.15	000254	36615.00	श्री शाहिद
19.08.15	000255	19660.00	श्री शिवकुमार
03.09.15	000256	100000.00	सैल्फ
06.01.16	000270	58697.00	श्री उमेश कुमार तिवारी
01.03.16	000278	35395.00	बैंक मैनेजर एस0बी0आई0 मिलक
01.03.16	000279	100654.00	बैंक मैनेजर एस0बी0आई0 मिलक
योग		1852160.50	

प्रस्तर 53- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय ₹0 10291759.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 411670.36 की वैट कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में ₹0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार ₹0

411670.36 कटौती नहीं की गई है। जिससे रू0 411670.36 के राजस्व की छति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 411670.36 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण विरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर 54— वर्ष 2015-16 में ग्राम इनायतपुर में खडण्जा/नाली/सी0सी0 निर्माण हेतु डलाई मिट्टी कुल रू0 18378.77 का भुगतान किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये घनमीटर की दर से रू0 8229.30 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है। (274.31 घनमीटर रू0 8229.30)

जनपद का नाम— रामपुर मण्डल का नाम—मुरादाबाद क्षेत्र पंचायत— मिलक

लेखा परीक्षा वर्ष—2016-17 क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

विकास खण्ड —मिलक

प्रस्तर 55—मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का:— वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन 2042551.00 रू0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अमरीश यादव पदनाम ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी को रू0 235358.00, श्री दिनेश राणा पदनाम ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) को रू0 801425.00, श्री धर्मानन्द पदनाम ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी को रू0 706056.00, एवं श्री सुरेश कुमार सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी को रू0 146618.00, एवं श्री सी0पी0 सिंह पदनाम ए0डी0ओ0(पी0) को रू0 153094.00 का भुगतान किया गया।

पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया। अतः कार्यपूर्ण करने में वास्तविक मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। फर्जी मस्टर रोल दर्शाकर अधिक मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। फर्जी मस्टर रोल दर्शाकर अधिक मजदूरी निर्धारित कर आहरण की सम्भावना बनती है। वर्ष 2015-16 में मजदूरी भुगतान हेतु कार्य प्रभारियों को फाईल पत्रावली के अनुसार श्रमांश का भुगतान निम्न प्रकार से किया गया है।

क्र0 सं0	नाम कार्य प्रभारी	चैक संख्या	धनराशि
01	श्री अमरीश कुमार यादव (जी0पी0ए0)	022187,022188,022189,000314	24564.0087696.0085678.00037420.00=173331.00
02	श्री दिनेश सिंह राणा ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0)	022190,022191,000313,022196,022197,000315,022152,022155,022198,022199,022200	101126.0088792.0029000.0040012.0067168.0038690.0015275.0020158.0027852.0087296.0086252.0099804.00=801425.00
03	श्री धर्मानन्द (जी0पी0ए0)	022193,022192,022194,000312,022151,022154,022157,022156	78006.00133014.0097264.0020702.00132840.0081816.0073222.0089192.00=706056.00
04	श्री सुरेश कुमार सिंह (जी0पी0ए0)	022153	146618.00 =146618.00
05	श्री सी0पी0 सिंह ए0डी0ओ0(पी0)	000321	153094.00 =153094.00
योग			2042551.00

बैंक स्टेटमेन्ट ऑफ अकाउन्ट में उपरोक्त चैकों का भुगतान आलोच्य वित्तीय वर्ष 2016-17 में दर्शित नहीं है। व्यय प्रमाणकों को अनुसार यह भुगतान रू0 2042551.00 अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया गया है। यह गम्भीर अनियमितता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 56— आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल रू0 6346329.00 भुगतान में से रू0 57865.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:-

चैक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
022172	04.03.17	57865.00	मै0 यशी कान्द्रेक्टर	अप्राप्त
योग		57865.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 57865.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक आफर फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 57865.00 का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 57— रू0 131037.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 12390.03 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 131037.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 6346329.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर कसे रू0 143427.03 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 12390.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 131037.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखित रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 58— बैंक खाता संख्या 07220100018129 के अनुसार निम्नानुसार चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेन्ट में पार्ने वाले का नाम
17.06.16	000281	80839.00	श्रीमती अर्चना गंगवार
28.06.16	000280	6825.00	शाह टाइम्स मुज्फरनगर
30.06.16	000283	1094800.00	मै0 यशी कान्द्रेक्टर
15.07.16	000284	11624.00	मै0 यशी कान्द्रेक्टर
29.09.16	000285	125000.00	सैल्फ
03.01.17	000287	16224.00	शाह टाइम्स मुज्फरनगर
15.02.17	000286	7849.00	आवाम हिन्द
23.02.17	022164	50000.00	श्री सुरेश कुमार सिंह
27.02.17	022167	50000.00	श्री दिनेश सिंह
06.03.17	022166	50000.00	श्री दिनेश सिंह
07.03.17	022177	57865.00	मै0 यशी कान्द्रेक्टर
15.03.17	022186	14032.00	श्री देव प्रकाश
15.03.17	022184	23222.00	श्री धर्मानन्द
16.03.17	022175	46618.00	श्री सुरेश कुमार सिंह
16.03.17	022165	50000.00	श्री सुरेश कुमार सिंह
16.03.17	022173	20158.00	श्री दिनेश सिंह
16.03.17	022174	27852.00	श्री दिनेश सिंह
16.03.17	022179	50000.00	श्री धर्मानन्द
16.03.17	022176	32840.00	श्री धर्मानन्द
16.03.17	022181	50000.00	श्री धर्मानन्द
16.03.17	022183	50000.00	श्री धर्मानन्द
16.03.17	022180	31816.00	श्री धर्मानन्द
16.03.17	022182	39192.00	श्री धर्मानन्द

16.03.17	022168	50000.00	श्री धर्मानन्द
16.03.17	022169	50000.00	श्री धर्मानन्द
22.03.17	022172	114503.00	एस0बी0आई मिलक
22.03.17	022171	221637.00	एस0बी0आई मिलक
योग		2422896.00	

जनपद का नाम— रामपुर मण्डल का नाम—मुरादाबाद क्षेत्र पंचायत— शाहबाद

लेखा परीक्षा वर्ष—2011—12 क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियों

विकास खण्ड —शाहबाद

प्रस्तर 59— मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों/ अन्य व्यक्तियों को :—वर्ष 2011—12 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 851530.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सुरेश शर्मा पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 36350.00, श्री बादाम सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 575560.00, श्री अजेन्द्र पाल सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 120855.00, श्री भूकनलाल गंगवार पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 89725.00, श्री वेदराम गंगवार पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 29040.00 का भुगतान किया गया।

पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। अतः कार्यपूर्ण करने में वास्तविक मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। फर्जी मस्टर रोल दर्शाकर अधिक मजदूरी निर्धारित कर आहरण की सम्भावना बनती है।

मजदूरी/श्रमांश भुगतान हेतु कार्य फाईल प्रमाण से ज्ञात होता है कि श्री सुरेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत को रु0 36350.00, श्री बादाम सिंह ग्राम विकास अधिकारी को रु0 215530.00 एवं श्री अजेन्द्रपाल सिंह ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत अधिकारी को रु0 4815.00 का भुगतान किया गया।

उपरोक्त को कुल रु0 256695.00 का भुगतान किया गया है, जबकि बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउन्ट के अनुसार उपरोक्त रु0 256695.00 धनराशि नकद/अन्य व्यक्ति द्वारा आहरित की गयी है, अतः इस धनराशि रु0 256695.00 को अपहरण की श्रेणी में रखा जाता है। इसको योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, जिसके लिए कार्य प्रभारी/लेखाकार/बी0डी0ओ0/जे0ई0 समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 60— आपूर्तिकर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल रु0 2800533.00 भुगतान में से रु0 205753.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खातों में है:—

चैक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
514872	29.08.12	9054.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	टू ट्रांसफर
514871	29.08.12	276.00	शिव शक्ति ब्रिक फिल्ड	टू ट्रांसफर
598324	16.08.11	8287.00	मधुवीर सिंह मिट्टी सप्लायर	अकाउंट 02/52
514851	08.05.12	44642.00	शिव शक्ति ब्रिक फिल्ड	टू ट्रांसफर
504453	21.09.11	34548.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	टू ट्रांसफर
510555	02.01.12	73542.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	टू ट्रांसफर
510554	02.01.12	35404.0	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	टू ट्रांसफर
		205753.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 205753.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 205753.00 का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 61— रू0 62783.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 1923.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 62788.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 2863321.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रू0 64711.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 1923.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी को साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 62788.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 62— बैंक खाता संख्या 08610100001423 के अनुसार निम्नानुसार चैंको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेंट में पाने वाले का नाम
6.4.11	546110	1645.00	हरज्ञान सिंह
6.4.11	963372	150080.00	परियोजना निदेशक यू0पी0 नेडा रामपुर
7.4.11	546106	34170.00	अजेन्द्र पाल सिंह
9.4.11	963379	28350.00	तुलसी ईट उद्योग मधुकर
9.4.44	963373	92197.00	तुलसी ईट उद्योग मधुकर
9.4.44	546103	59790.00	तुलसी ईट उद्योग मधुकर
9.4.44	963374	94608.00	तुलसी ईट उद्योग मधुकर
9.4.44	546101	88930.00	तुलसी ईट उद्योग मधुकर
9.4.44	546108	50836.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
9.4.44	546107	65216.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
11.4.11	546109	75342.00	तुलसी ईट उद्योग मधुकर
3.5.11	546105	131320.00	बैंक ऑफ बड़ोदा (बैंक ऑफ इंडिया) शाहबाद डीडी
4.5.11	546681	4355.00	सावित्री यादव ब्लॉक प्रमुख
22.6.11	546683	46400.00	अजेन्द्र पाल सिंह
22.6.11	546684	112560.00	अजेन्द्र पाल सिंह
23.6.11	546688	96587.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
23.6.11	546687	91457.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
24.6.11	546685	90888.00	हलेवर सिंह
29.6.11	546690	13758.00	टू कैश
29.6.11	547920	72600.00	बादाम सिंह
2.7.11	547919	28346.00	तुलसी ईट उद्योग मधुकर
2.7.11	546684	29746.00	तुलसी ईट उद्योग मधुकर
2.7.11	547918	91186.00	तुलसी ईट उद्योग मधुकर
2.7.11	547917	91186.00	तुलसी ईट उद्योग मधुकर
2.7.11	546686	27031.00	तुलसी ईट उद्योग मधुकर
4.7.11	547942	6000.00	टू कैश
6.7.11	547944	8380.00	भारत ब्रिक फिल्ड
11.7.11	547943	7703.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
20.7.11	546682	37275.00	हरस्वरूप आर्य
2.9.11	504451	6000.00	सावित्री देवी
8.9.11	504452	20000.00	टू कैश
24.9.11	504456	7470.00	बादाम सिंह
29.9.11	504455	47840.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
29.9.11	504457	102970.00	डी डी
19.10.11	504468	16250.00	नन्हे सिंह

14.11.11	504483	20000.00	मस्टर
16.11.11	504484	19044.00	हरस्वरूप आर्य
16.11.11	504460	33302.00	हरस्वरूप आर्य
30.12.11	504499	28740.00	टू कैश
30.12.11	504496	69300.00	टू कैश
30.12.11	504489	82260.00	टू कैश
30.12.11	504492	32170.00	टू कैश
30.12.11	504491	19679.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
30.12.11	504488	27789.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
30.12.11	504498	49614.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
30.12.11	504485	84767.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
31.12.11	504490	1940.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
31.12.11	504487	49173.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
31.12.11	504486	81068.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
6.1.12	510558	6000.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
23.3.12	510563	6000.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
27.3.12	510567	20000.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
27.3.12	510568	3436.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
27.3.12	510562	14945.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
27.3.12	510570.00	15000.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
	योग	2592699.00	

जनपद का नाम— रामपुर मण्डल का नाम—मुरादाबाद क्षेत्र पंचायत— शाहबाद
लेखा परीक्षा वर्ष—2012—13 क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियों
विकास खण्ड —शाहबाद

प्रस्तर 63— मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों/ अन्य व्यक्तियों को :-वर्ष 2012—13 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 2414995.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री भूकनलाल पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 134200.00, श्री अमित भटनागर पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 152070.00, श्री बादाम सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत को रु0 1742360.00, श्री सुरेन्द्र शर्मा पदनाम ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत को रु0 115015.00, श्री कमल सिंह पदनाम ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी को रु0 90595.00 श्री पी0एन0 चौधरी पदनाम ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी को रु0 95505.00 एवं श्री गणेश कुमार यादव पदनाम वी.डी.ओ./पंचायत सचिव को रु0 85250.00 का भुगतान किया गया।

पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। अतः कार्यपूर्ण करने में वास्तविक मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। फर्जी मस्टर रोल दर्शाकर अधिक मजदूरी निर्धारित कर आहरण की सम्भावना बनती है।

मजदूरी/श्रमांश भुगतान हेतु कार्य फाईल प्रमाण से ज्ञात होता है कि श्री भूकनलाल, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत को रु0 101860.00, श्री सुरेन्द्र शर्मा ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी को रु0 54125.00 एवं श्री बादाम सिंह पदनाम ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी को रु0 19111.00 का भुगतान किया गया।

उपरोक्त को कुल रु0 347095.00 धनराशि नकद आहरित की गयी है, जबकि बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउन्ट के अनुसार उपरोक्त रु0 347095.00 धनराशि नकद/अन्य व्यक्ति द्वारा आहरित की गयी है, अतः इस धनराशि रु0 347095.00 को अपहरण की श्रेणी में रखा जाता है। इसको योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, जिसके लिए कार्य प्रभारी/लेखाकार/बी0डी0ओ0/जे0ई0 समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 64— आपूर्तिकर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल रू0 5157805.00 भुगतान में से रू0 1251896.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खातों में है:-

चैक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
510577	4.4.12	94852.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर	पी एन बी बैंक के नाम
510581	9.4.12	34558.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर	पी एन बी बैंक के नाम
514883	30.8.12	24186.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	टू ट्रांसफर
514886	30.8.12	83120.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	टू ट्रांसफर
514887	30.8.12	53385.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	टू ट्रांसफर
514875	29.8.12	99160.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	टू ट्रांसफर
514877	29.8.12	74408.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	टू ट्रांसफर
514881	29.8.12	53403.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	टू ट्रांसफर
514878	29.8.12	25720.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	टू ट्रांसफर
514876	29.8.12	81365.00	शिव शक्ति ब्रिक	टू ट्रांसफर
514879	29.8.12	28106.00	शिव शक्ति ब्रिक	टू ट्रांसफर
000888	10.12.12.	82727.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	टू ट्रांसफर
000889	10.12.12.	68079.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	टू ट्रांसफर
000890	10.12.12.	55168.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	टू ट्रांसफर
518153	11.12.12	70407.00	शिव शक्ति ब्रिक	टू ट्रांसफर
518161	12.12.12	65968.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	टू ट्रांसफर
518162	12.12.12	35195.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	टू ट्रांसफर
518163	12.12.12	64385.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	टू ट्रांसफर
518164	12.12.12	58553.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	टू ट्रांसफर
518165	12.12.12	83658.00	शिव शक्ति ब्रिक	टू ट्रांसफर
518166	12.12.12	15493.00	शिव शक्ति ब्रिक	टू ट्रांसफर
		1251896.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 1251896.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 1251896.00 का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 65— रू0 120023.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 शून्य की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 120023.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 52,77,777.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रू0 120,000.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 शून्य कम कटौती कर राजस्व हानि की नहीं गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी को साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 120023.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 66— बैंक खाता संख्या 08610100001423 के अनुसार निम्नानुसार चैको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेंट में पाने वाले का नाम
17.4.12	510584	50379.00	आजम ब्रिक बर्कस
17.4.12	510583	84000.00	आजम ब्रिक बर्कस
26.4.12	510595	6340.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी

27.4.12	510597	43400.00	बादाम सिंह सी/ओ नन्हे
4.5.12	510596	15484.00	भारत कि बर्कस
8.5.12	510598	10925.00	यदुवीर सिंह
18.5.12	514862	205940.00	बीओबी
18.5.12	514855	7750.00	नन्हे सिंह
13.6.12	514867	9000.00	टूकेश
8.8.12	514868	33205.00	हरस्वरूप
29.8.12	514869	6000.00	टूकेश
31.8.12	514885	11250.00	टू ट्रांसफर
1.10.12	514897	6000.00	सावित्री देवी
12.12.12	514898	21240.00	हरस्वरूप शर्मा
12.12.12	518167	308910.00	टू ट्रांसफर
13.12.12	518160	6500.00	टू ट्रांसफर
13.12.12	518151	9250.00	टू ट्रांसफर
26.12.12	518176	25172.00	अकिल अहमद
26.12.12	518177	22400.00	अकिल अहमद
26.12.12	518175	11646.00	अकिल अहमद
28.1.13	518178	9000.00	सावित्री देवी
21.3.13	04	28778.00	अकिल अहमद
	योग		

जनपद का नाम— रामपुर मण्डल का नाम—मुरादाबाद क्षेत्र पंचायत— शाहबाद
लेखा परीक्षा वर्ष—2013—14 क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियों
विकास खण्ड —शाहबाद

प्रस्तर 67—मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों/ अन्य व्यक्तियों को :—वर्ष 2013—14 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 2624280.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री बादाम सिंह पदनाम ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी को रु0 115306.00, श्री सतीश कुमार पदनाम ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी को रु0 73674.00 श्री रामसिंह यादव पदनाम ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी को रु0 169272.00, श्री यशपाल सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत को रु0 1151108358.0000 श्री राजीव कुमार गंगवार पदनाम ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी को रु0 177166.00 श्री वेदराम गंगवार पदनाम ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 को रु0 686748.00 श्री फूल सिंह वसान ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 को रु0 179422.00 एवं श्री मनोज कुमार पदनाम ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी को रु0 114334.00 का भुगतान किया गया है।

पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। अतः कार्यपूर्ण करने में वास्तविक मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। फर्जी मस्टर रोल दर्शाकर अधिक मजदूरी निर्धारित कर आहरण की सम्भावना बनती है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 68— आपूर्तिकर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल रु0 9472403.00 भुगतान में से रु0 1007520.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:—

चैक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
00048	11.7.13	88622.00	भारत ब्रिक	02/6854
00044	11.7.13	88622.00	भारत ब्रिक	02/6854
00045	11.7.13	11470.00	भारत ब्रिक	02/6854
00034	16.3.13	6659.00	राजेन्द्र	एस बी/20731

00052	15.7.13	51539.00	भारत ब्रिक	02 / 6854
00056	22.7.13	81279.00	भारत ब्रिक	02 / 233
00081	1.8.13	88250.00	भारत ब्रिक	02 / 233
00082	1.8.13	62100.00	भारत ब्रिक	02 / 233
00087	5.9.13	28266.00	मैसर्स भोले ईट उद्योग	02 / 6854
00057	22.7.13	36480.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	02 / 233
00095	6.9.13	17.07.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	02 / 233
00080	1.8.13	19230.00	भोले ईट उद्योग	02 / 6864
00079	1.8.13	88622.00	भोले ईट उद्योग	02 / 6864
00090	6.9.13	87556.00	नन्हे पुत्र खूबचंद	02 / 233
00089	6.9.13	7348.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	टू ट्रांसफर
00098	9.9.13	11036.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	02 / 233
000111	26.9.13	137018.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	02 / 233
000112	26.9.13	111316.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी	02 / 233
	योग	1007120.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 1007120.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 1007120.00 का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 69— रू0 191756.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 25745.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 191756.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 9623937.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रू0 217501.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 25745.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की नहीं गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी को साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 191756.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 70— बैंक खाता संख्या 08610100001423 के अनुसार निम्नानुसार चैको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेंट में पाने वाले का नाम
16.4.13	00011	8917.00	यदुवीर
16.4.13	00013	2014.00	यदुवीर
17.4.13	00017	2000.00	आकिल अहमद
16.5.13	00025	52620.00	बादाम सिंह
27.6.13	00039	6962.00	आकिल अहमद
27.6.13	00040	20150.00	आकिल अहमद
8.7.13	00041	9000.00	टोनी यादव
13.7.13	00054	7810.00	राम सिंह यादव
31.7.13	00059	7134.00	026854
6.9.13	00085	65000.00	क्वालिटी
11.9.13	00097	7396.00	02 / 7035
20.9.13	000101	50760.00	आकिल अहमद
23.9.13	000102	10875.00	ओम प्रकाश
3.10.13	000119	30000.00	आकिल अहमद
23.10.13	000117	18616.00	यशपाल

13.11.13	000129	4177.00	एस बी आई
13.11.13	000128	30434.00	एस बी आई
30.12.13	000135	4442.00	आकिल अहमद
1.3.14	000158	10800.00	नन्हे
1.3.14	000144	6600.00	यदुवीर
13.3.14	000174	9690.00	नन्हे
27.3.14	000180	47927.00	एस बी आई शाहबाद
	योग	431324.00	

प्रस्तर 71. आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 9623937.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 384957.00 की बैट कटौती की जानी थी जबकि वर्ष में रु0 शून्य की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु0 384957.00 की कटौती नहीं की गयी है। जिससे रु0 384957.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 384957.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम— रामपुर मण्डल का नाम—मुरादाबाद क्षेत्र पंचायत— शाहबाद

लेखा परीक्षा वर्ष—2014-15 क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियों

विकास खण्ड —शाहबाद

प्रस्तर 71(क)— मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को:—वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 2458159.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री यशपाल सिंह ग्राम विकास अधिकारी, को रु0 942860.00 श्री मनोज कुमार पदनाम ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत अधि0 को रु0 136710.00, श्री वेदराम गंगवार पदनाम ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) को रु0 1241045.00, एवं श्री फूल सिंह पदनाम ए0डी0ओ0 (ए0जी0) को रु0 137544.00 का भुगतान किया गया है।

पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। अतः कार्यपूर्ण करने में वास्तविक मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। फर्जी मस्टर रोल दर्शाकर अधिक मजदूरी निर्धारित कर अपहरण की सम्भावना बनती है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 72— चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

श्रमांश मद में कुल रु0 2458159.00 भुगतान में से रु0 151442.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:—

चैक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
288	31.5.14	139226.00	श्री यशपाल सिंह वी.डी.ओ	मनोज कुमार सिंह
304	23.9.14	12216.00	श्री वेदराम गंगवार ए.डी.ओ (आईएसबी)	यशपाल सिंह वी.डी.ओ
	योग	151442.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 151442.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 151442.00 का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 73— रु0 176066.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 39046.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 176066.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 9518218.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रु0 215112.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 39046.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की नहीं

गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी को साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 191756.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेंट/ चालान /दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 74— बैंक खाता संख्या 08610100001423 के अनुसार निम्नानुसार चैको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेंट में पाने वाले का नाम
11.4.14	194	6840.00	यदुवीर
11.4.14	198	65675.00	शिव शक्ति ब्रिक इण्ड0
25.4.14	199	38115.00	शिव शक्ति ब्रिक इण्ड0
26.4.14	209	43000.00	सावित्री यादव
28.4.14	200	62602.00	के.एच.एस कन्सट्रक्शन कंपनी
6.5.14	208	31889.00	एस.बी.आई शाहबाद
22.5.14	230	115376.00	चन्द्रकेश
4.6.14	240	6958.00	मनोज कुमार
4.6.14	241	9405.00	यदुवीर सिंह
10.6.14	245	80838.00	शिव शक्ति ब्रिक इण्ड0
16.6.14	253	60000.00	अकिल अहमद
1.7.14	254	34562.00	एस.बी.आई शाहबाद
2.7.14	256	21000.00	सावित्री यादव
3.7.14	255	275800.00	डी डी नेडा
8.7.14	261	99180.00	के.एच.एस शाहबाद
8.7.14	258	7492.00	चन्द्रकेश
12.8.14	266	9843.00	राजेन्द्र उर्फ मेकुलाल
14.8.14	271	5415.00	यदुवीर सिंह
20.8.14	278	10830.00	नन्हे पुत्र खूबचन्द्र
29.8.14	283	14820.00	नन्हे
4.9.14	291	2900.00	अकिल अहमद
8.9.14	289	36868.00	शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ शाहबाद
8.9.14	290	19521.00	शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ शाहबाद
24.9.14	300	4275.00	चन्द्रकेश
1.10.14	309	6600.00	यदुवीर सिंह
1.10.14	307	21000.00	सावित्री यादव
14.10.14	315	10156.00	नन्हे
8.12.14	342	16200.00	मैकू उफ राजेन्द्र
9.12.14	223	6000.00	अकिल अहमद
9.12.14	349	9600.00	नेत्रपाल
11.12.14	324	33626.00	एस.बी.आई शाहबाद
11.12.14	351	26117.00	एस.बी.आई शाहबाद
16.12.14	355	5400.00	मैकू उफ राजेन्द्र
20.1.15	359	55000.00	अकिल अहमद
17.3.15	362	10100.00	नन्हे
30.3.15	365	2000.00	अकिल अहमद
30.3.15	371	42000.00	सावित्री देवी
	योग	1307003.00	

प्रस्तर 75 आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 9518218.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 380728.00 की बैट कटौती की जानी थी जबकि वर्ष में रु0 शून्य की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु0 380728.00 की कटौती नहीं की गयी है। जिससे रु0 380728.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 380728.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम— रामपुर मण्डल का नाम—मुरादाबाद क्षेत्र पंचायत— शाहबाद

लेखा परीक्षा वर्ष—2015-16 क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियों

विकास खण्ड —षाहबाद

प्रस्तर 75(क)— मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों /अन्य व्यक्ति को :—वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 1571625.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री वेदराम गंगवार ए0डी0ओ0 (आई0एल0बी0), को रु0 724635.00 श्री यशपाल सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत अधि0 को रु0 594337.00, श्री /फूल सिंह पदनाम ए0डी0ओ0 (ए0 की0) को रु0 112488.00, एवं श्री ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान पदनाम ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) को रु0 140165.00 का भुगतान किया गया है।

पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। अतः कार्यपूर्ण करने में वास्तविक मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। फर्जी मस्टर रोल दर्शाकर अधिक मजदूरी निर्धारित कर आहरण की सम्भावना बनती है।

मजदूरी/श्रमांश भुगतान हेतु कार्य फाईल प्रमाण से ज्ञात होता है कि श्री वेदराम गंगवार पदनाम ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) को बैंक सं0 531,500,510,504,507, द्वारा क्रमशः 23940.00, 86072.00, 85516.00, 80086.00, 48678.00 को कुल रु0 324292.00 का भुगतान किया गया है।

जबकि बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउन्ट के अनुसार उपरोक्त रु0 324292.00 धनराशि श्री ज्ञानेन्द्र कुमार चौहान द्वारा आहरित की गयी है। अतः इस धनराशि रु0 324292.00 को अपहरण की श्रेणी में रखा जाता है, जो योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, जिसके लिए कार्य प्रभारी/लेखाकार/बी0डी0ओ0/जे0ई0 समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 76— आपूर्ति कर्ता/फर्म को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल रु0 6717821.00 भुगतान में से रु0 215610.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। बैंक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:—

बैंक न0	दिनांक	धनराशि	बैंक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
450	18.6.15	59994.00	शिव शक्ति कन्सट्रक्शन कम्पनी	टू ट्रांसफर टू
482	3.9.15	155616.00	क्वालिटी कन्सट्रक्शन	टू ट्रांसफर
	योग	215610.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 215610.00 का बैंक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन बैंक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी बैंक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 215610.00 का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 77— रु0 134234.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 17589.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 134234.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 6717821.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रु0 151823.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 17589.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की नहीं गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी को साथ आहरण वितरण

अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 78— बैंक खाता संख्या 08610100001423 के अनुसार निम्नानुसार चैंको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेंट में पाने वाले का नाम
6.4.15	374	6300.00	मैकू उर्फ राजेन्द्र
8.4.15	385	10375.00	नन्हे
13.4.15	387	162900.000	50/201/2055
27.4.15	397	106524.00	गणेश जी ब्रिक इण्ड0
28.4.15	403	7014.00	मैकू उर्फ राजेन्द्र
29.4.15	407	89400.00	यशपाल सिंह
2.5.15	394	35575.00	एस.बी.आई शाहबाद
8.5.15	405	7200.00	मैकू उर्फ राजेन्द्र
8.5.15	409	11100.00	नन्हे
16.5.15	414	7123.00	यदुवीर सिंह
22.5.15	419	162900.00	एसटीटीआर एफ 30/201/2055 बीओबी
23.5.15	428	1800.00	मैकुलाल
23.5.15	424	7507.00	नेमपाल खूबचंद
23.5.15	426	28069.00	श्री गणेश जी ब्रिक
4.7.15	459	159869.00	बिलाडेमंडतेह
6.7.15	457	19049.00	एस.बी.आई शाहबाद
6.7.15	458	37874.00	एस.बी.आई शाहबाद
8.7.15	455	1200.00	मैकुलाल
31.7.15	466	3900.00	नन्हे
20.8.15	468	60000.00	अकिल अहमद
20.8.15	467	28000.00	सावित्री देवी
8.9.15	481	315629.00	बिलाडेमंडतेह
21.9.15	488	37423.00	अकिल अहमद
	योग	1306721.00	

प्रस्तर 78(क) आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 6717821.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 268713.00 की बैट कटौती की जानी थी जबकि वर्ष में रु0 26106.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु0 242607.00 की कटौती नहीं की गयी है। जिससे रु0 242607.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 242607.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम— रामपुर मण्डल का नाम—मुरादाबाद क्षेत्र पंचायत— शाहबाद
लेखा परीक्षा वर्ष—2016—17 क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियों
विकास खण्ड —शाहबाद

प्रस्तर 79— मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों/अन्य व्यक्ति को :-वर्ष 2016—17 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 3070038.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान पदनाम ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) को रु0 2017644.00 श्री यशपाल सिंह पदनाम ग्राम विकास/पंचायत अधि0 को रु0 1052394.00, का भुगतान किया गया है।

पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव

के है यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। अतः कार्यपूर्ण करने में वास्तविक मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। फर्जी मस्टर रोल दर्शाकर अधिक मजदूरी निर्धारित कर आहरण की सम्भावना बनती है।

मजदूरी/श्रमांश भुगतान हेतु कार्य फाईल प्रमाण से ज्ञात होता है कि श्री ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान पदनाम ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) को चैक सं0 585 द्वारा रू0 49200.00 का भुगतान किया गया है। श्री ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान के कुल रू0 49200.00 का भुगतान किया गया है।

जबकि बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउन्ट के अनुसार उपरोक्त रू0 49200.00 धनराशि अज्ञात ट्रांसफर द्वारा आहरित की गयी है। अतः इस धनराशि रू0 49200.00 को अपहरण की श्रेणी में रखा जाता है, जो योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, जिसके लिए कार्य प्रभारी/लेखाकार/बी0डी0ओ0/जे0ई0 समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 80—रू0 257632.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 शून्य की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 257632.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 7926431.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रू0 179137.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 शून्य कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी को साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू 0257632-00 की पुष्टि में इश्यू चौक न0 बैंक स्टेटमेंट चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। लेखाकार, वं ख.ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 81— आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू 7926431-00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू 317057-00 की वैट की कटौती का जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू 217256-00 वैट की कटौती की गयी है। इस प्रकार रू 99801-00 वैट की कटौती नहीं की गयी है जिससे रू 99801-00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। जिसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति रू 99801-00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर 82— बैंक खाता संख्या 08610100001423 के अनुसार निम्नानुसार चैको से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संगत अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	स्टेटमेंट में पाने वाले का नाम
8.5.16	489	52839.00	सावित्री यादव
12.7.16	491	10161.00	सुमित कुमार (प्रमुख) शाहबाद
24.10.16	493	35000.00	सुमित कुमार (प्रमुख) शाहबाद
5.9.16	492	75000.00	अकिल अहमद
29.12.16	537	44732.00	ब्रान्च मैनेजर एस.बी.आई शाहबाद
29.12.16	530	1800.00	यदुवीर सिंह
3.1.17	539	5250.00	पवन सिंह
10.1.17	551	21000.00	सुमित कुमार (प्रमुख) शाहबाद
2.2.17	564	10000.00	ज्ञानेन्द्र कुमार चौहान
3.2.17	570	27131.00	जगदीश प्रसाद
4.2.17	558	3850.00	संजीव कुमार
13.2.17	571	24000.00	यशपाल सिंह
13.2.17	572	32550.00	यशपाल सिंह
21.2.17	583	9000.00	जागरण प्रकश लि0
7.3.17	584	3000.00	दैनिक आज

17.3.17	594	14000.00	सुमित कुमार (प्रमुख) शाहबाद
23.3.17	597	182213.00	एस.बी.आई शाहबाद
23.3.17	595	4500.00	हिन्दुस्तान मीडिया
30.3.17	600	21110.00	अकिल अहमद
30.03.17	599	15287.00	अकिल अहमद
	योग	592423.00	

आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 7926431.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 317057.00 की बैट कटौती की जानी थी जबकि वर्ष में रु0 217256.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु0 99801.00 की कटौती नहीं की गयी है। जिससे रु0 99801.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 99801.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12 से 2013-14

जनपद का नाम- रामपुर मण्डल का नाम-मुरादाबाद

क्षेत्र पंचायत- चमरौआ विकास खण्ड -चमरौआ

उपरोक्त वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में तालिका 1 व 2 के आलोक में निम्न आपत्तियां पायी गयी।

प्रस्तर 83- मस्टर रोल के मजदूरों का भुगतान कार्य प्रभारियों को:- वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में निर्माण कार्यों पर निम्नांकित विवरण के अनुसार अंकन 3147461.00 रु0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके संलग्न तालिका 02 (प्रत्येक वर्ष) के अनुसार सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां भी हस्ताक्षर है व मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 2600670.00 जो कि वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में योजना बद्ध तरीके से अनियमित भुगतान किया गया है और रु0 546791.00 श्रमांश की पत्रावलियां लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रही जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख आदि समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष	धनराशि श्रमांश	धनराशि पत्रावली अप्राप्त	अवशेष धनराशि
2011-12	1173425.00	48030.00	1125395.00
2012-13	596173.00	-----	596173.00
2013-14	1377863.00	498761.00	879102.00
योग	3147461.00	546791.00	2600670.00

प्रस्तर 84- निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों का लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने पर रु0 1517211.00 का अपहरण:-

वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में निर्माण कार्यों पर निम्नांकित विवरण के अनुसार अंकन रु0 1517211.00 सामग्री का भुगतान फर्म/ संस्था को संलग्न तालिका 02 (प्रत्येक वर्ष) के अनुसार किया गया है। पत्रावलियों लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रही जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है।

वर्ष	धनराशि अप्राप्त	चैक सं0
2011-12	15000.00 24922.00 41423.00	650902.00 650920.00 650917.00
2012-13	76320.00	-----

2013714	89906.00	644068.00
	96087.00	644069.00
	69979.00	644081.00
	61970.00	644087.00
	97156.00	644091.00
	98844.00	644092.00
	87524.00	944096.00
	97156.00	222287.00
	97717.00	222288.00
	96079.00	222291.00
	96226.00	222295.00
	30682.00	222315.00
	90808.00	870463.00
	91531.00	870464.00
	90071.00	870543.00
	27900.00	870544.00
	39910.00	870546.00
योग	1517211.00	

प्रस्तर 85— रू0 264043.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 5690.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में निर्माण कार्यों पर निम्नांकित विवरण के अनुसार सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 22594.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोल्य वर्षों में कुल सामग्री क्रय रू0 11244235.00 की दर्शित है। जिस पर 2.06 की दर से रू0 231631.00 टी0डी0एस0 होता है जबकि रू0 225941.00 का ही टी0डी0एस0 काटा गया है। इस प्रकार रू0 5690.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये टी0डी0एस0 की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूली पेनाल्टी के साथ सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 225941.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

वर्ष	कुल सामग्री क्रय धनराशि	टी0डी0एस0 कटौती	टी0डी0एस0 वाजिव	अन्तर
2011-12	4404126.00	82868.00	90725.00	-7857.00
2012-13	3950884.00	57580.00	60788.00	-3208
2013-14	3889225.00	85493.00	80118.00	+5375.00
योग	11244235.00	225941.00	231631.00	-5690.00

प्रस्तर 86— शासनादेश संख्या ए-1-122/ दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है। किन्तु वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में अनुदान पंजी के अनुसार शासकीय अनुदानों पर क्रमशः रू0 195263.00 रू0 141445.00 व रू0 173793.00 कुल रू0 510501.00 का ब्याज कमाया गया है। जिसे उपरोक्तानुसार जमा किये जाने की पुष्टि में अपेक्षित साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम— रामपुर मण्डल का नाम—मुरादाबाद क्षेत्र पंचायत— चमरौआ
लेखा परीक्षा वर्ष—2014-15 से 2016-17 क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ
विकास खण्ड —चमरौआ

उपरोक्त वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में तालिका 1 व 2 के आलोक में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी।

प्रस्तर 87— मस्टर रोल के मजदूरों का भुगतान कार्य प्रभारियों को:— वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में निर्माण कार्यों पर निर्मांकित विवरण के अनुसार अंकन 2849593.00 रु0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके संलग्न तालिका 02 (प्रत्येक वर्ष) के अनुसार सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां की हस्ताक्षर है व मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 2849593.00 जो कि वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अनियमित भुगतान किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख आदि समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष	धनराशि श्रमांश	धनराशि पत्रावली अप्राप्त	अवशेष धनराशि
2014-15	1814877.00	-----	1814877.00
2015-16	844136.00	-----	844136.00
2016-17	190580.00	-----	190580.00
योग	2849593.00	-----	2849593.00

प्रस्तर 88— शासनादेश संख्या ए-1-122/ दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है। किन्तु वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में अनुदान पंजी के अनुसार शासकीय अनुदानों पर क्रमशः रु0 249181.00 रु0 141685.00 व रु0 309072.00 का ब्याज प्राप्त हुआ। जिसमें से 31.03.2017 को रु0 1084674.00 खातों में अवशेष था। जिसे सम्बन्धित विभाग को वर्षान्त में वापस नहीं किया गया है। जो कि शासनादेशों का उल्लंघन है। और जमा किये गये ब्याज की पुष्टि में अपेक्षित साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-3

जनपद का नाम :- सम्भल मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियों का विवरण —

1. क्षेत्र पंचायत-बहजोई वर्ष 2011-12 से 2013-14 जनपद-सम्भल।

प्रस्तर-01 (1) वर्ष 2011-12 में विधायक निधि से व्यय रु0 1010987.00 किया गया था। जिला पंचायत /क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1960 एवं उ0प्र0 जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत निर्माण नियमावली 1965 के नियम संख्या-16 के अनुसार रु0 10 लाख से अधिक के आगंगन की तकनीकी स्वीकृति राज्य सरकार से ली जानी आवश्यक है। किन्तु उक्त कार्य हेतु सरकारी से स्वीकृति नहीं ली गयी। **(सामान्य आपत्ति सं0-1)**

(2) विधायक निधि से कार्य ग्राम के अन्दर बन्ने शाह के मकान से दिगपाल एवं ओमी के घर तक सी0सी0 टाइल्स लगवाई गयी थी जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा केवल एक ग्राम से देसरे ग्राम के बीच ही दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जाना चाहिए था। **(सामान्य आपत्ति सं0-2)**

(3) रु0 10 लाख से भी अधिक लागत के इस कार्य हेतु श्रमांश पर कोई व्यय नहीं किया था। बिना मजदूर से कार्य कराए व बिना मजदूरी पर व्यय किए टाइल्स का लगाया जाना सम्भव नहीं था।

(सामान्य आपत्ति सं0-3)

(4) क्रय टाइल्स का स्टॉक रजिस्टर नहीं पाया गया। स्टॉक रजिस्टर न होने के कारण टाइल्स क्रय व उनके उपभोग तथा अवशेष रही टाइल्स का कोई हिसाब नहीं पाया गया। **(सामान्य आपत्ति सं0-4)**

(5) श्रोत पर आयकर रु0 20926.00 काटा गया था जिसके कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि में चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः कटौती की गयी आयकर की राशि के कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि नहीं हो सकी। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। जिसके लिए तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/ख0वि0ओ श्रीमति धनकौर सिंघवाल/श्री

सुरेश कुमार शर्मा से इस राशि की ब्याज सहित वसूली करके कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। अतः इस प्रति उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-5)

(6) उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विधायक निधि से कराए गए उक्त कार्य फर्जी किया गया व्यय प्रतीत होता है। अतः कुल धनराशि ₹0 1010987.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति धनकौर सिंघवाल/श्री सुरेश कुमार शर्मा लेखाकार श्री अनिल कुमार/श्री सत्य प्रकाश शर्मा, कार्य प्रभारी/अवर अभियन्ता श्री श्रीपाल मिश्र एवं ब्लाक प्रमुख श्री अनिल कुमार यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इस प्रति उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही एवं उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-6)

प्रस्तर-02(1) वर्ष 2011-12 में ₹0 5 लाख से अधिक की लागत के विभिन्न दर्शित कार्यों हेतु शासनादेश संख्या-8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12.01.2005 के अनुसार प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके नहीं कराए गए थे। कुल धनराशि ₹0 1607001.00 गम्भीर आपत्तियाँ पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति धनकौर सिंघवाल/श्री सुरेश कुमार शर्मा उत्तरदायी है। अतः इस प्रति उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-1)

(2) वर्ष 2011-12 में मजदूरी भुगतान की धनराशि ₹0 389500.00 मजदूरों को न करके तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री यशपाल सिंह व जे०ई० श्रीपाल मिश्र को किया गया था। कराये गये उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों में प्राप्त मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं पाए गए। निशानी अंगूठे एक जैसे ही है। टेन्डर/कोटेशन अधिकांशतः एक ही फर्म के पाए गए। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित मजदूरी भुगतान ₹0 389500.00 फर्जी है। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः इस प्रति कार्य प्रभारी श्री यशपाल सिंह व जे०ई० श्रीपाल मिश्र के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही एवं उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-2)

(3) वर्ष 2011-12 में कराये दर्शित कार्यों हेतु क्रय सामग्री मूल्य से टी०डी०एस० कटौती ₹0 33107.00 की गयी थी जबकि 2.24 प्रतिशत की दर से 44722.00 कटौती की जानी चाहिए थी। ₹0 11615.00 कम काटी गयी टी०डी०एस० की धनराशि राजस्व की हानि हुई है जिसकी ब्याज सहित वसूली कर कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। धनराशि ₹0 11615.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। काटी गयी धनराशि ₹0 33107.00 से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट, चालान/इश्यू चैक नं०/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः इस प्रति उत्तरदायी आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति धनकौर सिंघवाल/श्री सुरेश कुमार शर्मा से टी०डी०एस० कटौती की राशि वसूल कर कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-3)

प्रस्तर -03 वर्ष 2012-13 में बैंक खाते से ₹0 4866780.00 निकाला गया था। जबकि मात्र नौ पत्रावलियाँ लागत 4854405.00 की ही उपलब्ध करायी गयी। अन्तर की राशि ₹0 12375.00 के व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक व पत्रावलियाँ न उपलब्ध कराये जाने से इस राशि का अपहरण/दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा/श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव व लेखाकार श्री अनिल कुमार/श्री सत्य प्रकाश शर्मा उत्तरदायी हैं। अन्तर की राशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-5)

प्रस्तर-04 (1) वर्ष 2012-13 में कराए गए निर्माण कार्यों पर मजदूरी भुगतान की धनराशि ₹0 959205.00 मजदूरों को न करके सम्बन्धित कार्य प्रभारी किया गया है। पत्रावलियों में प्राप्त मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं पाए गए। अधिकतर निशानी अंगूठे एक जैसे ही है। स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। अतः इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा/श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव, अवर अभियन्ता श्री वी०के० शर्मा/श्री मेवालाल गुप्ता, लेखाकार श्री श्री अनिल कुमार/श्री सत्य प्रकाश शर्मा, कार्य प्रभारी श्री यशपाल सिंह एवं ब्लाक प्रमुख श्री अनिल कुमार यादव के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही एवं उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-1)

(2) वर्ष 2012-13 में कराये दर्शित कार्यों हेतु क्रय सामग्री मूल्य से टी०डी०एस० कटौती ₹0 69271.00 की गयी थी जबकि 2.24 प्रतिशत की दर से 87257.00 कटौती की जानी चाहिए थी। ₹0 17986.00 कम काटी गयी टी०डी०एस० की धनराशि राजस्व की हानि हुई है जिसकी ब्याज सहित वसूली कर कोषागार में जमा

कराया जाना अपेक्षित है। धनराशि रू0 17986.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। काटी गयी धनराशि रू0 33107.00 से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट, चालान/इश्यू चैक नं0/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः इस प्रति उत्तरदायी आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार शर्मा/श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव से टी0डी0एस0 कटौती की राशि वसूल कर कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-2)

(3) वर्ष 2012-13 में क्रय की गयी निर्माण सामग्री पर 4 प्रतिशत की दर वैट रू0 155916.00 की कटौती नहीं की गयी जिससे रू0 155816.00 के राजस्व की क्षति हुई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी श्री सुरेश कुमार शर्मा/श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-3)

प्रस्तर -05 वर्ष 2013-14 में बैंक खाते से रू0 2879845.00 निकाला गया था। जबकि लेखा परीक्षा के समय पत्रावलियाँ लागत 1786103.00 की ही उपलब्ध करायी गयी। अन्तर की राशि रू0 1093742.00 के व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक व पत्रावलियाँ न उपलब्ध कराये जाने से इस राशि का अपहरण/दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी/श्री प्रेम सागर जैन व लेखाकार श्री अनिल कुमार/श्री सत्य प्रकाश शर्मा उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध इस प्रति विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-7)

प्रस्तर-06 (1) वर्ष 2013-14 में कराए गए निर्माण कार्यों पर मजदूरी भुगतान की धनराशि रू0 414685.00 मजदूरों को न करके सम्बन्धित कार्य प्रभारी किया गया है। पत्रावलियों में प्राप्त मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं पाए गए। अधिकतर निशानी अंगूठे एक जैसे ही है। स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। अतः इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी/श्री प्रेम सागर जैन, अवर अभियन्ता श्री वी0के0 शर्मा/श्री मेवालाल गुप्ता, लेखाकार श्री श्री अनिल कुमार/श्री सत्य प्रकाश शर्मा, श्री कार्य प्रभारी श्री यशपाल सिंह एवं ब्लाक प्रमुख श्री अनिल कुमार यादव के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही एवं उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-1)

(2) वर्ष 2013-14 में कराये दर्शित कार्यों हेतु क्रय सामग्री मूल्य से टी0डी0एस0 कटौती रू0 32752.00 की गयी थी। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। अतः इस प्रति उत्तरदायी आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी/श्री प्रेम सागर जैन से टी0डी0एस0 कटौती की राशि वसूल कर कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-2)

(3) वर्ष 2013-14 में क्रय की गयी निर्माण सामग्री पर 4 प्रतिशत की दर वैट रू0 54857.00 की कटौती नहीं की गयी जिससे सरकार को राजस्व की क्षति हुई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी/श्री प्रेम सागर जैन से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-3)

कुलयोग- 5781447.00/-

2. क्षेत्र पंचायत- सम्मल वर्ष 2011-12 से 2013-14 जनपद-सम्मल।

प्रस्तर-07 वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक बैंक में जमा अनुदान पर रू0 730963.00 ब्याज प्राप्त हुआ जिसे नियमानुसार शासन को वापस किया जाना चाहिए था किन्तु ऐसा न करके गम्भीर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिददा खों/श्री यतीश कुमार पाण्डे एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री यतीश कुमार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-21)

प्रस्तर-08 वर्ष 2011-12 में रू0 15250.00, वर्ष 2012-13 में रू0 62979.50 तथा वर्ष 2013-14 में रू0 58358.85 कुला मिलाकर रू0 142581.35 वापस किया गया दर्शित है किन्तु उक्त धनराशि किसे दी गयी है, लेखा परीक्षा से स्पष्ट नहीं किया गया। उक्त ब्याज वापसी के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं रहा। प्रमाणक के अभाव में स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित

वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खॉ/श्री यतीश कुमार पाण्डे एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री यतीश कुमार से किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-22)

प्रस्तर-09 मनरेगा मद में वर्ष 2011-12 से 2013-14 में ₹0 4412519.43 व्यय दर्शाया गया है जिसके सम्बन्ध में कोई भी पत्रावली बार-बार माँग करने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। पत्रावली के अभाव में भारी अनियमितता की आशंका है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खॉ/श्री यतीश कुमार पाण्डे एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री यतीश कुमार उत्तरदायी रहे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-23)

प्रस्तर-10 एस०जी०एस०वाई० मद में दिसम्बर 2011 में ₹0 63000.00 माह जनवरी 2012 में ₹0 20000.00 तथा माह फरवरी 2012 में ₹0 117000.00 सुविधादाता मानदेय दर्शित है जिसके सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ₹0 200000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खॉ/श्री यतीश कुमार पाण्डे एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री यतीश कुमार से की जानी चाहिए।
(सामान्य आपत्ति सं०-24)

प्रस्तर-11 दिनांक 01.04.2011 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत ₹0 2500.00 प्रारम्भिक अवशेष था जो माह दिसम्बर 2012 में भुगतान दर्शाते हुए समाप्त किया गया जिसके सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक अथवा पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि ₹0 2500.00 का अपहरण किया गया है जिसे तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री यतीश कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-25)

प्रस्तर-12 (1) वर्ष 2011-12 में विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ जांच हेतु सुलभ कराई गई। सम्भल के मौहल्लों/ग्रामों के अन्दर मिट्टी/नाली खड़जा कार्य कराया गया है। क्षेत्र पंचायत सम्भल द्वारा वर्ष 2011-12 में शासनादेश सं० 8307/33/2-204-93-जी/2004 दिनांक 12.01.2005 के मार्ग दर्शक सिद्धान्त के विपरीत मौहल्लों/ग्रामों के अन्दर ही कार्य कराकर गम्भीर अनियमितता की गयी थी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खॉ उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-6(1))

(2) वर्ष 2011-12 में दर्शित 17 कार्यों से टी०डी०एस० कटौती ₹0 35258.02 की गई थी। जिसे कोषागार में जमा की पुष्टि में बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न नहीं पाया गया। अतः टी०डी०एस० की वसूल रकम जमा न किए जाने के लिए तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-6(2))

(3) शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार ₹0 एक लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु सामग्री निविदाएँ आमंत्रित करके क्रय की जानी चाहिए थीं किन्तु सामग्री क्रय हेतु निविदाएँ न आमंत्रित करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है तथा संस्था को प्रतियोगी दरों के लाभ से वंचित रहना पड़ा है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खॉ उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-6(3))

(4) दर्शित कार्यों की लागत ₹0 5 लाख से अधिक थी। किन्तु इनकी कार्य योजना की वित्तीय स्वीकृति जिला अधिकारी की नहीं देखने को मिली। इनके प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण अभियन्ता जिला पंचायत का भी देखने को नहीं मिला। इस प्रति उक्त कार्यों के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खॉ, अवर अभियन्ता/कार्यप्रभारी श्री मेवालाल गुप्ता उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-6(4))

(5) विकास खण्ड के मरम्मत व रंगाई-पुताई कार्य पर टी०डी०एस० कटौती उपरान्त क्रमशः ₹0 114246.00 व ₹0 38027.00 खर्च दिखाया है। रंगाई-पुताई तथा मरम्मत का कार्य टुकड़ों-टुकड़ों में कराये जाने का कोई औचित्य नहीं था। विकास खण्ड परिसर में जब पूर्व में मरम्मत व रंगाई-पुताई हो चुकी थी तब वही कार्य दोबारा दिखाकर दूसरी बार दिखाए कार्य ₹0 38027.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खॉ, लेखाकार व कार्य प्रभारी/अवर अभियन्ता श्री मेवालाल गुप्ता उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही इस राशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-6(5))

(6) वर्ष 2011-12 में कराए-दिखाए सभी कार्य अवर अभियन्ता श्री मेवालाल गुप्ता द्वारा कार्य प्रभारी के रूप में कराए गए थे। जबकि विकासखण्ड में कार्यरत अन्य कार्मिक मौजूद थे। अवर अभियन्ता को ही कार्य प्रभारी नियुक्त करके उन्हें स्वच्छन्दता पूर्वक कार्य कराने का अवसर प्रदान किया गया था। श्रमांस का

भुगतान मजदूरों को न करके स्वयं उनके द्वारा प्राप्त किया गया था। अतः कुल श्रमांश रु० 1313117.00 में भारी गोल माल किए जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खाँ, कार्य प्रभारी/अवर अभियन्ता श्री मेवालाल गुप्ता, लेखाकार व ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। विस्तृत जांच के बाद उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-6(6))

प्रस्तर-13 (1) वर्ष 2012-13 में शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रु० एक लाख से अधिक लागत के कार्य हेतु सामग्री निविदाएँ आमंत्रित करके क्रय की जानी चाहिए थीं किन्तु सामग्री क्रय हेतु निविदाएँ न आमंत्रित करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है तथा संस्था को प्रतियोगी दरों के लाभ से वंचित रहना पड़ा है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डे उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-7(1))

(2) वर्ष 2012-13 में कराए गए विभिन्न कार्यों पर मजदूरी रु० 1458440.00 खर्च की गई थी। श्रमांश की यह राशि मजदूरों को न देकर कार्य प्रभारियों को दी गई थी। इन सभी कार्यों में श्री मेवालाल अवर अभियन्ता स्वयं कार्य प्रभारी भी रहें हैं तथा 7 कार्यों में श्री नरेन्द्र सिंह कार्य प्रभारी के साथ-साथ श्री मेवालाल अवर अभियन्ता भी उनके साथ रहे हैं। मजदूरों को भुगतान न करके तथा श्रमांश स्वयं प्राप्त करके मजदूरों को दी जाने वाली रकम रु० 1458440.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डे, कार्य प्रभारी/अवर अभियन्ता श्री मेवालाल गुप्ता, लेखाकार व ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं।

(सामान्य आपत्ति सं०-7(2))

(3) दर्शित कार्यों की लागत रु० 5 लाख से अधिक थी। किन्तु इनकी कार्य योजना की वित्तीय स्वीकृति जिला अधिकारी की नहीं देखने को मिली। इनके प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण अभियन्ता जिला पंचायत का भी देखने को नहीं मिला। अतः सक्षम अधिकारियों की उक्त स्वीकृतियाँ न होने की दशा में इस प्रति उक्त कार्यों के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डे उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-7(3))

(4) वर्ष 2012-13 में कराए गए कार्यों पर सामग्री क्रय पर हुए खर्च रु० 5240912.00 पर रु० 120088.00 टी०डी०एस० काटा गया था जिसे कोषागार में जमा के प्रमाण में ट्रेजरी चालान/बैंक स्टेटमेंट/दाखिल रिटर्न नहीं पाया गया। प्रमाण न होने की दशा में टी०डी०एस० की कटौती की राशि ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डे से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-7(4))

प्रस्तर-14 (1) वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग का रु० 9873956.00 तथा 13वाँ वित्त आयोग का रु० 3463730.00 बैंक से आहरण करके कुल रु० 13337686.00 योजनाओं पर व्यय किया गया था। लेखा परीक्षा में इस धनराशि के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ नहीं पाई गई। अतः इस राशि के व्यय की स्थिति संदिग्ध है। वर्क रजिस्टर व व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावलियाँ प्रस्तुत कर जांच कराई जानी अथवा पत्रावलियाँ न होने की दशा में उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डे व लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०-8) कुलयोग- 21790910.00/-**

3. क्षेत्र पंचायत- बनियाखेड़ा वर्ष 2011-12 से 2013-14 जनपद-सम्बल।

प्रस्तर-15 आलोच्य वर्ष में बैंक से कुल आहरण तृतीय राज्य वित्त खाते से रु० 2040877.00 किया गया है। जिसके सापेक्ष रु० 1473366.00 केवल 8 कार्यों पर व्यय किया गया था। शेष रु० 567511.00 के कराये गये कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ ऑडिट में सुलभ नहीं कराई गई। वर्क रजिस्टर का न बनाया जाना व अवशेष राशि से सम्बन्धित पत्रावलियाँ न होना रु० 567511.00 का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, लेखाकार श्री अनिल सकसैना, अवर अभियन्ता श्री श्रीपाल मिश्र, ब्लॉक प्रमुख श्रीमति रिकी सिंह व सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ-साथ अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-01)

प्रस्तर-16 वर्ष 2011-12 में 12वाँ वित्त आयोग से प्राप्त व बैंक में जमा अनुदान पर ब्याज रु० 186385.00 प्राप्त हुआ था। गत ब्याज शेष रु० 74814.00 था। इस प्रकार कुल ब्याज रु० 261199.00 में से रु० 47393.00 व्यय दिखाया है। जिसके व्यय होने के सम्बन्ध में ऑडिट को कोई जानकारी नहीं हुई और न ही व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाण पाया गया। अतः धनराशि का अपहरण किया गया है। अवशेष ब्याज रु०

213806.00 सरकार को वापस नहीं किया गया। उक्त राशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, लेखाकार श्री अनिल सक्सैना उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-02)

प्रस्तर-17 वर्ष 2011-12 में 12वाँ वित्त आयोग का रू० 26095.00 बैंक से आहरण किया गया था। इस धनराशि के व्यय की पुष्टि में कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराई गई। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट है। धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री धर्मेन्द्र यादव व लेखाकार श्री अनिल सक्सैना, ब्लॉक प्रमुख श्रीमति रिकी सिंह उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ-साथ अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-03)

प्रस्तर-18 वर्ष 2011-12 में एस०जी०एस०वाई० मद के अन्तर्गत रू 3394500.00 का बैंक से आहरण किया गया था। इस धनराशि के व्यय की पुष्टि में कोई वर्क रजिस्टर, पत्रावली इत्यादि लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराई गई। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट है। धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री धर्मेन्द्र यादव व लेखाकार श्री अनिल सक्सैना उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ-साथ अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-04)

प्रस्तर-19 वर्ष 2011-12 में अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना में रू० 185000.00 व्यय किया गया था। इस धनराशि के व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक/पत्रावली इत्यादि लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराई गई। उक्त दर्शित व्यय संदिग्ध है। धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री धर्मेन्द्र यादव व लेखाकार श्री अनिल सक्सैना, ब्लॉक प्रमुख श्रीमति रिकी सिंह उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ-साथ अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-05)

प्रस्तर-20 वर्ष 2011-12 में बायोगैस हेतु रू० 40000.00 सरकार से प्राप्त हुये थे जो दौरान साल व्यय कर दिये गये दिखाये हैं। इस धनराशि के व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक/पत्रावली इत्यादि लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराई गई। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट है। धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री धर्मेन्द्र यादव व लेखाकार श्री अनिल सक्सैना उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ-साथ अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-06)

प्रस्तर-21 वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर श्रमांस/मजदूरी का भुगतान मजदूरों को सीधे न करके रू० 505685.00 राज्य वित्त कार्य प्रभारी श्री जय प्रकाश शर्मा ए०डी०ओ० को किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल के नम्बर अंकित नहीं हैं। जिससे स्पष्ट है कि कराये गये कार्य के क्रम से विकासखण्ड द्वारा निर्गत नहीं हैं और जो निशानी अंगूठा लगा है व प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं, इसका भी उल्लेख नहीं है। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख/श्री धर्मेन्द्र यादव व लेखाकार श्री अनिल सक्सैना उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ-साथ अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-07)

प्रस्तर-22 वर्ष 2011-12 में टी०डी०एस० कटौती रू० 25321.00 की गई थी। आयकर विभाग में जमा किये जाने की पुष्टि में आयकर विभाग में इस धनराशि का जमा का चालान नहीं पाया गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख/श्री धर्मेन्द्र यादव व लेखाकार श्री अनिल सक्सैना उत्तरदायी है। इस प्रति आयकर विभाग के नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-08)

प्रस्तर-23 (1) वर्ष 2012-13 में तृतीय राज्य वित्त आयोग का रू० 7617562.00 बैंक से आहरण किये गये थे। जिसमें से 7 कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ ही उपलब्ध करायी गयी है। जिस पर खर्च रू० 1770409.00 हुआ था। अन्तर रू० 5847153.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराई गई। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख व श्री धर्मेन्द्र यादव व लेखाकार श्री अनिल सक्सैना उत्तरदायी है। इस प्रति समुचित नियमानुसार कार्यवाही कर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-09(1))

(2) वर्ष 2012-13 में तेरहवां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि का बैंक से रु0 3509851.00 का अपहरण किया गया। जिसमें से 7 कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ ही उपलब्ध करायी गयी है। जिस पर खर्च रु0 2729108.00 हुआ था। अन्तर रु0 780743.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराई गई। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख व श्री धर्मेन्द्र यादव व लेखाकार श्री अनिल सक्सैना उत्तरदायी है। इस प्रति समुचित नियमानुसार कार्यवाही कर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-09(2))

(3) वर्ष 2012-13 में तृतीय राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान पर बैंक से आहरित ब्याज रु0 5724.00 था। जिसके व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाण अथवा कराये गये कार्य से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई। वर्षान्त ब्याज अवशेष रु0 438820.00 था जो राज्य सरकार को वापस नहीं किया गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जबकि शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार सरकार से प्राप्त अनुदान पर बैंक द्वारा दिया गया ब्याज सरकार को भेजा जाना था। अविलम्ब शेष ब्याज की राशि सरकार को वापस की जानी अपेक्षित है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख व श्री धर्मेन्द्र यादव व लेखाकार श्री अनिल सक्सैना उत्तरदायी है। इस प्रति समुचित नियमानुसार कार्यवाही कर रु0 5724.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-09(3))

(4) एस0जी0एस0वाई0 पर दौरान साल ऑडिट बैंक से ब्याज रु0 16986.00 प्राप्त हुआ था। गत शेष ब्याज रु0 12512.00 था। दौरान साल रु0 23463.00 बैंक से आहरण करके खर्च कर दिया गया। जिसकी पुष्टि में प्रमाणक/पत्रावली नहीं पाई गई। वर्क रजिस्टर में इससे सम्बन्धित कराये गये कार्य का कोई उल्लेख नहीं पाया गया। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव व लेखाकार श्री अनिल सक्सैना उत्तरदायी है। इस प्रति ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-09(4))

(5) पी0आर0डी0/युवक मंगल दल हेतु क्षेत्र पंचायत को रु0 22000.00 प्राप्त हुये थे। जिन्हें साल दौरान खर्च कर दिया गया था। किन्तु पुष्टि हेतु प्रमाणक नहीं पाये गये। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट है। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव व लेखाकार श्री अनिल सक्सैना उत्तरदायी है। इस प्रति इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-09(5))

(6) ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार रु0 73838.00 टी0डी0एस0 कटौती की राशि कोषागार में जमा की गई दिखाई है जबकि ऑडिट में कोषागार में उक्त राशि जमा किये जाने की पुष्टि में चालान नहीं पाया गया। अतः व्यय अपुष्ट रहा। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव व लेखाकार श्री अनिल सक्सैना उत्तरदायी है। इस प्रति आयकर विभाग के नियमों के अनुसार ब्याज सहित वसूली करके धनराशि विभाग के खाते में जमा की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-09(6))

प्रस्तर-24 (1) वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर मजदूरी का भुगतान मजदूरों को सीधे न करके रु0 734935.00 कार्य प्रभारी श्री जयप्रकाश शर्मा ए0डी0ओ0 को किया गया था। पत्रावलियों के साथ संलग्न पाये गये मस्टररोल पर क्रम संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल के प्रारूप खण्ड विकास कार्यालय से निर्गत नहीं हुये हैं। मस्टररोल पर जो निशान अंगूठा लगे हैं, वह प्रमाणित नहीं हैं तथा लगे हुए निशान अंगूठा एक समान दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य करने वाले मजदूरों का गॉव/पता अंकित नहीं है। मजदूरी मद में रु0 734935.00 का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव, लेखाकार श्री अनिल सक्सैना, अवर अभियन्ता श्री श्रीपाल मिश्र, कार्य प्रभारी श्री जय प्रकाश तथा ब्लाक प्रमुख श्री मति रिकी सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। इनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-10(1))

(2) वर्ष 2012-13 में कुल निर्माण सामग्री रु0 1014143.00 की क्रय की गई थी। उपलब्ध वाउचर्स पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा लिया जाने वाले वैट न0 अंकित नहीं रहा और न ही संस्था द्वारा वैट काटकर विक्रेता को भुगतान किया गया था। अतः 4 प्रतिशत की दर से उक्त क्रय सामग्री के क्रय मूल्य पर रु0 40562.00 वैट न चार्ज करके राज्य सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पाई गई है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख व श्री धर्मेन्द्र यादव तथा

लेखाकार श्री अनिल सक्सैना उत्तरदायी है। जिनसे नियमानुसार उक्त धनराशि की क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-10(2))

(3) वर्ष 2012-13 में टी0डी0एस0 कटौती रु० 21331.00 की गई थी। जिसको आयकर विभाग में जमा किये जाने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पाई गई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव तथा लेखाकार श्री अनिल सक्सैना उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध आयकर नियमों के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०-10(3))**

प्रस्तर-25 (1) वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर मजदूरी का भुगतान मजदूरों को सीधे न करके रु० 457145.00 कार्य प्रभारी श्री जयप्रकाश शर्मा ए०डी०ओ० को किया गया था। पत्रावलियों के साथ संलग्न पाये गये मस्टररोल पर क्रम संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल के प्रारूप खण्ड विकास कार्यालय से निर्गत नहीं हुये हैं। मस्टररोल पर जो निशान अंगूठा लगे हैं, वह प्रमाणित नहीं है तथा लगे हुए निशान अंगूठा एक समान दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य करने वाले मजदूरों का गाँव/पता अंकित नहीं है। मजदूरी मद में रु० 457145.00 का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव, लेखाकार श्री अनिल सक्सैना, अवर अभियन्ता श्री श्रीपाल मिश्र, कार्य प्रभारी श्री जय प्रकाश शर्मा तथा ब्लाक प्रमुख श्री मति रिंकी सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। इनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-11(1))

(2) वर्ष 2012-13 में कुल निर्माण सामग्री रु० 2225057.00 की क्रय की गई थी। उपलब्ध वाउचर्स पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा लिया जाने वाले वैट न० अंकित नहीं रहा और न ही संस्था द्वारा वैट काटकर विक्रेता को भुगतान किया गया था। अतः 4 प्रतिशत की दर से उक्त क्रय सामग्री के क्रय मूल्य पर रु० 89000.00 वैट न चार्ज करके राज्य सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पाई गई है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव तथा लेखाकार श्री अनिल सक्सैना उत्तरदायी है। जिनसे नियमानुसार उक्त धनराशि की क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-11(2))

(3) वर्ष 2012-13 में टी0डी0एस0 कटौती रु० 46906.00 की गई थी। जिसको आयकर विभाग में जमा किये जाने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पाई गई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव तथा लेखाकार श्री अनिल सक्सैना उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध आयकर नियमों के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०-11(3))**

प्रस्तर-26 (1) आलोच्य वर्ष 2013-14 में बैंक से कुल आहरण तृतीय राज्य वित्त खाते से रु० 2408627.00 किया गया है। जिसके सापेक्ष रु० 798736.00 केवल 2 कार्यों पर व्यय किया गया था। शेष रु० 1609891.00 के कराये गये कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ ऑडिट में सुलभ नहीं कराई गईं। वर्क रजिस्टर का न बनाया जाना अथवा अपूर्ण होना व अवशेष राशि से सम्बन्धित पत्रावलियाँ न होना रु० 1609891.00 का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री अनिल कुमार चर्तुवेदी, श्री शैलेन्द्र व्यास एवं तत्कालीन लेखाकार श्री रमेश कुमार, अवर अभियन्ता श्री श्रीपाल मिश्र, ब्लॉक प्रमुख श्रीमति रिंकी सिंह व सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ-साथ अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-12(1))

(2) वर्ष 2013-14 में 13वाँ वित्त आयोग से प्राप्त गत वर्षों का शेष अनुदान रु० 67704.00 बैंक से आहरण करके व्यय किया गया था। इस धनराशि के व्यय की पुष्टि में कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराई गई। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट है। धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव व लेखाकार श्री रमेश कुमार, ब्लॉक प्रमुख श्रीमति रिंकी सिंह उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ-साथ अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-12(2))

(3) वर्ष 2013-14 में तृतीय राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान पर बैंक से आहरित ब्याज रु० 102348.00 था। जिसके व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाण अथवा कराये गये कार्य से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई। वर्षान्त ब्याज अवशेष रु० 655168.00 था जो राज्य सरकार को वापस नहीं किया गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जबकि शासनादेश संख्या ए-1-122 /दस -2012-10 (33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार सरकार से प्राप्त अनुदान पर बैंक द्वारा दिया गया ब्याज

सरकार को भेजा जाना था। अविलम्ब शेष ब्याज की राशि सरकार को वापस की जानी अपेक्षित है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव व लेखाकार श्री रमेश कुमार उत्तरदायी है। इस प्रति समुचित नियमानुसार कार्यवाही कर रु0 102348.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-12(3))

(4) वर्ष 2013-14 में एस0जी0एस0वाई0 मद के अन्तर्गत रु 771807.00 का बैंक से आहरण किया गया था। इस धनराशि के व्यय की पुष्टि में कोई वर्क रजिस्टर, पत्रावली इत्यादि लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराई गई। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक न होना गवर्न श्रेणी में आता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव व लेखाकार श्री रमेश कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्ति से अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-12(4))

(5) वर्ष 2013-14 में तेहरवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि में से रु0 67940.00 आहरित कर व्यय किये दिखाये हैं। जिसकी पुष्टि में प्रमाणक/पत्रावलियाँ नहीं पाई गई। प्रमाणक का न होना धनराशि का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव व लेखाकार श्री रमेश कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्ति से अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-12(5))

(6) वर्ष 2013-14 में पेयजल योजना हेतु प्राप्त अनुदान का रु0 22800.00 आहरण करके व्यय दिखाया है। व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक एवं पत्रावली नहीं पाई गई। अतः दर्शित व्यय फर्जी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव व लेखाकार श्री रमेश कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्ति से अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-12(6))

(7) वर्ष 2013-14 में लेखा परीक्षा में परचेज रजिस्टर नहीं पाया गया। जिससे यह ज्ञात न हो सका की वर्ष दौरान कुल कितनी धनराशि की निर्माण सामग्री क्रय करने पर व्यय की गई। संस्था द्वारा वर्ष 2013-14 में टी0डी0एस0 कटौती की गई थी। किन्तु कटौती की गई धनराशि की सही जानकारी नहीं हो सकी। उपलब्ध दो कार्यों की पत्रावलियों के अनुसार रु0 12413.00 कटौती की गई थी। जबकि टी0डी0एस0 आयकर विभाग में जमा किया रु0 39272.00 दिखाया है। यह धनराशि वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित रही है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव व लेखाकार श्री रमेश कुमार उत्तरदायी है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार कार्यवाही करते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-12(7))

(8) वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर मजदूरी का भुगतान मजदूरों को सीधे न करके रु0 140368.00 कार्य प्रभारी श्री गौरी शंकर, ग्राम विकास अधिकारी/श्री चन्द्रभान सिंह ए0डी0ओ0 को किया गया था। पत्रावलियों के साथ संलग्न पाये गये मस्टररोल पर क्रम संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल के प्रारूप खण्ड विकास कार्यालय से निर्गत नहीं हुये है। मस्टररोल पर जो निशान अंगूठा लगे है, वह प्रमाणित नहीं है तथा लगे हुए निशान अंगूठा एक समान दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य करने वाले मजदूरों का गॉव/पता अंकित नहीं है। मजदूरी मद में रु0 140368.00 का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव, लेखाकार श्री रमेश कुमार, अवर अभियन्ता श्री श्रीपाल मिश्र, कार्य प्रभारी श्री गौरी शंकर, ग्राम विकास अधिकारी/श्री चन्द्रभान सिंह तथा ब्लाक प्रमुख श्री मति रिंकी सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। इनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-12(8))

(9) वर्ष 2013-14 में कुल निर्माण सामग्री रु0 798736.00 की क्रय की गई थी। राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला वाणिज्य कर/वैट क्रय सामग्री के प्रमाणकों पर चार्ज नहीं किया गया था और न ही संस्था द्वारा वैट काटकर विक्रेता को भुगतान किया गया था। वैट न काट करके रु0 26126.00 राजस्व की राज्य सरकार को क्षति पहुँचाई गई है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव व लेखाकार श्री रमेश कुमार उत्तरदायी है। उनसे नियमानुसार उक्त राशि की प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-12(9))

कुलयोग- 17972412.00/-

4. क्षेत्र पंचायत- पर्वोसा वर्ष 2011-12 से 2013-14 जनपद-सम्भल।

प्रस्तर-27 राज्य वित्त आयोग खाते से वर्ष 2011-12 में रु0 4928539.00 निकाला गया। जिसके व्यय से सम्बन्धित मात्र 5 पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई। पत्रावलियों में दर्शित कार्यों पर कुल व्यय

रु0 2527900.00 किया गया। शेष धनराशि रु0 2400639.00 खर्च की पत्रावलियों उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके कारण उसके व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त शेष धनराशि से सम्बन्धित पत्रावलियाँ सुलभ कराई जाये अन्यथा रु0 2400639.00 का अपहरण मानते हुए धन की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खां, ब्लॉक प्रमुख श्री धर्मेन्द्र कुमार, लेखाकार श्री संजीव शर्मा एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री जगतपाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-28 वर्ष 2011-12 में तेरहवां वित्त (प्रथम) खाते से बैंक से रु0 534602.00 निकाला गया। जिसके व्यय से सम्बन्धित एक भी पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके कारण उसके व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ सुलभ कराई जाये अन्यथा उक्त धनराशि का अपहरण मानते हुए धन की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खां, ब्लॉक प्रमुख श्री धर्मेन्द्र कुमार, लेखाकार श्री संजीव शर्मा एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री जगतपाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-29 तेरहवां वित्त आयोग के (द्वितीय) खाते से रु0 1876647.00 निकाला गया। जिसके व्यय से सम्बन्धित एक भी पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके कारण उसके व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ सुलभ कराई जाये अन्यथा उक्त धनराशि का अपहरण मानते हुए धन की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खां, ब्लॉक प्रमुख श्री धर्मेन्द्र कुमार, लेखाकार श्री संजीव शर्मा एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री जगतपाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-03)

प्रस्तर-30 वर्ष 2011-12 में विभिन्न मदों के बैंक खातों से रु0 10098250.00 धनराशि आहरण की गई थी। आहरण की गई धनराशि से सम्बन्धित व्ययों की पुष्टि में प्रमाणक/पत्रावलियाँ अप्राप्त रही। जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ सुलभ कराई जाये अन्यथा उक्त धनराशि का अपहरण मानते हुए धन की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खां, ब्लॉक प्रमुख श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं लेखाकार श्री संजीव शर्मा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-04)

प्रस्तर-31 वर्ष 2011-12 में खाता संख्या 31588857341 से रु0 14395.00 धनराशि का आहरण किया गया था। आहरण की गई धनराशि से सम्बन्धित व्ययों की पुष्टि में प्रमाणक/पत्रावलियाँ अप्राप्त रही। जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ सुलभ कराई जाये अन्यथा उक्त धनराशि का अपहरण मानते हुए धन की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खां, ब्लॉक प्रमुख श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं लेखाकार श्री संजीव शर्मा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-05)

प्रस्तर-32 (1) वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर मजदूरी रु0 570120.00 मजदूरों को सीधे भुगतान न करके कार्य प्रभारी श्री श्रीपाल मिश्र, जे0ई0 को किया गया। मस्टररोल का अवलोकन करने पर पाया गया कि उस पर जो अंगूठा निशानी लगे पाये गये वे एक ही तरह के हैं तथा मजदूरों का पता भी अंकित नहीं है। अतः मस्टररोल फर्जी है। उक्त धनराशि का अपहरण मानते हुए धन की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खां, ब्लॉक प्रमुख श्री धर्मेन्द्र कुमार, लेखाकार श्री संजीव शर्मा एवं कार्यप्रभारी श्री श्रीपाल मिश्र जे0ई0 से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-06(1))

(2) वर्ष दौरान आयकर रु0 31645.00 की कटौती की गई थी। जमा की पुष्टि में बैंक जमा का चालान अथवा अन्य प्रमाण नहीं पाया गया। अतः काटी गयी आयकर की धनराशि कोषागार में जमा किये जाने की पुष्टि न हो सकी। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। काटी गई टी0डी0एस0 की धनराशि पेनाल्टी सहित जमा कराये जाने के साथ उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-06(2))

(3) वर्ष दौरान क्रय सामग्री रु0 1957780.00 पर वैट नहीं काटा गया था। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से रु0 78310.00 राजस्व की राज्य सरकार को हानि हुई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। नियमानुसार पेनाल्टी सहित उक्त धनराशि की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खां व लेखाकार श्री संजीव शर्मा से ब्याज सहित वसूली करके कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-06(3))

प्रस्तर-33 राज्य वित्त आयोग खाते से वर्ष 2012-13 में रु0 1932555.00 आहरण किया गया। जिसके व्यय से सम्बन्धित मात्र 2 पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई। पत्रावलियों में दर्शित कार्यों पर

कुल व्यय रू0 896500.00 किया गया। शेष धनराशि रू0 1036055.00 खर्च की पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके कारण उसके व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त शेष धनराशि से सम्बन्धित पत्रावलियों सुलभ कराई जाये अन्यथा रू0 2400639.00 का अपहरण मानते हुए धन की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खां/श्री सुरेश कुमार शर्मा, ब्लॉक प्रमुख श्री धर्मेन्द्र कुमार, लेखाकार श्री संजीव शर्मा एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री जगतपाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-07)

प्रस्तर-34 वर्ष 2012-13 में विभिन्न मदों के बैंक खातों से रू0 2932319.00 धनराशि आहरण की गई थी। आहरण की गई धनराशि से सम्बन्धित व्ययों की पुष्टि में प्रमाणक/पत्रावलियों अप्राप्त रही। डीजल पर खर्च से सम्बन्धित लॉगबुक प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके कारण उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों सुलभ कराई जाये अन्यथा उक्त धनराशि का अपहरण मानते हुए धन की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खां/श्री सुरेश कुमार शर्मा, ब्लॉक प्रमुख श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं लेखाकार श्री संजीव शर्मा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-08)

प्रस्तर-35 वर्ष 2012-13 में तेरहवों वित्त आयोग (प्रथम) खाते से रू0 30127.00 निकाले गये थे। व्यय की पुष्टि में कोई पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः व्यय अपुष्ट है। इस व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों सुलभ कराई जाये अन्यथा उक्त धनराशि की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खां/श्री सुरेश कुमार शर्मा, ब्लॉक प्रमुख श्री धर्मेन्द्र कुमार, लेखाकार श्री संजीव शर्मा एवं अवर अभियन्ता से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-09)

प्रस्तर-36 वर्ष 2012-13 में तेरहवों वित्त आयोग (द्वितीय) खाते से रू0 704431.00 निकाले गये थे। व्यय की पुष्टि में कोई पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः व्यय अपुष्ट है। इस व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों सुलभ कराई जाये अन्यथा उक्त धनराशि की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खां/श्री सुरेश कुमार शर्मा, ब्लॉक प्रमुख श्री धर्मेन्द्र कुमार, लेखाकार श्री संजीव शर्मा एवं अवर अभियन्ता से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-10)

प्रस्तर-37 (1) वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर मजदूरी रू0 135625.00 मजदूरों को सीधे भुगतान न करके कार्य प्रभारी श्री श्रीपाल मिश्र, जे0ई0 को किया गया। मस्टररोल का अवलोकन करने पर पाया गया कि उस पर जो अंगूठा निशानी लगे पाये गये वे एक ही तरह के हैं तथा मजदूरों का पता भी अंकित नहीं है। अतः मस्टररोल फर्जी है। उक्त धनराशि का अपहरण मानते हुए धन की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खां/श्री सुरेश कुमार शर्मा, ब्लॉक प्रमुख श्री धर्मेन्द्र कुमार, लेखाकार श्री संजीव शर्मा एवं कार्यप्रभारी श्री श्रीपाल मिश्र जे0ई0 से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-11(1))

(2) वर्ष दौरान टी0डी0एस0 रू0 10932.00 की कटौती की गई थी। जमा की पुष्टि में बैंक जमा का चालान अथवा अन्य प्रमाण नहीं पाया गया। अतः काटी गयी टी0डी0एस0 की धनराशि कोषागार में जमा किये जाने की पुष्टि न हो सकी। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। काटी गई टी0डी0एस0 की धनराशि पेनाल्टी सहित जमा कराये जाने के साथ उत्तरदायी व्यक्ति खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खां/श्री सुरेश कुमार शर्मा एवं लेखाकार श्री संजीव शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-11(2))

(3) वर्ष दौरान क्रय सामग्री रू0 760875.00 पर वैट नहीं काटा गया था। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से रू0 30435.00 राजस्व की राज्य सरकार को हानि हुई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। नियमानुसार पेनाल्टी सहित उक्त धनराशि की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छिद्दा खां/श्री सुरेश कुमार शर्मा व लेखाकार श्री संजीव शर्मा से ब्याज सहित वसूली करके कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-11(3))

प्रस्तर-38 (1) राज्य वित्त आयोग खाते से वर्ष 2013-14 में रू0 4667896.00 आहरण किया गया। जिसके व्यय से सम्बन्धित मात्र 9 पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई। जिनके अनुसार कराये गए कार्यों पर सामग्री क्रय पर रू0 2920678.00 व श्रमांस पर रू0 1042780.00 कुल खर्च रू0 3963458.00 किया गया था। शेष धनराशि रू0 704438.00 खर्च की पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके कारण उसके व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त शेष धनराशि से सम्बन्धित पत्रावलियों सुलभ कराई जाये अन्यथा रू0 704438.00 का अपहरण मानते हुए धन की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री

सुरेश कुमार शर्मा/श्रीमति धनकोर सिंहवाल, ब्लॉक प्रमुख श्री धर्मेन्द्र कुमार/श्री जे0बी0सिंह एवं लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0आहूजा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-12(1))

(2) वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यो पर मजदूरी रू0 1042780.00 मजदूरों के खातों में जमा न करके तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री बी0के0 शर्मा, श्री इरफान हुसैन व श्री जितेन्द्र प्रसाद के खातों में जमा की गई थी। मस्टररोल का अवलोकन करने पर पाया गया कि उस पर जो अंगूठा निशानी लगे पाये गये वे एक ही तरह के हैं तथा मजदूरों का नाम, पता, कार्य स्थल के गाँव भी अंकित नहीं है। अतः मस्टररोल फर्जी है। उक्त धनराशि का अपहरण मानते हुए धन की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार शर्मा/श्रीमति धनकोर सिंहवाल, सम्बन्धित कार्य प्रभारी एवं लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0आहूजा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-12(2))

(3) वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्यो की उपलब्ध पत्रावलियों में क्रय की गई सामग्री पर कुल रू0 61122.00 टी0डी0एस0 कटौती की गई है। जिसकी पुष्टि में बैंक जमा का चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। नियमानुसार पेनाल्टी सहित उक्त धनराशि की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार शर्मा/श्रीमति धनकोर सिंहवाल व लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0आहूजा से ब्याज सहित वसूली करके कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-12(3))

(4) वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि से क्रय सामग्री रू0 2920678.00 पर वैट नहीं काटा गया था। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से रू0 116827.00 राजस्व की राज्य सरकार को हानि हुई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। नियमानुसार पेनाल्टी सहित उक्त धनराशि की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार शर्मा/श्रीमति धनकोर सिंहवाल व लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0आहूजा से ब्याज सहित वसूली करके कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-12(4))

(5) वर्ष 2013-14 में तेरहवों वित्त आयोग से प्राप्त राशि से क्रय सामग्री रू0 2879323.00 पर वैट नहीं काटा गया था। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से रू0 115173.00 राजस्व की राज्य सरकार को हानि हुई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। नियमानुसार पेनाल्टी सहित उक्त धनराशि की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार शर्मा/श्रीमति धनकोर सिंहवाल व लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0आहूजा से ब्याज सहित वसूली करके कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-12(5))

(6) वर्ष दौरान तेरहवें वित्त से प्राप्त धनराशि से कराये निर्माण कार्यो पर मजदूरी रू0 827355.00 मजदूरों के खातों में जमा न करके तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री हारून/श्री जितेन्द्र प्रसाद को किया गया है। मस्टररोल का अवलोकन करने पर पाया गया कि उस पर जो अंगूठा निशानी लगे पाये गये वे एक ही तरह के हैं। अतः मस्टररोल फर्जी है। उक्त धनराशि का अपहरण मानते हुए धन की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार शर्मा/श्रीमति धनकोर सिंहवाल, सम्बन्धित कार्य प्रभारी एवं लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0आहूजा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-12(6))

(7) वर्ष दौरान तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्रय की गई सामग्री पर कुल रू0 60007.00 टी0डी0एस0 कटौती की गई है। जिसकी पुष्टि में बैंक जमा का चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। नियमानुसार समुचित कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार शर्मा/श्रीमति धनकोर सिंहवाल व लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0आहूजा से ब्याज सहित वसूली करके कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-12(3))

प्रस्तर-39 वर्ष 2013-14 में एस0जी0एस0वाई0 मद के अर्न्तगत रू 380081.00 का बैंक से आहरण किया गया था। इस धनराशि के व्यय की पुष्टि में कोई वर्क रजिस्टर, पत्रावली इत्यादि लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराई गई। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट है। पत्रावली/प्रमाणक न उपलब्ध कराये जा सकने पर अथवा पुष्टि न होने पर बैंक से आहरण की गई उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार शर्मा/श्रीमति धनकोर सिंहवाल व लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0आहूजा व ब्लाक प्रमुख श्री धर्मेन्द्र कुमार/श्री जे0बी0सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-13)

प्रस्तर-40 वर्ष 2013-14 में विधायक निधि खाते से रु 799139.00 निकाला गया था। इस धनराशि के व्यय की पुष्टि में कोई वर्क रजिस्टर, पत्रावली इत्यादि लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराई गई। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट है। पत्रावली/प्रमाणक न उपलब्ध कराये जा सकने पर अथवा पुष्टि न होने पर धन का अपहरण किया जाना स्पष्ट करता है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार शर्मा/श्रीमति धनकोर सिंहवाल व लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0आहूजा व ब्लाक प्रमुख श्री धर्मेन्द्र कुमार/श्री जे0बी0सिंह उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही एवं उनसे इस राशि की प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-14)

प्रस्तर-41 वर्ष 2013-14 में मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में रु0 2199503.00 व्यय किया गया है। इस धनराशि के व्यय की पुष्टि में कोई वर्क रजिस्टर, पत्रावली इत्यादि लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराई गई। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट है। पत्रावली/प्रमाणक न उपलब्ध कराये जा सकने पर अथवा पुष्टि न होने पर उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार शर्मा/श्रीमति धनकोर सिंहवाल व लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0आहूजा व ब्लाक प्रमुख श्री धर्मेन्द्र कुमार/श्री जे0बी0सिंह के प्रति समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-15)

प्रस्तर-42 वर्ष 2013-14 में सुविधादाता मद में रु0 120000.00 व्यय किया गया है। इस धनराशि के व्यय की पुष्टि में कोई वर्क रजिस्टर, पत्रावली इत्यादि लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराई गई। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट है। पत्रावली/प्रमाणक न उपलब्ध कराये जा सकने पर अथवा पुष्टि न होने पर उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार शर्मा/श्रीमति धनकोर सिंहवाल व लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0आहूजा व ब्लाक प्रमुख श्री धर्मेन्द्र कुमार/श्री जे0बी0सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-43 वर्ष 2011-12 में बैंक खाता संख्या 31588857341 पर रु0 14395.00 ब्याज प्राप्त हुआ था जो दौरान साल 2011-12 में ही व्यय कर दिया गया। शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार राज्य सरकार से प्राप्त राशि संस्था की आय न होकर सरकार की आय होती है। ऐसी दशा में क्षेत्र पंचायत द्वारा बैंक से प्राप्त किया गया ब्याज सरकार को न भेजकर तथा खर्च करके गम्भीर अनियमितता की गई है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार शर्मा/श्रीमति धनकोर सिंहवाल व लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0आहूजा उत्तरदायी हैं। उनसे इस राशि को ब्याज सहित वसूल करके कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-17)

कुलयोग- 26925352.00 /-

5. क्षेत्र पंचायत- असमौली वर्ष 2011-12 से 2013-14 जनपद-सम्भल।

प्रस्तर-44 आलोच्य अवधि में विकासखण्ड कार्यालय द्वारा जनरेटर हेतु डीजल का क्रय अधिकांशतः सम्भल, जोया, पाकवाड़ा व मुरादाबाद के पेट्रोल पम्पों से करना दर्शाया गया है। जिनकी दूरी विकास खण्ड कार्यालय से लगभग 20 से 30 किमी0 है। जबकि विकासखण्ड कार्यालय से 2 से 6 किमी0 के दायरे में भी पेट्रोल पम्प उपलब्ध हैं, जैसे मनौटा, शाहबाद, असमौली तता ऐंचौडा आदि। इन पेट्रोल पम्पों से खरीद कम मात्रा में की गई है। विवरणानुसार ग्रान्ट रजि0 2दूर के स्थानों के पेट्रोल पम्पों से डीजल रु0 376166.00 की खरीद दर्शाता है। नजदीक पेट्रोल पम्पों से डीजल न खरीदकर दूर के पेट्रोल पम्पों से डीजल खरीदना अव्यवहारिक व अनौचित्यपूर्ण है। लेखा परीक्षा के दौरान बिजली चले जाने पर भी जनरेटर अधिकांशतः बन्द ही पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय पेट्रोल पम्पों से जो खरीद की गई है वही वास्तव में जनरेटर हेतु की गई है। दूर के पेट्रोल पम्पों से की गई खरीद खण्ड विकास अधिकारी व विकास खण्ड कार्यालय के कर्मचारी आदि की निजी उपयोग हेतु की गई हो सकती है, जिसका भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया है। अतः उक्त दर्शित व्यय की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रणधीर/श्री सतीश कुमार पाण्डेय व तत्कालीन लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-11)

प्रस्तर-45 आलोच्य अवधि में विधायक निधि मद में विवरणानुसार वर्ष 2011-12 में रु0 2675824.00 एवं वर्ष 2012-13 में रु0 43137.00 व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष रु0 1287383.00 की व्यय पत्रावली/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार रु0 1431578.00 के व्यय के सापेक्ष प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। उक्त धनराशि रु0 1431578.00 का गबन किया गया है। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर जांच करायी जाये, अन्यथा की स्थिति में गबन धनराशि की ब्याज सहित वसूली

तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रणधीर/श्री सतीश कुमार पाण्डेय व तत्कालीन लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-12)

प्रस्तर-46 (1) आलोच्य वर्षों में विवरणानुसार राज्य वित्त 12वाँ वित्त व 13वाँ मद में कुल ₹0 19253782.00 व्यय दर्शाया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 84 के अनुसार कार्य सम्पादन के लिए प्रत्येक दो मास में क्षेत्र पंचायत की कम से कम एक बार बैठक होना अनिवार्य है। क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही पंजिका का अवलोकन करने पर आलोच्य अवधि में कुल पाँच कार्यवाही अंकित पायी गई। किसी भी कार्यवाही पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। इस प्रकार उक्त नियम का पालन नहीं किया गया।

(सामान्य आपत्ति सं०-13(1))

(2) उ०प्र० क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 84 के अनुसार क्षेत्र पंचायत के कार्यों का संचालन करने के लिए कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, समता समिति व उप समितियों का गठन किया जाना अनिवार्य है। आलोच्य वर्षों में उक्त समितियाँ कार्यरत नहीं रही हैं।

(सामान्य आपत्ति सं०-13(2))

(3) उ०प्र० क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 86 के अनुसार ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करके प्रत्येक वर्ष खण्ड के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी। इस योजना को क्षेत्र पंचायत के अनुमोदन के उपरान्त खण्डविकास अधिकारी जिला पंचायत को भेजेगा। उक्त कार्यवाही का नियमानुसार किया जाना नहीं पाया गया।

(सामान्य आपत्ति सं०-03(3))

(4) वार्षिक बजट उ०प्र० क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 115 के अनुरूप तैयार व पारित नहीं किये गये।

(सामान्य आपत्ति सं०-13(4))

(5) शासनादेशानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात् कराये जाने वाले कार्य के प्राक्कलन का अनुमोदन एवं कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा। उक्त नियम का अनपालन नहीं किया गया।

(सामान्य आपत्ति सं०-13(5))

(6) शासनादेशानुसार क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत व्यय यथा आवश्यकता क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। उक्त शासनादेश की अवहेलना करते हुए अधिकांश व्यय ग्राम पंचायतों के कार्य क्षेत्र में किया गया है। जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल संभावना है।

(सामान्य आपत्ति सं०-13(6))

(7) शासनादेशानुसार निर्माण कार्यों एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमन्त्रित करना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए समस्त सामग्री टेण्डर आमन्त्रित किये बिना ही क्रय की गई है।

(सामान्य आपत्ति सं०-13(7))

(8) क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों पर हुए व्यय से सृजित सम्पत्ति को सम्पत्ति रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए था। लेकिन सम्पत्ति रजिस्टर तैयार कर नहीं रखा गया।

(सामान्य आपत्ति सं०-13(8))

(9) क्षेत्र पंचायत द्वारा स्टॉक पंजिका भी तैयार नहीं की गई, जिससे क्रय सामग्री, प्रयुक्त सामग्री तथा अवशेष सामग्री पुष्टि नहीं हो रही है।

(सामान्य आपत्ति सं०-03(9))

(10) विवरणानुसार आलोच्य वर्षों में राज्य वित्त, 12वाँ वित्त व 13वाँ वित्त की मदों में ग्रांट रजि०३ के अनुसार कुल व्यय ₹0 19253782.00 है, जिसके सापेक्ष ₹0 9629168.00 की व्यय पत्रावलियाँ/प्रमाणक प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार ₹0 9624614.00 के व्यय पत्रावलियाँ/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः धनराशि का अपहरण किया गया है।

(सामान्य आपत्ति सं०-13(10))

(11) विवरणानुसार ₹0 1284582.00 के सामग्री बिलों पर निर्गतकर्ता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त बिल फर्जी है जो गबन करने के उद्देश्य से बनाये गये हैं। सम्बन्धित फर्म से सामग्री क्रय नहीं की गई है।

(सामान्य आपत्ति सं०-13(11))

(12) विवरणानुसार वर्ष 2012-13 में ₹0 1722807.00 तथा वर्ष 2013-14 में ₹0 6311459.00 के सामग्री बिलों पर निर्गतकर्ता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त बिल फर्जी है।

(सामान्य आपत्ति सं०-13(12))

(13) विवरणानुसार रु0 1384191.00 के निर्माण सामग्री का व्यय दर्शाया गया है। कार्यों का न तो कोई मस्टररोल बनाया गया न ही मजदूरी का भुगतान किया गया। मजदूरों के बिना किसी कार्य का होना सम्भव नहीं है।

(सामान्य आपत्ति सं0-13(13))

(14) वर्ष 2011-12 व 2012-13 के दौरान धनराशि रु0 1758338.00 का आशीर्वाद ट्रेडिंग कम्पनी, मेरठ के द्वारा सामग्री आपूर्ति करना दर्शाया गया है। मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि इस नाम की कोई फर्म ही नहीं है। स्पष्ट है कि फर्जी तरीके से बिल बनाकर गबन किया गया है।

(सामान्य आपत्ति सं0-13(14))

(15) आलोच्य अवधि में क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बैठक में भाग लेने पर मानदेय भुगतान करने के लिए धन का आहरण किया गया है। विवरणानुसार ग्रान्ट रजि02राज्य वित्त की मद से अंकन रु0 65000.00 का आहरण दर्शाया है। सदस्यों को भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक नहीं पाये गये। कार्यवाही पंजिका में बैठक में भाग लेने की पुष्टि में किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। उक्त तथ्यों के आधार पर उक्त धनराशि का आहरण कर गबन प्रतीत होता है।

(सामान्य आपत्ति सं0-13(15))

(16) वर्ष 2013-14 में विकासखण्ड के मेन गेट, शौचालय व शोकपिट के निर्माण हेतु रु0 243000.00 का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया। विवरणानुसार ग्रान्ट रजि02रु0 726680.00 भुगतान दर्शाता है। जबकि कार्य का प्राक्कलन मात्र रु0 243000.00 लाख का स्वीकृत किया गया है तथा पुष्टि में प्रस्तुत किये गये प्रमाणकों की अपेक्षा रु0 486594.00 अधिक भुगतान कर के गबन किया गया है।

(सामान्य आपत्ति सं0-13(16))

(17) आलोच्य अवधि में मजदूरों द्वारा कराये गये कार्य की पुष्टि में जो मस्टररोल तैयार कर रखे गये हैं उन पर मजदूरों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी फर्जी प्रतीत होते हैं। किसी भी मस्टररोल पर किये गये मजदूरों के हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति के द्वारा किये गये प्रतीत होते हैं। अंगूठा निशानी मात्र स्याही के धब्बे हैं उनमें अंगठे के निशान स्पष्ट नहीं होते हैं। जो मस्टररोल को फर्जी दर्शाता है।

(सामान्य आपत्ति सं0-13(17))

(18) मजदूरी का भुगतान सीधे मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरों को भुगतान करने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया।

(सामान्य आपत्ति सं0-13(18))

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर राज्य वित्त, 12वाँ वित्त व 13वाँ वित्त की मदों में व्यय दर्शायी गई कुल धनराशि रु0 19253782.00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री अनुज कुमार/श्रीमति सरला, खण्ड विकास अधिकारी श्री रणधीर/श्री सतीश कुमार पाण्डेय, कार्य प्रभारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। इनके विरुद्ध समुचित विभागीय कार्यवाही की जानी भी अपेक्षित है।

कुलयोग- 21061526.00 /-

6. क्षेत्र पंचायत- बहजोई वर्ष 2014-15 से 2016-17 जनपद-सम्भल।

प्रस्तर-47 (1) वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर 692120.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया था। पत्रावलियों में पाए गए मस्टर रोल पर मजदूरों के निशानी अंगूठा एक ही समान पाए गए। मस्टर रोलों पर मजदूरों का पता नहीं लिखा है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में लगा दिए गए हैं तथा मजदूरी मद में व्यय उक्त धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जयसिंह यादव/श्री महावीर सिंह/श्री शैलेन ब्यास, अवर अभियन्ता श्री वी0के0 शर्मा/श्री मेवालाल गुप्ता/श्री अजरुद्दीन, लेखाकार श्री अनिल कुमार/श्री सत्य प्रकाश शर्मा, कार्य प्रभारी व ब्लाक प्रमुख श्री अनिल कुमार यादव उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए धन की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-01(1))

(2) वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु0 43222.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आचोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2110775.00 की दर्शित है। जिस पर 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 47281.36 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 4059.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गई है। ऐसे में न काटे गए आयकर की धनराशि के बराबर पैनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री जयसिंह यादव/श्री महावीर सिंह/श्री शैलेन ब्यास से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गए टी0डी0एस0 रु0 43222.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रति भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-01(2))

(3) वर्ष 2014-15 में कुल सामग्री क्रय रु० 2110775.00 पर 4 प्रतिशत की दर से 84431.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी। जबकि वर्ष में रु० शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रु० 84431.00 की कटौती न करके राजस्व की क्षति पहुँचायी गई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गई है। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही एवं राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति दण्डनीय ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री जयसिंह यादव/श्री महावीर सिंह/श्री शैलेन ब्यास से की जानी व कोषागार में जमा कराई जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-01(3))

(4) दर्शित कार्य की लागत रु० 1060849.00 थी। जिला पंचायत अधिनियम 1960 एवं उ०प्र० जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत निर्माण नियमावली 1965 के नियम सं०-16 के अनुसार 10 लाख से अधिक के आगणन की तकनीकी स्वीकृति राज्य सरकार से ली जानी आवश्यक है किन्तु उक्त कार्य हेतु सरकार से स्वीकृति नहीं ली गई थी। इस प्रकार अनियमित रूप से मनमाने तरीके से कार्य कराकर गम्भीर अनियमितता की गई थी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री जयसिंह यादव/श्री महावीर सिंह/श्री शैलेन ब्यास उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-01(4))

(5) दर्शित कार्य ग्राम के अन्दर ही कराए दिखाए गए हैं जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक जोड़ने वाली कार्यों को कराए जाने हेतु निर्देशित किया हुआ है। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत से ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया गया पाया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि ग्राम पंचायत ने उक्त कार्य अपने द्वारा तो नहीं कराए गए थे। इस प्रकार अनियमित रूप से मनमाने तरीके से कार्य कराकर गम्भीर अनियमितता की गई थी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री जयसिंह यादव/श्री महावीर सिंह/श्री शैलेन ब्यास उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-01(5))

प्रस्तर-48 (1) वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर 846770.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राजेश कुमार, ग्रा०वि०अ० को किया गया था। पत्रावलियों में पाए गए मस्टर रोल पर मजदूरों के निशानी अंगूठा एक ही समान पाए गए। मस्टर रोलों पर मजदूरों का पता नहीं लिखा है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में लगा दिए गए हैं तथा मजदूरी मद में व्यय उक्त धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन ब्यास/कुलदीप राणा, तत्कालीन कार्य प्रभारी, अवर अभियन्ता श्री वी०के० शर्मा/श्री मेवालाल गुप्ता/श्री अजरुद्दीन व ब्लाक प्रमुख श्रीमती परवीता उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए धन की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-02(1))

(2) वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु० 70510.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आचोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 3379672.00 की दर्शित है। जिस पर 2.24 प्रतिशत की दर से रु० 75705.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 5195.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गई है। ऐसे में न काटे गए आयकर की धनराशि के बराबर पैनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन ब्यास/कुलदीप राणा से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गए टी०डी०एस० रु० 70510.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रति भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-02(2))

(3) वर्ष 2015-16 में कुल सामग्री क्रय रु० 3379672.00 पर 4 प्रतिशत की दर से 135186.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी। जबकि वर्ष में रु० शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रु० 135186.00 की कटौती न करके राजस्व की क्षति पहुँचायी गई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गई है। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही एवं राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति दण्डनीय ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन ब्यास/कुलदीप राणा से की जानी व कोषागार में जमा कराई जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-02(3))

(4) दर्शित कार्य ग्राम के अन्दर ही कराए दिखाए गए हैं जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक जोड़ने वाली कार्यों को कराए जाने हेतु निर्देशित किया हुआ है। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत से ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया गया पाया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि ग्राम पंचायत ने उक्त कार्य अपने द्वारा तो नहीं कराए गए थे। इस प्रकार अनियमित रूप से मनमाने तरीके से कार्य कराकर गम्भीर

अनियमितता की गई थी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन ब्यास/कुलदीप राणा उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०-02(4))**

(5) शासनादेश के अनुसार रु० 5 लाख से अधिक की कार्य योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा कराया जाना था जबकि दर्शित कार्यों की लागत रु० 5 लाख से अधिक थी। इन कार्यों की कार्य योजनाओं की स्वीकृति जिलाधिकारी की नहीं देखने को मिली। अतः शासनादेश के विरुद्ध कार्य कराने कलए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन ब्यास/कुलदीप राणा उत्तरदायी हैं। इस प्रति उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०-02(5))**

(6) दर्शित कार्य विकासखण्ड बहजोई में विकासखण्ड अधिकारी आवास निर्माण पर कुल खर्च 654285.00 किया गया था। जबकि पूर्व वर्ष 2014-15 में भी बी०डी०ओ० आवास में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण रु० 270636.00 लागत से कराया जा चुका था। इस व्यय में भी मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न कर कार्य प्रभारी को किया गया था। स्पष्ट है कि पुनः विकास खण्ड अधिकारी के आवास निर्माण पर फर्जी व्यय दिखाकार रु० 654285.00 का अपहरण किया गया था। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन ब्यास/कुलदीप राणा लेखाकार अवर अभियन्ता श्री वी०के० शर्मा/श्री मेवालाल गुप्ता/श्री अजरुद्दीन, लेखाकार श्री अनिल कुमार/श्री सत्य प्रकाश शर्मा व कार्य प्रभारी श्री राजेश कुमार पदनाम ग्रा०वि०अ० उत्तरदायी हैं। इस प्रति उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०-02(6))**

प्रस्तर-49 (1)(अ) वर्ष 2016-17 में 3 कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों ही उपलब्ध कराई गई। मिट्टी कार्य हेतु केवल मजदूरी पर खर्च रु० 391970.00 दिखाया है। शासनादेशानुसार कार्य योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा कराया जाना था तथा शासनादेश के बिन्दु-5 के अनुसार इसके प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण, अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा कराया जाना था। लेखा परीक्षा में इस कार्य योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया गया तथा प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा किया हुआ ऑडिट में नहीं पाया गया। सामग्री खरीद पर कोई धनराशि व्यय की गई, नहीं दिखाई है। जबकि बड़े मिट्टी खरीद व उसके परिवहन पर अवश्य ही व्यय किया जाता है और मिट्टी क्रय खर्च पर सरकार को लायलटी दी जाती है। किन्तु ऐसा नहीं किया गया था। मजदूरी का भुगतान मजदूरों को नहीं किया था। स्पष्ट है फर्जी कार्य दिखाकार इस धनराशि का अपहरण किया गया था। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरविन्द कुमार/श्रीमति रेणु कुमारी, लेखाकार श्री अनिल कुमार/श्री सत्य प्रकाश शर्मा, कार्य प्रभारी व ब्लॉक प्रमुख श्री परवीता उत्तरदायी हैं। इस प्रति इनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०-03(1)अ)**

(ब) वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर 288090.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राजेश कुमार, ग्रा०वि०अ० को किया गया था। पत्रावलियों में पाए गए मस्टर रोल पर मजदूरों के निशानी अंगूठा एक ही समान पाए गए। मस्टर रोलों पर मजदूरों का पता नहीं लिखा है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में लगा दिए गए हैं तथा मजदूरी मद में व्यय उक्त धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरविन्द कुमार/श्रीमति रेणु कुमारी, लेखाकार श्री अनिल कुमार/श्री सत्य प्रकाश शर्मा, कार्य प्रभारी श्री राजेश कुमार, अवर अभियन्ता श्री वी०के० शर्मा/श्री मेवालाल गुप्ता/श्री अजरुद्दीन व ब्लॉक प्रमुख श्री परवीता उत्तरदायी हैं। इस प्रति इनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०-03(1)ब)**

(2) कराए गए कार्य की लागत रु० 875674.00 थी। जिसमें सामग्री का मूल्य रु० 724954.00 भुगतान किया गया था। शासनादेशानुसार कार्य योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा कराया जाना था तथा इसके प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण, अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा कराया जाना था। लेखा परीक्षा में इस कार्य योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया गया तथा प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा किया हुआ नहीं पाया गया। कार्य पर दिखाई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राजेश, ग्रा०वि०अ० को किया गया था। व्यय की गयी उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन ब्यास/कुलदीप राणा लेखाकार अवर अभियन्ता श्री वी०के० शर्मा/श्री मेवालाल गुप्ता/श्री अजरुद्दीन, लेखाकार श्री अनिल कुमार/श्री सत्य प्रकाश शर्मा व कार्य प्रभारी श्री राजेश कुमार पदनाम ग्रा०वि०अ० उत्तरदायी हैं। इस प्रति उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०-03(2))**

(3) दर्शित कार्य की लागत रु0 1055464.00 थी। जिला पंचायत अधिनियम 1960 एवं उ0प्र0 जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत निर्माण नियमावली 1965 के नियम सं0-16 के अनुसार 10 लाख से अधिक के आगणन की तकनीकी स्वीकृति राज्य सरकार से ली जानी आवश्यक है किन्तु उक्त कार्य हेतु सरकार से स्वीकृति नहीं ली गई थी। इस प्रकार अनियमित रूप से मनमाने तरीके से कार्य कराकर गम्भीर अनियमितता की गई थी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन ब्यास/कुलदीप राणा उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0-03(3))**

(4) दर्शित कार्य ग्राम के अन्दर ही कराए दिखाए गए हैं जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक जोड़ने वाली कार्यों को कराए जाने हेतु निर्देशित किया हुआ है। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत से ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया गया पाया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि ग्राम पंचायत ने उक्त कार्य अपने द्वारा तो नहीं कराए गए थे। इस प्रकार अनियमित रूप से मनमाने तरीके से कार्य कराकर गम्भीर अनियमितता की गई थी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन ब्यास/कुलदीप राणा उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0-03(4))**

(5) वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु0 49029.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है। काटे गए टी0डी0एस0 रु0 49029.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गई है। उत्तरदायी व्यक्ति आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन ब्यास/कुलदीप राणा से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस प्रति भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0-03(5))**

(3) वर्ष 2016-17 में कुल सामग्री क्रय रु0 1643048.00 पर 4 प्रतिशत की दर से 65721.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी। जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 65721.00 की कटौती न करके राजस्व की क्षति पहुँचायी गई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गई है। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही एवं राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति दण्डनीय ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन ब्यास/कुलदीप राणा से की जानी व कोषागार में जमा कराई जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0-03(6))**

कुलयोग- 5920753.00/-

7. क्षेत्र पंचायत- सम्मल वर्ष 2014-15 से 2016-17 जनपद-सम्मल।

प्रस्तर-50 वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त आयोग व 13वॉ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान मध्य क्रमशः रु0 11578412.00 तथा रु0 3859400.00 कुल रु0 15437812.00 बैंक से आहरण कर खर्च किया गया था जिसके सापेक्ष रु0 7304208.00 टी0डी0एस0 कटौती उपरान्त व्यय दिखाया है। इस प्रकार अन्तर की राशि रु0 8133604.00 के व्यय से सम्बन्धित कार्यों की पत्रावलियाँ अप्राप्त रही। प्रमाणक/पत्रावलियों का न होना इस अनुदान राशि का दुरुपयोग किया जाना प्रकट करता है। इस सम्बन्ध में उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय/श्री शैलेन ब्यास व लेखाकार श्री यतीश कुमार/श्री राम सरन के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0-01)**

प्रस्तर-51 (1) दर्शित कार्यों में सामग्री रु0 1 लाख मूल्य से अधिक की क्रय की गई थी। शासनादेशनुसार रु0 1 लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु सामग्री निविदाएँ आमंत्रित करके क्रय की जानी चाहिए थी, ऐसा न करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है तथा संस्था को प्रतियोगी दरों के लाभ से वंचित रहना पड़ा है। इस सम्बन्ध उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय/श्री शैलेन ब्यास के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0-02(1))**

(2)(अ) दर्शित कार्यों में सामग्री रु0 5 लाख मूल्य से अधिक की क्रय की गई थी। वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति जिलाधिकारी से तथा प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण अभियन्ता जिला पंचायत से कराया गया नहीं पाया गया। इस सम्बन्ध उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय/श्री शैलेन ब्यास के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0-02(2)अ)**

(ब) दर्शित कार्यों में सामग्री रु0 10 लाख मूल्य से अधिक की क्रय की गई थी। जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1960 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत निर्माण नियमावली 1965 के नियम सं0 16 के अनुसार रु0 दस लाख से अधिक आगणन की तकनीकी स्वीकृति राज्य सरकार से ली जानी

आवश्यक है। किन्तु उक्त कार्यो हेतु सरकार से स्वीकृति ली गई नहीं पाई गई। अतः गम्भीर अनियमितता ही अपितु अवैधानिक कार्य किया गया था। इस सम्बन्ध उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय/श्री शैलेन ब्यास के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-02(2)ब)

(3) वर्ष 2014-15 में कुल सामग्री क्रय रु० 7304208.00 पर 4 प्रतिशत की दर से 292168.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी। जबकि वर्ष में रु० शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रु० 292168.00 की कटौती न करके राजस्व की क्षति पहुँचायी गई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गई है। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही एवं राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय/श्री शैलेन ब्यास से की जानी व कोषागार में जमा कराई जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-02(3))

(4) वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यो पर 2831977.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों के खाते में चैक के माध्यम से किया गया है। पत्रावलियों में पाए गए मस्टर रोल पर मजदूरों के निशानी अंगूठा/प्रमाणित नहीं है जिससे उन्हें वास्तविक मजदूरों के निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर नहीं कहा जा सकता। प्रायः सभी मजदूरों के बैंक में विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने हेतु खाते खुले हैं। जिनके खाते नहीं खुले हैं उनके खाते बैंक में खुलवाकर मजदूरी का भुगतान किया जा सकता था किन्तु ऐसा न करके श्रमांश की राशि कार्य प्रभारी को देकर उसका अपहरण किया गया प्रतीत होता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय/श्री शैलेन ब्यास, तत्कालीन अवर अभियन्ता, कार्य प्रभारी व लेखाकार श्री यतीश कुमार/श्री राम सरन उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए धन की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-02(4))

(5) वर्ष 2014-15 में आयकर कटौती रु० 156336.00 की गई है। जिसे कोषागार में जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गई है। उत्तरदायी व्यक्ति खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन ब्यास/कुलदीप राणा व लेखाकार श्री यतीश कुमार/श्री राम सरन से कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस प्रति भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-02(5))

प्रस्तर-52 वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग व 13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान मध्य क्रमशः रु० 5313553.00 तथा रु० 1293582.00 कुल रु० 6607135.00 बैंक से आहरण कर खर्च किया गया था जिसके सापेक्ष रु० 5593077.00 टी०डी०एस० कटौती उपरान्त व्यय दिखाया है। इस प्रकार अन्तर की राशि रु० 8133604.00 के व्यय से सम्बन्धित कार्यो की पत्रावलियाँ अप्राप्त रही। प्रमाणक/पत्रावलियों का न होना इस अनुदान राशि का दुरुपयोग किया जाना प्रकट करता है। इस सम्बन्ध में उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी/श्री कुलदीप राणा व लेखाकार श्री यतीश कुमार/श्री राम सरन के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-01)

प्रस्तर-53 (1) दर्शित कार्यो में सामग्री रु० 1 लाख मूल्य से अधिक की क्रय की गई थी। शासनादेशनुसार रु० 1 लाख से अधिक लागत के कार्यो हेतु सामग्री निविदाएँ आमंत्रित करके क्रय की जानी चाहिए थी, ऐसा न करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है तथा संस्था को प्रतियोगी दरों के लाभ से वंचित रहना पड़ा है। इस सम्बन्ध उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी/श्री कुलदीप राणा के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-04(1))

(2)(अ) दर्शित कार्यो में सामग्री रु० 5 लाख मूल्य से अधिक की क्रय की गई थी। वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति जिलाधिकारी से तथा प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण अभियन्ता जिला पंचायत से कराया गया नहीं पाया गया। इस सम्बन्ध उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी/श्री कुलदीप राणा के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-04(2)अ)

(ब) दर्शित कार्यो में सामग्री रु० 10 लाख मूल्य से अधिक की क्रय की गई थी। जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1960 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत निर्माण नियमावली 1965 के नियम सं० 16 के अनुसार रु० दस लाख से अधिक आंगणन की तकनीकी स्वीकृति राज्य सरकार से ली जानी आवश्यक है। किन्तु उक्त कार्यो हेतु सरकार से स्वीकृति ली गई नहीं पाई गई। अतः गम्भीर अनियमितता

ही अपितु अवैधानिक कार्य किया गया था। इस सम्बन्ध उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी/श्री कुलदीप राणा के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-04(2)ब)

(3) वर्ष 2015-16 में कुल सामग्री क्रय रु० 3401552.00 पर 4 प्रतिशत की दर से 162462.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी। जबकि वर्ष में रु० शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रु० 162462.00 की कटौती न करके राजस्व की क्षति पहुँचायी गई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गई है। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही एवं राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति दण्डनीय ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी/श्री कुलदीप राणा से की जानी व कोषागार में जमा कराई जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-04(3))

(4) वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर 2191525.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों के खाते में चैक के माध्यम से किया गया है। पत्रावलियों में पाए गए मस्टर रोल पर मजदूरों के निशानी अंगूठा/प्रमाणित नहीं है जिससे उन्हें वास्तविक मजदूरों के निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर नहीं कहा जा सकता। प्रायः सभी मजदूरों के बैंक में विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने हेतु खाते खुले हैं। जिनके खाते नहीं खुले हैं उनके खाते बैंक में खुलवाकर मजदूरी का भुगतान किया जा सकता था किन्तु ऐसा न करके श्रमांश की राशि कार्य प्रभारी को देकर उसका अपहरण किया गया प्रतीत होता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी/श्री कुलदीप राणा तत्कालीन अवर अभियन्ता, कार्य प्रभारी व लेखाकार श्री यतीश कुमार/श्री राम सरन उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए धन की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-04(4))

(5) वर्ष 2015-16 में आयकर कटौती रु० 84890.00 की गई है। जिसे कोषागार में जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गई है। उत्तरदायी व्यक्ति खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी/श्री कुलदीप राणा व लेखाकार श्री यतीश कुमार/श्री राम सरन से कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस प्रति भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-04(5))

प्रस्तर-54 (1) वर्ष 2016-17 के दौरान ऑडिट क्रय सामग्री पर टी0डी0एस0 रु० 21419.00 काटा गया था तथा वैट रु० 42839.00 काटा गया दिखाया है। किन्तु इनके कोषागार में जमा किए जाने के प्रमाण में बैंक स्टेटमेंट, चालान अथवा आयकर रिटर्न देखने को नहीं मिला। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। अतः कटौती की राशि कोषागार में जमा का प्रमाण न होने की स्थिति में उत्तरदायी आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री कुलदीप राणा/श्री शैलेन ब्यास/श्री राज कुमार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-05(1))

(2) वर्ष 2016-17 में ठेके पर कार्य कराया गया था। ठेके पर कराए कार्यों की कुल लागत पर 1 प्रतिशत की दर से लेवर सैस काटा जाना चाहिए था जो नहीं काटा गया था। कुल लागत की गणना कर 1 प्रतिशत की दर से लेवर सैस उ०प्र० भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण खाते में बैंक में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-05(2))

प्रस्तर-55 वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अन्तर्गत रु० 12000.00 प्राप्त एवं व्यय अंकित है। किन्तु उक्त व्यय के सम्बन्ध में कोई पत्रावली अथवा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय/श्री शैलेन ब्यास व लेखाकार श्री यतीश कुमार/श्री राम सरन से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-06)

प्रस्तर-56 आलोच्य तीन वर्षों में बैंक जमा अनुदान पर ब्याज स्वरूप क्षेत्र पंचायत को प्राप्त रु० 921558.00 दर्शित है। जो वर्ष पर्यन्त बैंक में जमा रहा। शासनादेशानुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में जमा रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तब अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है। जिसे राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। ऐसा न करके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी/श्री कुलदीप राणा/श्री शैलेन ब्यास/श्री राज कुमार व लेखाकार श्री यतीश कुमार/श्री राम सरन द्वारा शासनादेश उल्लंघन किया गया है जिसके लिए उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-07)

प्रस्तर-57 विधायक निधि के अन्तर्गत प्राप्त ब्याज से रू0 189000.00 व्यय दर्शाया गया है। उक्त धनराशि किस व्यय प्रमाणक द्वारा किस मद में व्यय की गई, लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय दर्शाकर ब्याज धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी/श्री कुलदीप राणा/श्री शैलेन व्यास/श्री राज कुमार व लेखाकार श्री यतीश कुमार/श्री राम सरन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-08)

प्रस्तर-58 वर्ष 2015-16 में मनरेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम पर रू0 75230.00 एवं प्रशिक्षण मानदेय पर रू0 2400.00 व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में कोई पत्रावली अथवा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। पत्रावली एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव में दर्शित भुगतान वास्तविक न होकर काल्पनिक रहा। जिसकी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी/श्री कुलदीप राणा व लेखाकार श्री यतीश कुमार/श्री राम सरन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-09)

प्रस्तर-59 वर्ष 2015-16 में पंचायत चुनाव के दौरान रू0 77000.00 नो ड्यूज प्रमाण-पत्र देने के शुल्क के रूप में वसूल किया गया। जिसे माह सितम्बर 2016 में व्यय दर्शाते हुए उक्त मद को समाप्त किया गया। व्यय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट होता है कि बिना व्यय प्रमाणक धन खारिज कर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन व्यास व लेखाकार श्री राम सरन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-10)

प्रस्तर-60 वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के दौरान मनरेगा प्रशासनिक मद से रू0 7618611.00 व्यय दर्शाया गया। जिसके सम्बन्ध में बार-बार मॉग करने के बावजूद कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। पत्रावली के अभाव में स्पष्ट होता है कि व्यय में भारी अनियमितता वर्ती गई है जिसके सम्बन्ध में उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-11)

प्रस्तर-61 विधायक निधि का दिनांक 31.03.2016 को अवशेष रू0 724341.00 दर्शित है जिसकी पुष्टि बैंक पास बुक/स्टेटमेंट के अभाव में न की जा सकी। बैंक पास बुक/स्टेटमेंट प्रस्तुत कर अवशेष की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही विधायक निधि की अप्रयुक्त उक्त राशि शर्तो के अनुसार समयान्तर्गत उपभोग न किए जाने पर सरकार को वापस की जानी चाहिए थी। जो वापस न करके गम्भीर अनियमितता की गई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी/श्री कुलदीप राणा व लेखाकार श्री यतीश कुमार/श्री राम सरन उत्तरदायी है।

(सामान्य आपत्ति सं0-12)

कुलयोग- 23584021.00 /-

8. क्षेत्र पंचायत- बनियाखेड़ा वर्ष 2014-15 से 2016-17 जनपद-सम्भल।

प्रस्तर-62 वर्ष 2014-15 में राज्य/तेरहवाँ वित्त आयोग से प्राप्त व बैंक में जमा अनुदान पर ब्याज रू0 680087.00 प्राप्त हुआ था। गत ब्याज शेष रू0 655168.00 था। इस प्रकार कुल ब्याज रू0 1335255.00 में से रू0 31254.00 व्यय दिखाया है। उक्त व्यय धनराशि को दुरुपयोग किया गया है। जिसके व्यय होने के सम्बन्ध में ऑडिट को कोई जानकारी नहीं हुई और न ही व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाण पाया गया। अवशेष ब्याज रू0 1304001.00 सरकार को वापिस नहीं किया गया। जो कि गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जबकि ब्याज की राशि को व्यय किया जाना शासनादेश के विपरीत है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेस व्यास व लेखाकार श्री रमेश कुमार उत्तरदायी है। जिसके सम्बन्ध में उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0-01)**

प्रस्तर-63 (1) वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त आयोग का बैंक से कुल आहरण रू0 8596889.00 किया गया है। जिसके सापेक्ष केवल रू0 6108297.00 की 14 पत्रावलियाँ ही उपलब्ध कराई गईं। शेष रू0 2488592.00 के कराये गये कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ ऑडिट में सुलभ नहीं कराई गईं। अतः रू0 2488592.00 शेष दर्शित व्यय अपुष्ट है। उक्त शेष दर्शित व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेस व्यास एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमति रिंकी सिंह उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ-साथ अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02(1))

(2) वर्ष 2014-15 में तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि का बैंक से रु0 8596889.00 आहरण किया गया है। इसमें से 18 कार्यों पर रु0 10392088.00 व्यय किया गया। अन्तर रु0 740551.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ ऑडिट में सुलभ नहीं कराई गई। अतः रु0 740551.00 शेष दर्शित व्यय अपुष्ट है। उक्त शेष दर्शित व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेस व्यास एवं लेखाकार श्री रमेश कुमार उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ-साथ अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02(2))

(3) वर्क रजिस्टर के अनुसार टी0डी0एस0 राज्य वित्त आयोग का रु0 86476.00 व तेरहवें वित्त आयोग का रु0 167281.00 कुल रु0 253757.00 प्राप्त हुआ है। किन्तु यह धनराशि कोषागार में जमा नहीं की गई। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेस व्यास एवं लेखाकार श्री रमेश कुमार उत्तरदायी हैं। अतः नियमानुसार इस राशि को आयकर विभाग में जमा कराना जाना व इस प्रति इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02(3))

प्रस्तर-64 (1) वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर मजदूरी का भुगतान मजदूरों को सीधे न करके रु0 1833580.00 कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार अवर अभियन्ता को किया गया था। पत्रावलियों के साथ संलग्न पाये गये मस्टररोल पर क्रम संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल के प्रारूप खण्ड विकास कार्यालय से निर्गत नहीं हुए हैं। मस्टररोल पर जो निशान अंगूठा लगे हैं, वह प्रमाणित नहीं हैं तथा लगे हुये निशान अंगूठा एक समान दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य करने वाले मजदूरों को गांव/पता अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि फर्जी मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में उक्त धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेस व्यास, लेखाकार श्री रमेश कुमार एवं कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार जे0ई0 तथा ब्लॉक प्रमुख श्रीमति रिकी सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इनसे अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-03(1))

(2) वर्ष 2014-15 में कुल निर्माण सामग्री रु0 4188201.00 की क्रय की गई थी। उपलब्ध वाउचर्स पर वाणिज्यकर विभाग द्वारा लिया जाने वाले वैट नम्बर अंकित नहीं रहा और न ही संस्था द्वारा वैट काटकर विक्रेता को भुगतान किया गया था। अतः 4 प्रतिशत की दर उक्त क्रय सामग्री के क्रय मूल्य पर रु0 164565.00 वैट न चार्ज करके राज्य सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेस व्यास एवं लेखाकार श्री रमेश कुमार उत्तरदायी हैं। इस प्रति इनसे नियमानुसार उक्त धनराशि की क्षतिपूर्ति एवं इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-03(2))

(3) वर्ष 2014-15 में उक्त तालिका में सभी 14 कार्यों में श्री विनोद कुमार शर्मा अवर अभियन्ता को ही कार्य प्रभारी भी बनाया गया है। जबकि कराये गये कार्यों के खर्च में पारदर्शिता लाने हेतु कार्यप्रभारी का कार्य विकासखण्ड के किसी अन्य कर्मचारी को दिया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा न करे खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेस व्यास द्वारा गम्भीर अनियमितता की गई थी। इस प्रति इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-03(3))

(4) दर्शित कार्य के अनुसार विकासखण्ड आवास व भवनों की रंगाई पुताई अलग अलग कराई गई दिखाई है। जबकि पूरे विकासखण्ड में रंगाई पुताई का कार्य एक साथ कराया जा सकता था। एक ही कार्य को अलग-अलग दिखाकर प्राप्त अनुदान रु0 129980.00 का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। रंगाई पुताई के एक ही प्रकृति के कार्य दो बार दिखाया गया है। विस्तृत विभागीय इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि मध्य टी0डी0एस0 व वैट की धनराशि घटाकर उक्त धनराशि में से टीडीएस 129980.00 124938.00 घटाकर 5042.00 ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेस व्यास एवं अवर अभियन्ता/कार्यप्रभारी श्री विनोद कुमार एवं लेखाकार श्री रमेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-03(4))

प्रस्तर-65 (1) वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर मजदूरी का भुगतान मजदूरों को सीधे न करके रु0 1990432.00 कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार अवर अभियन्ता को किया गया था। पत्रावलियों के साथ संलग्न पाये गये मस्टररोल पर क्रम संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल के प्रारूप खण्ड विकास कार्यालय से निर्गत नहीं हुए हैं। मस्टररोल पर जो निशान अंगूठा लगे हैं, वह प्रमाणित नहीं हैं तथा लगे हुये निशान अंगूठा एक समान दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य करने वाले मजदूरों को गांव/पता अंकित नहीं है।

स्पष्ट है कि फर्जी मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में उक्त धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेस व्यास, लेखाकार श्री रमेश कुमार एवं कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार जे०ई० तथा ब्लॉक प्रमुख श्रीमति रिंकी सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इनसे अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-04(1))

(2) वर्ष 2014-15 में कुल निर्माण सामग्री रु० 8196686.00 की क्रय की गई थी। उपलब्ध वाउचर्स पर वाणिज्यकर विभाग द्वारा लिया जाने वाले वैट नम्बर अंकित नहीं रहा और न ही संस्था द्वारा वैट काटकर विक्रेता को भुगतान किया गया था। अतः 4 प्रतिशत की दर उक्त क्रय सामग्री के क्रय मूल्य पर रु० 317937.00 वैट न चार्ज करके राज्य सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेस व्यास एवं लेखाकार श्री रमेश कुमार उत्तरदायी है। इस प्रति इनसे नियमानुसार उक्त धनराशि की क्षतिपूर्ति एवं इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-04(2))

(3) वर्ष 2014-15 में 13वाँ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि का बैंक से रु० 11132619.00 आहरण किया गया है। इसमें से रु० 10392068.00 व्यय किया गया। अन्तर रु० 6740551.00 के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावलियाँ ऑडिट में सुलभ नहीं कराई गई। अतः रु० 6740551.00.00 शेष दर्शित व्यय अपुष्ट है। उक्त शेष दर्शित व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेस व्यास एवं लेखाकार श्री रमेश कुमार उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ-साथ अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-04(3))

प्रस्तर-66 (1) वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि का बैंक से रु० 6556168.00 आहरण किया गया है। जिसके सापेक्ष 13 कार्यों पर रु० 4334865.00 व्यय किया गया। अन्तर रु० 2221303.00 के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावलियाँ ऑडिट में सुलभ नहीं कराई गई। अतः रु० 2221303.00 शेष दर्शित व्यय अपुष्ट है। उक्त शेष दर्शित व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेस व्यास, श्री हरेन्द्र कुमार सिंह व डॉ० विनीत कुमार एवं लेखाकार श्री सत्य प्रकाश शर्मा उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ-साथ अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-05(1))

(2) वर्ष 2015-16 में आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान राशि का बैंक से रु० 2634584.00 आहरण किया गया है। धनराशि के उपभोग से सम्बन्धित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावलियाँ ऑडिट में सुलभ नहीं कराई गई। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट है। दर्शित व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेस व्यास, श्री हरेन्द्र कुमार सिंह व डॉ० विनीत कुमार एवं लेखाकार श्री सत्य प्रकाश शर्मा उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ-साथ अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-05(2))

प्रस्तर-67 (1) वर्ष 2015-16 में बैंक से कुल रु० 2685000.00 आहरण किया गया है। जिसके सापेक्ष रु० 6826714.00 केवल 11 कार्यों पर व्यय किया गया था। शेष धनराशि रु० 4137714.00 के कराये गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावलियाँ ऑडिट में सुलभ नहीं कराई गई। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट है। वर्क रजिस्टर का न बनाया जाना अथवा अपूर्ण होना व शेष राशि के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ उपलब्ध न होना दर्शित व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेस व्यास, श्री हरेन्द्र कुमार सिंह व डॉ० विनीत कुमार एवं लेखाकार श्री सत्य प्रकाश शर्मा व ब्लॉक प्रमुख श्रीमति रिंकी सिंह व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ-साथ अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-06(1))

(2) वर्ष 2015-16 में बारहवों व तेरहवों राज्य वित्त आयोग से प्राप्त व बैंक में जमा अनुदान पर ब्याज रु० 163666.00 प्राप्त हुआ था। गत ब्याज शेष रु० 1304001.00 था। इस प्रकार कुल ब्याज रु० 1467667.00 में से रु० 425213.00 व्यय दिखाया है। उक्त व्यय धनराशि को दुरुपयोग किया गया है। जिसके व्यय होने के सम्बन्ध में ऑडिट को कोई जानकारी नहीं हुई और न ही व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाण पाया गया। अवशेष ब्याज रु० 1042454.00 सरकार को वापिस नहीं किया गया। जो कि गम्भीर अनियमितता की श्रेणी

में आता है। जबकि ब्याज की राशि को व्यय किया जाना शासनादेश के विपरीत है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेस व्यास, श्री हरेन्द्र कुमार सिंह व डॉ० विनीत कुमार एवं लेखाकार श्री सत्य प्रकाश शर्मा उत्तरदायी हैं। जिसके सम्बन्ध में उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-06(2))

(3) वर्ष 2015-16 में कुल कितनी धनराशि निर्माण सामग्री क्रय करने पर व्यय की गई थी। इसकी जांच किये जाने हेतु लेखा परीक्षा में परचेज रजिस्टर नहीं पाया गया। संस्था द्वारा वर्ष में टी०डी०एस० कटौती की गई थी। किन्तु कटौती की गई धनराशि की सही जानकारी नहीं हो सकी। जबकि उपलब्ध कराई गई 11 कार्यों की पत्रावलियों के अनुसार रु० 103575.00 टी०डी०एस० की कटौती की गई थी। आयकर विभाग में जमा किये जाने के प्रमाण में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। जो कि गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेस व्यास, श्री हरेन्द्र कुमार सिंह व डॉ० विनीत कुमार एवं लेखाकार श्री सत्य प्रकाश शर्मा उत्तरदायी हैं। जिसके सम्बन्ध में उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध आयकर विभाग के नियमों के अनुसार कार्यवाही करते हुए टी०डी०एस० की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-06(3))

(4) वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर मजदूरी का भुगतान मजदूरों को सीधे न करके रु० 1172755.00 कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार अवर अभियन्ता को किया गया था। पत्रावलियों के साथ संलग्न पाये गये मस्टररोल पर क्रम संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल के प्रारूप खण्ड विकास कार्यालय से निर्गत नहीं हुए हैं। मस्टररोल पर जो निशान अंगूठा लगे हैं, वह प्रमाणित नहीं हैं तथा लगे हुये निशान अंगूठा एक समान दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य करने वाले मजदूरों को गांव/पता अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि फर्जी मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में उक्त धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेस व्यास, श्री हरेन्द्र कुमार सिंह व डॉ० विनीत कुमार, लेखाकार श्री सत्य प्रकाश शर्मा एवं कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार जे०ई० तथा ब्लॉक प्रमुख श्रीमति रिंकी सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इनसे अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-06(4))

(5) वर्ष 2015-16 में कुल निर्माण सामग्री रु० 3096520.00 की क्रय की गई थी। राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला वाणिज्यकर/वैट क्रय सामग्री के प्रमाणकों पर चार्ज नहीं किया गया था और न ही संस्था द्वारा वैट काटकर विक्रेता को भुगतान किया गया था। अतः 4 प्रतिशत की दर उक्त क्रय सामग्री के क्रय मूल्य पर रु० 123860.00 वैट न चार्ज करके राज्य सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेस व्यास, श्री हरेन्द्र कुमार सिंह व डॉ० विनीत कुमार एवं लेखाकार श्री सत्य प्रकाश शर्मा उत्तरदायी हैं। इस प्रति इनसे नियमानुसार उक्त धनराशि की क्षतिपूर्ति एवं इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-06(5))

प्रस्तर-68 (1) वर्ष 2016-17 में आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान राशि का बैंक से रु० 268806.00 आहरण किया गया है। धनराशि के उपभोग से सम्बन्धित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावलियाँ ऑडिट में सुलभ नहीं कराई गई। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट है। दर्शित व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। उल्लेखनीय है कि आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण का र्य प्रभारी व अवर अभियन्ता एक ही व्यक्ति अर्थात् श्री विनोद कुमार शर्मा अवर अभियन्ता ही थे। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, लेखाकार श्री सुनील कुमार, अवर अभियन्ता श्री विनोद कुमार शर्मा एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमति रिंकी सिंह/श्रीमति महेन्द्री देवी उत्तरदायी हैं। धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-07(1))

(2) पंचायत निर्वाचन वृथ निर्माण हेतु रु० 24360.00 बैंक से आहरण करके वर्ष 2016-17 में व्यय दिखाया है। जबकि पंचायत के चुनाव वर्ष 2015 में सम्पन्न हुए थे। उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई। व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक आदि अभिलेख न पाये जाने के कारण दर्शित व्यय संदिग्ध रहा तथा वास्तविक व्यय की स्थिति ज्ञात न हो सकी। उक्त धनराशि का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति रेनू कुमारी, लेखाकार श्री सुशील अग्रवाल उत्तरदायी हैं। धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-07(2))

(3) इन्दिरा आवास प्रशासनिक व्यय पर दौरान साल 2016-17 रु० 8065.00 खर्च हेतु बैंक से आहरण किये गये थे। इस व्यय से सम्बन्धित कोई अभिलेख व प्रमाणक सुलभ नहीं कराया गया। अतः दर्शित व्यय काल्पनिक दिखाकर इस धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास

अधिकारी श्रीमति रेनू कुमारी, लेखाकार श्री सुशील अग्रवाल उत्तरदायी है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-07(3))

प्रस्तर-69 (1) वर्ष 2016-17 में बैंक से कुल आहरण तृतीय राज्य व चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से रु० 3380567.00 किया गया है। जिसके सापेक्ष रु० 2225074.00 केवल 10 कार्यों पर व्यय किया गया था। शेष रु० 1155493.00 के कराये गये कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों ऑडिट में सुलभ नहीं कराई गई। वर्क रजिस्टर का न बनाया जाना अथवा अपूर्ण होना व शेष राशि के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों उपलब्ध न होना रु० 1155494.00 का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, लेखाकार श्री सुशील कुमार अग्रवाल, कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार शर्मा एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमति रिकी सिंह/श्रीमति महेन्द्री देवी उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही के साथ-साथ धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-08(1))

(2) वर्ष 2016-17 में बारहवों व तेरहवों राज्य वित्त आयोग से प्राप्त व बैंक में जमा अनुदान पर ब्याज रु० 119904.00 प्राप्त हुआ था। गत ब्याज शेष रु० 142454.00 था। इस प्रकार कुल ब्याज रु० 1162358.00 पूरा व्यय दिखाया है। जिसके व्यय होने के सम्बन्ध में ऑडिट को कोई जानकारी नहीं हुई और न ही व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाण पाया गया। वर्षान्त में ब्याज अवशेष शून्य था। जो कि गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जबकि ब्याज की राशि को व्यय किया जाना शासनादेश के विपरीत है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार सिंह व लेखाकार श्री सुशील अग्रवाल उत्तरदायी है। अतः व्यय की गई ब्याज की राशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से करके राजकीय कोषागार में निमानुसार जमा किया जाना एवं इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-08(2))

(3) वर्ष 2016-17 में कुल कितनी धनराशि निर्माण सामग्री क्रय करने पर व्यय की गई थी। इसकी जांच किये जाने हेतु लेखा परीक्षा में परचेज रजिस्टर नहीं पाया गया। संस्था द्वारा वर्ष में टी०डी०एस० कटौती की गई थी। किन्तु कटौती की गई धनराशि की सही जानकारी नहीं हो सकी। जबकि उपलब्ध कराई गई 10 कार्यों की पत्रावलियों के अनुसार रु० 33785.00 टी०डी०एस० की कटौती की गई थी। आयकर विभाग में जमा किये जाने के प्रमाण में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। जो कि गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार सिंह व लेखाकार श्री सुशील अग्रवाल उत्तरदायी है। जिसके सम्बन्ध में उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध आयकर विभाग के नियमों के अनुसार कार्यवाही करते हुए टी०डी०एस० की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-08(3))

(4) वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर मजदूरी का भुगतान मजदूरों को सीधे न करके रु० 585646.00 कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार त्रिपाठी ए०डी०ओ/श्री जे०पी०गुप्ता ए०डी०ओ (आई०एस०बी०), श्री सुधार कुमार ग्राम विकास अधिकारी व श्री जयन्ती प्रसाद ए०डी०ओ को किया गया था। पत्रावलियों के साथ संलग्न पाये गये मस्टररोल पर क्रम संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल के प्रारूप खण्ड विकास कार्यालय से निर्गत नहीं हुए हैं। मस्टररोल पर जो निशान अंगूठा लगे हैं, वह प्रमाणित नहीं हैं तथा लगे हुये निशान अंगूठा एक समान दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य करने वाले मजदूरों को गांव/पता अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि फर्जी मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में उक्त धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार सिंह व लेखाकार श्री सुशील अग्रवाल, अवर अभियन्ता श्री विनोद कुमार शर्मा, कार्य प्रभारी तथा ब्लॉक प्रमुख श्रीमति रिकी सिंह/श्रीमति महेन्द्री देवी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इनसे अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-08(4))

(5) वर्ष 2016-17 में कुल निर्माण सामग्री रु० 1605643.00 की क्रय की गई थी। राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला वाणिज्यकर/वैट क्रय सामग्री के प्रमाणकों पर चार्ज नहीं किया गया था और न ही संस्था द्वारा वैट काटकर विक्रेता को भुगतान किया गया था। अतः 4 प्रतिशत की दर उक्त क्रय सामग्री के क्रय मूल्य पर रु० 64220.00 वैट न चार्ज करके राज्य सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार सिंह व लेखाकार श्री सुशील अग्रवाल उत्तरदायी है। इस प्रति इनसे नियमानुसार उक्त धनराशि की क्षतिपूर्ति एवं इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-08(5))

कुलयोग- 31154349.00/-

9. क्षेत्र पंचायत- पर्वसा वर्ष 2014-15 से 2016-17 जनपद-सम्भल।

प्रस्तर-70 वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त आयोग व तेरहवों वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि में से रु0 11333573.00 बैंक से आहरण किया गया था। जिसमें से रु0 9591435.00 दौरान साल ऑडिट व्यय किया गया था। अन्तर की धनराशि रु0 1742138.00 के व्यय की पुष्टि में कोई विवरण व प्रमाणक नहीं पाया गया। अतः यह राशि निजी हित में दुरुपयोग में लाई गई। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति धनकौर सिंहवाल, लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0 अहूजा व ब्लॉक प्रमुख श्री शोएब खॉ उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध इस प्रति आवश्यक कार्यवाही के साथ ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-71 (1) वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त आयोग खाते से रु0 4548668.00 आहरण किया गया था। लेखा परीक्षा में कुल पाँच पत्रावलियों उपलब्ध कराई गई। जिसमें कुल रु0 4423253.00 व्यय किया गया। शेष रु0 125415.00 की पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई। शेष धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं होती है। शेष व्यय राशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति धनकौर सिंहवाल, लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0 अहूजा व ब्लॉक प्रमुख श्री शोएब खॉ उत्तरदायी हैं। इनसे अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-02(1))

(2) वर्ष 2014-15 में तेरहवों वित्त आयोग के बैंक खाते से रु0 6784905.00 आहरण किया गया था। लेखा परीक्षा में पत्रावलियों उपलब्ध कराई गई। जिसके अनुसार कुल रु0 5168182.00 व्यय किया गया। शेष रु0 1616723.00 की पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई। शेष धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं होती है। व्यय राशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति धनकौर सिंहवाल, लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0 अहूजा व ब्लॉक प्रमुख श्री शोएब खॉ उत्तरदायी हैं। इनसे अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-02(2))

प्रस्तर-72 वर्ष 2014-15 में विधायक निधि से रु0 30575.00 निकाल कर व्यय किया गया। लेखा परीक्षा में व्यय की कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः व्यय अपुष्ट है। व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। पुष्टि न होने की दशा में उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति धनकौर सिंहवाल, लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0 अहूजा व ब्लॉक प्रमुख श्री शोएब खॉ से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-03)

प्रस्तर-73 वर्ष 2014-15 में मनरेगा कन्टीजेन्सी से रु0 215767.00 निकाल कर व्यय किया गया। लेखा परीक्षा में व्यय की कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः व्यय अपुष्ट है। व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। पुष्टि न होने की दशा में उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति धनकौर सिंहवाल, लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0 अहूजा व ब्लॉक प्रमुख श्री शोएब खॉ से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-04)

प्रस्तर-74 वर्ष 2014-15 में बैंक से ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा प्रचार खाते से रु0 10138.00 निकाल कर व्यय किया गया, वायोगैस अनुदान खाते से रु0 8000.00 आंगनबाड़ी निर्माण हेतु रु0 3468427.00 निकालकर व्यय किया गया। इस प्रकार कुल रु0 3486565.00 व्यय किया गया। लेखा परीक्षा में व्यय की कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः व्यय अपुष्ट है। व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। पुष्टि न होने की दशा में उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति धनकौर सिंहवाल, लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0 अहूजा के विरुद्ध उक्त राशियों का अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-05)

प्रस्तर-75 वर्ष 2014-15 में मजदूरी का भुगतान राज्य वित्त से रु0 826109.00 का मजदूरी को सीधे न करके कार्य प्रभारियों को किया गया है। मस्टररोल पर मजदूरों के निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं किये गये हैं। अतः मस्टर रोल फर्जी हैं। उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति धनकौर सिंहवाल, लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0 अहूजा, कार्य प्रभारी श्री मो0 हारून एवं अवर अभियन्ता श्री संदीप कुमार/श्री श्रीपाल मिश्र/श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा के विरुद्ध उक्त राशियों का अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-06)

प्रस्तर-76 वर्ष दौरान राज्य वित्त खाते से आहरण की धनराशियों से कराये गये कार्यों पर हुये खर्च पर टी0डी0एस0 कटौती रु0 73487.00 की गई थी। धनराशि कोषागार में जमा किये जाने की पुष्टि में चालान

आदि नहीं पाया गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। पुष्टि न कराये जाने की दशा में इस प्रति उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति धनकौर सिंहवाल, लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0 अहूजा के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-07)

प्रस्तर-77 वर्ष दौरान 1 प्रतिशत की दर से लेबर-सेस की कटौती नहीं की गई है जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1966 के अन्तर्गत सभी निर्माण कार्यों पर निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर देय है। अतः सेस की गणना कर उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति धनकौर सिंहवाल, लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0 अहूजा से इसकी ब्याज सहित वसूली की जानी व उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण के खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-08)

प्रस्तर-78 वर्ष दौरान कुल सामग्री रू0 3597144.00 की खरीदी गई थी। जिस पर वैट नहीं काटा गया जो 4 प्रतिशत की दर से रू0 143884.00 की सरकार को हानि हुई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति धनकौर सिंहवाल, लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0 अहूजा हैं। इस प्रति इनसे नियमानुसार उक्त धनराशि की क्षतिपूर्ति एवं इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-09)

प्रस्तर-79 (1) वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग खाते से रू0 7655311.00 आहरण किया गया था। लेखा परीक्षा में कुल 8 पत्रावलियाँ उपलब्ध कराई गईं। जिसमें कुल रू0 2248691.00 व्यय किया गया। शेष रू0 5406620.00 की पत्रावलियाँ/प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। शेष धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं होती है। शेष व्यय राशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति धनकौर सिंहवाल/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0 अहूजा उत्तरदायी हैं। इनसे अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-10(1))

(2) वर्ष 2015-16 में मनरेगा कन्टीजेन्सी से रू0 2305859.00 बैंक से निकाल कर व्यय किया गया। पुष्टि में प्रमाणक व सम्बन्धित पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराई गईं। इसके अतिरिक्त अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के बैंक खाते से रू0 37500.00, आंगनबाड़ी निर्माण हेतु रू0 4788190.00 निकालकर व्यय किया गया तथा वर्ष 2015-16 में लघु सिंचाई कर्मों का मानदेय रू0 2000.00 कुल रू0 7133549.00 व्यय किया गया। लेखा परीक्षा में व्यय की कोई पत्रावली, प्रमाणक व पंजिका उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः व्यय अपुष्ट है। व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। पुष्टि न होने की दशा में उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति धनकौर सिंहवाल/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी0के0 अहूजा के विरुद्ध उक्त राशियों का अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-10(2))

प्रस्तर-80 वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर मजदूरी का भुगतान रू0 1162366.00 का मजदूरों को सीधे न करके कार्य प्रभारी श्री इरफान हुसैन व श्री हारून को किया गया है। मस्टररोल पर मजदूरों के निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं किये गये हैं। अतः मस्टर रोल फर्जी हैं। उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति धनकौर सिंहवाल/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, लेखाकार श्री डी0के0 अहूजा व कार्य प्रभारी श्री इरफान हुसैन व श्री हारून के विरुद्ध उक्त राशियों का अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-11)

प्रस्तर-81 वर्ष 2015-16 में ऑडिट में रू0 98306.00 टी0डी0एस0 काटा गया था। टी0डी0एस0 कटौती की धनराशि राज्य कोषागार में जमा किये जाने के प्रमाण में चालान आदि नहीं पाया गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। इसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति धनकौर सिंहवाल/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी व लेखाकार श्री डी0के0 अहूजा के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-12)

प्रस्तर-82 वर्ष दौरान वर्ष 2015-16 में कुल सामग्री रू0 4817038.00 की खरीदी गई थी। जिस पर वैट नहीं काटा गया जो 4 प्रतिशत की दर से रू0 192681.00 की सरकार को हानि हुई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति धनकौर सिंहवाल/श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी व लेखाकार श्री डी0के0 अहूजा हैं। इस प्रति इनके विरुद्ध

नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली करके कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-13)

प्रस्तर-83 आलोच्य वर्ष 2015-16 में 1 प्रतिशत की दर से लेबर-सेस की कटौती नहीं की गई है जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1966 के अन्तर्गत सभी निर्माण कार्यों पर निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर देय है। अतः सेस की गणना कर उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति धनकौर सिंहवाल/श्री अनिल कुमार चर्तुवेदी व लेखाकार श्री श्री डी०के० अहूजा से इसकी ब्याज सहित वसूली की जानी व उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण के खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-14)

प्रस्तर-84 (1) वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग खाते से रु० 6071988.00 आहरण किया गया था। लेखा परीक्षा में कुल 5 पत्रावलियाँ उपलब्ध कराई गईं। जिसमें कुल रु० 3874452.00 व्यय किया गया। शेष रु० 2197536.00 की पत्रावलियाँ/प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। शेष धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं होती है। शेष व्यय राशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार चर्तुवेदी/श्री कुलदीप सिंह राणा, लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी०के० अहूजा उत्तरदायी हैं। व्यय की पुष्टि न होने की दशा में धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-15(1))

(2) वर्ष 2016-17 में मनरेगा कन्टीजेन्सी से रु० 2325512.00 बैंक से निकाल कर व्यय किया गया। पुष्टि में प्रमाणक व सम्बन्धित पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराई गईं। अतः व्यय अपुष्ट है। व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। पुष्टि न होने की दशा में उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार चर्तुवेदी/श्री कुलदीप सिंह राणा, लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी०के० अहूजा के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-15(2))

प्रस्तर-85 (1) वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर मजदूरी का भुगतान रु० 1707890.00 का मजदूरी को सीधे न करके कार्य प्रभारी श्री जितेन्द्र कुमार को किया गया है। मस्टररोल पर मजदूरों के निशानी अंगूठा लगभग सभी एक समान हैं। मस्टररोल पर मजदूरों का पता कअंकित नहीं हैं। निशानी अंगूठा को प्रमाणित भी नहीं किया गया है। अतः मस्टर रोल फर्जी हैं। उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार चर्तुवेदी/श्री कुलदीप सिंह राणा, लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी०के० अहूजा व कार्य प्रभारी श्री जितेन्द्र कुमार तथा ब्लाक प्रमुख श्री शोएब खां के विरुद्ध उक्त धनराशि का अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-16(1))

(2) वर्ष दौरान रु० 62333.00 टी०डी०एस० काटा गया था। टी०डी०एस० कटौती की धनराशि राज्य कोषागार में जमा किये जाने के प्रमाण में चालान आदि नहीं पाया गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। इसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार चर्तुवेदी/श्री कुलदीप सिंह राणा, लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी०के० अहूजा के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करते हुए धनराशि को कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-16(2))

(3) वर्ष दौरान वर्ष 2016-17 में कुल सामग्री रु० 3066562.00 की खरीदी गई थी। जिस पर वैट नहीं काटा गया जो 4 प्रतिशत की दर से रु० 122662.00 की सरकार को हानि हुई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार चर्तुवेदी/श्री कुलदीप सिंह राणा व लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी०के० अहूजा हैं। इस प्रति इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली करके कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-16(3))

(4) आलोच्य वर्ष 2016-17 में 1 प्रतिशत की दर से लेबर-सेस की कटौती नहीं की गई है जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1966 के अन्तर्गत सभी निर्माण कार्यों पर निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर देय है। अतः सेस की गणना कर उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार चर्तुवेदी/श्री कुलदीप सिंह राणा व लेखाकार श्री संजीव शर्मा/श्री डी०के० अहूजा से इसकी ब्याज सहित वसूली की जानी व उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण के खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-16(4))

कुलयोग- 28670121.00 /-

10. क्षेत्र पंचायत— असमौली वर्ष 2014—15 से 2016—17 जनपद—सम्भल।

प्रस्तर—86 आलोच्य अवधि में विकासखण्ड कार्यालय द्वारा जनरेटर हेतु डीजल का क्रय स्थानीय पेट्रोल पम्पों से न करके 20 से 30 किमी० की दूरी के पेट्रोल पम्पों से करना दर्शाया गया है। जबकि विकासखण्ड कार्यालय से 2 से 6 किमी० के दायरे में भी पेट्रोल पम्प उपलब्ध हैं, जैसे मनौटा, शाहबाद, असमौली तता ऐंचौडा आदि। इन पेट्रोल पम्पों से खरीद कम मात्रा में की गई है। नजदीक पेट्रोल पम्पों से डीजल न खरीदकर दूर के पेट्रोल पम्पों से डीजल खरीदना अव्यवहारिक व अनौचित्यपूर्ण है। लेखा परीक्षा के दौरान बिजली चले जाने पर भी जनरेटर अधिकांशतः बन्द ही पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय पेट्रोल पम्पों से जो खरीद की गई है वही वास्तव में जनरेटर हेतु की गई है। दूर के पेट्रोल पम्पों से की गई खरीद खण्ड विकास अधिकारी व विकास खण्ड कार्यालय के कर्मचारी आदि की निजी उपयोग हेतु की गई हो सकती है, जिसका भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर रु० 151658.00 गबन प्रतीत होता है। अतः उक्त दर्शित व्यय की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र ब्यास/श्री सतीश कुमार पाण्डेय व तत्कालीन लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०—12)

प्रस्तर—87 (1) आलोच्य अवधि में राज्य वित्त व 13वाँ वित्त की मदों में विवरणानुसार वर्ष 2014—15 में रु० 14347764.00, वर्ष 2015—16 में रु० 4152894.00 एवं वर्ष 2016—17 में रु० 8181597.00 व्यय कुल रु० 26682255.00 किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 84 के अनुसार कार्य सम्पादन के लिए प्रत्येक दो मास में क्षेत्र पंचायत की कम से कम एक बार बैठक होना अनिवार्य है। क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही पंजिका का अवलोकन करने पर आलोच्य अवधि में कुल दो कार्यवाही अंकित पायी गई। किसी भी कार्यवाही पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। इस प्रकार उक्त नियम का पालन नहीं किया गया।

(सामान्य आपत्ति सं०—13(1))

(2) उ०प्र० क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 84 व 90 के अनुसार क्षेत्र पंचायत के कार्यों का संचालन करने के लिए कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, समता समिति व उप समितियों का गठन किया जाना अनिवार्य है। आलोच्य वर्षों में उक्त समितियाँ कार्यरत नहीं रही हैं।

(सामान्य आपत्ति सं०—13(2))

(3) उ०प्र० क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 86 के अनुसार ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करके प्रत्येक वर्ष खण्ड के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी। इस योजना को क्षेत्र पंचायत के अनुमोदन के उपरान्त खण्डविकास अधिकारी जिला पंचायत को भेजेगा। उक्त कार्यवाही का नियमानुसार किया जाना नहीं पाया गया।

(सामान्य आपत्ति सं०—13(3))

(4) वार्षिक बजट उ०प्र० क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 115 के अनुरूप तैयार व पारित नहीं किये गये।

(सामान्य आपत्ति सं०—13(4))

(5) शासनादेशानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात् कराये जाने वाले कार्य के प्राक्कलन का अनुमोदन एवं कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा। उक्त नियम का अनपालन नहीं किया गया।

(सामान्य आपत्ति सं०—13(5))

(6) शासनादेशानुसार क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत व्यय यथा आवश्यकता क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। उक्त शासनादेश की अवहेलना करते हुए अधिकांश व्यय ग्राम पंचायतों के कार्य क्षेत्र में किया गया है। जिससे डप्लीकेसी की प्रबल संभावना है।

(सामान्य आपत्ति सं०—13(6))

(7) शासनादेशानुसार निर्माण कार्यों एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमन्त्रित करना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए समस्त सामग्री टेण्डर आमन्त्रित किये बिना ही क्रय की गई है।

(सामान्य आपत्ति सं०—13(7))

(8) क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों पर हुए व्यय से सृजित सम्पत्ति को सम्पत्ति रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए था। लेकिन सम्पत्ति रजिस्टर तैयार कर नहीं रखा गया। जो कृत कार्य का एक प्रबल प्रमाण होता है।

(सामान्य आपत्ति सं०—13(8))

(9) क्षेत्र पंचायत द्वारा स्टॉक पंजिका भी तैयार नहीं की गई, जिससे क्रय सामग्री, प्रयुक्त सामग्री तथा अवशेष सामग्री पुष्टि नहीं हो रही है।
(सामान्य आपत्ति सं०-13(9))

(10) विवरणानुसार आलोच्य वर्षों में राज्य वित्त, 12वाँ वित्त व 13वाँ वित्त की मदों में ग्रांट रजि०3 के अनुसार कुल व्यय रु० 26682255.00 है, जिसके सापेक्ष रु० 24739942.00 की व्यय पत्रावलियाँ/प्रमाणक प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार रु० 1942313.00 के व्यय पत्रावलियाँ/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः धनराशि का अपहरण किया गया है।
(सामान्य आपत्ति सं०-13(10))

(11) ग्रा० मुबारकपुर बन्द में आलेनवी के मकान से नजरुद्दीन के मकान तक मिट्टी, नाली व टायल का कार्य करना दर्शाया गया है। जिसके लिए मजदूरी रु० 69340.00 का भुगतान किया गया है। मस्टररोल पर मजदूरों के नाम उपस्थिति व हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित नहीं पाये गये। अतः मजदूरी का भुगतान फर्जी है। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है।
(सामान्य आपत्ति सं०-13(11))

(12) विवरणानुसार रु० 2534867.00 के सामग्री बिलों पर निर्गतकर्ता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त बिल फर्जी है जो गबन करने के उद्देश्य से बनाये गये हैं। सम्बन्धित फर्म से सामग्री क्रय नहीं की गई है।
(सामान्य आपत्ति सं०-13(12))

(13) विवरणानुसार वर्ष 2014-15 व 2016-17 के दौरान कुल रु० 24231755.00 की सामग्री क्रय की गई। बिलों पर निर्गतकर्ता के हस्ताक्षर समान हैं। जो किसी एक व्यक्ति द्वारा किये गये हैं। तथा कतिपय बिल ऐसे भी हैं जिन पर निर्गतकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। निर्माण सामग्री के बिलों पर निर्गतकर्ता के हस्ताक्षर न होना या दोनों फर्मों के बिलों पर समान हस्ताक्षर होना बिलों के फर्जी होने को दर्शाता है। जो गबन की श्रेणी में आता है।
(सामान्य आपत्ति सं०-13(13))

(14) आलोच्य अवधि में क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बैठक में भाग लेने पर मानदेय भुगतान करने के लिए धन का आहरण किया गया है। विवरणानुसार ग्रांट रजि०2राज्य वित्त की मद से अंकन रु० 169000.00 का आहरण दर्शाया है। सदस्यों को भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक नहीं पाये गये। कार्यवाही पंजिका में बैठक में भाग लेने की पुष्टि में किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। उक्त तथ्यों के आधार पर उक्त धनराशि का आहरण कर गबन प्रतीत होता है।
(सामान्य आपत्ति सं०-13(14))

(15) आलोच्य अवधि में मजदूरों द्वारा कराये गये कार्य की पुष्टि में जो मस्टररोल तैयार कर रखे गये हैं उन पर मजदूरों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी फर्जी प्रतीत होते हैं। किसी भी मस्टररोल पर किये गये मजदूरों के हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति के द्वारा किये गये प्रतीत होते हैं। अंगूठा निशानी मात्र स्याही के धब्बे हैं उनमें अंगूठे के निशान स्पष्ट नहीं होते हैं। जो मस्टररोल को फर्जी दर्शाता है। मजदूरी का भुगतान सीधे मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरों को भुगतान करने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया।
(सामान्य आपत्ति सं०-13(15))

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर राज्य वित्त, 12वाँ वित्त व 13वाँ वित्त की मदों में व्यय दर्शायी गई कुल धनराशि रु० 26682255.00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमति सरला/श्रीमति फरीदा, खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र व्यास/श्री सतीश कुमार पाण्डेय/श्री विनीत कुमार/श्री रणधीर सिंह/श्री लक्ष्मीकान्त तिवारी/श्री राजकुमार कार्य प्रभारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। इनके विरुद्ध समुचित विभागीय कार्यवाही की जानी भी अपेक्षित है।

कुलयोग- 26833913.00 /-

11. क्षेत्र पंचायत- असमोली वर्ष 2017-18 जनपद-सम्भल।

प्रस्तर-88 (1) आलोच्य अवधि में राज्य वित्त की मद में विवरणानुसार वर्ष 2017-18 में कुल रु० 3264382.00 किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 84 के अनुसार कार्य सम्पादन के लिए प्रत्येक दो मास में क्षेत्र पंचायत की कम से कम एक बार बैठक होना अनिवार्य है। जबकि आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत की कोई बैठक नहीं हुई है। इस प्रकार उक्त नियम का पालन नहीं किया गया।
(सामान्य आपत्ति सं०-08(1))

(2) उ०प्र० क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 84 व 90 के अनुसार क्षेत्र पंचायत के कार्यों का संचालन करने के लिए कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, समता समिति व उप समितियों का गठन किया जाना अनिवार्य है। आलोच्य वर्षों में उक्त समितियाँ कार्यरत नहीं रही हैं।
(सामान्य आपत्ति सं०-08(2))

(3) उ०प्र० क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 86 के अनुसार ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करके प्रत्येक वर्ष खण्ड के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी। इस

योजना को क्षेत्र पंचायत के अनुमोदन के उपरान्त खण्डविकास अधिकारी जिला पंचायत को भेजेगा। उक्त कार्यवाही का नियमानुसार किया जाना नहीं पाया गया।

(सामान्य आपत्ति सं०-08(3))

(4) वार्षिक बजट उ०प्र० क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 115 के अनुरूप तैयार व पारित नहीं किये गये।

(सामान्य आपत्ति सं०-08(4))

(5) शासनादेशानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात् कराये जाने वाले कार्य के प्राक्कलन का अनुमोदन एवं कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा। उक्त नियम का अनपालन नहीं किया गया।

(सामान्य आपत्ति सं०-08(5))

(6) शासनादेशानुसार क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत व्यय यथा आवश्यकता क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। उक्त शासनादेश की अवहेलना करते हुए अधिकांश व्यय ग्राम पंचायतों के कार्य क्षेत्र में किया गया है। जिससे डप्लीकेसी की प्रबल संभावना है।

(सामान्य आपत्ति सं०-08(6))

(7) क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों पर हुए व्यय से सृजित सम्पत्ति को सम्पत्ति रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए था। लेकिन निर्माण कार्यों की पुष्टि में सम्पत्ति रजिस्टर तैयार कर नहीं रखा गया। जो कृत कार्य का एक प्रबल प्रमाण होता है।

(सामान्य आपत्ति सं०-08(7))

(8) आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त की मद में ग्रांट रजि०३ के अनुसार रू० 3264382.00 व्यय किये गये हैं। जिसके सापेक्ष रू० 37535915.00 की व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गई। इस प्रकार रू० 97577.00 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। अतः धनराशि का अपहरण किया गया है।

(सामान्य आपत्ति सं०-08(8))

(09) आलोच्य अवधि में मजदूरों द्वारा कराये गये कार्य की पुष्टि में जो मस्टररोल तैयार कर रखे गये हैं उन पर मजदूरों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी फर्जी प्रतीत होते हैं। किसी भी मस्टररोल पर किये गये मजदूरों के हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति के द्वारा किये गये प्रतीत होते हैं। अंगूठा निशानी मात्र स्याही के धब्बे हैं उनमें अंगठे के निशान स्पष्ट नहीं होते हैं। जो मस्टररोल को फर्जी दर्शाता है।

(सामान्य आपत्ति सं०-08(9))

(10) मजदूरी का भुगतान सीधे मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरों को भुगतान करने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया।

(सामान्य आपत्ति सं०-08(10))

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर राज्य वित्त, 12वाँ वित्त व 13वाँ वित्त की मदों में व्यय दर्शायी गई कुल धनराशि रू० 3264382.00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमति सरला/श्रीमति फरीदा, खण्ड विकास अधिकारी श्री राजकुमार/श्री अखिलेश चौबे/श्रीमति रेणु कुमारी कार्य प्रभारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। इनके विरुद्ध समुचित विभागीय कार्यवाही की जानी भी अपेक्षित है।

कुलयोग— 3264382.00 /—

12. क्षेत्र पंचायत— पर्वसा वर्ष 2017-18 जनपद—सम्भल।

प्रस्तर—89 आलोच्य अवधि में ग्रांट रजि०३में स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत माह जून 2018 का अन्तिम शेष जुलाई प्रारम्भ में रू० 460.00 कम दिखाया गया है। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। इस प्रति उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय एवं सहायक लेखाकार श्री संजीव शर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-01)

प्रस्तर—90 (1) आलोच्य अवधि में दर्शित कार्य ग्राम महोरा लखूपुरा में करकू प्रधान से बड़े राम के मकान तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि कार्य योजना में कार्य प्रस्तावित नहीं है। कार्य प्रारम्भ होने से पहले कार्य स्थल का केवल एक फोटो है। फोटों में खड़ण्जा टूटा नहीं दिखाई आ रहा है। कार्य पूर्ण होने के बाद का फोटो नहीं है। ईट क्रय के 3 कोटेशन में सभी लेंटर पैड पर लिखी छाया प्रतियाँ हैं। कुल सामग्री क्रय सामग्री क्रय 64704.00 में से मैसर्स अपर इण्डिया ब्रिक वर्क्स ग्राम घुरेटा, बहजोई रोड के कोटेशन पर टिन नम्बर नहीं है। मैसर्स सिंह सीमेण्ट स्टोर ग्राम पर्वसा के टैक्स इन्वाइस द्वारा रू० 4896.00 का सीमेंट व रू० 3470.25 का रेत क्रय किया गया था। जिस पर

कुल रू0 1544.00 जी0एस0टी0 नहीं चार्ज किया गया था। इस प्रकार रू0 1544.00 की वाणिज्य कर विभाग को हानि हुई है। श्रमांश रू0 32100.00 का चेक द्वारा भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया था। जबकि बैंक के माध्यम से सीधे मजदूरों को भुगतान किया जाना था। मस्टररोल में ही नाजिम नामक व्यक्ति को ट्रैक्टर सहित पाँच दिन मजदूरी रू0 6520.00 नकद दी दिखाई है। जबकि उनसे पृथक से रसीदी टिकट चस्पा रसीद ली जानी चाहिए थी व भुगतान चेक द्वारा किया जा सकता था। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय संदिग्ध है। कुल व्यय धनराशि रू0 96804.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री संजय शर्मा व अवर अभियन्ता/कार्य प्रभारी श्री त्रिलोक चन्द्र उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध इस प्रति आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02(1))

(2) आलोच्य अवधि में दर्शित कार्य ग्राम महोरा लखूपुरा में नत्थू सिंह के मकान से जगदीश सिंह यादव के घर तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि कार्य योजना में कार्य प्रस्तावित नहीं है। कार्य प्रारम्भ होने से पहले कार्य स्थल का केवल एक फोटो है। कार्य पूर्ण होने के बाद का फोटो नहीं है। ईट क्रय के रेट कोटेशन छाया प्रतियों पर है। उस पर बी0डी0ओ0 सहित अन्य किसी के हस्ताक्षर नहीं है। मैसर्स शिव ब्रिक वर्क्स पर्वोसा का बिल माप पुस्तिका में दर्ज होने बाबत लिखकर जे0ई0 द्वारा भुगतान किए जाने के लिए खण्ड विकास अधिकारी को लिखा गया है। इस मॉग पत्र में ग्राम महोरा लखूपुरा में नत्थू सिंह के मकान से जगदीश सिंह यादव के घर तक नाला मरम्मत कार्य प्रारम्भ करना लिखा है। मैसर्स शिव ब्रिक वर्क्स पर्वोसा के टैक्स इन्वाइस पर फर्म द्वारा इन्वाइस खण्ड विकास अधिकारी/प्रमुख महोरा में नाला मरम्मत कार्य के नाम निर्गत किया गया है। जबकि उक्त पत्रावली व अन्य प्रपत्रों पर खड़ण्जा मरम्मत कार्य का होना लिखा है। श्रमिकों को श्रमांश का भुगतान बैंक के माध्यम से न कर कार्य प्रभारी को किया गया है। जबकि बैंक के माध्यम से सीधे मजदूरों को भुगतान किया जाना था। श्रमांश रू0 20700.00 का भुगतान दिखाया है किन्तु जे0ई0 को चेक रू0 22700.00 का दिया दिखाया है। अर्थात् रू0 2000.00 अधिक का चेक द्वारा भुगतान किया गया जिसकी उनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। मस्टररोल में महेन्द्र पुत्र बनवारी को रू0 5200.00 नकद 4 दिन ट्रैक्टर चलाई मजदूरी दिखाई है। ट्रैक्टर नं0 नहीं दिया है। यंत्र का प्रयोग वर्जित है। जबकि रसीदी टिकट चस्पा रसीद पृथक से ट्रैक्टर नं0 व धन प्राप्तकर्ता के पूर्ण पते सहित ली जानी आवश्यक थी। मैसर्स सिंह सीमेन्ट स्टोर पर्वोसा के टैक्स इन्वाइस द्वारा की सीमेंट खरीद पर जी0एस0टी0 कुल रू0 1535.00 नहीं काटा गया था। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय संदिग्ध है। कुल व्यय धनराशि रू0 98668.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री संजय शर्मा व अवर अभियन्ता/कार्य प्रभारी श्री त्रिलोक चन्द्र उत्तरदायी हैं। उनके विरुद्ध इस प्रति आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही व उक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02(2))

(3) आलोच्य अवधि में दर्शित कार्य ग्राम महोरा लखूपुरा में राजेन्द्र के मकान से राम सिंह के मकान तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि कार्य योजना में कार्य प्रस्तावित नहीं है। कार्य प्रारम्भ होने से पहले कार्य स्थल का केवल एक फोटो है। कार्य पूर्ण होने के बाद का फोटो नहीं है। ईट क्रय के रेट कोटेशन छाया प्रतियों पर है। उस पर बी0डी0ओ0 सहित अन्य किसी के हस्ताक्षर नहीं है। कार्यालय आदेश पार जे0ई0 की प्रभारी नियुक्ति हेतु बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं है। कार्यालय आदेश पर बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं है, प्रशासनिक स्वीकृति भी नहीं है। मैसर्स शिव ब्रिक वर्क्स, पर्वोसा के टैक्स इन्वाइस द्वारा रू0 5994.00 का सीमेंट 10 बैग सीमेंट रू0 3264.00 व रू0 2730.00 का रेत क्रय किया गया था। जिस पर कुल रू0 1050.00 जी0एस0टी0 नहीं चार्ज किया गया था। इस प्रकार रू0 1050.00 की वाणिज्य कर विभाग को हानि हुई है। इस राशि को वसूल कर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। श्रमिकों को श्रमांश का भुगतान बैंक के माध्यम से न कर कार्य प्रभारी को किया गया है। जबकि बैंक के माध्यम से सीधे मजदूरों को भुगतान किया जाना था। श्रमांश रू0 26200.00 का भुगतान जे0ई0 को दिखाया है। मस्टररोल में नेगराम नामक श्रमिक को रू0 5200.00 नकद 4 दिन ट्रैक्टर चलाई मजदूरी दिखाई है। ट्रैक्टर नं0 नहीं दिया है। यंत्र का प्रयोग वर्जित है। जबकि रसीदी टिकट चस्पा रसीद पृथक से ट्रैक्टर नं0 व धन प्राप्तकर्ता के पूर्ण पते सहित ली जानी आवश्यक थी। कुल व्यय धनराशि रू0 98506.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री संजय शर्मा व अवर अभियन्ता/कार्य प्रभारी श्री त्रिलोक चन्द्र उत्तरदायी

हैं। उनके विरुद्ध इस प्रति आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही व उक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-02(3))

(4) आलोच्य अवधि में दर्शित कार्य मीटिंग हाल की रंगाई-पुताई व दरवाजे की मरम्मत कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि मै० लकी पेन्ट्स एण्ड हार्डवेयर स्टोर अमरोहा से इन्वाइस द्वारा पेन्ट रु० 52204.20 का क्रय किया गया था। टी०डी०एस० रु० 1044.00 नहीं काटा गया था। मै० सिंह सीमेन्ट स्टोर, पर्वोसा से रु० 1500.00 का सीमेंट व रु० 2100.00 का बजरफुट कुल रु० 3600.00 की सामग्री क्रय की गई थी किन्तु जी०एस०टी० क्रमशः रु० 420.00 व रु० 105.00 कुल रु० 525.00 नहीं काटा गया था। कुल टीडीएस धनराशि रु० 1569.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। राजस्व की हुई क्षति प्रतिपूर्ति सम्बन्धित फर्म अथवा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय से करके कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-02(4))

(5) आलोच्य अवधि में दर्शित कार्य कार्यालय की पुताई एवं छत की मरम्मत कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि सीमेन्ट व पेंट क्रय से पूर्व कोटेशन नहीं लिए गए थे। मै० सिंह सीमेन्ट स्टोर पर्वोसा के टैक्स इन्वाइस रु० 6450.00 जिस पर दिनांक व नम्बर नहीं छपा है, से जी०एस०टी० सीमेन्ट क्रय रु० 3300.00 पर रु० 924.00 तथा बजरफुट क्रय रु० 3150.00 पर रु० 157.00 कुल रु० 1081.00 चार्ज नहीं किया गया था। कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार सामग्री क्रय रु० 71945.00 की दिखाई है। जबकि पेन्ट रु० 65495.00 का सीमेन्ट तथा बजरफुट रु० 6321.00 का कुल रु० 71816.00 का क्रय किया गया था। इस प्रकार अन्तर रु० 129.00 से व्यय अधिक दिखाया है। कार्यपूति प्रमाणपत्र में सही स्थिति न दिखाने के लिए प्रमाणपत्र निर्गतकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। मै० लकी पेन्ट्स एण्ड हार्डवेयर स्टोर अमरोहा से इन्वाइस द्वारा पेन्ट रु० 51167.80 का क्रय किया गया था। टी०डी०एस० रु० 1023.00 नहीं काटा गया था। कुल धनराशि रु० 2104.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। राजस्व की हुई क्षति प्रतिपूर्ति सम्बन्धित फर्म अथवा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय से करके कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-02(5))

(6) आलोच्य अवधि में दर्शित कार्य प्रमुख कक्ष व कार्यालय में शौचालय में टंकी फिटिंग से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि टंकी व सीमेंट आदि क्रय से पूर्व कोटेशन नहीं लिए गए थे। मै० मुजम्मिल हुसैन से टंकी व उससे सम्बन्धित सामान के कुल तीन टैक्स इन्वाइस रु० 37137.64 पर टी०डी०एस० रु० 743.00 नहीं काटा गया था। जिससे राजस्व की क्षति हुई है। मै० सिंह सीमेंट स्टोर पर्वोसा के टैक्स इन्वाइस द्वारा रु० 1200.00 का सीमेन्ट जिस पर जी०एस०टी० रु० 336.00 लोहा रु० 3920.00 का जिस पर रु० 706.00 तथा बजरफुट, ईट व गिट रु० 2800.00 का जिस पर रु० 140.00 कुल रु० 1182.00 जी०एस०टी० नही चार्ज किया गया था। जिससे राजस्व की हानि हुई है। उपलब्ध प्रमाणकों के अनुसार सामग्री कुल क्रय रु० 89606.00 की दिखाई है। जबकि कार्यपूति प्रमाणपत्र में रु० 89764.00 की अर्थात् अन्तर रु० 158.00 से व्यय अधिक दिखाया है। कार्यपूति प्रमाणपत्र में सही स्थिति न दिखाने के लिए प्रमाणपत्र निर्गतकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। कुल धनराशि रु० 1925.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। राजस्व की हुई क्षति प्रतिपूर्ति सम्बन्धित फर्म अथवा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय से करके कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-02(6))

(7) आलोच्य अवधि में दर्शित कार्य पशु चिकित्सालय की रंगाई-पुताई व दरवाजे की मरम्मत कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि मै० सिंह सीमेंट स्टोर पर्वोसा के इन्वाइस द्वारा सीमेंट रु० 1500.00 का व बजरफुट रु० 2100.00 का क्रय किया गया था जिस पर जी०एस०टी० क्रमशः रु० 420.00 व रु० 105.00 कुल रु० 525.00 चार्ज नहीं किया गया था। जिससे राजस्व की क्षति हुई है। मै० लकी पेन्ट्स एण्ड हार्डवेयर स्टोर अमरोहा से इन्वाइस द्वारा पेन्ट रु० 55176.00 का क्रय किया गया था। 2 प्रतिशत की दर से टी०डी०एस० रु० 1104.00 नहीं काटा गया था। मजदूरी नकद मजदूरों को भुगतान न करके कार्य प्रभारी को की गई थी। कार्यपूति प्रमाण पत्र के अनुसार सामग्री कुल क्रय रु० 74725.00 की दिखाई है। जबकि प्रमाणकों में रु० 74153.00 की अर्थात् अन्तर रु० 572.00 से व्यय अधिक दिखाया है। कार्यपूति प्रमाणपत्र में सही स्थिति न दिखाने के लिए प्रमाणपत्र निर्गतकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। कुल धनराशि रु० 1629.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। राजस्व की हुई क्षति प्रतिपूर्ति सम्बन्धित फर्म अथवा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय से करके कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-02(7))

(8) आलोच्य अवधि में दर्शित कार्य ब्लाक पर्वोसा में भवन नं०-1 की मरम्मत व रंग रोगन कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि कार्य योजना में कार्य प्रस्तावित नहीं है। सीमेंट व पेन्ट क्रय से पूर्व कोटेशनस नहीं लिए गए थे। मै० जे०ई० एन्टरप्राइजेज मुरादाबाद के इन्वाइस नं० 88 दिनांक 24.05.2018 द्वारा रू० 35733.76 का रंग-रोगन क्रय किया गया था जिस पर रू० आयकर काटकर रू० 34997.64 का भुगतान किया गया था। इन्वाइन में रू० 3908.38 जी०एस०टी० चार्ज किया दिखाया है किन्तु में कोषागार में जमा का प्रमाण नहीं पाया गया। टी०डी०एस० व जी०एस०टी० कोषागार में जमा का प्रमाण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। मै० सिंह सीमेंट स्टोर पर्वोसा के इन्वाइस नं० 15 दिनांक 05.09.2018 द्वारा रू० 12561.65 का सीमेंट, कोर सेन्ड व आयरन का क्रय किया गया था जिस पर आयकर रू० 258.76 काटा गया था। जिस पर जी०एस०टी० कुल रू० 2229.00 चार्ज नहीं किया गया था। धनराशि रू० 2229.00 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी है। टी०डी०एस० की कोषागार में जमा का प्रमाण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है तथा जी०एस०टी० फर्म अथवा खण्ड विकास अधिकारी से वसूल कर नियमानुसार कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। इन्वाइस मै० जे०ई० एन्टरप्राइजेज का है जबकि नोटशीट में मैसर्स रस्तौगी पेन्ट्स को भुगतान किया गया था। दोनो प्रमाणक वर्ष 2018-19 में क्रय सामग्री के हैं जबकि मस्टर रोल दिनांक से 11.03.2018 से 16.03.2018 तक कराए कार्य का रू० 11050.00 का है जिस पर श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा, कार्य प्रभारी/जे०ई० के हस्ताक्षर हैं अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। किन्तु मजदूरी का भुगतान श्री त्रिलोक चन्द्र के स्थानान्तरण के कारण दूसरे नियुक्त कार्य प्रभारी श्री रमेश चन्द्र ए०डी०ओ०(पी) को किया गया था। कार्यपूति प्रमाण-पत्र में कार्य पर श्री त्रिलोक चन्द्र, जे०ई० व प्रमुख श्रीमति भूरी के हस्ताक्षर हैं। ख०वि०अ० के हस्ताक्षर नहीं हैं। नोटशीट जो श्री मुल्की सिंह, सहायक लेखाकार व श्री राजेश कुमार उपाध्याय, ख०वि०अ० द्वारा हस्ताक्षरित है, के अनुसार मै० सिंह सीमेंट स्टोर रू० 12302.00 मै० रस्तौगी पेन्ट्स रू० 34997.00 श्री रमेश चन्द्र रू० 11050.00 को चैक निर्गत किया गया था। इस प्रकार कुल भुगतान रू० 58349.00 का किया गया था। बिना सामग्री के भवन मरम्मत व रंग-रोगन कार्य श्रमिकों द्वारा कर दिया जाना सम्भव नहीं है। उक्त तथ्यों से सिद्ध है कि कुल धनराशि 58349.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री मुल्की सिंह, व ए०डी०ओ०(पी)/कार्यप्रभारी श्री रमेश चन्द्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-02(8))

(9) आलोच्य अवधि में दर्शित कार्य ब्लाक पर्वोसा में भवन नं०-2 की मरम्मत व रंग रोगन कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि कार्य योजना में कार्य प्रस्तावित नहीं है। कार्य से पूर्व कोटेशनस नहीं लिए गए थे। कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार मै० रस्तौगी पेन्ट, मुरादाबाद के इन्वाइस नं० 314 दिनांक 24.05.2018 द्वारा रू० 35733.76 का पेन्ट क्रय व मै० सिंह सीमेंट स्टोर के इन्वाइस नं० 16 दिनांक 05.09.2018 द्वारा 12561.65 का सीमेंट, सैन्ड व आयरन क्रय कार्य समाप्ति के बाद किया गया है। मस्टररोल 7 श्रमिकों का रू० 11050.00 का है जिसमें लगे निशानी अंगूठों में समानता है। मस्टररोल पर कार्यप्रभारी श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा, जे०ई० के ही हस्ताक्षर हैं। अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। जबकि भुगतान मजदूरों को न करके अगले वर्ष श्री रमेश चन्द्र, ए०डी०ओ०(पी) को किया गया था। मै० रस्तौगी पेन्ट्स एण्ड वारनिश स्टोर, मुरादाबाद के इन्वाइस नं० 314 दिनांक 24.05.2018 द्वारा रू० 35733.76 का रंग-रोगन क्रय किया गया था जिस पर रू० आयकर काटकर रू० 34997.64 का भुगतान किया गया था। इन्वाइन में रू० 7816.76 जी०एस०टी० चार्ज किया दिखाया है किन्तु में कोषागार में जमा का प्रमाण नहीं पाया गया। टी०डी०एस० व जी०एस०टी० कोषागार में जमा का प्रमाण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। मै० सिंह सीमेंट स्टोर पर्वोसा के इन्वाइस द्वारा रू० 12561.65, रू० 1958.40 का सीमेंट, रू० 1748.25 का कोर सेन्ड व रू० 8855.00 आयरन का क्रय किया गया था। जिस पर जी०एस०टी० कुल रू० 2229.00 चार्ज नहीं किया गया था। धनराशि रू० 2229.00 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी है। टी०डी०एस० की कोषागार में जमा का प्रमाण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है तथा जी०एस०टी० फर्म अथवा खण्ड विकास अधिकारी से वसूल कर नियमानुसार कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि फर्जी कार्य सम्पादित दिखाकर कुल धनराशि 58349.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री मुल्की सिंह, व ए०डी०ओ०(पी)/ कार्यप्रभारी श्री रमेश चन्द्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-02(9))

(10) आलोच्य अवधि में दर्शित कार्य ब्लाक पवॉसा में भवन नं०-3 की मरम्मत व रंग रोगन कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि कार्य योजना में कार्य प्रस्तावित नहीं है। कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार मै० रस्तौगी पेन्ट, मुरादाबाद के इन्वाइस नं० 323 दिनांक 25.05.2018 द्वारा रू० 35733.76 का पेन्ट क्रय व मै० सिंह सीमेंट स्टोर के इन्वाइस नं० 14 दिनांक 05.09.2018 द्वारा 12561.65 का सीमेंट, सैन्ड व आयरन क्रय कार्य समाप्ति के बाद किया गया है। जिस पर जी०एस०टी० कुल रू० 2228.00 चार्ज नहीं किया गया था। धनराशि रू० 2228.00 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी है। टी०डी०एस० की कोषागार में जमा का प्रमाण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है तथा जी०एस०टी० फर्म अथवा खण्ड विकास अधिकारी से वसूल कर नियमानुसार कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। कार्य समाप्ति के बाद अगले वर्ष मै० सिंह सीमेंट स्टोर रू० 12302.00 मै० रस्तौगी पेन्ट्स रू० 34997.00 श्री रमेश चन्द्र रू० 11050.00 को चैक निर्गत किया गया था। इस प्रकार कुल भुगतान रू० 58349.00 का किया गया था। कार्य समाप्ति के लगभग 6 माह बाद भुगतान किया जाना संदिग्ध रहा। जबकि मस्टररोल के अनुसार भुगतान श्रमिकों को पहले ही किया जा चुका दिखाया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि फर्जी कार्य सम्पादित दिखाकर कुल धनराशि 58349.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री मुल्की सिंह, व ए०डी०ओ०(पी)/ कार्यप्रभारी श्री रमेश चन्द्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-02(10))

(11) आलोच्य अवधि में दर्शित कार्य ब्लाक पवॉसा में भवन नं०-4 की मरम्मत व रंग रोगन कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि कार्य योजना में कार्य प्रस्तावित नहीं है। कार्य से पूर्व कोटेशनस नहीं लिए गए थे। कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार मै० रस्तौगी पेन्ट, मुरादाबाद के इन्वाइस नं० 332 दिनांक 26.05.2018 द्वारा रू० 35733.76 का पेन्ट क्रय व मै० सिंह सीमेंट स्टोर के इन्वाइस नं० 17 दिनांक 05.09.2018 द्वारा 12561.65 का सीमेंट, सैन्ड व आयरन क्रय कार्य समाप्ति के बाद किया गया है। नोटशीट में श्री मुल्की सिंह, सहायक लेखाकार द्वारा अगले वर्ष दि० 10.09.2018 को चेक सं० 23779 द्वारा रू० 12302.00 का मै० सिंह सीमेंट स्टोर को रू० 34997.00 का मै० रस्तौगी को व रू० 11050.00 का श्री रमेश चन्द्र ए०डी०ओ०(पी) कार्यप्रभारी को निर्गत किया जाना लिखा है जिस पर श्री राजेश उपाध्याय, ख०वि०अ० के हस्ताक्षर भी हैं। मै० सिंह सीमेंट स्टोर के इन्वाइस नं० 17 दिनांक 05.09.2018 द्वारा 12561.65 का सीमेंट, सैन्ड व आयरन क्रय कार्य समाप्ति के बाद किया गया है। जिस पर जी०एस०टी० कुल रू० 2228.00 चार्ज नहीं किया गया था। धनराशि रू० 2228.00 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी है। टी०डी०एस० व जी०एस०टी० कोषागार में जमा का प्रमाण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि फर्जी कार्य सम्पादित दिखाकर कुल धनराशि 58349.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री मुल्की सिंह, व ए०डी०ओ०(पी)/ कार्यप्रभारी श्री रमेश चन्द्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-02(11))

(12) आलोच्य अवधि में दर्शित प्रमुख कक्ष की रंगाई-पुताई व दरवाजे की मरम्मत कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशनस नहीं लिए गए थे। पेन्ट निकटवर्ती सम्भल नगर से न क्रय करके दूर अमरोहा नगर से मनमानी दरों पर क्रय किया दिखाया है। मै० सिंह सीमेंट स्टोर के इन्वाइस नं० व दिनांक शून्य द्वारा रू० 10830.00 मध्य सीमेंट रू० 5100.00 व बजरफुट रू० 3780.00 व दरवाजा क्रय रू० 1950.00 पर क्रमशः रू० 1428.00 रू० 189.00 व रू० 351.00 कुल रू० 1968.00 जी०एस०टी० नहीं चार्ज किया गया था। मै० लकी पेन्ट एण्ड हार्डवेयर स्टोर अमरोहा के पेन्ट खरीद खर्च रू० 44324.00 पर टी०डी०एस० रू० 886.00 नहीं काटा गया। उक्त धनराशि रू० 1968.00 एवं रू० 886.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित फर्म अथवा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय से ब्याज सहित वसूली कर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-02(12))

(13) आलोच्य अवधि में दर्शित ग्राम पैतिया में होली चौक की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि एस्टीमेट में जी०एस०टी० 18 प्रतिशत, सैस 1 प्रतिशत का प्रावधान था किन्तु भुगतान की गई राशि से काटा नहीं गया। एक फोटो कार्य प्रारम्भ होने से पहले का दीवार का है कार्य किए जाने के समय व कार्य पूरा होने के बाद का कोई फोटो नहीं है। मै० सिंह सीमेंट स्टोर के इन्वाइस नं० शून्य दि० 28.02.2018 द्वारा रू० 4243.20 का सीमेंट तथा रू० 2126.25 का रेत क्रय किया गया है। उक्त पर क्रमशः रू० 1188.00 व रू० 106.00 कुल रू० 1294.00 जी०एस०टी० नहीं काटा

गया था। पहला कोटेशन ईट मै0 सिंह ब्रिक वर्क्स पवॉसा, दूसरे सॉई ब्रिक्स वर्क्स पवॉसा व तीसरा अपर इण्डिया ब्रिक्स वर्क्स घुरैटा के हैं। तीनों कोटेशन्स फोटो कॉपी हैं। तीनों कोटेशन्स पर मूल हस्ताक्षर न होकर के छायाप्रति ही है। मस्टररोल पर सुनील नामक मिस्त्री के हस्ताक्षर हैं किसी श्रमिक के हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा नहीं हैं। जबकि 9 लोगों को भुगतान रू0 20450.00 दिखाया है जिसमें से रू0 3200.00 सुनील मिस्त्री को भुगतान किया दर्शित है। शेष रू0 17250.00 का स्पष्टतः अपहरण किया गया है। भुगतान मजदूरों के साथ-साथ सीधे मिस्त्री को न करके कार्य प्रभारी/जे0ई0 को किया गया था। कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर होना दिखाया है। चाहरदीवारी बनाए जाने हेतु गाँव वालों की माँग नहीं थी, ऐसा कोई माँग-पत्र पत्रावली में नहीं पाया गया। कार्य योजना में यह कार्य स्वीकृत होने का सन्दर्भ भी नहीं पाया गया। उक्त तथ्यों से कार्य का काल्पनिक होना प्रकट होता है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री संजीव शर्मा व कार्यप्रभारी/जे0ई0 श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा उत्तरदायी हैं। दर्शित व्यय रू0 97351.00 की उनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02(13))

(14) आलोच्य अवधि में दर्शित ग्राम करछली में जूनियर हाईस्कूल से सी0सी0 मार्ग तक खडण्जा निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि यह कार्य कार्ययोजना में नहीं है। एस्टीमेट में सैस 1 प्रतिशत का प्रावधान था किन्तु भुगतान की गई राशि से रू0 995.00 काटा नहीं गया। एक फोटो कार्य प्रारम्भ होने से पहले का है कार्य किए जाने के समय व कार्य पूरा होने के बाद का कोई फोटो नहीं हैं। पहला कोटेशन ईट मै0 सिंह ब्रिक वर्क्स पवॉसा, दूसरे सॉई ब्रिक्स वर्क्स पवॉसा व तीसरा अपर इण्डिया ब्रिक्स वर्क्स घुरैटा के हैं। तीनों कोटेशन्स फोटो कॉपी हैं। तीनों कोटेशन्स पर मूल हस्ताक्षर न होकर के छायाप्रति ही है। मस्टररोल पर 8 निशानी अंगूठे व हस्ताक्षर गोलू नामक मिस्त्री के हैं सभी निशानी अंगूठा एक समान हैं। मस्टररोल पर केवल श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा कार्यप्रभारी/जे0ई0 के हस्ताक्षर हैं अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त तथ्यों से कार्य का काल्पनिक होना प्रकट होता है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री संजीव शर्मा व कार्यप्रभारी/जे0ई0 श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा उत्तरदायी हैं। उनसे भुगतान की गयी धनराशि रू0 98312.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02(14))

(15) आलोच्य अवधि में दर्शित ग्राम करछली में बल्लू हरिजन के मकान से प्राथमिक विद्यालय करदली तक खडण्जा निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि यह कार्य कार्ययोजना में नहीं है। एस्टीमेट में सैस 1 प्रतिशत का प्रावधान था किन्तु भुगतान की गई राशि से काटा नहीं गया। केवल एक फोटो कार्य प्रारम्भ होने से पहले का है कार्य किए जाने के समय व कार्य पूरा होने के बाद का कोई फोटो नहीं हैं। पहला कोटेशन ईट मै0 सिंह ब्रिक वर्क्स पवॉसा, दूसरे सॉई ब्रिक्स वर्क्स पवॉसा व तीसरा अपर इण्डिया ब्रिक्स वर्क्स घुरैटा के हैं। तीनों कोटेशन्स फोटो कॉपी हैं। तीनों कोटेशन्स पर मूल हस्ताक्षर न होकर के छायाप्रति ही है। मस्टररोल पर केवल श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा कार्यप्रभारी/जे0ई0 के हस्ताक्षर हैं अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न कर कार्यप्रभारी को किया गया है। कार्यपूति प्रमाण-पत्र नहीं है। उक्त तथ्यों से कार्य का काल्पनिक होना प्रकट होता है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री संजीव शर्मा व कार्यप्रभारी/जे0ई0 श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा उत्तरदायी हैं। उनसे भुगतान की गयी धनराशि रू0 97662.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02(15))

(16) आलोच्य अवधि में दर्शित ग्राम करछली में गिरधारी के मकान से हरिजन बस्ती तक खडण्जा निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि यह कार्य कार्ययोजना में नहीं है। केवल एक फोटो कार्य प्रारम्भ होने से पहले का है कार्य किए जाने के समय व कार्य पूरा होने के बाद का कोई फोटो नहीं हैं। ईट क्रय के कोटेशन लेटरपैड पर हैं जो फोटो स्टेट किए हुए हैं। उस पर हस्ताक्षर भी फोटो कॉपी ही है तथा एक समान हस्तलिपि में तैयार किए गए हैं। कार्यपूति प्रमाण-पत्र नहीं है। उक्त तथ्यों से कार्य का काल्पनिक होना प्रकट होता है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री संजीव शर्मा व कार्यप्रभारी/जे0ई0 श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा उत्तरदायी हैं। उनसे भुगतान की गयी धनराशि रू0 99400.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02(16))

(17) आलोच्य अवधि में दर्शित ग्राम करछली में सौराज के मकान से रामगोपाल के मकान तक खडण्जा निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि यह कार्य कार्ययोजना में नहीं है। शासन के निर्देशों के विपरीत निर्माण कार्य ग्राम के अन्दर कराया गया दिखाया है। केवल एक फोटो कार्य

प्रारम्भ होने से पहले का है कार्य किए जाने के समय व कार्य पूरा होने के बाद का कोई फोटो नहीं है। ईट क्रय के कोटेशन लेटरपैड पर हैं जो फोटो स्टेट किए हुए हैं। उस पर हस्ताक्षर भी फोटो कॉपी ही है तथा एक समान हस्तलिपि में तैयार किए गए हैं। मस्टररोल पर लगे निशानी अंगूठा में समानता है। मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों को चेक द्वारा न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। कार्यपूति प्रमाण—पत्र नहीं है। धनराशि रू0 98312.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। उक्त तथ्यों से दर्शित कार्य संदिग्ध है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री संजीव शर्मा व कार्यप्रभारी/जे0ई0 श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02(17))

(18) आलोच्य अवधि में दर्शित ग्राम रुदायन में सालिग के खेत से नई बस्ती विद्यालय खडण्जा निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि यह कार्य कार्ययोजना में नहीं है। केवल एक फोटो कार्य प्रारम्भ होने से पहले का है कार्य किए जाने के समय व कार्य पूरा होने के बाद का कोई फोटो नहीं है। ईट क्रय के कोटेशन फोटो कॉपी हैं जो एक समान हस्तलिपि में तैयार किए गए हैं। कार्यपूति प्रमाण—पत्र पर कार्य प्रारम्भ व समाप्ति तिथि नहीं लिखी है। मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों को बैंक के माध्यम से न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। धनराशि रू0 99981.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। उक्त तथ्यों से दर्शित कार्य संदिग्ध है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री संजीव शर्मा व कार्यप्रभारी/जे0ई0 श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02(18))

(19) आलोच्य अवधि में दर्शित ग्राम रुदायन में गजय सिंह के खेत से नई बस्ती तालाब तक नाला निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि यह कार्य कार्ययोजना में नहीं है। केवल एक फोटो कार्य प्रारम्भ होने से पहले का है कार्य किए जाने के समय व कार्य पूरा होने के बाद का कोई फोटो नहीं है। ईट क्रय के कोटेशन फोटो कॉपी हैं जो एक समान हस्तलिपि में तैयार किए गए हैं। मै0 सिंह सीमेंट स्टोर के इन्वाइस नं0 शून्य दि0 10.01.2018 द्वारा रू0 15667.20 का सीमेंट, रू0 1496.25 का फाइन सैन्ड व रू0 9712.50 का कोर सैन्ड क्रय किया गया है। उक्त पर क्रमशः रू0 4387.00 फाइन व कोर सैन्ड पर रू0 560.00 कुल रू0 4947.00 जी0एस0टी0 नहीं काटा गया था। जिससे राजस्व की हानि हुई है। इस राशि को वसूल कर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। कार्यपूति प्रमाण—पत्र पर कार्य प्रारम्भ व समाप्ति तिथि नहीं लिखी है। धनराशि रू0 98032.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। उक्त तथ्यों से दर्शित कार्य संदिग्ध है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री संजीव शर्मा व कार्यप्रभारी/जे0ई0 श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02(19))

(20) आलोच्य अवधि में दर्शित ग्राम धतरा में होली चौक से खडण्जा बिछाने के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि यह कार्य कार्ययोजना में नहीं है। केवल एक फोटो कार्य प्रारम्भ होने से पहले का है कार्य किए जाने के समय व कार्य पूरा होने के बाद का कोई फोटो नहीं है। ईट क्रय के कोटेशन फोटो कॉपी हैं जो एक समान हस्तलिपि में तैयार किए गए हैं। शासन के निर्देशों के विपरीत निर्माण कार्य ग्राम के अन्दर कराया गया दिखाया है। मै0 सिंह सीमेंट स्टोर के इन्वाइस नं0 शून्य दि0 10.01.2018 द्वारा रू0 3323.40 का सीमेंट, रू0 1558.40 का फाइन सैन्ड, रू0 393.75 व रू0 971.25 का कोर सैन्ड क्रय किया गया है। उक्त पर क्रमशः रू0 548.00 व फाइन व कोर सैन्ड पर रू0 68.00 कुल रू0 616.00 जी0एस0टी0 नहीं काटा गया था। जिससे राजस्व की हानि हुई है। इस राशि को वसूल कर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। ट्रैक्टर किराए का भुगतान नकद अन्य श्रमिकों के साथ ही कार्य प्रभारी को दिया गया था। सभी श्रमिकों को सीधे चेक द्वारा भुगतान न किया जाना भुगतान का संदेहात्मक होना प्रकट करता है। धनराशि रू0 72311.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। उक्त तथ्यों से दर्शित कार्य संदिग्ध है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री संजीव शर्मा व कार्यप्रभारी/जे0ई0 श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02(20))

(21) आलोच्य अवधि में दर्शित ग्राम पैतिया में नन्नु के मकान से नत्थू के मकान तक खडण्जा मरम्मत कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि यह कार्य कार्ययोजना में नहीं है। केवल एक फोटो कार्य प्रारम्भ होने से पहले का है कार्य किए जाने के समय व कार्य पूरा होने के बाद का कोई फोटो नहीं है। ईट क्रय के कोटेशन फोटो कॉपी हैं जो एक समान हस्तलिपि में तैयार किए गए हैं। मस्टररोल रू0

9200.00 का 5 श्रमिकों का है। जिसमें अशोक पुत्र गंगाराम को ट्रैक्टर-ट्राली के साथ मजदूरी रु0 5200.00 चार दिन की दी गई थी। भुगतान चेक द्वारा किया जाना चाहिए था। अन्य श्रमिकों के साथ ही कार्य प्रभारी को ट्रैक्टर का किराया दिया गया था। मस्टररोल पर लगे निशानी अंगूठों में समानता है। मै0 सिंह सीमेंट स्टोर के इन्वाइस नं0 शून्य दि0 10.01.2018 द्वारा रु0 4243.20 का सीमेंट, रु0 393.75 का फाइन सैन्ड व रु0 2428.13 का कोर सैन्ड तथा रु0 1042.50 का स्टोन ग्रेट क्रय किया गया है। उक्त पर क्रमशः रु0 1188.00 फाइन व कोर सैन्ड पर रु0 141.00 तथा स्टोन ग्रेट पर रु0 52.00 कुल रु0 1381.00 जी0एस0टी0 नहीं काटा गया था। जिससे राजस्व की हानि हुई है। इस राशि को वसूल कर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। कार्यपूति प्रमाण-पत्र पर कार्य प्रारम्भ व समाप्ति तिथि नहीं लिखी है। धनराशि रु0 94787.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। उक्त तथ्यों से दर्शित कार्य संदिग्ध है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री संजीव शर्मा व कार्यप्रभारी/जे0ई0 श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02(21))

(22) आलोच्य अवधि में दर्शित ग्राम धतरा में वासुदेव के मकान से हीरामल तक रु टाइप नाली व खड्गजा कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि यह कार्य कार्ययोजना में नहीं है। केवल एक फोटो कार्य प्रारम्भ होने से पहले का है कार्य किए जाने के समय व कार्य पूरा होने के बाद का कोई फोटो नहीं हैं। तीनों रेट कोटेशन जिसमें मै0 शिव ब्रिक वर्क्स पवॉसा, मै0 सॉई ब्रिक वर्क्स पवॉसा तथा अपर इण्डिया ब्रिक वर्क्स के मूल लेटर पैड पर हैं किन्तु तीनों ही कोटेशन एक ही हस्तलिपि में है। शासन के निर्देशों के विपरीत निर्माण कार्य ग्राम के अन्दर कराया गया दिखाया है। कार्य स्थल का मेप प्लान नहीं है। मस्टररोल रु0 9200.00 का 5 श्रमिकों का है। जिसमें नरेश पुत्र किशोरी को ट्रैक्टर-ट्राली के साथ मजदूरी रु0 5200.00 चार दिन की दी गई थी। भुगतान चेक द्वारा किया जाना चाहिए था। अन्य श्रमिकों के साथ ही कार्य प्रभारी को ट्रैक्टर का किराया दिया गया था। मस्टररोल पर लगे निशानी अंगूठों में समानता है। मै0 सिंह सीमेंट स्टोर के इन्वाइस नं0 शून्य दि0 10.01.2018 द्वारा रु0 3264.00 का सीमेंट, रु0 630.00 का फाइन सैन्ड व रु0 1554.00 का कोर सैन्ड क्रय किया गया है। उक्त पर क्रमशः रु0 914.00 फाइन व कोर सैन्ड पर रु0 109.00 कुल रु0 1023.00 जी0एस0टी0 नहीं काटा गया था। जिससे राजस्व की हानि हुई है। इस राशि को वसूल कर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। कार्यपूति प्रमाण-पत्र में सामग्री क्रय रु0 76139.00 की लिखी है। जबकि सहायक लेखाकार द्वारा ख0वि0अ0 को सम्बोधित नोट शीट में रु0 72167.00 के चेक द्वारा विक्रेताओं को भुगतान हुआ है। धनराशि रु0 95767.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। उक्त तथ्यों से दर्शित कार्य संदिग्ध है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री संजीव शर्मा व कार्यप्रभारी/जे0ई0 श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02(22))

(23) आलोच्य अवधि में दर्शित ग्राम धतरा में धूम सिंह के मकान से भगवान सिंह के मकान तक रु टाइप नाली व खड्गजा कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि यह कार्य कार्ययोजना में नहीं है। केवल एक फोटो कार्य प्रारम्भ होने से पहले का है कार्य किए जाने के समय व कार्य पूरा होने के बाद का कोई फोटो नहीं हैं। तीनों रेट कोटेशन समान एक ही हस्तलिपि में है छाया प्रतियाँ हैं। शासन के निर्देशों के विपरीत निर्माण कार्य ग्राम के अन्दर कराया गया दिखाया है। कार्य स्थल का मेप प्लान नहीं है। मै0 सिंह सीमेंट स्टोर के इन्वाइस नं0 शून्य दि0 10.01.2018 द्वारा रु0 3264.00 का सीमेंट, रु0 787.50 का फाइन सैन्ड व रु0 1942.50 का कोर सैन्ड क्रय किया गया है। उक्त पर क्रमशः रु0 914.00 फाइन व कोर सैन्ड पर रु0 136.00 कुल रु0 1050.00 जी0एस0टी0 नहीं काटा गया था। जिससे राजस्व की हानि हुई है। इस राशि को वसूल कर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। कार्यपूति प्रमाण-पत्र पर कार्य पूर्ण होने की तिथि नहीं लिखी है। धनराशि रु0 99956.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी हैं। उक्त तथ्यों से दर्शित कार्य संदिग्ध है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री संजीव शर्मा व कार्यप्रभारी/जे0ई0 श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02(23))

(24) आलोच्य अवधि में दर्शित ग्राम करछली में जूनियर हाई स्कूल की चाहरदीवारी निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि यह कार्य कार्ययोजना में नहीं है। केवल एक फोटो कार्य प्रारम्भ होने से पहले का है कार्य किए जाने के समय व कार्य पूरा होने के बाद का कोई फोटो नहीं हैं। तीनों रेट कोटेशन समान हस्तलिपि में है तथा छाया प्रतियाँ हैं। शासन के निर्देशों के विपरीत निर्माण

कार्य ग्राम के अन्दर कराया गया दिखाया है। कार्य स्थल का मेप प्लान नहीं है। मस्टररोल 9 श्रमिकों का है, जिसमें एक मुकेश नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। शेष 8 श्रमिकों के निशानी अंगूठा अथवा हस्ताक्षर मस्टररोल पर नहीं हैं। मै0 सिंह सीमेंट स्टोर के इन्वाइस नं0 शून्य दि0 28.02.2018 द्वारा रू0 10178.40 का सीमेंट, रू0 4366.00 का दरवाजा व रू0 5118.75 का फाइन सैन्ड कुल रू0 19603.15 की सामग्री क्रय की गई थी उक्त पर क्रमशः रू0 2833.00 फाइन व कोर सैन्ड पर रू0 256.00 तथा दरवाजा पर रू0 786.00 कुल रू0 3875.00 जी0एस0टी0 नहीं काटा गया था। जिससे राजस्व की हानि हुई है। इस राशि को वसूल कर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। मै0 शिव शक्ति वर्क्स पर्वोसा के इन्वाइस नं0 शून्य दिनांक 03.01.2018 में जूनियर हाईस्कूल चाहरदीवारी निर्माण कार्य के लिए मंगाई ईट के स्थान पर विद्यालय के खड़ण्जा बनाए जाने हेतु मंगाई ईट का इन्वाइस लगा है। श्रमांश का भुगतान भी श्रमिकों को बैंक के माध्यम से नहीं किया। जबकि विभिन्न योजनाओं का लाभ बैंक के माध्यम से ही मिलता है अपितु भुगतान कार्य प्रभारी/जे0ई0 को किया गया। ट्रेक्टर का नं0 व उसके स्वामी सोमेन्द्र का पता भी नहीं लिखा है। धनराशि रू0 79182.00 का अपहरण किया गया है। उक्त तथ्यों से दर्शित कार्य संदिग्ध है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री संजीव शर्मा व कार्यप्रभारी/जे0ई0 श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा उत्तरदायी हैं। अपहरण धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02(24))

2(ब) आलोच्य अवधि में निर्माण सामग्री के रेट कोटेशन समान हस्तलिपि में है तथा छाया प्रतियाँ हैं, जिनके कम्प्रेटिव चाट भी एक से ही हैं और वे भी छायाप्रतियाँ हैं। मै0 सिंह सीमेंट स्टोर पर्वोसा से ही वर्ष पर्यन्त निर्माण सामग्री क्रय दिखाई है जिसके इन्वाइस से जी0एस0टी0 चार्ज नहीं किया गया था। अधिकांश इन्वाइस पर नम्बर नहीं लिखा है। क्रय निर्माण सामग्री का स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा गया है। दिखाए कार्य प्रस्तावित कार्ययोजना में नहीं है। केवल एक फोटो कार्य प्रारम्भ होने से पहले का है कार्य किए जाने के समय व कार्य पूरा होने के बाद का कोई फोटो नहीं हैं। शासन के निर्देशों के विपरीत निर्माण कार्य ग्राम के अन्दर कराया गया दिखाया है। कार्य स्थल का मेप प्लान नहीं है। क्षेत्र पंचायत में कराए जाने वाले कार्य के प्राक्कलन का अनुमोदन एवं कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त कार्य कराए जाने थे किन्तु ऐसा नहीं किया गया। दौरान साल कराए गए अधिकातर कार्य टुकड़ों-टुकड़ों में कराए गए हैं। जिससे अपेक्षित औपचारिकताओं से बचा जा सके। उक्त सभी अनियमितताओं को दृष्टिगत करते हुए दौरान साल राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि का दिखाया गया व्यय संदेहात्मक है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सहायक लेखाकार श्री संजीव शर्मा व कार्यप्रभारी/जे0ई0 श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02(ब))

प्रस्तर-91 आलोच्य अवधि में निर्माण सामग्री एक ही विक्रेता फर्म मै0 सिंह स्टोर पर्वोसा से क्रय की गई थी। निर्माण सामग्री क्रय हेतु रेट कोटेशनस प्रायः एक ही हस्तलिपि में हैं तथा फोटोस्टेट कॉपी हैं जिनका कम्प्रेटिव चार्ट भी फोटोकॉपी है। फर्म द्वारा अपने किसी भी इन्वाइस में जी0एस0टी0 चार्ज नहीं किया गया है। वर्ष 2017-18 में रू0 32510.00 मै0 सिंह स्टोर पर्वोसा द्वारा आपूर्ति की गई दिखाई निर्माण सामग्री मूल्य पर जी0एस0टी0 न चार्ज करके सरकार को राजस्व की हानि पहुँचाई गई है। कुल धनराशि रू0 32510.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। इस प्रति उत्तरदायी व्यक्ति सम्बन्धि फर्म तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय उत्तरदायी हैं। राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति करके नियमानुसार ब्याज सहित कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-03)

प्रस्तर-92 वर्ष 2017-18 में रू0 139381.00 जी0एस0टी0 विक्रेता द्वारा चार्ज किया गया था जो उनके द्वारा कोषागार में जमा किए जाने का लेखा परीक्षा में कोई प्रमाण नहीं पाया गया। चालान आदि प्रमाण प्रस्तुत कर कोषागार में जमा की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय उत्तरदायी हैं। कोषागार में विक्रेता द्वारा न जमा किए जाने की दशा में आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति सं0-04)

प्रस्तर-93 वर्ष 2017-18 में दर्शित कार्यों पर पेन्ट खरीद के वाउचर्स से टी0डी0एस0 नहीं काटा गया था। श्रोत पर आयकर कटौती न करके कुल धनराशि रू0 4800.00 राजस्व की हानि पहुँचाई गई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली करके कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-05)

प्रस्तर-94 आलोच्य वर्ष में कराए गए कार्यों के कुल लागत रु0 2141805.00 पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत 1 प्रतिशत से रु0 21418.00 लेवर सैस नहीं काटा गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय उत्तरदायी हैं। उनसे इस राशि को वसूल करके उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में नियमानुसार धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजा जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-06)

प्रस्तर-95 आलोच्य वर्ष में उपलब्ध कराई गई 24 निर्माण कार्य की पत्रावलियों के अनुसार टी0डी0एस0 रु0 40501.00 काटा गया था। लेखा परीक्षा में यह राशि कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि में चालान/इश्यू चेक नम्बर/बैंक स्टेटमेंट/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। कोषागार में टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। पुष्टि न होने पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय का दायित्व निर्धारित करके उनसे इस राशि की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली कर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-07)

प्रस्तर-96 वर्ष 2017-18 में उपलब्ध कराई गई पत्रावलियों में जांच में पाया गया कि विक्रेता द्वारा रु0 139381.00 जी0एस0टी0 चार्ज किया गया था। जमा की पुष्टि में संस्था स्तर पर कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। विक्रेता से साक्ष्य प्राप्त कर काटे गए जी0एस0टी0 को कोषागार में जमा किए जाने की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। पुष्टि न होने पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार उपाध्याय के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-08)

कुलयोग- 1917786.00 /-

प्रारूप-3

क्षेत्र पंचायत का नाम-भिटौरा

लेखा परीक्षा वर्ष-2017-18

जनपद-फतेहपुर

मण्डल-प्रयागराज मण्डल,

प्रस्तर-1. निम्न विवरणानुसार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुदान धनराशि बैंक खाता में जमा करने के फलस्वरूप रूपया: 222329.00 ब्याज अर्जित किया गया किन्तु उक्त अर्जित ब्याज को अनुदानदाता को वापस नहीं किया गया जबकि शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502(1)/10-2015-10(33)/2015 दिनांक 29 मार्च 2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अर्जित ब्याज वापस न करके अनियमितता की गयी जिसके लिए श्री डी0के0 सचान, श्री पुतान सिंह, श्री के0पी0 मिश्रा, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, श्री अतिरंजन सिंह, श्री रमेश चन्द्रा क्षेत्र पंचायत सचिव/खण्ड विकास अधिकारी प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहें हैं। अतएव आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त गंभीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। विवरण निम्नवत है।

बैंक विरण	वर्ष	अर्जित ब्याज
बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भिटौरा	2016-17	109228.00
खाता संख्या 13520100003376	2017-18	113101.00
योग:-		222329.00

प्रस्तर-2. आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से रूपया 6534679.00 अनुदान प्राप्त हुआ, गत वर्षों का उक्त मद में रूपया 4210825.00 अनुदान अवशेष था इस प्रकार आलोच्य वर्ष में अनुदान मद में रूपया 10745504.00 रूपया उपभोग हेतु अनुदान उपलब्ध था किन्तु आलोच्य वर्ष में मात्र रूपया 5696259.00 ही विभिन्न निर्माण कार्यों पर उपभोग किया गया तथा दिनांक 31.03.2018 को वर्षान्त रूपया 5049245.00 का उपभोग नहीं किया गया। प्राप्त अनुदानों का समय से उपभोग न किये जाने के फलस्वरूप जनता को इससे मिलने वाले लाभ में भी कमी आएगी। इस प्रकार उक्त अवशेष धनराशि का समय से उपभोग न करके अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए श्री डी0के0 सचान, श्री पुतान सिंह, श्री के0पी0 मिश्रा, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, श्री अतिरंजन सिंह, श्री रमेश चन्द्रा क्षेत्र पंचायत सचिव/खण्ड विकास अधिकारी एवं मोहम्मद फुरकान लेखाकार उत्तरदायी रहे हैं। अतएव आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त गंभीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

क्षेत्र पंचायत का नाम-अमौली

लेखा परीक्षा वर्ष-2017-18

जनपद-फतेहपुर

मण्डल-प्रयागराज मण्डल,

प्रस्तर-3. अनुदान पर अर्जित ब्याज शासन को वापस न कर की गयी अनियमितता-

आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की बैंक खातों में जमा अनुदान की धनराशि पर रुपया 113620.00 ब्याज अर्जित किया गया किन्तु उक्त अर्जित ब्याज को अनुदानदाता को वापस नहीं किया गया जबकि शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502(1)/10-2015-10 (33)/2015 दिनांक 29 मार्च 2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अर्जित ब्याज वापस कोशागार के माध्यम से राजकीय कोश में जमा किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अर्जित ब्याज वापस न करके अनियमितता की गयी जिसके लिए श्री ज्ञान सिंह परिहार, क्षेत्र पंचायत सचिव व श्री शिवम् कुमार श्रीवास्तव लेखाकार मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अतएव आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

बैंक विवरण	वर्ष	अर्जित ब्याज
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा अमौली		
खाता संख्या 3100803854	2017-18	113620.00
योग:-	113620.00	

प्रस्तर-4. शासनादेश कके विपरीत व्यय की गयी अनियमितता- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के ग्रांट से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 97/2016/2811/33-3-2016-03/2015 लखनऊ दिनांक 28 नवम्बर 2016 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि उनकी स्वयं की एवं उन्हे हस्तांतरित परि सम्पत्तियों के मरम्मत व रख-रखाव पर खर्च अवष्य किया जाना चाहिए था साथ ही साथ शेष 50 प्रतिशत का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को अच्छादित करने वाले परिसंपत्तियों के रख-रखाव एवं इसी प्रकार के पूर्व में हुए विकास कार्यो/नव सृजित निर्माण कार्यो पर व्यय किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कुल रुपया 2015697.00 धनराशि व्यय किया गया। उक्त शासनादेश के अनुसार उक्त व्यय किया जाना चाहिए था किन्तु आलोच्य वर्ष में मरम्मत/रख-रखाव पर शून्य व्यय करके उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए रुपया 1007848.50 की अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए श्री कमला देवी, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, श्री ज्ञान सिंह परिहार, क्षेत्र पंचायत सचिव उत्तरदायी रहें है। अतएव आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है-

क्र०	योजना	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	बरीपाल रोड से सामुदायिक स्वा० केंद्र तक सी०सी० रोड निर्माण	428422.00
2	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	हुसेपुर से नरैचा डामर रोड तक खडंजा निर्माण	419025.00
3	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	खजुहा अमौली रोड रोड से ऊदूपुर तक खडंजा निर्माण	419025.00
4	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	नसेनिया से डिघरुवा तक खडंजा निर्माण।	749225.00

क्षेत्र पंचायत का नाम-हसवा

जनपद-फतेहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2017-18

मण्डल-प्रयागराज मण्डल,

प्रस्तर-5. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (चल/अचल संपत्ति) नियमावली 1965 के नियम संख्या 3(1) के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत मार्गों के साथ-साथ अन्य सृजित परि संपत्तियों के विवरण को अभिलेखीकृत करने के लिए परिसंपत्ति पंजिका का रख-रखाव अपेक्षित है तथा उक्त नियमावली के नियम संख्या 4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत में निर्मित सड़कों का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु मार्ग पंजिका का रख-रखाव अपेक्षित है किन्तु आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुरक्षित व नव निर्मित कार्यो का क्षेत्र पंचायत के परिसंपत्ति पंजिका में अंकन नहीं पाए गए और न ही क्षेत्र पंचायत द्वारा अलग से कोई मार्ग पंजिका ही तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। उक्त दोनों पंजिकाओं में अंकन के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्षेत्र पंचायत द्वारा जिन मार्गों के मरम्मत/नव निर्माण व अन्य कार्य करवाया जाना दर्शाया गया है, वे पूर्व वर्षों में कब-कब मरम्मत करवाए गए थे अथवा उनका निर्माण कब कराया गया था। तथा जो निर्माण कार्य कराये गए है उनसे एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभान्वित भी नहीं हुई है इस प्रकार लेखा परीक्षा की दृष्टि से निम्न विवरणानुसार अनुरक्षित/नव निर्मित मार्गों/कार्यो पर व्यय दर्शित धनराशि रुपया 3025532.00 अनियमित रही, जिसके लिए क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष अमित लोधी व श्री डी०के० संचान, क्षेत्र पंचायत सचिव तथा श्री पुत्तन सिंह, क्षेत्र पंचायत सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहें है। अतएव उक्त तीनों के प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु किया जाना अपेक्षित है।

क्र०	योजना	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	बरसरा से फरीदपुर तक खडंजा निर्माण	933371.00

2	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	विकास खण्ड-हसवां के कार्यालय मीटिंग हाल, प्रमुख कक्ष की मरम्मत एवं रंगाई, पुताई का कार्य	251180.00
3	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	विकास खण्ड हसवा के कार्यालय मीटिंग हाल एवं पंचायत कार्यालय में फर्ष में टाइल्स तथा शौचालय निर्माण	493469.00
4	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	ग्राम पंचायत अचिंत्यपुर पिटाई में बघौला पक्की सड़क से सलेमपुर तक खडंजा निर्माण	964337.00
5	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	ग्राम पंचायत मुराव में गंगालखन तिवारी के खेत पक्की सड़क से सेमरइया सरहद तक खडंजा कार्य	3025532.00

क्षेत्र पंचायत का नाम-बहुआ

जनपद-फतेहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2017-18

मण्डल-प्रयागराज मण्डल,

प्रस्तर-6. चतुर्थ राजवित्त आयोग के अनुदान की धनराशि का कम/अधिक व्यय कर की गई अनियमितता- चतुर्थ राज वित्त आयोग के ग्रांट से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 97/2016/ 2811/ 33-3-2016 -03 /2015 लखनऊ दिनांक 28 नवम्बर 2016 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि उनकी स्वयं की एवं उन्हे हस्तांतरित सम्पत्तियों के मरम्मत व रख-रखाव पर खर्च अवश्य किया जाना चाहिए था तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले परिसम्पत्तियों के रख-रखाव एवं इसी प्रकार के पूर्व में होये विकास कार्यों/नवसृजत निर्माण कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए था। आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के ग्रांट से कुल रूपया- 6215097.00 व्यय किया गया जिसमें से रूपया 3107548.50 नये निर्माण कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए था तथा रूपया 3107548.50 मरम्मत कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए था तथा रूपया-3107548.50 मरम्मत कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए था। किन्तु मरम्मत कार्यों पर आलोच्य वर्ष में उक्त मद से रूपया शून्य व्यय किया गया। इस प्रकार मरम्मत कार्य पर रूपया शून्य व्यय किया गया। इस प्रकार मरम्मत कार्य पर रूपया 3107548.50 व्यय न करके उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया। उक्त कारणों से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित धनराशि रूपया 3107548.50 अनियमित रही जिसके लिए श्रीमती फूलमती यादव ब्लाक प्रमुख/क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष तथा श्रीमती संध्या रानी एवं सुखराज बंधू खण्ड विकास अधिकारी/क्षेत्र पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-7. बैंक खातों में जमा अनुदान की धनराशि पर प्राप्त ब्याज को राजकीय कोश में जमा न कर की गई अनियमितता-

आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुदान धनराशि बैंक खाता में जमा करने के फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार रूपया 314637.00 ब्याज अर्जित किया गया किन्तु उक्त अर्जित ब्याज को अनुदानदाता को वापस नहीं किया गया जबकि शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502(1)/10-2015-10(33)/2015 दिनांक 29 मार्च 2015 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अर्जित ब्याज वापस कोशागार के माध्यम से अनुदानदाता/षासन (राजकीय कोश) को वापस किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अर्जित ब्याज वापस न करके अनियमितता की गई जिसके लिए श्रीमती संध्या रानी एवं श्री सुखराज बंधू क्षेत्र पंचायत सचिव/खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री सूर्य प्रकाश लेखाकार प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। अतैव उक्त गम्भीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है।

बैंक विवरण	अर्जित ब्याज	दिनांक
एस0बी0आई0/ए0डी0बी0 फतेहपुर	73595.00	25.06.2017
	76869.00	25.09.2017
अकाउण्ट नम्बर-31595367175	90964.00	25.12.2017
	72060.00	25.03.2018
बडौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक खाता संख्या- 56930100008529	1149.00	11.12.2017
	योग	314637.00

क्र0स0	कार्य का विवरण	व्यय धनराशि
1	गम्हरी रोड़ से लोधन डेरा सम्पर्क मार्ग में मि0पु0 खडंजा निर्माण	893970.00
2	मोहनपुर सम्पर्क मार्ग से रामबरन के यू0के0 लिपटस के पास से भगवानपुर की ओर मिट्टी पुराई एवं खडंजा एवं पुलिया निर्माण	709213.00

3	गोपालपुर रामसेवक यादव के घर से बनरसी सरहद में सरवल मिश्रा के ट्यूबवेल तक मिट्टी पुराई खडंजा एवं पुलिया निर्माण	709213.00
4	महेन्द्र सिंह के पैलेसर वाले खडंजा से कंचन पुरवा की ओर मिट्टी पुराई खडंजा निर्माण	894845.00
5	शाह सरहद से महमदपुर कजरनपुर की ओर की ओर मिट्टी पुराई खडंजा निर्माण	633575.00
6	पहाड़पुर में जुल्फी के बाग से कजरनपुरवा की ओर मिट्टी पुराई खडंजा निर्माण	924660.00
7	सामियाना पुलिया के पास से संतों की कुटि तक मिट्टी पुराई खडंजा निर्माण।	382980.00
8	मेवली से बहुआ के लिए संपर्क मार्ग पर मिट्टी पुराई खडंजा एवं दो पुलिया निर्माण	893620.00
	योग	6215097.00

क्षेत्र पंचायत का नाम—खजुहा

जनपद—फतेहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष—2017-18

मण्डल—प्रयागराज मण्डल,

प्रस्तर—8. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के ग्रांट से संम्बन्धित शासनादेश संख्या 97/2016/2811/33-3-2016-03/2015 लखनऊ दिनांक 28 नवम्बर 2016 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50प्रतिशत धनराशि उनकी स्वयं की एवं उन्हे हस्तांतरित संपत्तियों के मरम्मत व रख-रखाव पर खर्च अवष्य किया जाना चाहिए। तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को अच्छादित करने वाले परिसंपत्तियों के रख-रखाव इसी प्रकार के पूर्व में हुए विकास कार्यों/नव सृजित निर्माण कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रूपया 5527714.00 धनराशि क्षेत्र पंचायत को संक्रमित की गयी तथा पूर्व वर्षों का रूपया: 3190948.00 अवशेष था। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में कुल रूपया— 8718662.00 राज्य वित्त आयोग की अनुदान धनराशि उपयोग हेतु उपलब्ध थी। उक्त शासनादेश के अनुसार उक्त उपलब्ध धनराशि की 50प्रतिशत धनराशि रूपया 4359331.00 उक्तानुसार संपत्तियों के रख-रखाव/मरम्मत पर व्यय किया जाना चाहिए था, शेष उपलब्ध धनराशि रूपया 4359331.00 को ही एक से अधिक ग्राम पंचायतों को अच्छादित करने वाले परिसंपत्तियों के रख-रखाव एवं इसी प्रकार के पूर्व में हुए विकास कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए था। किन्तु शासनादेश के विपरीत संपत्तियों के मरम्मत पर मात्र रूपया 543808.00 ही व्यय किया गया। तथा जो नए निर्माण कार्य करवाए गए हैं वो कार्य एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले नहीं थे। कार्यों का विवरण निम्नवत है—

क्र०	योजना का नाम	कार्य का विवरण	व्यय धनराशि
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	हिम्मतपुर में भास्कर के दरवाजे से प्राथमिक स्कूल तक इन्टरलॉकिंग कार्य	380678.00
2	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	ग्राम हसौलेखेडा में रमेश के दरवाजे से चिकनी गडइया तक नाली निर्माण	148702.00
3	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	विकास खण्ड परिसर में सुन्दरीकरण कार्य एवं इन्टरलॉकिंग	365930.00
4	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	बहादुरपुर में भुट्टों के दरवाजे से मजिस्द तक सी0सी0 रोड़ निर्माण	417558.00
5	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	बिन्दौर में मेन रोड़ से पुराने प्राथमिक स्कूल के अवशेष भाग में सी0सी0 रोड़ निर्माण	201740.00
6	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	बागबादषाही में दयाराम उत्तम की डेहरी से नाला व खडंजा निर्माण	292950.00
7	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	चकनौरोज अली से अनीस के घर से छोटी मजिस्द होते हुए वाया जाफरगंज सब्जी मंडी तक सी0सी0 रोड़ निर्माण	224416.00
		योग—	2031974.00
8	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	विकास खण्ड परिसर में कार्यालय व आवासों का मरम्मतीकरण एवं मेन गेट का सुन्दरीकरण	492261.00
9	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	बसंती खेडा में बड़े कुवां का मरम्मतीकरण	51547.00
		योग	543808.00

इस प्रकार उक्त शासनादेश के विपरीत रूपया:— 2575782.00 का करवाया गया निर्माण/मरम्मत कार्य अनियमित रहा जिसके लिए श्री अतिरंजन सिंह सचिव/खण्ड विकास अधिकारी एवं श्रीमती सीमा सिंह, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष उत्तरदायी रहें हैं अतएव आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम—ऐरायां

जनपद—फतेहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2017-18**मण्डल-प्रयागराज मण्डल,**

प्रस्तर-9. आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुदान धनराशि बैंक खाता में जमा करने के फलस्वरूप अर्जित ब्याज में से रूपया: 8057.00 अनुदानदाता को वापस नहीं किया गया जबकि शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502(1)/10-2015-10(33)/2015 दिनांक 29 मार्च 2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अर्जित ब्याज वापस कोशागार के माध्यम से अनुदानदाता/षासन को वापस किया जाना चाहिए था। इस प्रकार बकाया अर्जित ब्याज वापस न करके अनियमितता की गयी जिसके लिए श्री कपिल कुमार, क्षेत्र पंचायत सचिव एवं मोहम्मद अली, लेखाकार मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अतएव आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-2. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (चल/अचल सम्पत्ति) नियमावली 1965 के नियम संख्या 3(1) के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत मार्गों के साथ साथ अन्य सृजित परि संपत्तियों के विवरण को अभिलेखीकृत करने के लिए परिसंपत्ति पंजिका का रख-रखाव अपेक्षित है तथा उक्त नियमावली के नियम संख्या 4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत में निर्मित सड़कों का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु मार्ग पंजिका का रख-रखाव अपेक्षित है किन्तु आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुरक्षित व नव निर्मित कार्यों का क्षेत्र पंचायत के परिसंपत्ति पंजिका में अंकन नहीं पाए गए और न ही क्षेत्र पंचायत द्वारा अलग से कोई मार्ग पंजिका ही तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। उक्त दोनों पंजिकाओं में अंकन के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्षेत्र पंचायत द्वारा जिन मार्गों के मरम्मत/नव निर्माण व अन्य कार्य करवाया जाना दर्शाया गया है, वे पूर्व वर्षों में कब-कब मरम्मत करवाए गए थे अथवा उनका निर्माण कब कराया गया था। तथा जो निम्न कार्य कराये गए हैं उनसे एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभान्वित भी नहीं हुई हैं। इस प्रकार लेखा परीक्षा की दृष्टि से निम्न विवरणानुसार अनुरक्षित/नव निर्मित मार्गों/कार्यों पर व्यय दर्शित धनराशि रूपया 5371556.00 अनियमित रही, जिसके लिए श्री कपिल कुमार क्षेत्र पंचायत सचिव एवं मोहम्मद अली, लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। अतएव उक्त दोनों के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

क्र0	योजना	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	इजुरा बुजुर्ग से देवारा तक खडंजा निर्माण का अवशेष कार्य	522979.00
2	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	सरसई बुजुर्ग में रामू सिंह के खेत से शंकर मौर्य के घर तक खडंजा निर्माण	407536.00
3	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	गडरियन पुरवा से मालदेई तक खडंजा मरम्मत कार्यनिहालपुर सहनी में	143525.00
4	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	जी0टी0रोड. से खुजरही की ओर सी0सी रोड़ निर्माण	481987.00
5	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	ऐरायां सादात से माजरा मलूखपुर में नौबस्ता रोड़ से भूप सिंह यादव के बाग तक खडंजा निर्माण	92961.00
6	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	ग्राम तंडवा पर से मालादेई तक खडंजा मरम्मत कार्य	345350.00
7	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	बैरासादात के मजरा बनियापुर के वर्मा संपर्क मार्ग से शेरा के घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण	357165.00
8	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	ग्राम सभा हिसामुद्दीन मे छेदू पासवान के घर से रोषन के घर तक सी0सी0रोड़ निर्माण	408955.00
9	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	पोखरी मजरा बघौली में कृष्ण पाल सिंह के घर पुराने सी0सी0 रोड़ तक सी0सी0रोड़ निर्माण	221382.00
10	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	ग्राम सलेमपुर में दुदली कोरी के घर से डामर रोड़ तक खडंजा निर्माण	498654.00
11	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	ग्राम हरदों में शंकर के घर से राम स्वरूप के घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण	248290.00
12	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	ग्राम कुडारवर में राजेश विष्णुकर्मा के घर से वडका के घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण	415129.00
13	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	ग्राम बरकतपुर में शिवबहादुर से मदिपूत के घर तक	235614.00

		सी0सी0 रोड निर्माण	
14	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	ब्लाक बाउड़ी वाल मरम्मत कार्य	302198.00
15	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	खण्ड विकास अधिकारी आवास मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	190041.00
16	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	रसूलपुर भण्डरा डामर रोड से किषन वैवन की अडार तक सी0सी0 रोड निर्माण	499790.00
		योग-	5371556.00

क्षेत्र पंचायत का नाम-हथगौव

जनपद-फतेहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2017-18

मण्डल-प्रयागराज मण्डल,

प्रस्तर-10. क्षेत्र पंचायत निधि के खाता संख्या 54410100007393 (आर.आर.बी) रू0. 22552.00 तथा खाता सं0 1060104000149112 (आई.डी.बी.आई) में रू. 10620.00 कुल रूपये 33172.00 वर्ष (2017-18) में क्षेत्र पंचायत द्वारा अर्जित किया गया है, जिसे राजकीय कोशागार में जमा न कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। अतः अर्जित ब्याज की समस्त धनराशि रू. 33172.00 राजकीय कोशागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-11. प्रयागदासपुर में रघुराज के खेत से जसवन्त के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य में सामग्री में रू0. 228480.00 तथा रू0. 42000.00 मजदूरी में व्यय किया गया है। इस प्रकार इस कार्य में कुल 270480.00 व्यय किया गया है इस कार्य के कार्यप्रभारी श्री अवधेष कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) को बनाया गया था किन्तु मजदूरी को धनराशि रू0. 42000.00 कार्य प्रभारी या मजदूरी को सीधे भुगतान न कर श्री सुन्दरलाल (ग्राम पंचायत अधिकारी) को भुगतान किया गया है इस प्रकार सम्पूर्ण कार्य की स्थिति संदिग्ध है, अतः सम्पूर्ण रू0. 270480.00 की ब्याज सहित वसूली श्री कपिल कुमार (बी0डी0ओ0) एवं श्री संतोश कुमार दिवाकर लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम-मलवां

जनपद-फतेहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2017-18

मण्डल-प्रयागराज मण्डल,

प्रस्तर-12. शासनादेश का उल्लंघन कर की गयी अनियमितता:- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के ग्रांट से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 97/2016/2811/33-3-2016-03/2015 लखनऊ दिनांक 28 नवम्बर 2016 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50प्रतिशत उनकी स्वयं की एवं उन्हे हस्तांतरित सम्पत्तियों के मरम्मत व रख-रखाव पर खर्च अवष्य किया जाना चाहिए था तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों का अच्छादित करने वाले परिसंपत्तियों के रख-रखाव एवं इसी प्रकार के पूर्व में हुए विकास कार्यों/नव सृजित निर्माण कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए था। आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के ग्रांट से कुल रूपया 3681122.00 व्यय किया गया जिसमें से रूपया 3087703.00 नए निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया तथा मात्र रूपया 593419.00 मरम्मत कार्यों पर व्यय किया गया जबकि उक्त कुल व्यय धनराशि की आधी रकम रूपया 1840561.00 मरम्मत कार्य पर व्यय किया गया जबकि उक्त कुल व्यय धनराशि की आधी रकम रूपया 1247142.00 कम व्यय करके उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया। शासनादेश की मंषा के अनुसार आलोच्य वर्ष में कराया गया कोई भी कार्य एक से अधिक ग्राम पंचायतों को अच्छादित करने वाला नहीं रहा। उक्त कारणों से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित धनराशि रूपया 3681122.00 अनियमित रही जिसके लिए श्री तेज बहादुर सिंह ब्लाक, प्रमुख/क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष तथा श्री सुख राज श्री अनिल श्रीवास्तव श्रीमती संध्या रानी खण्ड विकास अधिकारी/क्षेत्र पंचायत सचिव उत्तरदायी रहे है। अतएव आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है।

क्र0	योजना का नाम	कार्य का विवरण	व्यय धनराशि
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	मौहार में संतोश वकील के घर से चिरकू पास की के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण।	275330.00
2	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	बरहौली ओम प्रकाश रैदास के घर से किषन कोरी एवं अमर सिंह के घर तक गलियारे में सी0सी0 रोड का निर्माण	449915.00
3	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	नामामऊ में श्री हरिकिषोर/नवल किषोर के खेत से कालीमाता मन्दिर तक खडंजा निर्माण	573579.00
4	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	जनता में सुमेरपुर तक खडंजा मरम्मत कार्य	568419.00
5	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	हरिसिंहपुर में बुद्धा के ट्यूबवेल से श्री डोला के घर तक	113298.00

		खडंजा निर्माण	
6	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	विकास खण्ड परिसर में खण्ड विकास अधिकारी आवास की मरम्मत एवं साज-सज्जा	25000.00
7	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	पहुर में श्री इन्द्रपाल की दुकान से जयकरन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	483996.00
8	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	कोरसम मजरा महमूद पुर में श्री शिवदयाल के घर से श्री हीरालाल कोरी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	379212.00
9	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	ग्राम पंचायत नैनवा खेड़ा में श्री चन्द्रिका के दरवाजे से श्री गुरु प्रसाद के दरवाजे तक गलियारे में इन्टर लॉकिंग, सोलिंग व एक तरफ नाली निर्माण	812373.00
		सकल योग	3681122.00

क्षेत्र पंचायत का नाम-धाता

जनपद-फतेहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2017-18

मण्डल-प्रयागराज मण्डल,

प्रस्तर-13. आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुदान धनराशि बैंक खाता में जमा करने के फलस्वरूप रूपया 143869.00 व्याज अर्जित किया गया। किन्तु ब्याज को अनुदान दाता को वापस नहीं किया गया। जबकि शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502(1)/10-2015-10(33)/2015 दिनांक 29 मार्च 2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अर्जित ब्याज वापस कोशागार के माध्यम से राजकीय कोश में जमा किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अर्जित व्याज वापस न करके अनियमितता की गयी। जिसके लिए श्री अरुण कुमार चौधरी क्षेत्र पंचायत सचिव व श्री कमल किशोर लेखाकार मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अतएव आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

बैंक विवरण

वर्ष

अर्जित ब्याज

स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा धाता

खाता संख्या 11717607882

2017-18

143869.00

योग:-

143869.00

प्रस्तर-14. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (चल/अचल सम्पत्ति) नियमावली 1965 के नियम संख्या 3(1) के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत मार्गों के साथ अन्य श्रजित परिसम्पत्तियों के विवरण को अभिलेखी कृत करने के लिए परिसम्पत्ति पंजिका का रखरखाव अपेक्षित है। तथा उक्त नियमावली की नियम संख्या 4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत में निर्मित सड़कों का विवरण अभिलेखी कृत करने हेतु मार्ग पंजिका का रख-रखाव अपेक्षित है। किन्तु आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुरक्षित व नवनिर्मित कार्यों का क्षेत्र पंचायत के परिसम्पत्ति पंजिका में अंकन नहीं पाया गया और न ही क्षेत्र पंचायत द्वारा अलग से कोई मार्ग पंजिका ही तैयार कर प्रस्तुत की गयी उक्त दोनों पंजिकाओं में अंकन के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्षेत्रपंचायत द्वारा जिन मार्गों के मरम्मत/नवनिर्माण व अन्य कार्य करवाया जाना दर्शित किया गया है, वे पूर्व वर्षों में कब-कब मरम्मत करवाये गये थे अथवा उनका निर्माण कब कराया गया था। तथा जो निर्माण कार्य कराये गये हैं उनसे एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभान्वित भी हुयी है। इस प्रकार लेखा परीक्षा की दृष्टि से निम्न विवरणानुसार अनुरक्षित/नवनिर्मित मार्गों/कार्यों पर व्यय दर्शित धनराशि रूपया 6337388.00 अनियमित रही, जिसके लिए श्री अरुण कुमार चौधरी क्षेत्र पंचायत सचिव व श्री कमल किशोर लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त दोनों के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है।

क्र0	योजना का नाम	कार्य का विवरण	व्यय धनराशि
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	पक्की सड़क से प्राईमरी पाठशाला तुलसीपुर तक खडंजा निर्माण	397916.00
2	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	सेमरहटा (अमदरा) कौषाम्बी सरहद से लेकर अमदरा तक खडंजा निर्माण	508088.00
3	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	सुदेसरा डामर रोड से अंजना कबीर पुलिया तक खडंजा निर्माण	874550.00
4	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	पक्की सड़क से खाद गढ़दो तक इन्टरलॉकिंग कार्य गोढवा पर धाता	839823.00
5	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	बरमेपुर इंटर कॉलेज से मानापुर सरहद तक खडंजा निर्माण	1239456.00

6	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	सलेमपुर पक्की रोड़ से उरई केवटन के पुरवा तक खड़जा निर्माण	585215.00
7	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	मोहनापुर पुलिया से सैदपुर पंचमई सी0सी0 रोड़ तक खड़जा निर्माण	862226.00
8	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	श्यामलाल के घर से सरवन कोरी के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	628739.00
9	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	महन्त सिंह के घर से अजय सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग नाली निर्माण	401375.00
		सकल योग	6337388.00

इस प्रकार उक्त शासनादेश के विपरीत रूपया 6337388.00 का करवाया गया निर्माण/मरम्मत कार्य अनियमित रहा जिसके लिये श्री अरुण कुमार चौधरी क्षेत्र पंचायत सचिव व श्री कमल किशोर, लेखाकार उत्तरदायी है। अतएव आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम—विजयीपुर

जनपद—फतेहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष—2017—18

मण्डल—प्रयागराज मण्डल,

प्रस्तर—15. व्यय की पुष्टि में अभिलेख प्रस्तुत न कर किया गया अपहरण— क्षेत्र पंचायत के ग्राण्ट रजिस्टर 2 के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत रूपया 3473260.00 का व्यय किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाण यथा टेण्डर पत्रावली, अनुमोदित प्राक्कलन, एम0बी0, सक्षम अधिकारी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, अनुबन्ध पत्र, कार्य आदेश, मस्टर रोल, सामाग्री क्रय सम्बन्धी बिल/वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपलब्ध नहीं कराए जिसके बिना प्रमाण की पुष्टि नहीं होती है। अतः तथा कतिथ व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि रूपया 3473260.00 को अपहरण मानते हुये उसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार मोहम्मद इकबाल अहमद से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम—असोथर

जनपद—फतेहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष—2017—18

मण्डल—प्रयागराज मण्डल,

प्रस्तर—16. आलोच्य वर्ष में शासनादेश संख्या 10/2000/ए0-1/10-2015-10(33) दिनांक 29 मई 15 के अनुपालन में क्षेत्र पंचायत असोथर के राजवित्त मद में खाता संख्या 11083 बीओबी असोथर में विभिन्न तिथियों में जमा अनुदान की धनराशि पर रू0. 36951.00 प्राप्त दर्शित ब्याज को सम्बन्धित विभाग अथवा शासन को वापस किया जाना चाहिये था किन्तु ब्याज की उक्त धनराशि को राजकीय कोश/षासन को वापस नहीं किया गया है जो कि गम्भीर अनियमितता है इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार एवं लेखाकार श्री गुलाब मोहम्मद अरबी जिम्मेदारी है। इस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ब्याज की समस्त धनराशि रू0. 36951.00 को राजकीय कोश में जमा किये जाने की त्वरित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ब्याज का विवरण निम्नवत है—

दिनांक

ब्याज की धनराशि

05.04.2017	6124.00
01.07.2017	13357.00
17.01.2017	6144.00
15.01.2018	11326.00

योग—36951.00

प्रस्तर—17. क्षेत्र पंचायत असोथर में आलोच्य वर्ष 2017—18 में राज वित्त मद में 31.03.2017 को प्रा0 अवशेष रू0. 2161679.00 था एवं वर्ष दौरान रू0. 5084751.00 प्राप्त एवं 5824521.00 व्यय होने के उपरान्त 31.03.2018 को रू0. 1421909.00 अवशेष रहा। उक्त अवशेष धनराशि को आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनाकर व्यय किया जाना आवश्यक था किन्तु ऐसा नहीं किया गया अतएव ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आम जनता को लाभ पहुंचाने में षिथिलता अपनायी गयी। इस गम्भीर अनियमितता के लिये तत्कालीन ख0वि0 अधिकारी श्री अरुण कुमार एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती सविता देवी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है जनता के हित को देखते हुये अवशेष धनराशि रू0 1421909.

00 को कार्य योजना तैयार कर उपभोग किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त गम्भीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर-18. आलोच्य वर्ष में पंचायत असोथर द्वारा राजवित्त योजनान्तर्गत सामग्री आपूर्ति हेतु जिन कार्यों में टेण्डर प्रक्रिया अपनायी गयी है। उनमें निम्न आपूर्ति कर्ता फर्मों में मार्जिन मनी नहीं जमा करायी गयी है। जो कि नियमों का उल्लंघन एवं गम्भीर अनियमितता है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अरूण कुमार एवं लेखाकार श्री गुलाम मोहम्मद अरबी जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। टेण्डर प्रक्रिया में नियमों के पूर्णतः अनुपालन के प्रति उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए गम्भीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	मार्जिनमनी की धनराशि	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम
1	बहादुरपुर में लूसे साहू के दरवाजे से राम कृपाल के दरवाजे तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	8500.00 8500.00 8500.00	1. मे० राजेश कुमार मिश्रा का० एवं सप्लायर्स अयाह 2. मे० पुत्तन का० एवं सप्लायर्स मुत्तौर 3. ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण समिति सरकण्डी
2	बहादुरपुर में जितवा कोरी के दरवाजे से लाला यादव के दरवाजे तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	8000.00 8000.00 8000.00	1. ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण समिति सरकण्डी 2. मे० पुत्तन का० एवं सप्लायर्स मुत्तौर 3. मे० राजेश मिश्रा का० एवं सप्लायर्स अयाह
3	भौली में दिनेश त्रिवेदी के घर से सीताराम जी के घर तक व इण्टर लॉकिंग निर्माण	8100.00 8100.00 8100.00	1. ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण समिति सरकण्डी 2. मे० पुत्तन का० एवं सप्लायर्स मुत्तौर 3. मे० राजेश मिश्रा का० एवं सप्लायर्स अयाह
4	ललौली में महरूम सैदू (मकसूद अहमद) के घर से कल्लू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	8000.00 8000.00 8000.00	1. मे० राजेश मिश्रा का० एवं सप्लायर्स अयाह 2. मे० पुत्तन का० एवं सप्लायर्स मुत्तौर 3. ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण समिति सरकण्डी
योग-		97800.00	

क्षेत्र पंचायत का नाम-देवमई

लेखा परीक्षा वर्ष-2017-18

जनपद-फतेहपुर

मण्डल-प्रयागराज मण्डल,

प्रस्तर-19. आलोच्य वर्ष में शासनादेश सं० 10/2015/ए-1/10-2015-10(33) दिनांक 29 मई 2015 के अनुपालन में क्षेत्र देवमई के विभिन्न खातों में जमा अनुदान की धनराशियों पर विभिन्न तिथियों में अर्जित ब्याज रु० 117347.00 को संबंधित विभाग अथवा शासन (राजकीय कोश) में वापस नहीं किया गया है जो कि गंभीर अनियमितता है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश शुक्ला एवं श्रीमती उशा श्रीवास्तव तथा लेखाकार श्री महेन्द्र नाथ साहू जिम्मेदार है। इस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ब्याज मद की समस्त धनराशियों रु०. 117347.00 को वापस किये जाने की त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। खातों का ब्याज विवरण निम्नवत है:-

बैंक खाता संख्या

13660100001524 बी०ओ०बी० देवमई
13660100013586 बी०ओ०बी० देवमई
13660100017861 बी०ओ०बी० देवमई
13660100000241 बी०ओ०बी० देवमई

धनराशि

104780.00
3502.00
1491.00
7574.00

योग-

117347.00

प्रस्तर-20 राजवित्त योजना अन्तर्गत क्षेत्र देवमई द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु जिन कार्यों में टेण्डर प्रक्रिया अपनाई गई है। उनमें निविदा सूचना/विज्ञापन में जमानत धनराशि का उल्लेख है। किन्तु क्षेत्र देवमई द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्मों से जमानत धनराशि रु० 37500.00 जमा नहीं कराया गया है जो कि नियमों का उल्लंघन है एवं गंभीर अनियमितता है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश शुक्ला एवं श्रीमती उशा श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री महेन्द्र नाथ साहू जिम्मेदार हैं। कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। टेण्डर प्रक्रिया में नियमों की पूर्णता हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

कार्य का नाम	जमानत धनराशि	आपूर्ति कर्ता फर्म का नाम
सुजावलपुर में छोटे सिंह परिहार के चक्की से माथापाई	11500.00	प्रतिभा कं० कं० फतेहपुर

मंदिर तक सीसी रोड		
विकास खण्ड देवमई में कार्यालय प्रमुख कक्ष, टाइल्स व रंगाई-पुताई	10000.00	ओजस्वी कं0क0 आबूनगर, फतेहपुर
विकास खण्ड परिसर में स्थित खण्ड विकास अधिकारी आवास मरम्मत	16000.00	ओजस्वी कं0क0 आबूनगर फतेहपुर
	37500.00	

प्रस्तर-21. क्षे0पं0 देवमई में आलोच्य वर्ष 2017-18 में राजवित्त मद में 31.03.2017 को प्रारंभिक शेष धनराशि रु0. 3729980.50 थी एवं वर्ष दौरान रु0. 4258597.60 प्राप्त हुई। जिसके सापेक्ष मात्र 3100209.95 व्यय के उपरांत रु0. 4888368.15 अवशेष रही। उक्त अवशेष धनराशि की कार्य योजना बनाकर विकास कार्यों में व्यय किया जाना चाहिये था। किन्तु ऐसा नहीं किया गया। अतएवं ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास कार्यों हेतु कार्य योजना बनाने में षिथिलता अपनाई गई। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। विकास कार्यों को देखते हुए अवशेष धनराशि रु0. 4883368.15 के उपभोग हेतु कार्ययोजना बनाये जाने एवं त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत का नाम-तेलियानी

जनपद-फतेहपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2017-18

मण्डल-प्रयागराज मण्डल,

प्रस्तर-22. माँ शारदा कम्प्यूटर 37 नवीन मार्केट पथरकटा चौराहा, फतेहपुर के बिल संख्या 362/4 दि0 15.06.2017 को मूल्य रु0 5100 का लाजिक बोर्ड माउस एवं 6 टोनर मनरेगा प्रशासनिक मद सम्बन्धित व्यय का भुगतान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रशासनिक मद से चेक संख्या 703562 दि0 03.07.2017 को रु0. 5100.00 का भुगतान किया गया है जिसकी प्रविष्टि ग्रांट रजि0 के पृष्ठ सं0 47 पर दर्ज है। मदान्तरण भुगतान आपत्तिजनक है। साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित व्यय प्रमाणक पर फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं टिन नम्बर आदि का उल्लेख नहीं होने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त व्यय रु0. 5100.00 के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती उशा श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री अवधेष कुमार वर्मा को जिम्मेदार किया जाता है। ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-23. शासन सं0 10/2015/4-1-502/10-2015-10 (33) 2010 एवं प्रमुख सचिव वित्त एवं लेखा अनुभाग-1 लखनऊ दि0 29.05.2019 का उल्लंघन कर राज्य वित्त आयोग मद में प्राप्त ब्याज की धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है-

धनराशि	नाम प्राप्तकर्ता	दिनांक	चेक सं0	विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति
1265	विनोद कटियार	03.04.2017 05.04.2017	4082	कार्यालय सी.एफ.एल एवं सुन्दरीकरण	सुश्री कविता तिवारी बी.डी.ओ. एवं लेखाकार अवधेष कुमार वर्मा
9600	गोविंद प्रकाश जे.ई.	16.07.2017 25.07.2017	4084	प्रमुख कक्ष हेतु कुर्सी मेंज	श्रीमती ऊशा श्रीवास्तव एस.डी. ओ एवं लेखाकार अवधेष कुमार वर्मा
9950	गोविंद प्रकाश जे.ई.	27.10.2017 03.11.2017	4095	बीडीओ आवास में सवमासे बल	सुश्री कविता तिवारी बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार अवधेष कुमार वर्मा
177	बैंक चार्ज डी/डी	05.12.2017	डी/डी	कैसिलेप्न रु. 30842	
9735 30727	सुरेश कुमार	28.03.2018	13314	कार्यालय परिसर में टंकी आदि	

उपरोक्त विवरण के अनुसार व्यय धनराशि के लिए सम्बन्धित पक्ष उत्तरदायी है।

प्रस्तर-24. चतुर्थ राज्य वित्त मद से कराये गए निम्न कार्यों के लिए प्रयुक्त मिट्टी हेतु खनन विभाग में रायल्टी न जमा करके राजकीय धन की क्षति की गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित पक्षों से अपेक्षित है। तथा उक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कार्य का विवरण	धनराशि का विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति
साहिली दुगरेई सम्पर्क मार्ग से रावतपुर तक इण्टरलॉकिंग (80 मीटर)	मिट्टी 15.67. घनमीटर / 30.00 = 470.00	सुश्री कविता तिवारी बीडीओ एवं लेखाकार अवधेष कुमार वर्मा

आदमपुर सम्पर्क मार्ग पहाड़ीपुर से सेनीपुर सम्पर्क मार्ग नया खडंजा (300 मीटर)	मिट्टी 521.85 घन मीटर / 30.00 = 15656.00	उपरोक्त
जी0टी0 रोड नषेमन होटल के पास से कोराई सम्पर्क मार्ग में नया खडंजा कार्य	मिट्टी 471.65 घन मीटर / 30.00 = 14150.00	उपरोक्त
चितौरा से सेनीपुर सम्पर्क मार्ग में नया खडंजा कार्य (250 मीटर)	मिट्टी 383.25 घन मीटर / 30.00 = 11498.00	उपरोक्त
कुल योग	41774.00	

प्रारूप — 3

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल—प्रयागराज

क्षेत्र पंचायत— मंझनपुर

प्रस्तर—01 ग्रान्ट रजिस्टर 3 के अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक अर्जित ब्याज रूपया 734416.71 दर्शाई जा रही है, जिसमें वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में प्राप्त ब्याज को नहीं जोड़ा गया है और दिनांक 31.03.2018 को भी अर्जित ब्याज की धनराशि 734416.71 दर्शाई जा रही है। इस अर्जित ब्याज की धनराशि रू0 734416.71 को शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस- 2015-10 33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के क्रम में राजकोष में नहीं जमा कराया गया है। इस प्रकार राजकीय धन को अवरुद्ध कर वित्तीय अनियमितता की जा रही है, इसके लिए पूर्व खण्ड विकास अधिकारियों के साथ-साथ वर्तमान खण्ड विकास अधिकारी श्री शरद कुमार श्रीवास्तव, श्री राजेश कुमार मिश्रा एवं राजेन्द्र कुमार सोनकर एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री हरिमोहन सिंह भी उत्तरदायी हैं।

वर्ष 2017-18 में विविध खाता संख्या 29750100000410 में अर्जित ब्याज रूपया 22454.00 एवं मनरेगा खाता संख्या 2975010001268 में अर्जित ब्याज 10830.00 एवं राज्य वित्त खाता संख्या 3632101000745 में अर्जित ब्याज रूपया 92196.00, क्षेत्र पंचायत निधि में अर्जित ब्याज 2370.00, विधायक निधि में अर्जित ब्याज 1228.00 एवं तेहरवाँ वित्त आयोग में अर्जित ब्याज 3865.00 कुल अर्जित ब्याज रूपया 132943.00 को राजकोष में नहीं जमा कराया गया। अतः पूर्व वर्षों की ब्याज 734416.71 एवं 16-17 की ब्याज रूपया 244445.00 एवं 17-18 की ब्याज रूपया 132943.00 कुल रूपया 1111804.71 राजकोष में न जमा करवा कर वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री शरद कुमार श्रीवास्तव, श्री राजेश कुमार मिश्रा एवं श्री राजेन्द्र कुमार सोनकर एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री हरिमोहन सिंह भी उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल—प्रयागराज

क्षेत्र पंचायत— सिराथू

प्रस्तर—02 दिनांक 28.07.2017 को बी0डी0सी0 एवं प्रधानों की बैठक हेतु दिनांक 25.08.2017 को मु0 85000.00 श्री शिव प्रकाश कौशल (लेखाकार) द्वारा बैंक से आहरित किया गया, जिसे 75 सदस्यों को रू0 500.00 प्रति सदस्य की दर से रू0 37500.00 का भुगतान सदस्यों को किया गया। शेष धनराशि मु0 47500.00 श्री शिव प्रकाश कौशल द्वारा सदस्यों को वितरण न करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः रू0 47500.00 की ब्याज सहित वसूली श्री शिव प्रकाश कौशल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—03 दिनांक 30.12.2017 को बी0डी0सी0 एवं प्रधानों की बैठक हेतु दिनांक 29.12.2017 को मु0 100000.00 श्री मुन्नू सिंह लेखाकार द्वारा बैंक से आहरित किया गया जिससे 96 सदस्यों को मु0 1000.00 प्रति सदस्य की दर से मु0 96000.00 वितरित किया गया। शेष रू0 4000.00 श्री मुन्नू सिंह द्वारा सदस्यों को वितरित न कर अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मुन्नू सिंह लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—04 परियोजना उदहिन मंझनपुर नहर मार्ग से काली सड़क गम्भीरा पूरब तक इण्टरलाकिंग में श्री संतोष कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल निवासी चकिया मजरा रामपुर धमावां को 83.00 घनमीटर मिट्टी, दर 186.00 प्रति घन मीटर से मु0 15438.00 के भुगतान की रसीद पत्रावली में पाई गयी जिसका भुगतान श्री सतीश कुमार चौधरी ग्राम विकास अधिकारी (कार्यप्रभारी) को दिनांक 06.09.2017 को किया गया है परन्तु श्री चौधरी द्वारा श्री संतोष कुमार को भुगतान न करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में संलग्न रसीद में ट्रैक्टर मालिक श्री संतोष कुमार के हस्ताक्षर न होने व मिट्टी की रायल्टी न जमा करने से होता है। अतः श्री सतीश कुमार चौधरी से मु0 15438.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—05 योजना—राज्यवित्त वर्ष 2017-18

परियोजना—सिराथू में स्थित पुराने मीटिंग हाल में मरम्मत कार्य अनुमानित लागत—2.60 लाख, कार्यप्रभारी—
(1) श्री हरिश्चन्द्र एडीओ आईएसबी (2) श्री सतीश कुमार चौधरी (ग्रा0वि0अधि0)

खण्ड विकास अधिकारी— (1) श्री रवीन्द्र वीर यादव (2) श्री मत्स्य नारायण त्रिवेदी

लेखाकार—श्री मुन्ना सिंह, जेईआरईएस— श्री आर0पी0 कैथल

उक्त पत्रावली के अवलोकन में निम्न कमियाँ पाई गई—

(क) कार्य के पूर्व का कार्य स्थल का फोटोग्राफ, कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के समय का फोटोग्राफ, राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन के अनुसार एवं ख0वि0अधि0 कार्यालय के पत्रांक 954 दिनांक 31.08.2016 के द्वारा कार्य प्रभारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह को निर्देशित किया गया है कि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले, बीच में एवं विभिन्न स्तरों पर फोटोग्राफ अवश्य लिए जाय, किन्तु उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया।

(ख) स्टीमेट के कंजंप्शन आफ मैटेरियल में 24.18 वर्गमीटर अर्थात् 850 नग इण्टरलाकिंग टाइल्स दर्शित है किन्तु सामग्री बिल नं0 20 मेसर्स सरिता सोनकर कन्स्ट्रक्शन में टाइल्स 6 एम0एम0, 80.64 घन मीटर दर 422 प्रति घनमीटर की दर से मु0 34030.08 दर्शित है इस प्रकार स्टीमेट तथा आपूर्ति बिल में अन्तर पाया गया।

(ग) म0रो0 दिनांक 01.10.2017 से 10.10.2017 तक 13 मजदूरों का कुल 123 कार्यदिवस हेतु मु0 27525.00 का भुगतान दर्शित है किन्तु मस्टर रोल पर श्रमिक रंजीत कुमार एवं अमन के हस्ताक्षर पाये गये। शेष 11 मजदूरों के हस्ताक्षर या अगूठा निशानी नहीं पाया गया।

(घ) परिसम्पत्ति रजि0 के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि इसके पूर्व इस कार्य को कराया गया है अथवा नहीं।

(ङ.) क्रय सामग्री की एम0बी0 नहीं की गई जिससे क्रय सामग्री को सत्यापित नहीं किया जा सका।

(च) क्रय सामग्री का स्टॉक रजिस्टर भी ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त कमियों से यह स्पष्ट है कि मस्टररोल में केवल दो श्रमिकों के ही हस्ताक्षर पाये गये हैं जिससे मजदूरी का भुगतान कल्पित है। मजदूरी का भुगतान न होने से क्रय की गई सामग्री का उपभोग भी कल्पित है। इससे स्पष्ट होता है कि कल्पित पत्रावली तैयार कर मु0 241446.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली जेईआरईएस— श्री आर0पी0 कैथल, लेखकार श्री मुन्ना सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री रवीन्द्रवीर यादव व श्री मत्स्यनारायण त्रिवेदी एवं कार्य प्रभारी श्री हरिश्चन्द्र व श्री सतीश कुमार चौधरी से की जानी अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल—प्रयागराज

क्षेत्र पंचायत— नेवादा

प्रस्तर—06 1. आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194(सी) के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों पर स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्राविधान है। 01 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 01 वर्ष में 30 हजार से अधिक या सभी बिलों का योग रूपया 75 हजार होने पर 2.266 प्रतिशत की दर से कटौती सुनिश्चित कर धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्षक 21 में जमा करने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी को उत्तरदायी किया गया है। उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत वर्क कान्ट्रेक्ट के भुगतान की दशा में किसी ठेकेदार से निर्धारित दर (04 मार्च 2008 से लागू) 4 प्रतिशत से मूल्य सम्बर्धित कर (वैट) की कटौती की जानी है। शासनादेश संख्या ए—1—351/दस—2011 दिनांक 30—08—2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टी०डी०एस० सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी की है। इसके तहत टेडर/ कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जा रहा है कि संविदाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत एवं उसको विभाग द्वारा टिन नम्बर(जप्छ) जारी किया गया है। संविदाकार के बिल को नियमानुसार भुगतान हेतु कोषागार को प्रस्तुत करते समय अथवा चौक के माध्यम से सीधे धनराशि आहरित करने वाले विभागधननिगम में चौक जारी करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा देयक चौक पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि बिल के भुगतान सम्बन्धी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है, वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत/टिन धारक है एवं संविदा से सम्बन्धित किये जा रहे भुगतान पर प्राविधानित कटौती कर ली गयी है। संस्था द्वारा संविदाकार फर्म को भुगतान करते समय आयकर एवं वैट की जो कटौती की गई है, उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	कार्य का नाम	फर्म को सामग्री भुगतान पर (17-18) आयकर एवं व्यापार कर की कटौती चालान द्वारा वर्ष दौरान जमा

		धनराशि		
		आयकर	व्यापार कर	
1	बी0डी0ओ0 आवास की मरम्मत एवं रंगाई पुताई पर व्यय	1428.00	2657.00	—
2.	विकास खण्ड परिसर के अवशेष इण्टरलाकिंग एवं मीटिंग हाल के सामने जल संचयन कार्य	20102.00	जी0एस0टी0 लगने के कारण ठेकेदार को भुगतान	
3	क्षेत्र पंचायत मीटिंग हाल के छत मरम्मत कार्य	2729.00	“ ”	
4	तिलगोड़ी से अलवारपुर ग्राम को जोड़ने वाले रास्ते पर खडंजा कार्य	17466.00	“ ”	
5	लोही धूरी से खन्देवरा ग्राम को जोड़ने वाले रास्ते पर खडंजा कार्य	17444.00	“ ”	
	योग	59169.00	2657.00	

उपरोक्त आयकर रूपया 59169.00 एवं वैट की धनराशि 2657.00 कुल धनराशि रूपया 61826.00 को न तो अनुदान रजिस्टर से सम्बन्धित शीर्ष में पकड़ा गया है और न ही चालान के माध्यम से उक्त धनराशि सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया गया है, जो गम्भीर अनियमितता को द्योतक है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अखिलेश तिवारी एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे। उपरोक्त के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-07 आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त से कराये गये निर्माण कार्य का भुगताना जो ठेकेदार को की गयी उससे प्राकलन में दर्शित धनराशि का 1 प्रतिशत की कटौती नहीं की गयी है। असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण का कार्य करने वालों कर्मकारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009, जो 04 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 01 प्रतिशत की दर से कर्मकार एवं उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत उपकर की प्राप्ति को शासनादेश 521/36-2-10-251 (एस.एम)/95 दिनांक 26 मार्च 2010 में निर्गत निर्देशानुसार राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जाना चाहिए। ठेकेदार के बिल से उक्त धनराशि की कटौती नहीं की गयी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.सं. निर्माण कार्य का विवरण

भुगतान की गयी धनराशि 01 प्रतिशत लेबरसेस की धनराशि

1	बी0डी0ओ0 आवास की मरम्मत एवं रंगाई पुताई पर व्यय	62348.00	623.00
2.	विकास खण्ड परिसर के अवशेष इण्टरलाकिंग एवं मीटिंग हाल के सामने जल संचयन कार्य	987949.00	9879.00
3	क्षेत्र पंचायत मीटिंग हाल के छत मरम्मत कार्य	133741.00	1337.00
4	तिलगोड़ी से अलवारपुर ग्राम को जोड़ने वाले रास्ते पर खडंजा कार्य	855835.00	8558.00
5	लोही धूरी से खन्देवरा ग्राम को जोड़ने वाले रास्ते पर खडंजा कार्य	854780.00	8548.00
	योग	28945.00	

उक्त लेबरसेस की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति कि गयी है। अस्तु रू0 28945.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अखिलेश तिवारी एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-08 आलोच्य वर्ष 2017-18 के अनुदान रजिस्टर तृतीय के अनुसार विभिन्न अनुदानों को बैंक खाते में रखने के कारण उक्त धनराशि पर बैंक द्वारा ब्याज दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

	योग	व्यय	अवशेष
ब्याज राज्य वित्त+ तेरहवाँ वित्त	2621149.00	1219079.00	3840228.00
			3840228.00

सचिव वित्त उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 10/2015/-1-502 / दस -2015-10(33) दिनांक 29-05-2015 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त अनुदान धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो ब्याज की धनराशि संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी! ब्याज से अर्जित आय को राजकीय कोषागार में जमा की जायेगी। वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में ब्याज की धनराशि रूपया 2808343.00 को राजकोष में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस प्रकार ब्याज की धनराशि (3840228.00=2808343.00) रूपया 1031885.00 राजकोष में जमा की जानी चाहिए। क्षेत्र पंचायत नेवादा द्वारा अर्जित ब्याज की धनराशि रूपया 1031885.00 को राजकोष में न जमा करने के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अखिलेश तिवारी एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे हैं। उपरोक्त के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-09 आलोच्य वर्ष 2017-18 में तेरहवाँ वित्त की धनराशि रूपया 1058617.00 जो वर्ष 2016-17 की अवशेष धनराशि थी से कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है जो क्षेत्र पंचायत के विकास कार्य के शिथिलता का द्योतक है। चूंकि क्षेत्र पंचायत स्तर पर तेरहवाँ वित्त की धनराशि प्राप्त नहीं हो रही है, इस कारण से अब इस धनराशि का उपभोग भी नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2017-18 में ही उक्त धनराशि धनदाता को वापस कर दी जानी चाहिए थी। ऐसा न किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अखिलेश तिवारी एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

क्षेत्र पंचायत - सरसवाँ

विकास खण्ड- सरसवाँ

प्रस्तर - 10 :-डी०पी०आर०ओ० कार्यालय कौशाम्बी चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि के व्यय हेतु कार्ययोजना की स्वीकृति के संबंध में पत्रांक-3768 दिनांक 24.10.2017 के अनुसार इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है कि संदर्भित शासनादेश के क्रम में ही कार्यवाही हेतु अनुमोदित / स्वीकृत की गयी है किसी भी प्रकार के विचलन की स्थिति में स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

उपरोक्त परियोजना सीमा के बड़के नहर से मूरतगंज महेवाघाट 2600 मी मु 7.80 लाख स्वीकृत रहा जबकि परियोजना का प्राक्कलनप रु० 5.37 लाख रहा। किन्तु संशोधित प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा के समय पत्रावली में संलग्न नहीं रहा। इस प्रकार शासकीय आदेशों के विपरीत प्राक्कलन बनाकर कार्यकिया गया है। शासनादेश सं० 1838/33-3-2015-03/2015 पंचायती राज अनुभाग 3 लखनऊ 31 जुलाई 2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी/सचिव क्षेत्र पंचायत का होगा। अस्तु उपरोक्त अनियमितता के लिए श्री अखिलेश कुमार तिवारी खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-11-ग्रा० पं० अंधावा से रक्सौली स०मा० पर इण्टलाकिंग की पत्रावली की जांच में पाया गया कि सामग्री आपूर्ति कैशमैमो/बिल जय जगदम्बा ट्रेडर्स के क्रमांक 6.2.2017 से रु० 530760.00 की सामग्री आपूर्ति की गयी तथा क्रमांक 08 दिनांक 4.3.2018 से मु० 242882.00 की सामग्री आपूर्ति की गयी जबकि म०रो० के अनुसार कार्य दिनांक 5.12.2017 से प्रारम्भ होकर दिनांक 14.12.2017 को समाप्त हुआ। तब क्रमांक 8 दिनांक 4.3.2018 से आपूर्ति की गयी सामग्री मु० 242882.00 का औचित्य अस्पष्ट रहा। स्टॉक रजिस्टर के आभाव में उक्त सामग्री के आमद की पुष्टि न हो सकी। एम०बी० बुक 4/78 से 79 पर कार्य का मापाकन अकिंत है। किन्तु प्रमाणक संख्या 8 दिनांक 4.3.2018 से प्राप्त सामग्री मु० 242882.00 का मापन एम०बी० बुक में अकिंत नहीं है। अस्तु मु० 242882.00 के सामग्री की पुष्टि न हो सकी। जबकि मु० 227727.00 वैट टी०डी०एस० काटकर जयजगदम्बा ट्रेडर्स को चेक सं० 592 दिनांक 16.03.2018 से किया गया है। अस्तु मु० 242882.00 का भुगतान के दुरुपयोग होने की संभवना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसकी ब्याज सहित वसूली ख०वि० अधिकारी श्री अखिलेश तिवारी कार्यप्रभारी श्री प्रमोद कुमार गुप्ता तथा लेखाकार श्री मुकुन्द लाल से किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत - कड़ा

विकास खण्ड- कौशाम्बी

प्रस्तर - 12 :-आलोच्य वर्ष 2017-18 में उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण नियम 2009 जो 4 फरवरी 2009 से उ०प्र० में लागू है के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 01 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत उपकर की प्राप्तियों को शासनादेश संख्या

521 / 36-2-1020-25 / एस0एम0 / 95 दिनांक 26 मार्च 2020 में निर्गत निर्देशानुसार राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में आयकर एवं जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है, लेकिन लेबर सेस की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0	कार्य का नाम	सामग्री भुगतान	आयकर कटौती	जी0 एस0टी0	सेस 01 प्रतिशत की कटौती नहीं
1	ग्राम सभा दारानगर कर्बला से ग्राम सभा कड़ा मार्ग पर सहीदो की मजार तक इन्टरलाकिंग कार्य।	457521.20	12900.00 रायल्टी 1810.00	54221.58	5448.00
2	ग्राम पंचायत सैनी के ग्राम सैनी के संकट सिंह यादव के घर से ग्राम चकसैनी राजाराम के खेत तक इन्टरलाकिंग कार्य।	553905.60	13602.00 वैट 24462.00	18390.00 जमानत	6104.00
3	ग्राम सभा दारानगर में डा0 जुनैल के दरवाजे से ग्राम सभा फरीदपुर जनसुईया तलाब के आगे तक इन्टर लाकिंग कार्य एवं नली निर्माण।	617833.00	13600.00	66472.00	6979.00
4	ग्राम पंचायत मेवदरा गढी के ग्राम पंचायत सैनी के मजरा विजयरी पुर संपर्कमार्ग तक इन्टर लाकिंग कार्य।	486129.00	11130.00 रायल्टी 2775.00	53716.16	5538.00
5	स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन अटसराय मरम्मत कार्य।	173555.00	4150.00	19959.25	1977.00
6	पशु सेवा केन्द्र भवन सैनी मरम्मत एवं सौचालय कार्य।	469032.00	10658.00	51170.00	5309.00
7	ब्लाक में सौचालय मरम्मत कार्य।	136131.00	2980.00 रायल्टी 90.00	14920.00	1541.00
8	विकास खण्ड में एसएडीओ आवास मरम्मत कार्य।	477520.00	12140.00 रायल्टी 3887.00	57302.00	5508.00
9	ग्राम चकमानिकपुर सैयदरोज से चक मोयारा खास सुखलाल के घर से धरम सिंह के घरतक इन्टरलाकिंग कार्य।	375227.00	8620.00 रायल्टी 2650.00	41518.00	4280.00
10	ग्राम हिसामपुर साढो मार्ग से नागा बाबा कुटी के पास ग्राम धुमरी मजरा लौधन का पुरवों तक इन्टर लाकिंग काय।	385720.00	8830.00 रायल्टी 2170.00	42545.00	4393.00
11	ग्राम सभा केसारी से सेसरिया रोड से काम सियाह मार्ग तक खण्ज्जा मरम्मत।	173954.00	3980.00	19117.00	1971.00
12	ग्राम सभा गनपा के मजरा से पाण्डेय के तालाब से गोविन्दपुर गोरियो सम्पर्क मार्ग तक इण्डट लाकिंग कार्य।	619493.00	14310.00 रायल्टी 5201.00	67906.00	7069.00
13	ब्लाक परिसर स्थित सहायक लेखाकार कक्ष एनआरएलएम कक्ष स्थापना, स्टोर कक्ष की रंगाईपुताई एवं वायरिंग।	75720.00	1740.00 रायल्टी 75.00	8324.00	859.00

14	ब्लाक में वाटर कूलर इन्सटालेशन एवं फिक्सिंग कार्य।	123434.00	2820.00 रायल्ली 75.00	12928.00	1393.00
15	ग्राम घुमाई बड़ी बाग से कनवार नदी के पुल तक इण्टरलाकिंग कार्य।	845116.00	19510.00 रायल्ली 5610.00	93422.00	9637.00
			योग:-		67706.00

इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर लेबर सेस रु0 67706.00 की कटौती न करके (टेकेदारों को भुगतान करके) राजकीय राजस्व अपहृत करा दिया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र वीर एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार धुरिया से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 13 :-ग्राम बहादुर पुर से जहाँगीराबाद रोड होते हुए छबू नगर तक का खण्डंजा मरम्मत 1200 एम/एस क्षेत्र पंचायत कडा की बैठक दिनांक 07.02.2015 के प्रस्ताव संख्या 07के अनुसार स्वीकृत किया गया था। चूँकि कार्य 05 लाख से अधिक (7.76 लाख का था) कि स्वीकृति सक्षम अधिकारियों से कार्य पूर्ण होने के पूर्व नहीं ली गयी, जो गम्भीर अनियत्ता का द्योतक है।

दिनांक 18.06.2015 को उक्त कार्य की निविदा आमंत्रित की गयी है जिसमें, 1- अभिसलाष चन्द्र पुत्र वंशी लाल 2-अवधेष कुमार पुत्र श्री राम मनोहर एवं श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री राममनोहर, टेण्डर डाले गये, जिसमें अभिलाष चन्द्र पुत्री श्री वंशी लाल को टेण्डर रुपया 775224.00 सबसे कम होने के कारण स्वीकृति दे दी गयी। उक्त कार्य पर कोई कार्य प्रभार भी नियुक्त नहीं किया गया, कार्य टेकेदारी प्रथा पर कराकर बिल रुपया 774237.00 का प्रस्तुत किया गया, जिसका भुगतान उसम समय नहीं हुआ। बिल का भुगतान दिनांक 08.06.2017 को चेक संख्या 062256 से किया गया कार्य की स्वीकृति सक्षम अधिकारियों से प्राप्त न किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक रहा, जिसके लिए तात्कालिक लेखाकार श्री शिव प्रकाश कौषल एवं तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 14 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में दिनांक 28.03.2018 को सीमा देवी पत्नी श्री कामता प्रसाद ग्राम चौरा मजरा निदूरा (विधवा) का विवाह श्री बृजेश कुमार पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ ग्राम चौरा मजरा निदूरा से सम्पन्न कराया गया। सीमा देवी के खाते में रुपया 20000.00 स्थानान्तरित किया गया। उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 161/2017/44 वी0आई0पी0/26.03.2017-4(188)/93 टी0सी दिनांक 12.10.2017 के अनुसार विधवा, पिरत्यक्ता/तलाकषुदा के मामले में सहायता राशि रुपया 25000.00 होगी एसं आवश्यक सामग्री (कपड़े, बिछिया, पायल, चॉदी के तथा 07 बर्तन रुपया 10000.00 के स्थान पर रुपया 5000.00 की सामग्री) देय होगी, लेकिन सीमा देवरी के खाते में रुपया 25000.00 के स्थान पर रुपया 20000.00 स्थानान्तरित किया गया एवं सामग्री रुपया 5000.00 के स्थान पर रुपया 10000.00 की सामग्री दी गयी जा नियम विरुद्ध रहा, जिसके लिए लेखाकार श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार धुरिया उत्तरदायी रहे। उपरोक्त के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-3

क्षेत्र पंचायत-2017-18 क्षेत्र पंचायत- सदर, जनपद-प्रतापगढ़

प्रस्तर संख्या-1

1. राज्य वित्त आयोग की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित दर्शित कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे स्पष्ट है कि फर्जी व्यय व काल्पनिक एम0बी0 दर्शाकर अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है, विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	दिनांक	धनराशि	योग
1	09.05.2017 को सकरौली में इण्टरलाकिंग कार्य 09.05.2017 को सहरौली में इण्टरलाकिंग कार्य कार्य प्रभारी श्री इन्दु प्रकाश श्रीवास्तव ए0डी0ओ0 एस0टी0	332467.00 194337.00	526804.00
2	02.06.2017 को रूपापुर में इण्टरलाकिंग कार्य 02.06.2017 को रूपापुर में इण्टरलाकिंग कार्य कार्य प्रभारी श्री इन्दु प्रकाश श्रीवास्तव ए0डी0ओ0 एस0टी0	175598.00 81077.00	256675.00

3	08.03.2018 को कटरा इंद्रकुवर में इण्टरलाकिंग कार्य 08.03.2018 को कटरा इंद्रकुवर में इण्टरलाकिंग कार्य कार्य प्रभारी श्री इन्दु प्रकाश श्रीवास्तव ए0डी0ओ0 एस0टी0	151686.00 248044.00	399730.00
		1183209.00	1183209.00

उपरोक्त दर्शित कार्यों का न तो व्यय प्रमाणक ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया गया, न तो जी0एस0टी0/वैट जमा किए जाने का प्रमाणक प्रस्तुत किया और न ही रायल्टी, लेबर सेस आदि भी जमा/कटौती किया गया है, से भी स्पष्ट होता है कि फर्जी व काल्पनिक एम0बी0 बनाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है रू0 526804.00 एवं 256675.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती कुसुम लाता खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री संत कुमार यादव लेखाकार से संयुक्त जिम्मेदारी के कारण ब्याज सहित वसूली की जाये। रू0 399730.00 की ब्याज सहित वसूली श्री दिनेश कुमार यादव खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री संत कुमार यादव लेखाकार से संयुक्त जिम्मेदारी के कारण ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2 क्षेत्र पंचायत- सदर, जनपद-प्रतापगढ़

1. सांसद निधि के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर हाफ टेण्डरिंग से निर्माण कार्य कराया गया है जिस पर जी0एस0टी0/वैट तथा 01 प्रतिशत लेबर सेस नहीं काटा गया है तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा कैश मेमो/बिल पर काल्पनिक नम्बर/लेटर पैड पर बिल प्रस्तुत किया गया है जो मान्य नहीं है। व्यय प्रमाणक/कराये गए कार्य का फोटो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है:-

क्र0	कार्य का नाम	अपहरण/प्रमाणक विहीन की धनराशि	जी0एस0टी0 जो नहीं काटा गया	लेबर सेस	योग
1	1. पूरे ईश्वरनाथ में श्याम लाल पटेल के मोड़ से संतोष दुबे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य जिसके बिल की धनराशि रू0-1438840.00	—	172661.00	14388.00	187049.00
	2. उक्त कार्य जी0एस0बी047.50 घन मी0 दर 186.00 एम0एम011/रवन्ना नहीं लगा है अतः भुगतान फर्जी है।	8835.00	—	—	8835.00
	3. ग्रेनाइट बिल/कैश मेमो नहीं है	5000.00			5000.00
2	1.ग्राम देवकली पूरे मितई में अवनीश सिंह के घर से पक्की सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य बिल की धनराशि रू0-838623.00		100635.00	8386.00	109021
	2. जी0एस0बी0 40 घनमी0 धनराशि रू0 167400.00 एम0एम011/रवन्ना पत्रावली में संलग्न नहीं है तथा खनिज विभाग से भी रवन्ना का सत्यापन नहीं कराया गया है व रायल्टी भी नहीं जमा है जिससे स्पष्ट है कि बिना जी0एस0बी0 लगाये ही इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया है और काल्पनिक एम0बी0तैयार कर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है।	167400.00			167400.00
3	1. ग्राम महवनपुर में पक्की सड़क से पंकज सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य जिसके बिल की धनराशि रू0-907722.00		108927.00	9077.00	118004.00
	2. जी0एस0बी0 79.50 घन मी0 धनराशि रू0 147870.00 एम0एम011/रवन्ना पत्रावली में संलग्न नहीं है तथा खनिज विभाग से भी रवन्ना का सत्यापन नहीं कराया गया है व रायल्टी भी नहीं जमा है जिससे स्पष्ट है कि बिना जी0एस0बी0 लगाये ही इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया है और काल्पनिक	147870.00			147870.00

	एम0बी0तैयार कर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है।				
4	1 ग्राम भोजपुर में लालबहादुर के घर से पानी की टंकी तक तक इण्टरलाकिंग कार्य बिल की कुल धनराशि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 16 (1) के अनुसार रु0 10 लाख या उससे अधिक के लागत के आगणन की तकनीकी स्वीकृति का अधिकार राज्य सरकार में है। उक्त नियम कापालन न कर संस्था द्वारा स्वेच्छा से मनमानी कार्य कराकर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके बिल की धनराशि रु0- 1138730.00		136648.00	11387.00	148035.00
5	1 पूरे मोहन में पक्की सड़क से राम आसरे पाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य बिल की कुल धनराशि रु- 575674.00		69081.00	5756.00	74837.00
6	1 ग्राम सिपाह में विकेश सिंह के घर से राम कुमार सरोज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य जिसके बिल की धनराशि रु0-761369.00		91364.00	7614.00	98978.00
7	1 सरायसागर में गेदालाल हरिजन के घर से शीतला बख्श के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य जिसके बिल की धनराशि रु0- 643065.00		77168.00	6431.00	83599.00
8	ग्राम सभा बड़नपुर में अनुपम शुक्ला के घर के पास तक इण्टरलाकिंग कार्य 1 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 16 (1) के अनुसार रु0 10 लाख या उससे अधिक के लागत के आगणन की तकनीकी स्वीकृति का अधिकार राज्य सरकार में है। उक्त नियम कापालन न कर संस्था द्वारा स्वेच्छा से मनमानी कार्य कराकर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके बिल की धनराशि रु0-1187968.00		142556.00	11880.00	154436.00
	योग :-	329105.00	899040.00	74919.00	1303064.00

अ. उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि समस्त दर्शित कार्यों पर रायल्टी, वैट/जीएसटी तथा लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ब. रु0 329105.00 कर जी0एस0बी0 का एम0एम011/रवन्ना तथा रायल्टी का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा जिससे स्पष्ट है कि काल्पनिक एम0बी0 व ग्रांट रजिस्टर में प्रविष्टी कर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है क्रमांक 1,2,3,4 में दर्शित धनराशि श्रीमती कुसुम लता खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री संत कुमार यादव लेखाकार से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जाये। एवं क्रमांक 5,6,7,8 में दर्शित धनराशि श्री दिनेश कुमार यादव खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री संत कुमार यादव लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जाये।

क्षेत्र पंचायत- सदर, जनपद-प्रतापगढ़

प्रस्तर-3 राज्य वित्त आयोग : ग्राम कटरा इन्द्रकुंवर में कालीसड़क से फुन्नू सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य : उक्त कार्य में जी0एस0बी0 67.25 घन मीटर दर्शाया गया है जिसका बिल के साथ

एम0एम011/रवन्ना नहीं संलग्न किया गया है अतः जी0एस0बी0 का भुगतान रूपये 282864.00 का भुगतान फर्जी हुआ है तथा उक्त कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र और एम0बी0 भी अनुपलब्ध रही जिससे स्पष्ट है कि फर्जी एम0बी0 दर्शाकर उक्त कार्य की धनराशि का अपहरण किया गया है। दिनांक 08.03.18 को कार्य प्रभारी श्री इन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा चेक संख्या 26690 दिनांक 08.03.18 को रू0 248044.00 का भुगतान लिया जाना दर्शित है जबकि इनके द्वारा मस्टर रोल पर मात्र 185000.00 का भुगतान किया गया है, अन्तर रू0 63044.00 का भुगतान स्पष्ट है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त भुगतान फर्जी दर्शाकर अपहरण किया गया है। अतः उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत— बिहार,

जनपद—प्रतापगढ़

प्रस्तर संख्या—4 बैंक स्टेट मेन्ट एवं ग्राण्ट रजिस्टर—3 के अनुसार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की धनराशि रू0 569707.00 विगत वर्षों से यथावत् दर्शित चला आ रहा है। यह योजना बन्द हो चुकी है। अतः इस मद में दर्शित अनुदान की धनराशि को सम्बन्धित विभाग/शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है इस ओर मुख्य विकास अधिकारी एवं पंचायत राज निदेशक का ध्यान आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या—5 राज्य वित्त योजनान्तर्गत ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में निम्नांकित विवरणानुसार धनराशि विद्युत मरम्मत पर व्यय दर्शित कर श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव जे0ई0 (एम0आई0) के नाम चेक निर्गत कर धनराशि का भुगतान किया गया है। नियमानुसार रू0 एक लाख से ऊपर की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित कर फर्म के नाम से चेक निर्गत कर धनराशि भुगतान किया जाना चाहिए। भुगतान प्रमाणक भी लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवरण निम्नलिखित है—

क्र0	तिथि	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1.	23.9.2017	517956	74307.00	श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव जे0ई0(एम0आई0)
2.	23.9.2017	517957	61098.00	श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव जे0ई0(एम0आई0)

योग

135405.00

उपरोक्तानुसार रू0 135405.00 प्रमाणक विहीन एवं बगैर टेण्डर—आमंत्रित किये फर्जी ढंग से विद्युत मरम्मत पर व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली बराबर—बराबर भाग में श्री निरंकार मिश्र ख0वि0 अधिकारी में रू0 45135.00 श्री अनुभव यादव ब्लाक प्रमुख से रू0 45135.00 एवं श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव जे0ई0 (एम0आई0) में रू0 45135.00 की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या —6 क्षेत्र पंचायत बिहार जिला प्रतापगढ़ की वर्ष 2017—18 से 2019—20 तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नांकित विवरणानुसार धनराशि ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में राज्य वित्त योजनान्तर्गत किसी व्यक्ति विशेष के नाम से चेक निर्गत कर भुगतान किया गया है। जबकि शासनादेशानुसार टेण्डर आमंत्रित कर फर्म के नाम से चेक निर्गत कर सामग्री क्रय करने का प्रावधान है। भुगतान प्रमाणक भी लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया विवरण निम्न है—

क्र0	तिथि	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	कार्य का नाम
1.	01.7.17	513988	244795.00	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव हरि0	हरिहरपुर सम्पर्क मार्ग से लल्ला के घर तक इ0ला0 कार्य।
2.	05.9.17	514000	82543.00	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव हरि0	हरिहरपुर सम्पर्क मार्ग से लल्ला के घर तक इ0ला0 कार्य।
3.	01.7.17	513990	447609.00	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव हरि0	कार्रही में महबूब अली के घर से प्रा0वि0 डिहटन का पुरवा तक इला0 कार्य
4.	05.9.17	513996	224669.00	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव हरि0	कार्रही में महबूब अली के घर से प्रा0वि0 डिहटन का पुरवा तक इला0 कार्य
5.	01.7.17	513991	512305.00	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव हरि0	हरिहरपुर पत्तुपुर पिचरोड से हरिजन बस्ती तक इ0ला0
6.	05.9.17	513994	186938.00	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव हरि0	हरिहरपुर पत्तुपुर पिचरोड से हरिजन बस्ती तक इ0ला0

7.	01.7.17	513992	559555.00	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव हरि0	महाराजपुर में पुराने पुल से संदीप के घर होते हुए वीरेन्द्र के घर तक इ0ला0 कार्य
8.	05.9.17	513998	183326.00	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव हरि0	महाराजपुर में पुराने पुल से संदीप के घर होते हुए वीरेन्द्र के घर तक इ0ला0 कार्य
	योग		2441740.00		

अतः अपरोक्त से स्पष्ट है, कि प्रमाणक विहीन किसी व्यक्ति विशेष के नाम चेक निर्गत कर धनराशि रू0 2441740.00 का भुगतान कर आहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर भाग में श्री निरंकार मिश्र ख0वि0अधि0 में रू0 813914.00 श्री अनुभव यादव ब्लाक प्रमुख से रू0 813913.00 एवं श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव जे0ई0 (एम0आई0) से रू0 813913.00 की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- लक्ष्मणपुर, जनपद-प्रतापगढ़

1. प्रस्तर संख्या-7 निम्नलिखित विवरण के अनुसार ब्लाक प्रमुख श्रीमती वाहिदा को मानदेय का भुगतान ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार किया गया है

क्र0सं0	चेक संख्या	दिनांक	राशि रुपये में0
1.	96852	03.10.2017	77000 (01.11.2016 से 30.09.2017)
2.	96853	03.10.2017	42000
3.	96854	03.10.2017	35000
	योग		154000.00

ग्राण्ट रजिस्टर 2 के अनुसार निम्न विवरण के अनुसार क्षेत्र पंचायत पदेन सदस्यों को मानदेय का भुगतान किया गया दर्शित है। धनराशि 1540000.00 श्री आलाक सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं देवेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से सयुक्त जिम्मेदारी के कारण ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- लक्ष्मणपुर, जनपद-प्रतापगढ़

प्रस्तर-8

क्र0सं0	चेक संख्या	दिनांक	राशि रुपये में	अन्य विवरण
1.	82164	16.10.17	74500	श्री राममूर्ति गौड़ केशियर को भुगतान
2.	82190	14.07.18	74500	श्री रामसमुख पटेल, लेखाकार
	योग		149000.00	

मानदेय भुगतान सम्बन्धी पंजिका उपलब्ध न कराये जाने के कारण दर्शित भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। ग्राण्ट रजिस्टर 2 के अनुसार निम्न विवरण के अनुसार क्षेत्र पंचायत पदेन सदस्यों को मानदेय का भुगतान किया गया दर्शित है। धनराशि 149000.00 श्री आलोक सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं रामसमुख पटेल लेखाकार एवं सहायक लेखाकार राममूर्ति गौड़ से जिम्मेदारी के कारण ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 क्षेत्र पंचायत- गौरा जनपद -प्रतापगढ़

वर्ष 2018-19 में गतवर्ष का अवशेष रू 6735258.28 वर्ष की आय रू 16539066.00 रही कुल धनराशि रू 23274324.28 के सापेक्ष रू 14861191.8 व्यय किया गया है। जो उपलब्ध धनराशि का 63.85 प्रतिशत रहा, जिसके बाद अंतिम अवशेष रू 8413132.48 रहा जिसका प्रतिशत 36.15 रहा जो अनुदान का अनुपयोगी अप्रयुक्त रहा है। जिसका विवरण निम्नवत है। संख्या द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है। अनुदान का समयान्तर्गत उपयोग न किया जाना गम्भीर अनियमितता रही है। जिसके उत्तरदायी व्यक्ति खण्ड विकास अधिकारी श्री सत्येन्द्र सिंह व लेखाकार श्री भोलापाल से सयुक्त जिम्मेदारी के कारण ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	मद का नाम	प्रा0 अवशेष	वर्ष के प्राप्त	वर्ष में व्यय	अन्तिम अवशेष
1	मनरेगा प्रशासनिक मद	64197.83	4679132.00	4067807.00	675522.83
2	राज्य वित्त	5416261.80	4506551.00	5146316.00	477696.8
3	विधायक निधि	125988.75	3999490.00	2099517.00	2025961.75
4	सांसद निधि	900055.00	759105.00	1327626.00	331534.00

5	प्रधानमंत्री आवास योजना	175973.90	352868.00	441009.8	87332.10
6	बायोगैस	28781.00	870.00	—	29651.00
7	पं० दीनदयाल/मु० मंत्री सामूहिक विवाह	24500.00	2241050.00	1778916.00	486634.00
	योग	6735258.28	16539066.00	14861191.8	8413132.48

प्रारूप-3

लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18

क्षेत्र पंचायत – बहरिया, विकास खण्ड – बहरिया, जनपद-प्रयागराज

आपत्तियों का पूर्ण विवरण

प्रस्तर 1— क्षेत्र पंचायत बहरिया, जिला प्रयागराज के वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक की लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण/दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान

वित्तीय वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 1476050.00 वित्तीय वर्ष 2016-17 में अंकन रु० 966204.00 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 के ग्राण्ट रजिस्टर 1 एवं 2 मात्र दिनांक 23.05.2017 तक के ही लेखा परीक्षा पटल पर प्रस्तुत रहे, जिसमें मात्र रु० 50450.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किया गया है जिनका भुगतान मजदूरों को न कर कार्यप्रभारियों को निम्नानुसार किया गया है

क्र०	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	ब्लॉक प्रमुख का नाम	ख०वि०अ० का नाम	अवर अभियन्ता का नाम	कार्य प्रभारी का नाम	धनराशि
1	15-16	तृ०/च०रा० वित्त आयोग तेरहवाँ वित्त तृ०/च०रा० वि० आयोग तेरहवाँ वित्त	श्रीमती मीनाक्षी	श्री एस.पी. चौरसिया	श्री गजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	श्री जे.पी. शुक्ला श्री यशवन्त सिंह ग्रा०वि०अ० श्री राजेश शुक्ला ग्रा०वि०अ० श्री राजीव सिंह ग्रा०वि०अ० श्री यशवन्त सिंह ग्रा०वि०अ० श्री जे.पी. शुक्ला एडीओ आईएसबी श्री चन्द्र कुमार एडीओ सी श्री यशवन्त सिंह ग्रा०वि०अ० श्री जे.पी. शुक्ला एडीओ आईएसबी श्री यशवन्त सिंह ग्रा०वि०अ०	286517.00 423077.00 133885.00 65000.00 98044.00 31000.00 69945.00 295675.00 60407.00 12500.00
योग							1476050.00

क्र०	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	ब्लॉक प्रमुख का नाम	ख०वि०अ० का नाम	अवर अभियन्ता का नाम	कार्य प्रभारी का नाम	धनराशि
1	16-17	विधायक निधि तृ०/च०रा० वित्त आयोग	श्री चन्द्रजी त यादव	श्री अशोक कुमार श्रीमती अल्पना मिश्रा श्री अशोक कुमार श्रीमती अल्पना	श्री गजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	श्री जे.पी. शुक्ला एडीओ आईएसबी श्री के.के. सिंह बीओ पीआरडी श्री यशवन्त सिंह ग्रा०वि०अ० श्री जे.पी. शुक्ल एडीओ आईएसबी श्री यशवन्त सिंह ग्रा०वि०अ० श्री के.के. सिंह बीओ पीआरडी श्री विजय प्रकाश शुक्ल एडीओ	47450.00 45380.00 72478.00 91525.00 52562.00 134189.00 15971.00 322649.00 184000.00

				मिश्रा		श्री यशवन्त सिंह ग्रा0वि0अ0 श्री यशवन्त सिंह ग्रा0वि0अ0	
योग							966204.00

क्र०	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	ब्लाक प्रमुख का नाम	ख०वि० अ० का नाम	अवर अभियन्ता का नाम	कार्य प्रभारी का नाम	धनराशि
1		तृ/च० रा० वित्त आयोग	श्री चन्द्रजीत यादव	श्रीमती अल्पना मिश्रा	श्री गजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	श्री राम अवध यादव ग्रा0वि0अ0	50450.00
योग							50450.00

उपरोक्त भुगतानों के सबन्ध में उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय-2 नियम संख्य 49 में निहित व्यवस्थानुसार निम्न कमियाँ पायी गयी है :-

(क) मस्टररोल के लिए देय धनराशि का भुगतान कार्यप्रभारी/अधिकारी अपने स्थायी अग्रिम से या निर्माण कार्य के लिए विशेष रूप से व्यवस्थित अग्रिम से ही करेगा।

(ख) भुगतान की पूर्ति एक बित द्वारा करेगा, जिसके समर्थन में मस्टररोल होगा।

(ग) भुगतान के सम्बन्ध में धनराशि पाने वाले का हस्ताक्षर लिया जाएगा तथा कार्यप्रभारी/अधिकारी भुगतान का निम्न प्रमाण-पत्र उस बिल पर अंकित करेगा "दिखाये गये सभी श्रमिक वस्तुतः सेवायोजित किये गये तथा मस्टररोल में दर्ज सभी मजदूरी मेरी उपस्थिति में दी गई है जो कि नहीं किया गया है।

(घ) नियम संख्या 49 प्रपत्र संख्या 12 के अधीन श्रमिक का पूरा पता मस्टररोल पर अंकित नहीं है।

(ङ) विकास खण्ड कार्यालय से मस्टररोल कार्यवार निर्गत नहीं किये गये हैं और न ही उस पर कोई नम्बर अंकित है।

(च) श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख वास्तविक है अथवा नहीं उसकी पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि हस्ताक्षर/अंगूठा निशान जो अंकित है वह प्रमाणित नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त सभी नियमों की अनदेखी कर मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन रु० 2492704.00 का वर्ष 2015-16 से 2017-18 में योजनाबद्ध तरीके से अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लाक प्रमुख, ख०वि०अ०, जे०ई० एवं कार्यप्रभारी से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -2. उ०प्र० भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 (जो कि 4 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है) के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का एक प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता द्वारा काटी जाएगी। कटौती के पश्चात् यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है। लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया है। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक कुल रु० 30469342.00 के (वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु० 10791069.00 वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु० 14031358.00 तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 5646915.00) निर्माण कार्य कराये गये हैं। किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का 1 प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है। जिससे संस्था द्वारा कुल रु० 304633.00 नियम विरुद्ध कार्य करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार ब्लाक प्रमुख, एवं खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

क्र०	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	पद नाम	सन्निहित धनराशि
1	श्रीमती मीनाक्षी	ब्लाक प्रमुख	35971.00
2	श्री चन्द्रजीत यादव	ब्लाक प्रमुख	65594.00
3	श्री एस.पी. चौरसिया	ख०वि०अ०	25979.00
4	श्रीमती स्वेता सिंह	ख०वि०अ०	9991.00
5	श्री अशोक कुमार	ख०वि०अ०	14103.00
6	श्रीमती अल्पना मिश्रा	ख०वि०अ०	51492.00
7	श्री अरुण कुमार त्रिपाठी	लेखाकार	101563.00
योग			304893.00

प्रस्तर -3. क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों के लिए सामग्री क्रय ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय (कैश बुक) में दर्शित है, किन्तु मजदूरी का भुगतान उक्त कार्यों हेतु नहीं दर्शित है। सिर्फ फर्म के नाम से चेक निर्गत कर सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है। सामग्री क्रय का स्टाक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। लेखाकार से मौखिक पूछ-ताछ में बताया गया कि फर्म ही निम्नानुसार कार्य को सम्पन्न कराया है। जिस फर्म के नाम चेक निर्गत कर धनराशि का आहरण किया गया है, वह फर्म सिर्फ सामग्री की ही आपूर्ति करती है। कार्य कराने का काम फर्म नहीं करती है।

स्पष्ट है, कि फर्म के नाम चेक निर्गत कर धनराशि का अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी एवं जे0ई) (अवर अभियन्ता) से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

क्र	वर्ष	मद का नाम	कार्य का नाम	कुल धनराशि	आय कर	वैट	जमा नत	शुद्ध भुगतान	चेक सं० व तिथि	भुगतान प्राप्तकर्ता	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	2015-16	विधायक निधि	ग्राम पंचायत पारनडीह में पक्की रोड से जगनपुरा तक खड़न्जा निर्माण कार्य	93652.00	2154.00	3746.00		87752.00	000001 / 29.04.15	मे० शिवा इण्टर प्राइजेज गारापुर, प्रयागराज	श्रीमती मीनाक्षी देवी श्री एस.पी. चौरसिया ख.वि.अ. श्री गजेन्द्र प्रसाद गुप्त जेई
2	2015-16	तृ० / च० राज्य वित्त	ग्राम पंचायत मलाकमय मेसारी में देवी चौरा से होलिका दहन स्थल तक ईण्टर लाकिंग कार्य	700000.00	16100.00	28000.00	14280.00	641620.00	1000346 / 04.08.15	मे० कृष्णा इ० प्रा० तेलियर गंज प्रयागराज	यथोक्त
3	2015-16	तेरहवां वित्त	ग्राम पंचायत सराय खानदेव में रानी देवी बीडीसी के घर से राजेश केसरवानी के घर तक नाली निर्माण कार्य	300500.00	6888.00	12980.00	6120.00	274512.00	000368 / 30.11.15	मे० गणपति कृपा इ० प्रा० बहारेया इलाहाबाद	श्रीमती मीनाक्षी देवी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती स्वेता सिंह बीडीओ श्री गजेन्द्र प्रसाद गुप्त जेई
4	2015-16	तेरहवां वित्त	ग्राम पंचायत बरजी में रामसेवक प्रजापति के घर से बद्रीप्रसाद	501000.00	11523.00	200400.00	11100.00	458337.00	000340 / 21.01.16	मे० कृष्णा इ० प्रा० तेलियर गंज प्रयागराज	यथोक्त

			के घर तक नाली निर्माण								
5	2016-17	विधायक निधि	ग्राम पंचायत महमदपुर कटियाही में स्थित तालाब पर वाल निर्माण	274000.00 164898.00	6302.00 3793.00	10960.00 6596.00	9140.00 ----	247598.00 154509.00	000024 / 24.06.16 000078 / 15.1.16	मे0 कृष्णा इ०प्रा० तेलियर गंज प्रयागरा	श्री चन्द्रजीत यादव ब्लाक प्रमुख, श्री अशोक कुमार बीडीओ, श्री गजेन्द्र गुप्ता जेई
6	2016-17	विधायक निधि	सराय सुल्तानपुर में इन्द्रजीत चौहान के घर से राम बहादुर के घर तक ईण्टरलाकिंग कार्य	285990.00 185000.00	6578.00 4255.00	11440.00 7400.00	9560.00 ----	258412.00 173345.00	000096 / 25.01.17 000191 / 24.05.17	मे0 मदन ब्रिक्स क्लीन इलाहा बाद	श्री चन्द्रजीत यादव ब्लाक प्रमुख, श्रीमती अल्पना मिश्रा बीडीओ, श्री गजेन्द्र गुप्ता जेई
7	2016-17	विधायक निधि	प्रा0 विद्यालय जमुआ से शिवमूर्ति के मन्दिर तक ईण्टरलाकिंग कार्य	246000.00 161918.00	5658.00 3724.00	9840.00 6477.00	8220.00 ----	222282.00 151717.00	000099 / 25.01.17 000198 / 24.05.17	मे0 मो0 हुसैन, कटरा, इलाहाबाद	यथोक्त
8	2016-17	विधायक निधि	नयापुरा पक्की रोड से इ.ला. कार्य	220000.00	5060.00	8800.00	7360.00	198780.00	000102 / 25.01.17	मे0 प्रीतम सिंह यादव फूलपुर इलाहा बाद	यथोक्त
9	2016-17	विधायक निधि	करनाईपुर से दीनानाथ के घर से कालीमाई चौरा तक इ.ला. कार्य	264025.00 175732.00	6097.00 4042.00	10560.00 7029.00	8820.00 ----	238548.00 164661.00	000105 / 25.01.17 000176 / 11.05.17	मि० दीपा कान्द्रक शन इलाहा बाद	यथोक्त
10	2016-17	विधायक निधि	भिक्षूदा में कुच्छू के घर से रामधनी बिन्द के घर तक नाली व इ.ला. कार्य	291000.00	6693.00	11640.00	9720.00	262947.00	000109 / 28.01.17	मे0 कृष्णा इ०प्रा० तेलियर गंज प्रयागराज	यथोक्त

11	2016 -17	विधाय क निधि	मंसूरपुर में मस्जिद से छोटे लाल के घर तक इ.ला. कार्य	305000 .00 201137 .00	7015. 00 4626. 00	12200. 00 8045. 00	10180 .00 —	27560 5.00 18846 6.00	000112 / 28.01.17 000188 23.05.17	मे० विपिन कन्ट्रक्श न मऊ आईमा इलाहा बाद	यथोक्त
12	2016 -17	विधाय क निधि	शेषपुर में बाबू लाल यादव के घर से यादव बस्ती तक इ.ला. कार्य	253000 .00 167449 .00	5819. 00 3851. 00	10120. 00 6698. 00	8480. 00 —	22858 1.00 15690 0.00	000115 / 28.01.17 000196 / 21.05.17	मे०कृ ष्णा इ०प्रा० तेलियर गंज प्रयाग राज	यथोक्त
13	2016 -17	विधाय क निधि	बनवारी का पुरा में सन्तलाल के घर से राम किशुन के घर तक इ.ला. कार्य	235000 .00 158000 .00	5405. 00 3664. 00	9400. 00 6320. 00	7860. 00 —	21233 5.00 14804 6.00	00018 / 2 8.01.17 000210 / 25.05.17	यथोक्त	यथोक्त
14	2016 -17	विधाय क निधि	त्रिलोकपुर में पक्की रोड से बसन्त लाल यादव के घर तक इ.ला कार्य	180000 .00 111869 3.00	4140. 00 2730. 00	7200. 00 4748. 00	5980. 00 —	16268 0.00 11121 5.00	000136 / 31.01.17 000207 / 25.05.17	मे०कृ ष्णा इ०प्रा० तेलियर गंज प्रयाग राज	श्री चन्द्रजीत यादव ब्लाक प्रमुख, श्रीमती अल्पना मिश्रा बीडीओ, श्री गजेन्द्र गुप्ता जेई
15	2016 -17	विधाय क निधि	बंजारी में एसपीएच मार्ग से रामबहादुर के घर तक इ०ला० कार्य	3860. 00 157960 .00	8878. 00 5933. 00	15440. 00 10318. 00	12880 .00 —	38480 2.00 24170 9.00	000139 / 25.02.17 000201 / 25.05.17	यथोक्त	यथोक्त
16	2016 -17	विधाय क निधि	बघेला में कल्लू यादव के घर से भगवत प्रसाद के घर तक इ० ला० कार्य	352000 .00 234662 .00	8096. 00 5397. 00	14080. 00 9386. 00	11760 .00 —	31806 4.00 21987 9.00	000148 / 25.02.17 000179 / 12.05.17	मि० दीपा कान्द्रक शन इलाहा बाद	यथोक्त
17	2016 -17	विधाय क निधि	प्रजापति के घर से यादव	327000 .00	7521. 00	13080. 00	10920 .00	29547 9.00	000147 / 28.02.17	यथोक्त	यथोक्त

			बस्ती तक इ0 ला0 कार्य	218796 .00	5032. 00	8752. 00		20501 2.00	000182 / 12.05.17		
18	2016 -17	विधाय क निधि	बहरिया थाना रोड से डा0 लालचन्द्र के घर तक इ0 ला0 कार्य	107324 .00	2468. 00	4293. 00	---	10056 3.00	000150 / 09.03.17	मे0कृ ष्णा इ०प्रा० तेलियर गंज प्रयाग राज	यथोक्त
19	2016 -17	विधाय क निधि	सिकन्दरा में विजय यादव के घर से तुलसीराम के घर तक इ0 ला0 कार्य	304000 .00 165667 .00	6946. 00 3810. 00	12080. 00 6627. 00	12680 .00	27229 4.00 15523 0.00	000160 / 09.03.17 000204 / 25.05.17	यथोक्त	यथोक्त
20	2016 -17	विधाय क निधि	बसारत में सैयद के घर से अकबर अली के खेत तक इ0 ला0 कार्य	394008 .00	9062. 00	15768. 00	13160 .00	35601 8.00	000163 / 28.03.17	यथोक्त	यथोक्त
21	2016 -17	विधाय क निधि	टिकरी में पक्की सड़क से मन्नू सिंह के खेत तक इ0 ला0 कार्य	216000 .00	4968. 00	8640. 00	7220. 00	15917 2.00	000167 / 28.03.17	यथोक्त	यथोक्त
22	2016 -17	तृ0 / च0 राज्य वित्त	ग्राम पंचायत महुली में पक्की सड़क से दयाराम के घर तक एवं विजय यादव के घर होते हुये सी0सी0 कार्य	462000 .00 324340 .00	1062 6.00 7460. 00	18480. 00 12974. 00	15820 .00	41707 4.00 30390 6.00	000443 / 05.09.16 000446 / 12.09.16	यथोक्त	श्री चन्द्रजीत यादव ब्लाक प्रमुख, श्रीमती अल्पना मिश्रा बीडीओ, श्री गजेन्द्र गुप्ता जेई
23	2016 -17	तृ0 / च0 राज्य वित्त	ग्राम पंचायत हेतापट्टी में पक्की सड़क से गंगा के घर तक इ0ला0 कार्य	117039 6.00	2919. 00	46816. 00	23620 .00	10730 41.00	000481 / 23.11.16	यथोक्त	यथोक्त
योग											10302147

अतः उपरोक्तानुसार व्यय धनराशि रु0 10302147.00 उपरोक्तानुसार कार्यों के लिए सिर्फ सामग्री खरीद पर व्यय दर्शित हैं। बगैर मजदूरी के कार्य का पूर्ण होना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय का स्टॉक रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं रहा।

स्पष्ट है कि फर्म के नाम चेक निर्गत कर धनराशि का अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अभिलेखों में दर्शित कार्य अवधि के अनुसार श्रीमती मीनाक्षी देवी, ब्लाक प्रमुख से रु0 531718.00, श्री चन्द्रजीत गादव, ब्लाक प्रमुख से रु0 2902332.00, श्री एस.पी. चौरसिया, ख. वि.अ. से रु0 264551.00, श्रीमती श्वेता सिंह, ख.वि.अ. से रु0 267167.00, श्री अशोक कुमार, ख.वि.अ. से रु0 300299.00, श्रीमती अल्पना मिश्रा, ख.वि.अ. से रु0 2602033.00 एवं श्री गजेन्द्र प्रसाद गुप्त जे0ई0 (अवर अभियन्ता) से रु0 3434047.00 ब्याज सहित वसूल कर सम्बन्धित बैंक खातों में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 4. शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा निम्न प्रकार ब्याज की धनराशि अर्जित की गई है :-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	अर्जित ब्याज	कुल ब्याज की धनराशि
1	2015-16 एवं पूर्व के	315361.15	315361.15
2	2016-17	5787.00	321148.15
3	2017-18	3852.00	325000.15

अतः उपरोक्तानुसार संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उलंघन करते हुए कुल ब्याज की धनराशि 325000.15 संस्था में रोककर रखा गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः नियमानुसार सम्पूर्ण ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 5. तेरहवाँ राज्य वित्त आयोग वर्ष 2015-16 में दिनांक 04.08.2015 को चेक संख्या 000405 द्वारा रु0 13940.00 श्री जयप्रकाश शुक्ल एडीओ आईएसबी को क्षेत्र पंचायत की बैठक में हुए सत्कार व्यय के लिए निर्गत कर आहरण किया गया है। विकास कार्यों के लिए शासन से प्राप्त धनराशि का सत्कार व्यय पर खर्च किया जाना नियम विरुद्ध है। अतः स्पष्ट है कि उक्त धनराशि रु0 13940.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, ख.वि.अधिकारी एवं श्री जयप्रकाश शुक्ल एडीओ आईएसबी से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – सैदाबाद, विकास खण्ड – सैदाबाद, जनपद-प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 आपत्तियों का पूर्ण विवरण

प्रस्तर -6 आलोच्य वर्ष 2017-18 में कुर्सी क्रय पर व्यय रु0 4,33,650.00 राज्य वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त योजनान्तर्गत अनुदान की धनराशि से किया गया है, जिसमें टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और न ही प्रशासनिक मद का विवरण तैयार कर रखा गया है, जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि कुल प्रशासनिक मद सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया गया है, इस प्रकार उक्त प्रक्रिया का पालन न करके वित्तीय अनियमितता श्री नवीन कुमार गुप्ता ख0वि0अ0 एवं श्री अरुण श्रीवास्तव लेखाकार द्वारा की जानी सिद्ध होती है। अतः ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(आप0सं0-2)

प्रस्तर-7 आलोच्य वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त योजना की धनराशि से निम्न विवरणानुसार प्रशासनिक मद में सीमा से अधिक व्यय किया गया है जो अनियमित रहा, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री नवीन कुमार गुप्ता ख0वि0अ0 व श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है।

क्र.	मद का विवरण	धनराशि
1	कार्यालय हेतु इन्वर्टर बैट्री आदि	68000.00
2	कार्यालय मीटिंग हेतु 5 फुटी मेज सामग्री क्रय व मजदूरी	49305.00
3	ब्लाक सौन्दर्यीकरण	76492.00
4	प्रमुख कक्ष सुन्दरीकरण	98660.00
5	विकास खण्ड परिसर में 10 नग एल.ई.डी. बल्ब	37500.00
6	प्रमुख कक्ष में वायरिंग कार्य	67896.00
7	वि०ख० परिसर में वाटर कूलर व वाटर प्योर फाईड कैवित आदि पर व्यय	193572.00

8	मीटिंग हाल के दरवाजा मरम्मत व अन्य कार्य	68006.00
9	विकास खण्ड परिसर में आफिस कक्ष, स्टाफ कक्ष व मनरेगा कक्ष की रंगाई, पुताई आदि पर व्यय	70350.00
योग		729781.00

प्रस्तर – 8 भारत सरकार के त्रैमासिक बजटिंग मैनुअल के अध्याय 6 के प्रस्तर 29 के अनुसार संसाधनों के उपयोग के सम्बन्ध में तिमाही भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रथम तिमाही 20 प्रतिशत, द्वितीय तिमाही 20 प्रतिशत, तृतीय तिमाही 25 प्रतिशत, चतुर्थ तिमाही 35 प्रतिशत निर्धारित की गई है। शासनादेश संख्या 1568/38-4-1993-42/93 दिनांक के अनुसार प्राप्त धनराशि का शत प्रतिशत वर्ष में उपभोग किया जाना अनिवार्य है। किसी भी दशा में प्राप्त धनराशि के 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि अवशेष नहीं बचनी चाहिए। सम्प्रेक्षण वर्ष 2017-18 में संस्था द्वारा उक्त नियम का पालन न करके गम्भीर अनियमितता की गई है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.	मद शीर्ष	धनराशि
1	ब्याज	2,97,778.00
2	अन्य अनुदान	81,72,570.00
योग		84,70,348.00

इस प्रकार वर्षान्त में दिनांक 31-03-2018 को ₹0 84,70,348.00 अवशेष अनुदान की धनराशि में से ब्याज मद में ₹0 297778.00 एवं अन्य मद में ₹0 81,72,570.00 रहा, जिसे नियमानुसार ब्याज की धनराशि ₹0 2,97,778.00 राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिए था एवं अन्य मद की धनराशि ₹0 81,72,570.00 को योजनावार विकास कार्यों में उपयोग शत प्रतिशत अपेक्षित था, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा न करके ब्याज को वापस न कर एवं अनुदान रोकना अनियमित रहा। इस अनियमितता के लिए श्री नवीन कुमार गुप्ता ख0वि0अ0 व श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव लेखाकार जिम्मेदार हैं उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं0-4)।

क्षेत्र पंचायत – उरुवा, विकास खण्ड – उरुवा, जनपद-प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 आपत्तियों का पूर्ण विवरण

प्रस्तर –9 अधिभार में सम्मिलित आपत्ति का विस्तृत भाग:-

क्र0सं0	मूल आपत्ति व्यक्ति का नाम	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	अपहरण	दुर्विनियोग	गंभीर अनियमितता	आपत्ति का विवरण
1	02	1- श्री अमर नाथ शुक्ल (बी0डी0ओ0) 2- श्री लवकुश कुमार (ज्येष्ठ लेखा परीक्षक)	—	—	10685.00	असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण का कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण उपकरण नियम 2009 जो 4 फरवरी 2009 से उ0प्र0 में लागू है के नियम-4 (3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार उप कर लेबर सेस नियोक्ता के द्वारा काटी जाएगी। क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

वर्ष 2017-18 में पूर्व से ही हस्तगत कार्य जो आलोच्य वर्ष पूर्ण किये गये हैं के लिए ठेकेदार को सामग्री मूल्य भुगतान निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया गया है।

क्रम संख्या	चेक क्रमांक/दिनांक	धनराशि	टी0डी0 एस0	वैट एवं अन्य	ठेकेदार को भुगतान	अपेक्षित सेस जो नहीं किया गया है।
1	169031 / 24.04.2017	143000	3203	5720	134077	1430
2	169033 / 24.04.2017	91294	2045	3652	85597	913

3	169037 / 24.04.2017	156092	3496	16244	136352	1561
4	171684 / 19.06.2017	82663	1852	3307	77504	827
5	169035 / 24.04.2017	99693	2233	3988	85872	997
6	171682 / 19.06.2017	471390	10559	18855	441976	4714
7	173091 / 24.06.2017	24290	544	972	22774	243
कुल योग :-						10685

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार वर्ष 2017-18 में ₹0- 10685/- सेस की कटौती नहीं की गयी है जिसके लिए विकास खण्ड अधिकारी श्री अमर नाथ शुक्ल एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री लवकुल कुमार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – करछना, विकास खण्ड – करछना, जनपद-प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 आपतियों का पूर्ण विवरण

प्रस्तर सं0 10- आलोच्य वर्ष 2017-18 में क्षेत्र पंचायत के विभिन्न खातों से ब्याज के रूप में ₹0 120035.00 प्राप्त हुआ था जिसकी पुष्टि अनुदान रजि0 03 से की गयी है। लेकिन बैंक पास बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है/शासनादेश सं0-ए-1-122/दस-2012-10(33)-2010 दिनांक 21 मार्च 2012 एवं शासनादेश सं0- 10/2015/ए-1-522/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित समस्त ब्याज राजकीय कोषागार में जमा कर दिया जाय। क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में बैंक से कुल अर्जित ब्याज ₹0 120035.00 राजकीय कोषागार में जमा न करना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। जिसको तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, श्री सूबेदार सिंह यादव एवं लेखाकार मोअज्जम सिद्दीकी व श्री अल्पनारायण सिंह से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं.-2)

प्रस्तर सं011- आलोच्य वर्ष 2017-18 में विभिन्न योजनाओं द्वारा सम्पन्न कराये गये कार्यों के अन्तर्गत सामग्री एवं श्रमांश का विवरण इस प्रकार है-

क्र0	योजना का नाम	सामग्री	श्रमांश	टी0डी0एस02.266	वैट 4 प्रतिशत
1	राज्य वित्त आयोग	2316164.00	223085.00	52484.00	81062.00
2	विधायक निधि	41150.00	38850.00	932.00	1646.00
3	सांसद निधि	9989621.00	540755.00	226365.00	399585.00
योग		12346935.00	802690.00	279781.00	482293.00

उक्त विवरण के अनुसार ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री से टी0डी0एस0 2.266 की कटौती ₹0 279781.00 एवं वैट की कटौती ₹0 482293.00 की जानी चाहिए जबकि राज्य वित्त , विधायक निधि, सांसद निधि में से टीडीएस ₹0 273511.00 एवं वैट ₹0 504046.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार से ₹0 6270.00 टीडीएस की कटौती कम की गयी है, साथ ही उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 जो 04 फरवरी 2009 से उ0प्र0 में लागू है के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदारों के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर लेबर सेस नियोक्ता के द्वारा काटी जानी चाहिए। लेकिन उपरोक्त निर्माण कार्य की सामग्री एवं श्रमांश ₹0 13149625.00 का 1 प्रतिशत कर्मकार उपकर ₹0 131496.00 की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार से टीडीएस की कम कटौती ₹0 6270.00 एवं लेबर सेस जो नहीं काटा गया है ₹0 131496.00 कुल धनराशि ₹0 137766.00 की कटौती ठेकेदार के बिल से कम की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, श्री सूबेदार सिंह यादव एवं लेखाकार मोअज्जम सिद्दीकी व श्री अल्पनारायण सिंह बराबर के उत्तरदायी हैं। जिन्से ब्याज सहित वसूली हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपति सं.-3)**

प्रस्तर सं0 12- आलोच्य वर्ष 2017-18 में विधायक निधि व सांसद निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी क्रमशः ₹0 80000.00 व ₹0 10530376.00 का उपभोग किया जाना अनुदान रजिस्टर 2 एवं 3 में दर्शित है, लेकिन निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत किये जाने के कारण निर्माण कार्य में उपभोग की गयी धनराशि क्रमशः ₹0 80000.00 व ₹0 10530376.00 की पुष्टि नहीं हो सकी। उपरोक्त निधियों की निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखा कार की है। अतः इस ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है एवं जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन

खण्ड विकास अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, श्री सूबेदार सिंह यादव एवं लेखाकार मोअज्जम सिद्दीकी व श्री अल्पनारायण सिंह के साथ ही उनके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं.-4)

प्रस्तर सं0 13— आलोच्य वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त के अन्तर्गत ग्राम सभा हरई में राजूपाल के दरवाजे पर कूप मरम्मत कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री मनीष कुमार सिंह, सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता एवं जेई आरइएस श्री मार्कण्डेय सिंह नियुक्त किये गये थे तथा ठेकेदार के रूप में शिवम इण्टरप्राइजेज धरवारा को सामग्री आपूर्ति करने हेतु नियुक्त किया गया था। नियुक्त ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य हेतु अपनी रसीद सं0 48 दिनांक 20.07.2017 को रु0 35350.00 की सामग्री आपूर्ति की गयी थी तथा उसे चेक सं0 0235 दिनांक 20.02.2018 को टीडीएस काटकर रु0 34643.00 का भुगतान किया गया था तथा पत्रावली में संलग्नक म0रो0 दिनांक 01.08.2017 से 07.08.2017 तक कुल मजदूर 07 (02 कारीगर, 05 मजदूर) लगाकर कार्य कराया गया था लेकिन संलग्नक म0रो0 दर्शित मजदूरों द्वारा भुगतान प्राप्त कर भुगतान प्राप्त कर्ता के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं थे। संलग्नक म0रो0 पर दर्शित मजदूरी रु0 10025.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री मनीष कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता के चेक सं0 0236 दि0 20.02.2018 को किया गया है। इससे स्पष्ट है कि म0रो0 में वितरित मजदूरी का भुगतान रु0 10025.00 फर्जी दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। अतः रु0 10025.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री मनीष कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता से किया जाना अपेक्षित है।

म0रो0 में दर्शित मजदूरों का विवरण इस प्रकार है :-

क्र0	मजदूरों का विवरण	निवासी	अवधि	दिनों की संख्या	दर प्रतिदिन	दर्शित भुगतान मजदूरी
1	श्री विनोद भारतीय पुत्र विजयी कारीगर	हरई	01.08.2017 से 07.08.2017 तक	7	300.00	2100.00
2	श्री शंकर पुत्र जानकी कारीगर	हरई	02.08.2017 से 07.08.2017 तक	6	300.00	1800.00
3	श्री मनगू पुत्र शिवलाल लेबर	हरई	01.08.2017 से 07.08.2017 तक	7	175.00	1225.00
4	श्री दिनेश पुत्र मौजीलाल लेबर	हरई	01.08.2017 से 07.08.2017 तक	7	175.00	1225.00
5	श्री प्रदीप पुत्र पुइया लेबर	हरई	01.08.2017 से 07.08.2017 तक	7	175.00	1225.00
6	श्री रवि पुत्र भागूलाल लेबर	हरई	02.08.2017 से 07.08.2017 तक	6	175.00	1050.00
7	श्री चिरौंजी पुत्र लक्ष्मी नारायण	हरई	05.08.2017 से 07.08.2017 तक	3	175.00	525.00
					योग	9150.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि म0रो0 में अंकित विवरण के अनुसार कुल मजदूरी रु0 9150.00 होती है। जबकि कार्य प्रभारी क्षरा रु0 10025.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। इससे स्पष्ट होता है कि फर्जी तरीके से म0रो0 तैयार कर रु0 10025.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं.-5)

प्रस्तर सं0 14—आलोच्य वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम पंचायत करछनामें गजेंद्र सिंह के पास कूप मरम्मत कार्य कराया गया है जिसकी संलग्न प्राक्कलन के अनुसार सामग्री एवं श्रमान्स की कुल लागत लगभग रुपया 46000.00 दर्शित है, उक्त प्राक्कलन की स्वीकृति दिनांक 4 जुलाई 2017 तथा सामग्री आपूर्ति करने हेतु चयनित ठेकेदार शिवम इंटर प्राइजेज धरवारा को दिनांक 9 जुलाई 2017 को आदेशित किया गया था और उक्त फर्म द्वारा कूप मरम्मत हेतु सामग्री रसीद संख्या 47 (दिनांक अंकित नहीं है) द्वारा रुपया 35350.00 की सामग्री आपूर्ति किया गया है तथा उसका भुगतान उक्त फर्म को चेक संख्या 238 दिनांक 28 फरवरी 2018 को टीडीएस काटकर रुपया 34643.00 का किया गया है, लेकिन उक्त पत्रावली में रुपया 10074.00 मजदूरी भुगतान का मास्टररोल संलग्न नहीं पाया गया और ना ही कार्य प्रभारी श्री मनीष कुमार सिंह, सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता द्वारा भुगतान दर्शित है, साथ ही उक्त करे सामग्री को

स्टॉक पंजिका में अंकित नहीं किया गया है इससे स्पष्ट होता है कि कय सामग्री का भुगतान फर्जी दर्शाकर रुपया 35350 अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंडविकास अधिकारी श्री सूबेदार सिंह यादव एवं लेखाकार श्री अल्पनारायण सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं.-6)

प्रस्तर संख्या 15- आलोच्य वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम पंचायत घोड़ेडीह में कूप मरम्मत का कार्य कराया गया था संलग्न प्राक्कलन के अनुसार रुपया 42000.00 का प्राक्कलन तैयार है जिसकी स्वीकृति दिनांक 2 जुलाई 2017 को दी गई थी जिसमें सामग्री पर रुपया 35125.00 एवं श्रमांश पर 6864.00 दर्शित है उक्त कार्य का कार्य प्रभारी श्री मार्कण्डेय सिंह जेईआरईएस को बनाया गया था। जबकि जेईआरईएस कार्य की एम बी करना है। और जेई ही कार्य का कार्य प्रभारी बनाया जाएगा जो सबसे गंभीर अनियमितता का प्रतीक है। उक्त कार्य हेतु चयनित ठेकेदार राजपूत ब्रिक फील्ड करछना को सामग्री आपूर्ति करने हेतु दिनांक 9 जुलाई 2017 को आदेश किया गया था। और उक्त फॉर्म द्वारा अपने रसीद संख्या 145 (दिनांक अंकित नहीं है) सेईट 3000.फाइनसैण्ड 2.50 मी 3 वसीमेन्ट 16 बोरी एवं रसीद सं0 152 (दिनांक अंकित नहीं है) द्वारा 02 एंगल कुल रू0 35125.00 की सामग्री आपूर्ति किया गया है लेकिन स्टॉक रजिस्टर के अभाव में सामग्री आपूर्ति की पुष्टि नहीं हो सकी, तथा उक्त सामग्री का भुगतान चेक संख्या 916 दिनांक 28 अगस्त 2017 को रुपया 39868.00 का किया गया है तथा कार्य प्रभारी श्री मार्कण्डेय सिंह को मजदूरी का भुगतान रुपया 7000.00 का किया गया है उक्त भुगतान से स्पष्ट होता है कि भुगतान करते समय लापरवाही की गई है क्योंकि सामग्री की आपूर्ति रुपया 35125.00 की होती है और भुगतान 39868.00 का किया जाता है इस प्रकार से रुपया 4743.00 से अधिक भुगतान दर्शित है इसी प्रकार मजदूरी का भुगतान रुपया 7000.00 का किया जाना है जबकि प्राक्कलन में 6864.00 श्रमांश प्रदर्शित है इस प्रकार से रुपया 136.00 अधिक भुगतान दर्शित है। उक्त कार्य की एम बी भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई है अतः विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान इस और विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि उक्त कार्य की यथोचित जांच कर तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सुभाष चंद्र त्रिपाठी लेखाकार श्री मो अज्जमसिद्दी की एवं कार्य प्रभारी श्री मार्कण्डेय सिंह के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली हेतु यथोचित कार्य वाही किया जाना अपेक्षित है

(मूल आपत्ति सं.-7)

प्रस्तर संख्या 16- आलोच्य वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम पंचायत के मुहा में कूप मरम्मत का कार्य कराया गया था जिसका प्राक्कलन रुपया 42000.00 से तैयार किया गया है, जिसमें सामग्री पर रुपया 35125.00 एवं श्रमांश पर रुपया 6864.00 निश्चित है उक्त प्रकरण दिनांक 2 जुलाई 2017 को स्वीकृत हो गया था तथा चयनित ठेकेदार रहमत एंड कंपनी हिंदू पुरकर छना को सामग्री आपूर्ति करने का आदेश दिनांक 9 जुलाई 2017 को दिया गया है उक्त कंपनी द्वारा अपनी रसीद संख्या 78 (दिनांक अंकित नहीं है) को रुपया 35125.00 की सामग्री आपूर्ति की गई थी जिसका भुगतान चेक संख्या 217 दिनांक 28 अगस्त 2017 को रुपया 39868.00 श्री मार्कण्डेय सिंह जेई आरईएस कार्य प्रभारी को किया गया है जब कि सामग्री का मूल्य 35125.00 था उक्त सामग्री का भुगतान न्यूनतम आपूर्ति करता फॉर्म को किया जाना चाहिए साथ ही संलग्न मास्टर रोल के अनुसार 32 मानव दिवस की मजदूरी रुपया 7000.00 दर्शित है जब कि प्रकरण रुपया 6864.00 श्रमांश दर्शित है लेकिन चेक संख्या 217 दिनांक 28 अगस्त 2017 को रुपया 6850.00 श्री मार्कण्डेय सिंह जेई आरईएस कार्य प्रभारी को किया गया है जो प्राक्कलन के अनुसार नहीं है संलग्न मास्टररोल में राज मिस्त्री 84350=2800 एवं मजदूर 244125=4200 कुल रुपया 7000.00 भुगतान दर्शित है उक्त चेक संख्या 217 दिनांक 28 अगस्त 2017 को सामग्री रुपया 39868.00 एवं श्रमांश रुपया 6850.00 श्री मार्कण्डेय सिंह जेई आरईएस कार्य प्रभारी को किया गया है उक्त कार्य की एम बी भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई है इससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य न कर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रुपया 46718.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंडविकास अधिकारी तत्कालीन खंडविकास अधिकारी श्री सुभाष चंद्र त्रिपाठी लेखाकार श्री मो अज्जमसिद्दी की एवं कार्य प्रभारी श्री मार्कण्डेय सिंह जेई आरईएस से किया जाना अपेक्षित है

(मूल आपत्ति सं.-8)

प्रस्तर संख्या 17- आलोच्य वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेन्दो में कूप मरम्मत कार्य कराया गया है जिसका प्राक्कलन रुपया 41989.00 का तैयार संलग्न है जिसमें सामग्री पर रुपया 35125.00 एवं श्रमांश पर रुपया 6864.00 दर्शित है उक्त कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति करने हेतु चयनित ठेकेदार शिव मंडरप्राइजेज, धरवारा को आदेश किया गया है आदेश अनुसार उक्त फॉर्म द्वारा अपने रसीद संख्या 26 दिनांक 27 जुलाई 2017 को कुल सामग्री का मूल्य 27775.00 की आपूर्ति किया गया था जिसमें टीडीएस वैट काट कर रुपया 26062.00 का भुगतान चेक संख्या 208 दिनांक 25 जुलाई 2017 को कार्य प्रभारी

कार्यप्रभारी श्री मारकंडेय सिंह जेई आरईएस को किया गया है जबकि उक्त फॉर्म को भुगतान होना चाहिए था तथा आपूर्तिकर्ता के रसीद संख्या 41 दिनांक 20 अगस्त 2017 को एम 150 1000 ईट 7400.00 की दर से प्रति हजार रुपया 7400.00 एवं श्रमांश रुपया 6864.00 कुल रुपया 14264.00 चेक संख्या 219 दिनांक 28 अगस्त 2017 रुपया 13806.00 कार्य प्रभारी श्री मारकंडेय सिंह जेई आरईएस को किया गया है, इस प्रकार से कार्य प्रभारी श्री मारकंडेय सिंह जेई आरईएस चेक संख्या 208 दिनांक 25 जुलाई 2017 रुपया 26062.00 एवं चेक संख्या 219 दिनांक 28 अगस्त 2017 रुपया 13806.00 कुल रुपया 39868.00 का भुगतान किया गया है जब कि सामग्री का भुगतान आपूर्ति करता फॉर्म को किया जाना चाहिए उक्त निर्माण कार्य की एम बी पंजिका व स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है इससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य कल्पनिक दर्शाकर रुपया 39868.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तत्कालीन खंडविकास अधिकारी श्री सुभाषचंद्र त्रिपाठी लेखाकार श्री मो अज्जमसिद्दी की एवं कार्य प्रभारी श्री मारकंडेय सिंह जेई आरईएस से किया जाना अपेक्षित है

(मूल आपत्ति सं.-9)

जनपद का नाम :- मुजफ्फरनगर मण्डल का नाम:- सहारनपुर

क्षेत्र पंचायत-बघरा, विकास खण्ड-बघरा विशेष लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की प्रमुख आपत्तियाँ।

प्रस्तर -1 राज्य वित्त के अन्तर्गत ग्राम धौलरा में राजेन्द्र के मकान से श्याम लाल के मकान तक सी0सी0 निर्माण की निविदा सांय 3 बजे दि0 22.12.2011 को खोली गई। जिसमें उक्त कार्य मेसर्स तोमर कंस्ट्रक्शन को आवंटित हुआ। लेकिन पत्रावली की जांच के दौरान प्रकाश में आया कि मस्टर रोल दि0 14.12.2011 से 25.12.2011 तक के हैं। उक्त कार्य की लागत रु0 107041.00 है। कार्यदेश से पूर्व कार्य प्रारम्भ कर दिया जाना फर्जी प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जगमोहन एवं लेखाकार श्री राजेन्द्र कुमार जैन तथा अवर अभियन्ता श्री अमित कुमार गोयल से संयुक्त रूप से रु0 107041.00 ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 2. विकास खंड बघरा में 12वें वित्त से दिनांक 25.06.2011 को विकास खंड बघरा में प्रमुख कक्ष की मरम्मत व पुताई आदि में रु0 34431.00 सामग्री क्रय पर दर्शित है। परन्तु उक्त कार्य पर श्रमांश का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जगमोहन एवं लेखाकार श्री राजेन्द्र कुमार जैन तथा अवर अभियन्ता श्री अमित कुमार गोयल से संयुक्त रूप से 34431.00 ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 3. आलोच्य वर्ष में कराये गये निर्माण कार्यों के अन्तर्गत रॉयल्टी 14.00 रु0 प्रति घन मीटर की दर से राजकीय कोषागार में रु0 138810.00 न जमा कराकर राजस्व की क्षति पहुंचायी गई। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 4. आलोच्य वर्ष में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय टी0डी0एस0 की कटौती निर्धारित 2.26 प्रतिशत से कम पर किया गया है। अन्तर की धनराशि रु0 19900.00 ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से करके लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-बघरा, विकास खण्ड-बघरा, विशेष लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की प्रमुख आपत्तियाँ।

प्रस्तर 5. विकास खण्ड बघरा में 13वें वित्त से 15-16 में कार्यालय की मरम्मत, पुताई व सौन्दर्यकरण का कार्य दिनांक 10.06.2015 से प्रारम्भ होकर 22.01.2017 को सम्पन्न हुआ, जिस पर कुल व्यय रु0 764888.00 सामग्री क्रय दर्शित है। कार्यदेश दिनांक (30.06.2015 का) से पूर्व कार्य का प्रारम्भ होना तथा श्रमांश का शून्य भुगतान को संदिग्ध बनाता है। ऐसी स्थिति में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार सहगल, श्री ओ0पी0मान, श्री योगेन्द्र लाल भारती, श्री एम0आई0खान, श्री सुनील कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री राजेन्द्र कुमार जैन तथा अवर अभियन्ता श्री अमित कुमार गोयल से संयुक्त रूप से रु0 764888.00 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 6. विकास खंड बघरा में राज्य वित्त से वर्ष 2015.16 में ग्राम हरसौली में धर्मशाला की चार दीवारी निर्माण हेतु स्वीकृत कार्य की लम्बाई 30 मीटर पर दिनांक 09.09.2015 से दिनांक 15.12.2015 तक कुल व्यय राशि 78033.00 के विरुद्ध कार्यपूर्ति एवं एम0बी0 से 25.85 मीटर की पुष्टि होती है। ज्ञात हो की स्वीकृति लागत रु0 80800.00 को दृष्टिगत रखते हुये 25.85 मीटर पर कुल रु0 69623.00 व्यय किया

जाना चाहिए था। अन्तर धनराशि रु0 8410.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ओ0पी0 मान तथा लेखाकार श्री राजन कुमार जैन से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 7. आलोच्य वर्ष में कराये गये निर्माण कार्यों के अन्तर्गत मिट्टी हेतु रॉयल्टी रु0 14 प्रति घन मीटर की दर से राजकीय कोषागार में जमा न कराकर रु0 42885.00 की क्षति पहुंचायी गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 8. आलोच्य वर्ष में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय टी0डी0एस0 की कटौती निर्धारित दर 2.26 से कम कर रु0 39198.00 की क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी से करके राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-बुढाना, विकास खण्ड-बुढाना विशेष लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की प्रमुख आपत्तियाँ।

प्रस्तर 9. दिनांक 08.11.2011 को विधायक निधि ,पीएनबी खाता संख्या 22343/ से 150620.00 रु0 का आहरण सैलरी के नाम से किया गया है। ग्रांट रजि0 2 में चैक सं0 व भुगतान का विवरण (केवल सैलरी अंकित है) अंकित नहीं है। यह भी अज्ञात रहा है कि वेतन भुगतान कब का तथा किसे किया गया है। बिना चैक आहरण का कोई आचित्य नहीं है साथ ही इस निधि से सैलरी का भुगतान नहीं किया जा सकता है। भुगतान की पुष्टि में कोई प्रमाणक/रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस कारण भुगतान अपुष्ट एवं संदिग्ध रहा है। अतः या तो भुगतान की पुष्टि कराई जाये अन्यथा तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विजयपाल सिंह एवं तत्कालीन लेखाकार श्री अरविन्द कुमार से रु0 150620.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 10. लेखा परीक्षा वर्ष (2011-12 से 2013-14) में पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि ठेकेदारों के बिलों से 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती नहीं की गई है जो गंभीर अनियमितता रही है। लेखापरीक्षानुसार वर्ष 2011-12 में रु0 38628.00, 2012-13 में रु0 60156.00 तथा 2013.14 में रु0 89026.00 श्रम कर की कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार संस्था अधिकारियों द्वारा राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिये 01.04.2011 से 31.03.2014 तक कार्यरत रहे खंड विकास अधिकारी एवं श्री अरविन्द कुमार एवं श्री सुरेन्द्र सिंह लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कुल रु0 187810.00 श्रम उपकर की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-बुढाना, विकास खण्ड-बुढाना विशेष लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की प्रमुख आपत्तियाँ।

प्रस्तर 11. आलोच्य वर्ष की निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि ठेकेदारों के बिलो से 1 प्रतिशत श्रम उपकर की कटौती कर जमा नहीं कराया गया है जो गंभीर अनियमितता रही हैं। लेखा परीक्षानुसार वर्ष 2014-15 में रु0 99367.00, 15-16 में रु0 37724.00 तथा 16-17 में रु0 72940.00 लेबर सेस काटकर जमा कराया जाना चाहिए था। यह राजकीय राजस्व की क्षति है। अतः इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कुल रु0 210031.00 की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित संबंधित खंड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार से कर लेबर सेस जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 12. आलोच्य वर्षों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि ठेकेदारों के बिलो से 4 प्रतिशत वैट की कटौती नहीं की गई है जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। यह गंभीर अनियमितता है। लेखा परीक्षानुसार वर्ष 2014-15 में रु0 397471.00 वर्ष 15-16 में 152001.00 तथा 16-17 में 291759.00 कुल रु0 841231.00 वैट की कटौती कर राजस्व जमा कराया जाना चाहिए था। अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर लेखापरीक्षा वर्षों में कार्यरत रहे खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से ब्याज सहित वसूली कर रु0 841231.00 टैक्स जमा कराया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-शाहपुर, विकास खण्ड-शाहपुर विशेष लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 की प्रमुख आपत्तियाँ।

प्रस्तर 13. आलोच्य अवधि में कराये गये निर्माण कार्यों के अन्तर्गत मिट्टी हेतु रॉयल्टी रु0 14-00 प्रतिघन मीटर के दर से राजकीय कोष में न जमा कराकर रु0 53525-00 की राजस्व क्षति पहुंचायी गई। क्षतिपूर्ति खण्ड विकास अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोषागार में जमा करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 14. आलोच्य वर्ष में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय टी0डी0एस0 कटौती दर 2.26 प्रतिशत से कम किया गया है। अन्तर की धनराशि रु0 3294.00 खण्ड विकास अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-जानसठ, विकास खण्ड-जानसठ, विशेष लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12, 2015-16 एवं 2016-17 की प्रमुख आपत्तियाँ।

प्रस्तर 15. दिनांक 27.03.2016 को विधायक निधि में डी0सी0बी0 अकाउंट नं0 12451 क्रिटिकल गेप्स योजना के अन्तर्गत जिला अधिकारी कार्यालय से रु0 1158025.00 की धनराशि विभिन्न गांव में 39 स्ट्रीट लाईट्स स्थापना हेतु प्राप्त हुई थी। स्ट्रीट लाईट स्थापना पर अधिक भुगतान करके भारी अनियमितता बरती गई है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप यादव एवं अवर अभियन्ता श्री सुनील कुमार धारीवाल उत्तरदायी है। रु0 843019.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 16. दिनांक 31.03.2017/24.04.2017 को चैक सं0 रु0 906460.00 से ब्लॉक प्रमुख श्री योगेश गुर्जर को रु0 39200.00 चार माह का मानदेय का भुगतान किया गया है। (ग्रांट रजि0 में अवधि अंकित नहीं है) इससे पूर्व दिनांक 15.12.2016 को चैक सं0 906435 से दो माह अक्टूबर एवं नवम्बर 16 का मानदेय रु0 14000.00 भुगतान किया गया था। इस प्रकार दिसम्बर 16 से मार्च 2017 तक का चार माह का मानदेय ही शेष था जो रु0 28000.00 होता है परन्तु रु 28000.00 के स्थान पर रु0 39200.00 भुगतान कर दिया गया है जो रु0 11200.00 अधिक है। इस प्रकार प्रमुख को रु0 11200.00 अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया है। अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए रु0 11200.00 की ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख से अथवा खंड विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप यादव तथा लेखाकार श्री सुनील कुमार त्यागी से अपेक्षित है।

प्रस्तर 17. आलोच्य वर्ष की निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि ठेकेदारों के बिलों से 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती नहीं की गई है बल्कि प्रतिकार्य व्यय के अनुसार 1 प्रतिशत की धनराशि अलग से गणना कर लेबर सेस जमा कराया गया है जो अनौचित्यपूर्ण एवं गंभीर अनियमितता हैं आलोच्य वर्ष 2011-12 में रु0 35926, 2015-16 में रु0 67972.00 तथा 2016-17 में रु0 56203.00 कुल रु0 160101.00 का भुगतान बिना बिलों से काटे किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन एवं वर्तमान खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए रु0 160101.00 की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-खतौली, विकास खण्ड-खतौली, विशेष लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 की प्रमुख आपत्तियाँ।

प्रस्तर 18. निर्माण कार्य की पत्रावलियों की जांच में पाया गया की निर्माण कार्य हेतु मस्टर रोलो के भुगतान दर्शाये गये है किन्तु पत्रावलियों में मस्टर रोल संलग्न नहीं रहे है। केवल अवर अभियन्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर ही भुगतान कर दिये गये है। जो गंभीर अनियमितता है। रु0 368360.00 का भुगतान अवर अभियन्ता श्री सुनील कुमार धारीवाल को किये गये है। इस प्रकार बिना मस्टर रोल तैयार किये केवल प्रार्थना पत्र के आधार पर किया गया भुगतान अनियमित एवं अनौचित्यपूर्ण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री धर्मराज यादव एवं अवर अभियन्ता श्री सुनील कुमार धारीवाल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 19. आलोच्य वर्ष में 13वें वित्त से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि ठेकेदारों के बिलों से 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती नहीं की गई है जबकि नियमानुसार प्रतिकार्य ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए थी। आलोच्य वर्ष में कुल भुगतान रु0 3598280.00 का 1 प्रतिशत अर्थात रु0 35982.00 लेबर सेस की कटौती बिलों से करके राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए था। अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए रु0 35982.00 की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 20. आलोच्य वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर प्रयुक्त दर्शायी गयी मिट्टी की मात्रा की रॉयल्टी ठेकेदारों के बिलों से काटकर जमा नहीं करायी गयी। जिस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुयी है। आलोच्य वर्ष में कुल 8498.74 घनमीटर मिट्टी का उपयोग होना दर्शाया गया है। जिसकी 14 रु0 प्रति घन मीटर की दर से रु0 118926.36 की रॉयल्टी जमा करायी जानी चाहिये थी, किन्तु रॉयल्टी जमा न होने की स्थिति में रु0 118926.36 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री धर्मराज यादव एवं श्री पंकज कुमार लेखाकार से कर रॉयल्टी जमा करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 21. आलोच्य वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु ठेकेदारों के बिलों से 4 प्रतिशत वैट नहीं काटा गया है जो गंभीर अनियमितता रही है। आलोच्य वर्ष में कुल रु0 3598280.00 बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये, जिनका 4 प्रतिशत अर्थात् रु0 143931.00 वैट जमा कराया जाना चाहिए था। इसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री धर्मराज यादव एवं लेखाकार श्री पंकज गुप्ता उत्तरदायी हैं। अतः श्री धर्मराज यादव एवं श्री पंकज गुप्ता से रु0 143931.00 की ब्याज सहित वसूली कर वैट जमा कराया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-खतौली विकास खण्ड –खतौली विशेष लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 से 2016–17 की प्रमुख आपत्तियाँ

प्रस्तर 22. वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक राज्य वित्त के अनुदान से ब्लॉक खतौली के टेलीफोन बिल का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया है। प्राप्त करवाई गयी जानकारी के अनुसार विकास खण्ड में मात्र एक ही टेलीफोन है जो कि विकास खण्ड कार्यालय में लगा है। फिर उक्त के बिलों का भुगतान किस आधार पर राज्य वित्त आयोग के अनुदान से किया गया है।

वर्ष	टेलीफोन मद में भुगतान राशि
2013–14	14769.00
2014–15	16539.00
2015–16	15304.00
2016–17	8882.00
योग—	55494.00

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः किस नियम/आदेश के अन्तर्गत उक्त व्यय विकास खण्ड का होने के पश्चात् भी क्षेत्र पंचायत के अनुदान से किया गया है। उक्त के लिए पूर्णतः विभिन्न कालखण्डों में रहे विकास खण्ड अधिकारी जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत –जानसठ विकास खण्ड –जानसठ विशेष लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13 से 2014–15 की प्रमुख आपत्तियाँ

प्रस्तर 23. लेखा परीक्षित वर्ष 2012–13 से 2014–15 में ग्रांट पंजिका द्वितीय एवं तृतीय के अनुसार 31 मार्च को अनुदान शेष की स्थिति निम्न प्रकार रही है :—

क्रमांक	वर्ष	31 मार्च को शेष अनुदान
1	2012–13	5245525.50
2	2013–14	8364257.50
3	2014–15	5100311.50
	योग—	18710094.50

शासन द्वारा अनुदान क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत की परिसम्पत्तियों के रखरखाव व विभिन्न विकास कार्यों के लिये आवंटित किया जाता है। उक्त का उपयोग शत प्रतिशत न करना विभागीय अधिकारियों व संचालक मण्डल की लापरवाही का प्रतीक है। जिसके लिये विशेष रूप से तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 24 लेखा परीक्षित वर्ष 2012–13 से 2014–15 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त से प्राप्त अनुदान को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया है। जिससे निम्न विवरण अनुसार राज्य वित्त/तेहरवें वित्त से कराये गये विकास कार्यों में स्थानान्तरित किया गया है।

क्रमांक	वर्ष	राज्य वित्त में ब्याज की राशि हस्तान्तरित	13वें वित्त में ब्याज से हस्तान्तरित	धनराशि
1	2012–13	—	—	—
2	2013–14	396628.00	201749.00	598577.00
3	2014–15	141090.00	145910.00	287000.00

योग—885577.00

जबकि शासन के आदेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 व शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुपालन में यदि सरकार से प्राप्त धनराशि पर वर्ष में ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उक्त आय संस्था की ना

होकर सरकार की होंगी। जिसे राजकोष में जमा कराया जाना था। लेकिन राजकोष में जमा न कर राज्य वित्त/13 वे वित्त से कराये गये विकास कार्यों पर खर्च किया गया है। जो कि सर्वथा अनुचित अनियमित एवं आपत्तिजनक है जिसके लिये पूर्ण रूप से तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-3

जनपद का नाम:- शामली

सम्भाग- सहारनपुर

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तिया:-

प्रस्तर 1- क्षेत्र पंचायत- शामली, विकास खण्ड- शामली आलोच्य वर्ष में रु0 2077565.00 की निर्माण सामग्री क्रय की गयी है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से अंकन रु0 83102.60 की वैट की कटौती करके सम्बन्धित विभाग को भुगतान किया जाना चाहिये था। जबकि वर्ष में वैट का कटौती शून्य रही। जिससे रु0 83102.60 की राजस्व की क्षति पहुचाई गई है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 83102.60 की प्रतिपूर्ति तारीख ब्याज सहित तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारीखण्ड विकास अधिकारी श्री विश्राम, श्री ओपी0 मान एवं श्री सरजीत सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(आ0 स0-2)

प्रस्तर 2- क्षेत्र पंचायत- शामली, विकास खण्ड- शामली उत्तर प्रदेश उप, खनिज परिहार नियमावली 1963 (यथा संशोधित 39 वां संशोधन) के नियम 21 के अनुसार और शासनादेश सं0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ दिनांक 15 दिसम्बर 2004 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि में प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के खनन हेतु विधिवत अनुज्ञा पत्र रवन्ना उ उ-11 एवं रायल्टी अंकन रु0 14.00 प्रति घन मीटर की दर से देय सुनिश्चित किया गया है। लेकिन क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर इसकी कटौती नहीं की जा रही है। 6794.74 घन मी0 मिट्टी उठाने पर 95126.36 रु0 की राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों से सुनिश्चित कर राज कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 स0- 3)

प्रस्तर 3-क्षेत्र पंचायत- शामली, विकास खण्ड- शामली शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-10(33) /2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था का द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है, तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है। वर्ष 2011-12 में अनुदान पंजी व बैंक खाते के अनुसार शासकीय अनुदानों पर रु0 26136.00 ब्याज कमाया गया है। बैंक पासबुक अनुसार अर्जित ब्याज रु0 26136.00 बैंक शाखा द्वारा दिनांक 30-03-2012 को पी0एन0पी0 के चौक सं0 659822 के द्वारा वापस कर दिया गया है। जबकि उक्त ब्याज का धनराशि को सम्बन्धित एजेन्सी को जाना चाहिए था। अतः आहरण वितरण अधिकारी से उक्त ब्याज की धनराशि की ब्याज सहित वसूली कर क्षेत्र पंचायत निधि में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(आ0 स0- 04)

प्रस्तर 4- क्षेत्र पंचायत- शामली, विकास खण्ड- शामली अप्रैल 2011 में क्रिटिकल गेप्स योजना का रु0 199567.00 आरम्भिक शेष ग्रांट रजि0 3 के अनुसार दर्शित था। जिसे माह जून 2011 में ग्रांट रजि0 3 के अनुसार उपभोग किया जाना दर्शाया गया है। उक्त किये गये उपभोग की पुष्टि में सम्बन्धित बिल/बाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में उक्त उपभोग प्रमाणित नहीं होता है। अतः उक्त धन की ब्याज सहित वसूली आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(आ0 स0 - 05)

प्रस्तर 5- क्षेत्र पंचायत- शामली, विकास खण्ड- शामली बायोगैस योजना में अप्रैल 2011 को आरम्भिक शेष रु0 10300.00 दर्शाया गया था, वर्ष में इस योजना में रु0 1400.00 प्राप्त किये गये, लेखा परीक्षा वर्ष में 10100.00 इस योजना में उपभोग किया जाना दर्शित है। उक्त किये गये उपभोग की पुष्टि में लाभार्थियों की सूची व प्रमाणित नहीं होता है। अतः उक्त धन कि ब्याज सहित वसूली आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(आ0 स0 - 06)

प्रस्तर 6 क्षेत्र पंचायत- शामली, विकास खण्ड- शामली दिनांक 05.11.11 से 26.11.2011 तक विकास खण्ड परिसर की पुताई व मरम्त कार्य में दिनांक 12.01.2012 को अंकन रु0 51262.00 ठेकेदार श्री विरेन्द्र कुमार को चौक संख्या 659813 से 659818 तक कुल छः चौको द्वारा भुगतान किया गया है। उक्त कार्य का आदेश दिनांक 02.12.2011 को पत्रांक संख्या 1447 के द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार अवर अभियन्ता को कार्यधिकारी नियुक्त किया गया, उक्त विवरण से स्पष्ट है के कार्य समाप्त किये जाने के बाद कार्य आदेश

व कार्यकारी की नियुक्ति की गई है। जिससे उक्त किया गया कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (आ० स० – 07)

प्रस्तर 7— क्षेत्र पंचायत— शामली, विकास खण्ड— शामली लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में अंकन रु० 48955.00 मानदेय ग्रांट रजि० 2 अनुसार देना दर्शाया गया है उक्त मानदेय की पुष्टि में मानदेय रजि०, सदस्य उपस्थिति पंजिका, मानदेय प्राप्ति रशीद एवं कार्यवाही रजि० लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे हैं। जिनके अभाव में उक्त मानदेय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री किशनपाल से की जानी अपेक्षित है। (आ० स० – 08)

प्रस्तर 8— क्षेत्र पंचायत— थानाभवन, विकास खण्ड—थाना भवन आलोच्य वर्ष में रु० 2551868.00 की निर्माण सामग्री क्रय की गयी है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से अंकन रु० 102074.72 की वैट की कटौती करके सम्बन्धित विभाग को भुगतान किया जाना चाहिये था। जबकि वर्ष में वैट का कटौती शून्य रही। जिससे रु० 102074.72 की राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु० 102074.72 की प्रतिपूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री आर० सी० गोयल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 9 — क्षेत्र पंचायत— थानाभवन, विकास खण्ड—थाना भवन वर्ष 2011-12 में 3888.99 घन मीटर हेतु कुल रु० 210720.12 का भुगतान नियमानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30.00 प्रति घन मीटर की दर से अंकन रु० 116669.70 रायल्टी काटी जानी चाहिये थी। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर०सी०गोयल से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 10— क्षेत्र पंचायत— थाना भवन, विकास खण्ड—थाना भवन सबमर्सिबल लगाने हेतु, विकास खण्ड परिसर की पुताई कार्य, सोलर लाईट निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिसके कारण कराये गये कार्य की पुष्टि न की जा सकी। पत्रावलीयों के अभाव में निम्न कार्य को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। पत्रावली अनुपलब्ध रहने के कारण अंकन रु० 521563.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन श्री आर०सी०गोयल खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 11 क्षेत्र पंचायत— थानाभवन, विकास खण्ड—थाना भवन ग्राम चन्देनामाल से भनेडा सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खडन्जा कार्य, उमरपुर से अलीपुर सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खडन्जा कार्य, ग्राम ख्यावडी से फूल सिंह के घर से चौन सिंह के घर तक सी०सी० व नाली निर्माण कार्य का पत्रावली की जांच में पाया गया है कि कार्य को पूर्ण कराये जाने के उपरान्त कार्य कराये जाने सम्बन्धी स्वीकृति ली गयी है जो कि गम्भीर आपत्तिजनक है तथा कराये गये कार्य संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र.स.	कार्य का नाम	धनराशि	कार्य प्रारम्भ	कार्य समाप्त	कार्य की स्वीकृति का दिनांक
1	ग्राम चन्देनामाल से भनेडा सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खडन्जा कार्य	401802.00	01.11.11	28.11.11	09.03.12
2	उमरपुर से अलीपुर सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खडन्जा कार्य	431139.00	01.11.11	21.12.11	09.03.12
3	ग्राम ख्यावडी से फूल सिंह के घर से चौन सिंह के घर तक सी०सी० व नाली निर्माण	159438.00	01.12.11	28.12.11	09.03.12
योग—		992379.00			

प्रस्तर 12— क्षेत्र पंचायत— थाना भवन, विकास खण्ड—थाना भवन ग्राम कैडी में मुस्तकीम के घर से इण्टर कालेज तक सी०सी० निर्माण कार्य जाना दर्शित है। उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में संलग्न एस्टीमेट में मजदूरी पर अंकन रु० 121850.00 दर्शाया गया है। जबकि मस्टर रोल के अनुसार रु० 131850.00 मजदूरी का भुगतान किया गया है। इस प्रकार अंकन रु० 10000.00 का भुगतान एस्टीमेट से अधिक किया गया है स्टीमेट से अधिक किया गया भुगतान अंकन रु० 10000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन जे०ई० व खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 13— क्षेत्र पंचायत— कैराना, विकास खण्ड— कैराना दिनांक 06.06.11 में क्षेत्र निधि खाता सं० 13044 जिला सहकारी बैंक शाखा कैराना से चौक संख्या 487078 के द्वारा अंकन रु० 4900.00 टांसफर किये जाने दर्शित है। उक्त धनराशि किसे व किस खाते में टांसफर की गयी लेखा परीक्षा में अज्ञात रही। यहां यह भी

उल्लेखनीय है कि उक्त धनराशि को ग्रांट पंजिका 2 में नहीं दर्शाया गया है केवल ग्रांट पंजिका 3 में ही ब्याज मद से व्यय किया जाना दर्शाया गया है। अतः रु0 4900.00 बैंक खाते से आहरित धनराशि की लेखा परीक्षा में पुष्टि न की जा सकी। उक्त धनराशि की अधिभार की कार्यवाही करते हुये रु0 4900.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बीर सिंह व लेखाकार श्री विनय कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 14— क्षेत्र पंचायत— कैराना, विकास खण्ड— कैराना लेखा परीक्षा वर्ष में निम्नलिखित कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी है। पत्रावली के अभाव में कराये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष किये गये व्यय को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। अतः सम्बन्धित के खिलाफ अधिभार की कार्यवाही का जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

क्र.स.	कराये गये कार्य का नाम	धनराशि	चैक सं०/दिनांक	धन प्राप्त कर्ता
1	विकास खण्ड कार्यालय के सामने रोड के किनारे खडण्जा निर्माण	72957.00	487079/16.6.11	श्री यासीन
2	खण्ड विकास अधिकारी आवास एवं कार्यालय का मरम्त	121601.00	487080/16.8.11	श्री यासीन
3	खण्ड विकास अधिकारी आवास एवं कार्यालय का मरम्त	31600.00	487081/16.8.11	श्री सतपाल सिंह ग्रा0वि0अ0
4	विकास खण्ड कार्यालय में सी.सी. सडक एवं बी.डी.ओ. आवास में मरम्त	234307.00	487083/29.8.11	श्री शिवकुमार
5	ग्राम मौ0पुरराई में यासिन के मकान से शराफत के खेत की ओर पक्का नाला निर्माण	59221.00	487087/9.9.11	श्री यासीन
6	ग्राम मौ0पुरराई में यासिन के मकान से शराफत के खेत की ओर पक्का नाला निर्माण	30200.00	487088/9.9.11	श्री सतपाल सिंह ग्रा0वि0अ0
योग—		549886.00		

प्रस्तर 15— क्षेत्र पंचायत— कैराना, विकास खण्ड— कैराना आलोच्य वर्ष में ग्रांट रजि0 3 के अनुसार राज्य वित्त आयोग का आरम्भिक अवशेष अनुदान रु0 1046837.00 व वर्ष में प्राप्त अनुदान रु0 1578000.00 कुल अनुदान रु0 2623837.00 दर्शित है। उक्त के सापेक्ष वर्ष में राज्य वित्त अनुदान से कराये गये कार्य अंकन रु0 3305614.00 दर्शाये गये हैं उक्त व्यय में रु0 24000.00 मानदेय भी सम्मिलित है। अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य वित्त के कुल अनुदान अंकन रु0 681777.00 अधिक व्यय किया गया है उस प्रकार रु0 681777.00 13वें वित्त आयोग अनुदान से व्यय अनियमित रहा। अतः उक्त के प्रति अधिभार एवं लेखाकार से उक्त की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 16—क्षेत्र पंचायत— कैराना, विकास खण्ड— कैराना आलोच्य वर्ष में अंकन रु0 3682793.00 की निर्माण सामग्री क्रय की गयी है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत निर्माण सामग्री पर 4 प्रतिशत की दर से वैट का भुगतान सम्बन्धित विभाग को किया जाना, जो कि नहीं किया गया है। अतः उक्त धनराशि पर 4 प्रतिशत दर से रु0 147311.00 वैट का भुगतान सम्बन्धित विभाग को न कर राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है। उक्त के प्रति विधिक कार्यवाही करते हुए रु0 147311.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरणखण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 17— क्षेत्र पंचायत— कैराना, विकास खण्ड— कैराना उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमवली—1963(यथा संशोधित 39 वां संशोधन) के नियम 21 के अनुसार और शासनादेश संख्या 6714/7775—3004—200—77 लखनऊ दिनांक 15.12.2004 के अनुसार निर्माण कार्यों में कराई आदि में प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के खनन हेतु विधिवत अनुज्ञापन रवन्ना उउ—11 एवं रायल्टी अंकन रु014.00 प्रति घन मीटर की दर से देय सुनिश्चित किया गया है। लेकिन क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर इसकी कटौती नहीं की जा रही है। निम्न विवरणानुसार इस प्रकीर कुल रु0 98559.64 की राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कर राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 18— क्षेत्र पंचायत— ऊन, विकास खण्ड— ऊन आलोच्य वर्ष रु0 4283420.00 की निर्माण सामग्री क्रय का गयी है। जिस पर 4 प्रतिशत का दर से अंकन रु0 171337.00 की वैट की कटौती करके सम्बन्धित

विभाग को भुगतान किया जाना चाहिये था। जबकि वर्ष में वैट का कटौती शून्य रही। जिससे रु0 171337.00 की क्षति पहुँचाई गई है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही का जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 171337.00 का प्रतिपूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन आहरणवितरण अधिकारीधखण्ड विकास अधिकारी श्री राधे श्याम वर्मा (बी0डी0ओ0) एवं आर0सा0गोयल (बी0डी0ओ0) से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 19— क्षेत्र पंचायत— ऊन, विकास खण्ड— ऊन वर्ष 2011—12 में 15705.44 घन मीटर मिट्टी हेतु कुल रु0 505714.00 का भुगतान नियमानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30.00 प्रति घन मीटर की दर से अंकन रु0 471163.20 रायल्टी काटी जानी चाहिये थी। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राधे श्याम वर्मा (बी0डी0ओ0) एवं आर0सी0गोयल (बी0डी0ओ0) से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रारूप—3

जनपद— चन्दौली मण्डल— वाराणसी क्षेत्र पंचायत

1— क्षेत्र पंचायत चन्दौली लेखा परीक्षा वर्ष 2017—18

प्रस्तर—1 आयकर कटौती :- आयकर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर कटौती कर किए जाने के उपरान्त ही भुगतान किए जाने का प्रावधान है। आयकर कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत लेखा शीर्ष 21 में जमा किए जाने के लिए संस्था के आहरण व वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किए जाने से विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी न काटे गये आयकर की बराबर धनराशि के बराबर दण्ड आरोपित करने का प्रावधान है। साथ ही काटे गए आयकर को निर्धारित समय सीमा के भीतर राजकोष में जमा न करने पर कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। 01 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती एक वर्ष में 30 हजार से अधिक या सभी बिलों का योग 75 हजार हो पर 2.00 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित की जानी है। वर्ष 2017—18 में निर्माण कार्य पर सामग्री क्रय मद में व्यय किए गए व्यय 1251254 पर नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से 25025 आयकर की कटौती की जानी चाहिए लेकिन संस्था के अधिकारियों के शासनादेश का उल्लंघन कर आयकर कटौती नहीं की गयी। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली मय ब्याज उत्तरदायी से वसूल कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—2 जीएसटी :- माह जुलाई से व्यापार कर समाप्त कर जीएसटी की व्यवस्था लागू की गयी। 01 जुलाई से अग्रिम आदेश तक जीएसटी पर टीडीएस की व्यवस्था स्थगित होने के बावजूद जीएसटी रु0 21307 की कटौती कर अनियमित रूप से कटौती कर संस्था पर रखा गया है। उक्त धनराशि सम्बन्धित फर्म को वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—3 शासनादेश संख्या 10 - 2015 / ए - 1502(1) / दस - 2015 -10(33/2015 के अनुसार " शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों के बैंक में रखने के बाद जो ब्याज अर्जित होगा वह संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज राज कोषागार में जमा कर किया जायेगा" जबकि वित्तीय वर्ष 2017—18 में विविध ब्याज मद में रु0 15381.92 दर्ज है जिसे राज कोषागार में न जमा कर अनियमितता की गयी। इसके लिए श्री शंकर प्रसाद सोनकर व सहा0 लेखाकार श्री संजय सिंह उत्तरदायी रहे। कई बैंक खातों पर विगत 02 वर्षों से ब्याज नहीं दिया गया है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान बैंक से ब्याज प्राप्ति की कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—4 मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र डीएलआरडीएलआरसी /दिनांक 16.10.2006 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप खनिजों की आपूर्ति करते समय निम्न व्यवस्था प्रदान की गयी है :-

(क) उप खनिजों की आपूर्ति करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि उप खनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (एम0एम0—11) के आधार पर परिवहन किए गए हैं।

(ख) आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किए जाने के फलस्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाए।

(ग) जिन मामलों में बिना रायल्टी के भुगतान किए उप खनिजों की आपूर्ति हो गयी है। उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रायल्टी की धनराशि कटौती कर संगत लेखा शीर्षक में जमा कर दिया जाए तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी को भेज दी जाय।

(घ) यदि कार्यदायी विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ठेकेदार से रायल्टी भुगतान सुनिश्चित किए बगैर अन्तिम भुगतान कर दिया जाता है अथवा ससमय राजकोष में जमा नहीं किया जाता है तो निहित सरकारी राजस्व की हानि हेतु सम्बन्धित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रायल्टी से प्राप्त आय 2547 को पूरे वर्ष दिनांक 31.03.2018 तक संस्था पर रोककर रखा गया है जिसे राजकीय कोषागार में तत्काल जमा कर दिया जाना चाहिए था। उक्त राजकीय धन रोककर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिए श्री विजय कुमार सिंह, ख0वि0अ0 व स0लेखाकार श्री संजय सिंह उत्तरदायी रहे। उक्त धन तत्काल जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 शासनादेश संख्या ए-1-351/दस-2011, दिनांक 30 अगस्त 2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निधारित टी0डी0एस0 सुनिश्चित करने के विधिक जिम्मेदारी सम्बन्धी आहरण वितरण अधिकारी की है। इसके तहत टेण्डर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना आवश्यक है। संविदा का फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नं0 जारी किया गया है। यदि डी0डी0ओ0(आहरण वितरण अधिकारी) की त्रुटि से अर्थदण्ड एवं ब्याज देयता की स्थिति बनती है तो उसके विरुद्ध ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जायेगी। संस्था द्वारा 1-4-17 को वैट कटौती का 103553 कम से कम 01 वर्ष से अधिक समय से संस्था रोककर रखा गया है। जबकि इसे कोषागार में जमा कर देना चाहिए था। ज्ञातव्य है कि 01 जुलाई 2017 से वैट की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गयी है। उक्त धनराशि शीघ्र राज्य कोषागार में जमा कराते हुए उत्तरदायी ख0वि0अ0 एवं लेखाकार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्य पूरवा चकिया में सीवर निर्माण कार्य में जिसके कार्य प्रभारी श्री बजरंगी पाण्डेय एवं श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह हैं के द्वारा कराये कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोल कार्य दिवस 01.07.17 से 07.07.17 रु0 10.885 एवं 08.07.17 से 14.07.17 रु0 13440.00 पर अंकित राजगीर/श्रमिक जैसे अंकित संजू निलेश नीरज के किए गए हस्ताक्षर व मस्टर रोल भरने वाले के हस्ताक्षर एकदम एक से संदिग्ध हैं। इसी प्रकार प्रयुक्त 03 अंगूठा निशानी भी एक जैसे एवं असत्यापित हैं। रु0 24325.00 के इस संदिग्ध मस्टर रोल के विषय में लेखाकार से पूछे जाने पर भुगतान खाते में होने की बात कही गयी किंतु हस्ताक्षरों की पुष्टि के विषय में कोई बात नहीं की गयी है। उत्तर संतोषजनक नहीं रहा। जिन मजदूरों के खाते में एडवाइस से भुगतान किया गया उन्हीं मजदूरों ने ही कार्य स्थल पर कार्य भी किया। इसकी पुष्टि श्रमिकों के वास्तविक हस्ताक्षर व सत्यापित अंगूठा निशानी से होती है। उक्त अनियमितता का प्रकरण विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में कुल 1395968 व्यय किया गया है जिसमें दिनांक 31.03.18 को रु0 720000 36 कन्याओं के खाते में दिया गया है। शेष 675968 का व्यय निम्न प्रकार किया गया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सामान कितने जोड़ों हेतु क्रय किया गया -

क्र0सं0	दिनांक	मद का विवरण	धनराशि	प्राप्त कर्ता
1	09.03.18	जोड़ों का सामान तथा अन्य सामग्री क्रय	80000	श्रीमती निशा सिंह, ए0डी0ओ0,एस0के0
2	10.03.18	मे0 एमपी मेटल स्टोर्स नखास वाराणसी से बर्तन क्रय	80000	विक्रेता को
3	10.03.18	मे0 भारती सिन्थेटिक्स होलसेल क्लार्थ एवं साड़ी मर्चेन्ट	50321	विक्रेता को
4	10.03.18	मे0 सर्वोदय सिन्थेटिक्स होलसेल क्लार्थ व साड़ी मर्चेन्ट	14889	विक्रेता को
5	27.03.18	श्री साई कम्प्यूनिक्शन शिवपुर से 36 सेट मोबाइल	90000	विक्रेता को
6	27.03.18	श्री आशीष ज्वेलर्स सुडिया से 36 सेट पायल व बिछिया	61200	विक्रेता को
7	31.03.18	जालान से 40 साड़ी क्रय	12058	श्री श्यामजी पाल
8	—	मे0 सिद्धकी टेंट हाउस सकलडीहा को पाण्डाल व जलपान का भुगतान	10000	फर्म को
9	—	मे0 आशीवाद मण्डप जीटी रोड चन्दौली को लंच पैकेट	65600	—
10	—	मे0 आशीवाद मण्डप जीटी रोड चन्दौली पाण्डाल टेंट आदि	59400	फर्म को

11	31.03.19	मे0 नीलकंठ मोबाइल व चश्मा घर यादव कटरा चन्दौली 25 मोबाइल	62500	फर्म को
		योग	675968	

क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त क्रय करते समय शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)/86, दिनांक 23 सितम्बर 2008 व क्रय के वित्तीय नियम का पालन नहीं किया गया। शासनादेश के अनुसार 20000 से अधिक के क्रय हेतु कोटेशन एवं 10000 से अधिक क्रय पर टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। किन्तु तालिका से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से अनियमित रूप से सामग्री क्रय की गयी।

इसी प्रकार क्रमांक 1 व 7 पर अंकित धनराशि सम्बन्धित विक्रेता/फर्म को खाते में भुगतान न करके नगद भुगतान किया गया है। जो शासनादेश संख्या ए-1-1450/दस-96-10 11-95, दिनांक 23.07.96 जिसके अनुसार निजी व्यक्तियों/संस्थाओं एवं पाटियों को 2000 से अधिक भुगतान नगद करने का निषेध है, का उल्लंघन करता है।

उक्त अनियमितता पर कार्यवाही अपेक्षित है।

2- क्षेत्र पंचायत-बरहनी लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18

प्रस्तर-8 वर्ष आलोच्य में निर्माण कार्य पर निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय किया गया है :-

भुगतान तिथि	सामग्री मूल्य	सामग्री का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता
26.06.17	514176.00	ईट	पार्वती ईट उद्योग
13.07.17	99813.00	सीमेंट, बालू, गिटटी आदि	गौरव सीमेंट एजेन्सी
20.12.17	133582.00	ईट	पार्वती ईट उद्योग
20.12.17	84909.00	सीमेंट, बालू, गिटटी आदि	गौरव सीमेंट एजेन्सी
17.10.17	310056.00	ईट	पार्वती ईट उद्योग
17.10.17	237162.00	सीमेंट, बालू, गिटटी आदि	गौरव सीमेंट एजेन्सी
योग	1379698.00		

आपूर्ति कर्ताओं के बिल से उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रु0 1379698.00 पर आयकर दर 2.26 से रु0 31181.00 होता है। जबकि आयकर रु0 15314.00 की कटौती कर ग्रांट रजिस्टर में दर्शाया गया है। इस प्रकार अन्तर की धनराशि रु0 15867.00 की कटौती सम्बन्धित बिलों से न करके फर्म को अधिक भुगतान करके राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित फर्म से की जानी अपेक्षित है। फर्म से ब्याज सहित वसूली न होने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति श्री विजय कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री विजय शंकर से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में क्षेत्र पंचायत को कुल 93 जोड़ों के विवाह हेतु रु0 35000.00 प्रति जोड़ों की दर से कुल रु0 3255000.00 प्राप्त रहा। जिसमें से व्यय रु0 930359.00 ग्रांट पंजी तृतीय दिनांक 31 मार्च 2018 तक निम्न विवरणानुसार रहा :-

1	111 जोड़ों हेतु बर्तन पर व्यय दर 2000.00 प्रति जोड़ा	120000.00 102000.00	077409 419	20.03.18
2	36 जोड़ों हेतु कपड़ा पर व्यय दर 2800.00 प्रति जोड़ा	23999.00 40000.00 36575.00	410 413 414	20.03.18 20.03.18 20.03.18
3	93 जोड़ों हेतु मोबाइल पर व्यय दर 2500.00 प्रति जोड़ा	105000.00 65000.00 62500.00	415 086216 262	23.03.18
4	42 जोड़ों हेतु जेवर पर व्यय दर 1700.00 प्रति जोड़ा	71400.00	418	28.03.18
5	42 जोड़ों हेतु भोजन पर व्यय दर 5000.00 प्रति जोड़	85000.00 125000.00	416 417	22.03.18 22.03.18
6	93 जोड़ों हेतु श्रृंगारदानी पर व्यय दर 1000.00 प्रति जोड़	93000.00	263	
	योग	929474.00		
	बैंक चार्ज	885.00		
		930359.00		

उक्त व्यय पर आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

क- विवाह समारोह का आयोजन दिनांक 11.03.18 एवं 31.03.18 को किया जाना बताया गया किन्तु उक्त सभी चेक 10 दिन बाद से दिनांक 22.03.2018 से 23.03.2018 के मध्य काटे गये जिससे स्पष्ट है कि समारोह आयोजन के पूर्व कोई सामान क्रय नहीं रहा।

ख- विवाह हेतु जोड़ों का चयन अनुमोदन एवं स्वीकृति सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। जिससे जोड़ों की पात्रता की पुष्टि की जा सके।

ग-सामानों के क्रय हेतु टेण्डर कोटेशन नहीं किया गया। जिससे क्रय हेतु वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के पालन की पुष्टि नहीं होती है।

घ-विवाह हेतु अनुमन्य 93 जोड़ों के सापेक्ष सामान क्रय करते समय कुछ सामान 93 जोड़ों हेतु कुछ सामान 42 एवं 36 हेतु और बर्तन 111 जोड़ों हेतु क्रय किया गया। सामान का टुकड़ों में क्रय अनियमित रहा साथ ही अनुमन्यता से अधिक 111 जोड़ों हेतु बर्तन का क्रय शासकीय धन का दुरुपयोग है। इस प्रकार (111-93)त्र 18 जोड़ों हेतु दर 2000.00 से कुल रु 36000.00 का दुरुपयोग किया गया है।

ङ-दिनांक 11.03.2018 को 42 जोड़ों की शादी कराई गयी किन्तु शासन का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ यहां तक कि प्रत्येक जोड़ों को अनुमन्य रु 20000.00 का अन्तरण भी दिनांक 31.03.2018 तक नहीं किया गया जो घोर अनियमितता का द्योतक है।

च- सामानों के क्रय का कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया नही सामूहिक विवाह आयोजन की कोई पत्रावली भी लेखा परीक्षा में मांग किये जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त क से च तक अंकित बिन्दुओं के क्रम में एवं दर्शित क्रय के सापेक्ष प्रमाणकों के अभाव में सम्पूर्ण दर्शित व्यय की धनराशि में से रु 36000.00 का दुरुपयोग एवं रु 893474.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए सर्वश्री विजय कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री विजय शंकर उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

3- क्षेत्र पंचायत नियमताबाद

लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18

प्रस्तर-10 चतुर्थ राज्य वित्त मद से वर्ष 2017-18 में रु 2612467.90 व्यय किया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों में निम्न कमियां पायी गयीं :-

1- कार्य योजना स्वीकृति के समय कार्य के उद्देश्य के साथ पूर्ण होने के समय का उल्लेख नहीं है।

2-प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक का अंकन संबंधित अभिलेख पर नहीं है।

3- कई पत्रावलियों में 10000.00 से अधिक क्रय पर भी टेण्डर आमंत्रित न कर कोटेशन पर ही कर लिया गया है। तो कई पत्रावलियों में टेण्डर संबंधित प्रपत्र संलग्न ही नहीं है।

4-टेंडर प्रकाशन व खुलने के समय 3 से 7 दिवस का ही है, जबकि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के टिप्पणी के अनुसार टेंडर देने वाले को युक्ति युक्त समय नोटिस प्रकाशन से तीन सप्ताह से कम नहीं होना चाहिये। टेंडर भी नियमानुसार दो समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया गया है। टेंडर की पुष्टि हेतु समाचार की प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है।

5- मापन पुस्तिका व मस्टर रोल क्षेत्र पंचायत कार्यालय द्वारा निर्गत तथा क्रमांकित नहीं है।

6-मापन पुस्तिका पर प्रत्येक चरण की एमबी करते समय बिल का क्रमांक तथा तिथि का अंकन नहीं है। ख0वि0अ0 द्वारा हस्ताक्षर के साथ तिथि का अंकन नहीं है। कई एमबी पर अंत में सारांश का अंकन नहीं है।

7-कार्यादेश के शर्तों के अनुपालन में तीनों चरणों की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है।

8-कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं कराये गये हैं। नियमानुसार कार्ययोजना संबंधित वित्तीय वर्ष के भीतर पूर्ण कर लेनी चाहिये। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 178 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा दी गयी स्वीकृति एक वर्ष तक ही मान्य रहती है। बिना स्वीकृति इन्हें अगले वर्ष शुरू नहीं किया जा सकता है।

9-क्षेत्र पंचायत द्वारा स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

10- नियमानुसार रायल्टी, आयकर कटौती नहीं की गयी है।

11-मजदूरों के खाते में दी गयी मजदूरी के पुष्टि में बैंक को भेजे जाने वाली एडवाइज पत्रावली में संलग्न है, जबकि शाखा प्रबंधक को प्राप्त करायी गयी प्रति ही पत्रावली में संलग्न की जानी चाहिये। मजदूरी सम्बन्धित के खाते में भुगतान की पुष्टि नहीं की गयी।

12-उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए कि निर्माण कार्य विस्तृत योजनाओं एवं विशिष्टताओं के अनुसार समुचित रीति से निष्पादित किया गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया है, तो योजना और अनुमन्य से विचलन का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। जो नहीं किया गया है। सम्परीक्षा के दौरान यह भी पाया गया है कि कई कार्य प्रभारियों को ख0वि0अ0 द्वारा पत्र जारी कर कार्य पूर्ण न होने तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र डी0पी0सी0 नहीं लगाई गयी है। कार्य पूर्णता की स्थिति अज्ञात रही।

13—अनुपलब्ध पत्रावली—वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत नियमताबाद द्वारा राज्य वित्त एवं 13वें वित्त के अन्तर्गत कराये गये 21 पत्रावलियों के सापेक्ष मात्र 6 पत्रावलियां ही उपलब्ध करायी गयी जिसके अन्तर्गत रु0 908052.00 व्यय हुआ है। जबकि वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत पंजी तृतीय के अनुसार रु0 6754782.53 व्यय हुआ है, इस प्रकार लेखाकार द्वारा रु0 5846730.53 की पत्रावली अप्रस्तुत रही, जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

14—कार्य पूर्ण होने के बाद कार्य का अंकन परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज नहीं है।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए राज्य वित्त मद में व्यय की गई धनराशि रु0 2612467.90 अनियमित रही। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1502/दस-2015-10(33)/2018 के अनुसार, 'शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों के बैंक में रखने के बाद जो ब्याज अर्जित होगा व संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित ब्याज राजकीय कोषागार में जमा कर दिया जायेगा।' जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु0 201961.00 अर्जित ब्याज का उपभोग योजनाओं के धन के साथ कर लिया गया है। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा रु0 201961.00 धन का दुरुपयोग कर लिया गया है, इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार सिंह एवं श्री राजन राय तथा लेखाकार उत्तरदायी रहे। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 दिनांक 31.03.2018 को अनुदान पंजिका-3 के अनुसार रु0 12314193.00 अनुदान की धनराशि उपभोग हेतु अवशेष दर्शित है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.04.2017 को भी रु0 5123997.89 अनुदान की धनराशि उपभोग हेतु अवशेष था। स्पष्ट है कि राजकीय अनुदान की धनराशि को निरंतर अवशेष रोककर दुरुपयोग किया जा रहा है। केन्द्रीय वित्त आयोग के गाइडलाइन्स के अनुसार अनुदान की धनराशि प्राप्ति तिथि से 12 माह के अन्दर उपभोग कर लिया जाना चाहिये था। साथ ही सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 212(5) के अनुसार भी प्राप्त अनुदान का उपभोग कर उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्दर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये था। उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही अग्रेतर अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी। अतएव इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि संस्था द्वारा काल्पनिक उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित कर अग्रेतर किस्तें प्राप्त की जा रही हैं वहीं दूसरी तरफ अनुदान की धनराशि रोककर दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार सिंह एवं राजन राय व लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

4— क्षेत्र पंचायत नौगढ़ लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18

प्रस्तर-13 विकास खण्ड में आवासीय भवन रंगार्ड—पुताई एवं मरम्मत कार्य में व्यय मजदूरी में निम्नांकित अनियमितता पायी गयी—

क— मस्टर रोल पर कार्य अवधि 16.11.2017 से 06.12.2017 तक कुल मजदूरी का भुगतान चेक संख्या 9980100 तथा 9980101 द्वारा दिनांक 09.12.2017 को क्रमशः रु0 117868.00 तथा रु0 14994.00 को मिलाकर रु0 132862.00 की गई। जिसकी एम0बी0 07.12.2017 को की गई है। किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मस्टर रोल पर कार्य करने वाले श्रमिकों का हस्ताक्षर/अंगुठा निशान नहीं किए गये हैं। इस सम्बन्ध में लेखाकार द्वारा बताया गया भुगतान खाते में किया गया है अतः हस्ताक्षर नहीं कराया गया है ये उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जिन मजदूरों के खाते में मजदूरी का भुगतान किया गया है उन्हीं के द्वारा कार्य भी किया गया है इसकी पुष्टि हेतु उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रकार मस्टर रोल पर हस्ताक्षर न कराया जाना गम्भीर अनियमितता है।

ख— उपस्थिति दर्ज करने वाले अधिकारी का भी हस्ताक्षर मस्टर रोल पर नहीं था। इस प्रकार उक्त अनियमितता के लिए कार्य प्रभारी श्री महेन्द्र कुमार जी0वी0ए0 तथा श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता जू0इन्जीनियर उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 ग्राण्ट रजिस्टर 3 के कालम 8 में वैट जीएसटी रु0 63588.00 की कटौती कर जमा न कर संस्था पर रोकना गम्भीर अनियमितता है। उक्त धनराशि पर जीएसटी पर टीडीएस की कटौती का औचित्य नहीं था क्योंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में जीएसटी पर टीडीएस कटौती स्थगित थी। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 ग्राण्ट रजिस्टर 2 के अनुसार राज्य वित्त नौडिहवां राम जनम खरवार पुलिया 1 पर कार्य—
सामग्री—रु0 46170.00 चेक सं0—333203 दिनांक 07.04.2017
मजदूरी—रु0 33764.00 चेक सं0—333204 दिनांक 07.04.2017
रु0 15711.00 चेक सं0—333205 दिनांक 07.04.2017
जिस पर निम्नांकित आपत्तियां दर्ज की गयी जो अग्रलिखित है :—

- प्रथमतः ग्राण्ट रजिस्टर-2 के अनुसार एक ही दिन में सामग्री रु0 46170.00 दिनांक 07.04.2017 तथा मजदूरी रु0 33764.00+15711.00 49475.00 का भुगतान 07.04.2017 को ही किया गया। ये गम्भीर आपत्ति है दूसरी आपत्ति की सामग्री से ज्यादा मजदूरी दी गई है ?
- लेखा परीक्षा में उक्त कार्य में व्यय सामग्री+मजदूरी रु0 95645.00 का कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।
- उक्त कार्य की एम0बी0, कार्य योजना, स्टीमेट आदि प्रमुख अभिलेख नहीं रहे।
- स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निरीक्षण पत्र, निविदा पत्रावली आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।
- वित्तीय/प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, सामग्री क्रय आदेश आदि प्रमुखतः अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए।

मजदूरी हेतु मस्टर रोल, जॉब कार्ड रजिस्टर, बैंक को भुगतान हेतु निर्गत आदेश पत्र तथा मजदूरों की लिस्ट आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपराक्तानुसार कुल रुपया 95645.00 का अपहरण/गबन प्रकाश में आया जिसके लिए सीधे खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा कार्य प्रभारी जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 ग्राण्ट रजिस्टर-2 के अनुसार राज्य वित्त से विकास खण्ड परिसर में अनुरक्षण कार्य—
सामग्री—रु0 111648.00 चेक सं0—333213 दिनांक 21.06.2017
मजदूरी—रु0 40033.00 चेक सं0—333214 दिनांक 21.06.2017
रु0 6228.00 चेक सं0—333215 दिनांक 21.06.2017

योग— रु0 157909.00

उपरोक्त कार्य पर भी एक ही तारीख में सामग्री पर रु0 111648.00 तथा मजदूरी पर रु0 46261.00 व्यय किये गये हैं ये कैसे सम्भव है कि एक ही तारीख में सामग्री भी आयी तथा मजदूरी भी देकर समस्त कार्य हो गया।

- लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय सामग्री रु0 111648.00 का कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।
- उक्त कार्य का कार्य प्रस्ताव, एम0बी0 कार्य योजना इस्टीमेट आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निरीक्षण पत्र, निविदा पत्रावली, स्टॉक एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किए गए।
- सामग्री का क्रय आपूर्ति आदेश, कोटेशन, टेण्डर आदि भी प्रस्तुत नहीं किए गए।
- मजदूरी हेतु मस्टर रोल, जॉब कार्ड रजिस्टर, भुगतान हेतु निर्गत आदेश पत्र तथा मजदूरों की लिस्ट भी नहीं रखी गयी।

अतः उपराक्तानुसार कुल रुपया 157909.00 का अपहरण/गबन प्रकाश में आया जिसके लिए सीधे खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा कार्य प्रभारी जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 ग्राण्ट रजिस्टर-2 के अनुसार राज्यवित्त से सेमर साधोपुर में मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य :—

सामग्री	धनराशि	चेक सं0	दिनांक
	217664.00	333216	25.06.2017
	91547.00	333218	21.08.2017
	45270.00	333232	27.09.2017
	45270.00	333253	10.10.2017

	399751.00		
मजदूरी	46469.00	333219	21.08.2017
	43635.00	333218	21.08.2017
	17652.00	333254	10.10.2017
	4776.00	333255	10.10.2017
	112532.00		

उपरोक्त कार्य में सामग्री पर रु0 399751.00 लेखा परीक्षा में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

- उक्त का कार्य योजना, प्रस्ताव एम0बी0, इस्टीमेट आदि प्रमुख अभिलेख लेखा परीक्षा में नहीं रखे गए।
- स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निरीक्षण पत्र, निविदा पत्रावली आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।
- क्रय/आपूर्ति (सामग्री) आदेश, कोटेशन टेण्डर आदि भी नहीं रखे गए।
- मजदूरी के पुष्टि हेतु मस्टर रोल, बैंक चेक, मजदूरों की लिस्ट तथा जॉब कार्ड रजिस्टर आदि नहीं रखे गए।

अतः उपराक्तानुसार कुल रुपया 512283.00 का अपहरण/गबन प्रकाश में आया जिसके लिए सीधे खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा कार्य प्रभारी जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 ग्राण्ट रजिस्टर-2 के अनुसार रा0वि0 से दीपन यादव के घर से शंकर जी के मन्दिर तक पत्थर चौका कार्य :-

सामग्री	धनराशि	चेक सं0	दिनांक
	16200.00	333222	21.08.2017
	36887.00	333231	27.09.2017
	53087.00		
मजदूरी	18321.00	333223	21.08.2017
	2058.00	333224	21.08.2017
	20379.00		

उपरोक्त कार्य सामग्री 53087.00 का है जिसमें रु0 16200.00 की सामग्री को दिनांक 21.08.2017 को क्रय की गई तथा मजदूरी दिनांक 21.08.2017 को रु0 20379.00 दे दी गई। पुनः सामग्री रु0 36887.00 की क्रय किया गया उसके बाद कोई मजदूरी नहीं दी गई। उपरोक्त व्यय पूर्णतः संदिग्ध प्रतीत होता है।

- उपरोक्त सामग्री व्यय का कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- उक्त कार्य का कार्य प्रस्ताव, एम0बी0, कार्य योजना इस्टीमेट आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निरीक्षण पत्र, निविदा पत्रावली, स्टॉक एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किए गए।
- मजदूरी हेतु मस्टर रोल, जॉब कार्ड रजिस्टर, भुगतान हेतु निर्गत आदेश पत्र तथा मजदूरों की लिस्ट नहीं रखी गयी।

अतः उपराक्तानुसार कुल रुपया 73466.00 का अपहरण/गबन प्रकाश में आया जिसके लिए सीधे खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा कार्य प्रभारी जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 ग्राण्ट रजिस्टर-2 के अनुसार विकासखण्ड सामुदायिक भवन का रख-रखाव कार्य :-

	धनराशि	चेक सं0	दिनांक
सामग्री	94858.00	33225	21.08.2017
मजदूरी	19708.00	333226	21.08.2017

उपरोक्त कार्य पर एक ही तारीख 21.08.2017 को सामग्री तथा मजदूरी का भुगतान दर्शित है कब सामग्री आयी कब से कब तक मजदूरों द्वारा कार्य पूर्ण किया गया सब अस्पष्ट रहा।

- सामग्री का भुगतान रु0 94858.00 के सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं रखा गया।

- उक्त कार्य का कार्य प्रस्ताव, एम0बी0, कार्य योजना इस्टीमेट आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि प्रमुख अभिलेख नहीं रखे गए।
- मजदूरी हेतु मस्टर रोल, जॉब कार्ड रजिस्टर, बैंक की हस्तान्तरित चेक तथा मजदूरों की लिस्ट भी नहीं रखी गयी।

अतः उपराक्तानुसार कुल रुपया 114566.00 का अपहरण/गबन प्रकाश में आया जिसके लिए सीधे खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा कार्य प्रभारी जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 ग्राण्ट रजिस्टर-2 के अनुसार रा0वि0 से परिसर में मिटटी/खडन्जा/चबूतरा कार्य :-

	धनराशि	चेक सं0	दिनांक
सामग्री	116309.00	333228	16.09.2017
मजदूरी	16605.00	333229	16.09.2017

उपरोक्त कार्य में ग्राण्ट रजिस्टर-2 के अनुसार एक ही तारीख 16.09.2017 को सामग्री तथा मजदूरी का भुगतान किया गया है एक ही दिन कैसे कार्य हुआ सब अस्पष्ट रहा-

- उक्त कार्य में सामग्री पर रु0 116309.00 व्यय सन्दर्भित कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं रखा गया।
- उक्त कार्य का प्रस्ताव, एम0बी0 कार्य योजना इस्टीमेट आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर, निरीक्षण पत्र, निविदा पत्रावली आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।
- उपरोक्त की क्रय /आपूर्ति(सामग्री) आदेश, कोटेशन टेण्डर आदि भी नहीं रखे गए।
- मजदूरी हेतु मस्टर रोल, जॉब कार्ड रजिस्टर, बैंक की हस्तान्तरित चेक तथा मजदूरों की लिस्ट भी प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः उपराक्तानुसार कुल रुपया 132914.00 का अपहरण/गबन प्रकाश में आया जिसके लिए सीधे खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा कार्य प्रभारी जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 ग्राण्ट रजिस्टर-2 के अनुसार राज्य वित्त से विकास खण्ड में यूरिनल कार्य-

	धनराशि	चेक सं0	दिनांक
सामग्री	99132.00	333230	16.09.2017
मजदूरी	-	-	-

ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार उपरोक्त कार्य पर केवल सामग्री ही क्रय किया गया है मजदूरी पर कितना व्यय हुआ यह ग्राण्ट रजिस्टर-2 से स्पष्ट न हो सका।

- उक्त पर सामग्री पर व्यय से सम्बन्धी कोई प्रमाणक तथा अन्य सुसंगत अभिलेख लेखा परीक्षा दरम्यान नहीं रखा गया।

अतः उपराक्तानुसार कुल रुपया 99132.00 का अपहरण/गबन प्रकाश में आया जिसके लिए सीधे खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा कार्य प्रभारी जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 ग्राण्ट रजिस्टर-2 के अंकन के अनुसार निम्नांकित व्यय सामग्री तथा मजदूरी पर व्यय किया गया है जिस पर कार्य का नाम अंकन नहीं था और क्रय की सामग्री का नाम भी अंकित नहीं था :-

मद	धनराशि	चेक संख्या	दिनांक
सामग्री	30127.00	333237	03.10.2017
	27362.00	33238	03.10.2017
	24732.00	333240	03.10.2017
	30126.00	333241	03.10.2017
	6548.00	333242	03.10.2017
	10457.00	333246	10.10.2017
	8341.00	333248	10.10.2017
	90102.00	333252	10.10.2017
	336616.00	333258	25.10.2017

	73783.00	908093	18.11.2017
	74385.00	908094	18.11.2017
योग	712579.00		
मजदूरी	10164.00	333235	03.10.2017
	6950.00	333236	03.10.2017
	11690.00	333239	03.10.2017
	5872.00	333242	03.10.2017
	133330.00	333244	10.10.2017
	23312.00	333247	10.10.2017
	13004.00	333249	10.10.2017
	11143.00	333250	10.10.2017
	34202.00	333251	10.10.2017
	19548.00	333257	25.10.2017
	147420.00	333259	25.10.2017
	93103.00	333260	25.10.2017
	13122.00	998095	18.11.2017
	47062.00	998096	18.11.2017
	22249.00	998097	18.11.2017
	15844.00	998098	18.11.2017
योग	488015.00		

उपरोक्त व्यय सामग्री+मजदूरी का कोई प्रमाणक पत्रावली लेखा परीक्षा लिखित रूप से मांग किए जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा ग्राण्ट रजिस्टर-2 में व्यय के सन्दर्भ में कार्यों का उल्लेख न करना गम्भीर विषय है।

अतः उपराक्तानुसार कुल रुपया 1200594.00 का अपहरण/गबन प्रकाश में आया जिसके लिए सीधे खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा कार्य प्रभारी जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-23 ग्राण्ट रजिस्टर-2 के अनुसार राज्य वित्त से सबमर्सिबल पम्प की रिपेयरिंग कार्य :- कार्य स्थल का नाम अंकित नहीं

मद	धनराशि	चेक सं०	दिनांक
सामग्री	10500.00	998103	09.12.2017
मजदूरी	3000.00	998104	12.12.2017

उक्त व्यय (सामग्री) तथा मजदूरी का कोई व्यय प्रमाणक तथा अन्य सुसंगत अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपराक्तानुसार कुल रुपया 13500.00 का अपहरण/गबन प्रकाश में आया जिसके लिए सीधे खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा कार्य प्रभारी जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 क्षेत्र पंचायत नौगढ़ की लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य वित्त को छोड़कर अन्य मदों का कोई अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया गया जिसे आगे संक्षिप्त से मदवार अंकित किया गया है जो गम्भीर आपत्ति का विषय भी है, इस कारण लेखा परीक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता।

मनरेगा- ग्राण्ट रजिस्टर 3 के अनुसार इसका प्रारंभिक अवशेष रु० 166022.44 था जो वर्षान्त तक रु० 166022.44 संस्था में पड़ रहा जिसे सम्बन्धी विभाग लौटाना चाहिए। ये गम्भीर अनियमितता है।

मनरेगा कन्टीजेन्सी- वर्ष 2017-18 में ग्राण्ट रजिस्टर-3 के अनुसार कुल रु० 1483181.00 की धनराशि व्यय की गयी इस सन्दर्भ में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है।

विधायक निधि- इस मद में कुल रु० 646740.00 ग्राण्ट रजिस्टर-3 के अनुसार व्यय किए गए जिसका कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

बी०आर०जी०एफ०- ग्राण्ट रजिस्टर-3 के अनुसार इसकी प्रारंभिक अवशेष रु० 16884.00 था जिसे माह दिसम्बर 2017 में खर्च किया गया वर्षान्त 00.00 रहा। इसका भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

सांसद निधि— ग्राण्ट रजिस्टर-3 के अनुसार वर्ष 2017-18 में रु0 2150856.00 व्यय किया गया है, इसकी कोई भी फाइल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है साथ ही साथ इसके आय-व्यय के कालम ग्राण्ट रजिस्टर-3 में त्रुटियां हैं। जैसे माह अप्रैल 17 प्रारंभिक कोष +वर्ष की आय= योग 473158+278811=751969 होना चाहिए के स्थान पर 715969.00 अंकित है जिसमें रु0 36000.00 का अंतर पाया गया है जो क्रमशः आगे भी है।

क्षेत्रीय निधि— ग्राण्ट रजिस्टर-3 के अनुसार वर्ष 2017-18 में रु0 636400.00 व्यय हुए इससे सम्बन्धी कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राण्ट रजिस्टर-3 के अनुसार इसका आरंभिक अवशेष रु0 219180.51 था जिसमें वर्षान्त तक कितना ब्याज मिला ये भी अंकित नहीं केवल माह अक्टूबर में 2000.00 प्राप्ति दिखाया गया है।

इसके अतिरिक्त वैट जीएसटी इन्दिरा आवास योजना (प्रशा0), इन्दिरा आवास योजना, इन्दिरा आवास योजना (कंटी) आदि का कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया लेखाकार द्वारा मौखिक रूप से कहा गया कि आपको केवल राज्य वित्त की लेखा परीक्षा करनी है, इस सन्दर्भ में उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उपरोक्त मदों में वर्ष में रुपये 4934061.00 (मनरेगा कंटिजेंसी , विधायक निधि , बीआरजीएफ, सांसद निधि एवम् क्षेत्रीय निधि) अभिलेखों के अभाव में दर्शित व्यय अनियमित रहा जिसके प्रति लेखाकार व ख0वि0अ0 उत्तरदायी रहे जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

5— क्षेत्र पंचायत चहनियां लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18

प्रस्तर-25 राज्य वित्त से विकास खण्ड परिसर में पशु अस्पताल के बाउन्ड्री वाला निर्माण एवं पेंटिंग कार्य कराया गया है। जिसमें दिनांक 01-03-18 को ख0 वि0 अ0 द्वारा श्री सुकरू राम, ग्रा0वि0अ0 को कार्य प्रभारी बनाया गया है। उक्त कार्य पर आपत्तियाँ निम्नवत हैं:

- (1) मे0 रमेश कुमार यादव को वर्ष 2017-18 में सामग्री एवं हेतु भुगतान किया गया है। निविदा आमंत्रण का समय 20-02-18 से 26-02-18 रखा गया, तबकि क्षेत्र पंचायत एवम् जिला पंचायत के नियमावली के अनुसार यह समय कम से कम 21 दिन होना चाहिये
- (2) निविदा दो समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने की पुष्टी में अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा
- (3) मे0 रमेश कुमार यादव की निविदा को स्वीकृत किया गया है। अनुबंध पत्र पर प्रथम पक्ष ख0वि0अ0 एवं द्वितीय पक्ष विक्रेता फर्म का हस्ताक्षर नहीं है।
- (4) सामग्री की आपूर्ति दिनांक 07-03-18 को की गयी है, जबकि भुगतान 27-08-18 को लगभग 5 माह बाद किया गया है।
- (5) फर्म को चेक संख्या 9937 दि0 27-08-18 द्वारा रु175817.00 सामग्री हेतु भुगतान किया गया है, जबकि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर सामग्री हेतु रु203362.00 भुगतान अंकित है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर ख0वि0अ0 एवं जे0ई0(आर0ई0एस) का हस्ताक्षर भी है।
- (6) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं है।
- (7) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य समाप्ति की एवं निरीक्षण का तिथि 02-04-18 अंकित है तबकि मस्टर रोल (प्रमा0 स0 71) पर 08 श्रमिकों को दि 05-04-18 से 11-04-18 तक काये करते हुए दर्शाया गया है। जिसकी धनराशी रु 11760.00 है।
- (8) रु 38010.00 मजदूरी का भुगतान चेक सं0 9940 दि0 06-09-18 द्वारा कार्य प्रभारी को किया गया है जबकि बैंक के माध्यम से मजदूरों के खाते में स्थानान्तरण किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामग्री पर रु 175817.00 एवं मजदूरी का भुगतान रु 38010.00 अनियमित है। उक्त के प्रति कार्य प्रभारी श्री सुकरू राम ग्रा0वि0अ0, लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्या एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार जायसवाल जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 राज्य वित्त से पुरी गनेश में पंचायत भवन से पोखरा तक खडंजा निर्माण कार्य कराया गया है। दि0 11-08-17 को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा श्री शंकर प्रसाद सोनकर, स.वि.अ (आई.एस.बी) को कार्य प्रभारी बनाया गया है। उक्त कार्य का भुगतान का विवरण इस प्रकार है :-

- (अ) चेक नं0 002178 दि0 13-10-17 द्वारा रु 298327.00 सामग्री हेतु मे0 रमेश कुमार यादव को।
- (ख) मजदूरी—(क) चेक स0 002180 दि0 13-12-17 धनराशी रु 26655.00
- (ख) चेक सं0 002179 दि0 13-10-17 धनराशि रु 70790.00

उपरोक्त व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत हैं:-

(1)-निविदा प्रपत्र भरने की अवधि 16-06-17 से 30-06-17 रहा, जो व्यापक प्रचार हेतु निर्धारित समय से कम है। नियमतः यह समय कम से कम 21 दिन का होना चाहिए।

(2)-निविदा प्रपत्र के साथ, जिला अधिकारी महोदय द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं रहा।

(3)- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं बना है।

(4)-क्रय की गयी सामग्री का अंकन स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया है। इस प्रकार सामग्री पर व्यय रु 298327.00 तथा मजदूरी पर व्यय रु 97445.00 कुल रु 395772.00 अनियमित रूप से व्यय है। इसके लिये कार्य प्रभारी श्री शंकर प्रसाद सोनकर स.वि.अ (आई.एस.बी) लेखाकर श्री प्रेम प्रकाश आर्या एवं ख.वि.अ. श्री सुशील कुमार मिश्र श्री पद्मकान्त शुक्ला तथा श्री विजय कुमार जायसवाल उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 राज्य वित्त से पहाडपुर में पिच रोड से लालजी यादव घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य दर्शाया गया है जिसमें ख.वि.अ. द्वारा दि० 06-09-2017 को श्री नित्यानन्द सिंह(ग्रा.वि०द.) के कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। उपरोक्त कार्य में निम्न प्रकार से भुगतान किया गया है:-

सामग्री

फर्म का नाम	चेक संख्या	भुगतान की तिथि	धनराशि
1) मे० लाल साहब चौहान	002684	28/12/2017	219822.00
2) मे० लाल साहब चौहान	015650	10/04/2018	6116.00
		योग	225938

मजदूरी-

1) 09/09/17 से 15/09/17 रु 12775.00

2) 16/09/17 से 22/09/17 रु 12775.00

3) 23/09/17 से 29/09/17 रु 12775.00

4) 30/09/17 से 06/10/17 रु 12775.00

5) 07/10/17 से 13/10/17 रु 12775.00

6) 14/10/17 से 20/10/17 रु 12775.00

7) 21/10/17 से 25/10/17 रु 7425.00

योग=रु 84075.00 चेक संख्या 002685 दि० 28/12/2017

8) 22/10/17 से 24/10/17 रु 3000.00 चेक संख्या 01565 दि० 10/04/18

उपरोक्त व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत हैं:-

1) पत्रावली के अनुसार निविदा आमंत्रण एवं खुलने का दि० क्रमशः 16/06/17 एवं दि० 30/06/17 है, जो नियमतः उचित नहीं है। जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के नियमावली के अनुसार उक्त दिवस न्यूनतम 21 दिन का होना चाहिए।

2) निविदा का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में होना चाहिए। जबकि संलग्न पत्र के अनुसार आज दैनिक समाचार-पत्र में निविदा प्रकाशित किया गया था, जिसका मूल अथवा छायाप्रति कुछ भी सम्प्रेक्षण में उपलब्ध नहीं रहा।

3) तुलनात्मक चार्ट में मे० रमेश कुमार यादव का निविदा स्वीकृत किया गया है, जिस पर खण्ड विकास अधिकारी का हस्ताक्षर भी है परन्तु सामग्री लाल साहब चौहान इंटरप्राइजेज से ली गयी है। सामग्री क्रय प्रमाणक पर खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख का हस्ताक्षर भी है।

4) उपरोक्त समस्त मस्टर रोल पर कार्य के तिथि पर अपरलेखन ओवर राइटिंग (ओवर राइटिंग) करके परिवर्तित किया गया है।

5) अनुबंध पत्र पर प्रथम पक्ष ख०वि०अ० का हस्ताक्षर नहीं है। द्वितीय पक्ष विक्रेता फर्म मे० लाल साहब चौहान इंटरप्राइजेज के स्थान पर मे० रमेश कुमार यादव का हस्ताक्षर है।

6) कार्य करते हुए श्रमिकों का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है।

7) क्रय सामग्री का अंकन स्टॉक रजिस्टर पर किया गया है।

8) जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत हैसियत/चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं रहा।

9) मस्टर रोल निर्गत रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा म०रो० पर ख०वि०अ० द्वारा क्रमांकित एवं दिनांकित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सामाग्री पर व्यय रु 225938.00 एवं मजदूरी पर व्यय रु 87075.00 कुल व्यय रु 313013.00 लेखा परीक्षा में दुरपयोगित आंकलित की जाती है। इसके लिए कार्य प्रभारी श्री नित्यानंद सिंह (ग्रा०वि०अ०),लेखाकर-श्री प्रकाश आर्या एवं ख०वि०अ० श्री विजय कुमार जायसवाल जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-28 राज्य वित्त से चहनियों में चन्द्रभान यादव के घर से हिंगुत्तर रोड तक नाली/सी०सी० निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमे ख०वि०अ०द्वारा दि० 03/03/2017 को श्री सुकरू राम (ग्रा०वि०अ०) को कार्य प्रभारी बनाया गया है। उपराक्त काय पर भुगतान का विवरण निम्नवत है:-

(क) सामग्री-चेक नं० 015655 दि० 17/04/18 द्वारा रु 206368.00 मे० रमेश कुमार यादन को भुगतान किया गया है।

(ख) मजदूरी चेक नं० 015656 दि० 17/04/18 द्वारा रु 57540.00 श्रमिकों के खाते में बैंक ऑफ बडौदा सकलडीहों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया है।

उपरोक्त व्यय पर आपत्तियों निम्नांकित है। :-

- 1) टेण्डर प्रकाशन का समाचार पत्र का मूल प्रति/छाया प्रति संलग्न नहीं है।
- 2) संलग्न पत्र पर टेण्डर आमंत्रित करने का दि० 16/06/17 एवं खुलने का दि० 30/06/17 अंकित किया गया है,तो अनियमित है। टेण्डर आमंत्रण एवं खुलने के बीच कम से कम 21 दिन का समय रखना चाहिए था।
- 3) बिलों पर जमानत की कटौती नहीं की गयी है।
- 4) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं बना है।
- 5) जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
- 6) क्रय सामग्री का अंकन स्टॉक रजिस्टर पर नहीं किया गया है।
- 7) मापन पुस्तिका पर ख०वि०अ० क हस्ताक्षर की तिथि अंकित नहीं है।
- 8) अनुबन्ध पत्र पर प्रथम ख०वि०अ० का हस्ताक्षर नहीं है। द्वितीय पक्ष विक्रेता फर्म का हस्ताक्षर व्हाइटनर (व्हाइट करैक्शन इंक) व्हाइट करैक्शन इंक लगाकर किया गया है। स्पष्ट है कि पूर्व में किसी अन्य का हस्ताक्षर अंकित था।
- 9) कार्य प्रारम्भ के पूर्व का, मध्य का (कार्यरत श्रमिकों का) एवं कार्य समापन के बाद का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है, जबकि फोटोग्राफी हेतु रु 150.00 प्राकलित है।

उपरोक्त तथ्यों को सज्ञान में लेते हुए सामग्री पर व्यय रु 206368.00 एवं श्रमांश पर व्यय रु 57540.00 कुल रु 263908.00 लेखा परीक्षा में अनियमित आंकलित की जाती है, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री सुकरू राम (ग्रा०वि०अ०), लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्या एवं ख०वि०अ० श्री विजय कुमार जायसवाल जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 इन्दिरा आवास कंटीजेंसी मद से विकास खण्ड परिसर में प्रधान मंत्री मॉडल आवास निर्माण कार्य दर्शाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु ख०वि०अ० द्वारा दि० 03/01/2018 को श्री हवलदार सिंह यादव (ग्रा०वि०अ०) नियुक्त किया गया है। उपरोक्त कार्य पर भुगतान निम्न प्रकार है:-

मजदूरी

क्र०सं०	प्रमाणक सं०	कार्य अवधि	धनराशि
1	15	12/02/18से 18/02/18	4900.00
2	16	04/02/18से 10/02/18	4900.00
3	17	27/01/18से 02/02/18	4900.00
4	25	12/02/18से 18/02/18	4900.00
5	27	21/04/18से 26/04/18	1925.00
		योग:-	21525.00

उपरोक्त क्रम सं० (1) एवं (4) पर अर्थात् प्रमाणक सं (15) एवं (25) पर समान श्रमिकों को समान अवधि में कार्यरत दर्शाया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र०सं०-1 (प्रमाणक संख्या-15)	क्र०सं०-4 (प्रमाणक संख्या-25)
कार्य का अवधि: 12/02/18से 18/02/18	कार्य का अवधि: 12/02/18से 18/02/18
जशवंत राम रु० 1225.00	जशवंत राम रु० 1225.00

नौरंग राम रु0 1225.00	नौरंग राम रु0 1225.00
बलवंत राम रु0 1225.00	बलवंत राम रु0 1225.00
छोटेलाल भारती रु0 1225.00	छोटेलाल भारती रु0 1225.00
योग :- 4900.00	योग :- 4900.00

इस प्रकार प्रमाणक सं0(15) एवं (25) पर फर्जीरूपसे श्रमिकों को कार्यरत दर्शाकर रु9800.00 फर्जी भुगतान दर्शित है।

सामग्री

फर्म का नाम	प्रमा0सं0	दिनांक	धनराशि	कटौतियां
मे0 आदित्य इंटरप्राइजेज	20	20.01.18	50022.00	शून्य
मे0 आदित्य इंटरप्राइजेज	22	07.02.18	77350.00	शून्य
		योग	127372.00	

परन्तु सामग्री क्रय पर रु 130000.00 भुगतान किया गया है। विवरण इस प्रकार है :-

क्र0सं0	चेक संख्या व दिनांक	चेक की धनराशि
1	100120 / 24.01.18	50000.00
2	008162 / 08.02.18	50000.00
3	008168 / 19.04.18	30000.00
	योग :-	130000.00

इस प्रकार मे0 आदित्य इंटरप्राइजेज को आपूर्ति की गयी सामग्री की धनराशि के सापेक्ष 2628.00 अत्यधिक भुगतान किया गया है तथा संस्था को छति पहुँचायी गयी है।

उपरोक्त कार्य एवं व्ययों पर आपत्तियाँ निम्नवत है—

- (1) उपरोक्त कार्य का एम0बी0 नही कराया गया है।
- (2) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं बना है।
- (3) उक्त कार्य का प्रस्ताव सं0 एवं प्रस्ताव की तिथि अंकित नहीं है।
- (4) निर्माण समिति की संस्तुति नहीं है।
- (5) कार्य सम्पन्न होने के पश्चात कार्य संतोषपद होने की निरीक्षण रिपोर्ट नहीं है।
- (6) कार्य के पूर्व का, कार्य करते हुए श्रमिकों एवं कार्य समाप्ति के बाद का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है।
- (7) उपरोक्त कार्य हेतु कोटेशन लिया गया है, जबकी शासनादेश सं0ए 1-864/दस-08-15 1/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु1,00,000.00 से अधिक के क्रय पर टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। परन्तु संस्था द्वारा टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया है।
- (8) क्रय सामग्री का लेखांकन स्टॉक रजिस्टर पर नहीं है किया गया है।

ऐसे में उपरोक्त दर्शित कार्य एवं उस पर दर्शित व्यय संदिग्ध है, जिसे पुष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार (1)रु 9800.00 फर्जी मजदूरी पर व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है (2) मे0 आदित्य इंटरप्राइजेज को रु 2628.00 अत्यधिक भुगतान कर संस्था को छति पहुँचायी गयी है। एवं (3) रु 139097.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री हवलदार सिंह यादव,लेखाकर—श्री प्रेम प्रकाश आर्या एवंख0वि0अ0 श्री विजय कुमार जायसवाल जिम्मेदार है।ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 राज्य वित्त से बलुआ थाना के आवासीय परिसर में फर्श निर्माण कार्य अर्शाया गया है,जिसमें खण्ड विकास अधिकारी द्वारा श्री सुकरु राम (ग्रा0वि0अ0) को कार्य प्रभारी बनाया गया है। उपरोक्त कार्य पर व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

(1) सामग्री—चेक सं. 002692 दि0 04/02/18 द्वारा रु88639.00 मेसर्स आदित्य इंटरप्राइजेज को भुगतान किया गया है।

(2) मजदूरी—चेक सं.002693 दि0 04/02/18 द्वारा रु10475.00 बैंक ऑफ बडौदा शाखा—सकलडीहों के माध्यम से श्रमिकों को भुगतान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि थाना परिसर में कार्य कराने हेतु क्षेत्र पंचायत अधिकृत एजेन्सी नहीं है। इस प्रकार कुल रु 99114.00(=88639.00 सामग्री मूल्य+रु10475.00 मजदूरी) का दुरुपयोग किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री सुकरु राम, लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्या एवं ख0वि0अ0 श्री विजय कुमार जायसवाल से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-31 वित्तीय वर्ष 17-18 में बिलों से कुल रु 202341.00 जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है। कटौती की सम्पूर्ण धनराशि राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया गया है। शासकीय धनराशि को इस प्रकार संस्था द्वारा रोककर रखा जाना शासकीय नियमों के प्रतिकूल है एवं लेखा परीक्षा मत में गंभीर आपत्तिजनक है। इसके लिए लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्या एवं तत्कालीन ख0वि0अ0 जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 डेड स्टॉक रजिस्टर अपूर्ण पाया गया। वर्ष में रु 58600.00 में विकास खण्ड कार्यालय हेतु एस0एल0 इलेक्ट्रॉनिक एवं सोलर प्लांट, सकलडीहों से एक्साइड चूबलर बैटरी एवं इनवर्टर क्रय किया गया है, जिसका अंकन डेड स्टॉक रजिस्टर पर नहीं किया गया है। यह गंभीर आपत्ति जनक है। इसके लिए लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्या एवं तत्कालीन ख0वि0अ0 जिम्मेदार हैं। डेड स्टॉक रजिस्टर को अद्यतन कर स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

6- क्षेत्र पंचायत सकलडीहा लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18

प्रस्तर-33 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्रयुक्त सामग्री के क्रय प्रमाणकों पर संस्था द्वारा की गयी कटौतियों(वैट, रायल्टी, टी0डी0एस0) का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	बाउचर व दिनांक	सामग्री की धनराशि	कटौतियां	प्रमाणक पर अंकित देय शुद्ध भुगतान
1	फेसुड़ा में राम टहल के घर से अमरनाथ के घर तक हयूमपाइप एवं इन्टरलाकिंग कार्य	16.12.16	407049.00	57049.00	350000.00
	फेसुड़ा में राम टहल के घर से अमरनाथ के घर तक हयूमपाइप एवं इन्टरलाकिंग कार्य	23.01.17	265927.00	10937.00	254990.00
2	गंजख्वाजा में अशोक के घर से चन्द्रकान्त के घर तक सी0सी0 रोड	10.12.16	379371.00	79371.00	300000.00
3	फेसुड़ा में पप्पू सिंह के खेत से नरसिंह के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	24.01.17	325848.00	25848.00	300000.00
	फेसुड़ा में पप्पू सिंह के खेत से नरसिंह के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	08.01.17	371143.00	71143.00	300000.00
4	सराय पकवान में प्रा0वि0 से सचिवालय तक इन्टरलाकिंग कार्य	10.08.17	587860.00	23514.00	264346.00
5	फेसुड़ा में धर्मेन्द्र के घर से मेवा के मशीन तक हयूम पाइप एवं इन्टरलाकिंग	10.01.17 व 12.02.17	412048.00	32482.00	379566.00
		योग :-	300344.00		

उल्लेखनीय है कि अनुदान पंजिका भाग-3 में वर्ष की कुल शासकीय कटौती रु0 37347.00 दर्शाया गया है तथा पिछले वर्ष के अवशेष कटौती की धनराशि रु0 1580.00 को शामिल करते हुए कुल रु0 38927.00 कोषागार में जमा किया गया है। इस प्रकार अनुदान पंजिका में वर्ष में कुल कटौती से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष रु0 262997.00 कम (रु0 300344.00-37347.00) अंकित कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। उपरोक्त के प्रति लेखाकार श्री सियालाल यादव एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी (1) श्री जगदीश त्रिपाठी तथा (2) श्री श्रवण कुमार राय उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत कर सामग्री क्रय पर किये गये शुद्ध भुगतान की धनराशि एवं बिलों से की गयी शासकीय कटौती के अन्तर की धनराशि रु0 262997.00 को अनुदान पंजिका में शामिल नहीं किये जाने व कोषागार में नहीं जमा किये जाने का सुसंगत कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-34 मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वर्ष में कुल रु0 470250.40 व्यय किया गया है। जिसमें रु0 250.40 बैंक द्वारा नेफ्ट का चार्ज/कटौती सम्मिलित है। इस प्रकार उक्त योजना में वास्तव में रु0 470000.00 योजना के लाभार्थियों पर व्यय किया गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष में कुल 13 जोड़ों के विवाह पर रु0 260000.00 लाभार्थियों के खाते में बैंक के माध्यम से स्थानान्तरित किया गया है तथा शेष धनराशि रु0 210000.00 उपहार एवं भोजन व्यवस्था पर व्यय किया गया है।

पुनः उल्लेखनीय है कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था निर्धारित है कि प्रति लाभार्थी रु0 20000.00 खातों में स्थानान्तरित किया जाय तथा रु0 15000.00 उपहार एवं भोजन व्यवस्था पर व्यय किया जाय। इस प्रकार उपहार एवं भोजन व्यवस्था पर अधिकतम रु0 195000.00 (13×15000.00) व्यय किया जाना अनुमन्य था, परन्तु वर्ष 2017-18 में उपरोक्त अंकित विवरण के अनुसार कुल 13 जोड़ों पर उपहार एवं भोजन व्यवस्था पर अनुमन्य धनराशि से रु0 15000.00 (210000.00-195000.00) अत्यधिक व्यय कर लिया गया है। इस प्रकार रु0 15000.00 अत्यधिक व्यय अनियमित आंकलित की जाती है जिसके लिए लेखाकार श्री सियालाल यादव एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रवण कुमार राय जिम्मेदार हैं। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है।

7- क्षेत्र पंचायत शहाबगंज लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18

प्रस्तर-35 संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में कराए गए कार्यों के सन्दर्भ में कुल रु0 3752800.00 की सामग्री क्रय की गई है जिस पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 के तहत सामग्री भुगतान के बिलों से 2.26 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती सुनिश्चित की जानी है लेकिन संस्था के अधिकारियों के द्वारा नियमानुसार कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार कुल रु0 80745.00 आयकर न काटकर राजस्व की क्षति की गई है, यह गम्भीर अयमितता है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 अंबेडकर जयंती मद में ग्राण्ट रजिस्टर-3 में मई 2017 में रु0 2000 क्लोजिंग बैलेंस अंकित है किन्तु जून 17 में उक्त मद शून्य दर्शित है। इससे 31.03.18 को अवशेष 6469118.05 के बजाय 6467118.05 है। जो कि 2000 कम है। इस प्रकार 2000 की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री बिहारी राम बिंदू से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में कुल रु0 620000.00 व्यय किया गया है। इसकी पुष्टि हेतु पात्रों की चयन सूची, जोड़ों की संख्या, उनको प्रदान की गयी सामग्री व उपलब्ध कराई गई नगद धनराशि आदि के विषय में मांगोपरान्त कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया। फलस्वरूप व्यय की गई धनराशि रु0 620000.00 लेखा परीक्षा में अनियमित रही। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी रहे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

8- क्षेत्र पंचायत धानापुर लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18

प्रस्तर-38 वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 शासनादेश संख्या बी-1-1134/ दस-16/94/1986, दिनांक 30.03.1998, शासनादेश संख्या ए-1-1450/दस-96-10(11)93, दिनांक 23.07.1996, शासनादेश संख्या ए-1-816/दस-2005-4(2), दिनांक 29.06.2005 के अनुसार रु0 2000.00 से अधिक का नगद भुगतान गैर सरकारी व्यक्तियों, फर्मों का प्रतिबंधित है। वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों को कुल रु0 94890.00 नकद भुगतान करके गम्भीर अनियमितता की गई है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव और लेखाकार श्री संतोष श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

9- क्षेत्र पंचायत चकिया लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18

प्रस्तर-39 आयकर कटौती-आयकर अधिनियम 1961(यथा संसोधित) धारा 194सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों के स्त्रोत पर आयकर कटौती किये जाने के उपरांत ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। 1अप्रैल 2009से आयकर की कटौती 2: दर से सुनिश्चित की जानी है। लेकिन आलोच्य वर्ष में किसी भी बिल से कटौती सुनिश्चित नहीं की गयी है।

चतुर्थ राज्य वित्त व सांसद निधि मद में क्रय सामग्री क्रम पर व्यय कुल रु0. 5814116 रहा जिसपर नियमानुसार 2:कीदर से रु0.116282 आयकर कटौती की जानी चाहिए थी। लेकिन संस्था के द्वारा शासनादेश का उलंघन कर मनमाने तरीके से आयकर की कटौती नहीं की गयी। संस्था द्वारा अन्य मद के कीट सामग्री की गणना कर अंकित आयकर को व्याज के साथ राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 शासनादेश सं०-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा शासनसे अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है। तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा कर देना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासन के नियम के विपरीत है।

आलोच्य वर्ष 2017-18 में कुल प्राप्त धनराशि रु०. 314635.00 के सापेक्ष रु०. 396435.33 व्यय किया गया है। जो शासन के निर्देशों के विपरीत है। व्ययित धनराशि सम्बन्धित मदों में की गयी है। इसी प्रकार व्याज मद में अवशेष धनराशि 56487.00 राजकोषागार में जमा न करके रु०.452922.33 अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अ० व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 आलोच्य वर्ष में सांसद निधि से कराये गये निम्न कार्यों में श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान उनके खाते में सीधे न करके कार्य प्रभारियों के माध्यम से किया गया है।

शासनादेश सं० ए-1-1450/दस-96-10(11)193 दिनांक 29.06.85 सरकारी सेवकों को सामान्य परिस्थिति में समस्त भुगतान बैंक के माध्यम से ही करना है। विशेष परिस्थिति में रु०.5000.00 तक का भुगतान आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर सरकारी सेवक को दिया जा सकता है। इसी प्रकार पेमेंट गेटवे (अमाउंट) दिनांक 15.02.17 के अनुसार सारी मजदूरी चेक से दिये जाने की बात करता है। किंतु उक्त नियमों का उलंघन कर प्रभारियों को धन दिया गया।

क्र०स	कार्य का नाम	चेक सं०	धनराशि	उत्तरदायी प्रभारी
1.	गढ़वा सेमरौर में गढ़वा पुल नाली निर्माण व पिचिंग कार्य पर मजदूरी	82152 82154	86625 65625	श्री शरद कुमार सिंह एडीओ सह०
2.	ग्राम भीषमपुर में मेनरोड माँ कोट भवानी मन्दिर तक चौका साइड वाल पर मजदूरी	82158 011302	81525 40950	उपरोक्त
3.	ग्राम भागपुर के रामपुर चमरही में इण्टरलाकिंग व नाली कार्य पर मजदूरी	82159	58450	श्री शरद कुमार सिंह एडीओ सह०
4.	मुजफरपुर में गुलाम हसन से सुभाष पाण्डेय तक नाली व सीसी रोड काम	11306	13587	श्री लालता प्रसाद एडीओ सह०
	योग	—	346737	—

इस प्रकार रु०.346737.00 मजदूरी कार्य प्रभारियों को देकर अनियमितता की गयी जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अ० सह लेखाकार एवं सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी रहे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 संस्था द्वारा वर्ष 2017-18 में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है—

व्यय

1-13वाँ वित्त	—	43,15,708.93
2-वि०क्षे०अनु०	—	1,19,694.00
3-विधायक निधि	—	6,08,691.04

योग-5044093.97

दर्शित व्यय की गयी धनराशि पर निम्न गम्भीर तथा प्रकाश में आए—

- परियोजना/निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं की गयी।
- किसी भी कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अन्य सम्पूर्ण का अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराया गया।
- लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे की कार्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन एवं संस्था को निर्माण कार्य हेतु आबंटित कार्यों की सूची भी नहीं उपलब्ध करायी गयी, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की जो रजि० दो में फार्म दर्शाये गये हैं वह फार्म संस्था को आबंटित किया गया है, अथवा नहीं।
- वित्त आगामों व शासन से प्राप्त समस्त अनुदान धनराशियों को नियमानुसार 6माह के भीतर विकास कार्यों में प्रयुक्त कर उपयोग प्रमाणपत्र शासन को भेजे जाने का प्रावधान है। किन्तु उपरोक्त धनराशि 5044093-97 की उपयोग प्रमाणपत्र पत्रावली व प्रेषण पंजिका आडिट में

अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-43 संस्था के खातों की जाँच व ग्रांट रजि० से लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि वर्षांत कई मदों में धनराशियाँ अप्रयोज्य हैं। इसे या तो उपभोग किया जाना या मूल विभाग को वापस किया जाना चाहिए था। विधायक निधि मदसे 1272023.96 सांसद निधि 944953.00 पूर्वांचल वि० निधि से 23487.00 धनराशि निष्प्रयोज्य पड़ी हैं। इस प्रकार 2240463.90 रोककर गम्भीर अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड वि० अ० व क० ले० उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-44 आलोच्य वर्ष में मनरेगा प्रशासनिक व्यय मद में रु० 3419044.71 व्यय किया गया है। इसकी पुष्टि हेतु बिल/वाउचर, वेतन/मानदेय रजिस्टर, स्टॉक बुक, लाग बुक जैसे अभिलेख लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं कर अनियमितता की गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार उत्तरदायी रहे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-45 मा० मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत कुल रु० 998300 व्यय किया गया है। इसकी पुष्टि हेतु पात्रों की चयन सूची, जोड़ों की संख्या, उनको प्रदान की गयी सामग्री व उपलब्ध करायी गयी नगद धनराशि आदि के विषय में मांगोपरान्त कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया। फलस्वरूप व्यय की गयी धनराशि रु० 998700.00 लेखा परीक्षा में अनियमित रही। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार उत्तरदायी रहे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-3

जनपद-गाजीपुर सम्भाग-वाराणसी

1. क्षेत्र पंचायत - जखनियाँ ले० प० वर्ष- 2017-18

प्रस्तर - 1 क्षेत्र पंचायत जखनियाँ में वर्ष 2017-18 में निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है। संबंधित फर्मों से आयकर रु० 116332/- एवं वैट रु० 207538/- नियमानुसार काटा गया है परन्तु कटौती के उपरान्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा नहीं किया गया है। जो गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। उक्त धनराशि को अविलम्ब जमा किया जाना चाहिए। इस हेतु बी०डी०ओ० श्रीमती आशा देवी व लेखाकार श्री सम्पति राम संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 2 शासनादेश ए-1/12/दस/2012(331)/1210 दिनांक 31.03.12 के अनुसार राजकीय धनराशियाँ वित्त विभाग की अनुमति से बैंकों में खाते खोलकर जमा की जानी चाहिए तथा जमा राशियों के सापेक्ष प्राप्त व्यय की धनराशि संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी तथा इसे राजकोष में जमा कर दिया जायेगा। आलोच्य वर्ष 2017-18 में प्राप्त ब्याज की धनराशियाँ जमा न कर/रोक रखकर राजकीय धन की क्षति/दुरुपयोग किया जा रहा है। विवरण निम्नवत है -

वर्ष	प्रा० शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में उपभोग	वर्षान्त शेष
2017-18	541090.68	299983.00	472.49	840601.19

उपरोक्त दर्शित ब्याज मद से आय रु० 299983/- की किस योजना के सापेक्ष किस खाते से अर्जित किया गया, इसका कोई विवरण खातावार नहीं रखा गया है, जिसे रखा जाना चाहिए तथा व्यय से संबंधित अभिलेख, प्रमाणक व पत्रावलियाँ आदि भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दिनांक 31.03.18 (वर्षान्त) रु० 840601.19 की धनराशि राजकोष में जमा न कर राजकीय राजस्व का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए बी०डी०ओ० श्रीमती आशा देवी व लेखाकार श्री सम्पति राम संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 3 क्षेत्र पंचायत जखनियाँ के वर्ष 2017-18 में कार्यालय व्यय शीर्ष के अन्तर्गत रु० 53825/- व्यय किया गया है। अनुदान पंजी द्वितीय के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत् है -

क्रमांक	जिसे चेक दिया गया सर्वश्री	चेक संख्या व दिनांक	उद्देश्य	धनराशि
1	सतीश कुमार सिंह वरि० सहा०	054583/05.05.17	कार्यालय व्यय	27700
2	मुद्रण तथा प्रकाशन सह० सं० लि०, गाजीपुर	054589/01.06.17	स्टेशनरी क्रय	8875
3	मुद्रण तथा प्रकाशन सह० सं० लि०, गाजीपुर	06984/05.12.17	स्टेशनरी क्रय	10480
4	मुद्रण तथा प्रकाशन सह० सं० लि०, गाजीपुर	06997/16.03.18	स्टेशनरी क्रय	6770

		योग –	53825 / –

उक्त व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख, पत्रावली, आदेश, लेखन सामग्री, स्टाक पंजी, कोटेशन आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही क्रमांक 01 पर श्री सतीश कुमार सिंह वरि0सहा0 को भुगतान किया गया है जबकि संबंधित फर्म को किया जाना चाहिए। अतः क्रय सामग्री एवं उसके सापेक्ष भुगतान अपुष्टित रहा जो गंभीर प्रकरण है। दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती आशा देवी एवं लेखाकार श्री सम्पत राम का संयुक्त रूप से रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 4 निम्न विवरण के अनुसार वर्ष 2017-18 में निम्नविवरणानुसार शीर्षों के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय शून्य है। नियमानुसार शत प्रतिशत उपभोग कर लिया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए। राजकीय धनराशि अपने स्तर पर रोक रखकर वापस न करते हुए राजकीय धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है जो आपत्तिजनक है। दायित्व श्री सम्पत राम लेखाकार व श्रीमती आशा देवी खण्ड विकास अधिकारी का रहा। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रमांक	शीर्ष	प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त	व्यय	अन्तिम शेष
1	स्वच्छता कार्यक्रम	565	—	—	565
2	विधायक निधि	3070	—	—	3070
3	13वां वित्त	4905	—	—	4905
4	सामाजिक आर्थिक गणना	272	—	—	272
5	प्रशिक्षण	15600	—	—	15600
6	आंगणवाणी केन्द्र	5657	—	—	5657
				योग –	30069 / –

प्रस्तर – 5 वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलस्वरूप व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्न है

क्रमांक	शीर्ष	व्यय
1	बायोगैस	10500
2	इन्दिरा आवास प्रशा0 मद	126569
3	बी0एल0ओ0 पर्यवेक्षण मानदेय	106500
4	प्रधानमंत्री आवास योजना प्रशा0 मद	15.39
	योग –	243584.39

उक्त व्यय की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त प्रपत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। दायित्व श्री सम्पत राम लेखाकार व श्रीमती आशा देवी खण्ड विकास अधिकारी का रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 6 क्षेत्र पंचायत जखनियों के अभिलेखों/ग्रांट पंजी के अनुसार दिनांक 31.03.18 को अन्तिम अवशेष रू0 6534485.48 दर्शित है जब कि बैंक पासबुक के अनुसार उक्त अवशेष रू0 7307267.48 दर्शित है। इस प्रकार संस्था एवं बैंक के बीच रू0 772782 / – का अन्तर 31.03.18 को विद्यमान है। जिसके समाधान हेतु संस्था द्वारा बैंक समाधान विवरण पत्र नहीं तैयार किया गया है। बल्कि अनुदान पंजी पर अनकैश चेकों का विवरण एवं धनराशि अंकित कर समाधान प्रदर्शित है। विवरण निम्नवत है –

विवरण	प्रा0 शेष	प्राप्त	व्यय	अन्तिम शेष
ग्रांट पंजी तृतीय के अनुसार	6666559.36	6872490	7004563.88	6534485.48
बैंक पासबुक के अनुसार	6678683.36	6866217	6237632.88	7307267.48
अन्तर	(-) 12124	6273	766931	772782

अन्तर का कारण अनकैश चैक –

क्रमांक	चैक संख्या	दिनांक	धनराशि
1	012487	01.01.89	150
2	012387	01.01.89	1000
3	020806	20.01.96	2250
4	030466	03.03.98	175
5	00806	28.03.18	267654

6	00807	28.03.18	55475
7	00808	28.03.18	244926
8	00809	28.03.18	121832
9	00810	28.03.18	54075
10	00811	28.03.18	25245
		योग -	772782

वर्ष 98 से पूर्व का अनकैश चेक
3575/-

नियमानुसार उपरोक्त अन्तर हेतु बैंक समाधान विवरण तैयार कर समधानित धनराशियों की तिथि अंकित करते हुए समाधान प्रदर्शित किया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा न किए जाने की स्थिति में लंबित चेकों के समाधान की स्थिति ज्ञान नहीं हो सकी। यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त क्रमांक 01 से 4 पर अंकित चार चेकों की धनराशि ₹0 3575.00 से संबंधित चेक वर्ष 89,96 व वर्ष 98 से लंबित है। इनके समाधान के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः उक्त धनराशि ₹0 3575/- से गंभीर अनियमितता की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता। समाधान विवरण पत्र तैयार कर समाधान की तिथियों एवं धनराशियों का उल्लेख करते हुए सामग्री बैंक पासबुकें प्रस्तुत कर समाधान की पुष्टि करयी जानी आवश्यक है। दायित्व श्री सम्पत राम लेखाकार व श्रीमती आशा देवी खण्ड विकास अधिकारी का रहा। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

2. क्षेत्र पंचायत - सदर (गाजीपुर) ले0प0 वर्ष- 2017-18

प्रस्तर - 7 लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली के की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि टीडीएस के रूप में सामग्री के सापेक्ष 2.24 प्रतिशत की दर से कटौती की गयी है। लेकिन उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 34 के प्राविधानानुसार विभागीय सामग्री ₹0 5944923 के सापेक्ष वैट 4 प्रतिशत जो ₹0 2777796.92 होता है उसकी कटौती न कर राजस्व की क्षति की गयी है तथा न ही जमानत राशि 10 प्रतिशत ली गयी है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि आपूर्तिकर्ताओं से आयकर/वैट का रिटर्न नहीं किया गया है जो वैट से समयावधि रिटर्न न लिये जाने से स्थिति में यह संस्था का दायित्व होता है कि भुगतान के सापेक्ष देयक से वैट की कटौती किया जाना चाहिए तथा उसके नियत शीर्ष में जमा करा देना चाहिए। उक्त वैट की धनराशि के लिए सम्पूर्ण रूप से खण्ड विकास अधिकारी कुमारी मृदूला एवं लेखाकार श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 8 वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या - 112/86/2012(33) 2010 दिनांक 21.03.12 के अनुसार राजकीय जमा धनराशि पर प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी तथा इसे राजकीय कोष में सुसमय शीर्ष में जमा कर दिये जाने का प्राविधान है। संस्था द्वारा विभिन्न बैंकों से खातों में जमा अनुदान की धनराशि पर ₹ 2010160 ब्याज के रूप में आय हुई है। वर्ष में 315099 व्यय किया गया है। आय की पुष्टि में खातों वार अनुदान वार कितना ब्याज प्राप्त हुआ है उसका कोई लेखा नहीं है। तथा ब्याज की धनराशि की पुष्टि में कोषागार गया चालान व सीटीआर अप्राप्त रहा। फलतः ब्याज की पुष्टि नहीं की जा सकी। अपुष्टित होने की स्थिति में गंभीर अनियमितता की श्रेणी में रखते हुये पूर्ण दायित्व खण्ड विकास अधिकारी कुमार मृदूला एवं लेखाकार कमलेश कुमार सिंह का रहा। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 9 आयकर अधिनियम की धारा 199(सी) के अनुसार अनुदान कार्य निर्माण कार्यो के सामग्री के भुगतानों के सापेक्ष संबंधित से आयकर कटौती करने के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान करना चाहिए। तथा उक्त काटी गयी धनराशि ससमया नियत शीर्ष में जमा कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर आयकर की धनराशि के बराबर भुगतान कर्ता/अधिकारी के ऊपर दण्ड लगाया जा सकता है। अनुदान पंजी पर दिये गये विवरण के अनुसार वर्ष में आयकर से प्राप्त 149208 ₹0 दर्शित है। व्यय की पुष्टि में कोषागार भुगतान/सीटीआर अनुपलब्ध रहा। अपुष्टित व अप्रमाणित होने की स्थिति में पूर्ण उत्तर दायित्व खण्ड विकास अधिकारी कुमारी मृदूला एवं लेखाकार कमलेश सिंह का रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

3. क्षेत्र पंचायत - करण्डा ले0प0 वर्ष- 2017-18

प्रस्तर - 10 राज्य वित्त की कतिपय पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फार्मों से सामग्री क्रय किया गया है। परन्तु संबंधित फर्म से आयकर कटौती किया गया है। लेकिन वैट कटौती नहीं किया गया है। इस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। यह स्थिति गंभीर अनियमितता के प्रकरण है। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है।

क्रमांक	कार्य का नाम व पूर्ण पता	फर्म का नाम व पूर्ण पता	क्रयित सामग्री का मूल्य	राजकीय कर (वैट) की कटौती नहीं किया गया वैट 4:
1	ग्राम सभा लीलापुर पिच रोड गेट से बगीचा तक खडंजा कार्य	प्रकाश ईट उद्योग, सकरा, गाजीपुर	313540.00	12541.60
2	ग्राम सभा ढेलवा में फौजदार की दुकान से पुलिया तक खडंजा कार्य	1- प्रकाश ईट उद्योग, सकरा, गाजीपुर। 2- सिद्धार्थ ट्रेडर्स करण्डा गाजीपुर (96 घन मी० बालू .500/घन०मी०)	331840.00 48000.00	13273.60 1920.00
3	ग्राम सभा चोचकपुर पिच रोड से नहर के पास से श्मशान घाट तक खडंजा कार्य।	प्रकाश ईट उद्योग सकरा गाजीपुर।	256200.00	10248.00
		योग —	949580.00	37983.20

उक्त आकड़ा से स्पष्ट है कि रु० 37983.20 वैट की ब्याज सहित वसूली न किय जाने से राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रति तत्कालीन ख०वि०अ० कुमारी मृदुला व लेखाकार श्री शोभनाथ यादव उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही/ब्याज सहित वसूली की कारवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० — 02)

प्रस्तर — 11 वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है।

क्रमांक	शीर्ष	व्यय
1	2	3
1	विधायक निधि	1429837.00
2	ब्याज	644.26
3	इन्दिरा आवास	39641.00
4	सांसद निधि	640338.00
5	आयकर कटौती	54757.00
6	सोशल आडिट की धनराशि	4000.00
7	प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रशासनिक मद	2325.00
8	सामूहिक विवाह योजना	75000.00
9	सामान्य निर्वाचन 2015 में बीएलओ/ पर्यवेक्षक का मानदेय	180000.00
	योग	2426542.26

उक्त व्यय के जांच हेतु लेखा परीक्षा में समस्त प्रपत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी कुमारी मृदुला, श्रीमती कमली देवी व श्री रामबहादुर एवं लेखाकारी श्री शोभनाथ यादव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० — 03)

प्रस्तर — 12 वर्ष 2017-18 के राज्य वित्त से संबंधित कुल रु० 1564750.00 की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। जबकि व्यय रु० 1737057.00 है। इस प्रकार रु० 172307.00 के अभिलेख अप्राप्त रहा। जिसे जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रति तत्कालीन ख०वि०अ० कुमारी मृदुला व लेखाकार श्री शोभनाथ यादव उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही/ब्याज सहित वसूली की कारवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० — 04)

4. क्षेत्र पंचायत — जमानियाँ

ले०प० वर्ष— 2017-18

प्रस्तर — 13 दिनांक 31.03.18 को राज्य वित्त आयोग, विधायक निधि एवं तेरहवें वित्त आयोग की धनराशि अवशेष रही जिसे संबंधित अनुदानदाताओं को वापस न किया जाना अनियमित रहा —

राज्य वित्त आयोग	— रु० 1990430.00
तेरहवें वित्त	— रु० 10010.00
विधायक निधि	— रु० 874949.00

योग**— ₹0 2875389.00**

इस प्रति तत्कालीन ख0वि0अ0 नान्हु राम व सहायक लेखाकार श्री महेन्द्र राम उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 14 दिनांक 31.03.18 को वर्षान्त से अनुदान पर अर्जित ब्याज ₹0 283025.00 जो सरकार की आय होती है को राजकोष में जमा न कर संस्था पर रोककर रखा जाना अनियमित रहा। अतः उक्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना चाहिए। इस प्रति तत्कालीन ख0वि0अ0 नान्हु राम व सहायक लेखाकार श्री महेन्द्र राम उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 15 दिनांक 31.03.18 को आलोच्य वर्ष के अन्त में ग्राम पंचायत निर्वाचन 2015 की मानदेय की धनराशि ₹0 8250.00 अवशेष रहा जिसे संबंधित पक्ष को वापस न कर संस्था पर रोककर रखा जाना अनियमित रहा। इस प्रति तत्कालीन ख0वि0अ0 नान्हु राम व सहायक लेखाकार श्री महेन्द्र राम उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

5. क्षेत्र पंचायत — मुहम्मदाबाद**ले0प0 वर्ष— 2017—18**

प्रस्तर — 16 वर्ष 2017—18 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। फल स्वरूप व्यय की पुष्टि न की जा सकी। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है —

क्रमांक	शीर्ष	व्यय धनराशि
1	ब्याज राज्य वित्त	173
2	इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी	130636
3	प्रधानमंत्री आवास कन्टीजेन्सी	17417
4	राज्य वित्त	711203
	योग —	859429

उक्त मद में दर्शित व्यय के पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 — 02)

प्रस्तर — 17 वर्ष 2017—18 में ब्याज मद के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 तक कुल धनराशि ₹0 369897.32 संस्था के पास अवशेष है। शासनादेश सं0— ए—1/12/10/2012(33/2010) दिनांक 21.03.2012 के अनुसार राजकीय धनराशि वित्त विभाग के अनुमति से बैंकों में बचत खाते खोलकर जमा की जानी चाहिए तथा जमा धनराशि के सापेक्ष प्राप्त ब्याज की धनराशि संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी तथा इस राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। वर्ष 2017—18 में ब्याज मद के अन्तर्गत वर्ष में राज्य वित्त एवं ब्याज क्षेत्र निधि ₹0 107182 की प्राप्त हुई है। परन्तु यह ब्याज किन-किन मदों से प्राप्त हुआ है इसका विवरण नहीं दिया गया है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। अनुदान पंजी के अनुसार ₹0 173 व्यय किया गया है तथा वर्षान्त पर क्रमशः राज्य वित्त का ₹0 250018.329 क्षेत्र निधि का ₹0 119879 अवशेष दर्शाया गया है, जिसे राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री ए0के0 पाण्डेय व लेखाकार अरुण कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 18 वर्ष 2017—18 की लेखा परीक्षा में कराए गए कार्यों के सापेक्ष प्रस्तुत पत्रावली में वैट व आयकर ₹0 57230 काटा गया है जिसका विवरण निम्नवत है —

क्रमांक	कार्य का नाम	वैट	आयकर	योग
1	ग्रा0पं0 सिलाईच में शंकर राम के घर से अलिपुर में रास्ता तक खडंजा मरम्मत कार्य।	3524	6293	9817
2	फिरोजपुर कला नाउरदेपुर के राजी न0 23 पर सामुदायिक मिलन केन्द्र का निर्माण कार्य।	—	1942	1942
3	विकास खण्ड परिसर में स्थित आवासों का छत मरम्मत एवं शौचालय निर्माण व कार्यालय मरम्मत व सुन्दरीकरण।	13934	9821	23755
4	कमालपुर लोधी में मेन रोड से मंगला यादव में घर तक मिट्टी/खडंजा कार्य।	8258	4624	12882
5	ग्रा0पं0 हरदिया के झुनका में मेन रोड से मुन्ना के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य।	5663	3171	8834

योग –	31379	25851	57230

वैट व आयकर की धनराशि रु0 57230 राजकोष में जमा नहीं किया गया है। इसकी पुष्टि करायी जानी चाहिए। इस प्रकार रु0 57230.00 धनराशि का अपहरण किया गया है। इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री ए0के0 पाण्डेय व लेखाकार अरुण कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 19 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावली संख्या 111 (सांसद निधि) ग्राम फिरोजपुर कलर नाउर देउर के राजी नंबर 23 पर सामुदायिक मिलन केंद्र का निर्माण पर वर्ष में रु0 46747 व्यय किया गया है। सामग्री के सापेक्ष 4: की दर से रु0 3470 वैट के रूप में न काटकर राजकीय राजस्वत की क्षति की गयी है। इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री ए0के0 पाण्डेय व लेखाकार अरुण कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

6. क्षेत्र पंचायत – बिरनो ले0प0 वर्ष– 2017–18

प्रस्तर – 20 वर्ष 2017–18 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप व्यय की पुष्टि न की जा सकी। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है –

क्रमांक	शीर्ष	व्यय धनराशि
1	प्रासंगिक मद	67821.40
2	ब्याज	400000
3	आर्थिक गतिविधि केन्द्र	363786
4	पंचायत निर्वाचन	78000
5	अनट्रेड एकाउण्ट	2001
6	नवयुवक मंगल दल	2000
7	प्रधान मंत्री आवास प्रासंगिक मद	39462
8	सामूहिक विवाह योजना	3604855.32
9	प्रधानमंत्री आवास योजना	40000
10	राज्य वित्त आयोग	3630283.20
	योग –	8228208.92

उक्त मद में दर्शित व्यय के पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 – 02)

प्रस्तर – 21 वर्ष 2017–18 में ब्याज मद के अन्तर्गत 31 मार्च 2018 तक कुल धनराशि रु0 1202458.29 संस्था के पास अवशेष है। शासनादेश सं0– ए–1/12/10/2012(33/2010) दिनांक 21.03.2012 के अनुसार राजकीय धनराशि वित्त विभाग के अनुमति से बैंकों में बचत खाते खोलकर जमा की जानी चाहिए तथा जमा धनराशि के सापेक्ष प्राप्त ब्याज की धनराशि संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी तथा इस राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। वर्ष 2017–18 में ब्याज मद के अन्तर्गत वर्ष में राज्य वित्त एवं ब्याज क्षेत्र निधि रु0 607561 की प्राप्त हुई है। परन्तु यह ब्याज किन-किन मदों से प्राप्त हुआ है इसका विवरण नहीं दिया गया है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 – 03)

प्रस्तर – 22 फाइल नं0 1 भैरों में शहीद मार्ग से प्राइमरी स्कूल से खडंजा मरम्मत कार्य। श्रमांश में प्राकलन में स्वीकृत धनराशि रु0 59826.44 है। जबकि श्रमांश में वास्तविक व्यय रु0 64795.00 का किया गया है। जो कि प्राकलन की धनराशि से रु0 4968.56 अधिक है जो कि गंभीर आपत्ति का विषय है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 – 05)

प्रस्तर – 23 फाइल नं0 4 माधवपुर मिश्रौली में शिव मंदिर से पी0एन0 मिश्रा के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य में श्रमांक के प्राकलन की धनराशि रु0 39405.20 दर्शित है जबकि श्रमांश पर वास्तविक व्यय रु0 49650 का किया गया है। जो की प्राकलन धनराशि से रु0 10244.80 अधिक है। जो गंभीर आपत्ति का विषय है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 – 08)

प्रस्तर – 24 फाइल नं0 06 गोपालपुर में श्याम देव के घर से अच्छेलाल के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य श्रमांक के प्राकलन की धनराशि रु0 106620.75 दर्शित है जबकि श्रमांश पर वास्तविक व्यय रु0 116750 का किया गया है। जो की प्राकलन धनराशि से रु0 10129.25 अधिक है। जो गंभीर आपत्ति का विषय है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 – 10)

प्रस्तर – 25 फाइल नं० 06 गोपालपुर में श्याम देव के घर से अच्छेलाल के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य में चेक संख्या 000737 दिनांक 26.05.2017 को फर्म मूल बात प्रेम ईट भट्टा को भुगतान रु० 81410 का किया गया है जबकि वाउचर पर शुद्ध भुगतान रु० 77765 दर्शित है जो कि रु० 3645 का अन्तर है एवं चेक संख्या 000738 दिनांक 26.05.2017 को फर्म चौकरी बिल्डिंग मैटेरियल के भुगतान रु० 217512 किया गया है जबकि वाउचर पर शुद्ध भुगतान रु० 195629 दर्शित है जो कि रु० 21883 का अन्तर है जो कि गंभीर अनियमितता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा०आ०सं० – 11)

प्रस्तर – 26 फाइल नं० 7 लहुरापुर में पंचशेरवाँ पिच रोड से जनता इण्टर कॉलेज कामन रूम तक इण्टरलॉकिंग कार्य श्रमांक के प्राकलन की धनराशि रु० 69559.10 दर्शित है जबकि श्रमांश पर वास्तविक व्यय रु० 74845 का किया गया है। जो की प्राकलन धनराशि से रु० 5285.90 अधिक है। जो गंभीर आपत्ति का विषय है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा०आ०सं० – 13)

प्रस्तर – 27 वर्ष 2017–18 की लेखा परीक्षा में कराये गये कार्यों के सापेक्ष प्रस्तुत पत्रावली में वैट, आयकर रु० 127121 काटा गया है जिसका विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	कार्य का नाम	वैट	आयकर	योग
1	अराजी ओझासन में बिरनो थाना के चारह दिवारी से नरायण के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	8219	5218	13437
2	भैरोपुर में शहीद मार्ग से प्राइमरी स्कूल तक खडंजा मरम्मत कार्य।	6816	4329	11145
3	चक कपिल में चक कपिल गेट से रामराज पाण्डेय के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य।	5368	7218	12586
4	माधवपुर मिश्रौली में शिव मन्दिर से पी०एन मिश्रा के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य।	8345	5235	13580
5	गाहिरमी वसारीपुर में रामशीष प्रजापति के घर से शंकर भगवान के स्थान होते हुए लौटूराम के घर तक खडंजा मिट्टी कार्य।	9357	5804	15161
6	गोपालपुर में श्यामदेव के घर से अक्षय लाल के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	22569	14173	36742
7	लहुरापुर में पंचसेरवा पिच रोड से जनता इण्टर कॉलेज तक इण्टर लॉकिंग कार्य।	15070	9400	24470
योग –				127121

वैट व आयकर की धनराशि रु० 127121 राजकोष में जमा किये जाने की पुष्टि हेतु बैंक चालान और सी०टी०आर० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार कुल रु० 127121 का अपहरण किया गया जिसके जिम्मेदार श्रीमती आशा देवी बी०डी०ओ० एवं ब्रह्मानंद चतुर्वेदी लेखाकार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं० – 16)

7. क्षेत्र पंचायत – बाराचवर ले०प० वर्ष– 2017–18

प्रस्तर – 28 वर्ष 2017–18 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु मिट्टी क्रय किया गया है। परन्तु रायल्टी की धनराशि कटौती न किये जाने से राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	कार्य का नाम व पूर्ण पता (प्रारूप 1 का क्रमांक)	मिट्टी क्रय का विवरण (श्रोत)	मिट्टी का मात्रा (घन मीटर)	मूल दर 73.50	रायल्टी की धनराशि जो कटौती नहीं किया गया (रु० 30.00 प्रति घनमीटर)	उत्तरदायी अधिकारी व कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्वश्री
1	2	3	4	5	6	7
1	1	—	59.71	4389.00	1791.30	1— धनंजय सिंह ख०वि०अ०
2	2	रणजीत सिंह ग्रा०+पो० बाराचवर ट्रैक्टर नं० 1—यूपी 60 आर 5125 (22.04.17) 2—यूपी 54 एल 9586	1424.89	104729.00	42746.70	2— रवीन्द्र प्रसाद जयसवाल, ले० रु० 44538.00 3— कार्यप्रभारी
3	3	—	1479.95	108777.00	44398.50	1— शिवमूर्ति सिंह

4	4	देवनाथ यादव ग्रा0 अमवा असकरन पो0 भीखम अमहट ट्रैक्टर नं0 —यूपी 60 आर 5125	255.94	18811.00	7678.20	ख0वि0अ0 2— रवीन्द्र प्रसाद जयसवाल, ले0 रू0 52076.70 3— कार्यप्रभारी
		योग —	3220.49	236706.00	96614.70 या 96615.00	

उक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि रू0 96615.00 रायल्टी की धनराशि की ब्याज सहित वसूली न किये जाने से राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रति तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री धनंजय सिंह एवं श्री शिमूर्ति सिंह तथा लेखाकार श्री रवीन्द्र प्रसाद जयसवाल उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही/ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0 — 01)

प्रस्तर — 29 वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप यथा शीघ्र अभिलेख प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

क्रमांक	शीर्ष	व्यय
1	2	3
1	ब्याज	489645.00
2	विधायक निधि	670521.00
3	सांसद निधि	99337.00
4	विविध व्यय	9294.00
5	प्रासंगिक व्यय	75055.00
6	आयकर की धनराशि	508788.00
7	प्र0म0आ0 (प्रशासनिक)	69195.00
	योग —	1921835.42

इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री धनंजय सिंह, श्री शिवमूर्ति सिंह एवं लेखाकार श्री रवीन्द्र प्रसाद जयसवाल उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0 — 02)

प्रस्तर — 30 वर्ष 2017-18 के राज्य वित्त से संबंधित कुल रू0 1364786.00 की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। जबकि व्यय रू0 3975617.00 है। इस प्रकार रू0 2610831.00 के अभिलेख अप्राप्त रहा। जिसे जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धनंजय सिंह एवं श्री शिमूर्ति सिंह तथा लेखाकार श्री रवीन्द्र प्रसाद जयसवाल उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0 — 03)

8. क्षेत्र पंचायत — भोंवरकोल ले0प0 वर्ष— 2017-18

प्रस्तर — 31 आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा में योजनावार/परियोजनावार सम्पादित कराये गये कार्यों से संबंधित परियोजनाओं की सूची एवं औचित्य विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं की गयी। अनुदान पंजी से लेखा परीक्षा में तैयार किये गये विवरण के अनुसार परिशिष्ट 2 कुल पाँच परियोजनाओं के सापेक्ष आलोच्य वर्ष में कार्य/भुगतान किये गये हैं। विवरण निम्नवत है —

योजना	परिशिष्ट 2 के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि	आय व्यय के अनुसार दर्शित व्यय धनराशि	अन्तर राशि
रा0वि0/तेरहवाँ वित्त	1549985	1917568	367583

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत परियोजनाओं में दर्शित संकलित व्यय की धनराशि रू0 1549985 आती है, जबकि लेखा परीक्षा द्वारा आय व्यय विवरणी (अभिलेखों के आधार पर तैयार की गयी) के अनुसार राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त में संकलित धनराशि रू0 1917568 से रू0 367583 कम है अर्थात् रू0 367583 के व्यय से संबंधित न तो कोई पत्रावली प्रस्तुत की गयी और न ही अंतर का कारण स्पष्ट किया गया। अतः अन्तर की धनराशि रू0 367583 अपुष्टित एवं विवरणहीन रही। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिनारायण एव श्री अरुण कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री ओंकार राम एवं श्री हरिशंकर प्रधान संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0 — 03)

प्रस्तर — 32 क्षेत्र पंचायत भोंवरकोल वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया की भुगतानों के सापेक्ष अनुदान आय-व्यय पर वर्ष में रू0 29751 आयकर मद में कटौती की गयी है जबकि

निर्माण कार्य पत्रावली के आधार पर लेखा परीक्षा द्वारा तैयार परिशिष्ट 02 पर परियोजनावर आयकर की काटी गयी धनराशि का आकलन रु0 26677 आती है। इस प्रकार रु0 3074 में आयकर कटौती मद से आय अधिक दर्शित कर एवं इसका समाधान न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। इससे स्पष्ट है कि कतिपय परियोजनाओं की पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जो अपेक्षित थी। गतवर्ष में आयकर मद में काटी गयी धनराशि रु0 133032 को वर्ष आलोच्य में राजकोष में जमा करना दर्शित किया गया है किन्तु इससे संबंधित जमा ट्रेजरी चालान की प्रति एवं दाखिल रिटर्न प्रस्तुत कर जमा की पुष्टि नहीं करायी गयी। अतः दर्शित जमा धनराशि अपुष्टित रही साथ ही वर्ष आलोच्य में दर्शित कटौती की धनराशि रु0 29751 को अधिनियम की धारा 194 (सी) के अधीन राजकोष में जमा न कर वर्षान्त देय शेष के रूप में दर्शित करते हुए राजकीय राजस्व का दुरुपयोग किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार राजकीय राजस्व मद में अधिक दर्शित धनराशि से रु0 9454 एवं आलोच्य वर्ष में जमा दर्शित धनराशि रु0 133032 की जमा पुष्टि न कराकर की गयी गंभीर अनियमितता एवं राजकीय राजस्व को रोककर रखकर/जमा न कर रु0 29751 के दुरुपयोग का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री हरिशंकर प्रधान का रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 – 04)

प्रस्तर – 33 वर्ष आलोच्य में आय व्यय विवरण के अनुसार वैट कटौती रु0 37805 से आय दर्शित कर वर्षान्त शेष देय दर्शित किया गया है। जबकि संलग्न परिशिष्ट 02 के अनुसार वैट मद की धनराशि रु0 36191 आती है। लेखा परीक्षा में वैट की कटौती से संबंधित कोई लेजर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किन भुगतानों के सापेक्ष कितनी-कितनी धनराशि किस दर से कब काटी गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि संलग्न परिशिष्ट 2 के अनुसार वैट कटौती 4: के दर से प्रकाश में आ रही है, जबकि वर्ष में जी0एस0टी0 प्रभावी है अर्थात् विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न दरे प्रभावी है। उक्त कार्य से वास्तविक सामग्री क्रय एवं राजस्व की कटौती संदिग्ध है।

उपरोक्तानुसार परिशिष्ट 2 में अंकित धनराशि रु0 36191 के सापेक्ष आय व्यय विवरणी में रु0 37805 से वैट मद से आय दर्शित कर रु0 1614 से अधिक आय दर्शित करने का औचित्य स्पष्ट नहीं है साथ ही वर्षान्त में धनराशि राजकीय कोष में जमा न कर रोक रखकर रु0 37805 से राजकीय राजस्व का दुरुपयोग किया गया है। दायित्व बी0डी0ओ0 अरुण कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री हरिशंकर प्रधान का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 – 05)

प्रस्तर – 34 शासनादेश ए-1/12/दस/2012(331)/1210 दिनांक 31.03.12 के अनुसार राजकीय धनराशियाँ वित्त विभाग की अनुमति से बैंकों में बचत खाते खोलकर जमा की जानी चाहिए तथा जमा राशियों के सापेक्ष प्राप्त ब्याज की धनराशि संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी तथा इसे राजकोष में जमा कर दिया जायेगा। आलोच्य वर्ष 2017-18 में प्राप्त ब्याज की धनराशियाँ जमा न कर/रोक रखकर राजकीय धन की क्षति/दुरुपयोग किया जा रहा है। विवरण निम्नवत है –

वर्ष	प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में उपभोग	वर्षान्त शेष
2017-18	858629	283095	206.24	1141517.78

उपरोक्त दर्शित ब्याज मद से आय रु0 283095 की पुष्टि बैंक पासबुक/स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट के अभाव में नहीं की जा सकी। किसी योजना के सापेक्ष किस खाते में ब्याज अर्जित किया गया, इसका कोई विवरण नहीं रखा गया है। अतः यह भी पुष्टि नहीं रहा कि समस्त ब्याज की धनराशियाँ दर्शित कर ली गयी है अथवा नहीं। मात्र ब्याज मद का शीर्ष खोलकर ब्याज का समेकित विवरण रखा जाना अनुचित है। दिनांक 31.03.18 (वर्षान्त) रु0 1141517.78 की धनराशि राजकोष में जमा न कर राजकीय राजस्व का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री हरिशंकर प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 – 06)

प्रस्तर – 35 आलोच्य वर्ष में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य मद में रु0 103500 दर्शित किया गया है। किन्तु इससे संबंधित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मतदाता सूची पुनरीक्षण आदेश लगाये गये कर्मचारियों की मदवार सूची, पुनरीक्षण कार्य का विवरण, कृत कार्य से संबंधित प्रस्तुत अभिलेख एवं इस कार्य में मदवार दर्शित किये गये व्यय का विवरण प्रस्तुत कर कृत कार्य की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री

हरिशंकर प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0 – 10)

9. क्षेत्र पंचायत – भदौरा ले0प0 वर्ष– 2017–18

प्रस्तर – 36 दिनांक 31.03.2018 को क्षेत्र पंचायत के अभिलेखों के अनुसार रु0 1,75,511.00 ब्याज मद में दर्शाया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-ए-1-122-दस-2012-10(33)2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार सरकारी अनुदान से प्राप्त ब्याज की धनराशि उस संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है। इसे राजकीय कोष में जमा किया जाना चाहिए था इस प्रकार रुपया 175511.00 क्षेत्र पंचायत द्वारा अनियमित रूप से राजकीय राजस्व को रोक कर रखा गया है। जिसके प्रति श्री धनंजय सिंह ख0वि0अ0, श्री अमेरिका सिंह ख0वि0अ0, श्री अरुण कुमार यादव ख0वि0अ0, श्री राम बहादुर राम और श्री महेन्द्र नाथ सिंह ख0वि0अ0, एवं श्री कन्हैया सिंह लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 37 वित्तीय वर्ष 2017-18 में आयकर रु0 31817/- जमा किया गया है। आयकर जमा से सम्बन्धित पत्रावली/चालान/अभिलेख से सम्बन्धित रिटर्न लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जो आपत्तिजनक है। जिसके प्रति श्री धनंजय सिंह ख0वि0अ0, श्री अमेरिका सिंह ख0वि0अ0, श्री अरुण कुमार यादव ख0वि0अ0, श्री राम बहादुर राम और श्री महेन्द्र नाथ सिंह ख0वि0अ0, एवं श्री कन्हैया सिंह लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 38 वित्तीय वर्ष 2017-18 में वैट/रायल्टी में रुपया 5340/- जमा दर्शाया गया है परन्तु रायल्टी से सम्बन्धित पत्रावली/चालान लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा है। जो अनियमित है। जिसके प्रति श्री धनंजय सिंह ख0वि0अ0, श्री अमेरिका सिंह ख0वि0अ0, श्री अरुण कुमार यादव ख0वि0अ0, श्री राम बहादुर राम और श्री महेन्द्र नाथ सिंह ख0वि0अ0, एवं श्री कन्हैया सिंह लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

10. क्षेत्र पंचायत – मनिहारी ले0प0 वर्ष– 2017–18

प्रस्तर – 39 दिनांक 31.03.2018 को क्षेत्र पंचायत के अभिलेख के अनुसार रु0 578161.00 ब्याज मद में दर्शाया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)2010 दिनांक 21.03. 2012 के अनुसार सरकारी अनुदान से प्राप्त ब्याज की धनराशि इस संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है। इसे राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिए। इस प्रकार रु0 578161/- क्षेत्र पंचायत द्वारा अनियमित रूप से रोक कर रखा गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार पाण्डेय और राम विलास राम एवं लेखाकार श्री मनोज सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 40 दिनांक 31.03.2018 को क्षेत्र पंचायत के अभिलेख के अनुसार आयकर रु0 1,01,116/- जमा किया गया है। परन्तु आयकर से सम्बन्धित पत्रावली/चालान लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला। जो अनियमित है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार पाण्डेय और राम विलास राम एवं लेखाकार श्री मनोज सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

11. क्षेत्र पंचायत – कासिमाबाद ले0प0 वर्ष– 2017–18

प्रस्तर – 41 आँगनबाड़ी निर्माण मद से दिनांक 01.06.2017 को ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में दिवाकर कान्सट्रक्शन को रु0 53,800.00 चेक सं0 007899 द्वारा जमानत वापस किया गया दर्शित है परन्तु दिवाकर कान्सट्रक्शन द्वारा रु0 53,800.00 जमानत की धनराशि जमा की गयी थी। इसका प्रमाण (साक्ष्य) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे दिवाकर कान्सट्रक्शन द्वारा जमा जमानत की धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। अतः संस्था द्वारा रु0 53,800.00 की गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री धनंजय सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री अरुण कुमार उत्तरदायी है, जिसकी क्षतिपूर्ति करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 42 ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय में टेण्डर की धनराशि मद में रु0 14,005.00 प्रारम्भिक अवशेष दर्शित है, जिसे दिनांक 14.09.2017 को चेक सं0 03228 द्वारा श्री मकेशरनाथ कौशियर को जमानत की धनराशि वापस किया गया दर्शित है जब कि यह टेण्डर मद की धनराशि है। एवं श्री मकेशरनाथ विकास खण्ड कार्यालय के कर्मचार हैं। किसी कर्मचारी की जमानत की धनराशि क्यों दी गयी। अतः स्पष्ट है कि

कपटपूर्ण तरीके से ₹0 14,005.00 खण्ड विकास अधिकारी श्री धनन्जय सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री अरुण कुमार द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 43 इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी मद में माह नवम्बर 2017 में ₹0 69,334.00 की आय ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय में दर्शित है जब कि यह धनराशि क्षेत्र निधि ब्याज मद से ली गयी है, जबकि नियमानुसार ब्याज से प्राप्त आय संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय मानी जाती है, जिसे शासन को वापस किया जाना चाहिए था जबकि इसका पालन न करते हुए गम्भीर वित्तीय अनियमितता की जानी है, जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री धनन्जय सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री अरुण कुमार उत्तरदायी हैं जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 44 वर्ष 2017-18 में विधायक निधि में से ₹0 43,99,208.00 का व्यय ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय में दर्शित है, जबकि लेखा परीक्षा में मात्र ₹0 22,45,369.00 की कार्य पत्रावली प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत पत्रावली आलेख में संलग्न है। अतः शेष ₹0 21,03,839.00 की कार्य पत्रावली अप्रस्तुत रही, जिससे इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकी। अतः ₹0 21,03,839.00 की कार्य पत्रावली प्रस्तुत न करना गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है, जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री धनन्जय सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री अरुण कुमार उत्तरदायी हैं, अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 45 वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त मद से ₹0 76,89,256.00 का व्यय ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय में दर्शित है परन्तु लेखा परीक्षा में मात्र ₹0 56,93,595.00 की ही कार्य पत्रावली प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत पत्रावली आलेख संलग्न है, जिससे शेष ₹0 19,95,661.00 की कार्य पत्रावली अप्रस्तुत रही। अतः ₹0 19,95,661.00 की कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है, जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री धनन्जय सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री अरुण कुमार उत्तरदायी हैं, अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

12. क्षेत्र पंचायत — मरदह ले0प0 वर्ष— 2017-18

प्रस्तर — 46 दिनांक 21.09.2017 को चेक नं0 0008731 से ₹0 57050.00 का भुगतान हैदरगंज में पानी के टंकी से मरहू राजभर के घर तक मिट्टी खड्जा पर किया गया है। परन्तु पुष्टि में प्रस्तुत मस्टररोल पर $16 \times 20 \times 175, 1 \times 6 \times 175 = 57050$ का भुगतान किया गया है। परन्तु कम सं0 11 से 17 तक किसी भी श्रमिक का नाम, पता अंकित नहीं पाया गया है तथा अंकित श्रमिकों का धनप्राप्ति के पुष्टि हस्ताक्षर भी अंकित नहीं पाया गया है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि काल्पनिक मस्टर रोल से भुगतान कर ब्लाक प्रमुख श्रीमती निधि मौर्या, खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति रावत एवं लेखाकार अशोक कुमार के मिलीभगत से क्षेत्र पंचायत के धन का दुरुपयोग किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 47 दिनांक 31.07.2017 को चेक नं0 092079 से ₹0 337600.00 का भुगतान 16 सोलर लाइट एवं दिनांक 14.12.2017 को चेक नं0 1000835 से ₹0 316500.00 का भुगतान 15 सोलर लाइट कुल ₹0 654100.00 का मे0 बमभोला ट्रेडर्स, मरदह, गाजीपुर को ग्राण्ट रजिस्टर में किया। परन्तु इसके पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली क्षेत्र पंचायत स्तर पर नहीं रखा गया है तथा यह क्रय की गयी सोलर लाइट क्षेत्र पंचायत में किस स्थान पर स्थापित है, इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख या विवरण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि ग्राण्ट रजिस्टर में काल्पनिक सोलर लाइट क्रय दर्शित कर ब्लाक प्रमुख श्रीमती निधि मौर्या, खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति रावत व धनन्जय सिंह एवं लेखाकार श्री मनोज कुमार सिंह व अशोक कुमार के मिलीभगत से क्षेत्र पंचायत के धन का अपहरण कर लिया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 48 दिनांक 24.06.2017 को ग्राण्ट 2 में चेक नं0 1095838 से ₹0 330454.00 का भुगतान मे0 दुर्गा कान्द्रक्शन कं0, रामपुर वाहापुर को सामग्री एवं चेक नं0 95839 से0 ₹0 74164.00 का भुगतान जितेन्द्र बहादुर को हैदरगंज में एन एच-29 से धनपत, राजाराम के घर होते हुए मंगल यादव के घर तक इन्टरलाकिंग पर कुल ₹0 404618.00 का भुगतान किया गया, परन्तु उक्त किये गये कार्यों की पुष्टि में

कोई पत्रावली या प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि ग्रान्ट रजि० 2में काल्पनिक व्यय दर्शित कर ब्लाक प्रमुख श्रीमती निधि मौर्या, खण्ड विकास अधिकारी आशा देवी, लेखाकार मनोज सिंह एवं कार्य प्रभारी जितेन्द्र बहादुर के मिलीभगत से क्षेत्र पंचायत के धन की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 49 दिनांक 15.07.2017 को ग्रान्ट रजि० द्वितीय में चेक नं० 95831 से रू० 17140.00 का भुगतान श्रवणडीह में अखाड़ा निर्माण पर किया गया है। परन्तु पुष्टि में प्रस्तुत मस्टर रोल नं० 4446 पर कार्य तिथि का अंकन नहीं किया गया है। अतः बिना तिथि के कराये गये कार्य पर किया गया भुगतान संदिग्ध रहा है। जिसके लिए ब्लाक प्रमुख श्रीमती निधि मौर्या, खण्ड विकास अधिकारी शिवमूर्ति राव एवं लेखाकार मनोज सिंह उत्तरदायी है, जिस पर ब्याज सहित वसूली की आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

13. क्षेत्र पंचायत — रेवतीपुर ले०प० वर्ष— 2017—18

प्रस्तर — 50 वर्ष 2017—18 में राज्य वित्त/विधायक निधि/तेरहवा वित्त के अन्तर्गत निर्माण कार्य में कुल सामग्री क्रय रू०—1224568 दर्शित है, जिसपर 2.24 की दर से टी०डी०एस० कटौती रू०—27430 होता है, जिसमें मात्र रू०—6840 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रू०—20590 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस प्रति ख०वि०अ० श्री हरिनारायन एवं लेखाकार श्री कौशल कुमार मिश्र उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 51 आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू०—1224568 दर्शित है, जिसपर 10 प्रतिशत की दर से रू०—122457 की जमानत राशि की कटौती नहीं की गयी है। अतः कार्य में होने वाली किसी नियमितता के लिए कार्यदायी व्यक्ति/संस्था जिम्मेदार होगी। इस प्रति ख०वि०अ० श्री हरिनारायन एवं लेखाकार श्री कौशल कुमार मिश्र उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 52 वर्ष 2017—18 में राज्य वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्य ताड़ीघाट में विजय बहादुर के द्वार से बन्धवा तक मिट्टी, खड्जा कार्य में मजदूरी पर रू०—95383 व्यय किया गया है, लेकिन लेखा परीक्षा के समय रू०—52325 का मस्टर रोल प्रस्तुत किया गया। शेष रू०—43058 का मस्टर रोल बार—बार मौखिक मांग के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने से अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी हरिनारायन और लेखाकार कौशल कुमार मिश्र संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

14. क्षेत्र पंचायत — देवकली ले०प० वर्ष— 2017—18

प्रस्तर — 53 वर्ष 2017—18 के निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु रू० 3091643.00 कतिपय फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है। परन्तु क्रय करने से पूर्व निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया है। संस्था द्वारा मनचाहे फर्म से सामग्री क्रय किया गया है। शासनादेश सं—ए—1—864/दस—08—15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु रू एक लाख तक कोटेशन एवं रू एक लाख से अधिक की सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त हो सकें एवं मितव्ययिता बरती जा सके। परन्तु उक्त शासनादेश का संस्था द्वारा पालन नहीं किया गया है। जो कि गंभीर अनियमितता के प्रकरण है।

इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। निर्धारित दायित्व निम्नवत :—

1— श्री पवन कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी व श्री राजकुमार केशरी, लेखाकार : रू० 991733.00

2— श्री नगीना सिंह यादव, खण्ड विकास अधिकारी व श्री राजकुमार केशरी, लेखाकार : रू० 2099910.00
योग : 3091643.00

प्रस्तर —54 वर्ष 2017—18 के निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है। परन्तु आयकर एवं वैट की कटौती नहीं किया गया है। इस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194सी के अनुसार निर्माण कार्य के सापेक्ष भुगतान बिलों से आयकर की कटौती के उपरान्त की धनराशियों का भुगतान किया जाना चाहिए। जिसका पालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है।

उक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि रूपए 47037.99 आयकर एवम् रूपए 83996.40 वैट कुल रूपए 131034.39 की राजकीय राजस्वा की क्षति हुई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नगीना सिंह यादव एवम् लेखाकार श्री राजकुमार केशरी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही/ ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 55 वर्ष 2017-18 के अनुदान पंजी के अनुसार निम्नलिखित मदों के व्यय अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित रहा। पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है –

क्रमांक	मद	रूपए	क्रमांक	मनरेगा मद	रूपए
1	ब्याज	976	1	मनरेगा प्रशासनिक मद	3234021
2	आयकर	22217	2	ब्याज	95
3	वैट	39669			
4	जामनत	302065			
5	प्रासंगिक व्यय इन्दिरा आवास	107419			
6	पंचायत निर्वाचन	121500			
7	एस0पी0एस0क्रय	500			
8	प्रधानमंत्री प्रशासनिक मद	35396			
	योग –	629742.00		योग –	3234116.00

उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह व श्री नगीना सिंह यादव एवम् लेखाकार श्री राजकुमार केशरी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –56 वर्ष 2017-18 के अनुदान पंजी के अनुसार राज्य वित्त मद में कुल रूपए 4206362.00 व्यय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में मात्र 3575694.00 के पत्रावली ही प्रस्तुत किया गया है। शेष रूपए 630668.00 के अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से व्यय अपुष्टित रहा। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह व श्री नगीना सिंह यादव एवम् लेखाकार श्री राजकुमार केशरी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 57 वर्ष 2017-18 के निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया की रू0 27148.38 कतिपय कार्यों के श्रमांश के प्राक्कलित धनराशि से अधिक व्यय किया गया है जो की अनियमित है।

उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवम् कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। निर्धारित दायित्व निम्नवत है—

1. श्री नगीना सिंह यादव, ख०वि०अ०, श्री राजकुमार केशरी, लेखाकार व श्री जयप्रकाश पाल, ग्रा०वि०अ० – रूपए 13956.00
 2. श्री नगीना सिंह यादव, ख०वि०अ०, श्री राजकुमार केशरी, लेखाकार व श्री आशीष कुमार सिंह, ।क् (सहक) – रूपए 6775.00
 3. श्री नगीना सिंह यादव, ख०वि०अ०, श्री राजकुमार केशरी, लेखाकार व श्री प्रेम कुमार राय, ।क् (आई०एस०बी) – रूपए 6417.38
- योग – रूपए 27148.38

15. क्षेत्र पंचायत – मनिहारी ले0प0 वर्ष– 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर – 58 वर्ष 2011-12 में कार्यों की मात्र पाँच पत्रावलियों प्रस्तुत की गयी। जिसका उल्लेख प्रारूप-1 पर अंकित है। इन पत्रावलियों में उपलब्ध प्रमाणकों एवं निर्गत चेकों के आधार पर कुल रू0 1315505.00 व्यय है। जिसमें रू0 1152949 सामग्री पर तथा शेष रू0 162556.00 मजदूरी पर व्यय है। जिस पर आपत्तियाँ निम्नवत है –

1. संबंधित फर्मों पर कोटेशन ऑगणन नहीं किया गया है।
2. अधिकांश क्रय सामग्रियों के प्रमाणकों पर बिल संख्या व दिनांक अंकित नहीं था। कुछ पर क्रम संख्या अंकित नहीं था। मस्टर रोल पर कार्य पर कार्य का दिनांक एवं मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं था। मस्टर रोलों तथा सामग्रियों की धनराशि जोड़कर चेक प्रभारी को निर्गत किया गया है जो नियमानुसार नहीं रहा तथा वास्तविक फर्म को भुगतान किया गया अथवा नहीं इसकी स्थिति अज्ञात रही। प्रायः मस्टररोलो पर कार्य की समाप्ति तिथि के पश्चात् कार्य प्रभारी को चेक भुगतान किया गया है। मजदूरी भुगतान पंजिका के अभाव में यह पुष्टि नहीं हो पाया कि प्रभारी द्वारा मजदूरों को मजदूरी भुगतान किया गया है अथवा नहीं। कार्य प्रगति का स्थलीय निरीक्षण व माप

करायी गयी और इसी के आधार पर पेमेंट किये गये है। संबंधित पत्रावली पर किसी भी भुगतान के सापेक्ष कोई भी निरीक्षण रिपोर्ट, माप आख्या संलग्न नहीं रही।

3. विकास खण्ड से कार्यवार मस्टर रोल निर्गत नहीं रहा।
4. पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न है। वहाँ लगाये गये अगूठा निशान प्रमाणित नहीं रहे।
5. सामग्री क्रय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, निर्गत नहीं किया गया और न ही एकाउण्टपेयी चेक से किया गया है।
6. सम्बन्धित फर्मों द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया है।
7. प्रारूप-3 एवं 4 से अंकित विवरण से स्पष्ट है कि समस्त भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा प्राप्त किये गये हैं और कई व्यय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नहीं रहे।

निष्कर्ष — उपरोक्त विवरणों एवं प्रारूप-1 से 4 तक का अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्बन्धित कार्यों पर फर्जी तरीके से चेक निर्गत कर धन का समायोजन करते हुए धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए सम्बन्धित कार्य प्रभारी, जे0ई0 लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 59 वर्ष 2012-13 में प्रारूप-1 पर अंकित विवरण के अनुसार सम्बन्धित वर्ष की लेखा परीक्षा में लगे लेखापरीक्षकों द्वारा बार बार मांगने के बावजूद मात्र 6 कार्य पत्रावलियाँ प्रस्तुत की गयी। जिस पर व्यय का विवरण निम्न प्रकार है —

1. सम्बन्धित कार्यों का टेण्डर/कोटेशन आमंत्रण नहीं रहा। ओम रुद्राक्ष के प्रमाणक पर निगमन तिथि नहीं रहा, रुपया 81420.00 का बाउचर नहीं रहा तथा समस्त भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा प्राप्त किया गया है।
2. कृपा ईट उद्योग के बिल पर बिल संख्या नहीं रहा। कृपा ईट उद्योग एवं गिरीश उद्योग के बिल पर क्रय संख्या एवं तिथि नहीं रहा। समस्त भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है।
3. मद्धेशिया विल्डिंग मैटेरियल के बिल पर निगमन तिथि नहीं रहा तथा समस्त भुगतान प्रभारी चन्द्रमा दूबे को किया गया है।
4. कार्य पर समस्त सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है।
5. कार्य पर समस्त भुगतान सामग्री एवं मजदूरी का कार्य प्रभारी चन्द्रमा दूबे को किया गया है।

प्रभारी द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान कर भुगतान सम्बन्धी रसीद प्राप्त कर नहीं रखा गया है तथा मजदूरी भुगतान सम्बन्धी व्ययों की पुष्टि में मजदूरी भुगतान पंजिका तैयार कर मजदूरों से मजदूरी प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर नहीं किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के अधीन कार्य संख्या 1 से 8 तक के कार्यों पर दर्शित अपुष्ट एवं संदिग्ध नियमों के विपरीत व्यय दर्शाकर अपहरित रहा।

निष्कर्ष—

(1) मस्टररोल सम्बन्धित-निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मजदूरों की मजदूरी भुगतान उनके खाते खुलवाकर नहीं किया गया है तथा मजदूरी भुगतान सम्बन्धी पंजिका तैयार हस्ताक्षर नहीं कराया गया है। मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर है जो उपस्थिति स्वरूप है अथवा भुगतान सम्बन्धी कार्य प्रभारी को मजदूरी सम्बन्धित धनराशि का चेक कार्य समाप्ति के पश्चात् किया गया है।

(2) सामग्री क्रय से सम्बन्धित भुगतान सम्बन्धित फर्मों को न कर कार्य प्रभारी को किया गया है तथा फर्मों से धनराशि प्राप्ति स्वरूप रसीद प्राप्त नहीं किया गया है तथा टेण्डर/कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया है। आपूर्ति आदेश तथा आपूर्ति चालान की नहीं रहा। अतः सम्बन्धित आपत्तियों के अधीन दर्शित व्यय संदिग्ध एवं धन के समायोजन की कार्यवाही प्रतीत रहा। अतः रुपया 1076638.00 सम्बन्धित पक्षों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर —60 आलोच्य वर्ष 13-14 में कार्य संख्या-1 से 16 तक के कार्यों पर कुल रु0 851480 कार्यप्रभारी श्री चन्द्रमा प्रसाद दूबे सहायक विकास अधिकारी पंचायत को भुगतान किया गया है। पत्रावली में जो मस्टर रोल पाये गये उन पर म०रो0 संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल कार्यवार विकासखण्ड से निर्गत नहीं है। कतिपय मस्टररोल पर कार्य की तिथि अंकित नहीं थी। जैसे कार्य संख्या-7 कार्य संख्या-11 जो क्रमशः सरायगोकुल में चमरुसाव के घर से पोखरी तक नाली निर्माण तथा हंसराजपुर बाजार में सरहद तक खडंजा मरम्मत पर क्रमशः 31524 व 117624 है तथा कतिपय मस्टररोल पत्रावलियों में संलग्न नहीं रहें जैसे कार्य संख्या-3 ग्रा०पं० बसेवा में जयराम के घर से सरहद तक नाली निर्माण पर रुपया 35558 कार्य संख्या-8 मौधिया में हीरा राजभर के घर से सीसीरोड तक ढक्कनदार नाली निर्माण

पर 35216 है तथा मजदूरों के अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं रहे तथा जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं मस्टर के हाजिरी कर्ता के ही हस्तलेख में हैं। मजदूरों के ग्राम का नाम भी प्रायः अंकित नहीं। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावलियों में संलग्न किया गया है और कार्य प्रभारी द्वारा स्वयं धनराशि प्राप्त कर वितरण नहीं किया गया है और योजनावद्ध तरीक से धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए खं०वि०अ०, जे०ई०, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी समान रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 61 वर्ष 2013-14 में अंकन रु० 2626089.00 विभिन्न फर्मों/व्यक्तियों द्वारा संलग्न तालिका के अनुसार कच्चे बिल पर बिना मांग पत्र बिना आपूर्ति चालान जारी किये भुगतान नियम विरुद्ध विधि से प्राप्त कर प्रमाणक जारी किया गया है। जिस पर टैक्स आदि चार्ज नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था से मिलीभगत कर शासकीय धन के अपहरण में संबधित फर्मों द्वारा सहयोग/भागीदारी की गई है। अतएव संस्था फर्मों द्वारा जारी किये गये प्रमाणकों की जाँच इनके विक्री रजि०, दाखिल रिटर्न, व्यापार कर एवं आयकर आदि के आलोक में करते हुए आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 62 आलोच्य वर्ष 13-14 में कुल 16 पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहीं शेष कार्य पत्रावलियाँ मनगोपरान्त बार बार टालते हुए प्रस्तुत नहीं की गई है तथा अन्य मदों पर व्यय सम्बन्धित प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। अनुदान रजि० के अनुसार व्यय रहा। अवशेष पत्रावलियों/प्रमाणकों के नियमानुसार एवं शासनादेशों तथा क्रम एवं भुगतान पत्रावलियों को अपनाते हुए क्रय किया गया है कि स्थिति अज्ञात रही। अपहरण अनियमितता को छिपाने के लिए पत्रावलियों को प्रस्तुत न करने के लिए श्री मनोज कुमार सिंह जिम्मेदार हैं। अनुमोदन में दिये गये निर्देशों के क्रम में रु० 8828306 का भुगतान अपहरण/अनियमित रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

16. क्षेत्र पंचायत — मनिहारी

ले०प० वर्ष— 2014-15 से 2016-17

आलोच्य वर्ष 2014-15 में कार्य संख्या-1 से 5 तक मस्टररोल पर आपतियाँ —

प्रस्तर — 63 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मजदूरों की मजदूरी भुगतान उनके खाते खुलवाकर नहीं किया गया है तथा मजदूरों को मजदूरी भुगतान सम्बन्धी पंजिका तैयार कर भुगतान प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं। मरो० पर मजदूरों के हस्ताक्षर हैं जो उपस्थिति स्वरूप है अथवा भुगतान प्राप्ति स्वरूप है। लेखा परीक्षा में यह प्रकाश में आया कि कार्य प्रभारी को मजदूरी भुगतान स्वरूप (म०रो० की धनराशि) चेक कार्य कार्य समाप्ति के पश्चात् कराया गया है। अतः स्पष्ट होता है कि मजदूरों के हस्ताक्षर अंगूठा निशान उपस्थिति स्वरूप कराये गये हैं। इस प्रकार मजदूरी भुगतान की तिथि स्पष्ट नहीं है। इस मद में कार्य संख्या-1 से 5 तक के कार्य पर कुल 222144 कार्य प्रभारी श्री चन्द्रमा दूबे को किया गया है। पत्रावलियों में जो मरो० पाये गये उन पर मरो० संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि मरो० कार्यवार विकासखण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं है। कतिपय मस्टर रोलों पर कार्य की तिथि अंकित नहीं थी। जैसे कार्य क्रमांक-1 ग्रामसभा पारा में खडन्जा से आगे सरहद तक मिट्टी खडन्जा कार्य तथा कार्य संख्या-2 खिड़ही में झिल्लू के दरवाजे से संपर्क मार्ग तक मिट्टी खडन्जा कार्य। इसी प्रकार शेष तीनों कार्यों पर भी कार्य की तिथि अंकित नहीं है। मजदूरों के अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं रहा। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं। मस्टर रोल भरने वाले के हस्तलेख में ही है। मजदूरों का पता अंकित नहीं है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मरो० तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है और कार्य प्रभारी द्वारा धनराशि स्वयं प्राप्त कर वितरण नहीं किया गया है और योजनावार तरीके से धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके खण्ड विकास विकास अधिकारी, लेखाकार एवं कार्य प्रभारी जिम्मेदार हैं।

मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म/प्रभारी को भुगतान कर अपहरण —

प्रस्तर — 64 सामग्री क्रय से सम्बन्धित भुगतान सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को न कर कार्य प्रभारी चन्द्रमा प्रसाद दूबे को किया गया है। जो क्रय सम्बन्धी प्रमाणक पत्रावलियों में पाया गया कि वह कच्चे बिलध कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कोई आपूर्तिपत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई चालान निर्गत किया गया है। सामग्री आमदधुपभोग व अवशेष स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। इससे स्पष्ट है कि फर्म द्वारा किसी तरह कैशमेमो प्राप्त कर संलग्न करते हुए धन का आहरण — कर लिया गया है। समस्त भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा आहरण किया गया है जो प्रभारी श्री चन्द्रमा प्रसाद दूबे आहरण के पश्चात नगद भुगतान की कोई रसीद संलग्न नहीं रहा। कतिपय क्रय प्रमाणकों पर क्रय की तिथि अंकित नहीं रहा। जो अपने आप. में प्रमाणक की

संदिग्धता को स्पष्ट करता है। वर्ष 14-15 में इस मद में 746812.00 का व्यय दर्शित है। अतः यह धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 65 वर्ष 2015-16 में क्रम संख्या-1 से 3 पर कुल 295902 का व्यय किया गया है। जिससे 52647 मजदूरी की धनराशि का चेक निर्गत है। शेष रु0 239623.00 का व्यय सामग्री पर किया गया है। जिसका भुगतान कच्चे बिल पर किया गया है। जिससे सम्बन्धित आपूर्ति आदेश एवं आपूर्ति चालान, स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। सम्बन्धित भुगतान चन्द्रमा प्रसाद दूबे द्वारा प्राप्त किया गया है। अतः उक्त धनराशि का कात्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है। जिसके प्रभारी, लेखाकार, जे0ई0 एवं बी0डी0ओ0 उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 66 आलोच्य वर्ष में रु0 85315 ब्याज की धनराशि प्राप्त हुई है जो सरकार की आय होती है। जिसे जमा न कर तथा वर्ष के अंत में कुल रु0 389712 इस मद में रोक कर रखा है जो कि अनियमित रहा। जिसके लिए सम्बन्धित लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

17. क्षेत्र पंचायत - कासिमाबाद ले0प0 वर्ष- 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर - 67 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि 13वां वित्त मद से सामग्री क्रय का भुगतान कार्यप्रभारी को मजदूरी के साथ नकद किया गया है। जबकि सामग्री क्रय का भुगतान एकाउंट पेयी चक द्वारा सम्बन्धित फर्म को किया जाना चाहिए। सामग्री क्रय का कोटेशन/टेण्डर भी नहीं लिया गया है। अतः सामग्री की धनराशि 489673.00 का.. भुगतान अनियमित तरीके से कार्य प्रभारी को किया गया है, जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार यादव, श्री दिनेश सिंह एवं नजरे हुसैन तथा सहायक लेखाकार श्री अनिल मौर्य एवं रवीन्द्र जायसवाल उत्तरदायी हैं, जिसकी क्षतिपूर्ति करते हुए वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 68 आलोच्य वर्ष 2014-15 में 13वां वित्त मद से काशिमाबाद-मऊ मार्ग से माता वेवफाइयों महाविद्यालय तक इण्टरलॉकिंग कार्य पर दिनांक 08.08.2014 से 06.09.2014 तक कुल रु0 478952.00 व्यय ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में दर्शित है। इसमें से रु0 366208.00 सामग्री अंश पर एवं रु0 112744.00 मजदूरी पर व्यय दर्शित है। उक्त कार्य की पत्रावली में न कार्य का इस्टीमेट बनाया गया है और न ही इसकी तकनीकी स्वीकृति ली गयी है, जिससे स्पष्ट होता है कि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए राजकीय अनुदान को नियमानुसार व्यय न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिसमें अधिक व्यय की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री अनिल मौर्य उत्तरदायी हैं, जिसकी क्षतिपूर्ति करते हुए वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 69 वर्ष 2014-15 में सांसद निधि मद से वर्ष में कुल रु0 1739875.00 व्यय ग्राण्ट ,रजिस्टर द्वितीय एवं तृतीय में दर्शित है परन्तु इसके सापेक्ष में कोई भी पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त मद से भी दो कार्य पर कुल रु0 1548959.00 व्यय ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में दर्शित है। परन्तु इसकी भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार यादव, दिनेश सिंह, अनय कुमार मिश्रा एवं नजरे हुसैन तथा सहायक लेखाकार श्री अनिल मौन एवं रवीन्द्र जायसवाल के मिली भगत से क्षेत्र पंचायत के प्राप्त कुल रु0 3288834.00 अनुदान की अनियमितता/अपहरण संभावित है, जिसकी क्षतिपूर्ति करते हुए वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 70 वर्ष 2014-15 में वेतन आदि कनिष्ठ लेखा लिपिक एन आर ई पी मद से कुल रु0 38881.00 जीप सर्विसिंग एवं डीजल मद पर व्यय ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में दर्शित है परन्तु लेखा परीक्षा में इसका व्यय वाचर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं हो सकी। जब कि जीप सर्विसिंग एवं जीप डीजल की धनराशि कन्टीनेंसी मद में की जानी चाहिए न कि वेतन मद से। अतः श्री अरुण कुमार यादव व अनिल मौर्य द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए वेतन मद से रु0 38881.00 की धनराशि आहरित कर अपहरण कर ली गयी है, इसकी ब्याज सहित वसूली करते हुए वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 71 राज्य वित्त मद में दिनांक 31.03.2014 को ग्राण्ट रजिस्ट रजिस्टर द्वितीय में रु0 4250195.00 का अवशेष दर्शित था जिसको पुनर्लेखन कर रु0 1988641.00 कर दिया गया जबकि रु0 4250195.00 ही

सही है। अतः पुनर्लेखन करने से दिनांक 31.03.2014 को अन्तिम अवशेष ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय एवं तृतीय में रु0 2261554.00 से कम हो गया जो कि राजकीय अनुदान में अपहरा का प्रकरण संभावित है। अतः रु0 2261554.00 की क्षतिपूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार यादव एवं सहायक लेखाकार श्री अनिल मौर्य से अपेक्षित है।

प्रस्तर — 72 वर्ष 2014-15 के ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय की जाँच करते समय प्रकाश में आया कि सितम्बर 2014 में राज्यवित्त का अन्तिम अवशेष रु0 2518599.00 एवं 13वें वित्त का अन्तिम अवशेष रु0 3281540.00 दर्शित है परन्तु अक्टूबर 2014 में राज्य वित्त मद का प्रारम्भिक अवशेष रु0 4177954.00 एवं 13वें वित्त का प्रारम्भिक अवशेष रु0 1622185.00 दर्शित है। जबकि सितम्बर 2014 का अन्तिम अवशेष ही अक्टूबर 2014 का प्रारम्भिक अवशेष होना चाहिए। परन्तु यहाँ पर बिना किसी आदेश के 60 1659355.00 से राज्य वित्त का प्रारम्भिक अवशेष बढ़ाना एवं इतनी ही धनराशि से 13वें वित्त का प्रारम्भिक अवशेष कम करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री अनय कुमार मिश्र एवं सहायक लेखाकार श्री रवीन्द्र जायसवाल: उत्तरदायी हैं, उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 73 आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त मद में दिनांक 10.02.2015 को ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय का अवशेष रु0 2662071.00 दर्शित है जबकि गणना के अनुसार इसका वास्तविक योग रु0 3264270.00 होता है। अतः ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय का योग रु0— 602199.00 से कम करके धनराशि आहरित कर ली गयी, जिसकी क्षतिपूर्ति खण्ड विकास अधिकारी श्री नजरे हुसैन एवं सहायक लेखाकार श्री रवीन्द्र जायसवाल से अपेक्षित है।

प्रस्तर — 74 वर्ष 2015-16 में 13वाँ वित्त मद से कुल रु0 1097906.00 का भुगतान गेट निर्माण पर किया गया दर्शित है। जबकि नियमानुसार 13वाँ वित्त मद में प्राप्त अनुदान से गेट निर्माण कराने की अनुमति नहीं है। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नजरे हुसैन, लालव्रत यादव एवं धनन्जय सिंह तथा बलक प्रमुख श्री रामायान सिंह, सहायक लेखाकार श्री रवीन्द्र जायसवाल एवं अरुण कुमार द्वारा 13वें वित्त मद की कुल रु0 1097906.00 की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, जिन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

प्रस्तर — 75 वर्ष 2015-16 में स्वीकृत कार्य ग्राम पंचायत मुबारकपुर मेन में अशोक के खेत से अनुज के खेत तक मिट्टी खड़न्जा कार्य पर कुल रु0 274054.00 व्यय दर्शित है। यहाँ कृ कार्य किस मद से कराया गया है। इसका उल्लेख कार्य पत्रावली में नहीं है। कार्य पर कुल भुगतान में रु0 72874.00, 13वा विर कुल भुगतान में रु0 72874.00, 13वाँ वित्त मद से तथा शेष रु0 201180.00, राज्य . वित्त मद से किया गया दर्शित है। जब कि नियमानुसार किसी एक कार्य की स्वीकृति किसी एक ही मद से की जानी चाहिए। अतः यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है, जो कि खण्ड विकास अधिकारी श्री नजरे हुसैन एवं लालव्रत यादव तथा सहायक लेखाकार श्री रवीन्द्र जायसवाल एवं अरुण कुमार की लापरवाही को दर्शाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 76 आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त मद से ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में बिना किसी उच्चाधिकारियों के आदेश के ही रु0 1203536.00 की धनराशि राज्य वित्त मद से दूसरे मद में स्थानान्तरित एवं प्राप्त की गयी है। जबकि नियमानुसार एक मद में प्राप्त धनराशि दूसरे मद में स्थानान्तरित नहीं की जा सकती है। अतः रु0 1203536.00 के धनराशि की खण्ड विकास अधिकारी की लालबत यादव एवं सहायक लेखाकार श्री अरुण कुमार द्वारा वित्तीय अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 77 दिनांक 07.06.2015 से 15.03.2016 के मध्य आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण मद में विभिन्न सामग्रियों के क्रय पर रु0 34279.00 आयकर की कटौती विभिन्न तिथियों में की गयी है परन्तु ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में रु0 27309.00. ही आयकर कटौती दर्शित है। अतः रु0 6970.00 आयकर कटौती कम दर्शित कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी क्षतिपूर्ति खण्ड विकास अधिकारी श्री धनन्जय सिंह एवं लेखाकार अरुण कुमार से अपेक्षित है।

प्रस्तर — 78 आलोच्य वर्ष 2016-17 में 13वाँ वित्त एवं राज्य वित्त मद से रु0 1479242.00 की स्ट्रीट लाइट एवं सौर ऊर्जा स्थापना पर व्यय ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में दर्शित है। परन्तु बार-बार माँगे जाने के बाद भी क्रय पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इससे स्पष्ट होता है कि

तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नजरे हुसैन एवं धनन्जय सिंह तथा सहायक लेखाकार रवीन्द्र जायसवाल एवं अरुण कुमार द्वारा अनियमित भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं, ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 79 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि क्षेत्र पंचायत काशिमाबाद के दो खाते काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक काशिमाबाद में है परन्तु पिछले कई वर्षों से इन खातों से लेन-देन नहीं हो रहा है। जबकि इन खातों में रु0 867657.00 की धनराशि पड़ी हुई है। यह धनराशि अविलम्ब शासन को वापस की जानी चाहिए अन्यथा इसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः इस ओर विशेष रूप से विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इस प्रति श्री अरुण कुमार ख0वि0अ0, श्री दिनेश सिंह ख0वि0अ0, श्री अनय कुमार मिश्र ख0वि0अ0, श्री नजरे हुसैन ख0वि0अ0, श्रीमती आशा देवी ख0वि0अ0, श्री लालव्रत यादव ख0वि0अ0, श्री धनन्जय सिंह ख0वि0अ0 एवं अनिल कुमार मोर्य (लेखाकार), श्री रविन्द्र जायसवाल (लेखाकार), अरुण कुमार (लेखाकार) उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 80 वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त मद से सलामतपुर बेलसड़ी मार्ग से छेदी के घर तक सी0सी0 रोड का अवशेष भुगतान रु0 236632.00 दर्शित है परन्तु प्रस्तुत पत्रावली में संलग्न कार्ययोजना में यह कार्य दर्शित नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बिना कार्ययोजना स्वीकृति के ही कार्य कराये जा रहे हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। अतः कार्ययोजना स्वीकृति के बाद ही कार्य कराये जाने अपेक्षित हैं। इस प्रति ख0वि0अ0 श्री धनन्जय सिंह एवं लेखाकार श्री अरुण कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

18. क्षेत्र पंचायत — बाराचवर

ले0प0 वर्ष— 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर — 81 वर्ष 2011-12 के राज्य वित्त मद की कार्य पत्रावलियों की जाँच करते समय प्रकाश में आया कि कार्यों की इस्टीमेट स्वीकृति से पूर्व ही कार्य प्रभारी की नियुक्ति कर कार्य प्रभारी के नाम नकद धनराशि रु0 850000.00 आहरित कर ली गयी है। जबकि नियमानुसार स्टीमेट स्वीकृति के बाद कार्य प्रभारी की नियुक्ति की जाती है। तत्पश्चात सामग्री क्रय का भुगतान सम्बन्धित फर्म को एकाउंट-पेयी-चेक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए परन्तु यहाँ पर स्टीमेट स्वीकृति से पूर्व ही कार्य प्रभारी की नियुक्ति कर नकद धनराशि आहरित कर रु0 850000.00 का वित्तीय अनियमितता किया गया है जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री एच0एल0 यादव व सहायक लेखाकार उत्तरदायी हैं, जिसकी क्षतिपूर्ति करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 82 वर्ष 2011-12 से पूरे वित्तीय वर्ष में 12वाँ वित्त मद से रु0 235473.00 का व्यय ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय व तृतीय में दर्शित है, परन्तु बार-बार मागे जाने के बाद भी इसकी कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है, जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एच0एल0 यादव, जनार्दन पाठक व वी0एन0 राम तथा सहायक लेखाकार उत्तरदायी हैं, ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 83 वर्ष 2012-13 में 13वाँ वित्त मद में पूरे वित्तीय वर्ष में रु0 1976857.00 ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय एवं तृतीय में व्यय दर्शित है, जिसकी कार्य पत्रावली बार-बार मागने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इसी प्रकार राज्य वित्त मद में रु0 1783082.00 की भी कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः कुल (1976857+1783082) रु0 3759939.00 की कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है, जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह व सहायक लेखाकार उत्तरदायी हैं, ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 84 वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त एवं 13वाँ वित्त मद में कार्य पत्रावलियों की जाँच करते समय प्रकाश में आया कि सामग्रियों को क्रय करने से पूर्व कोटेशन/टेण्डर नहीं लिया गया है। जबकि नियमानुसार रु0 20000 से 99999 तक के सामग्री क्रय का कोटेशन एवं रु0 100000 से अधिक के क्रय का टेण्डर किया जाना चाहिए। जबकि इस नियम का पालन न कर खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह एवं सहायक लेखाकार द्वारा रु0 2735111.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 85 वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त मद में रु0 884103.00 एवं 13वाँ वित्त मद में रु0 868871.00 की कार्य पत्रावलियाँ बार-बार माँगने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः कुल रु0 1752974.00

की कार्य पत्रावली प्रस्तुत न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह व सहायक लेखाकार उत्तरदायी हैं, ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

19. क्षेत्र पंचायत — बाराचवर

ले0प0 वर्ष— 2014—15 से 2016—17

प्रस्तर — 86 वर्ष 2014—16 में राज्यवित्त मद से रु0 5107553.00, तेरहवां वित्त मद से रु0 291053.00, सांसद निधि मऊ से रु0 4030671.00 एवं विधायक निधि मद से रु0 719871.00 अर्थात् कुल रु0 10149148.00 ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय एवं तृतीय में व्यय दर्शित है, परन्तु बार—बार मॉगने के बाद भी इसकी कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री पी. एन. मिश्र, संतोष कुमार, नजरे हुसैन सिद्दीकी एवं राजीव कुमार सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री लल्लन तिवारी उत्तरदायी हैं, ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 87 वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि व्याज मद द्वितीय से दिनांक 01.07.2015 को चेक सं0 035779 द्वारा रु0 272892.00 ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में व्यय दर्शित है, यह किस कार्य हेतु व्यय किया गया है। इसका विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जबकि नियमानुसार व्याजमद से प्राप्त आय को राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जाना चाहिए, क्योंकि व्याज से प्राप्त आय संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है। अतः रु0 272892.00 की वित्तीय अनियमितता ख0वि0अधि0 श्री पी.एन. मिश्रा एवं सहा0 लेखाकार लल्लन तिवारी द्वारा की गयी है, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 88 वर्ष 2015—16 में तेरहवां वित्त से रु0 1612725.00 की सामग्री क्रय बिना कोटेशन/टेन्डर के की गयी है, जबकि नियमानुसार रु0 20000.00 से रु0 99999.00 तक की सामग्री क्रय कोटेशन द्वारा एवं रुपया एक लाख या इससे अधिक की सामग्री क्रय टेन्डर की प्रक्रिया द्वारा की जायेगी, जबकि निम्नांकित पत्रावलियों के जाँच में पाया गया कि बिना कोटेशन/टेन्डर के ही सामग्री क्रय कर रु0 1612725.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिस हेतु ख0वि0 अधिकारी श्री दिनेश सिंह, पी.एन. मिश्रा, नजरे हुसैन, राजीव एवं सहा0 लेखाकार श्री लल्लन तिवारी उत्तरदायी हैं, इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 89 वर्ष 2015—16 में तेरहवां वित्त मद से रु0 2590368.00 व्यय ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय एवं तृतीय में दर्शित है, जबकि लेखा परीक्षा में मात्र रु0 1819713.00 ही कार्य पत्रावली प्रस्तुत की गयी, जो कि आलेख के साथ संलग्न है। शेष रु0 770655.00 की कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी, जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है, जिस हेतु ख0वि0 अधिकारी श्री दिनेश, पी0एन0 मिश्रा, संतोष कुमार, राजीव कुमार एवं सहायक लेखाकार श्री लल्लन तिवारी उत्तरदायी हैं, ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 90 वर्ष 2015—16 के राज्यवित्त मद की कार्यपत्रावलियों की जाँच करते समय प्रकाश में आया कि रु0 1090262.00 की सामग्री क्रय बिना कोटेशन/टेन्डर के की गयी है, जबकि नियमानुसार रु0 20000.00 से 99999.00 तक की सामग्री क्रय कोटेशन द्वारा एवं रुपया एक लाख या इससे अधिक की सामग्री टेण्डर द्वारा क्रय की जायेगी, जबकि निम्नांकित पत्रावलियों के जाँच में पाया गया कि रु0 1090262.00 की सामग्री क्रय बिना कोटेशन/टेण्डर के करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिस हेतु ख0वि0 अधिकारी श्री दिनेश सिंह, पी0एन0 मिश्र, संतोष कुमार, राजीव कुमार एवं सहा0 लेखाकार श्री लल्लन तिवारी उत्तरदायी हैं, इनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 91 2015—16 में वित्तीय वर्ष में राज्यवित्त मद से रु0 6670003.00 व्यय ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय एवं तृतीय में दर्शित है, जबकि लेखा परीक्षा में मात्र रु0.1276694.00 की कार्य पत्रावली प्रस्तुत की गयी, जो कि प्रस्तुत आलेख के साथ संलग्न है। शेष रु0 5393309.00 की कार्य पत्रावली, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। जिस हेतु ख0वि0 अधिकारी श्री दिनेश सिंह, पी0एन0 मिश्र, संतोष कुमार, राजीव कुमार एवं सहायक लेखाकार श्री लल्लन तिवारी उत्तरदायी हैं, ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 92 वर्ष 2015—16 में सांसद निधि मद से वित्तीय वर्ष में रु0 1144048.00 का व्यय ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय एवं तृतीय में दर्शित है, परन्तु बार—बार मॉगने पर भी इसकी कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है, जिस हेतु ख0वि0 अधिकारी श्री

दिनेश सिंह, पी०एन० मिश्रा, संतोष कुमार, राजीव कुमार एवं सहा० लेखाकार श्री लल्लन तिवारी उत्तरदायी है, ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 93 वर्ष 2015-16 के प्रासांगिक मद डीआरडीए की जाँच करते समय प्रकाश में आया कि रु० 122399.00 सहायक लेखाकार/कैशियर लल्लन तिवारी द्वारा स्वयं के नाम से नकद आहरित की गयी है, परन्तु इस धनराशि का व्यय प्रमाणक/कार्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि ख०वि० अधिकारी श्री नजरे हुसैन, शशिकान्त मिश्रा, धनन्जय सिंह एवं सहा० लेखाकार श्री लल्लन तिवारी की मिली भगत से रु० 122399.00 की धनराशि आहरित कर अपहरण कर ली गयी, जिसकी क्षतिपूर्ति सव्याज करते हुए वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 94 वर्ष 2016-17 के राज्य वित्त, मद की कार्य पत्रावलियों की जाँच करते समय प्रकाश में आया कि रु० 3587581.00 की सामग्री क्रय बिना कोटेशन/टेण्डर के ही की गयी है, जबकि नियमानुसार रु० 20000.00 से 99999.00 तक की सामग्री क्रय कोटेशन से एवं रुपया एक लाख या इससे अधिक की सामग्री क्रय टेण्डर द्वारा की जायेगी। जबकि निम्नांकित कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि रु० 3587581.00 की सामग्री बिना कोटेशन/टेण्डर के कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिस हेतु ख०वि० अधिकारी धनन्जय सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री लल्लन तिवारी उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 95 2016-17 में सांसद निधि मद से रु० 501464.00 ग्राण्ट द्वितीय एवं तृतीय में व्यय दर्शित है, परन्तु बार-बार माँगने पर भी इसकी कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है, जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री धनन्जय सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री लल्लन तिवारी उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 96 वर्ष 2016-17 में विधायक निधि मद से रु० 1107977.00 ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय एवं तृतीय में व्यय दर्शित है, परन्तु लेखा परीक्षा में मात्र रु० 369535.00 की ही कार्य पत्रावली प्रस्तुत की गयी, जो कि आलेख के साथ संलग्न है। शेष रु० 738442.00 की कार्य पत्रावली अप्रस्तुत रही। अतः रु० 738442.00 की वित्तीय अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री धनन्जय सिंह एवं सहा लेखाकार श्री लल्लन तिवारी उत्तरदायी हैं। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 97 वर्ष 2016-17 के प्रासंगिक मद क्त्व। की जाँच करते समय प्रकाश में आया कि रु० 184527.00 सहायक लेखाकार श्री लल्लन तिवारी द्वारा स्वयं के नाम से नकद आहरित की गयी है, जिसका विवरण ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में दर्शित नहीं है और न ही इसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में केवल आहरित धनराशि, चेक संख्या एवं दिनांक ही दर्शित है। अतः इससे स्पष्ट है कि खण्ड विकास अधिकारी श्री धनन्जय सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री लल्लन तिवारी की मिली भगत से रु० 184527.00 आहरित कर अपहरण कर ली गयी है, जिसकी सव्याज ब्याज सहित वसूली करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 98 2016-17 में प्रासंगिक मद डीआरडीए से दिनांक 31.05.2016 में चेक सं० 45218 द्वारा रु० 65400.00 क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं ग्राम प्रधान की बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा भत्ता दिया गया दर्शित है, जबकि नियमानुसार यात्रा भत्ता राज्य वित्त मद से दिया जाना चाहिए। अतः रु० 65400.00 प्रासंगिक मद की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री धनन्जय सिंह एवं सहायक लेखाकार श्री लल्लन तिवारी उत्तरदायी हैं, इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 99 क्षेत्र पंचायत बाराचवर की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि वर्ष 2016-17 में वि०ख० बाराचवर एवं वि०ख० कासिमाबाद दोनों विकास खण्डों के ख०वि० अधिकारी श्री धनन्जय सिंह हैं। श्री धनन्जय सिंह द्वारा प्रत्येक महीने जीप हेतु डीजल लिया गया है। यहाँ पर विशेष रूप से आपत्तिजनक यह पाया गया कि कुछ महीनों में दोनों ही विकास खण्डों से जीप हेतु डीजल की धनराशि ली गयी है, जैसे अगस्त 2016 में रु० 49810.00, अक्टूबर 2016 में रु० 41000.00 एवं नवम्बर 2016 में रु० 44410.00 अर्थात् कुल रु० 135220.00 इन तीन महीनों में विभिन्न लोगों के नाम से आहरित कर लिया गया ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में दर्शित है। जीप की लाग बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, परन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया एवं व्यय प्रमाणक ख०वि० अधिकारी श्री धनन्जय सिंह द्वारा प्रमाणित भी पाया गया, परन्तु लागबुक प्रस्तुत न होने से जीप द्वारा की गयी यात्रा की पुष्टि नहीं हो सकी। प्रस्तुत व्यय प्रमाणक से यह भी स्पष्ट हुआ कि रविवार एवं राजकीय अवकाश के दिन भी जीप हेतु डीजल

की धनराशि ली गयी है। अतः ख०वि० अधिकारी श्री धनन्जय सिंह द्वारा जीप हेतु डीजल क्रय की पुष्टि हेतु कैश में एवं लाग बुक प्रस्तुत न करने के कारण समस्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है। अतः ख०वि० अधिकारी श्री धनन्जय सिंह से कुल रु० 135220.00 की सव्याज ब्याज सहित वसूली करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

20. क्षेत्र पंचायत – करण्डा ले०प० वर्ष– 2012–13 से 2013–14

प्रस्तर – 100 लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13 में प्रस्तुत पत्रावलियों (प्रारूप 3) पर दिये गये विवरण के अनुसार संस्था द्वारा विभिन्न कार्यों पर निर्माण फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है परन्तु संबंधित फर्मों से आयकर व वैट की कटौती नहीं की गयी है। इस कारण राजकीय राजस्व की रु० 184810.08 की क्षति हुई है। यह गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। इस प्रति श्री राजेश कुमार झा (ख०वि०अ०), किरन कुमार मिश्र (ख०वि०अ०), श्री सुरेश चन्द्र राय (ख०वि०अ०) एवं लेखाकार श्री राजकुमार केशरी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 101 लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 में प्रस्तुत पत्रावलियों (प्रारूप 3) पर दिये गये विवरण के अनुसार संस्था द्वारा विभिन्न कार्यों पर निर्माण फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है परन्तु संबंधित फर्मों से आयकर व वैट की कटौती नहीं की गयी है। इस कारण राजकीय राजस्व की रु० 256526.40 की क्षति हुई है। यह गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। इस प्रति श्री सुरेश चन्द्र राय (ख०वि०अ०), श्री प्रभु नारायण मिश्र (ख०वि०अ०), श्री संजय कुमार पाण्डेय (ख०वि०अ०) एवं लेखाकार श्री राजेश सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

21. क्षेत्र पंचायत – करण्डा ले०प० वर्ष– 2014–15 से 2016–17

प्रस्तर – 102 लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 में संस्था द्वारा विभिन्न कार्यों पर निर्माण फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है, परन्तु संबंधित फर्मों से आयकर और वैट कटौती नहीं की गयी है। इस कारण राजकीय राजस्व की रु० 407715.36 की क्षति हुई है। यह गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। इस प्रति ख०वि०अ० श्री संजय कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री शोभनाथ यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 103 लेखा परीक्षा वर्ष 2015–16 में संस्था द्वारा विभिन्न कार्यों पर निर्माण फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है, परन्तु संबंधित फर्मों से आयकर और वैट कटौती नहीं की गयी है। इस कारण राजकीय राजस्व की रु० 2827908.76 की क्षति हुई है। यह गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। इस प्रति ख०वि०अ० श्री संजय कुमार पाण्डेय और श्री राजराम चौधरी एवं लेखाकार श्री शोभनाथ यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 104 लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 में संस्था द्वारा विभिन्न कार्यों पर निर्माण फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है, परन्तु संबंधित फर्मों से आयकर और वैट कटौती नहीं की गयी है। इस कारण राजकीय राजस्व की रु० 335350.08 की क्षति हुई है। यह गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। इस प्रति ख०वि०अ० सविता यादव और श्री मृदूला एवं लेखाकार श्री शोभनाथ यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

22. क्षेत्र पंचायत – बिरनो ले०प० वर्ष– 2011–12 से 2013–14

प्रस्तर – 105 वर्ष 11–12 में निर्माण कार्य हेतु संबंधित फर्म से सामग्री क्रय किया गया है। परन्तु फर्म के नाम से चेक न काटकर समस्त धनराशि कार्यप्रभारी के नाम भुगतान किया है। जो गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रारूप पर दर्शित है –

क्र०	कार्य का नाम/पता	फर्म/आपूर्तिकर्ता का नाम	क्रय सामग्री की धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम
1	दक्कठिया में पी०सी०एफ० गोदाम से पन्न प्रधान के दरवाजे तक मिट्टा/खडंजा	जय हनुमान इण्टर प्राइजेज भड़सर	94750	श्री कृष्ण राम प्रजापति
2	बिरनो में पशु बिक्री से बनकरन यादव वस्ती तक अवशेष सी०सी० रोड निर्माण	शिवानी बिल्डिंग मैटेरियल्स परमानन्द ईट भट्टा	74839	श्री राजाराम कु० ग्रा०वि०अ०
3	मिट्टा पारा हनुमान मन्दिर से सीता यादव के घर तक सी०सी० रोड	शिवानी बिल्डिंग मैटेरियल्स	391670	राजाराम कु० ग्रा०वि०अ०

		बी0एन0वाई0 ईट भट्टा		
4	पमुख घर का मरम्मत व रंगाई पोताई एवं सुन्दरीकरण	भाईगी बिल्डिंग मैटेरियल्य महमूरपुर शिवानी बिल्डिंग मैटेरियल्य शुभम इलेक्ट्रिकलस में त्रिषि कान्त वर्मा	199625.12	अरुण कुमार क0लि0नि0
		योग	760884.12	

प्रस्तर – 106 वर्ष 11-12 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु फर्म से सामग्री क्रय किया गया है। किन्तु संबंधित फर्म से आयकर व वैट की कटौती नहीं की गयी है। इस कारण राजकीय राजस्व की रू0 114534.69 की क्षति हुई है। यह गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी ख0वि0अ0 श्री सतोंष गुप्ता व श्री शशिकान्त मिश्र एवं लेखाकार श्री सम्पति राय एवं ब्रह्मानंद चतुर्वेदी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –107 वर्ष 12-13 में बिना निविदा आमंत्रित किये निर्माण कार्य हेतु संबंधित फर्म से सामग्री क्रय किया गया है। जो कि गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है –

क्र0	कार्य का नाम/पूर्ण पता	फर्म/आपूर्तिकर्ता का नाम	क्रम किये गये सामग्री की धनराशि
1	जयन्तीदासपुर में ब्रह्मदत्त राय से वभनौली कान्ती मा के स्थान पर खडंजा मरम्मत व हयूम पाईप (13वॉ वित्त)	जय हनुमान इण्टर प्राइजेज भडसड़	431180
2	बहलोल पुर में बलिराम के घर से पीच रोड तक सी0सी0रोड का निर्माण	आर0के0बि0मे0 जय हनुमान इण्टरप्राइजेज	555439
3	कोड़री में पिच रोड से वर्तमान प्रधान के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	विश्वकर्मा इण्टरप्राइजेज पचोत्तर बि0मे0गोल्ड ईट उद्योग	439210
4	पिपरान में अखिलेश सिंह के घर से उत्तर टोला मार्ग पर खडंजा व हयूम पाईप कार्य	श्री महावीर ईट उद्योग सराय मुबारक जय हनुमान इण्टर प्राइजेज भडसड़	109961
		योग	1535790

उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शशिकान्त मिश्र एवं लेखाकार श्री ब्रह्मानंद चतुर्वेदी पूर्ण से उत्तरदायी है। उक्त के सम्बंध से विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 108 वर्ष 12-13 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से सामग्री को क्रय किया गया है परन्तु संबंधित फर्मों से आयकर व वैट की कटौती नहीं की गयी है। इस कारण राजकीय राजस्व की रू0 125494.45 की क्षति हुई है। यह गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। इसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 का श्री शशिकान्त मिश्र एवं लेखाकारी श्री ब्रह्मानंद चतुर्वेदी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 109 वर्ष 12-13 में लेखा परीक्षा में यह प्रकाश में आया कि निर्माण कार्य हेतु फर्म में सामग्री क्रय किया गया है। किन्तु फर्म के नाम से चेक न काटकर कार्य प्रभारी के नाम से भुगतान किया गया है। जो गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है –

क्र0	कार्य का नाम/पता	फर्म/आपूर्तिकर्ता का नाम	क्रय सामग्री की धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम
1	जयन्तीदासपुर में ब्रह्मदत्त राय से वभनौली कान्ती मा के स्थान पर खडंजा मरम्मत व हयूम पाईप (13वॉ वित्त)	जय हनुमान इण्टर प्राइजेज भडसड़	431180	श्री कृष्ण कुमार प्रजापति ग्रा0वि0अ0
2	बहलोल पुर में बलिराम के घर से पीच रोड तक सी0सी0रोड का निर्माण	आर0के0बि0मे0 जय हनुमान इण्टरप्राइजेज	555439	श्री हरेन्द्र कुमार यादव ए0डी0ओ0 को0
3	कोड़री में पिच रोड से वर्तमान प्रधान के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	विश्वकर्मा इण्टरप्राइजेज पचोत्तर बि0मे0 गोल्ड ईट उद्योग	439210	श्री मरहु राम ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0)

4	पिपरान में अखिलेश सिंह के घर से उत्तर टोला मार्ग पर खडंजा व हयूम पाईप कार्य	श्री महावीर ईट उद्योग सराय मुबारक जय हनुमान इण्टर प्राइजेज भडसड	109961	श्री मरहु राम ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0)
		योग	1535790	

प्रस्तर – 110 वर्ष 13–14 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से सामग्री को क्रय किया गया है परन्तु संबंधित फर्मों से आयकर व वैट की कटौती नहीं की गयी है। इस कारण राजकीय राजस्व की रू0 71221.22 की क्षति हुई है। यह गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। इसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 का श्री शशिकान्त मिश्र एवं लेखाकारी श्री ब्रह्मानंद चतुर्वेदी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 111 वर्ष 13–14 में लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया की अरखपुर में प्रा0 वा0 से मधूरा के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य पर ईट क्रय में टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया है। जो कि गंभीर अनियमितता का प्रकरण है।

क्र0	कार्य का नाम/पूर्ण पता	फर्म/आपूर्तिकर्ता का नाम	क्रम किये गये सामग्री की धनराशि
1	अरखपुर में प्रा0 वा0 से मधूरा के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	जय बजरंगबली ईट उद्योग	108834
		योग	108834

उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री शशिकान्त मिश्र एवं लेखाकारी ब्रह्मानंद चतुर्वेदी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

23. क्षेत्र पंचायत – बिरनो

ले0प0 वर्ष– 2014–15 से 2016–17

प्रस्तर – 112 वर्ष 14–15 में बिना निविदा आमंत्रित किये ही संबंधित फर्म से सामग्री क्रय किया गया है। जो कि गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है –

क्र0	कार्य का नाम/पूर्ण पता	फर्म/आपूर्तिकर्ता का नाम	क्रय किया गये सामग्री का नाम लागत धनराशि
1	विकास खण्ड परिसर में मूत्रालय, शौचालय निर्माण एवं कार्यालय के मुख्य गेट तक इन्टरलाकिंग कार्य	जय बजरंगबली ईट उद्योग अरखपुर गाजीपुर	ईट, 367220
2	बाबूरायपुर में जंगीपुर लावा मार्ग से टिकरी तक मिट्टी/खडंजा कार्य	शान्ति ईट भट्टा नरहरपुर गाजीपुर	ईट, 1069598
3	लावा जंगीपुर मार्ग से केशवपुर काली मन्दिर के स्थात तक मिट्टी खडंजा कार्य	शान्ति ईट भट्टा नरहरपुर गाजीपुर विश्वकर्मा इन्टरप्राइजेज सुलेमापुर पृथ्वीपुर गाजीपुर	ईट, 375440 हयूम पाईप 10260
4	पिपनार में रोहितास के घर से सागर पोखरे तक नाला निर्माण कार्य	विश्वकर्मा इन्टरप्राइजेज सुलेमापुर पृथ्वीपुर गाजीपुर शान्ति ईट भट्टा नरहरपुर गाजीपुर	ईट, 162660 सामग्री 317276
		योग	2302554

रू0 2302554 के वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती आशा देवी एवं लेखकार ब्रह्मानंद चतुर्वेदी उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 113 वर्ष 14–15 संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है परन्तु संबंधित फर्म से वैट कटौती नहीं किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रमांक	कार्य का नाम	फर्म/आपूर्तिकर्ता का नाम	धनराशि	वैट	अन्य चार्ज
1	विकास खण्ड परिसर में मूत्रालय, शौचालय निर्माण एवं कार्यालय के मुख्य गेट तक इन्टरलाकिंग कार्य	जय बजरंगबली ईट उद्योग अरखपुर गाजीपुर	367220	14688.80	
2	बाबूरायपुर में जंगीपुर लावा मार्ग से टिकरी तक मिट्टी/खडंजा कार्य	शान्ति ईट भट्टा नरहरपुर गाजीपुर	1069598	42783.92	
3	लावा जंगीपुर मार्ग से	शान्ति ईट भट्टा नरहरपुर गाजीपुर	385700	15248	

	केशवपुर काली मन्दिर के स्थात तक मिट्टी खडंजा कार्य	विश्वकर्मा इन्टरप्राइजेज सुलेमापुर पृथ्वीपुर गाजीपुर			
4	पिपनार में रोहितास के घर से सागर पोखरे तक नाला निर्माण कार्य	विश्वकर्मा इन्टरप्राइजेज सुलेमापुर पृथ्वीपुर गाजीपुर शान्ति ईट भट्टा नरहरपुर गाजीपुर	480036	19201.44	
		योग	2302554	92102.16	

इस कारण राजकीय राजस्व की रू0 92102.16 की क्षति हुई है। यह गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 114 वर्ष 15-16 में बिना निविदा आमंत्रित किये निर्माण कार्य हेतु संबंधित फर्म से सामग्री क्रय किया गया है। जो कि गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है -

क्र0	कार्य का नाम/पूर्ण पता	फर्म/आपूर्तिकर्ता का नाम	क्रम किये गये सामग्री की धनराशि
1	तारनपुर में शिवमुनि राम के घर से गुरु प्रसाद पाल के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	शान्ति ईट भट्टा नरहरपुर गाजीपुर विश्वकर्मा इन्टरप्राइजेज सुलेमापुर पृथ्वीपुर गाजीपुर किसान चौहान ईट भट्टा वोगना	271726 ईट व निर्माण सामग्री
2	बन्तरा में जवाहिर यादव के खेत से ऋषि यादव के मढ़ई तक मिट्टी/खडंजा कार्य	शान्ति ईट भट्टा नरहरपुर गाजीपुर	121600 ईट
3	जगदीशपुर विद्यापति में श्री राम के घर से रामलाल के घर तक सी0सी0 रोड	विश्वकर्मा इन्टरप्राइजेज सुलेमापुर पृथ्वीपुर गाजीपुर शान्ति ईट भट्टा नरहरपुर गाजीपुर किसान चौहान ईट भट्टा	677664 ईट व निर्माण सामग्री
4	ग्राम सभा चौथी में गंगा दास नव समृति द्वार का निर्माण कार्य	विश्वकर्मा इन्टरप्राइजेज सुलेमापुर पृथ्वीपुर गाजीपुर किसान चौहान ईट भट्टा वोगना	134180 ईट व निर्माण सामग्री (बालू, सीमेन्ट, मिट्टी)
5	पिपनार में मठिया मार्ग से नवानगर हरिजन बस्ती तक मिट्टी खडंजा कार्य	किसान चौहान ईट भट्टा वोगना	179458 ईट
6	वि0ख0 परिसर में ईटरलाकिंग कार्य	विश्वकर्मा इन्टरप्राइजेज सुलेमापुर पृथ्वीपुर गाजीपुर शान्ति ईट भट्टा नरहरपुर गाजीपुर	148264
7	मिठानापुर अम्बेडकर मार्ग से शाहपुर से मेवा कुशवाहा के खेत तक मि0/ख0 कार्य	विश्वकर्मा इन्टरप्राइजेज सुलेमापुर पृथ्वीपुर गाजीपुर शान्ति ईट भट्टा नरहरपुर गाजीपुर	248202.8 ईट व निर्माण सामग्री
8	तिपरा रझवा मेन रोड से पूजन यादव के घर तक मि0/ख0 कार्य	भूल बात प्रेम ईट भट्टा, क्यामपुर गाजीपुर	314735.6 ईट
		योग :-	2095830.4

रू0 2095830.4 की वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती आशा देवी एवं लेखाकार श्री ब्रह्मानंद चतुर्वेदी से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 115 वर्ष 16-17 बिना निविदा आमंत्रित किये निर्माण कार्य हेतु संबंधित फर्म से सामग्री क्रय किया गया है। जो कि गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है -

क्र0	कार्य का नाम/पूर्ण पता	फर्म/आपूर्तिकर्ता का नाम	क्रम किये गये सामग्री की धनराशि
1	पठानपुर में नहर की पुलिया से शफीक खा के घर तक मिट्टी खडंजा मरम्मत	भूल बात प्रेम ईट भट्टा क्यामपुर गाजीपुर	ईट 360388
2	ग्राम पंचायत हरिहर में चन्दू खादव	भूल बात प्रेम ईट भट्टा	ईट 361730

	के घर से शंकर भगवान के मंदिर से होते हुए नन्हकू के घर तक मि०/ख० कार्य		
3	नेवादा मे झिंनू के खेत से लेकर मुसहर बस्ती तक मिट्टी खडंजा मरम्मत कार्य	भूल बात प्रेम ईट भट्टा	ईट 242780
4	पठानपुरा में नहर की पुलिया से मठिया राजभर बस्ती तक मि०/ख० मरम्मत कार्य	भूल बात प्रेम ईट भट्टा	ईट 646752
		योग	1611650

रु० 1611650 की वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती आशा देवी एवं लेखाकार श्री ब्रह्मानंद चतुर्वेदी से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 116 वित्तीय वर्ष 16-17 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है परन्तु संबंधित फर्म से वैट कटौती नहीं किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है –

क्र०	कार्य का नाम/पूर्ण पता	फर्म/आपूर्तिकर्ता का नाम	धनराशि	वैट
1	पठानपुर मे नहर की पुलिया से शफीक खा के घर तक मिट्टी खडंजा मरम्मत	भूल बात प्रेम ईट भट्टा क्यामपुर गाजीपुर	360388	14415.52
2	ग्राम पंचायत हरिहर में चन्दू खादव के घर से शंकर भगवान के मंदिर से होते हुए नन्हकू के घर तक मि०/ख० कार्य	भूल बात प्रेम ईट भट्टा	361730	14469.2
3	नेवादा मे झिंनू के खेत से लेकर मुसहर बस्ती तक मिट्टी खडंजा मरम्मत कार्य	भूल बात प्रेम ईट भट्टा	242780	9711.2
4	पठानपुरा में नहर की पुलिया से मठिया राजभर बस्ती तक मि०/ख० मरम्मत कार्य	भूल बात प्रेम ईट भट्टा	646752	25870.08
		योग	1611650	64466

इस कारण राजकीय राजस्व की रु० 64466 की क्षति हुई। यह गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

24. क्षेत्र पंचायत – भोंवरकोल ले०प० वर्ष– 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर – 117 आलोच्य वर्ष 2011-12 में प्रस्तुत पत्रावलियों में निर्माण सामग्रियों पर संबंधित फर्मों को भुगतान रु० 644413/- दर्शित है परन्तु आयकर व वैट की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भृगुनाथ राम एवं लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है। राजकीय कर का निर्धारण निम्नवत है :-

1. आयकर 2.24% = रु० 14434.85

2. वैट 4% = रु० 25776.52

योग = रु० 40211.37

प्रस्तर – 118

श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल का भुगतान

वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्य का अंकन रु० 398764/- मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके रु० 367514/- कार्य प्रभारी श्री रजनीकांत पांडे वी०डी०ओ० व रु० 31250 कार्यप्रभारी लालजी राम ग्रा०प०ओ० को भुगतान को कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाए गए उन पर मस्टर रोल नंबर अंकित नहीं है। परियोजनावार कार्य संपन्न कराने हेतु ब्लॉक स्तर से मस्टर रोल की मांग/आपूर्ति उसके सापेक्ष उपभोग एवं अवशेष, मस्टर रोल की स्थिति स्टॉक लेखा के अभाव में पुष्टि नहीं रही। इस स्थिति में स्पष्ट है कि बिना विकास खंड से निर्गत मस्टर रोल के आधार पर ही भुगतान किया जाना दर्शित है साथ ही मजदूरों का पूरा पता एवं स्त्री पुरुष की मानक के अनुरूप संख्या भी सुनिश्चित नहीं की गई है और भुगतान बैंक के माध्यम से न कर कार्यप्रभारी को नकद किया जमा दर्शित है। इस प्रकार रु० 398764/- की वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए बी०डी०ओ० श्री भृगुनाथ राम

एवं लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 119 आलोच्य वर्ष 2012-13 में प्रस्तुत पत्रावलियों में निर्माण सामग्रीयों पर संबंधित फर्मों को भुगतान रु0 1163515/- दर्शित है परन्तु आयकर व वैट की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भृगुनाथ राम एवं लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

1. आयकर 2.24% = रु0 26063

2. वैट 4% = रु0 46541

योग = रु0 72604

प्रस्तर – 120 शासनादेश ए-1/12/दस/2012(331)/1210 दिनांक 31.03.12 के अनुसार राजकीय धनराशियाँ वित्त विभाग की अनुमति से बैंकों में बचत खाते खोलकर जमा की जानी चाहिए तथा जमा राशियों के सापेक्ष प्राप्त व्यय की धनराशि संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी तथा इसे राजकोष में जमा का दिया जायेगा। आलोच्य वर्ष 2012-13 में प्राप्त ब्याज की धनराशियाँ जमा न कर/रोक रखकर राजकीय धन की क्षति/दुरुपयोग किया जा रहा है। विवरण निम्नवत है –

वर्ष	ग्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में उपभोग	वर्षान्त शेष
2012-13	109269	74522	50	183741

उपरोक्त दर्शित स्थान मद से आय रु0 74522 की पुष्टि बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट आफ अकाउन्ट के अभाव में नहीं किया जा सका। किसी योजना के सापेक्ष किस खाते में ब्याज अर्जित किया गया, इसका कोई विवरण नहीं रखा गया है। अतः यह भी पुष्टि नहीं रहा कि समस्त ब्याज की धनराशियाँ दर्शित कर ली गयी है अथवा नहीं। मात्र ब्याज मद का शीर्ष खोलकर ब्याज का नियमित विवरण रखा जाना अनुचित है। उक्त वर्ष में रु0 50 अनियमित एवं अनाधिकृत रूप से व्यय दर्शित कर एवं दिनांक 31.03.13 (वर्षान्त) रु0 183741 की धनराशि राजकोष में जमा न कर राजकीय राजस्व का दुरुपयोग किया गया है। दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रभुनारायण मिश्र एवं लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 121 श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल का भुगतान

वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यो का अंकन रु0 834880/- मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके रु0 344750/- कार्य प्रभारी श्री रजनीकांत पांडे पदनाम वी0डी0ओ0 व रु0 468554 कार्यप्रभारी श्री कृष्णानंद राय ग्रा0पं0ओ0 रु0 21576 श्री मयंकधर राय ग्रा0वि0ओ0 को भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाए गए उन पर मस्टर रोल नंबर अंकित नहीं है। परियोजनावार कार्य संपन्न कराने हेतु ब्लॉक स्तर से मस्टर रोल की मांग/आपूर्ति उसके सापेक्ष उपभोग एवं अवशेष, मस्टर रोल की स्थिति स्टॉक लेखा के अभाव में पुष्टि नहीं रही। इस स्थिति में स्पष्ट है कि बिना विकास खंड से निर्गत मस्टर रोल के आधार पर ही भुगतान किया जाना दर्शित है साथ ही मजदूरों का पूरा पता एवं स्त्री पुरुष की मानक के अनुरूप संख्या भी सुनिश्चित नहीं की गई है और भुगतान बैंक के माध्यम से न कर कार्यप्रभारी को नकद किया जाना दर्शित है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह भी प्रमाणित नहीं है। अतः मजदूरी में अंकन रु0 834880 का योजना बद्ध तरीके से वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए बी0डी0ओ0 श्री सुरेशचन्द्र राम एवं लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 122 आलोच्य वर्ष 2013-14 में प्रस्तुत पत्रावलियों में निर्माण सामग्रीयों पर संबंधित फर्मों को भुगतान रु0 1828333/- भुगतान किया गया है। है परन्तु आयकर व वैट की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेशचन्द्र राम एवं लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है –

1. आयकर 2.24% = रु0 40955

2. वैट 4% = रु0 73133

योग = रु0 114088

प्रस्तर – 123 शासनादेश ए-1/12/दस/2012(331)/1210 दिनांक 31.03.12 के अनुसार राजकीय धनराशियाँ वित्त विभाग की अनुमति से बैंकों में बचत खाते खोलकर जमा की जानी चाहिए तथा जमा राशियों के सापेक्ष प्राप्त व्यय की धनराशि संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी तथा इसे राजकोष में जमा का दिया जायेगा। आलोच्य वर्ष 2013-14 में प्राप्त ब्याज की धनराशियाँ जमा न कर/रोक रखकर राजकीय धन की क्षति/दुरुपयोग किया जा रहा है। विवरण निम्नवत है –

वर्ष	प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में उपभोग	वर्षान्त शेष
2013-14	183741	117579	179	301141

उपरोक्त दर्शित ब्याज मद से आय रू0 117579 की पुष्टि बैंक पासबुक/स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट के अभाव में नहीं किया जा सका। किसी योजना के सापेक्ष किस खाते में ब्याज अर्जित किया गया, इसका कोई विवरण नहीं रखा गया है। अतः यह भी पुष्टि नहीं रहा कि समस्त ब्याज की धनराशियाँ दर्शित कर ली गयी है अथवा नहीं। मात्र ब्याज मद का शीर्ष खोलकर ब्याज का नियमित विवरण रखा जाना अनुचित है। उक्त वर्ष में रू0 179 अनियमित एवं अनाधिकृत रूप से व्यय दर्शित कर एवं दिनांक 31.03.14 (वर्षान्त) रू0 301141 की धनराशि राजकोष में जमा न कर राजकीय राजस्व का दुरुपयोग किया गया है। दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र राम एवं लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 124 वर्ष 13-14 में जमानत मद में रू0 96505 प्राप्त एवं वर्षान्त शेष दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा में इससे संबंधित कोई लेजर प्रस्तुत नहीं किया गया अतः उक्त की पुष्टि नहीं की जा सकी। जमानत से संबंधित लेजर/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

25. क्षेत्र पंचायत – भोंवरकोल

ले0प0 वर्ष– 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर – 125 वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों का अंकन रू0 652405/- मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके रू0 142235 कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार पाण्डेय, रू0 101375 श्री सुभाषचन्द्र राय, रू0 99600 शैलेन्द्र प्रकाश, रू0 102825 कृष्णानंद व रू0 206370 श्री शिव प्रकाश त्रिपाठी को चेक के द्वारा भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाए गए उन पर मस्टर रोल नंबर अंकित नहीं है। परियोजनावार कार्य संपन्न कराने हेतु ब्लॉक स्तर से मस्टर रोल की मांग/आपूर्ति उसके सापेक्ष उपभोग एवं अवशेष, मस्टर रोल की स्थिति स्टॉक लेखा के अभाव में पुष्टि नहीं रही। इस स्थिति में स्पष्ट है कि बिना विकास खंड से निर्गत मस्टर रोल के आधार पर ही भुगतान किया जाना दर्शित है साथ ही मजदूरों का पूरा पता एवं स्त्री पुरुष की मानक के अनुरूप संख्या भी सुनिश्चित नहीं की गई है और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह भी प्रमाणित नहीं है इस प्रकार मजदूरी में अंकन रूप 652405/- की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री शेरबहादुर सिंह व राजीव कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री ओंकार राम संयुक्त रूप उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 126 आलोच्य वर्ष 2014-15 में प्रस्तुत पत्रावलियों में निर्माण सामग्रीयों पर संबंधित फर्मों को भुगतान रू0 1705714/- दर्शित है परन्तु आयकर व वैट की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी शेरबहादुर सिंह व राजीव कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री ओंकार राम संयुक्त रूप उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

1. आयकर 2.24% = रू0 38208

2. वैट 4% = रू0 68229

योग = रू0 106437

प्रस्तर – 127 शासनादेश सं0 ए-1/12/दस/2012(331)/1210 दिनांक 31.03.12 के अनुसार राजकीय धनराशियाँ वित्त विभाग की अनुमति से बैंकों में बचत खाते खोलकर जमा की जानी चाहिए तथा जमा राशियों के सापेक्ष प्राप्त व्यय की धनराशि संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी तथा इसे राजकोष में जमा का दिया जायेगा। आलोच्य वर्ष 2014-15 में प्राप्त ब्याज की धनराशियाँ जमा न कर/रोक रखकर राजकीय धन की क्षति/दुरुपयोग किया जा रहा है। विवरण निम्नवत है—

वर्ष	प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में उपभोग	वर्षान्त शेष

2014-15	301141	293373	229	594285

उपरोक्त दर्शित ब्याज मद से आय रु0 293373 की पुष्टि बैंक पासबुक/स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट के अभाव में नहीं किया जा सका। किसी योजना के सापेक्ष किस खाते में ब्याज अर्जित किया गया, इसका कोई विवरण नहीं रखा गया है। अतः यह भी पुष्टि नहीं रहा कि समस्त ब्याज की धनराशियाँ दर्शित कर ली गयी है अथवा नहीं। मात्र ब्याज मद का शीर्ष खोलकर ब्याज का नियमित विवरण रखा जाना अनुचित है। उक्त वर्ष में रु0 229 अनियमित एवं अनाधिकृत रूप से व्यय दर्शित कर एवं दिनांक 31.03.15 (वर्षान्त) रु0 594285 की धनराशि राजकोष में जमा न कर राजकीय राजस्व का दुरुपयोग किया गया है। दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी शेरबहादुर सिंह व राजीव कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री ओंकार राम संयुक्त रूप उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 128 श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल का भुगतान

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों का अंकन रु0 225430/- मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके रु0 131485/- कार्य प्रभारी श्री शैलेन्द्र प्रकाश वी0डी0ओ0 व रु0 47145 श्री विनोद पांडे, वी0डी0ओ0 रु0 46800/-, श्री रजनीकान्त पांडे ग्रा0वि0ओ0 को भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाए गए उन पर मस्टर रोल नंबर अंकित नहीं है। परियोजनावार कार्य संपन्न कराने हेतु ब्लॉक स्तर से मस्टर रोल की मांग/आपूर्ति उसके सापेक्ष उपभोग एवं अवशेष, मस्टर रोल की स्थिति स्टॉक लेखा के अभाव में पुष्टि नहीं रही। इस स्थिति में स्पष्ट है कि बिना विकास खंड से निर्गत मस्टर रोल के आधार पर ही भुगतान किया जाना दर्शित है साथ ही मजदूरों का पूरा पता एवं स्त्री पुरुष की मानक के अनुरूप संख्या भी सुनिश्चित नहीं की गई है। साथ ही भुगतान बैंक के माध्यम से न कर नकद किया जमा दर्शित है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खंड से निर्गत नहीं है। और जो अंगुठा निशानी अंकित है वह भी प्रमाणित नहीं है।

अतः मजदूरी में अंकन रु0 225430/- का योजना बद्ध तरीके से वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह व श्री ओंकार राम लेखाकारी का संयुक्त रूप से रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर –129 आलोच्य वर्ष 2015-16 में प्रस्तुत पत्रावलियों में निर्माण सामग्रीयों पर संबंधित फर्मों को भुगतान रु0 1375159/- दर्शित है परन्तु आयकर व वैट की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह व श्री ओंकार राम लेखाकारी का संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है –

1. आयकर 2.24% = रु0 30804

2. वैट 4% = रु0 55006

योग = रु0 85810

प्रस्तर –130 शासनादेश ए-1/12/दस/2012(331)/1210 दिनांक 31.03.12 के अनुसार राजकीय धनराशियाँ वित्त विभाग की अनुमति से बैंकों में बचत खाते खोलकर जमा की जानी चाहिए तथा जमा राशियों के सापेक्ष प्राप्त व्यय की धनराशि संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी तथा इसे राजकोष में जमा का दिया जायेगा। आलोच्य वर्ष 2015-16 में प्राप्त ब्याज की धनराशियाँ जमा न कर/रोक रखकर राजकीय धन की क्षति/दुरुपयोग किया जा रहा है। विवरण निम्नवत है –

वर्ष	ग्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में उपभोग	वर्षान्त शेष
2015-16	594285	35492	399	629378

उपरोक्त दर्शित स्थान मद से आय रु0 35492 की पुष्टि बैंक पासबुक/स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट के अभाव में नहीं किया जा सका। किसी योजना के सापेक्ष किस खाते में ब्याज अर्जित किया गया, इसका कोई विवरण नहीं रखा गया है। अतः यह भी पुष्टि नहीं रहा कि समस्त ब्याज की धनराशियाँ दर्शित कर ली गयी है अथवा नहीं। मात्र ब्याज मद का शीर्ष खोलकर ब्याज का नियमित विवरण रखा जाना अनुचित है। उक्त वर्ष में रु0 399 अनियमित एवं अनाधिकृत रूप से व्यय दर्शित कर एवं दिनांक 31.03.16 (वर्षान्त) रु0 629378 की धनराशि राजकोष में जमा न कर राजकीय राजस्व का दुरुपयोग किया गया है। दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह व श्री ओंकार राम लेखाकार का संयुक्त रूप से रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 131 श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल का भुगतान

वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यो का अंकन रु0 979446/- मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री शैलेन्द्र प्रकाश ग्रा0वि0अ0 को भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाए गए उन पर मस्टर रोल नंबर अंकित नहीं है। परियोजनावार कार्य संपन्न कराने हेतु ब्लॉक स्तर से मस्टर रोल की मांग/आपूर्ति उसके सापेक्ष उपभोग एवं अवशेष, मस्टर रोल की स्थिति स्टॉक लेखा के अभाव में पुष्टि नहीं रही। इस स्थिति में स्पष्ट है कि बिना विकास खंड से निर्गत मस्टर रोल के आधार पर ही भुगतान किया जाना दर्शित है साथ ही मजदूरों का पूरा पता एवं स्त्री पुरुष की मानक के अनुरूप संख्या भी सुनिश्चित नहीं की गई है और भुगतान बैंक के माध्यम से न कर कार्यप्रभारी को नकद किया जाना दर्शित है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह भी प्रमाणित नहीं है।

अतः मजदूरी में अंकन रु0 979446 का योजना बद्ध तरीके से वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए बी0डी0ओ0 श्री राजीव कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री ओंकार राम संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 132 आलोच्य वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निर्माण कार्य पत्रावली में रु0 2123485 के विभिन्न संबंधित फर्मों से भुगतान के सापेक्ष आयकर मद में रु0 47397 की कटौती की गयी है, किन्तु इसे आयकर विभाग में जमा न कर/रोक रखकर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। उत्तरदायित्व संबंधित खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिनारायण व लेखाकार श्री ओंकार राम का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 133 आलोच्य वर्ष 2016-17 में कुल सामग्री रु0 2123485 पर 4% वैट की दर से कुल रु0 84939 की कटौती की जानी चाहिए थी किन्तु वर्ष 2016-17 में वैट की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति/दुरुपयोग की गयी है। लेखा परीक्षा में आकलित रु0 84939 का उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिनारायण व लेखाकारी श्री ओंकार राम का संयुक्त रूप से रहा, जिनसे संबंधित धनराशि ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 134 वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय जमानत राशि के रूप में अंकन रु0 107563 की कटौती की गयी है, जिसकी वापसी संबंधित फर्म को कब-कब, कितनी-कितनी और किन-किन माध्यमों से की गयी या नहीं की गयी। कोई पत्रावली/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वापसी की पुष्टि में संगत अभिलेख उपलब्ध न करा, पाने की दशा में अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली /विधिक कार्यवाही लेखाकार श्री ओंकार राम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह व श्री हरिनारायण पर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 135 शासनादेश ए-1/12/दस/2012(331)/1210 दिनांक 31.03.12 के अनुसार राजकीय धनराशियाँ वित्त विभाग की अनुमति से बैंकों में बचत खाते खोलकर जमा की जानी चाहिए तथा जमा राशियों के सापेक्ष प्राप्त व्यय की धनराशि संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी तथा इसे राजकोष में जमा का दिया जायेगा। आलोच्य वर्ष 2016-17 में प्राप्त ब्याज की धनराशियाँ जमा न कर/रोक रखकर राजकीय धन की क्षति/दुरुपयोग किया जा रहा है। विवरण निम्नवत है –

वर्ष	ग्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में उपभोग	वर्षान्त शेष
2016-17	629378	229251	—	858629

उपरोक्त दर्शित ब्याज मद से आय रु0 229251 की पुष्टि बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट आफ अकाउन्ट के अभाव में नहीं किया जा सका। किसी योजना के सापेक्ष किस खाते में ब्याज अर्जित किया गया, इसका कोई विवरण नहीं रखा गया है। अतः यह भी पुष्टि नहीं रहा कि समस्त ब्याज की धनराशियाँ दर्शित कर ली गयी है अथवा नहीं। मात्र ब्याज मद का शीर्ष खोलकर ब्याज का नियमित विवरण रखा जाना अनुचित है। उक्त वर्ष में रु0 179 अनियमित एवं अनाधिकृत रूप से व्यय दर्शित कर एवं दिनांक 31.03.17 (वर्षान्त) रु0 858629 की धनराशि राजकोष में जमा न कर राजकीय राजस्व का दुरुपयोग किया गया है। दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिनारायण एवं लेखाकार श्री ओंकार राम का संयुक्त रूप से रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 136 वर्ष 14–15 से 16–17 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत् है—

क्र०	शीर्ष	वर्ष 14–15	वर्ष 15–16	वर्ष 16–17	सम्पूर्ण योग
1	रायल्ली	—	119278	5306	124584
2	युवक/महिला मंगल दल प्रो० धन०	12000	16000	—	28000
3	पेयजल स्वच्छता	50000	49880	—	99880
4	इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद	54920	64771	75000	194691
5	जमानत	178919	14000	—	192919
6	टेण्डर फार्म बिक्री	121487	33275	18788	173550
7	डा० राममनोहर लोहिया स० ग्रा० यो०	—	150000	323880	473880
8	पंचायत निर्वाचन	—	125668	28960	154628
9	कन्टीजेन्सी मद	—	8800	—	8800
	योग	417326	581672	451934	1450932

उक्त व्यय की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त प्रपत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

26. क्षेत्र पंचायत – भदौरा ले०प० वर्ष– 2011–12 से 2013–14

प्रस्तर – 137 आलोच्य वर्ष 2013–14 में बैंक में रुपये 210638.00 ब्याज के रूप में संस्था को आय प्राप्त हुई है। दिनांक 31.03.2013 तक इस मद में रुपया 279172. 00 अवशेष बैंक खाते में जमा थे। इस प्रकार दिनांक 31.03.2014 तक ब्याज मद में कुल रुपया 489810.00 अवशेष रहा। संस्था को उक्त धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा कर दिया जाना चाहिए था। ऐसा न करके वित्तीय अनियमितता किया गया है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामराज गौतम, श्री भावनाथ राम, विक्रमादित्य पाण्डेय तथा लेखाकार श्री कमल किशोर सिंह उत्तरदायी है। अविलंब ब्याज की समस्त धनराशि राजकीय कोषागार में जमा कर दिया जाना चाहिए। विभिन्न योजनाओं की अवशेष पड़ी धनराशियों को सम्बन्धित अनुदान दाताओं को वापस नहीं किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

27. क्षेत्र पंचायत – भदौरा ले०प० वर्ष– 2014–15 से 2016–17

प्रस्तर – 138 क. वर्ष 14–15 में विकास खण्ड कार्यालय के मरम्मत कार्य पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है—

1. खान ट्रेडर्स भदौरा बिल संख्या शून्य दिनांक 22.12.2014 रु. 193600.00 बालू सीमेण्ट, टाइल्स आदि का भुगतान चेक संख्या 023078 दिनांक 11.12.2014
2. टाटा ईट उद्योग बिल संख्या—शून्य दिनांक 22.12.2014 10 16520.00 का ईट क्रय
3. मस्टररोल दिनांक 23.11.2014 से 29.11.2014 4922.00
4. मिट्टी ढुलाई/क्रय (प्रमाणक नहीं रहा) 16520.00

जिस पर आपत्तियाँ निम्नवत् है —

अ. रुपया 16520 का मिट्टी मूल्य तथा रु० 4922 के मस्टररोल पर मजदूरो का हस्ताक्षर अंगूठा निशान नहीं रहा।

ब. टाटा ईट उद्योग के बिल पर बिल पर संख्या नहीं रहा। जिससे प्रमाणक संदिग्ध रहा।

स. खान ट्रेडर्स बिल संख्या शून्य रहा। जिससे प्रमाणक संदिग्ध रहा।

उपरोक्त के अतिरिक्त विकासखण्ड कार्यालय के पत्र संख्या—769/स०ले०रा०वि०/रिवकरी/ 2014–15 दिनांक 31.01.2015 श्री संजय कुमार पाण्डेय को पत्र लिखा गया है कि आपने खान ट्रेडर्स का प्रमाणक लगाकर बिल प्रमाणित कर भुगतान की संस्तुति कर दी गई है। कार्यालय द्वारा भुगतान भी कर दिया गया। परन्तु अभी तक आप और प्रभारी द्वारा टाइल्स फर्श पर नहीं लगाया गया है और न टाइल्स स्टोर किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने बिना सामग्री प्राप्त किये टाइल्स की मापी कर दी जो शासकीय नियम के विरुद्ध है। पत्र प्राप्ति के 3 दिन के अंदर धनराशि जमा करें। अन्यथा उच्चकारियों को लिखने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अतः उक्त आपत्तियों एवं खण्ड विकास अधिकारी के पत्र से यह स्पष्ट होता है कि

कार्य कराया ही नहीं गया अतः इस कार्य पर कुल व्यय रु० 231562 अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्यप्रभारी श्री हरिहर सिंह जे०ई० संजय कुमार पाण्डेय लेखाकार श्री कमल किशोर सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रामराज गौतम संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि इन लोगों से ब्याज सहित वसूल किया जाना वांछित है।

ख. देवल में साधन सहकारी समिति के मिट्टी भराई, खण्डुजा एवं चहारदिवारी निर्माण पर निम्नविवरण के अनुसार व्यय किया गया है।

मस्टररोल 1560	मस्टर रोल	13278	
मस्टररोल 1560	23400	13278	21840
मस्टररोल 1560	52988	ट्रैक्टर से मिट्टी ढुलाई	30400
मस्टररोल 1560	21372	ट्रैक्टर से मिट्टी ढुलाई	
मस्टररोल 1560	42378	ट्रैक्टर से मिट्टी ढुलाई	

कुल योग 142656 में रूपया 130416 का चेक संख्या 31362

दिनांक 10.06.2015 तथा रूपया 5240 का चेक संख्या-32266 श्री जितेन्द्र सिंह को निर्गत किया गया। जो आपत्तियों के अंतर्गत आहरित रहा। ट्रैक्टर के व्यवसायिक उपयोग की अनुमति नहीं रही। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 139 वित्तीय वर्ष 14-15 में संदिग्ध मरो० पर सभी मजदूरों का अंगूठा निशान एक समान रहा तथा मजदूरों की मजदूरी भुगतान सम्बन्धित मजदूरी भुगतान पंजिका तैयार कर मजदूरी प्राप्त स्वरूप हस्ताक्षर नहीं कराया गया अतः सत्यापनों परान्त रु० 182656.00 कार्यप्रभारी जितेन्द्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

प्रस्तर - 140 31.03.17 को रु० 2780 आंगनबाड़ी केन्द्र की अवशेष दर्शित है। जिससे सम्बन्धित अनुदानदाताओं को वापस नहीं किया गया है। जो आपत्तिजनक है। इस प्रति ख०वि०अ० श्री विक्रमादित्य पाण्डेय एवं लेखाकार श्री के०के० सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 141 दिनांक 31.03.17 को 26953 अर्जित व्याज की धनराशि अवशेष दर्शित है। जिसे राजकोष में जमा नहीं किया। जो आपत्तिजनक रहा। साथ ही वर्ष में इस मद में रु० 209662 का उपयोग किया गया है। जिससे सम्बन्धित विवरण अप्राप्त रहा। जो इसके जमा/खर्च के विवरण की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति ख०वि०अ० श्री विक्रमादित्य पाण्डेय एवं लेखाकार श्री के०के० सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 142 वर्ष 16-17 में प्रास्वा०के० भदौरा में इंटरलाकिंग का कार्य प्रभारी श्री मृत्युन्जय कुमार सिंह द्वारा कराया गया है। जिस पर व्यय का विवरण निम्न प्रकार है

1. मे० स्मृति इंटरलाकिंग ब्रिक्स उद्योग बिल संख्या-51 दिनांक -00 312000 भुगतान, 392531 आहरण स्मृति इंटरलाकिंग
2. सना ट्रेडर्स नं० 515 दिनांक 21.10.2016 रु० 78240 कटौती कर भुगतान आहरण 73537 सना ट्रेडर्स
3. भारत ईट उद्योग बिल संख्या-00 दिनांक 20.10.2016 रु० 56640
4. सना ट्रेडर्स नं० 516 दिनांक 03.11.2016 रु० 22560
5. म०रो० 14-10-16 से 20.1.2016 से
6. भारत ईट उद्योग बिल संख्या-00 दिनांक 03.11.2016
7. स्मृति इंटरलाकिंग ब्रिक्स नं० 102 दिनांक 02.11.2016 रु० 270000
8. म०रो० 10.11.16 से 23.11.2016
9. म०रो० अप्राप्त
10. भारत ईट उद्योग 25.12.16 रु० 25963
11. सना ट्रेडर्स 09.11.2016 रु० 44600

जिस पर आपत्तियाँ निम्नवत है -

क. स्वास्थ्य विभाग का मरम्मत/इंटरलाकिंग कराये जाने सम्बन्धित अनुरोध व अनुमति अप्राप्त रही।

ख. भारत ईट उद्योग का कैश मेमो संख्या अंकित नहीं रहा जिससे दिनांक 20.10.16 को 56640 का व्यय प्रमाणक बिना नम्बर का रहा।

ग. भारत ईट उद्योग का कैश मेमो संख्या अंकित नहीं रहा जिससे दिनांक 03.11.16 को 23040 का व्यय प्रमाणक बिना नम्बर का रहा।

12. मरो0 पर सभी मजदूरों का अंगूठा निशान एक समान रहा जिससे कार्य करने व भुगतान प्राप्त करने की स्थिति संदिग्ध रही।

13. रु 31200 का मरो ले0प0 में अप्राप्त रहा। जो सीधे ब्याज सहित वसूली योग्य रहा। उपरोक्त आपत्तियों के अधीन कार्य की वास्तविकता संदिग्ध रही। अतः उक्त व्यय धनराशियों की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित पक्षों से किया जाना अपेक्षित है। अतः रूपया 31200 का प्रमाणक नहीं रहा। जिससे श्री मृत्युज से की जानी अपेक्षित है।

28. क्षेत्र पंचायत – सदर

ले0प0 वर्ष– 2012–13 से 2013–14

प्रस्तर – 143 वर्ष 2012–13 में रु0 1577340.00 का कार्य बिना निविदा आमंत्रित किए ही निर्माण कार्य हेतु संबंधित फर्म से सामग्री क्रय किया गया है। जो कि गंभीर अनियमितता के प्रकरण है।

उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर०एन० सिंह एवम् लेखाकार, श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 144 वर्ष 2012–13 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है। परन्तु संबंधित फर्म से आयकर व वैट कटौती नहीं किया गया है इस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। यह स्थिति गंभीर अनियमितता के प्रकरण है।

उक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि रूपए 65041.00 आयकर व रूपए 116149.00 वैट कुल रूपए 181196.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर० एन० सिंह एवम् लेखाकार श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही/ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना चाहिए। अनुदान पंजी 1 एवं 3 पर राजकीय राजस्व संबंधी आयकर वैट का खाता भी नहीं खोला गया है फलतः प्रारंभिक आमद, जमा, अवशेष की स्थिति अज्ञात रही। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –145 वर्ष 2012–13 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु मिट्टी क्रय किया गया है। परन्तु रायल्टी की धनराशि कटौती न किए जाने से राजकीय राजस्व की क्षति हुई है।

उक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि रूपए 14772.00 रायल्टी की धनराशि न वसूल/ कटौती किए जाने से राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर० एन० सिंह एवम् लेखाकार श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही/ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मिट्टी क्रय की पुष्टि में ट्रैक्टर ट्रॉली मालिक द्वारा धन प्राप्त कर धन प्राप्ति रसीद सादे कागज पर बना दिया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन नं०, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति संलग्न नहीं है। इस कारण यह ज्ञात नहीं हो सका की ट्रैक्टर ट्रॉली कृषि कार्य हेतु निबंधित है या व्यवसायिक कार्य हेतु। स्थिति स्पष्ट किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 146 वर्ष 2012–13 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु मस्टररोल व निर्माण सामग्री से संबंधित प्रमाणकों के सापेक्ष बैंक से आधार हीन, अनियमित ढंग से प्राक्कलन से अत्यधिक धनराशि आहरित किया गया है। अभिलेखों की जाँच में स्पष्ट हुआ कि सुनियोजित ढंग से बैंक से धनराशि आहरित कर अपहरण किया गया है।

उक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि रूपए 300000.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर० एन० सिंह, लेखाकार श्री कमलेश सिंह एवम् कार्य प्रभारी श्री राम विलास राम, एडीओ आईएसबी उत्तरदायी है। ब्याज सहित संबंधित कर्मचारी व अधिकारी से धनराशि वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 147 वर्ष 2012–13 में विभिन्न शीर्षों में रु0 2367848.00 व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त मदों से संबंधित समस्त अभिलेख जाँच हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर० एन० सिंह, श्री अमित किशोर व श्री किरन कुमार मिश्रा तथा

लेखाकार श्री.कमलेश सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -148 वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त मद से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली प्रस्तुत न कर आंशिक पत्रावली ही प्रस्तुत किए गए हैं। इस कारण समस्त अभिलेखों की जाँच न की जा सकी।

कुल व्यय (रूपए)	उपलब्ध अभिलेख (रूपए)	अप्राप्त अभिलेख (रूपए)
2425030.00	23548430.00	70200.00

उक्त मदों से संबंधित समस्त अभिलेख जाँच हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर० एन० सिंह, श्री अमित किशोर व श्री किरन कुमार मिश्रा तथा लेखाकार श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 149 वर्ष 2012-13 में बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज की धनराशि रूपए 20000.00 दिनांक 15.01.2013 को 13 वाँ वित्त मद में स्थानान्तरित कर दिया गया है। ब्याज स्थानान्तरित करने से संबंधित आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना आदेश के उक्त स्थानान्तरण अनियमित रहा। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर० एन० सिंह एवम् लेखाकार श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 150 वर्ष 2012-13 में कतिपय निर्माण कार्यों पर प्राक्कलित धनराशि से अधिक व्यय किया गया है, जो कि गंभीर अनियमितता के प्रकरण है। इस प्रति तत्कालीन कार्य प्रभारी, लेखाकार एवम् खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

इस प्रकार रूपए 485708.00-427440.00=रूपए 58268.00 का व्यय अनियमित है। उत्तरदायी कर्मचारी व अधिकारी का निर्धारित, दायित्व निम्नवत है:-

1. श्री शशिकान्त पाण्डेय, ग्रा०वि०अ०, श्री कमलेश सिंह लेखाकार एवम् श्री आर०एन० सिंह, ख०वि०अ० : रूपए 29357.00
2. श्री संजय सिंह, ग्रा०वि०अ०, श्री कमलेश सिंह लेखाकार एवम् श्री आर०एन० सिंह, ख०वि०अ० : रूपए 28911.00

योग :58268.00 रूप०

प्रस्तर - 151 वर्ष 2013-14 में रूप० 95962.00 विभिन्न कार्यों पर कतिपय फर्मों से बिना निविदा आमंत्रित किए सामग्री क्रय किया गया है, जो कि गंभीर अनियमितता के प्रकरण है।

उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनय कुमार मिश्रा एवम् लेखाकार श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 152 वर्ष 2013-14 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है। परन्तु संबंधित फर्म से आयकर व वैट कटौती नहीं किया गया है। इस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। यह स्थिति गंभीर अनियमितता के प्रकरण है।

उक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि रूपए 96502.00 आयकर व रूपए 172323.00 वैट कुल रूपए 268825.00 की कटौती न किए जाने से राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव व श्री अनय कुमार मिश्रा तथा लेखाकार श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही/ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 153 वर्ष 2013-14 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु मस्टररोल व निर्माण सामग्री से संबंधित प्रमाणकों के सापेक्ष बैंक से अत्यधिक धनराशि आहरित किया गया है। अभिलेखों की 'जाँच' में स्पष्ट हुआ कि नियम के विरुद्ध से बैंक से धनराशि आहरित कर अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

उक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि रूपए 700000.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवम् कार्य प्रभारी (जिसके नाम से चेक निर्गत् हुआ है) उत्तरदायी है। ब्याज सहित संबंधित कर्मचारी व अधिकारी से रूपए 700000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 154 वर्ष 2013-14 में विभिन्न शीर्षों में रूप० 3813212.00 व्यय से संबंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त मदों से संबंधित समस्त अभिलेख जाँच हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री किरन कुमार मिश्रा, श्री दिनेश कुमार यादव व श्री अनय कुमार मिश्रा तथा लेखाकार श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 155 वर्ष 2013–14 में राज्य वित्त व 13 वॉ वित्त से संबंधित सम्पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत न कर आंशिक अभिलेख प्रस्तुत किए गए। इस कारण समस्त अभिलेखों की जाँच न की जा सकी।

क्रमांक	मद	कुल व्यय (रु०)	उपलब्ध अभिलेख (रु०)	अप्राप्त अभिलेख (रु०)
1	राज्य वित्त	3259112	2895512	363600
2	13वॉ वित्त	2862522	2462522	400000
	योग –	6121634	5358034	763600

उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री किरन कुमार मिश्रा, श्री दिनेश कुमार यादव व श्री अनय कुमार मिश्रा तथा लेखाकार श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी हैं। वांछित अभिलेख जाँच हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

29. क्षेत्र पंचायत – सदर ले०प० वर्ष– 2014–15 से 2016–17

प्रस्तर – 156 वर्ष 2014–15 में बिना निविदा आमंत्रण किए ही निर्माण कार्य हेतु संबंधित फर्म से सामग्री कय किया गया है। जो कि गंभीर अनियमितता के प्रकरण है। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित :—

क्र०	कार्य का नाम व पूर्ण पता	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामग्री का मूल्य	उत्तरदायी अधिकारी व कर्मचारी का नाम व पदनाम
1	विकास खण्ड सदर में आवासीय कालोनी में एडीओ टाईप आवास मरम्मत कार्य	1— कन्हैया फर्नीचर, पीरनगर, गाजीपुर। 2— जोखू प्रसादर हार्डवेयर, दिलदारनगर, गाजीपुर।	35100 25461	1— श्री अनय कुमार मिश्रा, ख०वि०अ० 2— श्री कमलेश सिंह, लेखाकार

उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु श्री अनय कुमार मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री कमलेश सिंह, लेखाकार उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 157 वर्ष 2014–15 में सस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से सामग्री कय किया गया है। परन्तु संबंधित फर्म से आयकर व वैट कटौती नहीं किया गया है। इस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। यह स्थिति गंभीर अनियमितता के प्रकरण है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उक्त आँकड़ा से स्पष्ट है कि रुपए 174038.00 व रुपए 310784.00 कुल रुपए 484822.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास .. अधिकारी श्री अनय कुमार मिश्रा, श्री शेरबहादुर तथा लेखाकार श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। निर्धारित दायित्व निम्नत है –

1. श्री अनय कुमार मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी व श्री कमलेश सिंह, लेखाकार रुपए 457433.00
2. श्री शेरबहादुर, खण्ड विकास अधिकारी व श्री कमलेश सिंह, लेखाकार रुपए 27389.00

योग:— रुपए 484822.00

प्रस्तर – 158 वर्ष 2014–15 में सस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु फर्मों से कय किए गए सामग्री पर आयकर 2 प्रतिशत की कटौती किया गया है। जबकि वैट नहीं काटा गया है। इस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है।

उक्त आँकड़ा से स्पष्ट है कि रुपए 1981.00 व रुपए 33013.00 कुल रुपए 34994.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनय कुमार मिश्रा, एवम् लेखाकार श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 159 वर्ष 2014–15 में सस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु मिट्टी क्रय किया गया है। परन्तु रायल्टी की धनराशि कटौती न किए जाने से राजकीय राजस्व की क्षति हुई है।

उक्त ऑकड़ी से स्पष्ट है कि रूपए 23434.00 रायल्टी की धनराशि की ब्याज सहित वसूली न किए जाने से राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शेरबहादुर एवम् श्री अनय कुमार मिश्रा तथा लेखाकार श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही/ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर — 160 वर्ष 2014-15 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु मस्टररोल व मिट्टी कय से संबंधित प्रमाणको के सापेक्ष बैंक से अत्यधिक धनराशि आहरित किया गया है। इस्टीमेन्ट, प्रमाणक, अनुदान पंजी व बैंक पासबुक की जाँच में स्पष्ट हुआ कि सुनियोजित ढंग से धनराशि को आहरित करते हुए अपहरण किया गया है।

संकलित दायित्व : —

1. रूपए 700000.00 : श्री संजय सिंह, ग्राम विकास अधिकारी श्री कमलेश सिंह, लेखाकार व श्री अनय कुमार मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी
2. रूपए 500000.00 : श्री राम विलास राम, एडीओ आईएसबी, श्री कमलेश सिंह लेखाकार, व श्री अनय कुमार मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी
3. रूपए 100000.00 : श्री शशिकान्त पाण्डेय, ग्राम विकास अधिकारी, श्री कमलेश सिंह लेखाकार व श्री अनय कुमार मिश्रा खण्ड विकास अधिकारी

योग — रूपए 1300000.00

उक्त ऑकड़ों से स्पष्ट है रूपए 1300000.00 का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित संबंधित कर्मचारी व अधिकारी से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर — 161 वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप यथा शीघ्र अभिलेख प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

क्र०	शीर्ष	व्यय (रु०)	क्र०	मनरेगा वर्ष	व्यय (रु०)
1	2	3	4	5	6
1	ब्याज	432422	1	ब्याज	55
2	बायोगैस	8000	2	प्रशासनिक कन्टीजेन्सी	572831
3	कन्टीजेन्सी	56701		योग —	572886
4	विधायक निधि	1425132			
5	नवयुवक मंगल दल	28000			
	योग	1950255			

उक्त के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनय कुमार मिश्रा श्री शेरबहादुर एवम् लेखाकार श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 162 वर्ष 2014-15 में राज्य विपत्त एवं 13वां वित्त से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली न प्रस्तुत कर आंशिक पत्रावली ही प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2014-15 में राज्य विपत्त एवं 13वां वित्त से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली न प्रस्तुत कर आंशिक पत्रावली ही प्रस्तुत किया गया। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है :-

क्र०	मद	कुल व्यय (रु०)	उपलब्ध अभिलेख जिसकी जांच की गयी (रु०)	अप्राप्त अभिलेख की जिसकी जांच नहीं की गयी (रु०)
1	2	3	4	5
1	राज्य वित्त	8042302	5012140	3030162
2	13वाँ वित्त	4319324	3566242	753082
	योग —	12361626	8578382	3783244

उक्त के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनय कुमार मिश्रा, श्री शेरबहादुर एवं लेखाकार श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी हैं। अप्राप्त अभिलेखों में दर्शित व्यय के जाँच हेतु समस्त अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 163 वर्ष 2015-16 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से सामग्री कय किया गया है। परन्तु आंशिक फर्मों से ही आयकर की कटौती किया गया है। जबकि वैट की कटौती नहीं किया गया है। इस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। यह स्थिति गंभीर अनियमितता के प्रकरण है।

उक्त ऑकड़ों से स्पष्ट है कि रूपए 46130.00 व रूपए 231947.00 कुल रूपए 278083.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शेरबहादुर, कुमारी मृदुला व श्री

राजीव कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 164 वर्ष 2015-16 में संस्था द्वारा महमूदपुर में कराए गए निर्माण कार्य हेतु श्री सुमेर यादव, ग्राम साहबपुर पो0 बौरी जिला गाजीपुर सें 167.76 घन मीटर मिट्टी मूल्य रूपए 9730.00 में कय किया गया है। श्री यादव द्वारा ट्रैक्टर संख्या 9261 द्वारा कार्यस्थल पर मिट्टी उपलब्ध कराया गया। उक्त मद में बिना रायल्टी कटौती किए ही रूपए 9730.00 का भुगतान किया गया है। जिससे $167.76 \times 9 = 1509.84$ या रूपए 1510.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शेरबहादुर एवम् लेखाकार श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर — 165 वर्ष 2015-16 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु मस्टररोल से संबंधित प्रमाणकों के सापेक्ष बैंक से अत्यधिक धनराशि आहरित किया गया है। इस्टीमेट प्रमाणक, अनुदान पंजी व बैंक पासबुक की जांच में स्पष्ट हुआ कि सुनियोजित ढंग से धनराशि को आहरित करते हुए अपहरण किया गया है।

इस प्रकार रूपए 400000.00 का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित रूपए 200000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शेरबहादुर, लेखाकार श्री कमलेश सिंह एवम् एण्डी0ओ0 (आई0एस0बी0) श्री रामविलास राम तथा शेष रूपए 200000.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी कुमारी मृदुला, लेखाकार श्री कमलेश सिंह एवम् ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) श्री रामविलास राम से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर — 166 वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

क्र0	शीर्ष	व्यय (रु0)	क्र0	मनरेगा वर्ष	व्यय (रु0)
1	2	3	4	5	6
1	ब्याज	17150	1	प्रशासनिक कन्टीजेन्सी	3945494
2	कन्टीजेन्सी	260107		योग —	3945494
3	नवयुवक मंगल दल	16000			
4	आयकर का धन	83755			
5	राज्य वित्त की धनराशि	60			
	योग	360033			

उक्त व्यय के जाँच हेतु लेखा परीक्षा में समस्त प्रपत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शेरबहादुर, श्री राजीव कुमार सिंह व कुमारी मृदुला एवम् लेखाकार श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी है।

प्रस्तर — 167 वर्ष 2015-16 में विधायक निधि से सम्बन्धित पत्रावली "सुभाखरपुर चकवाकर में पिच रोड से जयप्रकाश के घर तक मिट्टी व खड़जा निर्माण कार्य की जाँच में पाया गया कि रु0 5000.00 का व्यय बोर्ड क्रय हेतु दर्शाया गया है। चेक सं0-01010 दिनांक 02.04.2016 द्वारा मस्टररोल की धनराशि सहित संयुक्त चेक निर्गत किया गया है। परन्तु पत्रावली में प्रमाणक संलग्न ही है। अतः व्यय अपुष्टित रहा तथा रूपए 5000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली मय ब्याज श्री संजय सिंह, ग्रा0वि0अ0 (कार्य प्रभारी) श्री कमलेश सिंह, लेखाकार एवम् कुमारी मृदुला, खण्ड विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर — 168 वर्ष 2015-16 में 13वां वित्त, राज्य वित्त एवं विधायक निधि से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली न प्रस्तुत कर आंशिक पत्रावली ही प्रस्तुत किया गया। विवरण निम्न प्रारूप अंकित है —

क्र0	मद	कुल व्यय (रु0)	उपलब्ध अभिलेख जिसकी जांच की गयी (रु0)	अप्राप्त अभिलेख की जिसकी जांच नहीं की गयी (रु0)
1	2	3	4	5
1	13वाँ वित्त	1807152	1776288	30864
2	राज्य वित्त	3197062	2847171	349891
3	विधायक निधि	2803125	2014819	788306
	योग —	7807339	6638278	1169061

उक्त के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह, श्री शेरबहादुर व कुमारी मृदुला एवं लेखाकार श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 169 वर्ष 2016–17 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

क्र0	शीर्ष	व्यय (रु0)	क्र0	मनरेगा वर्ष	व्यय (रु0)
1	2	3	4	5	6
1	राज्य वित्त	129164	1	ब्याज	233
2	ब्याज	37228	2	प्रशासनिक कन्टीजेन्सी	796455
3	कन्टीजेन्सी	36468		योग –	796688
4	विधायक निधि	1275154			
	योग	1478012			

उक्त व्यय के जॉच हेतु लेखा परीक्षा में समस्त प्रपत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी मृदुला व श्री विजय प्रकाश वर्मा एवम् लेखाकार श्री कमलेश सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

30. क्षेत्र पंचायत – रेवतीपुर ले0प0 वर्ष– 2011–12 से 2013–14

प्रस्तर – 170 वर्ष 2011–12 में बिना निविदा आमंत्रित किए ही निर्माण कार्य हेतु संबंधित फर्म से सामग्री क्रय किया गया है। जो कि गंभीर अनियमितता के प्रकरण है।

उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री किरन कुमार मिश्रा, श्री दिनेश यादव एवम् लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह उत्तरदायी है। विभागीय आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। निर्धारित दायित्व निम्नवत है:

1. श्री किरन कुमार मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री अवध बिहारी सिंह, लेखाकार
: रूपर 832020
2. श्री दिनेश यादव, खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री अवध बिहारी सिंह, लेखाकार : रूपर 385615
योग:रूपर 1217635

प्रस्तर – 171 वर्ष 2011–12 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है। परन्तु संबंधित फर्म से आयकर व वैट कटौती नहीं किया गया है इस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। यह स्थिति गंभीर अनियमितता के प्रकरण है।

उक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि रूपर 27276100 आयकर व रूपर 48705.00 वैट कुल रूपर 75981.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवम् लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है। निर्धारित दायित्व निम्नवत है:–

1. श्री किरन कुमार मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री अवध बिहारी सिंह, लेखाकार
रूपर 51918.00
2. श्री दिनेश यादव, खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री अवध बिहारी सिंह, लेखाकार :
रूपर 24063.00
– योग : रूपर 75981

प्रस्तर – 172 वर्ष 2011–12 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु मिट्टी क्रय किया गया है। परन्तु रायल्टी की धनराशि कटौती न किए जाने से राजकीय राजस्व की क्षति हुई है।

स्पष्ट है कि रूपर 2133.00 रायल्टी की धनराशि कटौती/वसूल न किए जाने से राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री किरन कुमार मिश्रा एवम् लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही/ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 173 वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

क्रमांक	शीर्ष	व्यय (रु0)
1	ब्याज	1279
2	रायल्टी	91721
3	12वीं वित्त	5756
4	निःशुल्क बोरिंग (मनरेगा)	317640
5	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा	6000
6	विधायक निधि योजना	88883
7	जनगणना मानदेय	125890
8	युवक/महिला मंगल दल	12000

9	मनरेगा क्षेत्र पंचायत	5276961
	योग —	5926130

उक्त मदों के दर्शित व्यय के जाँच हेतु लेखा परीक्षा में समस्त प्रपत्र एवम् अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राधेश्याम राम श्री किरन कुमार मिश्रा एवम् लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह, उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 174 वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त एवम् 13वाँ वित्त से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली न प्रस्तुत कर आंशिक पत्रावली ही प्रस्तुत किया गया। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है :-

क्र०	मद	कुल व्यय (रुपए)	उपलब्ध अभिलेख जिसकी जांच की गयी (रु०)	अप्राप्त अभिलेख की जिसकी जांच नहीं की गयी (रु०)
1	राज्य वित्त	1988005	559880	1428125
2	13वाँ वित्त	1178379	442360	736019
	योग —	3166384	1002240	2164144

उक्त के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राधेश्याम राम व श्री किरन कुमार मिश्रा एवम् लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह उत्तरदायी है। अप्राप्त अभिलेखों में दर्शित व्यय के जाँच हेतु समस्त अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 175 वर्ष 2011-12 में 13 वाँ वित्त मद से संबंधित ग्राम नगसर में ग्रामीण बैंक से रमायन के खेत तक नाली निर्माण कार्य हेतु श्रमांश पर प्राक्कलन से अधिक व्यय किया गया है। जो कि अनियमित है। इस प्रति कार्य प्रभारी श्री गुरुशरण श्रीवास्तव, ग्राम विकास अधिकारी, श्री अवध बिहारी सिंह, लेखाकार एवम् श्री दिनेश यादव, खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नतः है:-

क्र०	प्राक्कलित धनराशि (रु०)	वास्तविक व्यय (रु०)	अन्तर (रु०)
1	159100	161320	2220

प्रस्तर — 176 वर्ष 2012-13 में बिना निविदा आमंत्रित किये ही निर्माण कार्य हेतु संबंधित फर्म से सामग्री क्रय किया गया है। जो कि गंभीर अनियमितता का प्रकरण है।

उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन ख०वि०अ० श्री दिनेश यादव एवं श्री कृष्ण पाण्डेय एवं लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह उत्तरदायी है। विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। निर्धारित दायित्व

1. श्री दिनेश यादव, ख०वि०अ० एवं श्री अवध बिहारी सिंह लेखाकार रु० 1288058
2. श्री कृष्ण पाण्डेय, ख०वि०अ० एवं श्री अवध बिहारी सिंह लेखाकार रु० 43601

योग — रु० 1331659

प्रस्तर — 177 वर्ष 2012-13 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है। परन्तु संबंधित फर्म से आयकर व वैट कटौती नहीं किया गया है। इस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। यह स्थिति गंभीर अनियमितता के प्रकरण है।

उक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि रूपए 29830.00 आयकर व रूपए 53268.00 वैट कुल रूपए 83098.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश यादव व श्री कृष्ण पाण्डेय व लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही/ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। निर्धारित दायित्व निम्नवत है:-

1. श्री दिनेश यादव, खण्ड विकास अधिकारी व श्री अवध बिहारी सिंह, लेखाकार : रूपए 80377
2. श्री कृष्ण पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री अवध बिहारी सिंह, लेखाकार : रूपए 2721

प्रस्तर — 178 वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित मदों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

क्रमांक	शीर्ष	व्यय (रु०)
1	राष्ट्रीय बायोगैस	69266

2	ब्याज	131184
3	रायल्ली	54689
4	राज्य वित्त	5041422
5	12वाँ वित्त	58854
6	13वाँ वित्त	473325
7	निःशुल्क बोरिंग (मनरेगा)	178435
8	विधायक निधि	51840
9	किसान क्रेडिट कार्ड	47298
10	मनरेगा क्षेप0	70025458
11	वेतन एवं अन्य भत्ते व जनसूचना	28860
12	ब्याज मनरेगा	55
	योग —	13140686

उक्त मदों के दर्शित व्यय के जाँच हेतु लेखा परीक्षा में समस्त प्रपत्र एवम् अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री किरन कुमार मिश्रा, श्री राकेश कुमार झा एवम् श्री दिनेश यादव तथा लेखाकार, श्री अवध बिहारी सिंह, उत्तर दायी हैं। वांछित अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 179 वर्ष 2012-13 में सांसद निधि से संबंधित ग्राम उत्तरौली में पूर्वी छोर पर निर्मित भोला यादव के दरवाजे से मुख्य मार्ग तक सीसी रोड का निर्माण कार्य हेतु सामग्री पर प्राक्कलन से अधिक व्यय किया गया है। जो कि अनियमित है। इस प्रति कार्यप्रभारी श्री राम अवतार गुप्ता ग्रा0वि0अ0, अवध बिहारी सिंह लेखाकार एवं श्री दिनेश यादव ख0वि0अ0 उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्र0	प्राक्कलित धनराशि	वास्तविक व्यय	अन्तर
1	119600	129839	10239

प्रस्तर — 180 वर्ष 2013-14 में बिना निविदा आमंत्रण किए ही निर्माण कार्य हेतु संबंधित फर्म से सामग्री क्रय किया गया है। जो कि गंभीर अनियमितता के प्रकरण है।

उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश यादव एवम् श्री रामराज गौतम तथा लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह उत्तरदायी हैं। विभागीय आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। निर्धारित दायित्व निम्नवत है —

1. श्री दिनेश यादव, खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री अवध बिहारी सिंह, लेखाकार : रूपए 352484.00
2. श्री रामराज गौतम, खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री अवध बिहारी सिंह, लेखाकार : रूपए 84715.00

योग — रूपए 437199

प्रस्तर — 181 वर्ष 2013-14 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है। परन्तु संबंधित फर्म से आयकर व वैट कटौती नहीं किया गया है। इस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। यह स्थिति गंभीर अनियमितता के प्रकरण है।

उक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि रूपए 9793.00 आयकर व रूपए 17488.00 वैट कुल रूपए 27281.00, राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश यादव व श्री रामराज गौतम एवम् लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही/ब्याज सहित वसूली किया जाना चाहिए। निर्धारित दायित्व निम्नतः—

1. श्री दिनेश यादव, खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री अवध बिहारी सिंह, लेखाकार : 21994.00
2. श्री रामराज गौतम, खण्ड विकास अधिकारी एवम्, श्री अवध बिहारी सिंह, लेखाकार : 5287.00

योग : 27281.00

प्रस्तर — 182 वर्ष 2013-14 निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है —

क्र0	मद	व्यय (रु0)	क्र0	मद	व्यय (रु0)
1	बायोगैस	67500	8	वेतन एवं अन्य भत्ते व जनसूचना	22753
2	ब्याज	237	9	ब्याज (मनरेगा)	402188
3	राज्य वित्त	2783551	10	टेण्डर फार्म बिक्री	5187
4	13वाँ वित्त	3137911	11	सामाजिक आर्थिक जनगणना मानदेय	2049000

5	निःशुल्क बोरिंग (मनरेगा)	1465	12	जमानत	230450
6	युवक/महिला मंगल दल	8000	13	इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद	3405
7	मनरेगा क्षेत्र	3551396	14	टेण्डर विज्ञापन	5555
—	—	—		योग —	12268598

उक्त मदों में दर्शित व्यय के जाँच हेतु लेखा परीक्षा में समस्त प्रपत्र एवम् अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश यादव एवम् श्री पी० एन० मिश्रा तथा लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह, उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 183 वर्ष 2013-14 में विधायक निधि मद में कुल रूपए 259172.00 व्यय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में मात्र रूपए 99895.00 के अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया है। शेष रूपए 159277.00 के अभिलेख अप्राप्त रहा जिसे जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश यादव एवम् पी०एन० मिश्रा तथा लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

31. क्षेत्र पंचायत — रेवतीपुर ले०प० वर्ष— 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर — 184 वर्ष 2014-15 में बिना निविदा आमंत्रण किए ही निर्माण कार्य हेतु संबंधित फर्म में सामग्री कय किया गया है। जो कि गंभीर अनियमितता के प्रकरण है।

उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विक्रमादत्त पाण्डेय, श्रीकृष्ण पाण्डेय, श्री रामराज गौतम एवम् श्री सुरेशचन्द्र राय तथा लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह उत्तरदायी हैं। विभागीय आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। निर्धारित दायित्व निम्नवत् है:—

1. श्री विक्रमादत्त पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री अवध बिहारी सिंह, लेखाकार : रू० 413128
2. श्री कृष्ण पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी एवम् अवध बिहारी सिंह, लेखाकार : रू० 433723
3. श्री रामराज गौतम, खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री अवध बिहारी सिंह, लेखाकार : रू० 26809
4. श्री सुरेशचन्द्र राय, खण्ड विकास अधिकारी एवम् अवध बिहारी सिंह, लेखाकार : रू० 26809

कुल योग:— 510118

प्रस्तर — 185 वर्ष 2014-15 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से सामग्री कय किया गया है, परन्तु संबंधित फर्म से आयकर व वैट कटौती नहीं किया गया है। इस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। यह स्थिति गंभीर अनियमितता के प्रकरण है।

उक्त ऑकड़ों से स्पष्ट है कि रूपए 62674.00 आयकर व रूपए 111915.00 वैट कुल रूपए 174589.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही/ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। निर्धारित दायित्व निम्नवत् है:—

1. श्री विक्रमादत्त पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री अवध बिहारी सिंह, लेखाकार रू० 25779
2. श्री कृष्ण पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी एवं अवध बिहारी सिंह, लेखाकार रू० 2896
3. श्री रामराज गौतम, खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री अवध बिहारी सिंह, लेखाकार रू० 111307
4. श्री सुरेशचन्द्र राय, खण्ड विकास अधिकारी एवम् अवध बिहारी सिंह, लेखाकार रू० 34607

योग:— रू० 174589

प्रस्तर — 186 वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है:

क्रमांक	शीर्ष	व्यय
1	ब्याज	165
2	राज्य वित्त	6565653
3	विधायक निधि	105
4	युवक/महिला मंगल दल प्रोत्साहन	14000
5	पेयजल एवं स्वच्छता	50000
6	जमानत	153434
7	सामाजिक आर्थिक जनगणना मानदेय	9000
8	इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद	42104
9	टेण्डर/विज्ञापन	33977
10	रायल्टी	12238

	योग –	6881076

उक्त व्यय के जांच हेतु लेखा परीक्षा में समस्त प्रपत्र एवम् अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रति तत्कालीन ख०वि०अ० श्री पी०एन०मिश्रा, श्री विक्रमादत्त पाण्डेय, श्री सुरेश चन्द्र राय, श्री रामराज गौतम व श्री कृष्ण पाण्डेय एवम् लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 187 वर्ष 2014–15 में सांसद निधि एवम् तेरहवां वित्त से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली न प्रस्तुत कर आंशिक पत्रावली ही प्रस्तुत किया गया। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित हैं:—

क्र०	मद	कुल व्यय (रूपए)	उपलब्ध अभिलेख जिसकी जांच की गयी (रु०)	अप्राप्त अभिलेख की जिसकी जांच नहीं की गयी (रु०)
1	सांसद निधि	620238	616238	4000
2	13वाँ वित्त	4041733	3574274	467459
	योग –	4661971	4190512	471459

उक्त के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी०एन०मिश्रा, श्री विक्रमादत्त पाण्डेय, श्री सुरेशचन्द्र राय, श्री रामराज गौतम व श्री कृष्ण पाण्डेय एवम् लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह उत्तरदायी है। अप्राप्त अभिलेखों में दर्शित व्यय के जांच हेतु समस्त अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 188 वर्ष 2015–16 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है:—

क्रमांक	शीर्ष	व्यय
1	ब्याज	10
2	13वाँ वित्त	1503964
3	विधायक निधि	270383
4	वेतन एवं अन्य भत्ते	8800
5	पेयजल एवं स्वच्छता	34400
6	जमानत	123662
7	इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद	49761
8	टेण्डर/विज्ञापन	41960
9	भूसंरक्षण शोप्पी	2000
10	आयकर	17982
11	टी०डी०एस०/वैट	32112
12	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2015	109830
	योग –	2194864

उक्त व्यय हेतु लेखा परीक्षा में समस्त प्रपत्र एवम् अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्ण पाण्डे, श्री लालव्रत यादव, श्री धनंजय सिंह, श्री शशिकान्त मिश्र, श्री रामराज गौतम एवम् लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 189 वर्ष 2015–16 में विकास खण्ड रेवतीपुर के कार्यालय भवन की रंगारई, पुताई एव विद्युतीकरण तथा अन्य कार्य हेतु रु० 69168.71 श्रमांश का प्राक्कलन बनाया गया है, परन्तु वास्तविक व्यय रु० 108440.00 किया गया है। इस प्रकार रु० 39271.29 का अनियमित व्यय किया गया है जिसके लिए तत्कालीन प्रभारी गुरुशरन श्रीवास्तव, लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह एवम् खण्ड विकास अधिकारी श्री लालव्रत यादव तथा श्री रामराज गौतम उत्तरदायी है। विभागीय एवं आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 190 वर्ष 2014–15 में सांसद निधि एवम् राज्य वित्त से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली न प्रस्तुत कर आंशिक पत्रावली ही प्रस्तुत किया गया। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित हैं:—

क्र०	मद	कुल व्यय (रूपए)	उपलब्ध अभिलेख जिसकी जांच की गयी (रु०)	अप्राप्त अभिलेख की जिसकी जांच नहीं की गयी (रु०)
1	सांसद निधि	172563	84151	88412
2	राज्य वित्त	2721974	731932	1990042
	योग –	2894537	816083	2078454

उक्त के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्ण पाण्डेय, श्री लालबत यादव, श्री धनंजय सिंह, श्री शशिकान्त मिश्र, श्री रामराज गौतम एवं लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह उत्तरदायी है। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 191 वर्ष 2016–17 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है:-

क्रमांक	शीर्ष	व्यय
1	ब्याज	808
2	विधायक निधि	526887
3	इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद	44865
4	टेण्डर/विज्ञापन	4600
5	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2015	4130
	योग –	581290

उक्त व्यय हेतु लेखा परीक्षा में समस्त प्रपत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामराज गौतम एवं लेखापाल श्री अवध बिहारी सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 192 वर्ष 2016–17 के राज्य वित्त में संबंधित कुल रूपए 2518865.00 की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। जबकि वास्तविक व्यय रूपए 2803578.00 है। इस प्रकार रूपया 284715.00 के अभिलेख अप्राप्त रहा। जिसे जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रति तत्कालीन ख०वि०अ० श्री रामराज गौतम एवं लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह तथा श्री कौशल कुमार मिश्र उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

32. क्षेत्र पंचायत – सैदपुर

ले०प० वर्ष– 2016–17

प्रस्तर – 193 आलोच्य वर्ष 2016–17 में निर्माण कार्यों का अंकन रू० 735180/- मजदूरीध्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री . भूपेन्द्र सिंह ग्रा०वि०अ० को कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाए गए उन पर मस्टर रोल नंबर अंकित नहीं है। परियोजनावार कार्य संपन्न कराने हेतु ब्लॉक स्तर से मस्टर रोल की मांग/आपूर्ति उसके सापेक्ष उपभोग एवं अवशेष, मस्टरोल की स्थिति स्टॉक लेखा के अभाव में पुष्टित नहीं रही। इस स्थिति में स्पष्ट है कि बिना विकास खंड से निर्गत मस्टर रोल के आधार पर ही भुगतान किया जाना दर्शित है। साथ ही मजदूरों का पूरा पता एवं स्त्री पुरुष की मानक के अनुरूप संख्या भी सुनिश्चित नहीं की गई है। साथ ही भुगतान बैंक के माध्यम से न कर नकद किया जाना दर्शित है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अंगुठा निशानी निशानी अंकित है वह भी प्रमाणित नहीं है।

अतः मजदूरी में अंकन रू० 735180 का योजना बद्ध तरीके से वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए बी०डी०ओ० श्री संजय कुमार पाण्डेय, श्री शशि कान्त मिश्र व लेखाकार श्री. विद्या सिंह कुशवाहा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 194 संस्था द्वारा लेखा परीक्षा 2016–17 में आयकर मद में रू० 56488 अनुदान पंजी में अन्तिम शेष के रूप में दर्शित है जिसे आयकर विभाग में न कर/रोकरखकर राजकीय धन दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह एवं लेखाकारी श्री विद्या सिंह कुशवाहा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 195 लेखा परीक्षा वर्ष में विभिन्न फर्मों को सामग्री मद में रू० 4131300 भुगतान के सापेक्ष संस्था द्वारा आयकर कटौती मात्र 30301 दर्शित है। जो त्रुटिपूर्ण है। संस्था द्वारा कतिपय फर्मों से या तो आयकर की कटौती नहीं की गयी है अथवा कम की गयी है। लेखा परीक्षा के अनुसार वर्ष में सामग्री मद में भुगतान रू० 4131300 के सापेक्ष 2.24: की दर से रू० 92541 आकलित किया गया है। इसके साथ ही वर्ष में संस्था द्वारा, निर्धारित 4: की दर से वैट रू० 165252 की भी कटौती नहीं की गयी है। अतः नियमानुसार आयकर व वैट की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय व श्री शशिकान्त मिश्र तथा लेखाकार श्री विद्या सिंह कुशवाहा उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है :-

क्र० मद संस्था द्वारा आकलित लेखा परीक्षा द्वारा आकलित

1	आयकर दर	2.24% 30301
2	वैट दर	4% निल

रु0 92541
रु0 165252

योग रु0 257793

प्रस्तर - 196 शासनादेश ए-1/12/दस/2012(331)1210 दिनांक 31.03.12 के अनुसार राजकीय धनराशियाँ वित्त विभाग की अनुमति से बैंकों में बचत खाते खोलकर जमा की जानी चाहिए तथा जमा राशियों के सापेक्ष प्राप्त ब्याज की धनराशि संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी तथा इसे राजकोष में जमा कर दिया जायेगा। आलोच्य वर्ष 2016-17 में प्राप्त ब्याज की धनराशियाँ जमा न करधरोक रखकर राजकीय धन की क्षति/दुरुपयोग किया जा रहा है। विवरण निम्नवत है -

वर्ष	प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में उपभोग	वर्षान्त शेष
2016-17	21946	49817	-	71763

उपरोक्त दर्शित ब्याज मद से आय रु0 49817 की पुष्टि बैंक पासबुक/स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट के अभाव में नहीं किया जा सका। किसी योजना के सापेक्ष किस खाते में ब्याज अर्जित किया गया, इसका कोई विवरण नहीं रखा गया है। अतः यह भी पुष्टित नहीं रहा कि समस्त ब्याज की धनराशियाँ दर्शित कर ली गयी है अथवा नहीं। मात्र ब्याज मद का शीर्ष खोलकर ब्याज का समेकित विवरण रखा जाना अनुचित है। दिनांक 31.03.17 (वर्षान्त) रु0 71763 की धनराशि राजकोष में जमा न कर राजकीय राजस्व का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह एवं लेखकारी श्री विद्या सिंह कुशवाहा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 197 संस्था द्वारा परिशिष्ट, मे क्रमांक 14 पर अंकित कार्य करमपुर गौठौली यादव बस्ती पिच रोड से डीह बाबा मन्दिर तक इण्टर लाकिंग कार्य हेतु कुल व्यय रु0 440397 के सापेक्ष सामग्री मद में रु0 391527 एवं श्रमांश मद में रु0 48870 व्यय दर्शित है। सामग्री मद में दर्शित व्यय रु0 391527 से आयकर की कटौती न कर संस्था द्वारा श्रमांश मद (मस्टर रोल) में व्यय धनराशि रु0 48870 से रु0 9699 आयकर की कटौती कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री शशिकान्त मिश्र एवं लेखाकार श्री, विद्या सिंह कुशवाहा से मय ब्याज ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

33. क्षेत्र पंचायत - जमानियाँ

ले0प0 वर्ष- 2015-16 से 2016-17

प्रस्तर - 198 आलोच्य वर्ष 15-16 के अन्त में रु0 104905.00 ब्याज की धनराशि अवशेष रही। जो सरकार की आय होती है। जिसे जमा न कर संस्था पर रोक कर रखा जाना अनियमित रहा। इसे राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। इस प्रति ख0वि0अ0 श्री राम राज एवं लेखाकार श्री रमाशंकर उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 199 वित्तीय वर्ष के अंत में दिनांक 31.03.2017 को अवशेष की अनुदान धनराशियों से संबंधित अनुदानदाताओं को वापस नहीं किया गया है। जो अनियमित रहा।

1. राज्य वित्त आयोग	1874569
2. 13वाँ वित्त	10010
3. विधायक निधि	966391
4. इन्दिरा आवास कंटीजेन्सी	156491
5. पंचायत निर्वाचन 2015	121500
योग	3128961

इस प्रति ख0वि0अ0 श्री लल्लू राम सोनकर, ख0वि0अ0 श्री अरुण कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री रमाशंकर उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 200 कार्य संख्या 13,14,15 एवं 16 पर हुये व्यय रु0 899250+196667=10917 की पुष्टि में टेण्डर आमंत्रण कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य प्रारंभ तथा समाप्ति की स्थिति अज्ञात रही। उक्त के अभाव में व्यय की गई धनराशि का व्यय अनियमित रहा। इस प्रति ख0वि0अ0 श्री लल्लू राम सोनकर, ख0वि0अ0 श्री अरुण कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री महेन्द्र राम उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

34. क्षेत्र पंचायत - मुहम्मदाबाद

ले0प0 वर्ष- 2016-17

प्रस्तर -201 वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत मुहम्मदाबाद में उपर्युक्त अपहरण, दुरुपयोग, अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये, जिसकी ब्याज सहित वसूली हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण वर्ष 2016-17 के राज्यवित्त मद की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि दिनांक 27.12.2016 को चेक सं०-175091 से सहा0 लेखाकार श्री अरुण कुमार द्वारा स्वयं के नाम से रु०-100000.00 नकद धनराशि बैंक से आहरित की गयी है जिसका व्यय विवरण ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में क्षेत्र पंचायत सदस्यों को यात्रा भत्ता दिया गया दर्शित है, परन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत यात्रा भत्ता रजिस्टर के अनुसार मात्र 41 सदस्यों को रु०-500 की दर से कुल रु०-20500/- दिया गया दर्शित है। शेष रु०-79500/- के व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही नकद अवशेष दर्शित है। इससे स्पष्ट होता है कि खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह एवं सहा0 लेखाकार श्री अरुण कुमार की मिली भगत से रु०-79500.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी सब्याज ब्याज सहित वसूली करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 202 आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त मद से ग्राम पंचायत रजौली में कमलेश के घर से मुन्ना के घर होते हुए बलिराम के मोड़ तक सी0सी0 रोड निर्माण पर विभिन्न तिथियों में कुल रु०-626888.00 ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय में व्यय दर्शित है। परन्तु बार-बार मांगने के बाद भी लेखा परीक्षा में इसकी कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। पत्रावली प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि बिना कार्य कराये ही भुगतान कर दिया गया है। अतः खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिनरायन एवं सहायक लेखाकार श्री अरुण कुमार द्वारा रु०-626888/- की गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिनके प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 203 राज्य वित्त मद से ग्राम पंचायत सिलाइच में बबुआ मिश्र के घर से श्रीराम के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य व दोनो तरफ एल टाइप निर्माण पर रु०-760977.00 व्यय दर्शित है। प्रस्तुत पत्रावली की जांच में पाया गया कि इसका इस्टीमेट दिनांक 10.05.2016 को स्वीकृत हुआ है और कार्य जू0 2016 में कराया गया दर्शित है। प्रस्तुत कार्य पत्रावली एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति के है। यहां पर मुख्य आपत्ति यह है कि दिनांक 01.04.2016 से 29.07.2016 तक खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव सिंह रहे है तो मई एवं जून 2016 की कार्य पत्रावली पर हस्ताक्षर खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति के कैसे है, जबकि श्री शिवमूर्ति दिनांक 29.07.2016 से 24.10.2016 तक रहे हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि कार्य पत्रावली में हेर-फेर कर रु०-760977.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिस हेतु ख०वि० अधिकारी श्री राजीव सिंह, शिवमूर्ति एवं सहाव लेखाकर श्री अरुण कुमार उत्तरदायी है, जिनके प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-204 वर्ष 2016-17 में सांसद निधि मद से कुल रु०-243989.00 ग्राण्ट रजिस्टर में व्यय दर्शित है, परन्तु बार-बार मांगने के बाद भी इसकी कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का घटक है। जिस हेतु ख०वि० अधिकारी श्री राजीव सिंह, शिवमूर्ति एवं हरिनरायन तथा सहा0 लेखाकार श्री अरुण कुमार उत्तरदायी है जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

35. क्षेत्र पंचायत - मरदह

ले०प० वर्ष- 2016-17

प्रस्तर - 205 दिनांक 06.06.2016 को ग्रांट द्वितीय में चेन० 086936 से रु० 70,000.00 का भुगतान रामबहादुर ए.डी.ओ. आई.एस.बी. मरदह को क्षेत्र पंचायत मरदह की बैठक में मानदेय हेतु किया गया दर्शित है, परन्तु क्षे.प. स्तर पर इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख एवं बाऊचर नहीं रखा गया है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि ग्रांट द्वितीय में काल्पनिक मानदेय दर्शित कर ब्लाक प्रमुख श्रीमती निधि मौर्या एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती आशा देवी एवं लेखाकार, खरभान राम के मिलीभगत से क्षे.प. के प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 206 दिनांक 14.06.2016 को ग्रांट रजि. द्वितीय में चे०न० 086937 से रु० 211560.00 का भुगतान रामबहादुर राम, ए.डी.ओ. (आई.एस.वी.) को कार्यालय के कुर्सी, कूलर, पंखा, इत्यादि के क्रय हेतु किया गया है, परन्तु क्रय सामानों की प्राप्ति की पुष्टि में प्रमाणक/पत्रावलियां स्टॉक तथा रजिस्टर/डेड स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त सामानों के राज्य वित्त से व्यय किये जाने की स्वीकृति सम्बन्धित उच्च विभागीय अधिकारियों से प्राप्त नहीं की गयी है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि मनमाने तरीके से ग्रांट रजि० में उक्त सामानों के क्रय पर व्यय दर्शित कर राज्य वित्त के प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग ब्लाक प्रमुख श्रीमती. निधि मौर्या, खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती आशा देवी एवं लेखाकार

खरभान राम के मिली भगत से किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 207 दिनांक 12.08.2016 को ग्रांट रजि० द्वितीय में चेन० 092072 से रु० 103080.00 का भुगतान वी०डी०ओ० आवास मरम्मत हेतु कार्य प्रभारी रामबहादुर राम को किया गया है। इसमें दो मस्टर रोल प्रयोग किये गये हैं, परन्तु दोनों मस्टर रोल एक ही तिथि 01.06.2016 से दिनांक 15.07.2016 तक के लिए प्रयोग किये गये हैं तथा दोनों मस्टर रोलों पर एक ही मिस्त्रीयों एक ही श्रमिकों से कार्य कराया गया दर्शित है। अतः एक ही श्रमिक एवं एक ही मिस्त्री से एक ही तिथि में दो मस्टर रोल पर कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। अतः इस से स्पष्ट होता है। काल्पनिक मस्टर रोलों से भुगतान दर्शित कर क्षेत्र०प० के प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग ब्लाक प्रमुख श्रीमती निधि मौर्या, खण्ड विकास अधिकारी आशा देवी एवं लेखाकार खरभान राम के मिली भगत से किया गया है, जिसकी सब्याज ब्याज सहित वसूली हेतु उच्च विभागीय अधि० का ध्यान आकृष्टि किया जाता है।

प्रस्तर – 208 दिनांक 15.12.2016 को ग्रांट द्वितीय में चे नं० 100721 से रु० 100000.00 का भुगतान वी०डी०ओ० आवास मरम्मत पर सामग्री क्रय पर किया गया है, परन्तु उक्त क्रय सामान पर रु० 2240.00 आयकर एवं रु० 4000.00 टी०डी०एस० की धनराशि की कटौती न कर समस्त धनराशि का भुगतान में राणा प्रताप सिंह, हरदासपुर, मऊ को किया गया है। अतः आयकर एवं टी०डी०एस० भुगतान की कटौती न कर अनियमित भुगतान कुल रु० 6240.00 का किया गया है। जिसके लिए ब्लाक प्रमुख श्रीमती निधि मौर्या, खण्ड विकास अधिकारी आशा देवी एवं लेखाकार मनोज कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 209 दिनांक 10.01.2017 को ग्रांट रजि० 2 में चेन० 100723 में रु० 30538.00 का भुगतान वी०डी०ओ० आवास मरम्मत पर सामग्री क्रय हेतु मे० राणा प्रताप सिंह, हरदासपुर, मऊ को किया गया है तथा चेन० 100724 से रु० 8520.00 का भुगतान मनोज कुमार सिंह सहा० लेखाकार को मजदूरी भुगतान पर किया गया है, परन्तु उक्त भुगतान की स्वीकृति दिनांक 10.02.2017 को प्राप्त की गयी है। अतः स्वीकृति के पूर्व किया गया, भुगतान रु० 39,058.00 अनियमित रहा है। जिसकी क्षतिपूर्ति ब्लाक प्रमुख श्रीमती निधि मौर्या, खण्ड विकास अधिव आशा देवी एवं लेखाकार मनोज कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 210 दिनांक 15.12.2016 को चे०सं० 100722 से रु० 19854.00 का भुगतान ग्रांट द्वितीय में मनोज कुमार सिंह सहा० लेखाकार को वी०डी०ओ० आवास मरम्मत पर मजदूरी हेतु किया गया है, परन्तु इस कार्य के कार्य प्रभारी रामबहादुर राम ए०डी०ओ० (आई०एस०वी०) नियुक्त है। अतः उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी को न कर मनोज कुमार सिंह सहा० लेखाकार को कर क्षेत्र पं० के अनुदान राशि का अपहरण ब्लाक प्रमुख श्रीमती निधि मौर्या, खण्ड विकास अधिकारी आशा देवी एवं सहायक लेखाकार मनोज कुमार सिंह के मिली भगत से कर लिया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 211 दिनांक 26.01.2017 को ग्रांट 2 में चेक नं० 100727 से रु० 47508.00 टी०डी०एस० 1980.00 = 49488.00 का भुगतान मे० राणा प्रताप सिंह, हरदासपुर 6370 ईट दर 6100 के सापेक्ष भुगतान किया गया है। पुष्टि में प्रस्तुत बाऊचर क्रमांक सं० 576 पर 50 49,488.00 दर्शित वस्तुओं के विवरण में रु० 1701+ 8930 = 10631.00 की धनराशि विवरण हीन दर्शित है। अतः बिना विवरण बाऊचर पर काल्पनिक धनराशि अंकित कर प्राप्त अनुदान राशि का दुरुपयोग ब्लाक प्रमुख निधि मौर्या, खण्ड विकास अधिकारी आशा देवी एवं लेखाकार मनोज कुमार सिंह के मिली भगत से किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 212 दिनांक 27.03.2017 को ग्रांट रजि० 2 में चेन० 100736 से रु० 464200.00 का भुगतान 22 सोलर लाइट क्रय हेतु मे० बमभोला ट्रेडर्स, मरदह, गाजीपुर को किया गया दर्शित है। परन्तु इससे सम्बन्धित कोई पत्रावलीध्वाऊचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा क्रय सोलर लाइट क्षेत्र०प० में किस स्थान पर लगाये गये हैं। इसका भी विवरण दर्शित नहीं किया गया है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि ग्रांट रजिस्टर में काल्पनिक सोलर लाइट क्रय दर्शित कर क्षेत्र०प० के प्राप्त अनुदान राशि का अपहरण ब्लाक प्रमुख श्रीमती निधि मौर्या, खण्ड विकास अधिकारी आशा देवी एवं लेखाकार मनोज कुमार सिंह के मिली भगत से कर लिया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 213 आलोच्य वर्ष में ग्रांट रजिस्टर 2 विभिन्न निर्माण कार्यो पर रु0 404634.00 का भुगतान किया गया दर्शित है, परन्तु उक्त कार्यो के पुष्टि में कोई पत्रावली बाऊचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिससे स्पष्ट होता है ग्रांट रजिस्टर में काल्पनिक निर्माण कार्य दर्शित कर क्षेत्र के प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग ब्लाक प्रमुख निधि मौर्या, खण्ड विकास अधिकारी आशा देवी एवं लेखाकार मनोज कुमार सिंह एवं खरभान राम के मिली भगत से किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 214 दिनांक 23.06.2016 को ग्रांट रजिस्टर द्वितीय में रु0 47055.00 का भुगतान बीरबलपुर में राजेन्दर के घर से काली माँ के स्थान तक नाली मरम्मत पर सामाग्री क्रय पर किया गया है, परन्तु उक्त सामाग्री के क्रय से पूर्व कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया है। अतः बिना कोटेशन प्राप्त किये उक्त सामान का क्रय किया जाना अनियमित रहा है। जिसके लिए ब्लाक प्रमुख निधि मौर्या, खण्ड विकास अधिकारी आशा देवी एवं लेखाकार खरभान राम उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 215 दिनांक 09.08.2016 को ग्रांट रजिस्टर द्वितीय में सलेमपुर तिराहे पर महात्मा गाँधी स्मृति द्वारा निर्माण पर रु0 224790.00 का भुगतान मे0 माँ वैष्णो कान्हेवशन, रानीपुर, गाजीपुर को किया गया है। परन्तु इससे सम्बन्धित कोई भी पत्रावली क्षेत्र स्तर पर देखने को नहीं मिली है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि ग्रांट रजि0 काल्पनिक व्यय दर्शित कर प्राप्त अनुदान का अपहरण ब्लाक प्रमुख श्रीमती निधि मौर्या, खण्ड विकास अधिकारी, आशा देवी एवं लेखाकार खरभान राम के मिली भगत से कर लिया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 216 दिनांक 25.03.2017 को ग्रांट रजि0 द्वितीय में रु0 100000.00 का भुगतान चेक 095832 से अग्रिम भुगतान रमेशचन्द्र ग्रा0वि0अधि0 को वीरबलपुर में कमरुद्दीन के घर के आगे नाला निर्माण पर किया गया है। परन्तु इससे सम्बन्धित कोई भी पत्रावली लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा पंचायतराज नियमावली में अग्रिम देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अग्रिम भुगतान दर्शितकर प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग ब्लाक प्रमुख श्रीमती निधि मौर्या, खण्ड विकास अधिव आशा देवी एवं लेखाकार मनोज कुमार सिंह के मिली भगत से किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

36. क्षेत्र पंचायत – देवकली

ले0प0 वर्ष– 2011–12 से 2013–14

प्रस्तर – 217 वर्ष 2011–12 के व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है:–

क्र0	शीर्ष	व्यय (रु0)	क्र0	मनरेगा शीर्ष	व्यय (रु0)
1	प्रा0मद डीआरडीए	87103	1	रा0ग्रा0रो0ग्रा0यो0	1848350
2	राज्य/12वॉ/12वॉ वित्त	4347966	2	प्राशासनिक मद	2746996
3	प्रा0 मद डीडीओ	65120	3	रिवाल्विंग फण्ड	1016905
4	नवयुवक मंगल दल	20000	4	रोजगार सेवक मानदेय	169399
5	पंचायत निर्वाचन 2010	31230	5	मनरेगा सेल मानदेय	656834
—	—	—	6	लघु सिंचाई	803760
—	—	—		योग –	7242244

उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजाराम, श्री राधेश्याम व श्री रामसजीवन यादव तथा लेखाकार श्री शोभनाथ यादव व श्री रविशंकर सिंह, उत्तरदायी है। लेखा परीक्षा में जाँच हेतु उक्त मदों से संबंधित समस्त अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 218 वर्ष 2012–13 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है। परन्तु संबंधित फर्म से आयकर व वैट कटौती नहीं किया गया है। इस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। यह स्थिति गंभीर अनियमितता के प्रकरण है।

उक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि रूपए 35992.00 आयकर एवम् रूपए 80597.00 वैट कुल रूपए 116589.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवम् लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही/ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। संकलित दायित्व निम्नवत है:–

1. श्री राम सजीवन यादव, खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री रविशंकर सिंह, लेखाकार :68831.00

2. श्री संजय कुमार पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री रविशंकर सिंह, लेखाकार :33888.00
3. श्री मुस्ताक अहमद, खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री रविशंकर सिंह, लेखाकार 13870.00

योग 116589.00

प्रस्तर – 219 वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है:-

क्र०	शीर्ष	व्यय (रु०)	क्र०	मनरेगा शीर्ष	व्यय (रु०)
1	बायोगैस	8000	1	रा०ग्रा०रो०ग्रा०यो०	3158726.50
2	इन्दिरा आवास	44740	2	प्राशासनिक मद	1650422
3	जमानत की धनराशि	8264.80	3	रोजगार सेवक मानदेय	12617
4	प्रा० मद डीआरडीए	1550	4	मनरेगा सेल मानदेय	105663
5	ब्याज की धनराशि	15818	5	लघु सिंचाई	224220
6	विधायक निधि	16444	6	ब्याज	2891
7	स०ग्रा०रो०/अम्बेडकर ग्राम विकास	254536			
8	प्रा० मद डीडीओ	58077			
9	नवयुवक मंगल दल	6000			
10	मतदाता पुनरीक्षण 2009 संगणक मानदेय	33746			
11	आयकर कटौती	25178			
12	जनगणना	14838			
	योग –	487191.90		योग –	5154539.50

उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम सजीवन यादव व श्री संजय कुमार पाण्डेय एवम् लेखाकार श्री रविशंकर सिंह उत्तरदायी है। लेखा परीक्षा में जाँच हेतु उक्त मदों से संबंधित समस्त अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर –220 वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त व 13वाँ वित्त से संबंधित सम्पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत न कर आंशिक अभिलेख ही प्रस्तुत किए गए हैं। इस कारण समस्त अभिलेखों की जाँच न की जा सकी। विवरण निम्नवत है:-

क्र०	मद	कुल व्यय (रु०)	उपलब्ध अभिलेख जिसकी जांच की गयी (रु०)	अप्राप्त अभिलेख की जिसकी जांच नहीं की गयी (रु०)
1	2	3	4	5
1	राज्य वित्त	5233970.10	2298055.00	2935915
2	13वाँ वित्त	648017	321730	326287
	योग –	5881987.10	2619785	3262202.10

उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम सजीवन यादव व श्री संजय कुमार पाण्डेय एवम् लेखाकार श्री रविशंकर सिंह उत्तरदायी है। उक्त मदों से संबंधित वांछित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 221 वर्ष 2012-13 के कतिपय निर्माण कार्यों पर प्राक्कलित धनराशि से अधिक वास्तविक व्यय किया गया है। जो कि गंभीर अनियमितता के प्रकरण है। इस प्रति तत्कालीन कार्य प्रभारी, लेखाकार एवम् खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

निर्धारित दायित्व:-

1. श्री रामउदय यादव, एडीओ (पी) श्री रविशंकर सिंह, लेखाकार व श्री रामसजीवन यादव, ख०वि०अ०
रुपए 37559.70
2. श्री रामउदय यादव, एडीओ (पी) श्री रविशंकर सिंह, लेखाकार व श्री मुस्ताक अहमद, ख०वि०अ० :
रुपए 238.05 योग – रु० 37797.75

प्रस्तर – 222 वर्ष 2013-14 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है। परन्तु संबंधित फर्म से आयकर व वैट कटौती नहीं किया गया है। इस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। यह स्थिति गंभीर अनियमितता के प्रकरण है।

उक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि ₹ 55103 आयकर एवं ₹ 98404 वैट कुल ₹ 153507 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रति ख०वि०अ० श्री पी०एन० मिश्रा और श्री मुस्ताक अहमद अहमद एवं लेखाकार श्री रवि शंकर सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 223 वर्ष 2013–14 में निम्नलिखित शीर्ष में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है:-

क्र०	शीर्ष	व्यय (₹)	क्र०	मनरेगा शीर्ष	व्यय (₹)
1	प्रा० मद डीआरडीए	5780	1	रा०ग्रा०रो०ग्रा०यो०	2328881
2	विधायक निधि	771266	2	प्राशासनिक मद	738673
3	श्रा०ग्रा०रो०ग्रा० प्रचार प्रसार	3672	3	रोजगार सेवक मानदेय	13300
4	नवयुवक मंगल दल	12000	4	मनरेगा सेल मानदेय	237325
5	वेतन कार्यालय व्यय	165796	—	—	—
	योग —	9585140		योग —	3318179

उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय, श्री पी० एन० मिश्रा व श्री मुस्ताक अहमद तथा लेखाकार श्री रविशंकर सिंह उत्तरदायी है। उक्त मदों से संबंधित समस्त अभिलेख जाँच हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 224 वर्ष 2013–14 राज्य वित्त व 13वाँ वित्त से संबंधित सम्पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत न कर आंशिक अभिलेख ही प्रस्तुत किए गए हैं। इस कारण समस्त अभिलेखों की जाँच न की जा सकी। विवरण निम्नवत है:-

क्र०	मद	कुल व्यय (₹)	उपलब्ध अभिलेख जिसकी जाँच की गयी (₹)	अप्राप्त अभिलेख की जिसकी जाँच नहीं की गयी (₹)
1	2	3	4	5
1	राज्य वित्त	5307711	2432989	2874722
2	13वाँ वित्त	5143073	736205	4406868
	योग —	10450784	3169194	7281590

उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम संजय कुमार पाण्डेय, श्री पी०एन० मिश्रा व श्री मुस्ताक अहमद तथा लेखाकार श्री रविशंकर सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त मदों से संबंधित समस्त अभिलेख जाँच हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

35. क्षेत्र पंचायत – देवकली

ले०प० वर्ष— 2014–15 से 2016–17

प्रस्तर – 225 वर्ष 2014–15 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से सामग्री कय किया गया है। परन्तु आंशिक फर्मों से आयकर की कटौती किया गया है। जबकि वैट की कटौती नहीं किया गया है। इस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है।

उक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि रूपए 10411.00 आयकर व रूपए 130405.00 वैट कुल रूपए 140816.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही/ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। निर्धारित दायित्व निम्नवत् है:-

1. श्री संजय कुमार पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री रविशंकर सिंह, लेखाकार ₹ 25362
2. श्री संजय कुमार पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री राजकुमार केशरी, लेखाकार ₹ 115454

योग — ₹ 140816.00

प्रस्तर – 226 वर्ष 2014–15 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप व्यय की पुष्टि नहीं जा सकी।

क्र०	शीर्ष	व्यय (₹)	क्र०	मनरेगा शीर्ष	व्यय (₹)
1	बायोगैस	8000	1	प्रशासनिक व्यय	1609285
2	प्रा० मद डीआरडीए	2134	2	ब्याज	14603
3	विधायक निधि	136956	3	लघु सिंचाई	2500
4	जनगणना	162		योग —	1626388
5	राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मिशन	50000			
6	भूमि उपयोग गोष्ठी	2000			

7	नवयुवक मंगल दल	18000			
8	इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद	15845			
	योग —	233097			

इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मुस्ताक अहमद व श्री संजय कुमार पाण्डेय एवम् लेखाकार श्री रविशंकर सिंह व श्री राजकुमार केशरी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 227 वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त व 13वां वित्त से सम्पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत न कर आंशिक अभिलेख ही प्रस्तुत किए गए हैं। इस कारण अभिलेखों की जांच न की जा सकी।

क्र0	मद	कुल व्यय (रु0)	उपलब्ध अभिलेख जिसकी जांच की गयी (रु0)	अप्राप्त अभिलेख की जिसकी जांच नहीं की गयी (रु0)
1	2	3	4	5
1	राज्य वित्त	8297412	2067472	6229940
2	13वां वित्त	2844171	394372	394372
	योग —	11141583	2461844	8679739

इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मुस्ताक अहमद व श्री संजय कुमार पाण्डेय एवम् लेखाकार श्री रविशंकर सिंह व श्री राजकुमार केशरी उत्तरदायी है। उक्त मदों से सम्बन्धित वांछित समस्त अभिलेख जांच हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 228 वर्ष 2014-15 के निर्माण कार्य दिवस खण्ड कार्यालय परिसर में स्टोर कक्ष का मरम्मत (राज्य वित्त) में प्राक्कलित धनराशि रु0 463513.00 सामग्री पर व्यय के सापेक्ष वास्तविक व्यय रु0 464803.00 किया गया है, इस तरह रु0 1290.00 अधिक व्यय किया गया है। इस प्रति तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री रामजी सिंह यादव, एवम् लेखाकार श्री राजकुमार केशरी व खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 229 वर्ष 2015-16 में 13वां वित्त से संबंधित पत्रावली संख्या-34 की जांच में पाया गया कि सम्मनपुर में सोन्हू नाऊ के घर से हरिद्वारा के मशीन के आगे तक नाली निर्माण कार्य हेतु सद्दाम ईट भट्टा, पियरी, सैदपुर, गाजीपुर एवम् कृषि संसार बिल्डिंग मैटेरियल, तुरना, सैदपुर गाजीपुर से निर्माण सामग्री क्रय किया गया। परन्तु क्रय करने पूर्व निविदा आमंत्रण से संबंधित प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है। बिना निविदा के सामग्री क्रय किया जाना अनियमित है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय एवम् लेखाकार श्री राजकुमार केशरी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रमांक	फर्म का नाम	क्रय किए गए सामग्री का मूल्य
1	सद्दाम ईट भट्टा पियरी सैदपुर गाजीपुर	172900
2	कृषि संसार बिल्डिंग मैटेरियल्स, तुरना सैदपुर गाजीपुर	126959
	योग —	299859

प्रस्तर — 230 वर्ष 2015-16 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से सामग्री कय किया गया है। परन्तु फर्मों से वैट की कटौती नहीं किया गया है। इस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। उक्त से स्पष्ट है कि रु0 35380.00 राजकीय राजस्व (वैट) की क्षति हुई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवम् लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही/ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। संकलित दायित्व निम्नवत् है:—

1. श्री संजय कुमार पाण्डेय ब्याज सहित वसूली किया जाना अधिकारी एवम् श्री राजकुमार केशरी, लेखाकार रूपए 33378.00
2. श्री राजाराम चौधरी, खण्ड विकास अधिकारी एवम् श्री राजकुमार केशरी, लेखाकार रूपए 2002.00

योग —रूपए 35380.00

प्रस्तर — 231 वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप व्यय की पुष्टि नहीं जा सकी।

क्र0	शीर्ष	व्यय (रु0)	क्र0	मनरेगा शीर्ष	व्यय (रु0)
1	बायोगैस	8000	1	प्रशासनिक व्यय	4474260

2	पंचायत निर्वाचन 2010	135508	2	ब्याज	115056
3	राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मिशन	70520	3	मनरेगा प्रशिक्षण	95855
4	सं0ग्रा0रो0यो0 (अम्बेडकर ग्राम)	254536		योग —	4685171
5	इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद	116495			
6	आयकर कटौती	165640			
7	आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण	887824			
8	वैट	76104			
9	खाता के खाता टी आर	35906			
	योग —	1750533			

इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय, श्री राजाराम चौधरी, श्री अजय कुमार मिश्रा व श्री पवन कुमार सिंह एवं श्री राजकुमार केशरी, लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 232 वर्ष 2015—16 में राज्य वित्त व 13वां वित्त से सम्पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत न कर आंशिक अभिलेख ही प्रस्तुत किए गए हैं। इस कारण अभिलेखों की जांच न की जा सकी।

क्र०	मद	कुल व्यय (रु०)	उपलब्ध अभिलेख जिसकी जांच की गयी (रु०)	अप्राप्त अभिलेख की जिसकी जांच नहीं की गयी (रु०)
1	2	3	4	5
1	राज्य वित्त	2594447	2038481	555966
2	13वां वित्त	1911564	1854137	57427
	योग —	4506011	3892618	613398

इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय, श्री राजाराम चौधरी, श्री अजय कुमार मिश्रा, श्री पवन कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री राजकुमार केशरी उत्तरदायी है। उक्त मदों से सम्बन्धित वांछित समस्त अभिलेख जांच हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 233 वर्ष 2016—17 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु बिना निविदा के विभिन्न फर्मों से रु० 3139875 का भुगतान कर सामग्री क्रय किया गया है। जो कि गंभीर अनियमितता के प्रकरण है।

उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह एवम् लेखाकार श्री राजकुमार केशरी उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर — 234 वर्ष 2016—17 में संस्था द्वारा निर्माण कार्य हेतु दिपक इलेक्ट्रिकल्स, नन्दगंज, गाजीपुर से कय किए सामग्री पर आयकर व वैट की कटौती नहीं किया गया है। जिससे राजकीय राजस्व की हानि हुई है। उक्त से स्पष्ट है कि रुपए 515.00 आयकर व रुपए 919.00 वैट कुल रुपए 1434.00 राजकीय राजस्व की छति हुई है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह एवम् लेखाकार श्री राजकुमार केशरी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही/ ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर — 235 वर्ष 2016—17 में सियावां भीखईपुर पिचरोड से आदर्श इण्टर कालेज सियावां तक मिट्टी व खंडजा कार्य हेतु श्री कैलाश यादव पुत्र श्री दुखरन, ग्रा० पचरासी, देवकली, गाजीपुर से 183 ट्राली मिट्टी दर रुपए 174.00 प्रति ट्राली की दर से रुपए 31842.00 में कय किया गया है। परन्तु रायल्टी की धनराशि कटौती न किये जाने से राजकीय राजस्व की हानि हुई है। लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से रुपए 183×3×9= रुपए 4941.00 रायल्टी की धनराशि कटौती किया जाना चाहिए था। राजकीय राजस्व की हानि हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह एवम् लेखाकार श्री राजकुमार केशरी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही/ ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर — 236 वर्ष 2016—17 में निम्नलिखित शीर्षों में व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है

क्र०	शीर्ष	व्यय (रु०)	क्र०	मनरेगा शीर्ष	व्यय (रु०)
1	पंचायत निर्वाचन 2010	40554	1	प्रशासनिक व्यय	1125893
2	इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद	401569		योग —	1125893
3	आयकर कटौती	85200			

4	वैट	156469			
5	राज्य वित्त ब्याज की धन0	60			
	योग -	683852			

इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह एवम् लेखाकार श्री राजकुमार केशरी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 237 वर्ष 2016-17 के निर्माण कार्य ग्रा०पं० बडहरा में कुर्बान सराय पिच रोड से देवसरन चौधरी इण्टर कालेज बडहरा तक खंडजा का मरम्मत कार्य (राज्य वित्त) में प्राक्कलित धनराशि रु० 136853.36 सामग्री पर व्यय के सापेक्ष वास्तविक व्यय रु० 143640.00 किया गया है। इस तरह रु० 6786.64 अधिक व्यय किया गया है। इस प्रति तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री जयप्रकाश पाल एवम् लेखाकार श्री राजकुमार केशरी व खण्ड विकास अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 238 वर्ष 2016-17 के राज्य वित्त में सम्बन्धित कुल रूपया 2793886.00 की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। जबकि वास्तविक व्यय रुपये 5780000.00 है। इस प्रकार रूपया 2986114.00 के अभिलेख अप्राप्त रहा। जिसे जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रति तत्कालीन ख०वि०अ० श्री पवन कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री राजकुमार केशरी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(01) विकास खण्ड- रामनगर क्षेत्र पंचायत-रामनगर जनपद-जौनपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर -1 आलोच्य वर्ष 2017-18 में विकासखण्ड परिसर में स्टील गेट, मोटरसायकिल स्टैंड एवं वाटर कूलर का कार्य कराया गया है जिसके भुगतान का विवरण निम्न है-

क्रम	चेक संख्या	दिनांक	फर्म	धनराशि
1	022330	23.03.2018	सिंह ईट उद्योग	रु. 5056/-
2	022331	23.03.2018	जतिन बिल्डिंग मैटेरियल	रु. 348961/-
3	022332	23.03.2018	मजदूरी के सापेक्ष भुगतान	रु. 46875/-
			कुल धनराशि	400892/-

इस प्रकार कुल रूपया 400892 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान के विरुद्ध निम्न आपत्तियाँ हैं-

- (क) ईट क्रय एवं बिल्डिंग मैटेरियल के प्रमाणक पर तिथि अंकित नहीं किया गया है।
- (ख) मस्टररोल पर किस तिथि से किस तिथि तक कार्य कराया गया है, अंकित नहीं है।
- (ग) ईट आपूर्ति हेतु सिंह ईट उद्योग को निर्गत किये गये आपूर्ति आदेश, बिल्डिंग मैटेरियल हेतु जतिन बिल्डिंग मैटेरियल को निर्गत किये गये आपूर्ति आदेश तथा कार्यप्रभारी की नियुक्ति हेतु श्री इन्द्रजीत पाल को निर्गत किये गये नियुक्ति आदेश पर पत्रांक एवं दिनांक अंकित नहीं रहा।
- (घ) डेड स्टॉक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- (ङ) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण यह ज्ञात न हो सका कि उक्त कार्य इसी वित्तीय वर्ष का है अथवा विगत वर्ष का।

अतः स्पष्ट है कि उक्त धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों/विनियमों का पालन सुचारु रूप से न करके गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा० आपत्ति संख्या 14)

प्रस्तर -2 आलोच्य वर्ष 2017-18 में कुल रु. 53537 चतुर्थ राज्य वित्त आयकर की कटौती 2.24: की दर से की गयी है। इस मद में आरम्भिक शेष रु. 59487. था। इस प्रकार इस मद में कुल उपलब्ध धनराशि 113024 रहा, जिसके सापेक्ष वर्ष में मात्र 59487 ही जमा किया गया। उक्त जमा की पुष्टि में निर्गत चेक नं./चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा० आपत्ति संख्या 5)

प्रस्तर-3 आलोच्य वर्ष 2017-18 में कुल रु. 114582.00 चतुर्थ राज्य वित्त वाणिज्य कर की कटौती 5: की दर से की गयी है। इस मद में आरम्भिक शेष रु. 106235 था। इस प्रकार इस मद में कुल उपलब्ध धनराशि 220817 रहा, जिसके सापेक्ष वर्ष में मात्र 106235 ही जमा किया गया। उक्त जमा की पुष्टि में निर्गत चेक नं./चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा० आपत्ति संख्या 5)

प्रस्तर-4 आलोच्य वर्ष 2017-18 में निम्न विवरणानुसार व्यय के सापेक्ष व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही-

क्रम	शीर्षक	धनराशि
1.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	428950.00
2.	बी.आर.जी.एफ.	5027.00
3.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	44580.00
4.	जी.पी.डी.पी. (प्रशिक्षण)	155975.00
5.	मतदाता पुनरीक्षण/बीएलओ/सुपरवाइजर का मानदेय	126000.00
6.	डिजिटल मेला प्रचार-प्रसार	10000.00
7.	बाबा साहब डॉ. भीम अम्बेडकर का जन्मदिवस	1000.00
	योग	771532.00

उपरोक्त व्यय पत्रावलियों को लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराने के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या- 13)

(02) विकास खण्ड- डोभी क्षेत्र पंचायत- डोभी जनपद-जौनपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-5 वर्ष 2017-18 में रु0 3784836.00 के सामग्री क्रय पर 2.26 प्रतिशत की दर से रु0 85537.00 का आयकर की कटौती किया जाना था। जो नहीं किया गया है। न काटे गए आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूली नय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी। खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।
(सा0 आपत्ति संख्या 03)

प्रस्तर-6 शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित व्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में बैंक खाते के अनुसार रु0 233125.00 ब्याज कमाया गया है। 31.03.2018 को रु0 1050465.00 अर्जित ब्याज अवशेष रहा जिसे राज्य सरकार को वापिस नहीं कर गम्भीर अनियमिता की गई जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति संख्या 04)

प्रस्तर-7 लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ग्राण्ट रजि0 अनुसार कुल रु0 8585900.00 व्यय दर्शित है। जबकि उक्त वर्ष में रु0 4941061.00 एवं का फाइल एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में प्राप्त रहा। इस प्रकार वर्ष 2017-18 में रु0 3644839.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई बिल बाउचर/पत्रावली/फाइल लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं रहा। तदनुसार उक्त धनराशि लेखा परीक्षा में अपुष्ट रहा। अपुष्ट धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सा0 आपत्ति संख्या 11)

(03) विकास खण्ड- मछलीशहर क्षेत्र पंचायत- मछलीशहर जनपद-जौनपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-8 मस्टररोल की मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारियों को :-वर्ष 2017-18 में रु0 770171.00 की धनराशि का मस्टररोल द्वारा मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया दर्शित है। निर्माण कार्य पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उस पर मस्टररोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं है। उत्तरदायित्व संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियंता, लेखाकार, कार्य प्रभारी एवं ब्लाक प्रमुख का समान रूप से है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 02)

प्रस्तर-9 चेक फर्म के नाम निर्गत है किन्तु भुगतान अन्य को है :-

निम्नलिखित विवरण के अनुसार चेक फर्म के नाम निर्गत है किन्तु बैंक खाता में केवल ट्रांसफर अंकित है जिससे भुगतान की पुष्टि लेखा परीक्षा में न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्रमांक	चेक संख्या प्राप्तकर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत है बैंक खाता के अनुसार भुगतान
1.	10002231	03.04.2017	151716.00	यादव विल्डिंग मैटेरियल, जमूहर बाजार टी. आर. एफ ट्रांसफर

2.	10007718	10.10.2017	68460.00	मौर्या विल्डिंग मैटेरियल एल. सी. 611 बी.ओ.बी.
—	—	योग	220176.00	— —

(आपत्तिसंख्या- 03)

प्रस्तर-10 शासनदेश सं0 ए-1-122/10-2012-10 (33) / 2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार प्राप्त अनुदान को बैंक में बचत खाता खोलकर रखा जाना चाहिए। तथा उस पर प्राप्त ब्याज सरकार की आय होगी तथा उसे सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित विवरण के अनुसार दिनांक 31.03.2018 को व्याज रु0 202191.61 शेष था। जिसे वापस नहीं किया गया है।

1- क्षेत्र निधि पर ब्याज- 00.61

2-चतुर्थ राज्य वित्त पर ब्याज- 186515.00

3-इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद पर ब्याज- 1340.00

4-पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि मद पर ब्याज- 14336.00

योग— 202191.61

अतः इसे तुरन्त वापस कर दिया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर-11 शासनदेश सं0 ए-1-122/10-2012-10 (33) / 2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार अर्जित ब्याज संस्था की आय न हो कर सरकार की आय होती है, तथा इसे राज कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। किन्तु चतुर्थ राज्य वित्त पर प्राप्त ब्याज में से रु0 79280.00 तथा इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद पर ब्याज रु0 1697.00 योग रु0 80977.00 को व्यय कर दिया गया है। अतः उक्त व्यय रु0 80977.00 का व्यय अनियमित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्तिसंख्या- 05)

प्रस्तर-12 मनरेगा से संबंधित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जब कि समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। लेखाकार द्वारा बताया गया कि मनरेगा से संबंधित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं है, जो अनियमित है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्तिसंख्या- 11)

(4) विकास खण्ड-रामपुरक्षेत्र पंचायत- रामपुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-13 आलोच्य वर्ष 2017-18 में सम्पन्न कराये गये निर्माण कार्यो पर अंकर रु0 223398.00 का भुगतान श्रमांश के रूप में किया गया है। जिसमे निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी है।

1. श्रमांश का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते में न कर कार्यप्रभारी श्री आनन्द कुमार राय पदनाम सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) को रु0 120080.00 श्री राजेश कुमार सिंह, ग्राम विकास अधिकारी को रु0 77910.00 एवं श्री धनन्जय कुमार को रु0 43408.00 का भुगतान किया गया।
2. पत्रावली में संलग्न मस्टररोल पर मस्टररोल क्रमांक अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है।
3. मस्टररोल पर जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है।
4. मस्टररोल पर कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं।
5. कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं का भी उल्लेख मस्टररोल में नहीं है।
6. श्रमांश भुगतान निर्माण कार्य समिति से स्वीकृत नहीं है।
7. पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं रहा की उक्त परियोजनाओं पर विगत पांच वर्ष में कोई कार्य नहीं किया गया है। साथ ही किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा भी कार्य नहीं कराया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य पर किये गये मजदूरी भुगतान में नियमों का पालन न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/ लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति संख्या 03)

प्रस्तर-14 आलोच्य वर्ष 2017-18 में सम्पन्न कराये गये निर्माण कार्यो पर अंकन रु0 1210423.00 का भुगतान सामग्री क्रय के रूप में किया गया है। जिसमें निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी।

1. सामग्री क्रय प्रमाणक के रूप में पत्रावली में संलग्न समस्त प्रमाणक पत्रावली में फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश में पर है।
2. संलग्न प्रमाणकों पर देय कर की दर व धनराशि अंकित नहीं है।
3. सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया, न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है।
4. सामग्री की आमत, उपभोग व शेष का स्टॉक रजि० नहीं पाया गया।
5. सामग्री क्रय का भुगतान निर्माण कार्य समिति से स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य पर किये गये सामग्री क्रय में नियमों का पालन न कर गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। अतः संस्था द्वारा जारी किये गये प्रमाणकों की जांच इनके बिक्री रजि०/दाखिल रिटर्न व्यापार कर एवं आयकर के रूप में किया जाय। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 (05) विकास खण्ड-बरसठी क्षेत्र पंचायत- बरसठी जनपद-जौनपुर वर्ष-2017-18

तेरहवें वित्त की धनराशि रू० 1075331.00 को उपभोग न करके एवं तेरहवें वित्त आयोग की समयावधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी इस मद की धनराशि को शासन को वापस न करके रोक कर रखा जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-02)

प्रस्तर-16 आलोच्य वर्ष 2017-18 में रू० 264958.00 मजदूरी /श्रमांश पर भुगतान किया गया है, जिसके सापेक्ष निम्न आपत्तियाँ पायी गयीं-

(मजदूरी /श्रमांश का विवरण)

क्र० सं०	मस्टर रोल का क्रमांक	धनराशि	मोड आफ पेमेंट			भुगतान प्राप्तकर्ता	
			नकद	चेक नं०	दिनांक	नाम	पदनाम
1	01	57358.00	—	060174	29.04.2017	अरुण कुमार यादव	ग्रा०वि०अ०
2	04	19312.00	—	060176	29.04.2017	अनुराग कश्यप	ए०डी०ओ० (एस०टी०)
3	03	69092.00	—	060179	29.04.2017	अरुण कुमार यादव	ग्रा०वि०अ०
4	02	119196.00	—	003861	29.04.2017	अनुराग कश्यप	ए०डी०ओ० (एस०टी०)
		264958.00					

(क) मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के बैंक खाते में न कर कार्यप्रभारी श्री अरुण कुमार यादव और श्री अनुराग कश्यप को किया गया है, जो कि अनियमित है।

(ख) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर /अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है।

(ग) मस्टर रोल पर अध्यक्ष निर्माण समिति के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

अतः स्पष्ट होता है कि श्रमांश /मजदूरी रू० 264958.00 के भुगतान में अनियमितता की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, कार्यप्रभारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-13)

(सा० आपत्ति संख्या 04)

(06) विकास खण्ड-मुफ्तीगंज क्षेत्र पंचायत- मुफ्तीगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-17 आलोच्य वर्ष 2017-18 में कराये गये कार्यों पर अंकन रू 2499175.00 मजदूरी/श्रमांश पर भुगतान किया गया है। जिसके विरुद्ध निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है।

(क). मजदूरी का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते में न कर कार्यप्रभारी श्री अखिलेश को रू० 1436575.00 श्री प्रदीप को रू० 995925.00 श्री सुनील को रू० 66675.00 किया गया है।

(ख). पत्रावली में संलग्न मस्टररोल पर क्रम संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है।

(ग). संलग्न मस्टररोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी प्रमाणित नहीं है।

(घ). मस्टररोल पर अध्यक्ष निर्माण समिति के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।

अतः स्पष्ट है कि अनियमित रूप से मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया और भुगतानित श्रमांश/मजदूरी रु0 2499175.00 में गम्भीर अनियमितता बरती गयी । जिसके लिये ब्लाक प्रमुख ,खण्ड विकास अधिकारी,कार्य प्रभारी,अवर अभियन्ता,लेखाकार उत्तरदायी है। (सा0 आपत्ति संख्या 34)

2-आलोच्य वर्ष 2017-18 में कराये गये कार्यों पर सामग्री क्रय के सापेक्ष रु0 4092849.00 भुगतान किया गया है। किन्तु पत्रावली में संलग्न बिल से नियमानुसार टी0डी0एस0 तथा वैट की कटौती नहीं की गयी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष के दौरान सामग्री क्रय	वर्ष के दौरान की गयी कटौती		वर्ष के दौरान की जाने वाली वाजिब कटौती		अन्तर	
	टी0डी0एस	जी0एस0टी0	टी0डी0एस	जी0एस0टी0	टी0डी0एस	जी0एस0टी0
4092849	45120	85074	91680	204642	46560	119568
4092849	45120	85074	91680	204642	46560	119568

इस प्रकार वर्ष के दौरान टी0डी0एस0 कटौती रु0 46560.00 एवं जी0एस0टी0 की कटौती रु0 119559.00 से कम करने के कारण राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ब्लाक प्रमुख,खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की है।क्षतिपूर्ति अपेक्षित है। (सा0 आपत्ति संख्या 35)

(7) विकास खण्ड-मुँगराबादशाहपुर क्षेत्र पंचायत-मुँगराबादशाहपुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-18 आलोच्य वर्ष 2017-18 में कराये गये कार्यों पर रु0 1232178.00 मजदूरी/श्रमांश पर भुगतान किया गया है। जिसके विरुद्ध निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी है।

(क). मजदूरी का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते में न कर कार्यप्रभारी श्री सुरेन्द्र कुमार,प्रमोद कुमार,रामपूजन वर्मा को किया गया है।

(ख). पत्रावली में संलग्न मस्टररोल पर क्रम संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है।

(ग). संलग्न मस्टररोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/ अगूँठा निशानी प्रमाणित नहीं है।

(घ). मस्टररोल पर अध्यक्ष निर्माण समिति के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।

(ङ) लेखा परीक्षा वर्ष-2017-18 के दौरान समस्त कार्यों की एम0बी0 अप्रस्तुत रहा।

अतः स्पष्ट है कि मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके कार्यप्रभारी के नाम पर चेक से भुगतान किया गया है जो पंचायत नियमावली के विरुद्ध है। जिसके लिए ,खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर-19 आलोच्य वर्ष 2017-18 में कराये गये कार्यों पर सामग्री क्रय के सापेक्ष रु0 5249593.00 भुगतान किया गया है। जो बैंक खाता के अनुसार है, किन्तु पत्रावली में संलग्न बिल से नियमानुसार टी0डी0एस0तथा वैट की पूर्ण कटौती नहीं की गयी है। किन्तु जांच के दौरान कुल कटौती रु0 222582.74 सामग्री भुगतान के अनुसार होना चाहिए। परन्तु ग्राण्ट रजिस्टर-03 में कटौती रु0 131246.00 दिखाया गया है। जिसमें रु0 86336.74 की और कटौती किया जाना चाहिए था। 01 जुलाई 2017 से टी0डी0एस0 एवं वैट की जगी जी0एस0टी0 कटौती किया जाना चाहिए। जबकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 सी0 के तहत स्रोत पर ही कटौती की जानी चाहिए। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-04)

(08) विकास खण्ड-करंजाकला क्षेत्र पंचायत- करंजाकला जनपद-जौनपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-20 वित्तीय वर्ष-2017-18 के दौरान संस्था द्वारा रु0 5709599.00 की सामग्री विभिन्न फर्मों (डेल्टा इन्टर प्राइजेज, जगदीश ईट भट्टा) से ईट सामग्री क्रय की गयी है जिस पर संस्था द्वारा जी0एस0टी0 एवं आयकर के नाम पर 10 प्रतिशत धनराशि कटौती की गयी है। इस प्रकार जी0एस0टी0 रु0 456792.00 आयकर 114198.00 कुल रु0 570990.00 खाते में रोकर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जबकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 सी0 के तहत स्रोत पर ही कटौती की जानी चाहिए, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0 आपत्ति संख्या 3,4,5,6)

(09) विकास खण्ड-बदलापुर क्षेत्र पंचायत- बदलापुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-21 मस्टररोल की मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारियों को :- वर्ष- 2017-18 में रु0 1501957.000 की धनराशि का मस्टररोल द्वारा मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया दर्शित है। निर्माण कार्य

पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उस पर मस्टररोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं। उत्तरदायित्व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी,अवर अभियन्ता,लेखाकार,कार्य प्रभारी एवं ब्लाक प्रमुख का समान रूप से है।ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कार्यप्रभारी मस्टररोल द्वारा मजदूरी भुगतान की धनराशि का विवरण निम्नलिखित है :-

क्रमांक	नाम कार्य प्रभारी	भुगतान की गयी धनराशि
1	राम कृपाल यादव	21606.00
2	संगम प्रसाद मिश्र	45231.00
3	दुर्गेश तिवारी	1336070.00
4	अनूप सिंह	99050.00
	योग-	1501957.00

(आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर-22 निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्माण कार्य पत्रावली (व्यय प्रमाणक,टेण्डर,स्टीमेट,एम0बी0 आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उस पर हुए व्यय की पुष्टि लेखा परीक्षा में न की जा सकी।ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है :-

क्रमांक	निर्माण कार्य का नाम	व्यय की धनराशि		
		सामग्री	मजदूरी	योग
1	विकास खण्ड हाल मरम्मत, रंगाई पुताई,बिजली मरम्मत कार्य एवं पंखा लगवाई कार्य	29112.	21606	50718
2	डिहवां में सिंगरामऊ चौराहा से नहर पटरी पर खडंजा निर्माण कार्य	676235	182000	858235
	योग-	705347	203606	908953

(सा0 आपत्ति संख्या 11)

(10) विकास खण्ड-बकशाक्षेत्र पंचायत- बकशा जनपद-जौनपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-23 आलोच्य वर्ष 2017-18 में कराये गये कार्यों पर रू0 594480.00 मजदूरी/श्रमांश पर भुगतान किया गया है। जिसके लिए विरुद्ध निम्नांकित आपत्तियां हैं-

(क)-मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के बैंक खाते में न कर कार्य प्रभारी श्री अजय कुमार (सहा0वि0अधि0) श्री दिलीप कुमार बी0ओ0(पी0बी0डी0) श्री दिनेश कुमार सिंह (ग्रा0वि0अधि0) को किया गया है।

(ख)-पत्रावलियों में संलग्न मस्टर रोल पर क्रम संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है।

(ग)-संलग्न मस्टररोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षरी/अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है।

(घ)- मस्टररोल पर अध्यक्ष निर्माण समिति के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि अनियमित रूप से मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया और भुगतानित श्रमांश/मजदूरी रू0 594480.00 में गम्भीर अनियमितता बरती गयी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी,कार्यप्रभारी,अवर अभियन्ता एवं लेखाकार उत्तरदायी है।ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर-24 नियमानुसार सामग्री क्रय पर 4 प्रतिशत वैट एवं 2.26प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती किया जाना अनिवार्य है। लेकिन आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित क्रय सामग्री पर वैट एवं टी0डी0एस0 की कटौती कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

क्र0सं0	कार्य का नाम	वित्तीय वर्ष	सामग्री क्रय	वैट	टी0डी0एस0
1	बेलापार में यादव बस्ती से बबुरा तक खडण्जा कार्य।	2017-18	707185	28287	14143
2	सराय विभार में सरदार के कुटिया से मितावां बार्डर तक खडण्जा कार्य।	2017-18	718499	28740	14370
3	गोपालापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग से सुरेन्द्र यादव के घर तक खडण्जा कार्य।	2017-18	201178	8047	4024
4	गोराखुर्द में सुभाष सिंह के घर से	2017-18	452028	18081	9041

	चौरामाता मंदिर तक खड्डा कार्य		24197	968	484
5	बबुरा में बक्श तेजीबाजार पिच रोड से बबुरा स0मा0तक खड्डा कार्य।	2017-18	209986 204922	8399 8197	4150 4598
6	खुन्हापुर में यादव बस्ती से नरी स0मा0तक खड्डा कार्य।	2017-18	495067	19803	9901
7	विकास खण्ड परिसर में इण्टर लाकिंग कार्य	2017-18	160860	6434	3217
			3173922	126956	64228

इस प्रकार कुल समाग्री क्रय रू0 3173922.00 पर वैट रुपये 126956.00 एवं टी0डी0एस0 रू0 64228.00 की कटौती की गयी है। किन्तु उक्त जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0 चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराकर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति संख्या 05)

(11) विकास खण्ड-धर्मापुर क्षेत्र पंचायत- धर्मापुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-25 आलोच्य वर्ष-2017-18 में निर्माण कार्यों पर अंकन रू0 1266752.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को उनके बैंक खातों में न करके कार्यप्रभारी प्रमोद कुमार सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रू0 732436.00 श्री ब्रम्हजीत सिंह पदनाम सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को रू0 534316.00 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल नं0 अंकित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर अंकित है वह मस्टररोल निर्माता की ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है, भी उल्लेख नहीं जिससे स्पष्ट है कि अनिमित रूप से मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और भुगतानित मजदूरी रू0 1233752.00 में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0/ले0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति संख्या 09)

प्रस्तर-26 आलोच्य वर्ष-2017-18 में कुल दर्शित भुगतान रू0 4697719.00 समबन्धित को दर्शित किया गया है, किन्तु जो सामग्री क्रय की गयी है। समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक कच्चे बिल पर पत्रावली में संलग्न है सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से व्यय कर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति संख्या 10)

प्रस्तर-27 वर्ष-2017-18 में रू0 4697719.00 की धनराशि की सामग्री क्रय की जिसके सापेक्ष रू0 508894.00 की वैट एवं टी0डी0एस0 के रूप में कटौती की गयी। किन्तु उक्त कटौती की गयी धनराशि की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0 चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया तथा जमा वैट एवं टी0डी0एस0 कब का है इसकी पुष्टि भी नहीं करायी गयी जो गम्भीर अनियमितता का विषय है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति संख्या-11)

प्रस्तर-28 वित्तीय वर्ष 2017-18में (204637+8000)

(अ) तेरहवे वित्त की धनराशि रू0 204637.00 का उपभोग न करके तथा समयावधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी इस मद की धनराशि को शासन को वापस न कर एवं रोककर रखा जाना गम्भीर अनियमितता है।

(ब) बायोगैस की धनराशि रू0 8000.00 का न तो उपभोग किया गया और न ही इस धनराशि को शासन को वापस किया गया। जो गम्भीर अनियमितता का विषय है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-12)

(12) विकास खण्ड— मड़ियाहूँ क्षेत्र पंचायत—मड़ियाहूँ जनपद—जौनपुर वर्ष—2017—18

प्रस्तर—29 आलोच्य वर्ष—2017—18 में करये गये कार्यों पर रू0 269600.00 मजदूरी/श्रमांश पर भुगतान किया गया है। जिसके विरुद्ध निम्नलिखित आपत्तियां हैं।

(क) मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के बैंक खाते में न कर कार्य प्रभारी श्री सहदेव यादव को किया गया है।

(ख) पत्रावलियों में संलग्न मास्टररोल पर क्रम संख्या अंकित नहीं हैं जिससे स्पष्ट होता है कि मास्टररोल वि०ख० से निर्गत नहीं है।

(ग) संलग्न मास्टररोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है।

(घ) मास्टररोल पर अध्यक्ष निर्माण समिति के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि पत्रावली को अपूर्ण रखकर श्रमांश/मजदूरी रू0 26900.00 भुगतान में अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी, अवर अभियन्ता लेखाकार तथा ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(सा०आ०सं०—03)**

प्रस्तर—30 आलोच्य वर्ष—2017—18 में कराये गये कार्यों पर सामग्री क्रय के सापेक्ष रू0 976080.00 भुगतान किया गया है जो बैंक खाता के अनुसार है किन्तु पत्रावली में संलग्न बिल से नियमानुसार टी०डी०एस० तथा वैट की कटौती नहीं की गयी है। पत्रावली में फर्म का मांग पत्र संलग्न नहीं रहा साथ ही स्टॉक रजि० अप्रस्तुत रहने से सामग्री के आमद, उपभोग तथा शेष के सम्बन्ध में विवरण अप्राप्त रहा। फर्म का चालान भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। अतः स्पष्ट होता है कि पत्रावली अपूर्ण रखकर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार, तथा ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०—04)

प्रस्तर—31 आलोच्य वर्ष— 2017—18 में चतुर्थ राज्य वित्त में रू0 8115146.00 प्राप्त हुआ तथा आरम्भिक शेष रू0 6732578.00 रहा। इस प्रकार कुल रू0 14847724.00 हुआ जिसमें से मात्र रू0 1506916.00 ही व्यय किया गया। वर्षों में रू0 13340808.00 शेष रहा। इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के पदाधिकारी में क्षेत्र के विकास के प्रति उदासीन हैं जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी तथा ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा०आ०सं०—07)**

(13) विकास खण्ड— महाराजगंज क्षेत्र पंचायत—महाराजगंज जनपद—जौनपुर वर्ष—2017—18

प्रस्तर—32 आलोच्य वर्ष—2017—18 में निर्माण कार्यों पर अंकन रू0 361055.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारी आकाश सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रू0 237069.00 श्री पुरुषार्थ यादव पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रू0 98781.00 श्री शेषमणि पाण्डेय पदनाम सहायक विकास अधिकारी पंचायतों को रू0 25205.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मास्टररोल संलग्न पाये गये उन पर मास्टररोल नं० अंकित नहीं हैं जिससे स्पष्ट है कि मास्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशान अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षरी अंकित है वह मास्टररोल निर्माता की ही हस्तलेख में है। अतः स्पष्ट है कि अनियमितता बरती गयी जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(सा०आ०सं०—03)**

प्रस्तर—33 आलोच्य वर्ष—2017—18 के कुल दर्शित भुगतान रू0 1684794.00 सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। बैंक खातों के अनुसार पुष्ट पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल/पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया पाया गया और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की अमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। जो गम्भीर अनियमितता का विषय है जिसके लिए तत्कालीन बी०डी०ओ/जे०ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा०आ०सं०—04)**

प्रस्तर—34 रू0 40249.0 टी०डी०एस० वैट जमा की पुष्टि न हो पाना :- वर्ष— 2017—18 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 71877.00 की वैट (4प्रतिशत) कटौती की गयी है। उक्त के जमा

की पुष्टि में इश्यू चेक नं० चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया । जो गम्भीर अनियमितता का विषय है । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है।उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा० आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर-35 रू० 71877.00 वैट जमा की पुष्टि न हो पाना

वर्ष 2017-18 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू० 71877.00 की वैट (4 प्रतिशत) कटौती की गयी है। उक्त के जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं० चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया जो गम्भीर अनियमितता का विषय है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है।उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा० आपत्ति संख्या-06)

प्रस्तर-36 तेरहवे वित्त की धनराशि रू० 16675.00 को उपभोग न करके एवं तेरहवें वित्त आयोग की समयावधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी इस मद की धनराशि को शासन को वापस न करके रोककर रखा जाना गम्भीर अनियमितता है।उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा० आपत्ति संख्या-07)

(14) विकास खण्ड- जलालपुर क्षेत्र पंचायत- जलालपुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-37 आलोच्य वर्ष-2017-18 में कराये गये कार्यों पर रू० 405703.00 मजदूरी/श्रमांश पर भुगतान किया गया है। जिसके लिए विरुद्ध निम्ननांकित आपत्तियां हैं-

(क)-मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के बैंक खाते में न कर कार्य प्रभारी श्री राम भरत (ग्रा०वि०अधि०) श्री अमर बहादुर (ग्रा०वि०अधि०) श्रीमती विष्णुप्रिया ग्राम पंचायत अधिकारी को किया गया है।

(ख)-पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोल पर क्रम संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि मस्टररोल वि०ख० से निर्गत नहीं है।

(ग)-संलग्न मस्टररोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है।

(घ)-मस्टररोल पर अध्यक्ष निर्माण समिति के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि अनियमित रूप से मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया और भुगतानित श्रमांश/मजदूरी रू० 405703.00 में गम्भीर अनियमितता बरती गयी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार उत्तरदायी है।ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा० आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर-38 लेखा परीक्षा वर्ष-2017-18 में सामग्री क्रय पर भुगतानित धनराशि के सापेक्ष रू० 69946.00 वैट की कटौती की गयी है लेकिन जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं० चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराकर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है।उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा० आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर-39 आलोच्य वर्ष-2017-18 में पिछड़ा अनुदान का दिनांक-01.04.2017 को रू० 47378.00 पूर्व से बकाया शेष रहा। लेखा परीक्षा वर्ष में उक्त मद में आय व्यय शून्य रहा एवं दिनांक-31.03.2018 को रू० 47378.00 शेष रहा। इस प्रकार उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष में व्यय न कर तथा न शासन को वापस कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है।उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा० आपत्ति संख्या-1)

(15) विकास खण्ड- सिकरारा क्षेत्र पंचायत- सिकरारा जनपद-जौनपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-40 निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया की वर्ष-2017-18 में प्रयुक्त मस्टररोल क्रमांक दर्ज नहीं की गयी है। कुल मस्टररोल संख्या-12 वर्ष-2017-18 आलोच्य वर्ष में प्रयुक्त किये गये हैं।इसके अतिरिक्त जॉब कार्ड संख्या मजदूरी का अंकित नहीं की गयी है। स्थानीय मजदूरों के पते तथा मजदूरों के बैंक खाता संख्या का उल्लेख भी शून्य पाया गया। मस्टररोल में निर्गत की विधि सम्मत पुष्टि नहीं होती है। भुगतान का चेक कार्य प्रभारी को निर्गत हैं।इस प्रकार मस्टर रोल से किये गये मजदूरी व्यय नियमबद्ध/विधि सम्मत नहीं रहे हैं। इस प्रकार गम्भीर अनियमितता के प्रति लेखाकार श्री सुनील कुमार सिंह उत्तरदायी रहे हैं। ज्ञातव्य है कि प्रस्तुत 12 पत्रावलियां की कुल मजदूरी व्यय रू० 1048681.00 वर्ष आलोच्य में खारिज हैं। उपरोक्त वर्णित गम्भीर अनियमितता के सम्बन्ध में आडिट स्तर से दर्शित है प्रकरण का समाधान अपेक्षित है। इस गम्भीर अनियमितता के लिए कार्य प्रभारी क्रमशः श्री भीमसेन(ग्रा०पं०अ०)श्री प्रमोद कुमार यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री

मिथिलेश दूबे ए0डी0ओ0 (समाज कल्याण) भी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

उक्त से सम्बन्धित मस्टररोल का विवरण निम्न प्रकार रहा—

क्र0सं0	कार्य का नाम	मस्टररोल की धनराशि
1	बड़ी नहर से चांदपुर पक्की नाली निर्माण कार्य	94236
2	पक्की सड़क चांदपुर से लखापुर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	176696
3	बड़ी नहर से ग्राम पंचायत चांदपुर ठाकुर बस्ती तक खडन्जा मरम्मत कार्य	107254
4	ग्राम पंचायत मचकाही सैदपुर पक्की सड़क से शर्मा बस्ती तक इण्टरालाकिंग कार्य	31968
5	सोनापुर (खपरहा) पिच रोड से प्रमोद के घर होते हुए बार्डर नाले तक इण्टरालाकिंग कार्य	130910
6	विकास खण्ड के अन्तर्गत आवसीय भवन के कार्यालय एवं बाउन्ड्रीवाल की रंगाई—पुताई मरम्मत एवं अन्य कार्य।	120964
7	ग्राम पंचायत चांदपुर पक्की सड़क से चौरा माता मन्दिर होते हुए ठाकुर बस्ती तक इण्टरालाकिंग कार्य	108854
8	सैदपुर पक्की सड़क से राजेश सिंह के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य	43724
9	भुआकला से नहर पिच रोड से बुच्चन सिंह बस्ती तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य	43162
10	ग्राम पंचायत ककोहिया से पक्की सड़क से तेजू हरिजन बस्ती सी0सी0रोड निर्माण कार्य	49795
11	हमपुर पक्की सड़क से अयूब मुस्लिम बस्ती तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य	45482
12	ग्राम0पंचायत भटौती देवपुर पिच रोड से विश्वकर्मा बस्ती होते हुए टिकरी ठाकुर बस्ती तक इण्टरालाकिंग कार्य	95636
	योग—	1048681

(सा0 आपत्ति संख्या—04)

प्रस्तर—41 वर्ष—2017—18 में बी0आर0जी0ए0फ0 मद में प्राप्त आय—व्यय का विवरण निम्न प्रकार रहा—

क्र0सं0	विवरण	प्रा0अवशेष	वर्ष में प्राप्त	कुल योग	वर्ष में व्यय	अन्तिम अवशेष
1	अनुदान	840276	83036	923312	817818	105494
2	ब्याज	25853	31310	57163	50609	6254
	योग—	866129	114346	980475	868427	111748

उक्त विवरणानुसार आलोच्य वर्ष—2017—18 में अनुदान एवं ब्याज सहित कुल रू0 868427.00 का व्यय किया गया है। जबकि बी0आर0जी0ए0फ0 योजना वर्ष—2014 में ही समाप्त हो गयी थी। ऐसी स्थिति में योजना समाप्त होने के उपरान्त अवशेष अनुदान एवं व्यय सम्बन्धित अनुदान दाता को वापस किया जाना चाहिए। अनुदान वापस न करके व्यय किया जाना शासनादेशों के विपरीत होने के कारण व्यय पूर्णतया: अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति संख्या—06)

प्रस्तर—42 सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत रू0 525000.00 वर्ष आलोच्य में अनुदान प्राप्त रहा जिसके विरुद्ध सापेक्ष मात्र रू0 134300.00 इस सामाजिक आयोजन में वर्ष आलोच्य में किया गया। लेकिन लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि में आवश्यक पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति संख्या—07)

प्रस्तर—43 दिनांक—01.04.2017 को तृतीय राज्य वित्त योजना का राजकीय अनुदान रू0 1251.00 अवशेष था। वर्ष दौरान अनुदान के व्यय कर दिया गया है। नियमानुसार यह धनराशि वित्तीय अनुदानदाता/सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि उक्त योजना कई पूर्व ही समाप्त हो गयी है। जिसके लिए लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0 आ0सं0—09)

प्रस्तर—44 क्षेत्र पंचायत में प्रधानों का चार दिवसीय प्रशिक्षण पर व्यय रू0 6013.00 ग्राम पंचायत के तीन समितियों के सभापतियों के प्रशिक्षण पर व्यय रू0 78718.00 व्यय कर दिया गया है। लेकिन लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि में आवश्यक पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या—10)

(16) विकास खण्ड-केराकत क्षेत्र पंचायत- केराकत जनपद-जौनपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-45 वर्ष-2017-18 में कराये गये निर्माण कार्यो पर अंकन रु0 816517.00 श्रमांश का भुगतान दर्शाया गया है। श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न कर कार्य प्रभारी श्री हरिहरलाल, जयेश कुमार, सन्तोष कुमार, साजिद अंसारी, ओम प्रकाश सरोज, दयाशंकर तथा राम प्रसाद को किया गया है, जबकि मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु भुगतान मजदूरों के खाते में किया जाना था। मस्टररोल पर मजदूरों के भुगतान प्राप्ति हस्ताक्षर पर लगे अंगूठा का निशान प्रमाणित नहीं है अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा विगत 5 वर्षों में उक्त कार्य नहीं कराये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर-46 वर्ष-2017-18 रु0 2755432.00 को सामग्री क्रय के भुगतान के समय आयकर की कटौती नहीं की गई। जबकि रु0 2755432.00 की सामग्री क्रय पर 2 प्रतिशत की दर से रु0 55109.00 आयकर की कटौती किया जाना था। इस प्रकार रु0 55109.00 की आयकर कटौती नहीं कर राजस्व की हानि पहुँचायी गयी। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि पर पर ब्याज सहित वसूली व पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उक्त हेतु लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-05)

प्रस्तर-47 उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की धारा 03(1) के अन्तर्गत संविदा के भुगतानों की दशा में 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती की जानी चाहिए। शासनादेश संख्या-ए-1-351/2011 दिनांक-03.08.2011 के अनुसार वैट के अन्तर्गत टी0डी0एस0 सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का है। आलोच्य वर्ष में सामग्री क्रय रु0 2755432.00 पर 4 प्रतिशत की दर से रु0 110217.00 वैट की कटौती की जानी थी। जबकि रु0 23207.00 की कटौती की गई। इस प्रकार रु0 87010.00 से वैट की कम कटौती की गई, जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है। साथ ही राजस्व हानि अंकन रु0 87010.00 की प्रतिपूर्ति अधिकारी से की जानी अपेक्षित है उक्त हेतु लेखाकार भी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा0आ0संख्या-06)

प्रस्तर-48 आपूर्तिकर्ता/फर्म को भुगतान नहीं कर कार्य प्रभारी को भुगतान करना- सामग्री मद में निम्न विवरण के अनुसार अंकन रु0 302078.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता को नहीं कर कार्य प्रभारी को किया गया।

क्र0सं0	कार्य का नाम	भुगतान प्रभारी	प्राप्तकर्ता/कार्य	चेक सं0	धनराशि
01	कथना बस्ती में खडण्जा से लालचन्द्र के घर तक मिट्टी खडण्जा।	श्री रामप्रसाद	स0वि0अ0	152	8683
02	प्रमुख कक्ष, बी0डी0ओ0 कक्ष, मीटिंग हाल पेंटिंग व डिस्टेपरिंग	श्री सन्तोष कुमार	वरिष्ठ सहायक	0139 0146	36290 4845
03	विकास खण्ड परिसर में आयरन गेट, इन्टरलाकिंग आर0वि0पी0डी0सी0 सेंटैक्स टैंक स्थापना।	श्री सन्तोष कुमार	वरिष्ठ सहायक	135	239765
04	संभल ब्रम्ह बाबा के मंदिर से शिव मंदिर तक मिट्टी/खडण्जा कार्य	श्री ओम प्रकाश सरोज		00140	12495
		योग			302078

इस प्रकार रु0 302078 के सामग्री क्रय का भुगतान आपूर्तिकर्ता को नहीं कर कार्यप्रभारी को भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी विकास खण्ड परिसर में आयरन गेट, इन्टरलाकिंग आर0वि0पी0डी0सी0 सेंटैक्स टैंक स्थापना, संभल ब्रम्ह बाबा के मंदिर से शिव मंदिर तक मिट्टी/खडण्जा निर्माण कार्य पर सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन/निविदा भी नहीं लिया गया है। उपरोक्त रु0 302078.00 के अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार, तथा कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0संख्या-07)

प्रस्तर-49 आपूर्तिकर्ता/फर्म चेक निर्गत दर्शाकर भुगतान अन्य को करना- अजोरपुर में ताल के दक्षिणी छोर पर मुरारा सहरद तक मिट्टी खडण्जा कार्य पर ईट आपूर्ति हेतु रु0 323640.00 का भुगतान श्री ओम साई ईट उद्योग को चेक संख्या 000150 दिनांक-22.11.2017 से किया गया। जिसकी पुष्टि ग्राण्ट-02 रजिस्टर से होती है। जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार बंदना सिंह द्वारा भुगतान प्राप्त किये जाने की पुष्टि होती है। स्पष्ट है कि खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं आपूर्तिकर्ता से मिलीभगत कर रु0 323640.00

का अपहरण किया गया। उक्त कार्य पर रू0 90475.00 का मजदूरी भुगतान किया गया जाना दर्शित है। मजदूरी भुगतान की धनराशि रू0 90475.00 भी लेखा परीक्षा में अपुष्ट रहा। क्योंकि सामग्री क्रय अपुष्ट है। उक्त हेतु खण्ड विकास अधिकारी,लेखाकार तथा कार्य प्रभारी उत्तरदायी है।ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0संख्या-08)

प्रस्तर-50 21.03.2018 को ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार वर्षान्त रू0 9455583.23 रहा। जबकि बैंक पासबुक के अनुसार रू0 10187744.23 31.03.2018 को जमा रहा। अन्तर रू0 732156.00 का समाधान विवरण पत्र तैयार कर नहीं रखा गया है, समाधान विवरण पत्र तैयार किया जाना अपेक्षित है।उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा0आ0संख्या-13)

(17) विकास खण्ड-शाहगंज क्षेत्र पंचायत- शाहगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-51 आलोच्य वर्ष-2017-18 में कराये गये कार्यों पर रू0 902535.00 मजदूरी/श्रमांश पर भुगतान किया गया है। जिसके विरुद्ध निम्न आपत्तियां है-

(क)-मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के बैंक खाते में न कर कार्य प्रभारी दुर्गेश तिवारी एवं राजेश चौधरी को किया गया है।

(ख)-पत्रावली में संलग्न मस्टररोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है।

(ग)-पत्रावली में संलग्न मस्टररोल पर श्रमिकों पर क्रम संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है।

(घ)- मस्टररोल पर अध्यक्ष निर्माण समिति के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

अतः स्पष्ट होता है कि पत्रावली को अपूर्ण रखकर श्रमांश/मजदूरी रू0 902535.00 भुगतान में अनियमितता की गयी है। जिनके लिए खण्ड विकास अधिकारी,कार्य प्रभारी,अवर अभियन्ता,लेखाकार उत्तरदायी है।ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है
(सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर-52 आलोच्य वर्ष-2017-18 में कराये गये कार्यों पर सामग्री क्रय के सापेक्ष रू0 5735993.00 भुगतान किया गया है जो बैंक के अनुसार है। किन्तु पत्रावली में संलग्न बिल से नियमानुसार टी0डी0एस0 रू0 128486.00 तथा वैट 229440.00 की कटौती नहीं की गयी है। पत्रावली में फर्म का मांग पत्र संलग्न नहीं है। स्टॉक रजिस्टर अप्रस्तुत रहने से सामग्री के आमद,उपभोग तथा शेष के सम्बन्ध में विवरण अप्राप्त रहा। अतः स्पष्ट होता है कि पत्रावली अपूर्ण रखकर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी,अवर अभियन्ता एवं लेखाकार उत्तरदायी है।ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-04)

प्रस्तर-53 आलोच्य वर्ष-2017-18 में कराये गये निम्न कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः भुगतान अनियमित रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण इस प्रकार है-

(सा0आ0सं0-15)

क्र0सं0	विवरण	क्रय सामग्री	मजदूरी
1	लपरी में सुखदेव बिन्द के गड्डे से हीरा प्रजापति के चक तक नाली निर्माण	57438 48756	23866
2	ब्लाक कैम्पस में गैराज कक्ष का निर्माण	22418 36505	44622
3	ब्लाक कैम्पस में शौचालय एवं मूत्रालय निर्माण कार्य।	58084 13363	20854
4	कौडिया में मुस्लिम कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल एवं गेट कार्य।	24378	
5	लपरी में प्रकाश के घर से गिजेन्द्र मास्टर के घर तक नाली निर्माण	75715 45433	24518
6	विकास खण्ड के सामने सुन्दरीकरण।	107020 12480	74590
7	पक्खनपुर में राजेन्द्र कुमार के घर पुलिया निर्माण	32402 37490 4003200	19050
8	पक्खनपुर में सूबेदार के चक के पास पुलिया निर्माण	12480 48559 22920	19400

		695422	227260

प्रस्तर-54 आलोच्य वर्ष-2017-18 में कतिपय निर्माण कार्यो हेतु सामग्री क्रय की गयी है। किन्तु वर्ष के अन्त तक कार्य नहीं कराया गया है। अतः कार्य पूर्ण न होने तक क्रय सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर प्रस्तुत नहीं किया गया रु० 714066.00 का भुगतान अनियमित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	विवरण	क्रय सामग्री की धनराशि	दिनांक
1	ग्राम पंचायत पराकमाल में मेन रोड़ से आफताब के घर तक सी०सी०रोड़ निर्माण	12189 196011	08.05.2017
2	ब्लाक कैम्पस में प्रांगण कक्ष के पीछे की तरफ सी०सी० निर्माण कार्य	231597 12189	08.05.2017
3	ग्राम पंचायत ताख पश्चिम में गोडिला से विजय के चक तक खडण्जा निर्माण कार्य	9360 168480	27.02.2018 13.07.2017
		714066	

(सा०आ०सं०-16)

प्रस्तर-55 आलोच्य वर्ष 2017-18 में दिनांक-29.06.2017 को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर 292901.00 रु० एवं 2.24 प्रतिशत आयकर 139076.00 राजकोष जमा किया जाना दर्शित है। इसकी पुष्टि हेतु जमा चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान अनियमित रहा। इसके लिए उत्तरदायी लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-17)

प्रस्तर-56 आलोच्य वर्ष में दिनांक-31.03.2018 को विभिन्न योजनाओं में अवशेष की धनराशि विगत वर्ष से अनियमित रूप से अवशेष है। जिसका वर्ष में उपभोग कर लिया जाना था अथवा सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं करके अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

(सा०आ०सं०-18)

क्र०सं०	मद का नाम	अवशेष धनराशि
1	तेरहवां वित्त आयोग	113865
2	विशेष सम्बन्धित योजना भवन निर्माण	2400
3	हरिजन पेयजल योजना कूप निर्माण	10591
4	राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम	1819
5	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	884487
	योग-	1013162

(18) विकास खण्ड-खुटहन क्षेत्र पंचायत- खुटहन जनपद-जौनपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-57 वर्ष-2017-18 में दर्शित सामग्री क्रय रु० 2102320.00 पर आयकर की कटौती नहीं की गयी है। जबकि सामग्री क्रय रु० 2102320.00 पर 2 प्रतिशत की दर से रु० 42246.40 की कटौती किया जाना था। इस प्रकार रु० 42246.00 आयकर की बटौती नहीं करके राजस्व की हानि पहुँचायी गयी। ऐसे में न काटे गये आकार पर पेनाल्टी सहित धनराशि खण्ड विकास अधिकारी/आपूर्तिकर्ता से वसूल कर लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008 की धारा-03(1)के अन्तर्गत संविदा के भुगतानों की दशा में 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती की जायेगी। शासनादेश सं० ए-1-351/दस-2011 दिनांक-03.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत टी०डी०एस० निश्चित की करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-05)

प्रस्तर-58 आलोच्य वर्ष में तालिका-2 में दर्शित सामग्री क्रय रु० 2102320.00 पर 4 प्रतिशत की दर से रु० 84092.00 वैट कटौती किया जाना था। जबकि रु० 10400.00 वैट कटौती किया गया। इस प्रकार रु० 73692.00 वैट की कटौती क्रय की गयी। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु० 73692.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-06)

प्रस्तर-59 राज्य वित्त खाते की निम्न विवरणानुसार दर्शित धनराशि के व्यय की पुष्टि में पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया-

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1		3557	17052	श्री मनीश श्रीवास्तव
2		3556	99450	सरयू ईट भट्ठा
3		3560	120000	रमेश
4		10004072	95875	सरयू ईट भट्ठा
5		10004071	95875	सरयू ईट भट्ठा
6		10004074	115266	सरयू ईट भट्ठा
7		10004075	106400	न्यू डिस्ट्रीब्यूटर
8		10004073	11527	अपर मुख्य अधिकारी
9		10007178	99450	वीरेन्द्र प्रताप यादव
10		10004077	87360	विमल ईट भट्ठा
11	24.08.17	10004079	18025	उमेश
12		10004076	51275	उमेश
13		1000	95875	सरयू ईट भट्ठा
14		4060	99645	सरयू ईट भट्ठा
15		4058	99515	सरयू ईट भट्ठा
16		4056	98800	सरयू ईट भट्ठा
17		4054	97500	सरयू ईट भट्ठा
18		4052	85800	सरयू ईट भट्ठा
19		4048	97500	सरयू ईट भट्ठा
20		4046	87750	सरयू ईट भट्ठा
21		4044	85150	सरयू ईट भट्ठा
22		4042	99645	सरयू ईट भट्ठा
23		4080	99645	सरयू ईट भट्ठा
24	25.08.17	4057	17500	उमेश पाठक
25		4059	18025	उमेश पाठक
26		10002981	17500	उमेश पाठक
27		10004050	99450	श्रवण ईट भट्ठा
28		4051	17325	राम बिहोर बिन्द
29		4053	30450	राम बिहोर बिन्द
30		4055	17150	राम बिहोर बिन्द
31		4047	15050	राम बिहोर बिन्द
32		4041	17150	राम बिहोर बिन्द
33		4053	17150	राम बिहोर बिन्द
34		40491000263	16540	राम बिहोर बिन्द
35		100026	16450	राम बिहोर बिन्द
36	28.08.17	10004045	14175	उमेश पाठक
37	04.09.17	10002697	94250	सरयू ईट भट्ठा
38		2698	97500	सरयू ईट भट्ठा
39		2699	74750	सरयू ईट भट्ठा
40		2700	82095	सरयू ईट भट्ठा
41	08.09.17	94000245	59850	उमेश पाठक
42		0244	54600	उमेश पाठक
43	31.10.17	10008023	37625	उमेश पाठक
44		8022	39200	उमेश पाठक
45	09.02.18	10008001	266500	सीता राम एण्ड कम्पनी
46	09.02.18	10008002	43792	उमेश पाठक
		योग	3128367	

इस प्रकार रू० 3128367.00 का व्ययलेखा परीक्षा में अपुष्ट रहा। उक्त धनराशि में गम्भीर अनियतिता की सम्भावना व्यक्त की जाती है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है।

(सा०आ०सं०-16)

प्रस्तर-60 मनरेगा प्रशासनिक मद के अन्तर्गत फर्म अथवा सेवा प्रदाता को भुगतान न कर क्षेत्र पंचायत में कार्यरत कर्मचारी को किया गया है। विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	चेक प्राप्त कर्ता
1	16.05.2017	10004029	7086	श्री रमेश चन्द्र
2	26.05.2017	100004032	10339	श्री रमेश चन्द्र
3	03.06.2017	100004033	7642	श्री रमेश चन्द्र
4	20.09.2017	100006588	17247	श्री रमेश चन्द्र
5	09.01.2018	100006605	10500	श्री रमेश चन्द्र
6	20.01.2018	100006606	1708	श्री मनोज
7	20.02.2018	100006609	105000	श्री परदेशी राम
	योग		159522	

भुगतान प्रक्रिय 1 की पारदर्शिता हेतु भुगतान समबन्धित फर्म/सेवा प्रदाता को किया जाना था, जबकि क्षेत्र पंचायत में कर्मचारी को करके गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-17)

प्रस्तर-61 मनरेगा प्रशासनिक अन्तर्गत निम्न भुगतान जो श्री रमेश चन्द्र कैशियर को किया गया, का व्यय प्रमाणक/समायोजन पत्रावली में उपलब्ध नहीं रहा।

क्र०सं	दिनांक	चेक सं०	धनराशि
1	25.07.2017	10004040	1610
2	02.08.2017	10006581	22867
3	28.08.2017	10006564	14293
4	09.10.2017	10006593	13819
5	02.11.2017	10006596	16640
6	28.11.2017	10005697	22213
7	04.01.2018	10006601	8550
8	09.03.2018	10006614	10053
			110045

व्यय प्रमाणक/समायोजन पत्रावली में उपलब्ध न होने से स्पष्ट है कि बिना उद्देश्य श्री रमेश चन्द्र कैशियर को भुगतान कर रु० 10045.00 का अपहरण किया गया जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा श्री रमेश चन्द्र कैशियर उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-18)

प्रस्तर-62 पी०एम०ए० योजना के अन्तर्गत चकक संख्या 12010363 दिनांक-15.12.2017 से रु० 63340.00 का भुगतान श्री रमेश चन्द्र कैशियर को किया गया, भुगतान विकास खण्ड कार्यालय में प्रधान मंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए लन्च पैकेट की आपूर्ति हेतु किया गया। लन्च पैकेट की आपूर्ति हेतु कोटेशन नहीं लिया गया तथा भुगतान आपूर्तिकर्ता श्री फुरतालाल पुत्र श्री राम सेवक को नहीं करके श्री रमेश चन्द्र कैशियर को किया गया। इस प्रकार रु० 63348.00 के भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा श्री रमेश चन्द्र कैशियर उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-19)

प्रस्तर-63 डी०पी०डी०पी० योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सकिमतियों के दो दिवसीय प्रशिक्षण पर कुल रु० 322905.00 का भुगतान श्री विजय बहादुर धुरिया सहायक विकास अधिकारी पंचायत को चेक संख्या 002836,002833 दिनांक 03.04.2017 से किया गया। उक्त के व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

(क) रु० 49305.00 अरुण अैझट व लाइट हाउस जौनपुर रोड़ खुटहन को भुगतान किया गया। प्रमाण पर टिन न० अंकित नहीं है। उक्त सेवा हेतु कोटेशन नहीं लिया गया है।

(ख) रु० 142500.00 का भुगतान श्री झिन्नलाल पुत्र श्री खदेरू को सुबह का नास्ता, भोजन, पानी के लिए किया गया। उक्त सेवा हेतु कोटेशन नहीं लिया गया। नास्ता, भोजन, पानी आदि की मात्रा व दर भी अंकित नहीं है।

(ग) रु० 42650.00 शिव शारदा डिजिटल स्टूडियो खुटहन को फोटोग्राफी/विडियोग्राफी के लिए किया गया। उक्त सेवा हेतु कोटेशन नहीं लिया गया है। प्रमाणक पर टिन न० अंकित नहीं है।

उपरोक्तानुसार भुगतान रु० 237455.00 फर्म/सेवा प्रदाता को नहीं करके श्री विजय बहादुर धुरिया सहायक विकास अधिकारी पंचायत को किया गया, नियमानुसार कोटेशन नहीं लिया गया। उक्त

अनियमितता व्यय रू0 237455.00 के लिए खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-20)

प्रस्तर-64 खुटहन में मिलान के चक से नन्दलाल के ट्यूबेल तक खडण्जा निर्माण पर रू0 95875.00 का ईट क्रय चेक संख्या-004069 दिनांक-16.06.2017 सरजू ईट भट्टा तथा खुटहन में अभयराज के घर से शेलेश के ट्यूबेल तक मिट्टी खडण्जा कार्य पर चेक संख्या-004070 दिनांक-16.06.2017 से ईट क्रय किया गया। फाईल में उक्त कार्य पर मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररोल उपलब्ध नहीं रहा और न मजदूरी का भुगतान किया गया। स्पष्ट है कि कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है।

बिना कार्य कराये रू0 95875+95875=191750.00 का ईट क्रय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री मनोज कुमार वर्मा तथा कार्य प्रभारी श्री राज बहादुर यादव सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0) उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-21)

(19) विकास खण्ड-सुजानगंज क्षेत्र पंचायत-सुजानगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-65 वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना प्रशासनिक मद से विकास खण्ड से सम्बद्ध वाहन हेतु निम्न तिथियों में रू0 131751.00 इंधन क्रय किया गया है।

चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
21093770	16.6.2017	18418.00	शारदा पयुल मधुपुर, सुजानगंज, जौनपुर
21093779	04.8.2017	14902.00	" "
10003164	05.10.2017	14711.00	" "
10003167	08.12.2017	25536.00	" "
10003171	03.01.2018	12921.00	" "
10003177	08.02.2018	14666.00	" "
10005364	30.03.2018	30597.00	" "
	योग-	131751.00	

किन्तु इंधन पर व्यय बाउचर (डीजल पर्ची) की पुष्टि में सम्बद्ध वाहन का लाग-बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि का अनियमित व्यय किया गया है। जिसमें श्री जयेश कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, श्री दिनेश कुमार गुप्ता, लेखाकार व सम्बन्धित वरिष्ठ लिपिक श्री करतार सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-66 आलोच्य वर्ष में टेन्डर बिक्री से प्राप्त धनराशि रू0 11000.00 को कोषबही/ग्रान्ट में प्राप्त न करके धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए श्री जयेश कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, श्री दिनेश कुमार गुप्ता, लेखाकार समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-67 लेखा परीक्षा वर्ष में विकास खण्ड सुजानगंज में निर्माण कार्य पर अप्रैल 2017 से जून 2017 तक वाणिज्य कर की कटौती रू0 52425.00 की गयी है किन्तु जमा न करके अनियमित रूप से रोकी गयी है जिसके लिए कार्य प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-68 आलोच्य वर्ष में वाणिज्य कर की कटौती के साथ आयकर की कटौती नहीं की गयी है और नहीं फर्म द्वारा जमा आयकर में धनराशि समायोजन सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही। इस प्रकार आयकर अधिनियम 1961 यथा संशोधित 194(सी) के अनुसार अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर कटौती से काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत लेखा शीर्षक 0021 के अन्तर्गत जमा किये जाने के लिये संस्था के आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। पत्रावली के अनुसार आलोच्य वर्ष 2017-18 में कराये गये निर्माण कार्य एवं सामग्री पर कुल रू0 3203940.00 का भुगतान किया गया है, परन्तु स्रोत पर आयकर कटौती नहीं की गयी है। इस पर नियमानुसार 2.26 प्रतिशत की दर से रू0 72409.00 की आयकर कटौती की जानी चाहिए, जिसे संस्था द्वारा नहीं किया गया है। उक्त अनियमितता के लिए संस्था के आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी है। उक्त धनराशियों को राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-3

जनपद-वाराणसी सम्भाग-वाराणसी

1. क्षेत्र पंचायत – बड़ागाँव लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16 से 2017-18

प्रस्तर – 1 आयकर कटौती – आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने उपरान्त ही भुगतान किया जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे, ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर “न काटे गए आयकर की धनराशि” के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माने भी किया जा सकता है।

1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2 प्रतिशत दर से सुनिश्चित की जानी है लेकिन आलोच्य वर्ष के किसी भी वर्ष के किसी भी बिल से इसकी कटौती नहीं सुनिश्चित नहीं की गयी है।

वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक सामग्री क्रय पर कुल व्यय रुपये 14856896.00 रहा। इस पर नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से रुपये 297137.92 आयकर की कटौती की जानी चाहिए लेकिन संस्था के अधिकारियों के द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से आयकर की कटौती नहीं की गयी है। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली मय ब्याज संस्था के अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

संलग्न सूची – 1 में वर्क रजिस्टर के अनुसार सामग्री मद में तिथिवार भुगतान/ निर्गत चेक के विवरण के अनुसार न काटे गये आयकर (कॉलम-109 और उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार का विवरण अधोलिखित है –

वर्ष	न काटा गया आयकर	खंड विकास अधिकारी	धनराशि	लेखाकार	धनराशि
2015-16	86976.30	श्री श्रवण कुमार राय	15662.11	श्री कैलाश कुमार	15662.11
		श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी	27826.04	श्री कैलाश कुमार	27826.04
2016-17	132679.26	डॉ० रश्मिता सिंह	18674.31	श्री कैलाश कुमार	18674.31
		सुश्री उमा देवी गुप्ता	39627.30	श्री कैलाश कुमार	39627.30
		श्री कौशल कुमार	8038.02	श्री कैलाश कुमार	8038.02
2017-18	77482.36	श्री कौशल कुमार	38741.18	श्री कैलाश कुमार	38741.18
योग	297137.92				

प्रस्तर – 2 वैट कटौती – उत्तर प्रदेश वैट अधि० 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत वर्क कॉन्ट्रैक्ट के भुगतान की दशा में किसी ठेकेदार से निर्धारित दर (4 मार्च 2008 से लागू 4प्रतिशत) से मूल्य संवर्धित कर की कटौती की जानी है।

वैट अधिनियम की धारा 2 (एयू) के अनुसार तथाशासनादेश संख्या ए-1-351/दस-2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टीडीएस सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है, इसके तहत टेंडर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना है कि संविदाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नंबर (टिन) जारी किया गया है। संविदाकार के बिल को नियमानुसार भुगतान हेतु कोषागार को प्रस्तुत करते समय अथवा चेक के माध्यम से सीधे धनराशि आहरित करने वाले विभाग/निगम में चेक जारी करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा देयक चेक पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि बिल के भुगतान सम्बन्धी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है, वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत/टिन धारक है एवं संविदा से सम्बन्धित किये जा रहे भुगतान पर प्राविधानित कटौती कर ली गयी है लेकिन इसका उल्लंघन किया गया है और इसे मनमाने तरीके से भी लागू किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 में राज्य वित्त, तेरहवां वित्त और विधायक निधि के कार्यों पर सामग्री मद में भुगतान नियमानुसार 4प्रतिशत की दर से वैट की कटौती की गयी है। आलोच्य वर्ष 2015-16 के समस्त भुगतान में इसे मनमाने तरीके से लागू किया गया है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त में 2015-16 में सामग्री खरीद पर 2305672.00 रुपये व्यय किये गये हैं। जिस पर नियमानुसार 92226.88 की कटौती नहीं की गयी है। विधायक निधि में 1592883.00 रुपये के सामग्री खरीद के बिलों

पर 22419.00 रुपये ही काटे गये हैं और नियमानुसार रुपये 41296.40 की कटौती नहीं की गयी है। 13वां वित्त आयोग मद में सामग्री खरीद रुपये 1765653.00 पर रुपये 14525.00 ही काटे गये हैं और रुपये 56101.04 की कटौती नहीं की गयी है। सांसद निधि मद से रुपये 202182.00 की सामग्री भुगतान पर कुल रुपये 8087.28 की वैट कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार सामग्री खरीद मद में कुल रुपये 197711.60 के वैट की कटौती न कर सरकारी राजस्व की क्षति की गयी है। वाणिज्य कर विभाग के टीडीएस की यह धनराशि संस्था से ब्याज सहित वसूल कर राजकोष में जमा कराई जानी अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि 01 जुलाई 2017 से वैट आदि समस्त करों को समाप्त कर जी0एस0टी0 लागू किया गया है लेकिन संस्था के द्वारा जी0एस0टी0 नंबर अंकित बिल की मांग नहीं की जा रही है और न ही इसकी कटौती की जा रही है। इस व्यवस्था के प्रभावी होने के दृष्टिगत नये कार्यों के गठन व गठित अनुबंधों की व्यवस्था के सम्बन्ध में मार्गदर्शन सिद्धांत विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को पत्रांक 1614/23-10-2017-12 (सामान्य)/2017 दिनांक 08.11.2017 के माध्यम से दिये गये हैं। विभागीय अधिकारियों के द्वारा इस बिंदु पर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

संलग्न सूची-1 में वर्क रजिस्टर के अनुसार सामग्री मद में तिथिवार भुगतान/निर्गत चेक के विवरण के अनुसार न काटे गये वैट (कॉलम-9) और उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी और लेखाकार का विवरण अधोलिखित है।

वर्ष	वैट की कटौती न किया जाना	खंड विकास अधिकारी	धनराशि	लेखाकार	धनराशि
2015-16	173952.60	श्री श्रवण कुमार राय	31324.22	श्री कैलाश कुमार	31324.22
		श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी	55652.08	श्री कैलाश कुमार	55652.08
2016-17	23759.00	डॉ० रक्षिता सिंह	8935.94	श्री कैलाश कुमार	8935.94
		सुश्री उमा देवी गुप्ता	2943.56	श्री कैलाश कुमार	2943.56
योग	197711.60				

प्रस्तर - 3 मिट्टी पर रायल्टी - उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली 1963 (यथा संशोधित 39वां संशोधन) के नियम 21 के अनुसार और शासनादेश संख्या 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ दिनांक 15 दिसम्बर 2004 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के खनन हेतु विधिवत अनुज्ञापत्र रवन्ना एम0एम0-11 एवं रायल्टी (19 जनवरी 2016 से 14 रुपये बढ़ा कर 30 रुपये प्रति घन मीटर) का देय सुनिश्चित किया गया है लेकिन क्षेत्र पंचायत के द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर इसकी कटौती नहीं की जा रही है। इस प्रकार कुल रुपये 5516.00 राजस्व की क्षति हुई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संस्था के तात्कालिक अधिकारियों से सुनिश्चित कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है -

कार्य	भुगतान तिथि	प्रयुक्त मिट्टी दर सहित	रायल्टी कटौती	उत्तरदायी व्यक्ति (बीडीओ/एसीसीटी)
ढोढईपुर में ओमप्रकाश सरोज के मकान से ग्राम सभा के तालाब तक भूमिगत नाली निर्माण (तेरहवां वित्त आयोग)	7.9.15 कार्य. प्र. को	13 ट्राली मिट्टी त्र दर 525/ट्राली भुगतान रुपये 6300.00	504.00	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी (50:) श्री कैलाश कुमार (50:)
नथईपुर में कठरौव मार्ग से भरतलाल के घर तक मिट्टी खड्जा (चतुर्थ राज्य वित्त आयोग) (रामदुलार ट्रेक्टर मालि. को भु.)	30.12.16 चेक 131399	27 ट्रेक्टर मिट्टी दर 950/ट्रेक्टर भुगतान रुपये 24624.00	2430.00 (वैट 1026 काटा गया है)	श्री उमा देवी गुप्ता (50:) श्री कैलाश कुमार (50:)
अकोढा बैरहन पिच रोड से बैरिस्टर सिंह के घर तक इंटरलाकिंग कार्य (चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	19.7.17 कार्य.प्र. को	22 ट्राली मिट्टी त्र दर 350/ट्राली भुगतान रुपये 7700.00	1980.00	श्री कौशल कुमार सिंह (50:) श्री कैलाश कुमार (50:)
ईशीपुर में रामचंदर मिश्रा के घर से पुलिया तक भूमिगत नाली निर्माण (चतुर्थ राज्य वित्त	2.9.17 कार्य.प्र. को	10 ट्राली मिट्टी त्र दर 350/ट्राली भुगतान रुपये 3500.00	900.00	श्री कौशल कुमार सिंह (50:) श्री कैलाश कुमार

आयोग				(50:)
बसनी में निजामुद्दीन के घर से रियाजुद्दीन के घर तक नाली निर्माण एवं खंडजा (चतुर्थ राज्य वित्त आयोग)	2.9.17 कार्य.प्र. को	24.27 क्यूबिक मीटर मिट्टी दर 100/ क्यूबिक मीटर भुगतान रुपये 2427.00	728.00	श्री कौशल कुमार सिंह (50:) श्री कैलाश कुमार (50:)
योग			5516.00	

प्रस्तर - 4 ब्याज की धनराशि - शा0सं0ए-1-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। आलोच्य वर्ष में संस्था के द्वारा निम्न तरीके से ब्याज की धनराशि व्यय की गयी है। आलोच्य वर्ष में संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए दिनांक 05.03.16 को ब्याज की धनराशि रुपये 10421.00 को इंदिरा आवास कंटीजेंसी मद में स्थानान्तरित कर व्यय किया गया जबकि नियमानुसार यह धनराशि शासन को वापस किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा न कर अनियमितता की गयी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही तात्कालिक खंड विकास अधिकारी सुश्री रक्षिता सिंह और लेखाकार श्री कैलाश कुमार पर किया जाना अपेक्षित है। ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार ब्याज मद में वर्ष में प्राप्त आय और किये गये व्यय का विवरण अधोलिखित निम्नवत् है -

वर्ष	ब्याज मद में वर्ष में प्राप्त आय	ब्याज मद से व्यय धनराशि	अभ्युक्ति
2015-16	101467.00	10421.00	अनियमितता

प्रस्तर - 5 13वाँ वित्त आयोग के द्वारा प्राप्त अनुदान से सोनपुरवा में मुंशी पटेल के म0 से यादव बस्ती होते हुए राजपति यादव के चक तक ढक्कनदार नाली निर्माण का कार्य कराया गया है। 2015-16 के कार्ययोजना के इस कार्य पर दिनांक 03.10.2016 को चेक संख्या/धनराशि 107328/131040.00, 107329/180122.00, 107330/157500.00 और ग्रा0सं0 ढोढई में ओमप्रकाश सरोज के मकान से होकर ग्राम सभा के तालाब तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य में भी इसी तिथि को 107326/37440.00, 107327/31400.00 का भुगतान किया गया है। ग्रांट रजिस्टर 2 के अनुसार 31 मार्च 2016 को इस मद में धनराशि 1120.00 थी बाद में इस मद में कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। स्पष्ट है कुल रुपये 537502.00 का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त मद से किया है। शासन के गाइडलाइन के अनुसार अनुमोदित कार्य योजना, खाते में उपलब्ध धनराशि के अनुसार कार्यों के अनुमानित लागत के अनुरूप कार्य को शुरू किया जाना सुनिश्चित किया जाना निर्धारित किया गया है लेकिन विकास खण्ड के तात्कालिक प्रबन्धक के द्वारा ऐसा न कर मनमाने ढंग से राज्य वित्त के मद से 13वां वित्त आयोग मद का भुगतान कर अनियमितता की गयी जो कि अधिभार योग्य है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही तात्कालिक खंड विकास अधिकारी सुश्री उमा देवी गुप्ता और लेखाकार श्री कैलाश कुमार पर किया जाना अपेक्षित है।

क्र.	कार्य का नाम	13वां वित्त आयोग	राज्य वित्त से भुगतान का विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति बीडीओ एसीसीटी
1	सोनपुरवा में मुंशी पटेल के मसे यादव बस्ती होते हुए राजपति यादव के चक तक ढक्कनदार नाली निर्माण	संलग्न सूची-1 में कार्य संख्या 5	तिथि चेक/संख्या धनराशि/ 3.10.16/107328/131040 3.10.16/107329/180122 3.10.16/107330/157500	बीडीओ सुश्री उमा देवी गुप्ता रुपये- 268751.00
2	ग्राम ढोढई में ओमप्रकाश स. सरोज के मकान से होकर ग्राम सभा के तालाब तक भूमिगत नाली निर्माण	संलग्न सूची-1 में कार्य संख्या 4	तिथि चेक/संख्या धनराशि/ 3.10.16/107326/37440 3.10.16/107327/31400	लेखाकार श्री कैलाश कुमार रुपये- 268751.00
			योग	537502.00

प्रस्तर - 6 क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विकास हेतु विभिन्न मद/योजनाओं में प्राप्त धन का एक निश्चित प्रतिशत प्रासंगिक/प्रशासनिक मद में व्यय हेतु शासन के द्वारा निर्धारित होता है जिसे ग्रांट रजिस्टर से

अलग रखने का प्रावधान है। शासनादेश और अलगाव के अभाव में इसे स्पष्ट नहीं किया जा सका। लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि राज्य वित्त मद में प्राप्त अनुदान की धनराशि जिसका उपभोग विकास मद में सुनिश्चित किया जाना है का उपभोग प्रशासनिक मद में किया गया है। ऐसा कर तात्कालिक खंड विकास अधिकारी और एकाउंटेंट के द्वारा गम्भीर अनियमितता की गयी है। विकास खण्ड के खातों की जांच में कतिपय व्यय ऐसे पाये गये जिनका उपभोग विकास मद में नहीं किया गया है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही तात्कालिक खंड विकास अधिकारी और लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है। इनका विवरण चेक दिनांक और धनराशि सहित अधोलिखित है –

चेक दिनांक	धनराशि	कार्य विवरण	उत्तरदायी बीडीओ
007313 / 25.01.16	25505.00	टैक्स नेट कनेक्शन हेतु लीज ला.का. भुग.	श्री अभिषेक आनंद
107314 / 04.11.15	80647.00	फ़ंड्स इन्फोटेक को कम्प्यूटर एवं प्रिंटर का भुगतान	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी
107336 / 07.10.16	24782.00	अक्षय कम्प्यूटर सेवा प्रदाता को कम्प्यूटर आपमानदेय भुगतान	सुश्री उमा देवी गुप्ता
000484 / 04.03.17	21773.00	अक्षय कम्प्यूटर सेवा प्रदाता को कम्प्यूटर आपमानदेय भुगतान	श्री कौशल कुमार सिंह
000499 / 04.07.17	30000.00	अक्षय कम्प्यूटर सेवा प्रदाता को कम्प्यूटर आपमानदेय भुगतान	श्री कौशल कुमार सिंह
006019 / 15.09.17	15576.00	अक्षय कम्प्यूटर सेवा प्रदाता को कम्प्यूटर आपमानदेय भुगतान	श्री कौशल कुमार सिंह
005766 / 30.11.17	15576.00	अक्षय कम्प्यूटर सेवा प्रदाता को कम्प्यूटर आपमानदेय भुगतान	श्री कौशल कुमार सिंह
005767 / 19.01.18	15576.00	अक्षय कम्प्यूटर सेवा प्रदाता को कम्प्यूटर आपमानदेय भुगतान	श्री कौशल कुमार सिंह
005773 / 26.02.18	15576.00	अक्षय कम्प्यूटर सेवा प्रदाता को कम्प्यूटर आपमानदेय भुगतान	श्री कौशल कुमार सिंह
योग	245011.00		और 50: लेखाकार

प्रस्तर – 7 विकास खण्ड के खातों की जांच और ग्रांट रजिस्टर से लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि 31 मार्च 2018 को कई मदों में धनराशि कई वर्षों से अप्रयोज्य है। तेरहवां वित्त आयोग मद में 1120.00 रुपये, सांसद निधि मद में 43.00 रुपये, राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता 20276.00 रुपये, खाद्यान्न दुलाई मद में 115972.95 रुपये आदि विभिन्न मद में बची धनराशि कई वर्षों से निष्प्रयोज्य पड़ी है। इस धनराशि का या तो उपभोग किया जाना चाहिए अन्यथा की दशा में इस धनराशि को संबंधित पक्षों को नियमानुसार वापस किया जाना चाहिए। इस प्रकार रुपये 137411.95 रोककर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी श्री कौशल कुमार और लेखाकार श्री कैलाश कुमार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

2. क्षेत्र पंचायत – आराजी लाईन

लेखा परीक्षा वर्ष– 2017–18

प्रस्तर – 8 वर्ष 2017–18 में चतुर्थ राज्य वित्त से निर्माण कार्यों के श्रमांश के भुगतान हेतु चेक सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को निर्गत किया गया है किन्तु कार्य प्रभारी द्वारा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान की पुष्टि/भुगतान के तरीकों (नगद अथवा चेक) का उल्लेख अभिलेखों से नहीं होती है। जबकि नियमानुसार मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से श्रमिकों के खाते में किया जाना वांछनीय है। इसके अतिरिक्त मस्टररोल पर नम्बर अंकित नहीं है और न ही क्षेत्र पंचायत द्वारा मस्टररोल निर्गत किये जाने की पुष्टि होती है। अंगूठा/हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं है। साथ ही मजदूरों का पंजीकरण रजिस्टर अप्राप्त रहा।

क्र.सं.	धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	भुगतान (चेक) प्राप्तकर्ता
1	20760.00	625610	28.08.2017	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0वि0अ0
2	20160.00	625615	28.08.2017	श्री मुकेश शर्मा, ग्रा0वि0अ0
3	53920.00	625617	28.08.2017	श्री मुकेश शर्मा, ग्रा0वि0अ0
4 (1)	80240.00	849382	06.09.2017	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0वि0अ0
(2)	20780.00	849427	22.11.2017	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0वि0अ0

5	32780.00	625613	28.08.2017	श्री मुकेश शर्मा, ग्रा0वि0अ0
6 (1)	40640.00	849425	22.11.2017	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0वि0अ0
(2)	73840.00	849384	26.09.2017	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0वि0अ0
7 (1)	81200.00	849377	31.08.2017	श्री मुकेश शर्मा, ग्रा0वि0अ0
(2)	64980.00	849380	31.08.2017	श्री मुकेश शर्मा, ग्रा0वि0अ0
8 (1)	26880.00	849408	28.09.2017	श्री मुकेश शर्मा, ग्रा0वि0अ0
9 (1)	20760.00	849405	28.09.2017	श्री मुकेश शर्मा, ग्रा0वि0अ0
(2)	33000.00	849454	27.12.2017	श्री मुकेश शर्मा, ग्रा0वि0अ0
10(1)	22400.00	849411	28.09.2017	श्री अनिल कुमार, ग्रा0वि0अ0
11	37880.00	849387	26.09.2017	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
12	13400.00	849389	26.09.2017	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
13	37360.00	849391	26.09.2017	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
14 (1)	12120.00	849392	26.09.2017	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
(2)	2200.00	849431	22.11.2017	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
15	69520.00	849440	28.09.2017	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0वि0अ0
16(1)	87920.00	849403	28.09.2017	श्री मुकेश शर्मा, ग्रा0वि0अ0
(2)	51280.00	849456	27.12.2017	श्री मुकेश शर्मा, ग्रा0वि0अ0
17(1)	38680.00	849465	25.01.2018	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
(2)	12940.00	629760	26.02.2018	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
18	2420.00	849429	22.11.2017	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0वि0अ0
19	47720.00	849422	28.09.2017	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
20	5440.00	849441	27.12.2017	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0वि0अ0
21	39457.00	629768	26.02.2018	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
22	1400.00	849467	25.01.2018	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
23	48120.00	629764	26.02.2018	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
24	30360.00	629762	26.02.2018	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
25	35120.00	629766	26.02.2018	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
26	58620.00	629758	26.02.2018	श्री मुकेश शर्मा, ग्रा0वि0अ0
27	33200.00	629756	26.02.2018	श्री मुकेश शर्मा, ग्रा0वि0अ0
योग	1257497.00			

अतः उपरोक्त मजदूरी भुगतान की धनराशि रु0 1257497.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री हेमन्त कुमार सिंह एवं आंकिक श्री कैलाशनाथ से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 9 आलोच्य वर्ष 2017-18 में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निर्माण कार्य के श्रमांश/सामग्री के भुगतान हेतु चेक निर्गत किया गया था। बैंक स्टेटमेंट एवं पत्रावली की जांच में भुगतान प्राप्तकर्ता के नामों में अंतर पाया गया अर्थात् चेक तो फर्म/किसी और को निर्गत है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति है, विवरण निम्नांकित है –

क्र0 सं.0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	प्राप्तकर्ता के नाम	
				बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	पत्रावली के अनुसार
1	28.08.2017 / 04.09.2017	849376	22200.00	अरविन्द	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
2	28.09.2017 / 10.11.2017	849418	14260.00	अनिल मिश्रा	श्री मुकेश शर्मा, ग्रा0वि0अ0
3	28.09.2017 / 10.11.2017	849417	4520.00	अनिल मिश्रा	श्री मुकेश शर्मा, ग्रा0वि0अ0
4	27.12.2017 / 30.12.2017	849443	7820.00	अरविन्द	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
5	27.12.2017 / 30.12.2017	849445	1900.00	अरविन्द	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
6	27.12.2017 /	849451	9700.00	अरविन्द	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0

	30.12.2017				
7	26.09.2017 / 23.10.2017	849396	21560.00	नन्दलाल	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0वि0अ0
8	06.12.2017 / 07.12.2017	849437	19840.00	अरविन्द	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
9	06.12.2017 / 07.12.2017	849435	24460.00	अनिल सिंह	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0वि0अ0
10	27.12.2017 / 30.12.2017	849447	46020.00	अरविन्द	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
11	27.12.2017 / 30.12.2017	849449	39460.00	अरविन्द	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
12	28.09.2017 / 06.11.2017	849420	12880.00	अजय कुमार	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0वि0अ0
13	07.12.2017 / 18.12.2017	849439	6040.00	राकेश	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0वि0अ0
14	28.12.2017 / 02.01.2018	849460	18280.00	नन्दलाल	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0वि0अ0
15	28.09.2017 / 06.11.2017	849414	8134.00	अरविन्द	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
16	28.09.2017 / 06.11.2017	849415	15680.00	अरविन्द	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
17	29.01.2018 / 01.02.2018	849469	54480.00	अरविन्द	श्री मुकेश शर्मा, ग्रा0वि0अ0
18	28.12.2017 / 02.01.2018	849458	71080.00	अरविन्द	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
19	07.12.2018 / 08.02.2018	629744	19680.00	अनिल मिश्रा	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0वि0अ0
20	26.02.2018 / 28.02.2018	629752	33140.00	अनिल सिंह	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0वि0अ0
21	07.02.2018 / 08.02.2018	629742	38840.00	अनिल मिश्रा	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0वि0अ0
22	07.02.2018 / 08.02.2018	629750	30320.00	अनिल मिश्रा	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0वि0अ0
23	26.02.2018 / 28.02.2018	629754	25160.00	अनिल सिंह	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0वि0अ0
24	07.02.2018 / 08.02.2018	629746	79880.00	अरविन्द	श्री रामजी सिंह, ग्रा0वि0अ0
25	07.02.2018 / 08.02.2018	629748	32880.00	अनिल मिश्रा	श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0वि0अ0
		योग	658214.00		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अपहरण के उद्देश्य से काल्पनिक व्यय दर्शाकर व मिलीभगत करके रू0 658214.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री हेमन्त कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री कैलाशनाथ से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 10 वर्ष 2017-18 में चतुर्थ राज्य वित्त मद से निम्न विवरण अनुसार सामग्री क्रय का भुगतान सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति को न कर कार्य प्रभारी को किया गया है।

क्र. सं.	दिनांक/ चेक संख्या	चेक की कुल धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता कार्य प्रभारी	नाम फर्म व्यक्ति जिससे सामग्री क्रय की गई	फर्म/व्यक्ति की धनराशि
1	28.09.2017 / 849407	15849.00	श्री मुकेश शर्मा	श्री दिलीप कुमार मिश्र पुत्र श्री शिवानन्द मिश्र	15849.00
2	28.09.2017 / 849410	7700.00	श्री अनिल कुमार	श्री संजय कुमार पुत्र श्री सुखदेव पटेल	7700.00
3	28.09.2017 /	15300.00	श्री रामजी	श्री अरविन्द पुत्र श्री हजारी	15300.00

	849386		सिंह	लाल	
4	26.09.2017 / 849491	7018.00	श्री रामजी सिंह	श्री अरविन्द पुत्र श्री हजारी लाल	7018.00
5	22.11.2017 / 849431	6900.00	श्री इन्द्रजीत सिंह	पारसनाथ मार्बल वर्क्स भिखारीपुर	4200.00
				स्नेहा फोटोस्टेट एंड स्टेशनरी	500.00
6	22.11.2017 / 849433	8700.00	श्री इन्द्रजीत सिंह	स्नेहा फोटोस्टेट एंड स्टेशनरी	500.00
				पारसनाथ मार्बल वर्क्स भिखारीपुर	4200.00
7	22.11.2017 / 849429	7120.00	श्री इन्द्रजीत सिंह	पारसनाथ मार्बल वर्क्स भिखारीपुर	4200.00
				स्नेहा फोटोस्टेट एंड स्टेशनरी	500.00
8	22.11.2017 / 849441	10146.00	श्री इन्द्रजीत सिंह	पारसनाथ मार्बल वर्क्स भिखारीपुर	4200.00
				स्नेहा फोटोस्टेट एंड स्टेशनरी	500.00
				योग	64667.00

उक्त भुगतान रु0 64667.00 ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी पटाई, फोटोग्राफी व बोर्ड क्रय से सम्बन्धित है। नियमानुसार उक्त भुगतान सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति को एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारी को किया गया है। इस प्रकार भ्रामक एवं फर्जी चेक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 64667.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री हेमन्त कुमार लेखाकार श्री कैलाश नाथ सम्बन्धित कार्य प्रभारी श्री मुकेश शर्मा, श्री अनिल कुमार, श्री रामजी सिंह व श्री इन्द्रजीत सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -11 वर्ष 2017-18 में चतुर्थ राज्य वित्त मद में निर्माण कार्य से सम्बन्धित लगभग सभी सामग्री क्रय मेसर्स शहजादी इण्टरप्राइजेज जगतपुर, वाराणसी से किया गया है व भुगतान भी उसी संस्था को किये जाने का विवरण पत्रावली व ग्राण्ट-2 रजिस्टर से स्पष्ट होता है। परन्तु चतुर्थ राज्य वित्त से सम्बन्धित पासबुक (इलाहाबाद बैंक शाखा कचनार राजातालाब खाता संख्या-6845), की जांच में पाया गया कि पत्रावली अनुसार जो चेक शहजादी इण्टरप्राइजेज के नाम काटा गया है, पासबुक पर उस चेक के पार्श्व में केवल झा थू चेक अंकित है। चेक पासबुक पर कहीं भी शहजादी इण्टरप्राइजेज को भुगतान का विवरण अंकित नहीं है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक का निर्गमन दर्शाकर सामग्री रु0 1198598.00 का अपहरण गया है जिस हेतु आंकिक श्री कैलासन नाथ एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री हेमन्त कुमार सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र.सं.	दिनांक पत्रावली दिनांक पासबुक	चेक संख्या	धनराशि	पासबुक अनुसार	पत्रावली अनुसार
1	28.08.2017 01.09.2017	625616	75106	झा थू चेक	शहजादी इण्टरप्राइजेज
2	28.09.2017 18.10.2017	849402	380700	झा थू चेक	शहजादी इण्टरप्राइजेज
3	22.11.2017 29.11.2017	849424	120910	झा थू चेक	शहजादी इण्टरप्राइजेज
4	27.12.2017 30.12.2017	849453	133304	झा थू चेक	शहजादी इण्टरप्राइजेज
5	07.02.2018 08.02.2018	629741	280749	झा थू चेक	शहजादी इण्टरप्राइजेज
6	16.02.2018	629763	207829	झा थू चेक	शहजादी इण्टरप्राइजेज

	28.02.2018				
		योग	1198598		

प्रस्तर -12 दिनांक 01.04.2017 को ग्राण्ट-2 अनुसार इकाई के पास कुल रु0 2189927.42 विभिन्न मदों की योजनाओं पर अर्जित ब्याज का धन शेष था। वर्ष 2017-18 में कुल रु0 437105.00 ब्याज से आय हुआ व रु0 4974.00 व्यय उपरान्त दिनांक 31.03.2018 को रु0 2622058.42 ब्याज मद में अवशेष रहा जो ग्राण्ट रजिस्टर-2 पर दर्शित है। नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष के अन्त में ब्याज से अर्जित धन अन्य प्राप्तियों मद में जमा कर दिया जाना चाहिए था परन्तु संस्था द्वारा ऐसा न करके अनियमितता किया जा रहा है। उ0प्र0 बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार सरकारी योजनाओं के धन पर अर्जित ब्याज को शासन द्वारा अन्य विभागीय प्राप्तियों मद में इकट्ठा करके आगामी वर्ष के बजट की तैयारी में आय का एक स्रोत माना जाता है। वापसी तत्काल अपेक्षित है। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हेमन्त कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री कैलाश नाथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

3. क्षेत्र पंचायत - काशी विद्यापीठ लेखा परीक्षा वर्ष- 2017-18

प्रस्तर - 13 निर्माण कार्यों में सन्निहित श्रमांश का भुगतान सीधे मजदूरों/श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि श्रमांश का भुगतान सीधे मजदूरों/श्रमिकों के खाते में न करके मनमाने तरीके से कार्य प्रभारी के नाम से निर्गत चेक के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2017-18 में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 1512700.00 श्रमांश भुगतान किया गया है। यह धनराशि विभिन्न कार्य प्रभारियों के नाम से निर्गत चेक के माध्यम से आहरित की गयी है, जिनका विवरण इस प्रकार है— श्री प्रवीन कुमार(ग्रा0पं0अ0) के नाम से रु 1251500.00, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह एडीओ सांख्यिकी के नाम से रु 98100.00 एवं श्री दिनेश कुमार सिंह (बी0टी0) के नाम से रु 163100.00

उल्लेखनीय है कार्य प्रभारी के नाम निर्गत चेक के माध्यम से श्रमांश भुगतान होने से मजदूरों श्रमिकों को उचित/श्रमांश प्राप्त होने की पूर्णतः पुष्टि नहीं होती। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है एवं उनके व्यस्क होने का कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। यह भी सम्भव हो सकता है की अनुचित तरीके से अंगूठा लगवाकर या हस्ताक्षर लेकर मनमाने ढंग से मजदूरों को कम श्रमांश दिया गया हो और शेष धनराशि अपहृत कर ली गयी हो। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

4. क्षेत्र पंचायत - पिण्डरा लेखा परीक्षा वर्ष- 2017-18

प्रस्तर - 14 आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखाशीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर "न" काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माने भी किया जा सकता है। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2.26प्रतिशत दर से सुनिश्चित की जानी है, लेकिन आलोच्य वर्षों के किसी भी वर्ष के किसी भी बिल से इसकी कटौती नहीं सुनिश्चित नहीं की गयी है।

वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सामग्री क्रय पर कुल व्यय रु0 5104250.00 रहा इस पर नियमानुसार 2.26 प्रतिशत की दर से रु0 115256.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। लेकिन संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर आयकर की कटौती नहीं की गयी। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली संस्था के अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -15 निर्माण कार्यों में सन्निहित श्रमांश का भुगतान सीधे/श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि श्रमांश का भुगतान सीधे मजदूरों/श्रमिकों के खाते में न करके मनमाने तरीके से कार्य प्रभारी के नाम से निर्गत चेक के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2017-18 में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु0 1512700.00 श्रमांश भुगतान किया गया है। यह धनराशि विभिन्न कार्य प्रभारियों के नाम से निर्गत चेक के माध्यम से आहरित की गयी है, जिनका विवरण इस प्रकार है — श्री वीरेन्द्र मिश्रा (ग्रा0पं0अ0) के नाम से रु0 309910.00, श्री प्रभु प्रकाश सुरेखा (ग्रा0वि0अ0) के नाम से रु0

266166.00, श्री अमित कुमार वर्मा (ग्रा0पं0अ0) के नाम से रू0 225657.00, श्री ऋषि कुमार (ग्रा0वि0अ0) के नाम से रू0 148839.00, श्री अनिल कुमार के नाम से रू0 153300.00 श्री सुरेश सिंह के नाम से रू0 101640.00, श्री राजेश के नाम से रू0 59975.00, श्री संजय कुमार शर्मा के नाम से रू0 107065.00 तथा श्री राजेंद्र कुमार के नाम से रू0 59905.00।

उल्लेखनीय है कि कार्य प्रभारी के नाम निर्गत चेक के माध्यम से श्रमांश भुगतान होने से मजदूरों श्रमिकों को उचित श्रमांश प्राप्त होने की पूर्णतः पुष्टि नहीं होती मस्टररोल तैयार किया गया है लेकिन अधिकांश मस्टररोल पर क्रमांक अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। मस्टररोल पर लगे अंगूठे के निशान भी प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है एवं उनके व्यस्क होने का कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। यह भी सम्भव हो सकता है कि अनुचित तरीके से अंगूठा लगवाकर या हस्ताक्षर लेकर मनमाने ढंग से मजदूरों को कम श्रमांश दिया गया हो और शेष धनराशि अपहृत कर ली गयी हो। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

5. क्षेत्र पंचायत – सेवापुरी

लेखा परीक्षा वर्ष– 2017–18

प्रस्तर – 16 संस्था द्वारा वर्ष 2017–18 में राज्य वित्त से निम्न विवरण के अनुसार खडंजा कार्य कराया गया है –

क ग्राम पंचायत गोसाईपुर में मेन रोड से प्राथमिक विद्यालय तक खडंजा कार्य पर कुल रू0 671549.00 भुगतान किया गया है। विवरण इस प्रकार है –

सामग्री –

फर्म का नाम	चेक नं० व दिनांक	सामग्री की धनराशि	वैट कटौती	शुद्ध भुगतान
1 मे० राजपूत ईट उद्योग हरिभानपुर, वाराणसी	008327 27.02.2018	109200.00	4160.00	105040.00
(ii) मे० राजपूत ईट उद्योग हरिभानपुर, वाराणसी	008340 26.03.2018	459322.00	17498.00	441824.00
	योग	568522.00	21658.00	546864.00

मजदूरी –

कार्य अवधि	भुगतान चेक सं० व दिनांक	धनराशि
1 27.01.2018 से 02.02.2018 तक	008339 दिनांक 26.03. 2018	124685.00
2 03.02.2018 से 09.02.2018 तक		
3 11.02.2018 से 17.02.2018 तक		
4 18.02.2018 से 29.02.2018 तक		

ख. ग्राम पंचायत अमिनी में छन्नूराम हरिजन के घर से लालमन हरिजन के घर तक खडंजा कार्य पर कुल रू0 121190.00 भुगतान किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है –

सामग्री –

फर्म का नाम	चेक नं० व दिनांक	सामग्री की धनराशि	वैट कटौती	शुद्ध भुगतान
मे० राजपूत ईट उद्योग हरिभानपुर, वाराणसी	005258 15.01.2018	96907.00	3692.00	93215.00

मजदूरी –

कार्य अवधि	भुगतान चेक सं० व दिनांक	धनराशि
06.01.2018 से 12.01.2018 तक	005259 दिनांक 25.01.2018	27975.00

ग. राज्य वित्त एवं ग्राम पंचायत लोहराडीह, बनकट मुख्य मार्ग से शारदा प्रसाद तिवारी के घर तक खडंजा कार्य पर कुल रू0 211326.00 भुगतान किया गया। विवरण इस प्रकार है –

सामग्री –

फर्म का नाम	चेक नं० व दिनांक	सामग्री की धनराशि	वैट कटौती	शुद्ध भुगतान

1	मे0 राजपूत ईट उद्योग हरिभानपुर, वाराणसी	003573 26.12.2017	174993.00	6666.00	168327.00
2	महाकाल एसोसिएट्स चौदपुर, वाराणसी	003574 26.12.2017	4200.00	160.00	4040.00
		योग	568522.00	21658.00	546864.00

मजदूरी –

कार्य अवधि	भुगतान चेक सं० व दिनांक	धनराशि
11.12.2017 से 24.12.2017 तक	003575 / 26.12.2017	38959.00

उपरोक्त दर्शित कार्यों पर आपत्तियाँ निम्नवत् है :-

घ. टेण्डर आमंत्रण एवं खुलने का कोई पत्र नहीं रखा गया है तथा टेण्डर प्रकाशन का समाचार पत्र भी अनुपलब्ध रहा।

ड. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

च. कार्ययोजना, माप पुस्तिका, पत्रावली में संलग्न नहीं है।

छ. मजदूरी भुगतान हेतु बैंक से प्राप्त एडवांस पत्रावली में संलग्न नहीं था।

ज. सामग्री आपूर्ति का क्रय आदेश अनुपलब्ध रहा।

झ. बिलों पर आयकर तथा लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है।

इस प्रकार क्र०सं० (1) पर दर्शित खडंजा कार्य में सामग्री पर व्यय रू० 54686.00 तथा क्र०सं० (2) पर व्यय रू० 93215.00 तथा क्र०सं० (3) पर व्यय रू० 172367.00 और इसी प्रकार क्र०सं० (1) पर दर्शित खडंजा कार्य में मजदूरी पर व्यय रू० 124685.00 तथा क्र०सं० (2) पर व्यय रू० 27975.00 तथा क्र०सं० (3) पर व्यय रू० 38959.00 अनियमित तरीके से व्यय किया गया है जिसकी जिम्मेदारी ख०वि०अ०/लेखाकार एवं कार्य प्रभारी श्री संजय सोनकर, श्री मनीष कुमार सिंह (स०वि०अ०) की होती है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 17 राज्य वित्त आयोग निधि से कराये गये इण्टर लॉकिंग कार्य का विवरण निम्नानुसार है –

(1) राज्य वित्त से ग्राम पंचायत भटौली के पदुमपुर में छोटे लाल के घर से लेकर लालचन्द्र के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य पर कुल रू० 356580.00 भुगतान किया गया, विवरण इस प्रकार है –

सामग्री –

फर्म का नाम	चेक नं० व दिनांक	सामग्री की धनराशि	वैट कटौती	शुद्ध भुगतान
1 मे0 राजपूत ईट उद्योग हरिभानपुर, वाराणसी	003570 26.12.2017	290472.00	1106.00	289366.00
2 महाकाल एसोसिएट्स चौदपुर, वाराणसी	003571 26.12.2017	4200.00	160.00	4040.00
	योग	294672.00	1266.00	293406.00

मजदूरी –

कार्य अवधि	भुगतान चेक सं० व दिनांक	धनराशि
10.11.2017 से 23.12.2017 तक	003572 / 26.12.2017	73134.00

(2) राज्य वित्त से ग्राम पंचायत भीषमपुर जल निगम से भोलानाथपुरा कल्लू सिंह के दरवाजे तक इण्टर लाकिंग कार्य पर कुल रू० 82809.00 भुगतान किया गया है, विवरण इस प्रकार है –

सामग्री –

फर्म का नाम	चेक नं० व दिनांक	सामग्री की धनराशि	वैट कटौती	शुद्ध भुगतान
1 मे0 राजपूत ईट उद्योग हरिभानपुर, वाराणसी	008335 22.03.2018	54469.00	2075.00	52394.00

मजदूरी –

कार्य अवधि	भुगतान चेक सं० व दिनांक	धनराशि
01.02.2018 से 07.02.2018 तक	008334 / 22.03.2018	30415.00

उपरोक्त दर्शित कार्यों पर आपत्तियाँ निम्नवत् है :-

(क) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।

(ख) टेण्डर आमंत्रण एवं खुलने का कोई पत्र नहीं रखा गया है तथा टेण्डर प्रकाशन का समाचार पत्र भी अनुपलब्ध रहा।

(ग) खरीद की गई सामग्री का अंकन स्टॉक रजिस्टर में नहीं।

(घ) कार्ययोजना पत्रावली में अनुपलब्ध रहा।

इस प्रकार क्र०सं० (1) में दर्शित इण्टर लाकिंग कार्य में सामग्री पर व्यय रू० 293406.00 तथा क्र०सं० (2) पर व्यय रू० 52394.00 और इसी प्रकार क्र०सं० (1) पर दर्शित इण्टर लाकिंग कार्य में मजदूरी पर व्यय रू० 73134.00 तथा क्र०सं० (2) पर व्यय रू० 30415.00 अनियमित तरीके से व्यय किया गया है जिसकी जिम्मेदारी ख०वि०अ०/लेखाकार एवं कार्य प्रभारी श्री संजय कुमार सोनकर (ग्रा०वि०अ०) की है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 18 राज्य वित्त में दिनांक 31.03.2017 को ग्राण्ट रजिस्टर भाग तीन (3) के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त की अवशेष धनराशि रू० 3975123.00 दर्शित रहा। जबकि दिनांक 01.04.2017 को उक्त शीर्ष का प्रा० अवशेष रू० 3836048.00 दर्शाया गया। इस प्रकार वर्ष 2016-17 के अन्तिम अवशेष एवं वर्ष 2017-18 के प्रा० अवशेष में रू० 139075.00 कम किये जाने का विवरण सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर अन्तर के धनराशि की पुष्टि करानी अपेक्षित है, उपर्युक्त अन्तर दिनांक 31.03.2018 तक यथावत विद्यमान है। अन्तर की धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर -19 ब्याज व अन्य मद में दिनांक 31.03.2017 को ग्राण्ट रजिस्टर भाग तीन (3) के अनुसार ब्याज व अन्य मद की अवशेष धनराशि रू० 771781.00 दर्शित रहा, जबकि दिनांक 01.04.2017 को उक्त शीर्ष का प्रा० अवशेष रू० 744065.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार वर्ष 2016-17 के अन्तिम अवशेष एवं वर्ष 2017-18 के प्रा० अवशेष में रू० 27716.00 का अन्तर विद्यमान है। दिनांक 01.04.2017 को रू० 27716.00 कम किये जाने का विवरण सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर अन्तर के धनराशि की पुष्टि करानी अपेक्षित है। उपर्युक्त अन्तर दिनांक 31.03.2018 तक यथाविधि विद्यमान है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

6. क्षेत्र पंचायत - चिरईगाँव

लेखा परीक्षा वर्ष- 2017-18

प्रस्तर - 20 क्षेत्र पंचायत चिरईगाँव वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त एवं चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशियों से कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण निम्न है-

क	कार्य का नाम	सामग्री व्यय
क	विकास खण्ड कैम्पस (दक्षिण तरफ) दीवाल निर्माण	248048.79
ख	ग्राम पंचायत शिवदशा पलकधारी यादव के मढ़ई से सुरेन्द्र सिंह के घर तक खड़न्जा निर्माण	60618.00
ग	ग्राम पंचायत उमरहां गिनतेश्वर पंडित के घर से शिवचरण पटेल के घर तक खड़न्जा कार्य	281296.00
घ	ग्राम पंचायत नारायनपुर हनुमान जी के मन्दिर से जयप्रकाश यादव के घर तक इंटरलाकिंग	207996.00
ड	ग्राम पंचायत धराधर देवरिया में खपड़िया बाबा मन्दिर के सामने इंटरलाकिंग	258579.00
	योग	1056537.79

उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा निम्न आपत्तियाँ दर्शित पायी गयी-

- क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही पंजिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण कार्य के प्रस्ताव की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- संस्था की पत्रावलियों का अवलोकन करने में पाया गया कि संस्था द्वारा खड़न्जा व इंटरलाकिंग आदि की सड़कों में प्रयुक्त ईंटों का कोटेशन नहीं लिया गया जबकि तीन कोटेशन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। शासन के अनुसार ईंटों का क्रय भट्टा से किया जायेगा। ईंट आपूर्ति हेतु सामग्री आपूर्ति आदेश फिर निकासी चालान, बिल सामग्री प्राप्ति, संख्या गुणवत्ता, फिर स्टॉक पंजिका में आमद फिर बिल पर

पड़े कैसिल, फिर भुगतान आदेश, फिर चेक निर्गमन और भुगतान प्राप्ति रसीद जो दौरान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

- उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली वर्ष 1984 सं० 35(1) के अनुसार निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त सभी सामग्रियों की गिनती एवं माप की जा सकती है, किन्तु एम०बी० पुस्तिका के अनुसार सामग्रियों की गिनती एवं माप लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला निर्माण नियमावली 1984 के नियम-41(2) के अनुसार लेखाकार क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रत्येक बिल में इस आशय का प्रमाण पत्र लिखा जाना अपेक्षित है कि मेरे द्वारा बिल की जांच पिछले चालू भुगतान से की गयी है और बिल ठीक है, तत्पश्चात् बिल अधिकारी द्वारा उस प्रमाण पत्र पर काउण्टर साइन किया जाना चाहिए किन्तु बिल लेखाकार के प्रमाण पत्र अंकित किये समस्त बिलों पर भुगतान किया गया स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

उपर्युक्त निर्माण कार्यों में कुल 1056537.7 सामग्री क्रय पर व्यय किया गया। अतः निर्माण कार्यों से राजकीय नियमों की अवहेलना कर अनियमितता का प्रकरण प्रदर्शित किया गया। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 21 क्षेत्र पंचायत रिरईगाँव वर्ष 2017-18 में कराये गये निर्माण कार्यों में श्रमिकों के श्रमांश का भुगतान व उनके हितों के संरक्षण में लेबर सेस की कटौतियों का विवरण निम्न है –

	कार्य का नाम	श्रमांश	लेबर सेस
1	ग्राम पंचायत पचरांव धन्नीपुर विद्यार्थी मौर्या के मकान तक खडंजा कार्य	36970.00	369.00
2	ग्राम पंचायत लेढूपुर बलुआ मोड़ रोड से शंकर जी के मन्दिर तक खडंजा कार्य	54145.00	541.00
3	ग्राम पंचायत रुस्तमपुर नथुनी यादव के मकान से पन्नर यादव के मकान तक खडंजा कार्य	17815.00	178.15
4	ग्राम पंचायत गौराकलां कमौली भाग से कालोनी में खडंजा कार्य	58180.00	582.80
5	विकास खण्ड चिरईगाँव बाउण्डी वाल पश्चिमी	111563.00	1115.63
	योग	278673.00	2786.58

उल्लेखनीय है कि दौरान लेखा परीक्षा निम्न आपत्तियों पायी गयी—

- संस्था के पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि प्रत्येक निर्माण कार्यों में क्षेत्र के अलग-अलग बेरोजगार मजदूरों का उपयोग अनिवार्य होता है, परन्तु एक टीम वक्र के अनुसार सभी निर्माण कार्यों में एक ही मजदूर मस्टररोलों पर अंकित रहा जो आपत्तिजनक है।
- आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा क्षेत्र पंचायत में श्रमिकों से कराये गये निर्माण कार्यों के मस्टररोलों पर क्रमांक एवं अवधि अज्ञात रहीं जिससे कार्य के प्रारम्भ एवं समाप्ति की पुष्टि नहीं हो सकी।
- संस्था के पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोल बिना सक्षम अधिकारी के निरीक्षण अवलोकन हस्ताक्षर के दर्शित पाया गया।
- मस्टररोलों पर अंकित श्रमिकों एवं उनकी मजदूरी से सम्बन्धित हस्ताक्षर व अंगूठा का निशान की प्रामाणिकता की पुष्टि हेतु कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- उ०प्र० शासन की अधिसूचना सं० 114/36-3-2009-25(एम.एम.)95 दिनांक 20.11.2009 शासनादेश संख्या-392/36-03-2010 श्रम अनुभाग-2 दिनांक 20.02.2010 के अनुसार निर्माण कार्यों में संबंधित कार्य व कार्य से संबंधित श्रमिकों का पंजीयन श्रम कार्यालय में करवाया जाना अनिवार्य था किन्तु—

लेखा परीक्षा के पत्रावलियों में न तो निर्माण कार्यों का पंजीयन करवाया गया और न ही कार्य से सम्बन्धित श्रमिकों का पंजीयन प्रस्तुत किया गया।

- इसी क्रम में संस्था की पत्रावलियों में श्रमिकों के हितों को संरक्षण हेतु लेबर सेस की कटौती नहीं किया गया, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण का कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु उ०प्र० भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर निगम-4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य के कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर नियोक्ता द्वारा काटा जायेगा, प्रमुख अभियन्ता द्वारा अप्रैल 2010 से इसे नियमानुसार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित भी किया गया कि कटौती के पश्चात् यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है किन्तु दौरान लगा परीक्षा संस्था की पत्रावलियों में राज्य वित्त, क्षेत्र निधि, विद्यालय निधि की धनराशियां से कराये गये निर्माण कार्यों में इस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः श्रमिकों के कुल भुगतान रु0 278673.00 और उनके हितों के संरक्षण में लेबर सेस की कुल धनराशि रु0 2786.58 की कटौती न करके कार्य में अनियमितता बरता गया, आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -22 क्षेत्र पंचायत चिरईगाँव वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में संस्था द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो में निविदा आमंत्रण, निविदा खुलना साथ में इसकी प्राप्तियां संदिग्ध दर्शित रहा। जिसका विवरण निम्न है

क्र.सं.	कार्य का नाम	फर्म	दर	क्रमांक	सामग्री
1	ग्राम पंचायत नारायणपुर बस्ती में मेन रोड से काली जी मन्दिर से राम किशोर के घर तक इंटरलाकिंग	1. मे0 दिनेश सिंह 2. राघे सेल्स 3. श्री शइंटरप्राजेज	225+10% टीटी+500 विभागीय दर	अज्ञात	240173.00
2	ग्राम पंचायत रैमला मिश्रापुर मार्ग से दक्षिण तरफ मानव मिश्रा के घर तक खडंजा कार्य	1. मे0 दिनेश सिंह 2. राघे सेल्स 3. वी.के. कन्स्ट्रक्शन	225+10% टीटी+500 विभागीय दर	अज्ञात	251338.00
3	ग्राम पंचायत धराधर देवरिया में खपड़िया बाबा मन्दिर के सामने इंटरलाकिंग	1. मे0 दिनेश सिंह 1. राघे सेल्स 2. वी.के. कन्स्ट्रक्शन	225+10% टीटी+500 विभागीय दर	अज्ञात	258579.00
	कुल				750090.00

इस तरह निर्माण कार्यो से सम्बन्धित टेण्डर पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियां पायी गयी।

1. सभी निर्माण कार्यो में सुनियोजित ढंग से मात्र तीन टेण्डर डाले गये।
2. तीनों टेण्डर फार्मा मात्र एक ही सीरियल नम्बर के पाये गये।
3. तीनों टेण्डर फार्म एक हजी हस्तलिपि में अंकित किये गये, पाये गये।
4. ठेकेदार के हस्ताक्षर किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।
5. निविदा की दरों सुनियोजित है तथा शब्दों एवं अंकों में अंकन नहीं है।
6. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या-21(4) के अनुसार टेण्डर अभियन्ता और वित्त परामर्शदाता आदि की उपस्थिति में खोला जाना चाहिए था किन्तु- टेण्डर खोलते समय वित्तीय परामर्शदाता आदि की उपस्थिति में खोला जाना चाहिए था किन्तु- टेण्डर खोलते समय वित्तीय परामर्शदाता की उपस्थिति के प्रमाण लेखा परीक्षा में नहीं मिले।
7. उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या- 21(2) के अनुसार नमूने के रूप में जमा की जाने वाली निर्माण सामग्रियों एवं उनके परीक्षणों का वर्णन टेण्डर प्रपत्र में नहीं किया गया।
8. संस्था द्वारा सामग्री क्रय हेतु सुनियोजित प्रक्रिया के पालन से किसी एक ही फर्म मेसर्स दिनेश सिंह का टेण्डर स्वीकृत होना है तो वर्ष में एक बार टेण्डर प्रक्रिया में लगे धन व समय के दुरुपयोग से बचा जा सकता था किन्तु- संस्था द्वारा इसके औचित्य की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं किया गया।

अतः स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में टेण्डर मैनेज कर स्वीकृत कर नियमों का पालन न करके राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया, आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 23 उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम- 2008 की धारा - 3(7) के अन्तर्गत वर्क कन्स्ट्रक्शन के भुगतान में किसी ठेकेदार से निर्धारित दर (04 मार्च, 2008 से लागू 4 प्रतिशत) से मूल्य संबंधित दर से कटौती की जानी है।

शासनादेश संख्या ए-135/दस-2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टी0डी0एस0 सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी का है, इसके तहत टेण्डर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा है कि संविदाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन है एवं उसको विभाग टिन नम्बर जारी किया गया है।

संविदाकार के बिल को नियमानुसार भुगतान हेतु कोषागार में प्रस्तुत करते समय अथवा चेक के माध्यम से सीधे धनराशि आहरित करने वाले विभाग में चेक जारी करने के पर्व आहरण-वितरण अधिकारी के द्वारा देयक चेक पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि बिल के भुगतान से संबंधी धनराशि के

आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत/टिन धारक है एवं संविदा से संबंधित किये गये भुगतान पर प्राविधानिक कटौती कर ली गयी है लेकिन— दौरान लेखा परीक्षा इसका उल्लंघन दर्शित रहा साथ ही इसी क्रम में संस्था द्वारा क्षेत्र के निर्माण कार्य विकास खण्ड कैम्पस दक्षिणी तरफ दीवाल निर्माण कुल सामग्री की धनराशि 248048.79 के सापेक्ष 4 प्रतिशत की कटौती 9921.00 ग्राम पंचायत शिवदशा पलक धारी यादव के मढ़ई से सुरेन्द्र सिंह के घर तक खडन्जा कार्य कुल सामग्री की धनराशि 60618.00 के सापेक्ष कटौती 2424.00 ग्राम पंचायत उमरहां गिनतेश्वर पंडित के घर से शिवचरण पटेल के घर तक खडन्जा कार्य कुल सामग्री की धनराशि 281296.00 के सापेक्ष 11250.00 ग्राम पंचायत नारायणपुर हनुमान जी के मन्दिर से जयप्रकाश पाठक के घर तक इण्टर लांकिंग कुल सामग्री की धनराशि 207996.00 के सापेक्ष 8320.00 की कटौती ग्राम पंचायत धराधर देवरिया में खपड़िया बाबा मन्दिर के सामने इण्टरलांकिंग कुल सामग्री की धनराशि 258579.00 के सापेक्ष कुल 10343.00 की कटौती के द्वारा संस्था ने उपरोक्त निर्माण सामग्रियों के सापेक्ष कुल 42258.00 की कटौती किया जा ग्राण्ट रजिस्टर-3 दर्शित है किन्तु इसकी पुष्टि हेतु जमा धनराशि की प्रमाणित प्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि 4 प्रतिशत की दर से कटौती की धनराशि को कोषागार में जमा कर प्रमाणित प्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 24 क्षेत्र पंचायत चिरईगांव वर्ष 2017-18 में निविदा बिक्री प्रपत्रों से लेखा परीक्षा के दौरान आय की धनराशि ₹0 87514.00 प्राप्त होती है, ग्रांट रजिस्टर के अनुसार ₹0 79665.00 व्यय दर्शित कर अवशेष 8006.00 जाता है। उपरोक्त विवरण से निम्न आपत्ति पायी गयी —

1. निविदा बिक्री प्रपत्र के बाद जमानत की धनराशि से कितना आय प्राप्त हुआ अज्ञात रहा। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद जमानत की धनराशि कब ठेकेदार को वापस किया गया पत्रावलियों अनुपलब्ध रही।
2. निविदा बिक्री प्रपत्रों से प्राप्त धनराशि 87514.00 में 79665.00 की धनराशि काशीवार्ता प्रेस, शुभम स्टेशनरी फोटोस्टेट आदि में व्यय की प्रमाणित प्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. निविदा बिक्री प्रपत्रों की बिक्री में किसी एक क्षेत्रीय अखबार में प्रचार किया गया। संस्था द्वारा प्रति स्पर्धात्मक लाभ-हानि का ध्यान नहीं रखा गया।

अतः निविदा बिक्री प्रपत्रों से प्राप्त आय का व्यय प्रमाणक के प्रमाणित पत्रावलियों के अभाव में धनराशि का दुरुपयोग किया गया। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 25 विकास खण्ड चिरईगांव जनपद वाराणसी खण्ड विकास अधिकारी आदेश दिनांक 19.11.2017 के क्रम में कुल 25 ग्राम पंचायतों में मेसर्स काशी एजेन्सी से सोलर लाइट क्रय करके विकास खण्ड क्षेत्रों में लगाया गया। जिसका विवरण निम्न है —

ग्राम पंचायतें	दर	व्यय	आयकर कटौती
25	22350.00	558750.00	11175.00

उपरोक्त ग्राम पंचायतें दर व्यय और आयकर कटौती के संदर्भ में लेखा परीक्षादौरान निम्न आपत्तियां पायी गयी —

1. उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण 3478/यू.पी.नेडा/वी.सी.—हाई मास्टर/2015 दिनांक 15 दिसम्बर 2015 के अधीन लेखा परीक्षा में वार्षिक कार्ययोजना एवं प्रस्ताव जिसके अन्तर्गत कहाँ-कहाँ किस-किस ग्राम पंचायतों को सोलर लाइट से प्रकाशित करना है, सूची एवं पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. संस्था द्वारा स्थापना हेतु स्थल का चयन जनप्रतिनिधियों का परामर्श जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति एवं उच्च अधिकारियों एवं उनके द्वारा छाया रहित स्थल संबंधी पत्रावलियां अवलोकन हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. संस्था द्वारा सोलर लाइटों का क्रय मेसर्स काशी एजेन्सी से किया गया यह यूपी नेडा द्वारा रजिस्टर्ड प्राप्त अनुमोदित है अथवा नहीं ब्रान्ड की गारण्टी एवं गुणवत्ता आईडीटी 1 आईडीटी 2 आईडीटी 3 एजेन्सी का चरित्र प्रमाण पत्र, हैशियत प्रमाण पत्र एवं स्व पोषण प्रमाण पत्र आदि संबंधित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में समय प्रस्तुत नहीं रहा।
4. निविदा आमंत्रण किन्हीं दो अखबारों में पर्याप्त समय देकर होना चाहिए परन्तु पत्रावलियां अवलोकन हेतु उपलब्ध नहीं रही।

5. स्टॉक रजिस्टर में आमद संख्या एवं चालान व प्राप्ति का विवरण अंकित होना चाहिए किन्तु संस्था द्वारा विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. संस्था द्वारा 558750.00 धनराशि का सोलर लाईट क्रय किया गया जबकि पत्रावलियां में 5.35 लाख की लागत दर्शित है जो आपत्तिजनक रहा।

इस संस्था द्वारा सोलर लाइटों के क्रय में शासकीय नियमों का पालन न कर अनियमितता किया गया, आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

7. क्षेत्र पंचायत – चोलापुर

लेखा परीक्षा वर्ष– 2017–18

प्रस्तर –26 क्षेत्र पंचायत चोलापुर वित्तीय वर्ष 2017–18 में इन्दिरा आवास/प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रशासनिक मद के अन्तर्गत ग्रांट रजि0 3 के अनुसार रू0 622234.00 व्यय दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष/सम्बन्धी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है। इसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 27 क्षेत्र पंचायत चोलापुर वित्तीय वर्ष 2017–18 में ग्रांट रजि0 3 में क्रिटिकल गैप मद के अन्तर्गत रू0 351780.00 व्यय दर्शित है। ले0प0 में उक्त धनराशि की पुष्टि में व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयीं। अतः रू0 351780.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। इसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 28 दिनांक 31.03.2018 को ग्रांट रजि0 3 के अनुसार विभिन्न मदों में रू0 6532790.00 की धनराशि अवशेष है। नियमानुसार इसका उपभोग वित्तीय वर्ष में कर लिया जाना चाहिए। अनुदान का उपभोग रोककर मजदूरों को रोजगार व विकास खण्ड को विकास कार्य से वंचित किया गया, इसके लिए उक्त वित्तीय वर्ष के लेखाकार व बी0डी0ओ0 उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –29 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से मस्टर रोल से कराये गये कार्यों के सापेक्ष कुशल/अकुशल श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान चेक से किया जाना है, परन्तु भुगतान कार्य प्रभारियों को किया गया है जो कि वित्तीय नियमों/शासनादेशों की अवहेलना करते हुए गम्भीर अनियमितता है, जिसके प्रति बी0डी0ओ0/लेखाधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रम.	योजना/मद	मजदूरी पर नकद व्यय	मजदूरी प्राप्त करने वाले प्रभारी
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	94120.00	श्री अशोक कुमार राजभर (एडीओ सह0)
2.	चतुर्थ राज्य वित्त	393620.00	श्री सुनील कुमार सिंह (बीटी)
3.	चतुर्थ राज्य वित्त	72280.00	श्री अनिल कुमार (बीडीओ)
4.	चतुर्थ राज्य वित्त	58480.00	श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव (एडीओ सांख्यिकी)
	योग	618500.00	

प्रस्तर –30 वित्तीय वर्ष 2017–18 में अर्जित ब्याज में से रू0 108000.00 निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय कर दुरुपयोग किया गया है जिसके प्रति तत्कालीन बी0डी0ओ0/लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र.	भुगतान का मद	धनराशि
1.	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (एपीओ मनरेगा) को मानदेय	60000.00
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर (आवास) एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर (मनरेगा) को मानदेय	48000.00
	योग	108000.00

प्रस्तर – 31 पंचायत निर्वाचन मद के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत चोलापुर के वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 148260.00 व्यय दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष/सम्बन्धी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 32 क्षेत्र पंचायत चोलापुर वित्तीय वर्ष 2017–18 में ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार टी0डी0एस0 (वैट) कटौती के अन्तर्गत 31.03.2018 को रू0 49018.00 अवशेष दर्शित है। टी0डी0एस0 कटौती शासन को

जमा कर चालान प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 33 क्षेत्र पंचायत चोलापुर वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्राण्ट रजिस्टर 3 के अनुसार लेबर सेस कटौती के अन्तर्गत 31.03.2018 को रु0 104059.00 अवशेष दर्शित है। लेबर सेस कटौती की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा शासन को जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 34 वर्ष 2017-18 में अनुदान पंजी के अनुसार शासकीय अनुदानों पर रु0 110419.00 ब्याज अर्जित किया गया है। गत वर्ष तक अर्जित ब्याज रु0 590267.00 था दिनांक 31.03.2018 को कुल ब्याज रु0 331426.78 बैंक खाते में जमा रहा। जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए था। इसके प्रति तत्कालीन बीडीओ/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

8. क्षेत्र पंचायत-हरहुआ लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 से 2016-17

प्रस्तर-35 क्षेत्र पंचायत हरहुआ आपत्ति विभिन्न अनुदान मदों पर अर्जित ब्याज की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमाकर प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत है-

वर्ष	व्याज
2015-16	रु0 81976
2016-17	रु0 53200

उक्त अनियमितता के प्रति तत्कालीन बीडीओ/लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 अर्जित व्याज की धनराशि जो कि शासकीय धन हैं, का व्यय किया जाना दुरुपयोग की श्रेणी में आता है जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत है-

वर्ष	सन्निहित धनराशि
2015-16	रु0 11542
2016-17	रु0 66057

अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से उक्त धनराशियों को राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशियों का वित्तीय वर्ष के भीतर उपयोग कर लिया जाना चाहिए। धनराशियों का उपभोग रोक कर विकासकार्य बाधित किया गया जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत है-

वर्ष	सन्निहित धनराशि
2015-16	रु0 5494902.3
2016-17	रु0 7312222

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 सामग्री क्रय एवं फर्मों के भुगतान में आयकर कटौती न कर अनियमितता की गई। जिसका विवरण निम्नवत है-

वर्ष	धनराशि
2015-16	रु0 296198

इस प्रकार आयकर की कटौती न कर सरकारी राजस्व की क्षति की गई। आयकर की धनराशि को तत्कालीन बीडीओ/लेखाकार से व्याज सहित वसूल कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-39 सामग्री क्रय के भुगतान में वैट कटौती न कर अनियमित की गई। जिसका विवरण निम्नवत है-

वर्ष	धनराशि
2015-16	रु0 171344

वैट कटौती की उक्त धनराशि बीडीओ लेखाकार से व्याज सहित वसूलकर राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 बडालालपुर खुशहालनगर सेक्टर-4 लेन नं0-10 में कन्हैया यादव के मकान से अमरनाथ के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य में सामग्री क्रय का भुगतान सामग्री प्राप्त होने से पूर्व ही कर दिया गया। रु0135685

का भुगतान चेक सं० 44974 दिनांक 27.06.2015 के द्वारा मेसर्स दिनेश सिंह को किया गया । लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं क्रय सामग्री का स्टॉक रजि० में अंकन नहीं पाया गया । अतः रु० 135685 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बीडीओ लेखाकार से अपेक्षित हैं ।

प्रस्तर-41 बड़ालालपुर खुशहालनगर सेक्टर-4 लेन नं०-10 में कन्हैया यादव के मकान से अमरनाथ के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य में सामग्री क्रय का भुगतान तिथि रहित बाउचर/ व्यय प्रमाणक संख्या 1/37 के सापेक्ष किया गया हैं ।

रु० 130827 का भुगतान चेक सं० 58692 दिनांक 02.09.2015 के द्वारा मेसर्स दिनेश सिंह के पक्ष में किया गया
अतः : रु० 130827 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बीडीओ लेखाकार से अपेक्षित हैं ।

प्रस्तर-42 बड़ालालपुर खुशहालनगर सेक्टर-4 लेन नं०-10 में कन्हैया यादव के मकान से अमरनाथ के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य में मजदूरी हेतु रु० 41048 का भुगतान चेक सं० 58693 दिनांक 02.09.2015 के द्वारा कार्य प्रभारी भी अवधेश सिंह एडीओ सहकारिता को किया गया । प्रस्तुत मस्टररोल में निम्न कमियाँ पायी गयी—

क. मस्टररोल पर कार्यविधि का अंकन नहीं पाया गया ।

ख. मस्टररोल में क्रम संख्या का अंकन नहीं कर पाया गया ।

ग. मजदूरों के अंगूठे / हस्ताक्षर को समक्ष अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया ।

अतः रु० 41048 की धनराशि का अपहरण अनियमित तरीके से कर अपहरण कर लिया गया । जिसका ब्याज सहित वसूली बीडीओ / लेखाकार/ कार्यप्रभारी से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-43 ग्राम सभा रसूलपुर में पीयूष राय के माकान से यगेश राय के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य में मजदूरी का भुगतान रु० 58118 चेक सं० 66001 दिनांक 08.01.2016 के द्वारा कार्यप्रभारी श्री मिट्ठू सिंह यादव (एडीओ एसबीआई) को किया गया । उक्त भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत मस्टररोल पर मजदूरों के अंगूठे के निशान/हस्ताक्षर समक्ष अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं पाये गये ।

इस अनियमित भुगतान के तत्कालीन बीडीओ / लेखाकार/ कार्यप्रभारी उत्तरदायी है ।

अतः रु० 58118 की ब्याज सहित वसूली बीडीओ / लेखाकार/ कार्यप्रभारी से अपेक्षित है ।

प्रस्तर-44 विकासखण्ड मुख्यालय परिसर में बाउन्ड्री मरम्मत, रेगाई पोताई, आवासीय भवनों की मरम्मत अत्यादि कार्य पर वर्ष 2015-16 में रु० 162462 का भुगतान किया गया । उक्त भुगतान में निम्नांकित गम्भीर अनियमितताएँ पायी गयी ।

क. क्रय सामग्री के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, बाउचर अनुपलब्ध रहें ।

ख. कार्य अपूर्ण रहा, जिससे सामग्री क्रय पर किया गया भुगतान औचित्यहीन रहा ।

ग. क्रय सामग्री का स्टॉक रजि० में अंकन नहीं किया गया ।

अतः रु० 162462 का सामग्री क्रय पर औचित्यहीन व्यय द्वारा राजकीय धन की क्षति की गई । जिसके प्रति तत्कालीन लेखाकार/ बीडीओ सयुक्त रूप से उत्तरदायी है । उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-45 ग्राम सभा सोयेपुर में वर्ष 2015-16 में गुलाबचन्द उपाध्याय के मकान में ओमकार कालोनी तक इण्टरलाकिंग कार्य में सामग्री क्रय हेतु रु० 225683 चेक सं० 060004 द्वारा मेसर्स दिनेश सिंह को किया गया । इसके प्रति निम्न आपत्तियाँ हैं—

क. व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे ।

ख. क्रय सामग्री का अंकन स्टॉक रजि० में नहीं किया गया ।

ग. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध रहा ।

अतः रु० 225683 के अनियमित व्यय के प्रति तत्कालीन बीडीओ / लेखाकार उत्तरदायी है । ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-46 ग्राम सभा सोयेपुर में वर्ष 2015-16 में गुलाबचन्द उपाध्याय के मकान से ओमनगर कालोनी तक इण्टरलाकिंग कार्य में मजदूरी का भुगतान रु० 28245 चेक सं० 06005 के माध्यम से कार्यप्रभारी श्री मिट्ठू सिंह यादव के पक्ष में किया गया, जिसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत हैं—

क. मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टररोल अनुपलब्ध रहा ।

ख. एमबी अनुपलब्ध रहा ।

अतः रु0 28245 का बैंक से अपहरण कर गबन किया गया जिसके प्रति तत्कालीन बीडीओ /लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-47 विभिन्न कार्यप्रभारी को मजदूरी की धनराशि का भुगतान वर्ष 2015-16 में रु0 1928315 किया गया। जबकि मजदूरी का भुगतान उनके खाते में चेक द्वारा किया जाना चाहिए।

उक्त अनियमितता के लिए तत्कालीन तत्कालीन बीडीओ /लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-48 वर्ष 2015-16 में मिट्टी खनन पर रायल्टी कटौती की स्थिति निम्न रही-

क्र० सं०	मद	मिट्टी की कुल मात्रा (उ)	दर	कटौती जो होना चाहिए	जो किया गया	कम कटौती
1	तृतीय वित्त	468.50	14	रु0 6559	—	रु0 5659
2	13 वां वित्त	0.30	14	रु0 4.2	—	रु0 4.20
3	विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि	57.64	14	रु0 807.00	—	रु0 807.00
4	पूर्वांचल विकास निधि	226.57	14	रु0 3172	—	रु0 3172.00
5	सांसद	99.71	14	रु0 1396	—	रु0 1396
योग						11938.20

अतः वर्ष 2015-16 के विभिन्न कार्यों में मिट्टी पर रायल्टी न काटकर रु0 11938.00 की राजकीय क्षति की गई। जिसके प्रति तत्कालीन बीडीओ /लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-49 वर्ष 2016-17 में रु0 52558 (रायल्टी) जमा की पुष्टि में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त धनराशि जमा की गई या व्यय कर अपहरण कर ली गई इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। इसके लिए तत्कालीन तत्कालीन बीडीओ /लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-50 वर्ष 2016-17 में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया अतः रु0303222 अपुष्ट रहा जिसके प्रति तत्कालीन बीडीओ /लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-51 वर्ष 2016-17 में 13 वें वित्त आयोग की धनराशि को शासन को वापस न कर रु0 626860 व्यय किया गया। जिसके प्रति तत्कालीन बीडीओ /लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-52 वर्ष 2016-17 में मजदूरी का भुगतान रु0 497266 कार्य प्रभारी को किया गया। जिसके प्रति तत्कालीन बीडीओ /लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

9. क्षेत्र पंचायत-हरहुआ

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15

प्रस्तर-53 आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के धारा अनुसार शासकीय नुदान से कराये जाने वाले कार्यों तथा सामग्री के आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत प्रत्येक तिमाही की तिथि की लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण/वितरण अधिकारी पर न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह का कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। आलोच्य वर्ष में 2.00 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती सुनिश्चित नहीं की गयी है। वर्ष 2014-15 के निर्माण कार्य फाइलों में कुल सामग्री क्रय व्यय रु0 61,12,438.00 रहा, इस पर नियमानुसार 2.00 प्रतिशत की दर से रु0 122249.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी, लेकिन संस्था के अधिकारियों ने शासनादेश का उल्लंघन करके टीडीएस की कटौती नहीं की हैं। रु0 122249.00 की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित संस्था के अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित कर राजकोश में जमा किया जाना अपेक्षित है। इसके लिये बी0डी0ओ0 श्रीमती नीरजा गुप्ता, श्री राधेश्याम जी, श्रीमती अपूर्वा दूबे एवं लेखाकार

सुमन कुमार दास समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-54 ग्राम बड़ालालपुर खुशहाल नगर सेक्टर ए, लेन नं० 12 मोड़ पर मेन रोड से श्रीमती कालिका देवी के प्लॉट तक खड़जा कार्य के मस्टर रोल संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं। उपस्थिति पंजिका पर कार्य का नाम, माप पुस्तिका संख्या पृष्ठ, वर्क इन्चार्ज के हस्ताक्षर, कार्य अवधि, आदि का उल्लेख नहीं हैं। मस्टर रोल के अंगूठा निशान भी किसी सक्षम अधिकारी/कर्मचारी से प्रमाणित नहीं हैं। अतः उक्त कार्य के रूपया 56,316.00 का कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। भुगतान भी कार्मिकों के खाते में न करके कार्य प्रभारी श्री मिट्ठू सिंह यादव को ही किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री मिट्ठू सिंह यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-55 वर्ष 2014-15 में पूर्वांचल विकास निधि की ग्राम पंचायत भैठौली में भोजबीर पहली पट्टी मार्ग से कपूर राम के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य में दिनांक 15.06.2015 से 21.06.2015 तक के मस्टर रोल पर कुल 17 मजदूरों ने 113 दिन कार्य किया है इसमें लालजी पुत्र गमन ने महज छः दिन कार्य किया है लेकिन इन्हें 7 दिन का भुगतान किया गया है। रू० 161.00 जिसका ज्यादा भुगतान किया गया है कि कार्य प्रभारी श्री अवधेश सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-56 पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संग्रहण पाये गये हैं, उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह भी प्रमाणित नहीं है। कार्य में लगे मजदूरों का गाँव भी उल्लेखित नहीं है। मस्टर रोल पर उक्त सूचनाओं का स्पष्ट उल्लेख कराया जाना चाहिये। इन्हीं मस्टर रोलों में दर्शित मजदूरों के भुगतान मजदूरों के खाते में न करके कार्य प्रभारियों को ही वीयरर चेक के माध्यम से रू० 8,09,120.00 किया गया है, जबकि भुगतान मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिये था। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-57 वर्ष 2014-15 में कुल सामग्री क्रय रू० 61,12,438.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वैट की दर से रूपया 2,44,497.00 कटना चाहिये था किन्तु रूपया 1,97,006.00 की ही कटौती हुई है। अतः रूपया 42491.52 से कम कटौती करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है तथा काटी गयी धनराशि रू० 2,44,497.52 को ट्रेजरी या बैंक में 31.03.2015 तक जमा नहीं किया गया है जिस हेतु तत्कालीन बीडीओ एवं लेखाकार जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

10. क्षेत्र पंचायत-हरहुआ लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14

प्रस्तर-58 संस्था द्वारा वर्ष 13-14 में निर्माण कार्यों पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है।-

1	विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि	8,11,180.00
2	राज्य वित्त आयोग	21,35,859.00
3	तेरहवां वित्त आयोग	33,91,548.00
4	पूँजीगत विकास योजना	27,13,343.00

योग रू० 90,51,930.00

दर्शित निर्माण कार्यों का इस पर व्यय की गयी धनराशि पर निम्न गम्भीर तथ्य प्रकाश में लाये जाते हैं -

- (1) परियोजनावार निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है।
- (2) परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया, जिससे वर्ष 13-14 के बीच कराये गये कार्यों एवं 13-14 के पूर्व वर्षों में कराये गये कार्यों में स्पष्ट विभेद नहीं हो सका सम्भव है कि पूर्व के वर्षों में कराये गये कार्यों को पुनः आलोच्य वर्ष में दर्शाकर धनराशि का दुरुपयोग किया गया हो।
- (3) निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृत/अनुमोदन एवं संस्था को निर्माण कार्य हेतु आवंटित कार्यों की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गयी जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि जो कार्य संस्था द्वारा ग्राण्ट रजि० भाग-2 में दर्शाये गये हैं, उन कार्यों को कराये जाने हेतु संस्था को आवंटित किया गया है अथवा नहीं।
- (4) वित्त आयोग व शासन से प्राप्त समस्त अनुदान राशियों को नियमानुसार 6 माह के भीतर विकास कार्यों में प्रयुक्त कर उपभोग प्रमाण पत्र शासन को भेज जाने का प्रावधान है, किन्तु माँग के बावजूद कुल उपयोगिता धनराशि रूपया 9051930.00 की उपभोग प्रमाण-पत्र पत्रावली व प्रेषक की स्थिति को अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(5) शासनादेश सं०- 3891/77-5-2002 दिनांक 05 अगस्त 2002 एवं 4951-(2)/77-05-06-506/06 दिनांक 15.10.06 एवं तस्मिन्धी अन्य शासनादेशों में यह व्यवस्था निर्धारित है कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप खनिजों यथा-गिट्टी, मोरंग बालू मिट्टी आदि को आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति एवं सामग्री परिवहन को सुनिश्चित करने हेतु वैध रवन्ना (एम०एम०-2) प्राप्त कर लिया जाय, तत्पश्चात् ही भुगतान किया जाय। किन्तु न तो रायल्टी जमा कर ट्रेजरी चालान और न ही वैध रवन्ना तो दर्शित निर्माण कार्य भी संदिग्ध ही रहेगा।

उपरोक्त बिन्दु 1 से 15 को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि संस्था द्वारा जो भी निर्माण कार्य और उस पर व्यय दर्शित है, वह संदिग्ध है। जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। यह भी संभावना है कि दर्शित कार्यों पर दर्शित किये गये व्यय अंकन रूपया 9051930.00 का घोर अनियमितता किया गया तो इसके प्रति संबन्धित कार्य प्रभारी, लेखाकार श्री सौमित्र दास व खण्ड वि० अधि० श्रीमती नीरज गुप्ता उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-59 दिनांक 31.03.14 को संस्था के अभिलेखों के अनुसार अवशेष धनराशि रूपया 6318898.30 दर्शित पाया गया। स्पष्ट है कि वास्तविक उपभोग की गति धीमी है, जिससे शासन की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य सम्पन्न न कराकर विकास कार्यों को बाधित करते हुए रूपया 6318898.30 की धनराशि दिनांक 31 मार्च 2014 का रोककर घर अनियमितता किया गया है। नियमानुसार वर्षान्त तक समस्त धनराशि उपभोग कर ली जानी चाहिए थी, अन्यथा की स्थिति में उसे शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए था। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से ऐसा कर पाना सम्भव नहीं रहा आगामी वर्ष में उपभोग हेतु महालेखाकार से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी, किन्तु संस्था द्वारा ऐसा न कर वर्ष-प्रतिवर्ष राजकीय धनराशि रोक रखी जा रही है तथा शासन को वापस न कर बिना अनुमति के अनियमित रूप से वर्ष-प्रतिवर्ष धनराशि का अनाधिकृत रूप से उपभोग किया जा रहा है, जो आपत्तिजनक है।

यह भी तथ्य प्रकार में आया कि शिक्षा भवन, चिकित्सा भवन, संचार साधन, जलापूर्ति तंत्र इत्यादि कल्याणकारी योजनाओं के प्रति उदासीनता बरती गयी है। धन के अधिकाधिक प्रयोग को केवल मार्ग निर्माण पर व्यय किया जाना चिन्तनीय है, जिसके लिए लेखाकार-श्री सौमित्र दास एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नीरजा गुप्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-60 संस्था द्वारा वर्ष 2013-14 में दर्शित निर्माण कार्यों के सापेक्ष आयकर, व्यापार कर तथा रायल्टी मद में राजकीय राजस्व की कटौती नहीं की गयी है। सम्बन्धित रजिस्टर मदवार, वर्षवार ब्याज सहित वसूली व जमा के क्रम में तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय तथा क्षति का वास्तविक आंकलन, क्षति की प्रतिपूर्ति एवं उत्तरदासित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। यह भी उल्लेखनीय है कि लेखापरीक्षा में परियोजनावार, मदवारश्रम एवं सामग्री मद प्रयुक्त धनराशि का विवरण भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः राजकीय राजस्व की धनराशि का आंकलन सम्पूर्णतः संभव नहीं हो सका। 13वां वित्त एवं राज्य मद से क्रय सामग्री पूज्य (2714456+1352131=4066587.00) का व्यापार कर 4% की दर से कुल रूपया 162663.00 का अनियमित रूप से व्यय कर लिया गया है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है जिसके लिए लेखाकार श्री सौमित्र दास एवं वी०डी०ओ० श्रीमती नीरजा गुप्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

प्रस्तर-61 अनुदान रजिस्टर भाग-3 के अनुसार वर्ष 13-14 में राजकीय अनुदान की स्थिति निम्नवत् दर्शित है-

वर्ष	ग्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में उपभोग	वर्षान्त में शेष
2013-14	4588339.00	11155003.00	9424443.70	6318898.00

अनुदान रजिस्टर पर अंकित विवरण के अनुसार संस्था द्वारा कुल 6 बैंक खाते संचालित किये जा रहे हैं, जिसके अनुसार खातों में कुल रूपया 7185656.30 जमा दर्शित किया गया है। इस प्रकार 31 मार्च 2014 को बैंक एवं संस्था के बीच रूपया 866758.00 का अन्तर विद्यमान है। किन्तु अन्तर के समाधान हेतु बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं किया गया है। बैंक समाधान की विवरण पत्र तैयार नहीं किया गया है। बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार कर समाधानित तिथियों का उल्लेख करते हुए समाधान की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त बैंक खातों का चिन्हांकन इस तरह से नहीं किया गया है कि किस-किन खाते में किस-किस योजना का धन प्राप्त हुआ। राजकीय अनुदान की प्रत्येक योजना के अलग-अलग बैंक

खाते न खोले जाने/चिन्हांकित न किये जाने के कारण अनुदान रजिस्टर में दर्शित आय-व्यय एवं अवशेष का मिलान और इसकी वास्तविकता को लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं किया जा सका, जिसके लिए लेखाकार श्री सौमित्र दास और खण्ड वि० अधिकारी श्रीमती नीरजा गुप्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-62 लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 के ब्याज मद में अगस्त 2013 का प्रारम्भिक अवशेष रूपया 5049.00 (अनुदान पंजिका भाग-3) दर्शाया गया है। माह अगस्त में ही ब्याज मद में रूपया 30961.00 आमद दर्शित है। अनुदान पंजिका-3 में माह अगस्त में ही 13 वें वित्त का ब्याज रूपया 58790.00 अलग से दर्शाया गया है। इस प्रकार माह अगस्त 2013 के प्रारम्भिक अवशेष एवं माह में प्राप्त ब्याज को जोड़ने पर योग रूपया 94800.00 आता है, जबकि अनुदान पंजिका में योग रूपया 36010.00 अंकित किया गया है और ब्याज मद में जोड़ा नहीं गया है। इस प्रकार व्याज के धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए लेखाकार श्री सौमित्र दास और खण्ड वि० अधिकारी श्रीमती नीरजा गुप्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर-63 शासनादेश सं० 10/2015/ए-1502 (1)/ दस-2015-10 (33)/2015 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों के बैंक में रखने के बाद व्याज अर्जित होगा, वह संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित व्याज राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जायेगा।" जबकी ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार मनमाने ढंग से सम्बन्धित खातों में ही व्याज की धनराशि रोककर धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः व्याज मद में प्राप्त अवशेष धनराशि रूपया 58228.00 को राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिये था।

मह जून 2013 में व्याज मद की धनराशि से रूपया 3778.00 का उपभोग किया गया है। नियमानुसार वर्ष में प्राप्त अनुदान राशि से अधिक धनराशि का उपभोग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उपयोगित धनराशि रूपया 3778.00 का अनाधिकृत रूप से उपभोग करके धन का दुरुपयोग किया गया है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है।

यह भी उल्लेखनीय है कि बैंक पासबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया, जिससे व्याज की धनराशि की पुष्टि भी संभव नहीं रही। इसके लिए लेखाकार श्री सौमित्र दास और खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नीरजा गुप्ता उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर-64 अनुदान पंजिका के अनुसार राष्ट्रीय वायोगैस कार्यक्रम मद में प्रा० अवशेष रूपया 3500.00 रहा तथा वर्ष में कुल रूपया 64000.00 का अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान कुल रूपया 64000.00 उपभोग करने के पश्चात् वर्षान्त में रू० 3500.00 अवशेष रहा, जिसे शासन को वापस करना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में उपरोक्त उपयोगित धनराशि से लाभान्वित लाभार्थियों की प्रमाणित सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी जिससे व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट व अप्रमाणित रही। धनराशि चेक के माध्यम से दी गयी है या नकद विवरणसूची प्रस्तुत नहीं रहा जिसके लिए लेखाकार श्री सौमित्र दास एवं बी०डी०ओ० श्रीमती नीरजा गुप्ता उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-65 संख्या द्वारा बीओसी डब्ल्यू एक्ट या सेस एक्ट 1996 के अन्तर्गत जारी शासनादेश संख्या-1090/36-2-252/दिनांक 03.12.2012 द्वारा एक प्रतिशत लेबर सेस कटौती कर राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करने का प्रावधान है जिससे श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जानी हैं। किन्तु संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में लेबर सेस कटौती न करना घोर अनियमितता है। इस प्रकार निर्माण कार्य में प्रयुक्त धनराशि रूपया 9051930.00 का एक प्रतिशत रूपया 90519.00 लेबर सेस कटौती करके राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाना चाहिए।

ज्ञातव्य है यदि कोई नियुक्ता धारा-3 के अन्तर्गत कर विलम्ब से जमा करता है तो उसे 2 प्रतिशत (भुगतान योग्य कर पर) प्रतिमाह की दर से दण्ड चुकाना होगा। इसी प्रकार सेस एक्ट का पालन न करने पर तीन माह का जेल या दो हजार जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। उक्त के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, जिसके लिए लेखाकार श्री सौमित्र दास एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नीरजा गुप्ता उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

11. क्षेत्र पंचायत-हरहुआ लेखा परीक्षा वर्ष 2011-2012 से 2012-13

प्रस्तर-66 वर्ष - 2011-12

तेरहवॉ वित्त में निम्नलिखित दिनांको में निम्नलिखित चेकों के द्वारा ग्रांट रजिस्टर 2 में निम्न प्रकार व्यय दर्शित किया गया है, जिसको तेरहवॉ वित्त से खारिज किया गया है :-

दिनांक	चेक सं०	भुगतान जिसे किया गया	धनराशि
01.05.11	023988	मे० गायत्री कन्स्ट्रक्शन सोयेपुर	291853.00
13.07.11	023899	आयकर + सेल टैक्स कटौती	19423.00
		आयकर + सेल टैक्स कटौती	390923.00
		आयकर + सेल टैक्स कटौती	26016.00
13.06.11	0223990	दशरथ सिंह स०वि०अ० (स०क०)	136720.00
01.07.11	023991	कमल कन्स्ट्रक्शन रसूपुर	16265.00
02.07.11	023992	मे० गायत्री कन्स्ट्रक्शन सोयेपुर	85606.00
09.09.11	024000	मे० गायत्री कन्स्ट्रक्शन सोयेपुर	48053.00
05.11.11	001645	मे० गायत्री कन्स्ट्रक्शन सोयेपुर	49067.00
22.11.11	001646	मे० गायत्री कन्स्ट्रक्शन सोयेपुर	230084.00
26.12.11	001647	गौतम स्पन पाइप मझमटिया वाराणसी	304198.00
26.12.11	001647	मे० गायत्री कन्स्ट्रक्शन सोयेपुर	69087.00
26.12.11	001648	दशरथ सिंह स०वि०अ० (स०क०)	105710.00
23.01.12	001655	अवधेश कुमार सिंह स०वि०अ० (सह०)	28690.00
योग			1900513.00

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं :-

- (1) उपरोक्त व्यय किस कार्य पर किया गया है, ग्रांट रजिस्टर 2 में उल्लेख नहीं है।
- (2) व्यय धनराशि (भुगतान धनराशि) से सम्बन्धित बिल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

व्यय धनराशि संदिग्ध प्रतीत होता है। उपरोक्त व्यय सम्बन्धित फर्मों तथा व्यक्तियों को विना कार्य का विवरण दर्शाये तथा विना क्रय विल के भुगतान दर्शित कर अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम वावू त्रिपाठी, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष श्री अरविन्द सिंह, तथा आंकिक श्री सुमन कुमार दास से अपेक्षित है।

प्रस्तर-67 पूंजीगत विकास योजना में वर्ष 2011-12 में कुल प्राप्त रु० 440496.00 हुआ। उक्त योजना के बैंक खाते पर रु० 1903.00 व्याज प्राप्त हुआ, इस प्रकार वर्ष 2011-12 में कुल प्राप्त रु० 442399.00 हुआ। प्राप्त धनराशि में रु० 435915.00 विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया। शेष धनराशि रु० 4581.00 तथा व्याज की धनराशि रु० 1903.00 कुल रु० 6484.00 चालान सं० ट०70024 दिनांक 04.01.2012 को ग्रांट रजिस्टर -2 में वापस करना दर्शित है। लेखा परीक्षा में चालान की प्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे धन वापसी की पुष्टि नहीं की जा सकी। धन वापसी की पुष्टि करानी जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-68 वर्ष 2011-12 के ग्रांट रजिस्टर-2 के अवलोकन में पाया गया कि सेल टैक्स तथा आयकर मद में सामग्री आपूर्ति कर्ताओं से भिन्न प्रकार प्राप्त किया गया :-

सामग्री आपूर्तिकर्ता	सेल टैक्स	आयकर
(1) मेसर्स गायत्री कन्स्ट्रक्शन सोयेपुर वाराणसी।	29128.00	16311.00
(2) नवीन हार्डवेयर एवं विल्डिंग मटेरियल्स तरना बाजार वाराणसी।	5489.00	3074.00
(3) एम.आर. कन्स्ट्रक्शन पहाडीया वाराणसी।	1796.00	1005.00
योग	36413.00	20390.00

सेल टैक्स तथा आयकर की धनराशि को श्री मृत्यंजय सिंह कैशियर द्वारा चेक सं० 031009 दिनांक 22.03.2012 मेसर्स गायत्री कन्स्ट्रक्शन सोयेपुर वाराणसी को रु० 45439.00 (सेल टैक्स रु० 29128.00 + आयकर रु० 16311.00) चेक सं० 031010 दिनांक 22.03.2012 नवीन हार्डवेयर एवं विल्डिंग मटेरियल्स तरना वाराणसी रु० 8563.00 (सेल टैक्स रु० 5489.00 + आयकर रु० 3074.00) तथा चेक सं० 031011 दिनांक 22.03.2012 एम.आर. कन्स्ट्रक्शन पहाडीया वाराणसी को रु० 2801.00 (सेल टैक्स रु० 1796.00 + आयकर रु० 1005.00), इस आशय से वापस किया गया कि सम्बन्धित पक्ष वापसी धनराशि को सेल टैक्स विभाग तथा आयकर विभाग में जमा कर चालान के प्रति क्षेत्र पंचायत कार्यालय को उपलब्ध कराये। लेखा परीक्षा में सम्बन्धित विभागों में जमा धनराशि की चालान की प्रति उपलब्ध नहीं कराया जिससे उक्त विभाग में

जमा धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। जमा धनराशि रु0 56803.00 चालान के अभाव में अपूष्ट हैं। जमा की पुष्टि न होने की स्थिति में उक्त धनराशि का अपहरण किया गया हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम बाबू त्रिपाठी, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष श्री अरविन्द सिंह, तथा आंकिक श्री सुमन कुमार दास से अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-69 वर्ष 2011 -12 विधान मंडल क्षेत्र वि0 निधि खाते से विभिन्न चेकों के माध्यम से निम्नलिखित को भुगतान किया गया है -

दिनांक	चेक सं0	धनराशि	भुगतान/चेक प्राप्तकर्ता
15.06.11	011026	114704.00	में नन्दलाल सिंह ईट भट्टा
15.06.11	011027	56739.00	कमल कन्स्ट्रक्शन रसूलपुर
01.07.11	011028	42102.00	एम.आर. कन्स्ट्रक्शन
01.07.11	011029	335899.00	कमल कन्स्ट्रक्शन रसूलपुर
02.07.11	011030	85200.00	गोपल सिंह यादव ग्रा0 वि0 अ0
02.07.11	011031	27648.00	कमल कन्स्ट्रक्शन रसूलपुर
02.07.11	011032	12787.00	कमल कन्स्ट्रक्शन रसूलपुर
दिनांक	चेक सं0	धनराशि	भुगतान/चेक प्राप्तकर्ता
10.07.11	011033	17480.00	अवधेश कुमार सिंह स0वि0अ0 सह0
15.07.11	011034	16480.00	अवधेश कुमार सिंह स0वि0अ0 सह0
05.12.11	011039	144175.00	में नन्दलाल सिंह ईट भट्टा
05.12.11	011040	59081.00	कमल कन्स्ट्रक्शन रसूलपुर
05.12.11	011042	60092.00	कमल कन्स्ट्रक्शन रसूलपुर
05.12.11	011043	222404.00	कमल कन्स्ट्रक्शन रसूलपुर
05.12.11	011043	202468.00	कमल कन्स्ट्रक्शन रसूलपुर
13.12.11	011044	19820.00	गोपल सिंह यादव ग्रा0पं0अ0
13.12.11	011045	17595.00	प्रमोद कुमार पाठक ग्रा0पं0अ0
13.12.11	011046	35800.00	मनवोध कुमार लाल ग्रा0पं0अ0
13.12.11	011047	4300.00	कमल कन्स्ट्रक्शन रसूलपुर
13.12.11	011048	20005.00	अवधेश कुमार सिंह स0वि0अ0 सह0
15.12.11	011049	108770.00	में नन्दलाल सिंह ईट भट्टा
15.12.11	011050	38514.00	कमल कन्स्ट्रक्शन रसूलपुर
15.12.11	001681	108770.00	में नन्दलाल सिंह ईट भट्टा
15.12.11	001682	38514.00	कमल कन्स्ट्रक्शन रसूलपुर
25.03.12	001684	1200.00	मनवोध कुमार लाल ग्रा0पं0अ0
31.03.12	001685	12915.00	मनवोध कुमार लाल ग्रा0पं0अ0
31.03.12	001686	12730.00	मनवोध कुमार लाल ग्रा0पं0अ0
31.03.12	001687	151617.00	एम.आर. कन्स्ट्रक्शन पडडीया वाराणसी।
31.03.12	001688	11225.00	प्रमोद कुमार पाठक ग्रा0पं0अ0

योग 2007583.00

उपरोक्त सभी व्यय की धनराशि ग्रांट रजिस्टर 2 में अंकित करते हुए ग्रांट रजिस्टर 3 से खारिज किया गया है। उपरोक्त व्यय किस योजना से सम्बन्धित है ग्रांट रजिस्टर 2 में अंकित नहीं है। उक्त व्यय से सम्बन्धित किसी कार्य योजना की फाइल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्तानुसार व्यय धनराशि व्यय साक्ष्य के अभाव में फर्जी प्रतीत होता है। व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराकर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीराम बाबू त्रिपाठी, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष श्री अरविन्द सिंह, तथा आंकिक श्री सुमन कुमार दास से रु0 2007583.00 ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-70 वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त, तेरहवॉ वित्त, पूंजीगत विकास योजना, विधायक निधि, सांसद निधि के अन्तर्गत कराये गये कार्य पर सामग्री मद तथा श्रमांश मद में निम्न प्रकार व्यय किया गया है, मदवार कार्यो पर विवरण इस प्रकार है -

मद :- राज्य वित्त			
क्र.सं.	कार्य का नाम	समाग्री	श्रमांश
1	बड़ालालपुर में खुशहालनगर सेक्टर ए में अलगू सिंह के घर से ववलू मे घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य एवं राजेश सिंह वी.डी.सी. के मकान से जेल तक मरम्मत कार्य।	371039.00	45390.00
2	गोकुल पिच रोड से राजन सिंह के मकान के पीछे तक इण्टर लॉकिंग कार्य।	499110.00	66775.00
3	सोयेपुर वाराणसी में वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर डा0 घनश्याम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय के समाने से गुलाब यादव के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य।	401621.00	39400.00
4	ग्राम रामदत्तपुर में हाशिमपुर कनक कन्वेंट स्कूल से राम सुन्दर पटेल के मकान तक इण्टर लांकिंग कार्य।	400515.00	39400.00
	मद :- विधायक निधि		
5	पिसौर में शोभनाथ के घर के पास सार्वजनिक चबुतरा छत निर्माण	165728.00	7119.00
6	वसदेवपुर में रामजीत के घर के पास सार्वजनिक स्थल पर छत सहीत चबुतरा निर्माण।	177620.00	59215.00
7	उदयपुर में प्रा0 पाठशाला के पास सार्वजनिक निर्माण स्थल पर छत सहीत चबुतरा निर्माण कार्य।	181801.00	71810.00
8	गणेशपुर में स्वास्थ्य केन्द्र के पास सार्वजनिक स्थल पर छत सहीत चबुतरा निर्माण।	182001.00	54915.00
	मद :- पूंजीगत विकास योजना		
9	ग्राम पंचायत गणेशपुर में पंचक्रोशी मार्ग पर रामनाथ पटेल के घर से शिवानन्द के घर तक एवं राजनाथ पटेल के घर से वी0पी0सिंह के घर तक जल निकासी कार्य।	377915.00	58000.00
	योग	2757350.00	

उपरोक्त कार्य पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियाँ है :-

(क) क्षेत्र पंचायत के कार्यवाही पंजिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण कार्य प्रस्ताव की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ख) उपरोक्त सभी कार्यो पर सामग्री अंश पर रु0 100000.00 से अधिक व्यय किया गया। रु0 100000.00 से अधिक के समग्री अंश पर कोटेशन के स्थान पर समाग्री आपूर्ति हेतु टेण्डर निविदा की माँग की जाना चाहिए थी, जो नहीं किया गया। टेण्डर न निकालकर नियम के विरुद्ध समाग्री अंश पर मनमाने तरीके से व्यय किया गया।

(ग) समाग्री आपूर्ति का चालान व्यय प्रमाणक के साथ संलग्न नहीं है।

(घ) सामग्री क्रय का लेखाकन की पुष्टि स्टॉक पंजिका के अभाव में नहीं की जा सकी।

(ङ) बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि समाग्री आपूर्ति का भुगतान तथा श्रमांश का भुगतान एकाउन्ट पेयी किया गया अथवा नहीं।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्यो पर किया गया व्यय अनियमित है, जिसके जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास श्री राम बाबू त्रिपाठी, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष श्री अरविन्द सिंह, तथा आंकिक श्री सुमन कुमार दास संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-71 बड़ालालपुर में खुशहालनगर सेक्टर ए में अलगू सिंह के घर से ववलू मे घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य एवं राजेश सिंह वी.डी.सी. के मकान से जेल तक मरम्मत कार्य पर कार्यरत श्रमिक (01.05.12 से 7.

05.12 तक कुल 20 श्रमिक) कम श्रमांश हेतु चेक सं0 009590 दिनांक 08.05.2012 से रु0 21990.00 भुगतान किया गया है परन्तु ग्रांट रजिस्टर-2 के अनुसार 261990.00 (चेक सं0 009590 दिनांक 08.05.12)भुगतान करना दर्शित है जिसकी पुष्टि कैशबुक से होती है। वास्तविक श्रमांश से 4200.00 रु0 अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अवधेश कुमार सिंह स0वि0अ0(सह0) से अपेक्षित है।

प्रस्तर-72 वर्ष- 2012-13

अनुदान पंजिका 2 में चन्दापुर पटेल वस्ती में जल निकासी कार्य दर्शित कर चेक सं0010289 दिनांक 17. 10.12 से मे0 गायत्री कन्स्ट्रक्शन सोयेपुर को 16404.00 रु0 तथा चेक सं0 010290 दिनांक 17.10.12 से श्री अवधेश कुमार सिंह स0वि0अ0(सह0) को 26300.00 रु0भुगतान दर्शित कर गांट रजिस्टर-3 केतेरहवां वित्त मद से माह अक्टूबर 12 में कुल 42704.00 रु0 खारिज किया गया है।

उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावाली जैसे कार्य का प्रस्ताव, काग्य कराने का आदेश, कार्य माप पुस्तिका, कार्य में प्रयुक्त समाग्री का क्रय प्रमाणक, तथा काग्य करने वाले श्रमिकों का मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। उक्त पत्रावाली को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना काग्य न होना की पुष्टि करता है। मे0 गायत्री कन्स्ट्रक्शन सोयेपुर तथा अवधेश कुमार सिंह स0वि0अ0(सह0) को क्रमशः 16404.00 रु0 तथा 42704.00 रु0 कुल 59108.00 रु0 का भुगतान दर्शित कर अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरजा गुप्ता, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष श्री अरविन्द सिंह तथा आंकिक श्री सुमन कुमार दास से संयुक्त रूप से अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-73 दिनांक 05.11.12 के वी. डी.सी. की बैठक में भत्त भुगतान हेतु चेक सं0 010291 दिनांक 05. 11.12 रु038600.00 श्री अवधेश कुमार सिंह स0वि0अ0(सह0) को प्रदान किया गया। भुगतान वी.डी.सी. के किन सदस्यों को कितना कितना किया गया की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय धनराशि रु0 38600.00 व्यय प्रमाणक के अभाव में अपुष्ट है। अतः तत्कालीन खण्ड वि0अ0 श्रीनीरजा गुप्ता, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष श्री अरविन्द सिंह, तथा आंकिक श्री सुमन कुमार दास से संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। सम्बन्धित व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-74 दिनांक 15.01.2013 चेक सं0 010296 से श्री मृत्युजंय सिंह कैशियर को रॉयल्टी की धनराशि रु0 2196.00 जमा करने हेतु दिया गया। ग्रांट रजिस्टर 2 में चालान सं0 वी 10092 एवं वी 100092 दिनांक 18.01.13 को जमा करना दर्शित है। प्रमाणक (चालान) के के अभाव में जमा धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टिमेंचालान की प्रति उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। चालान उपलब्ध न होने की स्थिति में रु0 2169.00 को अपहरण मानते हुए श्री मृत्युजंय कुमार कैशियर से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर-75 वर्ष 20112-13 में राज्य वित्त, तेरहवाँ वित्त, विधायक निधि व सांसद निधि के अन्तर्गत कराये गये कार्य पर सामग्री मद तथा श्रमांश मद में निम्न प्रकार व्यय किया गया है, मदवार कार्यों पर विवरण इस प्रकार है :-

मद :- राज्य वित्त

क्र.सं.	कार्य का नाम	सामग्री (रु0)	श्रमांश (रु0)
1	ग्राम सरायकाजी में खुन्नु राम पूर्व प्रधान के घर से गिरिजा शंकर पटेल के घर तक	679359.00	96732.00
2	कोईराजपुर में वाराणी जौनपुर पिचसे स्ववोध आश्रम तक इण्टरलाकिंग कार्य	268635.00	31063.00
3	ग्राम छतरीपुर में होलापुर मुख्य मार्ग पर लालचन्द पटेल के मकान से स्वामी अङ्गानन्द स्कूल तक शैलेन्द्र सिंह के मकान से नवीन राय के मकान तक एवं पअेल नगर पिच रोड पर लालजी पटेल के मकान इण्टरलाकिंग कार्य।	1061558.00	101125.00
4	गोकुलपुर (सुखा)में तेज बहादूर सिंह के मकान से राम प्रसाद के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	217332.00	25150.00
5	ग्राम रमदत्तपुर (हासिमपुर)में नीरज पाण्डेय के मकान से छोटेला प्रजापति के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	175892.00	21150.00

6	रसूलपुर (मझिमटिया)में मुन्नी सिंह केमकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	371998.00	41350.00
7	सोयेपुर बेलवा बाबा मेन रोड से देवा आई.टी.आई. प्रशिक्षण केन्द्र तक इण्टरलाकिंग कार्य।	220321.00	22025.00
8	ग्राम लमही में लमही मुर्दहां पिच रोड पर डॉ० चन्द्रसेन के मकान से मूलचन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	302131.00	34650.00
9	ग्राम सरायकाजी में सती माता मन्दिर से शीतला दूबे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	183801.00	22100.00
10	ग्राम पंचायत सोयेपुर में सोयेपुर बेनीपुर पिच रोड पर गाइडेस पब्लिक स्कूल के सामने से कन्हैया पटेल के घर तक, मेसर्स एस.आर.फर्मा मोनो 139/2 तक भाष्कर राय के घर से पुष्कर राय के घर तक तथा शेषनाथ गौड. के घर तक एवं पिच रोड से मनोज सिंह के मकान तक चौका कार्य।	526241.00	13430.00
11	बड़ालालपुर खुशहालनगर सेक्टरमें अनुराग तिवारी जेलर के घर से प्रेमशंकर सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	188243.00	22150.00
12	रमदत्तपुर भक्तीनगर कालोनी लेन 7 में दीपक सिंह के मकान से रामधरी पटेल के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	149535.00	15583.00
मद :- तेरहवाँ वित्त			
13	. ग्राम पंचायतबड़ालालपुर में वी.डी.ए.कालोनी के पिछे अशोक सिंह के मकान से बड़ालालपुर -मढ़वा मार्ग पर मुख्य नाली तक जल निकासी नाली मार्ग।	372477.00	64594.00
14	चन्दापुर पटेल वस्ती में चन्दापुर आयर पिच रोड से मुन्ना पटेल के घर तक खंडजा मरम्मत कार्य।	151620.00	55350.00
15	रामदत्तपुर में कैलाश पाण्डेय के मकान से दीपक कुमार मिश्र के घर तक, सुरेश उपाध्याय के मकान से मुरारी गौतम के मकान के समने तक, धर्मराज प्रसाद के मकान तक एवं डी.के.सिंहके घर से अवधनारायण सिंह के घर तक खंडजा मरम्मत कार्य।	268914.00	73680.00
16	ग्राम पंचायत रामदत्तपुर से सत्यनारायण यादव के घर से पियूष कान्त पाण्डेय के घर तक, कैलाश नाथ पाण्डेय के घर से रमदत्तपुर पिचरोड तक एवं मुरारी गौतम के घर से राम चौरसिया के घर तक खंडजा।	606074.00	41125.00
मद :- विधायक निधि			
17	परमानन्दपुर में विकास इण्टरमेडिएट कॉलेज परमानन्दपुर से रामजी के मकानतक खंडजा मरम्मत कार्य।	258907.00	51076.00
18	भोजवीर सिंधोरा मार्ग पर चौदमरी तिराहा से ग्राम दादपुर में मंगल विश्वकर्मा के मकान तक हयूम पाइप द्वारा जल निकासी कार्य।	896593.00	185107.00
मद :-सांसद निधि			
19	ग्राम वाजिदपुर विकास खण्ड हरहुआ जनपद वाराणसी में जल निकासी कार्य।	1995547.00	174440.00
20	ग्राम पंचायत हटिया के तालाब का सुन्दरीकरण (वि०क्ष०हरहुआ)	240025.00	77975.00
	योग	8735203.00	1290765.00
		10025968.00	

उपरोक्त कार्य पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं :-

(क) क्षेत्र पंचायतके कार्यवाही पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उपरोक्त कार्य का प्रस्ताव की पुष्टि नहीं हो सकी।

(ख) उपरोक्त सभी कार्यों पर सामग्री अंश पर रु० 100000.00 से अधिक व्यय किया गया। रु० 100000.00 से अधिक के सामग्री अंश पर व्यय होने की स्थिति में कोटेशन के स्थान पर सामग्री आपूर्ति हेतु टेण्डर

(निविदा) की माँगकियाजाना अनिवार्य है। निविदा आमंत्रित न कर कोटेशन लेकर एक मात्र कोरम पूर्ण किया गया है। निविदा आमंत्रित न कर सामग्री आपूर्ति पर किया गया व्यय नियम विरुद्ध है।

(ग) सामग्री आपूर्ति का चालान सामग्री आपूर्तिके विल के साथ संलग्न नहीं है, जिससे सामग्री आपूर्ति की स्थिति स्पष्ट न सामग्री आपूर्ति नहीं है।

(घ) सामग्री क्रय का लेखकन की पुष्टि स्टॉक पंजिका के अभाव में नहीं की जा सकी।

(ङ) बैंकस्टेटमेंट लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि सामग्री आपूर्ति का भुगतान तथा श्रमांश भुगतान एकाउन्ट पेय किया गया अथवा नहीं।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्यों पर किया गया व्यय अनियमित है, जिससे लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीनीरजा गुप्ता, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष श्री अरविन्द सिंह, तथा वरिष्ठ आंकिक श्री सुमन कुमार दास संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-76 वर्ष 2012 -13 में विधायक निधि मद में ग्रांट रजिस्टर 2 से कमल कन्स्ट्रक्शन को चेक सं0010228 दिनांक 21.12.12 तथा श्री अवधेश कुमार सिंह स0वि0अ0 (सह.) को चेकसं0010229 दिनांक 21.12.12 से क्रमशः रु028142.00 तथा रु05325.00 का भुगतान किया गया है, जिसे कन्स्ट्रक्शन ग्रांट रजिस्टर 3 के विधायक निधि मद से कुल रु033467.00 खारिज किया गया है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में ग्रांट रजिस्टर 2 में शिवनगर कॉलोनी चौका अंकित किया गया है।

उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली जैसे कार्य का प्रस्ताव, कार्य कराने का आदेश, कार्य माप पुस्तिका, कार्य में प्रयुक्त सामग्री का क्रय प्रमाणक, तथा कार्यरत श्रमिकों का मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। उक्त पत्रावली को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना कार्य न होने की पुष्टि करता है। कमल कन्स्ट्रक्शन को रु0 28142.00 तथा अवधेश कुमार सिंह स0वि0अ0 (सह.) को रु0 5325.00, भुगतान दर्शित कर अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरजा गुप्ता, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष श्री अरविन्द सिंह, तथा आंकिक श्री सुमन कुमार दास तथा अवधेश कुमार सिंह स0वि0अ0 (सह.) से अपेक्षित है।

प्रस्तर-77 पंचायत निर्वाचन में मतदान स्थल वृथ निर्माण हेतु प्राप्त मद में गत वर्ष का रु0 6260.00 शेष था। उक्त धनराशि को ग्रांट रजिस्टर 2 में दिनांक 29.07.11 चेक सं0 008594 से श्री मृत्युंजय कुमार कैशियर को भुगतान दर्शित कर ग्रांट रजिस्टर 3 से खारिज किया गया है। उक्त धनराशि रु0 6260.00 किस उद्देश्य/कार्य हेतु श्री मृत्युंजय कुमार कैशियर को भुगतान किया गया है स्पष्ट नहीं है। रु06260.00 से सम्बन्धित किसी प्रकार का व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि रु0 6260.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मृत्युंजय कुमार कैशियर से अपेक्षित है।

प्रस्तर-78 वर्ष 2011 -12 में ग्रांट रजिस्टर 2 के रायल्टी मद में विभिन्न कार्यों पर क्रय सामग्री पर कुल रु0 4491.00 प्राप्त हुआ। प्राप्त धनराशि को श्री मृत्युंजय कुमार कैशियर को दिनांक 29.08.11 चेक सं0 011037, दिनांक 04.02.12 चेक सं0 001658 तथा दिनांक 30.03.12 चेक सं0 09583 से क्रमशः रु0 376.00, रु0 1333.00 तथा रु0 2782.00 कुल रु0 4491.00 भुगतान किया गया, जिसे ग्रांट रजिस्टर 3 से खारिज किया गया है। उक्त धनराशि श्री मृत्युंजय कुमार कैशियर किस उद्देश्य भुगतान किया गया है स्पष्ट नहीं है और न ही उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित किसी प्रकार का व्यय प्रमाणक ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। स्पष्ट है कि रु0 4491.00 श्री मृत्युंजय कुमार कैशियर को भुगतान कर अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मृत्युंजय कुमार कैशियर से अपेक्षित है।

12. क्षेत्र पंचायत – हरहुआ

लेखा परीक्षा वर्ष- 2017-18

प्रस्तर -79 क्षेत्र पंचायत हरहुआ वर्ष 2017-18 में विधानमण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत रु0 127752.00 व्यय ग्रांट रजि0 3C में अंकित है। उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -80 क्षेत्र पंचायत हरहुआ वित्तीय वर्ष 2017-18 में इन्दिरा आवास/प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रशासनिक मद के अन्तर्गत ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार रु0 639431.00 व्यय दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष/सम्बन्धी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 81 स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत हरहुआ वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹0 560207.00 व्यय दर्शित है। उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः उक्त राशि का अपहरण तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा कर लिया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 82 क्षेत्र पंचायत हरहुआ वित्तीय वर्ष 2017-18 में आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण पर ₹0 815515.00 व्यय दर्शित है। उक्त व्यय से सम्बन्धित निर्माण पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। अतः सम्पूर्ण धनराशि ₹0 815515.00 के व्यय की पुष्टि नहीं होती है। उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 83 वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत तेवर में बीडीसी राम सिंह यादव के घर से संतोष यादव के घर तक खडंजा कार्य कराने हेतु ₹0 256996.00 का भुगतान सम्राट ट्रेडर्स को किया गया। जिसके प्रति निम्न आपत्तियां हैं—

(क) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध है।

(ख) क्रय सामग्री का अंकन स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया।

(ग) सम्राट ट्रेडर्स को निम्न वस्तुओं की आपूर्ति करनी थी— ईट, स्थानीय मिट्टी, स्थानीय बालू 350 डाय एमपी ह्यूम पाईप, साईन बोर्ड किन्तु सिर्फ ईट की आपूर्ति की गयी। शेष वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित कोई अभिलेख ले0प0 में नहीं पाया गया।

कार्य अपूर्ण रहा तथा ₹0 256296.00 का औचित्यहीन व्यय करके राजकीय धन की क्षति की गई। अतः तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री श्वेतांक सिंह व लेखाकार श्री रविन्द्र कुमार यादव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर — 84 विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशियों का वित्तीय वर्ष के भीतर उपभोग कर लिया जाना चाहिए। धनराशि का उपभोग रोककर विकास कार्य बाधित किया गया, जिसका विवरण निम्न है —

वर्ष	सन्निहित धनराशि
2017-18	17285301.00

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 85 वर्ष 2017-18 में मजदूरी का भुगतान ₹0 74595.00 कार्य प्रभारी को किया गया। जिसके प्रति तत्कालीन बी0डी0ओ0/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 86 ब्याज की धनराशि ₹0 419.44 का उपभोग किया गया। इस दुरुपयोग के लिए तत्कालीन बीडीओ/एसी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष	सन्निहित धनराशि
2017-18	419.44

अतः तत्कालीन बी0डी0ओ0/लेखाकार से उक्त धनराशियों को वसूल कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

जनपद—भदोही

मण्डल का नाम विन्ध्याचल

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत —अभोली

प्रस्तर 1. राजस्व कटौतियां यथा टी.डी.एस, व वैट का नियमानुसार मदवार रजिस्टर तैयार कर वर्षवार कटौती, ब्याज सहित वसूली और जमा किये जाने का उल्लेख किया जाना चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में इसका आकलन किया गया है जो निम्नवत है:

आयकर अधिनियम 1961 यथासंशोधित की धारा 194(सी) के अनुसार अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से श्रोत पर आयकर कटौती किए जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर कटौती से काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत लेखाशीर्ष "0021 अन्तर्गत जमा किये जाने के लिये संस्था के आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर उक्त अधिकारी पर न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है। साथ ही काटे गये आयकर को निर्धारित समय सीमा के अन्दर राजकोष में जमा न किये जाने पर कम से कम 3 माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। 01 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती (एक वर्ष में 30 हजार से अधिक या सभी बिलों का योग 75 हजार होने पर) 2.266 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित की जानी है।

पत्रावली के अनुसार, आलोच्य वर्ष में वर्ष 2015-16 व 2016-17 में कराये गये निर्माण कार्य सामग्री क्रय व विकास खण्ड के सौन्दर्यीकरण व रख-रखाव सामग्री क्रय पर रु. 1262296.00 का भुगतान किया गया है, परन्तु स्रोत पर आयकर कटौती नहीं की गयी है, और संस्था द्वारा आयकर काटे जाने का पत्रावलियों में कोई प्रमाण भी नहीं किया है। आलोच्य वित्तीय वर्ष में संस्था द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये भुगतान रु. 1262296.00 पर नियमानुसार 2.26 प्रतिशत की दर से रु. 28527.00 की आयकर कटौती की जानी चाहिये, लेकिन संस्था के अधिकारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुये कोई आयकर कटौती नहीं की गयी। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली संस्था के अधिकारियों द्वारा मय व्याज सुनिश्चित कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। इस अनियमितता पर जुर्माना व सजा का प्रावधान है। इसके लिये संस्था के आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी है। इस धनराशि को जुर्माना सहित राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(सा0अ0स0 2.1)

1(क). उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2007 की धारा 3(7) तथा शासनादेश संख्या ए-1-351 /दस-2011,दिनांक 30. 08.2011 के अनुसार संस्था के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार को टेण्डर / कोटेशन प्राप्त करते समय यह देख जाना चाहिये कि, संविदाकार वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है, एवं विभाग द्वारा उसे टिन नंबर जारी किया गया है। संविदाकार को बिल भुगतान करते समय चेक जारी करने के पूर्व आहरण वितरण अधिकारी द्वारा देयक चेक पर यह प्रमाणपत्र अंकित किया जाना चाहिये कि, जिसका बिल वह वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है और संविदा से सम्बन्धित किये जा रहे भुगतान पर प्रावधानित 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती कर ली गयी है। वैट कटौती से प्राप्त धनराशि त्रैमासिक रिटर्न के माध्यम से चालान के साथ राजकोष में जमा करने का दायित्व भी संस्था के आहरण वितरण अधिकारी की है। ऐसा करने में विफल रहने पर जुर्माने का प्रावधान है। दिनांक 12.12.2017 को रु. 33329.00 वैट कटौती की गयी है, जो वर्षान्त में अवशेष है। राजस्व की धनराशि को रोककर रखना और उस पर व्याज अर्जित करना राजकीय धन का दुरुपयोग है। इसके अतिरिक्त आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा मेसर्स रोहित ट्रेडिंग कम्पनी से रु. 88632.00 की सामग्री क्रय की गयी है। जिसके बिल संख्या 01 दिनांक 25.04.2017 से रु. 6832.00 की वैट कटौती नहीं की गयी है, जो गम्भीर अनियमितता है। उक्त रु. 6832.00 के गम्भीर अनियमितता के उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से हैं। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली संस्था के अधिकारियों द्वारा मयव्याज सहित सुनिश्चित कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। इस अनियमितता पर जुर्माना सहित राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(सा0अ0स0 2.2)

क्रमांक	कार्य का नाम	अवधि	मजदूरो की संख्या	भुगतान धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम
1	गाम पंचायत नकटापुर मे हवाईपट्टी से अर्जुनपट्टी मार्ग से लालमणि के घर से कन्हैया के घर तक इण्टरलाकिंग	08-03-2018 से 19-03-2018	30	75450.00	श्री प्रकाश सिंह स0वि0अ0 सहकारिता
2	ग्राम पंचायत जगदरी में सन्त लाल के घर वाली पुलिया तक खण्डजा निर्माण	15-01-2018 से 28-01-2018	29	101400.00	श्री प्रकाश सिंह स0वि0अ0 सहकारिता
				176850.00	

प्रस्तर 2 .ग्राम पंचायत वीरापुर की नहर से यादव बस्ती होते हुये ग्राम सभा बैरीबोझ तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु रु.1109110.00 सामाग्री पर व्यय किया गया है, जिस हेतु मे विन्ध्यवासिनी कन्सट्रक्शन को सामाग्री आपूर्ति हेतु अधिकृत किया गया, परन्तु तीन निविदाकर्ताओं के प्रपत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। टेण्डर आमन्त्रित न किये जाने से क्षेत्र पंचायत को सामाग्री क्रय में न्यूनतम दर का लाभ मिलने की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार मनमाने ढंग से मनमाने दरों पर रु.1109110.00 मूल्य की सामाग्री क्रय करके अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार के प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु गम्भीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 3. क्षेत्र पंचायत औराई

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ है।

1. मस्टर रोल पर क्रमांक का अंकन नहीं है।
2. मस्टर रोल सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।
3. निर्धारित मजदूरों की सूची अनुपलब्ध रही।
4. धन का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया।

उक्त से स्पष्ट है कि मजदूरी पर किया गया भुगतान रुपये 176850.00 अनियमित रहा। उक्त हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती शान्ति देवी एवं लेखाकार श्री प्रमोद कुमार दुबे संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0अ0स019)

क्षेत्र पंचायत— भदोही

प्रस्तर 4. अनुदान रजिस्टर तृतीय में रु0 26000.00 बहुत पुराना तत्कालीन मुख्य लेखा लिपिक श्री गानिक चन्द्र श्रीवास्तव से पाना दर्शित है। मौखिक तौर पर बताया गया कि श्री मानिक चन्द्र श्रीवस्तव से ब्याज सहित वसूली हेतु पत्राचार किया जा रहा है, किन्तु पत्राचार सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिली। धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु कोई वैधानिक एवं ठोस कार्यवाही भी नहीं की गयी है। इस प्रकार रु0 26000.00 का अपहरण श्री गानिक चन्द्र श्रीवस्तव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली हेतु ठोस एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर: 5 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में देखा गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न मदों में 31.03.2018 को अंतिम अवशेष के रूप में धनराशियां रोककर रखी गयी है

क्रमांक	मद का नाम	31.03.2018 को अवशेष धनराशि
1	जमानत	63447.00
2	वैट	66153.00
3	आयकर	31106.00
	योग	160706.00

उक्त में से जमानत की धनराशि बहुत पुराना अवशेष दर्शित है। जिरो सम्बन्धित ठेकेदार को कार्य पूर्ण होने के उपरान्त वापस करना था, जो नहीं किया गया।

आयकर अधिनियम। 1961 यथासंशोधित की धारा 194(सी) के अनुसार आयकर कटौती से काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत लेखा शीर्ष "0021" के अन्तर्गत जमा किये जाने के लिये संस्था के आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर उक्त अधिकारी पर न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः इस अनियमितता पर जुर्माना सहित उक्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

शासनादेश संख्या ए-1-351/दस-2011,दिनांक 30.08.2011 के अनुसार तथा उ. प्र. वैट अधिनियम 2007 की धारा 3(7) के अन्तर्गत निर्धारित दर से टी. डी. एस. सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी संस्था के आहरण वितरण अधिकारी की है। अतः इस अनियमितता पर जुर्माना सहित उक्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

उक्त सभी मदों में अवशेष धनराशि संस्था द्वारा स्वयं रोककर रखी गयी है, जिसे सम्बन्धित को वापस एवं निर्धारित मद में जमा किया जाना चाहिये था। जो कि नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त अनियमितता प्रकाश में लाया जाता है। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी खण्ड विकास अधिकारी श्री महेश नारायण पाण्डेय एवं श्री कमलजीत सिंह और लेखाकार श्री कपूर चन्द्र की है। (सा0अ0स0-2)

क्षेत्र पंचायत —डीघ

प्रस्तर 06 ब्लॉक गेट से अस्पताल परिसर तक इंटरलॉकिंग कार्य में सामग्री क्रय पर रुपए 200020 व्यय दर्शित है जिसके संदर्भ में निम्न आपत्तियां हैं

1. मजदूरी क्रय के पक्ष में प्रस्तुत व्यय प्रमाणक श्री कृष्ण मोहन तिवारी के फर्म का है। उक्त क्रय हेतु अन्य निविदा कर्ताओं का विवरण अप्राप्त रहा।
2. व्यय प्रमाणक में दिनांक 16-03-2018 का उल्लेख है जबकि व्यय प्रमाणक की रशीद संख्या का उल्लेख नहीं है।
3. स्टॉक रजिस्टर अनुपलब्ध रहा जिससे उक्त सामग्री क्रय के स्टॉक रजिस्टर से पुष्टि ना की जा सकी

इस प्रकार बिना क्रमांक के व्यय प्रमाणक तथा निविदा का पालन न करते हुए एक ही फर्म से सामग्री क्रय करके व्यय की गई धनराशि रुपए 200020 की अनियमितता की गई है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री आजम अली एवं लेखाकार श्री विनय शंकर शुक्ल संयुक्त रूप से उत्तरदाई रहे हैं।

अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0अ0स0 1)

प्रस्तर 07 आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार सामग्री आपूर्ति की गई है किंतु आपूर्ति की गई सामग्री के मूल्य पर उनके बिल से जी० एस० टी० की कटौती नहीं की गई है। जिससे रुपए 4898 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। जिसके लिए श्री आजम अली एवं श्री विनय शंकर शुक्ल संयुक्त रूप से उत्तरदाई रहे हैं। अतएव उक्त धनराशि की क्षतिपूर्ति उक्त दोनों लोगों से वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है।

(सा0अ0स0 2)

क्र०सं०	कार्य का नाम	आपूर्ति सामग्री	सामग्री	जी०एस० टी०
1	बारीपुर पिच रोड से होते हुए पासी बस्ती महुआरी तक इंटरलॉकिंग कार्य	225.5 एम0एम0 स्टोन ब्लास्ट	40820	4898

अतः इस अनियमितता पर जुर्माना सहित उक्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत –ज्ञानपुर

प्रस्तर 08 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत उमरिया में पूर्व मा०वि० से पश्चिम लोहार कुआँ होते हुए रजवाहा तक खण्डजा मरम्मत कार्य हेतु रु० 2,70,000.00 का भुगतान मजदूरी हेतु श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, ग्रा०प०वि० अधिकारी को चेक संख्या 6288, दिनांक 07/10/2017 को किया गया है। उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियां हैं।

1. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मास्टर रोल पर अवधि 02/06/2017 से 15/06/2017 का उल्लेख है। जिसमें कुल 100 मजदूर प्रयुक्त हुए हैं। मास्टर रोल पर क्रमांक अंकित नहीं है, तथा निर्गत कर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। इसमें मास्टर रोल के अनियमित होने की स्थिति प्रकट होती है।
2. कार्य अवधि 02/06/2017 से 15/06/2017 है मास्टर रोल पर अंकित है। जबकि मजदूरी का भुगतान लगभग 4 माह बाद दिनांक 07/10/2017 का किया गया है।
3. मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके नगद भुगतान किया गया है। उक्त से स्पष्ट है। कि मजदूरी के रूप में किया गया भुगतान रु 2,70,000.00 अनियमित रहा।

उक्त अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्रा एवं कार्य प्रभारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह तथा लेखा कार श्री सतेन्द्र नाथ दूबे उत्तरदायी रहे हैं। अतएव इसके प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त गम्भीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0अ0स0-2)

प्रारूप-03

वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

क्षेत्र पंचायतों से संबंधित गंभीर आपत्तियां

जनपद-मीरजापुर मण्डल-विन्ध्याचलधाम

1. क्षेत्र पंचायत जमालपुर वर्ष 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर-01 क्षेत्र पंचायत जमालपुर में वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार बैंकों से प्राप्त ब्याज का उपयोग दर्शाया गया है-

अप्रैल 2013	4026.00
जुलाई 2013	46479.00
अक्टूबर 2013	213831.00

योग

264336.00

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. ब्याज की धनराशि को नियमानुसार राजकीय कोष में वापस किया जाना चाहिए। उपभोग की गई धनराशि राजकीय कोष में वापस किये जाने की पुष्टि में कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया।
2. ब्याज की धनराशि एकमुश्त राजकीय कोष में जमा किया जाना चाहिए परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा ब्याज की धनराशि का उपयोग क्षेत्र पंचायत में किया गया प्रतीत होता है जो अनियमित व आपत्तिजनक है।
3. ब्याज उपयोग किस मद में किया गया की पुष्टि भी नहीं कराई गई। जिसकी विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर-02 दिनांक 31.03.2014 को ग्रांट रजिस्टर के अनुसार मय ब्याज सहित अनुदान की शेष धनराशि रु0 7448326.00 रहा जबकि बैंक खातों में दर्शित राशि का योग रु0 8750.0 रहा। इस प्रकार ग्रांट रजिस्टर व बैंक खातों के मध्य रु0 1302256.00 का अंतर रहा। अंतर का समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं किया गया है। समाधान विवरण तैयार कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। जिसकी विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर-03 क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में निर्माण हेतु क्रय की गई सामग्री पर नियमानुसार 4 प्रति0 वैट व 2.24 प्रति0 टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई है। जिसके कारण राज्य सरकार को राजस्व में रु0 567931.00 की क्षति पहुँचायी गई। विवरण निम्न प्रकार रहा—

वर्ष	क्रय सामग्री का मूल्य	वैट / टीडीएस की धनराशि (6.2 प्रति0)
11-12	4840690.00	302059.00
12-13	1325402.00	82705.00
13-14	2935376.00	183167.00
योग		567931.00

अतः रु0 567931.00 की क्षति पूर्ति सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी से की जानी चाहिए। जिसकी खण्ड विकास अधिकारी श्री शेषनाथ चौहान, रमेश यादव, विजय कुमार सिंह, इन्द्रजीत त्रिपाठी, एवं लेखाकार श्यामा प्रसाद, रमेश चन्द्र श्रीवास्तव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-11)

2. क्षेत्र पंचायत जमालपुर वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर-04 निम्नलिखित विवरण के अनुसार बैंक से प्राप्त ब्याज की धराशि को व्यय के रु0 में दर्शित है।

माह	धनराशि
10 / 15	980261
11 / 15	15403
12 / 15	364536
02 / 16	154424
07 / 16	171906
11 / 16	88330
03 / 17	47622
योग	1822482

उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय को राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने की पुष्टि नहीं कराई गई। ब्याज की धनराशि क्षेत्र पंचायत में उपयोग किया जाना प्रतीत होता है। जो नियम विरुद्ध है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उचित कार्यवाही अपेक्षित है। जिसकी विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर-05 31.03.2017 को ग्रांट रजिस्टर के अनुसार शेष धनराशि रु0 8565327.00 रहा। जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार यह राशि रु0 9563933.00 रहा। इस प्रकार रु0 998606.00 का अंतर रहा। जिसमें से रु0 763403.00 का समाधान विवरण पत्र तैयार किया गया है। शेष रूपया 235203.00 का विवरण अज्ञात रहा। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उचित कार्यवाही अपेक्षित है। जिसकी विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपति संख्या-03)**

प्रस्तर-06 क्षे0पं0 के अंतर्गत वर्ष 14-15 में कुल रु0 4089789.00 की सामग्री क्रय की गई है जिस पर वैट एवं टीडीएस की कुल कटौती रु0 255203.00 होती है। परन्तु क्षे0पं0 में रु0 41407.00 की कटौती गई है। इस प्रकार उक्त मद में रूपया 213796.00 की कटौती कम की गई है। जिस कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। राजकीय राजस्व की क्षति की क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी से अपेक्षित है। जिसकी खण्ड विकास अधिकारी सर्वश्री इन्द्रमणि त्रिपाठी गंगाराम एवं लेखाकार श्री मनोज कुमार द्विवेदी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपति संख्या-12)**

3. क्षेत्र पंचायत-नारायनपुर 2011-12 से 13-14

प्रस्तर-07 वर्ष 2011-12 में ग्राम नैडी में अदलहाट से गोरही मार्ग से जोखन के घर तक चौका बिछाने हेतु मजदूरी भुगतान हेतु रु0 78340.00 का चेक श्री आमीर राम एडीओ आई एस बी को दिया गया दर्शित है। परन्तु मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल अप्राप्त रहा। इस प्रकार रु0 78340.00 के भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जिसकी क्षतिपूर्ति श्री आमीर राम एडीओ आई एस बी से अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपति संख्या-09)**

प्रस्तर-08 वर्ष 2011-12 में चुनार घाट पर सीढ़ी निर्माण कार्य हेतु मजदूरों को उनके द्वारा दिये गये कार्य दिवस से अधिक का भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया है। विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्र0	नाम मजदूर	कार्य दिवस	दर	भुगतान	अधिक भुगतान
1.	श्री रामलाल पुत्र लालबहादुर	03	250.00	1750.00	1000.00
2.	श्री राजनाथ पुत्र राम खेलावन	03	250.00	1750.00	1000.00
3.	श्री हीरालाल पुत्र वक्त राम	02	250.00	1750.00	1250.00
4.	श्री निशान पुत्र विनोद	02	250.00	1750.00	1250.00
योग					4500.00

इस प्रकार रु0 4500.00 का अधिक भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी क्षतिपूर्ति कार्यप्रभारी श्री सदानन्द ए0डी0ओ0 से अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या-10)

प्रस्तर-09 वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत में आवासीय एवं अनावासीय भवनों में विद्युत व वाहन स्टैण्ड आदि कार्यों में निम्न विवरण के अनुसार मजदूरों को अधिक मजदूरी का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है-

क) मस्टर रोल संख्या-2 में कमलेश पुत्र इमरती लाल द्वारा 02 दिन कार्य किया गया है। जिसकी मजदूरी रु0 500 होती है परन्तु भुगतान रु0 1000.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार रु0 500.00 अधिक दर्शाकर धन का अपहरण किया गया।

ख) मस्टर रोल नं. 01 का योग रु0 22500.00 होता है। जबकि योग रु0 24750.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार रु0 2250.00 का अधिक भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी क्षतिपूर्ति कार्यप्रभारी श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय से अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या-11)

प्रस्तर-10 वर्ष 2011-12 में विश्राम सिंह महाविद्यालय परिसर में शिक्षा संकाय कक्ष का निर्माण हेतु निम्न विवरण के अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र0	दिनांक	धनराशि	अन्य
1	06.04.11	369203.00	सुधाकर त्रिपाठी ग्रा0प0अ0 को भुगतान
2	30.08.11	544364 .00	
योग		913567.00	

उपरोक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपतियाँ हैं-

1. कक्ष निर्माण हेतु कोई टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया है जब कि एक लाख से अधिक के क्रय/निर्माण पर व्यय हेतु टेण्डर आमंत्रित किया जाना अपेक्षित था।
2. भुगतान सुधाकर त्रिपाठी ग्राम पं0अ0 को किया गया है जबकि आपूर्तिकर्ता को सीधे चेक से भुगतान किया जाना चाहिए।
3. निर्माण पर होने वाले व्यय की अनुमानित व्यय विवरण पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में नियमों का पालन नहीं किया गया है और घोर अनियमितता की गई है। कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-12)

प्रस्तर-11 स्वतंत्रता संग्राम पी0जी0 कालेज, चुनार में वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्य में निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है-

क्र०	दिनांक	धनराशि	अन्य
1	02.05.11	362319.00	सुधाकर त्रिपाठी ग्रा0पं0अ0 को भुगतान
2	03.05.11	364664.00	
	योग	726983.00	

उपरोक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं-

1. नियमानुसार एक लाख से अधिक के निर्माण पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए।
2. समस्त भुगतान सुधाकर त्रिपाठी ग्राम पं0अ0 को किया गया है जबकि आपूर्तिकर्ता को सीधे चेक से भुगतान किया जाना चाहिए।
3. निर्माण पर होने वाले व्यय का अनुमानित व्यय विवरण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में नियमों का पालन नहीं किया गया है। अपितु, घोर अनियमितता बरती गई जो आपत्तिजनक है। कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-13)

प्रस्तर-12 वर्ष 2011-12 में सर्वोदय इण्टर कालेज, अघवार में नहर तक सी0सी0रोड निर्माण पर निम्न प्रकार विवरण दर्शाया गया है-

क्र०	दिनांक	धनराशि	अन्य
1	14.12.11	191166.00	सुधाकर त्रिपाठी ग्रा0पं0अ0 को भुगतान
2	31.01.12	257352.00	
	योग	448518.00	

उपरोक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं-

1. सामान आपूर्ति हेतु कोई टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया जो नियम विरुद्ध रहा।
2. भुगतान आपूर्तिकर्ता को न कर ग्रा0पं0अ0 श्री सुधाकर त्रिपाठी को किया गया है जो अनियमित है।
3. निर्माण पर होने वाले व्यय का अनुमानित व्यय विवरण पत्र अप्राप्त रहा।
4. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में नियमों का पालन न कर अनियमितता बरती गई जो आपत्तिजनक है। उक्त कार्य से व्यय धनराशि अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-14)

प्रस्तर-13 वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत नरायनपुर की आवासीय/अनावासीय भवनों की मरम्मत पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है-

क्र०	दिनांक	धनराशि	अन्य
1	06.09.12	54000	श्री सदानन्द स0वि0अ0
2	25.09.12	175630	मेसर्स संस्कृति
3	25.09.12	292240	मे0 जय माँ लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन
4	28.09.12	177543	मे0 जय माँ लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन
5	25.09.12	287964	मे0 बी0पी0 फर्नीचरइलाहाबाद
6	28.09.12	57341	प्रदीप कुमार पाण्डेय कैशियर
7	01.10.12	174722	मे0 जय माँ लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन
8	09.10.12	26367	मे0 जय माँ लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन

9	09.10.12	140750	श्री सदानन्द स0वि0अ0
10	10.10.12	117900	श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय कैशियर
11	25.10.12	25500	श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय कैशियर
12	25.10.12	46750	श्री सदानन्द स0वि0अ0
13	25.10.12	20096	मे0 जय माँ लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन
14	02.11.12	42658	श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय कैशियर
15	02.11.12	12600	श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय कैशियर

योग 1652061

उपरोक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. सामान आपूर्ति हेतु कोई टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया है। जो नियम विरुद्ध है।
2. भुगतान हेतु वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया है।
3. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में नियमों का पालन नहीं किया गया है और घोर अनियमितता की गई है जो आपत्तिजनक है। उक्त कार्य से व्यय धनराशि अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या—15)

प्रस्तर—14 दिनांक 31.03.2014 को वैट के रूप में कटौती की गई धनराशि 0.15 लाख एवं रायल्टी के मद में संग्रहित धनराशि रुपये 3.69 लाख क्षेत्र पंचायत में अवशेष दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट है कि संग्रहित राजकीय राजस्व को नियमानुसार निर्धारित अवधि के अंतर्गत राजकीय कोष में जमा नहीं किया जाता है। जो वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। उक्त हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति संख्या—16)

प्रस्तर—15 दि0 31.03.14 को क्षेत्र पंचायत में ब्याज के मद में 3.90 लाख अवशेष दर्शाया गया है। नियमानुसार ब्याज की धनराशि राज्य सरकार को वापस किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा न कर क्षेत्र पंचायत में विगत 2 वर्षों से ब्याज की रकम को रोक कर रखा गया है। वित्तीय अनियमितता है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या—17)

प्रस्तर—16 क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2011—12, 2012—13 एवं 2013—2014 में कुल कय की गई सामग्री पर वैट/टीडीएस की सम्पूर्ण कटौतियाँ नहीं की गई है। विवरण निम्न प्रकार रहा—

क्र0	वर्ष	कुल क्रय	वैट 6.24: टीडीएस	काटी गई धनराशि	अंतर
1	11—12	1031102	64341	—	64341
2	12—13	2052383	128069	44837	83232
3	13—14	3606138	225023	29470	195553
योग					343126

इस प्रकार रु0 343126.00 से राजकीय क्षति पहुंचाई गई है। जिसकी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार से अपेक्षित है। जिसकी खण्ड विकास अधिकारी सर्वश्री दयाराम विश्वकर्मा, करुणाकर पाण्डेय, इन्द्रमणि त्रिपाठी, री मती सरिता तिवारी एवं लेखाकार श्री योगेश तिवारी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या—18)

4. क्षेत्र पंचायत—नारायनपुर 2014—15 से 2016—17

प्रस्तर—17 ग्राम पंचायत रजौली के घर से डा0 महेश सिंह के खेत तक ईट टुकड़ी सोलिंग कार्य हेतु 1.30 लाख का इस्टीमेट बनाया गया और श्री राम सागर त्रिपाठी को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया। बिना ईट क्रय नहीं किया गया। बिना ईट के सोलिंग, कार्य की मजदूरी भुगतान दर्शाकर रु0 8694.00 का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। जॉचोपरान्त ब्याज सहित वसूली श्री राम सागर त्रिपाठी को कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या—12)

प्रस्तर-18 ग्राम लिझरी में शंकर द्विवेदी के खेत से लाल जी यादव के खेत तक ईट टुकड़ी सोलिंग कार्य हेतु रु0 10.81 लाख का स्टीमेट बनाया गया और श्री रामसागर त्रिपाठी को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया। श्री राम सागर त्रिपाठी द्वारा बिना ईट क्रय किये ही रु0 10948.00 का मजदूरी भुगतान 20.09.2015 में कराया गया जो फर्जी है जिसकी क्षतिपूर्ति श्री त्रिपाठी से अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-12)**

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत पचेगड़ा में परमेश्वर के खेत से कोलना डिग्री कालेज तक ईट टुकड़ी सोलिंग कार्य हेतु 10.45 लाख का इस्टीमेट तैयार किया गया। जिस हेतु श्री कन्हैया सिंह ग्रा0पं0अ0 को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया। वित्तीय वर्ष में मार्च 16 तक बिना सामग्री क्रय किये रु0 9982.00 से मजदूरी का फर्जी भुगतान 20.09.2015 में दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी क्षतिपूर्ति कन्हैया सिंह से अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-13)**

प्रस्तर-20 ग्राम पथरौर में मिल पार इकरामुल हक के जमीन से मेनरोड तक नाली निर्माण हेतु रु0 0.806 लाख का स्टीमेट तैयार कराया गया जिस हेतु श्री कन्हैया सिंह ग्रा0पं0अ0 को कार्यप्रभारी बनाया गया। (पत्रांक 796 दिनांक 26.08.2015 द्वारा) कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया। कार्य प्रभारी द्वारा आदेश मेमो दिनांक 16.09.2015 द्वारा मेसर्स आर0के0 इण्टरप्राइजेज नेवादा सुंदरपुर, वाराणसी से बिल संख्या-1142 दिनांक 17.03.2015 द्वारा रु0 34142.50 की सामग्री क्रय की गई दर्शित। क्रय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. टेण्डर दिनांक 26.08.2015 में आमंत्रित किया और स्वीकृति के पश्चात दिनांक 16.09.2015 को क्रय आदेश दिया गया। परन्तु क्रय इससे पूर्व ही दिनांक 17.03.2015 में किया गया दर्शित है।
2. योजना बन्द हो जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ पाता। उपरपोक्त से स्पष्ट है कि योजना बंद हो जाने के बाद जानबूझ कर पूर्व की तिथि में फर्जी बिल के माध्यम से सामान क्रय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। जिसकी क्षति पूर्ति ग्राम पंचायत अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-17)**

प्रस्तर-21 ग्राम बघेड़ी में दाढी धार त्रिमुहानी से खरगोनदी तक 306 मीटर सीवर लाइन हेतु रु0 11.21 लाख का इस्टीमेट तैयार किया गया जिस हेतु विजय शंकर सिंह ए0डी0अ0 (कृषि) को कार्यप्रभारी बनाया गया। प्रभारी द्वारा निम्न विवरण के अनुसार सामान क्रय किया गया—

बिल संख्या/दिनांक	धनराशि	विवरण
03/18.12.2016	136300.00	एस0के0 कंस्ट्रक्शन
17/31.03.2017	141658.00	एस0के0 कंस्ट्रक्शन
योग	277958.00	

क्रय सामग्री का उपयोग 31.03.2017 तक नहीं किया गया अर्थात् मार्च 17 तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। ऐसी दशा में सामग्री का औचित्य अस्पष्ट रहा। क्रय सामग्री को स्टॉक रजिस्टर बनाकर 31.03.2017 को अवशेष भी नहीं दर्शाया गया है। ऐसी दशा में क्रय सामग्री के दुरुपयोग की संभावना प्रतीत होती है। स्टॉक में उपयोग की पुष्टि अपेक्षित है। उक्त व्यय धनराशि अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित उत्तरदायी कर्मचारी से वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-17)**

प्रस्तर-22 क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2014-15 में क्रम संख्या-1 से 14 तक प्रारूप-3 पर कुल सामग्री क्रय रु0 4055464.00 पर 6.24 वैट 4 प्रतिशत तथा टीडीएस 2.24 प्रतिशत रु0 253061.00 की कटौती की जानी थी किंतु उक्त मद में कटौती की गई धनराशि रु0 48310.00 है इस प्रकार रु0 204751.00 से कम कटौती कर राजकीय क्षति पहुँचायी गई है जिसकी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से अपेक्षित है। उत्तरदायी कर्मचारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-15)**

प्रस्तर-23 वर्ष 15-16 में ब्याज की धनराशि रु0 5.11 लाख व्यय किया गया है जबकि इसे राजकीय कोषागार में वापस किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार वर्ष 16-17 में 2.69 लाख व्यय किया गया है। अनुदान से अर्जित ब्याज की धनराशि संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है जिसे निर्धारित शीर्ष में राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिए संस्था द्वारा अर्जित ब्याज को राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया गया है जो अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उचित कार्यवाही अपेक्षित है। जिसकी विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-16)**

5. क्षेत्र पंचायत पहाड़ी वर्ष 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर-24 आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निम्नलिखित अधिभार संबंधी आपत्तियां प्रकाश में आयी- भारत सरकार के त्रैमासिक बजटिंग मैनुअल के अध्याय 6 के प्रस्तर 29 के अनुसार संसाधनों के उपयोग के संबंध में तिमाही भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति प्रथम तिमाही 20, द्वितीय तिमाही 20 तृतीय तिमाही 25 तथा चतुर्थ तिमाही 35 निर्धारित की गई है। शासनादेश संख्या 1568/38-4-1993-42/93 के अनुसार प्राप्त धनराशि का शत-प्रतिशत वर्ष में उपयोग किया जाना अनिवार्य है, किसी भी दशा में प्राप्त धनराशि के 15: से अधिक धनराशि अवशेष नहीं बचनी चाहिए। संप्रेक्षण वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा वर्ष 2013-14 में संस्था द्वारा उक्त नियम का पालन न करके गंभीर अनियमितता की गई है। विवरण निम्नानुसार है-

क्र०सं०	मद	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14
01	ब्याज	32153.00	117559.00	291849.00
02	अन्यअनुदान	5200507.00	5940032.00	3336278.00
योग		5232660.00	6057591.00	3628127.00

इस प्रकार वर्षान्त में दिनांक 31.03.2014 को रु० 3628127.00 अवशेष अनुदान की धनराशि में से ब्याज मद में रु० 291849.00 एवं अन्य मद में रु० 3336278.00 रहा, जिसे नियमानुसार, ब्याज की धनराशि रु० 291849.00 को राजकीय कोषागार में जमा कर दिया जाना चाहिए था, जिसे अनावश्यक रूप से रोक रखा गया है एवं अन्य मद की धनराशि रु० 3336278.00 को योजनावार विकास कार्य में उपयोग शत-प्रतिशत अपेक्षित था, अन्यथा की स्थिति में संबंधित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था परंतु ऐसा न करके ब्याज की आदि धनराशि से विकास कार्य बाधित रहा, जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है। वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर-25 वर्ष 2012-13 में देवाही रोड से मोकनवा नाला तक संपर्क मार्ग पर कुल व्यय रु० 570066.00 दर्शाया गया है किंतु व्यय की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक अवास्तविक रहा। विवरण निम्न प्रकार है-

क) दिनांक 01.03.2013 को रवि शंकर त्रिपाठी द्वारा सामग्री आपूर्ति का बिल संख्या 58 दिनांक 01.03.13 को रु० 56263.00 प्रस्तुत रहा जिस पर वैट,आयकर,रॉयल्टी आदि रु० 8855.00 की कटौती के पश्चात शुद्ध रु० 56408.00 का भुगतान दिनांक 14.12.2012 को ही चेक संख्या 478376 द्वारा किया गया है जबकि बिल बाद का प्रस्तुत रहा अर्थात् दिनांक 01.03.13 का बिल रहा। इस प्रकार बिल प्रस्तुत करने के पूर्व भुगतान कर दिया गया।

ख) उक्त बिल से वैट,आयकर,रॉयल्टी आदि की कटौती रु० 8855.00 का लेखांकन ग्रान्ट रजिस्टर-3 में नहीं पाया गया और ना ही अलग से रजिस्टर पर लेखा पाया गया जिससे कटौती एवं जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग) दिनांक 13.02.13 को बिल संख्या 13 संगम इंटरप्राइजेज ऑटोपार्ट्स द्वारा लोहा साइन बोर्ड रंगाई पुताई आदि पर कुल रु० 3900.00 का बिल प्रस्तुत रहा एवं भुगतान किया गया है, जबकि उक्त दुकान फर्म से ऑटो पार्ट्स की बिक्री है ना कि साइन बोर्ड पेंटिंग संबंधित सामग्री आदि की।

घ) उपरोक्त कार्य पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में श्रमांश / मजदूरी पर व्यय रु० 140011.00 सम्मिलित किया गया है जबकि प्रस्तुत मस्टर रोल के अनुसार मजदूरी रु० 127320.00 रही। इस प्रकार अंतर रु० 12691.00 से अधिक मजदूरी कार्यपूर्ति में दर्शित रही, जो कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संदिग्ध रही।

ङ) उपरोक्त कार्य की पुष्टि में निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही पंजिका व माप कार्य पुस्तिका आदि भी प्रस्तुत नहीं रही।

इस प्रकार उपरोक्त कमियों को दृष्टिगत रखते हुए स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य पर दर्शित व्यय रु० 570066.00 संदिग्ध रहा। वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर-26 ग्राम सिकरी में मेघई पाल के घर से लोहिया पुल तक संपर्क मार्ग हेतु साइन बोर्ड व फोटोग्राफी पर व्यय रु० 4400.00 किया गया है जिससे संबंधित दिनांक 12.02.2013 को बिल संख्या 20/971 द्वारा संगम इंटरप्राइजेज ऑटो पार्ट्स का बिल प्रस्तुत रहा और दिनांक 12.02.2013 को चेक संख्या 478382 द्वारा रु० 4400.00 का भुगतान किया गया है जबकि उक्त दुकान / फर्म द्वारा ऑटोपार्ट्स की बिक्री होती है ना कि साइन बोर्ड व फोटोग्राफी का कार्य। इस प्रकार वास्तविक सामग्री का बिल न प्रस्तुत कर मनमाना बिल प्रस्तुत कर भुगतान किया गया है जो भुगतान संदिग्ध रहा। वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर-27 ग्राम सिकरी में मेघई पाल के घर से लोहिया पुल तक सम्पर्क मार्ग पर दिनांक 12.12.2013 को चेक संख्या 878383 द्वारा रु0 26793.00 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त भुगतान से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा, जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर-28 कनौरा में गंगा नदी पर घाट निर्माण हेतु मजदूरी पर दिनांक 16.04.13 से 30.04.13 तक व्यय रु0 70125.00 मस्टर रोल के अनुसार दर्शित है जबकि दिनांक 15.05.13 को चेक संख्या 478397 द्वारा रु0 78710.00 का भुगतान किया गया है इस प्रकार अंतर रु0 8585.00 से अधिक भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-06)

प्रस्तर-29 वर्ष 2013-14 में पड़री में अशोक दुबे के घर से रामदेव के घर तक नाली निर्माण हेतु अधिशासी अभियंता (ग्रामीण) द्वारा दिनांक 21.06.13 को अनुमानित लागत सामग्री मद में रु0 287355.00 मजदूरी मद में रु0 58378.00 कुल 345733.00 की संस्तुति की गई है, जिसके सापेक्ष प्रमाणकों के आधार पर सामग्री मद में रु0 453432.00 व मजदूरी मद में रु0 69046.00 कुल रु0 522478.00 व्यय दर्शाया गया है। इस प्रकार अनुमानित लागत से रु0 176745.00 अधिक व्यय किया गया दर्शित है जिससे संबंधित संशोधित स्टीमेट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार दर्शित अधिक व्यय गंभीर अनियमितता का प्रकरण रहा जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं कार्य प्रभारी संबंधित उत्तरदायी हैं। उक्त व्यय अपहरण है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-07)

6. क्षेत्र पंचायत-पहाड़ी वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर-30 भारत सरकार के त्रैमासिक बजटिंग मैनुअल के अध्याय-06 के प्रस्तर-29 के अनुसार संसाधनों के उपभोग के सम्बन्ध में तिमाही भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति प्रथम तिमाही 20: द्वितीय तिमाही 20: तृतीय तिमाही 25: तथा चतुर्थ तिमाही 35: निर्धारित की गयी है। शासनादेश संख्या 1568/38-4-1993 दृ 42/93 के अनुसार प्राप्त धनराशि का शत प्रतिशत वर्ष में उपयोग किया जाना अनिवार्य है, किसी भी दशा में प्राप्त धनराशि के 15: से अधिक धनराशि अवशेष नहीं बचना चाहिए। सम्प्रेक्षण वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में संस्था द्वारा उक्त नियम का पालन न करके गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसकी विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है-

क्र०सं०	मद	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
1.	ब्याज	4,69,452	3,30,947	6,71,678
2.	अन्य अनुदान	21,76,016	20,31,588	65,30,803
	योग	26,45,468	23,62,535	72,02,481

इस प्रकार वर्षान्त में दिनांक 31.03.2017 को रु0. 72,02,481.00 अवशेष धनराशि की धनराशि में से ब्याज पद में रु0. 6,71,678 एवं अन्य मद में रु0. 65,30,803 रहा, जिसे नियमानुसार ब्याज की धनराशि रु0. 6,71,678.00 को राजकीय कोषागार में जमा कर दिया जाना अपेक्षित था, जिसे अनावश्यक रूप से रोक रखा गया है एवं अन्य मद की धनराशि रु0. 65,30,803.00 को योजनाकर विकास कार्य में शत-प्रतिशत उपयोग अपेक्षित था, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था, परन्तु ऐसा न करके विकास कार्य बाधित किया गया, जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है। विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(सामान्य आपत्ति सं०-2)

प्रस्तर-31 आलोच्य वर्ष 2015-16 में पत्रावली की जाँच में निम्नलिखित कतिपय राज्यवित्त योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो से सम्बन्धित सामग्री तो क्रय किया गया है, किन्तु वर्षान्त तक मजदूरों पर कोई व्यय दर्शित नहीं रहा, जिससे सामग्री उपयोग की पुष्टि नहीं होती है।

क्र०	कार्य का नाम	वा०सं०/तिथि	सामग्री क्रय की धनराशि	कार्य प्रभारी
1	ग्रा०पं० सागर सेमर में मेन रोड से दुखू प्रधान के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	14/25.08.2015	रु0. 40,250.00	श्री प्रकाश दुबे वी०ओ०पी० आर०डी०
2	ग्रा०पं० हिनौती के पथरहा में	12/18.08.2015	रु0. 21,365.00	श्री राम वचन राम

	पतिराम पाल के घर के पास कूप जगत निर्माण कार्य			स0वि0अ0 (सा0)
3	धर्म देवा भगदना सम्पर्क मार्ग पर रपटा/पुलिया निर्माण कार्य	16 / 25.09.2015	रु0. 50002.00	तदैव
4	ग्रा0पं0— चौदलेवा में संतलाल पुत्र राम किशुन के घर के पास कार्य	54 / 18.06.2015	रु0. 18,634.00	तदैव
	योग		रु0 1,30,251.00	

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर कुल सामग्री पर व्यय रु0. 1,30,251.00 दर्शित रहा, जिसकी पुष्टि में मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि0, एम0बी0, आदि भी उपलब्ध नहीं रहा। जिसके अभाव में सामग्री दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में कार्य प्रभारी तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उक्त व्यय अपहरण है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कमचारी/अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-3)

प्रस्तर-32 दिनांक 31.03.2017 को ग्रांट रजिस्टर-3 एवं बैंक पासबुक के अनुसार दर्शित विवरण में अन्तर रु0. 10,82,451.60 का रहा, जिसमें पूर्वाचल निधि में दिनांक 01.07.2015, चेक संख्या-06285 द्वारा रु0. 1,23,860.00 एवं विवरणहीन विगत वर्ष से चला आ रहा अन्तर की धनराशि रु0. 4,74,434.60 रहा। उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पूर्वाचल निधि की चेक की धनराशि रु0. 1,23,860.00 कालातीत हो चुका है एवं विगत वर्ष के अन्तर्गत रु0. 4,74,434.60 विवरण हीन होने के कारण अपुष्ट रहा। जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। अन्तर का समाधान अद्यावधि तक न होने की जिम्मेदारी तत्कालीन लेखाकार का है। उत्तरदायी कमचारी/अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-4)

प्रस्तर-33 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित मदों से सम्बन्धित पत्रावली बार-बार माँग करने के बावजूद ससमय लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे सम्बन्धित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत् है—

क्र0	मद का नाम	वर्ष	धनराशि
1	इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद	2014-15	153831.00
	इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद	2015-16	283706.00
	इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद	2016-17	244074.00
2	आर्थिक जनगणना	2015-16	14938.00
3	ग्राम पंचायत निर्वाचन	2015-16	1,07,600.00
4	ग्राम पंचायत निर्वाचन नामावली	2016-17	58,500.00
	योग		8,62,649.00

इस प्रकार उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित रु0. 8,62,649.00 की पुष्टि में पत्रावली-प्रमाणक एवं सम्बन्धित मद की अनुदान पत्रावली अनुपलब्ध रहा, जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक रहा। उक्त व्यय अपहरण है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-5)

प्रस्तर-34 आलोच्य वर्ष 2014-15 में वि0खं0— परिसर में छतों की मरम्मत व विभिन्न कमरों में टाईल्स व पोताई एवं महिला/पुरुष शौचालय के निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली में मात्र सामग्री क्रय पर रु0. 1,28,681.00 व्यय दर्शित है, किन्तु उपरोक्त सामग्री के उपयोग की पुष्टि में श्रमिकों की मजदूरी हेतु मस्टर रोल संलग्न नहीं रहा एवं स्टाक रजि0, निर्माण कार्य रजि0, एम0बी0 आदि भी अनुपलब्ध रहा। जिससे कार्य एवं सामग्री उपयोग की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार रु0. 1,28,681.00 के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री राम वचन राम ए0डी0ओ0 (एस0टी0), जे0ई0 श्री सुभाष सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त व्यय अपहरण है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-6)

7. क्षेत्र पंचायत-पटेहरा कला वर्ष 2013-14

प्रस्तर-35 आलोच्य वर्ष में जिन सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों से सीमेंट क्रय की गई है उनके पास सीमेंट की डीलरशिप/एजेंसी होने का कोई प्रमाण पत्र संबंधित पत्रावली में देखने को नहीं मिला। स्पष्ट है कि

फुटकर विक्रेताओं से सीमेंट क्रय किया गया है जो अनियमित रहा। इस प्रति समस्त खंड विकास अधिकारी व ज्येष्ठ लेखाकार श्री संतोष कुमार सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०-14)

प्रस्तर-36 क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों हेतु दिए जाने वाले अस्थाई अग्रिम का कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिससे यह ज्ञात न हो सका कि समस्त अग्रिमों का समायोजन हो गया है अथवा नहीं। इस प्रति समस्त तत्कालीन खंड विकास अधिकारी व संतोष कुमार सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-18)

प्रस्तर-37 क्षेत्र पंचायत द्वारा किसी भी योजना अंतर्गत कराए गए कार्यों से संबंधित कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः कार्य के पूर्ण होने एवं व्ययों के औचित्य की जांच न की जा सकी। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/ उपभोग प्रमाण पत्र के अभाव में संपूर्ण व्यय रु० 6197149.00 अपुष्ट रहा। इस प्रति समस्त खंड विकास अधिकारी व ज्येष्ठ लेखाकार श्री संतोष कुमार सिंह उत्तरदायी रहे। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-19)

प्रस्तर-38 लेखा परीक्षा में अनेक महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे प्राप्ति रसीद, ऋण रजिस्टर, वर्क रजिस्टर, लाइसेंस रजिस्टर, विनियोजन रजिस्टर, चल संपत्ति रजिस्टर, मांग व ब्याज सहित वसूली रजिस्टर, बजट रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, प्रकीर्ण मांग रजिस्टर, चेक बुक रजिस्टर, तथा सड़कों का रजिस्टर आदि उपलब्ध नहीं कराए गए जिसके कारण तत्संबंधी समीक्षा की जा सकी। इस प्रति ज्येष्ठ लेखाकार श्री संतोष कुमार सिंह सीधे उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-20)

प्रस्तर-39 वर्ष के दौरान रायल्टी तथा वैट की कटौती से क्रमशः रुपए 195209.00, रुपए 96741.00 तथा रुपए 172754.00 की आय हुई तथा क्रमशः रुपए 183398.00, रुपये 85534.00 एवं रुपए 152740.00 जमा किया गया तथा शेष रुपए 43032.00 दिनांक 31.03.2014 तक खाते में जमा रहा जो अनियमितता का परिचायक रहा। सम्पूर्ण धनराशि शासन के खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। इस प्रति खंड विकास अधिकारी व संतोष कुमार सिंह, ज्ये० लेखाकार उत्तरदायी रहे। जिसकी विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-23)

प्रस्तर-40 दिनांक 01.04.2013 को रुपए 355214.00 ब्याज शेष ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय में दर्शित था। वर्ष 2013-14 के दौरान रुपए 332031.00 बैंक में जमा अनुदान पर ब्याज प्राप्त हुआ। इस प्रकार दिनांक 31.03.2014 को रुपए 687245.00 ब्याज की धनराशि विभिन्न खातों में कुल मिलाकर जमा रही, जिसे शासन को वापस न करके भारी अनियमितता बरती गई है। इस प्रति तत्कालीन समस्त खंड विकास अधिकारी व ज्येष्ठ लेखाकार श्री संतोष कुमार सिंह उत्तरदायी रहे। जिसकी विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-24)

8. क्षेत्र पंचायत-कोन वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर-41 भारत सरकार के त्रैमासिक बजटिंग मैनुअल के अध्याय-06 के प्रस्तर-29 अनुसार संसाधनों के उपभोग के सम्बन्ध में तीमाही भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति प्रथम तीमाही 20 प्रतिशत द्वितीय 20 प्रतिशत तथा तृतीय तीमाही 25 प्रतिशत एवं चतुर्थ तीमाही 35 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। शासनादेश संख्या 1568/38-4-1993/42/93 के अनुसार प्राप्त धनराशि का शत प्रतिशत वर्ष में उपभोग किया जाना अनिवार्य है। किसी भी दशा में प्राप्त धनराशि के 15: से अधिक धनराशि अवशेष नहीं बचनी चाहिए। सम्प्रेक्षण वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में संस्था द्वारा उक्त नियम का पालन न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। विवरण निम्नानुसार है-

क्रमांक	मद का नाम	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
1	ब्याज	189949.90	30807.92	142391.24
2	अन्य अनुदान	1056892.00	1383289.00	4054587.00
	योग	1246841.90	1414096.92	4196978.24

इस प्रकार वर्षान्त दिनांक 31.3.17 को रु० 41,96,978.24 अवशेष अनुदान की धनराशि में से ब्याज मद में रु० 1,42,391.24 एवं अन्य मदों में रु० 40,54,587.00 रहा जिसे नियमानुसार ब्याज की धनराशि रु० 1,42,391.24 को राजकीय कोषागार में जमा एवं अन्य मद की धनराशि रु० 40,54,587.00 को योजनावार

विकास कार्य में उपभोग शत प्रतिशत अपेक्षित था, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा न करके विकास कार्य बाधित रहा जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। अतः उत्तरदायी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध वांछित कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर-42 आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार रायल्टी कटौती, व्यापार कर कटौती, टेण्डर से प्राप्त अर्नेष्ट मनी की जमा/व्यय दर्शाया गया है। जो पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में पत्रावली अनुपलब्ध रहा जिससे जमा/व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्रमांक	वर्ष	मद का नाम	धनराशि
1	2014-15	रायल्टी	44285.00
2	2014-15	व्यापार कर	261464.00
3	2014-15	टेण्डर से प्राप्त अर्नेष्ट मनी	57000.00
4	2015-16	रायल्टी कटौती	33201.00
5	2015-16	व्यापार कर	159658.00
6	2016-17	रायल्टी कटौती	22944.00
7	2016-17	व्यापार कर	77453.00
		योग	656005.00

उपरोक्त रु0 6,56,005.00 जमा से सम्बन्धित पत्रावली के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी को गम्भीर अनियमितता की सम्भावना बनी हुई है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध वांछित कार्यवाही अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर-43 वर्ष 2014-15 में बोरिंग जमानत/निःशुल्क बोरिंग रु0 10,720.00 ग्राण्ट रजिस्टर में व्यय दर्शाया गया है किन्तु उक्त भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उत्तरदायी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध वांछित कार्यवाही अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर-44 वर्ष 2016-17 में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में रु0 8,040.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध वांछित कार्यवाही अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर-45 वर्ष 2016-17 में बी0एल0ओ0 एवं पर्यवेक्षक का मानदेय रु0 4,200.00 देना दर्शाया गया है किन्तु उक्त भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उत्तरदायी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध वांछित कार्यवाही अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-06)

9. क्षेत्र पंचायत-पटेहरा कला वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर-46 वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान निम्न कमियाँ प्रकाश में आयीं जिनका विवरण निम्नवत् है-

आलोच्य वर्ष 2014-15 में दर्शित निर्माण कार्य ग्राम पंचायत मड़िहान डगडगवाँ से लुट कुठिया दलित बस्ती तक सम्पर्क मार्ग में मजदूरी मद हेतु प्रयुक्त मस्टर रोल क्रमांक 893 वर्ग 894 दिनांक 20.10.2014 से 03.11.2014 तक दर्शित 32 मजदूरों के भुगतान की धनराशि कुल रु0 71530.00 पर श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः स्पष्ट है कि भुगतान श्रमिकों को नहीं किया गया है जबकि 25.03.2015 को प्रभारी श्री विनोद कुमार, ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा चेक संख्या 297706 द्वारा रु0 71530.00 का भुगतान प्राप्त किया गया है। इस प्रकार रु0 71530.00 का अपहरण प्रभारी श्री विनोद कुमार, ए0डी0ओ0 द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रभारी श्री विनोद कुमार ए0डी0ओ0 (प0) से की जानी अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-47 आलोच्य वर्ष 2014-15 में दर्शित निर्माण कार्य ग्राम पंचायत पटेहरा कला मे पटेहरा से रामपुर सम्पर्क मार्ग से चौहान बस्ती तक सम्पर्क मार्ग (मिट्टी, गिट्टी आदि) में व्यय कृत धनराशि के भुगतान हेतु प्रभारी श्री कर्नल अशोक कुमार ए0डी0ओ0 (सहा0) द्वारा बिना तिथि के माँग निम्न विवरण के अनुसार की गयी।

मजदूरी पर व्यय	159180.00	मजदूरी
सामग्री का बिल	172800.00	सामग्री

जिस पर जे0ई0 श्री सत्येन्द्र श्रीवास्तव द्वारा संस्तुति दी गयी है। परन्तु पत्रावली की जाँच में पाया गया कि मजदूरी पर व्यय कृत दर्शित धनराशि रु0 159180.00 का प्रयुक्त मस्टर रोल पत्रावली में संलग्न नहीं है, जबकि 30.12.2014 को चेक संख्या 43493 द्वारा रु0 159180.00 का भुगतान प्रभारी श्री कर्नल अशोक कुमार, ए0डी0ओ0 (सह0) द्वारा प्राप्त किया गया है। अतः भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। इस प्रकार रु0 159180.00 का अपहरण जे0ई0 श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव एवं प्रभारी श्री अशोक कुमार ए0डी0ओ0 (सह) द्वारा मिलीभगत से किया गया है जाँचों परान्त ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-03)

प्रस्तर-48 आलोच्य वर्ष 2015-16 में तेरहवाँ वित्त के अर्न्तगत कराये गये कार्य कोटवा पाण्डेय में हरीजन बस्ती से राजाराम के घर से होते हुए राम देव मौर्य के आगे डब्लूबीएम सम्पर्क मार्ग के प्रभारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह एडीओ ;एसटीद्ध नियुक्त थे। प्रभारी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में लेखा परीक्षा के समय मजदूरी पर दर्शित व्यय म0 रोल क्रमांक 177 दिनांक 04.11.2015 से 16.11.2015 तक कुल 20 मजदूर को दर्शित भुगतान की धनराशि रु0 37996.00 का म0रोल अनुपलब्ध रहा, जबकि प्रभारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, एडीओ ;एसटीद्ध द्वारा चेक रु0 299760.00 दिनांक 27.01.2016 को उक्त धनराशि का चेक प्राप्त किया गया दर्शित है, तथा धनराशि का अपहरण है। अतः जाँचोपरान्त ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति सं0-04)

प्रस्तर-49 आलोच्य वर्ष 2016-17 के वैट एवं रायल्टी जमा की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि दिनांक 12.09.2016 को रायल्टी की धनराशि रु0 116179.00 वैट मद में चालान संख्या 6070002 दिनांक 12.09.2016 को जमा किया गया है एवं 12.09.2016 से वैट की धनराशि रु0 122790.00 रायल्टी मद में चालान संख्या 6070001 से जमा दर्शाया गया है। इस प्रकार अन्तर की धनराशि रुपया 6611.00 रायल्टी मद में अधिक एवं वैट मद में कम जमा की गयी है। जिसके कारण अनुदान रजिस्टर (3) में 31.03.2017 को दर्शित अवशेष प्रभावित रहा, जो कि गंभीर अनियमितता है। इस प्रति संतोष कुमार सिंह, ज्ये0 लेखाकार उत्तरदायी रहे। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-05)

प्रस्तर-50 आलोच्य वर्ष 2015-16 में श्रमिक शेष (श्रमांश) मद में कटौती से प्राप्त कुल धनराशि रु0 76245.00 में से 72619.00 रुपया जमा दर्शित है परन्तु लेखा परीक्षा में जमा का पुष्टि पत्र अनुपलब्ध रहा। जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है। वॉछित प्रमाण-पत्र पत्रावली में रखा जाना अपेक्षित है। इस प्रति संतोष कुमार सिंह, ज्ये0 लेखाकार उत्तरदायी रहे। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-06)

प्रस्तर-51 लेखा-परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में कटौती से प्राप्त आयकर, वैट, एवं रायल्टी तथा श्रमिक शेष वर्षान्त तक जमा नहीं किया गया है, जबकि नियमानुसार भुगतान के पश्चात् अविलम्ब उक्त मदों की धनराशि सम्बन्धित खातों में जमा करके अथवा जमा कराकर पुष्टि प्रमाणक संस्था पर रखा जाना अपेक्षित है। जबकि ऐसा नहीं किया गया है जैसे-

वर्ष	रायल्टी	वैट	आयकर	श्रमिक शेष
2014-15	48429.00	48593.00	26060.00	5048.00
2015-16	86245.00	73893.00	3999.00	3628.00
2016-17	—	480.00	—	14139.00=14619.00

उक्त मदों की धनराशि सम्बन्धित खातों में जमा करके अथवा जमा कराकर पुष्टि प्रमाणक संस्था पर रखा जाना अपेक्षित है। जबकि ऐसा नहीं किया गया है, इस प्रति ज्येष्ठ लेखाकार श्री संतोष कुमार सिंह उत्तरदायी रहे। जिसकी विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-07)

प्रस्तर-52 भारत सरकार के त्रैमासिक बजटिंग मैनुअल के अध्याय 06 के प्रस्तर 29 के अनुसार संसाधनों के उपभोग के सम्बन्ध में तिमाही भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति प्रथम तिमाही 20 प्रतिशत द्वितीय तिमाही 20 प्रतिशत, तृतीय तिमाही 25 प्रतिशत, एवं चतुर्थ तिमाही 35 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। शासनादेश संख्या 1568/38-4-1993-42/93 के अनुसार प्राप्त धनराशि का शत-प्रतिशत वर्ष में उपभोग किया जाना अनिवार्य है। किसी भी दशा में प्राप्त धनराशि में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि अवशेष नहीं रहनी चाहिए। जिसकी विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। वर्षवार विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	प्राप्त धनराशि	प्राप्त धनराशि का 15 प्रतिशत	अवशेष धनराशि का प्रतिशत	अवशेष धनराशि	अधिक अवशेष
2014-15	4678236.90	15925225.00	51.06	11246988.10	31188246.00
2015-16	3691034.70	3857650.00	15.68	166615.30	24606898.00
2016-17	1594855.50	7375417.00	69.37	5780561.50	10632370.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 तथा 2016-17 में नियम विरुद्ध अवशेष धनराशि है। नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को अवशेष धनराशि वापस किया जाना अपेक्षित रहा जो नहीं किया गया अतः गंभीर अनियमितता का द्योतक है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 में सांसद निधि की धनराशि रु0 165012.00 एवं विधायक निधि की धनराशि रुपया 1410907.00 वर्ष 2015-16 से ही पड़ी हुई है। जो न तो व्यय किया गया एवं न ही वापस किया गया है। स्पष्ट करते हुए वापस किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-08)

प्रस्तर-53 दिनांक 31.03.2017 से ब्याज की मद में रुपया 507002.00 अवशेष दर्शित है, जिसे नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ऐसा न करके ब्याज की धनराशि से राजकीय क्षति के साथ-साथ विकास कार्य बाधित रहा, जो गंभीर अनियमितता का परिचायक है। वाँछित विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-09)

प्रस्तर-54 आलोच्य वर्ष 2016-17 के वर्षान्त 31.03.2017 से अनुदान रजिस्टर के अनुसार कुल रु0 7375417.00 दर्शित है। जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार बैंक खातों में कुल जमा धनराशि रु0 8390878.00 है। इस प्रकार ग्राण्ट रजिस्टर एवं बैंक खातों में जमा धनराशि में रु0 1015461.00 का अन्तर है। अन्तर का कारण निम्नवत है।

(क) विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज को एक ही मद में दर्शाये जाने के कारण अन्तर है।

(ख) कतिपय निर्गत घेरों के 31.03.2017 तक आहरण न होने के कारण रु0 32297.00 का अन्तर रहा।

(ग) विगत वर्षों (सितम्बर 2009) से ही चला आ रहा अन्तर रु0 692490.00 दर्शाया जा रहा है। जिसका विवरण खोजकर समाधान किया जाना अपेक्षित है। गंभीर अनियमितता का परीचायक है। इस प्रति ज्येष्ठ लेखाकार श्री संतोष कुमार सिंह उत्तरदायी रहे। जिसकी विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-10)

10. क्षेत्र पंचायत-राजगढ़ वर्ष 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर-55 वित्तीय वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन योजना अन्तर्गत वर्ष के दौरान निम्न माह में निम्न धनराशि व्यय की गयी दर्शित है-

माह	धनराशि
मई 2012	327640.00
जुलाई 2012	74650.00
सितम्बर 2012	154936.00
अक्टूबर 2012	3749.00
नवम्बर 2012	42900.00
फरवरी 2013	279268.00
योग	883143.00

इस प्रकार कुल धनराशि रु0 883143.00 व्यय की गई जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक तथा व्यय पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही हैं। अतः रु0 883143.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख तथा लेखाकार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर-56 क्षेत्र पंचायत मनरेगा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में क्रमशः रु0 3002944.00, रु0 3518570.00 एवं रु0 3371406.00 की धनराशि आहरित करके व्यय की गई है। इस प्रकार कुल रु0 9892920.00 व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक तथा व्यय पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही है। अतः रुपये 9892920.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर-57 वित्तीय वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में प्रशासनिक मद मनरेगा योजना अन्तर्गत रु0 1336896.00 आहरित करके व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं व्यय पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में

अनुपलब्ध रही है अतः रु0 1336896.00 अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से संयुक्त रूप से की जानी लेखा परीक्षा में अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर-58 वित्तीय वर्ष 2011-14 की लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि ब्याज मद से निम्न प्रकार से धन का आहरण किया गया है-

वित्तीय वर्ष	धनराशि
2011-12	2704.36
2012-13	11463.00
2013-14	366802.00
योग	380969.36

इस प्रकार कुल रु0 380969.36 आहरित कर के व्यय कर दिया गया है। जबकि शासनादेश संख्या ए-1-22 / दस 2015 / ए-1-502(1) दस 2015-10(33)/2010 तादिनांक के तहत यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज सख्या फर्म आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा कर दिया जाये। इस शासनादेश के आलोक में क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रु0 380969.36 ब्याज सहित वसूली योग्य गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से संयुक्त रूप से करके राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर-59 वित्तीय वर्ष 2011-14 की लेखा परीक्षा अवधि में विभिन्न मदों का योजनाओं में विभिन्न कार्यों पर रु0 6521031.67 की निर्माण सामग्री खरीदी गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0	वर्ष	मद का नाम	कार्य का नाम	सामग्री खरीद की धनराशि
1	2011-12	राज्य वित्त आयोग	सेमरा बरहों मौझा मडईपुर में पंचायत भवन से कुबेर पाल के घर तक पत्थर खड़न्जा	448082.00
2	2011-12	पूर्वांचल वि0नि0यो0	भवरिया समुदवा मार्ग से टकटईया नाला तक सम्पर्क मार्ग निर्माण	783987.00
3	2012-13	सांसद वि0नि0यो0	करौंदा में मिठाई लाल के घर तक गिट्टी, मिट्टी, मोरंग कार्य	373963.00
4	2012-13	राज्य वित्त आयोग	खोराडीह में श्याम लाल विश्वकर्मा के घर से पतंगी मोल के घर तक सम्पर्क मार्ग	917727.00
5	2012-13	राज्य वित्त आयोग	ग्रा0पं0 ददरा में कैलास पटेल के खेत से कूड़ी तक सम्पर्क मार्ग	850091.00
6	2012-13	राज्य वित्त आयोग	बघौड़ा में पोखरौध नाले पर रपटा निर्माण	510940.00
7	2013-14	13वाँ वित्त आयोग	कूबा खुर्द में कूप जगत निर्माण	97083.00
8	2013-14	13वाँ वित्त आयोग	थौहों बहेड़ी में कूप जगत निर्माण	97033.00
9	2013-14	13वाँ वित्त आयोग	खम्हवा जमती में सीताराम के घर कूप जगत निर्माण	90303.00
10	2013-14	क्रिटिकल गैस यो0	ग्रा0पं0 भीटी के रामपुर 38 नाले पर रपटा निर्माण	303448.00
11	2013-14	राज्य वित्त आयोग	खोराडीह में नाले पर पुलिया	396817.67
12	2013-14	राज्य वित्त आयोग	मेन रोड राजगढ़ से खटिकान बस्ती डब्लूबीएम सम्पर्क मार्ग	194599.00
13	2013-14	राज्य वित्त आयोग	भौटी नाले पर पुलिया निर्माण	321704.00
14	2013-14	राज्य वित्त आयोग	खण्ड वि0 अधिकारी आवास पर बाउण्ड्रीवाल निर्माण	158151.00
15	2013-14	13वाँ वित्त आयोग	ग्रा0पं0 लूसा में कूप जगत	90726.00
16	2013-14	राज्य वित्त आयोग	ग्रा0पं0 पड़वा में सुखराम के घर से पंचम के घर तक गिट्टी, मिट्टी, मोरंग सम्पर्क मार्ग	886377.00
	योग			6521031.67

इस प्रकार उपरोक्त धनराशि रु0 6521031.67 के मूल्य की निर्माण सामग्री की खरीद की पुष्टि नहीं हो रही है क्योंकि क्रय देयकों प्रमाणकों (बिलों) पर कर पहचान संख्या (टिन नम्बर) फर्जी प्रतीत होते हैं। साथ ही क्रय देयकों पर बुक संख्या (पुस्तक नं0) अंकित नहीं है। कतिपय क्रय देयकों पर सीरियल नं0 हाथ से

लिखे गये हैं अधिकांशतः क्रय देयकों पर हस्ताक्षर एवं दिनांक नहीं हैं कतिपय क्रय देयक लेटर पैड पर बनाये गये हैं निर्माण सामग्री के स्टॉक रजिस्टर के अभाव में, निर्माण समिति की सामग्री आमद के पुष्टि के अभाव में तथा फर्मों द्वारा आपूर्ति चालान न जारी के कारण सामग्री की आमद भी पुष्ट नहीं होती। टेण्डर प्रक्रिया भी पारदर्शी प्रतीत नहीं होती क्योंकि अधिकतर लिफाफे पहले से खुले लग रहे थे। लिफाफों पर एक ही हैण्ड राइटिंग से लिखा गया प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार क्रय एवं भुगतान की वैधानिकता को सत्यापित एवं अभिप्रमाणित नहीं किया जा सका।

अतः इस प्रकार यह पुष्ट होता है कि रु0 6521031.67 मूल्य की निर्माण सामग्री की खरीद फर्जी है। जिससे यह पुष्ट होता है कि रु0 6521031.67 की धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं सम्बन्धित कार्य के कार्यप्रभारी से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-06)

प्रस्तर-60 वित्तीय वर्ष 2011-14 की अवधि में निम्न मदों से निम्न कार्य कराये गये हैं जिस पर रु0 1688817.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	वर्ष	मद का नाम	कार्य का नाम	व्यय की गयी धनराशि		योग
				मजदूरी	सामग्री	
1	2011-12	सांसद वि०वि०	निकरिमा नाले पर चेक डैम निर्माण	314720.00	994257.00	1308977.00
2	2013-14	13वां वित्त	धुरकर झुल्लर के घर के पास कूप जगत निर्माण	33544.00	94281.00	127825.00
3	2013-14	13वां वित्त	नुनौटी के चौका में कूप जगत निर्माण	33750.00	87463.00	121213.00
4	2013-14	13वां वित्त	कूबा कला में रामसूरत जायसवाल के घर के पास कूप जगत निर्माण	39725.00	91077.00	130802.00
			योग	421739.00	1267078.00	1688817.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है रु0 1267078.00 मूल्य की खरीदी गई निर्माण सामग्री फर्जी है क्योंकि क्रय देयकों (बिलों) पर टिन नं० फर्जी प्रतीत होते, पुस्तक सं० एवं बुक सं० भी क्रय देयकों पर अंकित नहीं हैं बिलों पर हस्ताक्षर/दिनांक नहीं हैं/टेण्डर प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं है क्योंकि लिफाफे पहले से खुले प्रतीत होते हैं। उन पर एक ही हैण्डराइटिंग से लिखा प्रतीत होता है साथ ही सामग्री का स्टॉक रजिस्टर के अभाव में तथा फर्मों द्वारा प्राप्ति चालान न प्राप्त होने के कारण सामग्री की आमद भी पुष्ट नहीं होती। इसी प्रकार श्रमिक चिट्ठा/मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं हैं और उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। अतः रु0 421739.00 की मजदूरी भी फर्जी है।

इसी प्रकार उपरोक्त कार्यों पर फर्जी सामग्री खरीद एक एवं फर्जी मस्टर रोल प्रस्तुत करके रु0 1688817.00 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त कार्यों पर निर्माण समिति की रिपोर्ट (संस्थान) भी अप्राप्त रही है साथ ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी अप्राप्त होने के कारण कार्य की वैधानिकता की पुष्टि नहीं होती है। अतः रु0 1688817.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, एवं सम्बन्धित कार्य प्रभारी से संयुक्त रूप से किया जाना लेखा परीक्षा में अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर-61 2013-14 में इन्दिरा आवास मद में गलत अंकन दर्शित कर रु0 10225.00 का अपहरण कर लिया गया है। फरवरी 2014 का अंतिम शेष रु0 34617.00 अंकित दर्शित है किन्तु बिना किसी आय/व्यय के मार्च 2014 का प्रारम्भिक शेष रु0 24392.00 दर्शित है जो कि रु0 10225.00 कम है जिसे दिनांक 31.03.2014 तक कहीं पर सुधार नहीं किया गया है। अतः रु0 10225.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड वि० अधिकारी तथा लेखाकार से संयुक्त रूप से की जानी लेखा परीक्षा में अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-08)

11. क्षेत्र पंचायत-राजगढ़ वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर-62 वित्तीय वर्ष 2014-15 में 13वां वित्त आयोग मद में माह अप्रैल 2014 का प्रा० शेष रु0 630950.00 या रु0 1998300.00 प्राप्त होने पर कुल योग रु0 2629250.00 हो गया। रु0 554344.00 आहरित कर लिया गया जिसके सापेक्ष अंतिम शेष रु0 2074906.00 होना चाहिए की जगह रु0 10000.00 कम करके रु0 2064906.00 अंकित किया गया है। रु0 10000.00 का दिनांक 31.03.2015 तक कहीं पर समायोजित न

करके अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है ।

(सामान्य आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर-63 वित्तीय वर्ष 2014-17 में ब्याज मद से निम्न प्रकार से आहरण करके व्यय किया गया है-

वित्तीय वर्ष	धनराशि	व्ययकृत कार्य
2014-15	490.00	बैंक कटौती
2015-16	677207.00	अज्ञात
2016-17	204.00	बैंक कटौती
योग रु0	677901.00	

इस प्रकार कुल रु0 677901.00 आहरण करके व्यय किया गया है जिसमें रु0 694.00 बैंक कटौती किया गया है जो सरकारी अनुदान खाता है। बैंक कटौती होनी नहीं चाहिए इस विषय में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया तथा रु0 677207.00 का ब्यौरा/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई कि कहाँ पर किस कार्य पर व्यय किया गया। जबकि शासनादेश संख्या-1-1-22/ दस-2015/ए-1-502(1) दस 2015-10(33) 2010 तादिनांक के तहत यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय राजकोष में जमा कर दिया जाए। इस शासनादेश के आलोक में क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रु0 677901.00 की ब्याज सहित वसूली योग्य गम्भीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से संयुक्त रूप से करके राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्य आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर-64 वित्तीय वर्ष 2014-17 में प्रशासनिक मद मनरेगा में निम्नलिखित तरह से व्यय किया गया दर्शित है-

वित्तीय वर्ष	धनराशि
2014-15	1909559.00
2015-16	4850019.00
2016-17	3140234.00
योग	9899812.00

इस प्रकार कुल व्यय धनराशि रु0 9899812.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध नहीं कराई गई। अतः प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्य आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर-65 वित्तीय वर्ष 2014-15 में मनरेगा क्षेत्र पंचायत मद में मनरेगा ग्राम पंचायत से प्राप्त धनराशि रु0 850531.00 क्षेत्र पंचायत द्वारा बताया गया कि उक्त धनराशि वापस किया गया, परन्तु तत्सम्बन्धी पत्रावलियाँ एवं कार्यवाही लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे इसकी वापसी की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः रु0 850531.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है ।

(सामान्य आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर-66 वर्ष 2014-17 में आई0ए0पी0 योजना में निम्नलिखित तरीके से धनराशियों का आहरण किया गया है-

वित्तीय वर्ष	धनराशि
2014-15	29342380.00
2015-16	5821223.00
2016-17	137949.00
योग	35301552.00

इस प्रकार कुल रु0 35301552.00 व्यय की गई है जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही है अतः रु0 35301552.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

(सामान्य आपत्ति संख्या-06)

प्रस्तर-67 वित्तीय वर्ष 2014-17 में क्रिटिकल गैप्स योजना में निम्नलिखित धनराशियों का आहरण किया गया है

वित्तीय वर्ष	धनराशि

2014-15	673390.00
2015-16	1836381.00
2016-17	154911.00
योग	2664682.00

उक्त व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि रु0 2664682.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में बार-बार माँगने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई। अतः रु0 2664682.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या-07)

प्रस्तर-68 इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद में निम्न वर्षों में निम्न धनराशियों का आहरण किया गया है—

वित्तीय वर्ष	धनराशि
2014-15	358050.00
2015-16	39439.00
2016-17	60254.00
योग	457743.00

इस प्रकार कुल रु0 457743.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0 मीरजा 457743.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या-08)

12. क्षेत्र पंचायत सीखड़ वर्ष 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर-69 अनुदान पंजिका भाग तृतीय में वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त आयोग अनुदान शीर्ष में माह मई 2011 में अन्तिम अवशेष रु0 63,898.00 को जून 2011 में प्रारम्भिक व अन्तिम शेष रु0 63,898.00 (प्राप्त व व्यय शून्य) दर्शाते हुए जुलाई 2011 में प्रारम्भिक शेष रु0 63,898.00 प्राप्त रु0 8,19,023.00 व्यय शून्य अन्तिम शेष रु0 8,82,921.00 दर्शाया गया। माह अगस्त 2011 में प्रारम्भिक शेष रु0 8,82,921.00 प्राप्त शून्य व्यय शून्य, अन्तिम अवशेष रु0 8,82,921.00 दर्शाकर फिर काटकर प्रारम्भिक व अन्तिम शेष को रु0 8,19,023.00 किया गया। इस प्रकार रु0 63,898.00 बिना व्यय दर्शाए बैलेन्स कम किया गया।

मनरेगा शीर्ष में वर्ष 2012-13 में माह जनवरी 13 में प्रारम्भिक शेष रु0 38,44,887.00 प्राप्त शून्य व्यय रु0 18,125.00 दर्शाते हुए अन्तिम शेष रु0 38,26,762.00 दर्शाया गया। फरवरी 13 में प्रारम्भिक व अन्तिम अवशेष रु0 38,26,762.00 (प्राप्त व व्यय शून्य) दर्शाकर फिर काटकर रु0 37,65,562.00 दर्शाते हुए मार्च 13 के प्रारम्भिक व अन्तिम अवशेष (प्राप्त व व्यय शून्य) रु0 37,65,562.00 दर्शाया गया। इस प्रकार रु0 61,200.00 बिना व्यय दर्शाए बैलेन्स कम किया गया।

इस प्रकार रु0 63,898.00 व रु0 61,200.00 कुल रु0 1,25,098.00 के प्रति न तो स्थिति स्पष्ट की गयी न व्यय का विवरण दिया गया और न अभिलेखीय साक्ष्यों से पुष्टि ही करायी गयी जो अपहरण का द्योतक है। उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या-08)

प्रस्तर-70 सम्प्रेक्षण वर्षों में प्राप्त अनुदान को निम्न विवरणनुसार व्यय दर्शाया गया है:—

क्र० सं०	अनुदान का नाम	व्यय धनराशि			योग
		2011-12	2012-13	2013-14	
1	राज्य वित्त आयोग	6,95,906.00	28,80,812.00	37,88,031.00	73,64,749.00
2	12 वां व 13 वां वित्त आयोग	0.00	40,300.00	17,67,291.00	18,07,591.00
3	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	3,99,993.00	3,85,709.00	14,92,434.00	22,78,136.00
4	विधायक निधि	6,48,536.00	18,37,467.00	16,27,903.00	41,13,906.00
5	पूर्वांचल विकास निधि	43,07,270.00	91,949.00	3,54,681.00	47,53,900.00
6	मनरेगा	14,21,173.00	549,492.00	37,65,562.00	57,36,227.00
	योग	74,72,878.00	57,85,729.00	1,27,95,902.00	

इस प्रकार वर्ष 11-12 से 13-14 तक निर्माण व्यय रु0 2,60,54,509.00 सम्बन्धी निर्माण पत्रावलियाँ जांच में सुलभ नहीं करायी गयी जिससे निविदा प्रक्रिया, स्वीकृत लागत सामग्री व श्रमांश पर व्यय कार्य प्रारम्भ व समाप्त तिथि, जमानत, मोड आफ पेमेन्ट की स्थिति अज्ञात रही। निर्माण व्यय सम्बन्धी बिल, वाउचर,

एम0बी0, वर्क रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र बार-बार मौखिक व लिखित मांग के बावजूद सुलभ नहीं कराए गए।

अनुदान पंजिका भाग तृतीय से स्पष्ट है कि रु0 2,60,54,509.00 निर्माण व्ययों पर कोई आयकर, व्यापार कर व रायल्टी की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार व्यय मनमाने ढंग से किए गए हैं। सहा0 लेखाकार द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु इस अवधि में श्री शम्भूनाथ मिश्रा ग्राम विकास अधिकारी, श्री सुरेश कुमार राय सहा0 विकास अधिकारी, श्री अमीर राय सहा0 विकास अधिकारी एस0एस0बी0 के नाम चेक कटे हैं अतः अभिलेखीय साक्ष्यों के अभाव में निर्माण व्यय रु0 2,60,54,509=00 अपुष्ट एवं अप्रमाणिक रहा है जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश पाण्डेय सहा0 लेखाकार, श्री शम्भूनाथ मिश्रा ग्राम विकास अधिकारी, सहित श्री अमीर राय व श्री सुरेश कुमार राय सहा0 विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मनरेगा का 31.03.13 को अवशेष धनराशि रु0 37,65,562.00 जो फरवरी 13 से फरवरी 14 तक कोई उपभोग नहीं हुआ। और मार्च 14 में रु0 37,65,562.00 व्यय दर्शाया गया जो व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है इसमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता होने की प्रबल सम्भावना है इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री इन्द्रमणि त्रिपाठी सीधे उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-09)

प्रस्तर-71 सम्प्रेक्षण वर्षों में निर्माण व्ययों रु0 2,60,54,509.00 पर कोई आयकर, व्यापार कर, रायल्टी की कटौती नहीं हुई है जबकि नियमानुसार निर्माण बिलों पर 2.24 प्रतिशत आयकर, 4 प्रतिशत व्यापार कर, नियमानुसार रायल्टी तथा कुल लागत का 1 प्रतिशत सेस उपकर की कटौती कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने का प्राविधान है। इस प्रकार राजकीय राजस्व को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी है जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व श्री सुरेश कुमार पाण्डेय सहा0 लेखाकार सीधे उत्तरदायी है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-10)

प्रस्तर-72 प्रशासनिक (व्यवस्थापन) व अन्य मदों में सम्प्रेक्षण वर्षों में निम्न प्रकार व्यय अनुदान पंजिका भाग तृतीय में दर्शित है।

क्र0सं0	नाम मद	व्यय धनराशि			योग
		2011-12	2012-13	2013-14	
01	प्रशासनिक पद	15,08,456.00	11,03,751.00	5,00,828.00	31,13,035.00
02	रा0 स्वा0 बीमा प्रचार	3500.00	0.00	0.00	3,500.00
03	युवक मंगल दल / म0म0दल	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
04	महामाया सर्वे/आर्थिक मदद	8,500.00	5,000.00	0.00	13,500.00
05	बोरिंग जमानत	0.00	6700.00	0.00	6700.00
06	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन	0.00	700.00	0.00	700.00
07	सामाजिक, आर्थिक जातिगत गणना	—	19,162.00	24,100.00	43,262.00
08	संगणक पर्यवेक्षक मानदेय	—	—	14,935.00	14,935.00
09	इन्दिरा आवास प्रा0 पद	—	—	15,593.00	15,593.00
10	पेयजल प्रशिक्षण	—	—	20,400.00	20,400.00
	योग	15,30,456.00	11,45,313.00	5,85,856.00	32,61,625.00

इस प्रकार वर्ष 11-12 से 13-14 तक व्यवस्थापन व अन्य मदों में रु0 32,61,625.00 व्यय अनुदान पंजिका भाग तृतीय के अनुसार हुआ है जिसकी पुष्टि में बिल, वाउचर सुलभ नहीं कराए गए और न अभिलेखीय साक्ष्यों से व्ययों की प्रमाणिकता की पुष्टि करायी गयी। रु0 32,61,625.00 के व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणिक रहे हैं। जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी सहित श्री सुरेश कुमार पाण्डेय सहा0 लेखाकार सीधे उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-11)

प्रस्तर-73 शासनादेश संख्या, 10/2015/ए-1-502(1)/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 द्वारा समस्त विभाग/निगमों/सार्वजनिक उमकर्मों/स्थानीय निकायों को शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखने से अर्जित ब्याज सस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज राजकोष में जमा करने के स्पष्ट आदेश के बावजूद वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक क्षेत्र पंचायत सीखड़ को शासन से अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखने से रु0 18,44,580.00 ब्याज आय हुई है। जिसे राजकोष में जमा न कर शासनादेश का उल्लंघन किया गया जो गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है।

अनुदान पंजिका तृतीय अनुसार वर्ष 13-14 में रु0 8,38,465.00 जमा अनुदान पर ब्याज आय तथा वर्ष 11-12 व 12-13 में पूर्वा विकास निधि खाते से रु0 1,17,364.00 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान खाते से रु0 3,32,789.00 राज्य वित्त आयोग खाते से रु0 96,142.00 तथा मनरेगा खाते से रु0 4,59,820.00 ब्याज आय दर्शित है। इस प्रकार कुल रु0 18,44,580.00 ब्याज आय को शासन को वापस/राजकोष में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी सहित श्री सुरेश कुमार पाण्डेय सहाय लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिसकी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-12)

प्रस्तर-74 क्षेत्र पंचायत सीखड़ की अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार वर्ष 11-12, 12-13 व 13-14 के वर्षान्त में निम्न विवरणनुसार प्राप्त अनुदान की अप्रयुक्त अवशेष धनराशि अवशेष रही थी

क्रम संख्या	अनुदान मद	अनुदान की अप्रयुक्त अवशेष धनराशि		
		31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
1	राज्य वित्त आयोग	8,33,929.00	8,38,150.00	5,55,037.00
2	बारहवां व तेरहवां वित्त आयोग	3,14,307.00	2,74,007.00	5,76,064.00
3	पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि	44,04,652.00	40,18,943.00	25,26,509.00
4	विधायक निधि	6,94,029.00	4,53,562.00	1,37,659.00
5	पूर्वाचल विकास निधि	4,63,730.00	3,71,781.00	17,100.00
6	मनरेगा	29,14,254.00	37,65,562.00	—
	योग	96,24,901.00	97,22,005.00	38,12,369.00
महायोग 2,31,59,275.00				

शासन से अवमुक्त धनराशि जो वर्षान्त में अप्रयुक्त अवशेष रह जाती है को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार को वापस कर दिया जाएगा। शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद वर्षान्त में अनुदान की अप्रयुक्त अवशेष धनराशि को वापस न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी सहित श्री सुरेश कुमार पाण्डेय सहाय लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-13)

13. क्षेत्र पंचायत सीखड़ वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर-75 सम्प्रेक्षण वर्षों में प्राप्त अनुदान को निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शाया गया है:

क्र० सं०	नाम मद	व्यय धनराशि			योग
		2014-15	2015-16	2016-17	
1	राज्य वित्त आयोग	30,23,061.00	3,45,924.00	30,52,591.00	64,21,576.00
2	13 वां वित्त आयोग	23,43,539.00	7,73,000.00	—	31,16,539.00
3	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	10,21,404.00	8,33,578.00	7,44,552.00	25,99,534.00
4	पूर्वाचल विकास निधि	3,71,781.00	—	—	3,71,781.00
5	विधायक निधि	4,28,124.00	51,535.00	9,12,229.00	13,91,888.00
	योग	71,87,909.00	20,04,037.00	47,09,372.00	1,39,01,318.00

इस प्रकार वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक शासन से प्राप्त अनुदान का निर्माण कार्यों पर व्यय रु0 1,39,01,318.00 दर्शाया गया है जिससे सम्बन्धित पत्रावलियां जांच में सुलभ नहीं करायी गयी है फलस्वरूप निविदा प्रक्रिया, स्वीकृत लागत, सामाग्री व श्रमांश पर व्यय, कार्य प्रारम्भ व समाप्त तिथि, जमानत, मोड आफ पेमेन्ट की स्थिति अज्ञात रही। निर्माण व्यय सम्बन्धी बिल वाउचर, एम0बी0, वर्क रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मौखिक एवं लिखित मांग के बावजूद सुलभ नहीं कराये गये। बिलों के आभाव में राजकीय राजस्वों की कटौती नियमानुसार हुई है अथवा नहीं की स्थिति भी अज्ञात रही। व्यय मनमाने ढंग

से किये गये हैं। लेखाकार द्वारा बताया गया कि इस अवधि में निर्माण कार्य हेतु श्री शम्भू नाथ मिश्रा, ग्राम विकास अधिकारी के नाम चेक कटे हैं।

अतः अभिलेखीय साक्ष्यों के आभाव में निर्माण पर दर्शित व्यय रु० 1,39,01,318.00 अपुष्ट एवं अप्रमाणिक रहा है जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी सहित श्री सुरेश कुमार पाण्डेय सहा० लेखाकार व श्री शम्भू नाथ मिश्रा ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या – 10)

प्रस्तर-76 सम्प्रेक्षण वर्षों में अनुदान पंजिका भाग तृतीय के अनुसार वर्ष में निर्माण व्यय व उस पर राजकीय राजस्वों की कटौतियों का विवरण निम्न प्रकार दर्शित है।

क्र०	मद का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	योग
1	निर्माण कार्य पर व्यय	71,87,909.00	20,04,037.00	47,09,072.00	1,39,01,318.00
2	आयकर कटौती	70,601.00	2,707.00	—	73,308.00
3	वैट कटौती	2,48,726.00	27,043.00	81,672.00	3,57,441.00
4	रायल्टी कटौती	67,085.00	13,917.00	1,39,579.00	2,20,581.00

इस प्रकार सम्प्रेक्षण वर्षों में कुल निर्माण व्यय रु० 1,39,01,318.00 पर आयकर रु० 73,308.00 वैट रु० 3,57,441.00 व रायल्टी रु० 2,20,581.00 की कटौती व जमा दर्शित है नियमानुसार निर्माण बिलो पर 2.24 प्रतिशत आयकर, 4 प्रतिशत वैट (व्यापार कर) नियमानुसार रायल्टी व कुल लागत का 1 प्रतिशत सेस उपकर की कटौती व सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने का प्रावधान है। इस प्रकार राजकीय राजस्वों की कम कटौती कर राजकीय राजस्व को भारी आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है।

दर्शित आयकर कटौती रु० 73,308.00 वैट रु० 3,57,441.00 व रायल्टी रु० 2,20,581.00 अनुदान पंजिका तृतीय में जमा दर्शित है किन्तु जमा चालानों से इसकी पुष्टि नहीं करायी गयी है इस प्रकार काटे गये राजस्व रु० 6,51,330.00 के राजकोष में जमा होने की पुष्टि नहीं होती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कर्मचारी एवं अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-12)

प्रस्तर-77 अनुदान पंजिका भाग तृतीय में सम्प्रेक्षण वर्षों में प्रशासनिक (व्यवस्थापन) व अन्य मदों में निम्न प्रकार व्यय दर्शित है—

क्र०सं०	नाम मद	व्यय धनराशि		
		2014-15	2015-16	2016-17
1	प्रशासनिक व्यय	14,86,289.00	1840053.00	770969.00
2	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन	—	102320.00	1200.00
3	निर्वाचन नामावली	—	—	37500.00
4	त्रिस्तरीय पंचायत बूथ	—	—	5970.00
5	पंचायत प्रतिनिधि मानदेय	5220000.00	—	—
6	क्रिटिकल योजना	2639.00	2639.00	—
7	ग्राम पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण	—	—	15500.00
8	इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद	23811.00	84609.00	68337.00
9	पेयजल	50000.00	—	—
10	सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना	—	11738.00	—
11	युवक मंगल दल	—	4000.00	—
	योग	1567959.00	2045359.00	899476.00
महायोग 4512794.00				

इस प्रकार वर्ष 14-15 से 16-17 तक व्यवस्थापन व अन्य मदों में रु० 45,12,794.00 व्यय हुआ है जिसकी पुष्टि में बिल, वाउचर सुलभ नहीं कराये गये और न ही अभिलेखीय साक्ष्यों से व्यय की प्रामाणिकता की पुष्टि करायी गई। रु० 45,12,794.00 के व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणिक रहे हैं। जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी सहित श्री सुरेश कुमार पाण्डेय सहा० लेखाकार सीधे उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या – 14)

प्रस्तर-78 शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502(1)/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 द्वारा समस्त विभाग/निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्थानीय निकायों को शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखने से अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज

राजकोष में जमा करने के स्पष्ट आदेश के बावजूद वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक क्षेत्र पंचायत सीखड़ को शासन से अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखने से ग्रांट तृतीय अनुसार वर्ष 14-15 में रु0 3,18,733.00, वर्ष 2015-16 में रु0 1,81,312.00, वर्ष 16-17 में रु0 2,25,889.00 कुल रु0 7,25,934.00, ब्याज की आय हुई है जिसे राजकोष में जमा न करके शासनादेश का उल्लंघन करते हुए गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी सहित श्री सुरेश कुमार पाण्डेय सहा0 लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या – 15)

प्रस्तर-79 क्षेत्र पंचायत सीखड़ की अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार वर्ष 14-15, 15-16 व 16-17 के वर्षान्त में निम्न विवरणनुसार प्राप्त अनुदान की अप्रयुक्त अवशेष धनराशि अवशेष रही थी।

क्रम संख्या	अनुदान मद	अनुदान की अप्रयुक्त अवशेष धनराशि		
		31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017
1	राज्य वित्त आयोग	6,43,233.00	20,07,295.00	22,57,444.00
2	तेरहवाँ वित्त आयोग	7,87,892.00	9,45,217.00	9,45,217.00
3	पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि	15,05,105.00	16,37,527.00	8,92,975.00
4	विधायक निधि	51,535.00	—	5,45,771.00
	योग	29,87,765.00	45,90,039.00	46,41,407.00
महायोग		1,22,19,211.00		

शासन से अवमुक्त धनराशि जो वर्षान्त में अप्रयुक्त अवशेष रह जाती है को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार को वापस कर दिया जाएगा। शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद वर्षान्त में अनुदान की अप्रयुक्त अवशेष धनराशि को वापस न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी सहित श्री सुरेश कुमार पाण्डेय सहा0 लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-16)

14. क्षेत्र पंचायत-हलिया वर्ष 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर-80 वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है-

क्र0स0	मद	धनराशि
	सांसद निधि योजना	200812.00
	विधायक निधि योजना	1616171.00
	प्रशासनिक मद	2315891.00
	राज्य वित्त आयोग	1821393.00
	रायल्टी	199764.00
	आयकर	264366.00
	तेरहवाँ वित्त आयोग	3681583.00
	पिछड़ा क्षेत्र अनु0 निधि	1383279.00
	महिला युवक मंगल दल	10000.00
	पूर्वांचल विकास निधि	479745.00
	क्रिटिकल गैप्स	736204.00
	योग	12709208.00

उपर्युक्त व्यय धनराशि रु0 12709208.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में बार-बार माँगने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उक्त धनराशि अपहरण है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर-81 वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र0स0	मद	धनराशि
1	सांसद निधि योजना	1469458.00
2	विधायक निधि योजना	1877242.00
3	प्रशासनिक मद	1311724.00
4	राज्य वित्त आयोग	159380.00
5	रायल्टी	154461.00
6	आयकर	99268.00

7	तेरहवाँ वित्त आयोग	233320.00
8	पिछड़ा क्षेत्र अनु० निधि	1238537.00
9	पूर्वांचल विकास निधि	1101737.00
10	युवक कल्याण महिला / मंगल दल	14000.00
11	ट्रेजरी	27134.00
	योग	7686261.00

उपर्युक्त व्यय धनराशि रु0 7686261.00 के सापेक्षा कोई भी पय प्रमाणक एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गई। सम्पूर्ण धनराशि जिसका कोई व्यय प्रमाणक नहीं है अपहरण है जिसकी पत्रावली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति संख्य-03)

प्रस्तर-82 वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र०स०	मद	धनराशि
1	सांसद निधि योजना	0.00
2	विधायक निधि योजना	1921186.00
3	प्रशासनिक मद	1351842.00
4	राज्य वित्त आयोग	4143560.00
5	रायल्टी	444798.00
6	पिछड़ा क्षेत्र अनु० निधि	11227900.00
7	पूर्वांचल विकास निधि	1698257.00
	योग	20787543.00

उपर्युक्त व्यय धनराशि रु0 20787543.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही है। प्रमाणक विहीन व्यय धनराशि अपहरण है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्य-04)

15. क्षेत्र पंचायत-हलिया वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर-83 वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है-

क्र०स०	मद	धनराशि
1	सांसद वि०नि० योजना	218813.00
2	विधायक नि० योजना	741735.00
3	पंचायत निर्वाचन	16320.00
4	प्रशासनिक मद	2119421.00
5	स्वर्ण जयंती अवस्थापना मद	230221.00
6	राज्य वित्त आयोग	17027154.00
7	तेरहवाँ वित्त आयोग	8593261.00
8	पिछड़ा क्षेत्र अनु० निधि	272587.00
9	राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना	7300.00
10	पूर्वांचल विकास निधि	153995.00
11	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (Iब)	2053797.00
	योग	31434604.00

उपर्युक्त व्यय धनराशि रु0 31434604.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में बार-बार माँगने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उक्त धनराशि का अपहरण है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्य-02)

प्रस्तर-84 वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र०स०	मद	धनराशि
1	सांसद वि०नि० योजना	67904.00
2	विधायक नि० योजना	276790.00
3	पंचायत निर्वाचन	153200.00
4	इन्दिरा आवास	549067.00

5	प्रशासनिक मद	6193889.00
6	राज्य वित्त आयोग	5138022.00
7	रायल्टी	1147046.00
8	तेरहवाँ वित्त आयोग	2810236.00
9	पिछड़ा क्षेत्र अनु0नि0यो0	1757116.00
10	पूर्वांचल विकास निधि	197966.00
11	वैट	1822030.00
12	अतिरिक्त सह0	214596.00
13	इन्दिरा आवास	77706.00
14	जमानती धनराशि	1614122.00
	योग	22019690.00

उपर्युक्त व्यय धनराशि रु0 7686261.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गई। अतः सम्पूर्ण धनराशि अपहरण कर ली गई है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर-85 वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र0स0	मद	धनराशि
1	सांसद निधि योजना	0.00
2	विधायक निधि योजना	291187.00
3	प्रशासनिक मद (मनरेगा)	3121923.00
4	राज्य वित्त आयोग	6528863.00
5	पिछड़ा क्षेत्र अनु0 निधि	2562302.00
6	इन्दिरा आवास (कन्टिजेन्सी)	168652.00
7	जमानती धनराशि	13733.00
	योग	12686660.00

उपर्युक्त व्ययकृत धनराशि रु0 12686660.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही है। प्रमाणक विहीन व्यय धनराशि अपहरण है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर-86 वित्तीय वर्ष 2015-16 में विधायक नि0वि0यो0 में प्रारम्भिक शेष रु0 1461250.00 अंकित दर्ज है जबकि 2014-15 में दिनांक 31.03.2016 के अंतिम शेष रु0 1494361.00 है अतः रु0 33111.00 का अंकित कर धनराशि का अपहरण गया है जबकि 31 मार्च और 1 अप्रैल के बीच किसी प्रकार का कोई व्यय भी नहीं किया गया है। अतः उक्त अपहरण की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-05)

16. क्षेत्र पंचायत छानबे वर्ष 2015-16 व 2016-17

प्रस्तर-87 वर्ष 2015-16 में नट आवास योजना के अधीन गत वर्षों से शेष चले आ रहे रु0 80000.00 को व्यय किया जाना दर्शित है। इस संबंध में कोई भी प्रमाणक, पत्रावली या अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। अभिलेखों की अनुपलब्धता से स्थिति संदिग्ध होती है। अतः प्राथमिकताधार पर आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराकर स्थिति स्पष्ट किया जाना चाहिए। अन्यथा स्थिति में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज कुमार दुबे के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना चाहिए। जिसकी ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-20)

प्रस्तर-88 वर्ष 2015-16 में मनरेगा शीर्ष में रु0 5123153.00 का व्यय अनुदान पंजिका भाग-3 से विदित होता है। इस व्यय के संबंध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए जिससे स्थिति पूर्णतः अज्ञात रही। इसे प्राथमिकताधार पर उपलब्ध कराकर जाँच एवं पुष्टि कराया जाना चाहिए। अन्यथा स्थिति में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार तथा श्री नीरज कुमार दुबे के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना चाहिए। कार्यवाही अवधिवार होना चाहिए। जिसकी ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-21)

प्रस्तर-89 वर्ष 2016-17 में मनरेगा शीर्ष में रु0 2268598.00 का व्यय किया जाना अनुदान पंजिका से विदित होता है । इस व्यय से संबंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए जिससे स्थिति पूर्णतः अज्ञात रही । प्राथमिकताधार पर इन्हे उपलब्ध कराकर जाँच एवं पुष्टि कराया जाना चाहिए । अन्यथा स्थिति में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज कुमार दुबे, श्रीमती भवना यादव तथा श्री वागीश कुमार शुक्ल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना चाहिए । कार्यवाही अवधिवार होना चाहिए । जिसकी ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है । **(सामान्य आपत्ति संख्या-22)**

जनपद-सोनभद्र । मण्डल का नाम-विन्ध्याचल

क्षेत्र पंचायत- (राबर्ट्सगंज)

प्रस्तर संख्या-1-1- लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर 2 व 3 के अनुसार आलोच्य वर्षों 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान विभिन्न मदों में क्रमशः रु0 14896544.00 एवं रु0 37172292.00 व्यय किया गया है। परन्तु आलोच्य वर्षों में किए गए आंशिक व्ययों (2017-18 में रु0 1781442.00 एवं 2018-19 में रु0 8680794.00) की ही पुष्टि से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। ये पत्रावलियां मुख्यतः राज्य वित्त/14वां वित्त योजना के अन्तर्गत हुए निर्माण कार्यों से सम्बन्धित हैं। शेष व्ययों, जो अन्य योजनाओं से सम्बन्धित हैं, इनकी पुष्टि में कोई पत्रावली या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार वर्ष 2017-18 में शेष रु0 13105602.00 एवं 2018-19 में शेष रु0 28500998.00 (कुल रु0 41606600.00) किए गए व्यय पत्रावली या अभिलेखों के अभाव पुष्टिकृत नहीं हो सके और ये व्यय अनियमित प्रतीत होते हैं। इसके लिए संस्था के खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इनका विवरण इस प्रकार है:-

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2017-18 में	वर्ष 2018-19 में
1.	राज्य वित्त आयोग	6585406.00	7770692.00
2.	पूर्वांचल विकास निधि	1916364.00	1218946.00
3.	मुख्यमंत्री सा0 विवाह योजना	385000.00	3090849.00
4.	विधायक निधि	1920643.00	4959709.00
5.	सांसद निधि	---	8492728.00
6.	प्रधानमंत्री आवास प्रशासनिक	537263.00	1314251.00
7.	मनरेगा प्रशासनिक	1657529.00	1545821.00
8.	राज्य वित्त प्रशासनिक	74197.00	108002.00
9.	इंदिरा आवास प्रशासनिक	22000.00	---
10.	सोशल ऑडिट मानदेय	7000.00	---
	कुल योग-	13105602.00	28500998.00

(आप0 सं0-2)

क्षेत्र पंचायत- (राबर्ट्सगंज)

प्रस्तर संख्या-2-2 उ0प्र0 वैट अधिनियम की धारा-3(7) के अन्तर्गत शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों का भुगतान करते समय निर्धारित दर (दिनांक-04.03.2008 से 4 प्रतिशत) से मूल्य संवर्धित कर (वैट) की कटौती की जानी होती है। शासनादेश संख्या-ए-1-351/दस-2011 दिनांक-30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से यह कटौती सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की होती है, तथा उक्त कटौती को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है। अन्यथा की स्थिति में हुई राजकीय क्षति की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की होती है।

वर्ष 2017-18 व 2018-19 की प्राप्ति पत्रावलियों के अनुसार दिनांक- 01.07.2017 (लैज लागू तिथि) के पूर्व सामग्री क्रय पर कुल व्यय रु0 1083714.00 रहा इस पर नियमानुसार 4 प्रतिशत की दर से रु0 43349.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी। लेकिन संस्था के अधिकारियों द्वारा नियम का उल्लंघन कर मनमाने तरीके कतिपय बिलों पर कुल रु0 38547.00 वैट की कटौती की गयी है। शेष कटौती रु0 4802.00 नहीं करके राजकीय क्षति की गयी है। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली संस्था के अधिकारियों तत्कालीन बी0डी0ओ0 लेखाकार के द्वारा सुनिश्चित कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। **(आप0 सं0-3)**

क्षेत्र पंचायत- (राबर्ट्सगंज)

प्रस्तर संख्या-3 3-आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समायान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखाशीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदासी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर “न काटे गये आयकर की धनराशि” के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है।

01 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2.24 प्रतिशत दर से सुनिश्चित की जानी है। वर्ष 2017-18 2018-19 तक की प्राप्त पत्रावलियों के अनुसार सामग्री क्रय पर कुल व्यय रु0 7855804.00 रहा इस पर नियमानुसार रु0 175969.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिए। लेकिन संस्था के अधिकारियों द्वारा अधिनियम का उल्लंघन कर मनमाने तरीके कतिपय बिलों पर कुल रु0 13550.00 की कटौती की गई है। शेष कटौती रु0 162419.00 आयकर की कटौती नहीं की गयी। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली संस्था के अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए संस्था के खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। **(आप0 सं0-4)**

क्षेत्र पंचायत- (नगवा)

प्रस्तर संख्या-4-1- वर्ष 2017-18 की अनुदान पंजी 02 एवं 03 के अनुसार विभिन्न मदों में कुल रु0 2943017.00 व्यय किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग से सम्बन्धित पत्रावलियां ही शेष व्ययों जो अन्य योजनाओं से सम्बन्धित है, की पुष्टि में कोई पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे। इस प्रकार वर्ष में कुल रु0 2240584.00 के लिये गये व्ययों की पुष्टि पत्रावली एवं अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जो पूर्णतया अनियमित रहा। इसके लिए संस्था के खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	मद का नाम	वर्ष में दर्शित व्यय रु0
1.	वि0य0क्षे0वि0नि0 योजना	367611.00
2.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना	433521.00
3.	प्रशासनिक मद (इ0आ0यो0)	236960.00
4.	राज्य वित्त आयोग	1099092.00
5.	सोशल आडिट	38500.00
6.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह	64900.00
	कुल योग-	2240584.00

क्षेत्र पंचायत- (नगवा)

प्रस्तर संख्या-5 2-वर्ष 2018-19 की अनुदान पंजी 02 एवं 03 के अनुसार विभिन्न मदों में कुल रु0 10682916.00 व्यय किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में स्थानीय सांसद निधि से सम्बन्धित रु0 1212585.00 एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन से सम्बन्धित रु0 5522780.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां ही उपलब्ध करायी गयी, जो निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रही। शेष व्ययों, जो अन्य योजनाओं से सम्बन्धित हैं की पुष्टि में कोई पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे। इस प्रकार वर्ष में कुल रु0 3947551.00 के किये गये व्ययों की पुष्टि पत्रावली एवं अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जो पूर्णतया अनियमित रहा। इसके लिए संस्था के खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	मद का नाम	वर्ष में दर्शित व्यय रु0
1.	वि0य0क्षे0वि0नि0 योजना	26995.00
2.	ब्याज की धनराशि	455556.00
3.	प्रशासनिक मद (इ0आ0यो0)	483942.00
4.	राज्य वित्त आयोग	129076.00
5.	ई गवर्नेन्स	10000.00
6.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह	2789099.00
7.	आंगनबाड़ी	128.00

8.	लेबर सेस	52755.00
9.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन	3420.00
	कुल योग-	3950971.00

ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- (नगवां)

प्रस्तर संख्या-6 4-वर्ष 2017-18 में निर्माण कार्यो पर अंकन रू0 74448.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री रमेश यादव पद नाम ग्रा0पं0 अधिकारी को तथा रू0 74448.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके श्री राजेश यादव को (ग्रा0पं0अधि0) कुल रू0 148896.00 का भुगतान किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टरोल संलग्न है उसमें कार्यविधि/तिथि अंकित नहीं है और न ही किसी भी मस्टरोल पर मजदूरों का अंगुठा निशान/ हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टरोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया और रू0 148896.00 का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/ कार्यप्रभारी एवं ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- (नगवां)

प्रस्तर संख्या-7 3-आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो में सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है तथा कटौती की गयी धनराशि को निर्धारित समायान्तर्गत राजकोष में जमा किया जाना है। दिनांक-01.04.2009 से आयकर की कटौती 02.24 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित की जानी अपेक्षित रही। इस प्रकार लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 व 2018-19 तक की उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार सामग्री पर कुल व्यय वर्ष 2017-18 में रू0 547537.00 एवं वर्ष 2018-19 में रू0 6731945.00 कुल रू0 7279482.00 रहा जिस पर नियमत: 02.24 प्रतिशत की दर से रू0 163060.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु संस्था द्वारा आयकर की कोई कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति खण्ड वि0आ0 व लेखाकार से करके राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-5)

क्षेत्र पंचायत- (नगवां)

प्रस्तर संख्या-8 - 4-वर्ष 2017-18 में निर्माण कार्यो पर अंकन रू0 74448.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री रमेश यादव पद नाम ग्रा0पं0 अधिकारी को तथा रू0 74448.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके श्री राजेश यादव को (ग्रा0पं0अधि0) कुल रू0 148896.00 का भुगतान किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टरोल संलग्न है उसमें कार्यविधि/तिथि अंकित नहीं है और न ही किसी भी मस्टरोल पर मजदूरों का अंगुठा निशान/ हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टरोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया और रू0 148896.00 का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/ कार्यप्रभारी एवं ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- (म्योरपुर)

प्रस्तर संख्या-9 1- वर्ष 2017-18 में अनुदान पंजिका के अनुसार, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से कुल व्यय रू0 8720520.00 दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष प्रस्तुत पत्रावलियों से कुल रू0 6823249.00 का व्यय ही पुष्टि रहा। इस प्रकार इस मद में वर्ष 2017-18 में कुल रू0 1897271.00 का व्यय अनियमित पाया गया। रू0 1897271.00 की पुष्टि में अनुदान पंजिका के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के प्रतिकूल पाया गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रवण कुमार राय व लेखाकार श्री नरेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-14)

क्षेत्र पंचायत- (म्योरपुर)

प्रस्तर संख्या-10 2-वर्ष 2017-18 में अनुदान पंजिका के अनुसार, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि मद से कुल व्यय रु0 3943217.00 दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष प्रस्तुत पत्रावलियों से कुल रु0 1497445.00 का व्यय ही पुष्टि रहा। इस प्रकार इस मद में वर्ष 2017-18 में कुल रु0 2485772.50 का अपुष्ट व्यय अनियमित पाया गया। रु0 2485772.50 की पुष्टि में अनुदान पंजिका के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम-174 के प्रतिकूल पाया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति संख्या-16)

क्षेत्र पंचायत- (म्योरपुर)

प्रस्तर संख्या-11 3-वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान पंजिकाओं के अनुसार तेरहवें वित्त आयोग की मद से कुल व्यय रु0 254498.00 रहा, जिसमें सोलर लाइट आपूर्ति का भुगतान रु0 237500.00 चेक संख्या-007760 दिनांक-15.07.2017 द्वारा मेसर्स एफ0ए0 इंटरप्राइजेज, महुली, सोनभद्र को किया गया, वैट कटौती रु0 12500.00, अमर उजाला को विज्ञप्ति के लिए भुगतान रु0 4488.00 चेक संख्या-007762 दिनांक-26.07.2017 द्वारा किया गया, सम्मिलित है। परन्तु इसकी पुष्टि हेतु सम्पूर्ण पत्रावली, बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, निविदा पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। इस प्रकार यह व्यय एवं भुगतान अपुष्टि रहा। जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियमों के अधीन यह भुगतान अनियमित रहा। उल्लेखनीय कि अनुदान पंजिका के अनुसार, पुनः इस मद से कोई व्यय नहीं किया गया है तथा अवशेष रु0 581107.00, 31.03.2019 तक इस मद में यथावत दर्शित है। इस अवशेष पर न ही कोई ब्याज दर्शित है और न ही कोई बैंक चार्ज। बैंक खाते से मिलान कर अवशेष की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित रहा।
(सामान्य आपत्ति संख्या-18)

क्षेत्र पंचायत- (म्योरपुर)

प्रस्तर संख्या-12 4-वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान पंजिका के अनुसार अन्य निम्न 05 मदों में कुल रु0 9336556.59 व्यय दर्शित रहा, परन्तु आवश्यक अभिलेखों यथा, पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, बैंकपास बुक, लाभार्थियों की प्रमाणित सूची, प्राप्ति रसीद आदि के अभाव में इनकी पुष्टि न की जा सकी। इसकी पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा।

क्रम संख्या	मद का नाम	धनराशि रु0 में
1.	प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना प्रशा0 मद	319533.00
2.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि	1976417.00
3.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	1375230.00
4.	मनरेगा प्रशासनिक मद	3393286.59
5.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	2272090.00
	कुल योग-	9336556.59

(सामान्य आपत्ति संख्या-19)

क्षेत्र पंचायत- (म्योरपुर)

प्रस्तर संख्या-13 5-वित्तीय वर्ष 2017-18 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत औड़ी में चन्द्रशेखर के घर से संजय सोनी के घर तक इंटरलाकिंग कार्य के लिए मस्टर रोल 2321 के सापेक्ष रु0 8862.00 का भुगतान चेक संख्या-039691 दिनांक-12.02.2018 द्वारा किया गया है। जबकि मस्टर रोल की कुल धनराशि रु0 8795.00 है। इस प्रकार कुल रु0 67.00 का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। खंड विकास अधिकारी की टिप्पणी के अनुसार रु0 67.00 क्षेत्र निधि में जमा कराना सुनिश्चित किया जाना था, परन्तु इसके जमा किए जाने का कोई भी साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। नियमावली के अधीन यह भुगतान अनियमित पाया गया।
(सामान्य आपत्ति संख्या-15)

क्षेत्र पंचायत- (म्योरपुर)

प्रस्तर संख्या-14 6-वित्तीय वर्ष 2017-18 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से कराये गए कार्य, ग्राम पंचायत खैराही में सत्तार के घर से आर0ओ0 प्लांट तक सी0सी0 रोड निर्माण की मजदूरी भुगतान के लिए प्रस्तुत मस्टर रोल सं0-3551, 3552, 3553 तथा 3554 पर न तो मजदूरों के हस्ताक्षर हैं और न ही अंगूठा निशान जब कि इन मस्टर रोलों में निहित कुल धनराशि रु0 90650.00 का भुगतान कार्य प्रभारी को चेक संख्या-636979 दिनांक-27.01.2018 द्वारा किया गया है। जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा

सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के भुगतान नियमों के अधीन यह भुगतान अनियमित पाया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-17)

क्षेत्र पंचायत- (म्योरपुर)

प्रस्तर संख्या-15 7-वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्न विवरण के अनुसार फोटोग्राफी के लिए विभिन्न कार्य प्रभारियों को मजदूरी भुगतान के चेक के साथ अतिरिक्त भुगतान किए गए। जो नियमानुकूल नहीं पाये गए। यह भुगतान सीधे फोटोग्राफर को किया जा सकता था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया और न ही कार्य प्रभारी द्वारा फोटोग्राफर से नकद प्राप्ति की रसीद ही ली गयी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का भुगतान कतिपय निर्माण कार्यों पर ही किया गया है, न की समस्त कार्यों पर। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के भुगतान नियम 66 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः इस सम्पूर्ण भुगतान को अनियमित मानते हुये आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है।

क्र० सं०	कार्य का नाम/स्थान/मद	फोटोग्राफर/बिल सं०/दिनांक	चेक संख्या/दिनांक	धनराशि	कार्यप्रभारी
1.	काशी पाल के घर से राजपति यादव के घर तक सी०सी० रोड निर्माण /ग्राम पंचायत बीजपुर/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग।	डाली स्टूडियो एच०डी० वीडियोग्राफी म्योरपुर/157/ 11.08. 2017	007781/ 12.09. 2017	400.00	श्री समर बहादुर सिंह (ग्रा०वि०अधि०)
2.	खंड विकास अधिकारी आवास के सामने इंटेर्लानिंग एवं सुन्दीकरण हेतु प्रोटेक्शन वाल का निर्माण/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग।	डाली स्टूडियो एच०डी० वीडियोग्राफी म्योरपुर/103/ 08.09. 2017	036225/ 09.10. 2017	500.00	श्री खुशींद आलम (उर्दू अनुवादक)
3.	ग्राम पंचायत चैरी में पक्की सड़क परमसुख के घर से घटनूराम के घर तक खडंजा निर्माण इंटर लाकिंग। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	डाली स्टूडियो एच०डी० वीडियोग्राफी म्योरपुर/164/ 09.10. 2017	38843/ 10.11. 2017	1000.00	श्री सुरेन्द्र कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी
4.	ग्राम पंचायत कुंडाडीह में सोमारू के घर से तारा के घर तक इंटरलाकिंग। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग।	डाली स्टूडियो एच०डी० वीडियोग्राफी म्योरपुर/161/ 04.09. 2017	07784/ 15.09. 2017	1000.00	श्रीमती सुषमा तिवारी, ग्राम पंचायत अधिकारी
5.	ग्राम पंचायत पिंडारी में बैजनाथ जासवाल के घर से बजरंगी के घर तक सी०सी० रोड निर्माण। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग।	डाली स्टूडियो एच०डी० वीडियोग्राफी म्योरपुर/162/ 06.09. 2017	36230/ 13.10. 2017	1000.00	श्री समर बहादुर सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी
6.	ग्राम पंचायत परनी में रामधनी गोंड के घर से उदय के घर तक सी०सी० रोड निर्माण। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि।	डाली स्टूडियो एच०डी० वीडियोग्राफी म्योरपुर/160/ 07.09. 2017	671051/ 19.09. 2017	1000.00	श्री अभिषेक सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी
	योग-			4900.00	

(सामान्य आपत्ति संख्या-20)

क्षेत्र पंचायत- (म्योरपुर)

प्रस्तर संख्या-16 8-वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान पंजिका के अनुसार, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से कुल व्यय रू० 10614123.00 दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष प्रस्तुत पत्रावलियों से कुल रू० 9226305.00

का व्यय ही पुष्टि रहा। इस प्रकार इस मद में वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रु0 1387818.00 का व्यय अनियमित पाया गया। रु0 1387818.00 की पुष्टि में अनुदान पंजिका के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के प्रतिकूल पाया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-21)

क्षेत्र पंचायत- (म्योरपुर)

प्रस्तर संख्या-17 9- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान पंजिका के अनुसार, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि मद से कुल व्यय रु0 6937920.00 दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष प्रस्तुत पत्रावलियों से कुल रु0 5740480.95 का व्यय ही पुष्टि रहा। इस प्रकार इस मद में वर्ष 2018-19 में कुल रु0 1197439.05 का व्यय अनियमित पाया गया। रु0 1197439.05 का व्यय अनियमित पाया गया। रु0 1197439.05 की पुष्टि में अनुदान पंजिका के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के प्रतिकूल पाया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-28)

क्षेत्र पंचायत- (म्योरपुर)

प्रस्तर संख्या-18 10- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान पंजिका के अनुसार, अन्य निम्न 05 मदों में कुल रु0 18903290.42 व्यय दर्शित रहा, परन्तु आवश्यक अभिलेखों यथा पत्रावलियों, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, लाभार्थियों की प्रमाणित सूची, प्राप्ति रसीद, आदि के अभाव में इनकी पुष्टि न की जा सकी। इसकी पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रम संख्या	मद का नाम	धनराशि रु0 में
1.	प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना प्रशानिक मद	685998.00
2.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि	4421955.00
3.	सोसल आडिटर्स का मानदेय	149000.00
4.	मनरेगा प्रशासनिक मद	5517691.42
5.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	8128646.00
	कुल योग-	18903290.42

(सामान्य आपत्ति संख्या-29)

क्षेत्र पंचायत- (म्योरपुर)

प्रस्तर संख्या-19 11- वित्तीय वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से कराये गए कार्यों के सापेक्ष अनियमित मस्टर रोल पर किए गए भुगतान का विवरण निम्न प्रकार रहा, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 66 के अनुरूप नहीं पाया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	धनराशि	अनियमितता	भुगतान का चेक नं० / दिनांक
1.	ग्राम पंचायत कुलडोमरी में वार्ड संख्या 6 मेन रोड से राजकुमार	3377	6250.00	मजदूरों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान नहीं पाये	39738 / 28. 09.2018
2.	ग्राम पंचायत लिलासी कला में मां शारदा स्कूल से पंचायत भवन तक इंटरलाकिंग कार्य	3571	5965.00	कार्य प्रभारी के अतिरिक्त अन्य किसी के भी हस्ताक्षर नहीं पायी गयी।	39750 / 03. 11.2018
3.	ग्राम पंचायत काचन में ग्रामीण रोड से मोतीराम वर्मा के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	3504 3505 3506	7525.00 22050.00 24150.00	कार्यावधि अंकित नहीं पायी गयी।	39754 / 04. 01.2019
4.	ग्राम पंचायत म्योरपुर में खेल के मैदान में रंगाई पोताई।	3457	5600.00	मजदूरों के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान अप्राप्त। खण्ड विकास अधिकारी के अतिरिक्त किसी के	041238 / 06. 06.2018

5.	ग्राम पंचायत कुलडोमरी में मंदरहट मेन रोड से ललई वियार से चित्रकूट के घर तक खडंजा इंटरलाकिंग।	3361 3362 3363	9200.00 4755.00 15030.00	मजदूरों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान नहीं पाए गए।	39743 / 06.10.2018
6.	ग्राम पंचायत कूदरी में रामलखन के घर से राम औतार के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण।	3531 3534 3535	22500.00 11550.00 19860.00	मजदूरी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान नहीं पाये गए।	39732 / 28.09.2018
7.	ग्राम पंचायत अनपरा लाल टावर अब्बास खान के घर से विनोद गुप्ता के घर तक इंटरलाकिंग एवं जल निकासी नाली निर्माण।	अप्राप्त	20995.00	मस्टर रोल दिनांक 26.07.2019 तक तैयार नहीं रहा।	039783 / 08.03.2019
8.	ग्राम पंचायत शिश्वा (झापर) में हीरा लाल के घर से राजमति के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण।	3661 3662 3663 3664 3665 3666	9975.00 13870.00 21505.00 25240.00 21000.00 8925.00	भुगतान का विवरण तथा खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर अप्राप्त रहे। श्रमिकों के अंगूठे अप्रमाणित रहे।	39766 / 20.02.2019
9.	पक्की सड़क से राम बुझवान के घर तक इंटरलाकिंग का कार्य।	3617 3618	29400.00 13650.00	मजदूरों के नाम मस्टर रोल पर नहीं लिखे गए हैं, जबकि अंगूठा लगा कर प्रमाणित किया गया है। भुगतान का विवरण एवं खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।	039762 / 04.01.2019
योग—			318995.00		

(सामान्य आपत्ति संख्या-25)

क्षेत्र पंचायत— (म्योरपुर)

प्रस्तर संख्या-20 12—वित्तीय वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से वार्ड संख्या 4 खजुरा में कच्ची सड़क से लल्लू राम प्रजापति के घर से इंटरलाकिंग सोलिंग का कार्य कराया गया है। जिसके लिए माँ ज्वाला कन्स्ट्रक्शन शक्तिनगर बिल सं0-64 दिनांक- 04.09.2018 द्वारा रू0 207083.00 की सामग्री आपूर्ति की गयी है, तथा इसका भुगतान चेक संख्या-39740 दिनांक-29.09.2018 द्वारा किया गया है। कार्य के सापेक्ष प्रस्तुत मस्टर रोल के अनुसार आखिरी मस्टर रोल (क्रमांक-3373) दिनांक-06.08.2018 से दिनांक-11.08.2018 तक प्रभावी रहा। अर्थात् यह कार्य सामग्री आपूर्ति के संदर्भ में दिनांक-11.08.2018 या इससे पूर्व किसी दिनांक को ही समाप्त हो गया रहा होगा। अतः उक्त बिल संख्या-64 के द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री का औचित्य अस्पष्ट रहा। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं स्टाक पंजिका के अभाव में यह भुगतान अनियमित पाया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-26)

क्षेत्र पंचायत— (म्योरपुर)

प्रस्तर संख्या-21 13—वित्तीय वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से विनोद कुमार गुप्ता के घर से रवि गुप्ता के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य में मिट्टी ढुलाई का कार्य किया गया है। यह कार्य उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार श्री उपेंद्र सिंह सुपुत्र श्री सीताराम सिंह ग्राम व पोस्ट-बीजपुर, सोनभद्र द्वारा ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नम्बर-यू0पी0 67-7321 के माध्यम से सम्पन्न कराया गया है। कुल 53.32 घनमी0 मिट्टी की ढुलाई की गयी है। भाड़े का भुगतान रू0 10552.00 कार्य प्रभारी श्री समर बहादुर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी को चेक संख्या-041229 दिनांक-18.05.2018 द्वारा किया गया है। चेक श्री उपेंद्र सिंह को न जारी कर पाने की स्थिति में भी कम से कम उनसे नकद प्राप्ति रसीद लिया जाना आवश्यक था, जो कि नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम-66 के भुगतान नियमों का उल्लंघन कर किए गए भुगतान को अनियमित मानते हुये कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-26)

क्षेत्र पंचायत— (म्योरपुर)

प्रस्तर संख्या—22 14—वित्तीय वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत म्योरपुर में खेल मैदान के अधूरे कक्ष के निर्माण की सामग्री आपूर्ति के लिए माँ ज्वाला कन्स्ट्रक्शन शक्तिनगर को अनुबंधित किया गया है। सामग्री आपूर्ति के लिए प्रस्तुत बिल संख्या-71 दिनांक-10.12.2018 में प्लुम्बरिंग एवं विद्युतीकरण के लिए क्रमशः रु0 9950.00 तथा रु0 12712.00 की धनराशि भी सम्मिलित की गयी हैं तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा इसका भुगतान चेक संख्या-39753 दिनांक-04.01.2019 के द्वारा अन्य सामग्रियों के साथ किया गया है। इसी कार्य के लिए कार्य प्रभारी द्वारा मस्टर रोल संख्या- 3631 के सापेक्ष रु0 2975.00 का भुगतान चेक संख्या-39752 दिनांक-04.01.2019 द्वारा प्राप्त किया गया है। सामग्री आपूर्ति अनुबंध में यह सम्मिलित नहीं है कि प्लुम्बरिंग अथवा विद्युतीकरण का कार्य भी माँ ज्वाला कन्स्ट्रक्शन शक्तिनगर द्वारा ही किया जाएगा, जबकि अन्य सामग्री का उल्लेख पूर्ण रूप से किया गया है। उक्त मस्टर रोल लेखा परीक्षा के दिन तक भी भुगतान के लिए स्वीकृति नहीं किया गया था तथा किस एम0बी0 के सापेक्ष है यह भी दर्शित नहीं रहा। ऐसी स्थिति में उक्त तीनों धनराशियां (कुल मिलाकर रु0 25637.00) उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 66 के अनुसार भुगतान हेतु अनियमित पायी गई। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहा। मस्टर रोल के अनुसार यह कार्य 02.04.2017 से चल रहा था। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-26)

क्षेत्र पंचायत— (म्योरपुर)

प्रस्तर संख्या—23 15—चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से विकास खंड परिसर में अभिलेखागार के निर्माण की सामग्री आपूर्ति हेतु श्री बालाजी एशोसिएट शक्तिनगर को उनके बिलों के सापेक्ष कुल रु0 110154.00 का भुगतान, चेक संख्या-00777 दिनांक-08.07.2017 के द्वारा किया गया है। पुनः इसी कार्य के लिए रु0 32999.00 माँ ज्वाला कान्स्ट्रक्शन शक्तिनगर के बिल संख्या-507 दिनांक-02.03.2019 के सापेक्ष, चेक संख्या-39775 दिनांक-08.03.2019 द्वारा वायरिंग और इलेक्ट्रिक वर्क के लिए किया गया है। माँ ज्वाला कान्स्ट्रक्शन शक्तिनगर द्वारा कराये गये कार्य का कोई अनुबन्ध अथवा अन्य आवश्यक अभिलेख, कार्य पत्रावली (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 66 के संदर्भ में अनियमित पाया गया। उल्लेखनीय है कि यह कार्य मस्टर रोल के अनुसार 10.07.2016 से ही प्रगति पर रहा। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-26)

क्षेत्र पंचायत— (म्योरपुर)

प्रस्तर संख्या—24 16—वित्तीय वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत जरहा में सुधार पनिका के घर से मोहन धोबी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण के लिए रु0 22350.00 मिट्टी ढुलाई के लिए भुगतान किया गया है। मिट्टी ढुलाई का कार्य श्री सत्यनारायण सुपुत्र श्री रघुनाथ द्वारा ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नं0- यू0पी0 64- जेड-2759 से किया गया है। परन्तु भाड़े का भुगतान कार्य प्रभारी श्री समर बहादुर सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी को चेक संख्या-04123 दिनांक-18.05.2018 द्वारा किया गया है, जो कि नियमावली के अधीन अनियमित पाया गया। भुगतान सीधे श्री सत्यनारायण को किया जाना चाहिए था। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-26)**

क्षेत्र पंचायत— (चोपन)

प्रस्तर संख्या—25 1— वर्ष 2017-18 में विधायक निधि मद में प्रा0शेष रु0 68618.00 रहा। वर्ष में रु0 3816400.00 प्राप्त हुआ तथा रु0 2473192.00 का व्यय दर्शित है। दर्शित व्यय के सापेक्ष रु0 1697354.00 लाख का प्रमाणक उपलब्ध रहा। शेष दर्शित व्यय रु0 7.758 लाख की पुष्टि में कोई पत्रावली व अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा। फलतः शेष दर्शित व्यय की समीक्षा व अन्य जांच न की जा सकी जबकि यह आवश्यक रहा। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0-12)**

क्षेत्र पंचायत— (चोपन)

प्रस्तर संख्या—26 2—वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त आयोग मद में प्रा0शेष रु0 5421729.00 रहा। वर्ष में रु0 18174874.00 प्राप्त हुआ तथा रु0 2960723.00 व्यय दर्शित है। जिसमें से रु0 210959.00 की पत्रावली उपलब्ध रही। शेष व्यय रु0 2749764.00 की कोई भी पत्रावली/प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। फलतः दर्शित शेष में की समीक्षा व जांच न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0-13)**

क्षेत्र पंचायत— (चोपन)

प्रस्तर संख्या—27 3—वर्ष 2017-18 में टेण्डर/जमानत राशि मद का प्रा0शेष रू0 116317.00 रहा। वर्ष में रू0 4003.00 की प्राप्ति हुई तथा रू0 10167.00 व्यय किया गया है। लेकिन व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणक उपलब्ध न रहने से सम्बन्धित की समीक्षा न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0-14)

क्षेत्र पंचायत— (चोपन)

प्रस्तर संख्या—28 4—वर्ष 2017-18 में इंदिरा आवास योजना प्रशा0 मद का प्रा0शेष रू0 806715.00 रहा। वर्ष में रू0 1887.00 की प्राप्ति हुई तथा रू0 808602.00 व्यय दर्शित है। परन्तु दर्शित व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने से सम्बन्धित की समीक्षा न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0-15)

क्षेत्र पंचायत— (चोपन)

प्रस्तर संख्या—29 5—वर्ष 2017-1 में पी0ओ0एल0 परीक्षा निरीक्षण मदका प्रा0शेष रू0 1950.00 रहा। वर्ष में प्राप्ति शून्य रही तथा रू0 1950.00 व्यय दर्शित है। सम्बन्धित व्यय की सापेक्ष कोई प्रमाणक/स्टेटमेंट लेखा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे उसमें समीक्षा व जांच न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0-16)

क्षेत्र पंचायत— (चोपन)

प्रस्तर संख्या—30 6—वर्ष 2017-18 में वैट व लेवर सेस मद का प्रा0 शेष शून्य रहा। वर्ष में रू0 155633.00 की प्राप्ति हुई तथा रू0 137034.00 की व्यय दर्शित किया गया है। लेकिन वैट व लेवर जमा से सम्बन्धित कोई बैंक स्टेटमेंट आदि ले0प0 में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे सम्बन्धित की समीक्षा न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0-17)

क्षेत्र पंचायत— (चोपन)

प्रस्तर संख्या—31 7—वर्ष 2017-18 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) मद का प्रा0शेष शून्य रहा। वर्ष में रू0 5000.00 की प्राप्त हुई तथा रू0 5000.00 का व्यय दर्शित है। परन्तु दर्शित व्यय में सापेक्ष कोई प्रमाणक/स्टेटमेंट ले0प0 में प्रस्तुत रहा। जिससे सम्बन्धित की समीक्षा/जांच न हो सकी। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0-18)

क्षेत्र पंचायत— (चोपन)

प्रस्तर संख्या—32 8—वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मद में प्रा0शेष शून्य रहा। वर्ष में रू0 2595886.00 की प्राप्ति हुई तथा कुल रू0 157297.00 का व्यय अनुदान पंजी के अनुसार दर्शित है। लेकिन व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक/ पत्रावली उपलब्ध नहीं रहा। फलतः दर्शित व्यय की समीक्षा व अन्य जांच न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0-19)

क्षेत्र पंचायत— (चोपन)

प्रस्तर संख्या—33 9—वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में प्रा0शेष शून्य रहा। वर्ष में रू0 2730000.00 की प्राप्ति हुई तथा रू0 1485000.00 का व्यय अनुदान पंजी के अनुसार दर्शित है। परन्तु व्यय की पुष्टि में कोई भी पत्रावली व अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा। फलतः दर्शित व्यय की समीक्षा व जांच न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(स0 आपत्ति सं0-20)

क्षेत्र पंचायत— (चोपन)

प्रस्तर संख्या—34 10—वर्ष 2018-19 में विभिन्न 09 मदों में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी पत्रावली/अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे। अतः समस्त विवरण/पत्रावली लेख परीक्षा में उपलब्ध कराकर पुष्टि/समीक्षा करायी जानी अपेक्षित रही। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	मद का नाम	वर्ष में दर्शित व्यय रू0
1.	विधान मण्डल क्षे0वि0 निधि	7454567.00
2.	राज्य वित्त आयोग	17336995.00
3.	टेण्डर/जमानत की धनराशि	179970.00
4.	सोशल आडिट मानदेय	98500.00
5.	ब्याज की धनराशि	49014.00

6.	प्रधानमंत्री आवास योजना	778118.00
7.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	16194022.00
8.	सांसद स्थानीय क्षेत्र वि० निधि	2670737.00
9.	लेवर सेस की धनराशि	164112.00
	कुल योग—	44926035.00

(आपत्ति सं०-21)

क्षेत्र पंचायत— (बभनी)

प्रस्तर संख्या—35 1— वर्ष 2017-18 की अनुदान पंजी 02 एवं 03 के अनुसार विभिन्न मदों में कुल रु० 5020541.00 व्यय किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग से सम्बन्धित रु० 489345.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां ही उपलब्ध करायी गयी, जो निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रही। शेष व्ययों जो अन्य योजनाओं से सम्बन्धित है— की पुष्टि में कोई पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे। इस प्रकार वर्ष में कुल रु० 4531196.00 के किये गये व्ययों की पुष्टि पत्रावली एवं अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जो पूर्णतया अनियमित रहा। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	मद का नाम	वर्ष में दर्शित व्यय रु०
1.	राज्य वित्त आयोग	2848292.00
2.	ब्याज	13055.00
3.	इंदिरा आवास (प्रशा०)	136317.00
4.	सांसद निधि	9894.00
5.	वैट	68590.00
6.	प्रधानमंत्री आवास योजना (प्रशा०)	199782.00
7.	सोशल आडिट मानदेय	40000.00
8.	स्वान कक्ष मरम्मत	266.00
9.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	1215000.00
	कुल योग—	4531196.00

(सामान्य आपत्ति संख्या-15)

क्षेत्र पंचायत— (बभनी)

प्रस्तर संख्या—36 2—वर्ष 2018-19 की अनुदान पंजी 02 एवं 03 के अनुसार विभिन्न मदों में कुल रु० 12146619.00 व्यय किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग से सम्बन्धित रु० 6201947.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां ही उपलब्ध करायी गयी, जो निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रही। शेष व्ययों, जो अन्य योजनाओं से सम्बन्धित है— की पुष्टि में कोई पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे। इस प्रकार वर्ष में कुल रु० 5944672.00 के किये गये व्ययों की पुष्टि पत्रावली एवं अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जो पूर्णतया अनियमित रहा। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	मद का नाम	वर्ष में दर्शित व्यय रु०
1.	राज्य वित्त आयोग	330673.00
2.	ब्याज	21758.00
3.	प्रधानमंत्री आवास योजना (प्रशा०)	319727.00
4.	स्वान कक्ष मरम्मत	9734.00
5.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	5246000.00
6.	इंदिरा आवास (प्रशा०)	16720.00
7.	सोशल आडिट मानदेय	60.00
	कुल योग—	5944672.00

(सामान्य आपत्ति संख्या-16)

क्षेत्र पंचायत— (बभनी)

प्रस्तर संख्या—37 3—आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है तथा कटौती की गयी धनराशि को निर्धारित समायान्तर्गत राजकोष में जमा किया जाना है। दिनांक-01.04.2009 से आयकर की कटौती 02.24 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित की जानी अपेक्षित रही। इस प्रकार लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 व 2018-19 तक की उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार सामग्री पर कुल व्यय वर्ष 2017-18 में रु० 605263.00 एवं वर्ष

2018-19 में रू0 4334612.00 कुल रू0 4939875.00 रहा जिस पर नियमतः 02.24 प्रतिशत की दर से रू0 110653.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु संस्था द्वारा आयकर की कोई कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी से करके राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित रहा।
(आपत्ति संख्या-17)

क्षेत्र पंचायत- (चतरा)

प्रस्तर संख्या-38 1- वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में संस्था स्तर पर कम्प्यूटर आपरेटर श्री शैलेश कुमार को विभिन्न तिथियों में मासिक आधार पर मानदेय का भुगतान किया गया है। तथा संस्था स्तर पर इण्टरनेट बिलें, स्याही, स्टेशनरी इत्यादि पर भी इन्दिरा आवास योजना प्रशासनिक मद से भुगतान विभिन्न तिथियों में दर्शित है। किन्तु उपरोक्त संसाधनों की उपलब्धता संस्था स्तर पर होने के बावजूद दिनांक-28.06.2017 को चेक सं0-006148 से रू0 24500.00 तथा दिनांक-04.07.2017 को चेक सं0-001649 से रू0 24000.00 का सोनभद्र साइबर कैफे राबर्ट्सगंज को भुगतान इन्दिरा आवास योजना की एम0आई0एस0 फीडिंग हेतु दर्शित है। ऐसे में किसी बाहरी संस्थान को भुगतान करके एम0आई0एस0 फीडिंग करना राजकीय धन का दुरुपयोग है तथा एम0आई0एस0 फीडिंग हेतु व्यय कुल रू0 48500.00 की क्षतिपूर्ति उत्तरदायी से किया जाना अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-14)

क्षेत्र पंचायत- (दुदही)

प्रस्तर संख्या-39 1- क्षेत्र पंचायत दुदही के वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर-2 तथा ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार आलोच्य वर्ष में निन विवरणानुसार धनराशियाँ व्यय की गयी हैं-

वर्ष-2017-18 में

क्रमांक	मद का नाम	वर्ष में दर्शित व्यय रू0
1.	राज्य वित्त आयोग	4493132.00
2.	सोशल आडिट मानदेय	118243.00
3.	विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि	2569920.00
4.	सांसद स्थानीय विकास निधि	3652969.00
5.	प्रधानमंत्री आवास योजना प्रशासनिक मद	522704.00
6.	मनरेगा प्रशासनिक मद	1855139.00
7.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह	1414990.00
	कुल योग-	14627097.00

वर्ष-2018-19 में

क्रमांक	मद का नाम	वर्ष में दर्शित व्यय रू0
1.	राज्य वित्त आयोग की धनराशि	4236349.00
2.	सोशल आडिट मानदेय	21186.00
3.	विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि	8982724.00
4.	सांसद स्थानीय विकास निधि	1850246.00
5.	प्रधानमंत्री आवास योजना प्रशासनिक मद	765436.00
6.	मनरेगा प्रशासनिक मद	3037233.00
7.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	6145010.00
	कुल योग-	25038184.00

उपरोक्त व्यय धनराशियों के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में कुल उपरोक्त दर्शित व्यय रू0 14627097.00 के सापेक्ष केवल राज्य वित्त योजना से सम्बन्धित व्यय रू0 2654496.00 से सम्बन्धित पत्रावलियाँ ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी। शेष धनराशि रू0 11972601.00 से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।

इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में कुल उपरोक्त दर्शित व्यय रू0 25038184.00 के सापेक्ष केवल राज्य वित्त योजना से सम्बन्धित व्यय रू0 3980451.00 से सम्बन्धित पत्रावलियाँ ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी। शेष धनराशि रू0 21057733.00 से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

इस प्रकार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कुल व्यय रु0 330303.00 से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली उपलब्ध नहीं रहने से ये व्यय पुष्टिकृत नहीं हो सके। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-1)

क्षेत्र पंचायत- (दुदही)

प्रस्तर संख्या-40 2-उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1719/33.3 2010-48/2007 लखनऊ दिनांक-01 सितम्बर 2010 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को संक्रमित किये जाने की जाने वाली धनराशि के आधे भाग तक यथा आवश्यकता क्षेत्र पंचायत को स्वयं की एवं हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन केन्द्र आदि के मरम्मत एवं रख-रखाव पर आवश्यक व्यय किया जाय। शेष आधे भाग की धनराशि को एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाली पूर्व में हुए विकास कार्य/ सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्य पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत दुदही पर की वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की लेखा परीक्षा की जांच राज्य वित्त की उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों में उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देश का पालन किये बिना ही निम्नलिखित कार्य में केवल एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में सीमितक्षेत्र में निर्माण कार्य कराये गये। जबकि उपरोक्त शासनादेश में एक से अधिक ग्रामों को आच्छादित करने वाले क्षेत्र में निर्माण कार्य कराये जाने का निर्देश था। विवरण निम्नवत है:-

क्र0	वर्ष	कार्य का नाम	भुगतान की गई धनराशि
1.	2017-18	ग्राम बुटबेढ़वा में सुरेन्द्र प्रताप जायसवाल	867403.00
2.	2017-18	जोरुखाड़ में संतोष चमार के घर के पास पुलिया निर्माण।	493269.00
3.	2017-18	बघाडू में धनकुटवा नाला पर फागू धरकार के घर के पास पुलिया निर्माण।	641371.00
4.	2017-18	ग्राम धिवही में राजपाल के घर से मोड़ तक सी0सी0 रोड निर्माण।	616661.00
5.	2018-19	ग्राम टेढ़ा में परमेश्वर के घर से रामचरन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण।	36997.00
6.	2018-19	ग्राम बीडर में अनारो देवी के घर से राजेन्द्र चमार के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण।	862498.00
7.	2018-19	ग्राम जोरुखाड़ में रामचन्द्र के घर से जोरमा पहाड़ तक सी0सी0 रोड निर्माण।	143302.00
8.	2018-19	ग्राम घोरपा में भगवान के घर के पास पुलिय निर्माण।	579252.00
9.	2018-19	ग्राम मलदेव में करमदहा स्कूल से नन्दलाल के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण।	34250.00
10.	2018-19	ग्राम धनौरा में वार्ड नं0-9 में पंडित जी के घर से प्राइमरी स्कूल तक सी0सी0 रोड निर्माण।	957583.00
		कुल योग-	5232586.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उपरोक्त निर्माण कार्य एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में सीमित क्षेत्र में कराये गये हैं जो शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन हैं साथ ही किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त स्थल पर उपरोक्त कार्य पूर्व में न कराये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। जिससे कार्य को दोहराव/पुनरावृत्ति की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रु0 5232586.00 का व्यय शासनादेश के विरुद्ध किया गया। जिसके लिए संयुक्त रूप से ब्लाक प्रमुख, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। इस प्रकरण की तरफ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(आपत्ति संख्या-2)

क्षेत्र पंचायत- (दुदही)

प्रस्तर संख्या-41 3-आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा-194 (सी) के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि

को निर्धारित समायान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखाशीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर “न काटे गये आयकर की धनराशि” के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम 03 माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माने भी किया जा सकता है।

01 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2.24 प्रतिशत दर से सुनिश्चित की जानी है। वर्ष 2017-18 2018-19 तक की प्राप्त पत्रावलियों के अनुसार सामग्री क्रय पर कुल व्यय रु0 5147652.00 रहा इस पर नियमानुसार रु0 115307.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिए। किन्तु बिलों पर कोई आयकर नहीं की गई है और न ही ग्रांट-3 के आय-व्यय में ही शामिल किया गया है। इस प्रकार रु0 115307.00 की आयकर कटौती न कर वित्तीय अनियमितता की गयी। अगर यह कटौती सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा सीधे करके जमा किया गया है तो उसका प्रमाण पत्र लेकर पत्रावलियों में संलग्न किया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-3)

क्षेत्र पंचायत- (घोरावल)

प्रस्तर संख्या-42 1- विकास कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती नहीं किये जाने के कारण उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को स्थानान्तरित नहीं किया जाना।

उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या-1412/36-2-2009-251/(एस0 एम0)/95 लखनऊ दिनांक-20.11.2009 जो कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमित) अधिनियम 1996 तथा तद्विषयक उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमित) अधिनियम 2009 के प्रयोजनार्थ उपकर निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्रहक द्वारा भवन और अन्य सन्निर्माण की मूल लागत का 1 प्रतिशत की दर से उपकर (सेस) की धनराशि की कटौती की गयी धनराशि को उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को स्थानान्तरित किये जाने का प्राविधान किया गया था।

क्षेत्र पंचायत घोरावल की वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों जिसमें कुल व्यय धनराशि रु0 10459402.00 का कुल 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस रु0 104594.00 आंकलित किया गया। पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि बिलों पर लेबर सेस की कटौती का आंकलन तो किया गया है लेकिन काटा नहीं गया है। ग्रांट तृतीय के अनुसार लेबर सेस में कुल आय वर्ष 2017- 18 में रु0 75621.00 तथा व्यय रु0 93906 तथा 2018-19 में कुल आय रु0 303748.00 तथा व्यय रु0 327246.00 किया गया दर्शित है। इस प्रकार लेबर सेस मद में कुल व्यय जमा रु0 421152.00 ग्रांट तृतीय के अनुसार दर्शित है।

जबकि ग्रांट तृतीय के अनुसार निम्न विवरणानुसार निम्न मदों में धनराशियां जमा की गयी-

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2017-18 में व्यय धनराशि	वर्ष 2018-19 में व्यय धनराशि
1.	राज्य वित्त आयोग	9544741.00	26300991.00
2.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	200259.00	---
3.	विधायक निधि	666397.00	11465978.00
4.	सांसद निधि	---	5870633.00
5.	पूर्वांचल विकास निधि	---	1200250.00
	कुल योग-	10411397.00	44837852.00

इस प्रकार वर्ष 2017-18 में उपरोक्त मदों में व्यय रूपया 10411397.00 का 1 प्रतिशत की दर से कुल लेबर सेस रु0 104113.00 हुआ तथा वर्ष 2018-19 में कुल व्यय रूपया 44837852.00 का 1 प्रतिशत की दर से कुल लेबर सेस रूपया 448378.00 हुआ। जबकि ग्रांट तृतीय के अनुसार वर्ष 2017-18 में कुल रूपया 75621.00 लेबर सेस से आय है अर्थात् अन्तर रूपया (104113.00-75621.00: 28492.00) 28492.00 तथा वर्ष 2018-19 में लेबर सेस से आय रु0 303748.00 ग्रांट तृतीय के अनुसार दर्शित है अर्थात् अन्तर रु0 144630.00 (448378.00-303748.00) से कुल दर्शित है। इसका मतलब रु0 173122.00 से लेबर सेस की कटौती कम की गयी। इस प्रकार रु0 173122.00 लेबर सेस की कटौती नहीं किया जाना उपरोक्त नियम का स्पष्ट उल्लंघन है और वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। लेबर सेस में ग्रांट तृतीय के अनुसार रु0 421152.00 का व्यय/जमा दर्शित

है। जिसकी पुष्टि में कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-1)

क्षेत्र पंचायत- (घोरावल)

प्रस्तर संख्या-43 2-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर-2 और 3 के अनुसार आलोच्य वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान विभिन्न मदों में क्रमशः रु0 16956118.00 तथा रु0 53022468.00 का व्यय किया गया दर्शित है। परन्तु आलोच्य वर्ष में किये गये आंशिक व्ययों (2017-18 में रु0 5375422.00 तथा 2018-19 में रु0 5083980.00) की ही पुष्टि में सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। ये पत्रावलियां राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत हुए निर्माण कार्यों से सम्बन्धित है। जिसका विवरण तालिका-1 एवं तालिका-2 में पूर्वोक्त वर्णित है। शेष व्ययों जो अन्य योजनाओं से सम्बन्धित है, इनकी पुष्टि में कोई भी पत्रावली या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार वर्ष 2017-18 में शेष रु0 11580696.00 तथा 2018-19 में शेष रुपया 58106448.00 (कुल रु0 69687144.00) किये गये व्यय पत्रावली या अभिलेखों के अभाव में पुष्टिकृत नहीं हो सके और ये व्यय अनियमित प्रतीत होते हैं। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2017-18 में व्यय धनराशि	वर्ष 2018-19 में व्यय धनराशि
1.	राज्य वित्त आयोग	4169319.00	21217011.00
2.	पूर्वांचल विकास निधि	---	1200250.00
3.	विधायक निधि	666397.00	11465978.00
4.	सांसद निधि	---	5870633.00
5.	मुख्यमंत्री सामु0 विवाह योजना	35000.00	5727995.00
6.	मनरेगा क्षेत्र पंचायत अंश	114935.00	---
7.	मनरेगा प्रशासनिक मद	5218008	11439069.00
8.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	200259.00	---
9.	इन्दिरा आवास प्रशा0 मद	731689.00	---
10.	सोशल आडिट धनराशि	246500.00	255500.00
11.	प्रधानमंत्री आवास योजना	198589.00	930012.00
	कुल योग-	11580696.00	58106448.00

(आपत्ति संख्या-2)

क्षेत्र पंचायत- (घोरावल)

प्रस्तर संख्या-44 3-आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समायान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर "न काटे गये आयकर की धनराशि" के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माने भी किया जा सकता है।

01 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2.24 प्रतिशत दर से सुनिश्चित की जानी है। वर्ष 2017-18 2018-19 तक की प्राप्त पत्रावलियों के अनुसार सामग्री क्रय पर कुल व्यय रु0 8886752.00 रहा इस पर नियमानुसार रु0 199063.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिए। किन्तु बिलों पर कोई आयकर नहीं की गई है और न ही ग्रांट-3 के आय-व्यय में ही शामिल किया गया है। इस प्रकार रु0 199063.00 की आयकर कटौती न कर वित्तीय अनियमितता की गयी। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली संस्था के अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-3)

प्रारूप-2

वार्षिक प्रतिवेदन पंचायत वर्ष 2017-18

1. ग्राम पंचायत-एत्मादपुर मदरा विकास खण्ड-बरौली अहीर जनपद-आगरा**नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री रामेश्वर सचिव का नाम – श्री राजवीर शर्मा**

प्रस्तर-1- ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 “क” के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी। उ0प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी अधिकारी (पं0) को अभिलेखा उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत एत्मादपुर मदरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रू0 2417723.00 व्यय किया गया। व्यय के सपेक्ष अभिलेख जैसा स्वीकृत कार्ययोजना, आगणन, माप पुस्तिका, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये।

वित्तीय नियमों में निहित प्रतिधानों के धान श्री रामेश्वर एवं ग्राम पंचायत के सचिव श्री राजवीर शर्मा का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः अपहरण में ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान क्रमशः रू0 1208861.50 एवं रू0 1208861.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या- 02**2. ग्राम पंचायत-सरबतपुर विकास खण्ड-बरौली अहीर जनपद-आगरा****नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री रनवीर सिंह सचिव का नाम – श्री अवधेश तिवारी**

प्रस्तर-2 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 “क” के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी। उ0प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी अधिकारी (पं0) को अभिलेखा उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत सरबतपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रू0 460339.00 व्यय किया गया। व्यय के सपेक्ष अभिलेख जैसा स्वीकृत कार्ययोजना, आगणन, माप पुस्तिका, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान श्री रनवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत के सचिव श्री अवधेश तिवारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। तथा उक्त व्यय धनराशि का आधी-आधी धनराशि क्रमशः रुपये 230168.00 एवं रू0 230168.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या- 02**3.ग्राम पंचायत- बिसेरी भांड विकास खण्ड-बरौली अहीर जनपद-आगरा****नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री बलदेव सचिव का नाम- श्री यसबन्त सिंह**

प्रस्तर-3 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 “क” के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली की जायेगी।

उ0प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी अधिकारी (पं0) को अभिलेखा उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत बिसेरी भाग वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रू0 681349.00 व्यय किया गया। व्यय के सपेक्ष अभिलेख जैसा स्वीकृत कार्ययोजना, आगणन, माप पुस्तिका, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम प्रधान श्री रनवीर सिंह एवं सचिव श्री अवधेश तिवारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। तथा उक्त व्यय धनराशि का आधी-आधी धनराशि क्रमशः रुपये 340674.50 एवं रु0 340674.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

अपत्ति संख्या- 02

4. ग्राम पंचायत-इस्लामपुर विकास खण्ड-बरौली अहीर जनपद-आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री दर्शन सिंह सचिव का नाम - श्री अनुग्रह नरायण

प्रस्तर-4 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी अधिकारी (पं0) को अभिलेखा उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत इस्लामपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु0 1559863.00 व्यय किया गया। व्यय के सपेक्ष अभिलेख जैसा स्वीकृत कार्ययोजना, आगणन, माप पुस्तिका, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान श्री दर्शन सिंह एवं सचिव श्री अनुग्रह नरायण का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। तथा उक्त व्यय धनराशि का आधी-आधी धनराशि क्रमशः रुपये 779931.50 एवं रु0 779931.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

अपत्ति संख्या- 02

5. ग्राम पंचायत-शमामो विकास खण्ड-बरौली अहीर जनपद-आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री भूरा सचिव का नाम - श्री राजबीर शर्मा

प्रस्तर-5 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी अधिकारी (पं0) को अभिलेखा उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत शमामो द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु0 4242363.00 व्यय किया गया। व्यय के सपेक्ष अभिलेख जैसा स्वीकृत कार्ययोजना, आगणन, माप पुस्तिका, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान श्री भूरा एवं सचिव श्री राजबीर शर्मा का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। तथा उक्त व्यय धनराशि का आधी-आधी धनराशि क्रमशः रुपये 2121181.50 एवं रु0 2121181.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

अपत्ति संख्या- 02

6. ग्राम पंचायत-नं0 कली विकास खण्ड-बरौली अहीर जनपद-आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्रीमती सुशीला देवी सचिव का नाम - कौशलेन्द्र सिंह

प्रस्तर-6-ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत नं0 कली द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु0 711885.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसा स्वीकृत कार्ययोजना आगणन, , माप पुस्तिका, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत क ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी एवं सचिव श्री कौशलेन्द्र सिंह का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु0 855942.00 एवं रु0 855942.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

7. ग्राम पंचायत- देवरी विकास खण्ड-बरौली अहीर जनपद-आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री अतर सिंह सचिव का नाम- सुनील पाराशर

प्रस्तर-7-ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत देवरीद्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु0 2491396.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, , माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत क ग्राम प्रधान अतर सिंह एवं सचिव श्री सुनील पाराशर का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु0 12456.98 एवं रु0 12456.98 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

8. ग्राम पंचायत-बुढेरा विकास खण्ड-बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्रीमती सावित्री सचिव का नाम- श्री राकेश कर्दम

प्रस्तर-8-ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत बुढेरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु0 1693082.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये।

वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री एवं सचिव श्री राकेश कर्दम का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु0 846541.00 एवं रु0 846541.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

9. ग्राम पंचायत- बाद विकास खण्ड-बरौली अहीर जनपद-आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री अरुण सिंह सचिव का नाम- श्री अवधेश तिवारी

प्रस्तर-9-ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत बाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु0 1445228.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, , माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री अरुण सिंह एवं सचिव श्री अवधेश तिवारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु0 846541.00 एवं रु0 846541.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

10.ग्राम पंचायत- तोरा विकास खण्ड -बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री भूपेन्द्र सिंह सचिव का नाम- श्री भवनी शंकर

प्रस्तर-10-ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत तोरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु0 1367580.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्री भूपेन्द्र सिंह एवं सचिव श्री भवनी शंकर का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु0 683790.00 एवं रु0 683790.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

11. ग्राम पंचायत- चमरौली विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्रीमती वंदना शर्मा सचिव का नाम- श्री राकेश कर्दम

प्रस्तर-11-ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत चमरौली द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु0 2390922.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती वंदना शर्मा एवं सचिव श्री राकेश कर्दम का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु0 1195461.00 एवं रु0 1195461.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

12. ग्राम पंचायत- मियापुर विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम प्रधान - श्रीमती राजकुमारी सचिव का नाम- श्री नीतू शर्मा/अनुग्रह नारायण

प्रस्तर-12-ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत मियापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु0 465914.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, , माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं सचिव श्री नीतू शर्मा/अनुग्रह नरायण का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 1195461.00 एवं ₹0 1195461.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

13. ग्राम पंचायत- कहरई विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री रविकुमार सचिव का नाम- श्री राकेश कर्दम

प्रस्तर-13-ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कहरईद्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 3559345.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये।

वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान श्री रविकुमार एवं सचिव श्री राकेश कर्दम का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 1779672.50 एवं ₹0 1779672.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

14. ग्राम पंचायत- दिगनेर विकास खण्ड -बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम प्रधान - श्रीमती सावित्री सचिव का नाम- श्री देवेन्द्र सिंह/ अनुग्रह नरायण

प्रस्तर-14-ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत दिगनेर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 2978199.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, , माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये।

वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री एवं ग्राम पंचायत के सचिव श्री देवेन्द्र सिंह/अनुग्रह नरायण का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 1489099.50 एवं ₹0 744549.75/744549.75 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02.

15. ग्राम पंचायत- गुतिला विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद -आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री साहिब सिंह सचिव का नाम- श्री अजय फौजदार

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत गुतिलाद्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 1252269.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्य योजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ

आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री साहिब सिंह एवं सचिव श्री अजय फौजदार का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 626134.50 एवं ₹0 626134.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

16. ग्राम पंचायत- भांडई विकास खण्ड-बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री नेपाल सिंह सचिव का नाम- श्री अवधेश तिवारी

प्रस्तर-16 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत भांडई द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 1355987.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री नेपाल सिंह एवं सचिव श्री अवधेश तिवारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 677993.50 एवं ₹0 677993.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

अपत्ति संख्या-02

17. ग्राम पंचायत- बगदा विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री चरन सिंह सचिव का नाम- श्री अजय फौजदार

प्रस्तर-17 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत बगदाद्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 2507116.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्य योजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री बगदा एवं सचिव श्री अजय फौजदार का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 1253558.00 एवं ₹0 1253558.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

18. ग्राम पंचायत- धमैटा विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम प्रधान - श्री कमलेश कुमार सचिव का नाम- श्री तत्कालीन सचिव

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत धमैटाद्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 707836.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण मे ग्राम ग्राम प्रधान श्री कमलेश कुमार एवं सचिव श्री तत्कालीन का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु0 353918.00 एवं रु0 353918.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

19. ग्राम पंचायत- ककुआ विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री बलवीर सिंह सचिव का नाम- श्री अवधेश तिवारी

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत ककुआद्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु0 3298373.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, , माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान श्री बलवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत के सचिव श्री अवधेश तिवारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु0 1649186.50 एवं रु0 1649186.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

20. ग्राम पंचायत- कौलक्खा विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान - श्रीमती शकुन्तला देवी सचिव का नाम- श्री विशम्भर सिंह

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कौलक्खाद्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु0 5510480.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण मे ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी एवं सचिव श्री विशम्भर सिंह का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु0 2755240.00 एवं रु0 2755240.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

21. ग्राम पंचायत- नैनाना ब्राह्मण विकास खण्ड -बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम प्रधान - श्री कमल किशोर सचिव का नाम- श्री ऋणि कुमार/विशम्भर सिंह

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत नैनाना ब्राह्मण द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु0 3812369.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री कमल किशोर एवं सचिव श्री ऋषि कुमार/विशम्भर सिंह का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 1906184.50 एवं ₹0 1906184.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

अपत्ति संख्या-02

22. ग्राम पंचायत- इटौरा विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्रीमती रामरती सचिव का नाम- श्री राकेश कर्दम

प्रस्तर-22 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत इटौरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 7113267.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये।

वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान श्रीमती रामरती एवं ग्राम पंचायत के सचिव श्री राकेश कर्दम का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 3556633.50 एवं ₹0 3556633.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

अपत्ति संख्या-02

23. ग्राम पंचायत- महुआ खेडा विकास खण्ड -बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्रीमती गुडडी सचिव का नाम- श्री यदुवीर सिंह/मनोज लोडी

प्रस्तर-23 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत महुआ खेडा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 1716873.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये।

वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान श्रीमती गुडडी देवी एवं ग्राम पंचायत के सचिव श्री यदुवीर सिंह/मनोज लोडी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 858436.50 एवं ₹0 429218.50 व 429218.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

अपत्ति संख्या-02

24. ग्राम पंचायत- नदौता विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री दारा सिंह सचिव का नाम- श्री राजवीर शर्मा

प्रस्तर-24 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत नदौता द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 1363397.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार

आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री दारा सिंह एवं सचिव श्री राजवीर शर्मा का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 681698.00 एवं ₹0 681698.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

25. ग्राम पंचायत- नैनाना जाट विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम प्रधान - श्रीमती श्रीमती सचिव का नाम- श्री ऋषि कुमार/विशम्भर सिंह

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत नैनाना जाटद्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 8578342.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती श्रीमती एवं सचिव श्री ऋषि कुमार/विशम्भर सिंह का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 4289171.00 एवं ₹0 2144585.50 व 2144585.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

26. ग्राम पंचायत- कलाल खेरिया विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री हरिमोहन सचिव का नाम- श्री नीतू शर्मा

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कलाल खेरिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 2120549.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री हरिमोहन एवं सचिव श्री नीतू शर्मा का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 1060274.50 एवं ₹0 1060274.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

27. ग्राम पंचायत- बुढाना विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री चौब सिंह सचिव का नाम- श्री कौशलेन्द्र सिंह

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत बुढानाद्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 4414898.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, , माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ

आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री चौब सिंह एवं सचिव श्री कौशलेन्द्र सिंह का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 2207449.00 एवं ₹0 2207449.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

28. ग्राम पंचायत- समोगढ विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्रीमती सीमा सचिव का नाम- श्री मनोज लोधी

प्रस्तर-28 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत समोगढ द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 2587009.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सीमा एवं सचिव श्री मनोज लोधी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 1293504.50 एवं ₹0 1293504.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

अपत्ति संख्या-02

29. ग्राम पंचायत- बरौली गूजर विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्रीमती शीला देवी सचिव का नाम- श्री मनोज उपाध्याय

प्रस्तर-29 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत बरौली गूजर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 3586308.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, , माप पुस्तिका, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती शीला देवी एवं सचिव श्री मनोज उपाध्याय का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 1793154.00 एवं ₹0 1793154.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

अपत्ति संख्या-02

30. ग्राम पंचायत- इकथरा विकास खण्ड-बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्रीमती कमला सचिव का नाम- श्री संजीव चौहान

प्रस्तर-30 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत इकथराद्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 1137327.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, , माप पुस्तिका, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ

आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती कमला एवं सचिव श्री संजीव चौहान का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 568663.50 एवं ₹0 568663.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

31. ग्राम पंचायत- हिगोट खेरिया विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री मान सिंह सचिव का नाम- श्री यशवन्त सिंह

प्रस्तर-31 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत हिगोट खेरिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 1066463.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री मान सिंह एवं सचिव श्री यशवन्त सिंह का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 533231.50 एवं ₹0 533231.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

अपत्ति संख्या-02

32. ग्राम पंचायत- बिल्हैनी विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री राकेश कुमार सचिव का नाम- श्री मनोज उपाध्याय

प्रस्तर-32 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत बिल्हैनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 960449.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्य योजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री राकेश कुमार एवं सचिव श्री मनोज उपाध्याय का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 480224.50 एवं ₹0 480224.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

33. ग्राम पंचायत- बिझामई विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्रीमती नेमवती सचिव का नाम- श्री मनोज कुमार उपाध्याय

प्रस्तर-33 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत बिझामई द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 1184565.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं

पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती नेमवती एवं सचिव श्री मनोज कुमार उपाध्याय का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु0 592282.50 एवं रु0 592282.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है। **अपत्ति संख्या-02**

34. ग्राम पंचायत- बरौली अहीर विकास खण्ड-बरौली अहीर जनपद- आगरा
नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री योगेन्द्र सिंह सचिव का नाम- श्री अजय फौजदार

प्रस्तर-34 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत बरौली अहीरद्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु0 3598479.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री योगेन्द्र सिंह एवं सचिव श्री अजय फौजदार का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु0 1799239.50 एवं रु0 1799239.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है। **आपत्ति संख्या-02**

35. ग्राम पंचायत- मेहरानाहरगंज विकास खण्ड-बरौली अहीर जनपद- आगरा
नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्रीमती राजे श्री सचिव का नाम- श्री तत्कालीन सचिव

प्रस्तर-35 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत मेहरानाहरगंज द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु0 522262.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, , माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्री एवं ग्राम पंचायत के सचिव श्री तत्कालीन का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु0 261131.00 एवं रु0 261131.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है। **आपत्ति संख्या-02**

36. ग्राम पंचायत- नौबरी विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद -आगरा
नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री रामसेवक सचिव का नाम- श्री अनुग्रह नरायण

प्रस्तर-36 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत नौबरीद्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु0 1678217.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, , माप

पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री रामसेवक एवं सचिव श्री अनुग्रह नरायण का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 839108.50 एवं ₹0 839108.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

37. ग्राम पंचायत- करभना विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री राधेश्याम सचिव का नाम- श्री संजीव चौहान

प्रस्तर-37 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत करभनाद्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 5176731.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री राधेश्याम एवं सचिव श्री संजीव चौहान का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 2588365.50 एवं ₹0 2588365.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

अपत्ति संख्या-02

38. ग्राम पंचायत- पवावली विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री गिराज हिस सचिव का नाम- श्री अनुग्रह नरायण

प्रस्तर-38 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत पवावलीद्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 820773.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री गिराज सिंह एवं सचिव श्री अनुग्रह नरायण का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः ₹0 410386.50 एवं ₹0 410386.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

39. ग्राम पंचायत- सेमरी विकास खण्ड -बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री राम जी लाल सचिव का नाम- श्री कौशलेन्द्र सिंह

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत सेमरीद्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से ₹0 5343471.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, , माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ

आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री राम जी लाल एवं सचिव श्री कौशलेन्द्र सिंह का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु0 2671735.50 एवं रु0 2671735.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

40. ग्राम पंचायत- विसारना विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम प्रधान - श्री भूपेन्द्र सिंह सचिव का नाम- श्री अशोक कुमार, श्री राजवीर शर्मा

प्रस्तर-40 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत विसारनाद्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु0 1221877.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री भूपेन्द्र सिंह एवं सचिव श्री अशोक कुमार, श्री राजवीर सिंह का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु0 610935.50 एवं रु0 305469.25 व 305469.25 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

41. ग्राम पंचायत- कुठावली विकास खण्ड- बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री रामवीर सिंह सचिव का नाम- श्री अवधेश तिवारी

प्रस्तर-41 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावलीद्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु0 847531.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, , माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री रामवीर सिंह एवं सचिव श्री अवधेश तिवारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु0 423765.50 एवं रु0 423765.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

42. ग्राम पंचायत- बहेटा विकास खण्ड -बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्रीमती कैला देवी सचिव का नाम- श्री सुनील पाराशर

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत बहेटाद्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु0 1541747.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, , माप पुस्तिका, बाऊचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ

आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री कैलादेवी एवं सचिव श्री सुनील पाराशर का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु0 770873.50 एवं रु0 770873.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

अपत्ति संख्या-02

43. ग्राम पंचायत- कुठावली विकास खण्ड -बरौली अहीर जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री रामवीर सिंह सचिव का नाम- श्री अवधेश तिवारी

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 "क" के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था। उनके द्वारा लेखा परीक्षा को अधिलेख उपलब्ध कराने में कोई रुचि न लिये जाने के कारण एवं ग्राम पंचायत कुठावलीद्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु0 847531.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणन, , माप पुस्तिका, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। वित्तीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थक में व्यय सम्बन्धी उक्त अभिलेखों का नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री रामवीर सिंह एवं सचिव श्री अवधेश तिवारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की आधी-आधी धनराशि क्रमशः रु0 423765.50 एवं रु0 423765.50 ब्याज सहित वसूली योग्य है।

आपत्ति संख्या-02

44. ग्राम पंचायत-सबोरा विकास खण्ड -पिनाहट जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री राम प्रकाश सचिव का नाम- श्री राकेश निर्मल

प्रस्तर-44-ग्राम पंचायत सबोरा की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाशमें आये है ।

लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक खाते से आहरित धनराशि के व्यय का पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाण क प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है अतः व्यय की गयी धनराशि रु0 1861519.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री रामप्रकाश व सचिव श्री राकेश निर्मल से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-08

प्रस्तर -45- दिनांक 17.05.2017 को चेक संख्या 929604 के द्वारा रुपया 52500.00 का बैंक से आहरण किया गया जिसे कैशबुक में नहीं दर्शाया गया, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रुपया 52500.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश व सचिव श्री राकेश निर्मल से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-13

45. ग्राम पंचायत- राटौटी विकास खण्ड- पिनाहट जनपद -आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री अपरबल सिंह सचिव का नाम- श्री बिकास वर्मा

प्रस्तर-46- ग्राम पंचायत राटौटी द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट पर दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है अतः व्यय की गयी धनराशि रु0 1296826.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री अपरबल सिंह व सचिव श्री बिकास वर्मा से की जानी अपेक्षित है ।

आपत्ति संख्या-02

46. ग्राम पंचायत- कुकथरी विकास खण्ड -पिनाहट जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री दिलीप कुमार सचिव का नाम- श्री गोपाल प्रताप

प्रस्तर-47- ग्राम पंचायत कुकथरी द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट पर दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है अतः

व्यय की गयी धनराशि रु0 2557063.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री दिलीप कुमार व सचिव श्री गोपाल प्रताप से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या-02

47. ग्राम पंचायत- सेरब विकास खण्ड -पिनाहट जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री सुनील कुमार सचिव का नाम- श्री गोपाल प्रताप

प्रस्तर-48 दिनांक 10.08.2017 को चेक संख्या 424939 के द्वारा रुपया 4535.00 एवं दिनांक 31.01.2018 को चेक संख्या 424958 के द्वारा रुपया 7200.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैशबुक में नहीं दर्शाया गया, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रुपया 11735.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार व सचिव श्री गोपाल प्रताप से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या-09

48. ग्राम पंचायत- करकौली विकास खण्ड- पिनाहट जनपद- आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती सुशीला देवी एवं श्री चेतन शर्मा सचिव का नाम- श्री उदय भदौरिया

प्रस्तर-49-ग्राम पंचायत करकौली द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट पर दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है अतः व्यय की गयी धनराशि रु0 2602020.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी एवं चेतन शर्मा व सचिव श्री उदय भदौरिया से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या-08

49. ग्राम पंचायत-शाहपुर खालसा विकास खण्ड- पिनाहट जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री मुरारीलाल सचिव का नाम- श्री बिकास वर्मा

प्रस्तर-50-ग्राम पंचायत शाहपुर खालसा की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाशमें आये हैं।

लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक खाते से आहरित धनराशि के व्यय का पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाण क प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है अतः व्यय की गयी धनराशि रु0 771932.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री मुरारीलाल व सचिव श्री बिकास वर्मा से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या-08

प्रस्तर-51- कैशबुक के अनुसार चेक संख्या 486147 दि0 4.01.2018 द्वारा ग्राम प्रधान को रुपया 10500.00 बाबत मानदेय फरवरी 2018 से अप्रैल 2018 दिया गया है दि0 4.1.2018 को आगामी तीन माह का अग्रिम मानदेय दिया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त धनराशि रुपया 10500 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मुरारीलाल एवं सचिव श्री विकास वर्मा से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या-13

प्रस्तर-52- लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर रु0 1000.00 जमा कराया गया है जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः रु0 10000 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मुरारीलाल एवं सचिव श्री विकास वर्मा से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या-14

50. ग्राम पंचायत- बघरैना विकास खण्ड- पिनाहट जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री गजेन्द्र सिंह सचिव का नाम- श्री अरुण कुमार

प्रस्तर-53- ग्राम पंचायत -बघरैना की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं।

लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक खाते से आहरित धनराशि के व्यय का पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाण क प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है अतः व्यय की गयी धनराशि रु0 1546621.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री गजेन्द्र सिंह व सचिव श्री अरुण कुमार से की जानी अपेक्षित है
आपत्ति संख्या-08

51. ग्राम पंचायत- क्योरी विकास खण्ड-पिनाहट जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्रीमती रामादेवी सचिव का नाम– श्री राहुल शर्मा

प्रस्तर-54—ग्राम पंचायत क्योरी की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं ।

लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक खाते से आहरित धनराशी के व्यय का पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाण क प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है अतः व्यय की गयी धनराशि रु0 1313847.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवी व सचिव श्री राहुल शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-08

52. ग्राम पंचायत— उमरैठा विकास खण्ड— पिनाहट जनपद— आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्रीमती सोनी देवी सचिव का नाम– श्री अरुण कुमार

प्रस्तर-55—ग्राम पंचायत उमरैठा की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं ।

लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक खाते से आहरित धनराशी के व्यय का पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाण क प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है अतः व्यय की गयी धनराशि रु0 3736543.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्रीमती सोनीदेवी व सचिव श्री अरुण कुमार से की जानी अपेक्षित है ।

आपत्ति संख्या-08

प्रस्तर -56— दिनांक 24.05.2017 को चेक संख्या 109213 के द्वारा रुपया 19500.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैशबुक में नहीं दर्शाया गया, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रुपया 19500.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सोनीदेवी व सचिव श्री अरुण कुमार से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-13**

प्रस्तर-57— लेखा परीक्षा के अनुसार 03.08.2017 को चैक संख्या 109239 द्वारा रुपया 15000.00 आहरित कर कैशबुक के व्यय पक्ष में भुगतान जनवेद को करना दर्शाया है । इस प्रकार अस्पष्ट व्यय दर्शाकर रुपया 15000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सोनीदेवी व सचिव श्री अरुण कुमार से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-14

53. ग्राम पंचायत— उटसाना विकास खण्ड—पिनाहट जनपद—आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री विनोद कुमार सचिव का नाम– श्री राहुल शर्मा

प्रस्तर-58—ग्राम पंचायत उटसाना की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं ।

लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक खाते से आहरित धनराशी के व्यय का पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाण क प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है अतः व्यय की गयी धनराशि रु0 2520567.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार व सचिव श्री राहुल शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-08

54. ग्राम पंचायत— चचिहा विकास खण्ड—पिनाहट जनपद—आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री गजेन्द्र सिंह सचिव का नाम– श्री राहुल शर्मा

प्रस्तर-59—ग्राम पंचायत चचिहा की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं ।

लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक खाते से आहरित धनराशी के व्यय का पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाण क प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है अतः व्यय की गयी धनराशि रु0 2600033.00 की

ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री गजेन्द्र सिंह व सचिव श्री राहुल शर्मा से की जानी अपेक्षित है ।

आपत्ति संख्या-08

प्रस्तर-60- दिनांक 24.07.2017 को चेक संख्या 033409 के द्वारा रुपया 23231.00 एवं दिनांक 26.07.2017 को चेक संख्या 432922 के द्वारा रुपया 59000.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैशबुक में नहीं दर्शाया गया, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रुपया 82231.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गजेन्द्र सिंह व सचिव श्री राहुल शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-13

प्रस्तर-61- लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में कैशबुक में बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष बैंक से आहरित माह जून 2017 को कोषवही के अनुसार योग 219768.00 व लेखा परीक्षा अनुसार योग 217268.00 का पाया गया इस प्रकार रु0 2500.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गजेन्द्र सिंह व सचिव श्री राहुल शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-14

55. ग्राम पंचायत- मनौना विकास खण्ड-पिनाहट जनपद-आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्रीमती मीना देवी एवं सचिव का नाम- श्री आमीन खान

प्रस्तर-62- ग्राम पंचायत मनौना द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट पर दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है अतः व्यय की गयी धनराशि रु0 51264.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी व सचिव श्री आमीन खान से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

56. ग्राम पंचायत- बलाई विकास खण्ड-पिनाहट जनपद-आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री देवकी नन्दन सचिव का नाम- श्री बिकास वर्मा

प्रस्तर-63-ग्राम पंचायत बलाई की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं।

लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक खाते से आहरित धनराशी के व्यय का पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाण क प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है अतः व्यय की गयी धनराशि रु0 2026952.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री देवकी नन्दन व सचिव श्री बिकास वर्मा से की जानी अपेक्षित है ।

आपत्ति संख्या-08

प्रस्तर-64- कैशबुक अनुसार चैक संख्या 783071 दिनांक 04.09.2017 द्वारा ग्राम प्रधान को रुपया 9000.00 बावत मानदेय माह अगस्त 2017 व सितम्बर 2017 दिया गया है, जबकि शासनादेशानुसार ग्राम प्रधान को रुपया 3500.00 प्रतिमाह की दर से मानदेय अनुमन्य होने के कारण रु0 7000.00 ही दिया जाना चाहिये था। इस प्रकार रु0 2000.00 का अधिक भुगतान किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री देवकी नन्दन व सचिव श्री विकास वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-13

57. ग्राम पंचायत- रजौरा विकास खण्ड-पिनाहट जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्री पुन्नीलाल सचिव का नाम- श्री गोपाल प्रताप सिंह

प्रस्तर-65-ग्राम पंचायत -रजौरा की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं ।

लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक खाते से आहरित धनराशी के व्यय का पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है अतः व्यय की गयी धनराशि रु0 1958423.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री पुन्नीलाल व सचिव श्री गोपाल प्रताप सिंह से की जानी अपेक्षित है ।

आपत्ति संख्या-08

प्रस्तर -66- ग्राम प्रधान को माह जनवरी 2017 से जुलाई 2017 तक के लिये मानदेय रु0 3500.00 प्रतिमाह की दर से सात माह का 24500.00 का अधिक भुगतान किया गया है जो अपहरण की श्रेणी में

आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पुन्नीलाल एवं श्री गोपाल प्रताप सिंह से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या-13

58. ग्राम पंचायत- नगला दलेल विकास खण्ड- पिनाहट जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्रीमती सरोज सचिव का नाम- श्री गोपाल प्रताप सिंह

प्रस्तर-67-ग्राम पंचायत नगला दलेल की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं।

लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक खाते से आहरित धनराशि के व्यय का पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाण क प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है अतः व्यय की गयी धनराशि रु0 1426304.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज व सचिव श्री गोपाल प्रताप सिंह से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या-08

प्रस्तर -68- दिनांक 17.03.2018 को चेक संख्या 526434 के द्वारा रुपया 20000.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैशबुक में नहीं दर्शाया गया, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रुपया 20000.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज व सचिव श्री गोपाल प्रताप सिंह से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-13

प्रस्तर-69- लेखा परीक्षा अनुसार माह फरवरी 2018 के अन्त में प्रधान पर नकद शेष रु0 30.00 को माह मार्च के प्रारम्भ में व वर्षान्त में कैशगंक में नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार रु0 30.00 का अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज व सचिव श्री गोपाल प्रताप सिंह से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-13

59. ग्राम पंचायत- बरैण्डा विकास खण्ड- पिनाहट जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान - श्रीमती अंजना देवी सचिव का नाम- श्री उदय भदौरिया

प्रस्तर-70-ग्राम पंचायत बरैण्डा की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं।

लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक खाते से आहरित धनराशि के व्यय का पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाण क प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है अतः व्यय की गयी धनराशि रु0 48320.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्रीमती अंजनी देवी व सचिव श्री उदय भदौरिया से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या-08

60. ग्राम पंचायत- रेहा विकास खण्ड- पिनाहट जनपद- आगरा

ग्राम प्रधान - श्रीमती सुनीता देवी एवं चेतन शर्मा सचिव का नाम- श्री उदय भदौरिया

प्रस्तर-71-ग्राम पंचायत रेहा द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट पर दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है अतः व्यय की गयी धनराशि रु0 4170843.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं चेतन शर्मा व सचिव श्री उदय भदौरिया से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

61. ग्राम पंचायत-पापरीनागर विकास खण्ड- पिनाहट जनपद- आगरा

नाम ग्राम प्रधान - श्रीमती हरि सिंह एवं चेतन शर्मा सचिव का नाम- श्री उदय भदौरिया

प्रस्तर-72 ग्राम पंचायत पापरीनागर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं।

लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक खाते से आहरित धनराशि के व्यय का पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है अतः व्यय की गयी धनराशि रु0 1558582.00 की

ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री हरी सिंह एवं चेतन शर्मा व सचिव श्री उदय भदौरिया से की जानी अपेक्षित है ।

आपत्ति संख्या-08

62. ग्राम पंचायत-सेहा विकास खण्ड-पिनाहट जनपद- आगरा

नाम ग्राम पंचायत प्रधान – श्री नारायण सिंह सचिव का नाम- श्री विकास वर्मा

प्रस्तर-73-ग्राम पंचायत सेहा की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये है।

लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक खाते से आहरित धनराशि के व्यय का पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है अतः व्यय की गयी धनराशि रु0 622656.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री नारायण सिंह व सचिव श्री विकास वर्मा से की जानी अपेक्षित है ।

आपत्ति संख्या-08

63. नाम ग्राम पंचायत -कचौरा नाम विकास खण्ड -अछनेरा जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री कोप सिंह, नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री राम निवास

प्रस्तर 74- ग्राम पंचायत कचौरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 181600.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई-

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 181600.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर /कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 181600.00 की ब्याज सहित वसूली श्री कोप सिंह, प्रधान एवं श्री रामनिवा सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-18

64. नाम ग्राम पंचायत -मांगरौल जाट नाम विकास खण्ड -अछनेरा जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री मुरारी लाल, नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री संजय वर्मा

प्रस्तर 75- ग्राम पंचायत मांगरौल जाट द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 199122.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई-

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 199122.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर /कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी

आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 1199122.00 की ब्याज सहित वसूली श्री मुरारी लाल, प्रधान एवं श्री संजय वर्मा सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-18

65. नाम ग्राम पंचायत —महुअर नाम विकास खण्ड —अछनेरा जनपद —आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्री दाताराम, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री रामबीर सिंह

प्रस्तर 76— ग्राम पंचायत महुअर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 339150.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई—

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 339150.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर /कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 339150.00 की ब्याज सहित वसूली श्री दाताराम, प्रधान एवं श्री रामबीर सिंह सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-18

66. नाम ग्राम पंचायत —अरदाया नाम विकास खण्ड —अछनेरा जनपद —आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्रीमती ओमबती, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री रामबीर सिंह

प्रस्तर 77— ग्राम पंचायत अरदाया द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 222000.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई—

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 222000.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर /कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 222000.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती ओमबती, प्रधान एवं श्री रामबीर सिंह सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-18

67. नाम ग्राम पंचायत —भडीरी नाम विकास खण्ड —अछनेरा जनपद —आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्री मानसिंह, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री दिनेश बाबू

प्रस्तर 78— ग्राम पंचायत भडीरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 99792.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई—

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।

3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 99792.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर /कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 99792.00 की ब्याज सहित वसूली श्री मानसिंह, प्रधान एवं श्री दिनेश बाबू सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-18

68. नाम ग्राम पंचायत -गढीचन्द्रमन नाम विकास खण्ड -अछनेरा जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री योगेन्द्र कुमार, नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री विनोद शर्मा

प्रस्तर 79- ग्राम पंचायत गढीचन्द्रमन द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 136500.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई-

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 136500.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर /कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 136500.00 की ब्याज सहित वसूली श्री योगेन्द्र कुमार, प्रधान एवं श्री विनोद शर्मा सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-19

69. नाम ग्राम पंचायत -हसेला नाम विकास खण्ड -अछनेरा जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री सूरजमाल, नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री रामनिवास

प्रस्तर 80- ग्राम पंचायत हसेला द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 18040.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई-

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 18040.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर/कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी

होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 118040.00 की ब्याज सहित वसूली श्री सूरजमाल, प्रधान एवं श्री रामनिवास सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-21

प्रस्तर 81- लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत कर की वसूली को कोषबही में आमद नहीं दर्शाया गया है जबकि पंचायत कर की आय के आपेक्ष जिला पंचायत राज अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी पंचायत को पंचायत कर वसूली का 10 प्रतिशत भुगतान दिनांक 17.10.2017 रु0 2000.00 कोषबही में दर्शाया गया है। अतः वसूल किये गये पंचायत कर को कोषबही में न दर्शाकर रु0 20000.00 अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सूरजमाल, प्रधान एवं श्री रामनिवास सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-19

70. नाम ग्राम पंचायत -रायभा नाम विकास खण्ड -अछनेरा जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती सुमन देवी, नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री विनय सारस्वत

प्रस्तर 82- ग्राम पंचायत रायभा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 497574.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई-

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 497574.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर/कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 497574.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुमन देवी, प्रधान एवं श्री विनय सारस्वत सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-21

71. नाम ग्राम पंचायत -साधन नाम विकास खण्ड -अछनेरा जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती फरजाना, नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री रामनिवास

प्रस्तर 83- ग्राम पंचायत साधन द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 98000.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई-

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 98000.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर/कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 98000.00

की ब्याज सहित वसूली श्रीमती फरजाना, प्रधान एवं श्री रामनिवास सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०-21

72. नाम ग्राम पंचायत –रूनकता नाम विकास खण्ड –अछनेरा जनपद –आगरा

नाम ग्राम प्रधान– श्रीमती माया देवी, नाम ग्राम सचिव– श्री पंकज यादव व विक्रम सिंह

प्रस्तर 84– ग्राम पंचायत रूनकता द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में ₹0 374285.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुईं–

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 374285.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर / कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय ₹0 374285.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती माया देवी, प्रधान एवं श्री पंकज यादव व विक्रम सिंह सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०-18

73. नाम ग्राम पंचायत –ब्यारा नाम विकास खण्ड –अछनेरा जनपद –आगरा

नाम ग्राम प्रधान– श्री अईयब खाँ, नाम ग्राम पंचायत सचिव– श्री विनोद शर्मा

प्रस्तर 85– ग्राम पंचायत ब्यारा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये–

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
25.05.2017	996484	16200.00
25.05.2017	996483	91209.00
01.06.2017	369680	14100.00
03.06.2017	369679	28035.00
16.05.2017	369677	4740.00
16.05.2017	369678	1800.00
	योग–	156084.00

उपरोक्तानुसार धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अईयब खाँ, प्रधान एवं श्री विनोद शर्मा सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०-20

74. नाम ग्राम पंचायत –नगला अरूआ नाम विकास खण्ड –अछनेरा जनपद –आगरा

नाम ग्राम प्रधान– श्री राजेन्द्र सिंह, नाम ग्राम पंचायत सचिव– श्री दिनेश बाबू

प्रस्तर 86– ग्राम पंचायत नगला अरूआ द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाशमें आये–

1. ग्राम पंचायत द्वारा जंगल सफाई पर व्यय कराया जाना कार्ययोजना में शामिल है कि पुष्टि नहीं करायी गयी।
2. जंगल सफाई क्या होती है? लेखा परीक्षा दौरान स्पष्ट नहीं किया गया।
3. तकनीकी स्वीकृत, सक्षम अधिकारी की सहमती, वनविभाग की कृत कार्यवाही आदि अनुपलब्ध रही।
4. जंगल सफाई से ग्राम पंचायत को क्या लाभ हुआ स्पष्ट नहीं किया गया है।
5. उपरोक्त के अभाव में कार्य मनमाने ढंग से कराया गया प्रतीत होता है।

अतः अनियमित व्यय ₹0 78300.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०-20

75. नाम ग्राम पंचायत —अकबरा नाम विकास खण्ड —अछनेरा जनपद —आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्रीमती राजकुमारी, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री पंकज यादव

प्रस्तर 87— ग्राम पंचायत अकबरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाशमें आये—

दिनांक 30.09.2017 को अंतिम रोकड शेष रू0 3310.00 को वर्षान्त तक रोक कर रखी गयी। उल्लेखनिये है कि उक्त धनराशि दिनांक 31.03.2018 को कैशबुक के अंतिम रोकड शेष नगद के रूप में भी दर्शित नहीं पाई गयी। स्पष्ट है कि उक्त धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती राजकुमारी व सचिव श्री पंकज यादव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति सं0-21**

76. नाम ग्राम पंचायत —कठवारी नाम विकास खण्ड —अछनेरा जनपद —आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्री मोहित कुमार, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री अजय पाल

प्रस्तर 88— ग्राम पंचायत कठवारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये—

दिनांक 05.01.2018 को चैक संख्या 837387 के द्वारा रू0 14000.00 श्री पप्पु सिंह ठेकेदार को जमानत राशि का वापस किया जाना दर्शित पाया गया, परन्तु श्री पप्पु सिंह से उक्त जमानत राशि कब तथा किस उद्देश्य से प्राप्त की गयी लेखा परीक्षा में अवगत नहीं कराया गया। श्री सिंह से पुष्टि पत्र भी प्राप्त कर नहीं रखा गया। अतः भुगतानित धनराशि गबन की श्रेणी में पायी गयी जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री मोहित कुमार एवं सचिव श्री अजय पाल से करते हुए आधी-आधी जमा करायी जानी अपेक्षित है। **आपत्ति सं0-19**

77. नाम ग्राम पंचायत —हिमायुंपुर नाम विकास खण्ड —फतेहाबाद जनपद —आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्री भूपसिंह, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री मनोज उपाध्याय व प्रमोद कुमार

प्रस्तर 89— ग्राम पंचायत हिमायुंपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये—

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान मेंसे रू0 1272649.49 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/ वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे— कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/ पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधनन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रू0 1272649.49 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधीग्राम प्रधान श्री भूपसिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज उपाध्याय व प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-02**

78. नाम ग्राम पंचायत —भीकनपुर नाम विकास खण्ड —फतेहाबाद जनपद —आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्री रामदत्त, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री नरेन्द्र कुमार

प्रस्तर 90— ग्राम पंचायत भीकनपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये—

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान मेंसे रू0 1390542.10 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी

धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/ वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे— कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 1390542.10 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधीग्राम प्रधान श्री रामदत्त व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सख्या-02

79. नाम ग्राम पंचायत—मुरावल नाम विकास खण्ड—फतेहाबाद जनपद—आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्रीमती सुनीता देवी, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री सुभाष झा व हर्षवर्धन

प्रस्तर 91— ग्राम पंचायत मुरावल द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाशमें आये—

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान मेंसे रु0 652231.35 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे— कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 652231.35 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधीग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष झा व हर्षवर्धन से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सख्या-02

80. नाम ग्राम पंचायत—प्रतापपुरा नाम विकास खण्ड—फतेहाबाद जनपद—आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्री महेन्द्र सिंह, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री सुरेश बाबू गौतम

प्रस्तर 92— ग्राम पंचायत प्रतापपुरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाशमें आये—

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान मेंसे रु0 1310100.00 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे— कार्यवाही

पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 1310100.00 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश बाबू गौतम से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सख्या-02

81. नाम ग्राम पंचायत -धौरा नाम विकास खण्ड -फतेहाबाद जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती उर्मिला, नाम ग्राम सचिव- श्री नीरज शर्मा व प्रमोद कुमार

प्रस्तर 93- ग्राम पंचायत धौरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये-

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान मेंसे रु0 394060.00 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे- कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 394060.00 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधीग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नीरज शर्मा व प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सख्या-02

82. नाम ग्राम पंचायत -रूपपुर नाम विकास खण्ड -फतेहाबाद जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री अतरसिंह, नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री सुभाष झा

प्रस्तर 94- ग्राम पंचायत रूपपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये-

ग्राम पंचायत को प्राप्त वार्षिक अनुदान में से रु0 20000.00 की धनराशि का भुगतान बैंक स्टेटमेंट खाता संख्या 3639000100061584 के अनुसार दिनांक 25.05.2017 को चैक सं0 875667 द्वारा रिकु नामक व्यक्ति/फर्म को किया गया, जबकि इस भुगतानिक धनराशि का अंकन कैशबुक में नहीं किया गया है जो दर्शाता है कि राजकीय धन का निजहित में उपभोग कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अतर सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री सुभाष झा से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सख्या-02

प्रस्तर 95— ग्राम पंचायत को प्राप्त वार्षिक अनुदान में से रु0 60000.00 की धनराशि का भुगतान बैंक स्टेटमेंट खाता संख्या 3639000100061584 के अनुसार दिनांक 21.07.2017 को चैक सं0 875681 द्वारा राजकुमार नामक व्यक्ति/फर्म को किया गया जबकि इस भुगतानिक धनराशि को कैशबुक में पी0वी0सी0 पाईप क्रय के रूप में अंकित किया गया है, लेकिन यह सामग्री किस कार्य/उद्देश्य की पूर्ति हेतु क्रय की गयी है, की पुष्टि न तो कैशबुक में अंकित विवरण से ओर नहीं निर्माण कार्य रजिस्टर व व्यय प्रमाणक इत्यादि से होती है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 60000.00 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधीग्राम प्रधान श्री अतरसिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष झा से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-03**

83. नाम ग्राम पंचायत —तमाचगढ़ नाम विकास खण्ड —ऐतमादपुर जनपद —आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्री गिराज, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री कोमल सिंह

प्रस्तर 96— ग्राम पंचायत तमाचगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये—

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान मेंसे रु0 1355129.11 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नहीं अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे— कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 1355129.11 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री गिराज व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कोमल सिंह से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-19

84. नाम ग्राम पंचायत —चूहरपुर नाम विकास खण्ड —ऐतमादपुर जनपद —आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्री रामू, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री विनोद शर्मा व पप्पू सिंह आनंद

प्रस्तर 97— ग्राम पंचायत चूहरपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये—

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान मेंसे रु0 682973.10 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नहीं अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे— कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि

क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि ₹0 682973.10 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री रामू व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद शर्मा व पप्पू सिंह आनंद से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-13

प्रस्तर 98- आलोच्य वर्ष में दिनांक 31.07.2017 को बैंक संख्या 324287 द्वारा श्री प्रदीप कुमार को ₹0 32000.00 भुगतान किया जाना बैंक पासबुक में दर्ज है, परन्तु कैशबुक के आय पक्ष में उक्त धनराशि कोषांकन न कर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री रामू व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद शर्मा व पप्पू सिंह आनंद से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-15

85. नाम ग्राम पंचायत -नगलाबेल नाम विकास खण्ड -एत्मादपुर जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री धर्मध्वज व श्रीमती रूची, नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री निन्नू राम

प्रस्तर 99- ग्राम पंचायत नगलाबेल द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में ₹0 89200.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुईं-

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 89200.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर /कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय ₹0 89200.00 की ब्याज सहित वसूली श्री धर्मध्वज व श्रीमती रूची, प्रधान एवं श्री निन्नू से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-21

86. नाम ग्राम पंचायत -अमानाबाद नाम विकास खण्ड -एत्मादपुर जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती सीमा देवी, नाम पंचायत सचिव- श्री हरिश्चन्द्र व कोमल सिंह

प्रस्तर 100- ग्राम पंचायत अमानाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में ₹0 199760.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुईं-

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 199760.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर /कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रू0 199760 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती सीमादेवी, प्रधान एवं श्री हरिश्चन्द्र व कोमल सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-20

87. नाम ग्राम पंचायत-बैनई नाम विकास खण्ड-एत्मादपुर जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री धर्मेन्द्र सिंह, नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री सुनील शर्मा

प्रस्तर 101- ग्राम पंचायत बैनई द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रू0 99880.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई-

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 99880.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर / कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रू0 99880 की ब्याज सहित वसूली श्री धर्मेन्द्र सिंह, प्रधान एवं श्री सुनील शर्मा से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-20

88. नाम ग्राम पंचायत -जामपुर नाम विकास खण्ड -एत्मादपुर जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री राजपाल, नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री हरिश्चन्द्र व कोमल सिंह

प्रस्तर 102- ग्राम पंचायत जामपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रू0 272400.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई-

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 272400.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर / कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रू0 272400.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राजपाल, प्रधान एवं श्री हरिश्चन्द्र व कोमल सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-20

89. नाम ग्राम पंचायत—टेहू नाम विकास खण्ड—एत्मादपुर जनपद—आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्रीमती अजयदेवी, नाम पंचायत सचिव— श्री विनोद यादव व कोमल सिंह

प्रस्तर 103— ग्राम पंचायत टेहू द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में ₹0 727400.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई—

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 727400.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर /कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय ₹0 727400.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती अजयदेवी, प्रधान एवं श्री विनोद यादव व कोमल सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-20

90. नाम ग्राम पंचायत—यूसुफपुर नाम विकास खण्ड—एत्मादपुर जनपद—आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्री भागीरथ, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री विनोद शर्मा

प्रस्तर 104— ग्राम पंचायत यूसुफपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में ₹0 76500.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई—

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 76500.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर /कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय ₹0 76500.00 की ब्याज सहित वसूली श्री भागीरथ, प्रधान एवं श्री विनोद शर्मा से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-20

91. नाम ग्राम पंचायत—मौसनाबाद नाम विकास खण्ड—एत्मादपुर जनपद—आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्री कृष्णवीर सिंह, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री सुनील शर्मा

प्रस्तर 105— ग्राम पंचायत मौसनाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में ₹0 60480.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई—

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा

रु0 60480.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर /कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित की जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 60480.00 की ब्याज सहित वसूली श्री कृष्णवीर सिंह, प्रधान एवं श्री सुनील शर्मा से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-20

92. नाम ग्राम पंचायत -खेडीअडू नाम विकास खण्ड -एत्मादपुर जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती उषादेवी, नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री कोमल सिंह

प्रस्तर 106- ग्राम पंचायत खेडीअडू द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 227500.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई-

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 227500.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर /कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित की जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 227500.00 की ब्याज सहित वसूली श्री उषादेवी, प्रधान एवं श्री कोमल सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-21

93. नाम ग्राम पंचायत -खडिया नाम विकास खण्ड -खंदौली जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री जितेन्द्र कुमार, नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री नागेन्द्र सिंह

प्रस्तर 107- ग्राम पंचायत खडिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये-

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान मेंसे रु0 783030.00 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे- कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँचहेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 783030.00 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/ अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधीग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नागेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सख्या-13

94. नाम ग्राम पंचायत-नहरा नाम विकास खण्ड-खंदौली जनपद -आगरा
नाम ग्राम प्रधान- श्री चतुरी, नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री आमीन खाँ व नागेन्द्र सिंह

प्रस्तर 108-ग्राम पंचायत नहरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये-

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान में से रु0 1683521.00 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/ वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे- कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/ पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 1683521.00 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/ अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधीग्राम प्रधान श्री चतुरी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आमीन खाँ व नागेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सख्या-13

95. नाम ग्राम पंचायत -मुढी जहाँगीरपुर नाम विकास खण्ड -खंदौली जनपद -आगरा
नाम प्रधान- श्री लक्ष्मीनारायण, नाम पंचायत सचिव- श्री पप्पू सिंह आनंद व विनय कुमार

प्रस्तर 109- ग्राम पंचायत मुढी जहाँगीरपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये-

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान में से रु0 1924001.00 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/ वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे- कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/ पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 1924001.00 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/ अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधीग्राम प्रधान श्री लक्ष्मीनारायण व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पप्पू सिंह आनंद व विनय कुमार से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सख्या-13

96. नाम ग्राम पंचायत -रूपधनु नाम विकास खण्ड -खंदौली जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री सुल्तान सिंह, नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री नागेन्द्र सिंह

प्रस्तर 110- ग्राम पंचायत रूपधनु द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाशमें आये-

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान मेंसे रु0 943359.75 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/ वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे- कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/ पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 943359.75 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधीग्राम प्रधान श्री सुल्तानसिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नागेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सख्या-13

97. नाम ग्राम पंचायत -खाण्डा नाम विकास खण्ड -खंदौली जनपद -आगरा

ग्राम प्रधान- श्री उमेश यादव, नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री कमल सिंह व अशोकपाल

प्रस्तर 111- ग्राम पंचायत खाण्डा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये-

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान मेंसे रु0 4913816.75 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/ वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे- कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँचहेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 4913816.75 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/ अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधीग्राम प्रधान श्री उमेश यादव व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कमल सिंह व अशोकपाल से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सख्या-13

98. नाम ग्राम पंचायत -गुढा नाम विकास खण्ड -खंदौली जनपद -आगरा
ग्राम प्रधान- श्री योगेश कुमार, नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री केशव सिंह व राजेन्द्र सिंह

प्रस्तर 112- ग्राम पंचायत गुढा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये-

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान मेंसे रु0 196240.00 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/ वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे- कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/ पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँचहेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 196240.00 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/ अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री योगेश कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशव सिंह व राजेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सख्या-14

99. नाम ग्राम पंचायत -हाजीपुर खेडा नाम विकास खण्ड -खंदौली जनपद -आगरा
नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती राजकुमारी, नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री रूपेन्द्र कुमार

प्रस्तर 113- ग्राम पंचायत हाजीपुर खेडा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 98120.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियाँ परिलक्षित हुई-

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 98120.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर / कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 98120.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती राजकुमारी, प्रधान एवं श्री रूपेन्द्र कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-14

100. नाम ग्राम पंचायत —दहतोरा नाम विकास खण्ड —बिचपुरी जनपद —आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्रीमती नीरजदेवी, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री राहुल देव उपध्याय

प्रस्तर 114— ग्राम पंचायत दहतोरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये—

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान में से रु0 10458949.00 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे— कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/ पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 10458949.00 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधीग्राम प्रधान श्रीमती नीरजदेवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल देव उपध्याय से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—02

प्रस्तर 115— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में नाला सफाई व अन्य सफाई कार्य में रु0 116200.00 का व्यय किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित सफाई कर्मचारी की नियुक्ति पूर्व से है, जिसका वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ग्राम सफाई कार्य पर किये गये व्यय की स्थिति नियमित कर्मचारी होने के कारण अनियमित रही। कर्मचारी के अवकाश पर होने इत्यादि के संबंध में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त अनियमित व्यय की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नीरजदेवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल देव उपध्याय से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या —01**

101. नाम ग्राम पंचायत —बमरौली अहीर नाम विकास खण्ड —बिचपुरी जनपद —आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्री गिरवेन्द्र सिंह , नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री मोहन कुमार

प्रस्तर 116— ग्राम पंचायत बमरौली अहीर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये—

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान में से रु0 4025808.35 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/ वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे— कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 4025808.35 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/ अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधीग्राम प्रधान श्री गिरवेन्द्र सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मोहन कुमार से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सख्या-01

102. नाम ग्राम पंचायत-जखौदा नाम विकास खण्ड -बिचपुरी जनपद-आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री सुनील कुमार , नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री मिथुन बाबू

प्रस्तर 117- ग्राम पंचायत जखौदा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये-

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान मेंसे रु0 320308.13 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/ वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे- कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/ पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 320308.13 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/ अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधीग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मिथुन बाबू से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सख्या-01

103. नाम ग्राम पंचायत -अजीजपुर नाम विकास खण्ड -बिचपुरी जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती रामादेवी , नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री मोहन कुमार

प्रस्तर 118- ग्राम पंचायत अजीजपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये-

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान मेंसे रु0 10178896.00 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/ वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे- कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/ पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 10881796.00 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/ अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधीग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मोहन कुमार से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सख्या-01

104. नाम ग्राम पंचायत —बैमन नाम विकास खण्ड —अकोला जनपद —आगरा
नाम ग्राम प्रधान— श्री जवाहर सिंह , नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री ऋषि कुमार व वीरेन्द्र द्वितीय
प्रस्तर —119 ग्राम पंचायत बैमन द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये—

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान में से रु0 2087765.15 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे— कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 2087765.15 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/ अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधीग्राम प्रधान श्री जवाहर सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ऋषि कुमार व वीरेन्द्र द्वितीय से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सख्या-01

105. नाम ग्राम पंचायत —बाई खेडा नाम विकास खण्ड —अकोला जनपद —आगरा
नाम ग्राम प्रधान— श्रीमती कमला, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री ऋषि कुमार
प्रस्तर 120— ग्राम पंचायत बाई खेडा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये—

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान में से रु0 870548.00 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/ वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे— कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/ पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 870548.00 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/ अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती कमला व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ऋषि कुमार से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सख्या-01

106. नाम ग्राम पंचायत —बसैरीचाहर नाम विकास खण्ड —अकोला जनपद —आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्रीमती रेखा, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री ऋषि कुमार व वीरेन्द्र द्वितीय

प्रस्तर 121— ग्राम पंचायत बसैरीचाहर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये—

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान मेंसे रु0 2108075.35 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे— कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/ पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 2108075.35 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/ अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ऋषि कुमार व वीरेन्द्र द्वितीय से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सख्या-01

107. नाम ग्राम पंचायत —जारूआ कटरा नाम विकास खण्ड —अकोला जनपद —आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्री दुर्गा प्रसाद, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री चन्द्रभान रावत

प्रस्तर 122— ग्राम पंचायत जारूआ कटरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये—

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान मेंसे रु0 392380.00 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे— कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/ पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 392380.00 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/ अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधीग्राम प्रधान श्री दुर्गा प्रसाद व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्रभान रावत से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-01

108. नाम ग्राम पंचायत—मंगलपुर बत्रा नाम विकास खण्ड—सैंया जनपद—आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्री राधेश्याम, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री राहुल राठौर

प्रस्तर 123— ग्राम पंचायत मंगलपुर बत्रा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये—

माह अगस्त 2017 व सितम्बर 2017 का मानदेय रु0 7000.00 का भुगतान दिनांक 31.10.2017 को बैंक संख्या 900647 द्वारा किया गया है। दिनांक 29.01.2018 को बैंक संख्या 900660 द्वारा माह अगस्त 2017 से दिसम्बर 2017 तक 05 माह के मानदेय रु0 17500.00 का भुगतान किया गया है।

अतः दिनांक 29.01.2018 को माह अगस्त व सितम्बर 2017 के मानदेय का भुगतान दौहरा किया गया है। जो राजकीय धन का अपहरण है। रु0 7000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राधेश्याम प्रधान से की जानी अपेक्षित है। साथ ही भुगतान कर्ता सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 21

109. नाम ग्राम पंचायत—सिकंदरपुर नाम विकास खण्ड—सैंया जनपद—आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्रीमती विमला देवी, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री कलियान सिंह

प्रस्तर 124— ग्राम पंचायत सिकंदरपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 99000.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई—

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 99000.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर / कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 99000.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती विमला देवी, प्रधान एवं श्री कलियान सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-21

110. नाम ग्राम पंचायत—महदेवा नाम विकास खण्ड—सैंया जनपद—आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्रीमती सोनवती, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री प्रेमसिंह

प्रस्तर 125— ग्राम पंचायत महदेवा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 91000.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई—

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 91000.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर / कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में

गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 91000.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती सोनवती, प्रधान एवं श्री प्रेमसिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-21

111. नाम ग्राम पंचायत –सिलोखर नाम विकास खण्ड –सैंया जनपद –आगरा

नाम ग्राम प्रधान– श्री ओम प्रकाश I, नाम ग्राम पंचायत सचिव– श्री कलियान सिंह

प्रस्तर 126– ग्राम पंचायत सिलोखर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 76780.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुईं–

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 76780.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर / कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 76780.00 की ब्याज सहित वसूली श्री ओमप्रकाश I, प्रधान एवं श्री कलियान सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-21

112. नाम ग्राम पंचायत –बीरई नाम विकास खण्ड –सैंया जनपद –आगरा

नाम ग्राम प्रधान– श्री चन्द्रभान, नाम ग्राम पंचायत सचिव– श्री प्रेमसिंह

प्रस्तर 127– ग्राम पंचायत बीरई द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 157500.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुईं–

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 157500.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर / कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 157500.00 की ब्याज सहित वसूली श्री चन्द्रभान, प्रधान एवं श्री प्रेमसिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-21

113. नाम ग्राम पंचायत –पुसैता नाम विकास खण्ड –सैंया जनपद –आगरा

नाम ग्राम प्रधान– श्री चतुर्भुज शर्मा, नाम ग्राम पंचायत सचिव– श्री प्रेमसिंह

प्रस्तर 128– ग्राम पंचायत पुसैता द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 99000.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुईं–

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 99000.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर / कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय ₹0 99000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री चतुर्भुज शर्मा, प्रधान एवं श्री प्रेमसिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-21

114. नाम ग्राम पंचायत –जाजऊ नाम विकास खण्ड –सैंया जनपद –आगरा

नाम ग्राम प्रधान– श्रीमती गुडडी देवी, नाम ग्राम पंचायत सचिव– श्री प्रेमसिंह

प्रस्तर-129 ग्राम पंचायत जाजऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में ₹0 243000.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुईं-

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 243000.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर / कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय ₹0 243000.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती गुडडी देवी, प्रधान एवं श्री प्रेमसिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-21

115. नाम ग्राम पंचायत –बृथला नाम विकास खण्ड –सैंया जनपद –आगरा

नाम ग्राम प्रधान– श्रीमती राजाबेटी, नाम ग्राम पंचायत सचिव– श्री अनिल कुमार

प्रस्तर 130- ग्राम पंचायत बृथला द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में ₹0 450500.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुईं-

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 450800.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर / कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग,

अधिकासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 450800.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती राजाबेटी, प्रधान एवं श्री अनिल कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-21

116. नाम ग्राम पंचायत –महाब नाम विकास खण्ड –सैंया जनपद –आगरा

नाम ग्राम प्रधान– श्री नारायण सिंह , नाम ग्राम पंचायत सचिव– श्री कलियान सिंह

प्रस्तर 131– ग्राम पंचायत महाब द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 270840.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुईं–

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 270840.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर/कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिकासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिकासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 270840.00 की ब्याज सहित वसूली श्री नारायण सिंह, प्रधान एवं श्री कलियान सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-21

117. नाम ग्राम पंचायत –लादुखेडा नाम विकास खण्ड –सैंया जनपद –आगरा

नाम ग्राम प्रधान– श्री मोनूवर्मा , नाम ग्राम पंचायत सचिव– श्री प्रेमसिंह

प्रस्तर 132– ग्राम पंचायत लादुखेडा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 357600.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुईं–

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 357600.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर /कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिकासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिकासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 357600.00 की ब्याज सहित वसूली श्री मोनू वर्मा, प्रधान एवं श्री प्रेमसिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-21

प्रस्तर 133– ग्राम पंचायत लादुखेडा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये–

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान में से रु0 215000.00 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी

धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/ वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे— कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/ पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 215000.00 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री मोनू वर्मा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रेम सिंह से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-22

118. नाम ग्राम पंचायत —पचमोरी नाम विकास खण्ड —सैंया जनपद —आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्री हरीशंकर , नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री राजकुमार साहू

प्रस्तर 134— ग्राम पंचायत पचमोरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये—

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान मेंसे रु0 132000.00 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/ वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे— कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/ पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 132000.00 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधीग्राम प्रधान श्री हरीशंकर व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकुमार साहू से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-21

119. नाम ग्राम पंचायत —नगला मौहरे नाम विकास खण्ड —सैंया जनपद —आगरा

नाम ग्राम प्रधान— श्री पोहपसिंह , नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री राहुल कुमार

प्रस्तर 135— ग्राम पंचायत नगला मौहरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये—

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान मेंसे रु0 132000.00 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे— कार्यवाही

पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/ पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि ₹0 132000.00 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधीग्राम प्रधान श्री पोहप सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल कुमार से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-21

120. नाम ग्राम पंचायत –तेहरा नाम विकास खण्ड –सैंया जनपद –आगरा

नाम ग्राम प्रधान– श्रीमती कमलेश, नाम ग्राम पंचायत सचिव– श्री अनिल सैंगर

प्रस्तर 136– पुरानी ग्राम निधि की धनराशि खाता संख्या आर0बी0बी0 4524 में ₹0 320.00 तथा एस0एस0ए0–आर0आर0बी0 4553 में ₹0 505878.00 कुल ₹0 506198.00 विगत कई वर्षों से अप्रोज्य पड़ा है। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग को प्रत्यावर्तित न किया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। इसे तत्काल खातों से सीधे सम्बन्धित विभागों को प्रत्यावर्तित किया जाये। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आ0सं0- 21

प्रस्तर 137– लेखा परीक्षा वर्ष में खनिज के क्रय पर रायल्टी काटी गयी है जो ग्राम पंचायत द्वारा राजकीय कोष में जमा नहीं करायी गयी है। यह अत्यन्त आपत्तिजनक है। काटी गयी रायल्टी को तत्काल राजकीय कोष में जमा करायी जाय। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आ0सं0 –22

121. नाम ग्राम पंचायत –मुरकिया नाम विकास खण्ड –सैंया जनपद –आगरा

नाम ग्राम प्रधान– श्रीमती बबीता, नाम ग्राम पंचायत सचिव– श्री अरुण यादव

प्रस्तर 138– लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक खाते से आहरित धनराशि को कैशबुक में पृविष्टि न कर धन का अपहरण किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है–

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	आहरित व्यक्ति का नाम
03.10.2017	724481	33500.00	प्रधान
08.10.2017	724483	28440.00	अज्ञात
10.10.2017	724484	80905.00	अज्ञात
10.10.2017	724485	16622.00	अज्ञात
12.10.2017	36651	68669.00	अज्ञात
15.10.2017	36652	70357.00	अज्ञात
15.10.2017	-----	1500.00	अज्ञात
	योग–	299993.00	

अतः व्यय की धनराशि 299993.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी श्रीमती बबीता प्रधान एवं श्री अरुण यादव सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या –21

122. नाम ग्राम पंचायत –कुकावर नाम विकास खण्ड –सैंया जनपद –आगरा

नाम ग्राम प्रधान– श्री दुर्गसिंह , नाम ग्राम पंचायत सचिव– श्री अरुण यादव

प्रस्तर 139– ग्राम पंचायत कुकावर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये–

वर्ष 2017-18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान मेंसे रू0 1368207.00 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/ वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे- कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/ पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रू0 1368207.00 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री दुर्गसिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरुण यादव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-21

123. नाम ग्राम पंचायत -नगला भिककी नाम विकास खण्ड -शमशाबाद जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री सुकेश , नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री शिवशंकर रावत

प्रस्तर 140- ग्राम पंचायत नगला भिककी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रू0 66400.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई-

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 66400.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर /कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रू0 66400.00 की ब्याज सहित वसूली श्री सुकेश, प्रधान एवं श्री शिवशंकर रावत से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-14

124. नाम ग्राम पंचायत -टोण्डरा नाम विकास खण्ड -शमशाबाद जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान- श्री रामदत्त , नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री मदन कुमार

प्रस्तर 141- ग्राम पंचायत टोण्डरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रू0 99880.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई-

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा

रु0 99880.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर / कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 99880.00 की ब्याज सहित वसूली श्री रामदत्त, प्रधान एवं श्री मदन कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-14

125. नाम ग्राम पंचायत—मुज्जफरपुर नाम विकास खण्ड—शमशाबाद जनपद—आगरा
नाम ग्राम प्रधान— श्रीमती कमला देवी , नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री विक्रम सिंह
प्रस्तर 142— ग्राम पंचायत मुज्जफरपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 102000.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई—

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 102000.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर/कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 102000.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती कमलादेवी, प्रधान एवं श्री विक्रम सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-14

126. नाम ग्राम पंचायत—सिकतरा नाम विकास खण्ड—शमशाबाद जनपद—आगरा
नाम ग्राम प्रधान— श्रीमती सीला देवी , नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री शिवशंकर रावत
प्रस्तर 143— ग्राम पंचायत सिकतरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 59200.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई—

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 59200.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर / कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 59200.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती सीला देवी, प्रधान एवं श्री शिवशंकर रावत से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-14

127. नाम ग्राम पंचायत—ऐत्मादपुर अजनेरा नाम विकास खण्ड—शमशाबाद जनपद—आगरा
नाम ग्राम प्रधान— श्रीमती शिखा , नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री केशव सिंह

प्रस्तर 144— ग्राम पंचायत ऐत्मादपुर अजनेरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में ₹0 180000.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई—

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 180000.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर / कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय ₹0 180000.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती शिखा देवी, प्रधान एवं श्री केशव सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-14

128. नाम ग्राम पंचायत—डबरई नाम विकास खण्ड—शमशाबाद जनपद—आगरा
नाम ग्राम प्रधान— श्री सोवरन, नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री दीपक कुमार

प्रस्तर 145— ग्राम पंचायत डबरई द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में ₹0 160000.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई—

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 160000.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर / कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय ₹0 160000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री सोवरन, प्रधान एवं श्री दीपक कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-14

129. नाम ग्राम पंचायत—मीरपुर नाम विकास खण्ड—शमशाबाद जनपद—आगरा
नाम ग्राम प्रधान— श्री ओमप्रकाश नाम ग्राम पंचायत सचिव— श्री शिवशंकर रावत

प्रस्तर 146— ग्राम पंचायत मीरपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में ₹0 98000.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुई—

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा

रु0 98000.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर /कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 98000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री ओमप्रकाश प्रधान एवं श्री शिवशंकर रावत से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-14

130. नाम ग्राम पंचायत –लुहारी नाम विकास खण्ड –शमशाबाद जनपद –आगरा

नाम ग्राम प्रधान– श्री दीवान सिंह, नाम ग्राम पंचायत सचिव– श्री दीपक कुमार

प्रस्तर 147– ग्राम पंचायत लुहारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 99880.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुईं–

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 99880.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर /कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 99880.00 की ब्याज सहित वसूली श्री दीवान सिंह, प्रधान एवं श्री दीपक कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-14

131. नाम ग्राम पंचायत –चितौरा नाम विकास खण्ड –शमशाबाद जनपद –आगरा

नाम ग्राम प्रधान– श्री मुन्ना लाल, नाम सचिव– श्री समीम अहमद व विक्रम सिंह

प्रस्तर 148– ग्राम पंचायत चितौरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 219800.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुईं–

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन-किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 219800.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर /कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 219800.00 की ब्याज सहित वसूली श्री मुन्ना लाल, प्रधान एवं श्री समीम अहमद व विक्रम सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-14

132. नाम ग्राम पंचायत –करोँधना नाम विकास खण्ड –शमशाबाद जनपद –आगरा

नाम ग्राम प्रधान– श्री गया प्रसाद, नाम ग्राम पंचायत सचिव– श्री केशव सिंह

प्रस्तर 149– ग्राम पंचायत करोँधना द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 392380.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुईं–

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन–किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर/कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 392380.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर /कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 392380.00 की ब्याज सहित वसूली श्री गया प्रसाद, प्रधान एवं श्री केशव सिंह से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0–14

133. नाम ग्राम पंचायत –कुतुकपुर रोहई नाम विकास खण्ड –शमशाबाद जनपद –आगरा

नाम ग्राम प्रधान– श्री अशोक, नाम ग्राम पंचायत सचिव– श्री रवि यादव

प्रस्तर 150– ग्राम पंचायत कुतुकपुर राहई द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्ट्रीट लाईट लगवाने में रु0 45000.00 का व्यय किया गया है। इसके संबंध में निम्न आपत्तियां परिलक्षित हुईं–

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. स्ट्रीट लाईट किन–किन खम्बों पर लगाई गयी सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. स्ट्रीट लाईट लगवाने के पहले विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया तथा टेण्डर / कुटेशन से सम्बन्धित प्राप्त नहीं किये गये/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आलेख्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 45000.00 का व्यय स्ट्रीट लाईट को लगवाने में किया गया है। क्रय के समय प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लिए टेण्डर/कुटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जो अनियमित है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में बदलाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में जनपद स्तर पर मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कि जानी चाहिये थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव होंगे। प्रधान/सचिव द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनियमित कार्य में किया गया व्यय रु0 45000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अशोक, प्रधान एवं श्री रवि यादव से आधी–आधी की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0–14

134. नाम ग्राम पंचायत –नगला तोर नाम विकास खण्ड –बिचपुरी जनपद –आगरा

नाम ग्राम प्रधान– श्री मिठ्ठु , नाम ग्राम पंचायत सचिव– श्री यतीन्द्र यादव

प्रस्तर 151– ग्राम पंचायत नगला तोर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये–

वर्ष 2017–18 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान मेंसे रु0 220270.00 की धनराशि का आहरण कर विभिन्न मदों में व्यय किया गया है, जबकि आहरित की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु संस्था के पास कोई भी व्यय प्रमाणक जैसे बिल/वाउचर/मस्टरोल नहीं पाये गये। और नही अन्य आवश्यक अभिलेख जो उक्त कृत कार्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक थे जैसे– कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्य योजना, आंगणन, माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कुटेशन एवं टेण्डर और कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो तथा कार्यपूर्ति एवं उपभोग

प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख/ पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के दौरान संस्था के पास नहीं पाये गये। जबकि क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बिल/वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरोल व अन्य संबंधित प्रमाणिक अभिलेख/पत्रावली तैयार कर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अतः उक्त स्थिति में उक्त प्रकरण वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार जिसमें कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो आहरित की गयी धनराशि को गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में आहरित की गयी कुल धनराशि रु0 20270.00 की धनराशि उक्त प्राविधान के तहत गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से आधी-आधीग्राम प्रधान श्री मिट्ठु व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतीन्द्र यादव से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति सख्या-18**

135. ग्राम पंचायत का नाम -कूकापुर विकासखण्ड -जैतपुर कलां जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान - श्री सत्यनारायन सिंह नाम सचिव - श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया

प्रस्तर -152 ग्राम पंचायत कूकापुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि रु0 2401087.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री सत्यनारायन सिंह, एवं श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया, सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 08)

136.ग्राम पंचायत का नाम -खेडा राठौर विकासखण्ड-जैतपुर कलां जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान -श्री राकेश सिंह नाम सचिव -श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया

प्रस्तर -153 ग्राम पंचायत खेडा राठौर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि रु0 1144726.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री राकेश सिंह, एवं श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया, सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 8)

प्रस्तर -154 दि0 17.03.2018 के चैक सं0 865022 द्वारा रु0 118000.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैश बुक में नहीं दर्शाया गया है, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रु0 118000.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राकेश सिंह एवं सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 14)

प्रस्तर -155 दि0 24.08.2017 को चैक सं0 377860 द्वारा रु0 49000.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैश बुक के व्यय पक्ष में नहीं दर्शाया गया है, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रु0 49000-00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राकेश सिंह एवं सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 15)

137. ग्राम पंचायत का नाम - संजैती विकासखण्ड जैतपुर -कलां जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान - श्री मनीष प्रताप नाम सचिव - श्री बृजराज सिंह

प्रस्तर -156 ग्राम पंचायत संजैती की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष में प्रिया साफ्ट पर दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क)

के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दशाई गई व्यय की धनराशि रु0 861984.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री मनीष प्रताप सिंह श्री बृजराज सिंह, सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 02)

138. ग्राम पंचायत का नाम —खिलावली विकास खण्ड —जैतपुर कलां, जनपद —आगरा
नाम ग्राम प्रधान — श्री धर्मेन्द्र सिंह नाम सचिव — श्री उदय कुमार
प्रस्तर —157 ग्राम पंचायत खिलावली की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष में प्रिया साफ्ट पर दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दशाई गई व्यय की धनराशि रु0 2180478.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र सिंह श्री उदय कुमार, सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 02)

139. ग्राम पंचायत का नाम —चन्द्रपुर विकास खण्ड —जैतपुर कलां जनपद —आगरा
नाम ग्राम प्रधान — श्रीमती वैजयन्ती देवी नाम सचिव — श्री बृजराज सिंह
प्रस्तर —158 ग्राम पंचायत चन्द्रपुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दशाई गई व्यय की धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि रु0 450862.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती वैजयन्ती देवी, एवं श्री बृजराज सिंह, सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 8)

140. ग्राम पंचायत का नाम —पई विकास खण्ड —जैतपुर कलां जनपद —आगरा
नाम ग्राम प्रधान — श्री मुनेश सिंहनाम सचिव — श्री उदय कुमार
प्रस्तर —159 ग्राम पंचायत पई की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
लेखा परीक्षा वर्ष में प्रिया साफ्ट नी दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दशाई गई व्यय की धनराशि रु0 1246555.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री मुनेश सिंह श्री उदय कुमार, सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 02)

141. ग्राम पंचायत का नाम —मालोनी विकास खण्ड —जैतपुर कलां, जनपद —आगरा
नाम ग्राम प्रधान — श्रीमती सुमन देवी नाम सचिव — श्री विद्यासागर गुप्ता
प्रस्तर —160 ग्राम पंचायत मालोनी की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
लेखा परीक्षा वर्ष में प्रिया साफ्ट नी दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दशाई गई व्यय की धनराशि रु0 1248575.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी श्री विद्यासागर गुप्ता, सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 02)

142. ग्राम पंचायत का नाम — महुआशाला विकास खण्ड —जैतपुर कलां जनपद —आगरा
नाम ग्राम प्रधान — श्री उम्मेद सिंह यादव नाम सचिव — श्री विद्यासागर गुप्ता
प्रस्तर—161 ग्राम पंचायत महुआशाला की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष में प्रिया साफ्ट नी दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क)

के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि रु0 2015729.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री उम्मेद सिंह यादव श्री विद्यासागर गुप्ता, सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 02)

143. ग्राम पंचायत का नाम – गढवार विकास खण्ड –जैतपुर कलां जनपद –आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्रीमती कुशमाला देवी नाम सचिव – श्री बृजराज सिंह
प्रस्तर –162 ग्राम पंचायत गढवार की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। दि0 25.08.2017 को चैक सं0 962952 द्वारा रु0 27500.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैश बुक के व्यय पक्ष में नहीं दर्शाया गया है, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रु0 27500.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कुशमाला देवी एवं सचिव श्री बृजराज सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 10)

144. ग्राम पंचायत का नाम –कचौरा घाट विकास खण्ड –जैतपुर कलां जनपद –आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्री सुधीर कुमार सिंहनाम सचिव – श्री उदय कुमार
प्रस्तर –163 ग्राम पंचायत कचौरा घाट की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। लेखा परीक्षा वर्ष में प्रिया साफ्ट नी दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि रु0 1910726.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री सुधीर कुमार सिंह श्री उदय कुमार, सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 02)

145. ग्राम पंचायत का नाम –चित्राहार विकास खण्ड –जैतपुर कलां, जनपद –आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्रीमती रेखा नाम सचिव – श्री उदय कुमार
प्रस्तर –164 ग्राम पंचायत चित्राहार की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। लेखा परीक्षा वर्ष में प्रिया साफ्ट नी दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि रु0 1928997.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा एवं श्री उदय कुमार, सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 02)

146. ग्राम पंचायत का नाम –चौरंगाहार विकास खण्ड –जैतपुर कलां जनपद –आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्री रामप्रकाश सिंह नाम सचिव – श्री नीतेश कुमार
प्रस्तर –165 ग्राम पंचायत चौरंगाहार की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। दि0 10.10.2017 को चैक सं0 493064 द्वारा रु0 2300.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैश बुक के व्यय पक्ष में नहीं दर्शाया गया है, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रु0 2300.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामप्रकाश सिंह एवं सचिव श्री नीतेश कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 10)

147. ग्राम पंचायत का नाम –सुजानपुरा विकास खण्ड –जैतपुर कलां जनपद –आगरा
नाम ग्राम प्रधान – श्री धर्मेन्द्र सिंह नाम सचिव – श्री अमित चौधरी

प्रस्तर -166 ग्राम पंचायत सुजानपुरा की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। दि० 24.08.2017 को चैक सं० 268869 द्वारा रु० 34600.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैश बुक के व्यय पक्ष में नहीं दर्शाया गया है, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रु० 34600.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र सिंह एवं सचिव श्री अमित चौधरी से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 10)

148. ग्राम पंचायत का नाम -कोरथ विकास खण्ड -जैतपुर कलां जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान - श्रीमती ममता देवी नाम सचिव - श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया

प्रस्तर -167 ग्राम पंचायत कोरथ की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि रु० 1750197.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी, एवं श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया, सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 8)

प्रस्तर -168 कैशबुक में चैक सं० 962451 दि० 18.12.2017 द्वारा रु० 25000.00 पूर्व प्रधान श्री ओमप्रकाश सिंह को माह-जनवरी 2015 से अक्टूबर 2015 तक मानदेय का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है, परन्तु पूर्व प्रधान का अवशेष मानदेय मांगे जाने का प्रार्थना पत्र, भुगतान के सापेक्ष कोई मानदेय रजिस्टर, पूर्व प्रधान को मानदेय अवशेष होने की पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्व प्रधान को मानदेय दर्शाकर धनराशि रु० 25000.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी एवं सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 15)

149. ग्राम पंचायत का नाम -गढ़ी प्रतापपुरा विकास खण्ड -जैतपुर कलां जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान - श्री हरी सिंह नाम सचिव - श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया

प्रस्तर -169 ग्राम पंचायत गढ़ी प्रतापपुरा की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि रु० 1144634.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री हरी सिंह, एवं श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया, सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 8)

150. ग्राम पंचायत का नाम -मऊ विकास खण्ड -जैतपुर कलां जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान - श्रीमती रामा देवी नाम सचिव - श्री महेश वर्मा

प्रस्तर -170 ग्राम पंचायत मऊ की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि रु० 1497982.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती रामा देवी, एवं श्री महेश वर्मा, सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 8)

151. ग्राम पंचायत का नाम -खोहरी विकास खण्ड -जैतपुर कलां जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान - श्रीमती प्रेमवती नाम सचिव - श्री विद्यासागर गुप्ता

प्रस्तर -171 ग्राम पंचायत खोहरी की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष में प्रिया साफ्ट में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के

प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि रु0 920965.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमवती श्री विद्यासागर गुप्ता, सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 02)

प्रस्तर -172 प्रिया साफ्ट से प्राप्त आय-व्यय क अनुसार 01.04.2017 व 31.03.2018 को समान रूप से नकद अवशेष रु0 151000.00 दर्शाया गया है जबकि नियमानुसार नकद अवशेष रु 5000.00 से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः रु 151000.00 अनाधिकृत रूप से रोक कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमवती एवं सचिव श्री विद्यासागर गुप्ता से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 03)

152. ग्राम पंचायत का नाम -फतेहपुरा विकास खण्ड -जैतपुर कलां जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान - श्री भूपेन्द्र सिंह नाम सचिव - श्री विजेन्द्र रायजादा

प्रस्तर -173 ग्राम पंचायत फतेहपुरा की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते में जमा धनराशि पर दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक रु0 13043.00 ब्याज प्राप्त हुई। जिसे शासनादेश सं0 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार राजकीय आय माना गया है। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा रु 4917.00 को ग्राम पंचायत की आय मानते हुए विकास कार्यों में व्यय किया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री भूपेन्द्र सिंह व सचिव श्री विजेन्द्र रायजादा से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति सं0-02

153. ग्राम पंचायत -बदनपुर बर्नामई विकास खण्ड -फतेहपुर सीकरी जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान - श्री लाखन सिंह नाम सचिव - श्री विनोद कुमार शर्मा

प्रस्तर -174 ग्राम पंचायत बदनपुर बर्नामई की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि रु0 1175894.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लाखन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिारी श्री विनोद कुमार शर्मा से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 08)

प्रस्तर -175 लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर रु0 1000.00 जमा कराया गया है, जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः रु0 10000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लाखन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 14)

प्रस्तर -176 दि0 31.07.2017 के चैक सं0 019279 द्वारा रु0 2250.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैश बुक में नहीं दर्शाया गया है, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रु0 2250.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लाखन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिारी श्री विनोद कुमार शर्मा से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 15)

154. ग्राम पंचायत का नाम -उन्देरा विकास खण्ड -फतेहपुर सीकरी जनपद -आगरा

नाम ग्राम प्रधान -श्री हरीचन्द नाम सचिव -श्री भोरन सिंह

प्रस्तर -177 ग्राम पंचायत उन्देरा की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि रु0 2872942.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री हरीचन्द, एवं श्री भोरन सिंह, सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 08)

प्रस्तर -178 लेखा परीक्षा के अनुसार वर्ष 2016-17 के अन्त में प्रधान पर नकद शेष रु0 103.00 को वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ में व पूरे वर्ष में कैशबुक में नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार रु0 103.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हरीचन्द, एवं श्री भोरन सिंह, सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 14)

प्रस्तर -179 दि0 06.09.2017 को चैक सं0 019735 द्वारा रु0 10500.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैश बुक में नहीं दर्शाया गया है, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रु0 10500.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हरीचन्द, एवं श्री भोरन सिंह, सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 15)

155. ग्राम पंचायत का नाम -डाबर विकास खण्ड -फतेहपुर सीकरी जनपद -आगरा
नाम ग्राम प्रधान - श्री धर्म सिंह नाम सचिव - श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रस्तर -180 ग्राम पंचायत डाबर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि रु0 1515964.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री धर्म सिंह, एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह, सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 08)

प्रस्तर -181 दि0 25.10.2017 को चैक सं0 020186 द्वारा रु0 14000.00 व दिनांक 02.11.2017 को चैक सं0 020188 द्वारा 2160.00 कुल रु0 16160.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैश बुक में नहीं दर्शाया गया है, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रु0 16160.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री धर्म सिंह, एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह, सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 13)

156. ग्राम पंचायत का नाम-नगला मंगोली विकास खण्ड -फतेहपुर सीकरी जनपद -आगरा
नाम ग्राम प्रधान - श्री किशन सिंह नाम सचिव - श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रस्तर -182 ग्राम पंचायत नगला मंगोली की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि रु0 1792991.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री किशन सिंह, एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह, सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 08)

प्रस्तर -183 दि0 04.01.2018 को चैक सं0 013501 द्वारा रु0 28261.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैश बुक में नहीं दर्शाया गया है, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रु0 28261.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री किशन सिंह, एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह, सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 14)

157. ग्राम पंचायत का नाम -जाजऊ विकास खण्ड -फतेहपुर सीकरी जनपद -आगरा
नाम ग्राम प्रधान - श्री रामवीर नाम सचिव - श्री भोरन सिंह

प्रस्तर -184 ग्राम पंचायत जाजऊ की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की

धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि ₹0 1532937.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री रामवीर, एवं श्री भोरन सिंह, सचिव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 08)

प्रस्तर -185 लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर ₹0 2000.00 जमा कराया गया है, जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः ₹0 20000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामवीर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 14)

158. ग्राम पंचायत का नाम -गोठरा विकास खण्ड -फतेहपुर सीकरी जनपद -आगरा
नाम ग्राम प्रधान - श्रीमती विमलेश नाम सचिव - श्री भोरन सिंह

प्रस्तर -186 ग्राम पंचायत गोठरा की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि ₹0 898757.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती विमलेश, एवं श्री भोरन सिंह, सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 08)

प्रस्तर -187 लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर ₹0 1000.00 जमा कराया गया है, जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः ₹0 10000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामवीर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 14)

159. ग्राम पंचायत का नाम -कौरई विकास खण्ड -फतेहपुर सीकरी जनपद -आगरा
नाम ग्राम प्रधान - श्रीमती अंगूरी देवी नाम सचिव - श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रस्तर -188 ग्राम पंचायत कौरई की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि ₹0 2667809.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती अंगूरी देवी, एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह, सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 08)

प्रस्तर -189 दि० 24.05.2017 को चैक सं० 400673 द्वारा ₹0 82770.00 व दिनांक 20.01.2018 को चैक सं० 30215 ₹0 17040.00 व माह-जून 2017 में चैक सं० व दि० अस्पष्ट द्वारा ₹0 49080.00 कुल ₹0 148890.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैश बुक में नहीं दर्शाया गया है, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार ₹0 148890.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अंगूरी देवी, एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह, सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 13)

प्रस्तर -190 लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर ₹0 2000.00 जमा कराया गया है, जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः ₹0 20000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अंगूरी देवी, एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 15)

160. ग्राम पंचायत का नाम -सामरा विकास खण्ड -फतेहपुर सीकरी जनपद -आगरा
नाम ग्राम प्रधान - श्री छिददन सिंह नाम सचिव - श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रस्तर -191 ग्राम पंचायत सामरा की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की

धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि रु0 5434237.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री छिद्दन सिंह, एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह, सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 08)

प्रस्तर -192 दि0 04.01.2018 को चैक सं0 020006 द्वारा रु0 17429.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैश बुक में नहीं दर्शाया गया है, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रु0 17429.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री छिद्दन सिंह, एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह, सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 14)

161. ग्राम पंचायत का नाम -दौलताबाद विकास खण्ड -फतेहपुर सीकरी जनपद -आगरा
नाम ग्राम प्रधान - श्री हरदयाल नाम सचिव - श्री भोरन सिंह

प्रस्तर -193 ग्राम पंचायत दौलताबाद की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि रु0 1795687.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री हरदयाल, एवं श्री भोरन सिंह, सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 08)

प्रस्तर -194 लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर रु0 2000.00 जमा कराया गया है, जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः रु0 20000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हरदयाल, एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 14)

162. ग्राम पंचायत का नाम - भोपुर विकास खण्ड -फतेहपुर सीकरी जनपद -आगरा
नाम ग्राम प्रधान - श्री चन्द्रभान नाम सचिव - श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रस्तर -195 ग्राम पंचायत भोपुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि रु0 887192.00 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री चन्द्रभान, एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह, सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 08)

प्रस्तर -196 लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर रु0 1000.00 जमा कराया गया है, जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः रु0 10000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री चन्द्रभान, एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 14)

163. ग्राम पंचायत -ताजपुर नगरिया विकास खण्ड -फतेहपुर सीकरी जनपद -आगरा
नाम ग्राम प्रधान - श्रीमती कमला देवी नाम सचिव - श्री विरेन्द्र सिंह

प्रस्तर -197 ग्राम पंचायत ताजपुर नगरिया की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते में जमा धनराशि पर दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक रु0 11505.00 ब्याज प्राप्त हुई। जिसे शासनादेश सं0 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार राजकीय आय माना गया है। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा रु 11505.00 को ग्राम पंचायत की आय मानते हुए विकास कार्यों में व्यय किया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी व सचिव श्री विरेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 10)

164. ग्राम पंचायत का नाम -तेहरा रावत विकास खण्ड -फतेहपुर सीकरी जनपद -आगरा
नाम ग्राम प्रधान - श्री धर्मेन्द्र नाम सचिव - श्री भोरन सिंह

प्रस्तर -198 ग्राम पंचायत तेहरा रावत की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि रु0 1198407.00 की वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र, एवं श्री भोरन सिंह, सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0 08)

प्रस्तर -199 लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर रु0 1000.00 जमा कराया गया है, जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः रु0 10000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0 14)

प्रस्तर -200 दि0 04.01.2018 को चैक सं0 013501 द्वारा रु0 28261.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैश बुक में नहीं दर्शाया गया है, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रु0 28261.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0 15)

165. ग्राम पंचायत का नाम -सिरौली विकास खण्ड -फतेहपुर सीकरी जनपद -आगरा
नाम ग्राम प्रधान - श्री मदनलाल नाम सचिव - श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रस्तर -201 ग्राम पंचायत सिरौली की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि रु0 774081.00 की वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री मदनलाल, एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह, सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0 08)

प्रस्तर -202 लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर रु0 1000.00 जमा कराया गया है, जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः रु0 10000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मदनलाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0 14)

प्रस्तर -203 दि0 21.12.2017 को चैक सं0 011535 द्वारा रु0 3800.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैश बुक में नहीं दर्शाया गया है, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रु0 3800.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मदनलाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0 15)

प्रस्तर -204 माह-जून 2017 में चैक सं0 011501 दि0 16.06.2017 अंकन रु0 85400.00 जो श्री कैला देवी इण्टरप्राइजेज को भुगतान किया गया है, को कोष बही व्यय पक्ष में सम्मिलित न करते हुए उपरोक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः रु0 85400.00 जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मेन्द्र सिंह व ग्राम प्रधान श्री मदन लाल से किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति सं0 16)

166. ग्राम पंचायत का नाम -सिंगारपुर विकास खण्ड -फतेहपुर सीकरी जनपद -आगरा
नाम ग्राम प्रधान - श्रीमती- श्रीमती नाम सचिव - श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रस्तर -205 ग्राम पंचायत सिंगारपुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि रु0 1508085.00

जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती- श्रीमती, एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह, सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 08)

प्रस्तर -206 लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर रू० 1000.00 जमा कराया गया है, जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः रू० 10000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती- श्रीमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 13)

प्रस्तर -207 दि० 01.06.2017 को चैक सं० 05692 द्वारा रू० 35800.00 व दिनांक 29.06.2017 को चैक सं० 405699 रू० 99550.00 व दिनांक 29.06.2017 को चैक सं० 401261 द्वारा रू० 19950.00 कुल रू० 155300.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैश बुक में नहीं दर्शाया गया है, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रू० 155300.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती- श्रीमती, एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह, सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 14)

167. ग्राम पंचायत का नाम - सौथा विकास खण्ड -फतेहपुर सीकरी जनपद -आगरा
नाम ग्राम प्रधान - श्रीमती ब्रजेश कुमारी नाम सचिव - श्री भोरन सिंह

प्रस्तर -208 ग्राम पंचायत सौथा की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि रू० 1431582.00 की वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती ब्रजेश कुमारी, एवं श्री भोरन सिंह, सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 08)

प्रस्तर -209 लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर रू० 1000.00 जमा कराया गया है, जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः रू० 10000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ब्रजेश कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 14)

प्रस्तर -210 ग्राम प्रधान को माह-अप्रैल 17 से नवम्बर 17 तक के लिए मानदेय रू० 3500.00 प्रतिमाह की दर से 8 माह का रू० 28000.00 का अधिक भुगतान किया गया है, जो अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त धनराशि रू० 28000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ब्रजेश कुमारी व सचिव श्री भोरन सिंह से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 15)

168. ग्राम पंचायत का नाम -सरसा विकास खण्ड -फतेहपुर सीकरी जनपद -आगरा
नाम ग्राम प्रधान - श्री अनीश नाम सचिव - श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रस्तर -211 ग्राम पंचायत सरसा की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि रू० 933215.00 की वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री अनीश, एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह, सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 08)

प्रस्तर -212 लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर रू० 1000.00 जमा कराया गया है, जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः रू० 10000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अनीश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं० 14)

प्रस्तर -213 दि० 25.08.2017 को चैक सं० 019335 द्वारा रू० 1387.00 का बैंक से आहरण किया गया, जिसे कैश बुक में नहीं दर्शाया गया है, जबकि प्रत्येक आहरण कैशबुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस

प्रकार रु0 1387.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अनीश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 12)

169. ग्राम पंचायत का नाम —औलेण्डा विकास खण्ड —फतेहपुर सीकरी जनपद —आगरा
नाम ग्राम प्रधान — श्रीमती मिथलेश नाम सचिव — श्री भोरन सिंह

प्रस्तर —214 ग्राम पंचायत औलेण्डा की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गवन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त विवरणानुसार व्यय की गई धनराशि रु0 2581733.00 की वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेश, एवं श्री भोरन सिंह, सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 08)

प्रस्तर —215 निम्न विवरण के अनुसार ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा बैंक से धनराशि आहरण कर कैशबुक के केवल आयपक्ष में दर्ज की लेकिन व्यय पक्ष में दर्ज नहीं किया गया और न ही सम्बन्धित आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई बिल/वाउचर/पत्रावली व्यय प्रमाणक के रूप में प्रस्तुत किया गया—

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रु0 305266.00 का आहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री भोरन सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेश से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 14)

प्रस्तर —216 निम्न विवरण के अनुसार ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा बैंक से धनराशि आहरित कर कैश बुक में दर्ज नहीं की गई—

जबकि प्रत्येक आहरण कैश बुक में दर्शाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रु0 109355.00 का बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री भोरन सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेश से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 15)

प्रस्तर —217 निम्नलिखित तिथियों में नकद शेष न दर्शाकर/कम दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त धनराशि रु 10474.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री भोरन सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेश से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 16)

प्रस्तर —218 गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन व उसमें उठाई गई आपत्तियों के परिपालन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-9 के अनुसार लेखा परीक्षा में उठाई गई आपत्तियों का परिपालन कर, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतों को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है अतः गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ-साथ प्रस्तुत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परिपालन कर समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। ऐसा न होने की स्थिति में लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 10 के तहत ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाले अनुदान की धनराशि अवभुक्त नहीं किए जाने हेतु सम्बन्धित अनुदान दाता से संस्तुति की जायेगी। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 01)

प्रस्तर —219 लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत कर रु0 2000.00 जमा कराया गया है, जो वसूल किये गये पंचायत कर का 10 प्रतिशत होता है। अतः रु0 20000.00 की धनराशि कैशबुक में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अनीश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 17)

वार्षिक प्रतिवेदन पंचायत 2017-18 जनपद मैनपुरी मंडल आगरा

1. ग्राम पंचायत—अडूपुर वर्ष 2014-15 से 17-18 विकास खण्ड —बरनाहल जनपद —मैनपुरी।

ग्राम प्रधान श्रीमती प्रमिला देवी सचिव श्री जेमन सिंह/श्री रतन सिंह

प्रस्तर—1— लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 1873959.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

2. ग्राम पंचायत —तिरकारा दौलतपुर वर्ष 2014-15 से 17-18 वि0ख0—बरनाहल जनपद —मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी, सचिव श्री ओ०पी०तिवारी, श्री विकास सक्सैना, श्री रतन सिंह

प्रस्तर-2- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु० 1412712.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

3. ग्राम पंचायत —सोडरा वर्ष 2014-15 से 17-18 वि०ख० —बरनाहल जनपद —मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती रंजना, सचिव श्री जैमन सिंह, श्री रतन सिंह, श्री अनिल कुमार

प्रस्तर-3- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु० 276500.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

4. ग्राम पंचायत —सराय मुगलपुर वर्ष 2014-15 से 17-18 वि०ख० —बरनाहल जनपद —मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी, सचिव श्री रामसनेही लाल, श्री राजीव राना, श्री जैमन सिंह

प्रस्तर-4- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु० 1606847.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

5. ग्राम पंचायत —सैयदपुर केहरी वर्ष 2014-15 से 17-18 वि०ख० —बरनाहल जनपद —मैनपुरी।

प्रधान श्री राधेश्याम, सचिव श्री रतन सिंह, श्री अनिल यादव

प्रस्तर-5- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु० 3442506.67 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

6. ग्राम पंचायत —पैराशाहपुर वर्ष 2014-15 से 17-18 वि०ख० —बरनाहल जनपद —मैनपुरी।

प्रधान श्री नरेन्द्र कुमार, सचिव श्री रतन सिंह, श्री रामऔतार व श्री उमेश बाबू

प्रस्तर-6- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु० 2576080.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

7. ग्राम पंचायत नौरमई वर्ष 2014-15 से 17-18 वि०ख० बरनाहल जनपद मैनपुरी।

प्रधान श्री मनीष कुमार, सचिव श्री राजीव राना, श्री सुरेन्द्र, श्री अनिल, श्री विकास सक्सैना

प्रस्तर-7- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु० 428286.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

8. ग्राम पंचायत —मुहब्बतपुर लभौआ वर्ष 2014-15 से 17-18 वि०ख० —बरनाहल जनपद —मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती ललिता, सचिव श्री ओ०पी०तिवारी, श्री रतन सिंह, श्री अनिल यादव

प्रस्तर-8- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु० 2375103.40 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

9. ग्राम पंचायत मीठेपुर वर्ष 2014-15 से 17-18 वि०ख० —बरनाहल जनपद —मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती मिथिलेश, सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री रतन सिंह, श्री पंकज कुमार

प्रस्तर-9- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु० 1993420.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

10. ग्राम पंचायत —मासरपुर वर्ष 2014-15 से 17-18 वि०ख० —बरनाहल जनपद —मैनपुरी।

प्रधान श्री प्रमोद कुमार, सचिव श्री रतन सिंह, श्री रामौतार, श्री उमेश बाबू

प्रस्तर-10- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु० 2151940.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

11. ग्राम पंचायत खुशालपुर वर्ष 2015-16 से 17-18 वि०ख० —बरनाहल जनपद —मैनपुरी।

प्रधान श्री राजकुमार, सचिव श्री बृजवीर सिंह

प्रस्तर-11- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 505240.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

12. ग्राम पंचायत केशोपुर वर्ष 2014-15 से 17-18 वि0ख0 -बरनाहल जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती शीलादेवी, सचिव श्री बृजवीर सिंह

प्रस्तर-12- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 3097664.41 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

13. ग्राम पंचायत -केलाशपुर वर्ष 2014-15 से 17-18 वि0ख0-बरनाहल जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती शारदा देवी, सचिव श्री राजीव राना, जेमन सिंह, सुरैन्द्र सिंह, रतन सिंह

प्रस्तर-13- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 2795980.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

14. ग्राम पंचायत -जगन्नाथपुर वर्ष 2015-16 से 17-18 वि0ख0-बरनाहल जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्री राजवीर सिंह, सचिव श्री राजीव राना, रतन सिंह, श्री अनिल कुमार

प्रस्तर-14- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 653810.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

15. ग्राम पंचायत -हाजीपुर सेमरी वर्ष 2014-15 से 17-18 वि0ख0-बरनाहल जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्री शैलेन्द्र सिंह, सचिव श्री रतन सिंह

प्रस्तर-15- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 2426157.70 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

16. ग्राम पंचायत -गोटपुर वर्ष 2014-15 से 17-18 वि0ख0 -बरनाहल जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती सीमादेवी, सचिव श्री राजीव राना, रतन सिंह, सुरेन्द्र, विकास, उमेश

प्रस्तर-16- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 3700162.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

17. ग्राम पंचायत -अहमदपुर वर्ष 2014-15 से 17-18 वि0ख0 -बरनाहल जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती राजनश्री, सचिव श्री राजीव राना, सुरेन्द्र सिंह, अनिल यादव

प्रस्तर-17- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 2600672.45 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

18. ग्राम पंचायत -बीनेपुर वर्ष 2014-15 से 17-18 वि0ख0 -बरनाहल जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती अनीता देवी, सचिव श्री राजीव राना, श्री अरुण पांडेय श्री अनिल कुमार

प्रस्तर-18- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 3252613.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

19. ग्राम पंचायत -भूरेपुर वर्ष 2014-15 से 17-18 वि0ख0 -बरनाहल जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्री नवीन कुमार, सचिव श्री रतन सिंह, श्री रामौतार श्री उमेश बाबू

प्रस्तर-19- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 1609940.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

20. ग्राम पंचायत -ढकपुरा वर्ष 2014-15 से 17-18 वि0ख0 -बरनाहल जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्री रविन्द्र कुमार, सचिव श्री बृजवीर सिंह, श्री अनिल कुमार, रामौतार, श्री उमेश बाबू

प्रस्तर-20- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 1585300.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

21. ग्राम पंचायत -गडिया जैनपुर वर्ष 2014-15 से 17-18 वि0ख0 -बरनाहल जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती विनीता देवी, सचिव श्री राजीव राना, रतन सिंह, सुरेन्द्र, विकास, राजवीर

प्रस्तर-21- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 2512380.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

22. ग्राम पंचायत -गोपियापुर वर्ष 2014-15 से 17-18 वि0ख0 -बरनाहल जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्री रामकृष्ण, सचिव श्री बृजवीर सिंह, अनिल कुमार, रामौतार, श्री उमेश बाबू

प्रस्तर-22- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 1466090.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

23. ग्राम पंचायत -जल्लामई दिखतमई वर्ष 2016-17 से 17-18 वि0ख0 -बेबर जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्री वेद प्रकाश सचिव श्री सुनील मिश्रा

प्रस्तर-23- लेखा परीक्षा में दि0 17.3.17 को चैक सं0 020621 द्वारा वृक्ष/पौधे क्रय किये गये, जिसका रु0 48000.00 क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 48000.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

24. ग्राम पंचायत -रम्पुरा वर्ष 2014-15 से 17-18 वि0ख0 -बेबर जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती सुनीता देवी सचिव श्री सुनील मिश्रा

प्रस्तर-24- लेखा परीक्षा में दि0 22.3.17 को चैक सं0 4624 के द्वारा इंटरलाकिंग टाइल्स, ईट सीमेंट व मोरम का क्रय किया गया, जिसका रु0 37200.00 के क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 37200.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

25.ग्राम पंचायत प्रयागपुर वर्ष 2014-15 से 17-18 वि0ख0 -बेबर जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्री बृजेश कुमार सचिव श्री सुनील मिश्रा

प्रस्तर-25- लेखा परीक्षा में दि0 30.11.17 को चैक सं0 69061 के द्वारा मजदूरों को श्रम कार्य भुगतान किया गया, जिसका रु0 13770.00 के मस्टररोल प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 13770.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

26. ग्राम पंचायत -भेसरौली वर्ष 2014-15 से 17-18 वि0ख0 -बेबर जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्री कुंवर पाल सिंह सचिव श्री प्रबल प्रताप सिंह

प्रस्तर-26- लेखा परीक्षा में दि0 17.3.17 को चैक सं0 19042 के द्वारा शिवा बिल्डिंग मैटेरियल को भुगतान किया गया, जिसका रु0 11000.00 का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 11000.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

27. ग्राम पंचायत -कुम्हेरी वर्ष 2014-15 से 17-18 वि0ख0 -बरनाहल जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्री वारंटी लाल, सचिव श्री रतन सिंह,

प्रस्तर-27- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 6400528.71 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

28. ग्राम पंचायत -न0मानधाता वर्ष 2014-15 से 17-18 वि0ख0-बरनाहल जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्री अमन, सचिव श्री रतन सिंह, बृजवीर, धनवेश

प्रस्तर-28- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 3885156.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

29. ग्राम पंचायत –चंदीकरा वर्ष 2014-15 से 17-18 वि0ख0-बरनाहल जनपद –मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती सुनीता देवी, सचिव श्री रतन सिंह, बृजवीर, धनवेश

प्रस्तर-29- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 7233874.35 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

30. ग्राम पंचायत –दिहुली वर्ष 2014-15 से 17-18 वि0ख0 –बरनाहल जनपद –मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती मधु देवी, सचिव श्री रतन सिंह, जेमन सिंह

प्रस्तर-30- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 5191489.75 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

31. ग्राम पंचायत –टिण्डौली वर्ष 17-18 वि0ख0 –मैनपुरी जनपद –मैनपुरी।

प्रधान श्री विजय करन सिंह, सचिव श्री ओमशरन शाक्य

प्रस्तर-31- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 269125.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

32. ग्राम पंचायत –सिरोलिया वर्ष 17-18 वि0ख0 –मैनपुरी जनपद –मैनपुरी।

प्रधान श्री अनिल कुमार, सचिव श्री ओमशरन शाक्य

प्रस्तर-32- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 697945.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

33. ग्राम पंचायत –उझैया फकीरपुर वर्ष 17-18 वि0ख0 –मैनपुरी जनपद –मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती प्रतिभा सिंह, सचिव श्री ओमशरन शाक्य

प्रस्तर-33- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 2278932.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

34. ग्राम पंचायत –हरचंदपुर वर्ष 17-18 वि0ख0 –मैनपुरी जनपद –मैनपुरी।

प्रधान श्री श्रीपाल, सचिव श्री विजेन्द्र कुमार

प्रस्तर-34- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 979969.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

35. ग्राम पंचायत –सैदपुर बघौली वर्ष 17-18 वि0ख0 –मैनपुरी जनपद –मैनपुरी।

प्रधान श्री विनोद कुमार, सचिव श्री प्रशांत कुमार

प्रस्तर-35- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 1214820.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

36. ग्राम पंचायत –ईकरी वर्ष 17-18 वि0ख0 –मैनपुरी जनपद –मैनपुरी।

प्रधान श्री कोशलेन्द्र सिंह, सचिव श्री देवदत्त पांडेय

प्रस्तर-36- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 2757306.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

37. ग्राम पंचायत –बडेरी वर्ष 17-18 वि0ख0 –मैनपुरी जनपद –मैनपुरी।

प्रधान श्री धर्मेन्द्र कुमार, सचिव श्री देवदत्त पांडेय

प्रस्तर-37- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 1372084.05 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

38. ग्राम पंचायत -भाऊपुर वर्ष 17-18 वि0ख0 -मैनपुरी जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती सुखदेवी, सचिव श्री विजेन्द्र कुमार

प्रस्तर-38- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 886379.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

39.ग्राम पंचायत देवामई वर्ष 17-18 वि0ख0 मैनपुरी जनपद मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती आशादेवी, सचिव श्री ओमशरन शाक्य

प्रस्तर-39- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 2493539.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

40. ग्राम पंचायत -बुरा वर्ष 17-18 वि0ख0 -मैनपुरी जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती अंजु कुमारी , सचिव श्री विजेन्द्र कुमार

प्रस्तर-40- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 1710561.15 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

41. ग्राम पंचायत -रठेरा वर्ष 17-18 वि0ख0 -मैनपुरी जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती पूनम यादव , सचिव श्री राम सिंह

प्रस्तर-41- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 1320953.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

42. ग्राम पंचायत -परोंख वर्ष 17-18 वि0ख0 -मैनपुरी जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्रीमती मिथिलेश चौहान , सचिव श्री देवदत्त पांडेय

प्रस्तर-42- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 2344960.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

43. ग्राम पंचायत -जरामई वर्ष 17-18 वि0ख0 -मैनपुरी जनपद -मैनपुरी।

प्रधान श्री महेन्द्र सिंह, सचिव श्री ओमशरन शाक्य

प्रस्तर-43- लेखा परीक्षा में अभिलेखों/प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि का सत्यापन न हो सका। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से व्यय की गई धनराशि रु0 1082246.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

जनपद-मथुरा मंडल-आगरा

01. ग्राम पंचायत -जैसंवा विकास खण्ड -मांट जनपद -मथुरा।

प्रस्तर 01- आलोच्य वर्ष 2014-15 में कैशबुक के अनुसार विविध कार्य एवं मदों में रु0 853092.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्रीमती अनीता चौधरी ग्राम प्रधान एवं श्री स्वर्ण सिंह ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

02. ग्राम पंचायत -पीरी विकास खण्ड -मांट जनपद -मथुरा।

प्रस्तर 02- आलोच्य वर्ष 2016-17 में कैशबुक के अनुसार विविध कार्य एवं मदों में रु0 794208.00 एवं वर्ष 2017-18 में रु0 1043567.00 कुल रु0 1837775.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्रीमती अनीता देवी ग्राम प्रधान एवं श्री महीपाल व पुष्पेंद्र ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

03. ग्राम पंचायत -नौहझील विकास खण्ड -नौहझील जनपद -मथुरा।

प्रस्तर 03— दिनांक 30.06.2014 को रू0 24000.00 ग्राम निधि खाते से आहरित किया गया है किन्तु उक्त धनराशि कैशबुक के आय पक्ष में अंकित न कर अपहरण कर ली गई है। अतः रू0 24000.00 ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र पाठक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकुमार गौतम से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 04— दिनांक 31.03.2015 को कैशबुक में अंतिम रोकड शेष रू0 2616.00 था। किन्तु दिनांक 01.04.2015 को प्रारम्भिक रोकड शेष रू0 1468.00 करके अन्तर की धनराशि रू0 1148.00 अपहरण कर लिया गया है। अतः रू0 1148.00 ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र पाठक से एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकुमार गौतम ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

04. ग्राम पंचायत —खांवल विकास खण्ड —मांट जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 05— दिनांक 04.04.2015 को रू0 35000.00 ग्राम निधि खाते से चैक सं0 954089 आहरित किया गया है। जिसे कैशबुक में अंकित न कर सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री देवीपूजन से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

05. ग्राम पंचायत —सुरीरकलौ विकास खण्ड —नौहझील जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 06— आलोच्य वर्ष 2014-15 में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रू0 2897852.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्री रघुनाथ सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री शंकरपाल ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

06. ग्राम पंचायत —सामौली विकास खण्ड —नौहझील जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 07— आलोच्य वर्ष 2016-17 में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रू0 908364.00 एवं वर्ष 2017-18 में रू0 498800.00 कुल रू0 1407164.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्री महीपाल सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री शंकरपाल ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

07. ग्राम पंचायत —दीवानाकलां विकास खण्ड —मांट जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 08— आलोच्य वर्ष 2016-17 में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रू0 1653640.00 एवं वर्ष 2017-18 में रू0 4066507.50 कुल रू0 5720147.50 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्री ललित प्रकाश ग्राम प्रधान एवं श्री तरुण वर्मा ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

08. ग्राम पंचायत —नौशेरपुर विकास खण्ड —नौहझील जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 09— आलोच्य वर्ष 2014-15 में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रू0 490436.00 एवं वर्ष 2015-16 में रू0 310243.00 कुल रू0 800679.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्री सुधीर सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री तुलाराम ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

09. ग्राम पंचायत —डांगौली विकास खण्ड —मांट जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 10— आलोच्य वर्ष 2015-16 में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रू0 712633.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्री देवकीनन्दन ग्राम प्रधान एवं श्री महीपाल सिंह ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

10. ग्राम पंचायत —जटवारी विकास खण्ड —छाता जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 11— आलोच्य वर्ष 2016-17 में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रू0 2118555.00 एवं वर्ष 2017-18 में रू0 2583075.00 कुल रू0 4701630.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्री सुरेश ग्राम प्रधान एवं श्री अजय सिंह ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

11. ग्राम पंचायत —सींह विकास खण्ड —गोवर्धन जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 12— आलोच्य वर्ष 2017-18 में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रु0 2358794.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्री रमाकान्त पाण्डेय ग्राम प्रधान एवं श्री यतिन शर्मा एवं श्री लतेश कुमार शर्मा ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

12. ग्राम पंचायत —महरौली विकास खण्ड —गोवर्धन जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 13— आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रु0 8648642.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्रीमती नीतू सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री यतिन शर्मा ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

13. ग्राम पंचायत —फोंडर विकास खण्ड —गोवर्धन जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 14— आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रु0 12822161.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्रीमती सरिता देवी ग्राम प्रधान एवं श्री राजेन्द्र कुमार ग्रा0प0 अधिकारी एवं श्री लतेश कुमार शर्मा ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

14. ग्राम पंचायत —दौलतपुर विकास खण्ड —गोवर्धन जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 15— आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रु0 3778270.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्री आशू ग्राम प्रधान एवं श्री यतिन शर्मा ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

15. ग्राम पंचायत —अहमल विकास खण्ड —गोवर्धन जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 16— आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रु0 4308580.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्री वर्धमान ग्राम प्रधान एवं श्री वीरी सिंह ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

16. ग्राम पंचायत —नबीपुर विकास खण्ड —नन्दगॉव जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 17— आलोच्य वर्ष 2015-16 में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रु0 427769.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्री गजेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री भूदेव लवानियों ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

17. ग्राम पंचायत —सल्ल विकास खण्ड —नौहझील जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 18— आलोच्य वर्ष 2014-15 में कैशबुक में जून 2014 की आय पक्ष का योग रु0 218014.00 के स्थान पर रु0 178014.00 अर्थात् रु0 40000.00 कम दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित श्रीमती अंगूरी देवी प्रधान एवं श्री पन्ना लाल उपाध्याय ग्रा0प0 अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

18. ग्राम पंचायत —अहमदपुर विकास खण्ड —नौहझील जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 19— आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रु0 2432290.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। वर्षवार व्ययों का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	धनराशि
2014-15	401061.00
2015-16	296726.00
2016-17	113568.00
2017-18	1620935.00
योग	2432290.00

प्रस्तर 20— आलोच्य वर्ष 2015-16 में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रु0 946010.00 एवं वर्ष 2016-17 में रु0 445288.00 तथा वर्ष 2017-18 में रु0 2018621.90 कुल रु0 3409919.90 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्रीमती राजवती ग्राम प्रधान एवं श्री अशोक कुमार ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 21— आलोच्य वर्ष 2015-16 में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रु0 593108.00 एवं वर्ष 2016-17 में रु0 412261.00 तथा वर्ष 2017-18 में रु0 873398.00 कुल रु0 1878767.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्रीमती राजकुमारी ग्राम प्रधान एवं श्री अशोक कुमार ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 22— आलोच्य वर्ष 2016—17 में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रु० 464089.00 एवं वर्ष 2017—18 में रु० 1408756.00 कुल रु० 1872845.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्री दीवान सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री अनु कुमार ग्रा०प० अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 23— आलोच्य वर्ष 2016-17 में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रु0 695411.00 एवं वर्ष 2017-18 में रु0 763165.00 कुल रु0 1458576.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्रीमती अनोखी ग्राम प्रधान एवं श्री अशोक कुमार ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 24— आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रु० 716034.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्री रामवीर सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री नानकराम ग्रा०प० अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 25— आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रु० 1294152.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्रीमती शान्ती देवी ग्राम प्रधान एवं श्री प्रवीण यादव ग्रा०प० अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 26- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रु० 873057.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्रीमती रिंकी ग्राम प्रधान एवं श्री सुरेश कुमार ग्रा०प० अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 27— आलोच्य वर्ष में कौशबुक के अनुसार विविध कार्यो एवं मदों में रु० 2039744.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्री बदन सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री सुरेश कुमार ग्रा०प० अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 28— आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रु० 1576607.25 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की

वसूली श्री सुनील कुमार ग्राम प्रधान एवं श्री रामप्रताप सिंह, ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

28. ग्राम पंचायत –इब्राहिमपुर विकास खण्ड –बल्देव जनपद –मथुरा।

प्रस्तर 29— आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में रु0 1078383.25 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संपूर्ण धनराशि की वसूली श्री राजन सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री हरपाल सिंह, ग्रा0प0 अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

29. ग्राम पंचायत –शहदपुर विकास खण्ड –चौमुँहा जनपद –मथुरा।

प्रस्तर 30— ग्राम पंचायत शहदपुर द्वारा वर्ष 2017–18 में प्राप्त धनराशि से रु— 667328.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना ,आंगणक ,माप पुस्तिकाएं ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन ,कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।व्यय का विवरण निम्न है—

निर्माण कार्य टेण्डर	597160.00
हैण्डपम्प	15000.00
मानदेय	47500.00
अन्य व्यय	7668.00
योग—	667328.00

अतः अपहरण की धनराशि से रु— 667328.00 ग्राम प्रधान –श्री रमेशचन्द एवं ग्राम पंचायत अधिकारी – श्री तुलाराम से क्रमशः आधी– आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

30. ग्राम पंचायत –पसौली विकास खण्ड –चौमुँहा जनपद –मथुरा।

प्रस्तर 31—ग्राम पंचायत पसौली द्वारा वर्ष 2017–18 में प्राप्त धनराशि से रु0 1883048.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना ,आंगणक ,माप पुस्तिकाएं ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।व्यय का विवरण निम्न है—

निर्माण कार्य टेण्डर	1654535.00
हैण्डपम्प	168055.00
मानदेय	55000.00
अन्य व्यय	5458.00
योग—	1883048.00

अतः अपहरण की धनराशि से रु— 1883048.00 ग्राम प्रधान—श्री बलराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी— श्री तुलाराम से क्रमशः आधी– आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

31. ग्राम पंचायत –देवपुरा विकास खण्ड –चौमुँहा जनपद –मथुरा।

प्रस्तर 32—ग्राम पंचायत देवपुरा द्वारा वर्ष 2017–18 में प्राप्त धनराशि से रु— 670078.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना ,आंगणक ,माप पुस्तिकाएं ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन ,कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।व्यय का विवरण निम्न है—

मद	रु0
मिट्टी- कार्य	45375.00
मानदेय	31500.00
सामग्री	309789.00
मजदूरी	60659.00
हैण्डपम्प/जल – व्यवस्था	196202.00
अन्य व्यय	26553.00
योग—	670078.00

अतः अपहरण की धनराशि से रु— 670078.00 ग्राम प्रधान श्री करन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दाउ दयाल पाठक से क्रमशः आधी– आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

32. ग्राम पंचायत –रहेडा विकास खण्ड –चौमुँहा जनपद –मथुरा।

प्रस्तर 33— ग्राम पंचायत रहेडा द्वारा वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रू0 1414727.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना ,आंगणक ,माप पुस्तिकाएं ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन ,कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए। व्यय का विवरण निम्न है—

टेण्डर	1078222.00
प्रधान-मानदेय	52500.00
हैण्डपम्प/जल - व्यवस्था	261200.00
अन्य व्यय	22805.00
योग—	1414727.00

अतः अपहरण की धनराशि से रू— 1414727.00 ग्राम प्रधान—श्रीमती वती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दाउ दयाल पाठक से क्रमशः आधी— आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

33. ग्राम पंचायत —गांगरोली विकास खण्ड —चौमुँहा जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 34—ग्राम पंचायत गांगरोली द्वारा वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रू0 1409478.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना ,आंगणक ,माप पुस्तिकाएं ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन ,कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए। व्यय का विवरण निम्न है—

निर्माण टेण्डर	1020000.00
मानदेय	38500.00
सामग्री	138693.00
मजदूरी	30820.00
अन्य व्यय	181465.00
योग—	1409478.00

अतः अपहरण की धनराशि से रू— 1409478.00 ग्राम प्रधान —श्री थानसिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी — श्री जुगेन्द्र सिंह से क्रमशः आधी— आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

34. ग्राम पंचायत —बझेडा विकास खण्ड —चौमुँहा जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 35—ग्राम पंचायत बझेडा द्वारा वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रू0 1743429.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना ,आंगणक ,माप पुस्तिकाएं ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन ,कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए। व्यय का विवरण निम्न है—

मद	
निर्माणटेण्डर	1623727.00
प्रधान-मानदेय	30000.00
हैण्डपम्प	71237.00
अन्य व्यय	18465.00
योग—	1743429.00

अतः अपहरण की धनराशि से रू 1743429.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुनेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तुलाराम से क्रमशः आधी— आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

35. ग्राम पंचायत —विडावली विकास खण्ड —चौमुँहा जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 36— ग्राम पंचायत विडावली द्वारा वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रू0 664554.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना ,आंगणक ,माप पुस्तिकाएं ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन ,कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए। व्यय का विवरण निम्न है

मद	रू0
प्रधान-मानदेय	39000.00
निर्माण टेण्डर	481847.00
हैण्डपम्प/जल - व्यवस्था	62378.00
अन्य व्यय	81329.00
योग—	664554.00

अतः अपहरण की धनराशि से रु— 664554.00 ग्राम प्रधान —श्री टीकम सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी — श्री जुगेन्द्र सिंह से क्रमशः आधी— आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

36. ग्राम पंचायत —बिलौडा विकास खण्ड —चौमुँहा जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 37—ग्राम पंचायत — बिलौडा द्वारा वर्ष 2017—18 में प्राप्त धनराशि से रु0 1209082.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक ,माप पुस्तिकाएं प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन ,कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।व्यय का विवरण निम्न है—

निर्माणटेण्डर	734105.00
प्रधान—मानदेय	23500.00
हैण्डपम्प	439754.00
अन्य व्यय	11723.00
योग—	1209082.00

अतः अपहरण की धनराशि से रु— 1209082.00 ग्राम प्रधान श्री धर्मवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तुलाराम से क्रमशः आधी— आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

37. ग्राम पंचायत —ततारपुर विकास खण्ड —चौमुँहा जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 38—ग्राम पंचायत — ततारपुर द्वारा वर्ष 2017—18 में प्राप्त धनराशि से रु— 798156.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणक माप पुस्तिकाएं प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।व्यय का विवरण निम्न है—

निर्माण टेण्डर	718927.00
हैण्डपम्प	20000.00
प्रधान—मानदेय	45500.00
अन्य व्यय	13729.00
योग—	798156.00

अतः अपहरण की धनराशि से रु— 798156.00 ग्राम प्रधान —श्री गिरधारीलाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी — श्री तुलाराम से क्रमशः आधी— आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

38. ग्राम पंचायत —खलुआ विकास खण्ड —राया जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 39—ग्राम पंचायत — खलुआ द्वारा वर्ष 2015—16 में प्राप्त धनराशि से रु— 301000.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना ,आंगणक ,माप पुस्तिकाएं ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन ,कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।व्यय का विवरण निम्न है—

निर्माण —सामग्री	233530.00
प्रधान—मनदेय	15000.00
मजदूरी	34664.00
हैण्डपम्प/जल— व्यवस्था	7450.00
अन्य व्यय	2556.00
मिट्टी— कार्य	7800.00
योग—	301000.00

अतः अपहरण की धनराशि से रु— 301000.00 ग्राम प्रधान— श्रीमति गुड्डी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी — श्री दिलीप कुमार शर्मा से क्रमशः आधी— आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 40—ग्राम पंचायत —खलुआ द्वारा वर्ष 2016—17 में प्राप्त धनराशि से रु— 666345.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना ,आंगणक ,माप पुस्तिकाएं ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन ,कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।व्यय का विवरण निम्न है—

लाइट	84000.00
निर्माण —सामग्री	476040.00
प्रधान—मनदेय	20000.00

मजदूरी	73150.00
हैण्डपम्प/जल- व्यवस्था	10000.00
अन्य व्यय	3155.00
योग-	666345.00

अतः अपहरण की धनराशि से रु- 666345.00 ग्राम प्रधान- श्रीमति गुड्डी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी-श्री सुकेश कुमार से क्रमशः आधी- आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 41-ग्राम पंचायत - खलुआ द्वारा वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु- 616137.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना ,आंगणक ,माप पुस्तिकाएं ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन ,कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।व्यय का विवरण निम्न है-

निर्माण -सामग्री टेण्डर	444337.00
प्रधान-मनदेय	38500.00
मजदूरी	115300.00
हैण्डपम्प/जल- व्यवस्था	13500.00
अन्य व्यय	4500.00
योग-	616137.00

अतः अपहरण की धनराशि से रु- 616137.00 ग्राम प्रधान- श्रीमति गुड्डी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी- श्री चोखे लाल उपाध्याय से क्रमशः आधी- आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

39. ग्राम पंचायत -भूडासानी विकास खण्ड -राया जनपद -मथुरा।

प्रस्तर 42-ग्राम पंचायत- भूडासानी द्वारा वर्ष 2015-16 में प्राप्त धनराशि से रु- 233867.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना ,आंगणक ,माप पुस्तिकाएं ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन ,कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।व्यय का विवरण निम्न है-

निर्माण -सामग्री	52422.00
प्रधान-मनदेय	22500.00
मजदूरी	17748.00
हैण्डपम्प/जल- व्यवस्था	90645.00
अन्य व्यय	50552.00
योग-	233867.00

अतः अपहरण की धनराशि से रु-233867.00 ग्राम प्रधान- श्री महेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी - श्री भीष्मनारायन से क्रमशः आधी- आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 43- ग्राम पंचायत -भूडासानी द्वारा वर्ष 2016-17 में प्राप्त धनराशि से रु-969359.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना ,आंगणक ,माप पुस्तिकाएं ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन ,कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।व्यय का विवरण निम्न है-

मिट्टी- कार्य	1950.00
निर्माण -सामग्री	711419.00
प्रधान-मनदेय	12500.00
मजदूरी	160920.00
हैण्डपम्प/जल- व्यवस्था	67270.00
अन्य व्यय	15300.00
योग-	969359.00

अतः अपहरण की धनराशि से रु-969359.00 ग्राम प्रधान-श्री महेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी- श्री शशांक से क्रमशः आधी- आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 44-ग्राम पंचायत - भूडासानी द्वारा वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से रु-960958.79 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना ,आंगणक ,माप पुस्तिकाएं ,प्रशासनिक एवं

तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन ,कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।व्यय का विवरण निम्न है—

मिट्टी- कार्य	23380.00
निर्माण –सामग्री	698655.00
प्रधान–मनदेय	40500.00
मजदूरी	108320.00
हैण्डपम्प/जल- व्यवस्था	40000.00
अन्य व्यय	50103.79
योग—	960958.79

अतः अपहरण की धनराशि से रु—960958.79 ग्राम प्रधान—श्री महेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी— श्री जितेन्द्र सिंह से क्रमशः आधी— आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

40. ग्राम पंचायत –खांडियां विकास खण्ड –राया जनपद –मथुरा।

प्रस्तर 45— ग्राम पंचायत –खांडिया द्वारा वर्ष 2015–16 में प्राप्त धनराशि से रु—197000.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना ,आंगणक ,माप पुस्तिकाएं ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन ,कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।व्यय का विवरण निम्न है—

निर्माण –सामग्री	112000.00
प्रधान–मनदेय	15000.00
मजदूरी	32500.00
हैण्डपम्प/जल- व्यवस्था	37500.00
अन्य व्यय	—
योग—	197000.00

अतः अपहरण की धनराशि से रु—197000.00 ग्राम प्रधान— श्री हरीचन्द एवं ग्राम पंचायत अधिकारी— श्री श्याम सुन्दर सारस्वत से क्रमशः आधी— आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 46—ग्राम पंचायत – खांडिया द्वारा वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि से रु— 677635.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना ,आंगणक ,माप पुस्तिकाएं ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन ,कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।व्यय का विवरण निम्न है—

मिट्टी- कार्य	68090
निर्माण सामग्री	372713
प्रधान–मनदेय	5000
मजदूरी	74430
हैण्डपम्प/जल- व्यवस्था	15000
अन्य व्यय	142402
योग—	677635

अतः अपहरण की धनराशि से रु—677635 ग्राम प्रधान – श्री हरीचन्द एवं ग्राम पंचायत अधिकारी— श्री श्याम सुन्दर सारस्वत से क्रमशः आधी— आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 47—ग्राम पंचायत – खांडिया द्वारा वर्ष 2017–18 में प्राप्त धनराशि से रु—615129.50 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना ,आंगणक ,माप पुस्तिकाएं ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन ,कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।व्यय का विवरण निम्न है—

निर्माण –सामग्री	185500
प्रधान–मनदेय	53500
मजदूरी	91490
हैण्डपम्प/जल- व्यवस्था	275518

अन्य व्यय	9121.50
योग—	615129.50

अतः अपहरण की धनराशि से रु—615129.50 ग्राम प्रधान — श्री हरीचन्द एवं ग्राम पंचायत अधिकारी— श्री मनेन्द्र सिंह से क्रमशः आधी— आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

41. ग्राम पंचायत —पडरारी विकास खण्ड —राया जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 48—ग्राम पंचायत — पडरारी द्वारा वर्ष 2015—16 में प्राप्त धनराशि से रु— 530780 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना ,आंगणक ,माप पुस्तिकाएं ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन ,कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।व्यय का विवरण निम्न है—

निर्माण —सामग्री	373600
प्रधान—मनदेय	32500
मजदूरी/ मिट्टी—कार्य	102466
हैण्डपम्प/जल— व्यवस्था	22100
अन्य व्यय	114
योग—	530780

अतः अपहरण की धनराशि से रु—530780 ग्राम प्रधान— श्री श्याम सुन्दर शर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी — श्री दिलीप कुमार शर्मा से क्रमशः आधी— आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 49—ग्राम पंचायत — पडरारी द्वारा वर्ष 2016—17 में प्राप्त धनराशि से रु— 1232420 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना ,आंगणक ,माप पुस्तिकाएं ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन ,कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।व्यय का विवरण निम्न है—

टेण्डर — निर्माण	1091811
स्ट्रीट लाइट	50400
प्रधान—मनदेय	27800
हैण्डपम्प/जल— व्यवस्था	46650
अन्य व्यय	15759
योग—	1232420

अतः अपहरण की धनराशि से रु— 1232420.00 ग्राम प्रधान—श्री श्याम सुन्दर शर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी—श्री दिलीप कुमार शर्मा से क्रमशः आधी— आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 50—ग्राम पंचायत — पडरारी द्वारा वर्ष 2017—18 में प्राप्त धनराशि से रु— 1255384 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना ,आंगणक ,माप पुस्तिकाएं ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन ,कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।व्यय का विवरण निम्न है—

निर्माण —सामग्रीटेण्डर	804286
प्रधान—मनदेय	38500
मजदूरी	23244
हैण्डपम्प/जल— व्यवस्था	196695
स्ट्रीट लाइट	180000
अन्य व्यय	12659
योग—	1255384

अतः अपहरण की धनराशि से रु—1255384 ग्राम प्रधान— श्री श्याम सुन्दर शर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी—श्री पवन परिहार से क्रमशः आधी— आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

42. ग्राम पंचायत —शाहपुर चैनपुर विकास खण्ड —मथुरा जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 51—ग्राम पंचायत शाहपुर चैनपुर द्वारा वर्ष 2017—18 में प्राप्त धनराशि से 2726556.75 रु0 व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आगणक, माप पुस्तिकाएँ,वाउचर,

प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। व्यय का विवरण निम्न है।

मद	धनराशि (रु०)
निर्माण कार्य	2513546.00
<u>हैण्डपंप/समर/जल</u> कार्य	69000.00
मानदेय	63000.00
मानदेय कर	41362.00
अन्य	39648.75
योग	2726556.75

अतः अपहरण की धनराशि रु० 2726556.75 ग्राम प्रधान श्री देशराज एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सियाराम से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

43. ग्राम पंचायत —आटस बांगर विकास खण्ड —मथुरा जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 52— ग्राम पंचायत आटस बांगर द्वारा वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से 20339099.75 रु० व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। व्यय का विवरण निम्न है।

मद	धनराशि (रु०)
निर्माण कार्य	19254785.00
मजदूरी	115175.00
<u>हैण्डपंप/समर/जल</u> कार्य	84800.00
मानदेय	32500.00
मानदेय कर	818324.00
अन्य	33515.75
योग	20339099.75

अतः अपहरण की धनराशि रु० 20339099.75 ग्राम प्रधान श्री चन्दन सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजबहादुर से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

44. ग्राम पंचायत —जौनाई विकास खण्ड —मथुरा जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 53— ग्राम पंचायत जौनाई द्वारा वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से 2830546.50 रु० व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। व्यय का विवरण निम्न है।

मद	धनराशि (रु०)
निर्माण कार्य	2565365.00
<u>हैण्डपंप/समर/जल</u> कार्य	131158.00
मानदेय	38500.00
अन्य	95523.50
योग	2830546.50

अतः अपहरण की धनराशि रु० 2830546.50 ग्राम प्रधान श्री राजू एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजबहादुर से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

45. ग्राम पंचायत —सुनरख बांगर विकास खण्ड —मथुरा जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 54— ग्राम पंचायत सुनरख बांगर द्वारा वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से 16567198.75 रु० व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। व्यय का विवरण निम्न है।

मद	धनराशि (रु०)
निर्माण कार्य	15929851.00
<u>हैण्डपंप/समर/जल</u> कार्य	69428.00

कर	483085.00
अन्य	84834.75
योग	16567198.75

अतः अपहरण की धनराशि रू0 16567198.75 ग्राम प्रधान श्रीमती वीरमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजबहादुर से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

46. ग्राम पंचायत –वृन्दावन बांगर विकास खण्ड –मथुरा जनपद –मथुरा।

प्रस्तर 55— ग्राम पंचायत वृन्दावन बांगर द्वारा वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से 1280491.00 रू0 व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। व्यय का विवरण निम्न है।

मद	धनराशि (रू0)
निर्माण कार्य	1232967.00
<u>हैण्डपंप/समर/जल</u> कार्य	17175.00
अन्य	30349.00
योग	1280491.00

अतः अपहरण की धनराशि रू0 1280491.00 ग्राम प्रधान श्री श्याम निषाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजबहादुर से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

47. ग्राम पंचायत –रैपुराजाट विकास खण्ड –फरह जनपद –मथुरा।

प्रस्तर 56— ग्राम पंचायत रैपुराजाट द्वारा वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से 2118445.00 रू0 व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। व्यय का विवरण निम्न है।

मद	धनराशि (रू0)
निर्माण कार्य	1684211.00
<u>हैण्डपंप/समर/जल</u> कार्य	213910.00
मानदेय	47000.00
कर	35115.00
अन्य	138209.00
योग	2118445.00

अतः अपहरण की धनराशि रू0 2118445.00 ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संतोष कुमार व श्री अखिलेश से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

48. ग्राम पंचायत –शहजातपुर पौरी विकास खण्ड –फरह जनपद –मथुरा।

प्रस्तर 57— ग्राम पंचायत शहजातपुर पौरी द्वारा वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से 1064734.20 रू0 व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन, कार्यपूर्ती एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। व्यय का विवरण निम्न है।

मद	रू0
निर्माण कार्य	801331.00
<u>हैण्डपंप/समर/जल</u> कार्य	123354.00
मानदेय	31500.00
कर	15779.00
अन्य	92770.20
योग	1064734.20

अतः अपहरण की धनराशि रू0 1064734.20 ग्राम प्रधान श्री ठानंद किशोर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संतोष कुमार से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

49. ग्राम पंचायत –सेरसा पौरी विकास खण्ड –फरह जनपद –मथुरा।

प्रस्तर 58— ग्राम पंचायत सेरसा द्वारा वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से 4542349.00 रु० व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। व्यय का विवरण निम्न है।

मद	रु०
निर्माण कार्य	3487909.00
हैण्डपंप/समर/जल कार्य	482917.00
मानदेय	37500.00
कर	30513.00
स्ट्रीट लाइट	455000.00
अन्य	48510.00
योग	4542349.00

अतः अपहरण की धनराशि रु० 4542349 ग्राम प्रधान श्रीमती कविता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेन्द्र कुमार सिंह से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

50. ग्राम पंचायत —खेडिया विकास खण्ड —फरह जनपद —मथुरा।

प्रस्तर 59— ग्राम पंचायत खेडिया द्वारा वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि से 1364356.00 रु० व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आगणक, माप पुस्तिकायें, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कुटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गये। व्यय का विवरण निम्न है।

मद	रु०
निर्माण कार्य	1241385.00
हैण्डपंप/समर/जल कार्य	20832.00
मानदेय	49000.00
कर	0.00
अन्य	53139.00
योग	1364356.00

अतः अपहरण की धनराशि रु 1364356.00 ग्राम प्रधान श्री महेश चंद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेन्द्र कुमार सिंह से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

जनपद —फिरोजाबाद मंडल —आगरा

(1) ग्राम पंचायत —आनन्दीपुर करकौली विकास क्षेत्र—फिरोजाबाद (आ०सं०—03)

प्रस्तर 01—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 22,89,668.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु० 22,89,668.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(2) ग्राम पंचायत —कुरीकूपा विकास क्षेत्र—फिरोजाबाद (आ०सं०—14)

प्रस्तर 02—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु० 15,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु० 15,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री करन सिंह, वर्तमान प्रधान रु० 7,500.00

श्री साबिरअली, ग्रा० पं० अधि० रु० 7,500.00

(3) ग्राम पंचायत —उसायनी विकास क्षेत्र—फिरोजाबाद (आ०सं०—14)

प्रस्तर 03—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु० 16,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु० 16,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती पूनम देवी, वर्तमान प्रधान	रु0 8,000.00
श्री कपिल गौतम, ग्रा0पं0अधि0	रु0 8,000.00

(4) ग्राम पंचायत—विजयपुर न0भाव सिंह विकास क्षेत्र—फिरोजाबाद (आ0सं0—14)

प्रस्तर 04—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 15,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 15,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती मीना देवी, वर्तमान प्रधान	रु0 7,500.00
श्री हरेन्द्र पाल बघेल, ग्रा0पं0अधि0	रु0 7,500.00

(5) ग्राम पंचायत—उलाउ खेडा विकास क्षेत्र—फिरोजाबाद (आ0सं0—14)

प्रस्तर 05—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 20,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 20,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री विजय कुमार, वर्तमान प्रधान	रु0 10,000.00
श्री साबिर अली, ग्रा0पं0अधि0	रु0 10,000.00

(6) ग्राम पंचायत—पहाडपुर विकास क्षेत्र—फिरोजाबाद (आ0सं0—14)

प्रस्तर 06—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 25,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 25,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती नरायन देवी, वर्तमान प्रधान	रु0 12,500.00
श्री दाउदयाल, ग्रा0पं0अधि0	रु0 12,500.00

(7) ग्राम पंचायत—गुदाउ विकास क्षेत्र—फिरोजाबाद (आ0सं0—14)

प्रस्तर 07—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 5,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 5,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री वीनेश प्रताप सिंह, वर्तमान प्रधान	रु0 2,500.00
श्री मुकेश कुमार, ग्रा0पं0अधि0	रु0 2,500.00

(8) ग्राम पंचायत—विलहना विकास क्षेत्र—फिरोजाबाद (आ0सं0—14)

प्रस्तर 08—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 20,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 20,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री रामवीर सिंह, वर्तमान प्रधान	रु0 10,000.00
श्री हरेन्द्रपाल बघेल, ग्रा0पं0अधि0	रु0 10,000.00

(9) ग्राम पंचायत—रसीदपुर कनैटा विकास क्षेत्र—फिरोजाबाद (आ0सं0—14)

प्रस्तर 09—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 16,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 16,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती ईला देवी, वर्तमान प्रधान	रु0 8,000.00
श्री राकेश कुमार, ग्रा0पं0अधि0	रु0 8,000.00

(10) ग्राम पंचायत—मटसैना विकास क्षेत्र—फिरोजाबाद (आ0सं0—14)

प्रस्तर 10—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 25,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 25,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री विक्रम सिंह, वर्तमान प्रधान	रु0 12,500.00
श्री दीपक यादव, ग्रा0पं0अधि0	रु0 12,500.00

(11) ग्राम पंचायत –दौकेली विकास क्षेत्र–फिरोजाबाद (आ0सं0–14)

प्रस्तर 11–प्रस्तर 01–ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 30,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 30,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री रामवीर सिंह, वर्तमान प्रधान रु0 15,000.00

श्री हरेन्द्रपाल बघेल, ग्रा0पं0अधि0 रु0 15,000.00

(12) ग्राम पंचायत –फुलायची विकास क्षेत्र–फिरोजाबाद (आ0सं0–14)

प्रस्तर 12–ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 12,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 12,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री अतुल प्रताप सिंह, वर्तमान प्रधान रु0 6,000.00

श्री दीपक यादव, ग्रा0पं0अधि0 रु0 6,000.00

(13) ग्राम पंचायत –नगलाचन्दा विकास क्षेत्र–शिकोहाबाद (आ0सं0–14)

प्रस्तर 13–ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 10,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 10,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती शीलादेवी, वर्तमान प्रधान रु0 5,000.00

श्री कृष्णकुमार, ग्रा0पं0अधि0 रु0 5,000.00

(14) ग्राम पंचायत –मुबारकपुर विकास क्षेत्र–शिकोहाबाद (आ0सं0–14)

प्रस्तर 14–ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 20,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 20,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती उर्मिला देवी, वर्तमान प्रधान रु0 10,000.00

श्री महेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0 रु0 10,000.00

(15) ग्राम पंचायत –बाकलपुर विकास क्षेत्र–शिकोहाबाद (आ0सं0–14)

प्रस्तर 15–ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 8,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 8,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री गजेन्द्र कुमार, वर्तमान प्रधान रु0 4,000.00

श्री मुनील कुमार, ग्रा0पं0अधि0 रु0 4,000.00

(16) ग्राम पंचायत –रूधउ विकास क्षेत्र–शिकोहाबाद (आ0सं0–14)

प्रस्तर 16–ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 10,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 10,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री श्याम सिंह, वर्तमान प्रधान रु0 5,000.00

श्री ब्रजराज सिंह, ग्रा0पं0अधि0 रु0 5,000.00

(17) ग्राम पंचायत –मैयामई विकास क्षेत्र–शिकोहाबाद (आ0सं0–14)

प्रस्तर 17–ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 22,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 22,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री धर्मेन्द्र सिंह, वर्तमान प्रधान रु0 11,000.00

श्री सतेन्द्र कुमार, ग्रा0पं0अधि0 रु0 11,000.00

(18) ग्राम पंचायत –मौहम्मदपुर बैरई विकास क्षेत्र–शिकोहाबाद (आ0सं0–14)

प्रस्तर 18—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 15,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 15,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री भंवर सिंह, वर्तमान प्रधान रु0 7,500.00

श्री मुनील कुमार, ग्रा0पं0अधि0 रु0 7,500.00

(19) ग्राम पंचायत —नावली विकास क्षेत्र—शिकोहाबाद (आ0सं0—14)

प्रस्तर 19—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 20,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 20,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री जितेन्द्र कुमार, वर्तमान प्रधान रु0 10,000.00

श्री धर्मेन्द्र कुमार, ग्रा0पं0अधि0 रु0 10,000.00

(20) ग्राम पंचायत —धनपुरा विकास क्षेत्र—शिकोहाबाद (आ0सं0—14)

प्रस्तर 20—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 8,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 8,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री वीरभान सिंह, वर्तमान प्रधान रु0 4,000.00

श्री कृष्ण कुमार, ग्रा0पं0अधि0 रु0 4,000.00

(21) ग्राम पंचायत —मेवली विकास क्षेत्र—शिकोहाबाद (आ0सं0—14)

प्रस्तर 21—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 10,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 10,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री सुनील कुमार, वर्तमान प्रधान रु0 5,000.00

श्री सतेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0 रु0 5,000.00

(22) ग्राम पंचायत —मुहब्बतपुर अहीर विकास क्षेत्र—शिकोहाबाद (आ0सं0—10)

प्रस्तर 22—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 10,15,682.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु0 10,15,682.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(23) ग्राम पंचायत —बूढा भरथरा विकास क्षेत्र—शिकोहाबाद (आ0सं0—10)

प्रस्तर 23—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 12,62,782.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु0 12,62,782.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री दुर्गविजय सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री शिवा तिवारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(24) ग्राम पंचायत —धीरपुरा विकास क्षेत्र—टूण्डला (आ0सं0—14)

प्रस्तर 24—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 20,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 20,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती पुष्पा यादव, वर्तमान प्रधान रु0 10,000.00

श्री जसवन्त सिंह, ग्रा0पं0अधि0 रु0 10,000.00

(25) ग्राम पंचायत —मौहम्मदाबाद विकास क्षेत्र—टूण्डला (आ0सं0—14)

प्रस्तर 25—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 26,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 26,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती सुनीता देवी, वर्तमान प्रधान	रु0 13,000.00
श्री राकेश सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 13,000.00

(26) ग्राम पंचायत —रामगढ, उम्मरगढ विकास क्षेत्र—टूण्डला (आ0सं0—14)

प्रस्तर 26—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 54,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 54,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री धीरेन्द्र कुमार, वर्तमान प्रधान	रु0 27,000.00
श्री रामशंकर, ग्रा0पं0अधि0	रु0 27,000.00

(27) ग्राम पंचायत —रसूलाबाद विकास क्षेत्र—टूण्डला (आ0सं0—14)

प्रस्तर 27—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 15,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 15,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती रजनी देवी, वर्तमान प्रधान	रु0 7,500.00
श्री रामशंकर, ग्रा0पं0अधि0	रु0 7,500.00

(28) ग्राम पंचायत —शेखूपुरमण्डनपुर विकास क्षेत्र—टूण्डला (आ0सं0—14)

प्रस्तर 28—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 15,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 15,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती राजकुमारी, वर्तमान प्रधान	रु0 7,500.00
श्री अशोक सामौरिया, ग्रा0पं0अधि0	रु0 7,500.00

प्रस्तर 29—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 25,20,916.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु0 25,20,916.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सामौरिया सयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(29) ग्राम पंचायत —बसई विकास क्षेत्र—टूण्डला (आ0सं0—14)

प्रस्तर 30—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 10,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 10,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती मन्जू देवी, वर्तमान प्रधान	रु0 5,000.00
श्री अनूप भारद्वाज, ग्रा0पं0अधि0	रु0 5,000.00

(30) ग्राम पंचायत मौहम्मदपुर विकास क्षेत्र—टूण्डला (आ0सं0—14)

प्रस्तर 31—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 14,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 14,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती मानदेवी, वर्तमान प्रधान	रु0 7,000.00
श्री बाबू सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 7,000.00

(31) ग्राम पंचायत —नगला सूरज विकास क्षेत्र—टूण्डला (आ0सं0—14)

प्रस्तर 32—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 11,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 11,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती प्रेमा देवी, वर्तमान प्रधान	रु0 5,500.00
श्री रामशंकर, ग्रा0पं0अधि0	रु0 5,500.00

(32) ग्राम पंचायत नगला पुन्नु विकास क्षेत्र—टूण्डला (आ0सं0—14)

प्रस्तर 33—ग्रामपंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 6,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 6,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री राजकुमार, वर्तमान प्रधान	रु0 3,000.00
श्री राकेश सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 3,000.00

(33) ग्राम पंचायत —जारखी विकास क्षेत्र—टूण्डला (आ0सं0—11)

प्रस्तर 34—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 8,62,484.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 8,62,484.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार सयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(34) ग्राम पंचायत धर्मपुर विकास क्षेत्र—टूण्डला (आ0सं0—11)

प्रस्तर 35—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 5,65,339.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु0 5,65,339.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार सयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(35) ग्राम पंचायत —गढी भूपाल, विकास क्षेत्र—टूण्डला (आ0सं0—12)

प्रस्तर 36—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशिको आय में न दर्शाकर रु0 5,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 5,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री ब्रह्मदत्त, वर्तमान प्रधान	रु0 2,500.00
श्री राकेश सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 2,500.00

(36) ग्राम पंचायत —बनकट, विकास क्षेत्र—टूण्डला (आ0सं0—12)

प्रस्तर 37—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 3,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 3,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री राकेशकुमार, वर्तमान प्रधान	रु0 1,500.00
श्री अनूप भारद्वाज, ग्रा0पं0अधि0	रु0 1,500.00

(37) ग्राम पंचायत —जाजपुर विकास क्षेत्र—टूण्डला (आ0सं0—13)

प्रस्तर 38—ग्रामपंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 7,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 7,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती शशीदेवी, वर्तमान प्रधान	रु0 3,500.00
श्रीमती विनीता, ग्रा0पं0अधि0	रु0 3,500.00

(38) ग्राम पंचायत —कमरपुर बैजुआ, विकास क्षेत्र—अरौं (आ0सं0—14)

प्रस्तर 39—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 33,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 33,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री प्रेमराज, वर्तमान प्रधान रु0 16,500.00

श्री महेश चन्द्र कठेरिया, ग्रा0पं0अधि0 रु0 16,500.00

(39) ग्राम पंचायत —सिरौलिया, विकास क्षेत्र—अरौव (आ0सं0—14)

प्रस्तर 40—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 12,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 12,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री राधेश्याम, वर्तमान प्रधान रु0 6,000.00

श्री जसवन्त सिंह, ग्रा0पं0अधि0 रु0 6,000.00

(40) ग्राम पंचायत —कन्थरी विकास क्षेत्र—अरौव (आ0सं0—14)

प्रस्तर 41—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 5,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 5,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री विजय सिंह, वर्तमान प्रधान रु0 2,500.00

श्री रजनेशकुमार, ग्रा0पं0अधि0 रु0 2,500.00

(41) ग्राम पंचायत —कपरावली विकास क्षेत्र—अरौव (आ0सं0—14)

प्रस्तर 42—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 5,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 5,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री रवीन्द्रकुमार, वर्तमान प्रधान रु0 2,500.00

श्री महेश कठेरिया, ग्रा0पं0अधि0 रु0 2,500.00

(42) ग्राम पंचायत—किसरौव विकास क्षेत्र—अरौव (आ0सं0—02,11)

प्रस्तर 43—ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु0 24,21,937.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु0 24,21,937.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 44—वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्त में ग्राम पंचायत पर रु0 4,10,410.00 का स्टाक अवशेष था परन्तु इसे वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्टाक रजिस्टर में न दर्शाकर उसके समतुल्य धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(43) ग्राम पंचायत —बैजुआ खास, विकास क्षेत्र—अरौव (आ0सं0—02)

प्रस्तर 45—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 15,48,104.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु0 15,48,104.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेशचन्द्र कठेरिया संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(44) ग्राम पंचायत —बामई विकास क्षेत्र—अरौव (आ0सं0—14)

प्रस्तर 46—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 5,00.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 5,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री संजीव कुमार, वर्तमान प्रधान	रु0 2,500.00
श्री जसवन्त सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 2,500.00

(45) संस्था का नाम —ग्राम पंचायत —पैगू विकास क्षेत्र—अरौव (आ0सं0—14)

प्रस्तर 47—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 4610077.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु0 4610077 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्याम सुन्दर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(46) ग्राम पंचायत —बहादुरपुर विकास क्षेत्र—अरौव (आ0सं0—14)

प्रस्तर 48—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 2278800 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु0 2278800 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्याम सुन्दर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(47) ग्राम पंचायत —महिबुल्लापुर कैरावली विकास क्षेत्र—अरौव (आ0सं0—13)

प्रस्तर 49—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 614578 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु0 614578 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री प्रवीन कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जमुना दास संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(48) ग्राम पंचायत —सैनावली विकास क्षेत्र—अरौव (आ0सं0—13)

प्रस्तर 50—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 1148862 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु0 1148862 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश कठेरिया संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(49) ग्राम पंचायत —रामनगर विकास क्षेत्र—अरौव (आ0सं0—14)

प्रस्तर 51—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशिको आय में न दर्शाकर रु0 8,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 8,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री संजय कुमार, वर्तमान प्रधान	रु0 4,000.00
श्री जसवन्त सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 4,000.00

(50) ग्राम पंचायत —सोथरा विकास क्षेत्र—अरौव (आ0सं0—02)

प्रस्तर 52—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 1267117 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु0 1267117 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर

अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सोनेलाल तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जमुनादास संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(51) ग्राम पंचायत –मोंडई विकास क्षेत्र–अरौव (आ0सं0–02)

प्रस्तर 53—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 1854406 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रू0 1854406 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रकला तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(52) ग्राम पंचायत –गुरैया सोयलपुर विकास क्षेत्र–अरौव (आ0सं0–11,12)

प्रस्तर 54—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 1008783 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रू0 1008783 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जमुनादास संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 55—वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्त में ग्राम पंचायत पर रू0 5,40,674.00 का स्टाक अवशेष था परन्तु इसे वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्टाक रजिस्टर में न दर्शाकर उसके समतुल्य धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जमुनादास से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(53) ग्राम पंचायत –गढी सिंधारी विकास क्षेत्र–नारखी (आ0सं0–14)

प्रस्तर 56—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रू0 10,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 10,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री यादराम, वर्तमान प्रधान	रू0 5,000.00
श्री विक्रम सिंह राना, ग्रा0पं0अधि0	रू0 5,000.00

(54) ग्राम पंचायत –पिपरौली विकास क्षेत्र–नारखी (आ0सं0–02)

प्रस्तर 57—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 4,77,158.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जोवित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जान बूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 4,77,158.00 की वसूली सूद सहित निम्नविवरणानुसार की जानी अपेक्षित है क्योंकि ग्राम निधि प्रथम खाते संचालन उक्त दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

श्री अशोक कुमार सिंह, पूर्व प्रधान	रू0 2,38,579.00
श्री रघुवीर सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रू0 2,38,579.00

(55) ग्राम पंचायत –खुशालपुर विकास क्षेत्र–नारखी (आ0सं0–02)

प्रस्तर 58—ग्राम पंचायत द्वारा रू0 520334 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार व्यय

प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जोवित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जान बूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि **रु0 520334** की वसूली सूद सहित निम्नविवरणानुसार की जानी अपेक्षित है क्योंकि ग्राम निधि प्रथम खाते संचालन उक्त दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

श्रीमती मीरादेवी, पूर्व प्रधान	रु0 2,60,167.00
श्री रघुवीर सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 2,60,167.00

(56) ग्राम पंचायत —ओखरा विकास क्षेत्र—नारखी (आ0सं0—14)

प्रस्तर 59—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 10,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 10,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री मदनलाल गुप्ता, वर्तमान प्रधान	रु0 5,000.00
श्री प्रणवीर सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 5,000.00

(57) ग्राम पंचायत —आतीपुर विकास क्षेत्र—नारखी (आ0सं0—14)

प्रस्तर 60—ग्रामपंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 18,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 18,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री मान सिंह, वर्तमान प्रधान	रु0 9,000.00
श्री राजेश धाकरे, ग्रा0पं0अधि0	रु0 9,000.00

(58) ग्राम पंचायत —कायथा विकास क्षेत्र—नारखी (आ0सं0—14)

प्रस्तर 61—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 52000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 52,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री सुनील कुमार, वर्तमान प्रधान	रु0 26,000.00
श्री सौरभ कुमार, ग्रा0 पं0अधि0	रु0 26,000.00

(59) ग्राम पंचायत —हरदासपुर कोटला विकास क्षेत्र—नारखी (आ0सं0—14)

प्रस्तर 62—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 5000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 5,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती मुन्नीदेवी, वर्तमान प्रधान	रु0 2,500.00
श्री दीपक शर्मा, ग्रा0पं0अधि0	रु0 2,500.00

(60) ग्राम पंचायत वजीरपुर कोटला विकास क्षेत्र—नारखी (आ0सं0—14)

प्रस्तर 63—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 28000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 28,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती शकुन्तला देवी, वर्तमान प्रधान	रु0 14,000.00
श्री दीपक यादव, ग्रा0पं0अधि0	रु0 14,000.00

(61) ग्राम पंचायत —भीकनपुर मेघपुर विकास क्षेत्र—नारखी (आ0सं0—14)

प्रस्तर 64—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 22000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 22,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री गोविन्द सिंह, वर्तमान प्रधान	रु0 11,000.00

श्री प्रेमदास माथुर, ग्रा0पं0अधि0

रु0 11,000.00

(62) ग्राम पंचायत —बरतरा

विकास क्षेत्र—नारखी

(आ0सं0—14)

प्रस्तर 65—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 30000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 30,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री सत्य प्रकाश, वर्तमान प्रधान

रु0 15,000.00

श्री अश्वनी कुमार, ग्रा0पं0अधि0

रु0 15,000.00

(63) ग्राम पंचायत —असन

विकास क्षेत्र—नारखी

(आ0सं0—14)

प्रस्तर 66—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 25000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 25,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री विमलेश देवी, वर्तमान प्रधान

रु0 12,500.00

सुश्री दिव्या दीक्षित, ग्रा0पं0अधि0

रु0 12,500.00

(64) ग्राम पंचायत —सुरैल न0काछी,

विकास क्षेत्र—जसराना

(आ0सं0—12)

प्रस्तर 67—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 8000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 8,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती महादेवी, वर्तमान प्रधान

रु0 4,000.00

श्री गौरव कुमार, ग्रा0पं0अधि0

रु0 4,000.00

(65) ग्राम पंचायत —स्यौंडा

विकास क्षेत्र—जसराना

(आ0सं0—12)

प्रस्तर 68—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 10000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 10,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री विजयपाल, वर्तमान प्रधान

रु0 5,000.00

श्री आदित्य कुमार, ग्रा0पं0अधि0

रु0 5,000.00

(66) ग्राम पंचायत —खेरिया पटीकरा

विकास क्षेत्र—जसराना

(आ0सं0—12)

प्रस्तर 69—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 12000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 12,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती रश्मि, वर्तमान प्रधान

रु0 6,000.00

श्री गौरव कुमार, ग्रा0पं0अधि0

रु0 6,000.00

(67) ग्राम पंचायत —सलेमपुर खुटियाना

विकास क्षेत्र—जसराना

(आ0सं0—12)

प्रस्तर 70—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 6000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 6,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती अतर प्यारी, वर्तमान प्रधान

रु0 3,000.00

श्री गौरव कुमार, ग्रा0पं0अधि0

रु0 3,000.00

(68) ग्राम पंचायत —औरंगाबाद

विकास क्षेत्र—जसराना

(आ0सं0—12)

प्रस्तर 71—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 16000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 16,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती बल्लोदेवी, वर्तमान प्रधान

रु0 8,000.00

श्री सुनील कुमार, ग्रा0पं0अधि0

रु0 8,000.00

(69) ग्राम पंचायत —पचवा

विकास क्षेत्र—जसराना

(आ0सं0—12)

प्रस्तर 72—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 25000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 25,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती ज्ञानश्री, वर्तमान प्रधान	रु0 12,500.00
श्री सुनील कुमार, ग्रा0पं0अधि0	रु0 12,500.00

(70) ग्राम पंचायत —अतुरा विकास क्षेत्र—जसराना (आ0सं0—12)

प्रस्तर 73—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 20000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 20,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री प्रभाकर, वर्तमान प्रधान	रु0 10,000.00
श्री सुनील कुमार, ग्रा0पं0अधि0	रु0 10,000.00

(71) ग्राम पंचायत —सबलपुर विकास क्षेत्र—जसराना (आ0सं0—12)

प्रस्तर 74—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 6000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 6,000.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप, वर्तमान प्रधान	रु0 3,000.00
श्री सुनील कुमार, ग्रा0पं0अधि0	रु0 3,000.00

(72) ग्राम पंचायत —नगला राम विकास क्षेत्र—जसराना (आ0सं0—12)

प्रस्तर 75—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 8000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 8,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री गिरीश कुमार, वर्तमान प्रधान	रु0 4,000.00
श्री गौरव कुमार, ग्रा0पं0अधि0	रु0 4,000.00

(73) ग्राम पंचायत —चनारी विकास क्षेत्र—जसराना (आ0सं0—02)

प्रस्तर 76—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 12,61,101.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्तवित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु0 12,61,101.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री हरपाल तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गौरव कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(74) ग्राम पंचायत —जसराना देहात विकास क्षेत्र—जसराना (आ0सं0—02)

प्रस्तर 77—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 1899274.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्तवित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु0 189927.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती दयादेवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(75) ग्राम पंचायत —कैलई विकास क्षेत्र— एका (आ0सं0—02)

प्रस्तर 78—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 4058723.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्तवित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु0 4058723.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती भूरी देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमन प्रसाद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(76) ग्राम पंचायत —कोंडरा विकास क्षेत्र— एका (आ0सं0—02)

प्रस्तर 79—ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 1178692.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय ₹0 1178692.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभयदीप संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(77) ग्राम पंचायत —आपुर विकास क्षेत्र— एका (आ0सं0—02)

प्रस्तर 80—ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 2675082.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय ₹0 2675082.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री वीरपाल तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनाथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(78) ग्राम पंचायत —नगला अचल विकास क्षेत्र— एका (आ0सं0—02)

प्रस्तर 81—ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 1520634.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय ₹0 1520634.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनाथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(79) ग्राम पंचायत —रामपुर विकास क्षेत्र— एका (आ0सं0—12)

प्रस्तर 82—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर ₹0 3000.00 का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 3,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती मोती माला, वर्तमान प्रधान	₹0 1,500.00
श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्रा0पं0अधि0	₹0 1,500.00

(80) ग्राम पंचायत —भदाना विकास क्षेत्र— एका (आ0सं0—12)

प्रस्तर 83—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर ₹0 10000.00 का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 10,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री वीरेश कुमार, वर्तमान प्रधान	₹0 5,000.00
श्री प्रवेन्द्र कुमार, ग्रा0पं0अधि0	₹0 5,000.00

(81) ग्राम पंचायत —गिनौली विकास क्षेत्र— एका (आ0सं0—12)

प्रस्तर 84—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर ₹0 10000.00 का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 10,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री प्रेमपाल, वर्तमान प्रधान	₹0 5,000.00
श्री अभयदीप, ग्रा0पं0अधि0	₹0 5,000.00

(82) ग्राम पंचायत —पैढत विकास क्षेत्र— एका (आ0सं0—12)

प्रस्तर 85—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर ₹0 25000.00 का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 25,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री राजेन्द्र सिंह, वर्तमान प्रधान	₹0 12,500.00

(83) ग्राम पंचायत —खडीत विकास क्षेत्र— एका (आ0सं0—12)

प्रस्तर 86—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 24000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 24,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती शकुन्तला देवी, वर्तमान प्रधान

रु0 12,000.00

श्री रामनाथ, ग्रा0पं0अधि0

रु0 12,000.00

(84) ग्राम पंचायत —ईखू विकास क्षेत्र— एका (आ0सं0—12)

प्रस्तर 87—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 8000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 8,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती मंजूलता, वर्तमान प्रधान

रु0 4,000.00

श्री अभयदीप, ग्रा0पं0अधि0

रु0 4,000.00

(85) ग्राम पंचायत —नगला गोकुल विकास क्षेत्र— एका (आ0सं0—12)

प्रस्तर 88—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 3000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 3,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती बबीता देवी, वर्तमान प्रधान

रु0 1,500.00

श्री रामचन्द्र, ग्रा0पं0अधि0

रु0 1,500.00

(86) ग्राम पंचायत —सोनई विकास क्षेत्र— एका (आ0सं0—12)

प्रस्तर 89—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 2000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 2,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री नत्थू सिंह, वर्तमान प्रधान

रु0 1,000.00

श्री रामनाथ, ग्रा0पं0अधि0

रु0 1,000.00

(87) ग्राम पंचायत —मिलावली विकास क्षेत्र— एका (आ0सं0—12)

प्रस्तर 90—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 6000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 6,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री कृष्ण कुमार, वर्तमान प्रधान

रु0 3,000.00

श्री रामनाथ, ग्रा0पं0अधि0

रु0 3,000.00

(88) संस्था का नाम —ग्राम पंचायत नामन गजाधर सिंह विकास क्षेत्र— एका (आ0सं0—12)

प्रस्तर 91—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 2000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 2,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री अंकेश कुमार, वर्तमान प्रधान

रु0 2,000.00

श्री प्रवेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0

रु0 2,000.00

(89) ग्राम पंचायत —पिलखतरफतेह विकास क्षेत्र— एका (आ0सं0—12)

प्रस्तर 92—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 10000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 10,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से सयुंक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती संध्यादेवी, वर्तमान प्रधान

रु0 5,000.00

श्री प्रवेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0

रु0 5,000.00

(90) ग्राम पंचायत—रजौरा विकास क्षेत्र—मदनपुर (आ0सं0—12)

श्री राजकुमार, वर्तमान प्रधान	रु0 3,000.00
श्री नितेश सक्सेना, ग्रा0प0अधि0	रु0 3,000.00

श्रीमती नेमादेवी, वर्तमान प्रधान	रु0 2,500.00
श्री नरवीश मिश्रा, ग्रा0पं0अधि0	रु0 2,500.00

श्रीमती पुष्पादेवी, वर्तमान प्रधान	रु0 5,000.00
श्री नितेश सक्सेना, ग्रा0पं0अधि0	रु0 5,000.00

श्री सुनील कान्त, वर्तमान प्रधान	रु० 5,000.00
श्री नितेश सक्सेना, ग्रा०पं०अधि०	रु० 5,000.00

श्रीमती पूनम कुमारी, वर्तमान प्रधान	रु० 4,500.00
श्री नरवीश मिश्रा, ग्रा०पं०अधि०	रु० 4,500.00

श्रीमती धनदेवी, वर्तमान प्रधान	रु० 5,000.00
श्री नरवीश मिश्रा, ग्रा०पं०अधि०	रु० 5,000.00

श्री कमलेश यादव, वर्तमान प्रधान	रु0 4,000.00
श्री रामसेवक, ग्रा0पं0अधि0	रु0 4,000.00

2735

श्री सचिन, वर्तमान प्रधान
श्री रामसेवक, ग्रा0पं0अधि0

रु0 27,000.00
रु0 27,000.00

(98) ग्राम पंचायत –वीरईजहानाबाद विकास क्षेत्र–मदनपुर (आ0सं0–02)

प्रस्तर 101—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 13,80,126.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु0 13,80,126.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती संध्या किरन संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(99) ग्राम पंचायत –कटौराबुजुर्ग विकास क्षेत्र–मदनपुर (आ0सं0–12)

प्रस्तर 102—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 3000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 3,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री अशोक कुमार, वर्तमान प्रधान रु0 1,500.00
श्री धर्मेन्द्र, ग्रा0पं0अधि0 रु0 1,500.00

(100) ग्राम पंचायत –मडवा विकास क्षेत्र–मदनपुर (आ0सं0–12)

प्रस्तर 103—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 2000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 2,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री राजेन्द्र सिंह, वर्तमान प्रधान रु0 2,000.00
श्री रामसेवक, ग्रा0पं0अधि0 रु0 2,000.00

(101) ग्राम पंचायत –फतेहपुरनसीरपुर विकास क्षेत्र–मदनपुर (आ0सं0–12)

प्रस्तर 104—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 4000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 4,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती सुमनदेवी, वर्तमान प्रधान रु0 2,000.00
श्री देवेशकुमार, ग्रा0पं0अधि0 रु0 2,000.00

(102) ग्राम पंचायत –गुढा विकास क्षेत्र–मदनपुर (आ0सं0–12)

प्रस्तर 105—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 4000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 4,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती कमलेश देवी, वर्तमान प्रधान रु0 2,000.00
श्री देवेश कुमार, ग्रा0पं0अधि0 रु0 2,000.00

(103) ग्राम पंचायत –डडियामई विकास क्षेत्र–मदनपुर (आ0सं0–12)

प्रस्तर 106—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 25000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 25,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती आदिवती, वर्तमान प्रधान रु0 12,500.00
श्री नितेश सक्सेना, ग्रा0पं0अधि0 रु0 12,500.00

(104) ग्राम पंचायत –थानूमई विकास क्षेत्र–हाथवन्त (आ0सं0–02)

प्रस्तर 107—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 1,54,688.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं

किये गये। उ०प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जान बूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि रु० 1,54,688.00 की वसूली सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है क्योंकि ग्राम निधि प्रथम खाते संचालन उक्त दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

श्री नीरज यादव, पूर्व प्रधान

रु० 77,344.00

श्री महेन्द्र पाल सिंह, ग्रा०पं०अधि०

रु० 77,344.00

(105) ग्राम पंचायत—अकबरपुर गीतम सिंह, विकास क्षेत्र—हाथवन्त (आ०सं०—02)

प्रस्तर 108—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 2,80,000.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ०प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि रु० 2,80,000.00 की वसूली सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है क्योंकि ग्राम निधि प्रथम खाते संचालन उक्त दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

श्री मुन्नालाल, पूर्व प्रधान

रु० 1,40,000.00

श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्रा०पं०अधि०

रु० 1,40,000.00

(106) ग्राम पंचायत —दिनौली गोरवा विकास क्षेत्र—हाथवन्त (आ०सं०—02)

प्रस्तर 109—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 1,65,892.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ०प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि रु० 1,65,892.00 की वसूली सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है क्योंकि ग्राम निधि प्रथम खाते संचालन उक्त दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

श्री रवीश कुमार, पूर्व प्रधान

रु० 82,946.00

श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्रा०पं०अधि०

रु० 82,946.00

(107) ग्राम पंचायत —स्यावरी विकास क्षेत्र—हाथवन्त (आ०सं०—02)

प्रस्तर 110—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 56150.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ०प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार व्यय

प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जान बूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि **रु0 56150.00** की वसूली सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है क्योंकि ग्राम निधि प्रथम खाते संचालन उक्त दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

श्रीमती राधा, पूर्व प्रधान	रु0 28,075.00
श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 28,075.00

(108) ग्राम पंचायत –खेरिया सिकमी गोहाना विकास क्षेत्र–हाथवन्त (आ0सं0–02)

प्रस्तर 111—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 122781.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जान बूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि **रु0 122781.00** की वसूली सूद सहित निम्नविवरणानुसार की जानी अपेक्षित है क्योंकि ग्राम निधि प्रथम खाते संचालन उक्त दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

श्री यतेन्द्र सिंह, पूर्व प्रधान	रु0 61,390.50
श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 61,390.50

(109) ग्राम पंचायत –बरौली विकास क्षेत्र–हाथवन्त (आ0सं0–12)

प्रस्तर 112—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 10000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 10,000.0 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्रीमती सुशीला देवी, वर्तमान प्रधान	रु0 5,000.00
श्री सुनील कुमार, ग्रा0पं0अधि0	रु0 5,000.00

(110) ग्राम पंचायत –दपामई विकास क्षेत्र–हाथवन्त (आ0सं0–12)

प्रस्तर 113—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु0 30000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 30,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री कमलेश शर्मा, वर्तमान प्रधान	रु0 15,000.00
श्रीमती विपिन कुशवाह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 15,000.00

(111) ग्राम पंचायत –पृथ्वीपुर विकास क्षेत्र–हाथवन्त (आ0सं0–02)

प्रस्तर 114—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 15,19,339.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु0 15,19,339.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री रामऔतार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेन्द्र पाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(112) ग्राम पंचायत –जरौली विकास क्षेत्र–हाथवन्त (आ0सं0–02)

प्रस्तर 115—ग्राम पंचायत द्वारा रु0 19,73,776.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के

उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु० 19,73,776.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(113) ग्राम पंचायत –इन्दरई विकास क्षेत्र–हाथवन्त (आ०सं०–02)

प्रस्तर 116—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 15,81,810.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु० 15,81,810.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्याम सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(114) ग्राम पंचायत –भामई विकास क्षेत्र–हाथवन्त (आ०सं०–14)

प्रस्तर 117—ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रु० 24,000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु० 24,000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

श्री महीपाल, वर्तमान प्रधान	रु० 12,000.00
श्री श्याम सिंह, ग्रा०प०अधि०	रु० 12,000.00

(115) ग्राम पंचायत –वलीपुर तपस्या विकास क्षेत्र–हाथवन्त (आ०सं०–02)

प्रस्तर 118—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 12,49,871.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु० 12,49,871.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती संजू कुमारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती विपिन कुशवाह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(116) ग्राम पंचायत –बनवीरपुर कुढी विकास क्षेत्र–हाथवन्त (आ०सं०–02)

प्रस्तर 119—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 11,46,724.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु० 11,46,724.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मी नारायण तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेन्द्र पाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(117) ग्राम पंचायत –निकाउ विकास क्षेत्र–हाथवन्त (आ०सं०–02)

प्रस्तर 120—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 10,72,372.00 के निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अवर अभियन्ता जिला पंचायत/सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्यपर व्यय रु० 10,72,372.00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यशपाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(118) ग्राम पंचायत –ओढमपुर विकास क्षेत्र–हाथवन्त (आ०सं०–02)

प्रस्तर 121—ग्राम पंचायत द्वारा रु० 1132289.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैंशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ०प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय

यह है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि **रु0 1132289.00** की वसूली सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है क्योंकि ग्राम निधि प्रथम खाते संचालन उक्त दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

श्रीमती राजनश्री, पूर्व प्रधान **रु0 5,66,144.50**
श्री हीरालाल, ग्रा0पं0अधि0 **रु0 5,66,144.50**

(119) ग्राम पंचायत —अकबरपुर मस्तपुर विकास क्षेत्र—हाथवन्त (आ0सं0—02)

प्रस्तर 122—ग्राम पंचायत द्वारा **रु0 1378752.00** के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार—बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जान बूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि **रु0 1378752.00** की वसूली सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है क्योंकि ग्राम निधि प्रथम खाते संचालन उक्त दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

श्री सतीश चन्द्र, पूर्व प्रधान **रु0 6,89,376.00**
श्री हीरालाल, ग्रा0पं0अधि0 **रु0 6,89,376.00**

(120) ग्राम पंचायत —मस्तपुर अकबरपुर विकास क्षेत्र—हाथवन्त (आ0सं0—02)

प्रस्तर 123—ग्राम पंचायत द्वारा **रु0 2336542.00** के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार—बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जान बूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि **रु0 2336542.00** की वसूली सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है क्योंकि ग्राम निधि प्रथम खाते संचालन उक्त दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

श्रीमती लता देवी, पूर्वप्रधान **रु0 11,68,271.00**
श्री हीरालाल, ग्रा0पं0अधि0 **रु0 11,68,271.00**

वर्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017—18 ग्राम पंचायत

जनपद— अलीगढ़

मण्डल — अलीगढ़

1 — ग्राम पंचायत —सलेमपुर विकास खण्ड —गोण्डा जनपद —अलीगढ़—

प्रस्तर— 1 — वित्तीय वर्ष 2016—17 की कैशबुक व व्यय प्रमाणक का मिलान व जाँच में पाया गया कि प्रमाणक सं0 13 व 14 दिनांक 16.02.2017 मजदूरी (मस्टररोल) से सम्बन्धित है का व्य क्रमशः **रु0 25480.00** व **रु0 24930.00** का भुगतान कैशबुक में दर्शाया गया है जबकि मस्टररोल की जाँच में पाया गया कि मस्टररोल में मजदूरों का नाम तक अंकित नहीं है तथा भुगतान प्राप्ति के रूप में किसी भी मजदूर का हस्ताक्षर भी नहीं है। इस प्रकार दोनों ही मस्टररोल फर्जी हैं तथा कैशबुक में दर्शित भुगतान भी फर्जी है। अतः दर्शित भुगतान **रु0 25480.00 + रु0 24930.00** फर्जी है। इस प्रकार कुल **रु0 50410.00** की मय

ब्याज के वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती ममता व सचिव श्री के० के० शर्मा से कराई जाय तथा सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। मस्टररोलों की प्रमाणित छाया प्रति साथ में संलग्न है।

(आपत्ति संख्या – 05)

प्रस्तर-2- वित्तीय वर्ष 2016-17 की कैशबुक में दि० 09.01.17 प्रमाणक संख्या-5 द्वारा ईट व रोड़ी खरीद रु० 25878.00 दर्शित है जबकि इसकी पुष्टि में उपलब्ध प्रमाणक 24007.00 (रोड़ी रु० 15623.00 + ईट रु० 8384.00) का है इस प्रकार स्पष्ट है कि वास्तविक व्यय रु० 24007.00 के स्थान पर 25878.00 दर्शाकर रु० 1871.00 से राजकीय धन का अपहरण किया गया। इसकी वसूली मय ब्याज के तत्कालीन प्रधान श्रीमती ममता देवी व सचिव श्री के० के० शर्मा से कराई जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या – 06)

प्रस्तर-3- वित्तीय वर्ष 2017-18 की कैशबुक में दिनांक 10.01.18 में रु० 10000.00 दिनांक 14.03.18 में रु० 15000.00 व दिनांक 28.03.2018 में रु० 15000.00 का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत दर्शाया गया है लेकिन व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुआ है। इस प्रकार उक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि किसी प्रकार से नहीं होती है। एवं उक्त हैण्ड पम्प मरम्मत का कुल दर्शित व्यय रु० 40000.00 काल्पनिक है। काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः काल्पनिक व्यय रु० 40000.00 की वसूली मय ब्याज के तत्कालीन प्रधान श्रीमती ममता देवी व सचिव श्री के० के० शर्मा से कराई जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या – 07)

2- ग्राम पंचायत –मजूपुर सुबकरा विकास खण्ड –गोण्डा जनपद –अलीगढ़-

प्रस्तर-4- वर्ष 2015-16 की कैशबुक में माह अप्रैल-15 से नवम्बर-15 तक दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही दर्शित विकास कार्यों की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत किये गये। कैशबुक के अनुसार निम्न मदों में व्यय दर्शाये गये हैं जिनके प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए। विवरण निम्न प्रकार है –

मैटेरियल खरीद		ईट खरीद		मजदूरी		हैण्डपम्प मरम्मत	
दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि
19.05.15	39900.00	25.04.15	145000.00	30.04.15	42000.00	30.04.15	14800.00
20.05.15	152975.00			30.05.15	65721.00	06.05.15	19600.00
26.05.15	55000.00			23.06.15	64153.00	03.07.15	17400.00
10.06.15	138945.00			23.06.15	62423.00	21.08.15	10000.00
10.06.15	192875.00			01.07.15	65721.00	05.11.15	5900.00
11.06.15	92020.00			01.07.15	31093.00		
13.06.15	146737.00			01.07.15	31093.00		
15.06.15	247188.00			25.10.15	20175.00		
16.08.15	78776.00						
27.08.15	46974.00						
09.10.15	20700.00						
योग	1304110.00	योग	145000.00	योग	382379.00	योग	67700.00

उक्त विवरण के अनुसार मैटेरियल खरीद में रु० 1304110.00, ईट खरीद में रु० 145000.00, मजदूरी के मद में रु० 382379.00 व हैण्डपम्प मरम्मत के मद में रु० 67700.00 का व्यय कैशबुक में दर्शाया गया है जिनके व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी। अतः उक्त दर्शित समस्त मदों के कुल व्यय रु० 1899189.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती सावित्री देवी व तत्कालीन सचिव श्री उदयवीर सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः कुल धन रु० 1899189.00 की वसूली मय ब्याज के तत्कालीन प्रधान श्रीमती सावित्री देवी व सचिव श्री उदयवीर सिंह से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

3- ग्राम पंचायत –गोरई विकास खण्ड –गोण्डा जनपद –अलीगढ़-

प्रस्तर-5-ग्राम पंचायत गोरई की वर्ष 2011-12 से 17-18 तक की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है-

ग्राम पंचायत के बैंक खातों से आहरित धन को कैशबुक में न दर्शाकर सीधे धन का अपहरण किया गया या है अथवा सामग्री खरीद के लिए एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से दर्शित भुगतान को कैशबुक में न दर्शाकर भुगतान की धनराशि अथवा प्राप्त सामग्री का अपहरण किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है –

बैंक खाता संख्या	चेक संख्या	दिनांक	आहरण की धनराशि
ग्राम निधि प्रथम – 69315	321474	24.10.2011	5000.00
ग्राम निधि प्रथम – 69315	321470	25.10.2011	21431.00
ग्राम निधि प्रथम – 69315	742368	17.12.2011	37520.00
ग्राम निधि प्रथम – 69315	117390	20.05.2015	85000.00
योग			148951.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है उक्त तिथियों में ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धन को कैशबुक में न दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है अर्थात् उक्त तिथियों में आहरित धनराशि अथवा धनराशि से प्राप्त सामग्री का प्रयोग ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में नहीं किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कंचन सिंह व तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा व उत्तरदायी हैं। अतः कुल रु0 148951.00 की वसूली मय सूद के तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या – 03)

प्रस्तर-6- ग्राम पंचायत के बैंक खाता संख्या – 69315 के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार चेक संख्या – 310915 द्वारा दि0 04.01.14 को रु0 20000.00 का आहरण किया गया है लेकिन इस आहरण को ग्राम पंचायत की कैशबुक में रु0 10000.00 ही दर्शाया गया है अर्थात् बैंक खाते से सीधे रुपये निकाल कर अपहरण कर लिये गये। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त आहरण रु0 20000.00 में से रु0 10000.00 का प्रयोग ग्राम पंचायत के कार्यों में व्यय नहीं किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कंचन सिंह व तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः रु0 10000.00 की वसूली मय सूद के तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या-04)**

प्रस्तर-7- वित्तीय वर्ष 2013-14 की कैशबुक की रोकड़ शेष जाँच में पाया गया कि माह जुलाई – 2013 के आय पक्ष का योग रु0 38000.00 से व माह अक्टूबर-2013 के आय पक्ष का योग रु0 330.00 से कम कर कुल रु0 38330.00 से रोकड़ कम कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कंचन सिंह व तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धन रु0 38330.00 की वसूली मय सूद के तत्कालीन प्रधान श्री कंचन सिंह व सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या – 05)**

प्रस्तर-8- ग्राम पंचायत के छात्रवृत्ति खाता ग्राम निधि तृतीय खाता संख्या 3132 में दिनों 16.08.12 में रु0 12000.00 के आहरण के बाद रु0 263610.00 का अवशेष था। इसके बाद इस खाते से लेन-देन बन्द कर दिया गया था। इसके बाद इस खाते में केवल बचत खाते का ब्याज प्राप्त हो रहा था। जिसके फलस्वरूप दि0 03.09.2016 को खाते में रु0 5966.00 का ब्याज प्राप्त होने के बाद खाते का अवशेष बढ़कर रु0 301870.00 हो गया था। इसके कुछ दिन बाद दिनांक 23.09.16 को टु सैल्फ के रूप में रु0 300000.00 (तीन लाख) का आहरण बिना चेक के दर्शाया गया है। इस आहरण की प्रविष्टि कैशबुक में नहीं है। इसके सम्बन्ध में तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा व प्रधान श्री चन्दन सिंह से पूछ-ताछ में अवगत कराया गया कि उक्त धन के आहरण जानकारी उन्हें भी नहीं है। और उक्त आहरण हमारे द्वारा नहीं किया गया है। बाद में तत्कालीन प्रधान व सचिव द्वारा बैंक शाखा जानकारी प्राप्त करने पर अवगत कराया गया कि उक्त आहरण तत्कालीन बैंक शाखा प्रबन्धक श्री निखिल उपाध्याय द्वारा जालसाजी से किया गया है जिसके लिए तत्कालीन बैंक शाखा प्रबन्धक श्री निखिल उपाध्याय ही दोषी व उत्तरदायी है। लेकिन उक्त कथन मौखिक है लिखित में बैंक द्वारा कुछ भी नहीं दिया गया है। जिसके बाद तत्कालीन प्रधान व सचिव द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एक लिखित प्रत्यावेदन सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक अलीगढ़ को दिया गया है। तथा दूरभाष से हुई वार्ता में भी बैंक द्वारा भी तत्कालीन शाखा प्रबन्धक को दोषी माना गया है लेकिन इसका लिखित जवाब रिपोर्ट लिखे जाने तक बैंक से प्राप्त नहीं हुआ था। अतः बैंक द्वारा स्थिति स्पष्ट कराई जाय तथा दोषी से धन की वसूली कर ग्राम पंचायत के खाते में मय सूद के जमा कराई जाय और उसके तुरन्त बाद उक्त खाते के समस्त अवशेष को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाय। उक्त खाते के अवशेष को यथा समय विभाग को वापस न करने के लिए तत्कालीन प्रधान श्री

चन्दन सिंह व तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा भी दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः स्थिति स्पष्ट कराते हुए इनके विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

4— ग्राम पंचायत —भूड़ा किशनगढ़ी विकास खण्ड —धनीपुर जनपद —अलीगढ़—

प्रस्तर—9—ग्राम पंचायत भूड़ा किशनगढ़ी की वर्ष 2016—17 17—18 तक की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है ग्राम पंचायत वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2016—17 में हैण्डपम्प में व्यय दिनांक 18.04.2016 को रुपया 13000.00 एवं वर्ष 2017—18 में दिनांक 19.08.2017 को हैण्डपम्प पर व्यय रुपया 13500.00 का वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उक्त धनराशियों की वसूली मय ब्याज के तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राज कुमार एवं सचिव श्री देवेन्द्र पालसे की जानी अपेक्षित है

5— ग्राम पंचायत —शहबाजपुर विकास खण्ड —धनीपुर जनपद —अलीगढ़—

प्रस्तर—10—ग्राम पंचायत शहबाजपुर की वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है —

ग्राम पंचायत वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017—18 में हैण्डपम्प रिबोर सामान में व्यय रुपया 16350.00 वाउचर संख्या 22 दिनांक 14.12.2017 का वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उक्त धनराशियों की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन श्री विमलेश देवी (प्रधान) एवं श्री पुष्पेन्द्र कुमार चौधरी (सचिव)की जानी अपेक्षित है।

6— ग्राम पंचायत —सोनोठ गोकुलपुर विकास खण्ड —धनीपुर जनपद —अलीगढ़—

प्रस्तर—11—ग्राम पंचायत सोनोठ गोकुलपुर की वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है —ग्राम पंचायत वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2016—17 में हैण्डपम्प में व्यय दिनांक 31.10.2016 को रुपया 5000.00 का वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उक्त धनराशियों की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री ब्रजमोहन एवं श्री युवराज सिंह, सचिव से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

7— ग्राम पंचायत —भांकरी अहिवासी विकास खण्ड —धनीपुर जनपद —अलीगढ़—

प्रस्तर—12—ग्राम पंचायत भांकरी अहिवासी की वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है —

ग्राम पंचायत वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2016—17 में हैण्डपम्प सामान में व्यय रुपया 8000.00 वाउचर संख्या 3 दिनांक 22.07.2016 का वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उक्त धनराशियों की वसूली मय ब्याज के तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मोरमुकुट एवं श्री रघुवीर सिंह यादव, सचिव से की जानी अपेक्षित है।

8— ग्राम पंचायत —चौमुहां विकास खण्ड —अतरौली जनपद —अलीगढ़—

प्रस्तर —13— दिनांक 2.9.2014 को चेक संख्या 277542 अंकन रु0 30625.00 का बैंक पासबुक के अनुसार हस्तांतरण द्वारा आहरित है जबकि कैश बुक में उक्त का लेखांकन नहीं किया गया है जिससे पूर्णतः स्पष्ट है कि उक्त चेक शिव बिल्डिंग मैटेरियल को निर्गत कर अपहरण किया गया जबकि व्यय पक्ष नहीं दर्शाया

गया और न ही कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध रहा अतः रु0 30625.00 की वसूली मय ब्याज के श्री रईस अहमद तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री प्रताप सिंह तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या –24)

प्रस्तर-14—दिनांक 2.9.2014 को चेक संख्या 275760 अंकन रु0 14702.00 एवं चेक संख्या 277547.00 दिनांक 11.09.14 रु0 8265.00 आय पक्ष में शिव बिल्डिंग मैटेरियल के नाम से निर्गत एवं व्यय पक्ष में शिव बिल्डिंग मैटेरियल द्वारा आहरित दर्शित किया गया है। उक्त धनराशि की कोई सामग्री क्रय करना दर्शाया नहीं गया और न ही कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहे मात्र चेक निर्गत कर धन का अपहरण किया गया। अतः रु0 22967.00 की वसूली मय ब्याज के श्री रईस अहमद तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री प्रताप सिंह तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। (आपत्ति संख्या-25)

प्रस्तर-15— दिनांक 9.9.2014 को दुर्जन के घर से ओम प्रकाश के घर तक इण्टर लॉकिंग खउण्जा एवं नाली निर्माण कार्य कराया जाना दर्शित है जबकि इण्टर लॉकिंग सीमेन्ट ईट का क्रय नहीं किया गया जिस कारण उक्त कार्य होना सम्भव नहीं हैं। अतः रु0 7383.00 मिट्टी कार्टेज रु0 5500.00 कच्चे रोडी रु0 2028.00 मिट्टी बिछाई मजदूरी व रु0 12948.00 मजदूरी भुगतान रु0 36400.00 ईट क्रय भुगतान किया जाना तर्क संगत नहीं है और न ही भुगतानों के व्यय वाउचर व मस्टर रोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये। जिससे स्पष्ट है कि रु0 64259.00 का उक्तानुसार काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया। उक्त कार्य से सम्बन्धित एम0 बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि भी उपलब्ध नहीं रहे। अतः रु0 64259.00 की वसूलीमय ब्याज के श्री रईस अहमद तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री प्रताप सिंह तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। (आपत्ति संख्या –26)

प्रस्तर –16— मार्च 2015 में आय पक्ष का योग गत नगद शेष सहित 230300.00 के स्थान पर 230640.00 अंकित है एवं व्यय पक्ष में रु0 230640.00 का योग दर्शित है। जबकि व्यय पक्ष का योग 230631.00 होता है। आय पक्ष के वास्तविक योग रु0 230300.00 से व्यय रु0 230631.00 का भुगतान होना सम्भव नहीं है अतः रु0 679.00 दिनांक 31.03.2015 के फावड़ा परात खुर्पी झाडू सफाई कार्य हेतु का भुगतान सम्भव नहीं हो सकता रु0 679.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं रहे अतः रु0 679.00 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु0 348.00 का अपहरण किया गया। रु0 348.00 की वसूली मय ब्याज के श्री रईस अहमद तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री प्रताप सिंह तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या –27)

प्रस्तर –17— बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक 01.07.15 चेक संख्या 923640 अंकन रु0 18300.00 को श्री जितेन्द्र कुमार के नाम से निर्गत किया गया जबकि उक्त का लेखांकन कैराबुक में आय एवं व्यय पक्ष में दर्शित नहीं है और उक्त धनराशि से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं रहा जिससे स्पष्ट है कि श्री जितेन्द्र कुमार को चेक निर्गत कर रु0 18300.00 का अपहरण किया गया। अतः रु0 18300.00 की वसूली मय ब्याज के श्री रईस अहमद तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री प्रताप सिंह तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या –28)

9— ग्राम पंचायत —खेड़ा कलियानपुर विकास खण्ड —अतरौली जनपद —अलीगढ़—

प्रस्तर –18— चेक संख्या 767055 दिनांक 29.12.2017 अंकन रु0 11166.00 बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार श्री मानपाल सिंह प्रधान द्वारा आहरित किया गया परन्तु उक्त धनराशि का कैश बुक आहरण अंकित न करते हुए उसके सापेक्ष व्यय दर्शित नहीं किया गया है। उक्त की स्थिति से स्पष्ट है कि रु0 11166.00 का आहरण कर सीधे अपहरण कर लिया गया है। अतः रु0 11166.00 की वसूली मय ब्याज के श्री मानपाल सिंह प्रधान एवं श्री देवेश उपाध्याय ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या –24)

10— ग्राम पंचायत —कनकपुर विकास खण्ड —अतरौली जनपद —अलीगढ़—

प्रस्तर –19— वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार यदि ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसे अपहरण मानते हुए कार्यवाही की जायेगी। ग्राम पंचायत बैजला में प्रिया सापट के अनुसार 2015-16 में 301773.00 रुपये व्यय किया गया है। धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्ष में आहरित

समस्त धनराशियों को अपहरण मानते हुए धनराशि की मय ब्याज के वसूली तत्कालीन प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या -24)

11- ग्राम पंचायत -बैजला विकास खण्ड -अतरौली जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -20- वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार यदि ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसे अपहरण मानते हुए कार्यवाही की जायेगी। ग्राम पंचायत बैजला में प्रिया साफ्ट के अनुसार 2015-16 में 273152.00 रुपये व्यय किया गया है। धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्ष में आहरित समस्त धनराशियों को अपहरण मानते हुए धनराशि की मय ब्याज के वसूली तत्कालीन प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या -24)

12- ग्राम पंचायत -खैराबाद विकास खण्ड -अतरौली जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -21- चेक संख्या 35978 दिनांक 14.09.2017 अंकन रु0 13000.00 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार श्रीमती सुशीला देवी प्रधान द्वारा आहरित किया गया परन्तु उक्त धनराशि का कैश बुक में आहरण अंकित न करते हुए उसके सापेक्ष व्यय दर्शित नहीं किया गया है। उक्त की स्थिति से स्पष्ट है कि रु0 13000.00 का आहरण कर सीधे अपहरण कर लिया गया है। अतः रु0 13000.00 की वसूली मय ब्याज के श्रीमती सुशीला देवी प्रधान एवं श्री देवेश उपाध्याय ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा।
(आपत्ति संख्या -23)

प्रस्तर -22- 31.03.2017 को अन्तिम शेष में नकद शेष प्रधान के पास रु0 7750.00 दर्शित रहा। जिसे वर्ष 2017-18 में 01.04.2017 को प्रधान के पास नकद शेष शून्य दर्शाकर रु0 7750.00 का सीधे अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज के श्रीमती सुशीला देवी प्रधान एवं श्री देवेश उपाध्याय ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा।
(आपत्ति संख्या -24)

13- ग्राम पंचायत -असरोई विकास खण्ड -इगलास जनपद -अलीगढ़- वर्ष 2012-13 से 2017-18

प्रस्तर -23- ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। विवरण निम्न प्रकार है जिनका बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया -

क्रमांक	दिनांक	कोषबही अनुसार भुगतान	धनराशि
1.	24.04.13	चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल	12420.00
2.	11.07.13	चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल	19320.00
3.	05.10.13	चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल	41400.00
4.	14.06.13	सरदार ईट उद्योग	51040.00
5.	24.07.13	सरदार ईट उद्योग	52800.00
6.	22.08.13	सरदार ईट उद्योग	58080.00
7.	03.10.13	सरदार ईट उद्योग	38500.00
8.	19.12.13	सरदार ईट उद्योग	88000.00
9.	17.02.14	सरदार ईट उद्योग	141240.00
10.	30.05.13	हैण्डपम्प सामग्री क्रय	40000.00
योग			542800.00

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 5 के अनुसार फर्मों को 2000.00 से ऊपर के समस्त भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जायेगा लेकिन उक्त समस्त भुगतान ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा नकद रुप से धन आहरण कर अनियमित रुप से नकद किया गया है। अतः उक्त समस्त धनराशि की वसूली मय ब्याज के तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -24- लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में निम्न विवरण अनुसार कृष्णा ईट उद्योग को चेक निर्गत किये गये हैं लेकिन व्यय पक्ष में कृष्णा ईट उद्योग के नाम कोई भुगतान नहीं है। अतः लेखा परीक्षा अनुसार व्यय पक्ष में काल्पनिक भुगतान दर्शाकर, फर्म से ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा सांठ-गांठ कर धन का आहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण

08.04.2013	389641	15000.00	कृष्णा ईट उद्योग
08.04.2013	389642	15000.00	कृष्णा ईट उद्योग
12.02.2014	681416	50000.00	कृष्णा ईट उद्योग
17.02.2014	681445	50000.00	कृष्णा ईट उद्योग
योग		130000.00	

14- ग्राम पंचायत –गुरुसैना विकास खण्ड –इगलास जनपद –अलीगढ़–

प्रस्तर –25– ग्राम पंचायत गुरुसैना की वर्ष 13–14 से 17–18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिसपर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ग्राम पंचायत वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक कोषबही अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है –

	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
निर्माण सामग्री	803656.00	975920.00	146334.00	534393
मिट्टी मजदूरी	307151.00	246778.00	55326.00	154843.00
हैण्ड पम्प	46800.00	12711.00	17600.00	66405.00
योग	1157607.00	1235409.00	219260.00	755641.00

इस प्रकार वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक कुल व्यय 3367917.00 की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय की वसूली मय ब्याज के श्रीमती नीलम एवं श्री जितेन्द्र तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं श्री सरजीत सिंह सचिव से की जानी अपेक्षित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016–17 में व्यय की पुष्टि में कार्ययोजना, एस्टीमेट, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली एम0 बी0 रजिस्टर आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रस्तर–26–लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 में कोषबही अनुसार निम्न विवरणानुसार खड़जा मरम्मत पर व्यय दर्शित है

1.	ओमप्रकाश के मकान से रामफल के मकान तक खड़जा मरम्मत	11.07.14	मिट्टी	4500.00
		11.07.14	खड़जा	3110.00
2.	ननुआ के घर से पोखर तक खड़जा मरम्मत	21.10.14	मिट्टी पर व्यय	8400.00
		28.10.14	खड़जा लगवाई	7154.00
3.	वीरेन्द्र के घर से दीवान प्रसाद के खेत तक खड़जा मरम्मत	10.01.15	मिट्टी पर व्यय	4350.00
			खड़जा पर व्यय	4356.00

कोषबही अनुसार उक्त खड़जा मरम्मत/लगवाने से पूर्व उखड़वाया जाना दर्शित नहीं है जब खड़जा उखड़वाया ही नहीं गया तो वहाँ पर डाली गयी मिट्टी एवं लगवायी पर व्यय फर्जी एवं काल्पनिक है।

अतः उक्त कार्यों पर व्यय 31870.00 की वसूली मय ब्याज के श्रीमती नीलम प्रधान श्री सरजीत सिंह सचिव से की जानी अपेक्षित है। कराये गये कार्य का मस्टरोल/प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रस्तर–27–कोषबही वर्ष 2013–14 के अनुसार दिसम्बर 2013 के व्यय पक्ष का योग 91873.85 अंकित है जबकि लेखा परीक्षा अनुसार व्यय पक्ष का योग 90204.85 होगा। इस प्रकार अन्तर 1669 से नकद शेष कम दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली मय ब्याज के श्रीमती नीलम प्रधान श्री सरजीत सिंह सचिव से की जानी अपेक्षित है।

15- ग्राम पंचायत –बढ़ाकला विकास खण्ड –इगलास जनपद –अलीगढ़–

प्रस्तर –28– ग्राम पंचायत बढ़ाकला वर्ष 2012–13 से 2017–18 की लेखा परीक्षा वर्ष में वर्ष 2012–13 में दिनांक 04.08.12 को एकाउन्ट 33024 (ग्रामनिधि) से कोषबही में चेक नं0 170959, 170960 एवं 170962 से क्रमशः 15000–15000 एवं 10500 का आहरण दर्शाकर ईट क्रय दर्शित है जबकि पास–बुक अनुसार उक्त आहरण माह सितम्बर 2012 में की गयी है जिसकी प्रवृष्टि भी सितम्बर माह की कोषबही में की गयी है। इस प्रकार अगस्त माह में काल्पनिक एवं फर्जी आहरण दर्शाकर खड़जा निर्माण पर फर्जी तरीके से 3500 रु0 व्यय दर्शित है जिसकी वसूली मय ब्याज के तत्कालीनग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -29- लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में दिनांक 06.02.13 एवं 18.02.13 को रामा ब्रिक को (चेक नं० 171027, 28, 29, 30) 15000-15000 के चार चेक निर्गत किये गये हैं कुल 600000.00 के सापेक्ष सामग्री केवल 41400.00 की ही प्राप्त दर्शित है शेष 18600.00 रु० काल्पनिक एवं फर्जी तरीके से अन्य कार्यों पर व्यय दर्शाकर फर्म से मिली भगत कर अन्तर धनराशि 18600.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज के तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -30- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में ग्राम धिधि एकाउन्ट 33024 से दिनांक 03.09.15 एवं 01.09.15 को चेक नं० 116310 एवं 116309 से 5000-5000 का आहरण कर कोषबही में प्रविष्टि नहीं की गयी है न ही उसके उपभोग का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया है अतः उक्त 10000.00 का अपहरण प्रधान एवं सचिव द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -31- कोषबही वर्ष 2012-13 के अनुसार छात्रवृत्ति एकाउन्ट 281 के वर्ष के लेन-देन के पश्चात खाते का शेष 188785 होता है पुष्टि में छात्रवृत्ति खाते की पास बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। न ही 31.03.13 को कोषबही में खाते का अन्तिम शेष लिखा गया है आगे के वर्षों में कोषबही में छात्रवृत्ति खाते का कोई विवरण नहीं दिया गया न ही अवशेष धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस किया गया। इसी प्रकार ग्रामनिधि खाता एकाउन्ट 6853 का बैंक पास-बुक अनुसार शेष 164885.00 दर्शित है वर्ष 2012-13 की कोषबही अनुसार इस खाते से कोई लेन-देन नहीं किया है न अवशेष धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना दर्शित है उक्त खातों की अद्यतन स्थिति का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षानुसार उक्त खातों में गम्भीर अनियमितता प्रतीत होती है। अतः रु० 188785.00 एवं 164885.00 की स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उक्त की वसूली तत्कालीन प्रधान एवं सचिव से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -32- वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 5 के अनुसार 2000.00 रु० से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाय। लेकिन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में लेखा मैनुअल के विपरीत अधिकांश भुगतान नकद किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

क्रमांक	दिनांक	फर्म का नाम/कार्य	धनराशि
1.	10.10.12	चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल	15600.00
2.	29.11.12	गर्ग हार्डवेयर/हैण्डपम्प	45000.00
3.	31.12.12	गर्ग हार्डवेयर/हैण्डपम्प	30000.00
4.	24.02.13	गर्ग हार्डवेयर/हैण्डपम्प	35600.00
5.	12.03.13	गर्ग हार्डवेयर/हैण्डपम्प	45000.00
6.	28.06.13	गर्ग हार्डवेयर/हैण्डपम्प	12000.00
7.	20.12.12	मिट्टी कार्य	40000.00
8.	30.01.13	मिट्टी कार्य	39000.00
योग			262200.00

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त व्ययों का प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार वाउचर न होने पर अपहरण मानते हुए कार्यवाही की जायेगी। अतः 262200.00 की वसूली मय ब्याज के तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

16- ग्राम पंचायत -ब्योहरा विकास खण्ड -इगलास जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -33- ग्राम पंचायत ब्योहरा वर्ष 2012-13 से 2017-18 में दिनांक 01.04.12 को कोषबही अनुसार 7400.00 रु० छात्रवृत्ति मद का नकद अवशेष दर्शित है जिसे वर्ष 2014-15 में 31/03/15 तक कोषबही में नकद अवशेष के रूप में दर्शाया गया है लेकिन वर्ष 2015-16 में छात्रवृत्ति मद का 7400.00 रु० अन्य मद पर अनियमित तरीके से व्यय कर दिया गया है जो गलत है अतः छात्रवृत्ति मद का शेष धनराशि को समाज कल्याण विभाग को वापस किया जाना चाहिए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा में छात्रवृत्ति मद की बैंक पास-बुक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी अतः विभागीय अधिकारियों द्वारा छात्रवृत्ति खाते का सत्यापन कर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन प्रधान एवं सचिव से मय ब्याज के वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -34- लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में ग्राम निध खाता 33334 से दिनांक 17.12.13 को चेक नं0 459512 से एवं दिनांक 03.06.13 को चेक नं0 423667 से 5000-5000 का आहरण किया गया है लेकिन उसकी प्रविष्टि कोषबही में नहीं की गयी न ही उसके उपभाग का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार 10000.00 रु0 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कर लिया गया जिसकी वसूली मय ब्याज के ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -35- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में माह जून 2015 में आय पक्ष का योग 190838 होगा जबकि कोषबही में 185838.00 ही अंकित है। इस प्रकार 5000 से कम आय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

17- ग्राम पंचायत -भटोई विकास खण्ड -इगलास जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -36- ग्राम पंचायत भटोई की वर्ष 2012-13 से 17-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिसपर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में दिनांक 01.04.2012 को छात्रवृत्ति का 5340.00 रु0 नकद अवशेष दर्शित है इस धनराशि को पूरे वर्ष न तो वितरित किया गया न ही खाते में वापस जमा किया गया। इस प्रकार 31.03.13 को भी कोषबही में नकद शेष दर्शित है लेकिन वर्ष 2013-14 की कोषबही में 01.04.2013 को प्रारम्भिक शेष के रूप में नकद शेष छात्रवृत्ति की प्रविष्टि न कर धन का अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली मय ब्याज के श्रीमती शशिदेवी प्रधान श्री हरप्रसाद, ग्रा0पं0 अधि0 से की जानी अपेक्षित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि छात्रवृत्ति खाते की पास-बुक की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

18- ग्राम पंचायत -माकरौल विकास खण्ड -इगलास जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -37- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में एकाउन्ट 2473 से दिनांक 17.06.2010 को 5000.00 का आहरण किया गया है लेकिन इसकी प्रविष्टि कोषबही में नहीं की गयी है न ही इसके उपयोग का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। इस 5000.00 का उपभोग ग्राम पंचायत में न कर व्यक्तिगत हित में किया गया है जिसकी वसूली मय ब्याज के तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -38- दिनांक 29.10.2010 को छात्रवृत्ति एकाउन्ट 231 का बैलैन्स पास-बुक अनुसार 58780.00 है दिनांक 29.10.10 को पुनः 7200.00 रु0 प्राप्ति के बाद बैंक खातेका बैलैन्स 40730.00 अंकित है अन्तर 25250.00 से पास बुक में बैलैन्स कम दर्शित है पुष्टि हेतु बार-बार बैंक खाते का स्टेटमेंट मांगने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे प्रतीत होता है कि अन्तर धनराशि 25250.00 का आहरण कर अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -39- दिनांक 31.05.2010 को छात्रवृत्ति एकाउन्ट 231 से 12675.00 रु0 आहरण कर वितरण दर्शाया गया है लेकिन बैंक पास-बुक में 12675.00 के आहरण के बाद बैलैन्स कम करने के बजाय उक्त धनराशि से बढ़ा दिया गया है पास-बुक का 25.05.10 का बैलैन्स 2105.00 था जो 31.05.10 के आहरण के पश्चात 14780.00 कर दिया गया। लेखा परीक्षा में 12675.00 के छात्रवृत्ति वितरण का कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः खाते का सत्यापन कर वसूली मय ब्याज कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

19- ग्राम पंचायत -सतलौनी कला विकास खण्ड -इगलास जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -40-ग्राम पंचायत सतलौनी कला की वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है -

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में एकाउन्ट 2275 से निम्न विवरण अनुसार धनराशि आहरित कर कोषबही में प्रविष्टि नहीं की गयी। न ही उपभाग का कोई प्रमाण पत्र/साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तु किया गया।

दिनांक	चेक नं0	धनराशि
22.03.2011	39449	5000.00
04.04.2011	204489	8000.00
04.04.2011	204490	12000.00

19.04.2011	39456	5000.00
20.04.2011	39455	5000.00
21.04.2011	39457	5000.00
इसके बाद 22.04.11 से 29.02.12 तक की पास-बुक/स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।		24949.00
योग		64949.00

अतः उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज के श्री रसीद खां प्रधान श्री के० के० शर्मा सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-41—लेखा परीक्षा वर्ष 2010—11 में एम०डी०एम० खाते का 01.04.10 को शेष 105949 तथा वर्ष में प्राप्ति 78165.00 है तथा वर्ष में व्यय 24400.00 (कोषबही अनुसार) तथा शेष 59714.00 विभाग को वापस दर्शित है इस प्रकार एम०डी०एम० मद का 4600.00 रु० अन्य मद पर व्यय कर दिया गया। अतः अनियमित तरीके से व्यय 400.00 को एम०डी०एम० खाते में विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है।

20 –ग्राम पंचायत –गाँधी ग्राम विकास खण्ड –इगलास जनपद –अलीगढ़–

प्रस्तर –42—31.03.13 को कोषबही में छात्रवृत्ति का 4620.00 रु० प्रधान के पास नकद अवशेष दर्शित है लेकिन 2013—14 में उक्त धनराशि को समाज कल्याण विभाग को वापस न कर अन्य मद पर व्यय कर दिया गया है जो अनियमित एवं धन का दुर्विनियोग है। अतः अनियमित तरीके से व्यय 4620.00 रु० को समाज कल्याण विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है।

21– ग्राम पंचायत –विशनपुर विकास खण्ड –इगलास जनपद –अलीगढ़–

प्रस्तर –43—ग्राम पंचायत विशनपुर की वर्ष 12—13 से 17—18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है –

लेखा परीक्षा वर्ष 2012—13 में एस० के० डी० पू० मा० विद्यालय एवं उ० के० डी० प्रा० विद्यालय में विभिन्न दिनांक में 55500.00 की छात्रवृत्ति का विवरण दर्शित है वितरण की पुष्टि में छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर (बाउचर), स्वीकृत सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मई 2012 से छात्रवृत्ति खाते से प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा आहरण एवं वितरण पर विभाग द्वारा रोक लगाकर यह अधिकार प्रधान एवं प्रधानाध्यापक को दे दिया गया था। फिर भी प्रधान एवं सचिव द्वारा नवम्बर 2012 में धन आहरण कर छात्रवृत्ति वितरण करना कोषबही में दर्शित है। अतः वितरित छात्रवृत्ति 55500.00 की वसूली ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के भाग 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार श्रीमती रुबी प्रधान एवं श्री रामप्रकाश परासरं सचिव से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-44—लेखा परीक्षा वर्ष 2012—13 एवं 2013—14 में निम्न विवरण अनुसार फर्मों को चेक तो अधिक धनराशि का निर्गत है जबकि सामग्री क्रम धनराशि की प्राप्त दर्शित है। शेष धनराशि को अन्य कार्यों में काल्पनिक व्यय दर्शाकर अन्तर धनराशि का फर्म से मिलीभगत कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली श्रीमती रुबी प्रधान एवं श्री रामप्रकाश परासरं सचिव से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चेक नं०	फर्म का नाम	धनराशि	भुगतान
22.03.13	431020	श्री राम ईट उद्योग	15000.00	
22.03.13	431021	श्री राम ईट उद्योग	5772.00	33745.00
22.03.13	431017	श्री राम ईट उद्योग	15000.00	25627.00
22.03.13	431019	श्री राम ईट उद्योग	15000.00	
22.03.13	431018	श्री राम ईट उद्योग	15000.00	
योग			65772.00	59372.00
अन्तर धनराशि			5990.00	

प्रस्तर-45—लेखा परीक्षा वर्ष 2013—14 में ग्राम निधि एकाउन्ट 33185 से दिनांक 27.06.13 को चेक नं० 431047 से 5000.00 रु० आहरण कर कोषबही में प्रविष्ट नहीं की गयी। न ही उसके उपभोग का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। अतः 5000.00 रु० वसूली लेखा परीक्षा वर्ष 2013—14 में ग्राम निधि एकाउन्ट 33185 से दिनांक 27.06.13 को चेक नं० 431047 से 5000.00 रु० आहरण कर कोषबही में प्रविष्ट नहीं की गयी। न ही उसके उपभोग का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। अतः रु० 5000.00 की वसूली श्रीमती रुबी प्रधान एवं श्री रामप्रकाश परासरं सचिव से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-46—ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायत कोषबही अनुसार 610700.00 रु० का व्यय दर्शित है दर्शित व्यय की पुष्टि में बाउचर के अलावा कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, एस्टीमेट, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, सी० आर० एम० बी० आदि भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः वर्ष में कुल व्यय 610700.00 की वसूली श्रीमती रुबी प्रधान एवं श्री रामप्रकाश परासरं सचिव से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-47—लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में प्रस्तुत मस्टरोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर एवं नाम अंकित नहीं पाये गये। मात्र उपस्थिति दर्शाकर भुगतान की धनराशि दर्शायी गयी है बिना मजदूरों के नाम एवं हस्ताक्षर के मस्टरोल पर प्रधान/सचिव द्वारा पेड एण्ड कैन्सिल लिखकर हस्ताक्षर किया गया है अतः निम्न विवरण अनुसार किया गया भुगतान काल्पनिक एवं फर्जी है —

पंचायत घर मरम्मत एम० आर०-5— 20400.00, एम० आर०-8 — 54925.00 कुल रु० 75325.00

इस प्रकार जब मस्टरोल काल्पनिक एवं फर्जी है तो क्रय सामग्री का भी उपयोग भी ग्राम पंचायत में नहीं हुआ। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके अलावा भी जो कार्य वर्ष में ग्राम पंचायत में कराये गये हैं उनके बाउचर, एस्टीमेट, वित्तीय स्वीकृत, टेण्डर/कुटेशन की पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः वर्ष में कुल व्यय 440125.00 की वसूली श्रीमती रुबी प्रधान एवं श्री रामप्रकाश परासरं सचिव से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

22— ग्राम पंचायत —बलरामपुर करथला विकास खण्ड —इगलास जनपद —अलीगढ़—

प्रस्तर —48—ग्राम पंचायत बलरामपुर करथला की वर्ष 12-13 से 17-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में कोषबही अनुसार 532884.00 रु० व्यय दर्शित है व्यय की पुष्टि में बाउचर के अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, एस्टीमेट, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, एम० बी० भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः वर्ष 2016-17 में कुल व्यय 532884.00 की वसूली मय ब्याज के श्री हिमांशु कुमार (प्रधान) श्री रामप्रकाश पाराशर (ग्रा० पं० अ०) से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-49—लेखा परीक्षा वर्षों में कतिपय तिथियों/माहों में फर्मों को निम्न विवरण अनुसार चेक तो अधिक धनराशि का निर्गत किया गया है जबकि सामग्री कम धनराशि की प्राप्त दर्शित है शेष धनराशि को अन्य कार्यों में काल्पनिक व्यय दर्शाकर अन्तर धनराशि का फर्म से मिली भगत कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली मय ब्याज के श्री हिमांशु कुमार (प्रधान) श्री रामप्रकाश पाराशर (ग्रा० पं० अ०) से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चेक नं०	फर्म का नाम	धनराशि	भुगतान	अन्तर
11.03.13	327151	श्री राम ईट उद्योग	8375	10744.00	
11.03.13	150	श्री राम ईट उद्योग	15000	18487.00	
11.03.13	327151	श्री राम ईट उद्योग	8375.00		
11.03.13	327150	श्री राम ईट उद्योग	15000.00		
20.03.13	327159	श्री राम ईट उद्योग	15000.00	59670.00	
20.03.13	327160	श्री राम ईट उद्योग	15000.00		
20.03.13	327161	श्री राम ईट उद्योग	3263.00		
20.03.13	327156	श्री राम ईट उद्योग	15000.00		
20.03.13	327157	श्री राम ईट उद्योग	15000.00		
20.03.13	327158	श्री राम ईट उद्योग	15000.00		
22.03.13	327155	श्री राम ईट उद्योग	9180.00		
			110818.00	98091.00	12737.00
13.03.13	327149	ओम बिल्डिंग मैटे०	14400.00	2280.00	
25.03.13	327167	ओम बिल्डिंग मैटे०	11400.00	15820.00	
25.03.13	327168	ओम बिल्डिंग मैटे०	10280.00	1710.00	
			36080.00	19810.00	16270.00

16.12.14	834576	श्री राम ईट उद्योग	278000.00	31200.00(18.12.14)	
17.12.14	834578	श्री राम ईट उद्योग	15000.00		
			42800.00	31200.00	11600.00
18.04.15	464593, 94, 95, 96 (4 ग1500)	श्री राम ईट उद्योग	60000.00	57200.00	2800.00
कुल अन्तर					43407.00

प्रस्तर-50—31.03.13 को छात्रवृत्ति खाते का शेष कोषबही में 35900.00 दर्शित है पुष्टि में छात्रवृत्ति खाते की पास-बुक उपलब्ध नहीं करायी गयी न ही अवशेष धनराशि की प्रविष्टि आगे कोषबही में भी नहीं की गयी है। खाता निष्क्रिय होने के बाद भी अवशेष धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस न करना गम्भीर रूप से अपत्तिजनक एवं राजकीय धन का दुरुपयोग है विभागीय अधिकारियों द्वारा उक्त धनराशि को अविलम्ब सम्बन्धित विभाग को वापस कराया जाना चाहिए।

प्रस्तर-51—लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में प्रस्तुत मस्टरोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर एवं नाम अंकित नहीं पाये गये। मात्र उपस्थिति दर्शाकर भुगतान की धनराशि मस्टरोल पर दर्शायी गयी है। बिना मजदूरों के नाम एवं हस्ताक्षर के मस्टरोल पर प्रधान/सचिव द्वारा पेड्स कैंसिल लिखकर हस्ताक्षर किया गया है अतः निम्न विवरण अनुसार किया गया भुगतान काल्पनिक एवं फर्जी है।

क्रम	विवरण	एम0 आर0	धनराशि
1.	अनिल के घर से कन्हैया के घर तक इण्टरलॉक नाली	10	24875.00
2.	बनी सिंह के घर से रमेश के घर तक इण्टरलॉक नाली	19	21225.00
3.	कन्हैया के घर से बनी के घर तक इण्टरलॉक नाली	24	28325.00
4.	रमेश के घर से अशोक के घर तक इण्टरलॉक नाली	27	37350.00
5.	टोडर सिंह के घर से शंकर के घर तक इण्टरलॉक नाली	40	66300.00
6.	कन्हैया के घर से हरिराम के घर तक इण्टरलॉक नाली	43	3375.00
7.	राजपाल के घर से राजकुमार के घर तक इण्टरलॉक नाली	48	16250.00

इस प्रकार जब मस्टरोल फर्जी एवं काल्पनिक हैं तो क्रय सामग्री का भी उपभोग ग्राम पंचायत में नहीं हुआ। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष में कराये गये उक्त कार्यों की कार्ययोजना एस्टीमेट, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, सी0 आर0, एम0बी0, आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः वर्ष में कराये गये निर्माण कार्यों पर कुल व्यय 1646098.00 की वसूली मय ब्याज के श्री हिमांशु कुमार (प्रधान) श्री रामप्रकाश पाराशर (ग्रा0 पं अ0) से की जानी अपेक्षित है।

23- ग्राम पंचायत -कानचिरौली विकास खण्ड -इगलास जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -52—ग्राम पंचायत कानचिरौली की वर्ष 2016-17 से 17-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है -

ग्राम पंचायत एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में कोषबही अनुसार कुल 388052.00 व्यय दर्शित है लेकिन व्यय की पुष्टि में बाउचर कार्ययोजना एस्टीमेट-टेण्डर/कुटेशन सी0 आर0 एम0बी0 आदि ले0 प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः वर्ष में कुल व्यय 388052 की वसूली मय ब्याज के श्री धर्मवीर भारती प्रधान श्री रामप्रकाश पाराशर (ग्रा0 पं0 अधि0)से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-53—लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में प्रस्तुत मस्टरोल पर मजदूरों के नाम एवं हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। मात्र मस्टरोल पर उपस्थिति दर्शाकर, भुगतान की धनराशि दर्शायी गयी है बिना मजदूरों के नाम एवं हस्ताक्षर के मस्टरोल पर प्रधान/सचिव द्वारा पेड एण्ड कैंसिल लिखकर हस्ताक्षर के प्रस्तुत मस्टरोल काल्पनिक एवं फर्जी हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

क्रमांक	विवरण	मस्टरोल	धनराशि
1.	ग्रा0 वि0 में शैचालय निर्माण एवं मरम्मत	25	15000.00
		27	12750.00
		30	10200.00

2.	कुमरपाल के घर से ओंकार सिंह के घर तक इण्टरलॉक एवं नाली	11	12750.00
		12	7300.00
3.	इण्टरलॉकिंग एवं नाली (स्थान का नाम एम0 आर0 पर अंकित नहीं)	17	31825.00

इस प्रकार जब मस्टरोल जब मस्टरोल फर्जी एवं काल्पनिक है तो उक्त कार्य हेतु क्रय सामग्री का उपभाग भी ग्राम पंचायत में नहीं हुआ है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष में कराये गये कार्यों की स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर, एस्टीमेट, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, सी0 आर0, एम0 बी0 भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्ष में कुल व्यय 570000.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली मय ब्याज के श्री धर्मवीर भारती प्रधान श्री रामप्रकाश पाराशर (ग्रा0 पं0 अधि0)से की जानी अपेक्षित है।

24- ग्राम पंचायत -सिकन्दरपुर विकास खण्ड -अकराबाद जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -54-लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 व 2017-18 में कोषबही अनुसार ओमकार के कोने से बाबू सिंह के पास पुलिया तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण पर निम्न विवरण अनुसार व्यय किया गया है व्यय की पुष्टि में बाउचर मस्टरोल, एस्टीमेट, कार्य की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कार्ययोजना, एम0 बी0, सी0 आर0, आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दशायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। अतः कार्य पर कुल व्यय 902324.00.00 की वसूली मय ब्याज के तत्कालीन प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

व्यय का विवरण

सामग्री -	698164.00
मिट्टी -	99900.00
मस्टरोल-	104260.00
योग -	902324.00

25- ग्राम पंचायत -राजीपुर विकास खण्ड -अकराबाद जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -55- पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार 2000.00 रु0 से अधिक का भुगतान एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से किया जायेगा लेकिन लेखा वर्ष में प्रधान/सचिव द्वारा 50000 - 50000 रुपये नकद निकालकर अनियमित तरीके से फर्मी को नकद भुगतान किया गया है जो मगभीर रूप से आपत्तिजनक एवं लेखा मैनुअल का उल्लंघन है जैसे -

02.08.17	माँ बिल्डिंग मैटेरियल	19262.00
14.08.17	माँ बिल्डिंग मैटेरियल	11479.00
14.08.17	माँ बिल्डिंग मैटेरियल	42183.00
02.08.17	जाहर ईट उद्योग	17143.00
09.08.17	मिट्टी कार्य हेतु भुगतान	20773.00
		110840.00

प्रस्तर-56-लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 02.07.2017 से 09.07.2017 तक धीरज के घर से महीपाल के घर तक इण्टरलॉक एवं नगला बिलौटी में दिनांक 04.07.17 से 11.07.17 तक सी0सी0 रोड से धीरज जाटव तक इण्टरलॉक कार्य होना दर्शित है लेकिन मस्टरोल पर निम्न विवरण अनुसार मजदूर एक साथ (दिनांक 04.07.17 से 09.07.17 तक) कार्य करते दर्शित है -

क्रमांक	मजदूर का नाम	दिनांक	धनराशि
1	रामकुमार पुत्रधान सिंह	04.07.17 से 09.07.17	6 ग 450 = 2700
2	रमेशपुत्रजगन	04.07.17 से 09.07.17	6 ग 450 = 2700
3	पवनपुत्र रामप्रसाद	04.07.17 से 09.07.17	6 ग 450 = 2700
4	शिवकुमार पुत्र भगवान	04.07.17 से 09.07.17	6 ग 450 = 2700
5	राजवीर पुत्र तेजपाल	04.07.17 से 09.07.17	6 ग 450 = 2700
6	भगवती पुत्र विपतीलाल	04.07.17 से 09.07.17	6 ग 175 = 1050
7	शिवशंकर पुत्र ठाकुरदास	04.07.17 से 09.07.17	6 ग 175 = 1050
8	रमेश पुत्र मनोहर	04.07.17 से 09.07.17	6 ग 175 = 1050
9	धारा पुत्र मानसिंह	04.07.17 से 08.07.17	5 ग 175 = 875

10	भूरीसिंह पुत्र घूरीराम	04.07.17 से 08.07.17	5 ग 175 = 875
11	प्रेमचन्द पुत्र होतीलाल	04.07.17 से 08.07.17	5 ग 175 = 875
12	नसरुद्दीन पुत्र चाँद खाँ	04.07.17 से 08.07.17	5 ग 175 = 875
13	मुकेश पुत्र मोहनलाल	04.07.17 से 09.07.17	6 ग 175 = 1050
14	गिराज पुत्र मटरुमल	04.07.17 से 09.07.17	6 ग 175 = 1050
15	डोरीलाल पुत्र रामजीत	04.07.17 से 09.07.17	6 ग 175 = 1050
16	अनिल पुत्र रामनिवास	04.07.17 से 09.07.17	6 ग 175 = 1050
योग			24350

चूँकि दोनों कार्यों पर एक ही मजदूर एक साथ कार्य करते दर्शित हैं अतः उनमें से एक कार्य पर किया गया समस्त भुगतान काल्पनिक एवं फर्जी है। नगला बिलौठी में सी0 सी0 रोड से धीरज जाटव तक का कार्य बाद में होना दर्शित है अतः उक्त कार्य पर कुल व्यय 195290.00 की वसूली मय ब्याज के ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

26— ग्राम पंचायत —कीरतपुर विकास खण्ड —अकराबाद जनपद —अलीगढ़—

प्रस्तर —57— दिनांक 07.04.17 को चेक नं0 371640.00 से ग्राम निधि एकाउन्ट से 1400.00 का आहरण ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है लेकिन इसकी प्रविष्टि कोषबही में नहीं की गयी है, न ही इसके उपभोग का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। अतः अंकन 1400.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कर लिया गया, जिसकी वसूली मय ब्याज के ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

27— ग्राम पंचायत —शाहगढ़ विकास खण्ड —अकराबाद जनपद —अलीगढ़—

प्रस्तर —58—ग्राम पंचायत शाहगढ़ की वर्ष 2016—17 व 17—18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है —

लेखा परीक्षा वर्ष 2016—17 में दिनांक 01.02.2017 को चेक नं0 264438.00 से जयशिव बिल्डिंग मैटेरियल को पास—बुक अनुसार 200000.00 (दो लाख) का भुगतान दर्शित है लेकिन इसकी प्रविष्टि कोषबही में नहीं की गयी है न ही उसके उपभोग का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार उक्त धनराशि से क्रय सामग्री का उपभोग ग्राम पंचायत में किया ही नहीं गया। अतः दो लाख की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—59—लेखा परीक्षा वर्ष 2016—17 एवं 2017—18 में कोषबही अनुसार ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार व्यय दर्शित है —

क्रम सं0	मह	विवरण	चेक नं0	धनराशि	भुगतान	अन्तर
1.	जनवरी 2017	मै0 जय शिव बिल्डिंग मैटे0	264437	252600.00	198500.00	54100— एम0आर0
2.	फरवरी 2017	मै0 आर्या इण्टरलॉक ब्रिक उद्योग	26443	229625.00	576766.00	56859— एम0आर0
		मै0 आर्या इण्टरलॉक ब्रिक उद्योग	264434	404000.00		
3.	मार्च 2017	मै0 आर्या इण्टरलॉक ब्रिक उद्योग	264442	346865.00	323609.00	410785
		मै0 आर्या इण्टरलॉक ब्रिक उद्योग	264443	387529.00		
4.	जून 2017	मै0 आर्या इण्टरलॉक ब्रिक उद्योग	264458	685587.00	621667.00	63920— एम0आर0
5.	अप्रैल 2017	सॉई बाबा ट्रेडर्स	264451	231000.00	234410.00	48590— एम0आर0
			264452	52000.00		
6.	अगस्त 2017	राधे इण्टरलॉक ब्रिक उद्योग	476088	27982.00	—	हैण्डपम्प

7.	अगस्त 2018	वी0 पी0	476097	406525.00	1463577.00	150400— एम0आर0
		इण्टरप्राइजेज	476096	401227.00		
			476098	806225.00		

क्रम सं0 —1 पर अंकित फर्म जयशिव बिल्डिंग मैटेरियल को भुगतान अंकन 252600.00 के सापेक्ष 198500.00 की सामग्री प्राप्त दर्शित है इसी प्रकार क्रम सं0 2 पर दर्शित फर्म आर्या इण्टरलॉक ब्रिक उद्योग को भुगतान 2053606.00 के सापेक्ष 1522042.00 की सामग्री प्राप्त दर्शित है। क्रमांक 3 पर साँई बाबा ट्रेड्स को भुगतान 283000.00 के सापेक्ष 234410.00 की सामग्री प्राप्त क्रमांक 4 पर राधे इण्टरलॉक को भुगतान 27982.00 के सापेक्ष कोई सामग्री प्राप्त नहीं तथा क्रमांक 5 पर वी0 पी0 इण्टरप्राइजेज को भुगतान 1613977.00 के सापेक्ष 1463577.00 की ही सामग्री मात्र प्राप्त दर्शित है शेष धनराशियों को मस्टरोल एवं अन्य फर्मों को काल्पनिक भुगतान दर्शाया गया है उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में जो कार्य होना दर्शाया गया है वह वास्तव में हुआ ही नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 14 वें वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य की अलग-अलग फाइल तैयार की जायेगी जिसमें कार्ययोजना, कार्य की वित्तीय, तकनीकी स्वीकृत, एस्टीमेट, टेण्डर/कुटेशन, सी0 आर0 आदि संलग्न होंगे लेकिन लेखा परीक्षा में कोई वर्क-फाइल प्रस्तुत नहीं की गयी। इस प्रकार उक्त फर्मों को कुल 4231165.00 का किया गया भुगतान फर्म, ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मिली भगत कर अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज के ग्राम प्रधान एवं सचिव से मय-ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

28— ग्राम पंचायत —पैराई विकास खण्ड —चण्डौस जनपद —अलीगढ़—

प्रस्तर—60—ग्राम पंचायत पैराई की वर्ष 2014-15 से 17-18 तक की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गम्भीर वित्तीय प्रकरण प्रकाश में आये। जिनकी ओर जाँच उपरान्त आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है —

ग्राम पंचायत की कैशबुक वर्ष 2014-15 में दिनांक 19.08.2014 में ग्राम पंचायत के निधि प्रथम खाते से आहरण रु0 29400.00 दर्शित है, जबकि बैंक खाते के स्टेटमेंट के अनुसार उक्त धन खाता संख्या 032778197709 में हस्तान्तरित हुआ है अर्थात् एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से भुगतान हुआ है। इस भुगतान के सापेक्ष व्यय पक्ष में प्रमाणक संख्या-8 द्वारा सिंह ईट उद्योग से ईट क्रय रु0 29400.00 दर्शित है। परन्तु जाँच में पाया गया कि उक्त धन जिस खाते में हस्तान्तरित हुआ है वह खाता सिंह ईट उद्योग का नहीं है क्योंकि सिंह ईट उद्योग का खाता सं0 011586202248 है। अर्थात् उक्त धन का भुगतान सिंह ईट उद्योग को नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दर्शित ईट क्रय का व्यय काल्पनिक है क्योंकि भुगतान सिंह ईट उद्योग के बजाय किसी अन्य पार्टी को किया गया है। इसके अलावा यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि उक्त खाता संख्या-032778197709 की पार्टी को दिया गया भुगतान रु0 29400.00 के सापेक्ष जो भी सामग्री प्राप्त की गई होगी उसका उपभोग ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में नहीं किया गया है। इस प्रकार रु0 29400.00 राजकीयधन/स्टाक का अपहरण किया गया है इसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गिरधारीलाल व तत्कालीन सचिव श्री किरान लाल उत्तरदायी व दोषी हैं। अतः उक्त रु0 29400.00 की वसूली मय प्रचलित ब्याज दर से तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या— 3)

प्रस्तर—61— उपरोक्त के क्रम में दिनांक 27.08.2014 को प्रमाणक संख्या 09 द्वारा रु0 10200.00 की खड़जा लगाई का व्यय दर्शाया गया है। खड़जा लगाई हेतु जो ईट क्रय प्रमाणक संख्या —0 द्वारा दर्शाया गया है वह काल्पनिक है अर्थात् ईट क्रय हुआ ही नहीं है तो खड़जा लगाई का व्यय भी काल्पनिक माना जायेगा। अतः रु0 10200.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गिरधारी लाल व तत्कालीन सचिव श्री किशन लाल से मय प्रचलित सूद के कराई जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या —4)

प्रस्तर —62—दिनांक 26.08.2014 को रु0 400.00 व रु0 1000.00 का भुगतान चेक के माध्यम से डी0पी0आर0ओ0 को पंचायत कर के रूप में भुगतान किया गया है। जबकि कैशबुक के अनुसार पूरे वित्तीय वर्ष में पंचायत कर की वसूली शून्य है। जब पंचायत कर की वसूली नहीं हुई है तो पंचायत कर का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट नहीं हुआ। पंचायत कर का भुगतान प्राप्त राजकीय अनुदान से करना राजकीय धन का दुरुपयोग है। अतः उक्त रु0 1400.00 का किया गया भुगतान गलत है। अतः इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से मय ब्याज के कराई जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या —5)

प्रस्तर —63—दिनांक 20.10.2014 को ग्राम पंचायत के चेक संख्या 471045 से रु0 30000.00 श्री धनेश कुमार शर्मा को चेक 031063729632 के माध्यम से भुगतान किया गया है जबकि इस भुगतान के सापेक्ष

व्यय पक्ष में सिंह ईट उद्योग से रु0 30000.00 की ईट क्रय दर्शाया गया है। जो कि काल्पनिक है क्योंकि जब भुगतान श्री धनेश कुमार शर्मा को किया गया है तो सिंह ईट उद्योग से खरीद कैसे सम्भव है। तथा श्री शर्मा को किये गये भुगतान के सापेक्ष जो भी सामग्री क्रय की गई होगी उस सामग्री का उपभोग ग्राम पंचायत में नहीं किया गया है अर्थात् काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय ध्यान/स्टाक का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गिरधारी लाल व तत्कालीन सचिव श्री किशन लाल दोषी व उत्तरदायी । अतः रु0 30000.00 की वसूली मय प्रचलित सूद के तत्कालीन प्रधान व तत्कालीन सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या -6)

प्रस्तर -64- कैशबुक में दिनांक 27.10.2014 को ग्राम पंचायत के खाते से आहरण रु0 18000.00 दर्शित है जबकि बैंक खाते के स्टेटमेंट के अनुसार उक्त धन, खाता संख्या 011586202248 में हस्तान्तरित हुआ है। यह खाता सिंह ईट उद्योग का है अर्थात् उक्त धन का भुगतान सिंह ईट उद्योग को किया गया है। कैशबुक में उक्त धन का व्यय माह अक्टूबर-14 में नहीं दर्शाया गया है माह अक्टूबर-14 के अन्त में रु0 18255.00 का रोकड़ दर्शाया गया है। जिसे माह नवम्बर -14 में रोकड़ अवशेष रु0 18255.00 के सापेक्ष दि0 07.11.14 में नाली निर्माण मजदूरी के रूप में रु0 10000.00 व हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय व मजदूरी भुगतान के रूप में रु0 7500.00 का व्यय दर्शाया गया है, जो कि काल्पनिक है। क्योंकि यहाँ स्पष्ट है कि जब रु0 18000.00 का भुगतान सिंह ईट उद्योग के खाते में किया गया था तो उस धन से नाली निर्माणा की मजदूरी व हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय व मजदूरी का भुगतान कैसे संभव है अर्थात् दर्शित व्यय काल्पनिक हैं। एवं उक्त रु0 18000.00 का जो भुगतान सिंह ईट उद्योग के खाते में किया गया है, उससे प्राप्त सामग्री का उपभोग ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त रु0 18000.00 राजकीय/धन स्टाक का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गिरधारी लाल व तत्कालीन सचिव श्री किशन लाल दोषी व उत्तरदायी हैं अतः उक्त रु0 18000.00 की वसूली मय प्रचलित ब्याज दर से तत्कालीन प्रधान व तत्कालीन सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या -7)

प्रस्तर -65- कैशबुक में दिनांक 08.01.2015 में रु0 25000.00 ग्राम पंचायत के खाते से आहरण दर्शित है जबकि बैंक खाते के स्टेटमेंट के अनुसार उक्त धन क्रमशः खाता संख्या 031063729632 व 034231912900 में हस्तान्तरित हुआ है। उक्त में पहला खाता श्री धनेश कुमार शर्मा व दूसरा खाता किसी अन्य पार्टी का है। अर्थात् उक्त दोनों ही खाते सिंह ईट उद्योग के नहीं हैं। जबकि उक्त दोनों की भुगतानों के सापेक्ष व्यय पक्ष में सिंह ईट उद्योग से ईट क्रय करना दर्शाया गया है, जो कि पूरी तरह से काल्पनिक है क्योंकि जब भुगतान किसी अन्य पार्टियों को किया गया है तो उसके सापेक्ष सिंह ईट उद्योग से ईट क्रय कैसे हो सकती है इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त दोनों ही भुगतानों से प्राप्त सामग्री का उपभोग ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में नहीं किया गया है अर्थात् उक्त भुगतान 45000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गिरधारी लाल व तत्कालीन सचिव श्री किशन लाल दोषी व उत्तरदायी हैं अतः उक्त रु0 45000.00 की वसूली मय प्रचलित ब्याज दर से तत्कालीन प्रधान व तत्कालीन सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या -8)

प्रस्तर -66- कैशबुक में दिनांक 16.02.2015 में रु0 30000.00 रु0 30000.00 व रु0 50000.00 ग्राम पंचायत के खाते से आहरण दर्शित है जबकि बैंक खाते के स्टेटमेंट के अनुसार उक्त धन खाता संख्या 031063729632 में हस्तान्तरित हुआ है। जिस खाते में धन हस्तान्तरित हुआ है वह खाता श्री धनेश कुमार शर्मा का है। अर्थात् उक्त तीनों ही भुगतान श्री शर्मा को किये गये हैं जबकि उक्त प्रथम दो भुगतानों के सापेक्ष व्यय पक्ष में सिंह ईट उद्योग से रु0 30000.00 व रु0 30000.00 की ईट क्रय करना दर्शाया गया है एवं तीसरे भुगतान रु0 5000.00 के सापेक्ष हैण्डपम्प मरम्मत व्यय दर्शाया गया है, जो कि पूरी तरह से काल्पनिक है क्योंकि जब भुगतान किसी अन्य पार्टियों को किया गया है तो उसके सापेक्ष सिंह ईट उद्योग से ईट क्रय व हैण्डपम्प मरम्मत कैसे हो सकती है इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त तीनों ही भुगतानों से प्राप्त सामग्री का उपभोग ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में नहीं किया गया है अर्थात् उक्त भुगतान 65000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गिरधारी लाल व तत्कालीन सचिव श्री किशन लाल दोषी व उत्तरदायी हैं अतः उक्त रु0 65000.00 की वसूली मय प्रचलित ब्याज दर से तत्कालीन प्रधान व तत्कालीन सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या -9)

प्रस्तर -67- वित्तीय वर्ष 2015-16 के माह मई-2015 में प्रारम्भिक रोकड़ शेष रु0 1049.00 दर्शित है तथा दिनांक 02 मई में रु0 33000.00 का आहरण दर्शित है। इन दोनों के सापेक्ष व्यय पक्ष में प्रमाणक संख्या-09 द्वारा रु0 4000.00 का व्यय, हैण्डपम्प मरम्मत के रु9 में दर्शित है। इसके अलावा और कोई व्यय नहीं दर्शित है। माह मई-15 के अन्त में रोकड़ शेष रु0 349.00 दर्शाया गया है जो अगले माह जून-15 का प्रारम्भिक शेष दर्शाकर आगे की कैशबुक तैयार की गई है। यहाँ स्पष्ट करना है कि आय पक्ष में आहरण रु0 33000.00 को आय पक्ष का योग करते समय इसकी गणना 3000.00 के रूप में की गई है। इस प्रकार योग में रु0 30000.00 का अन्तर किया गया है। इसके अलावा ऑडिट जाँच में पाया गया कि दर्शित आहरण रु0 33000.00 वास्तविक रूप में आहरण नहीं है यह धन खाता संख्या 011586202248 में हस्तान्तरित है। यह खाता सिंह ईट उद्योग का है अर्थात् उक्त रु0 33000.00 का भुगतान सिंह ईट उद्योग को किया गया है। जिसके सापेक्ष व्यय पक्ष में नकद व्यय +0 4000.00 हैण्डपम्प मरम्मत के रूप में दर्शाया गया है, जो पूरी तरह से काल्पनिक है क्योंकि जब भुगतान सिंह ईट उद्योग के खाते में चला गया तो हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान किसी प्रकार से सम्भव ही नहीं था। अर्थात् काल्पनिक व्यय दर्शाया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस पार्टी को भुगतान किया गया था तथा उसके सापेक्ष जो सामग्री प्राप्त की गई थी उसका उपभोग ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में नहीं किया गया है इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त धन रु0 33000.00 का अपहरण किया गया है। इसके अलावा रोकड़ शेष रु0 1049.00 को कम कर रु0 349.00 दर्शाकर रु0 700.00 का भी अपहरण किया गया है इस प्रकार कुल रु0 33700.00 का अपहरण हुआ है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गिरधारी लाल व तत्कालीन सचिव श्री किशन लाल दोषी व उत्तरदायी हैं अतः उक्त रु0 33700.00 की वसूली मय प्रचलित ब्याज दर से तत्कालीन प्रधान व तत्कालीन सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या -10)

प्रस्तर-68- दिनांक 18.08.15 को ग्राम पंचायत के चेक संख्या 471080 से रु0 20000.00 का हस्तान्तरण श्री धनेश कुमार शर्मा के खाता संख्या 031063729632 में हुआ है अर्थात् श्री शर्मा को चेक के माध्यम से भुगतान किया गया है। जबकि इस भुगतान के सापेक्ष व्यय पक्ष में सिंह ईट उद्योग से रु0 20004.00 की ईट क्रय दर्शाया गया है। जो कि काल्पनिक है क्योंकि जब भुगतान श्री धनेश कुमार शर्मा को किया गया है तो सिंह ईट उद्योग से खरीद कैसे सम्भव है तथा श्री शर्मा को किये गये भुगतान के सापेक्ष जो भी सामग्री क्रय की गई होगी उस सामग्री का उपभोग ग्राम पंचायत में नहीं किया गया है अर्थात् काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय धन/स्टाक का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गिरधारी लाल व तत्कालीन सचिव श्री किशन लाल दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः रु0 20004.00 की वसूली मय प्रचलित ब्याज दर से तत्कालीन प्रधान व तत्कालीन सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या -11)

प्रस्तर -69- ग्राम पंचायत के "वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर सं0- में अंकित व्यय के सामान्य सिद्धान्त के बिन्दु पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रु0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाय।" लेकिन कैशबुक की जाँच व प्रमाणकों के मिलान में पाया गया कि अनेक तिथियों में रु0 2000.00 से अधिक की सामग्री क्रय का भुगतान नकद में किया गया है जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	प्रमाणक संख्या	नाम सामग्री	भुगतान की राशि
2014-15	14	ईट खरीद	रु0 10000.00
2014-15	07	ईट खरीद	रु0 16000.00
2014-15	14	सीमेन्ट व बदरपुर	रु0 10017.00
2014-15	18	ईट खरीद	रु0 25000.00
2014-15	25	ईट खरीद	रु0 15000.00
2015-16	04 + 05	सीमेन्ट व रोड़ी खरीद	रु0 30004.00
2015-16	06	ईट खरीद	रु0 15002.00
2015-16	12	ईट खरीद	रु0 20004.00
2015-16	13	ईट खरीद	रु0 7503.00
योग			148530.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि दर्शित क्रय मूल्य व भुगतान दोनों ही काल्पनिक हैं। दर्शित खरीद का भुगतान चेक से क्यों नहीं किया गया। नकद भुगतान क्यों किये गये। विभागीय निर्देशों व नियमानुसार रु0 2000.00 से अधिक की सामग्री खरीद का भुगतान सम्बन्धित पार्टी को एकाउन्ट पेयी चेक

से किया जाना था। इस प्रकार स्पष्ट है कि दर्शित खरीद व उसका भुगतान कात्पनिक रूप से दर्शाकर राजकीय धन का बन्दरबॉट किया गया है। इसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गिरधारी लाल व तत्कालीन सचिव श्री किशन लाल दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित नकद भुगतान कुल रु0 148530.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गिरधारी लाल व तत्कालीन सचिव श्री किशन लाल से करायी जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या -12)

29- ग्राम पंचायत -ताजपुर विकास खण्ड -चण्डौस जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -70- उ0 प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में रु0 910690.00 व लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में रु0 279600.00 (कुल रु0 1190290.00) कोष बही अनुसार व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्वीकृति कार्य योजना तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु0 910690.00 वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु0 279600.00 (कुल रु0 1190290.00) की वसूली मय ब्याज के ग्राम प्रधान श्री कुलदीप शर्मा व ग्राम पंचायत सचिव श्री शांति लाल से की जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है।

30- ग्राम पंचायत -चण्डौस विकास खण्ड -चण्डौस जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -71- शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010, दिनांक 21 मार्च 2012 व शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010, दिनांक 29 मई 2015 के द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज राजकोष में जमा करा दिया जाये। ग्राम पंचायत चण्डौस में वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक रु0 349242.00 का ब्याज अर्जित किया गया है। अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा न कर वित्तीय वर्ष 2017-18 रु0 349242.00 ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों में व्यय कर लिया गया जो गम्भीर अनियमितता एवं शासनादेश की अवहेलना है। इसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती विभा चौहान एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राज कुमार दोषी एवं उत्तरदायी हैं। विभागीय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (आपत्ति संख्या -23)

प्रस्तर -72- उ0 प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में रु0 4167068.00 एवं लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में रु0 3270499.00 (कुल रु0 7437567.00) कोष बही अनुसार व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्वीकृति कार्य योजना तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति एस्टीमेट टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु0 4167068.00 वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु0 3270499.00 (कुल रु0 7437567.00) की वसूली मय ब्याज के ग्राम प्रधान श्री यासीन खाँ एवं श्रीमती विभा चौहान व ग्राम पंचायत सचिव श्री शांतिलाल से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या -24)

31- ग्राम पंचायत -मढ़की विकास खण्ड -चण्डौस जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -73- दिनांक 21.06.17 को ग्राम पंचायत कोष से चेक संख्या 515236 द्वारा रु0 218400.00 का भुगतान एम0आई0एस0 कृष्णा इण्टरप्राइजेज प्रा0 लि0 को सोलर लाइट क्रय हेतु किया जाना दर्शित है। जिसकी प्रविष्टि कोयाबही में न कर रु0 218400.00 का अपहरण किया गया। तथा उक्त धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति निविदा पत्रावली, उपभोग प्रमाण पत्र, सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः रु0 218400.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजकुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री आनन्द शर्मा से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या -26)

32- ग्राम पंचायत -भमरौला विकास खण्ड -खैर जनपद -अलीगढ़-

बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत में प्रियासाफ्ट पर फीडिंग के अनुसार कुल रु0 569171.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा कार्य योजना तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष में कुल व्यय रु0 569171.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री कपिल देव व ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश चन्द्र शर्मा से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है। ।

41- ग्राम पंचायत -चौधाना विकास खण्ड -खैर जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -84- उ0 प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत में प्रियासाफ्ट पर फीडिंग के अनुसार कुल रु0 1729596.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा कार्य योजना तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष में कुल व्यय रु0 1729596.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश चन्द्र शर्मा से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है। ।

42- ग्राम पंचायत -बिहारीपुर विकास खण्ड -खैर जनपद- अलीगढ़-

प्रस्तर -85- उ0 प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत में प्रियासाफ्ट पर फीडिंग के अनुसार कुल रु0 2100520.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा कार्य योजना तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष में कुल व्यय रु0 2100520.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीता शर्मा व ग्राम पंचायत सचिव श्री वी0 के0 मुखर्जी से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

43- ग्राम पंचायत -अर्नाना विकास खण्ड -खैर जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -86- उ0 प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत में प्रियासाफ्ट पर फीडिंग के अनुसार कुल रु0 1889131.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा कार्य योजना तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0 बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष में कुल व्यय रु0 1889131.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री तेज सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री शंकर लाल सिंह से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है। ।

44- ग्राम पंचायत -मानपुर खुर्द विकास खण्ड -खैर जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -87- दिनांक 06.07.17 को चेक संख्या- 260 द्वारा रु0 12745.00 का भुगतान बैंक स्टेटमैन्ट/पासबुक अनुसार एम0आई0एस0 दिनेश कुमार ठेकेदार को किया जाना दर्शित है। परन्तु कोषबही में दिनांक 06.07.17 को चेक संख्या 260 द्वारा रु0 3500.00 का काल्पनिक आहरण दर्शाकर ग्राम प्रधान को मानदेय का रु0 3500.00 का भुगतान दर्शाया गया है। जबकि बैंक खाते से चेक संख्या 260 द्वारा रु0 12745.00 का आहरण किया गया है। जिसकी प्रविष्टि कैशबुक में न कर आहरण किया गया। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री निहाल सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्र रावत से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है। ।

(आपत्ति संख्या -27)

45- ग्राम पंचायत -जरारा विकास खण्ड -खैर जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -88- उ० प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत में कोषबही के अनुसार कुल रु० 4620126.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा कार्य योजना तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम० बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष में कुल व्यय रु० 4620126.00 की वसूली में ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी से रु० 2310063.00, ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र कुमार से रु० 21863.00 व ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय प्रकाश शर्मा से रु० 2288200.00 की वसूली मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या -7)

46- ग्राम पंचायत -वाजिदपुर विकास खण्ड -खैर जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -89- आलोच्य वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत कोष से विभिन्न तिथियों में निम्नलिखित व्यक्तियों को चेक निर्गत कर भुगतान किया जाना दर्शित है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्त करने वाले का नाम
06.06.15	121	4700.00	विनोद कुमार
01.09.15	137	20000.00	वेदान
03.09.15	138	15000.00	गिराज सिंह
18.09.15	145	14000.00	गिराज सिंह
18.09.15	147	15500.00	विनोद कुमार
योग		69200.00	

उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा ग्राम पंचायत को अपनी कौन सी सेवा प्रदान करने एवं सामग्री आपूर्ति के बदले भुगतान किया गया है। जिसकी स्थिति अज्ञात रही। तथा न ही उक्त धनराशि के व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये गये। अतः रु० 69200.00 से पंचायत कोष क्षतिकारित की गई। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राजकुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द कुमार से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है। ।

(आपत्ति संख्या -28)

प्रस्तर -90- दिनांक 30.09.15 को कैशबुक में आयपक्ष का योग रु० 250797.00 दर्शाया गया है। जबकि गणनानुसार दिनांक 30.09.15 को योग रु० 255797.00 आ रहा है। तथा व्यय पक्ष का योग रु० 245617.00 घटाने के बाद नकद अवशेष धनराशि रु० 10180.00 आना चाहिए। परन्तु कोषबही में दिनांक 30.09.15 को प्रधान के पास नकद अवशेष रु० 5180.00 दर्शाया गया है। अतः रु० 5000.00 का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राजकुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द कुमार से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है। ।
(आपत्ति संख्या -29)

47- ग्राम पंचायत -नन्दपुर पलां विकास खण्ड -खैर जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -91- उ० प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत में कोषबही के अनुसार कुल रु० 480757.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अलावा कार्य योजना तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम० बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष में कुल व्यय रु० 480757.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मोहन सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री वी० के० मुखर्जी से मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है। ।
(आपत्ति संख्या -8)

48-ग्राम पंचायत -औरिहा विकास खण्ड -जवां जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -92- वर्ष 2014-15 में रु० 31800.00 वर्ष 2015-16 में रु० 8100.00, वर्ष 2016-17 में रु० 20050.00 व 2017-18 में रु० 21975.00 कुल रु० 81925.00 का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत में दर्शाया गया है। हैण्डपम्प मरम्मत हेतु ग्राम वासियों द्वारा मरम्मत हेतु प्रार्थन-पत्र, स्वीकृत प्रस्ताव, मजदूरी की प्राप्ति रसीद एवं सामग्री का व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति एवं मरम्मत उपरान्त निष्प्रयोजन/पुराने पुर्जे एवं पाइप आदि से सम्बन्धित स्क्रेप पंजी आदि उपलब्ध नहीं रहीं, उक्त प्रकार हैण्डपम्प पर किया गया

काम पूर्णता अनियमित रहा एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत अपहरण मानते हुये रु0 81925.00 की वसूली श्री हृदेश भारद्वाज, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री वेद प्रकाश एवं रोनिल अली, तत्कालीन सचिव एवं श्री रघुवीर सिंह तत्कालीन प्रधान एवं श्रीमती केंता देवी वर्तमान प्रधान से मय ब्याज के किया जाना अपेक्षित रहा। (आपत्ति संख्या -18)

प्रस्तर -93- वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शाया गया है -

वर्ष	ईट	बिल्डिंग मैटेरियल	मजदूरी	मिट्टी	योग
2014-15	556300	86260	207500	64950	915010
2015-16	120000	49000	52450	30000	251450
2016-17	79851	25236	43625	14850	163562
2017-18	—	1560218	302138	14850	1877206
योग	756151	1720714	605713	124650	3207228

उक्त व्यय कैशबुक की प्रविष्टि के अनुसार आहरित धनराशि के सापेक्ष है। उक्त व्यय के प्रमाण में व्यय प्रमाणक, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति कार्ययोजना, मस्टर रोल, एम0 बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। अतः रु0 3207228.00 को व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख न होने की स्थिति में ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार अपहरण मानते हुए रु0 3207228.00 की वसूली श्री हृदेश भारद्वाज, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री वेद प्रकाश एवं श्री रोनिल अली, तत्कालीन सचिव व श्री रघुवीर सिंह, तत्कालीन प्रधान एवं श्रीमती केंता देवी वर्तमान प्रधान से मय ब्याज के किया जाना अपेक्षित रहा। (आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर -94- दिनांक 06-02-17 को रु0 5500.00 कूड़ा गाड़ी एवं 23.05.17 को 30 10000.00 रिक्शा क्रय सफाई कार्य हेतु दक्षित है। पूर्व व्यय कूड़ा गाड़ी का विवरण, डेड स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, स्वीकृत प्रस्ताव, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए रु0 15500.00 की ब्याज सहित वसूली श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री वेद प्रकाश तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती केंता देवी प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। (आपत्ति संख्या-20)

प्रस्तर -95- वर्ष 2014-15 में रु0 11010.00 वर्ष 2015-16 में रु0 5000.00 व्यय कूड़ा गाड़ी मरम्मत पर दर्शित है। उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल रु0 16010.00 की वसूली श्री हृदेश भारद्वाज, तत्कालीन सचिव एवं श्री रघुवीर सिंह, तत्कालीन प्रधान से मय ब्याज के किया जाना अपेक्षित रहा। (आपत्ति संख्या-21)

प्रस्तर -96- प्रधान मानदेय मद में वर्ष 2014-15 में रु0 2500.00 वर्ष 2015-16 में रु0 52500.00, वर्ष 2016-17 में रु0 25000.00 एवं वर्ष 2017-18 में रु0 29500.00 कुल रु0 109500.00 का भुगतान कतिपय तिथियों को किया गया। परन्तु उक्त के सापेक्ष प्राप्ति रसीद एवं मानदेय पेजी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल रु0 109500.00 की वसूली श्री रघुवीर सिंह, तत्कालीन प्रधान एवं श्रीमती केंता देवी प्रधान से मय ब्याज के किया जाना अपेक्षित रहा। (आपत्ति संख्या-22)

प्रस्तर -97- वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक मिट्टी ढुलाई बुग्गी का भुगतान कुल रु0 124600.00, किया गया। परन्तु नियमानुसार रायल्टी की धनराशि की कटौती न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचाते हुए अनियमित अधिक भुगतान किया गया। प्रति बुग्गी 1 घन मीटर मिट्टी के आधार पर रायल्टी की धनराशि निम्न विवरणानुसार निर्धारित होती है। जिसकी कटौती सम्बन्धित भुगतान से न कर अधिक भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण करते हुए राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचाई गई। विवरण निम्न प्रकार है -

वर्ष	मिट्टी ढुलाई भुगतान धनराशि	बुग्गी संख्या	मिट्टी घन मी0 में	रायल्टी दर	श्रायल्टी धन0
2014-15	64950.00	433	433	14/-	6062.00
2015-16	30000.00	200	200	14/-	2800.00
2016-17	14850.00	99	99	11/-	1386.00
2017-18	14850.00	99	99	11/-	1386.00
योग	124650.00	831	831	11/-	11634.00

अतः उपरोक्त विवरणानुसार रायल्टी धनराशि रु0 11634.00 की वसूली श्री हृदेश भारद्वाज, भूपेन्द्र, वेद प्रकाश एवं रोनिल अली, तत्कालीन सचिव एवं श्री रघुवीर सिंह, तत्कालीन प्रधान व केला सिंह प्रधान स मय ब्याज के करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर-98—दिनांक 01.04.2014 को प्रा0 शेष में नगद धन का प्रधान के पास रु0 420.00 दर्शित है। माह 4/2014 में आहरित धन के सापेक्ष व्यय (दर्शित) के उपरान्त नगद शेष रु0 470.00 के स्थान पर रु0 92.00 दर्शित कर रु0 375.00 कम दर्शाया गया। इसी प्रकार प्रत्येक माह में नगद शेष त्रुटि पूर्ण दर्शित रहा। दि0 31.03.2015 को नगद शेष रु0 5.00 कैश बुक में दर्शित है। जबकि वास्तविक नगद शेष रु0 435.00 होता है। इस प्रकार रु0 430.00 कम दर्शाकर अपहरण कर लिया गया। अतः रु0 430.00 की वसूली श्री हृदेश भारद्वाज तत्कालीन सचिव एवं श्री रघुवीर सिंह, तत्कालीन प्रधान से मय ब्याज के किया जाना अपेक्षित रहा।
(आपत्ति संख्या-24)

49—ग्राम पंचायत—तेजपुर विकास खण्ड—जवां जनपद—अलीगढ़—

प्रस्तर -99—माह जून 2011 में दिनांक 03.06.11 को खाते से आहरण /0 63.00 दर्शित है, जो बैंक कटौती है जिसे व्यय पक्ष में कटौती दर्शित नहीं किया गया जिस कारण अंत में नगद रु0 212.90 दर्शित के स्थान पर रु0 149.20 होगा, इसी प्रकार दि0 06.07.11 को एम0डी0एम0 खाते से से रु0 3.00 बैंक द्वारा ब्याज की रिवर्स प्रविष्टि थी जिसे कैश बुक में आहरण दर्शाते हुए व्यय पक्ष में बैंक द्वारा वापस की प्रविष्टि न होने के कारण माह के अन्त में नकद शेष रु0 415.20 दर्शित है जबकि वास्तविक रु0 349.20 होता है इसी प्रकार माह 10/11 में प्रा0 नगद शेष 349.20 के स्थान पर 615.20 दर्शित किया गया है। माह 10/11 में 5800.00 एवं वास्तविक नकद शेष रु0 349.20 को सम्मिलित कर कुल /रु0 58349.20 के सापेक्ष रु0 8394.04 व्यय के उपरान्त (-)44-84 होता है। ऐसी स्थिति में अन्तिम भुगतान खंडजा एवं नाली निर्माण मजदूरी रु0 5400.00 का भुगतान होना सम्भव नहीं है। साथ ही भुगतान से सम्बन्धित मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर मस्टर रोल तैयार करने वाले की लिपि में है। एवं अंगूठे एक जैसे प्रतीत होते हैं। उक्त की स्थिति से स्पष्ट है कि आहरित धनराशि को समायोजित करने हेतु कूट रचित मस्टररोल तैयार कर रु0 5400.00 का अपहरण किया गया। अतः रु0 5400.00 की वसूली श्री प्रेम पाल सिंह तत्कालीन सचिव एवं श्री यशपाल सिंह तत्कालीन प्रधान से मय ब्याज के किया जाना अपेक्षित रहा। एवं कूट रचित व्यय बाउचर तैयार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया गजाना अपेक्षित रहा।
(आपत्ति संख्या- 17)

प्रस्तर -100—चेक संख्या 30387 दि0 19.04.11 रु0 64800.00 की 18 हजार ईट क्रय का भुगतान दर्शाया गया। निधि-1 के पुराने खाते की पासबुक/स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई जिस कारण भुगतान नकद या एकाउन्ट पेई चेक से किया गया की स्थिति अज्ञात रही। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय बाउचर मै0 शिवम ईट उद्योग के बिल बुक सं0 3 दिनांक 19.11.11 पर कैश बुक तैयार करने वाले की लिपि में है व्यय बाउचर पर विक्रेता एवं ग्राहक के हस्ताक्षर नहीं रहे। बिना फर्म के हस्ताक्षर के व्यय प्रमाणक मान्य नहीं है साथ ही भंगतान प्राप्त की रसीद भी नहीं रही। इन सभी स्थिति से प्रस्तुत व्यय प्रमाणक फर्जी होने से स्पष्ट है कि रु0 64800.00 आहरित धनराशि का अपहरण कर उक्त के सापेक्ष समायोजन दर्शाने हेतु फर्जी एवं कूट रचित प्रमाणक तैयार किये गये। अतः रु0 64800.00 वसूली श्री प्रेम पाल सिंह तत्कालीन सचिव एवं श्री यशपाल सिंह तत्कालीन प्रधान से मय ब्याज के किया जाना अपेक्षित रहा। साथ ही फर्जी बिल/प्रमाणक तैयार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कियाजाना अपेक्षित रहा।
(आपत्ति संख्या- 18)

प्रस्तर -101—निम्न विवरणानुसार किये गये दर्शित भुगतान के सापेक्ष प्रमाणक स्वरूप दो बिल/कैश मेमो प्रस्तुत रहे —

क्र0 सं0	व्यय का विवरण	धनराशि	प्रथम प्रमाणक का विवरण	द्वितीय प्रमाणक का विवरण	कैशबुक बाउचर क्रमांक
1.	16 हैलोजन बल्ब एवं डोरी	5000.00	सादे मेमो पर श्याम इलैक्ट्रिक स्टोर स्टोर रामघाट रोड अलीगढ़ 24.04.11	आफताब कम्यूनिकेशनजवां अलीगढ़ 2/78/24.4.11	2/24.04.11
2.	सीमेन्ट एवं बदरपुर	2560.00	453/30.05.11 लोकेश बि0मटे0	327/30.05.11 कैश मेमो सुशील ट्रेडर्स अनूप शहर रोड जवां	9/30.05.11
3.	1 शीट क्रय	200.00	सादे मेमो पर चौहान	पंचायत उद्योग मंजूरगढ़ी	10/30.05 11

			हार्डवेयर की मोहर अंकित 30.05.11	दि0 30.05.11	
4.	एक जोड़ी लोहे का किवाड़	2540.00	संजीव आयरन स्टोर कालाआम जी0 टी0 रोड गभाना 29.07.11	पंचायत उद्योग मंजूरगढ़ी दि0 29.05.11	13/29.06.11
5.	4 जोड़ी लोहे का किवाड़	11000.00	संजीव आयरन स्टोर कालाआम जी0 टी0 रोड गभाना 26.07.11	पंचायत उद्योग मंजूरगढ़ी दि0 26.07.11	15/26.07.11
6.	10 बोरी सीमेन्ट	2800.00	लोकेश बि0 मटेरियल 468/08.09.11	सुशील ट्रेडर्स अनूपशहर रोड जवां 485/26.07.11	16/26.07.11
7.	2 शीट 2 वाश बेसिन 2 मुर्गा 2 पिटकवर पाइप	1000.00	सादे छपे कैश मेमो पर चौहार हार्डवेयर दि0 08.08.11	पंचायत उद्योग मंजूरगढ़ी दि0 08.08.11	17/08.08.11
8.	10 फुट बदरपुर 50 फुट बालू	1750.00	लोकेश बि0 मटेरियल 468/08.09.11	सुशील ट्रेडर्स अनूपशहर रोड जवां 486/26.07.11	19/08.09.11
9.	9 बोरी सीमेन्ट 50 फुट बालू	5700.00	लोकेश बि0 मटेरियल 475/23.10.11	सुशील ट्रेडर्स अनूपशहर रोड जवां 487/23.10.11	25/23.10.11
10.	1 कुड़ा गाड़ी दो पहिये क्रय	7450.00	सादे कागज पर शेर मो0 खाँ अक्शा वेल्लिंग	पं0 उद्योग मंजूरगढ़ी	30/19.12.11
11.	सीमेन्ट बालू मय भाड़ा	7500.00	लोकेश बि0 मटेरियल 475/23.10.11	सुशील ट्रेडर्स अनूपशहर रोड जवां 487/23.10.11	35/26.03.12
12.	18 हैलोजन बल्ब होल्डर व डोरी	6000.00	सादे मेमो पर श्याम इलैक्ट्रिक 09.05.11	आफताब कम्यूनिकेशन जवां अलीगढ़ 2/92/09.05.12	5/09.05.12
13.	3 सीट 6 पैदान क्रय	760.00	सादे छपे कैश मेमो पर चौहार हार्डवेयर दि0 09.05.12	पंचायत उद्योग मंजूरगढ़ी दि0 09.05.12	8/09.05.11
14.	सीमेन्ट व बदरपुर क्रय	1450.00	सादे मेमो पर निसार वि0 मटे0 09.05.12	प्रकाश वि0 मटे0 ग्राम तेजपुर 647/09.05.12	9/09.05.12
15.	2 जोड़ी किवाड़ क्रय	2850.00	सादे कागज पर शेर मो0 खाँ अक्शा वेल्लिंग 10.05.12	पंचायत उद्योग मंजूरगढ़ी दि0 10.05.12	10/10.05.12

उक्त विवरणानुसार क्रय सामग्री नकद धनराशि का आहरण कर किया गया। समस्त बाउचर कैश मेमो है जो नगद भुगतान कर ही प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति में एक ही सामान का दो जगह भुगतान किया जाना सम्भव ही नहीं है। उक्त सभी स्थितियों से स्पष्ट है कि नियमों के विपरीत नगद आहरण उसके समायोजन को दर्शाने मात्र हेतु फर्जी व्यय प्रमाणक तैयार रु0 58560.00 की वसूली मय ब्याज के श्री प्रेमपाल सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री यशपाल सिंह तत्कालीन प्रधान से करते हुए कूट रचित एवं फर्जी प्रमाणक तैयार करने/कराने हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। **(आपत्ति संख्या- 19)**

प्रस्तर -102-बाउचर संख्या 14/दिनांक 30.06.11 बाबत मजदूरी आंगन बाड़ी/शौचायल निर्माण का मस्टर रोल चार मजदूरों 29 व 30 की मजदूरी कुल रु0 1350.00, बाउचर संख्या 20/13.09.11 बाबत राजमजदूरी शौचायल आठ मजदूरों का दि0 7 से 13 तक कुल 7 दिवस का रु 9000.00 बाउचर संख्या 26/03.10.11 बाबत राज/मजदूरी किशन के घर से लेकर इन्द्रपाल के घर तक खड निर्माण 25 से 31 तक 7 दिवस की 5 मजदूरों की मजदूरी रु0 5400.00 एवं बाउचर संख्या 37/31.03.12 बाबत खडण्जा निर्माण 6 मजदूर/मिस्त्री की मजदूरी रु0 10100.00 कुल रु0 25850.00 का नगद किया गया है। उक्त मस्टर रोल पर निम्न न्यूनतायें पाई गईं -

1. कार्य की अवधि माह, वर्ष एवं योजना का नाम अंकित नहीं रहा।
2. मस्टर रोल पर निशानी अंगूठे ऐ से प्रतीत होते हैं।
3. मस्टर रोल पर अंकित मजदूर श्री संजय पुत्र सरमन सिंह एवं अनिल पुत्र टीकम सिंह के हस्ताक्षर एक ही के द्वारा किये गये हैं एवं इनकी लिपि (राइटिंग) मस्टर रोल तैयार करने एवं कैश बुक लेखक की लिपि से मिलती है।

उक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि अनुदान की धनराशि का नियमों के विरुद्ध नकद आहरण कर आहरित धनराशि का समायोजन दर्शाने हेतु एक प्रकार फर्जी मस्टर रोल तैयार कर धन का अपहरण किया गया। अतः रु0 25850.00 की वसूली मय ब्याज के श्री प्रेमपाल सिंह तत्कालीन सचिव एवं श्री यशपाल सिंह तत्कालीन प्रधान से की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-20)

प्रस्तर -103-छात्रवृत्ति मद में खाता संख्या 8075 से निम्न विवरणानुसार धन का आहरण किया गया

क्र० सं०	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण
1.	—	29.04.11	9600.00	बा० सं० 3 / 29.04.11 छात्रवृत्ति वितरण
2.	—	24.09.11	85500.00	बा० सं० — 22 / 24.09.11 छात्रवृत्ति वितरण
3.	—	01.12.11	38360.00	बा० सं०— 29 / दि० 01.12.11 छात्रवृत्ति वितरण
		योग	133460.00	

उक्तानुसार कैशबुक में नगद धनराशि का आहरण कर व्यय मद में मात्र छात्रवृत्ति वितरण अंकित किया गया है। वितरण का कोई कारण अंकित नहीं रहा आहरित धनराशि से सम्बन्धित चेक सं० अंकित नहीं किया गया और न ही लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक/स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराया गया। जिस कारण प्रारम्भिक शेष एवं अंतिम शेष की प्रविष्टियाँ पुष्टि नहीं रही। कैश बुक में अंकित आहरित धनराशि के व्यय के सापेक्ष वितरण सूची एवं किस स्कूल के किन-किन कक्षा के छात्रों को वितरित की गई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। इस स्थिति से स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रु0 133460.00 का अपहरण कर लिया गया। अतः रु0 133460.00 की वसूली मय ब्याज के श्री प्रेमपाल सिंह तत्कालीन सचिव एवं श्री यशपाल सिंह तत्कालीन प्रधान से की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-21)

प्रस्तर -104-बा० सं० — 1/7-4-12 बिल 646 दि० 07.04.11 रु0 11100.00 बा० सं० -2/23-4-12 ईट क्रय रु0 11133.00 क्रय कर एल टाइप नाली निर्माण कर बा० सं० — 3/30-4-12 मजदूरी रु0 11700.00 (मस्टर रोल 3 मिस्त्री, 4 मजदूर) व्यय दर्शाया गया। यह व्यय विभिन्न तिथियों में रु0 34100.00 आहरण के सापेक्ष है। उक्त यय पर निम्न कमियां प्रकारा में आई जो निम्न प्रकार है —

1. कैश बुक में मात्र एल टाइप नाली दर्शाया गया कार्य का पूर्ण विवरण अंकित नहीं है।
2. उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रकलन, तकनीकी स्वीकृति, एम०बी०, आदि प्रस्तुत नहीं रही और न ही किसी बाउचर या मस्टर रोल पर अंकित रहा।
3. नियमानुसार रु0 2000.00 नकद आहरण के विपरीत उक्त धनराशि का नकद आहरण किया गया।
4. बा० सं० 1 व 2 से सम्बन्धित बिल फर्म से प्राप्त कर स्वयं तैयार किये प्रतीत होते हैं। बाउचर पर टिन नम्बर भी अंकित नहीं है।
5. मस्टर रोल पर निशानी अंगूठा एक जैसे प्रतीत होते हैं एवं क्रमांक 4 व 5 पर अंकित मजदूर श्री संजय व श्री अनिल के हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति जिसने मस्टर रोल तैयार किया है के द्वारा किया गया है।
6. उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य बालू, मौरंग आदि के उपयोग किये गये बिना किया गया जो सम्भव ही नहीं है। मौरंग बालू आदि क्रय ही नहीं गई है।
7. उक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि रु0 33933.00 का आहरण माह अप्रैल 2012 में नगद कर उसके समायोजन दर्शाने हेतु उक्त प्रमाणक तैयार कर रु0 33933 की वसूली मय ब्याज के श्री प्रेमपाल सिंह तत्कालीन सचिव एवं श्री यशपाल सिंह तत्कालीन प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-22)

प्रस्तर-105-बा० सं० — 12 दि० 12.05.12 रु0 550.00 दो ट्राली मिट्टी, बा० सं० -14 दि० 12-5-12 अं० रु0 1800.00, 6 ट्राली मिट्टी ढुलाई की रसीद पर श्री वीरेश के हस्ताक्षर बाउचर एवं मस्टर रोल तैयार करवाने वाले के द्वारा किया गया जो एक गम्भीर दण्डनीय अपराध भी है। इसी प्रकार शौचालय निर्माण कार्य की राज/मजदूरों की मजदूरी के मस्टर रोल सम्बन्धी बाउचर 11/11-5-12 रु0 1500.00 पर श्री संजय के हस्ताक्षर भी मस्टर रोल तैयार करने वाले के द्वारा किया गया एवं मस्टर रोल पर ग्राम पंचायत का नाम, माह व वर्ष भी अंकित नहीं है। उक्त प्रकार के प्रमाणकों से स्पष्ट है कि कार्य न कराते हुए आहरित धनराशि को समायोजित करने हेतु फर्जी प्रमाणक तैयार कर रु0 3850.00 का अपहरण किया गया। अतः प्रमाणक पर फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी प्रमाणक तैयार करने/कराने हेतु आवश्यक कार्यवाह करते रु0 अपहरित धनराशि रु0 3850.00 की वसूली मय ब्याज के श्री प्रेमपाल सिंह तत्कालीन सचिव एवं श्री यशपाल सिंह तत्कालीन प्रधान से की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-23)

प्रस्तर -106-बा0 सं0 - 6/09-5-12 रु0 5600.00 हैण्डपम्प का सामान एवं मजदूरी बा0स0-13/दि0 11-5-12 अं रु0 3000.00 पाइप एवं 3 हैण्डपम्प का सामान व मजदूरी भुगतान दर्शाकर हैण्डपम्प की मरम्मत पर कुल रु0 8600.00 व्यय दर्शाया गया है। किन हैण्डपम्पों मरम्मत हुई की सूची, हैण्डपम्प के समीप वासियों द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत कराने हेतु प्रार्थन पत्र, प्रस्ताव, स्थान की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। उक्त से सम्बन्धित बाउचर सादे मेमो पर तैयार किये गये हैं। फर्म के कैश मेमो/बिल पर नहीं हैं, हैण्डपम्प मिस्त्री भुगतान भी फर्म को ही किया गया है। भुगतान नकद आहरण कर किया गया एवं हैण्डपम्प के खराब पुर्जे एवं पाइप स्क्रैप के रूप में स्टॉक में नहीं है। उक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि रु0 8600.00 का नगद आहरित धनराशि को समायोजित कर दर्शाते हुए धन का अपहरण किया गया। अतः रु0 8600.00 की वसूली मय ब्याज के श्री प्रेमपाल सिंह तत्कालीन सचिव एवं श्री यशपाल सिंह तत्कालीन प्रधान से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-24)

प्रस्तर -107-बा0 सं0 - 15/15-3-15 रु0 7150.00 है एवं बा0स0 -2 दि0 26-9-13 अं रु0 10000.00 क्रमशः नेहा नर्सरी एवं प्रकाश नर्सरी से क्रय दर्शित है, यह बिल बाउचर के आधार पर पौध की गई। जबकि भुगतान प्राप्ति की रसीद नहीं है। भुगतान नगद किया गया है एवं पौधों के रोपण आदि पर कोई व्यय दर्शित नहीं है जिससे पौधारोपण होना पुष्टि नहीं होता है औ नर न ही पौध वितरण की सूची रही जिससे वितरण पुष्टि नहीं होता। उक्त स्थिति से आहरित धनराशि रु0 17150.00 का अपहरण किये जाने की स्थिति होती है। अतः रु0 17150.00 की वसूली मय ब्याज के श्री भूपेन्द्र सिंह तत्कालीन सचिव एवं श्री यशपाल सिंह तत्कालीन प्रधान से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-25)

प्रस्तर -108-दि0 01-12-2013 से 31-3-2014 तक निम्न विवरणानुसार आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय दर्शाया गया है -

क्र0 सं0	चेक संख्या व दिनांक	कराये गये कार्य का विवरण	धनराशि	स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान
1.	456829/16-12-13	अनु सैनी से ईट क्रय-21740	100000.00	श्रो चेक
2.	456830/16-12-13	--- तदैव ---	100000.00	तदैव
3.	45683/27-12-13	--- तदैव ---	208000.00	तदैव
4.	नगद/13-1-13	--- तदैव ---	21400.00	तदैव
5.	456842/10-2-13	--- तदैव ---	72000.00	श्रो चेक
		योग	501400.00	
6.	नकद/23-12-13	60 ट्राली राख रसपाल से	24000.00	प्रधान द्वारा नगद आहरण
7.	नकद/3-1-14	97 ट्राली राख रसपाल सिंह से	38800.00	प्रधान द्वारा नगद आहरण
		योग	62800.00	
8.	456835/24-12-13	सुशील ट्रेडर्स जवां सीमेन्ट बालू बदरपुर क्रय	36340.00	
9.	456839/27-1-14	--- तदैव ---	17600.00	
10.	456843/14-2-14	--- तदैव ---	28000.00	
11.	456848/17-2-14	--- तदैव ---	27800.00	
		योग	109740.00	
12.	नगद/31-12-13	प्रकाश शर्मा से देवकीनन्दन तक नाली/खडण्जा निर्माण	20474.00	प्रधान द्वारा नगद आहरण
13.	नगद/11-1-14	--- तदैव ---	14120.00	--- तदैव ---
14.	नगद/31-1-14	--- तदैव ---	14120.00	--- तदैव ---
15.	नगद/18-2-14	--- तदैव ---	11718.00	--- तदैव ---
16.	नगद/19-2-14	--- तदैव ---	7896.00	--- तदैव ---
17.	नगद/28-2-14	--- तदैव ---	20474.00	--- तदैव ---
		योग	88802.00	
18.	नगद/27-1-14 456839	मिट्टी ढुलाई भुगतान छीतर सिंह 110 बुग्गी	17650.00	--- तदैव ---
19.	456840/25-1-14	--- तदैव --- 70 बुग्गी	10500.00	--- तदैव ---
		योग	28150.00	
		सम्पूर्ण योग	790892.00	

उक्त विवरणानुसार 1-12-13 से 31-3-14 तक रु0 790892.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष व्यय बाउचर, ईट खरीद, बिल्डिंग मैटेरियल, मिट्टी ढुलाई, राख ढुलाई के बिल एवं मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल, निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एम0 बी0 एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। श्री राजेन्द्र सिंह वर्तमान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि चार्ज में समस्त अभिलेख प्राप्त नहीं हुए जो अभिलेख प्राप्त हुए उन्हें लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया गया। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय- 8 के 8 क के अन्तर्गत रु0 790892.00 को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली मय ब्याज के श्री इस्लाम हुसैन सिद्दीकी एवं श्री अजीत सिंह तत्कालीन सचिव एवं श्री यशपाल तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख चार्ज में न उपलब्ध कराने वाले सचिवों पर विभागीय कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-26)

प्रस्तर -109—दिनांक 01-4-14 से 31-3-2016 तक कुल आहरित धनराशि रु0 722350.00 के सापेक्ष कैशबुक में पंचायत घर मरम्मत, पेंटिंग एवं अन्य निर्माण कार्य, हैण्डपम्प मरम्मत आदि पर व्यय दर्शाया गया है। व्यय के सापेक्ष व्यय बाउचर, प्रस्ताव, कार्य योजना, स्वीकृत स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति, एम0 बी0, सम्बन्धित कार्य की फोटो, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिस कारण उक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं होती, अतः रु0 722350.00 को ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के 8 क के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए उक्त वसूली मय ब्याज के श्री इस्लाम हुसैन सिद्दीकी, श्री अजीत सिंह तत्कालीन सचिव एवं श्री यशपाल सिंह व श्री सुरेश सिंह तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख चार्ज में न उपलब्ध कराने वाले सचिवों पर विभागीय कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-27)

50—ग्राम पंचायत —गोधा विकास खण्ड —जवां जनपद —अलीगढ़—

प्रस्तर -110—ग्राम पंचायत गोधा की लेखा परीक्षा हेतु श्री इन्द्रपाल सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के अभिलेख उपलब्ध कराये गये। वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक के अभिलेख पूर्व पंचायत कार्मिक श्री हृदेश भारद्वाज से उनसे सम्बन्धित कार्यकाल के अभिलेख ग्राम पंचायत हस्तान्तरित होने के उपरान्त भी चार्ज में स्थानान्तरित नहीं किये गये। वर्ष 2013-14 से 2015-16 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट फीडिंग के अनुसार सम्पन्न की गई। अभिलेख उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में एवं चार्ज में स्थानान्तरित न करना एक गम्भीर आपत्ति का विषय है एवं स्थिति को भी संदिग्ध करता है। इस कृत हेतु आवश्यक पर विभागीय कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-17)

प्रस्तर -111—दि0 15.10.2013 चेक सं0 37937.00 अ0 रु0 20000.00 एवं दिनांक 31.03.2014 अ0 रु0 84834.00 जिसकी चेक सं0 अंकित नहीं है। भुगतान की प्रविष्टि की गई। भुगतान किस कार्य हेतु एवं किसे अंकित नहीं। उक्त स्थिति से कुल रु0 104834.00 के आहरण को समायोजित दर्शाये जाने को कुचेष्टा की गई। उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि धन का आहरण कर सीधे अपहरण कर उक्तानुसार समायोजन दर्शाया गया। अतः रु0 104834.00 की वसूली मय ब्याज के श्री हृदेश भारद्वाज तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती चित्रा देवी, तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर -112—दि0 31.05.2014 को नगद आहरित धन के सापेक्ष रु0 15518.00 पंचायत भवन भुगतान दि0 03.10.2014 अ0 रु0 21840.00 दि0 30.10.14 अ0 रु0 25500.00 दि0 10.03.2015 अ0 रु0 47056.00 दि0 07.02.15 अ0 रु0 32040.00 कुल रु0 126436.00 की पंचायत उद्योग को भुगतान दर्शित कर आहरित धनराशि का समायोजन दर्शाया गया है। जबकि एक्त भुगतान किस कार्य एवं सेवा हेतु किया गया अंकित नहीं रहा। उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि णन का आहरण कर मात्र भ्रमित करने के दृष्टिकोण से उक्त प्रकार समायोजन दर्शाकर अपहरण किया गया। अतः रु0 15518.00 एवं 30 126436.00 कुल रु0 141954.00 की वसूली मय ब्याज के श्री हृदेश भारद्वाज तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती चित्रा देवी, तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-19)

प्रस्तर -113—वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 (माह 10/2015 तक) निम्न विवरणानुसार आहरित धन के सापेक्ष व्यय निम्न प्रकार किया गया —

वर्ष	ईट/इण्टर लॉकिंग ईट	मजदूरी	बिलिंग मैटेरियल	मिट्टी	हैण्डपम्प	मानदेय	योग

2013-14	421800	117450	89200	44600	18400	9000	700450
2014-15	1140730	403281	300054	—	65702	29000	1938767
2015-16	256500	62859	19400	165530	11748	15000	531037
योग	1813030	583590	408654	210130	95850	53000	3170254

उक्त व्यय प्रिया साफ्ट फीडिंग के अनुसार जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। व्यय प्रमाणक के अतिरिक्त उक्त व्यय के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, दर्शित किये गये निर्माण कार्यों के स्वीकृत प्रस्ताव, स्वीकृत कार्ययोजना, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृत, एम0 बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं हैण्डपम्प मरम्मत व्यय के प्रमाणक, मरम्मत हेतु ग्रामवासियों की प्रार्थन पत्र प्रस्ताव कार्य योजना, जल प्रबन्ध समिति की स्वीकृत, मानदेय भुगतान के सापेक्ष, मानदेय पेजी एवं भुगतान प्राप्त रसीद आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 3170254.00 की मय ब्याज के वसूली श्री हृदेश भारद्वाज तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती चित्रा देवी, तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। **(आपत्ति संख्या-20)**

प्रस्तर -114-वर्ष 2015-16 की प्रिया साफ्ट फीडिंग का अन्तिम शेष खाते में जमा रु0 996741 मय ब्याज के दर्शित है जबकि बैंक पास बुक के अनुसार 1-4-2016 को बैंक में जमा रु0 1114560.00 दर्शित है। अतः रु0 117819.92 का अन्तर है। उक्त अन्तर का विवरण खोज कर तदनूसार लेखा सुधार किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या-21)**

51-ग्राम पंचायत -काजिमपुर विकास खण्ड -जवां जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -115-खाता संख्या 27801 छात्रवृत्ति में दि0 01.05.2013 को जमा रु0 163588.00 एवं वर्ष में रु0 6609.00 ब्याज से आय सम्मिलित कर रु0 170197.00 होता है। कैशबुक के अनुसार वर्ष में व्यय शून्य रहा। एवं 31.03.2014 को अन्तिम शेष व दि0 01.04.14 को प्रारम्भिक शेष रु0 170197.00 दर्शित है। वर्ष 2014-15 में आहरण एवं प्राप्त कैश बुक के अनुसार शून्य रहा, परन्तु 31.03.2015 के अन्तिम शेष दर्शित नहीं रहा एवं कैश पासबुक/स्टेटमेंट ले0 परी0 में प्रस्तुत न होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं रही। छात्रवृत्ति ग्राम पंचायत से 7/2012 से समाप्त होकर स्कूल प्रधानाध्यापक एवं प्रधान द्वारा संचालित खाते से प्रारम्भ हुई। ग्राम पंचायत से छात्रवृत्ति वितरण सामने के अपरान्त शेष धनराशि का विवरण तैयार कर समाज कल्याण विभाग को प्रत्यावर्तित करते हुये ब्याज की धनराशि राज्य सरकार को चालान द्वारा कोषागार में जमाकर वापस किया जाना चाहिए था। कैश बुक में लेखांकन न होते एवं समाज कल्याण विभाग को वापस न करने पर रु0 170197.00 को अपहरण मानते हुए श्री गजेन्द्र तोमर, तत्कालीन सचिव/एवं श्री इन्द्रवती देवी, तत्कालीन प्रधान से स्थिति स्पष्ट न होने की स्थिति में मय ब्याज के वसूली किया जाना अपेक्षित रहा। **(आपत्ति संख्या-17)**

प्रस्तर -116-वर्ष 2013-14 से 2015-16 (नवम्बर 2015) तक मानदेय मद में कैशबुक के अनुसार 4/2013 से 9/2015 तक का कुल मानदेय रु0 61250.00 विभिन्न तिथियों में नगद/चेक द्वारा प्रधान के भुगतान किया जाना दर्शाया गया, जबकि मानदेय से सम्बन्धित पेजी/प्रधान द्वारा मानदेय प्राप्त रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण भुगतान पुष्टि नहीं रहा। अतः प्रधान मानदेय के भुगतान का व्यय प्रमाणक न होने की स्थिति में लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए रु0 61250.00 की वसूली मय ब्याज के श्रीमती इन्द्रवती तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। **(आपत्ति संख्या-18)**

प्रस्तर -117 - वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 (1-4-15 से 30-11-15) तक हैण्डपम्प मरम्मत, निर्माण कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी आदि व्यय कैशबुक में दर्शाये गये हैं। उक्त प्रकार के व्यय को सापेक्ष पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

वर्ष	बिल्डिंग मैटेरियल	ईट क्रय पर व्यय मजदूरी	मजदूरी पर व्यय	हैण्डपम्प मरम्मत	मिट्टी दुलाई	दीवार/ वृक्षारोपड़	कूड़ा गाड़ी क्रय	योग
2013-14	64600	349580	160050	42000	51700	5000/15000	4500	692350
2014-15	95730	480042	147492	65357	104000	—/5000	8500	906121
2015-16	80990	62400	24600	13950	—	—	0	181940
योग	241320	891942	332142	121307	155700	5000/20000	13000	1780411

उक्त विवरणानुसार व्यय कैश बुक में दर्शित है दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक मय सामग्री क्रय के फर्म के बिल/कैश मेटो भुगतान प्राप्त रसीद, मस्टररोल, हैण्डपम्पों सूची, खराब हैण्डपम्पों का स्थल अनुसार समची, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु प्रस्ताव, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, खराब/बदले हुए पुर्जों की सूची, स्क्रेप पेजी एवं निर्माण कार्यों में स्वीकृत प्रस्ताव, स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति प्राक्कलन, कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं कार्यपूर्ण होने की फोटो, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सृजित सम्पत्तियों में अंकन आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। वर्तमान सचिव द्वारा श्री इन्द्रपाल द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व सचिव द्वारा मात्र कैश बुक उपलब्ध कराई गई। उक्त अभिलेख चार्ज में उपलब्ध न कराया जाना गम्भीर आपत्ति का विषय है। वही व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाई गई व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए रु0 1780411.00 की वसूली श्री गजेन्द्र तोमर एवं श्रीमती इन्द्रवती तत्कालीन प्रधान से मय ब्याज के किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-19)

52-ग्राम पंचायत -पिलौना विकास खण्ड -जवां जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -118-विकास खण्ड जवां में ग्राम पंचायत पिलौना की वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक की लेखा परीक्षा हेतु कार्यक्रम माह मई 2018 से जनवरी 2019 तक निर्धारित किये गये। जिसकी सूचना ग्राम पंचायत से सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हृदेश भारद्वाज, को सहायक विकास अधिकारी द्वारा प्राप्त होने एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देशों के उपरान्त एवं व्यक्तिगत सम्पर्क करने पर आश्वासन दिया गया परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। तदुपरान्त ग्राम पंचायत पिलौना की प्रिया साफ्ट फीडिंग की आय/व्यय कैशबुक के आधार पर लेखा परीक्षा कर सम्बन्धित प्रतिवेदन तैयार किया गया। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न कराया जाना, सरकार द्वारा विकास कार्यों के धन (अनुदान) के दुरुपयोग की स्थिति की ओर संकेत करता है, वहीं शासन एवं विभागीय निर्देशों की अवहेलना करना है। अतः अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-17)

प्रस्तर -119-ग्राम पंचायत पिलौना की प्रिया साफ्ट फीडिंग के अवलोकन से वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत का अवशेष (प्रारम्भिक) रु0 1703208.00 जिसमें वर्ष 2013-14 से पूर्व का ब्याज भी शामिल है मं वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक प्राप्त ब्याज 99336.00 व अन्य आय 2000.00 सम्मिलित कर प्रारम्भिक शेष 1804544.00 वर्ष में प्राप्त अनुदान 2192950.00 ब्याज 104347.00 के सापेक्ष वर्ष में रु0 3989231.00 का व्यय कर अन्तिम शेष 31.03.18 को रु0 112610.00 शेष रहा। जबकि वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक बैंक द्वारा अर्जित ब्याज 203683.00 एवं अन्य आय रु0 2000.00 घटाने पर अन्तिम शेष 93073.00 ऋणात्मक होता है। जिससे स्पष्ट है अर्जित ब्याज को व्यय किया गया। शासनादेश संख्या 30/2010 /ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दि0 29.05.2015 एवं शासनादेश संख्या -ए-1-122 /दस -2015-10(33)/2010 दि0 31.03.2012 के प्रस्तर -3 के अनुसार ब्याज की आय संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे कोषागार में सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जायेगा जो नहीं किया गया एवं अनियमित रूप से रु0 93073.00 का व्यय किया गया। अतः रु0 93077.00 की मय ब्याज के वसूली श्री हृदेश भारद्वाज तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती कमलेश देवी, वर्तमान प्रधान से वसूल कर रु0 203683.00 कोषागार में सम्बन्धित शीर्ष में चालान द्वारा जमा कराया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर -120-दि0 01-04-2013 को अ0 रु0 85928.00 को व्यय पक्ष में एकाउन्ट एडजस्टमेन्ट दर्शाकर आहरित धनराशि का समायोजन करना दर्शाकर रु0 85928.00 का अपहरण किया गया। उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं विवरण अप्राप्त रहा। अतः रु0 85928.00 की मय ब्याज के वसूली श्री हृदेश भारद्वाज सचिव से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-19)

प्रस्तर -121-दिनांक 26-09-2014 चेक सं0 684190 अ0 रु0 30000.00, चेक सं0 627181 दि0 28.09.2014 अ0 रु0 250000.00 आहरित दर्शाकर भुगतान दर्शाया गया। उक्त भुगतान किस कार्य हेतु किस मद में किया गया का विवरण अंकित नहीं रहा। जिससे रु0 280000 का आहरण कर सीधे अपहरण किया जाना दर्शाता है। अतः रु0 280000.00 की वसूली मय ब्याज के श्री हृदेश भारद्वाज सचिव एवं श्रीमती कमलेश देवी, तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-20)

प्रस्तर -122-प्रिया साफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक आहरित ान का व्यय निम्न विवरण अनुसार रहा -

वर्ष	ईट	मजदूरी	बिल्डिंग	हैण्डपम्प	मिट्टी	मानदेय	ह्यूम	अन्य	योग

			मैटेरियल				पाइप		
2013-14	703000	247670	220250	41746	86600	6000	32500	83065	1420826
2014-15	426453	148800	128006	36572	193600	27500		125	961056
2015-16	226230	206824	15000	14020	36820	23000		—	521894
2016-17	—	194150	564528	8950	—	27500		—	795128
2017-18	—	834148	3102373	7886	—	44500		—	3988907
योग	1355683	1631592	40301557	109174	317020	122500	32500	83185	7687811

उक्त मदों पर दर्शित व्ययों में कराये गये कार्यों का प्रस्ताव स्टीमेट, स्वीकृत कार्य योगजना, तकनीकी स्वीकृत, वित्तीय स्वीकृति, व्यय बाउचर/ प्रमाणक, मस्टर रोल, नल मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, मानदेय पंजी, पूर्ण विवरण सहित कैश बुक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत अपहरण मानते हुये वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक हुए व्यय रु0 2903776.00 की वसूली श्री हृदेश भारद्वाज सचिव एवं श्रीमती कमलेश देवी, तत्कालीन प्रधान व वर्ष 2016-17 से 2017-18 तक हुए व्यय रु0 4784035.00 की मय ब्याज के वसूली श्री हृदेश भारद्वाज सचिव एवं श्रीमती दिनेश देवी वर्तमान प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-21)

53-ग्राम पंचायत -छलेसर विकास खण्ड -जवां जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -123-ग्राम पंचायत छलेसर के वर्ष 2016-17 से 2017-18 के अभिलेख श्री रामबहादुर, ग्राम पंचायत अधिकारी जवां अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध कराये गये। वर्ष 2013-14 से 2015-16 के अभिलेखों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि इस अवधि के अभिलेख श्री हृदेश भारद्वाज ग्राम विकास अधिकारी से सम्बन्धित अवधि के हैं। एवं इस अवधि के अभिलेख श्री भारद्वाज द्वारा चार्ज स्थानान्तरण में नहीं दिये गये। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। श्री भारद्वाज द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-17)

प्रस्तर -124-वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 के अभिलेख श्री हृदेश भारद्वाज द्वारा श्री रामबहादुर सिंह, को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अवधि की प्रिया साफ्ट फीडिंग से कैशबुक में दर्शित आय व्यय के सम्बन्ध में निम्न कमियां पाई गईं।

क. वर्ष 2013-14 में माह सिम्बर 2013 में रु0 5000.00, 10000.00 एवं 20000.00 कुल रु0 85000.00 के चेक निर्गत कर उनका नगद आहरण किया गया एवं माह के प्रा0 शेष 5260.00 को सम्मिलित कर उसके सापेक्ष मात्र 16000.00 कर व्यय किया गया जो दर्शाता है कि आवश्यकता न होने पर भी धन का आहरण किया गया, उक्त व्यय के उपरान्त माह के अन्त में रु0 74260.00 नगद शेषा रहा, इसी प्रकार 1/2014 के अन्त में 72885.00 नगद शेष रहा। जिसका समायोजन माह फरवरी में कई भुगतानों कुल रु0 1150.00 का करते हुए दि0 28.2.2014 को एकाउन्ट एडजस्टमेंट कर प्रविष्टि कर रु0 66851.00 का समायोजन कर रु0 4884.00 माह के अन्त में शेष रहा। उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि बिना किसी कार्य एवं उद्देश्य के समायोजन मात्र के दृष्टिकोण से भ्रामक प्रविष्टि कर रु0 66851.00 का सीधे अपहरण किया गया। अतः रु0 66851.00 की मय ब्याज के वसूली श्री हृदेश भारद्वाज सचिव तत्कालीन एवं श्री सोमनाथ तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। उक्त अनियमित एवं शासनादेशों के विपरीत कत हेतु विभागीय आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर -125-वर्ष 2014-15 में चेक सं0 499170 व 14.8.2014 अ0 रु0 3818400 का व्यय मात्र मेन्टीनेन्स में दर्शाकर समायोजित किया गया। अतः रु0 38184.00 की वसूली श्री हृदेश भारद्वाज सचिव तत्कालीन एवं श्री सोमनाथ तत्कालीन प्रधान से मय ब्याज के किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-19)

प्रस्तर -126-वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक प्रिया साफ्ट में दर्शित आहरित धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय निम्न विवरणानुसार रहा -

वर्ष	ईट क्रय	बिल्डिंग मैटेरियल	मजदूरी	मिट्टी	अन्य	योग

2013-14	761380	71085	173300	179250	134010	1319025
2014-15	1145922	272200	484788	—	129283	2032193
2015-16	313500	69250	122104	37200	11000	553054
योग	2220802	412535	780192	216450	274293	3904272

उक्त मदों पर व्यय प्रियासाफ्ट की फीडिंग के अनुसार आहरित धन के सापेक्ष दर्शाये गये हैं। वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की कैश बुक, व्यय प्रमाणक, प्रस्ताव, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृत, एम0 बी0, मस्टर रोल, कार्य योजना, कैश बुक एवं अन्य अभिलेख चार्ज में वर्तमान सचिव को उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः उक्त व्यय से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में न होने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल रु0 3904272.00 की मय ब्याज के वसूली श्री हृदेश भारद्वाज, तत्कालीन सचिव एवं श्री सोमनाथ, तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(आपत्ति संख्या-20)

प्रस्तर -127- प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार चेक सं0 997244 दि0 30.12.13 अ0 रु0 27132.00 चेक सं0 997243 दि0 30.12.13 रु0 30552.00 चेक सं0 998214 दि0 22.01.2014 अ0 रु0 13663.00 एवं चेक संख्या 998215 दि0 22.01.2014 अ0 रु0 34200.00 कुल रु0 105547.00 की स्ट्रीट लाइट लगवाने पर व्यय दर्शाया गया। उक्त व्यय के सापेक्ष स्ट्रीट लाइट स्थलों की सूची, स्वीकृत प्रस्ताव, तकनीकी स्वीकृत विद्युत विभाग की स्वीकृत एवं विद्युत कनेक्शन से सम्बन्धी अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल रु0 105547.00 की वसूली मय ब्याज के श्री हृदेश भारद्वाज, तत्कालीन सचिव एवं श्री सोमनाथ, तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-21)

प्रस्तर -128- वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक हैण्डपम्प मरम्मत पर वर्षवार निम्न प्रकार व्यय किया गया। 2013-14 रु0 34280.00, 2014-15 अ0 रु0 116742.00 एवं 2015-16 रु0 157805.00 कुल रु0 308827.00 का व्यय किया गया। उक्त व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय, प्रमाणक हैण्डपम्प मिस्त्री की मजदूरी की प्राप्ति रसीद, स्वीकृत प्रस्ताव कार्ययोजना, ग्राम पंचायतों के कुल हैण्डपम्पों की सूची, मरम्मत हुए हैण्डपम्पों की सूची, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति पुराने बदले पुर्जों की स्क्रेप पेजी आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए रु0 308827.00 की वसूली मय ब्याज के श्री हृदेश भारद्वाज, तत्कालीन सचिव एवं श्री सोमनाथ, तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-22)

54-ग्राम पंचायत -रामपुर विकास खण्ड -जवां जनपद -अलीगढ़-

प्रस्तर -129-ग्राम पंचायत रामपुर से सम्बन्धित अभिलेख श्री हृदेश भारद्वाज द्वारा लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित कार्यक्रम पर उपलब्ध नहीं कराये गये। श्री भारद्वाज से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के लेखा परीक्षा कार्यक्रम माह मई 2018 से दिसम्बर 2018 तक कई बार निर्धारित किया गया एवं व्यक्तिगत सम्पर्क करने पर भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त प्रयासों के उपरान्त एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्देशों के उपरान्त अभिलेख उपलब्ध न कराया जाना शासन के दिशा निर्देशों की पूर्णतः अवहेलना करना है। उक्त कृत हेतु विभागीय अधिकारियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-17)

प्रस्तर -130-श्री हृदेश भारद्वाज ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के उपरान्त प्रिया साफ्ट फीडिंग में अंकित आय-व्यय के अनुसार आहरित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार विभिन्न मदों में व्यय किया गया -

वर्ष	मजदूरी	ईंट	बि0 मै0	मिट्टी/राख	कूड़ा गाड़ी	अन्य	योग
2013-14	389400	1121499	77000	38500	10000	49500 / 12500	1698799
2014-15	484753	1487461	105725	108500	—	2500 / 30000	2218939
2015-16	427941	857961	802778	45050	29417	25000 / 10000	2198147
2016-17	766350	2597564	195943.50	61150	40026	4000 / 27500	3692533.50
2017-18	555485	2462163	—	27456	10500	10000 / 45500	3111104
योग	2623929	8526648	1181446.50	280656	89943	91400 / 125500	12919522.50

उक्त विवरणानुसार निर्माण कार्य से सम्बन्धित व्ययों की प्रमाणक/बिल, कार्ययोजना, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृत, मस्टर रोल, प्रस्ताव, कार्ययोजना, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कूड़ा गाड़ी से सम्बन्धित बाउचर एवं डेड स्टॉक पेजी प्रणान मादेय 2013-14 से 2017-18 तक कुल रु0 25500.00 व्यय के सापेक्ष मानदेय पेजी एवं प्राप्ति रसीद, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु प्रस्ताव, कार्ययोजना, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पों की सूची आदि अभिलेख एवं कैश बुक सम्बन्धित सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत प्रमाणक एवं अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण अपहरण मानते हुए रु0 611885.00 की वसूली श्री हृदेश भारद्वाज, सचिव एवं श्री प्रवेश देवी, तत्कालीन प्रधान एवं रु0 6803637.50 की मय ब्याज के वसूली श्री हृदेश भारद्वाज, सचिव एवं श्री मुलायम सिंह, प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर -131-दि0 15.09.2017 चेक सं0 182736 अ0 रु0 407783.0 ट्रान्सफर ए0ए0सी0 व्यय पक्ष में फीड किया गया दर्शित है। उक्त धनराशि का भुगतान किस व्यक्ति/पार्टी को, किस कार्य हेतु एवं किसके आदेशों से हस्तान्तरित किया गया अज्ञात रहा। उक्त स्थिति से रु0 407783.00 हस्तान्तरण दर्शित कर व्यय समायोजित दर्शाकर अपहरण किया जाना पूर्णतः प्रतीत होता है। अतः उक्त की जांच कर रु0 407783.00 की मय ब्याज के वसूली श्री हृदेश भारद्वाज, सचिव श्री मुलायम सिंह, प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-19)

55-ग्राम पंचायत -कलियानपुर विकास खण्ड -जवां जनपद -अलीगढ़

प्रस्तर -132-वर्ष 2012-13 में छात्रवृत्ति मद में रु0 114087.00 प्रारम्भिक शेष एवं वर्ष में 14400.00 छात्रवृत्ति एवं 4980.00 ब्या प्राप्त हुआ जिससे वर्षान्त में 133467.00 शेष रहा। लेखा परीक्षा में छात्रवृत्ति मद की बैंक पासबुक बैंक स्टेटमेन्ट उपलब्ध न होने के कारण अपुष्ट रहा। कैशबुक में 31.03.2013 को अन्तिम शेष रु0 133467.00 दर्शित नहीं रहा। उक्त धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए जिसे नहीं किया गया और न ही 2013-14 के प्रारम्भिक शेष में दर्शित रहा। संदिग्ध स्थिति उत्पन्न करता है। रु0 133467.00 का यदि आहरण कर लिया गया है जिसका कोई विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं किया गया है। की मय ब्याज के वसूली श्री गजेन्द्र सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्री सूरजपाल सिंह, तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-17)

प्रस्तर -133-चेक सं0 429605 दि0 2.03.2013 रु0 5000.00, चेक सं0 43066.00 दि0 13.09.13 रु0 5000.00, चेक सं0 497679 दि0 28.4.14 रु0 5000.00, चेक सं0 498793 दि0 68.14 रु0 8450.00 स्टेटमेन्ट के अनुसार आहरित है जिसमें से चेक सं0 429605, 430660 कैश बुक में न ही आहरित दर्शित है और न ही व्यय, चेक संख्या 498793 कैश बुक में आहरित दर्शित है एवं उसके सापेक्ष व्यय दर्शित नहीं है और माह के अन्त में नगद शेष शून्य दर्शित है। चेक संख्या 498793 कैश बुक में 8450.00 के स्थान पर रु0 5000.00 आहरित दर्शित कर सापेक्ष में व्यय दर्शाया गया। इस प्रकार रु0 1850.00 का आहरण कर सीधे अपहरण कर लिया गया। अतः रु0 18450.00 की मय ब्याज के वसूली श्री अजीत सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री सूरजपाल सिंह, तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर -134-दि0 31.03.2013 को अन्तिम शेष में रु0 2288.00 नगद शेष प्रधान के पास दर्शित है। दि0 01.04.2013 को प्रा0 शेष में रु0 2020.00 दर्शित कर रु0 268.00 का अपहरण कर लिया गया। रु0 268.00 की वसूली मय ब्याज के श्री अजीत सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री सूरजपाल सिंह, तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-19)

प्रस्तर -135-वर्ष 2012-13 से 31.08.2016 तक की कैश बुक एपलब्ध कराई गई कैश बुक के अतिरिक्त व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख वर्तमान में कार्यरत सचिव श्री इन्द्रपाल सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व सचिव द्वारा चार्ज में उपलब्ध न कराये जाने के कारण प्रस्तुत नहीं किये गये। व्यय प्रमाणक के अभाव में आहरण के सापेक्ष व्ययों की पुष्टि नहीं होती। वर्षवार आहरण के सापेक्ष व्ययों का विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	ईट एवं निर्माण सामग्री	हैण्डपम्प मरम्मत	मिट्टी	मजदूरी	प्रकाश व्यवस्था	मनदेय	अन्य	योग
2012-13	261300	37250	—	127282	26000	4500	43668	500000
2013-14	449650	46300	45800	125100	18000	10500	42650	738000
2014-15	470850	28100	—	209800	18100	25000	34650	786500
2015-16	95210	37011	—	77500	—	10000	41579	261300
योग	1277010	148661	45800	539682	62100	50000	162547	2285800

उपरोक्त विवरण के अनुसार प्रधान मानदेय के सापेक्ष मानदेय पेयी चेक/धनराशि प्राप्ति रसीद, निर्माण कार्य योजना, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति, मस्टर रोल, एम0 बी0 कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, स्वीकृत कार्य योजना आदि। हैण्डपम्प मरम्मत व्यय के सापेक्ष हैण्डपम्प सामग्री एवं मजदूरी के व्यय प्रमाणक, प्रस्ताव स्वीकृत कार्य योजना, जलप्रबन्धन समिति की स्वीकृति। प्रकाश व्यवस्था हेतु, रु0 62100.00 व्यय कर स्ट्रीट लाइट स्थापना के प्रमाण में व्यय प्रमाणक, प्रस्ताव, कार्ययोजना विद्युत कनेक्शन पत्रावली, विद्युत विभाग की अनुमति, लाइट स्थापना स्थानों की सूची आदि आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए रु0 2285800.00 की वसूली में रु0 552857.00 की वसूली श्री हृदेश भारद्वाज, सचिव एवं श्री प्रवेश देवी, तत्कालीन प्रधान एवं रु0 6803637.50 की मय ब्याज के वसूली श्री गजेन्द्र तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्री सूरजपाल सिंह, तत्कालीन प्रधान एवं रु0 1732943.00 श्री अजीत सिंह तत्कालीन सचिव एवं श्री सूरजपाल तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख चार्ज में न दिये जाने के सम्बन्ध में विभागीय प्रशासनिक कार्यवही किया जाना अपेक्षित रहा। अधिकतर नगद किया गया जो अनियमित रहा। (आपत्ति संख्या- 20)

56-ग्राम पंचायत -सियाखास विकास खण्ड -जवां जनपद -अलीगढ़

प्रस्तर -136-वित्तीय वर्ष 2013-14 में कैशबुक में प्रारम्भिक शेष रु0 73437.39 छात्रवृत्ति मद में बैंक में जमा दर्शित रहा एवं वर्ष में रु0 2967.00 ब्याज से प्राप्त आय के उपरान्त दि0 31.3.14 को रु0 76404.39 दर्शित अन्तिम शेष रहा। पुष्टि में बैंक स्टेटमेन्ट/पास बुक उपलब्ध नहीं रही। वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शेष में छात्रवृत्ति मद में शून्य दर्शित रहा। छात्रवृत्ति मद में शेष धनराशि 76404.39 अभिलेखों में दर्शित न होना एवं प्रमाण में बैंक पास बुक/बैंक स्टेटमेन्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना स्थिति को संदिग्ध करता है। बैंक स्टेटमेन्ट/पास बुक बैंक द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत कर स्थिति स्पष्ट करते हुए छात्रवृत्ति मद में शेष धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्रत्यावर्तित किया जाना अपेक्षित रहा। अन्यथा की स्थिति में रु0 76404.39 की मय ब्याज के वसूली श्री भगवती प्रसाद, तत्कालीन प्रधान एवं श्री गजेन्द्र सिंह तत्कालीन सचिव से किया जाना अपेक्षित रहा। (आपत्ति संख्या-17)

प्रस्तर -137-चेक सं0 664347 दि0 26.4.13 अ0 रु0 37400.00 चेक सं0 664363 दि0 4.10.2013 रु0 11600.00 कुल रु0 49000.00 आर0 के0 ट्रेडर्स से लाइटें क्रय का भुगतान दर्शित है। उक्त से सम्बन्धित बिल एवं चेक प्राप्त रसीद लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहीं। और न ही लाइट लगाने का प्रस्ताव स्थानों का विवरण प्रस्तुत रहा। लाइट लगाने हेतु विद्युत विभाग की स्वीकृति एवं विद्युत कनेक्शन आदि से सम्बन्धित पत्रावली भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। उक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया। लाइट क्रय से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत न होने पर ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए रु0 49000.00 की वसूली मय ब्याज के मय ब्याज के श्री भगवती प्रसाद तत्कालीन प्रधान एवं श्री शैलेन्द्र सिंह, तत्कालीन सचिव से किया जाना अपेक्षित रहा। (आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर -138-वित्तीय वर्ष 2013-14 से रु0 39830.00 वर्ष 2014-15 में रु0 40300.00 वर्ष 2015-16 में रु0 39506.00 कुल रु0 119136.00 का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत पर हैण्डपम्प मिस्त्री एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया। उक्त व्यय के सापेक्ष निम्न न्यूनताएं रहीं -

1. हैण्डपम्प मरम्मत हेतु हैण्डपम्पों की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही।
2. हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित प्रस्ताव एवं तकनीकी स्वीकृत अप्राप्त रही।
3. हैण्डपम्प मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या - 4077/33-2-99-48-जी/99 के अन्तर्गत जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति अप्राप्त रही।

उक्त न्यूनताओं के अतिथि व्यय से सम्बन्धित व्यय बाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने पर, ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए रु0 119136.00 की मय ब्याज के वसूली श्री भगवती प्रसाद तत्कालीन प्रधान एवं श्री शैलेन्द्र सिंह, तत्कालीन सचिव से किया जाना अपेक्षित रहा। (आपत्ति संख्या-19)

प्रस्तर -139-वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक निम्न विवरणानुसार आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय कैश बुक में दर्शाया गया है -

वर्ष	ईट	सामग्री	मिट्टी	मजदूरी	योग
2013-14	124500	—	—	70834	195334
2014-15	554200	76995	122100	190890	944185
2015-16	138060	31710	—	136400	306170
योग	816760	108705	122100	398124	1445689

उक्त विवरणानुसार व्यय के सापेक्ष मानदेय प्रमाणक में व्यय बाउचर, मस्टर रोल, एम0 बी0 स्वीकृत प्रस्ताव, स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय प्रमाणक एवं आवश्यक अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक पलब्ध न होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए कुल दर्शित व्यय रु0 1445689.00 की मय ब्याज के वसूली श्री शैलेन्द्र सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री भगवती प्रसाद, तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-20)

प्रस्तर -140-वर्ष 2014-15 में 347 ट्राली दर 350.00 एवं बुग्गी दर 130.00 से कुल रु0 122100.00 का भुगतान मिट्टी ढुलाई कर्ता को किया गया। नियमानुसार मिट्टी भुगतान से रायल्टी की कटौती नहीं की गई। 347 ट्राली एवं 5 बुग्गी से कुल 785.00 घन मीटर मिट्टी की ढुलाई के आधार पर रु0 14.00 प्रति घन मीटर की दर से रु0 11000.50 रायल्टी की कटौती न कर राजकीय राजस्व को नुकसान पहुंचाते हुए अधिक भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया। अतः रु0 11000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री शैलेन्द्र सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री भगवती प्रसाद, तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-21)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

संस्था का नाम — ग्राम पंचायत जनपद एटा मण्डल — अलीगढ़

ग्राम पंचायत—जिन्हैरा विकास खण्ड —मारहरा जिला —एटा।

प्रस्तर 01 :- वर्ष 2017-18 में दिनांक 06.03.2018 को 12 सोलर लाइट रु0 236500 तथा दिनांक 11.08.2017 को 06 सोलर लाइट 107500, शनिदेव टेडिंग कम्पनी से क्रय की गयी। जबकि उत्तर प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, (निजी निवेश प्रकोष्ठ) के शासनादेश संख्या-190/उ0नि0नि0प्र0/2002 लखनऊ दिनांक 20.09.2002 के अनुसार अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे जिसके अनुसार, सार्वजनिक उपयोग हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट तथा सोलर फोटो वोल्टाइक पम्प संयंत्रों की सुविधाओं हेतु इनके संचालन/रख-रखाव की जिम्मेदारी नेडा द्वारा अपने स्टॉफ के सहयोग से करवानी होगी। उपरोक्त शासनादेशों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत को प्रति सोलर लाइट फर्म को अधिकतम रु0 14950.00 का भुगतान ही किया जाना चाहिए था शेष रु0 6050.00 का अनुदान नेडा के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अनुदान लिये जाने के उपरान्त फर्म को किया जाना चाहिए था। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा बिना अनुदान प्राप्त किए कुल 18 सोलर लाइट क्रय की गयी है एवं रु0 6050.00 प्रति सोलर लाइट की दर से कुल रु0 108900 नियम विरुद्ध आपूर्तिकर्ता फर्म को मनमानी पूर्वक भुगतान कर अपहरण किए गये हैं। इसके अतिरिक्त समस्त क्रय नेडा के माध्यम से न करके प्राइवेट फर्म से करके उ0प्र0 शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना की गयी है। उक्तानुसार हुई क्षति की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मी उपाध्याय व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गिरीश गौतम से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या - 23

ग्राम पंचायत —धनिगां विकास खण्ड —निधौली कलां जिला —एटा।

प्रस्तर 02 :- दिनांक 26.03.2018 को रु0 12500 बैंक से निकालकर कैशबुक में प्रविष्टि नहीं की गयी है। इस प्रकार रु0 12500 का अपहरण किया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित सचिव श्री मेघ सिंह एवं ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-23

ग्राम पंचायत —लोधामई विकास खण्ड —मारहरा जिला एटा।

प्रस्तर 03:-वर्ष 2017-18 में दिनांक 14.07.2017 को 12 सोलर लाइट रु0 258000.00 तथा दिनांक 20.07.2017 को 10 सोलर लाइट 215000.00, जय मां दुर्गा इलेक्ट्रिकल्स से क्रय की गयी। जबकि उत्तर प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, (निजी निवेश प्रकोष्ठ) के शासनादेश संख्या-190/उ0नि0नि0प्र0/2002 लखनऊ दिनांक 20.09.2002 के अनुसार अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे जिसके अनुसार, सार्वजनिक उपयोग हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट तथा सोलर फोटोवोल्टाइक पम्प संयंत्रों की सुविधाओं हेतु इनके संचालन/रख-रखाव की जिम्मेदारी नेडा द्वारा अपने स्टॉफ के सहयोग से

करवानी होगी। उपरोक्त शासनादेशों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत को प्रति सोलर लाइट फर्म को अधिकतम रु0 14950.00 का भुगतान ही किया जाना चाहिए था शेष रु0 6050.00 का अनुदान नेडा के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अनुदान लिये जाने के उपरान्त फर्म को किया जाना चाहिए था। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा बिना अनुदान प्राप्त किए कुल 22 सोलर लाइट क्रय की गयी है एवं रु0 6050.00 प्रति सोलर लाइट की दर से कुल रु0 133100.00 नियम विरुद्ध आपूर्तिकर्ता फर्म को मनमानी पूर्वक भुगतान कर अपहरण किए गये है। इसके अतिरिक्त समस्त क्रय नेडा के माध्यम से न करके प्राइवेट फर्म से करके उ0प्र0 शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना की गयी है। उक्तानुसार हुयी क्षति की ब्याज सहित वसूली के ग्राम प्रधान श्री विजय बहादूर व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 23

ग्राम पंचायत –अहिरमई विकास खण्ड –निधौली कलां, जिला –एटा।

प्रस्तर 04 :- वर्ष 2015–16 में दिनांक 04.08.15 को रु0 141000 व 11.08.15 को रु0 141000 से हैण्डपम्प (इन्डियामाफी) की ग्राम पंचायत में स्थापना की गई जबकि ग्राम पंचायत के वल हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कर सकती है। हैण्डपम्प स्थापना का कार्य जल निगम द्वारा किया जाता है। इस प्रकार रु0 282000 का अनियमित व्यय किया जाता है। इस प्रकार रु0 282000 का अनियमित व्यय कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गई जिसकी वसूली ब्याज सहित के सचिव श्रीमती ज्योति वर्मा प्रधान श्री लोकेन्द्र से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 23

ग्राम पंचायत –नावली विकास खण्ड –निधौली कलां, जिला –एटा।

प्रस्तर 05 :- वित्तीय वर्ष 2014–15 में ग्राम निधि खातों से रु0 290440 निकाला गया किन्तु 2014–15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये है। उक्त वर्ष के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया ग्राम पंचायत पर 31 मार्च 2015 से पूर्व तैनात रहे ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा उन्हे अभिलेख चार्ज में नहीं दिये है। अतः उक्त वर्षों में प्राप्त धनराशि को गवन मानते हुए वित्तीय अनियमितताओं मानते हुए वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल पुस्तिका के अध्याय 08 के विशेष प्रस्तर 08(क) के अनुसार ग्राम प्रधान लालता प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दलवीर सिंह के विरुद्ध धनराशि ब्याज सहित वसूली हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करायी जानी अपेक्षित है। प्रकरण जिला पंचायत राज अधिकारी के संज्ञान में लाया गया है।

आपत्ति संख्या – 21

प्रस्तर 06 :- वर्ष 2015–16 में दिनांक 21.05.15 को रु0 92000 व दिनांक 24.06.15 रु0 92000 व दिनांक 17.08.15 को रु0 100000 से सोलरलाइट की खरीद निजी फर्म से की गई जबकि शासनादेश के अनुसार शासकीय फर्म नेडा से खरीद की जानी चाहिये बिना कोटेशन / टेण्डर के सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया कि भविष्य में नियमों का पालन किया जाएगा। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। सम्बन्धित सचिव एवं प्रधान के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 22

ग्राम पंचायत –कुल्लाहबीबपुर, विकास खण्ड –सकीट, जिला – एटा।

प्रस्तर 07 :- लेखा परीक्षा वर्ष 2017–18 के ग्राम निधि खाता सं0–1(राज्यवित्त एवं चौदहवें/तेरहवें वित्त आयोग) से रु0 712632.75 आहरित किया गया। लेखा परीक्षा में उक्त आहरण से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख (कैशबुक को छोड़कर) तैयार नहीं है और आहरित धनराशि का अनियमित व्यय किया जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः आहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित वैधानिक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित ग्राम प्रधान शशिप्रभा एवं सचिव श्री प्रमोद से की जानी अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

आपत्ति संख्या – 17

ग्राम पंचायत –कुंवरपुर नगरिया विकास खण्ड –सकीट जिला –एटा।

प्रस्तर 08 :- लेखा परीक्षा वर्ष 2017–18 के ग्राम निधि खाता सं0–1(राज्यवित्त एवं चौदहवें/तेरहवें वित्त आयोग) से रु0 929432.50 आहरित किया गया। लेखा परीक्षा में उक्त आहरण से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख (कैशबुक को छोड़कर) तैयार नहीं है और

एवं सचिव मुकेश से की जानी अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

आपत्ति संख्या – 17

ग्राम पंचायत –नरौरी विकास खण्ड –शीतलपुर जिला–एटा।

प्रस्तर 19 :- वर्ष 2016–17 में दिनांक 19.05.16 को रु0 104000 व दिनांक 23.05.16 को रु0 104000 से सोलरलाइट की खरीद निजी फर्म मेसर्स जैन एन्ड संस से की गई जबकि शासनादेश के अनुसार शासकीय फर्म नेडा से खरीद की जानी चाहिये बिना कोटेशन/टेण्डर के सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया कि भविष्य में नियमों का पालन किया जाएगा। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रवण कुमार एवं सचिव रामकृपाल के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 24

प्रस्तर 20 :- दिनांक 30.03.2016 को रु0 150000 बैंक से निकालकर कैशबुक में प्रविष्टी नहीं की गयी व दिनांक 28.05.2015 को रु0 40000 किन्तु कैशबुक में रु0 10000 प्रविष्ट व दिनांक 01.06.2015 को रु0 40000 किन्तु कैशबुक में रु0 10000 प्रविष्ट व दिनांक 23.10.2015 को रु0 85000 किन्तु कैशबुक में रु0 80000 प्रविष्ट की गई बैंक से निकालकर कैशबुक में प्रविष्ट नहीं की गयी है। इस प्रकार रु0 215000 का अपहरण किया गया जिसकी वसूली सचिव/प्रधान से अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 25

ग्राम पंचायत–कीलरमउ विकास खण्ड–शीतलपुर जिला –एटा।

प्रस्तर 21 :- दिनांक 19.03.2018 को चेक संख्या 170 व 173 से क्रमशः 148287 व 153943 एवं दिनांक 26.03.18 द्वारा चेक सं0 180 धनराशि 169500 कुल धनराशि 471730.00 आहरित की गयी किन्तु आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। रु0 471730.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव मुकेश गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री रामदुलारे से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 26

ग्राम पंचायत –शीतलपुर विकास खण्ड–शीतलपुर, जिला –एटा।

प्रस्तर 22 :-दिनांक 23.06.2017 को चेक संख्या 69 द्वारा 40000 रु0, दिनांक 02.02.2018 को चेक सं0 74 द्वारा 74000 एवं दिनांक 23.02.2018 को चेक सं0 78 से रु0 21200 कुल धनराशि 135200 आहरित की गयी किन्तु आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। रु0 135200.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव सदीप यादव एवं ग्राम प्रधान श्री भूपेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 26

ग्राम पंचायत –बाबरपुर विकास खण्ड –शीतलपुर जिला –एटा।

प्रस्तर 23 :-वर्ष 2017–18 में दिनांक 15.07.17 को रु0 150000 से सोलरलाइट की खरीद निजी फर्म से की गई जबकि शासनादेश के अनुसार शासकीय फर्म नेडा से खरीद की जानी चाहिये बिना कोटेशन/टेण्डर के सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया कि भविष्य में नियमों का पालन किया जाएगा। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संजय एवं सचिव श्री राकेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 26

ग्राम पंचायत –हरनावली विकास खण्ड –शीतलपुर जिला –एटा।

प्रस्तर 24 :-वर्ष 2015–16 में दिनांक 18.05.15 को रु0 25500 से सोलरलाइट की खरीद निजी फर्म से की गई जबकि शासनादेश के अनुसार शासकीय फर्म नेडा से खरीद की जानी चाहिये बिना कोटेशन/टेण्डर के सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया कि भविष्य में नियमों का पालन किया जाएगा। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है कि सम्बन्धित ग्राम प्रधान योगेन्द्र एवं सचिव श्री मुनीश्वरानन्द के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 24

प्रस्तर 25 :-दिनांक 07.03.2017 को चेक संख्या 96 से रु0120325 दिनांक 27.05.16 द्वारा चेक सं0 91 धनराशि रु040940 कुल धनराशि रु0161265 आहरित की गयी किन्तु आहरण के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। अतः उक्त अपुष्ट भूगतान की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित सचिव एवं ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 25

ग्राम पंचायत —शहनौआ विकास खण्ड —अवागढ़ जिला —एटा।

प्रस्तर 26 :-वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित लेखा परीक्षा दौरान केवल बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध कराया गया है। जिसमें रू0 2166092.00 का अपहरण किया गया है। जिसमें क्रय के सम्बन्ध में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने की दशा में उक्त धनराशि अपहरण (गबन) की श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान कुशल पाल एवं सचिव श्री मोहन सिंह से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या - 25

ग्राम पंचायत —बोरीखुर्द विकास खण्ड —अवागढ़ जिला —एटा।

प्रस्तर 27 :-वर्ष 2017-18 में कुल रू0 58500.00 प्रधान को मानदेय का भुगतान किया गया है। किन्तु ऑडिट के समय मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मानदेय रजिस्टर तैयार कर पुष्टि करायी जाये। तथा कैशबुक के अनुसार अक्टूबर 2016 से अप्रैल 2017 तक रू0 2500/- प्रतिमाह की दर से तथा मई 2017 से फरवरी 2018 तक रू0 3500/- प्रतिमाह की दर से भुगतान दर्शाया गया है जबकि ऑडिट के अनुसार धनराशि 52500.00 होती है। इस प्रकार रू0 6000.00 का अधिक भुगतान कर धन का अपहरण किया गया जिसके लिये प्रधान/सचिव उत्तरदायी है। अतः ग्राम प्रधान राजू एवं सचिव श्री अजीत यादव से रू0 6000 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या - 21

प्रस्तर 28 :-वर्ष 2017-18 में दिनांक 29.06.2017 को रू0 219000.00 से सोलर लाइट की खरीद निजी फर्म मै0 कृष्णा कान्स्ट्रक्टर से की गयी है। जबकि शासनादेश के अनुसार शासकीय फर्म से की जानी चाहिए थी। बिना कोटेशन/टेंडर के सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया कि भविष्यमें नियमों का पालन किया जायेगा। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या - 23

ग्राम पंचायत —पवाह विकास खण्ड —अवागढ़ जिला— एटा।

प्रस्तर 29 :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 25.01.2018 को रू0 123600.00 का विभिन्न ग्राम पंचायतों हेतु टंकी व समरसेविल सामान मै0रामनिवास हार्डवेयर से क्रय किया गया जिसकी कोई भी स्वीकृति उच्चाधिकारियों से नहीं ली गयी और न ही इस्टीमेट/कुटेशन तथा प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत किया गया फलस्वरूप धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रति सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता एवं सचिव श्री रितेश से रू0 123600.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या - 25

ग्राम पंचायत —मितरौल विकास खण्ड —अवागढ़ जिला —एटा।

प्रस्तर 30 :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 29.05.2017 को समरसेविल बिल फिटिंग रू0 18230.00 तथा दिनांक 08.11.2017 को रू0 27971.00 प्रशासनिक मद में व्यय किया गया है। जिसका कैशबुक के अतिरिक्त कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। फल स्वरूप सम्बन्धित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार कुल रू0 46201.00 का अनियमित व्ययकर पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान नीरज एवं सचिव रितेश से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या - 26

ग्राम पंचायत —विचपुरी विकास खण्ड —जलेसर जिला —एटा।

प्रस्तर 31 :-वर्ष 2017-18 में दिनांक 20.01.2018 को चैक संख्या 017852 से रू0 16523.00 बैंक से निकाला गया किन्तु न तो कैशबुक में प्रविष्टि ही की गयी और न ही कैश बुक के अतिरिक्त कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। अतः रू0 16523.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान सर्वेश सचिव श्री सुनील से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या - 23

ग्राम पंचायत —पिलखतरा विकास खण्ड —अवागढ़ जिला— एटा।

प्रस्तर 32 :-वर्ष 2017-18 में कुल व्यय क्रमशः रू0 30000.00 मस्टररोल द्वारा मजदूरी भुगतान व रू0 116000.00 मिट्टी कार्य पर, इस प्रकार कुल रू0 146000.00 का भुगतान चैक द्वारा न करके नगद किया गया है। जबकि सम्बन्धित धनराशि को सम्बन्धित श्रमिकों के खुले बैंक खातों में हस्तान्तरित किया जाना चाहिये था। इससे यह प्रतीत होता है कि धन का दुरुपयोग कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके प्रति प्रधान अनीता एवं सचिव सतीश व राजीव उत्तरदायी है। रू0 146000 की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या - 21

ग्राम पंचायत –जमों विकास खण्ड –जलेसर जिला –एटा।

प्रस्तर 33:—वर्ष 2017–18 में दिनांक 28.03.2018 को रू0 473060.00 की सोलर लाइट निजी फर्म के द्वारा खरीद की गयी। शासनादेश के अनुसार शासकीय फर्म नेडा से की जानी चाहिये थी। जो अनियमित खरीद की गयी। बिना कोटेशन /टेण्डर के सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया कि भविष्य में नियमों का पालन किया जायेगा। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र एवं सचिव मो0 खान के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 23

ग्राम पंचायत –खानपुर विकास खण्ड –जलेसर जिला –एटा।

प्रस्तर 34 :—वर्ष 2017–18 में दिनांक 27.04.2017 को रू0 172000 की सोलर लाइट मै0 जय दुर्गा इलेक्ट्रिशियन के क्रय की गयी जबकि शासनादेश के अनुसार शासकीय फर्म नेडा से क्रय की जानी थी। तथा लेखा परीक्षा के दौरान उक्त धनराशि से सम्बन्धित बिल/प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि सचिव/प्रधान द्वारा उक्त धन का दुरुपयोग कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गई जिसके लिये प्रधान/सचिव उत्तरदायी है। अतः रू0 172000 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री श्यामवीर एवं सचिव मो0 खान से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 21

ग्राम पंचायत –वोरीकलां विकास खण्ड –अवागढ़ जिला –एटा।

प्रस्तर 35 :—वर्ष 2017–18 में दिनांक 03.07.2017 को रू0 657000.00 की सोलर लाइट निजी फर्म से क्रय की गयी जबकि शासनादेश के अनुसार शासकीय फर्म नेडा से क्रय की जानी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त धनराशि का व्यय अनियमित रूप से किया गया है। जिस प्रति उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री सुदामा एवं सचिव श्री अनुराग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 23

ग्राम पंचायत –मण्डनपुर विकास खण्ड –अवागढ़ जिला –एटा।

प्रस्तर 36 :—वर्ष 2017–18 में दिनांक 02.05.2017 को रू0 360000.00 की सोलर लाइट निजी फर्म से क्रय की गयी जबकि शासनादेश के अनुसार शासकीय फर्म नेडा से क्रय की जानी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त धनराशि का व्यय अनियमित रूप से किया गया है। बिना कोटेशन/टेण्डर के सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया कि भविष्य में नियमों का पालन किया जायेगा। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री ओमपाल एवं सचिव राघवेन्द्र के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 23

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017–18

जनपद— हाथरस

मण्डल— अलीगढ़

अनुभाग— ग्राम पंचायत

1 – ग्राम पंचायत – अमौसी खण्ड विकास – हसायन जनपद –हाथरस

प्रस्तर—1 आलोच्य वर्ष **2017–18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री व मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: –

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित धनराशि
20.04.17	305391	1	मजदूरी	मुकेशकुमार	18250.00
24.04.17	305395	2	मजदूरी	सोनू कुमार	9062.00
25.04.17	305397	6	सामग्री	चौहान ट्रेडर्स	6470.00
25.04.17	305402	7	सामग्री	चौहान ट्रेडर्स	9090.00
25.04.17	305399	8	सामग्री	श्री बांके बिहारी उद्योग	17595.00
25.04.17	305396	9	सामग्री	श्री बांके बिहारी उद्योग	172635.00
27.04.17	305392	10	सामग्री	चौहान ट्रेडर्स	52661.00
1.05.17	305393	11	सामग्री	यशोदा इंट उद्योग	9910.00
1.05.17	305398	13	सामग्री	यशोदा इंट उद्योग	1763.00
18.12.17	305338	24	मजदूरी	राम किशन	40000.00
20.12.17	305337	25	सामग्री	बालाजी इंट उद्योग	29625.00
20.12.17	305335	26	सामग्री	चौहान फटीलाईजर्स	63037.00
22.12.17	305336	27	सामग्री	श्री बांके बिहारी उद्योग	329936.00
5.01.18	305341	28	सामग्री	अवनी सीमेन्ट ब्रिक्स	98192.00

5.01.18	305339	29	सामग्री	चौहान फर्टीलाईजरर्स	36957.00
10.01.18	305342	30	मजदूरी	महावीर सिंह	13950.00
10.01.18	305343	31	मजदूरी	महावीर सिंह	8425.00
10.01.18	305340	32	सामग्री	बालाजी इंट उद्योग	8875.00
25.04.17	305400	3	मजदूरी	मस्टररोल	2700.00
25.04.17	305401	4	मजदूरी	मस्टररोल	1881.00
25.04.17	305404	5	मजदूरी	मस्टररोल	3700.00
					934714.00

उपरोक्त कार्यों में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री राम किशोर, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित वर्णित तारीख/विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति/संस्था को, निविदा प्रकाशन हेतु भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है:-

तारीख	चेक सं.	वाउचर		भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
9.08.17	305406	15	0	स्वराज टाईम्स	7508.00
8.11.17	305332	23	0	स्वराज टाईम्स	2627.00
					10135.00

उपरोक्त कार्य में 1. कैश में / रसीद पर जी.एस.टी. नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. समाचार पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. किये गये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से से करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री रामकिशोर, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 3-आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, हैण्डपंप मरम्मत हेतु मजदूरी व सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: -

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित धनराशि
7.09.17	305410	19	सामग्री	0	5000.00
					5000.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित रु 20000.00 से अधिक का होने पर कोटेशन बुलाया गया या नहीं, रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री राम किशोर, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-4—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, पुलिया निर्माण हेतु सामग्री व मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित धनराशि
1.05.17	305403	12	सामग्री	यशोदा इंट उद्योग	5168.00
					5168.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री रामकिशोर, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 5—आलोच्य वर्ष **2017—18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, हैण्डपंप रीबोर हेतु मजदूरी व सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
24.10.17	305333	21	सामग्री	गोलू मशीनरी स्टोर	4724.00
					4724.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है नहीं हुई, प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित रु 20000.00 से अधिक का होने पर कोटेशन बुलाया गया या नहीं, रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109—ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्रीउदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री रामकिशोर, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 6—आलोच्य वर्ष **2017—18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, को शौचालय निर्माण हेतु सामग्री व मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
31.03.18	305345	34	लेबर व सामग्री	0	12000.00
31.03.18	305346	35	लेबर व सामग्री	0	12000.00
					24000.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109—ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्रीउदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री रामकिशोर, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 7—आलोच्य वर्ष **2017—18** में, अधोलिखित वर्णित तारीख/विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति/संस्था को, साफ सफाई हेतु भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है:—

तारीख	चेक सं.	वाउचर		भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
4.09.17	305408	17	सामग्री	0	1340.00
					1340.00

उपरोक्त कार्य में किये गये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109—ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्रीउदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री रामकिशोर, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 8—आलोच्य वर्ष **2017—18** में, अधोलिखित दिनांक को, ग्रामीण सेवा केन्द्र को, सफाई गाड़ी मरम्मत हेतु अधोलिखित वर्णित चेक संख्या व वाउचर संख्या से चेक संख्या के सम्मुख वर्णित राशि का किया गया।

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
4.09.17	305407	18	मरम्मत	0	2317.00
					2317.00

उपरोक्त कार्य में 1. की गई खरीदी का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. क्रय सामग्री की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कौश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. क्रय सामग्री को डेड स्टॉक पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109—ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्रीउदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री रामकिशोर, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 9—आलोच्य वर्ष **2017—18** में, अधोलिखित वर्णित तारीख/विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति/संस्था को, वाल पेंटिंग हेतु भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है:—

तारीख	चेक सं.	वाउचर		भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
21.09.17	305331	20	लेबर व सामग्री	विजय कुमार	3165.00
					3165.00

उपरोक्त कार्य में किये गये व्यय की पुष्टि बाउचरों/बिल से करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109—ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री रामकिशोर, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

2. ग्राम पंचायत—अमृतपुर असदपुर, विकास खण्ड—हसायन, जनपद—हाथरस।

प्रस्तर—10—आलोच्य वर्ष **2017—18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, को इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री व मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
5.01.18	832943	17	मजदूरी	प्रधान	19500.00
9.01.18	832942	19	सामग्री	घरमेन्द्र कुमार ठेकेदार	192174.00
26.03.18	832949	24	सामग्री	घरमेन्द्र कुमार ठेकेदार	206705.00
					418379.00

उपरोक्त कार्यों में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों/रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों/बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109—ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती सीमादेवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—11—आलोच्य वर्ष **2017—18** में, अधोलिखित वर्णित तारीख/विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति/संस्था को, निविदा प्रकाशन हेतु भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है:—

तारीख	चेक सं.	वाउचर	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
9.08.17	832928	9	स्वराज्य टाईम्स पब्लिकेशन	14334.00
22.09.17	832936	13	दैनिक राजपथ अलीगढ़	4200.00
				18534.00

उपरोक्त कार्य में 1. कैश मेमों/रसीद पर जी.एस.टी. नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. समाचार पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. किये गये व्यय की पुष्टि बाउचरों/बिल से से करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109—ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती सीमादेवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-12—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, को हैण्डपंप मरम्मत हेतु मजदूरी व सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
12.09.17	832938	11	0	प्रधान	7000.00
28.09.17	832939	14	सामग्री	चन्द्रशेखर मशीनरी स्टोर	19997.00
17.10.17	832940	15	मजदूरी	दिनेश बाबू	6000.00
6.01.18	832945	18	सामग्री	चन्द्रशेखर मशीनरी स्टोर	32788.00
10.01.18	832944	20	मजदूरी	नेपाल सिंह	6300.00
28.02.18	832946	21	सामग्री	चन्द्रशेखर मशीनरी स्टोर	32400.00
13.03.18	832947	22	मजदूरी	नेपाल सिंह	3600.00
					108085.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में/रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों/बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित रु 20000.00 से अधिक का होने पर कोटेशन बुलाया गया या नहीं, रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती सीमादेवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-13—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, को सोलर लाईट हेतु सामग्री का मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
3.08.17	832931	3	लेबर व मटेरियल	सोमदेव ट्रेडर्स	42000.00
3.08.17	832932	4	लेबर व मटेरियल	सोमदेव ट्रेडर्स	42000.00
3.08.17	832933	5	लेबर व मटेरियल	सोमदेव ट्रेडर्स	42000.00
3.08.17	832934	6	लेबर व मटेरियल	सोमदेव ट्रेडर्स	42000.00
3.08.17	832930	7	लेबर व मटेरियल	सोमदेव ट्रेडर्स	42000.00
					210000.00

उपरोक्त कार्य में 1. की गई खरीदी का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. खरीदी की गई सामग्री की गुणवत्ता हेतु तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में/रसीद पर व्यापार कर

रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. क्रय की गई संपत्ति को डेड स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. बैंक से लेन देन तथा कैशबुक में धनराशि/चेकों का अंकन सही तरह से किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों/बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 11. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती सीमादेवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-14—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, को स्ट्रीट लाईट हेतु सामग्री का मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
4.08.17	832935	8	लेबर व मटेरियल	सनिदेव ट्रेडिंग कंपनी	60750.00
					60750.00

उपरोक्त कार्य में 1. की गई खरीदी का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. खरीदी की गई सामग्री की गुणवत्ता हेतु तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में/रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. क्रय की गई संपत्ति को डेड स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. बैंक से लेन देन तथा कैशबुक में धनराशि / चेकों का अंकन सही तरह से किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 11. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती सीमा देवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-15—आलोच्य वर्ष **2016-17** में, दिनांक 10.08.2017 को, श्री कृष्णा इन्टरप्राइसेस, अभिलेख बस्ता हेतु चेक संख्या 832929, वाउचर संख्या 10 से रु **3000.00** का भुगतान किया गया। उपरोक्त कार्य में 1. की गई खरीदी का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. क्रय सामग्री की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. क्रय सामग्री को डेड स्टॉक पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63

के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती सीमादेवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

3- ग्राम पंचायत -बकायन विकास खण्ड- हसायन जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-16—आलोच्य वर्ष 2017-18 में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री व मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
6.11.17	686658	20	सामग्री	गोल्डन इंट इंडस्ट्रीस	153000.00
23.11.17	686663	24	सामग्री	गोल्डन इंट इंडस्ट्रीस	297204.00
24.11.17	686666	25	मजदूरी	प्रधान	50850.00
13.12.17	0	28	मजदूरी	प्रधान	9740.00
18.12.17	686667	31	सामग्री	गोल्डन इंट इंडस्ट्रीस	118136.00
18.12.17	686669	32	सामग्री	गोल्डन इंट इंडस्ट्रीस	71731.00
12.01.18	686683	34	मजदूरी	प्रधान	25550.00
17.01.18	686686	35	मजदूरी	प्रधान	37470.00
					763681.00

उपरोक्त कार्यों में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में/रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों/ बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपडित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः खर्च संदेहास्पद एवं अनियमित है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री संजीव सारस्वत, तत्कालीन सचिव एवं श्री सुभाषचन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-17—आलोच्य वर्ष 2017-18 में, अधोलिखित वर्णित तारीख/विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति/संस्था को, निविदा प्रकाशन हेतु भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है:—

तारीख	चेक सं.	वाउचर		भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
23.05.17	117175	4	0	स्वराज टाईम्स	3412.00
24.10.17	656657	19	0	स्वराज टाईम्स	5375.00
					8787.00

उपरोक्त कार्य में 1. कैश में/रसीद पर जी.एस.टी. नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. समाचार पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. किये गये व्यय की पुष्टि बाउचरों/बिल से से करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः खर्च संदेहास्पद एवं अनियमित है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री संजीव सारस्वत, तत्कालीन सचिव एवं श्री सुभाषचन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-18—आलोच्य वर्ष 2017-18 में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, हैण्डपंप मरम्मत हेतु मजदूरी व सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
28.03.17	117171	35	सामग्री	राठी मशीनरी	9996.00
19.04.17	117174	2	मजदूरी	फिरोज खान	7000.00
11.05.17	117176	3	मजदूरी	प्रधान	10000.00
29.07.17	117177	5	मजदूरी	फिरोज खान	5500.00
11.10.17	686656	16	मजदूरी	फिरोज खान	8750.00
21.11.17	686660	22	सामग्री	सर्मा हार्डवेयर	14330.00
14.12.17	686671	30	मजदूरी	फिरोज खान	5600.00
					61176.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में/रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों/बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित रु 20000.00 से अधिक का होने पर कोटेशन बुलाया गया या नहीं, रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः खर्च संदेहास्पद एवं अनियमित है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री संजीव सारस्वत, तत्कालीन सचिव एवं श्री सुभाषचन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-19—आलोच्य वर्ष 2017-18 में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, हैण्डपंप रीबोर हेतु मजदूरी व सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
29.12.17	686677	33	मजदूरी	प्रधान	21000.00
18.01.18	686675	38	सामग्री	यादव मशीनरी स्टोर	8656.00

18.01.18	686676	39	सामग्री	यादव मशीनरी स्टोर	8656.00
29.01.18	686681	40	सामग्री	यादव मशीनरी स्टोर	4000.00
29.01.18	686682	41	सामग्री	यादव मशीनरी स्टोर	4000.00
29.01.18	686679	42	भाड़ा	यादव मशीनरी स्टोर	1610.00
29.01.18	686680	43	भाड़ा	यादव मशीनरी स्टोर	1610.00
30.01.18	686678	44	मजदूरी	प्रधान	20440.00
					69972.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है नहीं हुई, प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित रु 20000.00 से अधिक का होने पर कोटेशन बुलाया गया या नहीं, रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री संजीव सारस्वत, तत्कालीन सचिव एवं श्री सुभाषचन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-20—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, सोलर लाईट हेतु सामग्री का मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान कर्ता	प्राप्त	सन्निहित घनराशि
8.09.17	686646	9	सामग्री	प्रेम सर्विसेस		99750.00
12.09.17	686647	10	सामग्री	प्रेम सर्विसेस		99750.00
16.09.17	686649	11	सामग्री	प्रेम सर्विसेस		99750.00
18.09.17	686651	13	सामग्री	प्रेम सर्विसेस		99750.00
29.09.17	686653	14	सामग्री	प्रेम सर्विसेस		39900.00
29.09.17	686659	15	सामग्री	प्रेम सर्विसेस		59850.00
12.10.17	686654	17	सामग्री	प्रेम सर्विसेस		59850.00
12.10.17	686655	18	सामग्री	प्रेम सर्विसेस		39900.00
						598500.00

उपरोक्त कार्य में 1. की गई खरीदी का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. खरीदी की गई सामग्री की गुणवत्ता हेतु तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. क्रय की गई संपत्ति को डेड स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. बैंक से लेन देन तथा कैशबुक में धनराशि / चेकों का अंकन सही तरह से किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि

बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 11. की गई खरीदी एक लाख रुपये से अधिक की है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री संजीव सारस्वत, तत्कालीन सचिव एवं श्री सुभाषचन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-21—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, स्ट्रीट लाईट हेतु सामग्री का मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
29.03.17	117172	36	लेबर एवं सामग्री	प्रधान	13800.00
					13800.00

उपरोक्त कार्य में 1. की गई खरीदी का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. खरीदी की गई सामग्री की गुणवत्ता हेतु तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. क्रय की गई संपत्ति को डेड स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. बैंक से लेन देन तथा कैशबुक में धनराशि / चेकों का अंकन सही तरह से किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री संजीव सारस्वत, तत्कालीन सचिव एवं श्री सुभाषचन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-22—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित वर्णित दिनांक को, अधोलिखित वर्णित व्यक्ति को, स्टेशनरी सामग्री हेतु अधोलिखित वर्णित चेक संख्या व वाउचर संख्या से चेक संख्या के सम्मुख दर्शित राशिका भुगतान किया गया।

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
16.09.17	686648	12	0	दीपक कम्प्यूटर्स एण्ड स्टेशनर्स	1450.00
					1450.00

उपरोक्त कार्य में 1. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. खरीदी गई स्टेशनरी को स्टेशनरी के स्टॉक रजिस्टर में रखा गया या नहीं रखा गया ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री संजीव सारस्वत, तत्कालीन सचिव एवं श्री सुभाषचन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-23—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित वर्णित तारीख/विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति/संस्था को, वाल पेंटिंग हेतु भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है:-

तारीख	चेक सं.	वाउचर		भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
6.09.17	117180	8	मजदूरी	विनोद कुमार	2405.00
					2405.00

उपरोक्त कार्य में किये गये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से से करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री संजीव सारस्वत, तत्कालीन सचिव एवं श्री सुभाषचन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-24—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री व मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
6.09.17	117168	34	मजदूरी	प्रधान	13160.00
6.11.17	686659	21	मजदूरी	प्रधान	19460.00
23.11.17	686661	23	सामग्री	गोल्डन इंट इंडस्ट्रीस	213923.00
24.11.17	686662	26	मजदूरी	प्रधान	3680.00
6.12.17	686665	0	सामग्री	गोल्डन इंट इंडस्ट्रीस	39000.00
6.12.17	686664	0	सामग्री	गोल्डन इंट इंडस्ट्रीस	79400.00
13.12.17	0	27	मजदूरी	प्रधान	6610.00
17.01.18	686685	36	सामग्री	गोल्डन इंट इंडस्ट्रीस	422876.00
17.01.18	686687	37	सामग्री	गोल्डन इंट इंडस्ट्रीस	299872.00
					1097981.00

उपरोक्त कार्यों में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमो / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री संजीव सारस्वत, तत्कालीन सचिव एवं श्री सुभाषचन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-25—आलोच्य वर्ष 2017-18 में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, नाली निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
1.09.17	117178	7	सामग्री	शिव आयरन स्टोर्स	10000.00
13.02.18	686687	45	मजदूरी	प्रधान	42630.00
13.02.18	686688	46	सामग्री	गोल्डन इंट इंडस्ट्रीस	171412.00
					224042.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री संजीव सारस्वत, तत्कालीन सचिव एवं श्री सुभाषचन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

4— ग्राम पंचायत —बरामई नगला विजन, विकास खण्ड— हसायन, जनपद—हाथरस।

प्रस्तर-26—आलोच्य वर्ष 2017-18 में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के सक्षम वर्णित व्यक्ति को, को खेल मैदान निर्माण हेतु सामग्री व मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
6.02.18	468	76	मजदूरी	प्रधान	3200.00
6.02.18	467	78	सामग्री	ओम बिल्डिंग मटेरियल	56743.00
					59943.00

उपरोक्त कार्यों में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत

नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य पूर्ण हुआ कि नहीं ज्ञात नहीं हो सका, अतः कार्य की लागत एक लाख रुपये से अधिक की होने पर, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया, अगर लागत एक लाख से कम है तो कोटेशन बुलाया गया कि नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः खर्च संदेहास्पद एवं अनियमित है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती कुशमादेवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-27—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के सक्षम वर्णित व्यक्ति को, को इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री व मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
10.04.17	406	1	मजदूरी	प्रधान	5000.00
10.04.17	402	2	मजदूरी	प्रधान	4654.00
10.04.17	413	3	मजदूरी	प्रधान	3356.00
10.04.17	392	4	सामग्री	यशोदा इंट उद्योग	46816.00
10.04.17	399	5	सामग्री	यशोदा इंट उद्योग	24684.00
10.04.17	409	6	सामग्री	यशोदा इंट उद्योग	16355.00
12.04.17	401	7	मजदूरी	प्रधान	15400.00
13.04.17	393	8	सामग्री	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	49215.00
13.04.17	395	9	सामग्री	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	49215.00
13.04.17	410	10	सामग्री	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	49215.00
15.04.17	412	11	मजदूरी	प्रधान	16150.00
15.04.17	394	12	सामग्री	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	49215.00
15.04.17	400	13	सामग्री	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	46665.00
15.04.17	404	14	सामग्री	यशोदा इंट उद्योग	16172.00
17.04.17	407	15	मजदूरी	प्रधान	4100.00
17.04.17	405	16	सामग्री	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	31059.00
17.04.17	411	17	सामग्री	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	42330.00
19.04.17	397	18	मजदूरी	प्रधान	6265.00
21.04.17	391	19	सामग्री	ओम बिल्डिंग मटेरियल	48114.00
21.04.17	398	20	सामग्री	ओम बिल्डिंग मटेरियल	32460.00
24.04.17	403	21	सामग्री	ओम बिल्डिंग मटेरियल	16116.00
24.04.17	408	22	सामग्री	ओम बिल्डिंग मटेरियल	37162.00
24.04.17	396	23	मजदूरी	प्रधान	31650.00
30.08.17	426	26	सामग्री	मा जशोदा एण्टरप्राइसेस	48450.00
30.08.17	427	27	सामग्री	मा जशोदा एण्टरप्राइसेस	48450.00
30.08.17	428	28	सामग्री	मा जशोदा एण्टरप्राइसेस	48450.00
31.08.17	416	29	सामग्री	ओम बिल्डिंग मटेरियल	10817.00
31.08.17	429	30	सामग्री	ओम बिल्डिंग मटेरियल	46073.00
31.08.17	420	31	सामग्री	ओम बिल्डिंग मटेरियल	6007.00
01.09.17	432	32	0	योगेश कुमार	39850.00

01.09.17	424	33	0	मा जशोदा एण्टरप्राइसेस	48450.00
01.09.17	417	34	0	मा जशोदा एण्टरप्राइसेस	20068.00
01.09.17	421	35	0	मा जशोदा एण्टरप्राइसेस	37230.00
01.09.17	425	36	0	मा जशोदा एण्टरप्राइसेस	48450.00
01.09.17	430	37	0	मा जशोदा एण्टरप्राइसेस	152668.00
01.09.17	431	38	0	यशोदा इंट उद्योग	37890.00
01.09.17	418	39	0	यशोदा इंट उद्योग	10290.00
04.09.17	423	40	0	मोहनलाल	5650.00
04.09.17	422	41	0	यशोदा इंट उद्योग	6060.00
08.09.17	438	42	0	योगेश कुमार	15500.00
08.09.17	436	43	0	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	43044.00
08.09.17	435	44	0	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	48450.00
12.09.17	441	46	0	मुकेश कुमार	28371.00
12.09.17	434	48	0	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	48450.00
12.09.17	443	49	0	मुकेश कुमार	10119.00
12.09.17	442	50	0	मुकेश कुमार	2434.00
12.09.17	437	51	0	यशोदा इंट उद्योग	8400.00
13.09.17	419	52	0	ज्ञान सिंह	6650.00
15.09.17	433	53	0	ओम बिल्डिंग मटेरियल	9579.00
27.09.17	449	55	मजदूरी	मुकेश कुमार	3651.00
28.09.17	448	56	मजदूरी	मुकेश कुमार	6900.00
05.10.17	445	57	सामग्री	ओम बिल्डिंग मटेरियल	8345.00
05.10.17	446	58	सामग्री	यशोदा इंट उद्योग	9720.00
07.10.17	447	59	सामग्री	मा जशोदा एण्टरप्राइसेस	32308.00
14.11.17	452	60	सामग्री	मा जशोदा एण्टरप्राइसेस	361260.00
14.11.17	451	61	सामग्री	यशोदा इंट उद्योग	41820.00
16.11.17	454	62	मजदूरी	प्रधान	53100.00
16.11.17	450	63	सामग्री	ओम बिल्डिंग मटेरियल	124100.00
16.11.17	455	64	सामग्री	ओम बिल्डिंग मटेरियल	10750.00
17.11.17	451	65	मजदूरी	प्रधान	3850.00
14.11.17	453	66	मजदूरी	मुकेश कुमार	31605.00
14.11.17	458	67	मजदूरी	मुकेश कुमार	2094.00
29.11.17	457	68	सामग्री	मा जशोदा एण्टरप्राइसेस	27000.00
18.12.17	464	70	मजदूरी	प्रधान	31400.00
19.12.17	465	71	मजदूरी	प्रधान	17150.00
19.12.17	461	72	सामग्री	ओम बिल्डिंग मटेरियल	75094.00
20.12.17	462	73	सामग्री	हसीन ब्रिक फिल्ड	22500.00
22.12.17	463	74	सामग्री	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	221400.00
01.01.18	456	75	सामग्री	यशोदा इंट उद्योग	3036.00
20.02.18	481	82	मजदूरी	प्रधान	27800.00
20.02.18	476	83	मजदूरी	प्रधान	21550.00
21.02.18	480	84	मजदूरी	प्रधान	19967.00
21.02.18	475	85	मजदूरी	प्रधान	12740.00
21.02.18	479	86	सामग्री	हसीन ब्रिक फिल्ड	4290.00
21.02.18	474	87	सामग्री	हसीन ब्रिक फिल्ड	1980.00

26.02.18	472	88	सामग्री	ओम बिल्डिंग मटेरियल	64116.00
26.02.18	477	89	सामग्री	ओम बिल्डिंग मटेरियल	81677.00
14.03.18	478	90	सामग्री	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	232560.00
14.03.18	473	91	सामग्री	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	189847.00
					3220828.00

उपरोक्त कार्यों में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः खर्च संदेहास्पद एवं अनियमित है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती कुशमादेवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-28—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित वर्णित तारीख/विभिन्न तारीखों में, राशि के सक्षम वर्णित व्यक्ति/संस्था को, निविदा प्रकाशन हेतु भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है : —

तारीख	चेक सं.	वाउचर		भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
9.08.18	415	25	सामग्री	स्वराज टाईम्स	7508.00
16.08.18	466	81	निविदा	स्वराज टाईम्स	2627.00
					10135.00

उपरोक्त कार्य में 1. कैश में / रसीद पर जी.एस.टी. नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. समाचार पत्र अवलोक नार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. किये गये व्यय की पुष्टि बाउचरों/बिल से करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः खर्च संदेहास्पद एवं अनियमित है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती कुशमादेवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-29—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के सक्षम वर्णित व्यक्ति को, को हैण्डपंप मरम्मत हेतु मजदूरी व सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
11.09.17	439	45	लेबर व सामग्री	प्रधान	5000.00
12.09.17	440	47	सामग्री	गोलू मशीनरी स्टोर	20000.00
22.09.17	444	54	मजदूरी	दिनेश कुमार	4500.00
					29500.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर

अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित रु 20000.00 से अधिक का होने पर कोटेशन बुलाया गया या नहीं, रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः खर्च संदेहास्पद एवं अनियमित है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती कुशमादेवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-30—आलोच्य वर्ष 2017-18 में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के सक्षम वर्णित व्यक्ति को, को पुलिया निर्माण हेतु सामग्री व मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
6.02.18	471	77	मजदूरी	प्रधान	3200.00
6.02.18	469	79	सामग्री	ओम बिल्डिंग मटेरियल	11272.00
13.02.18	470	80	सामग्री	हसीन ब्रिक फिल्ट	4620.00
					19092.00

उपरोक्त कार्यों में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कौश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः खर्च संदेहास्पद एवं अनियमित है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती कुशमादेवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

5—ग्राम पंचायत— बसई बावस विकास खण्ड— हसायन जनपद— हाथरस।

प्रस्तर-31—आलोच्य वर्ष 2017-18 में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, को इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री व मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
1.5.17	734339	एनए	सामग्री	खजानसिंह बिल्डिंग मटेरियल	142442.00
2.5.17	734338	एनए	सामग्री	अवनी सीमेन्ट वर्क्स	378675.00
4.5.17	734334	एनए	अज्ञात	एम एस इन्टरप्राइसेस	27651.00
4.5.17	734333	एनए	अज्ञात	एम एस इन्टरप्राइसेस	10670.00

1.7.17	551382	एनए	सामग्री	जय मां वैष्णों	36000.00
1.7.17	734340	एनए	सामग्री	जय मां वैष्णों	41760.00
1.7.17	551396	एनए	सामग्री	जय मां वैष्णों	20672.00
28.9.17	657503	एनए	मजदूरी	जय	60800.00
19.3.18	381463	एनए	सामग्री	खजानसिंह बिल्डिंग मटेरियल	38118.00
21.3.18	381464	एनए	सामग्री	अवनी सीमेन्ट वर्क्स	145222.00
23.3.18	381462	एनए	अज्ञात	जय मां वैष्णों	8880.00
15.4.17	कैश	एनए	मिट्टी कार्य	अज्ञात	9700.00
15.4.17	कैश	एनए	मजदूरी	मस्टरोल	50450.00
28.4.17	कैश	एनए	मजदूरी	मस्टरोल	4210.00
1.7.17	कैश	एनए	मजदूरी	अज्ञात	4900.00
1.7.17	कैश	एनए	मजदूरी	अज्ञात	4900.00
10.10.17	कैश	एनए	मजदूरी	अज्ञात	9800.00
10.10.17	कैश	एनए	मजदूरी	अज्ञात	9800.00
17.10.17	कैश	एनए	मजदूरी	अज्ञात	9800.00
18.10.17	कैश	एनए	मजदूरी	अज्ञात	9800.00
18.10.17	कैश	एनए	मजदूरी	अज्ञात	9800.00
1.9.17	कैश	एनए	मजदूरी	मस्टरोल	9800.00
21.9.17	कैश	एनए	मजदूरी	अज्ञात	39200.00
19.3.18	कैश	एनए	मजदूरी	अज्ञात	19090.00
					1102140.00

उपरोक्त कार्यों में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टरोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं श्री नारायण हरि, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-32—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित वर्णित तारीख/विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति/संस्था को, निविदा प्रकाशन हेतु भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है:—

तारीख	चेक सं.	वाउचर		भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
15.3.17	833039	एनए	प्रकाशन	स्वदेश प्रकाशन	4109.00
30.3.18	381461	एनए	निविदा प्रकाशन	स्वराज प्रकाशन	2867.00
					6976.00

उपरोक्त कार्य में 1. कैश में / रसीद पर जी.एस.टी. नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. समाचार पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. किये गये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं श्री नारायण हरि तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-33—आलोच्य वर्ष **2016-17** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, को हैण्डपंप मरम्मत हेतु मजदूरी व सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
25.4.17	734336	एनए	सामग्री	चन्द्रशेखर मशीनरी स्टोर	2280.00
26.4.17	734335	एनए	मजदूरी	कमलसिंह	7500.00
29.7.17	734343	एनए	सामग्री	चन्द्रशेखर मशीनरी स्टोर	15753.00
2.8.17	734349	एनए	मजदूरी	कमलसिंह	700.00
11.12.17	657504	एनए	अज्ञात	कमलसिंह	4500.00
24.7.17	कैश	एनए	मजदूरी	अज्ञात	4000.00
					34733.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है नहीं हुई, प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित रु 20000.00 से अधिक का होने पर कोटेशन बुलाया गया या नहीं, रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं श्री नारायण हरि, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-34—आलोच्य वर्ष **2016-17** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, को हैण्डपंप रीबोर हेतु मजदूरी व सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
15.02.18	657513	एनए	0	चन्द्रशेखर मशीनरी स्टोर	10580.00
15.02.18	657515	एनए	0	चन्द्रशेखर मशीनरी स्टोर	10580.00
15.02.18	657514	एनए	0	चन्द्रशेखर मशीनरी स्टोर	10580.00

15.02.18	657512	एनए	0	चन्द्रशेखर मशीनरी स्टोर	10580.00
15.02.18	657511	एनए	0	चन्द्रशेखर मशीनरी स्टोर	10580.00
15.02.18	657516	एनए	0	चन्द्रशेखर मशीनरी स्टोर	11500.00
4.10.17	कैश	एनए	मजदूरी	अज्ञात	9800.00
6.10.17	कैश	एनए	मजदूरी	अज्ञात	13847.00
6.10.17	कैश	एनए	मजदूरी	अज्ञात	13847.00
6.10.17	कैश	एनए	मजदूरी	अज्ञात	13847.00
6.10.17	कैश	एनए	मजदूरी	अज्ञात	13847.00
6.10.17	कैश	एनए	मजदूरी	अज्ञात	13847.00
					143435.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है नहीं हुई, प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित रु 20000.00 से अधिक का होने पर कोटेशन बुलाया गया या नहीं, रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं श्री नारायण हरि, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-35—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, को स्ट्रीट लाईट हेतु सामग्री का मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
24.08.17	657481	एनए	सामग्री	प्रेम सविर्सेस	99750.00
24.08.17	657483	एनए	सामग्री	प्रेम सविर्सेस	99750.00
24.08.17	657484	एनए	सामग्री	प्रेम सविर्सेस	99750.00
24.08.17	657485	एनए	सामग्री	प्रेम सविर्सेस	99750.00
24.08.17	657486	एनए	सामग्री	प्रेम सविर्सेस	99750.00
					498750.00

उपरोक्त कार्य में 1. की गई खरीदी का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. खरीदी की गई सामग्री की गुणवत्ता हेतु तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. क्रय की गई संपत्ति को डेड स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. बैंक से लेन देन तथा कैशबुक में धनराशि / चेकों का अंकन सही तरह से किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 11. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं श्री नारायण हरि तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-36—आलोच्य वर्ष 2017-18 में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण हेतु सामग्री व मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	3	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
19.01.18	657509	एनए	सामग्री	खजानसिंह बिल्डिंग मटेरियल	208898.00
20.01.18	657508	एनए	सामग्री	अवनी सीमेन्ट वर्क्स	918544.00
14.03.18	657519	एनए	सामग्री	जय मां वैष्णो	25180.00
19.03.18	657520	एनए	मजदूरी	खजानसिंह बिल्डिंग मटेरियल	36244.00
31.03.18	381469	एनए	सामग्री	अवनी सीमेन्ट वर्क्स	190688.00
19.01.18	कैश	एनए	मजदूरी	अज्ञात	35050.00
27.02.18	कैश	एनए	मजदूरी	अज्ञात	18910.00
28.02.18	कैश	एनए	मजदूरी	अज्ञात	54400.00
					1487914.00

उपरोक्त कार्यों में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में/रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं श्री नारायण हरि, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-37—आलोच्य वर्ष 2016-17 में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, को खड्गजा इन्टरलाकिंग मरम्मत हेतु सामग्री व मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
14.08.17	कैश	एनए	अज्ञात	अज्ञात	19720.00
		एनए			19720.00

उपरोक्त कार्यों में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ?

प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कौश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं श्री नारायण हरि तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-38—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित वर्णित तारीख/विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति/संस्था को, साफ सफाई हेतु भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है:-

तारीख	चेक सं.	वाउचर		भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
10.08.17	बै	एनए	सामग्री	अज्ञात	3000.00
					3000.00

उपरोक्त कार्य में किये गये व्यय की पुष्टि बाउचरों/बिल से से करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं श्री नारायण हरि तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

6- ग्राम पंचायत -बस्तोई विकास खण्ड- हसायन जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-39—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, दिनांक 24.10.2017 को, विजय कुमार को वाल पेंटिंग हेतु लेबर का भुगतान चेक संख्या 298617, वाउचर संख्या 34 से रु 2145.00 किया कौश बुक में दर्ज है। उपरोक्त कार्य हेतु पंचायत के प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान प्रमाणक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे उपरोक्त कार्य की कुल अनुमानित लागत क्या थी, एवं उस पर कुल कितना खर्च किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। इसलिए उपरोक्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, एवं तत्कालीन प्रधान श्री महेश कुमार, तत्कालीन सचिव से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-40—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, दिनांक 03 अप्रैल 2017 को, चेक संख्या 849021, वाउचर संख्या 01 से, राशि रु **33926.00**, आर.बी. इंट भट्टा बस्तोई को रामबाबू के घर से बम्बा तक यू टाईप नाली निर्माण सामग्री का भुगतान करने हेतु किया गया, उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कौश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या

नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. बैंक से लेन देन तथा कैशबुक में धनराशि / चेकों का अंकन सही तरह से किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 12. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 13. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित लागत क्या है ज्ञात नहीं है। विगत वर्ष कितना भुगतान इस कार्य में किया गया वह भी ज्ञात नहीं है। एक लाख रुपये से अधिक का होने पर इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, और रु 20000.00 से अधिक का होने पर कोटेशन बुलाया गया या नहीं, रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री महेश कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-41—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, दिनांक 24 अप्रैल 2017 को, तीन चेक जिनकी संख्या क्रमशः 849038, 849036 व 849037 है व वाउचर संख्या क्रमशः 14, 15 व 16 है सेराशि क्रमशः रु 39800.00, रु 79600.00 व रु 79600.00 **कुल रु 199000.00** का भुगतान प्रेम सर्विसेज को सोलर लाईट हेतु किया गया, उपरोक्त कार्य में 1. की गई खरीदी का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. की गई खरीदी की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति डेड स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6 बैंक से लेन देन तथा कैशबुक में धनराशि / चेकों का अंकन सही तरह से किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 8. की गई खरीदी की कुल कीमत एक लाख रुपये से अधिक का होने पर इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री महेश कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-42—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, दिनांक 05.02.2018 को, दिनेश कुमार को नाली मरम्मत लेबर और सामग्री का भुगतान चेक संख्या 326256, वाउचर संख्या दर्शित नहीं से रु **3300.00** का किया कैश बुक में दर्ज है। उपरोक्त कार्य हेतु पंचायत के प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान प्रमाणक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे उपरोक्त कार्य की कुल अनुमानित लागत क्या थी, एवं उस पर कुल कितना खर्च किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। इसलिए उपरोक्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, एवं तत्कालीन प्रधान श्री महेश कुमार, तत्कालीन सचिव से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-43—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, दिनांक 03.05.2017 को, जगदम्बा मशीनरी स्टोर को हैण्डपंप मरम्मत सामग्री का भुगतान चेक संख्या अज्ञात से, वाउचर संख्या 20 से रु **1920.00** किया कैश बुक में दर्ज है। उपरोक्त कार्य हेतु पंचायत के प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान प्रमाणक एवं अन्य संबंधित

दस्तावेज लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे उपरोक्त कार्य की कुल अनुमानित लागत क्या थी, एवं उस पर कुल कितना खर्च किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। इसलिए उपरोक्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, एवं तत्कालीन प्रधान श्री महेश कुमार, तत्कालीन सचिव से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-44—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, दिनांक 11.09.2017 को, प्रधान को हैण्डपंप मरम्मत सामग्रीका भुगतान चेक संख्या 298613, वाउचर संख्या 32 से रु **5000.00** किया कैश बुक में दर्ज है। उपरोक्त कार्य हेतु पंचायत के प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान प्रमाणक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे उपरोक्त कार्य की कुल अनुमानित लागत क्या थी, एवं उस पर कुल कितना खर्च किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। इसलिए उपरोक्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, एवं तत्कालीन प्रधान श्री महेश कुमार, तत्कालीन सचिव से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-45—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, दिनांक 10.10.2017 को, दिनेश कुमार को हैण्डपंप मरम्मत मजदूरीका भुगतान चेक संख्या 298615, वाउचर संख्या 33 से रु **3600.00** किया कैश बुक में दर्ज है। उपरोक्त कार्य हेतु पंचायत के प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान प्रमाणक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे उपरोक्त कार्य की कुल अनुमानित लागत क्या थी, एवं उस पर कुल कितना खर्च किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। इसलिए उपरोक्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, एवं तत्कालीन प्रधान श्री महेश कुमार, तत्कालीन सचिव से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-46—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, को अन्त्योष्ठी स्थल निर्माण हेतु लेबर एवं सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
28.04	849039	19	मजदूरी	चंद्रभान	10000.00
16.08	298608	24	मजदूरी	चंद्रभान	39200.00
16.08	298606	25	मजदूरी	विनोद कुमार	22425.00
16.08	298609	26	मजदूरी	प्रेमसिंह	39200.00
16.08	298607	27	मजदूरी	सूरजपाल	34825.00
17.08	298610	28	मजदूरी	फिरोज खान	36725.00
17.08	298611	29	मजदूरी	विक्रम सिंह	31225.00
12.04	849034	10	सामग्री	—घुव इंट उद्योग	24972.00
28.04	298601	17	सामग्री	बालाजी बिल्डिंग मटेरियल एण्ड आयरन स्टोर्स	71940.00
28.04	298602	18	सामग्री	बालाजी बिल्डिंग मटेरियल एण्ड आयरन स्टोर्स	416097.00
26.07	298603	21	सामग्री	बालाजी बिल्डिंग मटेरियल एण्ड आयरन स्टोर्स	294638.00
26.07	298605	22	सामग्री	भूदेव नर्सरी बिसाना	20000.00
27.07	298604	23	सामग्री	लक्ष्मी इंट उद्योग	50917.00
				योग	1092164.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. बैंक से लेन देन तथा कैशबुक में धनराशि / चेकों का अंकन सही तरह से किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 12. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 13. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। इसलिए उपरोक्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री महेश कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-47—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, दिनांक 07.04.2017 को, सूरजपाल को खान के घर से रामचरण के घर तक इंटरलाकिंग हेतु मजदूरीका भुगतान चेक संख्या 137207, वाउचर संख्या 9 से रु0 **10750.00** किया कैश बुक में दर्ज है। उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. बैंक से लेन देन तथा कैशबुक में धनराशि / चेकों का अंकन सही तरह से किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 12. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 13. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित लागत क्या है ज्ञात नहीं है। विगत वर्ष कितना भुगतान इस कार्य में किया गया वह भी ज्ञात नहीं है। एक लाख रुपये से अधिक का होने पर इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, और रु 20000.00 से अधिक का होने पर कोटेशन बुलाया गया या नहीं, रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। इसलिए उपरोक्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री महेश कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-48—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, दिनांक 24.08.2017 को, श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग को प्रेमसिंह के घर से नरेश के घर तक इंटरलाकिंग हेतु सामग्री का भुगतान चेक संख्या 298612, वाउचर संख्या 30 से रु **33000.00** किया कैश बुक में दर्ज है। उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा

पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. बैंक से लेन देन तथा कैशबुक में धनराशि / चेकों का अंकन सही तरह से किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 12. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 13. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित लागत क्या है ज्ञात नहीं है। विगत वर्ष कितना भुगतान इस कार्य में किया गया वह भी ज्ञात नहीं है। एक लाख रुपये से अधिक का होने पर इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, और रु 20000.00 से अधिक का होने पर कोटेशन बुलाया गया या नहीं, रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। इसलिए उपरोक्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री महेश कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-49-आलोच्य वर्ष **2017-18** में, बाबूजी के घर से रामबाबू के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु दिनांक 25.10.2017 को, चेक संख्या 296341, वाउचर संख्या 35 से रु 5750.00, विनोद कुमार को, दिनांक 27.10.2017 को, चेक संख्या 298619, वाउचर संख्या 37 से रु 47147.00, श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग को, दिनांक 03.11.2017 को, चेक संख्या 298618, वाउचर संख्या 38 से रु 13819.00, बालाजी बिल्डिंग मटेरियल एण्ड आयरन स्टोर्स को, दिनांक 13.12.2017 को, चेक संख्या 298620, वाउचर संख्या 42 से रु 1710.00, आर.बी. इंट भट्टा बस्तोई को सामग्री हेतु एवं दिनांक 25.10.2017 को, चेक संख्या 326242, वाउचर संख्या 36 से रु 4500.00, श्री जीतेन्द्र कुमार को मजदूरी हेतु, **कुल रु 72926.00** का भुगतान किया कैश बुक में दर्ज है। उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. बैंक से लेन देन तथा कैशबुक में धनराशि / चेकों का अंकन सही तरह से किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 12. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 13. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित लागत क्या है ज्ञात नहीं है। विगत वर्ष कितना भुगतान इस कार्य में किया गया वह भी ज्ञात नहीं है। एक लाख रुपये से अधिक का होने पर इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, और रु 20000.00 से अधिक का होने पर कोटेशन बुलाया गया या नहीं, रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये

वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। इसलिए उपरोक्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री महेश कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-50—आलोच्य वर्ष 2017-18 में, मुकेश के घर से अशोक के घर तक इण्टरलाकिंग की मजदूरी हेतु दिनांक 13.11.2017 को, चेक संख्या 326244, वाउचर संख्या 40 से रु 5000.00, जीतेन्द्र कुमार को, दिनांक 08.01.2018 को, चेक संख्या 326249, वाउचर संख्या 44 से रु 42250.00, श्री सूरजपाल को, एवं सामग्री हेतु दिनांक 10.11.2017 को, चेक संख्या 326243, वाउचर संख्या 39 से रु 250000.00, श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग को, दिनांक 10.01.2018 को, चेक संख्या 326248, वाउचर संख्या 46 से रु 168608.00, श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग को, दिनांक 10.01.2018 को, चेक संख्या 326246, वाउचर संख्या 48 से रु 85321.00, बालाजी बिल्डिंग मटेरियल एण्ड आयरन स्टोर्स को, एवं दिनांक 16.01.2018 को, चेक संख्या 326247, वाउचर संख्या 51 से रु 16380.00, आर.बी. इंट भट्टा बस्तोई को, **कुल रु 570559.00** भुगतान किया कैश बुक में दर्ज है। उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. बैंक से लेन देन तथा कैशबुक में धनराशि / चेकों का अंकन सही तरह से किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 12. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि वाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 13. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित लागत क्या है ज्ञात नहीं है। विगत वर्ष कितना भुगतान इस कार्य में किया गया वह भी ज्ञात नहीं है। एक लाख रुपये से अधिक का होने पर इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, इसका भी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। इसलिए उपरोक्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री महेश कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-51—आलोच्य वर्ष 2017-18 में, राजाराम के घर से रोशनलाल के घर तक इण्टरलाकिंग की: — मजदूरी हेतु दिनांक 03.04.2017 को, चेक संख्या 849026, वाउचर संख्या 3 से रु 8200.00 एवं दिनांक 08.01.2018 को, चेक संख्या 326253, वाउचर संख्या 43 से रु 15500.00, विनोद कुमार को, एवं मट्टी कार्य हेतु: —दिनांक 05.04.2017 को, चेक संख्या 849027, वाउचर संख्या 5 से रु 1424.00 एवं दिनांक 08.01.2018 को, चेक संख्या 326254, वाउचर संख्या 45 से रु 15150.00, चंद्रभान को, एवं सामग्री हेतु : —दिनांक 12.04.2017 को, चेक संख्या 849025, वाउचर संख्या 12 से रु 44625.00, दिनांक 10.01.2018 को, चेक संख्या 326252, वाउचर संख्या 47 से रु 98192.00 श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग को, एवं दिनांक 15.04.2017 को, चेक संख्या 849024, वाउचर संख्या 13 से रु 6019.00, एवं दिनांक 16.01.2018 को, चेक संख्या 326251, वाउचर संख्या 50 से रु 15060.00, आर.बी. इंट भट्टा बस्तोई को, एवं दिनांक 10.01.2018 को, चेक संख्या 326250, वाउचर संख्या 49 से रु 25386.00, बालाजी बिल्डिंग मटेरियल एण्ड आयरन स्टोर्स को, एवं दिनांक 06.04.2017 को, चेक संख्या 849023, वाउचर संख्या 8 से रु 20447.00, अंबिका बिल्डिंग मटेरियल को, **कुल रु 250003.00** भुगतान किया कैश बुक में दर्ज है। उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री

के सम्बन्ध में कैश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. बैंक से लेन देन तथा कैशबुक में धनराशि / चेकों का अंकन सही तरह से किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 12. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 13. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित लागत क्या है ज्ञात नहीं है। विगत वर्ष कितना भुगतान इस कार्य में किया गया वह भी ज्ञात नहीं है। एक लाख रुपये से अधिक का होने पर इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, इसका भी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। इसलिए उपरोक्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री महेश कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-52—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, तालीम के घर से शिशुपाल के घर तक इण्टरलाकिंग की: —
मजदूरी हेतु दिनांक 03.04.2017 को, चेक संख्या 849030, वाउचर संख्या 2 से रु 7050.00, विनोद कुमार को, एवं मट्टी कार्य हेतु: —दिनांक 05.04.2017 को, चेक संख्या 849031, वाउचर संख्या 6 से रु 2864.00, चंद्रभान को, एवं सामग्री हेतु : —दिनांक 12.04.2017 को, चेक संख्या 849029, वाउचर संख्या 11 से रु 64438.00 श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग को, एवं दिनांक 06.04.2017 को, चेक संख्या 849028, वाउचर संख्या 7 से रु 15390.00, अंबिका बिल्डिंग मटेरियल को, **कुल रु 89742.00** भुगतान किया कैश बुक में दर्ज है। उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. बैंक से लेन देन तथा कैशबुक में धनराशि / चेकों का अंकन सही तरह से किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 12. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 13. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित लागत क्या है ज्ञात नहीं है। विगत वर्ष कितना भुगतान इस कार्य में किया गया वह भी ज्ञात नहीं है। एक लाख रुपये से अधिक का होने पर इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, एवं एक लाख से कम परन्तु 20 हजार से अधिक की लागत होने पर कोटेसन बुलाया गया कि नहीं, इसका भी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।
उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। इसलिए उपरोक्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री महेश कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

7- ग्राम पंचायत -भैंकुरी विकास खण्ड-हाथरस जनपद-हसायन

प्रस्तर-53-आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित / फर्म व्यक्ति को, इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री व मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: -

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
19.05.17	325	0	मजदूरी	मस्टररोल	50000.00
19.05.17	321	0	सामग्री	अंकुर इंट उद्योग	44633.00
20.05.17	322	0	सामग्री	अंकुर इंट उद्योग	4620.00
30.05.17	324	0	मजदूरी	प्रधान	19370.00
7.06.17	326	0	मजदूरी	प्रधान	8000.00
28.07.17	330	0	सामग्री	मां जशोदा इन्टरप्राईसेस	50000.00
18.09.17	369	0	सामग्री	मां जशोदा इन्टरप्राईसेस	33079.00
18.09.17	373	0	सामग्री	मां जशोदा इन्टरप्राईसेस	103020.00
18.09.17	371	0	सामग्री	मां जशोदा इन्टरप्राईसेस	36082.00
18.09.17	372	0	सामग्री	मां जशोदा इन्टरप्राईसेस	55080.00
18.09.17	374	0	सामग्री	मां जशोदा इन्टरप्राईसेस	48705.00
18.09.17	370	0	सामग्री	मां जशोदा इन्टरप्राईसेस	156570.00
18.09.17	331	0	सामग्री	अंकुर इंट उद्योग	43441.00
18.09.17	375	0	सामग्री	अंकुर इंट उद्योग	34679.00
24.10.17	332	0	सामग्री	केएसबीएम सप्लायर	173051.00
3.11.17	336	0	मजदूरी	प्रधान	5770.00
3.11.17	337	0	मजदूरी	प्रधान	9690.00
3.11.17	338	0	मजदूरी	प्रधान	15970.00
6.11.17	333	0	मजदूरी	प्रधान	18990.00
6.11.17	334	0	मजदूरी	प्रधान	22830.00
6.11.17	335	0	मजदूरी	प्रधान	29690.00
6.11.17	339	0	मजदूरी	प्रधान	4610.00
28.11.17	340	0	मजदूरी	प्रधान	41845.00
10.01.18	343	0	सामग्री	जसोदा ट्रेडर्स	113696.00
10.01.18	342	0	सामग्री	जसोदा ट्रेडर्स	163200.00
10.01.18	344	0	सामग्री	जसोदा ट्रेडर्स	45696.00
16.01.18	345	0	सामग्री	खजानसिंह बिल्डिंग सप्लायर्स	90455.00
17.02.18	351	0	मजदूरी	प्रधान	3870.00
17.02.18	350	0	मजदूरी	प्रधान	14405.00
17.02.18	346	0	मजदूरी	प्रधान	42360.00
20.02.18	357	0	सामग्री	बालाजी इंट	3960.00
20.02.18	349	0	सामग्री	बालाजी इंट	27780.00
27.02.18	347	0	मजदूरी	प्रधान	5880.00
31.03.18	402	0	सामग्री	जसोदा ट्रेडर्स	37860.00
31.03.18	403	0	सामग्री	जसोदा ट्रेडर्स	50280.00
31.03.18	391	0	मजदूरी	प्रधान	12450.00
31.03.18	397	0	मजदूरी	प्रधान	3920.00
31.03.18	398	0	मजदूरी	प्रधान	9690.00
31.03.18	399	0	मजदूरी	प्रधान	25680.00
31.03.18	395	0	मजदूरी	प्रधान	27330.00
31.03.18	396	0	मजदूरी	प्रधान	3520.00

31.03.18	392	0	मजदूरी	प्रधान	7310.00
					1699067.00

उपरोक्त कार्यों में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री फारेन सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री खेमेन्द्रपाल सिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-54—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित वर्णित तारीख/विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित / फर्म व्यक्ति/संस्था को, निविदा प्रकाशन हेतु भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है:—

तारीख	चेक सं.	वाउचर		भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
30.03.18	354	0	0	स्वराज प्रकाशन	2867.00
					2867.00

उपरोक्त कार्य में 1. कैश मेमों / रसीद पर जी.एस.टी. नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. समाचार पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. किये गये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री फारेन सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री खेमेन्द्रपाल सिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-55—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित / फर्म व्यक्ति को, हैण्डपंप मरम्मत हेतु मजदूरी व सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
30.05.17	327	0	मजदूरी	देवेन्द्र सिंह	7000.00
29.07.17	328	0	सामग्री	चन्द्रशेखर मशीनरी पार्ट्स	10590.00
					17590.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित

है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित रु 20000.00 से अधिक का होने पर कोटेशन बुलाया गया या नहीं, रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री फारेन सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री खेमेन्द्रपाल सिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-56—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित / फर्म व्यक्ति को, हैण्डपंप रीबोर हेतु मजदूरी व सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
26.02.18	352	0	0	देवेन्द्र सिंह	13845.00
26.02.18	353	0	0	देवेन्द्र सिंह	13845.00
26.02.18	354	0	0	देवेन्द्र सिंह	13845.00
26.02.18	355	0	0	देवेन्द्र सिंह	13845.00
26.02.18	356	0	0	देवेन्द्र सिंह	13845.00
					69225.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है नहीं हुई, प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित रु 20000.00 से अधिक का होने पर कोटेशन बुलाया गया या नहीं, रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री फारेन सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री खेमेन्द्रपाल सिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-57—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित / फर्म व्यक्ति को, सोलर लाईट हेतु सामग्री का मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
29.08.17	362	0	सामग्री	प्रेम सर्विसेस	99750.00
29.08.17	363	0	सामग्री	प्रेम सर्विसेस	99750.00

29.08.17	364	0	सामग्री	प्रेम सर्विसेस	99750.00
29.08.17	365	0	सामग्री	प्रेम सर्विसेस	99750.00
29.08.17	366	0	सामग्री	प्रेम सर्विसेस	99750.00
					498750.00

उपरोक्त कार्य में 1. की गई खरीदी का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. खरीदी की गई सामग्री की गुणवत्ता हेतु तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. क्रय की गई संपत्ति को डेड स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. बैंक से लेन देन तथा कैशबुक में धनराशि / चेकों का अंकन सही तरह से किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 11. की गई खरीदी एक लाख रुपये से अधिक की है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री फारेन सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री खेमेन्द्रपाल सिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-58—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित वर्णित दिनांक को, अधोलिखित वर्णित व्यक्ति को, स्टेशनरी सामग्री हेतु अधोलिखित वर्णित चेक संख्या व वाउचर संख्या से चेक संख्या के सम्मुख दर्शित राशिका भुगतान किया गया।

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
1.09.17	361	0	सामग्री	प्रधान	2000.00
					2000.00

उपरोक्त कार्य में 1. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. खरीदी गई स्टेशनरी को स्टेशनरी के स्टॉक रजिस्टर में रखा गया या नहीं रखा गया ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री फारेन सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री खेमेन्द्रपाल सिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-59—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित वर्णित दिनांक को, अधोलिखित वर्णित व्यक्तिको, अभिलेख बस्ता हेतु अधोलिखित वर्णित चेक संख्या व वाउचर संख्या से चेक संख्या के सम्मुख दर्शित राशिका भुगतान किया गया।

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
27.09.17	329	0	सामग्री	श्री कृष्णा इंटरप्राइसेस	3000.00
					3000.00

उपरोक्त कार्य में 1. की गई खरीदी का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. क्रय सामग्री की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. क्रय सामग्री को डेड स्टॉक पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री फारेन सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री खेमेश्वर सिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

8- ग्राम पंचायत -भिन्तर विकास खण्ड- हसायन जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-60-आलोच्य वर्ष **2017-18** में, कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 690507.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री लवकेश, तत्कालीन सचिव एवं श्री किशनपाल, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-61-आलोच्य वर्ष **2017-18** में, कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 2448411.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री लवकेश, तत्कालीन सचिव एवं श्री किशनपाल, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

9- ग्राम पंचायत-चंदनपुरा विकास खण्ड-हसायन जनपद-हाथरस

प्रस्तर-62-आलोच्य वर्ष **2016-17** में, दिनांक 14.07.2017 को, श्री कृष्णा इंटरप्राइसेस, अभिलेख बस्ता हेतु चेक संख्या 185, वाउचर संख्या 14 से रु **3000.00** का भुगतान किया गया। उपरोक्त कार्य में 1. की गई खरीदी का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. क्रय सामग्री की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. क्रय सामग्री को डेड स्टॉक पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्री कौशलेन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-63—आलोच्य वर्ष **2016-17** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, को हैण्डपंप मरम्मत हेतु मजदूरी व सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
13.09.17	194	13	मजदूरी	प्रधान	5000.00
16.06.17	164	3	मजदूरी	सतीश चन्द्र	4200.00
30.08.17	184	10	मजदूरी	सतीश चन्द्र	6000.00
29.05.17	163	2	मजदूरी	गोलू मशीनरी स्टोर	12800.00
21.08.17	183	7	मजदूरी	गोलू मशीनरी स्टोर	18000.00
12.02.18	229	64	मजदूरी	गोलू मशीनरी स्टोर	15000.00
					61000.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित रु 20000.00 से अधिक का होने पर कोटेशन बुलाया गया या नहीं, रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्री कौशलेन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-64—आलोच्य वर्ष **2016-17** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, बाबू के घर से ब्रजेश के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
29.01.18	228	60	मजदूरी	प्रधान	11900.00
30.01.18	227	61	मजदूरी	विजय सीमेन्ट भण्डार	4851.00
31.01.18	225	62	मजदूरी	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	100011.00
31.01.18	223	63	मजदूरी	चौहान फर्टिलाइजर्स	29130.00
13.02.18	224	65	मजदूरी	वंशी वाले बाबा इंट उद्योग	3720.00
					149612.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7.

एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्री कौशलेन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-65—आलोच्य वर्ष **2016-17** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, बन्टी के घर से मुकेश के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
1.01.18	220	45	मजदूरी	प्रधान	10900.00
1.01.18	217	49	मजदूरी	चौहान फर्टिलाइजर्स	34291.00
1.01.18	208	50	मजदूरी	चौहान फर्टिलाइजर्स	44591.00
3.01.18	219	53	मजदूरी	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	68850.00
9.01.18	218	57	मजदूरी	वंशी वाले बाबा इंट उद्योग	5220.00
					163852.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्री कौशलेन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-66—आलोच्य वर्ष **2016-17** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, ब्रजेश के घर से संतोष के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
1.01.18	215	46	मजदूरी	प्रधान	16650.00
1.01.18	212	48	मजदूरी	चौहान फर्टिलाइजर्स	40053.00
3.01.18	214	54	मजदूरी	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	106335.00
9.01.18	213	58	मजदूरी	वंशी वाले बाबा इंट उद्योग	11400.00
					174438.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्री कौशलेन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-67—आलोच्य वर्ष **2016-17** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, मुकेश के घर से बाईपास तक इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
13.10.17	176	22	मजदूरी	प्रधान	36900.00
12.10.17	178	18	मजदूरी	बालाजी बिल्डिंग मटेरियल	32143.00
12.10.17	174	19	मजदूरी	बालाजी बिल्डिंग मटेरियल	24091.00
13.10.17	179	21	मजदूरी	प्रधान	17450.00
16.10.17	171	23	मजदूरी	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	48450.00
16.10.17	170	24	मजदूरी	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	48450.00
18.01.17	172	26	मजदूरी	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	48450.00
18.01.17	173	27	मजदूरी	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	48450.00
27.10.17	177	29	मजदूरी	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	44625.00
6.12.17	175	43	मजदूरी	वंशी वाले बाबा इंट उद्योग	22260.00
					371269.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया,

7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्री कौशलेन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-68—आलोच्य वर्ष **2016-17** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, मुनेन्द्र के घर से धीरेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
13.10.17	168	20	मजदूरी	प्रधान	12200.00
12.10.17	195	17	मजदूरी	बालाजी बिल्डिंग मटेरियल	8413.00
16.10.17	169	25	मजदूरी	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	47940.00
18.01.17	167	28	मजदूरी	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	48450.00
6.12.17	166	44	मजदूरी	वंशी वाले बाबा इंट उद्योग	7440.00
					124443.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कौश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्री कौशलेन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-69—आलोच्य वर्ष **2016-17** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, रिषीपाल के घर से रम्मन के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
16.11.17	200	33	मजदूरी	प्रधान	23100.00
16.11.17	201	36	मजदूरी	विजय सीमेन्ट भण्डार	15000.00
10.11.17	180	30	मजदूरी	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	48450.00
10.11.17	196	31	मजदूरी	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	48450.00
16.11.17	199	34	मजदूरी	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	53514.00
18.11.17	197	39	मजदूरी	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	46792.00
6.12.17	198	41	मजदूरी	वंशी वाले बाबा इंट उद्योग	16020.00
					251326.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्री कौशलेन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-70—आलोच्य वर्ष **2016-17** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, ज्ञानसिंह के घर से पक्की सड़क तक इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
16.11.17	205	32	मजदूरी	प्रधान	27050.00
16.11.17	206	37	मजदूरी	विजय सीमेन्ट भण्डार	16925.00
16.11.17	202	35	मजदूरी	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	60046.00
18.11.17	204	38	मजदूरी	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	205020.00
6.12.17	203	42	मजदूरी	वंशी वाले बाबा इंट उद्योग	13980.00
					323021.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ?

प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों/बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्री कौशलेन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-71—आलोच्य वर्ष 2016-17 में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, ओमवीर के घर से सरिया के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
1.01.18	211	47	मजदूरी	प्रधान	19000.00
2.01.18	216	51	मजदूरी	विजय सीमेन्ट भण्डार	5950.00
2.01.18	221	52	मजदूरी	विजय सीमेन्ट भण्डार	6345.00
3.01.18	210	55	मजदूरी	श्री बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	118320.00
9.01.18	209	56	मजदूरी	वंशी वाले बाबा इंट उद्योग	15480.00
					165095.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्री कौशलेन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-72—आलोच्य वर्ष 2017-18 में, दिनांक 01.08.2017 को, श्री हरवीर सिंह को, स्टेशनरी सामग्री हेतु चेक संख्या 181, वाउचर संख्या 6 से रु **4600.00** किया गया। उपरोक्त कार्य में 1. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. खरीदी गई स्टेशनरी को स्टेशनरी के स्टॉक रजिस्टर में रखा गया या नहीं रखा गया ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ?

प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती रुपकली, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-73—आलोच्य वर्ष **2016-17** में, दिनांक 29.08.2017 को, दैनिक राजपथ अलीगढ़ को, निविदा प्रकाशन हेतु चेक संख्या 186, वाउचर संख्या 9 से रु **4200.00** किया गया। उपरोक्त कार्य में 1. कैश में / रसीद पर जी.एस.टी. नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. समाचार पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. किये गये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से से करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्री कौशलेन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-74—आलोच्य वर्ष **2016-17** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, रमेश के घर से तालाब तक इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
23.08.17	187	8	मजदूरी	प्रधान	40000.00
1.09.17	190	11	मजदूरी	बालाजी बिल्डिंग मटेरियल	41787.00
1.09.17	191	12	मजदूरी	बालाजी बिल्डिंग मटेरियल	44727.00
14.09.17	193	15	मजदूरी	वंशी वाले बाबा इंट उद्योग	32220.00
14.09.17	192	16	मजदूरी	वंशी वाले बाबा इंट उद्योग	36000.00
					194734.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त

राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्री कौशलेन्द्र, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

10-ग्राम पंचायत- डिडौली वि० ख०-हसायन जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-75-वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में प्रधान के पास अवशेष नगद रु 2.00 प्रदर्शित किया गया था। परंतु आलोच्य वर्ष 2017-18 के प्रारंभ में उपरोक्त राशि रु 2.00 नगद में प्रदर्शित नहीं की गई। स्वाभाविक है उपरोक्त राशि का अपहरण कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती मन्जुदेवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-76-आलोच्य वर्ष 2017-18 में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, को इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री व मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: -

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
13.09.17	240310	एनए	मजदूरी	यतेन्द्र	4400.00
20.09.17	240314	एनए	मजदूरी	यतेन्द्र	15500.00
20.09.17	204312	एनए	मजदूरी	निजाम खां	34600.00
26.09.17	240309	एनए	सामग्री	प्रेम सविसेज एन ए	40057.00
26.09.17	240313	एनए	सामग्री	प्रेम सविसेज	136821.00
27.09.17	240316	एनए	मिट्टी कार्य	निजाम खां	26400.00
27.09.17	240318	एनए	मिट्टी कार्य	निजाम खां	22560.00
7.10.17	240311	एनए	सामग्री	प्रेम सविसेज	252132.00
					532470.00

उपरोक्त कार्यों में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम०वी० में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती मन्जुदेवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-77-आलोच्य वर्ष 2017-18 में, अधोलिखित वर्णित तारीख/विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म/संस्था को, निविदा प्रकाशन हेतु भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है:-

तारीख	चेक सं.	वाउचर		भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
17.10.17	240308	एनए	प्रेस विज्ञप्ति	स्वराज टाईम्स	5119.00
					5119.00

उपरोक्त कार्य में 1. कैश मेमों/रसीद पर जी.एस.टी. नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. समाचार पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. किये गये व्यय की पुष्टि बाउचरों/बिल से से करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती मन्जूदेवी तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-78—आलोच्य वर्ष **2016-17** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, को हैण्डपंप मरम्मत हेतु मजदूरी व सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
20.09.17	240315	एनए	मजदूरी	रमेश चन्द्र	16200.00
					16200.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों/रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है नहीं हुई, प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित रु 20000.00 से अधिक का होने पर कोटेशन बुलाया गया या नहीं, रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती मन्जूदेवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-79—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित वर्णित तारीख/विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म/संस्था को, साफ सफाई हेतु भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है:—

तारीख	चेक सं.	वाउचर		भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
27.09.17	240317	एनए	मजदूरी	प्रधान	10000.00
					10000.00

उपरोक्त कार्य में किये गये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से से करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती मन्जूदेवी तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

11-ग्राम पंचायत- फुलरई मुगलगढी, वि० ख०-हसायन जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-80-आलोच्य वर्ष **2017-18** में, दिनांक 10.08.2017 को, श्री कृष्णा इन्टरप्राइसेस, अभिलेख बस्ता हेतु चेक संख्या 473839, वाउचर संख्या 13 से रु **3000.00** का भुगतान किया गया। उपरोक्त कार्य में 1. की गई खरीदी का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. क्रय सामग्री की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. क्रय सामग्री को डेड स्टॉक पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती सुषमा, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-81-आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, को हैण्डपंप रिबोर हेतु मजदूरी व सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: -

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
10.08.17	473847	11	हैण्डपंप	प्रधान	7500.00
10.08.17	473856	22	मजदूरी	दिनेश नल मिस्त्री	10800.00
21.11.17	473865	27	मजदूरी	दिनेश नल मिस्त्री	4200.00
21.11.17	473863	28	सामग्री	माहेश्वरी हार्डवेयर स्टोर	14020.00
					36520.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम०वी० में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित रु 20000.00 से अधिक का होने पर कोटेशन बुलाया गया या नहीं, रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती सुषमा, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-82-आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, को धर्मपाल के घर से भगवानसिंह के प्लॉट तक इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: -

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
2.11.17	473862	25	मजदूरी	प्रधान	13600.00
2.11.17	473860	24	सामग्री	रामप्रकाश कान्द्रेक्टर	51000.00
2.11.17	473861	26	सामग्री	रामप्रकाश कान्द्रेक्टर	30941.00
					95541.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती सुषमा, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-83—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, को महावीर के घर से महीपाल के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
6.03.18	473873	36	मजदूरी	प्रधान	39350.00
23.01.18	473871	35	सामग्री	रामप्रकाश कान्द्रेक्टर	102000.00
23.01.18	473872	37	सामग्री	रामप्रकाश कान्द्रेक्टर	182349.00
					323699.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती सुषमा, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-84 आलोच्य वर्ष 2017-18 में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, को होली से रामअवतार के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: -

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
3.08.17	473842	6	मजदूरी	प्रधान	30000.00
3.08.17	473852	15	मजदूरी	प्रधान	59000.00
3.08.17	473855	16	मजदूरी	प्रधान	51500.00
4.08.17	473844	7	सामग्री	प्रधान	178500.00
4.08.17	473845	8	सामग्री	रामप्रकाश कान्द्रेक्टर	178500.00
4.08.17	473846	9	सामग्री	रामप्रकाश कान्द्रेक्टर	178500.00
4.08.17	473849	10	सामग्री	रामप्रकाश कान्द्रेक्टर	178500.00
9.08.17	473850	12	सामग्री	रामप्रकाश कान्द्रेक्टर	76500.00
16.08.17	473851	14	सामग्री	रामप्रकाश कान्द्रेक्टर	219223.00
16.08.17	473854	17	सामग्री	रामप्रकाश कान्द्रेक्टर	185332.00
16.08.17	473853	18	सामग्री	रामप्रकाश कान्द्रेक्टर	201440.00
					1536995.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों/रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती सुषमा, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-85-आलोच्य वर्ष 2017-18 में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, को रामप्रकाश के घर से पथवारी माता तक इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: -

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
13.04.17	473837	3	मजदूरी	प्रधान	24750.00
13.04.17	473836	4	सामग्री	रामप्रकाश कान्द्रेक्टर	193514.00
					218264.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में/रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती सुषमा, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-86—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, को महावीर के घर से संतोष के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
10.04.17	473835	2	मजदूरी	प्रधान	66800.00
7.04.17	473834	1	सामग्री	रामप्रकाश कान्हेक्टर	432282.00
					499082.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में/रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों/बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती सुषमा, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-87—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, दिनांक 14.12.2016 को, दैनिक राजपथ अलीगढ़ को, निविदा प्रकाशन हेतु चेक संख्या 473848, वाउचर संख्या 19 से रु **4200.00** किया गया। उपरोक्त कार्य में 1. कैश

मेमों/रसीद पर जी.एस.टी. नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. समाचार पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. किये गये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से से करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती सुषमा, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-88—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, को यू टाईप नाली निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
18.01.18	473866	30	मजदूरी	प्रधान	40000.00
18.01.18	473870	31	मजदूरी	प्रधान	32550.00
18.01.18	473868	32	मजदूरी	प्रधान	35900.00
18.01.18	473867	33	सामग्री	रामप्रकाश कान्देक्टर	235536.00
18.01.18	473869	34	सामग्री	रामप्रकाश कान्देक्टर	159882.00
					503868.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों/बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती सुषमा, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

12-ग्राम पंचायत- गिनौली किशनपुर, वि0 ख0-हसायन जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-89—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, खडंजा निर्माण हेतु सामग्री व मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
3.04.17	460242	1	मजदूरी	प्रधान	28600.00
3.04.17	460243	2	मिट्टी कार्य	प्रधान	36581.00
3.04.17	460240	3	सामग्री	हसीन ब्रिक फील्ड	81458.00

3.04.17	460241	4	सामग्री	हसीन ब्रिक फील्ड	37331.00
7.04.17	460239	5	सामग्री	शिव आयरन एण्ड स्टोर कंपनी	24408.00
30.08.17	460260	16	सामग्री	सुशीला इंट उद्योग	129120.00
30.08.17	181272	17	सामग्री	सुशीला इंट उद्योग	131768.00
30.08.17	460259	18	मिट्टी कार्य	प्रधान	18768.00
30.08.17	460258	19	मजदूरी	प्रधान	28950.00
30.08.17	460256	20	मिट्टी कार्य	प्रधान	10483.00
30.08.17	181274	21	मिट्टी कार्य	प्रधान	20395.00
30.08.17	460255	22	मजदूरी	प्रधान	20000.00
30.08.17	181273	23	मजदूरी	प्रधान	47550.00
30.08.17	460254	24	सामग्री	हसीन ब्रिक फील्ड	108160.00
30.08.17	460257	25	सामग्री	हसीन ब्रिक फील्ड	177840.00
4.09.17	181271	26	सामग्री	शिव आयरन एण्ड स्टोर कंपनी	12905.00
11.09.17	181276	27	सामग्री	सुशीला इंट उद्योग	270243.00
12.09.17	181278	28	मिट्टी कार्य	प्रधान	49283.00
12.09.17	181277	29	मजदूरी	प्रधान	82450.00
15.09.17	181275	30	सामग्री	शिव आयरन एण्ड स्टोर कंपनी	106758.00
14.11.17	181290	37	मिट्टी कार्य	प्रधान	5880.00
14.11.17	181292	39	मजदूरी	प्रधान	6675.00
17.11.17	181291	44	सामग्री	हसीन ब्रिक फील्ड	40976.00
					1476582.00

उपरोक्त कार्यों में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कौश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री रामनिवास यादव, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-90—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री व मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
13.04.17	460250	7	सामग्री	हसीन ब्रिक फील्ड	15321.00
13.04.17	460248	8	मजदूरी	प्रधान	25250.00
13.04.17	460279	9	मिट्टी कार्य	प्रधान	7661.00
13.04.17	460245	11	मजदूरी	प्रधान	2050.00
17.04.17	460247	12	सामग्री	शिव आयरन एण्ड स्टोर कंपनी	51626.00
25.04.17	460251	13	सामग्री	बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	176332.00
22.02.18	181295	46	सामग्री	बांके बिहारी ब्रिक उद्योग	190006.00
22.02.18	181297	47	मजदूरी	प्रधान	22550.00
23.02.18	181296	49	सामग्री	सुशीला इंट उद्योग	8222.00
26.02.18	181294	51	सामग्री	शिव आयरन एण्ड स्टोर कंपनी	51184.00
22.03.18	181298	53	मिट्टी कार्य	महेश चन्द्र	17150.00
					567352.00

उपरोक्त कार्यों में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश मेमों / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री रामनिवास यादव, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-91—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित वर्णित तारीख/विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म/संस्था को, निविदा प्रकाशन हेतु भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है:-

तारीख	चेक सं.	वाउचर		भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
8.11.17	181280	32	0	स्वराज टाईम्स	6825.00
8.11.17	181281	33	0	स्वराज टाईम्स	2627.00
					9452.00

उपरोक्त कार्य में 1. कैश मेमों / रसीद पर जी.एस.टी. नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. समाचार पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. किये गये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से से करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री रामनिवास यादव, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-92—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, पुलिया निर्माण हेतु सामग्री व मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
13.04.17	460244	6	सामग्री	हसीन ब्रिक फील्ड	13260.00
13.04.17	460246	10	मिट्टी कार्य	प्रधान	10331.00
					23591.00

उपरोक्त कार्यों में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री रामनिवास यादव, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-93—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, हैण्डपंप रीबोर हेतु मजदूरी व सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: —

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
14.11.17	181284	34	ढुलाई	प्रधान	1610.00
14.11.17	1181288	35	ढुलाई	प्रधान	1610.00
14.11.17	181285	36	मजदूरी	प्रधान	18956.00
14.11.17	181289	38	मजदूरी	प्रधान	18956.00
14.11.17	181282	40	सामग्री	गोलू मशीनरी स्टोर	8427.00
14.11.17	181286	41	सामग्री	गोलू मशीनरी स्टोर	9097.00
17.11.17	181283	42	सामग्री	शिव आयरन एण्ड स्टोर कंपनी	5400.00
17.11.17	181287	43	सामग्री	शिव आयरन एण्ड स्टोर कंपनी	5400.00
					69456.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ?

? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है नहीं हुई, प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य की कुल अनुमानित रु 20000.00 से अधिक का होने पर कोटेशन बुलाया गया या नहीं, रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री रामनिवास यादव, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-94—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित वर्णित तारीख/विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म/संस्था को, साफ सफाई हेतु भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है:-

तारीख	चेक सं.	वाउचर		भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
21.09.17	181279	31	मजदूरी	विजय कुमार	2535.00
					2535.00

उपरोक्त कार्य में किये गये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से से करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री रामनिवास यादव, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-95—आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति / फर्म को, नाली एवं खडंजा निर्माण हेतु सामग्री व मजदूरी का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: -

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्निहित घनराशि
22.02.18	181301	48	मजदूरी	प्रधान	99350.00
23.02.18	181300	50	सामग्री	सुशीला इंट उद्योग	303593.00
26.02.18	181299	52	सामग्री	शिव आयरन एण्ड स्टोर कंपनी	40086.00
					443029.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत

नहीं किया गया, एवं 12. कराया गया कार्य एक लाख रुपये से अधिक का है, इसकी निविदा का प्रकाशन किया गया या नहीं, प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री रामनिवास यादव, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

13-ग्राम पंचायत- गिरधरपुर वि० ख०-हसायन जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-96-लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 2384831.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं श्री ओमप्रकाश, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

14-ग्राम पंचायत- गोपालपुर वि० ख०-हसायन जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-97-लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1171497.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

उपरोक्त राशि प्रधान श्रीमती सुमित्रा देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री जयसिंह से आधी आधी मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

15-ग्राम पंचायत- हैथा रघुनाथपुर वि० ख०-हसायन जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-98-लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 526607.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं श्री खलील अहमद, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

16-ग्राम पंचायत- इटरनी वि० ख०-हसायन जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-99-खा परीक्षा वर्ष 2017-18 में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 184966.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री संजीव सारस्वत, तत्कालीन सचिव एवं श्री राजवीर सिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

17-ग्राम पंचायत-जनसोई वि० ख०-हसायन जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-100-लेखा परीक्षा वर्ष **2017-18** में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि **623193.00** रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

उपरोक्त राशि श्री मलखान सिंह, तत्कालीन प्रधान एवं श्री किशनपाल सिंह, तत्कालीन सचिव से आधी आधी मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

18-ग्राम पंचायत- जरैरा वि० ख०-हसायन जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-101-आलोच्य वर्ष **2017-18** में, कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि **4817901.00** रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री किशनपाल सिंह एवं श्री गजेन्द्र पाल, तत्कालीन सचिव एवं श्री सुशील कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

19-ग्राम पंचायत- जाऊ इनायतपुर वि० ख०-हसायन जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-102-लेखा परीक्षा वर्ष **2017-18** में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि **2218205.00** रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री फारेन सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती राजकुमारी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

20-ग्राम पंचायत- जरीनपुर भुरका वि० ख०-हसायन जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-103-लेखा परीक्षा वर्ष **2017-18** में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि **826963.00** रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

उपरोक्त राशि मय ब्याज, , श्री किशनपाल सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती सुनीता देवी तत्कालीन प्रधान से आधी आधी वसूल किया जाना अपेक्षित है।

21-ग्राम पंचायत-जिरौली कलां वि० ख०-हसायन जनपद-हाथरस।

प्रस्तर-104-लेखा परीक्षा वर्ष **2017-18** में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि **1948212.00** रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती सावित्री देवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

22—ग्राम पंचायत— जरौली खुर्द वि० ख०—हसायन जनपद—हाथरस।

प्रस्तर—105—लेखा परीक्षा वर्ष **2017—18** में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि **1100048.00** रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109—ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्री रामसिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

23—ग्राम पंचायत— कानऊ वि० ख०—हसायन जनपद—हाथरस।

प्रस्तर—106—आलोच्य वर्षों में, कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 3968769.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109—ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री लवकेश, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती विमलेश, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

24—ग्राम पंचायत— खेडिया कलां वि०ख०—हसायन जनपद—हाथरस

प्रस्तर—107—लेखा परीक्षा वर्ष **2017—18** में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1564731.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109—ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती मुन्नी देवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

25—ग्राम पंचायत— खेडिया सुल्तानपुर वि०ख०— हसायन जनपद—हाथरस।

प्रस्तर—108—लेखा परीक्षा वर्ष **2017—18** में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 464792.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109—ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

उपरोक्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, एवं तत्कालीन प्रधान श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सचिव से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

26—ग्राम पंचायत—कोडरा जहांगीरपुर, वि०ख०—हसायन जनपद—हाथरस

प्रस्तर—109—लेखा परीक्षा वर्ष **2017—18** में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 664606.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109—ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती बबली बानो, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-110—आलोच्य वर्ष 2017-18 में, कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 907781.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री किशन पाल सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री मुकेश कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-111—आलोच्य वर्ष 2017-18 में, कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 538041.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री गजेन्द्र पाल, तत्कालीन सचिव एवं श्री मुकेश कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-112—आलोच्य वर्षों **2016-17** से **17-18** में, कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि **1182442.00** रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री राजकुमार शर्मा, तत्कालीन सचिव एवं श्री कुजबिहारी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-113—आलोच्य वर्षों 2016-17 से 17-18 में, कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1550332.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री अभिषेक यादव, तत्कालीन सचिव एवं श्री अशोक कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-114—लेखा परीक्षा वर्ष **2017-18** में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 606987.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री राजेश कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-115—लेखा परीक्षा वर्ष **2017-18** में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1786030.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री संजीव सारस्वत, तत्कालीन सचिव एवं श्री ओमप्रकाश, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

32-ग्राम पंचायत- नगला आल वि०ख०-हसायन जनपद-हाथरस

प्रस्तर-116-लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1148106.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं डॉ वीरेन्द्र प्रताप सिंह तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

33-ग्राम पंचायत- नगला बरी पट्टी देवरी, वि०ख०-हसायन जनपद-हाथरस

प्रस्तर-117-आलोच्य वर्ष 2017-18 में दिनांक 24.05.2017 को रु 3500.00 का, चेक संख्या 132 द्वारा कैशबुक के अनुसार भुगतान मानदेय का बिना किसी वाउचर संख्या का वर्णन कैशबुक में किया गया है। जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उपरोक्त चेक का भुगतान श्री आरेन्द्र सिंह के नाम किया गया है जो कि उपलब्ध साक्ष्यों के प्रकाश में ग्राम प्रधान नहीं था। इस प्रकार उपरोक्त कार्य में किये गये भुगतान का वाउचर भी प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं जिस व्यक्ति को भुगतान किया गया वह प्रधान भी नहीं है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री गजेन्द्रपाल, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती मीरा देवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-118-आलोच्य वर्ष 2017-18 में, लेखा परीक्षा वर्ष में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 850729.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री किशनपाल सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती मीरा देवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-119-आलोच्य वर्ष 2017-18 में, लेखा परीक्षा वर्ष में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 1501211.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री गजेन्द्रपाल, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती मीरा देवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

34-ग्राम पंचायत- नारई वि०ख०-हसायन जनपद-हाथरस

प्रस्तर-120-लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि 2224475.00 रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी

में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।
अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री दिनेश सिंह तोमर, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती रुपकली, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

35-ग्राम पंचायत – नौजरपुर वि०ख०-हसायन जनपद-हाथरस

प्रस्तर-121-लेखा परीक्षा वर्ष **2017-18** में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि **912724.00** रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं श्री सोरन सिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

36-ग्राम पंचायत-रसूलपुर वि०ख०-हसायन जनपद-हाथरस

प्रस्तर-122-लेखा परीक्षा वर्ष **2017-18** में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि **1106494.00** रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं श्री प्रदीप कुमार, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

37-ग्राम पंचायत- शहबाजपुर वि०ख०-हसायन जनपद-हाथरस

प्रस्तर-123-आलोच्य वर्षों **2016-17** से **17-18** में, कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि **1764737.00** रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री लवकेश, तत्कालीन सचिव एवं श्री महीपाल सिंह, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

38-ग्राम पंचायत- सिचावली सानी, वि०ख०-हसायन जनपद-हाथरस

प्रस्तर-124-आलोच्य वर्षों **2016-17** से **17-18** में, कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि **1864340.00** रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपठित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री अभिषेक यादव, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती सरवती देवी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

39-ग्राम पंचायत- शंकरपुर वि०ख०-हसायन जनपद-हाथरस

प्रस्तर-125-आलोच्य वर्ष **2017-18** में, अधोलिखित विभिन्न तारीखों में, राशि के समक्ष वर्णित व्यक्ति को, हैण्डपंप मरम्मत हेतु मजदूरी व सामग्री का भुगतान वर्णित चेक संख्या एवं वाउचर संख्या से किया गया, विवरण इस प्रकार है: -

तारीख	चेक सं.	वाउचर	उद्देश्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	सन्नहित घनराशि
28.04.17	94	0	सामग्री	विक्रम	13335.00
8.05.17	93	0	0	रणवीर सिंह	2100.00
20.07.17	103	0	0	सचिव	3850.00
					19285.00

उपरोक्त कार्य में 1. कराये गये कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 2. कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 3. क्रय सामग्री के सम्बन्ध में कैश में / रसीद पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नम्बर अंकित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 4. क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका में किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 5. सृजित सम्पत्ति को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 6. मजदूरी भुगतान मस्टररोल के अनुसार है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 7. एम0वी0 में दर्शित कार्य तकनीकी स्वीकृति (स्टीमेट) के अनुरूप है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 8. क्रय सामग्री का अनुपयोग सामग्री वर्षान्त में अवशेष सामग्री के क्रय स्टॉक रजिस्टर में दर्शित है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 9. मिट्टी खनन में शासनादेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 10. कुल कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है या नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया, 11. कार्य में हुये व्यय की पुष्टि बाउचरों / बिल से होती है अथवा नहीं ? प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री किशनपाल सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री संजय कुमार कौशिक, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

40-ग्राम पंचायत-सिचावली कदीम, वि0ख0-हसायन जनपद-हाथरस

प्रस्तर-126-लेखा परीक्षा वर्ष **2017-18** में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि **1726885.00** रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव एवं श्री रुकमपाल, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

41-ग्राम पंचायत-श्रीनगर वि0ख0-हसायन जनपद-हाथरस

प्रस्तर-127-लेखा परीक्षा वर्ष **2017-18** में कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि **683335.00** रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती उर्वेश कुमारी, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

42-ग्राम पंचायत-विष्णुपुरी वि0ख0-हसायन जनपद-हाथरस

प्रस्तर-128-आलोच्य वर्ष **2016-17 से 17-18** में, कैशबुक में वर्णित जानकारी के अनुसार कुल राशि **541484.00** रुपये व्यय की गई। उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 109-ए (ए) सपटित पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 63 के सरल क्रमांक 34 के तहत भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल सचिव की कस्टडी

में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के अनुसार भुगतान किये गये वाउचर्स और बिल प्रस्तुत न करने पर अधिभार की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त खर्च की गई समस्त राशि श्री अभिषेक यादव, तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती बिठठन बेगम, तत्कालीन प्रधान से आधी आधी राशि मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन— वर्ष 2017-18 :- ग्राम पंचायत

संस्था का नाम— ग्राम पंचायत

जनपद— कासगंज

मण्डल— अलीगढ़

01— ग्राम पंचायत— कानरखेड़ा

विकास खण्ड— कासगंज

जिला— कासगंज

प्रस्तर 01—ग्राम पंचायत ने वर्ष 2016-17 में हैंडपंप मरम्मत पर कार्य आई0डी0 1605687 के अंतर्गत रू0 34200.00 व्यय किया गया प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इंगित कारणों से, किये गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 02— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में खड़जा/इण्टरलॉकिंग कार्य कराया जाना दर्शित है। इस कार्यों के कार्यपूर्ति पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। अतः इस कार्य का भौतिक सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है अथवा नहीं इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः दर्शित कार्य योजनावार निर्धारित धनराशि व स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही हुए है इसकी पुष्टि न की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में यह पुष्टि न की जा सकी इण्टर लॉकिंग कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गयी है या नहीं। आप द्वारा प्रियासॉफ्ट पर रखे गए वार्षिक लेखों में भी कार्य आई0डी0 1605692 खड़जा कार्य में किसी विज्ञापन/विज्ञप्ति हेतु कोई व्यय अंकित नहीं है। अतः जांच में पाया गया की कुछ निर्माण कार्यों को करने से पूर्व निविदा आमंत्रित नहीं की गयी जिन पर व्यय दो लाख रुपये से अधिक था। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 15

प्रस्तर 03—रू0 28800 के प्रमाणक लेखा परीक्षा अप्राप्त रहें इस प्रकार रू0 28800 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री तलेवर व सचिव श्री ब्रह्मप्रकाश से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 04— वर्ष 2017-18 में कार्य आई0डी0 3157113 के अंतर्गत रू0 20000 व्यय किया गया प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त इंगित कारणों से किराए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 05— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में सोलर लाइट पर व्यय किया गया दर्शित। सोलर की खरीद में पंचायत द्वारा दो लाख से अधिकका व्यय किया गया जिसके लिए सक्षम अधिकारी स्वीकृति ली गयी है अथवा नहीं इसकी पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी। वर्ष में सोलर लाइट रू0 376000 व्यय किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 06— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में खड़जा/इण्टर लॉकिंग कार्य कराया जाना दर्शित है। इन कार्यों के कार्यपूर्ति पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। अतः इस कार्य का भौतिक सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है। अथवा नहीं इसकी पुष्टि न की जा सकी। अतः दर्शित कार्य योजनावार निर्धारित धनराशि व स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही हुए है इसकी पुष्टि न की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में यह पुष्टि न की जा सकी। इण्टर लॉकिंग कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गयी है या नहीं आप द्वारा प्रियासॉफ्ट पर रखे गए वार्षिक लेखों में भी कार्य आई0डी0 1605692 खड़जा कार्य में किसी विज्ञापन/विज्ञप्ति हेतु कोई व्यय अंकित नहीं है। अतः जांच में पाया गया की कुछ निर्माण कार्यों को करने से पूर्व निविदा आमंत्रित नहीं की गयी जिनपर व्यय दो लाख रूप से अधिक था। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 15

प्रस्तर 07—रू0 75000.00 के प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहें । इस प्रकार रू0 75000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री तलेवर व सचिव श्री ब्रह्मप्रकाश से की जानी अपेक्षित है।

07— ग्राम पंचायत— अमरपुर ढिलावली विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 08— ग्राम पंचायत ने वर्ष 2016—17 में हैंडपंप मरम्मत पर कार्य आई0डी0 1414375 के अंतर्गत रू0 19600.00 व्यय किया गया प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इंगित कारणों से, किये गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— 13**

प्रस्तर 09— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016—17 में इण्टर लॉकिंग कार्य में कार्य आई0डी0 1414369 के अंतर्गत रू0 200157 व कार्य आई0डी0 1414370 अंतर्गत रू0 110859 व्यय करना दर्शाया गया है। उक्त दोनों निर्माण कार्य केलिए कोई भुगतान किसी विज्ञप्ति/निविदा हेतु किया गया हो, ऐसा प्रियासॉफ्ट पर रखे गये वार्षिक लेखे से प्रतीत नहीं होता। अतः दोनों निर्माण कार्य को करने से पूर्व यदि निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है तो वह नियमों की घोर अनदेखी है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है। इन कार्यों के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर/पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय की गयी समस्त राशि पर अधिभार प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— 14**

प्रस्तर 10—रू0 40700.00 के प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहें । इस प्रकार रू0 40700.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सरोज व सचिव श्री दलवीर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 11— वर्ष 2017—18 में ग्राम पंचायत द्वारा इण्टर लॉकिंग कार्य कराया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है जिनपर रू0 618506 व्यय किया जाना दर्शाया गया है। इन कार्यों के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर/पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय की गयी समस्त राशि पर अधिभार प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— 14**

प्रस्तर 12—रू0 25300.00 के प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहें । इस प्रकार रू0 25300.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सरोज व सचिव श्री दलवीर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

03— ग्राम पंचायत— बैसोरा खुर्द विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 13— वर्ष 2016—17 में हैंडपंप मरम्मत पर कार्य आई0डी0 1500036 के अंतर्गत रू0 14200 व्यय किया गया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। यह व्यय प्रिया सॉफ्ट पर अंकित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— 13**

प्रस्तर 14— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016—17 में इण्टर लॉकिंग कार्य में कार्य आई0डी0 1500042 के अंतर्गत रू0 229895, कार्य आई0डी0 1500041 के अंतर्गत रू0 187760, कार्य आई0डी0 1500039 के अंतर्गत रू0 41480, व कार्य आई0डी0 1500044 के अंतर्गत रू0 149150, कुल व्यय रू0 608285 व्यय करना दर्शाया गया है। इन सभी इण्टर लॉकिंग कार्यों के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर/पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किये गये। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— 14**

प्रस्तर 15— वर्ष 2016—17 में सफाई किट पर रू0 10000 व फर्नीचर पद रू0 20000 व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— 16**

प्रस्तर 16— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016—17 में स्ट्रीट लाइट पर व्यय किया गया है। स्ट्रीट लाइट की खरीद में पंचायत द्वारा रू0 30000 का व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर अंकित है जिसके सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— 17**

प्रस्तर 17—रू0 45000.00 के प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहें । इस प्रकार रू0 45000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामदीन व सचिव श्री रमेश चन्द्र से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 18— वर्ष 2017—18 में कार्य आई0डी0 4731947 के अंतर्गत रू0 60500 व रिबोर के लिए रू0 16000 व्यय किया गया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। यह व्यय प्रिया सॉफ्ट पर अंकित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— 13**

प्रस्तर 19— वर्ष 2017-18 में निम्न इण्टर लॉकिंग कार्य कराया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है जिस पर कुल व्यय रू0 245134 विभिन्न कार्य आई0डी0 पर दर्शाया गया है। सभी इण्टर लॉकिंग कार्यों के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर/पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किये गये। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 20— वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य आई0डी0 5738362 के अंतर्गत शौचालय मरम्मत कार्य पर रू0 185511 आंगनवाड़ी केंद्र में बेबी फ्रेंडली शौचालय कार्य पर कार्य आई0डी0 5738363 के अंतर्गत 61146, कुल व्यय रू0 246657 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 15

प्रस्तर 21— वर्ष 2017-18 में सोलर लाइट पर रू0 193500 व्यय किया गया जिसके सापेक्ष कोई प्रमाणक पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 17

प्रस्तर 22— वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा कम्प्यूटर पर 42000 व्यय किया गया है जिसकी खरीद मरम्मत की पुष्टि में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 18

प्रस्तर 23—रू0 81280.00 के प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहें । इस प्रकार रू0 81280.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामदीन व सचिव श्री रमेश चन्द्र से की जानी अपेक्षित है।

04— ग्राम पंचायत— बैसोरा बुजुर्ग, विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 24— वर्ष 2016-17 में हैंडपंप मरम्मत पर कार्य आई0डी0 1499983 के अंतर्गत रू0 39200 व्यय किया गया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। यह व्यय प्रिया सॉफ्ट पर अंकित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 25— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में इण्टर लॉकिंग कार्य में कार्य आई0डी0 1499986 के अंतर्गत रू0 146750, कार्य आई0डी0 1499996 के अंतर्गत रू0 244425, कार्य आई0डी0 1499994 के अंतर्गत रू0 296201, व कार्य आई0डी0 1499990 के अंतर्गत रू0 121509, कुल व्यय रू0 808885 व्यय करना दर्शाया गया है। इन सभी इण्टर लॉकिंग कार्यों के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर/पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किये गये। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 26— 2016-17 में सफाई किट पर रू0 19800 व फर्नीचर पर रू0 50000 व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 16

प्रस्तर 27—रू0 23000.00 के प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहें । इस प्रकार रू0 23000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मोरमुकुट व सचिव श्री रमेश चन्द्र से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 28— वर्ष 2017-18 में रू0 19500 हैंडपंप रिपेयर पर व्यय किया गया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। यह व्यय प्रिया सॉफ्ट पर अंकित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 29— वर्ष 2017-18 में निम्न इण्टर लॉकिंग कार्य कराया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है जिस पर कुल व्यय रू0 1149707 विभिन्न कार्य आई0डी0 पर दर्शाया गया है। सभी इण्टर लॉकिंग कार्यों के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर/पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किये गये। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 30— वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य आई0डी0 5747442 के अंतर्गत शौचालय मरम्मत कार्य पर रू0 248084, आंगनवाड़ी शौचालय मरम्मत कार्य पर कार्य आई0डी0 5747445 के अंतर्गत 68003 व कार्य आई0डी0 5747444 के अंतर्गत रू0 68003 व्यय व कार्य आई0डी0 5747443 प्राइमरी स्कूल नगला

भट्टा में शौचालय कार्य पर रु0 237837 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 15

प्रस्तर 31— वर्ष 2017-18 में सोलर लाइट पर व्यय किया गया है। सोलर लाइट की खरीद में पंचायत द्वारा दो लाख से अधिक का व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर अंकित है जिसके लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली गयी है या नहीं इसकी पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न हो सकी। वर्ष में सोलर लाइट रु0 270000 व्यय किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 32 रु0 39550.00 के प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहें। इस प्रकार रु0 39550.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मोरमुकुट व सचिव श्री रमेश चन्द्र से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 17

05— ग्राम पंचायत— बिरहरा विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 33— वर्ष 2016-17 में हैंडपंप मरम्मत पर कार्य आई0डी0 1413424 के अंतर्गत रु0 19800 व्यय किया गया दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर व रेबोर कार्य कराया गया जो नियम विरुद्ध है। मरम्मत उपरान्त निकले गए सामान का निस्तारण कैसे किया गया, डैडस्टॉक/स्टॉक रजिस्टर में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है। जो कि की जानी अपेक्षित है। उक्त ग्राम में कौन-कौन से हैंडपंप खराब थे उसकी सूचना से संबंधित व रिपेयर के लिए ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त इंगित कारणों से किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 34— वर्ष 2017-18 कार्य आई0डी0 4731921 के अंतर्गत 27500 व्यय किया गया दर्शित व कार्य आई0डी0 4731925 के अंतर्गत रु0 99700 हैंडपंप रिबोर पर व्यय किया गया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर व रिबोर कार्य कराया गया जो नियम विरुद्ध है। मरम्मत उपरान्त निकले गए सामान का निस्तारण कैसे किया गया, डैडस्टॉक/स्टॉक रजिस्टर में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है जोकि की जानी अपेक्षित है। उक्त ग्राम में कौन-कौन से हैंडपंप खराब थे उसकी सूचना से संबंधित व रिपेयर के लिए ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त इंगित कारणों से किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 35— वर्ष 2017-18 सोलर लाइट खरीद पर 236500 व्यय किया गया। पंचायत ने उ0प्र0 सरकार के उपक्रम नेडा से सोलर लाइट क्रय न करके निजी/प्राइवेट दुकान से क्रय किया है। स्थान, चयन, लक्ष्य, चयन, प्रक्रिया, किस आधार पर चयन हुआ इसकी कोई जानकारी अभिलेखों से नहीं मिलती। सोलर लाइट पर किए गए व्यय की पुष्टि में केवल निजी/प्राइवेटफर्म का बिल प्रस्तुत किया गया है। गारंटी/वारंटी कार्ड का बिल प्रस्तुत किया गया है। गारंटी/वारंटी सेवा व मरम्मत से संबंधित शर्तें आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध नहीं। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत केवल बिल/सेल्स इन्वाइस से की गयी खरीद की संतोषजनक पुष्टि नहीं की जा सकी। क्योंकि वर्ष में सोलर लाइट खरीद पर इतना व्यय किया गया है इसलिए आपसे अपेक्षित है कि खरीद से संबंधित अन्य संलग्नक भी आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करें। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—14

06— ग्राम पंचायत— ब्राहिमपुर विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 36— ग्राम पंचायत न वर्ष 2016-17 में हैंडपंप मरम्मत पर कार्य आई0डी0 1499983 के अंतर्गत रु0 39200 और वर्ष व्यय किया गया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। यह व्यय प्रिया सॉफ्ट पर अंकित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेखों के अभाव में यह पुष्टि न की जा सकी उक्त ग्राम में कौन-कौन से हैंडपंप खराब थे उसकी सूचना से संबंधित व रिपेयर के लिए ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त इंगित कारणों से किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 37— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में इण्टर लॉकिंग कार्य में कार्य आई0डी0 1949915 के अंतर्गत रु0 191835 कार्य आई0डी0 1949913 के अंतर्गत रु0 169850 कुल रु0 361685 व्यय करना दर्शाया गया है। कार्य आई0डी0 1949913 को करने से पूर्व कोई विज्ञप्ति/निविदा पर व्यय किया गया हो ऐसी कोई प्रविष्टि प्रियासॉफ्ट पर आप द्वारा रखे लेखों से नहीं होती। अतः इस निर्माण कार्य को करने से

पूर्व यदि निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है तो वह नियमों की घोर अनदेखी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 38— वर्ष 2016-17 में सफाई किट पर रू0 19000 व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः रू0 19000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं सचिव से किया जाना अपेक्षित रहा।

आ0 संख्या— 17

प्रस्तर 39—रू0 32050.00 के प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहें। इस प्रकार रू0 32050.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री चन्द्रभान सिंह व सचिव श्री ब्रह्मप्रकाश से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 40— उक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2017-18 में हैंडपम्प मरम्मत पर रू0 19500 व्यय किया गया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। इस व्ययके सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेखों के अभाव में यह पुष्टि न की जा सकी उक्त ग्राम में कौन कौन से हैंडपम्प खराब थे उसकी सूचना से संबंधित व रिपेयर के लिए ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त इंगित कारणों से किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 41— वर्ष 2017-18 में इंटर लॉकिंग कार्य पर कुल व्यय रू0 475450 कराया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। सभी इंटर लॉकिंग कार्यों के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय की गयी समस्त राशि पर अधिभार प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 42— वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य आई0डी0 6168776 के अंतर्गत शौचालय मरम्मत कार्य पर रू0 88580, कार्य आई0डी0 6168775 आंगनवाड़ी शौचालय मरम्मत कार्य पर रू0 124967, कुल व्यय रू0 213547 किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः समस्त धनराशि पर अधिभार प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आप0 सं0— 15

प्रस्तर 43— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में कार्य आई0डी0 3585072 के अंतर्गत अंतेष्टी स्थलकी बाउंडरी वाल का निर्माण कार्य कराया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य के लिए कोई भुगतान किसी विज्ञप्ति/निविदा हेतु किया गया को, ऐसा प्रियासॉफ्ट पर रखे गये वार्षिक लेखे से प्रतीत नहीं होता। अतः इस निर्माण कार्य को करने से पूर्व यदि निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है तो वह नियमों की घोर अनदेखी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आ0सं0—16

प्रस्तर 44— वर्ष 2017-18 में सफाई किट पर रू0 35000 व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आ0 संख्या— 17

प्रस्तर 45—रू0 188272.00 के प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहें। इस प्रकार रू0 188272.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री चन्द्रभान सिंह व सचिव श्री ब्रह्मप्रकाश से की जानी अपेक्षित है।

07— ग्राम पंचायत— करसरी हयातगढ़ी, विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 46— वर्ष 2016-17 में सोलर लाइट रू0 21500 की दर से रू0 236500 किया गया। पंचायत न उ0प्र0 सरकार के उपक्रम नेडा से सोलर लाइट क्रय न करके निजी/प्राइवेट दुकान से क्रय किया है। स्थान चयन, लक्ष्य, चयन प्रक्रिया, किस आधार पर चयन हुआ इसकी कोई जानकारी अभिलेखों से नहीं मिलती। सोलर लाइट पर किए गए व्यय की पुष्टि में केवल निजी/प्राइवेट फर्म का बिल प्रस्तुत किया गया है। गारंटी/वारंटी कार्ड सेवा व मरम्मत से संबंधित शर्तें आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत केवल बिल/सेल्स इन्वाइस से की गयी खरीद से संतोषजनक पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि वर्ष में सोलर लाइट खरीद पर इतना व्यय किया गया है इसलिए आपसे अपेक्षित है कि खरीद से संबंधित अन्य सलग्नक भी आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करें। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 47— वर्ष 2017-18 सोलर लाइट खरीद पर 236500 व्यय किया गया। पंचायत ने उ0प्र0 सरकार के उपक्रम नेडा से सोलर लाइट क्रय न करके निजी/प्राइवेट दुकान से क्रय किया है। स्थान चयन, लक्ष्य, चयन प्रक्रिया किस आधार पर चयन हुआ इसकी कोई जानकारी अभिलेखों से नहीं मिलती। सोलर लाइट

पर किए गए व्यय की पुष्टि में केवल निजी/प्राइवेट फर्म का बिल प्रस्तुत किया गया है। गारंटी/वारंटी कार्ड सेवा व मरम्मत से संबंधित शर्तें आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत केवल बिल/सेल्स इन्वाइस से की गई खरीद से संतोषजनक पुष्टि नहीं की जा सकी। क्योंकि वर्ष में सोलर लाइट खरीद पर इतना व्यय किया गया है इसलिए आपसे अपेक्षित है कि खरीद से संबंधित अन्य संलग्नक भी आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करें। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

08— ग्राम पंचायत— छावनी विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 48— उक्त ग्राम पंचायत न वर्ष 2013-14 में ₹0 2100 हैंडपम्प रिपेयर कार्य पर व्यय किया गया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। मरम्मत उपरांत निकाले गए सामान का निस्तारण कैसे किया गया डैड स्टॉक/स्टॉक रजिस्टर में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है। जोकि की जानी अपेक्षित है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त ग्राम में कौन कौन से हैंडपम्प खराब थे उसकी सूचना से संबंधित व रिपेयर केलिए ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त इंगित कारणों से किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 49— वर्ष 2013-14 में मिट्टी भराव कार्य हेतु दिनांक 5.1.2014 को ₹0 12000 व दिनांक 5.3.2014 को ₹0 15000 व्यय किया गया दर्शित है। जिसकी पुष्टि में भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर प्रमाणक पर नहीं थे। अतः इस भुगतान की संतोषजनक पुष्टि न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 50— उक्त ग्राम पंचायत न वर्ष 2014-15 में ₹0 16000 हैंडपम्प रिपेयर कार्य पर व्यय किया गया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। मरम्मत उपरांत निकाले गए सामान का निस्तारण कैसे किया गया डैड स्टॉक/स्टॉक रजिस्टर में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है। जो कि की जानी अपेक्षित है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त ग्राम में कौन कौन से हैंडपम्प खराब थे उसकी सूचना से संबंधित व रिपेयर केलिए ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त इंगित कारणों से किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 51— उक्त ग्राम पंचायत न वर्ष 2015-16 में ₹0 9000 हैंडपम्प रिपेयर कार्य पर व्यय किया गया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। मरम्मत उपरांत निकाले गए सामान का निस्तारण कैसे किया गया डैड स्टॉक/स्टॉक रजिस्टर में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है। जोकि की जानी अपेक्षित है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त ग्राम में कौन कौन से हैंडपम्प खराब थे उसकी सूचना से संबंधित व रिपेयर केलिए ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त इंगित कारणों से किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 52— वर्ष 2015-16 में मिट्टी भराई व बालू भराव कार्यों के लिए नगद भुगतान किया गया जो नियम विरुद्ध था। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0सं0— 14

प्रस्तर 53— उक्त ग्राम पंचायत न वर्ष 2016-17 में ₹0 35900 हैंडपम्प रिपेयर कार्य पर व्यय किया गया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। मरम्मत उपरांत निकाले गए सामान का निस्तारण कैसे किया गया डैड स्टॉक/स्टॉक रजिस्टर में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है। जोकि की जानी अपेक्षित है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त ग्राम में कौन कौन से हैंडपम्प खराब थे उसकी सूचना से संबंधित व रिपेयर केलिए ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त इंगित कारणों से किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 54— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में इण्टर लॉकिंग कार्य में कार्य आई0डी0 विभिन्न के अंतर्गत ₹0 506962 व्यय करना दर्शाया गया है। सभी इण्टर लॉकिंग कार्यों के कार्य पूर्ति पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। अतः संतोषजनक पुष्टि न की जा सकी। निर्माण कार्यों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एक अति महत्वपूर्ण अभिलेख है जो प्रायः सभी निर्माण

कार्यों के साथ संलग्न होनी चाहिए। लेखा परीक्षा में इस रिपोर्ट के अभाव में यह मानते हैं कि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा मौके पर स्वयं जाकर निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं की गयी है। निर्माण स्थल से संबंधित फोटोग्राफ को भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए की फोटोग्राफ उसी ग्राम व चयनित स्थल के हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— 16**

प्रस्तर 55— उक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2017-18 में ₹0 25600 हैंडपम्प रिपेयर कार्य पर व ₹0 67500 हैंडपम्प रिबोर पर व्यय किया गया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। मरम्मत उपरांत निकाले गए सामान का निस्तारण कैसे किया गया डैड स्टॉक/स्टॉक रजिस्टर में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है। जोकि की जानी अपेक्षित है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त ग्राम में कौन कौन से हैंडपम्प खराब थे उसकी सूचना से संबंधित व रिपेयर के लिए ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त इंगित कारणों से किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— 13**

प्रस्तर 56— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में ₹0 639601 व्यय करना दर्शाया गया है। सभी इण्टर लॉकिंग कार्यों के कार्य पूर्ति पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। अतः संतोषजनक पुष्टि न की जा सकी। निर्माण कार्यों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एक अति महत्वपूर्ण अभिलेख है जो प्रायः सभी निर्माण कार्यों के साथ संलग्न होनी चाहिए। लेखा परीक्षक इस रिपोर्ट के अभाव में यह मानते हैं कि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा मौके पर स्वयं जाकर निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं की गयी है। निर्माण स्थल से संबंधित फोटोग्राफ को भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए कि फोटोग्राफ उसी ग्राम व चयनित स्थल के हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— 16**

प्रस्तर 57— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में सोलर लाइट पर व्यय किया गया दर्शित है। सोलर लाइट की खरीद में पंचायत द्वारा दो लाख से अधिक का व्यय किया गया है। जिसके लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गई है। वर्ष में सोलर लाइट ₹0 236500 व्यय किया गया है। इस और सक्षम अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है। पंचायत ने उ0प्र0 सरकार के उपक्रम नेडा से सोलर लाइट क्रय न करके निजी/ प्राइवेट दुकान से क्रय किया है। स्थान चयन लक्ष्य, चयन प्रक्रिया, किस आधार पर चयन हुआ इसकी कोई जानकारी अभिलेखों से नहीं मिलती। सोलर लाइट पर किए गए व्यय की पुष्टि में केवल निजी/प्राइवेट फर्म का बिल प्रस्तुत किया गया है। गारंटी/वारंटी कार्ड सेवा व मरम्मत से संबंधित शर्तें आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत केवल बिल/सेल्स इन्वाइस से की गयी खरीद से संतोषजनक पुष्टि नहीं की जा सकी। आपसे अपेक्षित है कि खरीद से संबंधित अन्य संलग्नक भी आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करें। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— 17**

09— ग्राम पंचायत— फिरोजपुर सिहोला अलियार खाँ, विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 58— उक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2016-17 में हैंडपम्प मरम्मत पर कार्य आई0डी0 5131722 के अंतर्गत ₹0 18500 व्यय किया गया प्रिंसाप्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इंगित कारणों से, किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— 13**

प्रस्तर 59— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में इण्टर लॉकिंग कार्य में कार्य आई0डी 1452646 के अंतर्गत ₹0 234450 व कार्य आई0डी 5131721 के अंतर्गत ₹0 145614 व्यय करना दर्शाया गया है। सभी इण्टर लॉकिंग कार्यों के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर/पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किये गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— 14**

प्रस्तर 60— लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान संबंधित कोई विवरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 2016-17 में मानदेय भुगतान ₹0 30000 किया गया दर्शित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— 16**

प्रस्तर 61— ₹0 12604.00 के प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहें। इस प्रकार ₹0 12604.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी व सचिव श्री जोगिंदर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 62— उक्त ग्राम पंचायत न वर्ष 2017-18 में हैंडपम्प मरम्मत पर कार्य आई0डी0 3833748 के अंतर्गत रू0 57640 व्यय किया गया प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इंगित कारणों से, किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 63— वर्ष 2017-18 में कार्य आई0डी0 3833737 के अंतर्गत रू0 164700, कार्य आई0डी0 3833716 के अंतर्गत रू0 138510 व कार्य आई0डी0 3833709 के अंतर्गत रू0 181100 इण्टर लॉकिंग कार्य पर व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। सभी इण्टर लॉकिंग कार्यों के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर/पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 64— वर्ष 2017-18 में उक्त ग्राम पंचायत द्वारा कम्प्यूटरपर रू0 7000 व्यय किया जाना दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार रू0 7000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी व सचिव श्री जोगिंदर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 15

प्रस्तर 65— लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान संबंधित कोई विवरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 2017-18 में मानदेय भुगतान रू0 36500 किया गया दर्शित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 16

प्रस्तर 65-1—

रू0 28703.00 के प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहें । इस प्रकार रू0 28703.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी व सचिव श्री जोगिंदर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

10— ग्राम पंचायत— जियाउद्दीनपुर विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 66— उक्त ग्राम पंचायत न वर्ष 2016-17 में हैंडपम्प मरम्मत पर कार्य आई0डी0 1639413 के अंतर्गत रू0 18800 व्यय किया गया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर-67— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में इण्टर लॉकिंग कार्य में कार्य आई0डी0 के अंतर्गत रू0 244130 व कार्य आई0डी0 1639422 के अंतर्गत रू0 185247, कुल व्यय रू0 429377 व्यय करना दर्शाया गया है। उक्त दोनों निर्माण कार्य के लिए कोई भुगतान किसी विज्ञप्ति/निविदा हेतु किया गया हो, ऐसा प्रियासॉफ्ट पर रखे गये वार्षिक लेखे से प्रतीत नहीं होता। अतः दोनों निर्माण कार्य को करने से पूर्व यदि निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है तो वह नियमों की घोर अनदेखी है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—14

प्रस्तर 68—रू0 62004.00 के प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहें । इस प्रकार रू0 62004.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र व सचिव श्री अवधेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 69— उक्त ग्राम पंचायत न वर्ष 2017-18 में हैंडपम्प मरम्मत पर रू0 42050 व्यय किया गया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 70—रू0 150724.00 के प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहें । इस प्रकार रू0 15724.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र व सचिव श्री अवधेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

11— ग्राम पंचायत— इठौआ विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 71— उक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2016-17 में हैंडपम्प रिपेयर पर रू0 6000 व वर्ष 2017-18 में कार्य आई0डी0 3537219 के अंतर्गत रू0 99000 हैंडपम्प रिबोर पर व्यय किया गया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। मरम्मत उपरांत निकाले गये सामान का निस्तारण कैसे किया गया, डैडस्टाक/स्टॉक रजिस्टर में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है जोकि की जानी अपेक्षित है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं

किया गया। उक्त ग्राम में कौन कौन से हैंड पम्प खराब थी जिसकी सूचना से संबंधित व रिपेयर के लिए ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त इंगित कारणों से किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 13

प्रस्तर 72- ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में इंटर लॉकिंग कार्य में कार्य आई0डी0 1469716 के अंतर्गत रु0 249767, कार्य आई0डी0 1469723 के अंतर्गत रु0 500000 व्यय करना दर्शाया गया है। सभी इंटर लॉकिंग कार्य/निर्माण कार्य/मिट्टी कार्य के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 14

प्रस्तर 73- लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान संबंधित कोई विवरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 2016-17 में मानदेय भुगतान रु0 34000 किया गया दर्शित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 16

प्रस्तर 74- वर्ष 2017-18 में कार्य आई0डी0 3537219 के अंतर्गत रु0 99000 हैंडपम्प रिबोर पर व्यय किया गया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। मरम्मत उपरांत निकाले गये सामान का निस्तारण कैसे किया गया, डैडस्टाक/स्टॉक रजिस्टर में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है जोकि की जानी अपेक्षित है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त ग्राम में कौन कौन से हैंड पम्प खराब थी। जिसकी सूचना से संबंधित व रिपेयर के लिए ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त इंगित कारणों से किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 13

प्रस्तर 75- वर्ष 2017-18 में विभिन्न कार्य आई0डी0 के अंतर्गत निर्माण कार्य पर रु0 1505502 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। सभी इंटर लॉकिंग कार्य/निर्माण कार्य/मिट्टी कार्य के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आप0सं0- 14

प्रस्तर 76- वर्ष 2017-18 में उक्त ग्राम पंचायत द्वारा डस्टबिन पर रु0 93950 व्यय किया जाना दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 15

प्रस्तर 77- लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान संबंधित कोई विवरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 2017-18 में रु0 35000 किया गया दर्शित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 16

प्रस्तर 78-रु0 27201 के प्रमाणक/अभिलेख अप्राप्त रहे। इस प्रकार रु0 27201.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता सिंह व सचिव श्री जोगिंदर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

12- ग्राम पंचायत- मुहम्मदपुर विकास खण्ड- कासगंज जिला- कासगंज।

प्रस्तर 79- उक्त ग्राम पंचायत न वर्ष 2016-17 में हैंडपम्प मरम्मत पर कार्य आई0डी0 1452815 के अंतर्गत रु0 18700 व्यय किया गया है। पंचायत द्वारा भुगतान अरविंद मशीनरी को किया गया दर्शाया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। यह व्यय प्रियासॉफ्ट पर अंकित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 13

प्रस्तर 80- ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में इंटर लॉकिंग कार्य में कार्य आई0डी0 1452809 के अंतर्गत रु0 100000, कार्य आई0डी0 1452808 अंतर्गत रु0 100000, कार्य आई0डी0 1452815 के अंतर्गत रु0 50600 व कार्य आई0डी0 1452810 के अंतर्गत रु0 31322 कुल व्यय रु0 281922 करना दर्शाया गया है। उक्त निर्माण कार्य के लिए कोई भुगतान किसी विज्ञप्ति/निविदा हेतु किया गया हो, ऐसा प्रियासॉफ्ट पर रेख गये वार्षिक लेखों से प्रतीत नहीं होता। अतः सभी निर्माण कार्य को करने से पूर्व यदि निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है तो वह नियमों की घोर अनदेखी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 14

प्रस्तर 81—रु0 65900.00 के प्रमाणक/अभिलेख अप्राप्त रहे। इस प्रकार रु0 65900.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजाराम व सचिव श्री जोगिंदर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 82— वर्ष 2017-18 में हैंडपम्प मरम्मत पर कार्य आई0डी0 3206900 व कार्य आई0डी0 3206895 के अंतर्गत रु0 165424 व्यय किया गया है। पंचायत द्वारा भुगतान अरविंद मशीनरी को किया गया दर्शाया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। यह व्यय प्रियासॉफ्ट पर अंकित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 83— वर्ष 2017-18 में इंटर लॉकिंग कार्य कराया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है जिस पर कुल व्यय रु0 308719 दर्शाया गया है। कार्यों के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर/पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय की गयी समस्त राशि पर अधिभार प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 84—रु0 82500.00 के प्रमाणक/अभिलेख अप्राप्त रहे। इस प्रकार रु 82500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजाराम व सचिव श्री जोगिंदर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

13— ग्राम पंचायत— जखेरा महेशपुर विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 85— उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में हैंडपम्प रिपेयर पर रु0 35700 व्यय किया गया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त ग्राम में कौन-कौन से हैंडपम्प खराब थे उसकी सूचना से संबंधित व रिपेयर के लिए ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त इंगित कारणों से किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 86— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में इंटर लॉकिंग कार्य में कार्य आई0डी0 1500457 के अंतर्गत रु0 206531, कार्य आई0डी0 1500453 के अंतर्गत रु0 178450 व कार्य आई0डी0 1500452 के अंतर्गत रु0 24500 व्यय करना दर्शाया गया है। सभी इंटर लॉकिंग कार्यों/निर्माण कार्यों/मिट्टी कार्य के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 87— वर्ष 2016-17 में उक्त ग्राम पंचायत द्वारा सफाई किट पर रु0 10942 व्यय किया जाना दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 16

प्रस्तर 88— लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान संबंधित कोई विवरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 2016-17 में मानदेय भुगतान रु0 41500 किया गया दर्शित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 17

प्रस्तर 89— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रशासनिक मद में रु0 37590 भुगतान किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 18

प्रस्तर 90—रु0 229616.00 के प्रमाणक/अभिलेख अप्राप्त रहे। इस प्रकार रु0 229616.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री आशोक कुमार व सचिव श्री दलवीर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 91— वर्ष 2017-18 कार्य आई0डी0 3490763 के अंतर्गत रु0 39600 व्यय किया गया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त इंगित कारणों से किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 92— वर्ष 2017-18 में विभिन्न कार्य आई0डी0 के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर रु0 2637388 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। सभी इंटर लॉकिंग कार्यों/निर्माण कार्यों/मिट्टी कार्य के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0— 14

प्रस्तर 93— वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य आई0डी0 5729555 के अंतर्गत आंगनवाड़ी शौचालय निर्माण कार्य पर रू0 36501 व कार्य आई0डी0 5729554 के अंतर्गत रू0 45454 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः समस्त धनराशि पर अधिभार प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 15

प्रस्तर 94— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में प्रशासनिक मद में रू0 68700 भुगतान किया जाना दर्शित है जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 18

प्रस्तर 95— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में सोलर लाइट पर व्यय किया गया दर्शित है। सोलर लाइट की खरीद में पंचायत द्वारा दो लाख से अधिक का व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर अंकित है जिसके लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली गई है या नहीं इसकी पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न हो सकी। वर्ष में सोलर लाइट रू0 430000 व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 19

प्रस्तर 96—रू0 81955.00 के प्रमाणक/अभिलेख अप्राप्त रहे। इस प्रकार रू0 81955.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार व सचिव श्री दलवीर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

14— ग्राम पंचायत— इनायती विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 97— उक्त ग्राम पंचायत न वर्ष 2016-17 में हैंडपम्प मरम्मत पर कार्य आई0डी0 1452734 के अंतर्गत रू0 19100 व्यय किया गया है। पंचायत द्वारा भुगतान अरविंद मशीनरी को किया गया दर्शाया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। यह व्यय प्रियासॉफ्ट पर अंकित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेखों के अभाव में यह पुष्टि न की जा सकी उक्त ग्राम में कौन कौन से हैंडपम्प खराब थे उसकी सूचना से संबंधित व रिपेयर के लिए ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त इंगित कारणों से किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आप0 संख्या— 13

प्रस्तर 98— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में पुलिया निर्माण कार्य में कार्य आई0डी0 1452729 के अंतर्गत रू0 113990 व्यय करना दर्शाया गया है। उक्त निर्माण कार्य के लिए कोई भुगतान किसी विज्ञप्ति/निविदा हेतु किया गया हो, ऐसा प्रियासॉफ्ट पर रखे गये वार्षिक लेखे से प्रतीत नहीं होता। अतः इस निर्माण कार्य को करने से पूर्व यदि निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है तो वह नियमों की घोर अनदेखी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 99—रू0 44000.00 के प्रमाणक/अभिलेख अप्राप्त रहे। इस प्रकार रू0 44000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती छाया देवी व सचिव श्री जोगिंदर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 100— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में निम्न इंटर लॉकिंग कार्य कराया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है जिस पर कुल व्यय रू0 899704 दर्शाया गया है। निम्न कार्यों के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर/पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय की गयी समस्त राशि पर अधिभार प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 101—रू0 944471.00 के प्रमाणक/अभिलेख अप्राप्त रहे। इस प्रकार रू0 944471.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती छाया देवी व सचिव श्री जोगिंदर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

15— ग्राम पंचायत— हरसिंह सिरौली विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 102— उक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2016-17 में हैंडपम्प मरम्मत पर कार्य आई0डी0 1469826 के अंतर्गत रू0 9300 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। मरम्मत उपरांत निकाले गए सामान का निस्तारण कैसे किया गया डैड स्टॉक/स्टाक रजिस्टर में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है जोकि की जानी अपेक्षित है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 103— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में इंटर लॉकिंग कार्य में कार्य आई0डी0 1469828 के अंतर्गत रू0 237860 कार्य आई0डी0 1469829 के अंतर्गत रू0 260270 व कार्य आई0डी0 1469830 के अंतर्गत रू0 167564 व्यय करना दर्शाया गया है। सभी इंटर लॉकिंग कार्यों/निर्माण कार्यों के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 104— वर्ष 2016-17 में उक्त ग्राम पंचायत द्वारा सफाई किट पर रू0 19900 व्यय किया जाना दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 16

प्रस्तर 105— लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान संबंधित कोई विवरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई वर्ष 2016-17 में मानदेय भुगतान रू0 30000 किया जाना दर्शित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 17

प्रस्तर 106— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रशासनिक मद में रू0 30521 फर्नीचर हेतु भुगतान माहेश्वरी फर्नीचर को किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 18

प्रस्तर 107—रू0 11410 के प्रमाणक/अभिलेख अप्राप्त रहे। इस प्रकार रू0 11410.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पन्ना लाल व सचिव श्री अवधेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 108— वर्ष 2017-18 में कार्य आई0डी0 3146071 के अंतर्गत रू0 39500 व हैंडपम्प रिबोर कार्य पर रू0 201050 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त इंगित कारणों से किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 109— वर्ष 2017-18 में कार्य आई0डी0 3146073 के अंतर्गत रू0 95870 पुलिया निर्माण, कार्य आई0डी0 3146079 के अंतर्गत रू0 207280 व कार्य आई0डी0 3146080 के अंतर्गत रू0 193367 इंटर लॉकिंग कार्य पर व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। सभी इंटर लॉकिंग कार्यों/निर्माण कार्यों के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 110— वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य आई0डी0 5661835 के अंतर्गत शौचालय निर्माण कार्य पर रू0 49142, कार्य आई0डी0 5661834 आंगनवाड़ी शौचालय मरम्मत कार्य पर रू0 19936 व कार्य आई0डी0 5661833 के अंतर्गत रू0 19406 व कार्य आई0डी0 5661831 के अंतर्गत रू0 46286 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः समस्त धनराशि पर अधिभार प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 15

प्रस्तर 111— लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान संबंधित कोई विवरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 2017-18 में मानदेय भुगतान रू0 36500 किया गया दर्शित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 17

प्रस्तर 112—रू0 11830.00 के प्रमाणक/अभिलेख अप्राप्त रहे। इस प्रकार रू0 11830.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पन्ना लाल व सचिव श्री अवधेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

16— ग्राम पंचायत— सलेमपुर लाला, विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 113— ग्राम पंचायत ने वर्ष 2016-17 में हैंडपम्प रिपेयर पर रू0 18300 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 114— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में सी0सी0 रोड कार्य में कार्य आई0डी0 1452863 के अंतर्गत रू0 212922, कार्य आई0डी0 1452865 कुल व्यय रू0 424087 व्यय करना दर्शाया गया है। सभी

इंटर लॉकिंग कार्यों/निर्माण कार्यों/मिट्टी कार्य के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या- 14**

प्रस्तर 115- वर्ष 2016-17 में उक्त ग्राम पंचायत द्वारा सफाई किट पर ₹0 10942 व्यय किया जाना दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या- 16**

प्रस्तर 116- लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान संबंधित कोई विवरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 2016-17 में मानदेय भुगतान ₹0 41500 रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या- 17**

प्रस्तर 117- ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रशासनिक मद में ₹0 23136 किया जाना दर्शित है जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या- 18**

प्रस्तर 118- वर्ष 2017-18 में कार्य आईडी0 3146085 के अंतर्गत ₹0 48201 हैंडपम्प रिपेयर, कार्य आईडी0 5971033 के अंतर्गत ₹0 88430 व कार्य आईडी0 5971031 के अंतर्गत ₹0 61360 हैंडपम्प रिबोर कार्य पर, कुल व्यय ₹0 197991 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या- 13**

प्रस्तर 119- वर्ष 2017-18 में कार्य आईडी0 3146089 के अंतर्गत ₹0 282650 व कार्य आईडी0 5729552 के अंतर्गत ₹0 117260 स्कूल की बोंडरी निर्माण कार्य व कार्य आईडी0 5729553 के अंतर्गत ₹0 28000 स्कूल में मिट्टी वर्क हेतु, कुल व्यय ₹0 427910 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। सभी इंटर लॉकिंग कार्यों/निर्माण कार्यों/मिट्टी कार्य के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या- 14**

प्रस्तर 120- वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य आईडी0 5729551 के अंतर्गत आंगनवाड़ी शौचालय निर्माण कार्य पर ₹0 93575 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या- 15**

प्रस्तर 121- वर्ष 2017-18 में ₹0 18365 व्यय किया जाना दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या- 16**

प्रस्तर 122- लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान संबंधित कोई विवरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 2017-18 में ₹0 56000 किया गया दर्शित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या- 17**

प्रस्तर 123- वर्ष 2017-18 में ₹0 14100 भुगतान किया जाना दर्शित है जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या- 18**

प्रस्तर 124- ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में सोलर लाइट पर व्यय किया जाना दर्शित है। सोलर लाइट की खरीद में पंचायत द्वारा दो लाख से अधिक का व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर अंकित है। जिसके लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली गई है या नहीं इसकी पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न हो सकी। वर्ष में सोलर लाइट ₹0 236500 व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-19**

17- ग्राम पंचायत- ततारपुर माफी, विकास खण्ड- कासगंज जिला- कासगंज।

प्रस्तर 125- उक्त ग्राम पंचायत न वर्ष 2016-17 में पेयजल पर ₹0 19700 हैंडपम्प रिपेयर कार्य पर व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। मरम्मत उपरांत निकाले गए सामान का निस्तारण कैसे किया गया डैड स्टॉक/स्टॉक रजिस्टर में इसकी कोई पृविष्टि नहीं की गयी है जोकि की जानी अपेक्षित है। पुष्टि हेतु कोई

वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त ग्राम में कौन-कौन से हैंडपम्प खराब थे उसकी सूचना से संबंधित व रिपेयर के लिए ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त इंगित कारणों से, किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 13

प्रस्तर 126- ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में इंटर लॉकिंग कार्य में कार्य आई0डी0 1639575 के अंतर्गत रु0 424210 व्यय करना दर्शाया गया है। इंटर लॉकिंग कार्य/निर्माण कार्य के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 14

प्रस्तर 127- वर्ष 2016-17 में उक्त ग्राम पंचायत द्वारा सफाई किट पर रु0 10942 व्यय किया जाना दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 16

प्रस्तर 128- लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान संबंधित कोई विवरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 2016-17 में मानदेय भुगतान रु0 19000 किया जाना दर्शित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 17

प्रस्तर 129- 18 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 216-17 में प्रशासनिक मद में रु0 18834 भुगतान किया जाना दर्शित है जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 18

प्रस्तर 130- रु0 32417.00 के प्रमाणक/अभिलेख अप्राप्त रहे। इस प्रकार रु0 32417.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मिथिलेश व सचिव श्री अवधेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 131- उक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2017-18 कार्य आई0डी0 3490717 के अंतर्गत रु0 41200 हैंडपम्प रिपेयर कार्य पर व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। मरम्मत उपरांत निकाले गये सामान का निस्तारण कैसे किया गया डैड स्टॉक/स्टॉक रजिस्टर में इसकी कोई पृविष्टि नहीं की गयी है जोकि की जानी अपेक्षित है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त ग्राम पंचायत में कौन-कौन से हैंडपम्प खराब थे उसकी सूचना से संबंधित व रिपेयर के लिए ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त इंगित कारणों से, किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आप0सं0- 13

प्रस्तर 132- वर्ष 2017-18 में कार्य आई0डी0 349073 के अंतर्गत रु0 233280 निर्माण, कार्य आई0डी0 3490723 के अंतर्गत रु0 206015 व कार्य आई0डी0 3490740 के अंतर्गत रु0 389700 व कार्य आई0डी0 3490742 के अंतर्गत रु0 407844 इंटर लॉकिंग कार्य पर व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। सभी इंटर लॉकिंग कार्य/निर्माण कार्य के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किये गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 14

प्रस्तर 133- वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य आई0डी0 6170824 के अंतर्गत आंगनबाड़ी शौचालय निर्माण कार्य पर रु0 102687 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः समस्त धनराशि पर अधिभार प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 15

प्रस्तर 134- लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान संबंधित कोई विवरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 2017-18 में मानदेय भुगतान रु0 61000 किया गया दर्शित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 17

प्रस्तर 135- ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में सोलर लाइट पर व्यय किया गया दर्शित है। सोलर लाइट की खरीद में पंचायत द्वारा दो लाख से अधिक का व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर अंकित है जिसके लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली गयी है या नहीं इसकी पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न हो सकी। वर्ष में सोलर लाइट रु0 420000 व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 19

प्रस्तर 136—रु0 77084.00 के प्रमाणक/अभिलेख अप्राप्त रहे। इस प्रकार रु0 77084.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मिथिलेश व सचिव श्री अवधेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

18— ग्राम पंचायत— सतपुरा माफी, विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 137— उक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2016—17 में हैंडपम्प मरम्मत पर कार्य आई0डी0 1523583 के अंतर्गत रु0 46000 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। मरम्मत उपरांत निकाले गए सामान का निस्तारण कैसे किया गया डैडस्टॉक/स्टॉक रजिस्टर में इसकी कोई पृविष्टि नहीं की गयी है जोकि की जानी अपेक्षित है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 138— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016—17 में इंटर लॉकिंग कार्य विभिन्न कार्य आई0डी0 के अंतर्गत रु0 434385 व्यय करना दर्शाया गया है। सभी इंटर लॉकिंग कार्य/निर्माण कार्य के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 15

प्रस्तर 139— लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान संबंधित कोई विवरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 2016—17 में मानदेय भुगतान रु0 41500 किया गया दर्शित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 17

प्रस्तर 140— वर्ष 2016—17 में उक्त ग्राम पंचायत द्वारा सफाई किट पर रु0 10942 व्यय किया जाना दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 18

प्रस्तर 141— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016—17 में प्रशासनिक मद में रु0 28603 व्यय किया जाना दर्शित है जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 19

प्रस्तर 142— वर्ष 2017—18 कार्य आई0डी0 3490633 के अंतर्गत रु0 44700 व हैंडपम्प रिपेयर कार्य पर व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त इंगित कारणों से, किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 143— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017—18 में सोलर लाइट पर व्यय किया गया दर्शित है। सोलर लाइट की खरीद में पंचायत द्वारा दो लाख से अधिक का व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर अंकित है जिसके लिए सक्षम अधिकारियों से स्वीकृति ली गई है। या नहीं इसकी पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न हो सकी। वर्ष में सोलर लाइट रु0 236500 व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—14

प्रस्तर 144— वर्ष 2017—18 में निर्माण कार्य के अंतर्गत रु0 913450 इंटर लॉकिंग कार्य पर व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। सभी इंटर लॉकिंग कार्य/निर्माण कार्य के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 15

प्रस्तर 145— वर्ष 2017—18 में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य आई0डी0 5510149 के अंतर्गत शौचालय मरम्मत कार्य पर रु0 189557 कार्य आई0डी0 5510148 आंगनबाड़ी शौचालय मरम्मत कार्य पर रु0 47252, कुल व्यय रु0 236809 किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः समस्त धनराशि पर अधिभार प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आप0सं0— 16

प्रस्तर 146— लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान संबंधित कोई विवरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 2017—18 में मानदेय भुगतान रु0 31500 किया गया दर्शित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 17

प्रस्तर 147— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में प्रशासनिक मद में रु0 25270 व्यय किया जाना दर्शित है जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या— 19

प्रस्तर 148—रु0 19236.00 के प्रमाणक/अभिलेख अप्राप्त रहे। इस प्रकार रु0 19236.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यवती व सचिव श्री संदीप कुमार से की जानी अपेक्षित है।

19— ग्राम पंचायत— पवसरा विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 149— उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में हैंडपम्प रिपेयर पर रु0 19800 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 150— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में विभिन्न कार्य आई0डी0 के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर रु0 960814 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। सभी इंटर लॉकिंग कार्यों/निर्माण कार्यों/मिट्टी कार्य के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए। कुल निर्माण कार्यों पर दो लाख से अधिक व्यय किया गया है। जिसके लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की गयी है अथवा नहीं इसकी जानकारी अभिलेखों के अभाव में न हो सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 151— लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान संबंधित कोई विवरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 2016-17 में मानदेय भुगतान रु0 25000 किया गया दर्शित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या— 17

प्रस्तर 152— रु0 50645.00 के प्रमाणक/अभिलेख अप्राप्त रहे। इस प्रकार रु0 50645.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रुमा देवी व सचिव श्री सचिन पाल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 153— वर्ष 2017-18 में कार्य आई0डी0 3785715 के अंतर्गत रु0 136000 हैंडपम्प रिबोर, कार्य आई0डी0 3785707 के अंतर्गत रु0 49500, कार्य आई0डी0 3785714 के अंतर्गत रु0 92000 नवीन हैंडपम्प पर, कुल व्यय रु0 277500 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 154— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में विभिन्न कार्य आई0डी0 के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर रु0 1659463 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। सभी इंटर लॉकिंग कार्यों/निर्माण कार्यों/मिट्टी कार्य के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 155— वर्ष 2017-18 में उक्त ग्राम पंचायत द्वारा लोहे के जाल पर रु0 79638 व्यय किया जाना दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या— 15

प्रस्तर 156—ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में सोलर लाइट पर व्यय किया गया दर्शित है। सोलर लाइट की खरीद में पंचायत द्वारा दो लाख से अधिक का व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर अंकित है जिसके लिए सक्षम अधिकारियों से स्वीकृति ली गई है। या नहीं इसकी पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न हो सकी। वर्ष में सोलर लाइट रु0 434025 व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या—16

प्रस्तर 157— रु0 1600.00 के प्रमाणक/अभिलेख अप्राप्त रहे। इस प्रकार रु0 1600.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रुमा देवी व सचिव श्री कुमार पाल से की जानी अपेक्षित है।

20— ग्राम पंचायत— नदरई विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 158— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में सोलर लाइट पर व्यय किया गया है। वर्ष में सोलर लाइट पर कार्य आई0डी0 3205856 के अंतर्गत रु0 382500 व कार्य आई0डी0 3205855 के अंतर्गत रु0 301000 व्यय किया गया। पंचायत ने उ0प्र0 सरकार के उपक्रम नेडा से सोलर लाइट क्रेय न करके निजी/प्राइवेट दुकान से क्रय किया है। स्थान चयन, लक्ष्य, चयन प्रक्रिया, किस आधार पर चयन हुआ

इसकी कोई जानकारी अभिलेखों से नहीं मिलती। सोलर लाइट पर किए गए व्यय की पुष्टि में केवल निजी/प्राइवेट फर्म का बिल प्रस्तुत किया गया है। गारंटी/वारंटी कार्ड, सेवा व मरम्मत से संबंधित शर्तें आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहीं। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत केवल बिल/सेल्स इन्वाइस से की गई खरीद से संतोषजनक पुष्टि नहीं की जा सकी। क्योंकि लाइट खरीद पर इतना व्यय किया गया है। इसलिए आपसे अपेक्षित है कि खरीद से संबंधित अन्य संलग्नक भी आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करें।
ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आ0 संख्या- 13**

21- ग्राम पंचायत- अथैया विकास खण्ड- कासगंज जिला- कासगंज।

प्रस्तर 159- ग्राम पंचायत न आलोच्य वर्ष में इंटर लॉकिंग व रखरखाव कार्य पर, कार्य आई0डी0 1464690 के अंतर्गत रु0 314813 व्यय किया गया। इस कार्य हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की गयी और न ही सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की गई कार्य पूर्ति पत्र लेखा परीक्षा में अपूर्ण पाये गये अतः किये गए व्यय की पुष्टि नहीं होती। कार्य का भौतिक सत्यापन सक्षम अधिकारी से कराया गया है या नहीं इसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 13

प्रस्तर 160- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में सोलर लाइट पर व्यय किया गया है सोलर लाइट की खरीद में पंचायत द्वारा दो लाख से अधिक का व्यय किया गया जिसके लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गयी। वर्ष में सोलर लाइट रु0 21500 की दर से रु0 215000 व्यय किया गया। इस ओर सक्षम अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है। पंचायत ने उ0प्र0 सरकार के उपक्रम नेडा से सोलर लाइट क्रय न करके निजी/प्राइवेट दुकान से क्रय किया है। स्थान चयन, लक्ष्य, चयन प्रक्रिया, किस आधार पर चयन हुआ इसकी कोई जानकारी अभिलेखों से नहीं मिलती। सोलर लाइट पर किए गए व्यय की पुष्टि में केवल निजी/प्राइवेट फर्म का बिल प्रस्तुत किया गया है। गारंटी/वारंटी कार्ड, सेवा व मरम्मत से संबंधित शर्तें आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहीं। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत केवल बिल/सेल्स इन्वाइस से की गई खरीद से संतोषजनक पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 15

22- ग्राम पंचायत- मनौता विकास खण्ड- कासगंज जिला- कासगंज।

प्रस्तर 161- ग्राम पंचायत ने वर्ष 2016-17 में हैंडपम्प मरम्मत पर रु0 34500 व्यय किया जाना दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। पुष्टि हेतु कई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इंगित कारणों से, किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 13

प्रस्तर 162- ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में इंटरलॉकिंग कार्य में कार्य आई0डी0 1500094 के अंतर्गत कुल व्यय रु0 408153 करना दर्शाया गया है। निर्माण कार्य को करने से पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 15

प्रस्तर 163- ग्राम पंचायत ने आलोच्य वर्ष में व गत वर्ष में रिबोर कार्य पर कार्य आई0डी0 4161255 के अंतर्गत रु0 60000 व्यय किया गया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिबोर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। रिबोर उपरांत निकाले गए सामान का निस्तारण कैसे किया गया, डैड स्टॉक/स्टॉक रजिस्टर में इसकी कोई पृविष्टि नहीं की गयी है। जोकि की जानी अपेक्षित है। प्रायः देखा गया है कि रिबोर कार्य से संबंधित सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। और वाउचर से यह पुष्टि नहीं होती की सामग्री और मजदूरी पर पृथक कितना व्यय हुआ। रिबोर कार्य से पूर्व कार्य के दौरान व कार्य के उपरांत कार्य स्थल के फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं थे अतः कृत कार्य की संतोषजनक पुष्टि न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 13

23- ग्राम पंचायत- बढ़ारी वैश्य, विकास खण्ड- कासगंज जिला- कासगंज।

प्रस्तर 164- ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में कार्य आई0डी0 1281575 के अंतर्गत पंचायत घर मरम्मत निर्माण पर रु0 212775 व्यय किया गया। निर्माण कार्य से पूर्व दौरान व निर्माण उपरांत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। अतः इस निर्माण कार्य की संतोषजनक पुष्टि नहीं की जा सकी। इस मरम्मत कार्य का भौतिक सत्यापन सक्षम अधिकारी से कराये जाने की पुष्टि लेखा परीक्षा के दौरान नहीं होती। ग्राम पंचायत द्वारा कार्य आई0डी0 1281576 के अंतर्गत इंटर लॉकिंग कार्य कराया गया है जिस पर रु0 148332 व्यय किया गया। उक्त की पुष्टि में फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किए गए। निर्माण कार्यों की

भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहीं। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एक अति महत्वपूर्ण अभिलेख है जो प्रायः सभी निर्माण कार्यों के साथ संलग्न होनी चाहिए। लेखा परीक्षक इस रिपोर्ट के अभाव में यह मानते हैं कि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा मौके पर स्वयं जाकर निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं की गयी है। निर्माण स्थल से संबंधित फोटोग्राफ को भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए कि फोटोग्राफ उसी ग्राम व चयनित स्थल के हैं ऐसा अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14 व 15

प्रस्तर 165— ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में सोलर लाइट पर व्यय किया गया है सोलर लाइट की खरीद में पंचायत द्वारा दो लाख से अधिक का व्यय किया गया जिसके लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गयी। वर्ष में सोलर लाइट रु० 21500 की दर से रु० 344000 व्यय किया गया। इस ओर सक्षम अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है। पंचायत ने उ०प्र० सरकार के उपक्रम नेडा से सोलर लाइट के न करके निजी/प्राइवेट दुकान से क्रय किया है। स्थान चयन, लक्ष्य, चयन प्रक्रिया, किस आधार पर चयन हुआ इसकी कोई जानकारी अभिलेखों से नहीं मिलती। सोलर लाइट पर किए गए व्यय की पुष्टि में केवल निजी/प्राइवेट फर्म का बिल प्रस्तुत किया गया है। गारंटी/वारंटी कार्ड, सेवा व मरम्मत से संबंधित शर्तें आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहीं। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत केवल बिल/सेल्स इन्वाइस से की गई खरीद से संतोषजनक पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आ० संख्या— 17

24— ग्राम पंचायत— पथेरकी विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 166— ग्राम पंचायत ने वर्ष 2016—17 में इंटर लॉकिंग कार्य में कार्य आई०डी० 1307685 के अंतर्गत रु० 227514, कार्य आई०डी० 1307681 के अंतर्गत रु० 454477, कार्य आई०डी० 1307682 के अंतर्गत रु० 235555, कुल व्यय रु० 892454 व्यय किया जाना दर्शित है। इन निर्माण कार्यों के लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 167— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017—18 में कार्य आई०डी० 3361891 के अंतर्गत रु० 211270 व्यय किया गया व कार्य आई०डी० 3361909 के अंतर्गत रु० 227514 व्यय किया जाना दर्शित है। इन निर्माण कार्यों के लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 15

25— ग्राम पंचायत— नसरतपुर विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 168— पंचायत ने आलोच्य वर्ष में हैंडपम्प रिपेयर कार्य पर कार्य आई०डी० 1264943 के अंतर्गत रु० 19700 व्यय किया गया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। रिपेयर उपरांत निकाले गए सामान का निस्तारण कैसे किया गया, डैड स्टॉक/स्टॉक रजिस्टर में इसकी कोई पृविष्टि नहीं की गयी है। जोकि की जानी अपेक्षित है। प्रायः देखा गया कि रिपेयर कार्य से संबंधित सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है और वाउचर से यह पुष्टि नहीं होती कि सामग्री और मजदूरी पर पृथक पृथक कितना व्यय हुआ। रिपेयर कार्य से पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य के उपरांत कार्य स्थल के फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं थे अतः कृत कार्य की संतोषजनक पुष्टि न की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 169— ग्राम पंचायत ने आलोच्य वर्ष में इंटर लॉकिंग व रखरखाव कार्य पर निम्न कार्य आई०डी० के अंतर्गत रु० 292829 व्यय किए गए। इन कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की गयी और न ही सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की गई। कार्य पूर्ति पत्र लेखा परीक्षा में अपूर्ण पाये गये अतः कार्य का भौतिक सत्यापन सक्षम अधिकारी से कराया गया है या नहीं इसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं होती। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 170— ग्राम पंचायत द्वारा सोलर लाइट पर व्यय किया गया है। वर्ष 2017—18 सोलर लाइट खरीद पर 322500 व्यय किया गया। पंचायत ने उ०प्र० सरकार के उपक्रम नेडा से सोलर लाइट के न करके निजी/प्राइवेट दुकान से क्रय किया है। स्थान चयन, लक्ष्य, चयन प्रक्रिया, किस आधार पर चयन हुआ इसकी कोई जानकारी अभिलेखों से नहीं मिलती। सोलर लाइट पर किए गए व्यय की पुष्टि में केवल निजी/प्राइवेट फर्म का बिल प्रस्तुत किया गया है। गारंटी/वारंटी कार्ड, सेवा व मरम्मत से संबंधित शर्तें आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहीं। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत केवल बिल/सेल्स इन्वाइस से की गई

लेखा परीक्षा कइस रिपोर्ट के अभाव में यह मानते हैं कि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा मौके पर स्वयं जाकर निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं की गयी है। निर्माण स्थल से संबंधित फोटोग्राफ को भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए की फोटोग्राफ उसी ग्राम व चयनित स्थल की है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 177— ग्राम पंचायत ने वर्ष 2017-18 में हैंडपम्प मरम्मत रु0 36340 व्यय किया गया है। वर्ष 2017-18 में हैंडपम्प रिबोर पर रु0 98960 व्यय किया गया है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिबोर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। मरम्मत उपरांत निकाले गए सामान का निस्तारण कैसे किया गया, डैड स्टॉक/स्टॉक रजिस्टर में इसकी कोई पृविष्टि नहीं की गयी है जोकि की जानी अपेक्षित है। प्रायः देखा गया की हैंडपम्प मरम्मत से संबंधित सामग्री पर व्यय दर्शाया गया। वाउचर से पुष्टि नहीं होती है। सामग्री और मजदूरी पर पृथक पृथक कितना व्यय हुआ। हैंडपम्प मरम्मत पर पंचायत द्वारा व्यय दर्शित है। उक्त ग्राम में कौन कौन से हैंड पम्प खराब थे उसकी सूचना से संबंधित व रिपेयर के लिए ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त इंगित कारणों से किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। इस ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0— 13

प्रस्तर 178— वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य आई0डी0 5747447 के अंतर्गत आंगनवाड़ी शौचालय निर्माण कार्य पर रु0 63989 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है जिसकी पुष्टि में कोई फोटो ग्राफ प्रस्तुत नहीं किए गए। निर्माण कार्यों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहीं। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एक अतिमहत्वपूर्ण अभिलेख है जो प्राय सभी निर्माण कार्यों के साथ संलग्न होनी चाहिए। लेखा परीक्षा कइस रिपोर्ट के अभाव में यह मानते हैं कि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा मौके पर स्वयं जाकर निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं की गई है। निर्माण स्थल से संबंधित फोटोग्राफ को भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए की फोटोग्राफ उसी ग्राम व चयनित स्थल के है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 15

प्रस्तर 179— लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान संबंधित कोई विवरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 2017-18 में मानदेय भुगतान रु0 42000 किया गया दर्शित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 16

27— ग्राम पंचायत— कुरामई विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 180— ग्राम पंचायत ने वर्ष 2016-17 में हैंडपम्प मरम्मत पर रु0 30200 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। मरम्मत उपरांत निकाले गये सामान का निस्तारण कैसे किया गया, डैडस्टॉक/स्टॉक रजिस्टर में इसकी कोई पृविष्टि नहीं की गयी है जोकि की जानी अपेक्षित है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त ग्राम में कौन-कौन से हैंडपम्प खराब थे उसकी सूचना से संबंधित व रिपेयर के लिए ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त इंगित कारणों से किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 181— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में इंटर लॉकिंग कार्य में कार्य आई0डी0 1469652 के अंतर्गत रु0 445771, कार्य आई0डी0 1469653 के अंतर्गत रु0 334016, कार्य आई0डी0 1469656 के अंतर्गत रु0 254560, कार्य आई0डी0 1469658 के अंतर्गत रु0 476884, कार्य आई0डी0 1469654 के अंतर्गत रु0 259168, कार्य आई0डी0 1469657 के अंतर्गत रु0 390193, कुल व्यय रु0 6646960 व्यय करना दर्शाया गया है। सभी इंटर लॉकिंग कार्यों/निर्माण कार्यों के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आप0सं0— 14

प्रस्तर 182— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रशासनिक मद में रु0 53391 भुगतान किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 16

प्रस्तर 183— रु0 24034 के प्रमाणक/अभिलेख अप्राप्त रहे। इस प्रकार रु0 24034.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार व सचिव श्री कुमार पाल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 184— वर्ष 2017-18 में हैंडपम्प रिबोर पर रू0 19600 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। मरम्मत उपरांत निकाले गए सामान का निस्तारण कैसे किया गया। डैडस्टॉक/स्टाक रजिस्टर में इसकी कोई पृविष्टि नहीं की गयी है। जोकि की जानी अपेक्षित है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त ग्राम में कौन-कौन से हैंडपम्प खराब थे उसकी सूचना से संबंधित व रिपेयर के लिए ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त इंगित कारणों से किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। इस और आवश्यक कार्यवही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किय जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 185— वर्ष 2017-18 में कार्य आई0डी0 4358776 के अंतर्गत रू0 152130, कार्य आई0डी0 4358777 के अंतर्गत रू0 78642 व कार्य आई0डी0 4358782 के अंतर्गत रू0 304182 इंटर लॉकिंग कार्य करना दर्शाया है। कार्य आई0डी0 4358770 के अंतर्गत रू0 62752 व कार्य आई0डी0 4358772 के अंतर्गत रू0 103906 नाली रिपेयर कार्य पर व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। सभी इंटर लॉकिंग कार्यों। निर्माण कार्यों के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 186— लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान संबंधित कोई विवरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 2017-18 में मानदेय भुगतान रू0 21000 किया गया दर्शित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 15

प्रस्तर 187— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में प्रशासनिक मद में रू0 10792 भुगतान किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 16

प्रस्तर 188— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में सोलर लाइट पर कुल व्यय रू0 580500 व्यय किया जाना दर्शित है। सोलर लाइट की खरीद में पंचायत द्वारा दो लाख से अधिक का व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर अंकित है जिसके लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली गयी है या नहीं इसकी पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न हो सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 17

प्रस्तर 189— रू0 193500.00 के प्रमाणक/अभिलेख अप्राप्त रहे। इस प्रकार रू0 193500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार व सचिव श्री कुमार पाल से की जानी अपेक्षित है।

28— ग्राम पंचायत— मुबारिकपुर माफी विकास खण्ड— कासगंज जिला— कासगंज।

प्रस्तर 190— ग्राम पंचायत ने वर्ष 2016-17 में रू0 19970 हैंडपम्प रिपेयर कार्य पर व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जल निगम के स्थान पर अन्य प्राइवेट दुकान से रिपेयर कराया गया जो नियम विरुद्ध है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इंगित कारणों से किए गए व्यय की संतोषजनक पुष्टि नहीं होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 191— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में इंटर लॉकिंग कार्य में कार्य आई0डी0 1386025 के अंतर्गत रू0 206971 नाली निर्माण के अंतर्गत रू0 216540 व इंटर लॉकिंग कार्य के लिए रू0 331485 व्यय करना दर्शाया गया है। सभी इंटर लॉकिंग कार्यों/निर्माण कार्यों के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 192— वर्ष 2016-17 में उक्त ग्राम पंचायत द्वारा सफाई किट पर रू0 5000 व्यय किया जाना दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 16

प्रस्तर 193— लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान संबंधित कोई विवरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 2016-17 में मानदेय भुगतान रू0 36500 किया गया दर्शित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 17

प्रस्तर 194— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में कलवर्ट वर्क मद में रु0 112340 भुगतान किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या— 18

प्रस्तर 195— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रशासनिक मद में रु0 43600 भुगतान किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या— 20

प्रस्तर 196— रु0 1000.00 के प्रमाणक/अभिलेख अप्राप्त रहे। इस प्रकार रु0 1000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नजरीन बेगम व सचिव श्री दलवीर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 197— वर्ष 2017-18 में कार्य आई0डी0 4813156 के अंतर्गत रु0 40000 हैंडपम्प रिपेयर कार्य पर व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। पुष्टि हेतु कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर 198— वर्ष 2017-18 में कार्य आई0डी0 4813162 के अंतर्गत रु0 139785, कार्य आई0डी0 4813176 के अंतर्गत रु0 209100 व कार्य आई0डी0 4813175 के अंतर्गत रु0 247188 इंटर लॉकिंग कार्य पर व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। सभी इंटर लॉकिंग कार्य/निर्माण कार्य के सापेक्ष कोई अभिलेख/वाउचर पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर 199— वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य आई0डी0 5729563 के अंतर्गत आंगनवाड़ी शौचालय निर्माण कार्य पर रु0 63766 व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट पर दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः समस्त धनराशि पर अधिभार प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या— 15

प्रस्तर 200— लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान संबंधित कोई विवरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 2017-18 में मानदेय भुगतान रु0 38500 किया गया दर्शित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या— 17

प्रस्तर 201— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में प्रशासनिक मद में रु0 43600 भुगतान किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या— 20

29— ग्राम पंचायत— बरौली उर्फ बड़ागाँव विकास खण्ड— सोरो जिला— कासगंज।

प्रस्तर 202— वर्ष 2014-15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये गये। मात्र स्टेटमेन्ट उपलब्ध कराया गया। जिसमें वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शेष 218619 था। जिसमें वर्ष के दौरान रु0 544127 की आय एवं रु0 739124 का व्यय किया गया। इस प्रकार रु0 19584 शेष रहा। जिसमें अभिलेखों के अभाव में रु0 739124 का व्यय की पुष्टि न होने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 739124 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती रामवती भू0पू0 प्रधान एवं श्री राजकुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या— 13

30— ग्राम पंचायत— चकरी विकास खण्ड— सोरों जिला— कासगंज।

प्रस्तर 203— वर्ष 2014-15 में लेखा परीक्षा हेतु बैंक स्टेटमेन्ट उपलब्ध कराया केशबुक, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्रारम्भिक शेष रु0 226373 था जिसमें रु0 590675 की आय प्राप्त हुई। रु0 816967 व्यय किया गया। अन्तिम शेष 81 रहा। इस प्रकार व्यय रु0 816967 के अभिलेखों के अभाव में पुष्टि न की जा सकी। बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 816967 की ब्याज सहित वसूली श्री भोजराज भू0पू0 प्रधान एवं श्री राजकुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या— 13

31— ग्राम पंचायत— गौसपुर भूपालगढ़, विकास खण्ड— सोरों जिला— कासगंज।

प्रस्तर 204— वर्ष 2014-15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये गये। मात्र स्टेटमेन्ट उपलब्ध कराया गया। जिसमें वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शेष 418932 था। जिसमें वर्ष के दौरान रु0 654652 की

आय एवं रु0 1066907 का व्यय किया गया। इस प्रकार 31.03.2015 को रु0 6677 अंतिम शेष रहा। इस प्रकार 1066907 का किया गया व्यय की पुष्टि नहीं हुई। कैशबुक, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 1066907 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती आशा भू0पू0 प्रधान एवं श्री राजकुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 13

32- ग्राम पंचायत- कुड़ा विकास खण्ड- सोरों जिला- कासगंज।

प्रस्तर 205- वर्ष 2014-15 के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये मात्र बैंक स्टेटमेन्ट उपलब्ध कराया गया। 31.03.2014 का प्रारम्भिक शेष 1277761 रु0 था जिसमें 1243217 आय हुई थी। 2501394 रु0 व्यय किया गया। इस प्रकार अन्तिम शेष 19584 रहा। इस प्रकार 2501394 व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः कैशबुक, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 2501394 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती गुड्डो देवी भू0पू0 प्रधान एवं श्री राजकुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 13

33- ग्राम पंचायत-ढोंकेली विकास खण्ड- सोरों जिला- कासगंज।

प्रस्तर 206- वर्ष 2014-15 में अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। वर्ष 31.03.2014 का मिलान 241913 था। जिसमें 670434 की आय हुई थी। 868141 व्यय किया गया अंतिम बैलेंस 424206 रहा किवल स्टेटमेन्ट बैंक का उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार 868141 का व्यय की कैशबुक वाउचर कार्य पूर्ति एम0बी0 से पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार 868141 की गंभीर अनियमित है। मात्र बैंक स्टेटमेन्टके अतिरिक्त अन्य अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए रु0 868141 की ब्याज सहित वसूली श्री सूरज पाल देवी भू0पू0 प्रधान एवं श्री राजकुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 13

34- ग्राम पंचायत- गैदपुरा गोवर्द्धनपुर, विकास खण्ड- अमापुर जिला- कासगंज।

प्रस्तर 207- वर्ष 2017-18 में ग्राम प्रधान का मानदेय दिनांक 20.6.2017 को रुपये 10500 (अप्रैल 2017 से जून 2017) कैशबुक में दिया जाना पृविष्टि किया गया है। जबकि मानदेय की इतनी ही धनराशि पुनः 31.08.2017 में प्रधान को मानदेय के रूप में दी गयी। दिनांक 20.06.2017 को रुपये 1050 का मानदेय का भुगतान बिना चैक के नकद रूप में दिया गया तथा 31.08.2017 को दिया गया मानदेय चैक संख्या 021933 के द्वारा दिया गया। अतः 20.06.2017 को प्रधान को नगद रूप में दिये गये मानदेय की धनराशि 10500 की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से अपेक्षित है। प्रकरण जिला पंचायत राज अधिकारी के संज्ञान में लाया गया है।

आपत्ति संख्या- 22

35- ग्राम पंचायत- सैलई विकास खण्ड- अमापुर जिला- कासगंज।

प्रस्तर 208- वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक के अभिलेख तथा 01 अप्रैल 2017 से 31 जुलाई 2017 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त वर्षों के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन सचिव ने बताया कि उक्त अवधि में ग्राम पंचायत पर तैनात रहे सचिवों ने कोई भी अभिलेख उन्हें चार्ज में नहीं दिये। उक्त अवधि में ग्राम निधि खाते से सचिव व प्रधान के आहरित धनराशि का विवरण इस प्रकार है।

वर्ष	आहरित धनराशि
2015-16	384580.00
2016-17	1620860.00
1 अप्रैल 2017 से 31 जुलाई 2017 तक	57086.00
कुल आहरित धनराशि	2062526.00

कुल आहरित धनराशि 2062526.00 को गबन मानते हुए वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 (क) के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव के विरुद्ध धनराशि ब्याज सहित वसूली हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 22

36— ग्राम पंचायत— फिरोजपुर सानी, विकास खण्ड— अमापुर जिला— कासगंज।

प्रस्तर 209— वित्तीय वर्ष 2017-18 में 01 अप्रैल 2017 से 31 जुलाई 2017 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त समय के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन सचिव ने बताया कि उक्त अवधि में ग्राम पंचायत पर तैनात रहे सचिवों ने कोई भी अभिलेख उन्हें चार्ज में नहीं दिये। उक्त अवधि में प्रधान व सचिव द्वारा रु0 697620 का आहरण ग्राम निधि खाते से किया गया।

उक्त धनराशि 697620.00 को गबन मानते हुए वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव के विरुद्ध धनराशि ब्याज सहित वसूली हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— 22**

37— ग्राम पंचायत— थराचीथरा विकास खण्ड— अमापुर जिला— कासगंज।

प्रस्तर 210— वित्तीय वर्ष 2017-18 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त वर्ष के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में इंगित किये जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया कि 31 मार्च 2018 से पूर्व में ग्राम पंचायत पर तैनात रहे ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उन्हे अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये। वर्ष 2017-18 में सचिव व प्रधान के द्वारा ग्राम निधि खाते से रु0 910196 का आहरण किया गया जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट से की गयी।

उक्त धनराशि को गबन मानते हुए वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव के विरुद्ध धनराशि ब्याज सहित वसूली हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है। **आप0 संख्या— 22**

38— ग्राम पंचायत— खुशकरी विकास खण्ड— अमापुर जिला— कासगंज।

प्रस्तर 211— वित्तीय वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त वर्ष के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में इंगित किये गये ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया कि 31 मार्च 2016 से पूर्व में ग्राम पंचायत पर तैनात रहे सचिवों के द्वारा उन्हें कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये। वर्ष 2015-16 में प्रधान व सचिव के द्वारा ग्राम निधि के खाते से रु0 552775 का आहरण किया गया है।

उक्त वर्ष 2015-16 में आहरित धनराशि को गबन मानते हुए वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव के विरुद्ध धनराशि वसूली हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **आप0 संख्या— 22**

प्रारूप—4**वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष — 2017-18****जनपद—अम्बेडकरनगर****सम्भाग—अयोध्या****संस्था—ग्राम पंचायत****(1) ग्राम पंचायत —दिलावलपुर विकास क्षेत्र—भीटी जनपद—अम्बेडकरनगर**

प्रस्तर— (1) निम्न तिथियों में कोष वही में मजदूरों को विभिन्न कार्यों पर मजदूरी का भुगतान देना दर्शाया गया है, जबकि उक्त विधियों में दर्शायी गयी धनराशि प्रधान द्वारा अपने व्यक्तिगत खाते में हस्तान्तरित कर ली गयी है। और मजदूरों को भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल प्रस्तुत न कर धन का अपहरण कर लिया गया है।

क्र0स0	दिनांक	धनराशि	कोष बही अनुसार	पासबुक अनुसार
1	06.04.2017	71688.00	मस्टर रोल पर भुगतान	धन अन्य खाते में ट्रान्सफर
2	14.06.2017	4050.00	मस्टर रोल पर भुगतान	धन अन्य खाते में ट्रान्सफर
3	05.08.2017	13700.00	मस्टर रोल पर भुगतान	खाता सं0 10560/32958 में अंतरित
4	05.08.2017	5480.00	मस्टर रोल पर भुगतान	खाता सं0 10560/32958 में अंतरित
5	05.08.2017	7000.00	मस्टर रोल पर भुगतान	खाता सं0 10560/32958 में अंतरित
	योग	101918.00		

उपरोक्त विवरण अनुसार कोषबही में काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन कोषबही से आहरित कर व्यक्तिगत खाते में जमा कर धन को अपहरण का लिया गया है। अतः उक्त की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती नीलम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामजीत शास्त्री से अपेक्षित है।

प्रस्तर—(2) निम्न तिथियों में शवदाह गृह निर्माण एवं अन्त्येष्टि स्थल तक जाने हेतु खडंजा निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹0 2411640.00 प्राप्त था, जिसके सापेक्ष उक्त वर्ष में सम्बंधित कार्य पर ₹0. 1450453.00 दर्शाए गए विवरण के अनुसार व्यय किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹0. 1034030.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार ₹0 2411640.00 के सापेक्ष 31.03.2018 तक कुल ₹0. 2484483.00 का व्यय किया गया है। अतः कुल ₹0. 72843.00 अधिक व्यय किया गया है किन्तु अतिरिक्त व्यय हेतु सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त नहीं रहा और स्टीमेट एवं एम.बी. के अभाव में यह गणना नहीं की जा सकी कि किया गया व्यय स्वीकृत धनराशि से कम है या अधिक उक्त पर निम्न आपत्तियां हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त अनुदान की धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	31.08.2016	1808730.00	शवदाह गृह निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान
2		602910.00	शवदाह गृह निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान
	योग	2411640.00	
(वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय की गयी धनराशियों का विवरण)			
1	26.09.2016	29928	मस्टर रोल, शवदाह गृह निर्माण, मजदूरी भुगतान, संपर्क मार्ग पर मिट्टी पटाई
2	26.09.2016	49938	मस्टर रोल, शवदाह गृह निर्माण, मजदूरी भुगतान, संपर्क मार्ग पर मिट्टी पटाई
3	14.10.2016	34104	मस्टर रोल, शवदाह गृह हेतु संपर्क संपर्क मार्ग पर मिट्टी पटाई
4	27.10.2016	65772	मस्टर रोल, शवदाह गृह निर्माण, मजदूरी भुगतान
5	27.10.2016	21120	मस्टर रोल, शवदाह गृह निर्माण, राजगीर मजदूरी
6	05.11.2016	39846	मस्टर रोल, शवदाह गृह निर्माण, राजगीर मजदूरी
7	16.11.2016	20130	मस्टर रोल, शवदाह गृह निर्माण, राजगीर मजदूरी
8	30.11.2016	105564	ईट, शवदाह गृह निर्माण हेतु ईट क्रय
9	16.12.2016	93890	समग्री, नवनीत ट्रेडर्स
10	21.01.2017	290000	शवदाह स्थल हेतु निर्माण हेतु इंगल क्रय
11	16.02.2017	34580	शवदाह स्थल हेतु इंडिया मार्का हैण्डपम्प
12	16.02.2017	50500	शवदाह स्थल, शौचालय निर्माण हेतु सामग्री
13	09.03.2017	50154	शवदाह स्थल मजदूरी भुगतान
14	27.03.2017	56514	शवदाह स्थल मजदूरी भुगतान
15	28.03.2017	277065	शवदाह स्थल सामग्री क्रय
16	29.03.2017	57918	शवदाह स्थल मजदूरी
17	30.03.2017	103430	शवदाह स्थल सामग्री क्रय
18	30.03.2017	70000	शवदाह गृह हेतु लोहे की चादर क्रय
	योग	1450453.00	

वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्न विवरण अनुसार धनराशि का उपभोग किया गया

क्र० सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	31.05.2017	53000	शवदाह स्थल निर्माण हेतु लोहा टिन सेट आदि
2	10.06.2017	55019	शवदाह स्थल निर्माण हेतु सामग्री क्रय
3	03.06.2017	41500	शवदाह स्थल निर्माण हेतु सामग्री क्रय
4	05.08.2017	13700	शवदाह स्थल निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान
5	09.08.2017	72895	शवदाह स्थल निर्माण हेतु सामग्री क्रय
6	09.08.2017	66954	शवदाह स्थल निर्माण हेतु सामग्री क्रय
7	04.10.2017	20825	शवदाह स्थल निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान
8	11.10.2017	285000	इंटरलागिंग हेतु ईट क्रय
9	01.11.2017	152000	इंटरलागिंग हेतु ईट क्रय
10	02.11.2017	49400	ईट क्रय
11	16.11.2017	46164	इंटरलागिंग हेतु ईट मिट्टी क्रय
12	17.11.2017	36926	बालू क्रय

13	30.11.2017	16500	शवदाह स्थल निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान
14	06.01.2018	14125	शवदाह स्थल निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान
15	24.01.2018	14052	शवदाह स्थल निर्माण हेतु सामग्री क्रय
16	29.01.2018	17460	शवदाह स्थल निर्माण हेतु ईंट गिट्टी क्रय
17	29.01.2018	18720	शवदाह स्थल निर्माण हेतु ईंट क्रय
18	13.02.2018	20895	शवदाह स्थल निर्माण हेतु मजदूरी, बाउंड्रीवाल निर्माण
19	14.03.2018	38895	शवदाह स्थल निर्माण हेतु सामग्री क्रय
योग		1034030.00	

उपरोक्त व्यय पर निम्न आपत्ति है—

क— उक्त से सम्बंधित स्टीमेट, वित्तिय स्वीकृति, नक्शा कार्यादेश प्राप्त न होने से यह ज्ञात नहीं हो सका कि अनुदान की राशि से बनाए जा रहे अन्त्येष्टि स्थल (शवदाह गृह) में क्या क्या निर्माण किया जाना था और उस पर कितना व्यय स्वीकृत है। (जैसे रु. 2411640.00 प्राप्त अनुदान के सापेक्ष रु. 2484483.00 का व्यय किया गया)

ख— कार्य के प्रारम्भ में निर्माण सामग्री की आपूर्ति हेतु टेण्डर निकाला जाना चाहिए था एवं स्वीकृत देहर को ही सामग्री आपूर्ति का आदेश निर्गत किया जाना चाहिए था। मनमाने ढंग से किसी भी कर्म से सामग्री क्रय कर प्रतिस्पर्धी मूल्य से संस्था की हानि की गयी जो नियमों एवं संस्था हित के विपरीत है।

ग—निर्माण कार्य पत्रावली एवं बिल बाउचर/मस्टर रोल अप्राप्त रहे। स्टीमेट के अभाव में यह हो सका कि अलग-अलग सामग्री एवं मजदूरी पर दर्शाए गए व्यय मानक अनुरूप है या अधिक व्यय किया गया है तथा बिलों पर उचित आयकर व छूट की धनराशि काटी गयी है या नहीं अज्ञात रहा।

घ—एम.बी. बुक, उपभोग प्रमाणपत्र एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव से कार्य की प्रमाणिकता एवं गुणवत्ता संदिग्ध है।

उपरोक्त आपत्तियों के क्रय में दर्शाया गया व्यय रु0 1034030.00 अपहरण की श्रेणी में आंकलित है। उक्त की ब्याज सहित वसूली सम्बंधित सचिव श्री रामजीत शास्त्री एवं प्रधान श्रीमती नीलम से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर (3) अलोच्य वर्ष 2017-18 में स्ट्रीट लाइट क्रय 20 नग रु. 90600.00 एवं सोलर लाइट मरम्मत 2 अदद रु. 19500.00 इस प्रकार प्रकाश व्यवस्था पर कुल रु. 110100.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष निम्न आपत्ति है। (दिनांक 12.06.2017 को रु. 90600.00 स्ट्रीट लाइट 20 अदद एवं 09.08.2017 को रु. 19500.00 सोलर लाइट मरम्मत)

क— उपरोक्त कार्य से सम्बंधित पत्रावली कार्य योजना, स्टीमेट, लाभार्थी या प्रार्थना पत्र, फोटो, बिल वाउचर आदि अप्राप्त रहे।

ख— स्ट्रीट लाइट के स्थापना में बिजली विभाग से अनुमति नहीं ली जा रही है कि उनके खंभे पर लगवानी है।

ग—कोटेशन नहीं लिया गया है।

घ—उपयोग प्रमाणपत्र एवं कार्य पूर्ति प्रमाण अप्राप्त रहा। उपरोक्त के अभाव में दर्शाया गया व्यय काल्पनिक है तथा धन का अपहरण है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं ग्राम पं. अधि से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(2) ग्राम पंचायत —बस्तीपुर विकास क्षेत्र —भीटी जनपद —अम्बेडकरनगर

प्रस्तर (4) निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्तियां हैं—

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	08.05.2017	9000.00	हैण्डपम्प मरम्मत
2	11.05.2017	4000.00	हैण्डपम्प मरम्मत
3	29.05.2017	3400.00	हैण्डपम्प मरम्मत
4	27.07.2017	4660.00	हैण्डपम्प मरम्मत
5	19.09.2017	6800.00	हैण्डपम्प मरम्मत
6	05.12.2017	2730.00	हैण्डपम्प मरम्मत
योग		30590.00	

क— भुगतान के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ख- कराए गए कार्य के सापेक्ष कोई स्टीमेट, कोटेशन, उपभोग प्रमाण पत्र, लाभार्थी द्वारा मरम्मत कराए जाने का कोई प्रमाण पत्र, पुराने सामानों की जगह नए सामान लगाए जाने पर पुराने सामग्री का स्टॉक रजि. एवं लाभार्थी की सूची अप्राप्त रही।

अतः उपरोक्त रु. 30590.00 का दर्शाया गया व्यय मात्र काल्पनिक है। कोष बही में केवल धन का समायोजन किया गया है, कार्य नहीं कराया गया प्रतीत होता है।

अतः रु. 30590.00 का अपहरण प्रधान श्रीमती जिन्नतुलनिशा एवं ग्रा.पं./वि.अधिकारी श्री अमरदीप पांडेय द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों उत्तरदायी व्यक्ति से सामान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर (5) निम्न तिथियों में सोलर लाइट एवं स्ट्रीट लाईट क्रय की गई है, जिस पर निम्न अपत्तियां हैं।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	08.05.2017	45000.00	स्ट्रीट लाइट 10 नग
2	12.05.2017	22300.00	स्ट्रीट लाइट 01 नग
3	12.05.2017	18000.00	स्ट्रीट लाइट 04 नग
4	12.03.2018	45300.00	स्ट्रीट लाइट 10 नग
	योग	130600.00	

उपरोक्त के सापेक्ष कोई भी बिल वाउचर, कैशमेमो, कोटेशन/टेंडर, कार्य योजना, उपभोग प्रमाण पत्र, लाभार्थियों की सूची, एम.बी. बुक, स्टॉक रजिस्टर, विवरण रजिस्टर आदि अप्राप्त रहा। अतः रु. 130600.00 का अपहरण किया गया, जिसे प्रधान श्रीमती जिन्नतुलनिशा एवं ग्रा.पं./वि. अधिकारी श्री अमरदीप पांडेय से सामान रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर (6) सी.सी. रोड पर आलोच्य वर्ष में सामग्री पर रु. 111828.00 एवं मस्टर रोल पर रु. 11962.00 कुल रु.123790.00 व्यय दर्शाया गया है, किन्तु उक्त से सम्बंधित व्यय वाउचर, स्टीमेट, एम.बी. कोटेशन/टेण्डर, कार्ययोजना उपभोग प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न रहने से दर्शाया गया व्यय काल्पनिक है एवं धन का अपहरण किया गया। अतः रु. 123790.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	08.05.2017	43295.00	सी.सी. रोड हेतु सामग्री
2	09.05.2017	68533.00	सी.सी. रोड हेतु सामग्री
3	09.05.2017	7898.00	मस्टर रोल
4	11.05.2017	4064.00	मस्टर रोल
	योग	123790.00	

प्रस्तर (7) निम्न तिथियों में ईट क्रय एवं मस्टररोल पर व्यय दर्शाकर धन कोषबही से खारिज किया गया है। जिन पर निम्न आपत्तियां हैं-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	17.10.2017	9800.00	मस्टररोल
2	17.10.2017	12425.00	मस्टररोल
3	17.10.2017	13300.00	मस्टररोल
4	20.12.2017	62370.00	ईट क्रय
5	20.12.2017	52290.00	ईट क्रय
6	20.12.2017	6930.00	ईट क्रय
7	12.01.2018	57960.00	ईट क्रय
8	12.01.2018	23450.00	मस्टररोल
9	12.01.2018	9450.00	मस्टररोल
10	16.01.2018	47250.00	ईट क्रय
11	16.01.2018	5500.00	कार्टेज एवं फोटो
12	16.01.2018	2436.00	कार्टेज एवं फोटो
13	20.01.2018	17558.00	ईट क्रय
14	20.01.2018	4025.00	मस्टररोल
15	12.03.2018	6850.00	मस्टररोल

16	12.03.2018	27720.00	ईट क्रय
	योग	359334.00	

- ग- लेखा परीक्षा दौरान मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया।
घ- कराए गए कार्य से सम्बंधित स्टीमेट, कार्य योजना, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण कोटेशन/टेंडर, एम.बी. बुक, निर्माण कार्य समिति की संस्तुति आदि उपलब्ध नहीं रही।
ङ- कराए गए कार्य का स्थल, फोटो आदि उपलब्ध नहीं रहे।
अतः भुगतान की पुष्टि न की जा सकी व धन अपहरित है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं ग्रा.पं./वि. अधिकारी से अपेक्षित है।

(3) ग्राम पंचायत –मेढवा रघुवंशी विकास क्षेत्र – भीटी जनपद – अम्बेडकरनगर

प्रस्तर (8) आलोच्य में प्रधान मानदेय मद में रु. 78000.00 व्यय दर्शाया गया है, जो 22 माह से भी कुछ अधिक समय के मानदेय के बराबर है किन किन माहों का भुगतान किया गया हैं कोष बही में दर्शाया गया है दिनांक 17.10.2017 को रु. 15000.00 प्रधान मानदेय देना दर्शाया नहीं गया है यह धन किस दर से दिया गया है, अज्ञात है। क्योंकि प्रधान मानदेय दर वर्तमान में रु. 3500.00 है। प्रधान मानदेय रजिस्टर नहीं बना है। जिससे ज्ञात हो सके। कि किन किन माहों का वेतन दिया गया है और कब का अवशेष है उपरोक्त विवरण से प्रतीत होता है कि शोकालय निर्माण जैसी परियोजना जो शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना है, का धन मानदेय देना दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली प्रधान श्री मती हुवराजी एवं सचिव श्री उमाशंकर सिंह से ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर (9) निम्न तिथियों में सोलर लाइट एवं स्ट्रीट क्रय की गई है, जिस पर निम्न आपत्तियां हैं।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	11.05.2017	45300.00	स्ट्रीट लाइट
2	11.07.2017	67950.00	स्ट्रीट लाइट
3	06.02.2018	16550.00	सोलर लाइट मरम्मत
4	15.02.2018	22500.00	स्ट्रीट लाइट मरम्मत
5	27.02.2018	14250.00	स्ट्रीट लाइट मरम्मत
	योग	166550.00	

उपरोक्त के सापेक्ष कोई भी बिल बाउचर कैशमेनो स्टीमेट, कोटेशन/टेंडर कार्य योजना उपभोग प्रमाण पत्र, लाभार्थियों की सूची, एम.बी बुक स्टॉक रजि. विवरण रजि आदि अप्राप्त रहा अतः किए भुगतान की प्रमाणिकता पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त धन का अपहरण किया, जिसे प्रधान श्रीमती हुवराजी एवं सचिव श्री उमाशंकर सिंह एवं ग्रा.पं./वि. अधि से समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर (10) निम्नतिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्तियां हैं।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	28.06.2017	19450.00	हैण्डपम्प मरम्मत
2	18.10.2017	19500.00	हैण्डपम्प मरम्मत
3	24.01.2018	18500.00	हैण्डपम्प मरम्मत
4	24.01.2018	18500.00	हैण्डपम्प मरम्मत
5	08.02.2018	15100.00	हैण्डपम्प मरम्मत
6	15.02.2018	15500.00	हैण्डपम्प मरम्मत
7	23.02.2018	14350.00	हैण्डपम्प मरम्मत
8	09.03.2018	9200.00	हैण्डपम्प मरम्मत
	योग	130100.00	

- क- भुगतान के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
ख- कराए गए कार्य के सापेक्ष कोई स्टीमेट, कोटेशन, उपभोग प्रमाण पत्र, लाभार्थी द्वारा मरम्मत कराए जाने का कोई प्रमाणपत्र, पुराने सामानों की जगह नए सामान लगाए जाने पर पुराने सामग्री का स्टॉक रजि. एवं लाभार्थी की सूची अप्राप्त रही।

अतः उपरोक्त रु. 130100.00 को दर्शाया गया व्यय मात्र काल्पनिक है कोष बही में केवल धन का समायोजन किया गया है, कार्य नहीं कराया गया प्रतीत होता है।

अतः धन का अपहरण प्रधान श्रीमती हुवराजी एवं सचिव श्री उमाशंकर सिंह एवं ग्रा.प. / वि. अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों उत्तरदायी व्यक्ति समान रूप से अपेक्षित है।

प्रस्तर (11) आलोच्य वर्ष में शौचालय निर्माण हेतु रु. 50,000.00 प्राप्त था, जो 42 शौचालय हेतु अनुदान था, किन्तु आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में नगद धन आहरित कर लाभार्थी को अनुदान के रूप में कोष बही में देना दर्शाया गया। यह अनुदान नियमानुसार लाभार्थी के खाते में देना था, जो नहीं दिया गया एवं धन दो किस्त में देना था ऐसा में कर एक ही किस्त में दिया गया तथा और वर्ष में 432000.00 ही व्यय कर कुल 30 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। शेष धन अन्य मद में व्यय कर लिया गया, जो घोर अनियमितता है। शौचालय निर्माण हेतु लाभार्थियों को दिए गए धन के सापेक्ष लाभार्थी की प्राप्ति रसीद, लाभार्थियों की अनुमोदित पात्रता सूची, शौचालय बने होने के प्रमाण (फोटो अपलोड एवं उपभोग प्रमाणपत्र) आदि अप्राप्त रहे तथा आलोच्य वर्ष में 432000.00 ही व्यय कर कुल 36 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। शेष 72000.000 अन्य मद में काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया। क्योंकि अक्टूबर माह के अन्त में खाते में अवशेष धनराशि अत्यधिक न्यून थी, जिससे स्पष्ट है कि शौचालय के धन को अन्य मद में काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर किया गया, जिसकी सन्निहित धनराशि 50400.00 वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती हुवराजी एवं सचिव श्री उमाशंकर सिंह व ग्राम पं. अधि से कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर (12) राधेश्याम के घर से भुल्लर के घर तक तथा पिचरोड से रमेश के घर तक खड़ाकर पर निम्नविवरण अनुसार रु. 172200.00 व्यय दर्शाया गया है। जबकि उक्त व्यय के सापेक्ष कार्ययोजना स्टीमेट वित्तीय स्वीकृत, वाउचर, मस्टररोल, एम.बी. बुक, उपयोग प्रमाण पत्र एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध रहने से कार्य की सत्यता संदिग्ध है इस प्रकार काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं ग्रां पं. अधिकारी से किया अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है—

क्र० सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	24.07.2017	14875.00	मस्टररोल राधेश्याम के घर से भुल्लर के घर तक
2	25.07.2017	53550.00	ईट क्रय राधेश्याम के घर से भुल्लर के घर तक
3	28.07.2017	3900.00	कार्टेज राधेश्याम के घर से भुल्लर के घर तक
4	28.07.2017	7875.00	मस्टररोल राधेश्याम के घर से भुल्लर के घर तक
5	05.08.2017	88200.00	ईट क्रय पिच रोड से रमेश के घर तक
6	09.08.2017	3800.00	मस्टररोल पिच रोड से रमेश के घर तक
	योग	172200.00	

(4) ग्राम पंचायत –मिझौड़ा विकास क्षेत्र –भीटी जनपद– अम्बेडकरनगर

प्रस्तर (13) निम्न तिथियों में सोलर लाइट एवं स्ट्रीट लाइट क्रय की गई है, जिस पर निम्न आपत्तियां हैं—

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	18.07.2017	94000.00	सोलर लाइट क्रय
2	19.07.2017	178400.00	सोलर लाइट क्रय
3	20.11.2017	19750.00	सोलर लाइट मरम्मत
4	04.01.2018	18450.00	सोलर लाइट मरम्मत
	योग	310600.00	

उपरोक्त के सापेक्ष कोई भी बिल बाउचर, कैशमेमो स्टीमेट, कोटेशन/टेंडर, कार्य योजना उपभोग प्रमाण पत्र, लाभार्थियों की सूची, एम.बी. बुक, स्टॉक रजि. विवरण रजि. आदि अप्राप्त रहा। अतः किए गए भुगतान की प्रमाणिकता पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त धन का अपहरण किया गया, जिसे प्रधान श्रीमती महेश्वर जहां एवं ग्राम पं. / वि. अधि. श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर (14) निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्तियां हैं—

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	22.05.2017	8600.00	हैण्डपम्प मरम्मत
2	28.08.2017	19500.00	हैण्डपम्प मरम्मत
3	03.10.2017	18750.00	हैण्डपम्प मरम्मत
4	05.10.2017	21100.00	हैण्डपम्प मरम्मत

5	20.11.2017	18500.00	हेण्डपम्प मरम्मत
6	27.02.2018	19750.00	हेण्डपम्प मरम्मत
	योग	106200.00	

ग- भुगतान के सापेक्षा कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं किया गया।

घ- कराए गए कार्य के सापेक्ष कोई स्टीमेट, कोटेशन, उपयोग प्रमाण पत्र जागा द्वारा मरम्मत कराए जाने का कोई प्रमाण पत्र, पुराने सामानों की जगह नए सामान लगाए जाने पर पुराने सामग्री का स्टॉक रजि. एवं लाभार्थी की सूची अप्राप्त रही।

अतः उपरोक्त रु. 106200.00 का दर्शाया गया व्यय मात्र काल्पनिक है। कोष बही में केवल धन का सामायोजन किया गया है, कार्य नहीं कराया गया। प्रतीत होता है अतः धन का अपहरण प्रधान श्रीमती महेश्वर जहां एवं ग्राम पं./वि. अधि. श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों उत्तरदायी व्यक्ति से समान रूप से अपेक्षित है।

प्रस्तर (15) निम्न तिथियों में इण्टरलाकिंग ईट क्रय एवं मस्टर रोल पर व्यय दर्शाकर धन कोषबही से खारिज किया गया है, जिन पर निम्न आपत्तियां हैं-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	07.10.2017	47500.00	इण्टरलाकिंग ईट क्रय
2	07.10.2017	47500.00	इण्टरलाकिंग ईट क्रय
3	07.10.2017	47500.00	इण्टरलाकिंग ईट क्रय
4	12.10.2017	47500.00	इण्टरलाकिंग ईट क्रय
5	12.10.2017	13140.00	मस्टररोल
6	12.10.2017	10880.00	मस्टररोल
7	12.10.2017	38000.00	इण्टरलाकिंग ईट क्रय
8	12.10.2017	28500.00	इण्टरलाकिंग ईट क्रय
9	12.10.2017	33630.00	इण्टरलाकिंग ईट क्रय
10	12.10.2017	3192.00	इण्टरलाकिंग ईट क्रय
11	16.10.2017	16250.00	ईट क्रय
12	16.10.2017	16250.00	ईट क्रय
13	17.10.2017	13900.00	सामग्री क्रय
14	17.10.2017	11920.00	सामग्री क्रय
15	18.10.2017	5615.00	मस्टररोल
16	23.10.2017	47500.00	इण्टरलाकिंग ईट क्रय
17	23.10.2017	1900.00	इण्टरलाकिंग ईट क्रय
18	27.10.2017	6930.00	ईट क्रय
	योग	437607.00	

क- -लेखा परीक्षा दौरान मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया।

ख- आलोच्य वर्ष में इण्टरलाकिंग कार्य दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष इण्टरलाकिंग ईट क्रय करना दर्शाया गया है। कराए गए कार्य से सम्बंधित स्टीमेट, कैश रसीद कार्य योजना, उपभोग प्रमाण पत्र कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन/टेण्डर, एम.बी बुक, निर्माण कार्य समिति की संस्तुति आदि उपलब्ध नहीं रही।

ग- कराए गए कार्य का स्थल, फोटो आदि उपलब्ध नहीं रहे।

अतः भुगतान की पुष्टि न की जा सकी व धन अपहरित है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती महेश्वर जहां एवं ग्राम पं. वि. अधि. श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी से अपेक्षित है।

(5) ग्राम पंचायत - देवरहा हुसैनपुर, विकास क्षेत्र -जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर

प्रस्तर (16) ग्राम पंचायत देवरहा हुसैनपुर, विकास क्षेत्र जलालपुर, अम्बेडकरनगर के वित्तिय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण की धनराशि प्रकाश में आई है। इस पर विभागीय अधिकारियों का ध्यान यथोचित कार्यवाही की ओर आकृष्ट किया जाता है।

1- वर्ष लेखा परीक्षा में खड़जा निर्माण पर कुल रु. 285550.00 है। जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	दिनांक	व्यय धनराशि	कार्य का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	17.10.2017	78194.00	ठाकुरदीन घर से पक्की सड़क तक खड़न्जा निर्माण पर ईटा	प्रकाश ब्रिक फील्ड
2	17.10.2017	75731.00	बंशू के घर से रमापति घर तक खड़न्जा निर्माण पर ईटा	प्रकाश ब्रिक फील्ड
3	08.02.2018	31500.00	मुर्तजा के घर से राम शब्द के घर तक खड़न्जा का निर्माण पर ईटा	जय माता दी ब्रिक फिल्ड
4	08.02.2018	50400.00 योग 235825.00	बुद्धू के घर से पंचम के घर तक खड़न्जा निर्माण पर ईटा	जय माता दी ब्रिक फिल्ड
5	17.10.2017	10850.00	क्र०सं० 1 के कार्य पर मजदूरी का व्यय	प्रधान नकद
6	17.10.2017	17675.00	क्र०सं० 2 के कार्य पर मजदूरी का व्यय	प्रधान नकद
7	27.02.2018	5600.00	क्र०सं० 3 के कार्य पर मजदूरी का व्यय	प्रधान नकद
8	27.02.2018	8400.00 योग 42525.00	क्र०सं० 4 के कार्य पर मजदूरी का व्यय	प्रधान नकद
9	18.10.2017	7200.00	क्र०सं० 1 के कार्य पर ट्राली द्वारा मिट्टी गिराई का व्यय	श्राम तिलक
	कुल योग	285550.00		

उक्त पर निम्न आपत्तियां हैं।—

क— वर्ष लेखा परीक्षा में खड़न्जा निर्माण पर कुल व्यय रु. 285550.00 रहा जिसमें ईटों पर व्यय रु० 235825.00 मजदूरी पर व्यय रु० 42525.00 तथा ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई पर व्यय रु० 7200.00 रहा। उक्त व्ययों का कोई भी बिल व्यय, बाउचर, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जबकि उ०प्र० ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय -8 के खण्ड क एवं ख के अनुसार किये व्यय का यदि व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं होता है। तो किया गया व्यय वित्तीय अपहरण होगा। अतः उक्त व्यय रु० 285550.00 वित्तीय अपहरण है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री शिवपूजन एवं सचिव श्री दुर्गेश कुमार उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ख— उक्त व्यय से सम्बन्धित अन्य संगत अभिलेख— कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, वर्क आई० डी० स्टीमेट, तकनीकी एवं वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्रमाण—पत्र एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि अप्रस्तुत रहने से किया गया व्यय अपुष्ट रहा।

ग— एफ० एच० बी० खण्ड-1 एवं शासनादेश संख्या—ए-1-864/ दस-08-15(1)86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु एक लाख से कम के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन लिया जायेगा तथा एक लाख से ऊपर के सामग्री क्र हेतु टेण्डर की प्रक्रिया अपनायी जाएगी। उक्त खड़न्जा निर्माण में ईटा बिना कोटेशन से मनमाने ढंग से

घ— आयकर अधिनियम -1961 की धारा-194 सी० तथा उ०प्र० वैट अधिनियम-2008 की धारा-3(7), धारा-2 (ए०पू०) एवं शासनादेश संख्या— ए-1-351/दस- 2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार सामग्री आपूर्ति के बिलों के भुगतान से पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आयकर (2:) तथा (4:) की स्रोत पर ही कटौती करके ही भुगतान किया जाएगा और इस कटौती को नियत समय में राजकोष में जमा किया जाएगा।

वर्ष लेखा परीक्षा में रु० 235825.00 की सामग्री (ईटा) क्रय की गयी है। इसपर आयकर (2:) रु० 4717.00 तथा वैट रु०. 9434.00 की बिना कटौती किये ही फर्म को भुगतान हो गया है जिससे कुल रु० 14151.00 की राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है, सम्बन्धित पक्ष से ब्याज सहित वसूल करके इसे राजकोष में जमा किया जाना चाहिए।

ङ— वर्ष लेखा परीक्षा में प्राप्त कैशबुक के अनुसार खड़न्जा निर्माण (ठाकुरदीन के घर से पक्की सड़क तक) पर ईटा पर व्यय रु० 78194.00 मस्टररोल पर व्यय रु० 10850.00 तथा ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई पर व्यय रु० 7200.00 दर्शित रहा। लेखा परीक्षा में इस कार्य काटी० एस० एवं एम०बी० अप्रस्तुत रहने से किये गये व्यय की वैधता की जांच नहीं हो सकी लेकिन लेखा परीक्षा में की गयी गणना के अनुसार उक्त कार्य पर मिट्टी कार्य (ई०/डब्ल्यू०) पर व्यय रु० 3364.00 तथा

सोलिंग पर व्यय रु07486.00 कुल मस्टररोल पर व्यय (10850.00) के सापेक्ष की गयी। इस अनुसार खडन्जा की माप (7486/55.30=135) 135मी² अवधारित होती है जिसपर नियमतः कुल 7830 ईटें (135x58=7830) लगेगी जिसका मूल्य निम्नवत् 49329.00 (7830x6.3) अवधारित होता है जबकि कैंशबुक में मनमाने ढंग से ईटा पर कुल व्यय रु0 78194.00 किया गया है अतः रु0 28865.00 अधिक भुगतान किया गया है इसी प्रकार मिट्टी कार्य (ई0/डब्ल्यू0) रु0 3364.00 के अनुसार कुल मिट्टी खनन 42 घनमी0 (3364/80 प्रतिघन मी0) अवधारित होती है जिसपर ट्राली का भुगतान रु0 2415.00 (42x57.50 प्रतिघन मी0) अवधारित होती है लेकिन कैंशबुक के अनुसार रु0 7200.00 दिया गया है। अतः इसमें भी रु0 4785.00 अधिक व्यय किया गया है अतः इस पर कुल रु0 33650.00 अधिक व्यय किया गया है अभिलेख (टी0एस0 एवं एम0बी0) प्रस्तुत करके इसका औचित्य स्पष्टीकरण की अपेक्षा है और अन्यथा की स्थिति में आगणित अधिक व्यय 33650.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवपूजन एवं ग्राम सचिव श्री दुर्गेश कुमार से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

च- इसी प्रकार खडन्जा कार्य (बुद्धू के घर से पंचम के घर तक) पर ईटा पर व्यय रु0 50400.00 तथा मस्टररोल पर व्यय रु0 8400.00 कैंशबुक के अनुसार दर्शित रहा। लेखा परीक्षा में टी0एस0 एवं एम0बी0 अप्रस्तुत रहने से व्यय के औचित्य की पुष्टि नहीं की जास की लेखा परीक्षा में नियमानुसार की गयी गणना के अनुसार कुल मजदूरी व्यय रु0 8400.00 मिट्टी कार्य (ई0/डब्ल्यू0) पर व्यय 2604.00 तथा सोलिंग पर व्यय रु0 5796.00 अगणित होती है, जिस अनुसार खडन्जा की माप 015 मी² (5796÷55.30 प्रतिवर्ग मी0) अगणित होती है जिस पर कुल 6090 ईटें (105 x 58 ईटा प्रतिवर्ग मी0=6090) लगेगी। जिसपर मूल्य रु0 38367.00 अगणित होती है जबकि कैंशबुक में रु0 50400.00 व्यय किया गया है अतः रु0 12033.00 ईटापर अधिक व्यय किया गया है अभिलेख (टी0एस0 एवं एम0बी0) प्रस्तुत करके किये गये व्यय के औचित्य की पुष्टि कराना अपेक्षित रहा अन्यथा की स्थिति में अधिक भुगतान रु0 12033.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से किया जाना अपेक्षित रहा।

मूल आपत्ति संख्या-07

प्रस्तर-17 वर्ष लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प मरम्मत एवं प्रधान को मानदेय का कुल रु0- 69200.00 व्यय किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है।-

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि	कार्य का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	11.10.2017	10400.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	प्रधान नकद
2	03.01.2018	7800.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	प्रधान नगद
3	20.02.2018	7000.00 योग 25200.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	प्रधान नकद
4	18.09.2017	12500.00	प्रधान क र मानदेय (जुलाई -16 से नवम्बर-16)	प्रधान नकद
5	18.09.2017	31500.00 योग 44000.00	प्रधान का मानदेय (जुलाई-16 से अगस्त- 17)	प्रधान नकद
	कुल योग	69200.00		

इस पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं।-

क- लेखा परीक्षा वर्ष में कुल रु0 69200.00 में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय रु0 25200.00 तथा प्रधान का मानदेय पर व्यय रु0 44200.00 कैंशबुक के अनुसार दर्शित रहा, लेकिन लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त भी उक्त व्ययों सम्बन्धित बिल वाउचर, व्यय प्रमाणक, मानदेय प्राप्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा। उ0 प्र0 ग्रा0 प्र0 के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड क एवं ख के अनुसार किये गये व्यय का यदि व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहता है तो किया गया व्यय वित्तीय अपहरण है अतः उक्त व्यय रु0 69200.00 वित्तीय अपहरण है, जिसक लिए ग्राम प्रधान श्री शिवपूजन एवं ग्राम सचिव श्री दुर्गेश कुमार उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ख- उक्त व्ययों का अन्य संगत अभिलेख कार्यवाही रजि. कार्ययोजना, वर्क0आइ0डी0 टी0एस0, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, परिसम्पत्ति रजि0, मानदेय प्राप्ति रजि. आदि अप्रस्तुत रहने से किया गया व्यय अपुष्ट रहा।

ग- हैण्डपम्प पर कुल रु0 25200.00 व्यय है जिसपर अन्य आपत्तियां निम्नवत है

- 1 मरम्मत योग्य/खराब हैण्डपम्पों की जल निगम को सूची लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से यह अपुष्ट रहा कि हैण्डपम्प वास्तव में मरम्मत योग्य था किन ही।
- 2 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु लाभार्थियों का प्रार्थना-पत्र एवं स्थल सूची अप्रस्तुत रहने से कैसे ज्ञात हुआ कि अमुक खराब है।
- 3 मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों का मरम्मत के बाद जियो टैगिंग होनी चाहिए जो नहीं की गयी है।
- 4 हैण्डपम्प मरम्मत पर समस्त भुगतान प्रधान को नकद किया गया है जब कि नियमानुसार इसमें लगी सामग्री का भुगतान चेक के माध्यम से फर्म को तथा मजदूरी का भुगतान मस्टररोल से मजदूरों को होना चाहिए था, परन्तु यहां ऐसा करके प्रधान द्वारा किया गया धन का आहरण संदिग्ध एवं नियम विरुद्ध प्रतीत होता है।

घ आलोच्य वर्ष में रु0 44000.00 प्रधान मानदेय (जुलाई 16 से अगस्त 17 पर व्यय है इसपर निम्न आपत्तियां है-

- 1- गत वर्ष की लेखा परीक्षित कैशबुक तथा मानदेय प्राप्ति रजि. अप्रस्तुत रहने से गतवर्ष की बकाया मानदेय एवं भुगतान की पुष्टि नहीं हो सकी।
- 2- आलोच्य वर्ष में मानदेय प्राप्ति रजि. अप्रस्तुत रहने से दिये गये मानदेय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(6) ग्राम पंचायत-ऊंजीपारा विकास क्षेत्र- भीटी जनपद-अम्बेडकरनगर

प्रस्तर (18) निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्तियां है।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	07.04.2017	14150.00	हैण्डपम्प मरम्मत
2	20.05.2017	6780.00	हैण्डपम्प मरम्मत
3	19.09.2017	6890.00	हैण्डपम्प मरम्मत
4	06.10.2017	11000.00	हैण्डपम्प मरम्मत
5	12.01.2018	12000.00	हैण्डपम्प मरम्मत
6	13.03.2018	14790.00	हैण्डपम्प मरम्मत
7	22.01.2018	15500.00	सबमर्सिबल पम्प बोरिंग
	योग-	81110.00	

क- भुगतान के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ख- कराए गए कार्य के सापेक्ष, कोटेशन उपभोग प्रमाण पत्र, लाभार्थी द्वारा मरम्मत कराए जाने का कोई प्रमाण पत्र, पुराने सामानों की जगह नए सामान लगाए जाने पर पुराने सामग्री का स्टॉक रजिस्टर एवं लाभार्थी की सूची अप्राप्त रही।

अतः उपरोक्त रु0 81110.00 का दर्शाया गया यह मात्र काल्पनिक है। कोषबही में केवल धन का समायोजन किया गया है, कार्य नहीं कराया गया प्रतीत होता है अतः धन का अपहरण प्रधान श्रीमती रेखा एवं ग्रा.प./वि. अधिकारी श्री रामजीत शास्त्री द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों उत्तरदायी व्यक्ति से समान रूप से अपेक्षित है।

प्रस्तर (19) निम्न तिथियों में सोलर लाइट एवं स्ट्रीट लाइट क्रय की गई है, जिस पर निम्न आपत्तियां है।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	17.05.2017	68025.00	25 नग स्ट्रीट लाइट
2	22.01.2018	11500.00	सेलर लाइट मरम्मत
3	25.01.2018	44600.00.	02 नग सोलर लाइट
	योग	124125.00	

उपरोक्त के सापेक्ष कोई भी बिल वाउचर, कैशमेमो, कोटेशन/टेडर, कार्य योजना, उपभोग प्रमाण पत्र, लाभार्थियों की सूची, परिसम्पत्ति रजि. स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजि. आदि अप्राप्त रहा। अतः किए गए

भुगतान की प्रमाणिकता पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः धन का अपहरण किया गया, जिसे प्रधान श्रीमती रेखा एवं ग्रा.प./वि. अधिकारी श्री रामजीत शास्त्री से समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अतः प्रधान एवं सचिव द्वारा मनमाने ढंग से धन को व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(7) ग्राम पंचायत— सुल्तानपुर खुर्द, विकास क्षेत्र— जलालपुर, जनपद— अम्बेडकरनगर

प्रस्तर (20) वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा प्रा० वि० सुल्तानपुर खुर्द में ट्राली द्वारा निम्नवत मिट्टी पटाई की गयी है:—

क्र०सं०	दिनांक	व्यय धनराशि (रु०)	सी०बी० में दर्शित कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	08.02.2018	40290.00	प्रा०वि० सुल्तानपुर खुर्द में ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई	श्री अरविन्द शर्मा
2	14.03.2018	39342.00	उक्त कार्य पर पुनः ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई	श्री दयाशंकर
	योग	79632.00		

इस पर निम्न आपत्तियां हैं।

क— कार्यवाही रजिस्टर जिससे ग्रामसभा की खुली बैठक में कार्य योजना का पारित होना सुनिश्चित किया जा सके, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

ख— उक्त कार्य का कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि उ०प्रा० पंचायतराज (ग्राम पंचायतों) के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय—8 के खण्ड—क एवं ख के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं होता है तो किया गया व्यय वित्तीय अपहरण है अतः उक्त व्यय रु० 79632.00 गबन है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विजय लक्ष्मी एवं ग्राम पं.वि०अधि० श्री उदयरज गौतम से आधा—आधा किया जाना अपेक्षित है।

ग— उक्त व्यय से सम्बंधित अन्य संगत अभिलेख— कार्य योजना, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, एम०बी०, कार्यपूति प्रमाण पत्र कोटेशन, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि अप्रस्तुत रहने से किया गया व्यय अपुष्ट रहा।

मूल आपत्ति संख्या—07

प्रस्तर (21) वर्ष लेखा परीक्षा में प्रा० वि० सुल्तानपुर खुर्द में ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई पर व्यय मजदूरी का विवरण निम्नवत है—

क्र०सं०	दिनांक	व्यय धनराशि (रु०)	सी०बी० में दर्शित कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	28.02.2018	41650.00	प्रा०वि० सुल्तानपुर खुर्द में मिट्टी पटाई की मजदूरी	श्री आशीष शर्मा
2	14.03.2018	41125.00	उक्त कार्य पर पुनः मिट्टी पटाई पर मजदूरी	श्री आशीष शर्मा
	योग	82775.00		

उक्त कार्य पर निम्न आपत्तियां हैं—

क— लेखा परीक्षा में उक्त कार्य पर व्यय मजदूरी रु० 82775.00 का कोई भी मस्टर रोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि उ०प्रा० के ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय—8 के खण्ड क एवं ख के अनुसार किये गये व्यय का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने से किया गया व्यय गबन है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त व्यय रु० 82775.00 वित्तीय अपहरण है, जिसके जिये ग्राम प्रधान श्रीमती विजय लक्ष्मी एवं ग्रा०प०/वि०अधि० श्री उदयरज गौतम उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ख— मजदूरों की मजदूरी नियमानुसार उनके खाते में भुगतान होनी चाहिए परन्तु ऐसा न होने पर ग्राम प्रधान द्वारा नकद निकालकर मजदूरों को मस्टर रोल के अनुसार देकर उनसे प्राप्ति का हस्ताक्षर/ अंगुठा का निशान लगाया जाना चाहिए। कैशबुक एवं पासबुक के अनुसार उक्त धन श्री आशीष शर्मा नामक किसी अनाधिकृति व्यक्ति द्वारा आहरित किया गया है जो वित्तीय औचित्य के प्रतिकूल है

ग- उक्त व्यय से सम्बन्धित अन्य संगत अभिलेख कार्यायोजना एस्टीमेट तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति एम0सी कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र कोटेशन, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि अप्रस्तुत रहने से किया गया व्यय अपुष्ट रहा।

मूल आपत्ति संख्या-08

प्रस्तर (22) – वर्ष लेखा परीक्षा में रु0 79632.00 मिट्टी खनन हेतु ट्राली का भुगतान किया गया है। जिस अनुसार लेखा परीक्षा की गणना में $(79632 \div 57.50 = 1384$ घन मी0) कुल 1384 घन मी0 मिट्टी खनन अवधारित होती है (लेखा परीक्षा में टी0एस0बी0 अप्रस्तुत रही) इस प्रकार रु0 30 प्रतिघन मीटर की दर से राजकीय रायल्टी कुल रु0 41520.00 अवधारित होती है। लेखा परीक्षा में फार्म एम0एम0 11 तथा रायल्टी जमा का प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहा। अतः यह राजकीय घन का अपहरण है जो वसूली योग्य है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती विजय लक्ष्मी एवं ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री उदयरज गौतम उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-09

(8) ग्राम पंचायत- मुरवाह विकास क्षेत्र -जलालपुर जनपद -अम्बेडकरनगर

प्रस्तर (23)– ग्राम पंचायत- मुरवाह, विकास क्षेत्र -जलालपुर, अम्बेडकरनगर में वर्ष 2017-18 में चौदहवां एवं राज्य वित्त खाते रु0 11148.00 आहरित करके व्यय किया गया है जिस पर निम्न आपत्तियां हैं-

क- वर्ष लेखा परीक्षा में किये व्यय रु0 11148.00 का कोई भी बिल वाउचर, मस्टररोल, प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड क एवं ख के अनुसार दर्शाये गये व्यय का व्यय प्रमाणक यदि अप्राप्त रहता है तो धनराशि को गबन मानते हुए अधिभार की कार्यवाही की जायेगी। अतः उक्त व्यय रु0 11148.00 जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री बोध प्रकाश उपाध्याय एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री अशोक कुमार यादव उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

ख- उक्त व्यय से सम्बन्धित अन्य संगत अभिलेख-कार्य योजना, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि अप्रस्तुत रहने से किया गया व्यय अपुष्ट रहा।

(9) ग्राम पंचायत -महेशपुरनेमपुर विकास क्षेत्र -जलालपुर जनपद -अम्बेडकरनगर

प्रस्तर (24) वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम नि0-1 खाते से खडन्जा निर्माण हेतु कुल रु0 771154.00 आहरित करके व्यय किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि(रु)	सी0बी0 में दर्शित कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	06.10.2017	342944.00	महेशपुर नेमपुर पिच से गौरी शंकर के स्कूल तक खडन्जा निर्माण पर ईटा क्रय	प्रकाश ब्रिक फील्ड
2	11.10.2017	150231.00	हीरा लाल के घर से चनवा तालाब तक खडन्जा निर्माण पर ईटा क्रय	बृजेश यादव ईटा उद्योग
3	19.12.2017	140379.00 योग-633554.00	श्याम नारायन के खेत से राम नारायन के ट्यूबवेल तक खडन्जा निर्माण पर ईटा क्रय	बृजेश यादव ईटा उद्योग
4	06.10.2017	76000.00	क्र0सं 1 के कार्य पर मजदूरी का व्यय	प्रधान नकद
5	11.10.2017	20875.00	क्र0सं 2 के कार्य पर मजदूरी का व्यय	प्रधान नकद
6	17.10.2017	19425.00 योग-116300.00	क्र0सं 3 के कार्य पर मजदूरी का व्यय	प्रधान नकद
7	11.10.2017	10150.00	क्र0सं 1 के कार्य पर ट्राली द्वारा मिट्टी गिराई	राम तिलक
8	20.12.2017	10150.00 योग-20300.00	क्र0सं 3 के कार्य पर ट्राली द्वारा मिट्टी गिराई	राम तिलक
9	11.10.2017	1000.00	क्र0सं0 1 एवं 2 पर फोटो ग्राफी का भुगतान	प्रधान नकद
		कुल योग-771154.00		

इस पर निम्न आपत्तियां हैं-

क- उपरोक्त विवरण के अनुसार वर्ष लेखा परीक्षा में खडन्जा निर्माण पर कुल व्यय रु0 771154.00 ईटा क्रय रु0 633554.00 मास्टररोल रु0 116300.00 ट्राली द्वारा मिट्टी गिराई -रु0 20300.00

तथा फोटोग्राफी रु0 1000.00 व्यय किया गया है, जिसका बिल/ वाउचर, व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। उ0प्र0 ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड क एवं ख के अनुसार किये गये व्यय का व्यय प्रमाणक यदि उपलब्ध नहीं होता है तो किया गया व्यय वित्तीय अपहरण होगा। अतः खडन्जा निर्माण पर व्यय रु0 771154.00 वित्तीय अपहरण है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री विमल कुमार एवं सचिव श्री दुर्गेश कुमार उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

ख- लेखा परीक्षा में कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना वर्क आई0डी0 ,स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., टेण्डर पत्रावली आदि अप्रस्तुत रहने पर किया गया व्यय अपुष्ट रहा।

ग- आयकर अधि0-1961 (यथा संशोधित) की धारा-194 सी0 तथा उ0प्र0 वैट अधि0- 2008 की धारा-3 (7) धारा-2 (ए0पू0) तथा शासनादेश संख्या -ए-1-351/ दस-2011 दिनांक 30.08. 2011 के अनुसार सामग्री आपूर्ति के बिलों के भुगतान से पूर्व आहरण विवरण अधि0 द्वारा 2 प्रतिशत आयकर तथा 4 प्रतिशत वैट की कटौती करके ही भुगतान किया जायगा तथा इस कटौती को नियत समय में राजकोष में जमा किया जाएगा। **मूल आपत्ति संख्या-7**

प्रस्तर (25) वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम निधि- खाते से नाली निर्माण हेतु कुल रु0 294500.00 आहरित करके व्यय किया गया है इसका विवरण निम्नवत है।-

क्र0स0	दिनांक	व्यय धनराशि	कार्य का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	13.02.2018	62350.00	मिठाई लाल के घर से चनवा तालाब तक नाली निर्माण पर मजदूरी का व्यय	प्रधान नकद
2	13.02.2018	7650.00	उक्त कार्य पर ईटा गिट्टी का व्यय	बृजेश यादव ईटा उद्योग
3	13.02.2018	130000.00	उक्त कार्य पर ईटा का भुगतान	बृजेश यादव ईटा उद्योग
4	23.02.2018	52500.00	उक्त कार्य पर बिल्डिंग मैटेरियल का व्यय	अज्ञात
5	15.03.2018	42000.00	उक्त कार्य पर बिल्डिंग मैटेरियल का व्यय	अज्ञात
	योग	294500.00		

इस पर निम्न आपत्तियां है-

क- उपरोक्त विवरण के अनुसार नाली निर्माण पर कुल रु0 294500.00 व्यय किया गया है जिससे सम्बन्धित कोई भी बिल वाउचर, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जबकि उ0प्र0 ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 क खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर किया गया व्यय गबन है अतः नाली निर्माण पर कुल व्यय रु0 294500.00 वित्तीय अपहरण है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री विमल कुमार एवं सचिव श्री दुर्गेश कुमार समान रूप से उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ख- लेखा परीक्षा में अन्य संगत अभिलेख कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना प्रमाण- पत्र निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजि. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली आदि अप्रस्तुत रहने से किया गया कार्य एवं व्यय अपुष्ट रहा।

ग- आयकर अधिनियम -1961 की धारा -194 सी0 तथा उ0प्र0 वैट अधिनियम-2008 की धारा 3 (7) धारा-2 (ए0पू0) तथा शासनादेश संख्या-ए-1-351/दस-2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार सामग्री आपूर्ति के बिलों के भुगतान से पूर्व आहरण एवं विवरण अधिकारी द्वारा आयकर 2 प्रतिशत एवं वैट 4 प्रतिशत की स्रोत पर ही कटौती करके भुगतान किया जाएगा तथा इस कटौती को नियत समय में राजकोष में किया जाएगा। **मूल आपत्ति संख्या-08**

प्रस्तर (26) वर्ष लेखा परीक्षा में विभिन्न तिथियों में कार्यों पर निम्नवत धनराशि आहरित करके व्यय किया गया है।

क्र०स०	दिनांक	व्यय धनराशि रु०	कार्य का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	09.06.2017	19700.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	प्रधान नकद
2	17.06.2017	19500.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	प्रधान नकद
3	07.07.2017	3500.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	प्रधान नकद
4	07.07.2017	10580.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	प्रधान नकद
5	25.08.2017	4800.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	प्रधान नकद
6	27.12.2017	9800.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	प्रधान नकद
7	08.02.2018	<u>7500.00</u>	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	प्रधान नकद
		योग— 75380.00		
8	17.06.2017	18800.00	सेलर लाइट एवं स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर व्यय	प्रधान नकद
9	28.08.2017	84400.00	सोलर लाइट क्रय पर व्यय	मे० सिंह ट्रेडर्स
10	28.08.2017	<u>84400.00</u>	सोलर लाइट क्रय पर व्यय	मे० सिंह ट्रेडर्स
		योग—187600.00		
11	25.08.2017	30000.00	ह्यूम पाइप क्रय	मे० शिवा ट्रेडर्स
12	11.10.2017	<u>18120.00</u>	ह्यूम पाइप क्रय	मे० शिवा ट्रेडर्स
		योग— 48120.00		
13	20.07.2017	8700.00	ग्राम पंचायत में अतिक्रमण हटाने एवं कुर्सी, मेज पर व्यय	प्रधान नकद
14	09.11.2017	<u>7000.00</u>	ग्राम पंचायत में अतिक्रमण हटाने एवं कुर्सी, मेज पर व्यय	प्रधान नकद
		योग— 15700.00		
15	20.02.2018	<u>11780.00</u>	ग्राम पंचायत में ओ०डी०एफ० जागरूकता रैली पर व्यय	प्रधान नकद
		कुल योग— 338580.00		

इस पर निम्न आपत्तियां हैं।

- उपरोक्त विवरण के अनुसार विभिन्न कार्यों पर कुल रु० 338580.00 व्यय किया गया है, जिसमें हैण्डपम्प मरम्मत पर रु० 75380.00 सोलर लाइट क्रय एवं मरम्मत पर रु० 187600.00, ह्यूम पाइप क्रय पर रु० 48120.00, अतिक्रमण हटाने एवं कुर्सी मेज क्रय पर 15700.00 तथा ओ०डी०एफ० जागरूकता रैली पर रु० 11780.00 व्यय किया है लेखा परीक्षा में उक्त व्ययों का कोई भी बिल वाउचर, व्यय प्रमाणक मस्टर के प्रस्तुत नहीं रहा जबकि उ०प्र० ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेख प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय -8 के खण्ड क एवं ख के अनुसार किये गये व्यय का वाउचर, व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर किया गया व्यय वित्तीय अपहरण है। अतः उक्त व्यय रु० 338580.00 वित्तीय अपहरण है जो अधिभार के योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
 - उपरोक्त कार्यों का अन्य संगत अभिलेख कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, वर्क आई०डी० स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम०बी० निर्माण कार्य रजि० परिसम्पत्ति रजि० स्टाक रजि० आदि अप्रस्तुत रहने से किया गया कार्य एवं व्यय अपुष्ट रहा।
 - आयकर अधि०-1961 की धारा -194 सी तथा उ०प्र० वैट अधि०- 2008 की धारा-3 (7) धारा-2 (ए०यू०) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-351/दस 2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार सामग्री आपूर्ति के बिलों के भुगतान से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आयकर 2 प्रतिशत एवं वैट 4 प्रतिशत की स्रोत पर ही कटौती करके भुगतान किया जाएगा तथा इसे नियम समय में राजकोष में जमा किया जाएगा।
 - वर्ष लेखा परीक्षा में कुल रु० 75380.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय है इस पर अन्य आपत्तियां निम्न हैं।
- क-** मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों की जल निगम की सूची अप्रस्तुत रहने से खराब हैण्डपम्प की पुष्टि नहीं जा सकी।
- ख-** हैण्डपम्प मरम्मत हेतु लाभार्थियों का प्रार्थना-पत्र स्थल सूची आदि अप्रस्तुत रहने से खराब/ मरम्मत हैण्डपम्पों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग- हैण्डपम्पों की मरम्मत में सामग्री का भुगतान चेक द्वारा फर्म के तथा मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल द्वारा होना चाहिए था लेकिन यहां पर हैण्डपम्प मरम्मत के नाम पर समस्त धनराशि का आहरण प्रधान द्वारा नकद करके व्यय किया गया है।

घ- मरम्मत हुए हैण्डपम्पों की जियो टैगिंग प्रमाण-पत्र अप्राप्त रहा।

5. एफ0एच0बी0 खण्ड -1 एवं शासनादेश संख्या-ए-864/दस 08-15186, दिनांक 23.09.2008 के अनुसार एक लाख से कम की सामग्री क्रय कोटेशन द्वारा तथा एक लाख से ऊपर की सामग्री क्रय टेण्डर द्वारा किया जाएगा।

वर्ष लेखा परीक्षा में रु0 48120.00 की ह्यूम पाइप बिना कोटेशन की प्रक्रिया द्वारा मनमाने ढंग से क्रय किया गया है। इसी प्रकार रु0 187600.00 की सोलर लाइट का क्रय बिना टेण्डर की प्रक्रिया के मनमाने ढंग से मानमाने दर से किया गया है।

6. उ0प्र0 नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या 3478/यू0पी0 नेडा पी0वी0 हाईमास्ट/2015, दिनांक 15.11.2015 एवं शासना देश संख्या-1581/45-वि0अति0ऊ0 सो0वि0- 1/2015, दिनांक 16.09.2015 तथा शासनादेश संख्या 33/2017/977/45- वि0 अति0 अ0 सो0 वि0/2017 दिनांक 29.08.2017 के अनुसार ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट यूपी नेडा से ही क्रय करके लगायी जाएगी जबकि वर्ष लेखा परीक्षा में इसका उल्लंघन करके प्राइवेट फर्म में सिंह ट्रेडर्स से क्रय किया गया है जिससे क्रय सामग्री की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता संदिग्ध प्रतीत होती है यह गंभीर प्रकरण है स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

7. आलोच्य वर्ष में रु0 15700.00 ग्राम पंचायत में अति0 हटाने एवं कुर्सी मेज पर तथा रु0 11780.00 ओ0डी0एफ0 जागरूकता रैली पर प्रधान द्वारा नकद आहरित करके व्यय किया गया है, इस पर निम्न आपत्तियां हैं-

क- 14वें वित्त एवं राज्य आयोग की गाइड लाइन्स में इस से कराये जाने वाले कार्यों की सूची में अति0 हटाना एवं ओ0डी0एफ0 जागरूकता रैली पर व्यय का उल्लेख नहीं है अति0 हटाना राजस्व विभाग का कार्य है न कि ग्राम पंचायत का इस प्रकार उक्त व्यय 14वें वि0 आयोग एवं रा0वि0 आयोग की गाइड लाइन्स के विरुद्ध है अतः नियम विरुद्ध है।

ख- उक्त व्यय वर्क आई0डी0 एवं कार्ययोजना के बिना किया गया है मूल आपत्ति संख्या-09

(10) ग्राम पंचायत - मखदूमपुर विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज जनपद -अम्बेडकरनगर

प्रस्तर (27) -ग्राम पंचायत- मखदूमपुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि माह मई 2017 का मानदेय दिनांक 06.06.2017 को चेक संख्या 117 द्वारा प्रदान किया गया है। पुनः 28/07/2017 को चेक संख्या 120 द्वारा माह मई 2017, जून 2017 व जुलाई 2017 का मानदेय दिया जाना कोषबही में दर्शित है इस प्रकार मई 2017 का मानदेय 2 बार आहरित करते हुए एक माह के मानदेय का अपहरण किया गया है।

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	कोषबही के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	मद
1	06.06.2017	117	3500.00	श्री शिरोमणि	प्रधान मानदेय
2	28.07.2017	120	10500.00	श्री शिरोमणि	प्रधान मानदेय
		योग-	14000.00		

उक्त एक माह के मानदेय के रूप में प्रदत्त धनराशि रु0 3500.00 के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, मानदेय पंजिका, प्राप्ति रसीद आदि अभिलेखों के अभाव में दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत मखदूमपुर द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 3500.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिरोमणिव तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ओंकार नाथ यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(11) ग्राम पंचायत –मदैनिया विकास क्षेत्र –जहाँगीरगंज जनपद –अम्बेडकरनगर

प्रस्तर (28) – ग्राम पंचायत मदैनिया की वर्ष 2017–18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 28/12/2017 को माह दिसंबर 2017 और जनवरी 2018 का मानदेय प्रदान किया गया है अर्थात् जनवरी 2018 का मानदेय अग्रिम दे दिया गया है पुनः 16/03/2018 को माह दिसंबर 2017, जनवरी 2018, फरवरी 2018, व मार्च 2018 का मानदेय दिया जाना कोषबही में दर्शित है इस प्रकार दिसंबर 2017 और जनवरी 2018 का मानदेय 2 बार आहरित करते हुए दो माह के मानदेय का अपहरण किया गया है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	कोषबही के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	मद
1	06.06.2017	7000.00	श्री विनोद	प्रधान मानदेय
2	28.07.2017	14000.00	श्री विनोद	प्रधान मानदेय
	योग—	14000.00		

उक्त दो माह के मानदेय के रूप में प्रदत्त धनराशि रु० 70000.00 के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, मानदेय पंजिका प्राप्ति रसीद आदि अभिलेखों के अभाव में दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 उप अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत मदैनिया द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 7000.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-2 उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री विनोद व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-4**वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18****जनपद-अमेठी****मण्डल-अयोध्या****ग्राम पंचायत का नाम-तामामऊ****विकास खण्ड-तिलोई****जनपद – अमेठी**

प्रस्तर संख्या – 01 लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में सेवक के घर से असगर अली के घर तक

1. खड़जा निर्माण पर अनियमित रूप से रु०-187115.00 का व्यय किया गा, इस व्यय पर निम्न आपत्तियां पाई गयीं—
2. खड़जा निर्माण हेतु संस्था द्वारा कोई भी टेंडर आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि रु० एक लाख से अधिक के क्रय पर टेंडर होना आवश्यक है।
3. व्यय धनराशि को ग्रामसभा से रु० 100 के स्टाम्प पर कोई अनुबन्ध नहीं किया गया। इस प्रकार ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी राजेन्द्र सोनकर एवं ग्राम प्रधान अफसाना बानों द्वारा पूर्णतयाप्रतिशत मनमाने एवं अनियमित तरीके से वित्तीय नियमों की अनदेखी करके सामग्री क्रय की गयी हैं यह अनियमितता ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) एवं खण्ड 8 (ख) तथा उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम-1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत है, तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत गम्भीर अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अतःप्रतिशत उक्त धनराशि में से आधा-आधा अर्थात् रु०-93557.50 ग्राम पंचायत अधिकारी राजेन्द्र सोनकर एवं रु०-93557.50 ग्राम प्रधान अफसाना बानों से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

प्रस्तर संख्या -2 लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में कूप मरम्मत पर रु०-35460.00 का व्यय करके दुरुपयोग किया गया है। इस व्यय पर निम्न गम्भीर आपत्तियां पाई गयीं—

1. कूप मरम्मत हेतु रु०-25200.00 का व्यय ईट तथा ईट गिट्टी हेतु और रु०-10260.00 का व्यय मजदूरी हेतु किया गया है। कूप मरम्मत हेतु सीमेंट, बालू, मोरंग आदि पर व्यय शून्य है। इससे यह प्रमाणित होता है कि बिना कार्य कराये ही उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।
2. व्यय धनराशि को ग्रामसभा से स्वीकृत भी नहीं कराया गया है।
3. कार्य से सम्बन्धित न तो कोई फोटो उपलब्ध है और न ही कूप जल के उपयोग की कोई रिपोर्ट।

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सोनकर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अफसाना बानों द्वारा पूर्णतया प्रतिशत मानमाने ढंग से वित्तीय नियमों की अनदेखी करके राजकीय धन का अपहरण किया गया

है। यह अपहरण ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) एवं खण्ड 8(ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम-1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत है, तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अतः प्रतिशत उक्त धनराशि में से आधा-आधा अर्थात् ₹0-17730.00.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सोनकर एवं ₹0-17730.00 ग्राम प्रधान अफसाना बानों से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

ग्राम पंचायत का नाम-असनी विकास खण्ड-तिलोई जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या - 03 लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में मनरेगा योजना के तहत हीरा के घर से आजाद के घर तक खड़जा निर्माण हेतु सामग्री व्यय 105468.00 तथा मजदूरी व्यय 19600.00 ₹0 रहा। इस व्यय पर निम्नलिखित गम्भीर अनियमितता पाई गयी-

1. सामग्री क्रय हेतु कोई टेन्डर नहीं निकाला गया।
2. कृतकार्य न तो वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित था और न ही पंचवर्षीय कार्ययोजना में।
3. क्रय की गई सामग्री पर आयकर/जी0एस0टी0 आदि की कटौती नहीं की गयी।
4. कराये गये कार्य की फोटो एम0आई0एस0 फीडिंग में अपलोड नहीं कराया गया।
5. कार्य की सोशल आडिट रिपोर्ट अनुपलब्ध रही।
6. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं बनाया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रामाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।
8. कराये गये कार्य में मजदूरी ऐसी श्रमिकों को भुगतान की गयी, जिनके द्वारा कार्य की मांग ही नहीं की गई है।

इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अकबरूलनिशा द्वारा पूर्णतया प्रतिशत मनमाने ढंग से वित्तीय नियमों एवं मनरेगा एक्ट की अनदेखी करके राजकीय धन का अनियमित व्यय किया गया। यह व्यय ग्राम पंचायत के वित्त लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) एवं खण्ड 8(ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम-1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत है, तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है।

अतः प्रतिशत उक्त धनराशि में से आधा-आधा अर्थात् ₹0-62534.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार एवं ₹0-62534.00 ग्राम प्रधान श्रीमती अकबरूल निशा से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

ग्राम पंचायत का नाम-सैम्बसी विकास खण्ड-तिलोई जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या - 04 लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ओम प्रकाश के दरवाजे पर कूप मरम्मत हेतु कुल प्रकाश के दरवाजे पर कूप मरम्मत हेतु कुल ₹0-44045.00 का व्यय किया गया। इस व्यय पर निम्न गम्भीर आपत्तियाँ पाई गयीं-

1. कूप मरम्मत हेतु सीमेन्ट, मोरंग, बालू, सरियां आदि के क्रय हेतु मोडर्न ट्रेडर्स को 27320.00 ₹0 का भुगतान किया गया, परन्तु कोटेशन नहीं लिया गया। अतः प्रतिशत भुगतान अनियमित रहा।
2. कूप मरम्मत कार्य की कोई फोटो उपलब्ध नहीं रही।
3. व्यय को ग्राम सभा से स्वीकृत भी नहीं कराया गया।
4. कूप का जल अब इस विकास खण्ड में बहुत ही कम प्रयोग होता है। इसकी साफ सफाई भी नहीं करायी गयी है। अतः प्रतिशत उपर्युक्त व्यय धनराशि का दुर्पयोग किया गया है।

इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय कुमार राय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अंजू देवी द्वारा मनमाने ढंग से वित्तीय नियमों की अनदेखी करके राजकीय धन का दुर्पयोग किया गया। यह व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के खण्ड 8(ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अतः प्रतिशत उक्त धनराशि में से आधी-आधी धनराशि ₹0-22023.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय कुमार राय एवं ₹0-22021.00 ग्राम प्रधान अंजू देवी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम-खरौली विकास खण्ड-तिलोई जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या - 05 लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में चतुर्थ रा0 वित्त आई डी 3536195 पर इन्टर लॉकिंग कार्य सन्तोश के घर से धर्मपाल के घर तक जय दुर्गा कन्स्ट्रक्शन को सामग्री क्रय हेतु चेक सं0-95 दिनांक 16.10.17 को ₹0-336600.00 का भुगतान किया गया है। इस कार्य पर मजदूरी हेतु कुल 360 मानव दिवस की मजदूरी 63000.00 का भुगतान किया गया है। इस व्यय पर निम्न गम्भीर आपत्तियाँ पाई गयीं-

1. सामग्री क्रय हेतु न्यूनतम तीन फर्मों से टेन्डर नहीं लिया गया। न तो फर्म से कोई अनुबन्ध किया गया और न ही जमानत धनराशि जमा कराई गयी। सामग्री पर है या आयकर कटौती भी नहीं की गयी है।
उपर्युक्त व्यय धनराशि को ग्राम सभा की बैठक में पारित भी नहीं कराया गया।
2. क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता बहुत ही घटिया स्तर की थी। गुणवत्ता की जाँच अवर अभियन्ता स्तर के अधिकारी से भी नहीं करायी गयी थी।
3. कार्य का कोई कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्मित नहीं किया गया है। जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रामाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।
4. व्यय धनराशि पर टी0डी0एस0 आदि की कटौती नहीं की गई।

इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री सन्त प्रसाद द्वारा पूर्णतया प्रतिशत मनमाने ढंग से वित्तीय नियमों की अनदेखी करके अनियमितता की गयी। यह अपहरण ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) एवं खण्ड 8(ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम-1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत है, तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अतः प्रतिशत उक्त धनराशि में से आधा-आधा धनराशि रू0-199800.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह एवं रू0-199800.00 ग्राम प्रधान श्री सन्त प्रसाद से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—जगदीशपुर विकास खण्ड—गौरीगंज जनपद — अमेठी

प्रस्तर संख्या — 06 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में मनरेगा के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी को कई बार कहा गया लेकिन उनके द्वारा मनरेगा के कोई भी अभिलेख एवं सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लगातार शासनादेशों एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना की गयी तथा मनरेगा के अभिलेख जैसे कैश बुक/एफ0टी0ओ0 बुक, कार्ययोजना, ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति पत्र, इस्टीमेट, कार्य माप पुस्तिका (एम0बी0), जॉब कार्ड रजिस्टर, जॉब कार्ड मजदूरों का कार्य मांग पत्र, ई एम0बी0 प्रमाणक (बाउचर), मस्टर रोल वाइज किरत, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत में वर्ष 2017-18 में मनरेगा के अंतर्गत व्यय की गयी धनराशि की सूचना (एम0आई0एस0 फीडिंग 2017-18) के अनुसार निम्न प्रकार से है।

वित्तीय वर्ष	मनरेगा के अन्तर्गत एफ0टी0ओ0 के अनुसार प्राप्त की गयी धनराशि	मनरेगा के अन्तर्गत एफ0टी0ओ0 अनुसार व्यय की गयी धनराशि	अभ्युक्ति
2017-18	8225.00	8225.00	—

एम0आई0एस फीडिंग में दर्शित धनराशि-8225.00 रू0 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य समस्त अभिलेख बार बार मांगने के बावजूद प्रस्तुत न किये जाने से उक्त व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुये वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक प्रतिवेदन निर्गत करने हेतु बताया गया। इसके बावजूद भी व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख अनुपलब्ध रहे जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का स्पष्ट आदेश आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, लखनऊ एवं निदेशक पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा अपने शासनादेशों में किया गया है।

अतः प्रतिशत स्पष्ट है कि मनरेगा के अंतर्गत वर्ष में दर्शित कुल व्यय-8225.00 रू0 अनियमित एवं प्रमाणक विहीन हैं जो कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8(क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत एवं नियम 256 तथा अधिभार की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य हैं।

अतः प्रतिशत आपत्ति में अंकित कुल धनराशि-8225.00 रू0 में आधी धनराशि-4112.50 रू0 प्रधान श्री अभय सिंह एवं आधी धनराशि रू-4112.50 श्री हरिश्चन्द्र ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—धारूपुर विकास खण्ड—गौरीगंज जनपद — अमेठी

प्रस्तर संख्या — 07 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में मनरेगा के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी को कई बार कहा गया लेकिन उनके द्वारा मनरेगा के कोई भी अभिलेख एवं सूचना

उपलब्ध नहीं करायी गयी। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लगातार शासनादेशों एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना की गयी तथा मनरेगा के अभिलेख जारी कैश बुक/एफ0टी0ओ0 बुक, कार्ययोजना, ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति पत्र, इस्टीमेट, कार्य गाप पुस्तिका (एम0बी0), जॉब कार्ड रजिस्टर, जॉब कार्ड, मजदूरों का कार्य मांग पत्र, ई एम0बी0 प्रमाणक (वाउचर), मस्टर रोल वाइज किस्त, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत में वर्ष 2017-18 में मनरेगा के अंतर्गत व्यय की गयी धनराशि की सूचना (एम0आई0एस0 फीडिंग 2017-18) के अनुसार निम्न प्रकार से है-

वित्तीय वर्ष	मनरेगा के अन्तर्गत एफ0टी0ओ0 के अनुसार प्राप्त की गयी धनराशि	मनरेगा के अन्तर्गत एफ0टी0ओ0 अनुसार व्यय की गयी धनराशि	अभ्युक्ति
2017-18	656075.00	656075.00	—

एम.आई.एस. फीडिंग में दर्शित धनराशि-656075.00 रु0 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य समस्त अभिलेख बार बार मांगने के बावजूद प्रस्तुत न किये जाने से उक्त व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुये वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक प्रतिवेदन निर्गत करने हेतु बताया गया। इसके बावजूद भी व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख अनुपलब्ध रहे जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का स्पष्ट आदेश आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, लखनऊ एवं निदेशक पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा अपने शासनादेशों में किया गया है।

अतः प्रतिशत स्पष्ट है कि मनरेगा के अंतर्गत वर्ष में दर्शित कुल व्यय 656075.00 रु0 अनियमित एवं प्रमाणक विहीन है जो कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत एवं नियम 256 तथा अधिभार की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

अतः प्रतिशत आपत्ति में अंकित कुल धनराशि-656075.00 रु0 में आधी धनराशि-328037.50 रु0 प्रधान श्रीमती जन्तुन एवं आधी धनराशि रु0-328037.50 श्री राम अभिलाख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम-गोरखापुर विकास खण्ड-संग्रामपुर जनपद - अमेठी
प्रस्तर संख्या - 08 ग्राम पंचायत में निम्न धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय की गयी है।

क्र0सं0	तिथि	धनराशि	क्र0सं0	तिथि	धनराशि	क्र0सं0	तिथि	धनराशि
1	03.04.17	31300.00	14	17.10.17	11675.00	27	15.11.17	20000.00
2	06.09.17	19990.00	15	17.10.17	11450.00	28	24.11.17	20000.00
3	28.09.17	19990.00	16	17.10.17	11675.00	29	24.11.17	20000.00
4	28.09.17	19990.00	17	17.10.17	11450.00	30	24.11.17	20000.00
5	09.10.17	19990.00	18	17.10.17	11675.00	31	21.12.17	19960.00
6	12.10.17	19990.00	19	18.10.17	17360.00	32	27.12.17	20000.00
7	12.10.17	19998.00	20	31.10.17	11675.00	33	27.12.17	19965.00
8	13.10.17	14916.00	21	31.10.17	11675.00	34	08.01.18	40000.00
9	13.10.17	15546.00	22	31.10.17	17060.00	35	30.01.18	60000.00
10	13.10.17	17060.00	23	31.10.17	15546.00	36	05.02.18	17146.00
11	13.10.17	11675.00	24	07.11.17	20000.00	37	08.02.18	11565.00
12	16.10.17	15216.00	25	07.11.17	20000.00	38	26.03.18	20000.00
13	16.10.17	15846.00	26	14.11.17	20000.00	39	26.03.18	20000.00
							योग	7,31,393.00

कुल रु0 7,31,393.00 ग्राम पंचायत में हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है, जिसमें निम्न आपत्तियाँ हैं-

(क) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (जल संसाधन समिति) से प्रस्ताव/अनुमोदन लिया जाना चाहिए, जो कि नहीं लिया गया है।

(ख) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7 (7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए। जबकि हैण्डपम्प मरम्मत करने हेतु क्रय की गयी सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है।

(ग) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7 (4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिए। जबकि हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत करने के उपरान्त निष्प्रयोज्य (खराब) सामग्री को निष्प्रयोज्य स्टॉक रजिस्टर में अंकित करके नीलाम/बिक्री नहीं की गयी है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत किये जाने की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे यह मालूम किया जा सके कि किसकी एवं कितने हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी गयी है।

(च) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए, जो कि नहीं की गयी है।

(छ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(9), 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पस परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात सचिव ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा। बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख-रेख में कराया गया है एवं समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृत एस्टीमेट तथा मानचित्र के अनुसार है, जो कि हैण्डपम्प मरम्मत के भुगतान में नहीं किया गया है।

(ज) उक्त क्रय की गयी सामग्री तथा मजदूरी का व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के समबन्ध में कोई व्यय प्रमाणक/बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि-की वसूली ग्राम प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत से की जानी चाहिए।

(झ) लेखा परीक्षा के समय कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्यपूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है, कि उक्त हैण्ड पम्पों की मरम्मत हेतु क्रय की गयी सामग्रियों पर आवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर वित्त एवं प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2), 7(4), 7(5), 5(5), 5(9), 5(10), 5(11) तथा 8 (क) का उल्लंघन करते हुए धनराशि ₹0-7,31,393.00 का अपहरण किया गया है।

अतः प्रतिशत अपहरित की गयी धनराशि ₹0-7,31,393.00 का आधा ₹0-365696.50 ग्राम प्रधान श्री राम लाल वर्मा से आधा 3,65,696.50 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री योगेश चन्द्र श्रीवास्तव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम-पतापुर विकास खण्ड-संग्रामपुर जनपद - अमेठी
प्रस्तर संख्या - 09 ग्राम पंचायत में निम्न धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय की गयी है।

क्र०सं०	तिथि	धनराशि	क्र०सं०	तिथि	धनराशि
1	25.08.17	17491.00	14	20.08.17	13691.00
2	25.08.17	17.491.00	15	07.10.17	8287.00
3	25.08.17	2500.00	16	13.10.17	17475.00
4	25.08.17	2500.00	17	13.10.17	2500.00
5	13.09.17	17475.00	18	21.12.17	20000.00
6	13.09.17	17481.00	19	21.12.17	20000.00
7	13.09.17	17497.00	20	27.12.17	9596.00
8	14.09.17	2500.00	21	27.12.17	9596.00
9	14.09.17	2500.00	22	27.12.17	15291.00
10	14.09.17	2500.00	23	27.12.17	15291.00
11	20.09.17	9540.00	24	27.12.17	19985.00
12	20.09.17	9540.00	25	27.12.17	19970.00
13	20.09.17	15291.00	26	27.12.17	19955.00
				योग-	3,25,943.00

कुल रु0-3,25,943.00 ग्राम पंचायत में हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है, जिसमें निम्न आपत्तियाँ हैं—

(क) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (जल संसाधन समिति) से प्रस्ताव/अनुमोदन लिया जाना चाहिए, जो कि नहीं लिया गया है।

(ख) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए। जबकि हैण्डपम्प मरम्मत करने हेतु की गयी सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है।

(ग) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिए। जबकि हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है।

(घ) हैण्ड पम्प मरम्मत किये जाने की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे यह मालूम किया जा सके कि किसकी एवं कितने हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी गयी है।

(ङ.) हैण्डपम्प मरम्मत करने के उपरान्त निशप्रयोज्य (खराब) सामग्री निशप्रयोज्य स्टॉक रजिस्टर में अंकित करके नीलाम/विक्री नहीं की गयी है।

(च) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(9), 5(10), एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् सचिव ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा। बिल का अनितम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख-रेख में कराया गया है एवं समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृत एस्टीमेट तथा मानचित्र के अनुसार है, जो कि हैण्डपम्प मरम्मत के भुगतान में नहीं किया गया है।

(छ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए, जो कि नहीं की गयी है।

(ज) उक्त क्रय की गयी सामग्री तथा मजदूरी का व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक/बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि-की वसूली ग्राम प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत से की जानी चाहिए।

(झ) लेखा परीक्षा के समय कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्यपूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त हैण्ड पम्पों की मरम्मत हेतु क्रय की गयी सामग्रियों पर आवास्ताविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर वित्त एवं प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2), 7(4), 7(5), 5(5), 5(10), 5(11) तथा 8 (क) का उल्लंघन करते हुए धनराशि रु0-3,25,943.00 का अपहरण किया गया है।

अतः प्रतिशत अपहरित की गयी धनराशि रु0-3,25,943.00 का आधा रु0-1,62,971.50 ग्राम प्रधान श्रीमती कौशल्या से आधा रु. 1,62,971.50 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री योगेश चन्द्र श्रीवास्तव से 18 प्रतिशत आद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—दहियावां

विकास खण्ड—भादर

जनपद — अमेठी

प्रस्तर संख्या —10 दिनांक प्रतिशत-13.03.2018 को रु0-57000.00 बाबत 25 नग स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु व्यय किया जाना कैश बुक में दर्शित है।

उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्मत के व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं प्रतिशत—

1. उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य से सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
2. स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर किये गये व्यय के सापेक्ष स्थलों की सूची एवं लाभार्थियों द्वारा स्ट्रीट लाइट खराब होने की सूचना तथा मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
3. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण कार्य का पूर्ण होना प्रमाणित नहीं है।
4. व्यय पश्चात् उक्त धनराशियाँ ग्राम सभा द्वारा पारित नहीं करायी गयी।

5. लेखा परीक्षा में स्ट्रीट लाइट मरम्मत से सम्बन्धित कोई सूची/पत्रावली/विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उपरोक्त दर्शित व्यय/भुगतान की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 एवं उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 204 एवं 205 की विपरीत उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अतः प्रतिशत उक्त धनराशि रु0-57,000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अखिलेश सिंह ग्रा0वि0अ0 तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश से संयुक्त रूप से (रु0-28,500.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री अखिलेश सिंह तथा रु0-28,500.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश) से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम-सवनगी विकास खण्ड-भादर जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या - 11 ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय की गयी है-

1. दिनांक-05.02.2018 को रु0-19991.00 चार एसएफसी से बरनवाल मशीनरी स्टोर को भुगतान।
2. दिनांक-05.02.2018 को रु0-19599.00 चार एसएफसी से बरनवाल मशीनरी स्टोर को भुगतान।
3. दिनांक-09.02.2018 को रु0-19664.00 चार एसएफसी से बरनवाल मशीनरी स्टोर को भुगतान।

योग-रु0-59,254.00

उपरोक्त व्यय निम्न आपत्तियाँ है प्रतिशत-

(क) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-5(2) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (जल संसाधन समिति) से प्रस्ताव/अनुमोदन लिया जाना चाहिए, जो कि नहीं लिया गया है।

(ख) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-7 (7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए जबकि हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रय की गयी सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है।

(ग) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय-7 (4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार कोटेशन लिया जाना चाहिए। जबकि हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार कोटेशन नहीं लिया गया।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत किये जाने की सूची लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे यह मालूम नहीं किया जा सका कि किस-किस हैण्डपम्प की मरम्मत करायी गयी।

(ङ.) हैण्डपम्प मरम्मत कराने के उपरान्त निशप्रयोज्य (खराब) सामग्री को निशप्रयोज्य स्टॉक रजिस्टर में अंकित करके नीलामी/बिक्री नहीं की गयी है।

(च) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-5 (9), 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा तथा बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय से प्रमाण-पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख-रेख में कराया गया है। तथा समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृत इस्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है जो कि हैण्डपम्प मरम्मत के भुगतान में नहीं किया गया है।

(छ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय - 5(5) अनुसार ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिये जो कि नहीं की गयी है।

(ज) उक्त क्रय की गयी सामग्री का प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जानी चाहिये।

(झ) लेखा परीक्षा के समय कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रय की गयी सामग्रियों पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धनराशि 59254.00 अपहरण किया गया है। अतः प्रतिशत रु.

29627.00 ग्राम प्रधान श्री बृजलाल तथा रु. 29627.00 श्री दिग्विजय सिंह ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—मंगरौली विकास खण्ड—जगदीशपुर जनपद — अमेठी
प्रस्तर संख्या — 12 ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि नाली मरम्मत पर व्यय की गयी है—

नन्द किशोर के घर से बहका तक	सामग्री	मजदूरी	योग
	119415.00	17918.00	137333.00

उक्त व्यय की गयी धनराशि में निम्न आपत्तियां हैं—

(क) उक्त नालियों के मरम्मत कराये जाने का प्रस्ताव ग्राम सभा की खुली बैठक में पास कराकर कार्ययोजना बनाकर कार्य नहीं कराया गया है।

(ख) नाली मरम्मत हेतु क्रय की गयी सामग्रियों जैसे—सीमेन्ट, मोरंग, बालू, ईटा आदि क्रय करने के पूर्व नियमानुसार तीन फर्मा से टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिए।

(ग) सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (निर्माण कार्य समिति) से अनुमोदन नहीं लिया गया है जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2) के अनुसार ग्राम पंचायत में कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से अनुमोदन लिया जाना चाहिए।

(घ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर/परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए जो कि नहीं किया गया है।

(ङ) नाली मरम्मत कराने का एस्टीमेट नहीं बनाया गया है एवं न तो नापें ही लिखी गयी हैं तथा कार्य समाप्त होने पर एम0बी0 भी नहीं करायी गयी हैं, जिससे यह मालूम नहीं किया जा सका है कि उक्त कार्य में वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की जानी चाहिए थी। मनमाने ढंग से धनराशि व्यय की गयी है।

(च) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(9), 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा एवं अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख-रेख में कराया गया है एवं समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृति एस्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है।

(छ) उक्त व्यय की गयी समस्त धनराशियों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं मास्टर रोल लेखा-परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्राप्त नहीं होता है तो व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्राप्त नहीं होता है तो व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जानी चाहिए।

(ज) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार ठेकेदारों के बिलों से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर कटौती की जानी चाहिए जो कि नहीं की गयी है।

(झ) लेखा-परीक्षा के समय नाली मरम्मत की कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त नालियों के मरम्मत पर रुपये 137333.00 अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः प्रतिशत अपहरित की गयी धनराशि रुपये 137333.00 का आधा रुपये 68667.00 प्रधान श्री लालता प्रसाद से एवं आधा रुपये 68666.00 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कृष्ण कान्त शुक्ला से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या —13 ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से इण्टरलाकिंग कार्य कराकर धनराशि व्यय की गयी है।

क्र	मद	मजदूरी व्यय	सामग्री	इण्टरलाकिंग ईटा	योग
1	मजीद के घर के बगल से इब्राहिम के घर तक	22200.00	178069.00	---	200269.00
2	इब्राहिम के घर से	-----	178222.00	----	178222.00

	समाधिया बाग तक				
	योग	22200.00	356291.00	—	378491.00

उक्त इण्टरलाकिंग का कार्य कराये जाने में निम्न आपत्तियां हैं।

(क) इण्टरलाकिंग लगाने का प्रस्ताव न तो ग्राम पंचायत की बैठक में पास कराया गया और न ही कार्य योजना ही बनायी गयी।

(ख) इण्टरलाकिंग में लगाने वाली इण्टरलाकिंग ईट, एवं सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार तीन फर्मों से टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिए।

(ग) ईटा/सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (निर्माण कार्य समिति) से अनुमोदन नहीं लिया गया है जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2) के अनुसार ग्राम पंचायत में कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से अनुमोदन लिया जाना चाहिए।

(घ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर/परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए जो कि नहीं किया गया है।

(ङ) इण्टरलाकिंग कार्य कराने की न तो माप लिखी गयी है न ही एस्टीमेट बनाया बनाकर ही कार्य कराया गया है और न तो कार्य की एम0बी0 कराकर भुगतान ही किया गया है।

(च) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(9), 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा एवं अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख-रेख में कराया गया है एवं समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृति एस्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है, भुगतान की संस्तुति की जाती है। उक्त समस्त कार्यवाहियां इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कराने में नहीं की गयी है।

(छ) उक्त कार्य में क्रय की गयी सामग्रियों ईट का प्रमाणक एवं मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टर रोल लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्राप्त नहीं होता है तो व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्राप्त नहीं होता है तो व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से भी की जानी चाहिए। उक्त धनराशि रुपये वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8क के अंतर्गत अपहरण, पंचायत नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिभार की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

(ज) लेखा-परीक्षा के समय कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त समस्त कार्यों पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः प्रतिशत व्यय की गयी समस्त धनराशि रुपये 378491.00 का आधा रुपये 189246.00 प्रधान श्री लालता प्रसाद से एवं आधा रुपये 189245.00 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कृष्ण कान्त शुक्ला से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या — 14 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में मनरेगा के अभिलेखा उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी को दो बार लिखित (मांगपत्र साथ में संलग्न है) एवं कई बार मौखिक रूप से कार्यक्रम दिया गया लेकिन उनके द्वारा मनरेगा के कोई भी अभिलेख एवं सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लगातार ऑडित कार्यक्रम, शासनादेशों एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना की गयी तथा मनरेगा के अभिलेख जैसे कैश बुक/ कार्ययोजना गांव सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति पत्र, एप्टीमेट कार्यमाप पुस्तिका (एम0बी0) जाब कार्ड रजिस्टर जाब कार्ड, मजदूरों का कार्य मांग पत्र, ई-एम0बी0 प्रमाणक का (बाउचर) मास्टर रोल वेज लिस्ट कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्टाफ रजिस्टर परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत में वर्ष 2017-18 में मनरेगा के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि की सूचना (एम0आई0एस0 फीडिंग' 2017-18 के अनुसार प्रकार से है)

वित्तीय वर्ष	मनरेगा के अन्तर्गत (एफ0टी0ओ) के अनुसार प्राप्त धनराशि	मनरेगा के अन्तर्गत (एफ0टी0ओ) के अनुसार व्यय की	अभ्युक्ति
2017-18	901780.00	901780.00	अभिलेख अप्राप्त

एम आर्ड एस फीडिंग में दर्शित धनराशि 901780.00 रुपये से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य समस्त अभिलेख बार-बार मांगने के बावजूद प्रस्तुत न किये जाने से उक्त व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक प्रति वेदन निर्गत करने हेतु बताया गया इसके बावजूद भी व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख अनुपलब्ध रहे, जबकि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का स्पष्ट आदेश आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग लखनऊ एवं निदेशक पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा अपने शासनादेशों में किया गया है।

अतः प्रतिशत स्पष्ट है कि मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष में दर्शित कुल व्यय रुपये अनियमित एवं प्रमाणक विहीन है जो कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत एवं नियम 256 तथा अधिभार की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

अतः प्रतिशत आपत्ति में अंकित कुल धनराशि 901780.00 रुपये में आधी धनराशि रुपये 450890.00 प्रधान श्री लालता प्रसाद एवं आधी धनराशि 450890.00 रुपये श्री कृष्ण कान्त शुक्ल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम-पालपुर

विकास खण्ड-जगदीशपुर

जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या - 15 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में मनरेगा के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी को दो बार लिखित (मांगपत्र साथ में संलग्न है) एवं कई बार मौखिक रूप से कार्यक्रम, दिया गया लेकिन उनके द्वारा मनरेगा के कोई भी अभिलेख एवं सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लगातार ऑडित कार्यक्रम, शासनादेशों एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना की गयी तथा मनरेगा के अभिलेख जैसे कौश बुक/बुक कार्ययोजना गांव सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति पत्र, एस्टीमेट कार्यमाप पुस्तिका (एम0बी0) जाब कार्ड रजिस्टर जाब कार्ड, मजदूरो का कार्य मांग पत्र, ई-यम0बी0 प्रमाणक का (बाउचर) मास्टर रोल वेज लिस्ट कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सटाफ रजिस्टर परिसम्पत्ति रजिस्टर, आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत में वर्ष 2017-18 में मनरेगा के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि की सूचना (एम0आई0एस0फीडिंग) 2017-18 के अनुसार प्रकार से है)

वित्तीय वर्ष	मनरेगा अन्तर्गत(एफ0टी0ओ) अनुसार प्राप्त धनराशि	के के	मनरेगा अन्तर्गत(एफ0टी0ओ) अनुसार व्यय की	के के	अवमुक्ति
2017-18	805693.00		805693.00		अभिलेख अप्राप्त

एम आर्ड एस फीडिंग में दर्शित धनराशि-805693.00 रुपये से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य समस्त अभिलेख बार-बार मांगने के बावजूद प्रस्तुत न किये जाने से उक्त व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक प्रति वेदन निर्गत करने हेतु बताया गया इसके बावजूद भी व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख अनुपलब्ध रहे, जबकि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का स्पष्ट आदेश आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग लखनऊ एवं निदेशक पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा अपने शासना देशों में किया गया है।

अतः प्रतिशत स्पष्ट है कि मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष में दर्शित कुल व्यय रुपये अनियमित एवं प्रमाणक विहीन है जो कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत एवं नियम 256 तथा अधिकार की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

अतः प्रतिशत आपत्ति में अंकित कुल धनराशि 805693.00 रुपये में आधी धनराशि रुपये 402847.00 प्रधान श्री मोहम्मद नसीम एवं आधी धनराशि 402846.00 रुपये श्री रवीन्द्र नाथ पाण्डेय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—अंकरा विकास खण्ड—जगदीशपुर जनपद — अमेठी
प्रस्तर संख्या — 16 ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि व्यय की गयी है—

	धनराशि मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय
ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर नाली सफाई	34300.00	—	34300.00
इण्टर लॉकिंग कार्य पक्की सड़क वा बाबादीन के कुआं से सोसिंग तक	3828.00	86659.00	90487.00
सम्पर्क मार्ग निर्माण हफीज के घर पक्की सड़क से लेतारपुर बार्डर तक	44625.00	—	44625.00
चकमार्ग निर्माण जुनैद के घर के पास से तेजई के घर के पास तक 2 से वटर रोड से खेत तक 1. प्रधानमंत्री रोड से लाला के चार तक	93975.00	—	93975.00
कोदारहिया तालाब की खुदाई कार्य	55825.00	55825.00	
योग=	232553.00	86659.00	319212.00

उक्त कार्य कराने में निम्न आपत्तियां हैं—

(क) कार्य कराने का प्रस्ताव ग्राम सभा की खुली बैठक में पास कराकर कार्ययोजना बनाकर कार्य नहीं कराया गया है। मनमाने ढंग से केवल अभिलेखों में ग्राम सभा की बैठक कर प्रस्ताव पास कर दिया गया है।

(ख) कार्य कराने का मानचित्र (एस्टीमेट) तकनीकी सहायक से बनवाकर उन्हीं से एम0बी0 भी करवाकर भुगतान ले लिया गया है। जबकि नियमानुसार एस्टीमेट एवं एम0बी0 पर अवर अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कराया जाना चाहिए जो कि नहीं कराया गया है।

(ग) हर कार्य की ई एम बी(इलेक्ट्रानिक एमबी) होनी चाहिए जो कि नहीं निकाली गयी है। बिना इलेक्ट्रानिक एम0बी0 के ही भुगतान किया गया है।

(घ) प्रत्येक मास्टर रोल को ग्राम पंचायत के दो सम्मानित व्यक्तियों से अनुमोदित कराया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया गया है।

(ङ.) प्रत्येक मास्टर रोल पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का विवरण लिखा जाना चाहिए, जो कि नहीं लिखा गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि इनको पूर्णरूपेण भागीदारी नहीं दी गयी है।

(च) मास्टर रोलों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत में केवल 20 या 25 मजदूरों को बार-बार कार्य दिया गया है। जबकि ग्राम पंचायत में लगभग तीन या चार सौ मजदूरों का जॉब कार्ड बना हुआ है।

(छ) ग्राम पंचायत में शासन द्वारा निर्धारित 60 प्रतिशत 40 के मानक का पालन नहीं किया गया है। 80 प्रतिशत कार्य कच्चा कराया गया है।

(ज) लेखा-परीक्षा के समय परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उक्त कार्य कराये भी गये हैं कि नहीं। क्योंकि ग्राम पंचायत में कराये गये समस्त कार्य परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकित किये जाते हैं।

(झ) लेखा-परीक्षा के समय कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने से कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

अतः प्रतिशत उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि समस्त कार्यों पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः प्रतिशत अपहरित धनराशि रुपये 319212.00 में से रुपये प्रधान श्री जुनैद अहमद से रु. 159606.00 एवं आधा रुपये 159606.00 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र नाथ पाण्डेय से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—जलालपुर तिवारी विकास खण्ड—जगदीशपुर जनपद — अमेठी
प्रस्तर संख्या — 17 ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से स्ट्रीट लाइट पर व्यय किया गया है—

स्ट्रीट लाइट 20 नग	4250.00 /नग	85000.00	
सोलर लाइट 10 नग	21800.00 /नग	218000.00	ओम कान्सट्रक्सन कम्पनी
		303000.00	

उक्त सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट क्रय किये जाने में निम्न आपत्तियां हैं—

(क) सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट क्रय किये जाने का प्रस्ताव ग्राम सभा की खुली बैठक में पास कराकर कार्ययोजना बनाकर कार्य नहीं कराया गया है।

(ख) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(क) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से प्रस्ताव/अनुमोदन लिया जाना चाहिए जो कि नहीं लिया गया है।

(ग) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त क्रय की गयीसामग्री को स्टॉक रजिस्टर/परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए जो कि नहीं किया गया है।

(घ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिए जोकि नहीं लिया गया है। सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट की खरीद मनमाने ढंग से वास्तविक दाम से दुगुने दाम पर बिचौलियों/दलालों से क्रय किया गया है। जबकि नियमानुसार सामग्री की खरीद सीधे कम्पनी से या अधिकृत डीलर से ही किये जाने का प्राविधान है।

(ङ.) सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट क्रय करने के उपरान्त तीन वर्षों तक विक्रेता/डीलर द्वारा मुफ्त में रख-रखाव/खराब होने की जिम्मेदारी रहती है। जब कि ग्राम पंचायतों में प्रत्येक वर्ष लाखों की सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट की मरम्मत पर व्यय दर्शित किया जा रहा है।

(च) लेखा-परीक्षा के समय परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने से उक्त सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट के लगाने के स्थान की जानकारी नहीं हो पायी है। परिसम्पत्ति रजिस्टर न बनाये जाने के कारण सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट की खरीद केवल अभिलेखों में की जा रही है।

(छ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(9), 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख-रेख में कराया गया है एवं समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृति एस्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है। सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट क्रय में उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया है।

(ज) सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट क्रय किये जाने में सम्बन्धित प्रमाणक लेखा-परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्राप्त नहीं होता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

(झ) लेखा-परीक्षा के समय कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट की अवास्तविक खरीद दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः प्रतिशत क्रय की गयी धनराशि रूपये 303000.00 का आधा रूपये 151500.00 प्रधान श्रीमती भगवत्ता एवं आधा रूपये 151500.00 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री बैजनाथ पाण्डेय से 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -18 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में मनरेगा के अभिलेखा उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी को दो बार लिखित (मांगपत्र साथ में संलग्न है) एवं कई बार मौखिक रूप से कार्यक्रम दिया गया लेकिन उनके द्वारा मनरेगा के कोई भी अभिलेख एवं सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लगातार ऑडित कार्यक्रम, शासनादेशों एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना की गयी तथा मनरेगा के अभिलेख जैसे कैश बुक/बुक कार्ययोजना गांव सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति पत्र, एप्टीमेट कार्यमाप पुस्तिका (एम0बी0) जाब कार्ड रजिस्टर जाब कार्ड, मजदूरों का कार्य मांग पत्र, ई-एम0बी0 प्रमाणक का (बाउचर) मास्टर रोल वेज लिस्ट कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्टॉफ रजिस्टर परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत में वर्ष 2017-18 में मनरेगा के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि की सूचना (एम0आई0एस0 फीडिंग' 2017-18 के अनुसार प्रकार से है)

वित्तीय वर्ष	मनरेगा के अन्तर्गत (एफ0टी0ओ0) के अनुसार प्राप्त धनराशि	मनरेगा के अन्तर्गत (एफ0टी0ओ0) के अनुसार व्यय की	अभ्युक्ति
2017-18	311175.00	311175.00	अभिलेख अप्राप्त

एम आर्ड एस फीडिंग में दर्शित धनराशि 311175.00 रुपये से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य समस्त अभिलेख बार-बार मांगने के बावजूद प्रस्तुत न किये जाने से उक्त व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक प्रति वेदन निर्गत करने हेतु बताया गया इसके बावजूद भी व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख अनुपलब्ध रहे, जबकि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का स्पष्ट आदेश आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग लखनऊ एवं निदेशक पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा अपने शासनादेशों में किया गया है।

अतः प्रतिशत स्पष्ट है कि मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष में दर्शित कुल व्यय रुपये अनियमित एवं प्रमाणक विहीन है जो कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत एवं नियम 256 तथा अधिभार की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

अतः प्रतिशत आपत्ति में अंकित कुल धनराशि 311175.00 रुपये में आधी धनराशि रुपये 155588.00 प्रधान श्रीमती भगवत्ता एवं आधी धनराशि 155587.00 रुपये बैजनाथ पाण्डेय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—बगाही विकास खण्ड—जगदीशपुर जनपद — अमेठी

प्रस्तर संख्या — 19 ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय की गयी है।

वर्ष 2017-18 — 56393.00 कुल 56393.00 रुपये ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है, जिसमें निम्न आपत्तियां हैं प्रतिशत—

(क) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (जल संसाधन समिति) से प्रस्ताव/अनुमोदन लिया जाना चाहिए, जो कि नहीं लिया गया है।

(ख) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए, जबकि हैण्डपम्प मरम्मत करने हेतु क्रय की गयी सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है।

(ग) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिए। जबकि हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय करने से पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत किये जाने की सूची लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे यह मालूम किया जा सके कि किसकी एवं कितनी हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी गयी है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत करने के उपरान्त निष्प्रयोज्य (खराब) सामग्री को निष्प्रयोज्य स्टॉक रजिस्टर में अंकित करके नीलाम/बिक्री नहीं की गयी है।

(च) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(9), 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा एवं बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख-रेख में कराया गया है एवं समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृति एस्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है। जोकि हैण्डपम्प मरम्मत के भुगतान में नहीं किया गया है।

(छ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर कटौती की जानी चाहिए जो कि नहीं की गयी है।

(ज) उक्त क्रय की गयी सामग्री का प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जानी चाहिए।

(झ) लेखा परीक्षा के समय कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु क्रय की गयी सामग्रियों पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर पर धनराशि 56393.00 रुपये का अपहरण किया गया है।

अतः प्रतिशत अपहरित की गयी धनराशि रुपये 56393.00 का आधा रुपये 28197.00 प्रधान श्री कड़ेदीन यादव से एवं आधा रुपये 28196.00 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 20 ग्राम पंचायत निम्न प्रकार से स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट क्रय किया जाना दर्शित है।

1- स्ट्रीट लाइट	19.09.17	10 नग दर 4200.00	42000.00	विजय कान्द्रक्सन कम्पनी
2- सोलर लाइट	20.09.17	3 नग दर 21500.00	64500.00	रायल इण्टरप्राइजेज
3- सोलर लाइट	05.10.17	1 नग दर 21500.00	21500.00	रायल इण्टरप्राइजेज
4- सोलर लाइट	13.10.17	1 नग दर 21500.00	21500.00	विजय कान्द्रक्सन कम्पनी
		योग	149500.00	

उक्त सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट क्रय किये जाने में निम्न आपत्तियां हैं प्रतिशत-

(क) सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट क्रय किये जाने का प्रस्ताव ग्राम सभा की खुली बैठक के पास कराकर कार्ययोजना बनाकर कार्य नहीं कराया गया है।

(ख) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(क) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने से पूर्व सम्बन्धित समिति से प्रस्ताव/अनुमोदन लिया जाना चाहिए जो कि नहीं लिया गया है।

(ग) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त क्रय की गयी सामग्री को स्टॉक रजिस्टर/परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए जो कि नहीं किया गया है।

(घ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिए, जो कि नहीं लिया गया है। सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट की खरीद मनमाने ढंग से वास्तविक दाम से दुगुने दाम पर बिचौलियों/दलालों से क्रय किया गया है। जबकि नियमानुसार सामग्री की खरीद सीधे कम्पनी से या अधिकृत डीलर से ही किये जाने का प्राविधान है।

(ङ) सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट क्रय करने के उपरान्त तीन वर्षों तक विक्रेता/डीलर द्वारा मुफ्त में रख-रखाव/खराब होने की जिम्मेदारी रहती है, जबकि ग्राम पंचायतों में प्रत्येक वर्ष लाखों की सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट की मरम्मत पर व्यय दर्शित किया जा रहा है।

(च) लेखा परीक्षा के समय परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने से उक्त सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट के लगाने के स्थान की जानकारी नहीं हो पायी है। परिसम्पत्ति रजिस्टर न बनाये जाने के कारण सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट की खरीद केवल अभिलेखों में की जा रही है।

(छ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(90), 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा तथा बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख-रेख में कराया गया है एवं समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृति एस्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है। सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट क्रय करने में उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया है।

(ज) सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट क्रय किये जाने में सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्राप्त नहीं होता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

(झ) लेखा परीक्षा के समय कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट की अवास्तविक खरीद दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः प्रतिशत क्रय की गयी धनराशि रुपये 149500.00 का आधा रुपये 74750.00 प्रधान श्री कड़ेदीन यादव एवं आधा रुपये 74750.00 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-21 ग्राम पंचायत निम्न प्रकार से धनराशि खड़न्जा मरम्मत/खड़न्जा निर्माण पर व्यय की गयी है।

क्र	कार्य का नाम	मजदूरी पर	मिट्टी पर	सामग्री/ईट	योग
1	खड़न्जा निर्माण मिश्रौली पिच रोड से कैलाश के दरवाजे तक	13224.00	—	72324.00	85548.00
2	खड़न्जा निर्माण दिनेश शर्मा के फुलवारी से राम नारायण के दरवाजे तक	3132.00	—	17488.00	20620.00
3	खड़न्जा मरम्मत हरिजन बस्ती से राजकुमार के खेत तक	15660.00	5400.00	52800.00	73860.00
4	खड़न्जा मरम्मत बड़े कुआं से राम मिलन तिवारी के दरवाजे तक	9744.00	3800.00	29990.00	42354.00
5	खड़न्जा मरम्मत बंशी के दरवाजे से राम समुक्ष के ट्यूबेल तक	27144.00	—	21400.0	48544.00
6	खड़न्जा मरम्मत बजरंग बली के दरवाजे से हरिजन बस्ती तक	26745.00	9600.00	71750.00	108095.00
7	खड़न्जा मरम्मत बाबू लाल के दरवाजे से नंदलाल के दरवाजे तक	12075.00	6770.00	57020.00	75865.00
8	खड़न्जा मरम्मत कल्लू के घर से धरमराज के घर तक	42108.00	—	18900.00	61008.00
9	खड़न्जा मरम्मत दिनेश के दरवाजे से जंग बहादुर के घर तक	37625.00	7050.00	126000.00	170675.00
10	खड़न्जा मरम्मत कोटेदार के दरवाजे से निजाम के दरवाजे तक	—	—	27761.00	27761.00
11	खड़न्जा मरम्मत मंदिर के पास से बुधराम के दरवाजे तक	35040.00	4800.00	17800.00	57640.00
12	खड़न्जा मरम्मत प्राइमरी पाठशाला सड़क से राजेश के दरवाजे तक	42175.00	10200.00	74000.00	126375.00
	योग	264672.00	47620.00	587233.00	899525.00

उक्त खड़न्जा निर्माण एवं मरम्मत कराने में निम्न आपत्तियां हैं।

(क) खड़न्जा निर्माण/मरम्मत कराने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पास कराया गया और न तो कार्ययोजना ही बनायी गयी।

(ख) खड़न्जा निर्माण/मरम्मत कराने हेतु ईट क्रय करने के पूर्व तीन फर्मों से टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है। जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व तीन फर्मों से नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिये।

(ग) ईट/सामग्री क्रय करने के पूर्व निर्माण कार्य समिति (सम्बन्धित समिति) से अनुमोदन नहीं लिया गया है जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2) के अनुसार ग्राम पंचायत में कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (निर्माण कार्य समिति) से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है।

(घ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(7) सामग्री क्रय करने के उपरान्त क्रय की गयी सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिये जो कि नहीं किया गया है।

(छ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(9), 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा तथा बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख-रेख में कराया गया है एवं समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृति एस्टीमेट एवं मानचित्र एम0बी0 के अनुसार है। भुगतान की संस्तुति की जाती है। उक्त समस्त कार्यवाहियां खड़न्जा निर्माण/खड़न्जा मरम्मत कराने में नहीं की गयी है।

(ज) खड्डन्जा निर्माण/मरम्मत कराने में जितनी नयी ईंटों को लगाया गया है उतनी ही पुरानी ईंटें निकली होगी जिसमें से करीब 60 प्रतिशत टुकड़ों के रूप में एवं 40 प्रतिशत समूचे ईंटों के रूप में निकली होगी जिनको स्टाक रजिस्टर में अंकित करके उपभोग करना चाहिये या नीलाम करके नीलामी की राशि पंचायत मद में जमा की जानी चाहिये जो नहीं जमा की गयी।

(झ) उक्त क्रय की गयी सामग्रियों का प्रमाणक एवं मास्टर रोल लेखा परीक्षक के समय प्रस्तुत नहीं किया जब कि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुये इसकी वसूली सचिव ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान से की जानी चाहिये। अतः प्रतिशत उक्त धनराशि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8क के अंतर्गत अपहरण एवं पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है। तथा नियम 256 एवं अधिभार की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

(ट) लेखा परीक्षा के समय कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण कराये गये कार्यों की पूर्णतया प्रमाणित नहीं होती है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त समस्त कार्यों पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः प्रतिशत व्यय की गयी समस्त धनराशि रुपये 899525.00 का आधा रुपये 449763.00 प्रधान श्री कड़ेदीन एवं आधा रुपये 449462.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -22 ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से इण्टर लांकिंग का कार्य कराकर धनराशि व्यय की गयी है।

क्र	मद	मजदूरी व्यय	सामग्री	इण्टरलांकिंग ईटा	योग
1	मस्जिद से पुलिया तक	10440.00	40747.00	177670.00	228857.00
2	कामता के दरवाजे से मुस्तफा के दरवाजे तक	25925.00	29994.00	110706.00	156625.00
	योग	26365.00	70741.00	288376.00	385482.00

उक्त इण्टरलांकिंग का कार्य कराये जाने में निम्न आपत्तियां हैं।

1. इण्टरलांकिंग लगाने का प्रस्ताव न तो ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पास कराया गया है एवं न तो कार्य योजना ही बनायी गयी है।
2. इण्टरलांकिंग कार्य में लगाने वाली इण्टरलांकिंग ईट, ईट एवं सामग्री क्रय करने के पूर्व तीन फर्मों से टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व तीन फर्मों से नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिये।
3. ईटा/सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (निर्माण कार्य) से अनुमोदन नहीं किया गया है, जबकि विता एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2) के अनुसार ग्राम पंचायत में कोई भी सामग्री क्रय करने पूर्व सम्बन्धित समिति से अनुमोदन लेना आवश्यक है।
4. वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त क्रय की गयी सामग्री को स्टाक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिये जो कि नहीं किया गया है।
5. इण्टरलांकिंग कार्य कराने की न तो माप लिखी गयी है और न ही एस्टीमेट बनाकर कार्य ही कराया गया है और न तो कार्य की एम0बी0 कराकर भुगतान ही किया गया है।
6. वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(9), 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा तथा बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख-रेख में कराया गया है एवं समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृति एस्टीमेट एवं मानचित्र एम0बी0 के अनुसार है। भुगतान की संस्तुति की जाती है। उक्त समस्त कार्यवाहियां इण्टरलांकिंग कार्य कराने में नहीं की गयी हैं।

7. उक्त कार्य में क्रय की गयी सामग्रियों ई का प्रमाणक एवं मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मास्टर रोल लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है व्यय की गयी धनराशि

को अपहरण मानते हुये इसकी वसूली सचिव ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान से की जानी चाहिये । अतः प्रतिशत उक्त धनराशि रु. 385482.00 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8क के अंतर्गत अपहरण एवं पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है। तथा नियम 256 एवं अधिभार की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

(ट) लेखा परीक्षा के समय कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कराये गये कार्यों की पूर्णतया प्रमाणित नहीं होती है।

उक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त समस्त कार्यों पर पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः प्रतिशत व्यय की गयी समस्त धनराशि रु. 385487.00 रुपये का आधा 192741.00 रुपये ग्राम प्रधान श्री कड़ेदीन एवं 192741.00 रु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –23 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा मनरेगा के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी को दो बार लिखित (मांग पत्र साथ में संलग्न है) कई बार मौखिक रूप से कार्यक्रम दिया गया लेकिन उनके द्वारा मनरेगा के कोई भी अभिलेख एवं सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लगातार आडिट कार्यक्रम, शासनादेशों एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना की गयी तथा मनरेगा के अभिलेख जैसे कैशबुक/एफ0टी0ओ0 बुक कार्य योजना ग्राम सभी की खुली बैठक का प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृत पत्र, एस्टीमेट कार्य माप पुस्तिका(एम0बी0) जाब कार्ड रजिस्टर जाब कार्ड, मजदूरों का कार्य मांग पत्र, ई0एम0बी प्रमाणक (वाउचर) मस्टर रोल वेज लिस्ट कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत में वर्ष 2017-18 में मनरेगा के अंतर्गत व्यय की गयी धनराशि की सूचना (एम0आई0एस0 फीडिंग 2017-18 के अनुसार निम्न प्रकार से है)–

वित्तीय वर्ष	मनरेगा के अंतर्गत एफ0टी0ओ0 के अनुसार प्राप्त धनराशि	मनरेगा के अंतर्गत एफ0टी0ओ0 के अनुसार व्यय की गयी धनराशि	अवमुक्ति
2017-18	2388252.00	2388252.00	मनरेगा के अभिलेख अप्राप्त

एम0आई0एस फीडिंग में अनुसार दर्शित धनराशि रु. 2388252.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य समस्त अभिलेख बार-बार मांगने के बावजूद प्रस्तुत न किये जाने से उक्त व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुये वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी को आवश्यक प्रतिवेदन निर्गत करने हेतु बताया गया उसके बावजूद भी व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेख अनुपलब्ध रहे जबकि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का स्पष्ट आदेश आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग लखनऊ एवं निदेशक पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अपने शासनादेशों में किया गया है।

अतः प्रतिशत स्पष्ट है कि मनरेगा के अंतर्गत वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु. 2388252.00 अनियमित एवं प्रमाणक विहीन है जो कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत एवं 256 तथा अधिभार की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है जो कि अधिभार के योग्य है।

अतः प्रतिशत आपत्ति में अंकित कुल धनराशि रु. 2388252.00 में आधी धनराशि रु. 1194141.00 ग्राम प्रधान श्री कड़ेदीन यादव एवं आधी धनराशि रु. 1194141.00 रु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—गाईमऊ विकास खण्ड—जगदीशपुर जनपद — अमेठी

प्रस्तर संख्या – 24 ग्राम पंचायत में निम्नप्रकार से धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय की गयी है।

दिनांक 09.05.17 – 15322.00 सामग्री

1.	09.05.2017	15322.00	सामग्री
2.	16.05.17	4110.00	मजदूरी
3.	12.07.17	14955.00	सामग्री
4.	20.07.17	14955.00	सामग्री
5.	12.07.17	4375.00	मजदूरी
6.	07.02.18	14955.00	सामग्री

7.	07.02.18	4375.00	मजदूरी
योग			73047.00

कुल 73047.00 रुपये ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है, जिसमें निम्न आपत्तियां हैं प्रतिशत—

(क) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (जल संसाधन समिति) से प्रस्ताव/अनुमोदन लिया जाना चाहिए, जो कि नहीं लिया गया है।

(ख) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए, जबकि हैण्डपम्प मरम्मत करने हेतु क्रय की गयी सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है।

(ग) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिए। जबकि हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय करने से पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत किये जाने की सूची लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे यह मालूम किया जा सके कि किसकी एवं कितनी हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी गयी है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत करने के उपरान्त निष्प्रयोज्य (खराब) सामग्री को निष्प्रयोज्य स्टॉक रजिस्टर में अंकित करके नीलाम/बिक्री नहीं की गयी है।

(च) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(9), 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा एवं बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख-रेख में कराया गया है एवं समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृति एस्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है। जोकि हैण्डपम्प मरम्मत के भुगतान में नहीं किया गया है।

(छ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर कटौती की जानी चाहिए जो कि नहीं की गयी है।

(ज) उक्त क्रय की गयी सामग्री का प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जानी चाहिए।

(झ) लेखा परीक्षा के समय कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु क्रय की गयी सामग्रियों पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर पर धनराशि 73047.00 रुपये का अपहरण किया गया है।

अतः प्रतिशत अपहरित की गयी धनराशि रुपये 73047.00 का आधा रुपये 36524.00 प्रधान श्रीमती कलावती से एवं आधा रुपये 36523.00 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र नाथ पाण्डेय से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –25 ग्राम पंचायत निम्न प्रकार से धनराशि खड़न्जा मरम्मत निर्माण पर व्यय की गयी है।
खड़न्जा निर्माण प्रतिशत— पुराने खड़न्जा से राम बहादुर के घर तक

खड़न्जा मरम्मत प्रतिशत— दूधनाथ के घर के सामने से बड़े खम्भे तक	1	31.08.17	मिट्टी	5950.00
	2	31.08.17	मजदूरी	110950.00
	3	05.09.17	20 मजदूरी	126000.00
	4	05.09.17	20 मजदूरी	126630.00
खड़न्जा निर्माण प्रतिशत— पुराने खड़न्जा से राम बहादुर के घर तक	1	08.09.17	मजदूरी	4200.00
	2	08.09.17	ईट 2223 नग	14000.00
	3	08.09.17	ईट 3225 नग	20317.00
योग				408047.00

उक्त खड़न्जा निर्माण में निम्न आपत्तियां हैं प्रतिशत—

(क) उक्त खड़न्जा के मरम्मत कराने का प्रस्ताव ग्राम सभा की खुली बैठक के पास कराया गया है एवं न तो कार्ययोजना ही बनायी गयी है।

(ख) खड़न्जा मरम्मत कराने हेतु ईट क्रय करने से पूर्व तीन फर्मों से टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने से पूर्व सम्बन्धित समिति (निर्माण कार्य समिति) से प्रस्ताव एवं अनुमोदन लेना आवश्यक है।

(ग) ईट क्रय करने के पूर्व निर्माण समिति से अनुमोदन नहीं लिया गया है, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2) के अनुसार ग्राम पंचायत में कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (निर्माण कार्य समिति) से प्रस्ताव एवं अनुमोदन लेना आवश्यक है।

(घ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त क्रय की गयी सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जाना आवश्यक है, जो कि नहीं किया गया है।

(ङ) खड़न्जा मरम्मत कराने की न तो माप लिखी गयी है एवं न तो एस्टीमेट बनाकर कार्य कराया गया है एवं न तो कार्य की एम0बी0 कराकर ही भुगतान किया गया है।

(च) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(9), 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा। अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख-रेख में कराया गया है एवं समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृति एस्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है। भुगतान की संस्तुति की जाती है। उक्त समस्त कार्यवाहियां खड़न्जा मरम्मत कराने में नहीं की गयी है।

(छ) खड़न्जा मरम्मत कराने में जितनी ईंटों का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है कि उतनी ही ईंटें पुरानी भी निकली होगी, जिसमें से 60 प्रतिशत टुकड़ों के रूप में एवं 40 प्रतिशत समूच ईंट निकलनी चाहिए, जिनको स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया गया है।

(ज) उक्त क्रय की गयी ईंटों का प्रमाणक एवं मास्टर रोल लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जानी चाहिए।

(झ) लेखा परीक्षा के समय कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर कर रुपये 408047.00.सचिव ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान द्वारा धन का अपहरण किया गया है।

अतः प्रतिशत अपहरित की गयी धनराशि रुपये 408047.00 का आधा रुपये 204024.00 प्रधान श्रीमती कलावती से एवं आधा रुपये 204023.00 सचिव श्री रवीन्द्र नाथ पाण्डेय से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 26 ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि पंचायत भवन के मरम्मत पर व्यय की गयी है।

1—	18.04.17	सामग्री क्रय	11445.00	यादव बिल्डिंग मटेरियल
2—	18.04.17	सामग्री क्रय	14705.00	जे0पी0 ट्रेडर्स
3—	18.04.17	मजदूरी	1974.00	
4—	20.04.17	गिट्टी	2520.00	
			30644.00	

पंचायत भवन के मरम्मत कराये जाने में निम्न आपत्तियां हैं प्रतिशत—

(क) पंचायत भवन के मरम्मत कराये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव न तो ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पास कराया गया है एवं न तो कार्य योजना बनाकर सम्बन्धित अधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति एवं टेक्निकल स्वीकृति ही ली गयी है।

(ख) पंचायत भवन के मरम्मत कराने हेतु सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार तीन फर्मों से कोटेशन/टेण्डर नहीं लिया गया है, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार ग्राम पंचायत में कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व तीन फर्मों से नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिए जो कि नहीं किया गया है।

(ग) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2) के अनुसार ग्राम पंचायत में कोई भी सामग्री क्रय (व्यय) करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (निर्माण कार्य समिति से) से अनुमोदन लेना आवश्यक है जो कि नहीं किया गया है।

(घ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार ग्राम पंचायत में कोई भी सामग्री क्रय करने के उपरान्त क्रय सामग्री को स्टाक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए जो कि इसमें नहीं किया गया है।

(ङ) पंचायत भवन के मरम्मत कराने के पूर्व न तो एस्टीमेट बनाया गया है एवं न तो कार्य की समाप्ति पर माप (एम0बी0) कराकर भुगतान ही किया गया है।

(च) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(90), 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र होने पर सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा। अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख-रेख में कराया गया है एवं समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृति एस्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है। भुगतान की संस्तुति की जाती है। उक्त समस्त कार्यवाहियां, पंचायत भवन मरम्मत में नहीं की गयी है।

(छ) उक्त समस्त क्रय की गयी सामग्रियों का प्रमाणक एवं मस्टररोल लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जानी चाहिए।

(ज) लेखा परीक्षा के समय कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कराये गये कार्यों की पूर्णता प्रमाणित नहीं होती है।

अतः प्रतिशत उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर रुपये 30644.00 सचिव ग्राम पंचायत एवं प्रधान के द्वारा अपहरण कर लिया गया है।

अतः प्रतिशत आधी धनराशि रुपये 15322.00 सचिव ग्राम पंचायत श्री रवीन्द्र नाथ पाण्डेय एवं 15322.00 रुपये ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -27 ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से मनरेगा में कार्य कराकर धनराशि व्यय की गयी है—

मजदूरी सामग्री	योग
1. 07 नग इंदिरा आवास के निर्माण में मजदूरी पर व्यय	57400.00 ----- 57400.00
2. पुलिया से गिरधारी के पुरवा तक सम्पर्क मार्ग निर्माण	67200.00 17400 84600.00
3. पटरी भराई पुल से विश्वनाथ मौर्या के सामने तक	56000.00 ----- 56000.00
4. पक्की सड़क से नाजिम के घर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण	11725.00 -----11725.00
5. जाहिद के घर के पीछे से पक्की सड़क तक खड्न्जा निर्माण	22925.00 ----- 22925.00
6. पुराने खड्न्जा से रामसरन के घर तक खड्न्जा निर्माण	13125.00 -----13125.00
7. विश्वनाथ मौर्या के घर के बगल से गिरधारी के पुरवा तक पटरी भराई	22575.00 ----- 22575.00
8. पूरे बन्धन से गिरधारी तक खड्न्जा के दोनों तरफ पटरी भराई	9975.00 ----- 9975.00
9. शिवबक्स के पुरवा में तालाब खुदाई कार्य	299250.00 ----- 299250.00
योग— 5	60175.00 17400.00 577575.00

उक्त कार्य कराने में निम्न आपत्तियां हैं प्रतिशत—

(क) कार्य कराने का प्रस्ताव ग्राम सभा की खुली बैठक में पास कराकर कार्य योजना बनाकर कार्य नहीं कराया गया है। मनमाने ढंग से केवल अभिलेखों में ग्राम सभा की बैठक कर प्रस्ताव पास कर दिया गया है।

(ख) कार्य कराने का मानचित्र (एस्टीमेट) तकनीकी सहायक से बनवाकर उन्हीं से एम0बी0 भी करवाकर भुगतान ले लिया गया है। जबकि नियमानुसार एस्टीमेट एवं एम0बी0 अवर अभियन्ता स्तर के अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित कराया जाना चाहिये जो कि नहीं कराया गया है।

(ग) हर कार्य की ई0एम0बी0 होनी चाहिये जो कि नहीं निकाली गयी है। बिना इलेक्ट्रानिक एम0बी0 के भुगतान किया गया है।

(घ) प्रत्येक मस्टर रोल को ग्राम पंचायत के दो सम्मानित व्यक्तियों से अनुमोदित कराया जाना चाहिये, जो कि नहीं कराया गया है।

(ङ.) प्रत्येक मस्टर रोल पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का विवरण लिखा जाना चाहिये जो कि नहीं लिखा गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि पूर्णरूपेण भागीदारी नहीं दी गयी है।

(च) मास्टर रोल को देखने से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत में केवल 20 या 25 मजदूरों को बार-बार काम दिया गया है। जबकि ग्राम पंचायत में लगभग तीन या चार सौ जाब कार्ड बना हुआ है।

(छ) ग्राम पंचायत में शासन द्वारा निर्धारित 60 प्रतिशत 40 के मानक का पालन नहीं किया गया है। 80 प्रतिशत कार्य कच्चा कराया गया है।

(ज) लेखा परीक्षा के समय परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त कार्य कराये भी गये हैं कि नहीं। क्योंकि ग्राम पंचायत में कराये गये समस्त कार्य परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकित किये जाते हैं।

(झ) लेखा परीक्षा के समय कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने से कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

अतः प्रतिशत उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि समस्त कार्य पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः प्रतिशत अपहरित धनराशि रु. 577575.00 में से आधा रु. 288788.00 ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती से एवं आधा रु. 288787.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवीन्द्र नाथ पाण्डेय से 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—दक्खिनगांव विकास खण्ड—जगदीशपुर जनपद — अमेठी
प्रस्तर संख्या — 28 ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से मनरेगा में कार्य कराकर धनराशि व्यय की गयी है।

क्र०	कार्य का नाम	मजदूरी	सामग्री	योग
1.	सम्पर्क मार्ग निर्माण (पक्की सड़क से राम सजीवन के खेत तक)	32025.00	—	32025.00
2.	इण्टरलाकिंग कार्य (यशभान बाबू के घर से नियाज के खेत तक)	24325.00	143665.00	162990.00
3.	इण्टरलाकिंग कार्य पक्की सड़क से राम अजोर के घर तक)	25550.00	226278.00	251828.00
4.	इण्टरलाकिंग कार्य (रामबली के घर से बजरंगबली के घर तक)	19075.00	179893.00	198968.00
5.	इण्टरलाकिंग कार्य दशरथ मौर्य के दरवाजे से राम नेवाज के दरवाजे तक)	37800.00	—	37800.00
6.	समरहिया तालाब का खुदाई कार्य	364350.00	—	364350.00
	योग	503125.00	549836.00	1052961.00

उक्त कार्य कराने में निम्न आपत्तियां हैं प्रतिशत—

(क) कार्य कराने का प्रस्ताव ग्राम सभा की खुली बैठक में पास कराकर कार्य योजना बनाकर कार्य नहीं कराया गया है। मनमाने ढंग से केवल अभिलेखों में ग्राम सभा की बैठक कर प्रस्ताव पास कर दिया गया है।

(ख) कार्य कराने का मानचित्र (एस्टीमेट) तकनीकी सहायक से बनवाकर उन्हीं से एम0बी0 करवाकर भुगतान ले लिया गया है, जबकि नियमानुसार एस्टीमेट एवं एम0बी0 पर अवर अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कराया जाना चाहिए जो कि नहीं कराया गया है।

(ग) हर कार्य की ई0एम0बी0 (इलेक्ट्रानिक एम.बी) होनी चाहिए जो कि नहीं निकाली गयी है। बिना इलेक्ट्रानिक एम0बी0 के ही भुगतान किया गया है।

(घ) प्रत्येक मास्टर रोल को ग्राम पंचायत के दो सम्मानित व्यक्तियों से अनुमोदित कराया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया गया है।

(ङ) प्रत्येक मास्टर रोल पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का विवरण लिखा जाना चाहिए, जो कि नहीं लिखा गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि इनको पूर्णरूपेण भागीदारी नहीं दी गयी है।

(च) मास्टर रोलों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत में केवल 20 या 25 मजदूरों को बार-बार कार्य दिया गया है। जबकि ग्राम पंचायत में लगभग तीन या चार सौ मजदूरों को जाब कार्ड बना हुआ है।

(छ) ग्राम पंचायत में शासन द्वारा निर्धारित 60 प्रतिशत 40 के मानक का पालन नहीं किया गया है। 80 प्रतिशत कार्य कच्चा कराया गया है।

(ज) लेखा परीक्षा के समय परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उक्त कार्य कराये भी गये हैं कि नहीं। क्योंकि ग्राम पंचायत में कराये गये समस्त कार्य परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकित किये जाते हैं।

(झ) लेखा परीक्षा के समय कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने से कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

अतः प्रतिशत उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि समस्त कार्यों पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः प्रतिशत अपहरित धनराशि रूपये 1052961.00 का आधा रूपये 526481.00 प्रधान श्री हरीराम से एवं आधा रूपये 526480.00 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कृष्ण कांत शुक्ल से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—धरईमाफी विकास खण्ड—भेंदुआ जनपद — अमेठी

प्रस्तर संख्या — 29 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में मनरेगा के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी को कई बार कहा गया लेकिन उनके द्वारा मनरेगा के कोई भी अभिलेख एवं सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लगातार शासनादेशों एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना की गयी तथा मनरेगा के अभिलेख जैसे कैशबुक/एफ0टी0ओ0 बुक, कार्ययोजना, ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति पत्र, इस्टीमेट, कार्य माप पुस्तिका (एम0बी0), जाबकार्ड रजिस्टर, जाबकार्ड, मजदूरों का कार्य मांग पत्र, ई0—एम0बी0 प्रमाणक (बाउचर), मास्टर रोल वाइज किस्त, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत में वर्ष 2017—18 में मनरेगा के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि की सूचना (एम0आई0एस0 फीडिंग 2017—18) के अनुसार निम्न प्रकार से है प्रतिशत—

वित्तीय वर्ष	मनरेगा के अन्तर्गत एफ0टी0ओ0 के अनुसार प्राप्त की गयी धनराशि	मनरेगा के अन्तर्गत एफ0टी0ओ0 के अनुसार व्यय की गयी धनराशि	अभ्युक्ति
2017—18	217175.00	217175.00	—

एम0आई0एस0 फीडिंग में दर्शित धनराशि 217175.00 रु0 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य समस्त अभिलेख बार—बार मांगने के बावजूद प्रस्तुत न किये जाने से उक्त व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक प्रतिवेदन निर्गत करने हेतु बताया गया। इसके बावजूद भी व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख अनुपलब्ध रहे। जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का स्पष्ट आदेश आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, लखनऊ एवं निदेशक पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा अपने शासनादेशों में किया गया है।

अतः प्रतिशत स्पष्ट है कि मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष में दर्शित कुल व्यय 217175.00 रु0 अनियमित एवं प्रमाणक विहीन हैं जो कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत एवं नियम 256 तथा अधिभार की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

अतः प्रतिशत आपत्ति में अंकित कुल धनराशि 217175.00 रु0 में आधी धनराशि 108587.50 रु0 प्रधान श्री रामचन्द्र कश्यप एवं आधी धनराशि रु0 108587.50 श्री शिव बहादुर सिंह, ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—लौकापुर विकास खण्ड—भेंदुआ जनपद — अमेठी

प्रस्तर संख्या — 30 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में मनरेगा के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी को कई बार कहा गया लेकिन उनके द्वारा मनरेगा के कोई भी अभिलेख एवं सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लगातार शासनादेशों एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना की गयी तथा मनरेगा के अभिलेख जैसे कैशबुक/एफ0टी0ओ0 बुक, कार्ययोजना, ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति पत्र, इस्टीमेट, कार्य माप पुस्तिका (एम0बी0), जाबकार्ड रजिस्टर, जाबकार्ड, मजदूरों का कार्य मांग पत्र, ई0—एम0बी0 प्रमाणक (बाउचर), मास्टर रोल वाइज किस्त, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत में वर्ष 2017—18 में मनरेगा के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि की सूचना (एम0आई0एस0 फीडिंग 2017—18) के अनुसार निम्न प्रकार से है प्रतिशत—

वित्तीय वर्ष	मनरेगा के अन्तर्गत एफ0टी0ओ0 के अनुसार प्राप्त की गयी धनराशि	मनरेगा के अन्तर्गत एफ0टी0ओ0 के अनुसार व्यय की गयी धनराशि	अभ्युक्ति
2017-18	26950.00	26950.00	—

एम0आई0एस0 फीडिंग में दर्शित धनराशि 26950.00 रु0 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य समस्त अभिलेख बार-बार मांगने के बावजूद प्रस्तुत न किये जाने से उक्त व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक प्रतिवेदन निर्गत करने हेतु बताया गया। इसके बावजूद भी व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख अनुपलब्ध रहे। जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का स्पष्ट आदेश आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, लखनऊ एवं निदेशक पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा अपने शासनादेशों में किया गया है।

अतः प्रतिशत स्पष्ट है कि मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष में दर्शित कुल व्यय 26950.00 रु0 अनियमित एवं प्रमाणक विहीन हैं जो कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत एवं नियम 256 तथा अधिभार की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

अतः प्रतिशत आपत्ति में अंकित कुल धनराशि 26950.00 रु0 में आधी धनराशि 13475.00 रु0 प्रधान श्री साईं प्रसाद पाठक एवं आधी धनराशि रु0 13475.00 श्री सुरेश कुमार कनौजिया, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—गुंगवाछ विकास खण्ड—भेंदुआ जनपद – अमेठी

प्रस्तर संख्या —31 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में मनरेगा के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी को कई बार कहा गया लेकिन उनके द्वारा मनरेगा के कोई भी अभिलेख एवं सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लगातार शासनादेशों एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना की गयी तथा मनरेगा के अभिलेख जैसे कैशबुक/एफ0टी0ओ0 बुक, कार्ययोजना, ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति पत्र, इस्टीमेट, कार्य माप पुस्तिका (एम0बी0), जाबकार्ड रजिस्टर, जाबकार्ड, मजदूरों का कार्य मांग पत्र, ई0—एम0बी0 प्रमाणक (बाउचर), मास्टर रोल वाइज किस्त, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत में वर्ष 2017-18 में मनरेगा के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि की सूचना (एम0आई0एस0 फीडिंग 2017-18) के अनुसार निम्न प्रकार से है प्रतिशत—

वित्तीय वर्ष	मनरेगा के अन्तर्गत एफ0टी0ओ0 के अनुसार प्राप्त की गयी धनराशि	मनरेगा के अन्तर्गत एफ0टी0ओ0 के अनुसार व्यय की गयी धनराशि	अभ्युक्ति
2017-18	160216.40	160216.40	—

एम0आई0एस0 फीडिंग में दर्शित धनराशि 160216.40 रु0 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य समस्त अभिलेख बार-बार मांगने के बावजूद प्रस्तुत न किये जाने से उक्त व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक प्रतिवेदन निर्गत करने हेतु बताया गया। इसके बावजूद भी व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख अनुपलब्ध रहे। जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का स्पष्ट आदेश आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, लखनऊ एवं निदेशक पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा अपने शासनादेशों में किया गया है।

अतः प्रतिशत स्पष्ट है कि मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष में दर्शित कुल व्यय 160216.40 रु0 अनियमित एवं प्रमाणक विहीन हैं जो कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत एवं नियम 256 तथा अधिभार की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

अतः प्रतिशत आपत्ति में अंकित कुल धनराशि 160216.40 रु0 में आधी धनराशि 80108.20 रु0 प्रधान श्री अमरेश कुमार यादव एवं आधी धनराशि रु0 80108.20 श्रीमती अमिता शुक्ला, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—नौगिरवां विकास खण्ड—भेंदुआ जनपद – अमेठी

प्रस्तर संख्या — 32 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में मनरेगा के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी को कई बार कहा गया लेकिन उनके द्वारा मनरेगा के कोई भी अभिलेख एवं सूचना उपलब्ध नहीं

करायी गयी। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लगातार शासनादेशों एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना की गयी तथा मनरेगा के अभिलेख जैसे कैशबुक/एफ0टी0ओ0 बुक, कार्ययोजना, ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति पत्र, इस्टीमेट, कार्य माप पुस्तिका (एम0बी0), जाबकार्ड रजिस्टर, जाबकार्ड, मजदूरों का कार्य मांग पत्र, ई0-एम0बी0 प्रमाणक (बाउचर), मास्टर रोल वाइज किस्त, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत में वर्ष 2017-18 में मनरेगा के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि की सूचना (एम0आई0एस0 फीडिंग 2017-18) के अनुसार निम्न प्रकार से है प्रतिशत-

वित्तीय वर्ष	मनरेगा के अन्तर्गत एफ0टी0ओ0 के अनुसार प्राप्त की गयी धनराशि	मनरेगा के अन्तर्गत एफ0टी0ओ0 के अनुसार व्यय की गयी धनराशि	अभ्युक्ति
2017-18	44100.00	44100.00	—

एम0आई0एस0 फीडिंग में दर्शित धनराशि 44100.00 रु0 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य समस्त अभिलेख बार-बार मांगने के बावजूद प्रस्तुत न किये जाने से उक्त व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक प्रतिवेदन निर्गत करने हेतु बताया गया। इसके बावजूद भी व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख अनुपलब्ध रहे। जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का स्पष्ट आदेश आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, लखनऊ एवं निदेशक पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा अपने शासनादेशों में किया गया है।

अतः प्रतिशत स्पष्ट है कि मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष में दर्शित कुल व्यय 44100.00 रु0 अनियमित एवं प्रमाणक विहीन हैं जो कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत एवं नियम 256 तथा अधिभार की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

अतः प्रतिशत आपत्ति में अंकित कुल धनराशि 44100.00 रु0 में आधी धनराशि 22050.00 रु0 प्रधान श्रीमती गीता एवं आधी धनराशि रु0 22050.00 श्रीमती अमिता शुक्ला, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—फुन्दनपुर विकास खण्ड—बाजार शुकुल जनपद — अमेठी

प्रस्तर संख्या — 33 ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से मनरेगा में कार्य कराकर धनराशि व्यय की गयी है।

क्र0	कार्य का नाम	मजदूरी	सामग्री	योग
1.	नाला खुदाई (पूरे फत्ते सिंह से मरदासपुर बार्डर तक)	58450.00	—	58450.00
2.	चकमार्ग निर्माण (पिचरोड से छोटेलाल के चक तक)	39200.00	—	39200.00
3.	सम्पर्क मार्ग निर्माण (जहीर के घर के बगल से सरहद तक)	100450.00	—	100450.00
4.	चकमार्ग निर्माण (महरानी थान सिजानपुर से मीनार के पास तक)	107450.00	—	107450.00
5.	चकमार्ग निर्माण (पूरे फत्ते सिंह खड़न्जा मार्ग से रानीगंज बाजार तक)	77175.00	—	77175.00
6.	चकमार्ग निर्माण (पप्पू के इंजन से माइनर होकर)	109200.00	—	109200.00
7.	मिट्टी/खड़न्जा कार्य (रानीगंज शुकुलबाजार मार्ग से राम केवल के खेत तक)	35525.00	16191.00	1974350.00
8.	मिट्टी खड़न्जा कार्य (बड़ी माइनर से अशोक सिंह के बाग तक)	165375.00	155000.00	190525.00
9.	तालाब का जीर्णोद्धार (अकरोइया तालाब)	193900.00	—	193900.00
10.	तालाब का जीर्णोद्धार (सियाराम के घर के सामने)	193900.00	—	193900.00
	योग	922250.00	31691.00	1239160.00

उक्त कार्य कराने में निम्न आपत्तियां हैं प्रतिशत—

(क) कार्य कराने का प्रस्ताव ग्राम सभा की खुली बैठक में पास कराकर कार्ययोजना बनाकर कार्य नहीं कराया गया है। मनमाने ढंग से केवल अभिलेखों में ग्राम सभा की बैठक कर प्रस्ताव पास कर दिया गया है।

(ख) कार्य कराने का मानचित्र (एस्टीमेट) तकनीकी सहायक से बनवाकर उन्हीं से एम0बी0 करवाकर भुगतान ले लिया गया है, जबकि नियमानुसार एस्टीमेट एवं एम0बी0 पर अवर अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कराया जाना चाहिए जो कि नहीं कराया गया है।

(ग) हर कार्य की ई0एम0बी0 (इलेक्ट्रानिक एम0 बी0) होनी चाहिए जो कि नहीं निकाली गयी है। बिना इलेक्ट्रानिक एम0बी0 के ही भुगतान किया गया है।

(घ) प्रत्येक मास्टर रोल को ग्राम पंचायत के दो सम्मानित व्यक्तियों से अनुमोदित कराया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया गया है।

(ङ) प्रत्येक मास्टर रोल पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का विवरण लिखा जाना चाहिए, जो कि नहीं लिखा गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि इनको पूर्णरूपेण भागीदारी नहीं दी गयी है।

(च) मास्टर रोलों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत में केवल 20 या 25 मजदूरों को बार-बार कार्य दिया गया है। जबकि ग्राम पंचायत में लगभग तीन या चार सौ मजदूरों को जाब कार्ड बना हुआ है।

(छ) ग्राम पंचायत में शासन द्वारा निर्धारित 60 प्रतिशत 40 के मानक का पालन नहीं किया गया है। 80 प्रतिशत कार्य कच्चा कराया गया है।

(ज) लेखा परीक्षा के समय परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उक्त कार्य कराये भी गये हैं कि नहीं। क्योंकि ग्राम पंचायत में कराये गये समस्त कार्य परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकित किये जाते हैं।

(झ) लेखा परीक्षा के समय कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने से कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

अतः प्रतिशत उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि समस्त कार्यों पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः प्रतिशत अपहरित धनराशि रुपये 1239160.00 का आधा रुपये 619580.00 प्रधान श्री राम चन्द्र से एवं आधा रुपये 619580.00 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री श्याम बहादुर सिंह से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—तेजगढ़ विकास खण्ड—शाहगढ़ जनपद — अमेठी

प्रस्तर संख्या — 34 ग्राम पंचायत में निम्नप्रकार से धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय की गयी है।

1. दिनांक 07.12.2017 को रु0 15500.00 सामग्री क्रय हैण्डपम्प मरम्मत आकाश इण्टर प्राइजेज को भुगतान।
2. दिनांक 18.01.2018 को रु0 4000.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान (नल मिस्त्री अर्जुन)
3. दिनांक 28.02.2018 को रु0 1500.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय।
4. दिनांक 05.03.2018 को रु0 14000.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय।
5. दिनांक 05.03.2018 को रु0 15000.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय।
6. दिनांक 28.03.2018 को रु0 5500.00 हैण्डपम्प मरम्मत परमगुरु कृष्ण गुरु को भुगतान।
7. दिनांक 28.03.2018 को रु0 5500.00 हैण्डपम्प मरम्मत परमगुरु कृष्ण गुरु को भुगतान।

कुल 74500.00 रुपये ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है, जिसमें निम्न आपत्तियां हैं प्रतिशत—

(क) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (जल संसाधन समिति) से प्रस्ताव/अनुमोदन लिया जाना चाहिए, जो कि नहीं लिया गया है।

(ख) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए, जबकि हैण्डपम्प मरम्मत करने हेतु क्रय की गयी सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है।

(ग) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर कोटेशन लिया जाना चाहिए। जबकि हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय करने से पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत किये जाने की सूची लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे यह मालूम किया जा सके कि किसकी एवं कितनी हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी गयी है।

(इ) हैण्डपम्प मरम्मत करने के उपरान्त निष्प्रयोज्य (खराब) सामग्री को निष्प्रयोज्य स्टाक रजिस्टर में अंकित करके नीलाम बिक्री नहीं की गयी है।

(च) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(9), 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा एवं बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख-रेख में कराया गया है एवं समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृति एस्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है। जोकि हैण्डपम्प मरम्मत के भुगतान में नहीं किया गया है।

(छ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर जी0एस0टी0 2 प्रतिशत की दर से कुल रु0 1490.00 काटकर भुगतान नहीं किया गया है तथा जी0एस0टी0 जमा भी नहीं किया गया है।

(ज) उक्त क्रय की गयी सामग्री का प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली मय प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जानी चाहिए।

(झ) लेखा परीक्षा के समय कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु क्रय की गयी सामग्रियों तथा मजदूरी पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर पर धनराशि 74500.00 रुपये का अपहरण किया गया है। अतः प्रतिशत रुपये 37250.00 ग्राम प्रधान श्री राम पियारे तथा रुपये 37250.00 श्री मुकेश कुमार सचिव ग्राम पंचायत से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 35 लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों सोलर लाइट क्रय किया गया है परन्तु उक्त फर्मों से प्राप्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है—

1. दिनांक 25.01.2018 को रु. 42500.00 सोलर लाइट पर व्यय परमगुरु कृष्णगुरु को भुगतान

2. दिनांक 03.02.2018 को रु. 42500.00 सोलर लाइट पर व्यय परमगुरु कृष्णगुरु को भुगतान
ग्राम पंचायत में कुल 85000.00 की सोलर लाइट क्रय की गयी है जिसमें निम्न प्रकार की आपत्तियां हैं।

(क) सोलर लाइट क्रय करने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पास नहीं कराया गया है।

(ख) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से प्रस्ताव या अनुमोदन लिया जाना चाहिये जो कि नहीं लिया गया है।

(ग) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त स्टाक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिये जबकि सोलर लाइट क्रय के पश्चात स्टाक रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है।

(घ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई सामग्री क्रय के पूर्व नियमानुसार कोटेशन/टेण्डर लिया जाना चाहिये, जबकि सोलर लाइट क्रय के पूर्व टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है।

(ङ) सोलर लाइट लगाने की सूची लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह मालूम हो सके ग्राम पंचायत में कहां तथा कितनी सोलर लाइट लगायी गयी है।

(च) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(9) (10) तथा (11) के अनुसार सप्लायर द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश किया जायेगा तथा ग्राम प्रधान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा तथा अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख-रेख में कराया गया है तथा कार्य नियमानुसार स्वीकृत स्टीमेट के अनुसार है, जबकि सोलर लाइट क्रय करने में उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया है।

(छ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार सप्लायर के बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर जीएसटी 2 प्रतिशत की दर से कुल रु. 1700.00 काटकर भुगतान नहीं किया गया है तथा जीएसटी भी जमा नहीं किया गया है।

(ज) उक्त क्रय की गयी सोलर लाइट का वाउचर लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम से की जानी चाहिये।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त सोलर लाइट के क्रय पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः प्रतिशत अपहरित की गयी धनराशि रु. 85000.00 का आधा रु. 42500.00 ग्राम प्रधान श्री राम प्यारे तथा 42500.00 रु ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित हैं

ग्राम पंचायत का नाम—बहोरिकापुर विकास खण्ड—शाहगढ़ जनपद — अमेठी

प्रस्तर संख्या — 36 ग्राम पंचायत में निम्नप्रकार से धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय की गयी है।

1. दिनांक 19.07.2017 को रु0 4000.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय।
2. दिनांक 19.07.2017 को रु0 15979.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय।
3. दिनांक 21.07.2017 को रु0 15000.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय।
4. दिनांक 23.08.2017 को रु0 15725.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय।
5. दिनांक 18.10.2017 को रु0 4000.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय।
6. दिनांक 24.10.2017 को रु0 15695.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय।

कुल 70399.00 रुपये ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है, जिसमें निम्न आपत्तियां हैं प्रतिशत—

(क) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (जल संसाधन समिति) से प्रस्ताव/अनुमोदन लिया जाना चाहिए, जो कि नहीं लिया गया है।

(ख) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त स्टाक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए, जबकि हैण्डपम्प मरम्मत करने हेतु क्रय की गयी सामग्री को स्टाक रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है।

(ग) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर कोटेशन लिया जाना चाहिए। जबकि हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय करने से पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत किये जाने की सूची लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे यह मालूम किया जा सके कि किसकी एवं कितनी हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी गयी है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत करने के उपरान्त निष्प्रयोज्य (खराब) सामग्री को निष्प्रयोज्य स्टाक रजिस्टर में अंकित करके नीलाम बिक्री नहीं की गयी है।

(च) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(9), 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा एवं बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख-रेख में कराया गया है एवं समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृति एस्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है। जोकि हैण्डपम्प मरम्मत के भुगतान में नहीं किया गया है।

(छ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर जी0एस0टी0 2प्रतिशत की दर से कुल रु0 1408.00 काटकर भुगतान नहीं किया गया है।

(ज) उक्त क्रय की गयी सामग्री का प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जानी चाहिए।

(झ) लेखा परीक्षा के समय कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त हैण्डपम्प की मरम्मत हेतु क्रय की गयी सामग्रियों तथा मजदूरी पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर पर धनराशि 70399.00 रुपये का अपहरण किया गया है।

अतः प्रतिशत रुपये 35200.00 ग्राम प्रधान श्रीमती जनक दुलारी तथा रुपये 35199.00 श्री कमलेश कुमार सचिव ग्राम पंचायत से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—गाजनपुर दुबरिया विकास खण्ड—मुसाफिरखाना जनपद — अमेठी
प्रस्तर संख्या —37 लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत आदि पर व्यय अनियमित ढंग से दर्शित किया गया है विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	चेक सं०	धनराशि	विवरण	हैण्डपम्प मरम्मत
31.07.2017	007089	13650.00	पुष्कर लाल एण्ड सन्स	हैण्डपम्प मरम्मत
31.07.2017	007090	5250.00	टीडी	हैण्डपम्प मरम्मत
31.07.2017	007093	14700.00	पुष्कर लाल एण्ड सन्स	हैण्डपम्प मरम्मत
29.08.2017	014930	5250.00	मजदूरी	हैण्डपम्प मरम्मत
29.08.2017	014933	5250.00	मजदूरी	हैण्डपम्प मरम्मत
29.08.2017	014929	14500.00	पुष्कर लाल	हैण्डपम्प मरम्मत
29.08.2017	014930	14200.00	पुष्कर लाल	हैण्डपम्प मरम्मत
04.09.2017	014932	14685.00	भारत मशीनरी स्टोर	हैण्डपम्प मरम्मत
04.09.2017	014928	5250.00	मजदूरी	हैण्डपम्प मरम्मत
09.10.2017	014954	5250.00	सुरेश कुमार	हैण्डपम्प मरम्मत
09.10.2017	014953	5250.00	सुरेश कुमार	हैण्डपम्प मरम्मत
09.10.2017	014952	14600.00	पुष्कर लाल	हैण्डपम्प मरम्मत
09.10.2017	014951	14900.00	पुष्कर लाल	हैण्डपम्प मरम्मत
28.12.2017	014983	5250.00	सुरेश कुमार	हैण्डपम्प मरम्मत
29.12.2017	014987	4500.00	टीडी	हैण्डपम्प मरम्मत
29.12.2017	014985	4500.00	टीडी	हैण्डपम्प मरम्मत
30.12.2017	014982	14600.00	पुष्कर लाल	हैण्डपम्प मरम्मत
30.12.2017	014984	12100.00	पुष्कर लाल	हैण्डपम्प मरम्मत
30.12.2017	014986	12050.00	पुष्कर लाल	हैण्डपम्प मरम्मत
28.03.2018	016809	14350.00	पुष्कर लाल	हैण्डपम्प मरम्मत
28.03.2018	016807	14500.00	पुष्कर लाल	हैण्डपम्प रिवोर
19.01.2018	014995	3975.00	मजदूरी	हैण्डपम्प रिवोर
19.01.2018	014998	3975.00	मजदूरी	हैण्डपम्प रिवोर
19.01.2018	015001	3975.00	मजदूरी	हैण्डपम्प रिवोर
22.01.2018	015000	4500.00	चबूतरा निर्माण	हैण्डपम्प रिवोर
22.01.2018	014994	4300.00	चबूतरा निर्माण	हैण्डपम्प रिवोर
22.01.2018	014997	4600.00	चबूतरा निर्माण	हैण्डपम्प रिवोर
22.01.2018	015004	4800.00	चबूतरा निर्माण	हैण्डपम्प रिवोर
23.01.2018	014992	3975.00	सुरेश कुमार मजदूरी	हैण्डपम्प रिवोर
24.01.2018	014996	16341.00	भारत मशीनरी स्टोर	हैण्डपम्प रिवोर
24.01.2018	014999	16241.00	भारत मशीनरी स्टोर	हैण्डपम्प रिवोर
24.01.2018	015003	16241.00	भारत मशीनरी स्टोर	हैण्डपम्प रिवोर
24.01.2018	014993	17201.00	भारत मशीनरी स्टोर	हैण्डपम्प रिवोर
31.03.2018	016812	2900.00	मजदूरी	हैण्डपम्प रिवोर
31.03.2018	016813	2900.00	मजदूरी	हैण्डपम्प रिवोर
31.03.2018	016811	2900.00	मजदूरी	हैण्डपम्प रिवोर
	योग—	323409.00		

कुल रू०— 323409.00 ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर व्यय किया गया जिस पर निम्न आपत्तियां हैं।

उक्त व्यय धनराशि पर आगे निम्न आपत्तियां हैं—

ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर व्यय की गयी है—

(क) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (जन संसाधन समिति) से प्रस्ताव/अनुमोदन लिया जाना चाहिए। जो कि नहीं लिया गया है।

(ख) वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए जबकि हैण्डपम्प मरम्मत करने हेतु क्रय की गयी सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है।

(ग) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर कोटेशन लिया जाना चाहिए जब हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत किये जाने की सूची लेखापरीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह मालूम किया जा सके कि किनकी तथा कितने हैण्डपम्प मरम्मत किये गये।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत किये जाने के उपरान्त निष्प्रयोज्य (खराब) सामग्री को निष्प्रयोज्य स्टॉक रजिस्टर में अंकित करके नीलाम बिक्री नहीं की गयी है।

(च) वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 5(9) 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा तथा बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख रेख में कराया गया है तथा समाप्त कार्य नियमानुसार स्वीकृत एस्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है जो कि हैण्डपम्प मरम्मत के भुगतान में नहीं किया गया है।

(छ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार ठेकेदार कि बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर जी0एस0टी0 2 प्रतिशत की दर से कुल ₹0- 6468.00/- काटकर भुगतान नहीं किया गया है तथा जी0एस0टी0 जमा भी नहीं किया गया है।

(ज) उक्त क्रय की गयी सामग्री का प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए अस धनराशि की वसूली मय प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जानी चाहिए।

(झ) लेखा परीक्षा के समय कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं दिया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रामाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु क्रय की गयी सामग्रियों तथा मजदूरी पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0- 323409.00 ग्राम प्रधान श्रीमती शिखा सिंह तथा श्री सुरेश कुमार सचिव ग्राम पंचायत से क्रय की गयी सामग्रियों तथा मजदूरी पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0- 323409.00 ग्राम प्रधान श्रीमती शिखा सिंह तथा श्री सुरेश कुमार सचिव ग्राम पंचायत से 8 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—उमामिश्रपुर विकास खण्ड—मुसाफिरखाना जनपद — अमेठी
प्रस्तर संख्या — 38 लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत आदि पर व्यय अनियमित ढंग से दर्शित किया गया है विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	चेक सं०	धनराशि	हैण्डपम्प मरम्मत
12.10.2017	003407	4500.00	हैण्डपम्प मरम्मत
23.10.2017	003406	15445.00	हैण्डपम्प मरम्मत
30.01.2018	003427	5025.00	हैण्डपम्प मरम्मत
30.01.2018	003426	14670.00	हैण्डपम्प मरम्मत
30.01.2018	003418	5050.00	हैण्डपम्प मरम्मत
30.01.2018	003419	16206.00	हैण्डपम्प रिबोर
	योग—	60896.00	हैण्डपम्प रिबोर

कुल ₹0- 60896.00 ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर पर व्यय किया गया जिस पर निम्न आपत्तियां हैं।

उक्त व्यय धनराशि पर आगे निम्न आपत्तियां हैं—

ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर व्यय की गयी है—

(क) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (जन संसाधन समिति) से प्रस्ताव/अनुमोदन लिया जाना चाहिए। जो कि नहीं लिया गया है।

(ख) वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए जबकि हैण्डपम्प मरम्मत करने हेतु क्रय की गयी सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है।

(ग) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर कोटेशन लिया जाना चाहिए जब हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत किये जाने की सूची लेखापरीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह मालूम किया जा सके कि किनकी तथा कितने हैण्डपम्प मरम्मत किये गये।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत किये जाने के उपरान्त निष्प्रयोज्य (खराब) सामग्री को निष्प्रयोज्य स्टॉक रजिस्टर में अंकित करके नीलाम बिक्री नहीं की गयी है।

(च) वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 5(9) 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा तथा बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख रेख में कराया गया है तथा समाप्त कार्य नियमानुसार स्वीकृत एस्टीमेन्ट एवं मानचित्र के अनुसार है जो कि हैण्डपम्प मरम्मत के भुगतान में नहीं किया गया है।

(छ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार ठेकेदार कि बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर जी0एस0टी0 2 प्रतिशत की दर से कुल रु0— 1218.00/— काटकर भुगतान नहीं किया गया है तथा जी0एस0टी0 जमा भी नहीं किया गया है।

(ज) उक्त क्रय की गयी सामग्री का प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए अस धनराशि की वसूली मय प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जानी चाहिए।

(झ) लेखा परीक्षा के समय कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं दिया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु क्रय की गयी सामग्रियों तथा मजदूरी पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धनराशि रु0— 60896.00 रु0 का अपहरण किया गया है।

अतः प्रतिशत रु0— 60896.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता तथा श्री सुरेश कुमार सचिव ग्राम पंचायत से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—बरना मुबारकपुर विकास खण्ड—मुसाफिरखाना जनपद – अमेठी
प्रस्तर संख्या – 39 लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत आदि पर व्यय अनियमित ढंग से दर्शित किया गया है विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	चेक सं०	धनराशि	विवरण	हैण्डपम्प मरम्मत
29.06.2017	006709	5250.00	प्रथम	हैण्डपम्प मरम्मत
30.06.2017	006710	14350.00	पाल मशीनरी स्टोर	हैण्डपम्प मरम्मत
22.09.2017	006713	14610.00	पाल मशीनरी स्टोर	हैण्डपम्प मरम्मत
18.09.2017	006712	5250.00	प्रधान	हैण्डपम्प मरम्मत
25.01.2018	006747	4500.00	मजदूरी	हैण्डपम्प मरम्मत
02.02.2018	006746	15250.00	सिद्धीकी मशीनरी स्टोर	हैण्डपम्प मरम्मत
26.02.2018	006759	4500.00	घनश्याम	हैण्डपम्प मरम्मत
30.01.2018	006748	5050.00	मजदूरी	हैण्डपम्प रिवोर
30.01.2018	006753	4800.00	मजदूरी	हैण्डपम्प रिवोर
30.01.2018	006751	3975.00	मजदूरी	हैण्डपम्प रिवोर

30.01.2018	006750	4700.00	चट्टा निर्माण	हैण्डपम्प रिवोर
02.02.2018	006752	16241.00	सिद्दीकी मशीनरी स्टोर	हैण्डपम्प रिवोर
02.02.2018	006749	16206.00	सिद्दीकी मशीनरी स्टोर	हैण्डपम्प रिवोर
	योग	114682.00		

कुल रू0— 114682.00 ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर व्यय किया गया जिस पर निम्न आपत्तियां हैं।

उक्त व्यय धनराशि पर आगे निम्न आपत्तियां हैं—

ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर व्यय की गयी है—

(क) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (जन संसाधन समिति) से प्रस्ताव/अनुमोदन लिया जाना चाहिए। जो कि नहीं लिया गया है।

(ख) वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए जबकि हैण्डपम्प मरम्मत करने हेतु क्रय की गयी सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है।

(ग) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर कोटेशन लिया जाना चाहिए जब हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत किये जाने की सूची लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह मालूम किया जा सके कि किनकी तथा कितने हैण्डपम्प मरम्मत किये गये।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत किये जाने के उपरान्त निष्प्रयोज्य (खराब) सामग्री को निष्प्रयोज्य स्टॉक रजिस्टर में अंकित करके नीलाम बिक्री नहीं की गयी है।

(च) वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 5(9) 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा तथा बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख रेख में कराया गया है तथा समाप्त कार्य नियमानुसार स्वीकृत एस्टीमेन्ट एवं मानचित्र के अनुसार है जो कि हैण्डपम्प मरम्मत के भुगतान में नहीं किया गया है।

(छ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार ठेकेदार कि बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर जी0एस0टी0 2 प्रतिशत की दर से कुल रू0— 2294.00/- काटकर भुगतान नहीं किया गया है तथा जी0एस0टी0 जमा भी नहीं किया गया है।

(ज) उक्त क्रय की गयी सामग्री का प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए अस धनराशि की वसूली मय प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जानी चाहिए।

(झ) लेखा परीक्षा के समय कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं दिया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु क्रय की गयी सामग्रियों तथा मजदूरी पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धनराशि रू0— 114682.00 का अपहरण किया गया है अतः प्रतिशत रू0— 114682.00 ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री ओझा तथा श्री सुरेश कुमार सचिव ग्राम पंचायत से 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—रेवड़ा विकास खण्ड—भादर जनपद — अमेठी

प्रस्तर संख्या — 40 आलोच्य वर्ष में चतुर्थ वित्त आयोग से दिगम्बर इण्टरप्राइजेज को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु दिनांक 01.06.2017 में रू0 20,000.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गंभीर आपत्तियां पाई गई प्रतिशत—

1. उक्त हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य से सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव, प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

2. लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा जिससे क्रय की गई हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री एवं वर्षान्त में अवशेष सामग्रियों के स्टाक रजिस्टर में अंकन की स्थिति अज्ञात रही।
3. हैण्ड पम्प मरम्मत पर किये गये व्यय के सापेक्ष स्थलों की सूची एवं लाभार्थियों द्वारा हैण्ड पम्प के खराब होने की सूचना तथा मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा।
5. व्यय पश्चात उक्त धनराशि ग्राम सभा द्वारा पारित नहीं कराई गई।
6. मरम्मत के उपरान्त पुराने सामानों को ग्राम पंचायत में जमा कर स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

इस प्रकार दिनांक 01.06.2017 में ₹0 20000.00 का आहरण वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए आहरित करके उसे हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित कर दिया गया है, जो उत्तर-प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्रा0 पं0/वि0 आ0 श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी (तत्कालीन) व ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू उत्तरदायी हैं।

अतः प्रतिशत उक्त धनराशि ₹0 20,000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (₹0 10,000.00 ग्रा0पं0/वि0आ0 श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी तथा ₹0 10,000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू से) अधवाधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -41 आलोच्य वर्ष में सोलर लाइट स्थापना हेतु निम्न विवरणानुसार व्य दर्शित किया गया है—

क्र0स 0	दिनांक	कैश बुक में उल्लिखित विवरण	व्यय/भुगतान की धनराशि कैश बुक के अनुसार
1.	08.06.2017	एफ.एफ.सी. से दिगम्बर इन्टरप्राइजेज को 05 नग सोलर लाइट स्थापना हेतु 25000 की दर से भुगतान	₹0 125000.00
2.	15.06.2017	एफ.एफ.सी. से दिगम्बर इन्टरप्राइजेज को 05 नग सोलर लाइट स्थापना हेतु 25000 की दर से भुगतान	₹0 125000.00
3.	04.08.2017	एफ.एफ.सी. से दिगम्बर इन्टरप्राइजेज को 05 नग सोलर लाइट स्थापना हेतु 25000 की दर से भुगतान	₹0 69000.00
		कुल योग	319000.00

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय पर निम्नलिखित गंभीर आपत्तियां पाई गई—

1. सोलर लाइट स्थापना हेतु भुगतानों में से किसी भुगतान की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
2. सोलर लाइट क्रय दरों में समरूपता नहीं पाई गई।
3. सोलर लाइट पर किये गये व्यय के सापेक्ष सोलर स्थापना स्थलों की सूची व मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य का पूर्ण होना अप्रमाणित रहा है।
5. व्यय पश्चात उक्त धनराशियाँ ग्राम सभा द्वारा पारित नहीं कराई गई।

इस प्रकार स्पष्ट है कि धनराशि ₹0 319000.00 को वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए भुगतान कर व्यय दर्शित किया गया है, जो उत्तर- प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 'अध्याय-8 के अनुच्छेद 8-क के अन्तर्गत अपहरण तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम पंचायत/वि0आ0 श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं प्रधान श्रीमती मंजू उत्तरदायी है।

अतः प्रतिशत उक्त धनराशि ₹0 319000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (1,59,500.00 ग्रा0पं0/वि0आ0 श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी तथा ₹0 1,59,500.00 ग्राम प्रधान मंजू से) ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम—गंगेरवा विकास खण्ड—मुसाफिरखाना जनपद — अमेठी
प्रस्तर संख्या —42 लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत आदि पर व्यय अनियमित ढंग से दर्शित किया गया है विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	चेक सं०	धनराशि	विवरण	हैण्डपम्प मरम्मत
14.08.2017	005318	5250.00	मजदूरी	हैण्डपम्प मरम्मत
17.08.2017	005316	14628.00	सूरज ट्रेडर्स	हैण्डपम्प मरम्मत
17.08.2017	005317	19969.00	सूरज ट्रेडर्स	हैण्डपम्प मरम्मत
16.09.2017	005330	19973.00	सूरज ट्रेडर्स	हैण्डपम्प मरम्मत
12.10.2017	005332	5250.00	राजकुमार	हैण्डपम्प मरम्मत
13.10.2017	005331	14580.00	सूरज ट्रेडर्स	हैण्डपम्प मरम्मत
18.10.2017	005336	5250.00	राजकुमार	हैण्डपम्प मरम्मत
25.10.2017	005337	14250.00	सूरज ट्रेडर्स	हैण्डपम्प मरम्मत
21.03.2018	005373	14650.00	सूरज ट्रेडर्स	हैण्डपम्प मरम्मत
22.03.2018	005374	5250.00	सूरज ट्रेडर्स	हैण्डपम्प मरम्मत
28.03.2018	005380	19994.00	सूरज ट्रेडर्स	हैण्डपम्प मरम्मत
16.09.2017	005323	5800.00	मजदूरी	हैण्डपम्प रिवोर
16.09.2017	005324	12727.00	सूरज ट्रेडर्स	हैण्डपम्प रिवोर
16.09.2017	005325	6400.00	पवन	हैण्डपम्प रिवोर
04.01.2018	005343	5800.00	सुरेश कुमार	हैण्डपम्प रिवोर
04.01.2018	005342	14362.00	सूरज ट्रेडर्स	हैण्डपम्प रिवोर
04.01.2018	005341	5800.00	सुरेश कुमार	हैण्डपम्प रिवोर
04.01.2018	005340	13846.00	सूरज ट्रेडर्स	हैण्डपम्प रिवोर
26.03.2018	005375	2900.00	राजकुमार	हैण्डपम्प रिवोर
28.03.2018	005376	18356.00	सूरज ट्रेडर्स	हैण्डपम्प रिवोर
28.03.2018	005379	4600.00	राजकुमार	हैण्डपम्प रिवोर
28.03.2018	005377	4700.00	राजकुमार	हैण्डपम्प रिवोर
28.03.2018	005378	4600.00	सुरेश कुमार	हैण्डपम्प रिवोर
	योग—	238935.00		

कुल रू०— 238935.00 ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर व्यय किया गया जिस पर निम्न आपत्तियां हैं।

उक्त व्यय धनराशि पर आगे निम्न आपत्तियां हैं—

ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार से धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर व्यय की गयी है—

(क) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति (जन संसाधन समिति) से प्रस्ताव/अनुमोदन लिया जाना चाहिए। जो कि नहीं लिया गया है।

(ख) वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 7(7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए जबकि हैण्डपम्प मरम्मत करने हेतु क्रय की गयी सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है।

(ग) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर कोटेशन लिया जाना चाहिए जब हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत किये जाने की सूची लेखापरीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह मालूम किया जा सके कि किनकी तथा कितने हैण्डपम्प मरम्मत किये गये।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत किये जाने के उपरान्त निष्प्रयोज्य (खराब) सामग्री को निष्प्रयोज्य स्टॉक रजिस्टर में अंकित करके नीलाम बिक्री नहीं की गयी है।

(च) वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 5(9) 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा तथा बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उनकी देख

रेख में कराया गया है तथा समाप्त कार्य नियानुसार स्वीकृत एस्टीमेन्ट एवं मानचित्र के अनुसार है जो कि हैण्डपम्प मरम्मत के भुगतान में नहीं किया गया है।

(छ) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार ठेकेदार कि बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर जी0एस0टी0 2प्रतिशत की दर से कुल रु0- 4779.00/- काटकर भुगतान नहीं किया गया है तथा जी0एस0टी0 जमा भी नहीं किया गया है।

(ज) उक्त क्रय की गयी सामग्री का प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए अस धनराशि की वसूली मय प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जानी चाहिए।

(झ) लेखा परीक्षा के समय कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं दिया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु क्रय की गयी सामग्रियों तथा मजदूरी पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धनराशि रु0- 238935.00 का अपहरण किया गया है

अतः प्रतिशत रु0- 238935.00 ग्राम प्रधान राजकुमार तथा श्री सुरेश कुमार सचिव ग्राम पंचायत से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम-टिकरी

विकास खण्ड-भेंदुआ

जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या - 43 लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में ग्राम सभा द्वारा विभिन्न फर्मों एवं सप्लायरों से राज्य वित्त/13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निम्नांकित विवरणानुसार कुल रु0 4482298.00 निर्माण सामग्री एवं ईट/इण्टरलॉकिंग ईट आदि क्रय की गयी-

क्र0	फर्म का नाम	धनराशि	अवधारित आयकर (2 प्रतिशत की दर से)
1	बी.बी.एफ. ब्रिक फील्ड	1167580.00	23351.60
2	ए 1 ईट उद्योग	2427039.00	48540.78
3	शिव शक्ति कन्ट्रक्सन	146520.00	2930.40
4	विजय ट्रेडर्स	496278.00	9925.56
5	जय हनुमान ट्रेडर्स	105574.00	2111.48
6	ए.के. कन्ट्रक्सन	139307.00	2786.14
	कुल	4482298.00	89645.96 वत 89646.00

उक्त भुगतान पर किसी भी प्रकार की कोई भी आयकर कटौती नहीं की गयी। जबकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 सी के अन्तर्गत रु0 100000.00 से अधिक के कुल भुगतान पर 2 प्रतिशत की आयकर कटौती की जानी चाहिए थी। उक्त कटौती न करने के कारण रु0 89646.00 के राजकीय राजस्व की हानि हुई है।

अतः प्रतिशत आयकर अधिनियम के प्राविधानानुसार रु0 89646.00 का आयकर एवं नियमानुसार जुर्माना अवधारित कर सम्पूर्ण धनराशि ग्रा0वि0प0अ0 श्री अरविन्द श्रीवास्तव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती से आधी-आधी व्यक्तिगत रूप से वसूल की जानी चाहिए अथवा उनके वेतन/मानदेय से समायोजित कर लिया जाना चाहिए।

प्रारूप-4

सम्भाग: फैजाबाद

जिला : फैजाबाद

प्रस्तर-() वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18/निर्गत वर्ष-2018-19) में सम्मिलित जनपद फैजाबाद की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कल्पित भुगतान कर, प्रमाणक विहीन व्यय कर, सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत न कर, शासना देशों का उल्लंघन कर कोषावही में छलपूर्ण प्रविष्टियाँ कर धन का अपहरण/दुरुपयोग/अनियमिततायें की गयी हैं। प्रस्तारवार विवरण निम्नवत् है।

1-ग्राम पंचायत -चित्तौरा

विकास खण्ड -अमानीगंज

वर्ष 2017-18

प्रस्तर-1 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन नियमों के विरुद्ध व्यय दर्शित करके धनराशि का अपहरण किया गया तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-65500.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री मो0

फारुकी, ग्रा.पं.अ.,श्री ओम प्रकाश सिंह, ग्राम प्रधान से धनराशि—65500.00 बराबर —बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(आ०सं०—18)

2—ग्राम पंचायत —माझगाँव विकास खण्ड —अमानीगंज वर्ष 2017—18

प्रस्तर—2 विना अन्य सामग्री (ईट के अतिरिक्त) क्रय तथा मजदूरी व्यय के नाली निर्माण दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि—104910.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री कृष्णानन्द, ग्रा.पं.अ.,श्री प्रेम चन्द्र, ग्राम प्रधान से धनराशि—104910.00 बराबर —बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है
(आ०सं० भाग—2ख का 2)

प्रस्तर—3 व्यय प्रमाणक विहीन एवं सामग्री क्रय दर्शित करके धनराशि का अपहरण किया गया तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि—49250.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री कृष्णानन्द, ग्रा.पं.अ.,श्री प्रेमचन्द्र, ग्राम प्रधान से धनराशि—49250.00 बराबर —बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है
(आ०सं० भाग—2ख का 3)

प्रस्तर—4 तालाब में जल भराई का काल्पनिक /फर्जी कार्य दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि—25000.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री विमल कुमार, ग्रा.पं.अ.,श्री प्रेमचन्द्र, ग्राम प्रधान से धनराशि—25000.00 बराबर —बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है
(आ०सं० भाग—2ख का 4)

3—ग्राम पंचायत —बहबरमऊ विकास खण्ड —अमानीगंज वर्ष 2017—18

प्रस्तर—5 बिना मजदूरी व्यय इण्टरलाकिंग कार्य दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि—63903.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री कृष्णानन्द ग्रा.पं.अधि. श्रीमती रामदुलारी, ग्राम प्रधान से धनराशि —63903.00 बराबर —बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(आ०सं०भाग—2ख का 2)

प्रस्तर—6 तालाब में जल भराई का काल्पनिक कार्य दर्शित करके धनराशि का अपहरण किया गया। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि—25000.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री विमल कुमार ग्रा.पं.अधि. श्रीमती रामदुलारी, ग्राम प्रधान से धनराशि —25000.00 बराबर —बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(आ०सं०भाग—2ख का 3)

प्रस्तर—7 व्यय प्रमाणक विहीन सामग्री क्रय दर्शित करके धनराशि का अपहरण किया गया। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि—25000.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री विमल कुमार ग्रा.पं.अधि. श्रीमती रामदुलारी, ग्राम प्रधान से धनराशि —25000.00 बराबर —बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(आ०सं०भाग—2ख का 4)

प्रस्तर—8 खण्डजा मरम्मत कार्य पर व्यय प्रमाणक विहीन सामग्री क्रय तथा मजदूरी व्यय दर्शित करके धनराशि का अपहरण किया गया। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि—105168.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री विमल कुमार ग्रा.पं.अधि. श्रीमती रामदुलारी, ग्राम प्रधान से धनराशि —105168.00 बराबर —बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(आ०सं०भाग—2 ख का 5)

4- ग्राम पंचायत —सरेठी विकास खण्ड —पूराबाजार वर्ष 2017-18

प्रस्तर-9 आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके धनराशि का अपहरण किया गया। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-1702703.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री गौतम कृष्ण यादव ग्रा.पं.अधि. श्रीमती सीता देवी, ग्राम प्रधान से धनराशि -1702703.00 बराबर -बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(आ०सं०भाग-2 ख 20)

5- ग्राम पंचायत —अख्तियारपुर विकास खण्ड —रुदौली वर्ष 2017-18

प्रस्तर-10 नियमों के विरुद्ध व्यय दर्शित करके एवं विल में कूट करके धनराशि का अपहरण किया गया। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-187000.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राम अभिलाख ग्रा.पं.अधि. एवं श्री मो० रिजवान जे०ई०आरईडी०, श्रीमती अनारकली, ग्राम प्रधान से धनराशि -187000.00 बराबर -बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं०भाग-2ख के ग का 20)

प्रस्तर-11 व्यय प्रमाणक बिहीन एवं एकाउन्ट पे चेक की धनराशि को मजदूरी के रूप में नकद बाँटना दर्शित कर तथा नियमों का विरुद्ध व्यय दर्शित करके धनराशि का अपहरण किया गया। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-53775.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राम अभिलाख ग्रा.पं.अधि., श्रीमती अनारकली, ग्राम प्रधान से धनराशि -53775.00 बराबर -बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(आ०सं०भाग-2ख के ग का 21)

प्रस्तर-12 सामग्री क्रय के पूर्व मजदूरी का काल्पनिक भुगतान कर तथा व्यय प्रमाणक बिहीन नियमों का विरुद्ध व्यय दर्शित करके धनराशि का अपहरण किया गया। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-102382.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राम अभिलाख ग्रा.पं.अधि. श्री मो० रिजवान जे०ई०आरईडी०, श्रीमती अनारकली, ग्राम प्रधान से धनराशि -102382.00 बराबर -बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(आ०सं०भाग-2ख के ग का 22)

प्रस्तर-13 कार्यपूर्व एम०बी०करके तथा एकाउन्ट पे चेक को नकद मजदूरी बाँटना दिखाकर एवं व्यय प्रमाणक बिहीन नियमों का विरुद्ध व्यय दर्शित करके धनराशि का अपहरण किया गया। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-82849.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राम अभिलाख ग्रा.पं.अधि. श्री मो० रिजवान जे०ई० आर ईडी०, श्रीमती अनारकली, ग्राम प्रधान से धनराशि- 82849.00 बराबर -बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(आ०सं०भाग-2 ख के ग का 23)

प्रस्तर-14 वित्तीय वर्ष में अनावश्यक स्टॉक क्रय कर कोई कार्य न कराना तथा इसका स्टॉक बुक में विवरण भी सुरक्षित रखकर स्टॉक का अपहरण किया गया। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-93455.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राम अभिलाख ग्रा.पं.अधि., श्रीमती अनारकली, ग्राम प्रधान से धनराशि- 93455.00 बराबर -बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(आ०सं०भाग-2ख के ग का 24)

6- ग्राम पंचायत —ममरेज नगर विकास खण्ड —रुदौली वर्ष 2017-18

प्रस्तर-15 व्यय प्रमाणक बिहीन नियमों के विरुद्ध व्यय दर्शित करके धनराशि का अपहरण किया जाना। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत

(आ०सं०भाग-2ख के ग का 22)

(आ०सं०भाग-2ख के ग का 23)

(आ०सं०भाग-2ख के ग का 24)

वर्ष 2017-18

(आ०सं०भाग-2ख के ग का 24)

(आ०सं०भाग-2ख के ग का 25)

(आ०सं०भाग-2ख के ग का 26)

(आ०सं०भाग-2ख के ग का 27)

वर्ष 2017-18

00बराबर —बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०भाग-2ख के ग का17)

प्रस्तर-30 सफाई कर्मी नियुक्त होते हुए भी नाली एवं खंडजे की सफाई पर काल्पनिक भुगतान करके धनराशि का अपहरण किया जाना। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-31500.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ग्रा.पं.अधि., श्रीमती जरीना, ग्राम प्रधान से धनराशि-31500.00 बराबर - बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०भाग-2ख के ग का18)

प्रस्तर-31 अनधिकृत फर्म से ढेला, आलमारी एवं सफाई की दवाएं खरीदना एवं क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत न करके धनराशि का अपहरण किया जाना। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-41200.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ग्रा.पं.अधि., श्रीमती जरीना, ग्राम प्रधान से धनराशि-41200.00 बराबर - बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०भाग-2ख के ग का19)

11- ग्राम पंचायत - करीमपुर विकास खण्ड - रुदौली वर्ष 2017-18

प्रस्तर-32 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन नियमों के विरुद्ध व्यय दर्शित करके धनराशि का अपहरण किया जाना। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-161500.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री गणेशराम ग्रा. पं.अधि., श्रीमती कंचन, ग्राम प्रधान से धनराशि-161500.00 बराबर - बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं० भाग-2 ख के ग का 19)

प्रस्तर-33 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन नियमों के विरुद्ध व्यय दर्शित करके धनराशि का अपहरण किया जाना। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-10500.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री गणेशराम ग्रा.पं.अधि., श्रीमती कंचन, ग्राम प्रधान से धनराशि-10500.00 बराबर - बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०भाग-2ख के ग का 20)

12- ग्राम पंचायत - खैरी विकास खण्ड - रुदौली वर्ष 2017-18

प्रस्तर-34 क्रय पूर्व निविदा आमंत्रित न कर नियमों के विरुद्ध अनियमित क्रय एवं भुगतान करके धनराशि का अपहरण किया जाना। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-334500.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ग्रा.पं.अधि., श्रीमती सावित्री देवी, ग्राम प्रधान से धनराशि-334500.00 बराबर - बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०भाग-2ख के ग का 17)

13-ग्राम पंचायत - वेरासपुर विकास खण्ड - मयाबाजार वर्ष-2017-18

प्रस्तर-35 स्टीट लाइट क्रय / मरम्मत ह्यूम पाइप क्रय के सापेक्ष कार्य योजना, कोटेशन एवं निविदत, सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलिवरी चालान, बिल फार्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि- 95400.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्रा.वि.अ., श्रीमती सुनीता पाण्डेय, ग्राम प्रधान से धनराशि- 95400.00 बराबर - बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

(आ०सं० 19)

प्रस्तर-36 हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय की पुष्टि में वाछित प्रपत्र प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 7 के खण्ड 8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-231506.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्रा.वि.अ., श्रीमती

सुनीता पाण्डेय ग्राम प्रधान से धनराशि—231506.00 बराबर —बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है (आ0सं0 —20)

प्रस्तर—37 सोलिंग निर्माण पत्रावली में वांछित प्रपत्र नहीं संलग्न कर तथा मास्टरोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि—261001.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्रा.वि.अ. श्रीमती सुनीता पाण्डेय, ग्राम प्रधान से धनराशि—261001.00 बराबर —बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है (आ0सं0 21)

प्रस्तर—38 लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय मजदूरी एवं टाली का भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक नहीं प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि—93150.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्रा.वि.अ.,श्रीमती सुनीता पाण्डेय, ग्राम प्रधान से धनराशि—93150.00 बराबर —बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है (आ0सं0 21)

14—ग्राम पंचायत —रतनपुर विकास खण्ड —मयाबाजार वर्ष—2017—18

प्रस्तर—39 नाली निर्माण कार्य पत्रावलियों में ईट क्रय, सीमेन्ट आदि क्रय की पुष्टि में कार्य योजना , कोटेशन एवं निविदत, सत्यापन/निरीक्षण आख्या,डिलिवरी चालान, बिल फार्मों के रजिस्टेशन संख्या कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि—116332.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्रा.वि.अ.,श्रीमती सुमन देवी ग्राम प्रधान से धनराशि—116332.00 बराबर —बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है (आ0सं0 19)

प्रस्तर—40 नाली निर्माण पत्रावली में वांछित प्रपत्र नहीं संलग्न कर तथा मास्टरोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि—77795.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्रा.वि.अ.,श्रीमती सुमन देवी ग्राम प्रधान से धनराशि—77795.00 बराबर —बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है (आ0सं0 20)

प्रस्तर—41 हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय की पुष्टि में वांछित प्रपत्र प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 7 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि—53600.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भूपेन्द्र सिंह , ग्रा.वि.अ.,श्रीमती सुमन देवी ग्राम प्रधान से धनराशि—53600.00 बराबर —बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है (आ0सं0 —21)

15—ग्राम पंचायत —छतरा विकास खण्ड —मयाबाजार वर्ष—2017—18

प्रस्तर—42 सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत नाली की पाइप क्रय के सापेक्ष कार्य योजना , कोटेशन एवं निविदत, सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलिवरी चालान, बिल फार्मों के रजिस्टेशन संख्या कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि—260683.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्रा.वि.अ.,श्री राम बुझारत यादव ग्राम प्रधान से धनराशि—260683.00 बराबर —बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है (आ0सं0 19)

प्रस्तर—43 हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय की पुष्टि में वांछित प्रपत्र प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। अध्याय 7 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनयम की धारा 27 के अन्तर्गत

धनराशि-119164.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्रा.वि.अ., श्री राम बुझारत यादव ग्राम प्रधान से धनराशि-119164.00 बराबर -बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है (आ0सं0 -20)

प्रस्तर-44 सोलिंग निर्माण पत्रावली में वांछित प्रपत्र नहीं संलग्न कर तथा मास्टरोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर न कराकर धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-74124.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्रा.वि.अ., श्री राम बुझारत यादव ग्राम प्रधान से धनराशि-74124.00 बराबर -बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है (आ0सं0 21)

प्रस्तर-45 लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक नहीं प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-19485.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्रा.वि.अ., श्री राम बुझारत यादव ग्राम प्रधान से धनराशि-19485.00 बराबर -बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है (आ0सं0 22)

प्रस्तर-46 लेखा परीक्षा वर्ष में खाते से आहरित धनराशि को कैशबुक में नहीं अंकित कर एवं कोई प्रमाणक नहीं प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-46620.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्रा.वि.अ., श्री राम बुझारत यादव ग्राम प्रधान से धनराशि-46620.00 बराबर -बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है (आ0सं0 23)

16-ग्राम पंचायत -जलालुद्दीन नगर विकास खण्ड -पूराबाजार वर्ष-2017-18

प्रस्तर-47 पूर्व वर्षों के अवशेष को अन्तिम अवशेष में दर्शित न कर पूर्व वर्ष की धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-431142.16 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री अनिल सिंह, ग्रा.वि.अ., श्री डिगई राम ग्राम प्रधान से धनराशि-431142.16 बराबर -बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है (आ0सं0 2ख / 20)

प्रस्तर-48 आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-889400.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री अनिल सिंह, ग्रा.वि.अ., श्री डिगई राम ग्राम प्रधान से धनराशि-889400.00 बराबर -बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है (आ0सं0 2ख / 21)

17-ग्राम पंचायत -समैसा विकास खण्ड -पूराबाजार वर्ष-2017-18

प्रस्तर-49 नकद रोकड का वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक व्यय/समायोजन न कर धनराशि का दुरुपयोग किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-47600.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजा राम राजभर ग्रा.वि.अ., श्री राम यज्ञवर्मा ग्राम प्रधान से धनराशि-47600.00 बराबर -बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है (आ0सं0 2ख / 19)

प्रस्तर-50 आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई विवरण एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कर धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-28906.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजा

राम राजभर, ग्रा.वि.अ., श्री रामयज्ञ वर्मा ग्राम प्रधान से धनराशि—28906.00 बराबर —बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है
(आ0सं0 2ख/20)

प्रस्तर—51 व्यय प्रमाणक एवं कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि—134883.00 अपहरण के रूप मे अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजा राम राजभर, ग्रा.वि.अ., श्री रामयज्ञ वर्मा ग्राम प्रधान से धनराशि—134883.00 बराबर —बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है
(आ0सं0 2ख/21)

18—ग्राम पंचायत —रोशननगर विकास खण्ड —पूराबाजार वर्ष—2017—18

प्रस्तर—52 आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई विवरण एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कर धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि—700622.00 अपहरण के रूप मे अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री प्रदीप वर्मा, ग्रा.वि.अ., श्री अरविन्द निषाद ग्राम प्रधान से धनराशि—700622.00 बराबर —बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है
(आ0सं0 2ख/20)

19—ग्राम पंचायत —बरेहटा विकास खण्ड —पूराबाजार वर्ष—2017—18

प्रस्तर—53 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन नियमों के विरुद्ध व्यय करके धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि—154875.00 अपहरण के रूप मे अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती उमा शर्मा, ग्रा.वि.अ., श्रीमती रेनू यादव ग्राम प्रधान से धनराशि—154875.00 बराबर —बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है
(आ0सं0 भाग—2 ख के ग का 2)

प्रस्तर—54 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन नियमों के विरुद्ध व्यय करके धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि—34460.00 अपहरण के रूप मे अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती उमा शर्मा, ग्रा.वि.अ., श्रीमती रेनू यादव ग्राम प्रधान से धनराशि—34460.00 बराबर —बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है
(आ0सं0 भाग—2ख के ग का 3)

प्रस्तर—55 व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन नियमों के विरुद्ध व्यय करके धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि—481590.00 अपहरण के रूप मे अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती उमा शर्मा, ग्रा.वि.अ., श्रीमती रेनू यादव ग्राम प्रधान से धनराशि—481590.00 बराबर —बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है
(आ0सं0 भाग—2ख के ग का 4)

20—ग्राम पंचायत —रानीमऊ विकास खण्ड —मवई वर्ष—2017—18

प्रस्तर—56 काल्पनिक व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया जाना। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 188122.00 अपहरण के रूप मे अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्राम विकास अधिकारी, श्री लल्लन ग्राम प्रधान से धनराशि—188122.00 बराबर —बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0—1)

प्रस्तर—57— काल्पनिक व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया जाना। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 186086.00 अपहरण के रूप मे अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्राम विकास अधिकारी, श्री लल्लन ग्राम प्रधान से धनराशि—186086.00 बराबर —बराबर हिस्सो मे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०-2)

प्रस्तर 58- काल्पनिक व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया जाना। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 136672.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्राम विकास अधिकारी, श्री लल्लन ग्राम प्रधान से धनराशि-136672.00 बराबर -बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०-3)

प्रस्तर 59- दूसरी फर्म के नाम चेक जारी कर धनराशि का अपहरण किया जाना। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 100929.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्राम विकास अधिकारी, श्री लल्लन ग्राम प्रधान से धनराशि-100929.00 बराबर -बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०-4)

प्रस्तर 60- फर्म के नाम एकाउन्ट चेक न देकर नकद भुगतान कर धनराशि का अपहरण किया जाना। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 764000.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्राम विकास अधिकारी, श्री लल्लन ग्राम प्रधान से धनराशि-764000.00 बराबर -बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०-5)

प्रस्तर 61- बाहरी व्यक्ति के नाम चेक जारी कर धन का अनियमित भुगतान किया जाना। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 690100.00 अनियमित के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री भगवानदीन ग्राम विकास अधिकारी, श्री लल्लन ग्राम प्रधान से धनराशि-690100.00 बराबर -बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०-6)

21-ग्राम पंचायत -परसावाँ विकास खण्ड -मिल्कीपुर वर्ष 2017-18

प्रस्तर 62- व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के कारण सन्नहित धनराशि का अपहरण किया जाना। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 96350.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव ग्राम विकास अधिकारी, श्रीमती राजकुमारी ग्राम प्रधान से धनराशि-96350.00 बराबर -बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०-28)

22- ग्राम पंचायत -फत्तेपुर कमासिन विकास खण्ड -तारुन वर्ष 2017-18

प्रस्तर 63- प्राक्कलन/एम०बी कोटेशन निविदा एवं व्यय प्रमाणक विहीन कैशबुक में केवल ईट क्रय व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया जाना। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 105400.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी, श्रीमती रूपेश यादव ग्राम प्रधान से धनराशि-105400.00 बराबर -बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०-14)

प्रस्तर 64- प्राक्कलन एम०बी कोटेशन /निविदा एवं व्यय प्रमाणक विहीन वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के नियमों के विपरीत सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट क्रय पर व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया जाना। तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 1397600.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी, श्रीमती रूपेश यादव ग्राम प्रधान से धनराशि-1397600.00 बराबर -बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०-15)

24-ग्राम पंचायत –सवरधीर विकास खण्ड –तारुन वर्ष-2017-18

प्रस्तर-72 विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दिखाकर धनराशिका अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-175280.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री श्रीकान्त कृष्ण ग्राम विकास अधिकारी, श्रीमती नरायनदेई ग्राम प्रधान से धनराशि-175280.00 बराबर –बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं०-19)

प्रस्तर-73 हयूम पाइप स्थापना की कार्य योजना, स्टीमेट, क्रय आमन्त्रित टेण्डर/कोटेशन, व्यय प्रमाणक, डिलवरी चालान, एम0बी0 कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण-पत्र, आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-36684.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री श्रीकान्त कृष्ण ग्राम विकास अधिकारी, श्रीमती नरायनदेई ग्राम प्रधान से धनराशि-36684.00 बराबर –बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं०-20)

प्रस्तर-74 नाली निर्माण की कार्ययोजना, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, डिलवरी चालान, एम0बी0 कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण-पत्र, आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-36743.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री श्रीकान्त कृष्ण ग्राम विकास अधिकारी, श्रीमती नरायनदेई ग्राम प्रधान से धनराशि-36743.00 बराबर –बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं०-21)

25-ग्राम पंचायत –दादूपुर विकास खण्ड –तारुन वर्ष-2017-18

प्रस्तर-75 शौचालय निर्माण/मरम्मत में ईट, सीमेंट, मोरंग, आदि सामग्री क्रय लिया गया कोटेशन/निविदा, डिलवरी चालान, एम0बी0 कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण-पत्र, स्टॉक पंजिका आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-143750.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी, श्री गुलाब सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि-143750.00 बराबर –बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं०-19)

प्रस्तर-76 सोलर लाइट/स्टीट लाइट क्रय लिया गया कोटेशन/निविदा, डिलवरी चालान, एम0बी0 कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण-पत्र, आपूर्ति कर्ता वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर, वाहन स्वामी का नाम आपूर्ति कर्ता फर्म की पंजीकरण संख्या, वैधता अवधि आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-129400.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी, श्री गुलाब सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि-129400.00 बराबर –बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं०-20)

प्रस्तर-77 खडंजा निर्माण में ईट क्रय आमन्त्रित कोटेशन/निविदा, डिलवरी चालान, एम0बी0 कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण-पत्र, आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि-64040.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी, श्री गुलाब सिंह ग्राम प्रधान से धनराशि-64040.00 बराबर –बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं०-21)

26-ग्राम पंचायत -रण्डौली पश्चिम पाली विकास खण्ड -तारून वर्ष-2017-18

प्रस्तर-78 वित्तीय वर्ष-2017-18 में चेक नम्बर 128 से आहरण कर कोषवही में अंकन न करके सीधे राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 8567.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री विनोद कनौजिया ग्राम विकास अधिकारी, श्रीमती अनीता देवी ग्राम प्रधान से धनराशि-8567.00 बराबर -बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं०-17)

प्रस्तर-79 लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 73321.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री विनोद कनौजिया ग्राम विकास अधिकारी, श्रीमती अनीता देवी ग्राम प्रधान से धनराशि-73321.00 बराबर -बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं०-18)

प्रस्तर-80 वर्ष के दौरान मस्टररोल द्वारा खडंजा निर्माण पर व्यय दर्शित है, परन्तु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 21300.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री विनोद कनौजिया ग्राम विकास अधिकारी, श्रीमती अनीता देवी ग्राम प्रधान से धनराशि-21300.00 बराबर -बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं०-19)

27-ग्राम पंचायत -नन्दीपुर नगहरा विकास खण्ड -हैरिंगटनगंज वर्ष-2017-18

प्रस्तर-81 ग्राम पंचायत नन्दीपुर नगहरा के बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेन्ट में दिनांक-01-04-2017 से 31-05-2017 तक आहरित/व्यय धनराशि रू०-726083.00 कैशबुक में दर्शित न करके एवं आहरित/भुगतान धनराशि के सापेक्ष कार्य का स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृत, कोटेशन व निविदा सम्बन्धित परिपत्र, एम0बी0, व्यय प्रमाणक (भुगतान रसीद/मास्टररोल) भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलवरी चालान बिल, स्टाक रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वैधता प्रमाण-पत्र, परि सम्पत्ति रजिस्टर, धरोहर/जमानत रजिस्टर, उपभोग/कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 826083.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री अविनाश चतुर्वेदी ग्राम विकास अधिकारी, श्री चैतू राम ग्राम प्रधान से धनराशि-826083.00 बराबर -बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं०-1 भाग 2 ख-30)

28-ग्राम पंचायत -ढेमा वैश्य विकास खण्ड -हैरिंगटनगंज वर्ष-2017-18

प्रस्तर-82 ग्राम पंचायत ढेमा वैश्य के बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेन्ट में दिनांक-01-04-2017 से 31-05-2017 तक आहरित/व्यय धनराशि रू०-332812.00 कैशबुक में दर्शित न करके एवं आहरित/भुगतान धनराशि के सापेक्ष कार्य का स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृत, कोटेशन व निविदा सम्बन्धित परिपत्र, एम0बी0, व्यय प्रमाणक (भुगतान रसीद/मास्टररोल) भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलवरी चालान बिल, स्टाक रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वैधता प्रमाण-पत्र, परि सम्पत्ति रजिस्टर, धरोहर/जमानत रजिस्टर, उपभोग/कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 332812.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री गौतम वर्मा ग्राम विकास अधिकारी, श्री साहबदीन ग्राम प्रधान से धनराशि-332812.00 बराबर -बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं०-1 भाग 2 ख-31)

29-ग्राम पंचायत -परुवा विकास खण्ड -हैरिंगनगंज वर्ष-2017-18

प्रस्तर-83 ग्राम पंचायत परुवा के बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेन्ट में दिनांक-01-04-2017 से 31-05-2017 तक आहरित/व्यय धनराशि रू0-115712.00 कैशबुक में दर्शित न करके एवं आहरित/भुगतान धनराशि के सापेक्ष कार्य का स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृत, कोटेशन व निविदा सम्बन्धित परिपत्र, एम0बी0, व्यय प्रमाणक (भुगतान रसीद/मास्टररोल) भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलवरी चालान बिल, स्टाक रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, फर्मों के रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वैधता प्रमाण-पत्र, परि सम्पत्ति रजिस्टर, धरोहर/जमानत रजिस्टर, उपभोग/कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो इत्यादि समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया जाना तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत धनराशि 115712.00 अपहरण के रूप में अंकलित किया जाता है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री गौतम वर्मा ग्राम विकास अधिकारी, श्री उमाकान्त ग्राम प्रधान से धनराशि-115712.00 बराबर -बराबर हिस्से में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०-1 भाग 2 ख)

प्रारूप - 04

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

जनपद-बाराबंकी

मण्डल- अयोध्या

1 - ग्राम पंचायत - सड़वा भेलू

विकास खंड -बनीकोडर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-1 ग्राम पंचायत सड़वा भेलू के वर्ष 2017-18 के कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न खड़जा मरम्मत/निर्माण, नाली निर्माण, सोलर लाइट स्थापना तथा इंटरलॉकिंग निर्माण आदि के नाम आहरित धनराशियों रुपये 629892.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधानश्री मातादीन तथा सचिव श्री अनिल कुमार मिश्रा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रू० 629892.00)

2 - ग्राम पंचायत - सरायमीर

विकास खंड - सिद्धौर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-2 ग्राम पंचायत सरायमीर के वर्ष 2017-18 के कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न खड़जा मरम्मत / निर्माण, नाली निर्माण, सोलर लाइट स्थापना तथा इंटरलॉकिंग निर्माण के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 2710283.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री बम बहादुर सिंह तथा सचिव श्री उमेश पाण्डेय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रू० 2710283.00)

प्रस्तर-3 ग्राम पंचायत सरायमीर के वर्ष 2017-18 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में राज्य व केंद्र वित्त द्वारा विभिन्न हैंडपम्प मरम्मत तथा हैंडपम्प रिबोर के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 377730.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री बम बहादुर सिंह तथा सचिव श्री उमेश पाण्डेय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रू० 377730.00)

3 – ग्राम पंचायत –छूलापाही विकास खंड –सिद्धौर जनपद –बाराबंकी

प्रस्तर-4 ग्राम पंचायत छूलापाही मे 14 वां वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 मे कराए गए खड़जा निर्माण कार्य सीसी रोड से लच्छे के घर तक के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 104293.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम वर्मा तथा सचिव श्री राम जियावन सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 104293.00)

प्रस्तर-5 ग्राम पंचायत छूलापाही मे 14 वां वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 मे कराए गए नाली निर्माण कार्य बबलू के घर से रिकू के घर तक, के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 93771.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम वर्मा तथा सचिव श्री राम जियावन सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 93771.00)

प्रस्तर-6 ग्राम पंचायत छूलापाही मे 14 वां वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 मे कराए गए कार्य ग्राम पंचायत मे स्ट्रीट लाइट स्थापना के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 83000.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व कूटरचित कोटेशन/वित्तीय स्वीकृति दर्शाकर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम वर्मा तथा सचिव श्री राम जियावन सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 4, धनराशि रु० 83000.00)

4 – ग्राम पंचायत – नसीरपुर विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

प्रस्तर-7 ग्राम पंचायत नसीरपुर के वर्ष 2017-18 के कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न खड़जा मरम्मत / निर्माण , नाली निर्माण तथा इंटरलॉकिंग निर्माण के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 1744212.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री /धर्मेन्द्र कुमार तथा सचिव श्री रामजियावन सिंह व श्री पुष्पेंद्र कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 1 , धनराशि रु० 1744212.00)

प्रस्तर-8 ग्राम पंचायत नसीरपुर मे 14 वां वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 मे कराए गए कार्य ग्राम पंचायत मे स्ट्रीट लाइट स्थापना के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 207500.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व कूटरचित कोटेशन/वित्तीय स्वीकृति दर्शाकर व्यय दर्शित धन

का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री/धर्मेन्द्र कुमार तथा सचिव श्री राम जियावन सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 207500.00)

प्रस्तर-9 ग्राम पंचायत नसीरपुर के वर्ष 2017-18 के कोषबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में राज्य व केंद्र वित्त द्वारा विभिन्न हैंडपम्प मरम्मत तथा हैंडपम्प रिबोर के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 146250.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री /धर्मेन्द्र कुमार तथा सचिव श्री रामजियावन सिंह व श्री पुष्पेंद्र कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 146250.00)

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायत नसीरपुर में 14 वां वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में कराए गए कार्य ग्राम पंचायत में सोलर लाइट स्थापना के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 170400.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व बिना निविदा / कोटेशन प्रक्रिया का पालन किए धनराशियों का व्यय दर्शाकर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र कुमार तथा सचिव श्री पुष्पेंद्र कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 4 , धनराशि रु० 170400.00)

5 – ग्राम पंचायत –रसूलपुर विकास खंड –सिद्धौर जनपद –बाराबंकी

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत रसूलपुर में 14 वां वित्त/राज्य वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में कराए गए खड़जा निर्माण कार्यों 1-सनातन मंदिर से गया प्रसाद के खेत तक, 2- पिच रोड से बाबा के कुटी तक तथा 3-लायकराम के घर से अमर सिंह के घर तक के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 590127.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व निविदा प्रक्रिया संबंधी शर्तों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम नारायण तथा सचिव श्री प्रद्युम्न कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 590127.00)

6 – ग्राम पंचायत – अमसेरुवा विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत अमसेरुवा के वर्ष 2017-18 के कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न खड़जा मरम्मत / निर्माण , नाली निर्माण , सोलर लाइट स्थापना, इंटरलॉकिंग निर्माण तथा हैंडपम्प रिबोर/मरम्मत के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 506749.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रंजीत कुमार तथा सचिव श्री राजेन्द्र कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 506749.00)

प्रस्तर-13 ग्राम प्रधान को माह सितंबर 2017 का मानदेय का भुगतान दो बार करके रुपये 3500.00 का अपहरण/अधिक भुगतान किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रंजीत कुमार से की जानी अपेक्षित है ।
(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 3500.00)

7 – ग्राम पंचायत –भिटौरा लखन विकास खंड –सिद्धौर जनपद –बाराबंकी

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत भिटौरा लखन के वर्ष 2017-18 के कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों में 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न खंडजा मरम्मत / निर्माण, नाली निर्माण , तथा इंटरलॉकिंग निर्माण के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 468331.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती राधा रानी तथा सचिव श्री अमित कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है
(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 468331.00)

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायत भिटौरा लखन में 14 वां वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में कराए गए कार्य स्ट्रीट लाइट तथा सोलर लाइट स्थापना नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 333900.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती राधा रानी तथा सचिव श्री अमित कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 333900.00)

प्रस्तर-16 ग्राम पंचायत भिटौरा लखन में राज्य वित्त/14 वां वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में कराए गए कार्य ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/हैण्डपम्प रिबोर के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 144865.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती राधा रानी तथा सचिव श्री अमित कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 4 , धनराशि रु० 144865.00)

8 – ग्राम पंचायत – बेड़हरी विकास खंड – सिद्धौर जनपद – बाराबंकी

प्रस्तर-17 ग्राम पंचायत बेड़हरी के वर्ष 2017-18 के कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न खंडजा मरम्मत / निर्माण , नाली निर्माण , सोलर लाइट स्थापना, इंटरलॉकिंग निर्माण तथा हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 997085.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामा देवी तथा सचिव श्री उमेश पाण्डेय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 997085.00)

9 – ग्राम पंचायत –कमियार विकास खंड –पूरेडलई जनपद –बाराबंकी

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायत कमियार के वर्ष 2017-18 में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14 वां वित्त योजनान्तर्गत नाव क्रय तथा सोलर लाइट स्थापना नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 274500.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में

विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री छवि राजा तथा सचिव श्री अनुज कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 274500.00)

10 – ग्राम पंचायत –रामीपुर विकास खंड –त्रिवेदीगंज जनपद –बाराबंकी

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत रामीपुर के वर्ष 2017-18 में चतुर्थ राज्य वित्त योजनान्तर्गत रिक्शा क्रय नाम पर आहरित धनराशि रुपये 9500.00 के फर्जी प्रमाणक द्वारा व्यय दर्शाकर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञानवती तथा सचिव श्री अब्दुल अहद से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 9500.00)

11 – ग्राम पंचायत –मवैया विकास खंड –बनीकोडर जनपद –बाराबंकी

प्रस्तर-19-1. ग्राम पंचायत मवैया के वर्ष 2017-18 में चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत बैंक खाते तथा प्रियासॉफ्ट के अनुसार आहरित धनराशियों रुपये 1261271.70 से सम्बन्धित रोकड़ बही तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर के तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, तथा 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती लालमती तथा सचिव श्री निर्देश कुमार शर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 1261271.70)

12 – ग्राम पंचायत –जमोली विकास खंड बनीकोडर जनपद –बाराबंकी

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत जमोली के वर्ष 2017-18 में चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत बैंक खाता संख्या 31589981093 (इप राम सनेही घाट) से आहरित धनराशियों रुपये 1458629.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर के तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155, तथा 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री तौफीक अहमद तथा सचिव श्री अनिल कुमार मिश्रा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 1458629.00)

13 – ग्राम पंचायत –गोसियामऊ विकास खंड –हैदरगढ़ जनपद –बाराबंकी

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत गोसियामऊ में वर्ष 2017-18 में चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत बैंक खाता संख्या 112300210000025 से ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा निजी स्वार्थ हेतु अनाधिकृत रूप से रुपये 230000.00 अपने पास 5 माह हस्तगत रखकर ग्राम सभा को प्राप्त होने वाले ब्याज रुपये 15110.00 की क्षति पहुंचाई गई जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती मीना तथा सचिव श्री पवन कुमार गौतम से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 15110.00)

14 ग्राम पंचायत –चकौरा विकास खंड –हैदरगढ़ जनपद –बाराबंकी

प्रस्तर-22 ग्राम पंचायत चकौरा के वर्ष 2017-18 के कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर तथा इंटरलॉकिंग निर्माण के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 399690.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती बनीता तथा सचिव श्री राजकुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 399690.00)

15 – ग्राम पंचायत –जासेपुर विकास खंड –हैदरगढ़ जनपद –बाराबंकी

प्रस्तर-23 ग्राम पंचायत जासेपुर में वर्ष 2017-18 में कराए गए खड़जा मरम्मत कार्य सजीवन के घर प्राथमिक विद्यालय दीवान खेड़ा तक, के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 62841.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) के विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व निविदा प्रक्रिया संबंधी शर्तों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान मोहम्मद आसिफ खाँ तथा सचिव श्री फिदा हुसैन से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 62841.00)

16- ग्राम पंचायत – करोरा विकास खंड – सिरौलीगौसपुर जनपद – बाराबंकी

प्रस्तर-24 ग्राम पंचायत करोरा में वर्ष 2017-18 विभिन्न तिथियों में राज्य वित्त व 14 वां वित्त द्वारा कराए गए विभिन्न खड़जा मरम्मत / निर्माण कार्यों, तथा नाली निर्माण कार्यों पर फर्जी/अपुष्ट मस्टर रोलों द्वारा कुल रुपये 143583.00 का अनियमित/अमान्य मजदूरी भुगतान किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम श्री दिनेश कुमार तथा सचिव वी० एन० त्रिपाठी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 143583.00)

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत करोरा में वर्ष 2017-18 विभिन्न तिथियों में राज्य वित्त व 14 वां वित्त द्वारा कराए गए विभिन्न खड़जा मरम्मत / निर्माण कार्यों, तथा नाली निर्माण कार्यों पर अनियमित ढंग से मिट्टी पटाई कार्य पर व्यय दर्शाकर रुपये 77150.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम श्री दिनेश कुमार तथा सचिव वी० एन० त्रिपाठी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 77150.00)

17- ग्राम पंचायत – पंजरौली विकास खंड – सिरौलीगौसपुर जनपद – बाराबंकी

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत पंजरौली में वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त ग्राम प्रधान को माह अप्रैल 2017 के मानदेय का दो बार भुगतान कर रुपये 3500.00 का अधिक/ फर्जी भुगतान किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश तथा सचिव श्री सत्यानंद से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 143583.00)

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत पंजरौली में 14 वां वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में कराए गए कार्य स्ट्रीट लाइट तथा सोलर लाइट स्थापना नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 306000.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश तथा सचिव श्री सत्यानंद से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 306000.00)

प्रस्तर-28 ग्राम पंचायत पंजरौली में वर्ष 2017-18 में 25/05/2017 को चतुर्थ राज्य वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न हैण्डपम्प मरम्मत आहरित धनराशियों रुपये 10000.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश तथा सचिव श्री सत्यानंद से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 10000.00)

18- ग्राम पंचायत – दरवेशपुर विकास खंड – सिरौलीगौसपुर जनपद – बाराबंकी

प्रस्तर 29- ग्राम पंचायत दरवेशपुर में 14 वां वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में कराए गए कार्य सोलर लाइट स्थापना नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 214944.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक

प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है स्टॉक प्रविष्टि था उपभोग प्रमाणपत्र भी तथा उक्त कार्य से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति, स्टॉक प्रविष्टि था उपभोग प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी तथा सचिव श्री सत्यानंद से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 214944.00)

प्रस्तर 30— ग्राम पंचायत दरवेशपुर में चतुर्थ राज्य वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में प्रशासनिक व्यय के नाम पर कुल रुपये 8575.00 का प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी तथा सचिव श्री सत्यानंद से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 8575.00)

19— ग्राम पंचायत — शहरी विकास खंड — सिरौलीगौसपुर जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 31— ग्राम पंचायत शहरी में वर्ष 2017-18 में सचिव श्री वी० एन० त्रिपाठी द्वारा अपने नाम से आहरित धनराशियों रु० 48525.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना देवी तथा सचिव श्री वी० एन० त्रिपाठी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 48525.00)

20 — ग्राम पंचायत — केसरई विकास खंड — सूरतगंज जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर-32 ग्राम पंचायत केसरई के वर्ष 2017-18 के कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न खड़जा मरम्मत/निर्माण, नाली निर्माण, शौचालय मरम्मत व रंगाई पुताई , ह्यूम पाइप क्रय तथा हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर आदि के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 1518086.46 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है तथा उक्त कार्यों से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, एम० बी०, स्टॉक पंजिका, तथा उपभोग प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अमरुता तथा सचिव श्री राजेश निगम, श्री जानकीराम एवं मोहम्मद अजहर से उनके कार्यकाल के अनुसार नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 1518086.45)

21 — ग्राम पंचायत — गौराचक विकास खंड — सूरतगंज जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर-33 ग्राम पंचायत गौराचक के वर्ष 2017-18 के कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न खड़जा मरम्मत / निर्माण , नाली निर्माण, ह्यूम पाइप क्रय, प्रधान मानदेय, कुर्सी मेज क्रय तथा हैण्डपम्प मरम्मत आदि के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 1323329.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है तथा उक्त कार्यों से संबंधित वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन , एम० बी०,

स्टॉक पंजिका, डेड स्टॉक पंजिका तथा उपभोग प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री भारत प्रसाद तथा सचिव श्री विजय कुमार सिंह (प्रथम) व श्री अशरफ हुसैन उनके कार्यकाल के अनुसार नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 1323329.00)

22 – ग्राम पंचायत – जफरपुर विकास खंड – सूरतगंज जनपद – बाराबंकी

प्रस्तर-34 ग्राम पंचायत जफरपुर के वर्ष 2017-18 के कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न खड़जा मरम्मत / निर्माण , नाली निर्माण , प्रधान मानदेय, तथा हैण्डपम्प मरम्मत आदि के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 989115.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है तथा उक्त कार्यों से संबंधित वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन , एम० बी०, स्टॉक पंजिका, डेड स्टॉक पंजिका तथा उपभोग प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह तथा सचिव श्री विजय कुमार सिंह (प्रथम) व श्री अशरफ हुसैन उनके कार्यकाल के अनुसार नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 989115.00)

23 – ग्राम पंचायत – चन्द्रसिहाली विकास खंड – सूरतगंज जनपद – बाराबंकी

प्रस्तर-35 ग्राम पंचायत चन्द्रसिहाली के वर्ष 2017-18 के बैंक स्टैटमन्ट के अनुसार माह अप्रैल व मई 2017 के विभिन्न तिथियों में बैंक खाते से आहरित धनराशियों रुपये 179520.00 के सापेक्ष व्यय विवरण कैश बुक के व्यय पक्ष में अंकित न करके तथा उसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर ग्राम पंचायत , वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 एवं 8(क) व 8(ख) पंचायती राज 1947 के नियम 204 व 205 तथा नियम संख्या 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम बिलास तथा सचिव श्री जानकी राम से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 179520.00)

24 – ग्राम पंचायत – भैरमपुर विकास खंड – सूरतगंज जनपद – बाराबंकी

प्रस्तर-36 ग्राम पंचायत भैरमपुर के वर्ष 2017-18 के कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न खड़जा मरम्मत / निर्माण , नाली निर्माण, ह्यूम पाइप क्रय, प्रधान मानदेय, तथा हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर आदि के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 1760178.40 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है तथा उक्त कार्यों से संबंधित वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन , एम० बी०, स्टॉक पंजिका, डेड स्टॉक पंजिका तथा उपभोग प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती खातून बानो तथा सचिव श्री राजेश निगम व मोहम्मद अजहर से उनके कार्यकाल के अनुसार नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 1760178.40)

25 – ग्राम पंचायत –रंजीतपुर विकास खंड – सूरतगंज जनपद – बाराबंकी

प्रस्तर-37 ग्राम पंचायत रंजीतपुर के वर्ष 2017-18 के बैंक स्टैटमन्ट के अनुसार माह अप्रैल व जून 2017 के विभिन्न तिथियों में बैंक खाते से आहरित धनराशियों रुपये 109767.00 के सापेक्ष व्यय विवरण कैश बुक के व्यय पक्ष में अंकित न करके तथा उसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, व निर्माण कार्यों से संबंधित स्टीमेट, एमबी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र। तथा स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 एवं 8(क) व 8(ख) पंचायती राज 1947 के नियम 204 व 205 तथा नियम संख्या 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण

किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती बबनी तथा सचिव श्री जानकी राम से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल प्रस्तर 2 (स), धनराशि रू० 109767.00)

प्रस्तर 38— ग्राम पंचायत रंजीतपुर के वर्ष 2017-18 के कैश बुक के अनुसार माह सितंबर 2017 के विभिन्न तिथियों में बैंक खाते से आहरित धनराशियों रुपये 207668.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, वार्षिक कार्ययोजना, निर्माण कार्य से संबंधित एस्टिमेट, एमबी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 एवं 8(क) व 8(ख) पंचायती राज 1947 के नियम 204 व 205 तथा नियम संख्या 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती बबनी तथा सचिव श्री भूपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल प्रस्तर 2 (सस), धनराशि रू० 207668.00)

26 — ग्राम पंचायत — चमरौली विकास खंड — दरियाबाद जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायत चमरौली के वर्ष 2017-18 के कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न खंडजा मरम्मत / निर्माण, नाली निर्माण, सोलर लाइट स्थापना, तथा हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 1433902.50 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री श्यामा यादव तथा सचिव श्री भूपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रू० 1433902.50)

27 — ग्राम पंचायत — सरैया चमरान विकास खंड — दरियाबाद जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर-40 ग्राम पंचायत सरैया चमरान के वर्ष 2017-18 के कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न खंडजा मरम्मत / निर्माण, नाली निर्माण, सोलर लाइट स्थापना, तथा हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 1371936.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती मंजु देवी तथा सचिव श्री सत्यदेव प्रसाद से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रू० 1371936.00)

28 — ग्राम पंचायत — अवशेरगढ़ विकास खंड — दरियाबाद जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर-41 ग्राम पंचायत अवशेरगढ़ के वर्ष 2017-18 के कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न खंडजा मरम्मत / निर्माण, नाली निर्माण, सोलर लाइट स्थापना, तथा हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 821558.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री जंगली तथा सचिव श्री आनन्द कुमार सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रू० 821558.00)

29 — ग्राम पंचायत — कमरावाँ विकास खंड — बंकी जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायत कमरावाँ में वर्ष 2017-18 की कैश बुक के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा निजी स्वार्थ हेतु अनाधिकृत रूप से माह जुलाई 2017 से वर्षांत तक रुपये 45600.00 अपने पास हस्तगत रखकर ग्राम

सभा को क्षति पहुँचाई गई जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश से नियमानुसार ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 45600.00)

30- ग्राम पंचायत - शहाबपुर विकास खंड - बंकी जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायत शहाबपुर के वर्ष 2017-18 के कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त तथा 14 वां वित्त योजनान्तर्गत स्कूल शौचालय मरम्मत , तथा हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 304855.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क, पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर के व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अकीला बानो तथा सचिव श्री रामचन्द्र मिश्रा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 304855.00)

31- ग्राम पंचायत- गौरा करौंदी विकास खंड- फतेहपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-44 ग्राम पंचायत गौरा करौंदी के वर्ष 2017-18 में कोष बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त / 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में खड़जा मरम्मत / निर्माण , नाली निर्माण , तथा हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर आदि के नाम पर बैंक खाता संख्या 580702010005926 (नइप फतेहपुर बाराबंकी) से आहरित धनराशियों रुपये 1880167.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री सियाराम तथा सचिव श्री नवीन राय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 1880167.00)

32- ग्राम पंचायत- भटुआमऊ विकास खंड- फतेहपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 45- ग्राम पंचायत भटुआमऊ के वर्ष 2017-18 में कोष बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त / 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण कार्यों तथा तालाब भराई , मिट्टी क्रय आदि के नाम से आहरित धनराशियों रुपये 888082.20 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सोनम मौर्या तथा सचिव मोहम्मद अजहर से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 888082.20)

प्रस्तर 46- ग्राम पंचायत भटुआमऊ के वर्ष 2017-18 में कोष बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त / 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण कार्यों , हैण्डपम्प मरम्मत , मिट्टी क्रय तथा मजदूरी भुगतान आदि के नाम से बैंक खाते से आहरित धनराशियों रुपये 299244.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सोनम मौर्या तथा सचिव श्री हरद्वारी लाल से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 299244.00)

33- ग्राम पंचायत- रीवां चपरी विकास खंड- फतेहपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-47 ग्राम पंचायत रीवां चपरी के वर्ष 2017-18 में कोष बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त / 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में खड़जा मरम्मत / निर्माण , नाली निर्माण , सोलर लाइट स्थापना तथा हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर आदि के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 1098185.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित

प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री कैलाश तथा सचिव श्री विजय कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 1098185.00)

34- ग्राम पंचायत- गौरा सैलक विकास खंड- फतेहपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत गौर सैलक के वर्ष 2017-18 में कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न खड़जा मरम्मत / निर्माण कार्यों , के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 1686100.000 की पुष्टि हेतु फर्जी व्यय प्रमाणको के द्वारा व्यय दर्शाकर प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है ।उक्त खड़जा निर्माण कार्यों के सापेक्ष मजदूरी पर कोई व्यय नहीं किया गया जिसके कारण कार्यों के पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी । इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रकाबुल तथा सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 1686100.000)

35- ग्राम पंचायत- सौरंगा विकास खंड- फतेहपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-49 ग्राम पंचायत सौरंगा के वर्ष 2017-18 में कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में खड़जा मरम्मत / निर्माण , नाली निर्माण ,सोलर लाइट स्थापना तथा हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर आदि के नाम पर बैंक खाता संख्या 580702010005888 (नइप फतेहपुर बाराबंकी) से आहरित धनराशियों रुपये 1079225.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती आसमों खातून तथा सचिव मोहम्मद अजहर से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 1079225.00)

36- ग्राम पंचायत- नन्दरासी विकास खंड- फतेहपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-50 ग्राम पंचायत नन्दरासी के वर्ष 2017-18 में कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में खड़जा मरम्मत / निर्माण , नाली निर्माण ,सोलर लाइट स्थापना तथा हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर आदि के नाम पर व्यय दर्शित धनराशियों रुपये 701161.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी तथा सचिव श्री हरद्वारी लाल से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 701161.00)

प्रस्तर 51- ग्राम पंचायत नन्दरासी के वर्ष 2017-18 में कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यों के नाम पर बैंक खाता संख्या 580702010005849 (नइप फतेहपुर बाराबंकी) से आहरित धनराशियों रुपये 417999.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी तथा सचिव श्री नवीन राय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 417999.00)

37- ग्राम पंचायत- टेसुआ सलेमचक विकास खंड- हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-52 ग्राम पंचायत टेसुआ सलेमचक के वर्ष 2017-18 में कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत खड़जा निर्माण कार्य 1-डामर रोड से प्रगति वि॥लय तक तथा 2 डामर रोड

से मिनी सचिवालय तक पर दुर्गा ब्रिक फील्ड के व्युत्क्रम सीरियल के फर्जी व्यय प्रमाणकों द्वारा ईट क्रय दर्शाने के कारण उक्त दोनों कार्यों पर कुल व्यय दर्शित धनराशियों रुपये 228184.00 का ग्राम प्रधान तथा सचिव द्वारा कूटरचित ढंग से अपहरण आर लिया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री जयभानु वर्मा तथा सचिव श्री सतीश चंद्र वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है
(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 228184.00)

38— ग्राम पंचायत— रहीमाबाद विकास खंड— हरख जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर—53 ग्राम पंचायत रहीमाबाद के वर्ष 2017—18 में बैंक पासबुक के अनुसार माह अप्रैल 2017 में आहरित कुल धनराशियों रुपये 96870.00 का कोई विवरण ना तो कोषबही में अंकित किया गया था और न ही उक्त धनराशियों से सम्बंधित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार यहाँ पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36—37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री हबीब तथा सचिव श्री प्रदीप कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 96870.00)

39— ग्राम पंचायत— पींड विकास खंड— देवा जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर —54 ग्राम पंचायत पींड में वर्ष 2017—18 में हैंडपम्प मरम्मत / रिबोर के नाम पर प्रमाणक विहीन तथा बिना प्रस्ताव , एस्टिमेट , कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाणपत्र के कुल रुपये 180248.00 का व्यय दर्शाकर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36—37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार तथा सचिव श्रीमती रूपम शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 180248.00)

प्रस्तर —55 ग्राम पंचायत पींड में वर्ष 2017—18 में प्राथमिक विद्यालय तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शौचालय मरम्मत के नाम पर प्रमाणक विहीन तथा बिना प्रस्ताव , एस्टिमेट , एमबी , कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाणपत्र के कुल रुपये 72460.00 का व्यय दर्शाकर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36—37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार तथा सचिव श्रीमती रूपम शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 72460.00)

40— ग्राम पंचायत— इस्माइलपुर विकास खंड— देवा जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 56— ग्राम पंचायत इस्माइलपुर में वर्ष 2017—18 में बिना किसी कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट, टेंडर / कोटेशन तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के सरस्वती पाइप उद्योग द्वारा ह्यूम पाइप क्रय दर्शाकर ह्यूम पाइप क्रय पर कुल व्यय दर्शित धनराशि रुपये 211628.00 का दुरुपयोग / अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन तथा सचिव श्रीमती रूपम शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 211628.00)

प्रस्तर 57— ग्राम पंचायत इस्माइलपुर में वर्ष 2017—18 में माह मार्च 2018 में हैंडपम्प मरम्मत हेतु बिना किसी कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट, टेंडर / कोटेशन तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के एहतिराम पाइप स्टोर द्वारा हैंडपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय दर्शाकर उक्त कार्य पर कुल व्यय दर्शित धनराशि रुपये 31927.00 का दुरुपयोग / अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन तथा सचिव श्रीमती रूपम शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 31927.00)

प्रस्तर 58— ग्राम पंचायत इस्माइलपुर में वर्ष 2017—18 में दिनांक 25/03/2018 को चेक संख्या 101 द्वारा वर्मा ट्रेडर्स को रुपये 27831.00 का विवरणविहीन तथा आधारहीन भुगतान कर उक्त धनराशि का अपहरण

कर लिया गया जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन तथा सचिव श्रीमती रूपम शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 4 , धनराशि रु० 27831.00)

प्रस्तर 59— ग्राम पंचायत इस्माइलपुर मे वर्ष 2017-18 मे दिनांक 25/03/2018 को चेक संख्या 105 द्वारा आँगनवाड़ी मजदूरी के रूप मे रुपये 22175.00 का औचित्यहीन भुगतान कर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन तथा सचिव श्रीमती रूपम शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 5 , धनराशि रु० 22175.00)

41— ग्राम पंचायत— सलेमपुर विकास खंड— देवा जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 60— ग्राम पंचायत सलेमपुर मे वर्ष 2017-18 मे बिना किसी कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट,टेंडर / कोटेशन तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के सरस्वती पाइप उद्योग द्वारा ह्यूम पाइप क्रय दर्शाकर ह्यूम पाइप क्रय पर कुल व्यय दर्शित धनराशि रुपये 97505.00 का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विवेक कुमार तथा सचिव श्रीमती रूपम शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 97505.00)

प्रस्तर 61— ग्राम पंचायत सलेमपुर मे वर्ष 2017-18 मे माह फरवरी 2018 मे नाली निर्माण हेतु जनता ट्रेडर्स द्वारा रुपये 53532.00 का नाली निर्माण सामग्री क्रय दर्शाया गया था किन्तु उक्त निर्माण सामग्री का उपभोग न होने के कारण उक्त कार्य पर कुल व्यय दर्शित धनराशि रुपये 53532.00 के स्टॉक का अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम श्री विवेक कुमार तथा सचिव श्रीमती रूपम शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 53532.00)

प्रस्तर 62— ग्राम पंचायत सलेमपुर मे वर्ष 2017-18 मे 06/02/2018 को नाली निर्माण हेतु जनता ट्रेडर्स द्वारा रुपये 103756.00 का नाली निर्माण सामग्री क्रय दर्शाया गया था किन्तु किन्तु उक्त नाली निर्माण हेतु बिना किसी कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट,टेंडर / कोटेशन तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के उक्त कार्य पर कुल व्यय दर्शित धनराशि रुपये 103756.00 का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन तथा सचिव श्री विवेक कुमार तथा सचिव श्रीमती रूपम शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 4 , धनराशि रु० 103756.00)

प्रस्तर 63— ग्राम पंचायत सलेमपुर मे वर्ष 2017-18 मे 12/10/2017 को नाली ढक्कन निर्माण हेतु जनता ट्रेडर्स द्वारा रुपये 44560.00 का निर्माण सामग्री क्रय दर्शाया गया था किन्तु उक्त नाली निर्माण हेतु बिना किसी कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट, कोटेशन तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के उक्त कार्य पर कुल व्यय दर्शित धनराशि रुपये 44560.00 का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विवेक कुमार तथा सचिव श्रीमती रूपम शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 5 , धनराशि रु० 44560.00)

प्रस्तर 64— ग्राम पंचायत सलेमपुर मे वर्ष 2017-18 मे 12/10/2017 को हैंडपम्प रिबोर कुल रुपये 134750.00 का व्यय गया था किन्तु उक्त हैंडपम्प रिबोर पर बिना किसी कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट, तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के उक्त कार्य पर कुल व्यय दर्शित धनराशि रुपये 134750.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विवेक कुमार तथा सचिव श्रीमती रूपम शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 6 , धनराशि रु० 134750.00 .00)

42— ग्राम पंचायत— जोलियाबनारस विकास खंड— देवा जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 65— ग्राम पंचायत जोलियाबनारस मे वर्ष 2017-18 मे विभिन्न तिथियों मे बिना किसी कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट,टेंडर / कोटेशन तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के सरस्वती पाइप उद्योग द्वारा ह्यूम पाइप क्रय दर्शाकर ह्यूम पाइप क्रय पर कुल व्यय दर्शित धनराशि रुपये 317847.00 का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री सुभाष चंद्र तथा सचिव सुश्री बीना से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 317847.00)

प्रस्तर 66— ग्राम पंचायत जोलियाबनारस मे वर्ष 2017-18 मे विभिन्न तिथियों मे बिना किसी कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट,टेंडर / कोटेशन तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के राम इंटरप्राइजेज द्वारा सोलर लाइट व स्ट्रीट लाइट क्रय दर्शाकर उक्त कार्य पर कुल व्यय दर्शित धनराशि रुपये 529950.00 का

दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री सुभाष चंद्र तथा सचिव सुश्री बीना से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 529950.00)

प्रस्तर 67— ग्राम पंचायत जोलियाबनारस में वर्ष 2017-18 में दिनांक 12/03/2018 को शौचालय निर्माण हेतु कुल रुपये 96598.00 का निर्माण सामग्री का क्रय किया गया था किन्तु वर्षातक उसका उपभोग नहीं किया गया । इस प्रकार बिना किसी कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट,टेंडर / कोटेशन तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के उक्त निर्माण सामग्री के क्रय पर व्यय दर्शित धनराशि रुपये 96598.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री सुभाष चंद्र तथा सचिव सुश्री बीना से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल प्रस्तर 4 , धनराशि रु० 96598.00)

प्रस्तर 68— ग्राम पंचायत जोलियाबनारस में वर्ष 2017-18 में विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प रिबोर कुल रुपये 219948.00 का व्यय गया था किन्तु उक्त हैंडपम्प रिबोर पर बिना किसी कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट, तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के उक्त कार्य पर कुल व्यय दर्शित धनराशि रुपये 219948.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विवेक कुमार तथा सचिव श्रीमती रूपम शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 5 , धनराशि रु० 219948.00)

43 — ग्राम पंचायत— दुर्गागंज विकास खंड— त्रिवेदीगंज जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 69— ग्राम पंचायत दुर्गागंज में वर्ष 2017-18 में हैंडपम्प मरम्मत के नाम पर वर्मा हार्डवेयर भिलवल बाराबंकी के फर्जी प्रमाणक द्वारा हैंडपम्प मरम्मत सामग्री का क्रय दर्शाने के कारण हैंडपम्प मरम्मत के नाम पर व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 13785.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री श्रीराम सनेही तथा सचिव श्री कुलदीप वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 13785.00)

44 — ग्राम पंचायत— भानमऊ विकास खंड— हरख जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 70— ग्राम पंचायत भानमऊ में वर्ष 2017-18 में हैंडपम्प मरम्मत के नाम पर मेसर्स यादव हार्डवेयर के दिनांक रहित फर्जी प्रमाणक द्वारा हैंडपम्प मरम्मत सामग्री का क्रय दर्शाने के कारण, मरम्मत स्थलों की सूची अप्राप्त रहने के कारण तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र अप्राप्त रहने के कारण उक्त हैंडपम्प मरम्मत के नाम पर व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 48000.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रजिया बानो तथा सचिव सुश्री सुषमा अवस्थी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 48000.00)

प्रस्तर 71— ग्राम पंचायत भानमऊ में वर्ष 2017-18 में शौचालय मरम्मत हेतु मेसर्स यादव इंटरप्राइजेज व मेसर्स अनुपम इंटरप्राइजेज के फर्जी बिलों द्वारा निर्माण सामग्री क्रय दर्शाकर तथा कार्य पर फर्जी मस्टररोलों द्वारा मजदूरी भुगतान दर्शाकर उक्त कार्य पर व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 147858.17 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रजिया बानो तथा सचिव सुश्री सुषमा अवस्थी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 147858.17)

प्रस्तर 72— ग्राम पंचायत भानमऊ में वर्ष 2017-18 में खड़जा निर्माण एजाज अहमद के घर से मस्जिद तक पर अनियमित ढंग से ईंट क्रय दर्शाकर , फर्जी मस्टररोलों द्वारा मजदूरी भुगतान दर्शाकर तथा जेई के बजाए तकनीकी सहायक द्वारा अमान्य एमबी बनवाकर उक्त खड़जा निर्माण कार्य पर व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 129990.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रजिया बानो तथा सचिव सुश्री सुषमा अवस्थी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

(मूल प्रस्तर 4 , धनराशि रु० 129990.00)

45 — ग्राम पंचायत—धनौली मिश्रान विकास खंड— बनीकोडर जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 73— ग्राम पंचायत धनौली मिश्रान में वर्ष 2016-17 में विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प मरम्मत के नाम पर मुशीर अहमद नामक अनाधिकृत व्यक्ति को हैंडपम्प मरम्मत सामग्री का क्रय हेतु भुगतान करने के कारण , मरम्मत स्थलों की सूची अप्राप्त रहने के कारण तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्ययोजना , वर्क आईडी व एस्टिमेट अप्राप्त रहने के कारण उक्त हैंडपम्प मरम्मत के नाम पर व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 98540.00 का अनियमित ढंग से व्यय दर्शाकर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ

36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री उमानाथ यादव तथा सचिव श्री राम प्रताप पाण्डेय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 98540.00)

प्रस्तर 74- ग्राम पंचायत धनौली मिश्रान मे वर्ष 2016-17 मे माह जून 2016 की विभिन्न तिथियों मे तालाब भराई के नाम पर व्यय दर्शाया गया था जिससे संबंधित कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्ययोजना , वर्क आईडी , एस्टीमेट व कार्यादेश अप्रस्तुत रहे अतः तालाब भराई के नाम पर व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 29400.00 का अनियमित ढंग से व्यय दर्शाकर व्यय दर्शित धनराशि का अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री उमानाथ यादव तथा सचिव श्री राम प्रताप पाण्डेय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 29400.00)

प्रस्तर 75- ग्राम पंचायत धनौली मिश्रान मे वर्ष 2016-17 मे ग्राम पंचायत मे नाली व संपर्क मार्गों की सफाई के नाम पर ग्राम प्रधान श्री उमानाथ यादव द्वारा अनधिकृत ढंग से धनराशि आहरित करके सफाई कार्य के नाम पर व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 19662.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री उमानाथ यादव तथा सचिव श्री राम प्रताप पाण्डेय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 4 , धनराशि रु० 19662.00)

प्रस्तर 76- ग्राम पंचायत धनौली मिश्रान मे वर्ष 2016-17 मे ग्राम पंचायत मे कटान मरम्मत नाम पर ग्राम प्रधान श्री उमानाथ यादव द्वारा अनधिकृत ढंग से धनराशि आहरित करके कटान मरम्मत के नाम पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रुपये 14964.00 का अपहरण किया गया है और पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री उमानाथ यादव तथा सचिव श्री राम प्रताप पाण्डेय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 5 , धनराशि रु० 14964.00)

46 - ग्राम पंचायत- मुडेहरी नरायनपुर विकास खंड- बनीकोडर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 77- ग्राम पंचायत मुडेहरी नरायनपुर के वर्ष 2016-17 मे कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों मे विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर बैंक खाता संख्या 31589974029 (एस0बी0आई0 रामसनेहीघाट बाराबंकी) से आहरित धनराशियों रुपये 217727.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर व्यय दर्शित धनराशि रुपये 217727.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती मुशीदा खातून तथा सचिव श्री हनोमान प्रसाद सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 217727.00)

47 - ग्राम पंचायत- सनौली विकास खंड- बनीकोडर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 78- ग्राम पंचायत सनौली के वर्ष 2016-17 मे कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों मे विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर बैंक खाता संख्या 751310210000043 से आहरित धनराशियों रुपये 858642.25 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, 156 एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 858642.25 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा तथा सचिव श्री राजेश कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 858642.25)

48- ग्राम पंचायत- भवनियापुर खेवली विकास खंड- बनीकोडर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 79— ग्राम पंचायत भवनियापुर खेवली के वर्ष 2016-17 में कोश बही के अनुसार हैंडपम्प मरम्मत के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 98720.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, 156 एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 98720.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी देवी तथा सचिव श्री राम प्रताप पाण्डेय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 98720.00)

प्रस्तर 80— ग्राम पंचायत भवनियापुर खेवली के वर्ष 2016-17 में कोश बही के अनुसार ईट व निर्माण सामग्रियों के क्रय हेतु संदिग्ध / फर्जी व्यय प्रमाणकों द्वारा व्यय दर्शाकर ईट व निर्माण सामग्री के क्रय के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 132000.00 का अपहरण कर लिया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी देवी तथा सचिव श्री राम प्रताप पाण्डेय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 132000.00)

प्रस्तर 81— ग्राम पंचायत भवनियापुर खेवली के वर्ष 2016-17 में कोश बही के अनुसार तालाब भराई के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 33000.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 33000.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी देवी तथा सचिव श्री राम प्रताप पाण्डेय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 4 , धनराशि रु० 33000.00)

49— ग्राम पंचायत— तोरईगाँव विकास खंड— बनीकोडर जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 82— ग्राम पंचायत तोरईगाँव के वर्ष 2016-17 में कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त / 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प मरम्मत कार्यों के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 135400.00 मनमाने ढंग से फर्जी व्यय दर्शाकर कर कुल धनराशि रुपये 135400.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री ब्रिज किशोर तथा सचिव श्री राजेश कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 135400.00)

प्रस्तर 83— ग्राम पंचायत तोरईगाँव के वर्ष 2016-17 में कोश बही के अनुसार मेन रोड से दिलीप के दरवाजे तक खड़जा निर्माण कार्य के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 55345.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, 156 एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 202 व 209 के प्राविधानों उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 55345.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री ब्रिज किशोर तथा सचिव श्री राजेश कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 55345.00)

प्रस्तर 84— ग्राम पंचायत तोरईगाँव के वर्ष 2016-17 में कोश बही के अनुसार में ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट क्रय के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 44770.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 44770.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री ब्रिज किशोर तथा सचिव श्री राजेश कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 4 , धनराशि रु० 44770.00)

50— ग्राम पंचायत— मालिनपुर विकास खंड— बनीकोडर जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 85— ग्राम पंचायत मालिनपुर के वर्ष 2016-17 में कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर बैंक खाता संख्या 31581903373 से आहरित धनराशियों रुपये 1311019.50 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, 156 एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 1311019.50 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री ललित कुमार तथा सचिव श्री वी.पी. सरोज से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 1311019.50)

51— ग्राम पंचायत— वाजिदपुर विकास खंड— मसौली जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 86— ग्राम पंचायत वाजिदपुर के वर्ष 2016-17 में कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 244018.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, 156 एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 के प्राविधानों उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 244018.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामा देवी तथा सचिव श्री मुनीन्द्र प्रसाद वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 244018.00)

52— ग्राम पंचायत— चिलौकी विकास खंड— मसौली जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 87— ग्राम पंचायत चिलौकी के वर्ष 2016-17 में कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प मरम्मत, ठेलिया क्रय, साफ सफाई व ह्यूम पाइप क्रय के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 74728.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, 156 के प्राविधानों उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 74728.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री सोमनाथ तथा सचिव श्री अरविन्द कुमार गुप्ता से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 74728.00)

53— ग्राम पंचायत— गदाईपुर विकास खंड— मसौली जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 88— ग्राम पंचायत गदाईपुर के वर्ष 2016-17 में कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प मरम्मत, तथा खड़जा मरम्मत में रोड से सुग्रीव के घर तक, के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 88620.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, 156 के प्राविधानों उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 88620.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश तथा सचिव श्री मुनीन्द्र प्रसाद वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 88620.00)

54— ग्राम पंचायत— बेरी विकास खंड— मसौली जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 89— ग्राम पंचायत बेरी के वर्ष 2016-17 में कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प मरम्मत, ठेलिया क्रय, तथा नाली मरम्मत / निर्माण कार्य के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 62176.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154,155, 156 के प्राविधानों उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 62176.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती मा/जुरी देवी तथा सचिव श्री अरविन्द कुमार गुप्ता से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 62176.00)

55— ग्राम पंचायत— गोडारी विकास खंड— मसौली जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 90— ग्राम पंचायत गोडारी के वर्ष 2016-17 में कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प मरम्मत, नाली मरम्मत तथा विभिन्न खड़जा मरम्मत / निर्माण कार्य के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 472663.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154,155, 156 के प्राविधानों उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 472663.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रामनरेश तथा सचिव श्री गोदराज वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 472663.00)

56— ग्राम पंचायत— रायपुर विकास खंड— मसौली जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 91— ग्राम पंचायत रायपुर के वर्ष 2016-17 में कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प मरम्मत, ठेलिया क्रय, पंचायत भवन मरम्मत, शौचालय मरम्मत, तथा विभिन्न खड़जा निर्माण कार्य के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 454053.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154,155, 156 के प्राविधानों उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 454053.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री शिवबालक तथा सचिव श्री गोदराज वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 454053.00)

57— ग्राम पंचायत— गंगौला विकास खंड— फतेहपुर जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 92— ग्राम पंचायत गंगौला के वर्ष 2016-17 में कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में खड़जा मरम्मत कार्य 1. फतेहपुर सिहाली मार्ग से कमाल किशोर के घर तक तथा 2. विवेक के खेत तक , के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 395040.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154,155, 156 के प्राविधानों उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 395040.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री योगेंद्र सिंह तथा सचिव श्री सुधीर मिश्रा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 395040.00)

58— ग्राम पंचायत— शाहपुर विकास खंड— फतेहपुर जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 93— ग्राम पंचायत शाहपुर के वर्ष 2016-17 में कोश बही के अनुसार माह जून 2016 में फर्जी मिट्टी पटाई के नाम पर व्यय दर्शाकर आहरित कुल धनराशियों रु० 138156.00 का अपहरण किया गया है जिस

हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती हमीदा बानो तथा सचिव श्री सुरेश सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 138156.00)

प्रस्तर 94— ग्राम पंचायत शाहपुर के वर्ष 2016-17 में कोश बही के अनुसार दिनांक 28/06/2016 को स्टेशनरी क्रय के नाम पर प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर आहरित कुल धनराशियों रु० 5000.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती हमीदा बानो तथा सचिव श्री सुरेश सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 5000.00)

प्रस्तर 95— ग्राम पंचायत शाहपुर के वर्ष 2016-17 में कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत भुगतान के नाम पर कुल रु० 40040.00 का भुगतान दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती हमीदा बानो तथा सचिव श्री सुरेश सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 4 , धनराशि रु० 40040.00)

59— ग्राम पंचायत— बलछत विकास खंड— हरख जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 96— ग्राम पंचायत बलछत के वर्ष 2016-17 में कोश बही व अन्य अभिलेखों के अनुसार विभिन्न खातों में कुल धनराशि रु० 153941.00 वर्षों से निष्क्रिय पड़ी हुई दर्शित है जिन्हे न तो विकास कार्यों में प्रयुक्त किया जा सका है न ही संबंधित विभागों को वापस किया गया जो की गंभीर अनियमितता है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती शिवकुमारी तथा सचिव श्री अजय वर्मा पर धनराशि वापस न किए जाने की स्थिति में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 153941.00)

60— ग्राम पंचायत— चकसार विकास खंड— हरख जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 97— ग्राम पंचायत चकसार के वर्ष 2016-17 में कोश बही व अन्य अभिलेखों के अनुसार विभिन्न खातों में कुल धनराशि रु० 132758.00 वर्षों से निष्क्रिय पड़ी हुई दर्शित है जिन्हे न तो विकास कार्यों में प्रयुक्त किया जा सका है न ही संबंधित विभागों को वापस किया गया जो की गंभीर अनियमितता का विषय है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री चंद्रशेखर तथा सचिव श्री उत्तम कुमार पर धनराशि वापस न किए जाने की स्थिति में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 132758.00)

61— ग्राम पंचायत— सेठमऊ विकास खंड— हरख जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 98— ग्राम पंचायत सेठमऊ के वर्ष 2016-17 की कोश बही व अन्य अभिलेखों के अनुसार विभिन्न खातों में कुल धनराशि रु० 110506.00 वर्षों से निष्क्रिय पड़ी हुई दर्शित है जिन्हे न तो विकास कार्यों में प्रयुक्त किया जा सका है न ही संबंधित विभागों को वापस किया गया जो की गंभीर अनियमितता का विषय है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती वंदना सिंह तथा सचिव श्री बृजेश कुमार पर धनराशि वापस न किए जाने की स्थिति में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 110506.00)

प्रस्तर 99— ग्राम पंचायत सेठमऊ के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार पूर्व प्रधान के पास रु० 3600.00 कई वर्षों से नकद अवशेष दर्शित है जिन्हे न तो विकास कार्यों में प्रयुक्त किया जा सका है और न ही ग्राम निधि एक के खाते में वापस किया गया जिसके कारण उक्त धनराशि का पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा संभावित रूप में अपहरण कर लिया गया है अतः पूर्व प्रधान से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 3600.00)

62— ग्राम पंचायत— बसन्तपुर विकास खंड— पूरे डलई जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 100— ग्राम पंचायत बसन्तपुर के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार नाव क्रय व नाव मरम्मत के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 53000.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 53000.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रानी सिंह तथा सचिव श्री उपकार सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 13 , धनराशि रु० 53000.00)

प्रस्तर 101— ग्राम पंचायत बसन्तपुर के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार हैंडपम्प मरम्मत के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 54000.00 का भुगतान अनाधिकृत व्यक्तियों को करके तथा किए गए भुगतान की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 54000.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रानी सिंह तथा सचिव श्री उपकार सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(मूल प्रस्तर 14 , धनराशि रु० 54000.00)

प्रस्तर 102— ग्राम पंचायत बसन्तपुर के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार दिनांक 31/03/2017 को स्टेशनरी पर व्यय के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 15000.00 का भुगतान अनधिकृत व्यक्ति को करके तथा किए गए भुगतान की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 15000.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रानी सिंह तथा सचिव श्री उपकार सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(मूल प्रस्तर 15 , धनराशि रु० 15000.00)

63— ग्राम पंचायत— हसनपुर पहाड़ापुर विकास खंड— रामनगर जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 103— ग्राम पंचायत हसनपुर पहाड़ापुर के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार प्रधान के पास रु० 3172.00 पूरे वर्ष नकद अवशेष दर्शित था जिन्हे न तो विकास कार्यों में प्रयुक्त किया जा सका और न ही ग्राम निधि एक के खाते में वापस किया गया जिसके कारण उक्त धनराशि का ग्राम प्रधान द्वारा संभावित रूप में अपहरण कर लिया गया है अतः प्रधान श्रीमती शान्ति देवी से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 3172.00)

प्रस्तर 104— ग्राम पंचायत हसनपुर पहाड़ापुर के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार माह अप्रैल 2016 से जुलाई 2016 के बीच आहरित धनराशियों रु० 354400.00 पूरे वर्ष ग्राम प्रधान के पास नकद अवशेष दर्शित था जिन्हे न तो विकास कार्यों में प्रयुक्त किया जा सका और न ही ग्राम निधि एक के खाते में वापस किया गया जिसके कारण उक्त धनराशि का ग्राम प्रधान द्वारा संभावित रूप में अपहरण / दुरुपयोग कर लिया गया है अतः प्रधान श्रीमती शान्ति देवी तथा सचिव श्री श्यामली चौबे से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 354400.00)

प्रस्तर 105— ग्राम पंचायत हसनपुर पहाड़ापुर के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार दिनांक 25/08/2016 को वाल पेंटिंग तथा स्टेशनरी पर व्यय के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 16785.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 16785.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ति देवी तथा सचिव श्री साँवली प्रसाद चौबे से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 16785.00)

64— ग्राम पंचायत— बेहटा विकास खंड— रामनगर जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 106— ग्राम पंचायत बेहटा के वर्ष 2016-17 में कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत दिनांक 01/04/2016 से दिनांक 30/09/2016 के बीच आहरित कुल धनराशियों रु० 357615.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक व कोशबही प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 454053.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्रावती तथा सचिव श्री साँवली प्रसाद चौबे से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 357615.00)

65— ग्राम पंचायत— खनवाहा विकास खंड— देवा जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 107— ग्राम पंचायत खनवाहा के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार दिनांक 10/06/2016 व दिनांक 30/08/2016 को आहरित कुल धनराशियों रु० 46043.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 46043.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार तथा सचिव श्री सूरज सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 46043.00)

66— ग्राम पंचायत—धौरमऊ विकास खंड— देवा जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 108— ग्राम पंचायत धौरमऊ के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार विभिन्न नाली निर्माण कार्यो व प्राथमिक विधालय मे शौचालय मरम्मत व मिट्टी पटाई के नाम पर मजदूरी भुगतान हेतु आहरित कुल धनराशियों रु० 57200.00 की पुष्टि हेतु फर्जी/कूटरचित मस्टर रोलों द्वारा मजदूरी भुगतान दर्शाकर कुल धनराशि रुपये 57200.00 का अपहरण कर लिया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश तथा सचिव श्री पुनीत कुमार वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 57200.00)

प्रस्तर 109— ग्राम पंचायत धौरमऊ के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार विभिन्न नाली निर्माण कार्यो व प्राथमिक वि।लय मे शौचालय मरम्मत के नाम पर सामग्री क्रय हेतु आहरित कुल धनराशियों रु० 93678.00 की पुष्टि हेतु फर्जी/कूटरचित तथा बिना बुक संख्या व बिना क्रमांक वाले व्यय प्रमाणकों द्वारा सामग्री क्रय दर्शाकर कुल धनराशि रुपये 93678.00 का अपहरण कर लिया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश तथा सचिव श्री पुनीत कुमार वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 93678.00)

67— ग्राम पंचायत— माधवपुर विकास खंड— देवा जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 110— ग्राम पंचायत माधवपुर के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे ह्यूम पाइप क्रय व हैंडपम्प मरम्मत हेतु आहरित कुल धनराशियों रु० 90950.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 90950.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज कुमारी तथा सचिव श्री आनंद कुमार सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 90950.00)

68— ग्राम पंचायत— पीण्ड विकास खंड— देवा जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 111— ग्राम पंचायत पीण्ड के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे हैंडपम्प मरम्मत सामग्री क्रय हेतु आहरित कुल धनराशियों रु० 92513.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 92513.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार तथा सचिव श्री सूरज सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 92513.00)

69— ग्राम पंचायत— आलापुर विकास खंड— हैदरगढ़ जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 112— ग्राम पंचायत आलापुर मे वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार माह अक्टूबर 2016 मे हैंडपम्प मरम्मत पर कुल रुपये 44000.00 का व्यय दर्शाया गया था किन्तु उक्त हैंडपम्प रिबोर पर बिना किसी कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट, तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के धनराशि व्यय करने के कारण तथा अमान्य व्यय प्रमाणकों द्वारा सामग्री क्रय दर्शाने के कारण उक्त कार्य पर कुल व्यय दर्शित धनराशि रुपये 44000.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती शिवपती तथा सचिव श्री पवन कुमार गौतम से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 44000.00)

प्रस्तर 113— ग्राम पंचायत आलापुर मे वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार माह मार्च 2017 मे ईट क्रय तथा निर्माण सामग्री क्रय पर कुल रुपये 108771.00 का व्यय गया था किन्तु उक्त व्यय प्रमाणक विहीन होने के कारण व बिना किसी कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट, तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के धनराशि व्यय करने के कारण तथा फर्म के स्थान पर अनि/कृत व्यक्तियों को भुगतान करने के कारण उक्त कार्य पर कुल व्यय दर्शित धनराशि रुपये 108771.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती शिवपती तथा सचिव श्री पवन कुमार गौतम से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 108771.00)

70— ग्राम पंचायत— अहीरगांव विकास खंड— हैदरगढ़ जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 114— ग्राम पंचायत अहीरगांव मे वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार दिनांक 31/03/2017 को ह्यूम पाइप डलवाने के नाम पर कुल रुपये 26775.00 का व्यय दर्शाया गया था किन्तु उक्त कार्य पर बिना किसी व्यय प्रमाणक , कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट, तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के धनराशि व्यय करने के कारण पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 26775.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार तथा सचिव श्री अनुज कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 26775.00)

प्रस्तर 115— ग्राम पंचायत अहीरगांव मे वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार दिनांक 01/09/2016 को फर्नीचर क्रय के नाम पर कुल रुपये 22500.00 का व्यय दर्शाया गया था किन्तु उक्त व्यय से संबंधित स्टॉक पंजिका तथा डेड स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न किए जाने के कारण किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकी । अतः काल्पनिक रूप से फर्नीचर क्रय दर्शाकर कुल धनराशि रुपये 22500.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार तथा सचिव श्री अनुज कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 22500.00)

प्रस्तर 116— ग्राम पंचायत अहीरगांव मे वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार अनियमित ढंग से फर्जी मिट्टी डलवाई कार्य के नाम पर कुल रुपये 67700.00 का व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रुपये 67700.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार तथा सचिव श्री अनुज कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

(मूल प्रस्तर 4 , धनराशि रु० 67700.00)

प्रस्तर 117— ग्राम पंचायत अहीरगांव मे वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार दिनांक 24/06/2016 को तालाब भराई के नाम पर कुल रुपये 12000.00 का व्यय दर्शाया गया था किन्तु उक्त व्यय से संबंधित कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा इंजन लॉगबुक प्रस्तुत न किए जाने के कारण किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकी । अतः फर्जी तालाब भराई के नाम पर कुल धनराशि रुपये 22500.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार तथा सचिव श्री अनुज कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 5 , धनराशि रु० 12000.00)

71— ग्राम पंचायत— कुड़वा विकास खंड— हैदरगढ़ जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 118— ग्राम पंचायत कुड़वा मे वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे हैंडपम्प मरम्मत पर कुल रुपये 124300.00 का व्यय दर्शाया गया था किन्तु उक्त हैंडपम्प रिबोर पर बिना किसी कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट, तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के मनमाने ढंग से धनराशि व्यय करने के कारण पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 124300.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र सिंह तथा सचिव श्री सहजराम शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 124300.00)

प्रस्तर 119— ग्राम पंचायत कुड़वा मे वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु विजय ब्रिक फील्ड से ईट क्रय पर कुल रुपये 728475.00 का व्यय दर्शाया गया था किन्तु उक्त व्यय से संबंधित प्रमाणक कूटरचित होने के कारण तथा कराए गए कार्यो की कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट, एमबी तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहने के कारण कुल व्यय दर्शित धनराशि रुपये 728475.00 का अपहरण किं श्रेणी मे आती है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र सिंह तथा सचिव श्री सहजराम शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 728475.00)

प्रस्तर 120— ग्राम पंचायत कुड़वा मे वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु निर्माण सामग्री क्रय व मजदूरी पर कुल रुपये 593608.00 का व्यय दर्शाया गया था किन्तु उक्त व्यय से संबंधित प्रमाणक कूटरचित होने के कारण तथा कराए गए कार्यो की कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट, एमबी तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहने के कारण कुल व्यय दर्शित धनराशि रुपये 593608.00 का अपहरण किं श्रेणी मे आती है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र सिंह तथा सचिव श्री सहजराम शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 4 , धनराशि रु० 593608.00 .00)

72— ग्राम पंचायत— जमीन हुसैनाबाद विकास खंड— हैदरगढ़ जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 121— ग्राम पंचायत जमीन हुसैनाबाद के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत तथा अन्त्येष्टि स्थल निर्माण योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों मे हैंडपम्प मरम्मत , अन्त्येष्टि स्थल निर्माण, तथा विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यो के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 1720416.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतो मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154,155, 156 के प्राविधानों उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 1720416.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती छाया सिंह तथा सचिव श्री सहजराम शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 1720416.00)

73— ग्राम पंचायत— चकौरा विकास खंड— हैदरगढ़ जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 122— ग्राम पंचायत चकौरा मे वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार दिनांक 23/06/2016 को धारा पाइप उधोग से ह्यूम पाइप क्रय के नाम पर कुल रुपये 63821.00 का व्यय दर्शाया गया था किन्तु उक्त ह्यूम पाइप क्रय पर बिना किसी कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट, तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के मनमाने ढंग से धनराशि व्यय करने के कारण कुल धनराशि रुपये 63821.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती बनीता तथा सचिव श्री विनय शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 63821.00)

प्रस्तर 123— ग्राम पंचायत चकौरा मे वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे हैंडपम्प मरम्मत पर कुल रुपये 87000.00 का व्यय दर्शाया गया था किन्तु उक्त हैंडपम्प रिबोर पर बिना किसी कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट, तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के मनमाने ढंग से धनराशि व्यय करके कुल धनराशि रुपये 87000.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती बनीता तथा सचिव श्री विनय शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 87000.00)

प्रस्तर 124— ग्राम पंचायत चकौरा मे वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे फूलचंद्र नामक अनधिकृत व्यक्ति को कुल रुपये 30000.00 का भुगतान दर्शाया गया था किन्तु उक्त भुगतान से संबंधित कोई विवरण व व्यय प्रमाणक सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका अतः फर्जी ढंग से भुगतान करके कुल धनराशि रुपये 30000.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती बनीता तथा सचिव श्री विनय शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

(मूल प्रस्तर 4 , धनराशि रु० 30000.00)

74— ग्राम पंचायत— सिधियावाँ विकास खंड— हैदरगढ़ जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 125— ग्राम पंचायत सि/ियावाँ मे वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे ब्याज की धनराशि से संबंधित शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए ब्याज मद की कुल धनराशि रुपये 24684.00 का व्यय हैंडपम्प मरम्मत व नाली निर्माण के रूप मे करके अनियमितता की गई जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती हेमलता सिंह तथा सचिव श्री विनय शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली / विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 24684.00)

75— ग्राम पंचायत— हरचन्दपुर विकास खंड— हैदरगढ़ जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 126— ग्राम पंचायत हरचन्दपुर मे वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे ब्याज की धनराशि से संबंधित शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए ब्याज मद की कुल धनराशि रुपये 22155.00 का व्यय हैंडपम्प मरम्मत व खड़जा मरम्मत के रूप मे करके अनियमितता की गई जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री चंद्रनाथ यादव तथा सचिव श्री विनय शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली / विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 22155.00)

76— ग्राम पंचायत— पलिया विकास खंड— हैदरगढ़ जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 127— ग्राम पंचायत पलिया की वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे हैंडपम्प मरम्मत पर कुल रुपये 32205.00 का व्यय दर्शाया गया था किन्तु उक्त हैंडपम्प रिबोर पर बिना किसी कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट, तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के तथा फर्जी व्यय प्रमाणकों द्वारा मनमाने ढंग व्यय दर्शाकर कुल धनराशि 32205.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती कन्यावती तथा सचिव श्री राजेन्द्र कुमार बाजपेयी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 32205.00)

प्रस्तर 128— ग्राम पंचायत पलिया मे वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार अनियमित ढंग से फर्जी मिट्टी डलवाई कार्य के नाम पर कुल रुपये 54400.00 का व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रुपये 54400.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती कन्यावती तथा सचिव श्री राजेन्द्र कुमार बाजपेयी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 54400.00)

77— ग्राम पंचायत— गोसियामऊ विकास खंड— हैदरगढ़ जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 129— ग्राम पंचायत गोसियामऊ मे वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार अनियमित ढंग से फर्जी मिट्टी डलवाई कार्य के नाम पर कुल रुपये 66052.00 का व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रुपये 66052.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी तथा सचिव श्री पवन कुमार गौतम से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 66052.00)

78— ग्राम पंचायत— कमेला विकास खंड— हैदरगढ़ जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 130— ग्राम पंचायत कमेला मे वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार अनियमित ढंग से फर्जी मिट्टी डलवाई कार्य के नाम पर कुल रुपये 56587.00 का व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रुपये 56587.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री प्रेम कुमार तथा सचिव श्री राजेन्द्र कुमार बाजपेयी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 56587.00)

79— ग्राम पंचायत— मोहिउद्दीन सराय विकास खंड— हैदरगढ़ जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 131— ग्राम पंचायत मोहिउद्दीन सराय मे वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों मे ब्याज की धनराशि से संबंधित शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए ब्याज मद की कुल धनराशि रुपये 4500.00 का व्यय हैंडपम्प मरम्मत के रूप मे करके अनियमितता की गई जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री सूर्यभान तथा सचिव श्री विनय शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली / विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 4500.00)

80— ग्राम पंचायत— शरीफाबाद विकास खंड— हैदरगढ़ जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 132— ग्राम पंचायत शरीफाबाद के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त / 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों मे हैंडपम्प मरम्मत , तथा विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 487404.00 की पुष्टि हेतु कूटरचित व्यय प्रमाणकों तथा मस्टर रोलों द्वारा व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रुपये 487404.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों

ग्राम प्रधान श्री जगरूप मौर्या तथा सचिव श्री पवन कुमार गौतम से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 487404.00)

81- ग्राम पंचायत- रेहुरा विकास खंड- हैदरगढ़ जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 133- ग्राम पंचायत रेहुरा की वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार दिनांक 27/10/2016 को टेंट, कुर्सी, मेज आदि के नाम पर कुल रुपये 9500.00 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री किशोरी लाल तथा सचिव श्री विनय शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 9500.00)

82- ग्राम पंचायत- गेरावाँ विकास खंड- हैदरगढ़ जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 134- ग्राम पंचायत गेरावाँ के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार दिनांक 20/06/2016 को हैंडपम्प मरम्मत क्रय के नाम पर पर बिना किसी कार्ययोजना, प्रस्ताव, एस्टिमेट, तथा उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के तथा फर्जी व्यय प्रमाणकों द्वारा धनराशि का भुगतान करके कुल रु० 44690.00 अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री हरिश्चंद्र तथा सचिव श्री सहजराम शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 44690.00)

83- ग्राम पंचायत- भटगवा विकास खंड- हैदरगढ़ जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 135- ग्राम पंचायत भटगवा के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प मरम्मत , तथा विभिन्न खड़जा व नाली निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 458040.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्ययोजना, स्टीमेट,एमबी तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154,155, 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 458040.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह तथा सचिव श्री अनुज कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 458040.00)

84- ग्राम पंचायत- बुड़गौरा विकास खंड- सूरतगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 136- ग्राम पंचायत बुड़गौरा के वर्ष 2016-17 खाता संख्या 751710210000381 बैंक ऑफ इंडिया सूरतगंज से चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 373745.60 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्ययोजना, स्टीमेट,एमबी तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154,155, 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 373745.60 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार तथा सचिव श्री अनिल मिश्रा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 373745.60)

85- ग्राम पंचायत- अमराईगाँव विकास खंड- सूरतगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 137- ग्राम पंचायत अमराईगाँव के वर्ष 2016-17 खाता संख्या 751710210000345 बैंक ऑफ इंडिया सूरतगंज से चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 203578.76 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्ययोजना, स्टीमेट,एमबी तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154,155, 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 203578.76 का अपहरण किया

गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री दिनेश प्रताप तथा सचिव श्री राकेश सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 203578.76)

86- ग्राम पंचायत- सुल्तानापुर विकास खंड- सूरतगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 138- ग्राम पंचायत सुल्तानापुर के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार खाता संख्या 751710210000696 बैंक ऑफ इंडिया सूरतगंज से चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 287150.55 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्ययोजना, स्टीमेट, एमबी तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 287150.55 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र प्रकाश तथा सचिव श्री जानकीराम से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 287150.55)

87- ग्राम पंचायत- म/वाजलालपुर विकास खंड- सूरतगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 139- ग्राम पंचायत म/वाजलालपुर के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार खाता संख्या 751710210000390 बैंक ऑफ इंडिया सूरतगंज से चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 127876.85 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्ययोजना, स्टीमेट, एमबी, स्टॉक रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 127876.85 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती मीना सिंह तथा सचिव श्री राकेश सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 127876.85)

88- ग्राम पंचायत- रहटा विकास खंड- सूरतगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 140- ग्राम पंचायत रहटा के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार खाता संख्या 751210210000005 बैंक ऑफ इंडिया सूरतगंज से चतुर्थ राज्य वित्त/14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण /मरम्मत कार्यों के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 438575.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्ययोजना, स्टीमेट, एमबी, स्टॉक रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 438575.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती शीला सिंह तथा सचिव श्री जानकीराम से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 438575.00)

89- ग्राम पंचायत- भिरिया विकास खंड- सूरतगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 141- ग्राम पंचायत भिरिया के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में विविध/व्ययों के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 53335.81 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 53335.81 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री तथा सचिव श्री जानकीराम से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 53335.81)

90- ग्राम पंचायत- अजौवा विकास खंड- सिद्धौर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 142— ग्राम पंचायत अजौवा के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प मरम्मत मजदूरी व सामग्री के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 144505.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, कार्य का प्रस्ताव, अनुमोदन, तथा कार्यादेश प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 144505.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती राधा वर्मा तथा सचिव श्री वीरेंद्र कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 144505.00)

91— ग्राम पंचायत— हाजीपुर श्यामनगर विकास खंड— सिद्धौर जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 143— ग्राम पंचायत हाजीपुर श्यामनगर के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प मरम्मत मजदूरी व सामग्री, ह्यूम पाइप क्रय, ठेलिया क्रय, तथा विभिन्न खड़जा व नाली निर्माण कार्यों के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 480550.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, कार्य का प्रस्ताव, अनुमोदन, तथा कार्यादेश प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 480550.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री गिरधारी तथा सचिव श्री राम जियावन सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 480550.00)

92— ग्राम पंचायत— सरायपुरखू विकास खंड— सिद्धौर जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 144— ग्राम पंचायत सरायपुरखू के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में फर्जी व्यय प्रमाणकों द्वारा हैंडपम्प मरम्मत मजदूरी व सामग्री के नाम पर धनराशियों आहरण करके कुल धनराशि रु० 88000.00 का अपहरण कर लिया गया है इससे संबंधित कार्य का प्रस्ताव, अनुमोदन, तथा कार्यादेश भी अप्राप्त रहे जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी तथा सचिव श्री वीरेंद्र कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 88000.00)

93— ग्राम पंचायत— नवाबपुर कोडरी विकास खंड— सिद्धौर जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 145— ग्राम पंचायत नवाबपुर कोडरी के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में स्टेशनरी क्रय व हैंडपम्प मरम्मत मजदूरी व सामग्री के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 82300.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, कार्य का प्रस्ताव, अनुमोदन, तथा कार्यादेश प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 82300.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मी नारायन वर्मा तथा सचिव श्री राम जियावन सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 82300.00)

94— ग्राम पंचायत— बीरापुर विकास खंड— सिद्धौर जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 146— ग्राम पंचायत बीरापुर के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प मरम्मत मजदूरी व सामग्री के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 31467.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, कार्य का प्रस्ताव, अनुमोदन, तथा कार्यादेश प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 31467.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विजय प्रताप सिंह तथा सचिव श्री अखिलेश्वर सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 31467.00)

95— ग्राम पंचायत— गनौरा विकास खंड— बंकी जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 147— ग्राम पंचायत गनौरा के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में फर्जी व्यय प्रमाणकों द्वारा हैंडपम्प मरम्मत मजदूरी व सामग्री के नाम पर धनराशियों आहरण करके कुल धनराशि रु० 52050.00 का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री बालकराम तथा सचिव श्री अटल बिहारी मिश्रा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 52050.00)

प्रस्तर 148— ग्राम पंचायत गनौरा के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प मरम्मत मजदूरी खड़जा मरम्मत कार्य मुकेश के घर से दिनेश के घर तक पर मजदूरी के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 33600.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 33600.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री बालकराम तथा सचिव श्री अटल बिहारी मिश्रा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 33600.00)

प्रस्तर 149— ग्राम पंचायत गनौरा के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार दिनांक 17/05/2016 को फर्जी व्यय प्रमाणकों द्वारा खड़जा मरम्मत कार्य मुकेश के घर से दिनेश के घर तक के लिए ईट क्रय के नाम पर धनराशियों आहरण करके कुल धनराशि रु० 72244.00 का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री बालकराम तथा सचिव श्री अटल बिहारी मिश्रा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 4 , धनराशि रु० 72244.00)

96— ग्राम पंचायत—ढकौली विकास खंड— बंकी जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 150— ग्राम पंचायत ढकौली के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में फर्जी व्यय प्रमाणकों द्वारा तथा अनधिकृत व्यक्ति को भुगतान करके हैंडपम्प मरम्मत मजदूरी व सामग्री के नाम पर धनराशियों आहरण करके कुल धनराशि रु० 172186.00 का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी तथा सचिव श्री सत्यनाम वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 172186.00)

प्रस्तर 151— ग्राम पंचायत ढकौली के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में फर्जी व्यय प्रमाणकों द्वारा तथा अनधिकृत व्यक्ति को भुगतान करके ईट क्रय, सफाई सामग्री क्रय व मजदूरी भुगतान के नाम पर धनराशियों आहरण करके कुल धनराशि रु० 182300.00 का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी तथा सचिव श्री सत्यनाम वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 182500.00)

प्रस्तर 152— ग्राम पंचायत ढकौली के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में विवि/1 व्ययों के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 264770.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 264770.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी तथा सचिव श्री सत्यनाम वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 4 , धनराशि रु० 264770.00)

97— ग्राम पंचायत— दुल्हीपुर विकास खंड— बंकी जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 153— ग्राम पंचायत दुल्हीपुर के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में फर्जी व्यय प्रमाणकों द्वारा तथा अनधिकृत व्यक्ति को भुगतान करके हैंडपम्प मरम्मत मजदूरी व सामग्री के नाम पर धनराशियों आहरण करके कुल धनराशि रु० 66522.00 का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी तथा सचिव श्री राजेश कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 66522.00)

प्रस्तर 154— ग्राम दुल्हीपुर के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार नाली मरम्मत कार्यों 1. रामकुमार पाण्डेय के घर से सागर नाऊ के घर तक तथा 2. रामकुमार के घर से गड़ही तक के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 79050.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल प्रस्तुत न कर पंचायती राज

नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 79050.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी तथा सचिव श्री राजेश कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 79050.00)

98- ग्राम पंचायत- पतुलकी विकास खंड- दरियाबाद जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 155- ग्राम पंचायत पतुलकी के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार दिनांक 24/03/2017 को फर्जी व्यय प्रमाणकों द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर स्टेशनरी क्रय नाम पर धनराशियों आहरण करके कुल धनराशि रु० 11630.00 का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती निशा सिंह तथा सचिव श्री चंद्रशेखर वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 11630.00)

प्रस्तर 156- ग्राम पंचायत पतुलकी के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार दिनांक 24/03/2017 को काल्पनिक व्यय दर्शाकर सफाई कर्मी किट क्रय नाम पर धनराशियों आहरण करके कुल धनराशि रु० 13500.00 का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती निशा सिंह तथा सचिव श्री चंद्रशेखर वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 13500.00)

प्रस्तर 157- ग्राम पंचायत पतुलकी के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार नाली निर्माण कार्य के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 104641.00 की पुष्टि हेतु कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 104641.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती निशा सिंह तथा सचिव श्री चंद्रशेखर वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 4 , धनराशि रु० 104641.00)

99- ग्राम पंचायत- केसरई विकास खंड- सूरतगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 158- ग्राम पंचायत केसरई के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार दिनांक 27/10/2016 को सुंदरलाल कंशट्रक्शन कंपनी से फर्जी ह्यूम पाइप क्रय दर्शाकर कुल धनराशि रु० 48450.00 का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अमरुता तथा सचिव श्री राजेश कुमार निगम से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 48450.00)

100- ग्राम पंचायत- दुर्गापुर नौबस्ता विकास खंड- सूरतगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 159- ग्राम पंचायत दुर्गापुर नौबस्ता के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों मे विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 586689.73 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्ययोजना, स्टीमेट, एमबी, स्टॉक रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 586689.73 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री कृष्णपाल सिंह तथा सचिव श्री जानकीराम से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 586689.73)

101- ग्राम पंचायत- भैरमपुर विकास खंड- सूरतगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 160- ग्राम पंचायत भैरमपुर के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार दिनांक 21/03/2017 नाली निर्माण कार्य रफीक के घर से इरफान के घर तक, पर बिना मजदूरी पर कोई व्यय किए फर्जी ईट क्रय व निर्माण सामग्री क्रय दर्शाकर कुल धनराशि रु० 51496.00 का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु

उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती खतूना बानो तथा सचिव श्री राजेश कुमार निगम से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 51496.00)

102- ग्राम पंचायत- पूरे चंद्रमन विकास खंड- सिद्धौर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 161- ग्राम पंचायत पूरे चंद्रमन के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प मरम्मत मजदूरी व सामग्री, तालाब भराई, ठेलिया क्रय, तथा विभिन्न खड़जा कार्यों के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 105326.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, कार्य का प्रस्ताव, अनुमोदन, तथा कार्यादेश प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 105326.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम अभिलाश यादव तथा सचिव श्री उमेशचंद्र पाण्डेय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 105326.00)

103- ग्राम पंचायत- भनौली विकास खंड- बंकी जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 162- ग्राम पंचायत भनौली के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में फर्जी व्यय प्रमाणकों द्वारा हैंडपम्प मरम्मत सामग्री के नाम पर धनराशियों आहरण करके कुल धनराशि रु० 19200.00 का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मी शरण तथा सचिव श्री राजेश कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 19200.00)

प्रस्तर 163- ग्राम पंचायत भनौली के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में फर्जी व्यय प्रमाणकों द्वारा तथा अनाधिकृत व्यक्ति को भुगतान करके नाली निर्माण रामचंदर के घर से कोटेदार के घर तक, के नाम पर धनराशियों का आहरण करके कुल धनराशि रु० 65090.00 का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मी शरण तथा सचिव श्री राजेश कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 65090.00)

प्रस्तर 164- ग्राम पंचायत भनौली के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार दिनांक 27/03/2017 को खड़जा निर्माण कार्य विकास के घर से अशोक के घर तक तथा नाली निर्माण कार्य विकास के घर से अशोक के घर तक, के नाम पर ईंट क्रय व निर्माण सामग्री क्रय हेतु आहरित कुल धनराशियों रु० 48815.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक , एमबी, तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 48815.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मी शरण तथा सचिव श्री राजेश कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 4 , धनराशि रु० 48815.00)

104- ग्राम पंचायत- महुआमऊ विकास खंड- बंकी जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 165- ग्राम पंचायत महुआमऊ के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार माह मार्च 2017 में फर्जी व्यय प्रमाणकों/मस्टर रोलों द्वारा मैकूलाल के घर से तालाब तक खड़जा व नाली निर्माणकार्य के नाम पर धनराशियों का आहरण करके कुल धनराशि रु० 122856.00 का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार तथा सचिव श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 122856.00)

105- ग्राम पंचायत- सकतपुर विकास खंड- बनीकोडर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 166- ग्राम पंचायत सकतपुर के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनांतर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर आहरित धनराशियों रुपये 353164.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या

153, 154, 155, 156 एवं पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 202 व 209 के प्राविधानों उल्लंघन कर कुल धनराशि रुपये 353164.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री छेदन लाल तथा सचिव श्री रावि प्रकाश अवस्थी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 353164.00)

106— ग्राम पंचायत— पलिया मसूदपुर विकास खंड— बंकी जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 167— ग्राम पंचायत पलिया मसूदपुर के वर्ष 2016—17 के कोशबही के अनुसार फर्जी व्यय प्रमाणक द्वारा शिवराज के घर से प्रकाश के घर तक खड़जा मरम्मत कार्य के नाम पर ईट क्रय दर्शाकर कुल धनराशि रु० 46500.00 का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री श्रवण कुमार तथा सचिव श्री अटल बिहारी मिश्रा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 46500.00)

प्रस्तर 168— ग्राम पंचायत पलिया मसूदपुर के वर्ष 2016—17 के कोशबही के अनुसार शिवराज के घर से प्रकाश के घर तक खड़जा मरम्मत कार्य के नाम पर फर्जी मिट्टी कार्य व मजदूरी पर व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रु० 20120.00 का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री श्रवण कुमार तथा सचिव श्री अटल बिहारी मिश्रा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 20120.00)

प्रस्तर 169— ग्राम पंचायत पलिया मसूदपुर के वर्ष 2016—17 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में फर्जी व्यय प्रमाणकों द्वारा हैंडपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय के नाम पर धनराशियों का भुगतान करके कुल धनराशि रु० 47900.00 का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री श्रवण कुमार तथा सचिव श्री अटल बिहारी मिश्रा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 4, धनराशि रु० 47900.00)

107— ग्राम पंचायत— जफरपुर विकास खंड— सूरतगंज जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 170— ग्राम पंचायत जफरपुर के वर्ष 2016—17 में प्रियासॉफ्ट पर अंकित विवरण के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त / 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर आहरित कुल धनराशियों रु० 168571.69 की पुष्टि हेतु कोशबही, व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्ययोजना, स्टीमेट, एमबी, स्टॉक रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36—37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 168571.69 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह तथा सचिव श्री अनिल मिश्रा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 168571.69)

108— ग्राम पंचायत— हेतमपुर विकास खंड— मसौली जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 171— ग्राम पंचायत हेतमपुर के वर्ष 2016—17 की कोशबही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त / 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर आहरित धनराशियों रु० 281536.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्ययोजना, स्टीमेट, एमबी, स्टॉक रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36—37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 281536.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा तथा सचिव श्री मुनीन्द्र प्रसाद वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 281536.00)

109— ग्राम पंचायत— सालपुर विकास खंड— हैदरगढ़ जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 172— ग्राम पंचायत सालपुर के वर्ष 2016—17 की कोश बही के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा धनराशियों का आहरण करके कुल रु० 84000.00 पूरे वर्ष हस्तगत रखा गया था जिन्हे न तो विकास कार्यों में प्रयुक्त किया जा सका और न ही ग्राम निधि एक के खाते में वापस किया गया जिसके कारण उक्त धनराशि का ग्राम प्रधान द्वारा संभावित रूप में अपहरण / दुरुपयोग कर लिया गया है अतः प्रधान श्रीमती शान्ति देवी

तथा सचिव श्री श्यामली चौबे से उक्त धनराशि ब्याज रु० 15614.00 सहित कुल रु० 99614.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 99614.00)

110— ग्राम पंचायत— सुकुलपुर विकास खंड— हैदरगढ़ जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 173— ग्राम पंचायत सुकुलपुर के वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर आहरित धनराशियों रु० 258523.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्ययोजना, स्टीमेट, एमबी, स्टॉक रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 258523.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रामू तथा सचिव श्री सहजराम शुक्ला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 258523.00)

111— ग्राम पंचायत— चौबीसी विकास खंड— हैदरगढ़ जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 174— ग्राम पंचायत चौबीसी के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में फर्जी व्यय प्रमाणकों द्वारा तथा अनधिकृत व्यक्ति को भुगतान करके हैंडपम्प मरम्मत पर फर्जी मजदूरी व सामग्री क्रय के नाम पर धनराशियों भुगतान करके कुल धनराशि रु० 122302.00 का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती शशी सिंह तथा सचिव श्री अनुज कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 66522.00)

प्रस्तर 175— ग्राम पंचायत चौबीसी के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में विभिन्न खड़जा मरम्मत कार्यों पर फर्जी व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रु० 861006.00 का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती शशी सिंह तथा सचिव श्री अनुज कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल प्रस्तर 3 , धनराशि रु० 861006.00)

प्रस्तर 176— ग्राम पंचायत चौबीसी के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार विभिन्न तिथियों में खड़जा मरम्मत कार्यों 1. धर्मेन्द्र के घर से हरीलाल के घर तक तथा 2. पक्की रोड से मोती के घर तक, के नाम पर फर्जी ईट क्रय दर्शाकर कुल धनराशि रु० 193690.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त व्यय से संबंधित स्टॉक रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी अप्रस्तुत रहे जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती शशी सिंह तथा सचिव श्री अनुज कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल प्रस्तर 4 , धनराशि रु० 193690.00)

112— ग्राम पंचायत— भेतमुआ विकास खंड— हैदरगढ़ जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 177— ग्राम पंचायत भेतमुआ के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार बैंक खाता संख्या 210000038 से ग्राम प्रधान द्वारा धनराशियों का आहरण करके कुल रु० 219000.00 पूरे वर्ष हस्तगत रखा गया था जिन्हें न तो विकास कार्यों में प्रयुक्त किया जा सका और न ही ग्राम निधि एक के खाते में वापस किया गया जिसके कारण उक्त धनराशि का ग्राम प्रधान द्वारा संभावित रूप में अपहरण / दुरुपयोग कर लिया गया है अतः प्रधान श्री विजय कुमार सिंह तथा सचिव श्री पवन कुमार गौतम से उक्त धनराशि की ब्याज रु० 22117.00 सहित कुल रु० 241117.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 241117.00)

113— ग्राम पंचायत— कनवा विकास खंड— हैदरगढ़ जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 178— ग्राम पंचायत कनवा के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार बैंक खाता संख्या 30150100014482 से ग्राम प्रधान द्वारा धनराशियों का आहरण करके कुल रु० 150000.00 पूरे वर्ष हस्तगत रखा गया था जिन्हें न तो विकास कार्यों में प्रयुक्त किया जा सका और न ही ग्राम निधि एक के खाते में वापस किया गया जिसके कारण उक्त धनराशि का ग्राम प्रधान द्वारा संभावित रूप में अपहरण / दुरुपयोग कर लिया गया है अतः प्रधान श्री केशरी नंदन तथा सचिव श्री फिदा हुसैन से उक्त धनराशि रु० 17589.00 कुल रु० 167589.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 167589.00)

114— ग्राम पंचायत— टिकरहुआ विकास खंड— हैदरगढ़ जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 179— ग्राम पंचायत टिकरहुआ के वर्ष 2016-17 की कोश बही के अनुसार बैंक खाता संख्या 750110210000009 से ग्राम प्रधान द्वारा धनराशियों का आहरण करके कुल रु० 335000.00 पूरे वर्ष हस्तगत रखा गया था जिन्हे न तो विकास कार्यों में प्रयुक्त किया जा सका और न ही ग्राम निधि एक के खाते में वापस किया गया जिसके कारण उक्त धनराशि का ग्राम प्रधान द्वारा संभावित रूप में अपहरण / दुरुपयोग कर लिया गया है अतः प्रधान श्रीमती हीरा देवी तथा सचिव श्री चंद्रेश कुमार से उक्त धनराशि कीरु० 54780.00 कुल रु० 389790.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 389790.00)

115— ग्राम पंचायत—धधरा विकास खंड— निन्दूरा जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 180— ग्राम पंचायत धधरा के वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार बैंक खाता संख्या 7514102100000086 से चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर आहरित धनराशियों रु० 144210.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्ययोजना, स्टीमेट, एमबी, स्टॉक रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154,155, 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 144210.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा तथा सचिव श्री राजेश कुमार तिवारी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 144210.00)

116— ग्राम पंचायत— पड़री विकास खंड— निन्दूरा जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 181— ग्राम पंचायत पड़री के वर्ष 2016-17 में प्रियासॉफ्ट पर अंकित विवरण के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर आहरित धनराशियों रु० 207109.00 की पुष्टि हेतु कोशबही, व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्ययोजना, स्टीमेट, एमबी, स्टॉक रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154,155, 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 207109.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री मिसबाहुल हक तथा सचिव श्री कमाल किशोर व श्री दिगेन्द्र सिंह रौतेला से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 207109.00)

117— ग्राम पंचायत— गुग्गौर विकास खंड— निन्दूरा जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 182— ग्राम पंचायत गुग्गौर के वर्ष 2016-17 में प्रियासॉफ्ट पर अंकित विवरण के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर आहरित धनराशियों रु० 492226.00 की पुष्टि हेतु कोशबही, व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्ययोजना, स्टीमेट, एमबी, स्टॉक रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154,155, 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 492226.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार तथा सचिव श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 492226.00)

118— ग्राम पंचायत— डफरपुर विकास खंड— निन्दूरा जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 183— ग्राम पंचायत डफरपुर के वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त /14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर आहरित धनराशियों रु० 126000.00 की पुष्टि हेतु कोशबही, व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्ययोजना, स्टीमेट, एमबी, स्टॉक रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या

256(2) के उप नियम (1) क मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 126000.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री चंद्रशेखर तथा सचिव श्री राजेश कुमार तिवारी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० व 126000.00)

119- ग्राम पंचायत-घुसेड़िया विकास खंड- सिरौलीगौसपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 184- ग्राम पंचायत घुसेड़िया के वर्ष 2016-17 की कोशबही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त / 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों मे हैंडपम्प मरम्मत, तथा विभिन्न खड़जा निर्माण/मरम्मत कार्यों के नाम प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर तथा मानक खड़जा कार्य में खड़जा से संदीप पाल के घर तक खड़जा मरम्मत पर मानक से अधिक ईंटों का उपभोग दर्शाकर कुल रु० 381182.00 का अपहरण किया गया है यहाँ दर्शित व्ययों की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्ययोजना, स्टीमेट, एमबी, स्टॉक रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, 156 के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम सजीवन तथा सचिव श्री विनोद कुमार तथा श्री वी०एन० त्रिपाठी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल प्रस्तर 2 व 3 , धनराशि रु० व 381182.00)

120- ग्राम पंचायत- किशुनदासपुर विकास खंड- सिरौलीगौसपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 185- ग्राम पंचायत किशुनदासपुर के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार हैंडपम्प मजदूरी के नाम पर आहरित कुल धनराशि रु० 2370.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 2370.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री सहजराज तथा सचिव श्री कृष्ण कुमार सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 2370.00)

121- ग्राम पंचायत- भरथीपुर विकास खंड- सिरौलीगौसपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 186- ग्राम पंचायत भरथीपुर के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार खड़जा निर्माण कार्य पताली के घर से ज्ञानेन्द्र के घर तक तथा नाली निर्माण हेतराम के घर से केशनराम के घर तक, पर मजदूरी भुगतान की पुष्टि हेतु प्रस्तुत मस्टर रोलों पर मजदूरों के हस्ताक्षर / अँगूठा निशानी न होने के कारण उक्त कार्यों की मजदूरी भुगतान के रूप मे व्यय दर्शित कुल धनराशि रु० 34998.00 का व्यय अपुष्ट/अपहरण की श्रेणी मे आता है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रोहित कुमार तिवारी तथा सचिव श्री वी०एन० त्रिपाठी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 34998.00)

122- ग्राम पंचायत- मरौचा विकास खंड- सिरौलीगौसपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 187- ग्राम पंचायत मरौचा के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार हैंडपम्प मजदूरी के नाम पर आहरित कुल धनराशि रु० 7776.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु ""लेखा मैनुअल"" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 7776.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सुमित्रा तथा सचिव श्री कृष्ण कुमार सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 7776.00)

123- ग्राम पंचायत- खलसापुर विकास खंड- सिरौलीगौसपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर 188— ग्राम पंचायत खलसापुर के वर्ष 2016-17 की बैंक पासबुक के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त / 14 वां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न तिथियों में विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्यों के नाम पर आहरित धनराशियों रु० 518647.00 की पुष्टि हेतु कोशबही, व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्ययोजना, स्टीमेट, एमबी, स्टॉक रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का तथा पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, 156 के प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 518647.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री सुरेशचंद्र तथा सचिव श्री विनोद कुमार, श्री राजेश सिंह तथा श्री पुष्पेंद्र कुमार से उनके कार्यकाल के अनुसार नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० व 518647.00)

124— ग्राम पंचायत— पंजरौली विकास खंड— सिरौलीगौसपुर जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 189— ग्राम पंचायत पंजरौली के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार हैंडपम्प मजदूरी के नाम पर आहरित कुल धनराशि रु० 3888.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 3888.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रामप्रकाश तथा सचिव श्री कृष्ण कुमार सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 3888.00)

125— ग्राम पंचायत— विकौली विकास खंड— सिरौलीगौसपुर जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 190— ग्राम पंचायत विकौली के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार फर्जी/कूटरचित व्यय प्रमाणकों के माध्यम से हैंडपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रु० 30042.00 का अपहरण कर लिया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी तथा सचिव श्री वी०एन० त्रिपाठी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 30042.00)

126—ग्राम पंचायत— औलियालालपुर विकास खंड— सिरौलीगौसपुर जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 191— ग्राम पंचायत औलियालालपुर के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार हैंडपम्प मजदूरी के नाम पर आहरित कुल धनराशि रु० 3888.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल प्रस्तुत न कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 3888.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र कुमार तथा सचिव श्री कृष्ण कुमार सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 3888.00)

127— ग्राम पंचायत— पीठापुर विकास खंड— सिरौलीगौसपुर जनपद — बाराबंकी

प्रस्तर 192— ग्राम पंचायत पीठापुर के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार नाली मरम्मत कार्य पवन के घर से तालाब तक पर अनियमित ढंग से फर्जी व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रु० 19105.00 का अपहरण कर लिया गया जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार तथा सचिव श्री उमेश वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 19105.00)

प्रस्तर 193— ग्राम पंचायत पीठापुर के वर्ष 2016-17 के कोशबही के अनुसार हैंडपम्प मरम्मत के नाम पर आहरित कुल धनराशि रु० 19900.00 की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल प्रस्तुत न कर तथा अनधिकृत व्यक्तियों को भुगतान कर पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन कर कुल धनराशि रु० 19900.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार तथा सचिव श्री उमेश वर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल प्रस्तर 2 , धनराशि रु० 19900.00)

प्रारूप- 4

जनपद – सुलतानपुर सम्भाग – अयोध्या

1- ग्राम पंचायत –जयचन्दपुर विकास खण्ड– दोस्तपुर वर्ष– 2017–18

प्रस्तर – 1 आलोच्य वर्ष में दिनांक 04.10.2017 में रु0 68432.00 स्पन पाइप/ह्यूम पाइप क्रय किया जाना कैशबुक में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, एम0बी0, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 68432.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 34216.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं0/विकास अधिकारी श्री रविन्द्र प्रसाद दूबे एवं रु0 34216.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनवरी बानो से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-10)

प्रस्तर – 2 आलोच्य वर्ष में दिनांक 27.12.2017 में रु0 7644.00 एवं दिनांक 23.03.2018 में रु0 17000.00 ग्राम निधि प्रथम से कुल रु0 24644.00 व्यय किया जाना कैशबुक में विवरणहीन दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई विवरण एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 24644.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 12322.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं0/विकास अधिकारी श्री रविन्द्र प्रसाद दूबे एवं रु0 12322.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनवरी बानो से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-11)

2- ग्राम पंचायत –बहलोलपुर विकास खण्ड– कुडवार वर्ष– 2017–18

प्रस्तर – 3 आलोच्य वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत के खाते से चेक सं0 00000923024 द्वारा दिनांक 21.04.2017 में रु0 6000.00 नगद आहरण किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई विवरण एवं कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 6000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 3000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश मिश्रा एवं रु0 3000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अयोध्या प्रसाद से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-26)

प्रस्तर- 4 आलोच्य वर्ष 2017-18 की कोषबही में दिनांक 18.10.2017 को माह अक्टूबर 2016 से सितम्बर 2017 तक कुल 12 माह का प्रधान मानदेय रु0 3500.00 प्रतिमाह की दर से कुल रु0 42000.00 का भुगतान किया गया दर्शित है। स्पष्ट है कि माह अक्टूबर 2016 एवं नवम्बर 2016 का मानदेय भी 3500.00 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया है जबकि मानदेय रु0 2500.00 प्रतिमाह में वृद्धि करके रु0 3500.00 प्रतिमाह उ0प्र0 शासन के दिनांक 22 नवम्बर 2016 के आदेश सं0 3/2016/3038/33-1-2016 द्वारा किया गया। स्पष्ट है कि माह अक्टूबर 2016 एवं नवम्बर 2016 का मानदेय अधिक दर से भुगतान किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि माह अक्टूबर 2016 एवं नवम्बर 2016 का मानदेय रु0 1734.00 अधिक भुगतान करके संस्था को हानि पहुंचाई गई। इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री अयोध्या प्रसाद से रु0 867.00 तथा सचिव श्री ओम प्रकाश मिश्रा से रु0 867.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-27)

3- ग्राम पंचायत –पहाडपुर रायपट्टी विकास खण्ड– दोस्तपुर वर्ष– 2017–18

प्रस्तर – 5 आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम से एम0डी0एम0 शेड निर्माण के नाम पर रु0 127249.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना

विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 127249.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 63624.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि० अधिकारी श्री नागेश्वर नाथ शुक्ल एवं रु0 63624.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-10)

प्रस्तर — 6 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से खडंजा मरम्मत के नाम पर रु0 170000.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 170000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 85000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्री रविन्द्र प्रसाद दूबे एवं रु0 85000.00 ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-11)

4- ग्राम पंचायत -गोसैसिंहपुर विकास खण्ड- दोस्तपुर वर्ष- 2017-18

प्रस्तर — 7 आलोच्य वर्ष में रु0 763494.00 सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट क्रय एवं मरम्मत पर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 763494.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 381747.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती श्यामा देवी से एवं रु0 330247.00 ग्राम पं०/वि०अधि० श्री नागेश्वर नाथ शुक्ल से एवं रु0 51500.00 ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री रविन्द्र प्रसाद दूबे से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-10)

प्रस्तर — 08 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से ह्यूम पाइप पर रु0 757750.00 का व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 757750.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 221500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्री नागेश्वर नाथ शुक्ल से एवं रु0 157375.00 ग्राम पं०/वि०अधि० श्री रवीन्द्र प्रसाद दूबे से एवं रु0 378875.00 ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामा देवी से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर — 9 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्ट्रीट लाइट स्थापना/मरम्मत पर रु0 359000.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 359000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 179500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्री रविन्द्र प्रसाद दूबे से एवं रु0 179500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामा देवी से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

प्रस्तर — 10 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से रु0 408189.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई विवरण एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 408189.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 204094.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्री नागेश्वर नाथ शुक्ल से एवं रु0 204094.50 ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामा देवी से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-13)

प्रस्तर — 11 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से खडंजा मरम्मत के नाम पर रू0 203600.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई विवरण एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 203600.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 101800.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं0/वि0अधि0 श्री रवीन्द्र प्रसाद दूबे से एवं रू0 101800.00 ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामा देवी से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0—14)

5— ग्राम पंचायत —देवरी तारनपट्टी विकास खण्ड— दोस्तपुर वर्ष— 2017—18

प्रस्तर — 12 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से खडंजा निर्माण पर रू0 330153.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई विवरण एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 330153.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 165076.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं0/वि0अधि0 श्री राम वचन प्रजापति एवं रू0 165076.50 ग्राम प्रधान श्री हरीराम से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0—10)

प्रस्तर — 13 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से ह्यूम पाइप पर रू0 156982.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव, प्राक्कलन, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 156982.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 78491.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं0/वि0अधि0 श्री रवीन्द्र प्रसाद दूबे एवं रू0 78491.00 ग्राम प्रधान श्री हरीराम से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0—11)

प्रस्तर — 14 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्ट्रीट लाइट मरम्मत/स्थापना पर रू0 142634.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 142634.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 71317.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं0/वि0अधि0 श्री रवीन्द्र प्रसाद दूबे एवं रू0 71317.00 ग्राम प्रधान श्री हरीराम से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0—12)

प्रस्तर — 15 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से रू0 90000.00 का विवरणहीन व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 90000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 45000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं0/वि0अधि0 श्री रवीन्द्र प्रसाद दूबे एवं रू0 45000.00 ग्राम प्रधान श्री हरीराम से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0—13)

6— ग्राम पंचायत —वैदहा विकास खण्ड—जय सिंहपुर वर्ष— 2017—18

प्रस्तर — 16 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से खडंजा निर्माण/मरम्मत पर रू0 342097.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू० 342097.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू० 171048.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्री सुनील कुमार एवं रू० 171048.50 ग्राम प्रधान श्री शैलेश सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-10)

प्रस्तर - 17 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से हैण्डपम्प मरम्मत पर रू० 288700.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू० 288700.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू० 144350.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्री सुनील कुमार एवं रू० 144350.00 ग्राम प्रधान श्री शैलेश सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर - 18 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्ट्रीट लाइट पर रू० 262300.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू० 262300.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू० 131150.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्री सुनील कुमार एवं रू० 131150.00 ग्राम प्रधान श्री शैलेश सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-12)

प्रस्तर - 19 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से ह्यूम पाइप एवं नाली निर्माण पर रू० 249068.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू० 249068.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू० 124534.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्री सुनील कुमार एवं रू० 124534.00 ग्राम प्रधान श्री शैलेश सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-13)

7- ग्राम पंचायत -कटरा चुधूपुर विकास खण्ड- दोस्तपुर वर्ष- 2017-18

प्रस्तर - 20 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम में रू० 271742.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में कोई विवरण एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा तथा तथा उक्त व्यय किस निर्माण/मरम्मत /स्थापना कार्य हेतु किया गया यह भी अज्ञात रहा।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू० 271742.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू० 135871.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्री रवीन्द्र प्रसाद दूबे एवं रू० 135871.00 ग्राम प्रधान श्री संजय से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-10)

8- ग्राम पंचायत -सरैया विकास खण्ड- दूबेपुर वर्ष- 2017-18

प्रस्तर - 21 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से रू० 305613.00 का व्यय पासबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू० 305613.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू० 152806.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्री डी.पी.सिंह एवं रू० 152806.50 ग्राम प्रधान श्री उस्मान से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर — 22 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्पन/ह्यूम पाइप पर रू0 112455.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसमें से रू0 42500.00 प्रधान को नगद दिया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 42500.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 21250.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं0/वि0अधि0 श्री रामविलास यादव एवं रू0 21250.50 ग्राम प्रधान श्री उस्मान से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-12)

प्रस्तर — 23 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से रायबरेली रोड से जल्लू के घर तक खडंजा निर्माण कार्य पर रू0 38345.00 का व्यय पासबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 38345.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 19172.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं0/वि0अधि0 श्री अविनाश श्रीवास्तव एवं रू0 19172.50 ग्राम प्रधान श्री उस्मान से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-13)

9- ग्राम पंचायत —लौहर दक्षिण विकास खण्ड— दूबेपुर वर्ष— 2017-18

प्रस्तर — 24 आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम से हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 210060.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 210060.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 105030.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं0/वि0अधि0 श्रीमती जयश्री एवं रू0 105030.00 ग्राम प्रधान श्रीमती अनीस जहां से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-10)

प्रस्तर — 25 आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम से सोलर लाइट पर रू0 1203035.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 1203035.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 601517.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं0/वि0अधि0 श्रीमती जयश्री एवं रू0 601517.50 ग्राम प्रधान श्रीमती अनीस जहां से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-12)

प्रस्तर — 26 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्ट्रीट लाइट पर रू0 939402.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 939402.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 469701.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं0/वि0अधि0 श्रीमती जयश्री एवं रू0 469701.00 ग्राम प्रधान श्रीमती अनीस जहां से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-14)

प्रस्तर — 27 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्पन/ह्यूम पाइप पर रू0 452618.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू० 452618.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू० 226309.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्रीमती जयश्री एवं रू० 226309.00 ग्राम प्रधान श्रीमती अनीस जहां से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-15)

10- ग्राम पंचायत -वभनगवां विकास खण्ड- दूबेपुर वर्ष- 2017-18

प्रस्तर - 28 आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम से हैण्डपम्प मरम्मत पर रू० 112304.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू० 112304.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू० 56152.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्रीमती जयश्री एवं रू० 56152.00 ग्राम प्रधान श्रीमती राजकली से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-10)

प्रस्तर - 29 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से सोलर लाइट पर रू० 385370.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू० 385370.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू० 192685.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्रीमती जयश्री एवं रू० 192685.00 ग्राम प्रधान श्रीमती राजकली से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-12)

प्रस्तर - 30 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्ट्रीट लाइट पर रू० 262632.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू० 262632.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू० 131316.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्रीमती जयश्री एवं रू० 131316.00 ग्राम प्रधान श्रीमती राजकली से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-14)

प्रस्तर - 31 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्पन/ह्यूम पाइप पर रू० 168768.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू० 168768.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू० 84384.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्रीमती जयश्री एवं रू० 84384.00 ग्राम प्रधान श्रीमती राजकली से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-15)

11- ग्राम पंचायत -पकड़ी विकास खण्ड- दूबेपुर वर्ष- 2017-18

प्रस्तर - 32 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से हैण्डपम्प मरम्मत पर रू० 39730.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः धनराशि रु0 19865.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्रीमती अनीता श्रीवास्तव एवं रु0 19865.00 ग्राम प्रधान श्री उदयभान सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-10)

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु० 391876.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु० 195938.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्रीमती अनीता श्रीवास्तव एवं रु० 195938.00 ग्राम प्रधान श्री उदयभान सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-11)

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 9960.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 4980.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं0/वि0अधि0 श्रीमती अनीता श्रीवास्तव एवं रु0 4980.00 ग्राम प्रधान श्री उदयभान सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-12)

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु० 187628.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु० 93814.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्रीमती अनीता श्रीवास्तव एवं रु० 93814.00 ग्राम प्रधान श्री उदयभान सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-13)

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु० 191127.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु० 95563.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्री राजेन्द्र पाण्डेय एवं रु० 95563.50 ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू० 162150.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू० 81075.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्री राजेन्द्र पाण्डेय एवं रू० 81075.00 ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-13)

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू० 58000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू० 29000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं०/वि०अधि० श्री राजेन्द्र पाण्डेय एवं रू० 29000.00 ग्राम प्रधान श्री त्रियुगी प्रसाद यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-10)

प्रस्तर – 44 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से सोलर लाइट पर रु0 577950.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रस्तर – 45 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से मोती मौर्य के घर से नशीर के घर तक नाली निर्माण पर रु0 99390.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

16- ग्राम पंचायत - आरडीह विकास खण्ड- दूबेपुर वर्ष- 2017-18

प्रस्तर – 47 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से सोलर लाइट पर रु0 374100.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रस्तर – 48 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्ट्रीट लाइट पर ₹0 416000.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रस्तर — 49 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से जो निर्माण कार्य कराये गये हैं उस कार्य की पत्रावली में संलग्न मस्टररोलों पर न तो श्रमिकों के नाम हैं और न ही उनके हस्ताक्षर कराये गये हैं। जिससे स्पष्ट है कि कार्य के स्थान पर मस्टररोल नहीं रखे गये हैं और मनगढ़त रूप से मजदूरी का भुगतान कर कुल ₹0 82500.00 का अपहरण कर लिया गया है।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि ₹0 82500.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम पं0/वि0अधि0 राम विलास यादव, राजेन्द्रनाथ पाण्डेय व ग्राम प्रधान श्रीमती मनमती उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि ₹0 82500.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ग्राम पं0/वि0अधि0 श्री राम विलास यादव से ₹0 22750.00, श्री राजेन्द्रनाथ पाण्डेय से ₹0 18500.00 व ग्राम प्रधान श्रीमती मनमती से ₹0 41250.00 किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-13)

17— ग्राम पंचायत —महानुपुर विकास खण्ड— दूबेपुर वर्ष— 2017-18

प्रस्तर — 50 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से स्ट्रीट लाइट पर ₹0 288130.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि ₹0 288130.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि ₹0 144065.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं0/वि0अधि0 श्री नरेन्द्र सिंह एवं ₹0 144065.00 ग्राम प्रधान श्री सलीम से किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-12)

प्रस्तर — 51 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से नाला निर्माण पर ₹0 26000.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि ₹0 26000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि ₹0 13000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं0/वि0अधि0 श्री नरेन्द्र सिंह एवं ₹0 13000.00 ग्राम प्रधान श्री सलीम से किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-14)

18— ग्राम पंचायत —भरथीपुर विकास खण्ड— कूरेभार वर्ष— 2017-18

प्रस्तर — 52 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से ह्यूम पाइप क्रय पर ₹0 54510.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि ₹0 54510.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि ₹0 27255.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं0/वि0अधि0 श्रीमती रिजवाना बेगम एवं ₹0 27255.00 ग्राम प्रधान श्रीमती खुरशद बानो से किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-10)

19— ग्राम पंचायत —पखनपुर विकास खण्ड— कूरेभार वर्ष— 2017-18

प्रस्तर — 53 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से ह्यूम पाइप क्रय पर ₹0 136475.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि ₹0 136475.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि ₹0 68238.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पं0/वि0अधि0 श्रीमती रिजवाना बेगम एवं ₹0 68237.00 ग्राम प्रधान श्रीमती विभावती से किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-10)

20— ग्राम पंचायत —प्रतापपुर विकास खण्ड— कुडवार वर्ष— 2017—18

प्रस्तर — 54 आलोच्य वर्ष 2017-18 की कोषबही में माह जुलाई 2017 का नगद अंतिम अवशेष में ₹0 256000.00 दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई विवरण एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि ₹0 256000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि ₹0 128000.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी एवं ₹0 128000.00 ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार दुबे से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-24)

21— ग्राम पंचायत —दौलतपुर विकास खण्ड— कादीपुर वर्ष— 2017—18

प्रस्तर — 55 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से पक्की सड़क से चन्द्रदेव वर्मा के घर तक खडंजा कार्य पर धनराशि ₹0 69535.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसमें से ₹0 25950.00 का व्यय त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक है।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि ₹0 69535.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि ₹0 12975.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधिकारी श्री रमेश कुमार से एवं ₹0 12975.00 ग्राम प्रधान श्री गनेश यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-02)

प्रस्तर — 56 आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न कार्यों पर ₹0 470333.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत नियमों के विपरीत ग्राम निधि प्रथम से धनराशि ₹0 470333.00 का भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है। जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री रमेश कुमार से तथा ग्राम प्रधान श्री गनेश यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर — 57 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न कार्यों पर ₹0 61000.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि ₹0 61000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि ₹0 30500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधिकारी श्री रमेश कुमार से एवं ₹0 30500.00 ग्राम प्रधान श्री गनेश यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-04)

22— ग्राम पंचायत —खण्डौरा विकास खण्ड— कादीपुर वर्ष— 2017—18

प्रस्तर — 58 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से एम0डी0एम0 शेड निर्माण कार्यों पर मजदूरी व्यय निम्नवत् दर्शित है —

क्र0सं.	कार्य का नाम	दिनांक	कोषबही के अनुसार व्यय धनराशि	कोषबही में उल्लिखित विवरण
1	एम0डी0एम0 शेड निर्माण प्रा0वि0 लेडुआ	28.04.17	34336.00	मजदूरी भुगतान
2	एम0डी0एम0 शेड निर्माण प्रा0वि0 खंडौरा	28.04.17	34336.00	मजदूरी भुगतान

लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त दोनों कार्यों की पत्रावली में संलग्न कार्य के प्राक्कलन के अनुसार प्रत्येक कार्य की मजदूरी लागत ₹0 22446.66 (₹0 16446.66 + ₹0 6000.00) रही जबकि कोषबही के अनुसार भुगतान ₹0 34336.00 का किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य पर मजदूरी मद में प्राक्कलन लागत से ₹0 11889.34 का अधिक भुगतान करके ग्राम पंचायत को कुल धनराशि ₹0 23778.68 की हानि पहुंचाई गई है।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ग्रा०वि०अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री राम समुझ उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू० 23778.68 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू० 11889.34 ग्रा०वि०अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह से तथा रू० 11889.34 ग्राम प्रधान श्री राम समुझ से) किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-02)

प्रस्तर - 59 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न कार्यों पर रू० 481372.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू० 481372.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू० 240686.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०वि०अधिकारी श्री विनोद कुमार से एवं रू० 240686.00 ग्राम प्रधान श्री राम समुझ से किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-03)

प्रस्तर - 60 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 18.11.17 को रू० 15691.00 का भुगतान किया गया है परन्तु उक्त भुगतान/व्यय कोषबही में नहीं दर्शित है जो गम्भीर विषय है तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। जिसके लिए ग्रा०वि०अधिकारी श्री विनोद कुमार उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू० 15691.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०वि०अधिकारी श्री विनोद कुमार से किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-04)

23- ग्राम पंचायत -बरवारीपुर विकास खण्ड- कादीपुर वर्ष- 2017-18

प्रस्तर - 61 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से ह्यूम पाइप स्थापना कार्य पर धनराशि रू० 314194.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए ग्राम निधि प्रथम से धनराशि रू० 314194.00 का भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है। जो उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के खण्ड-1 एवं खण्ड-2(क) "जहां एकट या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो" के अन्तर्गत गम्भीर अनियमित व्यय है। जिसके लिए ग्रा०वि०अधिकारी श्री विनोद कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-02)

प्रस्तर - 62 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर धनराशि रू० 330096.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए ग्राम निधि प्रथम से धनराशि रू० 330096.00 का भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है। जो उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के खण्ड-1 एवं खण्ड-2(क) "जहां एकट या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो" के अन्तर्गत गम्भीर अनियमित व्यय है। जिसके लिए ग्रा०वि०अधिकारी श्री विनोद कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-03)

प्रस्तर - 63 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न कार्यों पर रू० 907894.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू० 907894.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू० 453947.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०वि० अधिकारी श्री विनोद कुमार से एवं रू० 453947.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन से किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-04)

24— ग्राम पंचायत —तौकलपुरनगरा विकास खण्ड— कादीपुर वर्ष— 2017—18

प्रस्तर — 64 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न कार्यों पर धनराशि रु0 1626069.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 1626069.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 813034.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधिकारी श्री विनोद कुमार से एवं रु0 813034.50 ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0—02)

प्रस्तर — 65 आलोच्य वर्ष में कोषबही में प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत दिनांक 05.12.17 को रु0 5000.00 फोटोकापी व फीडिंग पर व्यय तथा दिनांक 09.05.17 को रु0 7000.00 सफाई कार्य हेतु फिनायल आदि पर व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 12000.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 6000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधिकारी श्री विनोद कुमार से एवं रु0 6000.00 ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0—03)

प्रस्तर — 66 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से आय पक्ष में दिनांक 06.05.17 को खाते से आहरण रु0 19469.00 दर्शित है। जिसके सापेक्ष व्यय पक्ष में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय भी रु0 19469.00 दर्शित है। जबकि प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 06.05.17 को खाते से आहरण रु0 19469.00 किया गया है। इस प्रकार खाते से आहरण के सापेक्ष कोषबही में रु0 27.00 से कम आय व व्यय दर्शित किया गया है।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 27.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री विनोद कुमार उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधिकारी श्री विनोद कुमार से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0—04)

25— ग्राम पंचायत —मलिकपुर नोनरा विकास खण्ड— कादीपुर वर्ष— 2017—18

प्रस्तर — 67 आलोच्य वर्ष में कोषबही में विभिन्न कार्यों पर मजदूरी व्यय धनराशि रु0 67512.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसमें रु0 62176.00 आधी लागत से अधिक मजदूरी भुगतान किया गया है।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण, अधिक भुगतान एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 62176.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 31088.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार वर्मा से एवं रु0 31088.00 ग्राम प्रधान श्री मुकेश मौर्य से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0—02)

प्रस्तर — 68 आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न कार्यों पर धनराशि रु0 524382.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 524382.00 का अपहरण किया गया है। अतः

धनराशि रू0 262191.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार वर्मा से एवं रू0 262191.00 ग्राम प्रधान श्री मुकेश मौर्य से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर - 69 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न कार्यों पर धनराशि रू0 193788.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 193788.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 96894.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार वर्मा से एवं रू0 96894.00 ग्राम प्रधान श्री मुकेश मौर्य से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-04)

26- ग्राम पंचायत -मझगवां विकास खण्ड- कादीपुर वर्ष- 2017-18

प्रस्तर - 70 आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न कार्यों पर धनराशि रू0 449681.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 449681.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 224840.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार वर्मा से एवं रू0 2244840.50 ग्राम प्रधान श्री दयाराम से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-02)

प्रस्तर - 71 आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न कार्यों पर धनराशि रू0 472430.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 472430.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 236215.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार वर्मा से एवं रू0 236215.00 ग्राम प्रधान श्री दयाराम से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर - 72 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से सोख्ता गड्ढा निर्माण कार्य पर धनराशि रू0 49487.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 49487.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 24743.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार वर्मा से एवं रू0 24743.50 ग्राम प्रधान श्री दयाराम से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-04)

प्रस्तर - 73 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से दिनांक 17.10.17 को हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर मजदूरी भुगतान रू0 12785.00 दर्शित है जबकि पत्रावली में संलग्न मापी के अनुसार कार्य की मजदूरी लागत रू0 12750.00 ही रही। इस प्रकार इस कार्य पर मजदूरी मद में मापी लागत से रू0 35.00 का अधिक भुगतान करके ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गई है, जो उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार वर्मा तथा ग्राम प्रधान श्री दयाराम उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0 17.50 ग्रा0वि0अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार वर्मा से तथा रू0 17.50 ग्राम प्रधान श्री दयाराम से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-05)

प्रस्तर - 74 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से आय पक्ष में दिनांक 18.01.18 को दो बार में रू0 9495.00 एवं 9495.00 का आहरण दर्शित है जिसके सापेक्ष व्यय पक्ष में दो बार सोख्ता गड्ढा निर्माण

कार्यों पर मजदूरी भुगतान रु0 9475.00 एवं 9475.00 दर्शित है। इस प्रकार आय पक्ष में आहरण से आय के सापेक्ष व्यय पक्ष में दोनों बार रु0 20.00 एवं 20.00 कम दर्शित किया गया है, जो उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार वर्मा उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रु0 40.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार वर्मा से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-06)

प्रस्तर — 75 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न कार्यों पर धनराशि रु0 484775.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 484775.00 का अपहरण किया गया है। अतः आधी धनराशि रु0 242387.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार वर्मा से एवं आधी धनराशि रु0 242387.50 ग्राम प्रधान श्री दयाराम से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-07)

27- ग्राम पंचायत —सैदपुर कला विकास खण्ड- कादीपुर वर्ष- 2017-18

प्रस्तर — 76 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से प्रा0पा0 सैदपुर कला परिसर में मिट्टी पटाई कार्य एवं फोटोग्राफी पर धनराशि रु0 44850.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 44850.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 22425.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधिकारी श्री विनोद कुमार से एवं रु0 22425.00 ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-02)

प्रस्तर — 77 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर धनराशि रु0 107022.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 107022.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 53511.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधिकारी श्री विनोद कुमार से एवं रु0 53511.00 ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर — 78 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न कार्यों पर धनराशि रु0 314542.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 314542.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 157271.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधिकारी श्री विनोद कुमार से एवं रु0 157271.00 ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-04)

प्रस्तर — 79 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 17.02.18 को आय पक्ष में खाते से आहरण से प्राप्त आय रु0 13377.00 दर्शित है जबकि व्यय पक्ष में उक्त धनराशि का व्यय दर्शित नहीं किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है, जिसके लिए ग्रा0वि0 अधिकारी श्री विनोद कुमार उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रु0 13377.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधिकारी श्री विनोद कुमार से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-05)

धनराशि रु0 57252.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0अधिकारी श्री देवेन्द्र मिश्र से एवं रु0 57252.50 ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-02)

प्रस्तर — 86 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से सोलर लाइट स्थापना कार्य पर धनराशि रु0 66200.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है तथा अधिभार के योग्य है। जिसके लिए ग्रा0पं0अधिकारी श्री देवेन्द्र मिश्र तथा ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित

(सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर — 87 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से स्ट्रीट लाइट स्थापना/निर्माण कार्य पर धनराशि रु0 135200.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 135200.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 67600.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0अधिकारी श्री देवेन्द्र मिश्र से एवं रु0 67600.00 ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-04)

प्रस्तर — 88 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर धनराशि रु0 80830.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 80830.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 40415.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0अधिकारी श्री देवेन्द्र मिश्र से एवं रु0 40415.00 ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-05)

प्रस्तर — 89 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर धनराशि रु0 164360.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियमों/मार्गदर्शक सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुए इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए धनराशि रु0 164360.00 का ग्राम निधि प्रथम से भुगतान/आहरण कर उसे हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अनियमित व्यय है तथा अधिभार के योग्य है। जिसके लिए ग्रा0पं0अधिकारी श्री देवेन्द्र मिश्र तथा ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-06)

30- ग्राम पंचायत —मलवा विकास खण्ड- मोतिगरपुर वर्ष- 2017-18

प्रस्तर — 90 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से स्कूल रामजीत के मशीन से मनीराम के घर तक नाली मरम्मत कार्य पर धनराशि रु0 50200.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 50200.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 25100.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधिकारी श्री रवीन्द्र प्रसाद दूबे से तथा रु0 25100.00 ग्राम प्रधान श्री महेश से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-02)

प्रस्तर — 91 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से सी0सी0रोड से संतोष कुमार के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य एवं स्टेशनरी पर धनराशि रु0 50200.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी

धनराशि ₹0 40000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधिकारी श्री शिव प्रसाद वर्मा से तथा ₹0 40000.00 ग्राम प्रधान श्री हौसिला प्रसाद यादव से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-03)

32- ग्राम पंचायत -पहाड़पुर सरायभीखम विकास खण्ड- मोतिगरपुर वर्ष- 2017-18

प्रस्तर - 97 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न कार्यों पर धनराशि ₹0 144350.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि ₹0 144350.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि ₹0 72175.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0 अधिकारी श्री देवेन्द्र मिश्र से तथा ₹0 72175.00 ग्राम प्रधान श्रीमती कौशिल्या से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-02)

प्रस्तर - 98 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न कार्यों पर धनराशि ₹0 310625.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि ₹0 310625.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि ₹0 155312.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0 अधिकारी श्री देवेन्द्र मिश्र से तथा ₹0 155312.50 ग्राम प्रधान श्रीमती कौशिल्या से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर - 99 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से सीताराम वर्मा के घर से रामपति वर्मा के घर तक अन्डरग्राउन्ड नाली निर्माण कार्य पर धनराशि ₹0 109925.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि ₹0 109925.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि ₹0 54962.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0 अधिकारी श्री देवेन्द्र मिश्र से तथा ₹0 54962.50 ग्राम प्रधान श्रीमती कौशिल्या से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-04)

प्रस्तर - 100 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से दिनेश के घर से अनन्तू के घर तक नाली रिपेयर कार्य पर धनराशि ₹0 70700.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि ₹0 70700.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि ₹0 35350.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0 अधिकारी श्री देवेन्द्र मिश्र से तथा ₹0 35350.00 ग्राम प्रधान श्रीमती कौशिल्या से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-05)

प्रस्तर - 101 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से पक्की सड़क से लोधे के घर तक खडंजा निर्माण कार्य पर धनराशि ₹0 63875.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि ₹0 63875.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि ₹0 31937.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0 अधिकारी श्री देवेन्द्र मिश्र से तथा ₹0 31937.50 ग्राम प्रधान श्रीमती कौशिल्या से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-06)

प्रस्तर - 102 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से शिवमिलन गुप्ता के घर से वंशराज गुप्ता के घर तक खडंजा रिपेयर कार्य पर धनराशि ₹0 84700.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

धनराशि रू0 36437.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0 अधिकारी श्री रवीन्द्र प्रसाद दूबे से तथा रू0 36437.50 ग्राम प्रधान श्री दयाराम से किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-04)

प्रस्तर - 108 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से ह्यूम पाइप स्थापना कार्य पर धनराशि रू0 118925.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 118925.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 59462.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0 अधिकारी श्री रवीन्द्र प्रसाद दूबे से तथा रू0 59462.50 ग्राम प्रधान श्री दयाराम से किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-05)

प्रस्तर - 109 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर धनराशि रू0 116470.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए धनराशि रू0 116470.00 का ग्राम निधि प्रथम से भुगतान/आहरण कर उसे हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अनियमित व्यय है तथा अधिभार के योग्य है। जिसके लिए ग्रा0वि0 अधिकारी श्री रवीन्द्र प्रसाद दूबे तथा ग्राम प्रधान श्री दयाराम उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-06)

34- ग्राम पंचायत - ऊघड़पुर भटपुरा विकास खण्ड- मोतिगरपुर वर्ष- 2017-18

प्रस्तर - 110 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से लल्लू सिंह के घर से मनोज सिंह के घर तक नाली रिपेयर कार्य पर धनराशि रू0 38004.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 38004.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 19002.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0 अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्र से तथा रू0 19002.00 ग्राम प्रधान श्रीमती विमला से किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-02)

प्रस्तर - 111 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से सी0सी0रोड से शेर बहादुर शर्मा की मशीन तक खडंजा निर्माण कार्य पर धनराशि रू0 190998.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 190998.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 95499.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0 अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्र से तथा रू0 95499.00 ग्राम प्रधान श्रीमती विमला से किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर - 112 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से लल्लू सिंह के घर से कामता सिंह के घर तक खडंजा निर्माण कार्य पर धनराशि रू0 51249.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 51249.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 25624.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0 अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्र से तथा रू0 25624.50 ग्राम प्रधान श्रीमती विमला से किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-04)

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू० 36213.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू० 18106.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्र से तथा रू० 18106.50 ग्राम प्रधान श्रीमती विमला से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-05)

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू० 149365.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू० 74682.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्र से तथा रू० 74682.50 ग्राम प्रधान श्रीमती विमला से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-०६)

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू0 102100.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू0 51055.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्र से तथा रू0 51050.00 ग्राम प्रधान श्रीमती विमला से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-07)

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू० 59616.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू० 29808.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्र से तथा रू० 29808.00 ग्राम प्रधान श्रीमती विमला से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-08)

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रू० 56600.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रू० 28300.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्र से तथा रू० 28300.00 ग्राम प्रधान श्रीमती विमला से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-०९)

प्रस्तर — 118 आलोच्य वर्ष में कोषबही में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न कार्यों पर धनराशि रु0 134072.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अन्तर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 134072.00 का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 67036.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्र से तथा रु0 67036.00 ग्राम प्रधान श्रीमती विमला से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-10)

प्रारूप-4

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ

जनपद-आजमगढ़

मण्डल-आजमगढ़

ग्राम पंचायत-कटौली खुर्दविकास खण्ड-लालगंज वर्ष 2017-18

प्रस्तर-01 दिनांक 31.07.2017 को रु 21066. का हैण्डपम्प मरम्मत पर लगे सामग्री का क्रय दर्शाया गया है तथा उसी तिथि को रु 7800. हैण्डपम्प मरम्मत पर मजदूरी भुगतान दर्शित है। उपरोक्त के संबन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं-

- (क) -(भुगतान नकद किया जाना दर्शित है जबकि फर्म को एकाउण्ट पेयी चेक से किया जाना था।
- (ख) -(किस-किस क्रमांक/किन-किन स्थान पर लगे हैण्डपम्प का मरम्मत कराया गया अंकित नहीं है।
- (ग) -(लेखा परीक्षा में ऐसा कोई आवेदन पत्र नहीं सुलभ हुआ जिससे स्पष्ट हो सके की हैण्डपम्प बनवाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन/शिकायत किया गया हो।
- (घ) -(हैण्डपम्प बनवाने के लिए किसी तकनीकी व्यक्ति द्वारा कोई स्टीमेट तैयार नहीं कराया गया है।
- (ङ) -(हैण्डपम्प बनवाने में नये सामान के प्रयुक्त होने की दशा में निकले हुए सामान का डेड स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि कर लेखा परीक्षा में पुष्टि नहीं कराया गया।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि काल्पनिक रूप से कैशबुक में रु 28866. का हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अपहरित धनराशि रु 28866.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती नेकहत व ग्राम पंचायत सचिव श्री कालिका सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02)

ग्राम पंचायत-कटौली खुर्दविकास खण्ड-लालगंज वर्ष 2017-18

प्रस्तर-02 वर्ष 2017-18 के कैशबुक में दिनांक 04.10.2017 को 4 नग सोलर लाइट क्रय रु 24500 प्रति के दर से पवन इण्टर प्राइजेज से रु 98000. का क्रय दर्शित है, के संबन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं-

- 1- सोलर लाइट क्रय नेडा द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रही है, क्योंकि लाईट स्थापना से अगले पाँच वर्ष तक उसके **esuVsul** की जिम्मेदारी संबन्धित फर्म की होती है। उपलब्ध अभिलेखों से इसकी पुष्टि नहीं होती है।
- 2- सोलर लाइट क्रय से संबन्धित माह -अगस्त 2017 के शासनादेश का किसी भी प्रकार संज्ञान नहीं लिया गया है। अतः उपरोक्त सोलर लाईट क्रय में रु 98000 की अनियमितता की गयी है। अनियमित भुगतान की धनराशि रु 98000 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नेकहत व ग्राम पंचायत सचिव श्री कालिका सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-03)

ग्राम पंचायत-कटौली खुर्दविकास खण्ड-लालगंज वर्ष 2017-18

प्रस्तर-03 निम्नविवरणानुसार आहरित धनराशि की प्रविष्टि आय पक्ष में किया जाना कोषबही में दर्शित है-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
19.03.2018	860150	153120
20.03.2018	860152	7000
योग		160120

उपरोक्त आहरित धनराशि का कैशबुक में भुगतान अंकित कर आय पक्ष में प्रविष्टि की गयी है। तथा व्यय पक्ष में व्यय की कोई भी प्रविष्टि नहीं है। आय पक्ष में अंकित भुगतान का कोई विवरण नहीं है। उक्त भुगतान की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है। स्पष्ट है कि रु. 160120 का आहरण कर प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अपहरित धनराशि रु. 160120 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नेकहत व ग्राम पंचायत सचिव श्री कालिका सिंह बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-04)

ग्राम पंचायत-पुरसुड़ी विकास खण्ड-ठेकमा वर्ष 2017-18

प्रस्तर-04 ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दिनांक 12.06.2017 में खण्डजा मरम्मत हेतु ईट 23907 नग रु. 6200 प्रति हजार की दर से कुल रु. 148223 नकद आहरित कर भुगतान किया गया है जबकि भुगतान ईट भट्टा मालिक को चेत के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार ईट भट्टा मालिक को नकद भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुलाबी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं0-16)

ग्राम पंचायत-गोपालपुर विकास खण्ड-ठेकमा वर्ष 2017-18

प्रस्तर-05 ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दिनांक 28.07.2017 में 8 नग सोलर लाईट रु 177120 में क्रय दर्शित कर कैशबुक खारिज की गयी है किन्तु भुगतान की पुष्टि में सोलर लाईट का क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु संख्या.8;कद्ध के अनुसार भुगतानित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी को संयुक्त रूप से धनराशि अपहरण का दोषी माना जाना चाहिए। अतः रु. 177120 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सौम्या व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय प्रताप से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं0-16)

ग्राम पंचायत-भैंसकुर विकास खण्ड-ठेकमा वर्ष 2017-18

प्रस्तर-06 ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दिनांक 28.03.2018 में 6 नग इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प रिबोर पर रु. 230100 की सामग्री क्रय दर्शित कर कैशबुक खारिज की गयी है किन्तु भुगतान की पुष्टि में सोलर लाईट का क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु संख्या 8क के अनुसार भुगतानित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी को संयुक्त रूप से धनराशि अपहरण का दोषी है। अतः रु. 230100 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अरविन्द राय व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गुलाब चन्द शर्मा से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं0-16)

ग्राम पंचायत-पारा विकास खण्ड-ठेकमा वर्ष 2016-17 से 2017-18

प्रस्तर-07 ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दिनांक 16.03.2017 में माँ वैष्णों उद्योग ईट 8340 नग रु. 6200 की दर से क्रय करके रु. 59600 भुगतान किया गया है जबकि गणनानुसार ईट का मूल्य रु. 51708 होता है।

इस प्रकार रु. 7892 ईट का मूल्य अधिक भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जयप्रकाश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नागेन्द्र प्रताप से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-16)

ग्राम पंचायत-पसिका विकास खण्ड-ठेकमा वर्ष 2016.17 से 2017-18

प्रस्तर-08 ग्राम निधि प्रथम कोषबही से दिनांक 27.03.2017 में खण्डजा निर्माण हेतु ईट 1305 नग रु. 6200 प्रति हजार की दर से कुल रु 80910 भुगतान किया गया है जब कि गणनानुसार ईट का मूल्य रु. 8091 होता है। इस प्रकार रु. 72819 ईट का मूल्य अधिक भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नागेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-16)

ग्राम पंचायत-केदलीपुर विकास खण्ड-ठेकमा वर्ष 2017-18

प्रस्तर-09 ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दिनांक 21.03.2018 में 4 नग सोलर लाईट हेतु रु 87600 में क्रय दर्शित कर कैशबुक खारिज की गयी है किन्तु भुगतान की पुष्टि में सोलर लाइट का क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु संख्या-8(क) के अनुसार भुगतानित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी को संयुक्त रूप से धनराशि अपहरण का दोषी माना जाना चाहिए। अतः रु 87600 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री आनन्द व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गुलाबचन्द्र शर्मा से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-16)

ग्राम पंचायत-सहनूडीह विकास खण्ड-ठेकमा वर्ष 2017-18

प्रस्तर-10 ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दिनांक 20.05.2016 में खण्डजा निर्माण हेतु ईट का मूल्य रु 53940 भुगतान किया गया है। जबकि बैंक से आहरण उक्त तिथि में चेक से 224 और 225 से रु 69000 का किया गया है। इस प्रकार रु 15060 अधिक आहरित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अमित कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राणा प्रताप से किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-16)

ग्राम पंचायत-सिसरेड़ी विकास खण्ड-ठेकमा वर्ष 2017-18

प्रस्तर-11 दिनांक 23.03.2018 में काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक से खाता सं0 3367 से कुल रु 122200 प्रधान श्री रामजनम सरोज द्वारा आहरित किया गया परन्तु इसके सापेक्ष कोई कार्य न करके धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रामजनम सरोज एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राणा प्रताप से किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-16)

ग्राम पंचायत-खम्हौली विकास खण्ड-ठेकमा वर्ष 2016.17 से 2017.18

प्रस्तर-12 दिनांक 27.03.2017 में नाली निर्माण हेतु ईट 9034 नग कुल रु 69000 ग्राम निधि प्रथम कैशबुक भुगतान किया गया है जबकि रु 6500 की दर से ईट का क्रय मूल्य रु 58721 होता है। इस प्रकार रु 10279 ईट का मूल्य अधिक भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान जियालाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नागेन्द्र प्रताप से किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-16)

ग्राम पंचायत-असवनियां विकास खण्ड-ठेकमा वर्ष 2017-18

प्रस्तर-13 दिनांक 18.05.2017 में युवा शक्ति कान्स्ट्रक्शन को रु 180000 भुगतान किया है जबकि बिलिंग मैटेरियल रु 151223 का ही दर्शित है। इस प्रकार रु 28777. अधिक भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजदेई एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री परमानन्द पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-16)

ग्राम पंचायत-गिड़र विकासखण्ड-ठेकमा वर्ष 2017-18

प्रस्तर-14 ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दिनांक-06.06.2016 में पी0एन0बी0 ठेकमा खाता 74358 से रु.100000 श्री बल्लू द्वारा आहरित किया गया परन्तु इसके सापेक्ष ईट रु 64728 की क्रय की गयी। इस प्रकार रु 35272 अधिक आहरित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूल ग्राम प्रधान श्री रामसमझ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री परमानन्द पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-16)

ग्राम पंचायत-गोड़हरा विकासखण्ड-ठेकमा वर्ष 2017-18

प्रस्तर-15 ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दिनांक-18.05.2017 में नाली निर्माण हेतु सामग्री संजय बिलिंग मैटेरियल से रु 70000 क्रय दर्शित कर कैश खारिज की गयी है किन्तु भुगतान की पुष्टि में क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु संख्या 8(क) (के अनुसार भुगतानित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी को संयुक्त रूप से धनराशि के अपहरण का दोषी माना जाना चाहिए। अतः रु 70000 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संदीप यादव व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री परमानन्द पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-16)

ग्राम पंचायत-खरगीपुर विकासखण्ड-ठेकमा वर्ष 2017-18

प्रस्तर-16 ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दिनांक-31.03.2017 में नाली निर्माण हेतु ह्यूम पाइप रु-71820 में क्रय दर्शित कर कैश खारिज की गयी है किन्तु भुगतान की पुष्टि में ह्यूम पाइप क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु संख्या-8(क) (के अनुसार भुगतानित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी को संयुक्त रूप से धनराशि अपहरण का दोषी है अतः रु-71820 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजाराम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री परमानन्द पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-16)

ग्राम पंचायत-अमौड़ा विकासखण्ड-ठेकमा वर्ष 2017-18

प्रस्तर-17 ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दिनांक-22.05.2017 में खण्डजा निर्माण हेतु ईट 15950 नग 6200 की दर से रु-98890 माँ वैष्णों ईट उद्योग से क्रय की गयी है जबकि भुगतान चेक सं0-503184 से रु-139951 का किया गया है। इस प्रकार रु-41061 अधिक आहरित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना राय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अवधेश सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-16)

ग्राम पंचायत-लग्गूपुर विकासखण्ड-पवई वर्ष: 2017-18

प्रस्तर-18 ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दिनांक-09.3.2018 में रु-180000 बैंक से आहरित करके इसके सापेक्ष कोई कार्य न करने धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान छोटेलाल यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती खुशबू सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-16)

ग्राम पंचायत-इटकोहिया विकासखण्ड-पवई वर्ष 2017-18

प्रस्तर-19 ग्राम निधि प्रथम कोषबही में अप्रैल 2017 का प्रारम्भिक अवशेष रु 589490 दर्शित किया गया है जबकि उक्त तिथि में पासबुक में अवशेष रु 658490.90 अंकित है। इस प्रकार कोषबही में रु 69000.90 से अप्रैल 2017 का प्रारम्भिक अवशेष कम दर्शित कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रेश यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-16)

ग्राम पंचायत-मालटारी विकासखण्ड-अजमतगढ़ वर्ष 2017-18

प्रस्तर-20 दिनांक-10.07.2017 को रु.62000 की ईट क्रय की गयी। जिसकी प्रविष्टि कैश बुक में की गयी है, लेकिन बैंक पासबुक से चेक सं0-21051438 रु-62000 सत्येन्द्र को भुगतान है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईट भट्टे से क्रय नहीं की गयी है, बल्कि किसी सत्येन्द्र के माध्यम से भुगतान कर लिया गया है। जिसके लिए प्रधान श्री मुकेश राय और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पी0एन0 सिंह जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

;सामान्य आपत्ति सं 0.18)

ग्राम पंचायत -तुरकौली विकास खण्ड -अजमतगढ़ वर्ष -2015-16 से 2017-18

प्रस्तर-21 शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक-23.09.2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रु 20000 तक की सामग्री क्रय बिना कोटेशन के रु 20001 से रु 99999 तक की सामग्री क्रय करने हेतु कोटेशन तथा रु 99999 से ऊपर की सामग्री क्रय करने हेतु टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है।

दिनांक	विवरण	धनराशि
02.08.2017	6अदद् सोलर लाइट	131400.00
02.08.2017	9अद् सोलर लाइट	197100.00
योग		328500.00

उपरोक्त सोलर लाइट क्रय में टेण्डर आमंत्रित न कर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए प्रधान श्री सूर्यनाथ और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र कनौजिया जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति सं0-18)

ग्राम पंचायत -काँखभार विकास खण्ड -अजमतगढ़ वर्ष -2017-18

प्रस्तर-22 दिनांक-12.06.2017 को चेक सं0 02002143 दिनांक-12.06.2017 को चेक सं0-020002145 प्रधान श्री दुर्गा प्रसाद को निर्गत है, जिसका बैंक खाता यू0बी0आई0 महुला खाता नं0-4594020107031237 है। उपरोक्त दोनों चेकों की धनराशि क्रमशः 34000 व 49000 है, जिसको प्रधान श्री दुर्गा प्रसाद को ट्रान्सफर है। अतः उक्त धनराशि रु-83000 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री दुर्गा प्रसाद और ग्राम विकास अधिकारी श्री अभय राय से की जानी है।

(सामान्य आपत्ति सं0-18)

ग्राम पंचायत -महुलिया विकासखण्ड -अजमतगढ़ वर्ष -2015-16 से 2017-18

प्रस्तर-23 दिनांक-27.04.2017 को प्रधान द्वारा रु 30000 दिनांक-20.05.2017 को रु-15000, दिनांक-26.05.2017 को रु 45000 दिनांक-13.06.2017 को रु 15000, दिनांक-23.06.2017 को रु 15000 आहरित किया गया। इस प्रकार प्रधान के पास कुल नकद अवशेष रु 120000 दिनांक-01.10.2017 तक कैशबुक में दर्शित है। उपरोक्त धनराशि का व्यय उक्त माहों में नहीं किया दर्शित किया गया है तथा दिनांक-01.11.2017 को कैशबुक में प्रधान के पास नकद शून्य दर्शित है। इस प्रकार रु-120000 का अपहरण प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती विद्रावती व ग्राम पंचायत श्री मदनलाल अधिकारी से अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-18)

ग्राम पंचायत -महुलिया विकासखण्ड -अजमतगढ़ वर्ष -2017-18

प्रस्तर-24 दिनांक -13.02.2018 को कैशबुक से रु 6650 व 10500 कुल रु 17150 आहरित किया गया है। लेकिन कार्य का विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं है। इस प्रकार रु 17150 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती विद्रावती व ग्राम पंचायत श्री मदनलाल अधिकारी से अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-19)

ग्राम पंचायत -अजगरा विकासखण्ड -अजमतगढ़ वर्ष -2014-15, 2017-18

प्रस्तर-25 दिनांक-28.02.2018 को प्रधान के पास रोकड़ अवशेष रु 15003 था। जिसे दिनांक-01.03.2018 को कैशबुक में अंकित नहीं किया गया है इसकी पहल दिनांक-23.02.2018 को रु-30400 तथा पुनः दिनांक - 23.02.2018 को रुद्रा कंस्ट्रक्शन के नाम से रु 63400.00 का भुगतान है, लेकिन व्यय पक्ष में उपरोक्त दोनों धनराशियों का कैशबुक में अंकन नहीं है। विवरण निम्नवत् है-

28.02.2018 को रोकड़ अवशेष	15003.00
23. 02.2018 खाते से भुगतान	30400.00
23.02.2018 रुद्रा कंस्ट्रक्शन को भुगतान	63400.00
योग	108803.00

अतः रु 108803.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री रिषिकेश यादव व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र से की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-18)

ग्राम पंचायत -बनौरा मैनाथपट्टी विकासखण्ड -अजमतगढ़ वर्ष -2014-15, 2017-18

प्रस्तर-26 शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक-23.09.2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रु-20000 तक की सामग्री क्रय बिना कोटेशन के रु-20001 से रु-99999 तक की सामग्री क्रय करने हेतु कोटेशन तथा रु-99999. से ऊपर की सामग्री क्रय करने हेतु टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। निम्नलिखित सामग्री क्रय करने में टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

दिनांक	विवरण	धनराशि
31.05.2017	ईट क्रय	159013.00
31.05.2017	ईट क्रय	159013.00
17.10.2017	ईट क्रय	116510.00
	योग	434536.00

उपरोक्त के लिए प्रधान व ग्रामश्रीमती कोमली पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र नाथ जिम्मेदार है।
(सामान्य आपत्ति सं0-18)

ग्राम पंचायत -सोकहना खालसा विकासखण्ड -अजमतगढ़ वर्ष-2014-15, 2017-18

प्रस्तर-27 शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक-23.09.2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रु 20000 तक की सामग्री क्रय बिना कोटेशन के रु 20001 से रु 99999 तक की सामग्री क्रय करने हेतु कोटेशन तथा रु 99999 से ऊपर की सामग्री क्रय करने हेतु टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। लेकिन दिनांक-02.12.2016 को रु 161820 की ईंट क्रय की गयी, जिसमें टेण्डर आमंत्रित नहीं था जिसके लिए प्रधान श्री रमायन व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश जिम्मेदार है। दिनांक-05.08.2017 को रु-197100 की सोलर लाइट क्रय की गयी, इसमें भी टेण्डर प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी है। जिसके लिए प्रधान श्री रमायन व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश राय जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-18)

ग्राम पंचायत -बड़सरा आइमा विकास खण्ड -तहबरपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-28 निम्नलिखित तिथियों में आयकर की कटौति 2.24 प्रतिशत की गयी है। जिसे आयकर कार्यालय में जमा नहीं करके अनियमितता की गयी है। जिसमें लिए प्रधान श्रीमती चन्द्रवती देवी ने और ग्रा0 अ0 श्री त्रिवेणी सिंह जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	आयकर धनराशि
24.07.2017	1125
04.05.2017	681
11.05.2017	486
19-005.17	722
27.05.2017	1570
09.08.2017	3672
17.08.2017	1209
27.08.2017	1250
05.09.2017	834
17.09.2017	3672
25.09.2017	2478
21.10.2017	2457
22.10.2014	2820
23.10.2017	3524
योग	26500

(सामान्य आपत्ति सं0-20)

ग्राम पंचायत -अरया सोहिल विकास खण्ड -तहबरपुर वर्ष -2017-18

प्रस्तर-29 वर्ष 2017-18 को लेखा परीक्षण में अपहरण दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

दिनांक 28.07.2017 को 7 अदद सोलर लाईट का भुगतान संख्या 153300 तथा दिनांक 06.08.017 को रु 175200 की 8 सोलर लाईट का भुगतान किया गया है। दोनों भुगतान सत्यप्रकाश राय को किया गया है। उपरोक्त दोनों भुगतान वीयर चेक के माध्यम से करके अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान श्री सीताराम व ग्रा0 वि0 अधि0 श्री प्रवीण कुमार मकसूदन जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-18)

ग्राम पंचायत -सेमरा विकासखण्ड-तहबरपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-30 वर्ष 2017-18 को लेखा परीक्षण में अपहरण दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

शासनादेश संख्या ए-1-8641 दस-08-15(1) 186 दिनांक 23.09.08 के प्रस्तर 2 के अनुसार रु 20000 तक की सामग्री क्रय बिना कोटेशन के रु 20001 से रु 99999 तक की सामग्री क्रय करने हेतु कोटेशन तथा रु 999999 से ऊपर की सामग्री क्रय करने हेतु टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। दिनांक 29.06.17 को रु 140618 की ईट क्रय की गयी जिसमें टेण्डर की प्रक्रिया का पालन न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान श्रीमती भानुमति व ग्रा0 वि0 अ0 श्री प्रवीण कुमार मकसूदन जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति सं0-18)

ग्राम पंचायत -नसिरुद्दीनपुर विकासखण्ड -तहबरपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-31 वित्त लेखा अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-ए-1-1221 दस-2010-(33)/2010 दिनांक 21.03.12 के प्रस्तर 2 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये किन्तु वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार आय हुई जिसे राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है 02.04.2017-2352, 02.07.2017-0486, 02.10.2017 -2262, 04.01.2018 - 1653 ब्याज की धनराशि रु 11753.00 जमा न कर प्रधान श्री विरेन्द्र यादव और ग्रा0 वि0 अ0 श्री प्रवीण कुमार मकसूदन द्वारा अनियमितता की गयी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-18)

ग्राम पंचायत -मुस्लिम पट्टी विकास खण्ड -तहबरपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-32 वर्ष 2017-18 को लेखा परीक्षण में अपहरण दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। दिनांक 25.12.2017 को कोष बही की जाँच में पाया गया कि मुन्ना के फार्म से कब्रिस्तान तक खड़न्जा निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान रु 20475 दर्शित किया गया है लेकिन बैंक पासबुक की जाँच में पाया गया कि मजदूरी का चेक दिनांक 02.02.2018 के)चेक सं0 10003089) क्लीरिंग दिखा रहा है इससे स्पष्ट है कि मजदूरी की धनराशि का भुगतान न करके प्रधान श्रीमती नगमा और ग्रा0 वि0 अ0 श्री प्रवीण कुमार मकसूदन द्वारा अपहरण कर लिया गया है। वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति सं0-19)

ग्राम पंचायत-मुईधर अहिरीपुर विकासखण्ड -तहबरपुर वर्ष-2017-18

प्रस्तर-33 दिनांक 21.06.17 को चेक संख्या 588298 से 16-17 का प्रिया साफ्ट व स्टेशनरी का रु 30000 भुगतान अनिल चौधरी को किया गया है बैंक खाते का देखने से ज्ञात हुआ कि दिनांक 05.08.2017 को खाता संख्या 031334453984 में रु 30000 का स्थानान्तरण है। प्रिया साफ्ट कम्प्यूटर आपरेटर से अन्य ग्राम पंचायतों में रु 3000. भुगतान किया गया है। अतः रु 27000 का अधिक भुगतान अनिल चौधरी द्वारा

लिया गया है जिसकी वसूली के लिए प्रधान श्री श्यामलाल व ग्रा0 पं0 अ0 श्री विरेन्द्र सोनकर जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है (सामान्य आपत्ति सं0-19)

ग्राम पंचायत-बसही जरमजेयपुर

विकासखण्ड -तहबरपुर

वर्ष-2017-18

प्रस्तर-34 शासनादेश संख्या ए-1-864/ दस-08-15(1) 86 दिनांक 23.09.08 के प्रस्तर 2 के अनुसार रु 20000.00 तक की सामग्री क्रय बिना कोटेशन के रु 20001 से रु 99999 तक की सामग्री क्रय करने हेतु कोटेशन तथा रु 99999 से ऊपर की सामग्री क्रय करने हेतु टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है लेकिन निम्नलिखित ईट क्रय में टेण्डर की प्रक्रिया का पालन न कर अनियमितता की गयी है।

दिनांक	सामग्री का नाम	धनराशि
30.06.17	ईट क्रय	155822
30.06.17	ईट क्रय	1566475
	योग	312297

उपरोक्त के लिए प्रधान श्री वासदेव व ग्रा0वि0अ0 श्री अखिलेश सिंह जिम्मेदार हैं आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है (सामान्य आपत्ति सं0-20)

ग्राम पंचायत -भोरमिकबूलपुर

विकासखण्ड -तहबरपुर

वर्ष-2017-18

प्रस्तर-35 वित्त लेखा अनुभाग -1 के शासनादेश सं0 ए -1-122/ दस -2010-10(33)/2010 दिनांक 21.03.12 के प्रस्तर 2 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये किन्तु वित्तिय वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार आय प्राप्त हुई, जिसे राजकोष में जमा न करके अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रधान श्री अखिलेश यादव व ग्रा0 वि0 अ0 श्री अखिलेश सिंह जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

दिनांक	धनराशि
2-4-17	7811
2-7-17	8600
2-10-17	5085
4-01-18	4472
योग	25968

(सामान्य आपत्ति सं0-6)

ग्राम पंचायत- अवती विकास खण्ड- तहबरपुर

वर्ष 2017-18

प्रस्तर.36 वित्त लेखा अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2010-10(33)/2010 दिनांक 21.03.12 के प्रस्तर-2 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय से राजकोष में जमा करा दिया जाये किन्तु वित्तिय वर्ष 16-17 से 17-18 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार आय हुई जिसे राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

09.04.16	330	02.04.17	3459
03.07.16	1904	02.07.17	5213
02.10.16	2305	02.10.17	5778
02.01.17	2236	04.01.18	8556

योग-27081

इस प्रकार 27081 राजकोष में जमा न करके प्रधान श्री रामविनय यादव व ग्रा0वि0अ0 श्री अखिलेश सिंह द्वारा अनियमितता की गयी है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति सं0-07)

ग्राम पंचायत- मड़या विकास खण्ड- तहबरपुर

वर्ष 2014-15, 2017-18

प्रस्तर.37 दिनांक 31.03.2016 को कोष ही की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित धनराशियां

प्रधान के पास अवशेष दर्शाया गया

प्रधान के पास

यू0बी0आई0 खाते में 14 वां वित्त

शौचालय की धनराशि

छपस

15477300-

3900000-

के0सी0एस0सी0 तहबरपुर

2587300-

योग 21964600-

जबकि दिनांक 01.04.16 को शेषबही में प्रारम्भिक अवशेष रु 194593 दर्शित है इस प्रकार रु 25053 दिनांक 31.03.18 को शेषबही में अंकित न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रधान श्रीमती नसीमा व तत्कालीन ग्रा0 वि0 अ0 श्री अखिलेश सिंह जिम्मेदार है।
(सामान्य आपत्ति सं0-18)

ग्राम पंचायत -तहबरपुर विकासखण्ड -तहबरपुर वर्ष 2017-18

प्रस्तर-38 शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15)1/(86 दिनांक 23.09.08 के प्रस्तर-2 के अनुसार रु 20000 की तक की सामग्री क्रय बिना कोटेशन के रु 20001 से रु 99999 तक की सामग्री क्रय करने हेतु कोटेशन तथा रु 99999 से ऊपर की सामग्री क्रय करने हेतु टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। लेकिन दिनांक 28.02.2018 को रु 124000 ईट क्रय में टेण्डर की प्रक्रिया का पालन न कर प्रधान श्री अवधराज यादव और ग्रा0 वि0 अ0 श्री अखिलेश सिंह द्वारा अनियमितता की गयी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0.20)

ग्राम पंचायत -लेडुवा फन्तेपुर विकासखण्ड -तहबरपुर वर्ष 2017-18

प्रस्तर-39 निम्नलिखित तिथियों में ईट क्रय पर आयकर की कटौती की गयी लेकिन आयकर विभाग में जमा न करके अनियमितता की गयी है।

दिनांक	आयकर की धनराशि
16.06.17	3360
23.06.17	1563
29.06.17	1000
27.12.17	1028
योग	6951.00

उपरोक्त के लिये प्रधान श्री विजय प्रसाद व ग्रा0 वि0 अ0 श्री प्रभाकर पाण्डेय जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-20)

ग्राम पंचायत-भिलौली खालसा विकास खण्ड -तहबरपुर वर्ष 2017-18

प्रस्तर-40 दिनांक 31.12.17 को कैश बुक में कछ ईट भट्टा गोकुलपुर ,आईमा निजामाबाद के पक्ष में चक संख्या 0989384 से रु 51344 का निर्गत है लेकिन बैंक पास बुक की जाँच में पाया गया कि उक्त चेक नेफ्ट से मीना यादव को किया गया है। अतः उक्त चेक ईट भट्टे के पक्ष में आहरित नहीं हुआ है बल्कि मीना यादव को नेफ्ट कराकर अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्रीमती उर्मिला और ग्रा0 वि0 अ0 श्री बलराम जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-18)

ग्राम पंचायत -बसही बंदेदासपुर विकास खण्ड -तहबरपुर वर्ष 2017-18

प्रस्तर-41 दिनांक 26.03.2018 को रु 470441 का स्थानान्तरण खाता सं0 098585098535 में हुआ है। प्रधान और ग्रा0 वि0 अ0 द्वारा बताया गया कि उक्त धनराशि छात्रवृत्ति की थी जिसे बैंक द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को वापस किया गया है। स्थानान्तरित धनराशि रु 470441 की पुष्टि समाज कल्याण अधिकारी से न कराकर अनियमितता की गयी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-18)

ग्राम पंचायत -शिवराजपुर वि0ख0-तहबरपुर वर्ष 2017-18

प्रस्तर-42 दिनांक 30.03.2017 को कैश बुक के व्यय पक्ष में प्रधान के पक्ष में रु 10000 निर्गत/आहरित धनराशि किस मद में खर्च की गयी है , का विवरण कैश बुक में दर्शित नहीं है। अतः रु 10000 की वसूली प्रधान श्रीमती सुरसत्ती व ग्राम विकास अधिकारी श्री बलराम से की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-20)

ग्राम पंचायत -चकबारी विकास खण्ड -तहबरपुर वर्ष 2017-18

प्रस्तर-43 निम्नलिखित विवरण के अनुसार मजदूरी की धनराशि मजदूरों को नकद भुगतान न कर स्थानतरित कराकर प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
30.11.2017	10005887	15575
16.12.2017	10005890	10675
28.02.2018	10007021	3380
12.03.2018	10007026	10675

09.03.2018

10007028

9800

योग

50105

उपरोक्त के लिए प्रधान श्री लालचन्द यादव व ग्राम विकास अधिकारी श्री बलराम जिम्मेदार है जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-20)

ग्राम पंचायत -धानियाकुड़ी विकासखण्ड -तहवरपुर वर्ष 2017-18

प्रस्तर-44 शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15)1/(86 दिनांक 23.09.08 के प्रस्तर-2 के अनुसार रु 20000 तक की सामग्री क्रय बिना कोटेशन के सं0.99999 तक सामग्री करने हेतु कोटेशन तथा रु 99999 से ऊपर की सामग्री क्रय करने हेतु टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है लेकिन निम्नलिखित सामग्री क्रय में टेण्डर की प्रक्रिया का पालन न कर प्रधान श्री रामनयन यादव और ग्रा0 प0 अ0 श्री त्रिवेणी सिंह द्वारा अनियमितता की गयी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	विवरण	धनराशि
30.07.17	ईट क्रय	126452
30.03.17	सोलर लाइट	153300
	योग	279752

(सामान्य आपत्ति सं0-19)

ग्राम पंचायत -मंझारी खलिश्रा विकासखण्ड -तहवरपुर वर्ष 2017-18

प्रस्तर-45 वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में अपहरण ,दुरुपयोग एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15)1/(86 दिनांक 23.09.08 के प्रस्तर-2 के अनुसार रु 20000 तक की सामग्री क्रय बिना कोटेशन के रु 20001 से 99999 तक की सामग्री क्रय करने हेतु कोटेशन तथा रु 99999 से अपर की सामग्री क्रय करने हेतु टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। निम्नलिखित सामग्री क्रय में टेण्डर आमंत्रित न करके प्रधान श्री श्रीराम यादव व ग्राम विकास अधिकारी श्री छविनाथ यादव द्वारा अनियमितता की गयी है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

दिनांक	नाम सामग्री	धनराशि
17.06.2017	सोलर लाइट	109500.00
	सोलर लाइट	109500.00
	ईट क्रय	178000.00
	योग:-	397000.00

(सामान्य आपत्ति सं0(20-

ग्राम पंचायत- खजुरा विकासखण्ड-पल्हना वर्ष 2011-12, 2017-18

प्रस्तर-46 ग्राम पंचायत खजुरा के वर्ष 2011- 12से 2014- 15की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर की गई है वास्तव में ग्राम पंचायत में इस व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अधोलिखित वर्ष में नहीं है।

लेखा परीक्षा वर्ष	आय	व्यय विवरण
12-2011	528326	737960
13-2012	585703	613642
14-2013	1130611	1124799
15-2014	981533	873348
16-2015	657530	595261
योग		3945010

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को इस संबन्ध में कई पत्र के माध्यम से आडिट की स्थिति और प्रगति की सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम लेखा परीक्षा हेतु नहीं उठाया गया।

इसी क्रम में लेखा परीक्षा हेतु सुसंगत अभिलेखों की माँग खण्ड विकास अधिकारी से निम्नांकित तिथियों में की गयी .दिनांक 03.01.2019 व दिनांक 11.02.2019 साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को उपरोक्त स्थिति की सूचना दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को दी गई।

उपरोक्त आवश्यक पत्राचार के उपरान्त भी व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष वांछित सुसंगत अभिलेख यथा कोषावली, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0एम0वी0, बिल वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, चेक इश्यू रजिस्टर, भुगतान प्राप्त पंजिका, महालेखाकार द्वारा निर्धारित आठ प्रपत्र, ग्राम पंचायत को निजी श्रोत से हुई आय की पुष्टि हेतु

रूपपत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय की गयी धनराशि की लेखा परीक्षा की दृष्टि से पुष्टि नहीं की जा सकती। व्यय बाउचर को न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय आठ के खण्ड.7 एवं खण्ड.8 क एवं 8.ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204,205 के विपरीत तथा धारा.27 एवं नियम.256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।

अतः ग्राम पंचायत खजुरा को वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक की गई व्यय रु 3945010 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती प्रेमा देवी पूर्व प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य

आपत्ति सं0-02)

ग्राम पंचायत- खजुरा विकासखण्ड-पल्हना वर्ष 2017-18

प्रस्तर-47 निम्न विवरणानुसार सामाग्री क्रय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है कैशबुक में भी कैश मेमो संख्या अंकित करने का स्थान रिक्त रखा गया है संख्या अंकित नहीं किया गया है।

दिनांक	धनराशि	विवरण
13.04.2016	88660	ईंट क्रय
30.07.2016	88660	ईंट क्रय
योग	177320	

सामाग्री क्रय का भुगतान आपूर्तिकर्ता को चेक से न कर नगद दर्शाया गया है। स्टॉक रजिस्टर भी तैयार नहीं रखा गया है। जिससे स्पष्ट है कि काल्पनिक क्रय दर्शाकर रु.177320 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती देवी व तत्कालीन ग्राम सचिव द्वारा कर लिया गया है। अपहरित धनराशि रु.177320 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती देवी व तत्कालीन ग्राम सचिव से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-03)

ग्राम पंचायत- पवनीकला विकासखण्ड- पल्हना वर्ष 2017-18

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत पवनीकला के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर की गई है वास्तव में ग्राम पंचायत में इस व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अधोलिखित वर्ष में नहीं है।

लेखा परीक्षा वर्ष	आय	व्यय विवरण
18-2017	1306886	1031783

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को इस संबंध में कई पत्र के माध्यम से आडिट की स्थिति और प्रगति की सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम लेखा परीक्षा हेतु नहीं उठाया गया।

इसी क्रम में लेखा परीक्षा हेतु सुसंगत अभिलेखों की माँग खण्ड विकास अधिकारी से निम्नांकित तिथियों में की गयी दिनांक 03.01.2019 व दिनांक 11.02.2019 साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को उपरोक्त स्थिति की सूचना दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को दी गई।

उपरोक्त आवश्यक पत्राचार के उपरान्त भी व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष वांछित सुसंगत अभिलेख यथा .कोषावली, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0एम0बी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, चेक इश्यू रजिस्टर, भुगतान प्राप्त पंजिका, महालेखाकार द्वारा निर्धारित आठ प्रपत्र, ग्राम पंचायत को निजी श्रोत से हुई आय की पुष्टि हेतु रूपपत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय की गयी धनराशि की लेखा परीक्षा की दृष्टि से पुष्टि नहीं की जा सकती। व्यय बाउचर को न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय आठ के खण्ड.7 एवं खण्ड.8 क एवं 8.ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204,205 के विपरीत तथा धारा.27 एवं नियम.256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।

अतः ग्राम पंचायत पवनीकला को वर्ष 2017-18 में की गई व्यय रु 1031783 की ब्याज सहित वसूली श्री ज्योतिर्मय प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य

आपत्ति सं0-02)

ग्राम पंचायत- नियमताबाद विकासखण्ड- पल्हना वर्ष 2017-18

प्रस्तर-49 ग्राम पंचायत नियमताबाद के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर की गई है, वास्तव में ग्राम पंचायत में इस व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अधोलिखित वर्ष में नहीं है।

लेखा परीक्षा वर्ष	आय	व्यय विवरण
18-2017	702452	740845

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक **03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019** को इस संबंध में कई पत्र के माध्यम से आडिट की स्थिति और प्रगति की सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम लेखा परीक्षा हेतु नहीं उठाया गया।

इसी क्रम में लेखा परीक्षा हेतु सुसंगत अभिलेखों की माँग खण्ड विकास अधिकारी से निम्नांकित तिथियों में की गयी दिनांक **03.01.2019 व दिनांक 11.02.2019** साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को उपरोक्त स्थिति की सूचना दिनांक **03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019** को दी गई।

उपरोक्त आवश्यक पत्राचार के उपरान्त भी व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष वांछित सुसंगत अभिलेख यथा .कोषावही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0एम0बी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, चेक इश्यू रजिस्टर, भुगतान प्राप्त पंजिका, महालेखाकार द्वारा निर्धारित आठ प्रपत्र, ग्राम पंचायत को निजी श्रोत से हुई आय की पुष्टि हेतु रुपपत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय की गयी धनराशि की लेखा परीक्षा की दृष्टि से पुष्टि नहीं की जा सकती। व्यय बाउचर को न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय आठ के खण्ड.7 एवं खण्ड.8 क एवं 8.ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204,205 के विपरीत तथा धारा.27 एवं नियम.256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।

अतः ग्राम पंचायत नियमतावाद को वर्ष **2017-18** में की गई व्यय रु **740845** की ब्याज सहित वसूली श्री प्रवीण प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02)

ग्राम पंचायत- कटाई विकास खण्ड- पल्हना वर्ष 2017-18

प्रस्तर-50 ग्राम पंचायत कटाई के वर्ष **2017-18** की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर की गई है वास्तव में ग्राम पंचायत में इस व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अधोलिखित वर्ष में नहीं है।

लेखा परीक्षा वर्ष	आय	व्यय विवरण
18-2017	1045115	1906089

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक **03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019** को इस संबंध में कई पत्र के माध्यम से आडिट की स्थिति और प्रगति की सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम लेखा परीक्षा हेतु नहीं उठाया गया।

इसी क्रम में लेखा परीक्षा हेतु सुसंगत अभिलेखों की माँग खण्ड विकास अधिकारी से निम्नांकित तिथियों में की गयी .दिनांक **03.01.2019 व दिनांक 11.02.2019** साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को उपरोक्त स्थिति की सूचना दिनांक **03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019** को दी गई।

उपरोक्त आवश्यक पत्राचार के उपरान्त भी व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष वांछित सुसंगत अभिलेख यथा .कोषावही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0एम0बी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, चेक इश्यू रजिस्टर, भुगतान प्राप्त पंजिका, महालेखाकार द्वारा निर्धारित आठ प्रपत्र, ग्राम पंचायत को निजी श्रोत से हुई आय की पुष्टि हेतु रुपपत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय की गयी धनराशि की लेखा परीक्षा की दृष्टि से पुष्टि नहीं की जा सकती। व्यय बाउचर को न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय आठ के खण्ड.7 एवं खण्ड.8 क एवं 8.ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204,205 के विपरीत तथा धारा.27 एवं नियम.256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।

अतः ग्राम पंचायत कटाई को वर्ष **2017.18** में की गई व्यय रु.**1906089** की ब्याज सहित वसूली श्री अशोक प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से आधी.आधी नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02)

ग्राम पंचायत- भिटकासो

विकासखण्ड- पल्हना वर्ष 2017-18

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायत भिटकासो के वर्ष **2017-18** की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर की गई है वास्तव में ग्राम पंचायत में इस व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अधोलिखित वर्ष में नहीं है।

लेखा परीक्षा वर्ष	आय	व्यय विवरण
18-2017	358095	306300

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक **03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019** को इस संबंध में कई पत्र के माध्यम से आडिट की स्थिति और प्रगति की सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम लेखा परीक्षा हेतु नहीं उठाया गया।

इसी क्रम में लेखा परीक्षा हेतु सुसंगत अभिलेखों की माँग खण्ड विकास अधिकारी से निम्नांकित तिथियों में की गयी .दिनांक **03.01.2019 व दिनांक 11.02.2019** साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को उपरोक्त स्थिति की सूचना दिनांक **03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019** को दी गई।

उपरोक्त आवश्यक पत्राचार के उपरान्त भी व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष वांछित सुसंगत अभिलेख यथा .कोषावही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0एम0वी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, चेक इश्यू रजिस्टर, भुगतान प्राप्त पंजिका, महालेखाकार द्वारा निर्धारित आठ प्रपत्र, ग्राम पंचायत को निजी श्रोत से हुई आय की पुष्टि हेतु रुपपत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय की गयी धनराशि की लेखा परीक्षा की दृष्टि से पुष्टि नहीं की जा सकती। व्यय बाउचर को न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय आठ के खण्ड.7 एवं खण्ड.8 क एवं 8.ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204,205 के विपरीत तथा धारा.27 एवं नियम.256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।

अतः ग्राम पंचायत भिटकासो को वर्ष 2017-18 में की गई व्यय रु 306300 की ब्याज सहित वसूली श्री राजमुनि प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-02)

ग्राम पंचायत-सैफपुर उर्फ बाजनपुर विकासखण्ड- पल्हना वर्ष 2017-18

प्रस्तर-52 ग्राम पंचायत सैफपुर उर्फ बाजनपुर के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत में इस व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अधोलिखित वर्ष में नहीं है।

लेखा परीक्षा वर्ष	आय	व्यय विवरण
18-2017	643291	566549

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को इस संबंध में कई पत्र के माध्यम से आडिट की स्थिति और प्रगति की सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम लेखा परीक्षा हेतु नहीं उठाया गया।

इसी क्रम में लेखा परीक्षा हेतु सुसंगत अभिलेखों की माँग खण्ड विकास अधिकारी से निम्नांकित तिथियों में की गयी .दिनांक 03.01.2019 व दिनांक 11.02.2019 साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को उपरोक्त स्थिति की सूचना दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को दी गई।

उपरोक्त आवश्यक पत्राचार के उपरान्त भी व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष वांछित सुसंगत अभिलेख यथा कोषावही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0एम0वी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, चेक इश्यू रजिस्टर, भुगतान प्राप्त पंजिका, महालेखाकार द्वारा निर्धारित आठ प्रपत्र, ग्राम पंचायत को निजी श्रोत से हुई आय की पुष्टि हेतु रुपपत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय की गयी धनराशि की लेखा परीक्षा की दृष्टि से पुष्टि नहीं की जा सकती। व्यय बाउचर को न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय आठ के खण्ड.7 एवं खण्ड.8 क एवं 8.ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204,205 के विपरीत तथा धारा.27 एवं नियम.256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।

अतः ग्राम पंचायत सैफपुर उर्फ बाजनपुर को वर्ष 2017-18 में की गई व्यय रु 566549 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती इन्द्रावती प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-02)

ग्राम पंचायत- करसड़ा विकासखण्ड- पल्हना वर्ष 2017-18

प्रस्तर-53 ग्राम पंचायत करसड़ा के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर की गई है, वास्तव में ग्राम पंचायत में इस व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अधोलिखित वर्ष में नहीं है।

लेखा परीक्षा वर्ष	आय	व्यय विवरण
18-2017	1164212	1045276

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को इस संबंध में कई पत्र के माध्यम से आडिट की स्थिति और प्रगति की सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम लेखा परीक्षा हेतु नहीं उठाया गया।

इसी क्रम में लेखा परीक्षा हेतु सुसंगत अभिलेखों की माँग खण्ड विकास अधिकारी से निम्नांकित तिथियों में की गयी .दिनांक 03.01.2019 व दिनांक 11.02.2019 साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को उपरोक्त स्थिति की सूचना दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को दी गई।

उपरोक्त आवश्यक पत्राचार के उपरान्त भी व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष वांछित सुसंगत अभिलेख यथा कोषावही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0एम0वी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, चेक इश्यू रजिस्टर, भुगतान प्राप्त पंजिका, महालेखाकार द्वारा निर्धारित आठ प्रपत्र, ग्राम पंचायत को निजी श्रोत से हुई आय की पुष्टि हेतु रुप पत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय की गयी धनराशि की लेखा परीक्षा की दृष्टि से पुष्टि नहीं की जा सकती। व्यय बाउचर को न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय आठ के खण्ड.7 एवं खण्ड.8 क एवं

8.ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204,205 के विपरीत तथा धारा.27 एवं नियम.256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।

अतः ग्राम पंचायत करसड़ा को वर्ष 2017-18 में की गई व्यय रु.1045276 की व्याज सहित वसूली श्री जोखन प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से आधी.आधी नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य

आपत्ति सं0-02)

ग्राम पंचायत- मियापुर बासदेवा विकासखण्ड- पल्हना वर्ष 2017-18

प्रस्तर-54 ग्राम पंचायत मियापुर बासदेवा के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर की गई है, वास्तव में ग्राम पंचायत में इस व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अधोलिखित वर्ष में नहीं है।

लेखा परीक्षा वर्ष	आय	व्यय विवरण
18-2017	414161	119600

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को इस संबंध में कई पत्र के माध्यम से आडिट की स्थिति और प्रगति की सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम लेखा परीक्षा हेतु नहीं उठाया गया।

इसी क्रम में लेखा परीक्षा हेतु सुसंगत अभिलेखों की माँग खण्ड विकास अधिकारी से निम्नांकित तिथियों में की गयी .दिनांक 03.01.2019 व दिनांक 11.02.2019 साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को उपरोक्त स्थिति की सूचना दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को दी गई।

उपरोक्त आवश्यक पत्राचार के उपरान्त भी व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष वांछित सुसंगत अभिलेख यथा कोषावही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0एम0वी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, चेक इश्यू रजिस्टर, भुगतान प्राप्त पंजिका, महालेखाकार द्वारा निर्धारित आठ प्रपत्र, ग्राम पंचायत को निजी श्रोत से हुई आय की पुष्टि हेतु रुपपत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय की गयी धनराशि की लेखा परीक्षा की दृष्टि से पुष्टि नहीं की जा सकती। व्यय बाउचर को न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय आठ के खण्ड.7 एवं खण्ड.8 क एवं 8.ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204,205 के विपरीत तथा धारा.27 एवं नियम.256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।

अतः ग्राम पंचायत मियापुर बासदेवा को वर्ष 2017-18 में की गई व्यय रु 119600 की व्याज सहित वसूली श्री ज्ञानेन्द्र प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से आधी.आधी नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य

आपत्ति सं0-02)

ग्राम पंचायत- कोटा खुर्द विकासखण्ड- पल्हना वर्ष 2011-12 से 2014-15

प्रस्तर-55 ग्राम पंचायत कोटा खुर्द के वर्ष 2011-12 से 2014-15 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर की गई है, वास्तव में ग्राम पंचायत में इस व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अधोलिखित वर्ष में नहीं है।

लेखा परीक्षा वर्ष	आय	व्यय विवरण
12-2011	-	-
13-2012	332667	350441
14-2013	666743	635806
15-2014	666820	1618631
योग	2604878	2604878

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को इस संबंध में कई पत्र के माध्यम से आडिट की स्थिति और प्रगति की सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम लेखा परीक्षा हेतु नहीं उठाया गया।

इसी क्रम में लेखा परीक्षा हेतु सुसंगत अभिलेखों की माँग खण्ड विकास अधिकारी से निम्नांकित तिथियों में की गयी दिनांक 03.01.2019 व दिनांक 11.02.2019 साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को उपरोक्त स्थिति की सूचना दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को दी गई।

उपरोक्त आवश्यक पत्राचार के उपरान्त भी व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष वांछित सुसंगत अभिलेख यथा कोषावही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0एम0वी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, चेक इश्यू रजिस्टर, भुगतान प्राप्त पंजिका, महालेखाकार द्वारा निर्धारित आठ प्रपत्र, ग्राम पंचायत को निजी श्रोत से हुई आय की पुष्टि हेतु रुपपत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय की गयी धनराशि की लेखा परीक्षा की दृष्टि से पुष्टि नहीं की जा सकती। व्यय बाउचर को न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय आठ के खण्ड.7 एवं खण्ड.8 क एवं

8.ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204,205 के विपरीत तथा धारा.27 एवं नियम.256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।

अतः ग्राम पंचायत कोटा खुर्द को वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की गई व्यय रु 1618631 की ब्याज सहित वसूली श्री अजीत पूर्व प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-02)

ग्राम पंचायत- कोटा खुर्द

विकासखण्ड- पल्हना वर्ष 2011-12 से 2014-15

प्रस्तर-56 निम्न विवरणानुसार आहरित धनराशि की प्रविष्टि कोषबही में आय पक्ष में किया गया है.

दिनांक	धनराशि
09.04.2015	33000.00
16.04.2015	32000.00
24.04.2015	48000.00
30.04.2015	10000.00
30.04.2015	15000.00
28.05.2015	4000.00
16.06.2015	15000.00
16.06.2015	5000.00
18.06.2015	15000.00
24.06.2015	7000.00
10.07.2015	2000.00
16.07.2015	4100.00
14.08.2015	15000.00
18.08.2015	10000.00
19.08.2015	5000.00
24.08.2015	10000.00
योग	230100.00

उपरोक्त आहरित धनराशि का कैशबुक में भुगतान अंकित कर आय पक्ष में प्रविष्टि की गयी है। व्यय पक्ष में व्यय की कोई भी प्रविष्टि नहीं है। व्यय पक्ष में अंकित भुगतान का कोई विवरण नहीं है। उक्त भुगतान की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि रु 230100 का आहरण कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अजीत एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-03)

ग्राम पंचायत-धरनीपुर रानीपुर

विकासखण्ड- पल्हना

वर्ष 2011-12 से 2017-18

प्रस्तर-57 ग्राम पंचायत धरनीपुर रानीपुर के वर्ष 2011-12 से 2017-18 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर की गई है, वास्तव में ग्राम पंचायत में इस व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अधोलिखित वर्ष में नहीं है।

लेखा परीक्षा वर्ष	आय	व्यय विवरण
12-2011	1157240	1177040
13-2012	1503376	1859079
14-2013	2314677	2077780
15-2014	2529179	2701321
16-2015	1434421	720821
17-2016	2030274	293941
18-2017	2506182	2052397
योग	11066164	10612379

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को इस संबन्ध में कई पत्र के माध्यम से आडिट की स्थिति और प्रगति की सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम लेखा परीक्षा हेतु नहीं उठाया गया।

इसी क्रम में लेखा परीक्षा हेतु सुसंगत अभिलेखों की माँग खण्ड विकास अधिकारी से निम्नांकित तिथियों में की गयी .दिनांक **03.01.2019** व दिनांक **11.02.2019** साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को उपरोक्त स्थिति की सूचना दिनांक **03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019** व **25.03.2019** को दी गई।

उपरोक्त आवश्यक पत्राचार के उपरान्त भी व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष वांछित सुसंगत अभिलेख यथा .कोषावही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0एम0वी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, चेक इश्यू रजिस्टर, भुगतान प्राप्त पंजिका, महालेखाकार द्वारा निर्धारित आठ प्रपत्र, ग्राम पंचायत को निजी श्रोत से हुई आय की पुष्टि हेतु रुपपत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय की गयी धनराशि की लेखा परीक्षा की दृष्टि से पुष्टि नहीं की जा सकती। व्यय बाउचर को न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय आठ के खण्ड.7 एवं खण्ड.8 क एवं 8.ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204,205 के विपरीत तथा धारा.27 एवं नियम.256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।

अतः ग्राम पंचायत धरनीपुर रानीपुर को वर्ष 2011-12 से 2017-18 में की गई व्यय रु.10612379 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती इन्द्रा पूर्व प्रधान व शारदा वर्तमान प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी नियमानुसार की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं0-02)

ग्राम पंचायत-पित्थौरपुर विकासखण्ड-पल्हना वर्ष 2011-12 से 2017-18

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायत पित्थौरपुर के वर्ष 2011-12 से 2017-18 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर की गई है, वास्तव में ग्राम पंचायत में इस व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अधोलिखित वर्ष में नहीं है।

लेखा परीक्षा वर्ष	आय	व्यय विवरण
12-2011	700637	674968
13-2012	894581	938945
14-2013	183087	1796224
15-2014	1492317	1336300
16-2015	1097865	606248
17-2016	657442	867700
18-2017	1336792	869421
योग	6362721	7079806

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक **03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019** व **25.03.2019** को इस संबन्ध में कई पत्र के माध्यम से आडिट की स्थिति और प्रगति की सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम लेखा परीक्षा हेतु नहीं उठाया गया।

इसी क्रम में लेखा परीक्षा हेतु सुसंगत अभिलेखों की माँग खण्ड विकास अधिकारी से निम्नांकित तिथियों में की गयी .दिनांक **03.01.2019** व दिनांक **11.02.2019** साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को उपरोक्त स्थिति की सूचना दिनांक **03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019** व **25.03.2019** को दी गई।

उपरोक्त आवश्यक पत्राचार के उपरान्त भी व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष वांछित सुसंगत अभिलेख यथा कोषावही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0एम0वी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, चेक इश्यू रजिस्टर, भुगतान प्राप्त पंजिका, महालेखाकार द्वारा निर्धारित आठ प्रपत्र, ग्राम पंचायत को निजी श्रोत से हुई आय की पुष्टि हेतु रुपपत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय की गयी धनराशि की लेखा परीक्षा की दृष्टि से पुष्टि नहीं की जा सकती। व्यय बाउचर को न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय आठ के खण्ड.7 एवं खण्ड.8 क एवं 8.ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204,205 के विपरीत तथा धारा.27 एवं नियम.256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।

अतः ग्राम पंचायत पित्थौरपुर को वर्ष 2011-12 से 2017-18 में की गई व्यय रु **7079806** की ब्याज सहित वसूली श्री दिलीप पूर्व प्रधान व श्रीमती मंजू, वर्तमान प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी नियमानुसार की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं0-02)

ग्राम पंचायत-रजहा अजमतपुर विकासखण्ड- पल्हना वर्ष 2011-12 से 2017-18

प्रस्तर-59 ग्राम पंचायत रजहा अजमतपुर के वर्ष 2011-12 से 2017-18 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर की गई है, वास्तव में ग्राम पंचायत में इस व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अधोलिखित वर्ष में नहीं है।

लेखा परीक्षा वर्ष	आय	व्यय विवरण

12-2011	458188	656222
13-2012	592232	566427
14-2013	987048	883157
15-2014	750707	814813
16-2015	563319	249000
17-2016	555624	844418
18-2017	788464	364345
योग	4802501	4378382

सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)को दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को इस संबन्ध में कई पत्र के माध्यम से आडिट की स्थिति और प्रगति की सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम लेखा परीक्षा हेतु नहीं उठाया गया।

इसी क्रम में लेखा परीक्षा हेतु सुसंगत अभिलेखों की माँग खण्ड विकास अधिकारी से निम्नांकित तिथियों में की गयी .दिनांक 03.01.2019 व दिनांक 11.02.2019 साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को उपरोक्त स्थिति की सूचना दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को दी गई।

उपरोक्त आवश्यक पत्राचार के उपरान्त भी व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष वांछित सुसंगत अभिलेख यथा .कोषावही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0एम0वी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, चेक इश्यू रजिस्टर, भुगतान प्राप्त पंजिका, महालेखाकार द्वारा निर्धारित आठ प्रपत्र, ग्राम पंचायत को निजी श्रोत से हुई आय की पुष्टि हेतु रुपपत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय की गयी धनराशि की लेखा परीक्षा की दृष्टि से पुष्टि नहीं की जा सकती। व्यय बाउचर को न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय आठ के खण्ड.7 एवं खण्ड.8 क एवं 8.ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204,205 के विपरीत तथा धारा.27 एवं नियम.256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।

अतः ग्राम पंचायत रजहा अजमतपुर को वर्ष 2011-12 से 2017-18 में की गई व्यय रु 4378382 की ब्याज सहित वसूली श्री हरेन्द्र पूर्व प्रधान व श्रीमती रेशमा, वर्तमान प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी नियमानुसार की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं0.02)

ग्राम पंचायत-चिलबिला विकास खण्ड-पल्हना वर्ष 2011-12 से 2017-18

प्रस्तर-60 ग्राम पंचायत चिलबिला के वर्ष 2011-12 से 2017-18 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत में इस व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अधोलिखित वर्ष में नहीं है।

लेखा परीक्षा वर्ष	आय	व्यय विवरण
12-2011	311122	353464
13-2012	244194	252500
14-2013	489364	419800
15-2014	453730	443938
16-2015	445454	171108
17-2016	607542	910340
18-2017	734911	606716
योग	3286061	3157866

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को इस संबन्ध में कई पत्र के माध्यम से आडिट की स्थिति और प्रगति की सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम लेखा परीक्षा हेतु नहीं उठाया गया।

इसी क्रम में लेखा परीक्षा हेतु सुसंगत अभिलेखों की माँग खण्ड विकास अधिकारी से निम्नांकित तिथियों में की गयी .दिनांक 03.01.2019 व दिनांक 11.02.2019 साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को उपरोक्त स्थिति की सूचना दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को दी गई।

उपरोक्त आवश्यक पत्राचार के उपरान्त भी व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष वांछित सुसंगत अभिलेख यथा .कोषावही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0एम0वी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, चेक इश्यू रजिस्टर, भुगतान प्राप्त पंजिका, महालेखाकार द्वारा निर्धारित आठ प्रपत्र, ग्राम पंचायत को निजी श्रोत से हुई आय की पुष्टि हेतु रुपपत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय की गयी धनराशि की लेखा परीक्षा की दृष्टि से पुष्टि नहीं की जा सकती। व्यय बाउचर को न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय आठ के खण्ड.7 एवं खण्ड.8 क एवं

8.ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204,205 के विपरीत तथा धारा.27 एवं नियम.256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।

अतः ग्राम पंचायत चिलबिला को वर्ष 2011-12 से 2017-18 में की गई व्यय रु 3157866 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती संगीता पूर्व प्रधान श्री अरुण वर्तमान प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी नियमानुसार की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं0.02)

ग्राम पंचायत-मालपार विकास खण्ड-पल्हना वर्ष 2011-12 से 2017-18

प्रस्तर-61 ग्राम पंचायत मालपार के वर्ष 2011-12 से 2017-18 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर की गई है, वास्तव में ग्राम पंचायत में इस व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अधोलिखित वर्ष में नहीं है।

लेखा परीक्षा वर्ष	आय	व्यय विवरण
12-2011	484844	693455
13-2012	557956	643900
14-2013	908250	821620
15-2014	863996	849487
16-2015	610856	270800
17-2016	778460	262993
18-2017	753006	314526
योग	4294261	3855781

सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)को दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को इस संबन्ध में कई पत्र के माध्यम से आडिट की स्थिति और प्रगति की सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम लेखा परीक्षा हेतु नहीं उठाया गया।

इसी क्रम में लेखा परीक्षा हेतु सुसंगत अभिलेखों की माँग खण्ड विकास अधिकारी से निम्नांकित तिथियों में की गयी .दिनांक 03.01.2019 व दिनांक 11.02.2019 साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को उपरोक्त स्थिति की सूचना दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को दी गई।

उपरोक्त आवश्यक पत्राचार के उपरान्त भी व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष वांछित सुसंगत अभिलेख यथा .कोषावली, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0एम0वी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, चेक इश्यू रजिस्टर, भुगतान प्राप्त पंजिका, महालेखाकार द्वारा निर्धारित आठ प्रपत्र, ग्राम पंचायत को निजी श्रोत से हुई आय की पुष्टि हेतु रुपपत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय की गयी धनराशि की लेखा परीक्षा की दृष्टि से पुष्टि नहीं की जा सकती। व्यय बाउचर को न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय आठ के खण्ड.7 एवं खण्ड.8 क एवं 8.ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204,205 के विपरीत तथा धारा.27 एवं नियम.256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।

अतः ग्राम पंचायत मालपार को वर्ष 2011-12 से 2017-18 में की गई व्यय रु 3855781 की ब्याज सहित वसूली श्री उमेश पूर्व प्रधान व श्री पारस वर्तमान प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी नियमानुसार की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं0-02)

ग्राम पंचायत-लहुआ खुर्द विकास खण्ड-पल्हना वर्ष 2011-12 से 2017-18

प्रस्तर-62 ग्राम पंचायत लहुआ खुर्द के वर्ष 2011-12 से 2017-18 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर की गई है, वास्तव में ग्राम पंचायत में इस व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अधोलिखित वर्ष में नहीं है।

लेखा परीक्षा वर्ष	आय	व्यय विवरण
12-2011	847686	964361
13-2012	859140	859650
14-2013	1721527	1947641
15-2014	1499814	1420675
16-2015	1276109	1076970
17-2016	1523883	1006566

18-2017	2056472	1918314
योग	9332335	9194177

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को इस संबंध में कई पत्र के माध्यम से आडिट की स्थिति और प्रगति की सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम लेखा परीक्षा हेतु नहीं उठाया गया।

इसी क्रम में लेखा परीक्षा हेतु सुसंगत अभिलेखों की माँग खण्ड विकास अधिकारी से निम्नांकित तिथियों में की गयी .दिनांक 03.01.2019 व दिनांक 11.02.2019 साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को उपरोक्त स्थिति की सूचना दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को दी गई।

उपरोक्त आवश्यक पत्राचार के उपरान्त भी व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष वांछित सुसंगत अभिलेख यथा .कोषावही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0एम0वी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, चेक इश्यू रजिस्टर, भुगतान प्राप्त पंजिका, महालेखाकार द्वारा निर्धारित आठ प्रपत्र, ग्राम पंचायत को निजी श्रोत से हुई आय की पुष्टि हेतु रुपपत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय की गयी धनराशि की लेखा परीक्षा की दृष्टि से पुष्टि नहीं की जा सकती। व्यय बाउचर को न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय आठ के खण्ड.7 एवं खण्ड.8 क एवं 8.ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204,205 के विपरीत तथा धारा.27 एवं नियम.256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।

अतः ग्राम पंचायत लहुआ खुर्द को वर्ष 2011-12 से 2017-18 में की गई व्यय रु 9194177 की व्याज सहित वसूली श्रीमती सरोज पूर्व प्रधान श्री छेदी वर्तमान प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं 0-02)

ग्राम पंचायत-इस्माइलपुर भरथीपुर विकास खण्ड-पल्हना वर्ष 2011-12 से 2017-18

प्रस्तर-63 ग्राम पंचायत इस्माइलपुर भरथीपुर के वर्ष 2011-12 से 2017-18 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर की गई है, वास्तव में ग्राम पंचायत में इस व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अधोलिखित वर्ष में नहीं है।

लेखा परीक्षा वर्ष	आय	व्यय विवरण
12-2011	815738	879253
13-2012	789927	790932
14-2013	1513489	1527794
15-2014	1532929	1410353
16-2015	1043330	250000
17-2016	1158613	1059081
18-2017	1495502	478000
योग	7412915	6395413

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को इस संबंध में कई पत्र के माध्यम से आडिट की स्थिति और प्रगति की सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम लेखा परीक्षा हेतु नहीं उठाया गया।

इसी क्रम में लेखा परीक्षा हेतु सुसंगत अभिलेखों की माँग खण्ड विकास अधिकारी से निम्नांकित तिथियों में की गयी .दिनांक 03.01.2019 व दिनांक 11.02.2019 साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को उपरोक्त स्थिति की सूचना दिनांक 03.01.2019,11.02.2019,27.02.2019 व 25.03.2019 को दी गई।

उपरोक्त आवश्यक पत्राचार के उपरान्त भी व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष वांछित सुसंगत अभिलेख यथा कोषावही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0एम0वी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, चेक इश्यू रजिस्टर, भुगतान प्राप्त पंजिका, महालेखाकार द्वारा निर्धारित आठ प्रपत्र, ग्राम पंचायत को निजी श्रोत से हुई आय की पुष्टि हेतु रुपपत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय की गयी धनराशि की लेखा परीक्षा की दृष्टि से पुष्टि नहीं की जा सकती। व्यय बाउचर को न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय आठ के खण्ड.7 एवं खण्ड.8 क एवं 8.ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204,205 के विपरीत तथा धारा.27 एवं नियम.256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।

अतः ग्राम पंचायत इस्माइलपुर भरथीपुर को वर्ष 2011-12 से 2017-18 में की गई व्यय रु 6395413 की व्याज सहित वसूली श्री गौरीशंकर पूर्व प्रधान व श्री अर्जुन राजभर वर्तमान प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02)

ग्राम पंचायत-सुल्तानपुर नवापुर

विकासखण्ड-पल्हना वर्ष 2011-12 से 2017-18

प्रस्तर-64 ग्राम पंचायत सुल्तानपुर नवापुर के वर्ष **2011-12** से **2017-18** की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर की गई है, वास्तव में ग्राम पंचायत में इस व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख अधोलिखित वर्ष में नहीं है।

लेखा परीक्षा वर्ष	आय	व्यय विवरण
12-2011	140929	139500
13-2012	296215	295000
14-2013	565871	644310
15-2014	554437	542560
16-2015	228801	181202
17-2016	624506	अज्ञात
18-2017	620350	916200
योग	3031109	2718772 + अज्ञात

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक **03.01.2019, 11.02.2019, 27.02.2019** व **25.03.2019** को इस संबंध में कई पत्र के माध्यम से आडिट की स्थिति और प्रगति की सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम लेखा परीक्षा हेतु नहीं उठाया गया।

इसी क्रम में लेखा परीक्षा हेतु सुसंगत अभिलेखों की माँग खण्ड विकास अधिकारी से निम्नांकित तिथियों में की गयी .दिनांक **03.01.2019** व दिनांक **11.02.2019** साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को उपरोक्त स्थिति की सूचना दिनांक **03.01.2019, 11.02.2019, 27.02.2019** व **25.03.2019** को दी गई।

उपरोक्त आवश्यक पत्राचार के उपरान्त भी व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष वांछित सुसंगत अभिलेख यथा .कोषावही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0एम0वी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, चेक इश्यू रजिस्टर, भुगतान प्राप्त पंजिका, महालेखाकार द्वारा निर्धारित आठ प्रपत्र, ग्राम पंचायत को निजी श्रोत से हुई आय की पुष्टि हेतु रुपपत्र इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय की गयी धनराशि की लेखा परीक्षा की दृष्टि से पुष्टि नहीं की जा सकती। व्यय बाउचर को न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय आठ के खण्ड.7 एवं खण्ड.8 क एवं **8.ख** तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली **1947** के नियम **204,205** के विपरीत तथा धारा.27 एवं नियम.256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।

अतः ग्राम पंचायत सुल्तानपुर नवापुर को वर्ष **2011-12** से **2017-18** में की गई व्यय रु **2718772** की ब्याज सहित वसूली श्री रामदास प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी नियमानुसार की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं0-02)